

# वित्त आयोग - कोविड के दौर में 2021-26 के लिए रिपोर्ट



पंद्रहवां वित्त आयोग

खंड-I मुख्य रिपोर्ट  
अक्टूबर 2020











# वित्त आयोग - कोविड के दौर में 2021-26 के लिए रिपोर्ट



---

पंद्रहवां वित्त आयोग

खंड-I मुख्य रिपोर्ट  
अक्टूबर 2020



## विषय-सूची

पृष्ठ

<b>अध्याय 1: परिचय</b>	<b>1</b>
विशेष संदर्भ	1
संवैधानिक अधिदेश और परामर्शी दृष्टिकोण	4
कर्ज और राजकोषीय परिप्रेक्ष्य	10
सहकारी संघवाद की ओर : आवश्यकताओं और निष्पादन में संतुलन	14
राजकोषीय व्यवस्था में सुधार	23
निष्कर्ष	25
<b>अध्याय 2: अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंध: अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से प्राप्त सीख</b>	<b>27</b>
राजकोषीय संघवाद में प्रवृत्तियां	29
संसाधन उपलब्धता	33
ऊर्ध्वाधर राजकोषीय अंतर	35
क्षैतिज राजकोषीय अंतर और इक्वालाइजेशन अंतरण प्रणाली	37
सशर्त या प्रोत्साहन-आधारित राजकोषीय हस्तांतरण	41
तीसरे स्तर का शासन (Third Tier)	48
निष्कर्ष	53
<b>अध्याय 3: संदर्भ-अवधारणा : विगत का विश्लेषण</b>	<b>57</b>
महामारी का प्रभाव	61
माल और सेवा कर की समीक्षा	67
संघ के वित्त की समीक्षा	74
राज्यों के वित्त की समीक्षा	100
अंतर-सरकारी हस्तांतरणों में प्रवृत्तियां	115
संघ के वित्त का सारांश	122
राज्यों के वित्त का सारांश	125

	पृष्ठ
<b>अध्याय 4: महामारी का दौर: भावी विश्लेषण (2021-26)</b>	<b>129</b>
प्रस्तावना और संदर्भ	129
संघ सरकार के वित्त	131
राज्यों के वित्त का आकलन	149
सारांश और अनुशांसाएं	160
<b>अध्याय 5: संसाधन जुटाना</b>	<b>163</b>
संघ के राजस्व	166
राज्य स्तर पर गैर-जीएसटी कर	181
तृतीय स्तर - संपत्ति कर और वृत्तिक कर	185
अनुशांसाओं का सारांश	189
<b>अध्याय 6: सहकारी संघवाद : इक्विटी एवं दक्षता के बीच संतुलन</b>	<b>193</b>
ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन	194
ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी	195
क्षैतिज हिस्सेदारी	201
अनुशांसाओं का सारांश	213
<b>अध्याय 7: स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण</b>	<b>217</b>
स्थानीय स्व-शासन का उद्भव	219
पूर्ववर्ती आयोगों का दृष्टिकोण	220
राज्य वित्त आयोगों की स्थिति एवं प्रभावकारिता	228
हितधारकों के विचार	230
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा कराए गए अध्ययन	238
तात्कालिक चुनौतियां	239
नौ मार्गदर्शी सिद्धांत	243
स्थानीय शासनों के लिए अनुदान	245

	<b>पृष्ठ</b>
ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	247
शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	260
स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य हेतु अनुदान	280
नए शहरों की स्थापना के लिए प्रतिस्पर्धा-आधारित अनुदान	286
साझा नगरपालिका सेवाएं – राष्ट्रीय डाटा केंद्र के लिए अनुदान	288
वृत्तिक कर	289
अनुशंसाओं का सारांश	290
<b>अध्याय 8: आपदा जोखिम प्रबंधन</b>	<b>295</b>
पृष्ठभूमि	296
वित्त आयोग की अनुशंसाओं की उभरती प्रासंगिकता	298
राज्यों की प्राथमिकताएं	301
केंद्रीय एजेंसियों और मंत्रालयों के विचार	303
आपदा जोखिम वित्तपोषण का उद्भव	305
आपदा जोखिम वित्तपोषण की मुख्य विशेषताएं	306
आपदा जोखिम वित्तपोषण के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा	307
पंद्रहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत	309
राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रशमन कोष	311
राज्यों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन कोषों का आकार और आबंटन	313
राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के लिए निधियों का आबंटन	317
विविधीकृत वित्तपोषण विंडो	320
जिला आपदा रिस्पोंस और प्रशमन निधियों की व्यवहार्यता	332
आपदा संबंधी तैयारी और प्रबंधन के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण	333
आपदा बचाव और रिस्पोंस पर व्यय के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रतिपूर्ति	334
संस्थानिक क्षमताओं का सुदृढीकरण और दिशानिर्देशों में सुधार	335
वित्तपोषण (फंडिंग) के वैकल्पिक स्रोत	338
आपदाओं की सूची	345

	<b>पृष्ठ</b>
लेखाकरण मानदंड एवं मानक	346
अनुशांसाओं का सारांश	347
<b>अध्याय 9: महामारी और उसके बाद : स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकूलता</b>	<b>353</b>
स्वास्थ्य परिणाम: समय के साथ निष्पादन	355
स्वास्थ्य अवसंरचना : भेद्यनीयताओं का आकलन	357
न्यून लोक स्वास्थ्य व्यय	360
भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अन्य चुनौतियाँ	365
पूर्ववर्ती वित्त आयोगों के विचार	366
संघ सरकार के विचार	366
राज्य सरकारों के विचार	367
वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में पंद्रहवें वित्त आयोग के विचार	368
हितधारकों के साथ परामर्श	369
महामारी से भारत का संघर्ष	370
अनुशांसाएं / भावी दृष्टिकोण	373
अनुशांसाओं का सारांश	385
<b>अध्याय 10: निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान</b>	<b>391</b>
राजस्व घाटा अनुदान	395
निष्पादन –आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान	401
हमारा दृष्टिकोण	403
सामाजिक क्षेत्र	404
कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अवसंरचना	408
शासन एवं प्रशासनिक सुधार	418
विद्युत क्षेत्र में सुधार	426
राज्य-विशिष्ट अनुदान	436
अनुदानों की निगरानी	438
अनुशांसाओं का सारांश	442



<b>अध्याय 11: रक्षा और आंतरिक सुरक्षा</b>	<b>447</b>
संवैधानिक उपबंध	448
रक्षा व्यय का विश्लेषण	449
आंतरिक सुरक्षा पर व्यय का विश्लेषण	453
संघ सरकार के विचार	454
राज्यों के विचार	459
रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर गठित समूह के विचार	462
दृष्टिकोण	465
विशिष्ट अनुशंसाएं	469
सामान्य अनुशंसाएं	472
अनुशंसाओं का सारांश	473
<b>अध्याय 12: राजकोषीय समेकन की रूपरेखा</b>	<b>477</b>
पृष्ठभूमि	477
वर्तमान स्थिति की समीक्षा	484
संघ सरकार के लिए राजकोषीय समेकन का पथ	491
राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय समेकन का पथ	495
राज्यों के लिए प्रोत्साहन आधारित अतिरिक्त उधार की गुंजाइश	498
संघ एवं राज्य सरकार का घाटा और देनदारी	499
बजटें और आकस्मिक देयताएं तथा राजकोषीय नियम	501
अनुशंसाओं का सारांश	502
<b>अध्याय 13: इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए राजकोषीय व्यवस्था :</b>	<b>507</b>
<b>राजकोषीय नियम, वित्तीय प्रबंधन और संस्थाएं</b>	
राजकोषीय नियम	510
भारत के राजकोषीय नियम: कार्यान्वयन की चुनौतियाँ	511
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार	516
राजकोषीय संस्थाएं	525

	पृष्ठ
भावी दृष्टिकोण	527
अनुशंसाओं का सारांश	528
<b>अध्याय 14: अनुशंसाओं का सारांश</b>	<b>531</b>

---

## तालिकाओं की सूची

पृष्ठ

### अध्याय 1: परिचय

---

तालिका 1.1:	संघ सरकार के राजकोषीय घाटे की रेंज (जीडीपी का %)	12
तालिका 1.2:	उधारी के लिए अनुशंसित सीमा के अंतर्गत समस्त राज्यों के राजकोषीय घाटे की रेंज (जीएसडीपी का %)	13
तालिका 1.3:	क्षैतिज अंतरण के मानदंड और भारांक	16

### अध्याय 3: संदर्भ अवधारणा: विगत का विश्लेषण

---

तालिका 3.1:	जीएसटी में समाविष्ट कर और उनकी दरें (जून, 2017)	68
तालिका 3.2:	संघ सरकार के राजकोषीय संकेतकों का विवरण	74
तालिका 3.3:	संघ का राजकोषीय निष्पादन	78
तालिका 3.4:	संघ सरकार की बकाया देयताएं	79
तालिका 3.5:	संघ के मुख्य करों का निष्पादन	83
तालिका 3.6:	विवरणियां दाखिल करने वाले व्यक्ति एवं करदाता	85
तालिका 3.7:	राजस्व परित्यक्त की प्रवृत्तियां	88
तालिका 3.8:	उपकर एवं अधिभार	89
तालिका 3.9:	गैर-कर राजस्वों में प्रवृत्तियां	91
तालिका 3.10:	गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति	93
तालिका 3.11:	संघ सरकार के व्यय की प्रवृत्तियां (जीएसडीपी का प्रतिशत)	95
तालिका 3.12:	संघ सरकार की निवल राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष सब्सिडियां (निवल राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत)	96

तालिका 3.13:	राज्यों के समग्र राजकोषीय संकेतकों में प्रवृत्तियां-घाटा एवं ऋण (प्रतिशत में)	103
तालिका 3.14:	राज्यों की समग्र राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां (जीडीपी का प्रतिशत)	106
तालिका 3.15:	समग्र राज्य व्यय में प्रवृत्तियां (जीडीपी का प्रतिशत)	107
तालिका 3.16:	स्वास्थ्य/शिक्षा पर औसत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय से कम खर्च करने वाले राज्य (2018-19)	108
तालिका 3.17:	प्रति व्यक्ति व्यय	114
तालिका 3.18:	सकल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में संघ से राज्यों को किए जाने वाले हस्तांतरण	117
तालिका: 3.19:	प्रत्यक्ष हस्तांतरणों सहित संघ के हस्तांतरणों की प्रवृत्तियां एवं संरचना	119
तालिका 3.20:	संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में संघ एवं राज्यों की हिस्सेदारी	121
तालिका 3.21:	संयुक्त राजस्व व्यय में संघ और राज्यों की सापेक्ष हिस्सेदारी	122

#### अध्याय 4: महामारी का दौर : भावी विश्लेषण (2021-26)

तालिका 4.1:	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संघ सरकार के प्रमुख राजकोषीय चर	148
-------------	--	-----

#### अध्याय 5: संसाधन जुटाना

तालिका 5.1:	संघ और राज्य का राजस्व (कर सहित गैर-कर) और व्यय (सकल घरेलू उत्पाद का %)	165
तालिका 5.2:	गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र की व्यावसायिक आय	175
तालिका 5.3:	देशों के बीच कर व्यवस्था की तुलना	176
तालिका 5.4:	विवाद के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर मांग में वृद्धि	181

**अध्याय 6: सहकारी संघवाद : इक्विटी एवं दक्षता के बीच संतुलन**

तालिका 6.1:	विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा	195
तालिका 6.2:	सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरण	199
तालिका 6.3:	पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा प्रयुक्त मानदंड और भारांक(%)	203
तालिका 6.4:	क्षैतिज अंतरण के लिए निर्धारित मानदंड तथा भारांक	211
तालिका 6.5:	राज्यों के पारस्परिक हिस्से	212

**अध्याय 7: स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण**

तालिका 7.1:	वास्तविक रूप से जारी की गई राशियों की तुलना में अनुशंसित अनुदान	222
तालिका 7.2:	वित्त आयोगों द्वारा स्थानीय शासनों हेतु राज्यों के लिए अनुशंसित अनुदानों के वितरण हेतु मानदंड	223
तालिका 7.3:	ऐसे क्षेत्र जहां संविधान के भाग IX एवं IX-A के उपबंध (provisions) लागू नहीं हैं	227
तालिका 7.4:	राज्य वित्त आयोगों के गठन की स्थिति	229
तालिका 7.5:	स्थानीय शासनों के लिए अनुदान	246
तालिका 7.6:	तीनों स्तर के शासनों के लिए निधियों के वितरण की रेंज	249
तालिका 7.7:	लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए चाटर्ड अकाउंटेंट्स की सेवा लेने वाले राज्य	252
तालिका 7.8:	अनुदान प्राप्त करने हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्रात्रता मानदंड	255
तालिका 7.9:	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए विस्तृत वर्ष-वार अनुदान	258
तालिका 7.10:	शहरीकरण की प्रवृत्तियां	258

तालिका 7.11:	शहरी एग्लोमरेशन का वर्गीकरण (जनगणना 2011)	260
तालिका 7.12:	अनुदान प्राप्त करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिए पात्रता मानदंड	265
तालिका 7.13:	मिलियन-प्लस एग्लोमरेशन/शहरों के लिए एमसीएफ	266
तालिका 7.14:	शहर के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सापेक्ष भारांक	271
तालिका 7.15:	गैर-मिलियन-प्लस शहरों/श्रेणी-II वाले शहरों/नगरों के लिए अनुदान	276
तालिका 7.16:	छावनी बोर्डों और नगरपालिकाओं की विशेषताएं	278
तालिका 7.17:	स्वास्थ्य अनुदानों का क्षेत्र-वार विवरण	283

#### अध्याय 8: आपदा जोखिम प्रबंधन

तालिका 8.1:	आपदाओं पर 28 राज्यों का समेकित व्यय	307
तालिका 8.2:	आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों को वार्षिक आबंटन	315
तालिका 8.3:	समस्त राज्यों के आबंटन का वितरण	316
तालिका 8.4:	आपदा प्रबंधन के लिए प्रस्तावित वार्षिक राष्ट्रीय आबंटन	318
तालिका 8.5:	कुल राष्ट्रीय आबंटन का वितरण	319
तालिका 8.6:	एनडीआरएफ के लिए विंडो	319
तालिका 8.7:	सूखा प्रशमन के लिए सूखा-संवेदनशील राज्यों को आबंटन	326
तालिका 8.8:	पर्वतीय राज्यों में भूकंप और भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए आबंटन	327
तालिका 8.9:	शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने हेतु शहरों के लिए आबंटन	328
तालिका 8.10:	अलग से निर्धारित किए गए आबंटनों का सार	331

**अध्याय 9: वैश्विक महामारी और उसके बाद : स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकूलता**

तालिका 9.1:	प्रमुख स्वास्थ्य परिणामों में भारत की अन्य देशों के साथ तुलना	356
तालिका 9.2:	लोक स्वास्थ्य व्यय	360
तालिका 9.3:	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन (केवल राज्य का अंश)	367
तालिका 9.4:	स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान	381
तालिका 9.5:	स्वास्थ्य के लिए सेक्टरल अनुदान	385

**अध्याय 10: निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान**

तालिका 10.1:	वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरणों में सहायता अनुदान और कर अंतरण की हिस्सेदारी	393
तालिका 10.2:	अंतरण-पूर्व राजस्व घाटा/अधिशेष	399
तालिका 10.3:	अंतरण-पश्चात राजस्व घाटा/अधिशेष	400
तालिका 10.4:	राजस्व घाटा के लिए अनुदान सहायता	401
तालिका 10.5:	उच्चतर शिक्षा के लिए अनुदानों का घटक-वार विभाजन	408
तालिका 10.6:	कृषि सुधारों के लिए निष्पादन-आधारित अनुदानों हेतु पैरामीटर, लक्ष्य और भारांक	411
तालिका 10.7:	सांख्यिकी के लिए परिवर्तनशील अनुदानों हेतु राज्यों की श्रेणियां	420
तालिका 10.8:	सांख्यिकीय अनुदानों के परिवर्तनशील घटक की उपलब्धियों की सूची	421
तालिका 10.9:	आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए निधियों की आवश्यकता	426
तालिका 10.10:	राज्यों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मैट्रिक्स	433
तालिका 10.11:	राज्य-विशिष्ट अनुदानों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार वितरण	437

तालिका 10.12:	वर्ष-वार कुल अनुदान और प्रोत्साहन	440
तालिका 10.13:	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरण	441

### अध्याय 11: रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

तालिका 11.1:	कुल रक्षा व्यय (राजस्व एवं पूंजी) का विश्लेषण	450
तालिका 11.2:	रक्षा सेवाओं का पूंजी परिव्यय	451
तालिका 11.3:	रक्षा पेंशन व्यय	452
तालिका 11.4:	पुलिस एवं सीएपीएफ का कुल व्यय	454
तालिका 11.5:	रक्षा सेवाओं के लिए आबंटनों में अनुमानित कमी	455
तालिका 11.6:	पुलिस के लिए पूर्वानुमान (संघ सरकार) (अनुदान 48 – पुलिस)	458
तालिका 11.7:	रक्षा सेवाओं में पूंजी निवेश के लिए निधियों का पूर्वानुमान एवं आबंटन	463
तालिका 11.8:	संसाधनों का वार्षिक वृद्धिशील उपार्जन (इन्क्रीमेंटल एक्रुवल्स)	464
तालिका 11.9:	सकल राजस्व प्राप्तियों से निर्देशात्मक हस्तांतरण सीमाएं (प्रतिशत के रूप में)	467
तालिका 11.10:	सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में हस्तांतरण	467
तालिका 11.11:	रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पूंजी निधि में निवेश के लिए निर्देशात्मक राशि	468
तालिका 11.12:	प्रस्तावित एमएफडीआईएस के लिए वार्षिक लक्ष्य	470
तालिका 11.13:	पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान प्रस्तावित एमएफडीआईएस से आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग से निर्धारित राशि	471



**अध्याय 12: राजकोषीय समेकन की रूपरेखा**

तालिका 12.1:	राज्यों का राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	488
तालिका 12.2:	संघ सरकार का निर्देशात्मक घाटा और ऋण पथ (जीडीपी का %)	494
तालिका 12.3:	संघ सरकार के राजस्व घाटे की रेंज (जीडीपी का %)	495
तालिका 12.4:	राज्य सरकारों का निर्देशात्मक घाटा और ऋण पथ (जीएसडीपी का % )	498
तालिका 12.5:	उधार के लिए अनुशंसित गुंजाइश के अधीन समस्त राज्यों के राजकोषीय घाटे की रेंज (जीएसडीपी का %)	499
तालिका 12.6:	संघ एवं राज्य सरकारों का निर्देशात्मक घाटा और ऋण पथ (जीडीपी का %)	500

## चित्रों की सूची

पृष्ठ

### अध्याय 1: परिचय

चित्र 1.1:	जीडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा	13
चित्र 1.2:	2020-26 के दौरान ऋण का प्रक्षेपवक्र (जीडीपी का प्रतिशत)	14

### अध्याय 2: अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंध: अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से प्राप्त सीख

चित्र 2.1:	बढ़ती वैश्विक लोक देनदारी	31
चित्र 2.2:	जी-20 : संघ और राज्य सरकारों का कुल राजस्व	33
चित्र 2.3:	ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन	36
चित्र 2.4:	इक्वलाइजेशन प्रणालियों की तुलना	38
चित्र 2.5:	अंतर-सरकारी हस्तांतरण	42
चित्र 2.6:	भारत में अंतर-सरकारी हस्तांतरणों के लिए संस्थागत संरचना	46
चित्र 2.7:	भारत में राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरण	47
चित्र 2.8:	ओईसीडी व्यय संरचना (स्थानीय शासन का व्यय प्रतिशत)	50
चित्र 2.9:	ओईसीडी लोक निवेश (जीडीपी का प्रतिशत)	50

### अध्याय 3: संदर्भ अवधारणा: विगत का विश्लेषण

चित्र 3.1:	तिमाही जीडीपी वृद्धि में गिरावट (वार्षिक, स्थिर मूल्य, प्रतिशत में)	64
चित्र 3.2:	वास्तविक आप्रवासन, 2011 जनगणना	65
चित्र 3.3:	प्रति व्यक्ति एनएसडीपी, 2011 (2004-05 स्थिर मूल्यों पर )	65
चित्र 3.4:	जीएसटी दर संरचना	69

चित्र 3.5:	संघ के कर ( जीडीपी का प्रतिशत)	70
चित्र 3.6:	संरक्षित राजस्व के प्रतिशत के रूप में जीएसटी प्रतिपूर्ति	72
चित्र 3.7:	संघ सरकार का राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में	78
चित्र 3.8:	संघ के करों का जीडीपी अनुपात: प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और सकल कर राजस्व	87
चित्र 3.9:	राजस्व और पूंजी व्यय का सापेक्षिक प्रतिशत अंश (कुल व्यय का प्रतिशत)	100
चित्र 3.10:	राज्यों के समग्र राजकोषीय संकेतकों में प्रवृत्तियां	101
चित्र 3.11:	उदय का प्रभाव ( जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	103
चित्र 3.12:	सामान्य राज्यों के राजस्व घाटे में वृद्धि (+): ( 2011-12 की तुलना में 2018-19 में)	111
चित्र 3.13:	एनईएच राज्यों के राजस्व घाटे में वृद्धि (+): ( 2011-12 की तुलना में 2018-19 में)	111
चित्र 3.14:	सामान्य राज्यों की देनदारी/जीएसडीपी और इसमें अंतर (+वृद्धि/-गिरावट) ( 2011-12 की तुलना में 2018-19 में) ( प्रतिशत के प्वाइंट में)	112
चित्र 3.15:	एनईएच राज्यों की देनदारी/जीएसडीपी और इसमें अंतरण (+वृद्धि/-गिरावट) ( 2011-12 की तुलना में 2018-19 में) ( प्रतिशत के प्वाइंट में)	112
चित्र 3.16:	2018-19 में स्वयं का कर राजस्व/जीएसडीपी अनुपात और 2011-12 की तुलना में 2018-19 में अंतर ( प्रतिशत के प्वाइंट में) (+वृद्धि/-गिरावट)	112

**अध्याय 4: महामारी का दौर : भावी विश्लेषण (2021-26)**

चित्र 4.1:	नामिनल जीडीपी : स्तर एवं वृद्धि (2019-20 तक वास्तविक और उसके बाद के लिए नामिनल जीडीपी का पूर्वानुमान)	134
चित्र 4.2:	2021-22 से 2025-26 के दौरान संघ सरकार के करों में उछाल	138

**अध्याय 5: संसाधन जुटाना**

चित्र 5.1:	जीडीपी के % के रूप में संघ और राज्य सरकारों का राजस्व (कर सहित गैर-कर)	164
चित्र 5.2:	2010-2020 के दौरान राजस्व में संघ सरकार का बजट तैयार करने का कौशल (औसत, प्रतिशत में)	166
चित्र 5.3:	कुल पात्र करदाताओं के प्रतिशत के रूप में जीएसटी रिटर्न दाखिल करना	168
चित्र 5.4:	जीएसटी के तहत सम्मिलित करों से हुए संग्रहण की तुलना में जीएसटी संग्रहण	170
चित्र 5.5:	व्यापारिक आयात और जीडीपी के % के रूप में मूल सीमा शुल्क	173
चित्र 5.6:	क और ख: 2020 में देशों के कॉर्पोरेट टैक्स की दरें और 2010 से परिवर्तन	178
चित्र 5.7:	विवादित कर मांग बनाम प्रत्यक्ष कर संग्रहण का स्टॉक	180
चित्र 5.8:	राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में करों का प्रतिशत हिस्सा: 2018-19	182
चित्र 5.9:	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क संग्रहण और राज्यों का स्वयं का कुल कर राजस्व	184
चित्र 5.10:	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सामान्य राज्यों का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का संग्रहण और स्वयं का कर राजस्व	184

**अध्याय 6: सहकारी संघवाद : इक्विटी एवं दक्षता के बीच संतुलन**

चित्र 6.1:	भारत के क्षेत्रीय राजकोषीय अंतर (2018-19)	194
चित्र 6.2:	जीटीआर और जीआरआर के प्रतिशत के रूप में विभाज्य पूल	197
चित्र 6.3:	राज्यों की कुल प्रजनन दर	210

**अध्याय 7: स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण**

चित्र 7.1:	विभिन्न आयोगों द्वारा स्थानीय शासनों के लिए अनुशंसित अनुदान	221
------------	---	-----

**अध्याय 8: आपदा जोखिम प्रबंधन**

चित्र 8.1:	भारत में आपदा जोखिम वित्तपोषण का उद्भव	305
चित्र 8.2:	एसडीआरएमएफ के लिए अलग से निर्धारित की गई निधियां	317
चित्र 8.3:	एनडीआरएमएफ के लिए अलग से निर्धारित की गई निधियां	323

**अध्याय 9: वैश्विक महामारी और उसके बाद : स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकूलता**

चित्र 9.1:	प्रति 1000 व्यक्तियों पर स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन और अस्पताल की शय्या	359
चित्र 9.2:	स्वास्थ्य संबंधी व्यय (जीडीपी का प्रतिशत)	361
चित्र 9.3:	स्वास्थ्य संबंधी व्यय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्यों का अंश	361
चित्र 9.4:	स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक व्यय (जीडीपी का प्रतिशत)	362
चित्र 9.5:	प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी व्यय (2018-19)	364
चित्र 9.6:	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राज्यों का स्वास्थ्य संबंधी व्यय (2018-19)	364

**अध्याय 12: राजकोषीय समेकन की रूपरेखा**

चित्र 12.1:	संघ सरकार के राजकोषीय संकेतक (जीडीपी का प्रतिशत)	486
चित्र 12.2:	संघ के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	487
चित्र 12.3:	राज्यों के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	489
चित्र 12.4:	संघ एवं राज्य सरकारों की देनदारी और घाटा	490

**अध्याय 13: इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए राजकोषीय व्यवस्था :  
राजकोषीय नियम, वित्तीय प्रबंधन और संस्थाएं**

चित्र 13.1:	भारतीय राज्यों की कुल राजकोषीय स्थिति (प्रतिशत में)	513
चित्र 13.2:	राज्यों में बाज़ार अनुशासन की चुनौतियाँ (2018-19)	515
चित्र 13.3:	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य	516

<b>अध्याय 2: अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंध : अंतरराष्ट्रीय अनुभव से प्राप्त सीखें</b>		
बॉक्स 2.1:	आउटपुट/प्रक्रिया-आधारित सशर्त हस्तांतरण वाले देश	44
<b>अध्याय 3: संदर्भ अवधारणा : विगत का विश्लेषण</b>		
बॉक्स 3.1 :	कृषि कर्ज माफी	109
<b>अध्याय 5: संसाधन जुटाना</b>		
बॉक्स 5.1:	जीएसटी में राजस्व अंतर – एक अनुमान	171
<b>अध्याय 6: सहकारी संघवाद : इक्विटी एवं दक्षता के बीच संतुलन</b>		
बॉक्स 6.1	क्षैतिज अंतरण के चरण	202
बॉक्स 6.2:	क्षैतिज वितरण की प्रगामिता	208
<b>अध्याय 7: स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण</b>		
बॉक्स 7.1:	भागीदारी, तालमेल और सामुदायिक संवर्ग	231
बॉक्स 7.2:	राज्यों में संपत्ति कराधान में सर्वश्रेष्ठ रीतियां	241
बॉक्स 7.3:	लेखाओं के एकीकरण और लेखापरीक्षा के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई पहलें	251
बॉक्स 7.4:	स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को प्रभावकारी रूप प्रदान करने के लिए केरल राज्य द्वारा किए गए सुधार	282
<b>अध्याय 9: वैश्विक महामारी और उसके बाद : स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकूलता</b>		
बॉक्स 9.1:	स्वास्थ्य संबंधी व्यय में अंतर-राज्य विचलन	364

**अध्याय 11: रक्षा और आंतरिक सुरक्षा**

---

बॉक्स 11.1: श्री के. पराशरन की राय 461

**अध्याय 13: इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए राजकोषीय संरचना :  
राजकोषीय नियम, वित्तीय प्रबंधन और संस्थाएं**

---

बॉक्स 13.1: एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में हाल ही के संशोधन 512

बॉक्स 13.2: भारत में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार के प्रमुख तत्व 524



## संक्षिप्तियों की सूची

एसीए	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता
एसीएस-एपीआर गैप	आपूर्ति की औसत लागत और वसूल किए गए औसत राजस्व का अंतर
एडीसी	स्वायत्त जिला परिषद
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एएनएम	सहायक नर्स प्रसूति सहायिका
एसएचए	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एटीबीएस	नीलामी राजकोषीय बिल
एटी एंड सी	कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक
एटीआर	कारवाई रिपोर्ट
एवाईयूएसएच	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी
बीई	बजट अनुमान
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीआरआईसीएस	ब्राजील, रूस भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका
सीएजी	नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक
सीएपीएफएस	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीईएनवीएटी	केंद्रीय मूल्य वर्धित कर
सीजीए	लेखा महानियंत्रक
सीजीएसटी	केंद्रीय जीएसटी
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सीआरएफ	आपदा राहत कोष
सीएसएस	केंद्रीय प्रायोजित योजना
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सीपीएसई	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसीआरएफ	ऋण समेकन और राहत सुविधा
डीडीएमए	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीडीएमएफ	जिला आपदा प्रशमन कोष
डीडीआरएफ	जिला आपदा रिस्पोस कोष
डीडीडबल्यू एंड एस	पेयजल और स्वच्छता विभाग
डीएनबी	डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड
डीआईएससीओएम	वितरण कंपनियाँ
डीपीएसई	रक्षा सरकारी लोक उद्यम
डीआरआई	आपदा जोखिम सूचकांक
डीटीएच	डाइरेक्ट टू होम
ईएपी	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं
ईबीआर	अतिरिक्त बजट संसाधन
ई-पीओएस	इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल
ईटीएफ	एक्सचेंज ट्रेडेड फंड
ईसीएफ	आर्थिक पूंजी ढांचा
एफसीआई	भारतीय खाद्य निगम
एफआरबीएम एक्ट	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम
एफटीए	मुक्त व्यापार करार
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएनपी	सकल राष्ट्रीय उत्पाद
जीपीडीपी	ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	माल एवं सेवा कर
जी-सेक	सरकारी प्रतिभूति
जीवीए	सकल वर्धित मूल्य

एचएलईजी	उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह
एचपीसी	उच्चाधिकार प्राप्त समिति
एचपीसीएल	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
एचडब्ल्यूसी	स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र
आईसीडीएस	समेकित बाल विकास योजना
आईसीएमआर	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीयू	गहन देखरेख इकाइयाँ
आईडीए	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ
आईईबीआर	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन
आईएफएमएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
आईजीएसटी	एकीकृत जीएसटी
आईआईएफसीएल	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ाइनेंस कंपनी लिमिटेड
आईएमएफ	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमआर	शिशु मृत्यु दर
आईआरएफसी	भारतीय रेल वित्त निगम
आईटीबीएस	मध्यवर्ती राजकोष बिल
केपीआई	मुख्य निष्पादन संकेतक
एलपीजी	द्रवित पेट्रोलियम गैस
एमसीएफ	मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड
एमसीआई	भारतीय चिकित्सा परिषद
एमओएफडब्ल्यू	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएचयूए	आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एमडीजी	सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (मिलेनियम डेवलपमेंट गोल)
एमएफडीआईएस	रक्षा और आंतरिक सुरक्षा संबंधी आधुनिकीकरण कोष
एमएफएन	सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (मोस्ट फेवर्ड नेशन)

एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएमआर	मातृ मृत्यु अनुपात
एमओईएफ एंडसीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओओसी	वृहत पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमटीईएफ	मध्यावधि व्यय ढांचा
एमटीएफपी	मध्यावधि राजकोषीय नीति
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएएफसीसी	जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष
एनएएमपी	राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम
एनएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना
एनबीई	राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड
एनसीए	सामान्य केंद्रीय सहायता
एनसीएपी	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
एनसीसीडी	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क
एनसीसीएफ	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष
एनडीएचएम	राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
एनडीएमए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीएमएफ	राष्ट्रीय आपदा प्रशमन कोष
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉंस कोष
एनडीआरएमएफ	राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष
एनईएच	पूर्वोत्तर और हिमालयी
एनईपी	राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनएफसीआर	आपदा राहत के लिए राष्ट्रीय कोष
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनजीओ	गैर सरकारी संघठन

एनएचएम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एनआईडीएम	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एनआईएफ	राष्ट्रीय निवेश कोष
एनआईपीएफपी	लोक वित्त और नीति राष्ट्रीय संस्थान
एनएमएम	राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमपुस्तक
एनएमसी	राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद
एनपीए	अनर्जक आस्तियां
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनएसएसएफ	राष्ट्रीय लघु वचत कोष
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग
ओआरओपी	एक बैंक एक पेंशन
पीए	अनंतिम लेखा
पीडीएनए	पश्च-आपदा आवश्यकता आकलन
पीईएफए	लोक व्यय और वित्तीय जबाबदेही
पीएफसी	पॉवर फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीजीआई	निष्पादन श्रेणीकरण सूचकांक
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएम-एसबीवाई	प्रधान मंत्री की आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना
पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमजेवाई	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
पीएमएसएसवाई	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

पीएमयूवाई	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
पीएम-केआईएसएएन	प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि
पीओसीएसओ	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
पीओएल	पेट्रोल, तेल, स्नेहक
पीपीई	व्यक्तिगत सुरक्षा उपस्कर
पीएसई	सरकारी लोक उद्यम
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरई	संशोधित अनुमान
आरईसी	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
आरएनआर	राजस्व तटस्थ दर
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरटीएस	प्रतिनिधि कर प्रणाली
एसएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना
एसबीए	विशेष बैंकिंग व्यवस्था
एसबीएम-जी	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एससीए	विशेष केंद्रीय सहायता
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसडीएल	राज्य विकास ऋण
एसडीएमए	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एसडीएमएफ	राज्य आपदा प्रशमन कोष
एसडीआरएफ	राज्य आपदा रिस्पोंस कोष
एसडीआरएमएफ	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष
एसईजे	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
एसएफडीआरआर	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क
एसजीएसटी	राज्य जी एस टी
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह

एसआईडीएम	राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान
एसपीए	विशेष योजना सहायता
एसआरएस	प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली
टीएआरसी	कर प्रशासन सुधार आयोग
टीसीएस	स्रोत पर कर संग्रह
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीएफआर	कुल प्रजनन दर
टीओआर	विचारार्थ विषय
टीपीडीएस	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
यू5एमआर	पांच मृत्यु दर के अधीन
यूडीएवाई	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
यूआईपी	यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूपीएससी	संघ लोक सेवा आयोग
वीएटी	मूल्य वर्धित कर
डब्ल्यूएसीआर	भारित औसत कूपन दर
डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक आउटलुक
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआरआई	विश्व संसाधन संस्थान





## अध्याय 1

# परिचय

*“भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं।” – महात्मा गांधी*

### विशेष संदर्भ

*“भविष्य को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए क्योंकि यदि आपको भविष्य का सामना करना भी पड़ा तो आप वैसे ही डटकर इसका सामना करेंगे जैसे आज वर्तमान का कर रहे हैं।”*

*- मार्क्स ऑरलियस, मेडिटेशंस*

1.1 इस वित्त आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है: 'वित्त आयोग-कोविड के दौर में'। यह शीर्षक अपने आप में ही उस विशेष प्रसंग का परिचायक है जिसमें इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जा रहा है।

1.2 विश्वयुद्धोत्तर इतिहास में वैश्विक अर्थव्यवस्था सबसे दुर्लभ और अभूतपूर्व आघात का सामना कर रही है। कुछ लोग इसकी तुलना वैश्विक वित्तीय संकट या 1918 की स्पेनिश फ्लू महामारी से करते हैं, लेकिन कुछ अर्थों में, यह वस्तुतः इन दोनों की तरह और इनसे भी बढ़कर है। जितने आघात पिछली पीढ़ियों में हमने अनुभव किए हैं यह उनसे अलग है। इसकी व्यापकता इतनी तीव्र है कि दुनिया के बीच परस्पर संपर्क लगभग कट-सा गया है। ठीक वैसा ही हमने इसके प्रतिक्रियास्वरूप किया है और जिस शीघ्रता से हमने इस वायरस पर वैज्ञानिक शोध करने और मिलजुलकर इसका समाधान करने का कार्य किया है ऐसा सहयोग भी अभूतपूर्व रहा है। बहरहाल, कोविड-19 हमारी अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को संभवतः स्थायी रूप से बदल रहा है।

1.3 इस संकट के कुछ वास्तविक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम हैं जो परस्पर पुष्ट और परिवर्धित हो रहे हैं। ऐसे संक्रामक वायरस का भय और सामाजिक संपर्क को लेकर मूल अनिश्चितता पूर्व में मंदी के किसी भी दौर में नहीं देखी गई थी। कोविड-19 आघात की एक और खास विशेषता है कि इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया यानी वायरस को नियंत्रित करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने से आर्थिक गतिविधियों के लिए अपने आप में ही

ऐसी बाधाएं खड़ी हो रही हैं जो, कम-से-कम, विश्वयुद्धोत्तर काल में तो नहीं ही देखी गईं। इस बीमारी ने और बीमारी के डर ने मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों को समान रूप से झटके दिए हैं। इन व्यवधानों ने, भौतिक और डिजिटल माध्यमों से कार्यकलाप करने वाले सेक्टरों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया है तथा शिक्षा, असमानता, आर्थिक भूगोल, व्यवसाय संरचना, रोजगार, सामाजिक पूंजी, इत्यादि, अनेक क्षेत्रों पर ऐसे दीर्घकालिक प्रभावों के लिए सोपान तैयार कर दिए हैं जिन्हें हमको निस्संदेह आने वाले अनेक वर्षों तक संभालना पड़ेगा। फिर भी, इस घटनाक्रम में, हम नए अवसर भी देख रहे हैं और चुनौतियां भी, जैसेकि वितरित आर्थिक भूगोल, जो जीवन-सुरक्षा जैसी दृश्यमान त्रुटिरेखाओं को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। गुणात्मक वृद्धि दरों को फोकस में रखने, स्टेटस, पद-सोपान एवं सामाजिक आधार पर निर्मित अभिवृत्तियों को कम महत्व देने तथा बाढ़, भूकंप या इस प्रकार के किसी व्यापक आघात के सामने जीवन को बचाए रखने का जीववैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारी समझ को बढ़ाता है तथा आपदा से निपटने की हमारी परंपरागत पद्धतियों को बदलने की जरूरत पर बल देता है।

1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार, 2020<sup>1</sup> में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 प्रतिशत तक संकुचित रहने की संभावना है। यह निश्चित रूप से कम-से-कम द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की सबसे गहरी मंदी है और कुछ मायनों में, अल्पकालिक और दीर्घ कालिक दोनों तरह के ऐसे प्रभावों के साथ सबसे जटिल है जो विभिन्न आर्थिक सेक्टरों में अलग-अलग हैं। भले ही व्यापक नीतिगत सहायता से वैश्विक बहाली के प्रयास शुरू करने में मदद मिली है, लेकिन हम निश्चित रूप से और अधिक आश्चर्यजनक सुधारों की आशा कर सकते हैं। हम अभी भी स्थिरीकरण के चरण में हैं और वैश्विक बहाली में मुख्य जोखिम दुनिया में कोविड के कन्फर्म मामलों की बढ़ती संख्या का है जहां विश्व के अनेक भागों में इस बीमारी का नया प्रकोप देखने को मिल रहा है। वायरस का सतत् नियंत्रण और आर्थिक बहाली तब तक एक भयंकर चुनौती बनी रहेगी जब तक कि कोई टीका (वैक्सीन) अनुमोदित नहीं हो जाता और व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाता। भारत सहित दुनिया भर के शोधकर्ता 150 से अधिक टीकों (वैक्सीनों) के विकास पर कार्य कर रहे हैं और इनमें से कई टीके सुरक्षा और प्रभावशीलता परीक्षणों के उन्नत चरणों में हैं। हमारा राष्ट्र वैक्सीन उत्पादन के पैमाने और गति (शीघ्रता) के मामले में वैश्विक पटल पर अग्रणी है। हालांकि अनिश्चितताएं अधिक हैं, फिर भी यह संभावना है कि भविष्य में कोई टीका जरूर विकसित कर लिया जाएगा।

1.5 विकास-चरण के लिए निवेश के तरीकों के बारे में हमारे विकल्पों का आगे उल्लेख होगा। और, इनके द्वारा, हमें न केवल क्षति की भरपाई का उपाय करना होगा, बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। हम यह उम्मीद नहीं करते कि दुनिया पहले की तरह वापस अपनी स्थिति में लौट आएगी। नई स्थितियां (न्यू

<sup>1</sup> वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अक्टूबर, 2020

नॉर्मल) पुरानी स्थितियों ( ओल्ड नॉर्मल ) जैसी नहीं होंगी। किसी ज्ञात, लेकिन अदृश्य, जोखिम को सच्चाई में बदलते देखने के मनोवैज्ञानिक प्रभाव बने रहेंगे और स्वयं को इस रूप में प्रकट करेंगे कि कैसे हम यात्राएं करते हैं, सामाजिकरण करते हैं और निवेश करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय-बंदी और डिजिटल, सुदूर और स्वचालित दुनिया के नाटकीय त्वरण में परिवर्तनों के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव हमारे सम्मुख होंगे। लेकिन फिर से उठ खड़े होने की प्रक्रिया में हम नए अवसरों के उभरने की भी उम्मीद करते हैं, चाहे ऐसा कुशल मानव विकास के लिए डिजिटल नेतृत्व और विश्लेषणपरक नवाचार के माध्यम से हो, पारंपरिक ज्ञान और अत्याधुनिक सूचना से प्रेरित स्वास्थ्य-रक्षक जैव प्रौद्योगिकी एवं औषधीय नवाचार के माध्यम से हो, शून्य-कार्बन भविष्य प्राप्त करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो या फिर सामान्यतः कोविड के कारण आपूर्ति-श्रृंखलाओं एवं स्थलों के अपरिहार्य फेरबदल के माध्यम से ही हो। हो सकता है कि हम इन परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से न देख पा रहे हों और कोविड के बाद की स्थितियां बहुत अधिक सुखदायी न हों, लेकिन हमें अभी से तैयार और चौकस रहना होगा।

1.6 इससे निश्चित रूप से, हमारा कार्य और कठिन हो गया है। इस भावना से और इस समय में, हमें न केवल वित्त आयोग के पारंपरिक अधिदेश को पूरा करने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के मध्य राजस्व आबंटित करना है, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में तथा मानव विकास के लिए अधिक संधारणीय वैश्विक विकासपथ पर एक साझेदार के रूप में हमारी अनुकूलन-क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से संरचनाओं, आदतों और संघटकों की स्थापना और सुदृढीकरण भी करना है।

1.7 वायरस के विरुद्ध प्रारंभिक और जारी प्रतिक्रिया कंटेनमेंट और नियंत्रण पर केंद्रित है जिसे जारी रखने पर जोर दिया जाए। अनेक देशों की तरह, भारत में भी वायरस के मामले नाटकीय रूप से बढ़ते जा रहे हैं। भारत सरकार ने वायरस के प्रसार से निपटने के लिए कड़े कदम बहुत तेजी से उठाए और दुनिया के अन्य देशों के समान कड़ा लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन प्रबंधन को काफी विकेंद्रीकृत किया गया, कंटेनमेंट जोन (क्षेत्र) वर्गीकृत किए गए तथा सख्त प्रवर्तन उपायों द्वारा इन क्षेत्रों में वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व के सबसे कठोर लॉकडाउन और वायरस को लेकर लोगों में बढ़ती चिंता के बीच, भारत में भी आर्थिक गतिविधियों में तेज गिरावट देखी गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने, संभवतः असंगठित क्षेत्र में तेज गिरावट के साथ, 2020 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए वास्तविक उत्पादन में 23.9 प्रतिशत की आश्चर्यजनक वार्षिक (ईयर-ऑन-ईयर) गिरावट की रिपोर्ट दी। यह उल्लेखनीय है कि कई मायनों में, हमारे लॉकडाउन की गंभीरता को देखते हुए यह ऐसे अनेक अन्य देशों की तुलना में कुछ हद तक अनुकूल है जिन्होंने इतना अधिक कठोर लॉकडाउन नहीं लगाया तथा यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील जैसे इन देशों ने इस अवधि के दौरान समान रूप से एक ज्यादा संकुचन (गिरावट) का अनुभव किया।

1.8 विगत की ओर देखा जाए तो हम पाते हैं कि यह संकट तब आया जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी लंबी मंदी के बाद स्थिर होने लगी थी जिसके लिए वैश्विक कारकों और घरेलू वित्तीय क्षेत्र में क्रेडिट संकट को कारण माना जा सकता है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था को 2017 के राष्ट्रीय माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत सहित, अनेक प्रमुख नीतिगत बदलावों के कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियों के एक कष्टदायी दौर से भी गुजरना पड़ा। वस्तुतः, संभावित आर्थिक बहाली को कोविड से भी आघात पहुंचा।

1.9 तथापि, हमें केवल वर्तमान पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमें आगे देखना होगा। उस दृष्टिकोण से, यह स्पष्ट है कि अब हमें तेजी से परिवर्तनशील होते विश्व में अधिक दक्षता की प्राप्ति में निवेश करना होगा – ऐसी दक्षता जो तेजी से और सहजता से बढ़ने और सोचने की उच्च सामर्थ्य से युक्त हो। इस वास्तविक रूप से अभूतपूर्व वैश्विक घटनाक्रम और घरेलू व्यापक आर्थिक और राजकोषीय पृष्ठभूमि के प्रतिकूल परिस्थितियों में और इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत का पंद्रहवां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है।

1.10 पिछली परिपाटियों से हटकर, यह रिपोर्ट चार खंडों में है। खंड I और II में विगत की तरह, मुख्य रिपोर्ट और अनुलग्नकों का समावेश है। खंड III संघ सरकार को समर्पित है और इसमें मध्यकालिक चुनौतियों और भावी रूपरेखा (रोडमैप) के साथ प्रमुख विभागों की अत्यधिक गहराई से जाँच की गई है। खंड IV पूरी तरह से राज्यों के लिए समर्पित है। हमने प्रत्येक राज्य के वित्त का बड़ी गहराई से विश्लेषण किया है और भिन्न-भिन्न राज्यों के सम्मुख चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य-केंद्रित विचार प्रस्तुत किए हैं।

## संवैधानिक अधिदेश और परामर्शी दृष्टिकोण

### आयोग का अधिदेश

1.11 राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 27 नवंबर, 2017 को पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन 2020-25 की अवधि के लिए सिफारिशें करने के लिए किया गया था। पूर्व संसद सदस्य और भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री एन.के. सिंह को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री शक्तिकांत दास और जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर प्रो. अनूप सिंह को पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया था। बंधन बैंक के अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंशकालिक) डॉ. अशोक लाहिड़ी और नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमेश चंद को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री अरविंद मेहता को आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत सरकार के पूर्व वित्त

सचिव श्री अजय नारायण झा को बाद में 1 मार्च, 2019 से श्री शक्तिकांत दास के स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। आयोग के कार्यकाल के दौरान, सदस्यता में इस और अन्य परिवर्तनों को बाद में राष्ट्रपति के आदेश ( अनुलग्नक 1.1 से 1.5 ) द्वारा अधिसूचित किया गया।

1.12 आयोग के विचारार्थ विषयों ( टीओआर ) का उल्लेख अनुलग्नक 1.1 में किया गया है परंतु यहां पर कई ऐसे बिंदुओं का उल्लेख करना उचित होगा जो इन विचारार्थ विषयों को पिछले आयोगों की तुलना में अधिक व्यापक बनाते हैं। आयोग को न केवल संघ और राज्यों के बीच करों के निवल आगमों का वितरण निर्धारित करने का काम सौंपा गया था, बल्कि ऐसे विभिन्न अनुदानों, जो पारंपरिक रूप से राजस्व में हिस्सों के साथ-साथ प्रदान किए जा रहे थे, के लिए राजकोषीय अभिकल्प ( डिजाइन ) सिद्धांतों की समीक्षा करने और उन पर टिप्पणी देने का कार्य भी सौंपा गया था। हमें, विशेष रूप से, विभिन्न नीतिगत क्षेत्रों में राज्य और/या स्थानीय शासन, जिसे “सरकार का समुचित स्तर” भी कहा जाता है, के प्रयासों को मदद एवं प्रेरित करने के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों पर विचार करने के लिए कहा गया था।

1.13 टीओआर का पैराग्राफ 4 (ii), 5, और 7 ने हमें उन अनुदानों, जिन पर विचार किया जाना था, की शर्तों के संबंध में हमें सक्षम, सहयोगपूर्ण संघवाद हेतु सरकार के समस्त स्तरों के बीच आत्म-निर्भरता, नवाचार और क्षमताओं के पूर्ण उपयोग को पुरस्कृत एवं प्रेरित करने के उद्देश्य से मूलभूत राजकोषीय अंतरणों को प्रोत्साहनमूलक संरचना में बदलने का एक अवसर प्रदान किया। यह ध्यान देने योग्य है कि पैराग्राफ 7 (i-ix) में वर्णित अनेक मद्दे उन सबसे जटिल चुनौतियों से संबंधित हैं, जिनका भारत ठीक वैसे ही सामना कर रहा है, जैसे अन्य देश तेजी से हो रहे पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं। इनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

1.14 करों के निवल आगमों के वितरण के बाद, वित्त आयोग को सौंपा गया दूसरा मुख्य कार्य उन सिद्धांतों का निर्धारण करना, जो सहायता अनुदान, राजस्व प्रयास और व्यय के वांछनीय स्तरों के लिए विकसित एवं प्रयुक्त ऐसे मानदंडों के संबंध में राज्यों की जरूरतों के आकलन पर लागू हो सकें तथा तत्पश्चात् विशिष्ट राशियों में अनुदान की सिफारिश करना है। इस प्रकार, संघ से राज्यों को निधियों के हस्तांतरण के लिए आयोग के हाथों में कर अंतरण और सहायता अनुदान के रूप में दो संवैधानिक साधन हैं। वित्त आयोग की स्थापना के समय से ही, राजस्व के बंटवारे ने राज्यों को उनके विविध विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिना शर्त राजस्व के माध्यम से पर्याप्त स्थायित्व प्रदान किया है। दूसरे शब्दों में, हम भारत के विकास को आगे बढ़ाने हेतु इन पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने के लिए निष्पादन और नवाचार की एक नवीन आदर्श व्यवस्था में प्रवेश के इस अवसर का स्वागत करते हैं।

1.15 हम देखते हैं कि निष्पादन-प्रोत्साहन का पिछले आयोगों के टीओआर में अभिव्यक्त रूप में उल्लेख नहीं किया गया है और उनमें से कई ने निष्पादन का उपयोग कुछ सहायता अनुदानों के हस्तांतरण एवं आबंटन

के एक मानदंड के रूप में किया है। हमने उपर्युक्त टीओआर पर विस्तार से विचार-विमर्श किया है, उनके अनुभव के विश्लेषण से सीखा है और अध्याय 10 में उन पर चर्चा करने का प्रयास किया है।

1.16 अतीत से एक सबक यह है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध माप और आंकड़े, जो निष्पादन-प्रोत्साहन के लिए आवश्यक आधारस्वरूप हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। हमें निष्पादन को पारदर्शी तरीकों से मापने के उद्देश्य से निष्पादन को देखना और मान्य करना होगा। हमें अपेक्षित निष्कर्षों तक पहुँचने के लिए राज्य से संबंधित सटीक, विश्वसनीय, आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के लिए निरंतर निवेश करना होगा तभी ऐसे तंत्रों पर चर्चा करने और इनका उपयोग करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का विस्तार हो सकेगा।

1.17 अनेक अतिरिक्त अधिसूचनाएं जारी की गईं। प्रारंभ में आयोग से, 1 अप्रैल, 2020 से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया था। हालांकि, अधिसूचना सं. का.आ.2691(अ.) दिनांक 29 जुलाई, 2019 (अनुलग्नक 1.6) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि एक माह बढ़ाकर 30 नवंबर, 2019 कर दी गई तथा टीओआर में पैराग्राफ 9 के बाद एक पैरा और जोड़ा गया, यथा- “9-क. आयोग इस बात की भी परीक्षा करेगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे तंत्र का किस प्रकार प्रचालन किया जा सकता है”।

1.18 बाद में, आयोग को, आदेश सं. का.आ.4308(अ) दिनांक 29 नवंबर, 2019 (अनुलग्नक 1.7) के तहत, निम्नलिखित परिवर्तनों के बारे में संसूचित किया गया:

- (i) आयोग दो रिपोर्टें अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट और 2021-22 से 2025-26 तक की विस्तारित अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”
- (ii) प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 30 नवंबर, 2019 है।
- (iii) 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को शामिल करते हुए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख 30 अक्टूबर, 2020 है।

1.19 आयोग ने वित्त वर्ष 2020-21 को शामिल करते हुए अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। तत्पश्चात् 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 को शामिल करते हुए आयोग की रिपोर्ट को, आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई पर व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ, संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसरण में सभा-पटल पर रखा गया (अनुलग्नक 1.40)।

1.20 अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आयोग ने कुल 151 बैठकें आयोजित कीं जिनका तारीखों सहित विवरण अनुलग्नक 1.23 में दिया गया है।



## परामर्शी प्रक्रिया

1.21 आयोग ने अपनी कार्य योजना तैयार करते हुए, टीओआर पर चर्चा की दृष्टि से अनेक हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) और यूएनडीपी सहित अनेक बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ व्यापक बातचीत की गई (अनुलग्नक 1.27)। इनके द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशनों और प्रस्तुत किए गए अध्ययनों, जोकि हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, की सूची अनुलग्नक 1.22क में दी गई है।

1.22 पिछली परंपरा को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने राज्य सरकारों, संघ सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों तथा अन्य हितधारकों और विचारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। टीओआर पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए, आयोग के निर्देशों के तहत छह समितियों का गठन भी किया गया था।

1.23 हमने व्यापक मुद्दों से और साथ-ही टीओआर में विनिर्दिष्ट विषयों से जुड़ी जटिलताओं के बारे में आयोग के ज्ञानवर्धन में इसकी सहायता के लिए और इसे समुचित अनुशासन करने में समर्थ बनाने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया। हमने विशिष्ट विषयों जैसे कृषि, स्वास्थ्य, आदि के अंतर्गत विशेषज्ञों की कुछ अन्य समितियों का भी गठन किया। हमारे द्वारा गठित समितियों का विवरण अनुलग्नक 1.15 से 1.20 में उल्लिखित है।

1.24 साथ ही, अर्थशास्त्रियों और आर्थिक प्रशासकों के साथ आयोग की संरचित (योजनाबद्ध) बातचीत की प्रक्रिया को और व्यापक करते हुए इसमें मुख्य नीति निर्माताओं तथा अनेक अन्य सामाजिक विज्ञानों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया। विशेषज्ञों के साथ परामर्श हमारे संपूर्ण कार्यकाल में जारी रहा (अनुलग्नक 1.27)। विचारार्थ विषयों, विशेष रूप प्रथम बार शामिल किए गए विषयों, पर अपने विचारों एवं ज्ञान का आदान-प्रदान करने और सुझाव देने के लिए चुनिंदा विशेषज्ञों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। इन अंतःक्रियाओं (चर्चाओं) ने लोक वित्त से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर नवीनतम शोधों एवं परिप्रेक्ष्यों में अंतर्दृष्टि प्रदान की। आयोग ने जनसाधारण से अपने टीओआर पर सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित कीं (अनुलग्नक 1.13 और 1.14)। आयोग को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े, बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित व्यक्तियों से टीओआर से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार प्राप्त करने का भी लाभ मिला, जिन्होंने आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव से मुलाकात की। प्रख्यात व्यक्तियों / संगठनों के साथ अध्यक्ष की बैठकों की सूची अनुलग्नक 1.24 में दी गई है और व्यक्तियों / संगठनों के साथ आयोग की बैठकों की सूची अनुबंध 1.25ख में दी गई है। संघ सरकार के मंत्रालयों / विभागों के साथ आयोजित आयोग की बैठकों की सूची अनुलग्नक 1.26 में दी गई है।

1.25 राज्यों का दौरा किए जाने से पूर्व, प्रत्येक राज्य के संबंधित महालेखाकारों के साथ बैठकें की गईं, जिनमें पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य भी शामिल हैं (अनुलग्नक 1.28)। इन महालेखाकारों ने अपने-अपने संबंधित राज्य के लोक वित्त की शक्तियों और कमजोरियों, विशेष रूप से उनकी राजकोषीय और वित्तीय स्थिति, संसाधन जुटाने और व्यय संबंधी दक्षता, के बारे में वस्तुनिष्ठ (निष्पक्ष) आकलन उपलब्ध कराए। उन्होंने विभिन्न सेक्टरों के निष्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की वित्तीय स्थिति और, विशेष तौर पर, इन राज्यों में स्थानीय शासन के कार्यानिष्पादन के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की। इसके बाद संबंधित राज्य के राजकोषीय मुद्दों पर आयोग के सचिवालय द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस आयोग की रिपोर्ट के खंड IV में इनका पूरा उल्लेख किया गया है।

1.26 महालेखाकारों के साथ चर्चा को सुविधाजनक बनाने में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सूचनाओं के लिए तथा आयोग के टीओआर पर विस्तृत विचार देने के लिए हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। विभिन्न मुद्दों पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के साथ कई बैठकों में विस्तृत चर्चा हुई।

1.27 वृहत्त आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक्स), वित्तीय स्थायित्व और संघ और राज्यों की उधारी लागत से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोग ने 8 मई, 2019 को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुख्यालय का दौरा किया। इस बैठक के दौरान बाजार-आधारित उधारी लागत, राज्यों के ऋण प्रक्षेपवक्रों (Debt Trajectories) और बैंकों के पुनर्पूजीकरण से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आरबीआई के गवर्नर द्वारा दिए गए सहयोग और समर्थन के लिए हम उनके आभारी हैं।

## राज्यों के साथ परामर्श

1.28 राज्यों में राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श पिछले सभी वित्त आयोगों की आवश्यक और स्थायी विशेषता रही है। हमने सभी अट्टाईस राज्यों को इसमें शामिल किया और उनमें से प्रत्येक में कम से कम चार बैठकें कीं। मुख्यमंत्री, मंत्रियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक राज्य के दौरे की मुख्य विशेषताओं में से एक थी। पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अनुसंधान संस्थानों, व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों और राज्यों में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें की गईं। लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों के कारण उत्पन्न होने वाली राज्य यात्राओं की अनुसूची में संभावित विराम की आशंका को देखते हुए, हमने अक्टूबर, 2019 से पहले सत्ताईस राज्यों के दौरों की योजना बनाई, इनका समन्वय किया और इन्हें पूरा किया। हमारा अट्टाईसवें राज्य का दौरा जनवरी, 2020 में संपन्न हुआ।



1.29 कुशल कार्ययोजना की तैयारी के साथ, हमारे पास राज्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और उनके संसाधनों और जरूरतों का समेकित मूल्यांकन करने तथा अपनी दोनों रिपोर्टों को नियत समयसीमा के भीतर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय था। राज्यों को की गई यात्राओं का विवरण अनुलग्नक 1.30 में दिया गया है। राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों की सूची अनुलग्नक 1.29 में दी गई है। हमारी यात्राओं के दौरान उपयोगी चर्चाओं की व्यापक व्यवस्था के लिए और गर्मजोशीपूर्ण आतिथ्य के लिए हम राज्य सरकारों के प्रति अपना आभार और कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

### संघ सरकार के साथ परामर्श

1.30 संघ सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ बैठकें आम तौर पर जनवरी, 2018 से जुलाई, 2020 के बीच आयोजित की गई (अनुलग्नक 1.26)। चूंकि हमें दिए गए टीओआर कई मायनों में अद्वितीय हैं और आयोग को विविध मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया था अतः तीस से अधिक मंत्रालयों/विभागों के साथ मंत्रिस्तरीय चर्चाओं के कई दौर आयोजित किए गए थे। हमने संबंधित अनेक मुद्दों को पूरी तरह से समझने और उन पर विचार-विमर्श करने में अपना हर संभव प्रयास किया। फिर हमने प्रमुख मंत्रालयों/विभागों के साथ अपने कार्य के विभिन्न निष्कर्षों को एक पृथक खंड में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, इस रिपोर्ट के खंड III में प्रमुख मंत्रालयों/विभागों पर किए गए हमारे कार्य का सार रूप में समावेश है जो पाठकों के लिए उपयोगी हो सकता है।

1.31 आयोग ने 6 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री से और 4 दिसंबर, 2017 को संघीय वित्त मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। पुनः हमने 13 जनवरी, 2018 को एक विस्तृत चर्चा के लिए संघीय वित्त मंत्री से मुलाकात की। इससे हमें हमारे सम्मुख अनेक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला (अनुलग्नक 1.25क)।

### अध्ययन

1.32 आयोग द्वारा विभिन्न मुद्दों और विषयों के लिए एक सुव्यवस्थित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह के अनुसंधान संगठनों व संस्थाओं को अध्ययन कार्य सौंपा गया था। राज्य वित्त के संबंध में स्थानीय विशेषज्ञों का नजरिया जानने के लिए, हमने हर राज्य के लिए आमतौर पर उन राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन कार्य किया। इस प्रकार,

हम प्रत्येक राज्य की अर्थव्यवस्था पर अध्ययन कार्य कर सके। समीक्षाओं का फोकस, राज्यों की राजस्व क्षमताओं, उनके कर अनुपात में सुधार के लिए किए गए उपायों, राज्यों के स्वयं के कर-भिन्न राजस्व के विश्लेषण, उनके व्यय पैटर्नों की समीक्षा और उनके घाटे के विश्लेषण तथा उनके वित्तपोषण और कर्ज लेने के तरीके पर रहा। विशेष रूप से, इन अध्ययनों के अंतर्गत, राजकोषीय समेकन प्रयासों, अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन और विद्युत क्षेत्र के निष्पादन सहित विभिन्न मानदंडों पर राज्यों के निष्पादन को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, इन अध्ययनों ने हमें प्रत्येक राज्य की अनूठी विशेषताओं की बेहतर समझ प्रदान की। राज्य-अध्ययनों की एक सूची अनुलग्नक 1.21 में दी गई है।

1.33 राजकोषीय संघवाद और अंतर-सरकारी हस्तांतरणों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर किए गए अध्ययनों की जांच आर्थिक सलाहकार की टीम द्वारा आयोग के पर्यवेक्षण के तहत की गई (अनुलग्नक 1.22)। जनसाधारण की जानकारी के लिए ये सभी अध्ययन हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

## कर्ज और राजकोषीय परिप्रेक्ष्य

1.34 व्यापक आंतरिक और बाहरी परामर्शों, क्रॉस कंट्री अनुभवों तथा कई दौर की चर्चाओं और विचार-विमर्श के आधार पर, आयोग का मानना है कि राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समीक्षा समिति द्वारा 2017 में यथानुशासित और 2018 में संसद द्वारा यथास्वीकृत, प्रचालनिक लक्ष्य के रूप में राजकोषीय घाटे के साथ, भारत में राजकोषीय नीति के लिए एक स्थिरक के रूप में कार्य करने के लिए, जीडीपी से सरकारी ऋण के अनुपात को जारी रखा जाना चाहिए।

1.35 एक विश्वसनीय और पारदर्शी रूप से मापित राजकोषीय नीतिगत फ्रेमवर्क (रूपरेखा) वह है जो बदलाव के समय में सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित वहनीयताओं के साथ नियम आधारित भी हो। हमें कठोर होना चाहिए लेकिन इतनी नम्यता के साथ कि भंगुरता (टूटने) से बचे रहें।

1.36 एक विश्वसनीय फ्रेमवर्क के मूल में एक ऐसे स्थिरक (एंकर) की अवधारणा होती है, जो किसी नीति के अंतिम लक्ष्य को बांधे रखती है और तदनु रूप आर्थिक कारकों के समायोजन की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करती है। नीतिगत विवेक पर रोधक के रूप में कार्य करते हुए एक स्थिरक, विभिन्न विशेष हितवादी समूहों की ओर से पड़ने वाले दबावों सहित कालिक असंगतियों को हतोत्साहित करता है। तथापि, अनुकूलता के मूल में समायोजन का वह सामर्थ्य होता है जो आपवादिक (दुर्लभ) परिस्थितियों में विशिष्ट तरीकों से स्थिरता प्रदान करता है। जैसा कि हमने अक्सर देखा है, बहुत-से जहाज जिन्होंने अपने लंगर की रस्सियों को काटा है चट्टानों से टकराकर पूरी तरह से डूब गए हैं; इस प्रकार, आबद्ध नम्यता (लचीलापन),

जो सामान्य समय की तुलना में आवश्यकता के समय कहीं अधिक भूमिका निभाती है, बहुत जरूरी है और ऐसे परिणाम के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण प्रतिरोधक का कार्य करती है।

1.37 महामारी के बीच राजकोषीय अनिश्चितता अब निरंतर उच्च स्तर पर बनी हुई है। 2020-21 में नामिक (नोमिनल) जीडीपी और सरकारी राजस्व पहले से ही संकुचन का सामना कर रहे हैं और संघ और राज्य की राजकोषीय एवं वित्तीय दशाओं पर अलग-अलग तरह से दबाव बढ़ा रहे हैं। यह ऊर्ध्वमुखी दबाव एक ऐसे समय में अपरिहार्य है जबकि विकास की क्षति को कम करना आवश्यक हो और आमदनी को बढ़ाना आवश्यक हो। नम्यता (लचीलेपन) पर विचार करने का कारण यही है। यह दौर ही असाधारण है।

1.38 फिर भी, हमारा मानना है कि मध्यावधि में, राजकोषीय नीतियों का निर्धारण उत्साह की बजाय सतर्कता के साथ और अपव्ययता की बजाय संयम के साथ होना चाहिए। चूंकि धनात्मक ब्याज-वृद्धि अवकल (अंतर) और प्रतिकूल ऋण गतिकी अगले दो-तीन वर्षों के दौरान अपरिहार्य रहेगी अतः हम पंचाट अवधि के परवर्ती भाग के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कुल सार्वजनिक ऋण के लिए एक गिरावट वक्र की अनुशंसा करते हैं। महत्वपूर्ण बात, जो बाजारों को भी आश्वस्त करेगी, यह है कि जब एक बार अर्थव्यवस्था में बहाली की स्थिति सुनिश्चित हो जाए तो एक ऐसी विश्वसनीय राजकोषीय योजना तैयार की जाए जो मध्यावधि के दौरान ऋण और राजकोषीय समेकन के रास्ते पर लौटने को अपरिहार्य बना दे।

1.39 यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि इस समय में आवश्यक अतिरिक्त व्यय का अर्थव्यवस्था और समाज के लिए मूलभूत क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश किया जाए ताकि कोविड के बाद के किसी भी परिदृश्य को बहाल किया जा सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बहाली के प्रयास केवल पुरानी स्थिति को वापस न लाएं, बल्कि नए अवसरों की उपलब्धि कराएं; जिनमें भारत में वैश्विक उत्पादन आकर्षित करने की संभावना और केवल बड़े शहरों तक विकास कार्य को सीमित रखने की बजाय एक अधिक विस्तृत तरीके से वितरित आर्थिक भूगोल के संचालन के लिए दूरस्थ कार्यसंपादन की संस्कृति से परिचित होने की संभावना शामिल है। इस कारण से, हमने पूंजी के सबसे मौलिक स्वरूप, यानी मानव पूंजी में निवेश को प्राथमिकता दी है जो स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से, विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो आबादी के सबसे कमजोर उप-समूह का निर्माण करते हैं, तथा साथ ही जलवायु परिवर्तन और वायु-प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय जोखिमों पर अतिरिक्त ध्यान देने के माध्यम से किया जाएगा। जैसाकि आगे भी चर्चा की गई है, हमने राज्यों और स्थानीय शासनों के लिए राजकोषीय सहायता के स्तर को बनाए रखते समय, सुपरिणामों को, तथा इनकी प्राप्ति में नवाचार को, पुरस्कृत करने की एक नई रीति को भी अंगीकार किया है। संपूर्ण रिपोर्ट में, हमने सुपरिणामों (नतीजों) पर जोर दिया है, जिसके लिए राज्यों को स्थानीय संदर्भ के अनुकूल इनपुट चुनने की स्वतंत्रता है। यह एक महत्वपूर्ण पुनर्विन्यास है जो नवाचार के लिए बहुत सारी संभावनाएं खोलता है, लेकिन साथ-ही-साथ, इन प्रणालियों से परिणामों के मापन और उनमें सहयोग से संबंधित नई अपेक्षाएं भी करता है।

1.40 हमारा पूर्वानुमान लगभग 7 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि की प्रवृत्ति पर धीरे-धीरे वापसी मानता है; हम यह भी मानते हैं कि श्रमिकों और व्यवसायों के लिए भयकारी प्रभाव उतने गंभीर नहीं होंगे जितनी आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ, आयोग को अभूतपूर्व वैश्विक आघात के बाद दोनों दिशाओं में अनिश्चितताओं और जोखिमों को ध्यान में रखने की आवश्यकता का संज्ञान था। इसलिए, आयोग ने तीनों परिदृश्यों के साथ कार्य करने को प्रमुखता दी और तदनुसार, निश्चित संख्याओं के बजाय ऋण और हेडलाइन घाटा, दोनों के लिए एक सीमा निर्धारित की। ये तीनों परिदृश्य तालिका 1.1 में दिए गए हैं।

**तालिका 1.1: संघ सरकार के राजकोषीय घाटे की रेंज (जीडीपी का %)**

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
यदि आर्थिक बहाली आकलन से धीमी रही तो	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5
यदि वृहत्त-आर्थिक आकलन सही रहा तो	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
यदि आर्थिक बहाली आकलन से तेज रही तो	6.0	5.5	5.0	4.0	3.5


1.41 आयोग इस बात से पूरी तरह अवगत है कि संसदीय लोकतंत्रों के संदर्भ में, राजकोषीय घाटे के लिए सीमा का निर्धारण इस सीमा के ऊपरी छोर पर परिचालित होगा; तो भी, प्रस्तावित ढांचे में लचीलापन लाने को लेकर आम सहमति थी ताकि संघ और राज्य सरकारों (तालिका 1.2) के लिए संकट के दौरान आगे बढ़ना तथा परिवारों, व्यवसायों और सरकारों की बैलेंस शीटों पर इसके प्रभावों के बीच इनका टिके रहना संभव हो सके। राज्यों को अधिक लचीलापन देने के लिए आयोग तीन उपायों (विंडोज) की सिफारिश करता है: (क) कर राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए पंचाट अवधि के पहले दो वर्षों में अतिरिक्त बिना-शर्त ऋण संसाधनों की व्यवस्था; (ख) यदि राज्य विद्युत सेक्टर में सुधारों के मानदंडों को पूरा करते हैं तो उन्हें जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दिया जाना; (ग) चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर, हम राज्यों को उनकी ऋण सीमा में किसी भी अप्रयुक्त ऋण का उपयोग, हमारी पंचाट अवधि के दौरान परवर्ती वर्षों में करने की अनुमति भी दे रहे हैं।

तालिका 1.2 : उधारी के लिए अनुशंसित सीमा के अंतर्गत समस्त राज्यों के राजकोषीय घाटे की रेंज

(जीएसडीपी का %)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
ऊपरी सीमा (यदि सभी राज्य उपलब्ध पूर्ण उधारी सीमा का उपयोग करें)	4.5	4.0	3.5	3.5	3.0
निचली सीमा (औसतन चालू एफआरबीएम सीमा तक पहुंचने वाले राज्य)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

चित्र 1.1: जीडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा




1.42 हमने वर्तमान महामारी की चुनौतियों से मुकाबले तथा बाद के वर्षों में आर्थिक बहाली के लिए संघ और राज्य दोनों को अपेक्षाकृत उच्च राजकोषीय गुंजाइश प्रदान की है। तदनुसार, संघ और राज्य सरकारों के समग्र राजकोषीय घाटे, जिसके 2020-21 में जीडीपी के 11.6 प्रतिशत के आस-पास रहने की संभावना है, को अंतिम (टर्मिनल) वर्ष में जीडीपी के 6.8 प्रतिशत तक लाने का मार्ग तैयार किया गया है (चित्र 1.1)।

1.43 इस भाग को सारबद्ध रूप में दर्शाने के लिए संघ और राज्य सरकारों का निर्देशात्मक समेकित ऋण प्रक्षेपवक्र, जो कुशल प्रयासों की गुंजाइश को संभव बनाता है, चित्र 1.2 में दिया गया है।

## सहकारी संघवाद की ओर : आवश्यकताओं और निष्पादन में संतुलन

1.44 भारत की जीवंत संघीय संरचना को देखते हुए, पिछले वित्त आयोगों के तहत संघ से राज्यों को संसाधनों के बढ़े हुए हस्तांतरण, और यह तथ्य कि सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्यों का कुल व्यय संघ की तुलना में अधिक है, राज्यों का वित्त भारत के राजकोषीय ढांचे में एक महत्वपूर्ण लिंचपिन बन गया है। कुल मिलाकर, जैसाकि एफआरबीएम अधिनियम, 2003 (यथासंशोधित 2018) में व्यवस्था की गई है, हम मानते हैं कि ऋण के मध्यावधि समेकन की प्रक्रिया में राज्य संघ सरकार के साथ भागीदार बनें और मध्यावधि में एक सतत् आधार पर भारत के संप्रभु ऋण को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में रखा जाए। वे अपने निवासियों, समग्र अर्थव्यवस्था और भारत के वैश्विक संबंधों में सहायता के लिए नए तरीके विकसित करने में संघ सरकार के साथ भागीदार बनें। इस प्रकार, चित्र 1.2 में दर्शाए गए दोनों सरकारों के ऋण एवं राजकोषीय प्रक्षेपवक्र में, ऋण एवं राजकोषीय घाटे के संधारणीय स्तरों के माध्यम से वृहत् अर्थशास्त्रीय (मैक्रो-इकॉनॉमिक) स्थिरीकरण की प्रमुख विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए संघ और राज्य दोनों की इस भागीदारी की परिकल्पना की गई है।

चित्र 1.2 : 2020-26 के दौरान ऋण का प्रक्षेपवक्र (जीडीपी का %)



सामान्य सरकार के कर्ज के लिए अंतर-सरकारी अंतरणों को समायोजित किया गया है। इनमें संघ द्वारा राज्यों को दिए गए ऋणों का बकाया, एनएसएसएफ प्रतिभूतियों का स्टॉक, राज्य सरकारों द्वारा धारित ट्रेजरी बिल शामिल है।

1.45 जब भारत ने स्वाधीनता प्राप्त की, तब क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए सक्रिय राज्य हस्तक्षेप (भागीदारी) की परिकल्पना की गई थी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघ से राज्यों को संसाधनों

का हस्तांतरण ही मुख्य उपाय था। संसाधनों की पूर्वानुमेयता, विशेष रूप से महामारी के दौरान, और स्थिरता को बनाए रखने के लिए हम 41 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण को बनाए रखने की अनुशंसा करते हैं, जैसाकि 2020-21 के लिए हमारी रिपोर्ट में भी अनुशंसित किया गया था। हमारे ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण की व्यवस्था 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अंतरण हिस्सेदारी के अनुरूप है। हमने केवल पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर नामक नए संघ राज्यक्षेत्रों में स्थिति परिवर्तन के कारण लगभग 1 प्रतिशत का आवश्यक समायोजन किया है।

1.46 जैसा कि संबंधित अध्याय में रेखांकित किया गया है, हम मानते हैं कि "संसाधनों की स्थिरता और पूर्वानुमेयता, संघ और राज्य दोनों के लिए अच्छे दीर्घकालिक बजट निर्माण और राजकोषीय लक्ष्य निर्धारण का सबसे आवश्यक घटक है। निश्चित रूप से, इसमें संघ और राज्यों से अनेक स्रोतों के माध्यम से अपनी संसाधन उपलब्धता को बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है, विशेषकर उच्चतर कर-जीडीपी अनुपात के माध्यम से, जोकि अन्य तुलनीय देशों के मुकाबले कम है। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि विभाज्य पूल के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक निरंतरता होनी चाहिए।" हम यह भी मानते हैं कि " इस स्तर के ऊर्ध्वाधर हस्तांतरणों से संघ के लिए तथा साथ-ही-साथ राज्यों के लिए भी अपनी मांगों को पूरा करने और शर्तरहित संसाधनों का पर्याप्त स्तर बनाए रखने के लिए समुचित राजकोषीय संसाधन उपलब्ध होंगे"।

## क्षैतिज हिस्सेदारी

1.47 किसी राज्य के विकास का स्तर उन जटिल कारकों का एक मिश्रित कार्य है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं से युक्त होते हैं। किसी राज्य के विकास में मदद के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन उन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता प्रायः अधिक महत्वपूर्ण है, यह विशिष्ट विशेषता विभिन्न राज्यों में स्पष्ट रूप से भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, किसी राज्य में अनुचित प्रशासन और कमजोर संस्थाओं के कारण आबंटित संसाधनों का स्पष्टतः अपव्यय होता है। यह आयोग व्यापक तौर पर उचित भारांकों के समनुदेशन द्वारा क्षैतिज बंटवारे के मानदंड निर्धारित करने में व्यय संबंधी जरूरतों, इक्विटी और निष्पादन के सिद्धांतों में सामंजस्य करना चाहता है। इन आवश्यकता-आधारित सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी के मानदंड शामिल होंगे। इक्विटी-आधारित सिद्धांतों में आय-अंतर पर विचार किया गया है, जिसे पूर्व की भांति, उच्च भारांक समनुदिष्ट किया गया है। निष्पादन मानदंडों के संबंध में, हमने जनसांख्यिकीय निष्पादन के साथ-साथ कर एवं राजकोषीय प्रयासों को भी भारांक समनुदिष्ट किए हैं। व्यापक वर्गीकरण के इस तर्क को संबंधित अध्याय में समझाया गया है।



1.48 इसलिए, हमने राज्यों को संसाधनों के आबंटन की एक योजना प्रस्तावित की है, जिसमें उनकी विकास-जरूरतों तथा विगत निष्पादन, दोनों को विचार में लिया गया है जिसके अंतर्गत निष्पादन को विचार में लेने का उद्देश्य बेहतर निष्पादन को प्रोत्साहित करना और जहां संसाधनों का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता हो वहां ऐसे संसाधन आबंटित करना है। विशेष रूप से, 'जनसांख्यिकीय निष्पादन' के नए शुरू किए गए पैरामीटर को, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित क्षेत्रों में तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बेहतर परिणाम (जिसमें बेहतर पोषण परिणाम भी सम्मिलित हैं) देने के लिए एक प्रमुख निष्पादन पुरस्कार के रूप में डिज़ाइन किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी साहित्य का एक बड़ा भाग बताता है कि निम्न जन्म दर का एक कारण यह भी है कि शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, यानी ये दोनों परस्पर संबंधित भी हैं।

1.49 अनेक कारकों और व्यापक परामर्शों पर विचार करते हुए, आयोग 'जनसांख्यिकीय निष्पादन' के मानदंड को 12.5 प्रतिशत भारांक देने की अनुशंसा करता है।

तालिका 1.3 : क्षैतिज अंतरण के मानदंड और भारांक

मानदंड	भारांक (%)
जनसंख्या	15.0
क्षेत्रफल	15.0
वन एवं पारिस्थितिकी	10.0
आय अंतर	45.0
कर एवं राजकोषीय प्रयास	2.5
जनसांख्यिकीय निष्पादन	12.5
	100

## सहायता अनुदान

### राजस्व घाटा अनुदान

1.50 आयोग की आंतरिक चर्चाओं तथा नीति निर्माताओं सहित बाहरी विशेषज्ञों के साथ हुई अनेक चर्चाओं से, दिन-प्रतिदिन की नीति निर्माण प्रक्रिया में "राजस्व घाटे" (जिसे राजस्व या चालू व्यय और राजस्व प्राप्तियों, जिनमें कर और गैर-कर प्राप्तियां शामिल हैं, के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है) को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य-बिंदु मानने की जरूरत महसूस हुई। वस्तुतः राजस्व और पूंजी खातों के बीच अंतर की मूल अवधारणा बजट-निर्माण की प्रक्रिया के इतिहास में और भारत के संविधान में निहित है।



राजस्व घाटा अनुदानों की संकल्पना राज्यों के राजस्व खातों पर उनकी उन राजकोषीय जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता से उत्पन्न होती है जो उनके स्वयं के कर और गैर-कर संसाधनों तथा संघ से उनको प्राप्त होने वाले कर अंतरण को हिसाब में लेने के बाद भी पूरी नहीं हो पातीं। इस संबंध में ऐसा कोई फार्मूला-आधारित श्रेणित अंतरण लागू नहीं हो सकता जो अट्टाईस राज्यों में से प्रत्येक की जरूरतों को पूरा कर सकता हो क्योंकि इनकी लागत असमर्थताएं और राजकोषीय क्षमताएं एक दूसरे से व्यापक रूप से भिन्न हैं। इसलिए, हम संघ की सकल राजस्व प्राप्तियों के 1.92 प्रतिशत को, विशिष्ट राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में आबंटित करने की अनुशंसा करते हैं। पंचाट अवधि के दौरान क्रमिक न्यूनीकरण द्वारा, समग्र राजस्व घाटा अनुदान 2,94,514 करोड़ रुपये है।

1.51 हमारे पंचाट की संरचना, सहायता अनुदानों पर, और उनमें, निष्पादन आधारित अनुदानों पर सापेक्षिक महत्व के साथ जोर देने के हमारे आशय को इंगित करती है। राजस्व घाटा अनुदानों के साथ-साथ, हमने विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टरों) के लिए अनुदानों और प्रोत्साहनों की अनुशंसा की है। ये अनुदान चार मुख्य बातों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। पहला सामाजिक क्षेत्र है, जहां हमने स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है, जो आबादी के एक बड़े और विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों क्षेत्र महामारी के साथ अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और मानव पूंजी के लिए वृहत् बहुआयामी लाभों के साथ लोक कल्याण और विकास दोनों से समान रूप से जुड़े हैं। दूसरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहां हमने कृषि और ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इसमें देश की दो-तिहाई आबादी, कुल कार्यबल का 70 प्रतिशत और राष्ट्रीय आय का 46 प्रतिशत भाग शामिल है। तीसरा, शासन और प्रशासनिक सुधार, जिसके तहत हमने न्यायपालिका, सांख्यिकी और आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है। चौथा, हमने विद्युत क्षेत्र के लिए एक निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रणाली विकसित की है, जो अनुदानों से जुड़ी हुई तो नहीं है, लेकिन राज्यों के लिए ऋण की व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण, अतिरिक्त स्रोत प्रदान करती है। निस्संदेह, एक सुप्रचालित, वित्तीय रूप से स्थिर और पर्यावरणीय रूप से स्थायी विद्युत वितरण क्षेत्र की मौजूदगी से होने वाले आर्थिक और सामाजिक प्रतिलाभ पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।

1.52 इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर हम पाते हैं कि समय के साथ, अनुदानों के प्रकार और आकार में परिवर्तन होते गए हैं। अनुदान व्यवस्था के तहत पांच अलग-अलग प्रकार के अनुदान दिए जाते रहे हैं: (क) राजस्व घाटा अनुदान, (ख) स्थानीय शासनों के लिए अनुदान, (ग) आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान, (घ) सेक्टर-विशिष्ट अनुदान और (ङ) राज्य-विशिष्ट अनुदान। राजस्व घाटा अनुदानों को छोड़कर, ये अक्सर सशर्त और निष्पादन-आधारित थे। अनुदानों का आकार, छठे वित्त आयोग के तहत कुल अंतरणों के 26.1 प्रतिशत से लेकर 7वें वित्त आयोग के तहत कुल अंतरणों के 7.7 प्रतिशत तक, अलग-अलग था।

13वें वित्त आयोग ने कुल अंतरणों के 15.15 प्रतिशत तक अनुदान की अनुशंसा की थी जबकि 14वें वित्त आयोग ने कुल अंतरणों के 11.97 प्रतिशत को अनुदान के रूप में अनुशंसित किया।

1.53 व्यवहार में, राजस्व घाटा अनुदानों को छोड़कर, पंचाट अवधि के समाप्त होने तक निधियों का वास्तविक प्रवाह आमतौर पर अनुशंसित राशियों से कम रहा, जो इंगित करता है कि राजस्व घाटा अनुदान पूर्वानुमेय और सुनिश्चित थे जबकि अन्य अनुदानों के मामले में ऐसा नहीं था। स्थानीय शासनों के लिए कुछ सशर्त अनुदानों ने शर्तों और यथासमय मोचन (जारी करने) संबंधी चुनौतियों का सामना किया। आयोगों द्वारा निर्धारित मूल शर्तों के अलावा, संघ द्वारा और यहां तक कि कुछ राज्यों द्वारा भी, अतिरिक्त शर्तें लगाई गईं, जिससे पिछले आयोगों की अनुशंसाओं का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ गया। हमने अपनी सिफारिशों को सहज रखते हुए, इन जटिलताओं से बचने की कोशिश की है, तो भी क्षमताओं के सबसे मूल तत्त्व, आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए, समय पर खातों की लेखापरीक्षा और संपत्ति करों के प्रभावी उपयोग, पर ध्यान केंद्रित किया है।

1.54 हमारे विचार-विमर्श के दौरान, हमने पाया कि सहायता अनुदानों से ऐसी लागत अक्षमताओं और अन्य पुनर्वितरण अपेक्षाओं में सुधार किया जा सकता है, जिनका समाधान किसी अंतरण फार्मूले में केवल एक निश्चित सीमा तक ही सम्भव है। इसके अलावा, सहायता अनुदान निरपेक्ष रूप से पूर्व-निर्धारित होते हैं और निश्चित रहते हैं। ये बेहतर लक्षित होते हैं और इनका उपयोग बुनियादी सामाजिक सेवाओं के मानकों को बराबर करने के लिए किया जा सकता है। हमने अपने कई अनुदानों को निष्पादन-आधारित मानदंडों से जोड़ने की भी कोशिश की है जो राष्ट्रीय हित में प्राथमिक महत्व की सार्वजनिक सेवाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं। इन सार्वजनिक सेवाओं में से कुछ को कभी-कभी अर्थव्यवस्था के लिए समग्र रूप में व्यापक लाभकारी होने के बावजूद राज्यों की ओर से कम प्राथमिकता मिलती है। इन अनुदानों ने टीओआर के अंतर्गत हमारी व्यापक श्रेणी वाली मदों के समाधान में भी मदद की है। तदनुसार, हमने अनुदान की विभिन्न श्रेणियों में कुल मिलाकर 10,33,062 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है।

## सहयोग

### सामाजिक सेक्टर

1.55 कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने स्वास्थ्य सेक्टर के सम्मुख अनेक चुनौतियों खड़ी की हैं, जिसके कारण निवेश में कमी; अल्पपोषण और भूख की विशेष वजह से अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं; डॉक्टरों, पराचिकित्सकों, अस्पतालों की उपलब्धता संबंधी समस्याएं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख केंद्र जैसे

उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की अपर्याप्तता की स्थिति उत्पन्न हुई। अतः हमारे द्वारा अनुशंसित राजस्व घाटा अनुदानों के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनुदान स्वास्थ्य के सेक्टर से संबंधित है, जो समग्र रूप में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और इसमें तीन घटक शामिल हैं। 31,755 करोड़ रुपये की राशि के स्वास्थ्य अनुदानों का विवरण पर अध्याय 9 में दिया गया है। स्थानीय शासनों को 70,051 करोड़ रुपये की राशि का स्वास्थ्य अनुदान, जिसकी चर्चा अध्याय 7 में की गई है, शासन के समस्त स्तरों को भागीदारी और उत्प्रेरणा द्वारा सहकारी संघवाद के प्रति समग्र जोर (प्रयास) का एक हिस्सा है। इस संदर्भ में, हमने नोट किया है कि राज्य-विशिष्ट (केंद्रित) अनुदानों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए अनेक प्रस्ताव भी स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार को उच्च महत्व प्रदान करते हैं। हमने स्वास्थ्य के लिए 4,800 करोड़ रुपये की राशि में राज्य-विशिष्ट अनुदानों की अनुशंसा भी की है। ये अनुदान गहन देखरेख हस्तपतालों और लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण द्वारा भावी महामारियों के विरुद्ध क्षमता-निर्माण (लचीलेपन) में भी मदद करेंगे। इसके अंतर्गत, सरकार के तृतीय स्तर (यानी स्थानीय शासन) द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका हमने स्पष्ट कर दी है। इन अनुदानों के माध्यम से हमने विशेषज्ञों और पराचिकित्सकों की कमी को दूर करने की भी कोशिश की है।

1.56 महामारी की स्थिति का समाधान करने के लिए और आघातों के प्रति और अधिक लचीलापन लाने के लिए, 15वें वित्त आयोग ने पहली बार स्वास्थ्य सेक्टर का गहन अध्ययन किया। कुल मिलाकर, हम स्वास्थ्य सेक्टर के लिए लोक परिव्यय में वृद्धि की परिकल्पना करते हैं और एक अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा के सृजन का भी प्रस्ताव करते हैं। मौजूदा महामारी के समाधान की तात्कालिकता को स्वीकार करते हुए हमने स्वास्थ्य सेक्टर के लिए समनुदिष्ट वित्तीय संसाधनों को प्रमुखता देने का अनुरोध भी किया है। आशा है कि हमारे पंचाट के आरंभिक वर्षों में संघ और राज्य दोनों के लिए लचीले और कुछ हद तक बढ़े हुए राजकोषीय संसाधन (सीमा) उन्हें स्वास्थ्य सेक्टर पर अतिरिक्त व्यय करने में सक्षम बनाएंगे।

1.57 महामारी ने, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे युवा शिक्षार्थियों के सम्मुख भी नई चुनौतियां पेश की हैं। देश भर में राज्य सरकारों ने महामारी के प्रसार को धीमा करने के लिए एक तात्कालिक उपाय के रूप में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया। स्कूलों और विश्वविद्यालयों के बंद होने से न केवल छात्रों की शिक्षा की निरंतरता पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इसके दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणाम भी होंगे। इसलिए, इसने हमें, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित समाधानों के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया है ताकि डाइरेक्ट टु होम चैनलों और ऑनलाइन मॉड्यूलों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने को बढ़ावा दिया जा सके। क्षेत्रीय भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भी कमी है और इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अनेक लोगों के लिए बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए, हमने इस प्रयोजन के लिए भी अनुदान की अनुशंसा की है। शिक्षा के संबंध में चिंता का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र स्कूली बच्चों की शिक्षा के

खराब नतीजे हैं और यह समस्या प्राथमिक स्तर पर 100 प्रतिशत सकल नामांकन के बाद भी बनी हुई है। इसके अलावा, इक्विटी और एक्सेस परिणामों से संबंधित मुद्दे भी हैं। इसलिए, शिक्षा मंत्रालय के 'निष्पादन श्रेणीकरण सूचकांक' ['परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स' (पीजीआई)] का उपयोग करके स्कूली शिक्षा के इन परिणामों में सुधार लाने वाले राज्यों के लिए हमने प्रोत्साहन अनुदान की अनुशंसा की है। निस्संदेह, रचनात्मकता और नवाचार केवल तभी संभव है जब पाठ्यक्रम उनकी (विद्यार्थियों की) क्षेत्रीय भाषा (मातृभाषा) में हो और इसलिए, हमने उच्च शिक्षा पर अपने प्रस्तावों में इसे सम्मिलित करने का अनुरोध किया है।

### ग्रामीण अर्थव्यवस्था

1.58 हमारे दूसरे विषय के अंतर्गत, हमने कृषि सुधारों को प्रोत्साहित करने और कृषि-निर्यात बढ़ाने से संबंधित अनुदानों की अनुशंसा की है। यह अनुदान कृषि सेक्टर की कुछ सबसे कठिन चुनौतियों पर लक्षित है जहां राज्यों के साथ सहयोग की आवश्यकता है। इसके तहत भूमि सुधार, कृषि में जल का संधारणीय और कुशल उपयोग, निर्यातों को बढ़ावा तथा तिलहनों एवं दलहनों जैसी फसलों और काष्ठ उत्पादों को और अधिक लाभकारी बनाने पर जोर देना शामिल है। हमने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की सड़कों के निर्माण के बाद पांच वर्ष की अनुरक्षण-अवधि समाप्त होने पर उनके अपर्याप्त रखरखाव को देखते हुए उनके लिए भी अनुदान की अनुशंसा की है। साथ-ही-साथ, अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि संपूर्ण (लास्ट माइल) कनेक्टिविटी के कई फायदे हैं, जैसे कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य तथा स्कूली शिक्षा के संदर्भ में बेहतर एक्सेस और सीखने के बेहतर परिणाम। इस प्रकार, पीएमजीएसवाई सड़कों की स्थिति में सुधार, विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने हेतु हमारे द्वारा अनुशंसित अन्य अनुदानों के संपूरक के रूप में है।

### शासन और प्रशासनिक सुधार

1.59 तीसरे विषय के अंतर्गत हमने प्रशासनिक और शासन संबंधी सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें अक्सर राज्य सरकारों की ओर से उचित प्राथमिकता नहीं मिलती। हमने न्यायपालिका को सुदृढ़ करने के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है जो किसी भी शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए आधार स्वरूप है। ये अनुदान न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाएंगे और तद्वारा जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों, हाशिए (कमजोर वर्ग) के लोगों के दीवानी मामलों, पांच वर्ष पुराने सांपत्तिक मामलों और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में तेज

गति से न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का और साथ ही, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का संचालन होगा।

1.60 अधिकांश उभरते और विकासशील राष्ट्र उच्च आर्थिक दक्षता, बेहतर जवाबदेही और स्थानीय आबादी की उच्च संतुष्टि के लिए शासन के रूप में विकेंद्रीकरण को अपना रहे हैं। स्थानीय पदाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों का बेहतर ज्ञान होता है और वे अपने निर्वाचकों के लिए अधिक सुलभ, निकट और जवाबदेह होते हैं तथा उनके पास अधिक प्रतिक्रियाशील होने के लिए साधन और प्रोत्साहन होते हैं।

1.61 स्थानीय शासन को और सशक्त बनाने के लिए, आयोग पूर्ववर्ती अवधियों की तुलना में उनके लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश करता है। आवश्यकताओं और निष्पादन के बीच संतुलन बैठाने के लिए इस रिपोर्ट की समग्र भावना के अनुरूप, स्थानीय शासन को निधियों के आबंटन को आम तौर पर कुछ निष्पादन मानदंडों से जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष के वार्षिक खातों और पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित खातों की ऑनलाइन प्रस्तुति, सभी स्थानीय शासनों को अनुदान (स्वास्थ्य अनुदान को छोड़कर) दिए जाने का एक प्रारंभिक मानदंड है। इसी तरह से, संपत्ति करों के लिए न्यूनतम दरों की अधिसूचना शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान दिए जाने के लिए एक अतिरिक्त शर्त है। इसके अलावा, हम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, जल एवं स्वच्छता, वर्षा जल संचयन, वायु गुणवत्ता, तथा खासतौर पर, दस लाख से अधिक आबादी वाले पचास शहरों (मिलियन-प्लस सिटीज) को विकसित करने हेतु एक "चुनौती निधि" (चैलेंज फंड) के लक्ष्य के साथ स्थानीय शासनों को संसाधनों के एक बड़े हिस्से के आबंटन का प्रस्ताव करते हैं। हम मूल्य-वर्धन निष्कर्षण तथा निजी संस्थाओं से भागीदारी करने सहित, अधिक दक्षतापूर्ण तरीकों से अपशिष्ट के निपटान पर भी जोर दे रहे हैं, जो बेहतर वायु गुणवत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

1.62 साथ-ही-साथ, आज की दुनिया में आंकड़ों और सांख्यिकी के महत्व को देखते हुए, हमने सांख्यिकी के क्षेत्र में सुधार के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है। किसी भी नीति के निर्माण, उसके कार्यान्वयन और उसकी परवर्ती निगरानी में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और आंकड़ों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन बातों के अलावा, हम यह भी मानते हैं कि ऐसे जिलों या ब्लॉकों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को, जो महत्वपूर्ण मानदंडों में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, उनके निष्पादन के आधार पर पारदर्शी तरीके से प्रोत्साहित किया जाना, शासन में सुधार का एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। इसलिए, हमने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है जो पूरी तरह से निष्पादन-आधारित होंगे।

### विद्युत सेक्टर

1.63 हमारे चौथे विषय के अंतर्गत, हमने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कामकाज में सुधार पर लक्षित निष्पादन मैट्रिक्स के आधार पर राज्यों के लिए अतिरिक्त उधारी सीमा उपलब्ध कराते हुए विद्युत सेक्टर में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। वितरण कंपनियां राज्य वित्त और विद्युत सेक्टर के समग्र निष्पादन पर लगातार बोझ डालती रही हैं। अधिकांश राज्यों में, वितरण क्षेत्र में सुधार कार्य अधूरे हैं और यह क्षेत्र संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी है। विभिन्न उपभोक्ता समूहों को लागत से नीचे के टैरिफ, बिना मीटर के विद्युत आपूर्ति, कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली की आपूर्ति, उपयोगों के लिए राज्य द्वारा वादे के अनुसार सब्सिडी का भुगतान न किए जाने, उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों और विनियामक प्रशासन की त्रुटियों के कारण, वितरण कंपनियों ने लंबे समय से वित्तीय संधारणीयता (स्थायित्व) के सवालों का सामना किया है। हमें उम्मीद है कि अतिरिक्त वित्त तक यह पहुंच राज्यों को विद्युत वितरण कंपनियों के दक्षतापूर्ण संचालन हेतु नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। निर्बाध विकास हेतु क्षमता का विस्तार करने तथा विश्वसनीय एवं पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने के लिए एक जीवनक्षम और सुप्रचालित वितरण सेक्टर, निवेश को आकर्षित करने के लिए एक पूर्व-शर्त है। ऊर्जा के नए, स्वच्छ, अधिक किफायती स्वरूप की दिशा में तेजी से बढ़ने के लिए आवश्यक साझेदारों को आकर्षित करने की क्षमता पाने के लिए भी यह जरूरी है।

### राष्ट्रीय विवेचन

1.64 भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को देखते हुए, हमने टीओआर के अंतर्गत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर भी विचार किया। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए रक्षा सर्वोच्च महत्व की राष्ट्रीय प्राथमिकता है। प्रत्येक नागरिक और हितधारक का यह अनिवार्य दायित्व है कि वह आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में अपना योगदान दे। इसके अलावा, कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति आर्थिक समृद्धि और सतत् विकास के लिए आवश्यक हैं। विशिष्ट टीओआर के संदर्भ में हम मानक रिपोर्टिंग और लेखापरीक्षा अपेक्षाओं के साथ भारत के लोक लेखा के अंतर्गत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सेक्टर के लिए एक अव्यपगतयोग्य (नॉन-लैप्सेबल) पूल के सृजन का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ करते हैं कि इस सेक्टर के प्रतिबद्ध पूंजी व्यय की पूर्ति पूर्वानुमेय तरीके से की जा सके। यह अव्यपगतयोग्य (नॉन-लैप्सेबल) निधि निस्संदेह, रक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पूंजी व्यय में सक्षम बनाने के लिए अत्यधिक पूर्वानुमेयता प्रदान करेगी।



1.65 अंत में, हमने राष्ट्रीय महत्व के विशेष दायित्वों या आबद्धताओं को पूरा करने में राज्यों की सहायता के लिए राज्य-विशिष्ट अनुदानों की अनुशंसा की है। ये अनुदान छह व्यापक क्षेत्रों तक विस्तृत हैं- (क) सामाजिक आवश्यकताएं, (ख) प्रशासनिक शासन और अवसंरचना, (ग) जल का संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग, जल-निकासी और स्वच्छता, (घ) सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्मारकों का परिरक्षण, (ङ) उच्च लागत पूंजी अवसंरचना और (च) पर्यटन।

## राजकोषीय व्यवस्था में सुधार

1.66 मध्यावधि राजकोषीय सुधारों के संदर्भ में, हमने भारत के लिए संरचनात्मक "कर-अंतर" का विस्तार से विश्लेषण किया। इस शीर्षक पर साहित्य के अनुरूप, हम भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत के कर-संग्रह के परिमाण में इसकी संभावना (क्षमता) की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक बड़े अंतर का अनुमान लगाते हैं। इस अंतर को भरने के लिए हम अत्यावश्यक परिचालनिक और नीतिगत बदलावों की एक श्रृंखला की अनुशंसा करते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य उपायों के साथ-साथ, जीएसटी में व्युत्क्रमित शुल्क संरचना (इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) को ठीक करना, जीएसटी की आईटी प्रणाली में दोषों को दूर करना और बीजक के पूर्ण मिलान की सुविधा प्रदान करना तथा आयकर में छूट, प्रारंभिक सीमाओं व रियायतों की समीक्षा करना शामिल है।

1.67 राजकोषीय व्यवस्था पर चिंतन में विश्व स्तर पर बदलाव हुआ है। अधिकांश देशों में राजकोषीय व्यवस्था संबंधी अनेक नियम अपनाए जाते हैं, और कई मामलों में, बहिर्जात आघातों के लिए राजकोषीय संसाधन प्रदान करने के प्रावधानों के साथ इन्हें लागू किया जाता है। इस ढांचे (फ्रेमवर्क) को पारदर्शिता, लचीलापन और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए इन्हें स्वतंत्र राजकोषीय परिषदों, मोचन खंडों (एस्केप क्लॉज) और ऑटोमैटिक करेक्शन मैकेनिज्म से लैस किया जाता है। एफआरबीएम समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर यह आयोग इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत की इक्कीसवीं सदी की राजकोषीय संरचना में तीन ऐसे स्तंभों की आवश्यकता होगी जो एक-दूसरे को सुदृढ़ करें: सरकार के विभिन्न स्तरों पर ऐसे राजकोषीय नियम जो राजकोषीय संधारणीयता के लिए संस्थागत और बजटीय रूपरेखा निर्धारित करें; ऐसी अतिमहत्वपूर्ण लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जो राजकोषीय संकेतकों, जोकि प्रथम स्तंभ का अंग हैं, की पूर्ण, सुसंगत, विश्वसनीय और समयबद्ध रिपोर्टिंग की व्यवस्था करे; और ऐसी राजकोषीय संस्थाएं - विशेष रूप से, स्वतंत्र आकलन तंत्र, जो अन्य दोनों स्तंभों की कार्यप्रणाली पर आश्वासन और सलाह प्रदान कर सकें।

1.68 हम मानते हैं कि ऋण और राजकोषीय घाटे के संबंध में वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए एफआरबीएम अधिनियम में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है। निरंतर अनिश्चितताओं को देखते हुए, एफआरबीएम अधिनियम की संरचना में, समकालीन वास्तविकताओं एवं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और विकसित होती नई अंतरराष्ट्रीय परंपरा के आधार पर, आमूलचूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए, हमने एक नए राजकोषीय समेकन ढांचे के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह के गठन की अनुशंसा की है। इस अध्याय में वर्णित कारणों के आधार पर इसे अंतर-सरकारी होने की आवश्यकता है। व्यापक आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए संघ और राज्य दोनों को इसमें सक्रिय भागीदार और सहयोगी होने की आवश्यकता है। एफआरबीएम समीक्षा समिति ने संघ सरकार के लिए अनेक दूरगामी सुझाव दिए जबकि राज्यों के लिए एक समान सामर्थ्यकारी ढांचे का मुद्दा वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया। वर्तमान संदर्भ में, अनिश्चितताओं को देखते हुए, एक अंतर-सरकारी समूह को मुक्त विचारों के साथ इस विषय पर फिर से विचार करने की आवश्यकता होगी।

### शेष रिपोर्ट की आयोजना

1.69 शेष रिपोर्ट की आयोजना इस प्रकार है। अध्याय 2 ("अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंध: अंतरराष्ट्रीय अनुभव से प्राप्त सीख") भारत के लिए सबक के साथ, संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों पर चर्चा करता है। अध्याय 3 ("संदर्भ अवधारणा: विगत का विश्लेषण") 2011-12 से 2020-21 के दौरान संघ और राज्यों के वित्त के साथ-साथ अंतर-सरकारी हस्तांतरणों की समीक्षा करता है। अध्याय 4 ("महामारी का दौर: भावी विश्लेषण (2021-26)") 2021-2026 के लिए संघ और राज्य सरकारों के वित्त का पूर्वानुमान प्रस्तुत करता है। अध्याय 5 ("संसाधन जुटाना") भारत के कर-अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रचालनिक और तात्कालिक नीतिगत परिवर्तनों पर चर्चा करता है। अध्याय 6 ("सहकारी संघवाद: इक्विटी एवं दक्षता के बीच संतुलन") ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हस्तांतरण पर अंतर्निहित सिद्धांतों और आयोग की प्रमुख अनुशंसाओं का विवरण प्रस्तुत करता है। अध्याय 7 ("स्थानीय शासनों का सशक्तीकरण") संसाधनों के संवर्धन तथा शहरी एवं स्थानीय निकायों के और अधिक सशक्तीकरण के उपाय प्रस्तावित करता है। अध्याय 8 ("आपदा जोखिम प्रबंधन") आपदा प्रबंधन के लिए निधियों के राज्यवार आबंटन की अनुशंसा करता है। अध्याय 9 ("वैश्विक महामारी और उसके बाद: स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकूलता") स्वास्थ्य सेक्टर के लिए प्रस्तावित अनुदानों पर चर्चा करता है। अध्याय 10 ("निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान") अन्य सेक्टरों के लिए राजस्व-घाटा अनुदान तथा निष्पादन-आधारित अनुदान विहित करता है। अध्याय 11 ("रक्षा और आंतरिक सुरक्षा") रक्षा सेक्टर के लिए संसाधन-पूल पर केंद्रित है। अध्याय 12 ("राजकोषीय समेकन की रूपरेखा") अगले पांच वर्षों के लिए संघ, राज्यों और



संयुक्त रूप में इन दोनों सरकारों के लिए अनुशंसित राजकोषीय रूपरेखा (रोडमैप) प्रस्तुत करता है। अंत में, अध्याय 13 ("इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए राजकोषीय व्यवस्था: राजकोषीय नियम, वित्तीय प्रबंधन और संस्थाएं") भारत की राजकोषीय संरचना को इक्कीसवीं सदी के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक तीन स्तंभों यथा - राजकोषीय नियम, लोक वित्त प्रबंधन और एक स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र की जरूरत - का विवरण देता है।

## निष्कर्ष

1.70 हमने विश्व-स्तर के भारतीय और विदेशों विशेषज्ञों, राज्य सरकारों, विभिन्न सेक्टरों के अग्रणी व्यक्तियों और भारत की सफलता में अन्य हितधारकों की सलाह और दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है और वह भी ऐसे दौर का सामना करते हुए जो किसी भी पूर्ववर्ती वित्त आयोग की तुलना में अधिक अस्थिरता वाला है। इन रिपोर्टों के दौरान, अभूतपूर्व समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने राष्ट्र की राजकोषीय संरचना के समायोजन पर अनुशंसाओं की एक श्रृंखला के साथ अपने टीओआर को पूरा किया है।

1.71 संक्षेप में, हमने ऋण और उधारी की पूर्वनिर्धारित उच्चतम सीमाओं में कुछ लचीलेपन का समावेश किया है, लेकिन हमने तर्क दिया है कि इस तरह का लचीलापन कड़ी बाध्यताओं के साथ हो और अतिरिक्त उधारियों का निवेश स्पष्ट तौर पर भावी विकास को नजर में रखकर किया जाए। हमने अनुदानों की एक ऐसी प्रणाली प्रस्तावित की है जो वर्तमान संकट में राज्यों की जरूरतों को पूरा करते हुए ऐसे निवेशों को सहयोग और प्रेरणा देने में मदद करती है। हमने एक ऐसी राजकोषीय संरचना के मुख्य स्तंभों की स्थापना की है जो भारत के संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से कर सकती है, लोक व्यय की गुणवत्ता बढ़ा सकती है और व्यापक आधार वाले अनुकूल विकास की संकल्पना को पूरा कर सकती है।

1.72 चूंकि इस आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक 'वित्त आयोग-कोविड के दौर में' है, अतः इसके मुख-पृष्ठ पर दिया गया ग्राफिक पैमाने के दोनों पक्षों, अर्थात् संघ और राज्यों को समान संतुलित रूप में दर्शाता है। ऐसा करते हुए, हम यह मानते हैं कि, "वित्त आयोग के अनुशंसित अंतरणों और विभिन्न योजनाओं में संघ के स्वैच्छिक अंतरणों के संयोजन के माध्यम से राज्य पहले से ही, सकल राजस्व प्राप्तियों का लगभग आधा प्राप्त कर रहे हैं।" इस व्यापक अर्थ में, संघ से वित्तीय हस्तांतरण की राज्यों की अपेक्षाओं को यथोचित तरीके से पूरा किया जा रहा है। इस आयोग का यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है कि हमारे दृष्टिकोण, परामर्शी प्रक्रिया और वित्तीय आबंटन तथा राजकोषीय प्रक्षेपवक्र के अनुसरण में लचीलेपन के संदर्भ में, इसकी अनुशंसाएं संघ और राज्यों के बीच समान रूप से संतुलन स्थापित करने के इस वांछनीय उद्देश्य को कुशलतापूर्वक पूरा करती हैं।

1.73 कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट एक अद्वितीय वैश्विक और घरेलू वृहत्त-आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) पृष्ठभूमि के बीच भारत के लिए एक जिम्मेदार, दक्षतापूर्ण, न्यायसंगत और समावेशी विकास की अवस्था प्राप्त कराने का प्रयास है। जैसाकि आइंस्टीन ने कहा है, "हर संकट के बीच एक अवसर निहित होता है।" यह आयोग अगली पीढ़ी की राजकोषीय संरचना और अंतर-सरकारी हस्तांतरणों की एक ऐसी प्रणाली की परिकल्पना करता है जिसके माध्यम से भारत तैयार, स्फूर्त रहते हुए इस अवसर का लाभ उठाने और भावी परिस्थितियों में आगे बढ़ने में समर्थ हो सके।

1.74 अंततः और महत्वपूर्ण, संघवाद का दर्शन, वैश्वसिक दायित्वों को आगे बढ़ाकर उन्हें संबंधों की उच्चता प्रदान करता है। संघीय साझेदारी में व्यापक संदर्भ को अंगीकार किया जाना चाहिए और ऐसे व्यापक तरीकों की खोज की जानी चाहिए जिनके द्वारा संघ और राज्य उभरती चुनौतियों से निपटते हुए और इस व्यापक दृष्टिकोण को केवल वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की औपचारिकता तक सीमित न करते हुए, राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, व्यावहारिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए मिलजुलकर कार्य कर सकें। आइंस्टीन ने एक अलग संदर्भ में कहा था कि, "प्रत्येक निर्र्थक चीज का एक अर्थ होता है परंतु यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक अर्थपूर्ण चीज सार्थक ही हो"। कहने का अभिप्राय है कि मायने उस संघ के हैं जो इस रूप में कार्य करे।

## अध्याय 2

# अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधः अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से प्राप्त सीख

इस अध्याय में वैश्विक पटल पर अंतर-सरकारी (*inter-governmental*) राजकोषीय संबंधों की समीक्षा की गई और अध्याय में एक ऐसा संदर्भ दिया गया है जिसके आधार पर यह निर्धारण किया गया कि भारत का राजकोषीय संघवाद कैसे विकसित हुआ है। हाल ही में कोविड-19 संकट के कारण राजकोषीय संघवाद में जो बदलाव आए हैं, उनसे राज्य सरकारों को अपने सामर्थ्य पर राजकोषीय लागतों और संकट के असममित (*asymmetric*) क्षेत्रीय प्रभाव से निपटने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा है।

वैश्विक रूप से, संसाधन की उपलब्धता लंबे समय से समकरण (*equalisation*) की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है, और अब कोविड संकट के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में आई तेजी से गिरावट के कारण सरकारी राजस्व पर संघात (*shock*) और भी अधिक बढ़ गया है। इस अध्याय में तुलनात्मक रूप से भारत के कम राजस्व अनुपात और इसे अन्य उभरती विकसित अर्थव्यवस्थाओं के करीब लाने की आवश्यकता की तुलना की गई है, जिससे विकास की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके।

भारत का ऊर्ध्वाधर (*vertical*) राजकोषीय अंतराल, जो राजस्व और व्यय विकेंद्रीकरण के बीच असंगतता को दर्शाता है, अन्य संघीय सरकारों के सापेक्ष अधिक रहा है और यह समय के साथ बढ़ता गया है। यह राज्य स्तर पर क्षैतिज (*horizontal*) राजकोषीय असंतुलन को भारत के राज्यों में तुलनात्मक रूप से उच्च विषमता के मद्देनजर, अंतरण का एक महत्वपूर्ण निर्धारक बना दिया है, जो अब कोविड संकट के तत्काल परिणामों का समाधान करने में राज्यों की बहुत ही भिन्न स्वास्थ्य क्षमता से स्पष्ट हो रहा है।

यद्यपि, क्षैतिज अंतरण में संघीय सरकारों (*federations*) द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में बहुत विविधता है, अधिकांश संघीय सरकारों ने प्रति व्यक्ति इक्वालाइजेशन निर्धारकों की पहचान करने के लिए

लागत या राजस्व इक्वालाइजेशन प्रणाली का प्रयोग किया है। इसके विपरीत, भारत की इक्वालाइजेशन प्रणाली ने एक मैक्रो-इंडिकेटर वाले दृष्टिकोण का उपयोग किया है। यह दृष्टिकोण, जिसकी आवश्यकता डेटा की सीमाओं के कारण पड़ी, अपनी ही कुछ विशिष्टताएं हैं जिसने अंतरण फार्मूला में मैक्रो संकेतकों में, आबादी स्तरों सहित राजस्व क्षमता और व्यय की आवश्यकता या लागत घटकों को संयोजित करना आवश्यक बना दिया है।

बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए फार्मूला-आधारित हस्तांतरणों के अतिरिक्त, देशों ने विवेकगत (*discretionary*), उद्देश्य-विशिष्ट हस्तांतरणों का भी उपयोग किया है, जैसा कि भारत ने भी किया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि ये हस्तांतरण तब अधिक प्रभावकारी और प्रगामी होते हैं, यदि वे इनपुट या प्रक्रिया-आधारित हस्तांतरण के बजाय बेहतर ढंग से आउटपुट या परिणाम-आधारित संकेतक के आधार पर अभिकल्पित किए गए हों, इसकी पुष्टि कोविड स्वास्थ्य संकट को दूर करने में राज्य सरकारों के प्रयासों के आकलन से और भी अधिक स्पष्ट हुई है। ये वे क्षेत्र हैं जिनके लिए इस वित्त आयोग ने अनुशंसाएं की हैं ताकि विशिष्ट हस्तांतरणों के आउटपुट प्रभाव में सुधार हो सके।

सार्वजनिक वित्त संकटों, जैसा कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सामना करना पड़ रहा है, के दौरान जवाबदेही और प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस संकट को सीमित करने के लिए, कई देशों ने मौजूदा संकट के विभिन्न क्षेत्रीय प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल सहायता देने और राजकोषीय संघवाद शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए शासन तथा राजकोषीय साधनों (टूल्स) का प्रयोग कर शीघ्रता से नए और नवप्रवर्तनशील समन्वय क्रियाविधियां (मेकेनिज्म) लागू की हैं।

इसके पश्चात, इस अध्याय में अन्य संघीय सरकारों में, सरकार के तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था पर दृष्टिपात किया गया है, जिससे एक प्रमुख सीख (*Lesson*) निकलकर आती है कि स्थानीय शासनों के अपने राजस्व स्रोतों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए ताकि वे शहरीकरण की बढ़ती जरूरतों, खास तौर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में पूरा किया जा सके, स्थानीय शासन के वित्तों को एक ठोस पटल पर खड़े कर सकें और आर्थिक जोखिमों (*moral hazards*) को सीमित कर सकें। इसके साथ-साथ, बाजार से उधार लेने का लाभ प्राप्त करने हेतु एक ऐसे ढांचे (*framework*) की आवश्यकता है जिसके लिए स्थानीय सरकार के वित्तपोषण के बारे में बाजार से विश्वसनीय और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध होना महत्वपूर्ण है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए इस वित्त आयोग ने नई अनुशंसाएं की हैं।

## राजकोषीय संघवाद में प्रवृत्तियां (trends)

2.1 वैश्विक परिदृश्य में अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों का डिजाइन आमतौर पर राजनीतिक और आर्थिक विचारों पर निर्भर रहता है। इसलिए, इसकी जटिलता संसाधन उपलब्धता और व्यक्तिगत देशों के संविधानों— कई मामलों में (भारत सहित) के आधार पर कराधान, व्यय करने के लिए निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों (spending assignments) और संस्थागत व्यवस्थाओं को शासित करने वाले सामान्य विकेंद्रीकरण फ्रेमवर्क पर आधारित होती है। पिछले कुछ समय से, अंतर-सरकारी संबंधों में संस्थागत निरंतरता देखी गई है, हालांकि बहिर्जात संघातों (exogenous shocks) (जैसे कि अब कोविड-19 संकट से महसूस किए जा रहे हैं) के कारण संस्थागत और नीतिगत परिवर्तन किए जाते हैं। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से सामान्य सिद्धांत और सीखें प्राप्त की जा सकती हैं, जो आकलन करने हेतु एक ऐसा उपयोगी संदर्भ (context) उपलब्ध कराते हैं कि भारत का राजकोषीय संघवाद कैसे विकसित हुआ है और उसने स्वास्थ्य, शिक्षा और भौतिक बुनियादी ढांचे में अति आवश्यक निवेशों को ध्यान में रखते हुए इक्वालाइजेशन के उद्देश्यों को कैसे हासिल किया है तथा आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय असमानता पर बहुआयामी प्रभावों से कैसे निपटा है। इस कार्य में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ इस आयोग की बैठकों और प्रस्तुतियों ने काफी सहायता प्रदान की है।

2.2 हाल के समय में राज्य सरकारों के प्रति व्यय और राजस्व के वितरण में बदलाव की प्रवृत्ति सहित राजकोषीय विकेंद्रीकरण की एक क्रमिक प्रक्रिया देखी गई है। राज्यों और अन्य स्थानीय निकायों को करों के साझाकरण के बढ़ते ऊर्ध्वाधर अंतरण में ऐसा दिखता है। हालांकि, आर्थिक मंदी, वित्तीय संघातों और वैश्विक महामारी जैसे व्यापक संकटों से उत्पन्न निर्णायक परिस्थितियों के दौरान अंतर-सरकारी संबंधों में परिवर्तनकारी बदलाव आने के परिणामस्वरूप राजकोषीय संबंधों में, जैसे कि महामंदी के दौरान, अधिकाधिक केंद्रीकरण हुआ है। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में मुख्य रूप से केंद्र द्वारा वित्तपोषित बड़े प्रोत्साहन पैकेजों के कार्यान्वयन (हालांकि आमतौर पर स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित) में संघीय संबंधों पर एक केंद्रीकरण प्रभाव दिखाई दिया।<sup>1</sup> वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने में केंद्र सरकार की नीति में आम तौर पर अंतर-सरकारी अनुदानों और हस्तांतरणों में अधिक शर्तें रखी गई थीं और उसके साथ राजकोषीय इक्वालाइजेशन के लिए राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उधार और व्यय पर नियमों को सख्त बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्यों के स्तर पर नीति निर्माण और राजकोषीय-वित्तीय प्रबंधन में स्वायत्तता कम हो गई।

<sup>1</sup> तथापि, स्टिमुलस पैकेज गंभीर परिस्थितियों के दौरान राज्यों और नगरपालिकाओं के राजस्व में शॉर्टफाल को पूरा करने की दृष्टि से आमतौर पर प्रभावकारी नहीं रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, 2008-09 की मंदी के दौरान, संघीय सरकार ने अमेरिकन रिकवरी एण्ड रिइनवेस्टमेंट एक्ट के माध्यम से राज्यों को सहायता का संवितरण किया, किंतु यह शॉर्टफाल को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मौजूदा महामारी के दौरान फिर से ऐसा होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों द्वारा विरोधाभासी नीतियां बनाई गईं और सामाजिक सहायता के क्षेत्र प्रभावित हुए।

2.3 कोविड-19 संकट उन आर्थिक और वित्तीय संकटों से अलग है जिनका वैश्विक अर्थव्यवस्था ने पहले सामना किया है। हालांकि, परिणामी मंदी के व्यापकता और गति, और सभी क्षेत्रों एवं नगरपालिकाओं पर पड़े अलग-अलग प्रभावों की आधुनिक युग में कोई उदाहरण नहीं हैं, परंतु ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई किसी भी मंदी से काफी बदतर हैं। अपने आरंभिक चरणों में, स्वास्थ्य संकट का प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य परिचर्या के लिए संसाधनों को बढ़ावा देना और सामाजिक दूरी (social distancing) से प्रभावित लोगों और फर्मों को आपातकालीन उपचार प्रदान करना है। स्वास्थ्य संकट और सामाजिक दूरी के उपायों में शिथिलता आने से यह उद्देश्य आर्थिक बहाली के लिए प्रोत्साहन (स्टिमुलस) एवं सहायता देने, यह उद्देश्य आर्थिक प्रोत्साहन व सहायता देने में परिवर्तित हो रहा रहा है, संवृद्धि दर को उर्ध्वगामी बना कर अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाकर अपेक्षित राजस्वों को यत्नपूर्वक सुनिश्चित कर संतुलित राजकोषीय स्थायित्व को फिर से प्राप्त किया जा सके। यह मानते हुए कि राज्य और निकाय मौजूदा संकट की अग्रिम पंक्ति में हैं, और संकट से अत्यधिक प्रभावित सामाजिक सुरक्षा और अन्य सार्वजनिक व्यवस्था सेवाओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं, राज्य सरकारों के वित्तों पर इस महामारी के संघात ने आर्थिक बोझों को कई गुना बढ़ा दिया है।


2.4 इस प्रकार राज्य सरकारों के राजस्वों में भारी गिरावट (आर्थिक चक्रों से संबद्ध कर आधारों तथा व्यापार और व्यक्तियों पर प्रभाव को रोकने से संबंधित कर नीति निर्णयों के कारण) और महत्वपूर्ण क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्रों में खर्च के बढ़ते दबाव के कारण "कटौती" प्रभाव का सामना करना पड़ा है। राज्य सरकारों द्वारा कर्ज लेने पर नियंत्रण और राजकोषीय नियमों ने इन प्रभावों को और भी जटिल बना दिया है। चूंकि संघीय राजकोषीय क्षमता और स्थिरता अन्य स्तर के शासनों से काफी अधिक है, इसलिए वैश्विक स्तर पर केंद्र-आधारित अभूतपूर्व राजकोषीय और मौद्रिक सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा मिला है।

2.5 केंद्रीय राजकोषीय साधनों (टूल्स) ने सभी देशों में अलग-अलग रूपों में, अर्थात् भिन्न बजटीय और देनदारी/debt-संबंधित प्रभावों के साथ प्राथमिक भूमिका निभाई है। पचास से अधिक देशों के प्रतिनिधिक प्रतिदर्श (representative sample) से यह पता चलता है कि समस्त वैश्विक राजकोषीय सहायता को ठोस उपायों (above-the-line measures) (जिनका करों और नकद हस्तांतरणों के स्थगन सहित राजस्व एवं व्यय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है) और सामान्य उपायों (below-the-line support) (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र कर्ज, पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सहायता और सरकारी गारंटियां शामिल हैं) के बीच लगभग समान रूप में विभाजित किया गया है। कुल मिलाकर, इनसे राज्य सरकारों को बढ़ते राजस्व गिरावट को रोकने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर पर, उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था ने विकसित देशों की तुलना में सीमित राजकोषीय सहायता प्रदान की है, क्योंकि इसके पीछे कुछ हद तक उनके पास राजकोषीय गुंजाइश (fiscal space) सीमित है। वैश्विक



सार्वजनिक देनदारी (debt), उच्चतम ऐतिहासिक स्तर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उच्चतम स्तरों के पश्चात वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 100 प्रतिशत से अधिक हो गई है, (चित्र 2.1)।

चित्र 2.1 : बढ़ती वैश्विक लोक देनदारी



2.6 राजकोषीय टूल्स के साथ-साथ केंद्रीय बैंकों द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अपनी मौद्रिक नीति, उधार देने, तरलता सहायता और अपनी जिम्मेदारियों से परे नियामक भूमिकाओं के विस्तार के लिए अपनी बैलेंस शीटों के राजकोषीय भाग का उपयोग करते हुए राज्यों और स्थानीय शासनों को तरलता सहायता प्रदान करने और उनकी देनदारी को चुकाने, सेकेंडरी बाजार से कारपोरेट बॉन्ड (और अधिक ब्याज वाले यानी जंक बॉन्ड) खरीदने में सहायता प्रदान कर रहे हैं और तरलता एवं कर्ज के वर्गीकरण पर बैंक विनियामक प्रतिबंधों में ढील दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा दी गई अभूतपूर्व सहायता उभरते बाजारों में मौद्रिक सुगमता तथा और कई मामलों में पहली बार अपरंपरागत नीतियों के उपयोग से समस्त क्षेत्रों में मौद्रिक नीति काफी लाभकारी बन गई है।

2.7 महामारी के दौरान संकट के अत्यधिक विषम क्षेत्रीय प्रभाव (जो क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ा सकता है) से निपटने में जिम्मेदारियों को केंद्रीकृत करने की आवश्यकताओं के बीच तनाव बढ़ता है। विशेष रूप से यह आशंका बनी रहती है कि क्या ऐसे भी जोखिम हैं कि संकट के कारण राजकोषीय संघवाद में संस्थागत परिवर्तन होगा जिनसे कोविड-पश्चात अवधि में अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों में अधिकाधिक केंद्रीकरण होगा, जब राजकोषीय समेकन को पुनःप्राथमिकता दिए जाने की संभावना हो सकती है, जैसा वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हुआ था? केंद्रीकरण का ज्यादा झुकाव, असमानताओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर राज्य सरकारों के स्तरों पर बढ़ते खर्च की आवश्यकता के

प्रतिकूल हो सकता है। अतः, जोखिम यह है कि मौजूदा कोविड संकट के दौरान राज्य सरकारों द्वारा असामयिक, पूर्व-चक्रिक राजकोषीय कड़ाई से आर्थिक विकास बाधित हो सकता है, और विशेष रूप से निम्न-आय वाले परिवारों एवं बेरोजगारों के लिए यह विघटनकारी हो सकता है, जिसके कारण आय में असमानताओं की खाई भी बढ़ सकती है।

2.8 इन तनावों को सीमित करने के लिए, कई देशों ने मौजूदा संकट के विभिन्न क्षेत्रीय प्रभावों- विशेष रूप से सरकारों के विभिन्न स्तरों पर अनेक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता देने, और सरकारों के विभिन्न स्तरों पर असंबद्ध जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपेक्षित सहायता देने हेतु शासन और राजकोषीय टूल्स सहित नए और नवप्रवर्तनशील समन्वय क्रियाविधियों को लागू किया है। लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों में पहले से मौजूद कमजोरियों और अड़चनों को दूर करने और वित्तीय पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बेहतर रिपोर्टिंग क्रियाविधि स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो बजट के आबंटन के पुनः विनियोजन और कोविड संकट के ज्यादा प्रभावित हुए क्षेत्रों के लिए निधियों के पुनः आबंटन में तेजी लाने में मदद करेंगे। लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों की अनुकूलनीयता और जवाबदेही में सुधार लाए बिना संसाधनों के अनुपयुक्त एवं अदक्षतापूर्ण उपयोग किए जाने से अर्थव्यवस्था को कोविड संकट के प्रभावों से और अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

2.9 ये सभी उपाय शासनों के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आदान-प्रदान करने वाले प्लेटफार्मों के साथ अंतर-प्रादेशिक आयोगों की स्थापना से संबंधित हैं। कई जी-20 देशों में, ये उपाय स्थायी संस्थागत सुविधाओं के अतिरिक्त हैं जो पहले ही उनके अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों में मौजूद हैं।<sup>1</sup> उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया में, एक अंतर-सरकारी निकाय ("राष्ट्रीय मंत्रिमंडल") जिसमें प्रधानमंत्री और राज्य प्रीमियर शामिल हैं, का गठन किया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सतत स्वास्थ्य और संकट के प्रति राजकोषीय नीति पहलों पर साप्ताहिक आधार पर बैठक करता है। यूरोप में, आमतौर पर देशों ने संकट के प्रबंध हेतु राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच कार्यबलों का गठन किया है। कई देशों ने राजकोषीय नियमों को स्थगित करने, राज्य विनियामक ढांचों/फ्रेमवर्क में लचीलापन बढ़ाने, और राज्यों एवं नगरपालिकाओं को अनुदान के माध्यम से स्थानीय वित्तपोषण में सहायता देने के लिए (कुछ मामलों में श्रेष्ठ नीति वित्तपोषण द्वारा) "आपातकालीन विधेयक" भी पारित किए हैं।

2.10 तथापि, यह पहले ही स्पष्ट है कि राज्य शासनों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में आम तौर पर ये उपाय कम रहेंगे। इस बारे में सरकारों के विभिन्न स्तरों पर काफी कुछ निर्भर करता है कि कोविड संकट के चलते उनके पास संसाधनों का अभाव कितना है, जो उनकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को काफी


<sup>1</sup> भारत के विपरीत, कई देशों में अपने संस्थागत राजकोषीय प्रबंधों के ढांचे में स्थानीय निकाय थे। इनमें से, आस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल अनुदान आयोग और इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको में स्थायी कर्मचारी थे।



हद तक प्रभावित कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि देशों को 2020 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उनके औसत कर में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसा राज्य और स्थानीय निकायों पर वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा है। कर उछाल अनुमानों से पता चलता है कि आर्थिक उत्पादन की तुलना में कर राजस्व अधिक संकुचित हो सकता है। इसके दीर्घकालिक प्रभाव होंगे- 2008-09 के वित्तीय संकट के बाद, कई देशों को संकट-पूर्व राजस्व स्तर को बहाल करने में औसतन आठ साल लग गए थे। इससे सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में प्रगति और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बन जाती है।

## संसाधन उपलब्धता

2.11 कोविड-19 से काफी पहले, राज्य सरकारों के स्तरों पर व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्धता हेतु निधियां जुटाना कई संघ सरकारों के लिए निरंतर चुनौती रही थी। हालांकि कई उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और कम आय वाले देशों में कर राजस्व समय के साथ बढ़ता रहा है, किंतु जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का संघ व राज्य सरकारों का कुल राजस्व ब्रिक्स<sup>3</sup> देशों में सबसे कम, ओईसीडी औसत से काफी न्यून है, और आय एवं संपत्ति कर का भुगतान करने वाले आबादी के बहुत छोटे अनुपात के चलते इसका पुनर्वितरणीय प्रभाव बहुत कम है। (चित्र 2.2)



<sup>3</sup> ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका

2.12 2018-19 में भारत में संघ और राज्यों का कर राजस्व जीडीपी के लगभग 17 प्रतिशत था और 90 के दशक के आरंभ से यह ज्यादातर स्थिर रहा था, किंतु अब कोविड संकट के दौरान यह दबाव में आ रहा है। इसके साथ-साथ, संघ सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किए गए उपकर और अधिभार समय के साथ बढ़े हैं, जो सकल राजस्व के लगभग 15 प्रतिशत हैं, जिसके कारण विभाज्य पूल से राज्यों को हस्तांतरण योग्य संघीय राजस्व के अनुपात में कमी आई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, मैक्रो-इकोनोमिक और पुनर्वितरणीय, दोनों दृष्टिकोणों से विशेष रूप से राज्य स्तर पर भारत के कर अनुपात को बढ़ाना आवश्यक है। राजकोषीय गुंजाइश (space) के सुदृढ़ीकरण, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समावेशी वृद्धि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है।

2.13 भारत की तुलना में, अन्य उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अप्रयुक्त राजस्व की संभाव्यता या कर क्षमता के सापेक्ष अंतर से कर राजस्व में वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से यह पुष्टि होती है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में कर राजस्व (प्रति वर्ष अनुभवों से यह पुष्टि होती है कि उभरती हुई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कर राजस्व (प्रति वर्ष जीडीपी के 05 प्रतिशत) में उल्लेखनीय वृद्धि अपेक्षाकृत कम समय-लगभग तीन वर्ष में की जा सकती है। तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि वृद्धि को ऐसे कम प्रभावकारी एवं अधिक प्रभावकारी करों के माध्यम से प्राप्त किया जाए, जो प्रगतिशीलता को बढ़ाएं और बाजार में निश्चितता लाएं। विशेष रूप से, मौजूदा महामारी ने दीर्घकालिक कर क्षमता का निर्माण करके अनिवार्यता और मौजूदा संकट के बाद राजस्व जुटाने की अनिवार्यता को बढ़ा दिया है।

2.14 कर राजस्व में बढ़ोत्तरी के पचपन प्रकरणों के अनुभव के आधार पर, सुधार पैटर्नों से निम्नलिखित मुख्य सीखें प्राप्त की गई हैं, जिन्होंने अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में इस प्रकार की वृद्धि लाने और उसे कायम रखने में सहायता प्रदान की है:<sup>4</sup>

- (i) कर नीति परिवर्तनों के समानांतर राजस्व प्रबंधन में सुधार लाना।
- (ii) कर छूटों को कम कर और कर-अनुपालन में सुधार लाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के आधार को व्यापक बनाना।
- (iii) मूल्य-वर्धित कर के माध्यम से, गरीबों पर अधिक भार डाले बिना, उल्लेखनीय राजस्व प्राप्ति के मुख्य वाहकों के तौर पर सरलीकरण और अधिक कार्यक्षमता के साथ, अप्रत्यक्ष कराधान पर ध्यान केंद्रित करना।
- (iv) प्रमुख अनुपालन क्षेत्रों में जोखिम-आधारित लेखापरीक्षाओं, फाइलिंग और रिपोर्टिंग सहित प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से राजस्व वृद्धि वाले प्रकरणों को कायम रखना।

<sup>4</sup> इन अनुभवों का सारांश उभरते बाजारों और कम आय वाले देशों में राजस्व जुटाना एपिसोड: एक नए डेटासेट से सीखें, आईएमएफ, वर्किंग पेपर्स, डब्ल्यू एफ पी/18/234, नवंबर 2018 में दिया गया है।


(v) संपत्ति के अधिकारों को बेहतर रूप से परिभाषित कर और नगरपालिकाओं को और अधिक सशक्त कर, स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति करों से राजस्व जुटाना, जैसा कि उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से किया जा रहा है।

2.15 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पुष्टि होती है कि व्यापक कर सुधारों को गरीबों पर अधिक, और राजनीतिक रूप से संवेदनशील, कर थोपे बिना कार्यान्वित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि संरचना में अधिक सकारात्मकता के साथ ऐसा किया जाए। मूल्य-वर्धित करों की दिशा में सामान्य वैश्विक बदलाव की निरंतरता में, भारत में उल्लेखनीय माल एवं सेवा कर ( जीएसटी ) को लागू करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इस बात की ओर भी इशारा करता है कि गरीबों पर बोझ डाले बिना, जीएसटी कर संरचना को सरल बनाने और उसके तहत दी जा रही छूटों को तर्कसंगत बनाने के प्रयासों को जारी रखते हुए उसकी सकारात्मकता एवं स्वीकार्यता को बढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इस बात की ओर इशारा करता है कि संपत्ति, निजी आय और कॉर्पोरेट करों में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिससे जीएसटी सुधार के साथ आर्थिक विकास और स्थानीय निकायों को स्थानीय आवश्यकताओं का बेहतर तरीके से समाधान करने में सशक्त बनाने के लिए प्रश्रय प्राप्त हो सके। भारत में कॉर्पोरेट कर की दर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए हाल ही के कदम से व्यापार के विकास की बाधाओं को दूर करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सुधारों का दृष्टिकोण शासन के तीनों स्तरों पर कर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए समानांतर उपायों के साथ कर आधार बढ़ाने और कर की दर कम करने पर होना चाहिए।

## ऊर्ध्वाधर राजकोषीय अंतर

2.16 ऊर्ध्वाधर राजकोषीय अंतर से तात्पर्य है राज्य शासनों के स्वयं के व्यय के सापेक्ष स्वयं के राजस्व में कमी आना (चित्र 2.3)। व्यय और राजस्व विकेंद्रीकरण के बीच यह भिन्नता सभी देशों में है और यह राजस्व विकेंद्रीकरण की सीमा से काफी संबद्ध है जो कई देशों में राज्य सरकारों की बढ़ती राजस्व क्षमता को आंशिक रूप से परिलक्षित करते हुए आमतौर पर समय के साथ बढ़ा है। हालांकि ओईसीडी में औसत ऊर्ध्वाधर अंतराल 40 प्रतिशत के आसपास रहा है, परंतु महत्वपूर्ण विचलन औसत से काफी अधिक रहा है। यानी 6 प्रतिशत से 82 प्रतिशत के बीच। औसतन रूप से, एकल केंद्र सरकार वाले देश (Unitary country) की तुलना में संघीय सरकारों में ऊर्ध्वाधर अंतराल कम है, जो संघीय सरकार में राज्य-स्तरीय सरकारों की सामान्य रूप से अधिक राजस्व जुटाने की क्षमता को दर्शाता है।

चित्र 2.3: ऊर्ध्वाधर वित्तीय असंतुलन



2.17 तथापि, भारत में अधिकांश संघीय सरकारों की तुलना में विशाल (और बढ़ता) ऊर्ध्वाधर अंतराल है, जो इस वास्तविकता को दर्शाता है कि कई राज्य अपने व्यय का वित्तपोषण करने के लिए स्वयं कर राजस्व के बजाय संघ से हस्तांतरण पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। यह संघ और राज्यों के बीच व्यय और राजस्व शक्तियों के प्रभावकारी दायित्वों से उत्पन्न बड़े ऊर्ध्वाधर असंतुलन को दर्शाता है। सामान्यतः, ऊर्ध्वाधर अंतराल (जिससे ऊर्ध्वाधर असंतुलन बढ़ता है) को पूरा करने में अक्षमता गैर-वित्तपोषित व्यय अधिदेशों, सार्वजनिक सेवाओं के अपर्याप्त प्रावधान (दोनों ही राज्य स्तर पर) या स्थानीय शासन द्वारा जरूरत से लिए गए उधारों में परिलक्षित होती है। ऐसे असंतुलन संकट के दौरान कई गुना बढ़ जाते हैं, जिनसे सरकारों के राजस्व और व्यय की जिम्मेदारियों के बीच अंतर गहरा जाता है। जैसा हम कोविड संकट के दौरान देख रहे हैं। हाल के वर्षों में, कई राज्यों में बढ़ते राजकोषीय घाटे, संघ से अधिक कर अंतरण के बावजूद, बढ़ते ऊर्ध्वाधर असंतुलन का प्रमुख संकेतक रहे हैं, जो राज्यों को उनकी व्यय की आवश्यकताओं और राजस्व जुटाने की क्षमता के सापेक्ष अपर्याप्त हस्तांतरणों को परिलक्षित करते हैं।

## क्षैतिज राजकोषीय अंतर और इक्वालाइजेशन अंतरण प्रणाली

2.18 राज्य शासनों के स्तर पर क्षैतिज अंतराल राज्यों के बीच विषमता को दर्शाता है। राज्यों के बीच उनकी राजस्व क्षमताओं और सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान किए जाने वाले व्यय में अंतर से उनके क्षेत्राधिकारों के बीच क्षैतिज राजकोषीय अंतराल कम करने की जरूरत पड़ती है जिसकी पूर्ति इक्वालाइजेशन हस्तांतरण प्रणाली द्वारा करने की आवश्यकता है, जो क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन को प्रायः कम करने की कोशिश करती है।


2.19 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव ने इक्वालाइजेशन हस्तांतरण प्रणाली को परिभाषित करने के दृष्टिकोणों की विविधता की पुष्टि की है।<sup>5</sup> इक्वालाइजेशन हस्तांतरण प्रणाली का सामान्य अंतर्निहित सिद्धांत है दीर्घकालीन क्षेत्रीय राजकोषीय संघातों से सुरक्षित रहने की सुनिश्चिता के साथ संघीय सरकार से राज्यों को उनकी आकलित राजकोषीय क्षमता के अनुसार हस्तांतरण उपलब्ध कराना। सुनियोजित इक्वालाइजेशन प्रणालियां, यथासंभव, आर्थिक खतरों की जटिलताओं को सीमित करती है, जो इक्वालाइजेशन प्रणाली द्वारा हस्तांतरणों को प्रभावित करने हेतु राज्यों द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने पर उत्पन्न हो सकते हैं। इक्वालाइजेशन हस्तांतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धति है फार्मूला-आधारित, विवेकशील बदलाव, जो अल्पकालिक राजनीतिक उद्देश्यों की दिशा में हो सकते हैं क्योंकि बुनियादी ढांचे के लिए किए गए हस्तांतरणों को सामान्यतया विवेकाधीन एवं सशर्त भुगतानों द्वारा अलग-अलग रूप से प्रबंध किया जाता है। भारत की इक्वालाइजेशन प्रणालियों ने इस दृष्टिकोण का पालन किया है, जिसके अनुसार वित्त आयोग के अंतरण काफी हद तक शर्त रहित, फार्मूला-आधारित और पांच वर्षों के लिए पूर्वानुमेय होते हैं।

2.20 फार्मूला-आधारित अंतरणों के लिए राजकोषीय क्षमता का आकलन करने के लिए तीन व्यापक दृष्टिकोण हैं: (क) सार्वजनिक सेवाओं की जरूरतों/लागतों के आधार पर व्यय इक्वालाइजेशन; (ख) एक या उससे अधिक स्रोतों से राजस्व जुटाने की क्षमता द्वारा आकलित राजस्व इक्वालाइजेशन; और (ग) अनुमानित राजकोषीय क्षमता को दर्शाने वाले व्यापक आर्थिक या गैर-आर्थिक संकेतकों सहित मैक्रो-संकेतक, जो राजकोषीय क्षमता का अनुमान लगाते हैं, जहां डेटा की बाधाओं से अन्य दृष्टिकोणों को अपनाना कठिन हो जाता है। संघीय सरकारों द्वारा अपनाई गई प्रणालियां काफी हद तक आकलन की समस्याओं और अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियों और नीतियों से प्रभावित हुई हैं। उदाहरण के लिए, राज्य करों का आधार काफी विषम होने पर राजस्व इक्वालाइजेशन का कार्यान्वयन करना कठिन होगा और व्यय का पूर्ण इक्वालाइजेशन विभिन्न राज्य-वार कारकों पर निर्भर रहेगा तथा अनुमान लगाने में कठिनाई होगी। राजस्व या व्यय इक्वालाइजेशन के लिए लगभग समरूप रीतियां (practices) अपनाई जा रही हैं, यद्यपि

<sup>5</sup> फोरमैन, के., एस. डफर्टी और एच. ब्लॉकलिंगर (2020), "राजकोषीय संघवाद में अच्छी रीतियों/प्रेक्टिसिस का संकलन: कट्टी सर्वे के 15 वर्षों के सर्वेक्षणों से मुख्य अनुशासक", ओईसीडी आर्थिक नीति शोधपत्र, सं. 28, ओईसीडी पब्लिशिंग, पेरिस, <https://doi.org/10.1787/89cd0319-en>.

संघीय सरकारों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों के साथ उनकी प्रभावशीलता के आकलन में काफी विविधता है। अनुभव से यह प्रमुख सीख मिली है कि अपनाए गए दृष्टिकोण की जटिलता से आर्थिक खतरों का जोखिम बढ़ सकता है, पारदर्शिता में कमी आ सकती है और सार्वजनिक समर्थन कम हो सकता है।

चित्र 2.4: इक्वालाइजेशन प्रणालियों की तुलना



स्रोत: ओईसीडी राजकोषीय नेटवर्क अनुमान

2.21 चित्र 2.4 में इक्वालाइजेशन व्यवस्थाओं का पैटर्न दर्शाया गया है जो देशों के भीतर और उनके बीच विकसित हुए हैं।<sup>6</sup> राजकोषीय इक्वालाइजेशन प्रणालियों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रणालियों, और उन प्रणालियों में विभाजित किया जा सकता है जो राजस्व अंतरों और लागत अंतरों को समतुल्य बनाती है। क्षैतिज अक्षरेखा (horizontal axis), लागत बनाम राजस्व इक्वालाइजेशन आयामों (यह जितना बायीं ओर होता है, उतनी ही अधिक 'लागत-उन्मुख' प्रणाली होती है, जो सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने की लागत में अंतरों को घटाती है) को दर्शाता है और ऊर्ध्वाधर अक्षरेखा कुल इक्वालाइजेशन से क्षैतिज इक्वालाइजेशन के प्रतिशत (जितना अधिक मूल्य होगा, उतनी अधिक क्षैतिज प्रणाली प्रभावकारी होगी) को दर्शाता है। अधिकांश प्रणालियां क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, और राजस्व एवं लागत इक्वालाइजेशन प्रणालियों का मिश्रण है:

- (i) अधिकांश ओईसीडी देशों में, इक्वालाइजेशन प्रणालियां कानून द्वारा स्थापित हैं और समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए, कनाडा और जर्मनी में, इक्वालाइजेशन को संविधान में स्थान दिया गया है।

<sup>6</sup> चित्र 2.4 में आंकड़े ओईसीडी द्वारा भेजी गई प्रश्नावलियों और ओईसीडी में संकलित उनकी प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हैं, राजकोषीय संघवाद 2014: विकेंद्रीकरण को प्रभावकारी बनाना।

(ii) कुछ प्रणालियां (जैसे स्पेन और मैक्सिको में) मुख्यतया ऊर्ध्वाधर और लागत-समकारी (cost equalising) हैं, जबकि स्वीडन का झुकाव क्षैतिज और राजस्व इक्वालाइजेशन की ओर है, किंतु अधिकांश देश दोनों अक्षों के बीच की इक्वालाइजेशन प्रणालियों को अपनाते हैं।

(iii) कनाडा का इक्वालाइजेशन सिद्धांत प्रतिनिधि कर प्रणाली (आरटीएस) दृष्टिकोण अपनाते हुए राजस्व जुटाने की किसी राज्य की क्षमता पर राजकोषीय क्षमता का आकलन करता है।<sup>7</sup> इक्वालाइजेशन भुगतान मात्र औसत से काफी कम राजस्व जुटाने की क्षमता वाले प्रांतों पर ही किए जाते हैं।

(iv) आस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड राजस्व एवं व्यय दोनों का समतुलन करते हैं। आस्ट्रेलिया में, सभी जीएसटी राजस्व केंद्र सरकार द्वारा संग्रह किए जाते हैं और राजस्व एवं व्यय दोनों के इक्वालाइजेशन के आधार पर प्रत्येक राज्य की इक्वालाइजेशन हकदारी के अनुसार राज्यों को अंतरित किए जाते हैं। राजस्व इक्वालाइजेशन में आरटीएस दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाता है, और व्यय इक्वालाइजेशन में आस्ट्रेलियाई अनुदान आयोग द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं और लागतों दोनों का प्रयोग किया जाता है।

(v) जर्मनी आंशिक तौर पर राजस्व क्षमताओं का समतुलन करता है और विशेष आवश्यकताओं को मैक्रो संकेतकों का प्रयोग करते हुए इसकी अनुपूर्ति करता है।

(vi) दक्षिण अफ्रीका में, वित्तीय और राजकोष आयोग (संविधान द्वारा अधिदेशित एक सलाहकार निकाय) व्यय आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए आधार के तौर पर चुनिंदा सार्वजनिक सेवाओं की मानक लागतों का आकलन करता है और उनके प्रयोग की अनुशंसा करता है, किंतु देश का वित्त मंत्रालय अब भी मुख्य रूप से मैक्रो-आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करता है।

2.22 भारत के इक्वालाइजेशन में कुछ विशिष्ट कारकों वाले मैक्रो-संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है जिसमें राजस्व क्षमता और व्यय जरूरत या लागत के घटकों को शामिल करने की अपेक्षा की गई है:

(I) इक्वालाइजेशन, पूर्वनिर्धारित आकार के साझायोग्य पूल से संघ-राज्य हस्तांतरणों पर लागू होता है। यह विभाज्य पूल सकल राजस्व से छोटा होता है और इसमें परिभाषित उपकर, अधिभार एवं गैर-कर राजस्व शामिल नहीं होते हैं, न ही इसमें राज्य व्यय कार्यक्रमों की सहायता के लिए वित्त आयोग (या अन्य संघीय स्रोत) द्वारा सशर्त हस्तांतरण शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, 2015-16 में, राज्यों के राजस्व का लगभग 32.6 प्रतिशत संघीय हस्तांतरणों से, इक्वालाइजेशन के

<sup>7</sup> इस दृष्टिकोण के तहत, राज्यों की इक्वालाइजेशन हकदारियां राजस्व की उस राशि पर आधारित हैं जो राज्यों में लागू कर आधारों पर एक कॉमन कर लागू करके जुटाई जाती हैं।



अध्यधीन था।<sup>8</sup> शेष 67.4 प्रतिशत स्वयं के राजस्व और विशिष्ट अंतरणों से था, इनमें किसी को भी समतुलित नहीं किया गया था।

(ii) यद्यपि कुछ ओईसीडी संघीय सरकारों में प्रयुक्त राजस्व और व्यय इक्वालाइजेशन प्रणालियों की तुलना में इसे लागू करना अधिक सरल है, परंतु भारत की इक्वालाइजेशन पद्धति में राज्य की राजकोषीय क्षमताएं प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित नहीं की जाती हैं। सामान्यतया, यह पांच मैक्रो-संकेतकों पर आधारित रही है, जिसमें प्रत्येक मैक्रो-संकेतक का फार्मूला में अपना ही भारांक होता है, जो राज्य की जरूरतों और राजस्व जुटाने की क्षमता के अनुमानों को दर्शाते हैं। प्रयुक्त संकेतकों में, राज्य की प्रति व्यक्ति आय राजस्व क्षमता के लिए एक प्रतिनिधित्व (प्रॉक्सी) है, जबकि आबादी और क्षेत्र संबंधित राज्य की आवश्यकताएं तथा वन आवरण अनुमान व्यय लागते हैं।

(iii) चूंकि जीएसटी राजस्व का इक्वालाइजेशन नहीं किया गया है, उनसे राज्यों के बीच राजस्व जुटाने की क्षमता के बारे में मतभेद होना तय है। इसके विपरीत, पहले पांच वर्षों के लिए, संक्रमणकालीन उपाय के तौर पर, जीएसटी राजस्व की गारंटी दी गई है, इस दृष्टिकोण में आरटीएस दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए उनका इक्वालाइजेशन शामिल नहीं है। यह आस्ट्रेलिया के उदाहरण के विपरीत है, जहां सभी जीएसटी राजस्व के एक संयुक्त राजस्व और व्यय इक्वालाइजेशन दृष्टिकोण के अनुसार राज्यों के बीच आबंटित किया जाता है। भारत में, राज्यों के जीएसटी राजस्व गंतव्य (डेस्टिनेशन) या उद्गम (ओरिजिन) के सिद्धांत के आधार पर आबंटित किए जाते हैं।

(iv) भारतीय प्रणाली में इक्वालाइजेशन हस्तांतरण सामान्य तौर पर आबादी के अनुपात से परे होते हैं (जो मैक्रो-आधारित दृष्टिकोण के प्रयोग को दर्शाते हैं जिसमें आबादी भारांक का लगभग एक-तिहाई होती है)। यह इस दृष्टि से असंगत है कि सार्वजनिक सेवाओं की लागत आबादी के समानुपात में बढ़ती है। यह इस दृष्टि से भी विपरीत है जिसमें राजस्व-क्षमता और व्यय-आवश्यकताओं के इक्वालाइजेशन को संघीय सरकारों में अन्यत्र कार्यान्वित किया जाता है, जहां आमतौर पर हकदारियों का परिकलन प्रति व्यक्ति आधार पर किया जाता है, ताकि कुल हकदारियां आबादी के समानुपात में ही हों।

(v) दूसरी चिंता है इक्वालाइजेशन फार्मूला में मैक्रो-संकेतकों के रूप में सन् 1971 और 2011 की आबादी के स्तरों का सह-अस्तित्व, जहां 1971 की आबादी को कुछ समय तक अधिक महत्व दिया गया। ऐसा करने के अभिप्रेरण का प्रयोजन उन राज्यों को पुरस्कृत करना था जो अपनी आबादी में वृद्धि की दरों को सीमित करने में अधिक सफल रहे, किंतु इसमें इक्वालाइजेशन हस्तांतरणों को

<sup>8</sup> राव, गोविंदा (2017), "भारत में सार्वजनिक सेवाओं पर अंतर-सरकारी हस्तांतरणों का प्रभाव" राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, वर्किंग पेपर सं. 218, नई दिल्ली




मौजूदा आबादी स्तरों के प्रति कम उत्तरदायी होने का जोखिम है। इस आयोग की पहली रिपोर्ट में इसे परिवर्तित किया गया, जहां 2011 के आबादी स्तर को आबादी नियंत्रण के लिए एक संगत मैक्रो कारक के रूप में माना गया।

(vi) लंबी अवधि में, राजस्व और/या व्यय इक्वालाइजेशन प्रणाली अपनाने के कई फायदे हो सकते हैं, यदि ये मैक्रो-आधारित उपायों की तुलना में राज्य की राजकोषीय क्षमता के लिए बेहतर उपाय हों, और इससे पूर्ण इक्वालाइजेशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रति व्यक्ति इक्वालाइजेशन हकदारी का परिकलन करने में इनका प्रयोग करने से आबादी का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। डेटा की उपलब्धता की परिसीमाएं अभी भी एक बाधा बनी हुई हैं, और इस प्रकार के प्रमुख बदलाव को एक उचित संक्रमण काल से गुजरना होगा। किसी भी स्थिति में, प्रमुख चुनौती है ऐसे कारकों का प्रयोग करना जिन्हें आर्थिक खतरों के जोखिमों से बचने में मदद देने हेतु राज्य की नीतियों द्वारा आसानी से प्रभावित न किया जा सके।

## सशर्त या प्रोत्साहन-आधारित राजकोषीय हस्तांतरण

2.23 जबकि इक्वालाइजेशन हस्तांतरण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और क्षेत्रीय राजकोषीय असंतुलनों का समाधान करने की राज्यों की राजकोषीय क्षमताओं में न्यूनताओं को पूरा करने का मुख्य टूल है, किंतु वे क्षेत्रीय विकास या शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन संबंधी नीतियों या विशेष सामाजिक संरक्षण की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं, जैसा कि मौजूदा कोविड संकट के दौरान देखा जा रहा है। अतः, देशों ने व्यापक क्षेत्रीय विकास और सामाजिक नीति के लिए राज्य की विभिन्न अवसंरचना आवश्यकताओं का समाधान करने के साथ राजकोषीय निष्पादन और प्रशासनिक परिवर्तनों के लिए संबद्ध शर्तों सहित विवेकाधीन, विशिष्ट-प्रयोजन के केंद्र सरकार के हस्तांतरणों का प्रयोग किया है (चित्र 2.5)। अनेक देशों ने कोविड-19 के कारण बड़े अतिरिक्त व्यय का दबाव झेल रहे राज्य शासनों को सहयोग देने के लिए पहले ही अतिरिक्त (अस्थाई) बजटीय हस्तांतरणों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। तथापि, पिछले अनुभव की दृष्टि से, जैसे कि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान पाया गया था, अनेक संघीय सरकारों में केंद्रीय राजकोषीय हस्तांतरण राज्य शासन स्तरों पर कर राजस्व में कमी को न्यून करने में विफल रहे हैं।

### चित्र 2.5: अंतर-सरकारी हस्तांतरण



2.24 अंतरराष्ट्रीय अनुभव में उन स्थितियों के बारे में स्पष्ट सीखें हैं जो राजनीतिक प्रभाव की चिंताओं का समाधान करने और बजटीय बाध्यताओं को लचीला बनाते हुए विवेकगत अंतरणों के प्रभावी प्रयोग को बेहतर रूप से सुनिश्चित करते हैं।

2.25 इनपुट या प्रक्रिया-आधारित शर्तें, ऐसे अंतरणों में पारंपरिक तौर पर सामान्य रूप से प्रयोग में आई हैं। इनमें निधियों के अपेक्षित प्रयोग (intended use), जैसे कि शिक्षा में किस प्रकार खर्च किया जाए, या सेवा संबद्ध प्रक्रिया (process involved), जैसे कि स्कूल नामांकन पर फोकस किया गया है। लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी को भविष्य में देने के लिए देशों ने अक्सर इनपुट-आधारित एक समान हिस्सेदारी के हस्तांतरणों का भी प्रयोग किया है। इसका एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका है, जो तृतीयक शिक्षा (tertiary education) और प्रवासियों को लाभान्वित करने वाली स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं पर राज्य के अल्प-व्यय की क्षतिपूर्ति के लिए शिक्षण अस्पतालों को बराबर की हिस्सेदारी वाले हस्तांतरणों के लिए प्रावधान करता है। इसका दूसरा उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो राज्यों को राजमार्गों के निर्माण के लिए, राज्य की राजकोषीय क्षमता के अनुसार एक समान हिस्सेदारी वाले पूंजी अनुदानों हेतु प्रावधान करता है।

2.26 तथापि, समरूपता और संबंधित मुद्दों के कारकों के चलते, यह आम सहमति बन रही है कि कठोर और अत्यधिक इनपुट और प्रक्रिया-आधारित नियंत्रण दक्ष सेवा प्रदान करने और परिणाम प्राप्त करने में प्रभावी नहीं रहे हैं। मौजूदा कोविड संकट में, राजकोषीय हस्तांतरणों में ऐसी कमजोरी स्वास्थ्य सेवाओं की बदलती जरूरतों का प्रबंधन और पूरा करने की सक्षमता के लिए जोखिम है।

2.27 इसके बजाय, अंतराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि आउटपुट-आधारित शर्तें इच्छित परिणाम प्राप्त करने में निधियों का प्रयोग सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए, सेवा प्रदान करने में, शिक्षकों की संख्या के लिए अपेक्षित इनपुट्स हेतु निधियों को आबद्ध (tying) किए बिना, कुशल व्यावसायिकों (professionals) की अधिक उपलब्धता के परिणाम को प्राप्त करने हेतु हाई स्कूल स्नातक दरों को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अतः, आउटपुट-आधारित अनुदानों में, परिणामों के प्रतिकूल, आउटपुटों पर शर्तें हो सकती हैं, क्योंकि परिणाम राज्य के निष्पादन के अलावा अन्य कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, और राज्यों को सिर्फ उन्हीं कारकों के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए जो उनके नियंत्रण में हों। उदाहरण के लिए, कुशल व्यावसायिक की उपलब्धता उत्प्रवासन (emigration) जैसे बाह्य कारकों से प्रभावित हो सकती है। कनाडा के स्वास्थ्य हस्तांतरण कार्यक्रम (सीएचटी) को एक सरल और प्रभावी आउटपुट-आधारित सशर्त संघीय अंतरण के तौर पर देखा जाता है।

### बॉक्स 2.1: आउटपुट/प्रक्रिया-आधारित सशर्त हस्तांतरण वाले देश

#### शिक्षा:

- i. ब्राज़ील: प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्रति छात्र अलग से निर्धारित किए गए राज्य/स्थानीय राजस्व के अंश की पूर्ति करने के लिए स्कूल नामांकन पर आधारित अनुदान, यदि प्रति छात्र अलग से निर्धारित राशि राष्ट्रीय मानक से कम रहती है।
- ii. चिली: राष्ट्रीय उपलब्धि अंकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्कूलों में शिक्षकों को वेतन बोनस देने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की पूर्ति हेतु सभी स्कूलों में प्रति छात्र अनुदान।
- iii. इंडोनेशिया: स्कूल जाने वाली आबादी के आधार पर प्रचालन अनुदान पूरक के रूप में प्राथमिक शिक्षा तक राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच बढ़ाने के लिए स्कूल भवनों के निर्माण हेतु एकसमान हिस्सेदारी के पूंजी अनुदान दिए जाते हैं।
- iv. युगांडा: लक्षित स्तरों तक स्कूल सुविधाओं (डेस्क, कक्षाओं) की वृद्धि और स्कूल नामांकन के लिए अनुदान।

#### स्वास्थ्य परिचर्या:

- i. ब्राज़ील: अस्पताल में प्रवेश और एम्बुलेंस परिचर्या के लिए अनुदान से प्रति व्यक्ति बुनियादी लाभ अनुदान की पूर्ति।
- ii. रवांडा: अस्पताल में भर्ती मामलों, कर्मचारियों के बोनस और सुविधाओं में सुधार के लिए अनुदान।

2.28 परिणामस्वरूप, देशों में आउटपुट-आधारित अंतरणों की ओर बदलाव वाले सुधार हो रहे हैं, जो सेवा सुपुर्दगी निष्पादन का मापन करते हैं। देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या अंतरणों पर आउटपुट-आधारित स्थितियां (स्वास्थ्य परिचर्या और शिक्षा सेवा सुपुर्दगी में न्यूनतम मानक निर्धारित करने सहित) विकसित करने को प्राथमिकता प्रदान की है। इन पद्धतियों को, कम से कम आरंभ में, अन्य प्रयोजन-विशिष्ट हस्तांतरणों को पूरा करने और आउटपुट-आधारित हस्तांतरणों वाले अनुदानों को रोकने के लिए अपनाया गया।


2.29 आउटपुट-आधारित शर्तों को लागू करने हेतु इस प्रकार के सुधारों के साथ-साथ राज्यों को अधिक जवाबदेही और स्पष्ट भूमिकाओं, जिम्मेदारियों तथा सुधारों के साथ सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए काफी लचीला भी बनाया गया है ताकि वे पारदर्शिता और शासन तथा अपनी कार्यान्वयन क्षमता में सुधार ला सकें।

2.30 तथापि, आउटपुट-आधारित शर्तों को अपनाने में प्रचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, विशेष रूप से कम आय वाले देशों और राज्यों में। इन चुनौतियों में संस्थागत क्षमता की उपलब्धता से लेकर परिणामों का समयबद्ध मापन और प्रवर्तन की क्षमता शामिल है। जैसे-जैसे शर्तें इनपुट्स से प्रक्रिया में और प्रक्रिया से आउटपुट्स की ओर बढ़ने लगती हैं, राज्यों के लिए उन्हें प्राप्त करना और भी कठिन होता जाता है। यदि कुछ राज्यों की संस्थागत क्षमता कम है, तो शायद राज्य की क्षमता के अनुसार शर्त भी भिन्न होनी चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि से, अनेक अफ्रीकी और दक्षिण-पूर्वी एशियाई विकासशील देशों में, निष्पादन-आधारित अनुदानों का स्थानीय संस्थागत क्षमता में सुधार लाने के लिए अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, तंजानिया और फिलिपींस बेहतर लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों द्वारा पूंजी अनुदानों का समायोजन करते हैं।

2.31 अनुपालन को सुनिश्चित करना मुख्य रूप से हस्तांतरण डिजाइन का कार्य है – उचित शर्तें, निष्पादन लक्ष्य और प्रोत्साहन निर्धारित करना। प्रभावकारी डिजाइन को ध्यान में रखने के बाद भी अनुदान शर्तों के गैर-अनुपालन की स्थिति में शास्ति लगाने की विभिन्न प्रकार की विधियां अपनाई जा सकती हैं, जैसे कि निधियां कम करना, निधियां रोक देना, चुकौती (repayment), निधियों का पुनःआबंटन या वित्तीय सुधार शुरू करना। इसके अलावा, पूर्व में खराब निष्पादन के लिए शास्ति लगाने के बजाय, अच्छा निष्पादन करने वाले राज्यों को सशर्त हस्तांतरण को हटाकर बिना शर्त अनुदान प्रदान किए जा सकते हैं।

2.32 ऐसे अनेक मुद्दे और चिंताएं भारतीय संदर्भ में भी उत्पन्न होती हैं, यद्यपि अंतरण संरचना में हाल ही के बदलावों के लिए उनका आकलन करना आवश्यक है (चित्र 2.6)।

चित्र 2.6: भारत में अंतर-सरकारी हस्तांतरणों के लिए संस्थागत संरचना



2.33 भारतीय राज्यों (विशेष रूप से 'विशेष श्रेणी'<sup>9</sup> में वर्गीकृत राज्य) के बीच व्यापक असमानता के चलते और सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में स्थानीय निकायों के बढ़ते महत्व तथा इक्वालाइजेशन के संबंध में समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, कर अंतरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर विशिष्ट-प्रयोजन हस्तांतरण (कर अंतरण से संबद्ध बिना शर्त सामान्य-प्रयोजन वाले अंतरणों के अलावा) किए गए हैं। चौदह में से सात वित्त आयोगों ने राज्य-विशिष्ट अनुदानों की अनुशंसा की, किंतु संघीय मंत्रालयों द्वारा दी जाने वाली हिस्सेदारी अधिक थी। हाल के वित्त आयोगों द्वारा विशिष्ट-प्रयोजन अंतरणों के लिए शर्तों के रूप में राजकोषीय जिम्मेदारी और राजकोषीय गवर्नेंस का प्रयोग बढ़ रहा है। 12वें वित्त आयोग ने कर्ज अदायगी में राहत (debt relief) प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के लिए शर्त लगा दी कि वे राजकोषीय जिम्मेदारी और


<sup>9</sup> विशेष श्रेणी के राज्यों में मुख्य रूप से पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, जहां राजस्व आधार बहुत ही छोटा है और सरकारी खर्च काफी अधिक है, जिसे अधिकतर सरकार के हस्तांतरणों से वित्तपोषित किया जाता है।

बजट प्रबंधन विधायनों को लागू करें, और उसके बाद के आयोगों ने स्थानीय निकाय हेतु हस्तांतरणों को वित्तीय प्रबंधन और लेखापरीक्षा से संबद्ध करने की शर्तें निर्दिष्ट कीं।<sup>10</sup>

2.34 तथापि, चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं और योजना आयोग के विघटन के बाद योजनागत हस्तांतरणों को समाप्त किए जाने के आधार पर, इन विशिष्ट-प्रयोजन हस्तांतरणों का अंश घट रहा है (चित्र 2.7)। फिर भी, कुल हस्तांतरणों में इनका अंश लगभग 30 प्रतिशत, अर्थात् भारत की जीडीपी के लगभग 2 प्रतिशत के समतुल्य है।

चित्र 2.7: भारत में राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरण

(जीडीपी प्रतिशत में)



स्रोत: विभिन्न वर्षों के लिए संघ के बजट दस्तावेज और वित्तीय लेखा

2.35 यद्यपि हाल ही के कुछ समेकन के बावजूद, भारत के विशिष्ट-प्रयोजन हस्तांतरणों को अनेक विवेकीय लागत-साझाकरण वाली केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) और नॉन-मैचिंग केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इस संबंध में कुछ समस्याएं उभरकर आई हैं। सामान्य तौर पर ये स्कीमों परिणामों से संबद्ध रहने के बजाय, इनपुट या प्रक्रिया-आधारित होती हैं जिसके कारण प्रायः ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो उपरोक्त शर्तों से संबद्ध होती हैं। समस्याएं एक साथ उत्पन्न न होकर, खंडित रूप में विभिन्न स्कीमों से, राज्य के दायित्वों से उनकी संबद्धता तथा राज्यों, विशेष रूप से न्यूनतर राजकोषीय और संस्थागत क्षमताओं वाले राज्य, पर एक समान हिस्सेदारी देने के बोझ के कारण उत्पन्न होती हैं।

2.36 यह उल्लेखनीय है कि हाल के अध्ययनों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत के विशिष्ट-प्रयोजन हस्तांतरण, विशेष रूप से संघीय मंत्रालयों द्वारा प्रदान किए गए हस्तांतरण, वित्त आयोगों द्वारा

<sup>10</sup> बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्य के विधायनों में, अन्य बातों के अलावा, एक तय सीमा तक राजस्व घाटे को समाप्त करने, और राजकोषीय घाटे को एक लक्ष्य तक या उससे कम लाने के प्रावधान होने चाहिए।

अनुसंशित हस्तांतरणों के समान दृष्टिकोण से हटकर किए जाते हैं, और इस दृष्टि से संभवतः प्रतिगामी (रिग्रेसिव) हैं कि वे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय से सकारात्मक रूप से सहसंबंधित हैं।<sup>11</sup> यह शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या, जो राज्यों में मानव पूंजी मानकों में समरूपता (कंजर्वेंस) के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं, के संबंध में विशेष चिंता का विषय है। अतः, संघीय स्कीमों की बहुलता को युक्तिसंगत बनाते समय, राज्यों में संस्थागत क्षमता का निर्माण करना और बेहतर अभिकल्पित आउटपुट-आधारित हस्तांतरणों की ओर परिवर्तित करना बेहद जरूरी है। ऐसा किया जा सकता है, परंतु इसके लिए समान प्रति व्यक्ति हस्तांतरणों की दिशा में सामान्य आउटपुट-आधारित शर्तों (जो संस्थागत निर्माण की आवश्यकता पर जोर देती हैं) के साथ अग्रसर होना होगा।

## तीसरे स्तर का शासन (Third Tier)

2.37 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच कराए गए अध्ययन में यह पाया गया है कि विकसित देशों, जिनका आबादी और प्रति व्यक्ति जीडीपी में महत्वपूर्ण सहसंबंध है। विकासशील देशों का राजकोषीय केंद्रीकरण आमतौर पर उच्चतर स्तर का माना जाता है।<sup>12</sup> केंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है राज्य और स्थानीय स्तर के शासनों के बीच उनकी व्यय प्रतिबद्धताएं और राजस्वों से पहुंच— जो कार्यों के हस्तांतरण से पूर्ण रूप से संबद्ध है— और उनकी प्रशासनिक क्षमता में असमानता। यह इस वास्तविकता को दर्शाता है कि संघीय सरकारों में स्थानीय शासनों ने आमतौर पर संविधान के बजाय, मध्यवर्ती (इंटरमीडिएट) (यानी राज्य-स्तरीय) सरकारों से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों को उप-प्रांतीय राजकोषीय प्रबंधन का निर्धारण करने में उच्च स्तर का विवेकाधिकार मिल जाता है। भारत के संदर्भ में इस प्रकार की असंगतताएं अभी भी मौजूद हैं।

2.38 तथापि, उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में स्थानीय शासनों के वित्तपोषण को सुदृढ़ बनाने की स्पष्ट प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुरूप भारत की तरह वैश्विक शहरीकरण में वृद्धि के उदय से प्रेरित हुई है। शहरीकरण से स्थानीय निकायों, विशेष रूप से नगरपालिकाओं की चुनौतियों को बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं के लिए वित्तपोषण जुटाने हेतु तथा उनके लिए कार्यों एवं वित्त के हस्तांतरण में काफी समस्याओं का समाना करना पड़ रहा है।<sup>13,14</sup> उदाहरण के लिए चीन ने भी, जहां ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन अधिक है, 2015 में अपने बजट कानून में संशोधन किया ताकि

<sup>11</sup> राव, गोविंदा (2017) और “भारतीय केंद्र-राज्य राजकोषीय ढांचों का सुदृढ़ीकरण” आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट सं. 17/55, फरवरी 2017.

<sup>12</sup> इन मुद्दों की समीक्षा रॉय बहल एवं रिचर्ड एम. बर्ड (2018), विकासशील देशों में वित्तीय विकेंद्रीकरण और स्थानीय वित्त, एडवर्ड एल्गार पब्लिशिंग, Inc, ISBN 978 1 78643 529 3 में की गई है।

<sup>13</sup> ओईसीडी देशों में, 80 प्रतिशत राष्ट्रीय आबादी औसतन रूप से शहरों में रहती है, और विकासशील देशों में शहरीकरण बढ़कर 60 प्रतिशत के आसपास है।

<sup>14</sup> अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य (भारत की हालिया रिपोर्टों सहित) विकासशील देशों में शहरीकरण की बुनियादी ढांचा जरूरतों में जीडीपी के 1-2 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि का संकेत करते हैं। बहल, रॉय “भारत में महानगरीय शहरी वित्तीय: नई राजकोषीय संरचना के विकल्प” इंटरनेशनल सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी वर्किंग पेपर 12-33, 2012




वह प्रांतों के बढ़ते व्यय दायित्वों के सापेक्ष राजस्व के संरचनात्मक कमी को कम कर सके, अंतर-सरकारी वित्तपोषण में असमानता को दूर कर सके और निरीक्षण एवं प्रकटीकरण (disclosure) के लिए एक और अधिक स्थायी विनियामक रूपरेखा विकसित कर सके। ब्राजील, कोलंबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में अपने शहरों के लिए विनिर्दिष्ट राजस्व लिखतों (instruments) के साथ राष्ट्रीय कानून हैं।

2.39 इसलिए, स्थानीय निकायों को पर्याप्त और और प्रभावी कर स्रोत प्रदान किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इस दिशा में एक सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन कोविड संकट के कारण विशेष रूप से नगरपालिकाओं, जिनके राजस्व ( कर, उपयोगकर्ता शुल्क ) में काफी गिरावट आई है और व्यय (स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सहायता उपाय) तेजी से बढ़े हैं, के संदर्भ में और असमानताएं भी अधिक बढ़ गई हैं। इसलिए, संघीय सरकारों में स्थानीय शासनों की इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए मुख्य विशेषताओं और सर्वोत्तम रीतियों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।


### स्थानीय शासनों का व्यय

2.40 आय बढ़ने के साथ-साथ संघीय सरकारों ने सामान्य रूप से स्थानीय निकायों हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य व्यय के अंश को अच्छा खासा बढ़ाया है। कुछ ओईसीडी संघीय सरकारों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय शासनों के व्यय के आधे से भी अधिक हो सकता है (चित्र 2.8)। कई देशों में, स्थानीय निकाय भी निवेश-आधारित संवृद्धि का एक प्रमुख भागीदार रहे हैं। स्थानीय निकायों का निवेश व्यय अनेक ओईसीडी संघीय सरकारों में सामान्य सरकारी क्षेत्र के कुल निवेश का लगभग एक तिहाई है (चित्र 2.9)। ये दोनों कारक इस बात को इंगित करते हैं कि अनेक देशों में बड़े ऊर्ध्वाधर असंतुलन उदारवादी (सॉफ्ट) बजट दबावों के कारण हैं। आमतौर पर स्थानीय शासन, जो उच्च स्तर की सरकार की ओर से व्यय हेतु हस्तांतरण प्राप्त करते हैं, कम दक्षता से व्यय खर्च करते हैं, जबकि यदि उन पर स्थानीय स्तर पर कराधान से राजस्व जुटाने की जिम्मेदार दी गई होती तो वे अधिक दक्षता के साथ व्यय खर्च करते। इससे उच्च स्तरीय सरकार के स्तर पर अनेक प्रकार के व्यय की जिम्मेदारियों के कारण और सभी स्तरों पर लोक व्यय के आवधिक निष्पादन का मूल्यांकन करने की आवश्यकता के कारण समस्याएं पैदा हो जाती है।

चित्र 2.8 ओईसीडी व्यय संरचना  
(स्थानीय शासन का व्यय प्रतिशत)



चित्र 2.9: ओईसीडी लोक निवेश  
(जीडीपी का प्रतिशत)



स्रोत: ओईसीडी डेटाबेस स्थानीय निकायों का राजस्व

2.41. स्थानीय निकायों के वित्तों को सुदृढ़ करने, उनके आर्थिक जोखिम (moral hazard) और पूर्व वित्तीय जोखिमों को सीमित करने के लिए स्थानीय स्तर पर राजस्व जुटाना आवश्यक हो गया है। जबकि कुछ देश, जैसे आस्ट्रेलिया और मैक्सिको स्थानीय शासनों को उच्च स्तरीय सरकार से परामर्श किए बिना कुछ कर दरें निर्धारित करने के लिए पूर्णतः प्राधिकृत हैं, परंतु अन्य देशों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत और चीन में निकायों के पास राजस्व के साधनों पर अपर्याप्त नियंत्रण होने के साथ-साथ उन्हें जुटाने की क्षमता भी पर्याप्त है। उनके स्थानीय शासन राजस्व (आमतौर पर प्रयोक्ता शुल्कों और संपत्ति करों से) जीडीपी के 5 प्रतिशत से भी कम हैं।<sup>15</sup> संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुभव - जहां प्रत्येक राज्य निर्णय ले सकता है कि वह अपने स्थानीय शासन को कौन-से कर लिखतों के लिए अधिकृत कर सकता है - भारत के लिए यह एक सीख है, क्योंकि भारत में चौहत्तरवें संविधान संशोधन में समान मॉडल का अनुकरण किया गया है। तथापि, भारत में इस प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाने में राज्य सरकारों की सर्वसम्मति बनाना अधिक संस्थागत चुनौती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कुछ प्रांत और बड़े शहर समान कर आधार और संभवतः समान कर प्रशासन को अपनाते हुए किसी राज्य/प्रांतीय कर पर आयकर लगा सकते हैं।

2.42 बढ़ते शहरीकरण से अब स्थानीय निकायों, विशेष रूप से नगरपालिकाओं, के राजस्व को बढ़ाए जाने की आवश्यकताएं उभरकर आ रही हैं, क्योंकि उनकी अवसंरचना की आवश्यकताओं केंद्र सरकार के पारंपरिक राजस्व की क्षमताओं एवं हस्तांतरणों की तुलना में काफी बढ़ चुकी हैं। ग्रामीण शहरी निकायों के विपरीत, शहरी क्षेत्र विशेष रूप से शहरी निकायों में वित्तीय रूप से आत्म-निर्भर बनने की आर्थिक क्षमता है, बशर्ते कि उनके लिए सही कानूनी रूपरेखा और सहयोगात्मक नीतियां बनाई गई हों। भारत में, राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) को नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के लिए करों के निर्धारण और राज्यों

<sup>15</sup> स्लैक, एनिड एंड रिचर्ड बर्ड (2015); "How to reform the Property Tax: Lessons from Around the World" आईएमएफजी पेपर्स ऑन म्यूरनिसिपल फाइनेंस एंड गवर्नेंस, नं. 21, टोरंटो

और उनके नगरपालिकाओं के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में अनुशंसा करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

2.43 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यह बताता है कि स्थानीय निकायों के लिए पानी और बिजली की आपूर्ति के लिए (टैरिफ) के साथ-साथ संपदा कराधान सर्वोत्तम विकल्पों में से एक है।<sup>16</sup> वैश्विक मानकों के अनुसार, भारतीय शहरों में संपत्ति कर राजस्व विकासशील देशों के औसत जीडीपी का लगभग 0.7 प्रतिशत है, जो चीन की तुलना में काफी कम है। जो कार्यात्मक और वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण में बड़ी अंतर-राज्यीय असमानताएं दर्शाती है, जिसमें कई राज्यों में स्थानीय निकायों पर संपत्ति कर लगाने पर प्रभावी सीमाएं शामिल हैं। कई ओईसीडी और उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में, अचल संपत्तियों पर आवर्तक कर राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कर राजस्व बनकर सामने आए हैं। अतः, इस दिशा में आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं, और उपरोक्त में वर्णन किए गए अनुभव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सार्वभौमिक कवरेज, सीमित छूटों, पारदर्शी और अद्यतन संपत्ति मूल्य एवं कर की दरों के साथ संपदा कराधान के लिए एक फ्रेमवर्क बनाए जाने की आवश्यकता है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हो।

2.44 कुल मिलाकर स्थानीय निकायों की अपनी अवसंरचना आवश्यकताओं को राजकोषीय अनुशासन के साथ दक्षतापूर्वक अपने विवेकाधिकार से राजस्व संग्रहण को बढ़ाए। इस बीच, स्थानीय निकायों को किए जाने वाले राजकोषीय हस्तांतरण उनके राजकोषीय असंतुलों का समाधान करने में काफी सहायक है, किंतु उनकी राजस्व क्षमता के निर्माण के लिए उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

## स्थानीय निकायों की राजकोषीय स्थिरता

2.45 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से प्राप्त सीखों में से यह एक है स्थानीय शासनों पर संसाधनों को दृष्टिगत करते हुए कठोर बजट को सीमित रखना महत्वपूर्ण उपाय है ताकि वे अपने बड़े ऊर्ध्वाधर असंतुलों से वित्तपोषण जोखिमों को नियंत्रित कर सकें जिन्हें उच्च स्तरीय सरकार के हस्तांतरणों द्वारा कवर किया जाना चाहिए। इस प्रकार बजट कठोर कदमों का लक्ष्य व आशय उनके मौजूदा व्यय को वर्तमान राजस्व से संतुलित करने और निर्दिष्ट वित्तपोषण स्रोतों से पूंजी व्यय को सीमित करने से है। तथापि, इसे प्रभावकारी रूप देने के लिए इन उपायों के लिए उपयुक्त परिभाषा दी जानी चाहिए, और इस बात की निगरानी की जानी चाहिए कि स्थानीय शासनों की बैलेंस शीट सामान्य सरकारी राजकोषीय लक्ष्यों से संगत हैं या नहीं, और वे अपनी आकस्मिक

<sup>16</sup> अनेक स्थानीय प्रशासन कुछ सेवाओं पर अन्य चुनिंदा कर और व्यवसायों पर लाइसेंस शुल्क लगाते हैं; ये प्रायः अधिक राजस्व जुटाते हैं और अनुभव से पता चला है कि वे विनियामक उद्देश्य की भी अधिक पूर्ति नहीं करते हैं। इसके विपरीत, संपदा कर कम विवेकगत और अधिक प्रगतिशील होते हैं

देयताओं में बढ़ोत्तरी होने दें। कई देशों में, सीमित निगरानी और बेलआउट की प्रत्याशा ने स्थानीय सरकारी वित्तों में भेद्यनीयताओं को तेजी से बढ़ाया है।

2.46 स्थानीय निकायों के राजस्वों और व्यय दायित्वों में ढांचागत असंगतता के संबंध में स्थानीय शासनों के अंतर्निहित जोखिमों के बारे में चीन एक स्पष्ट उदाहरण है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, चीन के स्थानीय शासनों ने निषिद्ध स्रोतों से बिना रिकॉर्ड किए हुए उधार लेने के लिए अनियमित वित्तपोषण के साधकों (vehicles) को स्थापित कर बड़े पैमाने पर राजकोषीय सहायता एवं प्रोत्साहन (fiscal stimulus) लागू किए। चीन के 2015 के नए बजट का लक्ष्य स्थानीय शासन के वित्तों से जोखिमों को सीमित करने हेतु सुधार लाना, स्थानीय निकायों के लिए बांड बाजार विकसित करना और अंतर-सरकारी राजस्व एवं व्यय को बेहतर ढंग से सुसंगत बनाना था।

2.47 विकसित देशों में, स्थानीय निकायों वाणिज्यिक बैंकों से तथा अपने वित्तीय संस्थानों और राजकोषीय नियमों की सामर्थ्यता के आधार पर बाँड जारी करके सुचित तरीके से उधार लेते हैं, जिससे उन्हें क्रेडिट रेटिंग सुधारने और क्रेडिट लागत घटाने में मदद मिलती है। उनतीस ओईसीडी देशों के कर्ज और वाणिज्यिक देनदारी (debt) राज्य सरकारों के उधारों के आधे से भी अधिक हो गए हैं।<sup>17</sup> यूरोप में, ये कर्ज ज्यादातर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थानीय निकायों के बांडों के लिए विकसित बाजार है।

2.48 उपरोक्त विचार बड़ी नगरपालिकाओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। नगरपालिका द्वारा उधार लेने के लिए नीतिगत रूपरेखा को अपनाने वाले उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में दक्षिण अफ्रीका का पहला स्थान है। उसने शहरी क्षेत्रों में स्वयं के स्रोत के राजस्व उपायों (मुख्य रूप से संपत्ति कर, बिजली और पानी के प्रशुल्कों के माध्यम से) के लिए एक पूर्वानुमेय कानूनी रूपरेखा निर्मित किया है और कम कर आधार वाले गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से हस्तांतरण किए हैं।

2.49 इसके साथ-साथ, बाजार उधारों का लाभ उठाने के लिए, ऐसी रूपरेखा के लिए स्थानीय निकायों के वित्तों और उसके संचालकों की जवाबदेही के बारे में बाजार में विश्वसनीय और पारदर्शी जानकारी होना भी आवश्यक है। ऐसे उदाहरणों में, राजकोषीय लेखाओं की रिपोर्टिंग एवं प्रकाशन और बहुवर्षीय बजटीकरण ताकि राजकोषीय नीति के समन्वय में तथा संघातों और वैकल्पिक परिदृश्यों से तत्परता से निपटने हेतु सुधार लाया जा सके, जो सर्वोत्तम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन मानकों के अनुरूप हो। उप-राष्ट्रीय वित्तीय लेखाओं की लेखापरीक्षा भी एक महत्वपूर्ण घटक है जिसका उपयोग कई देशों में किया गया है। विभिन्न देशों, जैसे कि मैक्सिको में राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय बाजारों को बाजार से उधार लेने के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रणाली को अपनाएं।

<sup>17</sup> ओईसीडी, 2016

2.50 इन उदाहरणों की संगतता में, भारत 2003 के राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम को एक नियम-आधारित राजकोषीय नीति के साथ प्रगामी रूप से अद्यतन कर रहा है, जो सरकार की देनदारी, राजकोषीय घाटों और राजस्व घाटों को निर्धारित लक्ष्यों तक सीमित करती है। यद्यपि, राज्यों द्वारा बाजार से उधार लेने की प्रवृत्ति समय के साथ-साथ बढ़ी है, किंतु संघ द्वारा निहित गारंटियों की निरंतर अपेक्षाओं के चलते, और अब कोविड संकट के चलते कटौती करने के दबावों में राजकोषीय स्थिरता लाने में अभी भी बाधाएं हैं।<sup>18</sup> जैसा कि अध्याय 13 में चर्चा की गई है, अंतिम चार वित्त आयोगों (और मौजूदा आयोग) ने स्थानीय निकायों के लेखाओं, उनकी लेखापरीक्षा और वित्तीय प्रकटीकरण (disclosure) को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए निष्पादन मानदंड निर्धारित करने के लिए विशिष्ट अनुशंसाएं की हैं। तथापि, भारत अभी भी इस संबंध में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाया है। विशेष रूप से, अभी भी राज्यों के लेखाओं के संबंध में सुसंगत और समेकित डेटा उपलब्ध नहीं हैं। परिणामस्वरूप, भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनमें संघ सरकार एवं राज्य सरकारें (राज्य लेखाओं सहित) राजकोषीय वित्तों (aggregates) की रिपोर्टिंग नहीं करते हैं।<sup>19</sup> इसके विपरीत, अन्य उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के देशों में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हुए सामान्य सरकार के वित्तों की रिपोर्टिंग करते हैं।

## निष्कर्ष

2.51 कोविड संकट और उसके व्यापक प्रभाव के फलस्वरूप राजकोषीय संघवाद में किए गए बदलावों से राज्य सरकारों ने संघ सरकार के सहयोग के अभाव में राजकोषीय लागतों और संकट के विषम क्षेत्रीय प्रभाव से निपटने में अपनी असमर्थता जताई है। इन मुद्दों, जिनके महत्वपूर्ण और कई गुना सामाजिक निहितार्थ हैं, से निपटने में और स्वतंत्र वित्तीय संस्थानों के निर्माण में संघ सरकार और राज्य वित्त आयोगों के बीच ज्यादा सहयोग बढ़ाया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भारत को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है कि अपने अनुभवों और प्रवृत्तियों को अपने समकक्ष देशों के बेंचमार्क के अनुरूप स्थापित करे और अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों में सर्वोत्तम रीतियों (practices) को स्थापित करे।

2.52 महामारी के दौरान उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों में एक महत्वपूर्ण इक्वालाइजेशन (equalization) आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की उपलब्धता। इस संकट के दौरान संसाधनों की उपलब्धता और वितरण, अगले दशक के दौरान राजकोषीय संघीय संबंधों को आकार

<sup>18</sup> हाल के एक अध्ययन में यह आकलन किया गया है कि बॉड स्प्रेड के विविध फंडामेंटल्स के बावजूद, राज्यों में उनका विस्तार अपेक्षाकृत संकीर्ण रहा है। “भारतीय राज्यों में राजकोषीय अनुशासन: बाजार-आधारित एवं अन्य विकल्प” (आईएमएफ चयनित मुद्दे, जुलाई 2, 2018)

<sup>19</sup> सरमा, अतुल और देबनानी चक्रवर्ती, भारतीय संघीय प्रणाली में तीसरे स्तर के शासन का एकीकरण, पालग्रेव मैकमिलन, 2018, ISBN 978-981-10-5624-6

प्रदान करेंगे। इस संदर्भ में, भारत का राजस्व अनुपात अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रहा है। तथापि, इसे अन्य उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था के करीब लाने का दबाव भी बढ़ रहा है, ताकि इससे सामाजिक और विकास संबंधी जरूरतों की बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके।

2.53 भारत का ऊर्ध्वाधर राजकोषीय अंतराल (vertical fiscal gap) अन्य संघीय सरकारों की तुलना में अधिक है, जो राज्य सरकारों के मध्य राजस्व और व्यय विकेंद्रीकरण के बीच असंगतता को परिलक्षित करता है, और समय के साथ-साथ यह बढ़ा है। भारत में राज्यों के बीच विषमता, जैसा कि अब कोविड संकट के तात्कालिक समाधान परिणामों में उनकी भिन्न स्वास्थ्य क्षमता से काफी स्पष्ट हो रहा है, यह अंतराल भारत में राज्यों के स्तर पर क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन के समाधान करने के लिए हस्तांतरण का एक निर्धारक बन गया है।

2.54 फार्मूला-आधारित हस्तांतरणों के अलावा, देशों ने बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवेकगत (discretionary), विशिष्ट-प्रयोजन हस्तांतरणों का उपयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इस बात पर स्पष्ट है कि ये अंतरण तब अधिक प्रभावी और प्रगतिशील होते हैं, जब वे अच्छी तरह परिकल्पित आउटपुट या परिणाम-आधारित संकेतकों पर आधारित होते हैं, इसकी पुष्टि राज्य सरकारों द्वारा कोविड जनित स्वास्थ्य संकट से निपटने के निर्धारण में और भी अधिक स्पष्टता से हो रही है।

2.55 अन्य संघीय सरकारों में, सरकार के तीसरे स्तर स्थानीय निकायों के शासन से एक मुख्य सीख यह निकलकर आई है कि बढ़ते शहरीकरण की बढ़ती आवश्यकताओं (विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में) को पूरा करने के लिए अनुकूल और स्थानीय स्रोत आधारित राजस्व जुटाए जाएं, स्थानीय शासन के वित्तों को सुदृढ़ किया जाए और आर्थिक जोखिम (moral hazard) को सीमित किया जाए। इन सीखों की संगतता में, और अन्य उपायों को ध्यान में रखकर, इस आयोग ने संपत्ति कर बढ़ाने और स्थानीय निकायों लेखापरीक्षित (बैलेंस शीटों) को जन साधारण को उपलब्ध कराए जाने हेतु हस्तांतरणों पर कई निष्पादन मानदंडों को अपनाए जाने की अनुशंसा की है।

2.56 निःसंदेह, वैश्विक पटल पर मौजूदा आर्थिक संकट के दौर में, दक्ष लोक वित्त प्रबंधन एवं उसके प्रति जवाबदेही की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मौजूदा आर्थिक संकट के प्रभावों को सीमित करने के लिए इससे उत्पन्न सक्रिय प्रभावों से निपटने के लिए सहायता देने हेतु तात्कालिक नवीन नवप्रवर्तनशील समन्वय कार्यप्रणाली को अपनाया है। जिसमें गवर्नेंस व राजकोषीय साधनों का प्रयोग शामिल है। मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट भारत के लिए स्पष्ट सबक है, जिनमें राज्य वित्त आयोगों के गठनों में निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ उनका वित्त पोषण आयोग के साथ सतत सहयोग शामिल है। कुल मिलाकर, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यह स्पष्ट करता है कि संघ सरकार और राज्यों के बीच राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर एक राय होने के कई लाभ हैं, जिससे राजकोषीय इक्वालाइजेशन की गहनता से निगरानी करने में,

राजकोषीय संघवाद पर पड़े नए संघातों की समीक्षा करने में और अनुदानों पर निष्पादन मानदंडों को निर्धारित करने में सहायता मिलती है।





## अध्याय 3

# संदर्भ-अवधारणा : विगत का विश्लेषण

15वें वित्त आयोग (एफसी-XV) ने 2011-12 से 2019-20 (बीई) की अवधि के दौरान संघ और राज्यों के वित्त तथा अंतर-सरकारी अंतरणों की समीक्षा की। 2015-16 के बाद की अवधि में देश के राजकोषीय संघवाद और राजकोषीय प्रणाली की रूपरेखा में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। इस बीच योजना आयोग को समाप्त किया गया, योजनाबद्ध और गैर- योजनाबद्ध व्यय के बीच विभेद को समाप्त किया गया, माल एवं सेवा कर लागू करने के माध्यम से अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में परिवर्तन होने के साथ-साथ 14वें वित्त आयोग द्वारा करों के विभाज्य पूल में राज्यों के अंश में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए उसे 42 प्रतिशत किया गया।

राजकोषीय समेकन के संबंध में धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए पर्याप्त प्रगति की गई तथा राजकोषीय घाटा 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत हो गया था और राजस्व घाटे में भी समरूप गिरावट आई जो 4.5 प्रतिशत से घटकर 2.4 प्रतिशत पर आ गया। इस समेकन को, कर-जीडीपी अनुपात में सीमांत सुधार करके, जो 10.2 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गया, विनिवेश से प्राप्तियों में बढ़ोत्तरी करके और मुख्य रूप से पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर राजस्व व्यय को कम करके हासिल किया गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, रक्षा सेवाओं पर व्यय 2011-12 के 2 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 1.5 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान जीडीपी की तुलना में ऋण का अनुपात 51.8 प्रतिशत से सुधरकर 47.9 प्रतिशत हो गया। 01 जुलाई 2017 को माल एवं सेवा कर लागू किए जाने से, राज्यों के लिए पांच वर्षों तक 14 प्रतिशत की आश्चर्यजनक राजस्व वृद्धि तो सुनिश्चित हो गई किंतु संघ सरकार के राजस्व में एक प्रकार की अनिश्चिता-सी आ गई थी। उपर्युक्त संकेतक संघ सरकार की खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु आस्थगित देयताओं और एवं गैर-बजट उधारियों की बढ़ती विवशताओं का समावेश नहीं करते। अदत्त देयताएं और बजट-भिन्न उपाय (ईबीआर) राजकोषीय लेखा की सत्यनिष्ठा को प्रभावित करते हैं। एक स्वागतयोग्य कदम के तौर पर, संघ सरकार ने 2019-20 से अपने मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में ईबीआर के विवरणों को शामिल करना प्रारंभ कर दिया है।

राज्यों के संदर्भ में, 2011-12 से 2018-19 की अवधि में राज्यों के संबंध में समेकित राजकोषीय संकेतकों का अवहास हुआ है, जहां सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो गया। बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय एवं प्रचालनिक सुधार और पुनरुद्धार के लिए शुरु की गई उज्ज्वल डिस्कॉम ऐश्योरेंस योजना (उदय) का राज्य सरकारों के समेकित संकेतकों पर 2015-16 और 2016-17 दोनों वर्षों में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उदय योजना का प्रभाव राज्यों के कुल ऋण-जीडीपी अनुपात में भी दिखाई दिखाई दिया, जो 2011-12 के 22.6 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 24.3 प्रतिशत हो गया था। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप यह देखा गया कि जीडीपी अनुपात के रूप में राज्यों को किया जाने वाला समग्र कर अंतरण, 2014-15 के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 4 प्रतिशत हो गया। हस्तांतरण में इस वृद्धि के बावजूद भी, सात पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों (पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहित) ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुपात के रूप में, 2014-15 और 2015-16 के बीच संघ से प्राप्त होने वाले समग्र अंतरणों में गिरावट देखी है, जिसका मुख्य कारण सामान्य केंद्रीय सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता और विशेष योजनाबद्ध सहायता के रूप में दिए जाने वाले सहायता अनुदान में कमी किया जाना है।

अंतर-सरकारी हस्तांतरणों में, संघ सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों में अंतरण का अंश 13वें वित्त आयोग के 23.8 प्रतिशत से बढ़कर 14वें वित्त आयोग की अवधि के पहले चार वर्षों में 31.37 प्रतिशत पर पहुंच गया। संघ के हस्तांतरणों में अनुदान देने के स्थान पर अंतरण की व्यवस्था अपनाने के संघटनात्मक बदलाव से राज्यों को अपनी इच्छानुसार व्यय करने की अत्यधिक नम्यता (स्वतंत्रता) प्राप्त हुई।

3.1 इस आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) में आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वह “संघ और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकद अनिशेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रयासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा की सिफारिश करेगा, जहां समता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होकर देश में अधिक समावेशी विकास करते हुए सामान्य और सरकारी ऋण और घाटे के स्तर को उपयुक्त रूप में बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाए। आयोग यह जांच भी कर सकेगा कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं” (पैराग्राफ 5)। तदनुसार, आयोग ने 2011-12 और 2020-21 (बीई) के बीच की प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान देते हुए संघ और राज्यों के वित्त की प्रमुख प्रवृत्तियों की समीक्षा की है।

3.2 पिछले पांच वर्षों में देश की रोजकोषीय व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए हैं। योजना आयोग को समाप्त किया गया और इसके स्थान पर 01 जनवरी 2015 को नीति (नेशनल इंस्टिट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग को समाप्त किए जाने से केंद्रीय आयोजना का पैसठ वर्षों का लंबा युग समाप्त हो गया और राज्यों के लिए हस्तांतरणों की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन का मार्ग खुला। संसाधनों के आवंटन-निर्धारण में नीति आयोग की भूमिका नहीं होती, जैसाकि उसके पूर्ववर्ती आयोग की भूमिका थी। नीति आयोग की परिकल्पना 'सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने, अवसर से समतावादी पहुंच उपलब्ध कराने, भागीदारी के साथ सुशासन को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए की गई है।'<sup>1</sup> राज्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का एक साझा विज्ञान परिकल्पित करने के लिए, 'नीति आयोग विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और कार्यनीतिक सहयोग प्रदान करेगा।'<sup>2</sup> इसका एक परिणाम यह हुआ कि मार्च 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त किए जाने के बाद 2017-18 के संघ के बजट में योजनाबद्ध एवं गैर-योजनाबद्ध व्यय के बीच भिन्नता समाप्त हो गई। इसके स्थान पर, व्यय को राजस्व एवं पूंजी के रूप में वर्गीकृत करने की, संवैधानिक रूप से अधिदिष्ट और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य मानक रीति (प्रेक्टिस) को अपनाया गया है।

3.3 14वें वित्त आयोग का पंचाट अपने विगत आयोगों से अलग था। आयोग ने गैर-योजनाबद्ध एवं योजनाबद्ध राजस्व व्ययों, दोनों पर पुनर्विचार किया और राज्यों के लिए अंतरण को 2015-16 से आगे की अवधि हेतु विभाज्य पूल के 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया था। इससे न केवल सामान्य प्रयोजन के हस्तांतरणों के पैमाने में काफी वृद्धि हुई, अपितु संघ से राज्यों को किए जाने वाले समस्त हस्तांतरणों में भी एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन हुआ। परिणामस्वरूप, योजना आयोग द्वारा पूर्व में संस्तुत विभिन्न योजनाबद्ध व्ययों, जैसे कि सामान्य केंद्रीय सहायता (एनसीए), विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) और विशेष योजनाबद्ध सहायता (एसपीए) को समाप्त कर दिया गया। नीति आयोग द्वारा गठित मुख्यमंत्रियों के एक उप-समूह द्वारा दी गई अनुशंसाओं<sup>3</sup> के आधार पर, संघ सरकार ने भी 2016-17 में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को अट्टाईस प्रमुख योजनाओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें छह प्रमुख शीर्ष योजनाएं, बीस शीर्ष योजनाएं और दो वैकल्पिक योजनाएं शामिल हैं। वर्तमान में, उनतीस योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त,

<sup>1</sup> कैबिनेट सचिवालय का संकल्प, सं. 511/2/1/2015 दिनांक 1 जनवरी, 2015

<sup>2</sup> तत्रैव

<sup>3</sup> केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाने पर गठित मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की रिपोर्ट, अक्टूबर 2015.,

<https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-08/Final%20Report%20of%20the%20Sub-Group%20submitter%20to%20PM.pdf>

सीएसएस के मध्यावधि फ्रेमवर्क और उनकी समाप्ति की तारीखों को वित्त आयोग चक्रों की समाप्ति से (को-टर्मिनस) संबद्ध कर दिया गया है। लोक वित्त प्रबंधन से संबंधित एक प्रमुख पहल यह रही है कि लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रक्रियाविधि शुरू की गई है। अन्य दो सुधारों के अंतर्गत एक था, रेलवे बजट का सामान्य बजट में विलय और दूसरा, 2017-18 के बजट से, 01 फरवरी को बजट प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की शुरुआत।

3.4 इस अवधि में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की स्वीकृति तथा 01 जुलाई, 2017 से देशभर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों की रूपरेखा में व्यापक परिवर्तन भी हुए। कर-अंतरण में तेजी से वृद्धि के कारण सामान्य-प्रयोजनों के लिए होने वाले हस्तांतरणों के अंश में बढ़ोत्तरी हुई है। दूसरी ओर, संघ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भी हस्तांतरणों की संरचना में दो तरह से परिवर्तन हुए हैं : (क) राज्यों को योजना अयोग के माध्यम से सहायता देने की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है और (ख) सीएसएस में राज्यों की हिस्सेदारी में वृद्धि की गई है ताकि संघ सरकार की सहायता पर राज्यों की निर्भरता कम हो सके।

3.5 इसमें कोई संशय नहीं है कि देश में अप्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में जीएसटी की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार है। बड़ी संख्या में संघीय और राज्य करों को एक-साथ मिलाकर एकल कर व्यवस्था के साथ लागू जीएसटी प्रणाली से यह उम्मीद है कि विभिन्न करों की भरमार या 'कर के ऊपर कर' की व्यवस्था के दुष्प्रभावों से निजात मिलेगी तथा एकसमान राष्ट्रीय बाजार का मार्ग प्रशस्त होगा। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से, जीएसटी लागू होने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि जीएसटी से पहले की तुलना में, वस्तुओं पर समग्र कर भार में अनुमानित कमी आएगी। जीएसटी की उगाही के लिए संघ और राज्यों को समवर्ती क्षेत्राधिकार समनुदिष्ट किए जाने के लिए एक ऐसे विशिष्ट संस्थागत तंत्र की आवश्यकता थी जो यह सुनिश्चित करे कि करों की संरचना, डिजाइन और प्रचालन के बारे में निर्णय इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाएं। इसके लिए, राजकोषीय संघवाद के एक स्तंभ के रूप में जीएसटी परिषद का संस्थागत विकास, एक प्रमुख सकारात्मक कदम रहा है।

3.6 जीएसटी के कार्यान्वयन में कुछ विशेष चुनौतियां भी उभरकर सामने आई हैं। राजस्व प्राप्ति में आशानुरूप वृद्धि न हो पाने और निपटारे (सेटलमेंट) की प्रक्रिया में कठिनाइयों के कारण संघ और राज्यों, दोनों के वित्त पर प्रभाव पड़ा है। प्रारंभिक चरण में, उम्मीद से कम जीएसटी राजस्व प्राप्त होने के कारणों के तौर पर, कर-दरों एवं कर-विवरणियों में होने वाले अनेक बदलावों, विवरणियां दाखिल

करने की समय-सीमा में फेरबदल, इन्वॉयस मैचिंग, रिवर्स चार्ज जैसे अपवंचन-रोधी उपायों को देरी से लागू किए जाने, तकनीकी खामियों तथा बोझिल अनुपालन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

3.7 इस अध्याय को पांच खंडों में विभाजित किया गया है। हमने सबसे पहले कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है और उसके बाद जीएसटी की समीक्षा की है जिसके लिए हमारे पास वित्त 2017-18 (नौ माह), 2018-19 और 2019-20 के आंकड़े (डेटा) उपलब्ध हैं। हमने जीएसटी की समीक्षा अलग से की है, क्योंकि इसका संघ और राज्य, दोनों की वित्त व्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। अपनी अंतिम रूपरेखा में आने के बाद, जीएसटी का हमारी पंचाट अवधि के दौरान वित्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। तीसरे खंड में हमने संघ के वित्त की समीक्षा की है और उसके उपरांत चौथे खंड में राज्य के वित्त की समीक्षा की है। अंततः हमने अंतिम खंड में अंतर-सरकारी हस्तांतरणों की प्रवृत्तियों पर विचार किया है।

## महामारी का प्रभाव

3.8 विश्व की अर्थव्यवस्था, जो पहले ही 2017 से घटती चली आ रही है, कोविड-19 से बुरी तरह से प्रभावित हुई और अब भी प्रभावित बनी हुई है, जोकि श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करने वाला एक नोवल कोरोनावायरस है, जिसे चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर में न्यूमोनिया के अचानक बड़ी संख्या में देखे गए मामलों बाद, दिसंबर, 2019 के अंत में सबसे पहले चीन द्वारा सूचित किया गया। चूंकि यह मानव से मानव में तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है अतः यह विश्व के सभी देशों में तेजी से फैल गया और इसने बहुत जल्दी ही एक महामारी का रूप ले लिया। 22 अक्टूबर, 2020 तक, कोविड-19 ने 40 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया और 210 से अधिक देशों में इससे 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मानव जीवन को हुई दर्दनाक क्षति के अलावा, इस महामारी के भारी एवं अचानक बोझ ने सभी देशों की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को हिलाकर रख दिया है जिसके कारण चिकित्सकों एवं परा-चिकित्सकों, अस्पताल में बिस्तरों, गहन परिचर्या इकाइयों (आईसीयू), और संगरोध सुविधाओं का अभाव हो गया है। इस महामारी से, गैर-कोविड-19 रोगी भी प्रभावित हुए हैं।

3.9 विषाणु को नियंत्रित करने तथा मानव-जीवन को बचाने के लिए, अधिकांश देशों ने क्वारन्टीन और सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) बनाए रखने के साथ बड़े स्तर पर लॉकडाउन की घोषणा की, जिसका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी अपनी हाल ही के विश्व आर्थिक परिदृश्य

(डब्ल्यूईओ) में 'ग्रेट लॉकडाउन' के रूप में किया है। आईएमएफ द्वारा जून, 2020 में जारी चेतावनी के अनुरूप इस 'ग्रेट लॉकडाउन' ने 'ग्रेट डिप्रेशन' के बाद 'वर्स्ट रिशेसन' (यानी मंदी के बुरे दौर) को जन्म दिया है। डब्ल्यूईओ के अक्टूबर, 2020 के अपडेट के अनुसार, 2020 में विश्व की अर्थव्यवस्था के 4.4 प्रतिशत पर सिकुड़ने की संभावना है। चूंकि इस महामारी का न तो कोई चिकित्सीय उपचार है, न कोई टीका उपलब्ध हुआ है, और न ही कोई रोगनिरोधक (प्रोफाइलेक्टिक) की खोजा गया है, अतः इसकी उग्रता और अवधि के आधार पर इस महामारी का प्रकोप कब तक रहेगा, यह कहना अनिश्चित है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने यह उम्मीद की थी कि विश्व अर्थव्यवस्था में 2021 में 5.2 की वृद्धि होगी; 2021 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)<sup>4</sup> का स्तर 2019 के स्तर से 0.6 प्रतिशत ऊपर रहने की संभावना है। विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में इसी प्रकार की संभावना विश्व बैंक (2020 में -5.2 प्रतिशत और 2021 में 4.2 प्रतिशत) जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ-निकायों और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) (सभी ओईसीडी देशों के लिए 2020 में -9.3 प्रतिशत और 2021 में 2.2 प्रतिशत) द्वारा भी जताई गई है।

3.10 आईएमएफ के अप्रैल 2020 में प्रकाशित डब्ल्यूईओ के आंकड़ों के अनुसार, 2014-2019 की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के वार्षिक औसत 3.5 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत की तेज गति से बढ़ी। 100 मिलियन से अधिक आबादी या 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वाली तेईस बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, भारत की अर्थव्यवस्था वार्षिक औसत विकास दर के अनुसार 2013 से 2019 की अवधि के दौरान सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। आगे के समय में, अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की तेजी को महामारी और अन्य तीन सॉबेरिंग विकासों से झटका लग सकता है।

3.11 सर्वप्रथम, जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल स्थायी पूंजी सृजन में गिरावट आई, जो 2011-12 में 34.3 प्रतिशत से स्थिर रूप में घटकर 2017-18 में 30.8 प्रतिशत पर आ गई। हालांकि 2018-19 में वृद्धि के साथ 31.9 प्रतिशत पर आने के बाद यह 2019-20 में पुनः गिरकर 29.8 प्रतिशत पर आ गई। निवेश के संबंध में कोविड-पूर्व की गई इस घोषणा पर इस महामारी का दबाव पड़ने तथा विकास के प्रभावित होने की संभावना है।

3.12 दूसरी समस्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण (क्रेडिट) की धीमी वृद्धि कमी, और 2011-12 से देखी जाने वाली बैंकों की बढ़ती गैर-अनर्जक आस्तियों यानी नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) से संबंधित है। 2011-12 में 20.6 प्रतिशत की

<sup>4</sup> वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक अक्टूबर, 2020, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष


उच्च वृद्धि की तुलना में, ऋण वितरण में प्रत्येक वर्ष गिरावट आई जो 2018-19 में 7.2 प्रतिशत पर और 2019-20 में लगभग 6 प्रतिशत पर पहुंच गया।<sup>5</sup> इस मंदी, जो 2005 और 2010 के बीच 24 प्रतिशत से अधिक की उच्च वार्षिक औसत ऋण वितरण के पांच वर्षों के बाद आई, का आंशिक कारण 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में सरल मौद्रिक नीति का अपनाया जाना था। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में, सकल एनपीए में बढ़ोत्तरी हुई, जो 2008-09 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 14.6 प्रतिशत हो गया। 2018-19 में गिरावट के साथ यह 9.3 पर आ गया, और ऋण मोरेटोरियम तथा शिथिल आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के साथ इसमें और गिरावट आई और 2019-20 में यह 8.5 प्रतिशत पर आ गया। एनपीए की समस्या सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में विशेष रूप से एक आम बात है।<sup>6</sup> संघ सरकार ने 2017-18 में इन बैंकों में 80,000 करोड़ रुपए, 2018-19 में 1.06 लाख करोड़ रुपए और 2019-20 में 70,000 करोड़ रुपए डाले। उच्च एनपीए स्तरों से बैंकों का जोखिम बढ़ जाता है और उनका उधार देने की गतिविधियां सीमित हो जाती हैं। उच्च एनपीए की इस प्रकार की समस्या देश के सामने 1996 से 2002 के दौरान भी आई थी, जिसे सार्वजनिक उपक्रम बैंकों के पुनःपूंजीकरण और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से सफलतापूर्वक निपटा लिया गया था। इन बैंकों के वर्तमान एनपीए की समस्या के उपरांत कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था पर और बोझ डाल दिया है।

3.13 तीसरी समस्या है तिमाही जीडीपी वृद्धि में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट, जैसा कि 2016-17 से देखा जा रहा है (चित्र 3.1)। 2019-20 की चौथी तिमाही में, अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में, 3.1 प्रतिशत की आकलित वृद्धि हुई। कोविड-19 महामारी ने 2019-20 की अंतिम तिमाही के अंत में देश को तब झटका दिया, जब अर्थव्यवस्था पहले से गिरावट के दौर से गुजर रही थी। 2020-21 की प्रथम तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की गिरावट हुई।

<sup>5</sup> वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट परिदृश्य, आरबीआई, जुलाई 2020

<sup>6</sup> वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2019. भारतीय रिजर्व बैंक



<https://m.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=931>



3.14 महामारी ने संघ और राज्य सरकार स्तरों पर राजकोषीय प्रबंधन और संघीय रोजकोषीय व्यवस्था को कई उलझनों में डाल दिया है। सर्वप्रथम, इससे कोविड-प्रभावितों हेतु उपचार एवं स्वास्थ्य-परिचर्या सुविधाओं के लिए तथा ग्रेट लॉकडाउन के कारण जिन लोगों की रोजी-रोटी छिन गई, उन्हें राहत उपलब्ध कराने के लिए उच्च व्यय की जरूरत है। आर्थिक गतिविधि में गतिरोध आने से देश में प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की संख्या और संबद्ध समस्याओं के परिमाण का पता चला है। 2011 की जनगणना में अंतर-राज्य प्रवासियों की संख्या लगभग 54 मिलियन बताई गई थी। प्रवासी श्रमिकों की लगभग आधी संख्या के बराबर की बढ़ोत्तरी में वृद्धि विशेष रूप से कन्याओं का अंतर-राज्य विवाह हो सकता है। इन प्रवासियों का प्रवास अधिकतर गरीब राज्यों से समृद्ध राज्यों, विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों की ओर था (चित्र 3.2 एवं 3.3)। लॉकडाउन के कारण उनकी आजीविकाएं छिन जाने के कारण, प्रवासी श्रमिकों ने शहरी स्लम क्षेत्रों में अपने अधम आवासों को छोड़कर, आरामदायक एवं सुरक्षित स्थान (जिसे वे 'अपना घर' कहते हैं) पर जाने का फैसला लिया। लाखों की संख्या में अपने घर लौटने के लिए इच्छुक श्रमिक अपने सिर पर छोटी-मोटी वस्तुओं को लेकर राजमार्ग पर पैर घसीट-घसीट कर पैदल चल रहे थे, यह त्रासदी कोविड-19 के चिरस्थायी यादगार दृश्य बने रहेंगे। दूसरी ओर, सरकार को भी आगे आना पड़ा। सरकार ने श्रमिकों के घर लौटने के मार्ग में उनके लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की, जब वे अपने घर पहुंचे तो उनके लिए क्वेन्टीन में रहने की व्यवस्थाएं कीं, और यहां तक कि उन्हें उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष



रेलगाडियां भी चलाई। प्रवासियों के वापस लौट आने से संबंधित राज्यों, जिनकी अर्थव्यवस्था में ये प्रवासी श्रमिक योगदान देते आ रहे थे, की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। वापस आने वाले श्रमिकों और उनके परिवार सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, उन्हें नकद हस्तांतरण किए गए और उन्हें अतिरिक्त खाद्यान्नों का मुफ्त में वितरण किया गया, और राशन कार्ड को पोर्टेबल (यानी देशभर में कहीं से भी राशन प्राप्त करने योग्य जेब में रखा जा सकने वाला) बनाने के कदम उठाए गए जिसे वे देशभर में अपने साथ ले जा सकते हैं।



3.15 दूसरा, महामारी ने सरकार के दोनों स्तरों के राजस्वों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। आर्थिक गतिविधि में मंदी के कारण कर राजस्वों में तेजी से गिरावट आ सकती है। जब वैयक्तिक आय कम हो जाती है, तब लोग उच्च टैक्स स्लैब से निचले टैक्स स्लैब में आ जाते हैं, और कुछ मामलों में छूट की सीमा से भी नीचे आ जाते हैं। इसी प्रकार से, उत्पादन और बिक्री में गिरावट, किंतु स्थायी लागतों और ऋणों के बोझ और उनकी ऋणमुक्ति के कारण कई व्यवसायिक संगठनों को लाभ कमाने के बजाय नुकसान उठाना पड़ता है। अतः, वैयक्तिक एवं कॉर्पोरेट आय करों से राजस्वों में आय की तुलना में तेजी से गिरावट आती है, और विगत की तुलना में उछाल - जो आय में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में राजस्वों में प्रतिशत परिवर्तन को निरूपित करता है - विगत की तुलना में बढ़ती आय के साथ अधिक हो सकता है। इसी प्रकार से, आर्थिक गतिविधियों और आय में गिरावट के साथ, उपभोक्ता गैर-जरूरी वस्तुओं के खर्च को कम कर देते हैं जिसके कारण अप्रत्यक्ष करों में, आय की

तुलना में, तेजी से गिरावट आती है। महामारी के साये में, सरकार को व्यय में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति के साथ संसाधनों के अभाव का दोहरा संकट झेलना पड़ सकता है जैसाकि अध्याय 2 में 'सिसर्स इफेक्ट' के रूप में वर्णित किया गया है।

3.16 तीसरा, व्यावसायिक संगठनों की बैलेंस शीटों के प्रभावित होने की सीमा तथा उनके संगठनात्मक एवं सूचनात्मक पूंजी नुकसान का अभी स्पष्ट पता नहीं चला है। तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महामारी ने आर्थिक गतिविधि, विशेष रूप से मानव संपर्क वाली गतिविधि, को जिस प्रकार अचानक एवं बुरी तरह प्रभावित किया है, उसकी स्थिरता के लिए राजकोषीय सहायता व स्टिमुलस दिए जाने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति नकदी-तरलता की समस्याओं का समाधान तो कर सकती है, परंतु ऋण चुकाने की समस्याओं से निपटने के लिए राजकोषीय सहायता देने की आवश्यकता होती है। फिर भी, राजकोषीय स्टिमुलस की संभावना 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के लागू होने के बाद सत्तर वर्षों में राजकोषीय समेकन के माध्यम से प्राप्त परिसीमित एवं अवरूद्ध प्रगति तक सीमित है। यह महत्वपूर्ण है कि महामारी के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने हेतु एक उत्कृष्ट राजकोषीय नीति में राजकोषीय समेकन के प्रतिबद्ध मार्ग के साथ समान विश्वसनीय निकास योजना की आवश्यकता होगी।

3.17 चौथा, महामारी ने संघ और राज्यों के बीच 3 घटकों – वित्त, कार्य और कार्यकर्ताओं के उत्तम विभाजन वाली संघीय संरचना की चुनौतियों को बढ़ा दिया है। संविधान के अनुच्छेद 293 के कारण, राज्य सरकारें उधारी-सीमाओं के अंतर्गत कार्य करती हैं, अतः, संघ सरकार द्वारा राज्यों के लिए बजटीय सीमाओं का अनुमोदन किया जाता है। इसके विपरीत संघ सरकार की बजट सीमाएं स्व-अधिरोपित होती हैं और कम-से-कम विगत में तो ये इसके विवेकाधीन ही रही हैं। स्वीकार्य तौर पर, चूंकि राज्य सरकारें वास्तविकता से ज्यादा रूबरू रहती हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे स्थानीय स्तर पर उपयुक्त क्रियाकलापों को परिकल्पित एवं कार्यान्वित कर महामारी के प्रभाव से निपटने में और भी ज्यादा सक्षम होंगी। तथापि, कुछ आवश्यक सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता के समानता के उद्देश्य का पालन कर, उन्हें सभी राज्यों में दक्षता के साथ उपलब्ध कराना संघ के हस्तक्षेप के पक्ष में खड़े होने का एक तर्क हो सकता है। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं से भिन्न इस महामारी ने भौतिक संपत्तियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही यह एक झटके में रुकने वाली घटना है, फिर भी इसे एक आपदा तो कहा ही जा सकता है तथा संघ सरकार ने आपदा राहत के तहत पारंपरिक रूप से एक बड़ी भूमिका निभाई है। यह महामारी व्यापक रूप से मान्य आनुषंगिकता के सिद्धांत - जो मुद्दों के इनके समाधान के अनुरूप सर्वाधिक तात्कालिक स्तर पर

समाधान का समर्थक हो - और सार्वजनिक व्यय के अंतर-राज्यीय अधिप्लावन प्रभावों तथा संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित क्षेत्रों में संघ के बढ़ते हस्तक्षेप के बीच तनाव का समाधान करने की आवश्यकता को भी इंगित करती है।

## माल और सेवा कर की समीक्षा

3.18 पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजकोषीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख परिवर्तनों में से एक है जीएसटी का कार्यान्वयन। एकीकृत अप्रत्यक्ष कर ढांचे के साथ एक व्यापक मूल्यवर्धित कर (वैट) की अनुशंसा सबसे पहले विजय केलकर की अध्यक्षता में एफआरबीएम पर कार्यबल (टास्क फोर्स) द्वारा 2002 में की गई थी। जीएसटी, जोकि दो दशकों से भी अधिक समय से सुधारों की कार्य-सूची में शामिल रहा था अंततः जुलाई, 2017 में प्रभावी हो गया। सभी हितधारकों के साथ गहन परामर्शों एवं चर्चाओं के पश्चात, इसे 2016 में संविधान (एक सौ एक वां) संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया, जिसके बाद जीएसटी को कार्यान्वित करने हेतु संसद तथा सभी राज्य विधानमंडलों द्वारा अपने-अपने कानूनों/विधियों में अनुवर्ती संशोधन किए गए।

3.19 जीएसटी से 'एक-राष्ट्र-एक-बाजार-एक-कर' व्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय दक्षता लाभ हासिल करने तथा कर-अनुपालन में सहायक लाभों को हासिल करने, कर ढांचे का सरलीकरण करने और घरेलू उत्पादन एवं व्यापार में बाधाओं का उन्मूलन करने की परिकल्पना की गई है। सरकारी वित्त के संदर्भ में, इससे मध्यावधि में समग्र कर-जीडीपी अनुपात में सुधार आने और राज्यों को संघ की ओर से ज्यादा हस्तांतरण प्राप्त होने की आशा की गई। वस्तुओं और सेवाओं के कराधान को अंततः 'उद्गम' से 'गंतव्य' ('ओरिजन' टू 'डेस्टिनेशन') के सिद्धांत पर लागू करने तक की यह यात्रा वास्तव में ऐतिहासिक भी है।

3.20 भारत में जीएसटी की एक उल्लेखनीय विशेषता जीएसटी परिषद की स्थापना है, जिसमें संघ सरकार तथा सभी राज्य सरकारों एवं विधानमंडलों वाले संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। परिषद के पास जीएसटी के संदर्भ में बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की पूरी शक्तियां हैं। अतः यह परिषद देश के राजकोषीय संघवाद में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

3.21 जीएसटी माल एवं सेवाओं पर एक उपभोग-आधारित मूल्य-वर्धित कर है जिससे संघ और राज्य दोनों द्वारा दोहरे उद्ग्रहण के तौर पर लगाया जाता है। एक उल्लेखनीय कदम के रूप में, जीएसटी

के अंतर्गत माल और सेवाओं पर संघ एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न दरों पर लगाए गए बहु-करों को जीएसटी के अंतर्गत समावेशित किया गया है (तालिका 3.1)।


**तालिका 3.1: जीएसटी में समाविष्ट कर और उनकी दरें (जून, 2017 में)**

संघ के कर	दर (%)	राज्यों के कर	दरें (%)
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	12.36	मूल्यवर्धित कर (वैट)	10-14.5
सेवा कर	15	प्रवेश कर	0-12.5
केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी)	2	विलासिता कर	3-20
प्रतिकारी शुल्क (Countervailing Duties) (सीवीडी)	12.36	मनोरंजन कर	15-50
सीमा शुल्कों पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी)	4	क्रय कर	10-14.5
अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	5-10	लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर	10-15

3.22 वर्तमान जीएसटी के तहत, संघ और राज्य दोनों के पास एक समान आधार पर कर लगाने/वसूली की समवर्ती शक्तियां हैं। राज्यों द्वारा राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) की उगाही और संग्रहण किया जाता है तथा संघ द्वारा केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) की उगाही और संग्रहण किया जाता है। किसी विशेष माल या सेवा या दोनों के संयोजन के लिए, एसजीएसटी और सीजीएसटी दरें एक समान हैं। किसी माल और सेवा पर जीएसटी दर का मतलब एसजीएसटी एवं सीजीएसटी की दरों का योग है, और एसजीएसटी एवं सीजीएसटी दोनों जीएसटी की दर का आधा हैं। माल एवं सेवाओं के अंतर-राज्य परिवहन तथा आयातों एवं निर्यातों पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) लगाया जाता है।<sup>7</sup> आईजीएसटी, सामान्य रूप से एसजीएसटी और सीजीएसटी का एक संयोजन है जिसे संघ सरकार द्वारा लागू एवं संगृहीत करके एक अलग खाते में रखा जाता है तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट के निपटान तथा माल एवं सेवाओं के गंतव्य का प्रमाणन करने के पश्चात उसे संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच परस्पर वितरित किया जाता है।

<sup>7</sup> निर्यातों को टैक्स क्रेडिट के माध्यम से आईजीएसटी से पूर्णतया छूट दी गई है।

3.23 विभिन्न वस्तुओं (माल) एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में काफी अंतर हैं। 18 प्रतिशत की मानक दर के अलावा, जीएसटी के तीन स्लैब हैं - 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त, कुछ माल एवं सेवाओं को जीएसटी नेट से छूट देकर बाहर रखा गया है। कुछ आवश्यक माल एवं वस्तुओं पर शून्य दर पर कर लगाया जाता है और सर्राफा (बुलियन) वस्तुओं पर जीएसटी 3 प्रतिशत की विशेष दर पर लगाया जाता है (चित्र 3.4)।




3.24 जीएसटी के तहत कई करों का समावेश किया गया है। जीएसटी का योगदान संघ सरकार के सकल-कर राजस्व में 35 प्रतिशत और राज्य के स्वयं के राजस्व में लगभग 44 प्रतिशत का है। चूंकि करों के विभाज्य पूल को संघ सरकार का सकल कर राजस्व निर्धारित करता है, जिससे संघ सरकार द्वारा राज्यों को हस्तांतरण, और राज्यों के स्वयं के करों में बदलाव उनकी संसाधन आवश्यकताओं को प्रभावित करता है, इसलिए जीएसटी भारतीय संघीय वित्त व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। जीएसटी की कर संरचना का या इसमें कोई बदलाव किए जाने का प्रभाव संघ सरकार और राज्य सरकारों दोनों के राजस्वों एवं व्यय पर पड़ता है, और उसके निहितार्थ दोनों स्तर की सरकारों की राजकोषीय समेकन व्यवस्था पर भी होते हैं।

3.25 जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधार को स्थायित्व प्राप्त करने में समय लगता है। अतः जीएसटी का विश्लेषण करते हुए, जीएसटी कार्यान्वयन के 2017-18 के प्रारंभिक नौ महीनों (जुलाई से मार्च) से संबंधित आंकड़ों/डेटा को बाहर रखा जा सकता है। इसके फलस्वरूप, हमारे पास केवल 2018-19 के लिए मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह और दखिल की गई कर-विवरणियों से संबंधित आंकड़े ही उपलब्ध होते हैं। यह सीमितता तो आंकड़ों के विश्लेषण में एक गंभीर समस्या है ही साथ-ही-साथ प्रायः बदलती दर संरचना और जीएसटी अनुपालन व्यवस्था इस चुनौती को और बढ़ा देती है। अतः हालांकि इस आयोग ने उपलब्ध आंकड़ों से कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, पर इसका मुख्य ध्यान जीएसटी में संरचनात्मक एवं उसकी रूपरेखा/डिजाइन से संबंधित मुद्दों, संघ सरकार और राज्य सरकारों पर राजकोषीय प्रभावों तथा अंतर-सरकारी हस्तांतरणों पर रहा है।

## संघ सरकार पर समग्र प्रभाव एवं उसके निहितार्थ

3.26 2019-20 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 11.93 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 2018-19 में हुए सकल राजस्व संग्रह की तुलना में 2.3 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि को दर्शाता है। 2019-20 में 7.2 प्रतिशत की नामिक (नोमिनल) जीडीपी वृद्धि के साथ, जीएसटी में 0.3 का उछाल देखा गया। इस प्रकार के कम उछाल का कारण आयतों पर आईजीएसटी के संग्रह में ऋणात्मक वृद्धि है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू जीएसटी संग्रह में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उछाल 01 से मात्र अधिक था। 2019-20 के लिए सकल जीएसटी राजस्व और जीडीपी अनुपात 5.9 प्रतिशत है।

चित्र 3.5: संघ के कर (जीडीपी का प्रतिशत)



स्रोत: विभिन्न वर्षों के लिए संघीय प्राप्ति बजट; जीडीपी के लिए एनएसओ, सीजीए अनंतिम लेखा 2019-20.

3.27 जीएसटी लागू होने के पश्चात, राज्यों के साथ अपने सेवा कर आधार को साझा करने की सहमति देते हुए संघ सरकार के पास वस्तुओं की आपूर्ति पर कर लगाने की शक्ति है। जैसा कि चित्र 3.5 दर्शाता है, जीएसटी की शुरुआत से संघ सरकार के कर राजस्वों पर काफी प्रभाव पड़ा है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर (कम्पनशेसन सेस) को छोड़कर, संघ सरकार के अप्रत्यक्ष राजस्व घटकर जीडीपी के 4.31 प्रतिशत हो गए हैं। इसकी भरपाई प्रत्यक्ष करों से राजस्व में मामूली बढ़ोत्तरी से हुई है। तथापि, जीएसटी उपकर संग्रह को छोड़कर, सकल-कर राजस्व में 2016-17 के स्तरों की तुलना में जीडीपी के लगभग 1.7 प्रतिशत प्वाइंट की गिरावट आई है। इस प्रकार की भारी गिरावट, यदि यह जल्दी ही बहाल नहीं होती है, से राज्यों को कर अंतरण तथा मध्यावधि में संघ सरकार की राजकोषीय व्यवस्था एवं समेकन व्यवस्था प्रभावित होगी। जीडीपी के अनुपात के रूप में, कर राजस्वों के पहले से

न्यून स्तर को ध्यान में रखते हुए तथा कर प्रणाली में कोई विवेकीय बदलावों को नज़रअंदाज कर, प्रेक्षित 01 का उछाल - जीडीपी में 1 प्रतिशत वृद्धि के लिए राजस्व में प्रतिशत वृद्धि - एक चुनौती है जिसका समाधान संघ सरकार के स्तर पर कर नीति एवं कर प्रशासन दोनों में उपयुक्त कदम उठाकर किए जाने की आवश्यकता है।

3.28 जीएसटी कानून में, राज्य सरकारों को जीएसटी लागू होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए समावेशित करों के 2015-16 के संग्रह की तुलना में कम से कम 14 प्रतिशत की प्रत्याभूत (गारंटीड) राजस्व वृद्धि का आश्वासन दिया गया है। इस वृद्धि में किसी भी कमी की पूर्ति के लिए संघ सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु संगृहीत किए जा रहे एक अलग उपकर से जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के रूप में निधियां हस्तांतरित की जा रही हैं। अतः एसजीएसटी के संबंध में, राज्य के राजस्वों को 1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2022 तक परिरक्षित किया गया है।


3.29 जीएसटी शुरू करने के समय पर इस 14 प्रतिशत की आश्वस्त राजस्व वृद्धि का मतलब उछाल 1 से अधिक है। जीएसटी की शुरुआत से पहले के वर्षों के दौरान समाविष्ट करों में प्रेक्षित उछाल 1 से कम था। मुद्रास्फीति-लक्षित व्यवस्था के तहत मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा अर्थव्यवस्था में कुछ सुस्ती को ध्यान में रखते हुए, नोमिनल जीडीपी वृद्धि अपने आप में उम्मीद से कम है। अतः 14 प्रतिशत की वार्षिक दर पर संरक्षित राजस्व जीएसटी प्रणाली पर भारी बोझ डालता है। इसका प्रभाव जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर संग्रहों पर पड़ सकता है, जो राज्यों को उनके शॉर्टफाल की सीमा तक प्रतिपूर्ति करने हेतु अपेक्षित संग्रहों से काफी कम रह सकते हैं, जिसके कारण प्रतिपूर्ति उपकर दरों में वृद्धि करनी पड़ सकती है या संघ सरकार के वित्त पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

### **राज्यों के लिए निहितार्थ**

3.30 जीएसटी को कार्यान्वित करने की सहमति देते हुए राज्य सरकारों को अपनी राजकोषीय स्वायत्तता से काफी समझौता करना पड़ा था। विभिन्न कारकों, जैसे कि राज्यों के स्वयं के कर राजस्वों में समाविष्ट करों का अनुपात, जीएसटी-पूर्व के समय के दौरान करों में वृद्धि और राज्यों की संघ सरकार के हस्तांतरणों पर निर्भरता के आधार पर राज्यों के लिए निहितार्थ अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, राज्यों के स्वयं के 44 प्रतिशत कर राजस्वों को 2017-18 में जीएसटी में समाविष्ट किया गया था, जबकि आंध्र प्रदेश के संबंध में यह 35 से लेकर पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में 63 प्रतिशत तक था। इसी प्रकार से, वैट/बिक्री कर, जो समग्र स्तर पर समाविष्ट करों का लगभग दो-

तिहाई है, बिहार के संबंध में उसके स्वयं के कर राजस्वों का मात्र 50 प्रतिशत था और झारखंड के संबंध में 83 प्रतिशत था।

चित्र 3.6: संरक्षित राजस्व के प्रतिशत के रूप में जीएसटी प्रतिपूर्ति



3.31 हालांकि जीएसटी का पूर्ण प्रभाव अभी उजागर होना बाकी है, किंतु जीएसटी लागू होने के प्रथम तीन वर्षों में राज्यों के बीच एक नकारात्मक प्रवृत्ति वाला प्रभाव देखा गया है। जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 2017-18 में 47,937 करोड़ रुपए, 2018-19 में 75,311 करोड़ रुपए और 2019-20 में 1.12 लाख करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। चित्र 3.6 राजस्व के संरक्षित स्तर के अनुपात के रूप में, राजस्वों में शॉर्टफाल के आधार पर अलग-अलग राज्यों तथा सभी राज्यों के संबंध में जीएसटी के प्रभाव को दर्शाता है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीन ऐसे शीर्ष राज्य



हैं जिनका सभी तीन वर्षों में शॉर्टफाल था। छोटे राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों ने जीएसटी के तहत कराधान के 'ओरिजन से डेस्टिनेशन' सिद्धांत को अपनाकर कुछ बेहतर प्रदर्शन किया है। सत्ताईस राज्यों ने संरक्षित राजस्व के 12.85 प्रतिशत के समग्र शॉर्टफाल के साथ 2017-18 में क्षतिपूर्ति (प्रतिकर) प्राप्त की। हालांकि 2018-19 में कुछ राज्यों ने क्षतिपूर्ति प्राप्त की थी और इनमें से 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों सहित) को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किंतु समग्र शॉर्टफाल मामूली बढ़ गया था, जो संरक्षित राजस्व का 13.41 प्रतिशत था।

3.32 संरक्षित राजस्वों में शॉर्टफाल विभिन्न राज्यों में अलग-अलग था। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का 2017-18 में मामूली शॉर्टफाल बढ़कर 2018-19 में उसके संरक्षित राजस्वों का लगभग 11 प्रतिशत था। इसी प्रकार के उतार-चढ़ाव महाराष्ट्र, गोवा और हरियाणा के संबंध में देखे गए। 2019-20 में समग्र शॉर्टफाल काफी बढ़ गया था, जो राज्यों के संरक्षित राजस्वों का 17.5 प्रतिशत था। केवल चार पूर्वोत्तर राज्यों को 2019-20 में किसी प्रतिकर की जरूरत नहीं पड़ी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे बड़े राज्यों, जिन्हें 2018-19 में प्रतिकर देने की जरूरत नहीं पड़ी, का जीएसटी राजस्व 2019-20 में संरक्षित राजस्व की तुलना में कम हो गया।

3.33 यह भी उल्लेखनीय है कि जीएसटी-पूर्व की व्यवस्था में विभिन्न राज्यों में वैट की वृद्धि दर में काफी अंतर था। कुल मिलाकर, सभी राज्यों के संबंध में वैट/बिक्री कर की वृद्धि दर 2011-12 से 2016-17 की अवधि में 12.67 प्रतिशत थी। लेकिन बड़े राज्यों के बीच यह बिहार में 7.2 प्रतिशत से लेकर राजस्थान में 13.8 प्रतिशत तक की सीमा में थी। विगत में राज्यों के राजस्व वृद्धि में भारी उतार-चढ़ाव के अनुभवों पर कोई ध्यान न देते हुए जीएसटी राजस्व वृद्धि के आधार पर सभी राज्यों को समान दृष्टि से देखते हुए, पांच वर्षों के लिए 14 प्रतिशत वृद्धि दर के आश्वासन ने संघीय वित्त व्यवस्था में एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी है।

3.34 2021-26 की अवधि के लिए राज्यों के राजस्व का पूर्वानुमान करते समय, आयोग के समक्ष एक मुख्य चुनौती यह है कि उसकी पंचाट अवधि के प्रारंभिक सत्ताईस (27) महीने जीएसटी प्रतिकर योजना में शामिल हैं और अंतिम तैंतीस (33) महीने शामिल नहीं हैं। बड़े शॉर्टफाल वाले राज्यों के मुद्दे पर अध्याय 4 में राज्यों के वित्त संबंधी पूर्वानुमान के अंतर्गत विस्तार से की गई है।

3.35 उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि कर संरचना में ओरिजन-बेस्ड मल्टिपल टैक्सटेशन रिजीम से डेस्टिनेशन-बेस्ड जीएसटी रिजीम में परिवर्तनों के कारण जीएसटी के बारे में

संरचनात्मक मुद्दे उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार के संरचनात्मक मुद्दों की पहचान की जाए और जीएसटी के राजकोषीय एवं आर्थिक प्रभाव को कम करने हेतु समायोजन किया जाए।

## संघ के वित्त की समीक्षा

### राजकोषीय घाटा

3.36 आयोग ने तीन मुख्य राजकोषीय संकेतकों – राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा - का विश्लेषण किया है और 2011-12 से इनके सापेक्षिक निष्पादन की तुलना एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्यों और चौदहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए राजकोषीय समेकन के रोडमैप (रूपरेखा) के साथ की गई। तालिका 3.2 में, तेरहवें वित्त आयोग, चौदहवें वित्त आयोग और पंद्रहवें वित्त आयोग (2020-21) द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में संघ सरकार के विभिन्न राजकोषीय संकेतकों और निष्पादन का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 3.2: संघ सरकार के राजकोषीय संकेतकों का विवरण

(जीडीपी का प्रतिशत)

वर्ष	राजकोषीय घाटा		राजस्व घाटा		प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात %	ऋण	जीडीपी वृद्धि (नॉमिनल)%	जीडीपी वृद्धि (वास्त.)%
	वास्तविक	वित्त आयोग लक्ष्य*	वास्तविक	वित्त आयोग लक्ष्य*					
2011-12	5.9	4.8	4.5	2.3	2.8	76.3	51.8	14.4	5.2
2012-13	4.9	4.2	3.7	1.2	1.8	75.5	51.0	13.8	5.5
2013-14	4.5	3.0	3.2	0.0	1.1	71.1	50.5	13.0	6.4
2014-15	4.1	3.0	2.9	-0.5	0.9	70.7	50.1	11.0	7.4
2015-16	3.9	3.6	2.5	2.6	0.7	64.1	50.1	10.5	8.0
2016-17	3.5	3.0	2.1	2.3	0.4	60.0	48.3	11.8	8.3
2017-18	3.5	3.0	2.6	1.8	0.4	74.3	48.2	11.1	7.0
2018-19	3.4	3.0	2.4	1.4	0.4	70.6	47.9	11.0	6.1
2019-20 (आरई)	3.8	3.0	2.4	0.9	0.7	63.2	49.0	7.8	4.2**
2020-21 (बीई)	3.5	3.5	2.7	2.5	0.4	77.1	48.7	10.0	

स्रोत: संघ के बजट दस्तावेजों (बंधपत्रों को छोड़कर) और एनएसओ से जीडीपी के संबंध में लिए गए प्राथमिक आंकड़े

\* तेरहवां वित्त आयोग, चौदहवां वित्त आयोग, पंद्रहवां वित्त आयोग (2020-21)। लक्ष्यों को मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है और प्राथमिक घाटे के लिए कोई भी वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

\*\* एनएसओ के अनंतिम अनुमान,

3.37 संघ सरकार का राजकोषीय घाटा 2011-12 में जीडीपी के 5.9 प्रतिशत से निरंतर घटकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत पर आ गया, लेकिन यह 13वें वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग दोनों द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में अधिक बना रहा है। दो वर्षों - 2017-18 और 2018-19 - में कुछ विशिष्ट घटनाक्रमों की वजह से यह लक्ष्य बजटीय प्राक्कलनों की तुलना में नीचे आ गया अर्थात : (क) 2017-18 में जीएसटी लागू होने के बाद संरचनात्मक परिवर्तन के कारण केवल 11 महीनों का राजस्व संग्रह हो सका; और (ख) 2018-19 में किसानों के लिए आय अंतरण योजना - के कारण बजटीय आकलनों की तुलना में घोषित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। राजकोषीय घाटे में गिरावट की समग्र प्रवृत्ति राजस्वों में वृद्धि और व्यय में गिरावट दोनों का मिश्रित परिणाम रही। कर-जीडीपी अनुपात 2011-12 में 10.2 प्रतिशत से 80 बेसिस प्वाइंट्स से बढ़कर 2018-19 में 11 प्रतिशत हो गया (तालिका 3.5)। व्यय में गिरावट सब्सिडी सहायता कम हो जाने के कारण थी, जो जीडीपी के 2.5 प्रतिशत से घटकर 1.2 प्रतिशत हो गई थी, जिसके कारण सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वेतन एवं पेंशन में संशोधन के दबाव के बावजूद प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि सीमित रही। इन पर परवर्ती अध्याय में विस्तृत चर्चा की जाएगी। राजकोषीय घाटे में इस सुधार को 2015-16 से राज्यों को दिए गए ज्यादा अंतरण के संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। तथापि, राजकोषीय घाटे के 2019-20 में 3.3 प्रतिशत के बजट अनुमान से 2019-20 (आरई) में 3.8 प्रतिशत तक पहुँचने की संभावना है। 2019-20 के संशोधित अनुमानों में राजकोषीय घाटे में 0.5 प्रतिशत का विचलन एफआरबीएम अधिनियम की संगतता में है। राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप कम सकल कर राजस्वों की प्राप्ति के कारण बढ़ा था, जैसे, कॉरपोरेट दरों को कम किया जाना, उच्च पूंजी व्यय और विनिवेश से कम प्राप्तियों के कारण सकल कर राजस्व में गिरावट आई। परंतु जैसाकि इस रिपोर्ट के अध्याय 4 में चर्चा की गई है वित्त वर्ष 2019-20 के अंतिम कुछ महीनों में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण राजकोषीय घाटे ने संशोधित अनुमानों में बढ़ोतरी कर दी। इसी प्रकार यद्यपि, राजकोषीय घाटा घटकर 2020-21 (बीई) में 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है तथापि मौजूदा महामारी और उसके फलस्वरूप लॉकडाउनों के कारण इन अनुमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। अनुमानित घाटे का विस्तृत विश्लेषण अध्याय 4 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान देने योग्य बात है कि आंकड़े नकदी के आधार पर हैं और उनमें अप्रदत्त देयताओं एवं बजट से भिन्न प्रचालनों को शामिल नहीं किया गया है और हो सकता है कि राजकोषीय शेषों की पूरी स्थिति स्पष्ट न हो पाए।

## राजस्व घाटा

3.38 संघ सरकार का राजस्व घाटा, जो जीडीपी अनुपात के रूप में 2011-12 में 4.5 प्रतिशत था, को घटाकर 2014-15 में 2.9 प्रतिशत और 2016-17 में 2.1 प्रतिशत किया गया। चौदहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के प्रथम दो वर्षों के दौरान राजस्व घाटा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, लक्ष्यों की तुलना में कम बना रहा। 2017-18 में यह बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गया था जिसका मुख्य कारण गैर-कर राजस्व में गिरावट थी, जो 2016-17 में जीडीपी के 1.8 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 1.1 प्रतिशत हो गई थी। राजस्व घाटा घटकर 2018-19 में 2.4 प्रतिशत था। 2019-20 के संशोधित अनुमानों में इसका अनुमान 2.4 प्रतिशत किया गया है। यह अनुमान है कि राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व घाटा बढ़कर 2020-21 (बी.ई.) में 2.7 प्रतिशत रह सकता है।

3.39 चौदहवें वित्त आयोग ने पुरजोर तरीके से यह तर्क दिया था कि विश्लेषण संबंधी समस्याओं के कारण वास्तविक राजस्व घाटा रिपोर्ट करने की रीति (प्रैक्टिस) को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन, अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ रीतियों के अनुरूप, राजस्व घाटे को खपत या आवर्ती व्यय के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उधार के संकेतक के रूप में रिपोर्ट करना जारी रखा जाना चाहिए। 2018 के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में, एक रिपोर्टिंग संकेतक के रूप में, घाटे की रिपोर्टिंग रीति को समाप्त किया गया है, लेकिन इसे मध्यावधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरण में एक संदर्भ संकेतक के रूप में अभी भी दर्शाया जा रहा है। राजकोषीय परिणामों को लक्षित करने के पैरा मीटर के रूप में वास्तविक राजस्व घाटा को रिपोर्ट करने की रीति को समाप्त किया गया है, और अब इसे एमटीएफपी विवरण में एक संदर्भ संकेतक के रूप में भी नहीं दर्शाया जा रहा है।

## प्राथमिक घाटा

3.40 संघ सरकार का प्राथमिक घाटा 2011-12 में 2.8 प्रतिशत से सुधरकर 2014-15 में 0.9 प्रतिशत हो गया था और यह अनुमान किया गया है कि 2018-19 में यह और घटकर 0.4 प्रतिशत रह सकता है। यह गिरावट राजकोषीय घाटे में हुई गिरावट के अनुरूप है (तालिका 3.2), क्योंकि ब्याज भुगतान इस अवधि के दौरान जीडीपी के लगभग 3.1 प्रतिशत पर स्थिर बने रहे (तालिका 3.3)। प्राथमिक घाटा 2019-20 (आरई) में बढ़कर 0.7 प्रतिशत हो गया किंतु 2020-21 (बीई) में यह घटकर 0.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

3.41 राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे का अनुपात मुख्य रूप से राजस्व व्यय के लिए उपयोग किए गए उधारों की सीमा (एक्सटेंट) को दर्शाता है। तालिका 3.2 भी इस असंतुलन को तथा उस अनुपात को दर्शाती है जो 2011-12 में 76.3 प्रतिशत से सुधरकर 2016-17 में 60 प्रतिशत पर आ गया और फिर तेजी से बढ़कर 2018-19 में 70.6 प्रतिशत पर पहुँच गया। उच्च राजस्व घाटा होने के कारण 2020-21 (बीई) में इसके 77.1 प्रतिशत पर पहुँचने का अनुमान है। हालांकि जैसाकि अध्याय 4 में चर्चा की गई है, 2019-20 के अंतिम कुछ महीनों में कोविड-19 महामारी के प्रकोप तथा राजकोषीय घाटे में अनुमानित वृद्धि के कारण 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों और 2020-21 के बजट अनुमानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

### राजकोषीय असंतुलन के कारक

3.42 2012-13 से 2018-19 के बीच राजकोषीय असंतुलन की सीमा और कारकों को तालिका 3.3 में रेखांकित किया गया है। 2012-13 से 2018-19 के बीच, जीडीपी के अनुपात के रूप में, संघ सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में निवल कर राजस्व में समतुल्य गिरावट के साथ लगभग 0.6 प्रतिशत प्वाइंट की गिरावट आई। 2015-16 के दौरान निवल कर राजस्व 2014-15 में 7.2 प्रतिशत से घटकर जीडीपी का 6.9 प्रतिशत था, जिसका मुख्य कारण चौदहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के प्रथम वर्ष में करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत के स्तर से 10 प्रतिशत प्वाइंट बढ़ाया जाना था। तथापि, इस गिरावट की आंशिक भरपाई इस अवधि के दौरान पेट्रोल एवं डीजल पर संघीय उत्पाद शुल्क में की गई वृद्धि से कर ली गई। गैर-कर राजस्व संग्रहों में भारी उठकपटक देखी गई, जो 2013-14, 2015-16 और 2016-17 में 1.8 प्रतिशत के उच्च स्तर से लेकर 2018-19 में 1.2 प्रतिशत के निम्न स्तर के बीच थे। गैर-ऋण (नॉन-डेट) पूंजी प्राप्तियां 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान जीडीपी के 0.4 प्रतिशत पर लगभग स्थिर बनी रही थीं, लेकिन उच्च विनिवेश प्राप्तियों के कारण इनमें 2017-18 में काफी वृद्धि हुई। दूसरी ओर, जीडीपी के अनुपात के रूप में कुल व्यय 2011-12 में 14.9 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 12.2 प्रतिशत था। साथ ही, राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के अनुपात में 2011-12 से 2016-17 के दौरान 16.3 प्रतिशत प्वाइंट तक की निरंतर एवं उल्लेखनीय गिरावट आई (तालिका 3.2)। तथापि, राजस्व घाटे में वृद्धि के कारण इस अनुपात में 2017-18 में 14.3 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि हुई है, जबकि पूंजी व्यय में गिरावट के चलते राजकोषीय घाटा 2016-17 के स्तर पर बना रहा। इस अनुपात में 2018-19 में 3.7 प्रतिशत प्वाइंट का सुधार आया जिसका मुख्य कारण राजस्व घाटा कम होना था।


### तालिका 3.3: संघ का राजकोषीय निष्पादन

(जीडीपी का प्रतिशत)

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
<b>I</b>	निवल राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	8.6	8.8	9.0	8.8	8.7	8.9	8.4	8.2	9.1	9.0
क)	गैर-कर राजस्व	1.4	1.4	1.8	1.6	1.8	1.8	1.1	1.2	1.7	1.7
ख)	निवल कर राजस्व	7.2	7.5	7.3	7.2	6.9	7.2	7.3	6.9	7.4	7.3
<b>II</b>	राजस्व व्यय	13.1	12.5	12.2	11.8	11.2	11.0	11.0	10.6	11.5	11.7
	जिसमें से : ब्याज भुगतान	3.1	3.1	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
<b>III</b>	पूंजीगत व्यय	1.8	1.7	1.7	1.6	1.8	1.8	1.5	1.6	1.7	1.8
<b>IV</b>	कुल व्यय (II+III)	14.9	14.2	13.9	13.3	13.0	12.8	12.5	12.2	13.2	13.5
<b>V</b>	राजस्व घाटा (II-I)	4.5	3.7	3.2	2.9	2.5	2.1	2.6	2.4	2.4	2.7
<b>VI</b>	राजकोषीय घाटा	5.9	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5	3.5	3.4	3.8	3.5
<b>VII</b>	गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.6	0.4	1.0

स्रोत : विभिन्न वर्षों के लिए संघ का बजट और एनएसओ से प्राप्त जीडीपी के आंकड़े

चित्र 3.7 : संघ सरकार का राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में



स्रोत : संघीय बजट दस्तावेज और एनएसओ से प्राप्त जीडीपी के आंकड़े

नोट : जीडीपी नई सीरीज (आधार वर्ष - 2011-12), पिछली सीरीज 2004-05 से 2010-11 तक।

## संघ के ऋण (डेट) एवं देयताओं की प्रवृत्तियां

3.43 संघ सरकार की देयताओं, जिन्हें तालिका 3.4 में दर्शाया गया है, में भारत की संचित निधि के अधीन इसकी समस्त देयताएं और समस्त लोक लेखा देयताएं शामिल हैं। संघ के बजट में बजट-भिन्न संसाधनों के विवरण से लिए गए बजट भिन्न संसाधनों (ईबीआर) को तीन वर्षों यानी –2016-17 से 2018-19 के लिए शामिल किया गया है। 2019-20 (आरई) और 2020-21 (बीई) के लिए ईबीआर को बजट के साथ प्रस्तुत एमटीएफपी के अनुसार शामिल किया गया है।

**तालिका 3.4: संघ सरकार की बकाया देयताएं**

		(जीडीपी का प्रतिशत)									
क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ईआर)	2020-21 (बीई)
<b>I</b>	<b>सार्वजनिक ऋण जिसमें से</b>	39.0	39.6	39.4	39.6	40.0	38.8	38.9	38.7	40.1	40.0
क)	आंतरिक ऋण	37.0	37.9	37.8	38.0	38.5	37.3	37.4	37.3	38.6	38.7
ख)	मूल दरों पर विदेशी कर्ज (डेट)	1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
<b>II</b>	<b>अन्य देयताएं जिसमें से</b>	12.8	11.4	11.1	10.5	10.1	9.5	9.3	9.2	8.9	8.6
	आरक्षित निधियां एवं जमा	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7
<b>III</b>	<b>कुल देयताएं (I+II)</b>	<b>51.7</b>	<b>51.0</b>	<b>50.5</b>	<b>50.1</b>	<b>50.1</b>	<b>48.3</b>	<b>48.2</b>	<b>47.9</b>	<b>49.0</b>	<b>48.7</b>
<b>IV.</b>	<b>समायोजित कुल देयताएं जिनमें से</b>	<b>53.6</b>	<b>53.1</b>	<b>52.3</b>	<b>50.8</b>	<b>51.4</b>	<b>49.6</b>	<b>49.4</b>	<b>49.5</b>	<b>50.3</b>	<b>50.1</b>
क	वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी कर्ज	3.7	3.3	3.3	2.9	3.0	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3
ख	बजट-भेद संसाधन (ईबीआर)						0.1	0.1	0.5	0.7	0.8

स्रोत: विभिन्न वर्षों के लिए संघ का बजट एनएसओ से जीडीपी के आंकड़े

नोट: 1. अन्य देयताओं में राष्ट्रीय लघु बचत निधियां, राज्य भविष्य निधि, अन्य लेखा जैसेकि गैर-सरकारी भविष्य निधियों की विशेष जमाएं और आरक्षित निधियां एवं जमाएं शामिल हैं।

2. कुल मिलाकर देयताएं (पंक्ति III), विदेशी कर्ज मूल कीमतों पर है।

3. समायोजित कुल देयताओं (पंक्ति IV), में विदेशी कर्ज वर्तमान विनिमय दर पर है और नकद शेष को समायोजित किया गया है। 2016-17 से 2020-21 (बीई) में बजट-भेद संसाधन (पूर्ण रूप से प्रतिभूत सरकारी बंधपत्र) शामिल हैं। एमटीएफपी के आंकड़े 2019-20 (आरई) और 2020-21 (बीई) से संबंधित हैं।

3.44 संघ सरकार की देयताएं 31 मार्च 2012 को 51.7 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2019 को जीडीपी के 47.9 प्रतिशत पर आ गईं जो 2008-09 से चल रही गिरावट की दीर्घकालिक प्रवृत्ति के अनुरूप हैं जब यह 57.3 प्रतिशत पर थी। यह गिरावट 2011-12 से 2018-19 के दौरान राजकोषीय घाटे में कमी आने तथा जीडीपी में उच्च नोमिनल ग्रोथ के कारण थी।

3.45 मार्च, 2019 के अंत में नकद शेष को घटाकर और ईबीआर को शामिल करके वर्तमान

विनिमय दरों पर विदेशी कर्ज का समायोजन करने के पश्चात, संघ सरकार का कर्ज 49.5 प्रतिशत पर प्राक्कलित किया गया। संभावना है कि संघ सरकार की देयताएं 2019-20 (आरई) में जीडीपी के 50.3 प्रतिशत तक हो सकती हैं। संघ के बजट में यह अनुमान किया गया है कि उसकी देयताएं घटकर 2020-21 (बीई) में जीडीपी के 50.1 प्रतिशत पर आ सकती हैं। 31 मार्च, 2019 को, विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित संघ सरकार की केवल 5.1 प्रतिशत देयताओं के साथ, विदेशी कर्ज जीडीपी का मात्र 2.5 प्रतिशत था और ऋण पोर्टफोलियो पर उसका मुद्रा जोखिम सीमित था। इसके अतिरिक्त, पूरी तरह से आधिकारिक स्रोतों से लिए गए सरकारी विदेशी कर्ज के साथ, विदेशी कर्ज अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उठापटक से सुरक्षित था। विपणनयोग्य ऋण (marketable debt) में संरचनात्मक बदलाव जारी रहा और कुल आंतरिक ऋण में विपणनयोग्य प्रतिभूतियों का अंश मार्च, 2019 के अंत में 84.4 प्रतिशत था।

3.46 संघ सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के रूप में, आकस्मिक देयताओं के स्टॉक में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है, जो 2004-05 में 1.07 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 के अंत में 4.47 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एफआरबीएम अधिनियम में प्रत्याभूतियों पर जीडीपी के 0.5 प्रतिशत की उच्चतम-सीमा, जिसे सरकार द्वारा किसी वित्त वर्ष के दौरान बढ़ाया जा सकता है के परिणामस्वरूप जीडीपी से आकस्मिक देयताओं के अनुपात में कमी आई जो 2004-05 में 3.3 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 2.4 प्रतिशत पर आ गया। 2018-19 के दौरान 77,728 करोड़ रुपए के सकल आवर्धन (ग्रोस एडिशन) जीडीपी के 0.4 प्रतिशत के समतुल्य थे जो एफआरबीएम के नियमों के तहत विहित 0.5 प्रतिशत की वार्षिक सीमा के भीतर थे।

3.47 राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से राज्यों को बाहर किए जाने पर चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं कार्यान्वयन के उपरांत, एनएसएसएफ में संघ सरकार के निवेश का अंश बढ़ा है। इससे संघ सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु, भले ही एनएसएसएफ संसाधनों से भी कम दर पर, बाजार से उधार लेने पर निर्भरता को कम करने में सहायता मिली है।

3.48 संघ सरकार ने वित्त अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 13) के माध्यम से एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन किया। संशोधित एफआरबीएम ढांचे में मुख्य ध्यान सरकारी ऋण और राजकोषीय घाटे को सीमित करने पर है। अधिनियम में किए गए प्रमुख संशोधन संघ सरकार को निम्नलिखित के बारे में अधिदेश देते हैं:-



- (i) राजकोषीय घाटे को 31 मार्च, 2021 तक 3 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु उपयुक्त उपाय करना;
- (ii) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि:
  - (क) सामान्य सरकारी ऋण 60 प्रतिशत से अधिक न हो;
  - (ख) संघ सरकार का ऋण वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक जीडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक न हो;
- (iii) भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर किसी भी ऋण के संदर्भ में किसी भी वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 0.5 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त प्रत्याभूतियां नहीं देना।

3.49 राजकोषीय परिणामों के लक्ष्य-निर्धारण के लिए राजस्व घाटे और वास्तविक घाटे के मानदंडों को हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी भी विरल/अपूर्वदर्शी घटना की स्थिति में राजकोषीय घाटा लक्ष्य से विचलन को अनुमत करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित मोचन खंडों और उछाल खंडों (escape clauses and buoyancy clauses) को प्रत्यावर्तन मार्ग के साथ सम्मिलित किया गया है। ये सुधार राजकोषीय नियमों की विश्वसनीयता को बढ़ाने हेतु आवश्यक विचलनों के लिए पर्याप्त लोचनीयता उपलब्ध कराएंगे और साथ ही नियमों के उल्लंघन को भी रोकेंगे।

3.50 संघ सरकार के ऋण को एफआरबीएम अधिनियम में निम्न रूप में स्पष्ट तौर पर परिभाषित गया है:

- क) वर्तमान विनिमय दरों पर मूल्यांकित विदेशी कर्ज सहित, भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर संघ सरकार की कुल देयताएं;
- ख) लोक खाते में कुल देयताएं; और
- ग) संघ सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी भी निकाय, कॉर्पोरेट या अन्य संस्था की ऐसी वित्तीय देयताएं, जिन्हें सरकार द्वारा चुकाया जाना है या वार्षिक वित्तीय विवरण से उस तारीख की समाप्ति पर उपलब्ध रोकड़ शेष को घटाकर अदा करना है।

उपरोक्त परिभाषा के अनुरूप, संघ सरकार के 2019-20 और 2020-21 के बजटों में संघ सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली संस्थाओं की वित्तीय देनदारियों को ईबीआर (पूर्ण रूप से वचनबद्ध सरकारी बंधपत्र)के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा जिसके मूलधन एवं ब्याज की चुकौती संघ

सरकार की देयता विवरण में वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे में ऐसे ईबीआर को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें भारत की संचित निधि से प्राप्तियों की तुलना में संवितरणों का अतिरिक्त शामिल होता है तथा ऋण के अंतर्गत लोक खाते में अवधिवर्धित देयताओं को भी जोड़ा जाता है।

### **आस्थगित देयताएं एवं गैर-बजट उधारियां**

3.51 यद्यपि, राजकोषीय समेकन सराहनीय रहा है, परंतु यह पाया गया है कि संघ सरकार ने समीक्षागत अवधि में व्यय को परवर्ती वर्ष में आस्थगित कर गैर-बजट वित्तपोषण का सहारा लिया है। ऊर्वरक एवं खाद्य सब्सिडियों के संबंध में अपनी देयताओं के लिए नकदी प्रवाह की समस्याओं से निपटने के लिए, संघ सरकार ने दो प्रकार की व्यवस्थाएं की थीं। ऊर्वरक सब्सिडी के संबंध में, ऊर्वरक कंपनियों की नकदी आवश्यकताओं (जो सब्सिडी बकायों के रूप में उत्पन्न हुई थीं) की पूर्ति विशेष बैंकिंग व्यवस्था (एसबीए) के माध्यम से की गई। एसबीए, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों से लिया गया एक अल्पावधिक ऋण है जिससे बजट आवंटनों तथा वित्त वर्ष के अंत में देय वास्तविक राशि में असंगतता की पूर्ति की जाती है। संघ सरकार G-Sec दर पर बैंकों को ब्याज अदा करती है और G-sec से अधिक ब्याज को ऊर्वरक कंपनियों द्वारा वहन किया जाता है। खाद्य सब्सिडी के संबंध में सब्सिडी के लिए बजट आवंटन में कमी (शॉर्टफाल) को कवर करने हेतु, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) अनेक प्रकार के लिखतों (instruments) का सहारा लेता है जैसे कि बंधपत्र, अप्रतिभूत अल्पावधिक ऋण तथा संघ सरकार से एनएसएसएफ ऋण। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और इसका उल्लेख भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने भी संघ सरकार द्वारा एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन पर अपनी 2018 की रिपोर्ट संख्या 20 में किया है। यद्यपि पूरी समीक्षावधि के दौरान इसे एक निरंतर रीति के रूप में पाया गया है, लेकिन ऊर्वरक सब्सिडियों का संरक्षण करने हेतु अल्पावधिक उधार लेने तथा एनएसएसएफ के माध्यम से एफसीआई को उधार देने की रीति को समाप्त किए जाने और इस प्रकार के व्यय वाले वर्ष में पूर्ण रूप से बजटीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

### **राजस्व**

3.52 संघ सरकार के राजस्व में, राज्यों के निवल कर राजस्व की हिस्सेदारी, गैर-कर राजस्व एवं

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती हैं (तालिका 3.3)। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों को छोड़कर, संघ के निवल राजस्वों में वृद्धि हुई, जो 2011-12 में जीडीपी के 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2013-14 में 9 प्रतिशत हो गए थे, लेकिन उसके पश्चात घटकर 2014-15 में 8.8 प्रतिशत रह गए थे। तेरहवें वित्त आयोग के तहत 2014-15 से लेकर चौदहवें वित्त आयोग के तहत 2015-16 के बीच के संक्रमण काल में, संघ के निवल राजस्व जीडीपी के अनुपात के रूप में 8.8 प्रतिशत से घटकर 8.7 प्रतिशत हो गए थे। यह गिरावट मामूली थी। राज्यों को दिए गए अधिक कर अंतरण की भरपाई दूरसंचार क्षेत्र से गैर-कर प्राप्तियों में एकबारगी उछाल से की गई। जीडीपी के अनुपात के रूप में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के तहत संग्रहों में वृद्धि हुई, जो 2011-12 में 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 0.7 प्रतिशत हो गए थे। तत्पश्चात यह घटकर 2018-19 में 0.6 प्रतिशत थे और संभावना है कि 2019-20 (आरई) में ये संग्रह और गिरकर 0.4 प्रतिशत पर रह सकते हैं। तथापि, इस प्रकार की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों का 2020-21(बीई) में अपेक्षाकृत रूप से 1 प्रतिशत के उच्चतर स्तर पर रहने का बजटीय अनुमान है।

### कर राजस्व

3.53 संघ सरकार का सकल-कर **राजस्व** और जीडीपी अनुपात 2011-12 में 10.2 प्रतिशत से 0.8 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में 11 प्रतिशत हो गया। तालिका 3.5 में जीडीपी और सकल-कर **राजस्व** की तुलना में मुख्य करों की प्रवृत्तियों का दर्शाया गया है।

तालिका 3.5: संघ के मुख्य करों का निष्पादन

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	निगम कर	आयकर	कुल प्रत्यक्ष कर	सीमा शुल्क	संघीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	जीएसटी	कुल अप्रत्यक्ष कर	कुल संघीय राजस्व (सकल)
2011-12	3.7	2.0	5.7	1.7	1.7	1.1		4.5	10.2
2012-13	3.6	2.0	5.6	1.7	1.8	1.3		4.8	10.4
2013-14	3.5	2.2	5.7	1.5	1.5	1.4		4.5	10.1
2014-15	3.4	2.1	5.6	1.5	1.5	1.3		4.4	10.0
2015-16	3.3	2.1	5.4	1.5	2.1	1.5		5.2	10.6
2016-17	3.2	2.4	5.5	1.5	2.5	1.7		5.6	11.2
2017-18	3.3	2.5	5.9	0.8	1.5	0.5	2.6	5.4	11.2
2018-19	3.5	2.5	6.0	0.6	1.3	0.04	3.1	5.0	11.0
2019-20(आरई)	3.0	2.7	5.7	0.6	1.3	0.01	3.0	4.9	10.6
2020-21(बीई)	3.0	2.8	5.9	0.6	1.2	0.00	3.1	4.9	10.8

जारी

### तालिका 3.5: संघ के मुख्य करों का निष्पादन (जारी)

(संघ के सकल कर राजस्वों के प्रतिशत के रूप में)

2011-12	36.3	19.3	55.6	16.8	16.7	11.0	44.4	100.0
2012-13	34.4	19.5	53.9	16.0	17.3	12.8	46.1	100.0
2013-14	34.7	21.4	56.1	15.1	15.2	13.6	43.9	100.0
2014-15	34.5	21.4	55.9	15.1	15.5	13.5	44.1	100.0
2015-16	31.1	19.8	51.0	14.4	20.0	14.5	49.0	100.0
2016-17	28.3	21.3	49.5	13.1	22.5	14.8	50.5	100.0
2017-18	29.8	22.5	52.3	6.7	13.7	4.2	23.1	100.0
2018-19	31.9	22.7	54.6	5.7	11.4	0.3	28.0	100.0
2019-20(आरई)	28.2	25.9	54.1	5.8	11.8	0.1	28.3	100.0
2020-21(बीई)	28.1	26.3	54.5	5.7	11.3	0.0	28.5	100.0

स्रोत : विभिन्न वर्षों के लिए संघ का बजट और एनएसओ से जीडीपी के आंकड़े

नोट : कुल प्रत्यक्ष करों में निगम कर एवं आयकर को छोड़कर, संपदा पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर तथा अन्य कर शामिल हैं।

## प्रत्यक्ष कर

3.54 जीडीपी के अनुपात के रूप में, प्रत्यक्ष कर 2011-12 में 5.7 प्रतिशत और 2018-19 में 6 प्रतिशत के बीच थे। प्रत्यक्ष करों पर संघ सरकार की नीति का उद्देश्य सामान्य कर दरों को कायम रखते हुए और धीरे-धीरे कर-छूटों को समाप्त करते हुए, कर-आधार को विस्तारित एवं गहन बनाना है। जीडीपी के अनुपात के रूप में आयकर से राजस्व 2011-12 में 2 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में लगभग 2.5 प्रतिशत हो गया , जबकि सकल-कर राजस्व में भी इसके अंश में 19.3 प्रतिशत से 22.7 प्रतिशत की समरूप वृद्धि हुई। हालांकि, 2018-19 में कुल सकल-कर राजस्व में निगम कर का हिस्सा 2011-12 में 36.3 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 31.9 प्रतिशत हो गया था, लेकिन जीडीपी के अनुपात के रूप में इसके आगम 3.7 प्रतिशत से घटकर 3.5 प्रतिशत रह गए थे। निवेश को आकर्षित करने और विकास को बढ़ावा देने हेतु निगम कर को युक्तिसंगत बनाने की अपनी पूर्ववर्ती नीतिगत पहलों के क्रम में, संघ सरकार ने सितंबर, 2019 में इस आधार पर घरेलू कंपनियों के लिए कर दर को घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया कि वे किसी भी अन्य छूट/ प्रोत्साहन प्रावधानों का लाभ नहीं लेंगी। अधिभार एवं उपकर सहित इन कंपनियों के लिए प्रभावी कर दर 25.17 प्रतिशत होगी। इसके अतिरिक्त, 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद निगमित और विनिर्माण में निवेश करने वाली नई घरेलू कंपनी को 15 प्रतिशत की दर पर कर अदा करने का विकल्प दिया गया। यह लाभ केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो कोई छूट/प्रोत्साहन नहीं ले रही हैं हैं और जिन्होंने अपना उत्पादन कार्य 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले प्रारंभ कर दिया है। इन कंपनियों के लिए प्रभावी कर दर अधिभार एवं उपकर सहित 17.16 प्रतिशत रखी गई है। सरकार ने 1 प्रतिशत के अतिरिक्त

शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की वसूली तथा सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और 1 लाख रुपये से अधिक पूंजी लाभों पर इक्विटी-आधारित म्युचुअल फंडों पर 10 प्रतिशत के दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर की वसूली के माध्यम से संसाधन जुटाने हेतु कुछ नई पहलें भी की हैं।

3.55 इसके अतिरिक्त, बेहतर कर प्रशासन, विशेष रूप से कर सूचना नेटवर्क में सुधार और आयकर-विवरणियां दाखिल करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष करों में अच्छी खासी वृद्धि होने की उम्मीद है। आयकर विवरणियां दाखिल करने वाले लोगों की संख्या 2013-14 में 3.31 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 6.33 करोड़ हो गई थी, जो 91.2 प्रतिशत की वृद्धि है। करदाताओं की संख्या भी 2013-14 में 5.72 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में 8.45 करोड़ हो गई , जो 47.7 प्रतिशत की वृद्धि है। आयकर विवरणी भरने वालों और करदाताओं का वर्ष-वार विवरण तालिका 3.6 में दिया गया है। नवंबर, 2016 में नोटबंदी की कवायद के पश्चात, कर आधार को गहन एवं विस्तृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप 2017-18 में प्रत्यक्ष करों के संग्रह में भारी वृद्धि हुई।

3.56 व्यक्तिगत करदाताओं को उचित राहत देने तथा आयकर कानून को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सरलीकृत निजी आयकर व्यवस्था शुरू की है, जिसमें आयकर दरों को उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए काफी कम किया जाएगा जो वित्त 2020-21 से कतिपय कटौतियों एवं छूटों को नहीं लेंगे।

**तालिका 3.6: विवरणियां दाखिल करने वाले व्यक्ति एवं करदाता**

(संख्या करोड़ में)

	विवरणियां दाखिल करने वाले व्यक्ति	वृद्धि (%)	करदाता	वृद्धि (%)
2013-14	3.31		5.72	
2014-15	3.51	6.0	6.15	7.6
2015-16	3.91	11.4	6.92	12.7
2016-17	4.47	14.3	7.42	7.2
2017-18	5.45	21.9	8.45	13.9
2018-19	6.33	16.1		

स्रोत: आयकर संबंधी आंकड़े, सीबीडीटी

## अप्रत्यक्ष कर

3.57 जीडीपी के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष कर 2011-12 में 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 5.6 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण संघीय उत्पाद शुल्कों एवं सेवा कर के संग्रहों

में वृद्धि थी। 2014-15 और 2015-16 के दौरान, जब वैश्विक पेट्रोलियम की कीमतें 2011-12 में 111.89 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से तेजी से गिरकर 2015-16 में प्रति बैरल 46.17 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई थीं, पेट्रोलियम उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने से अप्रत्यक्ष कर संग्रहों में 2013-14 से 2016-17 के दौरान लगभग तीन गुना वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में हुई थी, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है, और वह संघ सरकार के पास रहता है। अप्रत्यक्ष करों (जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के सिवाय) के तहत कुल कर संग्रहों में से, उपकर एवं अधिभारों से 2019-20 (आरई) के दौरान 20.6 प्रतिशत संग्रह प्राप्त किए जाने का अनुमान किया गया है।


3.58 जीडीपी में सेवाकर का अनुपात 2016-17 तक लगातार बढ़ा, विशेष रूप से 2012-13 में एक नेगेटिव सूची शुरू होने के बाद। दूसरी ओर सीमा शुल्क उत्पादों से राजस्व में, जीडीपी तथा सकल-कर राजस्व दोनों के अनुपातों के रूप में, 2012-13 के पश्चात घटती प्रवृत्ति देखी गई। इस गिरावट के मुख्य कारणों में, महत्वपूर्ण आयात मूल्य वाली अनेक मर्दों, जिनमें पेट्रोलियम, तेल एवं लुब्रिकेंट (POL) भी शामिल हैं, पर शुल्क घटाया जाना तथा अन्य प्रकार की विभिन्न छूटों का उल्लेख किया जा सकता है। 2017-18 से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के एक महत्वपूर्ण हिस्से (पीओएल के सिवाय) को जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

3.59 जीएसटी की शुरुआत के बाद अप्रत्यक्ष करों से राजस्वों में प्रत्याशित उच्च उछाल अभी नहीं आया है। 2018-19 के दौरान जीडीपी के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष करों का संग्रह 2016-17 के दौरान 5.6 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया था और संभावना है कि 2019-20 (आरई) के दौरान यह 4.9 प्रतिशत पर बना रहेगा।

## परिवर्ती संरचना

3.60 प्रत्यक्ष करों से राजस्व 2007-08 में पहली बार अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व से आगे निकल गया (चित्र 3.8)। यह सिलसिला तभी से बना रहा सिवाय 2016-17 के, जब ये दोनों उत्पाद शुल्क संग्रह में वृद्धि के आंशिक कारण से लगभग बराबरी पर आ गए, जैसाकि पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

**चित्र 3.8: संघ के करों का जीडीपी अनुपात :  
प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और सकल कर राजस्व**



स्रोत : संघीय बजट दस्तावेज एवं एनएसओ से प्राप्त जीडीपी संबंधी आंकड़े

## राजस्व परित्यक्त (रेवन्यू फॉर्गोन)

3.61 संघ सरकार विभिन्न उद्देश्यों, जैसे कि निर्यातों को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकास का विस्तार करने, पिछड़े क्षेत्रों के विकास और रोजगार सृजन के लिए कई कर-प्रोत्साहन देती है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में कार्य कर रही इकाइयां अप्रत्यक्ष करों के लिए प्रतिदाय (रिफंड) प्राप्त करती हैं और पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उन्हें अधिक मूल्यहास पाने की अनुमति भी दी जाती है। कर रियायतों से कुछ सेक्टर, जैसे कि कृषि, अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर), हरित क्षेत्र विनिर्माण, भंडारण (वेयरहाउसिंग) तेल और गैस एवं नवीकरणीय ऊर्जा भी लाभान्वित होते हैं।

3.62 इन रियायतों और छूटों से राजस्व संग्रह कम हो जाते हैं जिससे संघ सरकार और राज्य सरकारों दोनों के उपार्जित संसाधन काफी प्रभावित होते हैं। तथापि, सकल कर राजस्व और जीडीपी दोनों के अनुपातों के रूप में, राजस्व परित्यक्त में 2011-12 से गिरावट आई है (तालिका 3.7)। जीडीपी के अनुपात के रूप में, राजस्व परित्यक्त 2011-12 में 6.1 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 4.5 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार से, सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में, राजस्व परित्यक्त 2011-12 में 60 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 44.5 प्रतिशत हो गया। यह गिरावट विशेष रूप से

2015-16 में अधिक थी, जिसका कारण सीमा शुल्कों एवं संघीय उत्पाद शुल्क के संबंध में कर प्रोत्साहनों के राजस्व निहितार्थ के परिकलन की प्रक्रियाविधि में बदलाव था। 2017-18 के लिए किए गए अनुमानों में उत्पाद शुल्क (जिसे जीएसटी के तहत शामिल किया गया था) से राजस्व परित्यक्त को शामिल नहीं किया गया है।

**तालिका 3.7 : राजस्व परित्यक्त की प्रवृत्तियां**

(करोड़ रु.)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अनुमान)
प्रत्यक्ष कर	101141	102256	93047	118593	138658	155840	183580	206113	230415
अप्रत्यक्ष कर	432442	463979	456947	435756	148442	146264	53704	75753	81970
<b>कुल राजस्व परित्यक्त</b>	<b>533583</b>	<b>566235</b>	<b>549994</b>	<b>554349</b>	<b>287100</b>	<b>302104</b>	<b>237284</b>	<b>281866</b>	<b>312385</b>
सकल कर राजस्व के % के रूप में राजस्व परित्यक्त	60.0	54.6	48.3	44.5	19.7	17.6	12.4	13.5	14.4
जीडीपी के % के रूप में राजस्व परित्यक्त	6.1	5.7	4.9	4.5	2.1	2.0	1.4	1.5	1.5

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेजों में राजस्व परित्यक्त के विवरण

नोट: 1. चूंकि उत्पाद शुल्क (तंबाकू उत्पादों, कच्चा पेट्रोलियम तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर) को जीएसटी में शामिल किया गया है, उत्पाद शुल्क के लिए कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभार को 2017-18 से समाप्त किया गया है।

## उपकर एवं अधिभार

3.63 चौदहवें वित्त आयोग ने संघीय राजस्व में उपकरों एवं अधिभारों के बढ़ते अंश की समस्या का उल्लेख किया था। संविधान का अनुच्छेद 270 संघ सरकार को विशेष प्रयोजन हेतु कोई भी उपकर की उगाही करने और उसे अपने पास रखने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 271 संसद को ऐसे करों, जो संघ सरकार की कर लागने की शक्तियों के भीतर है, पर अधिभार लगाने की शक्ति देता है। उपकर सांविधिक वसूलियां (statutory levies) हैं जिनके आगमों को विशेष प्रयोजन हेतु उपयोग के लिए अलग से निर्धारित किया जाता है। उपकर लगाने के पीछे दृष्टिकोण का उद्देश्य किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति करना तथा अर्थव्यवस्था के किसी खास सेक्टर/क्षेत्र को आवश्यक वित्तीय गतिशीलता प्रदान करना है। अतः, संघ सरकार लोक खाते में संगृहीत की गई निधियों की तब तक एक अभिरक्षक मात्र होती है, जब तक उन्हें अधिदिष्ट प्रयोजन के लिए विनियोजित नहीं कर लिया जाता। इसी प्रकार से, अधिभारों को केवल छोटी अवधियों के लिए लगाया जाता है। उपकरों और अधिभारों दोनों को विभाज्य पूल से बाहर रखा जाता है।



3.64 विभिन्न उपकरणों और अधिभारों (पेट्रोलियम को छोड़कर) को जीएसटी में समाविष्ट किया गया है। इनमें से प्रमुख हैं – मोटर स्प्रीट एवं हाई स्पीड डीजल तेल पर सीमा-शुल्क एवं उत्पाद शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क, पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों पर अधिभार, चीनी (शुगर) पर उपकरण, स्वच्छ पर्यावरण उपकरण एवं अवसंरचना उपकरण इत्यादि। तथापि, संघ सरकार के 2018-19 के संघीय बजट में एक सड़क एवं अवसंरचना उपकरण और सामाजिक कल्याण अधिभार को शुरू किया गया था। तालिका 3.8 में उपकरणों और अधिभारों की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है, जो 2018-19 में सकल कर प्राप्तियों का 19.9 प्रतिशत से भी अधिक थे और इनमें से 4.6 प्रतिशत जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकरण से संबंधित हैं।

**तालिका 3.8 : उपकरण एवं अधिभार**

(करोड़ रु.)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
प्रत्यक्ष कर	29143	48862	63883	81543	40468	58840	53433	145802	155817	175807
अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी को छोड़कर)	63394	72545	77387	86417	137482	172224	150529	172312	182665	195460
जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकरण	0	0	0	0	0	0	62612	95081	98327	110500
कुल उपकरण एवं अधिभार	92537	121407	141270	167960	177950	231064	266574	413195	436809	481767
सकल कर राजस्व के % के रूप में कुल उपकरण एवं अधिभार जिसमें से	10.4	11.7	12.4	13.5	12.2	13.5	13.9	19.9	20.2	19.9
सकल कर राजस्व के % के रूप में जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकरण							3.3	4.6	4.5	4.6

स्रोत: संघीय बजट दस्तावेज

3.65 2018-19 में उपकरणों और अधिभारों से उच्च प्राप्तियों के मुख्य कारण हैं: (क) आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण को पूर्ववर्ती 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करना; (ख) सड़क एवं अवसंरचना अधिभार लागू करना; और (ग) आयातित वस्तुओं पर पूर्ववर्ती 3 प्रतिशत के शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा उपकरण के स्थान पर सीमाशुल्क एवं आयातित वस्तुओं के समग्र शुल्कों पर 10 प्रतिशत के सामाजिक कल्याण अधिभार को लागू करना। संघ सरकार के 2019-20 के बजट में सकल कर राजस्व में उपकरणों और अधिभारों के अनुपात में और अधिक वृद्धि होने का अनुमान किया गया है, क्योंकि 2 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए के बीच की आय वाले व्यक्तिगत लोगों के लिए आयकर पर अधिभार की दर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है। 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय वाले व्यक्तिगत लोगों के लिए, अधिभार की दर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 37 प्रतिशत किया गया है।

## गैर-कर राजस्व

3.66 संघ सरकार के गैर-कर राजस्वों का मुख्य स्रोत हैं – केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/ सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त लाभांश/ अधिशेष, दूरसंचार क्षेत्र से होने वाली प्राप्तियां , राज्य सरकारों और सीपीएसई को दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, अपतटीय तेल क्षेत्रों से रॉयल्टी और फीस/ उपयोगकर्ता प्रभार। तालिका 3.9 में गैर-कर राजस्वों की प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है। दूरसंचार और पेट्रोलियम क्षेत्रों से राजस्व एवं लाभांशों की उच्च संभावना को ध्यान में रखते हुए, चौदहवें वित्त आयोग ने यह अनुमान किया था कि जीडीपी के अनुपात के रूप में, गैर-कर राजस्व लगभग 1.53 प्रतिशत रहेंगे। तथापि, 2015-16 से 2019-20 (आरई) की अवधि के दौरान राजस्व संग्रह इस अनुमान की तुलना में 0.01 प्रतिशत प्वाइंट कम थे। संघ सरकार का गैर-कर राजस्व, जो 2011-12 में जीडीपी का 1.4 प्रतिशत था, बढ़कर 2016-17 में 1.8 प्रतिशत हो गया था। तत्पश्चात, 2017-18 में इसमें लगभग 0.7 प्रतिशत की भारी गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण दूरसंचार क्षेत्र से प्राप्तियां और आरबीआई से लाभांश कम आना था। आरबीआई से उच्च लाभांश प्राप्तियों के कारण यह अनुमान किया गया है कि यह 2019-20 (आरई) में बढ़कर 1.7 प्रतिशत रहेगा। 2016-17 में जीडीपी के 1.8 प्रतिशत का सर्वाधिक संग्रह हुआ, जिसका मुख्य कारण दूरसंचार क्षेत्र से जीडीपी के 0.5 का रिकॉर्ड संग्रह था। तब से दूरसंचार प्राप्तियां, जिन्हें शीर्ष 'संचार' के तहत वर्गीकृत किया गया है, में गिरावट आना शुरू हो गया था। लाभांश प्राप्तियां संघ सरकार के गैर-कर राजस्वों का सबसे बड़ा स्रोत है। गैर-कर राजस्व में इनका अंश 2018-19 के दौरान जीडीपी का 0.60 प्रतिशत था। आरबीआई से लाभांश 2011-12 में 15,009 करोड़ रुपए से चार गुणा से भी अधिक बढ़कर 2018-19 में 68,000 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि अन्य से लाभांश 35,599 करोड़ रुपए से बढ़कर मात्र 45,421 करोड़ रुपए ही थे। संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) के अनुसार मुख्यतः आधिक्य अंतरणों के कारण आरबीआई से 2019-20 के दौरान लाभांश बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।

### तालिका 3.9 : गैर-कर राजस्वों में प्रवृत्तियां

(करोड़ रु.)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
ब्याज प्राप्ति	20252	20761	21868	23804	25378	16229	13574	12145	11027	11042
लाभांश एवं लाभ	50608	53761	90435	89833	112127	123017	91361	113421	199893	155395
जिसमें से आरबीआई	15009	16010	33010	52676	65896	65876	40659	68000	147988	57128*
पेट्रोलियम	12581	14806	16525	14480	9492	10797	10879	14197	12061	14075
संचार	17401	18902	40114	30624	56479	70241	32066	40816	58990	33027
सड़क एवं पुल	3050	4007	5298	6103	6887	7324	9064	19866	21589	25161
अन्य	17780	25118	24631	33014	40897	45223	35801	35261	41955	146316
कुल	121672	137355	198871	197858	251260	272831	192745	235706	345515	385016
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर कर राजस्व	1.4	1.4	1.8	1.6	1.8	1.8	1.1	1.2	1.7	1.7

\* अर्न्तम

स्रोत : संघ का बजट, वित्तीय लेखा और एनएसओ से जीडीपी के आंकड़े

3.67 विगत में, राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां गैर-कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक थीं। इसमें 2005-06 के बाद काफी गिरावट आई, जब राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों में संघ सरकार की मध्यवर्तिता बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुपालन में समाप्त हो गई थी। उपार्जित ब्याज मुख्य रूप से पूर्ववर्ती अवधि के ऋणों से संबंधित है।

#### गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति

3.68 गैर-ऋण (non-debt) पूंजी प्राप्ति के दो प्रमुख घटक हैं : ऋणों एवं अग्रिमों की और विनिवेश प्राप्ति। ऋणों की वसूली 2011-12 में 18,850 करोड़ रुपए से गिरकर 2017-18 में 15,633 करोड़ रुपए थी। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए उठाए गए ऋणों के बैक-टू-बैक हस्तांतरण को छोड़कर तथा राज्यों को कोई नया ऋण नहीं देने के साथ, इस शीर्ष के तहत प्राप्ति एक क्रमिक गिरावट की प्रवृत्ति को परिलक्षित करती हैं। पूर्व में दिए गए ऋणों को चुकाने के लिए ऋण वसूली का अन्य स्रोत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से है।

3.69 विनिवेश प्राप्ति में गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति का बड़ा अंश है। संघ सरकार ने विनिवेश की चार प्रक्रियाएं अपनाई हैं : (क) लाभ कमा रहे सीपीएसई में ऑफर फॉर सेल के माध्यम से शेयरों की बिक्री कर अपनी मामूली हिस्सेदारी की बिक्री (माइनॉरटी स्टेक सेल) करना; (ख) सीपीएसई की

इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ); (घ) सीपीएसई का कार्यनीतिक विनिवेश; और (ङ) एक्सचेंज में ट्रेड किए जा रहे फंड्स (ईटीएफ)<sup>8</sup>।

3.70 कार्यनीतिक विनिवेश का मतलब है कि किसी सीपीएसई में सरकार की हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ बेचना। इस प्रक्रिया से अधिकतम प्राप्ति प्राप्त होगी, लेकिन यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह दूसरी कंपनी को प्रबंधन नियंत्रण सौंपती है या नहीं। 2018-19 के दौरान, संघ सरकार ने चार कंपनियों का कार्यनीतिक विनिवेश कर 16,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए। इसमें भारत सरकार द्वारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) में अपनी 52.63 प्रतिशत हिस्सेदारी एक अन्य सीपीएसई, यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) को बेचकर 15,000 करोड़ रुपए के विक्रय आगम शामिल हैं। 2017-18 में इसी प्रकार की एक प्रक्रिया से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में सरकार की हिस्सेदारी को ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) को बेचा गया था ताकि अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम कंपनियों के एकीकरण के माध्यम से पेट्रोलियम सेक्टर में सामंजस्य (सिनर्जी) सुनिश्चित किया जा सके। यद्यपि सरकार की एक सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी को अन्य कंपनी को बेचने से कार्यनीतिक प्रयोजनों की पूर्ति हो सकती है, किंतु इस प्रकार की बिक्रियों से प्राप्त आगम गैर-सरकारी कंपनियों को बेची गई हिस्सेदारियों से गुणात्मक रूप से अलग होते हैं। विनिवेशों की अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से 2018-19 में लगभग 69,000 करोड़ रुपये अर्जित किए गए। इस संबंध में ईटीएफ रूट भी अपनाया जा रहा है। वर्तमान में दो ईटीएफ हैं।

3.71 नवंबर 2005 में, संघ सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) का गठन किया था जिसमें सीपीएसई के विनिवेश से प्राप्त आगमों को एनआईएफ के माध्यम से खर्च (channelised) किया जाना था। एनआईएफ का कॉर्पस स्थायी प्रकृति का था और निधि (फंड) को व्यावसायिक रूप से प्रबंधित किया जाना था ताकि कॉर्पस का क्षय किए बिना सरकार को स्थायी तौर पर लाभ मिलता रहे। एनआईएफ को विनिवेश नीति के साथ संबद्ध करने के लिए, इसे 2013-14 से संघ सरकार के लेखा के सार्वजनिक खाते में शामिल किया गया था और इसमें विनिवेश आगम तब तक कायम रखे जाने थे, जब तक उन्हें अनुमोदित प्रयोजनों के लिए आहरित/निवेशित न किया जाए।

3.72 एनआईएफ का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाता है:

---

8 ईटीएफ के अंतर्गत कई इक्विटी शेयर (बास्केट ऑफ स्टॉक) होते हैं जो निफ्टी 50 जैसे एक सूचकांक के संघटन को परिलक्षित करता है। किसी ईटीएफ के कारोबार का मूल्य (ट्रेडिंग वैल्यू) उस अंडरलाइंग स्टॉक, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, के निवल आस्ति मूल्य पर आधारित होता है। ओपन-एंडेड म्युचुअल फंडों से भिन्न, ईटीएफ को कारोबार वाले दिन अन्य स्टॉकों की तरह खरीदा और बेचा जा सकता है। वर्तमान में, संघ सरकार दो ईटीएफ संचालित करती है – सीपीएसई – ईटीएफ और भारत-22 ईटीएफ।

- (i) किसी सीपीएसई द्वारा राइट्स आधार पर जारी किए जा रहे शेयरों को सब्सक्राइब करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीपीएसई में सरकार की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी बनी रहे;
- (ii) सीपीएसई के शेयरों की प्रिफ़ेसियल एलॉटमेंट ताकि सरकार की हिस्सेदारी उन सभी मामलों में, जहां सीपीएसई अपने पूंजी व्यय कार्यक्रम की पूर्ति हेतु नई इक्विटी उगाहने की योजना बना रहा है, 51 प्रतिशत से कम न हो;
- (iii) सार्वजनिक क्षेत्र बैंको और सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों का पुनःपूंजीकरण;
- (iv) सरकार का आरआरबी/इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमि. (आईआईएफसीएल)/ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/ एग्जिम बैंक में निवेश; और
- (v) कतिपय संस्थाओं में निवेश।

इस बात का यहां उल्लेख करना सुसंगत है कि पूंजी व्यय के लिए उपयोग करने हेतु सभी विनिवेश प्राप्तियों को संचित निधि में अनुरक्षित करने की तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को चौदहवें वित्त आयोग ने भी दोहराया। यह भी अनुशंसा की गई थी कि एनआईएफ को लेखा महानियंत्रक (सीजीए) और सीएजी के साथ परामर्श कर समाप्त किया जाना चाहिए।

तालिका 3.10 : गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति

(करोड़ रु.)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2019-20 (बीई)
गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति	36938	40950	41865	51475	62967	65353	115678	112779	81605	224967
ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां	18850	15060	12497	13738	20835	17630	15633	18052	16605	14967
इक्विटी का विनिवेश	18088	25890	29368	37737	42132	47723	100045	94727	65000	210000
जीडीपी के % के रूप में गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति	0.42	0.41	0.37	0.41	0.46	0.43	0.68	0.59	0.40	1.00

स्रोत : विभिन्न वर्षों के लिए संघ का बजट और एनएसओ से प्राप्त जीडीपी के आंकड़े

3.73 गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति की प्रवृत्ति को तालिका 3.10 में दर्शाया गया है। चौदहवें वित्त आयोग ने

यह पूर्वानुमान किया था कि ये प्राप्तियां 2015-16 में जीडीपी के 0.61 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 0.82 प्रतिशत हो जाएंगी। पूर्वानुमानित वसूलियां प्राप्त नहीं की जा सकी हैं और विनिवेश से प्राप्तियों में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति के बिना वर्ष-दर-वर्ष उतार-चढ़ाव देखा गया। बाजार की उठापटक (वोलेटिलिटी) ने भी अपेक्षित परिणाम को प्रभावित किया है। संघ सरकार ने बजट अनुमानों में वित्त वर्ष 2019-20 में 1.05 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को संशोधित अनुमानों में 65,000 करोड़ रुपए पर संशोधित किया है। विनिवेश से 2020-21 (बीई) में 2.10 लाख करोड़ रुपयों की अपेक्षाकृत बड़ी राशि प्राप्त किए जाने की उम्मीद है, जिसे केवल अनुकूल बाजार स्थितियों के अंतर्गत चुनिंदा सीपीएसई के बेहतर कार्यनीतिक विनिवेश के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

### व्यय की प्रवृत्तियां

3.74 राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों के साथ राजस्व एवं पूंजी व्यय में प्रवृत्तियों को तालिका 3.11 में दर्शाया गया है। संघ सरकार का कुल व्यय 2.7 प्रतिशत प्वाइंट्स की गिरावट के साथ यह 2011-12 में जीडीपी के लगभग 14.9 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 12.2 प्रतिशत हो गया। समग्र व्यय के अंतर्गत समान अवधि के दौरान राजस्व घटक 13.1 प्रतिशत से घटकर 10.6 प्रतिशत पर और पूंजी घटक 1.8 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत आ गए। इस अवधि के दौरान राजस्व एवं पूंजी व्यय की वृद्धि दरों में प्रवृत्ति क्रमशः 8.3 प्रतिशत और 10.5 प्रतिशत थी, जो कि 11.6 प्रतिशत की नोमिनल जीडीपी वृद्धि की तुलना में कम थी। तथापि, सातवें वेतन आयोग के पंचाट के कार्यान्वयन के बाद, इस अवधि के दौरान जीडीपी अनुपात के रूप में व्यय कम हुआ जिसका मुख्य कारण सब्सिडी और रक्षा व्यय (पूंजी एवं राजस्व) में गिरावट थी। यह अनुमान है कि जीडीपीके अनुपात के रूप में कुल व्यय में 2019-20 (आरई) में 13.2 प्रतिशत तथा 2020-21 (बीई) में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह प्रवृत्ति विपरीत दिशा (रिवर्स) में बदल जाएगी। जीडीपी के अनुपातों के रूप में, राजस्व और पूंजी व्यय 2020-21 (बीई) के दौरान क्रमशः 11.7 प्रतिशत और 1.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। 2019-20 और 2020-21 में, व्यय में पूर्वानुमानित वृद्धि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के आबंटनों में वृद्धि के फलस्वरूप हो सकती है। ब्याज भुगतान, वेतन एवं भत्ते, पेंशन, रक्षा एवं सब्सिडियों सहित राजस्व व्यय का संक्षेप में विश्लेषण आगामी पैराग्राफों में किया गया है।

### तालिका 3.11 : संघ सरकार के व्यय की प्रवृत्तियां

(जीडीपी का प्रतिशत)

वर्ष	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	वेतन एवं भत्ते *	पेंशन	रक्षा #	सब्सिडी व्यय	पूंजी व्यय	कुल व्यय
2011-12	13.1	3.1	1.1	0.7	2.0	2.5	1.8	14.9
2012-13	12.5	3.1	1.1	0.7	1.8	2.6	1.7	14.2
2013-14	12.2	3.3	1.0	0.7	1.8	2.3	1.7	13.9
2014-15	11.8	3.2	1.1	0.8	1.8	2.1	1.6	13.3
2015-16	11.2	3.2	1.0	0.7	1.6	1.9	1.8	13.0
2016-17	11.0	3.1	1.2	0.9	1.6	1.5	1.8	12.8
2017-18	11.0	3.1	1.1	0.9	1.6	1.3	1.5	12.5
2018-19)	10.6	3.1	1.1	0.8	1.5	1.2	1.6	12.2
2019-20(आरई)	11.5	3.1	1.2	0.9	1.5	1.3	1.7	13.2
2020-21 (बीई)	11.7	3.1	1.1	0.9	1.4	1.2	1.8	13.5

# रक्षा सेवाओं पर राजस्व एवं पूंजी दोनों व्यय सहित।

\*केंद्र सरकार के वेतन एवं भत्तों (रक्षा सेवाओं को छोड़कर) और संघ के बजट पर ब्रोशर।

स्रोत : संघ का बजट और एनएसओ से प्राप्त जीडीपी के आंकड़े।

### ब्याज भुगतान

3.75 ब्याज भुगतान संघ सरकार के व्यय का सबसे बड़ा घटक है। संघ सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों में ब्याज भुगतानों का अनुपात 2011-12 से 2018-19 के दौरान 34 प्रतिशत से लेकर 38 प्रतिशत के बीच सीमित था। जीडीपी के अनुपात के रूप में, यह 3.1 प्रतिशत से 3.3 प्रतिशत के बीच घट-बढ़ रहा था। इसमें ब्याज दरों में गिरावट और कुछ राजकोषीय समेकन, दोनों का योगदान था।

### मुख्य सब्सिडियां

3.76 सब्सिडियां राजस्व व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक हैं जिनकी व्यय प्रबंधन एवं राजकोषीय समेकन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संघ सरकार की मुख्य प्रत्यक्ष सब्सिडियां खाद्य, उर्वरकों और पेट्रोलियम के लिए हैं (तालिका 3.12)। निवल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में, कुल सब्सिडियां 2011-12 में 29 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2018-19 में 14.4 प्रतिशत, 2019-20 (आरई) में 14.2 प्रतिशत पर आ गईं और यह अनुमान है कि 2020-21 (बीई) में यह 13 प्रतिशत रह सकती हैं। जीडीपी के अनुपात के रूप में, समरूप वृद्धि 2011-12 में 2.5 प्रतिशत से लेकर 2018-19 में 1.2 प्रतिशत तक थी। मध्यावधि से दीर्घावधि में, सब्सिडियों के युक्तीकरण के लिए स्पष्ट उपाए किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों, विशेष रूप से तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) एवं उर्वरक के संबंध में परिवर्तनशीलता संघ सरकार के सब्सिडी बिल के लिए एक बड़ा जोखिम हैं।

**तालिका 3.12 - संघ सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष सब्सिडियों  
(निवल राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)**

वर्ष	खाद्य	उर्वरक	पेट्रोलियम	अन्य	कुल
2011-12	9.7 (0.8)	9.3 (0.8)	9.1 (0.8)	0.9 (0.1)	29.0 (2.5)
2012-13	9.7 (0.9)	7.5 (0.7)	11.0 (1.0)	1.1 (0.1)	29.2 (2.6)
2013-14	9.1 (0.8)	6.6 (0.6)	8.4 (0.8)	1.0 (0.1)	25.1 (2.3)
2014-15	10.7 (0.9)	6.5 (0.6)	5.5 (0.5)	0.8 (0.1)	23.4 (2.1)
2015-16	11.7 (1.0)	6.1 (0.5)	2.5 (0.2)	1.9 (0.2)	22.1 (1.9)
2016-17	8.0 (0.7)	4.8 (0.4)	2.0 (0.2)	2.2 (0.2)	17.1 (1.5)
2017-18	7.0 (0.6)	4.6 (0.4)	1.7 (0.1)	2.3 (0.2)	15.6 (1.3)
2018-19	6.5 (0.5)	4.5 (0.4)	1.6 (0.1)	1.7 (0.1)	14.4 (1.2)
2019-20 (आरई)	5.9 (0.5)	4.3 (0.4)	2.1 (0.2)	2.0 (0.2)	14.2 (1.3)
2020-21 (बीई)	5.7(0.5)	3.5(0.3)	2.0(0.2)	1.7 (0.2)	13.0 (1.2)

स्रोत : विभिन्न वर्षों के लिए संघ का बजट और एनएसओ से प्राप्त जीडीपी संबंधी आंकड़े

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े जीडीपी के अनुपात के रूप में प्रत्यक्ष सब्सिडियों को दर्शाते हैं।

3.77 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के क्रियान्वयन के पश्चात, खाद्य सब्सिडी लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर करती है। 2011-12 से 2015-16 के बीच निवल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में खाद्य सब्सिडी 9.7 प्रतिशत से बढ़कर 11.7 प्रतिशत हो गई थी। जीडीपी के अनुपात के रूप में, यह वृद्धि 0.8 प्रतिशत से लेकर 1 प्रतिशत थी। तथापि, रिपोर्ट किए गए नकदी बहिर्वाह (आउटफ्लो) खाद्य सब्सिडी के सही प्रभाव को परिलक्षित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, 2016-17 में, इस सब्सिडी के कारण नकद व्यय (आउटगो) 1.10 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 0.7 प्रतिशत) था, 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 0.6 प्रतिशत) और 2018-19 में 1.01 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 0.5 प्रतिशत) था। तथापि, इसके अलावा, संघ सरकार ने एनएसएसएफ से एफसीआई को 2016-17 में 70,000 करोड़ रुपये, 2017-18 में 65,000 करोड़ रुपये और 2018-19 में 97,000 करोड़ रुपये ऋण पर दिए। इन ऋणों को तालिका 3.11 एवं 3.12 में दर्शाए गए समग्र सब्सिडी आंकड़ों में प्रदर्शित नहीं किया गया है।

3.78 खाद्य सब्सिडी को सही लक्ष्य तक पहुंचाने (लक्ष्यकरण) में सुधार आया है, क्योंकि अब लाभार्थियों को खाद्यान्नों का वितरण करने के समय पर उचित कीमत वाली दुकानों पर उनका (लाभार्थी) प्रमाणन कर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) का प्रयोग किए जाने लगा है और साथ ही लाभार्थी परिवारों को वितरित मात्रा की इलेक्ट्रॉनिक रूप से जानकारी भी रखी जा रही है। यद्यपि खाद्य सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यकरण के फलस्वरूप, बचत प्रति वर्ष 17,500 करोड़ रुपये हो सकती है, तथापि निवल आधार पर न तो आबंटन में कोई कमी रही है और न ही निर्धारित व्यय में



कोई बचत दिखाई देती है क्योंकि योजना में नए लाभार्थियों के समावेश के कारण लक्ष्यकरण में सुधार संभव नहीं हो सका है।

3.79 डीजल और पेट्रोल के कीमत-निर्धारण को नियंत्रण-मुक्त किए जाने का मुद्दा काफी समय से लंबित था, जो अंततः 01 जनवरी 2015 को लागू हुआ। डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्कों के क्रमिक युक्तीकरण के साथ, डीजल और पेट्रोल के बीच दांव-पेच वाला (डिस्टॉर्शनरी) मूल्य अंतर अंततः मई, 2020 के प्रारंभ में खत्म हो गया। पेट्रोलियम-संबंधी सब्सिडियां अब मिट्टी के तेल एवं एलपीजी तक सीमित हैं। संघ सरकार ने एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का क्रियान्वयन किया है, जबकि मिट्टी के तेल की सब्सिडी के लिए सदृश सुधार विचाराधीन है। राज्यों को मिट्टी के तेल, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है, के आबंटन को 2016-17 से तर्कसंगत बनाया गया है और मिट्टी के तेल के लिए डीबीटी कवरेज को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इन उपायों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम सब्सिडी, शुद्ध राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, 2011-12 में 9.1 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 1.6 प्रतिशत थी और इसी अवधि के दौरान जीडीपी के 0.8 प्रतिशत से घटकर 0.1 प्रतिशत थी। मिट्टी के तेल के लिए सब्सिडी 2011-12 में 28,215 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा घटकर 2020-21 (बीई) में 3,659 करोड़ रुपए हो गई है। निश्चित रूप से यह पिछले पांच वर्षों में दूरगामी व्यय सुधारों में से एक है। तथापि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत पेट्रोलियम सब्सिडी व्यय के कारण इसमें वृद्धि हो गई है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को 1,600 रुपए प्रति कनेक्शन की मदद के साथ, मई, 2016 तक लगभग सात करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे भविष्य में एलपीजी पर सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है, अगर सब्सिडी व्यय को और अधिक तर्कसंगत नहीं बनाया जाता है और गैर-गरीब लाभार्थियों को उससे बाहर नहीं किया जाता है या जब तक सब्सिडीयुक्त सिलेंडरों की संख्या सीमित नहीं की जाती है।

3.80 निवल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में उर्वरक सब्सिडी 2011-12 में 9.3 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 4.5 प्रतिशत, और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 0.8 प्रतिशत से घटकर 0.4 प्रतिशत थी। 2016 में, उर्वरक विभाग ने उर्वरक सब्सिडी के लिए डीबीटी का संशोधित रूप में कार्यान्वयन करने हेतु सोलह जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से एक कार्यक्रम तैयार किया। 2016 के खरीफ मौसम से यूरिया की नीम-कोटिंग की शुरुआत के बाद, यूरिया की खपत में 2015-16 में 8.66 लाख मैट्रिक टन (एमटी) की गिरावट आई। सब्सिडी में लगभग 12,000 रुपए प्रति एमटी की बचत हुए, जिसके फलस्वरूप कुल 1,000 करोड़ रुपए की बचत हुई।

## रक्षा व्यय

3.81 राजस्व (रक्षा सेवा पेंशन को छोड़कर) और पूंजी दोनों खातों में रक्षा सेवाओं पर होने वाला व्यय जीडीपी के अनुपात के रूप में, 2011-12 में 2 प्रतिशत से निरंतर घटकर 2018-19 में 1.5 प्रतिशत पर आ गया (तालिका 3.11)। 2020-21 (बीई) में, राजस्व और पूंजी खातों पर व्यय, पुनः जीडीपी के अनुपातों के रूप में, क्रमशः 0.9 और 0.5 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। 2016-17 में रक्षा राजस्व व्यय में 13.3 प्रतिशत की और 2017-18 में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण तीनों रक्षा सेवाओं के कार्मिकों के संशोधित वेतन मान लागू करने के कारण होने वाला उच्च व्यय था। 2018-19 के दौरान, इसमें 5.1 प्रतिशत की और वृद्धि हुई। 2011-12 से 2018-19 के बीच रक्षा पूंजी परिव्यय (4.7 प्रतिशत) में वृद्धि की तुलना में रक्षा राजस्व व्यय तेजी से बढ़ा (10 प्रतिशत), जिसके परिणामस्वरूप कुल रक्षा सेवा व्यय (रक्षा पेंशन को छोड़कर) में रक्षा पूंजी परिव्यय के अंश में गिरावट आई, जो 2011-12 में 40 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 33 प्रतिशत हो गया था।

3.82 जीडीपी के अनुपात के रूप में, कुल रक्षा सेवा व्यय (रक्षा सेवा पेंशन सहित) 2011-12 के 2.4 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 2.1 प्रतिशत था। यह अनुमान है कि 2020-21 (बीई) में यह घटकर 2 प्रतिशत रह सकता है। यह गिरावट तब आई है जब रक्षा सेवा पेंशन व्यय, पुनः जीडीपी के अनुपात के रूप में, 2011-12 में 0.43 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 0.48 प्रतिशत और 2016-17 में 0.57 प्रतिशत हो गया था जिसका कारण संशोधित वेतन मानों तथा एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) को लागू करना था। यह उम्मीद की जाती है कि यह 2020-21 (बीई) में 0.6 प्रतिशत के स्तर पर कायम रहेगा। 2020-21 (बीई) में, रक्षा सेवा वेतन और पेंशन व्यय रक्षा मंत्रालय के कुल व्यय का लगभग 59 प्रतिशत है जबकि शेष व्यय पूंजी परिव्यय (24 प्रतिशत) एवं भंडार, रक्षा सेवाओं के प्रशासन, सड़कों और पुलों को निर्माण तथा तटरक्षक संगठन से संबंधित है।

3.83 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 2011-12 से 2018-19 के दौरान प्रति वर्ष 4.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा। इस अवधि के दौरान, 12.2 प्रतिशत की उच्चतम वार्षिक वृद्धि 2013-14 में और (-)2.4 प्रतिशत की न्यूनतम दर 2015-16 में दर्ज की गई। जीडीपी के अनुपात के रूप में, पूंजी परिव्यय 2011-12 में 0.8 प्रतिशत से घटकर 2020-21 (बीई) में 0.5 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार से, कुल रक्षा सेवा व्यय (रक्षा पेंशन सहित) के अनुपात के रूप में, पूंजी परिव्यय समान अवधि के दौरान 32.6 प्रतिशत से घटकर 24.9 प्रतिशत था।

## वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन

3.84 वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के कारण, संघ सरकार के असैन्य कार्मिकों के वेतन और भत्ते (तालिका 3.11) 2011-12 और 2018-19 के बीच दोगुना से अधिक हुए हैं, जो 95,984 करोड़ रुपए से बढ़कर 2.11 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। हालांकि, जीडीपी के अनुपात के रूप में, यह व्यय इस अवधि के दौरान 1 प्रतिशत और 1.2 प्रतिशत के दायरे में था, मगर वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के कारण यह 2015-16 में 1 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 1.2 प्रतिशत हो गया था। 1 मार्च, 2017 को यथास्थिति, संघ सरकार के कर्मियों की संख्या 32.38 लाख थी, जो 1 मार्च, 2019 तक बढ़कर 32.63 लाख हो गई थी।

3.85 वेतन आयोग के पंचाट के कार्यान्वयन के कारण पेंशनों पर संघ सरकार का व्यय भी जीडीपी के अनुपात के रूप में 2011-12 में 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 0.9 प्रतिशत हो गया था। इसमें नई पेंशन योजना के तहत संघ सरकार का योगदान भी शामिल है (जो पेंशन के तहत कुल व्यय में 2.4 प्रतिशत है)। यह उम्मीद की जाती है कि 2020-21 (बीई) में यह व्यय 0.9 प्रतिशत पर स्थिर रहेगा।

3.86 वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतानों पर कुल मिलाकर व्यय 2011-12 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत था, जो 2018-19 में बढ़कर जीडीपी का 5 प्रतिशत हो गया था। 2020-21 के बजट अनुमानों के अनुसार, यह 5.1 प्रतिशत पर स्थिर रहने की उम्मीद है।


## राजस्व-पूंजी व्यय संतुलन

3.87 जीडीपी के अनुपात के रूप में, 2011-12 में संघ सरकार का राजस्व व्यय 13.1 प्रतिशत और पूंजी व्यय 1.8 प्रतिशत था। 2016-17 में राजस्व व्यय 2.1 प्रतिशत घटकर 11 प्रतिशत हो गया था, जबकि पूंजी व्यय समान स्तर पर रहा, जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार का सूचक है। लेकिन यह सुधार कुछ दिन तक ही रहा। 2017-18 में हालांकि राजस्व व्यय 11 प्रतिशत के समान स्तर पर था, मगर पूंजी व्यय लगभग 0.3 प्रतिशत प्वाइंट से घटकर 1.5 प्रतिशत हो गया था, जो यह दर्शाता है कि संघ सरकार के व्यय की गुणवत्ता में अवहास हुआ (तालिका 3.11)। यह अवहास 2018-19 में ठीक हुआ जब राजस्व व्यय 0.4 प्रतिशत प्वाइंट घटकर 10.6 प्रतिशत हो गया और पूंजी व्यय 0.1 प्रतिशत प्वाइंट बढ़ गया। कुल व्यय में पूंजी व्यय का अंश 2011-12 से 2016-17 की अवधि के दौरान 12.2 प्रतिशत से बढ़कर 14.4 प्रतिशत हो गया था। तत्पश्चात यह 1.1 प्रतिशत प्वाइंट घटकर

2018-19 में 13.3 प्रतिशत हो गया। राजस्व और पूंजी व्यय खातों की प्रवृत्तियों को चित्र 3.9 में दर्शाया गया है।

**चित्र 3.9: राजस्व और पूंजी व्यय का सापेक्षिक प्रतिशत अंश**

(कुल व्यय का प्रतिशत)



स्रोत : संघ के बजट

## राज्यों के वित्त की समीक्षा


3.88 जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई है, पिछले पांच वर्षों में लोक वित्त में कई बदलाव हुए हैं जिनका राज्य सरकारों के वित्त पर काफी प्रभाव पड़ा है। योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित कर और योजनाबद्ध स्कीमों के तहत वित्तपोषण व्यवस्था (फंडिंग विंडों) को बंद किए जाने से राज्यों के वित्त पर अनेक प्रभाव पड़े हैं। अप्रैल, 2015 से चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन किए जाने तथा जुलाई, 2017 में जीएसटी की शुरुआत ने अंतर-सरकारी राजकोषीय संबंधों को और अधिक सहयोगात्मक परिवेश की दिशा में परिवर्तित कर दिया है। राज्यों के स्तर पर तीन अतिरिक्त घटनाक्रमों का राज्यों के वित्त पर प्रभाव पड़ा है : बिजली वितरण कंपनियों की राजकोषीय स्थिति में सुधार लाने के लिए उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एशुरेंस योजना) योजना का कार्यान्वयन, राज्य वेतन आयोगों की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन और कृषि ऋणों को माफ करने की राज्य सरकारों की बढ़ती प्रवृत्ति।

## समग्र राजकोषीय संकेतकों में प्रवृत्तियां

3.89 2011-12 से राज्यों के वित्त पर चर्चा करने से पहले 2004-05 से बाद की अवधि पर विचार किया जाना महत्वपूर्ण है। राज्यों की संयोजित राजकोषीय स्थिति को तीन मुख्य चरणों में

विभाजित किया जा सकता है (चित्र 3.10)। संयोजित राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और ऋण के जीडीपी से अनुपात के प्रमुख मानदंडों के आधार पर, राज्यों के वित्त में 2004-05 और 2007-08 के बीच सामान्य रूप से सुधार देखा गया है। इस अवधि के दौरान सभी राज्यों का संयोजित राजकोषीय घाटा 3.4 से घटकर 1.5 प्रतिशत हो गया था जबकि 1.2 प्रतिशत का संयोजित राजस्व घाटा 0.9 प्रतिशत के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। यह सुधार वैट लागू करने से कर वसूली में बढ़ोतरी एवं उच्च राजस्व संग्रह, ऋण समेकन एवं माफी (12वें वित्त आयोग द्वारा उपबंधित ऋण समेकन एवं राहत सुविधा (डीसीआरएफ)) तथा राज्यों द्वारा एफबीआरएम अधिनियम को लागू करने के कारण आया था।

**चित्र 3.10: राज्यों के समग्र राजकोषीय संकेतकों में प्रवृत्तियां  
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी),  
राजस्व घाटा (आरडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी)**



स्रोत: वित्त लेखा, जीडीपी, एनएसओ (2011-12 सीरीज) और एनएसओ बैंक-सीरीज 2004-05 से 2011-12 (आधार 2011-12)

नोट 1: (+) घाटे का तथा (-) अधिशेष का संकेत करता है।

3.90 2008-09 से 2011-12 की अवधि में 2 बड़े घटनाक्रम घटित हुए : छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्यों द्वारा वेतन में संशोधन किया जाना और वैश्विक वित्तीय संकट (2008-09)। संघ सरकार से राज्यों को कर-अंतरण तथा राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में जीडीपी के अनुपात के रूप में मुख्य रूप से वैश्विक मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित सुस्ती से निपटने के लिए कर रियायतों के कारण 2008 और 2010 के बीच गिरावट हुई। एफआरबीएम

अधिनियम के तहत अपने राजकोषीय नियमों को शिथिल करते हुए, संघ सरकार ने राज्य सरकारों के लिए भी इन नियमों में ढील दी और उन्हें 2008-09 एवं 2009-10 में उनकी संबंधित एफआरबीएम सीमाओं से अधिक उधार लेने की अनुमति दी। इन सभी बातों के परिणामस्वरूप, जीडीपी के अनुपात के रूप में राज्यों का राजकोषीय घाटा 2007-08 में 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 3 प्रतिशत हो गया था। तथापि, तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुपालन में बढ़ाया गया अंतरण 2009-10 से 2011-12 तक राजकोषीय संकेतकों में मामूली सुधार के मुख्य कारणों में से एक था।

3.91 2011-12 से राज्यों के समग्र राजकोषीय संकेतकों के निरंतर खराब निष्पादन में विभिन्न कारकों का योगदान था (तालिका 3.13)। राज्यों के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व घट गए थे। उनका संयुक्त राजकोषीय घाटा 2015-16 में पहली बार 3 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को पार कर 2016-17 में 3.5 प्रतिशत हो गया था। राज्य सरकारों की बकाया देयताएं 2012-13 से ही दो अंकों की वृद्धि दर्ज करा रही हैं। राज्यों का पूंजी व्यय 2014-15 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 3.3 प्रतिशत हो गया था (तालिका 3.15)। राज्यों की खराब राजकोषीय स्थिति में जिन प्रमुख नीतिगत कारकों का योगदान है, उनमें उदय योजना, सातवें वेतन आयोग के पंचाट के अनुपालन में नए वेतन मानों का कार्यान्वयन, कृषि ऋण माफी और जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित लंबित लेखाकरण मुद्दे थे। तथापि, कुल मिलाकर राज्य जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल-राजकोषीय घाटा को 2017-18 एवं 2018-19 में 3 प्रतिशत से भी कम रखने में समर्थ रहे। जीडीपी में प्राथमिक घाटे के अनुपात में कमी के बारे में भी यही प्रवृत्ति देखी गई। तथापि, यह राजकोषीय सुधार मुख्यतः पूंजी व्यय के संकुचन की लागत पर आया जोकि जीडीपी से अनुपात के रूप में 3.3 से घटकर 2.5 हो गया था। राजस्व व्यय के दोनों घटकों, यानी पूंजी परिव्यय और ऋण एवं अग्रिमों में गिरावट आई तथा बिजली, खाद्य भंडारण तथा भंडारगृहों के संबंध में इनमें तेजी से गिरावट हुई। 2017-18 में कुछ राज्यों ने विद्युत सेक्टर को दिए गए विगत ऋणों को अनुदानों या इक्विटी में परिवर्तित कर दिया था। जीडीपी में ऋण का अनुपात 2016-17 और 2018-19 के बीच लगभग 24 प्रतिशत पर कमोबेश स्थिर रहा।

### तालिका 3.13: राज्यों के समग्र राजकोषीय संकेतकों में प्रवृत्तियां- घाटा एवं ऋण

(प्रतिशत में)

समग्र रूप से सभी राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
जीएफडी/जीडीपी	1.9	2.0	2.2	2.6	3.1	3.5	2.4	2.5	3.1	2.7
आरडी/जीडीपी	-0.3	-0.2	0.1	0.4	0.0	0.3	0.1	0.1	0.8	0.1
पीडी/जीडीपी	0.4	0.5	0.7	1.1	1.5	1.8	0.7	0.8	1.5	1.0
आरडी/जीएफडी	-14.1	-10.4	4.3	14.0	1.3	7.6	5.8	5.3	24.0	5.1
बकाया ऋण एवं देयताएं /जीडीपी	22.6	22.0	21.6	21.9	23.0	24.3	24.4	24.5	25.5	25.4


स्रोत: वित्त लेखा, राज्य बजट, 2020-21; जीडीपी : एनएसओ (2011-12 सीरीज)

नोट 1: (+) घाटे का संकेत करता है, (-) अधिशेष का संकेत करता है।

नोट 2: बकाया ऋण एवं देयताओं में राज्य सरकारों के आंतरिक कर्ज, संघ सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य देयताएं, जैसे कि लघु बचतें, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधियां एवं जमाएं (ब्याज सहित और ब्याज रहित दोनों) शामिल हैं।

चित्र 3.11: उदय (यूडीएवाई) का प्रभाव (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

3.92 कुल सत्ताईस राज्यों (पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहित) ने बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय एवं परिचालनीय सुधार एवं पुनरूद्धार के लिए उदय योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। सोलह राज्य सरकारों ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कर्ज को अपने ऊपर ले लिया जबकि ग्यारह राज्यों



ने कर्ज अपने ऊपर लिए बिना केवल उनकी परिचालनीय कार्यक्षमताओं में सुधार लाने के लिए उदय योजना पर हस्ताक्षर किए। इस योजना के तहत सोलह राज्य सरकारों ने डिस्कॉम का कर्ज अपने ऊपर लेने हेतु बंधपत्र जारी किए और अनुदान, कर्ज और इक्विटी के मिश्रण में बंधपत्रों से प्राप्त आगमों को डिस्कॉम कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया। चित्र 3.11 उदय योजना के बिना और उसके साथ राज्य सरकारों के सकल-राजकोषीय घाटे को दर्शाती है। यह देखा जा सकता है कि उदय योजना के साथ सभी राज्यों का राजकोषीय घाटा 2015-16 में जीडीपी का 3.1 प्रतिशत था और 2016-17 में 3.5 प्रतिशत था। तथापि, जब उदय से संबंधित देयताओं को अलग किए जाने पर यह 2015-16 में घटकर 2.4 प्रतिशत और 2016-17 में 2.7 प्रतिशत था। अतः, उदय योजना का 2015-16 में जीडीपी का 0.7 प्रतिशत के समतुल्य प्रभाव था और 2016-17 में 0.8 प्रतिशत का प्रभाव था। इन

राज्यों का कुल कर्ज-जीडीपी अनुपात 2011-12 के 22.6 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 24.3 प्रतिशत हो गया था। राज्यों का पूंजी व्यय 2014-15 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 3.3 प्रतिशत हो गया था क्योंकि राज्यों ने उदय योजना के तहत मुख्य रूप से कर्जों के माध्यम से डिस्कॉम कंपनियों को सहायता प्रदान की है। चूंकि डिस्कॉम कंपनियों के कर्ज की पुनः संरचना 2016-17 में संपन्न हुई थी, इसलिए इस संबंध में 2017-18 में कोई बोज़ नहीं बढ़ा और राजकोषीय घाटा 2017-18 में 2.4 प्रतिशत घट गया था

3.93 चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर संघ सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय लक्ष्यों का अनुपालन करने हेतु एक प्राथमिक प्रोत्साहन, अनुकूल ढांचे (फ्रेमवर्क) को कार्यान्वित किया। इसके अनुसार राज्य उस वर्ष, जिसके लिए कर्ज-जीएसडीपी (सकल-राज्य घरेलू उत्पाद) अनुपात पिछले वर्ष में 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर था, के लिए राजकोषीय घाटे के 3 प्रतिशत के अलावा 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा के लिए पात्र थे। राज्यों को एक वर्ष में उनके जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त उधार लेने की सीमा भी बढ़ाई गई, यदि उनके ब्याज भुगतान पिछले वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से कम या उससे बराबर थे। ये सीमाएं इस शर्त के अधीन थी कि राज्य के पास कोई राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए। इस विंडो की उपलब्धता के बावजूद, इस व्यवस्था के तहत राज्यों की कुल उधार उच्चतम सीमाओं के अलावा, समग्र अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः 12,269 करोड़ रुपए (सात राज्य), 12,873 करोड़ रुपए (नौ राज्य) और 12,664 करोड़ रुपए (दस राज्य) की थी।

3.94 2015-16 में राज्यों ने 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के अनुपालन में करों के अंतरणों में अपनी बढ़ी हिस्सेदारी के कारण अपने समग्र राजस्व घाटा को पूरा कर लिया था। 2016-17 में राज्यों का राजस्व घाटा 0.3 बढ़ गया था क्योंकि उदय योजना पर राज्यों के समग्र व्यय का लगभग एक-तिहाई भाग अनुदानों के रूप में था। यह 2017-18 में घटकर 0.1 प्रतिशत हो गया था और 2018-19 में समान स्तर पर कायम रहा।

3.95 राज्यों द्वारा अदा किए जाने वाले ब्याज भुगतान, जो कि राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा के बीच का अंतर है, 2011-12 से 2018-19 के बीच जीडीपी के 1.5 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत की सीमा में थे। राजकोषीय घाटा में तेजी से वृद्धि और ब्याज भुगतानों में सीमांत वृद्धि के चलते, प्राथमिक घाटा भी 2011-12 के 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 1.8 प्रतिशत हो गया था, लेकिन यह 2017-18 में घटकर जीडीपी का 0.7 प्रतिशत हो गया।



## समग्र राजस्वों में प्रवृत्तियां

3.96 जीडीपी के अनुपात के रूप में, राज्यों की समग्र राजस्व प्राप्तियां 2011-12 के 12.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 13.6 प्रतिशत हो गई थीं (तालिका 3.14)। यद्यपि राज्यों का स्वयं का समग्र कर राजस्व, पुनः जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2011-12 से 2018-19 के दौरान जीडीपी के 5.9 प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत की सीमा में बना रहा, किंतु 2012-13 में उच्चतम स्तर छूने के बाद इसमें गिरावट देखी गई। राज्यों का स्वयं का गैर-कर राजस्व समान अवधि के दौरान 1 प्रतिशत से 1.2 प्रतिशत की सीमा में बना रहा। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, समग्र राजस्व प्राप्तियों में अधिकतर वृद्धि संघ सरकार द्वारा दिए गए बढ़े हुए अंतरण और सहायता अनुदान के कारण थी।

3.97 राज्यों को किया जाने वाला समग्र कर अंतरण, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2011-12 के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 4 प्रतिशत हो गया और सहायता अनुदान 2011-12 के 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 2.3 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह गौर करने की बात है कि जीएसटी के कारण राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को राज्यों को सहायता अनुदान के रूप में चढ़ाया जाता है। कर अंतरण में वृद्धि मुख्य रूप से चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन करने के कारण थी। संघ सरकार द्वारा राज्यों को किए गए कुल अंतरणों में वृद्धि 2011-12 से 2018-19 के बीच जीडीपी के 1.2 प्रतिशत के समतुल्य थी।

3.98 संघ सरकार द्वारा राज्यों को दी गई अनुदान सहायता में वृद्धि का एक कारण विभिन्न सीएसएस योजनाओं के लिए अनुदानों के संवितरण की प्रक्रियावधि में परिवर्तन था। इससे पहले अनुदान सहायता राज्य बजटों को नज़रअंदाज करती थी, लेकिन 2014-15 से इन्हें राज्य सरकार के बजट से संबद्ध कर अग्रेषित किया गया। इससे जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुदान सहायता में वृद्धि हुई जो कि 2013-14 में 1.8 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 2.7 प्रतिशत हो गई। तथापि, ऐसी अनुदान सहायता 2015-16 में घटकर 2.4 प्रतिशत हो गई जिसका मुख्य कारण पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा एनसीए, एससीए और एसपीए के रूप में दी गई वित्तीय सहायता को बंद करना था। लेकिन, चौदहवें वित्त आयोग के पंचाट के अनुपालन के फलस्वरूप अंतरणों में संरचनात्मक बदलाव किए जाने से समग्र अंतरणों में वृद्धि हुई।

### तालिका 3.14: राज्यों की समग्र राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(जीडीपी का प्रतिशत)

सभी राज्यों का समग्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
कुल राजस्व प्राप्तियां	12.6	12.6	12.2	12.8	13.3	13.3	13.3	13.6	13.8	14.1
क. स्वयं का कर राजस्व	6.4	6.6	6.3	6.2	6.2	5.9	6.0*	6.1	6.3	6.4
ख. स्वयं का गैर-कर राजस्व	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2
स्वयं का कुल राजस्व (क+ख)	7.5	7.8	7.5	7.4	7.3	7.0	7.0	7.3	7.4	7.6
ग. कर अंतरण	2.9	2.9	2.8	2.7	3.7	3.9	3.9*	4.0	3.4	3.6
घ. अनुदान सहायता	2.1	1.9	1.8	2.7	2.4	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0
संघ से कुल अंतरण (ग+घ)	5.1	4.8	4.7	5.4	6.0	6.3	6.3	6.3	6.4	6.6

\* 2017-18 में, आईजीएसटी के संदर्भ में 67,998 करोड़ रुपए की राशि राज्यों के वित्तीय लेखा में अंतरण के तहत अभिलिखित की गई है।  
स्रोत: वित्तीय लेखा, राज्यों के बजट 2020-21; जीडीपी: एनएसओ (2011-12 सीरीज)

3.99 राज्यों का स्वयं का समग्र कर राजस्व 2011-12 से 2018-19 के बीच 10.26 की प्रवृत्तिमूलक वृद्धि दर से बढ़ा, जो कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित दीर्घकालिक प्रवृत्तियों के आधार पर मानक स्तर (normative levels) से काफी कम था। राज्यों द्वारा पहले से जुटाए गए कर राजस्वों के न्यून स्तरों को ध्यान में रखते हुए, 0.86 का उछाल कोई मायने नहीं रखता है। राज्य वित्तों के जीएसटी के कार्यान्वयन के प्रभाव पर पूर्ववर्ती खंड में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। राज्यों का स्वयं का समग्र गैर-कर राजस्व, जो कि 10.45 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था, ने भी एक (01) से भी कम यानी केवल 0.88 का उछाल दर्शाया। इस अवधि के दौरान संघ सरकार द्वारा राज्यों को किए गए अंतरणों में वृद्धि के कारण, जीडीपी के अनुपात के रूप में, राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों में 2011-12 से 2018-19 तक कुछ वृद्धि देखी गई।

### समग्र राज्य व्यय में प्रवृत्तियां

3.100 राज्यों का राजस्व व्यय, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, 2011-12 के 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 13.7 प्रतिशत हो गया (तालिका 3.15)। राजस्व व्यय में, जीडीपी के अनुपात के रूप में, उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 2013-14 के 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में 13.1 प्रतिशत हो गया। इस वृद्धि का एक हिस्सा सीएसएस अनुदानों को राज्य बजटों के माध्यम से अग्रेषित करना हो सकता है।

### तालिका 3.15: समग्र राज्य व्यय में प्रवृत्तियां

(जीडीपी का प्रतिशत)

समग्र रूप से सभी राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 आरई	2020-21 बीई
<b>I. राजस्व व्यय</b>	12.3	12.4	12.3	13.1	13.3	13.6	13.5	13.7	14.6	14.3
<b>सामान्य सेवाएं जिसमें से:</b>	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.6	4.8	4.9	4.9
ब्याज भुगतान	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
पेंशन	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7
अन्य सामान्य सेवाएं	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6
<b>सामाजिक सेवाएं जिसमें से</b>	5.0	5.0	5.0	5.1	5.4	5.5	5.3	5.4	5.9	5.8
शिक्षा	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5
स्वास्थ्य	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
आर्थिक सेवाएं	2.6	2.8	2.6	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1	3.4	3.2
<b>स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन तथा सहायता सामग्रियां</b>	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
<b>II. पूंजी व्यय</b>	2.4	2.2	2.2	2.4	3.1	3.3	2.5	2.5	2.7	2.7
<b>III. कुल व्यय</b>	14.7	14.6	14.5	15.6	16.4	16.9	15.9	16.2	17.3	16.9

स्रोत: वित्तीय लेखा, राज्य बजट, 2020-21; जीडीपी: एनएसओ (2011-12 सीरीज)

3.101 शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत, ग्रामीण विकास एवं ऊर्जा के संदर्भ में 'विकास' श्रेणी के तहत किए जाने वाले उच्च राजस्व व्यय के कारण राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है। पेंशन एवं ब्याज भुगतान और प्रशासनिक सेवाओं पर प्रतिबद्ध व्यय इस अवधि के दौरान सीमांत रूप में ही बढ़ा। ब्याज भुगतान 2011-12 में जीडीपी के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 1.7 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, पेंशन पर व्यय 2011-12 से 2016-17 के बीच 1.5 प्रतिशत पर बना रहा लेकिन वेतन आयोग के पंचाट के कार्यान्वयन के कारण 2018-19 में यह बढ़कर 1.7 प्रतिशत हो गया था।

3.102 सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 2011-12 से 2016-17 के बीच जीडीपी के कमोबेश लगभग 4.4 प्रतिशत पर स्थिर था। इस अवधि के दौरान सामाजिक सेवाओं पर व्यय 5 प्रतिशत से बढ़कर 5.5 हो गया था और आर्थिक सेवा व्यय 2.6 प्रतिशत से बढ़कर 3.3 प्रतिशत हो गया था। तथापि, राजस्व व्यय की संरचना में 2016-17 से 2018-19 तक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया। ब्याज एवं पेंशन पर व्यय में वृद्धियों के कारण सामान्य सेवाओं पर होने वाला राजस्व व्यय जीडीपी के 4.4 से बढ़कर 4.8 प्रतिशत हो गया था, जबकि सामाजिक सेवाओं में इसमें समरूप गिरावट देखी गई जो 5.5 प्रतिशत से घटकर 5.4 प्रतिशत थी और आर्थिक सेवाओं के संदर्भ में यह 3.3 प्रतिशत से घटकर 3.1 प्रतिशत पर था।

3.103 2011-12 से 2018-19 के बीच, शिक्षा (जीडीपी का 2.5 प्रतिशत) और स्वास्थ्य (जीडीपी का 0.7 प्रतिशत) पर राजस्व व्यय कमोबेश स्थिर बना रहा (तालिका 3.15)। इसके अलावा, कुल राजस्व व्यय के अनुपात के रूप में, शिक्षा पर यह व्यय 19.8 प्रतिशत से घटकर 17.3 प्रतिशत हो गया जबकि स्वास्थ्य पर 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गया। इस बदलाव का एक आंशिक कारण यह था कि शिक्षा पर राजस्व व्यय के अंश में घटत उन राज्यों के संबंध में कम थी जिनकी जीएसडीपी राष्ट्रीय औसत से कम थी। खास तौर पर, स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय के अंश में वृद्धि उन राज्यों के संबंध में अधिक थी जिनकी औसत जीएसडीपी समृद्ध राज्यों की तुलना में कम थी।

3.104 2018-19 में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी (एनईएच) राज्यों के लिए शिक्षा पर औसत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय अन्य सामान्य राज्यों के संबंध में 3,267 रुपए की संगत राशि की तुलना में 5,970 रुपए था। इसी प्रकार से, स्वास्थ्य पर एनईएच राज्यों के लिए 1,987 रुपए का संगत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय, अन्य सामान्य राज्यों के संबंध में लगभग दोगुना अर्थात् 1,035 रुपए था। प्रत्येक श्रेणी में औसत से कम वाले राज्यों के संबंध में और भी अधिक ध्यान दिए की आवश्यकता है (तालिका 3.16)।

**तालिका 3.16: स्वास्थ्य/ शिक्षा पर औसत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय से कम खर्च करने वाले राज्य (2018-19)**

सामाजिक क्षेत्र	पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य, जिनका प्रति व्यक्ति व्यय एनईएच राज्यों के औसत से कम है	सामान्य राज्य जिनका प्रति व्यक्ति व्यय सामान्य राज्यों के औसत से कम है
<b>शिक्षा</b> (एनईएच राज्यों का औसत 5,970 रुपए और अन्य राज्यों का औसत 3,267 रुपए है।)	असम, मणिपुर, मेघालय, और त्रिपुरा	बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
<b>स्वास्थ्य</b> (एनईएच राज्यों का औसत 1,987 रुपए और सामान्य राज्यों का औसत 1,035 रुपए है।)	असम, मणिपुर, उत्तराखंड	बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

3.105 अधिकतर राज्यों ने वेतन आयोग की अनुशंसाओं का अनुपालन करते हुए संशोधित वेतन मानों को लागू किया है। यद्यपि, इससे राज्यों के राजस्व व्यय पर प्रभाव पड़ा है, मगर राज्यों द्वारा आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने में किए गए विलंब, वेतन बकायों का भुगतान नहीं देने का निश्चय, वेतन

भुगतान को किस्तों में अदा करना (कभी-कभी दो-तीन वर्षों तक), वेतन बकायों को सामान्य भविष्य निधि खातों में डालना और कम भत्तों या पूर्व-संशोधित दरों पर भत्तों के साथ आयोग की अनुशंसाओं को आंशिक तौर पर लागू करना जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाकर राज्य वित्तों पर समग्र प्रभाव को शिथिल-सा कर दिया था और उसे कुछ आगामी वर्षों में फैला दिया था।

### बॉक्स 3.1 : कृषि कर्ज माफी

राज्य वित्तों को प्रभावित कर रहा एक बढ़ता चिंताजनक एवं महत्वपूर्ण कारक कृषि कर्ज माफ कर देना है जिसकी घोषणा विभिन्न राज्यों द्वारा 2014 से की जा रही है। यह भी सत्य है कि संघ सरकार ने 1990 और 2008 के बाद इस प्रकार की योजनाएं घोषित नहीं कीं। कृषि कर्ज माफियों को कृषि जिंसों (कमोडिटीज) के घटते मूल्यों और बार-बार सूखा पड़ जाने के आधार पर प्रायः तर्कसंगत ठहराया जाता रहा है। आरबीआई के राज्य बजट अध्ययन (2017-18 एवं 2018-19) में यह रेखांकित किया गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की 2014 में घोषित कर्ज माफी योजनाओं के काफी ज्यादा राजकोषीय निहितार्थ व प्रभाव थे, जो क्रमशः 24,000 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4.6 प्रतिशत) और 17,000 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 3.4 प्रतिशत) थे, जबकि तमिलनाडु की 2016 की कर्ज माफी योजना की राशि 6,000 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 0.5 प्रतिशत) थी। 2017 में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब ने क्रमशः 34,000 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 1.3 प्रतिशत), 36,000 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 2.7 प्रतिशत), 10,000 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 2.1 प्रतिशत) की कृषि कर्ज माफी की स्वीकृति प्रदान की थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने 2018-19 में नए कृषि कर्ज माफी कार्यक्रमों की घोषणा की, जिनकी राशि क्रमशः 18,000 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 1.9 प्रतिशत), 36,500 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 4.5 प्रतिशत) और 6,100 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 1.7 प्रतिशत) थी। कर्नाटक ने 2017-18 में 18,000 करोड़ रुपए के घोषित कर्ज माफी कार्यक्रम को बढ़ाकर 2018-19 में 44,000 करोड़ रुपए (जीएसडीपी का 3.4 प्रतिशत) कर दिया था (आरबीआई रिपोर्ट 2019-20)।

वित्तीय लेखा पर विचार करते हुए, राज्य सरकारों द्वारा माफ किए गए कृषि कर्जों की निश्चित राशि का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि अलग-अलग राज्यों के कर्ज माफ करने के तौर-तरीके भिन्न-भिन्न हैं, कभी-कभी उनके लेखा में ब्याज में छूट दी जाती है।

आयोग द्वारा राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 2014-15 से तेरह राज्यों में कृषि कर्ज माफी नहीं दी गई है, सात राज्यों (पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) ने 2014-15 से 2019-20 के बीच 79,000 करोड़ रुपए की समग्र कर्ज माफी राशि का ब्यौरा दिया। तथापि, विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि कर्ज माफी के वास्तविक परिमाण का अनुमान करने में इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दूसरा, आंकड़े राज्यों द्वारा स्वयं दिए गए थे जिनका स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जा सकता। तीसरा, ब्याज पर दी गई छूट विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न थी। अंततः बजटीय राशियों और खर्चों के बीच बहुत ही कम अनुरूपता थी।

संघ सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अलावा, छह राज्यों ने 2019-20 में राज्य आय सहायता योजना का बजटीय प्रावधान किया है। इस प्रकार की आय सहायता योजनाएं तुलनात्मक रूप से अधिक समावेशी हैं और उनमें नैतिक खतरे की समस्या नहीं है जैसा कि कृषि कर्ज माफी योजनाओं में है।

3.106 राज्यों के समग्र जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में, राजस्व व्यय 2011-12 के 2.4 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 3.3 प्रतिशत होने के पश्चात 2017-18 में घटकर 2.5 प्रतिशत हो गया था। राज्यों द्वारा अधिगृहीत उदय बंधपत्रों (यूडीएवाई बॉण्ड्स) के कारण 2015-16 और 2016-17 राजस्व व्यय में काफी बढ़ोतरी हुई। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है, राजस्व व्यय में घटत उसके दोनों घटकों - पूंजी परिव्यय और ऋण एवं संवितरण - के कारण थी। सभी राज्यों के संबंध में, पूंजी परिव्यय (सड़कों एवं पुलों और सिंचाई एवं ऊर्जा पर परिव्यय सहित) कम हुआ, जबकि ऋण एवं संवितरण विद्युत क्षेत्र और खाद्य भंडारण एवं भांडागार के संबंध में कम हुए। राज्य सरकारों का कुल व्यय 2011-12 में 14.7 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 16.2 प्रतिशत हो गया था।

3.107 राज्यों का समग्र राजस्व व्यय 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान 13.52 प्रतिशत की प्रवृत्तिमूलक वृद्धि दर से बढ़ा। इस अवधि के दौरान राज्यों के समग्र जीएसडीपी के संबंध में राजस्व व्यय का उछाल 1.14 प्रतिशत था। राज्यों का समग्र पूंजी व्यय 14.77 प्रतिशत की प्रवृत्तिमूलक वृद्धि दर से बढ़ा और इसमें 1.24 प्रतिशत का उछाल आया।

### राज्यों के वित्त: एक तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

3.108 अनुलग्नक 3.1 से 3.12 में राज्यों के राजकोषीय संकेतकों पर 2011-12 से 2020-21 (बीई) तक के विस्तृत आंकड़ों को उपलब्ध कराया गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रेक्षण निम्न प्रकार हैं:


- i. 2011-12 में केवल छह राज्यों (हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, एवं पश्चिम बंगाल) के पास राजस्व घाटा था, लेकिन 2018-19 में राजस्व घाटे वाले राज्यों की संख्या बढ़कर दस हो गई थी (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल) (अनुलग्नक 3.1)।
- ii. चित्र 3.12 में 2011-12 से 2018-19 तक सामान्य श्रेणी वाले राज्यों के राजस्व घाटा-जीएसडीपी अनुपातों में बदलाव को दर्शाया गया है। राजस्व घाटे में वृद्धि तीन कारणों से हो सकती है: स्वयं के राजस्व में गिरावट, संघ सरकार द्वारा किए गए हस्तांतरणों में गिरावट और/या राजस्व व्यय में वृद्धि। सामान्य श्रेणी वाले सत्रह राज्यों (तेलंगाना को छोड़कर) के संबंध में, दस राज्यों का राजस्व घाटा अधिक था। इसके अतिरिक्त, सामान्य श्रेणी वाले सात राज्यों के संबंध में उनके जीएसडीपी अनुपात की तुलना में स्वयं के राजस्व में इस अवधि के दौरान गिरावट आई थी, चौदह राज्यों के राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, जबकि जीएसडीपी के

प्रतिशत के रूप में केंद्रीय हस्तांतरणों के रूप में गोवा राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में वृद्धि हुई। इसका अर्थ यह है कि चौदहवें वित्त आयोग के पंचाट के फलस्वरूप, उच्च केंद्रीय हस्तांतरणों के बावजूद इन राज्यों का राजस्व घाटा बढ़ गया था।

- iii. ग्यारह एनईएच राज्यों में से सात राज्यों के राजस्व घाटे में, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई (चित्र 3.13)। पांच राज्यों के स्वयं के राजस्व में गिरावट आई, जबकि पांच राज्यों (असम, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा) के सिवाय सभी राजस्व व्यय में वृद्धि हुई। इन राज्यों के लिए योजनाबद्ध अनुदानों को कम किए जाने के परिणामस्वरूप, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल केंद्रीय हस्तांतरण पांच एनईएच राज्यों - मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा - में (प्रतिशत प्वाइंट में) कम हुए।
- iv. 2011-12 से 2018-19 के दौरान सत्रह सामान्य श्रेणी वाले राज्यों (तेलंगाना को छोड़कर) में से ग्यारह राज्यों तथा ग्यारह एनईएच राज्यों में से छः राज्यों में राजकोषीय घाटा बढ़ गया था। चित्र 3.14 और 3.15 जीएसडीपी में कर्ज के अनुपात की समान प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, जो बारह सामान्य श्रेणी वाले राज्यों और चार एनईएच राज्यों में बढ़ गया था।
- v. जीएसडीपी से स्वयं के कर-राजस्व का अनुपात नौ सामान्य श्रेणी वाले राज्यों और तीन एनईएच राज्यों में 2011-12 से 2018-19 में घट गया था (चित्र 3.16)।


चित्र 3.12:

सामान्य राज्यों के राजस्व घाटे में वृद्धि (+):  
(2011-12 की तुलना में 2018-19 में)




चित्र 3.13:


एनईएच राज्यों में राजस्व घाटे में वृद्धि (+)  
(2011-12 की तुलना में 2018-19 में)




चित्र 3.14: सामान्य राज्यों की देनदारी/जीएसडीपी और इसमें अंतर (+वृद्धि/-गिरावट) (2011-12 की तुलना में 2018-19 में) ( प्रतिशत प्वाइंट में)



चित्र 3.15: एनईएच राज्यों की देनदारी /जीएसडीपी और इसमें अंतर (+वृद्धि/-गिरावट) (2011-12 की तुलना में 2018-19 में)(प्रतिशत प्वाइंट में)



चित्र 3.16 2018-19 में स्वयं का कर राजस्व/जीएसडीपी अनुपात और 2011-12 की तुलना में 2018-19 में अंतर ( प्रतिशत प्वाइंट में) (+ वृद्धि /- गिरावट)





## प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय

3.109 राज्यों को सामान्य प्रयोजन के लिए किए गए हस्तांतरण से उन्हें अपने नागरिकों को तुलनात्मक रूप से बेहतर जनसेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलनी चाहिए। अतः हस्तांतरण राज्यों के व्यय स्तरों के बराबर होने चाहिए ताकि वे विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में न्यूनतम मानकों को हासिल कर पाएं और सामाजिक तथा अवसंरचनात्मक संकेतकों में क्षेत्रीय भिन्नताओं को कम कर पाएं। अपने आकलन में चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों की प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय आवश्यकताओं का एक समग्र आकलन कर, सभी राज्यों के संबंध में आंशिक रूप से समान राजस्व व्ययों के सिद्धांत को अपनाया ताकि सभी राज्य समग्र संसाधन व्यवस्था की परिसीमाओं के भीतर न्यूनतम व्यय खर्च कर सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि सभी राज्यों के प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय की तुलना की जाए (अनुलग्नक 3.9)। चूंकि एनईएच राज्यों की जन सेवाएं उपलब्ध कराने की इकाई लागत उच्च है, 2018-19 में उनका औसत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय सामान्य राज्यों के 19,206 रुपए की तुलना में 29,220 रुपए था (तालिका 3.17)। तथापि, एनईएच राज्यों के बीच व्यापक अंतर है, जोकि असम में 16,668 रुपए के न्यूनतम प्रति व्यक्ति व्यय स्तर से लेकर सिक्किम में 79,191 रुपए के उच्चतम स्तर तक है।

3.110 सामान्य राज्यों में 2018-19 में प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय बिहार में 10,515 रुपए और केरल में 31,823 रुपए की सीमा के बीच था। एक छोटा एवं विकसित राज्य होने के नाते गोवा में प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय 72,154 रुपए के उच्चतम स्तर पर है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड निचले स्थान पर हैं। वस्तुतः ये तीन ऐसे राज्य हैं जिन्हें अपने विकास व्यय में पर्याप्त सहायता की आवश्यकता है।

### तालिका 3.17: प्रति व्यक्ति व्यय

(रुपए में)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>कुल व्यय</b>								
सभी राज्य	10712	11981	13213	15578	17955	20363	21091	23519
सामान्य राज्य	10287	11557	12776	15079	17532	19822	20426	22753
एनईएच राज्य	17006	18251	19652	22931	24183	28319	30923	34830
<b>राजस्व व्यय</b>								
सभी राज्य	8959	10143	11224	13155	14589	16364	17798	19842
सामान्य राज्य	8612	9793	10857	12729	14176	15859	17246	19206
एनईएच राज्य	14098	15320	16633	19438	20667	23798	25944	29220
<b>पूंजी व्यय</b>								
सभी राज्य	1753	1838	1989	2422	3366	3999	3294	3677
सामान्य राज्य	1675	1764	1919	2350	3356	3963	3180	3546
एनईएच राज्य	2909	2932	3019	3493	3516	4521	4980	5610

स्रोत: वित्तीय लेखा; जनसंख्या अनुमान: एनएसओ

### नकद शेष

3.111 समीक्षागत अवधि में राज्य सरकारों ने मध्यवर्ती राजकोषीय बिलों (आईटीबी) और नीलामी राजकोषीय बिलों (एटीबी) में, समग्र रूप से, पर्याप्त शेष सूचित किए गए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, सभी राज्यों के कुल नकद शेष मार्च, 2016 के अंत में 1.57 लाख करोड़ रुपए; मार्च, 2017 के अंत में 1.91 लाख करोड़ रुपए; मार्च, 2018 के अंत में 2.11 लाख करोड़ रुपए; और मार्च, 2019 के अंत में 1.94 लाख करोड़ रुपए सूचित किए गए थे। इस संबंध में चौदहवें वित्त आयोग ने यह पाया कि यद्यपि, राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे जोखिमों को कवर करने हेतु अपने पास पर्याप्त नकद शेष रखे, क्योंकि ब्याज भुगतानों और कम पूंजी व्यय के आधार पर अतिरिक्त शेषों से लागतें बढ़ती हैं। आयोग ने इस प्रकार के अधिक लागत वाले एवं बड़े नकद शेषों को धारण करने के कारणों का विश्लेषण करने तथा इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर भी बल दिया था।

3.112 2016-17 में, राज्यों के नकद शेष बकाया कर्ज का 5.12 प्रतिशत और जीडीपी का 1.25 प्रतिशत थे, जो कि 2017-18 में घटकर बकाया कर्ज के 5.07 प्रतिशत और जीडीपी के 1.24 प्रतिशत हो गए। 2018-19 में ये और घटकर बकाया कर्ज के 4.20 प्रतिशत और जीडीपी के 1.03 प्रतिशत हो गए। आरबीआई की *राज्य वित्त पर रिपोर्ट-2019-20* में यह दर्शाया गया है कि कुछ राज्य एटीबी जैसे अधिक स्थायी क्षेत्र/सेगमेंट में काफी मात्रा में नकद शेष डाल रहे हैं। नकद प्रवाह में असंगति को दूर करने हेतु न्यूनतम नकद शेष धारित करते हुए, साप्ताहिक नीलामियां भी शुरू की गईं।

राज्यों की देनदारी को समाप्त करने में उपयोग हेतु बड़े नकद शेषों की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि भविष्य में उधार लेने के कैलेंडर को अंशशोधित किया जाए ताकि वर्ष के अंत में नकद शेषों को न्यूनतम रखने के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।

## अंतर-सरकारी हस्तांतरणों में प्रवृत्तियां

3.113 हालांकि पूर्ववर्ती खंडों में संघ एवं राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा की गई है, परंतु अंतर-सरकारी अंतरणों, जो संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को किए गए मुख्य रूप से अंतरण के रूप में हैं, पर विचार करना आवश्यक है। इन अंतरणों को मुख्य रूप से वित्त आयोग अंतरण और अन्य अंतरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सरलता के लिए, हम इन अंतरणों को गैर-एफसी अंतरण कहेंगे। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में राज्यों के लिए अंतरणों को बढ़ाया गया था, और जिसके फलस्वरूप समग्र अंतरणों की संरचना में एक बदलाव भी आया।

3.114 वित्त आयोग अंतरणों की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 270, 275 और 280 के अधीन की जाती है, जबकि गैर-वित्त आयोग (गैर-एफसी) अंतरण मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 282 के अधीन किए जाते हैं, जो यह उल्लेख करता है कि: “संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में, यथास्थिति, संसद या उस राज्य का विधानमंडल, विधि बना सकता है।” यह प्रायः तर्क दिया जाता है कि अनुच्छेद 282 केवल एक अवशिष्ट अनुच्छेद है जो संघ या किसी राज्य को किसी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान देने के लिए समर्थ बनाता है। तथापि, बीते वर्षों के दौरान योजना आयोग के संस्थानों के माध्यम से तथा सीएसएस के प्रयोजनार्थ, अंतरण को राज्यों के लिए समग्र अंतरण में समान महत्ता नहीं दी गई। 2015-16 में योजना आयोग को समाप्त किए जाने के बाद गैर-एफसी श्रेणी के तहत निधियों का प्रवाह कम हो रहा है। फिर भी, संघ सरकार की सकल-राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में, गैर-एफसी अनुदान 2017-18 में 16.77 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 15.45 प्रतिशत रहने के बाद, 2019-20 (आरई) में बढ़कर 18.61 प्रतिशत हो गए और 2020-21 (बीई) में 18.22 प्रतिशत हो गए (तालिका 3.18)।

## अंतरणों की मात्रा और घटक

3.115 सकल-राजस्व प्राप्तियों और जीडीपी के अनुपातों के रूप में, वित्त आयोग अंतरणों के सापेक्षिक हिस्सों तथा राज्यों को होने वाले वित्त आयोग एवं गैर-वित्त आयोग (गैर-एफसी) राजस्व अंतरणों के अनुपात को तालिका 3.18 में दर्शाया गया है। बारहवें वित्त आयोग से तुलनात्मकता के प्रयोजन के लिए हमने राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को किए जाने वाले अंतरणों को राज्यों को होने वाले अंतरणों में शामिल किया है, भले ही उन्हें 'अन्य अंतरण' की श्रेणी में रखा गया है। 2014-15 से पहले कार्यान्वयन एजेंसियों को होने वाले प्रत्यक्ष अंतरण राज्य वित्त लेखाओं के भाग के रूप में शामिल नहीं किए जाते थे और इन्हें केवल संघ सरकार के लेखाओं में शामिल किया जाता था। तथापि, अंतरण प्रणाली में संरचनात्मक बदलावों पर स्पष्टता लाने हेतु यह जरूरी था कि राज्यों में कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष अंतरण उन राज्यों को होने वाले कुल अंतरणों के भाग के रूप में शामिल किए जाएं। चौदहवें वित्त आयोग ने इस संबंध में तीन प्रमुख कारण दिए: (क) राज्यों द्वारा बराबर के योगदान देने की अपेक्षा; (ख) कार्यान्वयन एजेंसियों में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की तैनाती किया जाना और कुछ मामलों में मंत्रियों को इनका अध्यक्ष बनाया जाना; और (ग) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जन-सेवाओं की प्रदायगी के अर्ध-शासकीय (quasi-government) कार्य किया जाना। संघ सरकार ने आयोग के इन कारणों को स्वीकार करते हुए उन्हें 2014-15 से राज्य सरकार को किए जाने वाले अंतरणों में शामिल कर लिया है।

**तालिका 3.18: सकल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में संघ से राज्यों को किए जाने वाले हस्तांतरण**

(प्रतिशत में)

आयोग	वित्त आयोग अंतरण				अन्य अंतरण (गैर-एफसी)	कुल अंतरण * (4+5)	एफसी और गैर-एफसी अंतरणों का अनुपात	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल अंतरण
	केन्द्रीय करों में हिस्से दारी	अनुदान	कुल वित्त आयोग अंतरण					
1	2	3	4	5	6	7	8	
एफसी-XII(2005-10)	22.03	4.35	26.38	21.01	47.39	55.7 : 44.3	6.03	
एफसी-XIII(2010-15)	23.80	3.96	27.75	20.47	48.22	57.6 : 42.4	5.76	
2010-11	21.68	3.12	24.79	23.87	48.66	50.9 : 49.1	6.45	
2011-12	25.27	4.35	29.62	23.73	53.35	55.5 : 44.5	6.17	
2012-13	24.84	3.86	28.70	19.96	48.66	59.0 : 41.0	5.74	
2013-14	23.79	4.03	27.82	17.93	45.75	60.8 : 39.2	5.45	
2014-15	23.41	4.28	27.70	18.57	46.27	59.9 : 40.1	5.35	
एफसी-XIV(2015-19)	31.37	4.51	35.88	14.74	50.62	70.9 : 29.1	6.30	
2015-16	29.66	4.96	34.61	13.24	47.86	72.3 : 27.7	5.93	
2016-17	30.57	4.80	35.38	13.04	48.41	73.1 : 26.9	6.26	
2017-18	31.87	4.37	36.24	16.77	53.01	68.4 : 31.6	6.55	
2018-19	32.88	4.05	36.92	15.45	52.38	70.5 : 29.5	6.39	
2019-20आरई	26.15	4.93	31.08	18.61	49.69	62.5 : 37.5	6.10	
एफसी-XV(2020-21)								
2020-21(बीई)	27.93	5.34	33.27	18.22	51.48	64.6 : 35.4	6.43	

\*अंतरणों में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को किए गए प्रत्यक्ष अंतरण शामिल हैं।

स्रोत: 1) संघ बजट से प्राथमिक आंकड़े

2) जीडीपी: एनएसओ (2011-12 सीरीज) एवं एनएसओ पिछली सीरीज 2004-05 से 2011-12 (आधार वर्ष 2011-12)

3.116 यह गौर करने वाली बात है कि कुल अंतरणों की मात्रा और उनकी संरचना दोनों में बदलावा आया है। जीडीपी से कुल अंतरण का अनुपात तेरहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 5.76 से बढ़कर चौदहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान 6.30 हो गया। जब हम दोनों आयोगों की पंचाट अवधियों के पांच वर्षों के वास्तविक आंकड़ों पर विचार करते हैं, तब यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यह अनुपात 2014-15 में 5.35 से बढ़कर 2018-19 में 6.39 हो गया।

3.117 अंतरण में 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत की वृद्धि का प्रभाव सकल-राजस्व प्राप्तियों में अंतरण के हिस्से में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो तेरहवें वित्त आयोग की अवधि में 23.8 प्रतिशत और चौदहवें वित्त आयोग पंचाट अवधि के प्रथम चार वर्षों में 31.37 प्रतिशत था। इसके फलस्वरूप सकल राजस्व प्राप्तियों के संबंध में कुल अंतरण इन दो अवधियों के दौरान 48.22 प्रतिशत से बढ़कर 50.62 प्रतिशत हो गए थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अंतरण में वृद्धि (सकल राजस्व प्राप्तियों का 7.57 प्रतिशत प्वाइंट), जैसी कि चौदहवें वित्त आयोग की अपेक्षा थी, आंशिक तौर पर केवल गैर-

एफसी अंतरण 5.73 प्रतिशत प्वाइंट कम किए जाने के कारण हुई।

3.118 अंतरणों की संरचना के संबंध में, यह बदलाव और भी महत्वपूर्ण है। 2014-15 में कुल अंतरणों के लगभग 59.9 प्रतिशत को वित्त आयोग के माध्यम से जारी किया गया जबकि 2018-19 में यह अंतरण बढ़कर 70.5 प्रतिशत हो गए थे। यद्यपि, 2019-20 (आरई) और 2020-21 (आरई) में इस प्रवृत्ति में कुछ उलटाव आया, तथापि चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में संघीय राजकोषीय अंतरणों की रूपरेखा (लैंड स्केप) में काफी बदलाव किया गया था। कर अंतरण में तेजी से हुई वृद्धि से सामान्य-प्रयोजन के अंश में काफी ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई, लेकिन इससे दो तरीकों से निपटा गया। पहला, योजना आयोग को भंग किए जाने के साथ एनसीए, एससीए और एसपीए जैसी सहायताओं को समाप्त किया गया। दूसरा, संघ सरकार की सहायता को कम करने हेतु सीएसएस में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया गया।

3.119 विभिन्न मानदंडों जैसे कि संघ सरकार का कुल व्यय, सकल कर राजस्व और सकल राजस्व प्राप्तियों के संबंध में कुल अंतरणों को तालिका 3.19 में दर्शाया गया है। 2017-18 में सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में, अंतरणों में तेज उछाल आया जिसके दो कारण हैं: जीएसटी प्रतिकर निधि में 55,657 करोड़ रुपए (सकल राजस्व प्राप्तियों का 2.64) का अंतरण तथा पिछले वर्ष के दौरान सीएसएस और राज्यों को केंद्रीय क्षेत्र योजना अंतरणों में 49,752 करोड़ रुपए की वृद्धि (सकल राजस्व प्राप्तियों का 2.36 प्रतिशत)। 2018-19 और 2019-20 (आरई) के लिए क्षतिपूर्ति उपकर को सकल राजस्व प्राप्तियों के क्रमशः 4.1 प्रतिशत और 3.9 पर आकलित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि चौदहवें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत प्वाइंट की बढ़ोत्तरी की, लेकिन जब इस अंतरण को सकल कर राजस्व के संदर्भ में देखा जाता है, तो यह बढ़ोत्तरी दोनों पंचाट अवधियों के दौरान केवल लगभग सात प्रतिशत है।

**तालिका : 3.19: प्रत्यक्ष हस्तांतरणों सहित संघ के हस्तांतरणों की प्रवृत्तियां एवं संरचना**

(प्रतिशत)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
1	संघ के कुल हस्तांतरणों के प्रतिशत के रूप में, कुल एफसी हस्तांतरण	50.9	55.5	59.0	60.8	59.9	72.3	73.1	68.4	70.5	62.5	64.6
2	संघ के कुल हस्तांतरणों के प्रतिशत के रूप में, गैर-एफसी अंतरण	49.1	44.5	41.0	39.2	40.1	27.7	26.9	31.6	29.5	37.5	35.4
3	कुल संघीय व्यय के प्रतिशत के रूप में, कुल संघीय हस्तांतरण	41.1	41.3	40.5	39.2	40.1	45.6	48.7	52.3	52.4	46.2	47.5
4	सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में संघ के कुल हस्तांतरण (जीटीआर+एनटीआर)	48.7	53.3	48.7	45.7	46.3	47.9	48.4	53.0	52.4	49.7	51.5
5	सकल-कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में संघ के हस्तांतरण	62.1	60.6	55.1	53.7	53.6	56.1	56.1	58.3	58.3	57.6	59.7
6	विभाज्य पूल के प्रतिशत के रूप में संघ के हस्तांतरण	71.1	68.9	63.5	62.3	62.9	64.9	65.9	69.4	75.1	73.3	75.6
7	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में हस्तांतरण	27.7	28.7	28.1	27.9	27.1	34.8	35.4	35.1	36.6	30.3	32.4
8	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में उपकर और अधिभार (जीएसटी उपकर को छोड़कर)	11.1	10.4	11.7	12.4	13.5	12.2	13.5	10.6	15.3	15.6	15.3

स्रोत: संघीय बजट

नोट: 1) जीटीआर- सकल कर राजस्व ; एनटीआर – निवल कर राजस्व

2) संघीय अंतरणों में जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर शामिल है।

### हस्तांतरणों पर उच्चतम-सीमा (सीलिंग)

3.120 विगत में, आयोग उन राजस्वों के लिए एक निर्देशात्मक उच्चतम-सीमा (सीलिंग) देते थे जिन्हें संघ सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जाता था। 11वें वित्त आयोग ने प्रथम बार, समग्र रूप में संघीय राजस्व (कर और गैर कर को एक साथ मिलाकर) के एक अनुपात (37.50 प्रतिशत) के रूप में अंतरण का मानदंड स्थापित किया था इसके घटकों को समग्र उच्चतम सीमा के भीतर अलग से निर्धारित करने की व्यवस्था की थी। इसमें यह परिकल्पना की गई थी की राजकोषीय समेकन के लिए पथ-प्रदर्शन करने के लिए समस्त हस्तांतरणों, जैसेकि कर अंतरण, सहायता अनुदान और योजनाबद्ध अनुदान जैसे अन्य अनुदानों, को निर्धारित उच्चतम सीमा के अनुसार तथा संघ सरकार के संसाधन प्रोफाइल के भीतर तथा अपेक्षित घाटा स्तरों के आलोक में निर्धारित किया जाएगा। 37.50 प्रतिशत की सीलिंग को ही इस उद्देश्य के साथ निर्धारित किया गया कि यह सरकार के दोनों स्तरों पर ही वित्त को बाधित नहीं करेगी। 12वें वित्त आयोग इस निर्देशात्मक सीलिंग को बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया जिसे तेरहवें वित्त आयोग ने बढ़ाकर 39.5 कर दिया था। तथापि, तालिका 3.19 यह दर्शाती है कि तेरहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान वास्तविक संघीय हस्तांतरण सकल राजस्व प्राप्तियों के 46.3 प्रतिशत और 53.3 प्रतिशत के बीच थे। इन आंकड़ों में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष हस्तांतरण शामिल हैं। चौदहवें

वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की थी कि पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा हस्तांतरणों पर दी गई निर्देशक उच्चतम-सीमा संघ सरकार द्वारा राज्य को बड़े अंतरण करने से नहीं रोक पाई। आयोग ने यह भी अनुशंसा की थी कि राज्यों की आवश्यकताओं एवं उम्मीदों की पूर्ति हेतु और उनके लिए वर्तमान अंतरण स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए सकल राजस्व प्राप्तियों के लगभग 49 प्रतिशत को पचाट अवधि के दौरान राज्यों को हस्तांतरित किया जा सकता है। तालिका 3.18 यह दर्शाती है कि चौदहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के प्रथम चार वर्षों में राज्यों को वास्तविक हस्तांतरण संघ की सकल राजस्व प्राप्तियों का 50.6 प्रतिशत रहे हैं।

### **संयुक्त राजस्व, व्यय और हस्तांतरण**

3.121 संयुक्त राजस्वों में संघ सरकार द्वारा राज्यों को किए गए हस्तांतरणों के अनुपात को तालिका 3.20 में दर्शाया गया है। संघ सरकार की हिस्सेदारी (सभी हस्तांतरणों के बाद उसके निवल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए) 2010-11 से 2018-19 की अवधि के दौरान 28.3 प्रतिशत से 33.4 प्रतिशत की रेंज में थी। इसी प्रकार से राज्यों की हिस्सेदारी संयुक्त राजस्व प्राप्तियों की 66.6 प्रतिशत से 71.7 प्रतिशत की रेंज में थी। कुल हस्तांतरणों में उन प्रत्यक्ष हस्तांतरणों को भी शामिल किया गया है जिन्हें 2014-15 से पहले राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भेजा जा रहा था। संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में संघ के करों का अंतरण 2010-11 में 14 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 20.6 प्रतिशत हो गया, जबकि समान अवधि में अन्य अनुदान 15.4 प्रतिशत से घटकर 9.7 प्रतिशत थे।



### तालिका 3.20: संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में संघ और राज्यों की सापेक्षिक हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

1	संघ			हस्तांतरण			राज्य	
	हस्तांतरण से पहले राजस्व प्राप्तियां	हस्तांतरण के बाद राजस्व प्राप्तियां	अंतरण	एफसी अनुदान	अन्य अनुदान	कुल हस्तांतरण (अंतरण+ अनुदान)	हस्तांतरण से पहले राजस्व प्राप्तियां	हस्तांतरण के बाद राजस्व प्राप्तियां
2010-11	64.7	33.2	14.0	2.0	15.4	31.5	35.3	66.8
2011-12	60.6	28.3	15.3	2.6	14.4	32.3	39.4	71.7
2012-13	60.3	31.0	15.0	2.3	12.0	29.4	39.7	69.0
2013-14	61.3	33.2	14.6	2.5	11.0	28.0	38.7	66.8
2014-15	61.0	32.8	14.3	2.6	11.3	28.2	39.0	67.2
2015-16	63.0	32.9	18.7	3.1	8.3	30.2	37.0	67.1
2016-17	64.8	33.4	19.8	3.1	8.4	31.3	35.2	66.6
2017-18	63.7	29.9	20.3	2.8	10.7	33.8	36.3	70.1
2018-19	62.7	29.9	20.6	2.5	9.7	32.8	37.3	70.1
2019-20 आरई	62.5	31.4	16.3	3.1	11.6	31.0	37.5	68.6
2020-21 बीई	62.3	30.2	17.4	3.3	11.3	32.1	37.7	69.8

स्रोत: राज्य एवं संघीय बजट और वित्तीय लेखा, वित्त आयोग प्रभाग

नोट 1: हस्तांतरणों का डेटा संघ सरकार से लिया गया है।

नोट 2: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को किए गए प्रत्यक्ष हस्तांतरणों को कुल हस्तांतरणों में शामिल किया गया है।

3.122 संयुक्त राजस्व व्यय में संघ सरकार और राज्य सरकारों की सापेक्षिक हिस्सेदारी को तालिका 3.21 में दर्शाया गया है। संघ सरकार की हिस्सेदारी 2010-11 से 2018-19 के बीच संयोजित राजस्व व्यय के 45.2 प्रतिशत से घटकर 37.5 प्रतिशत थी। दूसरी ओर राज्यों की सापेक्षिक हिस्सेदारी समान अवधि में 54.8 प्रतिशत से बढ़कर 62.5 प्रतिशत थी।

### तालिका 3.21: संयुक्त राजस्व व्यय में संघ और राज्यों की सापेक्षिक हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

वर्ष	अनुदानों सहित संघ की हिस्सेदारी (एफसी+अन्य)	अनुदानों को छोड़कर संघ की हिस्सेदारी (एफसी+अन्य)	अनुदान (एफसी+अन्य)	अनुदानों को छोड़कर राज्यों की हिस्सेदारी (एफसी+अन्य)	अनुदानों सहित राज्यों की हिस्सेदारी (एफसी+अन्य)
1	2	3	4	5	6
2010-11	61.3	45.2	16.1	38.7	54.8
2011-12	59.2	44.5	14.7	40.8	55.5
2012-13	56.6	43.9	12.7	43.4	56.1
2013-14	55.8	43.9	11.9	44.2	56.1
2014-15	52.9	41.0	11.9	47.1	59.0
2015-16	50.2	40.0	10.1	49.8	60.0
2016-17	49.4	39.0	10.4	50.6	61.0
2017-18	50.3	38.4	12.0	49.7	61.6
2018-19	48.4	37.5	10.9	51.6	62.5
2019-20 आरई	51.4	38.4	12.9	48.6	61.6
2020-21 बीई	52.4	39.2	13.2	47.6	60.8

स्रोत: राज्य एवं संघीय बजट और वित्तीय लेखा, वित्त आयोग प्रभाग

नोट 1: हस्तांतरणों का डेटा संघ सरकार से लिया गया है।

नोट 2: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को होने वाले प्रत्यक्ष हस्तांतरणों को कुल हस्तांतरणों में शामिल किया गया है।

## संघ के वित्त का सारांश

3.123 सारांश रूप में, हाल ही के वर्षों में संघीय वित्त की प्रवृत्तियों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

- (i) अंतरण में वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, 2011-12 से 2018-19 की अवधि राजकोषीय समेकन का दौर था। राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत से कम होकर 3.4 प्रतिशत पर आया, जबकि दूसरी ओर राजस्व घाटे में भी समरूप घटत आई जो 4.5 से घटकर 2.4 प्रतिशत हो गया। तथापि, तेरहवें वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय समायोजन पथ की तुलना में यह अधिक था। हालांकि 2019-20 और 2020-21 की अंतिम तिमाही में कोविड-19 महामारी के कारण राजकोषीय समेकन पथ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है<sup>9</sup>।
- (ii) कर-जीडीपी अनुपात जीडीपी का 10.2 प्रतिशत से मात्र 80 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 11 प्रतिशत ही हुआ। इसके लगभग आधे का योगदान आयकर में उछाल के कारण था। साथ ही, कंपनियों के लिए कोरपोरेशन टैक्स के युक्तिकरण से इस कर में गिरावट आई जो जीडीपी के 3.7 प्रतिशत से घटकर 3.5 हो गया था। न्यून कर-जीडीपी अनुपात, जो

<sup>9</sup> 2019-20 और 2020-21 की विस्तृत समीक्षा के लिए कृपया अध्याय 12 देखें।

पहले से कम था, को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार द्वारा और अधिक कर जुटाए जाने की आवश्यकता है।

- (iii) राजकोषीय संकेतकों में सुधार के साथ, कर्ज का जीडीपी से अनुपात 2011-12 में 51.8 प्रतिशत से स्थिर रूप में बढ़कर 2018-19 में 47.9 प्रतिशत हो गया था। देनदारी (कर्ज) में गिरावट 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा कम होने के कारण थी। औसत नोमिनल ब्याज दर की तुलना में, नोमिनल जीडीपी वृद्धि के आधिक्य (सरप्लस) ने भी जीडीपी में कर्ज के अनुपात को कम करने में सहायता की।
- (iv) वर्तमान पंचाट अवधि के अंतिम (टर्मिनल) वर्षों में जीडीपी की वृद्धि और राजस्वों के संग्रह में वृद्धि चौदहवें वित्त आयोग के अनुमानों से कम रहने की उम्मीद है जिससे राजस्वों और करों दोनों के अनुमानों में अनिश्चिता भी है<sup>10</sup>।
- (v) समीक्षागत अवधि के दौरान उपकरणों एवं अधिभारों के दौरान स्थिर रूप में वृद्धि हुई, जिसका विभाज्य पूल के आकार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। 2017-18 में जीएसटी की शुरुआत से कई उपकरणों एवं अधिभारों को जीएसटी के तहत विलय किया गया था।
- (vi) आरबीआई, सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और सीपीएसई से काफी अच्छे लाभांश प्राप्त किए गए हैं और गैर-कर राजस्व श्रेणी के तहत इसका योगदान भी सबसे अधिक हो गया। लाभांशों एवं लाभों की श्रेणी के अंतर्गत आरबीआई पर निर्भरता विषम अनुपाती है। राज्यों से बकाया कर्जों पर ब्याज प्राप्तियां लगातार कम हो रही हैं क्योंकि उन्हें नए कर्ज नहीं दिए जा रहे हैं।
- (vii) विनिवेश प्राप्तियां, जो गैर-ऋण पूंजी प्राप्तिओं के अंतर्गत आती हैं, चौदहवें वित्त आयोग के आकलनों से काफी कम थीं। तथापि, चूंकि सरकार विनिवेश की विभिन्न प्रक्रियाएं अपना रही हैं, अतः इसमें और अधिक सुधार आने की संभावना है, हालांकि इनको बनाए रखने की चुनौतियां भी होंगी। यद्यपि, सरकार द्वारा एक सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी को दूसरी कंपनियों को बेच देने से विनिवेश के तहत नकदी प्रवाह बढ़ जाएगा और अन्य रणनीतिक प्रयोजनों की भी पूर्ति होगी, लेकिन यह एक तर्क का विषय है कि

<sup>10</sup> टर्मिनल वर्ष 2019-20 और 2020-21 की विस्तृत समीक्षा अध्याय 4 में दी गई है।

क्या इस प्रकार की बिक्री किसी गैर-सरकारी श्रेणी को 'विनिवेश' के रूप में की गई बिक्री कहलाई जाएगी।

- (viii) व्यय के संबंध में, मुख्य रूप से सब्सिडियों के कम हो जाने के कारण जीडीपी दो प्रतिशत प्वाइंट से भी अधिक घट गई। सब्सिडियों पर व्यय, विशेष रूप से पेट्रोलियम उत्पादों एवं ऊर्वरकों के संबंध में, काफी घट गया है, जिससे संघ सरकार को राजकोषीय संसाधन (स्पेस) प्राप्त हुए हैं, लेकिन एनएसएसए के तहत प्रतिबद्धताओं के चलते, गेहूं और चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वार्षिक वृद्धि तथा भंडारों के परिवहन एवं संचलन/हैंडलिंग की लागत बफर मानदंडों से अधिक होने के कारण खाद्य सब्सिडियां बढ़ गई हैं। डीबीटी की शुरुआत और प्रौद्योगिकी के उपयोग के बावजूद यह अब भी एक चुनौती है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल लाभार्थियों को सब्सिडी-प्राप्त एलपीजी की कवरेज के अंतर्गत लाने के संबंध में, गैर-बीपीएल वर्गों को एलपीजी सब्सिडी देने की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। गैर-बीपीएल श्रेणी में सब्सिडी के लिए पात्र लोगों के लिए भरे हुए सिलेंडरों की संख्या को भी सीमित किए जाने की आवश्यकता है। तथापि, एनएसएसएफ कर्जों के रूप में एफसीआई को अदा किए गए बड़े भुगतानों को सब्सिडी में नहीं दर्शाया गया। इसके अलावा, ऊर्वरक सब्सिडी भुगतानों को आगे के वर्षों के लिए टाल दिया गया है, ताकि कतिपय वर्षों के लिए व्यय कम रह सके।
- (ix) वेतन एवं पेंशन में संशोधन के कारण प्रतिबद्ध व्ययों का अंश, 2017-18 को छोड़कर तुलनात्मक दृष्टि से स्थिर रहा है। ओआरओपी जैसे अप्रत्याशित व्ययों, जिनके दीर्घकालिक निहितार्थ हैं, ने भी राजकोषीय दबाव को बढ़ाया है। जीडीपी सापेक्ष, रक्षा व्यय कम हुआ है और राजस्व एवं पूंजी व्यय का अनुपात समीक्षागत अवधि में क्रमिक रूप से बढ़ा है।
- (x) यद्यपि राजकोषीय समेकन को कुछ परिवर्तित राजकोषीय रोडमैप के साथ हासिल किया गया लेकिन ईबीआर के माध्यम से कुछ सेक्टरों में स्थानापन्न व्यय हुआ। यदि इन्हें विचार में रख भी लिया जाए, तब भी राजकोषीय सुधार सीमित रूप में हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि आगामी वर्षों में समेकन की काफी संभावना है। मांग में हाल ही में आई मंदी और विकास दर के मध्यम रहने की सीमितता से संघ सरकार पर मंदी-चक्र के विरुद्ध (counter-cyclical) उपाय करने का दबाव बढ़ेगा, जो कि अपने

स्वरूप में विस्तारवादी होने चाहिए जिनका राजकोषीय संकेतकों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, पंचाट अवधि काफी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि यह संपूर्ण अवधि के दौरान राजकोषीय सुधार खाका (पाथ) तैयार करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करेगी।

## राज्यों के वित्त का सारांश

3.124 राज्य वित्तों की मुख्य प्रवृत्तियों को निम्न रूप में सारांशिकृत किया जा सकता है:

- i. 2011-12 से 2018-19 के दौरान राज्यों की समग्र राजकोषीय स्थिति में सामान्य तौर पर सुस्ती देखी गई, जो जीडीपी की तुलना में समग्र सकल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे में क्रमशः 0.6 और 0.4 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि से परिलक्षित होता है। इस गिरावट के बावजूद, राज्यों ने समग्र रूप से उदय योजना घटक को छोड़कर राजकोषीय घाटे को लक्ष्यों के भीतर रखा। तथापि, राज्यों का स्वयं का कर राजस्व घट जाने तथा राजस्व व्यय बढ़ जाने के कारण कुछ राज्यों का राजस्व खाता संघ सरकार द्वारा किए गए उच्च हस्तांतरणों के बावजूद दबाव में रहा।
- ii. 2015-16 और 2016-17 के संबंध में उदय योजना कार्यक्रम के अंतर्गत उधारों से राजकोषीय संकेतक काफी ज्यादा प्रभावित हुए, जिससे इस प्रकार के उधारों पर ब्याज व्यय के कारण पंचाट अवधि के दौरान व्यय भी प्रभावित होने की संभावना है। विद्युत सेक्टर का सुधार एक बड़ी चिंता और चुनौती है। राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी परिचालनीय कार्यों को उदय योजना के लिए तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए और उन्हें इसमें किसी भी सुस्ती (विचलन) के विरुद्ध सतर्क रहा जाए।
- iii. जीडीपी के अनुपात के रूप में, कुल बकाया कर्ज एवं देयताएं 2011-12 में 22.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 24.5 प्रतिशत हो गईं।
- iv. चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के बाद, संघ सरकार से राज्यों को समग्र कर अंतरण जीडीपी के अनुपात के रूप में 2011-12 में 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 4 प्रतिशत हो गया। इससे राज्यों को अनाबद्ध (शर्त रहित) निधियों (untied funds) में वृद्धि करने में सहायता मिली, जिससे उन्हें अपनी व्यय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने हेतु और भी ज्यादा लोचनीयता प्राप्त हुई।

- v. संघ सरकार के जीटीआर में राज्यों की हिस्सेदारी 2011-12 में 62.1 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 58.3 प्रतिशत पर आ गई है। इसका आंशिक कारण संघ सरकार के उपकरणों और अधिभार घटक में वृद्धि हो सकता है। इस अवधि में कुछ बड़े राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु के स्वयं के समग्र कर राजस्वों में 0.3 प्रतिशत प्वाइंट की गिरावट आई। इस प्रवृत्ति को शीघ्रता से प्रत्यावर्तित किए जाने की आवश्यकता है। राज्यों के स्वयं के समग्र राजस्वों में गिरावट जीएसटी की शुरुआत से पहले भी देखी जा रही थी।
- vi. जीएसटी राजस्वों में गिरावट एक चिंता का विषय बना हुआ है। राज्यों को अपने वित्तों पर भिन्न प्रभावों के साथ जीएसटी संग्रहों में काफी उठापटक का सामना करना पड़ा है। जून, 2022 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति की सुविधा बनाए रखने से राज्यों के संक्रमण काल की प्रक्रिया सहज हुई है। तथापि, राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन पर, कर चोरी को कम करने और कम इन्वॉइस जारी करने जैसे मुद्दों का समाधान करना होगा। जो राज्य जीएसटी से लाभ लेने में पीछे हैं, उन्हें अपने स्वयं का राजस्व बढ़ाने हेतु मध्यावधि में कुछ संरचनात्मक बदलाव करने होंगे।
- vii. जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, राज्यों का स्वयं का सकल गैर-कर राजस्व समान स्तर पर है। गैर-कर राजस्वों में सुधार लाने हेतु राज्यों से और अधिक प्रयास किए जाने की अपेक्षा की जाती है।
- viii. जीडीपी के अनुपात के रूप में, समग्र राजस्व व्यय 2011-12 में 12.3 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 13.7 प्रतिशत हो गया था, जबकि सामाजिक सेवा श्रेणी में सीमांत सुधार और आर्थिक सेवा श्रेणी के तहत मध्यम वृद्धि हुई थी। हालांकि पूंजी व्यय स्थिर रहा, लेकिन उदय योजना के कारण उसमें 2015-16 तथा 2016-17 में बढ़ोत्तरी हुई।
- ix. शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सामाजिक सेवाओं पर राज्यों का व्यय, जीडीपी के अनुपात के रूप में, बीते कुछ वर्षों की तुलना में स्थिर रूप में बढ़ा। तथापि, विभिन्न राज्यों के बीच इसमें बड़े अंतर मौजूद हैं। सामाजिक सेवा और आर्थिक सेवा व्यय में व्यापक असमानताएं काफी चिंताजनक हैं, जिनसे एसडीजी लक्ष्यों को हासिल करने में देश की प्रगति बाधित हो सकती है।

- x. कृषि कर्ज माफी और सब्सिडियों में वृद्धि के राज्यों के वित्त में दीर्घकालिक निहितार्थ हैं। कृषि कर्ज माफी की मंजूरी देने हेतु राज्य सरकारों की बढ़ती प्रवृत्ति उनके बजटों के बोझ को बढ़ा रही है। इस नीति से किसी राज्य में ऋण संस्कृति (क्रेडिट कल्चर) पर व्यापक दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, जिससे जानबूझकर व्यतिक्रम करने वालों को बढ़ावा मिलने और ईमानदारी से ऋण चुकाने वालों का मनोबल गिरने तथा राज्य में बैंकों द्वारा उधार देने में इनकी हिचकिचाहट बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की प्रत्येक कर्ज माफी की मंजूरी प्रदान किए जाने से भविष्य में इसी प्रकार की मांगों को नहीं रोका जा सकेगा।





## अध्याय 4

# महामारी का दौर : भावी विश्लेषण (2021-26)

पूर्व वित्त आयोगों के दृष्टिकोण की निरंतरता में, हमने मितव्ययिता (*austere*) के समय में राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ मानकीय (नॉर्मेटिव) सिद्धांतों को अपनाया है। बढ़ते व्यय की तुलना में राजस्व में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है। कर-जीडीपी अनुपात का क्षरण और कोविड-19 महामारी की शुरुआत से भी पहले गैर-कर राजस्वों के स्तर में आभासी गतिरोध के कारण हमारे लिए यह अत्यावश्यक हो गया है कि हम अपने अनुमान में संघ तथा राज्यों, दोनों द्वारा खर्च किए जाने वाले व्यय का पुनः प्राथमिकीकरण करें। स्थापना-संबंधी खर्चों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और उचित कार्यनीतियों के माध्यम से सब्सिडियां दिए जाने एवं सार्वजनिक खर्च में फिजूलखर्ची एवं अनावश्यक खर्च (लीकेजिज) को समाप्त करने के उद्देश्य से हमने व्यय आवश्यकताओं का आकलन किया है। इससे हमारी पंचाट अवधि और उससे परे विकास एवं राजकोषीय समेकन को बढ़ावा देने हेतु विनिर्दिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय में परिणामी बचतों की दिशा तय करने में सहायता मिलेगी। हमारे विचार में, सरकार के दोनों स्तरों पर संसाधनों को बढ़ाने हेतु संस्थागत सुधार एवं प्रशासनिक उपायों के माध्यम से राजस्व आधार को सुदृढ़ बनाया जाना भी संभव है। ये सिद्धांत संघ एवं राज्यों के राजस्व और व्यय के हमारे आकलन का आधार रहे हैं।

### प्रस्तावना और संदर्भ

4.1 इस अध्याय में 2021-26 की अवधि के लिए संघ और राज्य सरकारों के राजस्व व्यय और वित्तपोषण की आवश्यकताओं के बारे में हमारे पूर्वानुमान का उल्लेख किया गया है। अतः, यह अध्याय आगामी अध्यायों में प्रस्तुत हमारी अंतरण स्कीम और राजकोषीय समेकन रोडमैप की पृष्ठभूमि को स्थापित करता है। संदर्भ के पश्चात इस अध्याय में संघ सरकार और राज्य सरकार के वित्तों का वर्णन किया गया है; उसके बाद यह अध्याय सार-संक्षेप और सिफारिशों के साथ समाप्त होता है।

4.2 इस अध्याय के तीन मुख्य पहलू हैं। पहला, किए गए पूर्वानुमान आयोग के विचारार्थ विषय

(टीओआर) से निर्देशित थे, जिसमें हमसे निम्नलिखित पर विचार करने की अपेक्षा की गई है:

- (i) पांच वर्षों के लिए संघ और राज्य सरकारों के संसाधनों और उनके राजस्व की संभावना तथा राजकोषीय क्षमता।
- (ii) संघ सरकार के संसाधनों की मांग, विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रति वचनबद्धता के संबंध में और अन्य वचनबद्ध व्यय और देनदारियों।
- (iii) राज्य सरकार के संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक और महत्वपूर्ण अवसंरचना के वित्तपोषण, परिसम्पत्तियों का रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा उनकी लोक उपयोगिताओं के ऋण और देनदारियों के प्रभाव।
- (iv) केंद्र और राज्यों के वित्त साधनों पर माल और सेवा कर के प्रभाव, जिसमें पांच वर्षों के लिए संभावित राजस्व हानि के लिए प्रतिपूर्ति का भुगतान और प्रतिपूर्ति के लिए कतिपय उपकरणों की समाप्ति जिन्हें प्रतिकर हेतु निर्धारित किया जाएगा और अन्य संरचनात्मक सुधार।

4.3 हमारे पूर्वानुमानों पर हाल ही में घटित कोविड-19 की घटना का संघात पड़ा है, जिसका प्रभाव मानव, अर्थव्यवस्था और राजकोषीय व्यवस्था पर भी पड़ा है। सभी स्तरों पर सरकारों को कर आधार और राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है, हालांकि उनका परिमाण भिन्न है। इसके अलावा, जन स्वास्थ्य प्रबंधन, आय संपूर्ति तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए खर्च बढ़ाने की अतिरिक्त महत्वपूर्ण आवश्यकताएं उभरकर आई हैं। अतः, यह जरूरी है कि व्यय का पुनः प्राथमिकीकरण किया जाए, खर्च में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, और प्रशासनिक एवं नीतिगत सुधारों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए आधार खड़ा किया जाए।

4.4 तीसरा, हाल ही के वर्षों में राजकोषीय प्रबंधन के सिद्धांतों और नियमों में किए गए बदलावों ने हमारे पूर्वानुमानों को भी प्रभावित किया है। व्यय को 'योजनाबद्ध' और 'गैर-योजनाबद्ध' में वर्गीकृत करने की रीति को संघ और अधिकतर राज्यों के लेखाओं से 2017-18 से समाप्त किया गया था। इससे हमें संघ और राज्यों के राजस्व लेखा में खर्च संबंधी योजनाओं का एक संपूर्णतावादी दृष्टिकोण (हॉलिस्टिक व्यू) अपनाने का अवसर मिला। इसके अतिरिक्त, जीएसटी की शुरुआत होने से संघ और राज्यों के प्रमुख अप्रत्यक्ष करों का आधार गहनता से एक दूसरे से अंतर-संबंधित हो गया है।

## संघ सरकार के वित्त

4.5 सामान्य परिस्थितियों में, हमने संघ सरकार के लिए पूर्वानुमान 2020-21 के बजट अनुमानों के आधार पर, कुछ संशोधन के साथ किए होते। तथापि, महामारी (पेन्डेमिक) के कारण अर्थव्यवस्था में संकुचन (contraction) के कारण आगे बढ़ने से पहले 2020-21 के लिए हमें राजस्व आंकड़ों के पूरे समुच्चय (सेट) को पुनः संरचित करना पड़ा।

## संघ सरकार के विचार

4.6 आयोग ने संबंधित मंत्रालयों के साथ सेक्टरल मुद्दों पर चर्चा करने के अलावा, वित्त मंत्रालय से भी चर्चाएं की थी। संघ सरकार की ओर से, वित्त मंत्रालय ने हमें दो ज्ञापन दिए – एक 2019 में विस्तृत ज्ञापन और बदलते परिवेश के कारण 2020 में एक संक्षिप्त अद्यतन स्थिति। संघ की समग्र व्यय आवश्यकताओं का आकलन करते हुए, इन दस्तावेजों में सेक्टरल मांगों को समेकित कर राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के तहत खर्च संबंधी योजनाओं व्यक्त किया गया है। संबंधित मंत्रालयों ने अलग-अलग अनुरोध-पत्र दिए जिसमें उन्होंने आयोग से अपनी-अपनी संबंधित मांगों का उल्लेख किया था।

4.7 संघ सरकार ने हमारी पंचाट अवधि के दौरान अपने व्यय में 9.6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि का पूर्वानुमान किया है जिसके लिए उसने तर्क दिया है कि: (क) चिरस्थायी विकास लक्ष्यों को हासिल करने की मुख्य जिम्मेदारी संघ सरकार की है; (ख) वह अच्छे विचारों (आइडियाज़), योजनाओं और कार्यों के प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय निपटान संस्था (नेशनल क्लेरिंग हाउस) है; और (ग) निष्पादन एवं मूल्यांकन के राष्ट्रीय मानकों को निर्मित कर एकमात्र वही है जो कतिपय जन सेवाओं की दक्षतापूर्ण प्रदायगी का समन्वय कर सकता है। संघ सरकार ने अपने राजस्व व्यय को चार पारस्परिक रूप से अनन्य मदों में विभाजित किया है: संघ की प्रतिबद्धताएं, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताएं, राज्य सरकारों को वित्त आयोग अनुदान तथा राज्य सरकारों को अन्य अंतरण।

4.8 आर्थिक कार्यकलाप में मौजूदा गिरावट के उपरांत, संघ सरकार ने यह उम्मीद की है कि उसके द्वारा किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था में बहाली आएगी। संघ सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि लगभग 4 प्रतिशत की अनुमानित मुद्रास्फीति के साथ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि धीरे-धीरे बढ़कर 2025-26 में 8 प्रतिशत हो जाएगी। सकल कर राजस्व के लिए यह अनुमान लगाया गया था कि कर और जीडीपी अनुपात 2020-21 में 10.3 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 11.1 प्रतिशत होते हुए, 1.2 के बढ़ते उछाल (buoyancy) के साथ पूरी अवधि के दौरान सकल कर राजस्व वार्षिक रूप से 13.4 प्रतिशत बढ़ेगा।

व्यय के संदर्भ में, संघ सरकार की प्रतिबद्धताओं – ब्याज भुगतान, पेंशन एवं वेतन, सब्सिडियां, रक्षा एवं अन्य- के लिए यह पूर्वानुमान किया गया है कि यह 2021-22 में जीडीपी के 9.4 प्रतिशत से घटकर 2025-26 में 8.6 प्रतिशत रह सकता है। इसके विपरीत, संघ सरकार ने यह आकलन किया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासन, रोजगार, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, विद्युत एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी सहित राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर खर्च संपूर्ण अवधि में जीडीपी के 2.5 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप में बढ़कर 2.7 रह सकता है। कुल मिलाकर, संघ सरकार के पूर्वानुमानों के अनुसार, राजस्व व्यय 2021-22 में 13.7 से घटकर 2025-26 में 12.4 रह सकता है, जबकि पूंजी व्यय जीडीपी के 2.1 प्रतिशत से बढ़कर 2.3 प्रतिशत रह सकता है।

## वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी


4.9 संघ सरकार और राज्य सरकारों दोनों की व्यय आवश्यकताओं का आकलन और संघ सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जुटाए जाने वाले संभावित राजस्व, जिन्हें अंकित जीडीपी या बाजार मूल्यों पर जीडीपी के आधार पर आकलित किया गया है, अर्थव्यवस्था में संभावित वृद्धि से गहन रूप में संबद्ध हैं। हमारा आकलन, जिसे हमने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था, कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुआ है। इस बात की अभी भी काफी अनिश्चितताएं हैं कि यह महामारी, जिसने मानव जीवन, उत्पादनशील क्षमता एवं आर्थिक कार्यकलाप के आधार पर विश्व में सभी देशों को प्रभावित किया है, कब तक जारी रहेगी और उससे बहाली किस प्रकार होगी। इस खतरे के कारण यह आवश्यक है कि 2020-21 की आगामी तिमाहियों (quarters) में तथा हमारी पंचाट अवधि के वर्षों में अंकित जीडीपी में वृद्धि का पूर्वानुमान बहुत ही सावधानीपूर्वक लगाया जाए।

4.10 विषय विशेषज्ञों से परामर्श करने के पश्चात और संघ सरकार के विचारों को ध्यान में रखकर, हमने 2020-21 से 2025-26 की छः वर्षों की पूर्ण अवधि को दो भागों में विभाजित किया है। हमें आशंका है कि 2020-21 और 2021-22 में अनिश्चितताएं जारी रहेंगी; और 2022-23 से हमारी पंचाट अवधि के शेष चार वर्षों के दौरान आर्थिक कार्यकलाप का विस्तार होगा। तदनुसार, हमने अपनी पंचाट अवधि के दौरान स्थायी नामिनल जीडीपी वृद्धि की कल्पना नहीं की है, बल्कि एक भिन्न वृद्धि मार्ग को ध्यान में रखा है। हमने 2020-21 के लिए नामिनल जीडीपी के पूर्वानुमान पर पुनर्विचार किया है। 2020-21 की पहली तिमाही (Q1) में, बाजार मूल्यों पर जीडीपी वास्तविक तौर पर 23.9 प्रतिशत और नामिनल तौर पर 22.6 प्रतिशत संकुचित हुई है। दूसरी तिमाही (Q2) के लिए आंकड़े (डेटा) केवल 27 नवंबर 2020 तक उपलब्ध हो पाएंगे। इस बीच, जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे उच्च-आवृत्ति (हाई फ्रीक्वेंसी) वाले संकेतक हैं, जैसे कि

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), प्रमुख मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन, सार्वजनिक स्थानों में आवाजाही पर आंकड़े और सरकारों के राजस्व संग्रहण। लॉकडाउन को क्रमिक रूप से खोलने के साथ, इनमें से कई संकेतकों ने मई माह से मामूली संकुचन प्रदर्शित किया है। खुदरा या उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर 2020 में 7 प्रतिशत के आस-पास थी, जबकि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में गतिमान है। वास्तविक अर्थव्यवस्था स्तर पर आर्थिक जोखिम (डाउनसाइड रिस्क) के मुद्रास्फीति मोर्चे पर अनिश्चित जोखिम (अपसाइड जोखिम) से संबद्ध रहने की संभावना है। उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों और क्रमिक रूप से लॉकडाउन खोलने की बात को ध्यान में रखते हुए, हम यह पूर्वानुमान लगाते हैं कि 2020-21 की दूसरी से चौथी तिमाही (Q2 to Q4) में आर्थिक कार्यकलाप धीरे-धीरे पुनः बढ़ेंगे और हमने यह आकलन किया कि 2020-21 के पूरे वर्ष में नोमिनल जीडीपी में लगभग 6 प्रतिशत का संकुचन हो सकता है।

4.11 हमारे विचार में, 2020-21 में जीडीपी में बड़े पैमाने पर संकुचन के पश्चात आगे चलकर जीडीपी में तेज वृद्धि आने की संभावना है। हालांकि बहाली की गति अनिश्चित है, किंतु कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि वृद्धि की रफ्तार भी उसी तरह (वी-शेप) होगी जिस रफ्तार से उसमें संकुचन आया है। हमारे आकलन के अनुसार, 2021-22 में जो बहाली होगी वह 2019-20 के वास्तविक आर्थिक कार्यकलाप स्तर को नहीं छू पाएगी। तथापि, 2020-21 में नोमिनल जीडीपी में 6 प्रतिशत की गिरावट के पश्चात, हमारा पूर्वानुमान है कि नोमिनल जीडीपी 2021-22 में 13.5 प्रतिशत बढ़ेगी। 2020-21 में जीडीपी के घटे हुए आधार के कारण, नोमिनल जीडीपी में 2021-22 में उच्च वृद्धि के बाद 2022-23 में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। हमारा पूर्वानुमान है कि 2022-23 से 2025-26 के चार वर्षों के दौरान आर्थिक कार्यकलापों का निरंतर विस्तार होगा। 2021-22 से 2025-26 के लिए वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी की वृद्धि के स्तरों एवं दरों के बारे में हमने अपने अनुमानों को चित्र 4.1 में दर्शाया है।

चित्र 4.1: नामिनल जीडीपी : स्तर एवं वृद्धि (2019-20 तक वास्तविक और उसके बाद के लिए नामिनल जीडीपी का पूर्वानुमान)



### 2021-26 के लिए सकल कर राजस्व का आकलन

4.12 संघ सरकार के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवधि हेतु कर राजस्व के आकलन में हमने विगत अवधि (2011-12 से 2018-19) के कर-विशिष्ट उछालों (buoyancies) और कर संग्रहणों में हाल ही में गिरावट, जैसा कि 2019-20 के अनंतिम लेखाओं तथा 2020-21 के हाल ही के कर संग्रहण आंकड़ों से स्पष्ट है, दोनों का विश्लेषण किया है। चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-16 से 2019-20 के दौरान 15.2 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर (trend growth rate) का पूर्वानुमान किया है। संघ सरकार का सकल कर राजस्व 2015-16 से 2018-19 के दौरान 13.9 प्रतिशत बढ़ा। इसका अर्थ यह है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के संबंध में एक समान 1.25 का कुल उछाल आया। तथापि, दो मुख्य कारणों की वजह से 2019-20 में सकल कर राजस्व तेजी से संकुचित होकर 3.4 प्रतिशत हो गया था। पहला, वर्ष के आखिरी महीने में महामारी के शुरुआत ने कर संग्रहण को प्रभावित किया, जबकि वह आर्थिक मंदी आने से पहले ही दबाव में था। घरेलू कंपनियों के लिए कर दर कम किए जाने के माध्यम से राजस्व त्यागने से भी कॉर्पोरेट कर संग्रहण काफी प्रभावित हुआ है।

4.13 जब इस संकट के समय में आर्थिक कार्यकलाप अचानक थम से गए तब ऐसा पाया गया है कि आय-आधारित कर, खपत-आधारित करों की तुलना में अधिक तेजी से घटे हैं। इसके अलावा, महामारी के कारण लोगों के बीच उचित दूरी (social distance) की पाबंदियों से भी 2020-21 में खपत काफी ज्यादा प्रभावित हुई। हमने यह आकलन किया है कि यदि कर नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो संघ सरकार का सकल कर राजस्व नोमिनल जीडीपी के 6 प्रतिशत के पूर्वानुमानित संकुचन की तुलना में 2020-21 में 10.6 प्रतिशत संकुचित हो सकता है। तथापि, बजट 2020-21 के उपरांत, उत्पाद शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क और पेट्रोल एवं डीजल पर सड़क उपकर में वृद्धि के रूप में, संघ सरकार की कर नीति में भारी बदलाव किया गया है। हमने परंपरागत ढंग से यह आकलन किया है कि इस नीतिगत बदलाव से 2020-21 में अतिरिक्त राजस्व के रूप में लगभग 80,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, हालांकि संघ सरकार ने और अधिक संग्रहणों का पूर्वानुमान लगाया है। नीति में इस बदलाव के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह अनुमान है कि संघ सरकार का सकल कर राजस्व 2020-21 में केवल 6.7 प्रतिशत संकुचित होगा, जो कि जीडीपी संकुचन की तुलना में मामूली रूप से अधिक है। विभाज्य पूल पर प्रभाव तेजी से पड़ेगा, क्योंकि बढ़ते उपकर संग्रहण साझायोग्य नहीं हैं।

4.14 करों के अपने आकलन को हमने मुख्य रूप से वृद्धि एवं उछाल के आधार पर प्रस्तुत किया है। वास्तविक आंकड़े अनुलग्नक 4.1 में प्रस्तुत किए गए हैं। विभिन्न करों और उनके संभावित राजस्व संग्रहणों से संबंधित मुद्दों के बारे में एक विस्तृत वर्णन अध्याय पांच में किया गया है। इस अध्याय में परिलक्षित पूर्वानुमानों में यह कल्पना की गई है कि अध्याय पांच में वर्णित कर चोरी एवं कर व्याप्ति से संबंधित परिचालनीय एवं प्रशासनीय मुद्दों का 2021-26 के दौरान क्रमिक रूप से समाधान किया जाएगा।

#### अप्रत्यक्ष कर

4.15 वर्तमान में, संघ सरकार के तीन प्रमुख अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी), पेट्रोलियम उत्पादों पर संघ उत्पाद शुल्क तथा मौलिक सीमा शुल्क शामिल हैं। 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान, अप्रत्यक्ष कर 14.5 प्रतिशत बढ़े, जबकि जीडीपी 11.6 प्रतिशत बढ़ी। इसका अर्थ यह है कि इस अवधि के दौरान 1.25 का उछाल आया। तथापि, अप्रत्यक्ष करों में उच्चतर वृद्धि अधिकतर पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर को बढ़ाकर तथा सेवा कर एवं सीमा शुल्कों में की गई मामूली वृद्धि के कारण आंशिक रूप अतिरिक्त कर संसाधन जुटाने के लिए किए गए प्रयासों से हुई थी। यदि करों से संबंधित इन नीतिगत बदलावों के प्रभाव को तटस्थ रखा जाता है, तब इस अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष कर वृद्धि कमोबेश जीडीपी की वृद्धि दर के सदृश रह सकती है। 2019-20 में, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि मात्र 1.6



प्रतिशत थी। इसका कारण वित्त वर्ष के अंत में महामारी का प्रारंभिक प्रभाव था, जिसके कारण करदाताओं को देय करों के भुगतान आगामी वित्त वर्ष, अर्थात् 2020-21 में करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया था।

4.16 जीएसटी से एक साधारण-सी उम्मीद की गई थी कि जीडीपी के संदर्भ में उसका उछाल, कम से कम उसके तहत समावेशित करों के अनुमानित भारांकित उछाल के अनुरूप होगा। तथापि, उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि 2017-20 के दौरान जीएसटी उछाल 2011-17 के दौरान समावेशित करों की तुलना में कम था। इसके कई कारक हैं। शोध (रिसर्च) में यह पाया गया है कि प्रचालनीय मुद्दों, जैसे कि जीएसटी की आईटी प्रणाली में खामियां, कर विवरणियां दाखिल करने का अनुपालन नहीं करना, जारी इन्वॉइस की वांछनीय स्तरों तक मैचिंग न हो पाना और इनपुट टैक्स क्रेडिट निपटान से संबंधित मुद्दों से जीएसटी की दक्षता पर विपरीत प्रभाव पड़ना। उत्क्रमी शुल्क संरचना (inverted duty structure) और उसके बाद कर की दरों को कम किए जाने से तथा जीएसटी दरों के संबंध में राजस्व तटस्थता से समझौता किए जाने से भी राजस्व निष्पादन प्रभावित हुआ है। हमारे पूर्वानुमानों में यह कल्पना की गई है कि आगामी दो वर्षों में कर विवरणियां दाखिल करने की अनिवार्यता का अनुपालन करना, आईटी प्लेटफॉर्म को सुप्रवाही बनाना तथा इन्वॉइस मैचिंग संबंधित मुद्दों का समाधान कर लिया जाएगा और उसके उपरांत जीएसटी दरों के संबंध में राजस्व तटस्थता को धीरे-धीरे हासिल कर लिया जाएगा।

4.17 मौजूदा जीएसटी रूपरेखा के अनुसार, प्रतिपूर्ति उपकर को जुलाई, 2022 से वापस ले लिया जाएगा। तथापि, जीएसटी परिषद में जारी चर्चा-परिचर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हमने यह कल्पना की है कि यह राजस्व 2025-26 तक किसी न किसी रूप में संगृहीत किया जाता रहेगा। हमने उपकर के आगमों के परिनियोजन के विषय में, पैराग्राफ 4.69 से 4.71 में चर्चा की है।

4.18 संघ उत्पाद शुल्क के संग्रहण अब पेट्रोलियम उत्पादों तक सीमित हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में दीर्घकालिक वृद्धि प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत पर स्थिर रही है, और ऐसी संभावना है कि हमारे पूर्वानुमान अवधि के दौरान इसमें ज्यादा भिन्नता नहीं आएगी। पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क अधिकतर विशिष्ट शुल्क होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए तथा यह मानते हुए कि करों एवं उपकरों की दरें वर्तमान स्तरों पर बनी रहेंगी, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व में वृद्धि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि के अनुरूप रहने की संभावना है। डाउनसाइड जोखिम— जैसा कि विगत में पाया गया था— से तात्पर्य यह है कि विशिष्ट शुल्कों को तब कम कर दिया जाता है जब विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, या जब कच्चे तेल की कीमतें घट जाती हैं तब विशिष्ट शुल्कों को बढ़ाया भी जा सकता है। जीडीपी वृद्धि का हमारा आकलन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में देखी गई वृद्धि की तुलना में अधिक है, और इसलिए यह आकलन किया जाता है कि इसका उछाल एक (यूनिटी) से कम का हो सकता है।



4.19 सीमा शुल्कों से संग्रहण, केवल प्राथमिक सीमा शुल्कों तक ही सीमित है क्योंकि आयातों पर प्रतिकारी शुल्कों (countervailing duties) एवं विशेष शुल्कों को जीएसटी के तहत समावेशित कर दिया गया है। प्राथमिक सीमा शुल्कों से प्राप्त राजस्व की वृद्धि में 2011-12 से 2016-17 के दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखा गया। तथापि, 5.9 प्रतिशत की औसत दर पर इसकी वृद्धि प्रवृत्ति, वस्तुओं एवं गैर-कारक सेवाओं, जो उपरोक्त अवधि के दौरान 6 प्रतिशत थी, के आयात के मूल्य (रुपए में) की प्रवृत्ति वृद्धि से काफी संबद्ध थी। 2017-18 और 2018-19 में, आयात में, वृद्धि 2019-20 में घट जाने के बाद जीडीपी में वृद्धि की तुलना में अधिक थी। तथापि, लंबी अवधि में, आयात में वृद्धि, जीडीपी वृद्धि के लगभग समतुल्य है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पंचाट अवधि के दौरान सीमा शुल्कों से राजस्व प्राप्ति (realisation) के पूर्वानुमान का एक सार्थक तरीका यह होगा कि उसे जीडीपी के संदर्भ में यूनिटी उछाल से संबद्ध कर दिया जाए। फिर भी, देशभर में किए गए विश्वसनीय विश्लेषण में यह उल्लेख पाया गया है कि दर संरचना में कोई बढ़ोतरी किए बिना, जटिल टैरिफ संरचना को सुप्रवाही बनाए जाने से कार्यक्षमता एवं राजस्व संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। हम आशा करते हैं कि आगामी पांच वर्षों की अवधि में इस प्रकार के सुधारों से सीमा शुल्कों में उछाल आएगा।

4.20 चित्र 4.2 में पूर्वानुमानित जीडीपी वृद्धि की तुलना में अप्रत्यक्ष करों से संघ सरकार के राजस्वों के पूर्वानुमान पर चर्चाओं का सारांश दिया गया है।

#### प्रत्यक्ष कर

4.21 संघ सरकार का प्रत्यक्ष कर राजस्व मुख्य रूप से निगमों (corporations) और व्यक्तिगत लोगों की आय पर करों से प्राप्त होता है। वैयक्तिक एवं कॉर्पोरेट आयकर दोनों से प्राप्त राजस्वों में मूलभूत संग्रहण तथा उपकरणों एवं अधिभारों से प्राप्तियां शामिल होती हैं। 2018-19 में मूलभूत संग्रहण में कॉर्पोरेट आयकर एवं वैयक्तिक आयकर की हिस्सेदारी लगभग क्रमशः 87 प्रतिशत और 84 प्रतिशत की थी। प्रत्यक्ष करों में 2011-12 से 2018-19 के दौरान 1.10 का उछाल आया था, जो कि पिछले दशक में 1.80 के उछाल से काफी कम था।


4.22 भिन्न कर-अदायगी ब्रैकेट्स (tax-paying brackets) में आयकर दाताओं की संख्या में निर्धारण वर्ष (AY) 2012-13 और निर्धारण 2018-19 के बीच अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई थी। इस अवधि के दौरान विशेष रूप से उच्च कर-अदायगी ब्रैकेट्स में आने वाले लोगों द्वारा दाखिल की गई कर-विवरणियों की संख्या में हुई वृद्धि उत्साहवर्धक है। तथापि, हम यह जानकर चिंतित हैं कि कर आधार अभी भी काफी संकुचित है। निर्धारण 2018-19 में विवरणियां दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या लगभग

5.87 करोड़ थी, जो कि कुल आबादी की मात्र 4.4 प्रतिशत थी। इसमें से 40.4 प्रतिशत करदाता शून्य कर ब्रैकिट के अंतर्गत और अन्य 52.8 प्रतिशत करदाता 1.5 लाख रुपए से कम के ब्रैकिट के अंतर्गत थे।

4.23 अध्याय पांच में प्रस्तुत हमारा विश्लेषण यह परिलक्षित करता है कि बड़ी संख्या की व्यक्तिगत स्वामित्वधारिताओं एवं भागीदारी वाली कंपनियों के कार्यों को प्रभावकारी रूप से ज्ञात नहीं किया गया। जीएसटी विवरणियों से प्राप्त सूचना की सहायता से बढ़ती संख्या के औपचारिक संव्यवहार तथा बैंक संव्यवहार की छानबीन से कर प्रशासन को कर अनुपालन की और अधिक दक्षता एवं तत्परता के साथ निगरानी करनी चाहिए। हमारी यह भी राय है कि कॉरपोरेट एवं वैयक्तिक आयकर स्लैब को कम कर और उन्हें वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी स्तरों पर निर्धारित करने के पश्चात, बहुत सी छूटों, प्रोत्साहनों और प्रारंभिक निचली सीमाओं की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। हमारी पंचाट अवधि के लिए आयकर संग्रहणों का पूर्वानुमान लगाते हुए, हमने यह कल्पना की है कि आयकर आधार को गहन एवं विस्तारित करने हेतु किए जाने वाले उपायों को हमारी पंचाट अवधि के दौरान गति प्रदान की जाएगी।

4.24 महामारी संकट से उबरने के पश्चात अर्थव्यवस्था में जैसे ही गति आएगी, संगठित क्षेत्र में कर्मियों को क्षतिपूर्ति और लाभों में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होने की संभावना है। आयोग को प्रस्तुत किए गए अनुरोध-पत्र में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने यह विश्वास जताया है कि प्रत्यक्ष कर संग्रहणों की गति भी कर प्रशासन में बेहतर कार्यदक्षता के साथ धीरे-धीरे बढ़ जाएगी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमने 2021-22 से 2025-26 के दौरान प्रत्यक्ष करों में 1.23 के उछाल का आकलन किया है। चित्र 4.2 में संघ सरकार के विशिष्ट करों के लिए हमारे अनुमानों (assumptions) में उछाल को दर्शाया गया है।

**चित्र 4.2 : 2021-22 से 2025-26 के दौरान संघ सरकार के करों में उछाल**



नोट: CD=सीमा शुल्क; UED= संघ उत्पाद शुल्क; GST = माल और सेवा कर; CIT= निगम कर; PIT= वैयक्तिक आयकर; GTR= सकल कर राजस्व।

### उपकर एवं अधिभार और विभाज्य पूल

4.25 वर्तमान में, उपकर एवं अधिभार जीएसटी सहित मुख्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों पर लगाए जाते हैं। जीएसटी पर लगाया गया प्रतिपूर्ति उपकर, जब तक समाप्त नहीं किया जाता है, जीएसटी के उछाल में योगदान देगा। संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 270 और 271 के उपबंधों के अधीन लगाए गए अन्य उपकरों एवं अधिभारों की प्रवृत्तियां उन्हीं करों में प्रतिबिंबित होंगी जिन पर उन्हें लगाया गया है। 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन उपकरों एवं अधिभारों (जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर को छोड़कर) की औसत 13.1 प्रतिशत थी। इस घटक से 2018-19 में 3.18 लाख करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। 2020 में उत्पाद शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क और पेट्रोल एवं डीजल पर सड़क शुल्क में वृद्धि किए जाने और यह कल्पना किए जाने कि उनकी मौजूदा संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यह अनुमान है कि ये उपकर एवं अधिभार 2021-22 और 2025-26 के बीच सकल कर राजस्व के औसतन 18.4 प्रतिशत रह सकते हैं।

4.26 संघ सरकार के कर स्रोतों के पूल- विभाज्य पूल -जिसे संघ सरकार एवं राज्यों के बीच साझा किया जाना होता है, में सकल कर राजस्व, करों, उपकरों एवं अधिभारों का संग्रहण करने की लागत और संघ राज्य क्षेत्रों के कर राजस्व को शामिल नहीं किया जाता है। कर संग्रहण की लागत, हाल ही के वर्षों में सकल कर राजस्व के लगभग 0.7 प्रतिशत पर स्थिर रही है और यह उम्मीद की जाती है कि यह लगभग इसी स्तर पर बनी रहेगी। सभी करों के पूर्वानुमान को एकीकृत करते हुए और विभाज्य पूल से बाहर रखे जाने वाली मदों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि पूर्वानुमान अवधि के दौरान यह पूल सकल कर राजस्व का लगभग 76.2 प्रतिशत और सकल राजस्व प्राप्तियों (सकल कर राजस्व जमा गैर-कर राजस्व) का लगभग 67.2 प्रतिशत रह सकता है।

### कर और जीडीपी अनुपात

4.27 हमारे आकलन के आधार पर, संघ सरकार के कर-जीडीपी अनुपात में 2020-21 में 9.8 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि के साथ यह 2025-26 के अंतिम वर्ष में 10.5 प्रतिशत होगी। फिर भी यह 2018-19 में हासिल किए गए 11 प्रतिशत कर-जीडीपी अनुपात से कम होगा। जैसा कि हमने अध्याय पांच में चर्चा की है, मध्यावधि में प्रशासनिक एवं कार्यविधिक सुधारों के चलते राजस्व लाभ प्राप्त होने चाहिए जिनके फलस्वरूप अनुपालन बेहतर होगा और इस तरह कर-जीडीपी अनुपात विगत हाल ही में प्रवृत्तियों के अनुरूप रहेगा।

## गैर-कर राजस्व

4.28 संघ सरकार के गैर-कर राजस्व के अंतर्गत मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीई) से लाभांशों एवं अधिशेषों सहित सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश एवं मुनाफा (profits), दूर संचार स्पैक्ट्रम की नीलामी से प्राप्तियां, ब्याज प्राप्तियां और अन्य प्राप्तियां होती हैं। इन राजस्वों में चौदहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 5.8 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। बढ़ती अर्थव्यवस्था में गैर-कर राजस्वों, विशेष रूप से लाभांश एवं मुनाफा, जीडीपी वृद्धि के अनुरूप रहने की उम्मीद की जाती है। लेकिन, हाल ही के वर्षों में कुछ मुख्य स्रोतों से संग्रहणों में गिरावट आई है। संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए कर्जों से ब्याज प्राप्तियों में हमारी अनुमान अवधि के दौरान वृद्धि होने की संभावना है। स्पैक्ट्रम की नीलामियों में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि दूर संचार क्षेत्रों में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है जिससे नीलामियों को गति प्रदान होगी। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के शेयरों का संभावित विनिवेश इन उद्यमों से लाभांशों एवं मुनाफे की स्थिरता को प्रभावित करेगा। इसके विपरीत, हम आशा करते हैं कि संप्रभु कार्यों के निर्वहन में संगृहीत विविध प्राप्तियों, विनियामक प्रभारों, लाइसेंस शुल्कों और सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता प्रभारों, जुर्माना तथा अन्य शुल्कों में हमारी पंचाट अवधि के दौरान काफी हद तक वृद्धि एक समान होगी।

4.29 उपरोक्त बातों के गहन मूल्यांकन के आधार पर, हमने यह आकलन किया है कि, 2021-22 से 2025-26 के दौरान 11 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से संघ सरकार के गैर-कर राजस्वों में वृद्धि और जीडीपी में वृद्धि दर एक समान रहेगी।

## गैर-देनदारी (Non-debt) पूंजीगत प्राप्तियां

4.30 गैर-देनदारी पूंजी प्राप्तियों के दो घटक हैं- कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के विनिवेश से आगम। चूंकि राज्यों को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए कर्जों के लगातार (बैंक-टू-बैंक) अंतरण को छोड़कर, कोई नए कर्ज नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली से प्राप्तियां घट रही हैं। इस संबंध में हमने उन वार्षिक राशियों को शामिल किया है जिन्हें संघ सरकार ने हमें प्रस्तुत किए गए अपने संशोधित ज्ञापन में दर्शाया है।

4.31 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक उच्च स्तर को छूने के पश्चात विनिवेश आगम घटकर 2018-19 में 94,727 करोड़ रुपए और 2019-20 में (अनंतिम लेखा) 50,304 करोड़ रुपए रह गए थे। 2014 और 2020 के बीच विनिवेश से कुल प्राप्तियों में से, 60 प्रतिशत माइनॉरटी स्टेक सेल (बहुत ही कम मात्रा में हिस्सेदारी बेचना) के माध्यम से, शेयर वापस खरीदकर (बाइबैक) से 12.2 प्रतिशत,

स्ट्रैटिजिक विनिवेश से 20.2 प्रतिशत और अन्य स्रोतों से 7.6 प्रतिशत आगम प्राप्त किए गए थे। पिछले पांच वर्षों में इस प्रक्रिया (रूट) के जरिए काफी विनिवेश होने के फलस्वरूप, माइनॉरटी स्टैक बिक्री की अपनी ही सीमाएं हैं, अतः बिक्री के लिए सरकारी स्टॉक कम उपलब्ध रहेगा। स्ट्रैटिजिक सेल के जरिए आगे के उपाय; बाजार में मांग, भूमि की हकदारी से संबंधित मुद्दों के समाधान, हितधारकों के साथ पट्टा एवं भूमि उपयोग, श्रमिक यूनियनों के मुद्दों और वित्तीय बाजारों पर महामारी के प्रभाव पर निर्भर करेंगे।

4.32 तदनुसार, विनिवेश आगमों की संभावनाओं को आकलन करते हुए हमने माइनॉरटी सेल तथा स्ट्रैटिजिक सेल के लिए भारत सरकार की इक्विटी होल्डिंग के बाजार पूंजीकरण तथा इक्विटी बाजार में सूचीबद्ध नहीं हुए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विनिवेश की संभावनाओं पर भी विचार किया है। 2020-21 के लिए बजटीय प्रावधान के रूप में 2.1 लाख करोड़ रुपयों के विनिवेश आगमों की तुलना में, हमने केवल 50,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए जाने का आकलन किया है और यह कल्पना की है कि शेष राशि उत्तरोत्तर वर्षों में तभी प्राप्त की जाएगी, जब बाजार स्थितियों में सुधार आने लगेगा। विनिवेश आगमों और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) से प्राप्त इनपुट के आधार पर, हमने यह आकलन किया है कि विनिवेश आगम बढ़कर 2021-22 में 1.2 लाख करोड़ रुपए और धीरे-धीरे घटकर 2025-26 में 0.80 लाख करोड़ रुपए रह सकते हैं।

## राजस्व व्यय

4.33 संघ सरकार के कुल राजस्व व्यय को मुख्य रूप से उसके स्वयं के राजस्व व्यय तथा राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2018-19 के लिए लेखाओं में यह पाया गया है कि संघ सरकार का राजस्व व्यय का 77.1 प्रतिशत उसके स्वयं का राजस्व व्यय था और शेष 22.9 हस्तांतरणों को (कर अंतरण को छोड़कर) के जरिए था।

4.34 संघ सरकार के स्वयं के राजस्व व्यय के चार घटकों ने उसके कुल राजस्व व्यय में 65.9 प्रतिशत का योगदान दिया। ये चार घटक हैं: (क) सिविल एवं रक्षा पेंशन तथा वेतन और सिविल कर्मियों के लिए अन्य भत्ते, 16.1 प्रतिशत का योगदान; (ख) वेतन सहित रक्षा सेवाओं का राजस्व व्यय, 9.70 प्रतिशत का योगदान; (ग) खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम के लिए सब्सिडियां, 11.10 प्रतिशत और (घ) ब्याज भुगतान, 29 प्रतिशत का योगदान। संघ सरकार के स्वयं का विकासोन्मुख व्यय का योगदान उसके शेष कुल राजस्व व्यय के 11.2 प्रतिशत के लिए किया गया था।

4.35 पूर्व वित्त आयोगों के दृष्टिकोणों की निरंतरता में, हमने राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानकीय (नार्मेटिव) सिद्धांतों को अपनाया है। हमने पुनःप्राथमिकीकरण

व्यय के सिद्धांतों का अनुसरण किया है जिससे हमने स्थापना-संबंधित व्ययों पर अंकुश लगाया (economise) है, सब्सिडियों के प्रशासन में अक्षमताओं को समाप्त किया है, सार्वजनिक व्यय में अनावश्यक खर्चों (लिकेज) को न्यूनतम किया है तथा परिणामी बचतों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विकास व्यय के रूप में चैनलाइज किया है। ये सिद्धांत संघ और राज्य सरकारों के राजस्व व्यय जिनके बारे में हमने आगामी खंडों में चर्चा की है, के लिए हमारे द्वारा किए गए आकलन का आधार हैं।

### ब्याज भुगतान

4.36 संघ सरकार के ब्याज भुगतान चार कारकों पर निर्भर करते हैं – बकाया देयताओं का स्तर, इन देयताओं की प्रभावी ब्याज दर, वृद्धिशील उधार (incremental borrowings) और वृद्धिशील उधारों की भारांकित ब्याज दर। संघ सरकार के ब्याज भुगतान 2014-15 से 2019-20 की अवधि के दौरान 9 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़े।

4.37 मार्च, 2019 की समाप्ति पर बाजार मूल्यों पर संघ सरकार की देनदारी (मार्केटेबल डेट) उसकी कुल बकाया देयताओं का 68.8 प्रतिशत थी। बाजार उधारों की भारांकित औसत कूपन दर (WACR) 2008-09 से 2012-13 की पांच वर्षों की अवधि तथा तत्पश्चात 2013-14 से 2017-18 के दौरान कमोबेश समान रूप से लगभग औसतन 8 प्रतिशत थी। तथापि, WACR पिछले पांच वर्षों यानी 2018-19 की समाप्ति के बाद धीरे-धीरे घटती रही है। यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान ब्याज भुगतानों पर गिरता (डाउनवर्ड) दबाव बना रहेगा। तथापि, समान अवधि के दौरान उच्चतर राजकोषीय घाटे को कम करने की आवश्यकताओं के कारण ब्याज भुगतान देयताओं पर अपवर्ड दबाव रहेगा, जिसका वर्णन पैराग्राफ 4.53 और तालिका 4.1 में किया गया है।

4.38 डेट स्टॉक (debt stock) की औसत ब्याज लागत को औसत डेट स्टॉक के साथ एक वर्ष के दौरान ब्याज भुगतानों को विभाजित कर निकाला गया है। औसत डेट स्टॉक का मतलब है वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया डेट की साधारण औसत। प्रत्याशित मुद्रास्फीति और उभरते ब्याज दर परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, हमने 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान छः प्रतिशत की दर पर संघ सरकार के वृद्धिशील उधारों की औसत लागत आकलित की है। इन अनुमानों के आधार पर, हमने यह आकलन किया है कि ब्याज भुगतानों में 2020-21 से 2025-26 के दौरान प्रतिवर्ष 9.6 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जीडीपी के अनुपात के रूप में, ब्याज भुगतान 2020-21 (पुनःआकलित) में 3.55 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 2025-26 में 3.31 प्रतिशत रह सकते हैं।



### पेंशन एवं वेतन

4.39 पेंशन और वेतन का आकलन करते हुए हमने सरकार के राजस्व प्रवाह पर संभावित दबाव तथा विशेष रूप से गैर-विकासात्मक व्यय में सख्त राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखा है। विगत में वेतन आयोगों की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप, संघ सरकार के राजस्व व्यय एवं दोनों के संदर्भ में उसके पेंशन एवं वेतन भुगतानों में उतार-चढ़ाव (peaks and troughs) देखे गए। वेतन आयोगों के प्रभाव या रक्षा पेंशनभोगियों के एक-रैंक-एक-पेंशन जैसे एकबारगी नीतिगत निर्णयों के प्रभाव को छोड़कर, पेंशन और वेतन पर संघ सरकार के व्यय में वृद्धि सामान्य तौर पर उसके सकल राजस्व व्यय की तुलना में कम हुई है। 2021-26 की अवधि में कोई अन्य वेतन आयोग की अनुशंसा या पेंशन एवं वेतनों में, सामान्य महंगाई भत्ता और वेतन-वृद्धियों को छोड़कर, भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद नहीं की जाती है। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि मुद्रास्फीति का परिदृश्य 2020-26 में सहज हो जाएगा।

4.40 भारत सरकार ने अभी अपने कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत पर जनवरी, 2020 से जुलाई, 2021 तक रोक लगा रखी है और संघ सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि रोक हटने के बाद इन भुगतानों की बहाली उत्तरव्यापी प्रभाव से की जाएगी। इस निर्णय के आधार पर, हम 2019-20 की तुलना में 2020-21 के वेतन में कोई वृद्धि की उम्मीद नहीं करते हैं। राजस्वों पर दबाव को ध्यान में रखते हुए, हम यह उम्मीद करते हैं कि 2021-22 के लिए संघ सरकार अपने प्रतिबद्ध व्ययों में उपयुक्त मितव्ययिता उपाय (economy measures) लागू करेगी, ताकि महंगाई एवं अन्य भत्तों के कारण बढ़ोतरी को प्रतिसंतुलित किया जा सके। तदनुसार, हमने इन दो वर्षों, अर्थात् 2020-21 और 2021-22 में वेतन में 1 प्रतिशत तथा पेंशन में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का आकलन किया है। उसके बाद की अवधि के लिए हमने कर्मियों की वार्षिक वेतन-वृद्धि, कर्मियों एवं पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता/राहत तथा कार्यबल में क्षयण (attrition) के कारण मानकीय तौर पर आकलित बदलावों को ध्यान में रखते हुए, वेतन में 5 प्रतिशत और पेंशन में 5.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि आकलित की है। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि कार्यदक्षता पर विशेष बल देते हुए सरकारी कार्यबल पर खर्च किए जा रहे व्यय को विवेकशील तरीके से युक्तियुक्त (rationalised) बनाया जाएगा, ताकि व्यय उपलब्ध संसाधनों के भीतर ही हो। हमारे पूर्वानुमान अनुलग्नक 4.1 में प्रस्तुत किए गए हैं।

### रक्षा राजस्व व्यय

4.41 रक्षा के वेतन और भत्ते, उसके राजस्व व्यय का लगभग दो-तिहाई हैं। 2018-19 में तीनों सेनाओं के वेतन एवं भत्तों पर व्यय राजस्व व्यय का 56 प्रतिशत था और अन्य 7 प्रतिशत सिविल कर्मियों (रक्षा विभाग के अंतर्गत) के वेतन एवं भत्तों पर खर्च किया गया था। रक्षा राजस्व व्यय 2015-16 से 2019-20 (अनंतिम लेखाओं) के दौरान 9.2 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से बढ़ा। पूर्वानुमान अवधि के लिए आकलन करने हेतु, हमने 2020-21 के बजट अनुमानों को, आधार के रूप में, विचार में रखा है। वेतन घटक का पूर्वानुमान उन्हीं मानदंड पर किया गया है, जैसा कि 2021-26 के दौरान अन्य सरकारी कर्मियों के वेतनों के पूर्वानुमान के लिए किया गया है।

4.42 हमने यह आकलन किया है कि रक्षा राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक अच्छी (रोबस्ट) गति के साथ बढ़ना चाहिए ताकि रक्षा परिसंपत्तियों के अनुरक्षण का एक उचित स्तर सुनिश्चित किया जा सके। अतः, हमने यह अनुमान किया है कि रक्षा राजस्व व्यय की गति 2021-26 के दौरान जीडीपी में वृद्धि के बराबर होनी चाहिए।

### सब्सिडियां

4.43 खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियां संघ सरकार की मुख्य सब्सिडियां हैं। हमने इस ओर ध्यान दिया है कि संघ सरकार ने भिन्न सब्सिडियों को कम करने के लिए कदम उठाए हैं। सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों की आपूर्ति श्रृंखला को स्वायत्तता प्रदान करने और नकली/जाली राशन कार्डों को समाप्त करने जैसे कदमों ने संघ सरकार को खाद्य सब्सिडी में बढ़ोतरी को नियंत्रित करने में सहायता मिली है। दूसरी ओर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) 2013 के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों की कवरेज को बढ़ाए जाने, खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में नियमित वृद्धि करने और केंद्रीय निर्गत मूल्यों में कोई बदलाव नहीं किए जाने के कारण खाद्य सब्सिडी पर भारी अपवर्ड दबाव पड़ा है। पेट्रोलियम मूल्यों पर नियंत्रण हटाए जाने से तथा एलपीजी सब्सिडी को सीधे लाभार्थी को हस्तांतरित किए जाने से संबंधी सुधारों से संघ सरकार को पेट्रोलियम सब्सिडी को नियंत्रित करने में सहायता मिली है।

4.44 संघ के वित्तों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2018 की रिपोर्ट 20 में यह पाया गया है कि बढ़ती खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडियों के पूर्ण प्रभाव को संघ सरकार के बजट में कई वर्षों तक परिलक्षित नहीं किया गया। मार्च, 2020 की समाप्ति पर खाद्य सब्सिडी के लिए बजट में कम प्रावधान का संचयी प्रभाव लगभग 3.10 लाख करोड़ रुपए था, जबकि उर्वरक सब्सिडी के संबंध में यह 40,000 करोड़ रुपए था। इस विरासती बोझ (legacy burden) को खाद्य सब्सिडी के वर्तमान बोझ से अलग देखे जाने की जरूरत



है। साथ ही, हमारा यह भी मानना है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की प्रशासनिक संरचना का सुदृढीकरण करके और खाद्यान्नों की हैंडलिंग और भंडारण एवं परिवहन में कार्यक्षमता आधारित उपायों को लागू कर, अतिरिक्त संसाधन जुटाने की पर्याप्त संभावना है।

4.45 वर्तमान में तीन-चौथाई से भी अधिक खाद्य सब्सिडी को एफसीआई द्वारा चलाई जा रही कार्यकलापों के लिए और शेष भाग को राज्यों द्वारा विकेंद्रीकृत प्रापण से एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के सब्सिडी के प्रावधानों के लिए खर्च किया जा रहा है। हमने 2021-22 में खाद्य सब्सिडी की वर्तमान आवश्यकताओं का आकलन आबादी की कवरेज, प्रति यूनिट उपभोक्ता सब्सिडी एवं सुरक्षित भंडारण (बफर-स्टॉकिंग) और वितरण लागत को ध्यान में रखकर किया है। इसके पश्चात, खाद्य सब्सिडी के तहत लाभार्थियों की कवरेज और एमएसपी के मौजूदा स्तरों को ध्यान में रखते हुए, हमने यह कल्पना की है कि 2022-23 से 2025-26 के दौरान सब्सिडी में कोई भी क्रमिक वृद्धि मुद्रास्फीति के सूचीकरण (indexation) तक सीमित होगी। खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में वृद्धियों की आंशिक भरपाई सब्सिडी युक्त खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गत मूल्यों में वृद्धियों से की जाएगी, जैसा कि एनएफएसए के तहत अनुज्ञेय है।

4.46 एकीकृत आर्थिक बोझ की देयता (liability) की पूर्ति संघ सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं शासन-संबंधी सुधारों के जरिए जुटाए गए अतिरिक्त संसाधनों से की जाएगी, जिससे बकाया देयताओं के निपटान के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। हम यह उम्मीद करते हैं कि संघ सरकार इस प्रकार के उपायों को लागू करने के लिए एक उपयुक्त योजना बनाए, जिससे समयबद्ध प्रक्रिया से चुकौती (repayment) की अदायगी सुनिश्चित होगी। चूंकि हमने अपनी पंचाट अवधि के लिए खाद्य सब्सिडी में संपूर्ण वर्तमान व्यय का आकलन किया है, इसलिए संघ सरकार को इस संबंध में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों हेतु कोई और कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

4.47 पेट्रोलियम सब्सिडी वर्तमान में सब्सिडी युक्त मिट्टी तेल और एलपीजी के लिए दी जा रही है जो पेट्रोलियम सब्सिडी की खपत, सब्सिडी युक्त मूल्यों में संशोधन और अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों एवं विनिमय दर में बदलाव पर निर्भर करेगी। एलपीजी की खपत हमारे पूर्वानुमान की अवधि में बढ़ सकती है, लेकिन इसकी भरपाई सब्सिडी युक्त मिट्टी तेल के उपयोग में कमी से की जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पेट्रोलियम एवं गैस के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मध्यावधि में स्थिर रहेंगे, हमने संघ सरकार के ज्ञापन में दर्शाई गई पेट्रोलियम सब्सिडी के मामूली (मोडस्ट) आंकड़ों को विचार में रखा है।

4.48 उर्वरक सब्सिडी में 2015-20 की अवधि में लगभग 71,300 करोड़ रुपए की वार्षिक औसत का उतार-चढ़ाव आया था और अनुमान किया जाता है कि यह 2020-21 में समान स्तर पर कायम रहेगी। इस समान स्तर को 2021-22 से 2025-26 की पांच वर्षों की अवधि के लिए भी रखा गया है। अतः उर्वरक सब्सिडी का मुद्रास्फीति-समायोजित मूल्य इस अवधि के दौरान कम होगा। विविध सब्सिडियों में मुख्य रूप

से कुल सब्सिडियों में ब्याज सब्सिडियों का 11 प्रतिशत का योगदान है, जिसमें 2020-21 (ब.अ.) 2026 के दौरान वार्षिक रूप से 10 प्रतिशत की गिरावट का आकलन किया गया है, जिसके कारण इस अवधि के दौरान इसका वास्तविक मूल्य तेजी से घट सकता है। खाद्य सब्सिडी के अनुरूप, हम यह उम्मीद करते हैं कि संघ सरकार मूल्य निर्धारण (pricing) एवं शासन संबंधित सुधारों को नई रूपरेखा देगी जिनसे अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के लिए उठाए जाने वाले कदमों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4.49 प्रतिबद्ध राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों के पूर्वानुमान के योग से संघ सरकार के स्वयं के कुल राजस्व व्यय में 2015-16 से 2019-20 (अनंतिम लेखाओं) के दौरान आकलित 9.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह स्वयं में हमारे द्वारा 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुशासित सख्त राजकोषीय अनुशासन की पुष्टि करता है।

### राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरण

4.50 संघ सरकार द्वारा राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और स्थानीय शासनों के लिए राजस्व लेखा से किए गए हस्तांतरणों में मुख्य रूप से योजनागत हस्तांतरण (केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं एवं केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं), जीएसटी प्रतिपूर्ति और राजस्व घाटा अनुदान, आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान, स्थानीय स्व-शासनों एवं अन्य विशिष्ट अनुदानों सहित वित्त आयोग हस्तांतरण शामिल है।

4.51 2020-21 के लिए बजट अनुमानों के अनुसार, राजस्व लेखा से कुल 7.09 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए गए। हमने बजट अनुमानों और राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान एवं आपदा प्रबंधन पर वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशासनों के बीच भिन्नताओं के लिए प्रथम संपूरक मांग अनुदानों में कुछ संशोधनों के साथ इस बजट आकलन को विचार में रखा है। ये संघ सरकार पर प्रभारित व्यय हैं, इसलिए इनको उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता होगी। आगे चलकर 2020-26 में राज्य सरकारों को अंतरण के लिए निम्नलिखित अनुमान (assumptions) किए गए हैं।

- i. संघ सरकार द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के रूप में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को किए गए योजनागत हस्तांतरणों की राशि चौदहवें वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20) की पंचाट अवधि के दौरान संघ सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों का 12.81 प्रतिशत थी। 2019-20 के लिए संघ सरकार के अनंतिम लेखाओं से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, ये हस्तांतरण लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के थे। इसकी तुलना में 2020-21 के लिए 3.84 लाख करोड़ रुपए का बजट अनुमान काफी अधिक था। हमने 3.46 लाख करोड़

रुपए के उचित डाउनवर्ड संशोधन के साथ बजटीय अनुमान का पुनःआकलन किया है। 2021-22 से 2025-26 के लिए हमने राज्यों के लिए योजनागत अंतरणों का अनुमान संघ सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों का औसतन 12.82 प्रतिशत लगाया है, जो कि चौदहवें वित्त आयोग की अवधि के सदृश है।

- ii. वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अंतरणों का पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाएगा। इसका ब्यौरा अध्याय 10 से संबंधित अनुलग्नक 4.1 से 4.3 में दिया गया है। राज्यों को कुल हस्तांतरणों को अनुलग्नक 4.3 और 4.4 में दिया गया है।
- iii. जीएसटी परिषद में हाल ही के विचार-विमर्शों तथा राज्यों के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति में के प्रावधान से संबंधित घटनाक्रमों से यह उभरकर आता है कि राज्यों को 2022-23 की पहली तिमाही (Q1) तक प्रतिपूर्ति के प्रावधान के लिए संघ सरकार की प्रतिबद्धताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, और 2022-23 तक उन्हें समाप्त नहीं किया जाएगा। राज्यों के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति के बारे में हमारे विचार इस अध्याय के पैरा 4.69 से 4.71 में उपलब्ध है।

### **विकास से संबंधित राजस्व व्यय**

4.52 राजस्व व्यय के शेष हिस्से (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए अंतरणों को छोड़कर) में गैर-वेतन, गैर-सब्सिडी व्यय शामिल हैं जिसे संघ सरकार और उसकी संस्थाओं/संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में खर्च किया जाता है। सामान्यतः यह संघ सरकार के राजस्व व्यय का विकास घटक है। हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामलों और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस व्यय के हिस्से के लिए जीडीपी की पूर्वानुमानित वृद्धि के समतुल्य बढ़ते प्रावधान का आकलन किया है। 2020-21 के लिए हमने यह आकलन किया है कि महामारी के फैलाव और प्रभाव को रोकने हेतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में काफी कार्यकलापों के कारण इस घटक का व्यय 3.44 लाख करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान से बढ़कर 4.38 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस घटक के 2020-21 में व्यय स्तरों को 2021-22 के लिए भी समान रखा है और इसके पश्चात, 2022-23 से 2025-26 अवधि के दौरान 8.4 प्रतिशत की वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि का आकलन किया है। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि संघ सरकार निष्फल व्यय (infructuous) को कम करने हेतु विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें युक्तियुक्त बनाएगी।

4.53 संघ सरकार के राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों पर हमारे आकलन में 6.4 प्रतिशत की कुल वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि परिलक्षित होती है।

## जीडीपी के संबंध में पूंजी व्यय और प्रमुख सापेक्षताएं

4.54 संघ सरकार के वित्तों हेतु आयोग द्वारा 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए किए गए पूर्वानुमान को तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में संघ सरकार के प्रमुख राजकोषीय चर

	2019-20 अनंतिम लेखाओं	2020-21 बीई	2020-21 पुनःआकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
सकल कर राजस्व	9.88	10.77	9.81	9.84	9.94	10.07	10.25	10.47
संघ सरकार द्वारा धारित उपकर एवं अधिभार (जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर को छोड़कर)	1.55	1.65	1.92	1.88	1.86	1.85	1.84	1.85
विभाज्य पूल	7.75	8.51	7.32	7.40	7.52	7.66	7.84	8.05
संघ सरकार का निवल कुल राजस्व कर	6.67	7.27	6.80	6.79	6.85	6.92	7.02	7.16
गैर-कर राजस्व	1.60	1.71	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
राजस्व प्राप्तियां	8.27	8.99	8.15	8.15	8.20	8.27	8.38	8.51
गैर-देनदारी पूंजी प्राप्तियां	0.34	1.00	0.36	0.64	0.48	0.41	0.36	0.30
पूंजी व्यय	1.66	1.83	1.84	1.70	1.51	1.53	1.54	1.49
राजस्व व्यय	11.55	11.70	14.07	13.08	12.67	12.16	11.69	11.32
राजकोषीय घाटा	4.60	3.54	7.40	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00

i. जीडीपी की तुलना में, संघ सरकार के स्वयं का राजस्व व्यय हमारी पूर्वानुमान अवधि के दौरान धीरे-धीरे घटता जाएगा जिसका कारण है: (क) आगामी पांच वर्षों के दौरान कोई अन्य वेतन आयोग की अनुशंसा न होने के फलस्वरूप संघ के वित्त प्रभावित नहीं होने की संभावना: (ख) राजस्व व्यय के गैर-विकास घटकों को एक ऐसे मानकीय आधार (normative basis) पर आकलित किया गया है जिस प्रकार एक संसाधन-क्षीण राजकोषीय पथ में अपेक्षा की जाती है।

ii. हम यह उम्मीद करते हैं कि जैसा कि हमने इंगित किया है, संघ सरकार अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाएगी जिससे सब्सिडियों पर संयोजित गैर-बजट देयताओं को समयबद्ध तरीके से अदा करने में सहायता मिलेगी तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जुटाने हेतु कोई और कदम नहीं उठाने पड़ेंगे। अतः देयताओं की अदायगी हमारे आकलन का हिस्सा नहीं है।

iii. संघ के वित्तों पर दबाव के बावजूद राज्यों और स्थानीय शासनों को दिए जाने वाले विकासोन्मुख अंतरणों के अंश को स्थिर स्तर पर रखा गया है। इन अंतरणों में उन सेक्टरों के लिए विशिष्ट-प्रयोजन अंतरण हैं जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने और वृहद निवेश किए जाने की आवश्यकता है। संघ सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने व्यय का पुनःप्राथमिकीकरण करे और सीएसएस योजनाओं की समीक्षा करें ताकि वह तेजी से आर्थिक बहाली तथा वृद्धि की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आय-अर्जन वाले उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। राज्यों के राजस्वों पर दबाव तथा उपकर एवं अधिभार के परिणाम में वृद्धि के कारण विभाज्य पूल के आकार में गिरावट की भरपाई हेतु राज्यों के संसाधनों की प्रत्याशित मांगों को ध्यान में रखकर भी संघ सरकार के लिए ऐसा करना जरूरी है।

iv. 2020-21 के लिए हमारी रिपोर्ट में हमने अर्थव्यवस्था की बहाली में सहायता देने हेतु सार्वजनिक निवेश की महत्ता पर जोर दिया है। इस उभरती परिस्थिति में इसकी परम आवश्यकता है। पूंजी व्यय की गुंजाइश को परिरक्षित करने तथा राज्यों के बजटों में सहायता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमने संघ सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु एक लक्षित मार्ग (glide path) उपलब्ध कराया है।

4.55 संघ के वित्तों हेतु हमारे द्वारा किए गए विस्तृत आकलन को 2021-2026 के लिए अनुलग्नक 4.1 और 4.2 में दर्शाया गया है।

## राज्यों के वित्त का आकलन

### आयोग का दृष्टिकोण

4.56 हमारी 2020-21 की रिपोर्ट के क्रम में और पूर्व वित्त आयोगों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण और विगत प्रवृत्तियों तथा हाल ही के घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, हमने राज्यों के राजस्व पर व्यय आकलन करने हेतु मानकीय सिद्धांतों एवं कार्यविधियों को अपनाया है। आधार वर्ष (2018-19, जिसके लिए नवीनतम वित्त लेखा उपलब्ध हैं) को अपेक्षित समायोजनों के साथ आशोधित किया गया ताकि विभिन्न राज्यों के संबंधित डाटा की तुलना की जा सके। 2020-21 के बजट अनुमानों को भी यथा आवश्यकता उपयोग में लाया गया।

## प्राप्तियों और व्यय में समायोजन

4.57 राज्यों के राजस्व व्यय के अनुमान हेतु, उनके वित्त लेखाओं से तुलनीय डाटा सेट की आवश्यकता होती है। हमें आधार 2018-19 के लिए तुलनीय राज्य राजकोषीय डाटा विकसित करना पड़ा जिसके लिए हमने कुछ ऐसे समायोजन किए हैं, जैसा कि पारंपरिक रूप से चौदहवें वित्त आयोग और हमारी प्रथम रिपोर्ट सहित पूर्व वित्त आयोगों द्वारा भी किया गया था। विवरण निम्नानुसार है:

(i) **लॉटरी:** यदि लॉटरियों से निवल प्राप्ति (यानी, मुख्य शीर्ष (एमएच) 0075 से व्यय मुख्य शीर्ष 2075 को घटाकर लॉटरियों से प्राप्तियां) सकारात्मक थीं, तब उसे प्राप्तियों में जोड़ा गया। यदि लॉटरियों से निवल प्राप्ति ऋणात्मक थी, तब उसे शून्य माना गया था।

(ii) **विद्युत क्षेत्र:** राजस्व व्यय से हमने बिजली पर अनुदानों और सब्सिडियों को घटाया (एमएच 2801 से और कोई भी ऐसे अन्य शीर्ष से, जहां उसे अभिलेखित किया गया था)। उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के संबंध में, राजस्व व्यय को एमएच 2801 से हटाया गया। उन राज्यों के लिए, जहां विद्युत क्षेत्र वाणिज्यिक तौर पर संचालित हो रहा है, बिजली से प्राप्ति (एमएच 0801) को धारित किया गया। उन राज्यों के लिए, जहां विद्युत क्षेत्र को विभागीय तौर पर संचालित किया जा रहा है, यदि बिजली की निवल प्राप्ति (एमएच 0801-एमएच 2801) ऋणात्मक थी, तब उसे शून्य माना गया। तथापि, जब निवल प्राप्ति सकारात्मक थी, तब हमने उसे प्राप्तियों के आकलन में शामिल किया।

(iii) **परिवहन निगम (undertakings):** परिवहन क्षेत्र के लिए हमने उसी तरह के समायोजन किए जैसा कि विद्युत क्षेत्र के लिए किए गए थे।

(iv) **संघ सरकार से सहायता अनुदान:** हमने निम्नलिखित मदों, जो संघ सरकार के अनुदानों पर आधारित थे, को व्यय से हटाया: (क) योजना-आधारित केंद्रीय सहायता के संबंध में राजस्व व्यय और (ख) स्थानीय स्व-शासनों के लिए सहायता अनुदान एमएच (2245) से आपदा राहत पर व्यय को आधार वर्ष से बाहर किया गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किस राज्य को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि में बराबर की हिस्सेदारी देनी होगी, इस हिस्से का पूर्वानुमान 2021-22 से आगे के लिए अलग से किया गया और उसे राजस्व व्यय में जोड़ा गया।

(v) **राज्य-विशिष्ट मुख्य सब्सिडियां और कृषि कर्ज माफी:** खाद्य सब्सिडी और कृषि कर्ज माफी को 2018-19 में राज्यों के राजस्व व्यय से हटाया गया है।

(vi) **राज्यों को आईजीएसटी अंतरण:** राज्यों को 2018-19 में अंतरित एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) को प्रत्येक राज्य के एसजीएसटी में सभी राज्यों के एसजीएसटी के अनुपात के अनुसार 2018-19 में प्रत्येक राज्य के एसजीएसटी में जोड़ा गया है।

(vii) **आरक्षित निधि संबंधी व्यय:** आरक्षित निधियों (समेकित निक्षेप निधि/Sinking Fund और गारंटी ऋणमुक्ति निधि/ Redemption Fund) से राजस्व व्यय घटाया गया।

(viii) **प्राप्तियों/भुगतानों के लिए कॉन्ट्रा एंट्री:** प्रतिपक्षी प्रविष्टि (कॉन्ट्रा-एंट्री) स्वरूप वाली प्राप्तियों/भुगतानों को गैर-कर प्राप्तियों और राजस्व व्यय से हटाया गया। उदाहरण के लिए कुछ राज्य सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में पूंजी पर ब्याज देते हैं जो राज्यों के गैर-कर राजस्वों में ब्याज प्राप्तियों के रूप में परिलक्षित हो सकती है। इस प्रकार की परियोजनाओं की प्रविष्टियों (एंट्रियों) को समायोजित किया गया ताकि दोहरी गणना को रोका जा सके।

## सकल राज्य घरेलू उत्पाद

4.58 राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 2011-12 से 2018-19 की अवधि के लिए राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के तुलनीय अनुमान उपलब्ध कराए। इन अनुमानों से यह सुनिश्चित हुआ कि अनुमान लगाने में प्रयुक्त सिद्धांतों एवं क्रियाविधि सभी राज्यों के लिए समान रूप में अपनाई गई। जीएसडीपी के पूर्वानुमान के लिए आधार 2018-19 है। हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि 2019-20 के लिए जीएसडीपी के आंकड़े कई राज्यों द्वारा स्वयं के परिकलनों के आधार पर उपलब्ध कराए गए हैं, लेकिन इन्हें एनएसओ द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। अधिकांश राज्यों ने इन अनुमानों को 2020-21 के लिए अपने बजटों को आधार रूप में लिया। तथापि, आर्थिक परिदृश्य में 2019-20 के अंतिम दो महीनों में काफी बदलाव आया। अतः, हमने 2018-19 से आगे के वर्षों के लिए राज्यों द्वारा किए गए परिकलनों पर विचार नहीं किया। कार्यविधियों और दृष्टिकोण में समानता सुनिश्चित करने हेतु हमने 2019-20 से जीएसडीपी के पूर्वानुमान स्वयं किए।

4.59 हमने राज्यों कि जीएसडीपी की वृद्धि का आकलन दो चरणों में किया :

i. पहले चरण में, 2019-20 के लिए, हमने 2011-12 से 2018-19 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए जीएसडीपी वृद्धि दर में प्रवृत्ति का बहिर्वेशन किया। 2020-21 के लिए जीडीपी के पूर्वानुमान करते हुए हमने अखिल भारत स्तर पर मुख्य क्षेत्रों, जैसे कि कृषि, उद्योग, लोक प्रशासन,



रक्षा एवं सामाजिक सेवाएं और अन्य सेवाओं के संव्यवहार के बारे में अनुमान निकाले और उसके बाद समग्र जीडीपी वृद्धि दर निकालने से पहले उनका अलग से आकलन किया। तथापि, हमने इस बात पर ध्यान दिया कि सभी राज्यों की सेक्टरल वृद्धि दरें उसी प्रकार सदृश थीं जैसा कि विगत में राष्ट्रीय स्तर पर तदनुरूप वृद्धि दरें थीं। इन भिन्नताओं के लिए हमने 2011-19 के दौरान राज्यों की समग्र कृषि वृद्धि के संदर्भ में, राज्यों की कृषि वृद्धि दरों की मूल्य-सापेक्षता (elasticity) का आकलन किया। हमने इस सूचना का संयोजन 2020-21 के लिए राष्ट्रीय विकास के अपने आकलन के साथ किया है ताकि क्षेत्र में राज्य-वार वृद्धि निकाली जा सके। 2020-21 के लिए समग्र जीएसडीपी वृद्धि के प्रारंभिक आकलन करने से पहले, इस कार्यविधि को प्रत्येक सेक्टर के लिए अपनाया गया। 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए, राज्यों को छह वर्गों में समूहबद्ध करते हुए (चार सामान्य राज्यों के लिए तथा दो पूर्वोत्तर के पर्वतीय राज्यों के लिए) तथा समूह के भीतर सभी राज्यों को प्रत्येक समूह की औसत वृद्धि समनुदेशित करते हुए जीएसडीपी वृद्धि में आए बड़े अंतरों को दूर किया गया।

ii. दूसरे चरण में, हमने राज्यों के प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय के आधार पर उन्हें पांच वर्गों में विभाजित किया और 2017-18 एवं 2018-19 के लिए उनके प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय की औसत निकाली जो इस प्रकार है: (क) वे राज्य जिनका प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय सभी राज्यों के औसत से 140 प्रतिशत या उससे अधिक है, (ख) वे राज्य जिनका प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय सभी राज्यों के औसत राजस्व व्यय के 130-140 प्रतिशत के बीच है। (ग) वे राज्य जिनका प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय सभी राज्यों के औसत के 100-130 प्रतिशत के बीच है। (घ) वे राज्य जिनका प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय सभी राज्यों के औसत से 80-100 प्रतिशत के बीच है। (ङ) वे राज्य जिनका प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय सभी राज्यों के औसत के 80 प्रतिशत या उससे कम है। हमने आकलन मानकीय तौर पर किया कि राज्यों का प्रति व्यक्ति राजस्व जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक उनकी जीएसडीपी वृद्धि होनी चाहिए, अन्यथा यही स्थिति विपरीत होगी। प्रतिव्यक्ति उच्च सार्वजनिक खर्च से भी उच्च वृद्धि होनी चाहिए। हमने इस चरण पर पूर्वोत्तर और हिमालयी (एनईएच) राज्यों और सामान्य राज्यों के बीच भिन्नता भी रखी और उन्हें समूह औसत के आसपास निर्धारित (बैंचमार्क) किया। यद्यपि, चार श्रेणी के राज्यों (उपरोक्त में श्रेणी 'क', 'ख', 'घ', और 'ङ') के लिए जीएसडीपी वृद्धि दरों को राज्यों के प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय से अलग किया गया, किंतु पांचवीं श्रेणी के राज्य (श्रेणी 'ग') के लिए जीएसडीपी वृद्धि दरें सामान्य तौर पर निर्धारित की गई जिन्हें चरण-1 में सेक्टरल परिकलनों से प्राप्त किया गया था।

iii. इस सिद्धांत को उच्चतम मानों के समायोजन के साथ आगामी वर्षों में भी व्यापक रूप से लागू किया



गया। इस विधि से यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों की वृद्धि दर हमारी पंचाट अवधि के दौरान पूर्वानुमानित राष्ट्रीय वृद्धि के समरूप हो। राजकोषीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए भी इस विधि से हमारे परिकलनों में प्रगतिशीलता एवं समानता सुनिश्चित की।

4.60 परिणामी वृद्धि अनुमानों को अनुलग्नक 4.5 में उपलब्ध कराया गया है। परिकलनों से एनईएच राज्यों की भी जीएसडीपी वृद्धि प्राप्त की गई, जोकि सामान्य राज्यों की तुलना में औसतन रूप से कम है।

## राज्यों के स्वयं के कर राजस्व

4.61 राज्यों के स्वयं के कर राजस्व को मुख्यतः दो करों में विभाजित किया जा सकता है-एसजीएसटी, जो 2018-19 में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व का 41.5 प्रतिशत था, और गैर-जीएसटी कर, जो 58.5 प्रतिशत था।

## राज्यों के गैर-जीएसटी कर

4.62 राज्य सरकारों के गैर-जीएसटी करों में पेट्रोलियम एवं शराब पर बिक्री कर (स्वयं के कर राजस्व का 24.3 प्रतिशत), राज्य उत्पाद शुल्क (12.3 प्रतिशत), स्टाम्प शुल्क (10.4 प्रतिशत), वाहन कर (5.7 प्रतिशत), बिजली शुल्क (3.5 प्रतिशत) और अन्य (2.3 प्रतिशत) शामिल हैं। राज्यों के स्वयं के कर राजस्व के हमारे आकलन में हमने, जैसा कि हमने संघ सरकार के संबंध में किया था, विगत प्रवृत्तियों और महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक मंदी से निपटने हेतु स्वास्थ्य एवं आय संपूर्ति के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाने की आवश्यकता से संबंधित संकेतों को एकीकृत किया। इसके अलावा, मानकीय (normative) परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि राज्यों के हाल ही के निष्पादन की तुलना में उनके कर और जीएसडीपी अनुपात में काफी सुधार लाना होगा। इस संबंध में, जिस प्रकार संघ के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार राज्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने कर प्रशासन को सुदृढ़ बनाएं और उसमें सुधार लाएं ताकि कर आधार को गहरा बनाया जा सके तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा करना जरूरत से अधिक उधार लेने से बचने तथा असंधारणीय ऋण पथ की संभावना को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

4.63 हमने 2020-21 के लिए यह आकलन किया था कि सभी राज्यों के संबंध में गैर-जीएसटी करों में संकुचन होगा। संकुचन की दर प्रत्येक राज्य की जीएसडीपी में संकुचन की तुलना में 1.7 गुना अधिक है। गैर-जीएसटी करों का पूर्वानुमान दो चरणों में किया गया है। पहले चरण में, राज्यों के बीच दो बातों के आधार

पर मानकीय रूप से विभेद किया गया। पहले हमने एनईएच राज्यों और सामान्य राज्यों के बीच विभेद किया। दूसरे चरण में हमने उपरोक्त दो श्रेणियों में गैर-जीएसटी कर संग्रहणों और जीएसडीपी के औसत अनुपात के आधार पर राज्यों के बीच विचलन का परिकलन किया। 2021-22 के लिए एनईएच और सामान्य राज्यों के लिए, सामान्य मानदंडों के रूप में 1.15 का उछाल विचार में रखा गया। एनईएच राज्यों के लिए गैर-जीएसटी कर और जीएसडीपी अनुपात की औसत 2.49 प्रतिशत थी जबकि सामान्य राज्यों के संबंध में इस अनुपात की औसत 3.87 प्रतिशत थी। हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि एनईएच राज्यों में सामान्य तौर पर भूमि के स्वामित्व कानूनों और भूमि के असामान्य लेनदेनों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिसके कारण उनके गैर-जीएसटी कर के संग्रहण हेतु किए गए प्रयास बाधित होते हैं। तत्पश्चात, हमने एनईएच राज्यों को 2022-23 और 2025-26 के लिए 1.15 एवं 1.20 के उछालों के दो सेट में विभाजित किया और उन राज्यों के लिए उच्च उछाल निर्धारित किया जिनका गैर-जीएसटी कर और जीएसडीपी अनुपात कम था। उन राज्यों के लिए उछाल न्यून निर्धारित किया जिनका गैर-जीएसटी कर और जीएसडीपी अनुपात अधिक था।

4.64 सामान्य राज्यों के गैर-जीएसटी करों में दर संरचना, अनुपालन और संग्रहणों में सुधार आना चाहिए क्योंकि इन करों में जीएसटी के तहत समावेशित करों की तुलना में कम उछाल आया है। अतः पहले चरण में, हमने इन राज्यों को 2022-23 से 2025-26 के दौरान 1.25 और 1.30 के उछालों के दो सेट में उसी तरह विभाजित किया जैसा कि उपरोक्त में किया गया है।

4.65 दूसरे चरण में, हमने 2021-22 से उन राज्यों जिनका औसत व्यय उनके औसत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय की तुलना में 40 प्रतिशत या उससे अधिक था ( सामान्य श्रेणी के राज्यों एवं एनईएच के राज्यों के संबंध में 2017-18 और 2018-19 के लिए अलग से औसत निकाली गई है ) और अन्य राज्यों के बीच विभेद किया। हमने मानकीय रूप से यह आकलन किया कि पहली श्रेणी वाले राज्यों का कर उछाल उच्च होना चाहिए, ताकि वे अपने उच्च व्यय को तर्कसंगत ठहरा सकें। अन्य राज्यों के लिए, हमने उन उछालों को उन स्तरों पर कायम रखा है जिन्हें हमने पहले चरण में निर्धारित किया है।

## राज्य जीएसटी

4.66 एसजीएसटी में सभी राज्यों की वृद्धि एवं उछाल ( आईजीएसटी निपटान के बाद ) उसी तरह होना चाहिए जैसाकि सीजीएसटी में हो। तथापि, अलग-अलग राज्यों का उछाल भिन्न रहा है। राज्यों के बीच दो बातों के आधार पर मानकीय रूप से विभेद किया गया है – पहली श्रेणी के राज्य ( सामान्य राज्य या एनईएच राज्य ), और दूसरी श्रेणी के राज्यों के लिए एसजीएसटी एवं जीएसडीपी के औसत अनुपात से उसके विचलन को आधार बनाया गया। 2020-21 के लिए हमने गैर-जीएसटी करों की तरह यह आकलन किया

कि सभी राज्यों के संबंध में एसजीएसटी में संकुचन आएगा। प्रत्येक राज्य की जीएसडीपी में संकुचन की दर 1.7 गुना है। 2021-22 के लिए एनईएच एवं सामान्य राज्यों, दोनों के लिए 1.10 का उछाल निर्धारित किया गया। उसके पश्चात 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए हमने एनईएच राज्यों को 1.30, 1.25 और 1.10 के उछालों के तीन सेट में विभाजित किया तथा उन राज्यों के लिए सर्वाधिक उछाल रखा जिनका एसजीएसटी और जीएसडीपी अनुपात सबसे कम था। हमने सामान्य राज्यों को भी इसी तरह 2022-26 की अवधि के लिए 1.30, 1.20 और 1.10 उछालों के तीन सेट में विभाजित किया। 2018-19 में एनईएच राज्यों एवं सामान्य राज्यों के लिए औसत एसजीएसटी और जीएसडीपी अनुपात क्रमशः 2.35 एवं 2.79 प्रतिशत था। हमने इस आधार पर सामान्य और एनईएच राज्यों की इंटरमीडिएट रेंज के लिए एसजीएसटी उछाल में सीमित रूप से विभेद किया कि उनकी कर उगाही क्षमता गंतव्य-आधारित जीएसटी में है, न कि अन्य करों में।

4.67 दूसरे चरण में, हमने मानकीय रूप से राज्यों का आकलन इस तरह किया कि जिन राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय 40 या उससे अधिक है, उनके लिए उच्चतर कर उछाल होना चाहिए। अन्य राज्यों के लिए हमने वही उछाल स्तर निर्धारित किए हैं जैसा कि पहले चरण में किया गया है।

4.68 उपर्युक्त से निम्नलिखित सुनिश्चित हुआ:

- (i) 2021-26 के दौरान सभी राज्यों का एसजीएसटी उछाल सीजीएसटी के उछाल से काफी हद तक मेल हो।
- (ii) एनईएच राज्यों का कर उछाल सामान्य राज्यों की तुलना में औसतन रूप से कम रहेगा।
- (iii) सभी राज्यों का कर और जीएसडीपी अनुपात 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए 0.7 प्रतिशत प्वाइंट बढ़ा (अनुलग्नक 4.6)।

### जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर का निर्धारण

4.69 जून, 2022 तक राज्यों के जीएसटी राजस्वों को एक संवैधानिक योजना द्वारा परिरक्षित किया गया है। इस योजना के अनुसार जीएसटी के तहत समावेशित किए गए पूर्व राज्य करों (जीएसटी की शुरुआत से पहले) में नुकसान की भरपाई के लिए 14 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि राजस्व वृद्धि की गारंटी दी गई है। इस 14 प्रतिशत की वृद्धि को 2015-16 में समावेशित करों (जिन्हें परिरक्षित राजस्व कहा गया है) के सत्यापित वास्तविक संग्रहण के आधार पर परिकलित किया गया है। कमी- अर्थात् किसी भी वर्ष में परिरक्षित राजस्व और वास्तविक एसजीएसटी संग्रहण के बीच अंतर की भरपाई संघ सरकार द्वारा जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि में

उपलब्ध संसाधनों से की जाएगी, जिनकी पुनःपूर्ति (replenishment) जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से आगमों और "जीएसटी परिषद द्वारा निर्णीत अन्य प्रकार के आगमों" से की जाएगी।

4.70 जीएसटी शुरू होने के बाद प्रत्येक वर्ष कई राज्यों का एसजीएसटी राजस्व आश्वस्त स्तर (पाथ) से कम था, जिसके कारण उन्हें प्रतिवर्ष क्षतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता पड़ी। 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की पहली तिमाही (Q1) में आश्वस्त स्तर की तुलना में एसजीएसटी राजस्व के भारी कमी के साथ-साथ प्रतिपूर्ति उपकर संग्रहणों में सुस्ती के कारण बड़ा अंतराल आ गया है। हमारे अनुमानों के अनुसार, आश्वस्त पथ-विगत वर्षों के बैकलॉग सहित- की तुलना में जून 2022 तक (केवल राज्यों के लिए) लगभग 7.10 लाख करोड़ रुपए की एसजीएसटी की कमी अनुमानित है। जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से संग्रहणों के हमारे पूर्वानुमान से यह परिलक्षित होता है कि 2020-21 से 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान संग्रहणों से केवल 2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।

4.71 जीएसटी परिषद द्वारा अभी यह निर्णय लिया जाना बाकी है कि 2022-23 की पहली तिमाही तक प्रतिपूर्ति उपकर से संग्रहणों के अलावा राज्यों के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति की आवश्यकताओं की दिशा में उसका दृष्टिकोण क्या होगा। तथापि, जीएसटी परिषद के हाल ही के विचार-विमर्शों एवं निर्णयों तथा महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) की कानूनी राय के आधार पर हमारे अनुमान एवं परिकलन निम्न प्रकार हैं:

- (i) एसजीएसटी के आश्वस्त स्तर (पाथ) से राज्यों की कमी की पूरी भरपाई की जाएगी।
- (ii) 2022-23 की पहली तिमाही तक क्षतिपूर्ति की आवश्यकताओं के लिए उपर्युक्त कमी की पूर्ति 2025-26 तक जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर की अवधि को बढ़ाकर की जाएगी।
- (iii) बीच की अवधि में, राज्यों की संक्रमणकालिक नकदी की आवश्यकता की पूर्ति संघ सरकार या राज्यों किसी के भी द्वारा उधारों से की जाएगी।
- (iv) हम प्रस्तावों के तहत उधारों की देनदारी (debt) के प्रभावों को न तो शामिल कर रहे हैं और न ही उनका आकलन लगा रहे हैं। हमारे द्वारा आकलित राजकोषीय घाटा और देनदारी के स्तर (debt path) में उन उधारों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें राज्य सरकारें जीएसटी परिषद में निर्णयों के बाद संघ सरकार और उनके बीच तय आवश्यकताओं के अनुसार उधार ले सकते हैं।
- (v) हमने 2025-26 तक जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से संग्रहण का अनुमान लगाया है। हमारे परिकलनों में यह देखा जा सकता है कि यदि प्रतिपूर्ति की अवधि को बढ़ाकर 2025-26 तक किया जाता है, तब प्रतिपूर्ति उपकर से अनुमानित संग्रहण से राज्यों की देयताएं निपटाने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध होगी। हमने प्रत्येक राज्य के आकलित कमी के अनुपात को वर्ष-वार लेकर उनके राजस्वों में इस आय स्ट्रीम को शामिल किया है (अनुलग्नक 4.8)।

## गैर-कर राजस्व

4.72 राज्यों के स्वयं के गैर-कर राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं मुनाफे, रॉयल्टी, सिंचाई प्राप्तियां, वन एवं वन्यजीव से प्राप्तियां, चुनावों से प्राप्तियां, आदि शामिल हैं। इन राजस्वों में 0.9 के उछाल के साथ 2011-12 से 2018-19 के दौरान 10.4 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से वृद्धि हुई।

4.73 जैसा कि हमने कर राजस्वों के संबंध में किया है, हमने 2025-26 तक राज्यों के गैर-कर राजस्वों का आकलन करने के लिए एक द्वि-स्तरीय कार्यविधि अपनाई है। सर्वप्रथम हमने एक मैक्रो दृष्टिकोण अपनाकर यह आकलन किया कि 1.1 के उछाल के साथ शुल्कों एवं उपयोगकर्ता शुल्कों को न्यायसंगत करने एवं उन्हें बढ़ाने के लक्ष्य पर फोकस करते हुए, इन राजस्वों में वृद्धि प्रत्येक राज्य के जीएसडीपी में वृद्धि से कुछ अधिक रहनी चाहिए। दूसरे चरण में, हमने मानकीय रूप से यह अनुमान किया है कि उन राज्यों, जिनका उछाल औसत (यानी ग्रुप का, जैसा कि उपरोक्त में वर्णन किया गया है) प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय से 40 प्रतिशत या उससे अधिक रहा है, उनका उछाल उच्चतर यानी 1.30 होना चाहिए ताकि वे जरूरत से अधिक उधारों पर निर्भर रहे बिना अपने व्यय को व्यवस्थित कर सकें। गैर-कर राजस्व और जीएसडीपी के पूर्वानुमानित अनुपातों को अनुलग्नक 4.7 में दर्शाया गया है।

## राजस्व व्यय

4.74 हमारे पूर्वानुमान का आधार 2018-19 के लिए राज्यों का समायोजित राजस्व व्यय (समायोजनों के बारे में पैरा 4.57 में वर्णन किया है) रहा है। ब्याज भुगतान, पेंशन, चुनाव, आपदा प्रबंधन, एवं क्षतिपूर्ति और स्थानीय शासनों को सौंपे गए कार्यों पर खर्च किए जाने वाले व्यय का पूर्वानुमान अलग से किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन मदों में वृद्धि को जो कारक निर्धारित करते हैं, वे उन कारकों से भिन्न हैं, जो शेष राजस्व व्यय को निर्धारित करते हैं। शेष पूर्वानुमान पूरे करने के पश्चात उपर्युक्त मदों को राजस्व व्यय में जोड़ा गया है। व्यय के विभिन्न मदों के आकलन के लिए अपनाए गए मानदंडों को नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

## ब्याज भुगतान

4.75 हमने 2021-26 के लिए ब्याज भुगतानों के पूर्वानुमान हेतु द्वि-स्तरीय कार्यविधि अपनाई है। पूर्वानुमान के लिए 2020-21 के बजट अनुमानों को आधार के तौर पर लिया गया है। प्रत्येक वर्ष बकाया

देयताओं की अनुमानित बढ़ोतरी को प्रत्येक राज्य के संदर्भ में राजकोषीय घाटा और जीएसडीपी अनुपात के रूप में लिया गया है। राज्यों के वर्ष-वार राजकोषीय घाटा और जीएसडीपी अनुपात पर अनुमानों को राजकोषीय समेकन पर अध्याय-12 में प्रस्तुत किया गया है। हमने यह भी माना है कि राज्य सरकारों के नए उधारों पर ब्याज दर 2020-2026 के दौरान समान रूप से 6.6 प्रतिशत रहेगी। इन अनुमानों के आधार पर मानक परिकलनों में प्रत्येक राज्य के संबंध में प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज भुगतानों की वृद्धि दर- कुछ राज्यों के लिए 9 प्रतिशत से अधिक और कुछ के लिए 9 प्रतिशत से कम निकलकर आई है। तथापि, हमारा यह मत है कि सभी राज्यों को देनदारी समेकन (debt consolidation) की दिशा में प्रयास करने चाहिए जिसका एक सरल बैरोमीटर ब्याज भुगतान की वृद्धि दर है। अतः पूर्वानुमान के दूसरे चरण में, 9 प्रतिशत से अधिक की पूर्वानुमानित वृद्धि दरों को कम कर 9 प्रतिशत किया गया है, जबकि 9 प्रतिशत से कम की वृद्धि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

## पेंशन

4.76 2020-21 के लिए पेंशन भुगतानों के बजट आकलनों तथा 2019-20 के लिए संशोधित आकलनों को पूर्वानुमान के लिए एक आधार के रूप में लिया गया है। पेंशन भुगतानों का अनुमान सभी राज्यों के लिए समान मानदंडों के साथ किया गया है। वर्ष-वार मानदंडों को पैरा 4.39 से 4.40 में संघ सरकार के संदर्भ में वर्णन किए गए मानदंडों से संबद्ध किया गया है।

## चुनाव

4.77 हमने विभिन्न राज्य चुनाव चक्रों का पता लगाने हेतु एक क्रियाविधि विकसित की है। हमने पिछले पांच वर्षों के चुनाव-संबंधित व्यय के पैटर्न पर विचार करते हुए आधार-वर्ष (अर्थात् पांच वर्ष पूर्व) 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर पांच वर्षों के मुद्रास्फीति सूचीकरण (indexation) के साथ प्रत्येक वर्ष के लिए पूर्वानुमान किया है। उदाहरण के लिए 2021-22 में चुनाव-संबंधित व्यय का पूर्वानुमान 2016-17 में तदनु रूप व्यय में 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर पांच वर्षों की मुद्रास्फीति सूचीकरण के साथ किया गया है।

## स्थानीय शासनों को क्षतिपूर्ति और सौंपे गए कार्य

4.78 राज्यों को राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय शासनों के लिए करों के आगमों

को निर्धारित करना चाहिए। इस घटक हेतु सभी राज्यों के लिए 2020-21 के बजट अनुमानों के आधार से 4 प्रतिशत की समान वार्षिक वृद्धि निर्धारित की गई है।

### शेष राजस्व व्यय

4.79 राज्यों के राजस्व व्यय का पूर्वानुमान करते हुए, हमने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में 'स्कीम, गैर-स्कीम' की भिन्नता को शामिल किया है। तत्पश्चात, हमने यह नोट किया कि राज्यों द्वारा खर्च किए गए व्यय के लेखांकन प्रविष्टियों में समान पैटर्न नहीं अपनाया गया, लेकिन हमने 'स्कीम, गैर-स्कीम' भिन्नता को अपने अनुमानों और मूल्यांकनों में जारी रखा है। कई राज्यों के 2018-19 के लेखाओं की समीक्षा में यह पाया गया कि राज्यों के स्वयं के स्कीमबद्ध व्यय को अपने पूर्ण वेतन एवं संबंधित घटकों को शेष व्यय से अलग करने के बारे में निरंतर मुद्दे उभरकर आए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयोग की रिपोर्ट पांच वर्षों के लिए है, हमने इस रिपोर्ट में इन अनुमानों और अनुपातों को शामिल नहीं किया है। स्कीमबद्ध एवं अन्य व्ययों को अलग करना (पूँजी और राजस्व घटकों में विभाजित करना और संघ एवं राज्यों की हिस्सेदारी) एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक भिन्नता है जो डाटा-संबंधित मुद्दों से कमजोर पड़ती है। यह महत्वपूर्ण है कि इन लेखाकरण भिन्नताओं को अविचलित दूर किया जाए ताकि राज्य सरकार व्यय के महत्वपूर्ण घटकों की तुलना की जा सके और राज्यों के लेखाओं का संघ के लेखाओं के साथ एकीकरण किया जा सके।

4.80 हमने प्रत्येक राज्य के वित्त लेखाओं से प्राप्त अनुपातों को शामिल किया है ताकि शेष राज्यों से विकास घटक को अलग किया जा सके। विकासात्मक राजस्व व्यय में राज्यों द्वारा सीएसएस में दिया गया अंशदान तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं और उनके कार्यान्वयन पर व्यय स्वयं के संसाधनों में से करना शामिल है। हमने इस प्रकार के समस्त व्यय को 2022-23 से 2025-26 के दौरान 8.4 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर के साथ संघ सरकार के राजस्व व्यय के विकास घटक के बराबर रखा है। एकमात्र अंतर 2021-22 के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसके लिए व्यय को संघ के लिए 2020-21 के पुनःआकलित स्तरों पर समान रखा गया है, जबकि राज्य सरकारों के लिए 4 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है।

4.81 अन्य घटकों में मुख्य रूप से वेतन, अन्य स्थापना व्यय तथा परिसंपत्तियों के रखरखाव पर व्यय शामिल हैं। हमने संघ सरकार के वेतन घटक के लिए किए गए अनुमानों की तुलना में, राजस्व व्यय के इस भाग हेतु 2021-26 के लिए मामूली रूप से कुछ उच्चतर वृद्धि दरें निर्धारित की हैं, क्योंकि इसमें परिसंपत्तियों के रखरखाव पर व्यय भी शामिल है। हमने इस घटक के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान संघ सरकार के वेतन बिल के लिए निर्धारित 4.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की तुलना में समान अवधि के लिए 5.1 प्रतिशत प्रति-वर्ष की प्रवृत्ति वृद्धि दर का पूर्वानुमान किया है।



## समग्र राजस्व व्यय और अंतरण-पूर्व राजस्व घाटा

4.82 पूर्वानुमान के लिए उपरोक्त क्रियाविधि को अपनाकर, सभी राज्यों के समग्र राजस्व व्यय पर विचार करते हुए यह निकलकर आता है कि 2021-21 से 2025-26 के आधार को मानकर राजस्व व्यय की प्रवृत्ति वृद्धि दर 6.3 प्रतिवर्ष होगी। अंतरण-पूर्व राजस्व घाटे का अनुमान अनुलग्नक 4.9 में दर्शाया गया है। यह ध्यान देने की बात है कि अंतरण-पूर्व राजस्व घाटे के परिकलन में राज्य लेखाओं को सभी प्रकार के केंद्रीय अंतरणों- अनुदान एवं कर अंतरण से घटाया गया है।

### सारांश एवं अनुशासन

4.83 हमने अपने पूर्वानुमानों को 2021-26 की अवधि हेतु 2019-20 के अनंतिम लेखाओं पर संघ सरकार के लिए 2020-21 और राज्यों के लिए उनके 2018-19 के वित्त लेखाओं को आधार बनाकर अनुमानों को पुनः तैयार किया है, हालांकि कुछ घटकों के बारे में अपवाद भी है जहां बजट 2020-21 को परिकलन के लिए आधार रूप में लिया गया है। महामारी के कारण आर्थिक एवं राजकोषीय परिदृश्य में बदलाव को ध्यान में रखते हुए जीडीपी, जीएसडीपी, राजस्व और व्यय घटकों के बारे में 2020-21 के लिए अनुमानों का पुनरावलोकन किया गया है।

4.84 2021-22 से हमारे राजस्व मानदंडों को प्रशासनिक एवं कार्यविधिक सुधारों को कार्यान्वित कर विकास व्यय के वित्तपोषण हेतु संसाधन जुटाने की आवश्यकता के आधार पर क्रियान्वित किया गया है। हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि कार्यविधिक सुधारों और आईटी-आधारित सॉल्यूशन्स का प्रयोग कर संघ के जीएसटी, प्रत्यक्ष करों से तथा राज्यों के गैर-जीएसटी करों से संग्रहणों में अपार संभावनाएं हैं। इस आकलन के अनुसार 2025-26 तक संघ सरकार तथा राज्य सरकारों प्रत्येक के लिए कर और जीडीपी अनुपात में 0.7 प्रतिशत प्वाइंट का सुधार आना चाहिए।

( पैरा 4.27 एवं 4.68 )

4.85 हमने व्ययों में अतिरिक्त-बजटीय संव्यवहारों की संचित देयताओं में से वर्तमान संव्यवहारों से उत्पन्न व्यय को अलग रखा है। हम अपनी 2020-21 की रिपोर्ट से यह उद्धृत करते हैं, "बकाया अतिरिक्त-बजटीय देयताओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए और घाटा एवं देनदारी (deficit and debt) की पारदर्शी रिपोर्टिंग, जैसा कि 2018 के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में उपबंधित है, के साथ उन्हें समयबद्ध रूप से चुकाया जाए। हम इस वक्तव्य को दोहराते हैं। संचित बोझ की देयता की पूर्ति उन अतिरिक्त संसाधनों से की जानी चाहिए जिन्हें संघ द्वारा प्रशासनिक एवं शासन संबंधी सुधार कार्यान्वित करने के



फलस्वरूप जुटाया जाएगा। इससे बकाया देयताओं को चुकाने के लिए अल्प संसाधनों का निर्गमन होगा। हम आशा करते हैं कि ऐसे उपायों को लागू करने के लिए संघ सरकार एक उपयुक्त योजना बनाएगी जिससे भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित होंगे। चूंकि हमने अपनी पंचाट अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा पर संपूर्ण वर्तमान व्यय में प्रावधान किया है, इसलिए संघ सरकार को इस संबंध में अतिरिक्त बजटीय संसाधनों हेतु कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

( पैरा 4.43 से 4.48 )

4.86 हमने प्रति व्यक्ति अधिक खर्च वाले राज्यों और अन्य राज्यों के बीच विभेद कर अपने परिकलनों में प्रगतिशीलता एवं समानता (progressivity and equity) सुनिश्चित की है और उनके लिए जीएसडीपी वृद्धि एवं कर उछाल के लिए उच्चतर लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राज्यों के गैर-कर राजस्वों के निर्धारण के लिए भी हमने इन्हीं सिद्धांतों को अपनाया है। पूर्वानुमान करते हुए हमने राज्यों के कर-जीएसडीपी अनुपात के प्रारंभिक स्तरों को भी ध्यान में रखा है।

( पैरा 4.58 से 4.68 )

4.87 राज्यों को 2018-19 में राजस्व एवं व्यय के तुलनीय आधार से जोड़ा गया है जिसके लिए राजस्व एवं व्यय के आधार से सब्सिडियों, उदय योजना जैसे अनुदानों और कृषि कर्ज माफी को हटाया गया है और उन्हें केंद्रीय अंतरणों से संबद्ध किया गया है। हमने, यथासंभवतः, संघ और राज्यों के राजस्व एवं व्यय के तुलनीय मदों के बीच सिमेट्रिकल व्यवहार की सुनिश्चितता का भी प्रयास किया है। हमने संघ के राजस्व एवं व्यय आधार से देशभर में उसके द्वारा दी जा रही सब्सिडियों को नहीं हटाया है, किंतु उनके लिए सख्त शर्तें निर्धारित की हैं।

( पैरा 4.57 )

4.88 पूर्व वित्त आयोगों के दृष्टिकोणों के क्रम में, हमने मितव्ययिता के समय (austere times) में राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानकीय सिद्धांतों को अपनाया है। हमने पुनःप्राथमिकीकरण व्यय के सिद्धांतों का अनुसरण किया है जिससे हमने स्थापना-संबंधित व्ययों पर अंकुश लगाया (economise) है, सब्सिडियों के ढांचे में अक्षमताओं को समाप्त किया है, सार्वजनिक व्यय में अनावश्यक खर्चों (लीकेज) को न्यूनतम रखा है तथा परिणामी बचतों को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विकास व्यय के रूप में चैनलाइज किया है। हमने अल्प संसाधनों, विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों के विवेकशील प्रबंधन के उद्देश्य से संघ सरकार और राज्यों के प्रतिबद्ध राजस्व व्यय का निर्धारण किया है। साथ ही, हमने संघ सरकार और राज्यों के लिए विकास-राजस्व व्यय एवं पूंजी व्यय हेतु एक न्यायसंगत गुंजाइश रखने का प्रयास किया है।

(पैरा 4.35, 4.39 से 4.48 और पैरा 4.75 एवं 4.81)

4.89 हमारे विश्लेषण और पूर्वानुमान भिन्न चरणों पर प्राप्तियों एवं व्यय के असंगत लेखाकरण के कारण प्रभावित हुए हैं जिससे सभी राज्यों के लिए व्यय और राजस्व के आधार स्तर (base level) की तुलनीयता सुनिश्चित करने में कठिनाई आई। यह महत्वपूर्ण है कि इन लेखाकरण भिन्नताओं को तत्काल दूर किया जाए ताकि राज्य सरकार के व्यय के महत्वपूर्ण घटकों की तुलना करने में तथा निरंतर राज्य स्तरीय राजकोषीय विश्लेषण करने में सुविधा हो।

(पैरा 4.79)


## अध्याय 5

# संसाधन जुटाना

यह अध्याय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के सापेक्ष लोक व्यय की बढ़ती आवश्यकताओं और अवरुद्ध राजस्व के संदर्भ में, सभी स्तरों पर सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास बढ़ाने की अनिवार्यता पर चर्चा करता है। कोविड-19 महामारी ने सरकारों के राजस्व और व्यय के बीच के अन्तराल को बढ़ाया है। हमने अप्रयुक्त राजस्व क्षमता वाले प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का विश्लेषण किया है। हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि, कर प्रशासन और नीति में उपयुक्त सुधारात्मक उपायों से, समय पर, जीडीपी के अनुपात में कर को 5 प्रतिशत बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। हमारे द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपाय जीएसटी, वैयक्तिक और कॉर्पोरेट आयकर के साथ-साथ स्थानीय सरकार के स्तर पर संपत्ति करों से राजस्व लाभ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं।

5.1 भारत में सार्वजनिक व्यय सामाजिक और भौतिक अवसंरचना, रोजगार, आजीविका सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए है। यद्यपि, इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन उपलब्धता एक स्थायी चुनौती बनी हुई है। सरकार के विभिन्न स्तरों के बजटों में इन व्यय दबावों पर तनाव का असर दिखाई दे रहा है। हाल ही के वर्षों (चित्र 5.1) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के सापेक्ष, सरकार के कम होते राजस्व से कठिनाइयाँ और बढ़ी हैं। 1990 के दशक के अंत से 2007 तक करों में वृद्धि प्रत्यक्ष करों, विशेष रूप से कॉर्पोरेट कर के एकत्रण में सुधार के कारण थी। अभी हाल ही में, 2015 और 2016 में उत्पाद शुल्क दरों में वृद्धि और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट को रोकने के लिए उपकर की वसूली के कारण कर संग्रहण में थोड़ी वृद्धि हुई थी। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही, संघ और राज्यों दोनों के कर और गैर-कर राजस्व पहले से घट रहे थे। इस महामारी ने अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से प्रभावित किया है। अर्थव्यवस्था का कोई भी क्षेत्र -वित्तीय, मौद्रिक, राजकोषीय और रियल एस्टेट- प्रतिकूल गिरावट से अछूता नहीं है। अनौपचारिक और औपचारिक दोनों क्षेत्र व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। अतः तृतीय स्तर सहित, विभिन्न स्तरों पर सरकारों के लिए अनवरत अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाना अनिवार्य है। इस अध्याय में इसी पर विचार किया गया है।

चित्र 5.1: जीडीपी के % के रूप में संघ और राज्य सरकारों का राजस्व  
(कर सहित गैर-कर)



स्रोत : संघीय बजट, सीएजी और एनएसओ

5.2 तालिका 5.1 दो मुख्य बिंदुओं को प्रकट करती है। पहला, जीडीपी अनुपात में भारत का राजस्व पिछले दशक में वस्तुतः स्थिर रहा है और अपने समतुल्य देशों की तुलना में बहुत कम है। दूसरा, यह स्पष्ट है कि इसकी वित्तपोषण की आवश्यकताएं इसके समतुल्य देशों की तुलना में काफी अधिक हैं और उच्च ऋण वित्तपोषण के बावजूद, भारत में लोक व्यय अपने समतुल्यों की तुलना में कम है। अनेक शोध अध्ययन, जिसमें एक अध्ययन इस आयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भी किया गया है, ने निर्दिष्ट किया है कि अपनी क्षमता की अपेक्षा, भारत के कर संग्रहण और उसकी जीडीपी के बीच, 5 प्रतिशत से अधिक का बड़ा अंतर है। इस प्रकार, यह पहचानते हुए भी कि लोक व्यय में दक्षता सुधार की काफी गुंजाइश है, भारत में सभी स्तरों पर सरकारों द्वारा सामना किए जाने वाले राजकोषीय दबावों का तत्काल कारण पर्याप्त गैर-ऋण संसाधनों को जुटाने में उसकी असमर्थता है।


तालिका 5.1: संघ और राज्य का राजस्व (कर सहित गैर-कर)  
और व्यय (सकल घरेलू उत्पाद का %)

देश/देशों का समूह	राजस्व		व्यय	
	2011-2012 औसत	2017-2018 औसत	2011-2012 औसत	2017-2018 औसत
<i>विकसित देश</i>				
यूनाइटेड किंगडम	36.0	36.6	43.6	38.9
यूनाइटेड स्टेट्स	29.2	30.1	38.1	35.2
औसत	35.5	36.2	41.4	38.6
<i>उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं और मध्यम-आय अर्थव्यवस्थाएं</i>				
ब्राज़ील	34.9	30.7	37.4	38.2
चीन	27.4	28.0	27.6	32.3
भारत	19.6	20.0	27.5	26.4
रूस	34.6	34.4	33.7	33.7
दक्षिण अफ्रीका	26.9	28.6	31.1	32.9
औसत	29.2	27.2	30.2	31.2
एशिया	24.9	25.5	26.5	29.8
<i>निम्न-आय विकासशील देश</i>				
औसत	17.5	14.6	19.2	18.4
एशिया	16.0	16.1	19.1	19.4

स्रोत : राजकोषीय मॉनिटर, अप्रैल 2020, आईएमएफ

5.3 एक अन्य समस्या बजट बनाने के कौशल से संबंधित है। चित्र 5.2 दर्शाता है कि संघ सरकार के लिए, पिछले दस वर्षों के दौरान वास्तविक कर संग्रहण, आकलन से औसतन 4% कम था। संशोधित अनुमानों और वास्तविक के बीच अंतर भी नगण्य नहीं है। यह पूर्वानुमान त्रुटि, तदर्थ व्यय प्रबंधन की ओर ले जाती है, आम तौर पर वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए अनिश्चितता पैदा करने वाले विकास खर्चों में कटौती, संविदा कार्यों और भुगतानों पर रोक और देनदारियों का महत्वपूर्ण अग्रनयन शामिल है। यह समस्या राज्यों में भी समान रूप से मौजूद है, हालांकि कुछ राज्यों में यह अधिक तीव्र है।

**चित्र 5.2: 2010-2020 के दौरान राजस्व में संघ सरकार का बजट तैयार करने का कौशल (औसत, प्रतिशत में)**



स्रोत: संघीय बजट

5.4 इस अध्याय में, हम विभिन्न राजस्व स्रोतों से अतिरिक्त क्षमता का अनुमान लगाकर उर्ध्वगामी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। यह संभव है कि कोविड-19 महामारी, देश के सकल घरेलू उत्पाद पर लंबे समय तक प्रभाव डालेगी, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के, कर आधारों पर प्रभाव पड़ेगा। अतः इस अध्याय में अतिरिक्त संसाधनों पर अधिकतर निष्कर्ष, जीडीपी के संबंध में व्यक्त किए गए हैं, न कि पूर्ण संख्या में।

## संघ के राजस्व

5.5 2015-16 से 2019-20 के दौरान, चौदहवें वित्त आयोग (एफसी-XIV) की अवधि में, सकल कर राजस्व, संघ सरकार की सकल गैर-ऋण प्राप्तियों का लगभग 84 प्रतिशत था। शेष में से, 12 प्रतिशत गैर-कर राजस्व था और शेष 4 प्रतिशत गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां थीं, जो मुख्य रूप से विनिवेश से प्राप्त होती हैं। 2015-16 के बाद से संघ सरकार के गैर-कर राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) सहित सार्वजनिक गैर-वित्तीय और वित्तीय निगमों से मुनाफे और लाभांश के हस्तांतरण के कारण प्राप्त हुआ था। ये गैर-कर प्राप्तियां काफी हद तक आर्थिक विकास पर निर्भर हैं, जबकि विनिवेश से प्राप्त आय को आमतौर पर मानक राजकोषीय साहित्य में एक वित्तपोषण मद के रूप में माना जाता है। अतः संघ सरकार के राजस्व की शक्ति लगभग पूरी तरह से उसके कर और आर्थिक विकास की बढ़ती पर निर्भर है।

## माल और सेवा कर

5.6 माल और सेवा कर ( जीएसटी ) की दक्षता में सुधार करने से, संघ और राज्य दोनों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी – राज्यों की स्थिति ज्यादा मजबूत इसलिए होगी क्योंकि कर अंतरण की मौजूदा योजना के तहत, कुल जीएसटी राजस्व का 70 प्रतिशत से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। जीएसटी से राजस्व प्राप्ति, अपेक्षाओं से बहुत नीचे रही है जैसा कि आगे चर्चा की गई है।


5.7 **उत्क्रमित कर संरचना (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) :** जीएसटी व्यवस्था में, अनेक दर होने से, अर्धनिर्मित और तैयार माल और सेवाओं की, दर संरचना के संतुलन में महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। कई मामलों में, यह दर संरचना उलट (इनवर्टेड) होती है, जिसके कारण बड़े रिफंड होते हैं और संघ तथा राज्य सरकार को अपेक्षा से कम निवल कर संग्रहण उपलब्ध होते हैं। 2018-19 में, कर योग्य बाहरी आपूर्ति पर कर देयता का लगभग 78.5 प्रतिशत इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से भुगतान किया गया था। इसके विपरीत, राष्ट्रीय लेखाओं के अनुसार, 2018-19 में, अर्थव्यवस्था में सकल निर्गम में, मूल्यवर्धन का अनुपात 49.3 प्रतिशत था जिसका तात्पर्य है कि 1 रुपए से थोड़े अधिक इनपुट मूल्य से 1 रुपए मूल्यवर्धन होता है। 50 प्रतिशत से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण, कई मदों के लिए इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो सकता है। यह भारित प्रभावी कर की दर अधिक हुए बिना भी ठीक किया जा सकता है, संघ और राज्य सरकार के निवल राजस्व संग्रहण पर एक लाभदायी प्रभाव के साथ।

5.8 **अनुपालन :** उपर्युक्त वर्णित असंगति का अन्य कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी हो सकता है। मार्च 2020 में, संसद को यह बताया गया कि 2018-19 में 11,816 करोड़ रुपए के जीएसटी के नकली चालान के 1,620 मामलों का पता लगाया गया और अप्रैल-जनवरी 2020 के दौरान 3,866 मामलों में 11,378 करोड़ रुपए का मामला आया। हालांकि, ये केवल ज्ञात मामले हैं। जीएसटी पर 2019 की अपनी रिपोर्ट संख्या 11 में, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कैंग) ने कहा, "जीएसटी के रोल आउट के दो साल बाद भी "चालान मिलान" के माध्यम से सिस्टम वेलीडेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट लागू नहीं हुआ है और बिना हस्तक्षेप वाली ई-टैक्स प्रणाली अभी भी दूर की कौड़ी है। रिटर्न मेकेनिज्म की जटिलता और तकनीकी गड़बड़ी के कारण चालान-मिलान का रोल बैक हुआ, जिससे आईटीसी धोखाधड़ी का खतरा पैदा हो गया। इस प्रकार, कुल मिलाकर, परिकल्पित जीएसटी कर अनुपालन प्रणाली गैर-कार्यात्मक है।" निम्नलिखित कारणों से धोखाधड़ी को व्यवस्थित रूप से पता लगाने में गंभीर अवरोध हैं।

- i. करदाताओं द्वारा फाइल की जाने वाले दो मासिक रिटर्न, जीएसटीआर-1 ( जावक आपूर्ति पर विस्तृत मासिक रिटर्न, संबंधित बीजक द्वारा मिलान किया जाता है, जो बीजक मिलान की सुविधा देता है) और जीएसटीआर-3बी में से, जीएसटीआर-1 की फाइलिंग का अनुपालन हमेशा

जीएसटीआर-3बी के स्व-मूल्यांकन और सार-संक्षेप की फाइलिंग से कम होता है, जिसके माध्यम से करों का भुगतान किया जाता है (चित्र 5.3)

चित्र 5.3: कुल पात्र करदाताओं के प्रतिशत के रूप में जीएसटी रिटर्न दाखिल करना



स्रोत: 24 सितम्बर 2020 को जीएसटीएन के आंकड़े

ii. जीएसटीआर 3बी पर अधिक निर्भरता के साथ समस्या यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के दावों को इससे सत्यापित नहीं किया जा सकता है। जीएसटीआर 3बी पर समग्र डेटा भी निम्न की तरह भ्रामक निष्कर्ष निकलते हैं :

क) जीएसटीआर 3बी रिटर्न डेटा के अनुसार कर योग्य निर्गम आपूर्ति 2018-19 में 652 लाख करोड़ रुपए तक थी। इसकी तुलना राष्ट्रीय खातों के अनुसार अर्थव्यवस्था में कुल 348 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन मूल्य से की जा सकती है, जो कि मौटे तौर पर कर योग्य टर्नओवर के लिए ऊपरी सीमा होनी चाहिए। इस प्रकार, सकल खातों पर जीएसटी रिटर्न में कर योग्य टर्नओवर की रिपोर्टिंग राष्ट्रीय खातों से तुलनीय कुल आंकड़ों के अनुरूप नहीं है। जीएसटीआर 3बी के अनुसार कर योग्य मूल्य और अदा किए गए कर के बीच संगति स्थापित करने के लिए प्रणाली के भीतर कोई विधिमान्यकरण नहीं है।

(ख) यदि जीएसटीआर 3 बी के अनुसार कर योग्य निर्गम आपूर्ति लागू होती है, तो जीएसटीआर 3 बी के अनुसार, प्रभावी जीएसटी दर 6.1 प्रतिशत हो जाती है, जो जीएसटीआर-1 से प्राप्त प्रभावी दर से बहुत कम है।




iii. रिटर्न फाइल करने में देरी और गैर-अनुपालन विशेष रूप से व्यापक जीएसटीआर 1 के कारण, नियमित आधार पर कर चोरी की निगरानी करना मुश्किल कर देता है। बाहरी इनपुट टैक्स क्रेडिट के नमूने-जांच पूरी तरह से धोखाधड़ी को पकड़ नहीं सकते हैं।

iv. कंपनियों द्वारा किए गए जीएसटी भुगतान पर कुल राशियों के बीच सामंजस्य की कमी, जैसा कि कॉर्पोरेट टैक्स डेटा से देखा गया है, और जीएसटी रिटर्न से कुल राशियों का मैक्रो क्रॉसचेक मुश्किल हो जाता है। यह अनुलग्नक 5.1 में समझाया गया है। यह सर्वप्रमुख है कि कर प्राधिकारियों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर) को लेखाकरण कूट में अंतर सहित तकनीकी बाधाओं को दूर करने और कर सूचना प्रणाली को कुशलता से संचालित करने का एक तरीका खोजना चाहिए। हमारे विचार में, यह पूरे जीएसटी ढांचे की दक्षता में सुधार करेगा, बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अपवंचना की जांच करेगा और आईटीसी तथा अन्य समायोजन दावों के शुरुआती निपटान को सक्षम करेगा।

5.9 **राजस्व तटस्थता** : चित्र 5.4 से पता चलता है कि जीएसटी के तहत लगाए गए करों से केंद्र और राज्य का राजस्व 2016-17 में 6.3 प्रतिशत था। हालांकि, जीएसटी के तहत प्रतिपूर्ति उपकर का निवल, 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.1 प्रतिशत था। जीडीपी के लगभग 0.5 प्रतिशत जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के संग्रहण को बाहर कर दिया गया क्योंकि यह जीएसटी के तहत एक अतिरिक्त संग्रहण था, और पूर्व-जीएसटी अवधि में इसके समान कुछ नहीं था। कर ढांचे में बदलाव को राजस्व तटस्थता कहा जा सकता है, यदि संशोधित कर, कर आधार के सापेक्ष, मूल कर व्यवस्था के तुलनीय राजस्व की उगाही करने में सक्षम है। इस लिहाज से, जीएसटी की बहुत-आवश्यक राजस्व तटस्थता से समझौता हो जाता है। अगले दो वर्षों में इनवर्टेड ड्यूटी ढांचे और बीजक से संबंधित समस्याओं को ठीक करने से, भारत की जीएसटी को अपनी राजस्व तटस्थता को फिर से स्थापित करने में उत्तरोत्तर मदद मिलेगी।

चित्र 5.4: जीएसटी के तहत सम्मिलित करों से हुए संग्रहण की तुलना में जीएसटी संग्रहण



स्रोत: संघीय बजट, वित्त लेखा, सीएजी और एमओएसपीआई

नोट- जीएसटी-पूर्व अवधि के लिए जीएसटी आंकड़े उन करों के हैं जिन्हें जीएसटी (संघ एवं राज्य) के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

**5.10 मध्यावधि लक्ष्य :** जीएसटी की दर तटस्थता, जिससे कर की शुरुआत के बाद दरों के बहुल अधोमुखी समायोजनों में समझौता किया गया था, को बहाल करने की आवश्यकता है। तत्काल, सारा ध्यान जीएसटी के प्रौद्योगिकी मंच को सुव्यवस्थित करने और रिटर्न और बीजक मिलान के शीघ्र दाखिल सुनिश्चित करने पर होना चाहिए। जीएसटी दर संरचना को सुव्यवस्थित करने से इसकी राजस्व क्षमता हासिल करने की ओर बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। इसकी गणना बॉक्स 5.1 में प्रस्तुत की गई हैं। कुल मिलाकर, अभिलाषा मध्यावधि में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7 प्रतिशत जीएसटी राजस्व प्राप्त करने की होनी चाहिए (जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से राजस्व का निवल)।

### बॉक्स 5.1: जीएसटी में राजस्व अंतर - एक अनुमान

**राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर):** इसके लागू होने से पहले जीएसटी के आरएनआर के कम से कम चार अलग-अलग अनुमान थे।

(क) एफसी-XIII द्वारा नियुक्त कार्य बल: 12 प्रतिशत आरएनआर (केंद्रीय जीएसटी के लिए 5 प्रतिशत और राज्य जीएसटी के लिए 7 प्रतिशत)। कार्य बल ने नोट किया कि यह संयुक्त सेनवैट और वैट से 20.5 प्रतिशत से बहुत कम था।

(ख) आई एम एफ: 11.6 प्रतिशत की आरएनआर। इसने अंतिम उपभोग और आपूर्ति पर राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों का उपयोग किया और 2011-12 की तालिकाओं का उपयोग किया। बहुत कम छूटों पर विचार किया गया।

(ग) एनआईपीएफपी: विभिन्न परिदृश्यों के साथ 17 प्रतिशत से अधिक आरएनआर।

(घ) तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में आरएनआर और दरों की संरचना पर रिपोर्ट: आरएनआर, 15 प्रतिशत (अधिमान्य अनुमान) और 15.5 प्रतिशत (वैकल्पिक अनुमान)।

इन आरएनआर अनुमानों का अंकगणितीय औसत लगभग 14 प्रतिशत है।

**वर्तमान प्रभावी जीएसटी दर:** एफसी-XV की ओर से, एनआईपीएफपी ने एक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि जीएसटीआर-3बी से अनुमानित प्रभावी कर की दर बहुत कम थी, शायद रिपोर्टिंग मुद्दों की वजह से और जीएसटीआर-1 से प्रभावी कर दर लगभग 14 प्रतिशत थी। हालांकि, यह अक्टूबर 2018 तक केवल रिटर्न डेटा पर आधारित था। सितंबर 2019 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया कि बहु दर समायोजनों के बाद, प्रभावी भारित औसत जीएसटी दर 14.4 प्रतिशत से घटकर 11.6 प्रतिशत रह गई। आईएमएफ ने हमारी ओर से जीएसटी का विश्लेषण किया और संकेत दिया कि वर्तमान प्रभावी कर की दर लगभग 11.8 प्रतिशत है।

**आरएनआर को बहाल करने का तात्पर्य है:** (क) 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों का विलय; (ख) एक मेरिट दर, मानक दर और डी-मेरिट दर की त्रि-दरीय संरचना के साथ प्रचालन, लगभग 28 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक; और (ग) छूट को कम करना।

**जीएसटी की क्षमता:** नवीनतम आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं (2015-16) की मदद से जीएसटी संग्रहण की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। हमने 2015 में जीएसटी पर राजस्व तटस्थ दर पर रिपोर्ट में उद्धृत मानक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। इसका सूत्र है:

$B = Y - E + M - X - [(1-e)(N+1)]$ , जहां B संभावित जीएसटी आधार है; अन्य चर नीचे दी गई तालिका में वर्णित हैं। इस पूर्वधारणा में पूर्ण अनुपालन, कीमतों में जीएसटी का पूरा पास-थ्रू, एकल सकारात्मक दर के रूप में जीएसटी और निर्यात पर शून्य दर शामिल थी। नीचे दिए गए पूर्णांक महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि वे 2015-16 से संबंधित हैं, यह अनुपात बाद के वर्षों में भी मजबूत होने के लिए सत्यापित हैं।

**2015-16 के लिए आपूर्ति और उपयोग तालिकाओं के उपयोग से जीडीपी के सापेक्ष जीएसटी संग्रहण अंतर का अनुमान (मान लाख करोड़ रुपए में हैं)**

Y= मूल कीमतों पर आउटपुट	252.4	उपर्युक्त फार्मूला लागू करना, कर आधार, B	69.7
M= माल और गैर-कारक सेवाओं का आयात, छूट के लिए समायोजित	25.6	वर्तमान कीमतों पर जी.डी.पी.	137.7
X= माल और गैर-कारक सेवाओं का निर्यात, छूट के लिए समायोजित	23.7	जीएसटी की दर	14%
छूट मान (E) = (अप्रसंस्कृत कृषि उपज, सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य)	52.6	2015-16 में अनुमानित जीएसटी संग्रहण	9.8
छूट मान / कुल आउटपुट (e) = छूट अनुपात	0.21	जीएसटी से जीडीपी अनुपात: क्षमता का अनुमान	7.1%
अचल पूंजी निर्माण (N)	39.8	जीएसटी से जीडीपी अनुपात: चालू (क्षतिपूर्ति उपकरण की प्राप्तियों के बिना)	5.1%
मध्यवर्ती आउटपुट का मान (I)	126.8	जीडीपी के% के रूप में अंतराल	2.0%

संग्रहण दक्षता, जो अंतिम उपभोग व्यय और मानक दर के उत्पाद के लिए जीएसटी संग्रहण का अनुपात है और जीएसटी की दक्षता के माप का सार है, अब 50 प्रतिशत से नीचे है। उपर्युक्त अनुमानित क्षमता पर, यह लगभग 60 प्रतिशत होगा, जो कि उन्नत देशों के बेंचमार्क के आसपास है।


### सीमा-शुल्क संरचना को सुव्यवस्थित बनाना

5.11 भारत की जटिल और बहु दर टैरिफ संरचना व्यापक और विस्तृत है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में भारत की मूल्यानुसार शुल्क संरचना में कुल टैरिफ लाइनों का 94 प्रतिशत

शामिल है और इसमें तिरपन मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) के लिए लागू दरें भी शामिल हैं, जो औसतन 18 प्रतिशत के साथ 0 से लेकर 150 प्रतिशत तक हैं। आबद्ध प्रशुल्क कुल टैरिफ लाइनों का 74 प्रतिशत है जो 0 से 300 प्रतिशत तक है। जबकि अभिहित एमएफएन प्रयुक्त दर व्यापार भागीदारों की तुलना में अधिक है, औसत प्रभावी सीमा-शुल्क दर कम है। अनुसंधान से पता चलता है कि एक सरल दर संरचना के साथ व्यापार उदारीकरण सहित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सुधार और गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी से राजस्व बढ़ सकता है।

5.12 2018-19 (चित्र 5.5) में भारत का मूल सीमा शुल्क संग्रहण जीडीपी का 0.6 प्रतिशत और इसके व्यापारिक आयातों का 2.9 प्रतिशत था।

चित्र 5.5: व्यापारिक आयात और जीडीपी के % के रूप में मूल सीमा शुल्क



स्रोत: संघीय बजट, वाणिज्य विभाग और एमओएसपीआई

टिप्पणी: 2019-20 के लिए बीसीडी संशोधित अनुमान है

5.13 नीतियों के निम्नलिखित मिश्रण से दक्षता हासिल करने से मध्यावधि में राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

- (i) एमएफएन आधार पर ब्रॉड बैंडिंग औद्योगिक तैयार उत्पाद।
- (ii) एमएफएन आधार पर ब्रॉड बैंडिंग मध्यवर्ती औद्योगिक उत्पाद और औद्योगिक कच्चे माल।

(iii) वैश्विक मूल्य श्रृंखला-संबंधित निर्यातों को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए आयातों की शून्य रेटिंग जारी रखना।

(iv) गैर-टैरिफ अवरोधों को व्यवस्थित करना और कम करना।

## संघ सरकार द्वारा आय कराधान

5.14 प्रत्यक्ष करों में पिछले एक दशक में कर अनुपालन पर अनुकूल प्रभाव के साथ पर्याप्त सुधार किए गए हैं। हालाँकि, जबकि वैधानिक दरें कम कर दी गईं और स्लैब ऊपर की ओर संशोधित हो गए, तो छूटों और रियायतों की अधिकता आनुपातिक रूप से कम नहीं हुई। परिणामस्वरूप, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में आय और अपवचना की अंडर-रिपोर्टिंग के पर्याप्त सबूत हैं।

## वैयक्तिक आयकर

5.15 गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए, वैयक्तिक आयकर के स्लैब और दरें लागू होती हैं। निम्नलिखित आँकड़े हाल के वर्षों के घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हैं।

(i) 2011-12 से 2017-18 के दौरान वैयक्तिक आयकर के तहत निर्धारितियों के कर रिटर्न (विवरणियों) की संख्या लगभग 19 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से बढ़ी। इस सेगमेंट में कुल सकल आय में लगभग 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। वैयक्तिक आयकर से संग्रहण 16.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा।

(ii) गैर-कॉर्पोरेट इकाइयों में अधिकांश वृद्धि, मूल्यांकन वर्ष 2012-13 से मूल्यांकन वर्ष 2019-20 तक के कारोबार की आय की घोषणा के अनुसार, 2.4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के आय वर्ग में हुई। तालिका 5.2 कर अपवचना क्षेत्र के आसपास रिटर्न को एकसाथ जोड़ने का सुझाव देता है। संगठित क्षेत्र के बाहर बड़ी संख्या में वैयक्तिक स्वामित्व और भागीदारी हैं, जिनके प्रचालन और आय प्रवाह को प्रभावी रूप से ट्रैक नहीं किया गया है। अर्थव्यवस्था के बढ़ते औपचारीकरण और जीएसटी रिटर्न तथा बैंक लेनदेन से जानकारी जैसे साधनों की मदद से, कर प्रशासन उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए। तालिका 5.2 यह भी दिखाती है कि कर-चुकाने वाले ब्रैकेट (5 लाख रुपए और उससे अधिक की आय) में रिटर्न की हिस्सेदारी में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन उनकी आय में केवल मामूली वृद्धि हुई है।

तालिका 5.2 गैर-कॉर्पोरेट क्षेत्र की व्यावसायिक आय

श्रेणी (रुपयों में)	विवरणियों का %		आय में हिस्सा (%)	
	निर्धारण वर्ष: 2012-13	निर्धारण वर्ष: 2019-20	निर्धारण वर्ष: 2012-13	निर्धारण वर्ष: 2019-20
शून्य से ऊपर और 2.4 लाख तक	68.48	23.90	29.25	6.91
2.4 लाख से 5 लाख	22.21	59.38	20.92	42.48
5 लाख और उससे अधिक	9.32	16.72	49.83	50.60

स्रोत: राजस्व विभाग

(iii) इस सेगमेंट में घोषित आय का लगभग 59 प्रतिशत वेतन आय का था, जबकि 27 प्रतिशत बिजनेस व्यापार आय था।

(iv) इस खंड में रिटर्न दाखिल करने वाली 5.53 करोड़ व्यष्टियों में से 40.5 प्रतिशत ने कोई कर नहीं दिया। अन्य 53.2 प्रतिशत, जिनकी वार्षिक आय औसतन 5.6 लाख रुपए थी, प्रत्येक ने औसतन 22,538 रुपए का कर अदा किया, जिसका अर्थ है केवल 4 प्रतिशत की प्रभावी कर दर। कर संग्रहण में उनका योगदान लगभग 21 प्रतिशत था। शेष 6.3 प्रतिशत में वैयक्तिक आयकर के तहत कर संग्रहण का लगभग 79 प्रतिशत था। यह विषम परिदृश्य, छूट और कटौतियों की बहुतायत, प्रभावी निगरानी की कमी और कर स्लैब और दरों की संरचना के कारण उभरता है।

5.16 तालिका 5.3, जो विभिन्न देशों में उनकी कर दरों और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के साथ क्रय शक्ति समता की शर्तों पर प्रारंभिक कर स्तर प्रस्तुत करता है, यह दर्शाता है कि कुछ मायनों में, भारत का प्रारंभिक कर स्तर और कर की न्यूनतम दर, आम तौर पर प्रमुख विकासशील देशों की तुलना में तुलनीय और कई विकसित देशों की तुलना में कम है। कर व्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए और करदाता के लिए अधिक पूर्वानुमेयता तथा बेहतर कर नियोजन सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय तक प्रारंभिक सीमा को मौजूदा स्तर पर रखा जा सकता है।

तालिका 5.3: देशों के बीच कर व्यवस्था की तुलना

देश	न्यूनतम कर दर (%)	अधिकतम कर दर (%)	न्यूनतम प्रारंभिक सीमा स्तर (\$_पीपीपी)	2019 प्रति व्यक्ति जीएनआई (पीपीपी \$)	विश्व बैंक का वर्गीकरण (*)	2019 जीएनआई प्रति व्यक्ति, (वर्तमान यूएस \$)
संयुक्त राज्य	10.0	40.0	9275	65880	एचआई	65760
स्वीडन	20.0	25.0	56107	57300	एचआई	55840
ऑस्ट्रेलिया	19.0	45.0	12641	51560	एचआई	54910
नीदरलैंड	8.0	52.0	25042	59890	एचआई	53200
कनाडा	15.0	33.0	9084	50810	एचआई	46370
यूनाइटेड किंगडम	20.0	45.0	18373	48040	एचआई	42370
जापान	5.0	45.0	3815	44780	एचआई	41690
दक्षिण कोरिया	6.0	42.0	1710	43430	एचआई	33720
चीन	3.0	45.0	12000	16740	यूएमआई	10410
ब्राजील	7.5	27.5	10139	14850	यूएमआई	9130
दक्षिण अफ्रीका	18.0	45.0	12418	12630	यूएमआई	6040
इंडोनेशिया	5.0	30.0	12886	11930	यूएमआई	4050
श्रीलंका	4.0	24.0	9931	13230	एलएमआई	4020
भारत	5.0	30.0	11788	6960	एलएमआई	2130
जाम्बिया	25.0	37.5	8621	3580	एलएमआई	1450

स्रोत: हमारी गणना विभिन्न देशों के स्रोतों, आईएमएफ, ओईसीडी, विश्व बैंक पर आधारित है

टिप्पणी: यूएस और कनाडा जैसे देशों में प्रांतीय कर हैं, जो इस तालिका में परिलक्षित नहीं होते हैं।

(\*) विश्व बैंक देश वर्गीकरण 2019 जीएनआई प्रति व्यक्ति वर्तमान यूएस \$, एटलस पद्धति पर आधारित है। निम्न आय (एलआई): < यूएस \$1,036; निम्न-मध्यम आय (एलएमआई): यूएस \$1036- यूएस \$4045; उच्च-मध्यम आय (यूएमआई): यूएस \$4,046- यूएस \$12,535; उच्च आय (एचआई): > यूएस \$12,535

5.17 जब भारत ने आय के प्रवेश स्तरों पर मध्यम कर दरों और प्रारंभिक सीमा का विकल्प चुना है, तो यह महत्वपूर्ण है कि कर आधार को ठीक से शामिल किया जाए। अनुलग्नक 5.2 यह स्पष्ट करता है कि कर आधार में सुधार की गुंजाइश है। यहां पर कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी), 2013 की सिफारिशों और अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। प्रमुख अनुशासनों निम्नलिखित से संबंधित हैं:

- (i) विभिन्न कर कानूनों के तहत विविध छूटों की समीक्षा करना।
- (ii) स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से अधिक लेनदेन



के लिए प्रावधानों की व्याप्ति का विस्तार, जो लेखा सत्यापन को पीछे छोड़ देता है। यह कर अपवंचना के निवारक के रूप में कार्य करेगा और लेनदेन के स्तर पर हो कर के संग्रहण में सहायता करेगा।


(iii) टीडीएस और टीसीएस में शामिल एजेंसियों तथा सूचना रोकने वाले करदाताओं और विविध वित्तीय लेनदेन के लिए सूचना प्रस्तुत करने वालों के बीच घनिष्ठ समन्वय से रिटर्न फाइल नहीं करने वाले निर्धारिती का पता लगाना सरल हो जाता है।

(iv) प्राधिकारियों द्वारा सामयिक स्पष्टीकरण और निष्पक्षता, वैधता और औचित्य के दृष्टिकोण से आदेशों की गुणवत्ता में सुधार से राजस्व परिणामों के बावजूद, विवादों को कमी आएगी। वर्तमान एकल-वर्ष लेखापरीक्षा के बजाय बहु-वर्षीय लेखापरीक्षा करने के लिए विचार किया जा सकता है।

### निगम कर (कॉर्पोरेट कर)

5.18 जो कम्पनियां छूट (उपकर और अधिभार के बिना) का लाभ नहीं उठाती हैं, उन कंपनियों के लिए सितंबर 2019 में निगम कर की दर में सुधार से, 22 प्रतिशत की आधार दर करने से, भारत वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप - भारत की दर ब्रिक्स देशों और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के औसत के करीब हो गई है। भारत ने पिछले एक दशक में अपनी दरों में सबसे तेजी से सुधार किया है (चित्र 5.6)।

चित्र 5.6 क और ख: 2020 में देशों के कॉर्पोरेट टैक्स की दरें और 2010 से परिवर्तन



स्रोत: ओईसीडी

5.19 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास कुल कॉर्पोरेट लाभ का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा था और 2018-19 में कर देयता 15 प्रतिशत की थी। बहुराष्ट्रीय निगमों का भारत में कुल कॉर्पोरेट कर संग्रहण का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। कंपनियों पर प्रभावी कर की दर, अधिभार और उपकर को मिलाकर, 2018-19 में 27.84 प्रतिशत थी। वैधानिक दर में 8 प्रतिशत अंकों की कमी (रियायतों के बिना काम करने वाली कंपनियों के लिए) पांच साल की सीमा में कर संग्रहण में सुधार कर सकती है। दो महत्वपूर्ण माध्यमों में शामिल हैं (क) निवेश पर कर-पश्चात रिटर्न में वृद्धि से निवेश, कुल लाभ और अन्य आय बढ़ सकती है, आर्थिक गतिविधि बढ़ सकती है और वैयक्तिक आयकर तथा अप्रत्यक्ष करों से राजस्व में वृद्धि हो सकती है और (ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उनके लाभ को बाँटने वाले व्यवहार से निवर्तक प्रभाव। इन प्रभावों को

महसूस करने में समय लगेगा और 'व्यापार करने में आसानी' में सुधार के लिए पूरक सुधारों की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, 2017 में की गई कर-मुक्तता द्वारा उस अवधि के दौरान उछाल आना चाहिए।

5.20 2019 में कॉर्पोरेट कर की दर में कमी किए जाने के कारण जो राजस्व हानि हुई, वह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.7 प्रतिशत थी। नए निवेश के प्रतिफल की बात की जाए तो अगले पांच वर्षों में, लाभ और आय से कर की दरों में कमी के सकारात्मक प्रभाव से, कर की दर में कमी से हुए राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति हो जाएगी।


5.21 2014-15 और 2018-19 के बीच, संघ सरकार के जीडीपी अनुपात में प्रत्यक्ष करों में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह अगले पांच वर्षों में जारी रहना चाहिए, जो 2019-20 में कर नीति में बदलाव के लिए उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए। अनुलग्नक 5.2 जो राष्ट्रीय खातों और कर रिटर्न डेटा को एक तर्कयुक्त ढांचे में देखता है, यह दर्शाता है कि कर संग्रहण में काफी सुधार कर प्रशासन में सुधार, छूट को सुव्यवस्थित करने और कर ब्रैकेट में अप्रयुक्त आय को शामिल करके किया जा सकता है। अनुलाभ के लिए दी गई रियायतों की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। उन्नत कर प्रशासन और नीतिगत बदलावों के माहौल के तहत, कुल मिलाकर, संघ के प्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व में मध्यावधि में, सकल घरेलू उत्पाद के 1.5 से 2 प्रतिशत अंकों में सुधार करने और अगले दशक में इससे आगे जाने की गुंजाइश है। प्रत्यक्ष कर संग्रहण में निरंतर सुधार, कर संरचना को अधिक प्रगति प्रदान करने के लिए अत्यावश्यक है।

### प्रत्यक्ष करों में विवादों की बढ़ती घटना

5.22 मार्च 2020 के अंत में, विवादित प्रत्यक्ष कर मांग का स्टॉक 9.99 लाख करोड़ रुपए था (तालिका 5.4)। इसमें मार्च 2012 के अंत में 2.86 लाख करोड़ रुपए के स्तर से 16.3 प्रतिशत की प्रवृत्ति विकास दर से वृद्धि हुई थी। चित्र 5.7 से पता चलता है कि यह स्टॉक, 2019-20 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के 95 प्रतिशत से अधिक था। इसके विपरीत, विवाद के तहत मांग से, कुल वसूली 3.7 प्रतिशत की मामूली प्रवृत्ति दर से बढ़ी। कर कानून पर व्यापार और उद्योग के साथ बातचीत (नवंबर 2016) करने के लिए उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) ने कई मामलों का उल्लेख किया जहां एक ही मुद्दे पर विभिन्न अधिकारिताओं में अलग-अलग विचार लिए गए थे। इसने अनुशंसा की कि व्याख्या के सभी मामलों को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में उच्चतम स्तर पर एक निकाय होना चाहिए ताकि अधिकारिताओं में संगति और एकरूपता हो। एचएलसी ने यह भी सिफारिश की कि डेटा को मामले के आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए। इसने कहा है कि हर मामला जहां कोई आकलन आदेश विवाद का विषय बन जाता है, उसे संबंधित राजस्व अधिकारी के विवरण के साथ

न्यायनिर्णयन के हर स्तर पर दर्ज किया जाना चाहिए ताकि मामले का विश्लेषण किया जा सके, भविष्य के लिए सबक सीखा जा सके और संबंधित अधिकारी के कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट में प्रतिपुष्टि की जा सके।

चित्र 5.7: विवादित कर मांग बनाम प्रत्यक्ष कर संग्रहण का स्टॉक



स्रोत: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

5.23 तालिका 5.4 यह भी दर्शाती है कि विभागीय अपीलीय तंत्र के स्तर पर लंबित मामले, तेजी से विवादित कर मांगों का एक बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। विवादाधीन कर राशियों के स्टॉक में रुझान देखने और प्रत्यक्ष कर संग्रहण की पृष्ठभूमि के समक्ष ऐसी विवादित राशियों की वार्षिक वसूली को देखकर ऐसा लगता है कि कर विवाद उत्तरोत्तर सरकार के लिए एक हारी हुई लड़ाई बन रही हैं।

5.24 इसके लिए राजस्व परिणामों की परवाह किए बिना तत्काल एक विभागीय समाधान की आवश्यकता है। अधिकारियों द्वारा समय पर स्पष्टीकरण और संदेह को दूर करना; निष्पक्षता, वैधता और औचित्य के दृष्टिकोण से पारित आदेशों की गुणवत्ता की समीक्षा और उसमें सुधार; और मौजूदा एकल-वर्ष लेखापरीक्षा की बजाय बहु-वर्ष लेखापरीक्षा करने से विवादों की उत्पत्ति को रोकने में मदद मिलेगी।

तालिका: 5.4: विवाद के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर मांग में वृद्धि

वर्ष	विवादाधीन कुल प्रत्यक्ष कर- वर्ष अंत (करोड़ रु.)	विभिन्न स्तरों पर लंबित मामले का प्रतिशत				कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण (लाख करोड़ रु.)
		सीआईटी (ए)	आईटीएटी	एचसी/एससी	अन्य	
2011-12	2.86	44.5	37.0	7.9	10.6	4.94
2012-13	3.80	51.6	31.0	5.0	12.3	5.59
2013-14	4.43	54.2	31.8	5.0	9.0	6.39
2014-15	5.25	53.4	30.7	7.9	8.0	6.96
2015-16	6.15	60.2	24.9	10.8	4.0	7.42
2016-17	7.47	60.5	24.1	11.6	3.7	8.50
2017-18	7.00	58.3	25.4	12.7	3.5	10.02
2018-19	9.53	65.6	21.0	9.6	3.8	11.38
2019-20	9.99	69.3	17.6	9.0	4.0	10.49

स्रोत: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड


टिप्पणी: सीआईटी(ए) – आयकर आयुक्त (अपील); आईटीएटी – आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण; एचसी – उच्च न्यायालय; एससी – उच्चतम न्यायालय

## राज्य स्तर पर गैर-जीएसटी कर

5.25 राज्य के कर राजस्व का लगभग 41.5 प्रतिशत जो राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के तहत सम्मिलित कर लिया गया है, संघ और राज्य सरकार की पूल कराधान शक्तियों के तहत है (चित्र 5.8)। वैट के पेट्रोलियम घटक, एक अन्य 17 प्रतिशत को जीएसटी परिषद के एक निर्णय द्वारा उस पूल के तहत लाया जा सकता है। जीएसटी के तहत पेट्रोलियम को शामिल करने से महत्वपूर्ण पेट्रोलियम इनपुट के साथ माल पर प्रपाति प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन इसके संक्रमणकालीन राजस्व प्रभाव हो सकते हैं। पेट्रोलियम वैट आमतौर पर 2016-17 की अपनी उच्च दरों से कम हो गया है; परन्तु फिर भी इसकी रेंज अभी भी काफी बड़ी है। विद्युत शुल्क, एक अन्य कर जिसे जीएसटी के तहत संभावित रूप से शामिल किया जा सकता है की दरें, आम तौर पर 15 प्रतिशत से कम हैं, लेकिन राज्यों में यह व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न हैं। सात राज्यों में, विद्युत शुल्क से वसूली 2018-19 में शून्य थी, जबकि अन्य आठ राज्यों में, इसका हिस्सा 1 प्रतिशत से भी कम था, और शेष तेरह राज्यों में, कर राजस्व में विद्युत शुल्क से संग्रहण का औसत अंश 4.6 फीसदी था।

5.26 राज्यों के राजस्व वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वस्तुतः या संभवतः जीएसटी से जुड़ा हुआ है। राज्यों को, वैट तथा जीएसटी संग्रहण के लिए अपने क्षेत्र की ताकत और अवसंरचना के अनुरूप जीएसटी आधार के विस्तार और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता होगी। राज्यों को भी स्टाम्प ड्यूटी जैसे करों से अधिक संसाधन जुटाने की पहल को बढ़ाकर अपने कर आधार को विस्तारित करना चाहिए। बाद वाली बात आगामी चर्चा का केंद्र-बिंदु है।

चित्र 5.8: राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में करों का प्रतिशत हिस्सा: 2018-19



स्रोत : राज्यों के वित्त लेखा, सीएजी

### स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क

5.27 संविधान संघ और राज्यों के बीच स्टाम्प शुल्क दरों को तय करने की जिम्मेदारी को विभाजित करता है। हालांकि, यह उस राज्य द्वारा एकत्र और रखा जाता है जहां यह लिखत कार्यान्वित हुई है। संघ सरकार का भारतीय स्टाम्प (शेयर बाजार, समाशोधन निगम और निक्षेपागार के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संग्रहण) नियम, 2019, जुलाई 2020 से लागू हुआ। नए नियमों ने स्टाम्प शुल्क व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश की, वित्तीय प्रतिभूतियों के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तनों को पहचाना और एक केंद्रीकृत तंत्र प्रदान किया जिसके तहत एक स्थल पर एक एजेंसी (जो कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अधिकृत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा या डिपॉजिटरी के माध्यम से होता है) द्वारा एक स्थान पर स्टाम्प शुल्क एकत्र किया जाना है।


5.28 अतीत में, भारत की स्टाम्प शुल्क दरें असाधारण रूप से उच्च थीं, जो सामान्यतः 10 प्रतिशत से ऊपर थीं, जबकि दुनिया के अधिकांश देशों में दरें 5 प्रतिशत<sup>1</sup> से कम हैं। इसके कारण संपत्ति मूल्यों की अल्प-घोषणा हुई, और संपत्ति करों और पूंजीगत लाभ करों का कम संग्रहण हुआ। कई राज्यों ने स्टाम्प शुल्क दरों को संशोधित कर 5 प्रतिशत या उससे नीचे कर दिया है। अधिकांश राज्यों ने भूमि और संपत्ति के रिकॉर्ड को भी डिजिटल कर दिया है। अनुसंधान ने इंगित किया है कि यद्यपि भारत में स्टाम्प शुल्क युक्तिकरण नीति, हाउसिंग मार्केट की दक्षता में सुधार कर सकती है, परन्तु यह स्टाम्प शुल्क राजस्व संग्रहण में वृद्धि नहीं कर सकती है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय पर असर डालने वाली अन्य नीतियां भी राजस्व संग्रहण को बेहतर बनाने में भूमिका निभाती हैं।<sup>2</sup> चित्र 5.9 से पता चलता है कि 2011-2019 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के अनुसार, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क संग्रहण और राज्यों के कर राजस्व में गिरावट आई।

5.29 चित्र 5.10 से पता चलता है कि कई अमीर राज्य, जिन्हें सम्पत्ति का अत्यधिक लेनदेन करने के लिए जाना जाता है, स्टाम्प और पंजीकरण से प्राप्ति के मामले में औसत से पीछे हैं। शोधकर्ताओं, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 और सीएजी द्वारा स्टाम्प और पंजीकरण विभागों की लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है पंजीकरण में संपत्ति का लगातार अल्पमूल्यन। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा तय की गई भूमि का मार्गदर्शन मूल्य या उचित मूल्य, जिस पर संपत्ति पंजीकृत की जाती है, वह भूमि के बाजार मूल्य से काफी कम होती है। सैंपल क्रॉस-चेक करने पर, सीएजी ने बताया कि सरकारों को राजस्व का नुकसान दस्तावेजों के गलत मूल्यांकन, संपत्ति के अल्पमूल्यन, स्टाम्प शुल्क पर अल्प उद्ग्रहण (लेवी) और पंजीकरण शुल्क तथा अन्य अनियमितताओं के कारण होता है।

<sup>1</sup> अल्म, जे. एनेज़, पी., एंड मोदी, ए. 2004. स्टैम्प ड्यूटीज़ इन इंडियन स्टेट्स: ए केस फॉर रिफॉर्म। विश्व बैंक की नीति और अनुसंधान कार्य पत्र 3413


<sup>2</sup> मुखर्जी, विवेकानंद, 2013 "भारतीय राज्यों में स्टाम्प शुल्क राजस्व के निर्धारक", दक्षिण एशियाई जर्नल ऑफ मैक्रोइकॉनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस, 2 (1): 33-58 सेज प्रकाशन

चित्र 5.9: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क संग्रहण और राज्यों का स्वयं का कुल कर राजस्व



स्रोत: राज्यों के वित्त लेखा, सीएजी और एमओएसपीआई

चित्र 5.10: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सामान्य राज्यों का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का संग्रहण और स्वयं का कर राजस्व



स्रोत: राज्यों के वित्त लेखा, सीएजी



5.30 ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से राज्य सरकारें संपत्तियों की बाजार कीमतों और उनके उचित मूल्यों के बीच के अंतर का प्रति परीक्षण (क्रॉस-चेक) कर सकती हैं। एक उपयोगी स्रोत नेशनल हाउसिंग बैंक का 'रेजिडेक्स' हो सकता है, जो सम्पूर्ण भारत के पचास शहरों में आवास संपत्तियों की गणना के लिए एक 'शहरी आवास मूल्य सूचकांक' है जो प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों से एकत्र किए गए मूल्यांकन डेटा का उपयोग करता है और आधिकारिक एजेंसियों से एकत्र किए गए पंजीकरण डेटा के अलावा निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए बाजार सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा एकत्र करता है। एक अन्य उपयोगी क्रॉस-चेक निजी रियल एस्टेट पोर्टल्स का डेटा हो सकता है, जिसमें राज्यों में प्रचुर संपत्ति लेनदेन मौजूद हैं। ये पोर्टल विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के लिए विभेदित मूल्य भाव बताते हैं।

5.31 यह अनुशांसा की जाती है कि राज्यों को लेनदेन के पंजीकरण के साथ कम्प्यूटरीकृत संपत्ति रिकॉर्ड को एकीकृत कर दिया जाना चाहिए। अनुसंधान ने इंगित किया है कि कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण प्रणाली ने स्वामियों के लिए लेनदेन की लागत कम कर दी है।<sup>3</sup> यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारों को संपत्ति के मूल्यांकन की पद्धति को कारगर बनाना चाहिए ताकि मूल्यों के नियमित और वास्तविक अपडेट प्राप्त हो सकें, जो बाजार मूल्यों के करीब हो और संपत्ति पंजीकरण से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। इससे सरकार के तृतीय स्तर पर संपत्ति कराधान में भी मदद मिलेगी, जिस पर बाद के खंडों में और अध्याय 7 में विचार किया गया है, हालांकि इसके लिए स्थानीय प्रशासनिक क्षमता में सुधार के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी।

## तृतीय स्तर – संपत्ति कर और वृत्तिक कर

5.32 स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने पर इस रिपोर्ट के अध्याय 7 में देश में संपत्ति कर ढांचे को चित्रित किया गया है। संपत्ति कराधान का डिजाइन पर, सामान्य रूप से लाभ सिद्धांत और भुगतान क्षमता सिद्धांत के आधार पर तर्क दिया जाता है, जिसे वित्तीय बचत के लिए हतोत्साहित करने की संभावना से सुरक्षा करनी होती है, जो वर्तमान भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण है। आवास और वाणिज्यिक संपत्ति के व्यापक कराधान को डिजाइन करना महत्वपूर्ण है, इस तरह से यह राजस्व-उत्पादक और प्रगतिशील, दोनों है। यह खंड आवास के कराधान पर चर्चा करता है, जिस पर उपलब्ध सर्वेक्षण डेटा अनुमान लगाने की गुंजाइश देता है।

<sup>3</sup> डाइनिंगर, क्लॉस और गोयल, अपराजिता, 2012; गोंग डिजिटल: भारत में भूमि पंजीकरण कम्प्यूटरीकरण के क्रेडिट प्रभाव। पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर; संख्या डब्ल्यू पी एस 5244 वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक समूह

## स्थानीय सरकार के स्तर पर आवास कर सम्भावना का अनुमान

5.33 आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 का अनुमान है कि चुनिंदा पांच राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) की सम्भावना के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में आवास कर का संग्रहण लगभग 20 प्रतिशत था। इसने जनगणना 2011 से आवास डेटा, 'भारत में पेयजल, सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति' पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के उनसठवें दौर (जुलाई-दिसंबर 2012) की रिपोर्ट, व्यापक रूप से रियल एस्टेट वेबसाइटों से मकानों के आकार और उनके मूल्यों पर ऑनलाइन डेटा, और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के प्लिंथ क्षेत्र निर्माण दर के आंकड़ों का उपयोग किया। सर्वेक्षण में दो लिविंग रूम वाले परिवारों के लिए संपत्ति के मूल्य का 0.1 प्रतिशत, तीन से पांच कमरे वाले परिवारों के लिए 0.2 प्रतिशत और पांच से अधिक कमरों वाले 0.3 प्रतिशत परिवारों के लिए कर दरों का अनुमान लगाया गया।

5.34 आंशिक रूप से आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए दृष्टिकोण के आधार पर, हमने 'भारत में पेयजल, सफाई, स्वच्छता और आवास की स्थिति' पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के उनसठवें दौर की रिपोर्ट जो जुलाई-दिसंबर 2018 (डीडब्ल्यूएसएचएच 2018) में सम्पन्न हुई, से इकाई स्तर के आंकड़ों का उपयोग करते हुए सभी राज्यों के लिए अलग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए आवास कर सम्भावना का अनुमान लगाने का प्रयास किया। विस्तृत चरणबद्ध प्रक्रिया निम्नानुसार थी:

**चरण 1:** डीडब्ल्यूएसएचएच 2018 के इकाई स्तर के आंकड़ों से, घरों के आकार का अनुमान लगाया गया था। घर के फर्श क्षेत्र का अलग-अलग आकार - एक कमरे, दो कमरे, तीन कमरे, चार कमरे, पांच कमरे और छह और अधिक कमरे वाले के घरों के लिए अलग-अलग अनुमान लगाया गया था।

**चरण 2:** 2011-12 के लिए फर्श क्षेत्र का 1,900 रुपए प्रति वर्ग फुट का मूल्य सीपीडब्ल्यूडी 2019-लागत सूचकांक के प्लिंथ क्षेत्र दर के आधार पर 20 प्रतिशत बढ़ाया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 2019 के लिए, सभी राज्यों के लिए समान रूप से फर्श क्षेत्र का मूल्य एक समान 2,280 रुपए प्रति वर्ग फुट मान लिया गया था।

**चरण 3:** कर आधार प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों के लिए समान रूप से औसतन चरण 1 में 2,280 रुपए में अनुमानित वर्ग फुट में क्षेत्रफल को गुणा करके घरों का कुल मूल्य अनुमानित किया गया था।

**चरण 4:** आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 द्वारा अपनाई गई दर पर ही आवास कर की दरें मान ली गईं, जो एक कमरे वाले घरों के लिए 0 प्रतिशत, दो कमरों के लिए 0.1 प्रतिशत, तीन, चार, पांच कमरों के

लिए 0.2 प्रतिशत और 6 और उससे ज्यादा के कमरों के लिए 0.3 प्रतिशत है। कर सम्भावना का अनुमान चरण 3 में गणना के अनुसार संबंधित कर आधारों के साथ कर दरों को गुणा करके लगाया गया था।

5.35 2019 की कीमतों में इस पद्धति से निकाले गए आवास कर संग्रहण की सम्भावना का समग्र मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 42,160 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 23,184 करोड़ रुपए है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास क्षेत्र के प्रति वर्ग फुट के समान मूल्यांकन को लागू करने से शहरी क्षेत्रों में सम्भावना को कम करके आंका जा सकता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 2019 में राज्य-वार अनुमानित आवास कर सम्भावना अनुलग्नक 5.3 पर है। संपत्ति करों पर अनुशंसा अध्याय 7 में की गई है। आशा है कि कानून में बदलाव और स्थानीय सरकारों को एक फ्लोर से नीचे कर लगाने (वर्तमान सीमा की अपेक्षा) के लिए लचीलापन प्रदान करने से हम राजस्व वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।

### **वृत्तिक कर को युक्तिसंगत बनाना**

5.36 वृत्तिक कर लगाने की राज्य विधानमंडल की शक्ति को संविधान के अनुच्छेद 276 से लिया गया है जिसे सातवीं अनुसूची की सूची II - राज्य सूची की प्रविष्टि 60 के साथ पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 276 में कहा गया है कि किसी को भी किसी भी राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण को उस राज्य के भीतर व्यवसाय कर के रूप में 2,500 रुपए से अधिक का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। 50 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की प्रारंभिक कर सीमा 1950 में 250 रुपए और बाद में 1988 में संविधान (साठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई। वर्तमान में, इक्कीस राज्य व्यवसाय कर लगा रहे हैं। कुछ राज्यों में, लेवी आम तौर पर किसी भी रोजगार या किसी भी वृत्ति में लगे सभी व्यक्तियों पर लागू होती है जबकि अन्य में, यह केवल उल्लिखित वृत्तियों के लिए है। कुछ राज्यों में, कर राज्य द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, लेकिन दूसरों में, नगर निकाय भी राज्य विधान के तहत कर लगाते हैं और एकत्र करते हैं।

5.37 एफसी-XI ने कहा कि राज्यों को या तो स्थानीय सरकारों के संसाधनों के पूरक के लिए कर लगाना चाहिए या उन्हें यह कर लगाने के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए, और संविधान के तहत निर्धारित सीमा के नजदीक लाने के लिए दरों में उपयुक्त संशोधन करना चाहिए। इसके अलावा, यह अनुशंसा की गई कि 1988 में तय की गई सीलिंग को उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए और संसद को हर बार संविधान में संशोधन किए बिना सीलिंग को संशोधित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। एफसी-XII ने वृत्तिक कर पर सीलिंग बढ़ाने के लिए राज्य वित्त आयोगों द्वारा दिए गए सुझाव का समर्थन किया। एफसी-XIV ने सीलिंग को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष करने की सिफारिश की। इसने यह भी सिफारिश

की कि संविधान के अनुच्छेद 276 (2) में सीमा बढ़ाने और सीमाएं लागू करने की शक्ति संसद को सौंपने के लिए संशोधन, इस प्रतिवाद के साथ किया जा सकता है कि यह सीमा वित्त आयोग की अनुशंसाओं के भीतर होनी चाहिए।

5.38 संसद को वृत्तिक कर की सीमा निर्धारित करने की शक्ति देने का कारण यह था कि राज्यों के पास वृत्तिक कर के नाम पर दूसरा आयकर लगाने के लिए असीमित शक्ति नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित संशोधन राज्यों को वृत्तिक कर से राजस्व बढ़ोतरी सुनिश्चित करने और सीमा निर्धारण में संघ सरकार के अत्यधिक सशक्तिकरण के विरुद्ध जाँच करने के लिए पर्याप्त होगा:

1. अनुच्छेद 276 के खंड (2) में, "प्रतिवर्ष दो हजार और पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "संसद द्वारा कानून के अनुसार निर्दिष्ट राशि" प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
2. संविधान के अनुच्छेद 276 में, खंड (2) के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे:

“बशर्ते कि कोई भी विधेयक या संशोधन जो इस राशि को लागू या परिवर्तित करता है, उसे इस आशय के लिए वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसरण में की गई राष्ट्रपति की अनुशंसा के सिवाय संसद के किसी भी सदन में पेश या स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।”

“बशर्ते यह भी कि खंड (2) में ऐसा कुछ भी निहित नहीं है, जिसका अर्थ लगाया जाए कि संसद को विभिन्न राज्यों के वृत्तियों, व्यापारों, पेशे और रोजगार पर कर के रूप में देय राशि पर अलग-अलग सीमाएं निर्धारित करने की शक्तियां दी गई हैं।”

5.39 चूंकि वित्त आयोग राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देता है, अतः यह संवैधानिक रूप से उचित होगा कि वृत्तिक कर की सीमा को बदलने की अनुशंसा वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को की जाए।

5.40 इस सीलिंग को संशोधित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि 1988 की सीलिंग के वास्तविक मूल्य को संरक्षित करने के लिए, इसे इन बीते वर्षों में संचित मुद्रास्फीति पर अनुक्रमित किया जाए। यह इस अवधि के दौरान होने वाली वृत्तिक आय में वास्तविक वृद्धि के लिए समायोजित नहीं होगा, अपितु केवल संचयी मुद्रास्फीति को दोषरहित करेगा। केवल मुद्रास्फीति में त्रुटि-शोधन करने से और अंतर्निहित आय में वृद्धि पर विचार न करके, वृत्तिक कर द्वारा आयकर को दोहराने की संभावित आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक वर्ष के लिए अंतर्निहित जीडीपी अपस्फीति से गणना की गई मुद्रास्फीति द्वारा 2,500 रुपए की वार्षिक सीलिंग को बढ़ाकर इस सूचकांक को बनाने का प्रयास किया गया है। इस पद्धति से, 1988 में 1988 की कीमतों पर निर्धारित 2,500 रुपए के वार्षिक वृत्तिक कर की सीलिंग, 2019-20 की कीमतों पर लगभग 18,000 रुपए होने का अनुमान है।

5.41 इसका मतलब यह है कि निर्धारितियों की समान संख्या होने के बावजूद, केवल तर्कसंगत आधार पर दरों के निर्धारण द्वारा भारत में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संगृहीत वृत्तिक कर के सात गुना से अधिक बढ़ने की क्षमता है।

## अनुशासनों का सारांश

5.42 महामारी ने अल्पावधि से मध्यावधि में दो प्रतिस्पर्धी विचारों को जन्म दिया है। सर्वप्रथम, संघ और राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा के बुनियादी ढांचे, आय सृजन कार्यक्रमों और आर्थिक पुनरुद्धार के लिए राजकोषीय सहायता के लिए बढ़ती मांग के लिए लगातार बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता है। दूसरे, आर्थिक कार्यक्रमों में तेज संकुचन ने राजस्व संग्रहण विशेषकर कर राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस विकट वित्तीय स्थिति को अध्याय 2 में 'कैची प्रभाव' के रूप में वर्णित किया गया है। अनुमानित कर अंतराल की सम्पूर्ण पूर्ति करने से 2019-20 की मध्यावधि में कर-जीडीपी अनुपात में वर्तमान 16 प्रतिशत के स्तर में 5 प्रतिशत अंक का सुधार हो सकता है। परन्तु यह केवल शासन के तीनों स्तरों में कर प्रशासन के महत्वपूर्ण सुधार से ही होगा। कर अंतर को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक/प्रचालनीय, दोनों और कर नीति संबंधित परिवर्तन अपेक्षित हैं। आगामी खंड में, हमारी अनुशासनाएं तीन भागों में व्यवस्थित हैं; (क) प्रशासनिक / प्रचालनीय परिवर्तन, (ख) कर नीति में परिवर्तन और (ग) अन्य परिवर्तन जो पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करेंगे।

### प्रशासनिक/प्रचालनीय परिवर्तन

(i) जीएसटी के आईटी प्लेटफॉर्म को जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा के साथ तत्काल परिशोधित किया जाना चाहिए और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे निर्बाध चालान-मिलान और धोखाधड़ी की पहचान हो सके। इससे कारोबार, आउटपुट जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और निवल संग्रहण पर सुसंगत आंकड़ों का नियमित प्रवाह भी सुसाध्य होगा ताकि संवीक्षा, विश्लेषण और नीति पर प्रतिपुष्टि देने में सुविधा हो सके।

(पैरा 5.8 से 5.10)

(ii) जीएसटीएन से इकाई स्तर की जानकारी से प्रत्यक्ष करों का व्यापक विस्तार करने में मदद मिलनी चाहिए। कर अधिकारियों द्वारा तकनीकी बाधाओं को दूर करने और कर सूचना प्रणाली को कुशलता से संचालित करने की आवश्यकता है। (संघ और राज्यों द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.8 से 5.10 और अनुलग्नक 5.1)

(iii) राज्यों को, वैट तथा जीएसटी संग्रहण के लिए अपने क्षेत्र की ताकत और अवसंरचना के अनुरूप जीएसटी आधार के विस्तार और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता होगी। (राज्यों द्वारा कार्रवाई)

(पैरा 5.26)

(iv) जीएसटी रिटर्न, औपचारिक लेनदेन की बढ़ती संख्या और बैंक लेनदेन के अनुगमन की जानकारी की मदद से, प्रत्यक्ष कर प्रशासन को व्यक्ति स्वामित्व और साझेदारी को और अधिक प्रभावी रूप से ट्रैक करना चाहिए। (आयकर - राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.15)

(v) टीडीएस और टीसीएस में शामिल एजेंसियों तथा सूचना रोकने वाले करदाताओं और विविध वित्तीय लेनदेन के लिए सूचना प्रस्तुत करने वालों के बीच घनिष्ठ समन्वय से रिटर्न फाइल नहीं करने वाले निर्धारित का पता लगाना सरल हो जाता है। (आयकर - राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.17)

(vi) वेतनभोगी आय पर आयकर की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए, टीडीएस और टीसीएस से संबंधित प्रावधानों के कवरेज का तेजी से विस्तार करना महत्वपूर्ण है, ताकि अधिक लेनदेन तथा आय हो, जो कर अपवंचना को रोकने के लिए एक ऑडिट ट्रेल के रूप में काम करेगा। (आयकर - राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.15 से 5.17)

(vii) एक अन्य मुद्दा जिस पर राजस्व परिणामों पर ध्यान दिए बगैर, तत्काल विभागीय समाधान अपेक्षित है, वह विवादित प्रत्यक्ष कर है। समय-समय पर स्पष्टीकरण और प्राधिकारियों द्वारा संदेह दूर करना, पारित किए गए आदेशों की गुणवत्ता में सुधार और समीक्षा करना और वर्तमान एकल-वर्ष ऑडिट के बजाय बहु-वर्ष ऑडिट करना, विवादों की उत्पत्ति को रोकने में मदद करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में उच्चतम स्तर पर एक निकाय होना चाहिए ताकि अधिकारिताओं में संगति और एकरूपता को सुनिश्चित करते हुए निर्वचन के सभी मामलों को स्पष्ट किया जा सके। विवादित आंकड़ों को मामले के आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए ताकि मामले का विश्लेषण किया जा सके तथा भविष्य के लिए सबक सीखा जा सके (आयकर - राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.22 से 5.24 तक)

(viii) राज्य सरकार के स्तर पर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में काफी अप्रयुक्त क्षमता है। राज्यों को लेनदेन के पंजीकरण के साथ कम्प्यूटरीकृत संपत्ति रिकॉर्ड को एकीकृत करना चाहिए और सम्पत्तियों के बाजार मूल्य को लेना चाहिए। राज्य सरकारों को संपत्ति के मूल्यांकन की पद्धति को कारगर बनाना चाहिए ताकि मूल्यों के नियमित और वास्तविक अपडेट प्राप्त हो सके, इससे सरकार को तृतीय स्तर पर संपत्ति करराधान में भी मदद मिलेगी। (स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क - राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.27 से 5.31 तक)

### कर नीति में परिवर्तन

(ix) कई मदों के लिए जीएसटी में मौजूद मध्यवर्ती इनपुट और अंतिम आउटपुट के बीच उल्कमित शुल्क संरचना (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) को इसकी कई दर संरचना को सुव्यवस्थित करके हल किया जाना चाहिए। यह संघ और राज्य सरकार के निवल राजस्व संग्रहण पर एक लाभदायी प्रभाव के साथ भारित प्रभावी कर की दर अधिक किए बिना भी ठीक किया जा सकता है। (जीएसटी- जीएसटी परिषद द्वारा संघ और राज्यों को, कार्रवाई के लिए उपयुक्त अनुशंसाएं)।

(पैरा 5.7)

(x) दक्षता लाभ को इसी तरह कई दरों के ढांचे को कम करके सीमा शुल्क संग्रहण में प्राप्त किया जा सकता है: (क) एमएफएन आधार पर ब्रॉड बैंडिंग औद्योगिक तैयार उत्पाद; (ख) एमएफएन आधार पर ब्रॉड बैंडिंग मध्यवर्ती औद्योगिक उत्पाद और औद्योगिक कच्चे माल; (ग) गैर-टैरिफ अवरोधों को व्यवस्थित और कम करना; (घ) वैश्विक मूल्य श्रृंखला-संबंधित निर्यातों को सुविधा प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए आयातों की शून्य रेटिंग जारी रखना। ऊपर के कॉलम (क) से (ग) में परिवर्तन को जांचने के क्रम में किया जा सकता है। (सीमा शुल्क- राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.13)

(xi) विभिन्न प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत असंख्य छूट जो कर चोरी, विशेष रूप से अमीर समूहों द्वारा को बढ़ावा देती है, को कम करने की आवश्यकता है। अस्पष्ट व्याख्याओं और अपवंचना की ओर ले जाने वाले प्रोत्साहन को समाप्त करने की आवश्यकता होगी। परिलब्धियों के लिए दी गई रियायतों की भी व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। कर व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और करदाता के लिए बेहतर पूर्वानुमान और



बेहतर कर योजना सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय के लिए वर्तमान स्तर पर प्रारम्भिक सीमा रखी जा सकती है। (आयकर - राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.15, 5.16 और 5.21)

(xii) वित्त आयोग द्वारा इस आशय की अनुशंसा का संज्ञान लेने के बाद, संघ सरकार भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर वृत्तिक कर की सीमा के समय-समय पर पुनरीक्षण को सक्षम करने वाले परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है। (राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.36 से 5.41)

### **संस्थागत और कर नीति में बदलाव, जो पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करेंगे**

(xiii) जीएसटी दर की राजस्व तटस्थता को बहाल करना महत्वपूर्ण है, जिससे बहु दर संरचना और दरों के अनेक अधोमुखी समायोजनों द्वारा समझौता किया गया था। इस दर संरचना को 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर के सावधानीपूर्वक विलय से तर्कसंगत बनाया जा सकता है। इस प्रणाली को मेरिट दर, मानक दर और डी-मेरिट दर की त्रि-दरीय संरचना के साथ संचालित किया जा सकता है। दक्षता और राजस्व लाभ के लिए आवश्यक है कि छूट कम से कम हो। (जीएसटी- जीएसटी परिषद द्वारा कार्रवाई के लिए संघ और राज्यों की उपयुक्त अनुसंशाएं)।

(पैरा 5.10 और बॉक्स 5.1)

(xiv) संघ और राज्य सरकार द्वारा उपभोग-आधारित करों पर अधिक निर्भरता, जो कर प्रणाली की प्रगति को बाधित करती है, को आय और संपत्ति-आधारित कराधान के प्रसार को विस्तारित करके कम किया जाना चाहिए। सरकार के विभिन्न स्तरों को आय और संपत्ति-आधारित कराधान के लिए अपनी संवैधानिक पात्रता की समीक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक अप्रयुक्त कर शक्ति की व्यवहार्यता का आकलन करना चाहिए, ताकि कर आधार के क्षरण और कर भुगतान की अपवंचना को रोका जा सके। जहां भी कराधान शक्तियों का अपर्याप्त विचलन सरकार के तृतीय स्तर पर संसाधन जुटाने में बाधा डालता है, विशेष रूप से परिसंपत्ति-आधारित करों में, ऐसे विचलन तत्काल देखे जाने चाहिए और स्थानीय प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(अनुलग्नक 5.2)



## अध्याय 6

# सहकारी संघवाद : इक्विटी एवं दक्षता के बीच संतुलन

सहकारी संघवाद की मूल भावना के अनुरूप, इस अध्याय में संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के मध्य संसाधनों के आबंटन के विषय में हमारी अनुशंसाओं का समावेश किया गया है। इस अध्याय का प्रारंभ राजस्व और व्यय के संवैधानिक दायित्वों के फलस्वरूप ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन पर चर्चा के साथ होता है। तदुपरान्त यह संघ और राज्यों के विचारों को प्रस्तुत करते हुए ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण पर हमारे दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। क्षैतिज हस्तांतरण पर यह अध्याय, इक्विटी और दक्षता को उचित महत्व देते हुए, राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में हमारे दृष्टिकोण की चर्चा करता है।

6.1 इस आयोग के विचारार्थ विषय (टीओआर) का पैरा 4 (i), जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) से निर्दिष्ट है, आयोग को अनुशंसा करने का अधिदेश देता है- “(क) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन।”


6.2 आयोग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य यह है संघ सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों से संबंधित निवल आगमों के बंटवारे के बारे में अनुशंसा करना। यह निवल आगम संघ तथा राज्य सरकारों के बीच एक विभाज्य पूल का निर्माण करती हैं (उपकरों, अधिभारों तथा संग्रह की लागत को छोड़कर)। इसे ऊर्ध्वाधर अंतरण या करों की ऊर्ध्वाधर साझेदारी कहा जाता है। इस अध्याय के पहले भाग में ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन, ऊर्ध्वाधर अंतरण की प्रवृत्तियों और सम्पूर्ण अंतर-सरकारी अंतरणों पर संघ और राज्य सरकारों के विचारों के संदर्भ में आयोग के विचारों को शामिल किया गया है।

6.3 उपर्युक्त टीओआर का दूसरा भाग इस आयोग को यह अधिदेश देता है कि वह करों के इस विभाज्य पूल से हर राज्य के हिस्से या भाग की अनुशंसा करे, जिन्हें अंतरित किया जाता है। इसे क्षैतिज अंतरण या करों की क्षैतिज हिस्सेदारी कहा जाता है। इस अध्याय के दूसरे भाग में राज्यों के बीच विद्यमान क्षैतिज असंतुलन तथा क्षैतिज हिस्सेदारी दृष्टिकोण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर आयोग के विचारों को शामिल किया गया है। यह क्षैतिज अंतरण पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को मान्यता देता है, हमारे द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण और क्षैतिज अंतरण में राज्यों के बीच पारस्परिक बंटवारे की अनुशंसा करता है।

## ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन

6.4 संविधान ने संघ और राज्यों दोनों को ही कराधान के विभिन्न स्रोतों से राजस्व बढ़ाने के लिए सशक्त किया है तथा साथ ही सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों—संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों के माध्यम से व्यय के प्रति भी उत्तरदायित्व प्रदान किया है। संवैधानिक संरचना द्वारा इस वितरण ने संघ सरकार को उच्च एवं अधिक उछाल वाले कराधान तथा संसाधनों को बढ़ाने वाली शक्तियाँ प्रदान की हैं जबकि व्यय के उच्च उत्तरदायित्व राज्य सरकार को सौंपे गए हैं।

चित्र 6.1: भारत के क्षेत्रीय राजकोषीय अंतर (2018-19)



6.5 उदाहरण के लिए, 2018-19 में संघ और राज्यों दोनों द्वारा जुटाए गए कुल संसाधनों में से 62.7 प्रतिशत संसाधन संघ सरकार ने जुटाया, जबकि राज्यों ने संघ एवं राज्यों के कुल व्यय में से 62.4% व्यय किया था। (चित्र 6.1) इस प्रकार इसमें एक संरचनात्मक ऊर्ध्वाधर असंतुलन है, जो संघ से राज्यों को संसाधनों के क्रमिक रूप से हस्तांतरण की आवश्यकता बताता है। 2018-19 में समग्र रूप से राज्य अपने संसाधनों में से अपने कुल व्यय का मात्र 44.8 % ही जुटा सके थे। इसका अभिप्राय यह है कि शेष 55.2 प्रतिशत की पूर्ति के लिए उन्हें ऊर्ध्वाधर संसाधन हस्तांतरण और या ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया होगा।

6.6 इस मूल संरचना के कारण, संविधान ने यह निर्धारित किया है कि वित्त आयोग ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन का आकलन करेगा, जो इनकी पंचाट अवधि के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं तथा ऐसे आकलन पर आधारित संसाधनों की साझेदारी की अनुशंसा करेगा।

## ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी

6.7 विगत समय से वित्त आयोग संघ सरकार द्वारा एकत्र किए गए करों के एक हिस्से को राज्यों को अंतरित किए जाने की अनुशंसा कर रहे हैं। 10वें वित्त आयोग तक, आय कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्कों के अंतरण के लिए अलग-अलग प्रतिशतों की अनुशंसा की गई थी। तथापि, संविधान में अस्सीवें संशोधन के उपरान्त, संघ सरकार द्वारा एकत्र किए गए सभी करों<sup>1</sup> के निवल आगम (उपकर, अधिभार तथा संग्रह की लागत को घटाकर) अब राज्यों के साथ साझा किए जाते हैं। यही करों के विभाज्य पूल का निर्माण करती हैं। पिछले चार वित्त आयोगों द्वारा विभाज्य पूल में से अनुशंसित राज्यों के हिस्से को तालिका 6.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.1: विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा

	11वां वित्त आयोग (2000-05)	12वां वित्त आयोग (2005-10)	13वां वित्त आयोग (2010-15)	14वां वित्त आयोग (2015-20)	15वां वित्त आयोग (2020-21)
विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा (%)	29.5	30.5	32.0	42.0	41.0*

\* जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख दो संघ शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठन के लिए समायोजित किए जाने के बाद अट्ठाईस राज्यों के लिए ऊर्ध्वाधर हिस्सा 14वें वित्त आयोग का पंचाट 29 राज्यों के लिए था।

6.8 14वें वित्त आयोग ने यह विचार व्यक्त किया था कि कर अंतरण राज्यों के संसाधनों के हस्तांतरण का प्राथमिक माध्यम होना चाहिए, चूंकि यह सूत्र आधारित होता है तथा इस प्रकार यह उत्तम राजकोषीय संघवाद के प्रति अनुकूल है। इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, इसने राज्यों के साथ विभाज्य पूल के 42 प्रतिशत को राज्यों के साथ साझा करने की अनुशंसा कि जो कि 13वें वित्त आयोग द्वारा की गई 32 प्रतिशत हिस्से की अनुशंसा से अधिक है। 14वें वित्त आयोग के द्वारा इस बदलाव की अनुशंसा करते समय यह अपेक्षा की थी कि इससे राज्यों के समग्र हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी, अपितु अनुदानों की तुलना में अधिक कर अंतरण द्वारा संरचनात्मक बदलाव आएगा।

6.9 2020-21 के लिए आयोग की रिपोर्ट में, संसाधनों की स्थिरता एवं पूर्वानमेयता को दीर्घकालीन बजटिंग को एक आवश्यक घटक माना गया एवं संसाधनों की ऊर्ध्वाधर साझेदारी को उसी स्तर पर बनाए रखा गया, जैसाकि 14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी। हमने शीर्ष अट्ठाईस राज्यों के लिए 41 प्रतिशत के

<sup>1</sup> अनुच्छेद 270 एवं 279 को एक साथ पठित 'करों के निवल आगमों' को उपकरों एवं अधिभारों के सिवाय प्राप्त समस्त करों में से संग्रहण लागत को घटाकर परिभाषित किया जाता है।

समतुल्य हिस्से को रखते हुए दो नए संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के लिए शेष भाग को समायोजित किया है।

### राज्यों के निवेदन तथा विचार

6.10 लगभग सभी राज्यों का एक ही विचार था कि संघ और राज्यों के बीच विभाज्य पूल का बँटवारा, कम से कम, 50:50 के अनुपात में होना चाहिए, विशेषकर सकल राजस्व में विभाज्य पूल के अंश में गिरावट को देखते हुए, उनका मूल तर्क यह था कि राज्यों के पास संघ सरकार की तुलना में विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, कानून-व्यवस्था, कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों, सिंचाई, वन तथा पर्यावरण संरक्षण, विद्युत, सामाजिक कल्याण, पेय जल तथा स्वच्छता के क्षेत्रों के उत्तरदायित्वों के लिए अधिक व्यय वहन करना होता है।


6.11 इन व्यय संबंधी उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए, राज्य सरकारों को सकल राजस्व का एक बड़ा भाग हस्तांतरित करना पड़ता है क्योंकि राज्य के उत्तरदायित्वों के अंतर्गत आने वाले इन क्षेत्रों में होने वाले प्रतिबद्ध व्यय उनके स्वयं के कर तथा गैर-कर संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक हैं।

6.12 राज्यों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि माल एवं सेवा कर ( जीएसटी ) की शुरुआत के साथ राज्यों ने विभेदक कर दरों को आरोपित करने की अपनी वित्तीय स्वायत्तता काफी हद तक खो दिया है। जीएसटी से पहले, राज्यों के पास अलग अलग कर उपायों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाने की स्वायत्तता थी। तथापि, अभी किसी भी कर की दर में बदलाव करने के लिए जीएसटी काउंसिल की मंजूरी आवश्यक है। चूंकि व्यावहारिक रूप से सभी कर योग्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में रखा गया है, प्रत्येक राज्य ने संसाधन जुटाने की अपनी अपनी स्वतंत्रता खो दिया है।

6.13 यह आशा की गई थी कि जीएसटी की नई व्यवस्था में, राज्यों को सेवा कर राजस्व की साझेदारी से लाभ होगा। तथापि, कुल मिलाकर राज्यों को संघ सरकार की तुलना में जीएसटी पूल के लिए अपने राजस्वों का अधिक हिस्से को समाहित करना पड़ा। हमारे सम्मुख भी कुछ अनुमान प्रस्तुत किए गए थे, जिनके अनुसार, संयुक्त जीएसटी पूल से संघ और राज्य सरकारों का योगदान 48:52 अनुपात है।

6.14 राज्य सरकारों ने यह भी तर्क दिया है कि विभाज्य पूल से कर अंतरण राज्यों के लिए संसाधनों के अपने हिस्से को प्राप्त करने का सबसे सुलभ माध्यम है। केवल ऐसे ही शर्तहित अंतरण राज्य सरकारों की स्वायत्ता संरक्षित रख सकते हैं क्योंकि संघीय स्वायत्तता संविधान का मूल घटक है।

6.15 इसी समय, राज्य सरकारों ने यह अभ्यावेदन भी किया कि संघ सरकार ने समय के साथ उपकरणों तथा अधिभागों को बढ़ाकर विभाज्य पूल को संकुचित कर दिया है। जिनको संविधान के तहत राज्यों के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। चित्र 6.2 यह संकेत करता है कि संघ के सकल राजस्वों के प्रतिशत के रूप में विभाज्य पूल लगातार गिर रहा है और अधिकाधिक संसाधन अविभाज्य उपकरणों एवं अधिभागों से एकत्र किए जा रहे हैं; वर्तमान में, सकल राजस्व का मात्र दो तिहाई ही विभाज्य पूल है। राज्यों का मत था कि वित्त आयोग को एक ऐसी व्यवस्था पर कार्य करना चाहिए जिससे सकल राजस्व में संघ द्वारा रखे जाने वाले उपकरणों एवं अधिभागों को 50:50 के अनुपात में साझा किया जा सके।



जीटीआर: सकल कर राजस्व, जीआरआर: सकल राजस्व प्राप्तियां

## संघ सरकार के निवेदन तथा विचार

6.16 संघ सरकार ने संघ और राज्य सरकारों के बीच विभाज्य अनुपात से संबंधित अपनी अधिमानता को स्पष्ट नहीं किया है। फिर भी सामान्य तर्क यह रहा है कि उसके पास रक्षा / आंतरिक सुरक्षा के लिए तथा उसके अपने ऋण के लिए ब्याज भुगतान संबंधी दायित्वों को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। रेलवे, सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, गरीबी उन्मूलन योजनाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण और सब्सिडी और खाद्य और उर्वरक सहित विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं को प्रदान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की भी आवश्यकता है।

6.17 संघ के तर्क देने का आशय यह रहा है कि 14वें वित्त आयोग में अंतरण के हिस्से को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किए जाने के कारण हुई उल्लिखित वृद्धि ने उसकी राजकोषीय स्थिति को अनावश्यक रूप से क्षीण कर दिया है। इसलिए यह निहित था कि वर्तमान 42 प्रतिशत से नीचे के अंतरण प्रतिशत को उचित रूप से पुनर्गठित करने में औचित्य हो सकता है, विशेष रूप से चूंकि संघ को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), आयुष्मान भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना, स्वच्छ भारत और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसे नई राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा फ्लैगशिप कार्यक्रमों के साथ साथ स्वयं की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए सकल कर राजस्व के काफी बड़े अनुपात की आवश्यकता है।

### **दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य तथा अनुशांसा**

6.18 हमने संघ तथा राज्यों के निवेदनों एवं विचारों में उपर्युक्त अंतरों के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

6.19 जहाँ तक राज्य द्वारा 50:50 विभाजन के मुद्दे का प्रश्न है तो, हमने यह पाया है कि सकल कर राजस्वों के विभाज्य पूल से अंतरण के अतिरिक्त, विविध अनुदानों के माध्यम से कई ऐसे पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध हैं, जिनका निर्वहन संघ सरकार की समेकित निधि द्वारा आपदा राहत, स्थानीय निकायों, राजस्व घाटा अनुदानों तथा अन्य किसी क्षेत्र/राज्य विशेष अनुदानों के लिए किया जाता है, जिन्हें वित्त आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। वित्त आयोग अनुदानों के अलावा, संघ विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और केंद्रीय क्षेत्रक की योजनाओं के माध्यम से राज्यों को कई अन्य अनुदानों का हस्तांतरण भी करता है।

तालिका 6.2: सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राज्यों को केंद्रीय हस्तांतरण

वित्त आयोग	वर्ष	केंद्रीय करों में हिस्सा (क)	वित्त आयोग अनुदान (ख)	कुल वित्त आयोग हस्तांतरण ग=क+ख	वित्त आयोग से भिन्न अनुदान (घ)	कुल हस्तांतरण ड=ग+घ
13वां वित्त आयोग	2010-11	21.7	3.1	24.8	23.9	48.7
	2011-12	25.3	4.4	29.7	23.7	53.4
	2012-13	24.8	3.9	28.7	20.0	48.7
	2013-14	23.8	4.0	27.8	17.9	45.8
	2014-15	23.4	4.3	27.7	18.6	46.3
	<b>2010-15</b>	<b>23.8</b>	<b>4.0</b>	<b>27.8</b>	<b>20.5</b>	<b>48.2</b>
14वां वित्त आयोग	2015-16	29.7	5.0	34.7	13.2	47.9
	2016-17	30.6	4.8	35.4	13.0	48.4
	2017-18	31.9	4.4	36.3	16.8	53.0
	2018-19	32.9	4.0	36.9	15.5	52.4
	2019-20*	27.9	5.3	33.2	15.4	48.6
	<b>2015-20</b>	<b>30.6</b>	<b>4.7</b>	<b>35.3</b>	<b>14.9</b>	<b>50.2</b>

स्रोत: संघ का संबंधित वर्षों का वित्तीय लेखा; \*अनंतिम वास्तविक आंकड़े

6.20 जैसा कि तालिका 6.2 में दिखाया गया है, जब हम करों के हस्तांतरण तथा विभिन्न अनुदान घटकों का योग लेते हैं तो हम यह पाते हैं कि व्यवहारिक रूप से संघ सरकार अपनी सकल राजस्व प्राप्तियों के राजस्व और सकल गैर-राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत दो प्रतिशत विचलन के साथ हस्तांतरित कर रही है। 2017-18 से उच्चतर हस्तांतरण को जीएसटी मुआवजे के रूप में राज्यों के लिए अनुदान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसलिए जबकि संवैधानिक रूप से संघ अपने कर गैर राजस्व को राज्यों के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है, व्यवहारिक रूप से यह कहा जा सकता है कि राजस्व प्राप्तियों जिसमें (उपकर अधिभार घटकों एवं गैर कर राजस्व घटक सहित) का 50:50 प्रतिशत के अनुपात में विभाजन है।

6.21 इस प्रकार वित्त राज्यों को उनके सकल राजस्व का लगभग आधा वित्त आयोग के हस्तांतरण एवं विविध योजनाओं के तहत संघ के विवेकाधिकार आधारित हस्तांतरणों के संयोजन से पहले ही प्राप्त हो रहा है। संघ से वित्तीय हस्तांतरणों द्वारा राज्यों की अपेक्षाओं को व्यापक तौर पर कर अंतरण द्वारा पूरा किया जा रहा है।

6.22 जहाँ तक संघ सरकार का विचार है कि 14वें वित्त आयोग द्वारा कर अंतरण को 32 प्रतिशत की तुलना में 42 प्रतिशत की अनुशांसा अनुपयुक्त है तो हम विशेष रूप से नोट करते हैं कि दो प्रतिशत के आंकड़े की तुलना कदापि नहीं की जा सकती है। राज्यों के लिए 32 प्रतिशत कर अंतरण पर विचार करते हुए तेरहवें

वित्त आयोग को इस तथ्य का संज्ञान था कि राज्यों को अत्यधिक हस्तांतरण उनके द्वारा अनुशंसित अनुदानों एवं योजना आयोग के माध्यम से योजना निधि व्यवस्था से दिए जाने वाले अनुदानों से भी होगा।

6.23 योजना आयोग के बाद की अवधि में वित्त आयोग ने यह मान्य करते हुए समायोजन किए कि योजनागत, सामान्य केंद्रीय सहायता, विशेष योजनागत सहायता, राज्य विशिष्ट अनुदान तथा सशर्त सहायता योजनागत चैनलों के माध्यम से बहुत से हस्तांतरण अब राज्यों के पास उपलब्ध नहीं होंगे। 14वें वित्त आयोग ने भी कर अंतरण के पक्ष में कुल हस्तांतरण में एक संरचनात्मक परिवर्तन की उम्मीद की थी।

6.24 यह भी नोट किया गया कि चौदहवें वित्त आयोग ने अनुशंसाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया था कि राज्यों के लिए कुल हस्तांतरण संघ की राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत होगा। संघ सरकार ने राज्यों एवं संघ के बीच इस बंटवारे को स्वीकार कर इसे 2015-2020 की अवधि के लिए लागू किया गया था। वास्तव में 2019-20 के लिए संघ सरकार के अनंतिम वास्तविक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि राज्यों को संघ की राजस्व प्राप्तियों का 49 प्रतिशत से कुछ अधिक हस्तांतरित किया जा रहा है।

6.25 इन तथ्यों के आधार पर हमारे विचार में संघ एवं राज्यों के बीच संसाधनों के उर्ध्वधर अंतरण को भविष्य में इसी स्तर पर संघ और राज्यों के बीच संघ की सकल राजस्व प्राप्तियों को 50:50 के अनुपात में साझा कर रखा जाए, जबकि सकल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में विभाज्य पूल में कोई गिरावट न हो। इस संतुलन को विभाज्य पूल का 41 प्रतिशत 28 राज्यों को अंतरित करते हुए तथा शेष भाग वित्त आयोग एवं गैर वित्त आयोग के विविध हस्तांतरण माध्यमों से प्राप्त किया गया है।

6.26 यह सर्वमान्य है कि संसाधनों की स्थिरता तथा पूर्वानुमेयता ही संघ तथा राज्यों दोनों के लिए दीर्घावधिक बजटिंग एवं राजकोषीय कौशल के लिए सर्वाधिक आवश्यक घटक है। अतः हमारा यह मत है कि विभाज्य पूल के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक निरंतरता बनी रहनी चाहिए।

6.27 यह तर्क दिया जा सकता है कि यहां राज्यों का कुल हिस्सा सकल राजस्व प्राप्तियों का आधा हो सकता है। वहीं इसमें कर अंतरण का छोटा अंश व राज्यों को सशर्त अनुदानों की अपेक्षाकृत अधिक प्राप्ति का इसमें संरचनात्मक बदलाव ला सकती है। इस मामले की भी हमने सावधानी पूर्वक जांच की है। हमने यह भी नोट किया कि अनुभव यही रहा है कि कर अंतरण अंतरणों का एक अधिक प्रगामी तथा निर्वाध रूप होता है।

6.28 तथापि, यह अधिक महत्वपूर्ण है, जैसा कि 2020-21 की अपनी रिपोर्ट में नोट किया है, उच्च कर अंतरण अनुदानों की तुलना में राज्यों को अधिक राजस्व जुटा पाने में सक्षम बनाते हैं, विशेषकर जब केंद्रीय कर अधिक उछाल वाले होते हैं। राजस्व में गिरावट की दशा में, जैसा कि वर्तमान में अनुभव किया जा रहा है,

<sup>2</sup> 2017-18 से वित्त आयोग से भिन्न अनुदानों में, राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी प्रतिकर में भी शामिल हैं जो 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में सकल राजस्व प्राप्ति का क्रमशः 2.6, 2.1 और 4.8 प्रतिशत है।



संघ व राज्यों दोनों द्वारा बोझ साझा किए जाने के कुछ फायदे हैं। एक तरफ जहां यह संघ को वृहद-आर्थिक (Macro Economic) संतुलन में उनकी भूमिका निभाने में सहयोग देती है। दूसरी ओर, अनुदानों को प्रतिशत के बदले पूर्ण संख्या में निर्धारित किया जाता है, जिसके द्वारा स्वतः स्थिरीकरण माध्यम से राज्यों को पूर्वानुमान लग जाता है।

6.29 तदनुसार, 2021-22 से 2025-26 तक हम राज्यों के लिए उध्वाधर हिस्से को विभाज्य पूल के उसी स्तर अर्थात् 41 प्रतिशत रखे जाने की अनुशंसा करते हैं जिसकी हमने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में उध्वाधर अंतरण को जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन में एक कारक के रूप में समायोजित करने के उपरांत अनुशंसित किया था। उध्वाधर अंतरणों का यह स्तर संघ को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ राज्यों को दिए जाने वाले शर्तरहित संसाधनों के पर्याप्त स्तर को बनाए रखने के लिए उसके पास उचित राजकोषीय गुंजाइश उपलब्ध कराएगा।

## क्षैतिज हिस्सेदारी

6.30 विभाज्य पूल में राज्यों की कुल हिस्सेदारी का निर्धारण करने के बाद हमारा कार्य राज्यों के मध्य इसके पारस्परिक वितरण की अनुशंसा करने का था। इसे क्षैतिज अंतरण कहा जाता है। विगत में वित्त आयोगों द्वारा इस क्षैतिज अंतरण की अनुशंसा समुचित उपयुक्त उद्देश्य परक पैरामीटर या फार्मूले के आधार पर की गई है। जैसा कि अपेक्षित था ये (पैरामीटर या फार्मूले) समय के साथ समरूप नहीं रहे हैं। क्षैतिज अंतरण के लिए प्रयुक्त फार्मूलों को व्यापक रूप में दो पैटर्नों में विभाजित किया जा सकता है, जैसाकि बॉक्स 6.1 में संक्षेप में बताया गया है।

## बॉक्स 6.1: क्षैतिज अंतरण के चरण

### चरण 1 प्रथम से सातवां वित्त आयोग

- सातवें वित्त आयोग तक, आयकर और संघीय उत्पाद शुल्कों की साझेदारी विभिन्न पैरामीटरों का प्रयोग करते हुए की जाती थी।
- आयकर की जनसंख्या और कर अंशदान पैरामीटरों का प्रयोग करके साझा किया जाता था।
- तीसरे वित्त आयोग ने प्रथम बार, संघीय उत्पाद शुल्क के बंटवारे के लिए इक्विटी के पैरामीटरों, जैसेकि सापेक्षिक पिछड़ापन, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) जनसंख्या, वित्तीय कमजोरी, इत्यादि पर विचार किया।
- संघीय उत्पाद शुल्क के बंटवारे के लिए सातवें वित्त आयोग ने जनसंख्या के प्रत्यक्ष भारांक में उल्लेखनीय कमी करते हुए इक्विटी पैरामीटरों जैसे प्रति व्यक्ति आय का व्युत्क्रम, गरीबों का प्रतिशत, आय के भारांकों में वृद्धि की।

### चरण 2 आठवें से चौदहवां वित्त आयोग

- आठवें से दसवें वित्त आयोग ने आयकर और संघीय उत्पाद शुल्क दोनों को साझा करके इक्विटी सहित समान पैरामीटरों की अनुशंसा की।
- संविधान में अस्सीवें संशोधन के बाद, ग्यारहवें और उसके बाद के वित्त आयोगों द्वारा करों के विभाज्य पूल की हिस्सेदारी के लिए एकल फार्मूले की अनुशंसा की गई। बाद के वित्त आयोगों द्वारा प्रयुक्त पैरामीटरों को इस फार्मूले में जारी रखा गया।
- जनसंख्या के लिए प्रत्यक्ष भारांक में आनुपातिक कमी करके, साम्यता (इक्विटी) के पैरामीटरों के भारांक में उल्लेखनीय वृद्धि की गई।
- दसवें वित्त आयोग के राज्यों के कर प्रयासों को 10 प्रतिशत भारांक के साथ राजकोषीय निष्पादन पैरामीटर का पहली बार प्रयोग किया गया। बाद के वित्त आयोगों द्वारा राजकोषीय अनुशासन और राजकोषीय क्षमता जैसे मानदंडों का उपयोग किया गया।

6.31 करों का क्षैतिज अंतरण विगत में मुख्यतः आवश्यकता, इक्विटी और निष्पादन के विचारों से प्रेरित रहा है। इक्विटी और दक्षता में संतुलन बैठाना आसान नहीं है। कुछ वित्त आयोगों द्वारा अंतरण फार्मूले के अंतर्गत राजकोषीय अक्षमताओं और राजकोषीय अनुशासन पर भी सम्यक रूप से विचार किया है। तालिका 6.3 में पिछले चार वित्त आयोगों द्वारा प्रयुक्त मानकों और समनुदिष्ट भारांकों को संक्षेप में दर्शाया गया है।

तालिका 6.3: पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा प्रयुक्त मानदंड और भारांक (%)

मानक		11वां वित्त आयोग (2000-05)	12वां वित्त आयोग (2005-10)	13वां वित्त आयोग (2010-15)	14वां वित्त आयोग (2015-20)
आवश्यकता	जनसंख्या (1971)	10.0	25.0	25.0	17.5
और लागत	जनसंख्या (2011)				10.0
अक्षमता	समायोजित क्षेत्र	7.5	10.00	10.0	15.0
	वनावरण				7.5
इक्विटी	अवसंरचना सूचकांक	7.5			
	आय अंतर	62.5	50.0		50.0
	राजकोषीय क्षमता अंतर			47.5	
निष्पादन	कर संग्रहण संबंधी प्रयास	5.0	7.5		
	राजकोषीय अनुशासन	7.5	7.5	17.5	
		100	100	100	100

## राज्यों के निवेदन और विचार

6.32 2020-21 के लिए हमारी रिपोर्ट के पूर्व और उसके बाद, राज्यों द्वारा प्रस्तुत अपने ज्ञापनों में लगभग सभी राज्यों ने 15 से 55 प्रतिशत तक की सीमा में विभिन्न भारांकों वाले आय-अंतर को एक मानदंड के रूप में बनाए रखने पर जोर दिया है। कुछेक राज्यों ने एक ऐसे आशोधित आय-अंतर मानदंड का सुझाव दिया है जिसमें कृषि के लिए समायोजन किया जाए अथवा उच्च आय वाले जिलों की प्रति व्यक्ति आय को बाहर रखा जाए। एक राज्य ने आय-अंतर के स्थान पर आय-व्युत्क्रम का उपयोग करने का भी सुझाव दिया है। बहुत से राज्यों ने यह चिंता जाहिर की है कि इस फार्मूले में 2011 के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग उनके लिए अलाभकारी होगा जिन्होंने अपने जनसांख्यिकीय प्रबंधन में सुधार किया है। आधे राज्यों ने 4 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा के साथ प्रस्तावित भारांकों वाले मानदंड के रूप में वनावरण /क्षेत्र को बनाए रखने का सुझाव दिया है। कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि वनावरण मानदंड को आशोधित किया जाए और इसमें खुले वन, वृक्षावरण, पर्वतीय चरागाहों, ग्लेशियरों, आदि को समाविष्ट किया जाए। लगभग सभी राज्यों ने अपने ज्ञापन में क्षेत्रफल को 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत की सीमा के भारांकों वाले एक मानदंड के रूप में अपनाने का

सुझाव दिया है। इनमें से कुछ ने क्षेत्रफल के न्यूनतम 2 प्रतिशत हिस्से की निम्न सीमा रखने का सुझाव दिया है जैसाकि 14वें और 13वें वित्त आयोगों द्वारा किया गया था। कुछ राज्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ, किसी राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा, पर्वतीय क्षेत्र, आर्द्र भूमि को भारांक प्रदान करते हुए क्षेत्रफल के समायोजन का सुझाव दिया है।

## दृष्टिकोण और सिफारिशें

6.33 क्षेत्रीय अंतरण के फार्मूले को, ऐसे फार्मूले के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्यों, यथा- (i) राज्यों के ऊर्ध्वाधर राजकोषीय अंतर को पाटने में सहायता करना; (ii) क्षेत्रीय इक्विटी उपलब्ध कराना (अधिक निर्धन क्षेत्रों को उच्चतर हिस्सा प्रदान करते हुए); (iii) राज्यों की राजकोषीय क्षमताओं के समतुल्य (राजस्व समतुल्यता); (iv) मूलभूत सार्वजनिक सेवाओं के लिए राज्यों के मध्य लागत विभेदकों को दूर करते हुए (व्यय समतुल्यता), इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

6.34 जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है, राज्यों के अपने संसाधनों तथा उनके प्रतिबद्धता/विकास व्यय देयताओं के बीच बड़ा संरचनात्मक असंतुलन होने के कारण सभी राज्यों में राजकोषीय अंतराल मौजूद है। राज्यों के ऊर्ध्वाधर अंतर को पाटने के प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, संसाधनों के अंतरण को आवश्यकता आधारित मानदंड से निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसे प्रयोजन के लिए जनसंख्या तथा लागत अक्षमताओं पर आधारित प्रतिव्यक्ति अंतरणों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

6.35 भारत में उपलब्ध संसाधनों तथा विकास की स्थिति में भारी अंतरों को देखते हुए राज्यों के बीच संसाधनों का वितरण आबंटन करते समय उनके बीच राजकोषीय समतुल्यता एक अनिवार्य उद्देश्य है। यद्यपि हाल ही में सभी पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा राजकोषीय समतुल्यता की अनुशंसा की गई है, फिर भी भारत में अभी तक समतुल्यता की कोई पूर्णतः स्वीकृत परिभाषा नहीं है। इस प्रकार, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया (इसका उल्लेख अध्याय-2 में भी किया गया है) जैसे अन्य संघीय देशों द्वारा अपनाई गई समतुल्यता की परिभाषा की जांच करना सार्थक हो सकता है।

6.36 कनाडा का संविधान संघीय सरकार को यह अनुपालन करने के लिए अधिदेश देता है “यथोचित स्तर पर समतुल्यता सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रांतीय सरकारों के पास पर्याप्त राजस्व हेतु यथोचित तुलनीय कराधान स्तर हो। आस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल अनुदान आयोग (Australia's Commonwealth Grants Commission) ने समकरण को परिभाषित किया है “यदि प्रत्येक राज्य अपने स्वयं के स्रोतों से राजस्व जुटाने के लिए एक समान दक्षता के साथ समान प्रयास करते हैं

तो प्रत्येक राज्य की एक ही मानक पर सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता होगी।” कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही समतुल्यता आधारित भुगतान के लिए विस्तृत प्रतिनिधिक कर प्रणाली (आरटीएस)<sup>3</sup> दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनके परिभाषात्मक भिन्नताओं के कारण, कनाडा केवल राजस्व समकरण (एक तरफा समकरण) जब कि आस्ट्रेलिया व्यय समान भुगतान निर्धारित करते समय व्यय अंतरण को भी ध्यान में रखता है।

6.37 आरटीएस दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक राज्य के पास उपलब्ध कर राजस्व का आकलन करने के लिए एक विस्तृत एवं अत्यधिक परिष्कृत प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसके पर्याप्त रूप से विकसित न होने के कारण अत्यधिक जटिलता और पारदर्शिता के अभाव में इसकी आलोचना की गई है।

6.38 आरटीएस दृष्टिकोण के विकल्प के रूप में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और प्रतिव्यक्ति आय जैसे मेक्रो संकेतकों जो कि प्रत्येक क्षेत्राधिकार के संभावित संसाधन आधार का आकलन के लिए प्रासंगिक है, का उपयोग किया जा सकता है। कई मायनों में, मेक्रो संकेतक जनसाधारण को समझने के लिए अधिक पारदर्शी और सरल है। इसके अलावा, इस मेक्रो संकेतकों के बीच प्रबल सहसंबंध है तथा सैद्धांतिक रूप से राजकोषीय क्षमता या कर आधार सुपरिभाषित किया गया है।<sup>4</sup> अतः वित्त आयोगों ने राज्यों के हिस्से का निर्धारण मेक्रो संकेतकों पर आधारित समकरण (इक्वालाइजेशन) फार्मूले का उपयोग करते हुए किया है।

6.39 आयोग ने क्षैतिज हिस्सेदारी के मानदंड को निर्धारित करने में व्यय आवश्यकताओं, इक्विटी एवं निष्पादन के सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। जैसे कि चर्चा की गई है, आवश्यकता अंतर-सरकारी संसाधन हस्तांतरण का आधारभूत सिद्धांत है। प्रत्येक राज्य के अपने-अपने विशिष्ट संसाधन स्रोतों के साथ-साथ अक्षमताएं भी हैं, चाहे जो भी नीतिगत चुनाव किए गए हैं। हमने इक्विटी के सिद्धांत और राजकोषीय क्षमताओं को समतुल्य करते हुए ऐसे लागत विभेदों एवं आर्थिक अंतरों को दूर करने का प्रयास किया है। राज्यों को उनके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके बेहतर प्रदर्शन हेतु पुरस्कृत और प्रोत्साहित करने के लिए दक्षता के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है।

6.40 एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका पालन किया गया है, वह है अंतरणों में स्थिरता और पुर्वानुमेयता की आवश्यकता। इसलिए आवश्यकता, इक्विटी और दक्षता के सभी सिद्धांतों को मोटे तौर पर समान भारांक दे कर संतुलित किया जाना चाहिए। हमारे द्वारा उपयोग किए गए वास्तविक भारांकों एवं 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त भारांकों में, राज्यों के पारस्परिक हिस्सों में असमानुपातिक विचलन को कम करने की आवश्यकता के आधार पर मामूली अंतर रहेगा।

<sup>3</sup> आरटीएस एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किसी इलाके के भीतर मौजूदा कर आधार पर राष्ट्रीय औसत दर-पर को लागू करते हुए उस क्षेत्राधिकार के राजस्व जुटाने की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है।

<sup>4</sup> Wilson Leonard, 2006, 'Macro Formulas for Equalisation', Chapter 12, A Practitioner's Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers (edited by Anwar Shah, World Bank)

6.41 उपर्युक्त फार्मूले और विचारों के आधार पर आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में क्षेत्रीय अंतरण फार्मूले की अनुशंसा की है। हमारा विचार है कि यह फार्मूला उपर्युक्त सभी विचारों और उल्लिखित दृष्टिकोण को पूरा करता है। इसलिए 2021-22- 2025-26 पंचाट अवधि के लिए, अपने द्वारा 2020-21 के लिए प्रयुक्त मानदंडों और भारांकों का उपयोग करते हुए, राज्यों के पारस्परिक हिस्सों के लिए अपनी अनुशंसा दे रहे हैं। तथापि, जहां भी संभव हो, राज्यों के पारस्परिक हिस्से के परिकलन के लिए नवीनतम आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। अपडेट किया है। अध्याय का निम्नलिखित भाग प्रत्येक मानदंड को विस्तार से बताता है।

## **आवश्यकता आधारित मानदंड**

### **जनसंख्या**

6.42 किसी राज्य की जनसंख्या इसके निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से व्यय करने के लिए राज्य की आवश्यकताओं का निरूपण करती है। यह एक ऐसा सरल और पारदर्शी संकेतक भी है जिसका उल्लेखनीय समकारी प्रभाव है।

6.43 कई राज्यों ने अपने ज्ञापन में अंतरण के प्रयोजन के लिए 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है। उनकी चिंता है कि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या नियंत्रित की है, वे नुकसान में रहेंगे यदि 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के बदले, नवीनतम जनसंख्या के आंकड़े प्रयोग में लाए जाते हैं। 1971 की जनसंख्या का प्रयोग छठे वित्त आयोग (1974-79) से लेकर पिछले नौ वित्त आयोगों ने अपनी अनुशंसा के लिए किया है। तथापि, सभी राज्यों ने सुझाव दिया है कि जनसंख्या संबंधी मानदंड को इस फार्मूले में बनाए रखा जाए। इस आयोग के टीओआर के पैरा-8 में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि “आयोग अनुशंसा करते समय 2011 की जनसंख्या के आंकड़े उपयोग करेगा।” हमारे तत्काल पूर्ववर्ती, चौदहवें वित्त आयोग ने विचार व्यक्त किया था कि यद्यपि पुराने जनसंख्या आंकड़े का प्रयोग करना अनुचित है परंतु वह अपने विचारार्थ विषयों से आबद्ध है। इस आयोग का विचार है कि उसके द्वारा राजकोषीय समकरण की अनुशंसा राज्यों की मौजूदा आवश्यकतानुसार तथा नवीनतम जनगणना आंकड़े उसको निरूपित करते हैं। 2011 की जनसंख्या के आंकड़े का प्रयोग करने के लिए दिए गए विशिष्ट विचारार्थ विषयों के मद्देनजर इस आयोग के पास और कोई विकल्प नहीं है।

6.44 चूंकि अंतरण फार्मूले में प्रयुक्त किए जाने वाले मानदंडों का मान-निर्धारण (स्केलिंग) जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जनसंख्या मानदंड को दिया जाने वाला उल्लेखनीय भारांक संपूर्ण फार्मूले में

परिलक्षित होता है। अतः हमने जनसंख्या मानदंड के तहत राज्यों के हिस्सों के लिए अकेले ही इसे 15 प्रतिशत का भारांक दिया है। अनुलग्नक 6.1 में इस फार्मूले से परिकलित राज्यों के पारस्परिक हिस्सों की तालिका और पद्धति को दर्शाया गया है।

### क्षेत्रफल

6.45 दसवें वित्त आयोग से लेकर सभी वित्त आयोगों ने आवश्यकता के आधार पर अंतरण फार्मूले में क्षेत्रफल को क्षेत्रीय अंतरण फार्मूले में एक मानदंड के रूप में प्रयोग किया है। राज्यों का जितना बड़ा क्षेत्र तुलनात्मक सेवाएं प्रदान करता है, उसे व्यय की उतनी ही अधिक आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश राज्यों ने क्षेत्रफल को मानदंड के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया है। हम इस तर्क से सहमत हैं कि अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में राज्य को कुछ अतिरिक्त प्रशासनिक खर्चें वहन करने पड़ते हैं। परंतु इससे सेवाएं प्रदान करने के खर्च में आनुपातिक वृद्धि नहीं हो सकती। अतः हमने चौहदवें वित्त आयोग के दृष्टिकोण के समरूप क्षेत्रफल मानदंड के लिए 15 प्रतिशत का मध्यम भारांक बनाए रखा है। यह भी सही है कि बहुत कम (छोटा) क्षेत्रफल होने पर भी राज्यों को कुछ न्यूनतम लागतें वहन करनी पड़ती हैं। इसलिए हमने राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल के हिस्सों का परिकलन करते हुए चौहदवें वित्त आयोग द्वारा किए गए समायोजनों को जारी रखा है, वास्तविक क्षेत्रफल में 2 प्रतिशत से कम वाले राज्यों को 2 प्रतिशत की न्यूनतम दर (फ्लोर रेट) प्रदान की है। राज्यों का वास्तविक भौगोलिक क्षेत्रफल, राज्यों के कुल क्षेत्रफल में राज्य-वार सापेक्ष अंश तथा आयोग द्वारा उनके समायोजन हेतु की गई परिकलन को अनुलग्नक 6.2 में दर्शाया गया है।

### वन एवं पारिस्थितिकी

6.46 चौहदवें वित्त आयोग ने अंतरण फार्मूले में मानदंड के रूप में वन क्षेत्र का प्रथम बार प्रयोग इस आधार पर किया था कि राज्यों द्वारा रखरखाव वाले वन क्षेत्र पारिस्थितिकीय लाभ प्रदान करते हैं परंतु उन्हें इसके लिए अवसर लागतों को बहुत कम करना पड़ता है जिनकी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता होती है। चौहदवें वित्त आयोग ने अंतरण फार्मूले में वन क्षेत्र को 7.5 प्रतिशत भारांक प्रदान किया था।

6.47 कई राज्यों ने सुझाव दिया है कि वन आवरण या वन की कुछ श्रेणियों को अंतरण फार्मूले में एक मानदंड के रूप में लिया जाए। कुछ ने वन से बाहर के वृक्ष आवरण, मेनग्रोव वन, वन में वृद्धिशील परिवर्तन आदि को मानदंड मानने का भी सुझाव दिया है। कुछ अन्य ने सुझाव दिया है कि वन आवरण को फार्मूले में मानदंड के रूप में न माना जाए। हमने अंतरण फार्मूले में वन आवरण के शामिल करने के प्रभावों पर विषय-



विशेषज्ञों से भी अध्ययन करवाएं है। इन अध्ययनों को हमारे दृष्टिकोण को और सुदृढ़ किया है जिसने वर्तमान समय में वन और पर्यावरणों को महत्त्व दिया है। पर्यावरण मुद्दों की महत्ता को देखते हुए अंतरण फार्मूले में वन का मानदंड बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करने और घने जंगलों को समर्पित क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को दूर करने के लिए इस मानदंड की आवश्यकता के पक्ष में भी कई ठोस तर्क हैं।

6.48 वन तथा पारिस्थितिकी मानदंड दोनों राज्यों के वन आवरणों द्वारा देश को प्रदान की जा रही पारिस्थितिकीय सेवाओं एवं लागत अक्षमताओं की प्रासंगिकताओं को परिलक्षित करता है। इसका परिकलन सभी राज्यों के कुल सघन वन में प्रत्येक राज्य के सघन वन की सापेक्ष भागीदारी से भी की जा सकती है। हमने वन और पारिस्थितिकी मानदंड के लिए 10 प्रतिशत का उच्चतर भारांक दिया है। भारांक की महत्ता को इनकी वैश्विक सार्वजनिक उपयोगिता, एक संसाधन जिसे वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण और खुले वनों के माध्यम से संरक्षित एवं विस्तारित किए जाने से हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता से समझा जा सकता है। अनुलग्नक 6.3 में वन तथा पारिस्थितिकी के समग्र मानदंड में वन आवरण तथा राज्यों की भागीदारी (हिस्सा) दर्शाया गया है।


## इक्विटी आधारित मानदंड

### आय-अंतर

6.49 पिछले कई वित्त आयोगों ने अंतरण फार्मूले में प्रतिव्यक्ति आय के अंतर को इक्विटी मानदंड के रूप में प्रयुक्त किया है। जिसमें अपनाए गए भारांक नौवें वित्त आयोग के 33.5 प्रतिशत से ग्यारहवें वित्त आयोग के 62.5 प्रतिशत के बीच रहे हैं। इस मानदंड का प्रयोजन अंतरण फार्मूले को और अधिक समकारी तथा प्रगामी बनाना है ताकि निम्न प्रतिव्यक्ति आय (तथा अपनी न्यून कर क्षमता) वाले राज्यों को उच्च अंतरण प्रदान किया जा सके। यहां राज्यों के बीच कर क्षमता के अंतर के लिए

### बॉक्स 6.2: क्षेत्रीय वितरण की प्रगामिता

कोविड-19 संकट ने राज्यों की स्वास्थ्य अवसंरचना पर भारी बोझ डाला है, विशेषकर जिनकी प्रति व्यक्ति कम आय होने के साथ उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। जैसा कि बीस बड़े राज्यों के बारे में चार्ट में दर्शाया गया है हमारे द्वारा अनुशंसित अंतरण प्रति व्यक्ति आधार पर प्रगतिशील है जो इस बात का संकेत है कि हमने निम्नतर प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों के लिए उच्चतर प्रति व्यक्ति कर-अंतरण की अनुशंसा की है।





प्रतिव्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन (जीएसडीपी) को परोक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न प्रतिव्यक्ति आय वाले गरीब राज्य को भी तुलनात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए उच्च व्यय की आवश्यकताएं होती हैं। अतः आय में अंतर के मानदंड से दो तरफा समकरण में मदद मिलती है।

6.50 लगभग सभी राज्यों ने शैतिज हस्तांतरण फार्मूले के अंतर्गत आय-अंतर के मानदंड को बनाए रखने का सुझाव दिया है। इस प्रकार, शैतिज इक्विटी एक महत्वपूर्ण पुनर्वितरणकारी विशेषता है जो इस मानदंड के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अतः इस आयोग ने आय-अंतर मानदंड को 45 प्रतिशत भारांक के साथ बनाए रखा है।


6.51 आय में अंतर का परिकलन चौहदवें वित्त आयोग द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप किया गया है। सभी राज्यों के लिए एक तीन वर्षीय औसत (2016-17 से 2018-19) प्रतिव्यक्ति तुलनात्मक जीएसडीपी ली गई है। आय अंतर का परिकलन उच्चतम प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य से अंतर लेकर की गई है। इस मामले में गोवा की उच्चतम प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी है इसके बाद सिक्किम की है। चूंकि यह बहुत ही छोटे तथा असामान्य (outlier) राज्य हैं, विरूपन से बचने के लिए तीसरे उच्चतम प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य हरियाणा को बैच मार्क माना गया है ताकि विकृतियों से बचा जा सके। प्रत्येक राज्य की प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी के अंतर को हरियाणा के प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी से परिकलित किया गया है। गोवा, सिक्किम तथा हरियाणा को आय अंतर वही दिया गया है जो चौथे उच्चतम प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी वाले राज्य-केरल के परिकलन से आया है। ये अंतर प्रत्येक राज्य की जनसंख्या (2011 की जनगणना) से मापा गया है और तब प्रत्येक राज्य का हिस्सा परिकल्पित किया गया है। यह ध्यान में आया है कि अधिकांश निम्न प्रतिव्यक्ति आय वाले राज्य अधिक जनसंख्या वाले भी हैं। इसलिए आय अंतर में जनसंख्या मापन का प्रयोग प्रगामी बन जाता है। अनुलग्नक 6.4 में आय अंतर मानदंड की प्रणाली तथा संगणना तालिका का ब्यौरा दिया गया है।

6.52 आय-अंतर मानदंड का उपयोग इक्विटी संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा निम्न प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों के पक्ष में करों के अंतरण को अत्यधिक प्रगामी बनाता है। जैसाकि बॉक्स 6.2 में दर्शाया गया है, निम्नतर प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य शैतिज फार्मूले के माध्यम से उच्चतर प्रति व्यक्ति कर-अंतरण प्राप्त करते हैं।

## निष्पादन आधारित मानदंड

### जनसांख्यिकीय निष्पादन

6.53 छठे वित्त आयोग (1974-79) से लेकर पिछले सभी वित्त आयोगों को अपने पंचाट की संस्तुति करते समय 1971 की जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लाने के अधिदेश थे। लगभग चार दशकों के उपरांत हमें अपनी संस्तुति देने के लिए नवीनतम जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लाने का अधिदेश प्राप्त हुआ है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कुछ राज्यों ने इस संबंध में गंभीर चिंता जताई है। हमारा मानना है कि नवीनतम जनगणना आंकड़ों के प्रयोग तथा मूलभूत आंकड़ों में आकस्मिक बदलाव से कुछ राज्यों को अनुचित रूप से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जिन्होंने जनसांख्यिकीय प्रबंधन के राष्ट्रीय प्रयोजन (लक्ष्य) में बेहतर प्रदर्शन किया है। आयोग के विचारार्थ विषय हमें राज्यों को उनके द्वारा जनसंख्या प्रतिस्थापन दर को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने और प्रगति के लिए पुरस्कृत करने पर विचार करने का भी संदर्भ देता है। अतः हमने ऐसे राज्यों को इस संबंध में अच्छा कार्य करने के लिए पुस्कार के तौर पर एक नए निष्पादन आधारित मानदंड की अनुशंसा करने का निर्णय लिया है। जिन्होंने बेहतर जनसांख्यिकीय प्रबंधन के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है और नीतियां अपनाई हैं।



6.54 यह आयोग सभी राज्यों की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) डाटा को पैमाना मानते हुए जनसांख्यिकीय निष्पादन के मानदंड की अनुशंसा करता है। इस मानदंड की संगणना 1971 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक राज्य के टीएफआर के व्युत्क्रम का उपयोग करके की गई है। चित्र 6.3 में, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य-वार कुल प्रजनन दर दर्शाई गई है। जिन राज्यों ने कम टीएफआर हासिल किया है उन्हें जनसांख्यिकीय निष्पादन में उच्चतर स्कोर मिलेगा जबकि उच्च टीएफआर वाले राज्यों को अपेक्षाकृत कम प्राप्तांक मिलेंगे। टीएफआर कम करने में बेहतर निष्पादन, स्वास्थ्य (विशेषकर मातृ-शिशु स्वास्थ्य), पोषण तथा शिक्षा के मामले में बेहतर नतीजों के एक संकेतक के रूप में भी कार्य करता है। अतः, यह मानदंड मानव पूंजी के इन महत्वपूर्ण सेक्टरों में बेहतर परिणामों वाले राज्यों को

पुरस्कृत भी करता है। चूंकि, राज्यों द्वारा अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण निष्पादन मानदंड है, इसलिए हमने कुल 12.5 प्रतिशत भारांक प्रदान करने का निर्णय लिया है। अनुलग्नक 6.1 में इस मानदंड की कार्यपद्धति एवं परिकलन का विवरण दिया गया है।

### कर संबंधी प्रयास

6.55 10वें, 11वें तथा 12वें वित्त आयोगों ने कर प्रयासों को अंतरण फार्मूले में प्रयुक्त कर राज्यों को अपने कर निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया था। बहुत से राज्यों ने कर संग्रहण की उच्च दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रयास निष्पादन मानदंड शामिल करने का सुझाव दिया है। आयोग का यह मत है कि मानदंड के रूप में कर प्रयास को शामिल करने से जहाँ उच्च कर संग्रह क्षमता वाले राज्य पुरस्कृत होंगे, साथ ही साथ यह सभी राज्यों को अधिक कर दक्ष बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा।

6.56 राज्यों के कर प्रयासों का परिकलन पहले किसी राज्य के प्रतिव्यक्ति स्वयं के कर राजस्व के उसकी पिछले तीन वर्षों (2016-2017 से 2018-19) की प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी के अनुपात से किया गया है। तत्पश्चात, इस अनुपात को राज्यवार उसकी जनसंख्या से मापा गया है। अंत में परिकलित मानदंड से राज्यों के पारस्परिक हिस्सों को निर्धारित किया गया है। अनुलग्नक 6.5 में इस मानदंड के लिए गणना तालिका दी गई है। इस मानदंड को 2.5 प्रतिशत का कुल भारांक दिया गया है।

6.57 कुल मिलाकर, क्षैतिज सूत्र और मानदंड से जुड़े सापेक्ष भारांक को तालिका 6.4 में संक्षेप में दर्शाया गया है। इस अध्याय की अंतिम टिप्पणी में सभी राज्यों की पारस्परिक क्षैतिज हिस्से के परिकलन की कार्यप्रणाली तथा गणितीय व्याख्या दी गई है।

**तालिका 6.4 क्षैतिज अंतरण के लिए निर्धारित मानदंड तथा भारांक**

मानदंड	भारांक (%)
जनसंख्या	15.0
क्षेत्रफल	15.0
वन एवं पारिस्थितिकी	10.0
आय-अंतर	45.0
कर एवं राजकोषीय प्रयास	2.5
जनसांख्यिकीय निष्पादन	12.5
	100.0

6.58 उपर्युक्त पद्धति के आधार पर 2021-22 से 2025-26 अवधि के लिए इस आयोग द्वारा यथा अनुशंसित करों से निवल आगम (विभाज्य पूल) में राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी तालिका 6.5 में दी गई है।

तालिका 6.5: राज्यों के पारस्परिक हिस्से

राज्य	हिस्सा (%)
आंध्र प्रदेश	4.047
अरुणाचल प्रदेश	1.757
असम	3.128
बिहार	10.058
छत्तीसगढ़	3.407
गोवा	0.386
गुजरात	3.478
हरियाणा	1.093
हिमाचल प्रदेश	0.830
झारखंड	3.307
कर्नाटक	3.647
केरल	1.925
मध्य प्रदेश	7.850
महाराष्ट्र	6.317
मणिपुर	0.716
मेघालय	0.767
मिजोरम	0.500
नागालैंड	0.569
ओडिशा	4.528
पंजाब	1.807
राजस्थान	6.026
सिक्किम	0.388
तमिलनाडु	4.079
तेलंगाना	2.102
त्रिपुरा	0.708
उत्तर प्रदेश	17.939
उत्तराखंड	1.118
पश्चिम बंगाल	7.523
	100

## अनुशंसाओं का सारांश

- i. हम इस आयोग की पंचाट अवधि के लिए राज्यों के लिए विभाज्य पूल के 41 प्रतिशत के ऊर्ध्वधर हिस्से को बनाए रखने की अनुशंसा करते हैं। (पैरा 6.29)
- ii. अंतरण में राज्यों के पारस्परिक हिस्से को निर्धारित करने के लिए, हमने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में अनुशंसित क्षैतिज हस्तांतरण संबंधी फार्मूले को बनाए रखा है। (पैरा 6.41)
- iii. क्षैतिज अंतरण के संबंध में, हमारा मत है कि 2011 की जनगणना के आंकड़े राज्यों की वर्तमान आवश्यकता को बेहतर तरीके से परिलक्षित करते हैं, निष्पक्ष होने के साथ-साथ, उन राज्यों को पुरस्कृत करने में भी सक्षम हैं जिन्होंने जनसांख्यिकीय प्रबंधन में बेहतर निष्पादन किया है। हमने जनसांख्यिकीय प्रबंधन निष्पादन के लिए प्रयुक्त मानदंड का 12.5 प्रतिशत भारांक प्रदान किया है। (पैरा 6.54)
- iv. मानदंड से संबद्ध क्षैतिज फार्मूला एवं भारांक को तालिका 6.4 (पैरा 6.57) में संक्षेप में दर्शाया गया है।
- v. उपर्युक्त पद्धति के आधार पर 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित करों के निवल आगम (विभाज्य पूल) में राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी तालिका 6.5 (पैरा 6.58) में दी गई है।

## अंतिम टिप्पणी

कर हिस्सेदारी फार्मूले में  $i^{\text{वें}}$  राज्य के पारस्परिक हिस्से  $S_i$  का निर्धारण छह पैरामीटरों या मानदंडों यथा- जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन एवं पारिस्थितिकी, आय-अंतर, राजकोषीय एवं कर प्रयास निष्पादन और राज्य की हिस्सेदारी के जनसांख्यिकीय प्रबंधन निष्पादन पर आधारित भारांकित योग के अनुसार निर्धारित किया गया है:

$$S_i = \sum_{m=1}^6 S_i^m \omega_m$$

जहां  $\omega_m = m^{\text{वें}}$  पैरामीटर का भारांक है तथा  $S_i^m$ ,  $m^{\text{वें}}$  पैरामीटर के अनुसार  $i$ -वें राज्य का पारस्परिक हिस्सा है।

प्रत्येक मानदंड/पैरामीटर के परिकलन की विधियां निम्नानुसार हैं:

### 1. जनसंख्या

$$i^{\text{वें}} \text{ राज्य का पारस्परिक हिस्सा} = \frac{\text{POP}_{i2011}}{\sum_{j=1}^{28} \text{POP}_{j2011}}$$

जहां  $\text{POP}_{jy}$  संबंध वर्ष  $y$  की जनगणना के अनुसार  $j^{\text{वें}}$  राज्य की जनसंख्या है।

### 2. क्षेत्रफल

क्षेत्रफल हिस्सों का परिकलन दो चरणों में किया गया है।

$$\text{चरण 1. } i^{\text{वें}} \text{ राज्य का पारस्परिक हिस्सा} = \frac{\text{Area}_i}{\sum_{j=1}^{28} \text{Area}_j}$$

जहां क्षेत्रफल $_i = i^{\text{वें}}$  राज्य का वास्तविक भौगोलिक क्षेत्रफल है।

चरण 2. 2 प्रतिशत से कम वास्तविक क्षेत्रफल हिस्से वाले राज्यों के संबंध में, 2 प्रतिशत निम्नसीमा हिस्सा निर्धारित की गई है। अंतिम हिस्सों को ज्ञात करने के लिए, शेष राज्यों के हिस्सों को 100 तक बढ़ाने के लिए योग में समायोजित किया जाता है।

### 3. वन एवं पारिस्थितिकी

- वनावरण ( $F_i$ ) = बहुत सघन वन + मध्यम सघन वन

$$FC_i = i^{\text{वें}} \text{ राज्य का पारस्परिक हिस्सा} = \frac{F_i}{\sum_{j=1}^{28} F_j}$$

#### 4. आय-अंतर

- $i^{\text{वें}}$  राज्य की तीन वर्ष (2016-17 to 2018-19) की औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (जीएसडीपीपीसी<sub>i</sub>)
- $d_i$  तृतीय उच्चतम राज्य, यानी हरियाणा की जीएसडीपीपीसी से  $i^{\text{वें}}$  राज्य की जीएसडीपीपीसी<sub>i</sub> की दूरी (अंतर) है
- शीर्ष तीन जीएसडीपीपीसी राज्यों- गोवा, सिक्किम और हरियाणा – को चतुर्थ उच्चतम राज्य अर्थात् केरल का बोधात्मक अंतर समनुदिष्ट किया गया है
- $D_i = d_i * POP_i_{2011}$

$$i^{\text{वें}} \text{ राज्य का पारस्परिक हिस्सा} = \frac{D_i}{\sum_{j=1}^{28} D_j}$$

#### 5. जनसांख्यिकीय निष्पादन

- जनगणना 2011 से,  $i^{\text{वें}}$  राज्य की कुल प्रजनन दर (TFR<sub>i</sub>) का परिकलन आयु-विशिष्ट प्रजनन दरों (ASFR<sub>i,k</sub>) से किया जाता है जहां ASFR<sub>i,k</sub>  $i^{\text{वें}}$  राज्य में  $k^{\text{वीं}}$  आयु-विशिष्ट प्रजनन दर है।

$$ASFR_{i,k} = \frac{i^{\text{वें}} \text{ राज्य में महिलाओं के } k^{\text{वें}} \text{ आयु समूह में पिछले वर्ष जीवित जन्मों की संख्या}}{i^{\text{वें}} \text{ राज्य में के } k^{\text{वें}} \text{ आयु समूह में वर्ष के मध्य में महिलाओं की जनसंख्या} \quad \#$$

# जनगणना 2011 द्वारा आयु समूह में पंजीकृत महिला जनसंख्या को वर्ष के मध्य में महिला जनसंख्या के रूप में लिया जाता है।

$i^{\text{वें}}$  राज्य की कुल प्रजनन दर है,

$$TFR_i = 5 \times \sum_{k=15-19}^{45-49} ASFR_{i,k}$$

जहां  $k = 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49$ .

- $DP_i = i^{\text{वें}}$  राज्य का जनसांख्यिकीय निष्पादन निम्नलिखित द्वारा दर्शाया जाता है-

$$DP_i = \frac{1}{TFR_i} \times POP_{i,1971}$$

- जनसांख्यिकीय निष्पादन आधारित राज्यों का पारस्परिक हिस्सा निम्न द्वारा दर्शाया जाता है-

$$i\text{वें राज्य का पारस्परिक हिस्सा} = \frac{DP_i}{\sum_{j=1}^{28} DP_j}$$

## 6. कर संबंधी प्रयास

- $T_i = i$ वें राज्य का अपना तीन वर्ष (2016-17 से 2018-19) का औसत प्रति व्यक्ति कर राजस्व

- $\overline{GSDPPC}_i =$  जीएसडीपीपीसी<sub>i</sub> का तीन वर्ष (2016-17 से 2018-19) का औसत

- कर अनुपात  $t_i = \frac{T_i}{\overline{GSDPPC}_i}$

- $i$ वें राज्य का कर प्रयास संबंधी निष्पादन  $TE_i = t_i \times POP_i$

$$i\text{वें राज्य का पारस्परिक हिस्सा} = \frac{TE_i}{\sum_{j=1}^{28} TE_j}$$



## अध्याय 7

# स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण

हमने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के बीच 67.5:32.5 के अनुपात में स्थानीय निकायों के लिए कुल 90,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की थी। अब, 2021-26 की पांच वर्षों की अवधि के लिए हम स्थानीय निकायों हेतु 4,36,361 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण और विकास के प्रमुख घटकों के रूप में कार्य करने हेतु शहरों की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा 2020-21 के लिए हमने अपनी रिपोर्ट में अपनाए गए सिद्धांतों की निरंतरता में, हमने ग्रामीण और शहरी निकायों हेतु 2020-21 के लिए अनुशंसित अनुपात को धीरे-धीरे बढ़ाते हुए 67.6: 32.5 से 2025-26, में 65:35 किए जाने की अनुशंसा की है, जोकि हमारी पंचाट अवधि का अंतिम वर्ष है। राज्यों के बीच अनुदानों के पारस्परिक वितरण हेतु आबादी के लिए 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल के लिए 10 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए अलग से निर्धारित किए गए अनुदानों में से, 60 प्रतिशत को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जैसेकि पेयजल आपूर्ति वर्षा जल संचयन और स्वच्छता के लिए अलग से निर्धारित किया गया है, जबकि 40 प्रतिशत अनाबद्ध (untied, यानी शर्तरहित या जिन्हें निर्दिष्ट नहीं किया गया है) हैं और इसका उपयोग पंचायती राज संस्थाओं द्वारा मूलभूत सेवाओं में सुधार लाने के लिए अपने विवेकानुसार किया जा सकता है।

आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदानों के आबंटन में एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। महानगरीय क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, पचास मिलियन-प्लस शहरों के लिए पांच वर्षों की पंचाट अवधि हेतु 38,196 करोड़ रुपए के एक चैलेंज फंड का प्रावधान किया गया है। इस निधि/फंड के एक-तिहाई भाग को पहचान किए गए गई पैरामीटर्स के आधार पर परिवेशी वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, जबकि शेष दो-तिहाई भाग पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन एवं

जल पुनर्चक्रण (*recycling*), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता पर सेवा स्तर के बैचमार्क को पूरा करने के लिए है।

एक मिलियन से कम आबादी वाले शहरों के लिए अनुशंसित 82,859 करोड़ रुपए के कुल अनुदानों में से, 40 प्रतिशत अनुदान अनाबद्ध हैं, जबकि 60 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए आबद्ध (*tied*, यानी सशर्त जिन्हें निर्दिष्ट किया गया) हैं।

सभी स्थानीय निकायों, यानी शहरी एवं ग्रामीण दोनों के लिए पिछले वर्ष के वार्षिक लेखाओं की वेब-आधारित उपलब्धता और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा, अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु प्रवेश स्तरीय शर्त है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए, अनुदान प्राप्त करने हेतु एक अतिरिक्त प्रवेश स्तरीय शर्त यह है कि राज्य के स्वयं के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को अनुबद्ध करते हुए संपत्ति करों के संग्रह में संगत सुधार का अनुपालन करते हुए संगत राज्य द्वारा संपत्ति करों की न्यूनतम आधारदरों (*minimum floor rates*) की अधिसूचना जारी करना है।

मौजूदा महामारी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय निकायों हेतु कुल अनुदानों में से 70,051 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए अलग से निर्धारित (*earmarked*) किए गए हैं।

हमने नए शहरों की स्थापना (*incubation*) के लिए अनुदानों के रूप में राज्यों हेतु 8,000 करोड़ रुपए और नगरनिगम साझा सेवाओं में सुविधाओं के लिए 450 करोड़ रुपए की भी अनुशंसा की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों के साथ परामर्श से इन दोनों अनुदानों को जारी करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणालियां बनाएगा।

7.1 आयोग के विचारार्थ विषय (टीओआर) का पैरा 4 आयोग को यह अधिदेश देता है कि वह “राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि का संवर्धन करने के लिए आवश्यक अध्युपाय” की अनुशंसा करेगा। इसके अलावा, टीओआर का पैरा 7 आयोग को राज्यों के लिए अभिशासन के उपयुक्त स्तर पर मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन “(vii) आधारभूत सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों को स्तरीय मानव संसाधन सहित, अनुदान सहायता का उपबंध और सेवाओं को सुपुर्दगी में सुधार लाने में निष्पादन अनुदान प्रणाली का कार्यान्वयन” और “(ix)

स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच को समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने में की गई प्रगति पर विचार करने का अधिदेश देता है। ”

## स्थानीय स्व-शासन का उद्भव

7.2 पंचायतें, प्राचीन काल से स्थानीय स्व-शासन का महत्वपूर्ण आधार रही हैं और भूमि वितरण एवं कर संग्रह से संबंधित अनेक ग्रामीण-स्तरीय मुद्दों से संबंधित विवादों समाधान के लिए कार्यपालिका एवं न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करती हैं। तथापि, पंचायतें औपचारिक शासन व्यवस्था व संरचना का हिस्सा नहीं थी। संविधान निर्माताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायतों को शक्ति देने की आवश्यकता को अभिस्वीकृत (recognized) किया है और राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) के अनुच्छेद 40 में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ‘राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां एवं प्राधिकार देगा जो उन्हें स्व-शासन की इकाइयों/यूनिट के रूप में कार्य करने के लिए जरूरी समझी जाएंगी।’ चूंकि संवैधानिक रूप से शहरी स्थानीय निकायों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को सामान्य तौर पर स्थानीय स्व-शासन के रूप में वर्णित किया गया है, अतः इस अध्याय का शीर्षक ‘स्थानीय शासन का सशक्तीकरण’ रखा गया है।

7.3 स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्व-शासन व्यवस्था/प्रणाली की परिकल्पना चार महत्वपूर्ण समितियों की रिपोर्टों के आधार पर की गई थी: बलवंत राय महता समिति (पंचायत राज संस्थाओं पर समिति, 1957), अशोक मेहत समिति (1977-1978), जी.वी.के. राव समिति (ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर समिति, 1985) और एल.एम. सिंघवी समिति (1986)। तथापि, संविधान में सन् 1992 में तिहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संशोधनों को पारित करने के साथ, इन संस्थाओं को शासन प्रणाली में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। 1993 भारत में विकेंद्रीकृत शासन का महत्वपूर्ण युग था, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से एक तीसरे स्तर की शासन व्यवस्था उभरकर आई। इसके परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (3) के अंतर्गत उप-खंड (ख ख) और (ग) को जोड़ने के बाद, वित्त आयोग की भूमिका भी बढ़ गई। अनुच्छेद 280 (3)(खख) से तात्पर्य उन उपायों से है जो किसी राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों हेतु सहायता देने हेतु राज्य की समेकित निधि का वर्धन करने के लिए आवश्यक होंगे। इसी प्रकार से, अनुच्छेद 280 (3) (ग) से तात्पर्य उन उपायों से है जो किसी राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई

अनुशांसाओं के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं के संसाधनों हेतु सहायता देने हेतु राज्य की समेकित निधि का वर्धन करने के लिए आवश्यक होंगे। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के अनुसार, तब से लेकर पूरे देश में लगभग 0.26 मिलियन ग्रामीण स्थानीय निकायों में लगभग 3.1 मिलियन प्रतिनिधियों को नियमित तौर पर चुना गया है। जमीनी स्तर (grassroots level) पर मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के कारण पंचायती राज संस्थाएं नागरिकों और शासन के बीच एक प्राथमिक स्तंभ (इंटरफेस) बन गई हैं।

7.4 ग्रामीण स्थानीय निकायों की तरह, शहरी स्थानीय निकायों का भी एक लंबा इतिहास है। चैन्नई (जिसे पूर्व में मद्रास के नाम से जाना जाता था) में नगर निगम की स्थापना 1,687 में और कोलकाता (जिससे तत्कालीन समय में कलकत्ता के नाम से जाना जाता था) तथा मुंबई (जिसे तत्कालीन समय में बम्बई के नाम से जाना जाता था) की स्थापना सन् 1726 में हुई। इन शहरों के तहत लगभग 206 नगरनिगम और 1,683 नगरपालिकाएं तथा 2,411 नगर पंचायतें हैं।<sup>1,2</sup>

## पूर्ववर्ती आयोगों का दृष्टिकोण

### विचारार्थ विषय

7.5 तिहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संशोधन के पश्चात, अभी तक चार वित्त आयोगों- ग्यारहवें वित्त आयोगों से लेकर चौदहवें वित्त आयोग - ने स्थानीय निकायों के लिए अपनी अनुशांसाएं की हैं। सभी आयोगों के लिए विचारार्थ विषय समान रहा है। तदनुसार, प्रत्येक आयोग ने स्थानीय शासनों के प्रभावकारी कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किए और उचित अनुशांसाएं की।

7.6 चूंकि दसवें वित्त आयोग का गठन संशोधनों के लागू होने के एक वर्ष पहले सन् 1992 में हुआ था, इसलिए उसके टीओआर में स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों पर विचार करने की अपेक्षा नहीं की गई थी। तथापि, उसने इनके लिए अनुदानों की अनुशांसा की, जो ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विभाज्य पूर्णों के 1.38 प्रतिशत के बराबर थे, ताकि आयोग की पंचाट अवधि के दौरान सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने में उन्हें सहायता मिल सके।


<sup>1</sup> नगर पंचायतों में नगर पालिका परिषदें, छोटे नगर की समितियां, नगर परिषदें, अधिसूचित क्षेत्र समितियां शामिल हैं।

<sup>2</sup> इस सूचना को राज्य सरकारों द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए टॉपिक नोट्स से संकलित किया गया है।

## निधियों का परिमाण हिस्सेदारी (Quantum)

7.7 उत्तरोत्तर वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित अनुदानों में निरपेक्ष (Absolute Numbers) तौर पर बढ़ोत्तरी होती गई (चित्र 7.1)। उदाहरण के लिए, 2,87,436 करोड़ रुपए के स्तर पर, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित संयोजित अनुदान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 87,519 करोड़ रु. की तुलना में तीन गुणा अधिक थे। तेरहवें वित्त आयोग को छोड़कर पूर्व के सभी वित्त आयोगों ने इन निकायों के लिए अनुदानों की अनुशंसा निरपेक्ष रूप से की थी न कि विभाज्य पूल के अनुपात में। ग्यारहवें वित्त आयोग को छोड़कर, स्थानीय निकायों की हिस्सेदारी आयोग-दर-आयोग बढ़कर चौदहवें वित्त आयोग के तहत बढ़कर 3.06 प्रतिशत हो गई थी। हमने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में 2020-21 हेतु 90,000 करोड़ रुपए के कुल अनुदान की अनुशंसा की थी, जोकि उस वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमानित विभाज्य पूल के 4.31 प्रतिशत के समतुल्य थे।

चित्र 7.1: विभिन्न आयोगों द्वारा स्थानीय शासनों के लिए अनुशंसित अनुदान



नोट: RLBs – ग्रामीण स्थानीय निकाय; ULBs – शहरी स्थानीय निकाय

7.8 तथापि, संवितरित की गई वास्तविक राशियां, आयोगों द्वारा अनुशंसित राशियों की तुलना में कम (शॉर्टफॉल) हैं (तालिका 7.1)। ग्रामीण स्थानीय निकायों के संबंध में, शॉर्टफॉल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच तथा शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में 10 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के बीच था। दसवें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए शॉर्टफॉल सर्वाधिक था, जबकि तेरहवें वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों के लिए सर्वाधिक था। इसका कारण आयोगों द्वारा निष्पादन अनुदानों के लिए निर्धारित की गई शर्तों (conditionalities) को पूरा करने में स्थानीय निकाय का विफल रहना। कभी-कभी संबंधित संघ सरकार के मंत्रालयों ने भी शर्तें निर्धारित की थीं।

तालिका 7.1: वास्तविक रूप से जारी की गई राशियों की तुलना में अनुशंसित अनुदान

(करोड़ रु.)

अनुदान	ग्रामीण स्थानीय निकाय			शहरी स्थानीय निकाय		
	अनुशंसित	जारी राशियां	जारी राशियों का%	अनुशंसित	जारी राशियां	जारी राशियों का %
दसवां वित्त आयोग	4381	3576	81.6	1000	834	83.4
ग्यारहवां वित्त आयोग	8000	6602	82.5	2000	1752	87.6
बारहवां वित्त आयोग	20000	18927	94.6	5000	4470	89.4
तेरहवां वित्त आयोग	64408	58257	90.7	23111	18980	82.1
चौदहवां वित्त आयोग	200292	179491	89.6	87144	74259	85.2

नोट: चौदहवां वित्त आयोग: 2019-20 (संशोधित अनुमान) पर आधारित। तेरहवें वित्त आयोग: वास्तविक विभाज्य पूल पर आधारित अनुशंसित अनुदान। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित अनुदान अपने स्वरूप में गत्यात्मक/डायनामिक थे: (क) मूल अनुदान पिछले वर्ष के विभाज्य पूल के 1.50 प्रतिशत के समतुल्य था; (ख) निष्पादन अनुदान- 2011-12 से प्रभावी-2011-12 के लिए 0.50 प्रतिशत था, और उसके बाद 2014-15 तक 1 प्रतिशत था; (ग) स्थानीय निकायों के लिए एक वर्ष हेतु अनुदान सहायता पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों के विभाज्य पूल के अनुपात पर आधारित थी; और (घ) 1,357 करोड़ रुपए विशेष क्षेत्रों के लिए अनुदान के रूप में आर्बिट्रि किए गए थे। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित आबंटन में 1,357 करोड़ रुपए भी शामिल थे, जिन्हें विशेष क्षेत्रों के लिए आर्बिट्रि किया गया था।

## क्षैतिज वितरण का आधार (*Basis of Horizontal Distribution*)

7.9 स्थानीय निकायों हेतु राज्यों के लिए संसाधनों की अनुशंसा करते हुए, अलग-अलग आयोगों ने भिन्न मानदंडों को अपनाया। यद्यपि, आबादी एवं भौगोलिक क्षेत्रफल सभी पूर्व पांच आयोगों की अवधियों के लिए एक कॉमन मानदंड था, किंतु इक्विटी एवं दक्षता मानदंड, जैसेकि उच्चतम प्रतिव्यक्ति आय से अंतर, वंचन सूचकांक (deprivation index), विकेंद्रीकरण सूचकांक और राजस्व जुटाने के प्रयासों के लिए सभी आयोगों के मानदंड भिन्न थे (तालिका 7.2)।

तालिका 7.2: वित्त आयोगों द्वारा स्थानीय शासनो हेतु राज्यों के लिए अनुशंसित अनुदानों के वितरण हेतु मानदंड

(प्रतिशत में)

	एफसी- X	एफसी- XI	एफसी- XII	एफसी-XIII		एफसी - XIV	एफसी -XV
				आरएलबी	यूएलबी		
आबादी (जनगणना)	100 1971	40 1971	40 2001	50 2001		90 2011	90 2011
भौगोलिक क्षेत्रफल	-	10	10	10		10	10
उच्चतम प्रतिव्यक्ति आय से अंतर	-	20	20	10	20	-	-
विकेंद्रीकरण का सूचकांक	-	20	-	15		-	-
बंधन का सूचकांक			10			-	-
राजस्व प्रयास	-	10	20	-		-	-
आबादी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का अनुपात	-	-	-	10	0	-	-
एफसी स्थानीय निकाय अनुदान उपयोग सूचकांक	-	-	-	5		-	-

## प्राथमिक एवं निष्पादन संबंधी अनुदान

7.10 दसवें वित्त आयोग ने यह निर्दिष्ट किया था कि राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदानों के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए। स्थानीय निकायों से इस प्रयोजन हेतु बराबर योगदान देने की अपेक्षा की गई थी। वेतन एवं मजदूरियों पर व्यय के लिए कोई भी अनुदान राशि उपयोग नहीं की जानी थी।

7.11 ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि अनुदानों पर प्रथम प्रभार (first charge) लेखाओं के रखरखाव एवं लेखापरीक्षा के लिए, उसके उपरांत वित्तीय डाटाबेस के विकसित हेतु किया जाना चाहिए। शेष राशियों का उपयोग प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या, शुद्ध पेयजल, सड़कों पर विद्युत प्रकाश व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसी प्रमुख सेवाओं, दाह-संस्कार एवं दफनाने वाले स्थलों का रखरखाव, जन सुविधाओं एवं अन्य कॉमन संपत्तियों के लिए किया जाना था। वेतन एवं मजदूरियों के भुगतान के निषेध को छोड़कर, ये अनुदान अनाबद्ध थे।

7.12 बारहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि पंचायतों द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सेवा को प्रदान किए जाने के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना

चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों से भी यह अपेक्षा की गई थी कि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से लेखाओं के रखरखाव एवं वित्तों पर डाटाबेस सृजित करने के लिए व्यय करने पर उच्च प्राथमिकता दें।

7.13 निष्पादन अनुदान का उपयोग करने हेतु तेरहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए छः शर्तें और शहरी स्थानीय निकायों के लिए नौ शर्तें निर्दिष्ट की थीं। इन सभी शर्तों को पंचाट के प्रत्येक वर्ष में पूरा किया जाना था। संविधान के भाग IX एवं IX-A से बाहर किए गए क्षेत्रों के लिए एक विशेष क्षेत्र अनुदान का प्रावधान किया गया था। इस अनुदान के दो घटक थे – एक विशेष क्षेत्र मूल अनुदान (basic grant) और एक विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान। विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए चार शर्तों को पूरा किया जाना था। राज्यों द्वारा अपने निष्पादन अनुदान का आहरण (draw) करने में विफल रहने की स्थिति में, आहरण नहीं की गई राशि को एक तरीके से पुनःवितरित किया जाना था।

7.14 चौदहवें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा दो भागों में की थी— एक शर्त रहित मूल अनुदान और एक सशर्त निष्पादन अनुदान। विधिवत रूप से गठित पंचायतों के लिए, शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच अनुपात 90:10 था और नगर पालिकाओं के लिए यह 80:20 था। मूल अनुदान का उपयोग विनिर्दिष्ट मूलभूत नागरिक सेवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए किया जाना था। निष्पादन अनुदान राजस्व में सुधार आने के आधार पर था जिसके लिए मानदंड (दिए जाने वाले प्रोत्साहन के परिमाण/हिस्सेदारी सहित) को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाना था। निष्पादन अनुदानों के लिए पात्रता हेतु स्थानीय निकायों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों में वृद्धि करनी थी और लेखापरीक्षित लेखा भी प्रस्तुत करने थे। नगरपालिकाओं को, इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष में मूलभूत शहरी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तरीय बैचमार्क को प्रकाशित भी करना था। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय ने निष्पादन अनुदानों को प्राप्त करने के लिए कुछ और शर्तें रखीं, जैसे कि ग्राम पंचायत विकास योजना, सेक्टर-वार व्यय को एक डैशबोर्ड में प्रदर्शित करना और (क) स्वयं के राजस्व स्रोत में प्रतिशत वृद्धि, (ख) ग्राम पंचायतों की खुले में शौच से मुक्ति (open defecation free (ओडीएफ) की स्थिति और (ग) ग्राम पंचायतों में टीकाकरण स्तर के आधार पर उनके लिए स्कोर (score) निर्धारित करने जैसे कार्यों को पूरा करना।

7.15 चौदहवें वित्त आयोग से हटकर, हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में पंचायतों के सभी तीन स्तरों तथा संविधान की पांचवीं एवं छठीं अनुसूचियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में छावनी बोर्डों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया था। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के



पचास प्रतिशत को (क) स्वच्छता एवं ओडीएफ स्थिति और (ख) पेयजल की आपूर्ति एवं वर्षा जल संचयन के लिए आबद्ध किया गया था। चूंकि अनुदान केवल एक वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट किए गए थे, इसलिए उन्हें जारी करने के लिए निष्पादन संबंधी शर्तें नहीं लगाई गई थीं। मिलियन-प्लस शहरों, अर्थात् एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहर या बस्ती-समूहन (agglomerations) के लिए 2020-21 में 9,229 करोड़ रुपए के कुल अनुदानों (4,400 करोड़ रुपए परिवेशी वायु गुणवत्ता (ambient air quality) में सुधार लाने के लिए और 4,829 करोड़ रुपए पर्यावरण के संरक्षण, जल की आपूर्ति और प्रभावकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने के लिए) को पूर्ण रूप से आबद्ध किया था। इस अनुदान को दो बराबर की किस्तों में जारी किया जाना था। 2020-21 की दूसरी छमाही में परिवेशी वायु गुणवत्ता के संदर्भ में जारी की गई दूसरी किस्त सशर्त थी। पहली किस्त का उपयोग सेवाओं में सुधार लाने तथा उनके मापन (measurement) के लिए की गई कार्रवाइयों पर किया जाना था। आगे चलकर, एक रोडमैप में यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया था कि इस प्रकार के निष्पादन मानदंड 2021-22 से 2015-26 की अवधि में संगत अनुदानों को जारी करने के आधार होंगे। मिलियन-प्लस शहरों को छोड़कर, नगरों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए 50 प्रतिशत अनुदानों को (क) पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण) और (ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आबद्ध थे। 2020-21 के लिए हमारी रिपोर्ट में हमने लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखाओं को सामयिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध न किए जाने के दीर्घकालिक मुद्दे पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया।

## लेखा एवं लेखापरीक्षा

7.16 करदाताओं से अर्जित आगम का उपयोग करने वाली सरकार के किसी भी अंग के लिए सुशासन हेतु एक प्राथमिक अनिवार्यता यह है कि वह लेखाओं (लेखापरीक्षित लेखाओं) को सामयिक रूप से सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराए। इस प्रकार की सूचना के अभाव में पूर्व वित्त आयोग ने भी ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों की आवश्यकता (जिससे वे अपने मुख्य कार्य को कार्यान्वित करें और विकास पर खर्च कर सकें) का वास्तविक तौर पर आकलन करने में महसूस की गई कठिनाई को उजागर किया था। ग्यारहवें वित्त आयोग सेलेकरविभिन्न वित्त आयोगों ने इस मुद्दे को उजागर किया है, लेकिन इस संबंध में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इस दीर्घकालिक विवादास्पद मुद्दे का समाधान करने के लिए हमने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि पिछले वर्ष के लेखाओं (लेखापरीक्षा के बिना) और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित

लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए प्रवेश-स्तर की शर्त होगी।

7.17 भारत में स्थानीय निकायों के संबंध में दो मुख्य समस्याएं हैं: (क) लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखाओं को सामयिक आधार पर तैयार नहीं किया जाना और (ख) स्थानीय निकायों द्वारा अपने लेखाओं का वर्गीकरण, जिससे उन्हें संघ सरकार और राज्य सरकारों के लेखाओं के साथ समेकन करने में सहायता मिल सके। ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि वे सभी स्तर के ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं के रख-रखाव और लेखापरीक्षा को नियंत्रित एवं उनका पर्यवेक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि उसकी रिपोर्ट राज्य विधानमंडल की समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

7.18 बारहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि सीएजी द्वारा सुझाए गए फॉर्मेट में अलग-अलग (disaggregated) डाटा का संकलनकरना राज्य वित्त आयोगों के लिए जरूरी है ताकि वे स्थानीय निकायों की आय एवं व्यय आवश्यकताओं का आकलन कर सकें। डाटाबेस के सृजन तथा लेखाओं के रखरखाव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करने हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

7.19 तेरहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि यद्यपि, सीएजी को तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण करना चाहिए, लेकिन वास्तविक लेखापरीक्षा के एक बड़े भाग को स्थानीय निधि (local fund) से संबंधित लेखापरीक्षा विभागों द्वारा कराई जानी चाहिए। अतः सभी सरकारों को मौजूदा श्रमशक्ति के क्षमता निर्माण और कार्मिकों की संख्या बढ़ाकर अपने स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभागों को पर्याप्त रूप से सशक्त करना चाहिए।

7.20 चौदहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किए गए लेखाओं में उनके स्वयं के करों से प्राप्त आय, उनके द्वारा जुटाए गए करों से प्राप्त आय, राज्य से प्राप्त अनुदान, वित्त आयोग अनुदान तथा संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उन्हें किसी अन्य एजेंसी के लिए किए जाने वाले सौंपे गए कार्यों के लिए प्राप्त अनुदान स्पष्ट तौर पर दर्शाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी अनुशंसा की थी कि सीएजी द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण को जारी रखा जाना चाहिए और स्थानीय निकायों को अपने लेखाओं का संकलन करने में और उनकी समय पर लेखापरीक्षा कराने में राज्यों द्वारा उन्हें सुविधा दी जानी चाहिए।

7.21 2020-21 के लिए हमारी रिपोर्ट में हमने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक प्रवेश स्तरीय शर्त रखी थी कि वे हमारे द्वारा अनुशासित अनुदानों को प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होंगे, जब अलग-अलग स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा से पहले और उसके बाद अपने लेखाओं को 2021-22 से सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराएंगे।

## संविधान की अनुसूची से बाहर किए गए क्षेत्रों का निर्धारण

7.22 संविधान के अनुच्छेद 243M के तहत तिहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संशोधन पांचवीं एवं छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों (जहां राज्यों ने चुनावी प्रक्रिया से विधिवत रूप से पंचायतों और नगरपालिकाओं को स्थापित करने के लिए कानून नहीं बनाए गए हैं) और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम (पीईएसए) 1996 लागू किए जाने के बाद इन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। जिससे तालिका 7.3 में दर्शाया गया है।

**तालिका 7.3: ऐसे क्षेत्र जहां संविधान के भाग IX एवं IX-A के उपबंध (provisions) लागू नहीं हैं**

राज्य/राज्य के भीतर के क्षेत्र	उपबंध, जिनके अधीन छूट दी गई है।
मेघालय	अनुच्छेद 243M के अधीन छूट दिए गए क्षेत्र और छठी सूची द्वारा कवर किए गए क्षेत्र, शिलोंग नगरपालिका क्षेत्रों के चयनित क्षेत्रों को छोड़कर।
मिजोरम	अनुच्छेद 243M के अधीन छूट दिए गए क्षेत्र, छठी अनुसूची द्वारा कवर किए गए दो प्रशासनिक जिले, तांगलाई एवं सैह।
असम: बोडोलैंड, उत्तरकछार एवं कार्बी आंगलॉंग जिले	छठी अनुसूची द्वारा कवर किए गए क्षेत्र।
त्रिपुरा	छठी अनुसूची द्वारा कवर किया गया केवल त्रिपुरा जनजातीय जिला।
नागालैंड	अनुच्छेद 243M के अधीन छूट दिए गए क्षेत्र और छठी अनुसूची से कवर नहीं किए गए क्षेत्र।
मणिपुर: पर्वतीय क्षेत्र, जहां जिला परिषदें हैं	अनुच्छेद 243M के अधीन छूट दिए गए क्षेत्र और छठी अनुसूची द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्र।
पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र, जिन्हें गोरखा पर्वतीय परिषद द्वारा	संविधान के अनुच्छेद 243M (3) /243ZC (2) के अधीन छूट दिए गए क्षेत्र और छठी अनुसूची में कवर नहीं किए गए क्षेत्र।

7.23 दसवें वित्त आयोग ने यह अधिदेश दिया था कि अनुदानों को उन राज्यों को भी वितरित किया जाएगा जिनके लिए पंचायतें स्थापित करने की अनिवार्यता नहीं है ताकि समान स्थानीय स्तरीय प्रतिनिधित्व करने वाले निकायों को संसाधनों के लिए सहायता दी जा सके। तथापि, ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह निर्दिष्ट किया था कि संविधान की अनुसूची से बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए उसके द्वारा अनुशंसित अनुदान संबंधित राज्यों को तभी उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जब वे उक्त क्षेत्रों हेतु तिहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संशोधनों के उपबंधों को लागू करने हेतु संबद्ध विधायी कानून लागू करें।

7.24 बारहवें वित्त आयोग ने इस बात को नोट करते हुए कि बाहर रखे गए इन क्षेत्रों हेतु तिहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संशोधनों के कुछ उपबंधों को लागू करने हेतु छठी अनुसूची में एक विधेयक उस समय गृह मंत्रालय के विचाराधीन था, सामान्य एवं बाहर किए गए क्षेत्रों के लिए अलग अनुदानों का उल्लेख नहीं किया और इस बात को राज्यों पर छोड़ दिया कि वे अपने और उनके बीच अनुदानों को वितरित करें।

7.25 यद्यपि, तेहरवें वित्त आयोग ने संविधान के भाग IX एवं IX-A, अनुच्छेद 244, 280 और 275 को ध्यान में रखते हुए बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए 1,357 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की थी, किंतु चौदहवें वित्त आयोग ने इन क्षेत्रों के लिए अनुदानों की अनुशंसा नहीं की थी।

7.26 हालांकि चौदहवें वित्त आयोग ने बारह रखे गए क्षेत्रों के लिए किसी भी अनुदान की अनुशंसा नहीं की थी, लेकिन हमने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में 90:10 के अनुपात में आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर राज्य के भीतर आने वाले ऐसे क्षेत्रों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की थी।

## राज्य वित्त आयोगों की स्थिति एवं प्रभावकारिता

7.27 संविधान (अनुच्छेद 243-I(1) से 243-I (4)) के अनुसार, राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की भूमिका वैसी ही है, जैसेकि संघ सरकार के स्तर पर वित्त आयोग की है। जैसा कि मूल रूप से परिकल्पना की गई थी, वित्त आयोगों को राज्य की संचित निधि के वर्धन हेतु किए जाने वाले उपायों के लिए अनुशंसा करनी होती है ताकि राज्य अपने वित्त आयोगों द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय निकायों के संसाधनों में सहायता दे सकें।

7.28 संविधान का अनुच्छेद 243-I अपेक्षा करता है कि 'प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति' पर राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जाए। इस खंड का आशय यह है कि राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को किए गए सभी हस्तांतरणों को वर्तमान (नव-गठित) राज्य वित्त आयोग के अधिदेश द्वारा अभिशासित किया जाना चाहिए। किसी भी राज्य वित्त आयोग को दिया गया अधिदेश केवल पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा, जिसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन, वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं हुआ। वित्त आयोगों को राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं का लाभ नहीं मिला, क्योंकि अधिकतर राज्य सरकारें उन्हें समय पर गठित नहीं करती हैं, और इस संवैधानिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने को अधिक महत्व नहीं देती हैं। अब भी केवल पंद्रह राज्यों ने पांचवें या छठे वित्त आयोगों का गठन किया है। कई राज्य ऐसे भी हैं, जिन्होंने दूसरे या तीसरे वित्त आयोगों के बाद कोई अन्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया है। वर्तमान आयोग को भी राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर उपायों का सुझाव देने में इसी प्रकार की चुनौती का सामना करना है। राज्यों के राज्य वित्त आयोगों की वर्तमान स्थिति को तालिका 7.4 में दर्शाया गया है।

**तालिका 7.4: राज्य वित्त आयोगों के गठन की स्थिति**

राज्य	अंतिम एसएफसी का गठन
असम, बिहार, पंजाब, राजस्थान	VI
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश	V
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल	IV
छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड और मणिपुर	III
अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम	II
पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर एवं तेलंगाना	I

स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत इनपुट।

7.29 राज्य वित्त आयोगों को खराब प्रशासनिक सहायता, अपने सुचारू संचालन के लिए अपर्याप्त संसाधनों तथा राज्य विधानमंडलों के समक्ष ऐक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) को बिलंब से प्रस्तुत करने जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमने राष्ट्रीय लोकवित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) से एक अध्ययन कराया, जिसके अनुसार राज्य वित्त आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किया गया औसत बिलंब लगभग सोलह माह है।

## हितधारकों के विचार

### संघ सरकार

7.30 आयोग ने संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठकें कीं ताकि उसकी पंचाट अवधि के दौरान उनकी निधियों की आवश्यकता का पता लगाया जा सके। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) क्रमशः ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए नोडल मंत्रालय हैं। दोनों ने व्यापक योजनाओं और उनके लिए अनुदानों के परिणाम का पक्ष रखा। इनका सारांश नीचे दिया जा रहा है।

### पंचायती राज मंत्रालय

7.31 हमें 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद पंचायती राज मंत्रालय से संशोधित ज्ञापन मिला, जिसमें मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि हमारी 2021-26 की पंचाट अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किए जाने चाहिए। मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया था कि प्रारंभिक चार वर्षों, अर्थात् 2021-22 से 2024-25 के लिए इस अनुदान को मूलभूत सेवाओं की सुनिश्चिता के लिए 50 प्रतिशत अनाबद्ध रखा जाना चाहिए और शेष 50 प्रतिशत को पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए आबद्ध किया जाना चाहिए। पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता में प्रत्याशित क्रमिक ठहराव को ध्यान में रखते हुए, पांचवें वर्ष, यानी 2025-26 में अनुदान के आबद्ध घटक को घटाकर 25 प्रतिशत और अनाबद्ध घटक को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जाना चाहिए। अनाबद्ध अनुदानों में से पंचायती राज संस्थाओं को आउटसोर्सिंग या संविदा के माध्यम से मूलभूत सेवाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनको यह भी अनुमति होनी चाहिए कि वे विभिन्न राजस्व/आवर्ती व्ययों, जैसेकि परिचालन, रखरखाव, मजदूरी भुगतान, इंटरनेट एवं टेलीफोन के खर्च, ईंधन खर्च, किराया और आपदाओं के दौरान आकस्मिक व्यय हेतु अनुदानों का उपयोग कर सकें।

7.32 मंत्रालय ने पांच-वर्ष की अवधि के लिए 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान की मांग की जिससे ग्राम पंचायतें (जिनके पास अभी अपना स्वयं का कार्यालय भवन नहीं है) समयबद्ध रूप से कार्यालय का निर्माण करा सकें। मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों में बहु-प्रयोजन वाले सामुदायिक भवनों/ केंद्रों के निर्माण के लिए भी अनुदानों का अनुरोध किया ताकि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों तथा महिला स्व-सहायता समूहों जैसे सामुदायिक-आधारित संगठनों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण ग्रामीण

बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में सहायता मिल सके। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सामुदायिक क्षमताओं का लाभ उठाकर निभाई गई उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया (बॉक्स 7.1)।

### बॉक्स 7.1 भागीदारी, तालमेल और सामुदायिक संवर्ग

देशभर में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि कोविड-19 महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने में काफी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने मिड-डे-मील कार्यक्रम/पोषण अभियान के तहत स्थापित दीदी/सामुदायिक रसोई घर की शुरुआत करने जैसी अनेक पहलों के लिए विभिन्न हितधारकों, जैसेकि स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), अग्रपंक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं-सहायक परिचारिकों धात्री (नर्स मिडवाइफ (एनएनएम), प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और आंगनवाड़ी कार्मिकों के साथ घनिष्ठ रूप में सहयोग किया। उन्होंने सामुदायिक रसोई घर संचालित करने में एसएचजी को सक्षम बनाने और सावर्जनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यन्नों की आपूर्ति में भी जिम्मेदारी निभाई। पंचायती राज संस्थाएं, जो आधारभूत स्तर पर तृतीय स्तर के शासन के रूप में कार्य कर रही हैं, ने संकट के समय में सामुदायिक क्षमताओं को विकसित करने और उनसे लाभ उठाने की आवश्यकता को तथा एक मजबूत सामाजिक संवर्ग सृजित करने की आवश्यकता को भी उजागर किया।

## आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

7.33 हमारी 2020-21 की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने भी हमें अपना संशोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया। मंत्रालय द्वारा उठाए गए मद्दुओं का सारांश नीचे दिया जा रहा है:

- i. मंत्रालय ने अनुरोध किया था कि अनुदान प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि के साथ-साथ संपत्ति कर में वृद्धि की लगाई गई अनिवार्य शर्त को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई सहसंबंध नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि बजाय इसके, शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य शर्त यह होनी चाहिए कि वे परिचालनों और रखरखाव लागत को कवर करने हेतु प्रयोक्ता प्रभारों और संपत्तिकर दरों के आधार पर संग्रह बढ़ाने के लिए एक रोडमैप को अधिसूचित करें।

- ii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को मिलियन-प्लस शहरों के लिए अनुदानों के संदर्भ में नोडल मंत्रालय बनाया जाए, ताकि वह वायु प्रदूषण की जांच करने हेतु यांत्रिक रूप से साफ-सफाई हेतु मशीनों का उपयोग करने, गैर-मोटरीकृत परिवहन (पैदल एवं यांत्रिक) को बढ़ावा देने, जल छिड़काव (वॉटर परकुलेशन) आदि की सुविधा के साथ सड़क के किनारों पर जल छिड़काव, आदि जैसे कदम उठा सके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) को वायु गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु सिस्टम स्थापित करने के लिए, एक अलग अनुदान दिया जा सकता है।
- iii. अनौपचारिक बस्तियों एवं कम आय वाली पड़ोसी बस्तियों में लोक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (health care) निदानशालाओं (क्लिनिकों) हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिए अलग से अनुदान दिए जा सकते हैं।
- iv. सिटी फाइनेंस पोर्टल (जो मानकीकृत, शहरों पर समयबद्ध एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना के वास्तविक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है) के माध्यम से एक प्रभावकारी म्युनिसिपल बोरोविंग मार्किट सृजित किया जाना चाहिए। यह पोर्टल विभिन्न वित्तीय संकेतकों<sup>3</sup> के आधार पर, राज्यों के बीच बैचमार्किंग, तुलना और पीयर लर्निंग में सुविधा प्रदान करता है।
- v. नगरपालिकाओं के संसाधन अंतर को कम करने के लिए अनुदानों में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता है, जो 2021-22 से 2025-26 के दौरान 12.27 लाख करोड़ रुपए रह सकता है।
- vi. नगरपालिकाओं के लिए अंतरण में चौदहवें वित्त आयोग के पंचाट की तुलना में कम से कम चार गुणा वृद्धि की जाए (3,48,575 रुपए करोड़ तक)।
- vii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एवं महा लेखा नियंत्रक (सीजीए) को लेखा अनुरक्षण प्रणाली, राष्ट्रीय नगरपालिका लेखाकरण मैनुअल (एनएमएएम) विकसित करना चाहिए, जिसे लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने 213 करोड़ रुपए (193 करोड़ रुपए राज्य सरकारों के लिए और 20 करोड़ रुपए एमओएचयूए के लिए) की कुल निधि की आवश्यकता का सुझाव दिया है।
- viii. मंत्रालय ने नगरपालिका-क्लस्टर्स द्वारा साझा किए गए सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए की मांग की।

---

<sup>3</sup><https://cityfinance.in/home>



- ix. मंत्रालय का विचार था कि एक मॉडल संपत्तिकर विधायन के बजाय, एक ऐसी टूलकिट होनी चाहिए जिसमें (क) संपत्ति कर लाइफ साइकिल के प्रत्येक चरण में सभी राज्यों/शहरों की सर्वश्रेष्ठ रीतियां; (ख) मॉडल सांविधिक प्रावधान होने चाहिए, जिन्हें संपत्ति कर प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु मौजूदा संपत्ति कर नियमों के अंतर्गत समावेशित किया जा सकता है। मंत्रालय ने हमें यह भी बताया कि संपत्ति कर पर हमारी अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श करने हेतु, छः शहरों (गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश) के शहरी विकास मंत्रालयों का एक सलाहकार समूह गठित किया गया है, जिसने सभी 28 राज्यों के नगरपालिका विधायनों की समीक्षा की है और उनके कानूनों, कार्यविधियों तथा धरातल पर चल रही कार्यकलापों से संबंधित सर्वश्रेष्ठ रीतियों (practices) की पहचान की है।

## जल शक्ति मंत्रालय

7.34 जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यू एवं एस) ने यह प्रस्ताव दिया कि पेयजल एवं स्वच्छता का बुनियादी ढांचा सृजित करने और उसके रखरखाव के लिए स्थानीय निकायों हेतु बुनियादी अनुदान का 25 प्रतिशत अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए। निष्पादन अनुदानों के लिए स्थानीय निकायों की पात्रता के लिए अनेक पैरामीटर स्थापित किए जा सकते हैं, जैसेकि ओडीएफ की उपलब्धि एवं उसकी निरंतरता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना में बढ़ोत्तरी करना और शुद्ध पेयजल अवसंरचना से पहुंच में सुधार लाना।

7.35 पेयजल और स्वच्छता विभाग हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के बारे में अनाबद्ध अनुदानों पर की गई अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के लिए पंचायती राज मंत्रालय और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ घनिष्ठ रूप में कार्य कर रहा है। पंचायती राज मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग ने ब्रॉड फ्रेमवर्क (जिसका अनुसरण इन अनुदानों के संबंध में किया जाना है) पर सभी राज्यों के लिए एक संयुक्त एडवाइजरी जारी की है। यह प्रस्ताव किया गया है कि जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्त आयोग अनुदानों के 50 प्रतिशत को पेयजल और स्वच्छता विभाग के नियंत्रण में रहना चाहिए और कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन तथा अनुदानों के समुचित उपयोग के लिए निधियां पेयजल और स्वच्छता विभाग के माध्यम से दी जानी चाहिए। इससे प्रत्येक परिवार/घर को पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता के साथ दीर्घकालिक आधार पर आश्वस्त पेयजल उपलब्ध कराने में जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने में सहायता

मिलेगी। ग्राम कार्ययोजनाओं के रूप में, ग्राम पंचायतों के पास ऐसी पांच-वर्षीय संदर्शी योजनाएं होनी चाहिए, जिसमें इस प्रयोजन हेतु मापीय लक्ष्य परिलक्षित किए गए हों।

## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंव सीसी)

7.36 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत पहले से सृजित प्रणालियों पर विश्वास जताते हुए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने PM10 एवं PM2.5 दोनों की औसत वार्षिक सघनता (concentrations) में गिरावट/कमी के आधार पर मिलियन-प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 2020-21 से आगे की अवधि हेतु निधियों की मांग की है। तदनुसार, हमने 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है और मंत्रालय द्वारा सलाह दिए गए रोडमैप को भी अपनाया है। तथापि, अपने संशोधित ज्ञापन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आयोग से एक अलग दृष्टिकोण अपनाकर और चार पैरामीटरों: (क) वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क का सुदृढीकरण; (ख) वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण; (iii) कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन; और (iv) वायु गुणवत्ता में सुधार के आकलन के आधार पर राज्यों द्वारा किए गए सुधार को ध्यान में रखते हुए निष्पादन अनुदान करने की अनुशंसा की है। इन कारकों के लिए निर्धारित किए गए सापेक्ष भारांक हमारी पंचाट अवधि में अलग रखे गए हैं, क्योंकि हमारी पंचाट अवधि के आरंभिक वर्षों में संस्थागत एवं क्षमता निर्माण पर और उसके बाद के वर्षों में परिणामों पर अधिक जोर दिया गया है।

## अन्य मंत्रालय

7.37 वित्त मंत्रालय ने राज्य वित्त आयोगों को स्थापित करने की महत्ता पर जोर दिया है और यह सुझाव दिया है कि स्थानीय निकाय से संबंधित अनुदानों के लिए राज्यों द्वारा किए जाने वाले हस्तांतरण हेतु एक अनिवार्य शर्त यह रखी जानी चाहिए कि एसएफसी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की जाए। मंत्रालय ने यह भी प्रस्ताव किया है कि स्थानीय निकायों को पंजीकरण शुल्कों जैसे राजस्व के अधिक मात्रा में स्रोतों का हस्तांतरण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

7.38 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए निष्पादन अनुदानों को महिला एवं बाल से संबंधित संकेतकों से संबद्ध/लिंक करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इन

अनुदानों में महिला-केंद्रित कार्यक्रमों हेतु कुल ग्राम पंचायत के बजट का 30 प्रतिशत अलग से निर्धारित किया जाए, जिससे प्रत्येक राज्य में महिला सभाएं स्थापित करने की अनिवार्यता को बढ़ावा मिलेगा, लैंगिक रूप से अलग-अलग डाटा का संग्रहण होगा और आशा कार्यकर्ताओं का नियमितीकरण होगा।

7.39 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुशंसाएं करने हेतु पांचवीं अनुसूची (बाहर रखे गए क्षेत्र) के तहत राज्य-वार अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुदानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7.40 रक्षा संपत्ति महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के तहत छावनियों को (cantonments) शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है और यह उल्लेख किया है कि छावनियों के कार्य भी नगरपालिकाओं के समान हैं। महानिदेशालय ने हमारी पंचाट अवधि में सत्रह राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर) में बासठ छावनियों के लिए 1,035 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग रखी है। महानिदेशालय ने छावनी बोर्डों की सीमित कर क्षमता और जीएसटी के तहत समावेशित करों की वजह से राजस्व हानि के कारण उनके लिए तत्काल संसाधनों के आबंटन की आवश्यकता पर जोर दिया है।

## राज्य सरकारें

7.41 आयोग को दिए गए अपने ज्ञापन में, अधिकतर राज्यों ने यह मांग उठाई है कि हम स्थानीय निकायों के लिए सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि करें। कुछ राज्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि स्थानीय निकायों हेतु राज्यों की हिस्सेदारी (जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग ने आंशिक रूप से किया था) के अलावा, विभाज्य कर पूल के एक हिस्से का आबंटन किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें संघ के कर राजस्वों में उछाल का लाभ प्राप्त हो सके।

7.42 लगभग सभी राज्य सरकारों ने यह अनुरोध किया कि न केवल ग्राम पंचायतों के लिए अपितु ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी तीन स्तरों के लिए अनुदानों का प्रावधान किया जाए। कुछ राज्यों ने यह भी अनुरोध किया कि बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए अनुदानों का प्रावधान किया जाना चाहिए क्योंकि ग्राम परिषदों को मान्यता देने के संबंध में संवैधानिक संशोधन विधेयक संघ सरकार के पास अभी भी लंबित है।

7.43 राज्यों के बीच अनुदानों के पारस्परिक (inter se) वितरण के लिए पैरामीटरके संबंध में आबंटित भारांक पर उनके अलग-अलग मत थे। जबकि कुछ राज्यों ने मौजूदा आबादी एवं क्षेत्रफल के पैरामीटर को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु अन्य राज्यों ने शहरीकरण की दर, निधियों के हस्तांतरण, स्थानीय निकायों के कार्यों एवं पदाधिकारियों (3Fs), अंतरण सूचकांक, आदि के संकेतकों का प्रयोग करने का सुझाव दिया।

7.44 तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों ने यह सुझाव दिया कि निष्पादन-आधारित अनुदान को लिंक किया जाना चाहिए (क) स्थानीय निकायों द्वारा हरित एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा पहलों और (ख) विभिन्न सेवाओं के डिजिटिकरण का प्रावधान, आधारभूत स्तर पर निर्धारण (संपत्ति कर सहित) और लेखापरीक्षा से।

7.45 असम और केरल ने शहरीकरण की राष्ट्रीय औसत दर के बदले, ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं शहरी स्थानीय निकायों के बीच अनुदानों के पारस्परिक वितरण के लिए, एक पैरामीटर के रूप में, राज्यों के शहरीकरण की दर का प्रयोग करने की बात रखी, जैसाकि 2020-21 के लिए अनुदान के निर्धारण हेतुकिया गया था। मणिपुर ने यह प्रस्ताव दिया कि हम स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) क्षेत्रों को स्थानीय निकाय वाले अनुदान देने पर विचार करें क्योंकि वे राज्य में छठी अनुसूची क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते हैं और उन्हें संविधान के भाग IX और भाग IX-A से बाहर रखा गया है।

## **स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि**

7.46 हमने राज्यों में अपने दौरे के दौरान प्रत्येक स्तर के स्थानीय शासनों तथा एडीसी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत परामर्श किया। उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव तीन श्रेणी में थे: विकेंद्रीकरण से संबंधित मुद्दे, परिचालन संबंधी मुद्दे और वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करने से संबंधित मुद्दे।

## **विकेंद्रीकरण से संबंधित मुद्दे**

- i. लगभग प्रत्येक राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से एकमत में तीनों स्तरों के शासनों हेतु अनुदानों के वितरण की मांग की, क्योंकि सभी तीनों स्तरों के शासन संविधान के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा हैं। इससे मानव एवं अन्य संसाधनों और कौशलों के

संयोजन(पूलिंग) के माध्यम से जनसेवाएं प्रदान करने (जैसे कि ग्रामीण कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेजयल, स्वच्छता) में ग्रामीण स्थानीय निकायों की प्रभाविता बढ़ेगी।

- ii. ग्रामीण स्थानीय निकायों को सभी उनतीस विषयों का हस्तांतरण किए जाने के बावजूद, निधियों, कार्यों और प्रदाधिकारियों के प्रभावी प्रत्यायोजन का मामला अभी भी कुछ राज्यों में लंबित है।
- iii. ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुदान जारी करने के लिए स्थानीय निकायों पर वित्त आयोग द्वारा लगाई गई शर्तों के अलावा, अन्य कोई भी शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।

### परिचालन संबंधी मुद्दे

- i. वार्षिक व्यावसायिक कर की उच्चतम-सीमा (ceiling) को वर्तमान में 2,500 रुपए से बढ़ाया जाना चाहिए।
- ii. स्थानीय निकायों को संघ सरकार और राज्य सरकारों की संपत्तियों पर कर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- iii. संविधान की छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों और बाहर रखे गए अन्य क्षेत्रों के लिए अनुदानों का प्रावधान किया जाना चाहिए।

### वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करने से संबंधित मुद्दे

- i. अनुदानों को कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए कठोरता के साथ सीमित नहीं किया जाना चाहिए, और स्थानीय निकायों को उनके प्राथमिकता वाले सेक्टरों में अनुदानों का उपयोग करने की छूट/ढील दी जानी चाहिए।
- ii. वित्त आयोगों द्वारा सभी स्थानीय निकायों के लिए एक जीआईएस-आधारित संपत्ति कर प्रणाली स्थापित करने में सहायता दी जानी चाहिए जिससे स्थानीय निकाय अपने राजस्वों के सुदृढीकरण के उद्देश्य को हासिल कर पाएं।

- iii. स्थानीय निकायों के स्तर पर डाटाबेस सृजित करने के लिए निधियां अलग से निर्धारित की जानी चाहिए, और उन्हें इस प्रयोजन हेतु विशेषज्ञता प्राप्त मानवशक्ति को अनुबंधित करने या डाटाबेस सृजित करने के कार्य को आउटसोर्स से कराने की छूट प्रदान की जानी चाहिए।
- iv. सीमित मानवशक्ति, तकनीकी सहायता का अभाव, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण की उच्च लागत और अपर्याप्त संसाधन स्थानीय निकायों की मुख्य समस्याएं बताई गई थीं।
- v. नगरीय सुविधाओं को सृजित एवं विस्तारित करने हेतु नगरपालिकाओं को और अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अस्थायी बढ़ती आबादी और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप, मौजूदा बुनियादी ढांचे पर गहरा दबाव पड़ने के कारण संसाधनों की आवश्यकता कई गुना बढ़ गई है। अंतरा-एवं अंतर-राज्य प्रवास के कारण बढ़ती शहरी आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मूलभूत शहरी बुनियादी ढांचे के लिए भी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।
- vi. निष्पादन अनुदान काफी सराहनीय हैं क्योंकि उनसे बेहतर निष्पादन करने वाले स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन एवं पारितोषिक मिलता है, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को निष्पादन की शर्तों को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

### **पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा कराए गए अध्ययन**

7.47 स्थानीय निकायों के विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने हेतु तेरह अध्ययन कराए गए। इन्हें चार शीर्षों में विभाजित किया गया है:

- i. चौदहवें वित्त आयोग की निधि-प्रवाहों की समग्र प्रवृत्तियों का विश्लेषण: नीति अनुसंधान केंद्र (सीपीआर) द्वारा “डिवोलुशन ऑफ यूनियन फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स टू पंचायत” और “एनालिसिस ऑफ फंड फ्लोज टू रूरल लोकल बॉडीज” और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा “डिजाइन ऑफ इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स इन इंडिया टू रूरल लोकल गवर्नमेंट्स”।
- ii. सभी राज्यों में एसएफसी के कार्यकरण की समीक्षा एवं विश्लेषण: एनआईपीएफपी द्वारा “ओवरव्यू ऑफ स्टेट फाइनेंसकमिशन”।

- iii. बढ़ते शहरी क्षेत्र की गतिकी और संबंधित चुनौतियों से निपटने हेतु उपाय: इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनोमिक रिलेशन्स (ICRIER) द्वारा “स्टेटस ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंस इन इंडिया”; जनाग्रह द्वारा “ए म्यूनिसिपल फाइनेंस ब्लूप्रिंट इन इंडिया”, इंडियन इंस्टिट्यूट फॉर ह्यूमन सैटलमेंट्स (आईआईएचएस) द्वारा “अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड रिजिलिएंस” और “दि पोर्टेंसियल ऑफ अर्बनाइजेशन टू एक्सिलरेट पोस्ट-कोविड इकोनोमिक रिकवरी”; और विश्व बैंक द्वारा “प्रापर्टी टैक्सेशन इन इंडिया”।
- iv. भारत के शहरी क्षेत्रों पर बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रभाव का विश्लेषण: विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) द्वारा “इनेबलिंग आउटकम लिंकड क्लीन एअर फाइनेंसिंग”, विश्व बैंक द्वारा “टारगेटिंग इम्पूव्ड अर्बन एअर क्वालिटी आउटकम्स थ्रू परफॉर्मेंस ग्रांट्स” तथा दि नेचर कंजर्वेसी द्वारा ‘करंट स्टेट एण्ड सोर्सिस ऑफ एअर पॉल्यूशन एण्ड सॉल्यूशन्स’।

ये सभी अध्ययन वित्त आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।<sup>4</sup>

7.48 इन अध्ययनों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक यह था कि शर्तें लगाने (conditionalities) के दृष्टिकोण ने, तालमेल के नाम पर, संघ सरकार और राज्य सरकारों को योजनाओं के चयन में पंचायतों की शक्तियों से हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया है। अध्ययनों में यह उल्लेख किया गया है कि आयोग के समक्ष यह चुनौती होगी कि वह पूर्व आयोगों की चूकों को नजरअंदाज करे तथा व्यय के प्रति थोड़ा जिम्मेदारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इस बात पर विचार करे कि स्थानीय निकायों को मुख्य रूप से अनाबद्ध अनुदान उपलब्ध कराना किस प्रकार जारी रखा जाए। आयोग को उस संदर्भ की समीक्षा करनी चाहिए, जिसके आधार पर शर्तें लगाई जाती हैं और यह देखना चाहिए कि क्या शर्तों से हतोत्साहन की स्थिति तो पैदा नहीं हो रही, और क्या उन्हें पलटा जा सकता है।

## तात्कालिक चुनौतियां

7.49 अध्ययनों में उन प्रमुख चुनौतियों को भी उजागर किया गया है जिनका सामना शहरी क्षेत्रों को भी करना पड़ रहा है। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन चुनौतियों का समाधान इस प्रकार किया जाए जिससे उन्हें विकास के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरने में सहायता मिल सके।

<sup>4</sup><https://fincomindia.nic.in/ShowContentOne.aspx?id=27&Section=1>

## संपत्ति कर

7.50 विश्व बैंक की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राजस्वों के आधार पर, शहरी अचल संपत्ति कर के संबंध में ब्रिक्स देशों के साथ-साथ भारत आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) तथा ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स देशों की तुलना में पीछे है। यद्यपि, 2016 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में, संपत्ति कर<sup>5</sup> से औसत संग्रह ओईसीडी समूह में लगभग 1.1 प्रतिशत था, परंतु भारत में यह केवल लगभग 0.2 प्रतिशत था। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में स्थानीय निकायों के राजस्वों के संपत्ति कर संग्रह उनकी जीडीपी का लगभग 3 प्रतिशत हैं। भारत में संपत्ति कर राजस्व कम जुटाने के अनेक कारक हैं: संपत्तियों का अवमूल्यन, उनका अपूर्ण रजिस्ट्रीकरण, नीति में असंगतता और अप्रभावी कर प्रशासन। संपत्ति कर प्रशासन के लिए एक और बड़ी चुनौती यह है कि शहरी स्थानीय निकायों के पास संपत्ति कर अभिलेखों का अभाव है। राज्यों से कुछ सर्वश्रेष्ठ रीतियों (practices), जो अन्य राज्यों के लिए संपत्ति कर अधान राजस्व को बढ़ावा देने के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सकते हैं, को बॉक्स 7.2 में दर्शाया गया है।

---

<sup>5</sup> BRICS is an abbreviation for Brazil, Russia, India, China, and South Africa.



## बॉक्स 7.2: राज्यों में संपत्ति कराधान में सर्वश्रेष्ठ रीतियां

<p><b>कर्नाटक : जीआईएस-आधारित संपत्ति कर प्रणाली के लिए AASTHI परियोजना</b></p> <p><b>क.</b> संपत्ति कर वैल्यूवेशन को एन्नुवल रेंटल वैल्यू असेसमेंट से कैपिटल वैल्यू मेथड में परिवर्तित किया गया।</p> <p><b>ख.</b> सभी शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व विभागों का कंप्यूटरीकरण किया गया और एक जीआईएस-आधारित संपत्ति कर सूचना प्रणाली लागू की गई।</p> <p><b>ग.</b> व्यक्तिगतसंपत्तियों की विशिष्ट आईडी के साथ डिजिटिकृत वार्ड नक्शों का प्रयोग कर, 1.5 मिलियन संपत्तियों के फील्ड सर्वेक्षण किए गए।</p> <p><b>घ.</b> राज्य में 3.8 मिलियन संपत्तियों को कवर कर, 200,000वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्रफल के लिए के डस्ट्रल-लेवल जीआईएस मानचित्र सृजित किए गए।</p> <p><b>सुधार लाने के बाद परिणाम</b></p> <p><b>क.</b> पूर्व में निर्धारण नहीं की गई 1.2 मिलियन संपत्तियों (कुल का 42 प्रतिशत) को टैक्स नेट के तहत लाया गया।</p> <p><b>ख.</b> राजस्व में 30-40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</p> <p><b>ग.</b> ऑनलाइन परिकलनों के कारण नागरिकों की परिकलन संबंधी शिकायतों में भारी गिरावट आई।</p> <p><b>घ.</b> आटोमेशन से शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संपत्ति कर संग्रह पर रियल-टाइम डाटा प्राप्त होने लगा।</p>	<p><b>रांची: कर संग्रह का अधिकाधिक बढ़ाना</b></p> <p>2014 में, रांची नगर निगम ने शहरी निकाय के अधिकार क्षेत्र के तहत संपत्तियों से कर एवं अन्य प्रभारों के संग्रह हेतु बेहतर प्रबंध वाली सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए एक प्राइवेट एजेंसी के साथ एक करार/अनुबंध (एग्रीमेंट) किया।</p> <p>अ. बैंक ऑफिस एवं बैंकिंग रिकॉर्डों से लिंकड हैंड-हेल्ड उपकरणों का प्रयोग कर रियल टाइम संपत्ति -कर मांग नोटिस जनरेट किए गए तथा करदाताओं के घर-घर जाकर नकद/चेक, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से कर संग्रह किया गया।</p> <p>ब. शिकायत निवारण के लिए एक ऑनलाइन हेल्पलाइन, चैट, एसएमएस, और दूरभाष सेवाएं स्थापित की गईं।</p> <p><b>सुधार लाने के बाद परिणाम</b></p> <p><b>आआउटसोर्सिंग के बाद रांची नगर में संपत्ति कर संग्रह</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वित्तीय वर्ष</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>एजेंसी द्वारा तैनात किए गए संग्रहकर्ताओं की सं.</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>संपत्तियों की सं.</td> <td>96,000</td> <td>100,000</td> <td>103,000</td> <td>160,000</td> </tr> <tr> <td>निर्धारण आधार में वृद्धि</td> <td>2%</td> <td>4%</td> <td>3%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>प्रति संग्रहकर्ता संपत्तियों की सं.</td> <td>873</td> <td>909</td> <td>936</td> <td>1,455</td> </tr> </tbody> </table> <p>स्रोत: रांची नगर निगम</p> <p>तीन वर्षों के भीतर, रांची में संपत्ति कर संग्रह में चार-गुणा वृद्धि हुई, जो 2014 में 9 करोड़ रुपए से बढ़कर 2017 में 43 करोड़ रुपए हो गयी थी।</p>	वित्तीय वर्ष	2014	2015	2016	2017	एजेंसी द्वारा तैनात किए गए संग्रहकर्ताओं की सं.	110	110	110	110	संपत्तियों की सं.	96,000	100,000	103,000	160,000	निर्धारण आधार में वृद्धि	2%	4%	3%	55%	प्रति संग्रहकर्ता संपत्तियों की सं.	873	909	936	1,455
वित्तीय वर्ष	2014	2015	2016	2017																						
एजेंसी द्वारा तैनात किए गए संग्रहकर्ताओं की सं.	110	110	110	110																						
संपत्तियों की सं.	96,000	100,000	103,000	160,000																						
निर्धारण आधार में वृद्धि	2%	4%	3%	55%																						
प्रति संग्रहकर्ता संपत्तियों की सं.	873	909	936	1,455																						
<p><b>पुणे नगर निगम (पीएमसी): निर्धारण, बिलिंग और संग्रह परियोजना में सुधार</b></p> <p><b>क.</b> 2013 में, शहरों के मानचित्रण के लिए जीआईएस-आधारित प्रणाली शुरू की गई और सभी संपत्तियों की विशिष्ट आईडी सृजित कर एक डिजिटल सैपल डाटाबेस सृजित किया गया। इसके फलस्वरूप, निर्धारण की गई संपत्तियों में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई।</p> <p><b>ख.</b> करदाता के लिए प्रत्येक वर्ष स्व-निर्धारण अनिवार्य किया गया। स्व-निर्धारण का विवरण प्रस्तुत नहीं करने, तत्संबंध में कोई सूचना नहीं देने और गलत सूचना प्रस्तुत करने पर शास्ति का प्रावधान रखा गया था।</p> <p><b>ग.</b> पुणे नगर निगम ने एक पूंजी मूल्य-आधारित प्रणाली अपनाई, जो संपत्ति कर निर्धारण के लिए संपत्ति के बढ़ते मूल्य पर विचार करती है, जिसके कारण यह एक प्रगामी एवं उछाल टैक्स प्रणाली के रूप में स्थापित हो चुकी है।</p> <p>पीएमसी के संपत्ति कर संग्रह में परिणामी वृद्धि 2011-12 में 29 प्रतिशत थी। संपत्ति कर राजस्व 2013-14 की तुलना में दोगुना बढ़कर 2016-17 में 1,158 करोड़ रुपए हो गए थे।</p>																										

स्रोत: प्रॉपर्टी टैक्सेशन टू दि कमीशन पर विश्व बैंक की रिपोर्ट।

7.51 जनगृह ने अपने अध्ययन में पांच चरणों वाले संपत्ति कर लाइफ-साइकिल का विश्लेषण किया है: सूचीकरण (संपत्तियों की गणना), मूल्य-निर्धारण (कराधान के प्रयोजनार्थ संपत्तियों के लिए मूल्य निर्धारित करना), निर्धारण (प्रत्येक संपत्ति से देय संपत्ति कर का निर्धारण), बिलिंग एवं कर संग्रह। अध्ययन में यह उजागर किया गया है कि यद्यपि, सभी राज्यों में नगरपालिका अधिनियम विद्यमान हैं, किंतु उनके अधिनियमों में संपत्ति कर पर एक छोटा सा खंड है। संपत्तियों की गणना, मूल्य-निर्धारण, निर्धारण, बिलिंग और कर संग्रह के संबंध में राज्यों के बीच नगरपालिका अधिनियमों के बारे में काफी अंतर है (सभी अठईस राज्यों के अधिनियमों का सारांश अनुलग्नक 7.1 में दिया गया है)।

### **महानगरीय शहरों के लिए परिणाम आधारित प्रोत्साहन**

7.52 हाल ही में महानगरीय शहरों में वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। स्वच्छ वायु से संबंधित प्राप्त उपलब्धियों का मापन और निर्धारण कोई सरल प्रक्रिया नहीं है, खासतौर पर भारत के संदर्भ में जहां शहरों के भीतर और उनसे बाहर वायु की गुणवत्ता की निगरानी सीमित है। अपने अध्ययन में डब्ल्यूआरआई ने वायु प्रदूषण के मापन एवं निगरानी से संबंधित मुद्दों को रेखांकित किया है। पहला, उपरोक्त अधिकांश शहरों में  $PM_{10}$ ,  $PM_{2.5}$ , ओजोन,  $NO_x$  के लिए प्राथमिक मानकों या भारत के वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत विनियमित प्रदूषणों के लिए अन्य मानदंडों को पूरा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में मॉनीटर्स स्थापित किए जाने चाहिए। दूसरा, वायु प्रदूषण पर किसी एक शहर या राज्य के नियंत्रण का पैमाना अलग-अलग है। शहरी वायु गुणवत्ता न केवल शहर के कार्यकलापों पर, अपितु जलवायु, मौसम तथा शहरों से निकलकर बाहर फैलने वाले उत्सर्जनों पर निर्भर करती है। शहरों की “स्वयं के उत्सर्जनों” को नियंत्रित करने की क्षमता (प्रांतीय सीमाओं के भीतर) में भी अंतर है। वायु प्रदूषण अनेक कारकों से उत्पन्न होता है, जिसमें मुख्य रूप से परिवहन, निर्माण कार्य एवं सड़कों की घूल, घरों में ईंधन उपयोग (बायोमास जलाना, डीज़ल जनरेटर्स से उत्सर्जन), औद्योगिक उत्सर्जन, औद्योगिक ऊर्जा उपयोग और अपर्याप्त रूप से प्रबंधित ठोस अपशिष्ट शामिल हैं। इनमें से कुछ कारक शहरों से भीतर किए गए कार्यों से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि अन्य कारक राज्य या राष्ट्रीय नीतियों पर निर्भर करते हैं, जो शहरों के नियंत्रण के परे होते हैं। संक्षेप में, वायु प्रदूषण के लिए किए गए प्रयास और प्राप्त की गई उपलब्धियों को हमेशा पूर्ण रूप से सह-संबंधित नहीं किया जाता है।

7.53 वायु गुणवत्ता में सुधारों के मापन के लिए निगरानी नेटवर्क कम से कम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा मॉनीटर्स के रखरखाव और डाटा की रिपोर्टिंग हेतु जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होने चाहिए। शहरों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नेटवर्कों द्वारा सृजित डाटा में इंगित उत्सर्जनों से परे के उत्सर्जनों के लिए उच्च गुणवत्ता वैज्ञानिक डाटा का उपयोग करें और वायु गुणवत्ता से संबंधित प्राप्त उपलब्धियों को वायु गुणवत्ता की दीर्घकालिक औसतों के आधार पर मापा जाना चाहिए ताकि मौसम के कारण उत्पन्न विचलनों या किसी शहर के नियंत्रण से परे सृजित प्रदूषण के विचलनों को अनदेखा किया जा सके।

7.54 विश्व बैंक ने हमारे साथ चर्चा में यह उल्लेख किया था कि वायु प्रदूषण एक स्थानीय मुद्दा नहीं है। प्रदूषण का प्रभाव उसके मुख्य स्रोत से दूर शहरों एवं नगरों में भी महसूस किया जा सकता है। अतः अनेक क्षेत्रों के साथ-साथ अंतर-राज्य और अंतर-शहर समन्वय के लिए एक प्रभावकारी एवं स्थायी संस्थागत कार्य विधि (मेकेनिज्म) सृजित किए जाने की आवश्यकता है। बड़ी संख्या के मिलियन-प्लस शहर प्रदूषकों (पार्टिकुलेट मैटर) के लिए मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इससे न केवल लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, अपितु इन शहरों में व्यापार, निवेश और विभिन्न आर्थिक कार्यकलाप भी बाधित होते हैं।

7.55 प्रदूषण-पदार्थ के संबंध में निरंतर वर्ष-दर-वर्ष डाटा प्राप्त करने हेतु, प्रदूषण एवं उत्सर्जनों की स्रोतों की जानकारी होना और शहरों एवं राज्यों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का क्रमिक रूप से विस्तार करना आवश्यक है।

## नौ मार्गदर्शी सिद्धांत

7.56 हमने अपनी अनुशंसाएं करने से पहले राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, संघ सरकार के मंत्रालयोंसे गहन परामर्श कर प्राप्त सभी इनपुट्स और इस प्रयोजनार्थ कराए गए अध्ययनों/रिपोर्टों पर विचार किया है। स्थानीय निकायों के लिए हमारी सभी अनुशंसाओं में एक कॉमन थीम के रूप में वर्णन किए गए नौ मार्गदर्शी सिद्धांत निम्न प्रकार हैं:

- i. संबद्ध टीओआर (ToR) और संवैधानिक उपबंध।
- ii. ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्ष के लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं, दोनों को सार्वजनिक पटल पर समयबद्ध रूप से ऑन लाइन उपलब्ध कराने की पूर्वापेक्षा/अनिवार्यता।

- iii. शहरी स्थानीय निकायो के राजस्व में उछाल हेतु राज्यों द्वारा संपत्ति करों पर न्यूनतम मूल्य (फ्लोर) अधिसूचित करने की पूर्वापेक्षा।
- iv. ग्रामीण स्थानीय निकायों, संविधान की अनुसूची से बाहर रखे गए क्षेत्रों और छावनी क्षेत्रों के भीतर तीनों स्तरों के शासनों के लिए समावेशी एवं समान दृष्टिकोण।
- v. उभरती शहरी जटिलताओं एवं चुनौतियों के संदर्भ में ग्रामीण एवं शहरी कर अंतरण कीपारस्परिक हिस्सेदारी।
- vi. शहरी वास तथा “एग्लोमरेशन इकोनोमीज़” के रूप में बड़े शहरी क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं की भिन्न आवश्यकताएं।
- vii. मिलियन-प्लस अर्बन एग्लोमरेशन में वायु प्रदूषण।
- viii. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जो (क) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के सुदृढीकरण और स्थानीय स्तर पर रोग एवं संक्रामक रोगों के प्रबंधन के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा के सृजन; (ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, (ग) पेयजल एवं स्वच्छता के लिए प्रावधान और (घ) जल पुनर्चक्रण, पुनरूद्धार एवं वर्षा जल संचयन को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने से संबंधित हैं, पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करना।
- ix. आंतरिक संसाधन जुटाने की महत्ता, जैसे कि संपत्ति कराधान और व्यवसायों (professions) पर कर से राजस्व जुटाना।

### **एसएफसी अनुशंसाओं का अभाव**

7.57 राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की अप्रभावकारिता के बारे में उपर्युक्त में विस्तार से चर्चा पहले ही की जा चुकी है। पूर्व वित्त आयोगों को एसएफसी की अनुशंसाओं के बिना अपनी अनुशंसाएं करनी पड़ी और, इसलिए उन्होंने अनुदानों के हस्तांतरण के लिए अपने स्वयं के मानदंड एवं शर्तें निर्धारित की थीं। अतः एक संवैधानिक अधिदेश होने के बावजूद एसएफसी की अनुशंसाएं वित्तीय आयोगों के लिए राज्यों की संचित निधि के वर्धन हेतु उपायों पर विचार करने का आधार होंगी, इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। जैसाकि हमने पैरा 7.28 में टिप्पणी की है और जैसा कि तालिका 7.4 से स्पष्ट होता है, इस संबंध में कोई सुधार नहीं आया है। हमारे पास यह विकल्प था कि राज्यों द्वारा एसएफसी समय पर गठित नहीं किए जाने की विफलता या गठित एसएफसी द्वारा अपनी अनुशंसाएं

करने में विफल रहने की बात को ध्यान में रखते हुए, ऐसे राज्यों में स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की अनुशंसा न करें। तथापि, हमने तीसरे स्तर के संस्थागत शासनों की वास्तविक आवश्यकताओं को तथा उनके द्वारा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, इस विकल्प को नज़रअंदाज कर दिया। साथ ही, हम इस बारे में चिंतित भी हैं, पर आशा करते हैं कि उन सभी राज्यों, जिनसे अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की गई है, को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एसएफसी गठित करें और उनकी अनुशंसाओं को समयबद्ध प्रक्रिया में मूल भावना (letter & spirit) के साथ कार्यान्वित करें।

7.58 तदनुसार, हम यह अनुशंसा करते हैं कि जिन राज्यों ने एसएफसी का गठन नहीं किया है, वे एसएफसी का गठन करें, उनकी अनुशंसाओं को कार्यान्वित करें और उस पर की गई कार्रवाई (एक्शन टेकन) के रूप में स्पष्टीकारक ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष मार्च, 2024 तक या उससे पहले प्रस्तुत करें। मार्च, 2024 के पश्चात उन राज्यों को कोई भी अनुदान जारी नहीं किए जाने चाहिए जिन्होंने एसएफसी और इन शर्तों के बारे में संवैधानिक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है। 2024-25 और 2025-26 के लिए राज्यों की हिस्सेदारी के अनुदानों को जारी करने से पहले पंचायती राज मंत्रालय इस संबंध में राज्य द्वारा अनुपालन किए गए सभी संवैधानिक उपबंधों को सत्यापित करेगा।

## स्थानीय शासनों के लिए अनुदान

7.59 स्थानीय शासनों के लिए अनुदानों पर चर्चा छः भागों में की गई है: (क) स्थानीय शासनों के लिए समग्र अनुदान, (ख) ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, (ग) शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और (घ) स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए अनुदान। (ड.) नए शहर स्थापित करने के लिए शहरी क्षेत्रों को निष्पादन आधारित अनुदान और (च) साझा नगरपालिका सेवाओं हेतु अनुदान।

## स्थानीय शासनों के लिए कुल अनुदान

7.60 हमने विधिवत रूप से गठित स्थानीय शासनों के लिए 2021-26 की अवधि हेतु कुल 4,36,361 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। करों के विभाज्य पूल के अनुपात के

बजाय, हमने उनके लिए स्थायी राशि दिए जाने की अनुशांसा की है ताकि उनकी हिस्सेदारी की निधियों के प्रवाह एवं समय की पूर्वानुमेयता बेहतर रूप से सुनिश्चित हो सके।

7.61 इन कुल अनुदानों में नए शहर स्थापित किए जाने हेतु निष्पादन आधारित अनुदान 8,000 करोड़ रुपए तथा साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान 450 करोड़ रुपए है। इसका ब्यौरा इन अनुदानों का विवरण पैरा 7.148 से 7.154 दिया गया है। वर्तमान महामारी को ध्यान में रखते हुए तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में महत्वपूर्ण खामियों को दूर करने के लिए हमने 70,051 करोड़ रुपए के अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसका ब्यौरा 7.136 से 7.147 पर दिया गया है। स्थानीय शासनों के लिए अनुशांसित कुल 4,36,361 करोड़ रुपए में से, शेष 3,57,860 करोड़ रुपए के वितरण को तालिका 7.5 में दर्शाया गया है। ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच पारस्परिक वितरण का अनुपात प्रत्येक वर्ष के लिए भिन्न है, जो 2021-22 में 67:33 से धीरे-धीरे बढ़कर हमारी पंचाट अवधि के अंतिम वर्ष में 65:35 हो जाएगा।

### तालिका 7.5: स्थानीय शासनों के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

अनुदान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
1. शहरी और स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदान	80207	82613	85091	89997	90003	427911
(क) प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	13192	13192	13851	14544	15272	70051
(ख) स्थानीय निकायों के बीच वितरित किए जाने वाले अन्य अनुदान, उपर्युक्त (क) को छोड़कर	67015	69421	71240	75453	74731	357860
आरएलबी और यूएलबी के बीच (ख) पर अनुदानों का पारस्परिक वितरण	67: 33	67: 33	66: 34	66: 34	65: 35	-
(i) आरएलबी के लिए अनुदान	44901	46513	47018	49800	48573	236805
(ii) यूएलबी के लिए अनुदान	22114	22908	24222	25653	26158	121055
2. नए शहरों की स्थापना करने हेतु अनुदान		2000	2000	2000	2000	8000
3. साझा नगरपालिका सेवाओं हेतु अनुदान	90	90	90	90	90	450
कुल योग (1+2+3)	80297	84703	87181	92087	92093	436361

## ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान

7.62 विधिवत रूप से गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए 2021-26 की अवधि हेतु कुल 2,36,805 करोड़ रुपए की अनुशंसा की गई है। राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण, आबादी पर 90 प्रतिशत के भारांक के साथ और राज्यों के क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत भारांक के साथ किया गया है। विस्तृत कार्यप्रणाली का विवरण अनुलग्नक 7.2 पर है। प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी का ब्यौरा अनुलग्नक 7.3 में दिया गया है। प्रत्येक राज्य में अनुदानों के कुल आबंटन से ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों का परिमाण हमारी पंचाट अवधि के प्रथम दो वर्षों यानी 2021-22 एवं 2022-23 के लिए 67:33 के अनुपात के आधार पर और आगामी दो वर्षों यानी 2023-24 एवं 2024-25 के लिए 66:34, और पंचाट अवधि के अंतिम वर्ष यानी 2025-26में 65:35 के अनुपात पर आधारित है। इसका ब्यौरा अनुलग्नक 7.4 में दिया गया है।

## सभी स्तरों के प्रशासन के लिए अनुदान

7.63 अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में की गई अनुशंसा की तरह इस बार भीहम यह अनुशंसा करते हैं कि हमारी पांच वर्षों की पंचाट अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों को दिए जाने चाहिए। हमारा यह निर्णय पंचायतों और राज्य सरकारों के लगभग सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप भी है। ये तीनों स्तर एक ही व्यवस्था का हिस्सा हैं और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेजिज के माध्यम से आपस में परस्पर-संबंधित हैं। तीनों स्तरों के लिए निधियों की उपलब्धता कराए जाने से उनके बीच कार्यात्मक समन्वय में सुधार आएगा और छोटे अधिकार-क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का सृजन होगा, जिसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में परियोजना की व्यवहार्यता बढ़ेगी।

## बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए अनुदान

7.64 पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों तथा बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए अनुदानों के आबंटन पर पूर्व वित्त आयोगों के दृष्टिकोण पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। पंचायत (अनुसूचित

क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम (पीईएसए), 1996 को पारित किए जाने के साथ, पंचायतों से संबंधित भाग IX के उपबंधों को पांचवीं अनुसूची वाले क्षेत्रों पर भी लागू किया गया है। छठी अनुसूची में शामिल जनजातीय क्षेत्र अभी भी इसके अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार, छठी अनुसूची में शामिल स्वायत्त परिषदों को वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक शक्तियां देने हेतु एक प्रारूप संवैधानिक संशोधन विधेयक राज्य सभा में पेश किया था। संवैधानिक उपबंधों और टीओआर को ध्यान में रखते हुए, हमने इस मुद्दे पर गहनता से विचार-विमर्श किया और तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अपनाए गए मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय लिया।

7.65 वित्त आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वह राज्य की संचित निधि का वर्धन करने हेतु उपायों की अनुशंसा करें, ताकि संबंधित राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों के लिए सहायता दी जा सके। इस आयोग के टीओआर में छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए अनुदानों से संबंधित अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः, राज्यों की संचित निधियों के लिए पंचायतों हेतु दी गई अपेक्षित अनुदान सहायता को बाहर रखे गए क्षेत्रों और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के बीच वितरित किए जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों को राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसाओं की परिधि से बाहर रखा गया है।

7.66 तथापि, इस आयोग के पास पूर्व वित्त आयोगों, जिनके टीओआर भी हमारी तरह ही थे, द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रिया से अलग चलने का कोई कारण नहीं है। तत्समय पर यह तर्क दिया जाता था कि अनुच्छेद 275 से बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए अनुदान अलग से निर्धारित किए जाएं, यदि वित्त आयोगों के टीओआर में उन्हें बाहर रखे जाने के बारे में विशिष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तदनुसार, भारत में प्रत्येक नागरिक के लिए देय प्रतिव्यक्ति अनुदानों को ध्यान में रखते हुए तथा स्थानीय निकायों के लिए अंतरण हेतु सभी राज्यों के लिए एक समान दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए, हम यह अनुशंसा करते हैं कि अनुदानों का वितरण उन क्षेत्रों को भी किया जाए, जिनसे पंचायतों को स्थापित करने की अपेक्षा नहीं की गई है (पांचवीं एवं छठी अनुसूची वाले क्षेत्र, और संविधान के भाग IX एवं भाग IX-A से बाहर किए गए क्षेत्र) ताकि उनके संबंधित स्थानीय स्तरीय निकायों द्वारा मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उपलब्ध संसाधनों का वर्धन किया जा सके।



## अंतरा-स्तर (Intra-Tier) वितरण का आधार

7.67 पंचायतों के अंतर्गत सभी स्तर- ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत- अनुदान प्राप्त करेंगे। इन सभी स्तरों के बीच पारस्परिक वितरण नव-गठित राज्य वित्त आयोगों द्वारा अपनी पिछली स्वीकृत अनुशंसाओं के आधार पर तथा निम्नलिखित बैंड की संगतता में किया जाना चाहिए: (क) ग्राम पंचायतों के लिए 70 प्रतिशत से अधिक और 85 प्रतिशत से कम, (ख) ब्लॉक पंचायतों के लिए 10 प्रतिशत से अधिक और 25 प्रतिशत से कम, और (ग) जिला पंचायतों के लिए 5 प्रतिशत से अधिक और 15 प्रतिशत से कम, बशर्ते की संपूर्ण हिस्सेदारी कुल 100 प्रतिशत हो। जिन राज्यों में ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों के साथ द्वि-स्तरीय व्यवस्था है, वहां ग्राम पंचायतों के लिए आबंटन 70 प्रतिशत से अधिक और 85 प्रतिशत से कम के बैंड में तथा जिला पंचायतों के लिए 15 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत से कम के बैंड में किया जाएगा। यदि एसएफसी की अनुशंसाएं उपलब्ध नहीं हैं, तब इन पंचायत स्तरों के भीतर पारस्परिक वितरण राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त में वर्णित बैंडों के भीतर निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक स्तर के लिए राज्य स्तरीय अनुदान अलग से निर्धारित करने के उपरांत, पूरे राज्य में संबद्ध इकाइयों के बीच अंतरा-स्तर वितरण आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में या हाल ही के एसएफसी की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार किया जाएगा।

तालिका 7.6: तीनों स्तर के शासनों के लिए निधियों के वितरण की रेंज

वितरण के लिए रेंज	ग्राम पंचायत	ब्लॉक पंचायत	जिला पंचायत
न्यूनतम	70%	10%	5%
अधिकतम	85%	25%	15%

नोट: 100 तक जोड़ के प्रतिशत के आधार पर

7.68 पांचवीं और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों तथा संविधान के भाग IX और भाग IX-A के परिधि से बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए अनुदानों के संबंध में, संबंधित राज्य 90:10 अनुपात में आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर आबंटन करेगा। संबंधित राज्य सरकार को इन अनुदानों का आबंटन प्रत्येक वर्ष के लिए वित्त वर्ष के प्रारंभ में करना चाहिए और गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय को उसके बारे में सूचना भेजनी चाहिए।

## लेखा और लेखापरीक्षा

### वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों का एकीकरण

7.69 हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने इस बात पर जोर दिया था कि लेखापरीक्षित लेखाओं-स्थानीय निकायों के स्तर पर अलग से और राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त रूप से – की समय पर उपलब्धता न होना एक लगातार समस्या रही है, जबकि पूर्व आयोगों ने इस बात पर हमेशा जोर दिया था। हमारे विचार में तीनों स्तर के शासनों के लेखाओं, यानी लेखापरीक्षा से पूर्व और उसके बाद दोनों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण सुधार एजेंडा होना चाहिए। हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने यह अनुशंसा की थी कि अपग्रेड किए गए प्रियासॉफ्ट (PRIAsoft) सॉफ्टवेयर को राज्य सरकारों (जहां भी विद्यमान हैं) की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली और संघ सरकार के सीजीए की लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रत्येक ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा ऑनलाइन लेखाओं को जनरेट किया जा सके, ऐसे लेखाओं की ऑनलाइन लेखापरीक्षा तथा राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर उनका समेकन किया जा सके।

7.70 इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में एक द्वि-स्तरीय प्रक्रिया का सुझाव दिया था। पहला प्रियासॉफ्ट और एनएमएम प्रणालियों को राज्य-स्तरीय आईएफएमआईएस और उसके पश्चात पीएफएमएस के साथ एकीकृत करना ताकि इनका पूर्ण एकीकरण हो सके। आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि सीएजी के मार्गदर्शन में 2020-21 में संबंधित मंत्रालय और सीजीए प्रायोगिक आधार पर एक एकीकृत लेखा अनुरक्षण प्रणाली विकसित करेंगे, जैसाकि राज्यों के लिए 31 मार्च, 2021 तक एकीकरण के लिए उपर्युक्त में वर्णन किया गया है, ताकि वह 1 अप्रैल, 2021 से पूर्ण रूप से शुरू करने हेतु तैयार रहे।

7.71 इस अनुशंसा के अनुवर्तन (Follow up) में, हमने सभी हितधारकों, अर्थात् सीएजी, सीजीए, पंचायती राज मंत्रालय एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया। यह उल्लेखनीय है कि पंचायती राज मंत्रालय ने इस संबंध में शीघ्र एवं महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसा कि बॉक्स 7.3 सारांश में दिया गया है।

### बॉक्स 7.3: लेखाओं के एकीकरण और लेखापरीक्षा के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

- एकीकृत लेखा अनुरक्षण प्रणाली सृजित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने लेखाओं के शीर्षों की सुसंगतता हेतु 12 फरवरी, 2020 को एक तकनीकी समिति गठित की जिसमें सीएजी, सीजीए, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि शामिल थे।
- 15 अप्रैल, 2020 को, पंचायत राज मंत्रालय ने लेखापरीक्षकों (राज्य महालेखाकर या स्थानीय निधि से संबंधित लेखापरीक्षक) द्वारा पंचायतों के लेखाओं की वित्तीय लेखापरीक्षा में सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऑडिट-ऑनलाइन नामक कार्यक्रम शुरु किया। इस एप्लीकेशन से न केवल लेखाओं की लेखापरीक्षाओं में अपितु कार्यान्वित की गई लेखापरीक्षा संबंधी अभिलेखों को अनुरक्षित करने में भी सहायता मिलती है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक प्रारूप लेखापरीक्षा नियमावली (मैनुअल) भी तैयार की गई, जिसे उसने राज्यों को उपलब्ध कराया है।
- राज्यों के लिए, विशेष रूप से (क) प्रियासॉफ्ट में वर्ष 2019-20 की बहियों को बंद करने; (ख) ऑडिट-ऑनलाइन पर लेखापरीक्षकों के पंजीकरण; (ग) लेखापरीक्षा योजना तैयार करने; (घ) लेखापरीक्षा से जुड़े प्राधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने; और (ड.) पंचायत लेखाओं की ऑनलाइन लेखापरीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा करने हेतु एक रोडमैप बनाया गया है।

### अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश-स्तरीय शर्त

7.72 जैसा कि पहले वर्णन किया गया है, लेखाओं की लेखापरीक्षा और उनकी ऑनलाइन उपलब्धता न करना एक लंबित मुद्दा रहा है। तथापि, एक नया परिदृश्य उभरकर आ रहा है कि कुछ राज्य अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा और उसके सत्यापन के लिए कुछ बाह्य एजेंटों, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवा लेते हैं (तालिका 7.7)। यह एक उत्साहजनक कदम है और इस दिशा में सभी राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

## तालिका 7.7: लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सेवा लेने वाले राज्य

राज्य	स्थिति
छत्तीसगढ़	शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखा तैयार करने और लेखापरीक्षा करने का कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को सौंपा गया है, और दोनों लेखाओं को प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय की आम सभा के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।
मध्य प्रदेश	लेखाओं को स्थानीय निकायों के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा तैयार कर सत्यापित किया जाता है।
राजस्थान	स्थानीय निधि विभाग के लेखापरीक्षक (डीएलएफए) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं को सत्यापित करते हैं।
सिक्किम	डीएलएफए, स्थानीय लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है और सिक्किम विधानसभा को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।  राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखाओं का सत्यापन करते हैं।

स्रोत: सीएजी से प्राप्त इनपुट से संकलित

7.73 पिछले दशक में वित्तीय लेन-देन (ट्रांजेक्शन) के डिजिटीकरण में अच्छी प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, संघ सरकार के बारे में पीएफएमएस के माध्यम से और राज्यों के बारे में आईएफएमआईएस के माध्यम से। तथापि, समस्त डाटा की उपयोगिता उसके सृजन एवं संग्रहण के कारण सीमित हो गई है, क्योंकि डाटा को शासन के सभी स्तरों पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों द्वारा मुख्य रूप से अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए अलग-अलग एवं भिन्न डाटाबेस में संग्रहीत किया जाता है। कॉमन डाटा स्टैंडर्स के अभाव के कारण डाटा को सभी सरकारी इकाइयों से संबद्ध व लिंक करना, उसकी तुलना और विश्लेषण करना कठिन हो गया है। मैटाडाटा कैटलॉग या कॉमन डाटा डिक्शनरी ऑपरेशनल नहीं है। परिभाषाओं में अस्पष्टता और विवेकगत वर्गीकरण सभी स्तरों एवं इकाइयों की सार्थक तुलना और/या समेकन में बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान छः-स्तरीय लेखाकरण वर्गीकरण को संघ एवं राज्य सरकारों में लघु शीर्षों के नीचे के स्तरों पर स्टैंडर्डाइज्ड नहीं किया गया है। चूंकि यह मानकीकृत (स्टैंडर्डाइज्ड) नहीं किया गया है कि कार्यक्रम क्या है और स्कीम क्या है, लघु शीर्ष एवं स्कीम शीर्षों को आपस में परिवर्तित कर प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं, जहां बड़ी राशियों अर्थात् कुल व्यय के 25 प्रतिशत का लेखांकन एक बहु प्रयोजन (ओमनिबस) लघुशीर्ष, नामतः '800-अन्य व्यय' के तहत किया जाता है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग को अस्पष्टकारी होने से बचा जाता है। अतः यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल

हो जाता है कि सामान्य सरकार (अर्थात् संघ, राज्य और स्थानीय शासन) या राज्य स्तर पर सरकार (राज्य सरकार और राज्य सरकार के भीतर स्थानीय शासन या यहां तक कि राज्य में सभी स्थानीय शासन) स्वास्थ्य या शिक्षा या वेतन एवं मजदूरी पर कितना खर्च कर रही है, या कर राजस्व के रूप में कितना अर्जन कर रही है।

7.74 हालांकि लेखाओं की मैनुअल प्रणाली से डिजिटल प्रणाली की ओर बढ़ने में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी इस प्रकार की पहल के पूर्ण लाभों को बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के अभाव के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका है। यह समझना जरूरी है कि किसी कंप्यूटर में आंकड़े प्रविष्ट कर देने के बजाय, डिजिटाइजेशन अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आंकड़ों को एक कागज पर भी मैनुअल रूप से रिकॉर्ड किया जा सकता है। यदि भुगतान जैसे लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक मोड में किए जाते हैं, तब कुछ जरूरी विवरण उद्देश्य, किसके लिए, कहां से, कब और कितना डाटा प्रविष्टि एंट्री के समय पर ही केप्चर किया जा सकते हैं। यदि सभी शासन स्तरों के लिए एक गहन डाटा स्टैंडर्ड के द्वारा लेन-देन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रविष्ट करने के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाए और इन मानकों का अनुसरण किया जाए, तब सभी ग्रामीण या शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक सतत एवं समान आधार पर लेखा-डाटा प्राप्त करने या उसे स्थानीय निकायों के लेखाओं और संबद्ध राज्य सरकारों के लेखाओं से एकीकृत करना किसी आईटी-आधारित वित्तीय फ्रेमवर्क के तहत एक उचित एवं सहज प्रक्रिया कहलाएगी। सभी सरकारी लेन-देनों की डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए हम एक समान डाटा के विनिर्देशन के यथाशीघ्र अपनाने की पुरजोर अनुशंसा करते हैं। हम यह मानते हैं कि स्थानीय निकायों के संदर्भ में लेखाओं के डिजिटीकरण की दिशा में राज्य विभिन्न चरणों पर प्रयासरत हैं, और कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा विशिष्ट प्रणालियां भी हैं। संक्रमण काल के दौरान संबद्ध राज्यों के लिए हम अंडरलाइंग अकाउंट्स डाटा की कुछ विशिष्टताओं के अभिग्रहण के साथ न्यून स्तर के सॉफ्टिकेशन को अपनाने का सुझाव नहीं दे रहे हैं, अपितु हमारा सुझाव संघ, राज्य और स्थानीय शासनों द्वारा उचित तरीके से तैयार किए गए फॉर्मेट में केवल पिछले वर्ष के लेखाओं तथा पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं, दोनों को सार्वजनिक पटल पर लॉनलाइन उपलब्ध कराने का है।

7.75 आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता से किसी प्राप्ति या व्यय का अपेक्षित वर्गीकरण इनपुट स्तर पर स्वयं किया जा सकता है। इससे विभिन्न आवश्यक रिपोर्टों को प्राप्त करने हेतु उचित प्रोसेसिंग में सहायता मिलेगी। वास्तविक तौर पर व्यय की प्राप्तियों की ऑनलाइन एंट्री, मासिक एवं

वार्षिक रूप से गैर-लेखापरीक्षित लेखाओं को जनरेट करती है और इसलिए गैर-लेखापरीक्षित लेखा वित्त वर्ष के अंत में स्वतः ही उपलब्ध हो जाते हैं।

7.76 चूंकि सार्वजनिक निधियों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा आवश्यक होती है और इस कार्य को अभी तक नहीं किया गया है, हम यह अनुशंसा करते हैं कि अनुदानों को प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के अनंतिम लेखाओं (provisional accounts) तथा पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं, दोनों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना एक प्रवेश स्तरीय शर्त होगी।

7.77 हमारी पंचाट अवधि (2021-22 और 2022-23)के पहले और दूसरे वर्ष में, महामारी के दौर में लेखाओं की लेखापरीक्षा की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम 25 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों ने अपने पिछले वर्ष के अनंतिम लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए ताकि राज्य 2021-22 तथा 2022-23 से पूरे अनुदान प्राप्त कर सकें। तीसरे वर्ष (2023-24) से आगे की अवधि के लिए राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु देय पूर्ण अनुदान तभी दिए जाएंगे जब उन्होंने अपने पिछले वर्ष के अनंतिम लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं, दोनों को सार्वजनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्ध कराया हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में 35 प्रतिशत ग्रामीण निकायों के पास 2022-23 के लिए अनंतिम लेखा और 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित लेखाएं हैं तथा इन्हें 2023-24 में ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है, तब 2023-24 में राज्य अपने 35 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 2023-24 के लिए देय पूर्ण राशि प्राप्त कर पाएंगे।

किसी राज्य (X)<sup>6</sup> के लिए किसी वर्ष में अनुदान (t) = राज्य (X) में उन ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए देय अनुदान हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष (t-1) के लिए अनंतिम लेखा तैयार किए हैं और उनके पास पिछले से पिछले वर्ष (t-2)के लिए लेखापरीक्षित लेखा हैं, और इन लेखाओं को वर्ष (t) वर्ष में सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

7.78 प्रत्येक वर्ष के अनंतिम वार्षिक लेखाओं को अगले वर्ष के 15 मई तक ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020-21 हेतु ऑनलाइन अनंतिम वार्षिक लेखाओं को 15 मई, 2021 तक उपलब्ध कराया जाना होगा।

---

<sup>6</sup>यह शर्त 2023-24 से लागू है।

## तालिका 7.8: अनुदान प्राप्त करने हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए पात्रता मानदंड

2021-22 और 2022-23
पंचाट अवधि (2021-22 और 2022-23) के पहले और दूसरे वर्ष में राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कम से कम 25 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध हों ताकि उस वर्ष में वे पूर्ण अनुदान प्राप्त कर सकें।
2023-24, 2024-25 एवं 2025-26
तीसरे वर्ष (2023-24) से आगे, राज्य ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए देय अनुदान तभी प्राप्त करेंगे, जब ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा होंगे और इन्हें उन्होंने ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य के 35 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास वर्ष 2022-23 के लिए अनंतिम लेखा हैं और वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित लेखा हैं और इन दोनों को 2023-24 में ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, तब 2023-24 में राज्य 35 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु कुल देय राशि प्राप्त करेंगे।

राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए बुनियादी अनुदान और आबद्ध अनुदान

7.79 संघ सरकार की फ्लैगशिप योजना स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संव्यवहारात्मक बदलाव लाने में प्रमुख भूमिका निभाई है जिसके कारण लोग बेहतर स्वच्छता रीतियों को अपना रहे हैं। इस मिशन का शुद्ध जल एवं स्वच्छता के एसडीजी 6 के साथ प्रत्यक्ष लिंक है। एसबीएम (ग्रामीण) के तहत 5.6 लाख से अधिक गांवों और 616 जिलों को 31 मार्च 2019 तक ओडीएफ के रूप में घोषित किया गया है।

7.80 हालांकि ओडीएफ उपलब्धि हासिल करने में काफी प्रगति हुई है, फिर भी ग्रामीण भारत के कई हिस्से पेयजल सुविधाओं के अभाव का सामना कर रहे हैं। कुल ओडीएफ प्रामाणिक गांवों में से, केवल 41.53 प्रतिशत वास को 31 मार्च, 2019 तक पाइप के जरिए जलापूर्ति की गई है। 112 आकांक्षी जिलों की केवल 24.4 प्रतिशत रिहायशी स्थानों पर पाइपों के जरिए जलापूर्ति होती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 44.4 प्रतिशत है। ग्रामीण आबादी के केवल 18 प्रतिशत लोग पाइप के जरिए जलापूर्ति के माध्यम से शुद्ध पेयजल प्राप्त करते हैं और 17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप

आधारित जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। संघ सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) और एसबीएम-ग्रामीण के बीच तालमेल के जरिए जल एवं स्वच्छता से एकीकृत पहुंच उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है, जिन गांवों को ओडीएफ के रूप में प्रमाणित किया गया है, उन्हें एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत पाइप के जरिए जल योजनाओं के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

7.81 पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यू एवं एस) ने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है कि पाइप के जरिए जल कवरेज की वर्तमान स्थिति पर किए गए पुनःप्रमाणन अध्ययन में यह पाया गया है कि केवल लगभग 3.04 करोड़ परिवारों या कुल 19.01 करोड़ ग्रामीण परिवारों के 16 प्रतिशत परिवारों के पास नल के जरिए पानी प्राप्त करने के कनेक्शन हैं, और 15.96 करोड़ (84 प्रतिशत) परिवारों के पास अभी भी नल से जल प्राप्त करने के कनेक्शन नहीं हैं। नल के जरिए जल प्राप्त करने वाले सभी मौजूदा कनेक्शनों को चालू किए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए दीर्घकालिक योजना और जलापूर्ति की विश्वसनीय उपलब्धता कराया जाना जरूरी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए संघ सरकार ने 3.06 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ जल-जीवन-मिशन शुरू किया है, जिसमें संघ सरकार की हिस्सेदारी 2.08 करोड़ रुपए है।

7.82 जैसे-जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्टों का स्तर बढ़ता जाता है राज्यों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए मूलभूत बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करें। उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय अपशिष्ट संग्रहण सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं, जहां ग्रामीण परिवार से अपशिष्ट, विशेष रूप से मानव मल-मूत्र एवं मलीय गाद को तब तक अस्थायी तौर पर भंडारित किया जाता है जब तक बड़ी मात्रा में पर्याप्त अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए एकत्र नहीं हो जाता।

7.83 भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर को तत्काल सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि, पिछले दशक में स्वच्छता सेवाओं के लिए प्रावधान करने में काफी अच्छी प्रगति हुई है, फिर भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में काफी कुछ किया जाना है। भारत में मानव मल-मूत्र एवं मलीय गाद के अपर्याप्त प्रबंधन का पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। अपने नागरिकों को यह मूलभूत एवं बुनियादी सेवा उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय शासनों को शीघ्रता से कदम उठाने होंगे। इन कदमों का स्वरूप क्रमिक सॉल्यूशन्स के रूप में होना चाहिए, ताकि वर्तमान प्रणालियों की क्षमता को उन देशों के ज्ञान और अनुभवों के आधार पर बढ़ाया जा सके, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव किया है।



7.84 हम यह स्वीकार करते हैं कि स्वच्छता के बारे में देश द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों को सभी स्तरों पर कायम रखा जाना चाहिए और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार के तीनों स्तर के शासनों को सहयोगात्मक संघवाद की मूल भावना में एक-साथ आगे आना होगा। इस प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए स्थानीय शासन एक महत्वपूर्ण माध्यम (लिंक) होते हैं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थानीय निकायों के संसाधनों में सहायता देने हेतु, हम निम्नलिखित अनुशंसा करते हैं:

- i. ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 40 प्रतिशत अनाबद्ध रहेगा जिसका उपयोग उनके द्वारा वेतन एवं अन्य स्थापना लागतों के अलावा, ग्यारहवीं अनुसूची में उनतीस विषयों के तहत आने वाले कार्यों को निष्पादित करने में महसूस की गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। तथापि, बाह्य एजेंसियों द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक व्यय, जिससे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, को इस अनुदान से खर्च किया जा सकता है।
- ii. ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए अलग से निर्धारित किया जाएगा।
- iii. ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 30 प्रतिशत स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति को अनुरक्षित करने के लिए अलग से निर्धारित किया जाएगा और इसमें परिवार अपशिष्ट, विशेष रूप से मानव मल तथा मलीय गाद का प्रबंधन एवं शोधन शामिल होगा।

7.85 इस प्रयोजन हेतु अनुशंसित वर्ष-वार आबंटनों को तालिका 7.9 में दर्शाया गया है। तथापि, यदि किसी स्थानीय निकाय ने किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से कर ली है, और उस प्रयोजन के लिए उसे निधियों की आवश्यकता नहीं है, तो वह निधियों का उपयोग अन्य श्रेणी के तहत आने वाले कार्यों के लिए कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्थानीय निकाय ने पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति कर ली है, तो वह निधियों का उपयोग ओडीएफ एवं अन्य कार्यों के लिए कर सकता है। संबंधित ग्राम सभा इसका सत्यापन करेगी जिसका पुष्टीकरण पंचायतों या राज्य सरकारों के पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। हमारी पांच वर्षों की पंचाट अवधि हेतु अनुशंसित

आबद्ध एवं अनाबद्ध (पेयजल एवं स्वच्छता) अनुदानों के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार आबंटनों का ब्यौरा अनुलग्नक 7.4 में दिया गया है।

**तालिका 7.9: ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए विस्तृत वर्ष-वार अनुदान**

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान (करोड़ रु.)
कुल अनुदान	44901	46513	47018	49800	48573	236805
अनाबद्ध (40%)	17961	18605	18806	19920	19429	94721
आबद्ध (60%)	26940	27908	28212	29880	29144	142084
(क) पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण	13470	13954	14106	14940	14572	71042
(ख) स्वच्छता एवं ओडीएफ की स्थिति बनाए रखना	13470	13954	14106	14940	14572	71042

### शहरीकरण: संवृद्धि का इंजन

7.86 भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की शहरी आबादी जो 2001 की तुलना में 286 मिलियन (कुल आबादी का 28 प्रतिशत) थी जो 2011 में बढ़कर 377.1 मिलियन (कुल आबादी का 31 प्रतिशत) हो गई है (तालिका 7.10)। तथापि, विश्व बैंक द्वारा विकसित एग्लोमरेशन इंडेक्स में “अर्बन-लाइक” विशेषताओं वाले क्षेत्रों में भारत की आबादी 2010 में 55.3 प्रतिशत दर्शाई गई है।

बड़े शहरों की सीमाओं से सटे शहरीकरण की सही जानकारी के अभाव में, शहरीकरण के विस्तार की सीमा का पता आधिकारिक आंकड़ों से ही लगाया जा सकता है।

7.87 यह तर्क दिया जाता है कि भारत की आर्थिक वृद्धि की गति स्थिर नहीं रह सकती, यदि शहरीकरण को उचित सुविधा प्रदान न की जाए। शहरों को देश की आर्थिक वृद्धि एवं विकास का प्रमुख घटक बनना होगा। सामान्यतः शहरीकरण के संबंध में एक ऐसा पैटर्न, जो यह दर्शाता है कि

**तालिका 7.10: शहरीकरण की प्रवृत्तियां**

वर्ष	आबादी मिलियन में	शहरीकरण का स्तर (%) में
1961	78.9	17.96
1971	109.1	19.90
1981	159.5	23.40
1991	217.6	25.71
2001	286.1	27.81
2011	377.1	31.16

उन राज्यों ने प्रति व्यक्ति आय एवं कम गरीबी आपतन के साथ उच्च वृद्धि हासिल की है, जिनका शहरी राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान अधिक था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि शहरीकरण, आर्थिक वृद्धि, गरीबी न्यूनीकरण एक दूसरे से संबंधित हैं।

7.88 कई राज्यों, जैसेकि गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने भी हमें प्रस्तुत किए गए अपने ज्ञापनों में शहरी क्षेत्र के उच्च वित्तपोषण की आवश्यकता पर जोर दिया है। कई भारतीय शहरों की सीमाओं का विस्तार हो रहा है जिसके कारण मुख्य शहर के आस-पास छोटी नगरपालिकाएं और बड़े गांव, विशाल महानगरीय शहरों का हिस्सा बन रहे हैं। *विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2018* में यह उल्लेख किया गया है कि भारत का शहरीकरण 2025 में लगभग 37-38 प्रतिशत होगा और शहरी क्षेत्र 2045-46 से ग्रामीण क्षेत्र से आगे निकल जाएगा।

7.89 इन भावी चुनौतियों के प्रति शहरी क्षेत्रों को सक्षम बनाने तथा उन्हें आर्थिक वृद्धि एवं निवेश हब के प्रमुख घटक बनाने के लिए शहरी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु शीघ्रता से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, हम यह अनुशांसा करते हैं कि स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदानों को हमारी पंचाट अवधि के अंत तक 65:35 के अनुपात में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के बीच धीरे-धीरे पुनःसंरचित एवं विभाजित किया जाना चाहिए।

### शहरी एग्लोमरेशन-केंद्रित दृष्टिकोण

7.90 कुल 377 मिलियन शहरी आबादी (जनगणना 2011) में से, 61 प्रतिशत (229 मिलियन) 475 शहरी एग्लोमरेशन (अनेक छोटी बस्तियों का एक समूह) में रहती हैं, जिसमें शहरी स्थानीय निकाय, जनगणना में उल्लेखित नगर और उभरते इलाके शामिल हैं। तथापि, अभी तक शहरी एग्लोमरेशन को शहरी शासन व्यवस्था में जगह नहीं मिल पाई है और यह केवल जनगणना में लिखे गए शब्द तक सीमित है। बजाय इसके, शहरी एग्लोमरेशन भारत में महानगरीय शासन के जनसांख्यिकी आधार पर होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार, एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरी एग्लोमरेशन में कुल शहरी आबादी का कुल लगभग 40 प्रतिशत लोग थे (तालिका 7.11)।

**तालिका 7.11: शहरी एग्लोमरेशन का वर्गीकरण (जनगणना 2011)**

फैलाव	कुल आबादी मिलियन में	शहरी आबादी का प्रतिशत अंश
1 मिलियन से अधिक शहरी एग्लोमरेशन	149.5	39.7
1 मिलियन से कम शहरी एग्लोमरेशन	80.6	21.4
शहरी एग्लोमरेशन का हिस्सा नहीं बने क्षेत्र	146.9	39.0
कुल शहरी आबादी	377.1	100.0

स्रोत: जनगणना 2011

7.91 देश के भिन्न शहरीकरण पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हम यह महत्वपूर्ण समझते हैं कि शहरी स्थानीय निकायों के अनुदानों के वितरण में, अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में, एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरी एग्लोमरेशन को अलग दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तदनुसार, शहरी क्षेत्रों को स्थानीय शहरी निकायों हेतु अनुदानों की अनुशंसा करने के लिए दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (क) **श्रेणी-I**: एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरी एग्लोमरेशन/शहर और (ii) **श्रेणी-II**: एक मिलियन-प्लस शहरों के अलावा।

7.92 मिलियन-प्लस शहरों के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता और शहरी पेयजल, जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण तथा स्वच्छता को महत्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, जैसे कि शहरी पेयजल, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण तथा स्वच्छता को गति प्रदान करने हेतु अनाबद्ध अनुदानों की कुछ राशि के अलावा, छोटे शहरों और नगरों, जिनके स्वयं के राजस्वों अपेक्षाकृत कम हैं, के लिए वित्त आयोग से अनाबद्ध अनुदानों का एक भाग उनके वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है।

### **शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान**

7.93 बढ़ती शहरीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों हेतु 2021-26 की अवधि के लिए कुल 1,21,055 करोड़ रुपए की अनुशंसा की जाती है। राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण, आबादी पर 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत के भारांक के साथ किया गया है। शहरी स्थावनीय निकायों के लिए निधियों के विभाजन हेतु विस्तृत क्रियावधि अनुलग्नक 7.2 में दी गई है। ग्रामीण एवं शहरी हिस्सेदारी के आधार

पर, अनुदानों की हिस्सेदारी/परिणाम 7.3 में दिया गया है, उसका विवरण अनुलग्नक 7.4 में दी गई तालिका 7.5 में दर्शाया गया है।

7.94 प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अलग से अनुदानों के संबंध में, शहरी स्थानीय निकायों को शहरी स्वास्थ्य अवसंरचना के घटकों (जिन्हें राज्य सरकारों के समन्वय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाएगा) में सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाएगा।

### अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तरीय दो शर्तें

7.95 ग्रामीण स्थागनीय निकायों की तरह, शहरी स्थातनीय निकायों को भी अनुदान प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष के वास्तविक लेखाओं तथा पिछले से पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं को अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा और उन्हें सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। लेखापरीक्षित लेखाओं में कम से कम क) बैलेंस शीट; ख) आय एवं व्यय विवरण; ग) नकदी प्रवाह विवरण; और घ) बैलेंस शीट, आय एवं व्यय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की अनुसूचियां शामिल की जाएंगी।

7.96 हमारी पंचाट अवधि (2021-22 और 2022-23) के पहले और दूसरे वर्ष में महामारी और लेखाओं की लेखापरीक्षा की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि उनके कम से कम 25 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों ने अपने पिछले वर्ष के अनंतिम लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं, दोनों को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए ताकि राज्य उस वर्ष में पूरे अनुदानों को प्राप्त कर सकें। तीसरे वर्ष (2023-24) से आगे की अवधि के लिए राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए देय समस्त अनुदान तभी दिए जाएंगे, जब उन्होंने अपने पिछले वर्ष के अनंतिम लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं दोनों को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य में 35 प्रतिशत ग्रामीण निकायों के पास वर्ष 2022-23 के लिए अनंतिम लेखाएं हैं और वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षित लेखाएं हैं तथा इन्हें 2023-24 में ऑनलाइन उपलब्ध किया गया है, तब 2023-24 में राज्य अपने 35 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु 2023-24 के लिए देय पूर्ण राशि प्राप्त कर पाएंगे। किसी वर्ष के अनंतिम वार्षिक लेखाओं को प्रत्येक उत्तरोत्तर वर्ष के 15 मई तक रियल टाइम आधार पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

उदाहरण के लिए 2020-21 के लिए ऑनलाइन अनंतिम वार्षिक लेखाओं को 15 मई 2021 तक उपलब्ध कराना होगा।

किसी विशेष राज्य (X)<sup>7</sup> हेतु किसी वर्ष के लिए अनुदान (t)= राज्य (X) में उन ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए देय अनुदान हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष (t-1) के लिए अनंतिम लेखा तैयार किए हैं और उनके पास पिछले से पिछले वर्ष (t-2) के लिए लेखापरीक्षित लेखाएं हैं तथा इन लेखाओं को वर्ष (t) में सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया है।

7.97 जैसाकि पैरा 7.50 और 7.51 में उल्लेख किया गया है, संपत्ति कर पूरे विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोतों में हैं। ये संपत्ति कर क्रमिक रूप से बढ़ते रहते हैं और 'यूजर पे (user pays)' सिद्धांत की पूर्ति करते हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने यह सही टिप्पणी की है कि संपत्ति करों में वृद्धि, जीडीपी की तुलना में, काफी कम हुई है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि मध्यावधि में अधिकतर संपत्तियों के मूल्य में, जीडीपी की तुलना में, तेजी से वृद्धि हुई है। इससे इस तर्क को बल मिलता है कि और अधिक संपत्ति कर जुटाने हेतु शीघ्रता से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि स्थानीय निकाय करों को जीएसटी के तहत समावेशित कर दिया गया है, संपत्ति करों से तीसरे स्तर पर राजस्व उछालों में तेजी आने में सहायता मिल सकती है। संपत्ति कर पर हमारी विशेष टिप्पणियों और अनुशंसाएं हमारी 2020-21 की रिपोर्ट के पैरा 5.2 (xxi) में दी गई हैं:

“स्व-शासन वाले स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के राजस्व जुटाने की महत्ता को किसी भी दृष्टि से कम नहीं आंका जा सकता है। इससे उन्हें ज्यादा मालिकाना हक मिलता है और उनकी जवाबदेही बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संपत्ति कर स्थानीय निकायों द्वारा राजस्व जुटाने के लिए एक बहुत ही प्रभावकारी स्रोत है। ऐतिहासिक कारणों तथा निहित स्वार्थों के कारण भारत में संपत्ति कर बहुत ही कम जुटाए जाते हैं। हम यह अनुशंसा करते हैं कि शहरी स्थानीय निकायों हेतु 2021-22 में अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा संपत्ति के न्यूनतम (फ्लोर) मूल्यों<sup>8</sup> को उचित रूप से अधिसूचित करना होगा और उसके पश्चात राज्य के स्वयं के जीएसडीपी में वृद्धि दर के अनुरूप संपत्ति कर में संग्रह के समान वृद्धि करनी होगी।”

7.98 हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में यह शर्त अनुदान प्राप्त करने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रवेश स्तरीय शर्त के रूप में लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त, यह शर्त इस बात के

<sup>7</sup>यह शर्त 2023-24 से लागू है।

<sup>8</sup>न्यूनतम मूल्य (फ्लोर रेट) में विभिन्न प्रकार की संपत्तियों, वाणिज्यिक, आवासीय एवं औद्योगिक के लिए भिन्न स्लैब-वार संपदा कर दरें होंगी।

अलावा है कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पिछले वर्ष के लिए अपने गैर-लेखापरीक्षा लेखाओं और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखाओं, दोनों को सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराना होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि और करदाता के बीच निकटता के कारण प्रायः राजस्व जुटाने की इच्छा शिथिल हो जाती है। इसके अलावा, कुछ राज्यों ने सतर्कता के साथ शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर दरों पर उच्चतम-सीमा (सीलिंग) लगाई है, जो स्थानीय निकायों के वित्तों एवं कार्यों के विकेंद्रीकरण एवं अंतरण के संपूर्ण सिद्धांत के विरुद्ध है। इसके बजाय, संपत्ति कर दर में एक सांविधिक न्यूनतम मूल्य का प्रावधान किए जाने से संपत्ति कर राजस्वों के उछाल को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी तथा स्थानीय निकायों को राजस्व जुटाने में सुविधा मिलेगी।

7.99 उपरोक्त में दी गई शर्तों का द्विगुणित प्रभाव है। पहला, कोई राज्य तभी अनुदान प्राप्त कर सकता है, जब वह संबद्ध राज्य नगर निगम और नगरपालिका अधिनियमों में संशोधन कर संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करता है। तथापि, यह शर्त एक बारगी घटना है। राज्य द्वारा ऐसा किया जाने के उपरांत दूसरी शर्त यह है कि राज्यों को पिछले पांच वर्षों में अपने स्वयं की जीएसडीपी की सामान्य औसत वृद्धि दर के अनुरूप अपने संग्रहों में वर्ष-वार लगातार सुधार करना होगा। इस पांच वर्ष की औसत को विचार में इसलिए रखा है ताकि जीएसडीपी में *चक्रिक या एकबारगी उतार-चढ़ाव से उत्पन्न अनियमितता को समायोजित किया जा सके*। अतः, न्यूनतम मूल्य दर निर्धारित करना राज्य के लिए अपने ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए एक पूर्व-शर्त है, लेकिन इस शर्त को पूरा करने के उपरांत राज्य तभी संपूर्ण अनुदान प्राप्त कर पाएगा, अगर उसके शहरी स्थानीय निकाय इस शर्त को पूरा करते हैं कि पिछले वर्ष में उनके संपत्ति कर राजस्व में वृद्धि पिछले पांच वर्षों में (सबसे नवीनतम वर्षों) राज्य की जीएसडीपी में औसत वृद्धि दर के अनुरूप हुई हो।

7.100 आवासन मूल्य सूचकांक, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आवासन बैंक द्वारा निर्मित RESIDEX, जो भारत में कई शहरों के लिए लागू है, यह दर्शाता है कि आवासीय संपत्ति के मूल्य राज्य के विकास के साथ-साथ बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शहर हैं, जो अपवादस्वरूप भी हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर संग्रह किए गए संपत्ति करों और उन्हें जुटाए जाने की संभावनाओं के बीच बड़े अंतर को ध्यान में रखते हुए, पिछले पांच वर्षों में जीएसडीपी वृद्धि दर इस बात का मूल्यांकन करने के लिए एक अच्छा एवं सुसंगत विकल्प (प्रॉक्सी) उपलब्ध कराता है कि शहरों ने हमारी पंचाट अवधि के पांच वर्षों के दौरान संपत्ति कर राजस्व की संभावनाओं को कहा तक हासिल किया है।

7.101 वर्तमान महामारी को ध्यापन में रखते हुए, हम संपत्ति कर की न्यूनतम मूल्य (फ्लोर) दरों को अधिसूचित करने के लिए एक वर्ष की विंडो का प्रावधान करने कि अनुशंसा करते हैं और यह आशा करते हैं कि संपत्ति कर में 2022-23 से दो चरणों में तेजी आएगी। पहले चरण में राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यूनतम दरें अधिसूचित करें और 2021-22 में उन्हें कार्यान्वित करें। संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करने की शर्त 2022-23 से अनुदान पात्रता के लिए लागू होगी। न्यूनतम मूल्य दर अधिसूचित किए जाने के पश्चात, कम से कम पिछले पांच वर्षों में (सबसे नवीनतम) राज्य की जीएसडीपी की सामान्य औसत वृद्धि दर के अनुरूप संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि की स्थिति को मापा जाएगा और 2023-24 से आगे की अवधि के लिए उसे विचार में रखा जाएगा।

7.102 उदाहरण के लिए, यदि राज्य X ने संपत्ति कर दरों में न्यूनतम दर को 2021-22 में अधिसूचित किया है, तब वह शहरी स्थानीय निकाय हेतु पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के लिए 2022-23 में पात्र हो जाता है। 2023-24 की आगे की अवधि के लिए उसे दूसरी शर्त को पूरा करना होगा, अर्थात् उसे अपने संपत्ति कर संग्रहों में अपनी स्वयं की जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप वृद्धि करनी होगी। किसी वर्ष में हासिल वृद्धि को पिछले पांच वर्षों की जीएसडीपी वृद्धि की सामान्य औसत के रूप में लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, 2023-24 में इस शर्त के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु 2017-18 से 2021-22 (अंतिम या अंतिम, जो भी वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध हो) की अवधि के लिए औसत जीएसडीपी वृद्धि दर का प्रयोग 2022-23 में हासिल की जाने वाली संपत्ति करों में वृद्धि का परिकलन करने के लिए किया जाएगा। राज्य 2023-24 में अनुदान प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होंगे जब उनके शहरी स्थानीय निकायों ने राज्य की जीएसडीपी वृद्धि के अनुरूप अपने संपत्ति कर संग्रहों में वृद्धि हासिल करने की शर्त को पूरा किया हो। यदि 2023-24 में केवल 25 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप अपने संग्रह में लगातार सुधार लाने की हमारी दूसरी शर्त को पूरा किया है, तब राज्य 2023-24 में अपने 25 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों के लिए देय पूर्ण राशि प्राप्त कर पाएगा। यदि 2024-25 में 35 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप अपने संग्रह में लगातार सुधार लाने की शर्त को पूरा किया है, तब राज्य 2024-25 में अपने 35 प्रतिशत पात्र शहरी स्थानीय निकायों के लिए देय समेकित राशि को प्राप्त कर पाएगा। तथापि, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि राज्य को ऐसी स्थिति में किसी भी वर्ष में अनुदान नहीं दिया जाएगा, अगर उसने न्यूनतम मूल्य दर अधिसूचित नहीं की है। अतः, राज्य द्वारा न्यूनतम मूल्य दर अधिसूचित करना अनुदान प्राप्त करने के लिए मात्र एक आवश्यक शर्त (न की पर्याप्त शर्त) है। यह शर्त पूरी हाने के



पश्चात राज्य उन्हीं शहरी स्थानीय निकायों के लिए देय संपूर्ण अनुदान प्राप्त कर पाएगा जो संपत्ति कर राजस्व में वृद्धि दर हासिल करने की शर्त को पूरा करते हैं।

**तालिका 7.12: अनुदान प्राप्त करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिए पात्रता मानदंड**

2021-22 और 2022-23	
<p>पंचाट अवधि, यानी 2021-22 के पहले वर्ष में राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके कम से कम 25 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने पिछले वर्ष के गैर-लेखा परीक्षित लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराए हैं ताकि उस वर्ष में वे पूर्ण अनुदान प्राप्त कर सकें। राज्यों से संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करने तथा उसे 2021-22 में उसका प्रचालन की संगत व्यवस्था करने की अपेक्षा भी की जाती है।</p> <p>संपत्ति कर की न्यूनतम दरों को अधिसूचित करने की शर्त 2022-23 से अनुदानों की पात्रता के लिए भी लागू होगी और साथ ही राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके कम से कम 25 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों ने अपने पिछले वर्ष के गैर-लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखा ऑनलाइन उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि वे उस वर्ष में पूर्ण अनुदान प्राप्त कर पाएंगे।</p>	

2023-24, 2024-25 और 2025-26		
राज्य स्तर पर 2022-23 तक संपत्ति कर दर की न्यूनतम मूल्य दर अधिसूचना जारी भी की जा चुकी है।	शहरी स्थानीय निकाय ने राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप संग्रह में लगातार सुधार लाने की शर्त को पूरा किया है।	शहरी स्थानीय निकाय ने राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप संग्रह में लगातार सुधार लाने की शर्त को पूरा नहीं किया है।
पिछले वर्ष के गैर-लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित ऑनलाइन लेखा उपलब्धक हैं	अनुदान प्राप्त कर सकते हैं	अनुदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं
पिछले वर्ष के गैर-लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और/या पिछले से पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित ऑनलाइन लेखा उपलब्ध नहीं हैं	अनुदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं	अनुदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं

7.103 इसके अलावा, संपत्ति करों के उछाल को बढ़ाने के लिए, संपत्ति की गणना, निर्धारण, मूल्यन और बिलिंग से संबंधित कानून राजस्व जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ रीतियों का अनुसरण किए जाने और उन्हें एक मॉडल संपत्ति कर अधिनियम में संहिताबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। मध्यावधि में यह एक निरंतर सुधार एजेंडा होना चाहिए और राज्य सरकारों को इसे संघ सरकार के सहयोग से आगे बढ़ाना चाहिए।

## अनुदानों की श्रेणी-वार हिस्सेदारी/परिमाण

### मिलियन-प्लस शहरों के लिए चैलेज फंड

7.104 हमारे द्वारा किए गए शहरी केंद्रों के वर्गीकरण में श्रेणी-I वाले शहरों के अंतर्गत एक मिलियन-प्लस आबादी के साथ पचास शहरी केंद्र हैं— मिलियन-प्लस शहर। इन पचास केंद्रों के अंतर्गत चवालीस शहरी एग्लोमरेशन (दिल्ली, चंडीगढ़ और श्रीनगर को छोड़कर) और छः शहर हैं जिन्हें जनगणना 2011 में शहरी एग्लोमरेशन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था (ये छः शहर हैं: जयपुर, विशाखापत्तनम, लुधियाना, फरीदाबाद, कोटा और वसई-विरार शहर हैं)। चवालीस शहरी एग्लोमरेशन के अंतर्गत सड़सठ शहर (जिनकी आबादी 100,000 और एक मिलियन से कम के बीच है) और 1,048 नगर हैं (जिनकी आबादी 100,000 से कम है)।

7.105 श्रेणी-I के शहरों के लिए अपनी पांच वर्षों की पंचाट अवधि के दौरान हम मिलियन-प्लस शहर चैलेंज फंड (एमसीएफ) के रूप में 38,196 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं। इस राशि को इन शहरों द्वारा अपनी वायु गुणवत्ता में सुधार लाने तथा शहरी पेयजल आपूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तरीय बैचमार्कों को पूरा करने से जोड़ा/लिंक किया गया है।

7.106 परिवेशी वायु गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शहर के कुल एमसीएफ के लगभग एक तिहाई को अलग से निर्धारित किया गया है। शहर-वार की शेष दो-तिहाई निधियों को पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तरीय बैचमार्कों को पूरा करने हेतु अलग से निर्धारित किया गया है। राज्य-वार एवं शहर-वार अनुदानों का विस्तृत ब्यौरा अनुलग्नक 7.6 में दिया गया है।

तालिका 7.13 : मिलियन-प्लस एग्लोमरेशन/शहरों के लिए एमसीएफ

(करोड़ रु.)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
कुल अनुदान	6978	7227	7643	8093	8255	38196
परिवेशी वायु गुणवत्ता	2217	2299	2431	2571	2621	12139
सेवा स्तरीय बैचमार्क	4761	4928	5212	5522	5634	26057

7.107 मिलियन-प्लस शहरों/शहरी एग्लोमरेशन के लिए 2021-26 की अवधि हेतु अनुशंसित अनुदानों का शहर-वार वितरण आबादी के आधार पर है। शहरी एग्लोमरेशन, जिसके अंतर्गत एक मिलियन-प्लस से अधिक शहर हैं, के संबंध में राज्य सरकार को शहरी एग्लोमरेशन के भीतर सभी संबंधित इकाइयों से परामर्श कर, अनुदान प्राप्त करने की जिम्मेदारी, नोडल इकाई के रूप में, एक शहरी स्थानीय निकाय को सौंपनी होगी। यह नोडल इकाई संपूर्ण शहरी एग्लोमरेशन के लिए निष्पादन संकेतकों को पूरा कराने की भी जिम्मेदारी होगी।

## ईज ऑफ ब्रीदिंग (Ease of Breathing)

7.108 जैसा कि पैरा 7.52 से 7.55 में उल्लेख किया गया है, एक आदर्श महानगरीय व्यवस्था के अभाव के कारण न केवल शासन, सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया और जवाबदेही खंडित होती है, अपितु उक्त शहर एग्लोमरेशन अर्थव्यवस्थाएं साकार करके में भी असमर्थ हो जाते हैं। चूंकि पर्यावरणीय स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की समकालिक चुनौतियां और अवसरों एवं सेवाओं से यथार्थ पहुंच की चुनौती की संतुष्टि के साथ पूर्ति केवल एग्लोमरेशन स्तर पर की जा सकती है, इसलिए संकेतकों के निष्पादन की मॉनीटरिंग के लिए हम एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरी एग्लोमरेशन को (सिंगल यूनिट) के रूप में मानते हैं।

7.109 परिवेशी वायु गुणवत्ता न केवल मिलियन-प्लस शहरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, बल्कि निवेश को आकर्षित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा शहर जहां 'व्यवसाय सुगमता' ('ease of doing business') हो, परंतु यदि उसकी परिवेशी वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वह निवेश आकर्षित नहीं कर पाएगा। प्रदूषित पदार्थ की वैश्विक पटल पर एक अति गंभीर पर्यावरणीय जोखिम के रूप में पहचान की गई है और खराब वायु गुणवत्ता को श्वसन, हृदय वाहिनी रोग एवं प्रमस्तिष्कीय वाहिनी (cerebrovascular) रोगों के कारण रुग्णता तथा मृत्यु से संबद्ध किया गया है।

7.110 राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी) द्वारा सृजित डाटा में यह पाया गया है कि प्रदूषक पदार्थ (PM10 एवं PM2.5) कई स्थानों, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अनुज्ञेय स्तरों (permissible levels) को भी पार कर रहे हैं। विभिन्न स्रोतों- उद्योगों, ओटोमोबाइल, जनरेटर सेट, घरेलू ईंधन उपयोग, सड़कों की धूल और निर्माण-कार्यकार्यकलापों, आदि के कारण वायु प्रदूषण एक जटिल मुद्दा है। इस संबंध में जटिलताओं को समझते हुए और निधियों के अभाव

को ध्यान में रखते हुए, हमने वायु गुणवत्ता की निगरानी और इसके उपयोग को एक निष्पादन मापीय के रूप में केवल मिलियन-प्लस शहरों के लिए विचार में रखा है।

## एमसीएफ प्रशासनिक कार्यविधि

### परिवेशी वायु गुणवत्ता

7.111 परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए तथा मिलियन-प्लस शहरों को अनुदान वितरण करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर, मंत्रालय मापीय संकेतकों एवं परिणामों के आधार पर परिवेशी एवं वायु गुणवत्ता के संबंध में शहर-वार एवं वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित करेगा। इन लक्ष्यों के बारे में सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय PM10 और PM2.5 की औसत वार्षिक सघनताओं (कॉन्सन्ट्रेंशन्स) में सुधार का मूल्यांकन करेगा। हमारी 2020-21 की रिपोर्ट के पैरा 5.3 (xiii) और अनुलग्नक 5.3 में वायु गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु स्पष्ट एवं विशिष्ट अनुशंसाएं की गई थी, जिन्हें हमने मंत्रालय के लिखित प्रस्ताव के आधार पर किया था जिसमें मंत्रालय ने यह कहा था कि 2021-22 में मूल्यांकन हेतु वर्ष 2019 के औसत वार्षिक मान (जो जनवरी, 2020 में परिकलित किए गए हों) की तुलना में 2021 के औसत वार्षिक मान (जो जनवरी, 2022 में परिकलित किए जाएंगे) जो 2019-20 की औसत मान पर लिया जाएगा। उत्तरोत्तर वर्षों में परिकलनों में इसी क्रियाविधि का अनुसरण किया जाना चाहिए। तथापि, जैसाकि पैरा 7.36 में खेद के साथ वर्णित किया गया है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हमारी 2020-21 की रिपोर्ट के लिए उसके द्वारा प्रस्तावित मानदंडों को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के कारण अपने ही प्रस्ताव को बदल दिया। मंत्रालय ने अपने संशोधित ज्ञापन में एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसमें उसने चार मानदंडों पर राज्य द्वारा किए गए सुधार के आधार पर निष्पादन अनुदानों का मूल्यांकन करने की अनुशंसा की। ये चार मानदंड हैं: (क) संस्थागत ढांचे का सुदृढ़ीकरण; (ख) वायु गुणवत्ता के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण; (ग) कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन; और (घ) वायु गुणवत्ता में सुधार का मापन/मात्रिकीकरण। इन कारकों के लिए निर्धारित संबद्ध भारांक प्रत्येक वर्ष में भिन्न होंगे, क्योंकि पंचाट अवधि के प्रथम वर्ष

में संस्थागत एवं क्षमता निर्माण पर अधिक बल दिया जाएगा और पंचाट के शेष वर्षों में परिणामों पर विशेष बल दिया जाएगा।

7.112 सड़कों पर खुले में कूड़ा-कचरा जलाना, छोटे अनौपचारिक उद्योगों की गतिविधियां (उदाहरण के लिए पुराने टायरों को जलाकर चावल के पॉप भुनना), कचराभराव स्थलों (landfills) में अचानक दहन यानी आग लग जाना, प्रदूषण के कुछ ऐसे स्रोत हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया है। अपशिष्ट की सड़न और खराब ढंग से प्रबंधित कंपोस्टिंग से भी वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है क्योंकि उनसे जहरीली गैस तथा मिथेन वायुमंडल में फैलती है। हमारा मत है कि खुले में कूड़ा-कचरा जलाना बंद कराए जाना, उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और कचराभराव स्थलों में कंपोस्टिंग वायु गुणवत्ता प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अतः हम अनुशंसा करते हैं कि अनौपचारिक रूप से कूड़ा-कचरा जलाना तथा कचराभराव स्थलों में अचानक आग लग जाने की घटना की निगरानी जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

(क) खुले में कूड़ा-कचरा जलाने की निगरानी और कचराभराव स्थलों में आग से उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थों की निगरानी के लिए तथा नागरिकों द्वारा तस्वीरों के साथ प्रदूषण की रिपोर्टिंग करने के लिए एक ऐप विकसित करना।

(ख) प्रत्येक शहर में अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों की पड़ताल की जानी चाहिए, जहां अपशिष्ट प्रबंधन में ब्रेकडाउन आता है।

7.113 हमने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में अनुशंसाओं के बारे में विश्व बैंक और डब्ल्यूआरआई के अन्य विशेषज्ञों की भी राय ली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि खराब वायु गुणवत्ता की जटिल समस्या को कम करने में केवल निरंतर प्रयास ही कारगर हो सकते हैं। इसके अलावा, 2020-21 में परिवेशी वायु गुणवत्ता में जो सुधार आया, उसका कारण कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न लॉकडाउन एक कारक प्रतीत होता है। अतः हम मध्यावधि में स्वच्छ वायु के लक्षित उद्देश्य की दिशा में बढ़ने हेतु अपेक्षित उपकरणों एवं कार्यविधियों को स्थापित करने हेतु एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि (preparatory period) की अनुशंसा करते हैं। अतः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, वर्ष 2021-22 में वायु गुणवत्ता के बारे में किसी शहर के निष्पादन के मूल्यांकन चार मानदंडों (सापेक्ष भारांकों सहित) पर आधारित हो सकता है: (क) प्रदूषण निगरानी क्रियावधि का सुदृढीकरण; (ख) वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण;

(ग) कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन; और (iv) तालिका 7.14 में निर्धारित भारांकों के साथ वायु गुणवत्ता सुधार का मापन।

7.114 जैसाकि अनुलग्नक 7.8 में वर्णन किया गया है, वायु गुणवत्ता में सुधार के मापन के दो भाग हैं, अर्थात् प्रदूषक पदार्थ (PM<sub>98</sub>)में कमी और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के अनुसार प्रदूषण रहित दिनों की संख्या में वृद्धि। खुले में कूड़ा-कचरा जलाने और कचराभराव स्थलों में दहन (combustion) के प्रबंधन में वायु गुणवत्ता सुधार सूचकांक का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, जबकि उसके लिए उपरोक्त भारांकों को किंचित शहरी एग्लोमरेशन में वायु गुणवत्ता के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। हमारा यह भी मत है कि कचराभराव स्थलों का आर्थिक दृष्टि से उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त एवं वित्तपोषणों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। 2021-22 के उपरांत वायु गुणवत्ता में सुधार के मापन के संबंध में, हमारी पंचाट अवधि के शेष 4 वर्षों के लिए समग्र भारांक केवल चौथा मानदंड लागू होगा।

7.115 जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन प्रयासों में शहरी स्थानीय निकायों को अपेक्षित सहायता (हैंडहोल्ड) प्रदान करेगा और उनकी निगरानी करेगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मानदंड (ख), (ग) के कार्यान्वयन लिए तथा खुले में कूड़ा-कचरा जलाने और कचराभराव स्थलों में दहन का संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंध करने की पहल करेगा, लेकिन इससे पहले एक तकनीकी सलाहकार के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2021-22 से 2025-26 तक वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार विश्लेषण करने और वर्ष-वार कार्ययोजनाएं बनाने के लिए अपनी सहमति देनी होगी। ब्यौरा अनुलग्नक 7.8 पर है।

तालिका 7.14: शहर के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सापेक्ष भारांक\*

मानदंड	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढीकरण	10	-	-	-	-
वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण	10	-	-	-	-
कार्ययोजनाओं की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन	10	-	-	-	-
वायु गुणवत्ता सुधार का मापन	70	100	100	100	100
<b>कुल</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

\* ब्यौरा अनुलग्नक 7.8 क और 7.8 ख पर है।

## वायु गुणवत्ता निगरानी क्रियाविधि

7.116 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय वायु प्रदूषण के स्रोतों को कम करने तथा वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शहरों को सक्रिय रूप से सहायता दे सकता है, क्योंकि उसके कुछ कार्यक्रम, जैसेकि अटल शहरी पुनरुद्धार एवं परिवर्तन मिशन (AMRUT), जिसका एक घटक इलेक्ट्रिक परिवहन के विकास से संबंधित है, इन विषयों पर पहले से कार्य रहा है। वायु प्रदूषण कम करने के परिणाम की अंतिम निगरानी के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मिलियन-प्लस शहरों से संबद्ध एमसीएफ को निधि जारी करने की अनुशंसा करेगा तथा वित्त मंत्रालय राज्य सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित करते हुए राज्य सरकार को सीधे निधियां जारी करेगा। निष्पादन के आधार पर इन अनुदानों को एक वर्ष के दौरान एकमुश्त किस्त के रूप में जारी किया जाएगा, जिसका निर्णय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर लिया जाएगा।

7.117 प्रत्येक राज्य सरकार और शहरी एग्लोमरेशन वर्ष-वार कार्ययोजना के लिए वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) करेंगे, जिसमें हासिल किए जाने वाले सहमत परिणामों और जारी की जाने वाली निधियों के परिमाण का उल्लेख किया जाएगा। इन कार्ययोजना में शहर-वार वायु प्रदूषण के स्रोतों तथा उनके द्वारा साफ-सफाई मशीनों को उपलब्ध

कराना, गैर-मोटर परिवहन (पैदल एवं साइकिल) को बढ़ावा देना और सड़कों के किनारों पर जल छिड़काव करने की सुविधा हेतु किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा शामिल करना होगा। वायु गुणवत्ता निगरानी बुनियादी ढांचे के सुदृढीकरण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एनसीएपी अनुदानों के जरिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु मिलियन-प्लस शहरों के बुनियादी ढांचा क्षमताओं का निर्माण करेंगे।

7.118 यदि शहर उच्चतम सुधार स्लैब (highest improvement slabs) प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब शेष निधि का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा: असंवितरित राशि के 50 प्रतिशत को बेहतर निष्पादन करने वाले शहरों को ऐसी प्रक्रिया में वितरित करेगा कि उच्चतम निष्पादन करने वाले शहरों (>10 प्रतिशत सुधार) को शेष निधि का 20 प्रतिशत, दूसरे उच्चतम निष्पादन करने वाले शहरों (8-10 प्रतिशत सुधार) को 17.5 और तीसरे उच्चतम निष्पादन करने वाले शहरों (6-8 प्रतिशत सुधार) को 12.5 प्रतिशत प्राप्त हो।

7.119 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रामाणिक रूप में यह दिखाया है कि केरल में कन्नूर, कोच्चि, कोल्लम, कोझीकोड, मलाप्पुरम, तिरुवनंतपुरम एवं त्रिचूर तथा तमिलनाडु में कोयम्बतूर जैसे दक्षिण-पश्चिम समुद्री तट पर एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले आठ शहरी एग्लोमरेशन में परिवेशी वायु गुणवत्ता कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये शहर प्रदूषक पदार्थ के आधार पर प्रदूषण थ्रेशहोल्ड पार करने की दृष्टि से एनएएमपी के थ्रेशहोल्ड से काफी नीचे हैं। अतः इन आठ शहरों के लिए आर्बिटिट कुल अनुदानों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-स्टार रेटिंग, पेयजल, पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन पर सेवा स्तरीय मानदंडों में उनके निष्पादन से जोड़ा जाएगा।

### *पेय जलापूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तरीय मानदंड*

7.120 शहरीकरण सीधे तौर पर अपशिष्ट सृजन में योगदान देता है, और गैर-वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट का निपटान करने में स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है तथा शहरी पर्यावरण विकृत हो जाता है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की परिभाषा के अंतर्गत परिवारों से निकलने वाला अपशिष्ट, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं संस्थागत प्रतिष्ठानों द्वारा परित्यक्त गैर-हानिकर ठोस अपशिष्ट, बाजारों से निकला अपशिष्ट, यार्ड अपशिष्ट और सड़कों की साफ-सफाई जैसे स्रोत हैं, जिन्हें निपटान हेतु नगरपालिका द्वारा एकत्रित किया जाता है।



7.121 अपशिष्ट सृजन की दरें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कम पुनर्चक्रण दरों और शोधन क्षमता (treatment capacity) तथा सैनेटरी लैंडफिल्स की अपर्याप्त संख्या के कारण अपशिष्ट को अधिकतर कूड़ाघरों पर फेंक दिया जाता है या खुले में जला दिया जाता है। इस समस्या से निपटने की प्रथम प्राथमिकता यह है कि कूड़ाघरों में कूड़ा फेंकने के मूलभूत एवं आवश्यक मुद्दे का समाधान किया जाए और अपशिष्ट एकत्र करने तथा सभी नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल-उपयुक्त निपटान सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। लैंडफिलिंग विधि को कई वर्षों से अपनाया जा रहा है, उसने सख्त पर्यावरणीय परीक्षणों को भी पास किया है और पर्यावरण की दृष्टि से यह सतर्कता बरतने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक सुस्थापित विधि है। भारत में अपशिष्ट के लिए यह विधि वर्तमान में आर्थिक रूप से काफी किफायती और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य समाधान है। दूसरी प्राथमिकता यह है कि अपशिष्ट निपटान आवश्यकताओं को कम करने हेतु अपशिष्ट प्रबंधन की वैकल्पिक विधियों को शुरु किया जाए। स्थानीय स्थितियों के आधार पर मटीरियल रिकवरी/रिसाइकिलिंग तथा अन्य उन्नत शोधन संयंत्रों, अपशिष्ट-से-ऊर्जा को सामानांतर तरीके से अपनाया जाए। महानगरीय क्षेत्रों में काफी मात्रा में अपशिष्ट सृजित होता है। उदाहरण के लिए, भूमि और परिवहन की अनुपलब्धता के कारण लैंडफिल विकल्प को महंगा मित्तव्ययी हैं। ऐसे मामलों में, लैंडफिलिंग सहित प्रौद्योगिकियों के सम्मिश्रण और अत्याधुनिक सॉल्यूशन्स पर विचार किया जाना चाहिए। तीसरी प्राथमिकता यह है कि पुराने कूड़ाघरों को बंद कर कहीं और स्थापित किया जाए ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति उसके जोखिम एवं एक्सपोजर को कम किया जा सके। पर्यावरणीय विनियमनों का अनुपालन करने के लिए मौजूदा कूड़ाघरों को बंद किया जाना या उन पर कोई बंदिश (कैपिंग) लगाया जाना एक तात्कालिक एवं गहन आवश्यकता है। पर्यावरण की दृष्टि से उपरोक्त स्थलों (जिन्हें बंद कर कहीं और स्थापित किया जाना है) के दीर्घकालिक प्रबंधन एवं निगरानी के लिए स्थानीय निकायों को भी योजना बनानी चाहिए, और नए स्थल की रूपरेखाओं तथा लागतों के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निपटान और शोधन सुविधाओं सहित भावी उपयोगों के लिए भूमि उपचार/पुनरुद्धार की संभावना की खोज की जानी चाहिए।

7.122 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आयोग को अपने ज्ञापन में यह प्रस्ताव दिया था कि कम से 50 प्रतिशत भवन- 100 वर्गमीटर या उससे अधिक के भूखंड आकार के साथ नव-निर्मित आवासीय भवन, और शहरी स्थानीय निकायों में सभी अन्य भवनों, जैसे कि संस्थागत, वाणिज्यिक, कार्यालय-परिसरों, सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं/ढांचे होने चाहिए। मंत्रालय ने गैर-राजस्व जल के उपयोग को भी कम करने हेतु कुछ उपायों: (क) पब्लिक स्टैंड पोस्ट जैसे स्थानों पर निःशुल्क जल का उपयोग किया जाता है, परंतु उसकी कोई लागत नहीं ली जाती; (ख) अवैध

वाटर कनेक्शनों से प्रत्यक्ष हानि, जल की चोरी और मीटरों में अनियमितताएं; (ग) जल के ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क में रिसाव के कारण जल की बर्बादी। जल की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय में कम से कम 60 प्रतिशत सार्वजनिक जल निकायों के पास 'डी' या उससे अधिक की जल गुणवत्ता होनी चाहिए, जो सीपीसीबी द्वारा जल निकायों के कायाकल्प के लिए निदेशात्मक दिशानिर्देश पर उसकी जून, 2019 की रिपोर्ट में निर्धारित जल गुणवत्ता मानदंड के अनुरूप हो।

7.123 हमारा मानना है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गुणवत्ता जलापूर्ति, जल संरक्षण, जल पुनर्चक्रण और कायाकल्प सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताएं हैं तथा शहरों के दीर्घकालिक स्थानीय विकास के लिए महत्वापूर्ण हैं। अतः हम यह अनुशंसा करते हैं कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सेवा स्तरीय मानदंडों के तहत पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित), स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मानदंड के लिए एनसीएफ निधियां प्राप्त करने हेतु पात्र शहरी एग्लोमरेशन के निर्धारण के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। मंत्रालय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (स्टार रेटिंग हासिल करने पर), जल गुणवत्ता और जल संरक्षण विधियों के सेवा स्तरीय बैचमार्क के संकेतकों के आधार पर निष्पादन का मूल्यांकन करेगा। विस्तृत निष्पादन मानदंड का ब्यौरा अनुलग्नक 7.9 पर है।

7.124 जैसा कि हमने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में उल्लेख किया था, सेवा स्तरीय बैचमार्क से संबंधित इन निष्पादन अनुदानों को हमारी पंचाट अवधि, यानी 2021-22 के पहले वर्ष से संवितरित किया जाएगा, क्योंकि राज्यों और इन शहरों को योजना स्थापित करने की क्रियाविधि एवं उसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सूचना और समय दिया गया है। यदि कोई शहरी एग्लोमरेशन इन मानदंडों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्य सरकार के साथ परामर्श से गैर-आबंटित अनुदानों को अन्य गैर-मिलियन-प्लस शहरों के बीच उनकी आबादी के अनुपात में वितरित करेगा।

7.125 प्रत्येक राज्य सरकार और एग्लोमरेशन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ वर्ष-वार कार्ययोजनाओं के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें हासिल किए जाने वाले परिणामों और जारी की जाने वाली निधियों के परिणाम/मात्रा का उल्लेख किया जाएगा तथा उसे सार्वजनिक पहल पर उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक सेवा स्तरीय मानदंड के लिए प्रत्येक शहरी एग्लोमरेशन के वर्ष के दौरान निष्पादन को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन ऐसी प्रक्रिया से उपलब्ध कराया जाएगा जो

एग्लोमरेशन के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों के लिए आसानी से सुलभ हो। निष्पादनों के आधार पर इन अनुदानों को किसी वर्ष के दौरान एकमुश्त किस्त में जारी किया जाएगा, जिसका निर्णय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाएगा। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय की अनुशंसा पर वित्त मंत्रालय राज्य सरकार एवं आवासन और शहरी विकास मंत्रालय को सूचित करते हुए राज्य सरकार को सीधे निधियां जारी करेगा।

*निष्पादन अनुदानों को जारी करने के लिए शर्तें*

7.126 जैसा कि पैरा 7.113 एवं 7.114 में वर्णन किया गया है तथा जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुझाव दिया है, वायु गुणवत्ता में शहर द्वारा किए गए सुधार के आकलन के लिए सापेक्ष भारांक चार पैरामीटर पर आधारित हो सकते हैं, अर्थात् (क) प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढीकरण; (ख) वायु गुणवत्ता के लिए स्रोत-वार कारण विश्लेषण; (ग) कार्ययोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन; और (घ) वायु गुणवत्ता में सुधार। जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों को अपेक्षित सहायता (हैंडहोल्ड) प्रदान करेगा और उनकी निगरानी करेगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मानदंड (ख), (ग) का संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वयन की पहल करेगा, लेकिन इससे पहले एक तकनीकी सलाहकार के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2021-22 से 2025-26 तक वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार विश्लेषण करने और वर्ष-वार कार्ययोजनाएं बनाने के लिए अपनी सहमति देनी होगी। ब्यौरा अनुलग्नक 7.8 पर है। अतः, यह आशा की जाती है कि सभी हितधारक इन शर्तों का 2021-22 से अनुपालन करने के लिए तैयार हैं।

7.127 इसी प्रकार से, मूलभूत सेवाओं के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-संबंधित सेवा स्तरीय बैचमार्क के मापन एवं प्रकाशन पर हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में उल्लेखित उपायों का अनुसरण किया जाएगा। चूंकि संबद्ध हितधारकों को एक वर्ष पहले सलाह दी गई है और जैसे कि उनसे उम्मीद की गई है कि वे 2021-22 से आगे की अवधि के लिए अपना मूल्यांकन कराने के लिए तैयार रहेंगे, निष्पादन अनुदानों का वितरण हमारी पांच वर्ष की पंचाट अवधि के पहले वर्ष, यानी 2021-22 से किया जाएगा। श्रेणी-। शहरों के लिए निर्धारित निष्पादन अनुदानों का विस्तृत बैचमार्क अनुलग्नक 7.9 पर दिया गया है। तथापि, यद्यपि, निष्पादन मानदंड कुछ ही सेवा स्तर बैचमार्क पर आधारित हैं, यह काफी महत्वपूर्ण होगा कि सभी सेवा स्तरीय बैचमार्क का प्रकाशन एवं निगरानी निरंतर जारी रखी जाए। इससे सेवाओं को प्रदान करने में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ेगी और समस्त सेवा स्तरीय

बैंचमार्क पहले जो 15 वर्ष पुराने हो चुके हैं में निरंतर सुधार आएगा। अतः, हम यह अनुशांसा करते हैं कि सभी सेवा-स्तरीय बैंचमार्क की लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के साथ [www.cityfinance.in](http://www.cityfinance.in) पर उपलब्ध कराया जाए।

### मिलियन-प्लस शहरों/नगरों के अलावा, अन्य शहरों/नगरों के लिए अनुदान

7.128 मिलियन-प्लस शहरों/नगरों के अलावा, शहर/नगर भी अपनी आबादी के अनुसार अनुदान प्राप्त करेंगे। इन शहरों के लिए हम पांच वर्ष की अवधि हेतु 82,859 करोड़ रुपए के मूल अनुदान की अनुशांसा करते हैं। इसका राज्य-वार विवरण अनुलग्नक 7.5 पर है।

### तालिका 7.15: गैर-मिलियन-प्लस शहरों/श्रेणी-II वाले शहरों/नगरों के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान
कुल अनुदान	15136	15681	16579	17560	17903	82859
अनाबद्ध (40%)	6054	6273	6631	7024	7161	33143
आबद्ध (60%)	9082	9408	9948	10536	10742	49716
(क) स्वच्छता (ठोस अपशिष्ट एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन सहित) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा एमओएचयूए द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करना	4541	4704	4974	5268	5371	24858
(ख) पेय जल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण	4541	4704	4974	5268	5371	24858

7.129 कुछ शहर एवं नगर कुछ शहरी एग्लोमरेशन का भाग हो सकते हैं, वे इस घटक के अंतर्गत अभी भी अनुदान प्राप्त करेंगे क्योंकि इन शहरों में एमसीएफ एक अतिरिक्त प्रावधान है। इन शहरों को अनुदान प्राप्त करने के लिए पूर्व में व्यक्त की गई दो प्रवेश स्तरीय शर्तों को पूरा करना होगा - अर्थात् अनंतिम एवं लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को तैयार कर, सरकारी पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराना तथा राज्य द्वारा जीएसडीपी वृद्धि दरों के अनुरूप संपत्ति कर में वृद्धि करने के लिए हेतु संपत्ति कर की न्यूनतम मूल्य दरें अधिसूचित करना। (ब्यौरा पैरा 7.95 से 7.99, 7.101 और 7.102 में दिया गया है)।

7.130 मिलियन-प्लस शहरों के अलावा अन्य शहरों के लिए अनुशंसित मूल अनुदानों में से, 40 प्रतिशत अनाबद्ध हैं और उनका उपयोग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वेतन एवं अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित अठारह विषयों के तहत आने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

7.131 राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का एक अवलोकन (ओवरव्यू) इस रिपोर्ट में पहले ही दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित संसाधनों के पूरक, हमारा मानना है कि अनुदानों के शेष 60 प्रतिशत को मूलभूत सेवाओं के सुदृढीकरण और प्रदान करने के लिए आबद्ध किया जाने चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों के तीस प्रतिशत को स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग हासिल करने के लिए अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसमें पैरा 7.121 में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुरूप परिवार आधारित अपशिष्ट, विशेष रूप से मानव मल-मूत्र एवं मलीय गाद का प्रबंधन एवं शोधन तथा इस समस्या से निपटने हेतु नवप्रवर्तनशील एवं पर्यावरण-हितैषी विधियों को अपनाना शामिल हैं। वर्तमान स्थिति में सुधार लाने हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों को (क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना (सरकारी निजी या संयुक्त रूप से प्रबंधित) और आर्थिक दृष्टि से लैंडफिलिंग के बेहतर उपयोग हेतु व्यावसायीकरण (professionalising) की दिशा में अग्रसर होने; (ख) रणनीतिक बहु-वर्षीय निवेश योजनाएं बनाने एवं उन्हें कार्यान्वित करने (जिनसे अपशिष्ट सृजन प्रवृत्तियों के अनुसार उनके स्थानीय बुनियादी ढांचे और रखरखाव की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी); (ग) पूंजी निवेशों के वित्तपोषण हेतु संसाधन जुटाने तथा लागत-वसूली प्रक्रियाएं स्थापित करने (जिनसे उनके कार्यों एवं रखरखाव योजनाओं की स्थिरता बढ़ेगी); और (घ) अनुपालन के निरीक्षण हेतु निगरानी प्रणालियां स्थापित करने और सेवा प्रावधान के प्राप्त मानकों को कायम रखने हेतु तकनीकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी प्रकार की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को चलाने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण की आवश्यकता होती है और इसलिए इन प्रयासों में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुशंसा की जाती है ताकि पर्याप्त एवं विश्वसनीय वित्तपोषण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, शहरी स्थानीय निकायों को वितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों के 30 प्रतिशत को पेयजल, वर्ष जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए। तथापि, यदि यूएलबी ने किसी एक श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है और उस प्रयोजनार्थ उसे निधियों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह निधियों का उपयोग अन्य श्रेणी के लिए कर सकता है। जिस श्रेणी की आवश्यकता की पूर्ति कर ली गई है, उसका संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापन और राज्य सरकार में

नगरपालिकाओं के पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा पुष्टि कर कराया जाना होगा। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि निधियां जारी करने के लिए हमारे द्वारा पहले से इंगित शर्तों या निदेशों के अलावा, संघ या राज्य सरकारों, या किसी प्राधिकरण द्वारा कोई और निदेश या शर्त नहीं लगाई जाएगी।

7.132 इन अनुदानों का अंतरा-शहर वितरण हाल ही के एसएफसी की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी श्रेणी के भीतर वितरण के लिए एसएफसी अनुशंसा उपलब्ध नहीं है, तब आबंटनों का वितरण 90:10 के अनुपात में आबादी और क्षेत्रफल के आधार किया जाना चाहिए। राज्यों को भी अपने अधिकार क्षेत्रों के भीतर छावनी बोर्डों के लिए उनकी आबादी के आधार पर अनुदानों का आबंटन करना चाहिए।

### **छावनी बोर्ड**

7.133 छावनियां, भारत में शहरी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देशभर में बासठ छावनी बोर्ड हैं जो अठारह राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्र (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर) में फैली हुई हैं। छावनियों में रह रही आबादी देश की कुल शहरी आबादी का लगभग 0.56 प्रतिशत है।

तालिका 7.16: छावनी बोर्डों और नगरपालिकाओं की विशेषताएं

नगरपालिका		छावनी बोर्ड	
संवैधानिक उपबंध	मुख्य विशेषता	छावनी अधिनियम, 2006	मुख्य विशेषता
अनुच्छेद 243 यू	नगरपालिका की अवधि पांच वर्षों की है।	धारा 14	बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि पांच वर्षों की है।
अनुच्छेद 243 डब्ल्यू	नगरपालिका की शक्तियां, प्राधिकार एवं जिम्मेदारियां (बारहवीं सूची के अनुसार) हैं।	छावनी अधिनियम, 2006 की विभिन्न धाराएं	बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी कार्य छावनी बोर्ड को सौंपे गए हैं।
अनुच्छेद 243 जेड	लेखाओं की लेखापरीक्षा राज्य द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार की जाती हैं।	छावनी लेखा संहिता, 1924	छावनी बोर्ड की लेखा परीक्षा रक्षा महालेखानियंत्रक द्वारा की जाती है। सीएजी भी डेफिसिट बोर्डों (deficit Boards) की लेखा परीक्षा करता है।
अनुच्छेद 243 जेडए	नगरपालिकाओं में चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं।	छावनी निर्वाचन नियम, 2007	निर्वाचन नामावली (Electoral rolls) को प्रत्येक वर्ष छावनी बोर्ड द्वारा संशोधित किया जाता है और संघ सरकार द्वारा चुनाव कराए जाते हैं।

7.134 छावनी बोर्ड की संरचना और स्वरूप नगरपालिका की तरह ही है, जिसके कारण यह छावनी क्षेत्रों के स्थानीय शासन का एक अभिन्न अंग है। राज्य सरकारों (कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, आदि) ने अपने राजस्व आगमों या एसएफसी अनुदानों के आबंटन को इन छावनी बोर्डों के साथ पहले से ही साझा करना शुरू कर दिया था। तथापि, अन्य राज्य इन क्षेत्रों को अपने आबंटनों से बाहर रखते हैं। तेरहवां वित्त आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने छावनी बोर्डों के लिए अपनी अनुशंसाएं करते हुए कहा था कि “छावनी क्षेत्रों (सैन्य बलों के सक्रिय नियंत्रण के तहत क्षेत्रों को छोड़कर) के भीतर सिविलियन क्षेत्रों के लिए विकास योजनाएं जिला आयोजना समितियों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।” रक्षा संपत्ति महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, के प्रस्ताव से यह पता चला कि छावनी बोर्डों को कम राजस्व आधार, विशेष रूप से जीएसटी के तहत करों को समावेशित किए जाने के कारण, संपत्ति कर राजस्व की कम संभावना है क्योंकि छावनी में विशाल क्षेत्रफल सैन्य बलों के नियंत्रण में है और संपत्ति का वाणिज्यिक उपयोग सीमित है। छावनी बोर्ड संघ की सूची में प्रविष्टि 3 के परिधि के अंतर्गत आती हैं। तथापि, नगरपालिकाओं के साथ उनकी सदृश्यता के कारण हमारा मत है कि राज्य सरकारों को गैर-मिलियन-प्लस शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के बीच मूल अनुदानों का निर्णय करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले छावनी बोर्डों के लिए उनकी आबादी के आधार पर अनुदानों का आबंटन करना चाहिए। तथापि,

अन्य शहरी स्थानीय निकायों के लिए लागू शर्तें छावनी बोर्डों पर भी लागू होंगी। छावनी बोर्डों की आबादी सहित उनकी राज्य-वार सूची अनुलग्नक 7.7 पर दी गई है। संघ सरकार के अधिकार क्षेत्रों के भीतर आने वाले छावनी बोर्डों के लिए इसी तरह उपयुक्त व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी संघ सरकार की है।

### **अनुदानों को समय पर जारी किया जाना**

7.135 ग्रामीण स्थानीय निकायों और गैर-मिलियन-प्लस शहरों के लिए अनुशंसित अनुदानों को हमारे द्वारा अनुशंसित प्रवेश स्तरीय मानदंडों एवं अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के पश्चात प्रत्येक वर्ष जून और अक्टूबर में दो बराबर की किस्तों में जारी किया जाएगा। राज्यों द्वारा संघ सरकार से अनुदान प्राप्त करने के दस कार्य दिवसों के भीतर स्थानीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित करने होंगे। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी देरी के लिए राज्य सरकारों को राशि पिछले वर्ष के लिए बाजार उधार/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) पर प्रभावी ब्याज दर के साथ ब्याज सहित किस्त जारी करनी होगी।

### **स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य हेतु अनुदान**

7.136 कोविड-19 महामारी ने भारत के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की परिसीमाओं को उजागर कर दिया है। मानव जीवन की भयावह हानि के अलावा, महामारी के भारी एवं अचानक बोझ से विश्व के लगभग सभी देशों की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली चरमरा गई है जिसके कारण चिकित्सकों एवं परा-चिकित्सकों, अस्पताल में बिस्तरों, गहन परिचर्या इकाइयों (आईसीयू) और संगरोध (quarantine) सुविधाओं का अभाव हो गया है। हमने स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक उच्च-स्तरीय समूह गठन कर स्वास्थ्य-संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श शुरू किया और विभिन्न हितधारकों के साथ गहन परामर्शों के आधार पर अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में उसके लिए प्रस्तावित कार्रवाई पर अपनी टिप्पणियां दीं। महामारी द्वारा उत्पन्न भेद्यनियताएं (vulnerabilities) इस आवश्यकता पर बल देती हैं कि हमारी पूर्व की रणनीति एवं दृष्टिकोण की समीक्षा की जाए। तदनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों, प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा विश्व बैंक सहित विशेषज्ञता-प्राप्त निकायों के साथ परामर्श किए गए। स्वास्थ्य संबंधी कुल लोक व्यय में राज्यों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है, जबकि शेष 30 प्रतिशत संघ सरकार की है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पर व्यय काफी



खर्च होता है और यह, जैसे कि हमारे परामर्शों में निकलकर आया है, एक ऐसा क्षेत्र है जिससे शीघ्र सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। हम यह मानते हैं कि सार्वभौमिक आदर्श स्वास्थ्य संकल्प को हासिल करने में किए जाने वाले प्रयासों में ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को प्रदान करने में विशेष रूप से “अग्रणी” (कटिंग-एज) स्तर पर यानी संकट जैसी स्थितियों में अहम भूमिका निभाते हैं। संसाधनों, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य निर्माण के आधार पर स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण किए जाने से उन्हें संकट कालों सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान कराने में अग्रणी भूमिका निभाने में सहायता प्राप्त होगी।

7.137 हमने संविधान के अनुच्छेद 243 जी और 243 डब्ल्यू का गहनता से विश्लेषण किया है, जिनमें पंचायतों और नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों तथा संविधान की ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूचियों में अधिसूचित विषयों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उन्हें योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं औषधालयों, परिवार कल्याण सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को पंचायतों हेतु ग्यारहवीं अनुसूची के क्रम सं. 23 और 24, और जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनाए रखना तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को नगरपालिकाओं हेतु बारहवीं अनुसूची के क्रमशः 6 पर अधिसूचित किया गया है।

7.138 कई राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को कार्यों, पदाधिकारियों और निधियों, जैसाकि संविधान में उल्लिखित किया गया है, हस्तांतरित करने के लिए इच्छुक नहीं रही हैं। वर्तमान महामारी ने प्रवासी मजदूरों को अपने घर लौटने, उनके लिए पका हुए भोजन एवं पानी की व्यवस्था करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर अग्रपंक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सहायता देने के लिए स्थानीय संगरोधों के प्रबंधन में समुदायों को एकजुट करने हेतु पंचायतों की क्षमता तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। केरल ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जहाँ स्थानीय निकायों और जन स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सहयोगात्मक फ्रेमवर्क में स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या को प्रभावी रूप प्रदान किया है (बॉक्स 7.4)।

### बॉक्स 7.4: स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को प्रभावकारी रूप प्रदान करने के लिए केरल राज्य द्वारा किए गए सुधार

केरल में 1996 में कार्यान्वित एक मुख्य सुधार यह था कि स्थानीय निकायों के लिए राज्य सरकार ने अपने विकास बजट का 35-40 प्रतिशत हस्तांतरित किया था। यह हस्तांतरण शर्तहीन था और उसमें स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण एवं स्वायत्तता की स्वीकृति प्रदान कर उन्हें उनकी स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर, व्यय योजनाओं को विकसित एवं कार्यान्वित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। विकेंद्रीकरण की पहल के रूप में, उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को ग्राम पंचायतों के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के तहत लाया गया, समुदाय की बढ़ती भागीदारी हेतु क्रिया विधियां स्थापित की गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और तालुका स्थित अस्पतालों को ब्लॉक पंचायतों के अंतर्गत लाया गया। जिला अस्पतालों और राज्य-प्रायोजित तथा जिला स्तर पर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के प्रबंध को जिला पंचायतों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों में सीएचसी एवं तालुका में स्थित अस्पतालों को नगरपालिकाओं एवं नगरनिगमों को हस्तांतरित किया गया। यद्यपि, उप-केंद्रों एवं पीएचसी पर पदों की कुल संख्या को सृजित करना राज्य के नियंत्रण के तहत था, लेकिन खाली पदों पर अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आ गई थी। स्थानीय निकायों में कार्य करने वाले कर्मचारी राज्य सरकार से संबंधित होते हैं जिनकी तैनाती की संख्या और स्थानांतरण राज्य स्तर पर किए जाते हैं। स्थानीय निकायों के सदस्यों, जैसेकि वार्ड सदस्य जो ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियों (वीएचएनसी) के प्रमुख होते हैं, को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एक समावेशी कार्य में सक्रिय रूप से शामिल किया गया, क्योंकि इस मिशन में संयोजकों के रूप में बहु-प्रयोजनीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा सदस्यों के तौर पर आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। इसकी संरचना से सरकार को समुदायों से और अधिक घनिष्ठता से जुड़ने, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सहायता करने, दवाइयों को खरीदने जैसे महत्वपूर्ण अंतरालों को कम करने और अतिरिक्त कार्यबल को अनुबंधित (engage) करने तथा रोग निवारण कार्यकलापों में निवेश करने में सहायता मिली है। इसके परिणामस्वरूप, पीएचसी और उप-केंद्रों का विशेष रूप से गांवों में सुदृढ़ शासन के साथ और भी अधिक उपयोग किया जाने लगा है।

7.139 केरल के इस मॉडल से एक उदाहरण लेते हुए, हमारे विचार में यह बेहतर अवसर है कि तीसरे स्तर के शासन को स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़ा जाए और उसके लिए अतिरिक्त संसाधन दिए जाएं ताकि आधारभूत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके। हमारा विश्वास है कि स्थानीय निकायों की सहभागिता से स्वास्थ्य प्रणाली भी लोगों के प्रति जवाबदेह बन जाएगी। हमने संघ सरकार से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान कराने वाली प्रणाली में मौजूदा अंतरालों का आकलन किए जाने की मांग भी रखी। हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत के सीएसएस सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वर्तमान पहलों का भी विश्लेषण किया। अपने आकलन के आधार पर, हमने प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को सहायता देने हेतु तीसरे स्तर के शासन के लिए अनुदानों के एक भाग को अलग से निर्धारित करने का निर्णय लिया है। हमने उन पहलों की

भी पहचान की है जिनसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों दोनों में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा एवं सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने में प्रत्यक्ष तौर पर सहायता मिलेगी। पहचान किए गए घटकों तथा उनके लिए वर्ष-वार अलग से निर्धारित की गई निधि का ब्यौरा तालिका 7.17 में दर्शाया गया है। अतः, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर के शासनों हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हमने अपनी पांच वर्षों की पंचाट अवधि के दौरान स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों में से 70,051 करोड़ रुपए की राशि अगल से निर्धारित की है।

तालिका 7.17: स्वास्थ्य अनुदानों का क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रु.)

कुल स्वास्थ्य अनुदान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए सहायता	3478	3478	3653	3835	4028	18472
उपकेंद्र	1457	1457	1530	1607	1687	7738
पीएचसी	1627	1627	1708	1793	1884	8639
शहरी पीएचसी	394	394	415	435	457	2095
ब्लॉक स्तरीय जन स्वास्थ्य इकाइयां	994	994	1044	1096	1151	5279
शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी)	4525	4525	4751	4989	5238	24028
भवन रहित एसएचसी, पीएचसी, सीएचसी	1350	1350	1417	1488	1562	7167
ग्रामीण पीएचसी एवं उपकेंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाना	2845	2845	2986	3136	3293	15105
कुल स्वास्थ्य अनुदान	13192	13192	13851	14544	15272	70051

## प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए सहायता

7.140 पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के विज्ञान के तहत हम उप-केंद्रों, पीएचसी और शहरी पीएचसी में नैदानिक बुनियादी ढांचे के लिए सहायता देने के पक्ष में हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए नैदानिक सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन अनुदानों का आशय प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का पूर्ण रूप से सुदृढ़ीकरण करना है, ताकि वे कुछ आवश्यक नैदानिक सेवाएं उपलब्ध करा सकें। (अनुलग्नक 7.10 क-I, क- II और क- III)

## ब्लॉक स्तरीय लोक स्वास्थ्य इकाइयां

7.141 ब्लॉक लोक स्वास्थ्य इकाइयां (बीपीएचयू) सेवा प्रदान करने, लोक स्वास्थ्य कार्य, रोगनिगरानी के लिए प्रयोगशाला सेवाओं के सुदृढीकरण, निदान एवं जन स्वास्थ्य के कार्यों को एकीकृत करेंगी और स्वास्थ्य-संबंधित रिपोर्टिंग करने हेतु एक हब के रूप में कार्य करेंगी।

7.142 बीपीएचयू, विकेंद्रीकृत आयोजना में तथा जिला योजनाओं (जिन्हें जिला योजनाओं में शामिल किया जाना होता है) में भी सुधार लाएंगे। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने में उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति/तालुका पंचायत के साथ सह-समाप्य (co-terminus) है, इससे पंचायती राज संस्थाओं और एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) कार्यक्रम की बाल विकास परियोजना के अधिकारी के साथ तालमेल में सुविधा प्रदान करने की संभावना बढ़ जाती है। हम सभी राज्यों में बीपीएचयू के लिए सहायता देने का प्रस्ताव करते (अनुलग्नक 7.10 ख) हैं।

## शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (यूएचडब्ल्यूसी)

7.143 कोविड-19 महामारी के प्रबंध से प्राप्त सीख के आधार पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में आमूल-चूल परिवर्तन किए जाने की जरूरत है, क्योंकि महामारी ने शहरी क्षेत्रों को असंगत रूप से प्रभावित किया है। इस आमूल-चूल परिवर्तन के भाग के रूप में, सार्वभौमिक पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को शहरी आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी) एवं पॉलिक्लिनिक के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की योजना है। शहरी एचडब्ल्यूसी से कम आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की विकेंद्रीकृत रूप से प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इसके फलस्वरूप, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की पहुंच कमजोर तथा हाशिए पर रहनेवाले लोगों तक बढ़ेगी। यह परिकल्पना की जाती है कि एचडब्ल्यूसी चिकित्सा प्रशासनिक स्टाफ और आवासीय कल्याण संघों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के लिए एक ऐसी क्रियाविधि सृजित करेंगे ताकि वे कम से कम एक माह में एक बार लोग स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर सूचना का प्रसार कर सकें।

7.144 शहरी स्थानीय निकायों के घनिष्ठ सहयोग से शहरी एचडब्ल्यूसी की स्थापना के लिए हम सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करते हैं (अनुलग्नक 7.10 ग)।

## भवन रहित उप-केंद्र, पीएचसी, सीएचसी

7.145 ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2019 के आधार पर, ग्रामीण पीएचसी/एसएचसी में अवसंरचना से संबंधित अंतरके आकलन में यह पाया गया है कि 885 पीएचसी और 33,886 उपकेंद्रों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित अवसंरचना नहीं है। आयोग उपकेंद्र के स्तर पर एचडब्ल्यूसी के 27,581 तथा स्थानीय निकायों के घनिष्ठ सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 681 एचडब्ल्यूसी प्राथमिक केंद्रों के लिए अपेक्षित अवसंरचना हेतु सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता है (अनुलग्नक 7.10 घ)।

## ग्रामीण पीएचसी और एससी का स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र के रूप में परिवर्तन

7.146 संघ सरकार ने समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने हेतु, आयुष्मान भारत के बुनियादी स्तंभों के रूप में मौजूदा उप-केंद्रों एव पीएचसी को परिवर्तित कर 1,50,000 एचडब्ल्यूसी के सृजन की परिकल्पना की है। ग्रामीण पीएचसी और उप-केंद्रों को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित करने के लिए हम अपेक्षित अवसंरचना हेतु सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उन्हें एक मध्य-स्तर स्वास्थ्य प्रदाता की अगुवाई में बहु-प्रयोजनीय कार्यकर्ताओं (पुरुष एवं महिलाएं) और आशा कार्यकर्ताओं सहित पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या टीम की सहायता मिल सके। एचडब्ल्यूसी क्लस्टर से पीएचसी को जोड़कर, यह कई रोग स्थितियों के लिए एक रेफरल के पहले प्वाइंट के रूप में कार्य करेगा (अनुलग्नक 7.10 ड)।

7.147 इन प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में पर्यवेक्षी एजेंसियों के रूप में, पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किए जाने से समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली मजबूत होगी। अतः हम इस प्रयोजन के लिए पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार एवं राज्य-वार निधि आबंटित करने की अनुशंसा करते हैं (अनुलग्नक 7.10)। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी चाहिए, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव होंगे, ताकि हमारी पंचाट अवधि के पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष में डेलीवरेबल्स और परिणामों की समय-सीमा तय की जा सके तथा इन अनुदानों के प्रवाह एवं उपयोग के लिए एक स्पष्ट क्रियाविधि सृजित की जा सके। यह क्रियाविधि अप्रैल, 2021 तक स्थापित हो जानी चाहिए ताकि निधियों की पहली किस्त जुलाई 2021 तक जारी हो जाए। इसी प्रकार से राज्य

सरकार स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य, पंचायती राज, शहरी कार्य मंत्रालयों के अधिकारी और ग्रामीण एवं शहरी निकायों के सभी तीन स्तरों से चयनित प्रतिनिधि होंगे, अप्रैल, 2021 तक स्थापित की जानी चाहिए जिसके पास जुलाई, 2021 तक कार्यान्वयन हेतु योजनाएं तैयार रहनी चाहिए। इसी प्रकार की एक समिति जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में स्थापित गठित की जानी चाहिए। तत्पश्चात, संघ और राज्य स्तरों पर अनुवर्ती कदम संबंधित समितियों में एकमत वाली योजनाओं के अनुरूप उठाए जाने चाहिए। हम यह उम्मीद करते हैं कि संघ और राज्य सरकार के प्रत्येक स्तर पर जिन लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है वे सहमत नीति में निर्धारित परिणामों और समय-सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कराने का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी चरणबद्ध रूप से सौंपी जानी चाहिए। हम यह अनुशंसा करते हैं कि निधियों को जारी करने के लिए संघ सरकार या राज्य सरकारों या किसी प्राधिकारी द्वारा इस पैराग्राफ में उल्लेखित निदेशों या शर्तों के अलावा कोई और निदेश या शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।

## नए शहरों की स्थापना के लिए प्रतिस्पर्धा-आधारित अनुदान

7.148 कोविड-19 महामारी ने शहरी क्षेत्रों में उपयुक्त आवासन बुनियादी ढांचा सुविधाओं के लंबे समय से चले आ रहे अभाव की समस्या को उजागर किया है। शहरीकरण के प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए देश के हित में यह जरूरी है कि पुराने शहरों का पुनरूत्थान किया जाए और नए शहर निर्मित किए जाएं। इसमें सड़कों, जल एवं सीवर लाइनों का निर्माण करने सहित बुनियादी ढांचा खड़ा करने तथा ग्रीन फील्ड शहरों में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों और पार्कों के लिए स्थलों के प्रावधान की चुनौती से कहीं ज्यादा बढ़कर चुनौती है, पुराने शहरों में इस प्रकार की सुविधाएं स्थापित/उपलब्ध कराना। दूसरी ओर ग्रीन फील्ड शहरों की स्थापना से भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की समस्या खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार की समस्याएं उन राज्यों में ज्यादा पाई जाती हैं, जहां सघन आबादी है। इसलिए ग्रीन फील्ड शहरों को ज्यादा फैली हुई आबादी वाले राज्यों में स्थापित किया जाना चाहिए। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, इसकी शुरुआत एक प्रायोगिक आधार पर करना बेहतर होगा। अतः, हम नए शहरों की स्थापना के लिए राज्यों हेतु 8,000 करोड़ रुपए के निष्पादन-आधारित चैलेंज फंड की अनुशंसा करते हैं। प्रत्येक प्रस्तावित नए शहर के लिए उपलब्ध राशि 1,000 करोड़ रुपए है, और

एक राज्य में इस प्रस्तावित योजना के तहत केवल एक शहर स्थापित किया जा सकता है। अतः आयोग की पंचाट अवधि के दौरान आठ नए शहरों के लिए अधिकतम आठ राज्य अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

7.149 किसी प्रस्तावित नए शहर के निर्माण की व्यवहार्यता (viability) का निर्धारण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। किसी नए शहर की सफलता उन क्षेत्रों, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, मास्टर प्लान का होना, अपेक्षित विनियामक (रेग्युलेटरी) अनुमोदन प्राप्त करना, सुरक्षित जल स्रोत स्थापित करना, गैस और बिजली आपूर्ति, दूर संचार, सड़क, रेल एवं विमान सेवा कनेक्टिविटी, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां, नए शहर के निर्माण के लिए अपेक्षित वित्तों की व्यवस्था करना और वित्तपोषण व्यवहार्यता सुनिश्चित करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय के लिए एक राजस्व मॉडल स्थापित करने पर निर्भर करती है। अतः आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा स्वतंत्र विषय-विशेषज्ञों सहित एक विशेषज्ञ समिति गठित करनी चाहिए, जो शहरों के निर्माण कार्य के अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा हेतु न्यूनतम पात्रता शर्तें विनिर्दिष्ट करेगी। इस समिति द्वारा लगाई जाने वाली बोली (bidding) मानदंडों को रूपरेखा दी जाएगी जिसके अनुसार योग्य पाए गए आवेदकों में से आठ शीर्षतम आवेदकों को चयनित किया जाएगा। चूंकि प्रस्तावित मॉडल का स्वरूप व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (viability gap funding) का है, इसलिए बोली मानदंड (पैरामीटर) को प्रस्तावित शहर में हमारे प्रति 1,00,000 निवासियों के अवार्ड के आधार पर लागत से (या कुछ इसी प्रकार के मानदंड से) संबंधित किया जाना चाहिए, और इसे ऐसी प्रक्रिया में रूपरेखा दी जानी चाहिए कि निधियों का उपयोग मार्च 2026 से पूर्व अर्थात् तक हमारी पंचाट अवधि के भीतर अपेक्षित निष्पादन एवं वांछित परिणामों के अनुरूप किया जाए।

7.150 इस विषय में एक चिंता है, परियोजना के कार्यान्वयन में देरी या अपनी अवधि से पहले ही परियोजना को बंद कर देने के कारण आर्थिक जोखिम (डाउनसाइड रिस्क) इस जोखिम से संरक्षित रहने हेतु, विशेषज्ञ समिति को एक पूर्व-सहमत अनुसूची के अनुसार वित्त आयोग पंचाट की राशियों की किस्तों को जारी करने के लिए अनुसूची बनानी होगी ताकि परियोजना के विभिन्न स्तरों की पूर्णता के साथ उन्हें किसी नए शहर में चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जा सके। नए शहरों की स्थापना के लिए अवार्ड हेतु प्रतिस्पर्धा में सभी राज्यों को समान अवसर देना, प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के नियम निर्धारित करना और बोली-विजेताओं के चयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रायोगिक परियोजना की सफलता के अहम बिंदु हैं।

7.151 हम अनुशंसा करते हैं कि:

(i) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय एक विशेषज्ञ समिति गठित करे, जिसमें कुछ विशेषज्ञ और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए, जो 31 जनवरी, 2022 तक अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा हेतु न्यूनतम पात्रता शर्तें विनिर्दिष्ट करेगी तथा यह निर्धारित करेगी कि निधियां किस प्रकार जारी की जाएगी;

(ii) विशेषज्ञ समिति (क) राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए 31 मार्च, 2022 तक बोली मानदंड विनिर्दिष्ट करेगी, उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगी और राज्यों से 30 सितम्बर, 2022 तक बोलियां आमंत्रित करेगी; (ख) 31 दिसम्बर, 2022 तक विजेताओं की घोषणा करेगी; और (ग) 31 मार्च, 2023 तक अनुदान की पहली किस्त जारी करेगी तथा यह बताएगी कि अनुवर्ती किस्तों को जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट बैचमार्क के सापेक्ष परियोजना की प्रगति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा।

## साझा नगरपालिका सेवाएं-राष्ट्रीय डाटा केंद्र के लिए अनुदान

7.152 राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक सुसंगत पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि वे अपने स्वयं के राजस्वों को बढ़ा सकें, नगरपालिका के लिए उधार ले सकें और साझा नगरपालिका सेवाओं का कार्यान्वयन कर सकें। नगरपालिकाओं को “बाजारयोग्य” (market worthy) के रूप में स्थापित करने हेतु एक संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जिसमें वित्तीय सेवा क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन, जैसे कि दस्तावेजों का प्रकाशन, मॉडल पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट सृजित करना, नगरपालिका के बजट प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करना, नगरपालिका द्वारा उधार लेने हेतु एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क विकसित करना तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजवित्तिय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के समतुल्य उपबंध/प्रावधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

7.153 साझा नगरपालिका सेवा केंद्रों से निम्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा की गई है:

(क) पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह एक मॉडल का प्रयोग कर, नागरिकों को जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र, व्यापार लाइसेंस, शिकायत निवारण करना तथा अन्य प्रमाण-पत्र जारी करना/अनुमोदन देना/कर-संग्रहण करना; (ख) आयकर प्रतिदेयों (refunds) के केंद्र की तरह लेखाकरण, बैंडर के



भुगतान, पे-रोल प्रोसेसिंग आदि के लिए केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग के रूप में कार्य करना; (ग) डोरस्टेप/फील्ड सेवाएं, जैसे कि कर संग्रहण, संपत्ति का रखरखाव और अंतिम फील्ड स्तरीय नगरपालिका सेवाएं प्रदान करना, जिनके लिए सभी नगरपालिकाओं के संपूर्ण क्षेत्र में फील्ड स्टाफ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हें छोटे शहरी स्थानीय निकायों के क्लस्टर के बीच साझा किया जाना चाहिए।

7.154 साझा नगरपालिका सेवा केंद्रों के कार्यान्वयन के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पारिस्थितिकी निर्माण तथा सहयोग (हैंड-होल्डिंग) कार्य करेगा। इसके लिए हम 450 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

## वृत्तिक कर (Tax on Professions)

### वृत्तिक कर का युक्तिकरण

7.155 राज्य विधानमंडलों को व्यवसाय कर लगाने की शक्ति संविधान की सातवीं अनुसूची से प्राप्त हुई है, जो यह निर्दिष्ट करती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह अनिवार्यता नहीं होगी कि वह किसी राज्य या संबंधित राज्य के भीतर व्यवसाय कर के रूप में 2,500 रुपए से अधिक अदा करे। प्रारंभ में, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति की कर सीमा 50 रुपए थी, जिसे 1950 में बढ़ाकर 250 रुपए प्रतिवर्ष और उसके पश्चात संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा बढ़ाकर 1988 में 2,500 रुपए प्रतिवर्ष किया गया था। वर्तमान में, अधिकांश राज्यों ने व्यवसाय कर लगाया हुआ है। कुछ राज्यों में यह कर सामान्य तौर पर उन सभी व्यक्तियों पर लागू है, चाहे वे कोई भी रोजगार या कोई भी व्यवसाय से जुड़े हैं, जबकि अन्य राज्यों में इसे चयनित व्यवसायों पर ही लगाया गया है। कुछ राज्यों में राज्य द्वारा लगाए गए करों को राज्य द्वारा ही संग्रह किया जाता है, लेकिन अन्य राज्यों में नगरपालिका निकाय राज्य विधायन (State legislation) के तहत व्यवसाय कर लगाते हैं और उसका संग्रह करते हैं।

7.156 ग्यारहवें वित्त आयोग और उसके बाद के वित्त आयोगों ने 2,500 रुपए की उच्चतम-सीमा (ceiling) को बढ़ाने की अनुशंसा की थी, जबकि चौदहवें वित्त आयोग ने इसकी सीमा को बढ़ाकर 12,000 रुपए करने की अनुशंसा की थी। इसके अतिरिक्त, हालांकि ग्यारहवें वित्त आयोग एवं तेरहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि इस उच्चतम सीमा को संसदीय विधायन के माध्यम से बदला जाए। चौदहवें वित्त आयोग ने यह सुझाव दिया था कि इसे संवैधानिक संशोधन कर

बदला जाए। चौदहवें वित्त आयोग ने यह भी अनुशंसा की थी कि संशोधन करते हुए संसद को सीमाएं लगाने की शक्ति भी प्रदान की जाए और उसमें निदेश (caveat) दिया जाए कि लगाई गई सीमाएं वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप हों और संघ सरकार द्वारा सभी राज्यों के लिए समान सीमा निर्धारित की जाए। चूंकि व्यवसाय कर पर उच्चतम सीमा को पिछले तीन दशकों से संशोधित नहीं किया गया है, इसलिए यह सुनहरा अवसर है कि संविधान में अपेक्षित संशोधन प्राथमिकता आधार पर किया जाए। इस विषय में विस्तार से चर्चा अध्याधय-5 'संसाधन जुटाना' में की गई है।

## अनुशंसाओं का सारांश

- i. स्थानीय शासनों के लिए अनुदान का कुल आकार 2021-26 की अवधि के लिए 4,36,361 करोड़ रुपए होना चाहिए। हमारा मत है कि करों के विभाज्य पूल के एक अनुपात के बजाय, एक स्थायी राशि दी जानी चाहिए, ताकि निधि प्रवाह के समय एवं परिमाण की बेहतर पूर्वानुमेयता सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 7.60)

- ii. इन कुल अनुदानों में नए शहर स्थापित किए जाने के लिए 8000 करोड़ रुपए तथा साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए 450 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 2,36,805 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए; 1,21,055 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों के लिए और 70,051 स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए अनुदान हेतु अलग से निर्धारित किए जाते हैं।

(पैरा 7.61, 7.62 और 7.93)

- iii. ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण हेतु, 90 प्रतिशत भारांक राज्य की आबादी को और 10 प्रतिशत उसके क्षेत्रफल को दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए अनुदान का ब्यौरा अनुलग्नक 7.4 में दिया गया है।

(पैरा 7.62, 7.93)

- iv. हम अनुशंसा करते हैं कि जिन राज्यों ने राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) का गठन नहीं किया है, वे एसएफसी का गठन करें, उनकी अनुशंसाओं को कार्यान्वित करें और उस पर की गई कार्रवाई (एक्शन टेकन) के रूप में व्याख्यात्मक ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष मार्च, 2024 तक या उससे पहले प्रस्तुत करें। मार्च, 2024 के पश्चात उन राज्यों को कोई भी अनुदान जारी नहीं किए जाने चाहिए जिन्होंने एसएफसी और इन शर्तों के बारे में संवैधानिक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए राज्यों की हिस्सेदारी के अनुदानों को जारी करने से पहले पंचायती राज मंत्रालय इस संबंध में राज्य द्वारा अनुपालन किए गए सभी संवैधानिक उपबंधों को सत्यापित करेगा।

(पैरा 7.58)

- v. कोई भी अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तरीय शर्त यह है कि ग्रामीण एवं शहरी निकाय द्वारा के अनंतिम एवं लेखापरीक्षित लेखा दोनों सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। राज्य उन्हीं ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान प्राप्त करेंगे जिनके पास पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

(पैरा 7.76 से 7.78, 7.95 और 7.96)

- vi. शहरी स्थानीय निकायों के लिए, अनंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं को सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रवेश स्तरीय शर्त के अलावा, संबद्ध राज्य द्वारा 2021-22 के पश्चात संपत्ति करों के लिए न्यूनतम दर(फ्लोर रेट) एक अतिरिक्त अनिवार्य पूर्व-शर्त होगी कि वे अपने फ्लोर मूल्य का निर्धारण अपनी जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप करें।

(पैरा 7.95 से 7.99, 7.101 और 7.102)

- vii. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षित संसाधनों के लिए सहायता देने के संबंध में, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों का 60 प्रतिशत आबद्ध किया जाना चाहिए, जिससे कि वे मूलभूत सेवा प्रदान करने की दो श्रेणियों: (क) स्वच्छता एवं ओडीएफ स्थिति अनुरक्षण और; (ख) पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण सुविधाओं को सबल एवं सुदृढ़ कर सकें।

(पैरा 7.84 और 7.85)

viii. आबादी के आधार पर, शहरी स्थानीय निकायों को दो समूह में विभाजित किया गया है, उनकी विशेष आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के आधार पर प्रत्येक के लिए अनुदानों के प्रवाह हेतु विभिन्न मानकों का प्रयोग किया गया है। मिलियन-प्लस शहरों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान मिलियन-प्लस सिटीज़ चैलेंज फंड (एमसीएफ) के माध्यम से निष्पादन-संबद्ध हैं। मूल अनुदानों का प्रस्ताव केवल उन शहर/नगरों के लिए किया गया है, जिनकी आबादी एक मिलियन से कम है।

(पैरा 7.104, 7.105 और 7.128)

ix. परिवेशी वायु गुणवत्ता के निष्पादन संकेतकों और सेवा स्तरीय बैचमार्कों की निगरानी के लिए श्रेणी-1 के शहरों (एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरी एग्लोमरेशन) को एक सिंगल यूनिट माना जाएगा। परिवेशी वायु गुणवत्ता हासिल करने के लिए प्रत्येक शहर के कुल एमसीएफ के एक-तिहाई को अलग से निर्धारित किया गया है। शहर-वार एमसीएफ संबंधी निधि को शेष दो-तिहाई को पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तरीय बैचमार्कों को पूरा करने के लिए अलग से निर्धारित किया गया है। सेवा स्तरीय मानदंडों के तहत पेयजल (वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण सहित) एवं स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बैचमार्क के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पात्र शहरी निकायों के निर्धारण हेतु एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।

(पैरा 7.111 से 7.127)

x. गैर-मिलियन-प्लस शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए मूल अनुदानों का साठ प्रतिशत: (क) स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए; (ख) पेयजल, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनर्चक्रण सुविधा को सबल एवं सद्दृढ़ करने हेतु आबद्ध किया जाना चाहिए।

(पैरा 7.130, 7.131)

- xii. हम यह अनुशंसा करते हैं कि हमारी पांच वर्षों की पंचाट अवधि (2021-22 से 2025-26) के लिए अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों को दिए जाने चाहिए। चूंकि स्थानीय निकायों के अनुदानों की हिस्सेदारी को किसी भी भारतीय नागरिक से वंचित नहीं रखा जा सकता है, इसलिए अनुदानों को उन क्षेत्रों के बीच भी समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जिनसे पंचायतें गठित करने की अपेक्षा नहीं की गई हैं (संविधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची वाले क्षेत्र और इनसे बाहर रखे गए क्षेत्र) ताकि वे समान स्थानीय स्तरीय निकायों की तरह मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अपने संसाधनों का वर्धन कर सकें।
- (पैरा 7.63 से 7.68)
- xii. मिलियन-प्लस शहरों के अलावा, अन्य शहरों में विभिन्न यूएलबी के बीच मूल अनुदान की हिस्सेदारी का निर्णय करते हुए, राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले छावनी बोर्डों के लिए प्रतिव्यक्ति आधार पर अनुदानों (केवल मूल अनुदानों के तहत) का आबंटन करेंगी।
- (पैरा 7.133 और 7.134)।
- xiii. ग्रामीण स्थानीय निकायों और गैर-मिलियन-प्लस शहरों के लिए अनुशंसित अनुदानों को हमारे द्वारा अनुशंसित प्रवेश स्तरीय बैचमार्को एवं अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के पश्चात प्रत्येक वर्ष जून और अक्टूबर में दो बराबर की किस्तों में जारी किया जाएगा। राज्यों द्वारा संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस कार्य दिवसों के भीतर उन्हें स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने होंगे। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी देरी के लिए राज्य सरकारों को यह राशि पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के अनुसार ब्याज सहित किस्त जारी करनी होगी।
- (पैरा 7.135)

xiv. चूंकि स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए अनुदान देने का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में अंतर को कम करना है, इसलिए राज्यों या स्थानीय निकायों के लिए अनुदान प्रतिव्यक्ति आधार पर नहीं किए जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रायल के प्रस्ताव के अनुसार, इस प्रयोजनार्थ अनुशंसित वर्ष-वार एवं राज्य-वार निधि के आबंटन का ब्यौरा अनुलग्नक 7.10 में दर्शाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रायल इन स्वास्थ्य अनुदानों के प्रवाह एवं उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठता से समन्वय करेगा और एक क्रियाविधि को रूपरेखा देगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कराने में पर्यवेक्षण करने एवं प्रबंध करने की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपकर सभी तीन स्तरों के शासनों की चरणबद्ध रूप से सहभागिता सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान जारी करने के लिए पैरा 7.147 में उल्लिखित निदेशों या शर्तों के अलावा, संघ सरकार या राज्य सरकार, या किसी प्राधिकारण द्वारा कोई भी निदेश या शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।

(पैरा 7.136 से 7.147)

xv. नए शहरों की स्थापना के लिए राज्यों हेतु 8,000 रुपए की राशि और साझा नगरपालिका सेवाओं में सुविधा प्रदान करने के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा की जाती है।

(पैरा 7.148 से 7.154)

xvi. चूंकि व्यवसाय की सीमाओं को पिछले तीन दशकों के संशोधित नहीं किया गया है, यह उचित समय है कि संविधान में अपेक्षित संशोधन प्राथमिकता के आधार पर लाया जाए।

(पैरा 7.155 और 7.156)

## अध्याय 8

# आपदा जोखिम प्रबंधन

उत्तरोत्तर वित्त आयोगों ने राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन के लिए निधियों के आबंटन के निर्धारण हेतु व्यय आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। विगत रीति से हटकर वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में हमने एक नई पद्धति की अनुशंसा की है, जो आपदा प्रबंधन के लिए राज्य-वार आबंटन का निर्धारण करने के लिए क्षमता (जैसा विगत व्यय से परिलक्षित होता है), जोखिम एक्सपोजर (क्षेत्र एवं जनसंख्या) तथा जोखिम एवं भेद्यनीयता (आपदा जोखिम सूचकांक) का एक संयोजन है। यह 2021-22 से 2025-26 के लिए पांच वर्ष की पंचाट अवधि हेतु जारी रहेगी।

इसी प्रकार हमने संघ एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर प्रशमन निधि के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रशमन कोष (एनडीएमएफ) तथा राज्य आपदा प्रशमन कोष को जारी रखने की अनुशंसा की है, जो राज्यों में प्रशमन उपायों के कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होगी, जैसा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में यथा प्रदत्त है। राष्ट्रीय आपदा रिस्पोंस कोष तथा एनडीएमएफ के समग्र आबंटन के तहत छह प्रकार के अलग से किए गए आबंटन को विशेष पहलों के माध्यम से आपदा से निपटने की तैयारी, प्रशमन तथा रिकवरी से संबंधित कतिपय प्राथमिकताओं के समाधान हेतु जारी रखने का निर्णय लिया है।

जोखिम प्रबंधन के बाजार आधारित लिखतों को बढ़ावा देने तथा वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करने हेतु हमने अनेक विचारों एवं नवप्रवर्तनों का एक संग्रह (सेट) प्रस्तुत किया है।

8.1 विचारार्थ विषय (टीओआर) पैरा-9 के तहत आयोग को वित्तपोषण आपदा प्रबंधन पहलों पर विशेष रूप से आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 (2005 का 53) के अधीन गठित कोषों के संदर्भ में, वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और तत्संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करने का अधिदेश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पैरा-7 में आयोग से निम्नलिखित क्षेत्रों में, 'राज्यों के लिए अभिशासन के उपयुक्त स्तर पर मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव करने पर विचार करने की भी अपेक्षा की गई है...(iii) भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन, आपदा सहाय अवसंरचना,

सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपलब्धियां और उनके व्यय की गुणवत्ता।” तत्पश्चात, हमसे दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, पहला, 2020-21 के लिए तथा 2021-22 से 2025-26 की विस्तारित अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट। इसके अंत में हमने इस विषय पर 2020-21 की रिपोर्ट के अध्याय-6 में अपनी अनुशंसाएं दी थी।

8.2 प्रथम रिपोर्ट में, हमने आपदा जोखिम प्रबंधन के वर्तमान तंत्र की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की थी। हमने आपदा जोखिम प्रबंधन पर इस अध्याय के अनुच्छेद 6.4 में पंद्रह अनुशंसाएं (i से xv) की। इनमें प्रशमन कोषों का गठन, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर निधियों/कोषों का आबंटन, आपदा जोखिम प्रबंधन निधि का आकलन करने के लिए एक नई पद्धति तथा प्रशमन एवं रिस्पोस को कवर करने के लिए विभिन्न राज्यों को निधियों का आबंटन शामिल है। राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कुल निर्धारित अनुदान में से 20 प्रतिशत आपदा प्रशमन के लिए तथा शेष 80 प्रतिशत रिस्पोस निधि के रूप में निर्धारित किया गया था। रिस्पोस निधि को तीन और विंडो में क्रमशः 50.0:37.5:12.5 के अनुपात में रिस्पोस एवं राहत, रिकवरी (आपदा से उभरने) एवं पुनर्निर्माण तथा क्षमता निर्माण के रूप में विभाजित किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रशमन कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत चार प्राथमिकताएं तथा राष्ट्रीय आपदा रिस्पोस निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत दो प्राथमिकताओं की पहचान की गई।

8.3 हमने संघ एवं राज्य सरकारों से प्राप्त फीडबैक सहित अनुशंसाओं की समीक्षा की। हमने भारत में आपदा प्रबंधन के वर्तमान ढाँचे में अप्रत्याशित कोविड-19 महामारी के सन्दर्भ में भी जांच की। सभी प्रासंगिक मुद्दों को ध्यान में रखने के पश्चात 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में अनुशंसाएं की गयी हैं।

## पृष्ठभूमि

8.4 प्रारंभ में मुख्य रूप से आपदा राहत पर ध्यान केंद्रित था परंतु विगत वर्षों में, आपदा प्रबंधन संघ-राज्य संबंधों के मध्य पहलू एवं विषय के रूप में उभरकर आया है। पूर्ववर्ती वित्त आयोगों ने भी अपनी अनुशंसाओं का प्रारूपण करते हुए शब्द 'आपदा राहत' का उपयोग किया है। तथापि, आपदा प्रबंधन अधिनियमने संघ तथा राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारियों और कार्रवाइयों के क्षेत्र को आपदा प्रबंधन के व्यापक कार्यों तक विस्तारित किया है, जिसमें राहत एवं रिस्पोस (कार्रवाई), तैयारी एवं प्रशमन तथा रिकवरी (सामान्य स्थिति बहाल करना) एवं पुनर्निर्माण को शामिल किया गया है।



8.5 आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की स्थापना की गई, तत्पश्चात प्रबंधन के लिए नई संस्थानिक संरचना का सृजन भी हुआ है। अधिनियम के अनुरूप, इन संस्थाओं की भूमिका एवं कार्यों ने तेरहवें वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को प्रभावित किया है। उत्तरोत्तर वित्त आयोगों ने आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु एक क्रमिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया है। उनकी अनुशंसाओं के आधार पर, संघ और राज्य स्तरों पर दिशानिर्देशों एवं मानकों के साथ कोषों की एक सुव्यवस्थित योजना का संस्थानीकरण किया गया है।

8.6 आपदाओं के लिए वित्तपोषण की इस योजना ने राज्य सरकारों को आपदा रिस्पोंस और राहत पहुंचाने की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु एक आत्मनिर्भर सहायता स्रोत उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, इन कोषों की एक राष्ट्रीय आपदा कोष के माध्यम से पुनः पूर्ति कर इसे संवर्धित (रिप्लेनिशड) किया जा सकता है, जब असाधारण गंभीर आपदाओं के लिए उनकी आवश्यकता महसूस की जाए। सहायता के लिए दिशानिर्देशों और मानकों को आवधिक रूप से संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप आपदा से प्रभावित राज्य सरकारों के लिए ज्यादा प्रावधान किए गए हैं।

8.7 प्रत्येक पांच वर्षों में इन व्यवस्थाओं की समीक्षा किए जाने से हमें वित्तपोषण व्यवस्थाओं में नवप्रवर्तन लाने तथा आपदा प्रबंधन कार्य की दक्षता एवं समानता में सुधार लाने का अवसर मिलता है। वित्त आयोगों से कुछ विचारों (ए सेट ऑफ कंसिडरेशन्स) के सेट के आधार पर राज्यों को वित्तीय संसाधनों के आबंटन के बजाय, एक व्यापक कार्य का समाधान करने की अपेक्षा की जाती है। इस व्यापक कार्य का आशय देश में जोखिम एवं भेद्यनीयता (वुलनरेबिलिटी) के संदर्भ में समीक्षा करना, आपदा प्रबंधन के संस्थानिक एवं नीतिगत आयामों में सुधार लाना, आपदा प्रबंधन के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना और अधिक संख्या में हितधारकों को एक ऐसे क्षेत्र में सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिनका भौतिक सुरक्षा, संरक्षा तथा लोगों के कल्याण पर प्रत्यक्ष प्रभाव है।

8.8 विगत वर्षों के दौरान, अपनी अनुशंसाओं के माध्यम से वित्त आयोगों ने नवप्रवर्तनों और सुधारों को लगातार उसी तरह बढ़ावा दिया है जैसा कि विभिन्न स्तरों पर सरकारें आपदा प्रबंधन को प्रश्रय देती हैं। हम वही मार्ग और पूर्व-प्रथा (प्रेसिडेंट) का अनुसरण करना चाहते हैं, हालांकि हमने आपदाओं की बारंबारता तथा मानव एवं आर्थिक आधारों पर उनके व्यापक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती तात्कालिक आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया है।

## वित्त आयोग की अनुशंसाओं की उभरती प्रासंगिकता

8.9 विभिन्न अंतर्दृष्टियों ने हमें अपनी अनुशंसाएं करने एवं उनकी समीक्षा करने की प्रक्रिया में हमारा मार्गदर्शन किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है 'विचार्य विषय' (टीओआर)। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव रहा है। विगत पांच वर्षों में देश ने विभिन्न राज्यों (उत्तराखंड, तमिलनाडु, असम, बिहार और केरल) में बड़े पैमाने पर बाढ़, चक्रवात फैलिन, हुदहुद (ओडिशा), ओखी (तमिलनाडु), तितली (आन्ध्रप्रदेश और ओडिशा), गाजा (केरल एवं तमिलनाडु), बुलबुल, फैनी, अम्फान (पश्चिम बंगाल) और उसके बाद क्रमिक सूखा (राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) का सामना किया है।

8.10 तीसरा, एनडीएमए एवं एसडीएमए, जो सुस्थापित संस्थाएं बन चुकी हैं, ने आपदा प्रबंधन के कार्यक्षेत्र को पारंपरिक रिस्पोस-एंड-रिलीफ कार्यों से परे विस्तारित करते हुए उसमें आपदा से निपटने की तैयारी, प्रशमन एवं रिकवरी तथा पुनर्निर्माण को शामिल किया है। आपदा प्रबंधन वैश्विक रूप से और अधिक विशेषीकृत क्षेत्र बन गया है, जिसके तहत जोखिम आकलन, जोखिम हस्तांतरण और जोखिम प्रशमन की दिशा में भारी मात्रा में साहित्य उपलब्ध हुआ है। इसकी व्यावसायिक आवश्यकताएं भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर बढ़ गई हैं, क्योंकि राज्यों ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में विविध पहल की हैं। गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता ने भी एक क्षेत्रक (सेक्टर) के रूप में आपदा प्रबंधन के कार्यकलापों में भगीदारी बढ़ाने में सहायता की है, जैसा कि हाल ही में कुछ गंभीर आपदा की स्थितियों में देखा गया है।

8.11 चौथा, संघ सरकार ने कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग किया है। विगत में ऐसी घटनाओं के लिए राज्य सरकारों ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों का प्रयोग किया है। चूंकि संविधान की सातवीं अनुसूची में संक्रामक रोगों/महामारी और लोक स्वास्थ्य जैसे संबंधित व्यापक विषयों तथा संबंधित प्रविष्टियों को राज्य सूची और समवर्ती सूची में एक राज्य से दूसरे राज्यों में बीमारियों के प्रसार को रोकने के अलावा इसे स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया- कुछ पर्यवेक्षकों ने महसूस किया था कि संघ और राज्यों की भूमिकाओं में स्पष्टता लाने व सुधार हेतु संवैधानिक ढांचे में गुंजाइश है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (2006) ने "आपात स्थिति, प्राकृतिक या मानव जनित प्रबंधन" के लिए समवर्ती सूची में प्रविष्टियां शामिल करने की अनुशंसा की थी। संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग (2002) में इसी तरह अनुशंसा की थी। यह उल्लेखनीय है कि 2005 में संसद में आपदा

प्रबंधन अधिनियम को पारित करने के लिए भी, संसद को समवर्ती सूची की 23वीं प्रविष्टि-सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में अपनी विधायी क्षमता का पता लगाना था। हमारी जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय ने आपदाओं के परिधि से संबंधित विधायी कमियों को दूर करने के लिए एक टॉस्क फोर्स का गठन किया है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आशा करते हैं कि कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए विधायी ढांचे को जल्द ही सुगम बनाया जाएगा। हमने इस विषय पर आपदा प्रबंधन अध्याय की अपेक्षा स्वास्थ्य-क्षेत्र के लिए अध्याय में कोविड-19 के समाधान विषय पर चर्चा की है।

8.12 पांचवां बीमा क्षेत्र में, विशेष रूप से 2015-16 में आटोमेटिक रूट के तहत, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत किए जाने के उपरांत, विगत दशक में भारी संवृद्धि देखी गई है। अग्रणी वैश्विक बीमा कंपनियों ने घरेलू कंपनियों के सहयोग से भारत में प्रचालन (ऑप्रेशन्स) स्थापित किए हैं और बाजार में विविध जीवन एवं गैर-जीवन बीमा सेवाएं एवं उत्पाद प्रारंभ किए हैं। चूंकि पारिवारिक आय में बढ़ोत्तरी हुई है, इसलिए भारत में बीमा क्षेत्रक में उत्पाद नवप्रवर्तन, न्यूनतम प्रीमियम, बेहतर दावा प्रबंधन एवं विनियामक पर्यवेक्षण के माध्यम से उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त किए जाने की उम्मीद है। परिवारों के आपदा प्रबंधन के वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करने हेतु, बीमा क्षेत्रक का लाभ विशेषकर समृद्ध परिवारों द्वारा लिया जा सकता है।

8.13 अंततः, भारत ने तीन बड़े वैश्विक रूपरेखा- सतत विकास लक्ष्यों(एसडीजीएस), जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता (एग्रीमेंट) और आपदा जोखिम प्रशमन पर सेन्डई फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर)<sup>1</sup> पर हस्ताक्षर किए हैं जिन्हें 2015 में सृजित किया गया था। इन रूपरेखा के अनुसार, सरकार तथा अन्य हितधारकों के स्तर पर अंतर-संबंधित कार्यों का एक सेट बनाया जाना चाहिए जिनसे प्रशमन एवं अनुकूलता में सुधार लाया जा सके, विनियमनों का सुदृढ़ीकरण किया जा सके, जोखिमों एवं भेद्यनीयताओं को कम किया जा सके तथा राज्य और सिविल सोसाईटी के स्तर पर बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। इन फ्रेमवर्कों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुसार सुसंगत कदम उठाने होंगे ताकि हम इन विकास फ्रेमवर्कों के प्रमुख संकेतकों को हासिल कर सकें।

8.14 जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारितंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत और कार्यनीतिक जानकारी के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशन प्रारंभ किए हैं।

<sup>1</sup>संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों द्वारा जापान के सेन्डई में 14 से 18 मार्च 2015 को जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाए जाने के कारण इसे सेन्डई रूपरेखा के नाम से जाना जाता है।

राज्य स्तरों पर जलवायु संबंधी कार्रवाईयां जलवायु परिवर्तन पर राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी) पर आधारित हैं। जलवायु परिवर्तन पर राज्यों के विशिष्ट मुद्दों को ध्यान में रखते हुए एनएपीसीसी की तर्ज पर तैंतीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एसएपीसीसी तैयार की है। एसएपीसीसी के इन पहलूओं में अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्र विशिष्ट तथा अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकता आधारित जलवायु संबंधी कार्रवाईयों की रूपरेखा तैयार की है। संघ सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति संवेदनशील है, में अनुकूलन उपायों में सहयोग प्रदान करने के लिए जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफसीसी) को भी कार्यान्वित कर रही है। एनएएफसीसी के अंतर्गत 27 राज्यों में कृषि, जल, वानिकी आदि में अनुकूलता से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए 30 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा, वनीकरण, ऊर्जा दक्षता और शहरी विकास के क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी कार्य भी प्रारंभ की है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत की अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 2020<sup>2</sup> तक 20-25 प्रतिशत तक की कमी किए जाने की स्वैच्छिक प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना (एनएपीसीसी) के कार्यान्वयन और अन्य उपायों के फलस्वरूप 2005 के स्तर की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जना तीव्रता में 2005 और 2014 के बीच लगभग 21 प्रतिशत तक की कमी आई हैं। एनएपीसीसी के तहत शुरू किए गए मिशनों की सफलता जलवायु परिवर्तन से निपटने और अपने स्थायीविकास लक्ष्यों (एडीसीजीएस) को हासिल करने लिए पेरिस समझौतों के लिए भारत की प्रतिबद्धता सराहनीय है।

## अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला

8.15 बदलते संदर्भ और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी अनुशंसाएं करने के लिए एनडीएमए के सहयोग से दो अध्ययन करवाए। इनमें एक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा किया गया जिसने आपदा जोखिम वित्तपोषण रीतियों की समीक्षा की और अनेक अनुशंसाएं की, जो राज्य आपदा रिस्पॉस कोष (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस कोष (एनडीआरएफ) के लिए आबंटनों को, वित्तपोषण विंडो के विविधीकरण तथा संसाधन एकत्रीकरण के स्रोतों को कवर करती हैं। दूसरा अध्ययन इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन सेंटलमेंट्स, बेंगलूरु द्वारा किया गया जिसने उन शहरी जोखिमों एवं भेद्यनीयताओं तथा क्षमताओं एवं संसाधनों से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समाधान के लिए उठाया गया था। विश्व बैंक और यूएनडीपी

<sup>2</sup> भारत की द्विवार्षिकी रिपोर्ट, 2018

की सहायता से हमने दिल्ली में (12 एवं 13 नवंबर 2018) आपदा जोखिम वित्तपोषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र तथा बीमा उद्योग के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने का अवसर प्रदान किया। इस मंच में आपदा जोखिम वित्तपोषण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कार्यशाला में आपदा कोषों के आकार एवं आबंटन के बारे में विभिन्न विचार प्रस्तुत किए गए और बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए विविधीकृत वित्तीय लिखतों एवं सेवाओं की आवश्यकता को उजागर किया गया।

## राज्यों की प्राथमिकताएं

8.16 राज्य सरकारों ने आयोग को ज्ञापन भी प्रस्तुत किए हैं। राज्यों ने अनेक मांगे प्रस्तुत कीं, जो कमोबेश उसी प्रकार थी जैसा कि उन्होंने पूर्ववर्ती वित्त आयोगों के समक्ष प्रस्तुत की थीं। उनकी प्रमुख मांगे निम्न प्रकार हैं:

- i. राज्यों के लिए एसडीआरएफ आबंटन बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अधिकांश राज्यों ने यह अनुशंसा की कि आबंटन के लिए वर्तमान मानदंड, जो विगत व्ययों के आधार पर है, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, और जोखिम तथा भेद्यनीयता को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। तथापि, कुछ राज्यों की यह राय थी कि आबंटन विगत व्ययों के आधार पर ही जारी रखे जाने चाहिए।
- ii. कुछ राज्यों की यह राय थी कि एसडीआरएफ का वित्तपोषण पूर्णतया संघ सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें बराबर की हिस्सेदारी उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है।
- iii. राज्यों और एसडीएमए को राहत राशि के संवितरण को और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लिए सहायता के मानकों को राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया जाता है, और राज्यों के पास कतिपय क्षेत्रों, विशेष रूप से दूर-दराज एवं पहाड़ी क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए इनमें हमेशा लचीलापन नहीं रहता।
- iv. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए दिशानिर्देशों में शामिल सहायता के लिए विचार किए जाने वाले मदों की सूची और मानकों को संशोधित और इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

- v. एनडीआरएफ के माध्यम से केंद्रीय सहायता के निर्धारण के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया तथा सहायता जारी करने की प्रक्रिया को गति प्रदान किए जाने के साथ-साथ उसे अधिक प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
- vi. सहायता के वर्तमान मानकों में रिकवरी तथा पुनर्निर्माण के लिए अधिक संसाधनों को शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान में, आवासन और बुनियादी ढांचा के पुनर्निर्माण के लिए आबंटन पर्याप्त नहीं है।
- vii. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए मैदानी क्षेत्रों, तटवर्ती क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के पुनर्स्थापन के लिए अलग आबंटन करने की आवश्यकता है।
- viii. प्रशमन, जो आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरकर आया है, को संघ द्वारा वित्तपोषित किया जाना चाहिए। वर्तमान में राज्य जोखिम प्रशमन उपायों के लिए स्वयं अपने स्तर पर वित्तपोषण कर रहे हैं, लेकिन प्रशमन कार्य के लिए ये निधियां पर्याप्त नहीं हैं।
- ix. राज्यों को आपदा तैयारी संबंधी उपायों के लिए आबंटन किए जाने चाहिए, जिससे पूर्व चेतावनियों के आधार पर अग्रिम रूप से कार्रवाई करने में सहायता मिलती है। आपदा तैयारी संबंधी उपायों में राज्य आपदा रिस्पोंस फोर्सिस की स्थापना किया जाना शामिल है, ताकि सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय आपदा रिस्पोंस फोर्सिस पर निर्भरता कम हो सके।
- x. तेरहवें वित्त आयोग द्वारा शुरू किए गए क्षमता-निर्माण अनुदानों की बहाली की जानी चाहिए, क्योंकि आपदा प्रबंधन में राज्य क्षमताओं के निर्माण में वे काफी उपयोगी साबित हुए थे; परंतु चौदहवें वित्त आयोग द्वारा उन्हें समाप्त कर दिया गया था।
- xi. राज्यों को एनडीआरएफ आबंटन जारी करते हुए, एसडीआरएफ से समायोजन की प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।
- xii. राज्यों को अपने आपदा प्रबंधन कार्यों में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से और अधिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- xiii. बिजली गिरने से मृत्यु की बढ़ती घटनाओं की संख्या को कम करने की दिशा में सतत रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बिजली गिरने के कारण जिन परिवारों के लोगों की मृत्यु हो जाती है, उन्हें अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए।

- xiv. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से वित्तपोषण सहायता के लिए आपदाओं की पात्रता सूची में हाथियों के आक्रमणों, आकाशीय बिजली गिरना, खनन-संबद्ध आग लगने के खतरों, सर्पदंश, गरम हवाओं (heatwaves), नदी तथा तटवर्ती भूक्षरण, लोक स्वास्थ्य संबंधी रोगों जैसे जापानी इन्सेफलिटिस, निपाह या कोविड-19 महामारी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- xv. राष्ट्रीय सूची में शामिल नहीं की गई विभिन्न स्थानीय आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य-विशिष्ट आपदाओं के लिए प्रयोजन विशिष्ट राशि को वर्तमान में एसडीआरएफ आबंटन के 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए।

## केंद्रीय एजेंसियों और मंत्रालयों के विचार

8.17 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) बहुत पहले से राष्ट्रीय आपदा प्रशमन कोष (एनडीएमएफ) और राज्य आपदा प्रशमन कोष (एसडीएमएफ) की स्थापना का पक्षधर रहा है ताकि जोखिम प्रशमन में निवेश के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। इसके अतिरिक्त, एक अलग वित्तपोषण विंडो से आसानी से किए जाने वाले प्रशमन उपायों के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी। इस प्रकार का वित्तपोषण वर्तमान में जलवायु परिवर्तन कोष और संधारणीयमिशन, आदि जैसे अलग-अलग शीर्षों के तहत उपलब्ध है।

8.18 यूएनडीपी अध्ययन में एनडीएमए की सलाहकार समिति का संदर्भ दिया गया है जो इस बात पर जोर देती है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से वित्तीय संसाधनों को जारी करने और उनके उपयोग से राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर क्रमशः तैयारी एवं रिस्पोंस के आधार पर औसत दर्जे का परिणाम प्राप्त होने चाहिए। सलाहकार समिति ने इस बात पर भी गौर किया कि आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण हेतु इन पद्धतियों के माध्यम से वित्तपोषण किया जाना चाहिए। उसने यह भी सुझाव दिया कि इन संसाधनों के उपयोग के लिए और अधिक जवाबदेही तय की जानी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) ने आपदा तैयारी, क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन, नवप्रवर्तन और अनुसंधान/शोध के लिए एक अलग वित्तपोषण की आवश्यकता का सुझाव दिया है। उसने राज्य आपदा प्रबंधन संस्थानों (एसआईडीएम), जो राज्य संसाधन केंद्र हैं, के लिए आबंटनों का सुझाव दिया है ताकि राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके।

8.19 मंत्रालयों ने अपनी क्षेत्रक (सेक्टरल) चिंताओं को व्यक्त किया। कृषि मंत्रालय ने अनेक संकेतकों के आधार पर सूखे की घोषणा करने के लिए नए मानक लागू किए हैं, जिनका राज्यों द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए। कृषि मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि किसानों को होने वाली क्षति को कम करने के लिए राज्यों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि एसडीआरएफ आबंटनों में उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए। उसने यह भी अनुरोध किया है कि राज्य एवं जिला स्तरों तथा राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस फोर्सिस के स्तर पर आपदा अभिशासन को मजबूत बनाने एवं सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव दिया कि आयोग को एसडीआरएफ कॉर्पस के आकार का निर्धारण करने के समय पर प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, उसके क्षेत्रफल, राजकोषीय व्यवस्था तथा भेद्यनीयता के आकार पर विचार करना चाहिए और आपदा तैयारी संबंधी उपाय करने के लिए अलग से भी आबंटन किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने एनडीएमएफ की स्थापना एवं उसके लिए अलग से आबंटन निर्धारण की अनुशंसा की है। रक्षा मंत्रालय ने वित्तपोषण आपदा राहत की कार्यविधियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया है ताकि आपदा राहत कार्य के लिए रक्षा बलों को भविष्य में प्रतिपूर्तियां एक तय समय-सीमा में प्राप्त हो सकें।


8.20 ये प्राथमिकताएं और विचार आपदाओं से निपटने में वास्तविक अनुभवों के आधार पर हैं। ये प्राथमिकताएं एवं विचार आपदाओं से स्पष्ट रूप से निपटने में तथा वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने में हम पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हैं। ऐसा करने में, हमें आपदा जोखिम वित्तपोषण प्रणाली जिसकी उत्पत्ति पूर्ववर्ती वित्त आयोगों के विवेक से हुई है के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं देनी होंगी। हमें वर्तमान प्रणाली में इस प्रकार सुधार लाने की जरूरत है जो राजकोषीय रूप से संधारणीय हो, राज्य एवं स्थानीय सरकारों को सशक्त करती हो तथा अंतर्राष्ट्रीय रीतियों के आधार पर नवप्रवर्तन करते हुए हमारी प्रणाली की शक्ति को कायम रखती हो। संक्षेप में, ये सुधार एवं नवप्रवर्तन परिवर्तन के साथ निरंतरता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आयोग द्वारा एनडीएमए और इस क्षेत्र में अन्य विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चाओं के दौरान एनडीएमए के साथ हमारा सहयोग आपदा प्रबंधन में उन विशेषीकृत संस्थाओं की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सूचक है, जिनके पास सुधारों और नवप्रवर्तनों को अपने तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाने में अपेक्षित विशेषज्ञता और संसाधन हैं।



## आपदा जोखिम वित्तपोषण का उद्भव

8.21 विगत छह दशकों के दौरान भारत में आपदा जोखिम वित्तपोषण का उद्भव, जो उत्तरोत्तर वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुरूप है, को चित्र 8.1 में मानचित्रित किया गया है। विगत वित्त आयोगों:द्वितीय वित्त आयोग(1957-62) से चौदहवें वित्त आयोग तक की आपदा प्रबंधन से संबंधित अनुशंसाओं के विभिन्न पहलूओं के संक्षिप्त रूप को चित्र 8.1 में दर्शाया गया है।

चित्र-8.1: भारत में आपदा जोखिम वित्तपोषण का उद्भव



## आपदा जोखिम वित्तपोषण की मुख्य विशेषताएं

8.22 भारत में आपदा जोखिम वित्तपोषण की कार्यप्रणाली आपदा प्रबंधन के संबंध में जिम्मेदारी के वर्गीकरण को परिलक्षित करती है। विभिन्न आपदाओं, बचाव कार्य का संचालन करने, लोगों को बाहर निकालना और उन्हें राहत पहुंचाने तथा लोगों को सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। आपदा घटित होने के बाद, उससे उबरने और पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। संघ सरकार, राज्य सरकारों के अनुरोध पर सशस्त्र बलों और राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉस फोर्सिस को तैनात कर उन्हें आपदा से निपटने में अतिरिक्त सहायता देती है। संघ सरकार और उसकी एजेंसियां जब कभी आवश्यक हो वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती हैं।

8.23 परिणामस्वरूप, आपदा प्रबंधन पर राज्य सरकारें अधिकतर व्यय करती हैं। इन व्ययों की पूर्ति वर्तमान में एसडीआरएफ के माध्यम से की जाती है। जब राज्यों के अपने एसडीआरएफ संसाधन समाप्त (Exhaust) हो जाते हैं, तब वे संघ सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत कर एनडीआरएफ के माध्यम से वित्तीय सहायता का अनुरोध कर सकते हैं। एनडीआरएफ, जिसकी स्थापना संघ स्तर पर की गई है, निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य निधियों को संवर्धित करता है और उन्हें सुदृढ़ बनाता है। भारत में आपदा जोखिम वित्तपोषण की यह एक प्रमुख विशेषता रही है जिसके द्वारा राज्यों को पूर्वानुमेय के आधार पर आपदा प्रबंधन हेतु सहायता दी जाती है। इन आबंटनों के सामान्य प्रभाव व परिणाम को पूर्वचेतावनी और राष्ट्रव्यापी रूप से बेहतर तैयारी के जरिए देखा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप विगत वर्षों के दौरान मानव मृत्युदर में गिरावट आई है। तथापि, जैसा कि आपदा जोखिम बढ़ गया है, आपदा प्रकोप तथा आर्थिक प्रभाव दोनों के आधार पर, वर्तमान आपदा जोखिम वित्तपोषण व्यवस्थाएं, स्रोत और अनुप्रयोग दोनों के आधार पर अपर्याप्त हैं।

## आपदाओं पर समेकित व्यय

8.24 अट्टाईस राज्यों में आपदा रिस्पॉस और राहत पर कुल व्यय 2011 से 2019 की अवधि के दौरान 1,66,702 करोड़ रुपए रहा है (तालिका 8.1)। 2015 में सहायता राशि में बढ़ोत्तरी हेतु मानकों में किए गए संशोधन के कारण 2015-16 से वार्षिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

## तालिका 8.1: आपदाओं पर 28 राज्यों का समेकित व्यय

(करोड़ रु.)

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आपदाओं पर राज्यों का समेकित व्यय*	14008	11425	16923	18416	32952	27727	15803	29448

\*मुख्य शीर्ष 2245 + लोक लेखा से प्रत्यक्ष रूप से खर्च किया गया व्यय

स्रोत: वित्त लेखा, सीएजी

8.25 यह देखा गया है कि एसडीआरआफ और एनडीआरएफ के तहत सहायता के अलावा, राज्य सरकारें अपने बजटीय संसाधनों से रिस्पोंस एवं सहायता के लिए धन आबंटित कर रही हैं, जो इस तथ्य को दर्शाती है कि वह पूर्णतः इन निधियों पर निर्भर नहीं हैं। विगत में, राज्य सरकारों ने बड़े रिकवरी एवं पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया है।

### आपदा जोखिम वित्तपोषण के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा

8.26 इन व्ययों को दो तरीकों से देखा जाना है: पहला, यह कि वे लोक व्ययों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और दूसरा यह कि क्या वे जनमानस को अपना जोखिम एवं भेद्यनीयता कम करने में सहायता करते हैं। तथापि, साथ ही यह भी अभिस्वीकृत किए जाने का समय है कि उक्त प्रकार के भारी व्यय के अंतर्गत गरीबी और आपदा जोखिम पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में निकटतम संबंध है।

8.27 लोक वित्त में, आपदाओं को राज्य की आकस्मिक देयता के रूप में देखा जाता है। आकस्मिक देयताओं का आशय बाध्यताओं (सरकार) से है जो तब देय होती हैं जब कोई संभावित, किंतु अनिश्चित भावी घटना उत्पन्न हो। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के माध्यम से किए गए आबंटनों से सरकारों को अपनी आकस्मिक देयताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। तथापि, आकस्मिक देयताओं को पूरा करने हेतु वर्तमान दृष्टिकोण में दो खामियां हैं। पहला, उसका उद्देश्य आकस्मिक देयताओं को पूरा करना है, न कि उन्हें कम करना। आकस्मिक देयताओं को कम करने हेतु सरकारों को जोखिम एक्सपोजर का आकलन करने तथा उपयुक्त कदम उठाते हुए निवेश करना चाहिए। दूसरा, एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ, जो समर्पित रिजर्व कोषों के रूप में कार्य करते हैं, वर्तमान में आकस्मिक देयताओं की पूर्ति करने के लिए एकमात्र वित्तीय तंत्र हैं। जोखिम एक्सपोजर अधिक होने पर

आकस्मिक देयताएं भारी मात्रा में बढ़ सकती हैं, उस दशा में इन देयताओं को पूरा करने के लिए बहु लिखत और वित्तपोषण विंडो प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता होती है।

8.28 सामुदायिक एवं परिवारिक स्तर पर, लोगों के लिए संसाधनों के हस्तांतरण के साधन के रूप में आपदा निधियों पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। जब लोगों के पास नकदी की सुलभता होने पर, वे अपने कल्याण संबंधी क्षति का समाधान करने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं। वे आपदाओं से निपटने में संगत रणनीतियां लागू करते हैं और तत्पश्चात संसाधनों के उपलब्ध होने की दशा में वे उसके प्रभाव से उबरकर अपनी आजीविकाएं शुरू करने का प्रयास करते हैं। चूंकि आर्थिक सहायता सामान्यतः कम होने के कारण आपदाओं से निपटना ही आर्थिक सहायता का प्राथमिक उद्देश्य रहता है।

8.29 यदि लोगों को आपदाओं से बेहतर संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें परिसंपत्तियां निर्मित एवं अधिग्रहित करनी चाहिए। इन परिसंपत्तियों में घर या आजीविका स्रोत या सामुदायिक परिसंपत्तियां जिसमें सड़कें, ड्रेनेज (जल निकासी) और स्वास्थ्य केंद्र शामिल हो सकती हैं। लोगों के पास परिसंपत्तियां होने से, उनमें अपने समृद्ध होनेका भाव पैदा होता है। दूसरा, परिसंपत्तियां अनियमितताओं तथा आपदाओं से संबद्ध हानियों से बचाव हेतु रक्षा कवच के रूप में कार्य भी करती हैं। जिन परिवारों के पास अधिक परिसंपत्तियां होती हैं, उन्हें किसी आपदा के पश्चात अपने उत्थान की हानि कम होने की आशंका होती है। अतः, आपदा उपरांत सहायता से न केवल लोगों को उससे हुए नुकसान को यथासंभव कम करने हेतु मदद मिलनी चाहिए, बल्कि लोगों को उसके प्रभाव से उबरने में तथा जोखिम एवं भेद्यनीयता कम करने में भी सहायता मिलनी चाहिए।

8.30 इन दो व्यापक सैद्धांतिक दृष्टिकोणों ने हमें विचार-विमर्शों का मार्गदर्शन प्रदान किए जाने के साथ हमें अपनी अनुशांसाएं और भी अधिक दूरगामी सोच के साथ करने में सहायता प्रदान की है। हम ऐसी परिकल्पना करते हैं कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के पास आपदाओं से निपटने हेतु न केवल पर्याप्त निधियां उपलब्ध हों, बल्कि इन निधियों को एक ऐसे फ्रेमवर्क को प्रश्रय देने के लिए पर्याप्त रूप से विविधीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें आपदा प्रबंधन के सभी पहलू शामिल किए जा सकें। प्राकृतिक खतरों से उत्पन्न जोखिम बढ़ गए हैं और उनके लिए वर्तमान रिस्पोंस (जो केवल रिस्पोंस और राहत पर केंद्रित रहता है) की तुलना में और अधिक व्यापक एवं संतुलित रिस्पोंस की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, उक्त पैमाने पर संसाधनों के हस्तांतरण का ऐसे परिवारों और समुदायों (विशेषकर गरीब वर्ग के लोगों, जो जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं) को दी जाने वाली सहायता में स्पष्टतः उल्लेखनीय प्रभाव दिखना चाहिए।

## पंद्रहवें वित्त आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

8.31 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों की विद्यमान रीतियों की समीक्षा के आधार पर, हमने निम्नलिखित चार सिद्धांतों का अनुसरण किया है।

8.32 पहला, संघीय प्रणाली (चाहे वह संघ हो या संघीय सरकार हो) आपदा सहायता उपलब्ध कराते हैं। तथापि सभी देशों में आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका हो, कनाडा हो या आस्ट्रेलिया हो, संघीय सरकारें आपदा की घोषणा के आधार पर सहायता उपलब्ध कराती हैं। भारत में भी, संघ सरकार की राज्यों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या अन्य हस्तांतरण के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी है। एसडीआरएफ एक सुस्थापित तंत्र है, जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियमके विधिक उपबंधों द्वारा अधिदेशित किया गया है। एसडीआरएफ की वर्षों पहले स्थापना, उसका विधिक दर्जा और प्रचालनीय उपयोगिता के कारण, उसे आपदा प्रबंधन के लिए राज्य संसाधनों के मुख्य साधन के रूप में जारी रखा जाना चाहिए।

8.33 दूसरा, आपदा प्रबंधन चक्र के अंतर्गत अनेक कार्य आते हैं, जैसे निवारण, तैयारी, रिस्पोंस, प्रशमन, रिकवरी और पुनर्निर्माण। अपनी शुरुआती अवधि में, आपदा प्रबंधन प्रणाली रिस्पोंस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। तथापि, जैसे-जैसे वह विकसित होती है, वह अन्य आपदा प्रबंधन कार्यों को भी निष्पादित करने के पक्ष में तैयार रहती है। इसलिए आयोग ने न केवल आपदा प्रबंधन के विस्तार क्षेत्र को स्वीकार किया। अपितु आपदा प्रबंधन अधिनियम में शामिल किए गए राहत और प्रशमन प्रावधानों के तहत किए गए कार्यों के लिए वित्तीय आबंटन निर्धारित किए हैं। 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एनडीआरएमएफ) और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) के गठन की अनुशंसा की थी।

8.34 तीसरा, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) के बड़े हिस्से के माल एवं सेवाकर (जीएसटी) में समाविष्ट हो जाने और एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के गठन के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए संघ के वित्तों की उपलब्धता में काफी कमी आई है। चौदहवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में संघ और राज्यों द्वारा एसडीआरएफ के वित्त पोषण पैटर्न में बदलाव की अनुशंसा की थी। केंद्र सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा को संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया था कि एसडीआरएफ में राज्यों का योगदान पहले की तरह जारी रहेगा; और एक बार जीएसटी लागू होने के बाद आपदा राहत पर चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। जुलाई, 2017 से लागू जीएसटी में स्थायित्व न आने के कारण स्थिर नहीं हुआ है, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि चौदहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान

एसडीआरएफ में उसकी हिस्सेदारी उसी अनुपात में रहेगी जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि में था। तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित साझाकरण व्यवस्था, सभी राज्यों (पूर्वोत्तर और हिमालयी (एनईएच) राज्यों को छोड़कर जो दस प्रतिशत का योगदान देंगे) द्वारा 25 प्रतिशत का योगदान जारी रहेगा। आयोग वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखना उचित मानता है।

8.35 चौथा, जैसे-जैसे आपदा प्रबंधन प्रणाली परिपक्व होती है, आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय सेवाओं और लिखतों को विविधीकृत करने की आवश्यकता है। लोक निधियां राज्यों को पूर्वानुमेय आधारित प्रश्रय उपलब्ध कराने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करती हैं। तथापि, कभी-कभी ये निधियां पर्याप्त नहीं होती हैं। हमारे लिए वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों की महत्ता तथा जोखिम प्रबंधन में बाजार में उपलब्ध साधनों की भूमिका को मान्यता प्रदानकरना जरूरी है।

8.36 इन सिद्धांतों से प्रेरित होकर, हमने आपदा जोखिम वित्तपोषण के सभी पहलुओं पर अनुशंसाएं की हैं। हमारी अनुशंसाओं का प्रथम संग्रह एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ के आकार और आबंटन से तथा आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए वित्तपोषण विंडो से संबंधित है। उभरते जोखिमों और भेद्यनीयताओं से उत्पन्न कुछ चुनौतियों को अभिस्वीकृत करते हुए, हमने समग्र आबंटन के भीतर अलग से आबंटन निर्धारित करने की अनुशंसा की है।

8.37 अपनी अनुशंसाओं के अनुवर्तन के लिए हम प्रणालियों, दिशानिर्देशों और क्षमताओं को सुदृढ़ करने पर जोर देते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता संघ और राज्य स्तरों पर योजना बनाने तथा आबंटित किए गए संसाधनों के उपयोग के लिए जरूरी है। हमें विश्वास है कि अभिशासन ढांचे (गवर्नेंस फ्रेमवर्क) में निवेश का कतिपय स्तर इस क्षेत्रक (सेक्टर) में बेहतर परिणाम और सफलता प्राप्त करने में काफी सहायक होगा।

8.38 अपनी अनुशंसाओं के अनुवर्तन के लिए हमने विचारों और नवप्रवर्तनों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है जो जोखिम प्रबंधन के बाजार-आधारित उपलब्ध साधनों को बढ़ावा देता है और वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करता है। इन नवप्रवर्तनों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन करने से पहले, उनका और अधिक वर्णन किया जाना तथा सम्यक तत्परता (ड्यु डिजिलेंस) आवश्यक है। तथापि, हम आशा करते हैं कि इन कार्यकलापों (इंटरवेंशन) का कार्यान्वयन करने का यह सही समय है ताकि आपदा जोखिम वित्तपोषण के स्रोतों का विविधीकरण किया जा सके और देश में आपदा जोखिम प्रबंधन ढांचे में सुधार लाया जा सके।

8.39 अपनी अनुशंसाओं को प्रस्तुत करने से पहले, हम दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें आयोग ने अपने आपको शामिल न करने का निर्णय लिया है। विभिन्न राज्यों ने एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के लिए सहायता के मानकों के संशोधन की वकालत की है, जो कि अब एसडीआरएमएफ/एनडीआरएमएफ में समाहित हो चुके हैं। तथापि उनका अनुरोध तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का कार्य वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र से परे है। इसमें गृह मंत्रालय को राज्यों के साथ परामर्श उपरांत सहायता के मानकों को आवधिक रूप से संशोधित करना चाहिए। हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि मानकों को आवधिक रूप से संशोधित किया जाता है, और यह रीति जारी रहनी चाहिए।

8.40 सहायता के वर्तमान मानक एसडीआरएफ के 10 प्रतिशत की अनुमति प्रदान करता है। जिनका उपयोग बिजली के गिरने तथा अन्य स्थानीय आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। यदि राज्य, स्थानीय आपदाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं तब उन्हें अपनी स्थिति को गृह मंत्रालय और एनडीएमए के ध्यान में लाना चाहिए और मानकों में छूट हेतु मांग करनी चाहिए।

## राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रशमन कोष

8.41 विकास कार्यक्रमों में फ्लेक्सी-फंड की अवधारणा है, जो राज्य सरकारों को आपदा प्रशमन संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन पर कार्यक्रम संसाधनों का 25 प्रतिशत व्यय करने की अनुमति देता है। तथापि, व्यावहारिक दृष्टि से, इन फ्लेक्सी-फंडों का उपयोग आपदा प्रशमन कार्यों के कार्यान्वयन पर नहीं किया गया है। 2016 में, उच्चतम न्यायालय ने संघ सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 47 के अनुसार एनडीएमएफ स्थापित करने का निदेश दिया था। लेकिन, एनडीएमएफ अभी तक गठित नहीं किया गया है। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय तथा एनडीएमए ने अपने ज्ञापनों में इस प्रकार के कोष को अविलंब स्थापित किए जाने का तर्क दिया है।

8.42 नीति और योजना संबंधी चर्चाओं में प्रशमन के बारे में स्पष्टता का अभाव है। प्रशमन का तात्पर्य है “किसी खतरनाक घटना के प्रतिकूल प्रभावों को कम या न्यून करना।” इनमें संरचनात्मक उपाय (बाढ़ रोकने हेतु बांधों और समुद्री दीवारों का निर्माण) तथा गैर-संरचनात्मक उपाय (भवन संहिताएं और भूमि उपयोग योजना विकसित करना) दोनों सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य जोखिमों को कम करना है।

8.43 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-2 (i) 'प्रशमन' को किसी संभावित आपदा स्थिति या आपदा के जोखिम, संघात या प्रभावों को कम करने के उद्देश्य के रूप में परिभाषित करता है। अतः, प्रशमन को तटीय दीवारों, बाढ़ को रोकने हेतु बांधों, आदि के निर्माण जैसे बड़े पैमाने के कार्यकलापों सहित सभी संबंधित उपायों के रूप में माना जा सकता है। लेकिन, ये बहुत ही संसाधन-सघन उपाय हैं जिन्हें नियमित विकास योजनाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि प्रशमन कोष से। **इसलिए हमारा यह विचार है कि प्रशमन कोष का उपयोग स्थानीय स्तर पर एवं सामुदायिक आधारित कार्यकलापों के लिए किया जाना चाहिए जो जोखिमों को कम करते हैं और पर्यावरण-हितैषी बस्तियों एवं आजीविका रीतियों को बढ़ावा देते हैं।**

8.44 प्रशमन, जैसा कि इसे आम तौर पर जाना जाता है और आपदा प्रबंधन में इसे व्यवहार में लाया जाता है, जो जलवायु परिवर्तन अनुकूलनता से घनिष्ठतम रूप में संबंधित है। विभिन्न कार्यकलापों, जैसे कि जल संसाधन प्रबंधन, वनरोपण और आजीविका विविधीकरण को आपदा प्रशमन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनता दोनों में सहायता देने के रूप में माना जा सकता है। अतः, प्रशमन को जलवायु परिवर्तन अनुकूलनता से संबद्ध करना तथा अनुकूलन उपायों को अपनाने से प्रशमन कोष का उपयोग करना वांछनीय होगा। इसके साथ-साथ, यह भी गौर किया जाना चाहिए कि 'प्रशमन' शब्द को जलवायु परिवर्तन नीति में भिन्न रूप से परिभाषित किया गया है, जहाँ इस शब्द का प्रयोग हरितगृह गैस उत्सर्जनों जो जलवायु परिवर्तन का स्रोत हैं, को कम करने के लिए किया गया है।

8.45 जलवायु परिवर्तन, अनियमित शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों- भूमि, जल और वन का जरूरत से अधिक दोहन किए जाने से उत्पन्न जोखिमों के बढ़ते स्तरों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय स्तर पर जोखिमों और भेद्यनीयताओं के समाधान हेतु एक प्रशमन कोष स्थापित किए जाने का विचार अनिवार्य हो गया है। जैसा कि हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुसार प्रशमन कोष स्थापित किया जाना आपदा प्रबंधन अधिनियम के उद्देश्यों के लिए सुसंगत होगा। ऐसा किया जाना अंतर्राष्ट्रीय रीतियों के अनुरूप भी होगा जो रिस्पोस के साथ प्रशमन में सहायता प्रदान करने पर बल देती हैं।

8.46 आयोग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर प्रशमन कोष की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए इन स्तरों पर आबंटन का सुझाव दिया है। प्रशमन कोषों को आमतौर पर समुदाय आधारित स्थानीय पहलों के लिए छोटे अनुदान प्रदान करने चाहिए, जो एक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं, जो कठोर उपायों के माध्यम से उन्हें नियंत्रित करने के बजाय लचीले उपायों के माध्यम से खतरों के साथ समायोजन को बढ़ावा देता है। अनुलग्नक



8.2 में प्रशमन कार्यकलापों की एक निदेशात्मक सूची प्रदान की गई है और गृह मंत्रालय एनडीएमए के परामर्श से प्रशमन कोष के दिशा-निर्देशों के भाग के रूप में प्रशमन कार्यकलापों की विस्तृत सूची जारी कर सकता है। एनडीएमए और एसडीएमए को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रशमन कोषों का पर्यवेक्षण करना चाहिए।

## राज्यों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन कोषों का आकार और आबंटन

8.47 वित्त आयोग के समक्ष एक प्रमुख मुद्दा है एसडीआरएफ के आकार का निर्धारण और उसका अंतर-राज्य वितरण। यह राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है क्योंकि वे एसडीआरएफ को आपदा प्रयोजन के लिए एक प्राथमिक कोष के रूप में मानते हैं। यद्यपि आपदा प्रबंधन अधिनियम में एसडीआरएफ के गठन का उल्लेख किया गया है, किंतु उसमें कोष के आकार या स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः, अपने विचारार्थ विषय में इसका निर्धारण करने की जिम्मेदारी वित्त आयोग को दी है। हमने अब राज्यों के लिए प्राथमिक कोष को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) नाम दिए जाने का निर्णय लिया है, जिसमें एसडीआरएफ और एसडीएमएफ दोनों शामिल हैं।

8.48 उत्तरोत्तर वित्त आयोगों ने प्रत्येक राज्य के आपदा प्रबंधन के लिए निधियों के आबंटन का निर्धारण करने हेतु एक व्यय-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। तथापि, व्यय-आधारित आबंटन समृद्ध राज्यों को फायदा पहुंचाते हैं, जो संसाधनों का आबंटन कर उच्च व्यय दिखासकते हैं। यह उन्हें एक व्यापक आधार प्रदान करता है, जिससे भावी आबंटनों में और अधिक प्रतिशत वृद्धि नियत करता है। इसके विपरीत, न्यून प्रारंभिक आबंटन और न्यून व्यय करने वाले राज्यों के आबंटनों में कम वृद्धि होती है। इन राज्य समूहों के परस्पर आबंटनों में विचलन (डाइवर्जेंस) क्रमिक रूप से बढ़ेगा जिसके कारण एक अत्यधिक असम्मित स्थिति पैदा होगी।

8.49 कई राज्यों, जिन्होंने कम एसडीआरएफ आबंटन प्राप्त किए हैं, ने इस विषमता को उजागर किया है जो व्यय-आधारित विधि से उत्पन्न हुई है। यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण जारी रहता है, तो इससे अंतर-राज्य आबंटन में विषमता और भी बढ़ जाएगी। उत्तरोत्तर वित्त आयोगों ने इस दृष्टिकोण की सीमाओं को अभिस्वीकार किया है और यह इंगित किया है कि वे ऐसी पद्धति को प्राथमिकता देंगे जो प्रत्येक राज्य की भेद्यनीयता एवं जोखिम को परिलक्षित करे। वस्तुतः, चौदहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुशांसा की है कि इस प्रकार का जोखिम एवं भेद्यनीयता मूल्यांकन पूरे देश के लिए

किया जाना चाहिए ताकि आबंटन की प्रक्रिया को प्रश्रय दिया जा सके। तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर एक एकीकृत जोखिम एवं भेद्यनीयता मूल्यांकन का अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया है।

8.50 इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत कार्यप्रणाली तैयार की गई जो आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों को इक्विटी और निष्पक्षता एवं आवश्यकता आधारित निधियों के आबंटन को बढ़ावा देती है। आयोग ने एसडीआरएमएफ के लिए राज्यवार आबंटन का निर्धारण करने के लिए कार्यप्रणाली का उपयोग उसी प्रकार से किया है जैसाकि उसने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में उपयोग किया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कार्यप्रणाली गृह मंत्रालय, एनडीएमए, नीति आयोग, राज्य सरकारों और यूएनडीपी जैसे मुख्य हितधारकों के साथ आयोग के विचार-विमर्श के साथ-साथ यूएनडीपी की आपदा जोखिम वित्तपोषण रिपोर्ट का परिणाम है।

8.51 व्यय-आधारित पद्धति के बदले नई पद्धति काफी समावेशी है, क्योंकि यह क्षमता (जैसा कि व्यय के माध्यम से परिलक्षित हुआ है), जोखिम एक्सपोजर (क्षेत्रफल और जनसंख्या) और खतरा एवं भेद्यनीयता (जोखिम सूचकांक) से संयोजन को दर्शाती है। प्रथम रिपोर्ट में नई कार्य प्रणालियों का विस्तृत विवरण का नया संदर्भ अनुलग्नक 8.3 में दिया गया है।

8.52 कोविड-19 महामारी के बीच अनिश्चितताओं के उच्च प्रभाव को देखते हुए लॉकडाउन की लंबी अवधि के बाद, आयोग को घरेलू अर्थव्यवस्था में अत्यधिक संकुचन की आशंका है। परिणामस्वरूप, कम से कम निकट अवधि में, कुल विभाज्य संसाधनों की उपलब्धता में काफी कमी होगी। दूसरे, हमारे द्वारा अनुशंसित प्रशमन निधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर पर 2019-20<sup>3</sup> में 13,465 करोड़ रु की तुलना में उसे 2020-21 में बढ़ाकर 28,983 करोड़ रु करते हुए अनुदान हेतु कुल आबंटित राशि में पहले ही पर्याप्त वृद्धि की गई है। इस प्रकार, 2019-20 के बजट अनुमानों (बीई) की तुलना में 2020-21 में इस राशि के लिए संघ की हिस्सेदारी में 115 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अतः आयोग का मत है कि 2021-22 के लिए एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ के लिए आबंटन को 2020-21 के स्तर पर बनाए रखा जाए और उसके बाद 2022-23 से 2025-26 तक वार्षिक 5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया जाए।

8.53 हमारी पंचाट अवधि (2021-2026) के लिए राज्यों को आपदा प्रबंधन (एसडीआरएमएफ) के लिए कुल आबंटन 1,60,153 करोड़ रुपए है (तालिका 8.2)। हम अनुशंसा करते हैं कि एसडीआरएमएफ के लिए कुल राज्य आबंटन को एसडीआरएमएफ और

<sup>3</sup> [https://www.ndmindia.nic.in/images/gallery/Statewiseallocation\\_SDRF\\_2015-2020.pdf](https://www.ndmindia.nic.in/images/gallery/Statewiseallocation_SDRF_2015-2020.pdf)

एसडीएमएफ में विभाजित किया जाए, जो एक साथ आपदा प्रबंधन आवश्यकताओं के पूर्णचक्र-रिस्पोंस और राहत, रिकवरी और पुनर्निर्माण, तैयारी और क्षमता-निर्माण और प्रशमन की पूरा करते हैं।

**तालिका 8.2: आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों को वार्षिक आबंटन**

(करोड़ रु.)

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total
<b>कुल</b> (संघ और राज्यों की हिस्सेदारी)	22184	23294	24466	25688	26969	122601
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	6799	7137	7491	7864	8261	37552
<b>कुल</b> (संघ और राज्यों की हिस्सेदारी)	28983	30431	31957	33552	35230	160153
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	-	5	5	5	5	

8.54 एसडीआरएफ को कुल एसडीआरएमएफ का 80 प्रतिशत प्राप्त होगा, जबकि एसडीएमएफ को आबंटन का 20 प्रतिशत प्राप्त करेगा। एसडीआरएफ के 80 प्रतिशत आबंटन के भीतर तीन उप-आबंटन होंगे- रिस्पोंस एवं राहत (40 प्रतिशत), रिकवरी एवं पुनर्निर्माण (30 प्रतिशत) और तैयारी एवं क्षमता-निर्माण (10 प्रतिशत)। एसडीआरएफ और एसडीएमएफ की वित्तपोषण विंडो पारस्परिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है। तथापि एसडीआरएफ की तीन उप-विंडों के भीतर पुनः आबंटन का लचीलापन हो सकता है। तालिका 8.3 में यह दर्शाया गया है कि राज्यों के समग्र आबंटन को किस प्रकार एसडीएमएफ और एसडीआरएफ में तथा उसके बाद एसडीआरएफ के भीतर पुनः तीन उप-आबंटनों में विभाजित किया जाएगा।


तालिका 8.3: समस्त राज्यों के आबंटन का वितरण

(करोड़ रु.)

निधियां (प्रतिशत वितरण)	राशि
एसडीएमएफ (20)	32031
एसडीआरएफ (80)	128122
<i>i)</i> रिस्योंस एवं राहत (40)	64061
<i>ii)</i> रिकवरी एवं पुनर्निर्माण (30)	48046
<i>iii)</i> तैयारी एवं क्षमता निर्माण (10)	16015
कुल (एसडीएमएफ+ एसडीआरएफ) (100)	160153

8.55 नई कार्य प्रणाली पर आधारित राज्यवार आबंटनों को अनुलग्नक 8.4 और 8.5 में दर्शाया गया है। आयोग द्वारा 2021-26 की अवधि के लिए अनुशंसित उप-श्रेणियों और एसडीआरएमएफ हेतु निधियों का विवरण चित्र 8.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 8.2 एसडीआरएमएफ के लिए अलग से निर्धारित की गई निधियां



\* उप-विंडो के भीतर पुनः आबंटन की अनुशंसा की जाती है।

## राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के लिए निधियों का आबंटन

8.56 एनडीआरएमएफ राष्ट्रीय आपदा रिजर्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो एसडीआरएमएफ की अनुपूर्ति करता है। एनडीआरएमएफ को बजटीय प्रावधानों के माध्यम से एसडीआरएमएफ के साथ इस प्रकार संयोजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह आपदा सहायता के मात्र मुख्य स्रोत बनने के बजाय, राज्यों को एसडीआरएमएफ आबंटनों की अनुपूर्ति कर उनकी सहायता की जा सके।

8.57 एनडीआरएमएफ के माध्यम से निधियों का निर्गमन (रिलीज) तेजी से बढ़ रहा है। बारहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, जिसे तब एनसीसीएफ के नाम से जाना जाता था, के माध्यम से कुल निर्गमन 10,938 करोड़ रुपए था। तेरहवें वित्त आयोगकी अवधि के दौरान, एनडीआरएमएफ के माध्यम

से कुल निर्गमन बढ़कर 17,559 करोड़ रुपए हो गई जो बारहवें वित्त आयोग की अवधि की तुलना में 61 प्रतिशत की वृद्धि है। चौदहवें वित्त आयोग की अवधि (2015-20) के दौरान यह उम्मीद की गई थी कि एनडीआरएफ आबंटन बढ़कर 57,146 करोड़ रुपए होगा, जो कि तेरहवें वित्त आयोग की अवधि की तुलना में 225 प्रतिशत अधिक होगा। चौदहवें वित्त आयोग के दौरान एनडीआरएफ के आबंटन का पूर्वानुमान उसकी अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान खर्च किए गए व्यय तथा उस अवधि के अंतिम दो वर्षों के लिए बजटीय व्यय के आधार पर किया गया था।

8.58 एनडीआरएफ का वित्तपोषण राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) से प्राप्त राशियों से किया जा रहा था। अधिकतर उत्पादों जिन पर एनसीसीडी लगाया जाता था, अब जीएसटी के तहत समावेशित कर दिया गया है। इस उप-कर को अब तंबाकू और कच्चे पेट्रोलियम जैसे कुछ ही उत्पादों पर लगाया जा रहा है। अतः, एनसीसीडी से प्राप्त आगम एनडीआरएफ का वित्तपोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए, एनडीआरएफ, जिसमें एनडीआरएफ समावेशित कर दिया गया है, के लिए वार्षिक बजटीय प्रावधान करना आवश्यक है।

8.59 चूंकि एनडीआरएफ के प्रावधान को व्यय के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है। आयोग ने एनडीआरएफ के आकार का आकलन करते समय अपनाई गई इसी विधि को ध्यान में रखते हुए 2021-22 से 2025-26 (तालिका 8.4) की अवधि के लिए एनडीआरएफ के लिए कुल 68,463 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय आबंटन की अनुशंसा की है। दूसरे शब्दों में, पहले वर्ष (2021-22) के लिए एनडीआरएफ के आकार को 2020-21 के समान स्तर पर रखा गया है और इसके बाद शेष पंचाट अवधि के लिए 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

तालिका 8.4: आपदा प्रबंधन के लिए प्रस्तावित वार्षिक राष्ट्रीय आबंटन

(करोड़ रु.)

2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
12390	13010	13660	14343	15060	68463

8.60 आपदा प्रबंधन अधिनियम राष्ट्रीय स्तर पर वित्तपोषण की दो विंडो का प्रावधान करता है, अर्थात् एनडीआरएफ और एनडीएमएफ। हमने अब यह प्रस्ताव किया है कि ये दोनों विंडों राष्ट्रीय स्तर, नामतः एनडीआरएफ पर नियत की गई समग्र राशि के तहत आएगी। इस प्रकार, एनडीआरएफ के लिए कुल आबंटन को एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के बीच 80:20 के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए (तालिका 8.5)।

## तालिका 8.5: कुल राष्ट्रीय आबंटन का वितरण

निधियां	राशि (करोड़ रु.)	प्रतिशत हिस्सेदारी
एनडीएमएफ	13693	20
एनडीआरएफ	54770	80
कुल (एनडीएमएफ+एनडीआरएफ)	68463	100

8.61 हम एसडीआरएफ की भांति, एनडीआरएफ कॉर्पस के भीतर तीन उप-आबंटनों: रिस्पोंस एवं राहत (40 प्रतिशत); रिकवरी एवं पुनर्निर्माण (30 प्रतिशत); और तैयारी एवं क्षमता-निर्माण (10 प्रतिशत) का भी सुझाव देते हैं। (तालिका 8.6)। यदि अपेक्षित हो तो गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता का परीक्षण कर सकता है ताकि उक्त प्रकार की वित्तपोषण विंडो सृजित की जा सके। चूंकि एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के लिए वित्तपोषण विंडो पारस्परिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए एसडीआरएफ की भांति एनडीआरएफ की तीन उप-विंडो के भीतर पुनः आबंटन में लचीलापन हो सकता है, जो इस शर्त के अध्ययन है कि निर्धारित आबंटन इस उप-विंडो के लिए निर्धारित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

## तालिका 8.6 : एनडीआरएफ के लिए विंडो

एनडीआरएफ के लिए विंडो	राशि (करोड़ रु.)	प्रतिशत हिस्सेदारी
रिस्पोंस एवं राहत	27385	40
रिकवरी एवं पुनर्निर्माण	20539	30
तैयारी एवं क्षमता निर्माण	6846	10
कुल एनडीआरएफ कॉर्पस	54770	80

8.62 यदि राज्यों का एनडीआरएफ का निर्गमन (रिलीज) कुल बजट प्रावधान से अधिक होता है, तब संघ सरकार संसाधनों के लिए अतिरिक्त प्रावधान कर सकती है। तथापि, अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए एक बजट योजना एनडीआरएमएफ द्वारा राज्यों को और भी अधिक सुव्यवस्थित रूप से प्रश्रय देने में सहायता करेगी।

8.63 हम अनुशांसा करते हैं कि एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के माध्यम से समस्त केंद्रीय सहायता लागत-साझाकरण आधार पर होनी चाहिए। चूंकि राज्यों के लिए कुल आबंटनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसलिए जब राज्य भिन्न विंडो के माध्यम से केंद्रीय सहायता का अनुरोध करें तो ग्रेडेड आधार पर लागत-साझाकरण व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं। राज्यों को

एनडीआरएफ और एनडीएमएफ से 250 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए 10 प्रतिशत का, 500 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए 20 प्रतिशत का और 500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता के लिए 25 प्रतिशत का योगदान देना चाहिए। इस प्रकार का लागत-साझाकरण उन अत्यधिक मांगों, जिन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लोक लुभावनवाद पर विचार कर तैयार किया गया है, को हतोत्साहित करेगी। ग्रेडेड योगदान अंतर्राष्ट्रीय रीति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

## विविधीकृत वित्तपोषण विंडो

### रिकवरी और पुनर्निर्माण सुविधा

8.64 वर्तमान में, राज्यों को प्रश्न देने हेतु रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए कोई भी वित्तपोषण विंडो नहीं है। राज्यों को सहायता के लिए संघ सरकार से अनुरोध करना पड़ता है। तथापि, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए दिशानिर्देश रिस्पोंस और राहत की दिशा में अभिमुख हैं, और रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए प्रश्न न्यून है।

8.65 जब राज्यों को असाधारण गंभीर आपदाओं का सामना करना पड़ता है, तब अधिकांश राज्य संघ सरकार के अनुमोदन के साथ विश्व बैंक से ऋण लेते हैं। तथापि, इस प्रकार के ऋणों की प्राप्ति राज्यों के समग्र उधारों पर निर्भर करती है। इसके अलावा, राज्य उक्त आपदाओं के कारण हुई क्षति और हानि के वित्तपोषण के लिए बार-बार विश्व बैंक के पास नहीं जा सकते हैं।

8.66 विगत में, योजना आयोग और वित्त आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि रिकवरी के लिए संसाधनों को विकास सहायता के माध्यम से आबंटित किया जाना चाहिए। असाधारण गंभीर आपदाओं की स्थिति में, संघ सरकार राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय आबंटन के माध्यम से रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित संसाधनों का एक हिस्सा उपलब्ध कराती है। तथापि, योजनागत एवं योजनेतर व्यय के बीच विभेद समाप्ति के साथ, राज्यों को प्रश्न करने हेतु वर्तमान में कोई पद्धति नहीं है।

8.67 रिकवरी विकास कार्यकलापों को व्यावहारिक रूप से कार्यान्वित करने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि सरकारें और समुदाय रिकवरी सहायता को बुनियादी ढांचे और घरों के पुनर्निर्माण पर, आजीविकाओं को बहाल करने तथा बुनियादी सेवाओं में सुधार लाने पर खर्च करते हैं। वर्तमान में, आपदा प्रबंधन हेतु आबंटित किए गए संसाधनोंके रिस्पोंस और राहत पर केंद्रित रहने के कारण रिकवरी हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। बिना रिकवरी के विकास गंभीर रूप से प्रभावित



होता है, जो गरीबी एवं पिछड़ेपन को बढ़ाता है। देश के उत्तर और पूर्वी भागों के अनेक राज्यों में जहां बाढ़ बार-बार आती है और उक्त राज्य अपेक्षित रिक्वरी के बिना विकास की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय असंतुलनों में भारी वृद्धि होती है।

8.68 परिसंपत्तियों और आजीविकाओं के पुनर्निर्माण हेतु अत्यावश्यकताओं की स्पष्ट मूल्यांकन के आधार पर, हमने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों के अंतर्गत एक रिक्वरी एवं पुनर्निर्माण सुविधा की स्थापना करने की अनुशंसा की है और यह सुझाव दिया है कि इन दोनों कोषों के पास उपलब्ध संसाधनों के 30 प्रतिशत को इस प्रयोजन हेतु अलग से निर्धारित किया जाए। जब रिक्वरी और पुनर्निर्माण के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तब इनसे उन लोगों को दीर्घकालिक आधार पर सहायता मिलेगी जो आपदाओं से प्रभावित हुए हों।

8.69 रिक्वरी और पुनर्निर्माण के लिए सहायता का निर्धारण क्षति एवं हानि के आकलन के आधार पर किया जाना चाहिए। सरकारें रिक्वरी और पुनर्निर्माण की संपूर्ण लागत का भुगतान नहीं करती है, सहायता कुल लागत का कुछ प्रतिशत के बराबर हो सकती है। रिक्वरी और पुनर्निर्माण आमतौर पर एक बहुवर्षीय कार्यक्रम है, इसलिए किए गए व्ययों के बदले दी जाने वाली सहायता को वार्षिक आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, रिक्वरी और पुनर्निर्माण के लिए सहायता को संघ और राज्यों के बीच साझा किए जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता मूल्यांकन, आंशिक आधार पर रिक्वरी सहायता, व्ययों के प्रतिकूल वार्षिक आधार पर जारी करता है और संघ तथा राज्यों के बीच लागत साझा करने जैसे फिल्टरों के माध्यम से रिक्वरी और पुनर्निर्माण को सतत राजकोषीय आधार पर आसानी से प्रबंध किया जा सकता है।

## तैयारी और क्षमता-निर्माण अनुदान

8.70 राज्य सरकारों के पास आपदाओं से प्रभावकारी रूप से निपटने के लिए अनिवार्य आपदा तैयारी होनी चाहिए। उनकी संस्थाएं और सुविधाएं किसी स्थिति की अत्यावश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से समर्थ एवं सुदृढ़ व्यवस्था के साथ अच्छी तरह कार्य करना चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने एसडीआरएफ के समग्र आकार से संबद्ध 525 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा कर, क्षमता-निर्माण आबंटन शुरु किया था।


8.71 यह क्षमता-निर्माण अनुदान राज्यों के लिए उनकी तैयारी के स्तरों को विकसित करने हेतु उपयोगी साबित हुआ। विभिन्न राज्यों ने इन संसाधनों का उपयोग आपतकालीन उपकरण का क्रय करने तथा खोज एवं बचाव क्षमताओं में सुधार लाने के लिए किया। क्षमता-निर्माण अनुदानों की निरंतरता के पक्षधर होने के बावजूद, चौदहवें वित्त आयोग ने इसे अपनी अनुशंसाओं में शामिल नहीं किया और इस मुद्दे को संघ और राज्य सरकारों के निर्णय पर छोड़ दिया था।

8.72 एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के उपयोग के लिए सहायता दिशानिर्देशों और मानकों में तैयारी और क्षमता-निर्माण घटकों को शामिल किया गया था परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को आपदा प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों की खोज, बचाव एवं उनको वहां से सुरक्षित स्थान पर ले जाने और संचार उपकरण के क्रय के लिए उनके संसाधनों के 10 प्रतिशत, और क्षमता-निर्माण कार्यकलापों पर 5 प्रतिशत उपयोग करने की छूट दी गई। इसके बावजूद, एसडीआरएफ पर दावे की राशि इतनी अधिक थी कि राज्यों के पास उनकी खोज संबंधी कार्यों एवं बचाव टीमों को समर्थ बनाने में इन संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देने की गुंजाइश नहीं थी। इस प्रकार की व्यवस्था से यह सीख प्राप्त की गई कि इन संसाधनों का उपयोग क्षमता-निर्माण और क्रय के लिए तभी किया जा सकता है, जब इनके लिए संसाधनों को अलग से निर्धारित किया गया हो।

8.73 आपदा प्रबंधन प्रणाली के महत्वपूर्ण संस्थानिक, कार्यात्मक एवं प्रौद्योगिकीय घटकों को प्रश्रय देने हेतु, यह आवश्यक होगा कि तैयारी और क्षमता-निर्माण के लिए आबंटन अलग से निर्धारित किए जाएं। इस प्रकार का आबंटन कुल राज्य आबंटन का 10 प्रतिशत होना चाहिए और उसे एसडीआरएफ के भीतर एक उप-विंडो के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। इन निधियों का उद्देश्य एसडीएमए, एसआईडीएम, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यकलापों तथा आपातकाल रिस्पॉस सुविधाओं में प्रश्रय देना है। राज्य सरकारें इन संसाधनों का उपयोग कार्मिक प्रश्रय के लिए नहीं करेगी। यह अनुशंसा की जाती है कि तैयारी और क्षमता-निर्माण अनुदानों के लिए दिशानिर्देशों का एक अलग संग्रह विकसित किया जाए। एनडीआरएफ के भीतर तैयारी और क्षमता-निर्माण की एक समान विंडो उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसका मुख्य रूप से उपयोग राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रश्रय देने के लिए किया जाएगा।

8.74 आयोग द्वारा 2021-26 की अवधि के लिए एनडीआरएफ के लिए अनुशंसित श्रेणियों और अलग से निर्धारित की गई निधियों की स्कीम का विवरण चित्र 8.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 8.3 एनडीआरएमएफ के लिए अलग से निर्धारित की गई निधियां



\* उप-विंडो के भीतर पुनः आबंटन की अनुशंसा की जाती है जो इस शर्त के अधीन है, बशर्ते कि संबंधित उप-विंडो के तहत अलग से निर्धारित किए गए आबंटनों की विधिवत पूर्ति की गई है।

8.75 हम छः प्रकार के निर्धारित आबंटनों की अनुशंसा करते हैं: एनडीआरएमएफ के तहत दो (अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण; भूमि कटाव से प्रभावित विस्थापित लोगों का पुनर्वास) और एनडीएमएफ के तहत चार (बारह अति सूखा-संवेदनशील राज्यों को विशेष सहायता; दस पर्वतीय राज्यों में भूकंप एवं भूस्खलन जोखिमों का प्रबंधन; सात सबसे अधिक घनी आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ का प्रशमन; और भू-क्षरण रोकने हेतु प्रशमन उपाय)। इन प्राथमिकताओं को निम्न प्रकार सूचीबद्ध किया गया है।

## अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण

8.76 अग्निशमन सेवाओं की भूमिका, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में प्रथम प्रमुख उत्तरदाता (रेस्पाउंडर) है। वे अनेक प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनमें खोज एवं बचाव, घटना स्थल से लोगों की निकासी और तात्कालिक चिकित्सा सहायता शामिल है। महानगर और छोटे शहरों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2010 और 2019 के बीच आग लग जाने की घटनाओं के कारण 1,85,383 लोगों की मृत्यु हुई है जो दर्शाता है कि उस दौरान प्रति दिन औसतन 56 लोगों की आग से मृत्यु हुई है।

8.77 देश में अग्निशमन सेवाओं का अभाव है और लोगों को उपयुक्त अग्नि सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। एनडीएमए ने देश में अग्निशमन सेवाओं के अभाव की सीमा का आकलन किया है, जो इस प्रकार है: अग्निशमन केंद्र- 97.54 प्रतिशत; अग्निशमन एवं बचाव वाहन- 80.04 प्रतिशत; और अग्निशमन कार्मिक- 96.28 प्रतिशत। इन अभावों को दूर करने हेतु, एनडीएमए ने राज्यों को 7,000 करोड़ रुपये के अनुदानों का आबंटन करने की अनुशंसा की है। इस प्रकार का निवेश पूर्ण रूप से तर्कसंगत है जिससे लोगों के जीवन को समय पर बचाने में और प्रतिवर्ष बढ़ती आर्थिक हानियों को कम करने में सहायता मिलेगी। चूंकि इन संसाधनों को लागत-साझाकरण आधार पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, इसलिए आगामी पांच वर्षों में राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए हम 5,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की अनुशंसा करते हैं। इन संसाधनों को एनडीआरएफ के तैयारी एवं क्षमता-निर्माण घटक के माध्यम से आबंटित किया जा सकता है। राज्यों को इन निधियों के लिए आवेदन की जरूरत है। इसके लिए उन्हें मांगी गई राशि के 10 प्रतिशत का योगदान देना होगा। यह संसाधन वर्तमान कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त शीर्ष (टॉप-अप) के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकते हैं।

## बारह अति सूखा-संवेदनशील राज्यों को विशेष सहायता

8.78 सूखा को एक धीमे जहर के रूप में माना जाता है जिसका प्रभाव धीरे-धीरे होता है और जिसके परिणामस्वरूप यह आसपास के क्षेत्रों को क्रमशः अपनी चपेट में लेता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे अनेक राज्य बारबार सूखे की चपेट में आते हैं। ये राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्रों (जहाँ सालाना 750 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है) में स्थित हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार वर्षों के दौरान अनपेक्षित व कम वर्षा से सूखे की तीव्रता बढ़ जाती है। यही

नहींमध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जहाँ वार्षिक वर्षा 750 और 1125 मिलीमीटर के बीच होती है, को भी सूखे का सामना करना पड़ता है। इन राज्यों में छोटे एवं सीमांत किसान, जो अधिकतर वर्षासिंचित खेती करते हैं, सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।

8.79 लगातार सूखा पड़ने, व्यापक कृषि संकट और सूखा राहत पर बड़े पैमाने पर व्यय को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण होगा कि राज्य स्तर पर एक दीर्घकालिक सूखा प्रबंधन कार्यप्रणाली स्थापित की जाए। यद्यपि, संघ और राज्य सरकारों ने सूखे के प्रभाव के प्रशमन हेतु विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, लेकिन ये कार्यकलाप धरातल पर एक साथ कारगर साबित नहीं हो पाई हैं। तथापि, विभिन्न एजेंसियों द्वारा इन योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है, मगर इन योजनाओं का स्थानीय स्तर पर सीमित प्रभाव रहा है।

8.80 लगातार सूखा पड़ने से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने हेतु राज्यों द्वारा दीर्घकालिक सूखा प्रशमन योजनाएं विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इन योजनाओं में क्षेत्र-विशिष्ट कृषि प्रणालियां, सतही एवं भूमिजल प्रबंधन में सुधार, जल उपयोग दक्षता का संवर्धन, कृषि-वानिकी योजनाएं और सौर ऊर्जा संस्थापन शामिल की जानी चाहिए। प्रत्येक सूखा-प्रभावित जिले को इन कार्यकलापों के अभिसरण (कनवर्जस) व तालमेल के बारे में योजना बनानी चाहिए और दीर्घकालिक आधार पर उनकी निगरानी करनी चाहिए।

8.81 जिला-स्तरीय सूखा प्रशमन योजनाओं हेतु, हम प्रत्येक बारह अति सूखा-संवेदनशील राज्यों के लिए पांच वर्षों की अवधि हेतु 100 करोड़रुपएके आबंटन की अनुशंसा करते हैं। ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश (तालिका 8.7)। इसके लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की पूर्ण पंचाट अवधि (2021-2026) के दौरान कुल 1,200 करोड़रुपए का आबंटन किया जाएगा। इस सहायता को प्रस्तावित एनडीएमएफ के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।

## तालिका 8.7 : सूखा प्रशमन के लिए सूखा-संवेदनशील राज्यों को आबंटन

(करोड़ रु.)

राज्य	कुल आबंटन
आंध्र प्रदेश	100
बिहार	100
गुजरात	100
झारखंड	100
कर्नाटक	100
मध्यप्रदेश	100
महाराष्ट्र	100
ओडिशा	100
राजस्थान	100
तमिलनाडु	100
तेलंगाना	100
उत्तर प्रदेश	100
कुल	1200

### दस पर्वतीय राज्यों में भूकंपीय और भूस्खलन जोखिमों का प्रबंध

8.82 हिमालयी क्षेत्र न केवल विश्व में सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, बल्कि वे अति भूकंपीय सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। भारतीय भूकंपीय मानचित्र में इस क्षेत्र को **IV** और **V** में वर्गीकृत किया है, जो कि भारत में सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्य इन दो भूकंपीय क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।

8.83 इस क्षेत्र में भूकंपीय कार्यकलापों से भूस्खलन भी होता है और ये दोनों जोखिम एवं दूसरे से घनिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। भूस्खलन, क्षेत्र में भारी बरसात और बाढ़ से भी प्रारंभ होता है। संपूर्ण हिमालयी श्रृंखला में बार-बार भूस्खलन होता है, जिसके कारण अनेक लोगों की मृत्यु, विनाश और आर्थिक व्यवधान उत्पन्न होते हैं।

8.84 भूकंप और भूस्खलन संबंधी जोखिमों का समाधान करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि दो पर्वतीय राज्यों- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर में सभी आठ राज्य एक प्रशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। पांच वर्ष की अवधि के दौरान कार्यान्वित प्रशमन कार्यक्रम इन राज्यों को तकनीकी क्षमताओं और संसाधनों को विकसित करने में भी मदद करेगा।

8.85 हिमालयी क्षेत्र में भूकंप और भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण के लिए हम आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रस्तावित एनडीएमएफ से 750 करोड़ रुपए के आबंटन की अनुशंसा करते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की दर से 250 करोड़ रुपए और सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 250 करोड़ रुपए का आबंटन शामिल है (तालिका 8.8)। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आबंटन को बढ़ाया जा सकता है, यदि वे कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा इन संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं।

**तालिका 8.8: पर्वतीय राज्यों में भूकंप और भूस्खलन जोखिम प्रबंधन के लिए आबंटन**

(करोड़ रु.)

राज्य	वार्षिक आबंटन	कुल आबंटन (2021-26)
हिमाचल प्रदेश	50	250
उत्तराखंड	50	250
सभी पूर्वोत्तर राज्य		250
कुल		750

### सात घनी आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करना

8.86 भारत में सभी प्रमुख शहर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। शहरी बाढ़ों की वारंवारता में वृद्धि हुई है, और कोई भी वर्ष ऐसा नहीं गुजरता है कि शहर का अधिकांश भाग या अन्य भाग जलमग्न नहीं होता। दिसंबर 2015 में, चेन्नई में भारी बाढ़ आई थी, जब एक ही दिन में वहां 340 मि.मी. वर्षा हुई। जुलाई 2018 में मुंबई में एक सप्ताह के भीतर 864.5 मि.मी. वर्षा हुई, जो कि जुलाई 2019 में पूरे माह के दौरान हुई वर्षा के लगभग बराबर है। मुंबई शहर में बाढ़ के कारण जुलाई 2019 में बीस से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इसके परिणामस्वरूप, इन दोनों शहरों में जीवन एवं आर्थिक कार्यकलाप बुरी तरह प्रभावित हुई।

8.87 यद्यपि राज्य सरकारों ने इन मुद्दों के समाधान की मांग की, किंतु इसके लिए एक ऐसे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो शहरी नियोजन, पारिस्थितिकीय संरक्षण और आपदा प्रबंधन को एक साथ लाता है। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे कार्यकलापों के उस संग्रह को प्रश्रय दें जिसे एक साथ मिलकर कार्य कर रही विविध शहरी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। बाढ़ और उससे होने वाले भारी नुकसान के नियमित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हम यह अनुशंसा करते हैं कि सात शहरों (दिल्ली को छोड़कर), जहाँ पांच मिलियन से अधिक की आबादी के साथ महानगरीय क्षेत्र है,

में शहरी बाढ़ के समाधान के लिए एक लक्षित आबंटन किया जाए। ये शहर हैं: मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे।

8.88 दिल्ली के लिए भी एक सदृश दृष्टिकोण और निधि आबंटन लागू किया गया है। तथापि दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र (विधायिका सहित) है, इसलिए हमने उसके लिए अलग से आबंटन नहीं किया है। वित्त मंत्रालय, शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए आयोग की पुरस्कार अवधि के लिए दिल्ली हेतु अपेक्षित निधि आबंटित करेगा।

8.89 हम अनुशंसा करते हैं कि प्रत्येक महानगर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लिए 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का आबंटन किया जाए ताकि बाढ़ प्रबंधन (पूरे पांच वर्ष की अवधि के लिए 1,500 करोड़ रुपए) के लिए एकीकृत समाधान किया जा सके। अगली श्रेणी के शहरों- बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में शहरी बाढ़ (पूरे पांच वर्ष की अवधि के लिए 1,000 करोड़ रुपए) को रोकने के लिए 50 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का आबंटन किया जाए। हमारी पंचाट अवधि के दौरान प्रस्तावित सहायता के आधार पर शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए कुल सहायता का आकलन 2,500 करोड़ रुपए किया गया है (तालिका 8.9)। इस राशि को प्रस्तावित एनडीएमएफ के माध्यम से आबंटित किया जा सकता है। इन आबंटनों को लागत-साझाकरण व्यवस्था के आधार पर आबंटित किया जाए जिसके लिए संबंधित शहरों को अपने संसाधनों के 10 प्रतिशत का योगदान देना होगा।

तालिका 8.9 : शहरी बाढ़ के जोखिम को कम करने हेतु शहरों के लिए आबंटन

(करोड़ रु.)

शहर	वार्षिक आबंटन	कुल आबंटन (2021-26)
मुंबई	100	500
चेन्नई	100	500
कोलकाता	100	500
बेंगलुरु	50	250
हैदराबाद	50	250
अहमदाबाद	50	250
पुणे	50	250
कुल	500	2,500



## तटीय और नदी अपरदन

8.90 तटीय और नदी अपरदन के गंभीर प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एसएसी), अहमदाबाद द्वारा केंद्रीय जल आयोग के सौजन्य से मई 2014 में कराए गए एक अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के लगभग 45 समुद्र तट अपरदन का सामना कर रहे हैं। नदी कटाव का सबसे बड़ा उदाहरण असम में माजुली द्वीप है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। विगत दशकों के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी अपरदन के कारण यह धीरे-धीरे सिकुड़ रहा है। उपग्रह से खींची गई तस्वीरों से यह पता चलता है कि इस द्वीप का भू-क्षेत्रफल 1971 में 1,256 वर्ग किलोमीटर से घटकर 2016 में मात्र 524.2 वर्ग किलोमीटर रह गया था, जिसका अर्थ है कि पिछले पैंतालिस वर्षों के दौरान इसने अपना आधा से ज्यादा क्षेत्रफल खो दिया है।

8.91 अपरदन से संबंधित हमने दो पहलुओं पर विचार किया है: अपरदन रोकने के लिए प्रशमन उपाय (एनडीएमएफ के तहत) और अपरदन के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वासन (एनडीआरएफ के तहत)।

### i) अपरदन को रोकने के लिए प्रशमन उपाय

8.92 तटीय अपरदन जो एक आवर्ती प्राकृतिक खतरा है जो सामान्यतः अपरदन के अभिवृद्धि (erosion-accretion) चक्र के अनुक्रम में उत्पन्न होता है। यह आशंका है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में पूर्वानुमानित वृद्धि के कारण समुद्र-तट (beach) के अपरदन की दर में वृद्धि के साथ-साथ तटवर्ती संपदाओं की हानि भी बढ़ेगी। इसके अलावा, हिमालयी नदियों से निकलने वाली बाढ़ से विशेषकर असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रत्येक वर्ष भारी क्षति होती है। ऐसी आपदाएं इन क्षेत्रों में आर्थिक कार्यकलापों के प्रोत्साहन को बाधित करते हैं और और निवासियों को बार-बार होने वाली क्षति और गरीबी के अपने चक्र से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। नियमित रूप से नदी के अपरदन के कारण होने वाली वार्षिक बाढ़ आपदाओं को कम करने के लिए समुचित उपरी नदी बेसिन प्रबंधन के लिए प्रमुख पूंजीगत कार्यों की आवश्यकता होती है, जिसका कार्यान्वयन अवधि दस से पंद्रह वर्षों का होता है। इन्हें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के माध्यम से समायोजित नहीं किया जा सकता है। जिसके आधार पर, हम यह अनुशांसा हैं कि ऐसी परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली परियोजना माना जाना चाहिए। केवल इस तरह की समग्र

परियोजनाएं बाढ़ के प्रशमन के लिए समुचित रूप से निवारण करने में मदद कर सकती हैं। अलग-अलग चरणों में बांधे गए नदी तटबंध वर्ष भर में ही बह जाते हैं।

8.93 अपरदन के जोखिम के प्रशमन व उसे कम करने के लिए, हम अपनी पंचाट अवधि के लिए प्रस्तावित एनडीएमएफ से 1,500 करोड़ रुपए के आबंटन की अनुशंसा करते हैं। भूमि कटाव को कम करने से संबंधित कार्य करने के लिए राज्यों को इन निधियों के लिए आवेदन करना होगा और एनडीएमए और/या गृह मंत्रालय इस प्रयोजनार्थ उपयुक्त मानक विकसित कर सकते हैं। यह आबंटन लागत-साझाकरण के आधार पर किए जाने चाहिए, जिसमें राज्यों की संसाधनों के 10 प्रतिशत का योगदान होगा।

## ii) अपरदन से प्रभावित विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास

8.94 अपरदन के कारण लोगों का विस्थापन एक क्षेत्रीय विषय बन चुका है जिसमें असम, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है जहाँ बढ़ते समुद्री जल का खतरा होता है। तटवर्ती मछुआरों की आबादी सर्वाधिक कमजोर समुदायों में से एक है, समुद्री भूमि कटाव के परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

8.95 समस्या की भयावहता को देखते हुए, हम यह अनुशंसा करते हैं कि संघ और राज्य दोनों सरकारें एक ऐसी नीति बनाएं जिससे तटीय और नदी अपरदन के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापित हुए लोगों की समस्या से निपटा जा सके। ऐसे लोगों को वैकल्पिक बस्तियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उन्हें सरकार से कुछ सहायता मिलनी चाहिए। इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए हम विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 1,000 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं। इस नीति को कार्यान्वित करने हेतु, राज्य सरकारें प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सहायता हेतु अनुरोध कर सकती हैं। जिसके लिए सहायता एनडीआरएफ की रिकवरी और पुनर्वास विंडो से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के माध्यम से सुनिश्चित की जानी चाहिए। तथापि, राज्य सरकारें इन संसाधनों का लाभ लागत-साझाकरण आधार पर प्राप्त कर सकती हैं, जिसके लिए उन्हें पुनर्वास की लागत के 10 प्रतिशत का योगदान देना होगा। इस प्रकार के पुनर्स्थापन में उन लोगों के लिए सुरक्षित स्थानों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिनका पुनर्वास किया जा रहा है।

8.96 जोखिम से निपटने की महत्ता एवं आवश्यकता, तैयारियां, जोखिम प्रशमन और रिकवरी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, हम राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों के समाधान के

लिए एनडीआरएफ और एनडीएमएफ की विभिन्न विंडो से 11,950 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं (तालिका 8.10)। एनडीएमए को दिशानिर्देश तैयार कर और संकेतकों को सेट करके संसाधनों के आबंटन तथा उपयोग की निगरानी करनी चाहिए।

तालिका 8.10 : अलग से निर्धारित किए गए आबंटनों का सार

(करोड़ रु.)

वित्तपोषण विंडो	अलग से आबंटन निर्धारित करने का प्रयोजन	कुल आबंटन (2021-26)
एनडीआरएफ (क्षमता निर्माण)	अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण	5000
एनडीआरएफ (रिकवरी और पुनर्निर्माण)	अपरदन से प्रभावित लोगों का पुनर्वास	1000
उप-योग (एनडीआरएफ के तहत)		6000*
एनडीएमएफ	सात घनी आबादी वाले शहरों में बाढ़ के जोखिम को कम करना	2500
एनडीएमएफ	बारह अति सूखा-संवेदनशील राज्यों को विशिष्ट सहायता	1200
एनडीएमएफ	दस पर्वतीय राज्यों में भूकंपीय और भूस्खलन जोखिमों का पबंध करना।	750
एनडीएमएफ	अपरदन को रोकने हेतु प्रशमन उपाय।	1500
उप-योग (एनडीएमएफके तहत)		5950**
कुल योग		11950

\* इस 6,000 करोड़ रुपए की राशि को एनडीआरएफ के 54,770 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस में से अलग से निर्धारित किया जाएगा।

\*\* इस 5,950 करोड़ रुपए की राशि को एनडीएमएफ के 13,693 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस में से अलग से निर्धारित किया जाएगा।

8.97 हमारा विचार है कि सभी अलग से निर्धारित आबंटन के उद्देश्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन बिना किसी देरी के किया जाए, ताकि इसका लाभ जल्द से जल्द लक्षित समूह को मिल सके। इसलिए, एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के तहत आयोग द्वारा अनुशंसित ऐसी परियोजनाओं को इस तरह से स्वीकृत किया जाना चाहिए कि इन्हें आयोग की पंचाट अवधि के भीतर पूरा किया जा सके। आयोग का यह भी विचार है कि आयोग की पंचाट अवधि (2021-2026) से परे स्वीकृत परियोजनाएं हेतु अलग से निर्धारित किए गए आबंटनों के लिए प्रतिबद्ध देयताओं को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

## जिला आपदा रिस्पोंस और प्रशमन निधियों की व्यवहार्यता

8.98 जिला-स्तरीय निधियों के मुद्दे पर अतीत में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकारों ने इस विचार को अपना समर्थन नहीं किया और यह सुझाव दिया कि एसडीआरएफ जिला स्तर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसी प्रकार, यदि एसडीएमएफ का गठन किया जाता है तो यह जिला स्तर पर प्रशमन आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

8.99 इस संबंध में कई व्यावहारिक मुद्दे हैं जो जिला-स्तरीय निधियों के मामले में उभर कर आएंगे। पहला, यदि जिले में कोई आपदा घटित नहीं होती है, तो ये निधियां अव्ययित रह जाएंगी, जो पर्याप्त संसाधनों का अप्रभावकारी उपयोग होगा। दूसरा, राज्यों को राज्य के भीतर किसी विशेष जिले में या जिला समूहों में किसी आपदा के समय कार्रवाई करने हेतु जिलों में वितरित किए गए संसाधनों का संग्रह करने में कठिनाई होगी। तीसरा, राज्य स्तरीय निधियों और जिला स्तरीय निधियों का समान प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने के कारण उनकी अलग-अलग पहचान करना मुश्किल हो जाता है। अतः हमेशा ही एक प्रश्न बना रहेगा कि इन निधियों को जिला-स्तरीय निधियों को राज्य-स्तरीय निधियों से विभेदित कर किस प्रकार खर्च किया जाए।

8.100 हालांकि जिला-स्तरीय आपदा निधियों (कोषों) की स्थापना करना व्यावहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता, इसलिए हम यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा जिलों को तैयारी और प्रशमन के लिए वार्षिक आधार पर संसाधन आबंटित किए जाने चाहिए। जिला प्रशासन को सशक्त बनाया जाना बहुत जरूरी है ताकि स्थानीय स्तर पर आपदा तैयारी में सुधार लाया जा सके। संसाधनों के हस्तांतरण के बिना, जिला प्रशासन और जिला, तालुका और नगरपालिका स्तरों पर स्थानीय सरकारों को तैयारी में प्रश्रय देने तथा कार्यान्वयन में बहुत कठिनाई होगी। राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर पर समग्र निधियों का प्रबंधन कर रही है जो एक रीति है जिसमें बदलाव की आवश्यकता है।

8.101 राज्य सरकारों को स्वयं विकसित कार्यप्रणाली का अनुपालन करते हुए संसाधनों के आबंटन पर विचार करना चाहिए। उत्तरोत्तर आबंटनों में इन निधियों के तहत जिलों द्वारा खर्च किए गए व्यय को एक कारक के रूप में अपने द्वारा विकसित कार्यप्रणाली में शामिल करने पर राज्य सरकारें विचार कर सकती हैं।

## आपदा संबंधी तैयारी और प्रबंधन के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण

8.102 वर्तमान व्यवस्था में आपदा से निपटने की तैयारी, बचाव, राहत सहित पुनर्निर्माण से संबंधित सभी कार्यकलापों की संपूर्ण जिम्मेवारी सरकारी एजेंसियों की होने के कारण इनमें स्थानीय भागीदारी का पर्याप्त अभाव रहता है। इससे न केवल सरकारी तंत्र पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है अपितु स्थानीय समुदायों की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता भी कम हुई है। स्थानीय स्तर, विशेष रूप से ग्राम पंचायत के स्तर पर, आपदा से निपटने की तैयारी एवं प्रशमन योजना के अभाव के कारण आपदा प्रबंधन में अधिकाधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

8.103 बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं की स्थिति में प्रभाव का आकलन और जरूरी औपचारिकता को पूरा करने में लगने वाले समय के कारण जिला आपदा रिस्पोंस बल (District Disaster Response Force), राज्य आपदा रिस्पोंस बल (State Disaster Response Force), राष्ट्रीय आपदा रिस्पोंस बल (National Disaster Response Force) को आपदा स्थल पर कार्यशील होने में समय लग जाता है। इस अंतराल के दौरान व्यापक क्षति हो जाती है और तब तक लोग अत्यधिक हानि और कठिनाई का सामना कर चुके होते हैं। इसके अलावा वर्ष के दौरान घटित होने वाली आपदाओं जैसे बाढ़, आकाशीय बिजली गिरना और यहां तक कि स्थानीय स्तर पर पड़ने वाले सूखे के समय राज्य या संघ सरकार अपनी जिम्मेदारियों का समय पर पर्याप्त रूप से निर्वहन नहीं कर पाती हैं। अतएव, पंचायत स्तर पर पर्याप्त क्षमता का निर्माण आवश्यक है। इस प्रकार, वर्तमान “टाप-डाउन” दृष्टिकोण को उपयुक्त रूप से सही किया जाना चाहिए और पंचायतों को सशक्त करते हुए इसे अधिक प्रभावकारी और सक्षम बनाया जाना चाहिए।

8.104 अतः आयोग, पंचायतों की भूमिका स्थानीय समुदाय (समाज के कमजोर वर्गों सहित) से निकटता तथा संस्थागत आधार पर लोगों की भागीदारी को सूचीबद्ध करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, पंचायतों की भूमिका को महत्वपूर्ण और आवश्यक मानता है। उनकी भादीगारी आपदा, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों में आवश्यक कार्रवाई करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है और लोगों को उनके बारे में जागरूक करने में मदद करके बचाव और राहत कार्यों के लिए सरकार पर उनकी निर्भरता को कम कर सकती है।

8.105 वास्तव में, राहत और पुनर्वास के लिए पंचायतों को नोडल एजेंसी बनाने से बेहतर आयोजना, समन्वय और निगरानी में सुधार होगा। जिसके फलस्वरूप समग्र राहत एवं पुनर्वास कार्यकलाप बेहतर

तरीके से किए जा सकेंगे। पंचायती राज संस्थाएं, बचाव, प्रशमन, तैयारी, रेस्पॉन्स, जीर्णोद्धार, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण कार्यों सहित आपदा प्रबंधन के समस्त चरणों में एक सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।

8.106 आयोग का मानना है कि पंचायतों की भागीदारी से विभिन्न कार्यकलापों जैसे कि बचाव कार्य और अस्थायी आश्रय-स्थलों की व्यवस्था करना, धन, खाद्यान्न, चिकित्सा देखभाल, कपड़े, टेंट, बर्तन, पेयजल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं के रूप में तत्काल राहत प्रदान करना; क्षतिग्रस्त गांवों और नगरों को पुनःस्थिति में बहाल करना, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयास; फसल-सुरक्षा उपाय और पशुधन प्रबंधन; स्वास्थ्य और स्वच्छता के उपाय; स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन इत्यादि को अधिक प्रभावकारी बनाएगी। इसके अलावा, पंचायतें जोखिम-प्रशमन संबंधी अनेक कार्यकलापों को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से संपन्न कर सकती हैं। अतएव, अनुलग्नक 8.2 में प्रस्तावित कार्यकलापों की निदेशात्मक सूची में से कुछ प्रशमन कार्यकलापों को संघ या राज्य सरकारों द्वारा किए जाने की बजाय इन्हें पंचायतों को सौंपा जाना चाहिए।

8.107 आयोग की राय है कि राज्य सरकारों को एसडीआरएफ और एसडीएमएफ हेतु किए गए आबंटन में से कुछ यथोचित राशि जिलों को आबंटित की जानी चाहिए। इन वित्तीय तंत्रों से आपदा प्रबंधन की एक विकेंद्रित अवधारणा को बल मिलेगा, यद्यपि 739 जिलों में मौजूद 2,63,028 पंचायती राज संस्थाओं, जिनमें 2,55,549 ग्राम पंचायतें, 6,825 ब्लॉक पंचायतें और 654 जिला पंचायतें हैं, को संसाधनों का आबंटन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है।

## आपदा बचाव और रिस्पॉन्स पर व्यय के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रतिपूर्ति

8.108 रक्षा मंत्रालय आपदा बचाव और रिस्पॉन्स के लिए नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करता है और उसके द्वारा खर्च किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एक बड़ी चिंता का विषय है। सामान्य रूप से, प्रतिपूर्ति की क्रियाविधि को रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बीच आपसी परामर्शों के जरिए हल किया जाना चाहिए। तथापि, इस मुद्दे को वित्त आयोग को भेजा गया है। इसलिए हम निम्नलिखित विकल्पों की अनुशंसा करते हैं:

- (i) सेना द्वारा आपदा बचाव व रिस्पॉन्स कार्यों के संपन्न किए जाने के बाद, सेवा प्रदान करने वाली यूनिट द्वारा राज्य सरकार को बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। इस बिल की प्राप्ति के बाद, राज्य सरकार स्थानीय सेना प्राधिकरण को राशि जारी करती है। तत्पश्चात, राज्य सरकार प्रतिपूर्ति के लिए बिल को एनडीआरएफ के माध्यम से गृह मंत्रालय को भेज सकती है। तदुपरांत,

दिशानिर्देशों में शामिल सहायता के मानकों के अनुसार, गृह मंत्रालय राज्य सरकार को सहायता राशि जारी करता है। सशस्त्र बल अपनी प्रतिपूर्ति शीघ्र प्राप्त करें, विलंब की दशा में यह राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के बीच का मामला बन जाता है।

- (ii) गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के परामर्श से रक्षा मंत्रालय को विगत वर्षों के दौरान बचाव एवं राहत कार्यों पर किए गए व्यय के आधार पर एनडीआरएफ से अग्रिम राशि जारी करता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा बचाव और राहत कार्य पर वहन की गई लागतों को मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष के अंत में अग्रिम राशि से समायोजित किया जाता है। यह सुनिश्चित करेगा कि रक्षा मंत्रालय के पास इन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित संसाधन हों।
- (iii) अनुरोधित आपदा बचाव व रिस्पोंस कार्य संपन्न होने के उपरांत, स्थानीय सेना प्राधिकरण राज्य सरकार को बिल भेज कर उसे प्रतिहस्ताक्षरित करवाता है। तत्पश्चात, वह प्रतिहस्ताक्षरित बिल को रक्षा मंत्रालय के पास भेजता है, जो उसे गृह मंत्रालय को अग्रेषित करता है। तत्पश्चात, गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय को एनडीआरएफ के माध्यम से राशि जारी करेगा।

8.109 दोनों संघीय मंत्रालय इनमें से किसी विकल्प पर सहमति बना सकते हैं।

## संस्थानिक क्षमताओं का सुदृढीकरण और दिशानिर्देशों में सुधार

8.110 संघ तथा राज्य स्तरों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के प्रबंधन हेतु क्षमता और प्रणाली को सुदृढ बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। वर्तमान में राज्य सरकारें, जो व्यय को खर्च करती हैं, को जारी निधियों की निगरानी, उसके उपयोग पर केंद्रित है।

### एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के प्रबंध के लिए समर्पित क्षमता

8.111 एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के संबंध में आबंटनों के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, हम इन निधियों का प्रभावकारी रूप से प्रबंध करने हेतु गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या एनडीएफ के भीतर एक समर्पित क्षमता स्थापित किए जाने की अनुशंसा करते हैं। इसे मेक्सिको के फाण्डेन/FONDEN (प्राकृतिक आपदाओं के लिए कोष) की तर्ज पर स्थापित किया जाना चाहिए। कम से कम कर्मचारियों के साथ इस प्रकार की क्षमता बजटीय, निधियां जारी करने, निधियों के उपयोग, रिपोर्टिंग और लेखापरीक्षा जैसे कार्यों को निष्पादित करेगी।

इससे निधियों का प्रभावकारी रूप से प्रबंधन होगा और उनके आबंटन, व्यय तथा रिपोर्टिंग के लिए उच्च जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस प्रकार की समर्पित क्षमता एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ से परे अन्य स्रोतों के माध्यम से आपदा उपरांत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तपोषण को बढ़ाने में भी सहायक होगी।

8.112 हम एनडीआरएमएफ और एसडीआरएमएफ को जारी आबंटनों के लिए ऑनलाइन प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा करते हैं। यह प्रत्येक राज्य के लिए ऑनलाइन एसडीआरएमएफ आबंटन, व्यय और बकाया शेष को दर्शाएगा। ऐसी प्रणाली संघ सरकार द्वारा जारी की जा रही निधियों के समायोजन प्रक्रिया में सुधार करेगा।

### **एनडीआरएमएफ आबंटन के लिए दो-चरणीय आकलन**

8.113 किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति के लिए हम मूल्यांकन की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर एक दो-चरणीय आकलन की अनुशंसा करते हैं। प्रथम चरण पर एक लघु मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मुख्य रूप से मानवीय एवं राहत आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए। दूसरा मूल्यांकन अंतर-क्षेत्रीय और ज्यादा विस्तृत होना चाहिए जिसमें क्षति, हानि और रिकवरी संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए। संघ सरकार को किसी आपदा घटना के बाद आकलन करने के लिए एक मानक कार्यप्रणाली के रूप में आपदा पश्चात आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) जो एनआईडीएम ([https://nidm.gov.in/PDF/pubs/pdna\\_manual\\_vol1.pdf](https://nidm.gov.in/PDF/pubs/pdna_manual_vol1.pdf)) द्वारा निर्मित किया गया है जो पीडीएनए के मैनुअल में यथा वर्णित है को लागू करने पर विचार करना चाहिए।

### **आपदा डाटाबेस का विकास**

8.114 हम विशेष पहल के रूप में आपदा डेटाबेस की स्थापना की भी अनुशंसा करते हैं। इस डेटाबेस में आपदा आकलन, आबंटन का विवरण तथा व्यय तैयारी और प्रशमन आयोजनों का विवरण होना चाहिए। चूंकि भारत में बीमा कवरेज का विस्तार हो रहा है, ऐसा डेटाबेस बीमा उत्पाद एवं सेवाओं में विविधता लाने और सुधारों में बेहद मददगार होगा।



## परिवार की महिला सदस्यों को सहायता प्रदान करना

8.115 परिवारों के भीतर लैंगिक असमानताओं को ध्यान में रखते हुए, हम यह अनुशंसा करते हैं कि नकद सहायता परिवारों को इस प्रकार हस्तांतरित की जानी चाहिए कि परिवारों में महिला सदस्यों को भी सहायता राशि सुलभ हो सके। आवासन और आजीविका सहायताएं भी महिलाओं को ध्यान में रखकर दी जानी चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं के कानूनी अधिकारों और परिवारों के कल्याण की सुनिश्चितता में उनकी केंद्रीय भूमिका को मान्यता देते हुए सार्थक सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

## दिशानिर्देशों का विकास

8.116 यदि नई वित्तपोषण विंडो स्थापित की जा रही हैं, तो उन्हें दिशानिर्देश विकसित कर प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। एनडीएमएफ और एसडीएमएफ स्थापित किए जाने के बाद, उन्हें प्रशमन के लिए दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए। इसी प्रकार, राज्यों के पास भी तैयारी और क्षमता निर्माण के लिए भी दिशानिर्देश होने चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित रिकवरी रूपरेखा राज्यों को रिकवरी योजनाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करेगा। एनडीएमए दिशानिर्देश एवं रूपरेखा विकसित कर सकता है और इन सक्षम दिशानिर्देशों के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित कर सकता है।

## एनडीएमए की अग्रणीय भूमिका

8.117 एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रणाली विकसित और अनुरक्षित करने में अग्रणीय भूमिका निभानी चाहिए और एसडीएमए के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। प्रशमन कोष और रिकवरी एवं पुनर्निर्माण सुविधा की स्थापना में उसे सक्रिय भूमिका निभानी होगी। ये नई कार्यप्रणालियां हैं जिन्हें प्रश्रय देने और संपोषित करने की आवश्यकता है। राज्यों को इन विंडों की स्थापना करने और इन संसाधनों का प्रभावकारी रूप से उपयोग करने में निरंतर मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सक्रिय प्रश्रय के अभाव में, ये नई विंडो प्रत्याशित परिणाम देने में समर्थ नहीं होंगी।

## परिणामी रूपरेखा

8.118 परिणामी रूपरेखा विकसित कर एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ संसाधनों के आबंटन एवं उपयोग के लिए बढ़ती जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। इस प्रकार की रूपरेखा के लिए राज्यों द्वारा सेन्दाई फ्रेमवर्क संकेतकों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की अपेक्षा की जाती है। इन संकेतकों में मृत्युदर कम करने, समुदाय की रिकवरी एवं समुत्थान में सहायता देने तथा आपदा सहायता की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता जैसे कुछ संकेतक शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक वार्षिक प्रतिवेदन में समस्त आबंटनों, व्ययों, प्रमुख उपलब्धियों और एसएफडीआरआर के कार्यान्वयन के लिए विकसित विभिन्न संकेतकों के संदर्भ में परिणामों को अभिलेखित (रिकार्ड) किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय तथा एनडीएमए समस्त आबंटनों की मध्यावधि समीक्षा कर विभिन्न विंडो के माध्यम से व्ययों के प्रभाव का मूल्यांकन कर सकते हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य क्षमताओं और संसाधनों में इन आबंटनों के योगदान का मूल्यांकन एनडीएमए द्वारा निर्धारित संकेतकों के एक संग्रह के द्वारा किया जा सकता है।

## वित्तपोषण (फंडिंग) के वैकल्पिक स्रोत

8.119 एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन कई स्थितियों में अपर्याप्त होंगे, और संघ तथा राज्य दोनों सरकारों को अन्य स्रोतों जैसे पुनर्निर्माण बंधपत्र (बांड), अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आकस्मिक ऋण/आपातकालीन सुविधा, आर्थिक जन सहयोग और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से आपदा प्रबंधन हेतु वित्तपोषण जुटाने के लिए विवश होना पड़ेगा। किसी आकस्मिक स्थिति के घटित होने से पहले इन वित्तीय तंत्रों एवं साधनों को विकसित कर सरकारों को और भी अधिक किफायती विकल्पों की पहचान करने और उनका चयन करने में सहायता मिलेगी। हम यह अनुशांसा करते हैं कि संघ और राज्य सरकारें इन तंत्रों और साधनों पर सावधानीपूर्ण तरीकों से विचार कर आपदाओं के समय उनका वित्तपोषण हेतु प्रयोग करें।

## पुनर्निर्माण बांड

8.120 आपदा पश्चात पुनर्निर्माण हेतु राज्य सरकारें संघ सरकार के अनुमोदन उपरांत तीन से पांच वर्षों की परिपक्वता के साथ पुनर्निर्माण बांड जारी कर सकते हैं। लोग रिकवरी और पुनर्निर्माण प्रयासों में अपना योगदान देना चाहते हैं, और इसलिए वे वित्तीय प्रतिलाभों के बजाय बांडों में निवेश करना पसंद करते हैं। इसलिए, राज्य सरकारें इन बांडों को कम प्रतिफल (**Yield**) के साथ जारी कर सकते हैं। तथापि, पुनर्निर्माण बांडों के द्वारा जुटाए गए संसाधनों को बड़े पैमाने पर उत्पादक एवं सामाजिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर खर्च किया जाना चाहिए।

## अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से आकस्मिक ऋण/आपातकालीन सुविधा

8.121 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जैसे कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) भारत में किसी आपदा के घटित होने के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण में वित्तीय सहायता के अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं। 1990 से अब तक, विश्व बैंक द्वारा विभिन्न राज्यों में कम से कम नौ रिकवरी एवं पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए लगभग 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की गई है।

8.122 विश्व बैंक और एडीबी रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए नियमित आधार पर ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में एक दीर्घकालिक व्यवस्था स्थापित करके ऋण परिचालन को छोटा एवं आसान बनाया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि यदि आपदा की लागत किसी तय सीमा को पार करती है, तब राज्य आवश्यक अनुमोदनों के साथ इन संस्थाओं से ऋणों के लिए अनुरोध कर सकते हैं। उधार की लागत, ज्ञान हस्तांतरण और संगठनात्मक सहायता को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

## आपदा के लिए आर्थिक जन सहयोग (क्राउड-फंडिंग प्लेटफॉर्म)

8.123 क्राउड-फंडिंग आपदा राहत और रिकवरी के लिए संसाधन जुटाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जनता से निधियां जुटाने हेतु इंटरनेट पर अभियान चलाए जाते हैं। जमीनी स्तर पर स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के साथ समुदाय और संगठन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का पता लगाते हैं और लक्षित

दान (डोनेशन) सृजित करते हैं। कुछ ही घंटों के भीतर, एक निधि-सृजन अभियान चलाया जाता है, और इस प्रकार निधि-प्रदाताओं का एक समुदाय स्थापित होता है।

8.124 संघ और राज्य सरकारों दोनों को क्राउड-फंडिंग की भूमिका को अभिस्वीकृत करना चाहिए और आपदाएं घटित होने पर उनका उपयोग करना चाहिए। तथापि, किसी आपदा के घटित होने के बाद कई क्राउड-फंडिंग सामने आते हैं, तब सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों तथा आश्वस्त पारदर्शिता के साथ स्थापित प्लेटफार्म वृहद पैमाने पर सार्वजनिक योगदान प्राप्त कर सकती हैं। क्राउड-फंडिंग स्थापित करने के लिए कौशल एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिन्हें सरकारें आउटसोर्स कर सकती है। आर्थिक जन सहयोग के लिए सही समय की पहचान करना, सुरक्षित पेमेंट गेटवे स्थापित करना तथा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना इस प्रकार की पहल की सफलता के लिए अति महत्वपूर्ण पहलू हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ संघ और राज्य सरकारें दोनों को प्रचालनीय दिशानिर्देश एक साथ मिलकर तैयार करने चाहिए।

### **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विंडो**

8.125 निजी क्षेत्र आपदा राहत और रिकवरी में लंबे समय से सहयोग देता आ रहा है। तथापि, अपनी अनुबंधता का विविधीकरण कर वह आपदा प्रबंधन में अपने योगदान को विस्तारित कर सकता है। राहत और रिकवरी सहायता के अतिरिक्त, यह जागरूकता सृजित करने, निजी क्षेत्र कर्मियों से दान जुटाने तथा क्राउड-फंडिंग को प्रश्रय देने में किसी कार्यक्रम या अभियान चलाने में सहायता प्रदान कर सकता है। निजी क्षेत्र आपदा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकीय एवं नवप्रवर्तन प्रश्रय उपलब्ध करा सकता है।

8.126 किसी क्षेत्र की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उसे प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, उनमें एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ में उनके द्वारा दिए जाने वाले योगदानों को कर-मुक्त किया जाना भी शामिल है। चौदहवें वित्त आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी जिसे कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के योगदानों के लिए कर छूट उपलब्ध कराने हेतु हम इन अनुशंसाओं को पुनः दोहराते हैं। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायिता से संबंधित कंपनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायिता नीति) नियम 2014 की अनुसूची-VII में यह उल्लेख किया गया है कि कंपनियां प्रधानमंत्री राहत कोष या “सामाजिक-आर्थिक विकास एवं राहत के लिए संघ सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अन्य कोष” के लिए धन दे सकती हैं। इस नियम का प्रयोग आपदा वित्तपोषण विंडो के लिए निजी क्षेत्र के योगदान हेतु एक सामर्थ्यकारी प्रावधान के रूप में किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के लिए निजी

क्षेत्र से सहयोग में सुधार लाने हेतु कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियम और कर छूट प्रोत्साहनों का प्रयोग और भी अधिक अभिनव रूप से किया जा सकता है।

## बीमा और रिस्क पूलिंग

8.127 विगत में, वित्त आयोग आपदा-प्रभावित लोगों के लिए बीमा के प्रावधान की बात करते रहे हैं। तथापि, इस विषय पर गहन विचार-विमर्श करने के बाद उन्होंने बीमा को अनेक आधारों पर व्यावहारिक नहीं समझा। आयोगों ने निष्कर्ष दिया कि राज्य सरकारों के लिए यह ज्यादा फायदेमंद रहेगा। किफायती बीमा सहायता किसी मध्यस्थ को देने के बजाय, वे आपदा राहत प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराएं, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है।

8.128 यद्यपि, वित्त आयोगों ने इन विचारों व राय को सही ठहराया है और इसीलिए वे बीमा कवरेज के समस्त जनसंख्या तक विस्तारित करने के पक्षधर नहीं रहे हैं, किंतु आला क्षेत्रों, जहाँ बाजार-आधारित जोखिम प्रबंधन हेतु उपलब्ध साधनों के लिए बुनियादी स्थितियां विद्यमान हैं, में बीमा और जोखिम संग्रह (रिस्क पूलिंग) शुरू करने की प्रबल संभावना है।

8.129 बीमा तब संभाव्य और व्यावहारिक है, जहां रिस्क पूल अधिक जोखिम के हों, क्षति और हानि पर आंकड़े उपलब्ध हों और उचित सतर्कता के साथ भुगदान (Pay-outs) का अनुमान लगाया जा सकता है। विस्तारित रिस्क पूल जो राष्ट्रीय या वैश्विक स्तरों पर विद्यमान हो सकती हैं, एक दीर्घकालिक डाटाबेस के माध्यम से परिमाणात्मक जोखिम बीमा सेवाओं की व्यवहार्यता महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

8.130 इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक संकटों, जो बार-बार घटित होते हैं लेकिन उनका उच्च संभावित प्रभाव होता है, के लिए बीमा के साधनों का उपयोग काफी प्रभावकारी हैं। बार-बार घटित होने वाले प्राकृतिक खतरों (जो विपदा के आधार पर प्रत्येक पांच से दस वर्षों में घटित होते हैं जो खतरों पर निर्भर हैं) के लिए रिस्पोस एवं रिकवरी की लागत की पूर्ति एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जैसे सार्वजनिक निधियों से की जा सकती है। तथापि, प्रत्येक दस से सौ वर्ष के बीच घटित होने वाले गंभीर प्राकृतिक खतरे बीमा नीति या महाविपत्ति बंधपत्र (कैटस्ट्रॉफ बॉन्ड) द्वारा कवर किए जाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं।

8.131 इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम चार बीमा माध्यमों का प्रस्ताव करते हैं, जिनका एनडीएमए और संबद्ध मंत्रालयों द्वारा उनकी संभाव्यता के लिए आगे और अध्ययन

किए जाने की आवश्यकता है। ये बीमा माध्यम लोगों को सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करते हैं। इन माध्यमों को अमल में लाने के लिए मौजूदा लोक निधि कार्यप्रणालियों को बदलने की जरूरत नहीं है; बल्कि ये माध्यम कार्यप्रणालियों की अनुपूर्ति करती है और लोगों की सुरक्षा सुदृढ़ करते हैं। तथापि, इन बीमा कार्यप्रणालियों को बीमा कंपनियों की साझेदारी में सम्यक तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) के साथ शुरू किए जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित बीमा कार्यप्रणालियों पर आयोग के विचारों को नीचे वर्णित किया गया है।

### *आपदा संबंधी मौतों के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना*

8.132 भारत में आपदा-संबंधी मौतों के लिए मृतक परिवार को प्रत्यक्ष रूप से सहायता राशि देने एवं अन्य बीमा कारणों को ध्यान में रखते हुए बीमा व्यवस्था एक संभाव्य माध्यम हो सकता है। भारत में, कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में, आपदा मृत्युदर गत वर्षों के दौरान कम हुई है। बेहतर पूर्व-चेतावनी प्रणाली और आपदा से निपटने की तैयारी तथा बेहतर संचार के कारण, वार्षिक मृत्युदर में कमी आई है। मृत्युदर में और कमी आने की उम्मीद है, जो सेन्दाई आपदा जोखिम प्रशमन फ्रेमवर्क (एसएफडीआरआर) में व्यक्त प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक कटिबद्ध नीतिगत लक्ष्य है।

8.133 राज्यवार आपदा मृत्युदर डाटा के आधार पर, किसी बीमा कंपनी के साझेदारी में एक राष्ट्रीय बीमा कंपनी स्थापित की जा सकती है। राज्य सरकारें राज्य स्तर पर वार्षिक मृत्युदर के आधार पर, बीमा प्रीमियम अदा कर इस योजना में शामिल हो सकती है। संघ सरकार भी रिस्क पूल में योगदान दे सकती है। इस प्रकार का बीमा प्रीमियम आम तौर पर राज्य सरकारों द्वारा अनुग्रही (एक्सग्रेसिया) सहायता के पे-आउट राशि से कम होगा। बीमाधारक की मृत्यु होने पर बीमा कंपनियां अलग-अलग चरणों में प्रभावित परिवारों को राशि का भुगतान करेंगी, जैसेकि बीमाधारक की मृत्यु के तत्काल बाद पहली किस्त, पांच वर्षों के बाद दूसरी किस्त और दस वर्षों के बाद तीसरी किस्त। बीमा कंपनियां प्रभावित परिवारों को मासिक आधार पर भी भुगतान कर सकती हैं। बीमा योजना को इस प्रकार डिजाइन किया जा सकता है कि वह बुनियादी तौर पर एक सामाजिक संरक्षण योजना की तरह कार्य करे। इससे सरकार पर प्रशासनिक बोझ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पे-आउट की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों की होती है।

## फसल बीमा के साथ समकालिक राहत सहायता

8.134 फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को सहायता दो स्रोतों से मिलती है: एसडीआरएफ/एनडीआरएफ द्वारा जारी राशि और फसल बीमा भुगतान। राज्य सरकारों के साथ हुई चर्चा में यह पाया गया कि छोटे एवं सीमांत किसानों को सरकारी स्रोतों के माध्यम से सहायता औसतन रूप से 3,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच मिलती है। हालांकि, इस प्रकार की सहायता किसानों के लिए संकट की घड़ी में काफी मददगार साबित होती है, परंतु यह राशि पर्याप्त नहीं होती है। तथापि, यदि फसल बीमा योजना से किसानों को भुगतान एक ही समय पर उपलब्ध होने के कारण उनके द्वारा प्राप्त कुल सहायता में अच्छी-खासी बढ़ोत्तरी हो जाती है। प्राकृतिक संकटों के कारण किसानों को फसल क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक प्रभावकारी साधन है। इसकी प्रभावशीलता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, यदि फसल नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का आकलन एसडीआरएफ/एनडीआरएफ सहायता के साथ-साथ किया जाए।

8.135 हम अनुशंसा करते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, जिनके माध्यम से एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से दी जाने वाली सहायता एवं फसल बीमा भुगतान के बीच बेहतर तालमेल स्थापित हो सके। इसके लिए, फसलों के तहत क्षेत्रफल का एक समान आकलन, उन्नत मूल्यांकन कार्यप्रणाली और फसल बीमा के लिए एक त्वरित बजट प्रावधान जैसे फसल के नुकसान के आकलन के लिए विषय शामिल किए जाने चाहिए।

## बुनियादी ढांचा के संरक्षण और रिकवरी के लिए रिस्क पूल

8.136 बुनियादी ढांचे से संबंधित परिसंपत्तियां खतरों से संवेदनशील होती हैं, जिसको हाल ही में आई आपदाओं के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर हुए नुकसान से आंका जा सकता है। चूंकि सरकारों को अंतिम संरक्षक के रूप में माना जाता है, इसलिए बुनियादी ढांचे के संरक्षण के लिए आम तौर पर कोई बीमा कवरेज नहीं होती है। जब आपदाएं घटित होती हैं, तब बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए संघ और राज्य सरकारें आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। तथापि, बहाली एवं पुनर्वास के लिए ये संसाधन समान्य रूप से अपर्याप्त होते हैं। भारत में बुनियादी ढांचे के पैमाने में वृद्धि के साथ-साथ उनके संरक्षण की आवश्यकता के लिए संसाधनों की बड़ी प्रतिबद्धता की जरूरत होगी।

8.137 बुनियादी ढांचे को किसी बीमा कंपनी के साथ साझेदारी में एक राष्ट्रीय स्तर पर रिस्क पूल स्थापित कर संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। देश के भीतर बुनियादी ढांचा कंपनियों को इस कार्य में

शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे जोखिमों के विरुद्ध बीमा संरक्षण को बढ़ाने में तथा उन्नत मानकों और विनियमनों में निवेश करने हेतु प्रोत्साहन देने में इजाज़ा होगा। प्राकृतिक खतरे के कारण जब बुनियादी ढांचे को क्षति व नुकसान पहुंचता है, तब रिस्क पूल से रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए भुगतान किया जाएगा।

8.138 बुनियादी ढांचे के लिए रिस्क पूल स्थापित करना एक नवप्रवर्तनीय कदम होगा जिसके लिए किसी बीमा कंपनी के साथ साझेदारी करने की आवश्यकता होगी। तथापि, अन्य जोखिम हस्तांतरण समाधानों की तुलना में यह ज्यादा किफायती होगी। चूंकि संघ सरकार ने आपदा अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए बीमा कंपनियों के साथ गठबंधन स्थापित करने का निर्णय लिया है, इसलिए बुनियादी ढांचे के लिए एक रिस्क पूल की स्थापना करना बाजार तंत्रों के जरिए जोखिम हस्तांतरण समाधानों की दिशा में पहला कदम होगा।

### *असाधारण जोखिम के लिए अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमा बाजार से अतिरिक्त संरक्षण*

8.139 हम अत्यंत गंभीर आपदाओं के लिए पुनर्बीमा बाजार के माध्यम से सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान किए जाने की अनुशंसा करते हैं। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में एक विशिष्ट प्राचलीय सुविधा होगी जिसका उद्देश्य कम बारंबारता, उच्च तीव्रता वाली आपदाओं की घटनाओं एवं वैश्विक जोखिम पूल के माध्यम से सुरक्षा की अतिरिक्त परत प्रदान करना है। इस प्रकार की आपदाओं के सूचकांक को उनके परिमाण एवं भयावहता के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 8Mw से अधिक के परिमाण का एक बड़ा भूकंप या प्रलयकारी चक्रवात (Super cyclone) बीमा भुगतान का आधार हो सकता है।

8.140 यह जरूरी होगा कि इस प्रकार का बीमा संरक्षण बाजार मूल्यों (market quotes) पर क्रय किया जाए। आपदाओं की न्यून आवृत्ति और एक वैश्विक पुनर्बीमा संग्रह के कारण, प्राचलीय जोखिम से सुरक्षा के लिए प्रीमियम किफायती हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमा कंपनियां जोखिम के परिणाम व अदायगी राशि के आधार पर सुरक्षा के लिए बोली लगा सकती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि उक्त बीमा संरक्षण किफायती हो तथा संरक्षण के अन्य रूपों की तुलना में सस्ता हो।



## आपदाओं की सूची

8.141 आयोग ने अपने पूर्ववर्ती आयोगों की भांति, राज्यों से प्राप्त उन अनुरोधों पर विचार किया है जिनके द्वारा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से वित्तपोषण के लिए अनेक आपदाओं को पात्रता सूची में शामिल करने की बात कही गई है। आयोग का मानना है कि अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल किए जाने के लिए राज्यों द्वारा दिए गए सुझाव यह कि अधिकांश आपदाएं राज्य-विशिष्ट या क्षेत्र-विशिष्ट हैं और इनकी गंभीरता का मान अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होने के कारण इनके परिणाम का आकलन करना कठिन है।

8.142 आयोग का विचार है कि कुछ आपदाओं जैसे कि आग की घटनाएं तथा नदी एवं तटीय अपरदन, आदि का प्रशमन-प्रयासों द्वारा दक्षतापूर्ण तरीके से निपटा जा सकता है। इसलिए, इस प्रयोजन के लिए एनडीआरएफ से 7,500 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इस आबंटन में से 5,000 करोड़ रुपए अग्निशमन सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए निर्धारित किए गए हैं (पैरा 8.77) और 2,500 करोड़ रुपए अपरदन को रोकने और अपरदन के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए प्रशमन उपायों के तौर पर अलग से रखे गए हैं (पैरा 8.93 और 8.95)।

8.143 आयोग का मानना है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से वित्तपोषण हेतु अधिसूचित आपदाओं की सूची हेतु पात्रता बहुत हद तक राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इस प्रकार इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्राप्त अनुरोधों का कोई औचित्य नहीं है।

8.144 महामारी/संक्रामक रोग जैसी लोक-स्वास्थ्य से जुड़ी आपदाओं, जो या तो उपेक्षा/ लापरवाही से या फिर खराब उपकरणों या खराब मौसम के कारण उत्पन्न होती हैं, सहित, माववीकृत आपदाओं और प्रौद्योगिकीय आपदाओं (रेडियोधर्मी संदूषण, रेल/हवाई दुर्घटनाओं सहित रासायनिक और औद्योगिक आपदाएं) के घटित होने की संभावना तो कम होती है किंतु इनके लिए उच्च स्तरीय वित्तपोषण की आवश्यकता है। आयोग का मानना है कि ऐसी आपदाओं के लिए निवारक एवं राहत उपायों के वित्तपोषण को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से बाहर रखा जाना चाहिए। इन आपदाओं का ध्यान रखने का कार्य संबंधित नोडल मंत्रालय/ विभाग द्वारा जारी रखा जाए। संघ सरकार, ऐसी आपदाओं के प्रारंभिक प्रशमन के लिए, एनडीआरएफ से एकबारगी अस्थायी व्यवस्था के रूप में ऐसी आपदाओं के संबंध में आपदा राहत के वित्तपोषण पर विचार कर सकती है, जैसा कि कोविड-19 के फैलने के समय किया गया था, बशर्ते कि संबंधित नामोद्दिष्ट मंत्रालय/विभाग के पास पर्याप्त धन उपलब्ध न हो।

## लेखाकरण मानदंड एवं मानक

8.145 आपदा संबंधी निधियों के प्रचालन से संबंधित अधिदेश राज्यों से अपेक्षा करते हैं कि वे उनके द्वारा प्राप्त संघ के हिस्से के साथ एसडीआरएफ में अपने अनुकूल हिस्से का हस्तांतरण करें। तथापि, कुछ राज्य उनके द्वारा अनुरक्षित लोक लेखा में समयबद्ध रीति से हस्तांतरण नहीं करते। परिणामस्वरूप, किसी गंभीर प्रकृति की आपदा से निपटने के लिए राज्यों के पास पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता और वे एनडीआरएफ से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) की मांग करते हैं। इसलिए राज्यों को सलाह दी जाती है कि वे एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के तहत अपने अनुकूल हिस्से का समयबद्ध हस्तांतरण करें। यह भी सुझाव दिया जाता है कि चूंकि एसडीआरएफ और एसडीएमएफ (इन्हें एक साथ मिलाकर अब एसडीआरएमएफ कहा जाता है) गैर-व्यपगत कॉर्पस (non-lapsable corpus) होते हैं अतः यदि एक वित्त आयोग की पंचाट अवधि से इन शीर्षों के अंतर्गत कोई बकाया राशि रह जाती है तो उसे अगले वित्त आयोग की पंचाट अवधि के लिए अग्रेनीत किया जाना चाहिए।

8.146 आयोग का यह भी मानना है कि चूंकि आपदा रिस्पॉस कोष और प्रशमन कोष का अलग-अलग अस्तित्व है, अतः रिस्पॉस और प्रशमन प्रयासों हेतु किए गए आबंटन का उपयोग करने के लिए एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ के तहत प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग-अलग लेखाकरण शीर्ष होने चाहिए। इसलिए आयोग का सुझाव है कि गृह मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के परामर्श से, एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ के लिए प्रचालनीय दिशानिर्देश एवं मानक तैयार करते समय नए लेखाकरण शीर्ष खोलने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए। तदनुसार, एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ के लिए 2021-22 की पहली किश्त जारी किए जाने से पूर्व, मुख्य शीर्ष '1601 – केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान', मुख्य शीर्ष '2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत', मुख्य शीर्ष '3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान', मुख्य शीर्ष- '8121- ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अधीन सामान्य और अन्य आरक्षित निधियां' तथा मुख्य शीर्ष- '8235- बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियों के अधीन सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां' के अधीन लघु शीर्षों के संगत उप-मुख्य शीर्ष खोले जाने चाहिए। सीजीए और व्यय विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया जाए। सीएजी द्वारा इन निर्धारित लेखाकरण प्रक्रियाओं के अनुपालन की समुचित रूप से समीक्षा की जाए।

8.147 मौजूदा परिपाटी के अनुसार, किसी वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को यथास्थिति, राज्य के महालेखाकार द्वारा दी गई रिपोर्ट में एसडीआरएफ के अंतर्गत उपलब्ध शेष के 50 प्रतिशत को, गंभीर

आपदाओं के दौरान एनडीआरएफ से एसीए की अपेक्षाओं का परिकलन करते समय समायोजित किया जाता है। तथापि, इसमें एनडीआरएफ से एसीए का परिकलन करते समय उस अवधि तक एसडीआरएफ में किया गया अंशदान (संघीय तथा राज्यों का हिस्सा) शामिल नहीं है। उस वित्त वर्ष में एसडीआरएफ में किए गए अंशदान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि गंभीर आपदाओं से निपटने के लिए राज्यों के पास एसडीआरएफ के अंतर्गत पर्याप्त धन उपलब्ध हो। अतएव, आयोग का विचार है कि किसी वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को यथास्थिति, उपलब्ध शेष तथा अद्यतन तारीख तक एसडीआरएफ में संघ एवं राज्यों द्वारा किए गए इनके अपने-अपने हिस्सों के अंशदान को एनडीआरएफ के तहत एसीए के परिकलन के समय समायोजित किया जाना चाहिए तथा किसी गंभीर आपदा के दौरान प्रथम प्रभार एसडीआरएफ पर होना चाहिए।

## अनुशंसाओं का सारांश

(i) आपदा प्रबंधन के लिए संघ और राज्यों द्वारा राज्य-स्तरीय आबंटनों के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित योगदान अनुपात को कायम रखा जाए। अतः, राज्यों द्वारा, पूर्वोत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जो 10 प्रतिशत का योगदान देंगे, एसडीआरएफ और एसडीएमएफ में 25 प्रतिशत का योगदान दिया जाएगा, और शेष योगदान संघ सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

(पैरा 8.34)

(ii) प्रशमन कोष आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर स्थापित किए जाने चाहिए। प्रशमन कोष का उपयोग उन स्थानीय स्तरीय सामुदायिक-आधारित कार्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए, जो जोखिम को कम करते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से हितैषी बस्तियों तथा आजीविका रीतियों को बढ़ावा देते हैं।

(पैरा 8.43 एवं 8.46)

(iii) एसडीआरएमएफ के लिए आपदा प्रबंधन निधियों का आबंटन विगत व्यय, क्षेत्रफल और जनसंख्या कारकों के आधार पर और आपदा जोखिम सूचकांक (जो राज्यों की क्रमशः संस्थानिक क्षमता, जोखिम एक्सपोजर, और खतरा एवं भेद्यनीयता को परिलक्षित करते हैं) के आधार पर किए जाने चाहिए। 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए, हम आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों के संबंध में 2021-26 की अवधि हेतु 1,60,153 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस

की अनुशंसा करते हैं। जिसमें संघ की भागीदारी 1,22,601 करोड़ रुपए तथा राज्यों की भागीदारी 37,552 करोड़ रुपए है।

(पैरा 8.51, 8.52 एवं 8.53)

(iv) एसडीआरएमएफ के लिए कुल राज्य आबंटनों को वित्तपोषण विंडो में उप-विभाजित किया जाना चाहिए, जो पूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र को कवर करें। अतः, एसडीआरएफ को कुल आबंटन का 80 प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए और एसडीएमएफ को 20 प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए। 80 प्रतिशत के एसडीआरएफ आबंटन को पुनः इस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए: रिस्पोंस और राहत 40 प्रतिशत; रिकवरी एवं पुनर्निर्माण 30 प्रतिशत तथा तैयारी एवं क्षमता निर्माण 10 प्रतिशत। जबकि एसडीआरएफ एवं एसडीएमएफ की वित्तपोषण विंडो पारस्परिक रूप से परिवर्तनीय नहीं हैं, एसडीआरएफ की तीन उप-विंडो के भीतर पुनःआबंटन के लिए लचीलापन हो सकता है।

(पैरा 8.54)

(v) एनडीआरएमएफ के लिए आबंटन विगत वर्षों के व्यय पर आधारित होने चाहिए। 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए, आपदा प्रबंधन के लिए 2021-26 की अवधि हेतु कुल राष्ट्रीय आबंटन का आकलन 68,463 करोड़ रुपए किया गया है।

(पैरा 8.59)

(vi) एनडीआरएमएफ के लिए आबंटन को भी वित्तपोषण विंडों में भी उप-विभाजित किया जाना चाहिए, जैसा कि आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों के संबंध में किया गया है। अतः, एनडीआरएमएफ के लिए किए जाने वाले कुल आबंटन में से एनडीआरएफ को 80 प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए, और उसका पुनःविभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिए, रिस्पोंस एवं राहत के लिए 40 प्रतिशत; रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए 30 प्रतिशत तथा तैयारी एवं क्षमता निर्माण के लिए 10 प्रतिशत। एनडीएमएफ को एनडीआरएमएफ के लिए कुल आबंटन का 20 प्रतिशत आवंटित किया जाना चाहिए। यदि अपेक्षित हो तो, गृह मंत्रालय एनडीआरएफ के भीतर तीन उप-विंडो सृजित करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता के लिए समीक्षा कर सकता है। एनडीआरएफ और एनडीएमएफ की वित्तपोषण विंडों को कायम रखा जाना चाहिए, इन एनडीआरएफ की उप-विंडो के भीतर पुनः आबंटन के लिए लचीलापन हो सकता है।

(पैरा 8.60 एवं 8.61)

(vii) राज्यों से अत्यधिक एवं अनुचित मांगों को हतोत्साहित करने हेतु, एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के माध्यम से समस्त केंद्रीय सहायता को एक ग्रेडेड लागत, साझाकरण आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्यों को 250 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए 10 प्रतिशत का, 500 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए 20 प्रतिशत का और 500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता के लिए 25 प्रतिशत का योगदान देना चाहिए।

(पैरा 8.63)

(viii) रिकवरी और पुनर्निर्माण सुविधा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के भीतर स्थापित की जानी चाहिए। रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए सहायता सामान्यतः एक बहुवर्षीय कार्यक्रम है और इसलिए संघ तथा राज्यों के बीच साझा की गई सहायता को व्ययों के लिए और केवल कुल लागत के प्रतिशत के रूप में वार्षिक रूप से जारी किया जाए।

(पैरा 8.68 और 8.69)

(ix) राज्य सरकारों के पास आपदाओं से प्रभावकारी रूप से निपटने हेतु अनिवार्य आपदा तैयारी होनी चाहिए। उनकी संस्थाएं और सुविधाएं किसी स्थिति की अत्यावश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से समर्थ एवं सुदृढ़ व्यवस्था के साथ कार्यशील हों। आपदा से निपटने की तैयारी और क्षमता निर्माण हेतु अनुदानों का उपयोग एसडीएमए, एसआईडीएम, प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण कार्यकलापों को प्रश्रय देने के लिए तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने हेतु आपातकालीन रिस्पॉंस सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार की आपदा से निपटने की तैयारी और क्षमता-निर्माण विंडो एनडीआरएफ के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसका उपयोग राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रश्रय देने के लिए किया जा सकता है।

(पैरा 8.70 एवं 8.73)

(x) दस से पंद्रह वर्षों की कार्यान्वयन अवधि हेतु उपरी नदी बेसिन प्रबंधन (नदी के अपरदन से होने वाली वार्षिक बाढ़ आपदाओं को कम करने के लिए) के लिए अपेक्षित प्रमुख पूंजीगत कार्यों को वित्त आयोग के पंचाट के माध्यम से समायोजित नहीं किया जा सकता है। अतः हम अनुशंसा करते हैं कि ऐसी परियोजनाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के रूप में माना जाना चाहिए। केवल इस तरह की समग्र परियोजनाएं बाढ़ के प्रशमन को समुचित रूप

से समाधान करने में मदद कर सकती हैं। अलग-अलग चरणों में बांधे गए नदी तटबंध वर्ष भर में ही बह जाते हैं।

(पैरा 8.92)

(xi) कतिपय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 11,950 करोड़ रुपए की कुल राशि का छह अलग-अलग प्राथमिकताओं के लिए आबंटन किया जाना चाहिए। इन प्राथमिकताओं में एनडीआरएफ के तहत दो (अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण और अपरदन के कारण विस्थापित लोगों का पुनर्वास) और एनडीएमएफ के तहत चार (बारह अति सूखा-संवेदनशील राज्यों को विशेष सहायता, दस पर्वतीय राज्यों में भूकंप एवं भूस्खलन जोखिमों का प्रबंध, सात घनी आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ के जोखिमों को कम करना और अपरदन रोकने हेतु प्रशमन उपाय) शामिल हैं।

(पैरा 8.96)

(xii) गृह मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय को भुगतान करने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली को पारस्परिक परामर्शों के माध्यम से संस्थागत किया जाना चाहिए। भुगतान प्रणाली के तीन विकल्प अनुशंसित किए गए हैं।

(पैरा 8.108)

(xiii) संस्थानिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, एक समर्पित क्षमता स्थापित की जानी चाहिए ताकि एनडीआरएमएफ और एसडीआरएमएफ का पर्यवेक्षण किया जा सके और अन्य स्रोतों के माध्यम से आपदा वित्तपोषण का संवर्धन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर व्ययों के प्रभाव का आकलन करने हेतु एक आपदा डाटाबेस विकसित किया जाना चाहिए। अन्य कार्यक्रमों, जैसे कि परिवारों में महिला सदस्यों को सहायता प्रदान किए जाने से आपदा प्रबंधन और अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनेगा। आपदा प्रबंधन में एक अग्रणी एजेंसी के रूप में, एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और राज्यों के साथ सहयोग स्थापित करना चाहिए।

(पैरा 8.111, 8.114, 8.115 एवं 8.117)

(xiv) राज्यों को केंद्रीय सहायता की सुव्यवस्थित सुगम प्राप्ति हेतु तथा उसमें सुधार लाने के लिए किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति के लिए मौजूदा आकलन प्रणाली के बदले एक द्विचरणीय आकलन अर्थात् रिस्पोस और राहत सहायता के लिए एक प्रारंभिक मानवीय

आवश्यकता आकलन, और रिकवरी एवं पुनर्निर्माण आवश्यकता आकलन के लिए एक पश्च आपदा आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) अपनाना चाहिए।

(पैरा 8.113)

(xv) सभी नई वित्तपोषण विंडो को दिशानिर्देश विकसित कर प्रश्रय दिया जाना चाहिए, जिसके डिजाइन को एनडीएमए की अगुवाई में तैयार किया जाना चाहिए।

(पैरा 8.116)

(xvi) सभी आबंटनों, व्ययों, प्रमुख उपलब्धियों तथा एसएफडीआरआर के कार्यान्वयन के लिए विकसित विभिन्न संकेतकों के परिणामों को राष्ट्रीय स्तर पर एक वार्षिक प्रतिवेदन में अभिलेखित किया जा सकता है। राष्ट्रीय और राज्य क्षमताओं में इन आबंटनों के योगदान का मूल्यांकन एनडीएमए द्वारा निर्धारित संकेतकों के संग्रह के द्वारा किया जा सकता है।

(पैरा 8.118)

(xvii) यदि एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ के पास अपेक्षित सहायता का अभाव होने की दशा में संघ और राज्यों को अन्य वित्तीय साधनों से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इन साधनों को पुनर्निर्माण बंधपत्रों (बांड), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ आकस्मिक ऋण/आपातकालिक सुविधा, आपदा के लिए आर्थिक जन सहयोग प्लेटफार्म तथा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायिता विंडो के रूप में चिन्हित किया गया है।

(पैरा 8.119)

(xviii) बीमा तंत्र, जो एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं और वर्तमान वित्तीय तंत्रों की अनुपूर्ति करता है, को सम्यक् तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) के बाद बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी में शुरू किए जाने की आवश्यकता है। ये तंत्र हैं: आपदा-संबंधी मौतों के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना, फसल बीमा के साथ समकालिक राहत सहायता, बुनियादी ढांचे के संरक्षण और रिकवरी के लिए जोखिम संग्रह, और असाधारण जोखिमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा तक पहुंच।

(पैरा 8.131 एवं 8.139)





## अध्याय - 9

# महामारी और उसके बाद : स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकूलता

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने आजादी के बाद से स्वास्थ्य के मोर्चे पर कतिपय उल्लेखनीय प्रगति की है। तथापि, स्वास्थ्य क्षेत्र को अभी भी न्यून निवेश, स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता में अंतर-राज्य अत्यधिक असमानता, स्वास्थ्य परिणामों में क्षेत्रीय असमानता, चिकित्सकों की आपूर्ति की समस्याएं, पराचिकित्सकों (पैरामेडिक्स), अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), उप केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की अपर्याप्त संख्या जैसी कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अध्याय में, हमने इन चुनौतियों का विस्तार से अध्ययन किया है और इन्हें दूर करने के लिए भावी मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नियामक अनुशांसाएं और अनुदान दोनों शामिल हैं। हमने क्रिटिकल केयर अस्पतालों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) पाठ्यक्रमों और संबद्ध स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदानों की अनुशांसा की है। स्वास्थ्य के लिए स्थानीय शासनों के माध्यम से दिए जाने वाले अनुदान और राज्य-विशेष अनुदानों के अतिरिक्त ये अनुदान दिए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र को पंचाट अवधि में दिये जाने वाले सहायता अनुदान कुल 1,06,606 करोड़ रुपए के है, जो हमारे द्वारा अनुशांसित कुल सहायता अनुदान का 10.3 प्रतिशत है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.1 प्रतिशत है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला अनुदान शर्त रहित होगा।

9.1 विचारार्थ विषय (टीओआर) के पैरा 6 (iii) में यह अपेक्षित है कि हमें "राज्य सरकार के संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसंरचना के वित्तपोषण, आस्ति रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास....." पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पैरा 7 में ऐसे क्षेत्र दर्शाए गए हैं, जिनके लिए हम राज्यों को मापनीय निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन दिए जाने के प्रस्ताव का सुझाव दे सकते हैं। पैरा 7 (ii) में "जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर की दिशा में किए गए प्रयास और

प्रगति” को दर्शाया गया है और पैरा 7 (iii) में “भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन, आपदा सहाय अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपलब्धियां और उनके व्यय की गुणवत्ता” को दर्शाया गया है। इन सभी का स्वास्थ्य क्षेत्र और इससे संबद्ध चुनौतियों से सीधा संबंध है।

9.2 वर्षों से, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता रहा है, जहां सुधार और सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में प्रगति की गति मंद रही है, जैसा कि यह स्वास्थ्य सूचकांकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की खराब गुणवत्ता दोनों में परिलक्षित होता है। पिछले आयोगों के विपरीत, हमने सजग रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने और संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि कोविड -19 महामारी के कारण ऐसा करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आयोग ने अपने समय और संसाधनों के काफी बड़े हिस्से का उपयोग इस क्षेत्र के कई हितधारकों के साथ गहन परामर्श करने में किया है और यह सहयोगात्मक प्रयास इस अध्याय के प्रमुख अनुशासकों में परिलक्षित है।

9.3 यद्यपि देश ने स्वास्थ्य के कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जैसे कि कतिपय रोगों का उन्मूलन, कुल प्रजनन दर (टीएफआर) और शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में कमी, तथापि इसे अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है। कोविड -19 महामारी ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के कई कमियों को उजागर किया है। अल्प निवेश, स्वास्थ्य अवसंरचना की उपलब्धता और स्वास्थ्य परिणामों में अंतर-राज्य अत्यधिक अंतर, चिकित्सक, पराचिकित्सक (पैरामेडिक्स) के आपूर्ति पक्ष की समस्याएं, अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), उप केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जैसे स्वास्थ्य केंद्रों की अपर्याप्त संख्या जैसी कुछ संरचनागत चुनौतियां हैं, जो अभी भी मौजूद हैं। परिणाम स्वरूप, हम पाते हैं कि स्वास्थ्य पर खर्च का लगभग 70 प्रतिशत खर्च स्वयं के जेब से किया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के मार्जिन पर रहने वाली आबादी के लिए स्वास्थ्य पर स्वयं की जेब से किया जाने वाला खर्च, सबसे बड़ा जोखिम है। भारत में लोग भुगतान कर पाने की क्षमता पर ध्यान दिए बिना ठंड, बुखार और अतिसार जैसी छोटी बीमारियों के लिए भी ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों की तलाश करते हैं। भारत में निजी स्वास्थ्य केंद्र न केवल महंगा है, बल्कि उसमें प्रशिक्षित और कुशल श्रमशक्ति की कमी भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने स्थान के कारण अतिरिक्त व्यवधान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का झुकाव शहरों के प्रति अधिक रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के सत्तर साल के बाद भी भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, कई लोगों के लिए भ्रांतियां बनी हुई है।

## स्वास्थ्य परिणाम: समय के साथ निष्पादन

9.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने आजादी के बाद से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कतिपय उल्लेखनीय प्रगति की है। जन्म लेने वाले शिशु की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, शिशु मृत्यु दर और अशोधित मृत्यु दर में बहुत कमी आई है, चेचक, पोलियो और गिनि कृमि जैसे रोग को समाप्त किया गया, और कुष्ठ रोग समाप्ति के कगार पर है।

9.5 देश में लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) 2001 में 933 से बढ़कर 2011 में 943 हो गया है। प्रति 1000 व्यक्तियों में अनुमानित जन्म दर जो 2000 में 25.8 थी, 2016 में घटकर 20.4 हो गयी, जबकि मृत्यु दर 8.5 से घटकर 6.4 हो गयी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2018-19 के अनुसार, प्रति 1000 व्यक्तियों में प्राकृतिक वृद्धि दर 2000 में 17.3 से घटकर 2016 में 14 रह गयी है। हाल के वर्षों में, भारत ने मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को कम करने के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। 1990 में प्रति 100,000 जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 556 से कम होकर 2016 में 130 रह गयी है। संस्थागत जन्म के संबंध में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के मध्य काफी लंबे समय से मौजूद खाई को काफी हद तक कम कर दिया गया है। समग्र शहरी क्षेत्रों में 89 प्रतिशत की तुलना में अब ग्रामीण क्षेत्रीय जन्मों का 75 प्रतिशत तक पर्यवेक्षण किया जाने लगा है।

9.6 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की भूमिका, कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण रही है। भारत में मलेरिया की मृत्यु दर 2001 में प्रति 100,000 जनसंख्या पर 0.10 मृत्यु से घटकर 2018 में 0.02 मृत्यु रह गयी और देश ने 2015 तक क्षय रोग (टीबी) होने एवं इसकी पुनरावृत्ति की घटनाओं को रोकने के सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) को हासिल कर लिया है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी), जिसके अंतर्गत छः टीका के माध्यम से निवारणीय रोग से सुरक्षा प्रदान की जाती है, के माध्यम से टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

9.7 यद्यपि ये समस्त तथ्य कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को परिलक्षित करता है, तथापि ये तथ्य भी इस वास्तविकता से हमारा ध्यान नहीं हटा सकते हैं कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने समान कई देशों से पीछे है। प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 130 मातृ मृत्यु दर, 2030 के स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) के 70 के आँकड़े का लगभग दोगुना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2020 में भारत 107 देशों में से 94 स्थान पर है। भारत का 38 प्रतिशत बाल वृद्धि रोध दर, दुनिया में सबसे अधिक है। पोषण संबंधी परिणामों के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 35.8 प्रतिशत बच्चे अल्पवजन के हैं और 58.6 प्रतिशत अरक्तक (एनीमिक) हैं (अनुलग्नक 9.1)। चूंकि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के साथ-साथ सीखने, रोजगार और आर्थिक निष्पादन के दीर्घकालिक प्रभाव निहित हैं, इसलिए यह विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है।

तालिका 9.1: प्रमुख स्वास्थ्य परिणामों में भारत की अन्य देशों के साथ तुलना

देश	जनसंख्या (मिलियन)	प्रजनन (प्रति महिला बच्चे)	जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	पाँच वर्ष के नीचे मृत्यु (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	मातृ मृत्यु (प्रति 1,000 जन्म)	बाल वृद्धि रोध (%)
बांग्लादेश	167	2.1	72	30	173	36
ब्राजील	210	1.7	75	14	60	7
चीन	1,400	1.7	76	9	29	8
भारत	1,352	2.2	69	37	130	38
इंडोनेशिया	267	2.3	71	25	177	36
मलेशिया	33	2.0	76	8	29	21
रूस	147	1.8	72	7	17	5
दक्षिण अफ्रीका	59	2.4	64	34	119	27
श्री लंका	22	2.2	77	7	36	17
थाईलैंड	68	1.5	77	9	37	11
वियतनाम	95	2.0	75	21	43	25

स्रोत : विश्व बैंक सूचकांक (2011 से 2019)

9.8 स्वास्थ्य परिणामों में अंतर-राज्य विचलन बहुत अधिक है। जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश में 65 वर्ष से लेकर केरल में 75.2 वर्ष तक है (अनुलग्नक 9.2)। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में कुल प्रजनन दर क्रमशः 1.59 और 1.79 है, जो कि विकसित देशों के समान है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कुल प्रजनन दर क्रमशः 2.93 और 2.61 है। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) संबंधी प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (2018) के डाटा से पता चलता है कि शिशु मृत्यु दर में नागालैंड और मध्य प्रदेश के बीच काफी अंतर है। नागालैंड में जहां शिशु मृत्यु दर चार हैं, वहीं उसकी तुलना में मध्य प्रदेश में यह बढ़कर अड़तालीस है। उच्च शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) वाले अन्य राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। केरल में संस्थागत प्रसव की दर 99.8 प्रतिशत है, जबकि नागालैंड में यह केवल 32.8 प्रतिशत है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में संस्थागत प्रसव की दर बहुत खराब है।

9.9 यह असमानता पोषण संबंधी परिणामों में भी मौजूद है। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ऐसे बच्चों का अनुपात बहुत अधिक है, जो अल्प वजन के हैं और हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अरक्तता (एनीमिया) से पीड़ित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। हंगर सूचकांक में 117 देशों में से भारत का रैंक 2015 में 93 से गिरकर 2019 में 102 पर आ गया है। इस तरह के खराब पोषण स्तर से बच्चों की प्राथमिक प्रतिरक्षा के निर्माण में भी व्यवधान उत्पन्न होता है। संघ सरकार ने अगले कुछ वर्षों में समग्र पोषण हेतु जन अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्च 2018 में पोषण अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत बेहतर सेवा वितरण के लिए

अंतर-सेक्टरल अभिसरण, महिलाओं एवं बच्चों की वास्तविक काल वृद्धि का पता लगाने एवं निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग ( आईसीटी ) तथा गहन स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं।

9.10 जून 2019 में नीति आयोग की रिपोर्ट, स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत, के स्वास्थ्य सूचकांक में इन अंतर-राज्य असमानताओं को उजागर किया गया था। बड़े राज्यों में से सबसे अच्छा निष्पादन करने वाले राज्य का सूचकांक में कुल प्राप्त अंक, न्यूनतम निष्पादन करने वाले राज्य के कुल प्राप्त अंक से ढाई गुणा से भी ज्यादा था। स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने की दिशा में भी राज्यों की प्रगति में काफी अंतर रहा है। जहां केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब ने पहले ही पांच वर्ष से कम बच्चों का मृत्यु दर (यू5एमआर) से संबंधित स्थायी विकास लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अन्य राज्यों को अभी भी इस दिशा में महत्वपूर्ण सुधार करने की आवश्यकता है। 2015-16 से 2017-18 तक के स्वास्थ्य सूचकांक में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्राप्तांक में जो बदलाव देखने को मिले हैं, उनमें भी काफी असमानताएं रहीं हैं, जो इस बात को दर्शाती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने निष्पादन को सुधारने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की गति का स्तर अलग-अलग रहा है। कोविड -19 के कारण, पोषण, मातृ स्वास्थ्य और बच्चों पर पड़ने वाले स्थायी प्रभाव से इन समस्त भेद्यनीयताओं के जोखिम में वृद्धि हो रही है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ रही हैं। महामारी दुनिया भर में स्वास्थ्य, सामाजिक और भौतिक कल्याण को नुकसान पहुंचा रही है, जिसमें सबसे गरीब को सबसे ज्यादा चोट पहुँच रही है। विद्यालयों के बंद होने, सामाजिक दूरी और एकान्तवास के कारण बच्चों में खराब पोषण का खतरा बढ़ जाता है।

9.11 भारत की स्वास्थ्य प्रणाली भी ऐसी प्रलयकारी महामारी के विरुद्ध वित्तीय जोखिम सुरक्षा प्रदान करने और चिकित्सा खर्चों में सुधार करने के मामले में खराब है। स्वास्थ्य के लिए स्वयं की जेब से किए जाने वाले भुगतान के कारण अनुमानित रूप से करीब 60 मिलियन भारतीय हर साल गरीबी क्षेत्र में धकेल दिए जाते हैं। यह एक प्रमुख कमी है, क्योंकि वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रमुख स्तंभों में से एक है।

## स्वास्थ्य अवसंरचना : भेद्यनीयताओं का आकलन

9.12 किसी भी स्वास्थ्य प्रणाली की भेद्यनीयताओं का अशोधित आकलन, स्वास्थ्य सेवा, जिसमें अस्पताल के शय्या और स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन शामिल हैं, की उपलब्धता, वितरण और वित्तपोषण के आधार पर किया जा सकता है। भारत में कुल 18,99,228 अस्पताल शय्या होने का अनुमान है, जिनमें से 60 प्रतिशत से अधिक निजी क्षेत्र में हैं, यानी प्रति 1,000 आबादी पर लगभग 1.4 शय्या<sup>1</sup>। यह कई तुलना

<sup>1</sup> कपूर और अन्य (2020), 'भारत में मौजूदा अस्पताल शय्या, गहन देखभाल इकाई (आईसीयू) शय्या और वेंटिलेटर्स की संख्या का राज्यवार अनुमान : क्या हम कोविड-19 के रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में होने वाले उछाल के लिए तैयार हैं?' <https://t.co/zbF5o09d9m> #medRxiv.

योग्य देशों की तुलना में कम है: चीन के अस्पताल में शय्या का घनत्व प्रति 1,000 की आबादी पर 4 से अधिक है; श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति 1,000 आबादी पर लगभग 3 शय्या है; और थाईलैंड और ब्राजील के अस्पताल में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 2 से अधिक शय्या की व्यवस्था है<sup>2</sup>। भारत के भीतर, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्व जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश और असम में अस्पताल के शय्या का घनत्व विशेष रूप से कम हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना में सार्वजनिक अस्पताल के शय्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम हैं, लेकिन इसकी पूर्ति निजी शय्याओं की उपलब्धता से की गई है।

9.13 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अस्पतालों के अलावा उन स्वास्थ्य आउटपोस्टों ( उप केंद्रों ) के माध्यम से प्रदान की जाती है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ( पीएचसी ) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों ( सीएचसी ) से जुड़े होते हैं, जिनमें से कई को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों ( एचडब्ल्यूसी ) में अपग्रेड कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या और वितरण सुनिश्चित किया जाता है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में उप केंद्र की 23 प्रतिशत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 37 प्रतिशत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 28 प्रतिशत तक की ज्यादा कमी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है ( अनुलग्नक 9.3 )।

9.14 2018 में, भारत में 11.54 लाख पंजीकृत एलोपैथिक आयुर्विज्ञान चिकित्सक, 29.66 लाख नर्स और 11.25 लाख भेषजज्ञ ( फार्मासिस्ट ) थे। जनसंख्या की दृष्टि से चिकित्सक और नर्सों के बीच का अनुपात भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डब्ल्यूएचओ ) द्वारा निर्धारित मानक की अपेक्षा बहुत कम है। भारत में जनसंख्या की तुलना में चिकित्सकों का अनुपात 1: 1,511 है और जनसंख्या की तुलना में नर्सों का अनुपात 1: 670 है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हमें दिए गए ज्ञापन में उल्लिखित विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक क्रमशः 1: 1,000 और 1: 300 के विपरीत है।

9.15 यदि यह माना जाए कि राज्य चिकित्सा परिषदों में पंजीकृत सभी एलोपैथिक चिकित्सक उसी राज्य में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं / काम कर रहे हैं, तो भी राज्यों के मध्य जनसंख्या और एलोपैथिक चिकित्सकों के अनुपात में व्यापक अंतर परिलक्षित होता है ( अनुलग्नक 9.4 )। प्रमुख राज्यों में से झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की स्थिति बहुत अधिक खराब है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में जनसंख्या की तुलना में सरकारी चिकित्सकों का अनुपात दूसरों से काफी कम है। बिहार, झारखंड, सिक्किम और तेलंगाना में नर्सों की कमी


<sup>2</sup> ओईसीडी स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ें



सबसे ज्यादा है (अनुलग्नक 9.5)। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मचारियों की उल्लेखनीय कमी है (अनुलग्नक 9.6)। विभिन्न राज्यों के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में सीटों की संख्या अत्यधिक विषम है, क्योंकि कुल आयुर्विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) सीटों की दो-तिहाई सीटें केवल देश के सात राज्यों (तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात) में केंद्रित है।

9.16 चित्र 9.1, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन और अस्पताल के शय्या के संबंध में राज्यों के बीच के अंतर को दर्शाता है। इस मामले में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और बिहार बहुत कमजोर स्थिति में हैं, जहाँ जनसंख्या और अस्पताल के शय्या एवं स्वास्थ्य श्रमशक्तियों का अनुपात बहुत कम है।

चित्र 9.1: प्रति 1000 व्यक्तियों पर स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन और अस्पताल की शय्या



स्रोत : विश्व बैंक

9.17 स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसे निम्न पैरा में दर्शाया गया है।

## न्यून लोक स्वास्थ्य व्यय

9.18 भारत में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय (संघ और राज्य संयुक्त) सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लगभग 1 प्रतिशत रहा है (तालिका 9.2)।

9.19 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के द्वारा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को काफी हद तक बढ़ाकर स्वास्थ्य क्षेत्र को बल प्रदान करने का प्रयास किया गया है। इस

योजना के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि “ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक केंद्र और राज्यों में कुल व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा”। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के द्वारा ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य देखभाल दोनों को एक ऐसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दायरे में लाने की कोशिश की गई, जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति सुपरिभाषित स्वास्थ्य देखभाल सेट की हकदारी तक अपनी बीमाकृत पहुंच प्राप्त कर पाने में समर्थ हो सके। हालांकि, इन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।

9.20 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 (एनएचपी 2017) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाकर 2025 तक जीडीपी का 2.5 प्रतिशत तक कर देने के लिए अनुशंसा की है। 2018-19 में, यह व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.96 प्रतिशत था (चित्र 9.2)। स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक व्यय का सत्तर प्रतिशत राज्यों द्वारा और केवल 30 प्रतिशत संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है (चित्र 9.3)। देश में कुल लोक स्वास्थ्य व्यय अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है (चित्र- 9.4)।

तालिका 9.2: लोक स्वास्थ्य व्यय


वर्ष	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लोक स्वास्थ्य संबंधी व्यय
1992-93	1.01#
2003-04	0.99#
2015-16	0.91^
2018-19	0.96^

#ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, ^वित्तीय लेखा


0.96 प्रतिशत व्यय में पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय (जो अब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेय जल और स्वच्छता विभाग है) के द्वारा किए गए व्यय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए पोषण घटक और मध्याह्न भोजन, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और राज्य सरकार के कर्मचारियों की स्वास्थ्य योजनाएं शामिल नहीं हैं।



चित्र 9.2: स्वास्थ्य संबंधी व्यय  
(जीडीपी का प्रतिशत)




चित्र 9.3 : स्वास्थ्य संबंधी व्यय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्यों का अंश



स्रोत: राज्य वित्तीय लेखा

चित्र 9.4: स्वास्थ्य संबंधी सार्वजनिक व्यय

(जीडीपी का प्रतिशत)



स्रोत : विश्व बैंक संकेतक (2011-19)

9.21 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में यह उल्लेख किया गया है कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर राज्यों के खर्च को 2020 तक उनके संबंधित बजट के कम से कम 8 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। 2018-19 में, यह अनुपात, औसतन रूप से केवल 5.18 प्रतिशत था; उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (एनईएच) राज्यों में यह 6.48 प्रतिशत और सामान्य श्रेणी के राज्यों में केवल 5.03 प्रतिशत था। राजस्व और पूंजीगत दोनों शीर्षों के अंतर्गत स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय, समस्त राज्यों में 1,218 रुपए, उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (एनईएच) राज्यों में 2,256 रुपए और सामान्य राज्यों में 1,142 रुपए रहा है। स्वास्थ्य व्यय में अंतर-राज्य असमानता बहुत अधिक है। 9.1 बॉक्स में इसका विवरण दिया गया है।

9.22 यद्यपि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अनुशंसा करती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य पर व्यय को कुल स्वास्थ्य व्यय के दो-तिहाई तक बढ़ाया जाए, तथापि केवल 53 प्रतिशत तक ही ऐसा किया जा सका है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, जिसमें निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन शामिल है, में किए गए निवेश से बहुत ही कम लागत पर, बेहतर स्वास्थ्य और विकास के परिणाम प्राप्त होते हैं। यह रोग को रोककर और सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर महंगी, जटिल देखभाल की आवश्यकता को कम करने में सहायता करता है।


9.23 भेद्यनीय वर्गों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा 2018 में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) प्रारंभ की गई। यह 50 करोड़ लोगों को कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी स्वास्थ्य सेवा योजना है, जिसके अंतर्गत द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अस्पताल में भर्ती होने के लिए किए जाने वाले ऐसे खर्च, जो लोगों को निर्धन कर देते हैं, को कम करने में सहायता प्राप्त होगी और इसके साथ ही प्रलयकारी स्वास्थ्य प्रकरणों से उत्पन्न वित्तीय जोखिम को कम करने में भी सहायता प्राप्त होगी। जैसे-जैसे यह योजना परिपक्व होती जाएगी, इसे सफल बनाने के लिए आपूर्ति पक्ष अंतराल को भरने की आवश्यकता होगी।

### बॉक्स 9.1: स्वास्थ्य संबंधी व्यय में अंतर-राज्य विचलन


चित्र 9.5 स्वास्थ्य संबंधी प्रति व्यक्ति व्यय में अंतर-राज्य विचलन को दर्शाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह व्यय सबसे कम रूप में देखा जा सकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के स्वास्थ्य संबंधी प्रति व्यक्ति व्यय में अंतर-राज्य विचलन भी बहुत अधिक है। इनका स्वास्थ्य संबंधी प्रति व्यक्ति व्यय, केरल और तमिलनाडु का लगभग आधा है।

चित्र 9.6 यह दर्शाता है कि मेघालय को छोड़कर सभी राज्य अपने बजट का 8 प्रतिशत से कम स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कर रहे हैं। पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और नागालैंड अपने बजट का 5 प्रतिशत से कम स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं।

चित्र 9.5: प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी व्यय (2018-19)



चित्र 9.6: कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राज्यों का स्वास्थ्य संबंधी व्यय (2018-19)



## भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अन्य चुनौतियाँ

9.24 कोविड - 19 संकट ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य अवसंरचना पर किए गए के निम्न स्तर के सार्वजनिक व्यय को उजागर करने के साथ-साथ कुछ ऐसे प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला है, जिसके कारण स्वास्थ्य परिणामों में होने वाली प्रगति के मार्ग में व्यवधान का सामना करना पड़ता है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- I. रोग निगरानी और परीक्षण जैसे लोक स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्य पर अपर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करना;
- ii. उप-केंद्र, पीएचसी, सीएचसी जैसे स्वास्थ्य अवसंरचनाओं और स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन जैसे कि चिकित्सक, नर्स और पराचिकित्सकों ( पैरामेडिक्स ) में भारी कमी;
- iii. पहुँच में सुधार के बावजूद स्वास्थ्य देखभाल सेवा की गुणवत्ता में कमी (कुछ चुनिंदा सुविधाओं को छोड़कर);
- iv. वायु और जल प्रदूषण, सड़क यातायात अभिघात और महामारी से संबंधित भेद्यनीयता सहित लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों और नगरपालिकाओं पर अपर्याप्त ध्यान देना;
- v. सरकारी सेवा प्रदान करने वाली प्रणाली, जो परंपरागत रूप से प्रजनन स्वास्थ्य और संक्रामक रोगों पर अधिक और गैर-संचारी रोगों पर कम ध्यान केंद्रित करती है, जो अब रोग के बोझ का प्रमुख हिस्सा है; और
- vi. निजी स्वास्थ्य क्षेत्र जो पूर्ण रूप से विनियमित नहीं है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं, के विभिन्न स्तरों एवं क्षेत्रों के बीच बिखराव एवं समन्वय की कमी।

9.25 कम निष्पादन के ये प्रत्यक्ष कारण गंभीर मुद्दे को उजागर करती हैं। इस प्रसंग में दो क्षेत्र सामने आए हैं। पहला, कमजोर स्थानीय प्रशासन, विशेष रूप से उप-जिला स्तरी प्रशासन, जहां सेवा प्रदान करने एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कुशल सेवा प्रदान करने संबंधी बाधाओं को दूर करने की सरकारी क्षमता कमजोर है। दूसरा, मांग-पक्ष कारक, जिसमें शिक्षा प्राप्ति के निम्न स्तर के कारण संयोजित होने वाले लिंग और सामाजिक मानक शामिल हैं, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा तक पहुंच और इसकी गुणवत्ता में सुधार के मार्ग में एक प्रमुख अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं।

9.26 स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर, एक प्रमुख अंतर्निहित समस्या सेवा प्रदान करने वाली मॉडल में जवाबदेही की कमी है। सेवा प्रदायगी के अंतर्गत पारंपरिक उत्पादन, परिणाम और जवाबदेही के बजाय इनपुट और

अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन कारणों से ही सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में कम निष्पादन परिलक्षित होता है और इसके परिणामस्वरूप बड़े निजी क्षेत्र उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि रोगियों को अन्यत्र कहीं भी स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है। अब निजी क्षेत्र में लगभग 70 प्रतिशत बाह्य रोगी और 58 प्रतिशत आंतरिक रोगियों का उपचार किया जाने लगा है, लेकिन यह खंडित और काफी हद तक अनियमित भी है। गैर-संचारी रोगों में हो रहे महामारी संबंधी अवस्था परिवर्तन के कारण सेवा संबंधी इन चुनौतियों में भी काफी वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ का समाधान करने के लिए सुसज्जित नहीं है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को प्रासंगिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों से चिरकारी देखभाल व्यवस्था की दिशा में अग्रोषित करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसका मूल कार्य प्राथमिक देखभाल के माध्यम से रोग का पता लगाना और रोकथाम करना होना चाहिए है। इसके अलावा, अपने जीवनकाल के दौरान, विभिन्न स्तर के देखभाल प्रदाताओं से देखभाल की मांग करने वाले व्यक्तियों की बाधाओं को भी दूर करने की आवश्यकता है।

## पूर्ववर्ती वित्त आयोगों के विचार

9.27 बारहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राज्यों को 5,887 करोड़ रुपए का समकरण अनुदान देने की अनुशंसा की थी। इन अनुदानों की गणना दो-चरणीय मानकीय दृष्टिकोण का उपयोग करके की गई। सबसे पहले ऐसे राज्य जो स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रति व्यक्ति व्यय के मानकीय स्तर से कम व्यय कर रहे थे, उनकी पहचान की गई। तत्पश्चात् व्यय में इस अंतर को औसतन 30 प्रतिशत की सीमा तक कम किया गया। तेरहवें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य संबंधी भौतिक अवसंरचना में सुधार हेतु कुछ राज्यों के लिए अनुदान हेतु अनुशंसा की। इन्होंने, अलग से 5,000 करोड़ रुपए का निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन अनुदान भी प्रदान किया, ताकि शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।

## संघ सरकार के विचार

9.28 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन क्षेत्रों को उजागर किया है, जहाँ काफी कमियाँ थीं और इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य के अवसंरचना, मानव संसाधन और महामारी से संबंधित तैयारियों को मजबूत करने के लिए सरकारी दखल की भी मांग की है। ज्ञापन में विभिन्न क्षेत्रों में निधि की आवश्यकता को दर्शाया गया है। ज्ञापन का सारांश तालिका 9.3 में दिया गया है। मंत्रालय ने भी वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित अंतरण राशि की 10 प्रतिशत राशि को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अलग से निर्धारित करने का सुझाव दिया है और इसके साथ ही उक्त राशि में से कम से कम दो-तिहाई राशि को प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए आरक्षित कर देने का भी

सुझाव दिया है। यह भी अनुरोध किया है कि राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन तय करने हेतु संकेतक के रूप में एक समग्र स्वास्थ्य सूचकांक का उपयोग किया जाए और एक उपयुक्त भारांश, कम से कम 20 प्रतिशत, को इस सूचकांक में निर्दिष्ट किया जाए।

### तालिका 9.3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन (केवल राज्य का अंश)

सहायता के मुख्य तत्व	निधि की आवश्यकता (करोड़ रुपए)	
	उप घटक	कुल
1 जिला अस्पतालों से जुड़े आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना		41805
2 संबद्ध स्वास्थ्य से संबंधित 1.5 मिलियन कर्मचारियों का प्रशिक्षण		13257
3 पीएमएसएसवाई के तहत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू करना		5300
4 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा		513772
i स्वास्थ्य कल्याण अवसंरचना सहित लोक स्वास्थ्य सुविधाओं में अवसंरचना संबंधी अंतर को कम करना	100310	
ii स्वास्थ्य कर्मचारियों में कमी का समाधान करना	177742	
iii राष्ट्रीय ऐम्बुलेन्स सेवा को सहायता देना	15503	
iv प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा के लिए आईटी अवसंरचना के लिए सहायता	10733	
v प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता	18471	
vi जेब से खर्च को कम करने के लिए औषधियों तक पहुंच सुनिश्चित करना	134959	
vii जिला अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम चलाने के लिए राज्यों को सहायता	2723	
viii कोविड के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार -	53331	
(क) संक्रामक रोग / क्रिटिकल केयर अस्पताल	15374	
(ख) जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला	469	
(ग) ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयाँ	5279	
(घ) शहरी एचडब्ल्यूसी24620		
(ङ) भवन-रहित पीएचसी, सीएचसी केंद्र,	7589	
<b>कुल</b>		<b>574134</b>

टिप्पणी: पीएमएसएसवाई - प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

डीएनबी - डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड

## राज्य सरकारों के विचार

9.29 राज्य सरकारों के समस्त ज्ञापनों में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। इन ज्ञापनों में यह माना गया है कि यह सरकार की सार्वजनिक सेवा संबंधी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अधिकांश राज्यों

ने इस बात पर जोर दिया है कि चिकित्सा देखभाल सेवा पर जेब से खर्च बहुत अधिक है और लोक स्वास्थ्य सेवाओं की खराब गुणवत्ता के लाक्षणिक स्वरूप के कारण ऐसा होता है। राज्यों द्वारा प्रदान किए गए विचारों में से एक आवर्ती विषय, यह सोच रही है कि राज्य के लोगों के निवारक, संवर्धनात्मक और उपचारात्मक स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों को विकसित करना और उचित स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करना अपरिहार्य है और इसका प्रभाव आर्थिक उत्पादकता पर अनुकूल रूप से पड़ेगा। अधिकांश राज्यों द्वारा इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा के विस्तार के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी और इस संबंध में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य, मुख्य रूप से चिकित्सा कर्मियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने के आस-पास घूमता रहेगा। उनकी उपलब्धता एक राज्य के भीतर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान नहीं है और यह स्थिति बहुत हद तक ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए चिकित्सा कर्मियों की अनिच्छा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। इसे सस्ती बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बाधा के रूप में चिह्नित किया गया है।

9.30 कोविड -19 महामारी की शुरुआत के बाद से बहुत अधिक संख्या में राज्यों से अनुपूरक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों ने तर्क दिया है कि चूँकि वे अपने राज्य की जनता के नजदीक होते हैं, इसलिए वायरस और इसके बाद के प्रभावों से सामना करने की उनकी जिम्मेदारी अधिक है। इस उद्देश्य से स्वास्थ्य अवसंरचनाओं में पर्याप्त निवेश और व्यवसायों को पुनर्जीवित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, उन्होंने राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण से संबंधित लक्ष्यों में छूट देने का अनुरोध किया है ताकि शीघ्रता से स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण व्यय किए जा सकें। अधिकांश राज्यों ने स्वीकार किया है कि उनके पास कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को रोकने और उनका प्रबंध करने के लिए आवश्यक सुविधाओं, जिसमें चिकित्सकों की संख्या, अस्पताल के शय्या, आईसीयू और संगरोध सुविधाएं शामिल हैं, का अभाव है। कई राज्यों ने आपदा और स्वास्थ्य सेवा रुकने के बीच के लिंक पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने आपदा के बाद एक प्रभावी रेसपॉंस और कार्यात्मक स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता पर जोर दिया है। आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह इन कारकों पर विचार करें और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए अनुदानों की अनुशंसा करते समय ऐसे प्रकोपों के प्रशमन और नियंत्रण के लिए जो जरूरतें हैं, उनको भी अपने संज्ञान में रखें।

## वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में पंद्रहवें वित्त आयोग के विचार

9.31 वर्ष 2020-21 की अपने रिपोर्ट में, हमने स्वास्थ्य क्षेत्र के उन पांच महत्वपूर्ण पहलों को चिह्नित



किया है, जिनपर विभिन्न हितधारकों की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इनमें जिला अस्पतालों में आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना, संबद्ध स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिकों का प्रशिक्षण, निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) पाठ्यक्रम शुरू करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अतिरिक्त अवसंरचनाओं और सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करना और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सभी चिकित्सा उपकरणों और नैदानिक सुविधाओं की लेखापरीक्षा करना शामिल है, ताकि इनका इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

9.32 मस्तिष्क के विकास पर कुपोषण का प्रभाव और इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव ने हमें अपनी पहले रिपोर्ट में पोषण के लिए राज्यों को 7,735 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान देने की अनुशंसा करने के लिए भी प्रेरित किया।

## हितधारकों के साथ परामर्श

9.33 आयोग ने विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारें, नीति आयोग, विश्व बैंक और स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी उच्च स्तरीय समूह शामिल हैं, के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यापक परामर्श किया। डॉ. आर. गुलेरिया, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र पर गठित उच्च स्तरीय समूह में प्रख्यात सेक्टरल विशेषज्ञ शामिल थे, यथा- डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग और कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद; डॉ. देवी शेट्टी, अध्यक्ष, नारायण हेल्थ सिटी; डॉ. गोविंद महिस्कर, कुलपति, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ; डॉ. नरेश त्रेहन, मेदांता सिटी; डॉ. भाबतोष विश्वास, प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, हृदय-वक्ष शल्य चिकित्सा (कार्डियो थोरेसिक सर्जरी), आरजी कर मेडिकल कॉलेज और प्रो. के. श्रीनाथ रेड्डी, पब्लिक हेल्थ फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष। समूह ने अगस्त 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 2020-21 की हमारी रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया गया। विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सभी अनुशंसाओं का एक सार अनुलग्नक 9.7 में दिया गया है।

9.34 उपर्युक्त परामर्शों के अलावा, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की लागत और वित्त व्यवस्था पर भी एक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन आर्थिक विकास संस्थान द्वारा किया गया। इस अध्ययन के परिणाम से पता चलता है कि पांच साल की अवधि के लिए, 2019 और 2023 के बीच, इस धारणा के साथ कि सभी लक्षित लाभार्थी वास्तव में कवर किए गए हैं, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना की कुल लागत (संघ और राज्य संयुक्त), 2019 में 28,000 करोड़ रुपये से लेकर 74,000 करोड़ रुपये तक रह सकती है और परिकल्पित प्रीमियम से संबंधित विभिन्न धारणाओं के आधार पर यह 2023 में 66,000 करोड़ रुपये से लेकर

1,60,089 करोड़ रुपये के बीच रह सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयोग को दिए अपने प्रस्तुतीकरण में कहा है कि 2023 में प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना पर अनुमानित खर्च 32,220 करोड़ रुपये हो सकता है।

## महामारी से भारत का संघर्ष

9.35 30 जनवरी 2020 को भारत में पहला कोविड -19 का मामला सामने आया, उसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इसे अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। भारत ने यथाशीघ्र 17 जनवरी से, यहां तक कि आधिकारिक रूप से पहला मामला प्रकाश में आने से पहले ही, सावधानी से इसकी निगरानी शुरू कर दी थी। इसके बाद, यात्रा परामर्शिका और प्रतिबंधों की एक श्रृंखला जारी की गई और विदेशों से आने वाले भारतीय नागरिकों को प्रत्यावर्तित करने और संगरोध करने संबंधी प्रयास किए गए। लगभग दो महीने बाद देश में लॉकडाउन किया गया। 8 जून को, दस सप्ताह के लॉकडाउन के बाद, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध रूप से पुनः खोलना प्रारंभ कर दिया। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के समय, भारत में कुल 73 लाख पुष्टिकृत मामले थे और देश में एक लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी।

9.36 भारत सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन को संतुलित करने और बढ़ते मामलों एवं नए हॉटस्पॉट्स से निपटने की जरूरत को ध्यान में रखकर कई उपाय किए गए। स्वास्थ्य के मोर्चे पर, 22 अप्रैल 2020 को मंत्रीमंडल द्वारा 15,000 करोड़ रुपये के कोविड - 19 आपातकालीन रेसपॉस और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज को मंजूरी दी गई। इसमें मुख्य रूप से आपातकालीन रेसपॉस घटक जैसे, आईसोलेशन वार्ड और आईसीयू के साथ निर्दिष्ट कोविड सुविधाओं का विकास एवं प्रचालन और स्वास्थ्य व्यावसायिकों का प्रशिक्षण, परीक्षण क्षमता में वृद्धि, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), एन-95 मास्क, वेंटिलेटर, परीक्षण किट और औषधियों की खरीद, रेलवे कोचों को कोविड देखभाल केंद्र के रूप में परिवर्तित, निगरानी इकाइयों को मजबूत करना और आपातकालीन रेसपॉस के लिए जिलों को एकीकृत निधि प्रदान करना, शामिल है।

9.37 इसके अलावा, आर्थिक नुकसान से मुकाबला करने के साथ-साथ उन विशेष समूह को राहत देने के लिए जो महामारी से ज्यादा प्रभावित हुए हैं, भारत सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान नामक यह पैकेज पांच भागों में विभक्त था। इस पैकेज के पाँचवें भाग में, संघ सरकार द्वारा यह घोषणा की गयी कि स्वास्थ्य पर किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय को (क) प्रारंभिक स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश करके और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य

कल्याण केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) को बढ़ावा देकर, बढ़ाया जाएगा; (ख) सभी जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की स्थापना की जाएगी; और (ग) महामारियों के प्रबंधन के लिए सभी जिलों और ब्लॉकों एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा प्रयोगशाला नेटवर्क और निगरानी को मजबूत किया जाएगा। राज्य सरकारों द्वारा भी महामारी का सामना करने के लिए कई बार विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न उपायों का सहारा लिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, देश ने कोविड रोगियों के लिए वेंटिलेटर और अस्पताल के शय्या की संख्या को बढ़ाने के साथ-साथ एन-95 मास्क, पीपीई और परीक्षण किट के उत्पादन को भी बढ़ाया गया। राज्य सरकारों ने भी महामारी से लड़ने के लिए कई उपाय किए। केंद्र और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के संयुक्त और केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप कोविड -19 पोजिटिव मामलों का शीघ्र पता लगाने और रोगियों को आइसोलेट करने के प्रयोजन से देश भर में किए जाने वाले परीक्षणों में उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चित की गई है।

9.38 राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट (एनडीएचबी) को लागू करने एवं इसे सुविधाजनक बनाने के लिए 15 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनडीएचएम) के अधीन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया। इस मिशन के तहत, प्रत्येक भारतीय को एक डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र दिया जाएगा, जिसमें उसके रोग, चिकित्सा रिपोर्ट, निर्धारित दवा और चिकित्सक के विषय में जानकारी होगी। प्रत्येक स्वास्थ्य पहचान पत्र को एक स्वास्थ्य डेटा सहमति प्रबंधक से लिंक किया जाएगा, जिसका उपयोग रोगी की सहमति लेने और स्वास्थ्य जानकारी के सहज प्रवाह के लिए किया जाएगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड से रोगों की निगरानी और रोगी के डेटा का समुचित विश्लेषण किया जा सकेगा, इस प्रकार तत्संबंधी त्वरित निर्णय भी लिया जा सकेगा। टेलीमेडिसिन भी डिजिटल स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है और इस मिशन द्वारा लागत प्रभावी रूप में टेलीमेडिसिन को बढ़ाने में सहायता करेगा। इस मिशन से रोगियों के चिकित्सकों तक पहुँच की स्थिति में सुधार होगा और चिकित्सक-रोगी परामर्श अनुभव की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

9.39 कोविड-19 की अभूतपूर्व चुनौती का सामना करते हुए, आयोग ने स्वास्थ्य पर विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों जैसे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व बैंक और उच्च स्तरीय समूह (एचएलजी) के साथ अपने नियोजन को भी नवीनीकृत किया। इन चर्चाओं के आधार पर, महामारी से संबंधित विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला गया है। इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (क) अति अल्पावधि, (ख) अल्पावधि और (ग) मध्यावधि। इनका विवरण संक्षेप में नीचे दिया गया है:

**क) अति अल्पावधि**

- i. महामारी के अति अल्पावधि प्रबंधन में तेजी से परीक्षण, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला मजिस्ट्रेटों की सहायता से व्यापक निगरानी करना शामिल है, ताकि मामलों की पहचान यथाशीघ्र की जा सके और उसके बाद आइसोलेशन संबंधी कार्रवाई की जा सके तथा संक्रमितों को संगरोध किया जा सके, ताकि कोई भीड़-भाड़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
- ii. कोविड रोगियों के लिए ग्रामीण मोबाइल स्वास्थ्य इकाई और वेंटिलेटर, पीपीई, मास्क जैसे उपकरण और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की व्यवस्था की जाए।
- iii. प्रभावोत्पादक लागत प्रभावी औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तब तक काफी महत्वपूर्ण है, जब तक कि कोई टीका विकसित नहीं हो जाता है।
- iv. आयुर्विज्ञान वाचस्पति (एमडी) के विभिन्न विशिष्टता वाले अंतिम वर्ष के छात्रों को 'बोर्ड पात्र' का प्रमाण पत्र दिया जाए और श्रमशक्ति की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए।
- v. संघ और राज्य सरकारों दोनों की सहायता के लिए महामारी के लिए 'नम्य मुद्रा' की व्यवस्था की जाए।

**ख) अल्पावधि**

- vi. अति संचारी रोग / क्रिटिकल केयर केंद्रों और प्रकोप प्रबंधन केंद्रों के निर्माण के साथ-साथ एक 'प्रकोप प्रबंधन योजना' भी तैयार की जाए।
- vii. एक राज्य से दूसरे राज्य में श्रमशक्ति और उपकरण जैसे स्वास्थ्य संसाधनों को स्थानांतरित करने के लिए एक तंत्र बनाया जाना। कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से क्रेश कोर्स शुरू किया जाए।
- viii. वैक्सीन विकसित करने के लिए वित्त पोषण और इसे जनता को उपलब्ध कराने के लिए निधि का प्रावधान किया जाए।
- ix. इच्छुक आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को 100 मेडिकल छात्रों के साथ अपने परिसर में एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जा सकती है। नर्सों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है और उसके बाद, उन्हें सैंतालीस मूलभूत औषधियों के औषधनिर्देशन के लिए 'नर्स प्रैक्टिशनर' के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जा सकती है। आयुर्विज्ञान तथा शल्य चिकित्सा स्नातक

(एमबीबीएस) के बाद प्रयोगशाला औषधि और अल्ट्रासाउंड के लिए एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए चिकित्सकों और पराचिकित्सकों के लिए प्रोत्साहन को डिजाइन करने की आवश्यकता है।

x. अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के संबंध में राष्ट्रीय नीति और कानून बनाया जाए।

### ग) मध्यावधि

xi. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), जिला अस्पताल, आरोग्य केंद्र, राष्ट्रीय एम्बुलेन्स अवसंरचना और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना में अधिक निवेश करते हुए 2025 तक स्वास्थ्य पर निवेश को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।

xii. स्वास्थ्य कर्मचारियों के जनबल की कमी का समाधान किया जाए। प्राथमिक और स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में एमबीबीएस / आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) चिकित्सकों को अधिक संख्या में शामिल किया जाए।

xiii. पीएम-जय के अंतर्गत शेष 60 प्रतिशत आबादी को कवर करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए।

xiv. भारतीय सिविल सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय चिकित्सा सेवाओं का गठन किया जाना चाहिए। इस पर प्राथमिकता के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 में भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा स्थापित करने का प्रावधान है।

xv. यूनाइटेड किंगडम के ई-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा जैसी योजना को लागू करने की संभावना की तलाश की जाए।

### अनुशंसाएं / भावी दृष्टिकोण

9.40 हमने अपनी सिफारिशों को दो व्यापक समूहों में विभाजित किया है: (क) नीति अनुशंसाएं और (ख) अनुदान / वित्तीय अनुशंसाएं।

## क. नीति अनुशांसाएं

9.41 हमारी चर्चाओं के आधार पर, हमने महसूस किया है कि कुछ उपाय समग्र विनियामक और नीतिगत मुद्दों से संबंधित हैं और सरकार द्वारा इन पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुदृढीकरण किया जा सके। तदनुसार, हम निम्नलिखित परामर्श देते हैं:

i. यद्यपि आयोग ने अपने पिछले पैरा में, स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पर्याप्त अनुदान दिए जाने की अनुशांसा की है, तथापि हम राज्यों से यह अपेक्षा करते हैं कि वे स्वास्थ्य पर अपने खर्च को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास करेंगे। हम यह अनुशांसा करते हैं कि 2022 तक राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय को उनके बजट के 8 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ा दिया जाना चाहिए।

ii. संघ और राज्य, दोनों सरकारों द्वारा नए सिरे से उन प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें पीएम-आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (पीएम-एएसबीवाई) और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जय) जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत सेवारत वे कल्याण केंद्र भी शामिल हैं, जिसे महामारी के आलोक में विकसित किया गया है। आयोग ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य अनुदान का अधिकांश हिस्सा देकर भी इसे बल प्रदान किया है। हम अनुशांसा करते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रत्येक राज्य की प्रथम मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय को 2022 तक कुल स्वास्थ्य व्यय के दो-तिहाई तक बढ़ाया जाना चाहिए।

iii. पहले की दो अनुशांसाओं के अनुरूप, हम एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के निर्माण की दिशा में संघ सरकार द्वारा उच्च व्यय किए जाने की अपेक्षा करते हैं। जैसा कि पहले देखा गया है, स्वास्थ्य पर खर्च का बड़ा हिस्सा राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। यद्यपि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तथापि स्वास्थ्य पर राज्य सरकारों के बढ़ जाने वाले व्यय के अनुसार, संघ सरकार को भी स्वास्थ्य पर किए जाने वाले अपने आबंटन में भी वृद्धि करनी चाहिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हमें दिए गए ज्ञापन में जो अनुरोध किए गए हैं, उन अनुरोध को ध्यान में रखकर संघ सरकार को पर्याप्त सहायता प्रदान करनी चाहिए (तालिका 9.3)। तदनुसार, हम अनुशांसा करते हैं कि संघ और राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को प्रगतिशील तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि यह 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

iv. भारत सरकार द्वारा सह-वित्तपोषित केंद्रीय-प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) इतनी नम्य होनी चाहिए कि राज्य इसे अपने अनुकूल बना सके और इसमें कुछ नवप्रवर्तन भी कर

सके। कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी उच्च अधिदेश और सख्ती, मुक्त-स्रोत मॉडल के प्रतिकूल है। केंद्रीय-प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को इस बात की महत्वपूर्ण छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी स्थानीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर अपने अनुकूल इनकी कार्यप्रणाली तैयार कर इसे कार्यान्वित कर सकें। नवीन पीएम-जय कार्यक्रम राज्यों को अपनी योजनाओं के साथ सह-ब्रांड करने की अनुमति देता है, ताकि वे इस बात का चुनाव कर सकें कि उन्हें न्यास मोड को या बीमा मोड को अंगीकार करना है, भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली या अपनी स्वयं की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग करना है, लाभ पैकेज एवं पात्रता / कवरेज समूह आदि को स्वीकार करना है या नहीं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) भी अधिक नम्यता की दिशा में अग्रसर है।

v. मापनीय एजेंडा को जवाबदेही उपकरण के रूप में अग्रसर करते समय अंतर-सरकारी राजकोषीय स्वास्थ्य वित्तपोषण के फोकस को इनपुट से आउटपुट / परिणामों की दिशा में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त नम्यता के अनुपूरक के रूप में संघ सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के फोकस को स्थांतरित कर सकती है और इसके फोकस को संरेखीय मदों और कार्यकलापों से हटाकर राज्यों, जिसे परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग का स्वयं चयन करने का अधिकार दिया गया है, के साथ उत्पादन और परिणाम की दिशा में केंद्रित कर सकती है। विस्तृत रूप से चर्चा की गई कार्यान्वयन योजनाओं के बजाय विशिष्ट उद्देश्यों (उदाहरण के लिए, सेवा वितरण उत्पादन या विशिष्ट परिणामों) से संबंधित द्विपक्षीय सहमत 'समझौता' के आधार पर वित्तपोषण प्रदान किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, संघ सरकार डेटा सिस्टम, निगरानी और मूल्यांकन और पारदर्शिता बढ़ाने की पहल का समर्थन कर सकती है। इसका एक हालिया उदाहरण, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक है, जो तेईस प्रमुख स्वास्थ्य सूचकों के अंतर्गत राज्यों द्वारा की गई प्रगति के प्रलेखों के आधार पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है।

vi. यद्यपि राज्यों को प्रमुख योजनाओं के डिजाइन, योजना और कार्यान्वयन में मुख्य भूमिका अदा करनी चाहिए, तथापि ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां उन्हें बिल्कुल प्रारंभ से कार्य शुरू नहीं करना चाहिए अथवा पहले से संपन्न कार्य को पुनः दोहराना नहीं चाहिए। चिकित्सा अनुसंधान, नैदानिक प्रोटोकॉल, प्रस्तावों / संविदाओं के लिए मसौदा अनुरोध, निगरानी और मूल्यांकन, सर्वेक्षण, न्यून मूल्य प्राप्त करने हेतु औषधि / उपभोग्य सामग्रियों के लिए फ्रेमवर्क संविदा, प्रचालनात्मक दिशानिर्देश संबंधी उपयुक्त और अन्य सूचनाएं प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार की भूमिका से उक्त सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इन सूचनाओं का विकल्प चुन सकते हैं।



vii. चिकित्सकों की उपलब्धता में अंतर-राज्य असमानताओं को देखते हुए, अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना आवश्यक है, जैसा कि यह अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 2क में परिकल्पित है। इस उद्देश्य से, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रत्येक राज्य की जरूरत के अनुसार, राज्यवार की जाने वाली अधियाचनाओं के आधार पर वार्षिक भर्तियां करने की आवश्यकता होगी। हम संघ सरकार से इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों के समन्वय से कार्यान्वित करने का आग्रह करते हैं।

viii. एमबीबीएस पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ताकि इसे सक्षमता आधारित बनाया जा सके। विशेषज्ञता की एक निश्चित डिग्री को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और भारतीय चिकित्सा परिषद / राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई / एनएमसी) को एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए आरोग्य निदानशाला, मूलभूत शल्यक्रिया की प्रक्रिया, संवेदनाहरण (एनेस्थेसिया), प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान, आंख, कर्ण नासा कंठ (ईएनटी) आदि के लिए लघु पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए। इसे आयुष को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे कायचिकित्सा में अवर स्नातक करने वालों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में इसे पाठ्यक्रम में शामिल करें।

ix. आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की असममित वितरण को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में स्थित हैं। समस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, जिसमें जिला अस्पताल, निजी क्षेत्र की सुविधाएं और कॉर्पोरेट अस्पताल शामिल हैं, का उपयोग विशेषज्ञ डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किया जाना चाहिए, जो न केवल सेवा की व्यवस्था में वृद्धि करेगा, बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।

x. चिकित्सक बनने के इच्छुक कई छात्र विदेशों में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश लेने का विकल्प चुनते हैं। ऐसे छात्रों की संख्या 2015 में 3,438 से बढ़कर 2019 में 12,321 हो गई है। स्वास्थ्य के मौजूदा मानव संसाधन की अनुपूर्ति के लिए देश की स्वास्थ्य प्रणाली में इन विदेशी चिकित्सा डिग्री धारकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा, उनके ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक कौशल-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन करके किया जा सकता है ताकि वे उन स्क्रीनिंग परीक्षण, जिनमें उन्हें देश में प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उत्तीर्ण होना आवश्यक है, में अपेक्षित व्यवसायिक क्षमताओं को पूरा कर सकें।



xi. परिचर्या ( नर्सिंग ) व्यावसायिकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने संबंधी उपाय किए जाने चाहिए और परिचर्या व्यावसायिकों के बेहतर उपयोग के लिए नर्स प्रैक्टिशनर, सहायक काय चिकित्सक और संवेदनाहरण विज्ञानी नर्स की अवधारणा को लागू किया जाना चाहिए। एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल को 2018 में राज्यसभा में पेश किया गया और 2019 में स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस विधेयक के गुणक लाभ को देखते हुए इस विधायन के प्रारंभिक चरण को यथा शीघ्र पारित किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

xii. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन ( एनडीएचएम ) स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रांति है, जिसका निकट भविष्य में और उसके बाद भी सभी लोगों के स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस मिशन के एक हिस्से के रूप में, राज्य इन डिजिटल स्वास्थ्य पहलों को शीघ्रता से, कुशलता के साथ अनुकूलित कर सकते हैं और इसे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल / गृह स्वास्थ्य देखभाल / सुविधा सेटिंग्स, उच्च अस्पतालों के साथ-साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में अपने स्वास्थ्य प्रयासों को मुख्यधारा में ला सकते हैं। इसके लिए सरकारी और निजी दोनों स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए सहायता की आवश्यकता होगी। आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस सहित नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा और तीव्र गति से परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। हम अनुशांसा करते हैं कि एनडीएचएम के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु संघ और राज्य सरकारों को मिलकर एक प्रभावी मिशन बनाना चाहिए।

## ख. अनुदान / वित्तीय अनुशांसाएं

9.42 जैसा कि पहले विश्लेषण किया गया है, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कई चुनौतियों से घिरी हुई है और निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के रिक्त स्थान को भरने में विफल रहा है। महामारी ने इस तथ्य को और अधिक उजागर किया है कि स्वास्थ्य को एक ऐसा सेवा माना जाना चाहिए, जिसके लिए सार्वजनिक वित्तपोषण आवश्यक है और इसलिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की व्यवस्था को केवल बाजार की व्यवस्था पर नहीं छोड़ा जा सकता है। लोक स्वास्थ्य से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण बाह्य कारक ( खाद्य और दवा विनियमन, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई, जिसमें स्वास्थ्य संवर्धन और संक्रामक रोग की रोकथाम और निगरानी शामिल है ) हैं जिसमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और इसके कवरेज में लगातार जो असमानताएं उत्पन्न हो रहीं हैं, वह भारत की मानव पूंजी निर्माण और स्वास्थ्य सूचकांकों में प्रगति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा हैं और बाजार, स्वास्थ्य देखभाल सेवा में व्याप्त व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान कर पाने में सक्षम नहीं हैं।

9.43 महामारी फैलने के साथ ही गैर-कोविड आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, विशेष रूप से उन राज्यों में, जहां कोविड से संबंधित कार्यकलापों के लिए सभी संसाधनों के प्राथमिकता निर्धारण के कारण स्वास्थ्य प्रणालियां कमजोर हो गई हैं। देश भर में स्वास्थ्य प्रणालियों की सेवाओं के दोनों सेटों को प्रदान करने का प्रबंध करना कठिन था। यद्यपि निजी क्षेत्र देश में 60 प्रतिशत से अधिक तक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करती है, तथापि महामारी के दौरान गैर आनुपातिक रूप से इसके एक बड़े बोझ का वहन सरकारी अस्पतालों द्वारा किया गया।

9.44 कोविड -19 ने यह दर्शाया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। अतिरिक्त वित्तपोषण के बिना, स्वास्थ्य प्रणाली न केवल प्रकोपों / आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के समक्ष रेसपॉंस करने में विफल होगी, बल्कि अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में भी अप्रभावी होगी और इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 और स्थायी विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में देश की प्रगति में देरी होगी और प्रगति भी बाधित होगी। महामारी से सबसे गरीब और कमजोर लोगों के स्वास्थ्य मानकों को खतरा है और इससे असमानताएं बढ़ने का खतरा है, जिससे भारत की मानव पूंजी नष्ट हो जाएगी। इस प्रवृत्ति को बदलने के लिए प्रारंभिक और निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

9.45 महामारी ने इस तथ्य को उजागर किया है कि इस तरह के संकट का समाधान करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य रेसपॉंस कमजोर थी। सभी स्तरों पर सीमित प्रयोगशाला क्षमता का अर्थ यह रहा कि परीक्षण, मामले का पता लगाने, निगरानी और प्रकोप प्रबंधन के कार्यों में समझौता किया गया और क्रिटिकल केयर व्यवस्था की सुविधाओं में पर्याप्त आईसीयू, आईसोलेशन शय्या, ऑक्सीजन की आपूर्ति और वेंटिलेटर का अभाव था। कोविड 19 ने यह भी उदाहरण भी पेश किया है कि कार्यक्रमों के बीच क्षैतिज एकीकरण की स्वास्थ्य प्रणाली दृष्टिकोण का उपयोग करने के बावजूद, ऊर्ध्वाधर रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए बनाई गई संस्थाओं और जिला एवं उप-जिला सेवा प्रदान की जाने वाली प्रणालियों के बीच अभिसरण को मजबूत करने के लिए काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है। क्रिटिकल केयर अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त क्षेत्रीय असमानताएं समाप्त होंगी और देश को भविष्य की महामारियों के लिए बेहतर रूप से तैयार रहने में सहायता प्राप्त होगी।

9.46 इस उद्देश्य से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार के लिए किए जाने वाले प्रयासों के केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आज के खराब स्वास्थ्य और कल्याण के मुख्य कारणों और जोखिमों को दूर करने और इसके साथ ही स्वास्थ्य और कल्याण

के लिए खतरा सिद्ध होने वाली आगामी चुनौतियों से निपटने का एक अत्यंत प्रभावी और कुशल माध्यम सिद्ध हुआ है। स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय प्रमाण हैं कि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कुल स्वास्थ्य देखभाल लागत को कम करती है और अस्पताल में रोगियों को भर्ती किए जाने की संख्या को कम करके कार्य-कुशलता में सुधार करती है। जैसा कि पहले के खंडों में विश्लेषण किया गया है, कुछ राज्यों में उपकेंद्रों, पीएचसी, सीएचसी और स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों के संबंध में गंभीर अंतर हैं। हितधारकों के साथ हमारी बातचीत ने स्वास्थ्य सुविधाओं में नैदानिक अवसंरचना की कमी पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है।

9.47 इसके अलावा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ऐसे कई राज्यों की पहचान इस रूप में की गई है कि वहां स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधनों की गंभीर कमी है। ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2018-19 के अनुसार, 85.6 प्रतिशत शल्य चिकित्सकों की कमी है, 75 प्रतिशत प्रसूति और स्त्रीरोग विशेषज्ञ, 87.2 प्रतिशत काय चिकित्सक और 79.9 प्रतिशत बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है। कुल मिलाकर, सीएचसी में 81.8 प्रतिशत विशेषज्ञों की कमी है, नर्सिंग स्टाफ के मामले में पीएचसी में 23 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों के सीएचसी में 10 प्रतिशत की कमी है। इस प्रकार, पीएचसी में 22 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में सीएचसी में 21 प्रतिशत की कमी देखी गई है।

9.48 यद्यपि क्रिटिकल केयर अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में निवेश से संक्रामक रोगों, वैश्विक महामारी तथा अन्य संचारी रोगों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण की दिशा में तत्काल सहायता प्राप्त होगी, तथापि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अवसंरचना में निवेश से स्वास्थ्य प्रणाली को संघातों को झेलने के लिए मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि तक अनुकूलता प्राप्त होगी। विशेषज्ञ और पैरामेडिक्स / नर्स के पाठ्यक्रमों में निवेश से स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना तैयार करने में सहायता मिलेगी और मध्यावधि में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को कम किया जा सकेगा। पैरामेडिक्स प्रशिक्षण में निवेश युवाओं को इस अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र में नियोजित करने के लिए कौशल प्रदान करेगा। हमारी अनुशांसाएं पीएम-जय और पीएम-एसबीवाई के दृष्टिकोण की पूरक होंगी और स्वास्थ्य पर जेब खर्च को कम करेंगी।

9.49 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदानों को दो भागों में विभाजित किया गया है: (i) स्थानीय निकायों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये का सकल अनुदान और (ii) राज्यों को 31,755 करोड़ रुपये का सेक्टरल अनुदान। हमने स्वास्थ्य के लिए 4,800 करोड़ रुपये की राशि राज्य-विशिष्ट अनुदान के लिए भी अनुशांसा की है। पंचाट अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल सहायता अनुदान 1,06,606 करोड़ रुपये का है, जो हमारे द्वारा अनुशांसित कुल सहायता अनुदान का 10.3 प्रतिशत है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.1 प्रतिशत है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला अनुदान शर्त रहित होगा। हमने यह सहायता पंचाट अवधि में प्रारंभ से ही देने का प्रयास किया है, ताकि लगातार चल रही महामारी के कारण धन की तत्काल जरूरत को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके।

## ख. 1 स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान

9.50 सार्वजनिक स्वास्थ्य संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों का हिस्सा है, इस प्रकार स्थानीय शासनों को इस संबंध में कार्य करना आवश्यक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) स्थानीय शासनों और समुदायों की भागीदारी के साथ एक विकेंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की व्यवस्था करता है। वास्तव में, ग्रामीण स्थानीय शासन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को लेकर योजना बनाने, इसके कार्यान्वयन और निगरानी के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्थानीय शासकीय संस्थानों के, गाँव से लेकर जिला स्तर तक अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की लोक स्वास्थ्य प्रदान की जाने वाली प्रणाली में अधिक से अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने और भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की एक प्रणाली स्थापित करने के संबंध में ग्यारहवीं योजना में की गई पहलों को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

9.51 केरल ने खुद को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है जहां स्थानीय शासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा प्रभावी रूप से प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केरल मॉडल का अनुकरण अन्य राज्यों में भी किया जाना चाहिए। इस पर विचार करते हुए, हमें लगता है कि लोक स्वास्थ्य के लिए स्थानीय शासनों को पर्याप्त अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। तदनुसार, हमने शहरी स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों, भवन-रहित उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकलाप हेतु नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता देने, ब्लॉक स्तर की लोक स्वास्थ्य इकाइयों, ग्रामीण उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए कुल मिलाकर 70,051 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य अनुदान देने की अनुशंसा की है। ये अनुदान स्थानीय शासनों को जारी किए जाएंगे जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य अनुदान के महत्व को देखते हुए, हमने इन अनुदानों को स्थानीय शासनों को जारी करने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। अध्याय 7 में स्थानीय शासनों को सशक्त बनाने के विषय में बताया गया है। घटक-वार विवरण तालिका 9.4 में दिया गया है:

**तालिका 9.4: स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान**

उप-घटक	राशि (करोड़ रुपए)
शहरी स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र	24028
भवन-रहित उपकेंद्र, पीएचसी, सीएचसी	7167
ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाई	5279
प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा हेतु नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता	18472
ग्रामीण उप केंद्रों और पीएचसी के स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र में परिवर्तन	15105
<b>कुल</b>	<b>70051</b>

### ख. 2 राज्य सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुदान

9.52 हमने यह भी स्वीकार किया है कि क्रिटिकल केयर अस्पतालों और लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में निवेश करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में संचारी रोगों, संक्रामक रोगों और महामारी की निगरानी सहज रूप से की जा सके और आसानी से इसके साथ लड़ा जा सके। साथ ही, देश में विशेषज्ञों और पैरामेडिक्स की संख्या को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। राज्यों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करके और प्रशिक्षण एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए न्यूनतम निवेश प्रदान करके ऐसा आसानी से किया जा सकता है। इन अनुदानों का विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है:

#### ख. 2.1 क्रिटिकल केयर अस्पताल

9.53 महामारी के आलोक में, हम मानते हैं कि महत्वपूर्ण देखभाल अस्पतालों की स्थापना देश की स्वास्थ्य प्रणालियों को अनुकूल बनाने और भविष्य में संक्रामक रोगों / महामारी के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन अस्पतालों में सुनिश्चित ऑक्सीजन की आपूर्ति, और अपेक्षित संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों सहित आईसीयू की सुविधा उपलब्ध होगी यह पीएम-एएसबीवाई के अनुरूप भी है।

9.54 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने ज्ञापन में, 20 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में सौ बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर अस्पतालों और 20 लाख से कम आबादी वाले जिलों के लिए पचास बिस्तरों वाले अस्पतालों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के आधार पर, हम क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए 15,265 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं। इसमें से सामान्य राज्यों के लिए 13,367 करोड़ रुपए और एनईएच राज्यों के लिए 1,898 करोड़ रुपए की अनुशंसा की गई है। इस अनुदान का परस्पर वितरण, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अंतर विधि के आधार पर किया जाता है,

जो क्षैतिज सूत्र में अनुशंसित आय अंतर विधि के समान है। हालांकि, सामान्य और एनईएच राज्यों के लिए परस्पर वितरण अलग-अलग रूप में किया जाता है।

9.55 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सौ शय्या वाले अस्पताल के लिए 53 करोड़ रुपए और पचास शय्या वाले अस्पताल के लिए 28 करोड़ रुपए की पूंजी लागत लगने का अनुमान लगाया है। हमें विश्वास है कि अनुदान राज्यों को पिछले पैरा में बताए गए फार्मूले के आधार पर प्राप्त होंगे, जो 205 सौ-शय्या वाले अस्पतालों और 157 पचास-शय्या वाले अस्पतालों के निर्माण की पूरी पूंजी लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त होंगे। एक राज्य के अधिकतम जिलों में अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की गई है। इन अस्पतालों की राज्यवार संख्या और अनुशंसित अनुलग्नक 9.8 में दी गई है।

### ख. 2.2. एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / स्थापन

9.56 निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना करना आवश्यक है। यह मौजूदा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) इकाइयों को भी मजबूत करेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रयोगशाला सेवाओं को शुरू करने के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल का प्रस्ताव दिया है, जिसका उपयोग इस तरह से किया जाएगा कि रोगियों को प्रयोगशाला परीक्षण हेतु नमूना देने के लिए उच्च स्तरीय केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार, एक जिला प्रयोगशाला, अनेक स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों के लिए ब्लॉक में एक हब के रूप में काम करेगा। यह पीएम-एसबीवाई का भी हिस्सा है।

9.57 हम इन प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए राज्य का अंश प्रदान करने की अनुशंसा करते हैं। तदनुसार, इस प्रयोजन के लिए 469 करोड़ रुपए की अनुशंसा की जाती है। शेष अंश पीएम-एसबीवाई के हिस्से के रूप में संघ सरकार से प्राप्त हो सकता है। राज्य-वार और वर्ष-वार अनुदान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त अनुदानों की गणना के लिए विस्तृत धारणाओं का विवरण, अनुलग्नक 9.9 में दिया गया है।

### ख. 2.3. संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों से संबंधित 1.5 मिलियन श्रमशक्तियों का प्रशिक्षण:

9.58 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और 2012 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रारंभ होने के बाद, सरकार ने औषधि, नैदानिकी और उपकरणों की आपूर्ति और उपलब्धता को सुदृढ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। हालांकि, मानव संसाधनों की उपलब्धता एक बड़ी अड़चन बनी



हुई है। हमें लगता है कि इस कमी का समाधान करने से न केवल स्वास्थ्य सेवा मजबूत होगी बल्कि कुशल युवाओं के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी उपलब्ध होंगे।

9.59 इस समस्या को हल करने के लिए, और सीमित संसाधनों को देखते हुए, मौजूदा जिला अस्पतालों और प्रमंडलीय अस्पतालों को प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त अवसंरचना के सृजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए उन्हें निधि प्रदान करने की आवश्यकता होगी और साथ ही संकाय रखने होंगे और उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। कई अल्पकालिक (छह महीने से एक साल तक की अवधि के) सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें इन अस्पतालों में न्यूनतम निवेश और मौजूदा संसाधनों को मजबूत करके आसानी से लागू किया जा सकता है। प्रशिक्षण के लिए रखे गए संकाय नैदानिक सेवाओं के लिए भी काम कर सकते हैं। इसलिए, यह अंतःक्षेप जिला स्तर पर और उससे नीचे की सुविधाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त श्रमशक्ति प्रदान करता है, जबकि सिद्ध शय्या पार्श्व / रोगी कौशल के साथ क्षमता निर्माण भी करता है। कुशल कार्यबल निजी क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यह अंतःक्षेप विचाराधीन एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल, 2018 के अनुरूप भी है।

9.60 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रति संकाय 3 करोड़ रुपये की नियत अनुमानित लागत, प्रति पाठ्यक्रम 0.67 करोड़ रुपये की परिवर्ती अनुमानित लागत का अनुमान प्रस्तुत किया है। उनके प्रस्ताव के आधार पर, हम संबद्ध स्वास्थ्य श्रमशक्तियों के प्रशिक्षण के लिए 13,296 करोड़ रुपये की अनुशंसा करते हैं। इसमें से 1,986 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा 11,310 करोड़ रुपये सामान्य राज्यों के लिए होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए जिला और प्रमंडलीय अस्पतालों की संख्या के आधार पर, हमने प्रत्येक राज्य के लिए प्रति संकाय 3 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। प्रत्येक राज्य के लिए उत्तरवर्ती राशि का निर्धारण करने के लिए, हमने क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए ऊपर के खंड में वर्णित प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय दूरवर्ती पद्धति का उपयोग किया है। यह अनुमान लगाया गया है कि पंचाट अवधि के पांच वर्षों में अतिरिक्त 15 लाख कार्यबल कुशल हो सकते हैं, जिन्हें हमारे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में शामिल किए जाने की संभावना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से यथा प्राप्त लागत के विवरण के साथ इन अनुदानों का वर्ष-वार और राज्य-वार सारांश अनुलग्नक 9.10 में दिया गया है।

#### ख. 2.4. डीएनबी पाठ्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता

9.61 ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और जिला अस्पतालों को पर्याप्त रूप से कर्मचारी देने के लिए भारत के पास विशेषज्ञों की भारी कमी है। भारत सरकार ने 2017 में

जिला अस्पतालों को मजबूत करने की रणनीति के रूप में, 'मल्टी-स्पेशियलिटी केयर और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, एवं प्रसार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा जिला डीएनबी कार्यक्रम के लिए किए गए विशेष प्रावधानों के तहत राज्यों के जिला / सिविल / सामान्य अस्पतालों में डीएनबी कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

9.62 हमें लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विशेष पाठ्यक्रमों को लेकर सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के संबंध में ज्ञान और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेषज्ञ की कमी की समस्या का समाधान किया जा सके। जिला अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने से गुणवत्तापूर्ण विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन प्राप्त होंगे। जिला अस्पतालों में प्रशिक्षण प्रदान करके, निगरानी और रोगी सुरक्षा के मुद्दों को बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा, इस प्रकार विशेष देखभाल तक पहुँच में होने वाले जेब खर्च को भी कम किया जा सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य इस निधि का उपयोग अतिरिक्त विशेषज्ञों के संवर्ग निर्माण के लिए करेंगे।

9.63 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने ज्ञापन में, डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधी विवरण प्रदान किया है और इसे दो भागों में विभाजित किया है:

- i. 100-199 शय्या वाले अस्पतालों में आठ सीटों के साथ दो विशेषज्ञताओं में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।
- ii. 200 से अधिक शय्या वाले जिला अस्पतालों में, राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार, सोलह सीटों के साथ चार विशेषज्ञताओं में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।

9.64 तदनुसार, हम जिला अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 2,725 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं। राज्यवार और वर्षवार तालिका अनुलग्नक 9.11 में दी गई है।

9.65 यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त सभी अनुदानों की व्यवस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाएगी। यद्यपि विभिन्न घटकों को चिह्नित किया गया है, तथापि जमीनी हकीकत को देखते हुए यह तथ्य हमारे संज्ञान में है कि आने वाले समय में प्रत्येक राज्य के कुल हिस्से में कुछ अंतर-घटक समायोजन किया जाना आवश्यक हो सकता है। इसलिए, प्रत्येक राज्य के संबंधित हिस्से में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से अंतर-घटक नम्यता की अनुमति दी गई है। इन अनुदानों की निगरानी की व्यवस्था का विवरण अध्याय 10 में दिया गया है।



9.66 संक्षेप में, हम राज्य सरकारों को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अलग सेक्टरल अनुदान के रूप में 31,755 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं। अनुदानों के विभाजन का विवरण तालिका 9.5 में दिए गए हैं।

तालिका 9.5: स्वास्थ्य के लिए सेक्टरल अनुदान

उप-घटक	राशि (करोड़ रुपए)
क्रिटिकल केयर अस्पताल	15265
जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला	469
जिला अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम चलाने के लिए राज्यों को सहायता	2725
संबद्ध स्वास्थ्य सेवा से संबंधित 1.5 मिलियन कार्यबलों का प्रशिक्षण	13296
<b>कुल</b>	<b>31755</b>

9.67 इसके अलावा, हमने स्थानीय शासनों के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 70,051 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है, जिसका विस्तृत विवरण, स्थानीय शासन सशक्तिकरण नामक अध्याय-7 में प्रस्तुत किया गया है और राज्य-विशिष्ट अनुदान के हिस्से के रूप में 4,800 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है, जिसका विस्तृत विवरण, निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन और अनुदान नामक अध्याय 10 में प्रस्तुत किया गया है।

9.68 हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य अनुदानों से लोक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया जा सकेगा, पिछले कुछ वर्षों में किए गए मौजूदा सुधारों में प्रगति की जा सकेगी और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने एवं लोक स्वास्थ्य कार्यवाही को एकीकृत तथा मजबूत करने की नई पीढ़ी की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा।

## अनुशंसाओं का सारांश

9.69 हमारी अनुशंसाओं का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है:

- हमने यह अनुशंसा की है कि 2022 तक राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय को उनके बजट के 8 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(पैरा 9.41,i)

ii. हमने यह अनुशंसा की है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रत्येक राज्य की प्रथम मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय को 2022 तक कुल स्वास्थ्य व्यय के दो-तिहाई तक बढ़ाया जाना चाहिए।

( पैरा 9.41,ii )

iii. हमने यह अनुशंसा की है कि संघ और राज्यों के लोक स्वास्थ्य व्यय को प्रगतिशील तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि यह 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

( पैरा 9.41,iii )

iv. भारत सरकार द्वारा सह-वित्तपोषित केंद्रीय-प्रायोजित योजनाएं ( सीएसएस ) इतने नम्य होने चाहिए कि राज्य इसे अपने अनुकूल बना सके और इसमें कुछ नवप्रवर्तन भी कर सके। कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी टॉप-डाउन अधिदेश और सख्ती, मुक्त-स्रोत मॉडल के प्रतिकूल है। केंद्रीय-प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को इस बात की महत्वपूर्ण छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी स्थानीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर अपने अनुकूल इनकी कार्यप्रणालियां तैयार कर इसे कार्यान्वित कर सकें।

( पैरा 9.41,iv )

v. मापनीय एजेंडा को जवाबदेही उपकरण के रूप में अग्रसर करते समय अंतर-सरकारी राजकोषीय स्वास्थ्य वित्तपोषण के फोकस को इनपुट से आउटपुट/ परिणामों की दिशा में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त नम्यता के अनुपूरक के रूप में संघ सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं ( सीएसएस ) के फोकस को स्थांतरित कर सकती है और इसके फोकस को संरिखीय मर्दों और कार्यकलापों से हटाकर राज्यों, जिसे परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग का स्वयं चयन करने का अधिकार दिया गया है, के साथ उत्पादन और परिणाम की दिशा में केंद्रित कर सकती है।

( पैरा 9.41,v )

vi. चिकित्सकों की उपलब्धता में अंतर-राज्य असमानताओं को देखते हुए, अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना आवश्यक है, जैसा कि यह अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 2 क में परिकल्पित है। इस उद्देश्य से, संघ लोक सेवा आयोग ( यूपीएससी ) को प्रत्येक राज्य की जरूरत के अनुसार, राज्यवार की जाने वाली अध्याचनाओं के आधार पर वार्षिक भर्तियां करने की आवश्यकता होगी। हम संघ सरकार से इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों के समन्वय से कार्यान्वित करने का आग्रह करते हैं।

( पैरा 9.41,vii )

vii. एमबीबीएस पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ताकि इसे सक्षमता आधारित बनाया जा सके। विशेषज्ञता की एक निश्चित डिग्री को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और भारतीय चिकित्सा परिषद / राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई / एनएमसी) को एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए आरोग्य निदानशाला, मूलभूत शल्यक्रिया की प्रक्रिया, संवेदनाहरण (एनेस्थेसिया), प्रसूति और स्त्री रोग, आंख, कर्ण नासा कंठ ( ईएनटी) आदि के लिए लघु पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए। इसे आयुष को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे कायचिकित्सा में अवर स्नातक करने वालों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में इसे पाठ्यक्रम में शामिल करें।

(पैरा 9.41,viii)

viii. आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की असममित वितरण को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में स्थित हैं। समस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, जिसमें जिला अस्पताल, निजी क्षेत्र की सुविधाएं और कॉर्पोरेट अस्पताल शामिल हैं, का उपयोग विशेषज्ञ डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किया जाना चाहिए, जो न केवल सेवा की व्यवस्था में वृद्धि करेगा, बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।

(पैरा 9.41,ix)

ix. परिचर्या (नर्सिंग) व्यावसायिकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने संबंधी उपाय किए जाने चाहिए और परिचर्या व्यावसायिकों के बेहतर उपयोग के लिए नर्स प्रैक्टिशनर, सहायक काय चिकित्सक और संवेदनाहरण विज्ञानी नर्स की अवधारणा को लागू किया जाना चाहिए। इस विधेयक के गुणक लाभ को देखते हुए इस विधायन के प्रारंभिक चरण को यथा शीघ्र पारित किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(पैरा 9.41,xi)

x. पंचाट अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल सहायता अनुदान 1,06,606 करोड़ रुपये की है, जो हमारे द्वारा अनुशांसित कुल सहायता अनुदान का 10.3 प्रतिशत है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.1 प्रतिशत है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला अनुदान शर्त रहित होगा।

(पैरा 9.49)

xi. तदनुसार, हमने शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों, भवन-रहित उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकलाप हेतु नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता देने, ब्लॉक स्तर की लोक स्वास्थ्य इकाइयों, ग्रामीण उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए कुल मिलाकर 70,051 करोड़ रुपए स्वास्थ्य अनुदान देने की अनुशंसा की है। ये अनुदान स्थानीय शासनों को जारी किए जाएंगे जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य अनुदान के महत्व को देखते हुए, हमने इन अनुदानों को स्थानीय शासनों को जारी करने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है।

( पैरा 9.51 )

xii. हमने क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए 15,265 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। इसमें से सामान्य राज्यों के लिए 13,367 करोड़ रुपए और एनईएच राज्यों के लिए 1,898 करोड़ रुपये की अनुशंसा की गई है। इस अनुदान का परस्पर वितरण, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अंतर विधि के आधार पर किया जाता है, जो क्षैतिज सूत्र में अनुशंसित आय अंतर विधि के समान है। हालांकि, सामान्य और उत्तर पूर्व हिमालयी (एनईएच) राज्यों को परस्पर वितरण अलग-अलग रूप में किया जाता है।

( पैरा 9.54 )

xiii. हमने स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए राज्यों के लिए 469 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। शेष अंश पीएम-एएसबीवाई के हिस्से के रूप में संघ सरकार से प्राप्त हो सकता है।

( पैरा 9.57 )

xiv. हमने संबद्ध स्वास्थ्य श्रमशक्तियों के प्रशिक्षण के लिए 13,296 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। इसमें से 1,986 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा 11,310 करोड़ रुपए सामान्य राज्यों के लिए होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए जिला और प्रमंडलीय अस्पतालों की संख्या के आधार पर, हमने प्रत्येक राज्य के लिए प्रति संकाय 3 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। प्रत्येक राज्य के लिए उत्तरवर्ती राशि का निर्धारण करने के लिए, हमने क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए ऊपर के खंड में वर्णित प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय दूरवर्ती पद्धति का उपयोग किया है।

( पैरा 9.60 )

xv. हमने विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए, जिला अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 2,725 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है।

( पैरा 9.64 )

xvi. सभी अनुदानों की व्यवस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाएगी। यद्यपि विभिन्न घटकों को चिह्नित किया गया है, तथापि जमीनी हकीकत को देखते हुए यह तथ्य हमारे संज्ञान में हैं कि आने वाले समय में प्रत्येक राज्य के कुल हिस्से में कुछ अंतर-घटक समायोजन किया जाना आवश्यक हो सकता है। इसलिए, प्रत्येक राज्य के संबंधित हिस्से में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से अंतर-घटक नम्यता की अनुमति दी गई है।

( पैरा 9.65 )



## अध्याय 10

# निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान

इस अध्याय में हमने राज्यों के लिए सहायता अनुदान से संबंधित विचारार्थ विषयों (टीओआर) पर विचार किया है। ऐसा करते समय, हमने कुछ अनुदानों को निष्पादन-आधारित मानदंड से संबद्ध किया है, जिनका आशय उन क्षेत्रों को बढ़ावा देना है जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हों। हमारे द्वारा अनुशंसित पहला अनुदान राजस्व घाटा अनुदान है, जो कुल 2,94,514 करोड़ रुपए है। हमने विभिन्न क्षेत्रों के लिए भी अनुदानों एवं प्रोत्साहनों की अनुशंसा की है, जो चार मुख्य विषयों के अंतर्गत आते हैं। पहला है, सामाजिक क्षेत्र जहां हमने स्वास्थ्य (1,06,606 करोड़ रुपए) और शिक्षा (10,943 करोड़ रुपए) पर ध्यान दिया है। हमारा दूसरा विषय क्षेत्र कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जहां हमने कृषि सुधारों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों (45,000 करोड़ रुपए) पर ध्यान दिया है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, आने वाली सड़कों के रखरखाव के लिए अनुदानों (27,539 करोड़ रुपए) की अनुशंसा की है। तीसरे विषय के अंतर्गत, हमने उन प्रशासनिक एवं शासन से संबंधित सुधारों पर ध्यान दिया है, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा और अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यहां, हमने न्यायपालिका (10,425 करोड़ रुपए), सांख्यिकी (1,175 करोड़ रुपए) के लिए अनुदानों तथा आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉकों (3,150 करोड़ रुपए) हेतु प्रोत्साहनों का प्रावधान किया है। चौथे विषय के अंतर्गत, हमने विद्युत क्षेत्र के लिए एक निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रणाली विकसित की है, जो अनुदानों से संबद्ध नहीं है परंतु राज्यों के लिए अतिरिक्त उधार लेने की विंडो है। इसके अलावा, हमने राज्य-विशिष्ट अनुदानों की अनुशंसा की है, जो कुल 49,599 करोड़ रुपए हैं ताकि राज्यों को अपनी विशेष जरूरतों को पूरा करने में तथा अपनी लागत अक्षमताओं को दूर करने में सहायता प्राप्त हो।

10.1 इस आयोग के टीओआर पैरा 4 (ii) हमसे अपेक्षा करता है कि हम “भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली

धनराशियां"। इसके अतिरिक्त, पिछले आयोगों के टीओआर से इतर, पैरा 5 हमसे यह जांच करने के लिए कहता है कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं।

10.2 इस आयोग के लिए टीओआर की एक अन्य विशेषता उसका पैरा 7 है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यों के लिए अभिशासन के उपयुक्त स्तर पर मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकेगा।":

- i. माल और सेवा कर के अधीन कर-जाल के विस्तार और गहन बनाने में राज्यों द्वारा किए गए प्रयास;
- ii. जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर की दिशा में किए गए प्रयास और प्रगति;
- iii. भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन, आपदा सहाय्य अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपलब्धियां और उनके व्यय की गुणवत्ता;
- iv. पूंजी व्यय बढ़ाने, विद्युत सेक्टर की हानियों को खत्म करने और भावी मार्ग सृजित करने में ऐसे व्यय की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में की गई प्रगति;
- v. कर/कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने में की गई प्रगति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अंगीकार करते हुए बचत का संवर्धन करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सरकार तथा हिताधिकारियों के बीच अड़चनों को हटाना;
- vi. संबंधित नीतिगत और विनियामक परिवर्तनों को प्रभावी करके और श्रमोन्मुखी विकास को बढ़ावा देकर कारोबार करने को सरल बनाने में की गई प्रगति;
- vii. आधारभूत सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों को स्तरीय मानव संसाधन सहित, अनुदान सहायता का उपबंध और सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने में निष्पादन अनुदान प्रणाली का कार्यान्वयन;
- viii. लोकलुभावन उपायों पर उपगत व्यय पर नियंत्रण और उसकी कमी; और
- ix. स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच को समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने में की गई प्रगति।

10.3 सहायता अनुदान पर अपनी अनुशंसा करते हुए हमने उनकी प्रकृति, श्रेणियों और आकार का अध्ययन किया, जैसा कि पूर्व आयोगों द्वारा अनुशंसित किया गया था। अनुदानों की मुख्य रूप से पांच भिन्न श्रेणियां हैं: (क) राजस्व घाटा अनुदान, (ख) स्थानीय शासनों के लिए अनुदान, (ग) आपदा प्रबंधन के



लिए अनुदान, (घ) सेक्टर-विशिष्ट अनुदान और (ड.) राज्य-विशिष्ट अनुदान। राजस्व घाटा अनुदानों के अलावा, ये अनुदान प्रायः सशर्त एवं निष्पादन-आधारित थे।

10.4 अनुदानों के अनुपात के रूप में, अनुदानों का समग्र आकार छठे वित्त आयोग के तहत 26.1 प्रतिशत से लेकर सातवें वित्त आयोग के तहत 7.7 प्रतिशत था (तालिका 10.1)। व्यवहारिक तौर पर, राजस्व घाटा अनुदानों को छोड़कर, निधियों का वास्तविक प्रवाह पूर्व-आयोगों की पंचाट अवधियों के अंत तक उनकी अनुशंसित राशि से कम रहा। इसका मुख्य कारण सशर्त अनुदानों को जारी करने में आई चुनौतियां थीं। हमने कुल 10,33,062 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की है, जो राज्यों के लिए कुल अनुशंसित हस्तांतरणों का 19.65 प्रतिशत है।

तालिका 10.1 : वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरणों में सहायता अनुदान और कर अंतरण की हिस्सेदारी

आयोग	अवधि	सहायता अनुदान		कर अंतरण		कुल हस्तांतरण (करोड़ रु.)
		राशि (करोड़ रु.)	हिस्सेदारी %	राशि (करोड़ रु.)	हिस्सेदारी %	
छठा	1974-79	2510	26.12	7099	73.88	9609
सातवां	1979-84	1610	7.72	19233	92.28	20843
आठवां	1984-89	3769	9.55	35683	90.45	39452
नौवां*	1989-95	11030	9.96	99668	90.04	110698
दसवां	1995-00	20300	8.96	206343	91.04	226643
ग्यारहवां	2000-05	58587	13.47	376318	86.53	434905
बारहवां	2005-10	142640	18.87	613112	81.13	755752
तेरहवां	2010-15	258581	15.15	1448096	84.85	1706677
चौदहवां	2015-20	537353	11.97	3948188	88.03	4485541
पंद्रहवां (I)	2020-21	201023	19.04	855176	80.96	1056199
पंद्रहवां(II)	2021-26	1033062	19.65	4224760	80.35	5257822

\* नौवें वित्त आयोग ने छह वर्ष कवर किए और 9,000.83 करोड़ रुपए (जिन्हें उपरोक्त में शामिल नहीं किया गया है) के योजनाबद्ध अनुदानों का अतिरिक्त प्रावधान किया।

10.5 हमारे विचार-विमर्शों के दौरान, यह निष्कर्ष निकलकर आया कि सहायता अनुदान से लागत अक्षमताओं एवं अन्य पुनःवितरणीय आवश्यकताओं को कम तो किया जा सकता है, परंतु उनका समाधान किसी भी अंतरण फॉर्मूला में एक सीमित स्तर तक ही किया जा सकता है। राजस्व घाटा अनुदानों से भी राज्यों को अपनी आकलित आवश्यकताओं के उभरते पैटर्न, उनकी सक्षमता एवं निष्पादन के आधार पर वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित कर अंतरण के पैटर्न में हुए बदलाव से समायोजित होने में समय मिल जाता है। इसके अलावा, सहायता अनुदान ज्यादा लक्ष्य-आधारित होते हैं, जिनका उपयोग बुनियादी सामाजिक सेवाओं के मानकों (standards) को पूरा करने के लिए किया जाता है। हमने अपने अनेक अनुदानों को निष्पादन-आधारित मानदंड से संबद्ध करने का भी प्रयास किया, जिसका आशय कुछ ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है जिनसे राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल किए जा सकें। हमारा मानना है कि निष्पादन मानदंड को राजकोषीय हस्तांतरणों को जोड़ने से पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ सकती है, नीति निरूपण एवं कार्यान्वयन पर फीडबैक उपलब्ध हो सकती है और व्ययों की बेहतर ढंग से निगरानी की जा सकती है। इन अनुदानों में हमें भी अपने व्यापक टीओआर पर विचार करने में भी सहायता मिली है।

10.6 हमारे द्वारा अनुशंसित पहला अनुदान राजस्व घाटा अनुदान है, जिसका आशय तुलनीय मानकीय आधार (normative basis) पर आकलित राज्यों की कर अंतरण के उपरांत उनकी राजस्व घाटा आवश्यकताओं को कम करना है।

10.7 इसके अलावा, हमने विभिन्न सेक्टरों के लिए भी अनुदानों एवं प्रोत्साहनों की अनुशंसा की है। ये अनुदान मुख्य रूप से चार विषयों के अंतर्गत आते हैं। पहला है, सामाजिक क्षेत्र जहां हमने स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। इन दोनों सेक्टरों ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना किया है और ये दोनों सेक्टर अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण गुणक लाभों और अंतरराज्यीय बाह्य कारकों के साथ सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराते आए हैं। हमारा दूसरा विशेष क्षेत्र है, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जहां हमने कृषि सुधारों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित किया है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़कों के रखरखाव के लिए अनुशंसा की है। इससे यह निकलकर आता है कि ग्रामीण भारत के कल्याण व उत्थान को और भी अधिक बढ़ाया जाए, क्योंकि ग्रामीण भारत में देश की दो-तिहाई आबादी रहती है, जो देश के कुल कार्यबल के 70 प्रतिशत को रोजगार प्रदान करता है और वहां से 46 प्रतिशत राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है।

10.8 तीसरे विषय के अंतर्गत, हमने ऐसे प्रशासनिक एवं शासन संबंधी सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्हें प्रायः राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हमने न्यायपालिका को सशक्त बनाने के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है, क्योंकि न्यायपालिका किसी भी शांतिप्रद एवं प्रगतिशील राष्ट्र का आधार होती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में दुनियां में डाटा एवं सांख्यिकी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, हमने

सांख्यिकी क्षेत्र में सुधारों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है। सांख्यिकी गुणवत्ता और डाटा की भूमिका कोई भी नीति बनाने, या उसके कार्यान्वयन या अनुवर्ती निगरानी के लिए महत्वपूर्ण होती है। हमारा यह भी मानना है कि जिलों या ब्लॉकों जैसी प्रशासनिक इकाइयों, जिनका निष्पादन महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय औसत से कम है, को उनके निष्पादन (जिसका मूल्यांकन पारदर्शी प्रक्रिया आधारित हो) के आधार पर प्रोत्साहन दिए जाने से वे शासन में सुधार लाने हेतु एक प्रभावकारी टूल बन सकते हैं। अतः हमने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है जो पूर्ण रूप से निष्पादन-आधारित होंगे। इसके अतिरिक्त बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) का कार्यकरण राज्य वित्तों तथा विद्युत क्षेत्र के समग्र निष्पादन पर एक बाधक बन रहा है। इसलिए, हमने विद्युत क्षेत्र के लिए एक निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रणाली विकसित की है जो अनुदानों से संबद्ध तो नहीं है, किंतु इससे राज्यों के लिए उधार लेने हेतु एक अतिरिक्त विंडो खुल जाती है।

10.9 अंत में, हमने राज्य-विशिष्ट अनुदानों की अनुशंसा की है, ताकि राज्यों को विशेष दबावों या राष्ट्रीय दायित्व वाली बाध्यताओं की पूर्ति करने में सहायता मिल सके। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से छः क्षेत्र आते हैं: (क) सामाजिक आवश्यकताएं, (ख) प्रशासनिक शासन एवं उससे संबंधित बुनियादी ढांचा, (ग) जल का संरक्षण एवं दक्षतापूर्ण उपयोग, जल निकासी एवं स्वच्छता, (घ) संस्कृति एवं ऐतिहासिक स्मारकों का परिरक्षण (ड.) उच्च-लागत वाला भौतिक बुनियादी ढांचा और (च) पर्यटन।

10.10 टीओआर के पैरा 4 (iii) को ध्यान में रखते हुए स्थानीय शासनों के लिए और पैरा 9 के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए अनुदानों के संबंध में, हमने क्रमशः अध्याय 7 और 8 में विस्तार से वर्णन किया है। राज्यों को यह अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन दिए जाते हैं।

## राजस्व घाटा अनुदान

10.11 सहायता अनुदान के संबंध में पूर्व आयोगों के विशिष्ट टीओआर में सामान्य रूप से उल्लेख किया गया है "उन राज्यों को सहायता अनुदान का भुगतान किया जाना चाहिए जिन्हें अपने राजस्वों के लिए सहायता अनुदान की आवश्यकता होती है।" इस आयोग के लिए टीओआर के पैरा 4 (ii) में शब्द "जिन्हें सहायता की आवश्यकता है" को हटा दिया गया है। कुछ समालोचकों ने यह तर्क दिया है कि सभी पूर्व आयोगों के टीओआर में ये शब्द शुमार थे, जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 275 में उपबंधित किया गया है, जो इस प्रकार पठित है: "ऐसी राशियां जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न राशियां नियत की

जा सकेंगी।" इसके अलावा, जैसाकि उपरोक्त में वर्णन किया गया है, टीओआर का पैरा 5 उल्लेख करता है, "आयोग यह भी जांच कर सकेगा कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं।"

10.12 सभी वित्त आयोगों ने विगत में राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदानों की अनुशंसा की थी। आयोगों ने अपना आकलन करने हेतु एक मानकीय (normative) दृष्टिकोण अपनाया और अंतरण के पश्चात राज्यों के राजस्व लेखाओं में अंतर को कम करने के लिए अनुच्छेद 275 के अधीन राजस्व घाटा अनुदानों की अनुशंसाएं की थीं।

10.13 राज्यों ने राजस्व घाटा अनुदानों के मुद्दे पर मिश्रित टिप्पणियां दी हैं। कुछ राज्यों ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व घाटा अनुदानों के माध्यम से अंतर को कम करने के दृष्टिकोण से कर-जुटाने और विवेकशील व्यय प्रयास प्रभावित होंगे। अतः, इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरी ओर अधिकतर पूर्वोत्तर एवं हिमालयी (एनईएच) राज्यों तथा कुछ अन्य राज्यों ने राजस्व घाटा अनुदानों को जारी रखने की बात रखी। उन्होंने राज्य वित्तों पर पड़े दबाव के जो कारण बताए, उनमें सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में राज्य-स्तरीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन, माल और सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्यूरेंस योजना (उदय) बाँड पर ब्याज देयताएं और योजनाबद्ध अनुदानों को बंद किया जाना था। एनईएच राज्यों ने भी यह सुझाव दिया कि सामाजिक क्षेत्र और/या पूंजीगत परिसंपत्तियों के रखरखाव पर उनका सापेक्ष व्यय स्थलाकृतिक स्थितियों के कारण अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होना चाहिए और इनके लिए राजस्व घाटा अनुदानों के रूप में सहायता दी जानी चाहिए। कुछ राज्यों ने अपने सभी नागरिकों को समान स्तर की सेवाएं प्रदान करने हेतु और अधिक अनुदानों की मांग रखी।

10.14 हमने टीओआर 4 (ii) में हटाए गए शब्द "जिन्हें सहायता की आवश्यकता है" (which are in need of assistance) पर विचार किया। इस संदर्भ में, हमने टीओआर 5 के अंतिम वाक्य पर भी विचार-विमर्श किया, जो इस प्रकार पठित है, "आयोग यह भी जांच कर सकेगा कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं"। हमारे विचार में टीओआर 4 (ii) हमें उन सिद्धांतों पर अनुशंसा करने का अधिनिर्णय देता है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में... अनुच्छेद 275 (1) स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि सहायता अनुदान से संबंधित सिद्धांतों पर निर्णय करने में "सहायता की आवश्यकता" (need of assistance) का निर्धारण करना बहुत ही आवश्यक है। हमारे विचार में, अनुच्छेद 280 (3) (ख) के साथ पठित अनुच्छेद 275 (1) हमें यह सुस्पष्ट करता है कि हम राज्यों की आवश्यकताओं का आकलन सुदृढ़ सिद्धांतों के आधार पर करें और तदनुसार अपनी अनुशंसाएं करें।

10.15 जैसा कि पूर्व आयोगों द्वारा किया गया है, हमने राज्यों के स्वयं के राजस्व और व्यय आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए मानकीय रूपरेखा को अपनाया है। यह मानकीय दृष्टिकोण, जिसका वर्णन अध्याय 4 में विस्तार से किया गया है, प्रत्येक राज्य को तुलनीय राष्ट्रीय मानकों के आधार पर आकलित करता है। अंतर कम करने के दृष्टिकोण के विपरीत, जिससे राज्यों के राजकोषीय संव्यवहार में सुधार नहीं आता है से इतर यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि राजकोषीय क्षमता में कमी को सुधारा जाए, किंतु अपर्याप्त राजस्व प्रयासों या जरूरत से ज्यादा व्यय को प्रोत्साहित नहीं करता है। अतः अंतरण के पश्चात कुछ राज्यों के पास उर्ध्वार्धर असंतुलन के कारण राजस्व घाटा रहता है, जिसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आकलित आवश्यकता की पूर्ति अभी भी नहीं हुई है। अतः राजस्व घाटा अनुदान यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे आकलन के अनुसार, पंचाट अवधि के प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, सभी राज्यों के पास राजस्व शेष होना चाहिए।

10.16 हमारा यह भी मानना है कि राजस्व घाटा अनुदानों को अप्रत्याशित तौर पर समाप्त किया जाना राजकोषीय दृष्टि से वहनीय नहीं होगा, क्योंकि यह विरासत से जुड़े होने के साथ-साथ समायोजन पथ का मुद्दा भी है। अतः पंचाट अवधि के अंत में अनुशंसित राजस्व घाटा अनुदान के कम होते जाते हैं, हमने राज्यों के व्यय और उनके स्वयं के राजस्वों तथा कर अंतरण के योग के बीच असंगतता के अचानक संघात को ध्यान में रखते हुए, ऐसा करना वास्तविक तौर पर ठीक नहीं समझा।

10.17 सभी संबद्ध मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और उनका गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात, हमने उन राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदानों का प्रावधान करने का निर्णय लिया है जिनका घाटा कर अंतरण करने के पश्चात आकलित किया गया था।

### **राजस्व घाटा अनुदानों का आकलन**

10.18 राजस्वों और व्ययों के आकलन के आधार पर, जैसा कि अध्याय 4 में वर्णन किया गया है, हमने राज्यों के अंतरण-पूर्व राजस्व घाटों का परिकलन किया है (तालिका 10.2)। अंतरण-पश्चात राजस्व घाटा जिसे अध्याय 6 में वर्णित शैतिज अंतरण फॉर्म्यूला के आधार पर करों के आकलित अंतरण से प्राप्त किया गया है को तालिका 10.3 में दर्शाया गया है। उन राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदानों की अनुशंसा की गई है जिनका कर अंतरण उपरांत भी राजस्व घाटा बना हुआ है।

10.19 हमने सत्रह राज्यों के लिए अपनी पंचाट अवधि के दौरान 2,94,514 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदानों की अनुशंसा की है (तालिका 10.4)। ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा,

हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। जैसा कि इस तालिका से स्पष्ट है, राजस्व घाटा अनुदान घट रहे हैं और राजस्व घाटा प्राप्त करने के लिए अर्हक राज्यों की संख्या हमारी पंचाट अवधि 2021-22 के पहले वर्ष में सत्रह से घटकर 2025-26 के अंतिम वर्ष में छः रह सकती है। कुल राजस्व घाटा अनुदान राशि भी घटती जा रही है, जो हमारी पंचाट अवधि के पहले वर्ष में 1,18,452 करोड़ रुपए से घटकर अंतिम वर्ष में 13,705 करोड़ रुपए रह सकती है।

तालिका 10.2: अंतरण-पूर्व राजस्व घाटा/अधिशेष

(करोड़ रु.)

घाटा (+)/अधिशेष (-)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	43910	40198	36054	29445	20040
अरूणाचल प्रदेश	8989	9361	9831	10340	10981
असम	26977	27807	28705	29194	28950
बिहार	62323	64711	67731	71444	71984
छत्तीसगढ़	19206	19253	19721	19945	18327
गोवा	2021	1353	582	-390	-1991
गुजरात	14281	10179	2958	-6427	-23688
हरियाणा	7330	1564	-5301	-14363	-27178
हिमाचल प्रदेश	15715	15458	14900	14031	12159
झारखंड	14688	14778	15027	15349	13798
कर्नाटक	25650	19348	12233	1724	-17508
केरल	32569	27277	20618	11644	-1538
मध्य प्रदेश	32797	32062	31108	28800	24259
महाराष्ट्र	24584	17909	6976	-6022	-37198
मणिपुर	7240	7556	8007	8407	8837
मेघालय	6330	6652	7038	7293	7528
मिजोरम	5083	5278	5596	5762	5949
नागालैंड	8304	8699	9138	9397	9750
ओडिशा	20614	19927	19334	17674	13891
पंजाब	21982	21513	20515	18919	14122
राजस्थान	49565	49010	48472	46237	40564
सिक्किम	3233	3283	3348	3370	3335
तमिलनाडु	29068	18291	5607	-10312	-34187
तेलंगाना	-2155	-9151	-16609	-27376	-40801
त्रिपुरा	9209	9610	10011	10419	10553
उत्तर प्रदेश	112740	113509	112596	109944	100038
उत्तराखंड	15135	15328	15440	15387	14091
पश्चिम बंगाल	67153	68702	70371	71026	68892
<b>कुल राज्य (घाटा)</b>	<b>686696</b>	<b>648616</b>	<b>601917</b>	<b>555751</b>	<b>498048</b>
<b>कुल राज्य (अधिशेष)</b>	<b>-2155</b>	<b>-9151</b>	<b>-21910</b>	<b>-64890</b>	<b>-184089</b>

तालिका 10.3: अंतरण-पश्चात राजस्व घाटा/अधिशेष

(करोड़ रु.)  
घाटा (+)/अधिशेष (-)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	17257	10549	2691	-8458	-23368
अरूणाचल प्रदेश	-2582	-3511	-4653	-6115	-7864
असम	6376	4890	2918	-102	-4601
बिहार	-3918	-8976	-15186	-22756	-35897
छत्तीसगढ़	-3232	-5708	-8366	-11964	-18216
गोवा	-521	-1475	-2600	-4005	-6131
गुजरात	-8625	-15302	-25714	-39001	-60993
हरियाणा	132	-6444	-14312	-24600	-38901
हिमाचल प्रदेश	10249	9377	8058	6258	3257
झारखंड	-7092	-9450	-12235	-15623	-21672
कर्नाटक	1631	-7371	-17832	-32433	-56625
केरल	19891	13174	4749	-6385	-22185
मध्य प्रदेश	-18902	-25449	-33606	-44720	-59939
महाराष्ट्र	-17019	-28371	-45100	-65185	-104953
मणिपुर	2524	2310	2104	1701	1157
मेघालय	1279	1033	715	110	-699
मिजोरम	1790	1615	1474	1079	586
नागालैंड	4557	4530	4447	4068	3647
ओडिशा	-9207	-13246	-17994	-24734	-34676
पंजाब	10081	8274	5618	1995	-5260
राजस्थान	9878	4862	-1205	-10200	-24070
सिक्किम	678	440	149	-264	-827
तमिलनाडु	2204	-11593	-28020	-48515	-77938
तेलंगाना	-15999	-24551	-33938	-47063	-63347
त्रिपुरा	4546	4423	4174	3788	2959
उत्तर प्रदेश	-5405	-17917	-35290	-58066	-92374
उत्तराखंड	7772	7137	6223	4916	2099
पश्चिम बंगाल	17607	13587	8353	568	-11799
<b>कुल राज्य (घाटा)</b>	<b>118452</b>	<b>86201</b>	<b>51673</b>	<b>24483</b>	<b>13705</b>
<b>कुल राज्य (अधिशेष)</b>	<b>-92502</b>	<b>-179364</b>	<b>-296051</b>	<b>-470189</b>	<b>-772335</b>



तालिका 10.4: राजस्व घाटा के लिए सहायता अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	17257	10549	2691	शून्य	शून्य	30497
असम	6376	4890	2918	शून्य	शून्य	14184
हरियाणा	132	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	132
हिमाचल प्रदेश	10249	9377	8058	6258	3257	37199
कर्नाटक	1631	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1631
केरल	19891	13174	4749	शून्य	शून्य	37814
मणिपुर	2524	2310	2104	1701	1157	9796
मेघालय	1279	1033	715	110	शून्य	3137
मिजोरम	1790	1615	1474	1079	586	6544
नागालैंड	4557	4530	4447	4068	3647	21249
पंजाब	10081	8274	5618	1995	शून्य	25968
राजस्थान	9878	4862	शून्य	शून्य	शून्य	14740
सिक्किम	678	440	149	शून्य	शून्य	1267
तमिलनाडु	2204	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2204
त्रिपुरा	4546	4423	4174	3788	2959	19890
उत्तराखंड	7772	7137	6223	4916	2099	28147
पश्चिम बंगाल	17607	13587	8353	568	शून्य	40115
<b>कुल राज्य</b>	<b>118452</b>	<b>86201</b>	<b>51673</b>	<b>24483</b>	<b>13705</b>	<b>294514</b>

## निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान

10.20 हमने अपनी अनुशांसा करने से पहले 2021-26 की अवधि के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों एवं अनुदानों पर टीओआर के पैरा 7 में दिए गए नौ बिंदुओं के संदर्भ में गहन रूप से विचार-विमर्श किया है। सशर्त एवं निष्पादन आधारित राजकोषीय हस्तांतरणों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आलोक में, हमारे कुछ विचारों का सारांश अध्याय 2 में दिया गया है। हमारे विचार-विमर्शों और अनुशांसाओं का विवरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

10.21 निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन दिए जाने की सोच एक जांचा-परखा दृष्टिकोण है और पूर्व वित्त आयोगों ने अपनी अनुशांसाएं तीन मुख्य श्रेणियों में की थी: (क) अंतरण फॉर्मूला के भीतर प्रोत्साहन/प्रतिफल, (ख) निष्पादन-आधारित अनुदान और (ग) अन्य प्रोत्साहन।

10.22 करों के अंतरण के लिए क्षैतिज फॉर्म्यूला में, राज्यों द्वारा आयकर का सापेक्ष संग्रहण पहले वित्त आयोग से लेकर नौवें वित्त आयोग तक आयकर के वितरण के लिए एक स्थायी मानदंड रहा था। दसवें वित्त आयोग ने आयकर के वितरण के लिए एक, मानदंड के रूप में, 'कर-प्रयास' (tax effort) को एक मानदंड के रूप में शामिल किया। ग्यारहवें वित्त आयोग, बारहवें वित्त आयोग, तेरहवें वित्त आयोग ने करों के वितरण के लिए, 'राजकोषीय अनुशासन' (fiscal discipline) एक मानदंड के रूप में प्रयोग किया। इन मानदंडों ने राज्यों द्वारा अपने राजस्वों को बढ़ाने और राजकोषीय दृष्टि से विवेकशील होने के लिए एक रिवॉर्ड/प्रोत्साहन के रूप में कार्य किया। तेरहवें वित्त आयोग ने शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, न्याय प्रदान करने में सुधार लाने, विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने, और राज्य एवं जिला स्तर पर सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में निष्पादन-आधारित अनुदान देने की शुरुआत की। आयोगों ने स्थानीय शासनों के लिए भी अनुदान दिए। आयोगों ने स्थानीय शासनों के लिए भी निष्पादन अनुदानों की अनुशंसा की थीं।

10.23 इनके अलावा, ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय सुधार सुविधा (Fiscal Reform Facility) जैसे अन्य प्रोत्साहन भी दिए गए थे, जिसने राजस्व घाटों को कम/समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। बारहवें वित्त आयोग ने देनदारी के समेकन और राहत सुविधा की अनुशंसा की, जिनसे देनदारी के बेहतर प्रबंधन में प्रोत्साहन मिला और यह राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियमों का आधार बन गया। चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को राजकोषीय निष्पादन से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करने पर, अतिरिक्त ऋण (डेट) सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया।

10.24 संघ सरकार ने अपने ज्ञापन में राज्यों को निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन देने के लिए समकरण और दक्षता को दो उद्देश्यों के रूप में उल्लेख किया है:

- i. समकरण के उद्देश्य से दिए गए प्रोत्साहनों से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोगों को एक जैसी बुनियादी सेवाएं, जैसे कि सड़कें, शिक्षा, स्वच्छता आदि प्राप्त हों।
- ii. दक्षता के उद्देश्य से दिए गए प्रोत्साहनों के माध्यमों से व्यापक तौर पर सुनिश्चित होना चाहिए कि आर्थिक दृष्टि से लिए गए दक्षतापूर्ण निर्णयों को प्रोत्साहित/रिवॉर्ड किया जाए, और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि राजनीतिक चक्र के अल्पकालिक अनिवार्यताओं के बावजूद, नीतियों की दीर्घकालिक स्थिरता बनी रहे।

10.25 संघ सरकार द्वारा दिए गए ज्ञापन में भी राज्यों के निष्पादन के मापन हेतु कुछ संभावित तौर-तरीके सुझाए गए हैं और उसमें ऐसे संकेतकों की एक विस्तृत सूची भी प्रस्तुत की है, जिन्हें इस प्रयोजनार्थ प्रयोग

किया जा सकता है। संघ सरकार ने अपने ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि प्रोत्साहनों का विवरण और उसमें सुधार मंत्रालय/विभागों द्वारा राज्यों के परामर्श के साथ नीति आयोग के समग्र मार्गदर्शन में लाया जा सकता है।

10.26 कुछ राज्यों ने हमारे टीओआर के पैरा 7 में सूचीबद्ध कुछ क्षेत्रों में मापने योग्य निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों का समर्थन किया। उन्होंने अपनी राय दी कि राज्यों को राजकोषीय एवं अन्य सामाजिक एवं आर्थिक पैरामीटर्स के आधार पर बेहतर ढंग से निष्पादन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे एक सतत विकास मार्ग की दिशा में अग्रसर हो सकें। जिन राज्यों में कुल प्रजनन (फर्टिलिटी) अनुपात कम है, उन्होंने इस मानदंड पर राज्यों को प्रोत्साहन देने का समर्थन किया है।

10.27 कुछ राज्यों ने यह भी आगाह किया है कि निष्पादन के मापन में भेदभाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि वे नहीं जानते कि निष्पादन को किस प्रकार मापा जाएगा या उसके लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली वैज्ञानिक, उद्देश्यपरक या फिर सभी राज्यों के लिए समान रूप से संगत होगी अथवा नहीं। कुछ राज्यों ने यह भी कहा कि भारत जैसे विशाल देश में एक समान दृष्टिकोण – 'सभी के लिए एक नाप' ('one size fits all') – उचित नहीं होगा क्योंकि राज्यों से संबंधित जिन मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया जाना है उनमें काफी विविधता है। राज्यों की विविध सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों के आधार पर, इन सभी शर्तों का अनुसरण किए जाने से विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

10.28 कुछ राज्यों ने पैरा 7 (viii) में दिए गए संदर्भ 'लोकलुभावन घोषणाओं पर राज्य द्वारा व्यय के खर्च पर नियंत्रण लगाने या उसे कम करके प्रोत्साहन दिए जाने का विरोध किया। कई राज्यों ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों को लोकलुभावन और गैर-लोकलुभावन घोषणाओं के रूप में वर्गीकरण निष्पक्षता से नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकास की आवश्यकताएं राज्य-दर-राज्य भिन्न हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह तर्क दिया कि चुनी हुई संप्रभु सरकारें अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, इसलिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्णय लेने का विवेकाधिकार वित्त आयोग के बजाए उनके पास होना चाहिए।

## हमारा दृष्टिकोण

10.29 राज्यों के लिए मापनीय निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों का प्रस्ताव करते हुए, हमने निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों को चिह्नित किया है:

- i. यथासंभव प्रोत्साहन अनुदान, परिणाम-आधारित होने चाहिए;
- ii. परिणाम-आधारित संकेतकों को प्रत्येक प्रोत्साहन के लिए विश्वसनीय एवं प्रामाणिक डाटा के उपयोग के माध्यम से निर्धारित किया जाना चाहिए, जिनमें उद्देश्यपरक, विश्वसनीयता,

सार्वभौमिक, संगतता, कार्रवाई योग्य, सरलता के गुण होने चाहिए जिनमें कोई जोड़-तोड़ न किया गया हो;

iii. प्रोत्साहनों का आकार पर्याप्त होना चाहिए ताकि वे वांछित परिणाम लाने की दिशा में प्रेरित करें; और

iv. प्रोत्साहनों का उद्देश्य दोनों प्रकार की उपलब्धियों, अर्थात् हाल ही के वर्षों में वास्तविक तौर पर प्राप्त उपलब्धि तथा प्रतिशत परिवर्तन की दृष्टि से प्राप्त उपलब्धि का प्रतिफल देना होना चाहिए, ताकि विकसित राज्यों के दीर्घकालिक प्रयासों और पीछे चल रहे राज्यों के अल्पकालिक प्रयासों को संतुलित किया जा सके।

10.30 हमने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि आयोग विभिन्न क्षेत्रों में निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन देने पर विचार करेगा। हमने अपनी 2021-26 की पंचाट अवधि हेतु इनमें से कई क्षेत्रों के लिए अनुशंसाएं की हैं। इन्हें हमने चार विषयों में वर्गीकृत किया है, जैसा कि पहले बताया गया है। कुछ क्षेत्र भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और नए भारत 2022 से संबंधित हैं, जो देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं। कुछ क्षेत्र काफी समय से लंबित सुधारों से संबंधित हैं, जो राज्य सरकारों के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अतः परिवर्तन लाने में राज्यों के सहयोग एवं समन्वय की आवश्यकता है। इन पर निम्नलिखित पैराग्राफों में विस्तार से चर्चा की गई है:

## क. सामाजिक क्षेत्र

### क.1 स्वास्थ्य क्षेत्र

10.31 कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र एवं उसके जोखिमों ने काफी समय से लंबित चुनौतियों को उजागर किया है। महामारी ने, विशेष रूप से बच्चों में अल्पपोषण और मृत्युदर जैसी अनेक प्रकार की कमजोरियों को बढ़ाया है। इन पर अध्याय 9 में चर्चा की गई है। इस संबंध में कुल 31,755 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त, अध्याय 7 में स्थानीय शासनों के माध्यम से कुल 70,051 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की गई है। हमने स्वास्थ्य के लिए 4,800 करोड़ रुपए की राशि के साथ राज्य-विशिष्ट अनुदानों की भी अनुशंसा की है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल सहायता अनुदान 1,06,606 करोड़ रुपए है, जो हमारे द्वारा अनुशंसित कुल सहायता अनुदान का 10.3 प्रतिशत है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान शर्तरहित रहेंगे। इस सहायता को विस्तारित रूप में हमने अपनी पंचाट अवधि के प्रारंभ से ही अनुशंसा की है ताकि जारी महामारी के कारण उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

## क.II शिक्षा क्षेत्र

### विद्यालय शिक्षा

10.32 भारत के पास अभूतपूर्व जनसांख्यिकी का लाभ है, क्योंकि उसकी 65 प्रतिशत से अधिक की आबादी कामकाजी आयु की है। इस आबादी की औसत आयु उनतीस वर्ष है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो जनसांख्यिकीय लाभ उठाने में सहायता करेगी और यह उम्मीद की जाती है कि यह लाभ अगले दो दशकों तक मिलता रहेगा जिससे आर्थिक विकास में भारी योगदान प्राप्त होगा।

10.33 भारत शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 3 प्रतिशत खर्च करता है, जो विकसित देशों की औसत से काफी कम है। शिक्षा पर कुल व्यय का लगभग 84 प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। इस क्षेत्र में कम निवेश के अलावा, शिक्षा प्रणाली को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि खराब शिक्षण परिणाम, शिक्षकों के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण, शिक्षकों की खाली रिक्तियां एवं शिक्षकों का गैर-हाजिर रहना तथा एक प्रभावहीन विनियामक व्यवस्था। शिक्षा के प्रति जवाबदेही के मानदंड अभी भी विभिन्न स्तरों पर कमजोर हैं। प्रदर्शन के आधार पर, शिक्षा में अंतर-राज्य बहुत भिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए साक्षरता स्तर बिहार में 61.8 प्रतिशत है और केरल में 94 प्रतिशत है जिसके बीच काफी भिन्नता है। विद्यार्थी/शिक्षक अनुपात बिहार, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में काफी खराब है।

10.34 भारत सरकार ने जून, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) का अनुमोदन किया था। इसका उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, शिक्षा खर्च की वहनीयता, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के मूलभूत आधारों से संबंधित उपरोक्त विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है। इसमें शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं तथा उसके विनियमन एवं व्यवस्था में संशोधन तथा पुनर्निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि एक ऐसी प्रणाली सृजित की जा सके जिससे भारत की परंपराओं और नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए इक्कीसवीं शताब्दी को शिक्षा के महात्वाकांक्षी लक्ष्यों से संबद्ध किया जा सके। सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए और इस पर विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात, हमने यह निर्णय लिया है कि पूर्व-प्राथमिक तथा विद्यालय शिक्षा में व्यापक तौर पर सुधार लाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए।

10.35 प्रमुख निष्पादन संकेतकों को परिभाषित करने के लिए विभिन्न मानदंडों के संबंध में शिक्षा मंत्रालय (एमओई), नीति आयोग और अन्य विषय-विशेषज्ञों के साथ चर्चा की गई। शिक्षा मंत्रालय ने हमें बताया कि वह राज्यों के निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) वार्षिक रूप से प्रकाशित करता है, जो पांच विषयों/डोमेन को कवर करते हुए सत्तर पैरामीटर पर आधारित है। ये पांच विषय/डोमेन हैं: (क) शिक्षा परिणाम एवं गुणवत्ता, (ख) शिक्षा तक पहुंच, (ग) बुनियादी ढांचा एवं सुविधाएं, (घ) समानता और (ड.)

शासन प्रक्रिया। इस व्यापक सूचकांक में सभी मुख्य शिक्षा-संबंधी संकेतकों को सम्मिलित किया गया है। इन संकेतकों के भीतर, हमने राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु दस प्रमुख संकेतकों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये मानदंड मुख्य रूप से शिक्षा और समानता के परिणामों से संबंधित हैं।

10.36 अब भी एक मुख्य चिंता का विषय है, बुनियादी शिक्षा की पहुंच उपलब्ध कराने के बावजूद, स्कूल के छात्रों का खराब शिक्षण परिणाम है। तदनुसार, हमने पीजीआई द्वारा मापित कुछ शिक्षा परिणामों का चयन किया है और उनके लिए 60 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया है। एक और क्षेत्र जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, वह बालिकाओं की शिक्षा है, जो न केवल विवाहयोग्य आयु, प्रथम गर्भ धारण करने की आयु, कुल प्रजनन क्षमता एवं शिशु स्वास्थ्य और पोषण के लिए, अपितु भारतीय नागरिकों की अगली पीढ़ी के उत्थान के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच और सामान्य एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक छात्रों के बीच शैक्षिक अंतरों पर भी ध्यान दिया है। इन मुद्दों का समाधान करने हेतु, हमने 40 प्रतिशत के समग्र भारांक के साथ पीजीआई के भीतर कुछ समानता परिणाम संकेतकों का चयन किया है। पीजीआई सूचकांक के सब-सेट को अनुलग्नक 10.1 में दर्शाया गया है।

10.37 उपर्युक्त संकेतकों के आधार पर शैक्षिक परिणामों को बेहतर करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, हम 2022-23 से 2025-26 की अवधि हेतु 4,800 करोड़ रुपए (1,200 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष) की अनुशंसा करते हैं।

10.38 छः राज्यों को प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन देने के लिए हम निम्नलिखित अनुशंसाएं करते हैं:

- i. श्रेणी I: 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति राज्य का प्रोत्साहन, जिसे उन राज्यों को दिया जाना है जो पीजीआई में पहले तीन शीर्ष स्थानों पर रहे हों।
- ii. श्रेणी II: 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रति राज्य का प्रोत्साहन, जिसे उन राज्यों को दिया जाना है जो पिछले वर्ष की तुलना में पीजीआई स्कोर में सर्वाधिक सुधार लाए हों।

10.39 हमारी पंचाट अवधि के दौरान, किसी भी राज्य को श्रेणी-I में एक बार तथा श्रेणी-II में भी केवल एक बार प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जिसके साथ यह शर्त होगी कि दोनों श्रेणियों के लिए समान वर्ष में प्रोत्साहन नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी राज्य को इन किसी भी शर्तों के कारण प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता, तो उस श्रेणी में उसके बाद श्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अनुदान शिक्षा मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर जारी किए जाएंगे। राज्य द्वारा प्राप्त निष्पादन अनुदान का उपयोग शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक परिणामों को बेहतर करने के लिए किया जाएगा और राज्य के अन्य किसी भी विभाग द्वारा उसका उपयोग किसी और कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।



## उच्चतर शिक्षा

10.40 जनसांख्यिकी का सकारात्मक रूप से लाभ उठाने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शिक्षा को अधिक रोजगार एवं उद्यमशीलता अवसरों को प्राप्त करने की दिशा में सक्षम बनाया जाए। उच्चतर शिक्षा में देश के समक्ष जो मुख्य चुनौतियाँ हैं, उनमें उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में असमानताएं, रोजगार क्षमता, रोजगारपरक शोध एवं नवप्रवर्तन, संकाय सदस्यों की रिक्तियां, क्षमता निर्माण, बहु-विनियामक एजेंसियां, बड़ी संख्या में संबद्ध संस्थाएं (affiliated institutions) और पाठ्यचर्या में लोचनीयता का अभाव। इस प्रकार की चुनौतियां न केवल सीमित संसाधनों और वित्तपोषण के अभाव के कारण भी उत्पन्न होती हैं, बल्कि भावी नीति फ्रेमवर्क के अभाव के कारण भी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के कारण यह आवश्यक हो गया है कि जहां भी शिक्षा ग्रहण करने हेतु पारंपरिक एवं व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में (in-person modes) उपस्थित रहना संभव नहीं है, वहां गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की वैकल्पिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाए। प्रादेशिक भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी नितांत अभाव है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक समस्या है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने उच्चतर शिक्षा के लिए दो उप-श्रेणियों में अनुदानों की अनुशंसा की है: (क) ऑनलाइन शिक्षा का संवर्धन, और (ख) प्रादेशिक भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकास।

10.41 कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण, खासकर जब शैक्षिक संस्थाएं बंद हैं, ऑनलाइन शिक्षा की मांग बढ़ गई है। हम समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित 25 लाख विद्यार्थियों के लिए व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (MOOCs), डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) पाठ्यवस्तु विकास, डिजिटल कक्षाएं विकास और उपकरणों (लैपटॉप/टैब्लेट) के प्रावधान के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 5,078 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा करते हैं। राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण 2011 जनगणना की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। उपकरणों के लिए वितरण का विवरण संबंधित राज्यों द्वारा शिक्षा की मंत्रालय के परामर्श से निर्धारित किया जा सकता है।

10.42 हम यह भी आशा करते हैं कि उच्चतर शिक्षा तक पहुंच और ग्रामीण-शहरी अंतर के मुद्दे का समाधान, बेहतर अध्यापन एवं शिक्षण सामग्री तथा प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से किया जा सकता है। प्रादेशिक भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाना आवश्यक है, क्योंकि भारत की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में रहती है जिनके पास अंग्रेजी भाषा में गुणवत्ता शिक्षा की कोई पहुंच नहीं है। वर्तमान में, यह पाया गया है कि इन क्षेत्रों से संबंधित छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को चुनने के बारे में संशय में रहते हैं, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा, जो छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले भी लेते हैं, वे भी बीच में पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। विभिन्न हितधारकों, शिक्षा मंत्रालय सहित, के साथ परामर्शों के पश्चात, हम यह अनुशंसा करते हैं कि

प्रत्येक राज्य में दो महाविद्यालय- एक चिकित्सा और एक अभियंत्रण- अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों की अध्यापन एवं शिक्षण सामग्री को संबंधित राज्य की मान्यताप्राप्त प्रादेशिक भाषा (मातृभाषा) में परिवर्तित करें। यह एनईपी 2020 की संगतता में भी है, जिसका उद्देश्य देश में प्रादेशिक भाषाओं का पुनर्जीवित करना है। हमने मंत्रालय द्वारा सुझाए गए समान लागत मानदंडों को अपनाया है और तदनुसार प्रादेशिक भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए 2021-26 की अवधि हेतु पांच वर्षों के लिए 38 करोड़ रुपए प्रति राज्य के हिसाब से कुल 1,065 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है।

10.43 उच्चतर शिक्षा के लिए अनुदानों का घटक-वार विवरण तालिका 10.5 में दिया गया है। अतः भारत में उच्चतर शिक्षा के लिए प्रादेशिक भाषाओं (मातृभाषा) में ऑनलाइन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के शिक्षा एवं विकास के लिए 6,143 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं। इस अनुदान का प्रबंध शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। राज्य-वार एवं वर्ष-वार अनुदानों का विवरण अनुलग्नक 10.2 में दिया गया है।

तालिका 10.5 : उच्चतर शिक्षा के लिए अनुदानों का घटक-वार विभाजन

वर्ष	ऑनलाइन				प्रादेशिक भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकास	कुल
	एमओओसी का विकास	डीटीएच	उपकरण	डिजिटल कक्षाएं		
2021-22	68	3	449	400	213	1133
2022-23	83	5	463	413	213	1177
2023-24	129	13	477	427	213	1259
2024-25	148	14	492	436	213	1303
2025-26	91	11	505	451	213	1271
<b>कुल</b>	<b>519</b>	<b>46</b>	<b>2386</b>	<b>2127</b>	<b>1065</b>	<b>6143</b>

## ख. कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अवसंरचना

### ख. I कृषि सुधारों, आत्मनिर्भरता, निर्यात एवं संधारणीयता के लिए प्रोत्साहन

10.44 कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अनवरत रूप से बड़ी भूमिका निभाता आ रहा है। कृषि का सकल



मूल्यवर्धन (2019-20) में 17.7 प्रतिशत और कुल कार्यबल में 44 प्रतिशत का योगदान है।<sup>1</sup> इस क्षेत्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 को हासिल करने में भी बड़ी महत्ता है। कृषि क्षेत्र भूख और पोषण, ग्रीन हाउस गैस-उत्सर्जनों एवं पर्यावरण की गुणवत्ता के मुद्दों का समाधान भी करता है तथा प्राकृतिक संसाधन संधारणीयता का महत्वपूर्ण निर्धारक भी है।

10.45 पिछले तीन दशकों के दौरान, कृषि उत्पादन में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रवृत्ति दर से वृद्धि हुई है और हाल ही के दशक के दौरान इसमें 3.60 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। दूसरी तरफ, जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 1.1 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। जबकि कृषि-खाद्य उत्पादन का लगभग उसी वृद्धि दर से बढ़ने का पूर्वानुमान है, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति आगे भी जारी रहेगी। चूंकि जनसंख्या वृद्धि उत्पादन वृद्धि दर के अनुपात से नहीं बढ़ रही है, इसलिए घरेलू उत्पादन और मांग में वृद्धि के बीच असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।

10.46 भारत के पास अब कई घरेलू उत्पादन कमोडिटीज (जिंस) का अधिशेष है जिसे बेचने के लिए उसे विदेशी बाजारों की जरूरत है ताकि कृषि मूल्यों में तेज गिरावट को टाला जा सके। इसके लिए उत्पादन में बेहतर दक्षता और अच्छे कार्यान्वयन व संचालन (लॉजिस्टिक) की जरूरत है। कृषि की विकास दर अभी तक मुख्य रूप से कृषि उत्पाद के मूल्यों और इनपुट सब्सिडियों पर आधारित रही है। इनसे कृषि उत्पाद बाजार में गंभीर विकृतियां उत्पन्न होती हैं जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का असंधारणीय (unsustainable) उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक दबाव जल संसाधनों का पड़ता है, क्योंकि देश में आधे से अधिक ऑबजर्वेशन कुओं के भूमि जल स्तर में काफी कमी आई है। ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि किसानों को कुछ फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि बाजार अपेक्षित रूप से प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। देश में भूमि पट्टा संबंधी कानून ऐसे हैं कि उनके अनुसार न तो खेतीयोग्य भूजोतों का विस्तार किया जा सकता है, और न ही खेती करना छोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर, परिणाम यह रहा है कि कृषि क्षेत्र कमजोर प्रतिस्पर्धा, न्यून उत्पादन दक्षता, प्राकृतिक संसाधनों का अव्यवहार्य उपयोग तथा किसानों के लिए कम लाभ/मुनाफा के कारण प्रभावित हो रहा है।

10.47 कृषि की वर्तमान स्थिति के लिए मुख्य कारण अपेक्षित नीति सुधारों और विकास पहलों का अभाव है। अपनी 2020-21 की प्रथम रिपोर्ट में हमने यह अनुशांसा की थी कि राज्य वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए तभी पात्र होंगे, यदि उन्होंने कृषि मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए तीन नए अधिनियमों के सभी प्रावधानों को लागू और कार्यान्वित किया होगा: मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (एपीएलएम) अधिनियम, (ख) मॉडल संविदा कृषि अधिनियम और (ग) आदर्श कृषि भूमि पट्टा अधिनियम।

10.48 यहां उल्लेख करना उचित है कि हमारे द्वारा अनुशांसित इन तीन नीतिगत सुधारों में से, संघ सरकार ने

<sup>1</sup> कृषि से तात्पर्य फसलों, पशुधन, मात्स्यिकी और वानिकी से है।

दो अधिनियम पारित कर दिए हैं (क) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (ख) कृषक (सशक्तिकरण और संरचना) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 आयोग का मानना है कि चूंकि ये दो अधिनियम पहले से लागू हो चुके हैं, आयोग के लिए यह जरूरी नहीं है कि वे राज्यों को मॉडल एपीएलएम अधिनियम और मॉडल आदर्श संविदा खेती अधिनियम फार्मिंग अधिनियम को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करे। तथापि, कृषि भूमि पट्टाकरण संबंधी आदर्श अधिनियम अभी भी हमारे एजेंडा में है।

10.49 इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, हमने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय सहित विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श किए ताकि हम राज्यों के लिए कृषि-संबंधित निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। इस प्रयास में हमारे निम्नलिखित उद्देश्य थे (क) कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों को एक अवसर में बदलना; (ख) ऐसी क्रियाविधि सृजित करना जिनसे कृषि स्थायी तौर पर बेहतर प्रदर्शन करे: (ग) छोटी भू-जोत एवं बंटाई पर खेती कर रहे किसानों की आय बढ़ाना; (घ) मांग-आधारित उत्पादन को बढ़ावा देना; (ङ) बढ़ते अधिशेष उत्पादन के अनुरूप निर्यातों में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन देना; और (च) कृषि-खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को गति प्रदान करना।

10.50 गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात, हमने नीतियों, निवेशों, विकास संबंधी पहलों और परिणामों को कवर करते हुए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों के लिए चार क्षेत्रों और मानदंडों का चयन किया है:

- i. भूमि पट्टा सुधार,
- ii. खेती में जल का उचित एवं दक्षतापूर्ण उपयोग,
- iii. निर्यात संवर्धन, और
- iv. आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान.

10.51 प्रत्येक मानदंड के लिए 25 प्रतिशत का बराबर भारांक निर्धारित किया गया है। इन मानदंडों तथा उनके आधार पर निर्धारित किए गए उद्देश्य एवं लक्ष्य को तालिका 10.6 में प्रस्तुत किया गया है।

## तालिका 10.6: कृषि सुधारों के लिए निष्पादन-आधारित अनुदानों हेतु पैरामीटर, लक्ष्य और भारांक

क्र. सं.	प्रयोजन	लक्ष्य/उद्देश्य	भारांक 1-100
1	भूमि पट्टा सुधार	कृषि भूमि पट्टे के उदारीकरण और मान्यता देने के लिए कानूनी उपबंध सृजित करना	25
2	कृषि में जल का उचित एवं दक्षतापूर्ण उपयोग	भूमि जलभूमि जल का अनुरक्षण एवं वर्धन करना और भूमि जल स्रोत में गिरावट को नियंत्रित करना	25
3	अधिशेष उत्पादन के लिए निर्यात को बढ़ावा देना और किसानों के लिए बेहतर लाभ/मूल्य प्राप्त करना	कृषि क्षेत्र के निर्यातों में वृद्धि करना	25
4	तिलहनों, दलहनों, काष्ठ एवं काष्ठय (wood) आधारित उत्पादों में आत्मनिर्भर भारत	2011-12 से 2017-18 के दौरान औसत वृद्धि दर की तुलना में तीन कोमोडिटीज में दोगुनी वृद्धि करना	25

### भूमि पट्टा संबंधी सुधार

10.52 जैसा कि उपर्युक्त में वर्णित किया गया है, भूमि पट्टा उदारीकरण हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में रेखांकित किए गए तीन नीति सुधारों में से एक है। कृषि भूमि पट्टे का चलन बढ़ रहा है, लेकिन भूमि पट्टे पर लेने वाले या बंटाई पर खेती करने वाले लोगों की कृषि भूमि को मान्यता नहीं दी गई है, क्योंकि पट्टा करार (agreements) ज्यादातर अनौपचारिक होते हैं।

10.53 कुछ राज्यों में 40 प्रतिशत से अधिक खेतीयोग्य भूमि पट्टे पर दी गई है। पट्टे पर भूमि लेने वाले लोग असुरक्षित माहौल में कार्य करते हैं क्योंकि उन्हें कानून द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) जैसी सरकारी योजनाओं तथा संस्थागत ऋण के लाभों से वंचित रहना पड़ता है। नीति आयोग द्वारा गठित एक समिति ने इस मुद्दे पर गहनता से विचार किया और एक कृषि भूमि पट्टाकरण संबंधी आदर्श अधिनियम का प्रस्ताव किया, जिसे राज्य द्वारा अपनाया जाना है। नीति आयोग ने राज्यों को एक मॉडल के रूप में ड्राफ्ट मॉडल कानून का प्रयोग कर भूमि पट्टा अधिनियमों को पारित करने की दिशा में राज्यों से आगे बढ़ने के बारे में बातचीत भी की। फिलहाल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने मॉडल कानून को आंशिक रूप से अपनाया है। उत्तर प्रदेश ने अपनी राजस्व संहिता को संशोधित करने हेतु एक अधिनियम पारित किया है और किसी भी भूस्वामी द्वारा किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, भागीदारी फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी या किसी अन्य विधिक इकाई (एंटिटी) को कृषि के लिए या सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने हेतु पंद्रह वर्षों के लिए भूमि पट्टे पर देने का प्रावधान किया है। इस नवप्रवर्तनशील दृष्टिकोण से नीति आयोग द्वारा परिचालित मॉडल भूमि पट्टा कानून के उद्देश्य की पूर्ति होती है।

10.54 हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य अपने भूमि-संबंधित कानूनों को नीति आयोग के मॉडल कानून के अनुरूप उचित रूप से आशोधित करें ताकि कृषि प्रयोजन के साथ-साथ कृषि-उद्योग, कृषि व्यापार के लिए लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए कृषि भूमि को अल्पावधि एवं दीर्घावधि पट्टे पर दिया जा सके।

### जल का उचित एवं दक्षतापूर्ण उपयोग

10.55 भारत को अपने जल संसाधनों पर गंभीर एवं बढ़ते दबावों का सामना करना पड़ रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में भूमि जल स्तर चिंताजनक गति से घट रहा है जिसके कारण 600 मिलियन लोगों को जल का पहले से ही अत्यधिक दबाव झेलना पड़ रहा है। जल की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर के बावजूद, भारत की नीतियां एवं रीतियां जल के अपव्यय को बढ़ावा देने वाली हैं। कृषि क्षेत्र देश में कुल उपयोग किए गए जल का लगभग 90 प्रतिशत उपयोग करता है और इसके बावजूद कृषि के तहत आधा क्षेत्रफल वर्षा सिंचित है। हम अन्य प्रमुख कृषि देशों की तुलना में जल का अधिक उपयोग करते हैं, ताकि उनके समान कृषि उपज प्राप्त कर सकें। परिणामस्वरूप, किसान अपने खेतों में बड़े पैमाने पर जल का उपयोग करते हैं। किसानों द्वारा बाढ़ से सिंचाई, अधिकतम राज्यों में कृषि के लिए जलापूर्ति एवं भूमिगत जल दोहन के लिए बिजली मुफ्त दिया जाना तथा अन्य राज्यों में भारी मात्रा में सब्सिडी दिया जाना इसका मुख्य कारण है।

10.56 कृषि में जल का उपयोग कम करने या उसे युक्तिसंगत बनाने के कम से कम तीन तरीके हैं। पहला, कृषि के लिए मुफ्त या सब्सिडाइज्ड (subsidised) बिजली आपूर्ति की बजाय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) दिए जाएं, ताकि कृषि के लिए बिजली आपूर्ति हेतु पर्याप्त रूप से प्रभार (charge) लिया जाए। इससे जल का उचित रूप से उपयोग किया जाएगा और ज्यादा सिंचाई वाली फसलों के बजाय, अन्य फसलें उगाई जाएंगी। दूसरा, नई प्रौद्योगिकियों, जैसे कि ड्रिप, स्प्रींकलर, सेंसर-आधारित सिंचाई को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त की जा सके। तीसरा, भू-स्तरों और भूमि जल की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु वर्षा जल का संचयन और संरक्षण किया जाना चाहिए। इन तीनों उपायों से पड़ने वाले प्रभाव को भूमि जल स्रोत (groundwater table), में परिवर्तन के रूप में आंका जा सकता है, जिसकी निगरानी जलशक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा नियमित तौर पर की जाती है। तदनुसार, हम उन राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित अनुदानों की अनुशंसा करते हैं, जो भूमि जल स्रोत का अनुरक्षण और उसका वर्धन करते हैं तथा भूमि जल में कोई भी गिरावट को रोकने का प्रयास करते हैं।

## निर्यात संवर्धन

10.57 भारत कृषि-खाद्य में एक व्यापार अधिशेष ( यानी निर्यात, आयात की तुलना में अधिक ) निर्यातक देश है, जो अपने घरेलू उत्पादों का 7प्रतिशत निर्यात करता है। भारतीय कृषि उस चरण में पहुंच चुकी है, जहां घरेलू मांग में वृद्धि घरेलू उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कम है, जिसके कारण घरेलू बाजार में अधिशेष बढ़ रहा है। निर्यात के लिए घरेलू उत्पादन का हिस्सा अगले दशक में भी बढ़ता रहेगा। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक होने के फलस्वरूप, भारत का वैश्विक बाजार में योगदान मात्र 2.5 प्रतिशत है। भारत के पास कृषि निर्यातों को बढ़ाने की अपार संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने दिसंबर, 2018 में कृषि निर्यात नीति जारी की जिसका उद्देश्य 2017 में प्राप्त स्तर की तुलना में कृषि निर्यातों के स्तर को 2022 तक दोगुना करना है। हम राज्यों के निर्यात निष्पादन के लिए इस लक्ष्य को एक संकेतक के रूप में अपने पंचाट के लिए प्रयोग करने का प्रस्ताव करते हैं।

10.58 भारतीय कृषि और किसानों के लिए निर्यातों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, हमने कृषि निर्यातों के संबंध में परिवर्तनकारी बल देने हेतु नीतिगत परिवर्तनों और रणनीति का सुझाव प्राप्त करने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ( एचएलईजी ) गठित किया था। वैश्विक व्यापार के प्रवाह की समीक्षा, खाद्य एवं कृषि प्रवृत्तियों, भारत और विदेश में सफलता के उदाहरणों, चयनित मूल्य श्रृंखलाओं की समीक्षा तथा सरकारों, विशेषज्ञों, उद्योग, किसानों और कमोडिटी बोर्डों के विचार-विमर्शों की समीक्षा करने के पश्चात, एचएलईजी ने कृषि निर्यातों<sup>2</sup> को दोगुना करने के लिए उल्लेखनीय एवं व्यवहारिक अनुशंसाएं की। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:

i. बाईस फसल मूल्य श्रृंखलाओं ( आयात प्रतिस्थापन के लिए दो सहित ) पर ध्यान केंद्रित करना, जिनमें भारत के निवल निर्यातों को मध्यावधि में लगभग दोगुना करने की संभावना हो। इनमें से, सात मूल्य श्रृंखलाओं ( चावल, झींगा, मसाले, भैंस का मांस, फल एवं सब्जियां निर्यात के लिए; और आयात प्रतिस्थापन हेतु वनस्पति तेल तथा काष्ठ ) को लक्षित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अपनी विविधता के आधार पर, ये श्रृंखलाएं अगले चरण में अन्य मूल्य श्रृंखलाओं के लिए प्रकाश स्तंभों के एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य कर सकती हैं।

ii. मांग और आपूर्ति दोनों में प्रमुख चुनौतियों का समाधान कर, एक क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से इन कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं में समग्र रूप से सहायता दी जानी चाहिए। इससे उत्पादकता बढ़ेगी, गुणवत्ता में सुधार आएगा, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित होगा और लागत प्रभावकारिता तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसके साथ-साथ बाजार की पहुंच बेहतर करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

<sup>2</sup> विवरण एचएलईजी रिपोर्ट में <https://fincomindia.nic.in/ShowContentOne.aspx?id=27&Section=1> पर देखे जा सकते हैं।

- iii. मूल्यवर्धित उत्पादों के माध्यम से बाजारोन्मुख (market orientation) को सुनिश्चित करने हेतु मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों का प्रबंध निजी क्षेत्र मूल्य श्रृंखला कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए।
- iv. लक्षित कॉमोडिटीज के लिए मूल्य श्रृंखला क्लस्टर विकसित करने हेतु राज्यों को व्यापक योजनाएं बनाकर इस दिशा में प्रयास हेतु अगुवाई करनी चाहिए।
- v. इन योजनाओं के कार्यान्वयन में संघ सरकार की भूमिका बहुत अहम होगी। आयात करने वाले देशों के साथ बेहतर व्यापार संबंध और मोल-भाव संधियां (negotiating treaties) करना पूर्ण रूप से संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। संघ सरकार को आयातक देशों में विमानन एवं बंदरगाहों, राष्ट्रीय राजमार्गों और भंडारगृहों (वेयरहाउसिस) हेतु बुनियादी ढांचे में निवेश करना होगा/या निवेश में समर्थन देना होगा और गंतव्य बाजारों (destination markets) में 'ब्रांड इंडिया' स्थापित करना होगा।
- vi. एक उच्चाधिकार समिति के रूप में, एक केंद्रीय निकाय पूर्ण सचिवालय के साथ स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी हितधारक समूहों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल किए जाने चाहिए। इस सेट-अप में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव या नीति आयोग के सदस्य (कृषि) मॉनीटरिंग मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।
- vii. लॉजिस्टिक की उच्च लागत हमारे कृषि निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है, जिसका समाधान उपयुक्त नीतिगत पहलों के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

10.59 एचएलईजी का मानना है कि अनुशंसित दृष्टिकोण से कार्यान्वयन के कुछ वर्षों के बाद भारत का कृषि निर्यात यूएस\$ 40 बिलियन से बढ़कर यूएस\$ 70 हो जाएगा, जबकि सभी प्रकार के इनपुट्स, अवसंरचना, प्रसंस्करण और डिमांड इनेबलर्स के रूप में यूएस\$ 8-10 बिलियन का अनुमानित निवेश भी आएगा। अतिरिक्त निर्यातों से मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ सात से दस मिलियन नौकरियां सृजित हो सकती हैं और इसके अलावा किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, हम किसी राज्य के निर्यात निष्पादन हेतु प्रोत्साहन के लिए एक लक्षित संकेतक के रूप में कृषि निर्यातों में वृद्धि को शामिल करने की अनुशंसा करते हैं।

### आत्मनिर्भर भारत की दिशा में योगदान

10.60 भारत को मेक-इन-इंडिया के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हाल ही में काफी जोर दिया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सेक्टर होने के नाते, कृषि को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य



हासिल करने में बड़ी भूमिका निभानी होगी। कुछ कमोडिटीज के बढ़ते भंडार और अधिशेष तथा विशाल अप्रयुक्त भूमि होने के बावजूद, अन्य कृषि कमोडिटीज की भारत में काफी कमी है।

10.61 गेहूं और चावल पर केंद्रित रहते हुए, हरित क्रांति से देश में दलहनों और तिलहनों की फसलों के उत्पादन को कोई बढ़ावा नहीं मिला। इसके अलावा, वैश्विक बाजार में दलहनों की उपलब्धता भी बहुत सीमित है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर आयात करने की गुंजाइश बहुत कम है। परिणामस्वरूप, दलहनों की प्रति व्यक्ति घरेलू उपलब्धता 1961 में 69 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन से घटकर हाल ही के वर्षों में 55 ग्राम हो गई है। भारत के अधिकांश लोगों के लिए दलहनें प्रोटीन एवं पोषण का मुख्य स्रोत है और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट से अल्पपोषण एवं कुपोषण बढ़ने लगा है। वनस्पति तेल के लिए भारत की 60 प्रतिशत से भी अधिक घरेलू मांग की पूर्ति आयातों से की जाती है, जिसका मूल्य 69,000 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार से, देश अपनी 40 प्रतिशत से भी अधिक की गैर-ईंधन लकड़ी आवश्यकता की पूर्ति आयातित काष्ठ एवं काष्ठ उत्पादों से करता है, जिसका मूल्य 2018-19 में 42,000 करोड़ रुपए था, और यह वनस्पति तेल<sup>3</sup> के बाद दूसरी सबसे बड़ी कृषि-आयातित कोमोडिटी थी।

10.62 देश में वानस्पतिक आवरण रहित बड़े पैमाने पर बंजर भूमि है, जिसके गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव हैं। वृक्षों को काटने और वनोत्पाद के पारगमन तथा काष्ठ-आधारित उद्योगों को स्थापना हेतु राज्य के कानून वनों को बाहर वृक्ष उगाने और निजी भूमियों पर काष्ठ उत्पादन के लिए मुख्य बाधाएं हैं। वृक्षों को काटने और उनके परिवहन के संबंध में तथा काष्ठ-आधारित उद्योगों के लिए विनियमनों में रियायत देने के रूप में, विनियामक तंत्र (regulatory focus) में परिवर्तन कर निजी भूमियों पर मूल्यवान वृक्ष प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहित करने में सहायता मिलेगी। हम दलहनों, खाद्य तेलों और काष्ठ एवं काष्ठ उत्पादों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक संकेतको के रूप में तिलहनों, दलहनों, और काष्ठ एवं काष्ठ-आधारित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने की अनुशंसा करते हैं।

10.63 तालिका 10.6 में प्रस्तुत निष्पादन मानदंडों में से एक, यानी कृषि भूमि पट्टाकरण संबंधी आदर्श अधिनियम को लागू करना मात्र एक बार उठाए जाने वाला नीतिगत उपाय है। हमारी पंचाट अवधि (2021-26) के दौरान यदि कोई राज्य इस नए अधिनियम को अधिसूचित करता है, तो वह निर्धारित प्रोत्साहन का 1/5 हिस्सा प्राप्त करने का पात्र होगा। अन्य पैरामीटर चरण-वार वार्षिक प्रगति से संबद्ध हैं। इनका मापन निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन की राशि परिकलित करने के लिए वार्षिक आधार पर किया जाएगा। राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित अनुदानों को अनुमानित करने के लिए कार्यप्रद्धति (methodology) तथा उनके निष्पादन की सीमा को मापने के लिए वास्तविक संकेतकों का ब्यौरा अनुलग्नक 10.3 में दिया गया है।

10.64 हमारी पंचाट अवधि के दौरान कृषि सुधार लाने हेतु हम अनुशंसा करते हैं कि 45,000

<sup>3</sup> भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका, भारतीय रिजर्व बैंक।

करोड़ रुपए राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित अनुदानों के रूप में रखे जाने चाहिए। इन अनुदानों का वितरण प्रत्येक राज्य में कृषि में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) (2018-19 के वास्तविक आंकड़ों एवं 2019-20 के हमारे अनुमानों का औसत) के आधार पर राज्यों के बीच किया जाएगा, जिसका ब्यौरा अनुलग्नक 10.4 पर दिया गया है। नीति आयोग प्रत्येक राज्य में संकेतकों की निगरानी और रिपोर्टिंग की प्रगति के लिए नोडल एजेंसी होगा और वह वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर निष्पादन-आधारित अनुदान को जारी करने की अनुशंसा करेगा।

### अवशिष्ट निधि (Residual Fund) का वितरण

10.65 यह संभव है कि कृषि के लिए निष्पादन-आधारित अनुदान की पूर्ण राशि प्राप्त करने हेतु सभी चार लक्ष्यों/उद्देश्यों को हासिल करने में कुछ राज्य सफल न हो पाएं। इसके कारण पांच वर्षों की अवधि में निष्पादन अनुदानों की कुछ राशि अप्रयुक्त रह सकती है। हम अनुशंसा करते हैं कि इस अप्रयुक्त राशि को उन राज्यों के बीच वितरित किया जाए जो कम से कम 25 प्रतिशत का समग्र स्कोर प्राप्त करते हैं। प्रत्येक पात्र राज्य की हिस्सेदारी सभी पात्र राज्यों के कुल कृषि जीवीए में उनकी संबंधित हिस्सेदारी के आधार पर तय की जाएगी।

10.66 इस निष्पादन अनुदान का उपयोग राज्यों द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास से संबंधित बुनियादी ढांचे और कार्यकलापों के लिए ही किया जाना चाहिए।

### ख. II पीएमजीएसवाई सड़कों का रखरखाव

10.67 टीओआर का पैरा 6 (iii) उल्लेख करता है कि 'अपनी अनुशंसाएं करते समय आयोग अन्य बातों के अलावा, राज्य सरकारों की संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसंरचना के वित्तपोषण, आस्ति रखरखाव व्यय पर विचार करेगा।'

10.68 ग्रामीण सड़कों को ग्रामीण विकास के लिए उत्प्रेरक और गरीबी उन्मूलन के लिए अहम माना जाता है। पीएमजीएसवाई की शुरुआत दिसंबर, 2000 में की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी पात्र रिहायशी क्षेत्रों को प्रत्येक मौसम में सड़क संपर्क (connectivity) उपलब्ध कराना है। अभी तक 6.32 लाख कि.मी. सड़क लंबाई निर्मित की गई है, जो ग्रामीण सड़क नेटवर्क की लगभग एक-चौथाई है। इस विशाल परिसंपत्ति के रखरखाव के लिए एक आवर्ती एवं अनवरत निधि प्रवाह की आवश्यकता होती है।



10.69 ग्रामीण सड़कों पर प्रायः यातायात की आवाजाही में कई गुणा वृद्धि हो जाती है, इसलिए उसके निरंतर स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत सड़कों के रखरखाव के लिए पांच-वर्षीय गारंटी अवधि ( five-year guarantee period concept ) की संकल्पना आरंभ की गई थी। अभी तक 1.63 लाख कि.मी. सड़कें ( 25.8 प्रतिशत ) इस गारंटी अवधि के भीतर हैं और इस प्रकार 4.69 लाख कि.मी. सड़क ( 74.2 प्रतिशत ) का स्तरोन्नयन किया जाना है। हालांकि सड़कों के नियमित रखरखाव की लागत का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा मूल लागत में किया जाता है, लेकिन गारंटी-उपरांत अवधि में सड़कों के रखरखाव की बढ़ती देयता एक चुनौती बनती जा रही है। 2015 के पश्चात, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं ( सीएसएस ) के वित्तपोषण पैटर्न में बदलाव के पश्चात राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ गया है और अधिकतर राज्य सड़कों के रखरखाव एवं स्तरोन्नयन के लिए निधियां उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। यह वित्तीय दबाव कोविड-19 महामारी के उपरांत और भी बढ़ गया है, इसलिए राज्यों के लिए आवश्यक हो जाता है कि वे इसका वित्तपोषण पूर्णतः अपने स्वयं के स्रोतों से करें।

10.70 ग्रामीण विकास मंत्रालय ( एमओआरडी ) ने हमें बताया है कि अभी तक निर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों का कुल परिसंपत्ति मूल्य लगभग 3.16 लाख करोड़ रुपए है। यदि समय-समय पर इन सड़कों का रखरखाव नहीं किया गया, तो सड़कों की हालत बहुत जल्द ही बिगड़ जाएंगी। सड़कों के रखरखाव की लागत मैदानी क्षेत्रों में लगभग 12-15 लाख रुपए प्रति कि.मी. और पहाड़ी क्षेत्रों में 14-17 लाख रुपए प्रति कि.मी. है। वर्तमान में, 0.6 करोड़ रुपए प्रति कि.मी. की निर्माण लागत के हिसाब से पांच वर्ष-अवधि उपरांत अब 4.69 लाख कि.मी. सड़कों के कुल प्रतिस्थापन मूल्य लगभग 2.81 लाख करोड़ है। मंत्रालय ने उन सड़कों के लिए राज्यों हेतु 73,142 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान करने का अनुरोध किया है, जो हमारी पंचाट अवधि के दौरान पांच-वर्ष-उपरांत वाली श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगी।

10.71 हमारा मानना है कि पांच-वर्ष की रखरखाव करार अवधि समाप्त होने के पश्चात पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए प्रावधान किया जाना महत्वपूर्ण है। हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय से सड़कों के रखरखाव पर पांच वर्षों की अवधि के लिए पूर्व-अनुमानित व्यय को विचार में रखकर रखरखाव लागत को आंशिक रूप से कवर करने हेतु अनुदानों की अनुशंसा की है। हमने एनईएच राज्यों के लिए कुल रखरखाव लागत का उच्च अनुपात रखा है, क्योंकि उन्हें अपने सड़क के बुनियादी ढांचे के रखरखाव में ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब तक राज्य इन लागतों की पूर्ति स्वयं नहीं कर पाते हैं, हमने सामान्य राज्यों के लिए पूर्व-अनुमानित रखरखाव लागत के 25 प्रतिशत का प्रावधान किया है और यह परिकल्पित अनुदान राशि कुल 14,743 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार से, एनईएच राज्यों के लिए हमने पूर्वानुमानित रखरखाव लागत के 90 प्रतिशत का प्रावधान किया है, और परिकल्पित कुल अनुदान 12,796 करोड़ रुपए है।

10.72 अतः हमारी पंचाट अवधि हेतु, हम 2021-26 की अवधि के लिए पीएमजीएवाई सड़कों के रखरखाव हेतु 27,539 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं, जिसमें से 14,743 करोड़ रुपए सामान्य राज्यों के लिए और 12,796 करोड़ रुपए एनईएच राज्यों के लिए हैं। इस राशि से पांच-वर्ष की रखरखाव अवधि से बाहर हो जाने वाली सड़कों के लगभग 2.21 लाख कि. मी. को कवर किए जाने की उम्मीद है। इस अनुदान को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शासित किया जाएगा। राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक 10.5 में दिया गया है।

## ग. शासन एवं प्रशासनिक सुधार

### ग.1 न्यायपालिका

10.73 एसडीजी लक्ष्य संख्या 16, अर्थात् शांति, न्याय और मजबूत संस्थाओं के कार्यान्वयन में दक्ष न्याय प्रदान करने की प्रणाली एक बहुत ही प्रमुख घटक है। विधि और न्याय मंत्रालय में न्याय विभाग के साथ हमारे परामर्शों के दौरान, हमें यह बताया गया कि राज्य सरकारें चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के उपरांत बढ़े हुए कर अंतरण के बावजूद भी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रावधान किए हैं।

10.74 नवीनतम आंकड़ों से ज्ञात होता है कि देशभर में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में अभी भी लगभग 3.20 करोड़ मामले (cases) लंबित हैं जिसके कारण न्याय देने में अत्यधिक देरी हो रही है। जेलों में दो-तिहाई कैदी विचाराधीन कैदी हैं, और उन्हें मुकदमों में अनावश्यक विलंब के कारण जेलों में रहना पड़ता है। आर्थिक मुकदमों वाले मामलों में देरी हो रही है एवं लंबित मामले बढ़ रहे हैं और इससे लंबित परियोजनाओं, बढ़ती कानूनी लागतों, मुकदमों पर खर्च किए गए राजस्वों और घटते निवेश के संदर्भों में, इसे न्याय देने में विलंब से अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

10.75 न्याय विभाग ने फास्ट-ट्रैक न्यायालयों, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO/पोक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों के निर्माण, न्यायालय परिसरों में उपयुक्त सुविधाओं हेतु सभी राज्यों के लिए 19,312 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव भेजा था। गहन विचार-विमर्शों के पश्चात, हम जघन्य अपराधों वाले मामलों में शीघ्रता से न्याय देने के लिए, अधिकारों से वंचित (मार्जिनलाइज्ड) लोगों के सिविल मामलों, आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों, जो पांच वर्षों से भी ज्यादा पुराने हैं तथा पोक्सो मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के लिए 10,425 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं। विभाग ने नए फास्ट-ट्रैक न्यायालयों को शुरू करने तथा वर्तमान फास्ट-ट्रैक न्यायालयों के संचालन के लिए 82.50 लाख रुपए प्रति न्यायालय प्रति वर्ष की अनुमानित लागत बताई है। इस लागत के आधार पर, 2,530 फास्ट-ट्रैक न्यायालय

स्थापित और पांच वर्षों तक अनुरक्षित किए जा सकेंगे। हम अनुशंसा करते हैं कि पोक्सो मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालयों हेतु प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की संख्या, 2018 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा में उल्लिखित अपराध दर के आधार पर है।

10.76 हम इस बात से आश्वस्त हैं कि इस आयोग द्वारा न्यायपालिका के लिए अनुशंसित अनुदानों से कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मामलों के शीघ्रता से निपटान को सुसाध्य बनाने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी, जिससे न्याय प्रदान करने की प्रणाली की दक्षता में सुधार आएगा। इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर समाज तथा अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ मिलेगा। राज्य-वार अनुदानों का विवरण अनुलग्नक 10.6 में दिया गया है। इस अनुदान को विधि एवं न्याय मंत्रालय में न्याय विभाग द्वारा शासित किया जाएगा।

## ग.II सांख्यिकी

10.77 कोई भी नीति बनाने, उसके कार्यान्वयन और अनुवर्ती निगरानी के लिए विश्वसनीय सांख्यिकी (statistics) बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण और उनके प्रसार की प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में राज्य-वार अनुदानों के लिए एक व्यापक कार्यान्वयन रणनीति एवं अनुशंसाओं के साथ आगामी पांच वर्षों के लिए अपेक्षाओं को शामिल किया गया है। हम यह मानते हैं कि उत्कृष्ट सांख्यिकी को समयबद्ध प्रक्रिया में प्रस्तुत करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किए जाने से आने वाले समय में प्रभावकारी नीति बनाने में काफी सहायता मिलेगी।

10.78 राज्यों के लिए सांख्यिकी हेतु अनुदान में एक स्थायी एवं एक परिवर्तनशील अनुदान (variable grant) का मिश्रण है। सभी राज्यों के लिए प्रति जिला 1 करोड़ रुपए के नियत अनुदानों की अनुशंसा की जाती है कि ताकि वे अपने बुनियादी सांख्यिकीय कार्यों को पूरा कर सकें। राज्यों के लिए परिवर्तनशील अनुदानों की एक अतिरिक्त राशि का प्रावधान दो मानदंडों के आधार पर किया गया है: (क) सांख्यिकीय क्षमता और विकास का स्तर; और (ख) सांख्यिकीय कार्यकलापों पर विगत व्यय के आधार पर उपयोग करने की क्षमता। किसी राज्य की सांख्यिकीय क्षमता एवं विकास का आकलन अनेक मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जैसे कि मौजूदा जनशक्ति, जिला घरेलू उत्पाद संकलन की स्थिति, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उद्योगों की राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण और वार्षिक सर्वेक्षण में प्रतिभागिता और अन्य प्रकाशित सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का प्रकाशन। चयनित पैरामीटर्स पर राज्यों के लिए निर्धारित किए गए अंकों (स्कोर) के आधार पर, उन्हें तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है और प्रति जिला परिवर्तनशील अनुदानों को प्रत्येक के लिए अनुशंसित किया गया है।

10.79 अंकों के आधार पर, राज्यों का तीन समूहों में वर्गीकरण और प्रति जिला परिवर्तनशील अनुदान की प्रस्तावित राशि का ब्यौरा तालिका 10.7 में दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक 10.7 में दिया गया है।

### तालिका 10.7: सांख्यिकी के लिए परिवर्तनशील अनुदानों हेतु राज्यों की श्रेणियां

समूह	कुल उपलब्ध संकेतकों के आधार पर औसत स्कोर	प्रति जिला परिवर्तनशील अनुदान की प्रस्तावित राशि	राज्यों के नाम
I	0.70 से अधिक या उसके बराबर	50 लाख रुपए	आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल(9)
II	0.5 से अधिक या उसके बराबर, लेकिन 0.70 से कम	75 लाख रुपए	असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, सिक्किम (8)
III	0.5 से कम	1 करोड़ रुपए	अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड (11)

10.80 विशेषज्ञों के साथ गहन विचार-विमर्शों के पश्चात, हमने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अपेक्षित कार्यकलापों की व्यापक रूपरेखा को स्वीकार किया है, जिसे तालिका 10.8 में दर्शाया गया है। तथापि, संकेतकों की यह सूची सांकेतिक है और उसे राज्यों के परामर्श से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संशोधित एवं अंतिम रूप दिया जा सकता है।

## तालिका 10.8 : सांख्यिकीय अनुदानों के परिवर्तनशील घटक की उपलब्धियों की सूची

उपलब्धि	उपलब्धि से संबंधित कार्यकलाप	अतिरिक्त संसाधनों/निधियों को जारी करना (लिफाफे के भीतर)
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी) का संकलन और उसे <b>वार्षिक रूप से जारी करना</b></li> <li>राज्य के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन और उसे <b>मासिक रूप से जारी करना</b></li> <li>एसडीजी के लिए राज्य निगरानी संरचना और उसके राष्ट्रीय एसडीजी डैशबोर्ड के साथ <b>गत्यात्मक अद्यतन</b></li> </ul>	परिवर्तनशील घटक का 33.33 प्रतिशत
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>एनएसएस सर्वेक्षणों में सहभागिता और सर्वेक्षण पूरा करने के एक वर्ष के भीतर <b>उप-राज्य/जिला</b> स्तरों पर अनुमान जारी करना;</li> <li>डाटा अभिग्रहित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग (कंप्यूटर समर्थित निजी साक्षात्कार (सीएपीआई) मोड), वैधीकरण एवं प्रसंस्करण</li> </ul>	परिवर्तनशील घटक का 33.33 प्रतिशत
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रस्तावित नेशनल बिजनेस रजिस्टर का कार्यान्वयन और उसका <b>गत्यात्मक अद्यतन</b></li> <li>प्रशासनिक सांख्यिकीय, जैसे कि स्थापना एवं घर की रजिस्ट्री, भूमि अभिलेखों आदि में सुधार के लिए नवप्रवर्तन</li> <li>एमओएसपीआई द्वारा विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय एकीकृत सूचना पोर्टल के साथ गत्यात्मक अद्यतन</li> </ul>	परिवर्तनशील घटक का 33.33 प्रतिशत

10.81 498 करोड़ रुपए के परिवर्तनशील अनुदान उपरोक्त तीन उपलब्धियों को पूरा करने पर आधारित हैं। इस राशि को तीन वर्षों, 2023-24 से 2025-26 में बराबर रूप से विभाजित किया गया है। किसी वर्ष में इस राशि की एक तिहाई राशि प्राप्त करने के लिए, राज्यों को 2023-24 में तीन उपलब्धियों में से किसी एक को पूरा करना होगा। 2024-25 में अन्य एक-तिहाई राशि प्राप्त करने हेतु शेष दो उपलब्धियों में से किसी एक को पूरा करना होगा तथा अंतिम उपलब्धि को 2025-26 में पूरा करना होगा ताकि शेष राशि प्राप्त की जा सके। इन उपलब्धियों को पूरा करने के क्रम को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों का परिवर्तनशील घटक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुशंसाओं पर आधारित होगा, जो अनुदान को शासित करेगा।

10.82 सांख्यिकीय गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हम 2022-23 से 2025-26 की अवधि हेतु राज्यों के लिए नियत एवं परिवर्तनशील अनुदानों सहित 1,175 करोड़ रुपए के कुल अनुदानों की अनुशंसा करते हैं। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि 677 करोड़ रुपए की कुल आबंटन राशि के

नियत अनुदान, जो कि शर्त रहित है, को 2022-23 में जारी किया जा सकता है। 498 करोड़ रुपए के शेष परिवर्तनशील घटक को उपरोक्त में वर्णित कार्यकलापों की सूची को ध्यान में रखते हुए उपलब्धियों के आधार पर 2023-26 से शुरू करते हुए शेष तीन वर्षों के दौरान समान रूप से संवितरित किया जा सकता है। नियत एवं परिवर्तनशील अनुदान, दोनों का उपयोग केवल राज्य सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक 10.8 में दिया गया है। इस अनुदान को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शासित किया जाएगा।

### ग. III आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों का विकास

10.83 'आकांक्षी जिलों का सुधार' कार्यक्रम की शुरुआत नीति आयोग द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य कुछ सामाजिक एवं आर्थिक विकास मानदंडों के आधार पर देशभर में चिह्नित 112 अपेक्षाकृत कम विकसित जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार लाना था। इस कार्यक्रम, जिसे मूल रूप से राज्यों के लिए परिकल्पित और उनके द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, में प्रत्येक जिले के सबल पक्षों पर ध्यान देना और चयनित जिलों की प्रगति और उनकी रैंकिंग को मापते हुए तत्काल सुधार लाने हेतु प्राप्त होने योग्य परिणामों की पहचान की जाती है। इस कार्यक्रम के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं: अभिसरण (संघ और राज्य योजनाओं का), सहयोग (संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के जिला स्तर के अधिकारियों का नागरिकों के साथ) और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा। इस कार्यक्रम में पांच मुख्य विषयों: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और मूलभूत बुनियादी अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिनका नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

10.84 संघ सरकार ने अपने ज्ञापन में नीति आयोग द्वारा विकसित प्रमुख निष्पादन संकेतकों में सुधार करने के माध्यम से आकांक्षी जिलों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आकांक्षी जिलों के लिए आधार रेखा रैंकिंग पांच क्षेत्रों में उनका संकेतकों पर आधारित है: (क) स्वास्थ्य एवं पोषण (30 प्रतिशत भारांक); (ख) शिक्षा (30 प्रतिशत); (ग) दस संकेतकों के आधार पर कृषि एवं जल संसाधन (20 प्रतिशत); (घ) वित्तीय समावेशन और कौशल विकास (10 प्रतिशत); और (ड.) अवसंरचना (10 प्रतिशत)। हमने नीति आयोग के साथ गहन परामर्श भी किए और इस कार्यक्रम को सहायता देने हेतु एक औपचारिक अनुरोध भी प्राप्त किया।

10.85 हमने प्रस्ताव का अध्ययन किया और विस्तृत रूप से चर्चा की। हमारे विचार-विमर्शों के आधार, पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर्स के आधार पर राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे जिलों

या ब्लॉको जैसी प्रशासनिक इकाइयों को उनके निष्पादन के आधार पर एक पारदर्शी प्रक्रिया में प्रोत्साहित करने का कदम शासन में सुधार का एक प्रभावकारी टूल हो सकता है। ऐसे प्रोत्साहन विभिन्न इकाइयों के बीच गहन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में किसी स्कीम/नीति के प्रभाव में सुधार आता है। विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रदान करने वाली यूनिटों के बीच आगामी प्रतिस्पर्धा से नवप्रवर्तनशील एवं सर्वश्रेष्ठ रीतियों को बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए।

## आकांक्षी जिले

10.86 आकांक्षी जिलों को प्रोत्साहन देने के लिए हम अपनी पांच वर्षों की पंचाट अवधि हेतु 500 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं। किसी जिले के निष्पादन को किसी निश्चित अवधि के दौरान चयनित प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) सहित निष्पादन मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा। केपीआई, नीति आयोग द्वारा राज्य के परामर्श से निरूपित किए जाएंगे एवं उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूचकांक के आधार पर प्रत्येक जिले को 10 करोड़ रुपए के वार्षिक निष्पादन अनुदान के लिए दस जिलों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन चयनित किया जाएगा:

- i. जिले उपरोक्त राशि केवल एक बार 2021-26 की अवधि में प्राप्त करेंगे। यदि वही जिला दस सर्वश्रेष्ठ जिलों में भी शुमार रहता है, तब उसे प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, लेकिन समान शर्तों को ध्यान में रखते हुए आबंटन अगले सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले जिले को दिया जाएगा।
- ii. नीति आयोग निष्पादन का एक न्यूनतम बेंचमार्क निर्धारित करेगा, जिसे जिलों द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु पूरा करना होगा।
- iii. राशि की प्रकृति अनाबद्ध निधियों की होगी और संबंधित जिले के पास नीति आयोग द्वारा तैयार की गई नेगेटिव लिस्ट के अधीन (subject to) परियोजनाओं/ कार्यकलापों को चुनने की लोचनीयता होगी। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस निधि का उपयोग जिले की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए किया गया है।
- iv. निष्पादन अनुदान प्राप्त कर चुके प्रत्येक जिले को अपने कार्य एवं कार्यकलापों की प्रस्तावित योजना को इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नामित एक नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित करवाना होगा और उसे नीति आयोग को भेजना होगा। योजना को जिला एवं राज्य सरकार के परामर्श से तैयार किया जाएगा।



10.87 केपीआई के चयन और जिले के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नवत का है:

- i. जहां तक संभव हो, केपीआई परिणाम-आधारित संकेतक होने चाहिए। केवल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस इंडिकेटर्स, जो संघ सरकार की फ्लैगशिप (प्रमुख) स्कीमों से सीधे संबद्ध हैं, को शामिल किया जाना है।
- ii. केपीआई भारत में सभी जिलों के लिए संगत होने चाहिए।
- iii. निष्पादन का मूल्यांकन एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसे खुली प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित एक तृतीय पक्षकार द्वारा किया जाएगा।

### प्रशासनिक ब्लॉक

10.88 आकांक्षी जिलों के बारे में अनुभव बहुत ही उत्साहवर्धक रहा है और नीति आयोग ने यह प्रस्ताव किया है कि, प्रशासनिक ब्लॉकों, लक्षित पहल की यूनिट के रूप में, मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। आकांक्षी जिलों में ब्लॉकों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने नीति आयोग के प्रस्ताव की समीक्षा की है, जिससे हम सहमत हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि संबंधित प्रत्येक राज्यों के आकांक्षी जिलों में 10 प्रतिशत ब्लॉकों को अभिज्ञात निष्पादन-मैट्रिक्स का प्रयोग कर उनके निष्पादन के आधार पर 2021-22 से 2025-26 तक प्रत्येक वर्ष चयनित किया जाएगा। इन प्रत्येक ब्लॉकों को 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। चूंकि 112 आकांक्षी जिलों में 915 प्रशासनिक ब्लॉक हैं, आकांक्षी जिले वाले राज्यों में स्थित लगभग 100 ब्लॉकों को प्रत्येक वर्ष कवर किया जाएगा। अतः हमारी पांच वर्ष की पंचाट अवधि के दौरान ब्लॉकों को प्रोत्साहन देने के लिए 2,500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। निष्पादन अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन दिया जाएगा:

- i. एक ब्लॉक को 2021-26 की अवधि में केवल एक बार उपरोक्त निष्पादन अनुदान प्राप्त होगा। यदि वही ब्लॉक अन्य वर्ष में सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकों में भी शुमार रहता है, तब उसे प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, लेकिन समान शर्तों को ध्यान में रखते हुए आबंटन अगले सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले ब्लॉक को दिया जाएगा।
- ii. नीति आयोग निष्पादन का एक न्यूनतम बैचमार्क निर्धारित करेगा, जिसे अवार्ड/अनुदान प्राप्त करने हेतु ब्लॉकों द्वारा पूरा करना होगा।
- iii. राशि की प्रकृति अनाबद्ध निधियों की होगी और संबंधित जिले के पास नीति आयोग द्वारा तैयार की गई नेगेटिव लिस्ट के अध्यक्षीन कार्यकलापों/परियोजनाओं को चुनने की लोचनीयता



होगी। कार्यकलापों/परियोजनाओं की सूची को अंतिम रूप देते हुए, ब्लॉकों की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी होगी।

iv. निष्पादन अनुदान प्राप्त कर चुके प्रत्येक जिले को अपने कार्य/कार्यकलापों की प्रस्तावित योजना को जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित करवाना होगा।

10.89 ब्लॉकों के मूल्यांकन के लिए केपीआई के चयन के मार्गदर्शक सिद्धांत वहीं होंगे, जो आकांक्षी जिलों के लिए हैं। तथापि, विशिष्ट प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी राज्य में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले 10 प्रतिशत ब्लॉकों का मूल्यांकन करने हेतु संकेतकों की सूची राज्य-विशिष्ट होगी। प्रत्येक राज्य में शीर्ष स्थान पर 10 प्रतिशत ब्लॉकों के चयन के लिए संकेतकों का सेट (समुच्चय) बनाने हेतु नीति आयोग प्रत्येक राज्य के साथ बातचीत करेगा।

10.90 यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिलों के बीच और ब्लॉकों के बीच प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष और पारदर्शी हो, प्रत्येक जिले में वर्ष में एक बार प्रतिदर्श आधार पर स्वतंत्र तृतीय पक्षकार द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने चाहिए। निष्पादन का मापन इन सर्वेक्षणों के परिणामों पर आधारित होगा। नीति आयोग को प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए इन सर्वेक्षणों को कराए जाने के लिए एजेंसियों के साथ अनुबंध करना चाहिए। हम पांच वर्षों की अवधि के लिए 112 जिलों और 915 ब्लॉकों में क्षमता निर्माण तथा सर्वेक्षणों के लिए 150 करोड़ रुपये की अनुशंसा करते हैं।

10.91 परियोजना पूर्ण होने के बाद, जिलों और ब्लॉकों को राज्य सरकार के माध्यम से किए गए कार्यकलापों के उपयोग प्रमाण-पत्र संघ सरकार को भेजने होंगे।

10.92 तदनुसार, हम आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को प्रोत्साहन देने के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 3,150 करोड़ रुपये की अनुशंसा करते हैं। इस अनुदान को नीति आयोग द्वारा शासित किया जाएगा। इसका सारांश तालिका 10.9 में दिया गया है।

तालिका 10.9 : आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए निधियों की आवश्यकता

क्र. सं.	विवरण	वार्षिक	5 वर्षों (2021-26)
		(करोड़ रु.)	के लिए संचयी (करोड़ रु.)
1	दस सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले आकांक्षी जिलों के लिए (112 में से) निष्पादन अनुदान, @ 10 करोड़ रु. प्रति वर्ष	100	500
2	सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले 100 ब्लॉकों के लिए @ 5 करोड़ रु. प्रति वर्ष	500	2500
3	सभी 112 आकांक्षी जिलों और 915 ब्लॉकों में सर्वेक्षण एवं क्षमता निर्माण	30	150
	कुल	630	3150

### घ. विद्युत क्षेत्र में सुधार

10.93 हमारे टीओआर पैरा 7(iv) हमें यह अधिदेश देता है कि हम उन राज्यों के लिए मापनीय निष्पादन-आधारित अनुदान देने पर विचार करें, जिन्होंने "पूँजी व्यय बढ़ाने, विद्युत सेक्टर की हानियों को खत्म करने और आमदनी के भावी मार्ग सृजित करने में ऐसे व्यय की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में प्रगति की है।" विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण (generation, transmission and distribution) अलग-अलग क्षेत्र हैं, परंतु ये आपस में अंतर-संबंधित सेगमेंट/क्षेत्र हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 ने क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया, जिसके अनुसार इस सेक्टर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने, बिजली शुल्कों को युक्ति संगत बनाने, विनियामक दायित्वों से सरकार को अलग रखने तथा उपभोक्ता के हित को संरक्षित करने का उपबंध किया गया था। अधिनियम, बिजली उत्पादन और पारेषण में निजी क्षेत्र से निवेश लाने में सफल रहा जिसके कारण विद्युत उत्पादन और पारेषण सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ।

10.94 तथापि, बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कार्य प्रणाली राज्यों के वित्त और समग्र रूप से विद्युत क्षेत्र पर दबाव डालती रही है। अधिकतर राज्यों में, वितरण क्षेत्र में सुधार अपूर्ण हैं। यह क्षेत्र संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी रहा है, और विभिन्न उपभोक्ता समूहों से लागत से भी कम प्रशुल्क (tariffs) लेना, मीटर रहित (unmetered) बिजली की आपूर्ति, कृषि के लिए मुफ्त में बिजली, राज्यों द्वारा बिजली कंपनियों को वचनबद्ध की गई सब्सिडियां नहीं दिया जाना, उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एवं सी) हानियां, और खराब विनियामक अभिशासन जैसे प्रश्नों का काफी लंबे समय से

सामना करता आ रहा है। इस क्षेत्र में अपर्याप्त राजस्व प्राप्ति और भारी मात्रा में कार्यप्रणाली संबंधी अदक्षताओं का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। इन कारकों ने राज्य बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति को कमजोर किया है, क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने में उनकी सक्षमता को कम किया है और निवेश एवं कार्यशील पूंजी दोनों के लिए यह क्षेत्र सरकार की सहायता पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है। इसका परिणाम यह रहा कि राज्यों के वित्त के साथ-साथ बिजली क्षेत्र के अपस्ट्रीम सेगमेंट की व्यवहार्यता, ऋणदाता बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं पर दबाव रहा है और यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक बाधक की तरह कार्य कर रहा है।

10.95 पिछले बीस वर्षों के दौरान, मीटरगत (metered) आपूर्ति को बढ़ाने, पारेषण एवं वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा हानियों को कम करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सुधार लाए गए। इन सुधारों में ऐसी योजनाएं शामिल थीं जिनसे पूंजीगत निवेश का वित्तपोषण प्राप्त किया जा सके और इनसे उन राज्यों के लिए वित्तपोषण की शर्तें और भी अधिक आकर्षक बन गईं थीं, जो हानि कम करने के लक्ष्य प्राप्त कर पाए थे। कुछ प्रमुख सुधारों में, त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), पुनर्संरचित-एपीडीआरपी, समेकित विद्युत विकास स्कीम, वित्तीय पुनर्गठित स्कीम और उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसे सुधार थे। कुल मिलाकर, इन सुधारों का डिस्कॉम कंपनियों की कार्यप्रणाली पर मामूली प्रभाव पड़ा, हालांकि कुछ राज्यों ने सुधार भी दिखाया।

10.96 अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में, हमने यह नोट किया था कि हम विद्युत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्यों के लिए वार्षिक वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुशंसा करने पर विचार करेंगे। निर्धारित किए गए लक्ष्य कुछ व्यापक पैरामीटर पर आधारित थे: (क) एटी एवं सी की हानियों को कम करने के लक्ष्य प्राप्त करना, (ख) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) अंतर को कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करना, (ग) व्यापार एवं उद्योग को खुली पहुंच (ओपन ऐक्सेस) प्रदान करना ताकि वे अपनी बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य बिजली कंपनियों के अलावा अन्य स्रोतों से पूरा कर सकें, और (घ) राज्य में सब्सिडी के लिए पात्र सभी उपभोक्ताओं हेतु प्रत्यक्ष नकद अंतरण योजना को कार्यान्वित करना। हमने, अपनी पहली रिपोर्ट में, विद्युत मंत्रालय से यह आग्रह किया था कि वह राज्यों के साथ परामर्श से राज्य-वार लक्ष्यों और एक स्पष्ट रोडमैप के साथ 2020-21 में ही एक निगरानी योग्य निष्पादन सूचकांक (monitorable performance index) विकसित करे।

10.97 चूंकि राज्य सरकारें अधिकतर बिजली वितरण कंपनियों की एकमात्र स्वामी हैं, इसलिए उनकी वित्तीय स्थिति बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति के कारण सीधे प्रभावित होती है। राज्य सरकारें, विशेष रूप से पारेषण कंपनियों और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण करने तथा उनकी बढ़ती वित्तीय हानियों की भरपाई हेतु विद्युत क्षेत्र को उधार देती हैं। प्रत्यक्ष रूप से उधार देने के अलावा, राज्य सरकारें अनुदानों एवं सब्सिडियों के रूप में भी राज्य वितरण कंपनियों को सहायता प्रदान करती हैं।

2014-19 की अवधि के दौरान, औसतन रूप से राज्यों ने अपने बजट का 6.6 प्रतिशत बिजली पर खर्च किया है। राज्य सरकारें वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने के लिए भी गारंटी देती हैं। चूंकि राज्य सरकार गारंटीदाता हैं, इसलिए वितरण कंपनियों की बढ़ती बकाया देनदारी और बढ़ते घाटों के कारण परिणामी आकस्मिक देयताएं राज्यों के वित्त के लिए एक जोखिम हैं। सभी बिजली कंपनियों का कुल घाटा (प्राप्त सब्सिडी को जोड़ने के पश्चात) 2017-18 में 33,594 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 में 61,360 करोड़ रुपए हो गया।

10.98 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुपात के रूप में, राज्य सरकारों की बकाया देनदारी 31 मार्च, 2019 को 25.3 प्रतिशत थी। इसी तारीख की समाप्ति पर, डिस्कॉम द्वारा उठाए गए उधारों का स्टॉक, जो राज्यों की बकाया देनदारी का हिस्सा नहीं हैं, जीडीपी का 2.5 प्रतिशत था। सात राज्यों, जहां वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) सर्वाधिक उधार लेती हैं। वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए उधारों का स्टॉक राज्यों की जीएसडीपी का औसतन 5 प्रतिशत था। बढ़ती देनदारी (debt) वाले स्टॉक के अलावा, वितरण कंपनियों के पास वित्तीय एवं गैर-वित्तीय, दोनों प्रकार की देयताएं भी हैं, जो जीएसडीपी का 1.9 प्रतिशत हैं जिन्हें जीएसडीपी के लगभग 1.1 प्रतिशत मूल्य के बिजली एवं ईंधन के क्रय के कारण 31 मार्च, 2019 तक अदा किया जाना था। इससे राज्यों की संपूर्ण देनदारी प्रोफाइल प्रभावित होती है। वितरण कंपनियों के वाणिज्यिक परिचालनों की ज्ञात कमजोरियों और राज्य वित्तों पर उनके प्रभाव ने, हमें इन सभी समस्याओं का एक ऐसी प्रक्रिया में समाधान करने के लिए बाध्य किया है जिससे राज्य अपने विद्युत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

10.99 विद्युत क्षेत्र भी कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके कारण बिजली खपत में भारी गिरावट आई है। अप्रैल-जून, 2020 की अवधि के दौरान बिजली की खपत में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। इससे भी महत्वपूर्ण हैं, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक खपत में तेजी से गिरावट आना, जो वितरण कंपनियों के लिए मुख्य राजस्व अर्जन वाले स्रोत हैं। बिजली की खपत पर कोविड से संबंधित लॉक-डाउन के स्पष्ट दीर्घकालिक प्रभाव ने बिजली की मांग और इससे अर्जित होने वाले राजस्व को प्रभावित किया है।

10.100 जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले चर्चा की गई है, महामारी से संघ सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के संसाधनों पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों को महामारी के प्रभावों से निपटने तथा सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के मानकों को बनाए रखने हेतु तत्काल अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए संघ सरकार ने 2020-21 में जीएसडीपी के दो प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार लेने की सीमा उपलब्ध कराई। इस दो प्रतिशत में से, 0.25 प्रतिशत विद्युत सुधारों से

संबद्ध था। 0.25 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार लेने हेतु, राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे हमारी पहली रिपोर्ट में अनुशासित पैरामीटरों के अनुरूप 2020-21 में सुधार संबंधी कदम उठाएं:

- i. लक्ष्यों के अनुसार किसी राज्य में एटी एवं सी हानियों को कम करने के लिए, उस राज्य की जीएसडीपी के 0.05 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है।
- ii. लक्ष्यों के अनुसार, किसी राज्य में एससीएस-एआरआर अंतर को कम करने के लिए, राज्य को उसकी जीएसडीपी के 0.05 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है।
- iii. राज्य में सभी किसानों को दी गई मुफ्त बिजली के बदले में किसानों को डीबीटी से अंतरण शुरू करने के लिए, राज्य की जीएसडीपी के 0.15 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है। इस प्रयोजनार्थ पात्र बनने के लिए, राज्य को (क) डीबीटी स्कीम बनानी होगी और (ख) इस स्कीम को कम से कम एक जिले में 31 दिसंबर, 2020 तक कार्यान्वित करना होगा।

10.101 महामारी से निपटने में संघ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से राज्यों को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, जिससे राज्य बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार ला सकें। बिजली अधिनियम 2003 में प्रस्तावित संशोधनों और नई प्रशुल्क नीति के संभावित अनुमोदन के साथ, संघ सरकार के इन कदमों से सुधार एजेंडा को और भी ज्यादा गति प्राप्त होगी। हमारा मानना है कि इन उपायों को जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि अपेक्षित संरचनात्मक सुधार आगामी चार-पांच वर्षों तक पूरे हो पाएंगे।

10.102 अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने, सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्यों के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने हेतु एक अग्रगामी निष्पादन प्रोत्साहन (forward looking performance incentive) अभिकल्पित करने के दृष्टिकोण के बारे में उल्लेख किया था। सभी हितधारकों के बीच एक स्पष्ट राय यह है कि विद्युत क्षेत्र को विकास का प्रमुख घटक बनाने हेतु सभी राज्य सरकारों और उनके अंतर्गत वितरण कंपनियों द्वारा अनेक कदम उठाए जाने की जरूरत है। इन कदमों में, सभी प्रकार की सब्सिडियों को समाप्त करना, मीटरगत बिजली आपूर्ति का विस्तार करना, सब्सिडी के हस्तांतरण के लिए डीबीटी स्कीम का कार्यान्वयन करना, एससीएस-एआरआर अंतर को कम करने के साथ-साथ एटी एवं सी हानियों को कम करना है। हम इस बात को भी मानते हैं कि आपूर्ति के अवसंरचना में अंतिम (लास्ट-माइल) सुधारों के लिए नए पूंजीगत निवेश की आवश्यकता है। इन सभी बातों को आधारभूत मानते हुए बिजली की मांग बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान हो और वितरण कंपनियों के राजस्व प्राप्ति में लक्षित सुधार लाया जा सके। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, जो कि हमारे दृष्टिकोण का मुख्य बिंदु है, होने से बिजली वितरण क्षेत्र में कार्यप्रणाली एवं परिचालन संबंधी खामियों को भी समाप्त किया जा सकेगा। अतः, विद्युत क्षेत्र और राज्यों के वित्त पर बिजली की मांग एवं आपूर्ति दोनों कारकों पर महामारी के प्रभाव को ध्यान

में रखते हुए, हमने अनेक विकल्पों पर विचार किया है जो राज्यों को वितरण कंपनियों के वित्तों में संरचनात्मक सुधार कार्यान्वित करने तथा उसके साथ-साथ अभिशासन संबंधी सुधार लागू करने हेतु नकदी की सुगम उपलब्धता कराएगी। निष्पादन प्रोत्साहन के अभिकल्प में, हमने करदाताओं और नागरिकों के प्रति राज्य सरकारों की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही को भी ध्यान में रखा है।

10.103 तदनुसार, हम कतिपय निष्पादन मानदंडों के आधार पर 2021-22 से 2024-25 की अवधि के लिए अपने पंचाट के प्रथम चार वर्षों के प्रत्येक वर्ष के लिए राज्यों की जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत तक उनके लिए अतिरिक्त वार्षिक उधार लेने की अनुशंसा करते हैं। चूंकि राज्यों के बढ़ते देनदारी प्रोफाइल के लिए वितरण कंपनियों का परिचालन महत्वपूर्ण है, हम अनुशंसा करते हैं कि इस परिचालनीय दक्षता में सुधार लाने हेतु अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा की इस विंडो को कतिपय विनिर्दिष्ट उपायों से संबद्ध किया जाए। हमने 2021-25 की अवधि के लिए वर्ष-दर-वर्ष सुधार हेतु यह जो प्रभावशील अनुशंसा की है उसका राज्यों को पुरस्कृत करने से पूर्व सुविचारित तथा उचित आकलन किया जा सकता है। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि ऐसे राज्य, जो निष्पादन के आधार पर श्रेषहोल्ड स्तर हासिल कर लेते हैं, वे अपने बिजली वितरण बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण हेतु पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

10.104 हमने विभिन्न हितधारकों के साथ गहन रूप से चर्चाएं की हैं और प्रोत्साहन प्रणाली के बारे में अनेक सुझाव प्राप्त किए हैं, जिन्हें राज्य सरकार तथा बिजली वितरण कंपनियों के हितों से संबद्ध करके स्थापित किया जा सकता है। हितधारकों द्वारा सुझाए गए कुछ संकेतकों में वितरण कंपनियों में कॉरपोरेट अभिशासन रीतियों को कार्यान्वयन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का कार्यान्वयन, प्रशुल्क-आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से बिजली की खरीद, पूर्व-भुगतान सुविधा के साथ स्मार्ट मीटर लगाना, नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता, और कृषि एवं अन्य उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी के अंतरण हेतु डीबीटी स्कीम को अपनाया शामिल है।

10.105 विचार-विमर्श के दौरान, हमने इस बात पर ध्यान दिया कि कुछ वितरण कंपनियों में अद्यतन लेखापरीक्षित लेखाओं को तैयार नहीं करना एक समस्या है। अधिकतर बिजली वितरण कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत हैं और इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अधिदेशित अनुसूची के अनुसार अपने समेकित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करें। जब तक उचित लेखापरीक्षित लेखा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तब तक उनके निष्पादन के वित्तीय निहितार्थों को नहीं मापा जा सकता है। लेखाओं के अभाव में प्रोत्साहन संरचना (incentive structure) का संभवतः अनुचित लाभ उठाया जा सकता है। अतः, इस अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा की पात्रता के लिए, हम राज्यों हेतु एक प्रवेश स्तरीय शर्त लगाने की अनुशंसा करते हैं। राज्यों को यह सुनिश्चित एवं प्रमाणित करना होगा कि राज्य में सभी बिजली वितरण कंपनियों के



पास अद्यतन लेखापरीक्षित लेखा हैं। इसका अर्थ यह है कि वर्ष (t) में किसी राज्य की पात्रता का निर्धारण करने में, राज्य में सभी बिजली कंपनियों द्वारा सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष (t-1) के लिए अपने समेकित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत किया गया है। राज्य की सभी बिजली कंपनियों द्वारा पिछले वित्त वर्ष के लेखाओं को तैयार कराए जाने की शर्त को जब तक पूरा नहीं किया जाता है, तब तक राज्य अतिरिक्त उधार लेने की सुविधा के लिए पात्र नहीं होगा। यह प्रवेश स्तरीय शर्त केवल 2022-23 से आगे के वर्षों में उधार लेने के लिए लागू रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रवेश स्तरीय शर्त से उनका अनुशासन बेहतर होगा और उनके वास्तविक निष्पादन का मापन एसीएस-एआरआर अंतर को यथार्थ रूप में (accurately) परिलक्षित करने के बाद ही किया जा सकता है।

10.106 हमारी इच्छा के अंतिम संकेतकों में, हमने प्रमुख संकेतकों की संख्या को सीमित करके चार किया है, जो सुधारों के परिणामों को परिलक्षित करेंगे। निरंतरता को कायम रखने हेतु हमने उन तीनों संकेतकों को जारी रखना चाहा है, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 के लिए अधिदेशित किया गया है। ये तीन संकेतक हैं : (क) एटी एवं सी हानियों को कम करना; (ख) एसीएस-एआरआर अंतर को कम करना; (ग) डीबीटी स्कीम को अपना कर नकद सब्सिडी के भुगतान में कमी लाना। इन संकेतकों को हमारी पहली रिपोर्ट में भी चिह्नित किया गया था। हमने तीसरे संकेतक को विस्तारित करते हुए, उसमें बिजली की बिक्री से राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रशुल्क सब्सिडी में गिरावट को शामिल किया है। इससे यह मापा जा सकता है कि राज्य सरकारें विद्युत क्षेत्र को किस सीमाएं तक सब्सिडी दे रही हैं।

10.107 सुधार का उद्देश्य देश में बिजली की खपत में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने पर होना चाहिए, जिससे बिजली वितरण कंपनियां अपनी बिजली की कुल खरीद (ऑफ-टेक) में सुधार ला सकें। उपरोक्त तीन निष्पादन संकेतक इस मुख्य समस्या का समाधान करते हैं। ये तीन संकेतक मीटरगत बिजली की बिक्री को बढ़ाने, वास्तविक तौर पर राजस्व संग्रहण हेतु एक प्रोत्साहन होने चाहिए। मीटर रहित बिजली आपूर्ति यथार्थ मापन में चुनौती पेश करती है और उन आंकड़ों को शामिल करने की संभावना रहती है जो बढ़ती बिजली खरीद को वास्तविक रूप से परिलक्षित नहीं करते हैं, अपितु वे पारेषण एवं वितरण (टी एवं डी) हानियों का मात्र एक मिश्रण होते हैं। डीबीटी स्कीम को सफल बनाने के लिए प्रयोक्ता द्वारा उपयोग की गई बिजली की खपत का आकलन किया जाना चाहिए, जो बढ़ती मीटरगत आपूर्ति द्वारा ही संभव हो सकती है। इस प्रकार डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी स्वतः ही ज्ञात हो जाएगी। मीटर रहित बिजली आपूर्ति या मुफ्त में की गई आपूर्ति के आंकड़े तब तक ज्ञात नहीं होते हैं, जब तक कि सब्सिडी का प्रत्यक्ष भुगतान नहीं होता है। अतः, हमने एक चौथा संकेतक शामिल किया है, जो मीटरगत बिजली यूनिट की प्रति व्यक्ति खपत पर विचार करता है, जिससे वास्तविक राजस्व प्राप्त होता है। इसमें डीबीटी के माध्यम से बिजली मांग पर दी गई सब्सिडियां शामिल हो जाएंगी और यह बिक्री की गई बिजली से वास्तविक राजस्व अर्जन को परिलक्षित

करेगा। लेकिन मीटर रहित आपूर्ति के लिए राज्य बजटों के माध्यम से दी जा रही सब्सिडियां और आपूर्ति से संबंधित हस्तांतरण बाहर रहेंगे यानी शामिल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि यह वास्तविक खपत को परिलक्षित नहीं करेगा और इसमें कृषि जैसे क्षेत्रों को मीटर रहित आपूर्ति भी शामिल हो सकती है।<sup>4</sup> अद्यतन लेखापरीक्षित लेखाओं की उपलब्धता से, चिह्नित किए गए चार निष्पादन संकेतकों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी। अतः राज्यों के निष्पादन का मूल्यांकन करने में मीटरगत आपूर्ति के लिए मांग आधारित सब्सिडी को समावेशन हेतु स्वतः ही चिह्नित किया जा सकता है, जैसा कि राज्य सरकारों से आपूर्ति-आधारित सब्सिडी हस्तांतरणों को बाहर रखने (exclusion) हेतु चिह्नित किया जा सकता है। राज्यों और बिजली वितरण कंपनियों का प्राथमिक लक्ष्य एक बार विद्युत क्षेत्र को लाभप्रद एवं वित्तीय रूप से सक्षम बनाने पर केंद्रित हो जाता है, तब यह उम्मीद की जा सकती है कि एटी एवं सी हानियों को कम करने तथा मुफ्त में बिजली आपूर्ति से संबंधित सब्सिडियां कम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। इस घटक के तहत प्रोत्साहन में प्रतिशत आधार पर तथा बिजली यूनिट की वास्तविक संख्या के आधार पर उच्च उपलब्धियों को शामिल किया जाएगा। हमारी राय में, इससे लगातार बेहतर निष्पादन कर रहे राज्यों के साथ-साथ अभी सुधार करने में पीछे रहे राज्यों, प्रोत्साहन तंत्र उपलब्ध कराने की सुविधा दी जा सकेगी। विगत सुधारों, जो इनपुट पर अधिक केंद्रित थे, से हटकर हमारे सुधार मापीय परिणामों से संबद्ध हैं, इसलिए इनके अधिक सफल रहने की संभावना है। संकेतकों तथा उनके भारांकों का सारांश तालिका 10.10 में दिया गया है।

<sup>4</sup> मांग संबंधी सब्सिडी उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी है, जबकि आपूर्ति संबंधी सब्सिडी सेवा प्रदाता को दी जाने वाली सब्सिडी है।



तालिका 10.10 : राज्यों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मैट्रिक्स

प्रयोजन	संकेतक	मानदंड	यूनिट	भारांक
1. समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखापरीक्षित विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना	पिछले वित्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करना	निर्धारित तारीख से पहले प्रस्तुत करना	सांविधिक अनिवार्यता के अनुसार	प्रवेश स्तरीय स्थिति
2. बिजली खपत में सतत वृद्धि	मीटरगत आपूर्ति के माध्यम से बिजली यूनिटों की प्रति व्यक्ति खपत, जिससे वास्तविक राजस्व प्राप्त किए जाते हैं। इसमें डीबीटी के माध्यम से सब्सिडियां शामिल की जाएंगी क्योंकि वे बेची गई बिजली के वास्तविक राजस्व को परिलक्षित करती हैं। इसमें सब्सिडियां और आपूर्ति संबंधी हस्तांतरण, जिन्हें सभी मीटर रहित सभी प्रकार की आपूर्ति के लिए राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है, बाहर रहेंगे।	वार्षिक प्रतिशत वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	20
	मीटरगत आपूर्ति के माध्यम से बिजली यूनिटों की प्रति व्यक्ति खपत, जिससे वास्तविक राजस्व प्राप्त किए जाते हैं। इसमें डीबीटी के माध्यम से सब्सिडियां शामिल की जाएंगी क्योंकि वे बेची गई बिजली के वास्तविक राजस्व को परिलक्षित करती हैं। इसमें सब्सिडियां और आपूर्ति संबंधी हस्तांतरण, जिन्हें सभी मीटर रहित सभी प्रकार की आपूर्ति के लिए राज्य बजट के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है, बाहर रहेंगे।	वार्षिक वास्तविक वृद्धि	यूनिटों में वास्तविक वृद्धि	15
3. समग्र परिचालनीय दक्षता	एटी एवं सी हानियां	वार्षिक प्रतिशत कमी	प्रतिशत कमी	20
4. समग्र परिचालनीय दक्षता	एसीएस-एआरआर अंतर	पैसा/कि.वा.घ ऊर्जा बिक्री	प्रतिशत घटत	20
5. नकद सब्सिडी और समग्र सब्सिडी को कम करना	सब्सिडी का भुगतान डीबीटी द्वारा	वार्षिक प्रतिशत वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि	15
	बिजली की बिक्री से राजस्व के प्रतिशत के रूप में लेखांकित प्रशुल्क सब्सिडी	वार्षिक प्रतिशत कमी	प्रतिशत कमी	10

10.108 विद्युत मंत्रालय (एमओपी) संकेतकों की प्रगति की निगरानी के लिए नोडल विभाग होगा और वह वार्षिक मूल्यांकन एवं अनुशांसा की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को भेजेगा। वित्त वर्ष के प्रारंभ में, मई माह तक, राज्य सरकार और विद्युत मंत्रालय के बीच किए जाने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से एक आपसी रूप से सहमत योजना, आगामी वर्ष में प्रोत्साहन के रूप में उधार लेने की पात्रता के लिए एक आधार होगी। प्रथम वर्ष (2021-22) के लिए, विगत निष्पादन को ध्यान में रखा जा सकता है। राज्यों को उनकी

जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने का अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा विद्युत मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर लिया जाएगा।

10.109 कुछ ऐसे भी राज्य होंगे जहां बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय स्थिति लगातार खराब बनी हुई है, लेकिन वे भी अतिरिक्त उधार लेने की इस विंडो का लाभ उठा रहे होंगे, जिसे हतोत्साहित करना आवश्यक है। हम अनुशंसा करते हैं कि यदि कोई राज्य इस अतिरिक्त उधार सीमा सुविधा का लाभ लेने के बावजूद एमओयू के अनुसार निष्पादन के न्यूनतम स्तर को भी हासिल नहीं करता है, तो उस पर दंड लगाया जाना चाहिए, जिसके लिए आगामी वर्ष हेतु राज्य की सामान्य उधार सीमा से विद्युत क्षेत्र हेतु लिए गए उधार को समायोजित किया जाना चाहिए। विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के परामर्श से, इस क्रियाविधि के तौर-तरीकों को अग्रिम रूप से निर्धारित करेगा ताकि राज्यों को खराब निष्पादन के परिणामों के बारे में पहले से पता हो।

10.110 इस आयोग की पंचाट अवधि के दौरान, हम यह आशा करते हैं कि उपरोक्त में सुझाए गए उपायों से बिजली की मांग में काफी बढ़ोतरी होगी तथा बिजली वितरण कंपनियों को अधिक मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी, प्रचालनीय पैरामीटर के आधार पर एटी एवं सी जैसी हानियां कम होंगी और एसीएस-एआरआर अंतर भी कम होगा। इसका बिजली वितरण कंपनियों पर सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो बेहतर वित्तीय संकेतकों, जैसे कि बिजली वितरण कंपनियों की वार्षिक हानियां और कुल देयताएं कम होना और उनकी निवल संपत्ति में वृद्धि से परिलक्षित होगा। इससे बिजली वितरण कंपनियों की राज्य सहायता पर निर्भरता कम होगी, जो राज्य की संचित निधि से वार्षिक सब्सिडी व्यय तथा राज्य सरकारों से बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लिए गए कुल उधारों (एवं अनुदानों) में गिरावट के संदर्भों में परिलक्षित होगा।

## *2020-21 की रिपोर्ट में प्रस्तावित अन्य सेक्टर-विशिष्ट अनुदान*

10.111 अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों एवं अनुदानों के लिए कुछ सेक्टरों को भी चिह्नित किया था— पोषण, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, रेलवे, पुलिस प्रशिक्षण एवं आवासन जिनसे निर्यातों में वृद्धि और पर्यटन का संवर्धन सहित व्यापार बढ़ता है।

10.112 हमने राज्यों के लिए 7,735 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान पोषण के लिए अनुशंसित किया था। हमारा निर्णय कमजोर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (विशेष रूप से कम विकसित राज्यों में), जो कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का एक प्रमुख भाग हैं, में कुपोषण के लगातार स्तरों के आधार पर लिया गया था। विभिन्न अध्ययनों में यह पुष्टि होती है कि कुपोषण का बच्चों के मानसिक विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हमारे द्वारा अनुशंसित यह राशि संघ सरकार द्वारा

सीएसएस के तहत आबंटित अनुदानों के अलावा थी। तथापि, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि 'आयोग टीओआर के अनुसार अपनी मुख्य रिपोर्ट में राज्यों के लिए मापनीय निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों के समग्र प्रस्तावों के भाग के रूप में, इस अनुशंसा की समीक्षा करें।' इस संबंध में हम संसाधनों के उच्च आबंटन की तात्कालिक आवश्यकता पर पुनः बल देते हैं ताकि गंभीर एवं असाध्य कुपोषण तथा भुखमरी की अनवरत समस्या का समाधान किया जा सके और हम यह अनुशंसा करते हैं कि शिशुओं एवं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के माध्यम से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

10.113 अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने यह भी उल्लेख किया था कि हम निर्यातों से संबंधित निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन सुविधा तथा उसके डिजाइन की व्यवहार्यता और उसकी संभावित प्रभावकारिता की समीक्षा करेंगे। हमने इस अध्याय पूर्व में कृषि सुधारों के लिए प्रोत्साहनों पर इस खंड में कृषि-निर्यातों को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन अनुदानों की सिफारिश की है। संघ सरकार ने भी अन्य बातों के अलावा, 'व्यवसाय सुगमता में सुधार' ('ease of doing business reform') से संबंधित शर्त के आधार पर राज्यों को उधार लेने हेतु अतिरिक्त सीमा प्रदान कर राज्यों को प्रोत्साहन देने के बारे में हाल ही निर्णय लिया है। अतः, हमारा मानना है कि निर्यातों के लिए प्रोत्साहन देने हेतु इस समय पर अलग से अनुदानों की अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं है।

10.114 रेल मंत्रालय ने अपने ज्ञापन में आगामी पांच वर्षों में अपने चालू कार्यों के संबंध में काफी अधिक मात्रा में निधियों की आवश्यकता का पूर्वानुमान किया है। मूल रूप से इससे यह पता चलता है कि उन्हें निधियों की आवश्यकता राज्य सरकारों के साथ लागत साझाकरण आधार पर चालू कार्यों, राष्ट्रीय परियोजनाओं और अन्य योजनागत शीर्षों (रेल के डिब्बे और इंजन, लेवल क्रॉसिंग, सिग्नल और दूर संचार एवं विद्युतीकरण आदि) को पूरा करने के लिए है। रेल मंत्रालय के साथ हमारी बैठक के दौरान हमें यह बताया गया कि कुछ नई लाइनों, गेज परिवर्तन, और रेलवे लाइन मार्गों का दोहरीकरण करने से संबंधित कुछ चालू परियोजनाओं को राज्यों के साथ लागत साझाकरण आधार पर संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इस प्रकार की अड़तीस परियोजनाएं हैं, जिनमें राज्य परियोजना लागत में अपना अंश देने में असमर्थ हैं। वर्तमान में, ये परियोजनाएं, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर ठप पड़ी हैं, जिसके कारण वर्तमान निवेश निष्फल (infructuous) से हो गए हैं। अतः, यह अनुशंसा की जाती है कि संघ सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाए जिससे यथाशीघ्र इन परियोजनाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित हो सके।

10.115 हमने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया था कि हम पुलिस आवासन और प्रशिक्षण के लिए भी अनुदान देने पर विचार करेंगे। विचार-विमर्शों के पश्चात, हमने इस संबंध में राज्यों द्वारा हमें दिए गए अनुरोध-पत्रों के आधार पर अनुदानों की अनुशंसा कुछ राज्यों के लिए राज्य विशिष्ट अनुदानों के रूप में की है।

10.116 अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने यह उल्लेख किया था कि आयोग पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्यों के लिए निष्पादन-प्रोत्साहन अनुदानों की अनुशंसा करने पर विचार करेगा। पर्यटन क्षेत्र को मौजूदा महामारी ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है, जिसे पुनःस्थिति बहाल होने में कुछ समय लग सकता है। इस अनिश्चितता की अवधि में कोई भी निष्पादन-प्रोत्साहन अपने प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने पर्यटन क्षेत्र के लिए कोई भी प्रोत्साहन देने की अनुशंसा नहीं की है। तथापि, हमने विशिष्ट पर्यटन परियोजनाओं के लिए कुछ राज्यों हेतु, उनके अनुरोध-पत्रों के आधार पर, आगामी खंड में दिए गए राज्य-विशिष्ट अनुदानों के रूप में अनुदानों की अनुशंसा की है।

## राज्य-विशिष्ट अनुदान

10.117 हालांकि हम यह स्वीकार करते हैं कि राज्यों को हस्तांतरित की गई अधिकतर निधियां अनाबद्ध होनी चाहिए, लेकिन फॉर्म्यूला-आधारित अंतरण राज्य-विशिष्ट अक्षमताओं, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं कर सकते हैं। राज्य-विशिष्ट अनुदानों से राज्यों की उन विशेष आवश्यकताओं और लागत अक्षमताओं को दूर करने में सहायता मिल सकती है, जिन्हें फॉर्म्यूला-आधारित अंतरण एवं अन्य सेक्टर-विशिष्ट अनुदानों के तहत कवर नहीं किया जा सकता था। अतः राजकोषीय हस्तांतरणों के प्रभाव को अधिकतम करने हेतु अनुदानों (राजस्व घाटा अनुदान, सेक्टर-विशिष्ट अनुदान और राज्य-विशिष्ट अनुदान) को इष्टतम तरीके से संयोजित किया जाना चाहिए।

10.118 हमने राज्यों से हमारे टीओआर पर विचार देने, उन क्षेत्रों को चिह्नित करने, जिनके लिए उन्हें सहायता की जरूरत है तथा अपने प्रस्ताव देने का अनुरोध किया था। हालांकि राज्यों ने मुख्य रूप से अनाबद्ध एवं फॉर्म्यूला-आधारित अनुदानों को वरीयता दी, किंतु उन्होंने ऐसे राज्य-विशिष्ट अनुदानों के लिए भी प्रस्ताव दिए जिनमें राज्य के प्रशासनिक, राजस्व और विकास संबंधी कार्यों को कवर किया गया था। उनके प्रत्येक प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात, हम क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय दायित्व की कुछ बाध्यताओं हेतु राज्य-विशिष्ट अनुदान देने की अनुशंसा करते हैं। ये अनुदान मुख्य रूप से छः विषयों के अंतर्गत आते हैं: (क) सामाजिक आवश्यकताएं (ख) प्रशासनिक अभिशासन एवं संबंधित अवसंरचना, (ग) जल का संरक्षण एवं उचित उपयोग, जल निकासी और स्वच्छता, (घ) संस्कृति एवं ऐतिहासिक स्मारकों का परिरक्षण, (ङ) उच्च लागत की भौतिक अवसंरचना, और (च) पर्यटन। हम अपनी पंचाट अवधि के दौरान 49,599 करोड़ रुपए के राज्य-विशिष्ट अनुदानों की अनुशंसा करते हैं (तालिका 10.11)। स्कीमों तथा आबंटित राशियों की सूची का सारांश अनुलग्नक 10.9 में दिया गया है। प्रत्येक स्कीम के विस्तृत विवरणों को अनुलग्नक 10.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.11 : राज्य-विशिष्ट अनुदानों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार वितरण

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	0	460	460	690	690	2300
अरुणाचल प्रदेश	0	80	80	120	120	400
असम	0	275	275	413	412	1375
बिहार	0	453	453	680	681	2267
छत्तीसगढ़	0	332	332	498	498	1660
गोवा	0	140	140	210	210	700
गुजरात	0	572	572	858	858	2860
हरियाणा	0	400	400	600	603	2003
हिमाचल प्रदेश	0	284	284	426	426	1420
झारखंड	0	260	260	390	390	1300
कर्नाटक	0	1200	1200	1800	1800	6000
केरल	0	220	220	330	330	1100
मध्य प्रदेश	0	353	353	530	529	1765
महाराष्ट्र	0	550	550	825	825	2750
मणिपुर	0	180	180	270	270	900
मेघालय	0	160	160	240	240	800
मिजोरम	0	140	140	210	210	700
नागालैंड	0	105	105	158	157	525
ओडिशा	0	355	355	533	532	1775
पंजाब	0	310	310	464	461	1545
राजस्थान	0	464	464	697	697	2322
सिक्किम	0	100	100	150	150	500
तमिलनाडु	0	440	440	660	660	2200
तेलंगाना	0	472	472	709	709	2362
त्रिपुरा	0	175	175	263	262	875
उत्तर प्रदेश	0	699	699	1049	1048	3495
उत्तराखंड	0	320	320	480	480	1600
पश्चिम बंगाल	0	420	420	630	630	2100
<b>कुल</b>	<b>0</b>	<b>9919</b>	<b>9919</b>	<b>14883</b>	<b>14878</b>	<b>49599</b>

## राज्य-विशिष्ट अनुदानों के लिए सामान्य शर्तें

10.119 उपर्युक्त अनुशंसित राज्य-विशिष्ट अनुदानों के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

I. राज्य-विशिष्ट अनुदानों की किसी भी निधि का उपयोग सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकेगा। जहां परियोजना/निर्माण के लिए प्राइवेट पार्टियों से अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार के अनिवार्य अधिग्रहण भुगतानों हेतु नई ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के 50 प्रतिशत की उच्चतम-सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए राज्य विशिष्ट-अनुदानों का उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, ब्राउनफील्ड परियोजनाओं, जहां अवसंरचना का कार्य पूरा कर लिया गया है और कार्यशील हो गया है, के लिए राज्य- विशिष्ट अनुदानों का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और बड़े पैमाने के बाह्य कारकों से निपटने के लिए किया जाएगा। इन ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में, अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण (जैसे कि एयरपोर्ट रनवे का विस्तार) पर किया जाना है, अतः राज्य-विशिष्ट अनुदान के उपयोग के लिए इस संबंध में उच्चतम-सीमा की आवश्यकता नहीं है। सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने, उपरोक्त भूमि अधिग्रहण के लिए 2021-22 में किए गए भुगतान राज्य-विशिष्ट अनुदानों से 2022-23 में पूर्व-व्यापी (retroactive) वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे।

ii. तालिका 10.11 में दिए गए राज्य-विशिष्ट अनुदानों को चरण-वार प्राप्त करना केवल सांकेतिक है। राज्य चरण-वार अनुदान प्राप्त करने के लिए हासिल की जाने वाली उपलब्धि की भौतिक प्रगति के बैचमार्को और समय-सीमा के साथ संघ सरकार को सूचित करेंगे। समीक्षा के पश्चात, अनुदान एक वर्ष में अधिकतम दो किस्तों में जारी किए जा सकते हैं। तथापि, 2021-22 में कोई भी अनुदान जारी नहीं किए जाएंगे।

iii. इस संबंध में लेखा अनुरक्षित किए जाएं और अगली किस्त जारी करने से पहले किसी वर्ष के संदर्भ में सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के अनुसार व्यय के उपयोग प्रमाण पत्र/विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

## अनुदानों की निगरानी

10.120 उन उद्देश्यों, जिनके लिए अनुदानों की अनुशंसा की गई है, को सुनिश्चित करने हेतु यह वांछनीय

है कि राज्यों द्वारा एक उत्कृष्ट समीक्षा एवं निगरानी कार्यविधि स्थापित की जाए। हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य-विशिष्ट तथा सेक्टर-विशिष्ट अनुदानों के उचित उपयोग की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करना चाहिए, जिसके प्रमुख मुख्य सचिव होंगे और उसमें सदस्यों के रूप में वित्त सचिव और संगत विभागों के सचिव/प्रमुख होंगे। अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करने तथा मध्यावधि में अपेक्षित सुधार लाने के लिए निदेश देने हेतु समिति कम से कम तीन माह (एक क्वार्टर) की अवधि में एक बार बैठक करेगी।

10.121 समिति वित्तीय एवं भौतिक, दोनों लक्ष्यों की निगरानी तथा सेक्टर-विशिष्ट और राज्य विशिष्ट अनुदान, यथा लागू, के संबंध में अनुपालन विनिर्दिष्ट शर्तों सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होगी। 2021-22 में, समिति अनुमानों/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करना, समयबद्धता, सुपुर्दगी, परिणामों की कार्यविधि की निगरानी और प्रत्येक परियोजना की समग्र व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगी। उसके पश्चात, प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में समिति परियोजनाओं का अनुमोदन करेगी जिन्हें उस वर्ष में प्रत्येक सेक्टर में शुरू किया जाना है, भौतिक एवं वित्तीय आधार पर लक्ष्यों को चिह्नित करेगी और विशेष उपलब्धियों को हासिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित करेगी। समिति भारत सरकार से अनुदानों के लिए अनुशंसा करने वाले निकाय के रूप में कार्य करेगी।

10.122 हम अनुशंसा करते हैं कि इन परियोजनाओं की प्रगति की वार्षिक समीक्षा एक ऐसी समिति द्वारा भी की जाए जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उसमें राज्य वित्त मंत्री और राज्य के संबंधित मंत्री सदस्य होंगे।

10.123 हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य स्वयं ही उन परियोजनाओं/स्कीमों की समय पर एवं गुणवत्ता के साथ कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, जिनके लिए हमने अनुदानों का प्रावधान किया है। हम अनुशंसा करते हैं कि अनुदानों को जारी करने या उन्हें उपयोग करने के लिए हमारे द्वारा विहित शर्तों के अलावा, संघ सरकार द्वारा कोई और शर्त नहीं लगाई जाएगी।

10.124 राज्यों के पास प्रत्येक सेक्टर के भीतर शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के समूह (बास्केट) पर निर्णय लेने, इन परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के लिए समय सीमा निर्धारित करने और इस बास्केट के भीतर आवश्यकतानुसार उन परियोजनाओं का पुनः प्राथमिकीकरण करने की लोचनीयता होनी चाहिए।

10.125 संक्षेप में, सभी संबद्ध पहलुओं पर विचार करने के बाद हमने कुल 10,33,062 करोड़ रुपए की राशि के सहायता अनुदान की अनुशंसा की है। निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों और अनुदानों का वर्ष-वार सारांश तालिका 10.12 में दिया गया है।

तालिका 10.12: वर्ष-वार कुल अनुदान और प्रोत्साहन

(करोड़ रु.)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
1 राजस्व घाटा अनुदान	118452	86201	51673	24483	13705	294514
2 स्थानीय शासन के लिए अनुदान	80297	84703	87181	92087	92093	436361
3 आपदा प्रबंधन अनुदान	22184	23294	24466	25688	26969	122601
4 सेक्टर-विशिष्ट अनुदान	12346	23729	24773	33062	36077	129987
<i>i</i> स्वास्थ्य के लिए सेक्टरल अनुदान	4767	6211	6368	6527	7882	31755
<i>ii</i> विद्यालय शिक्षा		1200	1200	1200	1200	4800
<i>iii</i> उच्चतर शिक्षा	1133	1177	1259	1303	1271	6143
<i>iv</i> कृषि सुधारों का कार्यान्वयन		7500	7500	15000	15000	45000
<i>v</i> पीएमजीएसवाई सड़कों का रखरखाव	3731	4249	5565	6151	7843	27539
<i>vi</i> न्यायपालिका	2085	2085	2085	2085	2085	10425
<i>vii</i> सांख्यिकी	0	677	166	166	166	1175
<i>viii</i> आकांक्षी जिले एवं ब्लॉक	630	630	630	630	630	3150
5 राज्य-विशिष्ट अनुदान	0	9919	9919	14883	14878	49599
<b>कुल</b>	<b>233279</b>	<b>227846</b>	<b>198012</b>	<b>190203</b>	<b>183722</b>	<b>1033062</b>

10.126 राज्यों के लिए कुल हस्तांतरणों को दर्शाने वाला विवरण तालिका 10.13 में दिया गया है।



तालिका 10.13 : पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरण

(करोड़ रु.)

राज्य	केंद्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्सेदारी	अंतरण उपरांत राजस्व घाटा	स्थानीय निकाय	आपदा प्रबंधन	स्वास्थ्य	पीएम जीएस वाई सड़कें	सांख्यिकी	न्यायपालिका	उच्चर शिक्षा	कृषि	राज्य विशिष्ट	कुल सहायता अनुदान (संश्ल 3 से 12 का योग)	कुल हस्तांतरण (संश्ल 2 एवं 13 का योग)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश	170976	30497	18063	6183	877	344	19	295	250	4209	2300	63037	234013
अरुणाचल प्रदेश	74227	0	1618	1382	133	1508	49	20	48	107	400	5265	79492
असम	132152	14184	10934	4268	2161	3103	57	610	171	748	1375	37611	169763
बिहार	424926	0	35577	7824	3223	1694	77	960	483	1720	2267	53825	478751
छत्तीसगढ़	143938	0	10368	2387	588	911	54	200	146	917	1660	17231	161169
गोवा	16307	0	609	63	56	0	5	15	50	63	700	1561	17868
गुजरात	146938	0	22163	7316	1070	330	51	310	298	2818	2860	37216	184154
हरियाणा	46177	132	9066	2715	695	128	40	300	146	1696	2003	16921	63098
हिमाचल प्रदेश	35064	37199	3049	2258	377	2222	21	50	70	247	1420	46913	81977
झारखंड	139712	0	12322	3138	1014	966	48	275	179	677	1300	19919	159631
कर्नाटक	154077	1631	21877	4369	1233	398	45	295	299	2290	6000	38437	192514
केरल	81326	37814	12554	1738	607	113	20	405	181	1086	1100	55618	136944
मध्य प्रदेश	331642	0	28367	10059	2340	2109	102	690	349	4587	1765	50368	382010
महाराष्ट्र	266877	0	41391	17803	2710	613	63	1240	520	3285	2750	70375	337252
मणिपुर	30251	9796	1277	234	191	1193	28	30	54	101	900	13804	44055
मेघालय	32403	3137	1385	363	187	544	23	30	54	86	800	6609	39012
मिजोरम	21124	6544	713	259	115	546	14	15	48	86	700	9040	30164
नागालैंड	24039	21249	1038	228	153	372	23	10	51	124	525	23773	47812
ओडिशा	191297	0	15752	8865	962	1949	45	425	218	1271	1775	31262	222559
पंजाब	76343	25968	10305	2736	902	230	43	145	156	1966	1545	43996	120339
राजस्थान	254583	14740	27172	8186	1186	1618	57	460	332	3301	2322	59374	313957
सिक्किम	16393	1267	360	279	100	484	7	5	45	41	500	3088	19481
तमिलनाडु	172329	2204	25526	5637	1002	506	47	250	347	2632	2200	40351	212680
तेलंगाना	88806	0	13111	2483	624	255	46	245	189	1665	2362	20980	109786
त्रिपुरा	29912	19890	1580	378	265	502	17	85	55	228	875	23875	53787
उत्तर प्रदेश	757879	0	67160	10685	6150	1465	114	1825	893	5334	3495	97121	855000
उत्तराखंड	47234	28147	4181	5178	728	2322	25	70	83	277	1600	42611	89845
पश्चिम बंगाल	317828	40115	30393	5587	2106	1114	35	1165	428	3438	2100	86481	404309
<b>कुल</b>	<b>4224760</b>	<b>294514</b>	<b>427911</b>	<b>122601</b>	<b>31755</b>	<b>27539</b>	<b>1175</b>	<b>10425</b>	<b>6143</b>	<b>45000</b>	<b>49599</b>	<b>1016662</b>	<b>5241422</b>

नोट: (1) 'केंद्रीय करों एवं शुल्कों में हिस्सेदारी' - कॉलम 3 के तहत राशियाँ निर्देशात्मक हैं और वास्तविक राशियाँ पांच वर्ष की पंचाद अवधि के दौरान विभाज्य पूल के आकार के अनुसार भिन्न होंगी। (2) 16,400 करोड़ रुपए को कॉलम 13 में कुल सहायता अनुदान आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है। इसमें तीन अनुदान हैं: (क) विद्यालय शिक्षा (4,800 करोड़ रुपए), (ख) आकांक्षी विलों और ब्लॉकों के लिए अनुदान (3,150 करोड़ रुपए) और (ग) स्थानीय निकायों के लिए अनुदान (1) नए शहरों के विकास हेतु (8,000 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय आंकड़ों केंद्र (450 करोड़ रुपए)।

## अनुशंसाओं का सारांश

i. हम अपनी पंचाट अवधि सत्रह राज्यों के लिए 2,94,514 करोड़ रुपए के कुल राजस्व घाटा अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.19)

ii. शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए हम 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 4,800 करोड़ रुपए (1,200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष) के अनुदानों की अनुशंसा करते हैं। राज्य द्वारा प्राप्त निष्पादन अनुदान का उपयोग शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा और उसे राज्य के किसी भी अन्य विभाग द्वारा अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(पैरा 10.37 और 10.39)

iii. भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रादेशिक भाषाओं (मातृभाषा) में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विकास एवं ऑनलाइन शिक्षण के लिए हम 6,143 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.43)

iv. हमारी पंचाट अवधि के दौरान कृषि सुधार लाने के लिए हम सभी राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

क. हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य अपने भूमि-संबंधित कानूनों को नीति आयोग के मॉडल कानून के अनुरूप उपयुक्त रूप से संशोधित करें ताकि कृषि भूमि को कृषि प्रयोजनों तथा कृषि-उद्योग, कृषि व्यापार के लिए लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि पट्टे पर दिया जा सके।

ख. हम उन राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित अनुदानों की अनुशंसा करते हैं, जो भूमि जल स्रोत का अनुरक्षण और उसका वर्धन करते हैं तथा भूमि जल में कोई भी गिरावट को रोकने का प्रयास करते हैं।

ग. राज्य के निर्यात निष्पादन के लिए अवार्ड हेतु हम एक लक्षित संकेतक के रूप में कृषि निर्यातों में वृद्धि का उपयोग करने की अनुशंसा करते हैं।

घ. भारत को दलहनों, खाद्य तेलों और काष्ठ एवं काष्ठ उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु, एक संकेतक के रूप में तिलहनों, दलहनों काष्ठ-आधारित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने की अनुशंसा करते हैं।

ड. कृषि के लिए इस निष्पादन अनुदान का उपयोग राज्यों द्वारा केवल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास से संबंधित कार्यकलापों और अवसंरचना के लिए किया जाना चाहिए।

(पैरा, 10.54, 10.56, 10.59, 10.62, 10.64 और 10.66)

v. पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए हम 2021-26 की अवधि हेतु 27,539 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं, जिसमें से 14,743 करोड़ रुपए सामान्य राज्यों के लिए और 12,796 करोड़ रुपए एनईएच राज्यों के लिए हैं।

(पैरा 10.72)

vi. हम जघन्य अपराधों, वंचित लोगों के सिविल मामलों, पांच-वर्ष पुराने संपत्ति से संबंधित मामलों, और आर्थिक अपराधों तथा पोक्सो वाले मामलों में शीघ्रता से न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट-ट्रैक न्यायालयों हेतु 10,425 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.75)

vii. सांख्यिकीय गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हम 2022-23 से 2025-26 की अवधि हेतु राज्यों के लिए नियत एवं परिवर्तनशील घटकों सहित 1,175 करोड़ रुपए के कुल अनुदानों की अनुशंसा करते हैं। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि 677 करोड़ रुपए की कुल आबंटन राशि के नियत अनुदान, जो कि शर्त रहित है, को 2022-23 में जारी किया जा सकता है। 498 करोड़ रुपए के शेष परिवर्तनशील घटक को उपरोक्त में वर्णित उपलब्धियों के आधार पर 2023-26 से शुरू करते हुए शेष तीन वर्षों के दौरान समान रूप से संवितरित किया जा सकता है। नियत एवं परिवर्तनशील अनुदान, दोनों का उपयोग केवल राज्य सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।

(पैरा 10.82)

viii. हम आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को प्रोत्साहन देने के लिए 2021-22 से 2025-26 की पांच वर्षों की अवधि के लिए 3,150 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.92)

ix. हम विद्युत क्षेत्र में कतिपय निष्पादन मानदंडों के आधार पर 2021-22 से 2024-25 की अवधि को कवर करते हुए अपने पंचाट के प्रथम चार वर्षों प्रत्येक के लिए राज्यों की जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत तक उनके लिए अतिरिक्त वार्षिक उधार लेने की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.103)

x. हम यह अनुशंसा करते हैं कि शिशुओं एवं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना के माध्यम से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(पैरा 10.112)

xi. हम यह अनुशंसा करते हैं कि संघ सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाए जिससे लंबित रेल परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित हो।

(पैरा 10.114)

xii. सामाजिक आवश्यकताओं, प्रशासनिक अभिशासन और संबंधित अवसंरचना, जल के संरक्षण एवं उचित उपयोग, जल निकासी एवं स्वच्छता, संस्कृति एवं ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण, उच्च लागत वाली भौतिक अवसंरचना एवं पर्यटन के लिए हम अपनी पंचाट अवधि के दौरान 49,599 करोड़ रुपये के राज्य-विशिष्ट अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.118)

xiii. राज्य-विशिष्ट अनुदानों की किसी भी निधि का उपयोग सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकेगा। जहां परियोजना/निर्माण के लिए प्राइवेट पार्टियों से अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार के अनिवार्य अधिग्रहण भुगतानों हेतु नई ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के 50 प्रतिशत की उच्चतम-सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए राज्य-विशिष्ट अनुदानों का उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, ब्राउनफील्ड परियोजनाओं, जहां अवसंरचना संबंधी कार्यों को पूरा कर लिया गया है और कार्यशील हो गया है, के लिए राज्य-विशिष्ट अनुदानों का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और बड़े पैमाने के बाह्य कारकों से निपटने के लिए किया जाएगा। इन ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में, अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण (जैसे कि एयरपोर्ट रनवे का विस्तार) पर किया जाना है, अतः राज्य-विशिष्ट अनुदान के उपयोग के लिए इस संबंध में उच्चतम-सीमा की आवश्यकता नहीं है। सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने, उपरोक्त भूमि अधिग्रहण के लिए 2021-22 में किए गए भुगतान राज्य-विशिष्ट अनुदानों से 2022-23 में पूर्व-व्यापी वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे।

(पैरा 10.119, i)

xiv. हम अनुशंसा करते हैं कि अनुदानों के उचित उपयोग की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करना चाहिए। समिति के प्रमुख राज्य के मुख्य सचिव और सदस्यों के रूप में राज्य का वित्त सचिव तथा संबद्ध विभागों के सचिव/प्रमुख हो सकते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा एक ऐसी समिति द्वारा भी की जाए जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उसमें राज्य वित्त मंत्री और राज्य के संबंधित मंत्री सदस्य होंगे। हम अनुशंसा करते हैं कि अनुदानों को जारी करने या उन्हें उपयोग करने के लिए हमारे द्वारा विहित शर्तों के अलावा संघ सरकार द्वारा कोई और शर्त नहीं लगाई जाएगी।

(पैरा 10.120, 10.122, 10.123)



## अध्याय 11

# रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

अपने विचारार्थ विषय (टीओआर) के अनुसार, आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए पूंजी व्यय में परिव्यय बढ़ाने की आवश्यकता एवं तात्कालिकता की समीक्षा की, अतिरिक्त संसाधनों की पहचान की और उनके वित्तपोषण की एक अलग क्रियाविधि की वांछनीयता पर विचार-विमर्श किया। आयोग ने आंतरिक सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के पूंजी व्यय पूर्वानुमानों की समीक्षा की। सभी पहलुओं की समीक्षा करने के पश्चात हमने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर पूंजी व्यय के लिए पूर्वानुमानित बजटीय आवश्यकता और बजट आबंटन के बीच अंतर को कम करने के लिए रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा हेतु एक समर्पित आधुनिक कोष के गठन की अनुशंसा की है। लोक लेखा के अंतर्गत यह एक गैर-व्यपगत (*non-lapsable*) कोष होगा और इसके वृद्धिशील वित्तपोषण के चार स्रोत होंगे: (i) भारत की संचित निधि से हस्तांतरण; (ii) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश आगम (iii) रक्षा अधिशेष भूमि के व्यावसायीकरण से आगम; और (iv) रक्षा भूमि से प्राप्तियों के आगम जिन्हें (राज्य सरकारों तथा भविष्य में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है)। इस कोष के प्रचालन, जनसाधारण हेतु रिपोर्टिंग और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा कराए जाने के लिए अपने मानक अधिसूचित नियम होंगे। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि रक्षा मंत्रालय को वेतन एवं पेंशन देयताओं को नवप्रवर्तनशील रूप से कम करने हेतु अविलंब उपाय करने चाहिए और एक विशिष्ट रोडमैप के साथ रक्षा आयातों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहिए।

11.1 रक्षा और आंतरिक सुरक्षा किसी भी देश की सर्वोपरि आवश्यकताएं होती हैं और जिसे समुचित रूप से पूरा करना किसी संप्रभु देश का महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में राजकोषीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। राजकोषीय संसाधनों को राष्ट्र के कर संसाधनों में प्राथमिक प्रभारों की श्रेणी में रखा जाता है। सुरक्षा चुनौतियों के जटिल एवं उभरते हुए स्पैक्ट्रम को ध्यान में रखते हुए तथा खतरे की आहट, परिचालनात्मक चुनौतियों और प्रौद्योगिकीय विकास के आधार पर, रक्षा एवं आंतरिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। पूर्व वित्त आयोगों के दृष्टिकोण से इतर,

हमारे टीओआर ने हमें देश की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा आवश्यकताओं की समीक्षा करने पर विशेष ध्यान देने का अधिदेश दिया है। मूल टीओआर का पैरा 6 (ii) हमें, अन्य बातों के अलावा, रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के संबंध में संघ सरकार के संसाधनों की मांगों पर विचार करने का अधिकार देता है। दिनांक 29 जुलाई, 2019 को अधिसूचित अतिरिक्त टीओआर का पैरा 9 (क) हमें यह समीक्षा करने का अधिदेश देता है कि “क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र (मेकेनिज्म) स्थापित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे तंत्र का किस प्रकार प्रचालन किया जा सकता है।”

11.2 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हमने संगत संवैधानिक उपबंधों, संवैधानिक विशेषज्ञों के विचारों, तेजी से उभर रहे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण संसाधनों पर सेक्टर की मांगों, भू-राजनीतिक जटिलताओं तथा प्रापण में सेक्टर-विशिष्ट कार्यकलापों के साथ-साथ प्रापण चक्र के साथ निधियों के प्रवाह की समकालिकता सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया है। टीओआर के अनुपालन में हमने एक विशेष समूह का गठन किया है।<sup>1</sup> हमने कुछ राज्यों तथा रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत लिखित निवेदनों पर भी विचार किया है।

## संवैधानिक उपबंध

11.3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 51 (क) में यह उल्लिखित है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51क में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को वर्णित किया गया है, और इस अनुच्छेद के खंड (ग) एवं (घ) में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा और उसे परिरक्षित करेगा तथा जब उससे अपेक्षा की जाए वह राष्ट्र की सेवा करेगा। अनुच्छेद 246 (1) संसद को सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) में संगत प्रविष्टियों में उल्लिखित रक्षा एवं आंतरिक रक्षा से संबंधित विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 355 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संघ का कर्तव्य यह है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के विरुद्ध प्रत्येक राज्य को संरक्षित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालित हो।

<sup>1</sup>समूह के गठन और बैठकों के विवरण रिपोर्ट के खंड-II में दिए गए हैं (अनुलग्नक 1.18 तथा 1.35)



11.4 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। यह सूची राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध को रोकने, उसकी जांच एवं अन्वेषण करने तथा अपराधियों के खिलाफ अभियोजन चलाने का प्राथमिक दायित्व सौंपती है। दूसरी ओर संघ सूची-I की प्रविष्टि 2क संघ सरकार को अपने सैन्य बल या अपने नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल को सिविल पावर में सहायता देने हेतु तैनात करने की शक्ति प्रदान करती है। अतः कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में संघ सरकार राज्यों के प्रयासों में उन्हें सहायता प्रदान करती है। इस सूची में राज्यों को अपने पुलिस बलों के शस्त्रीकरण, संचार, उपकरण, गतिशीलता, प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, आसूचना इनपुट (intelligence input) को केंद्रीय रक्षा एवं आसूचना एजेंसियों द्वारा राज्यों की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से साझा किया जाता है ताकि अपराध और कानून व्यवस्था संबंधी घटनाओं को रोका जा सके। इसके अलावा लोक प्रशासन एवं पुलिस से संबंधित विभिन्न मुद्दों को आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा तथा बाह्य आक्रमण को अन्य संघटकों के साथ घनिष्ठता के साथ जोड़ा गया है ताकि आंतरिक सुरक्षा का विषय संघ एवं राज्य सरकारों दोनों का सामूहिक उत्तरदायित्व बन जाए।

11.5 उपर्युक्त में किया गया वर्णन देश को बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा इन दोनों के बीच अंतर्निहित संबंध को परिरक्षित करने में संघ सरकार और राज्य सरकारों की संवैधानिक पृष्ठभूमि का ही सारांश है। बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा को लेकर दोनों सरकारें अलग-अलग दृष्टिकोण के साथ कार्य नहीं कर सकती हैं, और देश की सुरक्षा हेतु संघीय व्यवस्था में इन दोनों की भूमिका एवं दायित्व में सातत्य (continuum) है।

## रक्षा व्यय का विश्लेषण

11.6 विगत में, राजस्व व्यय के उच्च हिस्से, अधिक मात्रा में पेंशन बिल और कम पूंजी व्यय तथा रक्षा उपकरण के आयात पर उच्च निर्भरता के कारण रक्षा व्यय में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए, रक्षा व्यय की संरचना की समीक्षा करना आवश्यक हो गया है ताकि उसकी पूंजी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त निधियों के प्रवाह की पूर्वानुमानेयता एवं स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और राजस्व व्यय, विशेष रूप से बढ़ते पेंशन परिव्यय को कम करने के तरीकों की खोज की जा सके।

11.7 संघ सरकार के सभी मंत्रालय की तुलना में रक्षा मंत्रालय (एमओडी) को सबसे अधिक आबंटन दिया जाता है। विगत 10 वर्षों में रक्षा बजट में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। इसके अंतर्गत रक्षा बजट के भीतर राजस्व व्यय 11 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय मात्र 6.1 प्रतिशत बढ़ा है (तालिका 11.1)। राजस्व व्यय में उच्च वृद्धि का कारण रक्षा पेंशन पर बढ़ता परिव्यय है, जो 15.7 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

**तालिका 11.1: कुल रक्षा व्यय (राजस्व एवं पूंजी) का विश्लेषण**

(करोड़ रु.)

वित्त वर्ष	रक्षा राजस्व व्यय	जीडीपी के % के रूप में	संघ सरकार के राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	रक्षा पूंजीगत व्यय	जीडीपी के % के रूप में	संघ सरकार के पूंजी व्यय के % के रूप में	कुल रक्षा व्यय (राजस्व + पूंजी)	जीडीपी के % के रूप में	संघ के कुल व्यय के % के रूप में
2011-12	144147	1.65	12.6	69526	0.80	43.8	213673	2.45	16.4
2012-13	158545	1.59	12.8	72097	0.73	43.2	230642	2.32	16.4
2013-14	173912	1.55	12.7	80222	0.71	42.7	254134	2.26	16.3
2014-15	201929	1.62	13.8	83076	0.67	42.2	285005	2.29	17.1
2015-16	210306	1.53	13.7	83614	0.61	33.0	293920	2.13	16.4
2016-17	260067	1.69	15.4	91484	0.59	32.1	351551	2.28	17.8
2017-18	284273	1.66	15.1	95431	0.56	36.3	379704	2.22	17.7
2018-19	303657	1.60	15.1	99802	0.53	32.4	403459	2.13	17.4
2019-20 आरई	333449	1.63	14.2	115371	0.56	33.1	448820	2.20	16.6
2020-21 बीई	352823	1.57	13.4	118555	0.53	28.8	471378	2.10	15.5
टीजीआर (%) (2011-21)	11.0			6.1			9.6		

नोट: 1. रक्षा राजस्व व्यय में रक्षा सेवा राजस्व, राजस्व विविध (सिविल) राजस्व और रक्षा पेंशन शामिल हैं।

2. रक्षा पूंजी व्यय में पूंजी परिव्यय और रक्षा विविध (सिविल) पूंजी व्यय शामिल हैं।

3. टीजीआर= प्रवृत्ति वृद्धि दर

11.8 यद्यपि, 2011-12 और 2018-19 के बीच, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात की तुलना में, कुल रक्षा व्यय घटा है (2.5 प्रतिशत से 2.1 प्रतिशत), किंतु संघ सरकार के कुल व्यय में कुल रक्षा व्यय का अनुपात उसी अवधि के दौरान 16.4 प्रतिशत से बढ़कर 17.4 प्रतिशत हुआ है। दूसरी ओर संघ सरकार का कुल व्यय कम हुआ है, जो 2011-12 में जीडीपी के 14.9 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 12.2 प्रतिशत हो गया था। रक्षा बजट में बढ़ोत्तरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के बाद संसदीय वेतनमानों को लागू करने के फलस्वरूप वेतन एवं पेंशन पर खर्च किए गए उच्च व्यय के साथ रक्षा पर बढ़ते राजस्व व्यय के कारण हुई है जो 2011-12 में संघ सरकार के राजस्व व्यय के 12.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 15.1 प्रतिशत हो गया

था। दूसरी ओर, संघ सरकार के कुल राजस्व व्यय में रक्षा पूंजी व्यय का हिस्सा उसी अवधि के दौरान 43.8 प्रतिशत से घटकर 32.4 प्रतिशत था।

### रक्षा पूंजी परिव्यय की समीक्षा

11.9 रक्षा पूंजी परिव्यय में रक्षा उपकरण, शस्त्रीकरण, विमान, नौसेना पोत, सीमाओं से सटे क्षेत्रों में भूमि एवं सड़कों और पुलों की लागत पर व्यय शामिल हैं और रक्षा पर पूंजी परिव्यय 2020-21 (बीई) में 1.14 लाख करोड़ रुपए है, जो कि कुल रक्षा बजट (रक्षा पेंशन सहित) का 24.1 प्रतिशत है। इससे यह पता चलता है कि इसमें 2011-12 से गिरावट आई है, जब पूंजी परिव्यय कुल रक्षा बजट का 31.8 प्रतिशत था। इसी प्रकार से, 2011-12 और 2018-19 के बीच संघ सरकार के कुल व्यय के अनुपात के रूप में, पूंजी परिव्यय 5.2 प्रतिशत से घटकर 4.1 प्रतिशत और जीडीपी के अनुपात के रूप में 0.8 प्रतिशत से घटकर 0.5 प्रतिशत था (तालिका 11.2)।

तालिका 11.2: रक्षा सेवाओं का पूंजी परिव्यय

(करोड़ रु.)

वित्त वर्ष	बीई	वास्तविक	वार्षिक वृद्धि(%)	वास्तविक बीई %	जीडीपी के %के रूप में पूंजी परिव्यय	कुल संघ व्यय के %के रूप में पूंजी परिव्यय	कुल रक्षा व्यय के%के रूप में पूंजी परिव्यय
2011-12	69199	67902	9.4	98.1	0.8	5.2	31.8
2012-13	79579	70499	3.8	88.6	0.7	5.0	30.6
2013-14	86741	79125	12.2	91.2	0.7	5.1	31.1
2014-15	94588	81887	3.5	86.6	0.7	4.9	28.7
2015-16	94588	79958	-2.4	84.5	0.6	4.5	27.2
2016-17	86340	86371	8.0	100.0	0.6	4.4	24.6
2017-18	86529	90445	4.7	104.5	0.5	4.2	23.8
2018-19	94011	95231	5.3	101.3	0.5	4.1	23.6
2019-20 आरई	103394	110394 (आरई)	15.9	106.8	0.5	4.1	24.6
2020-21 बीई	113734	113734 (बीई)	3.0		0.5	3.7	24.1
टीजीआर (%) (2011-21)		5.7 %					

\* कुल रक्षा व्यय में रक्षा पेंशन शामिल है।

टीजीआर= प्रवृत्ति वृद्धि दर

11.10 रक्षा पूंजी व्यय मुख्य रूप से आयातों पर निर्भर करता है। स्टॉकहॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट के अनुसार, 2018 में भारत रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा आयातक था। सेना (मिलिटरी) के लिए हार्डवेयर के आयातों के कारण न ही देश की अर्थव्यवस्था से तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक आविष्कारों एवं नवप्रवर्तनों के आधार पर घरेलू उत्पादन से प्राप्त अतिरिक्त उत्पाद (स्पिन-ऑफ) से बहुआयामी प्रभावों का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त, सेना के लिए

हार्डवेयर हेतु विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहने से आयातों पर न केवल भारी मात्रा में खर्च होता है, अपितु आपातकालीन स्थितियों के दौरान आपूर्तियों की अनियमितताओं के कारण देश की सुरक्षा भेद्यनीय भी हो जाती है। रक्षा उपकरण के घरेलू उत्पादन पर हाल ही में विशेष ध्यान आकृष्ट किया गया है, लेकिन घरेलू उत्पादन को, रक्षा आधुनिकीकरण की समग्र नीति के हिस्से के रूप में, पूंजी निवेश हेतु पर्याप्त संसाधनों के प्रवाह में पूर्वानुमेयता एवं स्थिरता के साथ संगत बनाया जाना आवश्यक है।

## पेंशन पर व्यय

11.11 रक्षा पेंशन के अंतर्गत सेवा पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), परिवारिक पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, तीनों सेवाओं तथा आयुध निर्माणियों के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए पेंशन एवं छुट्टी नकदीकरण का संराशीकृत मूल्य शामिल होता है। कुल रक्षा आबंटन के अनुपात के रूप में, रक्षा पेंशन 2011-12 और 2020-21 (बीई) के बीच 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 28.4 प्रतिशत हो गया। विगत 10 वर्षों यानी 2011-21 में यह पूरे रक्षा क्षेत्र में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 15.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ा है। जीडीपी के अनुपात के रूप में, यह 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 0.6 प्रतिशत और संघ सरकार के व्यय के राजस्व व्यय के अनुपात में, 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गया है (तालिका 11.3)।

तालिका 11.3 : रक्षा पेंशन व्यय

वित्त वर्ष	रक्षा पेंशन (करोड़ रु.)	रक्षा व्यय का प्रतिशत*	जीडीपी का प्रतिशत	संघ सरकार के राजस्व व्यय का प्रतिशत
2011-12	37569	17.58	0.43	3.3
2012-13	43368	18.80	0.44	3.5
2013-14	45500	17.90	0.41	3.3
2014-15	60450	21.21	0.48	4.1
2015-16	60238	20.49	0.44	3.9
2016-17	87826	24.98	0.57	5.2
2017-18	92000	24.23	0.54	4.9
2018-19	101775	25.23	0.54	5.1
2019-20आरई	117810	26.25	0.58	5.0
2020-21बीई	133825	28.39	0.60	5.1
टीजीआर(%) (2011-21)	15.7			

\* कुल रक्षा व्यय में रक्षा पेंशन शामिल है।  
टीजीआर= प्रवृत्ति वृद्धि दर

11.12 2016-17 से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पंचाट तथा रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, रक्षा पेंशन व्यय रक्षा सेवाओं पर राजस्व परिव्यय की तुलना में तेज दर के साथ बढ़ना शुरू हो गया है। चूंकि समग्र संसाधन सीमित हैं, रक्षा पेंशन व्यय में यह वृद्धि रक्षा आधुनिकीकरण के लिए निधियों की उपलब्धता को प्रभावित कर रही है।

## आंतरिक सुरक्षा पर व्यय का विश्लेषण

11.13 गृह मंत्रालय (एमएचए) का बजट 2018-19 में संघ सरकार के कुल व्यय का 4.8 प्रतिशत था। 2018-19 के लिए गृह मंत्रालय के कुल बजट व्यय में पुलिस व्यवस्था पर 81.7 प्रतिशत, संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए अनुदानों के लिए 12.5 प्रतिशत और आपदा प्रबंधन, शरणार्थियों एवं प्रवासियों के पुनर्वास, जनगणना तथा मंत्रिमंडल जैसे विविध मुद्दों पर 5.8 प्रतिशत था।

## पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर व्यय

11.14 2015-16 में, गृह मंत्रालय द्वारा 80,000 करोड़ रुपए के कुल बजट में से 79 प्रतिशत (63,000 करोड़ रुपए) पुलिस व्यवस्था (जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)<sup>2</sup> और दिल्ली पुलिस) पर खर्च किया गया था। 2018-19 में गृह मंत्रालय ने 1.12 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय में से 82 प्रतिशत (92,000 करोड़ रुपए) पुलिस पर खर्च किए। 2020-21 में गृह मंत्रालय ने 1.67 लाख करोड़ रुपए बजट आबंटन का 63 प्रतिशत पुलिस व्यवस्था के लिए आवंटित किए। मंत्रालय के व्यय के अंतर्गत पुलिस के अंश में गिरावट का मुख्य कारण यह है कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को दो संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख) में पुनर्गठित किए जाने के पश्चात जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए आबंटन 2020-21 में गृह मंत्रालय बजट के माध्यम से भेजा जाएगा।

11.15 ऐसा अनुमान किया जाता है कि सीएपीएफ को 2020-21 (बीई) में कुल 78,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया जाएगा। यह पुलिस पर व्यय का 74 प्रतिशत है। संपूर्ण पुलिस बल और सात

<sup>2</sup>सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) हैं : असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एवं सशस्त्र सीमा बल।

सीएपीएफ बलों के लिए 2015-16 और 2020-21 (बीई) के बीच राजस्व एवं पूंजी व्यय के परस्पर संवितरण को तालिका 11.4 में दर्शाया गया है।

**तालिका 11.4 : पुलिस एवं सीएपीएफ का कुल व्यय**

(करोड़ रु.)

वर्ष	पुलिस व्यय			राजस्व व्यय का अंश %	पूंजीगत व्यय का अंश %	जिसमें से सीएपीएफ पर व्यय			राजस्व व्यय का अंश %	पूंजीगत व्यय का अंश %
	राजस्व	पूंजी	कुल			राजस्व	पूंजी	कुल		
2015-16	54280	9055	63335	85.7	14.3	43935	734	44669	98.4	1.6
2016-17	64203	8851	73054	87.9	12.1	51529	946	52475	98.2	1.8
2017-18	71352	10535	81887	87.1	12.9	56801	1206	58007	97.9	2.1
2018-19	82209	9484	91693	89.7	10.3	66507	1164	67671	98.3	1.7
2019-20 (आरई)	93455	9748	103203	90.6	9.4	74687	1482	76169	98.1	1.9
2020-21 (बीई)	95398	9846	105244	90.6	9.4	76414	1473	77887	98.1	1.9
टीजीआर %	12.4	1.7	11.1			12.2	14.7	12.3		

नोट: 1. पुलिस व्यय के अंतर्गत सीएपीएफ पर व्यय, पुलिस का आधुनिकीकरण, दिल्ली पुलिस, पुलिस बुनियादी ढांचा, आईबी एवं सीमा बुनियादी ढांचा पर व्यय शामिल है।

11.16 यद्यपि, पुलिस पर बजट आबंटन 2015-16 से 2020-21 (बीई) अवधि के दौरान 11.1 प्रतिशत की सामान्य दर पर बढ़े हैं, किंतु इसका मुख्य कारण राजस्व व्यय है, जो 12.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जबकि पूंजी व्यय मात्र 1.7 प्रतिशत बढ़ा है। पूंजीगत व्यय मशीनरी एवं उपकरण और मोटरवाहनों के प्रापण/क्रय पर खर्च किया जाता है, जबकि राजस्व व्यय वेतन, हथियारों एवं गोला-बारूद तथा वर्दियों जैसे मदों पर खर्च किया जाता है। पुलिस अनुदानों में राजस्व व्यय का अंश 2015-16 से 2020-21(बीई) के दौरान 85.7 प्रतिशत से क्रमिक रूप में बढ़कर 90.6 प्रतिशत हो गया है, जबकि पूंजी व्यय का अंश 14.3 प्रतिशत से घटकर 9.4 प्रतिशत हुआ है।

## संघ सरकार के विचार

### रक्षा मंत्रालय

11.17 अपने ज्ञापन में रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से पर्याप्त वित्तपोषण की मांग की है। मंत्रालय ने यह टिप्पणी की है कि बजटीय आबंटन, जो विगत वर्षों के दौरान घट गए हैं, बड़े रक्षा अधिग्रहणों के वित्तपोषण हेतु पर्याप्त नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, संसाधनों का पुनः आबंटन और स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा अवसंरचना जैसे अन्य बजट शीर्षों से उनका विनियोजन अपने आप में अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः मंत्रालय ने यह निवेदन किया है कि पूंजी व्यय के लिए एक अलग एवं समर्पित वित्तपोषण तंत्र स्थापित किए जाने से निधियों के प्रवाह में पूर्वानुमेयता और उपलब्धता आश्वस्त होगी और इससे उन्हें सामरिक रक्षा क्षमताओं की योजना बनाने और उनके निर्माण में सहायता मिलेगी।

11.18 रक्षा मंत्रालय के अनुसार आयोग की पंचाट अवधि 2021-26 के लिए वर्तमान प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, उसका अनुमान है कि उसे पूंजी परिव्यय के लिए 9.01 करोड़ रुपए का आबंटन प्राप्त होगा और यह 16 प्रतिशत की वृद्धि दर पर आधारित होगा। तथापि, पूंजी पर रक्षा योजना पूर्वानुमान उसी अवधि के लिए 17.46 लाख करोड़ है। इसके परिणामस्वरूप, पूर्वानुमानित कमी 8.45 लाख करोड़ रुपए है (तालिका 11.5)।

**तालिका 11.5 : रक्षा सेवाओं के लिए आबंटनों में अनुमानित कमी**

(करोड़ रु.)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल 2021-26
<b>पूंजी व्यय</b>						
रक्षा योजना के लिए पूर्वानुमान	286058	314663	346130	380743	418817	1746411
आबंटन (अनुमानित)	131054	152022	176346	204562	237291	901275
कमी (अनुमानित)	155004	162641	169784	176181	181526	845136
<b>राजस्व व्यय</b>						
रक्षा योजना के लिए पूर्वानुमान	323556	357529	387919	428650	465086	1962740
आबंटन (अनुमानित)	223237	238863	255584	273474	292618	1283776
कमी (अनुमानित)	100319	118666	132335	155176	172468	678964

स्रोत: रक्षा मंत्रालय का दिनांक 25 अगस्त 2020 का नोट।

आबंटन (अनुमानित)- 2020-21 (बीई) की तुलना में राजस्व पूर्वानुमान 7 प्रतिशत की वार्षिक दर से और पूंजी पूर्वानुमान 16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़े।

11.19 रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है कि यदि नए योजनाबद्ध अधिग्रहणों के साथ चालू पूंजी अधिग्रहणों पर प्रतिबद्ध देयताओं के लिए रक्षा योजनाओं में किए गए पूर्वानुमानों को ध्यान में रखा जाए तो तीनों सेवाओं को आगामी वर्षों में भारी मात्रा में निधियों के अभाव का सामना करना पड़ेगा। मंत्रालय ने यह भी उजागर किया कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए तीनों बलों के लिए मंत्रालय के रक्षा योजना पूर्वानुमान में 7,37,357 करोड़ रुपए का कुल कमी (राजस्व एवं पूंजी लेखा दोनों में) रही है।

11.20 मंत्रालय ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है कि रक्षा बजट में लंबे समय तक लगातार कमी रही है जिसके कारण सेवाओं को प्रचालन संबंधी तैयारी से समझौता करना पड़ा है। परिणामस्वरूप, मंत्रालय को अनेक तदर्थ (ad-hoc) कार्यविधियों का सहारा लेना पड़ा है, जैसे कि कुछ प्राप्तियों का स्थगन और देरी से भुगतान करना, जिसके कारण आवश्यकताओं तथा प्रतिबद्ध देयताओं को आगे खिसकाना पड़ा है। अतः, देश की रक्षा क्षमताओं के आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु, बढ़ते संसाधनों के नए, बहु-आयामी एवं समर्पित साधनों की खोज करने की अत्यावश्यकता है।

11.21 रक्षा मंत्रालय ने रक्षा आधुनिकीकरण के वित्तपोषण हेतु अनेक विकल्पों का सुझाव दिया है:

- i. उर्ध्वाधर अंतरण (वर्टिकल डिवोलुशन) से पहले रक्षा एवं आंतरिक रक्षा हेतु साझा किए जाने वाले पूल के एक निश्चित भाग को अलग रखना;
- ii. रक्षा भूमि का व्यावसायीकरण;
- iii. एक रक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर;
- iv. रक्षा बंधपत्र;
- v. रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसई) और आयुद्ध निर्माणियों द्वारा रक्षा निर्यातों से अर्जित लाभों को पूर्ण रूप से रक्षा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराना;
- vi. डीपीएसई के विनिवेश से आगम;
- vii. मानवीय सहायता एवं आपदा राहत, राज्य एवं सिविल प्राधिकारियों तथा संयुक्त राष्ट्र मिशनों को दी गई सहायता की प्रतिपूर्ति को बढ़ाते हुए रक्षा प्राप्तियों को बढ़ाना;
- viii. वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए विभिन्न अनुदान मांगों में से कम उपयोग किए गए शीर्षों का पुनः विनियोजन कर रक्षा सेवाओं को एकबारगी एकमुश्त अनुदान देना; और
- ix. सेवाओं द्वारा अधिग्रहण और क्रय पर सीमा शुल्क, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) और एकीकृत जीएसटी जैसी सांविधिक शुल्कों की वसूली से छूट देना।



## गृह मंत्रालय

11.22 अपने ज्ञापन और उसके बाद दिए गए निवेदनों में गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा हेतु संघ सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के लिए पर्याप्त आबंटन करने का आग्रह किया है और इस प्रयोजनार्थ उच्च आबंटन अलग से निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यद्यपि, बजट आबंटन 11-12 प्रतिशत की सामान्य दर से बढ़े हैं, परंतु यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से राजस्व लेखा में वृद्धि के कारण है, जबकि पूंजीगत व्यय के लिए आबंटन लगभग स्थिर रहे हैं। पुलिस अनुदानों में राजस्व व्यय का अंश 2009-10 में 78 प्रतिशत से क्रमिक रूप में बढ़कर 2020-21 में लगभग 90 प्रतिशत हो गया है, जबकि पूंजी व्यय का अंश उसी अवधि में 22 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत हो गया है। मंत्रालय ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया है कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु, जिसके लिए ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, सहायता देने के लिए स्कीम का भी काफी कम वित्तपोषण किया गया है।

11.23 गृह मंत्रालय द्वारा पूंजी का आबंटन मुख्य रूप से पुलिस बुनियादी ढांचा, सीमा से सटे क्षेत्र के बुनियादी ढांचा और प्रावधान वाली योजनाओं (प्रोविजनिंग स्कीम्स) के खर्च के लिए किया जाता है। पुलिस बुनियादी ढांचे के लिए निधियों को सीएपीएफ की पूंजी आवश्यकताओं के लिए खर्च किया जाता है जिसमें अधिकारियों के लिए कार्यालय भवनों, आवासों आदि का निर्माण शामिल हैं। सीमा बुनियादी ढांचा पर स्थित चौकियों, निगरानी टावरों, सीमा पर तारों की बाड़ (फेन्सिंग) लगाना और सीमा सड़कों के निर्माण से संबंधित है। प्रावधान आवश्यकताओं वाली योजनाओं के तहत हथियार, मशीनरी और उपकरण, जैसे कि नाइट विजन यंत्र, हैंड-हेल्ड थर्मल इमेजर्स और मानवरहित वायुयान तथा संचार उपकरणों का प्रापण शामिल है जिनकी आवश्यकता सीएपीएफ को अपनी प्रचालनीय जरूरतों के लिए पड़ती है।

11.24 रक्षा मंत्रालय की तरह गृह मंत्रालय ने भी आबंटनों में उच्च श्रेणी की पूर्वानुमेयता के साथ परिव्ययों में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्यों को बढ़े हुए अंतरण किए गए थे, पर उन्होंने पुलिस व्यवस्था के लिए आबंटनों में कोई इंक्रेमेंटल वृद्धि नहीं की। अतः गृह मंत्रालय ने यह महसूस किया है कि आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग क्रियाविधि अपनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मंत्रालय के पास वित्तपोषण के लिए अधिशेष भूमि की बिक्री जैसे ज्यादा वैकल्पिक स्रोत नहीं हैं। मंत्रालय ने आयोग से उसकी पंचवर्षीय पंचाट अवधि में एक सेक्टरल अनुदान देने की अनुशंसा करने का अनुरोध किया है। जैसा कि हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सीएपीएफ और अन्य संगठनों के लिए तथा

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए पूंजी शीर्षो हेतु बजटीय पूर्वानुमानों और आबंटनों के बीच कमी के आधार पर, आंतरिक सुरक्षा के लिए आयोग की पांच-वर्ष की पंचाट अवधि के दौरान 63,385 रुपए के विशेष-प्रयोजन अनुदानों की मांग की है। मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि इस प्रावधान हेतु एक ऐसी अलग निधि के रूप में आबंटन किया जाना चाहिए, जो रक्षा के लिए किसी भी आबंटन से भिन्न हो, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा राज्यों का साझा उत्तरदायित्व है।

11.25 हमारी पांच वर्षों की पंचाट अवधि में पुलिस के लिए पूर्वानुमानित राजस्व एवं पूंजी व्यय को तालिका 11.6 में दर्शाया गया है।

**तालिका 11.6 : पुलिस के लिए पूर्वानुमान (संघ सरकार)  
(अनुदान 48 - पुलिस)**

(करोड़ रु.)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
राजस्व	105240	121026	139180	160057	184066
पूंजी @	12969	14803	16485	18054	20301
<b>कुल</b>	<b>118209</b>	<b>135829</b>	<b>155665</b>	<b>178111</b>	<b>204367</b>

@ इसमें योजनाओं पर केंद्रीय क्षेत्रक व्यय शामिल है।

स्रोत: गृह मंत्रालय की दिनांक 1 सितंबर 2020 की ई-मेल।

## वित्त मंत्रालय

11.26 वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने यह कहा है कि रक्षा व्यय पूर्णतः संघ सरकार का दायित्व है क्योंकि यह संघ की सूची का विषय है। तथापि, देश के भीतर शांति और राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्यों का भी उत्तरदायित्व है। राज्यों में आर्थिक वृद्धि एवं विकास तब तक संभव नहीं होगा, जब तक इन दो मूलभूत संप्रभु कार्यों का संतोषजनक रूप से निर्वहन न किया जाए। अतः, संघ के कर संसाधनों में प्रथम प्रभार के रूप में रक्षा पर व्यय को अहमियत देना तर्कसंगत प्रतीत होता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए संघ सरकार की आवश्यकताएं सर्वोच्च प्राथमिकता की श्रेणी में हैं। यह आवश्यक है कि रक्षा व्यय देश के समक्ष सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप हो। रक्षा व्यय चौदहवें वित्त आयोग (2015-2020) की पंचाट अवधि के दौरान 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा और मंत्रालय ने पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान 10.3 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर का पूर्वानुमान किया है।

11.27 मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि आयोग के लिए यह संभव नहीं हो पाएगा कि वह साझा योग्य (shareable) करों के पूल से रक्षा पर व्यय अलग से निर्धारित करे, फिर भी मंत्रालय ने यह आग्रह किया कि संघ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा व्यय पर भी विचार किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय द्वारा विगत 10 वर्षों में खर्च किए गए भारी पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि रक्षा अधिग्रहणों के अनुरक्षण का बोझ आगामी वर्षों में राजस्व व्यय की मांग को बढ़ा देगा।

11.28 वित्त मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया कि रक्षा नियोजन और क्षमता निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए निधियों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। विमान, वायुवीय-इंजनों, भारी एवं मध्यम श्रेणी के वाहनों, अन्य उपकरणों, अनुसंधान एवं विकास तथा रक्षा सेवाओं की विशेष परियोजनाओं के लिए रक्षा सेवाओं हेतु पूंजी परिव्यय में लगातार वृद्धि करने की आवश्यकता है।

11.29 आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में, वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि यद्यपि 'सार्वजनिक व्यवस्था' और 'पुलिस' व्यवस्था राज्यों का उत्तरदायित्व है। संविधान का अनुच्छेद 355 संघ सरकार को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य को संरक्षण देने का व्यादेश (आदेश) देता है। इसके लिए संघ सरकार से जो अपेक्षा की जाती है वह संवैधानिक या कानूनी उपबंधों के तहत गहन अपेक्षा से भी अधिक है। पुलिस आधुनिकीकरण और विशेष परियोजनाओं में निवेश करने हेतु राज्यों की सीमित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, संघ के लिए यह जरूरी है कि वह राज्य पुलिस बलों की क्षमता को बढ़ाने हेतु उनके प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान आकृष्ट करे।

11.30 वामपंथी चरमपंथीवाद से प्रभावित क्षेत्र, उत्तर-पूर्व और जम्मू एवं कश्मीर, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए मुख्य खतरे वाले क्षेत्र हैं। संघ सरकार द्वारा सैन्य बलों की तैनाती कर, राज्य पुलिस बलों की क्षमताओं को बढ़ाकर तथा अनेक विकास पहलों के माध्यम से दी गई सहायता से विगत वर्षों के दौरान सुरक्षा परिदृश्य में स्थायी रूप से सुधार आया है। संघ सरकार की इस सहायतावादी भूमिका को जारी रखे जाने की आवश्यकता है।

## राज्यों के विचार

11.31 कुछ राज्यों ने रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र (मेकेनिज्म) स्थापित करने पर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र को वित्तपोषित करने के लिए किसी भी संभावित अनुशंसा से

विभाज्य पूल के आकार में गिरावट नहीं आनी चाहिए। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए निधियों का आबंटन करना संघ सरकार का उत्तरदायित्व है जो अपने विभाज्य पूल के अंश से, गैर-कर राजस्वों जैसे गैर-साझा संसाधनों से, उधारों और गैर-देनदारी पूंजी प्राप्तियों से अपेक्षित आबंटन कर सकती है। यदि आयोग विभाज्य पूल के भीतर इस व्यय शीर्ष को हटा देता है, तब राज्यों को संसाधनों का कम आबंटन हो सकता है। राज्यों ने इस बात पर जोर दिया कि संघ सरकार, राज्यों से कोई पूर्वाग्रह न रखते हुए, भारत की संचित निधि के भीतर एक गैर-व्यपगत (non-lapsable) निधि सृजित करे और विभाज्य पूल को कम करने का प्रयास न करे।

## सुरक्षा पर संप्रभु की भूमिका पर संवैधानिक विशेषज्ञों के विचार

11.32 हम इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं कि संवैधानिक संरचना के भीतर रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकारों (संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों) की भूमिकाओं के बारे में नागरिकों के मन में भ्रम की स्थिति है। हमने इस संबंध में पूर्व वित्त आयोगों द्वारा प्राप्त की गई संवैधानिक विशेषज्ञों की राय का अध्ययन किया है। हमने भारत के पूर्व महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) श्री के. पराशरन की राय भी ली है जिसमें हमें अपने दृष्टिकोण में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। श्री के. पराशरन की राय का सारांश बॉक्स 11.1 में दिया गया है।

### बॉक्स 11.1: श्री के. पराशरन की राय

श्री पराशरन ने अपनी राय में इस बात पर जोर दिया है कि संप्रभु को अपने दिमाग में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कमजोर राजकोष बाह्य आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र रक्षा तथा आंतरिक अशांति को नियंत्रित रखने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने अनुच्छेद 355 का संदर्भ देते हुए उच्चतम न्यायालय के एक आदेश का उदाहरण दिया है:

*‘संविधान की संरचना में यह सुस्पष्ट है कि हालांकि राज्य सरकारों को व्यापक स्वयत्तता और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विवेकाधिकार दिए गए हैं, फिर भी किसी भी प्रकार के जटिल विषयों पर संघ सरकार को स्पष्ट रूप से अधिक शक्तियां एवं विवेकाधिकार सौंपे गए हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक राज्य के मौलिक संप्रभु दायित्व के निर्वहन और उत्कृष्ट सुरक्षा परिवेश को बनाए रखने का प्रथम एवं अंतिम दायित्व संघ सरकार का है। भारत के संविधान में किसी उपबंध की संदर्भगत संरचना में यह देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को कायम रखने का संप्रभु दायित्व पूर्ण रूप से संघ सरकार को सौंपा गया है।’* (प्रज्ञासिंह चंद्रपाल सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2014 (1), Bom CR (Cri) 135)।

अनुच्छेद 51 (क) और अनुच्छेद 51क (ग) और (घ) का संदर्भ देते हुए श्री पराशरन ने यह व्यक्त किया है कि “रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की सुनिश्चिता के लिए नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संघ द्वारा किए गए उपायों में सहयोग करें।” इसके अतिरिक्त उन्होंने अपनी राय में यह भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार संघ का सामूहिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

उपर्युक्त से दो निष्कर्ष निकलते हैं “पहला, भारत की उचित रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित उसकी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना संघ का कर्तव्य है जिसमें विभिन्न राज्यों का भी बराबर का कर्तव्य है और नागरिकों का कर्तव्य है कि वे इस कार्य में संघ तथा राज्य को सहयोग करें। दूसरा हालांकि, इस कर्तव्य का अनुपालन साझा उत्तरदायित्व है (राज्य से अभिप्राय उसके सभी नागरिकों तथा उसकी सभी एजेंसियों से है), अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों को परिरक्षित करने के लिए बाध्य है।”

## रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर गठित समूह के विचार

11.33 इस समूह का गठन मुख्य रूप से यह विचार-विमर्श करने के लिए किया गया था कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अलग तंत्र (मेकेनिज्म) स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं। यदि हां, तो उक्त कार्यविधि को किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। रक्षा के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों और मध्यावधि पूर्वानुमानों से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श करने के पश्चात, समूह ने रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के प्रस्तावों की समीक्षा की।

11.34 इस बात को माना गया कि प्रौद्योगिकी एवं शस्त्र प्रणालियों में उन्नति, युद्ध में गैर-पारंपरिक औजारों का उपयोग तथा विभिन्न मुद्दों पर मतभेदों के कारण रक्षा के लिए संसाधनों की आवश्यकता काफी बढ़ गई है। यह भी सहमति जताई गई कि यद्यपि चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं, किंतु रक्षा बलों के लिए आबंटन घटते जा रहे हैं। रक्षा योजना और क्षमता निर्माण के लिए निधियों की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अतः वास्तविक योजना बनाने के लिए संभावित संसाधन की उपलब्धता, बजटीय आबंटनों में स्पष्ट पूर्वानुमेयता तथा निश्चितता बहुत जरूरी है।

11.35 रक्षा की जटिल प्रापण संबंधी क्रियाविधियों और लंबे समय तक निधियों की अपर्याप्ता से महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का अभाव हुआ है। सैन्य बलों की आधुनिकीकरण के लिए आवश्यकता की पूर्ति तब सार्थकता के साथ हो सकती है जब कम से कम पांच वर्षों की अवधि के लिए निरंतर रूप से अनुमोदित आधुनिकीकरण योजनाओं के आधार पर समर्पित निधि के रूप में वित्तीय सहायता की प्रतिबद्धता में निश्चितता हो।

11.36 इस प्रकार के आधुनिकीकरण कोष का उद्देश्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों (उदाहरण के लिए आधुनिकीकरण हेतु उपकरण प्राप्त करना) के लिए वास्तविक आवश्यकता एवं किसी एक वर्ष में किए गए आबंटन के बीच अंतर को कम करना होगा। अतः यह आवश्यकतानुसार वार्षिक बजटीय आबंटन को अनुपूरित करेगा। इससे विभिन्न रक्षा क्षमता विकास एवं अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने में वर्तमान अनिश्चितता को दूर करने में सहायता मिलेगी।

11.37 इसे ध्यान में रखते हुए, समूह ने एक गैर-व्यपगत (non-lapsable) रक्षा आधुनिकीकरण कोष सृजित करने की अनुशंसा की। इस प्रकार के गैर-व्यपगत कोष के आंतरिक भाग में निधियों का स्पष्ट स्रोत होना जरूरी है। समूह ने लोक लेखा से बाहर स्थापित कोष, जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था, के कार्यकरण के गुण एवं दोषों पर विचार किया। यह महसूस किया गया कि यदि एक विशेष प्रयोजन वाली कार्यप्रणाली इस तरह के कोष को शासित करती है, तब गैर-

व्यपगत प्रणाली की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वित्त मंत्रालय के सभी दृष्टिकोणों एवं विचार-विमर्शों को ध्यान में रखते हुए, समूह ने इस प्रकार के कोष को वार्षिक अनुदान मानकों के भीतर भारत के लोक लेखा के माध्यम से संचालित करने की अनुशंसा की है।

11.38 रक्षा मंत्रालय ने कोष के वार्षिक आकार के रूप में 55,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। इस राशि का अनुमान का आधार पिछले पांच वर्षों के दौरान पूंजी क्षेत्र के लिए निधियों के पूर्वानुमान और आबंटन के बीच औसत अंतर है (तालिका 11.7)।

**तालिका 11.7 : रक्षा सेवाओं में पूंजी निवेश के लिए निधियों का पूर्वानुमान एवं आबंटन**

(करोड़ रु.)

वर्ष	पूर्वानुमान	आबंटन	कमी
2016-17	121930	78587	43343
2017-18	132872	86488	46384
2018-19	172203	93982	78221
2019-20	170904	110394 (आरई)	60510
2020-21	175702	113734 (बीई)	61968
कुल	773611	483185	290426
औसत	154722	96637	58085

स्रोत: पंद्रहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत रक्षा मंत्रालय का दिनांक 16 जुलाई, 2020 का आधार दस्तावेज (बेस पेपर) और दिनांक 25 अगस्त, 2020 का आईडी नोट।

11.39 समूह ने रक्षा आधुनिकीकरण के वित्तपोषण के लिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विकल्पों (जैसा कि पैरा 11.21 में वर्णन किया गया है) पर भी विचार किया है। इन सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए समूह का यह मत है कि वित्तपोषण के प्रस्तावित कई स्रोत संघ और राज्यों के बीच केंद्रीय करों के साझा योग्य पूल के संवितरण में वित्त आयोग के संवैधानिक अधिदेश या संसाधनों के फेरबदल के कारण टकराव पैदा करेंगे। समूह का मत है कि गैर-व्यपगत निधि का सृजन अतिरिक्त संसाधन जुटाकर किया जा सकता है। अतिरिक्त संसाधन से अभिप्राय प्रत्यक्ष करों और आयात शुल्क पर मामूली उपकर लगाना, पेट्रोल और डीजल पर उपकर लगाना, डीपीएसई के विनिवेश आगम और अधिशेष भूमि का व्यावसायीकरण है।

11.40 अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भूमि के तीन मुख्य स्रोतों का सुझाव दिया है जिन्हें व्यावसायीकरण के लिए विचार में रखा जा सकता है: (क) सेना के फार्म बंद करने के पश्चात उपलब्ध भूमि (ख) परित्यक्त एअर फील्ड और कैंप लगाए जाने वाले मैदान, और (ग) अधिक्रमित

भूमि (जिसकी लागत वसूल करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए)। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरण इस प्रकार है:

- (i) सेना फार्मों द्वारा इस्तेमाल की जा रही लगभग 20,000 एकड़ भूमि संघ सरकार के अन्य विभागों, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र को दी जा सकती है।
- (ii) लगभग 749 एकड़ भूमि, जिसकी लागत 2,216 करोड़ रुपए है, सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए दी जा सकती है।
- (iii) लगभग 1,243 एकड़ रक्षा भूमि पर अधिक्रमण किया गया है, जिसमें राज्य सरकार की एजेंसियां भी शामिल हैं। इसकी अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है।
- (iv) लगभग 8,000 एकड़ भूमि में फैले कैम्प वाले मैदानों और परित्यक्त एअर फील्ड।
- (v) लगभग 1,559 एकड़ भूमि, जिसकी लागत 18,836 करोड़ रुपए है, का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए कार्यकरण की अनुमति प्रदान की गई है।

11.41 रक्षा मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया है कि रक्षा भूमि के व्यावसायीकरण से आगमों की सही वसूली के लिए 7 से 8 वर्षों की कार्यावधि (जेस्टेशन पीरियड) परिकल्पित की गई है। भूमि के व्यावसायीकरण से प्राप्त निधियां लगभग 18,000 करोड़ रुपए परिकल्पित की गई हैं- 10,000 करोड़ रुपए अधिक्रमण वाली भूमि से आगमों की वसूली से और 8,000 करोड़ रुपए सड़कों, फ्लाईओवर एवं सड़कों के उपरीगामी पुलों, विमानपत्तन, रेलवे लाइनों और मेट्रो जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं से हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह अनुमान लगाया है कि 10,000 करोड़ रुपए आयोग की पंचाट अवधि के दौरान प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्ष-वार विवरण तालिका 11.8 में दिया गया है।

### तालिका 11.8: संसाधनों का वार्षिक वृद्धिशील उपार्जन (इन्क्रीमेंटल एक्रुवल्स)

(करोड़ रु.)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
अनुमानित राशि	1000	1500	2000	2500	3000	10000

स्रोत: पंद्रहवां वित्त आयोग को प्रस्तुत रक्षा मंत्रालय का दिनांक 27 जुलाई, 2020 का आधार दस्तावेज (बेस पेपर)।

11.42 समूह ने इस विषय पर चर्चा कर अनुशंसा की कि मंत्रालय को वार्षिक रूप से लक्षित राशियां प्राप्त करने हेतु स्पष्ट कार्ययोजना के साथ इस अधिशेष भूमि का व्यावसायीकरण करने का प्रयास करना चाहिए ताकि संपूर्ण आगमों का उपयोग गैर-व्यपगत (**non-lapsable**) रक्षा निधि के माध्यम से किया जा सके।



11.43 रक्षा मंत्रालय ने यह आकलन किया है कि डीपीएसई के विनिवेश से प्रतिवर्ष लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। समूह ने यह विचार व्यक्त किया कि इस राशि को भी प्रस्तावित निधि का भाग बनाया जा सकता है।

## दृष्टिकोण

11.44 हमने संवैधानिक विशेषज्ञों की राय तथा आयोग द्वारा गठित समूह के विचार विमर्श पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमने इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की पर्याप्त सुनिश्चितता के साथ-साथ भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना संघ और राज्य का कर्तव्य है और नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संघ को इस कार्य में अपना सहयोग दें। दूसरा, यद्यपि इस कर्तव्य का पालन साझा दायित्व है (राज्य से अभिप्राय उसके सभी नागरिकों और सभी एजेंसियों से है), किंतु अनुच्छेद 355 के अधीन संघ राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य है। संघ को भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष संवैधानिक निदेश सौंपा गया है।

11.45 संघ वित्तों में अपने आकलन में पूर्व वित्त आयोगों और इस आयोग ने राजस्व लेखा पर रक्षा की आवश्यकताओं की विस्तार से समीक्षा की है। तथापि, रक्षा पर पूंजी व्यय के वित्तपोषण का न तो कभी भी समाधान किया गया और न ही उसके लिए संघ के संसाधनों की मांग के संबंध में किए गए अनुमानों में प्रावधान किया गया है। इस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति उधारों तथा अन्य प्रकार के पूंजी निवेशों पर छोड़ी गई है। हम यह मानते हैं कि इस संबंध में संघ सरकार का अंतिम उत्तरदायित्व है। इसके साथ-साथ, रक्षा पूंजी आवश्यकताओं के वित्तपोषण में निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता एवं तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, हम यह स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार के वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त संसाधनों की पहचान किए जाने तथा एक अलग तंत्र की आवश्यकता है।

11.46 यह भी स्वीकार किया गया है कि हमारी संवैधानिक संरचना के अनुसार अंतर-सरकारी हस्तांतरण प्रणाली में संघ से राज्यों को हस्तांतरणों का प्रवाह है, परंतु रिवर्स प्रवाह के लिए कोई कार्यप्रणाली नहीं है। हम संवैधानिक सिद्धांतों को भी स्वीकार करते हैं जो हमें संसाधनों के विभाज्य पूल से किसी भी राशि को हस्तांतरित करने से रोकते हैं। इसके अतिरिक्त, कर संरचनाओं के सरलीकरण और हमारी रिपोर्ट में वर्णित उपकरणों एवं अधिभारों पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी अनुशंसा और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, हमने इस प्रयोजन हेतु कोई नया या अतिरिक्त

उपकर या अधिभार, जिनसे संघ सरकार को राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत प्राप्त हो सकता है कि, लगाने की भी अनुशंसा नहीं की है।

11.47 हमने अपने परामर्शों और विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला है कि आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अन्य निवेशों को छोड़कर रक्षा पर पूंजी व्यय लाभकारी प्रतिफल नहीं देता है। रक्षा “किसी भी राजनीतिक राज्य के प्रथम एवं मूलभूत संप्रभु दायित्व – एक उत्कृष्ट सुरक्षा परिवेश कायम करने के लिए आधार”<sup>3</sup> प्रदान करती है। अपनी प्रकृति के अनुसार, यह संघ सरकार के प्रतिबद्ध व्यय की श्रेणी के अंतर्गत आती है।

11.48 इस आवश्यकता के लिए अतिरिक्त संसाधनों की पहचान करने हेतु अपनी अनुशंसाएं करने में हमने राजकोषीय समेकन के ढांचे के भीतर विविध-चैनलों सहित समग्र अंतरण प्रणाली को ध्यान में रखा है। वित्त आयोगों ने, ग्यारहवें वित्त आयोग से, राजकोषीय समेकन और संघ से बैचमार्क सांकेतिक कुल हस्तांतरणों के आधार पर एक दृष्टिकोण अपनाया है। वित्त आयोग से हस्तांतरण विगत में अंतरण और अनुदानों के माध्यम से और नीति आयोग के माध्यम से किए जाते थे। इसके अलावा, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) भी थीं। वर्तमान में, हस्तांतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग से और सीएसएस के माध्यम से किए गए हस्तांतरण हैं।

11.49 ग्यारहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय समेकन के लिए एक प्रमुख मानदंड के रूप में सभी स्रोतों से राज्यों को किए जाने वाले हस्तांतरणों पर एक उच्चतम सीमा की अनुशंसा की थी। यह ध्यान देने योग्य है कि हमने “संघ की राजस्व व्यय देयताओं की पूर्ति हेतु उसकी विधिसम्मत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समग्र राजस्व हस्तांतरणों पर एक कल्पित सीमा (नोशनल लिमिट) निर्धारित की है।” इसके लिए संघ सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों को एक बैचमार्क के रूप में माना गया है। सकल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और गैर-राजस्व होते हैं, जबकि गैर-देनदारी पूंजी प्राप्ति (मुख्य रूप से विनिवेश आगम) नहीं होते हैं। बारहवें वित्त आयोग, तेरहवें वित्त आयोग और चौदहवें वित्त आयोग सभी ने इस दृष्टिकोण को अपनाया, हालांकि उनके बैचमार्क स्तरों में थोड़ी भिन्नता थी। तालिका 11.9 में सकल कर राजस्व प्राप्तियों से अनुशंसित हस्तांतरणों और कर-अंतरण के आकार को दर्शाया गया है। तथापि, यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि इन सीमाओं को 2006-07 से लगभग लांघा गया है।<sup>4</sup>

<sup>3</sup> प्रज्ञासिंह चंद्रपाल सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2014 (1), Bom CR (Cri) 135

<sup>4</sup> व्यय का विस्तृत विश्लेषण तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के अध्याय तीन में सन्निहित है।

**तालिका 11.9 सकल राजस्व प्राप्तियों से निर्देशात्मक हस्तांतरण सीमाएं (प्रतिशत के रूप में)**

वित्त आयोग	विभाज्य पूल से अंतरण	सभी चोटों सहित जीआरआर से सांकेतिक हस्तांतरण सीमा	संगत अवधि के वास्तविक हस्तांतरण
ग्यारहवां वित्त आयोग (2000-2005)	29.50	37.50	34.96
बारहवां वित्त आयोग (2005-2010)	30.50	38.00	47.39
तेरहवां वित्त आयोग (2010-2015)	32.00	39.50	48.22
चौदहवां वित्त आयोग (2015-2020)	42.00	49.00	49.10

11.50 वैश्विक संदर्भ में राष्ट्रीय रक्षा के लिए अपेक्षित सामरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हमने अपने दृष्टिकोण में सकल कर राजस्व प्राप्तियों में संघ और राज्यों की तुलनात्मक हिस्सेदारी को अपने अनुदान घटक को 1 प्रतिशत कम कर पुनःनिर्धारित किया है। इससे संघ सरकार को विशेष वित्तपोषण तंत्र के लिए उन संसाधनों को बाहर रखने में सहायता मिलेगी जिनका प्रस्ताव हमने उत्तरोत्तर पैराग्राफों में किया है। 2021-22 से 2025-26 की पूर्ण पंचाट अवधि के लिए संघ सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों के लिए किए गए हमारे आकलन के आधार पर, संघ सरकार को इस व्यवस्था (डिस्पन्सेशन) से सामान्य तौर पर 1.53 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हो पाएंगे। तथापि, राज्यों की आवश्यकताओं और उम्मीदों का समाधान करने हेतु हमारी स्कीम, जैसा कि तालिका 11.10 में इंगित किया गया है, में राज्यों के लिए समग्र निर्देशात्मक हस्तांतरण चौदहवें वित्त आयोग की अवधि के स्तर पर कायम रह सकते हैं।

**तालिका 11.10: सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में हस्तांतरण**

सकल राजस्व प्राप्तियां	चौदहवां वित्त आयोग*	पंद्रहवां वित्त आयोग
राजस्व घाटा अनुदान	1.81	1.92
आपदा जोखिम प्रबंधन	0.45	0.80
स्थानीय निकायों हेतु राज्यों को अनुदान	2.43	2.85
सेक्टर- विशिष्ट अनुदान	0.00	0.85
राज्य - विशिष्ट अनुदान	0.00	0.32
राज्यों को वित्त आयोग के अनुदान	4.68	6.74
कर अंतरण	30.59	27.55
कुल वित्त आयोग - अनुदान + अंतरण	<b>35.27</b>	<b>34.29</b>
गैर-वित्त आयोग अनुदान (जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर)	12.81	12.82
जीएसटी क्षतिपूर्ति	2.08	4.02
समग्र हस्तांतरण (जीएसटी क्षतिपूर्ति सहित)	50.16	51.13
समग्र हस्तांतरण (जीएसटी क्षतिपूर्ति छोड़कर)	<b>49.10</b>	<b>49.08</b>

\* चौदहवें वित्त आयोग के अनुपातों को 2019-20 की अनंतिम राशियों और अन्य वर्षों के लिए वास्तविक राशियों के आधार पर परिकलित किया गया है।

11.51 हमने यह अनुशंसा की है कि रक्षा पूंजी व्यय में अतिरिक्त निवेश के लिए तथा आंतरिक सुरक्षा पर राजस्व व्यय के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि (जिसे तालिका 11.11 में वार्षिक आधार पर परिकल्पित किया गया है) को अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि इस संबंध में एक अलग क्रियाविधि भी होनी चाहिए जो गैर-व्यपगत (non-lapsability) एवं वृद्धिशीलता (incrementality) के सिद्धांतों का अनुपालन करती हो और प्रस्तावित निधि का उद्देश्य वृद्धिशील प्रकृति वाले समर्पित संसाधनों के साथ विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति करना है। अतः, हम यह अनुशंसा करते हैं कि यह राशि को एक विशेष रूप से स्थापित गैर-व्यपगत निधि में रखा जाना चाहिए और निधि से व्यय को बाद में पैराग्राफ में वर्णन के अनुसार शासित किया जाना चाहिए।

**तालिका 11.11: रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पूंजी निधि में निवेश के लिए निर्देशात्मक राशि (करोड़ रु.)**

वर्ष	आकल्पित जीआरआर	वार्षिक निर्देशात्मक राशि
2021-22	2429405	24294
2022-23	2684208	26842
2023-24	2999062	29991
2024-25	3381073	33811
2025-26	3841639	38416
<b>कुल</b>	<b>15335387</b>	<b>153354</b>

11.52 रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विकल्पों पर इस प्रयोजनार्थ गठित समूह द्वारा विचार-विमर्श किया गया है, को ध्यान में रखते हुए हमने निम्नलिखित बिंदुओं की पहचान की है:

(i) रक्षा मंत्रालय के पास काफी अधिशेष भूमि निपटान हेतु है। इस भूमि का व्यावसायीकरण किए जाने से पर्याप्त मात्रा में संसाधन जुटाए जा सकते हैं, बशर्ते कि भूमि की पहचान करने, उसके मूल्य तथा निपटान के बारे में एक प्रभावकारी एवं उत्कृष्ट खाका (फ्रेमवर्क) स्थापित किया गया हो। अतः, हम यह अनुशंसा करते हैं कि रक्षा मंत्रालय को भूमि के व्यावसायीकरण से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए तथा रक्षा भूमि से प्राप्त भुगतानों को राज्य सरकारों और भविष्य में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित करने की संभावना के लिए, यथाशीघ्र, एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए।

(ii) हमने इस बात पर भी विचार किया है कि क्या डीपीएसई के विनिवेश आगमों को समेकित निधि में सामान्य गैर-देनदारी पूंजी प्राप्तियों के रूप में रखा जाना चाहिए या विनिवेश आगमों को रक्षा पूंजी निवेश के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। निधियों की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच

व्यापक अंतर को ध्यान में रखते हुए, हमारा मानना है कि डीपीएसई के विनिवेश आगम गैर-व्यपगत (non-lapsable) निधि का भी हिस्सा होने चाहिए।

11.53 इन सभी कारकों का संज्ञान लेते हुए, हमने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा हेतु अपनी पांच वर्षों की पंचाट अवधि के लिए निम्नलिखित विशिष्ट एवं सामान्य अनुशंसाएं की हैं:

### **विशिष्ट अनुशंसाएं**

11.54 रक्षा और आंतरिक सुरक्षा (एमएफडीआईएस) के लिए संघ सरकार को भारत के लोक लेखा में एक समर्पित गैर-व्यपगत निधि, आधुनिकीकरण निधि स्थापित करे ताकि रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा हेतु पूर्वानुमानित बजटीय आवश्यकताओं और बजट आबंटन के बीच अंतर को कम किया जा सके। इस निधि को *राष्ट्रीय सुरक्षा नैवेद्यम कोष* या कोई अन्य उपयुक्त नाम दिया जा सकता है। निधि के आगमों का उपयोग निम्नलिखित तीन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

- (i) रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश;
- (ii) सीएपीएफ और राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वानुमानित किया गया है; और
- (iii) हमारे सैनिक एवं अर्धसैनिक कार्मिकों के लिए कल्याण निधि के रूप में एक छोटा घटक।

निधि के संचालन एवं प्रशासन, सार्वजनिक रिपोर्टें और नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा हेतु मानक अधिसूचित नियम होंगे।

11.55 हमें उम्मीद है कि संघ सरकार अपने बजट में वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष पहचान की गई राशियां उपलब्ध कराएगी, जैसा कि तालिका 11.11 में विनिर्दिष्ट किया गया है। हमारा सुझाव है कि इस राशि के लिए “*एमएफडीआईएस (राष्ट्रीय सुरक्षा नैवेद्यम कोष) में निवेश*” (या कोई अन्य उपयुक्त नाम) के लिए एक उपयुक्त बजट लाइन खोली जानी चाहिए। इस राशि को रक्षा के लिए सामान्य बजटीय पूंजी परिव्यय के अलावा, अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरे चरण में राशि को लोक लेखा में हस्तांतरित किया जाएगा।

11.56 इस निधि में वृद्धिशील वित्तपोषण के चार विशिष्ट स्रोत होंगे:

- i. भारत की संचित निधि से हस्तांतरण;
- ii. डीपीएसई के विनिवेश आगम;

- iii. रक्षा अधिशेष भूमि के व्यावसायीकरण से प्राप्त आगम तथा राज्य सरकारों द्वारा और सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई रक्षा भूमि के बकाया भुगतानों (arrears of payment) की वसूली एवं अधिक्रमित भूमि से वसूल की गई लागत; और
- iv. रक्षा भूमि से प्राप्तियों के आगमों को राज्य सरकारों तथा भविष्य में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है।

प्रस्तावित एमएफडीआईएस का कुल निदेशात्मक आकार 2021-26 की अवधि में 2,38,354 करोड़ रुपयों का है।

11.57 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम यह उम्मीद करते हैं कि एक अनुमानित अतिरिक्त राशि, जैसा कि तालिका 11.12 में वर्ष-वार दर्शाया गया है, हमारी पांच वर्षों की पंचाट अवधि में उपलब्ध कराई जाएगी:

**तालिका 11.12: प्रस्तावित एमएफडीआईएस के लिए वार्षिक लक्ष्य**

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राजस्व के स्रोत	राशि का उपयोग करने का प्रयोजन	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल 2021-26
1	समेकित निधि से हस्तांतरण (पैरा 11.51)	रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा	24294	26842	29991	33811	38416	153354
2	डीपीएसई के विनिवेश आगम	रक्षा	7000	7000	8000	9000	9000	40000
3	रक्षा भूमियों का व्यावसायीकरण*	रक्षा	6000	7000	8000	9000	10000	40000
4	रक्षा भूमि के लिए व्यावसायीकरण भुगतान को सरकारों और भविष्य में सार्वजनिक परियोजनाओं को किया जा सकता है।	रक्षा	400	600	900	1300	1800	5000
5	<b>सकल योग</b>		<b>37694</b>	<b>41442</b>	<b>46891</b>	<b>53111</b>	<b>59216</b>	<b>238354</b>

\* इसमें राज्य सरकारों द्वारा और सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई रक्षा भूमि तथा अधिक्रमित भूमि से संबंधित बकाया राशियों की वसूली शामिल हैं।

11.58 अनुशंसित निधि का अधिकतम आकार 51,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। इससे अधिक की राशि को समेकित निधि में जमा कराया जाएगा।

11.59 इस राशि को लोक लेखा में अनुरक्षित किया जाएगा और उसे विद्यमान प्रचालन क्रियाविधियों के जरिए संचालित किया जाएगा।

11.60 पूंजी व्यय के लिए रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को दिए गए सामान्य बजटीय आबंटनों से अप्रयुक्त राशि निधि का हिस्सा नहीं होगी और निधि को वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के सिद्धांतों के अनुसार शासित किया जाएगा।

11.61 रक्षा मंत्रालय के पास तालिका 11.12 के क्रम सं. 2, 3 एवं 4 पर उल्लिखित राजस्व के स्रोतों से कोष में जमा की गई राशियों के उपयोग का अन्य अधिकार होगा। गृह मंत्रालय को यह अनुमति होगी कि वह निधि का उपयोग तालिका 11.12 के क्रम सं.1 पर उल्लिखित राजस्व स्रोतों से उसके लिए अलग से निर्धारित की गई राशि तक ही करेगा। आंतरिक सुरक्षा के लिए 5 वर्ष हेतु 50,000 करोड़ रुपए है, प्रस्तावित पूंजी व्यय तथा वर्ष-वार राशि तालिका 11.13 में दी गई है। 50,000 करोड़ रुपए की इस राशि से गृह मंत्रालय दिल्ली में पुलिस कार्मिकों को आवासीय सुविधाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित करेगा। यह पुलिस कार्मिकों हेतु उन्नत संचार प्रणाली और प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की वृद्धि करेगा।

तालिका 11.13: पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान

प्रस्तावित एमएफडीआईएस से आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग से निर्धारित राशि

(करोड़ रु.)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग से निर्धारित राशि	8000	9000	10000	11000	12000	50000

11.62 निधि को संघ सरकार द्वारा अधिसूचित एक उच्चाधिकार प्राप्ति समिति (एचपीसी) द्वारा संचालित किया जाए। इसके प्रमुख कैबिनेट सचिव होंगे और उसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं व्यय विभाग तथा रक्षा प्रमुख (Chief of Defence Staff) सदस्य के रूप में होंगे। लक्षित वार्षिक आगमों की वसूली सुनिश्चित करने हेतु समिति पूर्ण क्रियाविधि का निगरानी (मॉनीटर) करेगा, सेवा-वार वार्षिक आवश्यकताओं का आकलन कर उनके लिए आबंटन करेगी। कोष के संचालन हेतु समिति हमारे द्वारा उल्लेखित शर्तों का भी निगरानी करेगी।

11.63 इसके अलावा, एचपीसी भी रक्षा एवं सीएपीएफ कार्मिकों के परिवारों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का आबंटन करेगी, जो मोर्चे (frontline) पर ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं। चूंकि यह आबंटन मानवीय सहायता स्वरूप में है, इसलिए हम ऐसी सरल प्रक्रियाओं एवं क्रियाविधियों का सुझाव देते हैं जिनसे इस राशि के संवितरण के लिए राशि रक्षा

बलों के संबंध में सेवा प्रमुखों के नियंत्रण में और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कार्मिकों के संबंध में सीएपीएफ के प्रमुखों के नियंत्रण में हो।

### सामान्य अनुशासन

11.64 हम यह भी आशा करते हैं कि आगामी एक या दो वर्ष (मध्यावधि में) में संघ सरकार अपने मौजूदा व्ययों की समीक्षा करेगी और उनका युक्तिकरण (rationalize) एवं पुनः प्राथमिकीकरण करेगी ताकि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे राष्ट्रव्यापी बाह्य-खतरों के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उचित उपाय किए जा सकें। इससे संघ सरकार के राजस्व लेखा पर दबाव कम होगा और वह उपलब्ध राजकोषीय सहूलियत (fiscal space) के भीतर उच्च पूंजी व्यय करने में समर्थ होगी।

11.65 समग्र राजकोषीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय को भी वेतन और पेंशन देयताओं को कम करने हेतु नवप्रवर्तनशील उपाय अविलंब करने होंगे।

11.66 रक्षा मंत्रालय रक्षा पेंशन में सुधार की विभिन्न संभावनाओं की खोज कर रहा है, जैसा कि संबद्ध संसदीय समितियों द्वारा विचार-विमर्श किया गया है। ये सुधार हैं:

- i. पुरानी पेंशन योजना के तहत मौजूदा सेवा कार्मिकों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत परिवर्तित करना या सैन्य बलों के लिए एक अलग एनपीएस में परिवर्तित करना;
- ii. अधिकारी श्रेणी से नीचे के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु को एक तर्कसंगत स्तर तक बढ़ाना;
- iii. सेवानिवृत्त कार्मिकों को, उनकी निश्चित अवधि की निरंतर सेवा के पश्चात, अन्य सेवाओं जैसे कि अर्धसैनिक बल में स्थानांतरित करना; और
- iv. कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन करना।

हम यह अनुशासन करते हैं कि रक्षा मंत्रालय, ज्यादा समय न लेते हुए, इन बिंदुओं या अन्य किसी भी नवप्रवर्तन दृष्टिकोणों के साथ उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा पेंशन में वृद्धि गैर-रक्षा पेंशनों के बराबर रहे।

11.67 हम यह भी अनुशासन करते हैं कि रक्षा मंत्रालय घरेलू उत्पादन में समानरूप बढ़ोतरी कर एक विशिष्ट रोडमैप के साथ रक्षा आयातों की अपनी निर्भरता को शीघ्र ही कम करेगा।



मंत्रालय इस संबंध में एक कार्ययोजना तैयार करेगा और उसे समयबद्ध रूप से कार्यान्वित करेगा और रक्षा व्यय के लिए इस प्रकार के रोडमैप को वित्त मंत्रालय के परिव्यय से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 2025-26 के अंत तक, रक्षा मंत्रालय के प्रयास ऐसे होने चाहिए कि विदेशी कंपनियों (वेंडर) से आयात पर रक्षा पूंजी परिव्यय 30 प्रतिशत से अधिक न हो।

## अनुशंसाओं का सारांश

i. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए संघ सरकार को भारत के लोक लेखा में एक समर्पित गैर-व्यपगत कोष (एमएफडीआईएस), आधुनिकीकरण कोष स्थापित करे ताकि रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा हेतु पूर्वानुमानित बजटीय आवश्यकताओं और बजट आबंटन के बीच अंतर को कम किया जा सके। इस निधि को *राष्ट्रीय सुरक्षा नैवेद्यम कोष* या कोई अन्य उपयुक्त नाम दिया जा सकता है। निधि के आगमों का उपयोग निम्नलिखित तीन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

- (क) रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश;
- (ख) सीएपीएफ और राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वानुमानित किया गया है; और
- (ग) हमारे सैनिक एवं अर्धसैनिक कार्मिकों के लिए कल्याण निधि के रूप में एक छोटा घटक।

निधि के संचालन, सार्वजनिक रिपोर्टें और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु मानक अधिसूचित नियम होंगे।

(पैरा 11.54)

ii. इस निधि में वृद्धिशील वित्तपोषण के चार विशिष्ट स्रोत होंगे:

- (क) भारत की संचित निधि से हस्तांतरण;
- (ख) डीपीएसई के विनिवेश आगम;
- (ग) रक्षा अधिशेष भूमि के व्यावसायीकरण से प्राप्त आगम तथा राज्य सरकारों द्वारा और सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई रक्षा भूमि के बकाया भुगतानों (arrears of payment) की वसूली एवं अधिक्रमित भूमि से वसूल की गई लागत; और
- (घ) रक्षा भूमि से प्राप्तियों के आगमों को राज्य सरकारों तथा भविष्य में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है।

प्रस्तावित एमएफडीआईएस का कुल निर्देशात्मक आकार 2021-26 की अवधि में 2,38,354 करोड़ रुपए का है।

(पैरा 11.56/तालिका 11.12)

iii. अनुशंसित निधि का अधिकतम आकार 51,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। इससे अधिक की राशि को समेकित निधि में जमा कराया जाएगा। इस राशि को लोक लेखा में जमा अनुरक्षित किया जाएगा और उसे विद्यमान प्रचालन क्रियाविधियों के जरिए संचालित किया जाएगा। पूंजी व्यय के लिए रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को दिए गए सामान्य बजटीय आबंटनों से अप्रयुक्त राशि निधि का हिस्सा नहीं होगी और वह वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के सिद्धांतों के अनुसार शासित होगी।

(पैरा 11.58, 11.59 एवं 11.60)

iv. रक्षा मंत्रालय के पास तालिका 11.12 के क्रम सं. 2, 3 एवं 4 पर उल्लिखित राजस्व के स्रोतों से निधि में जमा की गई राशियों के उपयोग का अनन्य अधिकार होगा। गृह मंत्रालय को यह अनुमति होगी कि वह निधि का उपयोग तालिका 11.12 के क्रम सं. 1 पर उल्लिखित राजस्व स्रोतों से उसके लिए अलग से निर्धारित की गई राशि तक ही करेगा। आंतरिक सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय के राजस्व व्यय के उपयोग के लिए वर्ष-वार अनुशंसित राशि का विवरण तालिका 11.13 में दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा हेतु 5 वर्ष के लिए पूंजी व्यय हेतु प्रस्तावित राशि 50,000 करोड़ रुपए है तथा वर्षवार राशि तालिका 11.13 पर दी गई है। 50,000 हजार करोड़ रुपए की इस राशि से गृह मंत्रालय दिल्ली में पुलिस कर्मियों की आवास सुविधा हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित करेगा। उन्नत संचार प्रणाली और पुलिस कर्मियों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए इसे प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए बढ़ाया जाएगा।

(पैरा 11.61/तालिका 11.12 एवं 11.13)

v. निधि को संघ सरकार द्वारा अधिसूचित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा संचालित किया जाए। इसके प्रमुख कैबिनेट सचिव होंगे और उसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं व्यय विभाग के सचिव तथा रक्षा प्रमुख (Chief of Defence Staff) सदस्य के रूप में होंगे। एचपीसी भी रक्षा एवं सीएपीएफ कार्मिकों के परिवारों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का आबंटन करेगा, जो मोर्चे (frontline) पर ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं।

(पैरा 11.62 एवं 11.63)

vi. हम यह भी आशा करते हैं कि आगामी एक या दो वर्ष (मध्यावधि में) में संघ सरकार अपने मौजूदा व्ययों की समीक्षा करेगी और उनका युक्तिकरण (rationalize) एवं पुनःप्राथमिकीकरण करेगी ताकि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे राष्ट्र-व्यापी बाह्य-खतरों के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इससे संघ सरकार के राजस्व लेखा पर दबाव कम होगा और वह उपलब्ध राजकोषीय सहूलियत (fiscal space) के भीतर उच्च पूंजी व्यय खर्च करने में समर्थ होगी।

(पैरा 11.64)

vii. समग्र राजकोषीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय को भी वेतन और पेंशन देयताओं को कम करने हेतु नवप्रवर्तनशील उपाय अविलंब करने होंगे।

(पैरा 11.65 एवं 11.66)

viii. हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि रक्षा मंत्रालय घरेलू उत्पादन में समनुरूप बढ़ोतरी कर एक विशिष्ट रोडमैप के साथ रक्षा आयातों की अपनी निर्भरता को शीघ्रतापूर्वक कम करेगा।

(पैरा 11.67)



## राजकोषीय समेकन की रूपरेखा

राजकोषीय समेकन भारत की आर्थिक नीति और वृहद आर्थिक प्रबंधन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक रहा है। उत्तरोत्तर वित्त आयोग ने राजकोषीय समेकन की रूपरेखा और चुनौतियों का विश्लेषण किया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा कुछ चरण निर्धारित किए गए हैं। हमारे विचारार्थ विषय में भी यह अधिदेश है कि हम राजकोषीय समेकन रूपरेखा की अनुशंसा करें। हम पृष्ठभूमि, जिसमें इस अध्याय से संबंधित आयोग के विचारार्थ विषय शामिल हैं, से प्रारंभ करते हैं। फिर, हम पिछले वित्त आयोगों, संघ और राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय पर व्यक्त किए गए विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद, हम संघ और राज्य सरकारों के घाटे और देनदारी की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ उनकी समेकित स्थिति की समीक्षा करते हैं। उपरोक्त सभी के आधार पर, हम अपने दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं और अगले पांच वर्षों में संघ और राज्य सरकारों की देनदारी और घाटे की एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करते समय, हमने सबसे पहले वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए संसाधन की तात्कालिक आवश्यकताएं, अर्थव्यवस्था को गतिशील करने के लिए सरकार से बजट की मांग और पंचाट अवधि के उत्तरार्ध धीरे-धीरे संघ और राज्य सरकारों की देनदारी की स्थिति को मजबूत करने की आवश्यकता को शुरुआत में पहचाना है। आर्थिक दृष्टिकोण की अस्थायी प्रकृति को देखते हुए, हम अनुशंसा करते हैं कि वैश्विक महामारी और इसके दुष्प्रभाव से निपटने के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य व्यय की आवश्यकताएं और इसके साथ ही आर्थिक सुधार की गति स्पष्ट हो जाने के बाद, इस विषय का अविलंब पुनरावलोकन किया जाना चाहिए।

### पृष्ठभूमि

12.1 आयोग के विचारार्थ विषय (टीओआर) के पैरा 5 में यह अधिदेश है कि हम संघ और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकद अनिशेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। हमें यह भी अधिदेश है कि हम मजबूत राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा की सिफारिश करेंगे, जहां समता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होकर देश में

अधिक समावेशी विकास करते हुए सामान्य और सरकारी ऋण और घाटे के स्तर को उपयुक्त रूप में बनाए रखने के लिए संघ सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखेंगे।

12.2 इसके अलावा, पैरा 6 में भी यह अपेक्षित है कि हम अन्य बातों के अलावा, संघ सरकार के संसाधनों की मांग विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रति वचनबद्धता के संबंध में और अन्य वचनबद्ध व्यय और देनदारियों को ध्यान में रखेंगे और राज्य सरकार के संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसंरचना के वित्तपोषण, आस्ति रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा उनकी लोक उपयोगिताओं के ऋण और देनदारियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखेंगे।

12.3 सतत जारी कोविड- 19 वैश्विक महामारी और परिणामी आर्थिक संकुचन से संघ और राज्य सरकारों के संसाधन संबंधी मांग की मात्रा में काफी परिवर्तन हुआ है। हमने इस रिपोर्ट के अध्याय 4 और 9 में इन मांगों को पूरा करने की जरूरतों का आकलन किया है। यह आकलन संघ और राज्य सरकार की राजकोषीय रूपरेखा संबंधी हमारे दृष्टिकोण और अनुशंसाओं के आधार का भी निर्माण करता है।

## पूर्ववर्ती वित्त आयोगों के विचार

12.4 द्वितीय वित्त आयोग से लेकर सभी वित्त आयोगों ने, यहां तक कि स्पष्ट रूप से उनके विचारार्थ विषय का हिस्सा नहीं होने के बावजूद भी, राज्य की देनदारी के मुद्दों पर काम किया है। छठे वित्त आयोग के बाद से, राज्यों की देनदारी की समीक्षा विचारार्थ विषय का एक हिस्सा बन गई थी। आठवें वित्त आयोग तक, राज्य की देनदारी की स्थिति की समीक्षा करते समय वित्त आयोगों ने राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय ऋण के लिए विशेष संदर्भ का सुझाव देने के साथ ही ऋण राहत उपायों का सुझाव देने के लिए राज्यों की गैर-योजना पूंजी अंतराल का अनुमान लगाया था। नौवें वित्त आयोग के बाद से, ऋण की समग्र स्थिति की समीक्षा की गई और सुधारात्मक सुझाव दिए गए। दसवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय में संघ सरकार की वित्तीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक राजकोषीय उपाय संबंधी सुझाव प्रदान करने के लिए कहा गया। ग्यारहवें वित्त आयोग के बाद से विचारार्थ विषय में देनदारी की दीर्घकालिक संधारणीयता पर विचार करने के लिए आयोग को अधिदेशित किया गया।

12.5 बारहवें वित्त आयोग ने राज्यों को ऋण समेकन और राहत सुविधा देने के लिए अनुशंसा की थी, परंतु ऐसा इस शर्त के अधीन किया गया था कि वे इस अनुशंसा का लाभ केवल तब उठा सकेंगे, जब वे एक ऐसे राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान का अधिनियमन करेंगे, जिसमें अंततः राजस्व घाटे को कम करने और

राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक घटाने के लिए विशिष्ट वार्षिक घाटा न्यूनीकरण लक्ष्य निर्धारित किया गया हो। इन्होंने राज्यों को ऋण देने में संघ सरकार की भूमिका समाप्त करने संबंधी अनुशंसा की थी और ऋणों के परिशोधन के लिए ऋण शोधन निधि और गारंटी के अंतर्गत राज्यों के दायित्वों के निर्वहन के लिए गारंटी मोचन निधि की स्थापना का सुझाव दिया था।

12.6 तेरहवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि संघ को 2014-15 तक राजस्व अधिशेष प्राप्त कर लेना चाहिए और 2007-08 में शून्य राजस्व घाटे या अधिशेष वाले राज्यों को उन स्तरों को बनाए रखना चाहिए, जबकि अन्य राज्यों को 2014-15 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना चाहिए। सभी राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक करने के लक्ष्य की अनुशंसा की गई थी, लेकिन सामान्य राज्यों और उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (एनईएच) राज्यों के लिए इस लक्ष्य पूरा करने के लिए अलग-अलग तारीख निर्धारित की गई थी। इन्होंने 2014-15 के लिए, संघ और राज्य सरकार हेतु सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लक्ष्य का 68 प्रतिशत संयुक्त ऋण निर्धारित किया था, जो कि संघ के लिए 44.8 प्रतिशत और राज्यों के लिए 24.3 प्रतिशत था। इसके साथ ही यह भी अनुशंसा की थी कि: (क) कुछ शर्तों के अधीन राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को बाजार की ब्याज दर पर सरेखित किया जाए और राज्यों को दिए जाने वाले राष्ट्रीय लघु बचत निधि ऋण पर ब्याज दरों को पुनः निर्धारित किया जाए; (ख) संघ द्वारा राज्यों को दिए गए निर्दिष्ट ऋणों को सशर्त बट्टे-खाते में डाला जाए; और (ग) केंद्र सरकार द्वारा अपनी राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए एक निष्पक्ष समीक्षा और निगरानी की जाए।

12.7 चौदहवें वित्त आयोग ने 2016-17 से 2019-20 तक संघ सरकार के लिए जीडीपी के 3 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे की उच्चतम सीमा तय कर देने की अनुशंसा की थी। सभी राज्यों के लिए, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य और वार्षिक उधार सीमा जीएसडीपी की 3 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक तय कर दी गई थी। हालाँकि, राज्य इस प्राथमिक शर्त के आधार पर रियायत प्राप्त कर सकते थे कि वर्ष, जिसमें उधार सीमाएं तय की जानी हैं और उसके तुरंत पूर्ववर्ती वर्ष में कोई राजस्व घाटा नहीं हुआ है। इस शर्त के पूरा होने के बाद, पूर्ववर्ती वर्ष में ऋण और जीएसडीपी का अनुपात 25 प्रतिशत से कम या बराबर रहने पर 3 प्रतिशत की उच्चतम सीमा पर 0.25 प्रतिशत लचीलेपन की अनुमति दी गई थी। अन्य 0.25 प्रतिशत लचीलेपन की अनुमति इस शर्त के पूरा होने की स्थिति में दी गई थी कि पूर्ववर्ती वर्ष में ब्याज का भुगतान राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर रहे। इसके अलावा, यदि कोई राज्य किसी वर्ष में जीएसडीपी की 3 प्रतिशत की अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूरी तरह से उपयोग कर पाने में सक्षम नहीं हो पाया हो, तो इस अप्रयुक्त उधार राशि (रुपए में परिकलित) का लाभ पंचाट अवधि के भीतर अगले वर्ष में ही प्राप्त किया जा सकेगा। इन्होंने यह भी अनुशंसा की थी कि 1 अप्रैल 2015 से राज्य सरकारों को राष्ट्रीय लघु बचत निधि के संचालन से बाहर रखा जाए।

12.8 चौदहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय उत्तरदायित्व ढांचे के संबंध में विस्तृत अनुशंसा की थी:

- i. केंद्र सरकार राजकोषीय रूपरेखा को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 में संशोधन कर सकती है, प्रभावी राजस्व घाटे की परिभाषा को छोड़ सकती है और पूर्व-आकलन का कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना का अधिदेश दे सकती है।
- ii. संघ सरकार कार्योत्तर मूल्यांकन के लिए राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की धारा 7क को प्रभावी करने के लिए शीघ्र कार्रवाई कर सकती है।
- iii. संघ और राज्य सरकारें अपने संबंधित राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन कर सकती हैं ताकि वार्षिक बजट प्रावधान के उपयुक्त गुणक के अनुसार नई पूंजी कार्यों की मंजूरी पर एक सांविधिक उच्चतम सीमा तय की जा सके।
- iv. संघ और राज्य सरकारें, दोनों गारंटियों, बजटेतर उधारों और वित्तीय रूप से कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संचित घाटे से उत्पन्न जोखिमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए बढ़े हुए लोक ऋण को बजट दस्तावेज के पूरक के रूप में दर्शाकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती हैं।

## राज्यों के विचार

12.9 कई राज्यों ने यह तर्क दिया है कि एकसमान और कड़े राजकोषीय नियम राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और उनके विकास व्यय में गिरावट का कारण बनते हैं। कोविड -19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए, कई राज्यों ने हमसे राजकोषीय घाटे और ऋण से संबंधित प्रतिमानकों में छूट देने और उन्हें हमारी पंचाट अवधि के दौरान अधिक वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। उनमें से कुछ ने हमें पंचाट अवधि के दौरान अपनी अर्थोपाय गुंजाइश बढ़ाने संबंधी सुझाव देने का आग्रह किया।

12.10 कुछ राज्यों ने महसूस किया कि राजकोषीय नियमों का प्रवर्तन संघ और राज्यों के बीच सममित नहीं है। यद्यपि राज्य, राजकोषीय समायोजन पथ / राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम की सीमा के आधार पर संघ द्वारा निर्धारित वार्षिक उधार सीमा के अधीन होते हैं, तथापि ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिससे संघ राजकोषीय अनुशासन लागू कर सके। राजकोषीय लक्ष्यों को अपनाने में, संघ और राज्यों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। संघ सरकार ने अपने राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन कर दिया और उसमें से राजस्व घाटे के लक्ष्य को बिल्कुल निकाल दिया है। लेकिन राज्यों के उधार लक्ष्य राजस्व घाटे के संबंध में निर्धारित होते हैं।



12.11 कई राज्यों ने अनुरोध किया कि हम संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत किसी भी शर्त को लागू करने से बचते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राजकोषीय वर्ष के प्रारंभ में ही राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्दिष्ट राजकोषीय घाटा लक्ष्य के अनुसार, राज्यों के लिए निवल बजट उधारी उच्चतम सीमा पहले ही तय कर दी जाती है। इसके अलावा अतिरिक्त शर्तों को निर्दिष्ट करके राज्यों की उधार हकदारी और राजकोषीय गुंजाइश को नियंत्रित कर दिया जाता है।

12.12 राज्यों को कर अंतरण में कमी की स्थिति में राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की उधार सीमा को भंग करने की अनुमति देने संबंधी सुझाव दिया गया था। यह भी सुझाव दिया गया था कि राज्यों को जीएसडीपी के कम से कम 30 प्रतिशत तक की उच्च ऋण सीमा की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि जीएसडीपी के 20 प्रतिशत के ऋण लक्ष्य के अंतर्गत, उनमें से कई को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से कम राजकोषीय घाटा रखना होगा। इसके अलावा, यह भी प्रस्ताव दिया गया था कि एफआरबीएम ढांचे के अंतर्गत राज्यों के लिए बचाव खंड (एस्केप क्लोज) बनाया जाए।

12.13 अधिकांश उत्तर-पूर्वी राज्यों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उनके बिजली, सड़क, नेटवर्क, हवाई अड्डे आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश पूरी तरह से नदारद हैं, उन्होंने यह सुझाव दिया कि पूंजी परिव्यय को वित्तपोषित करने के लिए और ज्यादा उधार लेने के लिए एफआरबीएम अधिनियम के अधीन उनके लिए कुछ छूट देने पर विचार किया जाए।

12.14 एक और मांग यह है कि राज्यों को मौजूदा बाजार गतिशीलता के आधार पर समय से पहले अपने उच्च लागत वाले ऋण (जैसे एनएसएसएफ के अंतर्गत दिए गए ऋण) को चुकाने की अनुमति दी जाए। इससे राज्य कम ब्याज दरों पर अपने ऋणों को पुनर्वित्त कर पाने और अपनी देनदारी चुकौती लागत को कम करने में समर्थ होंगे।

12.15 कुछ राज्यों ने यह तर्क दिया है कि यदि 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की अव्यक्त वृद्धि धारणा, जिसका उपयोग 60 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया गया था, की तुलना में अव्यक्त अंकित जीडीपी वृद्धि में बदलाव होता है, तो संयुक्त ऋण लक्ष्य भी अलग-अलग हो सकता है। राजकोषीय घाटे और ऋण लक्ष्यों को सुसंगत बनाया जाना चाहिए। चूंकि वर्तमान में संघ और राज्यों, दोनों के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा 3 प्रतिशत है, इसलिए राज्यों के कुल ऋण की उच्चतम सीमा सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत तय कर देना अनुचित है।

12.16 कई बार, कुछ राज्यों को केवल अपनी उधार की सीमा को पूरा करने के लिए बाजार ऋण का सहारा लेना पड़ता है और इसके कारण अत्यधिक नकदी शेष उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अप्रयुक्त उधारी सीमा को पंचाट अवधि के भीतर अगले वर्ष में ले जाने की अनुशंसा करके हम राज्यों को इससे बचने

के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह राज्य सरकारों को प्रतिचक्रिय राजकोषीय नीति अपनाने के लिए आवश्यक लचीलापन भी प्रदान करेगा। धीमे विकास की स्थिति में राजकोषीय लक्ष्य में छूट, बफर के निर्माण के लिए बजट स्थिरीकरण निधि की संरचना और निर्धारित लक्ष्यों के बजाय लक्ष्यों की एक रेंज तय कर देने के माध्यम से भी प्रतिचक्रिय राजकोषीय गुंजाइश सृजित की जा सकती है।

## संघ सरकार के विचार

12.17 संघ सरकार ने यह अनुरोध किया है कि यह आयोग संघ और राज्यों दोनों के लिए वर्तमान स्थिति के अनुसार 'ऋण' को एकरूप में और स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, क्योंकि इस संबंध में विभिन्न दस्तावेजों में ऋण की विभिन्न परिभाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने पूर्ण सर्विस्ड बांड और अन्य अतिरिक्त-बजटीय संसाधनों और राज्यों के लेखाओं में लिए गए एक के बाद एक बहुपक्षीय / द्विपक्षीय ऋणों की कटौती को शामिल करते हुए संघ के ऋण और उनकी देयताओं के परिकलन के लिए सरकारी ऋण स्थिति पत्र में प्रयुक्त परिभाषा को अपनाने का सुझाव दिया है। इन्होंने यह भी कहा है कि दो बार गणना से बचने के लिए राज्य की संघ के प्रति जो देयताएं हैं, उसे सामान्य सरकारी ऋण से बाहर रखने की आवश्यकता है।

12.18 केंद्र सरकार ने आयोग से आग्रह किया है कि वह राज्यों को 2024-25 तक अंतरणों को लिंक करके ऋण-जीडीपी के अनुपात को अपने जीएसडीपी के 20 प्रतिशत तक लाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

12.19 यह सुझाव दिया गया कि राज्यों को अपने वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को महालेखाकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत करके एक मजबूत उधार कार्यक्रम के लिए भी प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकारें संघ सरकार के स्तर पर बने लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी) की तर्ज पर समान स्वतंत्र प्रकोष्ठ का गठन कर सकती है।

12.20 संघ सरकार ने हमसे यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि राज्यों की उधारी के रूप में क्या-क्या अनुज्ञेय है और इसके साथ ही यह भी निर्धारित करने का आग्रह किया गया कि ऋण लेने के अनुज्ञेय स्रोतों के बाहर से ली जाने वाली कोई भी देयता निषिद्ध होगी। इन्होंने हमसे यह भी अनुरोध किया है कि हम ऐसे किसी भी उधारी के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली की अनुशंसा करें। संघ सरकार का मत है कि उन्हें किसी राज्य के बाजार उधारों को विनियमित करने का अधिकार होना चाहिए, यदि यह पाया जाए कि राज्य अनधिकृत बजटेतर उधार उगाह रहा है।

12.21 संघ सरकार ने यह भी महसूस किया है कि हमें किसी भी राज्य के लिए राजस्व घाटा अनुदान की

अनुशांसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रमुख राज्यों के पास वैध व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व जुटाने की शक्तियां हैं। ऐसे कुछ राज्य हैं जो अपनी राजकोषीय शक्तियों का उपयोग नहीं कर रहे हैं या अतीत में राजकोषीय कुप्रबंधन कर चुके थे या अत्यधिक कर्ज ले चुके हैं और लोकलुभावन योजनाएं चला रहे हैं, वे अपने खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उत्पन्न करने में विफल रहें हैं। ऐसे कुछ पहाड़ी राज्य जो राजकोषीय रूप से अस्थिर हो सकते हैं, उनकी सहायता विशिष्ट अनुदान के माध्यम से की जा सकती है।

12.22 संशोधित ज्ञापन में, संघ सरकार ने कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितता की स्थिति में राजकोषीय घाटे और ऋण का पूर्वानुमान करने में कठिनाई व्यक्त की है। इन्होंने निम्नलिखित चरणों को भी ध्यान में रखते हुए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए एक ग्लाइड पथ के अनुपालन को वरीयता दी है:

- i. निवेशकों को उधार कैलेंडर के प्रभावी प्रसार द्वारा बाजार उधार कार्यक्रम में पारदर्शिता बनाए रखना;
- ii. नियमित रूप से अन्य हितधारकों के साथ निवेशकों की परस्पर बातचीत का आयोजन करना;
- iii. निवेशक भागीदारी और चलनिधि बढ़ाने के लिए वृहद खंडों को जारी करके वांछित परिपक्वता काल के लिए मानदंड तैयार करना;
- iv. ऋण पोर्टफोलियो की परिपक्वता प्रोफाइल को बढ़ाना और निर्बाध आय वक्र का निर्माण करना;
- v. विभिन्न प्रकार के उपकरण जारी करना जिनकी सहायता से निवेशक अपने पोर्टफोलियो को कुशलतापूर्वक प्रबंधित कर सकें; तथा
- vi. अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दर के अनुसार लघु बचत योजनाओं और भविष्य निधि जैसे अन्य लिखतों पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाना जारी रखना।

## भारतीय रिजर्व बैंक के विचार

12.23 आरबीआई चाहता था कि राज्यों को बकाया ऋण के समेकन के लिए वापसी खरीद, अंतरण और गैर-मानक निर्गमों के मामले में संघ के समान एक सक्रिय ऋण प्रबंधन रणनीति का अनुसरण करना चाहिए।

निष्क्रिय समेकन में कुछ नई प्रतिभूतियों को जारी करना और उनके उच्चतम सीमा तक पहुंचने तक उन्हें बार-बार जारी करना शामिल है। प्रतिभूतियों की वापस खरीद न केवल समेकन में मदद करेगी, बल्कि उधार की लागत को भी कम करेगी। निकट समय में बढ़े हुए मोचन के दबाव को कम करने के उद्देश्य से वापस खरीद और अंतरण किए जाते हैं।

12.24 आरबीआई ने महसूस किया कि सभी हितधारकों, जिसमें राज्य भी शामिल है, के हित में बाजार में राज्य विकास ऋण (एसडीएल) की अत्याधिक आपूर्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों पर वित्तीय जानकारी के अभाव में एसडीएल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को आकर्षित नहीं कर पाया है। राज्यों की वित्तीय स्थिति और उनकी क्रेडिट रेटिंग को नियमित रूप से प्रकट करने पर निवेशक आधार को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी। क्रेडिट रेटिंग से राजकोषीय अनुशासन भी मजबूत होगा और एसडीएल के बेहतर मूल्य निर्धारण को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों को आकस्मिक देयताओं को पारदर्शी रूप से परिभाषित और प्रकट करना चाहिए, उनका अनुमान लगाना चाहिए और उनसे जुड़े जोखिमों का आकलन करना चाहिए।

12.25 एक निश्चित अवधि में राज्यों के अधिशेष नकदी शेष में वृद्धि हुई है। इन शेष राशियों को मध्यवर्ती राजकोष बिलों (आईटीबी) में निवेश करने से बाजार उधार और आईटीबी पर रिटर्न के बीच के ब्याज दर में अंतर के रूप में नकारात्मक प्रसार होता है। राज्यों के पास अपने अधिशेष का निवेश राजकोष बिल के अलावा लघु परिपक्वताओं में करने के अवसर सीमित हैं। इस प्रकार, राज्यों को गैर-प्रतिस्पर्धी मार्ग के माध्यम से उपाय के तौर पर भारत सरकार के नकद प्रबंधन बिलों में निवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि राज्यों के नकारात्मक वहन को अधिकतम संभव सीमा तक कम किया जा सके।

12.26 आरबीआई ने महसूस किया कि राज्यों को अर्थोपाय अग्रिमों / ओवरड्राफ्ट (डब्ल्यूएमए / ओडी) की सुविधा के अलावा अल्पकालिक उधार के अन्य ऐसे अवसर भी सृजित करने चाहिए, जिनमें मौद्रिक नीति निहितार्थ हो। इस तरह की सुविधा से राज्यों को बाजार-निर्धारित लागत पर बिना किसी सीमा के अपने राजस्व प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

## वर्तमान स्थिति की समीक्षा

### राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन ढांचा

12.27 राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, यथा संशोधित, 2018 में संघ सरकार की देनदारी को परिभाषित किया गया है, ताकि इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सके: (क) भारत की

समेकित निधि की प्रतिभूति संबंधी बकाया देयताएं, जिसमें वर्तमान विनिमय दरों पर मूल्य-निर्धारित बाह्य ऋण शामिल हैं; (ख) भारत के लोक लेखा में बकाया देयताएं; और (ग) अपने स्वामित्व या अपने द्वारा नियंत्रित किसी भी निकाय, कॉरपोरेट या अन्य संस्था की ऐसी वित्तीय देयताएं, जिसे सरकार को उपलब्ध नकद शेष द्वारा घटाए जाने के बाद उपलब्ध वार्षिक वित्तीय विवरण से चुकाना या शोधन करना है।

12.28 राजकोषीय लक्ष्यीकरण के प्रचालनात्मक विवरण के संबंध में अधिनियम निम्नलिखित बातों को निर्दिष्ट करता है:

(i) संघ सरकार: (क) 31 मार्च, 2021 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए उचित कदम उठाएगी; (ख) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी देनदारी जीडीपी के 60 प्रतिशत से अधिक न हो और संघ सरकार की देनदारी 40 प्रतिशत से अधिक न हो; और, (ग) किसी भी वित्त वर्ष में भारत की समेकित निधि के प्रतिभूति पर ऐसे कोई भी ऋण, जो सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक हो, के संबंध में अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी।

(ii) वार्षिक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य किसी वर्ष अधिक हो सकता है, लेकिन यह निर्दिष्ट कारणों पर, सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह के मामलों में, उन्हें इसके कारण और वार्षिक निर्धारित लक्ष्य तक वापस पहुँचने के मार्ग के विषय में बताते हुए संसद के दोनों सदनों के समक्ष अपना वक्तव्य रखना होगा।

(iii) यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, अधिनियम के तहत दायित्वों को पूरा करने में कोई विचलन होता है, तो वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में विचलन के कारणों और उपचारात्मक उपायों के बारे में बताते हुए अपना वक्तव्य रखेंगे।

12.29 चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के फलस्वरूप, लगभग आधे राज्यों ने 2015 और 2018 के बीच सामान्य रूप से आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर अपने ऋण और घाटे के लक्ष्यों को सरेखित करते हुए अपने राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को संशोधित कर दिया है। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत या उससे कम पर निर्धारित किया है। राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उधार संविधान के अनुच्छेद 293 (3) द्वारा शासित होते हैं, जिसमें यह उपबंधित है कि यदि किसी ऐसे उधार, जो भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने उस राज्य को दिया था अथवा जिसके संबंध में भारत सरकार ने या उसकी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रत्याभूति दी थी, का कोई भाग अभी भी बकाया है तो वह राज्य, भारत सरकार की सहमति के बिना कोई उधार नहीं ले सकेगा।


## संघ की देनदारी और घाटे

12.30 हमारी समीक्षा की पूरी अवधि, 2010-11 से 2019-20 तक के दौरान, संघ सरकार का राजकोषीय घाटा राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहा है। जैसा कि चित्र 12.1 दिखाता है, 2011-12 में राजकोषीय घाटा अपने सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था और 2018-19 में यह सुधार के साथ 3.4 प्रतिशत हो गया था। तथापि, 2019-20 में अर्थव्यवस्था में गिरावट और कर राजस्व संग्रहण में गिरावट के कारण राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.6 प्रतिशत तक खराब स्थिति में पहुंच गया।

12.31 हमारी समीक्षा की अवधि के दौरान, संघ के 70 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को, पूंजीगत व्यय के लिए उपलब्ध केवल 30 प्रतिशत निवल उधार को छोड़कर, राजस्व घाटे के हिसाब में ले लिया गया। प्राथमिक घाटा, कम होने की प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 2011-12 में जीडीपी के 2.8 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.4 प्रतिशत हो गया। हालांकि, 2019-20 में, यह बढ़कर जीडीपी के 1.6 प्रतिशत तक हो गया।

12.32 संघ का ऋण-जीडीपी अनुपात 2010-11 में 53.2 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 49.4 प्रतिशत हो गया, जो कि 2019-20 में पुनः 52 प्रतिशत हो गया (चित्र 12.1)। संशोधित राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संघ सरकार के ऋण की परिभाषा के अनुसार, मौजूदा विनिमय दरों पर बाहरी ऋण से बकाया ऋण को समायोजित किया गया है। 2019-20 के ऋण में ईबीआर का स्टॉक भी शामिल है, जिसे संघ के बजट<sup>1</sup> से ही पूरी तरह चुकाया जाना है। जुलाई 2019 में पेश किए गए संघ के बजट 2019-20 में यह पहली बार रिपोर्ट किया गया था।

चित्र 12.1 : संघ सरकार के राजकोषीय संकेतक




स्रोत: संघ के बजट दस्तावेज

<sup>1</sup> जैसा कि एमटीएफपी 2019-20 के पैरा 4 में परिभाषित है, पूर्णतः चुकाना अर्थात् वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से मूलधन व ब्याज, दोनों का भुगतान कर दिया जाना। एफआरबीआई अधिनियम, 2003 के अंतर्गत परिभाषित 'संघ सरकार की देनदारी' से इसकी परिभाषा भिन्न हो सकती है।

12.33 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संघ के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण की संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। वित्त पोषण में बाजार के उधार का अनुपात 2012-13 में राजकोषीय घाटे के 103.5 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और फिर धीरे-धीरे घटते हुए 2019-20 में राजकोषीय घाटे के केवल 51.9 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच गया (चित्र 12.2)। इससे वित्तपोषण की समग्र लागत और केंद्र सरकार के ऋण स्टॉक की परिपक्वता प्रोफाइल प्रभावित होगा।

चित्र 12.2: संघ के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण



स्रोत: आरबीआई (2018-19 तक) एवं सीजीए (2019-20 PA)

12.34 संघ सरकार, रिपोर्ट किए गए ईबीआर के अलावा, अगले वर्ष के लिए व्यय के आस्थगन के रूप में बजटतेर वित्तपोषण का सहारा लेती रही है। ऐसे बजटतेर वित्तपोषण का विवरण, अध्याय 3 के पैरा 3.51 में दिया गया है। मार्च 2020 तक उर्वरक सब्सिडी के कारण ईबीआर का स्टॉक लगभग 40,000 करोड़ रुपए था।

12.35 खाद्य सब्सिडी के मामले में, बजट आबंटन में कमी को पूरा करने के लिए, संघ सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को बॉन्ड, प्रतिभूति रहित अल्पकालिक ऋण और एनएसएसएफ से ऋण जैसे कई लिखतों का सहारा लेने के लिए कहा है। मार्च 2020 तक भारतीय खाद्य निगम के पास एनएसएसएफ ऋणों का बकाया स्टॉक 3.2 लाख करोड़ रुपए था।

## राज्यों की देनदारी और घाटे

12.36 हमारी समीक्षा अवधि में, 2015-16 और 2016-17 को छोड़कर, राज्यों ने एक समग्र स्तर पर



जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के लक्ष्य के नीचे अपने राजकोषीय घाटे को बनाए रखा है। यह चूक उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) योजना के कारण थी, जिसके तहत राज्यों को अपने तुलन पत्र में डिस्कॉम ऋण स्टॉक का कुछ अंश लेना था। यह उन वर्षों में उच्च राजकोषीय घाटे के रूप में परिलक्षित होता है।

12.37 राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है, जैसा कि यह राज्यों के बढ़ते प्राथमिक घाटे से परिलक्षित होता है। 2010-11 में राज्यों का प्राथमिक घाटा जीएसडीपी का 0.6 प्रतिशत था, इसके बाद यह 2016-17 में बढ़कर 2 प्रतिशत हो गया था और 2019-20 के बजट अनुमानों में सुधार के साथ लगभग 1 प्रतिशत हो गया।

12.38 राज्यों की कुल देनदारी 2013-14 में जीएसडीपी का 22.8 प्रतिशत तक गिर गयी और फिर उदय के प्रभाव के कारण 2016-17 में बढ़कर 25.9 प्रतिशत हो गयी और फिर तीन साल तक उस स्तर पर स्थिर रही। 2019-20 में, इसमें जीएसडीपी के 27.3 प्रतिशत तक की तीव्र वृद्धि का अनुमान किया गया है। 2019-20 के अंत में अर्थव्यवस्था की धीमी गति और कर राजस्व में कमी के कारण बकाया देनदारी की वास्तविक मात्रा इससे अधिक हो सकती है।

**तालिका 12.1: राज्यों का राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)**

संकेतक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 RE
राजस्व घाटा वाले राज्यों की संख्या	10	6	6	11	15	10	10	10	10	15
समस्त राज्यों के जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा*	0.59	0.40	0.38	0.48	0.84	0.56	0.77	0.65	0.68	1.00
राजस्व अधिशेष वाले राज्यों की संख्या	18	22	22	17	14	19	19	19	19	13
समस्त राज्यों के जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व अधिशेष*	-0.63	-0.69	-0.60	-0.38	-0.45	-0.51	-0.49	-0.50	-0.55	-0.23
समस्त राज्यों के जीएसडीपी के % के रूप में कुल राजस्व घाटा / अधिशेष	-0.04	-0.29	-0.22	0.10	0.39	0.04	0.28	0.15	0.13	0.77
समस्त राज्यों के जीएसडीपी के % के रूप में कुल राजकोषीय घाटा	2.4	2.0	2.1	2.3	2.9	3.2	3.6	2.5	2.5	3.2

\* राजस्व घाटा उन राज्यों के कुल राजस्व घाटे को दर्शाता है, जिनका राजस्व घाटा हुआ था और राजस्व अधिशेष उन राज्यों के कुल राजस्व अधिशेष को दर्शाता है, जिनका राजस्व अधिशेष रहा था।

स्रोत : वित्तीय लेखा और एमओएसपीआई

टिप्पणी : 2010-11 to 2013-14 के दौरान राज्यों की कुल संख्या अट्ठाइस थी, क्योंकि तेलंगाना एक अलग राज्य नहीं था। 2019-20 के दौरान राज्यों की कुल संख्या अट्ठाइस थी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर राज्य के स्थिति को समाप्त कर दिया गया।

12.39 राज्यों का राजस्व घाटा कुल मिलाकर 2019-20 में जीएसडीपी का 0.77 प्रतिशत होने की उम्मीद है। हमारी समीक्षा अवधि के दौरान, कुल राजस्व घाटे ने दो स्पष्ट रुझान दिखाए हैं। एक, कुल मिलाकर राज्य




2013-14 से लगातार राजस्व घाटे में हैं। दो, इससे पहले, उन्होंने लगातार तीन वर्षों के लिए राजस्व अधिशेष की सूचना दी थी।

12.40 तालिका 12.1 राज्यों के घाटे का एक अलग चित्र प्रस्तुत करती है। समीक्षा अवधि के दौरान अधिकांश राज्यों के पास राजस्व अधिशेष बना रहा। बड़े राज्यों में, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश ने संपूर्ण समीक्षा अवधि में राजस्व अधिशेष की सूचना दी है। आंध्र प्रदेश (पुनः संगठित होने के बाद), हरियाणा, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने सभी वर्षों में राजस्व घाटे को रिपोर्ट किया है। तमिलनाडु और राजस्थान ने पिछले सात वर्षों में राजस्व घाटे को रिपोर्ट किया है।

12.41 चित्र 12.3 में राज्यों के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण पैटर्न को दर्शाया गया है। हमारी समीक्षा अवधि के दौरान वित्तपोषण में बाजार के उधार का अनुपात उतार-चढ़ाव वाला रहा है। हालांकि, यह वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत बना हुआ है। राज्यों ने कुल मिलाकर एनएसएसएफ प्रतिभूतियों के माध्यम से अपने घाटे की वित्त व्यवस्था को काफी कम कर दिया है। यह राज्यों के कुल देयताओं में एनएसएसएफ प्रतिभूतियों के अंश में 2010-11 में 27 प्रतिशत के मुकाबले 2019-20 में 8 प्रतिशत की कमी से भी परिलक्षित होता है। राज्यों पर केंद्रीय ऋण 2010-11 में कुल देयताओं के 8 प्रतिशत की तुलना में अब केवल 4 प्रतिशत है।

चित्र 12.3: राज्यों के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण



स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई की सांख्यिकी पुस्तिका पर आधारित, 18 सितंबर, 2020

12.42 हमारी समीक्षा अवधि के दौरान, कई राज्यों ने ईबीआर या बजटतर उधार के माध्यम से लोक व्यय के वित्तपोषण का सहारा लिया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने राज्य सरकारों के वित्त संबंधी

अपनी रिपोर्ट में इस पर टिप्पणी की है। हालांकि, ऐसे ईबीआर की रिपोर्टिंग की सामान्य कमी के कारण, हम उन्हें अपनी गणना में शामिल करने में असमर्थ हैं।


## संघ और राज्य सरकारों की देनदारी और घाटे की समीक्षा

12.43 केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को संशोधित किया। संशोधित राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन ढांचे में, संघ और राज्य सरकारों के ऋण को सीमित करने पर ध्यान दिया गया है। यह केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करने का अधिदेश प्रदान करती है कि संघ और राज्य सरकारों के ऋण जीडीपी के 60 प्रतिशत से अधिक न हों। हमने संघ और राज्य सरकार स्तर पर समेकित करते हुए अंतर-सरकारी लेनदेन को समायोजित किया है। इन अंतर-सरकारी लेनदेन में राज्यों को केंद्रीय ऋण का स्टॉक, राज्य सरकारों द्वारा धारित एनएसएसएफ प्रतिभूतियों और राजकोष बिलों का स्टॉक शामिल है।

12.44 समीक्षा अवधि के दौरान, संघ और राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 2011-12 में जीडीपी के 7.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया था और 2019-20 के दौरान इसके लगभग 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। (चित्र 12.4)

चित्र 12.4 : संघ और राज्य सरकारों की देनदारी और घाटा

(जीडीपी का प्रतिशत)



स्रोत : संघ का बजट तथा वित्त लेखा और हमारे अनुमान

12.45 हमारी समीक्षा अवधि में संघ एवं राज्य सरकारों का ऋण-जीडीपी अनुपात 60 प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक रहा है। यह 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान लगभग 66 प्रतिशत पर स्थिर रहा। बाद

में, उदय योजना के लागू होने के कारण, यह 68 प्रतिशत तक पहुँच गया और उस स्तर से ऊपर बना रहा। अर्थव्यवस्था के धीमे होने और कर राजस्व में कमी के कारण ऋण-जीडीपी अनुपात में 2019-20 में लगभग 3 प्रतिशत अंकों का महत्वपूर्ण उछाल देखा गया। दिशा और मात्रा, दोनों के संदर्भ में, 2015-20 की अवधि के दौरान संयुक्त ऋण ने चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय रूपरेखा का पालन नहीं किया।

12.46 समेकित ऋण में, संघ से राज्यों के ऋण का अनुपात 70:30 से बदलकर 2010-15 की अवधि के दौरान पिछले पांच वर्षों में 67:33 रहा था। संघ और राज्य सरकारों के स्तर पर, ऋण संधारणीयता की शर्तों को – अंकित ब्याज दर की अपेक्षा जीडीपी की अंकित वृद्धि अधिक होने के कारण है - समीक्षा अवधि के दौरान पूरा किया जा रहा था।

## संघ सरकार के लिए राजकोषीय समेकन का पथ

12.47 ऐसे कई प्रतिस्पर्धी प्रतिफल हैं जो संघ सरकार के वित्त पर काफी दबाव डालते हैं। इन प्रतिफलों के संतुलन ने हमारे घाटे और संघ सरकार के लिए ऋण पथ को निर्धारित किया।

12.48 संघ और राज्य सरकारों के राजस्व व्यय का आकलन करते समय, हमने स्वास्थ्य और अन्य तत्काल व्यय जरूरतों के लिए अधिक आबंटन की गुंजाइश सृजित करने और मध्यावधि में राजकोषीय संधारणीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानकीय सिद्धांतों को अपनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमने जिस अनुशासन की परिकल्पना की है, उसका पालन, वेतन और भत्ते, अन्य प्रतिष्ठान-संबंधी खर्चों, पेंशन और सब्सिडी के प्रावधान में कड़ाई से किया जाएगा। हालाँकि, निम्नलिखित से संबंधित अपरिहार्य बाध्यताएँ भी हैं: (क) संघ की ब्याज देयताएँ, जो 2018-19 में राजस्व व्यय का 29 प्रतिशत था और जिसे हमारे पंचाट अवधि के पूर्वार्ध में अधिक उधारी आवश्यकताओं के कारण आरोही प्रवृत्ति के दबाव का सामना करना पड़ा; (ख) रक्षा परिसंपत्तियों के पर्याप्त रखरखाव के लिए निधि की आवश्यकता; और (ग) स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बाहरी मामलों जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए सहायता प्रदान करने की आवश्यकता। अनुशासन, विवेक और पर्याप्तता के विचारों को संतुलित करते हुए, हमने 2015-16 से 2019-20 में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अपनी पंचाट अवधि के दौरान संघ सरकार के स्वयं की राजस्व व्यय की वृद्धि दर प्रवृत्ति 6.9 प्रतिशत होने का आकलन किया है।

12.49 हम यह भी मानते हैं कि चूंकि वृहद-राजकोष संतुलन की कुल जिम्मेदारी संघ सरकार की है, इसलिए संघ सरकार को अगले पांच वर्षों तक उदारता से राज्य सरकारों और स्थानीय शासन के बजट के संबंध में सहायता करनी चाहिए। तथापि, राज्यों के बजट के संतुलन का मुख्य दायित्व उस राज्य की सरकारों का होता है। हमने सहायता अनुदान संबंधी अध्याय 10 में राज्यों के लगातार राजस्व घाटे के

संबंध में अपनी स्थिति और सावधानी के साथ किए गए प्रेक्षण के विषय में बताया है। हालांकि, परिवर्तन को सुचारू रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता को देखते हुए, हमने मुख्य रूप से प्रारंभ के तीन वर्षों तक राजस्व घाटा अनुदान से सत्रह राज्यों के बजट को सहायता देने के लिए अनुशंसा की है। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण सड़क और कृषि सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देने के लिए अनुशंसा की है।

12.50 हमने 2015-16 से 2019-20 के दौरान संघ सरकार की सकल राजस्व प्राप्तियों के 0.45 प्रतिशत आपदा जोखिम प्रबंधन के अनुदान को 2021-22 से 2025-26 के दौरान 0.80 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इसी तरह, स्थानीय स्व-शासन के अनुदान को सकल राजस्व प्राप्तियों के 2.43 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.85 प्रतिशत कर दिया गया है। कुल मिलाकर, राज्य सरकारों के अनुदान के लिए हमारी अनुशंसा चौदहवें वित्त आयोग के कुल राजस्व प्राप्ति के 4.68 प्रतिशत की तुलना में संघ सरकार के 6.74 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

12.51 संघ सरकार के राजस्व लेखा का दूसरा मुख्य घटक, राज्य सरकारों को किया जाने वाला योजनाबद्ध अंतरण है जो विशेष रूप से केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के द्वारा किया जाने वाला अंतरण है। हमने विस्तृत रूप से केंद्रीय प्रायोजित योजना के मुद्दे की जांच की है। हमारे विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष और अनुशंसाएं हैं:

(i) फरवरी 2017 में, संघ सरकार ने यह संकेत दिया था कि संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय संसाधन चक्र में योजनाओं को संरेखित करने के लिए, चल रही योजनाओं को वित्त आयोग चक्र के साथ संलग्न कर दिया जाएगा। इसका अर्थ यह था कि योजनाओं को आगे जारी रखने संबंधी निर्णय परिणाम, समीक्षा, नवीन मूल्यांकन और अनुमोदन के आधार पर ही लिया जाएगा। कार्यकलापों / प्रयोजनों की परस्पर व्याप्ति के उन्मूलन के लिए योजना को जारी रखने संबंधी नए प्रस्ताव में संघ के अन्य समान योजनाओं के साथ इसके समाभिरूपता को दर्शाए जाने की आवश्यकता थी।

(ii) हाल तक, मौजूदा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की संख्या के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, जो संपूर्ण संरचना के जटिलता को दर्शाता है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 131 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची तैयार की है। संघीय बजट, 2020-2021 इस बात को दर्शाता है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन किए जाने वाले कुल आबंटन का लगभग 90% आबंटन तीस प्रमुख प्रयोजनाओं में से 15 में किया जाता है। कई प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत, अनेक लघु योजनाएं चल रही होती हैं, जिनमें से कुछ के लिए तो नगण्य आबंटन किया जाता है।

(iii) यह आवश्यक है कि उन केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और उनके उप-घटकों के वित्त पोषण

पर धीरे-धीरे रोक लगा दी जाए, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है अथवा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुरूप नहीं होते हैं और उन पर महत्वहीन बजट संबंधी परिव्यय होता है। किसी केंद्र प्रायोजित योजना के अनुमोदन के लिए भी प्रारंभिक वित्तपोषण का आकार न्यूनतम होना चाहिए। जैसा कि हमारे विचारार्थ विषय में उल्लेख किया गया है, यह संघ और राज्य सरकार दोनों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को जारी रखने की दिशा में अधिक ध्यान-केंद्रित करने में सहायता करेगा। यह भागीदार सरकारों को यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करेगा कि अधिकार-आधारित योजनाओं का पर्याप्त वित्तपोषण किया जा रहा है।

(iv) इस कार्य को करने के लिए दो पूर्व शर्तें हैं:

(क) पहली शर्त यह है कि वार्षिक विनियोजन की एक प्रारंभिक राशि निर्धारित की जाए, जिसके नीचे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्तपोषण को रोक दिया जाए। अनुबंधित सीमा के नीचे प्रशासकीय विभाग इस बात का औचित्य निर्धारण करेगा कि योजना को जारी रखा जाए अथवा नहीं।

(ख) दूसरी शर्त, समस्त केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करना है। हम जानते हैं कि व्यय विभाग ने नीति आयोग को समस्त केंद्र प्रायोजित योजनाओं का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन करने के लिए कहा था। यह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा, निगरानी संबंधी सूचनाओं का प्रवाह नियमित होना चाहिए और इसमें राजकोषीय और भौतिक प्रगति के रूटीन विवरण के अलावा, उत्पाद और परिणाम सूचक संबंधी विश्वसनीय सूचनाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(v) केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में संघ सरकार की हिस्सेदारी की स्पष्टता और स्थिरता राज्यों के राजकोषीय अंकगणित के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण पैटर्न को पारदर्शी तरीके से शुरुआत में ही नियत किया जाना चाहिए और इसे स्थिर रखा जाना चाहिए।

12.52 हमने आकलन किया है कि चौदहवें वित्त आयोग के स्तरों (सकल राजस्व प्राप्तियों का 12.81 प्रतिशत) पर रखने से संघ से राज्यों को योजनाबद्ध अंतरण के कुल आकार को बनाए रखना उपरोक्त अनुशंसित ढांचे के मुताबिक काम करने के लिए पर्याप्त होगा। हमने संघ के राजस्व व्यय के पूर्वानुमानों में यह प्रावधान किया है।

12.53 2020-21 में अत्याधिक संकुचन के कारण सकल राजस्व प्राप्तियों के आधार के नुकसान और

आर्थिक बहाली के लिए लोक व्यय की आवश्यकता से संघ सरकार के राजस्व लेखा पर महत्वपूर्ण उपरि दबाव में वृद्धि होती रहती है। उपर्युक्त विकास के प्रभाव का सारांश यह है कि संघ सरकार के राजस्व घाटे को 2025-26 तक समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसका अर्थ यह भी है कि 2025-26 तक भी सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन ढांचा के मार्ग का अनुपालन कर पाना तब तक असंभव है, जब तक कि अर्थव्यवस्था उम्मीद से अधिक गति हासिल नहीं कर लेती है। अध्याय 4 में संघ के वित्त के आकलन से, यह स्पष्ट है कि 3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा 2024-25 तक राजस्व लेखा असंतुलन को कवर नहीं कर पाएगा और 2025-26 में मुश्किल से इसे कवर कर पाएगा। जिन कारणों से संतुलन बनाए रखना कठिन है, वह है, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति में अनुमानित मंदी, जिसमें ब्याज प्राप्ति और विनिवेश आय शामिल है, जिसके चौदहवें वित्त आयोग के दौरान जीडीपी के 0.5 प्रतिशत से हमारे पंचाट अवधि के दौरान जीडीपी के 0.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

12.54 संघ सरकार के वृहद स्थिरीकरण कार्य को ध्यान में रखते हुए, राजस्व लेखा संबंधी बाध्यताएं, जिसमें राज्य और स्थानीय शासनों के बजट को सहायता देना शामिल है, के कारण प्रति-चक्रीय निवेश व्यय की गुंजाइश को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रक्षा पूंजीगत व्यय की बढ़ती आवश्यकता एक अतिरिक्त बाध्यता है। निम्नलिखित सूचक राजकोषीय पथ 2021-22 से 2025-26 के दौरान संघ के पूंजीगत व्यय की गुंजाइश को जीडीपी के सापेक्ष चौदहवें वित्त आयोग की अवधि के स्तरों के निकट ले आएगा।

**तालिका 12.2: संघ सरकार का निर्देशात्मक घाटा और ऋण पथ**

(जीडीपी के %)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
राजस्व घाटा	5.9	4.9	4.5	3.9	3.3	2.8
राजकोषीय घाटा	7.4	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
कुल देयताएं	62.9	61.0	61.0	60.1	58.6	56.6

12.55 केंद्र सरकार के सकल घरेलू उत्पाद एवं ऋण का अनुपात 2020-21 (तालिका 12.2) के दौरान दो कारकों के आधार पर पर्याप्त रूप से बढ़ने का पूर्वानुमान है – खर्च की बढ़ती जरूरतों के बीच राजस्व में तीव्र संकुचन के कारण अंकित जीडीपी के 6 प्रतिशत पर अनुमानित संकुचन और सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे के अनुपात में वृद्धि। बाद के वर्षों में, जीडीपी वृद्धि और राजस्व में बढ़ोतरी होने पर राजकोषीय घाटा के दबाव में कमी आएगी और इससे जीडीपी एवं ऋण अनुपात में धीरे-धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी।

12.56 जीडीपी विकास के हमारे आकलन और अध्याय 4 में प्रस्तुत संघ सरकार के राजस्व और व्यय पथ

के आधार पर तालिका 12.2 में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। अगले पाँच वर्षों के लिए संघ सरकार के आर्थिक परिदृश्य और राजस्व मार्ग में अनिश्चितता को देखते हुए, तालिका 12.3 में संघ के राजकोषीय घाटे की व्यापक संभावनाओं पर विचार किया गया है। तालिका में प्रस्तुत घाटे का रेंज, महामारी का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, संघ के राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव और महामारी से लड़ने के लिए संसाधनों की जरूरत और अर्थव्यवस्था को गतिशील करने संबंधी अनिश्चितता को दर्शाता है। ऊपरी और निचली सीमा, अंतिम वर्ष के आकलित के घाटे के ऊपर और नीचे, जीडीपी के 0.5 प्रतिशत बिंदु के कारण आर्थिक बहाली की प्रगति पर निर्भर करते हुए संघ के राजकोषीय लक्ष्य में लचीलापन उत्पन्न होता है। हमने तालिका 12.2 में प्रस्तुत संघ सरकार की देयताओं की गणना के लिए तालिका 12.3 में राजकोषीय घाटे की मध्य सीमा का उपयोग किया है।

**तालिका 12.3: संघ सरकार के राजस्व घाटे की रेंज**

(जीडीपी का %)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
यदि आकलन की अपेक्षा आर्थिक सुधार की गति कम हो	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5
यदि वृहद अर्थव्यवस्था आकलन सही हो	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
यदि आकलन की अपेक्षा आर्थिक सुधार की गति अधिक हो	6.0	5.5	5.0	4.0	3.5

## राज्य सरकारों के लिए राजकोषीय समेकन का पथ

12.57 2011-2019 की अवधि के दौरान जीडीपी के अनुपात के रूप में सभी राज्यों का पूंजीगत व्यय 2.6 प्रतिशत था, जबकि राजस्व घाटा 0.1 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 2.7 प्रतिशत था। राज्यों की राजस्व प्राप्तियों और कर अंतरण को ध्यान में रखते हुए उनके राजस्व अंतराल संबंधी हमारी गणना के आधार पर, हमने 2021-22 से 2025-26 तक सत्रह राज्यों के लिए 2,94,514 करोड़ रुपए के कुल राजस्व घाटा अनुदान देने की अनुशंसा की है। सिद्धांत रूप में, राजस्व घाटा अनुदान के अनुरूपी प्रावधानों से एक बार अनुमानित राजस्व घाटा की पूर्ती कर लेने के बाद, पूंजीगत व्यय के लिए राजकोषीय घाटे के अंतर्गत संपूर्ण उधार की गुंजाइश उपलब्ध हो जाती है। यह इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि हमने राज्य सरकारों के निवल उधार (सकल उधारी घटाव चुकौती) सीमा के मुद्दे के संबंध में अनुशंसा किया है।

12.58 पूर्ण राशि के रूप में, राज्यों के लिए उधार की सीमा तय करते समय, एक महत्वपूर्ण समस्या विचाराधीन वर्ष (वर्ष 't') में जीएसडीपी का आकार है, क्योंकि राष्ट्रीय सांख्यिकी



कार्यालय (एनएसओ) द्वारा प्रमाणित जीएसडीपी आंकड़ा दो वर्षों के अंतराल पर उपलब्ध होता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, चौदहवें वित्त आयोग ने एक व्यावहारिक विधि की अनुशंसा की थी: “हमारे विचार में, अद्यतन जीएसडीपी डाटा प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को एक ऐसी व्यावहारिक और उचित कार्यप्रणाली को अपनाकर दूर किया जा सकता है, जो हाल के वर्षों के रुझानों का संकेत दे सकें, जिसकी सहायता से उधार की सीमा के निर्धारण के लिए संभावित जीएसडीपी के बिल्कुल निकट पहुंचा जा सके। हम अनुशंसा करते हैं कि किसी वित्तीय वर्ष (t) के लिए जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य-विशिष्ट उधार सीमाएं निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से, पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान वास्तविक जीएसडीपी के वार्षिक औसत वृद्धि दर अथवा पिछले तीन वर्षों के दौरान जीएसडीपी की औसत वृद्धि दर, जिसका वास्तविक डाटा उपलब्ध हो, के आधार पर जीएसडीपी का अनुमान लगाया जाना चाहिए। इस वृद्धि का उपयोग वर्ष t - 2 के जीएसडीपी के संबंध में किया जाना चाहिए। विशेष रूप से, वर्ष (t-1) और दिए हुए राजकोषीय वर्ष (t) के जीएसडीपी का अनुमान t-2 के जीएसडीपी (वर्तमान मूल्य) के आधार पर t - 2, t - 3 और t - 4 वर्षों में वार्षिक औसत वृद्धि दर का उपयोग करके लगाया जा सकता है। हम अनुशंसा करते हैं कि इस प्रयोजन के लिए सीएसओ द्वारा प्रकाशित राज्य के जीएसडीपी के अनुमान का उपयोग किया जाना चाहिए।”

12.59 यह एक जांची-परखी पद्धति है, जिसकी अनुशंसा हम बिना किसी परिवर्तन के इस आपत्ति-सूचना के साथ करते हैं कि एनएसओ को इस प्रयोजन के लिए व्यय विभाग को जीएसडीपी का अनुमान प्रदान करना चाहिए। पारदर्शिता के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि एनएसओ इस सूचना को प्रकाशित करें।

12.60 2020-21 के लिए उधार लेने की सीमा पहले ही तय की जा चुकी है। भारत सरकार ने इस बात को दर्शाया था कि जीएसडीपी और उधार सीमा ज्ञात करने के लिए मौजूदा पद्धति का अनुसरण करते हुए 2020-21 के लिए राज्यों की निवल उधार की उच्चतम सीमा आरंभ में 6.41 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। असाधारण राजकोषीय दबावों के मद्देनजर, 2020-21 में 3 प्रतिशत उधार सीमा में वृद्धि के लिए राज्यों द्वारा किए जाने वाले मांगों का जवाब देते हुए, भारत सरकार ने राज्यों की उधार सीमा को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया। अतिरिक्त 2 प्रतिशत में से 0.5 प्रतिशत शर्त रहित थी और शेष 1.5 प्रतिशत सशर्त थी। सशर्त घटक में से, जीएसडीपी के 1 प्रतिशत उधार को 0.25 प्रतिशत के 4 अंशों में दिया जाना है, जिसमें से प्रत्येक किश्त निर्दिष्ट सुधारात्मक कार्य जैसे कि बिजली के वितरण, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का सार्वभौमिकरण, कारोबारी सुगमता और शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व से संबद्ध होनी चाहिए। यदि चार सुधार क्षेत्रों में से कम से कम तीन सुधार क्षेत्र के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाता है, तो शेष 0.50 प्रतिशत अनुज्ञेय है। हमने आकलन किया कि मौजूदा वर्ष में राज्यों पर राजस्व का दबाव है, उनमें से अधिकांश राज्य अलग-अलग मात्रा में उन्हें दी जाने वाली अतिरिक्त उधार सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।



इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्य राजकोषीय घाटा सकल जीएसडीपी का लगभग 4.5 प्रतिशत होगा।

12.61 पहले उल्लेख किए गए, जीएसडीपी पूर्वानुमान के लिए अनुशंसित पद्धति का अनुसरण करते हुए 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में जीएसडीपी वृद्धि दर के आधार पर 2021-22 के लिए जीएसडीपी के वृद्धि दर का निर्धारण किया जाएगा। इस बात की संभावना अधिक है कि एफआरएमबी द्वारा अधिदेशित जीएसडीपी के 3 प्रतिशत (2021-22 के लिए इन विकास दरों का उपयोग करके निर्धारित) की उधार सीमा 2020-21 में राज्यों को उपलब्ध जीएसडीपी के 5 प्रतिशत के उधार की सीमा से कम होगी। राज्यों को संसाधन की उपलब्धता में अचानक गिरावट से बचने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि 2021-22 के लिए राज्य सरकारों की सामान्य निवल उधार सीमा जीएसडीपी का 4 प्रतिशत तय की जा सकती है।

12.62 अनुशंसित पद्धति के अनुसार, 2022-23 के लिए जीएसडीपी की वृद्धि दर का निर्धारण, यह मानते हुए कि 2020-21 के लिए विकास दर उस वर्ष के लिए उधार सीमा तय करने के चरण में उपलब्ध हो गई है, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में वर्ष 2018-19 में परिलक्षित जीएसडीपी विकास दर के आधार पर किया जाएगा। 2020-21 में संकुचन के कारण राज्यों की निवल उधार सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और पूर्वोक्त तीन वर्षों की औसत वृद्धि कम हो जाएगी। 2020-21 में जिस राज्य में संकुचन जितना अधिक होगा, उतना ही प्रभाव उधारी सीमा पर पड़ेगा। इस पर विचार करते हुए, हम अनुशंसा करते हैं कि 2022-23 के लिए राज्य सरकारों की सामान्य निवल उधार सीमा जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत निर्धारित की जा सकती है।

12.63 2020-21 में संकुचन का प्रभाव 2023-24 और 2024-25 के लिए भी राज्यों की उधारी सीमाओं में मौजूद रहेगा। हालाँकि, इस प्रभाव को 2021-22 के लिए पूर्वानुमानित वृद्धि में तीव्र सुधार के द्वारा प्रतिसंतुलित किए जाने की संभावना है। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि 2023-24 से 2025-26 की तीन वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकारों के लिए सामान्य निवल उधार सीमा जीएसडीपी के 3 प्रतिशत पर तय की जा सकती है।

12.64 यदि कोई राज्य हमारी पंचाट अवधि के पहले के चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) के दौरान अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, तो उनके पास बाद के वर्षों में हमारी पंचाट अवधि के भीतर इस अप्रयुक्त उधार की राशि का उपयोग करने का विकल्प मौजूद होगा।

12.65 इन मान्यताओं के आधार पर, हमने राज्यों के लिए ऋण पथ को निर्धारित किया है, जैसा कि तालिका

12.4 में प्रस्तुत किया गया है। चूंकि सभी अनुमानित राजस्व घाटे को राजस्व घाटा अनुदान के समतुल्य प्रावधान से पूरा किया जाता है, इसलिए राज्यों के राजस्व अधिशेष को तालिका में प्रस्तुत राजस्व घाटे संबंधी ऋणात्मक संख्या से दिखाया गया है। 2022-23 के बाद से राज्यों के कुल कर्ज में धीरे-धीरे कमी आती जाएगी। यह तालिका 12.2 में दिखाए गए संघ के ऋण पथ के पैटर्न के समान है। राज्य-विशिष्ट सूचक ऋण पथ अनुलग्नक 12.1 में दिए गए हैं।

तालिका 12.4: राज्य सरकारों का निर्देशात्मक घाटा और ऋण पथ

(जीएसडीपी का % )

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
राजस्व घाटा*	-0.1	-0.5	-0.8	-1.2	-1.7	-2.5
राजकोषीय घाटा	4.5	4.0	3.5	3.0	3.0	3.0
कुल देयताएं	33.1	32.6	33.3	33.1	32.8	32.5

\* ऋणात्मक मान अधिशेष को और सकारात्मक मान घाटे को दर्शाता है।

टिप्पणी: 2021-22 के लिए राज्यों की कुल देयताओं को ज्ञात करने के लिए, जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के बराबर कुल राजकोषीय घाटा आंका गया है क्योंकि कुछ राज्य संभवतः जीएसडीपी के 4 प्रतिशत के बराबर शर्त रहित निवल उधार गुंजाइश का पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाएंगे।

## राज्यों के लिए प्रोत्साहन-आधारित अतिरिक्त उधार की गुंजाइश

12.66 आयोग का विचारार्थ विषय हमें उन राज्यों के लिए परिमेय निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन पर विचार करने की आज्ञा देता है, जिन्होंने अन्य चीजों के साथ, बिजली क्षेत्र के नुकसान को खत्म करने की दिशा में प्रगति की है। अधिकांश राज्यों में, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का कामकाज उदय सहित पूर्व में की गई पहल के बावजूद, राज्य वित्त पर दबाव का एक स्रोत बना हुआ है।

12.67 31 मार्च 2019 को, डिस्कॉम के उधार का स्टॉक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत था। यह राज्य देयताओं के हिस्से के रूप में सूचित नहीं किया गया है। हालांकि, राज्य सरकारें अधिकतर वितरण उपयोगिताओं के एकमात्र मालिक हैं। बढ़ते ऋण स्टॉक के अलावा, डिस्कॉम ने भी जीएसडीपी के 1.9 प्रतिशत राजकोषीय और गैर-राजकोषीय देयताओं को सूचित किया है और जीएसडीपी का लगभग 1.1 प्रतिशत बिजली और ईंधन की खरीद के कारण देय है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम डिस्कॉम की देनदारियों को भी शामिल करने के लिए राज्यों के ऋण की परिभाषा में विस्तार कर देते हैं तो राज्यों के ऋण प्रोफाइल में भी बदलाव होगा।

12.68 हमने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि हम शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों

के बिजली क्षेत्र में वार्षिक वित्तीय प्रोत्साहन की अनुशंसा करने पर विचार करेंगे। संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए 2 प्रतिशत अतिरिक्त उधार की गुंजाइश में से, 0.25 प्रतिशत 2020-21 के लिए हमारी रिपोर्ट में हमारे द्वारा दर्शाए गए मापदंडों की तर्ज पर, बिजली सुधारों से जुड़ा हुआ था। राज्य वित्त की सुदृढ़ता के लिए डिस्कॉम की वित्तीय क्षमता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने चार साल की अवधि 2021-22 से 2024-25 के दौरान राज्यों के लिए जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत के अतिरिक्त उधार गुंजाइश की अनुशंसा की है। यह एक सशर्त उधार है - यह उधार प्राप्त करने लिए अनुशंसित कार्यरिती का विस्तृत वर्णन सहायता अनुदान संबंधी हमारी अनुशंसाओं से संबंधित अध्याय 10 में किया गया है।

12.69 तालिका 12.5 में प्रस्तुत राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा के द्वारा यह परिकल्पना की गई है कि राज्य 2021-22 और 2022-23 में उनके लिए अनुशंसित अतिरिक्त शर्त रहित उधार के साथ-साथ 2021-22 से 2024-25 के दौरान बिजली क्षेत्र के लिए दिए गए प्रोत्साहन-आधारित अतिरिक्त उधार भी ग्रहण करेंगे। हालांकि, कई राज्यों द्वारा उपलब्ध उधार लेने की गुंजाइश की जगह कम उधार लेने की प्रकट वरीयता को देखते हुए, वे 2021-22 से अपने जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से नीचे के सामान्य उधार पैटर्न पर वापस लौट सकते हैं। इस परिदृश्य में, 2021-22 और 2022-23 में राजकोषीय घाटे का सभी-राज्य औसत भी जीएसडीपी का लगभग 3 प्रतिशत हो सकता है। तालिका 12.5, 2021-22 से 2025-26 तक, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सभी-राज्यों के राजस्व घाटे की एक संभावित रेंज दर्शाता है।

### तालिका 12.5: उधार के लिए अनुशंसित गुंजाइश के अधीन समस्त राज्यों के राजकोषीय घाटे की रेंज

(जीएसडीपी का %)

	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
ऊपरी सीमा- (यदि समस्त राज्य कुल उपलब्ध उधार गुंजाइश का उपयोग करते हैं)	4.5	4.0	3.5	3.5	3.0
निचली सीमा-(राज्य जो औसतन मौजूदा एफआरएमबी सीमा तक पहुंच पाते हैं)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

### संघ एवं राज्य सरकार का घाटा और देनदारी

12.70 तालिका 12.6 में प्रस्तुत संघ और राज्य सरकार घाटा और ऋण प्रोफाइल, दो अंतरों के साथ, पिछली तालिकाओं में संघ और राज्यों के लिए प्रस्तुत गणनाओं और आंकड़ों को संयुक्त रूप से दर्शाती है। पहला, तालिका 12.6 में राज्यों की गणना को सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जबकि

तालिका 12.1 और तालिका 12.4 में उन्हें सभी राज्य जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, संघ और राज्यों की देनदारी का संयोजन करते समय हमने समेकित ऋण ज्ञात करने के लिए, अंतर-सरकारी लेनदेन के राशि का निवल निर्धारण किया है ताकि दोहरे परिकलन से बचा जा सके।

**तालिका 12.6: संघ एवं राज्य सरकारों का निर्देशात्मक घाटा और ऋण पथ**  
(जीडीपी का %)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
राजस्व घाटा - संघ	5.9	4.9	4.5	3.9	3.3	2.8
राजस्व घाटा - राज्य	-0.1	-0.4	-0.8	-1.1	-1.6	-2.4
राजस्व घाटा - संयुक्त	5.8	4.5	3.7	2.8	1.7	0.4
राजकोषीय घाटा - संघ	7.4	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
राजकोषीय घाटा - राज्य	4.2	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8
राजकोषीय घाटा - संयुक्त	11.6	9.3	8.8	7.8	7.3	6.8
कुल देयताएं - संघ	62.9	61.0	61.0	60.1	58.6	56.6
कुल देयताएं - राज्य	31.1	30.7	31.3	31.1	30.9	30.5
निवल निर्धारण (*)	4.2	3.4	2.7	2.1	1.5	1.4
कुल देयताएं - संयुक्त	89.8	88.3	89.6	89.1	87.8	85.7

(\*) निवल निर्धारित मदों में राज्यों को दिए गए संघ सरकार के ऋण का स्टॉक, एनएसएसएफ प्रतिभूतियों का स्टॉक और राज्य सरकारों द्वारा धारित राजकोष बिल शामिल है।

12.71 जीडीपी के सापेक्ष संघ और राज्य ऋण पैटर्न को दर्शाते हुए, संयुक्त ऋण भी 2020-21 में तेजी से बढ़ा है और फिर धीरे-धीरे इसमें गिरावट आती गई है। [ संयुक्त ऋण पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात् 2023-24 से 2025-26 के दौरान सुचारू रूप से नीचे की ओर प्रक्षेप वक्र को दर्शाता है। ]

12.72 तालिका 12.6 में प्रस्तुत संघ एवं राज्य सरकारों के ऋण पथ के गणना में गिरावट संबंधी जोखिम विद्यमान हैं। पहले, हमने तालिका 12.3 में दी गई केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे की मध्य रेंज और तालिका 12.4 में राज्य सरकारों की कुल देयताओं पर पहुंचने के लिए उपयोग की गई संख्याओं के आधार पर अपनी गणना की है। यदि संघ या राज्य अधिक से अधिक निवेश व्यय के साथ अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहते हैं अथवा यदि 2021 के मध्य के बाद भी महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य और सुधार संबंधी जरूरतें अधिक रहती हैं, तो वे संभावित रूप से उपलब्ध अधिकतम सीमा के करीब उधार ले सकते हैं। दूसरा, हमने वित्तीय प्रणाली के पुनः पूंजीकरण के कारण संघ के बजट संबंधी संभावित मांगों पर विचार नहीं किया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमारी चर्चाओं ने इस बात को दर्शाया है कि पुनः पूंजीकरण के विभिन्न

विकल्पों के मध्य मौजूद आवश्यकताएं और विकल्प इस बात पर निर्भर करेंगे कि वित्तीय प्रणाली को कोविड-19 महामारी कितनी गहराई से प्रभावित करती है। तीसरा, अपने पक्ष को स्पष्ट रखने के लिए, हम राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के प्रबंधन के लिए जो उधार लिए गए हैं, उसके ऋण निहितार्थों को शामिल या बढ़ा नहीं रहे हैं। 2020-21 से 2025-26 तक के हमारे द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा और ऋण पथ में उन उधारों को शामिल नहीं किया गया है, जिसे जीएसटी परिषद के निर्णयों के परिणामस्वरूप, संघ और राज्यों के बीच निष्पादित करार के अधीन संघ और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अंत में, यदि जीडीपी वृद्धि हमारी पंचाट अवधि के उत्तरार्ध में लड़खड़ाती है, तो कई मायनों में यह संघ एवं राज्य सरकारों के ऋण की संधारणीयता के लिए खतरा होगा। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश जिसके लिए हमने अपने पंचाट अवधि के पहले भाग में अनुशंसा की है, का अच्छी तरह से उपयोग किया जाए ताकि उत्पादन क्षमता को बचाया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके।

## बजटेतर और आकस्मिक देयताएं तथा राजकोषीय नियम

12.73 हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि बजटीय व्यय के बजटेतर वित्तपोषण में पिछले पांच वर्षों में प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई है। संघ सरकार ने बजटेतर देयताओं को इस हद तक प्रकट करना शुरू कर दिया है कि इस तरह की देयताओं को वार्षिक वित्तीय विवरण से चुकाया जाने लगा है। अभी भी ऐसे बजटेतर व्यय की राशि बहुत अधिक है, जिसकी सूक्ष्म विधिक व्याख्या की जानी अपेक्षित है और जिसे घाटे और देनदारी की गणना में शामिल नहीं किया गया है। कई राज्य सरकारों के मामले में, प्रयास करने के बावजूद, हम इस तरह की देयताओं की स्पष्ट संख्या तक नहीं पहुंच पाए हैं। वस्तुतः राज्यों के बजट दस्तावेजों और लेखाओं में इस संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

12.74 बजटेतर देयता संबंधी हमारी स्थिति, जैसा कि अन्य कहीं उल्लेखित है, यह है कि इन बाध्यताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए कर और गैर-कर राजस्व के नियमित अंतर्वाह से संसाधनों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए, संबंधित सरकारों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने चाहिए, जिसमें आस्तियों का मुद्रीकरण भी शामिल है।

12.75 विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि मानक गारंटी की रूपरेखा के बाहर अंतर्निहित आकस्मिक देयताओं का एक बड़ा हिस्सा है, जिसका बोझ अंततः राज्य सरकारों को वहन करना पड़ सकता है। हमने यह भी पाया कि इन अंतर्निहित देयताओं का जोखिम प्रोफाइल अलग-अलग है। राज्य-विशिष्ट राशि भी उनके बजट आकार और जीएसडीपी के सापेक्ष बहुत भिन्न हैं। इन देयताओं के विस्तार का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, वर्तमान के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि सभी स्तरों की सरकारें बजटेतर लेनदेन

और आकस्मिक देयताओं के स्टॉक में किसी भी तरह के अतिरिक्त परिवर्धन, जो राजकोषीय पारदर्शिता के मानदंडों और राजकोषीय संधारणीयता के लिए हानिकारक है, पर रोक लगाकर कठोर अनुशासन का पालन करें। संघ और राज्य सरकारों के लिए उच्चतर उधार सीमा तय करने संबंधी हमारी अनुशंसा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और गैर-पारदर्शी देयताओं के निर्माण से बचना है।

12.76 2017 के राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर 2018 में राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधित किए गए थे। इसके बाद कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में हुई मंदी के फलस्वरूप वास्तविक जीडीपी वृद्धि, ब्याज दरें, ब्याज-वृद्धि अंतर, घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत, बचत-निवेश संतुलन और बाहरी वित्तपोषण की आवश्यकता के विन्यास बदल गए हैं। हमारे विश्लेषण के चरण में मौजूद अनिश्चितता, समकालीन वास्तविकताओं तथा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में व्यापक पुनर्गठन करने की आवश्यकता है और यह अनुशंसा करते हैं कि ऋण संधारणीयता को परिभाषित करने और प्राप्त करने के लिए समय-सारणी की जांच उच्चाधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह द्वारा की जानी चाहिए। यह उच्च-अधिकार वाला समूह नए राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन ढांचे को तैयार कर सकता है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि संघ और राज्य सरकारों समूह की अनुशंसाओं के आधार पर अपने-अपने राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियमों में संशोधन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके विधान राजकोषीय संधारणीयता के ढांचे के अनुरूप है या नहीं। इसलिए, सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन हेतु एक राजकोषीय समेकन रूपरेखा की अनुशंसा करने के लिए विचारार्थ विषयों का उल्लेख करते समय हमने तैयार किए गए ऋण पथ को 'सूचक' के तौर पर बताया है।

## अनुशंसाओं का सारांश

12.77 राजकोषीय समेकन के संबंध में तर्क प्रस्तुत करते समय हमने जिन मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखा है, वे निम्नलिखित हैं:

(i) मौजूदा संकट से उबरने में राज्यों की सहायता के लिए राज्य बजट का विवेकपूर्ण तरीके से समर्थन करने संबंधी वृहद-स्थिरीकरण कार्य का दायित्व संघ सरकार पर है। तथापि, राज्यों के बजट के संतुलन का मुख्य दायित्व उस राज्य की सरकारों का होता है।

(पैरा 12.49)



(ii) संघ और राज्य सरकारों के राजस्व पर मौजूदा दबाव राजस्व व्यय में कठोर अनुशासन की मांग करता है, जो मध्यावधि में राजकोषीय संधारणीयता सुनिश्चित करते समय स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों के लिए उच्च आबंटन की गुंजाइश उत्पन्न करता है।

(पैरा 12.48)

(iii) यह महत्वपूर्ण है कि सभी प्रतिबद्ध व्यय और विकासात्मक व्यय को व्यय के बजटेतर या वित्तपोषण के किसी गैर-पारदर्शी साधन का सहारा लिए बिना संघ और राज्य सरकारों के लिए अनुशंसित संवर्धित उधार की गुंजाइश से पूरा किया जाए

(पैरा 12.75)

(iv) संघीय बजट, 2020-21 इस बात को दर्शाता है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन किए जाने वाले कुल आबंटन का लगभग 90% आबंटन तीस समावेशी प्रयोजनाओं में से प्रंदह में किया जाता है। कई समावेशी योजनाओं के अंतर्गत अनेक लघु योजनाएं चल रही होती हैं, जिनमें से कुछ के लिए तो नगण्य आबंटन किया जाता है। वार्षिक विनियोग की एक सीमा तय की जानी चाहिए, जिसके नीचे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण को रोक दिया जाना चाहिए। अनुबंधित सीमा के नीचे, प्रशासकीय विभाग को इस बात का औचित्य निर्धारण करना चाहिए कि योजना को जारी रखा जाए अथवा नहीं। चूंकि चालू योजनाओं के जीवन चक्र को वित्त आयोगों चक्र के साथ संलग्न कर दिया गया है, इसलिए सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को एक अनुबंधित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। निगरानी सूचना का प्रवाह नियमित होना चाहिए और इसमें उत्पाद और परिणाम सूचना संबंधी विश्वसनीय जानकारी शामिल होनी चाहिए। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण पैटर्न को पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए और इसे स्थिर रखा जाना चाहिए।

(पैरा 12.51)

(v) राज्य सरकारों के लिए, हमने अनुशंसा की है कि निवल उधार की सामान्य सीमा 2021-22 में जीएसडीपी के 4 प्रतिशत पर, 2022-23 में 3.5 प्रतिशत और 2023-24 से 2025-26 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत पर बनाए रखी जा सकती है। 'सामान्य' शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि हमने जीएसटी में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त उधार या कोई प्रोत्साहन-आधारित अतिरिक्त उधार गुंजाइश, जिसके संबंध में हमने अध्याय 10 में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए अनुशंसा की थी, को हिसाब में नहीं लिया है।

(पैरा 12.61 से पैरा 12.63 तक)

(vi) यदि कोई राज्य हमारी पंचाट अवधि के पहले के चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) के दौरान अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है,

तो उनके पास बाद के वर्षों में हमारी पंचाट अवधि के भीतर इस अप्रयुक्त उधार की राशि का उपयोग करने का विकल्प मौजूद होगा।

(पैरा 12.64).

(vii) हम अनुशंसा करते हैं कि दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राज्य-विशिष्ट उधार सीमाओं को निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से, एनएसओ द्वारा प्रकाशित जीएसडीपी के अनुमानों का उपयोग पैराग्राफ 12.58 और 12.59 में दिए गए विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

(viii) हमने आकलन किया है कि, संघ सरकार के राजस्व लेखा, जिसमें राज्य सरकारों के बजट के लिए उधार संबंधी सहायता देना शामिल है, संबंधी बाध्यताओं को देखते हुए, उन्हें जीडीपी के 4 प्रतिशत के अंतिम वर्ष (2025-26) के लक्ष्य के साथ राजकोषीय घाटे एक संवर्धित पथ का अनुसरण करना पड़ सकता है।

(पैरा 12.54 और तालिका 12.2)

(ix) संघ और राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे के लिए अनुशंसित पथ के साथ, हमने यह भी दिखाया है कि 2023-24 से 2025-26 के दौरान संघ एवं राज्य सरकारों के समेकित ऋण का प्रक्षेपवक्र नीचे की ओर होगा। 2021-26 के लिए राज्य सरकारों के जीएसडीपी पथ के विभेदक ऋण को अनुलग्नक 12.1 में दर्शाया गया है।

(पैरा 12.65, 12.70 से 12.72 और तालिका 12.6)

(x) हमारे विश्लेषण के चरण में मौजूद अनिश्चितता, समकालीन वास्तविकताओं तथा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में व्यापक पुनर्गठन करने की आवश्यकता है और यह अनुशंसा करते हैं कि ऋण संधारणीयता को परिभाषित करने और प्राप्त करने के लिए समय-सारणी की जांच उच्च-अधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह द्वारा की जानी चाहिए। यह उच्च अधिकार वाला समूह नए राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन ढांचे को तैयार कर सकता है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि संघ और राज्य सरकारें समूह की अनुशंसाओं के आधार पर अपने राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके विधान राजकोषीय संधारणीयता के ढांचे के अनुरूप है या नहीं।

(पैरा 12.76)

(xi) राज्यों की वित्तीय स्थिति का प्रकटीकरण और उनकी क्रेडिट रेटिंग निवेशक आधार को व्यापक बनाने में मदद करेगी। क्रेडिट रेटिंग से राजकोषीय मोर्चे पर स्व-अनुशासन मजबूत होगा और एसडीएल का बेहतर रूप से मूल्य निर्धारण किया जा सकेगा। राज्यों और संघ को पारदर्शी रूप से आकस्मिक देनदारियों को परिभाषित करना चाहिए, उनका अनुमान लगाना चाहिए और उनसे जुड़े जोखिमों का आकलन करना चाहिए।

(पैरा 12.24)



(xii) राज्य सरकारें एक ऐसे स्वतंत्र लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन कर सकती हैं जो उनके ऋण कार्यक्रम को दक्षतापूर्वक पूरा करेंगी ।

(पैरा 12.19)

(xiii) राज्यों के पास आरबीआई द्वारा प्रदान की गई डब्ल्यूएमए / ओडी सुविधा के अलावा अल्पकालिक उधारी के लिए और अधिक मार्ग, जिसमें मौद्रिक नीति निहितार्थ होने चाहिए। इस तरह की सुविधा से राज्यों को बाजार-निर्धारित लागत पर अपने राजस्व प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने में सहायता प्राप्त हो सकती है ।

(पैरा 12.26)




## अध्याय 13

# इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए राजकोषीय व्यवस्था : राजकोषीय नियम, वित्तीय प्रबंधन और संस्थाएं

यह अध्याय भारत की राजकोषीय व्यवस्था को इक्कीसवीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को परिभाषित करता है। इसकी आवश्यकता तो थी परंतु यह इसलिए भी अनिवार्य हो गया है कि कोविड-19 महामारी संकट के परिणामस्वरूप लोक वित्त पर दबाव बढ़ गया है।

हमारा मानना है कि यदि भारत मध्यावधि में आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए अपनी पूर्ण क्षमता हासिल



करना चाहता है, तो इसे सरकार के सभी स्तरों पर लोक व्यय और वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना होगा।

भारत की इक्कीसवीं सदी की राजकोषीय व्यवस्था को तीन परस्पर-सुदृढ़कारी स्तंभों पर बनाया जाना चाहिए:

- सरकार के सभी स्तरों पर राजकोषीय नियम, जो राजकोषीय स्थिरता के लिए संस्थागत और बजटीय रूपरेखा निर्धारित करते हैं;
- लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, जो

राजकोषीय संकेतकों, जो पहले स्तंभ का हिस्सा हैं; की पूर्ण सुसंगत, विश्वसनीय और समय पर रिपोर्टिंग प्रदान करती है।

- एक स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र, ताकि अन्य दो स्तंभों के कार्यचालन पर आश्वासन और सलाह प्रदान की जा सके।

यह अध्याय, तदनुसार, अनुशंसा करता है कि संस्थागत सुधारों और आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से सरकार के सभी स्तर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ें।

13.1 आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) का पैरा 5, हमें विशेष रूप से भारत के लिए भविष्य की राजकोषीय व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए अधिदेश प्रदान करता है। जैसा कि पहले अध्यायों में चर्चा की गई है, ये मुद्दे मजबूत राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा की सिफारिश करने के संदर्भ में उठते हैं, जो समता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित है। हमें लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अंगीकार करते हुए लोक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने और बचत का संवर्धन करने की आवश्यकता का आकलन करने के लिए भी कहा गया है (टीओआर 7 (iii), (iv) और (v))। इन टीओआर में अभिशासन के उपयुक्त स्तरों पर इन बचतों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रस्तावित करने का विकल्प भी शामिल है।<sup>1</sup>

13.2 भारत में समग्र संसाधनों के अभाव को देखते हुए लोक व्यय की गुणता और दक्षता को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कोविड-19 संकट के कारण लोक वित्त पर दबाव से, विशेष रूप से व्यय की पुनःप्राथमिकता और स्वास्थ्य तथा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण की आवश्यकता ने लोक वित्त प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं/कार्यप्रणालियों और रीतियों को अपनाया सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। राजकोषीय प्रबंधन में दक्षता की कमी के कारण होने वाली उच्च लागत के काफी प्रमाण हैं, विशेष रूप से प्रमुख स्वास्थ्य और शिक्षा परिणामों के लिए। अध्ययनों से पता चलता है कि दक्षता में सुधार करने से, राज्य औसतन, इनपुट के समान स्तर से ही अपने आउटपुट संकेतकों को 30 प्रतिशत तक बढ़ा सकते हैं।<sup>2</sup> साथ ही उन्नत लोक वित्त प्रबंधन प्रथाओं से जनित उच्चतर क्षमता और बेहतर शासन के साथ स्पष्ट संबंध भी है। इस प्रकार, लोक वित्त प्रबंधन<sup>3</sup> की गुणता, लोक सेवाओं के वितरण और आर्थिक विकास को बनाए रखने में प्रत्यक्ष निहितार्थ हैं।

13.3 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि सुदृढ़ बजटीय संस्थानों के साथ लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, प्रभावी राजकोषीय परिणाम के वितरण और राजकोषीय समेकन के समग्र मार्ग के लिए

<sup>1</sup> इनमें शामिल हो सकते हैं: सशर्त हस्तांतरण, जिसमें राज्यों को विशिष्ट हस्तांतरणों की पूर्वापेक्षा के रूप में विशिष्ट लोक वित्त प्रबंधन प्रथाओं और मानकों और निष्पादन को अपनाने की आवश्यकता है; और क्षमता-निर्माण अनुदान ताकि राज्यों को विशिष्ट सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कौशल और तकनीकी सहायता प्राप्त करने में सहायता दी जा सके।

<sup>2</sup> मोहंती, रंजन कुमार और भानुमूर्ति, एन. आर., 2018 "असेसिंग पब्लिक एक्सपेंडीचर एफिशिएंसी एट इंडियन स्टेट्स", आधार पत्र 18/225, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। [https://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2018/03/WP\\_2018\\_225.pdf](https://www.nipfp.org.in/media/medialibrary/2018/03/WP_2018_225.pdf)

<sup>3</sup> लोक वित्त प्रबंधन से तात्पर्य है राजस्व जुटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कानूनों, नियमों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का समूह, और सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए आबंटन एवं लेखा, और इसके चार मुख्य उद्देश्य हैं - राजकोषीय अनुशासन, आबंटन दक्षता, प्रचालन दक्षता और जवाबदेही।

महत्वपूर्ण है।<sup>1</sup> इस प्रकार, लोक वित्त प्रबंधन में सुधार करने से अभिप्रेत कार्यक्रम के परिणाम और सेवा वितरण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, उत्पादक क्षेत्रों के लिए लोक और निजी संसाधनों को जारी किया जाएगा और वहनीय विकास को उत्प्रेरित किया जाएगा। विशेष रूप से, मौजूदा कोविड संकट के दौरान लोक व्यय की पुनःप्राथमिकता करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित हैं। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यह भी पुष्टि करते हैं कि सरकार के सभी स्तरों पर अप्रभावी निगरानी से उत्पन्न जोखिम से अक्सर वित्तीय संकट उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से राज्य सरकारों और 'लोक क्षेत्र' द्वारा अतिरिक्त बजटीय उधार लेने से।

13.4 सरकार के सभी स्तरों के लिए इन कारकों के विशेष निहितार्थ हैं। अनेक प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियाँ राज्यों और स्थानीय सरकारों के दायरे में हैं। राजकोषीय और वित्तीय प्रबंधन में अकुशलताओं की लागत अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि राज्यों के लिए उपलब्ध मुक्त संसाधनों की मात्रा में वृद्धि हुई है और इनसे लोक वित्त प्रबंधन सुधारों को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि विकास व्यय की गुणवत्ता और समग्र वित्तीय निवेश प्रबंधन की मात्रा को बढ़ाया जा सके। राज्य, भारत के सामान्य राजकोषीय घाटे के लगभग आधे के लिये उत्तरदायी हैं, अतः राज्यों के राजकोषीय नियमों एवं विधान और संघ सरकार के संशोधित राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के साथ उसकी संगतता लोक वित्त की सततता और वृहत-आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

13.5 इसका तात्पर्य यह है कि सरकार के सभी स्तरों पर बजटीय संस्थानों को मजबूत करने से अंतर-सरकारी सुधार की रूपरेखा को सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है, नीतिगत प्राथमिकताएं यथासंभव कुशलता से पूरी होती हैं और बेहतर विकास परिणाम प्राप्त होते हैं। भारत की राजकोषीय व्यवस्था का निर्माण इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर करना भारत के राजकोषीय संघवाद के भविष्य के लिए अहम है।

13.6 यह अध्याय निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणालियों और अनुभव के संदर्भ में, यह सर्वप्रथम भारत के राजकोषीय नियमों के कार्यान्वयन और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहायक संस्थागत ढांचे की पर्याप्तता और राज्यों के लिए निहितार्थों की समीक्षा करता है। तत्पश्चात, संस्थागत ढांचे के भीतर, एक तरफ तो यह राजकोषीय नियमों और लोक वित्त प्रबंधन के बीच के अंतर्संबंधों और दूसरी तरफ आधारभूत वृहत आर्थिक और बजट पूर्वानुमान के अनुपालन की निगरानी करने और उसके आकलन के लिए एक स्वतंत्र संस्थान की आवश्यकता को देखता है। अंततः यह अध्याय, उपर्युक्त तीन स्तंभों, जो इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों से राजकोषीय व्यवस्था का गठन करता है, के कार्यान्वयन और संस्थागत तरीके से आम सहमति प्राप्त करने की अनुशंसा करता है।

<sup>1</sup> श्वार्ट्ज, गर्ड, मैन्ल फौड, टोरबेन हैनसेन, और जेनेवीव वेर्डियर, संपा. सितंबर 2020. वेल स्पेंट: हाउ स्ट्रॉंग इन्फ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस कैन एंड वेस्ट इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट. वाशिंगटन, डी सी: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।

## राजकोषीय नियम

### अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

13.7 अनेक जी-20 देशों के अपने निर्धारित राजकोषीय नियम हैं, जिनमें उनके राज्य भी शामिल हैं, जिसका लक्ष्य बजट संस्थानों और प्रबंधन प्रथाओं/ कार्यप्रणालियों को मजबूत करने के साथ-साथ उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। ये नियम समय के साथ-साथ विकसित हुए हैं तथा लचीलेपन के साथ विश्वसनीयता को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर, अच्छी तरह से डिजाइन किए गए और अच्छी तरह से लागू किए गए राजकोषीय नियमों ने घाटे को कम करने में मदद की है, राजकोषीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता की बाजार विश्वसनीयता को मजबूत किया है और प्रति-चक्रिय राजकोषीय प्रबंधन की अनुमति दी है। राजकोषीय नीति की पूर्वकथनीयता को बेहतर करते हुए, इन नियमों से आउटपुट अस्थिरता को कम करने तथा वहनीय वृद्धि को बढ़ाने में मदद मिली है।

13.8 तथापि, राजकोषीय नियमों के समक्ष दोहरी चुनौती है। पहली यह सुनिश्चित करना कि नियम अच्छी तरह से डिजाइन किए गए हैं। दूसरी, यह सुनिश्चित करना कि लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली और संस्थान इन नियमों की अच्छी तरह से निगरानी और कार्यान्वयन करने देते हैं। जब तक दोनों चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाता है, राजकोषीय नियम शीघ्र ही अपनी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता खो सकते हैं।

13.9 राजकोषीय नियमों के डिजाइन पर पहली चुनौती के संबंध में, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद विगत दशक में एक व्यापक "दूसरी पीढ़ी का राजकोषीय ढांचा" दृश्यमान हो गया है जिसकी विशेषता है पर्याप्त लचीलापन और प्रवर्तन तंत्र :

- i. आजकल देश लचीलेपन (आर्थिक झटकों से उबरने की आवश्यकता) के साथ बेहतर संतुलन (राजकोषीय आधार बनाने की आवश्यकता) के लिए एक से अधिक राजकोषीय नियम अपना रहे हैं। तथापि, अनेक नियम होने के साथ एक चुनौती यह है कि वे कभी-कभी निगरानी, सत्यापन और संचार करने के लिए आंतरिक रूप से असंगत और जटिल हो सकते हैं।
- ii. अतः, दूसरी पीढ़ी के राजकोषीय नियम आम तौर पर लचीलापन लाने के लिए 'एस्केप क्लॉज' या समकक्ष तंत्र (संरचनात्मक घाटे का उपयोग) पर निर्भर रहते हैं। इन्हें सामान्यतः विशिष्ट निगरानी, प्रवर्तन, संचार और पारदर्शिता तंत्र के संवर्धन के साथ वैश्विक वित्तीय संकट के बाद शामिल किया गया था (इससे पहले कई मौजूदा राजकोषीय नियमों में 'एस्केप क्लॉज' नहीं था)। अधिकतर मामलों में, देश पहले से ही अपने वित्तीय नियमों में लचीलेपन का उपयोग कर रहे हैं ताकि कोविड महामारी के अनुरूप नियमों का विचलन या उन्हें निलंबित कर सकें। उदाहरण के लिए,

यूरोपीय संघ ने समायोजन को निलंबित करने के लिए "सामान्य एस्केप क्लॉज" आरंभ किया है जो कि सदस्य राज्यों को अपने राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करना होगा।

iii. देश अक्सर "स्वचालित सुधार तंत्र" को अपनाते हैं, जो पहले से निर्दिष्ट करते हैं कि नियम से विचलन को कैसे संभाला जाएगा। यह अब यूरोपीय संघ के देशों के लिए एक आवश्यकता है जिन्होंने "फिस्कल कॉम्पैक्ट" पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य एस्केप क्लॉज यह सीमा निर्धारित करते हैं कि नियम के अनुसार राजकोषीय नीति का विचलन लक्ष्य से कब तक हो सकता है, जिसमें सहायक मध्यावधि राजकोषीय रणनीति के प्रकाशन के साथ-साथ नियम का पुनः पालन करने की योजना की प्रकृति को निर्दिष्ट करना भी शामिल है।

13.10 निगरानी पर दूसरी चुनौती के संबंध में, सफल राजकोषीय नियमों वाले देशों ने भी व्यापक लोक वित्त प्रबंधन कानूनों को लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन प्रणालियों को राजकोषीय नियमों की सहायता करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य स्पष्ट है कि कमजोर लोक वित्त प्रबंधन प्रणालियों और कमजोर बजट प्रक्रियाओं वाले देश, राजकोषीय लक्ष्यों और नियमों की निगरानी और प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थ रहे थे।

## भारत के राजकोषीय नियम: कार्यान्वयन की चुनौतियां

13.11 अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत 2003 में एफ आर बी एम अधिनियम को लागू करने से राजकोषीय नियमों को अपनाने में अपेक्षाकृत आगे था, जिसके बाद सभी राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून को क्रमिक रूप से अपना गया।<sup>5</sup> तब से, अनेक संशोधनों के माध्यम से, संघ ने एफ आर बी एम अधिनियम को अद्यतन किया है, निर्धारित संकेतकों के रूप में अनेक राजकोषीय संकेतकों को अपनाया है, संघ और सामान्य सरकार ऋण सीमा में प्रत्यक्ष नियम जोड़े गए, एस्केप क्लॉज को स्पष्ट किया, संघ के लिए मध्यावधि व्यय की रूपरेखा (एम टी ई एफ) वक्तव्य अनिवार्य किया गया और भारत को राजकोषीय नियमों की दूसरी पीढ़ी में लाने की कोशिश की (2018 में एफ आर बी एम अधिनियम में परिवर्तन बॉक्स 13.1 में वर्णित हैं)।

13.12 तथापि, इन वित्तीय नियमों को लागू करने में अनेक चुनौतियां हैं क्योंकि आधारभूत लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से मानकों के मात्र एक अंश की पूर्ति होती है। बजट निर्माण, निष्पादन और रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली अधिकांश कार्यप्रणाली अभी भी पर्याप्त विधायी शक्ति के बिना हैं; इसके बजाय वे बहुत सारे संवैधानिक प्रावधानों, कार्यकारी नियमों, आदेशों और नियमावली से संचालित होते हैं।

<sup>5</sup> केवल कर्नाटक का राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2002 केंद्र सरकार के एफआरबीएम अधिनियम, 2003 से पहले का है

इन्हें राज्य स्तर पर दोहराया गया है, लेकिन सरकार के सभी स्तरों में ढांचे और प्रथाओं में स्थिरता के बिना, जिसके परिणामस्वरूप संघ और राज्यों द्वारा की गई प्रगति में काफी अंतर देखा जा सकता है। (अनुलग्नक 13.1)।

### बॉक्स 13.1: एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में हाल ही के संशोधन

एफआरबीएम अधिनियम में वित्त अधिनियम, 2018 के माध्यम से किए गए प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं;

- सरकारी ऋण प्राथमिक आधार बन गया है जबकि राजकोषीय घाटा प्रमुख प्रचालन लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3 प्रतिशत तक कम किया जाना था।
- वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद का केंद्र व राज्य सरकार का ऋण लक्ष्य 60 प्रतिशत और केंद्र सरकार का ऋण लक्ष्य 40 प्रतिशत प्राप्त करना।
- 'केंद्र सरकार ऋण' के दायरे का विस्तार किया गया है, जिसमें भारत की समेकित निधि और सार्वजनिक लेखा सहित वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय देनदारियों, या केंद्र सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी भी निकाय, कॉर्पोरेट, या अन्य संस्था की वित्तीय देनदारियां आती हैं, जिसकी सरकार को अपने वार्षिक वित्तीय विवरण से वापसी अदायगी करनी चुनौती है।
- आधार विस्तारित करना (एस्केप क्लॉज) जिसमें केंद्र सरकार को घाटे के लक्ष्यों का उल्लंघन करने की अनुमति है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध, राष्ट्रीय आपदा, कृषि संकट, संरचनात्मक सुधार और वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट शामिल है। यद्यपि, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में कोई भी विचलन, जीडीपी के एक-आध प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- एक तिमाही की वास्तविक आउटपुट वृद्धि पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम 3 प्रतिशत अंक ऊपर होने की स्थिति में, एक वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कम से कम एक-चौथाई प्रतिशत तक कम करना।

13.13 इसके परिणामस्वरूप, लोक वित्त प्रबंधन ढांचे में काफी विसंगतियां और अंतराल हैं जो सरकार के सभी स्तरों पर राजकोषीय आंकड़ों की स्थिरता, समझ और विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।<sup>6</sup> इसके साथ साथ, संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में राजकोषीय घाटे (भारत की समेकित निधि में परिचालनगत


<sup>6</sup> मौजूदा लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में ऐसे अंतरालों की सार समीक्षा को संलग्नक 13.2 में दिया गया है, जिसमें राज्यों के बीच काफी अधिक अंतर है जिसका अभी भी पूरी तरह से आकलन किए जाने की आवश्यकता है।



व्यय के संतुलन के रूप में) की जो परिभाषा दी गई है वह नई ऋण सीमा के अनुसार अधूरी है जो लेखा और कार्यान्वयन एजेंसियों की एक व्यापक परिभाषा करती है जो सरकार की तरफ से लोक सेवाएं प्रदान करती हैं। व्यवहार में, इससे राजकोषीय नियम प्रभावी रूप से दरकिनार हुए हैं, विशेष रूप से बजटेतर राजकोषीय प्रचालनों के लिए लोक क्षेत्र की संस्थाओं के उपयोग, असंगत बजट वर्गीकरण और लेखा पद्धतियों (और राजस्व तथा व्यय का गलत वर्गीकरण) और बजटीय उद्देश्यों के लिए लोक खाते के उपयोग द्वारा।

13.14 सरकारों द्वारा प्रकाशित राजकोषीय योजना, कार्य निष्पादन और पूर्वानुमान का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान की अनुपस्थिति (जैसा कि कई उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में यह अब वास्तविकता है) ने अनुपालन की निगरानी करने की क्षमता को और भी कम कर दिया है। इस प्रकार निर्धारित तारीख को धीरे धीरे खिसकाया गया, एस्केप क्लॉज को संशोधित किया गया तथा एफआरबीएम अधिनियम का अनुपालन सरकार के विवेक को दर्शाता है। अधिकांश राज्यों ने अपने बकाया ऋण लक्ष्यों का विधायन नहीं किया है और उनके रणनीतिक बजट और नियोजन को प्रतिबिंबित करने के लिए उनके एमटीईएफ को लगातार विकसित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, राजकोषीय नियमों के अधिनियमन के बाद राजकोषीय समेकन में शुरुआती सुधार के बाद, हाल ही में कई राज्यों का घाटा बढ़ रहा है (चित्र 13.1)।

चित्र 13.1: भारतीय राज्यों की कुल राजकोषीय स्थिति (प्रतिशत में)



स्रोत: राज्यों का वित्त लेखा और आरबीआई के आंकड़े।

टिप्पणी : 2019-20 बजट पूर्वानुमान है

13.15 एफ आर बी एम अधिनियम पर संघ सरकार के अनुपालन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की हाल ही की रिपोर्ट, अधिनियम के प्रावधानों और सूचित परिणामों के बीच अनेक विभिन्नताएं सूचीबद्ध करती है। इसमें शामिल है, अनुपालन को सक्षम करने के लिए एकतरफा उपायों का उपयोग जैसे कि भुगतान को स्थगित करना, ऑफ-बजट वित्तपोषण बढ़ाना<sup>7</sup>, और समेकित निधि से लोक लेखा में धन का हस्तांतरण जो राजकोषीय गतिविधि के विकृत आकलन का जोखिम उत्पन्न होता है। सभी राज्यों के लिए प्रतिवर्ष प्रकाशित राज्य वित्त पर सीएजी की रिपोर्ट में भी इसी तरह के अवलोकन किए गए हैं।

13.16 मूलतः कुल मिलाकर असल चुनौती बजट संस्थानों को और अंतर्निहित लोक वित्त और जवाबदेही की व्यवस्था को मजबूत करने की है। इसमें एफ आर बी एम नियमों के साथ सरकार के स्तरों पर महत्वपूर्ण राजकोषीय आंकड़ों की कवरेज और उपलब्धता को अद्यतन करना शामिल है। जैसा कि हम इस अध्याय में बाद में चर्चा करेंगे, यह बाजार अनुशासन स्थापित करने के लिए भी आवश्यक है जो राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करने में राजकोषीय नियमों की भूमिका का पूरक होगा।

13.17 इन चुनौतियों में सबसे प्रमुख हैं, कि भारत सामान्य सरकारी राजकोषीय व्यय का संकलन या निगरानी समय पर नहीं करता है।<sup>8</sup> इसके समक्ष, सामान्य सरकारी आंकड़े प्रदान करने वाले देशों की संख्या पिछले एक दशक में लगभग दोगुनी हो गई है।<sup>9</sup> यह इस वास्तविकता को दर्शाता है कि संघ और राज्य स्तरों पर भारत की राजकोषीय रिपोर्टिंग प्रणालियाँ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ संरेखित नहीं हैं, जबकि अंतिम चार वित्त आयोग, लोक वित्त प्रबंधन सुधारों के कार्यान्वयन पर विशिष्ट सिफारिशें करते रहे हैं (अनुलग्नक 13.3)।

13.18 विगत वित्त आयोगों की सिफारिशों से, तीन विषय सामने आते हैं: (क) बजटीय प्रक्रिया को मजबूत करना और बजट के कार्य निष्पादन का अभिविन्यास करना; (ख) प्रोद्भवन लेखांकन को अपनाने की ओर बढ़ना; और (ग) संघ और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों में प्रमुख राजकोषीय और वित्तीय जानकारी को मानकीकृत और समेकित करना, जिसमें “सभी देनदारियाँ” जैसे बजट के बाहर की उधार और राज्य-स्वामित्व वाले उपक्रमों से संचित हानि शामिल है। यह अंतिम बिंदु विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से राज्यों और सरकार के तीसरे स्तर के लिए राजकोषीय आंकड़ों का एक व्यापक, सुसंगत सेट एकत्र करने में कठिनाइयों को देखते हुए, जो नीतिगत विकल्पों का गहन विश्लेषण करने देता है।

13.19 इस विषय के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से महत्वपूर्ण सबक लिया गया है जो है भारत और उसके घटकों के लिए लोक वित्त प्रबंधन ढांचे को परिभाषित करना, राजकोषीय प्रक्रिया के प्रमुख चरणों

<sup>7</sup> भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2016-17 के लिए राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर 2018 की रिपोर्ट संख्या 20। किसी विधायी या लेखा मानकों के अभाव में, वित्तीय रिपोर्टिंग का महत्वपूर्ण गतिरोध, वित्त लेखाओं पर सीएजी की लेखापरीक्षा राय को प्रभावित नहीं करता।

<sup>8</sup> सीएजी संघ और राज्यों के लिए एक संयुक्त राजस्व और वित्त लेखा (सीएफआरए) तैयार करता है, लेकिन यह सुलभ प्रारूप में नहीं है और इसे काफी लम्बे समय के बाद प्रकाशित किया जाता है।


<sup>9</sup> उच्च आवृत्ति और विस्तृत स्थानीय निकाय सरकारी आंकड़ों का एक अच्छा उदाहरण ब्राजील है, जहां स्थानीय निकाय सरकार के स्तर से नीचे घाटे और ऋण पर राजकोषीय आंकड़े त्रैमासिक अंतराल पर उपलब्ध हैं और अलग-अलग रखे जाते हैं।

में बजटीय संस्थानों को मजबूत करना, लेखा मानकों का निर्धारण और लक्षित राजकोषीय संकेतकों की सटीक परिभाषाएँ और सरकार के सभी स्तरों पर राजकोषीय नियमों की स्थिरता सुनिश्चित करना। इन क्षेत्रों में कम प्रगति होने के कारण सरकारी नीति प्राथमिकताओं सहित व्यय और बजट के संरेखण का विकृत होना जारी है, प्रभावी व्यय नियंत्रण में बाधा पहुँचती है, राजकोषीय प्रबंधन में अक्षमता से लोक लागत बढ़ती है और रचनात्मक लेखा तथा पक्षपातपूर्ण पूर्वानुमान के अवसर पैदा होते हैं।

13.20 भावी दृष्टिकोण से, राज्य स्तर पर लोक वित्त प्रबंधन सुधारों को संघ सरकार के सुधारों के अनुरूप ही होना चाहिए, एक स्पष्ट रूपरेखा के अनुसार, सुसंगत और सुपरिभाषित लक्ष्य तथा लेखा मानकों को सुनिश्चित करना, स्थानीय निकाय राजकोषीय कार्यों की समयबद्ध, व्यापक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग और स्वतः विचलन सुधार तंत्र को मजबूत करना तथा अनुपालन न करने के लिए मंजूरी लेना। विशेष रूप से, स्थानीय निकाय स्तर पर सुधारों द्वारा स्थानीय निकाय ऋण लक्ष्यों को परिभाषित करना अपेक्षित है, जो संघ व राज्य सरकार को ऋण लक्ष्य में कटौती के अनुरूप हों। इन उद्देश्यों के लिए अलग-अलग राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व विधि के लगातार अद्यतन होते रहने की आवश्यकता होगी।

13.21 यह दृष्टिकोण न केवल संघ और राज्यों के स्तर पर नियमों की आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, बल्कि स्थानीय निकाय राजस्व संग्रहण को मजबूत करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है, उधारी को अदायगी की क्षमता का प्रकार्य बनाना और राज्यों की वित्तीय स्थितियों में अंतर का पता लगाया जा सकता है। यह राज्यों और तीसरे स्तर के लिए बाजार वित्तपोषण की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए विशेष रूप से नगरपालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है।

चित्र 13.2: राज्यों में बाज़ार अनुशासन की चुनौतियाँ (2018-19)




स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

13.22 अब तक, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई) द्वारा राज्यों के बाजार उधार की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समय-समय पर किए गए प्रयासों के बावजूद, राज्यों की राजकोषीय मीट्रिक और इसकी उधार लेने की लागतों के बीच कोई संबंध नहीं है (चित्र 13.2)। इसका कारण अंतर्निहित संप्रभु गारंटियों की अपेक्षाएं हैं, जिसके परिणामस्वरूप नैतिक खतरे पैदा होते हैं, बावजूद इसके कि संघ ने राज्यों द्वारा उधार लेने के मामले में मध्यस्थता करना छोड़ दिया है। राज्यों और स्थानीय सरकारों के लिए बाजार वित्त के धारणीय निर्माण के लिए स्पष्ट रूप से समय समय पर उनके वित्त पर विश्वसनीय और सुसंगत जानकारी अपेक्षित है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य दर्शाते हैं कि राजकोषीय संस्थानों की मजबूती, जिसकी चर्चा इस अध्याय में आगे की गई है, क्रेडिट रेटिंग में सुधार और क्रेडिट लागत को कम करने में मदद करती है।

## सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार

13.23 भारत में राजकोषीय नियम को लागू करने में आने वाली चुनौतियाँ एक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की कमी का प्रमाण है जो भारत के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों को प्रतिबिंबित और समर्थन करता है और ऋण समेकन रोडमैप को समानता, दक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने देता है (जैसा कि हमारे विचारार्थ विषयों के पैरा 5 में निर्दिष्ट है)। दशकों से, भारत ने इस तरफ बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की कोशिश की है और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए क्रमिक रूप से प्रतिबद्ध है, लेकिन इसकी व्यापक व्याप्ति अभी भी दूर है, क्योंकि इसमें अभी भी महत्वपूर्ण अंतराल विद्यमान हैं।

चित्र 13.3: सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य



13.24 राजकोषीय प्रबंधन में सबसे कमजोर कड़ी राजकोषीय नियम (और समग्र राजकोषीय रणनीति) को

बजट प्रक्रिया और सरकार के विभिन्न स्तरों के भीतर और उसमें सब जगह कार्यान्वयन के लिए जोड़ना रहा है - मुख्यतः, संघ सरकार और राज्यों में संबंधित विभागों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों और बजट की लागत को कम करने के साथ एमटीईएफ कितनी अच्छी तरह से एकीकृत है।

13.25 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के अनुरूप, यह खंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के चार अतिव्यापी उद्देश्यों का विवरण देता है और खर्च की गुणवत्ता में सुधार करते हुए तथा लोक बचत को बढ़ावा देते हुए व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर लाने के लिए आवश्यक सुधारों की सिफारिश करता है (चित्र 13.3):

- i. **समेकित राजकोषीय अनुशासन** : बजट तैयार करना और उसका कार्य निष्पादन परिभाषित राजकोषीय नीति के उद्देश्यों और राजकोषीय नियमों के अनुरूप होना चाहिए।
- ii. **कार्यनीतिक बजटीकरण और नियोजन**: संसाधनों के कार्यनीतिक आबंटन के माध्यम से नीतिगत प्राथमिकताओं को लागू करने की क्षमता।
- iii. **प्रचालनात्मक क्षमता**: बजट निष्पादन की एक मजबूत प्रणाली के माध्यम से एक कुशल तरीके से अभिप्रेत नीति परिणाम प्रदान करना।
- iv. **जवाबदेही और पारदर्शिता**: व्यापक, सटीक और समय पर राजकोषीय जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण क्रॉस-कटिंग आयाम हो और लोक परामर्श और सहभागिता के लिए पर्यवेक्षी संस्थाएं (आंतरिक और बाहरी दोनों) और तंत्र स्थापित हो।

### **समेकित राजकोषीय अनुशासन**

#### **राजकोषीय कवरेज और रिपोर्टिंग**

13.26 संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम में 'संघ सरकार ऋण' की परिभाषा के आधार पर, संघ और राज्य के लेखाओं में ऐसी सभी सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों / निगमों के ऋण शामिल होने चाहिए जो संघ या राज्य सरकारों की तरफ से लोक सेवाओं की प्रदायगी करते हैं, जिसमें संघ और राज्यों के स्तर पर सभी स्वायत्त निकाय, राज्यवत संगठन तथा अतिरिक्त बजटीय निधियां शामिल हैं। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र राजस्व स्रोतों के बिना ऐसे सभी निकाय, सरकारी राजकोषीय प्रचालन तथा घाटे और ऋण की राजकोषीय रिपोर्टिंग का अंग हैं।

13.27 अतः राज्यों द्वारा अपने संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में उपयुक्त संशोधन भी किए गए हैं, ताकि संघ सरकार के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम, और विशेष रूप से, ऋण की परिभाषा के साथ संगतता सुनिश्चित की जा सके।

13.28 इस संदर्भ में, जब संघ और कई राज्यों ने सुस्पष्ट गारंटी जारी करने और ऋण रिपोर्टिंग में उनके समावेश को विनियमित करने वाले कानून बनाए हैं तब भी सुस्पष्ट और अन्तर्निहित गारंटी (अधिकांश शेयरधारिता सरकार के पास होने के कारण) का पूरा रिपोर्टिंग तंत्र अभी तक लागू नहीं है। सरकारी लेखाकरण मानक और सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी), अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग और व्यापक 'लोक ऋण' के प्रकटन के लिए लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है, जो नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद संघ और राज्यों के लिए इस तरह की देनदारियों के जोखिम को पहचानने के लिए मानक मानदंडों के साथ आकस्मिक देनदारियों के लिए रिपोर्टिंग ढांचे का आधार बन सकता है।

13.29 इस प्रकार की स्थिरता संघ सरकार को समेकित केंद्र और राज्य सरकार लेखा की राजकोषीय व्याप्ति और रिपोर्टिंग को कवर करने के लिए आवश्यक उपाय करने में और अलग से लोक क्षेत्र ऋण अपेक्षाओं<sup>10</sup> के लिए भी सक्षम करता है।

13.30 बजट और लेखा कोड वर्गीकरण (लेखाओं का चार्ट) के आधुनिकीकरण द्वारा समर्थित ये सुधार<sup>11</sup>, सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य सरकारी वित्त सांख्यिकी ढांचे को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

### वृहत आर्थिक और राजकोषीय पूर्वानुमान

13.31 संघ और राज्य सरकारों को मध्यावधि के वृहद आर्थिक और राजकोषीय पूर्वानुमानों के साथ मूलभूत मान्यताओं और कार्यप्रणाली को नियमित रूप से प्रकाशित करना चाहिए और राजकोषीय लक्ष्यों को आगे के वृहद आर्थिक पूर्वानुमानों से जोड़ना चाहिए। राजकोषीय पूर्वानुमान को व्यवस्थित रूप से सभी नई राजस्व और व्यय नीतियों के प्रभाव की पहचान करनी चाहिए - मंत्रालयों और सरकार के स्तरों पर राजकोषीय नीति की पहल के समेकित दृष्टिकोण के साथ। इस तंत्र को प्रत्येक वित्त आयोग की रिपोर्ट के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि आवर्ती बहु-वर्षीय व्यय सीमा प्रदान की जा सके।

13.32 संघ और राज्य सरकारों को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके और पूर्वानुमान तथा बजट प्रक्रिया में शामिल कार्मिकों की तकनीकी क्षमताओं को विकसित करके ऐसी वृहद आर्थिक और राजकोषीय पूर्वानुमान की सटीकता और स्थिरता में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।

<sup>10</sup> सार्वजनिक क्षेत्र की उधार लेने की आवश्यकता का तात्पर्य है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित केंद्र व राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल शुद्ध उधार से है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी शामिल है जो उधार लेने के लिए निजी क्षेत्र के लिए छोड़ी गई उधार की जगह है।

<sup>11</sup> सी आर सुंदरमूर्ति की अध्यक्षता में संघ और राज्यों के प्रमुख और लघु लेखा शीर्षों (एलएमएमएचए) की सूची की समीक्षा करने के लिए गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों में निहित संदर्भ।

## कार्यनीतिक बजट और नियोजन

13.33 संघ और कई राज्य, बजट के भाग के रूप में मध्यावधि के नीतिगत विवरण (मध्यावधि की राजकोषीय नीति या एमटीएफपी और एमटीईएफ) प्रस्तुत करते हैं, जैसा कि उनके संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में निर्धारित है। संघ और कुछ राज्य सरकारें परिणाम बजट दस्तावेजों भी प्रस्तुत करती हैं। तथापि, मध्यावधि के लिए योजना बनाने और बजट कार्य-निष्पादन को मापने के लिए अंतर्निहित बजटीय प्रक्रियाओं में सुधार या बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए, वार्षिक बजट अभ्यास, मध्यावधि योजना और परिणाम बजट के बीच तालमेल नहीं है। अतः कार्य-निष्पादन आधारित बजट प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पूंजी निवेश परियोजनाएं आमतौर पर अनेक वर्ष चलती हैं। तथापि, वार्षिक बजट निर्माण-प्रक्रिया में, व्यय केवल उसी वर्ष के लिए विनियोजित किया जाता है, बाद के वर्षों में धन के आबंटन या अपर्याप्त आबंटन के कारण कई परियोजनाएं अधूरी या विलंबित रह जाती हैं। इस बीच, नई परियोजनाओं को शामिल करने की पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश की अवहेलना करते हुए नई पूंजीगत प्रतिबद्धताएं कर दी जाती हैं। योजना और कार्यक्रम निवेशों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अत्यधिक अक्षम है, क्योंकि पूंजीगत व्यय किए जाने के बाद भी अक्सर निवेश का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

13.34 कार्यनीतिक बजट निर्माण में तालमेल को ठीक करने के लिए, एक मध्यावधि बजट और ऋण रुपरेखा को प्रकाशित किया जाना चाहिए, जो विश्वसनीय और रोलिंग त्रिवर्षीय एमटीईएफ और वार्षिक एमटीएफपी विवरण पर आधारित हो। इस रूपरेखा को यह पुष्टि करनी चाहिए कि इस अंतर को पाटने के लिए वार्षिक बजट में विशेष ऐकिक उपायों के बिना, अनुमानित कर प्रावधान और व्यय कार्यक्रम, राजकोषीय लक्ष्यों को एक स्थायी तरीके से पूरा करने में सक्षम करें।

## बजट का कार्य-निष्पादन अभिविन्यास

13.35 निर्णय लेने और विधायी प्रक्रिया के लिए संघ और राज्यों के बजट प्रलेखन में उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए कार्य-निष्पादन की जानकारी (परिणामों और आउटपुट संकेतकों तथा लक्ष्यों को परिभाषित करना) को एकीकृत करें। यह बजट प्रस्तुति, अनुमोदन और कार्यनिष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करेगा।

13.36 कार्य-निष्पादन या कार्यक्रम-आधारित बजट की ओर बढ़ने हेतु, वर्तमान बजट और लेखा कोड वर्गीकरण (लेखाओं का चार्ट) में बदलाव की आवश्यकता होगी। इसके परिणामस्वरूप सुसंगत कार्यक्रम



और आर्थिक वर्गीकरण होना चाहिए, जो कि कार्यक्रमों या योजनाओं में भावी परिवर्तनों को शामिल करने के लिए भी अनुकूल हो।<sup>12</sup> यह कार्यक्रम उद्देशित परिणामों के साथ उसके खर्च को संयोजित करने में मदद करेगा और विधायिका के निरीक्षण का ध्यान कार्यक्रमों के परिणाम की तरफ केंद्रित करेगा। संघ सरकार पहले ही वित्त आयोग के चक्र के साथ संघ द्वारा प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को एकीकृत करने के अपने इरादे की घोषणा कर चुकी है। इसी प्रकार, राज्य भी अपने संसाधन आबंटन चक्र के साथ अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को समक्रमिक करना पसंद कर सकते हैं। इसके साथ-साथ, वित्त मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए आवधिक मूल्यांकन और मध्यावधि खर्च की समीक्षा की जा सकती है।

### प्रचालनात्मक दक्षता

13.37 अवधारणाओं की बेहतर पारदर्शिता और बाह्य संवीक्षा से राजस्व पूर्वानुमान सटीक होगा और बजट पूर्वानुमानों से काफी अलग, राजस्व अनुमानों से बचा जा सकेगा। यह विशेष प्रयोजन एवं बजटेतर वित्तपोषण माध्यमों के लिए स्पष्ट लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के साथ पूरक बजट की संख्या और उद्देश्य को सीमित करेगी। दोनों कारक बजट की विश्वसनीयता को बढ़ाएंगे और कई राज्यों की सामान्यतः कमजोर लोक व्यय और वित्तीय जवाबदेही (पीईएफ) की रेटिंग को बढ़ाएंगे।<sup>13</sup>

13.38 यद्यपि 'राजकोष एकल लेखा' (टी एस ए) को संघ और राज्य दोनों स्तरों पर लागू किया गया है, तथापि अनेक राज्य, अपने नियंत्रणाधीन संस्थाओं द्वारा अपने बैंक खातों में बड़ी संख्या में नकदी शेष राशि होते हुए भी उधार लेना जारी रखते हैं। इसलिए, हम प्रत्येक राज्य और संघ सरकार के लिए अधिक व्यापक 'राजकोष एकल लेखा' (टीएसए) प्रणाली के माध्यम से नकद प्रबंधन पद्धतियों को सुदृढ़ करना। इससे नकदी के अधिक प्रभावी प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसमें सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों तथा विशेष प्रयोजन व्यवस्था शामिल हैं जो सरकारी गतिविधि का वित्तपोषण कर रहे हैं।

<sup>12</sup> अतीत में कई समितियों ने लेखा चार्ट (एलएमएमएच) में बदलाव की सिफारिश की है। उन पर गौर किया जा सकता है और उचित रूप से लागू किया जा सकता है।

<sup>13</sup> पीईएफ लोक वित्त प्रबंधन प्रदर्शन का आकलन करने की एक कार्यप्रणाली है। यह गतिविधियों के सात व्यापक क्षेत्रों (स्तंभों) में लोक वित्त प्रबंधन (संकेतक) के इकतीस प्रमुख घटकों में चौरानवे विशेषताओं (आयामों) की पहचान करती है। कार्यप्रणाली के विवरण के लिए, लोक वित्त प्रबंधन (पीईएफ सचिवालय 2016) का आकलन करने के लिए पीईएफ की रूपरेखा देखें। आर बी आई ने हाल ही में चुनिंदा पीईएफ संकेतकों पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया है और नोट किया है कि तेईस राज्यों की कुल व्यय और राजस्व कुल-प्राप्ति के संकेतक पर 'ख' से नीचे रेटिंग थी, अर्थात् 'ग' या 'घ', जो इस बात की आवश्यकता की ओर इशारा करती है कि निर्धारण के लिए पीईएफ फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए राज्यों के कार्य-निष्पादन और निगरानी तथा संभवतः सुधार को बेहतर करने के लिए आधारेखा स्थापित करना अपेक्षित है।



## पारदर्शिता और जवाबदेही

13.39 राजकोषीय पारदर्शिता न केवल सुदृढ़ आर्थिक प्रबंधन और प्रभावी नीति निर्माण में योगदान देती है, अपितु यह बजटीय कार्यप्रणाली को मजबूत करने और जवाबदेही को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। पारदर्शिता एक सुदृढ़ लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए महत्वपूर्ण घटक है।

### लोक सूचना की उपलब्धता

13.40 संघ और राज्य के राजकोषीय कार्यों से संबंधित सभी आंकड़े और सूचना, जैसे बजट-पूर्व और संबंधित नीति विवरण, तथा अर्ध-वार्षिक समीक्षा, जनता को यथासमय विश्वसनीय और तुलनीय तरीके से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यह संघ और राज्य की बजटीय प्रक्रिया की व्यापक समझ और अभिमूल्यन की ओर अग्रसर करेगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) के अनुसार ऐसी सभी उपलब्ध सूचनाओं से एक पृथक और पारदर्शी पोर्टल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है।

13.41 सरकारों की लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्टों की समयबद्धता में यह सुनिश्चित करके कि वे वर्षांत के छह माह के भीतर तैयार हों और नौ माह के भीतर उसकी लेखापरीक्षा हो जाए तथा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रत्येक चरण में ऐसी समयसीमा को विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ सुनिश्चित सुधार किए जाने की भी गुंजाइश है।

13.42 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, जो लगभग सभी राज्यों के खातों के संकलन और अंतिम रूप देने की भूमिका का निर्वहन करते हैं, साथ ही संघ और राज्यों दोनों के लेखापरीक्षक होने के नाते, पहले से ही एक साझा राजकोषीय आंकड़े मानकों को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। यह अंततः संघ और राज्यों के सूक्ष्म स्तर के राजकोषीय आंकड़े, एक लोक वेब पोर्टल के माध्यम से, मानकीकृत आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, साथ ही विगत काल में लेखापरीक्षित राजकोषीय आंकड़ों के साथ साथ चालू वर्ष के उच्च आवृत्ति राजकोषीय आंकड़ों दोनों को डाउनलोड करने योग्य डेटाबेस स्वरूपों में उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

## राजकोषीय लेखाकरण

13.43 अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणालियों और आगामी वित्त आयोगों की अनुशंसाओं के अनुरूप, हम संस्तुत करते हैं कि संघ और राज्यों के लिए मानक-आधारित लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग को चरणबद्ध रूप से अपनाने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की जाए, जबकि प्रोद्भवन आधारित लेखाकरण को संभावित रूप से अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए।

13.44 आयोग की प्राथमिक चिंताओं में से एक है सरकार के सभी स्तरों पर वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, पहुंच, स्थिरता और समयबद्धता को अधिकतम करना है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इस समस्या का समाधान कर सकता है। अनेक राज्यों ने वित्तीय प्रचालनों को अत्यंत कुशल और सुरक्षित तरीके से प्रबंधित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस)<sup>14</sup> विकसित की है। तथापि, ऐसी प्रणालियों की व्यापकता और कवरेज के मुद्दों के साथ-साथ अन्य प्रणालियों से संचरण करने की क्षमता की भी समस्याएँ हैं। हम संघ और राज्यों से आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र सरकार के सभी स्तरों पर डेटा साझाकरण और एकीकरण के लिए आई टी प्रोटोकॉल और एक व्यापक योजना तैयार करें।

## व्यापक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन: भावी दृष्टिकोण

13.45 इस दिशा में आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। भारत ने समय-समय पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के क्रमिक हिस्सों में अलग अलग और वृद्धिशील सुधार करने की कोशिश की है। ये सामान्यतः एकाकी प्रयास रहे हैं जो लोक वित्त प्रबंधन के कुछ विशिष्ट (और बिखरे हुए) आयामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें एकीकृत करना और बनाए रखना मुश्किल है। अतः संघ और राज्यों दोनों के लिए इन सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए नीतिगत, नियामकीय और संस्थागत सुधार तथा प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानते हुए एक व्यापक लोक वित्त प्रबंधन सुधार कार्यनीति विकसित करने और उस पर सहमति बनाने की आवश्यकता है। इस व्यापक कार्यनीति के भीतर, अभी भी क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने की गुंजाइश है, बशर्ते सुधार पहल, सरकार के सभी स्तरों पर सावधानीपूर्वक एकीकृत और समन्वित हो। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव आधुनिक और व्यापक लोक वित्त प्रबंधन कानूनों<sup>15</sup> के साथ बड़े उभरते हुए और उन्नत देशों की बढ़ती हुई संख्या की ओर इशारा करते हैं, जो संपूर्ण लोक वित्त प्रबंधन चक्र के लिए गुणवत्ता और

<sup>14</sup> आई एफ एम एस एक आई टी-आधारित साधन है, जो बजट निरूपण, निष्पादन (जैसे बजटीय नियंत्रण, नकदी प्रबंधन, ट्रेजरी संचालन), लेखाकरण, लेखापरीक्षा, रिपोर्टिंग सहित लोक वित्त प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए मंच प्रदान करता है; और उन्हें अन्य कार्य जैसे ई-प्रोक्योरमेंट, पे-रोल या मानव संसाधन प्रबंधन, ऋण प्रबंधन आदि के साथ एकीकृत करता है। आई एफ एम एस किसी भी प्रणाली के लिए एक सामान्य नाम है, जिसे ऊपर वर्णित किया गया है। तथापि, आई एफ एम एस को प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) से अलग किया जाना चाहिए।

<sup>15</sup> अधिकांश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं (दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और इंडोनेशिया), और विकसित देशों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और ओईसीडी देशों) ने लोक वित्त प्रबंधन का विधि-निर्माण किया है।

मानक निर्धारित करते हैं, और भारत की लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं ताकि उसे अपने साथी देशों के साथ पंक्तिबद्ध किया जा सके।

13.46 यह सर्वविदित है कि एक सशक्त लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली, प्रभावी लोक सेवा प्रदायगी के लिए संस्थागत ढांचे का एक अनिवार्य पहलू है – ये दोनों गरीबी उपशमन और आर्थिक विकास के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। सशक्त और जवाबदेह लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली वाले देश अधिक कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और समान रूप से सेवाएं प्रदान करते हैं और बाजारों को अधिक कुशलतापूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से विनियमित करते हैं। अतः अच्छा लोक वित्त प्रबंधन, अधिकांश विकास परिणामों के लिए एक आवश्यक आधार है।

13.47 भारत का संविधान काफी उच्च स्तर पर एक लोक वित्त प्रबंधन ढांचा उपलब्ध करता है।<sup>16</sup> यह विविध क़ानूनों, अधीनस्थ विधानों, दिशानिर्देशों, नियमावली, सरकारी आदेशों इत्यादि द्वारा समर्थित है, जो समय समय पर बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो स्वतंत्रता-पूर्व की अवधि में भी बनाए गए थे। हालाँकि, अनेक सुधार शुरू किए गए हैं, परन्तु वे मुख्य रूप से एकाकी ही रहे हैं और मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से संचालित होते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली। अतः मूलभूत लोक वित्त प्रबंधन संरचना खण्डित है, जिसने अभी तक सार्थक सुधारों को नहीं देखा है और इसका समर्थन करने वाला कोई व्यापक विधायी ढांचा भी नहीं है।

13.48 हाल ही में, कोविड-19 के कारण वैश्विक रूप से सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक क्षति में अत्यधिक वृद्धि हुई है और कई देशों के राजकोषीय और लोक वित्त प्रबंधन ढांचे की अहम खामियां उजागर हुई हैं। इस संकट ने व्यय प्राथमिकता और अधिक कुशल संसाधन आबंटन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है।

13.49 इस संदर्भ में, भारत में लोक वित्त प्रबंधन सुधारों की आवश्यकता तीन अत्यंत सशक्त तर्कों से समर्थित है:

- i. संविधान में वर्णित उच्च-स्तरीय लोक वित्त प्रबंधन रूपरेखा और विस्तृत दिशानिर्देशों, नियमों, विनियमों और नियमावली के बीच के अंतर को पाटना और उन्हें वैधानिक शक्ति प्रदान करते हुए, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध किया जाए।
- ii. वर्तमान नियमों और विनियमों की समीक्षा करना और उसका युक्तिकरण करना, जिनमें से कुछ स्वतंत्रता-पूर्व की अवधि के भी हैं और उन्हें संघ और राज्यों के बीच आंतरिक रूप से सुसंगत बनाना।

<sup>16</sup> इससे निपटने वाले मुख्य अनुच्छेद 112 से 117 है, और 202 से 207 हैं जो 'वित्तीय मामलों की प्रक्रिया' प्रदान करते हैं।

iii. भविष्य के झटकों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और कम करने की क्षमता के साथ अधिक लचीले लोक वित्त ढांचे का निर्माण करना।

### बॉक्स 13.2: भारत में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधार के प्रमुख तत्व

संघ और राज्यों दोनों के लिए, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे में महत्वपूर्ण अंतराल और सुधार प्राथमिकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राजकोषीय जिम्मेदारी ढांचे को सशक्त करना और यह सुनिश्चित करना कि एफ आर बी एम अधिनियम, सरकार के विविध स्तरों पर लोक वित्त प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे द्वारा पूर्ण समर्थित हो।
- संघ और राज्यों के सार्वजनिक निवेश कार्यक्रमों की, जहां कहीं भी वे लागू हों, एक मध्यावधि व्यय ढांचे के भीतर, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के मध्यावधि प्राथमिकीकरण द्वारा, वित्तीय रिपोर्टिंग करना।
- सुनिश्चित करना कि राजकोषीय कार्यनीति और राजकोषीय जोखिम अभ्यास, जो पहले से ही एफआरबीएम अधिनियम का हिस्सा है, संघ और राज्यों के वार्षिक बजट प्रक्रियाओं के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।
- राजकोषीय संकेतकों की परिभाषा और संघ और राज्यों के मानक रिपोर्टिंग ढांचे में एकरूपता सुनिश्चित करना।
- आउटपुट और परिणामों के संदर्भ में मूलभूत बजट संरचनाओं और प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और सक्षम करते हुए बजट को कार्य-निष्पादन से जोड़कर, परिणाम बजट तैयार करना।
- परिणाम-आधारित बजट के मुख्य तत्वों में शामिल हैं: (क) बजट वर्गीकरण और लेखाओं के चार्ट में सुधार करके बजट के लिए एक परिणामोन्मुख रुख अपनाना; (ख) 'प्रयोजन शीर्ष' के बजाय कार्यक्रम स्तर पर विधायी विनियोग को स्वीकृति प्रदान करना; (ग) कार्यपालिका को पूर्व-निर्धारित नियमों के भीतर निधियों को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता की अनुमति देना; तथा (घ) अगले वित्तीय वर्ष में पूर्व-परिभाषित विंडो के दौरान वित्त वर्ष के अंतिम दिन तक व्यय के लिए लचीलेपन के लिए 'कैरी ओवर' की प्रथा शुरू करना।
- उन्नत और मानक आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग: वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार का सार है (क) एक स्वतंत्र लेखा मानक निकाय द्वारा मानक निर्धारण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लेखाकरण और रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप सरकारी लेखाकरण करना और उसका प्रगतिशील कार्यान्वयन करना, जिसमें नकदी से प्रोद्भवन आधारित लेखाकरण की तरफ बढ़ना शामिल है; (ख) लेखाओं के रखरखाव पर कार्यकारी स्वामित्व को मजबूत करना; तथा (ग) लेखाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करना, लेखापरीक्षा पूर्ण करना और उसे विधानमंडल के पटल पर रखना।
- सभी हितधारकों के बीच आम सहमति के आधार पर, इन और संबंधित लोक वित्त प्रबंधन कार्यों पर उचित विधायी निरीक्षण करना।
- भारत में इस तरह का लोक वित्त प्रबंधन ढांचा विविध अधिकारियों और संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्टता प्रदान करेगा, जवाबदेहिता पूरी करेगा, विधायिका और नागरिक समाज द्वारा निरीक्षण में वृद्धि करेगा, और लेखाकरण तथा रिपोर्टिंग सहित राजकोषीय जिम्मेदारी, बजट प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्रों को मजबूत करेगा। विधायी आधार के साथ इस तरह की व्यापक रूपरेखा, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार लाएगी और इससे शासन में सुधार होगा।
- ये तत्व "समानता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित देश की भावी वित्तीय व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को संबोधित करेंगे"।

13.50 अतः हम सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और चर्चा के लिए लोक वित्त प्रबंधन के आवश्यक तत्वों के साथ एक व्यापक ढांचे की सिफारिश करते हैं (बॉक्स 13.2)। इस ढांचे को राज्यों और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से और अधिक विकसित किए जाने की आवश्यकता है, और इसके कार्यान्वयन की प्रकृति पर सहमति होनी चाहिए। हमारा मानना है कि इस तरह के लोक वित्त प्रबंधन ढांचे को, यदि लागू किया जाता है, तो यह भारत की राजकोषीय व्यवस्था के दूसरे स्तंभ को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की इक्कीसवीं सदी में लाएगा। एक ऐसा ही ढांचा, जिसे स्वतंत्र डोमेन विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, भावी संदर्भ के लिए हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

## राजकोषीय संस्थाएं

13.51 अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की हमारी समीक्षा बताती है कि राजकोषीय नियमों की स्थापना और स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना के बीच उच्च सहसंबंध भी है, जिसकी संख्या 2005 से तीन गुना हो गई है। साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे राजकोषीय नीति का आकलन करने और निगरानी करने में एक दूसरे के पूरक हैं तथा राजकोषीय नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित और राजकोषीय कार्य-निष्पादन को मजबूत करते हैं। विशेष रूप से, साक्ष्य इंगित करते हैं कि बजट पूर्वानुमानों की सटीकता पर उनके प्रभाव के माध्यम से राजकोषीय नियमों के बेहतर अनुपालन के लिए पर्याप्त बाहरी और स्वतंत्र संवीक्षा की जाती है। कई देशों में, राजकोषीय परिषदें संघ और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में और साथ ही सरकार के स्तरों पर राजकोषीय लक्ष्यों की स्थिरता लाने में भी मदद कर रही हैं। कुल मिलाकर राजकोषीय परिषदें राजकोषीय व्यवस्था के तीसरे स्तंभ का गठन करती हैं।

13.52 यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय परिषदों के संस्थागत मॉडल में भिन्नता है, तथापि उनके अच्छे कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों पर व्यापक सहमति है। इन कारकों में, प्रभावी स्वतंत्रता और गैर-पक्षपात को राजकोषीय परिषदों की सफलता के लिए आवश्यक माना जाता है, जिसे एक स्पष्ट कानूनी ढांचा दिया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उनके पास एक वैधानिक आधार है, जिसमें नेतृत्व, संसाधन, अधिदेश और कार्य, प्रकाशन और सूचना प्राप्त करने की क्षमता से संबंधित प्रावधान हैं। उनकी स्वतंत्रता के बारे में, एक स्पष्ट मॉडल स्टैंड-अलोन यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसनल बजट ऑफिस (सी बी ओ) है, जो कार्यपालिका और संसद से विधायी तौर पर अलग है, जबकि यूनाइटेड किंगडम के ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉसिबिलिटी (ओ बी आर) के पास कार्यपालिका और संसद दोनों की दोहरी जिम्मेदारी है, हालांकि यह अपने स्वयं के पर्यवेक्षण बोर्ड सहित एक पृथक विधिक निकाय है। आजकल की राजकोषीय

परिषदों में से लगभग एक तिहाई संसद आधारित स्वतंत्र निकाय हैं, जो बजट के संसदीय निरीक्षण पर अधिक ध्यान देते हैं। वित्तीय परिषदों को कार्यपालिका के भीतर, राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में, या केंद्रीय बैंक (शामिल विभिन्न कौशल आंशिक रूप से प्रतिबिंबित करना) के भीतर रखना असामान्य है।

13.53 भारत में, वित्त आयोगों और अन्य निकायों द्वारा इस दिशा की ओर बढ़ने की लगातार अनुशंसाओं के बावजूद भी प्रगति पिछड़ गई है। इसके परिणामस्वरूप, जैसा कि पहले चर्चा की गई है, राजकोषीय आंकड़ों के एकत्रण, मिलान, समन्वय और प्रकाशन; साथ ही राजकोषीय पूर्वानुमानों और सरकार के स्तरों पर मध्यावधि बजटीय ढांचे की स्वतंत्र समीक्षा में संस्थागत अंतराल बने रहते हैं।

13.54 इन क्षेत्रों में अपनी सिफारिशों के साथ-साथ, तेरहवें वित्त आयोग (एफसी-XIII) ने प्रस्ताव दिया था कि संघ सरकार को अपनी स्वयं की एफआरबीएम प्रक्रिया की स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी को संस्थागत बनाना चाहिए। इस संदर्भ में, एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में, 2015 के संशोधन से आवश्यक उपबंध समाहित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत सीएजी द्वारा, एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करना। हालांकि, यह कार्योत्तर समीक्षा आवधिक रूप से की जा रही है। अपेक्षित यह है कि संघ और राज्य सरकारों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के तहत राजस्व, व्यय और घाटे के लक्ष्यों की आंतरिक संगतता का प्रत्याशित अनुवीक्षण और आकलन किया जाए, और उनका प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए। ये राजकोषीय परिषद के प्रमुख कार्यों में से एक हो सकते हैं।

13.55 एफसी- XIV ने भी एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान को कानूनी रूप देने की मजबूती से वकालत की है।<sup>17</sup> इस मामले पर हाल ही में एफआरबीएम समीक्षा समिति और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा बल दिया गया था।

13.56 हम एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना की सलाह देते हैं जिसके पास संघ के साथ-साथ राज्यों से भी आवश्यक रिकॉर्ड प्राप्त करने की शक्तियां हों। राजकोषीय परिषद की भूमिका केवल सलाहकारी होगी, स्पष्टतः प्रवर्तन की शक्तियां उसके पास नहीं हैं, जो कि सरकार के अन्य अंगों का विशेषाधिकार है।

13.57 अंतरराष्ट्रीय अनुभव के आधार पर, प्रस्तावित वित्तीय परिषद के कुछ संकेतात्मक कार्य निम्नवत हो सकते हैं:

- (i) बहु-वर्षीय वृहद-आर्थिक और राजकोषीय पूर्वानुमान करना;
- (ii) सरकार के सभी स्तरों पर राजकोषीय लक्ष्यों से उसके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना;

<sup>17</sup> एफ सी-XIV ने भी ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए कार्य-निष्पादन अनुदान की वकालत की है ताकि स्थानीय निकायों की प्राप्ति और व्यय लेखापरीक्षित लेखाओं के माध्यम से विश्वसनीय आंकड़ों की उपलब्धता और शहरी स्थानीय निकायों के लिए, बुनियादी सेवाओं के प्रावधान की जानकारी का प्रकाशन को बढ़ावा दिया जा सके।



- (iii) राज्यों में राजकोषीय लक्ष्यों की उपयुक्तता और स्थिरता का आकलन करना;
- (iv) दीर्घकालिक राजकोषीय वहनीयता का स्वतंत्र मूल्यांकन करना;
- (v) राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के तहत सरकार द्वारा राजकोषीय नीति विवरण का आकलन करना;
- (vi) राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के तहत एस्केप कलॉज का उपयोग करने की परिस्थितियों पर सलाह देना;
- (vii) महत्वपूर्ण राजकोषीय निहितार्थ के साथ नए उपायों की नीति लागत;
- (viii) राज्य स्तरों के साथ-साथ; वित्त आयोगों को विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करना, और
- (ix) उनकी सभी रिपोर्टों और मूलभूत कार्यप्रणाली का प्रकाशन।

13.58 किसी भी राजकोषीय परिषद के अधिदेश को इतना व्यापक किया जा सकता है कि वह न केवल बजट के वृहत आर्थिक और राजकोषीय पूर्वानुमानों की प्रस्तुति को कवर करे, अपितु राष्ट्रीय और स्थानीय निकाय स्तरों पर राजकोषीय लक्ष्यों और नियमों को स्थापित करने और पुनर्गणना करने की सलाह भी दे सके, साथ ही ऐसे लक्ष्यों और नियमों के अनुपालन की निगरानी भी करे। राजकोषीय परिषद, सरकार के सभी स्तरों पर राजकोषीय आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में भी काम कर सकती है।

## भावी दृष्टिकोण

13.59 राजकोषीय व्यवस्था के इन स्तंभों को स्थापित करने में असली चुनौती ऐसे समन्वित संस्थागत सुधारों को प्रेरित करने, आरंभ करने और बनाए रखने में निहित है। इस उद्देश्य से, वित्त मंत्रालय सरकार के सभी स्तरों पर व्यापक लोक वित्त प्रबंधन सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और समयबद्ध योजना तैयार कर सकता है। इस तरह के परामर्श सभी संबंधित हितधारकों जैसे राज्यों के वित्त विभाग, भारत के सी ए जी (और राज्यों में महालेखाकार के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय), लेखा महानियंत्रक, भारतीय रिजर्व बैंक और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में काम करने वाले तकनीकी अनुसंधान निकायों को एक साथ ला सकते हैं। यह प्रक्रिया संघ-राज्य परामर्श के मौजूदा मंचों, जैसे कि अंतर-राज्य परिषद या नीति आयोग की शासकीय परिषद् की चर्चा के एजेंडे का हिस्सा बन सकती है।

13.60 इसका उद्देश्य कार्यान्वयन पर नियमित रिपोर्टों के प्रकाशन के साथ सुधार एजेंडे पर विचार-विमर्श और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक परामर्शी प्रक्रिया को लागू करना होगा। सुधारों की प्रगति के बारे में सूचना का प्रकाशन और राज्यों में प्रगति के बेंचमार्किंग से तृतीय-पक्ष समीक्षा और इच्छुक गैर-सरकारी संगठनों से जांच करने में सुविधा होगी, जिससे सुधार करते रहने के लिए दबाव बढ़ेगा।

13.61 अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से पता चलता है कि इस प्रकार के प्रमुख सुधार के अपने सभी मूल तत्वों को पूरा करने में सामान्यतः कई साल लग सकते हैं। नियमित निगरानी से निर्णयकर्ताओं को समय के साथ सुधारों पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। यह राज्यों में प्रगति और कार्य-निष्पादन पर नज़र रखने में भी मदद करेगा। अतः सरकार के स्तरों पर संगतता, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए समन्वित, पारदर्शी और समावेशी तरीके से बजटीय और लोक वित्त प्रबंधन सुधार करने वाले एक संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है।

## अनुशंसाओं का सारांश

i. अतः राज्यों द्वारा अपने संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में उपयुक्त संशोधन भी किए जा सकते हैं, ताकि संघ सरकार के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम, और विशेष रूप से, ऋण की परिभाषा के साथ संगतता सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 13.27)

ii. सरकारी लेखाकरण मानक और सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी), अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग और व्यापक 'लोक ऋण' के प्रकटन के लिए लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है, जो नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद संघ और राज्यों के लिए इस तरह की देनदारियों के जोखिम को पहचानने के लिए मानक मानदंडों के साथ आकस्मिक देनदारियों के लिए रिपोर्टिंग ढांचे का आधार बन सकता है।

(पैरा 13.28)

iii. संघ और राज्य सरकारों को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके और पूर्वानुमान तथा बजट प्रक्रिया में शामिल कार्मिकों की तकनीकी क्षमताओं को विकसित करके ऐसी वृहद आर्थिक और राजकोषीय पूर्वानुमान की सटीकता और स्थिरता में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए।

(पैरा 13.32)



iv. प्रत्येक राज्य और संघ सरकार के लिए अधिक व्यापक 'राजकोष एकल लेखा' (टीएसए) प्रणाली के माध्यम से नकद प्रबंधन पद्धतियों को सुदृढ़ करना। इससे नकदी के अधिक प्रभावी प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा, जिसमें सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों तथा विशेष प्रयोजन व्यवस्था शामिल हैं जो सरकारी गतिविधि का वित्तपोषण कर रहे हैं।

(पैरा 13.38)

v. संघ और राज्य के राजकोषीय कार्यों से संबंधित सभी आंकड़े और सूचना, जैसे बजट-पूर्व और संबंधित नीति विवरण, तथा अर्ध-वार्षिक समीक्षा, जनता को यथासमय विश्वसनीय और तुलनीय तरीके से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(पैरा 13.40)

vi. सरकारों की लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्टों की समयबद्धता में यह सुनिश्चित करके कि वे वर्षांत के छह माह के भीतर तैयार हों और नौ माह के भीतर उसकी लेखापरीक्षा हो जाए तथा लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रत्येक चरण में ऐसी समयसीमा को विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ सुनिश्चित सुधार किए जाने की भी गुंजाइश है।

(पैरा 13.41)

vii. संघ और राज्यों के लिए मानक-आधारित लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग को चरणबद्ध रूप से अपनाने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की जाए, जबकि प्रोद्भवन आधारित लेखाकरण को संभावित रूप से अपनाने पर विचार किया जाना चाहिए।

(पैरा 13.43)

viii. अतः हम सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और चर्चा के लिए लोक वित्त प्रबंधन के आवश्यक तत्वों के साथ एक व्यापक ढांचे की सिफारिश करते हैं। इस ढांचे को राज्यों और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से और अधिक विकसित किए जाने की आवश्यकता है, और इसके कार्यान्वयन की प्रकृति पर सहमति होनी चाहिए। हमारा मानना है कि इस तरह के लोक वित्त प्रबंधन ढांचे को, यदि लागू किया जाता है, तो यह भारत की राजकोषीय व्यवस्था के दूसरे स्तंभ को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की इक्कीसवीं सदी में लाएगा।

(पैरा 13.50)

iX. एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना जिसके पास संघ के साथ-साथ राज्यों से भी आवश्यक रिकॉर्ड प्राप्त करने की शक्तियां हों। राजकोषीय परिषद की भूमिका केवल सलाहकारी होगी, स्पष्टतः प्रवर्तन की शक्तियां उसके पास नहीं हैं, जो कि सरकार के अन्य अंगों का विशेषाधिकार है।

(पैरा 13.56)

X. वित्त मंत्रालय, सरकार के सभी स्तरों पर व्यापक लोक वित्त प्रबंधन सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और समयबद्ध योजना तैयार कर सकता है।

(पैरा 13.59)

## अध्याय - 14

# अनुशासनों का सारांश

### महामारी का दौर : भावी विश्लेषण (2021-26)

1. हमने व्ययों में अतिरिक्त-बजटीय संव्यवहारों की संचित देयताओं में से वर्तमान संव्यवहारों से उत्पन्न व्यय को अलग रखा है। हम अपनी 2020-21 की रिपोर्ट से यह उद्धृत करते हैं, "बकाया अतिरिक्त - बजटीय देयताओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाए और घाटा एवं देनदारी (deficit and debt) की पारदर्शी रिपोर्टिंग, जैसा कि 2018 के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम में उपबंधित है, के साथ उन्हें समयबद्ध रूप से चुकाया जाए।" हम इस वक्तव्य को दोहराते हैं। संचित बोझ की देयता की पूर्ति उन अतिरिक्त संसाधनों से की जानी चाहिए जिन्हें संघ द्वारा प्रशासनिक एवं शासन संबंधी सुधार कार्यान्वित करने के फलस्वरूप जुटाया जाएगा। इससे बकाया देयताओं को चुकाने के लिए अल्प संसाधनों का निर्गमन होगा। हम आशा करते हैं कि ऐसे उपायों को लागू करने के लिए संघ सरकार एक उपयुक्त योजना बनाएगी जिससे भुगतान समयबद्ध रूप से सुनिश्चित होंगे। चूंकि हमने अपनी पंचाट अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा पर संपूर्ण वर्तमान व्यय में प्रावधान किया है, इसलिए संघ सरकार को इस संबंध में अतिरिक्ते बजटीय संसाधनों हेतु कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।

( पैरा 4.43 से 4.48 )

2. हमारे विश्लेषण और पूर्वानुमान भिन्न चरणों पर प्राप्तियों एवं व्यय के असंगत लेखाकरण के कारण प्रभावित हुए हैं जिससे सभी राज्यों के लिए व्यय और राजस्व के आधार स्तर (base level) की तुलनीयता सुनिश्चित करने में कठिनाई आई। यह महत्वपूर्ण है कि इन लेखाकरण भिन्नताओं को तत्काल दूर किया जाए ताकि राज्य सरकार के व्यय के महत्वपूर्ण घटकों की तुलना करने में तथा निरंतर राज्य स्तरीय राजकोषीय विश्लेषण करने में सुविधा हो।

( पैरा 4.79 )

### संसाधन जुटाना

3. महामारी ने अल्पावधि से मध्यावधि में दो प्रतिस्पर्धी विचारों को जन्म दिया है। सर्वप्रथम, संघ और राज्य सरकारों को स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा के बुनियादी ढांचे, आय सृजन कार्यक्रमों और आर्थिक पुनरुद्धार के लिए राजकोषीय सहायता के लिए बढ़ती मांग के लिए लगातार बड़े पैमाने पर संसाधनों की



7. जीएसटी रिटर्न, औपचारिक लेनदेन की बढ़ती संख्या और बैंक लेनदेन के अनुगमन की जानकारी की मदद से, प्रत्यक्ष कर प्रशासन को व्यक्ति स्वामित्व और साझेदारी को और अधिक प्रभावी रूप से ट्रैक करना चाहिए। (आयकर - राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.15)

8. टीडीएस और टीसीएस में शामिल एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित किया जाए जिससे बिना कर फाइलर और विविध वित्तीय लेनदेन के लिए सूचना फाइलरों को रिटर्न फाइल नहीं करने वाले निर्धारित का पता लगाना सरल हो जाता है। (आयकर - राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)

(पैरा 5.17)

9. वेतनभोगी आय पर आयकर की अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए, टीडीएस और टीसीएस से संबंधित प्रावधानों के कवरेज का तेजी से विस्तार करना महत्वपूर्ण है, ताकि अधिक लेनदेन तथा आय हो, जो कर अपवंचना को रोकने के लिए एक ऑडिट ट्रेल के रूप में काम करेगा। (आयकर - राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.15 से 5.17)

10. एक अन्य मुद्दा जिस पर राजस्व परिणामों पर ध्यान दिए बगैर, तत्काल विभागीय समाधान अपेक्षित है, वह विवादित प्रत्यक्ष कर है। समय-समय पर स्पष्टीकरण और प्राधिकारियों द्वारा संदेह दूर करना, पारित किए गए आदेशों की गुणवत्ता में सुधार और समीक्षा करना और वर्तमान एकल-वर्ष ऑडिट के बजाय बहु-वर्ष ऑडिट करना, विवादों की उत्पत्ति को रोकने में मदद करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में उच्चतम स्तर पर एक निकाय होना चाहिए ताकि अधिकारिताओं में संगति और एकरूपता को सुनिश्चित करते हुए निर्वचन के सभी मामलों को स्पष्ट किया जा सके। विवादित आंकड़ों को मामले के आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए ताकि मामले का विश्लेषण किया जा सके तथा भविष्य के लिए सबक सीखा जा सके (आयकर - राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.22 से 5.24 तक)

11. राज्य सरकार के स्तर पर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में काफी अप्रयुक्त क्षमता है। राज्यों को लेनदेन के पंजीकरण के साथ कम्प्यूटरीकृत संपत्ति रिकॉर्ड को एकीकृत करना चाहिए और सम्पत्तियों के बाज़ार मूल्य को लेना चाहिए। राज्य सरकारों को संपत्ति के मूल्यांकन की पद्धति को कारगर बनाना चाहिए

ताकि मूल्यों के नियमित और वास्तविक अपडेट प्राप्त हो सके, इससे सरकार को तृतीय स्तर पर संपत्ति कराधान में भी मदद मिलेगी। (स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क - राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.27 से 5.31 तक)

## कर नीति में परिवर्तन

12. कई मदों के लिए जीएसटी में मौजूद मध्यवर्ती इनपुट और अंतिम आउटपुट के बीच उल्कमित शुल्क संरचना (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर) को इसकी कई दर संरचना को सुव्यवस्थित करके हल किया जाना चाहिए। यह संघ और राज्य सरकार के निवल राजस्व संग्रहण पर एक लाभदायी प्रभाव के साथ भारित प्रभावी कर की दर अधिक किए बिना भी ठीक किया जा सकता है। (जीएसटी- जीएसटी परिषद द्वारा संघ और राज्यों को, कार्रवाई के लिए उपयुक्त अनुशंसाएं)।

(पैरा 5.7)

13. दक्षता लाभ को इसी तरह कई दरों के ढांचे को कम करके सीमा शुल्क संग्रहण में प्राप्त किया जा सकता है: (क) एमएफएन आधार पर ब्रॉड बैंडिंग औद्योगिक तैयार उत्पाद; (ख) एमएफएन आधार पर ब्रॉड बैंडिंग मध्यवर्ती औद्योगिक उत्पाद और औद्योगिक कच्चे माल; (ग) गैर-टैरिफ अवरोधों को व्यवस्थित और कम करना; (घ) वैश्विक मूल्य श्रृंखला के लिए विशेष तौर पर निर्यात को व्यवस्थित करने के लिए आयात की शून्य रेटिंग जारी रखना। ऊपर के कॉलम (क) से (ग) में परिवर्तन को जांचने के क्रम में किया जा सकता है। (सीमा शुल्क- राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.13)

14. विभिन्न प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत असंख्य छूट जो कर चोरी, विशेष रूप से अमीर समूहों द्वारा को बढ़ावा देती है, को कम करने की आवश्यकता है। अस्पष्ट व्याख्याओं और अपवंचना की ओर ले जाने वाले प्रोत्साहन को समाप्त करने की आवश्यकता होगी। परिलब्धियों के लिए दी गई रियायतों की भी व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। कर व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और करदाता के लिए बेहतर पूर्वानुमान और बेहतर कर योजना सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय के लिए वर्तमान स्तर पर प्रारम्भिक सीमा रखी जा सकती है। (आयकर - राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.15, 5.16 और 5.21)

15. वित्त आयोग द्वारा इस आशय की अनुशंसा का संज्ञान लेने के बाद, संघ सरकार भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर व्यवसाय कर की सीमा के समय-समय पर पुनरीक्षण को सक्षम करने वाले परिवर्तन को प्रभावी

करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के लिए कार्रवाई शुरू कर सकती है। (राजस्व विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई)।

(पैरा 5.36 से 5.41)

### **संस्थागत और कर नीति में बदलाव, जो पूरी क्षमता हासिल करने में मदद करेंगे**

16. जीएसटी दर की राजस्व तटस्थता को बहाल करना महत्वपूर्ण है, जिससे बहु दर संरचना और दरों के अनेक अधोमुखी समायोजनों द्वारा समझौता किया गया था। इस दर संरचना को 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर के सावधानीपूर्वक विलय से तर्कसंगत बनाया जा सकता है। इस प्रणाली को मेरिट दर, मानक दर और डी-मेरिट दर की त्रि-दरीय संरचना के साथ संचालित किया जा सकता है। दक्षता और राजस्व लाभ के लिए आवश्यक है कि छूट कम से कम हो। (जीएसटी- जीएसटी परिषद द्वारा कार्रवाई के लिए संघ और राज्यों की उपयुक्त अनुशंसाएं)।

(पैरा 5.10 और बॉक्स 5.1)

17. संघ और राज्य सरकार द्वारा उपभोग-आधारित करों पर अधिक निर्भरता, जो कर प्रणाली की प्रगति को बाधित करती है, को आय और संपत्ति-आधारित कराधान के प्रसार को विस्तारित करके कम किया जाना चाहिए। सरकार के विभिन्न स्तरों को आय और संपत्ति-आधारित कराधान के लिए अपनी संवैधानिक पात्रता की समीक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक अप्रयुक्त कर शक्ति की व्यवहार्यता का आकलन करना चाहिए, ताकि कर आधार के क्षरण और कर भुगतान की अपवंचना को रोका जा सके। जहां भी कराधान शक्तियों का अपर्याप्त विचलन सरकार के तृतीय स्तर पर संसाधन जुटाने में बाधा डालता है, विशेष रूप से परिसंपत्ति-आधारित करों में, ऐसे विचलन तत्काल देखे जाने चाहिए और स्थानीय प्रशासनिक क्षमता को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(अनुलग्नक 5.2)

### **सहकारी संघवाद : इक्विटी एवं दक्षता के बीच संतुलन**

18. हम इस आयोग की पंचाट अवधि के लिए राज्यों के लिए विभाज्य पूल के 41 प्रतिशत के ऊर्ध्वधर हिस्से को बनाए रखने की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 6.29)

19. अंतरण में राज्यों के पारस्परिक हिस्से को निर्धारित करने के लिए, हमने 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में अनुशंसित क्षेत्रीय हस्तांतरण संबंधी फार्मूले को बनाए रखा है।

( पैरा 6.41 )

20. क्षेत्रीय अंतरण के संबंध में, हमारा मत है कि 2011 की जनगणना के आंकड़े राज्यों की वर्तमान आवश्यकता को बेहतर तरीके से परिलक्षित करते हैं, निष्पक्ष होने के साथ-साथ, उन राज्यों को पुरस्कृत करने में भी सक्षम हैं जिन्होंने जनसांख्यिकीय प्रबंधन में बेहतर निष्पादन किया है। हमने जनसांख्यिकीय प्रबंधन निष्पादन के लिए प्रयुक्त मानदंड का 12.5 प्रतिशत भारांक प्रदान किया है।

( पैरा 6.54 )

21. कुल मिलाकर, क्षेत्रीय सूत्र और मानदंड से जुड़े सापेक्ष भारांक को तालिका 6.4 में संक्षेप में दर्शाया गया है। इस अध्याय की अंतिम टिप्पणी में सभी राज्यों की पारस्परिक क्षेत्रीय हिस्से के परिकलन की कार्यप्रणाली तथा गणितीय व्याख्या दी गई है।

( पैरा 6.57 )

22. उपर्युक्त मानदंड के आधार पर 2021-22 से 2025-26 अवधि के लिए इस आयोग द्वारा यथा अनुशंसित करों से निवल आगम (विभाज्य पूल) में राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी तालिका 6.5 में दी गई है।

( पैरा 6.58 )

## स्थानीय शासनों का सशक्तिकरण

23. स्थानीय शासनों के लिए अनुदान का कुल आकार 2021-26 की अवधि के लिए 4,36,361 करोड़ रुपए होना चाहिए। हमारा मत है कि करों के विभाज्य पूल के एक अनुपात के बजाए, एक स्थायी राशि दी जानी चाहिए, ताकि निधि प्रवाह के समय एवं परिमाण की बेहतर पूर्वानुमेयता सुनिश्चित की जा सके।

( पैरा 7.60 )

24. इन कुल अनुदानों में नए शहर स्थापित किए जाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए तथा साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए 450 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 2,36,805 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए; 1,21,055 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों के लिए और 70,051 स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए अनुदान हेतु अलग से निर्धारित किए जाते हैं।

( पैरा 7.61, 7.62 और 7.93 )



25. ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों के बीच पारस्परिक वितरण हेतु, 90 प्रतिशत भारांक राज्य की आबादी को और 10 प्रतिशत उसके क्षेत्रफल को दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए अनुदान का ब्यौरा अनुलग्नक 7.4 में दिया गया है।

( पैरा 7.62 और 7.93 )

26. हम अनुशासना करते हैं कि जिन राज्यों ने राज्य वित्त आयोगों ( एसएफसी ) का गठन नहीं किया है, वे एसएफसी का गठन करें, उनकी अनुशासनों को कार्यान्वित करें और उस पर की गई कार्रवाई ( ऐक्शन टेकन ) के रूप में स्पष्टीकारक ज्ञापन राज्य विधानमंडल के समक्ष मार्च, 2024 तक या उससे पहले प्रस्तुत करें। मार्च, 2024 के पश्चात उन राज्यों को कोई भी अनुदान जारी नहीं किए जाने चाहिए जिन्होंने एसएफसी और इन शर्तों के बारे में संवैधानिक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए राज्यों की हिस्सेदारी के अनुदानों को जारी करने से पहले पंचायती राज मंत्रालय इस संबंध में राज्य द्वारा अनुपालन किए गए सभी संवैधानिक उपबंधों को सत्यापित करेगा।

( पैरा 7.58 )

27. कोई भी अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रवेश स्तरीय शर्त यह है कि ग्रामीण एवं शहरी निकाय द्वारा अनंतिम एवं लेखापरीक्षित लेखा दोनों सावर्जनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। राज्य उन्हीं ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान प्राप्ति करेंगे जिनके पास पिछले वर्ष के अनंतिम लेखा और पिछले से पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित लेखा ऑनलाइन उपलब्ध होंगे।

( पैरा 7.76 से 7.78, 7.95 और 7.96 )

28. शहरी स्थानीय निकायों के लिए, अनंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं को सावर्जनिक क्षेत्र में ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रवेश स्तरीय शर्त के अलावा, संबद्ध राज्य द्वारा 2021-22 के पश्चात संपत्ति करों के लिए न्यूनतम दर ( फ्लोर रेट ) एक अतिरिक्त अनिवार्य पूर्व-शर्त होगी कि वे अपने फ्लोर मूल्य का निर्धारण अपनी जीएसडीपी की वृद्धि दर के अनुरूप करें।

( पैरा 7.95 से पैरा 7.99, पैरा 7.101 और पैरा 7.102 )

29. राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षित संसाधनों के लिए सहायता देने के संबंध में, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों का 60 प्रतिशत आबद्ध किया जाना चाहिए, जिससे कि वे मूलभूत सेवा प्रदान करने की दो श्रेणियों: ( क ) स्वच्छता एवं ओडीएफ स्थिति अनुरक्षण और; ( ख ) पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण सुविधाओं को सबल एवं सुदृढ़ कर सकें।

( पैरा 7.84 और 7.85 )

30. आबादी के आधार पर, शहरी स्थानीय निकायों को दो समूह में विभाजित किया गया है, उनकी विशेष आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के आधार पर प्रत्येक के लिए अनुदानों के प्रवाह हेतु विभिन्न मानकों का प्रयोग किया गया है। मिलियन-प्लस शहरों के लिए 100 प्रतिशत अनुदान मिलियन-प्लस सिटीज़ चैलेंज फंड (एमसीएफ) के माध्यम से निष्पादन-संबद्ध हैं। मूल अनुदानों का प्रस्ताव केवल उन शहर/नगरों के लिए किया गया है, जिनकी आबादी एक मिलियन से कम है।

( पैरा 7.104, 7.105 एवं 7.128 )

31. परिवेशी वायु गुणवत्ता के निष्पादन संकेतकों और सेवा स्तरीय बैचमार्कों की निगरानी के लिए श्रेणी- I के शहरों ( एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरी एग्लोमरेशन ) को एक सिंगल यूनिट माना जाएगा। परिवेशी वायु गुणवत्ता हासिल करने के लिए प्रत्येक शहर के कुल एमसीएफ के एक-तिहाई को अलग से निर्धारित किया गया है। शहर-वार एमसीएफ संबंधी निधि को शेष दो-तिहाई को पेयजल ( वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित ) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सेवा स्तरीय बैचमार्कों को पूरा करने के लिए अलग से निर्धारित किया गया है। सेवा स्तरीय मानदंडों के तहत पेयजल ( वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण सहित ) एवं स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बैचमार्क के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पात्र शहरी निकायों के निर्धारण हेतु एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।

( पैरा 7.111 से 7.127 )

32. गैर-मिलियन-प्लस शहरों में शहरी स्थानीय निकायों के लिए मूल अनुदानों का साठ प्रतिशत: ( क ) स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए; ( ख ) पेयजल, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनर्चक्रण सुविधा को सबल एवं सद्द करने हेतु आबद्ध किया जाना चाहिए।

( पैरा 7.130 और 7.131 )

33. हम यह अनुशांसा करते हैं कि हमारी पांच वर्षों की पंचाट अवधि ( 2021-22 से 2025-26 ) के लिए अनुदान पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों को दिए जाने चाहिए। चूंकि स्थानीय निकायों के अनुदानों की हिस्सेदारी को किसी भी भारतीय नागरिक से वंचित नहीं रखा जा सकता है, इसलिए अनुदानों को उन क्षेत्रों के बीच भी समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जिनसे पंचायतें गठित करने की अपेक्षा नहीं की गई है ( संविधान की पांचवीं एवं छठी अनुसूची वाले क्षेत्र और इनसे बाहर रखे गए क्षेत्र ) ताकि वे समान स्थानीय स्तरीय निकायों की तरह मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु अपने संसाधनों का वर्धन कर सकें।

( पैरा 7.63 से 7.68 )

34. मिलियन-प्लस शहरों के अलावा, अन्य शहरों में विभिन्न यूएलबी के बीच मूल अनुदान की हिस्सेदारी का निर्णय करते हुए, राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले छावनी बोर्डों के लिए प्रति व्यक्ति आधार पर अनुदानों (केवल मूल अनुदानों के तहत) का आबंटन करेंगी।

(पैरा 7.133 और 7.134)

35. ग्रामीण स्थानीय निकायों और गैर-मिलियन-प्लस शहरों के लिए अनुशंसित अनुदानों को हमारे द्वारा अनुशंसित प्रवेश स्तरीय बैचमार्को एवं अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के पश्चात प्रत्येक वर्ष जून और अक्टूबर में दो बराबर की किस्तों में जारी किया जाएगा। राज्यों द्वारा संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के दस कार्य दिवसों के भीतर उन्हें स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने होंगे। दस कार्य दिवसों के बाद किसी भी देरी के लिए राज्य सरकारों को यह राशि पिछले वर्ष के लिए बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण पर प्रभावी ब्याज दर के साथ ब्याज सहित किस्त जारी करनी होगी।

(पैरा 7.135)

36. चूंकि स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के लिए अनुदान देने का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में अंतर को कम करना है, इसलिए राज्यों या स्थानीय निकायों के लिए अनुदान प्रति व्यक्ति आधार पर नहीं किए जाएंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार, इस प्रयोजनार्थ अनुशंसित वर्ष-वार एवं राज्य-वार निधि के आबंटन का ब्यौरा अनुलग्नक 7.10 में दर्शाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इन स्वास्थ्य अनुदानों के प्रवाह एवं उपयोग के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठता से समन्वय करेगा और एक क्रियाविधि को रूपरेखा देगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान कराने में पर्यवेक्षण करने एवं प्रबंध करने की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपकर सभी तीन स्तरों के शासनों की चरणबद्ध रूप से सहभागिता सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अनुदान जारी करने के लिए पैरा 7.147 में उल्लिखित निदेशों या शर्तों के अलावा, संघ सरकार या राज्य सरकार, या किसी प्राधिकरण द्वारा कोई भी निदेश या शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।

(पैरा 7.136 से 7.147)

37. नए शहरों की स्थापना के लिए राज्यों हेतु 8,000 रुपए की राशि और साझा नगरपालिका सेवाओं में सुविधा प्रदान करने के लिए 450 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा की जाती है।

(पैरा 7.148 से 7.154)

38. चूंकि व्यवसाय की सीमाओं को पिछले तीन दशकों के संशोधित नहीं किया गया है, यह उचित समय है कि संविधान में अपेक्षित संशोधन प्राथमिकता के आधार पर लाया जाए।

(पैरा 7.155 और 7.156)

## आपदा जोखिम प्रबंधन

39. आपदा प्रबंधन के लिए संघ और राज्यों द्वारा राज्य-स्तरीय आबंटनों के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित योगदान अनुपात को कायम रखा जाए। अतः, राज्यों द्वारा, उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जो 10 प्रतिशत का योगदान देंगे, एसडीआरएफ और एसडीएमएफ में 25 प्रतिशत का योगदान दिया जाएगा, और शेष योगदान संघ सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

( पैरा 8.34 )

40. प्रशमन कोष आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर स्थापित किए जाने चाहिए। प्रशमन कोष का उपयोग उन स्थानीय स्तरीय सामुदायिक-आधारित कार्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए, जो जोखिम को कम करते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से हितैषी बस्तियों तथा आजीविका रीतियों को बढ़ावा देते हैं।

( पैरा 8.43 एवं 8.46 )

41. एसडीआरएमएफ के लिए आपदा प्रबंधन निधियों का आबंटन विगत व्यय, क्षेत्रफल और जनसंख्या कारकों के आधार पर और आपदा जोखिम सूचकांक ( जो राज्यों की क्रमशः संस्थानिक क्षमता, जोखिम एक्सपोजर, और खतरा एवं भेद्यनीयता को परिलक्षित करते हैं ) के आधार पर किए जाना चाहिए। 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए, हम आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों के संबंध में 2021-26 की अवधि हेतु 1,60,153 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस की अनुशंसा करते हैं। जिसमें संघ की भागीदारी 1,22,601 करोड़ रुपए तथा राज्यों की भागीदारी 37,552 करोड़ रुपए है।

( पैरा 8.51, 8.52 एवं 8.53 )

42. एसडीआरएमएफ के लिए कुल राज्य आबंटनों को वित्तपोषण विंडो में उप-विभाजित किया जाना चाहिए, जो पूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र को कवर करें। अतः, एसडीआरएफ को कुल आबंटन का 80 प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए और एसडीएमएफ को 20 प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए। 80 प्रतिशत के एसडीआरएफ आबंटन को पुनः इस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए: रिस्पॉंस और राहत 40 प्रतिशत; रिकवरी एवं पुनर्निर्माण 30 प्रतिशत तथा तैयारी एवं क्षमता निर्माण 10 प्रतिशत। जबकि एसडीआरएफ एवं एसडीएमएफ की वित्तपोषण विंडो पारस्परिक रूप से परिवर्तनीय नहीं हैं, एसडीआरएफ की तीन उप-विंडो के भीतर पुनःआबंटन के लिए लचीलापन हो सकता है।

( पैरा 8.54 )

43. एनडीआरएमएफ के लिए आबंटन विगत वर्षों के व्यय पर आधारित होने चाहिए। 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए, आपदा प्रबंधन के लिए 2021-26 की अवधि हेतु कुल राष्ट्रीय आबंटन का आकलन 68,463 करोड़ रुपए किया गया है।

( पैरा 8.59 )

44. एनडीआरएमएफ के लिए आबंटन को भी वित्तपोषण विंडों में भी उप-विभाजित किया जाना चाहिए, जैसा कि आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों के संबंध में किया गया है। अतः, एनडीआरएमएफ के लिए किए जाने वाले कुल आबंटन में से एनडीआरएमएफ को 80 प्रतिशत प्राप्त होना चाहिए, और उसका पुनःविभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिए, रिस्पोंस एवं राहत के लिए 40 प्रतिशत; रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए 30 प्रतिशत तथा तैयारी एवं क्षमता निर्माण के लिए 10 प्रतिशत। एनडीएमएफ को एनडीआरएमएफ के लिए कुल आबंटन का 20 प्रतिशत आवंटित किया जाना चाहिए। यदि अपेक्षित हो तो, गृह मंत्रालय एनडीआरएमएफ के भीतर तीन उप-विंडो सृजित करने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता के लिए समीक्षा कर सकता है। एनडीआरएमएफ और एनडीएमएफ की वित्तपोषण विंडों को कायम रखा जाना चाहिए, इन एनडीआरएमएफ की उप-विंडो के भीतर पुनः आबंटन के लिए लचीलापन हो सकता है।

( पैरा 8.60 एवं 8.61 )

45. राज्यों से अत्यधिक एवं अनुचित मांगों को हतोत्साहित करने हेतु, एनडीआरएमएफ और एनडीएमएफ के माध्यम से समस्त केंद्रीय सहायता को एक ग्रेडेड लागत, साझाकरण आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्यों को 250 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए 10 प्रतिशत का, 500 करोड़ रुपए तक की सहायता के लिए 20 प्रतिशत का और 500 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता के लिए 25 प्रतिशत का योगदान देना चाहिए।

( पैरा 8.63 )

46. रिकवरी और पुनर्निर्माण सुविधा एनडीआरएमएफ और एसडीआरएमएफ के भीतर स्थापित की जानी चाहिए। रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए सहायता सामान्यतः एक बहुवर्षीय कार्यक्रम है और इसलिए संघ तथा राज्यों के बीच साझा की गई सहायता को व्ययों के लिए और केवल कुल लागत के प्रतिशत के रूप में वार्षिक रूप से जारी किया जाए।

( पैरा 8.68 और 8.69 )

47. राज्य सरकारों के पास आपदाओं से प्रभावकारी रूप से निपटने हेतु अनिवार्य आपदा तैयारी होनी चाहिए। उनकी संस्थाएं और सुविधाएं किसी स्थिति की अत्यावश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्ण रूप से समर्थ एवं सुदृढ़ व्यवस्था के साथ कार्यशील हों। आपदा से निपटने की तैयारी और क्षमता निर्माण हेतु अनुदानों का उपयोग एसडीएमए, एसआईडीएम, प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों को प्रश्रय देने के लिए तथा

आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने हेतु आपातकालीन रिस्पॉंस सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार की आपदा से निपटने की तैयारी और क्षमता-निर्माण विंडो एनडीआरएफ के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसका उपयोग राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रश्रय देने के लिए किया जा सकता है।

( पैरा 8.70 एवं 8.73 )

48. दस से पंद्रह वर्षों की कार्यान्वयन अवधि हेतु उपरी नदी बेसिन प्रबंधन ( नदी के अपरदन से होने वाली वार्षिक बाढ़ आपदाओं को कम करने के लिए ) के लिए अपेक्षित प्रमुख पूंजीगत कार्यों को वित्त आयोग के पंचाट के माध्यम से समायोजित नहीं किया जा सकता है। अतः हम अनुशंसा करते हैं कि ऐसी परियोजनाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के रूप में माना जाना चाहिए। केवल इस तरह की समग्र परियोजनाएं बाढ़ के प्रशमन को समुचित रूप से समाधान करने में मदद कर सकती हैं। अलग-अलग चरणों में बांधे गए नदी तटबंध वर्ष भर में ही बह जाते हैं।

( पैरा 8.92 )

49. कतिपय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 11,950 करोड़ रुपए की कुल राशि का छह अलग-अलग प्राथमिकताओं के लिए आबंटन किया जाना चाहिए। इन प्राथमिकताओं में एनडीआरएफ के तहत दो ( अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण और अपरदन के कारण विस्थापित लोगों का पुनर्वास ) और एनडीएमएफ के तहत चार ( बारह अति सूखा-संवेदनशील राज्यों को विशेष सहायता, दस पर्वतीय राज्यों में भूकंप एवं भूस्खलन जोखिमों का प्रबंध, सात घनी आबादी वाले शहरों में शहरी बाढ़ के जोखिमों को कम करना और अपरदन रोकने हेतु प्रशमन उपाय ) शामिल हैं।

( पैरा 8.96 )

50. गृह मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय को भुगतान करने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली को पारस्परिक परामर्शों के माध्यम से संस्थागत किया जाना चाहिए। भुगतान प्रणाली के तीन विकल्प अनुशंसित किए गए हैं।

( पैरा 8.108 )

51. संस्थानिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए, एक समर्पित क्षमता स्थापित की जानी चाहिए ताकि एनडीआरएमएफ और एसडीआरएमएफ का पर्यवेक्षण किया जा सके और अन्य स्रोतों के माध्यम से आपदा वित्तपोषण का संवर्धन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर व्ययों के प्रभाव का आकलन करने हेतु एक आपदा डाटाबेस विकसित किया जाना चाहिए। अन्य कार्यकलापों, जैसे कि परिवारों में महिला सदस्यों को सहायता प्रदान किए जाने से आपदा प्रबंधन और अधिक सक्षम और

प्रभावशाली बनेगा। आपदा प्रबंधन में एक अग्रणी एजेंसी के रूप में, एनडीएमए को आपदा प्रबंधन के सुधार एजेंडा को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और राज्यों के साथ सहयोग स्थापित करना चाहिए।

(पैरा 8.111, 8.114, 8.115 एवं 8.117)

52. राज्यों को केंद्रीय सहायता की सुव्यवस्थित सुगम प्राप्ति हेतु तथा उसमें सुधार लाने के लिए किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति के लिए मौजूदा आकलन प्रणाली के बदले एक द्विचरणीय आकलन अर्थात् रिस्पोंस और राहत सहायता के लिए एक प्रारंभिक मानवीय आवश्यकता आकलन, और रिकवरी एवं पुनर्निर्माण आवश्यकता आकलन के लिए एक पश्च आपदा आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) अपनाना चाहिए।

(पैरा 8.113)

53. सभी नई वित्तपोषण विंडो को दिशानिर्देश विकसित कर प्रश्रय दिया जाना चाहिए, जिसके डिजाइन को एनडीएमए की अगुवाई में तैयार किया जाना चाहिए।

(पैरा 8.116)

54. सभी आबंटनों, व्ययों, प्रमुख उपलब्धियों तथा एसएफडीआरआर के कार्यान्वयन के लिए विकसित विभिन्न संकेतकों के परिणामों को राष्ट्रीय स्तर पर एक वार्षिक प्रतिवेदन में अभिलेखित किया जा सकता है। राष्ट्रीय और राज्य क्षमताओं में इन आबंटनों के योगदान का मूल्यांकन एनडीएमए द्वारा निर्धारित संकेतकों के संग्रह के द्वारा किया जा सकता है।

(पैरा 8.118)

55. यदि एसडीआरएमएफ और एनडीआरएमएफ के पास अपेक्षित सहायता का अभाव होने की दशा में संघ और राज्यों को अन्य वित्तीय साधनों से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इन साधनों को पुनर्निर्माण बंधपत्रों (बांड), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ आकस्मिक ऋण/आपातकालिक सुविधा, आपदा के लिए आर्थिक जन सहयोग प्लेटफार्म तथा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायिता विंडो के रूप में चिह्नित किया गया है।

(पैरा 8.119)

56. बीमा कार्यप्रणालियां, जो एक सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती हैं और वर्तमान वित्तीय तंत्रों की अनुपूर्ति करता है, को सम्यक् तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) के बाद बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी में शुरू किए जाने की आवश्यकता है। ये तंत्र हैं: आपदा-संबंधी मौतों के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना, फसल बीमा के साथ समकालिक राहत सहायता, बुनियादी ढांचे के संरक्षण और रिकवरी के लिए जोखिम संग्रह, और असाधारण जोखिमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्बीमा तक पहुंच।

(पैरा 8.131 एवं 8.139)



## महामारी और उसके बाद : स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुकूलता

57. हमने यह अनुशंसा की है कि 2022 तक राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले व्यय को उनके बजट के 8 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाया जाना चाहिए।

( पैरा 9.41, i )

58. हमने यह अनुशंसा की है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रत्येक राज्य की प्रथम मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यय को 2022 तक कुल स्वास्थ्य व्यय के दो-तिहाई तक बढ़ाया जाना चाहिए।

( पैरा 9.41, ii )

59. हमने यह अनुशंसा की है कि संघ और राज्यों के लोक स्वास्थ्य व्यय को प्रगतिशील तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि यह 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत तक पहुंच जाए।

( पैरा 9.41,iii )

60. भारत सरकार द्वारा सह-वित्तपोषित केंद्रीय-प्रायोजित योजनाएं ( सीएसएस ) इतने नम्य होने चाहिए कि राज्य इसे अपने अनुकूल बना सके और इसमें कुछ नवप्रवर्तन भी कर सके। कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी टॉप-डाउन अधिदेश और सख्ती, मुक्त-स्रोत मॉडल के प्रतिकूल है। केंद्रीय-प्रायोजित योजनाओं में राज्यों को इस बात की महत्वपूर्ण छूट दी जानी चाहिए कि वे अपनी स्थानीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर अपने अनुकूल इनकी कार्यप्रणालियां तैयार कर इसे कार्यान्वित कर सकें।

( पैरा 9.41, iv )

61. मापनीय एजेंडा को जवाबदेही उपकरण के रूप में अग्रसर करते समय अंतर-सरकारी राजकोषीय स्वास्थ्य वित्तपोषण के फोकस को इनपुट आउटपुट/ परिणामों की दिशा में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त नम्यता के अनुपूरक के रूप में संघ सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं ( सीएसएस ) के फोकस को स्थांतरित कर सकती है और इसके फोकस को संरिखीय मदों और कार्यकलापों से हटाकर राज्यों, जिसे परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने मार्ग का स्वयं चयन करने का अधिकार दिया गया है, के साथ उत्पादन और परिणाम की दिशा में केंद्रित कर सकती है।

( पैरा 9.41, v )

62. चिकित्सकों की उपलब्धता में अंतर-राज्य असमानताओं को देखते हुए, अखिल भारतीय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा का गठन करना आवश्यक है, जैसा कि यह अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 2 क में परिकल्पित है। इस उद्देश्य से, संघ लोक सेवा आयोग ( यूपीएससी ) को प्रत्येक राज्य की



जरूरत के अनुसार, राज्यवार की जाने वाली अध्यायनाओं के आधार पर वार्षिक भर्तियां करने की आवश्यकता होगी। हम संघ सरकार से इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों के समन्वय से कार्यान्वित करने का आग्रह करते हैं।

(पैरा 9.41, vii)

63. एमबीबीएस पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया जाना चाहिए, ताकि इसे सक्षमता आधारित बनाया जा सके। विशेषज्ञता की एक निश्चित डिग्री को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और भारतीय चिकित्सा परिषद / राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई / एनएमसी) को एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए आरोग्य निदानशाला, मूलभूत शल्यक्रिया की प्रक्रिया, संवेदनाहरण (एनेस्थेसिया), प्रसूति और स्त्री रोग, आंख, कर्ण नासा कंठ (ईएनटी) आदि के लिए लघु पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए। इसे आयुष को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे कायचिकित्सा में अवर स्नातक करने वालों के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में इसे पाठ्यक्रम में शामिल करें।

(पैरा 9.41, viii)

64. आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की असम्मित वितरण को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में स्थित हैं। समस्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, जिसमें जिला अस्पताल, निजी क्षेत्र की सुविधाएं और कॉर्पोरेट अस्पताल शामिल हैं, का उपयोग विशेषज्ञ डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किया जाना चाहिए, जो न केवल सेवा की व्यवस्था में वृद्धि करेगा, बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।

(पैरा 9.41, ix)

65. परिचर्या (नर्सिंग) व्यावसायिकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने संबंधी उपाय किए जाने चाहिए और परिचर्या व्यावसायिकों के बेहतर उपयोग के लिए नर्स प्रैक्टिशनर, सहायक काय चिकित्सक और संवेदनाहरण विज्ञानी नर्स की अवधारणा को लागू किया जाना चाहिए। इस विधेयक के गुणक लाभ को देखते हुए इस विधायन के प्रारंभिक चरण को यथा शीघ्र पारित किए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(पैरा 9.41, xi)

66. पंचाट अवधि में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल सहायता अनुदान 1,06,606 करोड़ रुपये की है, जो हमारे द्वारा अनुशासित कुल सहायता अनुदान का 10.3 प्रतिशत है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.1 प्रतिशत है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दिया जाने वाला अनुदान शर्त रहित होगा।

(पैरा 9.49)

67. तदनुसार, हमने शहरी स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों, भवन-रहित उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकलाप हेतु नैदानिक अवसंरचना के लिए सहायता देने, ब्लॉक स्तर की लोक स्वास्थ्य इकाइयों, ग्रामीण उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए कुल मिलाकर 70,051 करोड़ रुपए स्वास्थ्य अनुदान देने की अनुशंसा की है। ये अनुदान स्थानीय शासनों को जारी किए जाएंगे जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य अनुदान के महत्व को देखते हुए, हमने इन अनुदानों को स्थानीय शासनों को जारी करने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है।

( पैरा 9.51 )

68. हमने क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए 15,265 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। इसमें से सामान्य राज्यों के लिए 13,367 करोड़ रुपए और एनईएच राज्यों के लिए 1,898 करोड़ रुपये की अनुशंसा की गई है। इस अनुदान का परस्पर वितरण, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अंतर विधि के आधार पर किया जाता है, जो क्षैतिज सूत्र में अनुशंसित आय अंतर विधि के समान है। हालांकि, सामान्य और उत्तर पूर्व हिमालयी (एनईएच) राज्यों को परस्पर वितरण अलग-अलग रूप में किया जाता है।

( पैरा 9.54 )

69. हमने स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए राज्यों के लिए 469 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। शेष अंश पीएम-एसबीवाई के हिस्से के रूप में संघ सरकार से प्राप्त हो सकता है।

( पैरा 9.57 )

70. हमने संबद्ध स्वास्थ्य श्रमशक्तियों के प्रशिक्षण के लिए 13,296 करोड़ रुपए की अनुशंसा की हैं। इसमें से 1,986 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा 11,310 करोड़ रुपए सामान्य राज्यों के लिए होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए जिला और प्रमंडलीय अस्पतालों की संख्या के आधार पर, हमने प्रत्येक राज्य के लिए प्रति संकाय 3 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। प्रत्येक राज्य के लिए उत्तरवर्ती राशि का निर्धारण करने के लिए, हमने क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए ऊपर के खंड में वर्णित प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय अंतर पद्धति का उपयोग किया है।

( पैरा 9.60 )

71. हमने विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए, जिला अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 2,725 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है।

( पैरा 9.64 )

72. सभी अनुदानों की व्यवस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाएगी। यद्यपि विभिन्न घटकों को चिह्नित किया गया है, तथापि जमीनी हकीकत को देखते हुए यह तथ्य हमारे संज्ञान में हैं कि आने वाले समय में प्रत्येक राज्य के कुल हिस्से में कुछ अंतर-घटक समायोजन किया जाना आवश्यक हो सकता है। इसलिए, प्रत्येक राज्य के संबंधित हिस्से में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से अंतर-घटक नम्यता की अनुमति दी गई है।

(पैरा 9.65)

### निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान

73. हम अपनी पंचाट अवधि के लिए सत्रह राज्यों हेतु कुल 2,94,514 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.19)

74. शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए हम 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 4,800 करोड़ रुपए (1,200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष) के अनुदानों की अनुशंसा करते हैं। राज्य द्वारा प्राप्त निष्पादन अनुदान का उपयोग शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा और उसे राज्य के किसी भी अन्य विभाग द्वारा अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(पैरा 10.37 और 10.39)

75. भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रादेशिक भाषाओं (मातृभाषा) में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विकास एवं ऑनलाइन शिक्षण के लिए हम 6,143 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.43)

76. हमारी पंचाट अवधि के दौरान कृषि सुधार लाने के लिए हम सभी राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

क. हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य अपने भूमि-संबंधित कानूनों को नीति आयोग के मॉडल कानून के अनुरूप उपयुक्त रूप से संशोधित करें ताकि कृषि भूमि को कृषि प्रयोजनों तथा कृषि-उद्योग, कृषि व्यापार के लिए लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि पट्टे पर दिया जा सके।

ख. हम उन राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित अनुदानों की अनुशंसा करते हैं, जो भू-जल स्रोत का अनुरक्षण और उसका वर्धन करते हैं तथा भू-जल में कोई भी गिरावट को रोकने का प्रयास करते हैं।

ग. राज्य के निर्यात निष्पादन के लिए अवार्ड हेतु हम एक लक्षित संकेतक के रूप में कृषि निर्यातों में वृद्धि का उपयोग करने की अनुशंसा करते हैं।

घ. भारत को दलहनों, खाद्य तेलों और काष्ठ एवं काष्ठ उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने हेतु, एक संकेतक के रूप में तिलहनों, दलहनों काष्ठ-आधारित उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने की अनुशंसा करते हैं।

ड. कृषि के लिए इस निष्पादन अनुदान का उपयोग राज्यों द्वारा केवल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास से संबंधित कार्यक्रमों और अवसंरचना के लिए किया जाना चाहिए।

(पैरा 10.54, 10.56, 10.59, 10.62, 10.64 और 10.66)

77. पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए हम 2021-26 की अवधि हेतु 27,539 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं, जिसमें से 14,743 करोड़ रुपए सामान्य राज्यों के लिए और 12,796 करोड़ रुपए एनईएच राज्यों के लिए है।

(पैरा 10.72)

78. हम जघन्य अपराधों, वंचित लोगों के सिविल मामलों, पांच-वर्ष पुराने संपत्ति से संबंधित मामलों, और आर्थिक अपराधों तथा पोक्सो वाले मामलों में शीघ्रता से न्याय प्रदान करने के लिए फास्टस-ट्रैक न्यायालयों हेतु 10,425 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.75)

79. सांख्यिकीय गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हम 2022-23 से 2025-26 की अवधि हेतु राज्यों के लिए नियत एवं परिवर्तनशील घटकों सहित 1,175 करोड़ रुपए के कुल अनुदानों की अनुशंसा करते हैं। हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि 677 करोड़ रुपए की कुल आबंटन राशि के नियत अनुदान, जो कि शर्त रहित है, को 2022-23 में जारी किया जा सकता है। 498 करोड़ रुपए के शेष परिवर्तनशील घटक को उपरोक्त में वर्णित उपलब्धियों के आधार पर 2023-26 से शुरू करते हुए शेष तीन वर्षों के दौरान समान रूप से संवितरित किया जा सकता है। नियत एवं परिवर्तनशील अनुदान, दोनों का उपयोग केवल राज्य सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाएगा।

(पैरा 10.82)

80. हम आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों को प्रोत्साहन देने के लिए 2021-22 से 2025-26 की पांच वर्षों की अवधि के लिए 3,150 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.92)

81. हम विद्युत क्षेत्र में कतिपय निष्पादन मानदंडों के आधार पर 2021-22 से 2024-25 की अवधि को कवर करते हुए अपने पंचाट के प्रथम चार वर्षों प्रत्येक के लिए राज्यों की जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत तक उनके लिए अतिरिक्त वार्षिक उधार लेने की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.103)

82. हम यह अनुशंसा करते हैं कि शिशुओं एवं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना के माध्यम से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(पैरा 10.112)

83. हम यह अनुशंसा करते हैं कि संघ सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाए जिससे लंबित रेल परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित हो।

(पैरा 10.114)

84. सामाजिक आवश्यकताओं, प्रशासनिक अभिशासन और संबंधित अवसंरचना, जल के संरक्षण एवं उचित उपयोग, जल निकासी एवं स्वच्छता, संस्कृति एवं ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण, उच्च लागत वाली भौतिक अवसंरचना एवं पर्यटन के लिए हम अपनी पंचाट अवधि के दौरान 49,599 करोड़ रुपये के राज्य-विशिष्ट अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

(पैरा 10.118)

85. राज्य-विशिष्ट अनुदानों की कोई भी निधियों का उपयोग सरकारी स्वामित्व वाली भूमि के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकेगा। जहां परियोजना/निर्माण के लिए प्राइवेट पार्टियों से अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता है, इस प्रकार के अनिवार्य अधिग्रहण भुगतानों हेतु नई ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के 50 प्रतिशत की उच्चतम-सीमा के अध्यक्षहीन रहते हुए राज्य-विशिष्ट अनुदानों का उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, ब्राउनफील्ड परियोजनाओं, जहां अवसंरचना संबंधी कार्यों को पूरा कर लिया गया है और कार्यशील हो गया है, के लिए राज्य-विशिष्ट अनुदानों का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और बड़े पैमाने के बाह्य कारकों से निपटने के लिए किया जाएगा। इन ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में, अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण (जैसे कि एयरपोर्ट रनवे का विस्तार) पर किया जाना है, अतः राज्य-विशिष्ट अनुदान के उपयोग के लिए इस संबंध में उच्चतम-सीमा की आवश्यकता नहीं है। सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने, उपरोक्त भूमि अधिग्रहण के लिए 2021-22 में किए गए भुगतान राज्य-विशिष्ट अनुदानों से 2022-23 में पूर्व-व्यापी वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे।

(पैरा 10.119, i)

86. हम अनुशंसा करते हैं कि अनुदानों के उचित उपयोग की समीक्षा एवं निगरानी करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक उच्च स्तररीय समिति का गठन करना चाहिए। समिति के प्रमुख राज्य के मुख्य सचिव और सदस्यों के रूप में राज्य का वित्त सचिव तथा संबद्ध विभागों के सचिव/प्रमुख हो सकते हैं। हम अनुशंसा करते हैं कि इन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा एक ऐसी समिति द्वारा भी की जाए जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री होंगे और उसमें राज्य वित्त मंत्री और राज्य के संबंधित मंत्री सदस्य होंगे। हम अनुशंसा करते हैं कि अनुदानों को जारी करने या उन्हें औपयोग करने के लिए हमारे द्वारा विहित शर्तों के अलावा संघ सरकार द्वारा कोई और शर्त नहीं लगाई जाएगी।

(पैरा 10.120, 10.122, 10.123)

## रक्षा और आंतरिक सुरक्षा

87. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा (एमएफडीआईएस) के लिए संघ सरकार को भारत के लोक लेखा में एक समर्पित गैर-व्यपगत कोष, आधुनिकीकरण कोष स्थापित करे ताकि रक्षा एवं अंतरिक सुरक्षा हेतु पूर्वानुमानित बजटीय आवश्यकताओं और बजट आबंटन के बीच अंतर को कम किया जा सके। इस निधि को *राष्ट्रीय सुरक्षा नैवेद्यम कोष* या कोई अन्य उपयुक्त नाम दिया जा सकता है। निधि के आगमों का उपयोग निम्नलिखित तीन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

(क) रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश;

(ख) सीएपीएफ और राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वानुमानित किया गया है; और

(ग) हमारे सैनिक एवं अर्धसैनिक कार्मिकों के लिए कल्याण निधि के रूप में एक छोटा घटक।

निधि के संचालन, सार्वजनिक रिपोर्टें और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु मानक अधिसूचित नियम होंगे।

(पैरा 11.54)

88. इस निधि में वृद्धिशील वित्तपोषण के चार विशिष्ट स्रोत होंगे:

क. भारत की संचित निधि से हस्तांतरण;

ख. डीपीएसई के विनिवेश आगम;

ग. रक्षा अधिशेष भूमि के व्यावसायीकरण से प्राप्त आगम तथा राज्य सरकारों द्वारा और सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए उपयोग की गई रक्षा भूमि के बकाया भुगतानों (arrears of payment) की वसूली एवं अधिक्रमित भूमि से वसूल की गई लागत; और

घ. रक्षा भूमि से प्राप्तियों के आगमों को राज्य सरकारों तथा भविष्य में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है।

प्रस्तावित एमएफडीआईएस का कुल निदेशात्मक आकार 2021-26 की अवधि में 2,38,354 करोड़ रुपए का है।

( पैरा 11.56/तालिका 11.12 )

89. अनुशासित निधि का अधिकतम आकार 51,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष है। इससे अधिक की राशि को समेकित निधि में जमा कराया जाएगा। इस राशि को लोक लेखा में जमा अनुरक्षित किया जाएगा और उसे विद्यमान प्रचालन क्रियाविधियों के जरिए संचालित किया जाएगा। पूंजी व्यय के लिए रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय को दिए गए सामान्य बजटीय आबंटनों से अप्रयुक्त राशि निधि का हिस्सा नहीं होगी और वह वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के सिद्धांतों के अनुसार शासित होगी।

( पैरा 11.58, 11.59 एवं 11.60 )

90. रक्षा मंत्रालय के पास तालिका 11.12 के क्रम सं. 2, 3 एवं 4 पर उल्लिखित राजस्व के स्रोतों से निधि में जमा की गई राशियों के उपयोग का अनन्य अधिकार होगा। गृह मंत्रालय को यह अनुमति होगी कि वह निधि का उपयोग तालिका 11.12 के क्रम सं. 1 पर उल्लिखित राजस्व स्रोतों से उसके लिए अलग से निर्धारित की गई राशि तक ही करेगा। आंतरिक सुरक्षा हेतु गृह मंत्रालय के राजस्व व्यय के उपयोग के लिए वर्ष-वार अनुशासित राशि का विवरण तालिका 11.13 में दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा हेतु 5 वर्ष के लिए पूंजी व्यय हेतु प्रस्तावित राशि 50,000 करोड़ रुपए है तथा वर्ष-वार राशि तालिका 11.13 पर दी गई है। 50,000 हजार करोड़ रुपए की इस राशि से गृह मंत्रालय दिल्ली में पुलिस कर्मियों की आवास सुविधा हेतु 500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित करेगा। उन्नत संचार प्रणाली और पुलिस कर्मियों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए इसे प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए बढ़ाया जाएगा।

( पैरा 11.61/तालिका 11.12 एवं 11.13 )

91. निधि को संघ सरकार द्वारा अधिसूचित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ( एचपीसी ) द्वारा संचालित किया जाए। इसके प्रमुख कैबिनेट सचिव होंगे और उसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं व्यय विभाग के सचिव तथा रक्षा प्रमुख ( Chief of Defence Staff ) सदस्या के रूप में होंगे। एचपीसी भी रक्षा एवं सीएपीएफ कर्मियों के परिवारों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का आबंटन करेगा, जो मोर्चे ( frontline ) पर ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं।

( पैरा 11.62 एवं 11.63 )

92. हम यह भी आशा करते हैं कि आगामी एक या दो वर्ष ( मध्यावधि में ) में संघ सरकार अपने मौजूदा व्ययों की समीक्षा करेगी और उनका युक्तिकरण ( rationalize ) एवं पुनःप्राथमिकीकरण करेगी ताकि



रक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे राष्ट्र-व्यापी बाह्य-खतरों के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इससे संघ सरकार के राजस्व लेखा पर दबाव कम होगा और वह उपलब्ध राजकोषीय सहूलियत (fiscal space) के भीतर उच्च पूंजी व्यय खर्च करने में समर्थ होगी।

(पैरा 11.64)

93. समग्र राजकोषीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्रालय को भी वेतन और पेंशन देयताओं को कम करने हेतु अविलंब नवप्रवर्तनशील उपाय करने होंगे।

(पैरा 11.65 एवं 11.66)

94. हम यह भी अनुशंसा करते हैं कि रक्षा मंत्रालय घरेलू उत्पादन में समनुरूप बढ़ोतरी कर एक विशिष्ट रोडमैप के साथ रक्षा आयातों की अपनी निर्भरता को शीघ्रतापूर्वक कम करेगा।

(पैरा 11.67)

## राजकोषीय समेकन की रूपरेखा

95. मौजूदा संकट से उबरने में राज्यों की सहायता के लिए राज्य बजट का विवेकपूर्ण तरिके से समर्थन करने संबंधी वृहद-स्थिरीकरण कार्य का दायित्व संघ सरकार पर है। तथापि, राज्यों के बजट के संतुलन का मुख्य दायित्व उस राज्य की सरकारों का होता है।

(पैरा 12.49)

96. संघ और राज्य सरकारों के राजस्व पर मौजूदा तनाव राजस्व व्यय में कठोर अनुशासन की मांग करता है, जो मध्यावधि में राजकोषीय संधारणीयता सुनिश्चित करते समय स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों के लिए उच्च आबंटन की गुंजाइश उत्पन्न करता है।

(पैरा 12.48)

97. यह महत्वपूर्ण है कि सभी प्रतिबद्ध व्यय और विकासात्मक व्यय को व्यय के बजटेतर या वित्तपोषण के किसी गैर-पारदर्शी साधन का सहारा लिए बिना संघ और राज्य सरकारों के लिए अनुशंसित संवर्धित उधार की गुंजाइश से पूरा किया जाए

(पैरा 12.75)

98. संघीय बजट, 2020-21 इस बात को दर्शाता है कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन किए जाने वाले कुल आबंटन का लगभग 90% आबंटन तीस समावेशी प्रयोजनाओं में से पंद्रह में किया जाता है। कई



समावेशी योजनाओं के अंतर्गत अनेक लघु योजनाएं चल रही होती हैं, जिनमें से कुछ के लिए तो नगण्य आबंटन किया जाता है। वार्षिक विनियोग की एक सीमा तय की जानी चाहिए, जिसके नीचे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण को रोक दिया जाना चाहिए। अनुबंधित सीमा के नीचे, प्रशासकीय विभाग को इस बात का औचित्य निर्धारण करना चाहिए कि योजना को जारी रखा जाए अथवा नहीं। चूंकि चालू योजनाओं के जीवन चक्र को वित्त आयोग चक्र के साथ संलग्न कर दिया गया है, इसलिए सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को एक अनुबंधित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। निगरानी सूचना का प्रवाह नियमित होना चाहिए और इसमें उत्पाद और परिणाम सूचना संबंधी विश्वसनीय जानकारी शामिल होनी चाहिए। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्तपोषण पैटर्न को पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए और इसे स्थिर रखा जाना चाहिए।

(पैरा 12.51)

99. राज्य सरकारों के लिए, हमने अनुशंसा की है कि निवल उधार की सामान्य सीमा 2021-22 में जीएसडीपी के 4 प्रतिशत पर, 2022-23 में 3.5 प्रतिशत और 2023-24 से 2025-26 तक जीएसडीपी के 3 प्रतिशत पर बनाए रखी जा सकती है। 'सामान्य' शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि हमने जीएसटी में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त उधार या कोई प्रोत्साहन-आधारित अतिरिक्त उधार गुंजाइश, जिसके संबंध में हमने अध्याय 10 में बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए अनुशंसा की थी, को हिसाब में नहीं लिया है।

(पैरा 12.61 से 12.63 तक)

100. यदि कोई राज्य हमारे पंचाट अवधि के पहले के चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) के दौरान अपनी स्वीकृत उधार सीमा का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, तो उनके पास बाद के वर्षों में हमारी पंचाट अवधि के भीतर इस अप्रयुक्त उधार की राशि का उपयोग करने का विकल्प मौजूद होगा।

(पैरा 12.64)

101. हम अनुशंसा करते हैं कि दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राज्य-विशिष्ट उधार सीमाओं को निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से, एनएसओ द्वारा प्रकाशित जीएसडीपी के अनुमानों का उपयोग निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

(पैरा 12.58 और 12.59)

102. हमने आकलन किया है कि, संघ सरकार के राजस्व लेखा, जिसमें राज्य सरकारों के बजट के लिए उधार संबंधी सहायता देना शामिल है, संबंधी बाध्यताओं को देखते हुए, उन्हें जीडीपी के 4 प्रतिशत के अंतिम वर्ष (2025-26) के लक्ष्य साथ राजकोषीय घाटे एक संवर्धित पथ का अनुसरण करना पड़ सकता है।

(पैरा 12.54 और तालिका 12.2)

103. संघ और राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे के लिए अनुशंसित पथ के साथ, हमने यह भी दिखाया है कि 2023-24 से 2025-26 के दौरान संघ एवं राज्य सरकारों के समेकित ऋण का प्रक्षेपवक्र नीचे की ओर होगा। 2021-2026 के लिए राज्य सरकारों के जीएसडीपी पथ के विभेदक ऋण को अनुलग्नक 12.1 में दर्शाया गया है।

(पैरा 12.65, 12.70 से 12.72 और तालिका 12.6)

104. हमारे विश्लेषण के चरण में मौजूद अनिश्चितता, समकालीन वास्तविकताओं तथा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में व्यापक पुनर्गठन करने की आवश्यकता है और यह अनुशंसा करते हैं कि ऋण संधारणीयता को परिभाषित करने और प्राप्त करने के लिए समय-सारणी की जांच उच्च-अधिकार प्राप्त अंतर-सरकारी समूह द्वारा की जानी चाहिए। यह उच्च अधिकार वाला समूह नए राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन ढांचे को तैयार कर सकता है और इसके कार्यान्वयन की देखरेख कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि संघ और राज्य सरकारें समूह की अनुशंसाओं के आधार पर अपने राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके विधान राजकोषीय संधारणीयता के ढांचे के अनुरूप है या नहीं।

(पैरा 12.76)

105. राज्यों की वित्तीय स्थिति का प्रकटीकरण और उनकी क्रेडिट रेटिंग निवेशक आधार को व्यापक बनाने में मदद करेगी। क्रेडिट रेटिंग से राजकोषीय मोर्चे पर स्व-अनुशासन मजबूत होगा और एसडीएल का बेहतर रूप से मूल्य निर्धारण किया जा सकेगा। राज्यों और संघ को पारदर्शी रूप से आकस्मिक देनदारियों को परिभाषित करना चाहिए, उनका अनुमान लगाना चाहिए और उनसे जुड़े जोखिमों का आकलन करना चाहिए।

(पैरा 12.24)

106. राज्य सरकारें एक ऐसे स्वतंत्र लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन कर सकती हैं जो उनके ऋण कार्यक्रम को दक्षतापूर्वक पूरा करेंगी।

(पैरा 12.19)

107. राज्यों के पास आरबीआई द्वारा प्रदान की गई डब्ल्यूएमए / ओडी सुविधा के अलावा अल्पकालिक उधारी के लिए और अधिक मार्ग, जिसमें मौद्रिक नीति निहितार्थ होने चाहिए। इस तरह की सुविधा से राज्यों को बाजार-निर्धारित लागत पर अपने राजस्व प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

(पैरा 12.26)

**इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए राजकोषीय व्यवस्था: राजकोषीय नियम, वित्तीय प्रबंधन और संस्थाएं**

108. अतः राज्यों द्वारा अपने संबंधित राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों में उपयुक्त संशोधन भी किए जा सकते हैं, ताकि संघ सरकार के संशोधित एफआरबीएम अधिनियम, और विशेष रूप से, ऋण की परिभाषा के साथ संगतता सुनिश्चित की जा सके।

(पैरा 13.27)

109. सरकारी लेखाकरण मानक और सलाहकार बोर्ड (जीएसएबी), अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग और व्यापक 'लोक ऋण' के प्रकटन के लिए लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है, जो नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद संघ और राज्यों के लिए इस तरह की देनदारियों के जोखिम को पहचानने के लिए मानक मानदंडों के साथ आकस्मिक देनदारियों के लिए रिपोर्टिंग ढांचे का आधार बन सकता है।

(पैरा 13.28)

110. राज्य सरकारों को पूर्वानुमान एवं बजटनिर्माण प्रक्रिया में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करके तथा इस प्रक्रिया में संलग्न कार्मिकों की तकनीकी क्षमता का विकास करके ऐसे वृहत आर्थिक (मैक्रो इकॉनॉमिक) एवं राजकोषीय पूर्वानुमान की सटीकता एवं निरंतरता में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए।

(पैरा 13.32)

111. अधिक व्यापक राजकोष एकल खाता (टीएसए) प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक राज्य और संघ सरकार के लिए नकदी प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जाए। इससे सरकारी संस्थाओं एवं एजेंसियों तथा सरकारी कार्यकलापों का वित्तपोषण करने वाले विशेष प्रयोजन के माध्यमों सहित नकदी का और अधिक प्रभावकारी प्रबंधन करने में सुविधा मिलेगी।

(पैरा 13.38)

112. संघ और राज्यों के राजकोषीय प्रचालनों, जैसेकि बजट-पूर्व एवं तत्संबंधी नीतिगत विवरणों और छमाही समीक्षाओं, से संबंधित समस्त आंकड़ों एवं सूचनाओं को एक विश्वसनीय, समयबद्ध और तुलनीय रीति से जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(पैरा 13.40)

113. सरकारों की लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) वित्तीय रिपोर्टों की समयबद्धता में सुधार की भी गुंजाइश है और इस कार्य को यह सुनिश्चित करते हुए किया जाना चाहिए कि इन रिपोर्टों को वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर तैयार कर लिया जाए और नौ माह के भीतर इनकी लेखापरीक्षा हो जाए, जिसके लिए ऐसी समयबद्धता का अनुपालन करने की जिम्मेदारी लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रत्येक चरण में सौंपी जाए।

(पैरा 13.41)

114. संघ और राज्यों के लिए मानक-आधारित लेखाकरण एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की व्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से अपनाने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए तथा साथ-ही-साथ अकूअल-आधारित (accrual-based) लेखाकरण पद्धति को अपनाने पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(पैरा 13.43)

115. लोक वित्त प्रबंधन के आवश्यक घटकों के साथ एक व्यापक रूपरेखा (फ्रेमवर्क) को समस्त हितधारकों के विचार-विमर्श हेतु रखा जाना चाहिए। इस रूपरेखा में राज्यों तथा अन्य संबंधित हितधारकों से परामर्श करके और सुधार किए जाने तथा इसके कार्यान्वयन की एक सम्मत रीति को अपनाने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास है कि यदि ऐसी लोक वित्त प्रबंधन रूपरेखा का कार्यान्वयन किया जाए तो यह इक्कीसवीं सदी में सर्वोत्तम वैश्विक प्रक्रियाओं की दिशा में भारत की राजकोषीय संरचना का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ सिद्ध होगी।

(पैरा 13.50)

116. संघ तथा राज्यों से यथापेक्षित अभिलेख प्राप्त करने की शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। इस राजकोषीय परिषद् की केवल सलाहकारी भूमिका होगी और यह प्रवर्तन से स्पष्ट रूप से पृथक होगी जो सरकार के अन्य अंगों का एक विशेषाधिकार है।

(पैरा 13.56)

117. वित्त मंत्रालय संबंधित हितधारकों से परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और शासन के समस्त स्तरों पर लोक वित्त प्रबंधन में व्यापक सुधार के कार्यान्वयन के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार कर सकता है।

(पैरा 13.59)

एन. के. सिंह,

एन. के. सिंह

अध्यक्ष

अजय नारायण झा

अजय नारायण झा

सदस्य

अनूप सिंह

अनूप सिंह

सदस्य

अशोक लाहिड़ी

अशोक लाहिड़ी

सदस्य

रमेश चंद

रमेश चंद

सदस्य (अंशकालिक)

नई दिल्ली

30 अक्टूबर, 2020

मैं आयोग के समस्त सदस्यगणों को उनके उत्कृष्ट सहयोग, विषय-ज्ञान और सतत समर्पण भाव के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह रिपोर्ट प्रत्येक सदस्य के असीम योगदान से किया गया एक संयुक्त प्रयास है। उनके अनुभव और विषय-विशेषज्ञता से प्रेरित उनके गहन विचार इस आयोग के लिए अत्यधिक मूल्यवान रहे, विशेष रूप से, इनसे, राष्ट्रपति द्वारा हमें दिए गए कुछ चुनौतीपूर्ण विचारार्थ विषयों के समाधान में मदद मिली। उनकी मूल्यवान सलाह और उनकी उदार प्रतिबद्धता के लिए मैं उनका कृतज्ञतापूर्वक आभार प्रकट करता हूँ।

मैं आयोग के सचिव श्री अरविंद मेहता द्वारा विभिन्न स्तरों पर दिए गए अमूल्य योगदान के लिए उनका भी हृदय से आभारी हूँ। उन्होंने हमें प्रेरणा और नेतृत्व प्रदान किया और अपने अनुभव एवं कौशल से आयोग के कार्यकलापों में सामंजस्य स्थापित किया तथा हमें इस कार्य को यथासमय पूरा करने में समर्थ बनाया। उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दों पर आयोग के विचार-विमर्श में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस प्रयास में उन्हें ऐसे पेशेवरों एवं कार्मिकों की एक समर्पित टीम का सहयोग मिला जिन्होंने आयोग के कार्य में सहयोग को अपना दायित्व मानते हुए इसे सफलता के शिखर तक पहुंचाया। मैं अपर सचिव श्री मुखमीत सिंह भाटिया का, जिन्होंने जटिल मुद्दों पर अपने विगत अनुभव और विश्लेषणपरक समझ से हमें लाभान्वित किया, विशेष रूप से संघ सरकार से संबंधित खंड III के लिए, उनके योगदान के लिए सादर आभारी हूँ। संयुक्त सचिव श्री रवि कोटा ने, न केवल आयोग के कार्य में सार्थक योगदान करते हुए अपितु विशेष रूप से, राज्यों से संबंधित खंड IV के लिए खास तौर पर कार्य करते हुए, विभिन्न संवैधानिक विषयों के बारे में अपने विशद ज्ञान के साथ राज्यों के संबंध में अपने मूल्यवान अनुभव का योगदान किया। आर्थिक सलाहकार श्री आन्टणी सिरियक अपने विश्लेषणपरक एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से आयोग के शक्ति-स्तंभ बने रहे, जिन्होंने हमारे कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने अनिश्चितता के समय में लोक वित्त के मॉडल निर्धारण एवं आकलन की प्रक्रिया में विषय की अपनी उत्कृष्ट समझ का प्रदर्शन किया। मीडिया सलाहकार सुश्री मौसुमी चक्रवर्ती, आयोग के समस्त मीडिया संपर्कों के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में बनी रही हैं।


सचिवालय में कार्मिकों की एक समर्पित टीम (अनुलग्नक 1.10) की तैनाती की गई, जिनमें से बहुत से कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर आए और उन्होंने आयोग के तकनीकी एवं विश्लेषणात्मक कार्य में अपना विपुल योगदान किया। मैं श्री जसविंदर सिंह, श्री कंदर्प पटेल (निदेशकगण), सुश्री अदिति पाठक एवं सुश्री शिखा दहिया (संयुक्त निदेशकगण) का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा जिन्होंने आंकड़ों का समानुक्रमण, अध्ययन और विश्लेषण किया तथा मूल्यवान जानकारीयां उपलब्ध कराईं। इन्होंने रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों का मसौदा तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कंदर्प पटेल एक शक्ति-स्तंभ के रूप में खड़े रहे जिन्होंने अपनी विषय संबंधी जानकारी एवं सहयोग तो दिया ही, मेरे लिए वे एक अपरिहार्य सलाहकार भी बने रहे।

श्री गोपाल प्रसाद, श्री भारत भूषण गर्ग (निदेशकगण), सुश्री स्वेता सत्या, श्री आनंद सिंह परमार एवं श्री मनीश देव (संयुक्त निदेशकगण), श्री रितेश कुमार, श्री संदीप कुमार एवं श्री विजय कुमार मान (उपनिदेशकगण), श्री महेश कुमार, श्री सलाम श्यामसुंदर सिंह, श्री प्रवीन जैन एवं श्री सुशांत कुमार बजाज (सहायक निदेशकगण) तकनीकी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य थे। अवर सचिव एवं अध्यक्ष के विशेष

कार्याधिकारी श्री एस. आर. राजा, सहायक निदेशक श्री आर. सुरेश तथा अध्यक्ष के कार्यालय में परामर्शदातागण श्री अवतार मेहता, श्री गोपालकृष्णन एवं श्री अनिकेत सिंह ने समग्र रिपोर्ट के समन्वय में सहायता की। मैं अन्य समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी हमारे कार्य में उनके योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ तथा अंत में सपोर्ट स्टाफ और उन सभी का धन्यवाद, जिन्होंने कार्यालय का सुचारु एवं दक्षतापूर्वक कार्यसंचालन सुनिश्चित किया। उनके उच्च दक्षता एवं कुशलतापूर्ण कार्यनिष्पादन के लिए आयोग उन सभी का आभारी है।

यह रिपोर्ट अनुसंधान संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सूचनाओं से भी लाभान्वित हुई है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद्, स्वास्थ्य सेक्टर पर उच्च स्तरीय समूह और कृषि निर्यातों पर बने उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के सदस्यों द्वारा दिए गए सतत एवं समयनिष्ठ सहयोग के लिए आयोग उनका भी अत्यंत आभारी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक श्री रणदीप गुलेरिया को स्वास्थ्य समूह की अध्यक्षता के लिए और आईटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री संजीव पुरी को कृषि निर्यातों पर समूह की अध्यक्षता के लिए विशेष रूप से धन्यवाद। जनाग्रह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री श्रीकांत विश्वनाथन, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स के निदेशक श्री अरोमर रेवि तथा इंटीग्रेटेड अर्बन स्ट्रेटजी, वर्ल्ड रिसॉर्सेज इंस्टीट्यूट की निदेशक सुश्री जेसिका सेडॉन को नए शहरों के इन्क्यूबेशन और वायु गुणवत्ता प्रबंधन में इनके मूल्यवान सहयोग के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। हमारी रिपोर्ट के खंड I, II और III के संकलन में सुश्री सीता पार्थसारथी ने उत्कृष्ट संपादकीय सहयोग प्रदान किया।

उपर्युक्त के साथ-साथ, मैं विभिन्न अनुसंधान संगठनों, व्यक्तिगत विषय विशेषज्ञों और संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए योगदान के लिए भी हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

  
एन. के. सिंह  
अध्यक्ष


नई दिल्ली  
30 अक्टूबर, 2020







पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट



# वित्त आयोग - कोविड के दौर में 2021-26 के लिए रिपोर्ट



पंद्रहवां वित्त आयोग

खंड-II अनुलग्नक  
अक्टूबर 2020









सत्यमेव जयते

# वित्त आयोग - कोविड के दौर में 2021-26 के लिए रिपोर्ट



---

## पंद्रहवां वित्त आयोग

खंड-II अनुलग्नक  
अक्टूबर 2020





## अनुलग्नक

पृष्ठ

### अध्याय 1: परिचय

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)	अनुलग्नक 1.1:	आयोग के गठन से संबंधित अधिसूचना	1
	अनुलग्नक 1.2:	विचारार्थ विषयों में शुद्धि संबंधी अधिसूचना	5
	अनुलग्नक 1.3:	अंशकालिक सदस्य के स्थान पर सदस्य के रूप में नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना	6
	अनुलग्नक 1.4:	आयोग से सदस्य के त्यागपत्र से संबंधित अधिसूचना	8
	अनुलग्नक 1.5:	आयोग में सदस्य की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना	10
	अनुलग्नक 1.6:	विचारार्थ विषयों में परिवर्धन/संशोधन से संबंधित अधिसूचना	12
	अनुलग्नक 1.7:	विचारार्थ विषयों में परिवर्धन/संशोधन से संबंधित अधिसूचना	14
	अनुलग्नक 1.8:	पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यायों की विचारार्थ विषयवार मैपिंग	16
	अनुलग्नक 1.9:	स्वीकृत पदों की सूची	20
	अनुलग्नक 1.10:	पदाधिकारियों की सूची	21
	अनुलग्नक 1.11:	पंद्रहवें वित्त आयोग के विशेष कार्याधिकारी श्री अरविन्द मेहता को 'विभागाध्यक्ष' की शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में वित्त मंत्रालय का पत्र	24
	अनुलग्नक 1.12:	प्रक्रिया-नियम	26
	अनुलग्नक 1.13:	विचारार्थ विषयों पर सुझाव मांगने के संबंध में सार्वजनिक सूचना	29
	अनुलग्नक 1.14:	अतिरिक्त विचारार्थ विषयों पर सुझाव मांगने के संबंध में सार्वजनिक सूचना	33
	अनुलग्नक 1.15:	आयोग की सलाहकार परिषद् का गठन	34

अनुलग्नक 1.16:	स्वास्थ्य सेक्टर पर उच्च स्तरीय समूह का गठन	41
अनुलग्नक 1.17:	पंजाब के सीसीएल अंतर की समीक्षा हेतु नकद क्रेडिट सीमा समिति का गठन	43
अनुलग्नक 1.18:	रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के मामलों की जांच हेतु समूह का संघटन	45
अनुलग्नक 1.19:	कृषि निर्यातों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन	47
अनुलग्नक 1.20:	सामान्य सरकार (केंद्र एवं राज्य सरकारों) की राजकोषीय समेकन रूपरेखा की समीक्षा हेतु समिति का गठन	49
अनुलग्नक 1.21:	“राज्य-वित्त के मूल्यांकन” पर किए गए अध्ययन	51
अनुलग्नक 1.22:	किए गए अन्य अध्ययनों की सूची	52
अनुलग्नक 1.22क:	बहुपक्षीय और अन्य संगठनों द्वारा पीपीटी प्रस्तुतियों और अध्ययनों की सूची	54
अनुलग्नक 1.23:	15वें वित्त आयोग की बैठकें	58
अनुलग्नक 1.24:	प्रतिष्ठित व्यक्तियों/ संगठनों के साथ आयोग के अध्यक्ष की बैठकों की सूची	62
अनुलग्नक 1.25क:	माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के साथ आयोग की बैठकों की सूची	65
अनुलग्नक 1.25ख:	व्यक्तियों/ संगठनों के साथ आयोग की बैठकों की सूची	66
अनुलग्नक 1.26:	संघ सरकार के मंत्रालयों /विभागों के साथ आयोजित बैठकें	68
अनुलग्नक 1.27:	अर्थशास्त्रियों, विषय-विशेषज्ञों, अंतरराष्ट्रीय एवं अन्य संगठनों के साथ बैठकें	75
अनुलग्नक 1.28:	राज्यों के महालेखाकारों के साथ आयोजित बैठकें	77
अनुलग्नक 1.29:	राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों की सूची	80

अनुलग्नक 1.30:	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए राज्यों के दौरो का ब्यौरा	81
अनुलग्नक 1.31:	उन संस्थाओं / संगठनों के साथ बैठकों की सूची जिन्हें पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अध्ययन कार्य सौंपे गए	82
अनुलग्नक 1.32:	आयोग की सलाहकार परिषद् की बैठकों की सूची	85
अनुलग्नक 1.33:	स्वास्थ्य सेक्टर पर गठित उच्च स्तरीय समूह के साथ बैठकों की सूची	85
अनुलग्नक 1.34:	पंजाब के सीसीएल अंतर की समीक्षा हेतु गठित नकद क्रेडिट सीमा समिति की बैठकों की सूची	86
अनुलग्नक 1.35:	रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के मामलों की जांच हेतु गठित समूह की बैठकों की सूची	86
अनुलग्नक 1.36:	कृषि निर्यातों पर गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की बैठकों की सूची	86
अनुलग्नक 1.37:	राजकोषीय समेकन रूपरेखा समिति की बैठकों की सूची	87
अनुलग्नक 1.38:	राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों के प्रतिभागियों की सूची (क से घ)	88
अनुलग्नक 1.39:	राज्य सरकारों के साथ बैठकों के प्रतिभागियों की सूची	96
अनुलग्नक 1.40:	व्याख्यात्मक ज्ञापन, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट	258

### अध्याय 3: संदर्भ अवधारणा : विगत का विश्लेषण

अनुलग्नक 3.1:	राज्यों का राजस्व घाटा	263
अनुलग्नक 3.2:	राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा	264

अनुलग्नक 3.3:	राज्यों की बकाया देनदारी एवं देयताएं	265
अनुलग्नक 3.4:	राज्यों के स्वयं के कर राजस्व	266
अनुलग्नक 3.5:	राज्यों के स्वयं के गैर-कर राजस्व	267
अनुलग्नक 3.6:	संघ से राज्यों को कुल हस्तांतरण (कर अंतरण एवं अनुदान)	268
अनुलग्नक 3.7:	राज्यों का राजस्व व्यय	269
अनुलग्नक 3.8:	राज्यों का पूंजी व्यय	270
अनुलग्नक 3.9:	प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय	271
अनुलग्नक 3.10:	ब्याज भुगतान	272
अनुलग्नक 3.11:	प्रति व्यक्ति पूंजी व्यय	273
अनुलग्नक 3.12:	प्रति व्यक्ति कुल व्यय	274

#### अध्याय 4: महामारी का दौर: भावी विश्लेषण 2021-26

अनुलग्नक 4.1:	पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के लिए संघ सरकार के वित्तों का आकलन	275
अनुलग्नक 4.2:	पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के लिए संघ सरकार के वित्तों का आकलन (जीडीपी के % के रूप में)	277
अनुलग्नक 4.3:	पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण	279
अनुलग्नक 4.4:	सकल कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में समग्र हस्तांतरण	280
अनुलग्नक 4.5:	तुलनीय जीएसडीपी की मानकीय रूप से आकलित वार्षिक वृद्धि दर	281
अनुलग्नक 4.6:	पूर्वानुमानित कर और जीएसडीपी अनुपात	282

अनुलग्नक 4.7:	पूर्वानुमानित गैर-कर राजस्व और जीएसडीपी अनुपात	283
अनुलग्नक 4.8:	जीएसटी क्षतिपूर्ति के निर्देशात्मक अनुमान	284
अनुलग्नक 4.9:	आकलित स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय	285

### अध्याय 5: संसाधन जुटाना

अनुलग्नक 5.1:	डेटाबेसों के मध्य संगतता स्थापित करने की आवश्यकता	295
अनुलग्नक 5.2:	आईटी रिटर्न डेटा और राष्ट्रीय लेखा- कुछ संकेत	296
अनुलग्नक 5.3:	संभावित हाउस टैक्स के निर्देशात्मक अनुमान-2019	299

### अध्याय 6 : सहकारी संघवाद : इक्विटी एवं दक्षता के बीच संतुलन

अनुलग्नक 6.1:	आबादी और जनसांख्यिकीय निष्पादन	300
अनुलग्नक 6.2:	क्षेत्रफल	301
अनुलग्नक 6.3:	वन और पारिस्थितिकी	302
अनुलग्नक 6.4:	आय में अंतर	303
अनुलग्नक 6.5:	कर प्रयास	304

### अध्याय 7 : स्थानीय शासनों का सशक्तीकरण

अनुलग्नक 7.1:	राज्य अधिनियमों के आधार पर संपत्ति कर उपबंधों का सारांश	305
अनुलग्नक 7.2:	राज्यवार अनुदानों को निर्धारित करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली	312

अनुलग्नक 7.3:	आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों की हिस्सेदारी	314
अनुलग्नक 7.4:	ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्षवार अनुदान	315
अनुलग्नक 7.5:	शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्षवार अनुदान	316
अनुलग्नक 7.6:	मिलियन प्लस शहरी एग्लोमरेशन के लिए अनुदान	317
अनुलग्नक 7.7:	राज्यवार छावनी बोर्ड	320
अनुलग्नक 7.8:	वायु गुणवत्ता पैरामीटर की निगरानी और वित्तपोषण के लिए फ्रेमवर्क	322
अनुलग्नक 7.8क:	वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संघटक	323
अनुलग्नक 7.8:ख:	'घ' के लिए मिश्रित निष्पादन कारक का निर्धारण करने के लिए पैरामीटर्स	324
अनुलग्नक 7.9:	सेवा स्तरीय बेंचमार्क	326
अनुलग्नक 7.10:	कुल स्वास्थ्य अनुदान	330
अनुलग्नक 7.10क-I:	प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा – उप-केंद्रों के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे हेतु सहायता	331
अनुलग्नक 7.10क-II:	प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं – पीएचसी के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचे हेतु सहायता	332
अनुलग्नक 7.10क-III:	प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं – यूपीएचसी के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता	333
अनुलग्नक 7.10ख:	ब्लॉक स्तर पर जन स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय आवश्यकता	334
अनुलग्नक 7.10ग:	शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (यूएचडबल्यूसी) के लिए अनुदान	335
अनुलग्नक 7.10घ:	भवन रहित उप-केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी के लिए अनुदान	336

अनुलग्नक 7.10ड:	ग्रामीण पीएचसी एवं उप-केंद्रों (एससी) को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में परिवर्तित करना	337
-----------------	---	-----

### अध्याय 8: आपदा जोखिम प्रबंधन

अनुलग्नक 8.1:	द्वितीय वित्त आयोग एवं उसके बाद से आपदा प्रबंधन पर विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसाओं का सार	339
अनुलग्नक 8.2:	एनडीएमएफ/एसडीएमएफ के अंतर्गत प्रशमन कार्यकलापों की निर्देशात्मक सूची	341
अनुलग्नक 8.3:	आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय आबंटनों के निर्धारण की पद्धति	346
अनुलग्नक 8.3 क:	राज्यों के लिए आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई)	348
अनुलग्नक 8.3 ख:	आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तरीय आबंटनों के निर्धारण के लिए पद्धति	355
अनुलग्नक 8.4:	क्षेत्रफल (15 प्रतिशत), जनसंख्या (15 प्रतिशत), औसत व्यय (70 प्रतिशत) और आपदा जोखिम सूचकांक विधि के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए वार्षिक राज्य-वार आबंटन	356
अनुलग्नक 8.5:	एसडीआरएमएफ में संघ और राज्यों की हिस्सेदारी (2021-26)	357

### अध्याय 9: वैश्विक महामारी और उसके बाद : स्वास्थ्य क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण

अनुलग्नक 9.1:	स्वास्थ्य और पोषण संकेतक	358
अनुलग्नक 9.2:	प्रमुख राज्यों में जीवन प्रत्याशा	359

अनुलग्नक 9.3:	ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यावधि की जनसंख्या के अनुमान के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी (1 जुलाई 2019 को यथास्थिति)	360
अनुलग्नक 9.4:	भारत में चिकित्सकों की संख्या	361
अनुलग्नक 9.5:	भारत में नर्सों और भेषजज्ञों की कुल संख्या	362
अनुलग्नक 9.6:	सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की कमी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार)	363
अनुलग्नक 9.7:	विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुशंसाएं	364
अनुलग्नक 9.8:	क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए अनुदान	370
अनुलग्नक 9.9:	जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लिए भौतिक लक्ष्य और अनुदान	371
अनुलग्नक 9.10:	संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान	372
अनुलग्नक 9.11:	डीएनबी पाठ्यक्रमों के लिए राज्यों को सहायता	373

#### अध्याय 10: निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान

अनुलग्नक 10.1:	निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) का एक सब-सेट : शिक्षा के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए संकेतक	374
अनुलग्नक 10.2:	उच्च शिक्षा के लिए अनुदान	375
अनुलग्नक 10.3:	निष्पादन-आधारित पुरस्कार के आकलन की पद्धति	376
अनुलग्नक 10.4:	राज्यों के लिए कृषि निष्पादन प्रोत्साहन अनुदानों का वितरण	379
अनुलग्नक 10.5:	पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए अनुदान	380



अनुलग्नक 10.6:	न्यायपालिका के लिए अनुदान	381
अनुलग्नक 10.7:	सांख्यिकी के लिए प्रस्तावित अनुदान – परिवर्तनशील एवं स्थायी घटकों का विवरण	382
अनुलग्नक 10.8:	सांख्यिकी के लिए अनुदान	383
अनुलग्नक 10.9:	राज्य-विशिष्ट अनुदानों का सारांश	384
अनुलग्नक 10.10:	राज्य-विशिष्ट अनुदानों का विवरण	395

## अध्याय 12: राजकोषीय समेकन की रूपरेखा

---

अनुलग्नक 12.1:	राज्य सरकारों के निर्देशात्मक ऋण पथ (जीएसडीपी का प्रतिशत)	431
----------------	--	-----

## अध्याय 13: इक्कीसवीं सदी के भारत के लिए राजकोषीय संरचना: राजकोषीय नियम, वित्तीय प्रबंधन और संस्थाएं

---

अनुलग्नक 13.1:	भारत में लोक वित्त प्रबंधन व्यवहारों का शासन	432
अनुलग्नक 13.2:	वर्तमान लोक वित्त प्रबंधन संरचना में कुछ महत्वपूर्ण कमियां	433
अनुलग्नक 13.3:	राजकोषीय संरचना पर पिछले वित्त आयोगों की अनुशंसाएं	435



## भारत का राजपत्र

### असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं.3292] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 2017 /अग्रहायण 6, 1939

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2017

का.आ. 3755 (अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

### आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं जो श्री एन.के. सिंह, संसद सदस्य एवं भारत सरकार के पूर्व सचिव, अध्यक्ष के रूप में और निम्नलिखित चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात:-

1.	श्री शक्तिकांत दास भारत सरकार के पूर्व सचिव	सदस्य
2.	डॉ. अनूप सिंह सहायक प्रोफेसर, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय	सदस्य
3.	डॉ. अशोक लाहिड़ी अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंश कालिक) बंधन बैंक	सदस्य (अंश कालिक)
4.	डॉ. रमेश चंद सदस्य, नीति आयोग	सदस्य (अंश कालिक)

2. श्री अरविन्द मेहता आयोग के सचिव होंगे।
3. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना पद धारण करते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक या 30 अक्टूबर, 2019 तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।
4. आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा, अर्थात:-
  - i. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;
  - ii. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और
  - iii. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपाय।
5. आयोग संघ और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकद अनिशेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रयासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा की सिफारिश करेगा, जहां समता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होकर देश में अधिक समावेशी विकास करते हुए सामान्य और सरकारी ऋण और घाटे के स्तर को उपयुक्त रूप में बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाए। आयोग यह जांच भी कर सकेगा कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं।
6. आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ:-
  - i. 2024-25 तक संभवतः प्राप्त होने वाले कर और कर-भिन्न राजस्व के स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संसाधनों को ध्यान में रखेगा। कर और कर-भिन्न दोनों प्रकार के राजस्व के संबंध में आयोग उनका पूरी तरह दोहन करने की संभावना और राजकोषीय क्षमता को ध्यान में रखेगा;
  - ii. केन्द्रीय सरकार के संसाधनों की मांग विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रति वचनबद्धता के संबंध में और अन्य वचनबद्ध व्यय और देनदारियों को ध्यान में रखेगा;

- iii. राज्य सरकार के संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसररचना के वित्तपोषण, आस्ति रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा उनकी लोक उपयोगिताओं के ऋण और देनदारियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा;
  - iv. आयोग, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्यों को कर-न्यागमन में सारवान रूप से वृद्धि के साथ-साथ न्यू इंडिया-2022 सहित राष्ट्रीय विकास एजेन्डा की अनिवार्यता जारी रखने से संघ की सरकार की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करेगा;
  - v. केन्द्र और राज्यों के वित्त साधनों पर माल और सेवा कर के प्रभाव पर विचार करेगा, जिसमें 5 वर्षों के लिए संभावित राजस्व हानि के लिए प्रतिकर का भुगतान और प्रतिकर के लिए कतिपय उपकरणों की समाप्ति जिन्हें प्रतिकर हेतु निर्धारित किया जाएगा और अन्य संरचनागत सुधार भी सम्मिलित हैं; और
  - vi. उन शर्तों पर विचार करेगा जो भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अधीन सहमति देते हुए राज्यों पर अधिरोपित कर सकेगी।
7. आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यों के लिए अभिशासन के उपयुक्त स्तर पर मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकेगा:
- i. माल और सेवा कर के अधीन कर-जाल के विस्तार और गहन बनाने में राज्यों द्वारा किए गए प्रयास;
  - ii. जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर की दिशा में किए गए प्रयास और प्रगति;
  - iii. भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन, आपदा सहाय अवसररचना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपलब्धियां और उनके व्यय की गुणवत्ता;
  - iv. पूंजी व्यय बढ़ाने, विद्युत सेक्टर की हानियों को खत्म करने और आमदनी के भावी मार्ग सृजित करने में ऐसे व्यय की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में की गई प्रगति;
  - v. कर/कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने में की गई प्रगति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अंगीकार करते हुए बचत का संवर्धन करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सरकार तथा हिताधिकारियों के बीच अड़चनों को हटाना;
  - vi. संबंधित नीतिगत और विनियामक परिवर्तनों को प्रभावी करके और श्रमोन्मुखी विकास को बढ़ावा देकर कारबार करने को सरल बनाने में की गई प्रगति;

- vii. आधारभूत सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों को स्तरीय मानव संसाधन सहित, अनुदान सहायता का उपबंध और सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने में निष्पादन अनुदान प्रणाली का कार्यान्वयन।
- viii. लोक लुभावन उपायों पर उपगत व्यय पर नियंत्रण या उसकी कमी; और
- ix. स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच को समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने में की गई प्रगति।
8. आयोग अपनी सिफारिश करते समय 2011 की जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करेगा।
9. आयोग, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंध के वित्तपोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।
10. आयोग, उन आधारों को बताएगा जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियों और व्यय के राज्यवार प्राक्कलन उपलब्ध कराएगा।
11. आयोग 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए 30 अक्टूबर, 2019 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

नई दिल्ली

तारीख 27 नवम्बर, 2017

ह/-

राम नाथ कोविंद  
भारत के राष्ट्रपति

-----

[फा. सं. 10(1)-बी(एस)/2016]  
प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव (बजट)

## भारत का राजपत्र

### असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं.3333] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2017 /अग्रहायण 13, 1939

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3802(अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण में, 27 नवम्बर, 2017 को प्रकाशित हुई थी, के पैरा 1 की पंक्ति 2 में “संसद् सदस्य” के स्थान पर “पूर्व संसद् सदस्य” पढ़ें।

[फा.सं.10(1)-बी(एस)/2016]

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव

## भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं.1772] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 17, 2018 /वैशाख 27, 1940

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2018

का. आ. 1964(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाएगा:-

#### आदेश

राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के आदेश सं. का. आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया था और डॉ. अशोक लाहिड़ी को उक्त आयोग में सदस्य (अंशकालिक) के रूप में नियुक्त किया गया था;

और, डॉ. अशोक लाहिड़ी ने अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंशकालिक) बंधन बैंक के पद से त्यागपत्र दे दिया है; और राष्ट्रपति डॉ. अशोक लाहिड़ी को वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं और उस प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त आदेश में निम्न संशोधन किया जाता है, अर्थात:-

उक्त आदेश के पैरा 1 में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-



“3. डॉ. अशोक लाहिड़ी -सदस्य”

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार,

वित्त मंत्रालय

और

पूर्व अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी, अंशकालिक)

बंधन बैंक

ह/--

राम नाथ कोविंद

भारत के राष्ट्रपति

[एफ सं. 10(3)-बी(एस)/2016]

अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पण: वित्त आयोग के गठन के लिए मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii). में का. आ. सं. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## भारत का राजपत्र

### असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 4912] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2018 /अग्रहायण 21, 1940

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018

का. आ. 6142(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है:-

### आदेश

राष्ट्रपति द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग का गठन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में का. आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना द्वारा किया गया है और श्री शक्तिकांत दास को उक्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

और, श्री शक्तिकांत दास ने उक्त आयोग के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया है और राष्ट्रपति ने 11 दिसम्बर, 2018 से उक्त त्यागपत्र को स्वीकृत कर लिया है।

ह/-

(राम नाथ कोविंद)

भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली,

तारीख 12 दिसम्बर, 2018

-----

[फा.सं. 10(1)-बी(एस)/2016]

अरविंद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पण: वित्त आयोग के गठन के लिए मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में का. आ. सं. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## भारत का राजपत्र

### असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 906] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2019 /फाल्गुन 8, 1940

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2019

का. आ. 1040(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाएगा:-

### आदेश

राष्ट्रपति, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) की अधिसूचना द्वारा प्रकाशित का. आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग का गठन में किया गया था और श्री शक्तिकांत दास को उक्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था।

और, श्री शक्तिकांत दास ने उक्त आयोग के सदस्य के पद से त्यागपत्र दे दिया था और राष्ट्रपति ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 6142(अ) तारीख 12 दिसम्बर, 2018 द्वारा एक आदेश को, 11 दिसंबर, 2018 से उक्त त्यागपत्र को स्वीकार किया था;

अतः, अब, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) की धारा 3, 4 और 6 के साथ, पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, वित्त आयोग के सदस्य के रूप में श्री अजय नारायण झा को 1 मार्च, 2019 से नियुक्त करते हैं और इस उद्देश्य के लिए तारीख 27 नवंबर, 2017 के पूर्वोक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त आदेश में, पैरा 1 में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

“1. श्री अजय नारायण झा - सदस्य”

वित्त सचिव,

भारत सरकार

ह/-

राम नाथ कोविंद

भारत के राष्ट्रपति

नई दिल्ली,

तारीख: 27 फरवरी, 2019

-----

[फा. सं. 10(1)-बी(एस)/2016]

अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पण: वित्त आयोग के गठन के लिए मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) का.आ. 3755(अ) तारीख 27 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 2450] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2019 /श्रावण 7, 1941

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2019

का. आ. 2691(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

#### आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड(1) के उपबंधों के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (ii), तारीख 27 नवंबर, 2017 में प्रकाशित आदेश सं. का.आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 का और संशोधन करते हैं अर्थात् -

उक्त आदेश में,-

(क) पैरा 3 में, शब्दों "30 अक्टूबर, 2019" के शब्दों और अंकों के स्थान पर "30 नवंबर, 2019" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 9 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"9-क आयोग इस बात की भी परीक्षा करेगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे तंत्र का किस प्रकार प्रचालन किया जा सकता है।"

(ग) पैरा 11 में, “30 अक्टूबर, 2019” के शब्दों और अंको के स्थान पर “30 नवंबर, 2019” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

नई दिल्ली

तारीख: 29 जुलाई 2019

ह/-

(राम नाथ कोविंद)

भारत के राष्ट्रपति

-----  
[फा. सं. 10(1)-बी(एस)/2016/खंड-III]

अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए, अर्थात:-

- (i) का.आ. 3802(अ) तारीख 4 दिसंबर, 2017;
- (ii) का.आ. 1964(अ) तारीख 17 मई, 2018;
- (iii) का.आ. 6142(अ) तारीख 12 दिसंबर, 2018;
- (iv) का.आ. 1040(अ) तारीख 27 फरवरी, 2019

## भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 3870] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2019/अग्रहायण 8, 1941

### वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

का.आ. 4308(अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

#### आदेश

राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) में अंतर्विष्ट उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 27 नवम्बर, 2017 में प्रकाशित आदेश संख्या का.आ.3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 का और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त आदेश में,-

(क) पैरा 3 में, “रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक या 30 नवम्बर, 2019 तक” शब्दों और अंकों के स्थान पर “अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक या 30 अक्टूबर, 2020 तक” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 10 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“10क. आयोग दो रिपोर्टें अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट और 2021-



22 से 2025-26 तक की विस्तारित अवधि के लिए अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।”

(ग) पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :-

“11. आयोग, 1 अप्रैल, 2021 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए 30 अक्टूबर, 2020 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।”

ह/-

राम नाथ कोविंद

भारत के राष्ट्रपति

(फा.सं.10(1)-बी(एस)/2019)

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव (बजट)

टिप्पण: मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.सं.3755(अ), तारीख 27 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसका संशोधन किया गया, अर्थात् :-

- (i) का.आ. 3802(अ), तारीख 4 दिसंबर, 2017;
- (ii) का.आ. 1964(अ), तारीख 17 मई, 2018;
- (iii) का.आ. 6142(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2018;
- (iv) का.आ. 1040(अ), तारीख 27 फरवरी, 2019;
- (v) का.आ. 2691(अ), तारीख 29 जुलाई, 2019।

## पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्यायों की विचारार्थ विषय-वार मैपिंग

पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय	अध्याय
4. आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा, अर्थात:-	6
i. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;	
ii. भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शसित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और	10
iii. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्याय।	7
5. आयोग संघ और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकद अनिशेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रायासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा की सिफारिश करेगा, जहां समता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होकर देश में अधिक समावेशी विकास करते हुए सामान्य और सरकारी ऋण और घाटे के स्तर को उपयुक्त रूप में बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाए। आयोग यह जांच भी कर सकेगा कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं।	3,10, 12,13

6. आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ:- 4,5,6,12
- (i) वर्ष 2024-25 तक संभवतः प्राप्त होने वाले कर और कर- भिन्न राजस्व के स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संसाधनों को ध्यान में रखेगा। कर और कर-भिन्न दोनों प्रकार के राजस्व के संबंध में आयोग उनका पूरी तरह दोहन करने की संभावना और राजकोषीय क्षमता को ध्यान में रखेगा;
- (ii) केन्द्रीय सरकार के संसाधनों की मांग विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रति वचनबद्धता के संबंध में और अन्य वचनबद्ध व्यय और देनदारियों को ध्यान में रखेगा; 4,6,11,12
- (iii) राज्य सरकार के संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसंरचना के वित्तपोषण, आस्ति रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा उनकी लोक उपयोगिताओं के ऋण और देनदारियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा; 4,5,6,9, 10,12
- (iv) आयोग, 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए राज्यों को कर न्यागमन में सारवान रूप से वृद्धि के साथ-साथ न्यू इंडिया-2022 सहित राष्ट्रीय विकास एजेन्डा की अनिवार्यता जारी रखने से संघ की सरकार की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करेगा; 4,6,12
- (v) केन्द्र और राज्यों के वित्त साधनों पर माल और सेवा कर के प्रभाव पर विचार करेगा, जिसमें 5 वर्षों के लिए संभावित राजस्व हानि के लिए प्रतिकर का भुगतान और प्रतिकर के लिए कतिपय उपकरणों की समाप्ति जिन्हें प्रतिकर हेतु निर्धारित किया जाएगा और अन्य संरचनागत सुधार भी सम्मिलित हैं; और 5,4,6,12
- (vi) उन शर्तों पर विचार करेगा जो भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अधीन सहमति देते हुए राज्यों पर अधिरोपित कर सकेगी। 4,12
7. आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यों के लिए अभिशासन के उपयुक्त स्तर पर मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकेगा: 5,10
- (i) माल और सेवा कर के अधीन कर-जाल के विस्तार और गहन बनाने में राज्यों द्वारा किए गए प्रयास;

(ii) जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर की दिशा में किए गए प्रयास और प्रगति;	6,10
(iii) भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन, आपदा सहाय्य अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपलब्धियां और उनके व्यय की गुणवत्ता;	8,10,13
(iv) पूंजी व्यय बढ़ाने, विद्युत सेक्टर की हानियों को खत्म करने और आमदनी के भावी मार्ग सृजित करने में ऐसे व्यय की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में की गई प्रगति;	10,13
(v) कर/कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने में की गई प्रगति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अंगीकार करते हुए बचत का संवर्धन करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सरकार तथा हिताधिकारियों के बीच अड़चनों को हटाना;	5,10,13
(vi) संबंधित नीतिगत और विनियामक परिवर्तनों को प्रभावी करके और श्रमोन्मुखी विकास को बढ़ावा देकर कारगर करने को सरल बनाने में की गई प्रगति;	10
(vii) आधारभूत सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों को स्तरीय मानव संसाधन सहित, अनुदान सहायता का उपबंध और सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने में निष्पादन अनुदान प्रणाली का कार्यान्वयन।	7,10
(viii) लोक लुभावन उपायों पर उपगत व्यय पर नियंत्रण या उसकी कमी; और	10
(ix) स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच को समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने में की गई प्रगति।	7,10
8. आयोग अपनी सिफारिश करते समय 2011 की जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करेगा।	6,7,10
9. आयोग, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंध के वित्तपोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।	8

9क. आयोग यह जांच भी करेगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा हेतु वित्तपोषण के लिए एक पृथक व्यवस्था तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, और यदि ऐसा हो तो ऐसे व्यवस्था तंत्र का प्रचालन किस प्रकार से किया जा सकता है। 11

10. आयोग, उन आधारों को बताएगा जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियों और व्यय के राज्यवार प्राक्कलन उपलब्ध कराएगा। 4,6,12

## स्वीकृत पदों की सूची

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन स्तर ( 7वां वेतन आयोग)
1	सचिव	1	15
2	संयुक्त सचिव	2	14
3	आर्थिक सलाहकार	1	14
4	निदेशक	4	13
5	संयुक्त निदेशक	3	12
6	अध्यक्ष का निजी सचिव	1	12
7	उपनिदेशक	6	11
8	पीपीएस/एडिशनल पीएस	5	11
9	पुस्तकाध्यक्ष एवं सूचना अधिकारी	1	11
10	सहायक निदेशक	8	10
11	प्रशा. एवं लेखा अधिकारी	1	10
12	सहायक लेखा अधिकारी	1	8
13	आशुलिपिक ग्रेड-बी	6	8
14	आर्थिक अधिकारी	10	7
15	सहायक अनुभाग अधिकारी	4	7
16	कैशियर	1	6
17	आशुलिपिक ग्रेड-सी	8	7
18	हिंदी आशुलिपिक ग्रेड-सी	1	7
19	आशुलिपिक ग्रेड-डी	4	4
20	वरिष्ठ सचिवालय सहायक ( यूडीसी)	2	4
21	टेलीफोन ऑपरेटर	1	2
22	हिंदी टंकक	1	2
23	कनिष्ठ सचिवालय सहायक ( एलडीसी)	3	2
24	स्टाफ कार ड्राइवर	5	2
25	एमटीएस	5	1
	<b>कुल</b>	<b>85</b>	

## पदाधिकारियों की सूची

अध्यक्ष	श्री एन. के. सिंह
सदस्य	श्री शक्तिकांत दास ( 11.12.2018 को त्यागपत्र दिया ) श्री अजय नारायण झा ( श्री शक्तिकांत दास के स्थान पर ) डॉ. अनूप सिंह डॉ. अशोक लाहिड़ी डॉ. रमेश चंद
सचिव	श्री अरविन्द मेहता
अपर सचिव	श्री मुखमीत सिंह भाटिया
संयुक्त सचिव	डॉ. रवि कोटा ( 11.08.2020 तक )
आर्थिक सलाहकार	श्री आन्टणी सिरियक
मीडिया सलाहकार	सुश्री मौसुमी चक्रवर्ती
निदेशक	श्री भारत भूषण गर्ग श्री गोपाल प्रसाद ( 15.09.2020 तक ) श्री जसविंदर सिंह ( 31.07.2020 को सेवानिवृत्त ) और दिनांक 01.08.2020 को परामर्शदाता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया श्री कंदर्प वी. पटेल
संयुक्त निदेशक	सुश्री अदिति पाठक श्री आनंद सिंह परमार श्री मनीश देव सुश्री शिखा दहिया सुश्री स्वेता सत्या

वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	श्री एस. सुदर्शन
अवर सचिव	श्री एस. आर. राजा, अध्यक्ष के विशेष कार्याधिकारी
उप-निदेशक	श्री नितिश सैनी ( 17.12.2019 तक ) श्री रितेश कुमार श्री संदीप कुमार श्री विजय कुमार मान
पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी	श्री डी. के. शर्मा
प्रधान निजी सचिव	श्री जे. के. वधवा ( 31.12.2019 को सेवानिवृत्त और दिनांक 01.01.2020 को परामर्शदाता के रूप में कार्यभार ग्रहण किया ) श्री पी. वेंकट स्वामी श्री आर. त्यागराजन श्री एस. पुट्टण्णा श्री संसार चंद बिरदी
सहायक निदेशक	श्री महेश कुमार श्री मुकेश कुमार सिंह श्री पंकज गेरा ( 13.12.2019 तक ) श्री प्रवीन जैन श्री आर. सुरेश श्री सलाम श्यामसुंदर सिंह श्री सुशांत कुमार बजाज श्री विकास अहलावत
कनिष्ठ सचिवालय सहायक	श्री हरी दत्त



परामर्शदाता

श्री ए. सी. मेहता  
श्री अभिषेक सिंह  
श्री अशोक कुमार वर्मा  
श्री बलबीर सिंह  
श्री भोला राम  
श्री यूजीन फ्रंसिस  
श्री जे. के. आहूजा  
श्री एन. द्वारकानाथन  
श्री पी.एल.एन. मूर्ति  
श्री प्रकाश ए.  
श्री रविन्द्र कुमार  
श्री एस. गोपालकृष्णन  
सुश्री शताक्षी गर्ग ( 30.08.2020 तक )

कनिष्ठ परामर्शदाता

श्री अनिकेत

सहायक निदेशक

श्री संजीव नयन साहा

( राजभाषा )

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

डॉ. आनंद प्रकाश यादव

श्री अनुप साव

श्री जय वीर

श्री ओमप्रकाश सिंह

सं.A.19011/2/2017-Ad.III

**भारत सरकार**  
**वित्त मंत्रालय**  
**आर्थिक कार्य विभाग**

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

**कार्यालय आदेश**

**विषय: पंद्रहवें वित्त आयोग के विशेष कार्याधिकारी श्री अरविंद मेहता को  
विभागाध्यक्ष की शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।**

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमावली, 1978, के नियम 13(2) के तहत इस विभाग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि पंद्रहवें वित्त आयोग में विशेष कार्याधिकारी श्री अरविंद मेहता, आईएएस (एचपी:84), इस आदेश की तारीख से, पंद्रहवें वित्त आयोग के समक्ष निपटान हेतु प्रस्तुत किए वाले बजट को प्रशासित करने के लिए विभागाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे;

परंतु निम्नलिखित के संबंध में इस उपनियम के तहत कोई शक्ति पुनःप्रत्यायोजित नहीं की जाएगी:

(क) पदों का सृजन;

(ख) हानियों को बटूटे खाते डालना; और

(ग) विनियोजन की किसी भी प्राथमिक इकाई या उपशीर्ष, यानी, ऐसी प्राथमिक इकाई या उपशीर्ष जिससे निधियों का पुनर्विनियोजन किया जा रहा हो अथवा ऐसी प्राथमिक इकाई या उपशीर्ष जिसमें निधियों का पुनर्विनियोजन किया जाना हो, इनमें से जो भी कम हो, के लिए मूल बजट प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक निधियों का पुनर्विनियोजन।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से और एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से उनके दिनांक 26.10.2017 के एफटीएस सं. 356116/जेएस एंड एफए (फाइनेंस)/2017 के तहत जारी किया जाता है।

ह/-

(सुनील कुमार गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

1. श्री अरविन्द मेहता, आईएएस (एचपी:84), विशेष कार्याधिकारी, पंद्रहवें वित्त आयोग का अग्रिम प्रकोष्ठ, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. उपनिदेशक (बजट) [श्री राजीव नयन शर्मा], आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, को उनके दिनांक 20-10-2017 के आईडी सं. 10(1)-बी(एस)/2017 (पार्ट) के संदर्भ में।
3. सहायक निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक का कार्यालय, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, एजीसीआर भवन, आईपी इस्टेट, नई दिल्ली
5. मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय (आंतरिक लेखापरीक्षा विंग), आरएफए बैरक, चर्च रोड, नई दिल्ली
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक
7. डीडीओ, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक
- 8-20. संयुक्त सचिव(एसीसी) /संयुक्त सचिव (बजट)/ उपसचिव (प्रशा.)/ अवर सचिव (आईएफ (I)/प्रशा.-I/I-ए/II/IV/V/ वित्त पुस्तकालय/ सतर्कता/ प्रोटोकॉल/ एचआईसी/ गार्ड फाइल।

## पंद्रहवां वित्त आयोग

### प्रक्रिया-नियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (4) और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का XXXIII) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंद्रहवां वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया के निर्धारण हेतु निम्नलिखित नियम विहित करता है अर्थात्;

1. साक्ष्य प्राप्त करने और/ या केंद्रीय एवं राज्य सरकारों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों से मुलाकात करने के लिए आयोग की औपचारिक बैठकों का यथावश्यकता आयोजन किया जाएगा। ऐसी बैठकों का समय एवं स्थान सचिव द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा।
2. आयोग की आंतरिक बैठकें अनौपचारिक होंगी।
3. आयोग की सभी बैठकें निजी सत्र में आयोजित की जाएंगी।
4. बैठकों की व्यवस्था साधारण तौर पर इस प्रकार से की जाएगी कि सभी सदस्य उपस्थित हो सकें। यदि अपरिहार्य कारणों से, कोई सदस्य बैठक में भाग लेने में असमर्थ है तो भी, अध्यक्ष सहित कम-से-कम तीन सदस्यों की उपस्थिति होने पर ऐसी बैठक आयोजित की जा सकेगी। यदि किसी कारणवश, अध्यक्ष उपस्थित न हो सकें तो वह किसी सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए नामित कर सकेंगे।
5. आयोग की बैठकों में आयोग के ऐसे अधिकारी उपस्थित रहेंगे जो सचिव द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से निर्दिष्ट किए जाएं।
6. अनौपचारिक बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त (जब तक कि अन्यथा विनिश्चित न किया जाए), सचिव द्वारा एक कार्यवृत्त-पुस्तिका के रूप में रखे जाएंगे और सदस्यों के बीच परिचालित किए जाएंगे। कार्यवृत्त को आयोग की अगली बैठक में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
7. साधारणतः आयोग की औपचारिक बैठकों की कार्यवाहियों का कोई शब्दशः रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। जब कोई शब्दशः रिकॉर्ड न रखा जाना हो तो, यथाशीघ्र, सचिव के निदेश द्वारा या उसके अधीन ऐसी बैठकों का एक सारांश तैयार करके आयोग के सदस्यों के बीच परिचालित किया जाएगा। यदि शब्दशः रिकॉर्ड रखा जाना हो तो प्रत्येक साक्षी से संबंधित भाग को अंतिम रूप से रिकॉर्ड में लेने से पूर्व उस साक्षी को

भेजा जाएगा। वैकल्पिक तौर पर, आयोग संबंधित साक्षियों से अपने कथन लिखित रूप में भेजने का भी अनुरोध कर सकेगा।

8. अध्यक्ष या सचिव के निदेश के बिना, किसी भी सदस्य या स्टाफ द्वारा आयोग की बैठकों या कार्य से संबंधित कोई भी सूचना प्रेस को नहीं दी जाएगी।

9. आयोग का सचिव, अध्यक्ष के सामान्य निदेश के अधीन, आयोग के कार्यालय का समग्र रूप में प्रभारी होगा और वह आयोग के समुचित कार्य-संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

10. औपचारिक रिपोर्ट से भिन्न, आयोग से होने वाले समस्त पत्रादि पर अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा (या सचिव द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत कम-से-कम उप-सचिव की श्रेणी के अधिकारी द्वारा) समुचित रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे, परंतु आयोग के विचारों को व्यक्त करने संबंधी किसी भी पत्रादि को उसके अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया जाएगा।

11. आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के सेवा संबंधी नियम-शर्तों से या उनसे वैयक्तिक रूप से संबंधित मामलों से जुड़े समस्त पत्रादि या प्रस्तावों को सचिव द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामलों में कोई भी कार्रवाई अध्यक्ष/सदस्य (सदस्यों)/ आयोग के साथ यथोचित परामर्श से ही की जाएगी।

12. सचिव द्वारा आयोग के कार्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों के विषय में आयोग को समय-समय पर अवगत कराया जाएगा।

13. ऐसी नियुक्तियों के सिवाय जिनके संबंध में मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति का अनुमोदन आवश्यक है, अन्य सरकारों या सरकारी विभागों से स्थानांतरण द्वारा की गई नियुक्तियों सहित आयोग के राजपत्रित पदों पर सभी नियुक्तियां, सचिव के द्वारा की जाएगी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति-समिति के अनुमोदन की आवश्यकता वाली और परामर्शियों के रूप में की जाने वाली नियुक्तियां अध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएंगी।

14. नियम 13 में यथानिर्दिष्ट से भिन्न कर्मचारियों, जिनमें अन्य सरकारों या सरकारी विभागों से स्थानांतरण पर प्राप्त कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, की नियुक्ति सचिव द्वारा या उसकी ओर से विधिवत् प्राधिकृत, कम-से-कम उप-सचिव की श्रेणी के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

15. नियम 13 और 14 के उपबंध इस शर्त के अधीन होंगे कि आयोग के सदस्यों के वैयक्तिक कर्मचारियों की नियुक्तियों के संबंध में, संबंधित सदस्य से परामर्श किया जाएगा।

16. सचिव, किसी राजपत्रित अधिकारी को नियमित या आकस्मिक छुट्टी प्रदान कर सकेगा। जहाँ तक अराजपत्रित कर्मचारियों का संबंध है, इस प्रयोजन के लिए सचिव द्वारा प्राधिकृत कम-से-कम उप-सचिव की श्रेणी के अधिकारी द्वारा छुट्टी स्वीकृत की जा सकेगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वैयक्तिक

कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी प्रदान किए जाने से पूर्व उनसे सम्यक् परामर्श किया जाएगा।

17. आयोग के बजट और संशोधित प्राक्कलनों को वित्त मंत्रालय को संसूचित किए जाने से पूर्व, सचिव द्वारा आयोग के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

18. आयोग द्वारा प्राप्त समस्त पत्रादि, जो ऐसे मामलों से संबंधित हों जिनके संबंध में आयोग द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, आयोग के समक्ष रखे गए सभी मामले और आयोग की बैठक में की गई समस्त चर्चाओं को गोपनीय माना जाएगा।

19. आयोग अध्ययन / इनपुट के प्रयोजन के लिए उन संगत संस्थानों और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकेगा जिनके बारे में आयोग द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाए।

## पंद्रहवां वित्त आयोग

### सार्वजनिक सूचना

#### विचारार्थ विषयों (टीओआर) पर सुझावों का आमंत्रण

1. पंद्रहवां वित्त आयोग अपने विचारार्थ विषयों से संबंधित मुद्दों पर सर्व-साधारण, संस्थाओं और संगठनों से सुझाव आमंत्रित करता है।
2. राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसरण में दिनांक 27 नवंबर, 2017 की राजपत्र अधिसूचना के तहत श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता में पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग के अन्य सदस्यों में श्री शक्तिकांत दास; डॉ. अनूप सिंह; डॉ. अशोक लाहिड़ी और डॉ. रमेश चंद हैं। आयोग 01 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को समाविष्ट करते हुए निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिफारिशें करेगा:-
  - (i) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन;
  - (ii) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां; और
  - (iii) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्यापय।
3. आयोग संघ और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे, ऋण स्तरों, नकद अनिशेष और राजकोषीय अनुशासन कायम रखने के प्रायासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत राजकोषीय प्रबंधन करने के लिए राजकोषीय समेकन की रूपरेखा की सिफारिश करेगा, जहां समता, दक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होकर देश में अधिक समावेशी विकास करते हुए सामान्य और सरकारी ऋण और घाटे के

स्तर को उपयुक्त रूप में बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को ध्यान में रखा जाए। आयोग यह जांच भी कर सकेगा कि क्या राजस्व घाटा अनुदान दिए जाएं।

4. आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ:-

(i) वर्ष 2024-25 तक संभवतः प्राप्त होने वाले कर और कर- भिन्न राजस्व के स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संसाधनों को ध्यान में रखेगा। कर और कर-भिन्न दोनों प्रकार के राजस्व के संबंध में आयोग उनका पूरी तरह दोहन करने की संभावना और राजकोषीय क्षमता को ध्यान में रखेगा;

(ii) केन्द्रीय सरकार के संसाधनों की मांग विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, विधायिका रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रति वचनबद्धता के संबंध में और अन्य वचनबद्ध व्यय और देनदारियों को ध्यान में रखेगा;

(iii) राज्य सरकार के संसाधनों की मांग, विशिष्टतया सामाजिक-आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसंरचना के वित्तपोषण, आस्ति रखरखाव व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास तथा उनकी लोक उपयोगिताओं के ऋण और देनदारियों के प्रभाव को भी ध्यान में रखेगा;

(iv) आयोग, 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए राज्यों को कर न्यागमन में सारवान रूप से वृद्धि के साथ-साथ न्यू इंडिया-2022 सहित राष्ट्रीय विकास एजेन्डा की अनिवार्यता जारी रखने से संघ की सरकार की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करेगा;

(v) केन्द्र और राज्यों के वित्त साधनों पर माल और सेवा कर के प्रभाव पर विचार करेगा, जिसमें 5 वर्षों के लिए संभावित राजस्व हानि के लिए प्रतिकर का भुगतान और प्रतिकर के लिए कतिपय उपकरणों की समाप्ति जिन्हें प्रतिकर हेतु निर्धारित किया जाएगा और अन्य संरचनागत सुधार भी सम्मिलित हैं; और

(vi) उन शर्तों पर विचार करेगा जो भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अधीन सहमति देते हुए राज्यों पर अधिरोपित कर सकेगी।

5. आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यों के लिए अभिशासन के उपयुक्त स्तर पर मापने योग्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रस्ताव करने पर विचार कर सकेगा:

(i) माल और सेवा कर के अधीन कर-जाल के विस्तार और गहन बनाने में राज्यों द्वारा किए गए प्रयास;

(ii) जनसंख्या वृद्धि की प्रतिस्थापन दर की दिशा में किए गए प्रयास और प्रगति;



- (iii) भारत सरकार की प्रमुख स्कीमों के कार्यान्वयन, आपदा सत्य अवसंरचना, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपलब्धियां और उनके व्यय की गुणवत्ता;
- (iv) पूंजी व्यय बढ़ाने, विद्युत सेक्टर की हानियों को खत्म करने और आमदनी के भावी मार्ग सृजित करने में ऐसे व्यय की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में की गई प्रगति;
- (v) कर/कर-भिन्न राजस्व बढ़ाने में की गई प्रगति, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अंगीकार करते हुए बचत का संवर्धन करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और सरकार तथा हिताधिकारियों के बीच अड़चनों को हटाना;
- (vi) संबंधित नीतिगत और विनियामक परिवर्तनों को प्रभावी करके और श्रमोन्मुखी विकास को बढ़ावा देकर कारबार करने को सरल बनाने में की गई प्रगति;
- (vii) आधारभूत सेवाओं के लिए स्थानीय निकायों को स्तरीय मानव संसाधन सहित, अनुदान सहायता का उपबंध और सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने में निष्पादन अनुदान प्रणाली का कार्यान्वयन;
- (viii) लोक लुभावन उपायों पर उपगत व्यय पर नियंत्रण या उसकी कमी; और
- (ix) स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा खुले में शौच को समाप्त करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने में की गई प्रगति।
6. आयोग अपनी सिफारिश करते समय 2011 की जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करेगा।
7. आयोग, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) के अधीन गठित निधियों के प्रतिनिर्देश से आपदा प्रबंध के वित्तपोषण के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा।
8. आयोग, उन आधारों को बताएगा जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्तियों और व्यय के राज्यवार प्राक्कलन उपलब्ध कराएगा।
9. यह सूचना और पिछले वित्त आयोग के संबंध में संगत सामग्री इस वित्त आयोग की वेबसाइट <http://fincomindia.nic.in> पर उपलब्ध है।
10. यह वित्त आयोग सभी इच्छुक संगठनों एवं व्यक्तियों से ऐसे सुझावों /विचारों का स्वागत करेगा जो निम्नलिखित माध्यमों से किसी के भी द्वारा 30 अप्रैल, 2018 तक भेज दिए जाएं:
- (i) डाक द्वारा, जो सचिव, पंद्रहवां वित्त आयोग 9वां तल, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, को संबोधित हो;

- (ii) ई-मेल के माध्यम से [secy-xvfc@gov.in](mailto:secy-xvfc@gov.in) को;
- (iii) वेबसाइट के माध्यम से <http://fincomindia.nic.in> पर हाइपर लिंक 'कॉल फोर सजेशंस' को क्लिक करते हुए।

## पंद्रहवां वित्त आयोग

### सार्वजनिक सूचना

#### अतिरिक्त विचारार्थ विषय (टीओआर) पर सुझाव आमंत्रित करना

1. पंद्रहवां वित्त आयोग वित्त मंत्रालय की 29 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 2691 (ई), के तहत जारी और भारत के राजपत्र में प्रकाशित अतिरिक्त विचारार्थ विषयों से संबंधित मामलों पर, सर्व-साधारण, संस्थाओं और संगठनों से सुझाव आमंत्रित करता है।
2. अतिरिक्त विचारार्थ विषय का संगत पैराग्राफ नीचे उद्धृत है :-  
“ “9-क आयोग इस बात की भी परीक्षा करेगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे तंत्र का किस प्रकार प्रचालन किया जा सकता है।”
3. यह सूचना और पिछले वित्त आयोग के संबंध में संगत सामग्री इस वित्त आयोग की वेबसाइट <http://fincomindia.nic.in> पर उपलब्ध है।
4. यह वित्त आयोग सभी इच्छुक संगठनों एवं व्यक्तियों से ऐसे सुझावों /विचारों का स्वागत करेगा जो निम्नलिखित माध्यमों से किसी के भी द्वारा 10 अक्टूबर, 2019 तक भेज दिए जाएं:
  - (i) डाक द्वारा, जो सचिव, पंद्रहवां वित्त आयोग 9वां तल, जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001, को संबोधित हो;
  - (ii) ई-मेल के माध्यम से [secy-xvfc@gov.in](mailto:secy-xvfc@gov.in) को;
  - (iii) वेबसाइट के माध्यम से <http://fincomindia.nic.in> पर हाइपर लिंक 'कॉल फोर सजेसंस' को क्लिक करते हुए।

सं. 5/6/UF-XVFC-2018

## पंद्रहवां वित्त आयोग

### संघीय वित्त और समन्वय

जवाहर व्यापार भवन, 9वां तल

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

16 अप्रैल, 2018

### कार्यालय ज्ञापन

#### विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् का गठन।

पंद्रहवां वित्त आयोग एतद्वारा एक सलाहकार परिषद् का गठन करता है जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- I. डॉ. अरविन्द विरमानी, अध्यक्ष, फोरम फॉर स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्ज
  - ii. डॉ. सुरजीत एस. भल्ला, पीएमईएसी के अंशकालिक सदस्य और ऑब्जर्वेटरी ग्रुप के वरिष्ठ भारतीय विश्लेषक तथा ऑक्सस रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष
  - iii. डॉ. संजीव गुप्ता, पूर्व-उपनिदेशक (राजकोषीय कार्य विभाग), आईएमएफ
  - iv. प्रो. पिनाकी चक्रवर्ती, प्रोफेसर (एनआईपीएफपी)
  - v. श्री साजिद चिनाय, चीफ इंडिया इकॉनॉमिस्ट, जेपी मॉर्गन
  - vi. श्री नीलकंठ मिश्रा, प्रबंध निदेशक तथा क्रेडिट सुसी इंडिया अर्थशास्त्री और रणनीतिकार
2. इस सलाहकार परिषद् की भूमिका एवं कार्य निम्नलिखित होंगे:
- i. आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) से संबंधित किसी भी संगत मामले या विषय पर आयोग को सलाह देना;
  - ii. किसी भी ऐसे दस्तावेज को तैयार करने या अनुसंधान अध्ययन करने में सहयोग करना जो विचारार्थ विषयों में अंतर्विष्ट मामलों पर आयोग के ज्ञानवर्धन में सहायक हो; और
  - iii. राजकोषीय अंतरण से संबंधित मामलों पर सर्वोत्तम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियाओं का

पता लगाने के लिए आयोग के दायरे और समझ को व्यापक बनाने तथा इसकी अनुशंसाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच और प्रवर्तन में सुधार करने में सहायता करना।

3. आयोग वर्ष 2018 में इस परिषद् की दो बैठकों और वर्ष 2019 में अधिक से अधिक तीन बैठकों का आयोजन कर सकेगा।
4. आयोग सलाहकार परिषद् की बैठकों से संबंधित यात्राओं पर होने वाले व्यय तथा अन्य सुप्रचालनिक व्यवस्थाओं को, यथाग्राह्यता, वहन करेगा।
5. आयोग परिषद् की सदस्यता और इसकी भूमिका एवं कार्य में ऐसे आशोधनों पर विचार कर सकेगा जो आवश्यक समझे जाएं।
6. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(अरविन्द मेहता)

सचिव (पंद्रहवां वित्त आयोग)

सं. 5/6/UF\_XVFC-2018

## पंद्रहवां वित्त आयोग

जवाहर व्यापार भवन, 9वां तल  
1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
16 अगस्त, 2018

### कार्यालय ज्ञापन

#### विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् में दो नए सदस्यों का समावेशन।

दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के समसंख्यक का.ज्ञा. के आंशिक आशोधन में, आयोग की सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित दो नए सदस्यों का समावेश किया गया है।

- i. डॉ. डी. के. श्रीवास्तव, प्रोफेसर, मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एवं सदस्य 12वां वित्त आयोग।
- ii. डॉ. इंदिरा राजारमन, सदस्य, 13वां वित्त आयोग।

पूर्वोक्त का.ज्ञा. की अन्य संपूर्ण विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

ह/-

(अरविन्द मेहता)

सचिव (पंद्रहवां वित्त आयोग)

संलग्नक: दिनांक 16.04.2018 का समसंख्यक का.ज्ञा.

सं. 5/6/UF-XVFC-2018

## पंद्रहवां वित्त आयोग

जवाहर व्यापार भवन, 21वां तल  
1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
27 अगस्त, 2018

### कार्यालय ज्ञापन

विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् में 1 (एक) नए सदस्य का समावेशन।

दिनांक 16 अप्रैल, 2018 (संलग्न) के समसंख्यक का.ज्ञा. के आंशिक आशोधन में, आयोग की सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित नए सदस्य का समावेश किया गया है।

- i. डॉ. प्राची मिश्रा, प्रबंध निदेशक  
ग्लोबल मैक्रो रिसर्च, गोल्डमैन सैच्स, मुंबई, भारत

पूर्वोक्त का.ज्ञा. की अन्य संपूर्ण विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

ह/-

(अरविन्द मेहता)

सचिव (पंद्रहवां वित्त आयोग)

सं. 5/6/UF-XVFC-2018

## पंद्रहवां वित्त आयोग

जवाहर व्यापार भवन, 21वां तल  
1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
20 दिसंबर, 2018

### कार्यालय ज्ञापन

#### विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् में दो नए सदस्यों का समावेशन।

दिनांक 27 अगस्त, 2018 (संलग्न) के समसंख्यक का.ज्ञा. के आंशिक आशोधन में, आयोग की सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित दो नए सदस्यों का समावेश किया गया है।

- i. डॉ. एम. गोविंदा राव
  - ii. डॉ. ओमकार गोस्वामी
2. सलाहकार परिषद् की भूमिका एवं कार्य दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के समसंख्यक मूल का.ज्ञा. में उल्लिखित किए गए थे, उसकी भी प्रति संलग्न है।

ह/-

(अरविन्द मेहता)

सचिव (पंद्रहवां वित्त आयोग)



सं. 5/6/UF-XVFC-2018

## पंद्रहवां वित्त आयोग

जवाहर व्यापार भवन, 21वां तल  
1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001

तारीख: 1 मई, 2019

### कार्यालय ज्ञापन

विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् में 1 (एक) नए सदस्य का समावेशन।

दिनांक 16 अप्रैल, 2018 के समसंख्यक का.ज्ञा. के आंशिक आशोधन में, आयोग की सलाहकार परिषद् में निम्नलिखित नए सदस्य का समावेश किया गया है।

i. डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन

मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार

पूर्वोक्त का.ज्ञा. की अन्य संपूर्ण विषयवस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

ह/-

(अरविन्द मेहता)

सचिव (पंद्रहवां वित्त आयोग)

सं. 5/6/UF-XVFC-2018

## पंद्रहवां वित्त आयोग

जवाहर व्यापार भवन, 21वां तल

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

तारीख: 12 जून, 2019

### कार्यालय ज्ञापन

विषय : आयोग की सलाहकार परिषद् से सदस्य का त्यागपत्र।

डॉ. पिनाकी चक्रवर्ती के अनुरोध के आधार पर आयोग की सलाहकार परिषद् से उनके त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया गया है।

ह/-

(कंदर्प पटेल)

संयुक्त निदेशक (पंद्रहवां वित्त आयोग)

सं. 5/17/UF-XVFC-2018

## पंद्रहवां वित्त आयोग

### संघीय वित्त

जवाहर व्यापार भवन, 9वां तल

1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

तारीख: 1 मई, 2018

### कार्यालय ज्ञापन

#### विषय: स्वास्थ्य सेक्टर के उच्च स्तरीय समूह का गठन

माननीय राष्ट्रपति के दिनांक 27 नवंबर, 2017 के आदेश के तहत पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) की प्रति संलग्न है। अपने अधिदेश के निर्वहन में आयोग, एतद्वारा, निम्नलिखित संयोजक और सदस्यों के साथ स्वास्थ्य सेक्टर पर एक उच्च स्तरीय समूह का गठन करता है:

- (i) डॉ. देवी शेट्टी, अध्यक्ष, नारायणा हेल्थ सिटी, बंगलौर;
  - (ii) डॉ. दिलीप गोविंद म्हासेकर, कुलपति, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, नासिक महाराष्ट्र;
  - (iii) डॉ. नरेश त्रेहन, मेदांता सिटी, गुड़गांव;
  - (iv) डॉ. रणदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स, नई दिल्ली (संयोजक);
  - (v) डॉ. भाबतोष बिस्वास, प्रो. एवं कार्डियो थोरेकिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष, आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता; और
  - (vi) प्रो. के. श्रीनाथ रेड्डी, अध्यक्ष, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया।
2. स्वास्थ्य सेक्टर के उच्च स्तरीय समूह की भूमिका एवं कार्य निम्नलिखित होंगे:

- (क) स्वास्थ्य सेक्टर के मौजूदा ढांचे का मूल्यांकन करना तथा इसकी क्षमता और कमजोरियों की पड़ताल करना ताकि भारत की जनांकिकीय रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेक्टर का संतुलित रूप में तेजी से विस्तार किया जा सके;
- (ख) भारत में मौजूदा वित्तीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग के तरीके एवं उपाय सुझाना तथा सुपरिभाषित स्वास्थ्य मापदंडों को पूरा करने के राज्य सरकारों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना; और
- (ग) स्वास्थ्य सेक्टर के लिए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों की समग्र जांच करना तथा हमारे स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए इन परिपाटियों के अनुरूप अपने फ्रेमवर्क बेंचमार्क का निर्धारण करना।
3. आयोग उच्च स्तरीय स्वास्थ्य समूह से मूल्यवान सलाह, मार्गदर्शन और सहयोग की अपेक्षा करता है।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(अरविंद मेहता)

सचिव

विशेष आमंत्रिती:

- 1) डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग, नई दिल्ली
- 2) डॉ. (प्रो.) आरती विज, एम्स, नई दिल्ली
- 3) अन्य प्रतिष्ठित महानुभाव

समूह की रिपोर्ट वित्त आयोग की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है-

-<http://fincomindia.nic.in/under the heading 'Study Reports'>

सं. 3/20/SF/XVFC-2018

## पंद्रहवां वित्त आयोग

टॉलस्टाय मार्ग, जवाहर व्यापार भवन,

21वां तल, एसटीसी भवन

नई दिल्ली- 110001

तारीख: 11.02.2019

### अधिसूचना

पंद्रहवें वित्त आयोग के हालिया पंजाब राज्य के दौरे के दौरान राज्य सरकार द्वारा 30,584 करोड़ रुपए के विरासती ऋण से उत्पन्न आसन्न राजकोषीय संकट को आयोग के संज्ञान में लाया गया। यह पंजाब में केंद्रीय पूल के लिए खाद्यान्नों की खरीद से संबंधित एक दशक से अधिक अवधि के दौरान संचित नकद क्रेडिट सीमा (सीसीएल) अंतर के कारण था। यह बताया गया कि यह बोझ कथित रूप से संघ सरकार द्वारा सीसीएल अंतर को राज्य के लिए एक दीर्घकालिक ऋण में परिवर्तित करते हुए थोपा गया। साथ ही यह भी बताया गया कि इसके कारण वर्ष 2016-17 में राज्य का राजकोषीय घाटा बढ़कर जीएसडीपी का 12.34 प्रतिशत हो गया तथा इस राशि का कर्ज भुगतान अकेले ही सितंबर, 2034 तक 3,240 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, इस ऋण की चुकौती अवधि के दौरान कुल 57,358 करोड़ रुपए की राशि का बहिर्प्रवाह होगा।

2. राज्य सरकार ने, कर्ज में फंसे होने की बदतर स्थिति और इसके कारण राज्य की भुगतान देयता उसकी सकल उधारियों से अधिक हो जाने का हवाला देते हुए आयोग से यह भी निवेदन किया कि पंद्रहवां वित्त आयोग इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक उपयुक्त कर्ज राहत पैकेज प्रदान करे अन्यथा राज्य सरकार विकास संबंधी व्यय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगी।

3. उपर्युक्त के संदर्भ में, एक निष्पक्ष, तर्कसंगत और समस्त हितधारकों के लिए उचित तरीके से जांच में आयोग की सुविधा के लिए इस मामले की एक व्यापक जांच करने और उपयुक्त उपायों की अनुशंसा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया जाता है:

- |      |  |           |
|------|--|-----------|
| (i)  | श्री रमेश चंद, सदस्य, पंद्रहवां वित्त आयोग           | - अध्यक्ष |
| (ii) | श्री रवि कांत, सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | - सदस्य   |

- |       |   |             |
|-------|---|-------------|
| (iii) | श्री राजीव रंजन, अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय           | - सदस्य     |
| (iv)  | श्री रवि मित्तल, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय | - सदस्य     |
| (v)   | मुख्य सचिव, पंजाब सरकार   | - सदस्य     |
| (vi)  | डॉ. रवि कोटा, संयुक्त सचिव, पंद्रहवां वित्त आयोग                | -सदस्य सचिव |

4. इस समिति के विचारार्थ विषय (टीओआर) निम्नलिखित हैं:-

**संचित सीसीएल अंतर के विरासती ऋण के संबंध में (बकाया ऋण के मामले)**

(क) भारतीय खाद्य निगम/ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संदर्भ में संचित सीसीएल (खाद्य ऋण) अंतर से उत्पन्न पंजाब सरकार के विरासती ऋण के बकाया मामलों के सभी पहलुओं की जांच करना।

(ख) ऐसे उचित समाधान की रूपरेखा की अनुशंसा करना जो निष्पक्ष हो तथा समस्त हितधारकों और पंजाब सरकार के लिए उपयुक्त हो। इससे राज्य को विरासती ऋण के कारण बकाया कर्ज और ब्याज-भुगतान से उत्पन्न राजकोषीय चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी।

**सीसीएल अंतर के वर्तमान संचय पर (ऋण प्रवाह के मामले)**

(ग) सीसीएल अंतर के मूल कारणों का पता लगाने के लिए इससे संबंधित मौजूदा मुद्दे (विरासती ऋण-बोझ के सिवाय) की जांच करना।

(घ) चिह्नित किए गए कारणों को दूर करने के लिए समुचित उपायों की अनुशंसा करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आनुक्रमिक खरीद सीजनों में सीसीएल अंतर मौजूद न रहे।

5. यह समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह अध्यक्ष, पंद्रहवां वित्त आयोग के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(अरविंद मेहता)

सचिव, पंद्रहवां वित्त आयोग

फा. सं. 5/103/UF-XVFC/2019

**पंद्रहवां वित्त आयोग  
(संघीय वित्त और समन्वय)**

9वां तल, जवाहर व्यापार भवन,  
1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001  
तारीख: 13 जनवरी, 2020

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के मामलों की जांच हेतु समूह का गठन**

राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3755(अ) (प्रति संलग्न) के तहत पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) की दिनांक 29.7.2019 और 29.11.2019 की प्रतियां भी संलग्न हैं। आयोग ने रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन करने का विनिश्चय किया है, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है –

- |      |   |           |
|------|---|-----------|
| i)   | श्री एन.के. सिंह, अध्यक्ष, पंद्रहवां वित्त आयोग | - अध्यक्ष |
| ii)  | श्री ए.एन. झा, सदस्य, पंद्रहवां वित्त आयोग      | - सदस्य   |
| iii) | सचिव, गृह मंत्रालय                              | - सदस्य   |
| iv)  | सचिव, रक्षा मंत्रालय                            | - सदस्य   |
| v)   | सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय                     | - सदस्य   |

2. रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर इस समूह का अधिदेश 'यह जांच करना होगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे तंत्र का किस प्रकार प्रचालन किया जा सकता है'।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(जसविंदर सिंह)

निदेशक

पंद्रहवां वित्त आयोग

विशेष आमंत्रिती:-

- 1) जनरल श्री बिपिन रावत चीफ ऑफ डिपेंस स्टाफ ( सीडीएस ), रक्षा मंत्रालय
- 2) जनरल श्री मनोज मुकुन्द नरवणे, थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्रालय



फा. सं. 5/102/UF-XVFC/2020

**पंद्रहवां वित्त आयोग**  
**(संघीय वित्त और समन्वय)**

9वां तल, जवाहर व्यापार भवन,  
1, टॉलस्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110 001

तारीख: 6 फरवरी, 2020

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: कृषि निर्यातों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन**

राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3755(अ) (प्रति संलग्न) के तहत पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) की दिनांक 29.11.2019 की प्रति भी संलग्न हैं। आयोग ने अपने विचारार्थ विषयों (पैरा 7) के अनुसरण में, यानी, कृषि निर्यातों को बढ़ावा देने तथा उच्च आयात प्रतिस्थापन में समर्थ बनाने वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मापनीय निष्पादन प्रोत्साहनों की अनुशंसा करने के लिए, कृषि निर्यातों पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह गठित करने का निर्णय लिया है, इस समूह का संघटन निम्नानुसार है-

- |  |           |
|--|-----------|
| (i) श्री संजीव पुरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीसी   | - अध्यक्ष |
| (ii) सुश्री राधा सिंह, पूर्व कृषि सचिव   | - सदस्य   |
| (iii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधि  | - सदस्य   |
| (iv) अध्यक्ष, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | - सदस्य   |
| (v) श्री सुरेश नारायणन, सीएमडी, नेस्ले इंडिया  | - सदस्य   |
| (vi) श्री जय श्रॉफ, सीईओ, यूपीएल लिमिटेड   | - सदस्य   |
| (vii) श्री संजय सचेती, कंट्री हैड इंडिया, ओलम एग्रो इंडिया लिमिटेड   | - सदस्य   |

(viii) डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस

– सदस्य

2. यह समिति अपने कार्य को पूरा करने के लिए किसी भी उपयुक्त संस्था या संगठन से सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। समिति से अनुरोध है कि वह तीन माह के भीतर अपनी सिफारिशें आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत कर दे।
3. इस समूह के विचारार्थ विषय संलग्न हैं।
4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(जसविंदर सिंह)

निदेशक

फोन 011-23701004

ई-मेल: jasvinder.singh@nic.in

#### विचारार्थ विषय:

1. बदलते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य में भारतीय कृषि उत्पादों (वस्तुओं, अर्ध-प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत) के लिए निर्यात और आयात प्रतिस्थापन अवसरों का आकलन करना और निर्यातों को निरंतर रूप से बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के तरीके सुझाना।
2. कृषि उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्यवर्धन में समर्थ बनाने, भारतीय कृषि से संबद्ध अपशिष्ट में कमी सुनिश्चित करने, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को मजबूत करने, आदि के लिए रणनीतियों और उपायों की अनुशंसा करना, ताकि इस सेक्टर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार हो सके।
3. कृषि मूल्य श्रृंखला के अंतर्गत निजी क्षेत्र के निवेश में आने वाली बाधाओं की पहचान करना और नीतिगत उपायों और सुधारों का सुझाव देना जो अपेक्षित निवेशों को आकर्षित करने में मदद करे।
4. कृषि क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने के साथ-साथ इस संबंध में अन्य नीतिगत उपायों को लागू करने के लिए, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए राज्य सरकारों को समुचित निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों का सुझाव देना।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि: श्री मनोज जोशी, अपर सचिव

समूह की रिपोर्ट वित्त आयोग की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है-

-<http://fincomindia.nic.in/under the heading 'Study Reports'>

फा. सं. 8/30/EA-XVFC/2018

## पंद्रहवां वित्त आयोग

तारीख: 18.03.2020

21वां तल, जवाहर व्यापार भवन,

नई दिल्ली

**विषय: सामान्य सरकार (केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप में) की राजकोषीय समेकन रूपरेखा की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन के संबंध में।**

पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा सामान्य सरकार की राजकोषीय समेकन रूपरेखा की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति का संघटन निम्न प्रकार है-

1. श्री एन. के. सिंह, अध्यक्ष, पंद्रहवां वित्त आयोग - अध्यक्ष
2. श्री ए. एन. झा, सदस्य, पंद्रहवां वित्त आयोग - सदस्य
3. डॉ. अनूप सिंह, सदस्य, पंद्रहवां वित्त आयोग - सदस्य
4. सीएजी का प्रतिनिधि - सदस्य
5. सीजीए का प्रतिनिधि - सदस्य
6. संयुक्त सचिव ( बजट ), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय - सदस्य  
**बाहरी विशेषज्ञ**
7. डॉ. साजिद जेड चिनाँय - सदस्य
8. डॉ. प्राची मिश्रा - सदस्य  
**राज्य सरकारों के प्रतिनिधि**
9. श्री एस. कृष्णन, अपर मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार - सदस्य
10. श्री अनिरुद्ध तिवारी, प्रधान सचिव - सदस्य

पंजाब सरकार

2. समिति को विश्लेषणात्मक और आंकड़ों संबंधी सहायता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली, की एक टीम द्वारा प्रदान की जाएगी।
3. वित्त आयोग सचिवालय का आर्थिक प्रभाग इस समिति को कार्यसंचालन संबंधी सुविधा और सहायता प्रदान करेगा।
4. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं-
  - (i) समिति, संप्रभु की समस्त स्पष्ट और मापनीय देनदारियों पर विचार करते हुए तथा बकाया कर्ज (डेट स्टॉक) और घाटे (प्रवाह) की परिभाषा के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए, केंद्रीय सरकार, समग्र राज्य सरकारों, सामान्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए घाटे और कर्ज की परिभाषा पर अपनी शिफारिशें करेगी।
  - (ii) दोहरी गणना से बचाव के लिए समुचित निवल अवधारणा का उपयोग करते हुए समिति सामान्य सरकार और समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के कर्ज का आकलन करने के लिए सिद्धांतों का निर्धारण भी करेगी।
  - (iii) समिति अनुषंगी देनदारियों को परिभाषित करेगी और जहां संभव हो, ऐसी देनदारियों की परिमाणात्मक माप उपलब्ध कराएगी तथा उन दशाओं को विनिर्दिष्ट करेगी जिनमें “अनुषंगी” देनदारियां सार्वजनिक क्षेत्र की सुस्पष्ट “देनदारियां” बन जाती हैं।
  - (iv) उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर समिति घाटे और कर्ज की वर्तमान स्थिति की, विभिन्न स्तरों पर समीक्षा करेगी।
  - (v) उपर्युक्त के आधार पर, समिति वित्त वर्ष 2021-25 के लिए केंद्रीय सरकार, समग्र राज्यों और सामान्य सरकार के लिए कर्ज और राजकोषीय समेकन रूपरेखा की अनुशंसा करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए परिदृश्य तैयार करेगी।
5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

ह/-

(कंदर्प वी. पटेल)

संयुक्त निदेशक

## “राज्य-वित्त के मूल्यांकन” पर किए गए अध्ययन

क्रम सं.	राज्य	संस्थान का नाम
1	आंध्र प्रदेश	सेंटर फॉर इकॉनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, हैदराबाद
2	असम	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम
3	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी इंस्टीट्यूट, अरुणाचल प्रदेश
4	बिहार	एशियन डवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट
5	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
6	गोवा	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा
7	गुजरात	गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट रिसर्च, अहमदाबाद
8	हरियाणा	एमडीआई, गुड़गांव
9	हिमाचल प्रदेश	श्री डी. के. शर्मा
10	जम्मू एवं कश्मीर*	एनआईपीएफपी
11	झारखंड	जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (एक्सएलआरआई), जमशेदपुर
12	कर्नाटक	इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकॉनॉमिक चेंज, बेंगलुरु
13	केरल	सीडीएस, त्रिवेंद्रम
14	मध्य प्रदेश	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर
15	महाराष्ट्र	गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकॉनॉमिक्स
16	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय
17	मेघालय	राजीव गांधी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
18	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय
19	नागालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय
20	ओडिशा	नबकृष्णा चौधुरी सेंटर फॉर डवलपमेंट स्टडीज, भुवनेश्वर
21	पंजाब	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, मोहाली
22	राजस्थान	सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड डवलपमेंट स्टडीज
23	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय
24	तमिलनाडु	मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स
25	तेलंगाना	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद
26	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय
27	उत्तराखंड	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद
28	उत्तर प्रदेश	डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक्स, लखनऊ
29	पश्चिम बंगाल	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, दिल्ली

\*जम्मू एवं कश्मीर 31 अक्टूबर, 2019 को संघ राज्यक्षेत्र बन गया।

समूह की रिपोर्ट वित्त आयोग की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है-

-<http://fincomindia.nic.in/under the heading 'Study Reports'>

किए गए अन्य अध्ययनों की सूची

क्रम सं.	विषय	संस्थान/ संगठन का नाम
1	केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा और राज्यों के बीच आबंटन: साम्य-संतुलन एवं दक्षता संबंधी कुछ मुद्दे	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
2	वेतन आयोग: राजकोषीय निहितार्थ	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
3	भारत में केंद्र और राज्यों के लिए चक्रीय रूप से समायोजित प्राथमिक संतुलन	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
4	आयुष्मान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लागत एवं वित्तीय व्यवस्था	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली
5	चौदहवां वित्त आयोग पंचाट होने के बाद राज्यों में विकास पर व्यय: राज्यों को प्रदत्त धन के व्यय की रीति	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली
6	चौदहवां वित्त आयोग पंचाट होने के बाद राज्यों में विकास पर व्यय: केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का एक मूल्यांकन	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली
7	भारत के महानगरीय शहरों में नगर निगमों का वित्त	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली
8	भारत में म्युनिसिपल वित्त की स्थिति	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली
9	पैट्रोलियम उत्पादों पर कर राजस्व तथा विक्रय कर के पूर्वानुमान और राज्यों के अपने कर-राजस्व संबंधी (एसओटीआर) प्रयास: भारत में राज्यों का विश्लेषण	जेवियर विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
10	भारत में राज्यों की जनांकिकीय उपलब्धियों के बदले में संसाधनों का आबंटन: एक साक्ष्याधारित सन्निष्कर्ष	सेंटर फॉर डवलपमेंट स्टडीज, केरल
11	उपकर और अधिभार: संकल्पना, परिपाटी और सुधार	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली
12	उन शर्तों के लिए विधिक आधार की जांच जो भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अधीन सहमति प्रदान करते समय राज्यों पर अधिरोपित की जा सकती हैं	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली
13	संवैधानिक उलझनों को दूर करना: सातवीं अनुसूची में सुधार	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली

14	राज्यों को सशर्त अंतरणों हेतु विधिक आधार की जांच तथा राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों से संबंधित मुद्दे	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली
15	राजकोषीय संघवाद के माध्यम से वन-संरक्षण: विगत अनुभवों से ली गई सीख	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
16	भारत में हरित राजकोषीय संघवाद का सुदृढीकरण	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
17	कृषि-सब्सिडी	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, नई दिल्ली
18	भारत में राज्यों के लिए मापनीय, निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन	एनसीआईआर, नई दिल्ली
19	शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से शहरी अवसंरचना का विकास करना और इसे आपदासह्य बनाना	इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन सेटलमेंट्स, बेंगलुरु
20	संघीय वित्त आयोग अनुदानों का पंचायतों को अंतरण	अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली
21	ग्रामीण स्थानीय निकायों को निधि प्रवाहों का विश्लेषण	अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली
22	अनुषंगी देयता प्रबंधन रूपरेखा	क्रिसिल, नई दिल्ली
23	भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन (आरएलजी) को अंतरसरकारी राजकोषीय अंतरणों का अभिकल्प	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
24	वायु-प्रदूषण: स्वच्छ वायु प्रबंधन के लिए परिणामाधारित वित्त व्यवस्था	वर्ल्ड रिसोसर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली
25	पंद्रहवें वित्त आयोग की अवधि के लिए समष्टि—अर्थशास्त्रीय नीतिगत अनुरूपता	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली
26	राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टों की समीक्षा	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली
27	माल एवं सेवाकर लागू होने के राजकोषीय निहितार्थ	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली
28	म्युनिसिपल वित्त संबंधी अध्ययन	जनाग्रह, बेंगलुरु
29	वायु-प्रदूषण की वर्तमान स्थिति एवं कारण तथा समाधान	द नेचर कंजर्वेसी, नई दिल्ली
30	आपदा जोखिम प्रबंधन का वित्तपोषण*	यूएनडीपी

\*यह अध्ययन पूरी तरह से एनडीएमए द्वारा प्रायोजित था।

समूह की रिपोर्ट वित्त आयोग की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है-

<http://fincomindia.nic.in/under the heading 'Study Reports'>

## बहुपक्षीय और अन्य संगठनों द्वारा पीपीटी प्रस्तुतियों और अध्ययनों की सूची

1. 27 फरवरी, 2018 को 15वें वित्त आयोग और आईएमएफ के बीच बैठक
  - (i) "फिस्कल टारगेट्स एक्रॉस गवर्नमेंट लेवल्स" एड्रिएन चेस्टी और लुक ऐरॉड द्वारा
  - (ii) "फलेक्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन एट द सब-नेशनल लेवल" एड्रिएन चेस्टी और लुक ऐरॉड द्वारा
2. 27 और 28 मार्च, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ "वित्तीय संघवाद में मुद्दे" पर 15वां वित्त आयोग सम्मेलन
  - (i) "कॉन्सट्रेनिंग सब-नेशनल बोरोइंग थ्रू रूल्स एंड कंट्रोल्ल्स" लुक ऐरॉड द्वारा
  - (ii) "मार्केट डिसिप्लिन एट द स्टेट लेवल" आदिल मोहम्मद, राचा मौसा और लेज्ली फिशर द्वारा
  - (iii) "द रोल ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड अदर लोकल गवर्नमेंट्स" रॉबिन बॉडवे और एंड्रयू हॉज द्वारा
  - (iv) "इक्विलाइजेशन: रैशनेल, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन" रॉबिन बॉडवे, क्वीन्स यूनिवर्सिटी कनाडा द्वारा
  - (v) "कंडीशनेलिटी इन इंटर-गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र्स" एलिफ थ्यूरे (आईएमएफ) द्वारा
  - (vi) "इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी ऑन इंटरगवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशंस" रॉबिन बॉडवे, क्वीन्स यूनिवर्सिटी कनाडा द्वारा
3. सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच राजकोषीय संबंधों पर भारत के पंद्रहवें वित्त आयोग और ओईसीडी के बीच उच्च-स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, 4 अप्रैल 2018, बुधवार, नई दिल्ली, भारत
  - (i) "सब-नेशनल डेट एंड फिस्कल टारगेट्स" रोनी डाउन्स द्वारा



- (ii) "रिवेन्यू शेयरिंग, ट्रांसफर्स एंड फिस्कल इक्वलाइजेशन: द टैक्स पर्सपेक्टिव" डेविड ब्रैडबरी द्वारा
- (iii) "रिवेन्यू शेयरिंग, ट्रांसफर्स एंड फिस्कल इक्वलाइजेशन" जोनाथन कोपेल द्वारा
- (iv) "ब्रॉड मेसेज ऑन ट्रांसफर्स एंड फिस्कल इक्वलाइजेशन" सान एम. डोअर्टी द्वारा
- (v) "द क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, परफॉर्मेंस इन्सॉटिबुज एंड रीजनल डवलपमेंट" रूडिगर अहेंड द्वारा
- (vi) "फिस्कल रिलेशंस एक्रॉस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट: परफॉर्मेंस इन्सॉटिबुज एंड रीजनल पॉलिसी, द ईयू एक्सपीरिएंस" पीटर बर्कोवित्ज़ द्वारा
- (vii) "इन्फॉर्मेलिटी एंड फिस्कल फ्रेमवर्क्स" पिरिटा सोर्सा द्वारा
- (viii) "डिजाइनिंग फिस्कल रूल्स फॉर सब-नेशनल गवर्नमेंट" हेंसजॉर्ग ब्लोक्लिगर द्वारा
- (ix) "फिस्कल रूल्स: सब-नेशनल इंप्लीकेशंस" रोनी डाउन्स द्वारा
- (x) "फिस्कल रूल्स, सब-नेशनल डेट एंड इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क्स- द ऑस्ट्रियन एक्सपीरिएंस" फिलिप पैकलर द्वारा

4. 30-31 जुलाई (सोमवार), 2018 को "राजकोषीय अंतरणों में अंतरराष्ट्रीय अनुभव" पर विश्व बैंक सम्मेलन,

- (i) "इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशंस इन ऑस्ट्रेलिया" बॉब सियर्ल द्वारा
- (ii) "रिफॉर्मिंग वर्टिकल प्रोग्राम्स – द केस आफ साउथ अफ्रीका" डेविड सैवेज द्वारा
- (iii) "इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स एंड परफॉर्मेंस ग्रांट्स इन ब्राजील" डेबोरा वेजल द्वारा
- (iv) "द इकॉनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ एचएफई: लेसंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया" जोनाथन कोपेल द्वारा
- (v) "डीलिंग विद होरिजेंटल एंड वर्टिकल फिस्कल इंबैलेंसेज: लेसंस फ्रॉम कनाडाज वेरी डिसेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम" मर्सेलीन जोनिस द्वारा
- (vi) "द जर्मन एक्सपीरिएंस ऑफ अड्रेसिंग वर्टिकल एंड होरिजेंटल फिस्कल इंबैलेंसेज" पॉल बर्न्ड स्पाहन द्वारा
- (vii) "डिस्कशन विद फिफ्थीथ फाइनेंस कमीशन" रॉय बहल द्वारा

5. 4 अप्रैल, 2019 को "सरकार के विभिन्न स्तरों के राजकोषीय संबंधों" पर विश्व बैंक, ओईसीडी और एडीबी

- (i) "सब-नेशनल फिस्कल रूल्स – प्रिंसीपल्स एंड एक्सपीरिएंसेज" जॉर्ज मार्टिनेज (जीएसयू) द्वारा
- (ii) "मॉडल्स एंड ऑप्शन्स फॉर इंडिया" रंजीत घोष (पश्चिम बंगाल) द्वारा
- (iii) "इंटरनेशनल एक्सपीरिएंस विद फिस्कल इक्वलाइजेशन एंड ट्रांसफर्स" सान डोअर्टी (ओईसीडी) द्वारा
- (iv) "द रोल ऑफ परफॉर्मेंस इन्सेंटिव्ज इन इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स डिजाइन" नवेंदु करण (एडीबी)
- (v) "एशियन एक्सपीरिएंस इन फिस्कल इक्वलाइजेशन एंड इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स डिजाइन" सिगडेम अकिन (एडीबी) द्वारा
- (vi) "पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट (पीएफएम) – टुवाइर्स अ रिफॉर्म एजेंडा" एड्रियन फोजार्ड (पश्चिम बंगाल) और मनोज जैन (पश्चिम बंगाल) द्वारा
- (vii) "इंटरनेशनल एक्सपीरिएंस विद बजट प्रोसेसेज इन सेंट्रल एंड सब-नेशनल गवर्नमेंट्स" डेल्फीन मोरेटी (ओईसीडी) द्वारा
- (viii) "स्टेट फाइनेंस कमीशंस एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट्स" फराह ज़हीर (पश्चिम बंगाल) द्वारा
- (ix) "प्रोपर्टी टैक्सेशन: इंडियाज पोजिशन एंड इंटरनेशनल एक्सपीरिएंसेज" मोहन नागराजन (पश्चिम बंगाल) द्वारा

6. 17 जनवरी, 2020 को 15वें वित्त आयोग और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक

- (i) "इंडिया: रिसॉर्स मोबिलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट फाइव इयर्स" रूड डी मूइज, अरबिन्द मोदी, ली लियू, दीनार प्रिहार्दिनी और जुआन कार्लोस बेनिटेज़ द्वारा

7. वायु प्रदूषण पर 20 मई, 2019 को डब्ल्यूआरआई की बैठक

- (i) क्लीन एयर फॉर ऑल : फाइनेंसिंग क्लीन एयर इन इंडिया

8. 30 अप्रैल, 2019 को वन क्षेत्र पर टीएनसी की बैठक
  - (i) इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स फॉर स्ट्रेथनिंग द फोरेस्ट कवर
  
9. 6 जुलाई, 2020 को स्वास्थ्य सेक्टर पर विश्व बैंक की बैठक
  - (i) इंडियाज हेल्थ सिस्टम इन द टाइम ऑफ कोविड-19
  
10. एडीबी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूआरआई और टीएनसी द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्टों की सूची
  - (i) "द एशियन एक्सपीरिएंस इन इंटर-गवर्नमेंटल फिस्कल ट्रांसफर्स" पर एडीबी अध्ययन रिपोर्ट
  - (ii) "स्ट्रेथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन इंडिया: इम्प्रूविंग आउटकम्स फ्रॉम पब्लिक स्पेंडिंग" पर विश्व बैंक रिपोर्ट
  - (iii) "इंडिया रिसॉर्स मोबिलाइजेशन फॉर द नेक्स्ट फाइव इयर्स" पर आईएमएफ अध्ययन रिपोर्ट
  - (iv) "क्लीन एयर फॉर ऑल : फाइनेंसिंग क्लीन एयर इन इंडिया" पर डब्ल्यूआरआई अध्ययन
  - (v) टाटा ट्रस्ट, द नेचर कंजर्वेसी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिपेंडेंट रिसर्चर (पूर्व में टेरी के साथ) और ग्लोबल एवर ग्रीनिंग अलायंस और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट जैसे 7 विभिन्न संस्थानों के 14 शोधकर्ताओं द्वारा "स्ट्रेथनिंग इंडियाज फोरेस्ट सेक्टर" पर एक अध्ययन।
  - (vi) "प्रोपर्टी टैक्सेशन इन इंडिया: इंडियाज पोजिशन, इंटरनेशनल एक्सपीरिएंसेज, इश्यूज एंड आइडियाज फॉर रिफॉर्म" पर विश्व बैंक की रिपोर्ट।

## 15वें वित्त आयोग की बैठकें

बैठक	तारीख	बैठक	तारीख
प्रथम बैठक	4 दिसंबर, 2017	21वीं बैठक	3 अप्रैल, 2019
द्वितीय बैठक	6 दिसंबर, 2017	22वीं बैठक	9 अप्रैल, 2019
तृतीय बैठक	11 दिसंबर, 2017	23वीं बैठक	16 अप्रैल, 2019
चतुर्थ बैठक	10 जनवरी, 2018	24वीं बैठक	23 अप्रैल, 2019
पंचम बैठक	15 जनवरी, 2018	25वीं बैठक	30 अप्रैल, 2019
6ठीं बैठक	29 जनवरी, 2018	26वीं बैठक	7 मई, 2019
7वीं बैठक	5 फरवरी, 2018	27वीं बैठक	14 मई, 2019
8वीं बैठक	21 फरवरी, 2018	28वीं बैठक	21 मई, 2019
9वीं बैठक	14 मार्च, 2018	29वीं बैठक	28 मई, 2019
10वीं बैठक	19 मार्च, 2018	30वीं बैठक	28 जून, 2019
11वीं बैठक	18 अप्रैल, 2018	31वीं बैठक	2 जुलाई, 2019
12वीं बैठक	20 अप्रैल, 2018	32वीं बैठक	9 जुलाई, 2019
13वीं बैठक	16 मई, 2018	33वीं बैठक	11 जुलाई, 2019
14वीं बैठक	4 जून, 2018	34वीं बैठक	12 जुलाई, 2019
15वीं बैठक	23 अगस्त, 2018	35वीं बैठक	16 जुलाई, 2019
16वीं बैठक	28 अगस्त, 2018	36वीं बैठक	22 जुलाई, 2019
17वीं बैठक	22 अक्टूबर, 2018	37वीं बैठक	30 जुलाई, 2019
18वीं बैठक	26 अक्टूबर, 2018	38वीं बैठक	2 अगस्त, 2019
19वीं बैठक	3 जनवरी, 2019	39वीं बैठक	6 अगस्त, 2019
20वीं बैठक	13 फरवरी, 2019	40वीं बैठक	20 अगस्त, 2019

बैठक	तारीख	बैठक	तारीख
41वीं बैठक	22 अगस्त, 2019	63वीं बैठक	18 फरवरी, 2020
42वीं बैठक	23 अगस्त, 2019	64वीं बैठक	3 मार्च, 2020
43वीं बैठक	29 अगस्त, 2019	65वीं बैठक	11 मार्च, 2020
44वीं बैठक	31 अगस्त, 2019	66वीं बैठक	7 अप्रैल, 2020
45वीं बैठक	9 अक्टूबर, 2019	67वीं बैठक	10 अप्रैल, 2020
46वीं बैठक	10 अक्टूबर, 2019	68वीं बैठक	16 अप्रैल, 2020
47वीं बैठक	11 अक्टूबर, 2019	69वीं बैठक	20 अप्रैल, 2020
48वीं बैठक	14 अक्टूबर, 2019	70वीं बैठक	28 अप्रैल, 2020
49वीं बैठक	15 अक्टूबर, 2019	71वीं बैठक	5 मई, 2020
50वीं बैठक	17 अक्टूबर, 2019	72वीं बैठक	12 मई, 2020
51वीं बैठक	30 अक्टूबर, 2019	73वीं बैठक	19 मई, 2020
52वीं बैठक	31 अक्टूबर, 2019	74वीं बैठक	20 मई, 2020
53वीं बैठक	1 नवंबर, 2019	75वीं बैठक	26 मई, 2020
54वीं बैठक	8 नवंबर, 2019	76वीं बैठक	28 मई, 2020
55वीं बैठक	11 नवंबर, 2019	77वीं बैठक	2 जून, 2020
56वीं बैठक	18 नवंबर, 2019	78वीं बैठक	9 जून, 2020
57वीं बैठक	19 नवंबर, 2019	79वीं बैठक	10 जून, 2020
58वीं बैठक	25 नवंबर, 2019	80वीं बैठक	11 जून, 2020
59वीं बैठक	27 नवंबर, 2019	81वीं बैठक	12 जून, 2020
60वीं बैठक	17 दिसंबर, 2019	82वीं बैठक	16 जून, 2020
61वीं बैठक	28 दिसंबर, 2019	83वीं बैठक	17 जून, 2020
62वीं बैठक	14 जनवरी, 2020	84वीं बैठक	18 जून, 2020

बैठक	तारीख	बैठक	तारीख
85वीं बैठक	19 जून, 2020	107वीं बैठक	29 जुलाई, 2020
86वीं बैठक	22 जून, 2020	108वीं बैठक	5 अगस्त, 2020
87वीं बैठक	29 जून, 2020	109वीं बैठक	6 अगस्त, 2020
88वीं बैठक	30 जून, 2020	110वीं बैठक	7 अगस्त, 2020
89वीं बैठक	1 जुलाई, 2020	111वीं बैठक	10 अगस्त, 2020
90वीं बैठक	3 जुलाई, 2020	112वीं बैठक	11 अगस्त, 2020
91वीं बैठक	6 जुलाई, 2020	113वीं बैठक	17 अगस्त, 2020
92वीं बैठक	7 जुलाई, 2020	114वीं बैठक	18 अगस्त, 2020
93वीं बैठक	9 जुलाई, 2020	115वीं बैठक	19 अगस्त, 2020
94वीं बैठक	10 जुलाई, 2020	116वीं बैठक	20 अगस्त, 2020
95वीं बैठक	13 जुलाई, 2020	117वीं बैठक	24 अगस्त, 2020
96वीं बैठक	14 जुलाई, 2020	118वीं बैठक	25 अगस्त, 2020
97वीं बैठक	15 जुलाई, 2020	119वीं बैठक	26 अगस्त, 2020
98वीं बैठक	16 जुलाई, 2020	120वीं बैठक	27 अगस्त, 2020
99वीं बैठक	17 जुलाई, 2020	121वीं बैठक	28 अगस्त, 2020
100वीं बैठक	20 जुलाई, 2020	122वीं बैठक	31 अगस्त, 2020
101वीं बैठक	21 जुलाई, 2020	123वीं बैठक	2 सितंबर, 2020
102वीं बैठक	22 जुलाई, 2020	124वीं बैठक	7 सितंबर, 2020
103वीं बैठक	23 जुलाई, 2020	125वीं बैठक	8 सितंबर, 2020
104वीं बैठक	24 जुलाई, 2020	126वीं बैठक	9 सितंबर, 2020
105वीं बैठक	27 जुलाई, 2020	127वीं बैठक	10 सितंबर, 2020
106वीं बैठक	28 जुलाई, 2020	128वीं बैठक	11 सितंबर, 2020

बैठक	तारीख	बैठक	तारीख
129वीं बैठक	14 सितंबर, 2020	141वीं बैठक	6 अक्टूबर, 2020
130वीं बैठक	15 सितंबर, 2020	142वीं बैठक	7 अक्टूबर, 2020
131वीं बैठक	16 सितंबर, 2020	143वीं बैठक	8 अक्टूबर, 2020
132वीं बैठक	21 सितंबर, 2020	144वीं बैठक	11 अक्टूबर, 2020
133वीं बैठक	23 सितंबर, 2020	145वीं बैठक	12 अक्टूबर, 2020
134वीं बैठक	25 सितंबर, 2020	146वीं बैठक	13 अक्टूबर, 2020
135वीं बैठक	26 सितंबर, 2020	147वीं बैठक	17 अक्टूबर, 2020
136वीं बैठक	28 सितंबर, 2020	148वीं बैठक	19 अक्टूबर, 2020
137वीं बैठक	29 सितंबर, 2020	149वीं बैठक	26 अक्टूबर, 2020
138वीं बैठक	2 अक्टूबर, 2020	150वीं बैठक	28 अक्टूबर, 2020
139वीं बैठक	3 अक्टूबर, 2020	151वीं बैठक	30 अक्टूबर, 2020
140वीं बैठक	5 अक्टूबर, 2020		

## प्रतिष्ठित व्यक्तियों/ संगठनों के साथ अध्यक्ष की बैठकों की सूची

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1.	भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल और तीन डिप्टी गवर्नर,मुंबई	7 दिसंबर,2017
2.	श्री के. रामाराव,प्रधान सचिव वित्त,तेलंगाना सरकार और डॉ.जी.आर. रेड्डी,सलाहकार और डॉ. राजीव शर्मा, मुख्य सलाहकार,दिल्ली	12 जनवरी,2018
3.	श्री सुशील कुमार मोदी, उप-मुख्य मंत्री, बिहार	5 जून,2018
4.	श्री अनिल कुमार खाची, अपर मुख्य सचिव(वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार	13 जुलाई,2018
5.	श्री कृष्ण वत्स और पदाधिकारी, यूएनडीपी, विश्व बैंक और एनडीएमए	27 जुलाई,2018
6.	श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य, शिक्षा मंत्री,असम	10 सितंबर,2018
7.	श्री अरुण जेटली, केबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री	10 सितंबर,2018
8.	जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुतीकरण	24 सितंबर,2018
9.	श्री प्रकाश पंत, वित्त मंत्री, उत्तराखंड	29 सितंबर,2018
10.	श्री हिमंत बिश्व शर्मा, वित्त मंत्री, असम	8 अक्टूबर,2018
11.	श्री अमित मित्रा, वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल	26अक्टूबर,2018
12.	श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	17 दिसंबर,2018
13.	श्री प्रकाश जावड़ेकर,केबिनेट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्री	21 दिसंबर,2018
14.	श्री नितिन गडकरी, केबिनेट मंत्री,सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री	24 दिसंबर,2018
15.	श्री संभाजी क्षत्रपति, संसद सदस्य, राज्य सभा	4 जनवरी,2019
16.	श्री आर. के. माथुर,मुख्य मंत्री के सलाहकार, त्रिपुरा और श्री जी.एस.जी. अयंगर, प्रधान स्थानिक आयुक्त,त्रिपुरा	4 जनवरी,2019



क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
17.	श्री करन अवतार सिंह, मुख्य सचिव, पंजाब	28 जनवरी, 2019
18.	श्री अरविंद पनगड़िया, पूर्व उपाध्यक्ष, नीति आयोग	1 अप्रैल, 2019
19.	श्री के.के.वेणुगोपाल, भारत के महान्यायवादी	13 अप्रैल, 2019
20.	श्री लखनपाल, अध्यक्ष, पंजाब वित्त आयोग	15 अप्रैल, 2019
21.	श्री के. परासरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय	2 मई, 2019
22.	सीएस द्वारा प्रस्तुतीकरण, उत्तराखंड, वित्त और पर्यटन सचिव	6 मई, 2019
23.	श्रीमती निर्मला सीतारमण, केबिनेट मंत्री, वित्त मंत्री	6 जून, 2019
24.	श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य मंत्री, दिल्ली	10 जुलाई, 2019
25.	श्री राजीव महर्षि, भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक	11 जुलाई, 2019
26.	श्री अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली	12 जुलाई, 2019
27.	श्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य मंत्री, दिल्ली और श्री मनीष सिसोदिया, वित्त मंत्री, दिल्ली	26 जुलाई, 2019
28.	मुख्यमंत्री का कान्क्लेव, देहारादून/मसूरी	27 और 28 जुलाई, 2019
29.	श्री पीयू टीजे ललनुल्लुयांगा, कानून एवं परिवहन राज्य मंत्री, मिजोरम	30 जुलाई, 2019
30.	श्री अनिल बैजल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली	1 अगस्त, 2019
31.	श्री गोडिसेला राजेशम गौड़, अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग तेलंगाना	5 अगस्त, 2019
32.	श्री जयराम ठाकुर, मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश	6 अगस्त, 2019
33.	श्री वी. नारायणस्वामी, मुख्य मंत्री, पुडुचेरी	21 अगस्त, 2019
34.	श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री, राजस्थान	23 अगस्त, 2019
35.	श्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, वित्त मंत्री, आंध्र प्रदेश	4 अक्टूबर, 2019
36.	श्री श्रीकांत बाल्दी, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश	9 अक्टूबर, 2019
37.	श्री नगेंद्र नाथ सिन्हा, अध्यक्ष, एनएचएआई	10 अक्टूबर, 2019
38.	प्रो.के. विजय राघवन, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार	11 अक्टूबर, 2019
39.	श्री धर्मेन्द्र प्रधान, केबिनेट मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री	16 अक्टूबर, 2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
40.	श्री आलोक निगम, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार	7 नवंबर, 2019
41.	श्री हरीश राव, वित्त मंत्री, तेलंगाना और श्री रामकृष्ण राव, मुख्य सचिव(वित्त), तेलंगाना	28 जनवरी, 2020
42.	श्री डेविड लिप्टन, प्रथम उप प्रबंध निदेशक, आईएमएफ	14 फरवरी, 2020
43.	श्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, वित्त मंत्री, आंध्र प्रदेश	2 मार्च, 2020
44.	श्री प्रेम सिंह तमांग, मुख्य मंत्री, सिक्किम	7 मार्च, 2020
45.	श्री नेफ्यू रियो, मुख्य मंत्री नागालैंड	12 मार्च, 2020
46.	श्री चौना मीन, उप मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश	13 मार्च, 2020
47.	सुश्री रेनाटा डेसालिएन, यूनाइटेड नेशन	28 सितंबर, 2020

माननीय राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री (नई दिल्ली)  
के साथ आयोग की बैठकों की सूची

क्रम सं.	बैठक	तारीख
1	श्री अरुण जेटली, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्रालय (आयोग की ओर से शिष्टाचार आमंत्रण)	04 दिसंबर, 2017
2	श्री अरुण जेटली, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्रालय	13 जनवरी, 2018
3	श्री राम नाथ कोविंद, भारत के माननीय राष्ट्रपति	15 फरवरी, 2018
4	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री	06 मार्च, 2018
5	श्री एम. वेंकैया नायडू, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति	18 मई, 2018
6	श्री राम नाथ कोविंद, भारत के माननीय राष्ट्रपति	5 दिसंबर, 2019
7	श्रीमती निर्मला सीतारमण, कैबिनेट मंत्री, वित्त मंत्रालय	6 दिसंबर, 2019
8	श्री नरेंद्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री	12 दिसंबर, 2019

## व्यक्तियों/ संगठनों (नई दिल्ली) के साथ आयोग की बैठकों की सूची

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	सुश्री पूनम गुप्ता, अर्थशास्त्री और श्री जुनैद अहमद, दक्षिण एशिया में भारत देश के निदेशक और विश्व बैंक के अन्य अधिकारीगण	09 फरवरी, 2018
2	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त परिचयात्मक बैठक	21 फरवरी, 2018
3	तमिलनाडु से मंत्री / संसद सदस्य	19 अप्रैल, 2018
4	श्री मार्को बूटी, महानिदेशक (आर्थिक और वित्तीय मामले), यूरोपीय आयोग	17 मई, 2018
5	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली (स्थानीय सरकार को अंतरण और शासन संबंधी मुद्दों पर एक प्रस्तुतीकरण)	20 जून, 2018
6	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई (केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा लोक व्यय की औसत दक्षता की तुलना पर एक प्रस्तुतीकरण)	21 जून, 2018
7	मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई (कुछ चुनिंदा राज्य सरकारों के एक समूह द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कुछ चयनित मदों पर किए जाने वाले लोक व्यय की दक्षता संबंधी एक तुलनात्मक प्रस्तुतीकरण)	21 जून, 2018
8	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की प्रमुख सुश्री गैब्रिएला रामोस तथा अन्य पदाधिकारीगण	03 जुलाई, 2018
9	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा जोखिम प्रबंधन के वित्तपोषण पर प्रस्तुतीकरण)	8 अगस्त एवं 8 अक्टूबर, 2018
10	श्री एस. के. मिश्रा, अध्यक्ष, इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट	14 सितंबर, 2018
11	श्री नितिन आनंद, आयुक्त जीएसटी, बिहार	14 सितंबर, 2018
12	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली (मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी सिमुलेशन मॉडल पर प्रस्तुतीकरण)	8 अक्टूबर, 2018 एवं 15 मई, 2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
13	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली (पंचायतों के अपने संसाधनों के संवर्धन हेतु आवश्यक उपायों पर प्रस्तुतीकरण)	14 दिसंबर, 2018
14	श्री अरविंद मोदी, पूर्व सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	13 अगस्त, 2019
15	लद्दाख का दौरा	15 से 18 सितंबर, 2019
16	आंध्र प्रदेश का दौरा*	18 से 20 दिसंबर, 2019
17	श्री राकेश नाथ, पूर्व सदस्य, विद्युत अपीलिय प्राधिकरण और पूर्व-अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)	3 अगस्त, 2020
18	डॉ. एरोमर रेवी, निदेशक, आईआईएचएस	5 अगस्त, 2020
19	हरियाणा के मुख्यमंत्री**	28 सितंबर, 2020

\* इस बैठक में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सचिव/अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

\*\* इस बैठक में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्य(एएल) सचिव/अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

## संघ सरकार के मंत्रालयों /विभागों के साथ आयोजित बैठकें (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1 (क)	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक	16 जनवरी, 2018
1 (ख)	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (प्रधान निदेशक द्वारा रेल-वित्त पर प्रस्तुतीकरण)	16 मई, 2018
1 (ग)	भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा अन्य पदाधिकारीगण	8 जुलाई, 2019
2	लेखा महानियंत्रक (पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पर प्रस्तुतीकरण)	3 अप्रैल, 2018
3 (क)	विशेष सचिव और सदस्य, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड तथा अन्य पदाधिकारीगण	9 अप्रैल, 2018
3 (ख)	अध्यक्ष, तथा अन्य पदाधिकारीगण केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड	24 अगस्त, 2018
4	अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीगण, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	10 अप्रैल, 2018
5 (क)	रक्षा बलों के प्रमुख तथा अन्य पदाधिकारीगण	16 अप्रैल, 2018
5 (ख)	श्रीमती निर्मला सीतारमण, कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	20 अप्रैल, 2018
5 (ग)	श्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	30 अगस्त, 2019
6 (क)	श्री राजनाथ सिंह, कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	19 अप्रैल, 2018
6 (ख)	गृह मंत्रालय तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदाधिकारीगण	9 जुलाई, 2020
7 (क)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	14 मई, 2018

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
7 (ख)	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभागों के पदाधिकारीगण	23 जुलाई, 2019
7 (ग)	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभागों के पदाधिकारीगण	31 अगस्त, 2019
7 (घ)	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	17 जून, 2020
8 (क)	मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा पदाधिकारीगण, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	1 जून, 2018
8 (ख)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	11 अप्रैल, 2019
8 (ग)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	15 मई, 2019
8 (घ)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, व्यय विभाग और बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय	26 अगस्त, 2019
8 (ङ)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	6 मार्च, 2019
8 (च)	सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	22 जून, 2020
8 (छ)	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	2 जुलाई, 2020
8 (ज)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	8 जुलाई, 2020
8 (झ)	सचिव, वित्तीय सेवाएं प्रभाग, वित्त मंत्रालय	31 जुलाई, 2020
8 (ञ)	सचिव, निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय	4 अगस्त, 2020
9 (क)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य पदाधिकारीगण, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	4 जून, 2018
9 (ख)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	21 मई, 2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
10 (क)	श्री पीयूष गोयल, कैबिनेट मंत्री, रेल मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	5 जून, 2018
10 (ख)	अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीगण, रेलवे बोर्ड	8 अगस्त, 2019
10 (ग)	अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीगण, रेलवे बोर्ड	27 जनवरी, 2020
11 (क)	अपर महानिदेशक तथा अन्य पदाधिकारीगण, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	18 जून, 2018
11 (ख)	उपमहानिदेशक तथा अन्य पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	18 जून, 2019
11 (ग)	महानिदेशक तथा अन्य पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	6 जुलाई, 2018
12 (क)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय	11 जुलाई, 2018
12 (ख)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, ग्रामीण विकास मंत्रालय	11 अप्रैल, 2019
12 (ग)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, पंचायती राज मंत्रालय	26 अप्रैल, 2019
12 (घ)	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, ग्रामीण विकास विभाग	20 जनवरी, 2020
12 (ङ)	श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री, कृषि और कृषक कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के पदाधिकारीगण	25 जून, 2020
12 (च)	श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री, कृषि और कृषक कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय तथा कृषि और कृषक कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्रालय के पदाधिकारीगण	26 जून, 2020
13 (क)	उपाध्यक्ष (डॉ. राजीव कुमार) तथा अन्य पदाधिकारीगण, नीति आयोग	27 जुलाई, 2018
13 (ख)	उपाध्यक्ष (डॉ. राजीव कुमार) तथा अन्य पदाधिकारीगण, नीति आयोग	15 अप्रैल, 2019



क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
13 (ग)	उपाध्यक्ष (डॉ. राजीव कुमार) तथा अन्य पदाधिकारीगण, नीति आयोग	8 अगस्त, 2019
13 (घ)	डॉ. वी.के. पॉल, सदस्य, नीति आयोग तथा सचिव व अन्य पदाधिकारीगण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	14 जनवरी, 2020
13 (ङ)	उपाध्यक्ष (डॉ. राजीव कुमार) तथा अन्य पदाधिकारीगण, नीति आयोग	27 जनवरी, 2020
14	श्रीमती सुषमा स्वराज, कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	5 नवंबर, 2018
15	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय#	6 दिसंबर, 2018
16	सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण, जनजातीय कार्य मंत्रालय#	11 दिसंबर, 2018
17	भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (संयुक्त सचिव द्वारा फेम इंडिया स्कीम पर प्रस्तुतिकरण)	18 दिसंबर, 2018
18 (क)	श्री जगत प्रकाश नड्डा, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभागों के पदाधिकारीगण	19 दिसंबर, 2018
18 (ख)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत – प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना	19 जुलाई, 2019
18 (ग)	डॉ. हर्षवर्धन, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पदाधिकारीगण	23 अगस्त, 2019
18 (घ)	डॉ. हर्षवर्धन, कैबिनेट मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	13 जुलाई, 2020
19	श्री नितिन जे. गडकरी, कैबिनेट मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	2 जनवरी, 2019
20 (क)	मंत्रिमंडल सचिव और मंत्रिमंडल सचिवालय के पदाधिकारीगण; सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	21 जनवरी, 2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
20 (ख)	मंत्रिमंडल सचिव और मंत्रिमंडल सचिवालय के पदाधिकारीगण; वित्त सचिव और सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	16 मार्च, 2019
21 (क)	श्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	4 फरवरी, 2019
21 (ख)	अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय#	13 अगस्त, 2019
21 (ग)	श्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	21 अगस्त, 2019
21 (घ)	श्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा अन्य पदाधिकारीगण	17 जुलाई, 2020
22 (क)	श्री प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पदाधिकारीगण	13 फरवरी, 2019
22 (ख)	श्री प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण	22 फरवरी, 2019
22 (ग)	श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पदाधिकारीगण	21 अगस्त, 2019
22 (घ)	संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा श्री आशीष धवन, संस्थापक एवं अध्यक्ष, सेंट्रल स्क्वेयर फाउंडेशन	17 जनवरी, 2020
22 (ङ)	श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पदाधिकारीगण	29 जून, 2020
22 (च)	श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', कैबिनेट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा उच्च शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण	29 जून, 2020
23 (क)	श्री आर. के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	15 फरवरी, 2019

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
23 (ख)	श्री आर. के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	12 मार्च, 2019
23 (ग)	श्री आर. के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	8 अगस्त, 2019
23 (घ)	श्री आर. के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	21 जनवरी, 2020
23 (ङ)	श्री आर. के. सिंह, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विद्युत मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	29 मई, 2020
24 (क)	सचिव और पदाधिकारीगण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	15 मार्च, 2019
24 (ख)	श्री प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	1 अगस्त, 2019
24 (ग)	श्री प्रकाश जावड़ेकर, कैबिनेट मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	30 मई, 2020
25	श्री श्रीपद येसो नाइक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	18 जुलाई, 2019
26	श्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	27 अगस्त, 2019
27 (क)	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, कैबिनेट मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	4 सितंबर, 2019
27 (ख)	सचिव तथा पदाधिकारीगण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और अध्यक्ष तथा पदाधिकारीगण, एपीईडीए	5 फरवरी, 2020
28	श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, कैबिनेट मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा पदाधिकारीगण	14 सितंबर, 2019
29	सचिव और पदाधिकारीगण, वाणिज्य विभाग तथा सचिव और पदाधिकारीगण, पर्यटन मंत्रालय	28 जनवरी, 2020

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
30	श्री प्रणब सेन, अध्यक्ष, सांख्यिकी विषयक स्थायी समिति तथा सचिव और पदाधिकारीगण, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	6 फरवरी, 2020

# - पंद्रहवें वित्त आयोग के सचिव स्तर पर आयोजित बैठकें।

## अर्थशास्त्रियों, विषय-विशेषज्ञों, अंतरराष्ट्रीय एवं अन्य संगठनों के साथ बैठकें

क्रम संख्या	बैठकें/सम्मेलन/कार्यशालाएं	तारीख
1	भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली	15 जनवरी, 2018
2	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी), नई दिल्ली	5 फरवरी, 2018
3	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली	27 फरवरी, 2018
4	वरिष्ठ संपादकों के साथ सम्मेलन, नई दिल्ली	28 फरवरी, 2018
5	इथोपियन प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली*	5 मार्च, 2018
6	संसद सदस्य, नई दिल्ली	14 मार्च, 2018
7	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, नई दिल्ली	27 एवं 28 मार्च, 2018
8	आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के साथ उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन, नई दिल्ली	4 अप्रैल, 2018
9	कृषि वैज्ञानिकों के साथ कार्यशाला, चंडीगढ़	3 मई, 2018
10	अर्थशास्त्री / विषय विशेषज्ञ, नई दिल्ली	14 मई, 2018
11	अर्थशास्त्री / विषय विशेषज्ञ, नई दिल्ली	17 मई, 2018
12	विश्व बैंक प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली	30 एवं 31 जुलाई, 2018
13	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) पदाधिकारी, नई दिल्ली	16 अगस्त, 2018
14	पश्चिमी क्षेत्र के अर्थशास्त्री, पुणे	21 अगस्त, 2018
15	अर्थशास्त्री, चेन्नई	5 सितंबर, 2018
16	राजस्व आबंटन आयोग (सीआरए), केन्या से प्रतिनिधिमंडल, नई दिल्ली*	24 सितंबर, 2018
17	यूएनडीपी, एनडीएमए, वर्ल्ड बैंक और पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन के वित्तपोषण पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला, नई दिल्ली	12 एवं 13 नवंबर, 2018
18	लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री, नई दिल्ली	15 फरवरी, 2019

क्रम संख्या	बैठकें/सम्मेलन/कार्यशालाएं	तारीख
19	आयोग द्वारा विश्व बैंक, ओईसीडी और एडीबी की साझेदारी में, नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन	4 अप्रैल, 2019
20	भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास और भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य अधिकारी, मुंबई	8 मई, 2019
21	अर्थशास्त्री और वित्तीय संस्थाएं, मुंबई	9 मई, 2019
22	अर्थशास्त्री, बेंगलुरु	24 जून, 2019
23	प्रोफेसर कार्तिक मुरलीधरन, टाटा चांसलर्स प्रोफेसर ऑफ़ इकॉनॉमिक्स, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में	8 जुलाई, 2019
24	जीएसटी परिषद की बैठक, गोवा**	19 एवं 20 सितंबर, 2019
25	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रस्तुतिकरण, नई दिल्ली	17 जनवरी, 2020
26	श्री सार्थक सक्सेना, उपायुक्त, जीएसटीएन, नई दिल्ली	10 फरवरी, 2020
27	विश्व बैंक के पदाधिकारीगण	6 जुलाई, 2020

\* पंद्रहवें वित्त आयोग के सचिव स्तर पर आयोजित बैठकें

\*\* इन बैठकों में पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सचिव ने भाग लिया।

## राज्यों के महालेखाकारों के साथ आयोजित बैठकें (नई दिल्ली)

क्रम सं.	नाम और पदनाम	राज्य	तारीख
1	श्री जॉन के. सेलेट, प्रधान महालेखाकार	अरुणाचल प्रदेश	19 मार्च, 2018
2	श्री सुशील कुमार ठाकुर, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और श्री एस. चटर्जी, महालेखाकार (ए एंड ई)	जम्मू एवं कश्मीर**	21 मार्च, 2018
3	सुश्री रश्मि अग्रवाल, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	असम	23 अप्रैल, 2018
4	सुश्री महुआ पाल, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	हरियाणा	2 मई, 2018
5	श्री एस. सुनील राज, महालेखाकार (सामान्य केरल एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)		11 मई, 2018
6	श्री के. आर. श्रीराम, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) तथा श्री एच. के. धर्मदर्शी, प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)	गुजरात	3 जुलाई, 2018
7	श्री एम. एस. सुब्रह्मण्यम, प्रधान महालेखाकार पश्चिम बंगाल और श्री श्रीराज अशोक, उपमहालेखाकार		6 जुलाई, 2018
8	श्री नेदुनचेज़ियन सी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	झारखंड	20 जुलाई, 2018
9	सुश्री संगीता चौउरे, प्रधान महालेखाकार, लेखापरीक्षा-I	महाराष्ट्र	7 अगस्त, 2018
10	सुश्री देविका नायर, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)	तमिलनाडु	28 अगस्त, 2018
11	श्री आई.डी.एस. धारीवाल, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	हिमाचल प्रदेश	11 सितंबर, 2018

क्रम सं.	नाम और पदनाम	राज्य	तारीख
12	श्री नीलोत्पल गोस्वामी, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	बिहार	14 सितंबर, 2018
13	श्री एल. वी. सुधीर कुमार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	आंध्र प्रदेश	24 सितंबर, 2018
14	श्री एस. आलोक, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	उत्तराखंड	8 अक्टूबर, 2018
15	श्री सी. ए. बोध, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	मणिपुर	14 नवंबर, 2018
16	श्री ए. पी. चोफी, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	नागालैंड	14 नवंबर, 2018
17	श्री बसंतिया बी., महालेखाकार (सामान्य एवं ओडिशा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)		3 जनवरी, 2019
18	श्री मनीष कुमार, महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	त्रिपुरा	15 जनवरी, 2019
19	सुश्री पूनम पांडे, प्रधान महालेखाकार	पंजाब	22 जनवरी, 2019
20	सुश्री रेबेका मथाई, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	तेलंगाना	14 फरवरी, 2019
21	श्री एल. तोछांग, प्रधान महालेखाकार	मिजोरम	20 मार्च, 2019
22	श्री स्टीफन होंगरे, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	मेघालय	20 मई, 2019
23	सुश्री ई. पी. निवेदिता, प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)	कर्नाटक	7 जून, 2019
24	श्री आर. के. पांडेय, महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)*	मध्य प्रदेश	3 जुलाई, 2019
25	श्री डी. आर. पाटिल, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	छत्तीसगढ़	15 जुलाई, 2019
26	श्री आर. जी. विश्वनाथन, प्रधान महालेखाकार	राजस्थान	13 अगस्त, 2019
27	श्री सुशील कुमार, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)	सिक्किम	12 सितंबर, 2019



क्रम सं.	नाम और पदनाम	राज्य	तारीख
28	श्री जयंत सिन्हा, प्रधान महालेखाकार (आर्थिक, राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)	उत्तर प्रदेश	11 अक्टूबर, 2019
29	श्री आशुतोष जोशी, प्रधान महालेखाकार	गोवा	16 जनवरी, 2020

\*भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित

\*\*जम्मू एवं कश्मीर 31 अक्टूबर, 2019 को संघ राज्यक्षेत्र बन गया।

## राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों की सूची

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	दक्षिणी राज्यों के संबंध में, हैदराबाद, तेलंगाना	9 फरवरी, 2018
2	पूर्वी राज्यों के संबंध में, रांची, झारखंड	15 फरवरी, 2018
3	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के संबंध में, नई दिल्ली	22 फरवरी, 2018
4	उत्तरी और पश्चिमी राज्यों के संबंध में, नई दिल्ली	23 फरवरी, 2018

## पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए राज्यों के दौरों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	तारीख	मुख्यमंत्री के साथ बैठक
1	अरुणाचल प्रदेश	5 अप्रैल, 2018	8 अप्रैल, 2018
2	असम	25 अप्रैल, 2018	28 अप्रैल, 2018
3	हरियाणा	3 मई, 2018	4 मई, 2018
4	केरल	28 मई, 2018	31 मई, 2018
5	पश्चिम बंगाल	16 जुलाई, 2018	18 जुलाई, 2018
6	गुजरात	23 जुलाई, 2018	25 जुलाई, 2018
7	झारखंड	1 अगस्त, 2018	3 अगस्त, 2018
8	तमिलनाडु	4 सितंबर, 2018	8 सितंबर, 2018
9	महाराष्ट्र	17 सितंबर, 2018	19 सितंबर, 2018
10	हिमाचल प्रदेश	25 सितंबर, 2018	28 सितंबर, 2018
11	बिहार	1 अक्टूबर, 2018	4 अक्टूबर, 2018
12	आंध्र प्रदेश	9 अक्टूबर, 2018	12 अक्टूबर, 2018
13	उत्तराखंड	15 अक्टूबर, 2018	18 अक्टूबर, 2018
14	नागालैंड	27 नवंबर, 2018	28 नवंबर, 2018
15	मणिपुर	29 नवंबर, 2018	30 नवंबर, 2018
16	ओडिशा	8 जनवरी, 2019	11 जनवरी, 2019
17	त्रिपुरा	16 जनवरी, 2019	18 जनवरी, 2019
18	पंजाब	29 जनवरी, 2019	1 फरवरी, 2019
19	तेलंगाना	18 फरवरी, 2019	20 फरवरी, 2019
20	मिजोरम	25 मार्च, 2019	26 मार्च, 2019
21	मेघालय	3 जून, 2019	5 जून, 2019
22	कर्नाटक	23 जून, 2019	26 जून, 2019
23	मध्य प्रदेश	3 जुलाई, 2019	5 जुलाई, 2019
24	छत्तीसगढ़	23 जुलाई, 2019	25 जुलाई, 2019
25	राजस्थान	6 सितंबर, 2019	9 सितंबर, 2019
26	सिक्किम	23 सितंबर, 2019	26 सितंबर, 2019
27	उत्तर प्रदेश	19 अक्टूबर, 2019	22 अक्टूबर, 2019
28	गोवा	23 जनवरी, 2020	24 जनवरी, 2020

\*राज्य के मुख्य सचिव के साथ आयोजित बैठक।

उन संस्थाओं/संगठनों के साथ बैठकों की सूची  
जिन्हें पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अध्ययन कार्य सौंपे गए

क्रम सं.	विषय	संस्था	तारीख
1	भारत में केंद्र और राज्यों के लिए चक्रीय रूप से समायोजित प्राथमिक संतुलन	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	13 जून, 2018 और 19 मार्च, 2019
2	वेतन आयोग: राजकोषीय निहितार्थ	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	13 जून, 2018 और 19 मार्च, 2019
3	केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा और राज्यों के बीच आबंटन: साम्य-संतुलन एवं दक्षता संबंधी कुछ मुद्दे	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	13 जून, 2018
4	चौदहवां वित्त आयोग पंचाट होने के बाद राज्यों में विकास पर व्यय: राज्यों को प्रदत्त धन के व्यय की रीति	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली	14 जून, 2018
5	चौदहवां वित्त आयोग पंचाट होने के बाद राज्यों में विकास पर व्यय: केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का एक मूल्यांकन	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली	14 जून, 2018, 15 सितंबर, 2018 और 25 जनवरी, 2019
6	भारत के महानगरीय शहरों में नगर निगमों का वित्त	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली	14 जून, 2018 और 21 सितंबर, 2018
7	भारत में म्युनिसिपल वित्त की स्थिति	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकॉनॉमिक रिलेशंस, नई दिल्ली	14 जून, 2018 और 21 सितंबर, 2018

क्रम सं.	विषय	संस्था	तारीख
8	म्युनिसिपल वित्त संबंधी अध्ययन	जनाग्रह, बेंगलुरु	20 जून, 2018 और 9 अप्रैल, 2019
9	पैट्रोलियम उत्पादों पर कर राजस्व तथा विक्रय कर के पूर्वानुमान और राज्यों के अपने कर-राजस्व संबंधी (एसओटीआर) प्रयास: भारत में राज्यों का विश्लेषण	जेवियर यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर	22 जून, 2018
10	भारत में राज्यों की जनांकिकीय उपलब्धियों के बदले में संसाधनों का आबंटन: एक साक्ष्याधारित सन्निष्कर्ष	सेंटर फॉर डवलपमेंट स्टडीज, केरल	28 जून, 2018 और 25 अप्रैल, 2019
11	राजकोषीय संघवाद के माध्यम से वन-संरक्षण: विगत अनुभवों से ली गई सीख	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	28 जून, 2018 और 2 नवंबर, 2018
12	भारत में हरित राजकोषीय संघवाद का सुदृढ़ीकरण	द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	28 जून, 2018 और 2 नवंबर, 2018
13	भारत में राज्यों के लिए मापनीय, निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन	एनसीईईआर, नई दिल्ली	5 जुलाई, 2018, 19 दिसंबर, 2018 और 7 मार्च, 2019
14	आयुष्मान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लागत एवं वित्तीय व्यवस्था	आर्थिक विकास संस्थान, नई दिल्ली	13 जुलाई, 2018 और 18 दिसंबर, 2018
15	संघीय वित्त आयोग अनुदानों का पंचायतों को अंतरण	अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली	6 अगस्त, 2018, 15 मार्च, 2019 और 6 मई, 2019
16	शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से शहरी अवसंरचना का विकास करना और इसे आपदासह्य बनाना	इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्युमन सेटलमेंट्स, बेंगलुरु	8 अगस्त, 2018
17	कृषि-सब्सिडी	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली	23 अगस्त, 2018 और 12 दिसंबर, 2018

क्रम सं.	विषय	संस्था	तारीख
18	उपकर और अधिभार: संकल्पना, परिपाटी और सुधार	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली	13 सितंबर, 2018
19	राज्यों को सशर्त अंतरणों हेतु विधिक आधार की जांच तथा राज्यों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों से संबंधित मुद्दे	विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, नई दिल्ली	13 सितंबर, 2018
20	वायु-प्रदूषण की वर्तमान स्थिति एवं कारण तथा समाधान	द नेचर कंजरवेंसी	20 दिसंबर, 2018
21	वायु-प्रदूषण तथा वन-संबंधी राजकोषीय अंतरणों पर संयुक्त प्रस्तुतीकरण	द नेचर कंजरवेंसी, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट	30 अप्रैल, 2019
22	वायु-प्रदूषण: स्वच्छ वायु प्रबंधन के लिए परिणामाधारित वित्त व्यवस्था	वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट	20 मई, 2019
23	जीएसटी लागू होने के राजकोषीय निहितार्थ	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी	7 जून, 2019

### आयोग की सलाहकार परिषद् की बैठकों की सूची (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	17 मई, 2018
2	दूसरी	21 फरवरी, 2019
3	तीसरी	16 मई, 2019
4	चौथी	13 सितंबर, 2019
5	पांचवीं	16 दिसंबर, 2019
6	छठी	13 फरवरी, 2020
7	सातवीं	23-24 अप्रैल, 2020
8	आठवीं	25-26 जून, 2020
9	नौवीं	4-5 सितंबर, 2020

### स्वास्थ्य सेक्टर पर गठित उच्च स्तरीय समूह के साथ बैठकों की सूची (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	20 अगस्त, 2018
2	दूसरी	8 फरवरी, 2019
3	तीसरी	22 मई, 2019
4	चौथी	30 अगस्त, 2019
5	पांचवीं	21 मई, 2020

पंजाब के सीसीएल अंतर की समीक्षा हेतु गठित  
नकद क्रेडिट सीमा समिति की बैठकों की सूची (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	14 फरवरी, 2019
2	दूसरी	20 मार्च, 2019
3	तीसरी	2 अगस्त, 2019

रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के मामलों की जांच हेतु गठित  
समूह की बैठकों की सूची (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	4 मार्च, 2020
2	दूसरी	18 मई, 2020

कृषि निर्यातों पर गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह की बैठकों की सूची

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	24 फरवरी, 2020
2	दूसरी	17 मार्च, 2020
3	तीसरी	30 अप्रैल, 2020
4	चौथी	12 मई, 2020
5	पांचवीं	11 जून, 2020
6	छठी	9 जुलाई, 2020
7	सातवीं	31 जुलाई, 2020



## राजकोषीय समेकन रूपरेखा समिति की बैठकों की सूची (नई दिल्ली)

क्रम संख्या	बैठकें	तारीख
1	पहली	21 मई, 2020

## राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकों के प्रतिभागियों की सूची (क से घ तक)

(क) डॉ. एमसीआर एचआरडी इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना, में दिनांक 09.02.2018 को दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक

1. श्री एम. रविचंद्र, विशेष मुख्य सचिव (वित्त), आंध्र प्रदेश
2. श्री बी. वेंकटेश्वरा राव, विशेष कार्याधिकारी, वित्त विभाग, आंध्र प्रदेश
3. श्री बी. सोबन, परामर्शदाता, वित्त विभाग, आंध्र प्रदेश
4. श्री सी. बालाजी, जिला पंचायत अधिकारी, आंध्र प्रदेश
5. श्री जी. विनोद कुमार, परामर्शदाता, आंध्र प्रदेश
6. श्री गोपालकृष्ण, वित्त विभाग, कर्नाटक
7. श्री पुरुषोत्तम सिंह, विशेष अधिकारी, जिला पंचायत, कर्नाटक
8. श्री मिन्हाज आलम, सचिव (वित्तीय संसाधन), केरल
9. श्री बी. प्रतीप कुमार, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, केरल
10. श्री पी. कार्तिकराज, अनुसंधान सहायक, वित्त विभाग, केरल
11. श्री एम. अरविंद, उपसचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु
12. श्री एच. कृष्णनउन्नी, उपसचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु
13. श्री गिरिराज कुमार, अवर सचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु
14. श्री वी. गिरिराज, वित्त विभाग, महाराष्ट्र
15. श्री वैभव आर. राजेघाटगे, उपसचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र
16. श्रीमती विद्या एच. वाघमारे, अवर सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र
17. श्री जी. आर. रेड्डी, तेलंगाना सरकार के सलाहकार
18. श्री के. रामकृष्ण राव, प्रधान वित्त सचिव, तेलंगाना

19. श्री एन. शिव शंकर, प्रधान सचिव (वित्त), तेलंगाना
20. डॉ. बी. जनार्दन रेड्डी, आयुक्त, जीएचएमसी
21. डॉ. पी. के. श्रीदेवी, निदेशक, म्युनिसिपल प्रशासन, तेलंगाना
22. श्री विकास राज, प्रधान सचिव, पीआरएंडआरडी, तेलंगाना
23. श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद, आयुक्त एवं निदेशक, पीआरएंडआरडी, तेलंगाना
24. श्री जी. एस. राममोहन राव, अपर वित्त सचिव, तेलंगाना
25. श्री चौ. वी. साई प्रसाद, संयुक्त सचिव, तेलंगाना

### पंद्रहवां वित्त आयोग

26. श्री अरविन्द मेहता, सचिव
27. श्री मुखमीत सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव
28. श्री जसविंदर सिंह, निदेशक
29. श्री रितेश कुमार, सहायक निदेशक
30. श्री संदीप कुमार, सहायक निदेशक
31. श्री महेश कुमार, सहायक निदेशक

(ख) दिनांक 15.02.2018 को रांची, झारखंड में आयोजित पूर्वी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

1. सुश्री सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव (वित्त), बिहार
2. श्री मनोरंजन दास, वित्त आयोग प्रकोष्ठ, बिहार
3. श्री के. डी. प्रोज्ज्वल, बिहार
4. श्री नजर हुसैन, बिहार
5. श्री राजेश कुमार तिवारी, अनुभाग अधिकारी, बिहार
6. श्री सुनील कुमार, अनुभाग अधिकारी, बिहार
7. श्री गौरव कुमार, एमआईएस (विशेषज्ञ), बिहार
8. श्री बिनोद कुमार तिवारी, बिहार
9. श्री संजीव मित्तल, बिहार
10. डॉ. ए. के. सिंह, संयुक्त सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़
11. श्री अरविंद कुजूर, विशेष कार्याधिकारी, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़
12. श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव (वित्त), झारखंड
13. श्री सतेंद्र सिंह, सचिव (व्यय), झारखंड
14. श्री हरिश्चर दयाल, मुख्य निदेशक, सीएफएस, झारखंड
15. श्री ए. के. रतन, संयुक्त सचिव (यूडी एंड एचडी), झारखंड
16. श्री नवनीत कुमार, परामर्शदाता, झारखंड
17. श्री चंदन कुमार, झारखंड
18. श्री निलहानी कुमार, आईपीआरडी, रांची, झारखंड
19. श्री लाल हेमंत एन. शाहदेव, अवर सचिव (यूडी एंड एचडी), झारखंड
20. श्री रंजीत रंजन पाल, अवर सचिव, पंचायती राज, झारखंड
21. श्री सत्य नारायण प्रसाद, ए. ओ. (वित्त), झारखंड
22. श्री देबेंद्र कुमार जीन, ओडिशा

23. श्री रूप नारायण दास, संयुक्त सचिव (वित्त), ओडिशा
24. श्री देवप्रिय बिस्वास, उपसचिव (वित्त), ओडिशा
25. श्री पी. ए. सिद्दीकी, सचिव (वित्त), पश्चिम बंगाल
26. सुश्री उज्जैनी दत्ता, अपर सचिव (वित्त), पश्चिम बंगाल
27. श्री जे. दत्ता, सलाहकार (बजट), पश्चिम बंगाल
28. श्री पवन कादयान, संयुक्त सचिव (वित्त), पश्चिम बंगाल
29. डॉ. अनल ज्योति चक्रवर्ती, उपसचिव (वित्त), पश्चिम बंगाल

### पंद्रहवां वित्त आयोग

30. श्री अरविन्द मेहता, सचिव
31. श्री मुखमीत सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव
32. श्री गोपाल प्रसाद, निदेशक
33. श्री नितिश सैनी, उपनिदेशक
34. सुश्री अदिति पाठक, उपनिदेशक
35. श्री संदीप कुमार, सहायक निदेशक
36. श्री महेश कुमार, सहायक निदेशक

(ग) दिनांक 22.02.2018 को चतुर्थ तल, नॉलेज सेंटर, एसटीसी भवन, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

1. श्री जी. एन. सिन्हा, विशेष कार्याधिकारी (वित्त आयोग), अरुणाचल प्रदेश
2. श्री एस. आर. डोंगरे, सलाहकार (वित्त), अरुणाचल प्रदेश
3. श्री एन. टी. ग्लोव, विशेष सचिव, (वित्त आयोग), अरुणाचल प्रदेश
4. श्री श्याम जगनाथन, आयुक्त एवं सचिव (वित्त), असम
5. श्री हेमंत कुमार देवरी, निदेशक (वित्त), असम
6. श्री माटीलाल सरकार, संयुक्त निदेशक (वित्त), असम
7. श्री अभय पंत, वित्त सचिव के विशेष कार्याधिकारी, हिमाचल प्रदेश
8. श्री रेखी राम, उपसचिव, बजट, हिमाचल प्रदेश
9. श्री जीत राम, अधीक्षक बजट, हिमाचल प्रदेश
10. श्री मदन वर्मा, अधीक्षक, हिमाचल प्रदेश
11. श्री विपिन कुमार, सहायक, हिमाचल प्रदेश
12. श्री विशाल शर्मा, अपर सचिव (वित्त), जम्मू एवं कश्मीर
13. श्री ओवैस अहमद, उपसचिव (वित्त), जम्मू एवं कश्मीर
14. डॉ. प्रिया बड्याल, लेखा अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर
15. सुश्री मोनिका लाहोत्रा, लेखा अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर
16. श्री रविंदर सिंह, संयुक्त सचिव, मणिपुर
17. श्री पी. के. अग्रहरि, आईएफएस, सचिव (वित्त), मेघालय
18. श्री ई. वाई. चेन, निदेशक, मेघालय
19. श्री एम. लिंगदोह, विशेष अधिकारी एवं अवर सचिव, मेघालय
20. पु लालमलस्वामा, सचिव (वित्त), मिजोरम
21. पु लालिंगमवाई सैलो, संयुक्त सचिव (वित्त), मिजोरम
22. पु सी. लुंगमुअनपुइया, अवर सचिव/ नोडल अधिकारी, मिजोरम

23. श्री वाई. किखेतो सेमा, सचिव, बजट, नागालैंड
24. श्री केखवेजो केफो, संयुक्त सचिव, नागालैंड
25. श्री केतॉलहौ मेथा, वरि. अनुसंधान अधिकारी, बजट, नागालैंड
26. श्री प्रधान, प्रधान निदेशक (वित्त), सिक्किम
27. श्री बेनू कुमार मुखिया, निदेशक (वित्त), सिक्किम
28. श्री अकिंचन सरकार, संयुक्त सचिव (वित्त), त्रिपुरा
29. श्री एल. एन. पंत, अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड
30. श्री आई. के. पांडे, सलाहकार (सेवानिवृत्त), उत्तराखंड

### पंद्रहवां वित्त आयोग

31. श्री अरविन्द मेहता, सचिव
32. श्री मुखमीत सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव
33. श्री आन्टणी सिरियक, आर्थिक सलाहकार
34. श्री गोपाल प्रसाद, निदेशक
35. श्री आनंद सिंह परमार, संयुक्त निदेशक
36. सुश्री स्वेता सत्या, उपनिदेशक
37. श्री कंदर्प वी. पटेल, उपनिदेशक
38. श्री नितिश सैनी, उपनिदेशक
39. सुश्री अदिति पाठक, उपनिदेशक
40. सुश्री शिखा दहिया, उपनिदेशक
41. श्री रितेश कुमार, सहायक निदेशक
42. श्री संदीप कुमार, सहायक निदेशक
43. श्री महेश कुमार, सहायक निदेशक
44. श्री पंकज गेरा, आर्थिक अधिकारी

(घ) दिनांक 23.02.2018 को नॉलेज सेंटर, चतुर्थ तल, एसटीसी बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली में उत्तरी और पश्चिमी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक

1. डॉ. वाई. दुर्गाप्रसाद, निदेशक, आयोजना, गोवा
2. श्री हेमंत देसाई, बजट विश्लेषक, गोवा
3. श्री प्रसाद पोवार, सहायक, एफडीएमडी, गोवा
4. श्री शैलेश नाइक, सहायक, एफडीएमडी, गोवा
5. श्री मुकेश एच. ढोलकिया, उपनिदेशक, गुजरात
6. श्री पी. एम. नायर, उप-अनुभाग अधिकारी, गुजरात
7. डॉ. आर. एस. मल्हण, निदेशक आयोजना, हरियाणा
8. श्री उदय वीर, अनुसंधान अधिकारी, हरियाणा
9. श्री पी. के. राय, उपसचिव वित्त, मध्य प्रदेश
10. श्री बृजपाल सिंह, अनुसंधान अधिकारी, मध्य प्रदेश
11. श्रीमती परमजीत कौर, उपनिदेशक, पंजाब
12. श्री ललित गोयल, अनुसंधान अधिकारी, पंजाब
13. श्री आशुतोष वाजपेयी, संयुक्त सचिव (ईए), राजस्थान
14. श्री संजीव मित्तल, प्रधान सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश
15. श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (वित्त), उत्तर प्रदेश
16. श्री अशोक कुमार, उपनिदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश

#### पंद्रहवां वित्त आयोग

17. श्री अरविन्द मेहता, सचिव
18. श्री मुखमीत सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव
19. श्री आन्टणी सिरियक, आर्थिक सलाहकार
20. श्री गोपाल प्रसाद, निदेशक



21. श्री आनंद सिंह परमार, संयुक्त निदेशक
22. सुश्री स्वेता सत्या, उपनिदेशक
23. श्री कंदर्प वी. पटेल, उपनिदेशक
24. श्री नितिश सैनी, उपनिदेशक
25. सुश्री अदिति पाठक, उपनिदेशक
26. सुश्री शिखा दहिया, उपनिदेशक
27. श्री रितेश कुमार, सहायक निदेशक
28. श्री संदीप कुमार, सहायक निदेशक
29. श्री महेश कुमार, सहायक निदेशक
30. श्री पंकज गेरा, आर्थिक अधिकारी

## राज्य सरकारों के साथ बैठकों के प्रतिभागियों की सूची

### 1. आंध्र प्रदेश (09-12 अक्टूबर, 2018)

#### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री नारा चंद्रबाबू नायडू	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री एन. चिनाराजप्पा	माननीय उपमुख्यमंत्री
3.	श्री पिठानी सत्यनारायण	श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कारखाना
4.	श्री सी. कुटुम्बा राव	उपाध्यक्ष आंध्र प्रदेश योजना बोर्ड
5.	डॉ. डी. संबाशिव राव	सरकार के विशेष मुख्य सचिव ( सीटी, पी एंड ई, आर एंड एस ), राजस्व विभाग
6.	डॉ. मनमोहन सिंह	सरकार के विशेष मुख्य सचिव ( भूमि, बंदोबस्ती और आपदा प्रबंधन ), राजस्व
7.	श्री बुदिथि राजशेखर	सरकार के विशेष मुख्य सचिव ( एफएसी ) ( विपणन ) कृषि और सहकारिता विभाग
8.	श्री नीरभ कुमार प्रसाद	सरकार के विशेष मुख्य सचिव, टीआर एंड बी विभाग
9.	श्री सतीशचंद्र	मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव
10.	श्रीमती पूनम मालाकोंडैया	विशेष मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण
11.	श्री के.एस. जवाहर रेड्डी	सरकार के प्रधान सचिव ( आरडी ) पीआर एंड आरडी
12.	श्री शमशेर सिंह रावत	सरकार के प्रमुख सचिव ( एसडब्ल्यू और टीडब्ल्यू ) एसडब्ल्यू विभाग
13.	श्री अजय जैन	सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा, अवसंरचना और निवेश

14. श्री के. विजयानंद सरकार के प्रधान सचिव (एफएसी), सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार
15. श्री जी. अनंत रामू सरकार के प्रमुख सचिव ईएफएस एंड टी
16. श्री मुद्दादा रविचंद्र प्रमुख वित्त सचिव (एफएसी) और सचिव (आर एंड ई)
17. श्री गोपाल कृष्ण द्विवेदी सरकार के प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग और मत्स्य पालन
18. श्री एल. प्रेम चंद्र रेड्डी सरकार के पदेन प्रधान सचिव (एसआर) सामान्य प्रशासन
19. श्रीमती बी. उदय लक्ष्मी सरकार के प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
20. सुश्री ए.आर. अनुराधा सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग
21. श्री शशिभूषण कुमार सरकार के सचिव (लघु, मध्यम और प्रमुख सिंचाई) जल संसाधन
22. श्री मुकेश कुमार मीणा सरकार के सचिव (पर्यटन), वाईएटी एंड सी विभाग
23. श्री पीयूष कुमार सरकार के सचिव (एफपी), वित्त
24. श्री के.वी.वी. सत्यनारायण सरकार के विशेष सचिव (आई एंड बीएफ) वित्त विभाग
25. श्री सिद्धार्थ जैन आयुक्त, उद्योग विभाग
26. श्री के. कन्ना बाबू निदेशक, एमए और यूडी विभाग
27. श्री ए.एस. दिनेश कुमार एमडी, एपी फाइबर
28. श्री के. रामगोपाल सरकार के सचिव (अल्पसंख्यक कल्याण), अल्पसंख्यक कल्याण
29. श्री कांतिलाल डांडे प्रबंध निदेशक ए.पी. स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन लि.
30. श्री अरुण कुमार आयुक्त, सचिव (एफएसी), डब्ल्यूसीडी विभाग
31. श्री डी. वेंकट रमणा सरकार के सचिव, विधि विभाग

32.	श्री संजय गुप्ता	सी. ई. ओ. और सरकार के पदेन सचिव, योजना
33.	श्री एनवीएस बाबू	एमडी, एपीएसआरटीसी
34.	श्री वी. राम मनोहर	विशेष आयुक्त, सीआरडीए
35.	डॉ. जी. सोमा सेखरम	निदेशक, पशुपालन विभाग
36.	श्री एन.वाई. सास्त्री	निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजना विभाग
37.	डॉ. दक्षिणामूर्ति	सलाहकार, योजना विभाग
38.	श्री वी. कृष्ण देवराय	सीईओ, एपीसीएफएसएस
39.	श्री बित्रा वेंकटेश्वर राव	ओएसडी ( एफसी ), वित्त विभाग
40.	श्री डी. सुरेन्द्र	जेएफए, वित्त विभाग

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री कोनेरू श्रीधर	महापौर, विजयवाड़ा नगर निगम
2.	श्री अब्दुल अजीज़	महापौर नेल्लूर नगर निगम
3.	श्रीमती मदमंची स्वरूपा	महापौर, अनंतपुरम नगर निगम
4.	श्री तुमुल अचुतावल्ली	अध्यक्ष, नगरपालिका कार्यालय, पुराना शहर, बोबिली
5.	श्री पी.राज्य लक्ष्मी रेड्डी	अध्यक्ष, नगरपालिका कार्यालय, इचापुरम
6.	श्री कोटिकालपुडी गोविंदा राव	अध्यक्ष, भीमावरम नगर पालिका
7.	श्री यलवर्धी श्रीनिवास राव	अध्यक्ष, गुडीवाड़ा नगर पालिका
8.	श्री चुन्दु श्री वर प्रकाश	अध्यक्ष, मंडपेटा नगर कार्यालय
9.	श्रीमती वाई. पद्मावती	अध्यक्ष, नंदीगामा एन.पी.
10.	श्रीमती सज्ज हेमलता	अध्यक्ष, पोन्नूर नगर कार्यालय
11.	श्री ठाडीवाका. श्रीनिवास राव	अध्यक्ष, रेपल्ले नगर निगम कार्यालय
12.	श्रीमती के. महालक्ष्मी	अध्यक्ष, ताडेपल्ली नगर भवन
13.	श्रीमती दुन्दु सारदा	महापौर, अध्यक्ष, वेंकटगिरी नगरपालिका कार्यालय

14. श्रीमती कोट्टीक गायत्रीदेवी अध्यक्ष, धोने नगर कार्यालय

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्रीमती गडे अनुराधा जेडपीपी, अध्यक्ष, कृष्णा जिला
2. श्रीमती स्वाति रानी शोभा जेडपीपी, अध्यक्ष, विजयनगरम जिला
3. श्रीमती जया लखमी जेडपीटीसी, तेनाली मंडल, गुंटूर जिला
4. श्री दिलीप चक्रवर्ती जेडपीटीसी, पीपली मंडल, कुरनूल जिला
5. श्री डी. श्रीनिवासमूर्ति गुडीबंडा मंडल, अनंतपुर जिला
6. श्री पी.सी. सांबा शिवम एमपीपी, कुप्पम, चित्तूर जिला
7. श्री कृष्णा किरण, एमपीपी, विंजामुर, नेल्लूर जिला
8. श्री डी. राम सुब्बा रेड्डी एमपीटीसी, तिरुवनंतपुरम, भदवेल मंडल, कडप्पा जिला
9. श्री पीसा कृष्णा एमपीटीसी, नारनपेटा, श्रीकौलम जिला
10. श्री के उदय भास्कर राव सरपंच, मंडुवारिपालेम पंचायत, ओंगोले डिवीजन और मंडल, प्रकाशमम जिला
11. श्री अमाबती सूर्य प्रकाश राव सरपंच, गुडिवाड़ा पंचायत, पेड्डापुम मंडल और डिवीजन, पूर्वी गोदावरी जिला
12. श्री के.एस. जवाहर रेड्डी सरकार के प्रधान सचिव (आरडी) पीआर एंड आरडी

### व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री रमाकांत इनानी उपाध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ तेलंगाना और एपी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, (एफटीएपीसीसीआई)
2. श्री के. सुब्बा राव अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एपी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एफएपीएसआईए)

- |    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 3. | श्री ए. सत्यनारायण   | कार्यकारी निदेशक, एपी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन |
| 4. | श्री एन.राघव राव     | ईडी. एपी स्पिनिंग मिल्स एसोसिएशन                               |
| 5. | श्रीमती बी. रामादेवी | अध्यक्ष, भारतीय महिला उद्यमी संघ (एएलईएपी)                     |
| 6. | सुश्री नरला मलाथी    | अध्यक्ष  |
| 7. | सुश्री झाँसी         | सचिव, सीओडबल्यूई-एपी चैप्टर विजयवाड़ा महिला संगठन              |
| 8. | श्री सिद्धार्थ जैन   | आयुक्त, उद्योग विभाग   |

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

- |     |                             |             |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 1.  | श्री पी. जे. चन्द्रशेखर राव | भाकपा       |
| 2.  | श्री के.एन.रेड्डी           | भाकपा       |
| 3.  | श्री पी. मधु                | सीपीआई (एम) |
| 4.  | श्री वाई वेंकटेश्वर राव     | सीपीआई (एम) |
| 5.  | डॉ. यू. वेंकटेश्वरुलु       | वाईएसआरसीपी |
| 6.  | श्री डी.एन.कृष्णा           | वाईएसआरसीपी |
| 7.  | प्रो. डी. आर. सुब्रह्मण्यम  | भाजपा       |
| 8.  | श्री सुधीर रामभोतला         | भाजपा       |
| 9.  | डॉ. पी. कृष्णा              | टीडीपी      |
| 10. | श्री टी. श्रवण कुमार        | टीडीपी      |

## 2. अरुणाचल प्रदेश (5-8 अप्रैल, 2018)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री पेमा खांडू	मुख्यमंत्री
2.	श्री चौना मेन	उपमुख्यमंत्री
3.	श्री मोहेश चाइ	मंत्री
4.	श्री ऐलो लिबांग	मंत्री
5.	श्री नबाम रेबिया	मंत्री
6.	श्री वांग्की लोवांग	मंत्री
7.	श्री होनचुन नगंदम	मंत्री
8.	श्री कैमलुंग मोसांग	मंत्री
9.	श्री बामांग फेलिक्स	मंत्री
10.	श्री जरकर गामलिन	संसदीय सचिव
11.	श्रीमती गुम तायेंग	माननीय मुख्यमंत्री के सलाहकार
12.	श्री ताइ तगाक	आयुक्त
13.	डॉ. एम. सूर्य प्रकाश	मुख्य इंजीनियर
14.	श्री काटुंग वाह्रो	निदेशक, आवासन
15.	श्री तेची गुबिन	सलाहकार (वित्त)
16.	श्री एस. आर. डोंगरे	निदेशक
17.	श्री ताजुक चारु	सचिव (सहकारिता)
18.	श्री ओनित पन्यांग	निदेशक (एएचवी)
19.	श्री एन. डी. मिंटो	वरिष्ठ सलाहकार (वित्त)
20.	श्री जगदीश सिन्हा	निदेशक (आईडब्ल्यूटी)
21.	श्री चारु तायुम	निदेशक (लेखापरीक्षा एवं पेंशन)

22.	श्री ए. बासित	उप-निदेशक (पीआर)
23.	श्री नबाम राजेश	निदेशक (एटीआई)
24.	श्री पाटे मारिक	निदेशक (एफएंडसी)
25.	श्री लियोक बोरांग	डी.ई.ई.
26.	श्री तापी गाओ	निदेशक (आईटीएंडसी)
27.	श्रीमती नीलम यापिन ताना	निदेशक (आईटीएंडसी)
28.	डॉ. डी. पाडुंग	राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अरुणाचल प्रदेश
29.	श्री एम. ई. ओरी	सचिव (एफ एंड सी)
30.	श्री जे. अंगु	संयुक्त सचिव (टीपीटी)
31.	श्री हाबुंग दोन्यी	निदेशक (एजीआरआई)
32.	श्री केसांग त्सेरिंग	संयुक्त निदेशक (एजीआरआई)
33.	श्री तादु गामे	एस.पी. इटानगर
34.	श्री एस. एस. कल्सिक	मंत्री
35.	श्री तुमके बागरा	उपाध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर)
36.	श्री एस. बी. के. सिंह	पुलिस उपमहानिदेशक
37.	श्री गौतम सेन	परामर्शदाता (15वां वित्त आयोग)
38.	श्री जी. एन. सिन्हा	ओएसडी, 15वां वित्त आयोग
39.	श्री रबिंद्र कुमार	पीसीसीएफ (पी एंड डी)
40.	श्री आर. के. सिंह	विशेष सचिव (पर्यावरण एवं वन)
41.	श्री ओमकार सिंह	पीसीसीएफ एवं प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)
42.	श्री हिमांशु गुप्ता	विशेष सचिव (एचसीएम)
43.	श्री सोनम चोम्बे	सचिव (एचसीएम)
44.	श्री ए. के. शुक्ला	एपीसीसीएफसीएफसी



45.	श्री सी.एम. राव	एपीसीसीएफ ( सीएएमपीए )
46.	डॉ. आर. केम्प	पीसीसीएफ ( डब्ल्यूआई एंड बीडी )
47.	श्री के. खोली	सचिव ( आरडब्ल्यूडी )
48.	श्री रेमो काम्की	संयुक्त सचिव ( एआर )
49.	श्री डी. नियोडु	सीई ( आरडब्ल्यूडी )
50.	श्री रिचिन ताशी	सचिव ( आरडी एंड पीआर )
51.	श्रीमती मिमुम तायेंग	सचिव ( बागवानी )
52.	श्रीमती येशी वांग्मो रिंगु	सचिव ( वित्त )
53.	श्री पी. ऐच	सलाहकार ( बजट )
54.	श्री अमिताव कुंडू	उपनिदेशक ( राज्य योजना )
55.	श्री ए. कातन	सीई ( एचपीडी )
56.	श्री सुबु ताबिन	निदेशक ( एसडीई )
57.	श्री एच. आर. बाडो	एसई ( पारेषण )
58.	श्री मार्की लोया	निदेशक ( एपीईडीए )
59.	श्री बाटेम पेटिन	निदेशक ( अनुसंधान )
60.	श्री हागे अप्पा	सीई ( पीडब्ल्यूडी )
61.	श्री एम. गोम्दिर	सीई ( डब्ल्यूआरडी )
62.	श्री पी. मिश्रा	निदेशक ( परियोजना समन्वय )
63.	श्री तडार अप्पा	निदेशक ( खेलकूद )
64.	श्री युमलाम काहा	निदेशक ( एसजेईटीए )
65.	श्री जे. रिमे	प्रभारी निदेशक ( बागवानी )
66.	श्री होक्तुम ओरी	नियंत्रक ( विधिक मापविज्ञान )
67.	श्रीमती टी. पेटिन लोयी	निदेशक ( डब्ल्यूसीडी )
68.	श्री एन. डी. पुबियांग	मृदा संरक्षण अधिकारी ( आरडब्ल्यूडी )

69.	श्री टी. वेल्ली	सीई ( आरडब्ल्यूडी )
70.	श्री कागो ताबियो	सीई ( आरडब्ल्यूडी )
71.	श्री जे. काम्डक	सीई ( एचपीडी )
72.	श्री के. सेरा	सीई ( पीडब्ल्यूडी )
73.	श्री तारू तालो	निदेशक ( उद्योग )
74.	श्री अटोप लेगो	सीई ( पीडब्ल्यूडी )
75.	श्री तागे ताडो	निदेशक ( परिवहन )
76.	श्री एम. लेगो	निदेशक ( स्वास्थ्य )
77.	श्री आर. के. जोशी	सीई ( एचपीडी )
78.	श्री तसार तलार	निदेशक ( भूविज्ञान एवं खनन )
79.	श्री जोतोम बोरंग	निदेशक ( पुस्तकालय )
80.	श्री ओबांग तायेंग	निदेशक ( आईपीआर )
81.	श्री तोमो बसर	सीई ( पीएचईडी ) ईजेड
82.	श्री एच. दत्ता	निदेशक ( एसआरएसएसी/एसएंडटी )
83.	श्री अनॉंग लेगो	निदेशक ( एजीआरआई )
84.	श्री बी. जे. दुइया	निदेशक ( एसएलआरडी )
85.	श्री तोको ज्योति	सीई ( पीएचईडी ) डब्ल्यूजेड
86.	श्री तेडी तेची	डीएटी
87.	श्री आर. रोन्या	निदेशक ( पीआर )
88.	श्री बी. मेगू	निदेशक ( आर्थिक एवं सांख्यिकी )
89.	श्री सी. डी. मुंग्याक	निदेशक ( विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी )
90.	श्री एच. डोडुंग	निदेशक ( वस्त्र एवं हस्तशिल्प )
91.	श्री गनिया लीज	निदेशक ( माध्यमिक शिक्षा )
92.	श्री तोकोंग पेटिन	निदेशक ( टीएंडसी )

- |     |                    |                   |
|-----|--------------------|-------------------|
| 93. | श्री पुरा तुपे     | सीई ( एचपीडी )    |
| 94. | श्री पल्लब डे      | निदेशक ( आयोजना ) |
| 95. | श्री टी. डी. नेकोम | डीडीए ( विकास )   |

### स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |     |                     |                                     |
|-----|---------------------|-------------------------------------|
| 1.  | श्रीमती तेची मेमा   | पार्षद सं. 13                       |
| 2.  | श्री गोरा तलांग     | पार्षद वार्ड ( ईसीएस ) सदस्य        |
| 3.  | श्रीमती गुरांग याचे | पार्षद वार्ड सं. -7 ( ईसीएस )       |
| 4.  | श्रीमती पोनुंग लेगो | पार्षद वार्ड सं. -10 ( ईसीएस )      |
| 5.  | श्री सोबो पेटिन     | पार्षद ( ईएससी ) पीएसजी             |
| 6.  | श्रीमती ओमेम दरांग  | ( ईएससी ) पीएसजी                    |
| 7.  | श्री बीरी जुग्दो    | पार्षद ( आईएमसी )                   |
| 8.  | श्री तातुंग तानिया  | पार्षद ( आईएमसी )                   |
| 9.  | श्री ताबा ताकिया    | पार्षद ( आईएमसी )                   |
| 10. | श्री तार नाचुग      | उप-पार्षद ( आईएमसी )                |
| 11. | श्री कलिंग दरांग    | उप-पार्षद ( पीएमसी )                |
| 12. | श्री केनबोम मुरी    | दल-नेता ( एसएमएमयू )                |
| 13. | श्रीमती सियांग रेबे | सहायक नगर नियोजक                    |
| 14. | श्री तेरगे सोरा     | सहायक नगर नियोजक                    |
| 15. | श्री मिची तारे      | पीपीपी विशेषज्ञ                     |
| 16. | श्री तार ताबिन      | एफएओ, टीपी                          |
| 17. | श्री ऐडो पुतिन      | सहायक नगर आयोजना एसटीपी एवं यूएलबी  |
| 18. | श्रीमती मिल्लो मेरा | नगर आयोजना सहायक, डीटीपी एवं यूएलबी |
| 19. | श्री तोजुम पोटोम    | वीपी, एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस           |

20.	श्री एन. आर. सिंह	डीडी, यूडी एंड एच
21.	श्री पी. मिश्रा	निदेशक आयोजना (पीसी)
22.	श्री ताशी नोर्बू	जेडपीएम, कलक्तांग
23.	श्री खिया चोया	जेडपीएम, सावा
24.	श्री संघा तागिक	जेडपीएम, कुरुंग कुमे
25.	श्री एस. नालो	अध्यक्ष (एएपीपीपी)
26.	श्री कलिंग दाइ	जेडपीएम, पू./सियांग जिला
27.	श्री सोन्तुंग बांगरिया	जेडपीसी, तिराप
28.	श्री हागे कोबिंग	जेडपीसी, जीरो लोअर सुबनसिरी
29.	श्रीमती रिडो मेना	जेडपीसी, क्रा दादी
30.	श्री कलिंग दोराक	मुख्य पार्षद
31.	श्रीमती ताना यायो	जेडपीसी
32.	श्री ताना पिकाप	जेडपीएम
33.	श्रीमती नबाम एका	जेडपीएम
34.	श्रीमती तार मेनिका	जेडपीएम
35.	श्रीमती ओ. जेरांग	जेडपीएम
36.	श्रीमती ताना येजी नबाम	जीपीसी – 14, रोज
37.	श्री ताना ताला	जीपीसी – 17, लेलचा
38.	श्री टेरी मारिन	जीपीसी – 16, टिडो
39.	श्रीमती डुकुम पेरा	जीपीसी – 12, चिपुता
40.	श्री तायोम मोथु	जेडपीएम
41.	श्रीमती हेयोमी ताउसिक	जेडपीसी
42.	श्री कुकु नबाम हिना	जीपीसी – 11, रोनो
43.	श्री ताना एची	जीपीसी – 9, एम्ची

44.	श्री बुंग्बा लांगदो	आरआरए ( पीआरआई )
45.	श्री चारु जगत	सीए ( पीआर )
46.	श्री लैंग्बिया तमांग	जीपीएम
47.	श्रीमती खोली जुम्पी	जीपीसी
48.	श्री तपांग कोपाक	सहायक निदेशक ( पीआर )
49.	श्रीमती तोक निम्पू तेची	जीपीसी
50.	श्रीमती नबाम याजो	जीपीसी
51.	श्रीमती युमलाम मिनु	पार्षद
52.	श्री ताजिन ताकी	जेडपीएम, पासीघाट

#### एआईटीएफ/सीबीओ/बाजार समिति/बैंकरों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती कनी नाडा मलिंग	महासचिव, एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस
2.	श्रीमती यापी मलिंग	रजिस्ट्रार ( एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएससीसीईसी )
3.	श्रीमती केन्थिर रिंगु	अध्यक्ष ( एपीएसएसडब्ल्यूबी )
4.	श्रीमती जोंगम रिमे	एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस
5.	श्रीमती तोजुम पोटोम	उपाध्यक्ष ( एपीडब्ल्यूडब्ल्यूएस )
6.	श्रीमती जार्जुम एटे	अध्यक्ष, अरुणाचल स्वदेशी जनजातीय मंच
7.	श्री तागे रिबा	उद्यमी
8.	श्रीमती पदमश्री जमोह	उपाध्यक्ष ( एपीएससीडब्ल्यू )
9.	श्रीमती रोजी ताबा	सदस्य, एपीएससीडब्ल्यू
10.	श्रीमती याने हिगियो	सदस्य सचिव ( एपीएससीडब्ल्यू )
11.	श्री प्रदीप कुमार	मुख्य सलाहकार ( एसीसी )
12.	श्री जार नाचुंग	महासचिव ( एसीसीआई )
13.	श्री तोको तातुंग	प्रवक्ता

14.	श्री लिखा मेज	प्रगतिशील कृषक
15.	श्री ताना शोवेन	प्रोफेसर
16.	श्री एस. के. नायक	प्रोफेसर
17.	श्री एन. सी. रॉय	प्रोफेसर
18.	श्रीमती वंदना उपाध्याय	प्रोफेसर
19.	श्री तिलक कुमार धर	उपमहाप्रबंधक, एसबीआई
20.	श्री जोगेश्वर स्वर्जरी	क्षेत्रीय प्रबंधक, एसबीआई
21.	श्री अटेगे लिंग्री	सहायक प्रोफेसर
22.	श्री कामतांग खोंजुजु	उपाध्यक्ष साजोलैंग एलिंगे सोसाइटी
23.	श्री सोमनइ वांगपान	विधिक सलाहकार (वांचो कल्चरल सोसाइटी)
24.	श्री त्सेरिंग थोंगडोक	सलाहकार (एसईडब्ल्यूए)
25.	श्री डी.एम. थामोंग	जीएस (टीबीएस)
26.	श्री हेरी मारिंग	महासचिव (एनईएस)
27.	श्रीमती मुंटा मोसांग	महासचिव (एआईटीएफ)
28.	श्री पी.एफ. तागो	प्रवक्ता (एआईटीएफ)
29.	श्री खोडा रुइ	अध्यक्ष (टीएसडी)
30.	श्री तापी ताइ	महासचिव (टीएसडी)
31.	श्री एमी रूमी	मुख्य सलाहकार (जीडब्ल्यूएस)
32.	श्री टोनी पेटिन	अध्यक्ष (एबीके)
33.	श्री तानोन तातक	सचिव वित्त (एबीके)
34.	श्री तार ताबिन	उपाध्यक्ष (एनईएस)
35.	श्री अदु खानम	अध्यक्ष (एबीकेएस)
36.	डॉ. सोपाइ तावसिक	अध्यक्ष (एमआईएसएमआई वेल्फेयर सोसाइटी)
37.	श्री युहे योबिन	संयुक्त सचिव (वाईडब्ल्यूएस)

38.	श्री ताबु पाक्तुंग	अध्यक्ष ( तगिन कल्चरल सोसाइटी )
39.	श्री नेफा वांग्सा	उप प्रवक्ता ( एएपीएसयू )
40.	श्री हावा बगांग	अध्यक्ष ( एएपीएसयू )
41.	श्री तोबोम दुइ	महासचिव ( एएपीएसयू )
42.	श्री तायुक सोनम	उपाध्यक्ष ( एएपीएसयू )
43.	श्री जॉन लाओज्काम	पूर्व-सचिव

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री नबाम तुकी	पूर्व-मुख्यमंत्री
2.	श्री वाई. डी. थोंग्ची	पूर्व-एससीआईसी
3.	श्री जारपुम गामलिन	महासचिव, राज्य बीजेपी
4.	श्री काफा बेंगिया	अध्यक्ष - पीपीए
5.	श्री गिको कबाक	राज्य अध्यक्ष – एनपीपी
6.	श्री निमा सांगे	उपाध्यक्ष – एनपीपी
7.	श्री कोनिया रिंगु	प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष
8.	श्री ओजिंग तासिंग	प्रदेश भाजपा सचिव
9.	श्रीमती मीना तोको	एपीसीसी, प्रवक्ता
10.	श्री मिंकी लोलेन	उपाध्यक्ष – एपीसीसी

### 3. असम (25-28 अप्रैल, 2018)

#### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- |     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| 1.  | श्री सर्बानंद सोनोवाल        | मुख्यमंत्री   |
| 2.  | डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा        | वित्त मंत्री  |
| 3.  | श्री नाबा कुमार डोली         | मंत्री, पी एंड आरडी                                   |
| 4.  | श्री रिहोन दैमारी            | मंत्री, पीएचई, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले |
| 5.  | श्री रंजीत दत्ता             | मंत्री, सिंचाई, हथकरघा और वस्त्र                      |
| 6.  | श्री परिमल शुक्ला बैद्य      | मंत्री, पीडब्ल्यूडी, आबकारी और मत्स्य पालन            |
| 7.  | श्रीमती प्रमिला रानी ब्रह्मा | मंत्री, पर्यावरण और वन तथा डबल्यूपीटी एवं बीसी        |
| 8.  | श्री चन्द्र मोहन पटोवरी      | मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य, परिवहन                    |
| 9.  | श्री पल्लव लोचन दास          | राज्य मंत्री  |
| 10. | श्री पीयूष हजारिका           | राज्य मंत्री  |
| 11. | श्रीमती टी. वाई. दास         | मुख्य सचिव, असम                                       |
| 12. | श्री वी.बी. प्यारेलाल        | अपर मुख्य सचिव, वित्त, टी एंड डी और सांस्कृतिक मामले  |
| 13. | श्री आलोक कुमार              | अपर मुख्य सचिव, गृह, वन और पीडब्ल्यूडी                |
| 14. | श्री रवि कपूर                | अपर प्रमुख सचिव, उद्योग, वाणिज्य, खान, खनिज आदि।      |
| 15. | श्री कुमार संजय कृष्ण        | अपर मुख्य सचिव, राजस्व, एफसीएस, पीएचई                 |
| 16. | श्री ए.के. सिंह              | अपर मुख्य सचिव, सूचना और जनसंपर्क, संसदीय मामले       |
| 17. | श्री के.के. मित्तल           | अपर मुख्य सचिव, कृषि                                  |
| 18. | श्री राजीव बोरा              | अपर मुख्य सचिव, डबल्यूपीटी और बीसी                    |



- |     |                                |  |
|-----|--------------------------------|--|
| 19. | श्री वी.एस. भास्कर             | अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, आईटी और एसएंडटी                                  |
| 20. | श्री एम.सी. जौहरी              | अपर मुख्य सचिव, मत्स्य पालन  |
| 21. | श्री एम.जी.वी.के. भानु         | अपर मुख्य सचिव, पी एंड आरडी  |
| 22. | श्री मुकेश सहाय                | डीजीपी असम,  |
| 23. | श्री डी. हर प्रसाद             | पीसीसीएफ और एचओएफएफ, असम, वन विभाग   |
| 24. | श्री एल. एस. चांगसान           | प्रधान सचिव, गृह और राजनीतिक, सीमा आदि                                     |
| 25. | श्री समीर कुमार सिन्हा         | वित्त विभाग के प्रधान सचिव   |
| 26. | श्री जिष्णु बरुआ               | प्रधान सचिव, बिजली, सामाजिक कल्याण आदि                                     |
| 27. | श्री हेमंत नाज़री              | प्रधान सचिव, जल संसाधन और सिंचाई विभाग                                     |
| 28. | श्री एन. के. वासु              | पीसीसीएफ सीडब्ल्यूएल और सीडबल्यूएलडबल्यू, असम, वन विभाग                    |
| 29. | श्री राजेश प्रसाद              | आयुक्त एवं सचिव, आरएंडडीएम, पर्यटन, आदि                                    |
| 30. | श्री के.के. द्विवेदी           | आयुक्त एवं सचिव, प्रेस और एआरएंडटी   |
| 31. | डॉ. जे. बी. एक्का              | आयुक्त एवं सचिव, पीएंडआरडी   |
| 32. | श्री अहमद हुसैन                | आयुक्त एवं सचिव, जीएडी और एसएडी  |
| 33. | श्री सत्येन्द्र मल्ल बुजर बरुआ | आयुक्त एवं सचिव, विधायी  |
| 34. | श्री श्याम जगन्नाथम            | आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग   |
| 35. | डॉ. ए. यू. चौधुरी              | आयुक्त एवं सचिव, पहाड़ी क्षेत्र और पीपीजी                                  |
| 36. | श्री आशुतोष अग्निहोत्री        | आयुक्त एवं सचिव, परिवहन, एसईईडी  |
| 37. | श्रीमती देवोला देवी दास        | सचिव, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा और हथकरघा, कपड़ा, रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर) |
| 38. | श्री कीर्ति जल्ली              | मुख्य सचिव (गृह और राजनीतिक) के स्टाफ अधिकारी                              |
| 39. | श्री कैलाश कार्तिक             | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग  |

40. श्री डी. के. बरुआ सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण विभाग
41. श्री आर. बोरह सचिव, जीडीडी और यूडीडी
42. श्री हितेश देव सरमा दास सचिव, यूडीडी
43. श्री एल. सी. पाठक सचिव, सिंचाई
44. श्री सिद्धार्थ सिंह सचिव, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग
45. सुश्री नीरा गोडोई सोनोवाल निदेशक, मुद्रण और स्टेशनरी विभाग
46. श्रीमती मोनालिसा गोस्वामी आयुक्त, जीडीडी, जीएमसी
47. श्री मुक्त नाथ सैकिया निदेशक, रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर), हथकरघा, कपड़ा और रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर)
48. श्री भोगेश्वर श्याम अपर सचिव, हथकरघा, कपड़ा और रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर), असम सरकार
49. श्री पंकज कुमार गोगोई सांख्यिकी अधिकारी, रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर) निदेशालय, असम, हथकरघा, कपड़ा और रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर) विभाग
50. श्री कामाख्या डोवार उपनिदेशक, रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर), असम, हथकरघा, कपड़ा और रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर) विभाग
51. श्रीमती बरनाली शर्मा निदेशक, सांस्कृतिक मामले, असम और एमडी, एएफएफडीसीएल, सांस्कृतिक मामले
52. सुश्री नज़रीन अहमद, निदेशक, नगर प्रशासन, असम, शहरी विकास विभाग
53. श्रीमती रंजना बरुआ सचिव, चाय जनजातियां, आबकारी विभाग
54. श्री संजीव गोहेन बरुआ राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय
55. श्री एस.के. शर्मा एलआर और सी एंड एस, न्यायिक
56. श्री तपन चंद शर्मा सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण, श्रम
57. श्री के. जे. हिलाली प्रबंध निदेशक, एटीडीसी, पर्यटन

58.	श्री राज चक्रवर्ती	आयुक्त और विशेष सचिव, पीडब्ल्यूडी ( भवन और राजमार्ग )
59.	श्री राकेश कुमार	आयुक्त, आबकारी
60.	श्री बोरसिंग रोंगी	मुख्य इंजीनियर, जल संसाधन
61.	सुश्री अंजलि डामरी	वित्तीय सलाहकार, बीटीसी सचिवालय
62.	श्री अरुण कुमार बसुमातारी	उपसचिव, बीटीसी सचिवालय
63.	श्री एस. के भुइयां	प्राथमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा ( प्राथमिक )
64.	श्री लक्ष्मणन	सलाहकार, वित्त विभाग
65.	श्री हेमंत कुमार देउरी	निदेशक, वित्त विभाग
66.	श्री आर. अग्रवाल	अपर कर आयुक्त, असम, वित्त ( कराधान )
67.	श्री माटी लाल सरकार	संयुक्त निदेशक, वित्त ( ईए ) विभाग
68.	श्रीमती कबिता रानी दास	अपर आरसीएस और आरसीएस प्रभारी, असम सहकारिता
69.	श्री उत्पल भट्ट	प्रणाली प्रशासक, डी.ए.टी, वित्त
70.	श्री बी. देकाराजा	निदेशक, लेखा और कोषागार, वित्त
71.	श्री पी. थाओसेन	निदेशक, सीमा रक्षण एवं विकास, सीमा
72.	सैयदा हसीना एम. रहमान	अपर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विकास विभाग
73.	श्री आनंद प्रकाश तिवारी	एमडी एएसटीसी और एएसडीएम, परिवहन और कौशल विकास
74.	श्री फणींद्र जिदंग	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, असम, शिक्षा विभाग
75.	श्री संजीब सरमा	वरिष्ठ एफ. ए. ओ., शिक्षा विभाग
76.	श्री नरेश घोष	प्रधान सचिव, एनसीएचएसी, एचएडी
77.	श्री रिचर्ड रोंगी	उप-सचिव केएएसी दिफू, केएएसी
78.	श्री आर. आर. बोरा	निदेशक रोजगार और सीटी असम, एसईईडी

- |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 79. | श्री जी. एस. पनेसर         | निदेशक भूविज्ञान @ खनन, खान और खनिज                                 |
| 80. | श्री बी. के. बोरा          | निदेशक हथकरघा @ कपड़ा, हथकरघा और कपड़ा और रेशम कीट-पालन (सेरीकल्चर) |
| 81. | श्री पूरन गुप्ता           | एमडी, एपीडीसीएल, विद्युत  |
| 82. | श्री एस. चौधुरी            | निदेशक, मृदा संरक्षण  |
| 83. | श्री एन. देव               | निदेशक, एससीईआरटी, असम  |
| 84. | श्री पी.के. खौंड           | निदेशक, खेल और युवा कल्याण  |
| 85. | श्री एम. रहमान             | अपर निदेशक, हथकरघा और कपड़ा   |
| 86. | श्री प्रफुल्ल कुमार हजोअरी | आयुक्त और सचिव, डबल्यूपीटी और बीसी/ खान और खनिज                     |
| 87. | श्री कमल कांत नाथ          | सचिव, टी एंड डी विभाग   |
| 88. | श्री आर. केम्पराई          | आयुक्त एवं विशेष सचिव, पीडब्ल्यूडी                                  |
| 89. | श्री उदयन हजारिका          | सचिव, ई एंड एफ विभाग  |
| 90. | श्रीमती कृष्णा गोहेन       | सचिव उच्च शिक्षा और निगमित डीटीई, उच्च शिक्षा                       |
| 91. | श्रीमती गितुमनी फुकन       | संयुक्त-सचिव उच्च शिक्षा और निगमित डीटीई, उच्च शिक्षा               |
| 92. | डॉ. रूनु दत्ता             | निदेशक, परिवर्तन एवं विकास  |
| 93. | श्री एम. के. यादव          | एपीसीसीएफ और एमडी, एमट्रॉन, वन विभाग और आईटी विभाग                  |
| 94. | सुश्री मौसुमी दास          | एसआरओ, परिवर्तन एवं विकास   |
| 95. | श्री पी. बोरा              | संयुक्त निदेशक, परिवर्तन एवं विकास                                  |
| 96. | श्री भूगिधर बरुआ           | एसआरओ, परिवर्तन एवं विकास   |
| 97. | श्री सांतनु भराली          | माननीय मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार                                |
| 98. | श्री हृषिकेश गोस्वामी      | माननीय मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार                                |

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |     |                               |  |
|-----|-------------------------------|--|
| 1.  | श्री निहारेन्द्र नारायण टैगोर | अध्यक्ष, सिलचर एमबी                                      |
| 2.  | श्री राजीब राँय               | कार्यकारी अधिकारी, सिलचर एमबी                            |
| 3.  | श्रीमती पुष्पो मालो           | अध्यक्ष, धुबरी एमबी                                      |
| 4.  | श्री जिंटू बोरा               | कार्यकारी अधिकारी, धुबरी एमबी                            |
| 5.  | श्री अरुणाभ कालिता            | अध्यक्ष, देरगाँव एमबी                                    |
| 6.  | श्री होमन गोहेन               | कार्यकारी अधिकारी, देरगाँव एमबी                          |
| 7.  | श्री हिमांगशु राँय            | अध्यक्ष, पाठशाला टीसी                                    |
| 8.  | श्री अपूर्ब कुमार नाथ         | कार्यकारी अधिकारी, पाठशाला टीसी                          |
| 9.  | श्री रफीक उज्ज जमान           | अध्यक्ष, टेओक टीसी                                       |
| 10. | श्री भास्कर ज्योति राजबोंगशी  | कार्यकारी अधिकारी, टेओक टीसी                             |
| 11. | श्री कपिलदेव पाण्डेय          | उपाध्यक्ष, डूमडूमा टीसी                                  |
| 12. | श्री मृगेन सरानिया            | महापौर, गुवाहाटी नगर निगम                                |
| 13. | श्रीमती मोनालिसा गोस्वामी     | आयुक्त, गुवाहाटी नगर निगम                                |
| 14. | श्री बालेन्द्र भराली          | एमआईसी, सदस्य कराधान और वित्त, जीएमसी, गुवाहाटी नगर निगम |
| 15. | श्रीमती रूबी बोरा             | सचिव, असम सरकार, जीडीडी और यूडीडी,                       |
| 16. | श्री नज़रीन अहमद              | निदेशक, नगर प्रशासन, असम,                                |

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |    |                               |                                     |
|----|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | श्रीमती चपापला राजबोंगशी मेधी | अध्यक्ष, नलबाड़ी जिला परिषद         |
| 2. | श्रीमती बीनापाणि दास          | अध्यक्ष, मोरीगांव जिला परिषद        |
| 3. | श्रीमती कुंजलता दास           | अध्यक्ष, कामरूप (मेट्रो) जिला परिषद |
| 4. | श्री जोगन प्रतिव गोगोई        | अध्यक्ष, जोरहाट आंचलिक पंचायत       |

5. श्रीमती कल्याणी दास पूर्व अध्यक्ष, चकचका आंचलिक पंचायत, बारपेटा
6. श्री मइनुल अली अध्यक्ष, बरखेत्री आंचलिक पंचायत, नलबाड़ी
7. श्री बिमल दोले अध्यक्ष, कार्तिपर गाँव पंचायत, माजुली
8. श्रीमती मीरा डेका अध्यक्ष, जगरा गाँव पंचायत, नलबाड़ी
9. श्री हेमराज शर्मा अध्यक्ष, खेरेमिया गाँव पंचायत, डिब्रूगढ़
10. श्री एन. इस्लाम सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार
11. श्री के. पेगु संयुक्त सचिव और निदेशक, एसआईपीआरडी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार
12. श्री एम. मेधी संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार
13. श्री अरूप कुमार सरमा संयुक्त निदेशक, सीपीआरडी कार्यालय, असम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग- असम सरकार
14. श्री बरुण भुइयां आयुक्त और सचिव, शिक्षा क्षेत्र,
15. श्री एस. ए. लस्कर संयुक्त निदेशक, पी एंड आरडी, असम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, असम सरकार

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्रीमती इंद्राणी तहबिलदार महासचिव, असम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
2. श्री पूरबी ककोटी सचिव, असम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
3. श्रीमती शांता बी. सरमा प्रमुख, भारतीय उद्योग महासंघ ( सीआईआई )
4. श्री बिस्वजीत चक्रवर्ती निदेशक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ( फिक्की )
5. श्री कौस्तव भगवती सहायक निदेशक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ( फिक्की )

6.	श्री संदीप खेतान	निदेशक, पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग परिसंघ (फिनर)
7.	श्री बिहित टोडी	सदस्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग परिसंघ (फिनर)
8.	श्री प्रनोम दत्ता मजूमदार	उप-निदेशक, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)
9.	श्री अभिजीत सरमा	सचिव, भारतीय चाय संघ (एबीआईटीए), असम शाखा
10.	श्री राजकमल गोहेन	महासचिव, ऑल असम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एएसएसआईए)
11.	श्री पंकज सरमा	निदेशक, ऑल असम स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एएसएसआईए)
12.	श्री अनुपम बोरा	सचिव, असम होटल एवं रेस्तरां संघ
13.	श्री विश्वनाथ गोयनका	सलाहकार, असम होटल एवं रेस्तरां संघ
14.	श्री विनोद लोहिया	अध्यक्ष, कराधान समिति, लघु उद्योग भारती
15.	श्री आशीष बजाज	कोषाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती
16.	श्री बिद्यानंद बरकाकोटी	सलाहकार, पूर्वोत्तर चाय संघ
17.	श्री एल. आर. ठाकुरिया	अध्यक्ष, पूर्वोत्तर प्लास्टिक विनिर्माता संघ
18.	श्री गौतम साहा	उपाध्यक्ष, पूर्वोत्तर प्लास्टिक विनिर्माता संघ
19.	श्रीमती इंदु सिंह	उपाध्यक्ष, पूर्वोत्तर महिला उद्यमी संघ
20.	श्रीमती अनीता चेतिया	अध्यक्ष, पूर्वोत्तर महिला उद्यमी संघ
21.	श्री अरिजीत पुरकायस्थ	सीईओ, आईएटीओ- पूर्वोत्तर राज्य अध्याय

### छठी अनुसूची के क्षेत्रों और स्वायत्त परिषदों के प्रतिनिधि

1.	श्री दानेश्वर गोयारी	कार्यकारी सदस्य, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)
2.	श्री बिरेन चंद्र फूकन	प्रधान सचिव, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)
3.	श्री रॉबिन्सन मुचाहरी	अपर वित्तीय सचिव, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)

4. श्री बोलेन बोरो वरिष्ठ वित्तीय सलाहकार, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)
5. श्री एच.पी.के सिंह विशेष कार्याधिकारी (आयोजना), बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी)
6. डॉ. नुमाल मोमिन एमएलए, बोकाजन, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
7. श्री अमरसिंग टिसो कार्यकारी सदस्य, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
8. श्री डोरसिंग रोंगहांग सदस्य, स्वायत्त परिषद, फुलौनी, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
9. श्री महादानंद हजारिका प्रधान सचिव, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
10. श्री सी-इम तारो सचिव, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
11. श्री रिचर्ड रोंगपी उप-सचिव, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
12. श्री रूबेन रोंगहांग उप-निदेशक, नगर और क्षेत्र (कंट्री) नियोजन, कार्बी-एंगलोंग स्वायत्त परिषद
13. श्री देबोलाल गोरलोसा मुख्य कार्यकारी सदस्य, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
14. श्री सैमुअल चांगसन कार्यकारी सदस्य, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
15. श्री नरेश घोष प्रधान सचिव, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
16. श्री मुकुट केम्पराय प्रधान सचिव (एन), उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
17. श्री रमेश थाओसेन सीईएम के सलाहकार, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
18. श्री देबानन दौलागुपु सचिव, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
19. श्री शरत टेरोन वरिष्ठ एफएओ, उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद
20. श्री परमानन्द चार्येंगिया मुख्य कार्यकारी सदस्य, मिसिंग स्वायत्त परिषद
21. श्री प्रदीप दोले प्रधान सचिव, मिसिंग स्वायत्त परिषद
22. श्री रंजन बोरा उप-सचिव (एफ), मिसिंग स्वायत्त परिषद



23.	श्री पबन मंता	मुख्य कार्यकारी सदस्य, तिवा स्वायत्त परिषद
24.	श्रीमती जूरी गोगोई	प्रधान सचिव, तिवा स्वायत्त परिषद
25.	श्री भास्कर देओरी	उप-प्रमुख, देओरी स्वायत्त परिषद
26.	श्री माधव देओरी	मुख्य कार्यकारी सदस्य, देओरी स्वायत्त परिषद
27.	श्री देबाशीष बैश्य	प्रधान सचिव, देओरी स्वायत्त परिषद
28.	श्री कुमुद चन्द्र कचारी	मुख्य कार्यकारी सदस्य, थेंगाल कचारी स्वायत्त परिषद
29.	श्रीमती गीतांजलि दत्ता	प्रधान सचिव, थेंगाल कचारी स्वायत्त परिषद
30.	श्री दीपू रंजन मकरारी	मुख्य कार्यकारी सदस्य, सोनोवाल कचारी स्वायत्त परिषद
31.	श्री डी. सैकिया	प्रधान सचिव, सोनोवाल कचारी स्वायत्त परिषद
32.	श्री टंकेश्वर राभा	मुख्य कार्यकारी सदस्य, राभा हसांग स्वायत्त परिषद
33.	श्री देबा कुमार कालिता	प्रधान सचिव, राभा हसोंग स्वायत्त परिषद
34.	श्री ए.एन. हजारिका	संयुक्त सचिव, डब्ल्यूपीटी और बीसी
35.	श्रीमती पी. सहारिया	संयुक्त सचिव, डब्ल्यूपीटी और बीसी
36.	श्री रणजीत कुमार पेगू	योजना अधिकारी, डब्ल्यूपीटी और बीसी
37.	श्री माटीलाल सरकार	संयुक्त निदेशक, वित्त (ईए)
38.	श्री प्रशांत फूकन	संयुक्त निदेशक, वित्त (ईए)

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री शोनारुल शाह मुस्तफा	महासचिव (प्रशा.), ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (राज्य इकाई)
2.	श्री गिरीन्द्र सैकिया	अध्यक्ष, मीडिया सेल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (राज्य इकाई)
3.	श्री अवाल माजिद	सचिव, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट

4. श्री हारुन अहमद महासचिव, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट
5. श्री दिलीप बोरा उपाध्यक्ष, असम गण परिषद
6. श्री दिलीप पाटगिरी प्रवक्ता, असम गण परिषद
7. श्री लंकी फंगचो उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी (राज्य इकाई)
8. श्री स्वप्नानिल बरुआ संयोजक, सुशासन विभाग, भारतीय जनता पार्टी (राज्य इकाई)
9. श्री दिलीप सैकिया महासचिव, भारतीय जनता पार्टी (राज्य इकाई)
10. श्री इमैनुएल मोशाहारी महासचिव, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
11. श्री माहेश्वर बोरो सदस्य, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
12. श्री चरण बोरो सदस्य, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
13. श्री कमलसिंग नारज़री सहायक सचिव, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
14. श्री थानेश्वर बसुमातारी सदस्य, पीएमबी, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट
15. श्री उद्धव बर्मन राज्य सचिवालय सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) (राज्य इकाई)
16. श्री सुप्रकाश तालुकदार राज्य सचिवालय सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) (राज्य इकाई)
17. श्री दांबारू बोरा राज्य कार्यकारी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (राज्य इकाई)
18. श्री रामेन दास राज्य कार्यकारी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (राज्य इकाई)
19. श्री रंजन बोरा महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (राज्य इकाई)
20. श्री विक्टर कारपेंटर अध्यक्ष, आरटीआई विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (राज्य इकाई)
21. श्री डी. डी. अधिकारी अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राज्य इकाई)
22. श्री परेश बरुवा कोषाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राज्य इकाई)

23. श्री रतुल कुमार चौधरी अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी (राज्य इकाई)
24. श्री किशोर मेधी महासचिव, समाजवादी पार्टी (राज्य इकाई)

#### 4. बिहार (01-04 अक्टूबर, 2018)

##### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री नीतीश कुमार	मुख्यमंत्री
2.	श्री सुशील कुमार मोदी	उप-मुख्यमंत्री
3.	श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव	मंत्री, विद्युत, संसदीय कार्य, पंजीकरण एवं प्रतिषेध
4.	श्री प्रेम कुमार	मंत्री, कृषि विभाग
5.	श्री नंद किशोर यादव	मंत्री, सड़क निर्माण विभाग
6.	श्री श्रवण कुमार	मंत्री, ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य विभाग
7.	श्री राम नारायण मंडल	मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
8.	श्री जय कुमार सिंह	मंत्री, उद्योग विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
9.	श्री मंगल पांडे	मंत्री, स्वास्थ्य विभाग
10.	श्री प्रमोद कुमार	मंत्री, पर्यटन विभाग
11.	श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा	मंत्री, शिक्षा विभाग
12.	श्री विनोद नारायण झा	मंत्री, पी.एच.ई.डी. विभाग
13.	श्री शैलेश कुमार	मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
14.	श्री सुरेश कुमार शर्मा	मंत्री, आवासन एवं शहरी विकास
15.	श्री विजय कुमार सिन्हा	मंत्री, श्रम संसाधन विभाग
16.	श्री राणा रणधीर	मंत्री, सहकारिता विभाग
17.	श्री खुर्शीद उर्फ़ फ़िरोज अहमद	मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण, गन्ना उद्योग विभाग
18.	श्री विनोद कुमार सिंह	मंत्री, खान एवं भूविज्ञान विभाग
19.	श्री कृष्ण कुमार ऋषि	मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा मामले
20.	श्री कपिल देव कामत	मंत्री, पंचायती राज विभाग
21.	श्री दिनेश चंद्र यादव	मंत्री, लघु सिंचाई एवं आपदा प्रबंधन विभाग

22.	श्री बृज किशोर बिंद	मंत्री, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
23.	श्री पशुपति कुमार पारस	मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास
24.	श्री दीपक कुमार	मुख्य सचिव, बिहार
25.	श्री अरुण कुमार सिंह	प्रधान सचिव, बिहार
26.	श्री आमिर सुभानी	प्रधान सचिव, गृह विभाग
27.	श्री अतुल प्रसाद	प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग
28.	श्री सुधीर कुमार	प्रधान सचिव, कृषि एवं जल संसाधन विभाग
29.	श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी	प्रधान सचिव, वित्तीय एवं वाणिज्यिक कर विभाग
30.	श्री बृजेश मेहरोत्रा	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
31.	श्री अमृत लाल मीणा	प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग एवं पीआरआई
32.	श्रीमती अंशुली आर्य	प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग
33.	श्री संजय कुमार	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग
34.	श्री चैतन्य प्रसाद	प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग
35.	श्री प्रत्यय अमृत	प्रधान सचिव, बिजली विभाग भवन सड़क एवं सेतु
36.	श्री एस. सिद्धार्थ	प्रधान सचिव, उद्योग विभाग गन्ना उद्योग
37.	श्री दीपक कुमार सिंह	प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग
38.	श्री चंचल कुमार	प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग
39.	श्रीमती हरजोत कौर बाम्हा	प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
40.	श्री रवि मनुभाई परमार	प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग
41.	श्री अरविंद कुमार चौधरी	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
42.	श्रीमती एन. विजयलक्ष्मी	सचिव, पशु एवं मत्स्यपालन विभाग
43.	श्री राहुल सिंह	सचिव, वित्त एवं प्रौद्योगिकी विभाग
44.	श्री पंकज कुमार	सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
45.	श्री विनय कुमार	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

46.	श्री जितेंद्र श्रीवास्तव	सचिव, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग
47.	श्री प्रेम सिंह मीणा	सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
48.	श्री मनीष कुमार वर्मा	सचिव, आयोजना एवं विकास विभाग
49.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सचिव, परिवहन विभाग
50.	डॉ. प्रतिमा	सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग

### स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती सीता साहु	महापौर, नगर निगम
2.	श्री विनय कुमार पप्पू	उपमहापौर, नगर निगम
3.	श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह	महापौर, नगर निगम
4.	श्री राजीव रंजन	उपमहापौर, नगर निगम
5.	श्री विजय सिंह	महापौर, नगर निगम
6.	मो. मंजूर खान	उपमहापौर, नगर निगम
7.	श्री तारकेश्वर नाथ गुप्ता	अध्यक्ष, नगर परिषद
8.	श्री उदय कुमार	अध्यक्ष, नगर परिषद
9.	श्रीमती सीता कुमार	अध्यक्ष, नगर परिषद
10.	श्रीमती जानकी देवी	अध्यक्ष, नगर परिषद
11.	श्रीमती बेलमंती देवी	अध्यक्ष, नगर पंचायत
12.	श्री कैलाश पासवान	अध्यक्ष, नगर पंचायत
13.	श्रीमती सावित्री देवी	अध्यक्ष, नगर पंचायत
14.	श्री नवीन कुमार	अध्यक्ष, नगर पंचायत
15.	श्री शैलेंद्र कुमार गढ़वाल	अध्यक्ष, जिला परिषद, पश्चिमी चंपारण
16.	श्री अनंत कुमार	अध्यक्ष, जिला परिषद,

17.	श्रीमती संगीता देवी	अध्यक्ष, जिला परिषद,
18.	श्रीमती क्रांति देवी	अध्यक्ष, जिला परिषद,
19.	श्रीमती प्रेमलता	अध्यक्ष, जिला परिषद
20.	श्री रामप्रीत मंडल	प्रमुख, रातुतौना
21.	श्रीमती ललिता देवी	प्रमुख, सोनबरशा
22.	श्री मनोज कुमार	प्रमुख, निमचक भटनी
23.	श्री रमाकांत रंजन किशोर	प्रमुख, मसौधी
24.	श्रीमती मनोरमा देवी	प्रमुख, अंगसराय
25.	श्री इंद्र भूषण सिंह आलोक	मुखिया, भर्थीपुर
26.	श्री अजय सिंह यादव	मुखिया, धरनाई
27.	श्री संजय कुमार	मुखिया, घटराई
28.	श्रीमती रितु जायसवाल	मुखिया, सिंहवाहिनी
29.	श्रीमती किरण देवी	मुखिया, केसरु धर्मपुर

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री पी. के. अग्रवाल	अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
2.	श्री मुकेश कुमार जैन	उपाध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
3.	श्री अमित मुखर्जी	महासचिव, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
4.	श्री राजेश कुमार खेतान	बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
5.	श्री सुनील सराफ	बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
6.	श्री एस. के. पटवारी	बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
7.	श्री बलराम प्रसाद	महासचिव, खाद्य उद्योग समिति
8.	श्री भावेश कुमार	अध्यक्ष, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
9.	श्री पी. के. सिंह	अध्यक्ष, बिहार केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन

10.	श्री विनोद कुमार	अध्यक्ष, पाटलिपुत्र सर्राफा कमेटी
11.	श्री के.पी.एस. केशरी	अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ
12.	श्री पुरषोत्तम अग्रवाल	अध्यक्ष, कराधान उपसमिति, बिहार उद्योग संघ
13.	श्री अरुण अग्रवाल	पूर्व-उपसचिव, हाजीपुर उद्योग संघ
14.	श्री पी. के. सिन्हा	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ
15.	श्री आलोक पोद्दार	जीएसटी समिति, बीसीसीआई
16.	श्री सुनील सिंह	बीआईए, पूर्व-उपाध्यक्ष
17.	श्री कैलाश प्रसाद	अध्यक्ष, तकनीकी प्रभाग, बीआईए
18.	श्री संजय गोयनका	अध्यक्ष, पॉलिसी इनिशिएशन, बीआईए
19.	श्री मणिकांत	उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव	विद्युत मंत्री, जनता दल (यूनाइटेड)
2.	श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
3.	श्री मिथलेश तिवारी	विधानसभा सदस्य, भारतीय जनता पार्टी
4.	श्री नितीश मिश्रा	उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
5.	श्री अनिल किशोर झा	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
6.	श्री नवल किशोर शाही	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
7.	श्री रामचंद्र पुर्वे	राष्ट्रवादी जनता दल
8.	श्री शिवानंद तिवारी	राष्ट्रवादी जनता दल
9.	श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी	राष्ट्रवादी जनता दल
10.	श्री अभयानंद सुमन	राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
11.	श्री ब्रह्मचर्य प्रसाद डांगी	प्रदेश प्रधान, महासचिव
12.	डॉ. समीर कुमार सिंह	कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस



- |     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 13. | श्री जय मिश्रा              | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस                     |
| 14. | श्री केशव सिंह              | राज्य महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी             |
| 15. | श्री सत्यानंद शर्मा         | राष्ट्रीय महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी         |
| 16. | श्री अरुण कुमार मिश्र       | भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ( एम )               |
| 17. | श्री रामबाबू कुमार          | राज्य कार्यकारी, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी     |
| 18. | श्री के. डी. यादव           | राज्य सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी          |
| 19. | श्री ब्रषान पटेल            | हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा                       |
| 20. | श्री रास बिहारी प्रसाद सिंह | कुलपति, पटना विश्वविद्यालय                    |
| 21. | डॉ. मनोज मिश्रा             | चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी                   |
| 22. | श्री पी. के. अग्रवाल        | अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज |
| 23. | श्री आर.पी.एस. केशरी        | अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ                     |
| 24. | श्री सत्य सिंह              | अध्यक्ष, पी.एच.डी. चैंबर ऑफ कॉमर्स            |

## 5. छत्तीसगढ़ (23-25 जुलाई, 2019)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- |     |                         |  |
|-----|-------------------------|--|
| 1.  | श्री भूपेश बघेल         | मुख्यमंत्री<br>सामान्य प्रशासन, वित्त, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जन-संपर्क, खनन, ऊर्जा और ऐसे अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। |
| 2.  | श्री ताम्रध्वज साहु     | मंत्री, लोक निर्माण विभाग, गृह, कारागार, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन   |
| 3.  | डॉ. प्रेमसाई सिंह टेकाम | मंत्री, स्कूल शिक्षा, जनजातीय एवं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास, सहकारिता   |
| 4.  | श्री मोहम्मद अकबर       | मंत्री, परिवहन, आवासन और पर्यावरण, वन, कानून   |
| 5.  | डॉ. शिव कुमार डहरिया    | मंत्री, शहरी प्रशासन, श्रम   |
| 6.  | श्रीमती अनिला भेडिया    | मंत्री, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक कल्याण  |
| 7.  | श्री उमेश पटेल          | मंत्री, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जनशक्ति आयोजना, खेल एवं युवा कल्याण                                 |
| 8.  | श्री अमरजीत भगत         | मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, आयोजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति  |
| 9.  | श्री सुनील कुमार कुजूर  | मुख्य सचिव   |
| 10. | श्री सी.के. खेतान       | एसीएस, गृह   |
| 11. | श्री आर.पी. मंडल        | एसीएस, पी एंड आरडी   |
| 12. | श्री के.डी.पी. राव      | एसीएस/ एपीवीसी   |
| 13. | श्री अमिताभ जैन         | एसीएस, वित्त   |
| 14. | श्री गौरव द्विवेदी      | माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव  |

15.	श्रीमती शहला निगार	सचिव, वित्त
16.	डॉ. कमल प्रीत सिंह	सचिव, खाद्य
17.	श्री प्रभात मलिक	डीआईएफ, वित्त
18.	श्रीमती रेणु जी. पिल्लै	पी.एस., कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा
19.	श्री मनोज कुमार पिंगुआ	पी.एस., वाणिज्य एवं उद्योग, परिवहन
20.	श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी	पी.एस., ग्रामोद्योग
21.	श्रीमती निहारिका बारिक सिंह	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
22.	श्री देवी दयाल सिंह	सचिव, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी
23.	श्रीमती रीता शांडिल्य	सचिव, जीएडी एवं सहकारिता
24.	श्रीमती रीना बाबा साहेब कांगले	सचिव, वाणिज्यिक कर
25.	श्रीमती संगीता पी.	विशेष सचिव, आवासन एवं पर्यावरण
26.	श्रीमती आलारमेलमांगड़ डी.	विशेष सचिव, शहरी प्रशासन विभाग
27.	श्री अन्बलगन पी.	विशेष सचिव, खनिज संसाधन विभाग
28.	श्री बी. आनंद बाबू	सीसीएफ, वन विभाग
29.	श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी	सचिव, खेल एवं युवा कल्याण, महिला एवं बाल विकास कल्याण
30.	श्री अविनाश चंपावत	सचिव, जल संसाधन विभाग, धार्मिक न्यास धर्मस्व, संस्कृति एवं पर्यटन
31.	श्री एन.एन. एक्का	सीईओ, एनआरएएनवीपी
32.	श्रीमती शारदा वर्मा	निदेशक, बजट
33.	श्री अय्याज तंबोली	कलेक्टर, बस्तर
34.	श्री चंदन कुमार	कलेक्टर, सुकमा
35.	श्री अजीत वसंत	निदेशक, खान

- |     |                    |                                      |
|-----|--------------------|--------------------------------------|
| 36. | श्री बी.के. पांडेय | अनुबद्ध प्रोफेसर, एनआईएफएम, फरीदाबाद |
| 37. | श्री ए.के. सिंह    | संयुक्त सचिव, वित्त विभाग            |

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |     |                           |  |
|-----|---------------------------|--|
| 1.  | श्री प्रमोद दुबे          | महापौर, रायपुर                           |
| 2.  | श्री किशोर राय            | महापौर, बिलासपुर                         |
| 3.  | श्री जतिन जायसवाल         | महापौर, जगदलपुर                          |
| 4.  | श्रीमती सुमिया नागराज     | अध्यक्ष, नगर पंचायत                      |
| 5.  | श्री अमिलदास              | अध्यक्ष, नगर पंचायत, लोरमी               |
| 6.  | श्री स्वप्निल उपाध्याय    | अध्यक्ष, कुम्हारी                        |
| 7.  | श्रीमती आलारमेलमांगड़ डी. | विशेष सचिव, शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग |
| 8.  | श्री सुनील चौबे           | अपर निदेशक, शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग |
| 9.  | श्री एस. ब्योहर           | ओएसडी (टी), यूएडी                        |
| 10. | श्री यू.के. ढालेंद्र      | ओएसडी, एसयूएडी                           |
| 11. | श्री नितेश शर्मा          | सलाहकार, यूएडी                           |
| 12. | श्री भुवन शर्मा           | मिशन प्रबंधक, एसयूडीए                    |
| 13. | श्री परवेश गुडिल          | पीएमसी/सीए                               |
| 14. | श्री अभिषेक जैन           | एसयूडीए, एफओ, एसबीएम                     |
| 15. | श्री पार्थ शाह            | एसयूडीए, एमएच, एसबीएम                    |

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |    |                      |                |
|----|----------------------|----------------|
| 1. | श्री आर.पी. मंडल     | अपर मुख्य सचिव |
| 2. | श्री टी.सी. महावर    | सचिव           |
| 3. | श्री जितेंद्र शुक्ला | निदेशक, पंचायत |

4.	श्रीमती शारदा देवी वर्मा	अध्यक्ष, जिला पंचायत रायपुर
5.	श्रीमती कलावती मार्कम	अध्यक्ष, जिला पंचायत कोरिया
6.	श्रीमती सविता चंद्राकर	सदस्य, जिला पंचायत रायपुर
7.	श्रीमती द्वारिका साहु	सदस्य, जिला पंचायत रायपुर
8.	श्री बसंत आदिल	सदस्य, जिला पंचायत
9.	श्री सूर्य प्रताप सिंह नेताम	अध्यक्ष, जनपद पंचायत
10.	श्री सूर्य प्रकाश सिंह	सदस्य, जनपद पंचायत
11.	श्रीमती अर्चना यादव	सरपंच, दुर्ग
12.	श्रीमती दोमेश्वरी	सरपंच, टेकरी
13.	श्रीमती केशर गौड़	सरपंच, ग्राम पंचायत नंदकाठी
14.	श्रीमती हिमांशी यादव	सरपंच, पारसडीह, महासमुंद
15.	श्रीमती सविता बेक	सरपंच, शिवपुर, अंबिकापुर
16.	श्री सूरज नेताम	सरपंच, चिपखंड
17.	श्रीमती कमलेश्वरी नाग	सरपंच, खोदगांव

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री मनोज कुमार पिंगुआ	प्रधान सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग
2.	श्री अश्विन गर्ग	उर्ला उद्योग संघ
3.	श्री मनीष गुप्ता	बीएसबीके ग्राउट
4.	श्री जितेंद्र जैन बारलोटा	छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
5.	श्री भरत बजाज	छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज/ मीडिया सेल्स
6.	श्री सत्यनारायण अग्रवाल	लघु उद्योग भारती
7.	श्री इंद्रजीत जोतवानी	लघु उद्योग भारती

8.	श्री अभिताब जैन	सनपैक इंडस्ट्रीज
9.	श्री सुशील बकलीवाल	बकलीवाल फर्नीचर्स
10.	श्री पंकज सारदा	सारदा ग्रुप
11.	श्री दिनेश अग्रवाल	हीरा ग्रुप
12.	श्री रमेश अग्रवाल	जीआर माइन्स एंड मिनरल्स/ सीजी स्टील चैंबर
13.	श्री नरेंद्र गोयल	भारतीय उद्योग महासंघ/ गोयल टीएमटी
14.	श्री शशांक रस्तोगी	पीएचडी चैंबर/ स्टील कास्ट ऐड लि.
15.	श्री बहादुर अली	आईबी ग्रुप
16.	श्री विजय झांवर	छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन
17.	श्री रमेश गांधी	अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स
18.	श्री विक्रम जैन	उर्ला उद्योग संघ
19.	श्री लाल चंद	सीजीआई चैंबर
20.	श्री प्रकाश अग्रवाल	छत्तीसगढ़ चैंबर
21.	श्री जगदीश पटेल	लघु उद्योग भारती
22.	श्री नवीन	सीआईएडब्ल्यू रायपुर
23.	श्री मलय साई	बीएचआईएनडीएस फैब्रिकेशन एसोसिएशन
24.	श्री सुमित दुबे	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स
25.	श्री सतीश पांडेय	भारतीय उद्योग महासंघ, छत्तीसगढ़
26.	श्री पुरुषोत्तम पाटे	महासचिव, लघु उद्योग भारती
27.	श्री ईश्वर पटेल	एलयूबी रायपुर
28.	श्री दया पटेल	एलयूबी रायपुर
29.	श्री किशोर पटेल	सीआईएडब्ल्यू, रायपुर

## राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री परेश बघारी उपाध्यक्ष, जनता कांग्रेस, छत्तीसगढ़
2. श्री सान्याल राज्य सचिवालय सदस्य, सीपीआई ( एम )
3. श्री एम.के. नायडू राज्य सचिवालय सदस्य, सीपीआई ( एम )
4. श्री डी. महापात्र राज्य सचिवालय सदस्य, सीपीआई ( एम )
5. श्री एस. एन. कमलेश सहायक सचिव, सीपीआई – छत्तीसगढ़
6. श्री आर.डी.सी.पी. राव सचिव सीपीआई राज्य परिषद
7. श्री संतोष कुमार मार्कंडेय अंचल प्रभारी, रायपुर, बीएसपी
8. श्री हेमंत पोयाम राज्य अध्यक्ष, छत्तीसगढ़, बीएसपी
9. श्री नरेश चंद्र गुप्ता बीजेपी, विधिक विभाग
10. श्री सी.एस. साहु बीजेपी, पूर्व-मंत्री एवं पूर्व-सांसद
11. श्री सत्यनारायण शर्मा पूर्व-मंत्री कांग्रेस एमएलए
12. श्रीमती किरणमयी नायक पूर्व-महापौर, रायपुर, कांग्रेस
13. श्री रमेश वर्लियानी पूर्व विधायक एवं महासचिव, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी

## 6. गोवा (23-24 जनवरी, 2020)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	डॉ. प्रमोद सावंत	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री चंद्रकांत (बाबू) कावेलकर	माननीय उपमुख्यमंत्री, नगर एवं क्षेत्र नियोजन
3.	श्री गोविंद गौडे	माननीय मंत्री, कला एवं संस्कृति
4.	श्री फिलिप नेरी रॉड्रिग्स	माननीय मंत्री, जल संसाधन
5.	श्री मोविन गोडिन्हो	माननीय मंत्री, परिवहन एवं पंचायत
6.	श्री नीलेश काबरा	माननीय मंत्री, विद्युत
7.	श्री दीपक सी. प्रभु पुष्कर	माननीय मंत्री, लोक निर्माण
8.	श्री परिमल राय	मुख्य सचिव
9.	श्री पुनीत कुमार गोयल	प्रधान सचिव (विद्युत)
10.	श्री दौलत ए. हवलदार	आयुक्त एवं सचिव (वित्त एवं आयोजना)
11.	श्री रूपेश कुमार ठाकुर	राज्यपाल के सचिव
12.	श्री जे. अशोक कुमार	माननीय मुख्यमंत्री के सचिव
13.	श्रीमती नीला मोहनन	सचिव (शिक्षा)
14.	श्री चोखा राम गर्ग	सचिव (महिला एवं बाल)
15.	श्री संजय गिहार	सचिव (जल संसाधन)
16.	श्री कुलदीप सिंह गांगर	सचिव (कृषि)
17.	श्री रवि झा	सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)
18.	सुश्री ईशा खोसला	सचिव (सामान्य प्रशासन)
19.	श्री वेनांसियो फर्तादो	कदंबा परिवहन निगम लिमिटेड
20.	श्री राजन सतारडेकर	परिवहन
21.	श्री एन.एम. गोयल	पंचायत



22.	श्री डॉ. जोस ओ.ए.डी. 'सा'	स्वास्थ्य सेवाएं
23.	श्री आशुतोष आर. आप्टे	खान एवं भूविज्ञान
24.	श्री प्रसाद लोलायेकर	उच्च शिक्षा
25.	श्री मेनिनो डिसूजा	निदेशक, पर्यटन
26.	श्री तारिक थॉमस	डीएमए
27.	श्री संतोष कुमार	एपीसीसीएफ, वन
28.	श्री अमित सतीजा	उत्पाद शुल्क आयुक्त
29.	श्री एस.डी. पाटिल	डब्ल्यूआरडी
30.	श्री आर.बी. घाँटी	डब्ल्यूआरडी
31.	श्री पी.बी. सेल्डारकर	एसआईडीसीजीएल
32.	श्री अनिल एस. रिंगाने	मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग
33.	श्री डोमिनिक फर्नांडीज	डब्ल्यूएमसी एवं डीएसटी
34.	श्री दिलीप धवलीकर	एसआईडीसीजीएल
35.	श्री वी. पी. देसी	डीआईटीसी
36.	श्रीमती अंकिता आनंद	निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
37.	श्रीमती वंदना राव	निदेशक ( शिक्षा )
38.	श्री अरविंद खुटकर	समाहरणालय, दक्षिण गोवा
39.	श्री संजीव जोगलेकर	सदस्य, जीईडीए
40.	श्री आशा सौरबारी	एस.ओ. ओएलटीसी
41.	श्री प्रसिद्ध पी. नावु	बीडीओ ( मुख्यालय ) डीओपी
42.	श्री दीपेश प्रियोलकर	उपनिदेशक, नगर प्रशासन
43.	श्री अभिजीत एस. नेरुरकल	जीएसआईडीआई लि.
44.	श्री यू. पी. पारसेकर	पीसीई, लोक निर्माण विभाग

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री उदय वी. मडकाइकर	महापौर, पणजी नगर निगम
2.	श्रीमती स्वेता एस. कांबली	अध्यक्ष, परनेम नगर परिषद
3.	श्री रायन ब्रगेंजा	मपूसा नगर परिषद
4.	श्री राजाराम ए. गांवकर	बिचोलिम नगर परिषद
5.	श्री अख्तर अली शाह	अध्यक्ष, वालपोई नगर परिषद
6.	श्रीमती नीतू समीर देसाई	काणकोण नगर परिषद
7.	श्रीमती पांजी कोटिन्हो	अध्यक्ष, कंकोलिम नगर परिषद
8.	श्री नंददीप एम. राउत	अध्यक्ष, मोर्मुगाओ नगर परिषद
9.	श्री बालकृष्ण यू.एस. होडरकर	अध्यक्ष, ककोरा – कर्चोरिम नगर परिषद
10.	श्री रोमल्डो जे.ए. फर्नांडीज	अध्यक्ष, संगुएम नगर परिषद

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती अंकिता नावेलकर	उत्तर गोवा जिला पंचायत अध्यक्ष
2.	श्री नवनाथ नाइक	दक्षिण गोवा जिला पंचायत अध्यक्ष
3.	श्री मोहन वेरेकर	जिला पंचायत सदस्य, पोंडा
4.	श्रीमती सुवर्ण तेंदुलकर	जिला पंचायत सदस्य, संवोर्देम
5.	श्री रूपेश नाइक	जिला पंचायत सदस्य सालिगाओ
6.	श्री अरुण बांकर	जिला पंचायत सदस्य मंद्रेम
7.	श्री प्रमोद फलदेसाई	कानकोण - अगोंडा सरपंच
8.	श्री एगनेलो डि कुन्हा	तालेइगाओ सरपंच
9.	श्री रत्नाकर हरजी	मंद्रेम – केरी - तेरेखोल सरपंच
10.	श्रीमती स्नेह लता नाइक	संवोर्देम – मोल्लेम सरपंच
11.	श्रीमती प्रशिला गौडे	संखिली पेपी सरपंच

12.	श्री संतोष बंदोदकर	सालिगाओ, पिलरने सरपंच
13.	श्री अर्जुन नाइक	संगुएम ग्राम पंचायत उगुएम
14.	श्री अलुलुई अफोंसो	आवेडे कोटमी, क्वेपेम
15.	श्री नामदेव वोल्वोइकर	दीवर पंचायत कुंभरजुआ

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री नीलेश सालकर	अध्यक्ष क्रेडाई- गोवा
2.	श्री अवेज शाइक	संयुक्त सचिव, क्रेडाई- गोवा
3.	श्री जोआओ पी. सौसा	उपमहाप्रबंधक ( वित्त ), आर्थिक विकास निगम लि.
4.	श्री विश्वास धुमे	उपप्रबंधक, आर्थिक विकास निगम लि.
5.	श्री एस.वी. नाइक	गोवा औद्योगिक विकास निगम
6.	श्री परवेज गोम्स	गोवा औद्योगिक विकास निगम
7.	श्री मनोज काकुलो	अध्यक्ष, गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
8.	श्री संदीप भंडारे	तत्काल-पूर्व अध्यक्ष, गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
9.	श्री यशवंत कामत	चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ गोवा
10.	श्री हरित मगनलाल	भारतीय उद्योग महासंघ ( सीआईआई )
11.	श्री श्रीनिवास नाइक	कैसिनो - होटल "नियो मैजेस्टिक"
12.	श्री विलियम डिकोस्टा	अध्यक्ष, गोवा बार्ज ऑनर्स एसोसिएशन
13.	श्री चंद्रकांत गवास	वरिष्ठ प्रबंधक, गोवा बार्ज ऑनर्स एसोसिएशन
14.	श्री नाथन चौगुले	उपाध्यक्ष, गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ
15.	श्री सौविक मजुमदार	सचिव, गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ
16.	श्री ग्लेन कलावमपारा	सचिव, गोवा खनिज अयस्क निर्यातक संघ

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

- |     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 1.  | श्री सदानंद तानावडे     | भारतीय जनता पार्टी                              |
| 2.  | श्री गिरीश चोदानकर      | अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस              |
| 3.  | श्री दिगंबर कामत        | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पूर्व मुख्यमंत्री    |
| 4.  | श्री चर्चिल अलेमाओ      | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी                     |
| 5.  | श्री जोस फिलिप डिसूजा   | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी                     |
| 6.  | श्री क्रिस्टोफर फोंसेका | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी                        |
| 7.  | श्री आर. डी. मंगेशकर    | सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी                  |
| 8.  | श्री सुहास नाइक         | उपसचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी                |
| 9.  | एडवो. नारायण सावंत      | कार्यवाहक अध्यक्ष, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी |
| 10. | श्री राहुल म्हांब्रे    | आम आदमी पार्टी                                  |
| 11. | श्री एरोल पायर्स        | आम आदमी पार्टी                                  |
| 12. | श्री विजय सरदेसाई       | गोवा फॉरवर्ड पार्टी                             |

## 7. गुजरात (23-25 जुलाई, 2018)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री विजयभाई रूपाणी	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री नितिनभाई पटेल	माननीय उपमुख्यमंत्री (वित्त)
3.	डॉ. जे. एन. सिंह	मुख्य सचिव
4.	श्री के. कैलाशनाथन	मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव
5.	श्री एम. के. दास	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और प्रधान सचिव (आईएमडी)
6.	श्री अरविंद अग्रवाल	अपर मुख्य सचिव (वित्त)
7.	श्री पी. के. परमार	अपर मुख्य सचिव (चिकित्सा सेवाएं एवं चिकित्सा शिक्षा)
8.	श्रीमती संगीता सिंह	अपर मुख्य सचिव (कार्मिक)
9.	श्री संजय प्रसाद	अपर मुख्य सचिव
10.	श्री पंकज कुमार	अपर मुख्य सचिव
11.	डॉ. राजीव कुमार गुप्ता	अपर मुख्य सचिव
12.	डॉ. पी. डी. वाघेला	आयुक्त
13.	श्री राज गोपाल	प्रधान सचिव
14.	श्री मुकेश पुरी	प्रधान सचिव
15.	श्री ए. के. राकेश	प्रधान सचिव
16.	श्रीमती सुनैना तोमर	प्रधान सचिव
17.	श्री मनोज अग्रवाल	प्रधान सचिव
18.	श्री जे.पी. गुप्ता	प्रधान सचिव (जलापूर्ति)
19.	श्री विनोद राव	सचिव

20.	सुश्री मोना के. कंधर	सचिव ( ग्रामीण विकास )
21.	श्री आर. सी. मीणा	सचिव
22.	श्री संजीव कुमार	सचिव ( आर्थिक कार्य )
23.	श्री एम. के. जादव	सचिव ( जल संसाधन )
24.	श्री एस. बी. वासव	सचिव
25.	श्री जी. के. सिन्हा	पीसीसीएफ
26.	डॉ. प्रकाश वाघेला	अपर निदेशक ( एफडब्ल्यू )
27.	श्रीमती पी. भारती	राज्य परियोजना निदेशक
28.	श्री सी. जे. मेकवान	संयुक्त सचिव
29.	श्री महेश जोशी	निदेशक ( प्राथमिक शिक्षा )
30.	सुश्री मनीषा चंद्रा	निदेशक ( आईसीडीएस )
31.	श्री अजय कुमार	विशेष आयुक्त
32.	श्री सुप्रीत सिंह गुलाटी	अपर आयुक्त
33.	श्री एस. के. हुड्डा	निदेशक
34.	श्री एम. पी. रावल	मुख्य इंजीनियर
35.	श्री मनीष पंड्या	संयुक्त निदेशक
36.	श्री एम. एच. ढोलकिया	उप-निदेशक
37.	श्री आर. डी. मोदी	अवर सचिव
38.	श्री वी. के. आडवाणी	उपायुक्त
39.	श्री समीर जोशी	अवर सचिव
40.	श्री आर. डी. भावसार	लेखा अधिकारी
41.	श्री पी. एम. नायर	उप अनुभाग अधिकारी

शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती बीजलबेन पटेल	महापौर, अहमदाबाद नगर निगम
2.	श्री जगदीशभाई पटेल	महापौर, सूरत नगर निगम
3.	सुश्री जिगिषाबेन शेठ	महापौर, वडोदरा नगर निगम
4.	श्रीमती बीनाबेन आचार्य	महापौर, राजकोट नगर निगम
5.	श्री हसमुखभाई जेठवा	महापौर, जामनगर नगर निगम
6.	श्री मनहरभाई मोरी	महापौर, भावनगर नगर निगम
7.	श्री प्रवीण पटेल	महापौर, गांधीनगर नगर निगम
8.	श्री एम. थेन्नासरन	आयुक्त, सूरत नगर निगम
9.	श्री अजय भादु	आयुक्त, वडोदरा नगर निगम
10.	श्री आर.बी. बारद	आयुक्त, जामनगर नगर निगम
11.	श्री के. बी. ठक्कर	उपायुक्त, अहमदाबाद नगर निगम
12.	श्री मुकेश पुरी	प्रधान सचिव, यूडी एवं यूएचडी
13.	श्री लोचन शेहरा	सचिव (आवासन एवं निर्मल गुजरात), यूडी एवं यूएचडी
14.	श्री एम. एस. पटेल	आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन, गुजरात राज्य
15.	श्री बी. सी. पाटनी	सीईओ, गुजरात नगर वित्त परिषद
16.	श्री एल. आर. दमोर	उपायुक्त, नगरपालिका प्रशासन, गुजरात राज्य
17.	सुश्री दीपिकाबेन पटेल	अध्यक्ष, नाडियाड नगरपालिका, नाडियाड
18.	श्री अनिरुद्धभाई पटेल	अध्यक्ष, हिम्मतनगर नगरपालिका, हिम्मतनगर
19.	श्री पंकजभाई अहीर	अध्यक्ष, वलसाड नगरपालिका, वडोदरा
20.	श्री विपिनभाई टोडिया	अध्यक्ष, सुरेंद्रनगर नगरपालिका, सुरेंद्रनगर
21.	श्री एस. के. गरवाल	मुख्य अधिकारी, नाडियाड नगरपालिका, नाडियाड
22.	श्री पी. वी. माली	मुख्य अधिकारी, हिम्मतनगर नगरपालिका, हिम्मतनगर

23. श्री जगतसिंह वासवा मुख्य अधिकारी, वलसाड नगरपालिका, वडोदरा  
24. श्री अमितभाई पंढ्या मुख्य अधिकारी, सुरेंद्रनगर नगरपालिका, सुरेंद्रनगर

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्री जे.एच. चौहान अध्यक्ष, अहमदाबाद
2. श्री एच.के. वंसिया उपाध्यक्ष, सूरत
3. श्री आर.एम. जादव अध्यक्ष, पंचमहल
4. श्री एन.आर. मोरी अध्यक्ष, पोरबंदर
5. सुश्री आर.पी. मोहनिया अध्यक्ष, तालुका : धनपुर, जिला : दाहोद
6. श्री जे.पी. गोर सदस्य, तालुका: धनसुरा, जिला: अरावली
7. सुश्री जी.पी. परमार अध्यक्ष, तालुका: तालोद, जिला: साबरकांठा
8. सुश्री के.डी. राठवा अध्यक्ष, तालुका: नसवाडी, जिला: छोटाउदयपुर
9. श्री डी. एस. जेसर सरपंच, ग्राम मुंद्रा, तालुका मुंद्रा, जिला कच्छ
10. सुश्री एस.एन. चौधरी सरपंच, ग्राम छीरी, तालुका वापी, जिला वलसाड
11. सुश्री सी.आर. पटेल सरपंच, ग्राम नारदीपुर, तालुका कलोल, जिला गांधीनगर
12. सुश्री आर.एस. पटेल सरपंच, ग्राम पोग्लू, तालुका प्रांतिज, जिला साबरकांठा
13. श्री बी. जे. पटेल सरपंच, ग्राम गोविंदपुरा, तालुका विजापुर, जिला मेहसाणा
14. श्री अरुण महेश बाबू डीडीओ, अहमदाबाद
15. श्री बीजल शाह डीडीओ, बनासकांठा
16. श्री देवांग देसाई डीडीओ, वलसाड
17. श्री बरनवाल वरुणकुमार डीडीओ, भावनगर
18. सुश्री जाह्नवी पटेल टीडीओ, गांधीनगर
19. श्री पंकज वघानी टीडीओ, सूरत



20.	श्री दिलीप वाघेला	टीडीओ, नवसारी
21.	श्री राजेश पटेल	टीडीओ, मेहसाणा
22.	श्री एन.पी. ठक्कर	आयुक्त, विकास आयुक्त, आयुक्त कार्यालय
23.	श्री एच.सी. पटेल	मुख्य लेखाधिकारी, विकास आयुक्त, आयुक्त कार्यालय
24.	समीक्षा दलसानिया	लेखा अधिकारी, विकास आयुक्त, आयुक्त कार्यालय

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	डॉ. जैमिन वासा	अध्यक्ष, जीसीसीआई
2.	श्री नीलेश शुक्ला	सचिव, जीसीसीआई
3.	श्री मुकेश शाह	पूर्व समिति सदस्य, जीसीसीआई
4.	श्री सुनील पारेख	पूर्व समिति सदस्य, जीसीसीआई
5.	श्री जगदीश शाह	महासचिव, जीसीसीआई
6.	श्री पिरूज खभाटा	अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ – पश्चिमी क्षेत्र
7.	श्री राजूभाई शाह	सदस्य, भारतीय उद्योग महासंघ - गुजरात
8.	श्री नैशाद पारिख	सदस्य, भारतीय उद्योग महासंघ
9.	श्री विमल अंबानी	सदस्य भारतीय उद्योग महासंघ
10.	श्री सैकत रॉय चौधरी	भारतीय उद्योग महासंघ
11.	श्री प्रेमल दवे	भारतीय उद्योग महासंघ
12.	श्री राजीव वास्तुपाल	सदस्य, फिक्की
13.	श्री पंकज तिबाक	फिक्की
14.	सुश्री भाग्येश सोनेजी	अध्यक्ष, एसोचैम गुजरात परिषद
15.	श्री मधु मेनन	अध्यक्ष, बीएफएसआई समिति, एसोचैम गुजरात परिषद
16.	सीए. अमिष खंधर	अध्यक्ष, कराधान समिति, एसोचैम गुजरात परिषद
17.	श्री अनिल मट्टू	सदस्य, एसोचैम

- |     |                     |                                       |
|-----|---------------------|---------------------------------------|
| 18. | श्री विपुल गजिंगवार | क्षेत्रीय प्रमुख, एसोचैम गुजरात परिषद |
| 19. | सुश्री ममता वर्मा   | उद्योग आयुक्त                         |
| 20. | श्री जी.जे. देसाई   | संयुक्त उद्योग आयुक्त                 |

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

- |     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| 1.  | श्री आई. के. जडेजा     | उपाध्यक्ष, सभापति, गरीब कल्याण वर्ष समिति, गुजरात राज्य, बीजेपी |
| 2.  | श्री नरहरिभाई अमीन     | कार्यकारी सदस्य, उपाध्यक्ष, गुजरात राज्य योजना आयोग, बीजेपी     |
| 3.  | श्री धनसुखभाई भंडेरी   | जिला संगठन प्रभारी अध्यक्ष, गुजरात नगर वित्त परिषद, बीजेपी      |
| 4.  | श्री डॉ. अनिल जोशियारा | विधानसभा सदस्य, आईएनसी  |
| 5.  | श्री पी.के. वलेरा      | उपाध्यक्ष, आईएनसी   |
| 6.  | श्री कैलाशदान गाधवी    | प्रवक्ता, आईएनसी  |
| 7.  | श्री बाबूलाल मेघजी शाह | पूर्व वित्त मंत्री गुजरात, एनसीपी                               |
| 8.  | श्री शरद पटेल          | उपाध्यक्ष गुजरात, एनसीपी  |
| 9.  | श्री हेमांग शाह        | उपाध्यक्ष गुजरात, एनसीपी  |
| 10. | श्री अशोक चावड़ा       | अध्यक्ष गुजरात प्रदेश, बीएसपी                                   |
| 11. | श्री निरंजन घोष        | महामंत्री गुजरात प्रदेश, बीएसपी                                 |
| 12. | श्री रूपवंत सिंह       | आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन                                       |
| 13. | श्री दीपक एम. शुक्ला   | अपर निदेशक, जीएंडएम कमेटी कार्यालय                              |
| 14. | श्री एस. बी. जोशी      | जीएंडएम कमेटी कार्यालय  |
| 15. | श्री एम. डी. व्यास     | जीएंडएम कमेटी कार्यालय  |
| 16. | श्री केयूर पंड्या      | जीएंडएम कमेटी कार्यालय  |

## 8. हरियाणा (03-04 मई, 2018)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री मनोहर लाल खट्टर	मुख्यमंत्री
2.	कैप्टन अभिमन्यु	वित्त मंत्री
3.	श्री ओम प्रकाश धनखड़	विकास और पंचायत मंत्री
4.	श्रीमती कविता जैन	शहरी स्थानीय निकाय मंत्री
5.	श्री विपुल गोयल	उद्योग और वाणिज्य मंत्री
6.	श्री देपिंदर धेसी	मुख्य सचिव, हरियाणा
7.	श्री राजेश खुल्लर	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
8.	श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
9.	श्री केशनी आनंद अरोड़ा	अपर मुख्य सचिव और एफसी, राजस्व और आपदा प्रबंधन
10.	श्री देवेन्द्र सिंह	उद्योग और वाणिज्य
11.	श्रीमती ज्योति अरोड़ा	अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा
12.	श्री राजीव अरोड़ा	अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग
13.	श्री वी. एस. कुंडू	अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
14.	श्री आर. आर. जोवेल	अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
15.	श्री पी. के. दास	अपर मुख्य सचिव, विद्युत
16.	श्री धीरा खंडेलवाल	अपर मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा
17.	श्री संजीव कौशल	अपर मुख्य सचिव, उत्पाद शुल्क और कराधान
18.	श्री धनपत सिंह	अपर मुख्य सचिव, परिवहन
19.	श्री एस. एस. प्रसाद	अपर मुख्य सचिव, गृह
20.	श्री सुनील कुमार गुलाटी	अपर मुख्य सचिव, पशुपालन और डेयरी

- |     |                         |  |
|-----|-------------------------|--|
| 21. | श्री राम निवास          | अपर मुख्य सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले  |
| 22. | श्री विवेक जोशी         | प्रधान सचिव, निगरानी और समन्वय                           |
| 23. | डॉ. महावीर सिंह         | प्रधान सचिव, श्रम  |
| 24. | श्री अरुण गुप्ता        | प्रधान सचिव, नगर एवं क्षेत्र नियोजन                      |
| 25. | श्री श्रीकांत वालगड     | प्रधान सचिव, आवास  |
| 26. | श्री अशोक खेमका         | प्रधान सचिव, खेल और युवा मामले                           |
| 27. | श्री अंकुर गुप्ता       | प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार  |
| 28. | श्री अभिलक्ष लिखी       | प्रधान सचिव, कृषि और किसान कल्याण                        |
| 29. | श्री अनुराग रस्तोगी     | प्रधान सचिव, सिंचाई और जल संसाधन                         |
| 30. | श्री आनंद मोहन शरण      | प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय                          |
| 31. | श्री सुधीर राजपाल       | प्रधान सचिव, विकास और पंचायतें                           |
| 32. | श्री शत्रुजीत कपूर      | मुख्य प्रबंध निदेशक, डिस्कॉम (यूएचबीवीएन) और डीएचबीवीएन) |
| 33. | श्री सुनील सरन          | वित्त सचिव-सह-सलाहकार                                    |
| 34. | श्रीमती रेणु एस. फुलिया | विशेष सचिव, मत्स्यपालन                                   |
| 35. | श्री नितिन यादव         | निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय                               |
| 36. | श्री समीर पाल खो        | महानिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क और निदेशक, पर्यटन          |
| 37. | श्री रवि प्रकाश गुप्ता  | सचिव, गृह  |
| 38. | श्री दुसमंत कुमार बेहरा | निदेशक, कृषि और किसान कल्याण                             |
| 39. | डॉ. शालीन               | अपर सचिव, वित्त  |
| 40. | श्री विवेक पदम सिंह     | संयुक्त सचिव, वित्त                                      |
| 41. | श्रीमती हेमा शर्मा      | निदेशक, महिला एवं बाल विकास                              |

- |     |                  |                                 |
|-----|------------------|---------------------------------|
| 42. | श्री विकास वर्मा | राज्य कार्यालय प्रमुख, यूएनडीपी |
| 43. | श्री कविता धनखड़ | संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता    |

### स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| 1.  | श्रीमती कविता जैन         | शहरी स्थानीय निकाय मंत्री               |
| 2.  | श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद  | प्रधान सचिव, वित्त विभाग                |
| 3.  | श्री आनंद मोहन शरण        | प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग   |
| 4.  | श्री सुनील सरन            | वित्त सचिव-सह-सलाहकार                   |
| 5.  | श्रीमती सुमन बाला         | महापौर, नगर निगम, फरीदाबाद              |
| 6.  | श्री पवन कुमार            | वरिष्ठ उप महापौर, नगर निगम, यमुनानगर    |
| 7.  | श्रीमती शकुंतला राजलीवाला | महापौर, नगर निगम, हिसार                 |
| 8.  | श्रीमती रीनू बाला गुप्ता  | महापौर, नगर निगम, करनाल                 |
| 9.  | श्रीमती पूनम किलोई        | पार्षद, नगर निगम, रोहतक                 |
| 10. | श्रीमती उमा सुधा          | अध्यक्ष, नगर निगम, थानेसर (कुरुक्षेत्र) |
| 11. | श्री पवन थरेजा            | अध्यक्ष, नगर निगम, कैथल                 |
| 12. | श्रीमती शीला राठी         | अध्यक्ष, नगर निगम, बहादुरगढ़ (झज्जर)    |
| 13. | श्री बलदेव राज चावला      | अध्यक्ष, नगर निगम शाहबाद (कुरुक्षेत्र)  |
| 14. | श्री अशोक कुमार           | अध्यक्ष, नगर निगम, पिहोवा (कुरुक्षेत्र) |
| 15. | श्री सुभाष चंद्र गुप्ता   | अध्यक्ष, नगर निगम, घरौंडा (करनाल)       |
| 16. | श्रीमती कविता             | अध्यक्ष, नगर निगम, झज्जर                |
| 17. | श्री ईश्वर कश्यप          | अध्यक्ष, नगर निगम, गन्नौर (सोनीपत)      |
| 18. | श्री ओम प्रकाश धनखड़      | विकास और पंचायत मंत्री                  |
| 19. | श्री सुधीर राजपाल         | प्रधान सचिव, विकास और पंचायत विभाग      |
| 20. | श्री सुरिंदर सिंह         | अध्यक्ष, जिला परिषद अंबाला              |

21.	श्री नंद लाल मटानी	अध्यक्ष, पंचायत समिति लोहारू ( भिवानी )
22.	श्री राकेश	सरपंच, बाढड़ा ( चरखी दादरी )
23.	श्री सोमेश	सरपंच, ग्राम पंचायत धिकारा ( चरखी दादरी )
24.	श्री महीपाल आर्य	सरपंच मिर्जापुर, ब्लॉक बल्लभगढ़, फरीदाबाद
25.	श्रीमती नीलम कंबोज	अध्यक्ष, पंचायत समिति रतिया ( फतेहाबाद )
26.	श्री संजीव कुमार	उपाध्यक्ष, जिला परिषद गुरुग्राम
27.	श्री मनोज कुमार	सरपंच, बीर, ब्लॉक हिसार ( हिसार )
28.	श्री परमजीत	अध्यक्ष, जिला परिषद, झज्जर
29.	श्री सुरेन्द्र राणा	सरपंच सिंघाना, ब्लॉक सफीदों ( जींद )
30.	श्री नरवीर नेहरा	सरपंच दिल्लूवाला, ब्लॉक अलेवा ( जींद )
31.	श्री गज्जन सिंह	सरपंच, गोबिंद पुरा, ब्लॉक सीवान ( कैथल )
32.	श्रीमती सीमा देवी	अध्यक्ष, पंचायत समिति असंध ( करनाल )
33.	श्रीमती रेणु शर्मा	अध्यक्ष, पंचायत समिति लाडवा ( कुरुक्षेत्र )
34.	श्री हनीफ खान	सरपंच, फिरोजपुर नमक, ( नूंह )
35.	श्री प्रेम चंद	अध्यक्ष, ब्लॉक समिति पलवल
36.	श्रीमती रितु सिंगला	अध्यक्ष, जिला परिषद पंचकुला
37.	श्री खुशदिल कादयान	सरपंच, सिवाह ( पानीपत )
38.	श्री वीरेंद्र सिंह	अध्यक्ष, ब्लॉक समिति बावल ( रेवाड़ी )
39.	श्री अमित कुमार कादयान	सरपंच, काहनौर ( रोहतक )
40.	श्री आत्मा राम	सरपंच, हांडी खेड़ा ( सिरसा )
41.	श्रीमती मीना रानी	अध्यक्ष, जिला परिषद सोनीपत
42.	श्री युवराज शर्मा	सरपंच, खुर्दबन, ( यमुनानगर )
43.	श्री राम लाल	सरपंच, पोटली ( यमुनानगर )

**व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि**

- |     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 1.  | श्री विपुल गोयल             | उद्योग और वाणिज्य मंत्री  |
| 2.  | श्री देवेन्द्र सिंह         | अपर मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग                              |
| 3.  | श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद    | प्रधान सचिव, वित्त विभाग  |
| 4.  | श्री सुनील सरन              | वित्त सचिव-सह-सलाहकार   |
| 5.  | श्री गोपाल शरण गर्ग         | अध्यक्ष, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड                                |
| 6.  | श्री सी. बी. गोयल           | पूर्व अध्यक्ष, एचसीसीआई   |
| 7.  | श्री रजनीश गर्ग             | उपाध्यक्ष, एचसीसीआई, पंचकुला  |
| 8.  | श्री एम. के. गुप्ता         | अध्यक्ष, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हरियाणा समिति, चंडीगढ़ |
| 9.  | श्री अपूर्व                 | संयुक्त निदेशक (प्रशासन), उद्योग और वाणिज्य विभाग, हरियाणा            |
| 10. | श्री ओ.पी. नेगी             | वरिष्ठ ए.ओ., उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा                        |
| 11. | श्री हरदीप बंगा             | विक्टोरा ऑटो (पी), फरीदाबाद   |
| 12. | श्री नवदीप चावला            | साइकोट्रोपिक इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद                                 |
| 13. | श्री ए. एल. अग्रवाल         | उपाध्यक्ष, एचसीसीआई   |
| 14. | श्री वजीर सिंह गोयत         | महानिदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा                          |
| 15. | श्री भगवान गुप्ता           | अध्यक्ष, विनिर्माता संघ, सोनीपत                                       |
| 16. | श्री ब्रिगेडियर एचपीएस बेदी | निदेशक, पीएचडी चैंबर, चंडीगढ़   |
| 17. | श्री रमेश वर्मा             | अध्यक्ष, हथकरघा निर्यात विनिर्माता संघ, पानीपत                        |
| 18. | श्री प्रीतम सिंह            | अध्यक्ष, एचसीसीआई पानीपत चैप्टर                                       |
| 19. | श्री राकेश गर्ग             | एचसीसीआई, पानीपत  |
| 20. | श्री देव ज्योति             | निदेशक, सी.आई.आई.   |
| 21. | श्री राजेश कपूर             | निदेशक, सी.आई.आई.   |

- |     |                      |                              |
|-----|----------------------|------------------------------|
| 22. | श्रीमती दीप्ति शर्मा | कार्यकारी अधिकारी, सी.आई.आई. |
| 23. | श्री संदीप           | सीएमडी, नैसकॉम, गुरुग्राम    |
| 24. | श्रीमती लनिका        | नैसकॉम, गुरुग्राम            |

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | श्री आर.एस. चौधरी     | राष्ट्रीय महासचिव, इंडियन नेशनल लोकदल                        |
| 2. | श्री बी.डी. ढालिया    | राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य, इंडियन नेशनल लोकदल        |
| 3. | प्रो. हरबंस सिंह      | मुख्य मीडिया समन्वयक, इंडियन नेशनल लोकदल                     |
| 4. | श्री प्रवीण अत्री     | प्रवक्ता, इंडियन नेशनल लोकदल                                 |
| 5. | श्री सुभाष बराला      | विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी                   |
| 6. | कैप्टन अभिमन्यु       | विधायक, वित्त मंत्री, भारतीय जनता पार्टी                     |
| 7. | श्री ओम प्रकाश धनखड़  | विधायक, विकास और पंचायत मंत्री, भारतीय जनता पार्टी           |
| 8. | श्री ज्ञान चंद गुप्ता | विधायक, मुख्य सचेतक, भारतीय जनता पार्टी                      |
| 9. | श्री नीरज दफ्तुआर     | मुख्यमंत्री के प्रधान विशेष कार्याधिकारी, भारतीय जनता पार्टी |



## 9. हिमाचल प्रदेश (25-28 सितंबर, 2018)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- |     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 1.  | श्री जय राम ठाकुर        | माननीय मुख्यमंत्री  |
| 2.  | श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर | माननीय मंत्री, आईपीएच और बागवानी  |
| 3.  | श्री किशन कपूर           | माननीय मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सीए   |
| 4.  | श्री सुरेश भारद्वाज      | माननीय मंत्री, शिक्षा   |
| 5.  | श्री अनिल शर्मा          | माननीय मंत्री, एमपीपी और विद्युत  |
| 6.  | श्री सरवीण चौधरी         | माननीय मंत्री, आवास, यूडी और टीसीपी   |
| 7.  | श्री विपिन सिंह परमार    | माननीय मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण   |
| 8.  | श्री वीरेंद्र कंवर       | माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज  |
| 9.  | श्री विक्रम सिंह         | माननीय मंत्री, उद्योग और टीई  |
| 10. | श्री राजीव सैजल          | माननीय मंत्री, एसजेई और सहकारिता  |
| 11. | श्री विनीत चौधरी         | मुख्य सचिव  |
| 12. | श्री बी.के. अग्रवाल      | अपर मुख्य सचिव (गृह, सतर्कता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), वित्तीय आयुक्त (अपील)                  |
| 13. | श्री श्रीकांत बाल्डी     | अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री  |
| 14. | श्रीमती मनीषा नंदा       | अपर मुख्य सचिव (लोक निर्माण)  |
| 15. | श्री अनिल कुमार खाची     | अपर मुख्य सचिव (वित्त, आयोजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, बीस सूत्री कार्यक्रम), वित्तीय आयुक्त (अपील) |
| 16. | श्री राम सुभाग सिंह      | अपर मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, शहरी विकास)   |
| 17. | श्री तरुण कपूर           | अपर मुख्य सचिव (एमपीपी एवं पावर, एनसीईएस, वन, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)                 |

18. श्री संजय गुप्ता प्रधान सचिव ( आयुर्वेद, सहकारिता, आरपीजी )
19. श्री आर. डी. धीमान प्रधान सचिव ( उद्योग, तकनीकी शिक्षा, बागवानी )
20. श्री प्रबोध सक्सेना प्रधान सचिव ( नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, कार्मिक, प्रशिक्षण, एफए )
21. श्री जगदीश चंदर प्रधान सचिव ( उत्पाद शुल्क एवं कराधान, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी )
22. श्री ओंकार चंद शर्मा प्रधान सचिव ( जनजातीय विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, कृषि )
23. श्री देवेश कुमार सचिव ( सिंचाई और लोक स्वास्थ्य )
24. श्री अरुण कुमार शर्मा सचिव ( शिक्षा )
25. श्री रविन्द्र नाथ बत्ता सचिव ( ग्रामीण विकास, पंचायती राज, परियोजना निगरानी, मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, संसदीय कार्य, सचिवालय प्रशासन, सैनिक कल्याण )
26. डॉ. पूर्णिमा चौहान सचिव ( प्रशासनिक सुधार, भाषा, कला एवं संस्कृति )
27. श्री अक्षय सूद सचिव ( वित्त )
28. श्री दिनेश मल्होत्रा सचिव ( युवा सेवाएं और खेल ), आयुक्त विभागीय
29. श्री राजीव शर्मा ईटीसी एचपी
30. श्री अभय पंत विशेष कार्याधिकारी, 15वां वित्त आयोग
31. श्री डी. सी. राणा विशेष सचिव
32. श्री देशराज शर्मा निदेशक, कृषि विभाग
33. श्री अशोक वर्मा वनस्पति विशेषज्ञ, कृषि निदेशालय
34. श्री आर. पी. वर्मा मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग
35. श्री एच. के. गुप्ता सीजीएम एचआरटीसी
36. श्री आबिद हुसैन विशेष सचिव, वित्त
37. डॉ. निपुण जिंदल विशेष सचिव, स्वास्थ्य

38.	श्री संजय भारद्वाज	अपर आयुक्त, उत्पाद शुल्क और कराधान
39.	श्री प्रदीप शर्मा	उपायुक्त, राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क
40.	डॉ. बासु सूद	सलाहकार, आयोजना
41.	श्री प्रदीप चौहान	आर्थिक सलाहकार

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती कुसुम सदरेट	महापौर, नगर निगम शिमला
2.	श्रीमती रजनी व्यास	महापौर, नगर निगम धर्मशाला
3.	श्रीमती सोमा देवी	अध्यक्ष, नगर निगम बिलासपुर
4.	श्री अमरजोत सिंह बेदी	अध्यक्ष, नगर निगम ऊना
5.	श्री देवेन्द्र ठाकुर	अध्यक्ष, नगर निगम, सोलन
6.	श्रीमती सलोचना देवी	अध्यक्ष, नगर निगम हमीरपुर
7.	श्री ठाकुर दास शर्मा	अध्यक्ष, नगर निगम परवाणू
8.	श्रीमती राधा सूद	अध्यक्ष, नगर निगम पालमपुर
9.	श्री लाभ सिंह ठाकुर	अध्यक्ष, एन.पी. रेवलसर
10.	श्री चंदर मोहन ठाकुर	अध्यक्ष, एन.पी. चौपाल
11.	सुश्री वीणा	अध्यक्ष, नगर निगम हमीरपुर

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती नीलम सरायक	सदस्य, जिला परिषद शिमला
2.	श्री मदन वर्मा	अध्यक्ष, पंचायत समिति थेओग
3.	श्री पूरन चंद ठाकुर	उपाध्यक्ष, जिला परिषद, मंडी
4.	सुश्री प्रज्वल	अध्यक्ष, पंचायत समिति उब्बल-कोटखाइ
5.	श्री दिग्विजय सिंह नेगी	प्रधान, ग्राम पंचायत काफनू, जिला किन्नौर

6. श्री ओम प्रकाश प्रधान, ग्राम पंचायत धर्मपुर, ब्लॉक धर्मपुर
7. श्री संजीव कुमार राणा प्रधान, ग्राम पंचायत आइमा, ब्लॉक लंबागांव
8. श्रीमती सरला ठाकुर अध्यक्ष, जिला परिषद, मंडी
9. श्री दीना नाथ प्रधान, ग्राम पंचायत पखरैर ब्लॉक सेराज
10. श्रीमती बन्दी देवी प्रधान, ग्राम पंचायत कराड, ब्लॉक अन्नी
11. श्री राकेश ठाकुर अध्यक्ष, जिला परिषद, हमीरपुर
12. श्री प्यारे लाल प्रधान, ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा ब्लॉक सदर, जिला बिलासपुर
13. सुश्री आशा कश्यप प्रधान, ग्राम पंचायत, थारी

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री सतीश गुप्ता व्यापार मंडल
2. श्री मोहिन्दर सेठ पर्यटन उद्योग हितधारक संघ
3. श्री जगदीश चंद्र शर्मा प्रधान सचिव ( उत्पाद शुल्क और कराधान )
4. श्री विकास कपूर उपाध्यक्ष-संचालन, रेडिसन
5. श्री गगनदीप सिंह क्लस्टर हेड हिमाचल
6. श्री अनिल वालिया प्रबंध निदेशक, होटल और रेस्तरां संघ
7. श्री अंकुश महाजन महाप्रबंधक , वन्य पुष्प
8. श्री रमेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल
9. श्री ओ.पी. सैनी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल
10. श्री सुशील सोनी कार्यकारी सदस्य, हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल
11. श्री शैलेश अग्रवाल बीबीएनआईए
12. श्री आई.एम.जे.एस. सिद्धू भारतीय उद्योग महासंघ, हिमाचल प्रदेश
13. श्री संजय खुराना भारतीय उद्योग महासंघ

## राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. कर्नल धनी राम शांडिल पूर्व मंत्री और विधायक सोलन
2. श्री मुकेश अग्निहोत्री विधायक और नेता प्रतिपक्ष, वीपीओ गोंदपुर, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश
3. श्री राम लाल ठाकुर विधायक, विला घयाल, पीओ नम्होल, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश
4. श्री हर्षवर्धन चौहान विधायक, रैन बसेरा भवन, द मॉल, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
5. डॉ. ओंकार शाद राज्य सचिव, सीपीआई (एम), राज्य मुख्यालय सीपीआई (एम), बावा मार्केट, निकट महालेखाकार कार्यालय, द मॉल, शिमला
6. श्री राकेश सिंघा विधायक और राज्य सचिवालय सदस्य, राज्य मुख्यालय सीपीआई (एम), बावा मार्केट, निकट महालेखाकार कार्यालय, द मॉल, शिमला
7. डॉ. कुलदीप सिंह तंवर राज्य सचिवालय सदस्य सीपीआई (एम), राज्य मुख्यालय सीपीआई (एम), बावा बाजार, निकट महालेखाकार कार्यालय, द मॉल, शिमला
8. श्री संजय चौहान राज्य सचिवालय सदस्य, सीपीआई (एम), राज्य मुख्यालय सीपीआई (एम), बावा मार्केट, निकट महालेखाकार कार्यालय, द मॉल, शिमला
9. श्री सतपाल सिंह सत्ती अध्यक्ष भाजपा, भाजपा मुख्यालय, दीप कमल, चक्कर, शिमला
10. श्री नरेंद्र बरागटा विधायक और मुख्य सचेतक, बरागटा निवास, स्टोक्स प्लेस, शिमला -2
11. श्री रणधीर शर्मा पूर्व विधायक, और मुख्य प्रवक्ता, राज्य भाजपा, ग्राम गुरु-का-लाहौर, पी.ओ. बस्सी, तहसील श्री नैना देवी जी, जिला बिलासपुर

पंद्रहवां वित्त आयोग

12. श्री चंदर मोहन ठाकुर

महासचिव, प्रदेश भाजपा, ग्राम कावगा, पी.ओ. तहसील  
राजगढ़, जिला सिरमौर

## 10. झारखंड (01-03 अगस्त, 2018)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री रघुबर दास	माननीय मुख्यमंत्री
2.	श्री सरयू राय	माननीय मंत्री, खाद्य और नागरिक आपूर्ति
3.	श्री रामचंद्र चंद्रवंशी	माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा
4.	श्री राज पालीवार	माननीय मंत्री, श्रम
5.	श्रीमती नीरा यादव	माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा
6.	डॉ. डी. के. तिवारी	विकास आयुक्त
7.	श्री आई.एस. चतुर्वेदी	अपर मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण
8.	श्री सुखदेव सिंह	अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त
9.	श्री अरुण कुमार सिंह	अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन
10.	श्री के.के. खंडेलवाल	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्यिक कर
11.	श्री एपी सिंह	प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा
12.	श्रीमती निधि खरे	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा
13.	श्री अविनाश कुमार	प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास
14.	श्री एसकेजी रहाटे	प्रधान सचिव, गृह
15.	श्री सतेंद्र सिंह	सचिव, वित्त (व्यय)
16.	श्री अजय कुमार सिंह	सचिव, शहरी विकास
17.	श्री नितिन मदन कुलकर्णी	सचिव, ऊर्जा विभाग
18.	श्री संजय कुमार	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
19.	श्री राहुल शर्मा	सचिव, परिवहन और उत्पाद शुल्क

20.	श्री के.के. सोन	सचिव, आरसीडी
21.	श्रीमती हिमानी पांडे	सचिव, कल्याण
22.	श्रीमती आराधना पटनायक	सचिव, पीएचईडी
23.	श्री विनय कुमार चौबे	सचिव, उद्योग
24.	श्री अमिताभ कौशल	सचिव, खाद्य और नागरिक आपूर्ति
25.	श्री सुनील कुमार	सचिव, भवन
26.	श्रीमती पूजा सिंघल	सचिव, कृषि
27.	श्री मनीष रंजन	सचिव, पर्यटन, खेल, कला और संस्कृति
28.	श्री अबू बकर सिद्दीकी	सचिव, खान
29.	श्री राजेश शर्मा	सचिव, उच्च शिक्षा
30.	श्री प्रवीण टोप्पो	सचिव, पंचायती राज
31.	डॉ. हरिश्चर दयाल	मुख्य निदेशक, सीएफएस

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री चंद्र शेखर अग्रवाल	महापौर, धनबाद नगर निगम
2.	श्री भोलू पासवान	महापौर, चास नगर निगम
3.	श्रीमती आशा लाकड़ा	महापौर, रांची नगर निगम
4.	श्री प्रकाश राम	उप-महापौर, गिरिडीह नगर निगम
5.	श्रीमती सीतामणि तिकी	अध्यक्ष, लातेहार नगर पंचायत
6.	श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर	अध्यक्ष, चाईबासा नगर परिषद
7.	श्री ओमप्रकाश साहु	उपाध्यक्ष, सिमडेगा नगर परिषद
8.	श्री सुनील सिन्हा	उपाध्यक्ष, पाकुड़ नगर परिषद
9.	श्री विनोद कुमार तिवारी	वार्ड पार्षद, रामगढ़ नगर परिषद
10.	श्री संदीप आनंद	वार्ड पार्षद, खुंटी नगर पंचायत



### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती शालिनी गुप्ता	जिला पंचायत अध्यक्ष, कोडरमा
2.	श्रीमती रेणुका मुर्मू	जिला पंचायत अध्यक्ष, साहिबगंज
3.	श्री संजय सिंह	जिला पंचायत उपाध्यक्ष, पलामू
4.	श्री श्याम सुंदर कच्छप	जिला पंचायत उपाध्यक्ष, कोडरमा, खुंटी
5.	श्री विकास महतो	मुखिया, धनबाद
6.	श्री अजय सिंह	मुखिया, पेटरवार, बोकारो
7.	सुश्री दीपान्त्री सरदार	मुखिया, तेतल पंचायत, पोटका, पूर्वी सिंहभूम
8.	सुश्री मिसफिक्रा	मुखिया, इलामी, पाकुड़
9.	श्री आमुख प्रियदर्शी	प्रमुख, तरहासी ब्लॉक, पलामू
10.	श्री तिमुथियुस खाखा	प्रमुख, सदर ब्लॉक, सिमडेगा
11.	श्रीमती रुक्मिला देवी	प्रमुख, कुंती सदर

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री सुनील भास्करन	उपाध्यक्ष – कॉर्पोरेट सेवाएँ, टाटा स्टील
2.	श्री अमृतांशु प्रसाद	उपाध्यक्ष, कॉर्पोरेट कार्य, अडानी समूह
3.	श्री देबाशीष मजूमदार	अध्यक्ष और प्रभारी, यूएएसडी डिवीजन, जमशेदपुर, उषा मार्टिन
4.	श्री गुनवंत सिंह सलूजा	अध्यक्ष, मोंगिया स्टील
5.	श्री अविजित घोष	मुख्य प्रबंध निदेशक, एचईसी
6.	श्री रणजीत कुमार गरोडिया	अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
7.	श्री हंसराज जैन	महासचिव - झारखंड, लघु उद्योग भारती
8.	श्री बाल कृष्ण सिंह	राज्य प्रमुख, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स

9. श्री मधुकर सिन्हा प्रबंध निदेशक, एपी एवं वीपीएल और सदस्य, भारतीय उद्योग महासंघ, झारखंड
10. श्री इंदर अग्रवाल अध्यक्ष, आदित्यपुर लघु उद्योग संघ
11. श्री भरत जायसवाल राज्य समन्वयक, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
12. श्री अमिताव बख्शी उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ, झारखंड
13. श्री संजय सभरवाल क्षेत्रीय अध्यक्ष (पूर्वी क्षेत्र), ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री दीपक प्रकाश बीजेपी
2. डॉ. अजय कुमार राज्य अध्यक्ष, आईएनसी, झारखंड
3. श्री अजय सिंह टीएमसी
4. श्री दयानंद प्रसाद सिंह टीएमसी
5. श्री भुबनेश्वर मेहता सीपीआई
6. श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता एनसीपी
7. श्री प्रदीप यादव जेवीएम
8. श्री देवशरण भगत एजेएसयू
9. श्री जयंत घोष एजेएसयू
10. श्री हेमंत सोरेन (पूर्व मुख्यमंत्री) जेएमएम
11. श्री आबिद अली आरजेडी
12. श्री गोपी कांत बक्सी सीपीआई (एम)

## 11. कर्नाटक (23-26 जून, 2019)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- |     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 1.  | श्री एच. डी. कुमारस्वामी | मुख्यमंत्री   |
| 2.  | डॉ. जी. परमेश्वरा        | उपमुख्यमंत्री   |
| 3.  | श्री एम. बी. पाटिल       | गृह मंत्री  |
| 4.  | श्री के.जे. जॉर्ज        | मंत्री, बड़े एवं मध्यम उद्योग                             |
| 5.  | श्री सी.एस. पुत्तराजू    | लघु सिंचाई मंत्री   |
| 6.  | श्री जी.टी. देवेगौड़ा    | उच्च शिक्षा मंत्री  |
| 7.  | श्री कृष्ण बायरगौड़ा     | ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री                        |
| 8.  | श्री यू.टी. अब्दुल खादेर | शहरी विकास मंत्री   |
| 9.  | श्री सतीश एल. जारकीहोली  | वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री                       |
| 10. | श्री कोनारेड्डी          | माननीय मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार                    |
| 11. | डॉ. एस. सुब्रमण्य        | माननीय मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार                     |
| 12. | श्री टी.एम. विजय भास्कर  | मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार                                 |
| 13. | श्री पी. रवि कुमार       | अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार                             |
| 14. | श्रीमती वंदिता शर्मा     | सरकार के अपर मुख्य सचिव और विकास आयुक्त, कर्नाटक सरकार,   |
| 15. | श्री महेंद्र जैन         | सरकार के अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा) / ऊर्जा विभाग       |
| 16. | श्री आई.एस.एन. प्रसाद    | सरकार के अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग                      |
| 17. | श्रीमती वी. मंजुला       | सरकार के अपर मुख्य सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग |
| 18. | श्री अजय सेठ             | प्रबंध निदेशक, बीएमआरसीएल                                 |

- |     |                        |  |
|-----|------------------------|--|
| 19. | डॉ. ई. वी. रमन रेड्डी  | माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार                      |
| 20. | डॉ. राजकुमार खत्री     | सरकार के प्रधान सचिव (आपदा प्रबंधन), राजस्व विभाग                        |
| 21. | डॉ. एन. नागम्बिका देवी | सरकार के प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग                                     |
| 22. | श्री एल.के. अतीक       | सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग                  |
| 23. | श्री एस.आर. उमाशंकर    | सरकार के प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग (प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा)         |
| 24. | श्री अंजुम परवेज       | सरकार के प्रधान सचिव (एम एंड यू), शहरी विकास विभाग                       |
| 25. | श्री आर.के. कटारिया    | सचिव, सरकार, कृषि विभाग  |
| 26. | डॉ. एस. सेल्वकुमार     | माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, कर्नाटक सरकार                                |
| 27. | श्री एम.एस. श्रीकर     | आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग   |
| 28. | डॉ. एकरूप कौर          | सरकार के सचिव (बी एंड आर / व्यय) वित्त विभाग                             |
| 29. | श्री वी. यशवंत         | आयुक्त, आबकारी विभाग   |
| 30. | श्री ए.बी. इब्राहिम    | प्रबंध निदेशक, कर्नाटक शहरी अवसंरचना विकास एवं वित्त निगम (केयूआईडीएफसी) |
| 31. | श्री पुनाती श्रीधर     | प्रधान मुख्य वन संरक्षक  |

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |    |                                 |  |
|----|---------------------------------|--|
| 1. | श्रीमती गंगाम्बिके मल्लिकार्जुन | महापौर, बीबीएमपी   |
| 2. | श्री पद्मनाभ रेड्डी             | कॉर्पोरेटर, बीबीएमपी वार्ड नंबर- 29, बीबीएमपी में नेता प्रतिपक्ष |

- |     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 3.  | श्री बी.एस. सत्यनारायण   | कॉर्पोरेटर, बीबीएमपी वार्ड नंबर -154, बासवनगुडी, बेंगलुरु |
| 4.  | श्रीमती रूपाश्री बी. एस. | उप-महापौर, तुमकुरु नगर निगम                               |
| 5.  | श्री चन्नाबसप्पा एस.एन.  | उप-महापौर, शिवमोगा नगर निगम                               |
| 6.  | श्री बी.ए. रमेश हेगड़े   | कॉर्पोरेटर, शिवमोगा नगर निगम                              |
| 7.  | श्री एच. विष्णुनायक      | अध्यक्ष, मरियम्मनहल्ली, तालुक पंचायत                      |
| 8.  | श्री जी. राघवेंद्र       | पार्षद और सदस्य स्थायी समिति, कुडलिगी, तालुक पंचायत       |
| 9.  | श्री बी.एच. अनिल कुमार   | सरकार के अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग                 |
| 10. | श्री एन. मंजूनाथ प्रसाद  | आयुक्त, बीबीएमपी  |
| 11. | श्री अंजुम परवेज         | सरकार के प्रधान सचिव (एम एंड यू), शहरी विकास विभाग        |

#### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 1. | श्री सी. नारायणस्वामी        | सदस्य, पंचायत राज परिषद्   |
| 2. | श्री वी. वाई. घोरपडे         | उपाध्यक्ष, कर्नाटक राज्य विकेंद्रीकृत योजना एवं विकास समिति                                  |
| 3. | श्री मंजुनाथ                 | अध्यक्ष, चिक्काबल्लापुर जिला पंचायत  |
| 4. | श्रीमती जयम्मा               | अध्यक्ष, बेंगलुरु ग्रामीण जिला पंचायत  |
| 5. | श्री नीलकंठप्पा एम. कुसागुरा | अध्यक्ष, रानीबेनूर तालुक पंचायत  |
| 6. | श्रीमती पुष्पा राजेश         | अध्यक्ष, सोमवरपेट तालुक पंचायत   |
| 7. | श्री सतीश के.एस.             | सदस्य, कडाबा ग्राम पंचायत, गुब्बली तालुक और अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य ग्राम पंचायत सदस्य परिसंघ |
| 8. | श्री पी.पी. बोपन्ना          | अध्यक्ष, पोलेबेट्टु ग्राम पंचायत, विराजपेट तालुक   |
| 9. | श्री महेश कुमार एन. के.      | अध्यक्ष, डोडाजला ग्राम पंचायत, बेंगलुरु (उत्तर)  |

- |     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
| 10. | श्री एल.के. अतीक           | सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग  |
| 11. | श्री एस.एम. जुल्फीकारुल्ला | निदेशक (पंचायत राज), ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग  |
| 12. | श्री एम. के. केम्पेगौडा    | सलाहकार (पंचायत राज), ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग |

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

- |     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 1.  | श्री टी. वी. मोहनदास पई | अध्यक्ष, एएआरआईएन कैपिटल पार्टनर्स  |
| 2.  | श्री उल्लास कामथ        | अध्यक्ष-फिक्की (कर्नाटक)  |
| 3.  | श्री एस संपतरामन        | भूतपूर्व- अध्यक्ष, एफकेसीसीआई   |
| 4.  | श्री सीए एन नित्यानंद   | अध्यक्ष, कॉर्पोरेट कानून, केंद्रीय कर एवं जीएसटी समिति, एफकेसीसीआई और प्रबंध समिति के सदस्य     |
| 5.  | श्री देवेश अग्रवाल      | वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बेंगलुरु चैंबर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (बीसीआईसी)                             |
| 6.  | श्री आनंद पद्मनाभन      | अध्यक्ष, शाही एक्सपोर्ट्स   |
| 7.  | श्री अनिल हरिदास        | प्रबंध निदेशक, बिल फोर्ज प्राइवेट लिमिटेड   |
| 8.  | श्री बसवराज जावली       | अध्यक्ष, केएसएसआईए  |
| 9.  | श्री सत्य गुप्ता        | उपाध्यक्ष, आईईएसए   |
| 10. | श्री सईद अहमद           | सीईओ, एनएसएससीओएम (नैसकॉम)  |
| 11. | श्री कृष्णन जी.एस.      | उपाध्यक्ष, एबीएलई और क्षेत्रीय अध्यक्ष, इंडिया नोवोजाइम्स साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड           |
| 12. | श्री बीरेन घोष          | अध्यक्ष, एबीएआई   |
| 13. | श्री गणेश शेर्नॉय       | संयोजक, भारतीय उद्योग महासंघ, कर्नाटक आर्थिक मामले, वित्त एवं कराधान पैनल और सीएफओ एमटीआर फूड्स |

- |     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| 14. | श्री अमन चौधरी        | अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ, कर्नाटक  |
| 15. | श्री एम. माहेश्वर राव | सरकार के सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग |
| 16. | श्रीमती गुंजन कृष्णा  | आयुक्त, उद्योग विभाग                    |

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

- |    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 1. | श्री हरिराम               | बहुजन समाज पार्टी                                 |
| 2. | श्री के.सी. नागराज        | बहुजन समाज पार्टी                                 |
| 3. | श्री राज शेखर             | बहुजन समाज पार्टी                                 |
| 4. | श्री साथी सुंदरेश         | प्रदेश सचिव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया          |
| 5. | श्री एम. सत्यानंद         | सहायक सचिव, बेंगलुरु, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया |
| 6. | श्री कृष्ण बायरगौड़ा      | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस                         |
| 7. | श्री रमेश बाबू            | जनता दल (सेकुलर)                                  |
| 8. | श्री बंदेप्पा खाशमपुर     | जनता दल (सेकुलर)                                  |
| 9. | श्री सैयद शफी उल्ला साहेब | वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जनता दल (सेकुलर)                |

## 12. केरल (28-31 मई, 2018)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री पिनारयी विजयन	मुख्यमंत्री
2.	डॉ. टी.एम. थॉमस इसाक	मंत्री, वित्त और कॉयर
3.	श्री ए.के. बालन	मंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, कानून, संस्कृति और संसदीय कार्य
4.	श्री ई. चंद्रशेखरन	राजस्व और आवासन मंत्री
5.	श्री के.टी. जलील	मंत्री, स्थानीय स्वशासन, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ और हज तीर्थयात्रा
6.	श्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन	मंत्री, सहकारिता, पर्यटन और देवस्वोम
7.	श्री एम. एम. मणि	विद्युत मंत्री
8.	एडवोकेट मैथ्यू टी. थॉमस	जल संसाधन मंत्री
9.	श्रीमती जे. मर्सीकुट्टी अम्मा	मंत्री, मत्स्य पालन, हार्बर इंजीनियरिंग और काजू उद्योग
10.	श्री ए. सी. मोइदीन	मंत्री, उद्योग, खेल और युवा मामले
11.	एडवोकेट के. राजू	मंत्री, वन, पशुपालन और चिड़ियाघर
12.	श्री रामचंद्रन कडन्नापल्ली	मंत्री, पोर्ट्स, संग्रहालय, पुरातत्व और अभिलेखागार
13.	प्रो. सी. रवींद्रनाथ	शिक्षा मंत्री
14.	श्रीमती के.के. शैलजा टीचर	मंत्री, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय
15.	श्री जी. सुधाकरन	मंत्री, लोक निर्माण और पंजीकरण
16.	एडवोकेट वी.एस. सुनील कुमार	कृषि मंत्री
17.	श्री पी. थिलोथामन	खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री
18.	श्री पॉल एंटनी	मुख्य सचिव
19.	श्री टॉम जोस	अपर मुख्य सचिव, श्रम एवं कौशल



- |     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| 20. | श्री राजीव सदानंदन     | अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष                             |
| 21. | श्री सुब्रत बिस्वास    | अपर मुख्य सचिव, गृह और सतर्कता  |
| 22. | डॉ. विश्वास मेहता      | अपर मुख्य सचिव, आयोजना और आर्थिक मामले  |
| 23. | श्री पी. एच. कुरियन    | अपर मुख्य सचिव, राजस्व, आवास, पर्यावरण  |
| 24. | श्री टी. के. जोस       | अपर मुख्य सचिव, एलएसजीडी  |
| 25. | डॉ. वी. वेणु           | प्रधान सचिव, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, वन और वन्य जीव, सांस्कृतिक मामले |
| 26. | श्री मनोज जोशी         | प्रधान सचिव, वित्त  |
| 27. | श्री बिश्वनाथ सिन्हा   | प्रधान सचिव, जीएडी, पी एंड एआरडी, पावर, ट्रांसपोर्ट (एविएशन), पोर्ट्स         |
| 28. | श्री संजीव कौशिक       | प्रधान सचिव, वित्त संसाधन   |
| 29. | डॉ. उषा टिटस           | प्रधान सचिव, उच्च शिक्षा  |
| 30. | श्री ए. अजित कुमार     | सचिव, एलएसजी (ग्रामीण)  |
| 31. | श्री एक्स. अनिल        | सचिव, पशुपालन और डेयरी विकास, सांस्कृतिक मामले (चिड़ियाघर), कृषि              |
| 32. | श्री एम. शिवशंकर       | मुख्यमंत्री के सचिव, ईएंडआईटी   |
| 33. | श्रीमती रानी जॉर्ज     | सचिव, सांस्कृतिक मामले, पर्यटन  |
| 34. | श्रीमती सुमन एन. मेनन  | सचिव, सैनिक कल्याण, मुद्रण एवं लेखन सामग्री                                   |
| 35. | डॉ. शर्मिला मैरी जोसेफ | सचिव, वित्त (व्यय), आयोजना और आर्थिक मामले                                    |
| 36. | श्रीमती टिंकू बिस्वाल  | सचिव, जल संसाधन   |
| 37. | श्री ए शाजहां          | सचिव, सामान्य शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, राजस्व (वक्फ)                        |
| 38. | श्री संजय एम. कौल      | सचिव, उद्योग विभाग, कर (उत्पाद शुल्क को छोड़कर)                               |
| 39. | श्रीमती मिनी एंटनी     | विशेष सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, उद्योग (कॉयर)         |

40. श्री पी. वेणुगोपाल विशेष सचिव, सहकारिता, आई एंड पीआरडी

### स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्री टी. के. जोस अपर मुख्य सचिव, एलएसजीडी
2. एडवोकेट वी. के. प्रशांत सचिव, महापौर परिषद और महापौर तिरुवनंतपुरम निगम
3. श्रीमती मीरा दर्शक उप-महापौर, कोझिकोड निगम
4. श्रीमती सौमिनी जैन उपाध्यक्ष महापौर परिषद और महापौर, कोच्चि निगम
5. श्रीमती डब्ल्यू. आर. हीभा उपाध्यक्ष, चेम्बर ऑफ म्युनिसिपल चेयरमेन
6. एडवोकेट के. तुलसीभाई पद्मनाभन अध्यक्ष, केरल ग्राम पंचायत संघ, पंचायत भवन, तिरुवनंतपुरम
7. श्री आर. सुभाष अध्यक्ष, केरल ब्लॉक पंचायत एसोसिएशन, स्वराज भवन, नान्थनकोड, तिरुवनंतपुरम
8. श्री वी.के. मधु अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष चैंबर, केरल जिला पंचायत कार्यालय, पट्टोम, तिरुवनंतपुरम

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1. श्री पी. के. मायन वेस्टर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2. श्रीमती कैथ्रेनम्मा सेबेस्टियन उपनिदेशक, एमएसएमई विकास संस्थान, त्रिशूर
3. श्री एस. रमेश कुमार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ( आईसीएआई )
4. श्री एन. के. कृष्णन कुट्टी डीजीएम, केनरा बैंक

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री जे. सुधाकरन बहुजन समाज पार्टी
2. एडवोकेट पद्मकुमार भारतीय जनता पार्टी

3.	डॉ. राधाकृष्ण पिल्लै	भारतीय जनता पार्टी
4.	श्री के. प्रकाश बाबू	सहायक सचिव, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
5.	श्री ए. विजयराघवन	केंद्रीय समिति के सदस्य, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ( मार्क्सवादी )
6.	श्री रमेश चेन्निथला	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
7.	श्री थाम्पनूर रवि	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
8.	श्री सुकु एस. कडमपल्ली	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
9.	श्री सी. के. नानू	जनता दल ( सेक्युलर )
10.	श्री जॉर्ज थॉमस	जनता दल ( सेक्युलर )
11.	श्री जोसेफ एम. पुथुसेरी	पूर्व विधायक, केरल कांग्रेस ( एम )
12.	श्री मोहम्मद शाह	मुस्लिम लीग

13. मध्य प्रदेश (03-05 जुलाई, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री कमलनाथ	मुख्यमंत्री
2.	डॉ. विजय लक्ष्मी साधो	मंत्री
3.	श्री हुकुम सिंह कराड़ा	मंत्री
4.	श्री बाला बच्चन	मंत्री
5.	श्री आरिफ अकील	मंत्री
6.	श्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर	मंत्री
7.	श्री प्रदीप जायसवाल	मंत्री
8.	श्री लखन सिंह यादव	मंत्री
9.	श्री तुलसीराम सिलावट	मंत्री
10.	श्री गोविंद सिंह राजपूत	मंत्री
11.	डॉ. प्रभुराम चौधरी	मंत्री
12.	श्री हर्ष यादव	मंत्री
13.	श्री जयवर्धन सिंह	मंत्री
14.	श्री कमलेश्वर पटेल	मंत्री
15.	श्री लखन घनघोरिया	मंत्री
16.	श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया	मंत्री
17.	श्री पी.सी. शर्मा	मंत्री
18.	श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर	मंत्री
19.	श्री सचिन सुभाष यादव	मंत्री
20.	श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल	मंत्री
21.	श्री सुधी रंजन मोहंती	मुख्य सचिव

22.	श्री प्रभांशु कमल	एपीसी/अपर मुख्य सचिव
23.	श्री पी. सी. मीणा	अपर मुख्य सचिव
24.	श्री एम. गोपाल रेड्डी	अपर मुख्य सचिव
25.	श्री के. के. सिंह	अपर मुख्य सचिव
26.	श्रीमती सेलीना सिंह	अपर मुख्य सचिव
27.	श्री मनोज श्रीवास्तव	अपर मुख्य सचिव
28.	श्रीमती शिखा दुबे	अपर मुख्य सचिव
29.	श्रीमती गौरी सिंह	अपर मुख्य सचिव
30.	श्रीमती वीरा राणा	अपर मुख्य सचिव
31.	श्री अनुराग जैन	अपर मुख्य सचिव
32.	श्री मोहम्मद सुलेमान	अपर मुख्य सचिव
33.	श्री जे. एन. कंसोटिया	प्रधान सचिव
34.	डॉ. राजेश राजोरा	प्रधान सचिव
35.	श्री पंकज राग	प्रधान सचिव
36.	श्री शिवनारायण मिश्र	प्रधान सचिव
37.	श्री अश्विनी कुमार राय	प्रधान सचिव
38.	श्री मलय श्रीवास्तव	प्रधान सचिव
39.	श्री अजीत केसरी	प्रधान सचिव
40.	श्री अशोक कुमार शाह	प्रधान सचिव
41.	श्री अशोक वर्नवाल	प्रधान सचिव
42.	डॉ. मनोज गोविल	प्रधान सचिव
43.	श्री प्रमोद अग्रवाल	प्रधान सचिव
44.	श्री मनु श्रीवास्तव	प्रधान सचिव
45.	श्री सतीश चंद्र मिश्र	प्रधान सचिव

46.	श्री पंकज अग्रवाल	प्रधान सचिव
47.	श्री के. सी. गुप्ता	प्रधान सचिव
48.	श्रीमती नीलम शमी राव	प्रधान सचिव
49.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	प्रधान सचिव
50.	श्रीमती दीप्ति गौर मुखर्जी	प्रधान सचिव
51.	श्री नीरज मंडलोई	प्रधान सचिव
52.	श्री संजय दुबे	प्रधान सचिव
53.	श्री अनुपम राजन	प्रधान सचिव
54.	श्री अनिरुद्ध मुखर्जी	प्रधान सचिव
55.	श्री संजय कुमार शुक्ल	प्रधान सचिव
56.	श्रीमती रश्मि अरुण शमी	प्रधान सचिव
57.	श्री हरिरंजन राव	प्रधान सचिव
58.	श्रीमती दीपाली रस्तोगी	प्रधान सचिव
59.	डॉ. पल्लवी जैन गोविल	प्रधान सचिव
60.	श्री मनीष रस्तोगी	प्रधान सचिव
61.	श्री शिवशेखर शुक्ला	प्रधान सचिव
62.	श्री विनोद कुमार	प्रधान सचिव
63.	श्रीमती हर्षिका सिंह	उप-सचिव
64.	श्री नीरज कुमार सिंह	उप-सचिव
65.	श्री पी. के. रॉय	उप-सचिव
66.	श्री अशोक कुमार धनोपिया	अनुसंधान विश्लेषक
67.	श्री राजेन्द्र सिंह जादम	सांख्यिकीय अधिकारी

## शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |     |                                 |  |
|-----|---------------------------------|--|
| 1.  | श्री अहसानुल हक                 | पार्षद, नगर निगम रीवा                        |
| 2.  | श्री अजय शुक्ला                 | अध्यक्ष, नगर परिषद सेमरिया                   |
| 3.  | डॉ. सुनीता यार्दे               | महापौर, नगर निगम रतलाम                       |
| 4.  | श्री राजेंद्र वशिष्ठ            | नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम उज्जैन              |
| 5.  | श्रीमती शकुंतला जायसवाल         | अध्यक्ष, नगर परिषद आगर                       |
| 6.  | श्रीमती छाया सचिन पाटनी         | अध्यक्ष, नगर परिषद उन्हेल                    |
| 7.  | श्री राजवीर सिंह बघेल           | अध्यक्ष, नगर परिषद सोनकच्छ                   |
| 8.  | श्री कृष्ण कुमार दीक्षित        | पार्षद, नगर निगम ग्वालियर                    |
| 9.  | श्री खलक सिंह राजपूत            | पार्षद ( एमआईसी के सदस्य ) नगर निगम मुरैना   |
| 10. | श्री मुन्नालाल कुशवाहा          | अध्यक्ष, नगर परिषद शिवपुरी                   |
| 11. | श्री अलकेश आर्य                 | अध्यक्ष, नगर परिषद बैतूल                     |
| 12. | श्री लोकेश गोगले                | पार्षद, नगर परिषद होशंगाबाद                  |
| 13. | श्री अजय रत्नानी                | पार्षद ( सदस्य, पीआईसी ) नगर परिषद होशंगाबाद |
| 14. | श्री सुरेश जैन                  | अध्यक्ष, नगर परिषद हरदा                      |
| 15. | श्री आलोक शर्मा                 | महापौर, नगर निगम भोपाल                       |
| 16. | श्री राजेश नेमा                 | पार्षद, नगर परिषद विदिशा                     |
| 17. | श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौर | महापौर, नगर निगम इंदौर                       |
| 18. | श्री चंद्रजीत यादव              | अध्यक्ष, नगर परिषद देपालपुर                  |
| 19. | श्री लक्ष्मण सिंह चौहान         | अध्यक्ष, नगर परिषद बड़वानी                   |
| 20. | श्री राजेश सोनी                 | पार्षद, नगर परिषद महेश्वर                    |
| 21. | श्रीमती सुशीला विष्णु चौरसिया   | अध्यक्ष, नगर परिषद सेहोरा                    |
| 22. | श्री हेमंत राय                  | अध्यक्ष, नगर परिषद न्यूटनचखली                |
| 23. | श्री अजय परमार                  | नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम सागर                |

24. श्रीमती अरुणा टंटवाल अध्यक्ष, नगर परिषद हाटा  
25. श्रीमती कृष्णा लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष, नगर परिषद पथारिया

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्री मनमोहन नागर जिला पंचायत, भोपाल
2. श्रीमती रजनी प्रजापति जिला पंचायत, दतिया
3. श्रीमती चंद्रकला परस्ते सदस्य, जिला पंचायत, डिंडोरी
4. श्री चंद्रवीर सिंह राठौर सह अध्यक्ष, जिला पंचायत, झाबुआ
5. श्री संजय मावस्कर ब्लॉक पंचायत, भैंसदेही, बैतूल
6. सुश्री आरती यादव ब्लॉक पंचायत, फंदा, भोपाल
7. श्री गेंदालाल डामोर ब्लॉक पंचायत, थांदला, झाबुआ
8. श्रीमती अनुराधा जोशी सरपंच, ग्राम पंचायत, कोदरिया
9. श्री राजेश जांगड़े सरपंच, ग्राम पंचायत, बिलकिसगंज
10. श्री दिलीप डेहरिया सरपंच, ग्राम पंचायत, रोहनकला
11. सुश्री मोना कौरव सरपंच, ग्राम पंचायत, सदूमर
12. श्री गजराज सिंह सरपंच, ग्राम पंचायत, निपन्या जाट
13. श्री पवन ठाकुर सरपंच, ग्राम पंचायत, पंडरी
14. श्री लखन कुम्हारे सरपंच, ग्राम पंचायत, पीपलधाना
15. श्री राजेन्द्र टीकम सरपंच, ग्राम पंचायत, करंजिया
16. श्री डेलन टीकम सरपंच, ग्राम पंचायत, पिपरिया
17. श्री दिनेश बरासकर सरपंच, ग्राम पंचायत, बोथिया
18. श्री दिलीप डामोर सरपंच, ग्राम पंचायत, सीहोर चिकलिया
19. श्री रामजी किरार सरपंच, ग्राम पंचायत, कुमारहार



**व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि**

- |     |                        |  |
|-----|------------------------|--|
| 1.  | श्री अनुराग श्रीवास्तव | उपाध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ                                  |
| 2.  | श्री प्रदीप करम्बेलकर  | सह-अध्यक्ष, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स                               |
| 3.  | श्री राजीव अग्रवाल     | अध्यक्ष, मंडीदीप उद्योग संघ                                      |
| 4.  | श्री अमरजीत सिंह       | अध्यक्ष, गोविंदपुरा उद्योग संघ ( जीआईए )                         |
| 5.  | श्री के. एस. नंदा      | उपाध्यक्ष, गोविंदपुरा उद्योग संघ ( जीआईए )                       |
| 6.  | श्री नितिन अग्रवाल     | अध्यक्ष, क्रेडाइ, भोपाल  |
| 7.  | श्री मनोज सिंह मीक     | उपाध्यक्ष, क्रेडाइ   |
| 8.  | श्री वासिक हुसैन       | अध्यक्ष, क्रेडाइ, एम.पी.   |
| 9.  | श्री पी.एस. बिंद्रा    | उपाध्यक्ष, क्रेडाइ   |
| 10. | श्री अजय शर्मा         | कोषाध्यक्ष, क्रेडाइ  |
| 11. | श्री नीरज मेकर         | उपाध्यक्ष, क्रेडाइ   |
| 12. | श्री अखिलेश राठी       | निदेशक / अध्यक्ष, भास्कर इंडस्ट्रीज / एमपी<br>टेक्सटाइल एसोसिएशन |
| 13. | श्री एस. पाल           | स्थानिक निदेशक, वर्धमान यान्स                                    |
| 14. | श्री सिद्धार्थ अग्रवाल | निदेशक, सागर मेन्युफेक्चरिंग                                     |
| 15. | श्री सुधीर अग्रवाल     | अध्यक्ष, सागर मेन्युफेक्चरिंग                                    |
| 16. | श्री डी. के. मित्तल    | मराल ओवरसीज लिमिटेड  |
| 17. | श्री श्रेयस्कर चौधरी   | प्रबंध निदेशक, प्रतिभा सिंटेक्स लि.                              |
| 18. | श्री मृत्युंजय कुमार   | संयंत्र प्रमुख, अल्केम लेबोरेटरीज                                |
| 19. | श्री राकेश गोयल        | अल्केम लेबोरेटरीज  |
| 20. | श्री विकास गर्ग        | वरि. निदेशक संचालन, तेवा एपीआई इंडिया                            |
| 21. | श्री मनोज मिश्रा       | सीजीएम प्रशासन, तेवा एपीआई इंडिया                                |
| 22. | डॉ. अनामिका गुलाटी     | एलटी फूड्स   |

23.	श्री गौरव बाहेती	निदेशक, अरीबा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
24.	श्री आर. एन. मालू	सीएफओ, सूर्या रोशनी
25.	श्री वसुमित्र पांडे	सीजीएम वित्त, सूर्या रोशनी
26.	श्री सौरभ सांगला	निदेशक, एड्रॉयट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि.
27.	श्री राकेश चौधरी	संयंत्र प्रमुख, एलएपीपी इंडिया
28.	श्री मनोज मोदी	औद्योगिक पैकेजिंग
29.	श्री मयूर पटेल	प्रबंध निदेशक, मैक्सन हेल्थकेयर प्रा. लि.
30.	श्री टी. एस. धर्मेदर	टेनेको ऑटोमोटिव इंडिया प्रा. लि.

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2.	श्री जे. पी. धनोपिया	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3.	श्री भूपेंद्र गुप्ता	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4.	श्री प्रकाश जैन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5.	श्री गौरव रघुवंशी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
6.	श्री विजेश लुणावत	भारतीय जनता पार्टी
7.	श्री हेमानंद खंडेलवाल	भारतीय जनता पार्टी
8.	श्री यशपाल सिंह सिसोदिया	भारतीय जनता पार्टी
9.	श्री अखिलेश जैन	भारतीय जनता पार्टी
10.	श्री योगेश मेहता	भारतीय जनता पार्टी
11.	श्री राम कुमार गौतम	बहुजन समाज पार्टी
12.	श्री सी. एल. गौतम	बहुजन समाज पार्टी
13.	श्री कमल सिंह रघुवंशी	समाजवादी पार्टी
14.	श्री अरुण दुबे	समाजवादी पार्टी
15.	श्री विक्रम सिंह राणा	निर्दलीय

## 14. महाराष्ट्र (17-19 सितंबर, 2018)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. श्री देवेंद्र फडनवीस मुख्यमंत्री
2. श्री चन्द्रकांत पाटिल मंत्री, राजस्व, राहत एवं पुनर्वास
3. श्री सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार मंत्री, वित्त एवं आयोजना, वन
4. प्रो. राम शंकर शिंदे मंत्री, जल संरक्षण, प्रोटोकॉल
5. श्री संभाजी दिलीपराव पाटिल-निलंगेकर मंत्री, श्रम, भूकंप पुनर्वास, कौशल विकास, भूतपूर्व सैनिक कल्याण।
6. श्री दीपक केसरकर राज्य मंत्री, गृह (ग्रामीण), वित्त एवं आयोजना
7. श्री वी. गिरिराज अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग ज्ञापन समिति
8. श्री यू. पी. एस. मदान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
9. श्रीमती मेधा गाडगिल अपर मुख्य सचिव, (राहत और पुनर्वास), राजस्व और वन विभाग
10. श्री देबाशीष चक्रवर्ती अपर मुख्य सचिव, योजना विभाग
11. श्री मनु कुमार श्रीवास्तव अपर मुख्य सचिव (राजस्व पंजीकरण और स्टाम्प), राजस्व और वन विभाग
12. श्री राजीव जलोटा आयुक्त, राज्य कर, महाराष्ट्र
13. श्री राजगोपाल देवरा प्रधान सचिव, वित्त विभाग
14. डॉ. प्रदीप व्यास प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य विभाग
15. श्री इकबाल सिंह चहल प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग
16. श्री बी. ए. गगरानी प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय
17. श्री असीम गुप्ता सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
18. श्री एकनाथ दावले सचिव, कृषि और मृदा एवं जल संरक्षण विभाग

19.	श्री विकास खड़गे	सचिव (वन), राजस्व और वन विभाग
20.	श्री राजीवकुमार मित्तल	सचिव (व्यय), वित्त विभाग
21.	एम. शंकरनारायणन	निदेशक, नगर प्रशासन निदेशालय
22.	डॉ. अमित सैनी	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर

### स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती अलका स्वामी	अध्यक्ष, नगर परिषद, इचलकरंजी
2.	श्री अतुल तराले	अध्यक्ष, नगर परिषद, वर्धा
3.	श्रीमती लक्ष्मी कराडकर	नगर परिषद, पचगनी
4.	श्रीमती अनुराधा आदिक	अध्यक्ष, नगर परिषद, श्रीरामपुर
5.	श्रीमती अंजलिताई घोटेकर	महापौर, नगर निगम, चंद्रपुर
6.	श्री हरीश शर्मा	अध्यक्ष, नगर परिषद, बल्लारपुर
7.	श्रीमती मीना पाटिल	दशम स्वयं सहायता समूह, जिला नंदुरबार
8.	श्रीमती मनीषा रत्नाकर पवार	अध्यक्ष, पंचायत समिति, नासिक
9.	श्रीमती चित्रा असवद पाटिल	सदस्य, जिला परिषद, रायगढ़
10.	श्री प्रशांत रनवडे	सरपंच, ग्राम पंचायत, नंदे, तालुका मुलशी, जिला पुणे
11.	श्री देवराव भोंगले	अध्यक्ष, जिला परिषद, चंद्रपुर
12.	श्रीमती सुप्रिया पवार	सरपंच, ग्राम पंचायत, बेलवंडी, तालुका श्रीगोंडा, जिला- अहमदनगर
13.	श्रीमती लता संजय जाधव	तुलजा भवानी स्वयं सहायता समूह, सखारी, जिला- धुले

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री दीपक मुखी	प्रमुख, फिक्की
----	----------------	----------------

2. श्री राजेश शाह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की)
3. श्री संतोष मंडलेचा अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर
4. श्री जिबाक दासगुप्ता निदेशक, भारतीय उद्योग महासंघ
5. श्रीमती नयना नारायणन उप-निदेशक, भारतीय उद्योग महासंघ

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री रत्नाकर महाजन उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2. श्री किशोर गजभिये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3. श्री भाई जगताप एमएलसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4. श्री मकरंद हेरवाडकर शिवसेना
5. श्री अरविंद सावंत सांसद, शिवसेना
6. श्री अनिल देसाई शिवसेना
7. श्री सचिन पारस नाइक प्रशासनिक अधिकारी, शिवसेना
8. श्री अनिल शिधोरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
9. श्री हर्षल देशपांडे सचिव, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
10. श्री अतुल भातखालकर महासचिव, विधायक, भाजपा
11. श्री अजीत अभ्यंकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ( मार्क्सवादी )
12. श्री जयंत पाटिल विधायक, एनसीपी
13. श्री प्रकाश नरवेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
14. श्री अशोक सूर्यवंशी कार्यकारी सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
15. श्री मिलिंद रांडे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
16. श्री प्रशांत इंगले महासचिव, बहुजन समाज पार्टी

## 15. मणिपुर (29-30 नवंबर, 2018)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री एन. बीरेन सिंह	माननीय मुख्यमंत्री, मणिपुर
2.	श्री वाई. जॉयकुमार सिंह	उप-मुख्यमंत्री, मणिपुर
3.	श्री करम श्याम	मंत्री ( सीएएफ और पीडी/राजस्व )
4.	श्री लेटपाओ हाओकिप	मंत्री ( डबल्यूआरडी/वाईएस )
5.	श्री एन. काइसी	मंत्री ( टीए और एच/मत्स्यपालन )
6.	श्री ठाकुर श्यामकुमार	मंत्री ( वन/एमएचयूडी )
7.	श्री वी. हंगखालियन	मंत्री ( कृषि और पशुचिकित्सा )
8.	श्रीमती नेमचा किपगेन	मंत्री ( समाज कल्याण / सहकारिता )
9.	डॉ. जे. सुरेश बाबू	मुख्य सचिव
10.	श्री राकेश रंजन	प्रधान सचिव ( वित्त )
11.	डॉ. सुहेल अख्तर	अपर मुख्य सचिव ( वन )
12.	डॉ. प्रमोद अस्थाना	एडीजीपी ( कानून और व्यवस्था )
13.	श्री एम.एच. खान	अपर मुख्य सचिव ( आरडी / मत्स्य पालन )
14.	श्री लेतखोजेन हाओकिप	अपर मुख्य सचिव ( टीए और एच )
15.	श्री ठाकुर गोपेन मीतेई	आयुक्त ( आई )
16.	श्री के. अंगामी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
17.	श्री सी. आर्थर डब्ल्यू	निदेशक
18.	श्री एम. लक्ष्मीकुमार	आयुक्त ( परिवहन )
19.	श्री ठाकुर हरिकुमार	निदेशक ( एमएचयूडी )
20.	श्री एन. जियोफ्रे	मुख्यमंत्री के सचिव
21.	श्री एच. दिलीप सिंह	आयुक्त ( शिक्षा )

22.	श्री एम. जॉय सिंह	सचिव ( एमएचयूडी )
23.	श्री पी. वाइफेई	प्रधान सचिव ( कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग )
24.	श्री वी. वुमलुनमंग	प्रधान सचिव ( स्वास्थ्य / समाज कल्याण / जीएडी /रेशम कीट-पालन )
25.	श्रीमती ए. नुंगशीतोम्बी	सचिव ( कानून )
26.	श्री टी. गुडटे	एडीजीपी
27.	श्रीमती पीजोना केमी	निदेशक ( आर्थिक एवं सांख्यिकी )
28.	श्री के. ब्रोजेन	संयुक्त निदेशक ( बागवानी )
29.	श्रीमती निधि केसरवानी	सचिव ( पीएचईडी / पर्यटन )
30.	श्रीमती जैकिंथा लाजारस	सचिव ( एमआई / डबल्यूआरडी )
31.	श्री आर. के. दिनेश	आयुक्त ( निर्माण/ विद्युत )
32.	श्री आई. के. मुड्वा	पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन )
33.	श्री एथेम मुड्वा	सचिव ( डीआईपीआर )
34.	श्री वाई. जॉयकुमार	परियोजना निदेशक ( ईएपी ), पीडब्ल्यूडी
35.	श्री एच. बालकृष्ण	निदेशक ( आरडी / आईपीआर )

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री एल. मणियामा	अध्यक्ष, बिष्णुपुर नगर परिषद
2.	श्री ठा. अमिताभ सिंह	पार्षद, वांगजिंग नगर परिषद
3.	श्रीमती अरीबम थाजा देवी	अध्यक्ष, लामसांग नगर पंचायत
4.	श्रीमती एल. बबीता	अध्यक्ष, वांगजिंग नगर परिषद
5.	श्री ठा. श्यामो सिंह	अध्यक्ष, थौनाल नगर परिषद
6.	श्री लोकेश्वर सिंह	महापौर, इंफाल नगर निगम
7.	श्री एल. लुखोई खुमान	पार्षद, एंड्रो नगर पंचायत

8. श्री एम. सरत सिंह अध्यक्ष, सुगनू नगर परिषद

### ग्रामीण स्थानीय निकायों और एडीसी के प्रतिनिधि

- |     |                           |  |
|-----|---------------------------|--|
| 1.  | श्री मो. अब्दुल लतीफ      | सदस्य, थौबल जिला परिषद                       |
| 2.  | श्री सिनम मार्जित         | सदस्य, इंफाल पश्चिम जिला परिषद               |
| 3.  | श्रीमती पी. बिमोला देवी   | अध्यक्ष, इम्फाल पूर्व जिला परिषद             |
| 4.  | श्री एच. लिओ              | एडीसी, सेनापति जिला                          |
| 5.  | श्री ठा. होपेसन चोटे      | अध्यक्ष के सलाहकार, एडीसी, चंदेल             |
| 6.  | श्री एम. इसाक             | उपाध्यक्ष, एडीसी, उखरुल                      |
| 7.  | श्री मिकाह पामी           | सदस्य, एडीसी, तामेंगलॉंग                     |
| 8.  | श्री एन. वुंगरियो         | सदस्य, एडीसी, उखरुल                          |
| 9.  | श्री एच. हांगशिंग         | अध्यक्ष, एडीसी, कांग्पोकपी                   |
| 10. | श्री जॉन हिंगबा           | उपाध्यक्ष, एडीसी, सेनापति                    |
| 11. | श्री टी. पौखानलियन        | अध्यक्ष, एडीसी, चूड़ाचांदपुर                 |
| 12. | श्रीमती रोमबाई एल.        | अध्यक्ष, जिला परिषद, बिष्णुपुर जिला          |
| 13. | श्री एल. लेत्खोजेन हाओकिप | अपर मुख्य सचिव, टीए और हिल्स                 |
| 14. | श्री एच. बालकृष्ण         | निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज         |
| 15. | श्री एम.एच. खान           | अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज |

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

- |    |                           |  |
|----|---------------------------|--|
| 1. | श्री एस. टेकेंद्रजीत सिंह | अध्यक्ष, इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड यूनियन   |
| 2. | श्री वाई. कपूर सिंह       | उपाध्यक्ष, इंडो म्यांमार बॉर्डर ट्रेड यूनियन |
| 3. | श्री ठा. जॉयकुमार सिंह    | अखिल मणिपुर उद्यमी संघ                       |
| 4. | श्री ठाकुर इबोचौबा सिंह   | महासचिव, अखिल मणिपुर उद्यमी संघ              |



5.	श्री वी. शेखर	अध्यक्ष, बॉर्डर ट्रेड चैंबर ऑफ कॉमर्स
6.	श्री चौ. रंजीत सिंह	महासचिव, इंडो म्यांमार निर्यात-आयात संघ
7.	श्री राजमणि शर्मा	अध्यक्ष, मणिपुर आयातक-निर्यातक परिसंघ, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
8.	श्री पी. वायफेई	प्रधान सचिव (कपड़ा, वाणिज्य और उद्योग)
9.	श्री सी. आर्थर डब्ल्यू.	निदेशक, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग, मणिपुर सरकार
10.	डॉ. राधेश्याम ओइनम	मणिपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स
11.	श्री आर. जगन्नाथन	बॉर्डर ट्रेड चैंबर ऑफ कॉमर्स
12.	श्री के. बी. सुब्रह्मण्यम	बॉर्डर ट्रेड चैंबर ऑफ कॉमर्स

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री सुशील हुइद्रोम	उपाध्यक्ष, एनपीपी
2.	श्री ख.लोकन सिंह	महासचिव, एनपीपी
3.	श्रीमती वाई. रोमोला देवी	अध्यक्ष, शिवसेना महिला मोर्चा, शिवसेना
4.	श्री चौ. बिजाँय सिंह	प्रवक्ता, भाजपा मणिपुर, भाजपा
5.	श्री एम. भोरोट सिंह	पूर्व अध्यक्ष, भाजपा मणिपुर, भाजपा
6.	श्री ख. देवब्रत सिंह	कांग्रेस
7.	श्री बी.डी. बेहरिंग	पीडीए
8.	श्री केश्री संता	सचिव, सीपीआई (माक्सवादी)
9.	श्री इतो मीतेई	सीपीआई
10.	श्री एल. सोतिन कुमार	प्रदेश सचिव, सीपीआई
11.	श्री ख. सुरचंद	सहायक प्रदेश सचिव, सीपीआई (एम)
12.	डॉ. जी. टी. शर्मा	अध्यक्ष, एमडीपीएफ

## 16. मेघालय (03-05 जून, 2019)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. श्री कोनराड संगमा माननीय मुख्यमंत्री
2. श्री प्रेस्टोन तिनसोंग उप-मुख्यमंत्री, प्रभारी लोक निर्माण विभाग (सड़क), पशुपालन एवं पशुचिकित्सा, इत्यादि,
3. श्री अलेक्जेंडर लालू हेक कैबिनेट मंत्री, प्रभारी कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इत्यादि,
4. श्री कॉमिंगोन यमबन कैबिनेट मंत्री, प्रभारी लोक निर्माण विभाग (भवन), मत्स्यपालन, इत्यादि,
5. श्री स्नियाभालंग धर कैबिनेट मंत्री, प्रभारी वाणिज्य एवं उद्योग, सी एंड आरडी, इत्यादि,
6. श्री मेहताब लिंगदोह कैबिनेट मंत्री, प्रभारी आबकारी, रजिस्ट्रीकरण, कराधान, स्टाम्प, पर्यटन, इत्यादि,
7. श्री लाहकमेन रिम्बुई कैबिनेट मंत्री, प्रभारी सीमा क्षेत्र, वन एवं पर्यावरण, इत्यादि,
8. श्री किरमेन शायला कैबिनेट मंत्री, प्रभारी सामाजिक कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, इत्यादि,
9. श्री बेंटीडोर लिंगदोह कैबिनेट मंत्री, प्रभारी बागवानी, कृषि, इत्यादि,
10. श्री हैमलेटसन लिंगदोह कैबिनेट मंत्री, प्रभारी, शहरी मामले, नगर प्रशासन, इत्यादि,
11. श्री सैमलिन मालिंग्यांग कैबिनेट मंत्री, प्रभारी लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी और सचिवालय प्रशासन विभाग
12. श्री पी.एस. थांगखिव मुख्य सचिव, मेघालय
13. श्री हेक्टर मार्वीन अपर मुख्य सचिव प्रभारी, कला एवं संस्कृति, सामाजिक कल्याण, इत्यादि,

- |     |                       |  |
|-----|-----------------------|--|
| 14. | श्री आर.वी. सूचियांग  | अपर मुख्य सचिव प्रभारी, वित्त, आयोजना, इत्यादि,                  |
| 15. | श्री डी.पी. वाहलंग    | अपर मुख्य सचिव, प्रभारी, खेल एवं युवा मामले, शहरी कार्य, इत्यादि |
| 16. | श्री संपत कुमार       | आयुक्त एवं सचिव, प्रभारी, कृषि, रेशम-कीट पालन, इत्यादि           |
| 17. | श्री टी. दखार         | आयुक्त एवं सचिव, प्रभारी, सामाजिक कल्याण, सीमा क्षेत्र, इत्यादि  |
| 18. | श्री फ्रेडरिक रॉय     | आयुक्त एवं सचिव प्रभारी, निर्वाचन                                |
| 19. | श्री एम. आर. सिनरेम   | आयुक्त एवं सचिव प्रभारी, राज्य आयोजना बोर्ड, पर्यटन, इत्यादि     |
| 20. | श्री एस. खारलिंगदोह,  | आयुक्त एवं सचिव प्रभारी गृह (पुलिस) और राजनैतिक विभाग            |
| 21. | श्री अलदौस मावलॉंग    | आयुक्त एवं सचिव, प्रभारी, वन एवं पर्यावरण                        |
| 22. | श्री पीटर एस. दखार    | आयुक्त एवं सचिव, प्रभारी खेल एवं युवा मामले तथा कला एवं संस्कृति |
| 23. | डॉ. डी. विजय कुमार    | आयुक्त एवं सचिव, प्रभारी वित्त, आयोजना                           |
| 24. | श्री आई. आर. संगमा    | सचिव प्रभारी, सी एंड आरडी, मत्स्यपालन                            |
| 25. | श्री एम. एन. नंपुई    | सचिव प्रभारी, कृषि, सूचना एवं जनसंपर्क, इत्यादि,                 |
| 26. | श्री प्रवीण बख्शी     | सचिव प्रभारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कला एवं संस्कृति      |
| 27. | श्रीमती वांचवा शाल्लम | निदेशक, लेखा एवं कोषागार   |
| 28. | श्रीमती बी.एम. लिनदेव | एसईपीएचई   |
| 29. | श्री ए. लिंगखर        | राज्य समन्वयक, एसबीएम (ए)  |
| 30. | श्री बी.एस. सोहलिया   | निदेशक, आईपीआर सीईओ, शिलांग नगर परिषद                            |
| 31. | श्री सी. खरकरंग       | निदेशक, एमईपीटीसीएल  |

32.	श्री के.एन. वार	निदेशक, (वितरण), एमईपीडीसीएल
33.	श्री एम. शांगप्लियांग	निदेशक (उत्पादन), एमईपीसीसीएल
34.	श्री ए.सीएच. मारक	निदेशक, डीएसईएल एवं डीएचटीई- शिक्षा
35.	श्री के. डी. तालेकुदार	मुख्य इंजीनियर, पीएचई, विभाग
36.	श्री ई. खरमाल्की	सचिव, शहरी विकास विभाग
37.	श्री रोहमिंग थिएक	योजना अधिकारी (वन)
38.	श्री जे.आर.संगमा	सचिव, सी.आर.डी. विभाग
39.	श्री ए.एम. लालू	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
40.	श्री आर. सुमेर	उप-निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
41.	श्री रॉबर्ट लिंगोह	संयुक्त सचिव, आयोजना
42.	श्री रंडाल रंगाद	वरि. आर.ओ. इनेवल (ईए)
43.	श्री ई.वाई. चैन	संयुक्त सचिव, वित्त (ईए), विभाग
44.	श्री सिरिल दिंग्दोह	निदेशक, पर्यटन
45.	श्री एल. खमगिसित	संयुक्त आयुक्त, कर
46.	श्री डब्ल्यू.ए.एम. बूथ	निदेशक, एसवाईए
47.	श्री जे.एल. मावलॉंग	निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग
48.	श्री जी.एस. मुखर्जी,	कंपनी सचिव, एमईईसीएल और अनुषंगी कंपनियां
49.	श्री बी.पी. सिंह	मुख्य लेखा अधिकारी, प्रभारी, एमईईसीएल
50.	श्री एम.एन. नंपुई	सचिव, कृषि ईआर विभाग
51.	श्री ए. एल. मावलॉंग	निदेशक, भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण
52.	श्री वी.आर. सिलेयाई	निदेशक, सीमा क्षेत्र विकास
53.	श्री पी.एस. दखार	आयुक्त एवं सचिव, खेल एवं युवा मामले
54.	डॉ. मंजूनाथ सी.	सचिव, पशुचिकित्सा एवं खनन
55.	डॉ. शिल्ला	निदेशक पशुपालन एवं पशुचिकित्सा

56.	श्री डब्ल्यू. नोंगसीज	निदेशक, कला एवं संस्कृति
57.	श्री बी. हाजोंग	निदेशक, डीईसीटी
58.	श्री पी. आर. मार्वीन	सचिव पीडब्ल्यूडी ( सड़क एवं सेतु )
59.	श्री एल.डी. सूचियांग	मुख्य इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी ( सड़क )
60.	श्री पी.के. अग्रहरि	सचिव, वित्त विभाग
61.	श्री अरुण कुमार केंभावी	निदेशक, सीएचआरडी

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री बी.एस. सोहलिया	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, शिलांग नगर परिषद
2.	श्रीमती रिमाया एस. मैनर्स	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जोवाइ नगर परिषद
3.	श्री अलॉयसियस चौ. मारक	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विलियमनगर नगर परिषद
4.	श्रीमती जूलिया बिलचमे मारक	सहायक इंजीनियर, रेसुबेलपाड़ा नगर परिषद
5.	श्री एस. आमसे	ई.ओ., जोवाइ नगर परिषद
6.	श्री बी.एस. सोहलिया	सीईओ, एसएमबी

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री टी. दखार	मुख्य कार्यपालक सदस्य, केएचएडीसी
2.	श्री पीनियाइड एस. स्विएम	उप-मुख्य कार्यपालक सदस्य, केएचएडीसी
3.	श्री टी. डब्ल्यू. चिने	कार्यपालक सदस्य, केएचएडीसी
4.	श्री पी. लिंगदोह	कार्यपालक सदस्य, केएचएडीसी
5.	श्री टी. शिवात	मुख्य कार्यपालक सदस्य, जेएचएडीसी
6.	श्री एल. रिंबाई	उप-मुख्य कार्यपालक सदस्य, जेएचएडीसी
7.	श्री आर. सिंग्कोन	कार्यपालक सदस्य, जेएचएडीसी
8.	श्री विनिंग जी. सुंगोह	कार्यपालक सदस्य, जेएचएडीसी

9.	श्री एच.बी. दखार	आयोजना सलाहकार, जेएचएडीसी
10.	श्री एल.सी. रिंग्लेम	वित्त एवं लेखा अधिकारी, जेएचएडीसी
11.	श्रीमती जे. पी. डे	मुख्य इंजीनियर, जेएचएडीसी
12.	श्रीमती के. सिंगकोन	आयोजना अधिकारी, जेएचएडीसी
13.	श्री ऑगस्टीन आर. मारक	अध्यक्ष, उच्च अधिकार समिति, जीएचएडीसी
14.	श्री सेंगनल एन. संगमा	कार्यपालक सदस्य, वित्त, जीएचएडीसी
15.	श्रीमती रिक्से आर. मारक एमसीएस	ईसी के सचिव, जीएचएडीसी
16.	श्री रंगकु ओरासिस एन. संगमा	मुख्य वन अधिकारी, जीएचएडीसी
17.	श्रीमती एस. साईबोर्न	आईटी सचिव, केएचएडीसी
18.	श्री सी. पोहलॉंग	उपसचिव, केएचएडीसी

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती सिल्डा थाबाह	मेसर्स डिलिकेसीज फूड प्रोसेसिंग सेंटर, नोंग्रह, शिलांग
2.	श्री जेम्स दूखार	मेसर्स नेला हैंडलूम ट्रेनिंग सेंटर-कम-प्रोडक्शन यूनिट, मावकासियांग
3.	श्रीमती डी. मजाव (अध्यक्ष)	मेसर्स स्मोकी फाल्स ट्राइब कॉफी, नोंगथिमाई
4.	श्री पेला मारबानियांग	मजई एक्सपोर्टर, पूर्वी खासी हिल्स जिला
5.	श्री सतीश उरिओन	मजई एक्सपोर्टर, पूर्वी खासी हिल्स जिला
6.	श्री फील्डस्टार जापंग	मजई एक्सपोर्टर, पूर्वी खासी हिल्स जिला
7.	श्री आर. लिंगदोन	रिवर मिहंगी एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एसोसिएशन, पूर्वी खासी हिल्स जिला
8.	श्री एन. खोंगख्लाद (अध्यक्ष)	रिवर मिहंगी एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एसोसिएशन, पूर्वी खासी हिल्स जिला
9.	श्री एरिकस्टोन लासो	नोंगजरी एलाका इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन, पूर्वी खासी हिल्स जिला

10.	श्री एमलिन नोमी	नोंगजरी एलाका इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन, पूर्वी खासी हिल्स जिला
11.	श्री नथानेल पी. एंडरसन न्यूमई	मेसर्स एंडरसन टी एस्टेट, उमरान डेयरी, री-भोई, जिला
12.	श्री आर. के. पारीक (अध्यक्ष)	मेघालय सीमेंट्स लि., थांग्स्काई 23, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला
13.	श्री देवेन्द्र बंसल	सीमेंट मैनुफैक्चरिंग कं. लि., लुम्शनोंग, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला
14.	श्री एल.एन. मिश्रा	डालमिया सीमेंट्स लि., थांग्स्काई, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला
15.	श्री पवन जोशी	ग्रीन वैली सीमेंट्स लि., नोंग्सिंग, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला
16.	श्री पवन यादव	मेसर्स अमृत सीमेंट्स लि., उमलापेर, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला
17.	श्री विक्रम सिंघानिया	मेसर्स प्रिंट एक्सप्रेस, पुलिस बाजार, शिलांग
18.	श्री ए.बी. राजन	हिल्स सीमेंट कं. लिमिटेड
19.	श्री ए. केजरीवाल	मेघालय सीमेंट्स लिमिटेड
20.	श्री आर.सी. त्रिपाठी	अमृत सीमेंट लिमिटेड
21.	श्री एरिक स्टोन लासो	नोंगजरी एलाका एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर एसोसिएशन

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री ऑस्पिसियस एल. माव्फलांग	महासचिव, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट
2.	श्री विजय राज	कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
3.	श्री एच.एम. शांगप्लीयांग	विधायक, कांग्रेस
4.	श्री डॉन कुपार वार	कार्यकारी अध्यक्ष, नेशनल पीपुल्स पार्टी
5.	श्री डेविड खरसाती	प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

- |     |                        |  |
|-----|------------------------|--|
| 6.  | श्री के. बसइयावमोइत    | प्रदेश कार्यपालक सदस्य, भारतीय जनता पार्टी         |
| 7.  | श्री के.पी. पंगनियांग  | अध्यक्ष, हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी      |
| 8.  | श्री एडेलबर्ट नोंग्रुम | अध्यक्ष, खुन हाइनेविट्रेप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट   |
| 9.  | श्री थॉमस पासा         | उपाध्यक्ष, खुन हाइनेविट्रेप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट |
| 10. | श्री मेटबाह लिंगदोह    | कार्यकारी अध्यक्ष, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी     |
| 11. | श्री लाह्कमेन रिम्बुई  | विधायक, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी                |
| 12. | श्री एस.पी. झापर       | महासचिव, एनसीपी                                    |
| 13. | श्री एस. खारलिंगदोह    | आयुक्त, गृह पुलिस                                  |



## 17. मिजोरम (25-26 मार्च, 2019)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 1.  | श्री लालनूनमाविया चुआंगो   | मुख्य सचिव  |
| 2.  | श्री वनलाल छुअंगा          | वित्त आयुक्त  |
| 3.  | श्री लालमलसावमा            | वित्त सचिव ( एफसी )   |
| 4.  | श्री साविह्लिरा            | वित्त सचिव  |
| 5.  | डॉ. चौ. मुरलीधर राव        | प्रधान सचिव एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन   |
| 6.  | श्री लालमिंगथंगा           | आयुक्त एवं सचिव, कृषि, ग्रामीण विकास  |
| 7.  | श्री व्यक्तलुअंगा          | आयुक्त एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा              |
| 8.  | श्री लालथंगपुइया साइलो     | आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा                          |
| 9.  | श्री एच. एल. रोचुंगनुंगा   | आयुक्त एवं सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, लोक निर्माण विभाग |
| 10. | श्री जोथन खुमा             | आयुक्त एवं सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम, रोजगार, कौशल विकास एवं उद्यमिता  |
| 11. | श्रीमती एस्थर लालरुअत्किमी | आयुक्त एवं सचिव, स्कूल शिक्षा, पर्यटन                                       |
| 12. | श्री रोडने एल. राल्टे      | सचिव, बागवानी, जिला परिषद एवं अल्पसंख्यक मामले                              |
| 13. | श्री एच. लालेंगमाविया      | सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेल एवं युवा सेवाएं                      |
| 14. | डॉ. सी. वनलालरमसंगा        | सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, आयोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन        |
| 15. | श्री बी. लालमिंगथंगा       | सचिव, कला एवं संस्कृति, विद्युत एवं बिजली                                   |

16. श्रीमती जोरामथंगी हाओनर सचिव, स्थानीय प्रशासन विभाग
17. श्रीमती मर्ली वांगकुंग सचिव, विधि एवं न्याय विभाग
18. श्री विंग कमांडर जे. लालमिंगलियाना प्रधान परामर्शदाता, नागर विमानन
19. श्री लालरिखुमा साइलो सलाहकार, आयोजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन
20. इंजी. के. लालसमवेला मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग
21. इंजी. लालमुअनजोवा मुख्य इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी
22. श्री सी. लियनलुंग मुख्य इंजीनियर विद्युत एवं बिजली के लिए मुख्य इंजी. (आरई)
23. श्रीमती रामदीनलियानी संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास
24. श्री जोसेफ एच. लालरमसंगा निदेशक, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन
25. डॉ. टी. लालमनगेही निदेशक, अस्पताल एवं चिकित्सा शिक्षा
26. डॉ. लालनुंतलुअंगी निदेशक, चिकित्सा अधिकारी (आयोजना) स्वास्थ्य सेवाएं
27. डॉ. एच. सलथाओल्लुअंगा निदेशक, कृषि (आर एवं ई)
28. श्री आर.एस. लालजम्लियाना निदेशक, स्थानीय प्रशासन विभाग
29. डॉ. एलिजाबेथ साइपरी निदेशक, बागवानी
30. श्री ललछुअनाव्मा हसेल निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
31. डॉ. एच. लालथंग्लियाना आयुक्त, आइजोल नगर निगम
32. श्री रामचुआना अपर सचिव, वित्त विभाग (आर्थिक कार्य/बजट)
33. श्री लालह्मिंग्माविया साइलो अपर सचिव, वित्त विभाग (एफसी एवं एमसी)
34. श्री सी. लुंग्मुअनपुइया अवर सचिव, वित्त विभाग (एफसी एवं एमसी)

## 18. नागालैंड (27-28 नवंबर, 2018)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री नेफ्यू रियो	मुख्यमंत्री
2.	श्री वाई. पैटन	उप-मुख्यमंत्री, गृह
3.	श्री जी. काइतो आये	मंत्री, कृषि
4.	श्री पेइवांग कोन्याक	मंत्री, परिवहन
5.	श्री मेत्सुबु	मंत्री, नगरीय कार्य
6.	श्री आर. बिंचिलो थोंग	मुख्य सचिव
7.	श्री तेमजेन तोए	अपर मुख्य सचिव, वित्त
8.	श्री सेंटियांगर इमचेन	प्रधान सचिव एवं विकास आयुक्त
9.	श्री ल्होउबिलातुओ काइरे	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, ईएफ एंड सीसी, डीयूडीयू तथा निर्माण कार्य और आवासन
10.	श्री मेनुखोल जॉन	प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा
11.	श्री अभिषेक सिंह	आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव, शहरी विकास और पी एंड एआर
12.	श्री वाई. किखेतो सेमा	सचिव, वित्त एवं भूमि संसाधन
13.	श्रीमती केविलेनो अंगामी	विशेष कार्याधिकारी, आयोजना और समन्वय तथा स्कूल शिक्षा

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री जॉन लोहे	कोषाध्यक्ष, चाखेसांग सार्वजनिक संगठन
2.	श्री डेविड संगताम	पूर्वी नागा सार्वजनिक संगठन
3.	श्रीमती त्सैकोला रोथ्रॉन्ग	सलाहकार, पूर्वी नागा महिला संगठन
4.	श्री कोवी मेयासे	प्रशासक, कोहिमा नगर परिषद

5.	श्री पाकोन फॉम	प्रशासक, त्वेनसांग नगर परिषद
6.	श्री सी.टी. जमीर	एओ सेंडेन प्रतिनिधि
7.	श्री के. टी. विली	अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन
8.	श्री विहोशे मुरु	उपाध्यक्ष, सुमी होहो
9.	डॉ. फियोबेमो न्गुली	उपाध्यक्ष, लोथा होहो
10.	श्री अपोंग जांगेर	अध्यक्ष, पूर्वी नागा विद्यार्थी परिसंघ
11.	श्री मोआतेम्सु संगताम	प्रशासक, दीमापुर नगर परिषद
12.	श्री मैनपइ फॉम	प्रशासक, मोकोचुंग नगर परिषद
13.	श्री रमणीकांत	प्रशासक, मोन नगर परिषद
14.	श्री अभिषेक सिंह	आयुक्त एवं सचिव, शहरी विकास
15.	श्री वाई. किखेतो सेमा	सचिव, वित्त एवं भूमि संसाधन

**ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि (ग्राम परिषद सदस्य एवं ग्राम विकास बोर्ड)**

1.	श्री आओनेन पोंगेन	अध्यक्ष, चुचुयिम्लांग ग्राम परिषद, मोकोचुंग
2.	श्री तोहोशे अवोमी	अध्यक्ष, नागालैंड स्टेट वीडिबी एसोसिएशन
3.	श्री के. त्सालीमोंग	अध्यक्ष, कोहिमा ग्राम परिषद
4.	डॉ. नीफी काइरे	अध्यक्ष, कोहिमा ग्राम परिषद
5.	श्री यामयिंग कोन्याक	वीडीबी सचिव, लापा ग्राम, मोन जिला
6.	श्रीमती रीता वी. छाया	वीडीबी (महिला), खुजामा ग्राम, कोहिमा जिला
7.	श्रीमती केनी-यू साचु	वीडीबी (महिला), कोहिमा ग्राम, कोहिमा जिला
8.	श्री थेजस सेखोसे	कोहिमा ग्राम
9.	श्री बेंडांगकोकबा	आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास
10.	श्री वाई. किखेतो सेमा	सचिव, वित्त एवं भूमि संसाधन
11.	श्री रोविलातुओ मोर	सचिव, गृह

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री तेमजेन तोए	अपर मुख्य सचिव ( वित्त )
2.	श्रीमती लिथ्रोंग्ला जी. चिशी	आयुक्त एवं सचिव उद्योग एवं वाणिज्य
3.	श्रीमती केखरीनुओ मेयासे	महासचिव, केसीसीआई
4.	श्री त्सुक्ति लोंगकुमेर	अध्यक्ष, एमसीसीआई
5.	श्रीमती हेकानि जखालु	अध्यक्ष, शासकीय परिषद, यूथनेट
6.	श्री रिचर्ड बेल्लो	अध्यक्ष, जाइनोरिक्र
7.	श्री नीशुते डोउलो	सीईओ, उद्यमी सहयोगी
8.	श्री ओका सुमी	सदस्य, डीसीसीआई
9.	श्री लिमालेंडन लोंगकुमेर	सचिव, एमसीसीआई
10.	श्री रुओकुओनीली केसीजी	उपाध्यक्ष, केसीसीआई

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री अलेम्तेम्शी जामीर	कार्यकारी अध्यक्ष, एनडीपीपी
2.	श्री एंड्रयू योम	युवा अध्यक्ष, एनडीपीपी
3.	श्री हुशका येपथोमी	कार्यकारी अध्यक्ष, एनपीएफ
4.	श्री सुनवोंगो	उपाध्यक्ष, एनपीएफ
5.	डॉ. सुखातो ए. सेमा	उपाध्यक्ष, बीजेपी
6.	श्री केवेखापे थेरी	अध्यक्ष, एनपीसीसी
7.	श्री कितोहो रोटोखा	महासचिव, जेडी( यू )
8.	श्री अतो येपथोमी	अध्यक्ष, एनपीपी
9.	श्री चेलुबा	उपाध्यक्ष, एनपीपी
10.	श्री जुकैमो पैटन	महासचिव ( वाई.वी. ), एनसीपी
11.	श्री वांथुंगो ओड्युओ	एनसीपी अध्यक्ष

पंद्रहवां वित्त आयोग

- |     |                    |                           |
|-----|--------------------|---------------------------|
| 12. | श्री इम्सु ओजुकुम  | उपाध्यक्ष, एलजेपी         |
| 13. | श्री केवेख्रो काफो | कार्यकारी अध्यक्ष, एलजेपी |
| 14. | श्री तेमजेन तोए    | अपर मुख्य सचिव (वित्त)    |
| 15. | श्री मेनुखोल जॉन   | प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा |

## 19. ओडिशा (08-11 जनवरी, 2019)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- |     |                           |  |
|-----|---------------------------|--|
| 1.  | श्री नवीन पटनायक          | माननीय मुख्यमंत्री, ओडिशा  |
| 2.  | श्री शशि भूषण बेहरा       | माननीय मंत्री, वित्त, आबकारी, कृषि एवं कृषक सशक्तीकरण और मत्स्यपालन तथा ए.आर.डी. |
| 3.  | श्री बिक्रम केशरी अरुखा   | माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, संसदीय कार्य और लोक उद्यम                          |
| 4.  | श्री प्रताप जेना          | माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विधि, सूचना एवं जनसंपर्क             |
| 5.  | श्री आदित्य प्रसाद पाधी   | मुख्य सचिव   |
| 6.  | श्री असित कुमार त्रिपाठी  | डी.सी.-सह-अपर मुख्य सचिव   |
| 7.  | श्री गगन कुमार ढाल        | एपीसी-सह-ए.सी.एस   |
| 8.  | श्री सुरेश चंद्र महापात्र | अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग  |
| 9.  | श्री आर. के. शर्मा        | अपर मुख्य सचिव, इस्पात एवं खान विभाग   |
| 10. | श्री एल. एन. गुप्ता       | अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग                               |
| 11. | श्री अशोक के. के. मीणा    | प्रधान सचिव, वित्त विभाग   |
| 12. | डॉ. सौरव गर्ग             | प्रधान सचिव, कृषि एवं कृषक सशक्तीकरण विभाग                                       |
| 13. | श्री जी. श्रीनिवास        | प्रधान सचिव, वाणिज्य और परिवहन विभाग   |
| 14. | श्री सी. जे. वेणुगोपाल    | प्रधान सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग                          |
| 15. | श्री निकुंज बिहारी ढाल    | प्रधान सचिव, आर एवं डीएम तथा आबकारी विभाग  |
| 16. | श्री जी. मथी वथानन        | प्रधान सचिव, आवासन एवं शहरी विकास और संसदीय कार्य विभाग                          |
| 17. | श्री संजीव चोपड़ा         | प्रधान सचिव, उद्योग विभाग  |

18. श्रीमती अनु गर्ग प्रधान सचिव, श्रम एवं ई.एस.आई., डब्ल्यू एवं सीडी तथा मिशन शक्ति विभाग
19. श्री डी. के. सिंह प्रधान सचिव, पंचायती राज एवं पेयजल विभाग
20. श्री मनोरंजन पाणिग्रही प्रधान सचिव, उड़िया भाषा साहित्य एवं संस्कृति विभाग
21. डॉ. मोना शर्मा प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
22. श्री पी. के. महापात्र प्रधान सचिव, स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग
23. श्री नितेन चंद्र प्रधान सचिव, सामाजिक सुरक्षा तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
24. श्री प्रदीप कुमार जेना प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग
25. श्री हेमंत शर्मा आयुक्त-सह-सचिव, ऊर्जा विभाग
26. श्री वीर विक्रम यादव आयुक्त-सह-सचिव, एफ. एस. एवं सी. डब्ल्यू. विभाग
27. श्रीमती शुभा सरमा आयुक्त-सह-सचिव, हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग
28. श्री भास्कर ज्योति सरमा आयुक्त-सह-सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
29. डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा आयुक्त-सह-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
30. श्री बिष्णुपद सेठी आयुक्त-सह-सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और विशेष राहत आयुक्त
31. श्री संजय कुमार सिंह आयुक्त-सह-सचिव, आई एवं पीआर तथा एसडी एवं टीई विभाग
32. श्री विशाल कुमार देव आयुक्त-सह-सचिव, पर्यटन एवं खेल तथा वाईएस विभाग
33. श्री आर. रघु प्रसाद आयुक्त-सह-सचिव, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग
34. श्री वी. कार्तिकेयन पांडियन मुख्यमंत्री के निजी सचिव



35.	श्री नलिनीकांत प्रधान	मुख्य इंजीनियर-सह-सचिव, निर्माण कार्य विभाग
36.	श्री आर. पी. शर्मा	पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, ओडिशा
37.	श्री बी. के. शर्मा	पुलिस महानिदेशक, एफ.एस, होमगार्ड्स और निदेशक, सिविल डिफेंस, ओडिशा, कटक
38.	डॉ. देबासीस पाणिग्रही	अपर पुलिस महानिदेशक, सतर्कता
39.	सुश्री मधुमिता बसु	प्रधान महालेखाकार, ( लेखा एवं हकदारी ), ओडिशा
40.	सुश्री चित्रा अरुमुगम	विशेष सचिव, आयोजना एवं अभिसरण ( पीएंडसी ) विभाग
41.	श्रीमती संतोष बाला	विशेष सचिव, गृह विभाग
42.	श्री संग्रामजीत नायक	निदेशक, नगर प्रशासन
43.	श्री प्रताप चंद्र दास	निदेशक, पंचायती राज
44.	श्री आर. विनील कृष्ण	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भुवनेश्वर स्मार्ट सिटीलि., भुवनेश्वर
45.	श्री स्मृति रंजन प्रधान	निदेशक, एनआरएलएम
46.	श्री पी. सी. माझी	विशेष सचिव, वित्त विभाग
47.	श्री पी. के. बिस्वाल	विशेष सचिव, वित्त विभाग
48.	श्री सी. पी. मोहंती	विशेष सचिव, वित्त विभाग
49.	श्री बिक्स कानूनगो	विशेष सचिव, वित्त विभाग
50.	श्री पी. के. राउत	निदेशक, लघु बचत, वित्त विभाग
51.	श्री एन. के. राउतराय	अपर सचिव, वित्त विभाग
52.	श्री प्रदीप्त कुमार नंदा	अपर सचिव, वित्त विभाग
53.	श्री गदाधर नंदी	अपर सचिव, वित्त विभाग
54.	श्री रूप नारायण दास	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
55.	श्री देवीप्रिय बिस्वाल	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग

56.	श्री सत्य प्रिय रथ	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
57.	श्री सत्यब्रत राउत	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
58.	श्री सांतनु कुमार साहू	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
59.	श्रीमती स्मिता राउत	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
60.	सुश्री जयश्री त्रिपाठी	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
61.	श्रीमती एलोरा मोहंती	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
62.	श्रीमती सरमिष्ठा सेठी	उप-सचिव, वित्त विभाग
63.	श्री सौम्यजीत राउत	उप-सचिव, वित्त विभाग
64.	श्री अनिल कुमार पुरोहित	उप-सचिव, वित्त विभाग
65.	श्री प्रशांत कुमार मिश्रा	उप-सचिव, वित्त विभाग
66.	श्री रजनी कांत मिश्रा	उप-सचिव, वित्त विभाग
67.	श्री मलय कुमार मोहंती	अवर सचिव, वित्त विभाग
68.	श्री निहार रंजन पांडा	अवर सचिव, वित्त विभाग
69.	श्री सी. आर. होता	अवर सचिव, वित्त विभाग
70.	श्री पी. के. बेहरा	अवर सचिव, वित्त विभाग

### स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती के. शांति	उपमहापौर, भुवनेश्वर नगर निगम
2.	श्री बी. के. बेहरा	कॉरपोरेटर एवं अध्यक्ष अनुज्ञप्ति स्थायी समिति, कटक नगर निगम
3.	श्रीमती शुभाश्री मल्लिक	अध्यक्ष, सुनाबेदा नगरपालिका
4.	श्रीमती दीपांजलि भोरासागर	अध्यक्ष, अट्टाबिरा एनएसी
5.	श्रीमती हीरा बाग	अध्यक्ष, धर्मगढ़ एनएसी
6.	श्री सुनील परीदा	उपाध्यक्ष, जिला परिषद, कटक

7.	श्रीमती एम्मा एक्का	अध्यक्ष, जिला परिषद, सुंदरगढ़
8.	सुश्री पुष्पलता सामंत	अध्यक्ष, पंचायत समिति, बांकी
9.	श्री मनोज बरुआ	अध्यक्ष, पंचायत समिति, सुब्देगा
10.	श्रीमती अन्नपूर्णा देहरी	सरपंच, मुकुंदपुर पटना ग्राम पंचायत
11.	श्री जसेश साहू	सरपंच, सप्तसाज्य ग्राम पंचायत
12.	श्रीमती मालती प्रधान	सरपंच, मिनिया ग्राम पंचायत
13.	श्री बसंत कुमार नाइक	सरपंच, बनाइगढ़ ग्राम पंचायत

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री हिमांशु शेखर मिश्रा	उपाध्यक्ष, ओडिशा लघु उद्योग संघ
2.	श्री संजय कुमार महापात्र	कार्यकारी सदस्य, ओडिशा लघु उद्योग संघ
3.	श्री अशोक चिंचेला	मानद कोषाध्यक्ष, उत्कल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
4.	श्री संजीव महापात्र	मानद संयुक्त सचिव, उत्कल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
5.	श्री बिरंची नारायण मिश्रा	अध्यक्ष, ओडिशा युवा उद्यमी संघ
6.	श्री सुधाकर पांडा	महासचिव, ओडिशा व्यवसायी महासंघ
7.	श्री शुभ्रकांत पांडा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ, आईएमएफए और अध्यक्ष, फिक्की-ओडिशा राज्य परिषद
8.	इं. सात्विक स्वेन	महासचिव मानद, ओडिशा लघु एवं मध्यम उद्यम सभा

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री सुब्रत सामल	प्रदेश समन्वयक, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी)
2.	प्रो. क्षितिभूषण दास	वरिष्ठ सदस्य, बीजेपी बौद्धिक प्रकोष्ठ

3. श्री सुदर्शन नायक प्रदेश संयोजक, बीजेपी बौद्धिक प्रकोष्ठ
4. डॉ. अमर पटनायक प्रवक्ता, बीजू जनता दल (बीजेडी)
5. डॉ. सुष्मित पात्रा प्रवक्ता, बीजू जनता दल (बीजेडी)
6. श्री दिबाकर नायक सदस्य, सीपीआई राष्ट्रीय कार्यकारी समिति
7. श्री आशीष कानूनगो सीपीआई प्रदेश सचिव
8. श्री संतोष दास प्रदेश सचिवालय सदस्य, सीपीआई ( मार्क्सवादी )
9. श्री गणेश्वर बेहरा उपाध्यक्ष, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( आईएनसी )
10. श्री बिक्रम स्वेन महासचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ( एनसीपी )
11. श्री सुजीत जी. दस्तीदार प्रदेश संयोजक, ओडिशा प्रदेश तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी )
12. श्री सुभ्रांशु शेखर पाथी सचिव, ओडिशा प्रदेश तृणमूल कांग्रेस ( टीएमसी )

20. पंजाब (29 जनवरी-01 फरवरी, 2019)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	कैप्टन अमरिंदर सिंह	मुख्यमंत्री
2.	श्री ब्रह्म मोहिंद्रा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
3.	श्री मनप्रीत सिंह बादल	वित्त मंत्री
4.	श्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा	मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत
5.	श्री चरणजीत सिंह चन्नी	मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण
6.	श्री ओम प्रकाश सोनी	मंत्री, स्कूल शिक्षा और स्वतंत्रता सेनानी
7.	श्री सुरेश कुमार	मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव
8.	श्री करन अवतार सिंह	मुख्य सचिव
9.	श्री निर्मलजीत सिंह कलसी	अपर मुख्य सचिव गृह मामले एवं न्याय
10.	श्री सतीश चंद्र	अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
11.	श्रीमती कल्पना मित्तल बरुआ	अपर मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त राजस्व एवं पुनर्वास
12.	श्री एम. पी. सिंह,	अपर मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त, कराधान
13.	श्रीमती विनी महाजन	अपर मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
14.	श्री विश्वजीत खन्ना	अपर मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त विकास
15.	श्री रोशन सुनकरिया	अपर मुख्य सचिव-सह-वित्तीय आयुक्त, वन और वन्य जीव तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
16.	श्री अनिरुद्ध तिवारी	प्रधान सचिव, वित्त
17.	श्री ए. वेणु प्रसाद	प्रधान सचिव, स्थानीय शासन एवं विद्युत विभाग
18.	श्री सर्वजीत सिंह	प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग

19. श्रीमती राजी पी. श्रीवास्तव प्रधान सचिव, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग
20. श्री के. ए. पी. सिन्हा प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
21. श्री जसपाल सिंह प्रधान सचिव, आयोजना विभाग
22. श्री अनुराग वर्मा प्रधान सचिव एवं वित्तीय आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतें
23. श्री राकेश कुमार वर्मा प्रधान सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग
24. श्री विकास प्रताप प्रधान सचिव, पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग
25. श्री डी. के. तिवारी प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
26. श्री तेजवीर सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
27. श्री गुरकीरत कृपाल सिंह मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव
28. श्री वी.एन. जाडे सचिव, व्यय
29. श्रीमती जसप्रीत तलवार सचिव, जलापूर्ति एवं स्वच्छता विभाग
30. श्री हुसन लाल सचिव, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विभाग
31. श्री विवेक प्रताप सिंह आबकारी एवं कराधान आयुक्त
32. श्री कृष्ण कुमार सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
33. श्री अजाय शर्मा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड
34. श्री अभिनव त्रिखा विशेष सचिव, व्यय
35. श्री अजय बीर जाखड़ अध्यक्ष, कृषक एवं कृषि श्रमिक आयोग
36. श्री वी. के. गर्ग मुख्यमंत्री के सलाहकार (एफआर)
37. श्री बलदेव सिंह दिल्ली कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय
38. प्रोफेसर अमरजीत सिंह नंदा कुलपति, गुरु अंगद देव पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय

स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |     |                          |  |
|-----|--------------------------|--|
| 1.  | श्री ए. वेणु प्रसाद      | प्रधान सचिव, स्थानीय शासन एवं विद्युत, पंजाब                   |
| 2.  | श्री कर्णेश शर्मा        | निदेशक, स्थानीय शासन, पंजाब                                    |
| 3.  | श्री गुरप्रीत सिंह खेड़ा | सचिव, स्थानीय शासन, पंजाब                                      |
| 4.  | श्री अजॉय शर्मा          | मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब राज्य जलापूर्ति और सीवरेज बोर्ड |
| 5.  | श्री मोहिंदर पाल         | विशेष सचिव, स्थानीय शासन, पंजाब                                |
| 6.  | श्री संजीव कुमार शर्मा   | महापौर, नगर निगम, पटियाला                                      |
| 7.  | श्री करमजीत सिंह रिंटू   | महापौर, नगर निगम, अमृतसर                                       |
| 8.  | श्री बलकार सिंह संधू     | महापौर, नगर निगम, लुधियाना                                     |
| 9.  | श्री ललित मोहन पाठक      | अध्यक्ष, नगर परिषद, नवांशहर                                    |
| 10. | श्री नरिंदर शास्त्री     | अध्यक्ष, नगर परिषद, राजपुरा                                    |
| 11. | सुश्री किरण सूद          | अध्यक्ष, नगर परिषद, अमलोह                                      |
| 12. | श्री इकबाल सिंह सैनी     | पार्षद, नगर परिषद, नया गाँव                                    |
| 13. | श्री सुरिंदर कुमार       | पार्षद, नगर परिषद, नया गाँव                                    |
| 14. | श्री सुरमुख सिंह         | पार्षद, नगर परिषद, खरड़  |
| 15. | श्री सुनील कुमार         | उपाध्यक्ष, नगर परिषद, खरड़                                     |
| 16. | श्री जगतार सिंह          | पार्षद, नगर परिषद, लालडू                                       |
| 17. | श्री तेजिंदर सिंह सिद्धू | पार्षद, नगर परिषद, जिरकपुर                                     |
| 18. | श्री जगदीश राज राजा      | महापौर, नगर निगम, जालंधर                                       |
| 19. | श्री जगतार सिंह          | पार्षद, नगर परिषद, जिरकपुर                                     |
| 20. | मुकेश राणा               | पार्षद, नगर परिषद, लालडू                                       |
| 21. | श्री अनुराग वर्मा        | वित्तीय आयुक्त, ग्रामीण विकास और पंचायतें, पंजाब               |
| 22. | श्री विजय जाडे           | सचिव, व्यय, पंजाब  |

23.	श्री जसकिरण सिंह	निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायतें, पंजाब
24.	सुश्री तन्नू कश्यप	संयुक्त विकास आयुक्त, ग्रामीण विकास और पंचायतें, पंजाब
25.	श्री जसवीर सिंह	सदस्य, जिला परिषद, फतेहगढ़ साहिब
26.	श्रीमती गुरविंदर कौर	सदस्य, जिला परिषद, पटियाला
27.	श्री जसवीर सिंह	सदस्य, जिला परिषद, पठानकोट
28.	श्री सर्वजीत सिंह	सदस्य, पंचायत समिति राजपुरा, जिला पटियाला
29.	श्री बूटा सिंह	सरपंच, पिलखनी, जिला पटियाला
30.	श्रीमती सीता रानी	सरपंच, हरिपुर, जिला जालंधर
31.	श्री कुलविंदर कुमार	पंच, हरिपुर, जिला जालंधर
32.	श्री साधु सिंह	सरपंच, सिंहपुरा, जिला रूप नगर
33.	श्री लखविंदर कुमार	पंच, सुखानंद, जिला मोगा

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती विनी महाजन	अपर मुख्य सचिव, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब
2.	श्री अनिरुद्ध तिवारी	प्रधान सचिव, वित्त विभाग, पंजाब
3.	श्री देविन्दर पाल सिंह खरबन्दा	निदेशक, उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब
4.	श्री सर्वजीत सिंह सरमा	भारतीय उद्योग महासंघ, पंजाब राज्य परिषद्
5.	श्री गुनबीर सिंह	भारतीय उद्योग महासंघ, पंजाब राज्य परिषद्
6.	श्री एस.सी. रल्हण	हैंड टूल्स एसोसिएशन, लुधियाना
7.	श्री आर.एस. सचदेवा	पीएचडीसीसीआई
8.	श्री ओपिंदर सिंह	ईईपीसी
9.	श्री के. के. गर्ग	इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन, लुधियाना
10.	श्री ओंकार सिंह पाहवा	एवन साइकल्स, लुधियाना



11.	श्री एस. के. राय	हीरो साइकल्स लि.
12.	श्री उपकार सिंह आहूजा	सीआईसीयू
13.	श्री के. के. सेठ	नीलम साइकल्स
14.	श्री राजिंदर प्रसाद महांजन	एसोसिएशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गुड्स
15.	श्री योगेश सागर	मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
16.	श्री संजीव वशिष्ठ	मोहाली इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
17.	श्री कमल डालमिया	फोकल प्वाइंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
18.	श्री संजय मेहरा	पंजाब वार्प निटिंग इंडस्ट्रीज
19.	श्री अमित खन्ना	खन्ना ओवरसीज, ब्लैकट एंड शॉल्स इंडस्ट्री
20.	श्री प्रदीप सहगल	इंडियन इम्पोर्टर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
21.	श्री मोहित खन्ना	आईसीपी, चैंबर ऑफ कॉमर्स
22.	श्री सचिद मदान	आईटीसी
23.	श्री अरविंदर पाल सिंह	पंजाब चावल निर्यातक संघ
24.	श्री अजय अरोड़ा	क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स
25.	श्री आर. के. अरोड़ा	ओसीएम प्रा. लि.
26.	श्री रमणीक सिंह	सपल टेक इंडस्ट्रीज
27.	श्री अमित शर्मा	आईटीसी लि.
28.	श्री अरविंदर पाल सिंह	लाल किला राइस, अमृतसर

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1.	श्री कुलजीत सिंह नागरा	विधायक, पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति
2.	श्री अमित विज	विधायक, पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति
3.	श्री सुनील जाखड़	पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति
4.	श्री अमन अरोड़ा	विधायक, सुनाम, आम आदमी पार्टी

5. श्री जसतेज सिंह अध्यक्ष, विधिक प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी
6. श्री परमिंदर सिंह ढींढसा विधायक, शिरोमणि अकाली दल
7. डॉ. दलजीत सिंह चीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शिरोमणि अकाली दल
8. श्री अनिल सरीन प्रदेश प्रवक्ता, शिरोमणि अकाली दल
9. श्री जीवन गुप्ता प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय, शिरोमणि अकाली दल
10. डॉ. सुभाष शर्मा प्रदेश सचिव, भारतीय जनता पार्टी
11. श्री मनजीत सिंह संयोजक, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
12. श्री रोशन लाल गोयल सदस्य कार्यकारी समिति, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
13. श्री पाल सिंह रतू जोन प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी
14. श्री हरनेक सिंह जिला अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी
15. श्री बंत सिंह बरार सचिव, पंजाब प्रदेश, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
16. डॉ. जोगिंदर सिंह दयाल राष्ट्रीय पार्षद, पंजाब प्रदेश, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
17. श्री सुखविंदर सिंह सेखों सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
18. श्री रघुनाथ सिंह भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
19. श्री स्वर्ण सिंह अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
20. श्री गुइंदर सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी

## 21. राजस्थान (06-09 सितंबर, 2019)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

- |     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 1.  | श्री अशोक गहलोत          | मुख्यमंत्री   |
| 2.  | श्री सचिन पायलट          | उप-मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी, आरडी एवं पीआर विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सांख्यिकी विभाग   |
| 3.  | श्री बुलाकी दास कल्ला    | मंत्री, ऊर्जा, पीएचईडी, भू-जल विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग   |
| 4.  | श्री शांति कुमार धारीवाल | मंत्री, एलएसजी, यूडीएच विभाग, विधि एवं विधिक मामले और विधिक परामर्श कार्यालय, संसदीय कार्य विभाग  |
| 5.  | श्री परसादी लाल          | मंत्री, उद्योग, राज्य उद्यम विभाग   |
| 6.  | मास्टर भंवरलाल मेघवाल    | मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग  |
| 7.  | श्री लालचंद कटारिया      | मंत्री, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्यपालन विभाग   |
| 8.  | श्री रघु शर्मा           | मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग |
| 9.  | श्री प्रमोद भाया         | मंत्री, खान विभाग, गौ-पालन विभाग  |
| 10. | श्री विश्वेंद्र सिंह     | मंत्री, पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग  |
| 11. | श्री हरीश चौधरी          | मंत्री, राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, कमान क्षेत्र विकास एवं जल उपयोग विभाग   |
| 12. | श्री रमेश चंद मीणा       | मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग  |

13. श्री अंजना उदयलाल मंत्री, सहकारिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) विभाग
14. श्री प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री, परिवहन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग
15. श्री सालेह मोहम्मद मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य, वक्फ और लोक शिकायत समाधान विभाग
16. श्री गोविंद सिंह डोटासरा राज्य मंत्री, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) विभाग (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग
17. श्रीमती ममता भूपेश राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार), लोक शिकायत समाधान विभाग, अल्पसंख्यक कार्य विभाग, वक्फ विभाग
18. श्री अर्जुन सिंह बामनिया राज्य मंत्री, जनजातीय क्षेत्र विभाग (स्वतंत्र प्रभार), उद्योग विभाग, राज्य उद्यम विभाग
19. श्री भंवर सिंह भाटी राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, कमान क्षेत्र विकास एवं जल उपयोग विभाग
20. श्री सुखराम विश्णोई राज्य मंत्री, वन विभाग (स्वतंत्र प्रभार), पर्यावरण विभाग (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उपभोक्ता मामले विभाग
21. श्री अशोक राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल विभाग (स्वतंत्र प्रभार), कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग, सैनिक कल्याण विभाग
22. श्री टीकाराम जूली राज्य मंत्री, श्रम विभाग (स्वतंत्र प्रभार), कारखाना एवं बॉयलर अन्वेषण विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सहकारिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) विभाग

- |     |                         |  |
|-----|-------------------------|--|
| 23. | श्री भजनलाल जाटव        | राज्य मंत्री, होमगाइर्स एवं सिविल डिफेंस विभाग (स्वतंत्र प्रभार), स्टाम्प एवं स्टेशनरी विभाग (स्वतंत्र प्रभार), कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्यपालन विभाग  |
| 24. | श्री राजेंद्र सिंह यादव | राज्य मंत्री, आयोजना (जनशक्ति) विभाग (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मोटर गैराज विभाग (स्वतंत्र प्रभार), भाषा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग                                       |
| 25. | डॉ. सुभाष गर्ग          | राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृत शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग |
| 26. | श्री अरविंद मायाराम     | मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार  |
| 27. | श्री गोविंद शर्मा       | मुख्यमंत्री के सलाहकार   |
| 28. | श्री डी. बी. गुप्ता     | मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार   |
| 29. | श्री राजीव स्वरूप       | अपर मुख्य सचिव, गृह और परिवहन विभाग  |
| 30. | श्रीमती वीनू गुप्ता     | अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग  |
| 31. | श्री पवन कुमार गोयल     | अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग   |
| 32. | श्री राजेश्वर सिंह      | अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज   |
| 33. | श्री निरंजन कुमार आर्य  | अपर मुख्य सचिव, वित्त  |
| 34. | श्री रोहित कुमार सिंह   | अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य   |
| 35. | श्री आर. वेंकटेश्वरन    | प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग  |
| 36. | श्री अभय कुमार          | प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग  |
| 37. | श्री अखिल अरोड़ा        | प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग   |
| 38. | श्री संदीप वर्मा        | प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं इंजीनियरी विभाग   |

39.	श्री कुलदीप रांका	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
40.	श्रीमती श्रेया गुहा	प्रधान सचिव, वन और पर्यटन विभाग
41.	श्री नरेश पाल गंगवार	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
42.	श्री भास्कर ए. सावंत	प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं आवासन विभाग
43.	श्री अजिताभ शर्मा	मुख्यमंत्री के सचिव
44.	श्री नवीन महाजन	सचिव, जल संसाधन विभाग
45.	श्रीमती गायत्री ए. राठौड़	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
46.	श्री भवानी सिंह देथा	सचिव, स्थानीय स्वशासन
47.	श्रीमती मंजू राजपाल	सचिव, वित्त ( बजट ) विभाग
48.	श्री आशुतोष ए. टी. पेडनेकर	सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज और आपदा प्रबंधन
49.	डॉ. पृथ्वी राज	सचिव, वित्त ( राजस्व ) विभाग
50.	श्री सुधीर कुमार शर्मा	विशेष सचिव, वित्त ( व्यय )

### स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती सुशीला सेवर	जिला प्रमुख, बीकानेर
2.	श्री सुरेंद्र कुमार	जिला प्रमुख, कोटा
3.	श्रीमती गीता खटाणा	जिला प्रमुख, दौसा
4.	श्री मूल चंद मीणा	जिला प्रमुख, जयपुर
5.	श्रीमती भारती दीक्षित	सीईओ, जिला परिषद, जयपुर
6.	श्री जगदीश प्रसाद बुनकर	सीईओ, जिला परिषद, दौसा
7.	श्री मुकेश चंद मीणा	प्रधान, पंचायत समिति, टोडाभीम, करौली
8.	श्रीमती सविता यादव	प्रधान, पंचायत समिति, नीमराना, अलवर
9.	श्री नंद लाल गोथवाल	प्रधान, पंचायत समिति, शाहपुरा, जयपुर
10.	श्रीमती पिंकी मीणा	प्रधान, पंचायत समिति, चाकसू, जयपुर

11. श्री विजेंद्र कुमार शर्मा बीडीओ, पंचायत समिति, जवाजा, अजमेर
12. श्री मुरारी लाल शर्मा बीडीओ, पंचायत समिति, सांगानेर, जयपुर
13. श्री राजेश भाकर सरपंच, ग्राम पंचायत, तारपुरा, पंचायत समिति, पिपराली, सीकर
14. सुश्री छवि राजावत सरपंच, ग्राम पंचायत, सोडा, पंचायत समिति, मालपुरा, टोंक
15. श्री ओम प्रकाश जाटावत सरपंच, ग्राम पंचायत, नांगल तुलसीदास, पंचायत समिति, जमवा रामगढ़, जयपुर
16. श्रीमती संगीता धूत वीडोओ, ग्राम पंचायत, अकेरा, पंचायत समिति, आमेर, जयपुर
17. श्री विशाल वैष्णव वीडोओ, ग्राम पंचायत, सेंदरिया, पंचायत समिति, श्रीनगर, अजमेर
18. श्री नारायण चोपड़ा महापौर, नगर निगम, बीकानेर
19. श्री विष्णु लता महापौर, नगर निगम, जयपुर
20. श्रीमती संगीता बोहरा अध्यक्ष, नगर परिषद, गंगापुर सिटी
21. श्री सिकंदा अली खिलजी अध्यक्ष, नगर परिषद, सुजानगढ़
22. श्रीमती राजकुमारी शर्मा अध्यक्ष, नगरपालिका, निवाई
23. श्रीमती आशा नामा अध्यक्ष, नगरपालिका, मालपुरा
24. श्री कमलेश दोसी अध्यक्ष, नगर परिषद, प्रतापगढ़
25. श्री सुखदेव संधू अध्यक्ष, नगरपालिका, केशवरायपाटन
26. श्रीमती रजनी देवी पारीक अध्यक्ष, नगरपालिका, शाहपुरा, जयपुर
27. श्री विनोद कुमार सांभरिया अध्यक्ष, नगरपालिका, सांभर
28. श्री सुरेश कुमार ओला आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर
29. श्री सरवन बिश्नोई आयुक्त, नगर परिषद, सीकर
30. श्री शशिकांत शर्मा कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका, कुम्हेर

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1. डॉ. के. एल. जैन मानद महासचिव, आरसीसीआई
2. श्री डी.एस. भंडारी उपाध्यक्ष, आरसीसीआई
3. श्री विजय गोयल कार्यकारी सदस्य, राजस्थान व्यापार एवं उद्योग परिसंघ
4. श्री राहुल शर्मा महाप्रबंधक, राजस्थान व्यापार एवं उद्योग परिसंघ
5. श्री आनंद मिश्रा अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ राजस्थान
6. श्री नितिन गुप्ता निदेशक एवं प्रमुख, भारतीय उद्योग महासंघ राजस्थान
7. श्री अतुल शर्मा प्रमुख-राजस्थान राज्य परिषद, फिक्की
8. श्री अजय सिंह फिक्की
9. श्री अनिल बक्शी राजस्थान निर्यातक परिसंघ
10. श्री संजय सिंह क्षेत्रीय निदेशक, जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल
11. श्री शरद कांकरिया सचिव, यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडिया
12. श्री अनिल उपाध्याय यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडिया
13. श्री अर्पित मित्तल परामर्शी सलाहकार, लघु उद्योग भारती
14. सुश्री रचना सिंह क्षेत्रीय निदेशक, पीएचडीसीसीआई
15. श्रीमती श्रेया गुहा प्रधान सचिव, पर्यटन
16. डॉ. भंवर लाल निदेशक, पर्यटन
17. श्री भीम सिंह राजस्थान टूर्स
18. श्री अजय अग्रवाल एलबीएम
19. श्री प्रताप दिग्गी होटल दिग्गी हाउस
20. श्री रणधीर विक्रम सिंह इंडियन हैरिटेज होटल एसोसिएशन



### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. प्रो. जे. पी. यादव प्रधान, कॉमर्स कॉलेज, जयपुर, कांग्रेस
2. श्री एल. डी. शर्मा सी.ए., कांग्रेस
3. श्री सुशील कुमार असोपा सचिव, कांग्रेस
4. श्री विजय गर्ग अध्यक्ष, सीए प्रकोष्ठ, कांग्रेस
5. श्री राजपाल सिंह शेखावत पूर्व मंत्री, राजस्थान सरकार, बीजेपी
6. श्री रामलाल शर्मा विधायक, चोमू (जयपुर), बीजेपी
7. श्री सतीश सरिन प्रदेश संयोजक, आर्थिक प्रकोष्ठ, बीजेपी
8. श्री आर. पी. विजय सी. ए., बीजेपी
9. श्री नरेंद्र आचार्य प्रदेश सचिव, राजस्थान, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
10. श्री तारा सिंह सिद्धू सदस्य, प्रदेश सचिवालय, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
11. श्री गुरुचरण सिंह सीपीआई (एम)
12. श्री रविंद्र शुक्ला सदस्य सचिवालय, सीपीआई(एम)
13. श्री राजेश कुमार शर्मा एनसीपी
14. श्री मो. जुबीर खान प्रदेश अध्यक्ष, एनसीपी युवा

## 22. सिक्किम (23-26 सितंबर, 2019)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. श्री पी. एस. तमांग मुख्यमंत्री,
2. श्री मिंगमा नोर्बू शेरेपा मंत्री, विद्युत और श्रम
3. श्री समदुप लेप्चा मंत्री, सिक्किम लोक निर्माण (सड़क एवं सेतु) तथा सांस्कृतिक मामले
4. श्री कुंगा निमा लेप्चा मंत्री, शिक्षा और संसदीय कार्य तथा भू-राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
5. श्री सोनम लामा मंत्री, ग्रामीण विकास, सहकारिता तथा चर्च संबंधी मामले
6. श्री संजीत खरेल मंत्री, सिक्किम लोक निर्माण (भवन एवं आवासन) तथा परिवहन
7. श्री लोकनाथ शर्मा मंत्री, कृषि एवं बागवानी, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवा, आईपीआर तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री
8. श्री बेदु सिंह पंथ मंत्री, पर्यटन और नागर विमानन तथा वाणिज्य एवं उद्योग
9. श्री अरुण उप्रेती मंत्री, शहरी विकास एवं आवासन तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
10. श्री भीम हांग लिंबू मंत्री, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी और जल संसाधन
11. श्री कर्मा लोडाई भूटिया मंत्री, वन एवं पर्यावरण, खान एवं भूविज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
12. डॉ. मणि कुमार शर्मा मंत्री, स्वास्थ्य देखरेख एवं परिवार कल्याण तथा सामाजिक न्याय एवं कल्याण
13. श्री महेंद्र पी. लामा मुख्य आर्थिक सलाहकार, सिक्किम सरकार
14. श्री सी. एल. डेनजोंगा मुख्यमंत्री के आर्थिक एवं वित्तीय सलाहकार, सिक्किम सरकार

15.	श्री ए. के. श्रीवास्तव	मुख्य सचिव, सिविकिम सरकार
16.	श्री सुरेश चंद्र गुप्ता	अपर मुख्य सचिव, गृह और वित्त
17.	श्री जी. पी. उपाध्याय	अपर मुख्य सचिव, शिक्षा
18.	डॉ. जयकुमार	अपर मुख्य सचिव, पर्यटन एवं नागर विमानन
19.	श्री वी.बी. पाठक	अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त, आयोजना एवं विकास
20.	श्री थॉमस चांडी	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग
21.	श्री ए. शंकर राव	पुलिस महानिदेशक, पुलिस
22.	श्री एम. एल. श्रीवास्तव	प्रधान सचिव-सह-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन
23.	श्री के. श्रीनिवासुलु	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
24.	श्री डी. के. भंडारी	सचिव, बागवानी
25.	सुश्री नम्रता थापा	सचिव, आईपीआर
26.	श्री एल. बी. छेत्री	सचिव, शहरी विकास एवं आवासन
27.	श्री सी. एस. राव	सचिव, ग्रामीण विकास
28.	श्री टी.पी. संगरदापा	प्रधान मुख्य इंजीनियर-सह-सचिव, सड़क एवं सेतु
29.	श्री राजू बसनेत	सचिव, परिवहन
30.	श्रीमती धनजोति मुखिया	सचिव, सामाजिक न्याय एवं कल्याण
31.	श्री एस. बी. सुब्बा	सचिव, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा सेवाएं
32.	श्री खोरलो भूटिया	सचिव, कृषि
33.	श्री के. सी. लेप्चा	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
34.	श्रीमती अंबिका प्रधान	सचिव, भू-राजस्व
35.	श्री के. बी. कुंवर	प्रधान मुख्य इंजीनियर-सह-सचिव, विद्युत
36.	श्रीमती विद्या सुभा	सचिव, संस्कृति
37.	श्री शीतल प्रधान	सचिव, जल संसाधन

38.	श्रीमती शेरप शेंगा	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी
39.	श्री टी. टी. भूटिया	सचिव, पर्यटन
40.	श्री आर. के. पेरियार	प्रधान मुख्य इंजीनियर-सह-सचिव, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी
41.	श्री एम. के. शर्मा	सचिव-सह-लेखा नियंत्रक, वित्त
42.	श्री जी. पी. कौशिक	सचिव ( राजस्व ), वित्त
43.	श्री अरुणी चक्रवर्ती	प्रधान निदेशक-सह-सचिव ( व्यय ), वित्त
44.	श्री बेणु के. मुखिया	प्रधान निदेशक ( एफसीडी ), वित्त
45.	श्री मनोज राय	अपर आयुक्त, वित्त
46.	श्री राज के. शर्मा	एसआईए, आईपीआर
47.	श्रीमती सुनीता थापा	एसडब्ल्यू, आईपीआर

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री शक्ति सिंह चौधरी	महापौर, गंगटोक, नगर निगम, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम
2.	सुश्री लेशे डोमा बूटिया	उपमहापौर, गंगटोक, नगर निगम, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम
3.	श्री टीका गुरुंग	अध्यक्ष, नया बाजार जोरथांग नगर परिषद, जोरथांग, साउथ सिक्किम
4.	सुश्री पेमा तमांग	उपाध्यक्ष, नया बाजार जोरथांग नगर परिषद, जोरथांग, साउथ सिक्किम
5.	सुश्री जेंगू भूटिया	अध्यक्ष, मंगन नगर पंचायत, सिंगताम, नॉर्थ सिक्किम
6.	सुश्री बिष्णु माया शेरपा	उपाध्यक्ष, सिंगताम नगर पंचायत, सिंगताम, ईस्ट सिक्किम
7.	सुश्री निर्मला हिंम्मांग	पार्षद, ग्याल्जिंग नगर परिषद
8.	श्री एल. बी. छेत्री	सचिव, शहरी विकास विभाग

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |     |                          |  |
|-----|--------------------------|--|
| 1.  | श्री शमशेर राय           | माननीय अध्यक्ष, पूर्वी जिला, जिला पंचायत   |
| 2.  | सुश्री नेम्डे लेप्चा     | माननीय अध्यक्ष, उत्तरी जिला, जिला पंचायत   |
| 3.  | श्री अशोक गुरुंग         | माननीय अध्यक्ष, पश्चिमी जिला, जिला पंचायत  |
| 4.  | श्री भीम बहादुर लाखे     | माननीय अध्यक्ष, दक्षिणी जिला, जिला पंचायत  |
| 5.  | श्री तीर्थ बहादुर छेत्री | जिला पंचायत, लुङ्ग रांका टीसी              |
| 6.  | श्री हरि गुरुंग          | जिला पंचायत, रामेंग परबिंग फोंग टीसी       |
| 7.  | श्रीमती देवी खातीवाड़ा   | जिला पंचायत, लिंगदोक नमफोंग टीसी           |
| 8.  | श्री ओंगडिला भूटिया      | जिला पंचायत, दराप चुंबोंग टीसी             |
| 9.  | श्रीमती कला सुबेदी       | पंचायत सभापति, यांगथांग जीपीयू             |
| 10. | श्री छबि लाल छेत्री      | पंचायत सभापति, मार्टम जीपीयू               |
| 11. | सुश्री सरिता शर्मा       | पंचायत सभापति, प्रेमलखा सुभान्यदारा जीपीयू |
| 12. | सुश्री बंदना छेत्री      | पंचायत सभापति, मार्टम नजीतम जीपीयू         |
| 13. | सुश्री ताशी डोमा भूटिया  | पंचायत सभापति, नवीन सोथाक जीपीयू           |
| 14. | श्री चुंगचुंग लेप्चा     | पंचायत सभापति, चुंगथांग जीपीयू             |
| 15. | श्रीमती सावित्री छेत्री  | पंचायत सभापति, किताम मानपुर जीपीयू         |
| 16. | श्री बिकास शर्मा         | पंचायत सभापति, नामफिंग जीपीयू              |
| 17. | श्री सी. एस. राव         | सचिव, ग्रामीण विकास विभाग                  |

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | श्री अशोक सारदा    | अध्यक्ष, सिक्किम चैंबर ऑफ कॉमर्स             |
| 2. | श्री कैलाश अग्रवाल | महासचिव, सिक्किम चैंबर ऑफ कॉमर्स             |
| 3. | श्री अतुल संत      | संयंत्र प्रमुख, सिप्ला फार्मास्यूटिकल उद्योग |
| 4. | श्री दीपक वर्मा    | महाप्रबंधक, जुवेंटस फार्मास्यूटिकल उद्योग    |

5. श्री उमेश मिश्रा वरि. उपाध्यक्ष, इंटास फार्मास्यूटिकल उद्योग
6. श्री यश मारदा संयंत्र प्रमुख, मार्चक मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि. – नालीदार बक्से
7. श्री अजीत सिंह संयंत्र प्रमुख, सिक्किम डिस्टिलरीज लि.
8. श्री रंजीत महापात्र संयंत्र प्रमुख, सन फार्मास्यूटिकल उद्योग
9. सुश्री रीना राय उद्यमी, मैटो-पोटरी-उद्यमी
10. सुश्री स्मिता राय उद्यमी, डिजाइनर कैडल्स
11. श्रीमती मृणालिनी श्रीवास्तव प्रबंध निदेशक, टेमी टी एस्टेट
12. श्री अनूप जिंबा उद्यमी, टी-बैग एवं फ्लेवर्ड टी
13. श्री सागर सुब्बा उद्यमी, बांस के हस्तशिल्प
14. श्री पवन अवस्थी महाप्रबंधक, सरकारी फल परिरक्षण कारखाना
15. सुश्री अपराजिता गुरुंग उद्यमी, सिमसर बेकरी
16. श्री थॉमस चांडी एसीएस, वाणिज्य एवं उद्योग

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री जी. डी. अग्रवाल कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
2. श्री बिमल जैन सदस्य, भारतीय जनता पार्टी
3. श्री जगत सिंह सिंघी उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
4. श्री कर्मा ताशी भूटिया कोषाध्यक्ष, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति
5. श्री टंका नाथ अधिकारी प्रदेश सदस्य, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति
6. श्री सोनम त्शेरिंग भूटिया प्रदेश सदस्य, सिक्किम प्रदेश कांग्रेस समिति
7. श्री देव गुरुंग महासचिव/प्र शा., सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट
8. श्री अमोस आर. लेप्चा सचिव/ प्रशा., सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट
9. श्री दंबेर दहल महासचिव /पूर्वी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट

- |     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 10. | श्री उत्तम लेप्चा       | उपाध्यक्ष मुख्यालय/ प्रशासन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा |
| 11. | श्री पवन कुमार गुरुंग   | महासचिव मुख्यालय/ प्रशासन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा   |
| 12. | श्री दुप पिंत्सो केलिओन | उपाध्यक्ष, वित्त, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा            |
| 13. | श्रीमती नम्रता थापा     | सचिव, सूचना एवं जन-संपर्क विभाग                         |

23. तमिलनाडु (04-08 सितंबर, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री एडापडी के. पलानीस्वामी	मुख्यमंत्री
2.	श्री ओ. पन्नीरसेल्वम	उप-मुख्यमंत्री
3.	श्री डिंडीगुल सी. श्रीनिवासन	वन मंत्री
4.	श्री के. ए. सेंगोट्टैयन	मंत्री, स्कूल शिक्षा
5.	श्री सेल्लूर के. राजू	मंत्री, सरकारिता
6.	श्री पी. थंगमन	मंत्री, विद्युत, प्रतिषेध और आबकारी
7.	श्री एस. पी. वेलुमणि	मंत्री, नगर प्रशासन, ग्रामीण विकास और विशेष कार्यक्रम का कार्यान्वयन
8.	श्री डी. जयकुमार	मंत्री, मत्स्य पालन तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार
9.	श्री सी. वी. षण्मुगम	मंत्री, विधि, न्यायालय और कारागार
10.	श्री के.पी. अन्बालागन	मंत्री, उच्च शिक्षा
11.	डॉ. वी. सरोजा	मंत्री, सामाजिक कल्याण और पोषक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
12.	श्री एम. सी. संपत	उद्योग मंत्री
13.	श्री के. सी. करुपन्नन	पर्यावरण मंत्री
14.	श्री आर. कामराज	मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
15.	श्री ओ. एस. मण्यन	मंत्री, हथकरघा एवं वस्त्र
16.	श्री उदुमलई के. राधाकृष्णन	पशुपालन मंत्री
17.	डॉ. सी. विजय भास्कर	मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
18.	श्री आर. दोरईकन्नू	कृषि मंत्री
19.	श्री कादंबूर राजू	मंत्री, सूचना एवं प्रचार



20.	श्री आर. बी. उदयकुमार	मंत्री, राजस्व और आपदा प्रबंधन
21.	श्री वेल्लामंडी एन. नटराजन	पर्यटन मंत्री
22.	श्री के.सी. वीरामणि	मंत्री, वाणिज्यिक कर
23.	श्री के. टी. राजेंद्र बालाजी	मंत्री, दुग्ध एवं डेयरी विकास
24.	श्री पी. बेंजामिन	मंत्री, ग्रामीण उद्योग
25.	श्री एम.आर. विजयभास्कर	परिवहन मंत्री
26.	डॉ. निलोफर क.फ़ील	श्रम मंत्री
27.	डॉ. एम. मणिकदंन	मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी
28.	श्रीमती वी. एम. राजलक्ष्मी	मंत्री, आदि द्रविड़र और जनजाति कल्याण
29.	श्री के. पण्ड्याराजन	मंत्री, तमिल राजभाषा एवं तमिल संस्कृति
30.	श्री जी. भास्करन	मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
31.	श्री सेव्वूर एस. रामचंद्रन	मंत्री, हिंदू धार्मिक एवं धर्मस्व निधि
32.	श्रीमती एस. वेलारमती	मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
33.	श्री पी. बालकृष्ण रेड्डी	मंत्री, युवा कल्याण और खेल विकास
34.	डॉ. श्रीमती गिरिजा वैद्यनाथन	मुख्य सचिव, सरकार, सचिवालय
35.	श्री के. षण्मुगम	अपर मुख्य सचिव, सरकार, वित्त विभाग, सचिवालय
36.	डॉ. टी.वी. सोमनाथन	(विशेष पहल विभाग और विशेषकार्याधिकारी, 15वां वित्त आयोग), सचिवालय
37.	डॉ. एम. साईकुमार	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ सचिव-I, मुख्यमंत्री कार्यालय
38.	श्री एस. विजयकुमार	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव-II, मुख्यमंत्री कार्यालय
39.	डॉ. पी. सेंथिल कुमार	मुख्यमंत्री के सचिव-III, मुख्यमंत्री कार्यालय
40.	श्रीमती जयश्री मुरलीधरन	मुख्यमंत्री के सचिव-IV, मुख्यमंत्री कार्यालय
41.	श्री के. ज्ञानदेसिकन	अपर मुख्य सचिव, सरकार, उद्योग विभाग, सचिवालय

42. श्री हंस राज वर्मा अपर मुख्य सचिव, सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, सचिवालय
43. श्री राजीव रंजन अपर मुख्य सचिव, सरकार, राजमार्ग एवं लघु पत्तन विभाग, सचिवालय
44. श्री ओटेम दई अपर मुख्य सचिव, सरकार, आदि द्रविड़र और जनजाति कल्याण विभाग, सचिवालय
45. श्री अपूर्व वर्मा अपर मुख्य सचिव, सरकार, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व निधि विभाग, सचिवालय
46. श्री पी. डब्ल्यू. सी. दविदर अपर मुख्य सचिव, सरकार, परिवहन विभाग, सचिवालय
47. डॉ. निरंजन मारडी अपर मुख्य सचिव, सरकार, गृह, प्रतिषेध और आबकारी विभाग, सचिवालय
48. श्री हरमंदर सिंह प्रधान सचिव, सरकार, नगर प्रशासन एवं जलापूर्ति विभाग, सचिवालय
49. श्री गगनदीप सिंह बेदी कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रधान सचिव, सरकार, कृषि विभाग, सचिवालय
50. डॉ. के. गोपाल प्रधान सचिव, सरकार, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, सचिवालय
51. श्री के. बालचंद्रन प्रधान सचिव, सरकार, वाणिज्यिक कर और रजिस्ट्रीकरण विभाग, सचिवालय
52. श्री दयानंद कटारिया प्रधान सचिव, सरकार, सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सचिवालय
53. श्री प्रदीप यादव प्रधान सचिव, सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, सचिवालय
54. श्री मोहम्मद नसीमुद्दीन प्रधान सचिव, सरकार, ऊर्जा विभाग, सचिवालय
55. श्री शंभु कल्लोलिकर प्रधान सचिव, सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग, सचिवालय

56. श्री कुमार जयंत प्रधान सचिव, सरकार, हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र और खादी विभाग सचिवालय
57. डॉ. जे. राधाकृष्णन प्रधान सचिव, सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय
58. श्री मंगत राम शर्मा प्रधान सचिव, सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय
59. श्री धीरज कुमार प्रधान सचिव, सरकार, युवा कल्याण और खेल विकास विभाग, सचिवालय
60. श्री एस. कृष्णन प्रधान सचिव, सरकार, आवासन और शहरी विकास विभाग, सचिवालय
61. श्री सुनील पालीवाल प्रधान सचिव, सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, सचिवालय
62. डॉ. पी. सेंथिल कुमार सरकार के प्रधान सचिव (प्रभारी), लोक एवं पुनर्वास विभाग, सचिवालय
63. श्री एस. के. प्रभाकर प्रधान सचिव, सरकार, लोक निर्माण विभाग, सचिवालय
64. श्री ए. कार्तिक सचिव, सरकार, बीसी, एमबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सचिवालय
65. श्री आर. वेंकटेशन सचिव, सरकार, तमिल विकास एवं सूचना विभाग सचिवालय
66. श्री सी. विजयराज कुमार सचिव, सरकार, दिव्यांगजन कल्याण विभाग, सचिवालय
67. श्री धर्मेन्द्र प्रताप यादव सचिव, सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, सचिवालय
68. डॉ. संतोष बाबू सचिव, सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सचिवालय
69. श्री एम.ए. सिद्दीक सचिव, सरकार (व्यय), वित्त विभाग, सचिवालय
70. डॉ. आर. आनंदकुमार अपर सचिव, सरकार, वित्त विभाग, सचिवालय
71. श्रीमती पूजा कुलकर्णी अपर सचिव, सरकार, वित्त विभाग, सचिवालय

72. श्री एम. अरविंद उप-सचिव, सरकार, वित्त विभाग, सचिवालय
73. श्री एच. कृष्णनउन्नी उप-सचिव, सरकार (बजट), वित्त विभाग, सचिवालय
74. श्री मोहन प्यारे अपर मुख्य सचिव, सरकार / सतर्कता आयुक्त और प्रशासनिक सुधार आयुक्त
75. डॉ. जगमोहन सिंह राजू अपर मुख्य सचिव / अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु ऊर्जा विकास अभिकरण
76. श्री वी. के. जयकोडि अपर मुख्य सचिव, सरकार / आयुक्त, भूमि प्रशासन विभाग
77. डॉ. के. सत्यगोपाल अपर मुख्य सचिव / आयुक्त, राजस्व प्रशासन, राजस्व प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग
78. श्री अशोक डोंगरे अपर मुख्य सचिव, सरकार / प्रबंध निदेशक, चेन्नै महानगर जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड तथा आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार )
79. श्री विक्रम कपूर प्रधान सचिव/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएनईबी और टीएएनजीईडीसीओ
80. श्री टी. के. रामचंद्रन प्रधान सचिव / आयुक्त, हिंदू धार्मिक एवं धर्मस्व निधि विभाग
81. डॉ. डी. कार्तिकेयन आयुक्त, ग्रेटर चेन्नै निगम,
82. श्री जी. प्रकाश आयुक्त, नगर प्रशासन विभाग
83. श्री अनिल मेश्राम सदस्य-सचिव, राज्य आयोजना आयोग
84. श्री पी. उमानाथ प्रबंध निदेशक, तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम
85. श्री राजेंद्र रत्नू आयुक्त, आपदा प्रबंधन, राजस्व प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग
86. श्री एम.एस. षण्मुगम प्रबंध निदेशक, स्लम क्लीयरेंस बोर्ड
87. डॉ. ए. के. विश्वनाथन पुलिस आयुक्त
88. श्री आर. के. उपाध्याय प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( एचओएफएफ ), वन विभाग

- |     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
| 89. | श्री एम. साईश्रवणन | एडिशनल रजिस्ट्रार-I ( सतर्कता), मद्रास उच्च न्यायालय |
| 90. | डॉ. ए. एडविन जो    | निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग                        |
| 91. | डॉ. एन. रुक्मणि    | निदेशक, चिकित्सा एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं        |
| 92. | श्रीमती एन. शांति  | मुख्य इंजीनियर ( सी एवं एम ), राजमार्ग विभाग         |

### स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |     |                              |  |
|-----|------------------------------|--|
| 1.  | श्री हरमंदर सिंह             | प्रधान सचिव, सरकार, नगर प्रशासन एवं जलापूर्ति विभाग, सचिवालय       |
| 2.  | डॉ. डी. कार्तिकेयन           | आयुक्त   |
| 3.  | श्री जी. प्रकाश              | आयुक्त, नगर प्रशासन विभाग  |
| 4.  | श्री एस. पलानीसामी           | निदेशक, नगर पंचायतें   |
| 5.  | श्रीमती आर. ललिता            | उपायुक्त ( आर एवं एफ )   |
| 6.  | श्रीमती जानकी रविंद्रन       | क्षेत्रीय निदेशक, नगर प्रशासन                                      |
| 7.  | श्री वी. मुरुगेसन            | क्षेत्रीय कार्यपालक इंजीनियर                                       |
| 8.  | श्री के. सरवनकुमार           | नगर आयुक्त   |
| 9.  | श्री एस.एम. मलयमनश्रीमुदिकरी | संयुक्त निदेशक, नगर पंचायत   |
| 10. | श्री बी. इब्राहिम्शा         | कार्यपालक अधिकारी ( प्रशा. ), सहायक निदेशक नगर पंचायत का कार्यालय  |
| 11. | श्री हंस राज वर्मा           | अपर मुख्य सचिव, सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, सचिवालय |
| 12. | श्री के. भास्करन             | निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग                         |
| 13. | श्री एस.एस. कुमार            | परियोजना निदेशक, डीआरडीए, जिला पंचायत                              |
| 14. | श्री एन. आरुल जोति आरासन     | परियोजना निदेशक, डीआरडीए, जिला पंचायत                              |
| 15. | श्री आर. काशीनाथन            | सहायक निदेशक ( पंचायत ) खंड पंचायत                                 |

- |     |                   |                                    |
|-----|-------------------|------------------------------------|
| 16. | श्री एस. गंगातरणी | सहायक निदेशक ( पंचायत ) खंड पंचायत |
| 17. | श्रीमती के. मीरा  | खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत     |
| 18. | श्री जी. ज्ञानवेल | खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत     |

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

- |    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | श्री के. ज्ञानदेसिकन  | अपर मुख्य सचिव, सरकार, उद्योग विभाग, सचिवालय                          |
| 2. | श्री वी. अरुण राँय    | अपर सचिव, सरकार, उद्योग विभाग   |
| 3. | श्री एम. पोन्नूस्वामी | अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ   |
| 4. | श्री बी. संधानम       | प्रबंध निदेशक, सेंट-गोबिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड<br>( कांच व्यवसाय ) |
| 5. | श्री सी. के. रंगनाथन  | संस्थापक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, केविन केयर                         |
| 6. | श्री जोश फौलगर        | प्रबंध निदेशक, एफआईएच इंडिया डेवलपर प्राइवेट<br>लिमिटेड               |
| 7. | श्री रिन्जी कावाशिमा  | उप प्रबंध निदेशक इंडिया यामहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड                   |
| 8. | श्री एलांचेलियन       | प्रबंध निदेशक, सेनमिना  |
| 9. | श्री वेलमुरुगन        | कार्यपालक उपाध्यक्ष, इंडस्ट्रियल गाइडेंस ब्यूरो                       |

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

- |    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | श्री अमेरिकइ नारायणन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ( आईएनसी )   |
| 2. | श्री डी. भारतीदासन   | बहुजन समाज पार्टी ( बीएसपी )           |
| 3. | श्री ए. मुथुकृष्णन   | बहुजन समाज पार्टी ( बीएसपी )           |
| 4. | श्री टी. के. रंगराजन | भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ( सीपीआई-एम ) |
| 5. | श्री एन. गुणशेखरण    | भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ( सीपीआई-एम ) |

6. श्री जी. पी. सारथी नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)
7. श्री एम. अबुबकर नेशनल कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)
8. श्री सी. पोन्नैयन आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके)
9. श्री पोल्लाची जयरमन आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके)
10. श्री टी.के.एस. एलेंगोवन द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके)
11. डॉ. पलानीवेल त्यागराजन द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके)
12. श्री अझगपुरम आर. मोहनराज देसीय मुर्पोकू द्रविड़ कषगम (डीएमडीके)
13. डॉ. वी. एलेंगोवन देसीय मुर्पोकू द्रविड़ कषगम (डीएमडीके)

## 24. तेलंगाना (18-20 फरवरी, 2019)

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. श्री के. चंद्रशेखर राव माननीय मुख्यमंत्री, तेलंगाना राज्य
2. श्री मो. मोहमूद अली माननीय गृह मंत्री
3. श्री ए. इंद्रकरण रेड्डी माननीय वन मंत्री
4. श्री टी. श्रीनिवास यादव माननीय मंत्री, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी विकास एवं सिनेमैटोग्राफी
5. श्री जी. जगदीश रेड्डी माननीय शिक्षा मंत्री
6. श्री एटेला राजेंद्र माननीय मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
7. श्री एस. निरंजन रेड्डी माननीय मंत्री, कृषि, सहकारिता, विपणन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले
8. श्री कोप्पुला ईश्वर माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति विकास, जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांग कल्याण और वरिष्ठ नागरिक कल्याण
9. श्री एराबेल्ली दयाकर राव माननीय मंत्री, पंचायत राज और ग्रामीण विकास तथा आरडब्ल्यूएस
10. श्री वी. श्रीनिवास गौड माननीय मंत्री, प्रतिषेध एवं आबकारी, खेल एवं युवा सेवाएं, पर्यटन एवं संस्कृति तथा पुरातत्व
11. श्री वेमुला प्रशांत रेड्डी माननीय मंत्री, परिवहन, सड़क एवं भवन निर्माण, विधायी कार्य तथा आवासन
12. श्री चमकुरा मल्ला रेड्डी माननीय मंत्री, श्रम एवं रोजगार, कारखाना, महिला एवं बाल कल्याण तथा कौशल विकास
13. डॉ. राजीव शर्मा सरकार के मुख्य सलाहकार
14. डॉ. जी.आर. रेड्डी सरकार के वित्त सलाहकार



- |     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| 15. | श्रीमती स्मिता सबरवाल         | माननीय मुख्यमंत्री के सचिव  |
| 16. | श्री संदीप कुमार सुल्तानिया   | माननीय मुख्यमंत्री के सचिव और सरकार के सचिव, एएचडीडीएंडएफ विभाग ( एफएसी ) |
| 17. | श्री पी. राज शेखर रेड्डी      | माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव  |
| 18. | श्री ज्वाला नरसिम्हा राव वानम | माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी                              |
| 19. | श्री जी. विजय कुमार,          | माननीय मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी                                    |
| 20. | श्री शैलेंद्र कुमार जोश       | मुख्य सचिव, सरकार, तेलंगाना राज्य   |
| 21. | श्री अजय मिश्रा               | विशेष मुख्य सचिव, सरकार, ऊर्जा विभाग                                      |
| 22. | श्रीमती चित्रा रामचंद्रन      | विशेष मुख्य सचिव, सरकार, आवासन विभाग                                      |
| 23. | श्री राजेश्वर तिवारी          | विशेष मुख्य सचिव, सरकार, राजस्व ( रजिस्ट्रीकरण एवं स्टॉप ) विभाग          |
| 24. | श्री के. रामकृष्ण राव         | प्रधान सचिव, सरकार, वित्त विभाग   |
| 25. | श्री सी. पार्थसारथी           | एपीसी और प्रधान सचिव, सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग                      |
| 26. | श्री आधार सिन्हा              | प्रधान सचिव, सरकार ( राजनैतिक ), जीएडी                                    |
| 27. | श्रीमती शालिनी मिश्रा         | प्रधान सचिव, सरकार ( जीपीएम एंड एआर ), जीएडी                              |
| 28. | श्रीमती शांति कुमारी          | प्रधान सचिव, सरकार, एचएमएंडएफडब्ल्यू विभाग                                |
| 29. | श्री अरविंद कुमार             | प्रधान सचिव, सरकार, एमएंडयूडी विभाग                                       |
| 30. | श्री विकास राज                | प्रधान सचिव, सरकार, पीआर एंड आरडी विभाग                                   |
| 31. | डॉ. शशांक गोयल                | प्रधान सचिव, सरकार, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण तथा कारखाना विभाग             |
| 32. | श्री सोमेश कुमार              | सरकार के प्रधान सचिव  |
| 33. | श्री सुनील शर्मा              | प्रधान सचिव, सरकार, टीआरएंडबी विभाग                                       |
| 34. | श्री राजीव त्रिवेदी           | प्रधान सचिव, सरकार, गृह विभाग   |
| 35. | श्री वी. वेंकटेशम             | सचिव, सरकार, वाईएटीएंडसी ( पर्यटन ) विभाग                                 |

36.	श्री बेनहुर महेश दत्त एक्का	सचिव, सरकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
37.	श्री एम. जगदीश्वर	सचिव, सरकार, डब्ल्यूडीसीडब्ल्यू, डीडब्ल्यू एवं एससी विभाग
38.	श्री सब्यसाची घोष	सचिव, सरकार, वाईएटीएंडसी ( युवा सेवा ) विभाग
39.	श्री एम. दानाक्रिशोर	आयुक्त, जीएचएमसी, हैदराबाद
40.	श्री राहुल बोजा	आयुक्त, कृषि
41.	श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद	आयुक्त, पंचायत राज
42.	श्रीमती टी.के. श्रीदेवी	निदेशक, नगर प्रशासन
43.	श्री एन. शिवशंकर	वरिष्ठ परामर्शदाता, वित्त विभाग
44.	श्री एम. महेंदर रेड्डी	पुलिस महानिदेशक
45.	श्री पी. के. झा	पीसीसीएफ एंड एचओएफएफ, तेलंगाना वन विभाग
46.	श्री सी. मुरलीधर	मुख्य इंजीनियर, आई एंड सीएडी विभाग
47.	श्री हरिराम	मुख्य इंजीनियर, कालेश्वरम परियोजना
48.	श्री कृपाकर	मुख्य इंजीनियर, आरडब्ल्यूएस एवं एस
49.	श्री डी. प्रभाकर राव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टी.एस. जेनको

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री अरविंद कुमार	सरकार के प्रधान सचिव
2.	श्री दाना किशोर	आयुक्त, जीएचएमसी
3.	डॉ. टी.के. श्रीदेवी	आयुक्त एवं निदेशक, नगर प्रशासन ( सीडीएमए )
4.	श्री जी. लक्ष्मी नारायण	सरकार के उप-सचिव
5.	श्रीमती अनुराधा	अपर निदेशक, डीएमए का कार्यालय
6.	श्री जयराज केनेडी	अपर आयुक्त, जीएचएमसी
7.	श्री भास्कर पुरानम	सरकार के प्रधान सचिव के ईए

8.	श्री फाल्गुन कुमार	उप-निदेशक, डीएमए कार्यालय तथा नोडल अधिकारी
9.	श्री बोंथू राम मोहन	महापौर, जीएचएमसी, हैदराबाद
10.	श्री सरदार रविंदर सिंह	महापौर, करीमनगर
11.	श्रीमती चत्तूरी राजामणि	महापौर, रामगुंडम
12.	श्री गुगुलोत पपलाल	महापौर, खम्मम
13.	श्रीमती कश्यप स्वाति सिंह	अध्यक्ष, आरमूर
14.	श्रीमती रंगीनेनी मनीषा	अध्यक्ष, आदिलाबाद
15.	श्री विश्वनाथम सत्यनारायण	अध्यक्ष, विकाराबाद
16.	श्री गडिपल्ली भास्कर	अध्यक्ष, गजवेल
17.	श्री थातीपार्थी विजयलक्ष्मी	अध्यक्ष, जागित्याल
18.	श्री वी. देवेंदर	अध्यक्ष, देवारकोंडा

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री विकर राज	सरकार के प्रधान सचिव
2.	श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद	आयुक्त
3.	श्री सत्यनारायण रेड्डी	मुख्य इंजीनियर
4.	श्री जी. राजेशम गौड	अध्यक्ष, तेलंगाना राज्य वित्त आयोग
5.	श्री सुरेश चंद	विशेष मुख्य सचिव और सचिव, सदस्य सचिव, तेलंगाना राज्य वित्त आयोग
6.	श्री चेन्नैया	सदस्य, तेलंगाना राज्य वित्त आयोग
7.	श्रीमती तुला उमा	जिला पंचायत अध्यक्ष, करीमनगर
8.	श्री पी. मनोहर गौड	जेडपीटीसी, संगारेड्डी, मेडक
9.	श्री के. हनमंत रेड्डी	एमपीपी, इतिक्ताल, महबूबनगर
10.	श्री यू. श्रीनिवास	एमपीटीसी, गुंडलापोचमपल्ली, आरआर जिला

11.	श्री के. विजयभास्कर	सरपंच, पेड्डावूरा जीपी, नलगोंडा
12.	श्री एडे गजानंद नाइक	सरपंच नारनूर जीपी, आदिलाबाद
13.	श्री एन. वेंकटेश्वर राव	सरपंच, जीपी, गोलागुडम, खम्मम
14.	श्री एम. मधु	सरपंच, जिलेला, राजन्ना सिर्सिला
15.	श्रीमती किट्टी माधिरी	सरपंच, कोंडापुर, सिद्दीपेट
16.	श्री क्रियातम रवि	सरपंच जीपी, मुगपाल, निजामाबाद

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्री जयेश रंजन	सरकार के प्रधान सचिव
2.	श्री अहमद नदीम	उद्योग आयुक्त
3.	श्री एस. सुरेश	संयुक्त निदेशक, उद्योग
4.	सुश्री वनिता डाटला	भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ
5.	श्री एम.के. पटोदिया	सीएमडी, जीटीएन, इंजी. इंडिया लि.
6.	श्री एम. सिमाचल मोहंती	निदेशक, कराधान, डॉ. रेड्डी लेबोरेटरीज लि.
7.	श्री के. सुधीर रेड्डी	अध्यक्ष, टीआईएफ
8.	श्री एस. वी. रघु	महासचिव, टीआईएफ
9.	श्री वी. आनंद रेड्डी	वरि. उपाध्यक्ष, टीआईएफ
10.	श्री एम. गोपाल राव	संयुक्त सचिव, टीआईएफ
11.	श्री टी. मुरलीधरन	अध्यक्ष, फिक्की
12.	श्री ए. मुरली कृष्ण रेड्डी	सह-अध्यक्ष, फिक्की
13.	श्री अखिलेश माहुरकर	निदेशक, फिक्की
14.	श्री मीला जयदेव	एमसी सदस्य, एफटीएपीसीसीआई
15.	श्री गौड़ा श्रीनिवास	तत्काल पूर्व अध्यक्ष, एफटीएपीसीसीआई

## राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री पल्ला वेंकट रेड्डी पूर्व-विधायक एवं पार्टी के प्रदेश सहायक सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
2. श्री टी. नरसिम्हन सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
3. श्री भट्टी विक्रमार्का मल्लू तेलंगाना विधानसभा में विपक्ष के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4. श्री डी. श्रीधर बाबू विधानसभा सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5. श्री श्याम मोहन अध्यक्ष, बौद्धिक प्रकोष्ठ, कार्यपालक सदस्य एवं आधिकारिक प्रवक्ता, टीपीसीसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
6. श्री रेवुला चंद्र शेखर रेड्डी टीडीपी नेता, तेलुगु देशम पार्टी
7. श्री गंडम गुरुमूर्ती प्रदेश पार्टी विधिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष, तेलुगु देशम पार्टी
8. श्री एन. रामचंद्र राव विधान परिषद सदस्य, भारतीय जनता पार्टी
9. डॉ. एस. मल्ला रेड्डी प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी
10. श्री अनुगुला राकेश रेड्डी प्रदेश आधिकारिक प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी
11. श्री मोहम्मद तौसीफ एआईएमआईएम
12. श्री सईद अमीन उल हसन जाफरी विधान परिषद सदस्य, एआईएमआईएम

## 25. त्रिपुरा ( 16-18 जनवरी, 2019 )

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. श्री बिप्लब कुमार देब माननीय मुख्यमंत्री
2. श्री जिष्णु देव वर्मा माननीय उप-मुख्यमंत्री, वित्त इत्यादि विभाग
3. श्री एन.सी. देबबर्मा माननीय मंत्री, राजस्व इत्यादि विभाग
4. श्री रतन लाल नाथ माननीय मंत्री, शिक्षा इत्यादि विभाग
5. श्री सुदीप राय बर्मन माननीय मंत्री, स्वास्थ्य इत्यादि विभाग
6. श्री प्राणजीत सिंह रॉय माननीय मंत्री, कृषि इत्यादि विभाग
7. श्री मनोज कांति देब माननीय मंत्री, युवा मामले एवं खेल इत्यादि विभाग
8. श्री मेवर कुमार जामतिया माननीय मंत्री, जनजातीय कल्याण इत्यादि विभाग
9. श्रीमती सांतना चकमा माननीय मंत्री, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा इत्यादि विभाग
10. श्री ललित कुमार गुप्ता मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार
11. श्री ए.के. शुक्ला महानिदेशक, पुलिस, गृह विभाग
12. डॉ. अलिंद रस्तौगी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
13. श्री कुमार आलोक प्रधान सचिव, गृह इत्यादि विभाग
14. श्री बरुण कुमार साहु प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास ( पंचायत ) इत्यादि विभाग
15. श्री लैहलिया दारलॉंग प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य इत्यादि विभाग
16. श्री शांतनु सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग
17. श्री समरजीत भौमिक सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा ( स्कूल ) विभाग
18. श्री तुषार कांति चकमा सचिव, सामान्य प्रशासन ( राजनैतिक ) विभाग
19. श्री माणिक लाल डे सचिव, कृषि विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और आईसीए विभाग

- |     |                            |   |
|-----|----------------------------|---|
| 20. | श्री रामेश्वर दास          | सचिव, मत्स्यपालन एवं पशु संसाधन विकास विभाग                               |
| 21. | श्री. डी.एम. जमातिया       | सचिव, विधि विभाग  |
| 22. | श्री शाहदेब दास            | सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग            |
| 23. | श्री एन. दारलॉग            | सचिव, वित्त इत्यादि विभाग   |
| 24. | श्री देबाशीष बसु           | सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले                            |
| 25. | श्री सी. मूर्ति            | विशेष सचिव, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग और श्रम विभाग         |
| 26. | श्री शैलेंद्र सिंह         | विशेष सचिव, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग तथा सहकारिता विभाग   |
| 27. | श्री. अपूर्ब रॉय           | विशेष सचिव, आयोजना (पीएंडसी) विभाग  |
| 28. | श्री. पी. आर. भट्टाचार्य   | विशेष सचिव, वित्त विभाग   |
| 29. | श्री अमित शुक्ला           | विशेष सचिव, शिक्षा (उच्च) विभाग   |
| 30. | श्री सी.के. जमातिया        | विशेष सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग  |
| 31. | श्री एल.टी. दारलॉग         | अपर सचिव, राजस्व विभाग  |
| 32. | मो. जुबैर अली हाशमी        | अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग   |
| 33. | श्री. आर. के. नोआतिया      | निदेशक, ग्रामीण विकास (पंचायत) विभाग                                      |
| 34. | डॉ. संदीप आर. राठौड़       | निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य  |
| 35. | डॉ. मिलिंद रामटेके         | निदेशक, शहरी विकास विभाग  |
| 36. | श्री साहिल दास             | निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी  |
| 37. | श्री बलिन देबबर्मा         | मुख्य कार्यपालक अधिकारी, त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्तशासी जिला परिषद |
| 38. | श्रीमती संचयिता दास        | मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (भवन)                                   |
| 39. | श्री बिष्णु कुमार देबबर्मा | मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (जल संसाधन)                             |

40.	श्री सोमेश चंद्र दास	मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (पेयजल एवं स्वच्छता)
41.	श्री आर. देबबर्मा	मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग)
42.	श्री ए. चक्रवर्ती	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)
43.	श्री प्रबीर कुमार सरकार	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)
44.	श्री. एम. देबबर्मा	निदेशक (तकनीकी), त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लि.
45.	श्री नागेश कुमार बी.	कर एवं आबकारी आयुक्त, वित्त विभाग
46.	श्री अकिंचन सरकार	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग
47.	श्री सुशांत दत्ता	उप-सचिव, लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं सेतु)
48.	श्री ए. के. चंदा	संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
49.	श्री बिद्युत दत्ता	संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
50.	डॉ. शरत कुमार दास	एसपीओ, आपदा प्रबंधन, राजस्व विभाग

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	डॉ. प्रफुल्लजीत सिन्हा	महापौर, अगरतला नगर निगम
2.	श्रीमती अनामिका मालाकर	अध्यक्ष, कुमारघाट नगर परिषद
3.	श्री माटीलाल दास	अध्यक्ष, मोहनपुर नगर परिषद
4.	श्री चंदन भौमिक	अध्यक्ष, अंबासा नगर परिषद
5.	श्री शंकर साहा	प्रभारी अध्यक्ष, रानी बाजार नगर परिषद
6.	श्री माणिकलाल नाथ	उपाध्यक्ष, धर्मनगर नगर परिषद
7.	श्री तरुण चक्रवर्ती	अध्यक्ष, अमरपुर नगर पंचायत
8.	श्रीमती कमला मजुमदार	अध्यक्ष, सोनामुरा नगर पंचायत



- |     |                           |                             |
|-----|---------------------------|-----------------------------|
| 9.  | श्री मनोज कुमार           | प्रधान सचिव, शहरी विकास     |
| 10. | डॉ. शैलेश कुमार यादव      | नगर आयुक्त, अगरतला नगर निगम |
| 11. | डॉ. मिलिंद रामटेके        | निदेशक, शहरी विकास          |
| 12. | श्री नृपेंद्र चंद्र शर्मा | अपर निदेशक, शहरी विकास      |

### ग्रामीण स्थानीय निकायों एवं टीटीएडीसी के प्रतिनिधि

- |     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| 1.  | श्री दिलीप कुमार दास         | सभाधिपति, पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद                            |
| 2.  | श्रीमती प्रतिमा दास          | सभाधिपति, उत्तर त्रिपुरा जिला परिषद                             |
| 3.  | श्रीमती नमिता पार्शी         | अध्यक्ष, जिरानिया पंचायत समिति                                  |
| 4.  | श्री पिंटू ऐच                | अध्यक्ष, कथालिया पंचायत समिति                                   |
| 5.  | श्री दिबा चंद्र हंग्खाल      | अध्यक्ष, मानु बीएसी   |
| 6.  | श्री प्रशांत देबबर्मा        | अध्यक्ष, पदमाबिल बीएसी  |
| 7.  | श्रीमती छाया नट्टा ( भौमिक ) | प्रधान, दलूरा ग्राम पंचायत                                      |
| 8.  | श्री तमाल बैद्य              | प्रधान, पश्चिम पिलक ग्राम पंचायत                                |
| 9.  | श्री बरुण कुमार साहु         | प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास ( पंचायतें )                         |
| 10. | श्री राजेंद्र कुमार नोआतिया  | निदेशक, ग्रामीण विकास ( पंचायतें )                              |
| 11. | श्री धनंजय देबबर्मा          | अपर निदेशक, ग्रामीण विकास ( पंचायतें )                          |
| 12. | श्री रतन नामा                | सहायक निदेशक, ग्रामीण विकास ( पंचायतें )                        |
| 13. | श्री शुभायन चक्रवर्ती        | पंचायत संसाधन विकास अधिकारी, वित्त., ग्रामीण विकास ( पंचायतें ) |
| 14. | श्री दुलाल मजुमदार           | यूडीसी, ग्रामीण विकास ( पंचायतें )                              |
| 15. | श्री राधा चरण देबबर्मा       | मुख्य कार्यपालक सदस्य, टीटीएडीसी                                |
| 16. | श्री शांतनु जमातिया          | कार्यपालक सदस्य, टीटीएडीसी                                      |
| 17. | श्री राजेंद्र रियांग         | कार्यपालक सदस्य, टीटीएडीसी                                      |

18.	श्रीमती संध्या रानी चकमा	कार्यपालक सदस्य, टीटीएएडीसी
19.	श्री परेश चौ. सरकार	कार्यपालक सदस्य, टीटीएएडीसी
20.	श्री पातीराम त्रिपुरा	कार्यपालक सदस्य, टीटीएएडीसी
21.	श्री शांतनु	सचिव, जनजातीय कल्याण
22.	श्री सी. के. जमातिया	निदेशक, जनजातीय कल्याण
23.	श्री बलिन देबबर्मा	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, टीटीएएडीसी
24.	श्री रामकृष्ण देबबर्मा	कार्यपालक अधिकारी (वित्त), टीटीएएडीसी
25.	श्री. सुब्रत चक्रवर्ती	विशेष कार्याधिकारी, टीटीएएडीसी
26.	श्री प्रणब देबनाथ	विशेष कार्याधिकारी, वित्त, टीटीएएडीसी

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती रूपा दास	राज्य प्रमुख, भारतीय उद्योग महासंघ, त्रिपुरा अध्याय, अगरतला
2.	श्री बंसी राज साहा	स्थानिक अधिकारी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) (पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सलाहकार परिषद)
3.	श्री कनक जैन	निदेशक, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोटेज एंड स्माल इंडस्ट्री (एफआई)
4.	श्री अजय कुमार साहा	कार्यपालक सदस्य, त्रिपुरा औद्योगिक उद्यमी (टीआईई)
5.	श्री सुब्रत रॉय	अध्यक्ष,
6.	श्री एम.एल. देबनाथ	अध्यक्ष, त्रिपुरा चैंबर कॉमर्स
7.	श्री ए. के. रॉय	सचिव
8.	श्री रबिन बोस	उपाध्यक्ष, एमआईपीएल, त्रिपुरा उद्योग स्वामी संघ
9.	श्री सजीब साहा	सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य संघ, अगरतला

10. श्री लैहलिया दारलॉग प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य
11. श्री संदीप आर. राठौड़ निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य
12. श्रीमती सपना देबनाथ अपर निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. डॉ. अशोक सिन्हा पदाधिकारी, प्रदेश बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), अगरतला
2. श्री सुब्रत चक्रवर्ती प्रवक्ता, त्रिपुरा प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), अगरतला
3. श्री विक्टर शोम प्रदेश मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, (बीजेपी), अगरतला
4. श्री रामेंद्र दत्ता गुप्ता केंद्रीय समिति सदस्य, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीआई), अगरतला
5. श्री मिलन बैद्य प्रदेश सदस्य, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीआई), अगरतला
6. श्री गौतम दास सचिव, त्रिपुरा प्रदेश समिति, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआईएम), अगरतला
7. श्री भानुलाल साहा प्रदेश समिति सदस्य, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (सीपीआईएम), अगरतला
8. श्री मंगल देबबर्मा एजीएस, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी), अगरतला
9. श्री अमित देबबर्मा सदस्य, केंद्रीय समिति, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी), अगरतला
10. श्री तापस डे वी.पी., भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, (आईएनसी), अगरतला
11. श्री अमृत लाल साहा अध्यक्ष, विचार विभाग समिति, टीपीसीसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), अगरतला

## 26. उत्तर प्रदेश ( 19-22 अक्टूबर, 2019 )

### राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री
2. श्री केशव प्रसाद मौर्य उप-मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, खाद्य मनोरंजन कर और सार्वजनिक क्षेत्र
3. श्री दिनेश शर्मा उप-मुख्यमंत्री, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना
4. श्री सूर्य प्रताप शाही मंत्री, कृषि मंत्री कृषि अन्वेषण
5. श्री सुरेश खन्ना मंत्री, वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा
6. श्री जय प्रताप सिंह मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, माता एवं शिशु कल्याण
7. श्री श्रीकांत शर्मा मंत्री, विद्युत एवं अतिरिक्त विद्युत संसाधन
8. श्री राजेंद्र प्रताप सिंह ( मोती सिंह ) मंत्री, समग्र ग्रामीण विकास
9. श्री आशुतोष टंडन मंत्री, समग्र शहरी विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन
10. श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी मंत्री, पंचायती राज
11. श्री महेंद्र सिंह मंत्री, जल शक्ति
12. श्री राजेंद्र कुमार तिवारी मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त
13. श्री आलोक टंडन स्थापना एवं उद्योग विकास आयुक्त
14. श्री संजीव मित्तल अपर मुख्य सचिव, वित्त
15. श्री आलोक सिन्हा अपर मुख्य सचिव, वाणिज्यिक कर, इलेक्ट्रॉनिकी, आईआईटी
16. श्री कुमार कमलेश अपर मुख्य सचिव, आयोजना
17. श्रीमती रेणुका कुमार अपर मुख्य सचिव, प्राथमिक शिक्षा और राजस्व विभाग

18.	श्री शशि प्रकाश गोयल	प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री
19.	डॉ. रजनीश दुबे	प्रधान सचिव, चिकित्सा शिक्षा
20.	श्री मनोज कुमार सिंह	प्रधान सचिव, शहरी विकास
21.	श्री नवनीत कुमार सहगल	प्रधान सचिव, लघु एवं मध्यम उद्योग
22.	श्री देवेश चतुर्वेदी	प्रधान सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
23.	श्री अनुराग श्रीवास्तव	प्रधान सचिव, पंचायतीराज और ग्रामीण विकास
24.	श्री टी. वेंकटेश	प्रधान सचिव, सिंचाई
25.	श्री आलोक कुमार	प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग
26.	श्री राजन शुक्ला	प्रधान सचिव, सिविल डिफेंस एवं राजनीतिक पेंशन विभाग
27.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग
28.	श्री राजेश कुमार सिंह	प्रधान सचिव, सार्वजनिक क्षेत्र स्थापना एवं उद्योग विकास
29.	श्रीमती मोनिका एस. गर्ग	प्रधान सचिव, बाल विकास, पोषण, महिला कल्याण
30.	श्री संजय भूसरेड्डी	प्रधान सचिव, आबकारी एवं चीनी विभाग
31.	श्रीमती वीणा कुमारी	प्रधान सचिव, स्टॉप एवं रजिस्ट्रेशन
32.	श्री जितेंद्र कुमार	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन
33.	श्री दिनेश कुमार सिंह	प्रधान सचिव, न्याय
34.	श्री सुरेश चंद्र	प्रधान सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग
35.	श्रीमती कल्पना अवस्थी	प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग
36.	श्री मनोज सिंह	प्रधान सचिव, सामाजिक कल्याण
37.	श्री सुधीर गर्ग	प्रधान सचिव, बागवानी
38.	श्री संजय प्रसाद	सचिव, मुख्यमंत्री
39.	श्री पंकज कुमार	सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

40.	श्रीमती अलकनंदा दयाल	सचिव, वित्त
41.	श्री सुभ्रांत शुक्ला	विशेष सचिव, मुख्यमंत्री
42.	श्री नील रतन	विशेष सचिव, वित्त
43.	श्री आलोक दीक्षित	विशेष सचिव, वित्त
44.	श्रीमती नीरू तिवारी	निदेशक, डी.एफ.पी.आर., वित्त
45.	श्री विवेक त्रिपाठी	संयुक्त सचिव, डी.एफ.पी.आर., वित्त
46.	श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव	अपर निदेशक, डी.एफ.पी.आर., वित्त
47.	डॉ. वीरेंद्र सिंह	संयुक्त निदेशक, डी.एफ.पी.आर., वित्त
48.	श्री अशोक कुमार	संयुक्त निदेशक, डी.एफ.पी.आर., वित्त

### स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्री कुलविंदर सिंह	सचिव, जिला पंचायत, मेरठ
2.	श्रीमती सरिता द्विवेदी	सचिव, जिला पंचायत, बांदा
3.	श्रीमती उत्तमा देवी	खंड प्रमुख, ग्रामीण पंचायत भाटहट, गोरखपुर
4.	श्री राजेश रावत उर्फ चंद्रदीप रावत	खंड प्रमुख, ग्रामीण पंचायत माडवारा, जनपद ललितपुर
5.	श्रीमती स्वेता सिंह	ग्राम प्रमुख, लतीफपुर, लखनऊ
6.	श्री रामेश्वर सिंह	ग्राम प्रमुख, खोड़ाडीह, मिर्जापुर
7.	श्री महीप कुमार सिंह	सदस्य, जिला पंचायत, लखनऊ
8.	श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह	सदस्य, जिला पंचायत, झांसी
9.	श्री सुभाष चंद्र भारती	सदस्य, जिला पंचायत, गोरखपुर
10.	श्री अनूप सिंह	सदस्य, ग्रामीण पंचायत बुधगौरा, बाराबंकी
11.	श्री राज कुमार चौधरी	सदस्य, ग्रामीण पंचायत, सिद्धार्थ नगर
12.	श्री मिथिलेश	सदस्य, ग्रामीण पंचायत कर्वी, चित्रकूट
13.	श्री श्याम सुंदर	सदस्य, ग्राम पंचायत सरवा, सीतापुर

- |     |                          |   |
|-----|--------------------------|---|
| 14. | श्री राम जीवन शुक्ला     | सदस्य, ग्राम पंचायत पालरा, झांसी              |
| 15. | श्री नवीन कुमार जैन      | महापौर, नगर निगम, आगरा                        |
| 16. | श्री विनोद अग्रवाल       | महापौर, नगर निगम, मुरादाबाद                   |
| 17. | श्रीमती रुकसाना          | सचिव, नगर परिषद, बिजनौर                       |
| 18. | श्रीमती रुकसाना          | नगर पंचायत, मडियाहू, जनपद जौनपुर              |
| 19. | श्री श्यामसुंदर वर्मा    | सचिव, नगर परिषद, खलीलाबाद, जनपद - संतकबीर नगर |
| 20. | श्रीमती गुर प्यारी मेहरा | सचिव, नगर निगम, दयालबाग, जनपद - आगरा          |
| 21. | श्री अरुण सिंह           | सचिव, नगर निगम, बक्शी का तालाब, जनपद- लखनऊ    |
| 22. | श्रीमती शैफाली कुंवर     | सचिव, नगर पंचायत, सरीला, जनपद-हमीरपुर         |
| 23. | श्रीमती ममता चौधरी       | पार्षद नगर निगम, लखनऊ                         |
| 24. | श्री अरुण तिवारी         | पार्षद नगर निगम, लखनऊ                         |
| 25. | श्री राजीव शर्मा         | पार्षद, नगर निगम, गाजियाबाद                   |
| 26. | श्री अंगद विश्वकर्मा     | सदस्य, नगर परिषद, खलीलाबाद, जनपद- संतकबीर नगर |
| 27. | श्री विनोद जायसवाल       | नगर परिषद, खलीलाबाद, जनपद- संतकबीर नगर        |
| 28. | श्री मोहन लाल चौरसिया    | सदस्य, नगर पंचायत, मडियाहू, जनपद जौनपुर       |

### व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधि

- |    |                  |  |
|----|------------------|--|
| 1. | श्री विजय आचार्य | सचिव, एसोशिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यू.पी. |
|----|------------------|--|

- |     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 2.  | श्री डी. पी. सिंह    | सह-सचिव, एसोचैम, एसोशिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यू.पी.   |
| 3.  | श्री मनीष अग्रवाल    | सह-सचिव, एसोचैम, एसोशिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यू.पी.     |
| 4.  | श्री सचिन अग्रवाल    | भारतीय उद्योग महासंघ  |
| 5.  | श्रीमती किरण चोपड़ा  | भारतीय उद्योग महासंघ  |
| 6.  | श्री आलोक शुक्ला     | भारतीय उद्योग महासंघ  |
| 7.  | श्री वी. के. अग्रवाल | भारतीय उद्योग महासंघ  |
| 8.  | श्री मनीष गोयल       | भारतीय उद्योग महासंघ  |
| 9.  | श्री सूर्य हवेलिया   | भारतीय उद्योग महासंघ  |
| 10. | श्री अमित गुप्ता     | उत्तर प्रदेश प्रमुख, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज |
| 11. | श्रीमती रीता मित्तल  | महासचिव, लघु उद्योग भारती   |

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

- |    |                        |  |
|----|------------------------|--|
| 1. | श्री रवि प्रकाश वर्मा  | सांसद, राज्य सभा, समाजवादी पार्टी                            |
| 2. | श्री उदयवीर सिंह       | सदस्य, विधान परिषद, समाजवादी पार्टी                          |
| 3. | श्री के. के. शर्मा     | प्रदेश सचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी                     |
| 4. | श्री उमाशंकर यादव      | राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी                                    |
| 5. | श्री जे. पी. एस. राठौर | प्रदेश उपसचिव, भारतीय जनता पार्टी                            |
| 6. | श्री वाई. पी. सिंह     | प्रदेश मंत्री, भारतीय जनता पार्टी                            |
| 7. | श्री मनीष कपूर         | प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी                     |
| 8. | श्री सलमान खुर्शीद     | भूतपूर्व विदेश मंत्री, भारत सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 9. | श्री अनूप पटेल         | प्रवक्ता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस                          |



10. श्री सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी प्रदेश प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोक दल
11. श्री जावेद अहमद प्रदेश मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय लोक दल
12. डॉ. गिरीश सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
13. श्री अरविंद राज स्वरूप प्रदेश सहायक सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
14. श्री विनय पाठक भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
15. श्री प्रेमनाथ राय सदस्य प्रदेश सचिव, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी
16. श्री रविशंकर मिश्रा सी.पी.आई., मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी

27. उत्तराखंड (15-18 अक्टूबर, 2018)

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत	मुख्यमंत्री
2.	श्री प्रकाश पंत	वित्त मंत्री
3.	श्री उत्पल कुमार सिंह	मुख्य सचिव
4.	डॉ. रणबीर सिंह	अपर मुख्य सचिव
5.	श्री ओम प्रकाश	अपर मुख्य सचिव
6.	श्रीमती राधा रतूड़ी	अपर मुख्य सचिव
7.	श्री जय राज	अपर मुख्य वन संरक्षक
8.	श्रीमती मनीषा पंवार	प्रधान सचिव
9.	श्री आनंद बर्धन	प्रधान सचिव
10.	डॉ. भूपिंदर कौर औलख	सचिव
11.	श्री रमेश कुमार सुधांशु	सचिव
12.	श्री अमित सिंह नेगी	सचिव
13.	श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम	सचिव
14.	श्री शैलेश बगौली	सचिव
15.	श्री अरविंद सिंह हियांकी	सचिव
16.	श्री दिलीप जावलकर	सचिव, प्रभारी
17.	श्रीमती सौजन्या	सचिव, प्रभारी
18.	डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा	सचिव, प्रभारी
19.	श्री एल. एन. पंत	अपर सचिव, वित्त
20.	श्री ए. के. त्यागी	सीपीओ, यूआरईडीए
21.	श्री बी.सी.के. मिश्रा	एमडी, यूपीसीएल

22.	श्री संदीप सिंघल	एमडी, पीटीसीयूआई
23.	श्री एस. एन. वर्मा	एमडी, यूजीवीएनएल
24.	श्री मनोज पंत	जेडी, डीईएस
25.	श्री के. सी. पंत	वरि. अनुसंधान अधिकारी, आयोजना
26.	श्री अमित वर्मा	वरि. अनुसंधान अधिकारी, वित्त
27.	श्री तेजपाल सिंह	वरि. अनुसंधान अधिकारी, वित्त
28.	श्री बी. सी. सनवाल	अनुसंधान अधिकारी, वित्त
29.	श्री दिनेश	अनुसंधान अधिकारी, वित्त

### शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1.	श्रीमती ऊषा चौधरी	पूर्व महापौर, काशीपुर
2.	श्री मनोज गर्ग	पूर्व महापौर, हरिद्वार
3.	श्रीमती रोहणी रावत	पूर्व अध्यक्ष, जोशीमठ
4.	श्री दीपक बडोला	पूर्व अध्यक्ष, दुगड्डा
5.	श्री मनमोहन सिंह मल्ल	पूर्व अध्यक्ष, मसूरी
6.	श्री उमेश चरण सिंह	सेवानिवृत्त अध्यक्ष, टिहरी
7.	श्री प्यारेलाल हिमानी	पूर्व अध्यक्ष, पुरोला
8.	श्री सुभाष गैरोला	पूर्व अध्यक्ष, एनपीपी कर्णप्रयाग
9.	श्रीमती ऊषा चौधरी	पूर्व महापौर, काशीपुर
10.	श्रीमती राधा रतूड़ी	अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार
11.	श्री रमेश कुमार सुधांशु	सचिव, शहरी विकास, उत्तराखंड सरकार
12.	श्री अमित सिंह नेगी	सचिव, वित्त, उत्तराखंड सरकार
13.	श्रीमती सौजन्या	प्रभारी सचिव, निर्वाचन, उत्तराखंड सरकार
14.	श्री बी.एस. मनराल	अपर सचिव/ निदेशक यूआरडी, उत्तराखंड सरकार

15. श्री उदय सिंह राणा

अपर निदेशक यूआरडी, उत्तराखंड

### ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

1. श्री चमन सिंह चौहान अध्यक्ष, जिला पंचायत, देहरादून
2. श्री अखिलेश उनियाल सदस्य जिला पंचायत, टिहरी डोब नगर, हरिद्वार
3. श्रीमती बीना बहुगुणा खंड प्रमुख, रायपुर, देहरादून
4. श्री रवींद्र सिंह ग्राम प्रधान, बाइमारु, चमोली
5. श्री इमरान खान ग्राम प्रधान, केदारवाला, देहरादून
6. श्रीमती पूनम रमोला ग्राम प्रधान, बदिमनी, उत्तरकाशी
7. श्री देवी दत्त पाठक ग्राम प्रधान, तकला, बागेश्वर
8. श्री प्रकाश जोशी अध्यक्ष, जिला पंचायत पिथौरागढ़
9. श्रीमती राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार
10. श्री अमित सिंह नेगी सचिव, वित्त, उत्तराखंड सरकार
11. श्रीमती सौजन्या प्रभारी सचिव, निर्वाचन, उत्तराखंड सरकार
12. श्री रंजीत सिन्हा प्रभारी सचिव, पंचायती राज, उत्तराखंड सरकार
13. श्री एच.सी. सेमवाल अपर सचिव/ निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखंड सरकार
14. श्रीमती प्रतिमा पेनौली वित्त नियंत्रक, पंचायती राज विभाग
15. श्री जितेंद्र कुमार डीपीआरओ, पंचायती राज
16. श्री ए. आर. कुमेठी सहायक लेखा अधिकारी, पंचायती राज

### उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधि

1. श्री सुधीर चंद्र नौटियाल निदेशक, उद्योग
2. श्री अनुपम द्विवेदी उपनिदेशक उद्योग

3. श्री पंकज गुप्ता अध्यक्ष, उत्तराखंड उद्योग संघ
4. श्री अनिल गोयल उत्तराखंड उद्योग संघ
5. श्री राकेश ओबेराय महासचिव, भारतीय उद्योग महासंघ
6. श्री संजय गुप्ता महासचिव, भारतीय उद्योग महासंघ
7. श्री मनमोहन जैन महासचिव, एसआईआईडीसीयूएल उत्तराखंड विनिर्माता संघ
8. श्री एन. पी. शुक्ला उपाध्यक्ष, भगवानपुर उद्योग संघ
9. श्री वीरेंद्र कालरा पी.एच.डी. चैंबर ऑफ कॉमर्स
10. श्री अशोक बंसल अध्यक्ष, कुमाऊं-गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
11. श्री आर. के. गुप्ता महासचिव, कुमाऊं-गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज
12. श्री अनिल मारवाह राज्य महासचिव, प्रांतीय उद्योग संघ, उत्तराखंड
13. श्री राकेश भाटिया अध्यक्ष, भारतीय उद्योग संघ,
14. श्री सुमनप्रीत सिंह निदेशक, भारतीय उद्योग महासंघ
15. श्रीमती मनीषा पंवार प्रधान सचिव
16. श्रीमती सौजन्या सचिव, प्रभारी

### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री मुन्ना सिंह चौहान विधायक, भारतीय जनता पार्टी
2. श्री पुनीत मित्तल समन्वयक, भारतीय जनता पार्टी
3. श्री समर भंडारी प्रदेश सचिव, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
4. श्री अशोक शर्मा सदस्य प्रदेश परिषद, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी
5. श्री सूर्यकांत धसमाना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

- |     |                              |   |
|-----|------------------------------|---|
| 6.  | श्री राजेश चमोली             | सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस                  |
| 7.  | श्री सत्यपाल सिंह            | जिलाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी                     |
| 8.  | श्री बच्चीराम कांसवाल        | सदस्य प्रदेश समिति, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (एम) |
| 9.  | श्री अनंत आकाश               | सदस्य प्रदेश समिति, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (एम) |
| 10. | श्री सुरेंद्र प्रसाद नौटियाल | प्रदेश महासचिव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी       |
| 11. | श्री विभूति भूषण नारंग       | जिला प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी                   |
| 12. | श्रीमती राधा रतूड़ी          | अपर मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार                   |
| 13. | श्री अमित सिंह नेगी          | वित्त सचिव, उत्तराखंड सरकार                       |
| 14. | श्रीमती सौजन्या              | प्रभारी सचिव, निर्वाचन, उत्तराखंड सरकार           |

28. पश्चिम बंगाल ( 16-18 जुलाई, 2018 )

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1.	सुश्री ममता बनर्जी	मुख्यमंत्री
2.	डॉ. अमित मित्रा	वित्त मंत्री
3.	श्री मलय कुमार डे	मुख्य सचिव
4.	श्री हरि कृष्ण द्विवेदी	अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
5.	श्री गौतम सान्याल	मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव
6.	श्री सौरभ कुमार दास	अपर मुख्य सचिव की श्रेणी में विशेष कार्याधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
7.	श्री देबाशीस सेन	अपर मुख्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी विभाग
8.	श्री राजीव सिन्हा	अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा वस्त्र विभाग
9.	डॉ. आर.एस. शुक्ला	अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
10.	श्री आलापन बंदोपाध्याय	अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग
11.	श्री नवीन प्रकाश	अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग
12.	श्री सुनील कुमार गुप्ता	अपर मुख्य सचिव, विद्युत एवं एनईएस विभाग
13.	श्री इंदीवर पाण्डेय	अपर मुख्य सचिव, वन विभाग
14.	श्री एम. वेंकटेश्वर राव	अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग
15.	श्री अनिल वर्मा	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
16.	श्री अत्रि भट्टाचार्य	प्रधान सचिव, गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग
17.	श्री अजित रंजन बर्धन	प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

- |     |                          |  |
|-----|--------------------------|--|
| 18. | श्री एस. के. ठाड़े       | प्रधान सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और जनजातीय विकास |
| 19. | श्री सुब्रत गुप्ता       | प्रधान सचिव, शहरी विकास एवं नगर कार्य विभाग            |
| 20. | श्री विवेक कुमार         | प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग   |
| 21. | श्री मनोज कुमार अग्रवाल  | प्रधान सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग                   |
| 22. | श्री अर्नब रॉय           | प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग                         |
| 23. | श्री मनोज पंत            | प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग             |
| 24. | श्रीमती रोशनी सेन        | प्रधान सचिव, तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग          |
| 25. | श्री दुष्यंत नरियाला     | प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग     |
| 26. | श्री मनीष जैन            | सचिव, स्कूली शिक्षा विभाग                              |
| 27. | श्रीमती नंदिनी चक्रवर्ती | सचिव, कृषि विभाग                                       |
| 28. | श्रीमती संघमित्रा घोष    | सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण विभाग     |

### स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि

- |    |                         |  |
|----|-------------------------|--|
| 1. | श्री सोवन चटर्जी        | महापौर, कोलकाता नगर निगम               |
| 2. | श्री सब्यसाची दत्ता     | महापौर, बिधाननगर नगर निगम              |
| 3. | श्री दिलीप कुमार अगस्ती | महापौर, दुर्गापुर नगर निगम             |
| 4. | श्री दिलीप यादव         | अध्यक्ष, उत्तरपाड़ा-कोत्रुंग नगरपालिका |
| 5. | श्री असीम साहा          | अध्यक्ष, कृष्णानगर नगरपालिका           |
| 6. | श्री दुलाल चंद्र दास    | अध्यक्ष, महेशतला नगरपालिका             |
| 7. | श्री रथिन घोष           | अध्यक्ष, मध्यम ग्राम नगरपालिका         |
| 8. | श्री शक्ति रॉय चौधुरी   | अध्यक्ष, बारुईपुर नगरपालिका            |



9.	श्री कनईलाल अग्रवाल	अध्यक्ष, इस्लामपुर नगरपालिका
10.	श्री अपूर्ब सरकार	अध्यक्ष, कांदी नगरपालिका
11.	श्री मोजहारुल इस्लाम	अध्यक्ष, जंगीपुर नगरपालिका
12.	श्रीमती मौसमी साहा	पार्षद, बेलडांगा नगरपालिका
13.	श्री बिकास रॉय चौधुरी	सभाधिपति, वीरभूम जिला पंचायत
14.	सुश्री रेहाना खातून	सभाधिपति, उत्तर-24 परगना जिला पंचायत
15.	श्री मोहन शर्मा	सभाधिपति, अलीपुरद्वार जिला पंचायत
16.	सुश्री उत्तरा सिंह ( हाजरा )	सभाधिपति, पश्चिम मेदिनीपुर जिला पंचायत
17.	श्री नेपाल सिंह	सभाधिपति, सालबनी पंचायत समिति
18.	श्री सोमनाथ साधु	सभाधिपति, सैथिया पंचायत समिति
19.	श्री अबानी भूषण सिंह	सभाधिपति, बाघमुंडी पंचायत समिति
20.	श्री अब्दुल सादेक	प्रधान, पंचकुड़ी-II ग्राम पंचायत
21.	सुश्री साजेदा बीबी	प्रधान, राजारहाट विष्णुपुर-II ग्राम पंचायत
22.	श्री रबींद्रनाथ बेरा	प्रधान, दिगंबरपुर ग्राम पंचायत
23.	श्री कालीपद बौरी	प्रधान, साँका ग्राम पंचायत
24.	सुश्री रीता माझी	प्रधान, कचकोले ग्राम पंचायत
25.	श्रीमती तारुलता लोहार	प्रधान, सिमलीपाल ग्राम पंचायत
26.	श्री सिमन टुडू	सदस्य, साँकराइल पंचायत समिति
27.	श्री जितेन मल्लिक	सदस्य, जंबोनी पंचायत समिति

### उद्योग एवं व्यापार के प्रतिनिधि

1.	श्री मयंक जालान	अध्यक्ष, फिक्की पश्चिम बंगाल राज्य परिषद
2.	श्री सीताराम शर्मा	अध्यक्ष, भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स
3.	श्री साजहान बिस्वास	अध्यक्ष, द ओरिएंटल चैंबर ऑफ कॉमर्स

4. श्री चंद्र शेखर घोष अध्यक्ष, बीसीसीएंडआई
5. श्री रमेश अग्रवाल अध्यक्ष, मर्चेण्ट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
6. श्री अतुल प्रकाश अग्रवाल अध्यक्ष, एनएएसएससीओएमईआरसी
7. श्री हितांगशु कुमार गुहा अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ कोटेज एंड स्माल इंडस्ट्रीज (एफआई)
8. श्री सुभाष सी. अगरवाल अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
9. श्री देबाशीष सेन अध्यक्ष, अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, ईस्टर्न रीजन

#### राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि

1. श्री पार्थ चटर्जी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
2. श्री फिरहाद हाकिम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
3. श्री प्रमथेश मुखर्जी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
4. श्री सुभाष नस्कर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी
5. डॉ. बरुण मुखर्जी ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक
6. श्री हाफिज आलम सैरानी ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक
7. श्री प्रबोद चंद सिन्हा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
8. श्री कृष्ण कुमार शर्मा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
9. डॉ. असीम दासगुप्ता कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सवादी)
10. श्री अशोक भट्टाचार्य कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सवादी)
11. श्री अशोक रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
12. श्री मनोज चटर्जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया
13. डॉ. पंकज कुमार राय भारतीय जनता पार्टी
14. श्री कुमुद बिस्वास बहुजन समाज पार्टी

- |     |                      |                           |
|-----|----------------------|---------------------------|
| 15. | श्री संजीव किर्तनिया | बहुजन समाज पार्टी         |
| 16. | श्री नेपाल महता      | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 17. | श्री सौम्यो ऐच राय   | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

## पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 5 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत रिपोर्ट में अंतर्विष्ट अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. पंद्रहवें वित्त आयोग [इसके बाद, आयोग] का गठन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27 नवंबर, 2017 के आदेश संख्या का. आ. 3755 (अ.) के तहत 27 नवंबर, 2017 को किया गया था। दिनांक 29 नवंबर, 2019 के का.आ. सं. 4308 (अ.) के तहत आयोग को दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया है, यानी, पहली रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020-21 के लिए तथा अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख 30 अक्टूबर, 2020 है। आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 को समाविष्ट करते हुए अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई।
2. संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसरण में, 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष 2020-21 को समाविष्ट करते हुए आयोग की रिपोर्ट को, आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ सभा-पटल पर रखा जा रहा है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संघीय करों की निवल आगमों के बंटवारे, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान, राहत व्यय के वित्तपोषण, स्थानीय निकायों को अनुदान से संबंधित मुख्य सिफारिशें तथा अन्य सिफारिशें सार-रूप में इस ज्ञापन में अंतर्विष्ट हैं। इस ज्ञापन में, 5 दिसंबर, 2019 को आयोग द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में की गई सेक्टर-केंद्रित अनुदानों से संबंधित अनुशंसाएं तथा उपलब्ध कराए गए निष्पादन-आधारित संकेतक भी शामिल हैं।

### संघीय करों का बंटवारा

3. आयोग ने अनुशंसा की है कि संघीय करों की निवल आगमों के मौजूदा 42% की बजाय 41 प्रतिशत हिस्से को राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए। आयोग यह महसूस करता है कि संघीय करों की निवल आगमों के 1% के समतुल्य वित्तीय संसाधनों को केंद्र सरकार नवगठित संघ राज्यक्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के जरूरी वित्तपोषण के लिए अपने पास रखे।

**सरकार ने आयोग की उपर्युक्त अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है।**

**संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदान**

4. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राजस्व घाटे, विशेष अनुदानों, पोषण अनुदानों, स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्यों के राजस्व में सहायक-अनुदानों की अनुशंसा की है।

**राजस्व घाटा अनुदान**

5. आयोग ने वर्ष 2020-21 में चौदह राज्यों के लिए 74,340 करोड़ रु. की धनराशि के 'अंतरण उपरांत राजस्व घाटा अनुदान' की अनुशंसा की है। 74,340 करोड़ रु. के कुल राजस्व घाटा अनुदानों में से 37,917 करोड़ रु. सामान्य (मैदानी) राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल को समनुदिष्ट किए गए हैं, जबकि 36,423 करोड़ रु. उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों नामतः असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड को समनुदिष्ट किए गए हैं। राजस्व घाटा अनुदानों का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट है।

**सरकार ने आयोग की उपर्युक्त अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।**

**विशेष अनुदान**

6. आयोग ने वर्ष 2020-21 में कुल मिलाकर 6,764 करोड़ रु. के विशेष अनुदानों की अनुशंसा की है। ये अनुदान यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में, कर-अंतरण और राजस्व घाटा अनुदान के परिप्रेक्ष्य में किसी भी राज्य को प्राप्त राशि, वित्त वर्ष 2019-20 में प्राप्त राशि की तुलना में किसी भी तरह से कम न हो। राजस्व घाटा अनुदानों का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट है।

आयोग से इस अनुशंसा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया जाए क्योंकि इससे एक नई परंपरा को बल मिलता है।

**पोषणाहार-अनुदान**

7. आयोग ने वर्ष 2020-21 में पोषणाहार के लिए राज्यों को अतिरिक्त 7,735 करोड़ रु. के अनुदानों की अनुशंसा की है। आयोग ने अनुशंसा की है कि पोषणाहार अनुदान को न तो राज्य के हिस्से से और न ही संघ के हिस्से से प्रतिस्थापित किया जाए बल्कि इसकी व्यवस्था पृथक रूप से की जाए। राजस्व घाटा

अनुदानों का विवरण तथा इन्हें प्रदान करने की रीति इस रिपोर्ट के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट है।

आयोग अपनी मुख्य रिपोर्ट के विचारार्थ विषयों के अनुसार राज्यों के लिए मापनीय निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों के अपने समग्र प्रस्ताव के अंग के रूप में इस अनुशंसा की समीक्षा करे

### स्थानीय निकाय

8. आयोग ने सभी राज्यों के स्थानीय निकायों के लिए 90,000 करोड़ रु. की राशि के अनुदान की अनुशंसा की है। वर्ष 2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए अनुशंसित आबंटन क्रमशः 60,750 करोड़ रु. तथा 29,250 करोड़ रु. है।

9. आयोग ने अनुशंसा की है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान, पंचायतों में तीनों स्तरों, अर्थात्, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, पर दिए जाएं। आयोग ने अनुशंसा की है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों के कुल 60,750 करोड़ रु. के दो घटक होंगे- आधारभूत और सशर्त। आधारभूत और सशर्त अनुदानों का अनुपात 50:50 का होगा। आयोग ने अनुशंसा की है कि आधारभूत अनुदान बिना किसी शर्त के हैं तथा स्थानीय निकायों द्वारा उनका उपयोग, वेतन या अन्य अवस्थापना व्यय के सिवाय, स्थानीय (स्थान-विशेष के लिए) जरूरतों के हिसाब से किया जा सकता है।

10. आयोग ने अनुशंसा की है कि राज्य सरकारों को पांचवीं एवं छठी दोनों अनुसूचियों के तहत अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए अनुदान आबंटित करने चाहिए। पारस्परिक आबंटन का निर्धारण उस क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर 90:10 के अनुपात में किया जाना चाहिए। आधारभूत और सशर्त अनुदान के अंतर्गत द्विभाजन की व्यवस्था पांचवीं एवं छठी अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होगी।

11. आयोग ने अनुशंसा की है कि शहरी स्थानीय निकायों को कुल 29,250 करोड़ रु. का अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। आयोग ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले (मिलियन प्लस) शहरों के लिए 9,229 करोड़ रु. तथा अन्य श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले शहरों/नगरों के लिए 20,021 करोड़ रु. देने की अनुशंसा की है। आयोग ने अनुशंसा की है राज्य द्वारा, उनके राज्यक्षेत्र में आने वाली छावनी परिषदों के लिए जनसंख्या के आधार पर अनुदानों का आबंटन किया जाना चाहिए। इन अनुदानों के संघटन तथा प्रदान करने की रीति इस रिपोर्ट के अध्याय-5 में अंतर्विष्ट है।

**सरकार ने आयोग की इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।**

## आपदा संबंधी अनुदान

12. आयोग ने अनुशंसा की है कि वर्ष 2020-21 में एसडीआरएमएफ के लिए राज्यों को आबंटित की जाने वाली कुल राशि 28,983 करोड़ रु. होगी, जिसमें से संघ का हिस्सा 22,148 करोड़ रु. का होगा। आयोग ने अनुशंसा की है कि व्यय-आधारित पद्धति के आधार पर वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ) के लिए आबंटन 12,390 करोड़ रु. का होगा। एसडीआरएमएफ तथा एनडीआरएमएफ के अंतर्गत आबंटनों के संघटन एवं निर्धारित आबंटन सहित, आपदा जोखिम प्रबंधन के संबंध में आयोग की सिफारिशें, इन अनुदानों का विवरण और इन्हें जारी किए जाने संबंधी शर्तों का उल्लेख इस रिपोर्ट के अध्याय-6 में किया गया है।

**सरकार ने आयोग की इन अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया है।**

## सेक्टर संबंधी अनुदान

13. इस रिपोर्ट में सेक्टर संबंधी अनुदानों की व्यापक रूपरेखा पर तथा सेक्टर संबंधी अनुदानों के विषय में राज्य सरकारों तथा संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रारंभिक (तैयारी) कार्यों पर चर्चा की गई है। आयोग ने अनुशंसा की है कि सात (7) विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा तथा केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभागों द्वारा तैयारियों से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इन तैयारी कार्यों के संबंध में आयोग का आशय स्वास्थ्य, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, न्यायपालिका, ग्रामीण कनेक्टिविटी, रेलवे, सांख्यिकी और पुलिस प्रशिक्षण तथा आवासन के लिए सेक्टर-केंद्रित अनुदान उपलब्ध कराने का है। सेक्टर संबंधी अनुदानों पर आयोग की सिफारिशें इस रिपोर्ट के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट हैं।

**सरकार ने आयोग की इन अनुशंसाओं को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया है।**

## निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन

14. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्यों को सलाह दी है कि परवर्ती वर्षों में पात्र राज्यों को अनुदान जारी करने के प्रयोजन के लिए, सुदृढ़ एवं मॉनीटर किए जाने योग्य परिणाम-संकेतकों का विकास करने के बाद, वर्ष 2020-21 में एक विश्वसनीय कार्यान्वयन एवं निगरानी प्रणाली स्थापित करते हुए प्रारंभिक (तैयारी) कार्य शुरू किए जाएं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित है कि वार्षिक वृद्धिमान परिवर्तनों को मॉनीटर करने के लिए संकेत-सूचियों का उपयोग करते हुए राज्यवार आधारभूत संकेत-सूचियों/प्राप्तांकों/आंकड़ों को परिभाषित किया जाए तथा मई/जून, 2020 से पूर्व तत्संबंधी दिशानिर्देश जारी किए जाएं। राज्यों और

मंत्रालय/विभागों द्वारा किए जाने वाले तैयारी कार्य से संबंधित ये सिफारिशें इस रिपोर्ट के अध्याय-4 में अंतर्विष्ट हैं।

**सरकार ने आयोग की इन अनुशंसाओं को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया है।**

### अन्य सिफारिशें

15. उपर्युक्त के अलावा, आयोग ने केंद्रीय और राज्य स्तर पर राजस्व एवं व्यय सुधारों, लेखाकरण एवं बजट सुधारों, केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के विषय में अन्य सिफारिशें भी की हैं।

**सरकार आयोग की इन अनुशंसाओं पर यथासमय विचार करेगी।**

### कार्यान्वयन

16. संविधान के अनुच्छेद 270 एवं 275(1) के अधीन क्रमशः संघीय करों एवं शुल्कों तथा सहायक-अनुदानों के विषय में आयोग की अनुशंसाओं पर आदेश राष्ट्रपति महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात जारी किए जाएंगे। आयोग की अन्य अनुशंसाओं पर कार्रवाई यथासमय की जाएगी।

ह/-

(निर्मला सीतारमण)

वित्तमंत्री

नई दिल्ली

30 जनवरी, 2020



## राज्यों का राजस्व घाटा

जीएसडीपी का प्रतिशत  
राजस्व घाटा [ अधिशेष (-) ]

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	-0.4	-0.1	0.0	2.3	1.2	2.5	2.0	1.6	2.7	1.8
अरूणाचल प्रदेश	-9.8	-7.8	-0.6	-11.0	-11.8	-12.0	-12.8	-15.3	-12.8	-21.3
असम	-0.6	-1.0	-0.1	0.5	-2.4	0.1	0.5	-2.1	-0.2	-2.2
बिहार	-2.0	-1.8	-2.0	-1.7	-3.4	-2.6	-3.2	-1.3	3.0	-2.8
छत्तीसगढ़	-2.0	-1.5	0.4	0.7	-1.1	-2.2	-1.2	-0.2	2.9	-0.7
गोवा	-0.7	0.6	1.0	-0.6	-0.2	-1.1	-0.7	-0.5	-0.3	-0.4
गुजरात	-0.5	-0.8	-0.6	-0.6	-0.2	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0.0
हरियाणा	0.5	1.3	1.0	1.9	2.4	2.8	1.6	1.5	1.8	1.6
हिमाचल प्रदेश	-0.9	0.7	1.7	1.9	-1.0	-0.7	-0.2	-1.0	2.4	0.4
जम्मू एवं कश्मीर	-2.7	-1.3	-0.1	0.4	0.5	-1.7	-5.5	3.1	--	--
झारखंड	-0.9	-0.8	-1.4	0.1	-2.0	-0.8	-0.7	-1.9	-2.0	-0.5
कर्नाटक	-0.8	-0.3	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.3	0.0	0.0	0.0
केरल	2.2	2.3	2.4	2.7	1.7	2.4	2.4	2.2	2.0	1.6
मध्य प्रदेश	-3.1	-2.0	-1.3	-1.3	-1.1	-0.6	-0.6	-1.1	0.3	1.8
महाराष्ट्र	0.2	-0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	-0.1	-0.5	1.1	0.3
मणिपुर	-5.0	-10.9	-9.7	-4.0	-4.6	-4.4	-4.2	-2.9	-0.9	-5.9
मेघालय	0.9	-2.5	-3.1	-0.8	-2.8	-2.2	-2.9	1.6	-2.0	-2.1
मिजोरम	-1.8	-0.3	1.5	1.0	-7.3	-6.8	-9.1	-7.9	2.6	-2.4
नागालैंड	-5.8	-4.3	-4.5	-4.8	-2.4	-3.6	-3.4	-1.9	2.1	-3.3
ओडिशा	-2.4	-2.2	-1.1	-1.9	-3.1	-2.4	-3.0	-2.9	-1.2	-1.5
पंजाब	2.6	2.5	2.0	2.1	2.2	1.7	2.0	2.5	2.2	1.2
राजस्थान	-0.8	-0.7	0.2	0.5	0.9	2.4	2.2	3.1	2.7	1.1
सिक्किम	-4.0	-6.3	-6.3	-4.7	-0.8	-4.0	-4.1	-2.4	-0.2	-1.8
तमिलनाडु	-0.2	-0.2	0.2	0.6	1.0	1.0	1.5	1.4	1.4	1.0
तेलंगाना	--	--	--	--	0.0	-0.2	-0.5	-0.5	0.0	-0.4
त्रिपुरा	-8.7	-8.5	-6.6	-6.1	-4.3	-2.0	0.7	-0.3	3.8	0.4
उत्तर प्रदेश	-1.0	-0.6	-1.1	-2.2	-1.3	-1.6	-0.9	-1.7	-1.5	-1.5
उत्तराखंड	-0.6	-1.4	-0.7	0.6	1.0	0.2	0.9	0.4	0.0	0.0
पश्चिम बंगाल	2.8	2.3	2.8	2.4	1.1	1.8	1.0	1.0	0.5	0.0
<b>सभी राज्य</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.1</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21

जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)

जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा

जीएसडीपी का प्रतिशत  
राजकोषीय घाटा [ अधिशेष (-) ]

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	2.1	2.2	2.0	4.0	3.7	4.5	4.1	4.1	4.2	4.8
अरूणाचल प्रदेश	9.0	1.8	11.0	-2.9	-1.0	-4.2	1.4	8.0	3.1	2.4
असम	1.1	1.0	2.1	2.8	-1.3	2.4	3.3	1.5	5.9	2.3
बिहार	2.4	2.3	2.6	3.3	3.2	3.9	3.1	2.6	9.5	3.0
छत्तीसगढ़	0.5	1.5	2.4	3.6	2.4	1.6	2.5	2.7	6.4	3.2
गोवा	2.1	3.0	3.8	2.0	2.7	1.5	2.3	2.5	4.7	5.0
गुजरात	1.8	2.3	2.3	2.0	2.2	1.4	1.6	1.8	1.6	1.8
हरियाणा	2.4	3.0	2.1	2.9	6.4	4.7	2.9	3.0	2.8	2.7
हिमाचल प्रदेश	2.2	3.6	4.2	4.0	1.9	4.6	2.8	2.3	6.4	4.0
जम्मू एवं कश्मीर	4.7	4.8	4.8	5.7	6.9	4.9	2.0	8.6	--	--
झारखंड	1.3	1.9	1.2	3.0	5.6	4.3	4.4	2.2	2.4	2.1
कर्नाटक	2.0	2.1	2.1	2.1	1.8	2.4	2.3	2.5	2.3	2.6
केरल	3.5	3.6	3.6	3.6	3.2	4.2	3.8	3.4	3.0	3.0
मध्य प्रदेश	1.8	2.5	2.2	2.4	2.6	4.3	3.1	2.7	3.6	5.0
महाराष्ट्र	1.6	0.9	1.6	1.8	1.4	1.8	1.0	0.9	2.7	1.7
मणिपुर	8.1	0.0	-1.7	3.3	1.7	2.6	1.3	3.3	8.9	4.1
मेघालय	5.3	1.8	1.7	4.2	2.2	2.5	0.5	6.1	3.6	3.5
मिजोरम	6.6	6.9	7.3	7.7	-2.7	-1.5	1.7	1.8	9.8	1.7
नागालैंड	4.4	4.6	2.8	0.7	3.1	1.3	1.8	4.0	9.0	4.3
ओडिशा	-0.3	0.0	1.6	1.7	2.1	2.4	2.1	2.1	3.4	2.7
पंजाब	3.2	3.1	2.6	3.1	4.5	12.4	2.7	3.1	3.0	2.9
राजस्थान	0.8	1.7	2.8	3.1	9.3	6.1	3.0	3.7	3.2	3.0
सिक्किम	1.6	0.5	0.4	1.8	2.9	-0.4	1.8	2.2	3.7	3.0
तमिलनाडु	2.3	1.9	2.1	2.5	2.8	4.3	2.7	2.9	3.0	2.8
तेलंगाना	--	--	--	--	3.3	5.4	3.5	3.1	2.3	3.0
त्रिपुरा	-1.3	-1.6	-0.2	3.6	4.6	6.4	4.7	2.7	6.5	3.5
उत्तर प्रदेश	2.1	2.3	2.5	3.2	5.1	4.3	1.9	2.1	2.8	3.0
उत्तराखंड	1.5	1.2	1.8	3.6	3.5	2.8	3.6	3.0	2.5	2.6
पश्चिम बंगाल	3.4	3.2	3.7	3.8	2.6	2.9	3.0	3.1	2.7	2.2
<b>सभी राज्य</b>	<b>1.9</b>	<b>2.0</b>	<b>2.2</b>	<b>2.6</b>	<b>3.1</b>	<b>3.5</b>	<b>2.4</b>	<b>2.5</b>	<b>3.1</b>	<b>2.7</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21

जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)

जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

## राज्यों की बकाया देनदारी एवं देयताएं

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	20.4	20.8	20.7	22.2	28.0	28.5	26.6	29.8	31.1	34.7
अरुणाचल प्रदेश	36.5	35.4	33.8	34.1	31.8	28.3	32.1	34.9	44.0	43.5
असम	22.0	19.5	17.9	18.1	17.1	17.3	17.4	18.8	20.4	22.5
बिहार	27.4	27.1	27.4	28.9	31.4	32.9	33.4	31.9	30.7	30.3
छत्तीसगढ़	10.8	10.9	12.0	14.0	16.8	17.6	19.3	22.0	25.4	26.2
गोवा	22.6	29.5	35.3	29.0	28.3	26.7	26.8	27.9	25.8	25.8
गुजरात	24.5	23.0	22.7	21.9	21.5	20.8	19.3	19.0	18.9	18.1
हरियाणा	18.3	18.7	19.1	20.2	24.4	26.1	25.3	25.1	24.8	24.5
हिमाचल प्रदेश	38.8	36.8	35.8	36.8	36.1	37.6	36.9	35.3	35.8	36.0
जम्मू एवं कश्मीर	46.3	46.2	46.7	49.1	47.2	49.8	49.0	50.7	--	--
झारखंड	20.3	20.0	19.9	19.9	27.4	28.3	28.6	28.2	29.0	27.0
कर्नाटक	17.0	16.8	16.6	17.3	16.8	17.5	17.2	17.5	18.3	19.6
केरल	25.6	26.3	26.7	27.7	28.6	29.9	30.6	30.9	30.8	30.5
मध्य प्रदेश	25.9	23.6	22.0	22.6	23.5	23.7	23.8	23.9	24.9	28.8
महाराष्ट्र	19.2	18.4	17.8	18.0	17.9	18.0	18.1	16.6	17.2	17.1
मणिपुर	49.4	49.5	43.6	40.6	41.6	41.4	37.1	37.5	37.9	36.0
मेघालय	25.6	22.7	27.3	29.1	28.5	32.7	32.1	31.7	30.5	29.1
मिजोरम	62.7	61.2	54.5	48.5	42.3	39.1	39.0	37.5	34.3	28.0
नागालैंड	55.5	52.8	50.3	43.2	45.7	44.0	42.5	42.7	43.9	42.3
ओडिशा	18.4	16.6	15.1	16.1	18.2	18.2	22.1	22.0	23.3	22.0
पंजाब	31.2	31.0	30.8	31.6	33.0	42.7	41.4	40.3	39.8	38.5
राजस्थान	24.5	23.9	23.6	24.0	30.7	33.5	33.7	33.0	33.4	33.1
सिक्किम	22.9	22.4	22.1	22.6	22.0	22.6	21.0	22.1	23.2	24.6
तमिलनाडु	16.9	17.2	17.2	17.9	19.0	21.8	22.3	22.6	22.8	22.9
तेलंगाना	--	--	--	--	17.0	20.5	22.0	22.9	22.7	22.9
त्रिपुरा	35.7	35.4	34.0	31.6	27.5	28.5	29.5	29.7	30.7	30.3
उत्तर प्रदेश	33.6	31.6	30.0	30.4	32.3	32.8	32.0	31.1	30.5	33.5
उत्तराखंड	20.5	19.4	19.3	20.7	22.1	22.8	23.3	23.6	24.1	24.3
पश्चिम बंगाल	39.9	38.8	37.2	38.7	38.4	38.7	37.0	36.1	34.4	32.9
<b>सभी राज्य</b>	<b>22.6</b>	<b>22.0</b>	<b>21.6</b>	<b>21.9</b>	<b>23.0</b>	<b>24.3</b>	<b>24.4</b>	<b>24.5</b>	<b>25.5</b>	<b>25.4</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21

जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)

जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आर्कड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

नोट 2: सभी राज्यों के आर्कड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

राज्यों के स्वयं के कर राजस्व

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	7.2	7.4	7.0	7.0	6.6	6.5	6.2	6.7	5.9	7.0
अरुणाचल प्रदेश	2.9	2.5	3.0	2.6	2.9	3.6	3.6	4.3	4.5	4.4
असम	5.3	5.3	5.1	4.8	4.4	4.7	4.7	5.0	5.9	5.7
बिहार	5.1	5.8	6.3	6.1	6.8	5.6	4.9	5.5	5.6	5.1
छत्तीसगढ़	6.8	7.3	6.9	7.1	7.6	7.6	7.3	7.0	7.7	7.2
गोवा	6.0	7.7	10.0	8.1	7.2	6.8	6.8	6.7	6.1	6.3
गुजरात	7.2	7.4	7.0	6.7	6.1	5.5	5.4	5.3	5.5	5.8
हरियाणा	6.9	6.8	6.4	6.3	6.2	6.1	6.3	5.8	5.8	5.5
हिमाचल प्रदेश	5.6	5.6	5.4	5.7	5.9	5.6	5.1	4.9	4.8	6.0
जम्मू एवं कश्मीर	6.1	6.7	6.6	6.4	6.3	6.3	6.8	6.3	--	--
झारखंड	4.6	4.7	5.0	4.7	5.6	5.6	4.6	5.0	6.2	5.7
कर्नाटक	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2	6.9	6.4	6.3	6.0	6.2
केरल	7.1	7.3	6.9	6.9	6.9	6.6	6.6	6.5	6.4	6.9
मध्य प्रदेश	8.5	8.0	7.6	7.6	7.4	6.8	6.2	6.3	6.0	5.1
महाराष्ट्र	6.8	7.1	6.6	6.5	6.4	6.2	7.0	7.1	6.9	7.0
मणिपुर	2.9	2.4	2.9	2.9	2.8	2.8	3.1	3.8	4.1	3.9
मेघालय	3.5	3.9	4.1	4.0	4.2	4.3	4.9	5.4	5.7	5.5
मिजोरम	2.5	2.7	2.2	2.0	2.4	2.6	2.9	3.7	2.5	2.1
नागालैंड	2.5	2.4	2.0	2.1	2.2	2.4	2.6	3.1	3.5	3.2
ओडिशा	5.8	5.7	5.7	6.3	6.9	5.8	6.3	6.2	6.3	5.9
पंजाब	7.1	7.6	7.2	7.2	6.8	6.5	6.5	6.0	5.9	5.6
राजस्थान	5.8	6.2	6.1	6.3	6.3	5.8	6.1	6.1	6.9	6.8
सिक्किम	2.6	3.5	3.8	3.4	3.1	3.2	2.7	3.1	3.8	3.6
तमिलनाडु	7.9	8.3	7.6	7.3	6.8	6.6	6.4	6.5	6.5	6.4
तेलंगाना	--	--	--	--	6.9	7.4	7.5	7.5	7.4	7.7
त्रिपुरा	4.5	4.6	4.2	4.0	3.7	3.6	3.3	3.5	3.9	3.9
उत्तर प्रदेश	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	6.7	6.7	7.2	7.5	9.3
उत्तराखंड	4.9	4.9	4.9	5.2	5.3	5.6	4.6	5.0	4.6	4.7
पश्चिम बंगाल	4.8	5.5	5.3	5.5	5.3	5.2	5.4	5.6	5.2	4.9
<b>सभी राज्य</b>	<b>6.4</b>	<b>6.6</b>	<b>6.3</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>5.9</b>	<b>6.0</b>	<b>6.1</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21

जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)

जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

## राज्यों के स्वयं के गैर-कर राजस्व

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	1.6	2.0	1.7	1.7	0.8	0.8	0.5	0.5	0.3	0.6
अरुणाचल प्रदेश	3.3	2.3	2.8	2.5	2.1	2.7	1.6	2.5	3.1	2.0
असम	2.0	1.6	1.5	1.2	1.2	1.7	1.4	2.6	2.8	1.8
बिहार	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8
छत्तीसगढ़	2.6	2.6	2.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.8	2.5
गोवा	5.5	4.8	4.6	4.9	4.4	4.3	4.4	3.9	3.8	4.2
गुजरात	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	1.0	0.8
हरियाणा	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.4	1.1	1.2	1.6
हिमाचल प्रदेश	2.6	1.7	1.9	2.0	1.6	1.4	1.7	1.8	1.4	1.3
जम्मू एवं कश्मीर	2.6	2.5	3.0	2.0	3.3	3.3	3.1	2.8	--	--
झारखंड	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.3	2.9	2.8	3.6	3.1
कर्नाटक	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
केरल	0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5
मध्य प्रदेश	2.4	1.8	1.8	2.2	1.6	1.4	1.3	1.6	1.2	0.9
महाराष्ट्र	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
मणिपुर	2.4	1.7	1.6	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.8
मेघालय	1.8	2.2	2.6	1.5	0.9	2.5	1.2	1.3	1.6	1.6
मिजोरम	2.3	2.5	1.9	1.8	2.0	2.1	2.1	2.3	2.0	1.9
नागालैंड	1.9	1.5	1.3	1.5	1.3	1.6	1.6	0.9	1.4	0.9
ओडिशा	2.8	3.1	2.8	2.6	2.7	2.0	1.9	2.9	2.7	2.7
पंजाब	0.5	0.9	1.0	0.8	0.7	1.4	0.9	1.4	1.4	1.2
राजस्थान	2.1	2.5	2.5	2.1	1.6	1.5	1.9	2.0	1.9	1.7
सिक्किम	9.4	6.5	5.7	4.5	2.3	2.2	2.5	2.3	2.3	2.0
तमिलनाडु	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8
तेलंगाना	--	--	--	--	2.5	1.5	1.0	1.2	1.3	2.8
त्रिपुरा	1.1	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	1.1	0.7	0.5	0.5
उत्तर प्रदेश	1.4	1.6	1.7	2.0	2.0	2.2	1.4	1.8	1.7	1.7
उत्तराखंड	1.0	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	1.3	1.8	1.2
पश्चिम बंगाल	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
<b>सभी राज्य</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21

जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)

जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

संघ से राज्यों को कुल हस्तांतरण (कर अंतरण एवं अनुदान)

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	3.9	3.4	3.4	5.1	7.3	7.2	6.5	6.1	5.2	8.5
अरूणाचल प्रदेश	43.6	41.1	34.2	45.7	52.0	53.0	56.1	59.0	51.5	62.3
असम	11.8	12.7	11.5	13.4	13.0	12.9	13.0	12.5	16.9	15.0
बिहार	15.3	14.9	15.0	16.4	18.4	18.9	19.4	18.5	18.4	21.0
छत्तीसगढ़	7.0	6.7	6.1	7.8	10.6	11.6	12.2	11.8	12.6	13.4
गोवा	2.2	2.8	3.4	3.1	3.9	4.1	4.7	5.0	6.0	5.9
गुजरात	2.2	2.1	2.1	2.3	2.4	2.7	2.8	2.8	2.5	2.0
हरियाणा	1.8	1.6	1.9	2.0	2.4	2.2	1.9	2.1	2.4	2.4
हिमाचल प्रदेश	11.7	11.6	9.3	9.5	13.0	13.9	12.9	13.4	13.3	14.0
जम्मू एवं कश्मीर	23.0	20.9	18.8	21.0	20.9	24.1	24.9	23.8	--	--
झारखंड	8.2	7.4	6.9	7.7	11.3	12.0	12.1	11.2	12.4	10.9
कर्नाटक	3.2	2.9	2.8	3.2	3.6	3.7	3.9	4.0	4.0	3.3
केरल	2.7	2.4	2.5	3.0	3.8	3.7	3.6	3.9	3.5	3.3
मध्य प्रदेश	8.9	8.6	7.8	8.7	10.5	10.8	11.2	10.6	9.2	8.3
महाराष्ट्र	2.0	2.0	1.8	2.1	2.3	2.5	2.5	2.9	3.2	3.2
मणिपुर	38.5	45.5	40.5	40.3	38.8	39.3	36.4	33.5	41.5	49.2
मेघालय	18.0	19.2	20.6	22.1	22.9	25.8	25.3	22.4	32.1	28.3
मिजोरम	47.9	49.0	42.2	37.0	39.8	38.3	40.8	40.3	38.8	27.3
नागालैंड	41.5	40.1	35.8	38.0	37.7	39.5	40.8	37.9	39.5	42.6
ओडिशा	8.8	8.0	8.0	9.3	11.5	11.1	11.1	11.2	12.0	10.5
पंजाब	2.2	2.3	2.4	3.0	3.1	3.4	3.9	4.4	5.6	6.8
राजस्थान	5.2	4.9	5.0	6.4	6.8	7.0	7.3	6.6	6.5	6.8
सिक्किम	20.9	20.7	21.7	21.0	15.6	16.9	14.9	15.2	15.6	17.3
तमिलनाडु	2.7	2.5	2.6	3.3	3.4	3.4	2.9	3.3	3.1	3.3
तेलंगाना	--	--	--	--	3.8	3.7	3.3	3.1	2.8	2.5
त्रिपुरा	28.1	27.1	24.7	26.6	21.8	20.3	18.6	19.8	20.3	23.0
उत्तर प्रदेश	9.4	9.1	9.1	9.8	10.8	11.0	11.1	10.8	11.4	12.6
उत्तराखंड	6.0	5.9	5.8	6.7	6.0	6.5	6.8	6.4	6.8	8.6
पश्चिम बंगाल	6.2	5.7	5.2	6.3	8.2	8.0	7.7	7.5	7.5	7.2
<b>सभी राज्य</b>	<b>5.1</b>	<b>4.8</b>	<b>4.7</b>	<b>5.4</b>	<b>6.0</b>	<b>6.3</b>	<b>6.3</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>	<b>6.6</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21

जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)

जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

## राज्यों का राजस्व व्यय

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	12.2	12.6	12.1	16.1	15.9	17.0	15.3	14.9	14.1	17.9
अरुणाचल प्रदेश	39.9	38.1	39.3	39.8	45.2	47.3	48.6	50.5	46.2	47.4
असम	18.5	18.6	18.0	20.0	16.2	19.4	19.6	18.0	25.4	20.3
बिहार	18.8	19.3	19.7	21.2	22.5	22.5	21.9	23.5	27.8	24.0
छत्तीसगढ़	14.3	15.2	15.9	17.9	19.4	19.2	20.5	21.2	25.9	22.5
गोवा	12.9	15.9	18.9	15.5	15.3	14.1	15.2	15.1	15.6	16.0
गुजरात	9.7	9.6	9.3	9.4	9.3	8.9	8.9	8.8	8.9	8.6
हरियाणा	10.8	11.0	10.5	11.2	12.0	12.2	11.3	10.5	11.1	11.2
हिमाचल प्रदेश	19.1	19.5	18.3	19.1	19.5	20.2	19.6	19.1	22.0	21.7
जम्मू एवं कश्मीर	29.0	28.8	28.3	29.8	31.1	31.9	29.4	36.0	--	--
झारखंड	13.9	13.4	12.4	14.5	17.7	19.1	18.9	17.0	20.2	19.1
कर्नाटक	10.7	11.0	10.9	11.3	11.2	10.9	10.5	10.6	10.4	10.0
केरल	12.6	13.0	13.0	14.0	14.0	14.3	14.2	14.1	13.4	13.3
मध्य प्रदेश	16.7	16.5	15.9	17.2	18.4	18.4	18.0	17.5	16.7	16.2
महाराष्ट्र	9.6	9.5	9.4	10.0	9.7	9.7	10.1	10.1	11.9	11.1
मणिपुर	38.8	38.7	35.3	40.1	37.8	38.4	36.0	35.0	45.2	47.9
मेघालय	24.3	22.9	24.2	26.9	25.3	30.4	28.5	30.6	37.5	33.2
मिजोरम	50.9	53.9	47.8	41.8	36.8	36.2	36.7	38.5	46.0	28.9
नागालैंड	40.0	39.7	34.6	36.8	38.8	39.8	41.6	40.0	46.5	43.4
ओडिशा	15.0	14.6	15.4	16.3	17.9	16.6	16.3	17.3	19.9	17.6
पंजाब	12.4	13.3	12.5	13.1	12.8	13.0	13.3	14.3	15.1	14.9
राजस्थान	12.3	12.9	13.7	15.4	15.6	16.7	17.5	17.7	18.1	16.4
सिक्किम	28.9	24.4	24.9	24.2	20.2	18.3	16.0	18.2	21.4	21.1
तमिलनाडु	11.2	11.4	11.3	12.0	12.0	11.8	11.5	12.1	11.8	11.5
तेलंगाना	--	--	--	--	13.1	12.4	11.3	11.3	11.4	12.5
त्रिपुरा	25.0	24.1	23.2	25.2	21.9	22.4	23.7	23.9	28.6	27.8
उत्तर प्रदेश	17.1	17.1	16.8	16.9	18.7	18.3	18.2	18.1	19.2	22.1
उत्तराखंड	11.3	10.6	10.9	13.1	13.0	13.0	13.1	13.1	13.2	14.4
पश्चिम बंगाल	14.1	13.9	13.6	14.4	14.9	15.3	14.5	14.3	13.5	12.4
<b>सभी राज्य</b>	<b>12.3</b>	<b>12.4</b>	<b>12.3</b>	<b>13.1</b>	<b>13.3</b>	<b>13.6</b>	<b>13.5</b>	<b>13.7</b>	<b>14.6</b>	<b>14.3</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21

जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)

जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

राज्यों का पूंजी व्यय

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	2.5	2.3	2.1	2.2	2.5	2.3	2.1	2.5	1.9	3.0
अरूणाचल प्रदेश	18.8	9.6	11.6	8.3	10.8	7.8	14.2	23.4	15.9	23.8
असम	1.8	2.0	2.3	2.3	1.3	2.4	2.8	3.6	6.4	4.6
बिहार	4.4	4.1	4.7	5.4	6.6	6.5	6.2	4.2	6.6	5.8
छत्तीसगढ़	3.4	3.8	2.8	3.0	3.6	3.9	3.8	3.0	3.6	3.9
गोवा	2.8	2.5	2.8	2.6	3.0	2.6	3.1	3.0	5.1	5.4
गुजरात	2.3	3.1	2.9	2.7	2.4	2.0	2.0	2.0	1.7	1.8
हरियाणा	2.0	1.8	1.2	1.0	4.1	2.0	2.3	2.2	1.9	1.5
हिमाचल प्रदेश	3.2	2.9	2.5	2.8	2.9	5.4	3.1	3.3	4.0	3.7
जम्मू एवं कश्मीर	7.6	6.1	4.8	5.3	6.3	6.7	7.5	5.4	--	--
झारखंड	2.2	2.8	2.6	2.9	7.6	5.2	5.1	4.1	4.4	2.7
कर्नाटक	2.9	2.4	2.2	2.2	2.0	2.5	2.6	2.5	2.3	2.6
केरल	1.3	1.4	1.2	1.0	1.5	1.8	1.5	1.2	1.0	1.5
मध्य प्रदेश	7.9	4.4	3.6	5.1	3.7	5.0	4.5	3.8	3.3	3.1
महाराष्ट्र	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.7	1.5
मणिपुर	13.1	10.9	8.0	7.4	6.3	7.0	5.6	6.2	9.8	10.0
मेघालय	4.6	4.4	4.9	5.1	5.1	4.8	3.4	4.5	5.7	5.7
मिजोरम	8.7	7.6	6.1	6.9	4.7	5.5	10.9	9.8	7.3	4.2
नागालैंड	10.3	8.9	7.3	5.6	5.4	5.0	5.2	5.9	6.9	7.6
ओडिशा	2.2	2.2	2.8	3.6	5.3	4.8	5.2	5.0	4.7	4.2
पंजाब	0.7	0.7	0.7	1.0	2.3	10.7	0.7	0.7	3.6	1.7
राजस्थान	1.9	2.7	2.6	2.7	8.6	3.9	2.6	2.2	2.0	2.0
सिक्किम	6.0	6.9	6.7	6.5	3.7	3.6	5.9	4.7	4.0	4.8
तमिलनाडु	2.9	2.3	2.0	2.1	1.8	3.6	1.8	1.9	1.9	2.1
तेलंगाना	--	--	--	--	3.3	5.6	4.0	3.6	2.3	3.4
त्रिपुरा	7.3	6.9	6.5	9.6	8.9	8.4	4.1	3.0	2.7	3.1
उत्तर प्रदेश	3.1	3.0	3.7	5.5	6.5	5.9	2.8	4.1	4.6	4.6
उत्तराखंड	2.2	2.9	2.7	3.2	2.4	2.6	2.7	2.6	2.5	2.6
पश्चिम बंगाल	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	1.4	2.0	2.3	2.3	2.2
<b>सभी राज्य</b>	<b>2.4</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2</b>	<b>2.4</b>	<b>3.1</b>	<b>3.3</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21

जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)

जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।



## प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय

रु. में

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	10642	12047	12903	19286	19020	22903	23748	25042
अरुणाचल प्रदेश	31556	33517	39337	48128	55163	60727	69034	77154
असम	8438	9149	9916	11959	11181	14722	16433	16668
बिहार	4426	5104	5763	6590	7475	8339	8772	10515
छत्तीसगढ़	8776	10294	12342	14624	15897	17243	19810	22332
गोवा	37430	41096	45813	49567	55944	58483	69043	72154
गुजरात	9809	11287	12036	13676	14919	15972	17720	19658
हरियाणा	12525	14687	15933	18422	21907	24944	26341	27354
हिमाचल प्रदेश	20139	23232	24708	27932	31206	35151	37402	40442
जम्मू एवं कश्मीर	17926	19554	20748	22153	27096	29175	29534	39882
झारखंड	6303	6913	6823	9093	10286	12483	13904	13618
कर्नाटक	10591	12275	14196	16315	18228	20327	21718	24774
केरल	13744	15888	17886	21112	23041	26542	28976	31823
मध्य प्रदेश	7184	8443	9215	10690	12744	15041	16157	17317
महाराष्ट्र	10923	12129	13393	15185	16107	17859	20042	21945
मणिपुर	17310	17985	18930	23539	23400	25388	28152	28961
मेघालय	16095	16290	17708	19525	19406	24952	24678	29412
मिजोरम	33286	39745	42439	48270	46735	51321	58560	63285
नागालैंड	24488	27840	28271	32907	36504	41656	49068	52025
ओडिशा	8231	9031	10716	11947	13666	15044	16547	19579
पंजाब	11821	13933	14513	16036	17004	18535	20667	24626
राजस्थान	7762	9050	10615	13102	14513	17121	19360	21823
सिक्किम	52608	48508	55151	58941	56947	58548	63484	79191
तमिलनाडु	11574	13309	14956	17426	18944	20469	22325	26103
तेलंगाना	--	--	--	--	20438	21712	22535	25375
त्रिपुरा	13019	13961	15763	19515	20416	22740	26334	29925
उत्तर प्रदेश	6145	6875	7610	8106	9930	10878	12055	13457
उत्तराखंड	12765	13551	15531	20000	21528	23251	26400	28839
पश्चिम बंगाल	7987	8855	9802	10958	12438	13879	14476	15887
<b>सभी राज्य</b>	<b>8959</b>	<b>10143</b>	<b>11224</b>	<b>13155</b>	<b>14589</b>	<b>16364</b>	<b>17798</b>	<b>19842</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा; राज्य-बजट 2020-21 और सीएसओ (जनसंख्या अनुमान)

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

ब्याज भुगतान

जीएसडीपी का प्रतिशत

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
आंध्र प्रदेश	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.7	2.0
अरूणाचल प्रदेश	2.5	2.2	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.1	2.3	2.4
असम	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4
बिहार	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9
छत्तीसगढ़	0.8	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.5	1.6
गोवा	1.7	2.1	2.5	2.1	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9
गुजरात	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3
हरियाणा	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	1.9
हिमाचल प्रदेश	2.9	2.9	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7
जम्मू एवं कश्मीर	3.0	3.1	3.1	3.6	3.2	3.7	3.3	3.3	--	--
झारखंड	1.5	1.4	1.4	1.3	1.6	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5
कर्नाटक	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2
केरल	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	1.9	2.2	2.1	2.1	2.0
मध्य प्रदेश	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.7
महाराष्ट्र	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1
मणिपुर	3.1	3.2	2.7	2.6	2.6	2.6	2.2	2.1	1.8	1.7
मेघालय	1.4	1.4	1.6	1.7	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	1.9
मिजोरम	3.8	3.4	2.8	2.3	2.4	2.0	1.8	1.9	1.6	1.2
नागालैंड	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	3.3	3.1
ओडिशा	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1
पंजाब	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5	2.7	3.3	3.1	3.1	3.0
राजस्थान	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2
सिक्किम	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.5	1.7	1.6
तमिलनाडु	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	1.8	1.7	1.7
तेलंगाना	--	--	--	--	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3
त्रिपुरा	2.6	2.5	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0
उत्तर प्रदेश	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	2.1	2.0	1.9	1.9	2.1
उत्तराखंड	1.5	1.6	1.4	1.5	1.7	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0
पश्चिम बंगाल	3.1	3.0	3.1	3.0	2.9	2.9	2.9	2.7	2.5	2.3
<b>सभी राज्य</b>	<b>1.6</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>	<b>1.7</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा एवं राज्य बजट 2020-21

जीडीपी: 2011-12 से 2019-20 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज) और 2020-21 (बजट अनुमान)

जीएसडीपी: 2011-12 से 2018-19 तक सीएसओ (2011-12 सीरीज), 2019-20 (सीएसओ/राज्यों के अनुमान) और 2020-21 (राज्यों के अनुमान)।

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

नोट 2: सभी राज्यों के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत के रूप में हैं।

नोट 3: जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों का उपयोग किया गया है।

## प्रति व्यक्ति पूंजी व्यय

रु. में

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	2202	2236	2218	2618	2982	3096	3188	4255
अरुणाचल प्रदेश	14826	8475	11656	10007	13234	10047	20223	35677
असम	825	966	1243	1390	892	1790	2354	3328
बिहार	1024	1094	1366	1682	2198	2404	2492	1897
छत्तीसगढ़	2065	2598	2213	2452	2950	3488	3653	3170
गोवा	8145	6415	6818	8274	10797	10832	13936	14082
गुजरात	2367	3583	3723	3868	3870	3510	4044	4411
हरियाणा	2347	2424	1792	1710	7455	4149	5369	5695
हिमाचल प्रदेश	3337	3481	3399	4160	4656	9416	5887	6939
जम्मू एवं कश्मीर	4714	4140	3549	3944	5524	6128	7491	6032
झारखंड	1014	1424	1437	1821	4401	3376	3767	3281
कर्नाटक	2817	2668	2808	3180	3329	4636	5451	5903
केरल	1448	1705	1703	1471	2443	3288	2983	2814
मध्य प्रदेश	3383	2272	2096	3168	2554	4055	4027	3732
महाराष्ट्र	1655	1645	1873	1767	2023	2666	2308	3007
मणिपुर	5862	5091	4276	4317	3929	4634	4346	5142
मेघालय	3021	3113	3566	3668	3880	3953	2946	4321
मिजोरम	5706	5622	5438	7941	6024	7730	17373	16096
नागालैंड	6289	6249	5934	4979	5100	5181	6138	7627
ओडिशा	1215	1379	1931	2671	4050	4331	5294	5655
पंजाब	635	746	825	1166	3066	15322	1030	1232
राजस्थान	1190	1868	2035	2329	8003	4032	2915	2715
सिक्किम	10830	13647	14710	15913	10328	11395	23299	20271
तमिलनाडु	3012	2651	2644	2992	2865	6247	3553	4075
तेलंगाना	--	--	--	--	5166	9818	7998	8194
त्रिपुरा	3820	4023	4389	7467	8329	8528	4536	3730
उत्तर प्रदेश	1119	1213	1652	2615	3433	3519	1838	3067
उत्तराखंड	2522	3703	3821	4810	4010	4710	5439	5704
पश्चिम बंगाल	350	605	810	1098	1390	1299	1984	2497
<b>सभी राज्य</b>	<b>1753</b>	<b>1838</b>	<b>1989</b>	<b>2422</b>	<b>3366</b>	<b>3999</b>	<b>3294</b>	<b>3677</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा; राज्य-बजट 2020-21 और सीएसओ (जनसंख्या अनुमान)

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

प्रति व्यक्ति कुल व्यय

रु. में

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	12844	14284	15121	21904	22002	25998	26936	29297
अरुणाचल प्रदेश	46382	41992	50993	58135	68397	70775	89257	112831
असम	9263	10115	11160	13349	12073	16512	18787	19996
बिहार	5450	6197	7129	8272	9672	10744	11263	12412
छत्तीसगढ़	10841	12893	14555	17076	18847	20731	23464	25503
गोवा	45575	47511	52631	57841	66741	69315	82979	86236
गुजरात	12176	14870	15759	17544	18789	19482	21765	24069
हरियाणा	14873	17111	17724	20132	29362	29093	31711	33049
हिमाचल प्रदेश	23476	26713	28107	32092	35862	44567	43290	47381
जम्मू एवं कश्मीर	22641	23694	24297	26097	32620	35303	37025	45913
झारखंड	7317	8337	8260	10914	14686	15859	17671	16898
कर्नाटक	13408	14943	17004	19495	21557	24962	27168	30677
केरल	15192	17593	19589	22582	25483	29830	31959	34637
मध्य प्रदेश	10567	10715	11311	13858	15297	19097	20184	21049
महाराष्ट्र	12577	13774	15267	16952	18129	20525	22350	24953
मणिपुर	23172	23076	23207	27856	27329	30021	32498	34103
मेघालय	19116	19403	21274	23193	23286	28905	27624	33733
मिजोरम	38991	45367	47877	56212	52760	59051	75932	79381
नागालैंड	30777	34089	34206	37886	41604	46837	55206	59651
ओडिशा	9446	10410	12647	14618	17715	19375	21841	25234
पंजाब	12456	14679	15338	17202	20070	33857	21697	25858
राजस्थान	8952	10918	12650	15430	22516	21153	22274	24539
सिक्किम	63438	62155	69861	74854	67275	69944	86783	99461
तमिलनाडु	14586	15960	17600	20418	21809	26717	25879	30178
तेलंगाना	--	--	--	--	25604	31530	30533	33569
त्रिपुरा	16839	17983	20152	26982	28745	31269	30870	33655
उत्तर प्रदेश	7264	8089	9262	10721	13363	14396	13894	16524
उत्तराखंड	15287	17254	19353	24810	25538	27961	31839	34543
पश्चिम बंगाल	8337	9460	10612	12056	13828	15178	16460	18384
<b>सभी राज्य</b>	<b>10712</b>	<b>11981</b>	<b>13213</b>	<b>15578</b>	<b>17955</b>	<b>20363</b>	<b>21091</b>	<b>23519</b>

स्रोत: वित्तीय लेखा; राज्य-बजट 2020-21 और सीएसओ (जनसंख्या अनुमान)

नोट 1: आंध्र प्रदेश के संबंध में 2014-15 तक के आर्कड़े अविभाजित राज्य के संबंध में हैं।

## पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के लिए संघ सरकार के वित्तों का आकलन

(करोड़ रु.)

Indicators	2020-21 बीई	2020-21 पुनःआकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
सकल राजस्व प्राप्तियां	2808037	2135156	2429405	2684206	2999062	3381073	3841641
सकल कर राजस्व	2423020	1876118	2135398	2362270	2643322	2986200	3401357
निगम कर	681000	490050	559515	623300	701836	798338	917690
आयकर	638000	443444	509295	567354	641820	737130	855808
उत्पाद शुल्क	138000	101893	117024	129253	144182	163214	185737
संघ उत्पाद शुल्क	267000	295639	323577	345095	370459	398984	431103
सेवा कर	1020	-	-	-	-	-	-
माल एवं सेवा कर	690500	541310	621694	692567	779831	882768	1004590
अन्य कर	7500	3782	4293	4701	5194	5766	6429
गैर-कर राजस्व	385017	259038	294007	321936	355740	394873	440284
ब्याज प्राप्तियां	11042	11042	11042	11042	11042	11042	11042
लाभांश एवं लाभ	65747	33411	37921	41523	45883	50931	56788
आरबीआई से लाभांश/अधिशेष	89649	89649	101751	111417	123116	136659	152375
पेट्रोलियम	14075	11131	12633	13833	15286	16967	18919
दूरसंचार (टेलिकॉम्यूनिकेशन)	133027	69846	70000	70000	65000	60000	60000
अन्य गैर कर राजस्व	71477	43959	60660	74121	95413	119274	141160
विभाज्य पूल	1913731	1399846	1606318	1786897	2010695	2284310	2616072
कर में राज्यों की हिस्सेदारी	784181	573937	658591	732628	824385	936567	1072589
एनसीसीएफ/एनडीआरएफ को एनसीसीडी हस्तांतरण	2930	2930	2930	2930	2930	2930	2930
केंद्र के निवल राजस्व	2020926	1558288	1767884	1948650	2171747	2441576	2766120
राजस्व व्यय	2630145	2690145	2838995	3011135	3191617	3406586	3679145
सामान्य सेवाएं	1270606	1216748	1313527	1424012	1538544	1656171	1776717
ब्याज भुगतान	708203	678635	760156	838425	917018	995750	1074093
रक्षा राजस्व व्यय	209319	209319	220832	235722	252659	271501	292543
पेंशन	210682	186392	189188	199593	210571	222152	234371
पुलिस	93597	93597	94346	99252	105008	111099	117542
वित्तीय सेवाएं	18780	18780	18857	19688	20556	21463	22409
विदेश कार्य (External Affairs)	8876	8876	8912	9411	10104	10848	11647
अन्य सामान्य सेवाएं	21149	21149	21236	21921	22628	23358	24112
सामाजिक सेवाएं	125274	156214	165751	182608	203825	227805	254941
स्वास्थ्य	30940	61880	71169	82599	95866	111264	129135
अन्य सामाजिक सेवाएं	94334	94334	94582	100009	107959	116541	125806

पंद्रहवां वित्त आयोग

संकेतक	2020-21		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
	बीई	पुनःआकलित					
<b>आर्थिक सेवाएं (सब्सिडी को छोड़कर)</b>	<b>228315</b>	<b>287075</b>	<b>274904</b>	<b>282770</b>	<b>300749</b>	<b>319337</b>	<b>338437</b>
परिवहन एवं संचार	37021	37021	37073	39245	42555	46145	50037
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	30516	30516	30559	32349	35078	38037	41245
निर्यात संवर्धन	2256	2256	2259	2391	2593	2811	3049
विद्युत	13392	13392	13411	14197	15395	16693	18101
अन्य आर्थिक सेवाएं	145130	203890	191602	194588	205128	215651	226005
<b>सब्सिडी</b>	<b>262109</b>	<b>312109</b>	<b>314148</b>	<b>322093</b>	<b>332615</b>	<b>343307</b>	<b>355340</b>
खाद्य	115570	165570	187003	194484	202263	210353	218768
अन्य	146539	146539	127145	127609	130352	132954	136572
<b>वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित राज्य सहायता अनुदान</b>	<b>149925</b>	<b>196449</b>	<b>233279</b>	<b>227846</b>	<b>198012</b>	<b>190203</b>	<b>183722</b>
राजस्व घाटा अनुदान	30000	74340	118452	86201	51673	24483	13705
राज्यों के लिए आपदा राहत अनुदान	20000	22184	22184	23294	24466	25688	26969
राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	99925	99925	80297	84703	87181	92087	92093
सेक्टर-विशिष्ट अनुदान	0	0	12346	23729	24773	33062	36077
राज्य-विशिष्ट अनुदान	0	0	0	9919	9919	14883	14878
राज्यों के लिए अन्य हस्तांतरणों (प्रत्याशित) हेतु प्रावधान**, जिसमें से	<b>511500</b>	<b>439134</b>	<b>444485</b>	<b>468941</b>	<b>503198</b>	<b>541173</b>	<b>625050</b>
राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति	<b>127440</b>	<b>93480</b>	<b>90189</b>	<b>100474</b>	<b>112623</b>	<b>127163</b>	<b>186199</b>
<b>संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान, जिसमें से</b>	<b>47258</b>	<b>47258</b>	<b>54228</b>	<b>60324</b>	<b>67879</b>	<b>77116</b>	<b>88316</b>
जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रावधान	30757	30757	35294	39261	44178	50190	57480
अन्य राजस्व व्यय	35158	35158	38673	42541	46795	51474	56622
<b>पूंजीगत व्यय</b>	<b>412085</b>	<b>352085</b>	<b>369269</b>	<b>357910</b>	<b>401577</b>	<b>450192</b>	<b>485619</b>
गैर-देनदारी पूंजीगत प्राप्ति	224967	68620	138345	113478	108589	103657	98754
<b>राजस्व घाटा/अधिशेष (-)</b>	<b>609219</b>	<b>1131857</b>	<b>1071111</b>	<b>1062485</b>	<b>1019870</b>	<b>965011</b>	<b>913022</b>
<b>राजकोषीय घाटा/अधिशेष (-)</b>	<b>796337</b>	<b>1415322</b>	<b>1302035</b>	<b>1306918</b>	<b>1312858</b>	<b>1311545</b>	<b>1299887</b>
<b>समायोजित बकाया देनदारी*</b>	<b>10676357</b>	<b>11423119</b>	<b>12710891</b>	<b>14048936</b>	<b>15434579</b>	<b>16854308</b>	<b>18128896</b>
<b>जीडीपी</b>	<b>22489420</b>	<b>19119458</b>	<b>21700585</b>	<b>23762140</b>	<b>26257165</b>	<b>29145453</b>	<b>32497181</b>

नोट: (\*) तालिका में प्रस्तुत समायोजित बकाया देयताएं बकाया देयताओं के बराबर हैं, इसमें से एनएसएसएफ से राज्य द्वारा लिए गए उधार को घटाया गया है, नकद शेष को घटाया गया है, राज्य सरकार को दिए गए केंद्रीय कर्जों को घटाया गया है, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जोड़ा गया है, और वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी देनदारी के लिए अंततः समायोजित किया गया है। \*\*: इसमें कार्यात्मक शीर्षों के माध्यम से किए गए हस्तांतरण भी शामिल हैं। कार्यात्मक शीर्षों को इस स्तर सीमा तक समायोजित किया गया है।

## पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के लिए संघ सरकार के वित्तों का आकलन

(जीडीपी का %)

	2020-21 बीई	2020-21 पुनःआकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
सकल राजस्व प्राप्तियां	12.49	11.17	11.20	11.30	11.42	11.60	11.82
सकल कर राजस्व	10.77	9.81	9.84	9.94	10.07	10.25	10.47
निगम कर	3.03	2.56	2.58	2.62	2.67	2.74	2.82
आयकर	2.84	2.32	2.35	2.39	2.44	2.53	2.63
उत्पाद शुल्का	0.61	0.53	0.54	0.54	0.55	0.56	0.57
संघ उत्पाद शुल्क	1.19	1.55	1.49	1.45	1.41	1.37	1.33
सेवा कर	0.00	-	-	-	-	-	-
माल एवं सेवा कर	3.07	2.83	2.86	2.91	2.97	3.03	3.09
अन्य कर	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
गैर-कर राजस्व	1.71	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35
ब्याज प्राप्तियां	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03
लाभांश एवं लाभ	0.29	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
आरबीआई से लाभांश/अधिशेष	0.40	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
पेट्रोलियम	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
दूरसंचार	0.59	0.37	0.32	0.29	0.25	0.21	0.18
अन्य गैर कर राजस्व	0.32	0.23	0.28	0.31	0.36	0.41	0.43
विभाज्य पूल	8.51	7.32	7.40	7.52	7.66	7.84	8.05
कर में राज्यों की हिस्सेदारी	3.49	3.00	3.03	3.08	3.14	3.21	3.30
एनसीसीएफ/एनडीआरएफ को एनसीसीडी हस्तांतरण	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
केंद्र के निवल राजस्व	8.99	8.15	8.15	8.20	8.27	8.38	8.51
राजस्व व्यय	11.70	14.07	13.08	12.67	12.16	11.69	11.32
सामान्य सेवाएं	5.65	6.36	6.05	5.99	5.86	5.68	5.47
ब्याज भुगतान	3.15	3.55	3.50	3.53	3.49	3.42	3.31
रक्षा राजस्व व्यय	0.93	1.09	1.02	0.99	0.96	0.93	0.90
पेंशन	0.94	0.97	0.87	0.84	0.80	0.76	0.72
पुलिस	0.42	0.49	0.43	0.42	0.40	0.38	0.36
वित्तीय सेवाएं	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07
विदेश कार्य (External Affairs)	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
अन्य सामान्य सेवाएं	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07
सामाजिक सेवाएं	0.56	0.82	0.76	0.77	0.78	0.78	0.78
स्वास्थ्य	0.14	0.32	0.33	0.35	0.37	0.38	0.40
अन्य सामाजिक सेवाएं	0.42	0.49	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39

	2020-21 बीई	2020-21 पुनःआकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
<b>कुल आर्थिक सेवाएं (सब्सिडी को छोड़कर)</b>	<b>1.02</b>	<b>1.50</b>	<b>1.27</b>	<b>1.19</b>	<b>1.15</b>	<b>1.10</b>	<b>1.04</b>
परिवहन एवं संचार	0.16	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.14	0.16	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13
निर्यात संवर्धन	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
विद्युत	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
अन्य आर्थिक सेवाएं	0.65	1.07	0.88	0.82	0.78	0.74	0.70
<b>सब्सिडी</b>	<b>1.17</b>	<b>1.63</b>	<b>1.45</b>	<b>1.36</b>	<b>1.27</b>	<b>1.18</b>	<b>1.09</b>
खाद्य	0.51	0.87	0.86	0.82	0.77	0.72	0.67
अन्य	0.65	0.77	0.59	0.54	0.50	0.46	0.42
<b>वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित राज्यों के लिए सहायता अनुदान</b>	<b>0.67</b>	<b>1.03</b>	<b>1.07</b>	<b>0.96</b>	<b>0.75</b>	<b>0.65</b>	<b>0.57</b>
राजस्व घाटा अनुदान	0.13	0.39	0.55	0.36	0.20	0.08	0.04
राज्यों के लिए आपदा राहत अनुदान	0.09	0.12	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08
राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	0.44	0.52	0.37	0.36	0.33	0.32	0.28
सेक्टर-विशिष्ट अनुदान	-	-	0.06	0.10	0.09	0.11	0.11
राज्य-विशिष्ट अनुदान	-	-	-	0.04	0.04	0.05	0.05
<b>राज्यों के लिए अन्य हस्तांतरणों (प्रत्याशित) हेतु प्रावधान**, जिसमें से</b>	<b>2.27</b>	<b>2.30</b>	<b>2.05</b>	<b>1.97</b>	<b>1.92</b>	<b>1.86</b>	<b>1.92</b>
राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति	0.57	0.49	0.42	0.42	0.43	0.44	0.57
संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सहायता अनुदान, जिसमें से	0.21	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.27
जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रावधान	0.14	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.18
अन्य राजस्व व्यय	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.17
<b>पूंजीगत व्यय</b>	<b>1.83</b>	<b>1.84</b>	<b>1.70</b>	<b>1.51</b>	<b>1.53</b>	<b>1.54</b>	<b>1.49</b>
गैर-देनदारी पूंजीगत प्राप्ति	1.00	0.36	0.64	0.48	0.41	0.36	0.30
<b>राजस्व घाटा/अधिशेष (-)</b>	<b>2.71</b>	<b>5.92</b>	<b>4.94</b>	<b>4.47</b>	<b>3.88</b>	<b>3.31</b>	<b>2.81</b>
<b>राजकोषीय घाटा/अधिशेष (-)</b>	<b>3.54</b>	<b>7.40</b>	<b>6.00</b>	<b>5.50</b>	<b>5.00</b>	<b>4.50</b>	<b>4.00</b>
<b>समायोजित बकाया देनदारी*</b>	<b>47.47</b>	<b>59.63</b>	<b>58.40</b>	<b>59.03</b>	<b>58.68</b>	<b>57.56</b>	<b>55.72</b>
<b>जीडीपी</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

नोट: (\*) तालिका में प्रस्तुत समायोजित बकाया देयताएं बकाया देयताओं के बराबर हैं, इसमें से एनएसएसएफ से राज्य द्वारा लिए गए उधार को घटाया गया है, नकद शेष को घटाया गया है, राज्य सरकार को दिए गए केंद्रीय कर्जों को घटाया गया है, अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को जोड़ा गया है, और वर्तमान विनिमय दर पर विदेशी देनदारी के लिए अंततः समायोजित किया गया है। \*\* : इसमें कार्यात्मक शीपों के माध्यम से किए गए हस्तांतरण भी शामिल हैं। कार्यात्मक शीपों को इस स्तर/सीमा तक समायोजित किया गया है।  
राउंडिंग ऑफ के कारण योगों का जोड़ न मिल पाए।



## पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित हस्तांतरण

(करोड़ रु.)

	2020-21 बीई	2020-21 पुनःआकलित	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total (2021-26)
1 राज्यों को कर अंतरण	784181	573937	658591	732628	824385	936567	1072589	4224760
2 वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए कुल अनुदान (क+ख+ग+घ+ड.)	149925	196449	233279	227846	198012	190203	183722	1033062
क. राज्यों को पश्च अंतरण राजस्व घाटा अनुदान	30000	74340	118452	86201	51673	24483	13705	294514
ख. राज्यों को आपदा राहत अनुदान	20000	22184	22184	23294	24466	25688	26969	122601
ग. राज्यों को स्थानीय शासनों के लिए अनुदान	99925	99925	80297	84703	87181	92087	92093	436361
घ. राज्य विशिष्ट अनुदान	-	-	-	9919	9919	14883	14878	49599
घ. सेक्टर विशिष्ट अनुदान	-	-	12346	23729	24773	33062	36077	129987
3 वित्त आयोग से राज्यों को कुल हस्तांतरण (1+2)	934106	770386	891870	960474	1022397	1126770	1256311	5257822
4 विभाज्य पूल	1913731	1399846	1606318	1786897	2010695	2284310	2616072	10304292
5 संघ सरकार के पास उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश /स्पेस (4-3), जिसमें से	979626	629460	714449	826423	988298	1157540	1359760	5046470
6 जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर राज्यों हेतु अन्य हस्तांतरणों (प्रत्याशित) के लिए प्रावधान (7-2)	384060	345654	354296	368467	390575	414010	438851	1966199
7 जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर संघ से राज्यों को कुल अनुदान	533985	542104	587575	596313	588587	604213	622573	2999261
8 जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर राज्यों को समग्र हस्तांतरण (1+7)	1318166	1116040	1246165	1328941	1412972	1540780	1695162	7224021
<b>विभाज्य पूल के प्रतिशत के रूप में</b>								
1 राज्यों को कर अंतरण	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0
2 राज्यों को वित्त आयोग से अनुदान	7.8	14.0	14.5	12.8	9.8	8.3	7.0	10.0
3 राज्यों को कर अंतरण और वित्त आयोग अनुदान	48.8	55.0	55.5	53.8	50.8	49.3	48.0	51.0
4 संघ के पास राजकोषीय सुलभता, जिसमें से	51.2	45.0	44.5	46.2	49.2	50.7	52.0	49.0
5 जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर राज्यों हेतु अन्य हस्तांतरणों (प्रत्याशित) के लिए प्रावधान	20.1	24.7	22.1	20.6	19.4	18.1	16.8	19.1
6 जीएसटी क्षतिपूर्ति को छोड़कर राज्यों को समग्र हस्तांतरण	68.9	79.7	77.6	74.4	70.3	67.5	64.8	70.1

सकल कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियां और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में समग्र हस्तांतरण

	2020-21	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total	
	बीई	पुनःआकलित						(2021-26)	
1	संघ के सकल कर राजस्व) (करोड़ रु.)	2423020	1876118	2135398	2362270	2643322	2986200	3401357	13528547
2	संघ की सकल राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रु.)	2808037	2135156	2429405	2684206	2999062	3381073	3841641	15335387
3	जीडीपी (करोड़ रु.)	22489420	19119458	21700585	23762140	26257165	29145453	32497181	133362524
4	सभी राज्यों की जीएसडीपी (करोड़ रु.)	17960017	17960017	20385943	22321586	24671305	27391969	30542510	125313313
5	संघ के सकल कर राजस्वों के प्रतिशत के रूप में राज्यों को किए गए समग्र हस्तांतरण (प्रत्याशित)	57.4	62.6	60.9	58.8	55.8	53.9	52.7	55.9
6	संघ के सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राज्यों को किए गए समग्र हस्तांतरण (प्रत्याशित)	49.2	54.7	53.3	51.4	49.0	47.4	46.4	49.1
7	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों को किए गए समग्र हस्तांतरण (प्रत्याशित)	5.9	5.8	5.7	5.6	5.4	5.3	5.2	5.4
8	सभी राज्यों के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्यों को किए गए समग्र हस्तांतरण (प्रत्याशित)		6.2	6.1	6.0	5.7	5.6	5.6	5.8

टिप्पणी: राज्यों को किए गए समग्र हस्तांतरण में जीएसटी क्षतिपूर्ति को शामिल नहीं किया गया है।

## तुलनीय जीएसडीपी की मानकीय रूप से आकलित वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत)

श्रेणी	राज्य	समूह औसत में प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय सूचकांक	दूसरे चरण पर समूह	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
सामान्य राज्य	गोवा	387	जीएस	-0.5	15.0	12.0	12.5	13.0	13.0
	केरल	167	समूह	-0.5	15.0	12.0	12.5	13.0	13.0
	हरियाणा	147	(क)	-0.5	15.0	12.0	12.5	13.0	13.0
	आंध्र प्रदेश	134	जीएस	-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	तमिलनाडु	133	समूह	-2.0	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	तेलंगाना	131	(ख)	-2.0	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	कर्नाटक	128		-8.8	15.3	10.8	11.9	12.4	13.0
	पंजाब	124		-2.8	11.1	7.8	8.6	9.0	9.3
	छत्तीसगढ़	116	जीएस	-3.6	11.1	7.8	8.6	9.0	9.3
	महाराष्ट्र	115	समूह	-10.3	14.2	8.0	9.7	10.3	11.6
	राजस्थान	113	(ग)	-4.9	12.7	8.8	9.7	10.3	10.6
	गुजरात	103		-11.8	15.3	9.5	11.9	12.4	13.0
	ओडिशा	99	जीएस	-5.3	11.1	7.8	8.6	9.0	9.3
	मध्य प्रदेश	92	समूह	-3.6	11.1	7.8	8.6	9.0	9.3
	पश्चिम बंगाल	83	(घ)	-3.6	11.1	7.8	8.6	9.0	9.3
	झारखंड	75	जीएस	-9.0	12.0	8.0	9.0	9.5	10.0
	उत्तर प्रदेश	70	समूह	-9.0	12.0	8.0	9.0	9.5	10.0
बिहार	53	(ड.)	-9.0	12.0	8.0	9.0	9.5	10.0	
एनईएच राज्य	अरुणाचल प्रदेश	280	एनईएच	-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	सिक्किम	273	समूह	-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	मिजोरम	233	(क)	-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	नागालैंड	193		-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	हिमाचल प्रदेश	149		-0.5	14.5	11.5	12.0	12.5	12.5
	मणिपुर	109	एनईएच	-0.5	12.4	8.6	9.4	10.1	10.4
	त्रिपुरा	108	समूह	-2.5	15.6	10.4	11.5	12.4	12.9
	उत्तराखंड	106	(ग)	-9.1	12.4	8.6	9.4	10.1	10.4
	मेघालय	104		-3.6	11.1	8.6	9.4	10.1	10.4
	असम	63	एनईएच	-9.0	12.0	8.0	9.0	9.5	10.0
			(ड.)						
सभी राज्य				-5.9	13.5	9.5	10.5	11.0	11.5
सामान्य राज्य				-5.9	13.5	9.5	10.5	11.0	11.5
एनई एवं एचएस				-5.8	13.0	9.4	10.2	10.8	11.1
जीडीपी				-6.0	13.5	9.5	10.5	11.0	11.5

पूर्वानुमानित कर और जीएसडीपी अनुपात

(प्रतिशत)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	6.6	6.7	6.9	7.1	7.3	7.6
अरुणाचल प्रदेश	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	5.1
असम	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0
बिहार	5.3	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6
छत्तीसगढ़	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.2
गोवा	6.6	6.8	7.0	7.3	7.7	8.0
गुजरात	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.1
हरियाणा	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3
हिमाचल प्रदेश	4.9	5.0	5.1	5.3	5.5	5.7
झारखंड	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0
कर्नाटक	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7
केरल	6.4	6.6	6.8	7.1	7.4	7.8
मध्य प्रदेश	6.4	6.4	6.6	6.7	6.8	7.0
महाराष्ट्र	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3
मणिपुर	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	4.0
मेघालय	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8
मिजोरम	3.2	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7
नागालैंड	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.5
ओडिशा	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.5
पंजाब	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4
राजस्थान	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	6.7
सिक्किम	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6
तमिलनाडु	6.4	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3
तेलंगाना	7.5	7.6	7.8	8.0	8.1	8.3
त्रिपुरा	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
उत्तर प्रदेश	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
उत्तराखंड	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2
पश्चिम बंगाल	5.5	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
<b>सभी राज्य</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>	<b>6.6</b>	<b>6.7</b>	<b>6.9</b>
<b>सामान्य राज्य</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>	<b>6.5</b>	<b>6.7</b>	<b>6.8</b>	<b>7.0</b>
<b>एनई एवं एचएस</b>	<b>4.5</b>	<b>4.6</b>	<b>4.7</b>	<b>4.8</b>	<b>4.9</b>	<b>5.0</b>

अनुलग्नक: 4.7  
(पैरा 4.73)

## पूर्वानुमानित गैर-कर राजस्व और जीएसडीपी अनुपात

(प्रतिशत)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
अरुणाचल प्रदेश	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
असम	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
बिहार	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
छत्तीसगढ़	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5
गोवा	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6
गुजरात	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
हरियाणा	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
हिमाचल प्रदेश	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2
झारखंड	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9
कर्नाटक	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
केरल	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
मध्य प्रदेश	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
महाराष्ट्र	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
मणिपुर	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
मेघालय	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
मिजोरम	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
नागालैंड	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
ओडिशा	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0
पंजाब	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
राजस्थान	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0
सिक्किम	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6
तमिलनाडु	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
तेलंगाना	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
त्रिपुरा	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
उत्तर प्रदेश	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
उत्तराखंड	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
पश्चिम बंगाल	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
<b>सभी राज्य</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>
<b>सामान्य राज्य</b>	<b>1.0</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>
<b>एनई एवं एचएस</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>

जीएसटी क्षतिपूर्ति के निर्देशात्मक अनुमान

(करोड़ रु.)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	1,779	1,623	1,808	1,941	2,136	3,009
अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
असम	974	1,332	1,484	1,693	1,930	2,885
बिहार	3,567	3,570	3,977	4,523	5,149	7,601
छत्तीसगढ़	2,619	2,036	2,268	2,599	2,971	4,377
गोवा	517	513	572	630	705	995
गुजरात	9,015	8,753	9,751	10,819	12,146	17,678
हरियाणा	3,702	3,237	3,606	3,957	4,413	6,214
हिमाचल प्रदेश	1,444	1,168	1,301	1,454	1,639	2,345
झारखंड	1,477	1,693	1,886	2,147	2,445	3,621
कर्नाटक	11,136	10,609	11,819	13,098	14,694	21,353
केरल	4,757	3,408	3,797	4,157	4,631	6,510
मध्य प्रदेश	3,931	3,647	4,063	4,675	5,356	7,901
महाराष्ट्र	12,306	14,993	16,703	18,600	20,923	31,148
मणिपुर	-	-	-	-	-	-
मेघालय	118	146	162	187	214	318
मिजोरम	-	-	-	-	-	-
नागालैंड	-	-	-	-	-	-
ओडिशा	3,120	3,297	3,673	4,203	4,800	7,050
पंजाब	6,869	4,922	5,483	6,258	7,136	10,430
राजस्थान	3,991	3,607	4,018	4,545	5,158	7,629
सिक्किम	5	13	15	15	15	21
तमिलनाडु	7,600	5,917	6,592	7,264	8,122	11,559
तेलंगाना	1,570	2,136	2,379	2,573	2,846	4,186
त्रिपुरा	222	172	192	209	232	337
उत्तर प्रदेश	6,736	7,655	8,528	9,723	11,083	16,540
उत्तराखंड	2,102	1,783	1,986	2,250	2,555	3,711
पश्चिम बंगाल	3,923	3,959	4,411	5,103	5,864	8,781
<b>सभी राज्य</b>	<b>93,480</b>	<b>90,189</b>	<b>1,00,474</b>	<b>1,12,623</b>	<b>1,27,163</b>	<b>1,86,199</b>

## आकलित स्वयं की राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय

## राज्य: आंध्र प्रदेश

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	1073230	1196651	1340249	1507110	1695499	6812739
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	77945	89201	102645	118697	137340	525828
1 स्वयं का कर राजस्व	72406	82961	95581	110666	128204	489818
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	5539	6240	7064	8031	9136	36010
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	1623	1808	1941	2136	3009	10517
घ राजस्व व्यय जिसमें से	123478	131207	140640	150278	160389	705992
1 ब्याज भुगतान	22218	24217	26397	28773	31362	132967
2 पेंशन	14446	15241	16079	16964	17897	80627
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	43910	40198	36054	29445	20040	

## राज्य : अरुणाचल प्रदेश

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	30287	33770	37822	42531	47848	192258
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	1739	2002	2319	2699	3143	11902
1 स्वयं का कर राजस्व	1344	1548	1794	2089	2434	9209
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	395	454	525	610	709	2693
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-
घ राजस्व व्यय जिसमें से	10728	11363	12150	13039	14124	61404
1 ब्याज भुगतान	775	844	920	1000	1089	4628
2 पेंशन	1210	1277	1347	1421	1499	6754
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	8989	9361	9831	10340	10981	

## राज्य : असम

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	344959	372556	406086	444664	489131	2057396
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	22036	24005	26421	29226	32493	134181
1 स्वयं का कर राजस्व	16440	17917	19730	21836	24290	100213
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	5596	6088	6691	7390	8203	33968
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	1332	1484	1693	1930	2885	9324
घ राजस्व व्यय जिसमें से	50345	53296	56819	60350	64328	285138
1 ब्याज भुगतान	6324	6893	7514	8190	8927	37848
2 पेंशन	8786	9270	9780	10317	10885	49038
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	26977	27807	28705	29194	28950	

राज्य : बिहार

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	567085	612452	667572	730992	804091	3382192
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	34748	37980	41957	46596	52020	213301
1 स्वयं का कर राजस्व	30232	33067	36557	40632	45400	185888
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	4516	4913	5400	5964	6620	27413
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3570	3977	4523	5149	7601	24820
घ राजस्व व्यय जिसमें से	100641	106668	114211	123189	131605	576314
1 ब्याज भुगतान	14088	15356	16724	18109	19628	83905
2 पेंशन	19352	20416	21539	22724	23974	108005
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	62323	64711	67731	71444	71984	

राज्य : छत्तीसगढ़

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	362467	390623	424095	462155	505322	2144662
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	32976	36039	39731	43996	48914	201656
1 स्वयं का कर राजस्व	24105	26410	29195	32420	36148	148278
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	8871	9629	10536	11576	12766	53378
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	2036	2268	2599	2971	4377	14251
घ राजस्व व्यय जिसमें से	54218	57560	62051	66912	71618	312359
1 ब्याज भुगतान	6366	6939	7564	8245	8987	38101
2 पेंशन	5983	6312	6659	7025	7412	33391
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	19206	19253	19721	19945	18327	

राज्य : गोवा

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	90909	101818	114545	129379	146198	582849
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	7428	8642	10113	11896	14003	52082
1 स्वयं का कर राजस्व	6156	7171	8403	9899	11668	43297
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	1272	1471	1710	1997	2335	8785
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	513	572	630	705	995	3415
घ राजस्व व्यय जिसमें से	9962	10567	11325	12211	13007	57072
1 ब्याज भुगतान	1914	2087	2274	2479	2702	11456
2 पेंशन	1350	1425	1503	1586	1673	7537
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	2021	1353	582	-390	-1991	



राज्य : गुजरात

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	1451704	1589616	1779070	1999513	2259850	9079753
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	95401	106354	121677	139905	161935	625272
1 स्वयं का कर राजस्व	80705	90122	103317	119043	138085	531272
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	14696	16232	18360	20862	23850	94000
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	8753	9751	10819	12146	17678	59147
घ राजस्व व्यय जिसमें से	118435	126284	135454	145624	155925	681722
1 ब्याज भुगतान	26020	28361	30914	33696	36729	155720
2 पेंशन	15236	16074	16958	17891	18874	85033
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	/ 14281	10179	2958	-6427	-23688	

राज्य : हरियाणा

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	868383	972589	1094163	1235857	1396518	5567510
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	61892	72055	84382	99340	117018	434687
1 स्वयं का कर राजस्व	53965	62892	73730	86894	102469	379950
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	7927	9163	10652	12446	14549	54737
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3237	3606	3957	4413	6214	21427
घ राजस्व व्यय जिसमें से	72459	77225	83038	89390	96054	418166
1 ब्याज भुगतान	19770	21549	23489	25603	27907	118318
2 पेंशन	8509	8977	9471	9992	10541	47490
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	7330	1564	-5301	-14363	-27178	

राज्य : हिमाचल प्रदेश

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	192362	214484	240222	270130	303896	1221094
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	13249	15261	17679	20586	23985	90760
1 स्वयं का कर राजस्व	9565	11026	12783	14898	17372	65644
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	3684	4235	4896	5688	6613	25116
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	1168	1301	1454	1639	2345	7907
घ राजस्व व्यय जिसमें से	30132	32020	34033	36256	38489	170930
1 ब्याज भुगतान	5376	5846	6331	6837	7405	31795
2 पेंशन	6870	7248	7646	8067	8510	38341
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	15715	15458	14900	14031	12159	

राज्य : झारखंड

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	319220	344757	375786	411485	452634	1903882
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	23962	26179	28902	32079	35793	146915
1 स्वयं का कर राजस्व	15041	16472	18235	20297	22715	92760
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	8921	9707	10667	11782	13078	54155
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	1693	1886	2147	2445	3621	11792
घ राजस्व व्यय जिसमें से	40343	42843	46076	49873	53212	232347
1 ब्याज भुगतान	6154	6707	7311	7969	8686	36827
2 पेंशन	6675	7042	7430	7838	8269	37254
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	14688	14778	15027	15349	13798	

राज्य : कर्नाटक

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	1702227	1885750	2110499	2372009	2680845	10751330
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	112573	126891	144740	165919	191441	741564
1 स्वयं का कर राजस्व	104835	118236	134950	154794	178723	691538
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	7738	8655	9790	11125	12718	50026
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	10609	11819	13098	14694	21353	71573
घ राजस्व व्यय जिसमें से	148832	158058	170071	182337	195286	854584
1 ब्याज भुगतान	24216	26395	28771	31360	34183	144925
2 पेंशन	21000	22155	23373	24659	26015	117202
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	25650	19348	12233	1724	-17508	

राज्य : केरल

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	978206	1095590	1232539	1392153	1573133	6271621
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	67762	78948	92523	109006	128503	476742
1 स्वयं का कर राजस्व	64233	74868	87780	103465	122025	452371
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	3529	4080	4743	5541	6478	24371
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3408	3797	4157	4631	6510	22503
घ राजस्व व्यय जिसमें से	103739	110022	117298	125281	133475	589815
1 ब्याज भुगतान	21637	23584	25706	28020	30542	129489
2 पेंशन	19827	20917	22068	23282	24562	110656
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	32569	27277	20618	11644	-1538	

राज्य : मध्य प्रदेश

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	908401	978966	1062853	1158236	1266420	5374876
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	74147	81246	89829	99771	111267	456260
1 स्वयं का कर राजस्व	58453	64211	71188	79290	88682	361824
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	15694	17035	18641	20481	22585	94436
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3647	4063	4675	5356	7901	25642
घ राजस्व व्यय जिसमें से	110591	117371	125612	133927	143427	630928
1 ब्याज भुगतान	17942	19556	21316	23235	25326	107375
2 पेंशन	16066	16950	17882	18866	19903	89667
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	32797	32062	31108	28800	24259	

राज्य : महाराष्ट्र

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	2798375	3022845	3316610	3657775	4083534	16879139
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	208230	227899	253989	284778	323858	1298754
1 स्वयं का कर राजस्व	191582	209782	233935	262455	298677	1196431
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	16648	18117	20054	22323	25181	102323
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	14993	16703	18600	20923	31148	102367
घ राजस्व व्यय जिसमें से	247807	262511	279565	299679	317808	1407370
1 ब्याज भुगतान	38728	42214	46013	50154	54668	231777
2 पेंशन	27630	29149	30753	32444	34228	154204
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	24584	17909	6976	-6022	-37198	

राज्य : मणिपुर

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	33370	36229	39651	43673	48204	201127
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	1462	1604	1775	1978	2210	9029
1 स्वयं का कर राजस्व	1260	1383	1531	1707	1908	7789
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	202	221	244	271	302	1240
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-
घ राजस्व व्यय जिसमें से	8702	9160	9782	10385	11047	49076
1 ब्याज भुगतान	628	685	747	814	887	3761
2 पेंशन	1790	1888	1992	2102	2217	9989
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	7240	7556	8007	8407	8837	

राज्य : मेघालय

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	35941	39021	42706	47038	51919	216625
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	2471	2708	2995	3336	3724	15234
1 स्वयं का कर राजस्व	1988	2180	2412	2688	3002	12270
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	483	528	583	648	722	2964
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	146	162	187	214	318	1027
घ राजस्व व्यय जिसमें से	8947	9522	10220	10843	11570	51102
1 ब्याज भुगतान	919	1002	1089	1178	1276	5464
2 पेंशन	1142	1205	1271	1341	1414	6373
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	/ 6330	6652	7038	7293	7528	

राज्य : मिजोरम

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	28382	31646	35444	39857	44839	180168
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	1139	1312	1519	1768	2059	7797
1 स्वयं का कर राजस्व	912	1051	1217	1417	1651	6248
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	227	261	302	351	408	1549
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-
घ राजस्व व्यय जिसमें से	6222	6590	7115	7530	8008	35465
1 ब्याज भुगतान	403	439	479	522	569	2412
2 पेंशन	1083	1142	1205	1272	1341	6043
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	5083	5278	5596	5762	5949	

राज्य : नागालैंड

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	35366	39433	44165	49664	55871	224499
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	1189	1369	1586	1847	2152	8143
1 स्वयं का कर राजस्व	1065	1227	1422	1656	1930	7300
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	124	142	164	191	222	843
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	-	-
घ राजस्व व्यय जिसमें से	9493	10068	10724	11244	11902	53431
1 ब्याज भुगतान	1057	1144	1233	1326	1430	6190
2 पेंशन	2069	2182	2303	2429	2563	11546
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	8304	8699	9138	9397	9750	

राज्य : ओडिशा

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	553246	596222	647312	705403	771291	3273474
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	49466	54030	59529	65877	73191	302093
1 स्वयं का कर राजस्व	33238	36415	40254	44699	49837	204443
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	16228	17615	19275	21178	23354	97650
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3297	3673	4203	4800	7050	23023
घ राजस्व व्यय जिसमें से	73377	77630	83066	88351	94132	416556
1 ब्याज भुगतान	7804	8507	9272	10107	11017	46707
2 पेंशन	15033	15860	16732	17652	18623	83900
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	20614	19927	19334	17674	13891	

राज्य : पंजाब

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	607594	654792	710901	774699	847059	3595045
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	40923	44781	49438	54824	61040	251006
1 स्वयं का कर राजस्व	35988	39424	43576	48383	53938	221309
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	4935	5357	5862	6441	7102	29697
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	4922	5483	6258	7136	10430	34229
घ राजस्व व्यय जिसमें से	67827	71777	76211	80879	85592	382286
1 ब्याज भुगतान	20589	22047	23507	24978	26583	117704
2 पेंशन	11598	12236	12909	13619	14368	64730
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	21982	21513	20515	18919	14122	

राज्य : राजस्थान

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	1050408	1143069	1254154	1383163	1530329	6361123
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	84704	93662	104577	117481	132478	532902
1 स्वयं का कर राजस्व	64384	71370	79902	90014	101796	407466
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	20320	22292	24675	27467	30682	125436
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3607	4018	4545	5158	7629	24957
घ राजस्व व्यय जिसमें से	137876	146690	157594	168876	180671	791707
1 ब्याज भुगतान	27789	30290	32852	35462	38347	164740
2 पेंशन	22128	23345	24629	25983	27412	123497
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	49565	49010	48472	46237	40564	

राज्य : सिक्किम

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	36390	40575	45444	51102	57489	231000
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	1645	1895	2195	2556	2978	11269
1 स्वयं का कर राजस्व	1127	1299	1506	1756	2047	7735
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	518	596	689	800	931	3534
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	13	15	15	15	21	79
घ राजस्व व्यय जिसमें से	4891	5193	5558	5941	6334	27917
1 ब्याज भुगतान	613	668	728	793	865	3667
2 पेंशन	908	957	1010	1066	1124	5065
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	3233	3283	3348	3370	3335	

राज्य : तमिलनाडु

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	1979856	2207540	2472444	2780264	3127797	12567901
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	145947	166890	191887	221714	256326	982764
1 स्वयं का कर राजस्व	128351	147068	169449	196203	227307	868378
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	17596	19822	22438	25511	29019	114386
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	5917	6592	7264	8122	11559	39454
घ राजस्व व्यय जिसमें से	180932	191773	204758	219524	233698	1030685
1 ब्याज भुगतान	39580	43142	47024	51257	55870	236873
2 पेंशन	33242	35070	36999	39034	41181	185526
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	29068	18291	5607	-10312	-34187	

राज्य : तेलंगाना

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	1028726	1147030	1284674	1444615	1625192	6530237
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	91053	103433	118114	135517	155574	603691
1 स्वयं का कर राजस्व	78653	89464	102301	117538	135123	523079
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	12400	13969	15813	17979	20451	80612
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	2136	2379	2573	2846	4186	14120
घ राजस्व व्यय जिसमें से	91034	96661	104078	110987	118959	521719
1 ब्याज भुगतान	15931	17365	18927	20631	22488	95342
2 पेंशन	9517	10040	10592	11175	11790	53114
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	-2155	-9151	-16609	-27376	-40801	

राज्य : त्रिपुरा

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	59524	65703	73246	82292	92918	373683
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	2640	2969	3381	3883	4488	17361
1 स्वयं का कर राजस्व	2169	2445	2790	3212	3722	14338
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	471	524	591	671	766	3023
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	172	192	209	232	337	1142
घ राजस्व व्यय जिसमें से	12021	12771	13601	14534	15378	68305
1 ब्याज भुगतान	1370	1493	1628	1774	1934	8199
2 पेंशन	2591	2734	2884	3042	3210	14461
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	9209	9610	10011	10419	10553	

राज्य : उत्तर प्रदेश

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	1754477	1894835	2065371	2261581	2487739	10464003
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	156586	171287	189383	210511	235244	963011
1 स्वयं का कर राजस्व	124116	135959	150558	167629	187644	765906
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	32470	35328	38825	42882	47600	197105
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	7655	8528	9723	11083	16540	53529
घ राजस्व व्यय जिसमें से	276981	293324	311702	331538	351822	1565367
1 ब्याज भुगतान	41519	45256	49329	53613	58315	248032
2 पेंशन	58678	61905	65310	68902	72692	327487
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	112740	113509	112596	109944	100038	

राज्य : उत्तराखंड

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	256652	278645	304961	335895	370750	1546903
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	16131	17747	19708	22047	24723	100356
1 स्वयं का कर राजस्व	12520	13796	15346	17198	19321	78181
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	3611	3951	4362	4849	5402	22175
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	1783	1986	2250	2555	3711	12285
घ राजस्व व्यय जिसमें से	33049	35061	37398	39989	42525	188022
1 ब्याज भुगतान	6423	7001	7624	8259	8958	38265
2 पेंशन	5961	6289	6635	7000	7385	33270
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	15135	15328	15440	15387	14091	

राज्य : पश्चिम बंगाल

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	1238196	1334379	1448721	1578734	1726194	7326224
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	71769	78581	86809	96331	107327	440817
1 स्वयं का कर राजस्व	68467	74997	82888	92022	102576	420950
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	3302	3584	3921	4309	4751	19867
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	3959	4411	5103	5864	8781	28118
घ राजस्व व्यय जिसमें से	142881	151694	162283	173221	185000	815079
1 ब्याज भुगतान	35707	38678	41653	44651	47922	208611
2 पेंशन	19707	20791	21935	23141	24414	109988
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	67153	68702	70371	71026	68892	

राज्य : सभी राज्य

(करोड़ रु.)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
क जीएसडीपी	20385943	22321586	24671305	27391969	30542510	125313313
ख स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	1501213	1674970	1889803	2144164	2445227	9655377
1 स्वयं का कर राजस्व	1283300	1434761	1622330	1844800	2108694	8293885
2 स्वयं का गैर-कर राजस्व	217913	240209	267473	299364	336533	1361492
ग अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति	90189	100474	112623	127163	186199	616648
घ राजस्व व्यय जिसमें से	2275943	2414909	2582433	2762188	2945385	12980858
1 ब्याज भुगतान	411860	448265	487336	529035	574602	2451098
2 पेंशन	358387	378097	398894	420834	443976	2000188
ड. पूर्व-अंतरण राजस्व घाटा (+) / अधिशेष (-)	686696	648616	601917	555751	498048	2991028
	-2155	-9151	-21910	-64890	-184089	-282195

टिप्पणी: अंतरण से पूर्व राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – स्वयं की राजस्व प्राप्तियां – अनुमानित जीएसटी क्षतिपूर्ति



## डेटाबेसों के मध्य संगतता स्थापित करने की आवश्यकता

यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न मैक्रो डेटाबेस सममित रूप से एक दूसरे से सुपरिचित हों। इस तरह के सामंजस्य की कमी डेटाबेस की संगतता जांच, विश्लेषण और संयोजन को रोकती है।

उदाहरण के लिए, निर्धारण वर्ष 2019-20 में आयकर के प्रयोजनों के लिए कंपनियों द्वारा दाखिल की गयी। आईटीआर 6 से, यह प्रकट हुआ कि सभी कंपनियों का कुल राजस्व 219 लाख करोड़ रुपए के लगभग था, जबकि उनकी बाह्य आपूर्ति पर कुल अप्रत्यक्ष करों का भुगतान केवल लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए था। इससे प्रथमदृष्टया पता चलता है कि औसत आउटपुट कर की दर 0.8 प्रतिशत है (सरल शब्दों में कहा जाए तो चूँकि कुल राजस्व में कुछ ऐसी मदें हो सकती हैं जिन पर अप्रत्यक्ष कर नहीं लगता होगा)। हालांकि, आईटीआर6 के अनुसार कुल जीएसटी का भुगतान केवल 0.28 लाख करोड़ रुपए (केंद्रीय जीएसटी जमा राज्य जीएसटी) था। इसकी तुलना में कुल 1.29 लाख करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स का भुगतान किया गया था, जिसमें से इनपुट पर दिया गया कुल 0.38 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का भुगतान किया गया था। इसकी तुलना में, जीएसटीआर-3 बी के आंकड़ों के अनुसार, एक साथ कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट इकाइयों की कर योग्य आपूर्ति पर सकल कर देयता 40 लाख करोड़ रुपए थी और संघ एवं राज्य सरकार की निवल कर प्राप्ति वित्त वर्ष 2018-19 में 12 लाख करोड़ रुपए के करीब थी (निर्धारण वर्ष 2019-20, कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में)। यहां तक कि इस तथ्य को छोड़ते हुए कि गैर-कॉर्पोरेट इकाइयां भी जीएसटी में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ऊपर की गणना से संकेत मिलता है कि वर्तमान में जीएसटी डेटाबेस और आयकर डेटाबेस पूरी तरह से संगत नहीं हैं।

ज्यादातर मामलों में, यह होता है कि कंपनियों द्वारा चुकाए गए अप्रत्यक्ष करों का हिसाब सीधे उनके तुलन पत्रों में किया जाता है, न कि उनकी लाभ और हानि विवरणी के माध्यम से। अतः कॉर्पोरेट कर विवरणियों में सूचित अप्रत्यक्ष कर भुगतान, संघ एवं राज्य सरकारों के वास्तविक संग्रहण से मेल नहीं खाता है। कर सूचना प्रणाली की ऐसी कमियों को दूर करने की जरूरत है।

## आईटी रिटर्न डेटा और राष्ट्रीय लेखा- कुछ संकेत

आयकर रिटर्न में दर्ज आय और राष्ट्रीय लेखाओं से अनुमानित आय की तुलना करना उपयोगी होता है। उपयुक्त समायोजन द्वारा दोनों को एक-दूसरे के लगभग बराबर होना चाहिए। चूँकि ये दोनों डेटासेट विभिन्न दृष्टिकोणों से आय ज्ञात करते हैं, अतः पूर्ण मिलान संभव नहीं है। नीचे दी गई तालिका, दोनों डेटासेट के बीच व्यापक सामंजस्य का प्रयास करती है।

क	आयकर विवरणी (नुकसान की भरपाई से पहले) के तहत सूचित सकल कुल आय: 2017-18	(लाख करोड़ रु.)
1	वेतन	20.0
2	घरेलू क्षेत्र में गैर-वेतन आय (संपत्ति, व्यवसाय, पूंजीगत लाभ)	17.0
3	कॉर्पोरेट्स का व्यापार और अन्य आय	16.4
4	आयकर विवरणी में सूचित समस्त आय का योग (क1 + क2+ क3)	53.4
ख	राष्ट्रीय लेखाओं में रिपोर्ट की गई आय (कर्मचारियों का पारिश्रमिक + प्रचालन अधिशेष/मिश्रित आय) (लाख करोड़ रुपये): 2017-18	(लाख करोड़ रु.)
1	सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में उत्पन्न कुल आय	76.3
	जिसमें से,	
1.क	निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रचालन अधिशेष	36.7
1.ख	सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र में कर्मचारियों का पारिश्रमिक	39.6
2	घरेलू क्षेत्र में स्वरोजगार की प्रचालन अधिशेष / मिश्रित आय (सभी व्यापारिक संस्थाएं जो कॉर्पोरेट क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं और कृषि से उत्पन्न आय को छोड़कर)	26.4
3	ख 1+ ख 2	102.7
ग	तुलनात्मक चर: (क) क1 और ख.1.ख; (ख) क2 और ख2; (ग) क3 और ख.1.क	प्रतिशत में
स्पष्टीकरण		
1	(क1/ख1.ख) *100: (आईटी रिटर्न के तहत वेतन, इसे, राष्ट्रीय लेखाओं द्वारा अनुमानित संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का पारिश्रमिक द्वारा विभाजित किया गया): <i>संकेत और चेतावनी:</i> राष्ट्रीय लेखाओं में, कर्मचारियों के पारिश्रमिक को रेजीडेंट उत्पादकों द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी तथा अपने कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अंशदान के लिए भुगतान के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। उपरोक्त अनुपात के आधार पर, यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि वेतन आय का लगभग 50 प्रतिशत कर अपवंचना कर रहा है, क्योंकि वहाँ कर सीमा और व्यक्तिगत आयकर के तहत छूट का एक जटिल सेट है	50.5

	<p>जो किसी भी निष्कर्ष को मुश्किल बनाता है। हालांकि, यह देखते हुए कि हमने इस अनुपात में केवल संगठित क्षेत्र की आय की ही गणना की है, यह वांछनीय है कि कटौती और छूट के सरलीकरण के माध्यम से आयकर आधार को और विस्तारित तथा गहन किया जाए।</p>	
2	<p><math>(\text{क2/ख2}) * 100</math>: (घरेलू क्षेत्र में गैर-वेतन आय, आईटी रिटर्न के तहत सूचित, इसे घरेलू क्षेत्र में स्वरोजगार की प्रचालन अधिशेष / मिश्रित आय द्वारा विभाजित किया गया)</p> <p><i>संकेत और चेतावनी</i>: स्व-नियोजित (गैर-कृषि) मिश्रित आय को स्वयं खाता श्रमिकों की मजदूरी आय और अनिगमित उद्यमों के मुनाफे और लाभांश के रूप में परिभाषित किया गया है। यह ध्यान दिया जाए कि गैर-कृषि घरेलू क्षेत्र (9.76 लाख करोड़ रुपये) में काम पर रखे गए कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन इसमें शामिल नहीं है। डेटा सीमाओं के कारण इस खंड में राष्ट्रीय लेखाओं और आईटी रिटर्न के बीच पूर्ण स्थिरता स्थापित नहीं की जा सकती है। हालांकि इस अनुपात में, कर अपवंचना ब्रैकेट में देखे गए आय को आबद्ध करने से सुधार आना चाहिए।</p>	64.4
3	<p><math>(\text{क3/ख.1.क}) * 100</math>: (आईटी रिटर्न के तहत सूचित की गई कॉर्पोरेटों की व्यापारिक और अन्य आय, इसे निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालन अधिशेष द्वारा विभाजित किया गया)</p> <p><i>संकेत और चेतावनी</i> : प्रचालन अधिशेष को इस रूप में परिभाषित किया गया है: उत्पादकों के मूल्यों पर सकल आउटपुट घटा मध्यवर्ती खपत घटा कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति घटा नियत पूंजी उपभोग घटा निवल अप्रत्यक्ष कर। किराया और ब्याज का भुगतान प्रचालन अधिशेष का हिस्सा है, जबकि यह कंपनियों द्वारा अपने आईटी रिटर्न में रिपोर्ट की गई सकल कुल आय का हिस्सा नहीं है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार, कंपनियों के किराये और ब्याज भुगतान लगभग 6.1 लाख करोड़ रुपये थे। साथ ही, प्राप्ति बजट 2019-20 के अनुसार, 2017-18 में कॉर्पोरेट करदाताओं को प्रमुख कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव 1.20 लाख करोड़ रुपये था। 2017-18 में 29.49 प्रतिशत की प्रभावी कर</p>	44.7

<p>दर को देखते हुए, यह कारपोरेट लाभ 4.1 लाख करोड़ रुपये है। राष्ट्रीय लेखाओं और आईटी रिटर्न डेटा के बीच तुलना सुनिश्चित करने के लिए, निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रचालन अधिशेष, राष्ट्रीय लेखाओं में 36.7 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से कंपनियों द्वारा किराये और ब्याज भुगतान के रूप में 6.1 लाख करोड़ रुपये कम किया गया है और आईटी रिटर्न में कंपनियों द्वारा रिपोर्ट की गई कुल 16.4 लाख करोड़ रुपये की कुल आय में 4.1 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। कॉलम 3 में प्रस्तुत 44.7 प्रतिशत के मुकाबले दोनों के बीच पुनर्कलित अनुपात 67.0 प्रतिशत <math>((16.4+4.1) / (36.7-6.1))</math> है। गणना में मिसिंग लिंक हो सकते हैं, जिनका सामंजस्य केवल कर विशेषज्ञों और राष्ट्रीय आय विशेषज्ञों द्वारा स्थापित किया जा सकता है, लेकिन पुनर्गणना अनुपात इशारा करती है कि छूट और रियायतों को व्यवस्थित करने की बहुत आवश्यकता है।</p>	
--	--

ऊपर दी गई तालिका अध्याय 5 के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक को मजबूत करती है कि कर सूचना प्रणाली, प्रशासन और नीति में सुधार के साथ, प्रत्यक्ष कर से जीडीपी अनुपात में काफी वृद्धि हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपभोग-आधारित करों पर अधिक निर्भरता, जो कर प्रणाली की प्रगतिशीलता को कम करती है, को आय और संपत्ति-आधारित कराधान के आधार को विस्तारित करके कम किया जाना चाहिए। सरकार के विभिन्न स्तरों को आय और संपत्ति-आधारित कराधान के लिए अपनी संवैधानिक अधिकारों की समीक्षा करनी चाहिए और प्रत्येक अप्रयुक्त कर शक्ति की व्यवहार्यता का आकलन करना चाहिए, ताकि कर आधार का क्षरण और कर भुगतान की चोरी को रोका जा सके। जहां भी कराधान शक्तियों का अनुप्रयुक्त विचलन सरकार के तीसरे स्तर पर संसाधन जुटाने में बाधा डालता है, विशेष रूप से परिसंपत्ति-आधारित करों में, ऐसे विचलन करने का अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए और स्थानीय प्रशासनिक क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए।

## संभावित हाउस टैक्स के निर्देशात्मक अनुमान -2019

(करोड़ रु.)

	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
आंध्र प्रदेश	1368	852
अरुणाचल प्रदेश	52	14
असम	1766	326
बिहार	4256	590
छत्तीसगढ़	1325	350
गोवा	72	87
गुजरात	1793	1560
हरियाणा	1179	683
हिमाचल प्रदेश	582	43
झारखंड	1159	409
कर्नाटक	2232	1885
केरल	2300	2462
मध्य प्रदेश	2322	1159
महाराष्ट्र	3067	2465
मणिपुर	163	71
मेघालय	134	32
मिजोरम	42	50
नागालैंड	87	37
ओडिशा	1146	358
पंजाब	1652	1050
राजस्थान	2784	1055
सिक्किम	35	10
तमिलनाडु	2114	2382
तेलंगाना	950	950
त्रिपुरा	155	50
उत्तराखंड	510	275
उत्तर प्रदेश	6494	2,414
पश्चिम बंगाल	2420	1566
<b>सभी राज्य</b>	<b>42160</b>	<b>23184</b>

नोट- उपर्युक्त गणनाएं मकानों की गुणवत्ता एवं प्रकार के अनुसार नहीं है; अतः अनुमान संकेतिक हैं।

आबादी और जनसांख्यिकीय निष्पादन

राज्य	आबादी		आबादी का पारस्परिक अंश 2011(%)	आबादी (जनगणना 1971) मिलियन में	टीएफआर (जनगणना -2011)	जनसांख्यिकीय निष्पादन		पारस्परिक अंश (%)
	आबादी (जनगणना 2011) मिलियन में	टीएफआर (जनगणना -2011)				टीएफआर (जनगणना -2011)	f*Pop 1971	
आंध्र प्रदेश	49.577103	4.208	27.685000	1.60	0.63	17.303	6.635	
अरुणाचल प्रदेश	1.383727	0.117	0.467511	2.24	0.45	0.209	0.080	
असम	31.205576	2.649	14.625152	2.16	0.46	6.771	2.596	
बिहार	104.09945	8.836	42.126236	2.93	0.34	14.378	5.513	
छत्तीसगढ़	25.545198	2.168	11.637494	2.43	0.41	4.789	1.836	
गोवा	1.458545	0.124	0.795120	1.56	0.64	0.510	0.195	
गुजरात	60.439692	5.130	26.697475	2.03	0.49	13.151	5.043	
हरियाणा	25.351462	2.152	10.036431	2.32	0.43	4.326	1.659	
हिमाचल प्रदेश	6.864602	0.583	3.460434	1.74	0.57	1.989	0.763	
झारखंड	32.988134	2.800	14.227133	2.61	0.38	5.451	2.090	
कर्नाटक	61.095297	5.186	29.299014	1.81	0.55	16.187	6.207	
केरल	33.406061	2.835	21.347375	1.79	0.56	11.926	4.573	
मध्य प्रदेश	72.626809	6.164	30.016625	2.63	0.38	11.413	4.376	
महाराष्ट्र	112.37433	9.538	50.412235	1.91	0.52	26.394	10.120	
मणिपुर	2.855794	0.242	1.072753	1.86	0.54	0.577	0.221	
मेघालय	2.966889	0.252	1.011699	3.63	0.28	0.279	0.107	
मिजोरम	1.097206	0.093	0.332390	2.56	0.39	0.130	0.050	
नागालैंड	1.978502	0.168	0.516449	2.08	0.48	0.248	0.095	
ओडिशा	41.974218	3.563	21.944615	1.98	0.51	11.083	4.250	
पंजाब	27.743338	2.355	13.551060	1.86	0.54	7.286	2.793	
राजस्थान	68.548437	5.818	25.765806	2.80	0.36	9.202	3.528	
सिक्किम	0.610577	0.052	0.209843	1.44	0.69	0.146	0.056	
तमिलनाडु	72.147030	6.124	41.199168	1.58	0.63	26.075	9.998	
तेलंगाना	35.003674	2.971	15.818000	1.67	0.60	9.472	3.632	
त्रिपुरा	3.673917	0.312	1.556342	1.73	0.58	0.900	0.345	
उत्तर प्रदेश	199.81234	16.959	83.848797	2.61	0.38	32.126	12.318	
उत्तराखण्ड	10.086292	0.856	4.492724	2.13	0.47	2.109	0.809	
पश्चिम बंगाल	91.276115	7.747	44.312011	1.68	0.60	26.376	10.113	
<b>सभी राज्य</b>	<b>1178.1903</b>	<b>100</b>	<b>538.464892</b>	<b>2.17</b>		<b>260.805</b>	<b>100</b>	

स्रोत: जनगणना 2011, भारत के महसूल विभाग

नोट: पहले की सूचिका के लिए, अनुलमक में दर्शाई गई संख्याओं को निश्चित दशमलव अंकों में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, परिकलन के प्रयोजन के लिए संपूर्ण संख्या का उपयोग किया गया है।

अनुलग्नक 6.2  
(पैरा 6.45)

## क्षेत्रफल

राज्य	श्रेणी	क्षेत्रफल - ( '000 वर्ग कि.मी.)	क्षेत्रफल - पारस्परिक अंश (%)	समायोजित क्षेत्रफल - पारस्परिक अंश (%)
आंध्र प्रदेश		162.923	5.334	4.572
अरुणाचल प्रदेश		83.743	2.742	2.350
असम		78.438	2.568	2.201
बिहार		94.163	3.083	2.643
छत्तीसगढ़		135.192	4.426	3.794
गोवा	लघु	3.702	0.121	2.000
गुजरात		196.244	6.425	5.508
हरियाणा	लघु	44.212	1.448	2.000
हिमाचल प्रदेश	लघु	55.673	1.823	2.000
झारखंड		79.716	2.610	2.237
कर्नाटक		191.791	6.279	5.383
केरल	लघु	38.852	1.272	2.000
मध्य प्रदेश		308.252	10.093	8.651
महाराष्ट्र		307.713	10.075	8.636
मणिपुर	लघु	22.327	0.731	2.000
मेघालय	लघु	22.429	0.734	2.000
मिजोरम	लघु	21.081	0.690	2.000
नागालैंड	लघु	16.579	0.543	2.000
ओडिशा		155.707	5.098	4.370
पंजाब	लघु	50.362	1.649	2.000
राजस्थान		342.239	11.205	9.605
सिक्किम	लघु	7.096	0.232	2.000
तमिलनाडु		130.06	4.258	3.650
तेलंगाना		112.122	3.671	3.147
त्रिपुरा	लघु	10.486	0.343	2.000
उत्तर प्रदेश		240.928	7.888	6.762
उत्तराखंड	लघु	53.483	1.751	2.000
पश्चिम बंगाल		88.752	2.906	2.491
<b>सभी राज्य</b>		<b>3054.265</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

स्रोत: भारतीय सर्वेक्षण विभाग

वन और पारिस्थितिकी

राज्य	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	बहुत सघन वन (बीडी)	मामूली सघन वन (एमडी)	खुला वन (ओएफ)	सघन वन (बीडी + एमडी)	वन एवं पारिस्थितिकी का पारस्परिक अंश (एफसीआई) (%)
आंध्र प्रदेश	162923	1994	13938	13205	15932	4.103
अरुणाचल प्रदेश	83743	21095	30557	15036	51652	13.302
असम	78438	2795	10279	15253	13074	3.367
बिहार	94163	333	3280	3693	3613	0.930
छत्तीसगढ़	135192	7068	32198	16345	39266	10.112
गोवा	3702	538	576	1123	1114	0.287
गुजरात	196244	378	5092	9387	5470	1.409
हरियाणा	44212	28	451	1123	479	0.123
हिमाचल प्रदेश	55673	3113	7126	5195	10239	2.637
झारखंड	79716	2603	9687	11321	12290	3.165
कर्नाटक	191791	4501	21048	13026	25549	6.580
केरल	38852	1935	9508	9701	11443	2.947
मध्य प्रदेश	308252	6676	34341	36465	41017	10.563
महाराष्ट्र	307713	8721	20572	21485	29293	7.544
मणिपुर	22327	905	6386	9556	7291	1.878
मेघालय	22429	489	9267	7363	9756	2.513
मिजोरम	21081	157	5801	12048	5958	1.534
नागालैंड	16579	1273	4534	6679	5807	1.496
ओडिशा	155707	6970	21552	23097	28522	7.345
पंजाब	50362	8	801	1040	809	0.208
राजस्थान	342239	78	4342	12210	4420	1.138
सिक्किम	7096	1102	1552	688	2654	0.683
तमिलनाडु	130060	3605	11030	11729	14635	3.769
तेलंगाना	112122	1608	8787	10187	10395	2.677
त्रिपुरा	10486	654	5236	1836	5890	1.517
उत्तर प्रदेश	240928	2617	4080	8109	6697	1.725
उत्तराखंड	53483	5047	12805	6451	17852	4.598
पश्चिम बंगाल	88752	3019	4160	9723	7179	1.849
<b>सभी राज्य</b>	<b>3054265</b>	<b>89310</b>	<b>298986</b>	<b>293074</b>	<b>3882296</b>	<b>100</b>

स्रोत: स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (2019), भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग



आय में अंतर

राज्य	तुलनात्मक जीएसडीपी (रु. करोड़ में)			आकलित आबादी			प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रु.)			समायोजित अंतर (d)	di * POPi 2011	पारस्परिक अंश (%)	
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19				रैंक
आंध्र प्रदेश	686562	779840	868782	50743000	51041000	51341000	135302	152787	169218	14	73111	3624646	3.069
अरुणाचल प्रदेश	19625	22549	24315	1547000	1579000	1611000	126859	142803	150929	15	85350	118101	0.100
असम	248959	283165	315881	33529000	33762000	34137000	74252	83871	92533	24	141995	4431031	3.752
बिहार	417155	458357	522224	113638000	116996000	118778000	36709	39177	43966	28	185596	19320444	16.361
छत्तीसगढ़	261006	282329	318573	27933000	28384000	28842000	93440	99468	110455	20	124426	3178491	2.692
गोवा	64418	69347	73159	1516000	1527000	1536000	424922	454137	476294	1	20433	29802	0.025
गुजरात	1089874	1216689	1333668	65049000	66624000	67550000	167547	182620	197434	11	43013	2599708	2.201
हरियाणा	553192	631744	698830	27423000	27811000	28206000	201725	227156	247759	3	20433	518000	0.439
हिमाचल प्रदेश	131803	143859	154430	7210000	7233000	7280000	182806	198893	212129	6	27604	189492	0.160
झारखंड	236250	269816	297204	36121000	36646000	37180000	65405	73628	7936	26	152557	5032577	4.262
कर्नाटक	1209146	1326402	1490657	64900000	65606000	66319000	186309	202177	224771	5	21128	1290822	1.093
केरल	634571	701484	787209	34322100	34493200	34665600	184887	203369	227087	4	20433	682578	0.578
मध्य प्रदेश	612729	690973	780099	79472000	80614000	81756000	77100	85714	95418	22	139470	10129238	8.577
महाराष्ट्र	2163633	2319529	2571477	119393000	120535000	121677000	181219	192436	211336	10	30550	3432994	2.907
मणिपुर	22824	25831	27915	3223900	3294300	3366100	70795	78410	82931	25	148168	423138	0.358
मेघालय	26473	28214	32167	3341000	3413000	3487000	79235	82667	92248	23	140830	417827	0.354
मिजोरम	16595	19568	22786	1214000	1175000	1186000	136697	166539	192121	12	60428	66302	0.056
नागालैंड	21708	24331	28392	2077000	2077000	2099000	104518	117145	135265	16	106571	210851	0.179
ओडिशा	389249	440090	491968	43234000	43415000	43596000	90033	101368	112847	19	124131	5210294	4.412
पंजाब	422157	473014	529607	29833500	30224100	30619900	141504	156502	172962	13	68557	1902012	1.611
राजस्थान	751027	822604	916491	74260000	75333000	76420000	101135	109196	119928	17	115461	7914650	6.702
सिक्किम	20840	26256	29214	647000	654000	660000	322100	401468	442641	2	20433	12476	0.011
तमिलनाडु	1308573	1473026	1627230	74841000	75195000	75548000	174847	195894	215390	9	30170	2176662	1.843
तेलंगाना	651651	749191	845503	37505000	37881000	38260000	173751	197775	220989	7	28042	981580	0.831
त्रिपुरा	38754	42911	48023	3894000	3933000	3973000	99524	109105	120874	18	115713	425119	0.360
उत्तर प्रदेश	1290777	1435933	1607328	217505000	220836000	224217000	59345	65023	71686	27	160196	32009082	27.105
उत्तराखंड	194173	219534	236720	10869000	11016000	11164000	178648	199286	212039	8	28889	291385	0.247
पश्चिम बंगाल	869110	968302	1084348	96491000	97456000	98430000	90072	99358	110164	21	125682	11471792	9.714
<b>सभी राज्य</b>	<b>14352836</b>	<b>15944888</b>	<b>17764200</b>	<b>1261731500</b>	<b>1278753600</b>	<b>1293904600</b>	<b>113755</b>	<b>124691</b>	<b>137291</b>			<b>118091093</b>	<b>100</b>

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, से तुलनात्मक जीएसडीपी और अनुमानित जनसंख्या आंकड़े

अनुलानक 6.5  
(पैरा 6.5.6)

कर प्रयास

राज्य	प्रति व्यक्ति स्वयं का कर राजस्व (रु.)			प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रु.)			कर/जीएसडीपी (t) (%)	t*Pop	पारस्परिक अंश (%)		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19					
अंध्र प्रदेश	8707	9695	11303	9902	135302	152787	169218	152436	6.50	3220388	4.336
अरुणाचल प्रदेश	4581	5165	6630	5459	126859	142803	150929	140197	3.89	53877	0.073
असम	3603	3914	4665	4061	74252	83871	92533	83552	4.86	1516607	2.042
बिहार	2089	1978	2476	2181	36709	39177	43966	39951	5.46	5682760	7.651
छत्तीसगढ़	6782	7009	7429	7074	93440	99468	110455	101121	7.00	1786928	2.406
गोवा	28108	30985	50454	36516	424922	454137	476294	451784	8.08	117887	0.159
गुजरात	9907	10739	11858	10835	167547	182620	197434	182534	5.94	3587565	4.830
हरियाणा	12408	14778	15097	14094	201725	227156	247759	225547	6.25	1584179	2.133
हिमाचल प्रदेश	9763	9827	10402	9997	182806	198893	212129	197943	5.05	346703	0.467
झारखंड	3682	3371	3968	3674	65405	73628	79936	72990	5.03	1660277	2.235
कर्नाटक	12782	13281	14601	13555	186309	202177	224771	204419	6.63	4051084	5.454
केरल	12288	13469	14609	13456	184887	203369	227087	205114	6.56	2191463	2.950
मध्य प्रदेश	5561	5559	6237	5786	77100	85714	95418	86077	6.72	4881533	6.572
महाराष्ट्र	11443	13932	15404	13593	181219	192436	211336	194997	6.97	7833503	10.546
मणिपुर	1820	2401	3108	2443	70795	78410	82931	77379	3.16	90154	0.121
मेघालय	3550	4249	5143	4314	79235	82667	92248	84717	5.09	151073	0.203
मिजोरम	3639	4646	6127	4804	136697	166539	192121	165119	2.91	31924	0.043
नागालैंड	2459	3073	4033	3188	104518	117145	135265	118976	2.68	53019	0.071
ओडिशा	5286	6430	6954	6223	90033	101368	112847	101416	6.14	2575674	3.468
पंजाब	9301	10066	10312	9893	141504	156502	172962	156989	6.30	1748247	2.354
राजस्थान	5975	6718	7509	6734	101135	109196	119928	110086	6.12	4192976	5.645
सिक्किम	10086	10525	13529	11380	322100	401468	442641	388736	2.93	17874	0.024
तमिलनाडु	11483	12466	13969	12639	174847	195894	215390	195377	6.47	4667354	6.284
तेलंगाना	12907	14920	16904	14910	173751	197775	220989	197505	7.55	2642564	3.558
त्रिपुरा	3652	3616	4445	3904	99524	109105	120874	109834	3.55	130589	0.176
उत्तर प्रदेश	3952	4410	5357	4573	59345	65023	71686	65351	7.00	13983008	18.825
उत्तराखंड	10026	9227	10917	10057	178648	199286	212039	196658	5.11	515805	0.694
पश्चिम बंगाल	4712	5410	6170	5431	90072	99358	110164	99865	5.44	4963550	6.682
<b>सभी राज्य</b>										<b>74278565</b>	<b>100</b>

स्रोत: स्वयं के कर राजस्व के लिए - संबंधित वर्ष के लिए राज्यों का वित्तीय लेखा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, से प्राप्त जनसंख्या के अनुमानित आंकड़े।

## राज्य अधिनियमों के आधार पर संपत्ति कर उपबंधों का सारांश

मानदंड	राज्य अधिनियमों के संख्या जिनमें संबद्ध उपबंध हैं	राज्यों का नाम
--------	---	----------------

## संपत्तियों की गणना: संपत्ति रजिस्ट्रों का सृजन एवं रखरखाव

संपत्ति रजिस्ट्रों का अवधिक रूप से संशोधन	19	1. आंध्र प्रदेश (केवल नगर निगम) 2. छत्तीसगढ़ 3. गोवा 4. गुजरात 5. हरियाणा (केवल नगर निगम) 6. हिमाचल प्रदेश 7. जम्मू एवं कश्मीर 8. कर्नाटक (केवल नगर निगम) 9. केरल 10. मध्य प्रदेश 11. ओडिशा 12. तमिलनाडु (केवल नगरपालिकाएं) 13. उत्तर प्रदेश 14. उत्तराखंड 15. पश्चिम बंगाल 16. मेघालय 17. सिक्किम 18. नागालैंड 19. मणिपुर
---	----	--

## मूल्य-निर्धारण (Valuation)

मूल्य-निर्धारण की पूंजी मूल्य विधि का	2	1. कर्नाटक (बैंगलूरु को छोड़कर, सभी शहरी स्थानीय निकाय)
---------------------------------------	---	---

अनुपालन करना		2.	नागालैंड
मूल्य-निर्धारण की यूनिट क्षेत्रफल मूल्य विधि का अनुपालन करना	9	1.	गुजरात
		2.	हिमाचल प्रदेश
		3.	जम्मू एवं कश्मीर
		4.	केरल
		5.	दिल्ली
		6.	ओडिशा
		7.	मिजोरम
		8.	त्रिपुरा
		9.	सिक्किम
मूल्य-निर्धारण की वार्षिक किराया मूल्य विधि का अनुसरण करना	12	1.	आंध्र प्रदेश
		2.	बिहार
		3.	छत्तीसगढ़
		4.	गोवा
		5.	हरियाणा
		6.	झारखंड
		7.	मध्य प्रदेश
		8.	तमिलनाडु
		9.	उत्तर प्रदेश
		10.	उत्तराखंड
		11.	असम (गुवाहटी नगर निगम अधिनियम)
		12.	मेघालय
मूल्य-निर्धारण की न्यूनतम दर प्रणाली	1	1.	पंजाब
मूल्य-निर्धारण कार्यप्रणाली के लिए	4	1.	महाराष्ट्र (पूंजीगत मूल्य या वार्षिक किराया मूल्य)

बहु-विकल्प उपलब्ध कराना

2. राजस्थान (यूनिट एरिया आधारित विधि या कोई अन्य विधि)
3. तेलंगाना (पूंजीगत मूल्य या वार्षिक मूल्य या कोई भी निर्धारित विधि)
4. पश्चिम बंगाल (वार्षिक मूल्य या पूंजीगत मूल्य, जहां वार्षिक किराया मूल्य का अनुमान नहीं किया जा सकता है)

राज्य अधिनियम, जहां मूल्य-निर्धारण कार्यप्रणाली स्पष्ट नहीं है या उसका वर्णन नहीं किया गया है।

2

1. मणिपुर (स्पष्ट नहीं है)
2. अरूणाचल प्रदेश (वर्णन नहीं किया गया है)

अधिनियम में संपत्ति कर के न्यूनतम मूल्य को अधिसूचित करना

13

1. आंध्र प्रदेश (केवल नगर पालिका)
2. बिहार
3. छत्तीसगढ़
4. गुजरात (केवल नगर निगम)
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. ओडिशा
11. तमिलनाडु (केवल चैन्नई)
12. उत्तर प्रदेश (केवल नगर निगम)
13. उत्तराखंड (केवल नगर निगम)

कर दरों का आवधिक संशोधन	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. झारखंड</li> <li>2. कर्नाटक</li> <li>3. केरल</li> </ol>
-------------------------	---	--

### संपत्ति कर बोर्ड/नगरपालिका मूल्य-निर्धारण समितियां

संपत्ति कर बोर्ड की मौजूदगी	17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आंध्र प्रदेश (केवल नगरपालिकाएं)</li> <li>2. बिहार</li> <li>3. जम्मू एवं कश्मीर</li> <li>4. उत्तराखंड</li> <li>5. कर्नाटक (केवल नगर निगम)</li> <li>6. महाराष्ट्र (केवल नगर निगम)</li> <li>7. दिल्ली</li> <li>8. ओडिशा</li> <li>9. तमिलनाडु</li> <li>10. तेलंगाना</li> <li>11. पश्चिम बंगाल</li> <li>12. मेघालय</li> <li>13. मिजोरम</li> <li>14. त्रिपुरा</li> <li>15. सिक्किम</li> <li>16. नागालैंड</li> <li>17. मणिपुर</li> </ol>
-----------------------------	----	---

संपत्ति कर बोर्ड के कार्यों को राज्य अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

16 तेलंगाना को छोड़कर, उन सभी राज्यों में वर्णित जहां संपत्ति कर बोर्ड मौजूद है।

संपत्ति कर का निर्धारण

स्व-निर्धारण के लिए प्रावधान	16	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बिहार</li> <li>2. पंजाब</li> <li>3. छत्तीसगढ़</li> <li>4. हरियाणा</li> <li>5. जम्मू एवं कश्मीर</li> <li>6. उत्तराखंड</li> <li>7. कर्नाटक (केवल नगरपालिकाएं)</li> <li>8. आंध्र प्रदेश</li> <li>9. दिल्ली</li> <li>10. ओडिशा</li> <li>11. तेलंगाना</li> <li>12. उत्तर प्रदेश</li> <li>13. उत्तराखंड</li> <li>14. पश्चिम बंगाल</li> <li>15. मिजोरम</li> <li>16. सिक्किम</li> </ol>
------------------------------	----	---

निर्धारण की लेखापरीक्षा के लिए प्रक्रिया (स्व-निर्धारण या नगरपालिका/नगर निगम द्वारा किया गया निर्धारण)	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. गोवा (केवल नगरपालिकाएं)</li> </ol>
--	---	--

स्व-निर्धारणों को विलंब से प्रस्तुत करने हेतु शास्ति का प्रावधान	11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. बिहार</li> <li>2. पंजाब</li> <li>3. छत्तीसगढ़</li> <li>4. हरियाणा</li> </ol>
--	----	--

5. जम्मू एवं कश्मीर
6. उत्तराखंड
7. मध्य प्रदेश (केवल नगरपालिकाएं)
8. दिल्ली
9. तेलंगाना
10. उत्तर प्रदेश (केवल नगर निगम)
11. उत्तराखंड (केवल नगर निगम)

राजस्व व्यय के आकलन के लिए छूट दी गई संपत्तियों के संपत्ति कर परिकलन करने हेतु प्रावधान की संभाव्यता 0

#### बिलिंग एवं संग्रह

संपत्ति कर संग्रह डाटा या डिफॉल्टर के डाटा के प्रकटन के लिए प्रावधान 0

भुगतान नहीं करने या विलंब से करने के लिए शास्ति का प्रावधान 19

1. पंजाब
2. गुजरात (केवल नगर निगम)
3. हरियाणा (केवल नगर निगम)
4. हिमाचल प्रदेश (केवल नगर निगम)
5. कर्नाटक
6. मध्य प्रदेश (केवल नगरपालिकाएं)
7. दिल्ली
8. ओडिशा
9. तमिलनाडु (केवल चैन्नई नगर निगम)
10. तेलंगाना



11. उत्तर प्रदेश (केवल नगर निगम)
12. उत्तराखंड (केवल नगर निगम)
13. पश्चिम बंगाल
14. अरूणाचल प्रदेश
15. गुवाहाटी नगर निगम
16. मेघालय
17. मिजोरम
18. त्रिपुरा
19. नागालैंड

स्रोत: जनाग्रह द्वारा किया गया अध्ययन

### राज्य-वार अनुदानों को निर्धारित करने के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली

		पंचाट अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति वर्ष अनुदान (करोड़ रुपए)					कुल अनुदान
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		
स्टेप 1	67015	69421	71240	75453	74731	357860	
स्टेप 2	आरएलबी और यूएलबी की हिस्सेदारी						
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान	
	(आरएलबी:	(आरएलबी:	(आरएलबी:	(आरएलबी:	(आरएलबी:		
	यूएलबी	यूएलबी	यूएलबी	यूएलबी	यूएलबी		
	67:33)	67:33)	66:34)	66:34)	65:35)		
	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	
	44901	22114	46513	22908	47018	24222	
	49800	25653	48573	26158	236805	121055	
स्टेप 3	आबादी के लिए 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल के लिए 10 प्रतिशत भारांक के आधार पर सभी राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी						
स्टेप 4	आरएलबी एवं यूएलबी हेतु प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदानों को स्टेप 3 में इंगित हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित किया गया है।						
स्टेप 5	प्रत्येक राज्य के भीतर यूएलबी अनुदानों को मिलियन-प्लस एवं मिलियन-प्लस शहरों के अलावा अन्य शहरों के बीच उनकी संबंधित आबादी के आधार पर पुनःविभाजित किया गया है।						

### उदाहरण - उत्तर प्रदेश

		पंचाट अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति वर्ष अनुदान करोड़ रु.					कुल अनुदान
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26		
स्टेप 1	67015	69421	71240	75453	74731	357860	
स्टेप 2	आरएलबी और यूएलबी की हिस्सेदारी						
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान	
	(आरएलबी:	(आरएलबी:	(आरएलबी:	(आरएलबी:	(आरएलबी:		
	यूएलबी	यूएलबी	यूएलबी	यूएलबी	यूएलबी		
	67:33)	67:33)	66:34)	66:34)	65:35)		
	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	
	44901	22114	46513	22908	47018	24222	
	49800	25653	48573	26158	236805	121055	
स्टेप 3	आबादी के लिए 90 प्रतिशत और क्षेत्रफल के लिए 10 प्रतिशत भारांक के आधार पर सभी राज्यों की पारस्परिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी - 16.052						

स्टेप 4 आरएलबी एवं यूएलबी हेतु प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक वर्ष अनुदानों को स्टेप 3 में इंगित हिस्सेदारी के आधार पर निर्धारित किया गया है।

2021-22 (आरएलबी: यूएलबी 67:33)	2022-23 (आरएलबी: यूएलबी 67:33)	2023-24 (आरएलबी: यूएलबी 66:34)	2024-25 (आरएलबी: यूएलबी 66:34)	2025-26 (आरएलबी: यूएलबी 65:35)	कुल अनुदान
---	---	---	---	---	------------

आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी	आरएलबी	यूएलबी
7208	355	7466	3677	7547	3888	7994	4118	7797	4199	38012	19432

स्टेप 5 प्रत्येक राज्य के भीतर यूएलबी अनुदानों को मिलियन-प्लस एवं मिलियन-प्लस शहरों के अलावा अन्य शहरों के बीच उनकी संबंधित आबादी के आधार पर पुनःविभाजित किया गया है।

आबादी मिलियन में		
मिलियन-प्लस शहरों की आबादी	मिलियन-प्लस के अलावा शहर	कुल आबादी
14.03 (क)	32.1(ख)	46.1(ग)

उत्तर प्रदेश	अनुदान (करोड़ रु.)					कुल
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	
कुल यूएलबी अनुदान (घ)	3550	3677	3888	4118	4199	19432
मिलियन-प्लस #	1080	1119	1183	1253	1278	5913
मिलियन-प्लस के अलावा##	2470	2558	2705	2865	2921	13519

#क/ग\*घ  
## ख/ग\*घ

आबादी और क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों की हिस्सेदारी

राज्य	आबादी 2011 (मिलियन में )	क्षेत्रफल ( '000 वर्ग कि.मी.)	आबादी अंश	क्षेत्रफल अंश	राज्य-वार अंश (आरएलबी)	राज्य-वार अंश (यूएलबी)
आंध्र प्रदेश	49.58	162.92	4.21	5.33	4.32	4.32
अरुणाचल प्रदेश	1.38	83.74	0.12	2.74	0.38	0.38
असम	31.21	78.44	2.65	2.57	2.64	2.64
बिहार	104.1	94.16	8.84	3.08	8.26	8.26
छत्तीसगढ़	25.55	135.19	2.17	4.43	2.39	2.39
गोवा	1.46	3.70	0.12	0.12	0.12	0.12
गुजरात	60.44	196.24	5.13	6.43	5.26	5.26
हरियाणा	25.35	44.21	2.15	1.45	2.08	2.08
हिमाचल प्रदेश	6.86	55.67	0.58	1.82	0.71	0.71
झारखंड	32.99	79.72	2.80	2.61	2.78	2.78
कर्नाटक	61.1	191.79	5.19	6.28	5.29	5.29
केरल	33.41	38.85	2.84	1.27	2.68	2.68
मध्य प्रदेश	72.63	308.25	6.16	10.09	6.56	6.56
महाराष्ट्र	112.37	307.71	9.54	10.07	9.59	9.59
मणिपुर	2.86	22.33	0.24	0.73	0.29	0.29
मेघालय	2.97	22.43	0.25	0.73	0.30	0.30
मिजोरम	1.1	21.08	0.09	0.69	0.15	0.15
नागालैंड	1.98	16.58	0.17	0.54	0.21	0.21
ओडिशा	41.97	155.71	3.56	5.10	3.72	3.72
पंजाब	27.74	50.36	2.35	1.66	2.29	2.29
राजस्थान	68.55	342.24	5.82	11.21	6.36	6.36
सिक्किम	0.61	7.10	0.05	0.23	0.07	0.07
तमिलनाडु	72.15	130.06	6.12	4.26	5.94	5.94
तेलंगाना	35	112.12	2.97	3.67	3.04	3.04
त्रिपुरा	3.67	10.49	0.31	0.34	0.31	0.31
उत्तर प्रदेश	199.81	240.93	16.96	7.89	16.05	16.05
उत्तराखंड	10.09	53.48	0.86	1.75	0.95	0.95
पश्चिम बंगाल	91.28	88.75	7.75	2.91	7.26	7.26
<b>सभी राज्य</b>	<b>1178.19</b>	<b>3054.27</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष-वार अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22 (आएलबी: 67:33)		2022-23 (आएलबी: 67:33)		2023-24 (आएलबी: 66:34)		2024-25 (आएलबी: 66:34)		2025-26 (आएलबी: 65:35)		कुल	
	अनुदान आएलबी	अनुदान यूएलबी	अनुदान आएलबी	अनुदान यूएलबी	अनुदान आएलबी	अनुदान यूएलबी	अनुदान आएलबी	अनुदान यूएलबी	अनुदान आएलबी	अनुदान यूएलबी	कुल आएलबी	कुल यूएलबी
आंध्र प्रदेश	1939	956	2010	990	2031	1046	2152	1109	2099	1130	10231	5231
अरुणाचल प्रदेश	170	84	177	87	179	92	189	97	185	99	900	459
असम	1186	584	1228	605	1241	640	1315	677	1283	691	6253	3197
बिहार	3709	1827	3842	1892	3884	2001	4114	2119	4012	2160	19561	9999
छत्तीसगढ़	1075	530	1114	549	1125	580	1192	614	1163	627	5669	2900
गोवा	55	27	57	28	58	30	62	32	61	32	293	149
गुजरात	2362	1163	2446	1205	2473	1274	2619	1349	2555	1376	12455	6367
हरियाणा	935	461	968	477	979	504	1036	534	1011	544	4929	2520
हिमाचल प्रदेश	317	156	329	162	332	171	352	181	343	185	1673	855
झारखंड	1249	615	1293	637	1307	674	1385	713	1351	728	6585	3367
कर्नाटक	2377	1171	2463	1213	2490	1282	2637	1358	2572	1385	12539	6409
केरल	1203	592	1246	613	1260	649	1334	687	1301	701	6344	3242
मध्य प्रदेश	2944	1450	3050	1502	3083	1588	3265	1682	3185	1716	15527	7938
महाराष्ट्र	4307	2121	4461	2197	4510	2323	4776	2461	4659	2509	22713	11611
मणिपुर	131	64	135	67	137	71	145	75	142	76	690	353
मेघालय	135	66	140	69	141	73	149	77	146	78	711	363
मिजोरम	69	34	71	35	72	37	76	39	74	40	362	185
नागालैंड	92	45	96	47	97	50	102	53	99	54	486	249
ओडिशा	1669	822	1728	851	1747	900	1851	953	1805	972	8800	4498
पंजाब	1026	505	1062	523	1074	553	1138	586	1110	597	5410	2764
राजस्थान	2854	1406	2957	1456	2989	1540	3166	1631	3087	1663	15053	7696
सिक्किम	31	15	33	16	33	17	35	18	33	18	165	84
तमिलनाडु	2666	1313	2761	1360	2791	1438	2957	1523	2884	1553	14059	7187
तेलंगाना	1365	672	1415	697	1430	737	1514	780	1477	796	7201	3682
त्रिपुरा	141	70	147	72	148	76	157	81	153	82	746	381
उत्तर प्रदेश	7208	3550	7466	3677	7547	3888	7994	4118	7797	4199	38012	19432
उत्तराखंड	425	209	440	217	445	229	471	243	458	247	2239	1145
पश्चिम बंगाल	3261	1606	3378	1664	3415	1759	3617	1863	3528	1900	17199	8792
सभी राज्य	44901	22114	46513	22908	47018	24222	49800	25653	48573	26158	236805	121055

शहरी स्थानीय निकायों के लिए वर्ष-वार अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	श्रेणी I					श्रेणी II (मिलियन-प्लस शहरों के अलावा शहर)					कुल अनुदान	
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल अनुदान	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25		2025-26
आंध्र प्रदेश	204	211	223	237	241	1116	752	779	823	872	889	4115
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	84	87	92	97	99	459
असम	0	0	0	0	0	0	584	605	640	677	691	3197
बिहार	309	320	338	358	365	1690	1518	1572	1663	1761	1795	8309
छत्तीसगढ़	163	169	178	189	193	892	367	380	402	425	434	2008
गोवा	0	0	0	0	0	0	27	28	30	32	32	149
गुजरात	612	634	671	710	724	3351	551	571	603	639	652	3016
हरियाणा	74	76	81	85	87	403	387	401	423	449	457	2117
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	156	162	171	181	185	855
झारखंड	241	249	264	279	285	1318	374	388	410	434	443	2049
कर्नाटक	421	436	461	488	498	2304	750	777	821	870	887	4105
केरल	256	265	281	297	303	1402	336	348	368	390	398	1840
मध्य प्रदेश	452	468	495	524	535	2474	998	1034	1093	1158	1181	5464
महाराष्ट्र	1199	1242	1313	1391	1418	6563	922	955	1010	1070	1091	5048
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	64	67	71	75	76	353
मेघालय	0	0	0	0	0	0	66	69	73	77	78	363
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	34	35	37	39	40	185
नागालैंड	0	0	0	0	0	0	45	47	50	53	54	249
ओडिशा	0	0	0	0	0	0	822	851	900	953	972	4498
पंजाब	135	140	148	157	160	740	370	383	405	429	437	2024
राजस्थान	425	440	466	493	503	2327	981	1016	1074	1138	1160	5369
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	15	16	17	18	18	84
तमिलनाडु	420	435	460	487	497	2299	893	925	978	1036	1056	4888
तेलंगाना	354	367	388	411	419	1939	318	330	349	369	377	1743
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	70	72	76	81	82	381
उत्तर प्रदेश	1080	1119	1183	1253	1278	5913	2470	2558	2705	2865	2921	13519
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	209	217	229	243	247	1145
पश्चिम बंगाल	633	656	693	734	749	3465	973	1008	1066	1129	1151	5327
<b>कुल</b>	<b>6978</b>	<b>7227</b>	<b>7643</b>	<b>8093</b>	<b>8255</b>	<b>38196</b>	<b>15136</b>	<b>15681</b>	<b>16579</b>	<b>17560</b>	<b>17903</b>	<b>82859</b>

अनुलग्नक 7.6 (जारी)  
(पैरा 7.106)  
(करोड़ रु.)

मिलियन प्लस शहरी एग्लोमरेशन के लिए अनुदान

राज्य/यू.ए.	आबादी (मिलियन में)	कुल अनुदान (रु. करोड़)	एस डब्ल्यू.एम एवं स्वच्छता	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	वायु गुणवत्ता	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
<b>आंध्र प्रदेश</b>	<b>3.21</b>	<b>1116</b>	<b>745</b>	<b>136</b>	<b>141</b>	<b>149</b>	<b>158</b>	<b>161</b>	<b>371</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>80</b>
विजयवाड़ा यू. ए.	1.48	514	344	63	65	69	73	74	170	31	32	34	36	37
विशाखापट्टनम	1.73	602	401	73	76	80	85	87	201	37	38	40	43	43
<b>बिहार</b>	<b>2.05</b>	<b>1690</b>	<b>1126</b>	<b>206</b>	<b>213</b>	<b>225</b>	<b>239</b>	<b>243</b>	<b>564</b>	<b>103</b>	<b>107</b>	<b>113</b>	<b>119</b>	<b>122</b>
पटना यू. ए.	2.05	1690	1126	206	213	225	239	243	564	103	107	113	119	122
<b>छत्तीसगढ़</b>	<b>2.18</b>	<b>892</b>	<b>595</b>	<b>109</b>	<b>113</b>	<b>118</b>	<b>126</b>	<b>129</b>	<b>297</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>64</b>
दुर्ग भिलाई नगर यू. ए.	1.06	433	289	53	55	57	61	63	144	26	27	29	31	31
रायपुर यू. ए.	1.12	459	306	56	58	61	65	66	153	28	29	31	32	33
<b>गुजरात</b>	<b>14.16</b>	<b>3351</b>	<b>2235</b>	<b>408</b>	<b>422</b>	<b>448</b>	<b>474</b>	<b>483</b>	<b>1116</b>	<b>204</b>	<b>212</b>	<b>223</b>	<b>236</b>	<b>241</b>
अहमदाबाद यू. ए.	6.36	1504	1003	183	189	201	213	217	501	92	95	100	106	108
राजकोट यू. ए.	1.39	329	219	40	42	44	46	47	110	20	21	22	23	24
सूरत यू. ए.	4.59	1087	725	132	137	145	154	157	362	66	69	72	77	78
वड़ोदरा यू. ए.	1.82	431	288	53	54	58	61	62	143	26	27	29	30	31
<b>हरियाणा</b>	<b>1.41</b>	<b>403</b>	<b>269</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>134</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
फरीदाबाद	1.41	403	269	49	51	54	57	58	134	25	25	27	28	29
<b>झारखंड</b>	<b>3.67</b>	<b>1318</b>	<b>879</b>	<b>161</b>	<b>166</b>	<b>176</b>	<b>186</b>	<b>190</b>	<b>439</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>95</b>
धनबाद यू. ए.	1.2	432	289	53	54	58	61	63	143	26	27	29	30	31
जमशेदपुर यू. ए.	1.34	481	321	59	61	64	68	69	160	29	30	32	34	35
रांची यू. ए.	1.13	405	269	49	51	54	57	58	136	25	26	27	29	29
<b>कर्नाटक</b>	<b>8.52</b>	<b>2304</b>	<b>1536</b>	<b>281</b>	<b>291</b>	<b>307</b>	<b>325</b>	<b>332</b>	<b>768</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>154</b>	<b>163</b>	<b>166</b>
वृहत बंगलौर यू. ए.	8.52	2304	1536	281	291	307	325	332	768	140	145	154	163	166
<b>मध्यप्रदेश</b>	<b>6.43</b>	<b>2474</b>	<b>1649</b>	<b>301</b>	<b>311</b>	<b>330</b>	<b>350</b>	<b>357</b>	<b>825</b>	<b>151</b>	<b>157</b>	<b>165</b>	<b>174</b>	<b>178</b>
भोपाल यू. ए.	1.89	726	485	88	91	97	103	106	241	44	46	48	51	52
ग्वालियर यू. ए.	1.1	425	283	52	53	57	60	61	142	26	27	28	30	31
इंदौर यू. ए.	2.17	835	556	102	105	111	118	120	279	51	53	56	59	60
जबलपुर यू. ए.	1.27	488	325	59	62	65	69	70	163	30	31	33	34	35

राज्य/यू.ए.	आबादी (मिलियन में)	कुल अनुदान (₹. करोड़)	एस डब्ल्यू एम एवं स्वच्छता	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	चायु गुणवत्ता	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
<b>महाराष्ट्र</b>	<b>29.92</b>	<b>6563</b>	<b>4375</b>	<b>799</b>	<b>827</b>	<b>875</b>	<b>928</b>	<b>946</b>	<b>2188</b>	<b>400</b>	<b>415</b>	<b>438</b>	<b>463</b>	<b>472</b>
औरंगाबाद यू. ए.	1.19	262	175	32	33	35	37	38	87	16	17	17	18	19
ग्रेटर मुंबई यू. ए.	18.39	4031	2687	490	508	537	571	581	1344	246	254	269	285	290
नागपुर यू. ए.	2.5	548	365	67	69	73	77	79	183	33	35	37	39	39
नासिक यू. ए.	1.56	343	228	42	43	46	48	49	115	21	22	23	24	25
पुणे यू. ए.	5.06	1110	740	135	140	148	157	160	370	68	70	74	78	80
वसाई-विरार शहर	1.22	269	180	33	34	36	38	39	89	16	17	18	19	19
<b>पंजाब</b>	<b>2.8</b>	<b>740</b>	<b>492</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>248</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>
अमृतसर यू. ए.	1.18	312	207	38	39	41	44	45	105	19	20	21	22	23
लुधियाना	1.62	428	285	52	54	57	61	61	143	26	27	29	30	31
<b>राजस्थान</b>	<b>5.19</b>	<b>2327</b>	<b>1553</b>	<b>284</b>	<b>294</b>	<b>311</b>	<b>328</b>	<b>336</b>	<b>774</b>	<b>141</b>	<b>146</b>	<b>155</b>	<b>165</b>	<b>167</b>
जोधपुर यू. ए.	1.14	510	340	62	64	68	72	74	170	31	32	34	36	37
जयपुर	3.05	1368	913	167	173	183	193	197	455	83	86	91	97	98
कोटा	1	449	300	55	57	60	63	65	149	27	28	30	32	32
<b>तमिलनाडु</b>	<b>13.27</b>	<b>2299</b>	<b>1655</b>	<b>303</b>	<b>313</b>	<b>331</b>	<b>350</b>	<b>358</b>	<b>644</b>	<b>117</b>	<b>122</b>	<b>129</b>	<b>137</b>	<b>139</b>
चैन्नई यू. ए.	8.65	1497	997	183	189	199	211	215	500	91	95	100	106	108
कोयम्बतूर यू. ए.	2.13	369	369	67	70	74	78	80						
मडुरै यू. ए.	1.47	254	170	31	32	34	36	37	84	15	16	17	18	18
तिरुचिरापल्ली यू.ए.	1.02	179	119	22	22	24	25	26	60	11	11	12	13	13
<b>तेलंगाणा</b>	<b>7.68</b>	<b>1939</b>	<b>1293</b>	<b>236</b>	<b>245</b>	<b>259</b>	<b>274</b>	<b>279</b>	<b>646</b>	<b>118</b>	<b>122</b>	<b>129</b>	<b>137</b>	<b>140</b>
हैदराबाद यू. ए.	7.68	1939	1293	236	245	259	274	279	646	118	122	129	137	140
<b>उत्तर प्रदेश</b>	<b>14.03</b>	<b>5913</b>	<b>3943</b>	<b>720</b>	<b>746</b>	<b>788</b>	<b>836</b>	<b>853</b>	<b>1970</b>	<b>360</b>	<b>373</b>	<b>395</b>	<b>417</b>	<b>425</b>
आगरा यू. ए.	1.76	742	495	90	94	99	105	107	247	45	47	50	52	53
इलाहाबाद यू. ए.	1.21	510	340	62	64	68	72	74	170	31	32	34	36	37
गाजियाबाद यू. ए.	2.38	1002	668	122	126	134	142	144	334	61	63	67	71	72
कानपुर यू. ए.	2.92	1233	822	150	156	164	174	178	411	75	78	82	87	89
लखनऊ यू. ए.	2.9	1223	815	149	154	162	173	177	408	75	77	82	86	88
मेरठ यू. ए.	1.42	599	400	73	76	80	85	86	199	36	38	40	42	43
वाराणसी यू. ए.	1.43	604	403	74	76	81	85	87	201	37	38	40	43	43



राज्य/यू.ए.	आबादी (मिलियन में)	कुल अनुदान (रु. करोड़)	एस. डब्ल्यू.एस. एवं स्वच्छता	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	वायु गुणवत्ता <sup>1</sup>	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
<b>पश्चिम बंगाल</b>	<b>15.3</b>	<b>3465</b>	<b>2310</b>	<b>422</b>	<b>437</b>	<b>462</b>	<b>489</b>	<b>500</b>	<b>1155</b>	<b>211</b>	<b>219</b>	<b>231</b>	<b>245</b>	<b>249</b>
आसनसोल यू. ए.	1.24	283	189	34	36	38	40	41	94	17	18	19	20	20
कोलकाता यू. ए.	14.06	3182	2121	388	401	424	449	459	1061	194	201	212	225	229
<b>केरल</b>	<b>12.14</b>	<b>1402</b>	<b>1402</b>	<b>256</b>	<b>265</b>	<b>281</b>	<b>297</b>	<b>303</b>						
कन्नूर यू. ए.	1.64	189	189	35	36	38	39	41						
कोच्चि यू. ए.	2.12	245	245	45	46	49	52	53						
कोल्लम यू. ए.	1.11	128	128	23	24	26	27	28						
कोझीकोड यू. ए.	2.03	235	235	43	44	47	50	51						
मल्लापुरम यू. ए.	1.7	196	196	36	37	39	42	42						
तिरुवनंतपुरम यू. ए.	1.68	194	194	35	37	39	41	42						
त्रिशूर यू. ए.	1.86	215	215	39	41	43	46	46						
<b>कुल</b>	<b>141.9</b>	<b>38196</b>	<b>26057</b>	<b>4761</b>	<b>4928</b>	<b>5212</b>	<b>5522</b>	<b>5634</b>	<b>12139</b>	<b>2217</b>	<b>2299</b>	<b>2431</b>	<b>2571</b>	<b>2621</b>

<sup>1</sup> पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, परिवर्ती वायु गुणवत्ता मिलियन-प्लस आबादी के साथ आठ एग्लोमरेशन, यानी केरल में कन्नूर, कोच्चि, कोल्लम, कोझीकोड, मलापुरम, तिरुवनंतपुरम एवं त्रिचूर और तमिलनाडु में कोयंबटूर में कोई समस्या नहीं है। चूंकि ये शहर प्रदूषक प्रदूषण के लिए एनएएमपी श्रेणियों से काफी नीचे हैं, उनके कुल अनुदानों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-स्टार-रेटिंग, पेयजल, जल पुनःकरण वर्षा जल संयोजन के संबंध में सेवा-स्वीय बचतकों से संबद्ध किया जाएगा।

राज्य-वार छावनी बोर्ड

क्र. सं.	राज्य का नाम	छावनी का नाम	2011 की जनणना के अनुसार आबादी के आंकड़े
1	बिहार	दानापुर	28149
2	गुजरात	अहमदाबाद	14345
3	हरियाणा	अंबाला	55370
4	हिमाचल प्रदेश	बकलोह	1805
		डगशाई	2904
		डलहौजी	3549
		जुतोघ	2062
		कसौली	3885
		खसौल	12028
		सुबाथु	3685
5	झारखंड	रामगढ़	88781
6	कर्नाटक	बेलगाम	19411
7	केरल	कैनानोर	4798
8	मध्य प्रदेश	जबलपुर	72257
		महू	69281
		मोरार	48464
		पचमढ़ी	12062
		सागर	32475
9	महाराष्ट्र	अहमदनगर	28986
		औरंगाबाद	18051
		देहू रोड	48961
		देवलाली	54027
		कामटी	12457
		किरकी	70399
		पुणे	71831
10	मेघालय	शिलांग	11919
11	पंजाब	अमृतसर	10410
		फिरोजपुर	53199
		जालंधर	47845

12	राजस्थान	अजमेर	3530
		नसीराबाद	50804
13	तमिलनाडु	सेंट थॉमस माउंट	43795
		वेलिंगटन	19462
14	तेलंगाना	सिकंदराबाद	217910
15	उत्तर प्रदेश	आगरा	53137
		इलाहाबाद	39684
		बबीना	27852
		बरेली	30005
		फैजाबाद	12391
		फतेहगढ़	14786
		झांसी	28343
		कानपुर	108534
		लखनऊ	63003
		मथुरा	25603
		मेरठ	93684
		शाहजहांपुर	18116
		वाराणसी	14119
16	उत्तराखंड	अल्मोड़ा	2231
		चकराता	5117
		क्लेमेंट टाउन	22577
		देहरादून	52716
		लेन्दोर	3543
		लैसडाउन	5667
		नैनीताल	1398
		रानीखेत	18886
17	पश्चिम बंगाल	रुड़की	14356
		बैरकपुर	17322
		जलपहाड़	1711
		लेबोंग	1397
<b>कुल</b>			<b>1915075</b>

## वायु गुणवत्ता पैरामीटर की निगरानी और वित्तपोषण के लिए फ्रेमवर्क

- क. प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढीकरण
- ख. वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण
- ग. कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन
- घ. वायु गुणवत्ता में सुधार का मापन

नोट: उपरोक्त पैरामीटरों हेतु कार्यकलापों के लिए संघटक/एलीमेंट्स अनुलग्नक 7.8 क में दिए गए हैं।

### तालिका: 1 शहर के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए सापेक्ष भारांक

पैरामीटर	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढीकरण	10	-	-	-	-
वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण	10	-	-	-	-
कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन	10	-	-	-	-
वायु गुणवत्ता में सुधार का मापन	70	100	100	100	100
<b>कुल</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### तालिका 2: शहरों के लिए निधि का आबंटन (निष्पादन आधारित)

शहर का स्कोर	उत्तरवर्ती वर्षों में निधि आवंटन (%) 2021-2022 से
80-100	100
60-80	75
50-60	50
40-50	25
40 से कम	शून्य

## वायु गुणवत्ता प्रबंधन के तत्त्व (एलीमेंट्स)

- क. प्रदूषण निगरानी क्रियाविधि का सुदृढीकरण
- वायु गुणवत्ता निगरानी (एक्यूएम) प्रकोष्ठ को कार्यशील बनाना।
  - आईटी-समर्थित वायु गुणवत्ता डाटा प्रबंधन प्रणाली।
  - लोक शिकायत निवारण पोर्टल, आपातकालीन रिस्पोंस एवं जागरूकता कार्यक्रम तथा शहर की कार्य योजनाओं की समीक्षा और प्रगति सहित समन्वय समिति द्वारा समीक्षा करना।
- ख. वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण
- संवेदनशील स्थानों सहित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करने हेतु वायु गुणवत्ता प्रोफाइलिंग।
  - सोर्स अपॉर्शन्मेंट स्टडी और एक उत्कृष्ट एमीशन इन्वेंट्री की स्थापना और ट्रेकिंग सिस्टम।
  - आईटी आधारित एमीशन इनवेंट्री सिस्टम का विकास।
- ग. कार्ययोजनाओं की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन
- कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन और अपडेशन।
  - वाहनों के लिए पीयूसी की निगरानी।
  - अवसंरचना योजना और उसकी स्थापना (CAAQMS/ मेनुअल AQMs)।
- घ. वायु गुणवत्ता सुधारों का मापन और मूल्यांकन
- वायु प्रदूषण स्तरों में गिरावट (प्रदूषक प्रदार्थ) (ब्यौरा अनुलग्नक 7.8 ख पर है)।
  - एक्यूआई स्तरों को पार करने की बारंबारता (अनुलग्नक 7.8 ख)।
- अनिवार्य कार्यकलाप/शर्तें:
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पहचान की गई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा तृतीय पक्षकार (थर्ड पार्टी) मूल्यांकन।
  - यूएलबी वेबसाइट पर डेडिकेटेड लिंक और भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, डाटा और सावर्जनिक पटल पर अन्य पहलुओं की रिपोर्टिंग।
  - जनसाधारण तक डाटा का प्रसार।

## वायु गुणवत्ता प्रबंधन के तत्त्व

'D' के लिए मिश्रित निष्पादन कारक का निर्धारण करने के लिए पैरामीटर्स

### I. प्रदूषक प्रदार्थ

1. अंतर्राष्ट्रीय रीति के आधार पर, किसी शहर की वायु गुणवत्ता की मूल विशेषताओं को परिलक्षित करने हेतु 98 प्रतिशत मान (वैल्यू) पर विचार किया जा सकता है और इस मान में कोई भी गिरावट सुधार का सूचक होगा।
2. वर्ष के सभी सामान्य दिनों में पाई गई अधिकतम PM सघनता (PM 98) के 90 प्रतिशत मान से कम प्रतिशत गिरावट को निम्न प्रकार ग्रेड दिया जाएगा:

#### तालिका क

क्र. सं.	गिरावट (%) रेंज (PM98)	सुधार
1	15 और इससे अधिक	उच्च
2	<15	न्यून

3. सामान्य दिवसों को प्रत्येक शहर द्वारा प्रत्येक मौसम के लिए महत्वपूर्ण मौसम विज्ञान पैरामीटरों के सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर मौसम विज्ञान विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

### II. एक्वूआई स्तर

1. प्रति वर्ष निगरानी किए गए कुल सामान्य दिवसों की कुल संख्या में से एक्वू आई (मध्यम-200) को पार करने वाले दिनों की ग्रेडिंग निम्न प्रकार की जाएगी:
2. अच्छे दिन - AQI < 200;

#### तालिका ख

क्र. सं.	अच्छे दिनों में बढ़ोत्तरी (%)	सुधार
1	15 और इससे अधिक	उच्च
2	<15	न्यून

एक्यूआई की निगरानी में उन उपयुक्त भारांकों के साथ निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, जिन्हें किसी निश्चित शहरी एग्लोमरेशन में वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किया गया हो:

3. खुले में कूड़ा-कचरा जलाने और कचराभराव स्थलों में जलाए गए कूड़े से निकलने वाले रासायनिक प्रदार्थ की निगरानी और एक ऐप का विकास, जिससे नागरिकों को तस्वीरों के साथ रिपोर्टिंग करने की सुविधा मिल सके।
4. प्रत्येक शहर में अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र में रिसाव (प्रोसेस-ट्रेसिंग) का पता लगाना कि अपशिष्ट प्रबंधन में ब्रेकडाउन कहां आया है।

### वायु गुणवत्ता प्रबंधन के तत्त्व

#### D के लिए मिश्रित निष्पादन कारक

क्र. सं.	गिरावट (%) रेंज (PM 98) (तालिका 'क' से)	अच्छे दिनों में वृद्धि (%) (तालिका 'ख' से)	निष्पादन कारक
1	उच्च	उच्च	100
2	न्यून	उच्च	75
3	उच्च	न्यून	50
4	न्यून	न्यून	25

<b>सेवा स्तरीय बैचमार्क</b>
<b>जलापूर्ति</b>
पाइप लाईन के जरिए जलापूर्ति से कवर किए गए परिवार
प्रति व्यक्ति प्रति दिन आपूर्ति किया गया जल (लीटर में)
गैर-राजस्व जल की आपूर्ति में गिरावट
<b>जल संरक्षण उपाय</b>
वर्षा जल संचयन
जल का पुनःउपयोग/पुनर्चक्रण
जल निकायों का पुनरुद्धार
<b>ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ भारत मिशन को कायम रखने के परिणाम</b>
कूड़ा-कचरा (गारबेज) मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग
सावर्जनिक / सामुदायिक शौचालयों के लिए जलापूर्ति की कवरेज

## शहरों की स्टार रेटिंग<sup>2</sup>

शहरों के लिए गारबेज मुक्त स्टार रेटिंग सत्यापन केवल 1,3,5 और 7 स्टार के लिए की गई है। शहरों को ऑनलाइन एमआईएस और शहर की प्रोफाइल पर समस्त डाटा भरना होगा, जिसका बाद में उपयोग ओडीफ/ओडीफ+/ओडीएफ++ सत्यापनों सहित संपूर्ण प्रमाणन तथा स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। शहरों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे कुछ निर्धारित पैरामीटरों एवं मार्किंग कार्यविधि के आधार पर किसी भी स्टार के सापेक्ष स्वयं को घोषित करें। राज्य मिशन निदेशालय से औपचारिक अनुरोध प्राप्त करने के पश्चात, आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुबंधित एजेंसी द्वारा थर्ड पार्टी सत्यापन कराया जाए। औपचारिक अनुरोध की प्राप्ति के बाद प्रथम स्तर के मूल्यांकन में शहरों के दावों तथा उसके समर्थन में दस्तावेजों का डैस्कटॉप मूल्यांकन किया जाता है। किसी शहर के दावों के समर्थन में दिए गए किसी दस्तावेज/डाटा को निरस्त करने से पहले एक टाइम विंडो दी जाती है और शहर के दावे का भौतिक

<sup>2</sup> आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से इनपुट।



प्रमाणन प्रतिदर्श (sample) आधार पर किया जाता है। जियो-टैगिंग के साथ भौतिक प्रमाणन की सभी तस्वीरों/फोटों को पोर्टल में अपलोड किया जाता है। डैस्कटॉप मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात थर्ड पार्टी एजेंसी शहर में जाकर प्रत्यक्ष रूप से स्थिति का जायजा लेकर उसका प्रमाणन करती है, और किसी शहर को किसी भी स्टार के रूप में सत्यापित करने से पहले नागरिकों द्वारा दी गई फीडबैक के साथ प्रत्येक पैरामीटर के लिए औचक रूप से लिए गए प्रतिदर्शी (sampled) जांच करती है।

किसी शहर के लिए किसी भी स्टार की घोषणा करने हेतु इस संबंध में कुछ अनिवार्य पूर्व-शर्तें हैं:

- 1-स्टार: वैध ओडीएफ प्रमाणित
- 3-स्टार: वैध ओडीएफ + प्रमाणित ( अर्थात, सामुदायिक एवं सावर्जनिक शौचालयों की साफ-सफाई तथा उसे कायम रखने की सुनिश्चिता )
- 5-स्टार: वैध ओडीएफ ++ प्रमाणित ( अर्थात सामुदायिक एवं सावर्जनिक शौचालयों की साफ-सफाई और उसे कायम रखे जाने और मलीय गाद एवं कीचड़ को सुरक्षित रूप के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान को सुनिश्चित करना। )
- 7-स्टार: वैध ओडीएफ-एसएस प्रमाणित।

स्वच्छता संबंधी सभी पहलुओं को संपूर्णतावादी प्रक्रिया में कवर करने हेतु उपरोक्त सभी ओडीएफ प्रमाणन पुनः आवासान और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित गहन प्रोटोकॉल पर आधारित, और स्वतंत्र थर्ड पार्टी के माध्यम से प्रमाणित किए जाने के बाद सत्यापित किया जाना है।

विभिन्न घटकों/संकेतकों से संबद्ध विस्तृत स्कोरिंग मैट्रिक्स को नीचे तालिका में दिया गया है। प्रत्येक घटक के अंतर्गत, मार्किंग विभिन्न पैरामीटरों के अनुपालन स्तर के आधार पर लेवल 1, 2, 3 एवं 4 के लिए की गई है, और किसी शहर की समग्र मार्किंग प्राप्त करने हेतु एक उपयुक्त भारांक निर्धारित किया गया है। अनिवार्य, आवश्यक और वांछनीय के लिए कुल अंक/मार्क्स क्रमशः 1000, 1000 एवं 500 हैं। प्रत्येक घटक/संकेतक के लिए एक उपयुक्त भारांक दिया गया है। अनुपालन स्तर के तहत किसी खास घटक हेतु प्राप्त अंक के लिए उपयुक्त भारांक दिया जाएगा। अनिवार्य, आवश्यक और वांछनीय के तहत सही पाए गए शहर को तालिका में दिए गए वर्णन के आधार पर परखा जाएगा। उपरोक्त प्रत्येक संकेतक को नीचे दर्शाया गया है।

## घटक/शर्त

### अनिवार्य

वार्ड स्तर पर	M1	घर-घर से कूड़ा एकत्र करना
	M2	वार्ड स्तर पर पृथक्करण
	M3	झाड़ू लगाना
	M4	कचरा धानी (litter bins)
	M5	स्टोरेज बिनस
शहर स्तर पर	M6	अपशिष्ट प्रसंस्करण – गीला अपशिष्ट
	M7	अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता - गीला अपशिष्ट
	M8	अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता - गीला अपशिष्ट
	M9	अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता - सूखा अपशिष्ट
	M10	शिकायत निवारण

### आवश्यक

वार्ड स्तर पर	E1	भारी मात्रा में अपशिष्ट सृजक/जनरेटर
	E2	शास्ति / स्पॉट शास्ति
शहर स्तर पर	E3	शहर स्तर पर पृथक्करण
	E4	प्रयोक्ता शुल्क
	E5	प्लास्टिक पर प्रतिबंध
	E6	नवनिर्माण एवं पुराने निर्माण को गिराना (सी एवं डी) अपशिष्ट-संग्रह
	E7	साइंटिफिक लैंडफिल - उपलब्धता एवं उपयोग
	E8	साइंटिफिक लैंडफिल - निपटाया गया अपशिष्ट
	E9 (A)	जल निकायों और आंधी तूफान के साथ आई बरसात वाले नालों में कोई ठोस अपशिष्ट नहीं देखा जाना
	E9(B)	नालों की जांच

### वांछनीय

वार्ड स्तर पर	D1	संधारणीयता/कायम रखना
शहर स्तर पर	D2	ऑन-साइट गीले अपशिष्ट का प्रसंस्करण
	D3	सी एवं डी अपशिष्ट - स्टोरेज, पृथक्करण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण
	D4	सी एवं डी अपशिष्ट - सामग्रियों का उपायेग
	D5	कूड़ा फैके जाने वाले स्थल/डम्पसाइट का शोधन

**गारबेज मुक्त शहरों के लिए मैट्रिस्क - स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल**

**संकेतक**    1 स्टार (\*\*\*)    3 स्टार (\*\*\*)    5 स्टार (\*\*\*)    7 स्टार (\*\*\*)

**अनिवार्य**    कम से कम  
40% स्कोर    कम से कम  
60% स्कोर    कम से कम  
85% स्कोर    कम से कम  
95% स्कोर

**आवश्यक**    कम से कम  
30% स्कोर    कम से कम  
50% स्कोर    कम से कम  
80% स्कोर    कम से कम  
90% स्कोर

**वांछनीय -**    लागू नहीं    कम से कम  
30% स्कोर    कम से कम  
60% स्कोर    कम से कम  
80% स्कोर

कुल स्वास्थ्य अनुदान<sup>3</sup>

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	490	490	514	540	567	2601
अरुणाचल प्रदेश	49	49	51	54	56	259
असम	280	280	293	308	323	1484
बिहार	1133	1133	1190	1249	1312	6017
छत्तीसगढ़	339	339	356	373	392	1799
गोवा	31	31	33	35	37	167
गुजरात	629	629	661	694	728	3341
हरियाणा	305	305	320	335	352	1617
हिमाचल प्रदेश	98	98	103	108	114	521
झारखंड	446	446	469	492	517	2370
कर्नाटक	552	552	579	608	638	2929
केरल	559	559	587	616	647	2968
मध्य प्रदेश	923	923	969	1018	1069	4902
महाराष्ट्र	1331	1331	1397	1467	1541	7067
मणिपुर	44	44	46	49	51	234
मेघालय	59	59	61	64	68	311
मिजोरम	31	31	33	35	36	166
नागालैंड	57	57	60	63	66	303
ओडिशा	462	462	485	510	535	2454
पंजाब	401	401	421	443	465	2131
राजस्थान	833	833	875	918	964	4423
सिक्किम	21	21	22	23	24	111
तमिलनाडु	806	806	846	889	933	4280
तेलंगाना	419	419	441	463	486	2228
त्रिपुरा	85	85	90	94	99	453
उत्तर प्रदेश	1830	1830	1921	2017	2118	9716
उत्तराखंड	150	150	158	165	174	797
पश्चिम बंगाल	829	829	870	914	960	4402
<b>सभी राज्य</b>	<b>13192</b>	<b>13192</b>	<b>13851</b>	<b>14544</b>	<b>15272</b>	<b>70051</b>

<sup>3</sup> योग रजिस्ट्रिंग ऑफ के कारण मिलान न हो पाया।

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता-उप केंद्र  
(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	54.76	54.76	57.5	60.37	63.39	290.78
अरुणाचल प्रदेश	2.84	2.84	2.98	3.13	3.28	15.07
असम	46.93	46.93	49.28	51.74	54.33	249.21
बिहार	157.11	157.11	164.96	173.21	182.02	834.41
छत्तीसगढ़	39.19	39.19	41.15	43.21	45.37	208.11
गोवा	1.61	1.61	1.69	1.78	1.92	8.61
गुजरात	67.49	67.49	70.87	74.41	78.13	358.39
हरियाणा	25.48	25.48	26.75	28.09	29.49	135.29
हिमाचल प्रदेश	15.38	15.38	16.15	16.8	17.81	81.52
झारखंड	49.83	49.83	52.33	54.94	57.69	264.62
कर्नाटक	71.85	71.85	75.44	79.22	83.18	381.54
केरल	39.61	39.61	41.6	43.68	45.86	210.36
मध्य प्रदेश	102.61	102.61	107.74	113.13	118.78	544.87
महाराष्ट्र	103.91	103.91	109.11	114.56	120.29	551.78
मणिपुर	3.95	3.95	4.15	4.36	4.58	20.99
मेघालय	6.05	6.05	6.23	6.68	7.01	32.02
मिजोरम	2.72	2.72	2.86	3.08	3.15	14.53
नागालैंड	3.19	3.19	3.35	3.52	3.69	16.94
ओडिशा	61.72	61.72	64.81	68.05	71.45	327.75
पंजाब	26.23	26.23	27.54	29.11	30.36	139.47
राजस्थान	100.45	100.45	105.47	110.75	116.28	533.4
सिक्किम	1.3	1.3	1.36	1.43	1.5	6.89
तमिलनाडु	64.16	64.16	67.36	70.73	74.27	340.68
तेलंगाना	34.93	34.93	36.68	38.51	40.44	185.49
त्रिपुरा	7.16	7.16	7.61	7.89	8.28	38.1
उत्तर प्रदेश	255.7	255.7	268.48	281.91	296	1357.79
उत्तराखंड	13.6	13.6	14.28	14.99	15.74	72.21
पश्चिम बंगाल	97.39	97.39	102.26	107.37	112.74	517.15
<b>सभी राज्य</b>	<b>1457.15</b>	<b>1457.15</b>	<b>1529.99</b>	<b>1606.65</b>	<b>1687.03</b>	<b>7737.97</b>

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता - पीएचसी  
(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	57.61	57.61	60.49	63.55	66.92	306.18
अरूणाचल प्रदेश	6.96	6.96	7.31	7.68	8.06	36.97
असम	50.65	50.65	53.18	55.84	58.56	268.88
बिहार	172.79	172.79	181.42	190.5	200.22	917.72
छत्तीसगढ़	41.06	41.06	43.11	45.22	47.53	217.98
गोवा	1.17	1.17	1.23	1.29	1.39	6.25
गुजरात	71.88	71.88	75.48	79.25	83.21	381.7
हरियाणा	28.05	28.05	29.45	30.64	32.4	148.59
हिमाचल प्रदेश	28.54	28.54	29.96	31.46	33.04	151.54
झारखंड	52.55	52.55	55.17	57.93	60.83	279.03
कर्नाटक	103.58	103.58	108.76	114.2	119.91	550.03
केरल	49.58	49.58	52.06	54.66	57.39	263.27
मध्य प्रदेश	108.75	108.75	114.18	119.89	125.89	577.46
महाराष्ट्र	111.96	111.96	117.56	123.44	129.61	594.53
मणिपुर	4.38	4.38	4.6	4.83	5.08	23.27
मेघालय	6.04	6.04	6.34	6.46	6.99	31.87
मिजोरम	2.87	2.87	3.02	3.22	3.22	15.2
नागालैंड	6.14	6.14	6.44	6.76	7.1	32.58
ओडिशा	65.5	65.5	68.78	72.41	75.83	348.02
पंजाब	28.88	28.88	30.32	31.84	33.51	153.43
राजस्थान	116.25	116.25	122.06	128.16	134.57	617.29
सिक्किम	1.41	1.41	1.48	1.56	1.64	7.5
तमिलनाडु	69.25	69.25	72.71	76.35	80.17	367.73
तेलंगाना	35.6	35.6	37.49	39.48	41.21	189.38
त्रिपुरा	5.26	5.26	5.63	5.8	6.09	28.04
उत्तर प्रदेश	281.53	281.53	295.61	310.39	325.91	1,494.97
उत्तराखंड	12.52	12.52	13.14	13.8	14.49	66.47
पश्चिम बंगाल	106.02	106.02	111.32	116.88	122.73	562.97
<b>सभी राज्य</b>	<b>1626.78</b>	<b>1626.78</b>	<b>1708.30</b>	<b>1793.49</b>	<b>1883.50</b>	<b>8638.85</b>

## प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता - यूपीएचसी

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	14.29	14.29	15.21	15.84	16.63	76.26
अरूणाचल प्रदेश	3.07	3.07	3.3	3.38	3.55	16.37
असम	12.66	12.66	13.3	13.96	14.66	67.24
बिहार	43.2	43.2	45.36	47.63	50.01	229.4
छत्तीसगढ़	10.23	10.23	10.74	11.27	11.84	54.31
गोवा	0.24	0.24	0.26	0.27	0.28	1.29
गुजरात	17.63	17.63	18.51	19.44	20.41	93.62
हरियाणा	7.01	7.01	7.36	7.73	8.12	37.23
हिमाचल प्रदेश	4.24	4.24	4.45	4.67	4.91	22.51
झारखंड	13.1	13.1	13.75	14.44	15.16	69.55
कर्नाटक	16.02	16.02	16.82	17.66	18.55	85.07
केरल	11.05	11.05	11.61	12.19	12.8	58.7
मध्य प्रदेश	27.17	27.17	28.53	29.96	31.46	144.29
महाराष्ट्र	27.96	27.96	29.35	30.82	32.36	148.45
मणिपुर	1.12	1.12	1.17	1.23	1.29	5.93
मेघालय	1.51	1.51	1.59	1.67	1.75	8.03
मिजोरम	0.44	0.44	0.46	0.48	0.51	2.33
नागालैंड	1.02	1.02	1.08	1.13	1.19	5.44
ओडिशा	18.36	18.36	19.28	20.24	21.26	97.5
पंजाब	7.21	7.21	7.57	7.95	8.35	38.29
राजस्थान	27.81	27.81	29.2	30.66	32.19	147.67
सिक्किम	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.78
तमिलनाडु	18.75	18.75	19.69	20.67	21.7	99.56
तेलंगाना	8.86	8.86	9.31	9.77	10.26	47.06
त्रिपुरा	1.27	1.27	1.33	1.4	1.47	6.74
उत्तर प्रदेश	70.37	70.37	73.89	77.58	81.46	373.67
उत्तराखंड	3.26	3.26	3.42	3.6	3.78	17.32
पश्चिम बंगाल	26.49	26.49	27.82	29.21	30.67	140.68
<b>सभी राज्य</b>	<b>394.49</b>	<b>394.49</b>	<b>414.51</b>	<b>435.01</b>	<b>456.79</b>	<b>2095.29</b>

ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय अपेक्षाएं

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	134.42	134.42	141.14	148.2	155.61	713.79
अरूणाचल प्रदेश	22.94	22.94	24.09	25.29	26.56	121.82
असम	5.31	5.31	5.58	5.86	6.15	28.21
बिहार	49.47	49.47	51.94	54.54	57.27	262.69
छत्तीसगढ़	13.56	13.56	14.24	14.95	15.7	72.01
गोवा	2.41	2.41	2.53	2.66	2.79	12.8
गुजरात	50.31	50.31	52.82	55.46	58.24	267.14
हरियाणा	28.58	28.58	30	31.5	33.08	151.74
हिमाचल प्रदेश	1.85	1.85	1.95	2.05	2.15	9.85
झारखंड	24.44	24.44	25.66	26.95	28.29	129.78
कर्नाटक	38.23	38.23	40.15	42.15	44.26	203.02
केरल	30.59	30.59	32.12	33.72	35.41	162.43
मध्य प्रदेश	28.99	28.99	30.44	31.96	33.56	153.94
महाराष्ट्र	70.83	70.83	74.37	78.09	82	376.12
मणिपुर	14.09	14.09	14.79	15.53	16.31	74.81
मेघालय	9.25	9.25	9.72	10.2	10.71	49.13
मिजोरम	5.23	5.23	5.49	5.77	6.06	27.78
नागालैंड	14.89	14.89	15.63	16.42	17.24	79.07
ओडिशा	29.08	29.08	30.53	32.06	33.66	154.41
पंजाब	30.18	30.18	31.69	33.28	34.94	160.27
राजस्थान	27.4	27.4	28.77	30.21	31.72	145.5
सिक्किम	6.44	6.44	6.76	7.1	7.45	34.19
तमिलनाडु	77.47	77.47	81.35	85.42	89.69	411.4
तेलंगाना	118.52	118.52	124.45	130.67	137.21	629.37
त्रिपुरा	11.67	11.67	12.26	12.87	13.51	61.98
उत्तर प्रदेश	76.53	76.53	80.36	84.37	88.59	406.38
उत्तराखंड	2.22	2.22	2.33	2.44	2.57	11.78
पश्चिम बंगाल	69.22	69.22	72.69	76.32	80.14	367.59
<b>सभी राज्य</b>	<b>994.12</b>	<b>994.12</b>	<b>1043.85</b>	<b>1096.04</b>	<b>1150.87</b>	<b>5279.00</b>



## शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों (यूएचडब्ल्यूसी) के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	102.88	102.88	108.02	113.48	119.17	546.43
अरूणाचल प्रदेश	5.24	5.24	5.5	5.78	6.07	27.83
असम	69.93	69.93	73.43	77.1	80.95	371.34
बिहार	185.43	185.43	194.71	204.44	214.66	984.67
छत्तीसगढ़	133.88	133.88	140.58	147.6	154.99	710.93
गोवा	20.48	20.48	21.5	22.58	23.71	108.75
गुजरात	260.73	260.73	273.76	287.45	301.83	1384.5
हरियाणा	139.33	139.33	146.3	153.62	161.3	739.88
हिमाचल प्रदेश	1.41	1.41	1.48	1.56	1.64	7.5
झारखंड	119.21	119.21	125.17	131.42	138	633.01
कर्नाटक	122.93	122.93	129.08	135.54	142.31	652.79
केरल	322.22	322.22	338.34	355.25	373.01	1711.04
मध्य प्रदेश	427.83	427.83	449.22	471.68	495.27	2271.83
महाराष्ट्र	774.13	774.13	812.84	853.48	896.16	4110.74
मणिपुर	9.83	9.83	10.32	10.84	11.38	52.2
मेघालय	23.3	23.3	24.47	25.69	26.98	123.74
मिजोरम	12.01	12.01	12.61	13.24	13.9	63.77
नागालैंड	22.61	22.61	23.74	24.93	26.18	120.07
ओडिशा	89.19	89.19	93.65	98.34	103.25	473.62
पंजाब	241.75	241.75	253.83	266.52	279.85	1283.7
राजस्थान	106.49	106.49	111.82	117.41	123.28	565.49
सिक्किम	8.19	8.19	8.6	9.03	9.48	43.49
तमिलनाडु	356.48	356.48	374.3	393.01	412.67	1892.94
तेलंगाना	133.6	133.6	140.28	147.29	154.66	709.43
त्रिपुरा	41.68	41.68	43.76	45.95	48.25	221.32
उत्तर प्रदेश	424.55	424.55	445.83	468.07	491.47	2254.47
उत्तराखंड	81.57	81.57	85.65	89.93	94.42	433.14
पश्चिम बंगाल	287.92	287.92	302.31	317.43	333.3	1528.88
<b>सभी राज्य</b>	<b>4524.80</b>	<b>4524.80</b>	<b>4751.10</b>	<b>4988.66</b>	<b>5238.14</b>	<b>24027.50</b>

भवन रहित उपकेन्द्रों, एसएचसी, पीएचसी, सीएचसी के लिए अनुदान

(रु. करोड़ में)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	1.17	1.17	1.23	1.29	1.36	6.22
अरुणाचल प्रदेश	1.06	1.06	1.1	1.16	1.22	5.6
असम	13.32	13.32	13.98	14.69	15.41	70.72
बिहार	329.29	329.29	345.6	363	381.1	1748.27
छत्तीसगढ़	10.75	10.75	11.28	11.85	12.45	57.08
गोवा	1.54	1.54	1.61	1.7	1.78	8.18
गुजरात	1.17	1.17	1.24	1.29	1.36	6.23
हरियाणा	29.51	29.51	30.97	32.53	34.15	156.67
हिमाचल प्रदेश	2.68	2.68	2.81	2.96	3.11	14.24
झारखंड	118.54	118.54	124.41	130.67	137.19	629.35
कर्नाटक	10.06	10.06	10.56	11.09	11.64	53.41
केरल	0.5	0.5	0.52	0.55	0.58	2.64
मध्य प्रदेश	30.03	30.03	31.52	33.1	34.75	159.44
महाराष्ट्र	50.07	50.07	52.55	55.21	57.96	265.87
मणिपुर	2.03	2.03	2.12	2.24	2.35	10.78
मेघालय	3.21	3.21	3.37	3.54	3.72	17.06
मिजोरम	0.56	0.56	0.58	0.61	0.64	2.95
नागालैंड	1.03	1.03	1.08	1.13	1.19	5.46
ओडिशा	72.83	72.83	76.43	80.28	84.29	386.66
पंजाब	20.26	20.26	21.26	22.33	23.45	107.57
राजस्थान	191.39	191.39	200.87	210.98	221.51	1016.14
सिक्किम	0.53	0.53	0.55	0.58	0.6	2.79
तमिलनाडु	71.21	71.21	74.73	78.5	82.41	378.05
तेलंगाना	2.81	2.81	2.96	3.11	3.26	14.95
त्रिपुरा	0.25	0.25	0.26	0.27	0.29	1.32
उत्तर प्रदेश	333.68	333.68	350.22	367.84	386.18	1771.59
उत्तराखंड	1.43	1.43	1.49	1.57	1.65	7.57
पश्चिम बंगाल	49.04	49.04	51.46	54.05	56.75	260.33
<b>सभी राज्य</b>	<b>1349.95</b>	<b>1349.95</b>	<b>1416.76</b>	<b>1488.12</b>	<b>1562.35</b>	<b>7167.14</b>

ग्रामीण पीएचसी एवं उप-केंद्र (एससी) को स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र में परिवर्तित करना  
ग्रामीण पीएचसी एवं एससी को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित करने के लिए राज्य-वार आकलित कमियाँ<sup>4</sup>

राज्य	उप-केंद्र	पीएचसी	लगभग लागत (एचसी से एचडब्ल्यूसी)- 9.7 लाख रु.	लगभग लागत (पीएचसी से एचडब्ल्यूसी)- 5.6 लाख रु.	कुल लागत
	संख्या में		(करोड़ रु.)		
आंध्र प्रदेश	6825	0	661.66	0	661.66
अरुणाचल प्रदेश	307	101	29.78	5.65	35.43
असम	4015	698	389.46	39.08	428.54
बिहार	9865	1480	956.91	82.87	1039.78
छत्तीसगढ़	4555	657	441.855	36.755	478.61
गोवा	219	0	21.24	0	21.24
गुजरात	8353	704	810.24	39.43	849.67
हरियाणा	2440	193	236.68	10.81	247.49
हिमाचल प्रदेश	2089	566	202.63	31.7	234.33
झारखंड	3644	203	353.47	11.38	364.85
कर्नाटक	9187	1995	891.14	111.73	1002.87
केरल	5380	678	521.86	37.97	559.83
मध्य प्रदेश	10226	1039	991.93	58.19	1050.12
महाराष्ट्र	9729	1349	943.72	75.54	1019.26
मणिपुर	429	85	41.61	4.76	46.37
मेघालय	445	110	43.17	6.15	49.32
मिजोरम	370	57	35.89	3.19	39.08
नागालैंड	377	124	36.57	6.93	43.5
ओडिशा	6595	461	639.72	25.81	665.53
पंजाब	2511	79	243.57	4.42	247.99
राजस्थान	13382	1777	1298.05	99.52	1397.57
सिक्किम	148	24	14.36	1.34	15.7
तमिलनाडु	7728	706	749.62	39.53	789.15
तेलंगाना	4658	0	451.83	0	451.83
त्रिपुरा	932	82	90.4	4.59	94.99
उत्तर प्रदेश	20056	1990	1945.43	111.44	2056.87
उत्तराखंड	1804	243	174.99	13.61	188.6
पश्चिम बंगाल	10195	640	988.92	35.83	1024.75
<b>सभी राज्य</b>	<b>146464</b>	<b>16041</b>	<b>14206.7</b>	<b>898.225</b>	<b>15104.93</b>

4 ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018-19

नोट : एससी एवं पीएचसी को एचडब्ल्यूसी में परिवर्तित करने के लिए अनुमानित लागत को आयुष्मान भारत: स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों के माध्यम से समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से लिया गया है।

ग्रामीण पीएचसी एवं एससी को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र में परिवर्तित करने के लिए वित्तीय अपेक्षाएं

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	कुल
आंध्र प्रदेश	124.67	124.67	130.55	137.45	144.32	661.66
अरूणाचल प्रदेश	6.67	6.67	7.01	7.36	7.72	35.43
असम	80.7	80.7	84.74	88.98	93.42	428.54
बिहार	195.81	195.81	205.6	215.88	226.68	1039.78
छत्तीसगढ़	90.13	90.13	94.64	99.37	104.34	478.61
गोवा	4	4	4.2	4.41	4.63	21.24
गुजरात	160.01	160.01	168.01	176.41	185.23	849.67
हरियाणा	46.61	46.61	48.94	51.38	53.95	247.49
हिमाचल प्रदेश	44.13	44.13	46.34	48.65	51.08	234.33
झारखंड	68.71	68.71	72.14	75.75	79.54	364.85
कर्नाटक	188.86	188.86	198.3	208.22	218.63	1002.87
केरल	105.43	105.43	110.7	116.23	122.04	559.83
मध्य प्रदेश	197.76	197.76	207.64	218.03	228.93	1050.12
महाराष्ट्र	191.95	191.95	201.54	211.62	222.2	1019.26
मणिपुर	8.73	8.73	9.17	9.63	10.11	46.37
मेघालय	9.29	9.29	9.75	10.24	10.75	49.32
मिजोरम	7.36	7.36	7.73	8.11	8.52	39.08
नागालैंड	8.19	8.19	8.6	9.03	9.49	43.5
ओडिशा	125.33	125.33	131.6	138.18	145.09	665.53
पंजाब	46.7	46.7	49.04	51.49	54.06	247.99
राजस्थान	263.19	263.19	276.35	290.17	304.67	1397.57
सिक्किम	2.96	2.96	3.1	3.26	3.42	15.7
तमिलनाडु	148.61	148.61	156.04	163.85	172.04	789.15
तेलंगाना	85.09	85.09	89.34	93.81	98.5	451.83
त्रिपुरा	17.89	17.89	18.78	19.72	20.71	94.99
उत्तर प्रदेश	387.35	387.35	406.72	427.05	448.4	2056.87
उत्तराखंड	35.52	35.52	37.29	39.16	41.11	188.6
पश्चिम बंगाल	192.98	192.98	202.63	212.76	223.4	1024.75
<b>सभी राज्य</b>	<b>2844.63</b>	<b>2844.63</b>	<b>2986.49</b>	<b>3136.20</b>	<b>3292.98</b>	<b>15104.93</b>

## द्वितीय वित्त आयोग एवं उसके बाद से आपदा प्रबंधन पर विभिन्न वित्त आयोगों की अनुशंसाओं का सार

1. आपदा-व्यय के लिए वित्तीय प्रावधान की शुरुआत सीमांत धनराशि (मार्जिन मनी) स्कीम से हुई, जिसे पहली बार द्वितीय वित्त आयोग (1957-62) द्वारा अनुशंसित किया गया था। मोटे तौर पर इसका परिकलन पिछले दशक के दौरान राहत पर किए गए औसत वार्षिक व्यय के आधार पर किया गया। द्वितीय वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए राशि भी विनिर्दिष्ट की तथा इसके कुल आबंटन में द्वितीय वित्त आयोग के दौरान 6.15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से धीरे-धीरे वृद्धि के साथ यह 8वें वित्त आयोग (1984-89) तक 240.75 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो गया। किसी राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन पर अपने सीमांत धनराशि आबंटन से अधिक व्यय किए जाने की स्थिति में 75 प्रतिशत की सीमा तक (50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में) केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
2. 9वें वित्त आयोग (1989-95) ने प्रत्येक राज्य के लिए एक आपदा राहत कोष (सीआरएफ) की स्थापना की अनुशंसा की, जिसके आकार का निर्णय वर्ष 1988-89 को समाप्त दस वर्ष की अवधि के दौरान किसी राज्य के लिए अनुमोदित व्यय की वास्तविक उच्चतम सीमा के औसत के आधार पर किया गया। संघ सीआरएफ के 75 प्रतिशत का अंशदान करेंगे, जबकि राज्य 25 प्रतिशत का अंशदान करेंगे।
3. 10वें वित्त आयोग (1995-2000) ने प्रचालनीय व्यवस्थाओं में कतिपय आशोधनों के साथ सीआरएफ को जारी रखने की सिफारिश की। इसने असाधारण गंभीरता वाली किसी आपदा से प्रभावित किसी राज्य को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनएफसीआर) की स्थापना की अनुशंसा भी की। इसने सुझाव दिया कि ऐसी आपदाओं पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार करना होगा। 10वें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा भी की कि पांच वर्षों में इस कोष का आकार 700 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें संघ और राज्यों द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में अंशदान के साथ 200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कॉर्पस की व्यवस्था होगी। पांच वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिए संघ का अंशदान 75 करोड़ रुपए का तथा राज्यों का 25 करोड़ रुपए का होगा।
4. 11वें वित्त आयोग (2000-05) ने एनएफसीआर की कार्यप्रणाली की समीक्षा की तथा पाया कि इस कोष का संपूर्ण कॉर्पस न केवल तीन वर्ष में समाप्त कर दिया बल्कि यह असाधारण गंभीरता वाली आपदाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने में भी विफल

रहा। 11वें वित्त आयोग ने एनएफसीआर को विघटित कर दिया और 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कॉर्पस वाले एक एनसीसीएफ की स्थापना की अनुशंसा की जिसकी पुनः प्राप्ति केंद्रीय करों पर लगाए जाने वाले एक विशेष अधिभार को लेवी के माध्यम से की जानी थी। इस प्रकार से व्यापक तौर पर एनसीसीएफ का वित्तपोषण लेवी के माध्यम से किया जाना था।

5. 12वें वित्त आयोग (2005-10) ने सीआरएफ और एनसीसीएफ को इनके मौजूदा स्वरूपों में जारी रखने की अनुशंसा की। तथापि, इसने पाया कि आपदाओं की सूची का विस्तार किए जाने का पर्याप्त औचित्य है और इसमें कुछ घटनाओं को स्कीम में शामिल घटनाओं के साथ परिवर्धित किया जाना चाहिए। इसने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अविभाजित बिहार राज्य, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए सीआरएफ के कुल आकार के 25 प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त आबंटन की व्यवस्था की।

6. जब 13वें वित्त आयोग (2010-15) द्वारा आपदा राहत और प्रबंधन के मुद्दे पर विचार किया गया तब आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आ चुका था, जिसमें रिस्पोस और प्रशमन कोषों के संबंध में उपबंध किए गए थे। 13वें वित्त आयोग ने इन सांविधिक उपबंधों के आलोक में आपदा जोखिम वित्त पोषण व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अनुशंसा की कि सीआरएफ का अलग-अलग राज्यों के एसडीआरएफ में विलय कर दिया जाए तथा एनसीसीएफ का विलय एनडीआरएफ में कर दिया जाए। इसने यह सुझाव भी दिया कि एसडीआरएफ में किए जाने वाले अंशदान में संघ और राज्यों का हिस्सा सामान्य श्रेणी के राज्यों के संदर्भ में 75:25 के अनुपात में तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के संदर्भ में 90:10 के अनुपात में होना चाहिए। 13वें वित्त आयोग ने उक्त अनुपात में विभाजित किए जाने के लिए एसडीआरएफ का कुल आकार 33,581 करोड़ रुपए निर्धारित किया। इसने एसडीआरएफ के कुल आबंटन आकार के अलावा, राज्यों के क्षमता-निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान की भी अनुशंसा की।

7. 14वें वित्त आयोग (2015-20) ने पंचाट अवधि के संदर्भ में सभी राज्यों के लिए 61,219 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस के लिए विगत वित्त आयोगों के वित्त-आधारित उपागम का अनुसरण किया। साथ ही, इसने लागत-हिस्सेदारी (कॉस्ट-शेयरिंग) व्यवस्था में भी परिवर्तन की अनुशंसा की जिसके द्वारा संघ और राज्यों के बीच अंशदान की 90:10 की हिस्सेदारी व्यवस्था का विस्तार सामान्य श्रेणी वाले राज्यों तक किया गया। इसने यह सिफारिश भी की कि एसडीआरएफ के अधीन उपलब्ध कोषों में से 10 प्रतिशत तक की राशि का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए किया जा सकता है जो गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आपदाओं की सूची में तो सम्मिलित नहीं हैं किंतु इन्हें स्थानीय संदर्भों में 'आपदाओं' के रूप में माना जाता है। 13वें वित्त आयोग की तरह इसने राज्यों के लिए क्षमता-निर्माण अनुदान को अलग से निर्धारित नहीं किया और इस विषय को संघ और राज्यों पर छोड़ दिया।

## एनडीएमएफ/एसडीएमएफ के अंतर्गत प्रशमन कार्यकलापों की निर्देशात्मक सूची

खतरे	क्रम सं.	प्रशमन उपाय	नोडल अभिकरण
बाढ़	1.	बाढ़-चेतावनी प्रणाली में सुधार करना	राज्य/संघ
	2.	बाढ़-प्रभावित क्षेत्र प्रबंधन योजना तैयार करना	राज्य/संघ
	3.	बस्तियों के आस-पास प्राकृतिक बाढ़ हेतु रक्षा में सुधार लाना	राज्य/संघ
	4.	भवनों की प्लिन्थ को ऊंचा करना	राज्य/संघ
	5.	प्राकृतिक जल निकासी में सुधार लाना	राज्य/संघ
	6.	स्थानीय एवं झंझा (storm) जल निकासी में सुधार लाना	राज्य/संघ
	7.	पुलिया और क्रॉस-ड्रेनेज का निर्माण	राज्य/संघ
	8.	जल-टंकियों, तालाबों और अन्य संचयनों को गहरा करना	पंचायती राज संस्था
	9.	वृक्षारोपण एवं वनीकरण	पंचायती राज संस्था
	10.	मौसम एवं जल विज्ञान संबंधी स्टेशनों का संस्थापन	राज्य/संघ
	11.	लोगों के लिए बाढ़ आश्रयों स्थलों का निर्माण	पंचायती राज संस्था
	12.	मवेशियों के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण	पंचायती राज संस्था
	13.	बाढ़ संबंधी बीमा का संवर्धन और प्रोत्साहन	पंचायती राज संस्था

<b>भूकंप</b>	14.	भारत में भूकंपीय क्षेत्रों की समीक्षा	राज्य/संघ	
	15.	राज्य, जिला एवं शहरी स्तरों पर भूमि-उपयोग योजनाओं की तैयारी	राज्य/संघ	
	16.	भवन निर्माण संहिताओं, दिशानिर्देशों, मैनुअलों और उपविधियों की समीक्षा एवं अद्यतनीकरण तथा शहरों, नगरों एवं गांवों में इनका कार्यान्वयन	राज्य/संघ	
	17.	भूकंपीय संरक्षा के समावेश के लिए भवन निर्माण अनुमति प्रणाली में सुधार लाना	राज्य/संघ	
	18.	भूकंप के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में भवनों की रेट्रोफिटिंग	राज्य/संघ	
	19.	उच्च भूकंप के क्षेत्रों में कमजोर संरचनाओं की रेट्रोफिटिंग	राज्य/संघ	
	20.	भूकंप इंजीनियरी में इंजीनियरों और राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन	राज्य/संघ	
	21.	वास्तुकला एवं इंजीनियरी संस्थाओं में शैक्षिक पाठ्यक्रम को विकसित करना तथा पॉलीटेक्निक्स में तकनीकी प्रशिक्षण देना	राज्य/संघ	
	22.	भूकंप-सुरक्षा के बारे में प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना करना	राज्य/संघ	
	23.	भूकंप-सुरक्षा के बारे में शिक्षा की व्यवस्था और जनता को जागरूक करना	राज्य/संघ	
	24.	भूकंप संबंधी बीमा का संवर्धन और प्रोत्साहन	पंचायती राज संस्था	
	<b>चक्रवात और स्थानीय वायु से जुड़े अन्य खतरे</b>	25.	भवन-निर्माण नियमावली की समीक्षा करना और इन्हें इस तरह से लागू करना जिसके अंतर्गत तटीय शहरों, नगरों और गांवों में चक्रवात-अनुकूलन विशेषताओं को भी शामिल किया जाए	राज्य/संघ



- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 26. | समुद्री संसाधनों और आरक्षित वनों के प्रबंधन हेतु तटरेखा को शामिल करते हुए राज्य स्तर पर तटीय क्षेत्र (जोन) विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना   | राज्य/संघ |
| 27. | तटीय क्षेत्र विनियमन मानकों का विकास एवं इसे लागू करना  | राज्य/संघ |
| 28. | वातरोधी वृक्षारोपण, तटीय वनस्पति और हरित आच्छादन के लिए सहायता प्रदान करना  | राज्य/संघ |
| 29. | घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर भूमिगत पावर केबल और यूटिलिटी लाइनों के लिए सहायता प्रदान करना   | राज्य/संघ |
| 30. | चक्रवात के दौरान संचार कार्यों के लिए, बहुत उच्च फ्रीक्वेंसी/ अति उच्च फ्रीक्वेंसी (वीएचएफ/यूएचएफ) सेटों, सेटलाइट फोनों, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, इंटरनेट और लाउड स्पीकरों सहित संचार के वैकल्पिक माध्यमों के लिए सहायता प्रदान करना | राज्य/संघ |
| 31. | ऐसी मजबूत टेलीकॉम प्रणालियों की व्यवस्था जिनमें तटीय मोबाइल टॉवर 250 किमी /घंटा की गति से चलने वाली हवाओं को झेलने में समर्थ हों  | राज्य/संघ |
| 32. | गांवों के साथ अंतिम छोर तक संपर्क (केनेक्टिविटी) स्थापित करना   | राज्य/संघ |
| 33. | चक्रवाती सीजन के प्रारंभ होने से पूर्व ही निकास मार्गों का निरूपण करना  | राज्य/संघ |
| 34. | होर्डिंग्स और इस प्रकार के उपकरणों के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार करना  | राज्य/संघ |
| 35. | व्यक्तियों, उनकी संपत्ति और मवेशियों के लिए व्यापक राज्य बीमा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है  | राज्य/संघ |
| 36. | सूखे के संबंध में पूर्व-चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना   | राज्य/संघ |

सूखा

	37. सूखे की निगरानी (मॉनीटरिंग) एवं प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली	राज्य/संघ
	38. सूखे के प्रशमन के लिए सामुदायिक स्तर की योजनाएं	पंचायती राज संस्था
	39. सामुदायिक स्तर पर भूमिगत जल कृत्रिम पुनर्भरण एवं पारंपरिक पद्धतियों के माध्यम से जल संचयन एवं संरक्षण में सुधार लाना	पंचायती राज संस्था
	40. वैकल्पिक फसल आयोजना	पंचायती राज संस्था
	41. अंतःस्रवण पोखरों में सुधार करना	पंचायती राज संस्था
	42. ग्रामीण तालाबों/पोखरों में सुधार करना	पंचायती राज संस्था
	43. रेनवाटर एवं रूफवाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियां	पंचायती राज संस्था
	44. ड्रिप एवं स्प्रींकलर सिंचाई प्रणाली	पंचायती राज संस्था
	45. वनीकरण एवं वृक्षारोपण	पंचायती राज संस्था
	46. जलाशयों की निगरानी करना और जलाशय प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना	पंचायती राज संस्था
	47. जल प्रयोक्ता संघ की स्थापना	पंचायती राज संस्था
	48. सतही और भूमिजल का संयोजक उपयोग	राज्य/संघ
भूस्खलन	49. भूस्खलन-संवेदनशील क्षेत्रों का भूविज्ञानी पूर्व-परीक्षा एवं मानचित्रण	राज्य/संघ
	50. भूस्खलनों के बारे में राज्य स्तरीय निगरानी प्रणाली	राज्य/संघ
	51. बोरिंग और टेस्ट-पिटों के माध्यम से स्थल अन्वेषण और ढाल स्थायित्व विश्लेषण करना	राज्य/संघ
	52. वनीकरण, स्टोन पिचिंग के माध्यम से ढाल स्थायित्वकण संबंधी उपाय करना	राज्य/संघ
	53. ढालों पर प्राकृतिक जलनिकासी में सुधार करना	राज्य/संघ
	54. भूमि कटाव रोधी उपाय करना	राज्य/संघ

	55. भूस्खलन की संवेदनशीलता के आधार पर पुर्नवास की योजना	राज्य/संघ
	56. भूस्खलन के प्रायिकतामूलक अनुमानों के आधार पर अवसंरचना की आयोजना	राज्य/संघ
	57. भूस्खलनों के बारे में चेतावनी संकेतकों की स्थापना करना	राज्य/संघ
आकाशीय बिजली गिरना	58. आकाशीय बिजली गिरने के खतरे के भौगोलिक विस्तार की पहचान करना	राज्य/संघ
	59. तड़ित चालकों के नेटवर्क की स्थापना करना	पंचायती राज संस्था
	60. आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं के बारे में आम जनता को चेतावनी जारी करना	पंचायती राज संस्था
	61. आकाशीय बिजली गिरने के खतरे के विषय में जनजागरूक	पंचायती राज संस्था
हिमनदी झील आवेग बाढ़ (जीएलओएफ), हिमस्खलन और अन्य पर्वतीय खतरे	62. निगरानी एवं चेतावनी प्रणालियों की स्थापना करना	राज्य/संघ
	63. वृक्षारोपण एवं वनीकरण	पंचायती राज संस्था
	64. खतरे की संवेदनशीलता के आधार पर पुनर्वास योजना	राज्य/संघ

## आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय आबंटनों के निर्धारण की पद्धति

1. आपदा प्रबंधन हेतु राज्यों को संसाधनों के आबंटन के लिए हमने एक प्रक्रिया अंगीकृत की है, जिसे पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा अंगीकृत प्रक्रिया के संदर्भ में निरंतरता की दृष्टि से एक परिवर्तन माना जा सकता है। संशोधित प्रक्रिया में राज्यों द्वारा आपदा प्रबंधन पर खर्च किए गए व्ययों को दी गई महत्ता को रखा गया है। इसके अलावा, यह प्रक्रिया प्रत्येक राज्य के लिए अंतिम आबंटन का निर्धारण करने हेतु वैयक्तिक राज्यों के क्षेत्रफल, आबादी और जोखिम प्रोफाइल के लिए भारांकों को इंट्रोड्यूस करती है।
2. आपदा राहत पर व्यय से संबंधित आंकड़ों का परिकलन करने के लिए, पिछले सात वर्षों (2011-12 से 2017-18) के संबंध में मुख्य शीर्ष (एमएच) 2245 के तहत अभिलेखित व्यय पर विचार किया गया है। कुछ राज्य आपदाओं पर व्यय के एक भाग को लोक लेखा में अनुरक्षित एसडीआरएफ से सीधे डेबिट कर देते हैं। हमने इस व्यय को एमएच-2245 में जोड़ा है। तत्पश्चात, प्रत्येक वर्ष के लिए एनडीआरएफ द्वारा जारी की गई निधियों को इन मानों (वैल्यू) में से घटाया गया। उसके उपरांत परिणामी व्यय को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया और प्रत्येक राज्य के लिए एक औसत व्यय निर्धारित किया गया है। हमने व्यय को 70 प्रतिशत का भारांक दिया है, यानी प्रत्येक राज्य के लिए 70 प्रतिशत का औसत व्यय (AE70) आगामी परिकलन के लिए किया गया है।
3. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पुनर्गठित राज्यों के बीच वर्ष 2011-12 से 2014-15 (01 जून तक) व्यय के विभाजन के लिए, हमने उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई है जैसा कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था। पूर्ववर्ती अविभाजित आंध्र प्रदेश के व्यय के साथ-साथ जिला-वार व्यय को आंध्र प्रदेश के महा लेखाकार से वर्ष 2011-12 से 2014-15 (01 जून तक) की अवधि के लिए प्राप्त किया गया है। जिला-वार व्यय से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पुनर्गठित राज्यों के लिए व्यय के अंश को इन प्रत्येक वर्षों के लिए परिकलित किया गया है, जिसका उपयोग तत्पश्चात अंतरण प्रविष्टियों के माध्यम से तथा वेतन और लेखा अधिकारी, हैदराबाद के तहत अभिलेखित कॉमन व्यय के विभाजन के लिए इन दो राज्यों के परस्पर समान अनुपात में किया गया। पूर्ववर्ती एकीकृत आंध्र प्रदेश के लिए समान अवधि के दौरान एनडीआरएफ निधियों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के परस्पर समान अनुपात में विभाजित किया गया।

4. राज्यों की आबादी और क्षेत्रफल को विभिन्न दृष्टिकोणों के सापेक्ष महत्व के आधार पर दिए गए भारांक से संबंधित आंकड़े प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र को एक संदर्भ राज्य के रूप में लिया गया है। पहला, महाराष्ट्र का एसडीआरएफ आबंटन वर्ष 2019-20 के लिए (चौदहवें वित्त आयोग आबंटनों का अंतिम वर्ष) सर्वाधिक था। दूसरा, चूंकि महाराष्ट्र न तो भारत को सबसे बड़ा राज्य है और न ही सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसलिए यूनिट वैल्यू प्राप्त करने के लिए राज्य एक अच्छा सांख्यिकीय विकल्प उपलब्ध करता है। तीसरा, महाराष्ट्र विभिन्न भौगोलिक विन्यास के कारण अनेक खतरों से एक्सपोज है। राज्य में देश की सबसे अधिक शहरी आबादी बसी हुई है, जो विभिन्न खतरों से एक्सपोज है। राज्य के कई जिलों में वर्षा कम होती है जिसके कारण वे अत्यंत सूखा संवेदनशील हैं। बाढ़, भूस्खलन और भूकंप राज्य को नियमित आधार पर प्रभावित करते हैं। महाराष्ट्र राज्य, जिसे बेहतर शासन के लिए जाना जाता है, ने इन जोखिम घटनाओं का समाधान बहुत ही बेहतरीन दक्षता और संसाधनों के साथ किया है। राज्य के एसडीआरएफ आबंटन, उसके क्षेत्रफल, आबादी और क्षमता तथा दक्षता को ध्यान में रखते हुए, महाराष्ट्र राज्य सबसे बेहतर संदर्भ प्रस्तुत करता है।

5. क्षेत्र और आबादी प्रत्येक को 15 प्रतिशत का भारांक दिया गया है। वर्ष 2019-20 में महाराष्ट्र के एसडीआरएफ आबंटन का प्रयोग कर, हमने (i) संदर्भ राज्य के कुल आबंटन के आधार पर, प्रति व्यक्ति आबंटन और (ii) संदर्भ राज्य के कुल आबंटन के आधार पर प्रति वर्ग किलोमीटर आबंटन का परिकलन किया है। तत्पश्चात यूनिट वैल्यू को प्रत्येक राज्य की संबंधित आबादी एवं क्षेत्रफल पर लागू किया गया है, और क्षेत्र एवं आबादी को 30 प्रतिशत का कुल भारांक देने के लिए दोनों मानों के 15 प्रतिशत का पुनः परिकलित ( $A15 + P15$ ) किया गया है।

6. चरण-2 एवं चरण-5 में परिणामी मानों व वैल्यू को प्रत्येक राज्य ( $W = AE70 + A15 + P15$ ) के लिए जोड़ा गया है। तत्पश्चात, इस मान ( $W$ ) को प्रत्येक समनुरूप राज्य ( $Y = W * DRI$ ) के लिए आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई) स्कोरों (जिन्हें अनुलग्नक 8.3क में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है) से गुणा किया गया है। अंततः, इन दो मानों ( $Y$ ) के गुणनफल को प्रत्येक राज्यों के लिए आधार मान प्राप्त करने हेतु स्टेप-2 और स्टेप-5 ( $Z = Y + W = W * DRI + W$ ) में प्राप्त मानों के कुल योग में जोड़ा गया है। आधार मान से, वर्ष 2020-21 के लिए आबंटन का परिकलन मानक 5 प्रतिशत की वार्षिक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर किया गया है।

7. दस उत्तर-पूर्वी एवं हिमालयी राज्यों के लिए 11 प्रतिशत के अतिरिक्त आबंटन का प्रावधान किया गया है ताकि अचानक आने वाली बाढ़, भूस्खलन और अन्य पर्वतीय खतरों से उनके परिवहन नेटवर्क के लगातार बाधित होने की स्थिति में इन राज्यों द्वारा बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके।

## राज्यों के लिए आपदा जोखिम सूचकांक (डीआरआई)

1. डीआरआई को एक मात्रात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है और *खतरे की संभाव्यता* वाले राज्यों तथा *भेद्यनीयता की सीमा* के लिए स्कोर निर्धारित किया गया है। दो मानकों के आधार पर, प्रत्येक राज्य के लिए एक मिश्रित स्कोर विकसित किया गया है जिसके फलस्वरूप एक सूचकांक प्राप्त किया गया, जो राज्यों के जोखिम स्कोरों के आधार पर उनकी रैंकिंग करता है।
2. *खतरों* से तात्पर्य भौतिक घटनाओं- भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा और अन्य जोखिम एवं घटनाओं से है। खतरे अपने आप में आपदाओं को उत्पन्न नहीं करते हैं। जब खतरे लोगों, उनके समुदायों को प्रभावित कर आर्थिक नुकसान करते हैं, तब उसे एक आपदा घटना कहा जाता है। खतरे एवं समाज की परस्पर प्रभाव लोगों की सामाजिक अर्थिक भेद्यनीयता द्वारा प्रभावित होती है। *भेद्यनीयता* से तात्पर्य किसी व्यक्ति-विशेष या समूह की प्राकृतिक या मानव-निर्मित खतरे के प्रभाव का अनुमान लगाने, उसे झेलने, उससे बचने तथा रिकवर होने की अदृश्य क्षमता से है। *भेद्यनीयता* में आय एवं गैर-आय दोनों आयाम शामिल हैं, और उसमें खराब आवासन, औपचारिक नौकरियां, सामाजिक अलगाव तथा दूर-दराज के क्षेत्र (जहाँ लोग रहते हैं) जैसी स्थितियां भी सम्मिलित हैं। अतः भेद्यनीयता आपदा के प्रभाव व गंभीरता के वर्णन करने के लिए एक प्रमुख कारक है।
3. डीआरआई को आपदाओं की वास्तविक घटनाएं और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के आधार पर भी विकसित किया जा सकता है। तथापि, *राष्ट्रीय स्तर पर आपदा डाटाबेस के अभाव के कारण*, उच्च जटिलता एवं यथार्थता का जोखिम सूचकांक विकसित करना कठिन रहा है। राष्ट्रीय खतरा क्षेत्र और जोखिम एक्सपोजर मानचित्रों का उपयोग राज्य स्तर पर खतरों की संभाव्यता के लिए स्कोर निर्धारित करने के लिए किया गया। इस प्रकार का वर्गीकरण एक राज्य स्तरीय खतरा स्कोर उपलब्ध कराता है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है।
4. चूंकि किसी आपदा के घटित होने में खतरा और भेद्यनीयता दोनों की संयुक्त भूमिका होती है तथा खतरा और भेद्यनीयता आपदाओं को उत्पन्न करने का मुख्य कारक है इसलिए खतरों को कुल 100 में से 70 का स्कोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आबादी घनत्व, बुनियादी ढांचा और भारत में आर्थिक कार्यकलापों के स्तर के आधार पर, किसी भी खतरे के गंभीर प्रभाव पड़ने की उम्मीद होती है। क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर मापी जा सकने वाली भेद्यनीयता के लिए 30 का न्यून स्कोर निर्धारित किया गया है।

5. देश में चार प्रकार के मुख्य खतरे हैं - बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूकंप, जो देश के विभिन्न भागों को प्रभावित करते हैं। डीआरआई के आधार पर, इन खतरों के संबंध में प्रत्येक राज्य के लिए 15 का अधिकतम स्कोर निर्धारित किया गया है। चारों खतरों के लिए कुल स्कोर 60 है। किसी खतरे की संभाव्यता के स्तर के आधार पर, राज्यों के लिए बढ़ते क्रम में 0, 5, 10 और 15 का स्कोर निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, सभी राज्यों में अधिकतर छोटे खतरे घटित होते हैं जो स्थानीय आधार पर समुदायों को प्रभावित करते हैं। खतरों के निरंतर प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों में छोटे खतरों के लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। इस प्रकार अधिकतम स्कोर 70 बन जाता है।

6. विभिन्न खतरों के लिए स्कोरों को निम्नलिखित विश्लेषणों के आधार पर निर्धारित किया गया है :

### बाढ़ के लिए स्कोर

i) बाढ़ों पर डाटा को राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ( आरबीए ) द्वारा आकलित बाढ़-संवेदनशील क्षेत्रों तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यदल की रिपोर्ट में दिए गए बाढ़-संवेदनशील क्षेत्रों की सीमा के आधार पर संकलित किया गया है। बाढ़-संवेदनशील क्षेत्रों के डाटा को स्पष्ट रूप से लाख हेक्टेयर आंकड़ों में प्रस्तुत करने के पश्चात, इस क्षेत्र को भी राज्य के कुल क्षेत्र के संबंध में आकलित किया गया है। जिन राज्यों में बाढ़ कुल क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है, उनके लिए 15 का स्कोर निर्धारित किया गया है, जबकि जिन राज्यों में कुल क्षेत्रफल के 10 से 20 प्रतिशत के बीच क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, उनके लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। शेष राज्यों, अर्थात् जहाँ कुल क्षेत्र का 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, उनके लिए 5<sup>1</sup> का स्कोर निर्धारित किया गया है।

ii) अरूणाचल प्रदेश राज्य को उच्च बाढ़ संवेदनशील स्कोर के साथ शामिल किया गया है, हालांकि राज्य में बाढ़-प्रभावित क्षेत्र कुल भूमि का 10 प्रतिशत से कम है। इस अपवाद का कारण ब्रह्मपुत्र नदी है ( जिसे अरूणाचल प्रदेश में सियेंग नदी के नाम से जाना जाता है ), क्योंकि यह नदी भारत में प्रवेश करने के बाद इस राज्य से होकर निकलती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ असम पहुंचने से पहले अरूणाचल प्रदेश को जलमग्न कर देती है। दूसरा अपवाद तमिलनाडु है, जहाँ हाल ही में भारी बाढ़ आई थी, और इसलिए उसके लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है।

iii) विभाजित राज्यों के संबंध में, हम उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों का डाटा प्राप्त नहीं कर पाए। तथापि, हिमालयी क्षेत्रों में नदियों के बड़े तंत्र के कारण उत्तराखंड में

<sup>1</sup> <https://ndma.gov.in/images/guidelines/flood.pdf>

काफी बाढ़ आती है। राज्य में वर्ष 2014 में भारी बाढ़ आई थी। इसके अतिरिक्त, जब पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ आती है, तब नेपाल में आई बाढ़ उत्तराखंड में प्रवेश करती हैं और राज्य को जलमग्न कर देती हैं। अतः, उत्तराखंड एक बाढ़-संवेदनशील राज्य होने के कारण राज्य के लिए 15 का उच्चतम स्कोर निर्धारित किया गया है। दूसरी ओर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भारी बाढ़ें नहीं आती हैं। इन दो राज्यों के लिए 5 का न्यूनतम स्कोर निर्धारित किया गया है।

iv) सभी पर्वतीय राज्यों में अचानक बाढ़ आती है, लेकिन इसमें अधिकतर बाढ़ बरसात के समय पर आती है, जो इन राज्यों को एक छोटी अवधि तक प्रभावित करती है। पर्वतीय राज्यों में ढलान होने के कारण, बरसात का पानी तेजी से बह जाता है, और ये राज्य उस तरह नदी बाढ़ के जोखिम से एक्सपोज नहीं हैं, जैसे कि प्रमुख नदी तटों के आस-पास स्थित राज्य एक्सपोज होते हैं। तथापि, बरसाती बाढ़ बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाती है।

### सूखे के लिए स्कोर

v) कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सूखा प्रबंधन, 2016 के लिए प्रस्तुत मैनुअल के अनुसार, (<http://agricoop.nic.in/sites/default/files/Manual%20Drought%202016.pdf>) लगभग 68 प्रतिशत फसल-बुवाई क्षेत्रफल सूखे की चपेट में है, जिसमें से 33 प्रतिशत क्षेत्र में 750 मि. मी. की औसत वार्षिक वर्षा से कम वर्षा होती है और उसे "कालानुक्रमिक (chronically) सूखा संवेदनशील" क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 35 प्रतिशत फसल-बुवाई क्षेत्रफल; जहाँ 750-1125 मि.मी. की औसत वार्षिक वर्षा होती है, को "सूखा-संवेदनशील" क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देश के प्रायद्वीपीय एवं पश्चिमी भारत के शुष्क, अर्द्ध-शुष्क, और उपोष्ण क्षेत्रों को प्राथमिक तौर पर सूखा संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

vi) जिन राज्यों में "क्रॉनिकली सूखा-संवेदनशील" क्षेत्र का अंश बड़ा है, उनके लिए 15 का उच्च स्कोर निर्धारित किया गया है, जबकि उन राज्यों के लिए 10 का मध्यम स्कोर निर्धारित किया गया है जिनके "सूखा-संवेदनशील क्षेत्र" का काफी अंश है। शेष राज्यों, उत्तर-पूर्व, उत्तराखंड और गोवा को छोड़कर, के लिए 5 का स्कोर निर्धारित किया गया है। सूखे पर डाटा को कृषि एवं किसान मंत्रालय<sup>2</sup> से लिया गया है।

vii) कुछ राज्य, जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, ओडिशा और उत्तर प्रदेश बाढ़ और सूखे के दृष्टिकोण से उच्च जोखिम वाली श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के जोखिम आकलन को

<sup>2</sup> <http://agricoop.nic.in/sites/default/files/Manual%20Drought%202016.pdf>



अंतर-विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। दोनों जोखिमों की मौजूदगी को आसानी से वर्णित किया जा सकता है। ये राज्य भौगोलिक दृष्टि से बड़े हैं। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अच्छी वर्षा होती है और वहाँ सघन नदी तंत्र भी हैं। अन्य क्षेत्र शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत हैं।

viii) जलवायु परिवर्तन और उसके कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं के महत्वपूर्ण कारक पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों, जो शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत हैं, में बहुत ही कम समयावधि के भीतर भारी बरसात होती है जिसके कारण उन्हें अचानक आने वाली बाढ़ का सामना करना पड़ता है। राजस्थान को भी हाल ही के समय में कुछ क्षेत्रों में भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है। दूसरी ओर, उत्तरी बिहार भी हाल ही के वर्षों से सूखे का सामना कर रहा है। वर्षा में अंतरा-मौसम विचलन के कारण बड़ा बदलाव आया है। बिहार में पिछले दस वर्षों में से आठ वर्षों के दौरान कम वर्षा हुई जिसके कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र कई वर्षों से सूखे की चपेट में रहा है।

ix) बाढ़ और सूखे के समकालिक प्रकोप से एक कठिन परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसे देश के भीतर वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन आया है। अतः जलवायु खतरा जोखिमों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण निरंतर आधार पर आकलित किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है।

### चक्रवात के लिए स्कोर

x) एक खतरे के रूप में चक्रवात तटवर्ती राज्यों तक सीमित है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल (जिनके अंतर्गत काफी उच्च चक्रवात-संवेदनशील जिले हैं) के लिए 15 का उच्चतम स्कोर निर्धारित किया गया है तमिलनाडु, केरल और गुजरात जिनके अंतर्गत उच्च चक्रवात-संवेदनशील जिले हैं के लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। हालांकि केरल के अंतर्गत कोई उच्च चक्रवात संवेदनशील जिला नहीं है, परंतु उसके सभी चौदह जिले चक्रवात स्कोर से एक्सपोज हैं। अतः, केरल के लिए भी 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। शेष राज्य, यानी कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के लिए 5 का न्यूनतम स्कोर निर्धारित किया गया है। डाटा एनडीएमए द्वारा उपयोग किए गए चक्रवात जोखिम मानचित्र<sup>3,4</sup> से लिया गया है।

xi) जलवायु परिवर्तन के कारण पूर्वी और पश्चिमी तटों में चक्रवात बार-बार आता है, जो इन राज्यों की जोखिम प्रोफाइल को परिवर्तित करता है। अतः, इन स्कोरों की आवधिक आधार पर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

<sup>3</sup> <http://www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in/images/pdf/climatology/frequency-cyclone/hazard.pdf>

<sup>4</sup> <https://ncrpm.gov.in/cyclones-their-impact-in-india/>

## भूकंप के लिए स्कोर

xii) भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत के लिए एक भूकंप मानचित्र बनाया है। इस मानचित्र के अनुसार, भूकंप क्षेत्र V और IV उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जबकि क्षेत्र III और II कम भूकंप जोखिम वाले क्षेत्र हैं। भूकंप मानचित्र को प्लेट विवर्तनिकी एवं भारत में आए भूकंपों के आधार पर तैयार किया गया है। इस मानचित्र के अनुसार, सभी उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्य तथा कुछ अन्य राज्य जैसे बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र भूकंप जोखिमों के लिए अति संवेदनशील हैं। इन राज्यों के लिए 15 का उच्चतम स्कोर निर्धारित किया गया है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश मध्यम भूकंप जोखिमों से एक्सपोज हैं, इसलिए उनके लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। शेष राज्यों के लिए 5<sup>5</sup> का न्यून जोखिम स्कोर निर्धारित किया गया है।

xiii) इन चार खतरों के अलावा, अन्य खतरों की एक अलग श्रेणी है जिसके राज्य-विशिष्ट खतरे हैं, जैसे कि भूस्खलन, आंधी, ओलावृष्टि, बादल फटना, बिजली गिरना आदि को शामिल किया जा सकता है। सभी राज्यों में छोटे खतरे घटित होते रहते हैं जिनका स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसलिए सभी राज्यों के लिए 10 का एक समान स्कोर निर्धारित किया गया है।

7. भेद्यनीयता स्कोर को वर्ष 2011-12 में प्रत्येक राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के आधार पर निर्धारित किया गया है (तेंदुलकर पद्धति)। जिन राज्यों की गरीबी दर 26 प्रतिशत और उससे अधिक है, उनके लिए 30 का उच्चतम स्कोर निर्धारित किया गया है, जबकि जिन राज्यों की गरीबी दर 13 प्रतिशत से कम है, उनके लिए 10 का स्कोर निर्धारित किया गया है। शेष राज्यों, जिनकी गरीबी दरें 13 प्रतिशत से 26 प्रतिशत के बीच हैं, उनके लिए 20 का मध्यम स्कोर निर्धारित किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पुनर्गठित राज्यों के लिए वर्ष 2011-12 में अविभाजित आंध्र प्रदेश की गरीबी दर को प्रयुक्त कर स्कोर निर्धारित किया गया है।

8. खतरों और भेद्यनीयता के लिए स्कोरों को जोड़ा गया है ताकि प्रत्येक राज्य के लिए जोखिम स्कोर निर्धारित किया जा सके। सभी राज्यों के लिए अंतिम जोखिम स्कोर को नीचे दर्शाया गया है। संसाधन आबंटन में राज्य-स्तरीय आपदा जोखिम स्कोरों को शामिल कर आपदा प्रबंधन के लिए पूर्ववर्ती राज्य-स्तरीय आबंटनों में गंभीर कमियों का समाधान करने का यह पहला प्रयास है। जैसे-जैसे ज्यादा अनुभव हासिल किया जाएगा, आपदा जोखिम सूचकांक को आगे संशोधित किया जा सकेगा।

<sup>5</sup> <http://pib.nic.in/newsite/mbErel.aspx?relid=168661>

आपदा जोखिम सूचकांक स्कोर

राज्य	बाढ़	सूखा	चक्रवात	भूकंप	अन्य	कुल स्कोर (70 में से)	गरीबी के लिए अंक (30 में से)	कुल स्कोर (100 में)	अंक (छ+ज)/100
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	(छ+ज)	(छ+ज)/100
आंध्र प्रदेश	10.00	15.00	15.00	5.00	10.00	55.00	10	65.00	0.650
अरुणाचल प्रदेश	15.00			15.00	10.00	40.00	30	70.00	0.700
असम	15.00			15.00	10.00	40.00	30	70.00	0.700
बिहार	15.00	10.00		15.00	10.00	50.00	30	80.00	0.800
छत्तीसगढ़	5.00	5.00		5.00	10.00	25.00	30	55.00	0.550
गोवा	5.00		5.00	5.00	10.00	25.00	10	35.00	0.350
गुजरात	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	60.00	20	80.00	0.800
हरियाणा	15.00	5.00		5.00	10.00	35.00	10	45.00	0.450
हिमाचल प्रदेश	5.00	5.00		15.00	10.00	35.00	10	45.00	0.450
झारखंड	5.00	10.00		5.00	10.00	30.00	30	60.00	0.600
कर्नाटक	5.00	15.00	5.00	5.00	10.00	40.00	20	60.00	0.600
केरल	15.00	5.00	10.00	5.00	10.00	45.00	10	55.00	0.550
मध्य प्रदेश	5.00	10.00		5.00	10.00	30.00	30	60.00	0.600
महाराष्ट्र	5.00	15.00	5.00	15.00	10.00	50.00	20	70.00	0.700
मणिपुर	5.00			15.00	10.00	30.00	30	60.00	0.600
मेघालय	5.00			15.00	10.00	30.00	10	40.00	0.400
मिजोरम	5.00			15.00	10.00	30.00	20	50.00	0.500
नागालैंड	5.00			15.00	10.00	30.00	20	50.00	0.500
ओडिशा	15.00	15.00	15.00	5.00	10.00	60.00	30	90.00	0.900
पंजाब	15.00	5.00		5.00	10.00	35.00	10	45.00	0.450
राजस्थान	5.00	15.00		5.00	10.00	35.00	20	55.00	0.550
सिक्किम	5.00			15.00	10.00	30.00	10	40.00	0.400
तमिलनाडु	10.00	10.00	10.00	5.00	10.00	45.00	10	55.00	0.550
तेलंगाना	5.00	15.00		5.00	10.00	35.00	10	45.00	0.450
त्रिपुरा	15.00			15.00	10.00	40.00	20	60.00	0.600
उत्तर प्रदेश	15.00	10.00		10.00	10.00	45.00	30	75.00	0.750
उत्तराखंड	15.00			15.00	10.00	40.00	10	50.00	0.500
पश्चिम बंगाल	15.00	5.00	15.00	10.00	10.00	55.00	20	75.00	0.750

स्कोरिंग स्कीम (आपदाएं)			
आपदाएं	उच्चतम	मध्यम	न्यूनतम
बाढ़	15.00	10.00	5.00
सूखा	15.00	10.00	5.00
चक्रवात	15.00	10.00	5.00
भूकंप	15.00	10.00	5.00
अन्य	10.00		

स्कोरिंग सिस्टम	गरीबी
न्यून - 10.00	13% से कम
मध्यम - 20.00	13% और 26% के बीच
उच्च - 30.00	26% और 40% के बीच

## आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तरीय आबंटनों के निर्धारण के लिए पद्धति

- i) चूंकि एनडीआरएफ के लिए प्रावधान सीधे व्यय से जुड़ा हुआ है, हम आपदा प्रबंधन अर्थात् एनडीआरएफ के लिए कुल राष्ट्रीय आबंटन की व्यय-आधारित पद्धति का प्रयोग कर अवधारित करते हैं।
- ii) हमने आपदा प्रबंधन के लिए कुल राष्ट्रीय आबंटन को वास्तविक व्यय (वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक) और बजटीय व्यय (वर्ष 2018-19 और 2019-20) के व्यय को परिकलित करने के उपरांत उसे पांच वर्षों (वर्ष 2015-16 से 2019-20) की मुद्रास्फीति से समायोजित किया है।
- iii) पांच वर्षों के मुद्रास्फीति-समायोजित व्यय की औसत को तत्पश्चात् 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है ताकि आधार आंकड़ा प्राप्त किया जा सके।
- iv) इस आधार राशि को ध्यान में रखकर, वर्ष 2020-21 के लिए आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आबंटन का आकलन 5 प्रतिशत की वार्षिक मुद्रास्फीति के साथ किया गया है।
- v) इस प्रक्रिया ने एनडीआरएफ के लिए निधियों के आकार को वर्ष 2020-21 के लिए 12,390 करोड़ रुपए निर्धारित किया है।

क्षेत्रफल (15 प्रतिशत), जनसंख्या (15 प्रतिशत), औसत व्यय (70 प्रतिशत)  
और आपदा जोखिम सूचकांक विधि के आधार पर आपदा प्रबंधन के लिए वार्षिक राज्य-वार आबंटन

(करोड़ रु.)

राज्य/वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	(2021-26)
आंध्र प्रदेश	1491	1491	1566	1644	1726	1812	8239
अरुणाचल प्रदेश	278	278	292	307	321	338	1536
असम	858	858	901	946	994	1043	4742
बिहार	1888	1888	1983	2081	2185	2295	10432
छत्तीसगढ़	576	576	605	635	667	700	3183
गोवा	15	15	16	16	17	19	83
गुजरात	1765	1765	1853	1946	2044	2145	9753
हरियाणा	655	655	688	722	758	796	3619
हिमाचल प्रदेश	454	454	476	501	525	552	2508
झारखंड	757	757	794	834	877	920	4182
कर्नाटक	1054	1054	1107	1162	1220	1281	5824
केरल	419	419	440	462	485	510	2316
मध्य प्रदेश	2427	2427	2548	2676	2810	2950	13411
महाराष्ट्र	4296	4296	4511	4736	4973	5221	23737
मणिपुर	47	47	49	52	55	57	260
मेघालय	73	73	76	81	84	89	403
मिजोरम	52	52	54	58	60	63	287
नागालैंड	46	46	48	51	53	56	254
ओडिशा	2139	2139	2246	2358	2476	2600	11819
पंजाब	660	660	693	728	764	803	3648
राजस्थान	1975	1975	2074	2178	2286	2400	10913
सिक्किम	56	56	59	62	65	68	310
तमिलनाडु	1360	1360	1428	1500	1575	1653	7516
तेलंगाना	599	599	629	660	694	728	3310
त्रिपुरा	76	76	79	84	88	93	420
उत्तर प्रदेश	2578	2578	2707	2842	2985	3134	14246
उत्तराखंड	1041	1041	1093	1148	1205	1265	5752
पश्चिम बंगाल	1348	1348	1416	1487	1560	1639	7450
सभी राज्य	28983	28983	30431	31957	33552	35230	160153

अनुलग्नक 8.5  
(पैरा 8.5.3 एवं 8.5.5)  
(करोड़ रु.)

एसडीआरएमएफ में संघ और राज्यों की हिस्सेदारी (2021-26)

राज्य/वर्ष	संघ की हिस्सेदारी						राज्य की हिस्सेदारी						कुल (2021-26)
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	Total (2021-26)	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	
आंध्र प्रदेश	1119	1175	1234	1295	1360	6183	372	391	410	431	452	452	2056
अरुणाचल प्रदेश	250	263	276	289	304	1382	28	29	31	32	34	34	154
असम	772	811	851	895	939	4268	86	90	95	99	104	104	474
बिहार	1416	1487	1561	1639	1721	7824	472	496	520	546	574	574	2608
छत्तीसगढ़	432	454	476	500	525	2387	144	151	159	167	175	175	796
गोवा	12	12	12	13	14	63	3	4	4	4	4	4	20
गुजरात	1324	1390	1460	1533	1609	7316	441	463	486	511	536	536	2437
हरियाणा	491	516	542	569	597	2715	164	172	180	189	199	199	904
हिमाचल प्रदेश	409	428	451	473	497	2258	45	48	50	52	55	55	250
झारखंड	568	596	626	658	690	3138	189	198	208	219	230	230	1044
कर्नाटक	791	830	872	915	961	4369	263	277	290	305	320	320	1455
केरल	314	330	347	364	383	1738	105	110	115	121	127	127	578
मध्य प्रदेश	1820	1911	2007	2108	2213	10059	607	637	669	702	737	737	3352
महाराष्ट्र	3222	3383	3552	3730	3916	17803	1074	1128	1184	1243	1305	1305	5934
मणिपुर	42	44	47	50	51	234	5	5	5	5	6	6	26
मेघालय	66	68	73	76	80	363	7	8	8	8	9	9	40
मिजोरम	47	49	52	54	57	259	5	5	6	6	6	6	28
नागालैंड	41	43	46	48	50	228	5	5	5	5	6	6	26
ओडिशा	1604	1685	1769	1857	1950	8865	535	561	589	619	650	650	2954
पंजाब	495	520	546	573	602	2736	165	173	182	191	201	201	912
राजस्थान	1481	1556	1634	1715	1800	8186	494	518	544	571	600	600	2727
सिक्किम	50	53	56	59	61	279	6	6	6	6	7	7	31
तमिलनाडु	1020	1071	1125	1181	1240	5637	340	357	375	394	413	413	1879
तेलंगाना	449	472	495	521	546	2483	150	157	165	173	182	182	827
त्रिपुरा	68	71	76	79	84	378	8	8	8	9	9	9	42
उत्तर प्रदेश	1933	2030	2132	2239	2351	10685	645	677	710	746	783	783	3561
उत्तराखंड	937	984	1033	1085	1139	5178	104	109	115	120	126	126	574
पश्चिम बंगाल	1011	1062	1115	1170	1229	5587	337	354	372	390	410	410	1863
सभी राज्य	22184	23294	24466	25688	26969	122601	6799	7137	7491	7864	8261	8261	37552

स्वास्थ्य और पोषण संकेतक

राज्य	अल्प वजन के बच्चे (%)	बच्चों में वृद्धिरोध (%)	बच्चों में अरक्तता (%)	अल्प वजन की महिलाएं (%)	महिलाओं में अरक्तता (%)	संस्थानिक प्रसव: कुल प्रसवों का (%)	आईएमआर (प्रति 1000 जीवित जन्म)
आंध्र प्रदेश	31.9	31.4	58.6	17.6	60.0	91.5	29
अरुणाचल प्रदेश	19.4	29.4	54.2	8.5	43.2	52.2	37
असम	29.8	36.4	35.7	25.7	46.0	70.6	41
बिहार	43.9	48.3	63.5	30.4	60.3	63.8	32
छत्तीसगढ़	37.7	37.6	41.6	26.7	47.0	70.2	41
गोवा	23.8	20.1	48.3	14.7	31.3	96.9	7
गुजरात	39.3	38.5	62.6	27.2	54.9	88.5	28
हरियाणा	29.4	34.0	71.7	15.8	62.7	80.4	30
हिमाचल प्रदेश	21.2	26.3	53.7	16.2	53.5	76.4	19
जम्मू और कश्मीर	16.6	27.4	54.5	12.1	49.4	85.6	22
झारखंड	47.8	45.3	69.9	31.5	65.2	61.9	30
कर्नाटक	35.2	36.2	60.9	20.7	44.8	94.0	23
केरल	16.1	19.7	35.7	9.7	34.3	99.8	7
मध्य प्रदेश	42.8	42	68.9	28.4	52.5	80.8	48
महाराष्ट्र	36.0	34.4	53.8	23.5	48.0	90.3	19
मणिपुर	13.8	28.9	23.9	8.8	26.4	69.1	11
मेघालय	28.9	43.8	48.0	12.1	56.2	51.4	33
मिजोरम	12	28.1	19.3	8.4	24.8	79.7	5
नागालैंड	16.7	28.6	26.4	12.3	27.9	32.8	4
ओडिशा	34.4	34.1	44.6	26.5	51.0	85.3	40
पंजाब	21.6	25.7	56.6	11.7	53.5	90.5	20
राजस्थान	36.7	39.1	60.3	27.0	46.8	84.0	37
सिक्किम	14.2	29.6	55.1	6.4	34.9	94.7	7
तमिलनाडु	23.8	27.1	50.7	14.6	55.0	98.9	15
तेलंगाना	28.4	28.0	60.7	22.9	56.6	91.5	27
त्रिपुरा	24.1	24.3	48.3	18.9	54.5	79.9	27
उत्तर प्रदेश	39.5	46.3	63.2	25.3	52.4	67.8	43
उत्तराखंड	26.6	33.5	59.8	18.4	45.2	68.6	31
पश्चिम बंगाल	31.6	32.5	54.2	21.3	62.5	75.2	22
<b>भारत</b>	<b>35.8</b>	<b>38.4</b>	<b>58.6</b>	<b>22.9</b>	<b>53.1</b>	<b>78.9</b>	<b>32</b>

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2015-16; प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली-, 2018

टिप्पणी: अलग-अलग रंग से रंगी हुई योजनाएं अलग-अलग रेंज को दर्शाती हैं, जिसमें से गहरा लाल रंग प्रत्येक कॉलम में सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांक और और गहरा हरा रंग सर्वोत्तम स्वास्थ्य सूचकांक को दर्शाता है।



## प्रमुख राज्यों में जीवन प्रत्याशा\*

(वर्ष)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2012-16			2013-17		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
आंध्र प्रदेश	68.0	71.4	69.6	68.3	71.2	69.7
असम	64.4	66.8	65.5	65.4	67.3	66.2
बिहार	68.9	68.5	68.7	69.2	68.6	68.9
छत्तीसगढ़	63.6	66.8	65.2	63.8	66.6	65.2
दिल्ली	72.7	75.9	74.2	73.3	76.3	74.7
गुजरात	67.4	71.8	69.5	67.6	72.0	69.7
हरियाणा	67.2	72.0	69.4	67.6	72.3	69.7
हिमाचल प्रदेश	69.4	75.5	72.3	69.8	75.6	72.6
जम्मू और कश्मीर	71.6	76.2	73.5	72.1	76.7	74.1
झारखंड	67.8	68.0	67.9	68.8	68.4	68.6
कर्नाटक	67.6	70.7	69.1	67.7	70.8	69.2
केरल	72.2	77.9	75.1	72.5	77.8	75.2
मध्य प्रदेश	63.7	67.2	65.4	64.2	67.9	66.0
महाराष्ट्र	70.8	73.7	72.2	71.2	73.9	72.5
ओडिशा	66.2	69.1	67.6	67.1	69.9	68.4
पंजाब	71.0	74.2	72.5	71.0	74.0	72.4
राजस्थान	66.1	70.7	68.3	66.3	70.9	68.5
तमिलनाडु	69.5	73.4	71.4	69.9	73.7	71.7
उत्तर प्रदेश	63.9	65.6	64.8	64.3	65.6	65.0
उत्तराखंड	68.5	74.8	71.5	68.8	74.2	71.0
पश्चिम बंगाल	69.8	71.9	70.8	70.4	72.2	71.2
<b>समस्त भारत</b>	<b>67.4</b>	<b>70.9</b>	<b>68.7</b>	<b>67.8</b>	<b>70.4</b>	<b>69.0</b>

\*पंचवार्षिक सर्वेक्षण

स्रोत : प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, बुलेटिन, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यावधि की जनसंख्या के अनुमान के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी (1 जुलाई 2019 तक)

राज्य	उप केंद्र और एचडबल्यूसी-एससी						पीएचसी और एचडबल्यूसी-पीएचसी						सीएचसी					
	अपेक्षित		वर्तमान स्थिति		कमी	%	अपेक्षित		वर्तमान स्थिति		कमी	%	अपेक्षित		वर्तमान स्थिति		कमी	%
	R	P	S	P	S	कमी	R	P	R	P	S	कमी	R	P	R	P	S	कमी
आंध्र प्रदेश	7178	7437	*	338	385	*	1183	1145	38	3	295	140	155	53				
अरुणाचल प्रदेश	6374	4643	1731	51	143	*	1040	946	94	9	260	177	83	32				
असम	21337	9949	11388	53	1899	1649	3548	1649	46	887	150	737	83					
बिहार	5323	5205	118	2	843	51	843	792	6	210	170	40	19					
छत्तीसगढ़	96	219	*	15	24	*	15	24	*	3	5	*	*					
गोवा	8055	9166	*	1308	1476	*	1308	1476	*	327	362	*	*					
गुजरात	3460	2604	856	2.5	379	197	576	379	34	144	115	29	20					
हरियाणा	1366	2089	*	225	586	*	225	586	*	56	87	*	*					
हिमाचल प्रदेश	2102	3025	*	342	622	*	342	622	*	85	84	1	1					
जम्मू और कश्मीर	6768	3848	2920	43	1079	298	1079	298	781	72	269	171	98	36				
झारखंड	8028	9758	*	1318	2127	*	1318	2127	*	329	198	131	40					
कर्नाटक	2340	5380	*	388	848	*	388	848	*	97	227	*	*					
केरल	13935	10226	3709	27	2233	1199	2233	1199	1034	46	558	309	249	45				
मध्य प्रदेश	14112	10668	3444	24	2299	1828	2299	1828	471	20	574	364	210	37				
महाराष्ट्र	537	490	47	9	84	90	84	90	*	*	21	23	*	*				
मणिपुर	822	477	345	42	124	118	124	118	6	5	31	28	3	10				
मेघालय	179	370	*	27	59	*	27	59	*	*	6	9	*	*				
मिजोरम	414	433	*	62	126	*	62	126	*	*	15	21	*	*				
नागालैंड	8382	6688	1694	20	1345	1288	1345	1288	57	4	336	377	*	*				
ओडिशा	3562	2950	612	17	593	416	593	416	177	30	148	89	59	40				
पंजाब	12761	13512	*	2073	2082	*	2073	2082	*	*	518	571	*	*				
राजस्थान	96	176	*	15	29	*	15	29	*	*	3	2	1	33				
सिक्किम	7355	8713	*	1222	1422	*	1222	1422	*	*	305	385	*	*				
तमिलनाडु	4479	4744	*	731	636	95	731	636	95	13	182	85	97	53				
तेलंगाना	661	972	*	104	108	*	104	108	*	*	26	18	8	31				
त्रिपुरा	1509	1847	*	250	257	*	250	257	*	*	62	67	*	*				
उत्तराखंड	34726	20782	13944	40	5781	2936	5781	2936	2845	49	1445	679	766	53				
उत्तर प्रदेश	13226	10357	2869	22	2177	908	2177	908	1269	58	544	348	196	36				
पश्चिम बंगाल	244	298	59 <sup>^</sup>	38	68	*	38	68	*	*	8	11	2 <sup>^</sup>					
संघ राज्य क्षेत्र	189765	157411	43736	23	31074	24855	31074	24855	8764	28	7756	5335	2865	37				
कुल																		

स्रोत : ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2018-19

टिप्पणी: अलग-अलग रंग से रंगी हुई योजनाएं अलग-अलग रंग प्रत्येक कॉलम में सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांक और गहरा रंग सर्वाधिक स्वास्थ्य सूचकांक को दर्शाता है। <sup>^</sup> संघ राज्य क्षेत्र का 'अपेक्षित' एवं 'विद्यमान' अंतर अधिशेष को इंगित करता है। तथापि दिल्ली में 22 उपकेंद्रों तथा पुदुचेरी में 37 उपकेंद्रों की कमी है। उसी प्रकार दिल्ली में 1 सीएचसी तथा पुदुचेरी में 1 सीएचसी की कमी है।

भारत में चिकित्सकों की संख्या

राज्य	कुल एलोपैथिक चिकित्सक	सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक	आयुष पंजीकृत प्रैक्टिशनर #	पीएचसी में चिकित्सकों की संख्या <sup>^</sup>	जनसंख्या / एलोपैथिक चिकित्सक	जनसंख्या / आयुष पंजीकृत प्रैक्टिशनर	जनसंख्या / सरकारी चिकित्सक	जनसंख्या / पीएचसी चिकित्सक
आंध्र प्रदेश	100587	5114	21993	2045	491	2246	9657	24150
अरुणाचल प्रदेश	973	549	393	125	1422	3522	2521	11072
असम	23804	6082	2178	1376	1311	14328	5131	22679
बिहार	40649	2792	136470	1786	2561	763	37285	58286
छत्तीसगढ़	8771	1626	5607	359	2912	4556	15710	71156
गोवा	3840	644	1382	56	380	1056	2266	26054
गुजरात	66944	5475	49973	1321	903	1209	11039	45753
हरियाणा	5717	2618	14121	491	4434	1795	9683	51631
हिमाचल प्रदेश	3054	1517	11620	622	2248	591	4525	11037
जम्मू और कश्मीर	15038	4058	6129	694	834	2046	3090	18071
झारखंड	5764	1793	811	340	5723	40676	18398	97024
कर्नाटक	120261	5046	48326	2136	508	1264	12108	28603
केरल	59353	5239	41606	1169	563	803	6376	28577
मध्य प्रदेश	38180	4588	67063	1112	1902	1083	15830	65312
महाराष्ट्र	173384	6981	153147	2929	648	734	16097	38366
मणिपुर	NA	1099	NA	194	NA	NA	2338	13247
मेघालय	NA	585	368	130	NA	8063	5072	22823
मिजोरम	74	437	NA	59	14824	NA	2510	18593
नागालैंड	116	332	143	118	17060	13839	5961	16771
ओडिशा	22521	4300	14725	917	1864	2851	9761	45773
पंजाब	48351	3331	15996	480	574	1734	8329	57798
राजस्थान	43388	7227	18816	2396	1580	3643	9485	28609
सिक्किम	1405	268	NA	24	435	NA	2280	25458
तमिलनाडु	133918	7233	18767	2780	539	3844	9975	25952
तेलंगाना	4942	4123	20926	1066	7121	1682	8536	33015
त्रिपुरा	1718	1256	447	119	2139	8219	2925	30874
उत्तर प्रदेश	77549	10754	85489	1344	2577	2337	18580	148670
उत्तराखण्ड	8309	1344	4073	241	1214	2476	7504	41851
पश्चिम बंगाल	72016	8829	46949	1016	1267	1944	10338	89839
संघ राज्य क्षेत्र	21394	11517	12361	122				
एमसीआई	52666							
कुल	1154686	116757	799879	27567				

स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़े, 2019 और जनगणना, 2011

\* मान्यता प्राप्त चिकित्सा अहर्ता ( भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के तहत ) वर्ष 2010 से 2018 तक राज्य आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से ( संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक ); # भारत में (यूनानी, आयुर्वेद, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सक); 1 जनवरी 2018; ^ 31 मार्च 2018 तक पंजीकृत।

टिप्पणी 1: अलग-अलग रंग से रंगी हुई योजनाएं अलग-अलग रंग को दर्शाती हैं, जिसमें से नारा लाल रंग प्रत्येक कॉलम में सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांक और गहरा हरा रंग सर्वोत्तम स्वास्थ्य सूचकांक को दर्शाता है।  
टिप्पणी 2: एलोपैथिक चिकित्सक 2010 से 2018 तक ( संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक ) राज्य आयुर्विज्ञान परिषद / भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकृत हैं। नागालैंड में, 2015 से, मिजोरम में 2014 से, त्रिपुरा में 2013 से, तेलंगाना में 2015 से, हरियाणा में 2011 तक किए गए पंजीकरणों की संख्या को दर्शाया गया है, अन्य सभी राज्यों में 2018 तक किए गए पंजीकरणों की संख्या को दर्शाया गया है।

अनुलग्नक 9.5  
(पैरा 9.15)

भारत में नर्सों और भेषजज्ञों की कुल संख्या

राज्य	31-12-2017 तक भारत में कुल पंजीकृत नर्सों की संख्या		कुल नर्स	27-03-2019 तक भेषजज्ञ	प्रति नर्स जनसंख्या	प्रति भेषजज्ञ जनसंख्या
	एनएनएम	आरएन व आरएम				
आंध्र प्रदेश	138435	232621	375536	50247	132	983
अरुणाचल प्रदेश	971	938	1924	279	719	4961
असम	27925	23388	50666	15462	616	2018
बिहार	8624	9413	18548	24341	5612	4277
छत्तीसगढ़	13329	13048	27729	9716	921	2629
गोवा	एनए	एनए	एनए	3539	एनए	412
गुजरात	45908	114284	160192	66237	377	912
हरियाणा	24675	28356	694	32744	472	774
हिमाचल प्रदेश	11673	20934	500	9369	207	733
झारखंड	4755	3310	142	2337	4019	14116
कर्नाटक	54039	231643	6840	57648	209	1060
केरल	30530	261951	8507	64223	111	520
मध्य प्रदेश	39563	118793	1731	54181	454	1340
महाराष्ट्र	65544	128776	594	233322	577	482
मणिपुर	3621	7835	एनए	1273	224	2019
मेघालय	1715	5540	198	899	398	3300
मिजोरम	2157	3634	एनए	1313	189	835
नागालैंड		एनए	एनए	1553	एनए	1274
ओडिशा	62159	75575	238	32386	304	1296
पंजाब	23029	76680	2584	47570	271	583
राजस्थान	108688	200171	2732	51054	220	1343
सिक्किम	39	283	N/A	281	1898	2174
तमिलनाडु	57839	277107	11219	72241	208	999
तेलंगाना	2762	9397	12159	64881	2894	542
त्रिपुरा	2232	4140	148	4747	563	774
उत्तर प्रदेश	60258	74777	2763	84300	1450	2370
उत्तराखण्ड	2401	2613	14	16148	2006	625
पश्चिम बंगाल	63731	63197	12854	89630	653	1018
संघ राज्य क्षेत्र	4325	61575	65900	33301		
<b>कुल</b>	<b>860927</b>	<b>2048979</b>	<b>2966375</b>	<b>1125222</b>		

स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंकड़े, 2019 और जनगणना, 2011

टिप्पणी: एनएनएम - सहायक परिचर्या धात्री; आरएन/आरएम - पंजीकृत नर्स/पंजीकृत धात्री; एलएचवी - महिला स्वास्थ्य आंगलुक; एनए: उपलब्ध नहीं

अलग-अलग रंग से रंगी हुई योजनाएं अलग-अलग रेंज को दर्शाती हैं, जिसमें से गहरा लाल रंग प्रत्येक कॉलम में सबसे खराब स्वास्थ्य सूचकांक और और गहरा हरा रंग सर्वोत्तम स्वास्थ्य सूचकांक को दर्शाता है।

सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की कमी  
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार)

राज्य	मौजूदा सुविधाओं में मानव संसाधनों की कमी	नवीन सुविधाओं में मानव संसाधनों की कमी (यदि जनसंख्या मानकों द्वारा निर्मित हों)	मानव संसाधनों में कुल कमी
आंध्र प्रदेश	7596	14543	22139
अरुणाचल प्रदेश	7866	1204	9070
असम	12513	11054	23567
बिहार	24078	91688	115766
छत्तीसगढ़	9356	7329	16685
गोवा	93	172	265
गुजरात	15913	9144	25057
हरियाणा	5214	8066	13280
हिमाचल प्रदेश	4794	1341	6135
झारखंड	7185	26701	33886
कर्नाटक	13845	14833	28678
केरल	12489	4298	16787
मध्य प्रदेश	29745	53536	83281
महाराष्ट्र	20728	41169	61897
मणिपुर	2272	1659	3931
मेघालय	1726	1913	3639
मिजोरम	1306	283	1589
नागालैंड	3600	238	3838
ओडिशा	17410	10660	28070
पंजाब	3842	9104	12946
राजस्थान	11784	12492	24276
सिक्किम	97	160	257
तमिलनाडु	11954	7256	19210
तेलंगाना	49	14863	19818
त्रिपुरा	723	1129	1852
उत्तर प्रदेश	67821	159286	227107
उत्तराखंड	5357	1591	6948
पश्चिम बंगाल	2435	48509	50944
संघ राज्य क्षेत्र	16718	2509	19227
<b>कुल</b>	<b>323415</b>	<b>556728</b>	<b>880143</b>

## विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुशंसाएं

पंद्रहवीं वित्त आयोग की अवधि के दौरान सभी हितधारकों से प्राप्त अनुशंसाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: सामान्य, स्वास्थ्य अवसंरचना एवं सेवा प्रदान करने और स्वास्थ्य कर्मचारी / आयुर्विज्ञान शिक्षा। इनका सारांश नीचे दिया गया है।

### I. सामान्य

- i. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किया गया संयुक्त व्यय 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.96 प्रतिशत रहा है। 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को प्रगतिशील तरीके से जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - 2017 द्वारा भी अनुशंसित)
- ii. वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य पर अपने कुल व्यय का औसतन 5.18 प्रतिशत खर्च करते हैं राज्यों को अपने स्वास्थ्य व्यय को अपने बजट के 8 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाना चाहिए। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - 2017 द्वारा भी अनुशंसित)
- iii. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रत्येक राज्य की सर्वोच्च मौलिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य पर व्यय, स्वास्थ्य पर कुल व्यय का 53 प्रतिशत है। इसे कुल स्वास्थ्य व्यय के दो-तिहाई तक बढ़ाया जाना चाहिए। प्राथमिक देखभाल स्तर स्वास्थ्य सेवाओं की 90 प्रतिशत मांगों को पूरा कर सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, जिसमें रोग निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन शामिल है, में निवेश करने पर बहुत कम लागत में बेहतर स्वास्थ्य और विकासात्मक परिणाम प्राप्त होगा – जो बीमारी की रोकथाम और सामान्य स्वास्थ्य संवर्धन कर महंगी, क्रिटिकल केयर की आवश्यकता को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। (राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति - 2017 द्वारा भी अनुशंसित)
- iv. चिकित्सकों की उपलब्धता में अंतर-राज्य की असमानता को देखते हुए, अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का निर्माण करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, यूपीएससी को राज्य सरकार से राज्यवार अध्याचनाओं की आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक भर्तियां करनी होंगी।
- v. सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पतालों को राज्य सूची के मौजूदा समनुदेशन से संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में लाया जा सकता है।

- vi. स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए।
- vii. खर्च की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, (क) बजट निष्पादन में सुधार के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारों की आवश्यकता है; (ख) राज्यों से जिलों को संसाधन आबंटन सूत्र में ऐतिहासिक मानदंडों के बजाय जनसंख्या की जरूरतें (मृत्यु दर / रुग्णता / समानता) प्रतिबिंबित होने चाहिए; (ग) स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का विखंडन कम किया जाना चाहिए; और (घ) मांग-पक्ष वित्तपोषण के कार्य-प्रणालियों में क्रमिक बदलाव किए जाने चाहिए।
- viii. स्वास्थ्य के क्षेत्र में इक्विटी और आवश्यकता पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च से संबंधित होना चाहिए। इसी प्रकार, गरीब राज्यों में प्रति लाभार्थी खर्च बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता आधारित स्थानांतरण सूत्र सावधानी से डिजाइन किए जाने चाहिए। साथ ही, एक अलग स्वास्थ्य समकरण पूल की जरूरत है। स्पष्ट जवाबदेही रूपरेखा, जिसमें लक्षित परिणाम शामिल हो, को विकसित किया जाना चाहिए।
- ix. राज्यों के भीतर संसाधन आबंटन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में, प्रमुख शहरी क्षेत्र, शहरी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए कम तैयार है। इसके अलावा, राज्यों के भीतर, जिलों (मृत्यु दर, गरीबी) की जरूरतों और संसाधनों के आबंटन के बीच एक कमजोर लिंक है।
- x. रोग संबंधी तैयारी, निदान, जांच, रेस्पोंस और जनसंख्या के स्वास्थ्य के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए। टीबी, एचआईवी, वेक्टर-जनित रोग जैसे ऊर्ध्वधर रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में संस्थागत सुधार और नवप्रवर्तन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। संसाधनों और क्षमता निर्माण के संबंध में स्थानीय शासनों को भी मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वे स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में एक वृद्धिशील भूमिका निभा सकें।
- xi. स्वास्थ्य अनुसंधान में अधिक निवेश की आवश्यकता है।

## II. स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवा प्रदान करना

- i. आने वाले पांच वर्षों में, समुदाय के निकट 3,000 से 5,000 शय्या वाले छोटे अस्पताल बनाए जा सकते हैं। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है। सरकार निजी क्षेत्र के निवेश

को प्रोत्साहित करने की कार्य-नीति पर काम कर सकती है, ताकि अस्पतालों में स्तर II और स्तर III शहरों में इस अवसंरचना का विकास किया जा सके।

ii. संपूर्ण सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में नियमित चिकित्सा कार्यकलापों जैसे, दैनिक आधार पर किए गए रक्त संग्रह, रक्ताधान, शल्यचिकित्सा, अपोहन (डायलिसिस) आदि के डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

iii. सेवा प्रदान करने के संबंध में नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार के नवप्रवर्तन किए जा सकते हैं: (क) प्रौद्योगिकी सोल्यूशन की शुरूआत; (ख) निजी प्रदाताओं को संविदा पर शहरी क्षेत्रों में पीएचसी चलाने की अनुमति देना; (ग) डिजिटल प्रौद्योगिकी, डेटा विज्ञान, पिरामिड मॉडल के नींव के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना; और (घ) सामुदायिक लामबंदी करना।

iv. मुख्य लोक स्वास्थ्य कार्यों को मजबूत करने की आवश्यकता है। नए टीके, दवाओं और निदान जैसे वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है। टीबी निदान सूचकांक के माध्यम से राज्यों और जिलों को टीबी निदान और उपचार और निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन के लिए निजी क्षेत्र को लगाया जा सकता है।

v. एक आकार जो सभी फॉर्मूले में फिट होता है, वह सेवा प्रदान करने के लिए व्यवहारिक नहीं है। सेवा प्रदान करना, एक मजबूत सरकारी / निजी मिश्रित प्रणाली पर निर्भर करती है।

vi. भारत सरकार को सेवा प्रदान करने संबंधी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए 'मुक्त स्रोत' दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषण, जिससे कार्यान्वयन और पाठ्यक्रम-सुधार में नम्यता प्राप्त होती है, के दृष्टिकोण को केंद्रीय योजनाओं से जुड़े राज्यों के लिए जवाबदेही तंत्र स्थापित करने और ज्ञान हस्तांतरण प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए अपनाया जा सकता है।

vii. भविष्य की महामारियों की पहचान करने और उनका जवाब देने के लिए निगरानी और जिला स्तर की क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

क. उन राज्यों में जहां क्षमता कमजोर है, एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशाला अवसंरचना और कार्यों को बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन लक्षित निवेश किया जाना चाहिए।

ख. विभिन्न राज्यों में और केंद्रीय स्तर पर एकीकृत रोग निगरानी में महत्वपूर्ण दक्षता रखने वाली जिला निगरानी टीमों को विकसित और तैनात किया जाना चाहिए, ताकि



प्रारंभिक और उचित रेस्पोंस (महामारी आसूचना सेवा) के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाया जा सके।

ग. मानव और पशु स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक वास्तविक समय निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित और कार्यान्वित किए जाने चाहिए, क्योंकि भविष्य के अधिकांश रोग पशुजन्य होंगे।

घ. रोग की तैयारी और रेस्पोंस के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए।

### III. स्वास्थ्य कार्मिक / आयुर्विज्ञान शिक्षा

#### क. चिकित्सक

i. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने चाहिए, जैसे - (क) एमबीबीएस पाठ्यक्रम को क्षमता आधारित बनाने के लिए इसका पुनर्गठन किया जा सकता है; (ख) एमबीबीएस पाठ्यक्रम में विशेषज्ञता की एक निश्चित डिग्री को शामिल किया जा सकता है और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) / राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) को आयुर्विज्ञान तथा शल्य-चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस) चिकित्सकों के लिए आरोग्य निदानशालाओं में, बुनियादी शल्य-चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाओं, संवेदनाहरण, प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान, आंख, कर्ण नासा कंठ (ईएनटी) आदि पर लघु पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए कहा जा सकता है और कायचिकित्सा में अवर स्नातक करने वाले छात्रों को आयुष को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

ii. छात्र विकास की सुविधाओं के साथ आवासीय परिसरों वाले आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में ही अवर स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए यह अपेक्षित नहीं है। स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा ऐसे किसी भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों, जिनके पास संबद्ध आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और आवासीय परिसर नहीं है, में भी प्रदान किया जा सकता है।

iii. डीएनबी कार्यक्रम चलाने वाले निजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों और अस्पतालों को आयकर अधिनियम की धारा 80जक या किसी अन्य कर प्रोत्साहन, जिसे उचित समझा जाए, के अंतर्गत कर प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जिसे परिणाम से जोड़ा जाना चाहिए।

iv. स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने वाले एवं आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रदान करने वाले लोगों को अलग-अलग आयुर्विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। सेवा प्रदाता भी आयुर्विज्ञान शिक्षकों की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के शिक्षकों से अलग एक पृथक संवर्ग में वे ऐसा कर सकते हैं। जो लोग अकादमिक पदनाम प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा यथा-अधिदेशित अपेक्षित अनुसंधान अनुभव और प्रकाशन को प्रदर्शित करना होगा। यह व्यवस्था संबंधी उपबंधों का समन्वेषण एमसीआई / एनएमसी द्वारा किया सकता है। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सेवारत संकाय को निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षा और अनुसंधान से समझौता करना पड़ेगा। उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। इष्टतम क्षतिपूर्ति, कार्य की शर्तें, पोदन्नति के अवसर, स्थानांतरण नीति आदि जैसे मुद्दों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है।

v. सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों से अवर स्नातक करने वाले आयुर्विज्ञान छात्रों के लिए एक सामान्य बहिर्गमन परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा में इन छात्रों का प्रदर्शन के आधार पर आने वाले वर्षों में संबंधित आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में अवर स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षण के लिए संबद्धता और सीटों की संख्या निर्धारित की जा सकेगी, जिससे आयुर्विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। एमसीआई / एनएमसी के अंतर्गत विशेषज्ञता बोर्ड का गठन किया जा सकता है, जिसमें संबंधित क्षेत्र के उत्कृष्ट व्यवसायिक और सुप्रतिष्ठित एवं मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक सोसाइटियों के विभिन्न सदस्य, बोर्ड के प्रतिनिधि होंगे।

vi. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन की कमी को संबद्ध स्वास्थ्य सेवा श्रमशक्ति में बहु-स्तरीय और बहु-कुशल मानव संसाधन, नर्सिंग और नियोजित सामुदायिक कार्यकर्ताओं से पूरा किया जा सकता है। एमबीबीएस चिकित्सकों और विशेषज्ञों की कमी को दूर किया जाना चाहिए। सरकार को, 2025 तक, आयुर्विज्ञान अवसंरचना को मजबूत करने में सक्षम हो जाना चाहिए ताकि प्रत्येक आयुर्विज्ञान अवर स्नातक के पास स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा प्राप्त करने का विकल्प मौजूद हो सके। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि नियामक निकायों जैसे एमसीआई / एनएमसी / डीएनबी को विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि बालरोग विज्ञान (पीडियाट्रिक्स), प्रसूतिविज्ञान और स्त्रीरोगविज्ञान, संवेदनाहरण विज्ञान, अस्थिरोगविज्ञान (आर्थोपेडिक्स), पारिवारिक कायचिकित्सा, नेत्रविज्ञान आदि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा को बहाल करना चाहिए और इसकी अधिकांश सीटें सेवाकालीन उम्मीदवारों को दी जानी चाहिए। साथ ही, भारत में पारिवारिक कायचिकित्सकों की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, सरकार को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पतालों में निजी चिकित्सकों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए।

vii. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के असम्मित वितरण को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें से अधिकांश आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भारत के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में स्थित हैं। जिला अस्पताल, निजी क्षेत्र की सुविधाओं और कॉर्पोरेट अस्पतालों सहित सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग विशेषज्ञ डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे न केवल सेवा के प्रावधानों में संवर्धन होगा, बल्कि प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

### III. ख. संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिक

- i. संबद्ध स्वास्थ्य व्यावसायिक कौशल भारत (स्किल इंडिया) से प्रत्यायित होने चाहिए।
- ii. भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 के माध्यम से परिचर्या परिषद (नर्सिंग काउंसिल) के कामकाज को सुधारने और उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि परिचर्या महाविद्यालयों के शिक्षकों को परिचर्या महाविद्यालय तक सीमित रखने के बजाय अस्पताल सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए। परिचर्या व्यावसायिकों को एक बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यकता है और नर्स प्रैक्टिसनर, कायचिकित्सक सहायक, संवेदनाहरण विज्ञानी नर्स आदि की अवधारणा को परिचर्या व्यावसायिकों के बेहतर उपयोग के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- iii. एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन बिल, 2018 को राज्यसभा में पेश किया गया था और 2019 में स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य संबद्ध और स्वास्थ्य व्यावसायिकों की शिक्षा और व्यवहार को विनियमित करने और मानकीकृत करने के लिए एक व्यापक नियामक प्रणाली स्थापित करना है। इसके माध्यम से संबद्ध और स्वास्थ्य संबंधी व्यावसायिकों की कुछ मान्यता प्राप्त श्रेणियों, जैसे कि जीव विज्ञान व्यवसायिक, शल्य-चिकित्सा और संवेदनाहरण से संबंधित प्रौद्योगिकी व्यवसायिक, अभिघात और बर्न केयर प्रोफेशनल, भैतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपिस्ट) और पोषण विज्ञान व्यवसायिक को निर्दिष्ट किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी कमी को दूर करने और चिकित्सीय पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में गति प्रदान करने के लिए भारत को संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों के लिए विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने चाहिए। इस विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं में बढोत्तरी की जा सके।

### क्रिटिकल केयर अस्पतालों के लिए अनुदान

राज्य	100 शय्या वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल (संख्या)	50 शय्या वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल (संख्या)	अनुदान( करोड़ रुपए)					
			2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	8	0	42	85	85	85	127	424
अरुणाचल प्रदेश	1	0	5	11	11	11	16	54
असम	3	29	97	194	194	194	291	970
बिहार	24	12	161	322	322	322	482	1609
छत्तीसगढ़	2	4	22	44	44	44	65	219
गोवा	0	1	3	6	6	6	8	29
गुजरात	10	0	53	106	106	106	159	530
हरियाणा	0	9	25	50	50	50	76	251
हिमाचल प्रदेश	1	3	14	27	27	27	41	136
झारखंड	6	7	51	103	103	103	154	514
कर्नाटक	10	2	59	117	117	117	176	586
केरल	5	0	27	53	53	53	80	266
मध्य प्रदेश	10	19	106	212	212	212	319	1061
महाराष्ट्र	21	12	145	290	290	290	435	1450
मणिपुर	1	1	8	16	16	16	24	80
मेघालय	1	1	8	16	16	16	24	80
मिजोरम	1	0	5	11	11	11	16	54
नागालैंड	1	0	5	11	11	11	16	54
ओडिशा	5	6	43	87	87	87	130	434
पंजाब	5	4	38	75	75	75	113	376
राजस्थान	11	0	58	117	117	117	175	584
सिक्किम	1	0	5	11	11	11	16	54
तमिलनाडु	10	0	53	106	106	106	159	530
तेलंगाना	3	4	27	54	54	54	81	270
त्रिपुरा	1	2	11	22	22	22	33	110
उत्तर प्रदेश	46	27	319	639	639	639	958	3194
उत्तराखंड	1	9	31	61	61	61	92	306
पश्चिम बंगाल	17	5	104	208	208	208	312	1040
<b>सभी राज्य</b>	<b>205</b>	<b>157</b>	<b>1525</b>	<b>3054</b>	<b>3054</b>	<b>3054</b>	<b>4578</b>	<b>15265</b>

## जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लिए भौतिक लक्ष्य और अनुदान

राज्य	स्थापित किए जाने वाले कुल प्रयोगशालाएं	भौतिक लक्ष्य				अनुदान( करोड़ रुपए)					
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	13	1	4	6	2	1	2	4	3	0	10
अरुणाचल प्रदेश	22	2	6	9	5	0	1	2	2	0	5
असम	33	4	10	13	6	1	2	2	2	0	7
बिहार	38	4	12	15	7	2	7	11	10	0	30
छत्तीसगढ़	28	4	9	11	4	2	6	9	7	0	24
गोवा	2	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1
गुजरात	33	4	10	13	6	2	6	10	9	0	27
हरियाणा	22	2	6	9	5	1	4	6	6	0	17
हिमाचल प्रदेश	12	1	4	5	2	0	1	1	1	0	3
झारखंड	24	2	7	10	5	1	3	6	5	0	15
कर्नाटक	30	4	10	12	4	2	6	9	8	0	25
केरल	14	2	5	6	1	1	3	5	3	0	12
मध्य प्रदेश	55	6	17	23	9	3	10	17	14	0	44
महाराष्ट्र	36	4	11	14	7	2	7	11	10	0	30
मणिपुर	15	2	5	6	2	0	1	1	1	0	3
मेघालय	10	1	4	4	1	0	1	1	1	0	3
मिजोरम	10	1	4	4	1	0	1	1	1	0	3
नागालैंड	11	1	4	4	2	0	1	1	1	0	3
ओडिशा	30	4	10	12	4	2	6	9	8	0	25
पंजाब	22	2	6	9	5	1	4	6	6	0	17
राजस्थान	33	4	10	13	6	2	6	10	9	0	27
सिक्किम	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	38	4	12	15	7	2	7	11	10	0	30
तेलंगाना	33	4	10	13	6	2	6	10	9	0	27
त्रिपुरा	7	0	2	3	2	0	0	1	1	0	2
उत्तर प्रदेश	75	7	22	31	15	4	13	22	20	0	59
उत्तराखंड	13	1	4	6	2	0	1	1	1	0	3
पश्चिम बंगाल	23	2	7	10	4	1	4	7	5	0	17
<b>कुल</b>	<b>685</b>	<b>73</b>	<b>212</b>	<b>277</b>	<b>123</b>	<b>32</b>	<b>109</b>	<b>174</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>469</b>

## पूर्व धारणा

- कुल जिला एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लगभग 10 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत प्रयोगशालाओं को क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष कार्यात्मक कर दिया जाएगा।
- 380 प्रयोगशालाओं के लिए प्रति जिला प्रयोगशाला 1.55 करोड़ रुपए; 120 प्रयोगशालाओं के लिए प्रति प्रयोगशाला 1.25 करोड़ रुपए और 230 प्रयोगशालाओं के लिए प्रति प्रयोगशाला 1 करोड़ रुपए पूंजीगत लागत है।
- मानव संसाधन और अन्य प्रचालनात्मक लागतों के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु 730 प्रयोगशालाओं का दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष के लिए रखरखाव आवर्ती लागत क्रमशः 0 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 80 प्रतिशत होने का अनुमान है। 730 प्रयोगशालाएँ राज्य और केंद्र संघ राज्य क्षेत्र दोनों में हैं। हालांकि, आयोग ने राज्यों में केवल 685 प्रयोगशालाओं के लिए अनुदान प्रदान किया है।

संबद्ध स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	सुविधाओं की संख्या	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	26	78	65	65	65	65	338
अरुणाचल प्रदेश	15	45	5	5	5	5	65
असम	33	99	232	232	232	232	1027
बिहार	43	129	326	326	326	326	1433
छत्तीसगढ़	33	99	35	35	35	35	239
गोवा	3	9	2	2	2	2	17
गुजरात	37	111	81	81	81	81	435
हरियाणा	28	84	38	38	38	38	236
हिमाचल प्रदेश	15	45	25	25	25	25	145
झारखंड	23	69	84	84	84	84	405
कर्नाटक	42	126	92	92	92	92	494
केरल	54	162	38	38	38	38	314
मध्य प्रदेश	51	153	172	172	172	172	841
महाराष्ट्र	72	216	234	234	234	234	1152
मणिपुर	9	27	18	18	18	18	99
मेघालय	13	39	14	14	14	14	95
मिजोरम	9	27	4	4	4	4	43
नागालैंड	11	33	7	7	7	7	61
ओडिशा	37	111	69	69	69	69	387
पंजाब	29	87	59	59	59	59	323
राजस्थान	32	96	89	89	89	89	452
सिक्किम	4	12	2	2	2	2	20
तमिलनाडु	32	96	82	82	82	82	424
तेलंगाना	15	45	44	44	44	44	221
त्रिपुरा	9	27	20	20	20	20	107
उत्तर प्रदेश	174	522	521	521	521	521	2606
उत्तराखंड	20	60	66	66	66	66	324
पश्चिम बंगाल	55	165	207	207	207	207	993
<b>सभी राज्य</b>	<b>924</b>	<b>2772</b>	<b>2631</b>	<b>2631</b>	<b>2631</b>	<b>2631</b>	<b>13296</b>

## डीएनबी पाठ्यक्रम के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	18	16	19	26	26	105
अरुणाचल प्रदेश	2	1	2	2	2	9
असम	23	25	30	40	39	157
बिहार	25	23	28	38	37	151
छत्तीसगढ़	16	16	20	27	27	106
गोवा	2	1	2	2	2	9
गुजरात	12	12	15	20	19	78
हरियाणा	32	29	35	48	47	191
हिमाचल प्रदेश	12	15	18	24	24	93
झारखंड	16	12	14	19	19	80
कर्नाटक	19	20	24	33	32	128
केरल	2	2	3	4	4	15
मध्य प्रदेश	54	62	76	102	100	394
महाराष्ट्र	12	12	15	20	19	78
मणिपुर	2	1	2	2	2	9
मेघालय	2	1	2	2	2	9
मिजोरम	2	2	3	4	4	15
नागालैंड	7	5	6	9	8	35
ओडिशा	18	18	22	29	29	116
पंजाब	34	28	33	46	45	186
राजस्थान	19	19	23	31	31	123
सिक्किम	5	4	5	6	6	26
तमिलनाडु	4	3	3	4	4	18
तेलंगाना	16	16	20	27	27	106
त्रिपुरा	9	7	8	11	11	46
उत्तर प्रदेश	50	44	53	73	71	291
उत्तराखंड	18	14	17	23	23	95
पश्चिम बंगाल	7	9	11	15	14	56
<b>सभी राज्य</b>	<b>438</b>	<b>417</b>	<b>509</b>	<b>687</b>	<b>674</b>	<b>2725</b>

**निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) का एक उप-समुच्चय (सब-सेट):  
शिक्षा के आधार पर राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए संकेतक**

संकेतक सं.	प्रश्न विवरण	भारांक
1	कक्षा 3 में औसत भाषा स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
2	कक्षा 3 में औसत गणित स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
3	कक्षा 5 में औसत भाषा स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
4	कक्षा 5 में औसत गणित स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
5	कक्षा 8 में औसत भाषा स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
6	कक्षा 8 में औसत गणित स्कोर : सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय	10
	<b>उप-योग : शिक्षण परिणाम</b>	<b>60</b>
7	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अनु.जाति एवं सामान्य श्रेणी के बीच संक्रमण दर का अंतर	10
8	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अनु.ज.जाति एवं सामान्य श्रेणी के बीच संक्रमण दर का अंतर	10
9	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक बालिकाओं एवं बालकों के बीच संक्रमण दर का अंतर	10
10	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक अल्प संख्यकों एवं सामान्य श्रेणी के बीच संक्रमण दर का अंतर	10
	<b>उप-योग : समानता परिणाम</b>	<b>40</b>
	<b>कुल</b>	<b>100</b>

नोट: हमारे द्वारा सुझाया गया सूचकांक निदेशात्मक है और उसे हमारे द्वारा वर्णित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा संशोधित कर अंतिम रूप दिया जा सकता है।



## उच्चतर शिक्षा के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	46	48	51	53	52	250
अरुणाचल प्रदेश	9	9	10	10	10	48
असम	32	33	35	36	35	171
बिहार	88	92	99	103	101	483
छत्तीसगढ़	27	28	30	31	30	146
गोवा	10	10	10	10	10	50
गुजरात	55	57	61	63	62	298
हरियाणा	27	28	30	31	30	146
हिमाचल प्रदेश	13	14	14	15	14	70
झारखंड	33	34	37	38	37	179
कर्नाटक	55	57	61	64	62	299
केरल	34	35	37	38	37	181
मध्य प्रदेश	64	67	72	74	72	349
महाराष्ट्र	95	99	107	111	108	520
मणिपुर	10	11	11	11	11	54
मेघालय	10	11	11	11	11	54
मिजोरम	9	9	10	10	10	48
नागालैंड	10	10	10	11	10	51
ओडिशा	40	42	45	46	45	218
पंजाब	29	30	32	33	32	156
राजस्थान	61	63	68	71	69	332
सिक्किम	9	9	9	9	9	45
तमिलनाडु	64	66	71	74	72	347
तेलंगाना	35	36	39	40	39	189
त्रिपुरा	11	11	11	11	11	55
उत्तर प्रदेश	163	170	183	191	186	893
उत्तराखंड	16	16	17	17	17	83
पश्चिम बंगाल	78	82	88	91	89	428
<b>सभी राज्य</b>	<b>1133</b>	<b>1177</b>	<b>1259</b>	<b>1303</b>	<b>1271</b>	<b>6143</b>

## निष्पादन-आधारित पुरस्कार के आकलन की पद्धति

प्रत्येक राज्य के लिए आबंटित निष्पादन-आधारित अनुदान की कुल राशि अनुलग्नक 10.4 में दर्शाई गई है। चार निष्पादन संकेतकों के प्रत्येक संकेतक के लिए कुल निष्पादन अनुदान में बराबर की हिस्सेदारी (25 प्रतिशत) आबंटित की जाएगी। वास्तविक अनुदान नीचे प्रस्तुत किए गए चार पैरामीटरों (मानदंडों) के संबंध में अनुपालन एवं उपलब्धियों पर आधारित होंगे।

### 1. कृषि भूमि पट्टाकरण संबंधित आदर्श कानून

यदि कोई राज्य कृषि भूमि पट्टाकरण संबंधी आदर्श कानून को लागू एवं अधिसूचित कर भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करता है, तब वह कृषि के लिए हमारी पंचाट अवधि के पांच वर्षों में एक बार कुल निष्पादन आधारित अनुदान का 25 प्रतिशत प्राप्त करेगा, क्योंकि प्रत्येक चार मानदंडों को बराबर का स्कोर दिया गया है।

### 2. जल का सतत एवं समुचित उपयोग

इस मानदंड के अनुसार, पिछले दशक की औसत की तुलना में लक्ष्य वर्ष T में भूमि जल स्रोत में परिवर्तन पर आधारित होगा। इस मानदंड संबंधी डाटा में बिजली प्रशुल्क, फसल पैटर्न, सिंचाई प्रौद्योगिकी और जल संरक्षण उपायों का प्रभाव ज्ञात होगा। सभी राज्यों में मॉनसून से पहले और मॉनसून के उपरांत भूजल स्तर पर डाटा को केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अपने तथा राज्य सरकारों के ऑब्जरवेशन वेल्स (प्रेक्षणात्मक जलाशय) में जल स्तर के आधार पर संकलित किया जाएगा। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा जल स्रोत में परिवर्तन के अनुसार, प्रत्येक राज्य में ऑब्जरवेशन वेल्स के वितरण पर डाटा संकलित कर रिपोर्टें तैयार की जाएंगी। निष्पादन प्रोत्साहन अर्जित करने हेतु अपेक्षित कदम उठाने के लिए राज्यों को एक वर्ष का अग्रिम समय दिया जाना चाहिए। अतः, जल के सतत उपयोग हेतु किसी राज्य के लिए अलग से निर्धारित की गई अनुदान की कुल राशि को हमारी 2022-23 से 2025-26 की चार वर्षों की पंचाट अवधि के दौरान बराबर राशियों में वितरित किया जाना चाहिए। इसके आधार पर, राज्यों को प्रोत्साहन के वितरण के लिए निम्नलिखित मानदंड का प्रयोग किया जाना है:

$PISWU_t = (1/4^{\text{th}} \text{ of } TPISWU) * (1 - \text{उन वेल्स का अंश, जिनमें पिछले दशक के औसत स्तर की तुलना में वर्ष } t \text{ में मॉनसून से पहले जल स्रोत में गिरावट आई थी})$ ।

जहां:  $PISWU_t$  वर्ष  $t= 2022-23$  से  $2025-26$  में जल के उचित उपयोग के लिए निष्पादन प्रोत्साहन है)।

$TPISWU$ , राज्य के लिए जल के उचित उपयोग हेतु कुल निष्पादन प्रोत्साहन है।

### 3. कृषि निर्यातों का संवर्धन

कृषि जिंसों (कमोडिटियों) के निर्यात के लिए कुल 25 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है। इसे पांच-वर्ष की पंचाट अवधि के दौरान, 2019-20 को आधार वर्ष मानते हुए, कृषि निर्यातों को दोगुना करने से संबद्ध किया जाएगा।

हमारी पंचाट अवधि में निर्यातों के लिए प्रोत्साहन 2019-20 के आधार वर्ष के दौरान US\$ में मापित निर्यात में वृद्धि पर आधारित होंगे। निर्यातों में 1 प्रतिशत की वृद्धि होने पर, 1 प्रतिशत निर्यात प्रोत्साहन अनुदान का भुगतान किया जाएगा और 100 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि पर निर्यात प्रोत्साहन अनुदान का 100 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। अनुदान को आधार वर्ष की तुलना में वर्ष  $t$  में निवल वृद्धि से संबद्ध किया जाएगा। यदि कोई राज्य आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 1 में 5 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 2 में 8 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 3 में 20 प्रतिशत की वृद्धि, वर्ष 4 में 50 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 5 में 90 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करता है, तो राज्य पहले वर्ष में प्रोत्साहन अनुदान के 5 प्रतिशत के लिए, दूसरे वर्ष में 3 प्रतिशत के लिए, तीसरे वर्ष में 12 प्रतिशत के लिए, चौथे वर्ष में 30 प्रतिशत के लिए तथा पांचवें वर्ष में 40 प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। पांच वर्षों में अधिकतम वृद्धि 100 प्रतिशत है।

### 4. आत्मनिर्भर भारत

आयात प्रतिस्थापन हेतु दलहनों, तिलहनों और वानिकी/कृषि वानिकी के उत्पादन में वृद्धि लाने का लक्ष्य इन मर्दों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है, इसलिए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए इन्हें संकेतकों के रूप में चयनित किया गया है। इसके लिए 25 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है। इस पुरस्कार को 2019-20 में आधाररेखा उत्पादन की तुलना में, हमारी पंचाट अवधि के दौरान, स्थिर मूल्यों के आधार पर तीन कमोडिटियों के उत्पादन के योग में वृद्धि को ध्यान में रखकर वार्षिक आधार पर दिया जा सकता है।

आधार अवधि के दौरान उत्पादन में 1 प्रतिशत की वृद्धि पर प्रोत्साहन अनुदान का 1 प्रतिशत प्राप्त किया जाएगा और 100 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि पर प्रोत्साहन की पूरी राशि प्राप्त की जा सकेगी। वार्षिक प्रोत्साहन का परिकलन उपयुक्त निर्यातों के लिए यथा निर्दिष्ट परिकलन की तरह किया जाएगा।

## राज्यों के लिए कृषि निष्पादन प्रोत्साहन अनुदानों का वितरण

राज्य	राज्यों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	प्रोत्साहन आधारित अनुदान (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश	9.35	4209
अरुणाचल प्रदेश	0.24	107
असम	1.66	748
बिहार	3.82	1720
छत्तीसगढ़	2.04	917
गोवा	0.14	63
गुजरात	6.26	2818
हरियाणा	3.77	1696
हिमाचल प्रदेश	0.55	247
झारखंड	1.50	677
कर्नाटक	5.09	2290
केरल	2.41	1086
मध्य प्रदेश	10.19	4587
महाराष्ट्र	7.30	3285
मणिपुर	0.22	101
मेघालय	0.19	86
मिजोरम	0.19	86
नागालैंड	0.28	124
ओडिशा	2.82	1271
पंजाब	4.37	1966
राजस्थान	7.34	3301
सिक्किम	0.09	41
तमिलनाडु	5.85	2632
तेलंगाना	3.70	1665
त्रिपुरा	0.51	228
उत्तर प्रदेश	11.85	5334
उत्तराखंड	0.62	277
पश्चिम बंगाल	7.64	3438
<b>सभी राज्य</b>	<b>100*</b>	<b>45000</b>

नोट: 1. राज्यों का अंश सभी राज्यों के कृषि जीएसवीए में अपने अंश से प्राप्त होता है और 2018-19 के लिए वास्तविक का औसत आंकड़े हैं और 2019-20 के लिए पूर्वानुमान हैं।

2. \* पूर्णांकित किए जाने के कारण, हो सकता है कि सभी राज्यों का जोड़ 100 न बने

पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	58	77	75	60	74	344
अरुणाचल प्रदेश	95	161	322	336	594	1508
असम	372	406	473	638	1214	3103
बिहार	267	279	413	397	338	1694
छत्तीसगढ़	174	166	150	197	224	911
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	120	62	50	48	50	330
हरियाणा	28	35	21	22	22	128
हिमाचल प्रदेश	246	284	426	523	743	2222
झारखंड	118	120	201	272	255	966
कर्नाटक	69	91	94	70	74	398
केरल	18	24	23	27	21	113
मध्य प्रदेश	359	398	440	481	431	2109
महाराष्ट्र	93	114	160	121	125	613
मणिपुर	113	146	303	239	392	1193
मेघालय	34	60	101	90	259	544
मिजोरम	44	65	100	107	230	546
नागालैंड	60	56	97	66	93	372
ओडिशा	275	302	404	492	476	1949
पंजाब	40	49	48	61	32	230
राजस्थान	293	282	339	372	332	1618
सिक्किम	60	93	86	118	127	484
तमिलनाडु	95	73	92	127	119	506
तेलंगाना	37	47	52	53	66	255
त्रिपुरा	73	95	110	108	116	502
उत्तर प्रदेश	250	285	301	361	268	1465
उत्तराखंड	187	297	467	510	861	2322
पश्चिम बंगाल	153	182	217	255	307	1114
<b>सभी राज्य</b>	<b>3731</b>	<b>4249</b>	<b>5565</b>	<b>6151</b>	<b>7843</b>	<b>27539</b>

## न्यायपालिका के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	59	59	59	59	59	295
अरूणाचल प्रदेश	4	4	4	4	4	20
असम	122	122	122	122	122	610
बिहार	192	192	192	192	192	960
छत्तीसगढ़	40	40	40	40	40	200
गोवा	3	3	3	3	3	15
गुजरात	62	62	62	62	62	310
हरियाणा	60	60	60	60	60	300
हिमाचल प्रदेश	10	10	10	10	10	50
झारखंड	55	55	55	55	55	275
कर्नाटक	59	59	59	59	59	295
केरल	81	81	81	81	81	405
मध्य प्रदेश	138	138	138	138	138	690
महाराष्ट्र	248	248	248	248	248	1240
मणिपुर	6	6	6	6	6	30
मेघालय	6	6	6	6	6	30
मिजोरम	3	3	3	3	3	15
नागालैंड	2	2	2	2	2	10
ओडिशा	85	85	85	85	85	425
पंजाब	29	29	29	29	29	145
राजस्थान	92	92	92	92	92	460
सिक्किम	1	1	1	1	1	5
तमिलनाडु	50	50	50	50	50	250
तेलंगाना	49	49	49	49	49	245
त्रिपुरा	17	17	17	17	17	85
उत्तर प्रदेश	365	365	365	365	365	1825
उत्तराखंड	14	14	14	14	14	70
पश्चिम बंगाल	233	233	233	233	233	1165
<b>सभी राज्य</b>	<b>2085</b>	<b>2085</b>	<b>2085</b>	<b>2085</b>	<b>2085</b>	<b>10425</b>

सांख्यिकी के लिए प्रस्तावित अनुदान-परिवर्तनशील एवं स्थायी घटकों का विवरण

समूह	क्र.सं.	राज्य	जिलों की सं.	औसत स्कोर	सांख्यिकीय क्षमता के स्तर के आधार पर प्रति जिला परिवर्तनशील आबंटन (करोड़ रु.)	मूलभूत सांख्यिकीय कार्यों के लिए प्रति जिला नियत किया गया आबंटन (करोड़ रु.)	कुल आबंटन (करोड़ रु.)
I	1	छत्तीसगढ़	27	0.28	1	1	54
	2	त्रिपुरा	8	0.31	1	1	17
	3	आंध्र प्रदेश	25	0.32	1	1	49
	4	गोवा	2	0.33	1	1	5
	5	पंजाब	22	0.33	1	1	43
	6	नागालैंड	11	0.33	1	1	23
	7	मध्य प्रदेश	51	0.38	1	1	102
	8	उत्तराखंड	13	0.38	1	1	25
	9	झारखंड	24	0.42	1	1	48
	10	मेघालय	11	0.42	1	1	23
	11	बिहार	38	0.47	1	1	77
II	12	असम	33	0.53	0.75	1	57
	13	हरियाणा	22	0.58	0.75	1	40
	14	हिमाचल प्रदेश	12	0.58	0.75	1	21
	15	मिजोरम	8	0.58	0.75	1	14
	16	सिक्किम	4	0.58	0.75	1	7
	17	मणिपुर	16	0.64	0.75	1	28
	18	महाराष्ट्र	36	0.68	0.75	1	63
	19	राजस्थान	33	0.68	0.75	1	57
III	20	उत्तर प्रदेश	75	0.73	0.5	1	114
	21	कर्नाटक	30	0.78	0.5	1	45
	22	पश्चिम बंगाल	23	0.79	0.5	1	35
	23	ओडिशा	30	0.8	0.5	1	45
	24	आंध्र प्रदेश	13	0.83	0.5	1	19
	25	गुजरात	33	0.83	0.5	1	51
	26	तमिलनाडु	32	0.85	0.5	1	47
	27	केरल	14	0.88	0.5	1	20
	28	तेलंगाना	31	0.88	0.5	1	46
<b>सभी राज्य</b>			<b>677</b>		<b>21.5</b>	<b>28</b>	<b>1175</b>

नोट: प्रति राज्य कुल आबंटनों को निकटतम दशमलव में परिवर्तित किया गया है।



## सांख्यिकी के लिए अनुदान

(करोड़ रु.)

राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2021-26
आंध्र प्रदेश	0	13	2	2	2	19
अरुणाचल प्रदेश	0	25	8	8	8	49
असम	0	33	8	8	8	57
बिहार	0	38	13	13	13	77
छत्तीसगढ़	0	27	9	9	9	54
गोवा	0	2	1	1	1	5
गुजरात	0	33	6	6	6	51
हरियाणा	0	22	6	6	6	40
हिमाचल प्रदेश	0	12	3	3	3	21
झारखंड	0	24	8	8	8	48
कर्नाटक	0	30	5	5	5	45
केरल	0	14	2	2	2	20
मध्य प्रदेश	0	51	17	17	17	102
महाराष्ट्र	0	36	9	9	9	63
मणिपुर	0	16	4	4	4	28
मेघालय	0	11	4	4	4	23
मिजोरम	0	8	2	2	2	14
नागालैंड	0	11	4	4	4	23
ओडिशा	0	30	5	5	5	45
पंजाब	0	22	7	7	7	43
राजस्थान	0	33	8	8	8	57
सिक्किम	0	4	1	1	1	7
तमिलनाडु	0	32	5	5	5	47
तेलंगाना	0	31	5	5	5	46
त्रिपुरा	0	8	3	3	3	17
उत्तर प्रदेश	0	75	13	13	13	114
उत्तराखंड	0	13	4	4	4	25
पश्चिम बंगाल	0	23	4	4	4	35
<b>सभी राज्य</b>	<b>0</b>	<b>677</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>1175</b>

राज्य-विशिष्ट अनुदानों का सारांश

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
<b>1) आंध्र प्रदेश</b>		
1	हैदराबाद शहर की हानि की भरपाई हेतु विशाखापत्तनम को एक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु विशाखापत्तनम में मूलभूत अवसंरचना का विकास (सड़कें, जलापूर्ति, बिजली वितरण, भूमिगत जल निकासी एवं आवश्यक भवनों का निर्माण)	1400
2	सिलिकॉन, फ्लोरोसिस एवं यूरेनियम प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर-ग्रिड परियोजनाएं	900
		<b>उप-योग 2300</b>
<b>2) अरुणाचल प्रदेश</b>		
1	हाइड्रो पावर	355
2	तवांग मठ (मोनास्ट्री) का परिरक्षण	45
		<b>उप-योग 400</b>
<b>3) असम</b>		
1	माजुली: द्वीप के आस-पास नए तटबंध एवं सड़क का निर्माण	1075
2	कामाख्या मंदिर परिसर का संपूर्ण विकास	300
		<b>उप-योग 1375</b>
<b>4) बिहार</b>		
1	पुरातात्विक स्थलों का परिरक्षण	200
2	मधुबनी में कला विश्वविद्यालय	300
3	बिहटा (पटना) में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना	175
4	स्वास्थ्य अवसंरचना का पुनर्निर्माण- पटना चिकित्सा महाविद्यालय का स्तरोन्नयन	1500
5	बांका में जिला विकास केंद्र	22

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
6	भागलपुर में रेशम कारीगरों के लिए संग्रहालय	10
7	कारिगरों के कौशलों का स्तरोन्नयन कर भागलपुर रेशम उद्योग का पुनरुत्थान करना	50
8	एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना के अंतर्गत आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र को सहायता प्रदान करना	10
<b>उप-योग</b>		<b>2267</b>
<b>5) छत्तीसगढ़</b>		
1	पारंपरिक शिल्पों का परिरक्षण एवं संवर्धन – माटी कला बोर्ड	50
2	विमानन: स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर का विस्तार	250
3	दंडकारण्य परिपथ (राम वन गमन पथ)	60
4	नई पूंजीगत विकास परियोजनाएं – ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकायों का संरक्षण, ई-बस का प्रापण, चार्जिंग पोस्ट, आश्रालय, सड़कें एवं पुल, पर्यटन, जलापूर्ति, जैविक-शौचालय	1300
<b>उप-योग</b>		<b>1660</b>
<b>6) गोवा</b>		
1	पर्यटन (संचार सेवाओं में सुधार; पर्यटन अवसंरचना का सुधार; समुद्र तट की सफाई के प्रयोजन हेतु अति-आधुनिक अपशिष्ट शोधन संयंत्र की स्थापना; पर्यटकों की सुरक्षा)	200
2	जलवायु परिवर्तन (बिजली उत्पादन के वैकल्पिक साधन; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन)	500
<b>उप-योग</b>		<b>700</b>
<b>7) गुजरात</b>		
1	सीमावर्ती गांवों में विकास हेतु प्रयास	200
2	सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र के तटवर्ती क्षेत्र में लवणता प्रवेश रोकथाम योजनाएं	310
3	कच्छ एवं सौराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में विलवणीकरण संयंत्र का विकास	2000
4	कला, संस्कृति, जनजातीय एवं तटवर्ती क्षेत्रों का विकास एवं संरक्षण	100

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
5	एशियाई शेर भूदृश्य का संरक्षण	100
6	बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना	150
<b>उप-योग</b>		<b>2860</b>
<b>8) हरियाणा</b>		
1	स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण एवं स्तरोन्नयन	400
2	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	300
3	पुलिस बल के लिए बेहतर अवसंरचना एवं उपकरण	100
4	पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों सहित राज्य कर्मियों के लिए आवासन परिसर	100
5	डिजिटल एवं ऑनलाइन शिक्षा	70
6	सिंचाई एवं जल संसाधन	350
7	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	200
8	लोक निर्माण कार्य	250
9	पर्यटन	
i	विभिन्न किलों के जीर्णोद्धार सहित राज्य में ऐतिहासिक स्थलों का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन अवसंरचना का विकास	200
ii	ऐतिहासिक संग्रहालयों का संरक्षण एवं परिरक्षण: (क) श्यामेश्वर तालाब – चरखी दादरी, (ख) भाई की बावड़ी, कैथल, (ग) मुकंदपुर बावड़ी, महेन्द्रगढ़, और (घ) तख्त बावड़ी /मिर्जा अली जान का तख्त	30
iii	चुई मल तालाब का संरक्षण	3
<b>उप-योग</b>		<b>2003</b>
<b>9) हिमाचल प्रदेश</b>		
1	कांगड़ा विमानपत्तन (गगल, धर्मशाला) का विस्तार एवं स्तरोन्नयन	400
2	मंडी विमानपत्तन (नागचला) का निर्माण	1000
3	ज्वालामुखी मंदार का स्तरोन्नयन एवं विकास	20
<b>उप-योग</b>		<b>1420</b>

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
<b>10) झारखंड</b>		
1	पर्यटन, खेल, कला एवं संस्कृति संबंधी अवसंरचना (रांची एवं दुमका में कला एवं सांस्कृतिक भवन; जनजातीय संग्रहालय; मंडार में आउटडोर स्टेडियम; कांके में बड़ा स्टेडियम; खेल विश्वविद्यालय; आदि)	400
2	उर्जा (रूफटॉप प्रोग्राम; सौर पंप; छोटी जलीय परियोजनाएं; शहरी एवं ग्रामीण बिजली वितरण अवसंरचना का सुदृढीकरण; आदि)	700
3	देवघर बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग और उसके आस-पास के पर्यटन सर्किट के लिए पर्यटन सुविधाओं का विकास	200
<b>उप-योग</b>		<b>1300</b>
<b>11) कर्नाटक</b>		
1	जल निकायों का समग्र रूप से सुधार	3000
2	बेंगलुरु से भीड़-भाड़ को कम करने हेतु परिधीय रिंग रोड	3000
<b>उप-योग</b>		<b>6000</b>
<b>12) केरल</b>		
1	अपशिष्ट निपटान, जल निकायों की सफाई	450
2	नारियल के वृक्षों का पुनःरोपण	150
3	वन संरक्षण	500
<b>उप-योग</b>		<b>1100</b>
<b>13) मध्य प्रदेश</b>		
1	पर्यटन, आतिथ्य एवं कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना	55
2	प्राचीन विरासत (ancient heritage) वाले उद्यानों का जीर्णोद्धार	40
3	विरासत वाले भवनों, लैंड बैंकों और जल क्रीड़ा स्थलों में मूलभूत सुविधाएं	140
4	वर्तमान/नए स्थानों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास एवं स्तरोन्नयन	150
5	संग्रहालय (निर्माण एवं रखरखाव)	70
6	स्मारकों का संरक्षण एवं विकास	110

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
7	अभिलेखागार भवन का निर्माण एवं प्रलेखीय विरासत (डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज) का संरक्षण	50
8	बालिकाओं के लिए 33 नए शिक्षा परिसरों का निर्माण	250
9	सौर पंप परियोजना	500
10	चम्बल नदी से ग्वालियर शहर और मुरैना शहर में जलापूर्ति	250
11	ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी पर्यटन और चन्देरी के पारंपरिक कपड़ा बुनकरों का क्षमता निर्माण	75
12	उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की मरम्मत, रखरखाव एवं विकास	75
<b>उप-योग</b>		<b>1765</b>
<b>14) महाराष्ट्र</b>		
1	सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण	500
2	वन एवं वन्यजीव प्रबंधन का संरक्षण	500
3	रेवास रेड्डी तटवर्ती राजमार्ग का विकास	1250
4	पुलिस के लिए नए आवासन का निर्माण	500
<b>उप-योग</b>		<b>2750</b>
<b>15) मणिपुर</b>		
1	मंत्रियों/विधायकों के लिए आवासन परिसर	75
2	अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इम्फाल में आवासन परिसर	210
3	पर्वतीय जिलों में जिला एवं उप-मंडलीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासन परिसर	130
4	मणिपुर सचिवालय परिसर को पूरा करना	75
5	परिचर्या संस्थान (नर्सिंग इंस्टिट्यूट) की स्थापना	15
6	छः पर्वतीय जिला मुख्यालयों- चुड़ाचांदपुर, उखरूल, सेनापति, कंगपोकपी, चंदेल एवं तमेंगलॉन्ना में सीवर, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं आंतरिक सड़कों के सुधार के लिए प्रावधान @ 50 करोड़ रु. प्रत्येक के लिए।	300
7	राज भवन में विशेष सुधार कार्य	15
8	राज्य अतिथि गृह का निर्माण	80

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
		<b>उप-योग 900</b>
<b>16) मेघालय</b>		
1	पूर्वी खासी हिल्स जिला में शिलांग शहर को एक विश्व-स्तरीय शहर में परिवर्तित करना	
	क नए शिलांग टाउनशिप में प्रशासनिक शहर	250
	ख नए शिलांग टाउनशिप में नई विधानसभा (new assembly) भवन का निर्माण	100
	ग नए शिलांग टाउनशिप के लिए जलापूर्ति योजना	100
	घ शिलांग टाउनशिप में पैदलपथ एवं घिरी हुई पगदंडी	50
2	राष्ट्रीय खेलों के लिए अवसंरचना, 2022	
	क शिलांग एकीकृत खेल परिसर	100
	ख शिलांग गोल्फ क्लब	50
	ग पी. ए. संगमा स्टेडियम	50
	घ तुरा, पश्चिमी गारो हिल्स में शहरी अवसंरचना का विकास	50
	ड. जोवाई, पश्चिमी जैतिया हिल्स में शहरी अवसंरचना का विकास	50
		<b>उप-योग 800</b>
<b>17) मिजोरम</b>		
1	बागवानी	330
2	पर्यटन	200
3	विद्युत एवं बिजली	170
		<b>उप-योग 700</b>
<b>18) नागालैंड</b>		
1	नागर विमानन (छोटी लैंडिंग पट्टियां, प्रत्येक जिले में एक)	90
2	भारत-म्यांमार सीमा पर प्रवेश/निकास के लिए जांच चौकियों का निर्माण	25
3	नागालैंड में कॉफी की खेती का विकास	150
4	नवीन राज भवन, कोहिमा	100
5	नवीन उच्च न्यायालय परिसर, कोहिमा	100

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
6	अग्निशमन केंद्र (प्रत्येक जिले में एक)	60
<b>उप-योग</b>		<b>525</b>
<b>19) ओडिशा</b>		
1	श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी में और उसके आस-पास श्रद्धालुओं के लिए सुविधा	175
2	चक्रवात-संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली	800
3	कोणार्क में सूर्य मंदिर का परिरक्षण एवं विकास	150
4	बाराबती किले का परिरक्षण और कटक के आस-पास के ऐतिहासिक स्थलों का विकास	150
5	सम्बलपुर नगरपालिका क्षेत्र में बरसाती पानी की जल निकासी प्रणाली	150
6	नबरंगपुर जिले में केनडुगुडा (Kenduguda) के निकट इंद्रावती नदी के ऊपर ऊंचे पुल का निर्माण	150
7	हीराकुंड जलाशय, संबलपुर में गंतव्य विकास के लिए प्रस्ताव	200
<b>उप-योग</b>		<b>1775</b>
<b>20) पंजाब</b>		
1	बुधा नाला के माध्यम से सतलुज नदी में प्रदूषण का समाधान	400
2	मोहाली, होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर एवं फाजिल्का में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए चार नए संस्थान	700
3	बठिंडा में 15000 किलो वाट के रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र की संस्थापना के लिए प्रायोगिक परियोजना	40
4	बठिंडा किले का विकास	10
5	धान तथा अन्य फसलों में विविधीकरण द्वारा पराली जलाए जाने के कारण उत्पन्न प्रदूषण में कमी लाना	350
6	पार्टिशन म्यूजियम, अमृतसर का विकास	10
7	पटियाला किले का विकास	13
8	जंग-ए-आजादी स्मारक, करतारपुर, जिला जालंधर	12
9	पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर, जिला कपूरथला	10
<b>उप-योग</b>		<b>1545</b>



क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
<b>21) राजस्थान</b>		
1	जोधपुर में एकीकृत जल प्रबंधन	400
2	जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट	550
3	राजस्थान में लोक स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढीकरण- चिकित्सा महाविद्यालय में संगरोध केंद्रों के साथ उष्णकटिबंधीय एवं विषाणु विज्ञान अवसंरचना का विकास	270
4	राजस्थान में डिजिटल विश्वविद्यालय	400
5	राजस्थान लोक कला प्रशिक्षण संस्थान (जैसलमेर) की स्थापना	150
6	कयासा, अलवर में औद्योगिक उपनगर	320
7	“प्रोजेक्ट जोधपुर इनिशिएटिव” (आईआईटी चेन्नई के प्रोफेसर बी. एस. मूर्ति द्वारा की गई पहल)	10
8	नीमराना औद्योगिक केंद्र परियोजना	200
9	पारंपरिक लोक कलाकारों और गायकों जैसे कि मंगानिया या कुलबुलस (Manganiyas or Kulbulas) को सहायता	15
10	समाज में भेदभाव का सामना कर रही युवा सैनिक की विधवाओं का पुनर्वास	7
<b>उप-योग</b>		<b>2322</b>

<b>22) सिक्किम</b>		
1	दक्षिण सिक्किम में नंदु गांव में हर्बल चिकित्सा/योग एवं अध्यात्म उपचार पर्यटन परिसर (Herbal medical/yoga and spiritual healing tourism complex)	50
2	एमआईसीई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी स्थल) गंतव्य के रूप में गंगटोक का संवर्धन करने के लिए सम्मेलन केंद्र के साथ गंगटोक में ज्ञान मंदिर पुस्तकालय का निर्माण	200
3	पश्चिमी सिक्किम में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक सिंगशोर पुल का ग्लास स्काइवॉक ब्रिज के रूप में परिवर्तन	52
4	पश्चिमी सिक्किम में पेलिंग से संग्वा-चोईलिंग मोनास्ट्री तक यात्री (रोप-वे)	110
5	पश्चिमी सिक्किम में डोडक में इको-टूरिज्म परिसर का विकास	78

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
6	बागवानी (रूमटेक में सिमबिडियम विकास केंद्र)	10
<b>उप-योग</b>		<b>500</b>
<b>23) तमिलनाडु</b>		
1	चेन्नई जल निकायों का पुनर्निर्माण	200
2	ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार	300
3	विरासत भवनों (फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास उच्चतम न्यायालय, सरकारी संग्रहालय, पीडब्ल्यूडी परिसर)	150
4	पारंपरिक जलाशयों का जीर्णोद्धार	900
5	पर्यटन की महत्ता वाले प्रमुख नगरों (रामेश्वरम, मदुरै, पलानी, तिरुचेन्दुर, श्रीरंगम) का विकास	650
<b>उप-योग</b>		<b>2200</b>
<b>24) तेलंगाना</b>		
1	मिशन भागीरथ का प्रचालन एवं रखरखाव	2350
2	एएससीआई के अवसंरचना का पुनर्निर्माण	12
<b>उप-योग</b>		<b>2362</b>
<b>25) त्रिपुरा</b>		
1	अगरतला नगर निगम के 15 मौजूदा/चालू जल शोधन संयंत्रों के लिए अगरतला शहर में उपयुक्त स्थान पर चंपकनगर एवं चंपाईचेरा बांधों से भू-जलाशयों में सतही जल का पारेषण।	400
2	त्रिपुर सुन्दरी मंदिर के निकट, 51 शक्ति पीठों का विकास, रोप-वे का निर्माण, नीरमहल में साउंड एण्ड लाइट शो।	175
3	राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों को एक एकल परिसर में स्थापित करने के लिए एक कार्यालय भवन का निर्माण।	100
4	सीवर प्रबंधन, जल निकासी, घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कों पर लाइटें, और आंतरिक सड़कें: खोवाई, विश्रामगंज, अम्बासा, बेलोनिया, कैलाशहर के लिए पांच जिला मुख्यालय नगरों में प्रत्येक के लिए 25 करोड़ रुपए।	125

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
5	सीवर प्रबंधन, जल निकासी, घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़कों पर लाइटें, और आंतरिक सड़कों के लिए धामेनगर और उदयपुर के जिला मुख्यालय नगरों में प्रत्येक के लिए 37.5 करोड़ रुपए।	75
<b>उप-योग</b>		<b>875</b>
<b>26) उत्तर प्रदेश</b>		
1	जल निकासी, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर)	950
2	सेवापुरी ब्लॉक को मॉडल ब्लॉक में परिवर्तित करना।	180
3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	2365
क	27 स्वीकृत नए चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन के लिए लागत प्रत्येक के लिए 68.5 करोड़ रुपए।	1850
ख	आगरा, गोरखपुर और कन्नौज में स्थापित तीन नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए परिचालन लागत (प्रचालन एवं रखरखाव)।	150
ग	प्रयागराज, सहारनपुर, बदायूं, जालौन, बांदा, अंबेडकर नगर एवं आजमगढ़ में सात नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना एवं परिचालन लागत	300
घ	पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोगों की जांच एवं निदान के लिए अनुषंगी केंद्रों (satellite) की स्थापना	50
ड.	राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ में राज्य लोक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना	15
<b>उप-योग</b>		<b>3495</b>
<b>27) उत्तराखंड</b>		
1	पेयजल एवं स्वच्छता के लिए जमरानी डैम बहु-उद्देशीय परियोजना	950
2	देहरादून के लिए सोंग डैम पेयजल परियोजना	500
3	पौड़ी गढ़वाल में स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान और जल निकासी	100
4	नैनीताल में स्वच्छता और जल निकासी	50
<b>उप-योग</b>		<b>1600</b>

क्र. सं.	प्रयोजन	अनुशंसित राशि
<b>28) पश्चिम बंगाल</b>		
1	पिछड़े जिलों में अवसंरचना का विकास	1000
2	गंगा नदी में कटाव को रोकने के लिए निर्माण कार्य	550
3	भूमिगत जल में आर्सेनिक समस्या समाधान करने के लिए सतही जल से पेयजल शोधन परियोजनाएं	550
		<b>उप-योग</b>
		<b>2100</b>
		<b>सभी राज्य</b>
		<b>49599</b>

## राज्य-विशिष्ट अनुदानों का विवरण

### आंध्र प्रदेश

विभाजन के कारण हैदराबाद शहर की हानि की भरपाई हेतु विशाखापत्तनम को एक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु विशाखापत्तनम में मूलभूत अवसंरचना का विकास

1. आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम को एक मुख्य आर्थिक केंद्र (हब) और विकास स्तंभ, जो राजस्व अर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा, के रूप में निर्मित करने हेतु राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए आयोग से अनुदानों का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम में सड़कों, जलापूर्ति, बिजली वितरण, भूमिगत जल निकासी एवं आवश्यक भवनों के निर्माण के लिए अनुदानों का प्रावधान करने का अनुरोध किया है। इस योजना के लिए हम 1,400 करोड़ रुपए की राशि की मूलभूत अवसंरचना के लिए अनुशंसा करते हैं।

### वाटर ग्रिड परियोजनाएं

2. आंध्र प्रदेश ने चिरकालिक गुर्दा रोग, फ्लोरोसिस एवं कम वर्षा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए अनुदानों की अनुशंसा करने का अनुरोध किया है। राज्य ने तटवर्ती क्षेत्र में लवणता के प्रवेश एवं सिलिका तत्व के कारण, राज्य के मध्य भागों में जलकृषि एवं उसके अति दोहन के फलस्वरूप जल प्रदूषण के कारण, और रायलसीमा क्षेत्र में गंभीर सूखा एवं फ्लोराइड प्रभावित रिहायशी क्षेत्रों को भूमिजल-आधारित योजनाओं से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में महसूस की गई समस्याओं को उजागर किया है।

3. क्षेत्र में सभी परिवारों के लिए पर्याप्त शुद्ध पेयजल हेतु प्रावधान की सुनिश्चितता तथा स्वास्थ्य परिचर्या पर परिवार-आधारित व्यय को कम करने, और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु हम इस परंतुक के साथ 900 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा करते हैं कि इस अनुदान का उपयोग केवल निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए ही किया जाएगा :

	करोड़ रु.
चिरकालिक गुर्दा रोग से ग्रस्त श्रीकाकुलम जिले में उद्दनम (Uddanam) क्षेत्र	300
फ्लोरोसिस से प्रभावित गुंटूर जिले में पलानाडु (Palanadu) क्षेत्र और कम बरसात के कारण प्रभावित प्रकाशम जिले में कानिगिरी क्षेत्र	400
यूरेनियम फिल्टरिंग से प्रभावित वाईएसआर कडप्पा जिले में पुलिवेन्दुला (Pulivendula) क्षेत्र	200

### अरूणाचल प्रदेश

#### छोटी/ लघु/ सूक्ष्म हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

4. राज्य ने छोटी/लघु/सूक्ष्म हाइड्रो-इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजना के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है ताकि डीजल द्वारा विद्युत उत्पादन को कम किया जा सके तथा राज्य के बाहर से विद्युत का आयात कर सके। राज्य ने वर्तमान हाइडल केंद्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए भी निधियों की मांग की है। इस प्रयोजन के लिए हम 355 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

#### तवांग मठ (मोनास्ट्री) का परिरक्षण

5. अपने अनुपूरक ज्ञापन में, राज्य ने भूस्खलन से सुरक्षा सहित पहले से किए जा रहे कार्यों को पूरा करने के लिए तवांग मठ के परिरक्षण हेतु 45 करोड़ रुपए की मांग की है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए, हम राज्य सरकार के प्रस्ताव की अनुशंसा करते हैं।

### असम

#### माजूली द्वीप के आस-पास नई सर्कुलर सड़क एवं तटबंध का निर्माण

6. राज्य सरकार ने वर्तमान तटबंध तंत्र को एक सड़क-सह-बांध में परिवर्तित/जोड़कर माजूली द्वीप के लिए एक परिधीय सड़क एवं तटबंध उपलब्ध कराने हेतु निधियों का मांग की है। हम इस प्रयोजन हेतु 1,075 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### *विरासत परिसरों का संरक्षण-कामाख्या मंदिर परिसर*

7. राज्य सरकार ने कामाख्या मंदिर परिसर, जो राज्य की विरासत का परिचायक है, के संपूर्ण विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 300 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## **बिहार**

### *पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण*

8. राज्य सरकार ने पुरातात्विक स्थलों एवं ऐतिहासिक संग्रहालयों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए सहायता की मांग की है। राज्य ने बताया कि वह वर्तमान में तैंतालीस पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण एवं सुरक्षा कर रहा है, लेकिन राज्य में कई और ऐसे स्थल हैं जिन्हें संरक्षित एवं सुरक्षित किए जाने की तत्काल आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करते हैं।

### *मधुबनी में कला विश्वविद्यालय*

9. आयोग को दिए गए अपने अनुपूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि बिहार ऐतिहासिक रूप से कला एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति यहीं हुई थी और राज्य सिख धर्म एवं सूफीवाद का भी एक सक्रिय केंद्र है। राज्य सरकार ने कला एवं संस्कृति के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने हेतु एक कला विश्वविद्यालय (दृश्य एवं मंच कला) की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 300 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### *बिहटा, पटना में एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना*

10. राज्य सरकार ने हमें बताया है कि राज्य में ऐसे युवाओं, जो इस विषय-क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, की अपार संभावना का लाभ उठाने के लिए बिहार को एक डिजिटल विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। बिहटा में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हम 175 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

*स्वास्थ्य अवसंरचना का पुनर्निर्माण— पटना चिकित्सा महाविद्यालय का स्तरोन्नयन*

11. राज्य सरकार ने अपने अनुपूरक ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि वह बिहार की चिकित्सीय अवसंरचना के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। इस योजना के भाग के रूप में, राज्य की योजना है कि वह पटना चिकित्सा महाविद्यालय में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाकर 5,462 कर उसे पुनः विकसित करना चाहता है। राज्य की यह भी योजना है कि वह 12,667 स्वास्थ्य उप-केंद्रों को स्थापित कर, जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार करेगा। इस प्रयोजन हेतु, हम 1,500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*बांका में जिला विकास केंद्र*

12. राज्य ने बांका, जो सुदूर स्थित जिला है, में एक जिला विकास केंद्र की स्थापना के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। यह केंद्र प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का केंद्र बनकर विकास संबंधी अंतर को कम करेगा। हम इस अनुरोध का समर्थन करते हैं और इस प्रयोजनार्थ 22 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*भागलपुर में रेशम कारीगरों के लिए संग्रहालय तथा कारीगरों के कौशल उन्नयन द्वारा भागलपुर रेशम उद्योग का पुनरुद्धार*

13. (क) राज्य सरकार ने यह कहा है कि भागलपुर रेशम उद्योग, जो तसर रेशम के लिए प्रसिद्ध है, से काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना है। राज्य सरकार ने जिले के गौरवमयी अतीत को संग्रहालय में प्रदर्शित करने हेतु भागलपुर में रेशम कारीगरों के एक संग्रहालय हेतु अनुदान की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 10 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

13. (ख) राज्य सरकार ने निर्यात के लिए संपूर्ण उत्पादन एवं आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती प्रदान कर भागलपुर रेशम उद्योग के पुरुत्थान के लिए की गई पहलों के बारे में बताया और भागलपुर में कारीगरों के कौशलों के वर्धन हेतु निधियों का मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 50 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना के तहत आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र के लिए सहायता*

14. राज्य सरकार ने आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र (सीईपीपीएफ), पटना के लिए अनुदान की भी मांग की है। इस केंद्र की स्थापना एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान के तहत 2008 में की गई थी जिसका



उद्देश्य राज्य सरकार को अनुसंधान और व्यावसायिक सहायता, जैसे कि वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने में, शोध अध्ययन करने में तथा बिहार की अर्थव्यवस्था का एक डाटा बैंक सृजित करने में सहायता प्रदान करना था। हम सीईपीपीएफ, पटना के लिए 10 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## छत्तीसगढ़

### पारंपरिक शिल्प का परिरक्षण एवं संवर्धन- माटी कला बोर्ड

15. राज्य सरकार ने टेराकोटा और मिट्टी के पारंपरिक शिल्पों के परिरक्षण और संवर्धन के लिए अनुदान का अनुरोध किया है ताकि राज्य के लगभग 14,000 कुंभकारों को इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराकर टेराकोटा शिल्प के क्षेत्र में समग्र रूप से विकास करने में शिल्पकारों को सहायता प्रदान की जा सके। ग्लेजिंग यूनितें स्थापित किए जाने से नव विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में तथा पारंपरिक माटी शिल्पों को डिजाइन करने में तथा उसके बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने में सहायता मिलेगी। शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिए जाने से राज्य के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे शिल्पकारों की आय एवं वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। इस प्रयोजन हेतु हम 50 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### दंडकारण्य परिपथ- राम वन गमन पथ परियोजना

16. राज्य सरकार की योजना भगवान श्रीराम द्वारा अपने वनवास के दौरान प्रयोग किए गए मार्ग में आने वाले ऐतिहासिक महत्ता के स्थलों का स्तरोन्नयन एवं सुधार कर इस मार्ग को जोड़ना और विकसित करना है। सार्वजनिक वाई-फाई के साथ घाटों पर सुविधाएं, वर्तमान परिक्रमा मार्गों का स्तरोन्नयन और अंतिम पड़ाव (last mile) तक संपर्कता हेतु सुविधाएं विकसित की जाएंगी। राज्य सरकार ने एक पर्यटन स्थल के रूप में राम वन गमन पथ के विकास के लिए तथा इस मार्ग में पर्यटन अवसंरचना में सुधार लाने लिए सहायता का अनुरोध किया है। हम राज्य के इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं और इस प्रयोजन हेतु 60 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## विकास परियोजना

17. (क) वर्ष-दर-वर्ष बढ़ते यात्री यातायात और विमान सेवाओं के कारण, रायपुर एवं नया रायपुर का विकास तेजी से हो रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन माना, रायपुर का विस्तार करना तथा राजधानी एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों को विकसित करना उसके लिए बहुत ही

आवश्यक है। राज्य ने इस प्रयोजन हेतु लगभग 250 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की है। हम इस अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

17. (ख) सरकार ने नई पूंजीगत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण का अनुरोध किया है। बारहवें वित्त आयोग और तेरहवें वित्त आयोग ने इस प्रयोजन हेतु क्रमशः 200 करोड़ रुपए और 550 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया था। राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकायों के संरक्षण, ई-बस के प्रापण, चार्जिंग पोस्ट, आश्रयालयों, सड़कों और पुलों, पर्यटन, जलापूर्ति तथा आदर्श जैविक-शौचालय के लिए आयोग से 1,812 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। इसके लिए हम 1,300 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## गोवा

### पर्यटन का विकास

18. राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, गोवा सरकार ने निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अनुदानों की मांग की है :

- i. संचार एवं संपर्कता, जैसे कि नेटवर्क सॉल्यूशन्स, अंतिम प्रयोक्ता की आवश्यकताओं, आवाजाही एवं ट्रेकिंग, एकीकृत संचार और सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने में सुधार लाना।
- ii. पर्यटक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, जनोपयोगी सेवाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित पर्यटन अवसंरचना का विस्तार करना और सांस्कृतिक एवं मनोरंजन संबंधी अवसंरचना का स्तरोन्नयन करना।
- iii. समुद्र तट पर साफ-सफाई करना और तट की साफ-सफाई के लिए अत्याधुनिक अपशिष्ट शोधन यंत्र की स्थापना करना।
- iv. तटों और अन्य पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था करना।

इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### जलवायु परिवर्तन-अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करना और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत

19. राज्य ने ठोस अपशिष्ट, सौर ऊर्जा, टाइडल पावर (ज्वारीय विद्युत) एवं पवन ऊर्जा से जैविक-मिथेनीकरण का परिवर्तन कर बिजली उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता की मांग की है। राज्य ने हमें

बताया है कि उसने इसके लिए चार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं की पहचान की है। इस प्रयोजन हेतु हम 500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## गुजरात

### *सीमावर्ती गांवों में विकास हेतु प्रयास*

20. गुजरात सरकार ने सीमा के आस-पास के सुदूर क्षेत्रों के विकास के लिए, इन क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रशासन सुनिश्चित करने, आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### *तटवर्ती क्षेत्र में लवणता प्रवेश निवारण योजनाएं*

21. अपने ज्ञापन में, राज्य सरकार ने यह कहा है कि लवणता के प्रवेश के कारण 534 तटवर्ती गांवों में लगभग सात लाख हैक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। बारहवें वित्त आयोग और तेरहवें वित्त आयोग ने इस प्रयोजन हेतु क्रमशः 200 करोड़ रुपए और 150 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया था। इस समस्या का समाधान करने के लिए हम 310 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### *विलवणीकरण संयंत्रों का विकास*

22. राज्य सरकार ने कच्छ और सौराष्ट्र के विभिन्न स्थानों में विलवणीकरण (desalination) संयंत्रों के विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 2000 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### *कला, संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, जनजातीय एवं तटवर्ती क्षेत्रों का विकास*

23. राज्य सरकार ने कला और संस्कृति के संरक्षण एवं विकास तथा जनजातीय एवं तटवर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### एशियाई शेर भूदृश्य का संरक्षण

24. राज्य सरकार ने एशियाई शेरों के संरक्षण, पर्यावास (हैबीटैट) के सुदृढीकरण, जन जागरूकता कार्यक्रमों, मानव-पशु संघर्ष को कम करने तथा उनके संरक्षण से जुड़े अग्रपंक्ति कर्मचारियों के कौशल एवं क्षमता निर्माण के लिए सहायता की मांग की है। हम राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हैं और इस प्रयोजन हेतु 100 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना

25. राज्य सरकार ने नर्मदा जिले के राजपीपला में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना स्थल के आस-पास जनजातीय समुदाय के लिए एक समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना एवं अधिष्ठापन के लिए 341.10 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। यह विश्वविद्यालय गुणवत्तायुक्त खान-पान एवं आवास सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालय के आस-पास जनजातीय छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करेगा। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## हरियाणा

### स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढीकरण और स्तरोन्नयन

26. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, राज्य में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना का सुदृढीकरण और स्तरोन्नयन करना बहुत आवश्यक है। राज्य सरकार ने क्षेत्र के निकट विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु कुरुक्षेत्र (अतिरिक्त 100 बिस्तर), सिरसा (200 बिस्तर), नूँह (अतिरिक्त 100 बिस्तर), गुरुग्राम (अतिरिक्त 500 बिस्तर), करनाल (अतिरिक्त 200 बिस्तर) और हिसार (अतिरिक्त 200 बिस्तर) में जिला सिविल अस्पतालों के स्तरोन्नयन के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान

27. जिला स्तर पर चिकित्सीय सुविधाओं को और अधिक सुदृढ करने तथा स्वास्थ्य कार्मिकों की संख्या को बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की परिकल्पना की है। प्रस्तावित परियोजनाओं में भिवानी, कोरियावास, नारनौल एवं जींद में नए चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण शामिल है।

### पुलिस बल के लिए बेहतर अवसंरचना और उपकरण

28. राज्य ने बेहतर पुलिस के लिए अवसंरचना की सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों तथा उनके प्रशिक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में पुलिस बल के प्रशिक्षण के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। राज्य "Dial 112" फ्लैगशिप कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे राज्य में 24x7 आधार पर पुलिस एवं अन्य आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पंचकुला में पूरे राज्य के लिए एक केंद्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### पुलिस और न्यायिक अधिकारियों सहित राज्य सरकार के कर्मियों के लिए आवासन परिसर

29. राज्य सरकार ने क्षेत्र/फील्ड में कार्यरत कर्मियों की तैनाती को सुसाध्य के लिए, पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों सहित उसके कर्मियों हेतु आवासन परिसरों के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है ताकि नागरिकों को शासन से बेहतर पहुंच प्राप्त हो सके। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा

30. ऑनलाइन शिक्षा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने 1,487 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, जहां विज्ञान विषय उपलब्ध हैं, को 2021 तक स्मार्ट स्कूलों (जहां यह प्रस्ताव किया है कि शैक्षिक अनुदेश (medium) के डिजिटल रूप को मुख्य धारा में लाना है) में परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 70 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### सिंचाई और जल संसाधन

31. राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि गांव के तालाब सिकुड़ रहे हैं और उनका उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके कारण स्थानीय सिंचाई और पशुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में भारी अंतर आ गया है। इस स्थिति का समाधान करने तथा जल संरक्षण प्रयासों को गति प्रदान करने, और गांवों में सृजित अपशिष्ट जल का उचित रूप से प्रयोग करने के तरीकों की खोज करने के लिए, राज्य सरकार ने तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया है। हम राज्य में तालाबों और इस प्रकार के जल निकाय के पुनःस्थापन एवं पुनर्जीवन के लिए 350 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

32. राज्य सरकार ने ग्रामों में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं में सुधार के लिए अतिरिक्त नलकूपों (tubewells) की खुदाई कर, वर्तमान नहर-आधारित योजनाओं का विस्तार, नए नहर-आधारित जल कार्यों को सृजित कर, बूस्टिंग केंद्रों का निर्माण कर, वर्तमान वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण, वर्तमान पेयजल आपूर्ति सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा अन्य संबद्ध कार्यों के लिए निधियों का अनुरोध किया है। इन अतिरिक्त निधियों का उपयोग गुरुग्राम, मेवात और शिवालिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति का विस्तार करने तथा सीवेज शोधन संयंत्रों और सीवर नेटवर्क बिछाने से संबंधित निर्माण एवं विस्तार कार्य करने के लिए किया जाना है। इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### लोक निर्माण कार्य

33. राज्य सरकार ने विभिन्न सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं और नई रेल लाइनों के लिए विशेष निधियों का अनुरोध किया है। इन परियोजनाओं में दिल्ली करनाल हाई स्पीड रेल, दिल्ली-रेवाड़ी क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली सिस्टम, कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेस वे के समानांतर पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल कोरिडोर शामिल है। ये लाइनें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वस्तुओं, विशेष रूप से बागवानी उत्पादों की त्वरित आवाजाही में तथा उत्तरी एवं पश्चिमी औद्योगिक कोरिडोरों के बीच आवाजाही में सुविधा प्रदान करेंगी। राज्य ने सूचित है कि इन परियोजनाओं से दिल्ली में आवाजाही को कम करने में भी सुविधा मिलेगी। इस प्रयोजन हेतु हम 250 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### पर्यटन संबंधी अवसंरचना का विकास और ऐतिहासिक स्थानों का जीर्णोद्धार

34. हरियाणा में समृद्ध पारंपरिक विरासत और कुरुक्षेत्र जैसे अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनकी पौराणिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्ता है। राखीगढ़ी एक ऐसा स्थल है जो हड़प्पा-मोहनजोदड़ो की विशिष्टताओं को प्रदर्शित करता है, और पानीपत भारत के इतिहास में युद्धों व संग्रामों का केंद्र रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, इन स्थानों के पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास और जीर्णोद्धार के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हम राज्य सरकार की इन पहलों के लिए सहायता देने हेतु 200 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

35. हमें बताया गया कि बीते कई वर्षों में देखभाल नहीं करने के कारण राज्य में कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण बनी हुई है। इन स्थानों में (क) श्यामेश्वर तालाब- चरखी दादरी, (ख) भाई की बावड़ी, कैथल, (ग) मुकुंदपुरा बावड़ी, महेन्द्रगढ़ और (घ) तख्त बावड़ी /मिर्जा अली जान का तख्त शामिल है। इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं। संरक्षण और परिरक्षण इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरीटेज (INTACH) द्वारा या अन्य विषयक विशेषज्ञों द्वारा कराया जा सकता है।

#### *चुई मल तालाब*

36. राज्य से अनुरोध प्राप्त करने के आधार पर, चुई मल तालाब के लिए 3 करोड़ रुपए राशि की अनुशंसा की जाती है। इस परियोजना का कार्यान्वयन भारतीय ग्रामीण विरासत और विकास न्यास (Indian Trust for Rural Heritage and Development (ITRHD) द्वारा कराया जा सकता है।

#### **हिमाचल प्रदेश**

##### *कांगड़ा विमानपत्तन, गगल, धर्मशाला का विस्तार/स्तरोन्नयन*

37. राज्य ने वर्तमान एवं नए विमानपत्तनों और हेलिपैड्स के स्तरोन्नयन के लिए निधियों का अनुरोध किया है, जिससे हिमाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में शुमार हो जाएगा और राज्य के लोगों की समृद्धता तथा राजस्वों में वृद्धि होगी। राज्य ने कांगड़ा विमानपत्तन के विस्तार/स्तरोन्नयन के लिए निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

##### *मंडी विमानपत्तन (नागचला) का निर्माण*

38. राज्य ने मंडी जिले में चौड़े आकार के विमानपत्तनों के अवतरण (लैंडिंग) के लिए उपयुक्त नए ग्रीन फील्ड विमानपत्तन के निर्माण का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 1,000 करोड़ रुपए के आबंटन की अनुशंसा करते हैं।

### ज्वालामुखी मंदिर नगर में जलापूर्ति और सीवर सुविधाओं में सुधार

39. राज्य सरकार ने बताया है कि ज्वालामुखी मंदिर, जो कि एक शक्ति पीठ है, में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिससे नगर की नागरिक व मूलभूत सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है। राज्य ने ज्वालामुखी मंदिर नगर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जलापूर्ति की स्थिति में सुधार लाने, सीवर और बांधों के चैनलाइजेशन के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 20 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### झारखंड

#### पर्यटन, खेल, कला और सांस्कृतिक अवसंरचना

40. झारखंड सरकार ने पर्यटन, खेल, कला और सांस्कृतिक अवसंरचना के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। इससे उसे राज्य में पर्यटन, खेलों को बढ़ावा देने में तथा संस्कृति को परिरक्षित करने में और युवाओं से संबंधित कार्यक्रमों का विस्तार करने में सहायता मिलेगी, जिससे युवा शक्ति और उसकी ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकेगा और उसे दिशा प्रदान की जा सकेगी। इससे राज्य में सांस्कृतिक विविधता और विरासत को बढ़ावा देने और उन्हें परिरक्षित करने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

#### नवीकरणीय ऊर्जा का विकास

41. राज्य सरकार ने चार प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों— सरकारी भवनों और आवासीय उपभोक्ताओं के लिए रूफटॉप कार्यक्रम, सोलर पंप, सोलर स्ट्रीट लाइटें और छोटी हाइड्रो परियोजनाओं के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 700 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

#### देवघर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए पर्यटन सुविधाओं और उसके आस-पास पर्यटन सर्किट का विकास

42. राज्य सरकार ने देवघर वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के लिए पर्यटन सुविधाओं और उसके आस-पास पर्यटन परिपथ के विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम इस परन्तुक के साथ 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं। इस अनुदान का उपयोग केवल संबंधित योजनाओं के लिए ही किया जाएगा।



## कर्नाटक

### जल निकायों का समग्र सुधार

43. राज्य सरकार ने बेंगलुरु और उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित टैंकों के समग्र सुधार के लिए सहायता की मांग की है। 2000 हेक्टेयर के कमांड एरिया के साथ सिंचाई कार्यों को लघु सिंचाई कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन लघु सिंचाई कार्यों में टैंक, पिकअप्स, बनधारा/बांध(बराज), छिद्रिल/वायुमार्गीय बांध (वेंटेड डैम) और उत्थित सिंचाई (lift irrigation) योजनाएं हैं। राज्य में आठ लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्रफल के साथ लगभग 8,400 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। इस प्रयोजन हेतु हम 3,000 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### बेंगलुरु में भीड़-भाड़ कम करने हेतु परिधीय रिंग रोड

44. बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिक एवं विज्ञान तथा भारत की प्रौद्योगिकीय राजधानी के नाम से जाना जाता है। शहर ने सफलता प्राप्त की है, मगर शहर में यातायात में भारी बढ़ोतरी भी हो गई है। अतः राज्य सरकार ने भारी वाहनों को शहर से बाइपास की ओर परिवर्तित करने हेतु एक परिधीय रिंग रोड का निर्माण करने हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 3,000 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

## केरल

### अपशिष्ट का निपटान, जल निकायों की साफ-सफाई

45. अपने अनुपूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने यह उल्लेख किया है कि स्थानीय शासन ठोस अपशिष्ट निपटान में बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्थानीय शासनों ने अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादित करने हेतु विकेंद्रीकृत अपशिष्ट शोधन संयंत्र स्थापित किए हैं जिनमें विकेंद्रीकृत परिवारों से अपशिष्ट को एकत्र एवं पृथक कर शोधित किया जाता है। राज्य में एक मिशन मोड कार्यक्रम, हरित केरल मिशन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल निकायों की साफ-सफाई, पेयजल गुणवत्ता की जांच, वर्षा जल संचयन करना है। राज्य सरकार ने इन कार्यों के लिए निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 450 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### नारियल का पुनः वृक्षारोपण

46. अपने अनुपूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने नारियल उद्योगों द्वारा महसूस किए जा रहे मुद्दों को उठाया है। राज्य में नारियल उद्योग के पुनः सक्रिय करके और नारियल ताड़ों के आनुवंशिक आधार में सुधार लाने हेतु, एक व्यापक स्तर पर पुनर्जीवित कार्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने नारियल परिषद की योजना, केरा केरलम समृद्ध केरलम के तहत नारियल के पौधों को वितरित एवं रोपित करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने नारियल के वृक्षारोपण की इस योजना के लिए निधियों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### वन संरक्षण

47. अपने ज्ञापन में, राज्य सरकार ने कहा है कि उसने वनों के आर्थिक दोहन के बजाय, उनके संरक्षण एवं सुरक्षा को महत्ता दी है। वनों में आग लगने की घटनाओं को नियंत्रित करने, वनों में अतिक्रमणों को रोकने, इष्टतम वन उत्पाद प्राप्त करने हेतु वनों का विनियमित रूप से उपयोग करने तथा पर्यावरण की दृष्टि से पर्यटन (ईको-टूरिज़्म) के लिए वन का उपयोग करने में व्यय की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इसके लिए सहायता का अनुरोध किया है, और हम 500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### मध्य प्रदेश

#### पर्यटन, आतिथ्य और कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना

48. मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन, आतिथ्य और कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है, ताकि युवाओं को औपचारिक विषयों के भीतर इन क्षेत्रों में अध्ययन करने में सहायता प्रदान की जा सके। इससे पर्यटन क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस प्रयोजन हेतु हम 55 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

#### विरासत उद्यानों का जीर्णोद्धार

49. राज्य सरकार ने बुंदेलखंड, मालवा, भोपाल क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में चालीस असंरक्षित शाही (राँयल) उद्यानों के पुनरुत्थान कर इस ऐतिहासिक उद्यान को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 40 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

*विरासत भवनों, जलाशयों और भूमि बैंकों में मूलभूत सेवाओं का उन्नयन एवं विकास*

50. मध्य प्रदेश में अनेक विरासत स्थल हैं। विरासत स्थलों को पर्यटन होटलों में परिवर्तित करने सहित, जल आधारित खेलों और साहसिक (एडवेंचर) खेलों को विकसित करने हेतु उचित संपर्क-सड़कों, जल और बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु हम 140 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

*पर्यटन संबंधी अवसंरचना का स्तरोन्नयन एवं विकास*

51. राज्य सरकार ने वर्तमान एवं नए गंतव्यों (destinations) में पर्यटन संबंधी अवसंरचना के स्तरोन्नयन और विकास के लिए तथा कम प्रसिद्धि वाले पर्यटन स्थलों के संवर्धन के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

*संग्रहालयों का निर्माण और रखरखाव*

52. राज्य ने छिंदवाड़ा, नीमच, नरसिंहपुर, हरदा, गुना, ओमकारेश्वर और देवास में सात नए संग्रहालयों के निर्माण तथा पुरा वस्तुओं को संग्रहित, वर्गीकृत और अनुरक्षित करने तथा वर्तमान चौतीस संग्रहालयों का रखरखाव करने हेतु 82 करोड़ रु. की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 70 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

*संग्रहालयों का संरक्षण और विकास*

53. राज्य ने ओरछा-ग्वालियर सर्किट, बुरहानपुर-इंदौर सर्किट, भोपाल सर्किट, और विन्ध्य-जबलपुर सर्किट में महत्वपूर्ण स्मारकों के संरक्षण कार्य के लिए तथा वर्तमान स्मारकों के मार्गों के विकास, विद्युतीकरण और जन सुविधाओं के लिए 110 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। हम इस परन्तुक के साथ कि अनुदान का उपयोग केवल इन योजनाओं के लिए ही किया जाएगा, इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं।

*अभिलेखागार भवन का निर्माण और प्रलेखनीय विरासत का संरक्षण*

54. राज्य ने अभिलेखागार सुविधाओं के निर्माण एवं विस्तार, अभिलेखों का उचित प्रबंधन और सुरक्षा, प्रकाशन, संदर्भ मीडिया को तैयार करना और अभिलेखों के लेमिनेशन के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान

का अनुरोध किया है। हम इस परन्तुक के साथ इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं कि इस अनुदान का उपयोग केवल इन योजनाओं के लिए ही किया जाएगा।

#### *बालिकाओं के लिए 33 नए शिक्षा परिसरों का निर्माण*

55. जनजातीय समुदाय के हित में, राज्य ने बालिकाओं के लिए तैंतीस नए शिक्षा परिसरों के निर्माण के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 250 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

#### *सौर पंप परियोजना*

56. राज्य सरकार ने ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

#### *ग्वालियर शहर और मुरैना शहर में चंबल नदी से जलापूर्ति*

57. राज्य सरकार ने ग्वालियर और मुरैना शहरों में चंबल नदी से जलापूर्ति के लिए सहायता की मांग की है। इसके अंतर्गत जलसंचन कुंआ (इनटेक वेल), जल शोधन संयंत्र, एलीवेडिट सर्विस जलाशयों के निर्माण तथा वितरण प्रणाली आदि शामिल हैं। इस प्रयोजन हेतु हम 250 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

#### *ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी पर्यटन तथा चंदेरी के पारंपरिक कपड़ा बुनकरों का क्षमता निर्माण*

58. राज्य सरकार ने ग्वालियर-शिवपुरी-चंदेरी सर्किट में पर्यटन के लिए और चंदेरी के पारंपरिक कपड़ा बुनकरों का क्षमता निर्माण करने के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 75 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

#### *महाकालेश्वर मंदिर का विकास एवं रखरखाव*

59. राज्य सरकार ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की मरम्मत और रखरखाव एवं विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 75 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

## महाराष्ट्र

### सांस्कृतिक विरासतों का परिरक्षण

60. राज्य ने चवालीस स्थानों में राज्य द्वारा संरक्षित स्मारकों एवं संग्रहालयों के संरक्षण, मरम्मत और विकास के लिए तथा दस स्थानों पर भारत सरकार के संरक्षण के तहत किलों (forts) के संरक्षण एवं मरम्मत के लिए अनुदान की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 500 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### वन और वन्यजीव का संरक्षण और प्रबंधन

61. महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए ज्ञापन में उसने राज्य में वनों एवं वन्यजीव के संरक्षण तथा हरित आवरण को बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया है। राज्य जैव विविधता से समृद्ध है और राज्य में छः राष्ट्रीय पार्क, उनचास अभ्यारण्य (sanctuaries) तथा छः संरक्षण रिजर्व्स और छः टाइगर रिजर्व्स है। इस प्रयोजन हेतु हम 500 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### रेवास रेड्डी तटवर्ती राजमार्ग का विकास

62. महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण तट के समानांतर सड़कों के निर्माण के लिए सहायता की मांग की है। यह 540 कि.मी. लम्बा मनोरम मुंबई-गोवा तटवर्ती समुद्री राजमार्ग है, जिसे कोंकण प्रवेश-द्वार के रूप में जाना जाता है। इससे कोंकण की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से पर्यावरण और मात्स्यिकी को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस प्रयोजन हेतु हम 1,250 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### पुलिस के लिए नए आवासन का निर्माण

63. राज्य सरकार ने यह तथ्य उजागर किया है कि महाराष्ट्र पुलिस देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। कोविड-19 महामारी में पुलिस बल ने कानून और व्यवस्था तथा कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों का प्रभावकारी एवं दक्षता के साथ निर्वहन करने के लिए यह जरूरी है कि पुलिस स्टेशन के आस-पास ही उनके लिए आवासीय मकान/क्वार्टर निर्मित किए जाएं। महाराष्ट्र में, विशेष रूप से मुंबई एवं पुणे के महानगरीय क्षेत्र में पुलिस कार्मिकों के लिए आवासन के

अभाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल के लिए आवासीय सुविधाओं का विस्तार करने के लिए हम 500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## मणिपुर

### आवासन अवसंरचना

64. अपने अनुपूरक ज्ञापन में, राज्य सरकार ने इम्फाल में विधानसभा के मंत्रियों/ सदस्यों/ सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक अलग आवासीय परिसर तथा पर्वतीय जिलों एवं उप-मंडलीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मियों के लिए एक आवासीय परिसर विकसित करने का प्रस्ताव किया है, क्योंकि वर्तमान आवासन परिसर न केवल अपर्याप्त हैं, बल्कि बहुत पुराने भी हो चुके हैं। हम राज्य सरकार की इन पहलों का समर्थन करते हैं और अनुदानों की अनुशंसा निम्नानुसार करते हैं:

परियोजना	करोड़ रु.
इम्फाल में मंत्रियों/विधायकों के लिए आवासन परिसर	75
अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इम्फाल में आवासन परिसर	210
पर्वतीय क्षेत्रों में जिला एवं उप-मंडलीय कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवासन परिसर	130

### मणिपुर सचिवालय परिसर

65. राज्य ने मंत्रीपुखरी में मणिपुर सचिवालय परिसर को पूरा करने के लिए निधियों के आबंटन की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 75 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### नर्सिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना

66. राज्य सरकार ने इम्फाल ( पश्चिम ) जिले में जवाहर लाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान से संबद्ध तीस सीटों के साथ एक नर्सिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना करने के लिए निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 15 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### पर्वतीय जिलों में अवसंरचना का विकास

67. छः पर्वतीय जिला मुख्यालयों, यानी चुड़ाचांदपुर, उखरूल, सेनापति, कंगपोकपी, चांडेल, तामेंगलोंग में सीवर, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं और आंतरिक सड़कों के सुदृढीकरण के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 300 करोड़ रुपए (प्रत्येक जिला मुख्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए) के कुल अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### राजभवन के भीतर भवनों और संरचनाओं का पुनरुद्धार

68. इम्फाल में राजभवन एक विरासत भवन है। राज्य ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि राजभवन परिसर के भीतर दरबार हॉल, भोज सभामंडप (बैंकवट हॉल), वीआईपी अतिथि गृह एवं दीर्घा और चारदीवारी का पुनरुद्धार काफी समय से नहीं किया गया है और उन्हें उनके अनुरूप अनुरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए राज्य ने 15 करोड़ रुपए के अनुदान की सहायता की मांग की है। हम इस अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### राज्य अतिथि गृह का निर्माण

69. राज्य सरकार ने आधुनिक सुविधाओं के साथ एक नए राज्य अतिथि गृह के निर्माण हेतु 80 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है, क्योंकि वर्तमान में राज्य का दौरा करने वाले सम्माननीय अतिथियों की आवास व्यवस्था के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम इस अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### मेघालय

#### नए शिलांग टाउनशिप में प्रशासनिक शहर

70. राज्य ने शहर में भीड़-भाड़ कम करने हेतु सरकारी कार्यालयों और आवासन के साथ नए शिलांग क्षेत्र में एक प्रशासनिक शहर निर्मित कराने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित टाउनशिप के लिए भूमि राज्य सरकार द्वारा पहले ही अधिग्रहित कर ली गई है। इस प्रयोजन हेतु हम 250 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### नए विधान सभा भवन का स्तरोन्नयन एवं निर्माण

71. राज्य ने एक नए विधान सभा भवन के निर्माण का प्रस्ताव किया है, क्योंकि पुराना भवन 2001 में आग में जल कर ध्वस्त हो गया था। इसके लिए पहले से शुरू किए गए कार्यों को पूरा करने हेतु राज्य ने निधियों के आबंटन की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### नए शिलांग टाउनशिप के लिए जलापूर्ति योजना

72. राज्य सरकार ने नई शिलांग टाउनशिप में प्रस्तावित प्रशासनिक शहर में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### शिलांग शहर में वाकवे एवं कवर्ड पाथवे का निर्माण

73. शहर की सांस्कृतिक विरासत को परिरक्षित करने और सार्वजनिक स्थलों को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि पूरे शहर में वाकवे, कवर्ड पाथवे तथा स्काइवॉक का निर्माण कराया जाना है। इस प्रयोजन हेतु हम 50 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### खेल अवसंरचना का विकास

74. राज्य सरकार ने मेघालय में उनतालीसवें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी एवं खेल के आयोजन हेतु खेल अवसंरचना के स्तरोन्नयन एवं विकास के लिए सहायता की मांग की है। शिलांग एकीकृत खेल परिसर के लिए हम 100 करोड़ रुपए और शिलांग गोल्फ क्लब तथा पी.ए. संगमा स्टेडियम, प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### शहरी अवसंरचना का विकास

75. तुरा (पश्चिमी गारो हिल्स जिले का जिला केंद्र) और जोवाई (जैतिया पर्वतीय क्षेत्र का प्रशासनिक केंद्र) में सार्वजनिक स्थलों, यातायात, अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग जैसे अवरसंरचना के प्रबंधन/विकास के प्रयोजनार्थ, हम राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार 100 करोड़ रुपए (तुरा एवं जोवाई प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपए) के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।



## मिजोरम

### बागवानी

76. राज्य सरकार के अनुरोध पर, हम (क) संधारणीय बागवानी फसलों की खेती, (ख) स्थानांतरण खेती से, स्थायी भूमि के उपयोग में संक्रमण, (ग) उच्च मूल्य वाली फसलों के उत्पादन, (घ) बड़े पैमाने पर खेती के लिए वृक्षों के कटाव को रोकना, (ड.) बांस प्रसंस्करण में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 330 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### पर्यटन

77. पूरे राज्य में पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए अनुदान हेतु हम राज्य सरकार के अनुरोध पर 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### विद्युत

78. राज्य ने बिना बाधा के बिजली आपूर्ति के लिए विद्युत और बिजली विभाग के तहत महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 170 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

## नागालैंड

### नागर विमानन: छोटी लैंडिंग पट्टियां

79. राज्य ने अंदरूनी क्षेत्रों में दो-इंजन वाले छोटे विमानों से हवाई यात्रा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिले में छोटी लैंडिंग पट्टियों की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस प्रयोजन हेतु हम 90 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

**भारत-म्यांमार सीमा पर प्रवेश/निकास के लिए जांच चौकियों का निर्माण**

**80.** राज्य ने निर्बाध आवागमन व्यवस्था के तहत भारत-म्यांमार सीमा पर प्रवेश/निकास के लिए जांच चौकियों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपए के अनुदान का अनुरोध किया है। हम इस अनुरोध को स्वीकर करते हैं और उक्त राशि की अनुशंसा करते हैं।

**राज्य में कॉफी का विकास**

**81.** राज्य सरकार ने आगामी तीस वर्षों के लिए नागालैंड कॉफी के क्रय हेतु एक दक्षिण अफ्रीकी फर्म/कंपनी के साथ एक करार ज्ञापन (एमओए) किया है। राज्य सरकार ने कॉफी विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

**नए राज भवन का निर्माण**

**82.** वर्तमान राज भवन, जो केवल 5.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कदाचित देश में सबसे छोटा राजभवन है। इस भवन में मात्र तीन अतिथि कक्ष हैं, जिसे उच्च गणमान्य व्यक्तियों के दौरों के दौरान समस्या का सामना करना पड़ता है। नागालैंड सरकार ने नए राजभवन के लिए एक स्थल की पहचान की है, जो कोहिमा में प्रस्तावित विमानपत्तन से 15 कि. मी. दूरी पर है और मुख्यमंत्रियों एवं कैबिनेट मंत्रियों के बंगलों के आस-पास भी है। इस प्रयोजन हेतु हम 100 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

**नए उच्च न्यायालय परिसर का निर्माण**

**83.** राज्य सरकार ने कोहिमा में नए उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण को पूरा करने के लिए सहायता की मांग की है, जिसे पूर्व में एक विशेष योजना सहायता (एसपीए) के तहत 2008-09 में शुरू किया गया था और एसपीए करार/अनुबंध को समाप्त किए जाने के कारण पूरा नहीं किया जा सका था। इस परियोजना को पूरा करने के हम 100 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

### अग्निशमन केंद्रों का निर्माण

84. राज्य सरकार के ज्ञापन के प्रत्युत्तर में, हमने पांच नए जिलों में अग्निशमन केंद्रों और अन्य सात जिलों में अतिरिक्त सात नए केंद्रों के निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा की है।

### ओडिशा

#### श्री जगन्नाथ मंदिर में और उसके आस-पास श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं

85. राज्य सरकार ने श्री जगन्नाथ मंदिर में और उसके आस-पास के क्षेत्रों की मरम्मत और रखरखाव के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 175 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

#### चक्रवात की सूचना देने के लिए चेतावनी प्रणाली

86. राज्य सरकार ने चक्रवात से संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रसारण प्रणाली को स्थापित करने के लिए अनुदानों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 800 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

#### कोणार्क सूर्य मंदिर का परिरक्षण एवं विकास

87. राज्य सरकार ने कोणार्क में सूर्य मंदिर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में चंद्रभागा से कटकपुर जंक्शन तक सड़क सहित कोणार्क रिंग रोड और चंद्रभागा तट (beach) के परिरक्षण और विकास के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

#### बाराबती मोआत (Barabati Moat) और उसके आस-पास ऐतिहासिक स्थानों का परिरक्षण एवं विकास

88. राज्य सरकार ने बाराबती मोआत के परिरक्षण और विकास के लिए अनुदानों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*संबलपुर नगरपालिका क्षेत्र में झंझा बरसाती पानी के लिए ड्रेनेज प्रणाली*

89. राज्य ने मौजूदा ड्रेनेज प्रणाली के पुनरुद्धार और नए ढके हुए नालों के निर्माण सहित संबलपुर नगरपालिका क्षेत्र में झंझा जल के लिए ड्रेनेज प्रणाली निर्मित करने हेतु 150 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया है। हम इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं और तदनुसार अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

*नबरंगपुर जिले में केंडुगुडा के समीप इंद्रावती नदी के उपर ऊंचे पुल का निर्माण*

90. राज्य ने नबरंगपुर जिले में केंडुगुडा के समीप इंद्रावती नदी के उपर ऊंचे पुल के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया है। हम इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं और तदनुसार अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

*हीराकुंड जलाशय, संबलपुर में डेस्टिनेशन डिवलेपमेंट*

91. राज्य ने महानदी के उपर एक ऊंचे पुल के निर्माण सहित संबलपुर में हीराकुंड जलाशय में डेस्टिनेशन डिवलेपमेंट के लिए, जलाशय के समीप मौजूदा हवाई पट्टियों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया है।

## पंजाब

*बुधा नाला के माध्यम से सतलुज नदी के प्रदूषण का समाधान*

92. राज्य सरकार ने बुधा नाला की साफ-सफाई कर सतलुज नदी के प्रदूषण के समाधान के लिए एक परियोजना हेतु सहायता की मांग की है। यह परियोजना पेयजल एवं सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होगी। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपये की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*मोहाली, होशियारपुर, शहीद भगतसिंह नगर और फाजिल्का में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के चार नए संस्थान*

93. राज्य सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य परिचर्या और शिक्षा को बढ़ाने एवं उसका विस्तार करने के लिए मोहाली, होशियारपुर, शहीद भगतसिंह नगर और फाजिल्का में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के चार नए

संस्थानों के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 700 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*बठिंडा में रूफ टॉप सौर संयंत्रों की संस्थापन के लिए प्रायोगिक परियोजना*

94. राज्य में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों ( अनुसूचित जाति, झोपड़ियों में रहने वाले लोग, आदि ) की बड़ी आबादी है, जो बिजली के बिल का भुगतान करने में समर्थ नहीं हैं। राज्य सरकार ने बठिंडा में 15,000 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में 1 kwp एवं 2 kwp के 15,000 कि.वाट के रूफ टॉप सौर संयंत्र संस्थापित करने के लिए एक परियोजना हेतु सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 40 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

*बठिंडा किला और पटियाला किले का विकास*

95. राज्य सरकार ने बठिंडा किला, जो कि एक ऐतिहासिक एवं संरक्षित स्मारक है और जिसके कुछ भाग बहुत ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं, के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए निधियों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 10 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

96. राज्य सरकार ने हमें बताया कि पटियाला किला, जो ऐतिहासिक महत्व का स्थल है, में भी संरक्षण/पुनरुद्धार कार्य बड़े पैमाने पर कराए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु हम 13 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं। इन परियोजनाओं को आईटीआरएचडी द्वारा कार्यान्वित कराया जा सकता है।

*धान तथा अन्य फसलों के विविधिकरण द्वारा धान भूसी जलाए जाने से उत्पन्न प्रदूषण को कम करना*

97. राज्य सरकार ने धान फसल तथा अन्य फसलों, विशेष रूप से मक्का में, विविधिकरण कर धान भूसी जलाए जाने से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के लिए सहायता की मांग की है। इससे उत्तर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलेगी। इस प्रयोजन हेतु हम 350 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*भारत के विभाजन पर पार्टिशन म्यूजियम, अमृतसर का विकास*

98. राज्य सरकार ने अमृतसर में भारत के विभाजन पर एक संग्रहालय के लिए सहायता की मांग की है। उसने यह उल्लेख किया है कि विभाजन पर यह विश्व का पहला संग्रहालय है। यह स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब की भूमिका को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रयोजन हेतु हम 10 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*जंग-ए-आजादी स्मारक, करतारपुर, जालंधर*

99. राज्य सरकार ने एक पुस्तकालय सहित, जालंधर जिले के करतारपुर में जंग-ए-आजादी स्मारक के स्तरोन्नयन के लिए सहायता की मांग की है। राज्य सरकार ने यह भी प्रस्ताव किया है कि संग्रहालय को सौर ऊर्जा से चालित किया जाए। हम इसे स्वीकार करते हैं और इस प्रयोजन हेतु 12 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं। इस परियोजना को आईटीआरएचडी द्वारा कार्यान्वित कराया जा सकता है।

*पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर, कपूरथला*

100. कपूरथला में स्थित पुष्पा गुजराल विज्ञान शहर (पीजीएससी) एक अनौपचारिक विज्ञान शिक्षा केंद्र है, जो स्थायी विकास को बढ़ावा देने हेतु विज्ञान-आधारित निर्णयन के माध्यम से समाज की क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार ने पारितंत्र (वैश्विक पारितंत्र में वर्चुअल वॉकथ्रू सहित), पर्यावरण एवं स्थायी विकास लक्ष्य पर दीर्घा तथा कोविड-19 पर एक दीर्घा विकसित करने का प्रयास किया है। राज्य सरकार ने इन दीर्घाओं के लिए नए भवन के निर्माण और स्थान/गुंबद थियेटर स्क्रीन के स्तरोन्नयन के लिए निधियों की आवश्यकता का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 10 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

## राजस्थान

*जोधपुर में एकीकृत जल प्रबंधन*

101. राज्य सरकार ने बताया है कि सीमित वर्षा के कारण जोधपुर क्षेत्र को जल के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने जोजारी नदी को एक बारहमासी बड़ी नदी के रूप में बहाल करने का प्रस्ताव किया है, जिसके पूरे बहाव मार्ग को मूल रूप में बहाल कर या किसी नए मार्ग को विकसित कर किया जाना है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक बहिःस्राव (effluent) और घरों से बहने वाले गंदे पानी से मृदा

एवं भूमि जल काफी ज्यादा प्रभावित होता है। वर्तमान बहिःस्त्राव शोधन संयंत्र बहिःस्त्रावों को शोधित करने में अपर्याप्त हैं। इसलिए बहिःस्त्राव के संग्रहण और परिवहन प्रणाली का स्तरोन्नयन करने की आवश्यकता है। जोजारी नदी अपने पुनरुद्धार के पश्चात सामुदायिक ग्राम तालाबों, सूक्ष्म सिंचाई, विविधीकृत खेती और बागवानी के लिए जल का स्रोत बन जाएगी, जिसके फलस्वरूप हजारों किसानों की छिन गई आजीविका बहाल हो सकेगी। राज्य सरकार ने जोधपुर में एकीकृत जल प्रबंधन को मजबूती को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### *जोधपुर शहर एलिवेटेड सड़क परियोजना*

102. राज्य सरकार ने जोधपुर में कृषि मंडी सर्किल (मंडोर सड़क पर स्थित) से लेकर सोजाटी गेट सर्किल तथा अखिल्या सर्किल (चौपासनी सड़क पर स्थित) तक जोधपुर शहर के मुख्य केंद्र में भारी यातायात की आवाजाही का मुद्दा उठाया है। राज्य सरकार ने एक एलिवेटेड सड़क परियोजना के निर्माण के लिए निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 550 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### *चिकित्सा महाविद्यालयों में संगरोध केंद्रों के साथ उष्णकटिबंधीय एवं विषाणु विज्ञान अवसंरचना का विकास*

103. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए निधियों का अनुरोध किया है। राज्य के छह चिकित्सा महाविद्यालयों में वर्तमान स्वास्थ्य अवसंरचना को गंभीर परिचर्या सेटअप (उष्णकटिबंधीय एवं विषाणु विज्ञान अवसंरचना पर केंद्रित रहते हुए) के साथ स्तरोन्नयन किया जाना आवश्यक है। इस प्रयोजन हेतु हम 270 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### *डिजिटल विश्वविद्यालय*

104. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने प्रमुख प्रौद्योगिकीय आभासी कक्षाओं, डिजिटल प्रयोगशालाओं आदि के साथ एक डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए निधियों की मांग की है। हम इसका समर्थन करते हैं और 400 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*जैसलमेर में राजस्थान लोक कला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना*

105. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने एक लोक कला प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सभी प्रकार की मंच कलाओं (performing arts) और अभिनायकों/कलाकारों को एक छत के नीचे लाने का प्रस्ताव किया है। सांस्कृतिक केंद्र में (क) एक बड़ा एवं दो छोटे थियेटर और एक खुली वायु वाला थियेटर; (ख) भिन्न क्षमताओं की आठ दीर्घाएं (गैलरी); (ग) रिहर्सल हॉल और शोध पुस्तकालय; (घ) रिकॉर्डिंग थियेटर एवं कला स्टुडियो; (ङ.) विभिन्न संग्रहालयों और दृश्य-श्रव्य पुस्तकालय; (च) कलाकारों के लिए आवासीय एवं अतिथि गृह और अन्य संबद्ध सुविधाएं शामिल हैं। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*कयासा, अलवर में औद्योगिक टाउनशिप*

106. राज्य सरकार ने अलवर जिले के कयासा में एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। रणनीतिक स्थल के लाभ के कारण, इस परियोजना से राज्य के युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेजी आएगी। इस प्रयोजन हेतु हम 320 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*परियोजना जोधपुर पहल*

107. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने हमारा ध्यान जोधपुर पहल परियोजना (जो कि आईआईटी चैन्नई के प्रोफेसर बी.एस. मूर्ति की पहल है) के प्रति आकृष्ट कराया है, जो जोधपुर शहर के लिए एक संपूर्ण विकास योजना है। राज्य सरकार ने इस व्यापक विजन एवं विकास योजना के लिए, शहर में गतिशीलता एवं परिवहन योजना के लिए, संरचनात्मक सुरक्षा मुद्दों के लिए, स्थायी शहरी जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए तथा इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निधियों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 10 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*नीमराना औद्योगिक केंद्र परियोजना*

108. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने नीमराना औद्योगिक केंद्र परियोजना का उल्लेख किया है। वर्तमान में इस क्षेत्र में कार्यरत 448 इकाइयां 38,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। इस औद्योगिक केंद्र में भारत के प्रथम अनन्य जापानी जोन की स्थापना की गई थी जिसके तहत पैंतालीस



जापानी इकाइयां कार्य कर रही हैं। नीमराना के वर्तमान अवसंरचना के उन्नयन के लिए निधियों की मांग की गई है। इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*मंगानिया या कुलबुलास जैसे पारंपरिक लोक कलाकारों और गायकों के लिए सहायता*

109. राजस्थान की पारंपरिक लोक कला, जैसे कि मंगानिया या कुलबुलास को बढ़ावा और सहायता देने के लिए हम राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार, 15 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

*समाज में भेदभाव का सामना कर रही युवा सैनिक विधवाओं का पुनर्वास*

110. राज्य सरकार ने समाज में भेदभाव का सामना कर रही युवा सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास के लिए अनुदानों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 7 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

## सिक्किम

*हर्बल चिकित्सा/योग और आध्यात्मिक चिकित्सा पर्यटन परिसर (Herbal Medical/Yoga and Spiritual Healing Tourism Complex)*

111. राज्य सरकार के अनुरोध पर, हम दक्षिण सिक्किम में नंदु गांव में एक हर्बल चिकित्सा/योग और आध्यात्मिक चिकित्सा परिसर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं। इस परिसर के अंतर्गत प्रमुख परियोजना घटक में आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए एक बहु उद्देशीय हॉल, ध्यान, योग और आध्यात्मिक शिक्षा, हर्बल चिकित्सा परिसर, संपर्क सड़क, स्वागत कक्ष, बाड़ लगाना आदि शामिल है। हम तदनुसार अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

*पुस्तकालय की स्थापना*

112. राज्य सरकार ने सिक्किम में एक विश्व स्तरीय पुस्तकालय, नामतः 'ज्ञान मंदिर' की स्थापना के लिए सहायता की मांग की है, जो एक ज्ञान और शिक्षण के केंद्र के रूप में कार्य करेगा और राज्य के लोकाचार एवं आदर्शों को संवर्धित करेगा। इस पुस्तकालय में मुद्रित एवं डिजिटल फॉर्मेट में सिक्किम के बारे में सभी प्रलेख उपलब्ध होंगे। गंगटोक में ज्ञान मंदिर पुस्तकालय के लिए निर्माण तथा एमआईसीई (बैठक, प्रोत्साहन,

सम्मेलन और प्रदर्शनी) स्थल के रूप में गंगटोक के संवर्धन हेतु सम्मेलन केंद्र के निर्माण के लिए हम 200 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

#### *सिंहशोर पुल का ग्लास स्काइवॉक पुल के रूप में परिवर्तन*

113. सिंहशोर पुल को देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक आकर्षित होते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस पुल को एक ग्लास स्काइवॉक पुल के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया है और 52 करोड़ रुपए राशि की मांग की है। हम इन अनुदानों की अनुशंसा करते हैं।

#### *यात्री रज्जू मार्ग*

114. पश्चिमी सिक्किम में पेलिंग से संग्चाचोइलिंग मठ को जोड़ने के लिए यात्रियों हेतु हम एक रज्जू मार्ग के लिए 110 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

#### *पश्चिम सिक्किम के डोडक में पर्यावरणीय पर्यटन परिसर का विकास*

115. राज्य सरकार ने पश्चिमी सिक्किम के डोडक में श्रद्धालुओं के लिए एक इको-टूरिज्म परिसर के विकास के लिए अनुदानों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 78 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

#### *बागवानी*

116. राज्य सरकार ने बागवानी एवं पुष्प कृषि के विस्तार को बढ़ावा देने हेतु रुमटेक में अपने सिम्बिडियम विकास केंद्र के अवसंरचना के उन्नयन के लिए निधियों की मांग की है। इस संबंध में हम 10 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

## तमिलनाडु

### चेन्नई जलाशयों का पुनर्निर्माण

117. राज्य सरकार ने हमें बताया कि शहरीकरण के परिणामस्वरूप, चेन्नई में जलाशय सिकुड़ रहे हैं। राज्य सरकार भूमि जल संरक्षण क्षेत्रों के सीमांकन, सभी जलाशयों में बांध निर्मित करने और अतिरिक्त उप-सतही भंडारण टैंकों का निर्माण कराना चाहती है ताकि प्राकृतिक जल की हानि को रोका जा सके और जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन स्थापित किया जा सके। इस प्रयोजन हेतु हम 200 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन मंदिरों का नवीनीकरण

118. तमिलनाडु सरकार ने हमें बताया कि राज्य में सबसे अधिक प्राचीन मंदिर हैं, जो अपनी ऐतिहासिक, वास्तुकला और मूर्तिकला के महत्व के लिए जाने जाते हैं। राज्य ने 500 प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार का प्रस्ताव किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 300 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### विरासत भवन ( सेंट जॉर्ज किला, मद्रास उच्च न्यायालय, सरकारी संग्रहालय, पीडब्ल्यूडी परिसर )

119. राज्य सरकार ने चेन्नई में विरासत भवनों- सेंट जॉर्ज किला, मद्रास उच्च न्यायालय, सरकारी संग्रहालय, पीडब्ल्यूडी परिसर, जो लगभग एक शताब्दी पुराने हैं, के परिरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए अनुदान का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 150 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार

120. राज्य सरकार ने जलाशयों के जीर्णोद्धार कार्य हेतु सहायता की मांग की है। राज्य ने बांधों के निर्माण, एनीकट ( anicuts ) के पुनःनिर्माण, कृत्रिम रिचार्ज ढांचों की स्थापना और टैंकों के जीर्णोद्धार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य-घटकों के साथ भूमि जल रिचार्ज संरचनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इन जल निकायों से संबंधित कार्यों के लिए हम 900 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*पर्यटन की महत्ता वाले प्रमुख नगरों का विकास ( रामेश्वरम, मदुरै, पलानी, तिरुचेंदुर, श्रीरंगम )*

121. अपने ज्ञापन में, राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र में प्रमुख नगरों ( रामेश्वरम, मदुरै, पलानी, तिरुचेंदुर, श्रीरंगम ) की महत्ता को उजागर किया है। प्राचीन मंदिरों और विरासतीय स्थलों के आधार पर इन नगरों की ऐतिहासिक महत्ता है। राज्य ने बताया है कि इन प्रमुख नगरों का विकास किए जाने से राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हम इस प्रयोजन हेतु 650 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

## तेलंगाना

*मिशन भागीरथ का प्रचालन और रखरखाव*

122. राज्य सरकार ने अपनी आबादी के लिए शुद्ध, पर्याप्त एवं शोधित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिशन भागीरथ के प्रचालन और रखरखाव के लिए अनुदानों की अनुशंसा की है। इस मिशन के तहत एक लाख वर्ग कि.मी. से अधिक का भौगोलिक क्षेत्रफल कवर होगा। दस प्रतिशत जलापूर्ति को औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग से निर्धारित किया जाएगा।

123. राज्य सरकार ने हमें बताया है कि इस मिशन के अंतर्गत राज्य के भीतर प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। जलापूर्ति के लिए बिछाए गए पाइपों के साथ डिजिटल तेलंगाना कार्यक्रम के अंतर्गत, ऑप्टिकल फाइबर केबल डक्ट भी बिछाया गया है ताकि प्रत्येक परिवार को ब्रॉड बैंड सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकें। हम इस प्रयोजन हेतु 2,350 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

*भारत के प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज के अवसंरचना का पुनर्निर्माण*

124. राज्य के लोगों के अनुभवों के आदान-प्रदान के आधार पर सावर्जनिक प्रणालियों में नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने हेतु तथा राज्यों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और व्यावहारिक सहायता सुविधा के माध्यम से नवप्रवर्तन के लिए संस्थागत एवं मानव क्षमताओं की स्थापना के लिए, हम भारत के प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज के अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

## त्रिपुरा

### सतही जल का पारेषण (ट्रांसमिशन)

125. राज्य सरकार ने अगरतला नगर निगम के 15 मौजूदा/चालू जल शोधन संयंत्रों के लिए चम्पक नगर एवं चम्पाइचेरा बांधों से अगरतला शहर के भूमि जल जलाशयों में सतही जल के पारेषण के लिए निधियों की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 400 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### पर्यटन

126. राज्य सरकार द्वारा एक रज्जू मार्ग, त्रिपुरसुंदरी मंदिर के पास इक्यावन शक्ति पीठों के विकास और नीरमहल में ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम (साउंड एवं लाइट शो) के लिए अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है। इस प्रयोजन हेतु हम 175 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### कार्यालय भवन का निर्माण

127. राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों को एक ही स्थान पर स्थापित करने के लिए अगरतला में एक कार्यालय परिसर के निर्माण हेतु सहायता की मांग की है। इस संबंध में हम 100 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### जिला मुख्यालयों में अवसंरचना का विकास

128. घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटें और आंतरिक सड़कों सहित सीवर, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने हेतु पांच जिला मुख्यालयों के विभिन्न नगरों खोवाई, बिसरामगंज (सेपाहीजला मुख्यालय), अम्बासा (धलाई मुख्यालय), बेलोनिया (दक्षिण त्रिपुरा मुख्यालय) और केला शहर (उनाकोटी मुख्यालय) प्रत्येक के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। हम इसकी अनुशंसा करते हैं।

129. घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटें और आंतरिक सड़कों सहित सीवर, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सुदृढीकरण के लिए प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, धर्मानगर (उत्तरी त्रिपुरा मुख्यालय) और उदयपुर, (गोमती मुख्यालय) के दो जिला मुख्यालय नगरों हेतु प्रत्येक के लिए 37.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करने का प्रस्ताव किया गया है। हम इसकी अनुशंसा करते हैं।

## उत्तर प्रदेश

### ड्रेनेज, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन (लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर)

**130.** राज्य सरकार ने लखनऊ में ड्रेनेज, स्वच्छता और अपशिष्ट से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। राज्य सरकार ने आयोग को बताया कि स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस एवं तरल दोनों) के लिए इन शहरों को आदर्श शहरों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। लखनऊ के लिए अपशिष्ट प्रबंधन अवसंरचना के सुदृढीकरण, सैनेट्री लैंडफिल, लिगेसी वेस्ट रेमीडिएशन, बायोरैमीडिएशन/नालों के शोधन, गोमती नदी के तटों पर प्रदूषण रोकथाम के लिए तथा गोरखपुर में सीवर लाइन बिछाने और राप्ती नदी के तटों पर प्रदूषण को रोकने के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है। इस प्रयोजन हेतु हम 950 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### सेवापुरी ब्लॉक को आदर्श ब्लॉक बनाना

**131.** राज्य सरकार ने वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक को एक आदर्श विकास ब्लॉक के रूप में विकसित करने के लिए आयोग को अपनी परियोजना से अवगत कराया है और उसके लिए सहायता की मांग की है। परियोजना के अंतर्गत सीमेंट-कंक्रीट सड़क मार्गों को आपस में जोड़ना और भूमिगत ड्रेनेज विकास कार्य शामिल हैं। इस प्रयोजन हेतु हम 180 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए अनुदान

**132.** राज्य ने विभिन्न प्रयोजन के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु अनुदानों की मांग की है जिसका विवरण नीचे दिया गया है। इस संबंध में हमारी अनुशंसाएं निम्नवत हैं:

- i. स्वीकृत किए गए सताईस नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों को उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध रूप से स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक महाविद्यालय के प्रचालन की लागत के लिए सहायता की आवश्यकता है। हम इस प्रयोजनार्थ 1,850 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।
- ii. आगरा, गोरखपुर, कन्नौज में स्थापित तीन नए नर्सिंग कॉलेजों की प्रचालन लागत (प्रचालन एवं रखरखाव) के लिए सहायता की मांग की है। हम 150 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

- iii. प्रयागराज, सहारनपुर, बदायूं, जालौन, बांदा, अम्बेडकर नगर, और आजमगढ़ में सात नर्सिंग कॉलेजों के प्रचालन एवं स्थापना लागत के लिए निधियों की आवश्यकता है। इस प्रयोजन हेतु हम 300 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।
- iv. पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संक्रामक रोगों की जांच और निदान के लिए अनुषंगी केंद्रों की स्थापना हेतु अनुदानों की मांग की गई है। इस प्रयोजन हेतु हम 50 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।
- v. राज्य लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, लखनऊ में एक राज्य लोक स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र (एसपीएचटीआरआई) की स्थापना हेतु हम 15 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

## उत्तराखंड

### सिंचाई और पेयजल अवसंरचना का विकास

133. राज्य सरकार ने जमरानी नदी बहु-प्रयोजनीय बांध परियोजना और सोंग नदी पेयजल परियोजना के लिए राज्य सरकार ने अनुदानों का अनुरोध किया है, जिससे राज्य को जलापूर्ति सुविधाओं में सुधार लाने, देहरादून तलहटी क्षेत्रों में आकस्मिक बाढ़ को नियंत्रित करने और कुमाऊँ क्षेत्र में पर्यटन और अन्य आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। हम जमरानी नदी बहु-प्रयोजनीय बांध परियोजना के लिए 950 करोड़ रुपए और सोंग नदी पेयजल परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### ठोस अपशिष्ट निपटान और स्वच्छता

134. राज्य सरकार ने हमें बताया कि पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल में अपशिष्ट निपटान एवं स्वच्छता सुविधाएं अपर्याप्त हैं और आयोग से सहायता की मांग की है। हम इस प्रयोजनार्थ पौड़ी गढ़वाल के लिए 100 करोड़ रुपए और नैनीताल के लिए 50 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

## पश्चिम बंगाल

### पिछड़े जिलों में अवसंरचना का विकास

135. अपने संशोधित ज्ञापन में, राज्य सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) (विशेष) की महत्ता को उजागर किया है, जिसका उपयोग पश्चिम बंगाल में पिछड़े जिलों में निरंतर क्षेत्रीय असंतुलनों के समाधान के लिए किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर आठ क्षेत्रों का चयन किया गया है— आवासन सड़कें एवं पुल, शिक्षा, जलापूर्ति, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम और कपड़ा, विद्युत, स्वास्थ्य एवं सिंचाई और जलमार्ग। विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को पूरा करने में कमी की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता की मांग की गई है। इस प्रयोजन हेतु हम 1,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा करते हैं।

### गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए सिविल निर्माण कार्य

136. राज्य सरकार ने गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए सिविल निर्माण कार्य हेतु निधियों का अनुरोध किया है। इस प्रयोजन हेतु हम 550 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।

### पेयजल शोधन परियोजनाएं

137. अपने ज्ञापन में, राज्य सरकार ने हमें अधोभूमि जल में आर्सेनिक मुद्दे का समाधान करने हेतु पेयजल परियोजनाओं की आवश्यकताओं से अवगत कराया है। इस प्रयोजन हेतु हम 550 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा करते हैं।



## राज्य सरकारों के निर्देशात्मक ऋण पथ

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	35.0	34.1	34.0	33.4	32.7	32.1
अरुणाचल प्रदेश	40.0	38.4	38.0	36.9	35.8	34.8
असम	27.1	27.7	29.1	29.7	30.2	30.4
बिहार	41.2	40.2	40.8	40.4	39.9	39.3
छत्तीसगढ़	28.1	28.8	30.2	30.8	31.3	31.6
गोवा	33.3	32.5	32.5	31.9	31.2	30.6
गुजरात	30.6	30.0	30.9	30.6	30.3	29.8
हरियाणा	31.9	31.2	31.4	30.9	30.4	29.9
हिमाचल प्रदेश	39.8	38.3	37.8	36.8	35.7	34.7
झारखंड	37.2	36.7	37.5	37.4	37.1	36.8
कर्नाटक	26.1	26.1	27.1	27.2	27.2	27.1
केरल	35.9	34.7	34.5	33.7	32.8	32.0
मध्य प्रदेश	31.3	31.7	32.9	33.3	33.6	33.7
महाराष्ट्र	25.7	26.0	27.5	28.1	28.5	28.5
मणिपुर	42.8	41.5	41.8	41.2	40.4	39.6
मेघालय	40.5	39.9	40.3	39.8	39.1	38.4
मिजोरम	37.0	35.8	35.6	34.8	34.0	33.2
नागालैंड	45.2	43.0	42.1	40.6	39.1	37.7
ओडिशा	29.4	30.0	31.3	31.8	32.2	32.5
पंजाब	46.3	45.2	45.4	44.9	44.2	43.4
राजस्थान	41.1	39.9	40.2	39.6	38.9	38.2
सिक्किम	27.4	27.5	28.1	28.1	28.0	27.9
तमिलनाडु	28.9	28.7	29.3	29.1	28.9	28.7
तेलंगाना	29.5	29.3	29.7	29.5	29.3	29.0
त्रिपुरा	36.3	34.9	35.1	34.5	33.7	32.8
उत्तर प्रदेश	40.9	40.0	40.5	40.2	39.7	39.1
उत्तराखंड	33.2	33.1	33.9	34.0	33.9	33.7
पश्चिम बंगाल	42.9	42.1	42.6	42.2	41.7	41.2
सभी राज्य	33.1	32.6	33.3	33.1	32.8	32.5

भारत में लोक वित्त प्रबंधन व्यवहारों का शासन<sup>10</sup>

लोक वित्त प्रबंधन आयाम	संघ सरकार	राज्य सरकार
राजकोषीय अनुशासन और जोखिमों का प्रबंधन	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 (यथासंशोधित)	राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व नियम
बजट निर्माण	बजट नियमपुस्तक (आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय 2010)	राज्य बजट नियमपुस्तक (यदि उपलब्ध हो) - अधिकतर संघ के बजट मैनुअल पर आधारित है
आंतरिक नियंत्रण/लेखापरीक्षा	आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल (सीजीए, एमओएफ 2014)	राज्य राजकोषीय कोड, लोक निर्माण विभाग कोड, वित्त नियम
लोक प्रापण	सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 और डीओई, एमओएफ द्वारा जारी विविध आदेश	जीएफआर, आदेश, राज्य वित्त विभागों के जीएफआर, आदेश और निर्देश
निगरानी और रिपोर्टिंग	राजकोषीय नियम एफआरबीएम अधिनियम, जीएफआर 2017, प्राप्ति और भुगतान नियम, लेखा वर्गीकरण और नियमों के अनुसार विभागों / एजेंसियों द्वारा निगरानी एफआरबीएम अधिनियम, लेखा नियमावली, प्रारूप और सीएजी / सीजीए द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार रिपोर्टिंग	महालेखाकार, सीएजी के क्षेत्र अधिकारी के रूप में, राज्य के वित्तीय विवरणों को संकलित करता है और राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करता है। एजी (लेखापरीक्षा) विविध लेखापरीक्षा करता है और विधायिका को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लेखांकन प्रारूप सीएजी द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
बाह्य लेखापरीक्षा	सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम सीएजी द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानक, नियम और दिशानिर्देश। संसद में केंद्रीय लोक लेखा समिति, सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच करती है।	सीएजी अधिनियम सीएजी द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानक, नियम और दिशानिर्देश। राज्य विधानसभा की पीएसी, राज्य पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है।

<sup>10</sup> संविधान के अनुच्छेद 112-117, 148-151, 202-207, 264-291 (भाग- XII का अध्याय I और II) भारत में लोक वित्त के प्रबंधन के लिए व्यापक ढांचे को परिभाषित करता है।

वर्तमान लोक वित्त प्रबंधन संरचना में चयनित महत्वपूर्ण कमियां

लोक वित्त प्रबंधन आयाम	वर्तमान व्यापन	मौजूदा अंतराल/विधान में विसंगतियां	कार्यान्वयन में मौजूदा कमियां
राजकोषीय अनुशासन और जोखिमों का प्रबंधन	वर्तमान राजकोषीय जिम्मेदारी विधान संख्यात्मक वित्तीय लक्ष्यों, अनिवार्य प्रकटन, पलायन खंड आदि के लिए बहुत सारे आधार को कवर करते हैं।	संघीय उत्तरदायित्व विधान: घाटे और ऋण की परिभाषाएं एक दूसरे के साथ असंगत हैं। सामान्य सरकारी ऋण लक्ष्य 'केंद्र सरकार ऋण' की व्यापक परिभाषा के अनुरूप नहीं है। राज्य उत्तरदायित्व विधान: कई राज्यों के पास अतिरिक्त बजटीय प्रचालन को कवर करने के लिए ऋण और घाटे की व्यापक परिभाषा नहीं है। अनेक राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में एक लंगर के रूप में ऋण नहीं है। यहां तक कि जहां ऋण एक लक्षित सहारा है, यह संघ द्वारा अपनाए गए सामान्य सरकारी ऋण लक्ष्य के साथ संरेखण में परिभाषित नहीं है।	केंद्र सरकार के कर्ज की गणना संघीय राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान में ऋण की संशोधित परिभाषा का पूरा संज्ञान लेने से नहीं की जाती है। मध्यावधि व्यय फ्रेमवर्क विवरण, संघ द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता है और अधिकांश राज्यों द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। राजकोषीय जोखिम विवरण, संघ या राज्यों द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है।
बजट निर्माण	अनुच्छेद 112-117 के तहत संवैधानिक प्रावधान संसद में बजटीय प्रक्रिया को कवर करते हैं। जीएफआर, वित्तीय शक्तियों	संविधान में केवल व्यापक अधिदेश और बुनियादी ढांचा शामिल है। हालांकि, डाउनस्ट्रीम प्रचालनीय बजटीय प्रक्रियाओं का कोई	बजटीय प्रक्रियायें निष्पादन बजट या परिणाम बजट के प्रति उन्मुख नहीं हैं। आउटकम बजट दस्तावेज़,

	<p>के नियमों के प्रत्यायोजन और बजट नियमावली; विनियोजन के नियम, संस्वीकृतियों और आवंटन को कवर करता है।</p>	<p>विशिष्ट कानूनी ढांचा नहीं है, जो उन्हें नियंत्रित करे। बजट बनाने के लिए दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकताओं और समयसीमा को कानूनी रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।</p>	<p>मुख्य बजट परिव्यय और निष्पादन के संपर्क के बिना तैयार किया जाता है।</p>
<p><b>लोक प्रापण</b></p>	<p>जी एफ आर, 2017, प्राप्ति और भुगतान नियम और डी ओ ई, एम ओ एफ द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेश</p>	<p>सार्वजनिक प्रापण के लिए कोई व्यापक कानूनी ढांचा नहीं। खंडित नियम, दिशानिर्देश और नियमपुस्तकें, सार्वजनिक एजेंसियों के लिए उन्हें व्यापक रूप से पालन करना मुश्किल बनाते हैं।</p>	<p>नियमों की बहुलता प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी और कुशल सार्वजनिक प्रापण में सहायता के बजाय सक्षम प्रापण में बाधा डालती है।</p>
<p><b>निगरानी और रिपोर्टिंग</b></p>	<p>अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी द्वारा पूर्व-समीक्षा और लेखापरीक्षा तथा सीएजी अधिनियम।</p>	<p><b>संघ और राज्य दोनों में:</b> राजकोषीय योजनाओं, निष्पादन और सरकार के वृहद-आर्थिक और राजकोषीय पूर्वानुमानों के लिए बाहरी आकलन और मूल्यांकन तंत्र नहीं है।  मध्यावधि समीक्षा या व्यय योजना में सुधार के लिए कोई प्रावधान या व्यवस्था नहीं है।</p>	<p>लगभग वर्ष-अंत व्यय समीक्षा (संशोधित अनुमान चरण में) के लिए तदर्थ तंत्र, और केवल जब एक दबाव की आवश्यकता के द्वारा संचालित होता है।  साल के अंत में खर्च में कटौती प्रभावी नहीं है, क्योंकि भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित हो जाते हैं।</p>

## राजकोषीय व्यवस्था पर पिछले वित्त आयोगों की अनुशंसाएं

वित्त आयोग	अनुशंसाएं
11वां वित्त आयोग 2000 से 2005	सरकार (i) बहु-वर्षीय बजट प्रक्रिया शुरू करने की व्यवहार्यता की जांच कर सकती है; (ii) बजट अनुमान तैयार करने के वस्तुपरक तरीके प्रस्तुत करना ताकि बजट अनुमान की गुणवत्ता में सुधार हो सके; (iii) अधिकतम समय निर्धारित करना जिसमें कैग की रिपोर्टों को लोक लेखा समिति द्वारा जांचना और संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जांच की जाती है, जैसा भी मामला हो; (iv) राजस्व और पूंजी के अलावा सभी व्यय वर्गीकरणों की समीक्षा करें; तथा (v) सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार करने, बेहतर लक्षित, लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रम और एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर नकदी प्रवाह प्रबंधन को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत करना।
12वां वित्त आयोग 2005 से 2010	लेखांकन प्रक्रिया के संबंध में सिफारिशों, विशेष रूप से, अनुवर्ती-आधारित लेखाकरण को अपनाना। हालांकि इसने मध्यावधि में एक क्रमिक संक्रमण की सिफारिश की, इसने अंतरिम में वक्तव्यों के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने की सिफारिश की: (क) दी गई सब्सिडी का विवरण, स्पष्ट और निहित दोनों; (ख) विभिन्न विभागों / इकाइयों द्वारा वेतन पर व्यय का विवरण; (ग) पेंशनरों पर विस्तृत जानकारी और सरकारी पेंशन पर व्यय; (घ) भविष्य में प्रतिबद्ध देनदारियों पर डेटा; (ङ) ऋण और अन्य देनदारियों के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची के बारे में जानकारी सहित विवरण; (च) सरकार द्वारा धारित वित्तीय परिसंपत्तियों में अभिवृद्धि या क्षरण, सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन से उत्पन्न होने वालों सहित; (छ) भविष्य के नकदी प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित वर्ष या नई योजनाओं के दौरान सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख नीतिगत निर्णयों के निहितार्थ; तथा (ज) वेतन और गैर-वेतन अंश के अलगाव के साथ रखरखाव व्यय का विवरण।
13वां वित्त आयोग 2010 से 2015	एक समान बजटीय वर्गीकरण, विशेष रूप से वस्तु शीर्ष कोड को अपनाना और वित्त लेखाओं के परिशिष्ट की एक मानकीकृत सूची। इसने राज्यों के समेकित निधियों के बाहर धन का सृजन करके सार्वजनिक व्यय को कम करने को भी हतोत्साहित किया और रिपोर्टिंग प्रणालियों में सुधार को प्रोत्साहित किया।

14वां वित्त  
आयोग  
2015 से  
2020

(I) आयोग ने इस विचार का समर्थन किया कि संघ और राज्य दोनों सरकारों द्वारा प्रोद्भवन-आधारित लेखाकरण के लिए परिवर्तन वांछनीय है। हालांकि, यह मानते हुए कि यह परिवर्तन केवल चरणों में ही किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए काफी प्रारंभिक कार्य और लेखा कर्मियों के क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है, आयोग ने एफ सी-XII की अनुशंसाओं को दोहराया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त लेखाओं में समाहित किए गए विविध विवरणों के संदर्भ में प्रोद्भवन-आधारित लेखाकरण के लिए परिवर्तन करने के लिए आधार समाहित करने चाहिए। इसने यह अनुशंसा भी दोहराई कि प्रोद्भवन -आधारित लेखा प्रणालियों में लेखांकन पेशेवरों के बीच क्षमता निर्माण के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

(ii) वस्तु शीर्ष स्तर के रूप में, आयोग ने महसूस किया कि संघ और राज्यों दोनों में कुछ समान वस्तु शीर्ष जैसे वेतन, रखरखाव, सब्सिडी और अनुदान सहायता के लिए पर्याप्त है और राज्यों को अपनी कार्यात्मक आवश्यकताओं के अनुसार नए वस्तु शीर्ष खोलते हुए अपने मौजूदा लचीलेपन को बनाए रखना चाहिए।

(iii) आयोग ने परिणाम के साथ परिव्यय को जोड़ने के महत्व को रेखांकित किया। हालांकि, इसने जोर दिया कि आउटपुट के लिए प्रमुख संकेतकों को प्रस्तुत करना और पहले से परिभाषित जवाबदेही ढांचे के भीतर इनकी निगरानी करना आवश्यक है।



पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट





# वित्त आयोग - कोविड के दौर में 2021-26 के लिए रिपोर्ट



पंद्रहवां वित्त आयोग

खंड-III संघ  
अक्टूबर 2020









# वित्त आयोग - कोविड के दौर में 2021-26 के लिए रिपोर्ट



---

पंद्रहवां वित्त आयोग

खंड-III संघ  
अक्टूबर 2020



**खंड-III**  
**विषय-सूची**

		पृष्ठ
अध्याय 1:	प्रस्तावना	1
अध्याय 2:	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	4
अध्याय 3:	वाणिज्य विभाग	25
अध्याय 4:	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	39
अध्याय 5:	शिक्षा मंत्रालय	54
अध्याय 6:	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	81
अध्याय 7:	उर्वरक विभाग	101
अध्याय 8:	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	115
अध्याय 9:	गृह मंत्रालय	129
अध्याय 10:	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	143
अध्याय 11:	पंचायती राज मंत्रालय	165
अध्याय 12:	विद्युत मंत्रालय	183
अध्याय 13:	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	199
अध्याय 14:	ग्रामीण विकास मंत्रालय	209
अध्याय 15:	आर्थिक संवृद्धि के प्रमुख घटक	226

## संक्षिप्ताक्षर

---

एसीएस-एआरआर गैप अमृत ( AMRUT )	आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त राजस्व औसत में अंतर अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
एटी एंड सी	कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां
सीएएमपीए	प्रतिपूरक वानिकी प्रबंध प्राधिकरण निधि ( कैम्पा )
सीएपीएफ	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीसीएसी	जलवायु और स्वच्छ वायु कोआलिशन
सीआईपी	केंद्रीय निर्गम मूल्य
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीएसएस	केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं
कोविड	कोरोना विषाणु रोग
सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीएसई	केंद्रीय सरकारी लोक उद्यम
डीएसीएफडब्ल्यू	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
डीएपी	डाय अमोनियम फॉस्फेट
डीएवाई-एनयूएलएम	दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डीएआरई	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
डीआईईटी	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
डिस्कॉम	वितरण कंपनियां
डीआईएसई	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
डीएलएफए	स्थापनीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय
डीओडीडब्ल्यूएंड एस	पेयजल एवं स्वाच्छता विभाग
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी



डीओपी	डाक विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
ईएपी	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं
ईबीआर	अतिरिक्त बजटीय संसाधन
ईसीईए	विद्युत संविदा प्रवर्तन प्राधिकरण
एफएएमई	इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अंगीकरण और विनिर्माण
एफएआर	फ्लोर एरिया अनुपात
एफसीआई	भारतीय खाद्य निगम
एफएसआई	फ्लोर स्पेस इंडेक्स
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौता
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
जीसीए	सकल फसल क्षेत्र
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईएफ	वैश्विक पर्यावरण सुविधा
जीईआर	सकल पंजीकरण अनुपात
जीएनपी	सकल राष्ट्रीय उत्पाद
जीपीआई	लैंगिक समानता सूचकांक
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	माल और सेवा कर
जीवीए	सकल मूल्य वर्धन
एचएफसीएल	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
आईसीडीएस	एकीकृत बाल विकास योजना
आईएनडीसी	अपेक्षित राष्ट्रीय अवधारित योगदान
जेजेएम	जल जीवन मिशन
एलपीसीडी	लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
एमएनआरई	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओएएफडब्ल्यूक	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

एमओईएफ एंड सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमओपी	म्यूरेट ऑफ पोटाश
एमओपीआर	पंचायती राज मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओआरटीएच	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एनएमपी	राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम
एनएपीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
एनसीए	सामान्य केंद्रीय सहायता
एनसीएपी	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
एनडीएमए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनडीएमएफ	राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि
एनडीपी	निवल घरेलू उत्पाद
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा रिस्पोंस निधि
एनडीआरएमएफ	राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधियां
एनईएच	पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्र
एनएफएसए	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनआरडीडब्ल्यूऔ पी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एनएसएसएफ	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
ओडीएफ	खुले में शौच मुक्त
पीसीसी	प्रदूषण नियंत्रण समितियां
पीईएसए	पंचायत ( अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तीर ) अधिनियम
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीजीआई	निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक
पीएलएफएस	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएमवाई-जी	प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण

पीएमजीएवाई	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीओएल	पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेंट्स
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीपीपी	सरकारी निजी भागीदारी
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरसीपीएलडब्ल्यूवनुई	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना
आरडीएसओ	अनुसंधान डिज़ाइन और मानक संगठन
आरईसी	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन
आरजीएसए	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
एसएसीईपी	दक्षिण एशिया सहयोगात्मक पर्यावरण कार्यक्रम
सीबीएम-जी	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एसबीएम-यू	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
एससीईआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षा परिषद
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसडीआरएफ	राज्य आपदा रिस्पोंस निधि
एसईसीसी	सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र/जोन
एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टीबीसीबी	प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धा बोली
टीपीडीएस	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
उदय (UDAY)	उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना
यूएनएफसीसीसी	संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन



## अध्याय 1

### प्रस्तावना

1. हमारे विचारार्थ विषय (टीओआर) का पैरा (6) हमें यह अधिदेश देता है कि आयोग अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ:
  - i. 2024-25 तक संभवतः प्राप्त होने वाले कर और कर-भिन्न राजस्व के स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के संसाधनों को ध्यान में रखेगा। कर और कर-भिन्न दोनों प्रकार के राजस्व के संबंध में आयोग उनका पूरी तरह दोहन करने की संभावना और राजकोषीय क्षमता को ध्यान में रखेगा;
  - ii. केंद्रीय सरकार के संसाधनों की मांग विशेषकर रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अवसंरचना, रेल, जलवायु परिवर्तन, विधायिका सहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रति वचनबद्धता के संबंध में और अन्य वचनबद्ध व्यय और देनदारियों को ध्यान में रखेगा;
2. पूर्ववर्ती रीति की संगतता में, आयोग ने राज्य सरकारों, संघ सरकार के मंत्रालयों<sup>1</sup> और विभागों तथा अन्य हितधारकों एवं रायदाताओं (opinion makers) से गहन परामर्श किए थे। यह खंड III संघ सरकार से संबंधित है। इसमें विभिन्न प्रमुख विभागों की विस्तृत रूप से विवेचना की गई है। मध्यावधि चुनौतियों तथा कुछ सुझाए गए प्रमुख सुधारों को चिह्नित कर इसमें शामिल किया गया है।
3. इस खंड को तैयार करते हुए हमें अनेक विचारों से प्रेरणा मिली। पहला, हमारी रिपोर्ट के खंड-I में संघ सरकार के व्ययों के प्राथमिकीकरण पर हमारे द्वारा दिए गए बल के फलस्वरूप कार्यान्वयन योग्य सुझावों का एक सेट विकसित हुआ है, जो इस खंड में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के संबंध में दिए गए हैं। दूसरा, हालांकि हमारे टीओआर में संघ को एक एकल इकाई (सिंगल एनटिटी) के रूप में अभिस्वीकृत किया गया है, किंतु उसके संघटक मंत्रालय समग्र संघ के महत्वपूर्ण घटक हैं। तीसरा, कुछ मंत्रालयों के निष्पादन का संघ के समग्र वित्तों पर प्रतिकूल प्रभाव है। इसलिए, इस संबंध में एक भिन्न विश्लेषण की आवश्यकता है। चौथा,

---

<sup>1</sup> इससे आगे, इस खंड में सहजता के लिए शब्द 'मंत्रालय' में विभाग भी शामिल हैं।

एक स्वतंत्र इकाई द्वारा समीक्षा कराए जाने से सुधार एजेंडा के लिए उपयोगी सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। अंततः विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनेक सुधारों का सुझाव दिया गया है और इसलिए इस संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

4. हमने संघ के मंत्रालयों के पदाधिकारियों के साथ अनेक दौरों में चर्चाएं कीं, जिनके विवरण हमारी रिपोर्ट के खंड II में सूचीबद्ध किए गए हैं। मंत्रालयों ने भी आयोग को अपने-अपने ज्ञापन दिए। हमें इन ज्ञापनों से काफी सहायता मिली है। इन तरह मंत्रालयों के लिए सर्वाधिक आबंटन किए गए हैं, जिनका 2020-21 में अनुमानित कुल व्यय 53 प्रतिशत है। इसमें से रक्षा मंत्रालय के लिए 4.71 लाख करोड़ रुपए (जो संघ सरकार के 30.42 लाख करोड़ रुपए के कुल बजटीय व्यय का 15 प्रतिशत है) का आबंटन सर्वाधिक है। एक (1) लाख करोड़ रुपए से अधिक के आबंटन वाले मंत्रालयों में गृह, कृषि और किसान कल्याण, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावर्जनिक वितरण तथा ग्रामीण विकास शामिल हैं। उच्च आबंटनों के साथ अन्य मंत्रालयों में शिक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, संचार, रेल, रसायन एवं ऊर्वरक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आवासन और शहरी विकास कार्य, और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस शामिल हैं। हमने उपभोक्ता मामले, रसायन एवं पेट्रोरसायन और फार्मास्यूटीकल से संबंधित विभागों को छोड़कर, इन सभी मंत्रालयों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है।
5. इस प्रकार, इन तरह मंत्रालयों पर इस खंड में अलग-अलग अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है- कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, ऊर्वरक, खाद्य और सावर्जनिक वितरण, गृह मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य, पंचायती राज, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, और ग्रामीण विकास। स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्रों पर चर्चा खंड-I में अलग अध्यायों में की गई है और इसलिए उन्हें इस संकलन में शामिल नहीं किया गया है।
6. उपर्युक्त मंत्रालयों के अलावा, 10 और मंत्रालय हैं जो वृद्धि को गति प्रदान करने तथा सामाजिक रूप से समावेशी विकास पैटर्न के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। हमने उनके बारे में इस खंड के बाद के भाग में संक्षिप्त एवं सारगर्भित रूप से चर्चा की है।

7. मंत्रालयों और विषय विशेषज्ञों के साथ हमारी विस्तृत चर्चाओं के आधार पर, इस खंड में हमारे प्रयास कुछ प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रहे हैं। हमारे द्वारा सुझाए गए अनेक सुधारों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी हमने संबंधित मंत्रालयों पर छोड़ी है।
8. इस खंड-III की परिकल्पना पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष द्वारा की गई है, और इसे आयोग के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।
9. इस खंड को तैयार करने में मार्गदर्शन और बहुमूल्य सुझाव देने के लिए हम विशेष रूप से डॉ. बिबेक देबरॉय, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, का धन्यवाद करते हैं। हम सुश्री सीता पार्थासार्थी द्वारा दी गई उल्लेखनीय संपादकीय सहायता के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।
10. इस खंड के संकलन में आयोग के सचिवालय की एक टीम ने बहुत ही समर्पण के साथ अथक प्रयास किए हैं। इस उच्च व्यावसायिक और दूरदर्शी टीम के सदस्य हैं; जसविंदर सिंह (परामर्शदाता, पूर्व निदेशक), श्वेता सत्या, अदिति पाठक, शिखा दहिया (संयुक्त निदेशक), नीतीश सैनी, विजय कुमार मान (उप निदेशक), सुशांत कुमार बजाज, सहायक निदेशक एवं पल्लवी खुराल, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस समग्र प्रयास में मुखमीत सिंह भाटिया, अपर सचिव द्वारा समन्वय किया गया है।

## अध्याय 2

# कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन और किसानों की आय को अधिकतम करने हेतु कृषि से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों को रूपरेखा देना और उन्हें लागू करवाना है। मंत्रालय की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि और संबद्ध क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में 17.7 प्रतिशत का योगदान है, और इसके अंतर्गत देश के कार्यबल के लगभग 44 प्रतिशत को रोजगार प्रदान किया जाता है। मंत्रालय की कुछ मुख्य योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल है।

कृषि क्षेत्र में 3.2 प्रतिशत की दीर्घकालिक प्रवृत्ति वृद्धि दर देखी गई है और जिसने भारत को एक खाद्य सुरक्षित राष्ट्र बना दिया है। तथापि, इस क्षेत्र में सतत वृद्धि के लिए कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि उत्पादन को प्रसंस्करण से संबद्ध करना, उच्च मूल्य वाली फसलों की और विविधीकरण करना, खेतिहरों (cultivators) को गैर-कृषि एवं सहायक कार्यकलापों की ओर स्थानांतरित करना, सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना, भूमि अभिलेखों (रिकार्डों)का आधुनिकीकरण करना और कृषि एवं अनुसंधान में ज्यादा निवेश करना शामिल है।

### मंत्रालय की समग्र प्रोफाइल


1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एक ऐसा नीतिगत वातावरण बनाने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है, जिससे कृषि उत्पादन और किसानों की आय को अधिकतम करने में सहायता मिले। मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग हैं: कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएफडब्ल्यू) तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई)। पूर्व में मंत्रालय के



अधीन तीसरा विभाग, पशुपालन और डेयरी तथा मत्स्यिकी विभाग था, जिसे जुलाई, 2019 में मंत्रालय से अलग कर एक अलग मंत्रालय बना दिया गया।

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी सहित) का व्यय बजट 2020-21 में 1,46,876 करोड़ रुपए का है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 0.65 प्रतिशत है, जो 2015-16 में जीडीपी की तुलना में 0.16 प्रतिशत अधिक तथा कुल संघ बजट (2015-16 में 1.23 प्रतिशत की तुलना में) का 4.83 प्रतिशत है। जिसमें से राजस्व व्यय के लिए 1,46,760 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय हेतु 116 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को मंत्रालय (मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी सहित) के कुल बजट का 91 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जबकि डीएआरई ने मात्र 6 प्रतिशत और मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी ने केवल 3 प्रतिशत प्राप्त किया। मंत्रालय के वर्ष-वार आबंटन को चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का व्यय




स्रोत: संघ के बजट एवं सीएसओ

नोट: मत्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी विभाग/मंत्रालय का व्यय शामिल है।

3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजट आबंटन 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान की तुलना में 2020-21 में 30 प्रतिशत अधिक है। इसका मुख्य कारण पीएम-किसान (किसानों के लिए आय में सहयोग प्रदान करने के लिए योजना) के लिए 75,000 करोड़ रुपए का उच्च आबंटन है। इस योजना के लिए 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार 75,000 करोड़ आबंटित किए गए थे, जिसको बाद में घटाकर 54,370 करोड़ रुपए कर दिया गया।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग हेतु कुल बजट आबंटन का 56 प्रतिशत पीएम-किसान के लिए आबंटित किया जाता है। विभाग के अन्य मुख्य मदों में, किसानों को अल्पावधिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी (16 प्रतिशत) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (12 प्रतिशत) शामिल है।

चित्र 2: 2020-21 (ब.अ.) में डीएसीएफडब्ल्यू की योजनाओं का विवरण



स्रोत: संघ बजट, 2020-21

## बॉक्स 1: सरकार की बढ़ती सहायता के बावजूद कम वृद्धि

कृषि क्षेत्र के भीतर समग्र रूप से, फसल क्षेत्र पर, अधिकतर किसान निर्भर रहते हैं। फसल क्षेत्र में संसाधनों और सब्सिडियों के रूप में दी गई अधिकतम सरकारी सहायता के बावजूद, न्यूनतम वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। तालिका-1 में सरकार द्वारा कृषि के उप-क्षेत्रों को दी गई सहायता तथा उनकी परिणामी वृद्धि दरों को दर्शाया गया है। यह स्पष्ट करता है कि जिन क्षेत्रों में उदारीकरण अधिक किया गया था और सरकार द्वारा कम सहायता दी गई थी, उनमें उच्च वृद्धि रिकॉर्ड की गई है।


### कृषि उप-क्षेत्रों के आउटपुट में वृद्धि

उप-क्षेत्र	नीतियां	सरकारी सहायता	आउटपुट वृद्धि 2011-12 से 2018-19 (%)
मात्स्यिकी	<ul style="list-style-type: none"> <li>कम या कोई सब्सिडी नहीं</li> <li>प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति</li> <li>कुछ संस्थागत सहायता</li> </ul>	बहुत न्यून	9.65
पशुधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>दूध एवं दूध उत्पाद आदेश, 1992 (एमएमपीओ) का उदारीकरण</li> <li>दूध संयंत्रों में निजी निवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं</li> <li>बाजार का विनियमन नहीं</li> <li>सहकारी समितियां, दूध संयंत्र, निजी एजेंट सीधे किसानों से उत्पाद खरीदते हैं। कम या कोई सब्सिडी नहीं।</li> </ul>	बहुत न्यून	5.96
फल एवं सब्जी	<ul style="list-style-type: none"> <li>कोई मूल्य सहायता नहीं। इनपुट सब्सिडी दी गई</li> <li>कुछ राज्यों में एपीएमसी द्वारा विनियमित</li> </ul>	मध्यम	3.94
अनाज, तिलहन, दलहन (न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के तहत फसलें)	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रापण एवं एमएसपी के साथ अधिक सब्सिडी प्राप्त करने वाले क्षेत्र। उत्पादों का विपणन एपीएमसी अधिनियम से आवश्यकता से अधिक विनियमित है। उत्पादन और विपणन में कम कॉरपोरेट निवेश।</li> </ul>	बहुत उच्च	1.37

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा आंकड़े, आउटपुट डाटा (2020, 2011-12 के मूल्यों पर)

चित्र 3 इस तथ्य को रेखांकित करता है कि किसानों के लिए सब्सिडियों और सहायता हेतु और अधिक संसाधनों का आबंटन किए जाने से उच्च वृद्धि हासिल नहीं होती है। अनाज, तिलहन और दलहन जैसे अधिक नियंत्रित और सहायता प्राप्त क्षेत्र मात्स्यिकी, पशुधन और बागवानी जैसे उदारीकृत और कम हस्तक्षेप वाले क्षेत्रों के विपरीत कम वृद्धि करते हैं।

चित्र 3: 2011-12 से 2018-19 की अवधि में  
सरकारी सहायता के सापेक्ष विभिन्न कृषि क्षेत्रों का उत्पादन



स्रोत: राष्ट्रीय लेखा आंकड़े, आउटपुट डाटा (2020, 2011-12 के मूल्यों पर)

## संघ बजट (2020-21) में नीतिगत संबंधी प्रस्ताव

- संघ सरकार राज्य सरकारों को भूमि पट्टे पर देने, कृषि उपज एवं पशुधन विपणन और संविदा कृषि से संबंधित मॉडल कानूनों को पारित और लागू कराने में प्रेरित करेगी।
- संघ सरकार ब्लॉक/तालुक स्तर पर वेयरहाउस (भंडागृह) स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग) उपलब्ध कराएगी। यह प्रस्ताव किया गया है कि ग्राम स्तर पर भंडारण योजना को स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा।
- जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए एक अबाध राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाय चैन निर्मित करने के लिए वातानुकूलित कोच के साथ 'किसान रेल' शुरु की जाएगी। किसानों को उत्पादों की

दुलाई में सहायता देने हेतु अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मार्गों पर 'कृषि उड़ान' की शुरुआत की जाएगी जिससे उन्हें अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

## कृषि निर्यात

कृषि उत्पादों पर उच्च स्तरीय समूह (एचएलईजी)<sup>1</sup> ने कृषि निर्यातों के संबंध में निम्न लिखित बिंदुओं को उजागर किया है:

- किसानों की आय को दोगुना करने की भारत की आकांक्षा के लिए, देश के कृषि उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि लाए जाने की आवश्यकता है। उत्पाद में वृद्धि के लिए कृषि क्षेत्र में आधारभूत (fundamental) परिवर्तन करना होगा। तथापि, उत्पादन में परिणामी वृद्धि से संतुलित और आत्मनिर्भर कृषि बाजार में केवल मूल्यों पर दबाव बढ़ेगा और किसानों का लाभ/मुनाफा कम हो जाएगा। इस संबंध में कृषि निर्यातों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी किया जाना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है।
- भारत के पास कृषि में काफी प्राकृतिक संपदाएं हैं। भारत झींगा/श्रिंप, मसाले, आम, पपीता, केला, चावल, कपास, गेहूं और गन्ना सहित अनेक जिंसों (कमोडिटीज) का अग्रणी उत्पादक देश है। कुल कृषि उत्पादन में उसका विश्व में दूसरा स्थान है और इसके पास भैंसों की सबसे अधिक आबादी/संख्या है। भारत ने 2019 में यूएस\$ 38.7 बिलियन मूल्य की कृषि जिंसों (कमोडिटीज) का निर्यात किया था।
- भारत ने चावल एवं झींगा सहित अनेक मूल्य श्रृंखलाओं (value chains) का निर्यात करने में सफलता प्राप्त की है जो यह भारत के कुल कृषि निर्यात का एक-तिहाई है। भारत के पास इन उत्पादों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है और इसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ऐपिडा) द्वारा तथा 2018 की कृषि निर्यात नीति में मूल्य श्रृंखला अवसर के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। भारत विभिन्न कमोडिटीज और कृषि उत्पादों का एक बड़ा उत्पादक देश है और यह चालीस जिंसों एवं कृषि उत्पादों का निर्यात करता है, जिनका प्रत्येक का मूल्य 2018 में यूएस\$ 100 मिलियन से अधिक था और पांच जिंसों, जिसमें प्रत्येक का

<sup>1</sup> वित्त आयोग की वेबसाइट पर रिपोर्ट।

फसल-विशिष्ट, राज्य की अगुवाई वाली योजनाओं के माध्यम से भारत के बढ़ते कृषि निर्यात।

मूल्य यूएस\$ 1 बिलियन से अधिक था। 2018 में भारत के दस शीर्ष कृषि निर्यातों का विवरण तालिका 1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 1: 2018 में शीर्ष भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात**

जिंसों एवं उत्पाद	2018 में निर्यात मूल्य (यूएस\$ बिलियन)
चावल	7.3
फ़ोजन श्रिंप	4.4
फ़ोजन गोजातीय मांस	3.3
कच्चा कपास	2.4
कपास; कताई युक्ता या गैर-कताई युक्त	2.2
वनस्पति रस एवं अर्क	1.0
शर्करा	0.9
स्थायी वनस्पति वसा एवं तेल	0.9
खली, सोयाबीन	0.9

- कृषि लाभों के बावजूद, कृषि निर्यातों के कुल मूल्य की दृष्टि से भारत का विश्व में तेरहवां स्थान है, और वह बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों से भी पीछे है। भारत के प्रसंस्कृत उत्पादों में निरंतर वृद्धि हुई है, लेकिन प्रसंस्कृत उत्पादों की तुलना में कच्चे माल में वैश्विक स्तर पर भारत की अभी भी अधिक हिस्सेदारी है। वैश्विक स्तर पर, भारत को निर्यात की दृष्टि से और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उसे अपनी उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना होगा, गैर-प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करना होगा, सभी कारक लागतों में निरंतर गिरावट को रोकना होगा, लॉजिस्टिक लागत को कम करना होगा तथा प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा।

## कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने हेतु पहलें

### I. कृषि नीति में सुधार

- कृषि उपज, व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2020: इस अधिनियम के लागू होने के बाद कृषि बाजार का उदारीकरण होगा, जो काफी समय से लंबित था, और

उत्पादों के क्रय-विक्रय के लिए वैकल्पिक स्रोतों का सृजन होगा। इससे एक ऐसा पारिस्थिकी तंत्र सृजित होगा, जहां किसानों और कारोबारियों (traders) को कृषि-उत्पाद के विपणन में स्वायत्तता मिलेगी और राज्य कृषि उत्पाद विपणन विधायनों के तहत अधिसूचित बाजारों की भौगोलिक सीमाओं से बाहर बाधा मुक्त अंतर-राज्य एवं अंतरा-राज्य व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। देश में बड़े पैमाने पर विनियमित कृषि बाजारों को खोलने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है।

- **कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषक सेवा पर करार, अधिनियम 2020:** इस अधिनियम से किसानों को, बराबर की भागेदारी के साथ बिना किसी शोषण के, भय के, प्रसंस्करणकर्ताओं तथा थोक विक्रेताओं, एग्रीग्रेटर्स (सटोरियों), अनेक खुदरा दुकानों, निर्यातकों आदि से जुड़ने हेतु सशक्त करेगी। इससे बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से एजेंटों को स्थानांतरित हो जाएगा, किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं बेहतर सामग्रियों/उन्नत आदानों को (इनपुट) प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप विपणन लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों के साथ करार के फलस्वरूप, प्रसंस्करणकर्ता और निर्यातक उपयुक्त समय पर वांछित गुणवत्ता एवं मात्रा में उत्पाद प्राप्त कर पाएंगे।
- **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन (Essential Commodities Act):** आवश्यक वस्तु (ईसी) अधिनियम 1955 में किए गए संशोधनों से अनेक कृषि जिंसों, जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर हो गए हैं। इससे निजी निवेशक आश्वासित होंगे कि उन्हें अपने व्यवसाय में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे उत्पादन में स्वतंत्रता, उसे आवश्यकतानुसार रोके रखने, उसकी ढुलाई, वितरण और आपूर्ति में सुधार से बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ मिलेगा। इससे वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक तथा आधुनिक खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी कृषि-संबद्ध अवसंरचना में निजी क्षेत्र/ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा। इस संशोधन से बाजार में किसी भी कमोडिटी को जमा नहीं किया जा सकेगा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चितता के कारण, किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। इससे प्रतिस्पर्धात्मक बाजार परिवेश सृजित होगा और कृषि-उत्पाद के अपशिष्ट को भी रोका जा सकेगा, जो कि भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण एक गंभीर समस्या है। प्रतिकूल स्थितियों में कृषि खाद्य

प्रदाथों की कमी को रोकने के लिए अधिनियम को लागू करने हेतु एक पारदर्शी मानदंड विनिर्दिष्ट किया गया है।

## II. प्रोत्साहन (स्टिमुलस) पैकेज

- महामारी से निपटने के लिए वित्त मंत्री द्वारा घोषित पांच वित्तीय स्टिमुलस पैकेजों में से, तीसरे स्टिमुलस में कृषि को गति प्रदान करने, लॉजिस्टिक से संबंधित अवसंरचना का सुदृढीकरण करने और कृषि, मात्स्यिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करने से संबंधित अनेक उपाय शामिल थे। इन उपायों का सारांश तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2: वित्तीय स्टिमुलस पैकेज में कृषि को गति प्रदान करने हेतु किए गए उपाय

मद	राशि
माइक्रो खाद्य उद्यम	10000
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	20000
टॉप टू टोटल: ऑपरेशन ग्रीन्स	500
कृषि अवसंरचना निधि	100000
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि	15000
हर्बल खेती का संवर्धन	4000
मधुमक्खी पालन	500
<b>कुल</b>	<b>150000</b>

(करोड़ रु.)

### पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में की गई अनुशांसाएं

- कृषि कामगारों और किसानों की आय न्यून स्तर पर है, जिसमें गैर-कृषि कामगारों की आय में वृद्धि के समानांतर वृद्धि नहीं हुई है। किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि संबंधी दबाव को कम करने के लिए, हमने सुधारों के एक सेट की पहचान की है, जो कृषि बाजारों के



उदारीकरण, आबध व्यापार परिवेश उपलब्ध कराने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में बेहतर वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र से व्यवस्थित निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित है।

- राज्य वित्तीय प्रोत्साहनों के लिए तभी पात्र होंगे जब वे कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा: (क) एक 2017 में जारी किए गए मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा), (ख) 2018 में जारी किए गए मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग एवं सेवाएं (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, और (ग) नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 के उपबंधों को पारित एवं लागू करेंगे।
- 2021-22 से अनुदानों के लिए पात्र बनने हेतु हम यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित विधानमंडलों में इन विधेयकों को पारित करने हेतु 2020-21 में प्रारंभिक कार्रवाई शुरू की जाए।


जैसा कि जून, 2020 में उल्लेख किया गया था, संघ सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने हेतु अपने प्रयासों के भाग के रूप में इनमें से कुछ सुधारों के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। इन सुधारों से भारत के किसानों को तथा कृषि क्षेत्र को रुपांतरित करने में काफी सहायता मिलेगी।

## चुनौतियां

### कृषि और गैर-कृषि वृद्धि के बीच बढ़ती असमानता

- चित्र 4 यह दर्शाता है कि कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच उत्पादों से वृद्धि पथ में विचलन है। आजीविका के लिए कृषि पर उच्च निर्भरता तथा उत्पादन में न्यून वृद्धि किसानों की कम आय का मुख्य कारण है। चित्र 5 में गैर-कृषि कामगारों एवं कृषि में खेतिहर किसानों की वार्षिक आय को दर्शाया गया है। इन दोनों के बीच का अनुपात 1983-84 में 2.983 था, जो कि बढ़कर 2011-12 में 3.157 हो गया। किसानों की आय के न्यून स्तर तथा किसानों और गैर-कृषि कामगारों के बीच बढ़ती आय की असमानता किसानों की दयनीय स्थिति का महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।


चित्र 4: कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में वार्षिक वृद्धि दर



स्रोत: राष्ट्रीय लेखा आंकड़े

चित्र 5: प्रति खेतिहर और गैर-कृषि कामगार की वार्षिक आय

(वर्तमान मूल्यों पर रु.)



स्रोत: राष्ट्रीय लेखा आंकड़े


## कम आनुपातिक लाभों के साथ कृषि सब्सिडियों का बढ़ता बोझ

- पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में यह परिकलन किया गया है कि किसानों को संघ सरकार द्वारा दी गई वार्षिक सब्सिडियां 120,500 करोड़ रुपए थी। इसमें ऊर्वरक सब्सिडी (70,000 करोड़ रुपए, 2017-18), ऋण सब्सिडी (20,000 करोड़ रुपए, 2017-18), फसल बीमा सब्सिडी (6,500 करोड़ रुपए, 2018-19) और मूल्य समर्थन हेतु व्यय (2016-17 के लिए अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए) शामिल हैं। राज्य सरकार की वार्षिक सब्सिडियां भी लगभग समान राशि अर्थात्-1,15,500 करोड़ रुपए हैं, जो कि विद्युत सब्सिडियों (90,000 करोड़ रुपए, 2015-16), सिंचाई सब्सिडियों (17,500 करोड़ रुपए, 2013-14) और फसल बीमा सब्सिडियों (6,500 करोड़ रुपए, 2018-19) का योग है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने 2017-18 में कृषि कर्ज माफी की घोषणा भी की थी। कुल मिलाकर, कृषि/फार्म सब्सिडियां जीडीपी का 2-2.25 प्रतिशत अनुमानित हैं।
- जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा दी गई उच्च सहायता से उच्च वृद्धि प्राप्त नहीं हुई है। इसके अलावा, सब्सिडियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है:
  - ◇ मूल्य समर्थन सहायता दिए जाने से अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उनसे भ्रष्टाचार और धन का अनुत्पादक कार्यों हेतु उपयोग से अपव्यय को प्रोत्साहन मिलता है।
  - ◇ विद्युत सब्सिडियों के कारण पहले से ही मोटर पम्पों के अति उपयोग से भूमि जल संसाधनों पर अनावश्यक दबाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों की सततता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
  - ◇ ऋण या ब्याज सब्सिडियां दिया जाना तर्कसंगत नहीं है। औपचारिक क्षेत्र की ब्याज दरें औपचारिक क्षेत्र में उधार देने वाली संस्थाओं तक बढ़ती पहुंच में बाधा नहीं रही हैं। इसलिए यह बेहतर होगा कि इन सब्सिडियों को ऋण अवसंरचना एवं ग्रामीण बैंकिंग सुदृढीकरण पर खर्च किया जाए।
  - ◇ कर्ज माफी से न केवल राज्य के वित्तीय संसाधनों और बैंकिंग व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे किसानों को भविष्य में कर्ज नहीं अदा करने के लिए भी प्रेरणा मिलती है।

## खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की धीमी वृद्धि

- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि दर कुछ वर्षों से निराशाजनक रही है, हालांकि हाल ही में उसमें कुछ सुधार हुआ है। जिसमें विभिन्न नीतिगत कारकों का योगदान हो सकता है। चित्र 6 से यह परिलक्षित होता है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की औसत वृद्धि दर 2012-13 से 2018-19 के दौरान में 4.93 प्रतिशत थी, जो कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की तुलना में काफी कम है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए कोई आकर्षक व लाभकारी बाजार नहीं मिल पाना और प्रसंस्करणकर्ताओं को आश्वस्त आपूर्ति का अभाव है। अतः, संविदा कृषि या बाजारीकरण के माध्यम से प्रसंस्करणकर्ताओं को उत्पादकों (किसानों) से जोड़े (लिंक) जाने से कृषि उत्पादन एवं कृषि आय बढ़ाने की अपार संभावना हो सकती है।

चित्र 6: सकल मूल्य वर्धन की औसत वृद्धि दर (%) 2012-13 से 2018-19



स्रोत: राष्ट्रीय लेखा आंकड़े

## छोटे एवं सीमांत किसान

- भारतीय कृषि में छोटे एवं सीमांत किसानों की बहुलता है, जिन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छोटी भू-जोत होने के कारण कई किसान मूल्य जोखिम और अलाभकारी विपणन के कारण फलों और सब्जियों को विविधीकरण के रूप में चयन करने में हतोत्साहित होते हैं। छोटे किसानों को आगतों एवं उपज बाजारों में अनेक प्रकार के लेन-देन में मोल-भाव (bargaining power) की समस्या का सामना करना पड़ता है। ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं, जो कृषि क्षेत्र में कम वृद्धि के लिए उत्तरदायी है।

## निजी क्षेत्र की कम सहभागिता

- तालिका 3 में यह दर्शाया गया है कि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) के प्रतिशत के रूप में, कृषि में पूंजीगत निवेश केवल 13.83 प्रतिशत था। इसमें से, 78 प्रतिशत निवेश गृहस्थ (हाउसहोल्ड) क्षेत्र से प्राप्त किया गया था, जबकि निजी क्षेत्र से केवल 2.82 प्रतिशत निवेश प्राप्त किया गया था। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र की कम सहभागिता कृषि क्षेत्र की कम वृद्धि के कारणों में से एक है।

**तालिका 3: सकल पूंजी निर्माण (2016-17)**


क्षेत्र	जीवीए % के रूप में पूंजीगत निवेश	सकल पूंजी निर्माण में क्षेत्रवार अंश (%)		
		निजी कॉर्पोरेट	सरकारी उपक्रम	गृहस्थ/हाउसहोल्ड
कृषि	13.83	2.82	18.75	78.43
गैर-कृषि	36.18	46.76	25.77	27.48
अर्थव्यवस्था	32.17	43.37	25.23	31.41

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा आंकड़े

## बढ़ते अधिशेष के बावजूद निर्यात में सुस्ती

**चित्र 7: खाद्य उत्पादन और मांग**

चित्र 7 यह दर्शाता है कि देश में विगत वर्षों में खाद्य अधिशेष बढ़ता गया है, क्योंकि मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक थी। इसके साथ-साथ निर्यातों में भी समान वृद्धि नहीं थी। इसका एक कारण कुछ जिंसों (कमोडिटीज) के घरेलू मूल्यों का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तुलना में अधिक रहना था।



स्रोत: राष्ट्रीय लेखा आंकड़े

## कमजोर सहायक अवसंरचना

- भारतीय कृषि की विशेषता यह है कि वह अनौपचारिक या पारंपरिक आपूर्ति श्रृंखला पर आधारित है, जिसमें उत्पाद स्थानीय बिचौलियों के माध्यम से छोटी स्थानीय दुकानों तक पहुंचाए जाते हैं। औपचारिक मूल्य श्रृंखलाओं में समान उत्पादों को वाणिज्यिक फर्मों - थोक विक्रेताओं, सुपर बाजार या निर्यातकों को आमतौर पर बेहतर या समान गुणवत्ता के साथ पहुंचाया जाता है। अधिकतर उत्पादों को किसानों द्वारा कृषि उत्पादों को कच्चे रूप में (raw form) बेचा जाता है, जिन्हें वे अपने खेतों में फसल-कटाई के पश्चात मंडी में लाते हैं। परिणामस्वरूप बाजार में आपूर्ति बढ़ जाने के कारण उत्पादों के मूल्य कम हो जाते हैं। किसान अपने पास कृषि अयोग्य मौसम/महीनों के लिए उत्पाद नहीं रखते हैं। अब वेयरहॉउस की सुविधा उपलब्ध है और किसान भंडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के पास पंजीकृत वेयरहाउस में अपना उत्पाद भंडारित कर सकते हैं।
- जल्दी खराब होने वाली कृषि वस्तुओं की कीमतें तेजी से घट जाना एक आम बात है। ऑन-फार्म भंडारण सुविधा का अभाव, उत्पादों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक विधि का अभाव और देश में खराब प्रसंस्करण आधार, कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कुछ कारक हैं। यदि बाजार संबंधी सुधार गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित किए जाते हैं, तो कृषि में निजी क्षेत्र के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और उससे मूल्य श्रृंखलाएं विकसित की जा सकेंगी।

## न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

- संघ सरकार खरीफ और रबी मौसमों में बाईस फसलों – अनाजों, दलहनों और तिलहनों – के लिए एमएसपी की घोषणा करती है। उत्पादों की कीमतों को उचित स्तरों से नीचे न गिरने देने के प्रयोजनार्थ तथा सावर्जनिक वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक और अन्य सावर्जनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस मूल्य पर सरकारी एजेंसियां कृषि उत्पाद खरीदती हैं।
- 2019-20 के संघ बजट को प्रस्तुत करते हुए, वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि कुछ रबी एवं खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को कम से कम उत्पादन लागत के 1½ गुणा तय किया जाएगा। इस उत्पादन लागत, A2+FL में बीजों एवं ऊर्वरकों, अनुबंधित श्रमिकों और परिवार के श्रम की अनुमानित लागत जैसे इनपुट शामिल है। यद्यपि, एमएसपी की घोषणा बाईस फसलों के लिए की जाती है, परंतु सरकारी खरीद/क्रय धान, गेहूं, कपास जैसी कुछ ही फसलों तक सीमित

है, और कुछ दलहनों और तिलहनों तक सीमित है। सरकारी खरीद कुछ ही राज्यों तक सीमित है। तीन राज्यों (हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब), जो देश में गेहूं का 45 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, से 81 प्रतिशत खरीद की जाती है। धान के संबंध में, छः राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना), जो 38 प्रतिशत का उत्पादन करते हैं, इसे खरीद का 82 प्रतिशत अंश क्रय किया जाता है।

- एमएसपी के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य मुद्दों में, निम्नलिखित शामिल है: (i) बुआई मौसम से पहले किसानों में एमएसपी के बारे में कम जागरूकता (नीति आयोग के अनुसार, 62 प्रतिशत किसानों को एमएसपी के बारे में बुआई मौसम के बाद बताया गया); (ii) प्रापण/खरीद केंद्र किसानों के स्थानों से काफी दूर स्थित हैं; (iii) किसानों के लिए कृषि उत्पाद की ढुलाई हेतु बढ़ती लागत; और (iv) अपर्याप्त भंडारण क्षमता।
- नीति आयोग ने यह कहा कि कृषि मूल्यन (pricing) नीति की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि किसानों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। प्रायः किसान विवशतापूर्ण एमएसपी से भी कम कीमत पर अपना उत्पाद बेच देते हैं।

## सुझाए गए सुधार और भावी परिदृश्य

### राज्य सरकारों द्वारा शासन संबंधी सुधार किया जाना

- सरकार की नीतियों का किसानों की आय पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, और उससे अवसरों तथा संभावित प्रौद्योगिकियों का दोहन करने का परिवेश सृजित होता है। संघ सरकार ने कुछ नीति एवं शासन संबंधी सुधार पहले ही शुरू कर दिए हैं, जैसा कि इस अध्याय में पहले ही वर्णन किया गया है। चूंकि कृषि एक राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों को कृषि क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने हेतु संघ सरकार के साथ समन्वय करते हुए सक्रिय होकर कार्य करना होगा।
- राज्य सरकारों द्वारा दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार लाए जाने हैं:
  - i. **भूमि पट्टा कानून:** इस संबंध में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम की संगतता में, नए भूमि पट्टा विधायन की आवश्यकता है। राज्य विधानमंडलो को चाहिए कि वे इस विधायन को नीति आयोग के अनुरूप लागू करें।

- ii. **निजी भूमि पर वानिकी:** वृक्षों की कटाई और उनकी ढुलाई पर प्रतिबंध हटाए जाने चाहिए। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार टिम्बर एवं वुड आधारित उद्योग को निजी भूमि पर वानिकी कार्य करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
- भूमि सुधारों में भूमि अभिलेखों (रिकॉर्डों) का कंप्यूटरीकरण, उनकी अपडेटिंग, भूमि खंडों की राजस्व अभिलेखों के साथ जियोटैगिंग जैसे कार्य शामिल किए जाने चाहिए (जैसा कि कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है), और वर्तमान की प्रकल्पित भूमि स्वामित्व-हकदारी के बजाए, अनन्य भूमि स्वामित्व-हकदारी (presumptive land titling to exclusive land titling) प्रणाली अपनाई जानी चाहिए।

## उत्पादन को प्रसंस्करण से संबद्ध करना

- कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग या बाजार का उदारीकरण कर, प्रसंस्करणकर्ताओं को उत्पादकों (किसानों) से संबद्ध किए जाने से कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हो सकती हैं। इस क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने हेतु, फूड पार्क विकसित किए जाने की आवश्यकता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में ज्यादा श्रमिक प्रधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिए जाने से ज्यादा रोजगार सृजित होगा तथा कार्यबल को कृषि से उद्योग में स्थानांतरित करने में सहायता मिलेगी।

## किसान उत्पाद संगठनों को बढ़ावा देना

- किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहित एवं संवर्धित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को लेनदेन-लागतों को कम करने में, प्रौद्योगिकी से एक्सेस प्राप्त करने में, मोलभाव की शक्ति बढ़ाने में तथा मूल्य श्रृंखलाओं से जुड़ने में सहायता मिल सके। इससे छोटी भू-जोत वाले किसानों की आय एवं उत्पादन को बढ़ाकर और उन्हें बाजार से जोड़कर, छोटे एवं सीमांत किसानों की समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलेगी।



## कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी

- अधिकतर फसलों की उत्पादकता कम है, जिसे बढ़ाए जाने की अपार संभावना है। गेहूं को छोड़कर, अन्य फसलों की उत्पादकता विश्व औसत से कम है तथा कृषि की दृष्टि से विकसित देशों की तुलना में और भी अधिक कम है। सिंचाई और प्रौद्योगिकी विकासों से पहुंच को बढ़ाना कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा उपाय है। इसके लिए बीजों की बुआई से लेकर संपूर्ण उत्पादन श्रृंखला तक नवोन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता होगी।
- कृषि अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) प्रणाली को तत्काल सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। सरकारी आर एंड डी संस्थाओं को कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में क्षमता विकसित करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, कृषि विस्तार की आधुनिक विधियों के माध्यम से किसानों तक वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार किया जाना चाहिए और नई प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण के लिए एक सुसंगत वातावरण सृजित किया जाना चाहिए।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लंबित परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए।

## उच्च मूल्य वाली फसलों की दिशा में विविधीकरण

- उच्च मूल्य वाली फसलों की दिशा में विविधीकरण किए जाने से किसानों की आय को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हो सकती हैं। प्रमुख खाद्यान्न फसलों जैसे अनाज, दलहन, तिलहन के अंतर्गत सकल फसल क्षेत्र (जीसीए) का 77 प्रतिशत क्षेत्रफल है, लेकिन फसल क्षेत्र के कुल उत्पादन में इनका योगदान मात्र 41 प्रतिशत है। दूसरी ओर, उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे फल, सब्जियां, रेशा, सुगंधित पदार्थ एवं मसाले और गन्ना का उत्पादन में योगदान लगभग समान था जबकि 2013-14 के दौरान उनके अंतर्गत जीसीए का मात्र 19 प्रतिशत क्षेत्रफल था। फसल सघनता विचलनों को समायोजित करने के पश्चात, उच्च मूल्य वाली फसलों की औसत उत्पादकता प्रमुख खाद्यान्न फसलों के लिए 1,14,777 रुपए प्रति हेक्टेयर की तुलना में 41,169 रुपए) प्रति हेक्टेयर आकलित की गई थी। उत्पादकता में इस प्रकार के अंतर को ध्यान में रखते हुए, प्रमुख खाद्यान्न फसलों से एक हेक्टेयर क्षेत्रफल को उच्च मूल्य वाली वाणिज्यिक फसलों में परिवर्तित किए जाने से सकल प्रतिलाभ (रिटर्न) 1,01,608 रुपए प्रति हेक्टेयर तक

बढ़ सकता है। अतः राज्य सरकारों को चाहिए कि वे ऐसे कार्यक्रम शुरू करें जिनमें किसानों द्वारा उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती करने पर जोर दिया जा सके।

## खेतिहर से गैर-कृषि एवं आनुषंगिक कार्यकलापों में स्थानांतरित करना

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017-18 के अनुसार, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 55 प्रतिशत पुरुष कामगार और 73.2 प्रतिशत महिला कामगार कार्यरत थे। दूसरी ओर, कुल ग्रामीण निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी) में कृषि का योगदान केवल 39 प्रतिशत था। इससे पता चलता है कि उल्लेखनीय अल्पबेरोजगारी के साथ ग्रामीण कार्यबल कृषि पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है। अतः गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को बढ़ाकर रोजगार के विविधीकरण की आवश्यकता है।

## सब्सिडियों का युक्तिकरण

- मूल्य आधारित सब्सिडी और कृषि कर्ज माफी की नीति को बदला जाना चाहिए और आय-आधारित सब्सिडियां पीएम-किसान योजना की तरह दी जानी चाहिए।
- कृषि के लिए मुफ्त में बिजली दिए जाने से न केवल विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है, अपितु भूमि जल के अति दोहन के कारण उसकी गंभीर संधारणीयता की चुनौती उभरकर आई है, जिसके कारण जल स्रोत का स्तर गिरता जा रहा है। राज्यों को इसे सीमित करने पर ध्यान देना चाहिए और कृषि के लिए मुफ्त में बिजली देने के बजाए, लाभार्थियों को विद्युत सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए दी जानी चाहिए। इसके अलावा, राज्य को किसानों द्वारा ड्रिप सिंचाई अपनाने के लिए तथा प्रभावित क्षेत्रों में जल-सघन फसलों से अन्य फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

## कृषि अनुसंधान में निवेश

- अध्ययनों में यह पाया गया है कि कृषि में अनुसंधान निवेशों पर प्रतिलाभ (रिटर्न) काफी अधिक है। जैसा कि पहले कहा गया है, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को कृषि मंत्रालय के कुल बजट का केवल लगभग 6 प्रतिशत दिया गया है। खाद्य तेल की उत्पादकता, सूक्ष्मजीव-रोधी प्रतिरोध, परिशुद्ध कृषि, डिजिटल कृषि और फसल प्रजनन के आधुनिकीकरण जैसे क्षेत्रों में गुणवत्तात्मक अनुसंधान करने की आवश्यकता है। अतः, संघ सरकार को कृषि अनुसंधान में निवेश बढ़ाना चाहिए। यह फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने तथा दीर्घावधि में किसानों की आय को बढ़ाने की दृष्टि से भी अहम है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (भा.कृ.अनु.स.) और राज्य कृषि विश्वविद्यालय सरकारी क्षेत्र आर एंड डी के दो स्तंभ हैं। कई राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को निधियों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से, अधिकांश राज्यों में कृषि विस्तार प्रणालियां कमजोर पड़ चुकी हैं, जिनका नवीनीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

## 16 कार्य-बिंदुओं का कार्यान्वयन

- संघ के 2020-21 के बजट में किसानों की आय, भंडारण, नीली अर्थव्यवस्था और पशुपालन पर विशेष ध्यान देने हेतु, सोलह कार्य-बिंदुओं को रेखांकित किया गया था। भंडारण एवं लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाने, जिला स्तर पर सरकारी –निजी-भागीदारी प्रक्रिया के आधार पर वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से वेयरहाउसों की स्थापना करने हेतु किसान रेल और कृषि उड़ान सेवाएं शुरू की गईं। नीली अर्थव्यवस्था के तहत समुद्री मत्स्य संसाधनों के विकास, प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक फ्रेमवर्क और मछली उत्पादन बढ़ाने में सहायता देने हेतु शैवाल (algae), समुद्री खरपतवार और केज कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूध प्रसंस्करण क्षमता को 53.5 मिलियन मैट्रिक टन से दोगुना कर 2025 तक 108 मिलियन मैट्रिक टन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- कोविड महामारी से निपटने हेतु राजकोषीय स्टिमुलस पैकेज के भाग के रूप में, संघ सरकार ने इन उपायों को और भी गति प्रदान की। इन उपायों को और अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है ताकि किसानों के जोखिम का विविधीकरण किया जा सके और उनकी आय बढ़ाई जा सके।

## पंद्रहवें वित्त आयोग की अपनी अंतिम रिपोर्ट में अनुशंसाएं

- अध्याय 10 के खंड-I में वर्णित चार पैरामीटरों के आधार पर, हम अनुशंसा करते हैं कि सभी राज्यों को हमारी पंचाट अवधि के दौरान कृषि सुधार लाने में प्रोत्साहित करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन के रूप में रखे जाएं। राज्यों के बीच इसका वितरण प्रत्येक राज्य में कृषि के सकल मूल्य वर्धन के आधार पर किया जाएगा। इन संकेतकों की निगरानी एवं रिपोर्टिंग प्रगति के लिए, नीति आयोग प्रत्येक राज्य में एक नोडल एजेंसी होगा और वह अपने वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन राशि को जारी करने की अनुशंसा करेगा।

## अध्याय 3

# वाणिज्य विभाग


वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार नीति को सूत्रबद्ध, कार्यान्वित एवं अनुवीक्षण करता है जो निर्यात एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीति एवं रणनीति की अवसंरचना उपलब्ध कराती है। विदेश व्यापार नीति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि उसमें देशी एवं विदेशी अर्थव्यवस्था, दोनों में उभरते आर्थिक परिदृश्यों में हुए बदलावों को समाविष्ट किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विभाग को बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन एवं व्यापार सुगमीकरण और कतिपय निर्यातोन्मुख उद्योगों और वस्तुओं के निर्माण एवं विनियमन से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचाया जाना है, इसलिए देश को निर्यात में 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़ों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। निर्यात क्षेत्र की अपार क्षमता एवं संभावना को ध्यान में रखकर, भारत सरकार द्वारा एक व्यापक एवं सकेंद्रित रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य नवप्रवर्तन एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना, घरेलू गुणवत्ता मानकों को संगत बनाना और अवसंरचना का स्तरोन्नयन करना तथा समस्त (क्रास कटिंग) घरेलू सुधारों का कार्यान्वयन करना होगा ताकि प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके और भारत को एक वैश्विक व्यवसाय हब बनाया जा सके।

## विभाग की समग्र रूपरेखा

1. संघ के 2020-21 के बजट में वाणिज्य विभाग को 6,219 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। यह केंद्र सरकार के कुल बजट का 0.20 प्रतिशत और 2020-21 के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.03 प्रतिशत है। चित्र 1 में मंत्रालय के वर्ष-वार आबंटन को दर्शाया गया है।


चित्र 1: वाणिज्य विभाग का व्यय



स्रोत: संघ के बजट एवं सीएसओ


2. चित्र 2 में विभाग के शीर्ष-वार व्यय को दर्शाया गया है। विभाग के व्यय का लगभग 85-86 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों पर खर्च किया गया है। चित्र 3 में 2015-16 से 2020-21 (बीई) तक इन योजनाओं पर व्यय के ब्यौरे को दर्शाया गया है। अधिकांश व्यय निर्यात संवर्धन योजनाओं पर किया गया है।

चित्र 2: शीर्ष-वार व्यय (%)



स्रोत: संघ के बजट


चित्र 3: केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों पर व्यय (%)



नोट: एपीईडीए/एपीडा- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  
 एमपीईडीए- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निर्यात  
 टीआईईएस- व्यापार निर्यात अवसंरचना योजना

- चित्र 4 में हाल ही के वर्षों में भारत के समग्र व्यापार संतुलन को दर्शाया गया है, जबकि चित्र 5 और चित्र 6 अलग-अलग परिदृश्य को परिलक्षित करते हैं। चित्र 6 से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि सेवाओं में निवल व्यापार हमेशा सकारात्मक रहा है, फिर भी भारत में समग्र व्यापार घाटा है जिसका मुख्य कारण वाणिज्यिक व्यापार (merchandise trade) कम होना है (चित्र 5)।


चित्र 4: समग्र व्यापार में प्रवृत्ति (अमरीकी बिलियन डॉलर)



स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय और आरबीआई (मासिक बुलेटिन)

नोट: पी: अर्न्तम

चित्र 5: वाणिज्यिक व्यापार में प्रवृत्ति (अमरीकी बिलियन डॉलर)




स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय और आरबीआई (मासिक बुलेटिन)

नोट: पी: अर्न्तम



चित्र 6: सेवा व्यापार में प्रवृत्ति (अमरीकी बिलियन डॉलर)



स्रोत: वाणिज्य मंत्रालय और आरबीआई (मासिक बुलेटिन)

नोट: अर्न्तम

- तालिका 1 में भारत के दस शीर्ष जिंस निर्यातों एवं आयातों को दर्शाया गया है। तालिका 2 में भारत के दस शीर्ष निर्यात गंतव्यों (destinations) और आयातों के स्रोतों को दर्शाया गया है।

तालिका 1: भारत का वाणिज्यिक व्यापार (कमोडिटी-वार)

2018-19 में दस शीर्ष कमोडिटीज के निर्यात						2018-19 में दस शीर्ष कमोडिटीज के आयात					
US\$ बिलियन में						US\$ बिलियन में					
रैंक	कमोडिटी	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	वृद्धि	अंश	रैंक	कमोडिटी	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	वृद्धि	अंश
		2018	2019	(%)	(%)			2018	2019	(%)	(%)
1	पेट्रोलियम उत्पाद	37	47	24.3	14.1	1	पेट्रोलियम : कच्चा	87	114	30.5	22.2
2	मोती, बहुमूल्य, अर्द्ध बहु मूल्य रत्न	26	26	0.4	7.9	2	सोना	34	33	-2.2	6.4
3	जैविक औषधि समीकरण	13	14	11.5	4.4	3	मोती, बहुमूल्य, अर्द्ध बहु मूल्य रत्न	34	27	-21.0	5.3
4	सोना और अन्य बहुमूल्य धातु के आभूषण	13	13	1.1	3.9	4	पेट्रोलियम उत्पाद	21	27	26.3	5.2
5	लौह एवं इस्पात	11	10	-13.4	3.0	5	कोयला, कोक एवं ब्रिक्केट आदि	23	26	14.3	5.1
6	कार्बनिक रसायन	7	9	30.6	2.8	6	दूरसंचार यंत्र	22	18	-18.0	3.5
7	एसेसरी सहित आरएमजी कपास	9	9	2.2	2.6	7	इलेक्ट्रॉनिक घटक	10	16	54.6	3.1
8	मोटर वाहन/कार	8	9	0.3	2.6	8	कार्बनिक रसायन	12	14	14.7	2.8
9	इलेक्ट्रिक मशीनरी एवं उपकरण	7	8	25.6	2.6	9	लौह एवं इस्पात	10	13	20.6	2.5
10	लौह एवं इस्पात उत्पाद	7	7	7.2	2.2	10	डेयरी आदि के लिए औद्योगिक मशीनरी	10	12	19.0	2.4

## तालिका 2 : भारत का वाणिज्यिक व्यापार (देश-वार)

मूल्य US\$ बिलियन में					मूल्य US\$ बिलियन में						
रैंक	देश	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	वृद्धि (%)	अंश (%)	रैंक	देश	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	वृद्धि (%)	अंश (%)
		2018	2019					2018	2019		
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	48	52	9.5	15.9	1	चीन	76	70	-7.9	13.7
2	संयुक्त अरब अमीरात	28	30	7.0	9.1	2	संयुक्त राज्य अमेरिका	27	36	33.6	6.9
3	चीन	13	17	25.6	5.1	3	संयुक्त अरब अमीरात	22	30	37.0	5.8
4	हांगकांग	15	13	-11.5	3.9	4	सउदी अरब	22	28	29.0	5.5
5	सिंगापुर	10	12	13.4	3.5	5	इराक	18	22	27.0	4.4
6	यूनाइटेड किंगडम	10	9	-3.9	2.8	6	स्विट्जरलैंड	19	18	-4.4	3.5
7	बांग्लादेश	9	9	6.9	2.8	7	हांगकांग	11	18	68.5	3.5
8	जर्मनी	9	9	2.5	2.7	8	कोरिया आरपी	16	17	2.4	3.3
9	नीदरलैंड	6	9	40.7	2.7	9	सिंगापुर	7	16	118.1	3.2
10	नेपाल	7	8	17.4	2.4	10	इंडोनेशिया	16	16	-3.6	3.1

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, वाणिज्य विभाग

5. तालिका 3 वर्ष 2019 में विश्व के शीर्ष वाणिज्यिक निर्यातकों एवं आयातकों की रैंकिंग को दर्शाती है। निर्यातक के रूप में भारत का स्थान उन्नीसवां और आयातक के रूप में दसवां है।

## तालिका 3: 2019 में अग्रणी वाणिज्यिक निर्यातक और आयातक देश

रैंक	निर्यातक	मूल्य (US\$ बिलियन)	अंश (%)	वार्षिक परिवर्तन (%)	रैंक	आयातक	मूल्य (US\$ बिलियन)	अंश (%)	वार्षिक परिवर्तन (%)
1	चीन	2487	12.8	10	1	संयुक्त राज्य अमेरिका	2614	13.2	9
2	संयुक्त राज्य अमेरिका	1664	8.5	8	2	चीन	2136	10.8	16
3	जर्मनी	1561	8	8	3	जर्मनी	1286	6.5	11
4	जापान	738	3.8	6	4	जापान	749	3.8	11
5	नीदरलैंड	723	3.7	11	5	यूनाइटेड किंगडम	674	3.4	5
6	कोरिया आरपी	605	3.1	5	6	फ्रांस	673	3.4	9
7	फ्रांस	582	3	9	7	नीदरलैंड	646	3.3	12
8	हांगकांग, चीन	568	2.9	3	8	हांगकांग, चीन	628	3.2	6
9	इटली	547	2.8	8	9	कोरिया आरपी	535	2.7	12
10	यूके	486	2.5	10					
19	<b>भारत</b>	<b>325</b>	<b>1.7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>भारत</b>	<b>511</b>	<b>2.6</b>	<b>14</b>
	<b>विश्व</b>	<b>19451</b>	<b>100</b>	<b>10</b>		<b>विश्व</b>	<b>19867</b>	<b>100</b>	<b>10</b>

स्रोत: विश्व व्यापार संगठन, 2019

## चुनौतियां

### रुपए का अधिमूल्यन

- जर्मनी, जापान, कोरिया और चीन न केवल विनिर्माण में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर, बल्कि एक प्रतिस्पर्धी मुद्रा विनिमय दर वाली नीति के आधार पर निर्यात में शक्तिशाली बने। दुर्भाग्यवश, भारत की राजनीति में मजबूत (अधिमूल्यन) रुपए को राष्ट्रीय शक्ति के संकेत के रूप में देखा जाता है। वास्तविक निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धा विनिमय दर से ही प्राप्त की जा सकती है। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्प्रवाह यानी inflows से रुपए का अधिमूल्यन होने लगा है और इससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को हानि पहुंची है। उच्च मुद्रास्फीति और उच्च व्यापार घाटों की वजह से बाद में हुए सुधार से रुपए में उतार-चढ़ाव आया, लेकिन विनिमय दर में अचानक तेज गिरावट आई। इस प्रकार के उतार-चढ़ाव से निर्यातकों को बहुत हानि पहुंचती है।

### संरचनात्मक अवरोध

- आपूर्ति दिशा में गंभीर संरचनात्मक अवरोध हैं जिससे लघु स्तरीय विनिर्माताओं एवं निर्यातकों के लिए निम्नलिखित के कारण निवेश का अभाव हो जाता है:
  - ◇ मूलभूत सेवाओं, लॉजिस्टिक और अवसंरचना से संबंधित सेवाओं में मात्रात्मक एवं गुणात्मक अदक्षताओं के साथ उच्च-लागत, विरूपित विनिर्माण वातावरण;
  - ◇ व्यापार अनुकूल वातावरण (ease of doing business) के अंतर्गत वर्चुअल अनुमोदन प्रक्रिया को अभी भी भूमि, विद्युत, जल, रेल, सड़क बंदरगाह आदि के भौतिक मुद्दों तक विस्तारित नहीं किया गया है।
  - ◇ नीतिगत, विनियामक एवं प्रचालनात्मक संचालन में खामियां अनवरत रहती हैं, जिनसे व्यापार वातावरण को सुगम बनाने के लिए उल्लेखनीय उपायों के बावजूद, पूर्व/पश्च निवेश चरण पर लेन-देन लागत बढ़ जाती है; और
  - ◇ इस संबंध में एक व्यापक सिंगल विंडो को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता है।

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

मानक व्यय दृष्टिकोण के अंतर्गत,  $GDP^1=C+I+G+X-M$  है। अतः,  $X$  को अधिकतम करना और  $M$  को न्यूनतम करना, विदेश व्यापार नीति का महत्वपूर्ण अवयव है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आयात को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। इसके बजाय,  $M$  का एक पैरामीटर के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए जो दीर्घकालिक जीडीपी वृद्धि को हानि नहीं पहुंचाता है तथा भारत की बड़ी एवं बढ़ती आबादी के लिए रोजगार सृजन के अवसरों को बाधित नहीं करता है।

### विदेश व्यापार नीति

- चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचना है, इसलिए देश को निर्यात में 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए विदेश व्यापार नीति के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए:
  - ◇ प्रमुख बंदरगाहों के पास निर्यात परिसरों/क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना। इन्हें 'प्लग एवं प्ले' मोड में स्थापित किया जाना चाहिए ताकि विदेशी एवं घरेलू निवेशकों को भूमि, विद्युत एवं अन्य विश्वस्तरीय अवसंरचना आसानी से सुलभ हो सके। इन क्षेत्रों में श्रम विनियमनों को अन्य देशों के समान बनाया जाना चाहिए ताकि उन क्षेत्रों में स्थित कंपनियां विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा बनने में समर्थ हो सकें।
  - ◇ भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने में समर्थ बनाना। इसमें सुविधा प्रदान करने के लिए, निर्यात की गई मदों को विनिर्मित करने हेतु आयातित घटक शून्य शुल्क दर श्रेणी में होने चाहिए। भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह वैश्विक मूल्य श्रृंखला के अंतिम स्थान पर सीमित न रहे। निर्यातों के लिए अपेक्षित आयातों पर शून्य शुल्क का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है, क्योंकि यह संभावना है कि आयातों का देशी प्रशुल्क क्षेत्र में अन्यत्र उपयोग किया जा सकता है। अतः, अधिकांश महत्वपूर्ण वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का समेकन विशेष आर्थिक

<sup>1</sup> जीडीपी =  $C+I+G+X-M$

जहां:  $C$  = वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोक्ता खर्च,  $I$  = व्यवसाय पूंजी वस्तुओं पर निवेशक खर्च है  
 $G$  = सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर सरकारी खर्च,  $X$  = निर्यात एवं  $M$  = आयात है

क्षेत्रों के माध्यम से किया जाना चाहिए, जो तटीय क्षेत्रों के पास स्थित होने चाहिए, जैसा कि चीन में है।

## बड़ा निर्यातक देश

- भारत को निम्नलिखित का समाधान कर, एक बड़ा निर्यातक देश (export powerhouse) बनने का प्रयास करना चाहिए:
  - ◇ बड़ी मात्रा में उत्पादन करना ताकि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं से लाभ प्राप्त किया जा सके। इसे उत्पादों एवं उनके घटकों के लिए क्लस्टर जोन के जरिए किया जा सकता है।
  - ◇ अवसंरचना एवं परिवहन की लॉजिस्टिक लागत कम होने की वजह से कारखानों के स्तर पर अधिकांश उत्पाद सस्ते होते हैं, लेकिन बंदरगाह तक पहुंचने तक वे महंगे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें उच्च भाड़ा लागत जुड़ जाती है। रेल भाड़ा दर को यात्री किरायों में सब्सिडी को समाप्त कर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाना चाहिए। ऊर्जा एवं विद्युत लागतों को प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए ताकि विनिर्माता देशों के साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके।
  - ◇ पूंजीगत लागत को कम किया जाना चाहिए, जो प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में अधिक हैं। निर्यातकों की पूंजीगत लागत उनके प्रतिस्पर्धियों की कार्यशील पूंजी ब्याज दरों के बराबर होनी चाहिए।
  - ◇ उद्योग को अपने श्रम संसाधन में अपेक्षित कौशल प्राप्त करने में सहायता देना।
  - ◇ पेट्रोलियम एवं विद्युत को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में यथाशीघ्र शामिल करना। इनपुट टैक्स क्रेडिट देने से निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

## गुणवत्ता मानक

- घरेलू गुणवत्ता मानकों को मौजूदा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जाना आवश्यक है। जब भारत घरेलू बाजार के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं विनिर्मित करता है, तो वह ऐसा विदेशी बाजारों के लिए भी कर सकता है।

## मुक्त व्यापार समझौते

- मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से भारत को प्राप्त होने वाली लागतों एवं लाभों की समीक्षा करने का यह एक सही समय है। यदि लाभों की तुलना में लागतें अधिक पाई जाती हैं, तो इन एफटीए पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है। जिन देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है, उन देशों के प्रमुख घरेलू निर्यातकों के बीच त्वरित बाजार सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि ये कंपनियां अधिमान प्रशुल्कों पर निर्यात करने में असमर्थ हैं, पर सर्वाधिक हितैषी राष्ट्रों (most favoured nation (MFN) की दरों पर निर्यात करने में समर्थ हैं, तो उन देशों से आयातों के उत्पादन प्रशुल्क को भी एमएफएन पर निर्धारित किया जाना चाहिए, न कि एफटीए दरों पर।

## मानव पूंजी एवं चिकित्सा तथा पर्यटन सेवाओं को बढ़ावा देना

- जैसा कि पहले वर्णन किया गया है (चित्र 4, 5 एवं 6), भारत के पास सेवा व्यापार अधिशेष है, जिसने समग्र व्यापार घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेवा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, इसलिए और प्रभावशाली नीति बनाना और उसका कार्यान्वयन इन क्षेत्रों में बहुत लाभ प्रदान कर सकता है। इस संबंध में कुछ निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं:
  - ◇ विदेशी छात्रों एवं स्कॉलरों को आकर्षित करने हेतु भारत की प्राचीन सभ्यता एवं क्षमता की पुनःकल्पना कर, देश के उल्लेखनीय तुलनात्मक लाभों का फायदा उचित लागत पर उच्च गुणवत्ता के शिक्षा क्षेत्र में उठाना। उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों के विदेश जाने के बजाय, भारत के पास चिकित्सा, अभियंत्रण, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान शिक्षा का केंद्र (हब) बनने की सक्षमता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य विनियामकों की देखरेख में शिक्षा में निजी-घरेलू एवं विदेशी-निवेश के लिए अवसर पैदा किए जाने चाहिए।
  - ◇ भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता का लाभ चिकित्सा क्षेत्र में पुरजोर तरीके से उठाना। भारतीय सेवाएं “अति प्रतिस्पर्धी लागत पर सर्वोच्च गुणवत्ता” का पर्याय होनी चाहिए।

- ◇ वीजा राज के सभी प्रभावों को समाप्त कर, अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ, स्वास्थ्य एवं पर्यटन में भारतीय सेवा निर्यात को बढ़ावा देना। सभी देशों के नागरिकों को भारत में प्रवेश के समय पर वीजा (वीजा ऑन एराइवल), सीमित नेगेटिव लिस्ट वाले देशों को छोड़कर, देने की सुविधा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वीजा शुल्क न्यून रखे जाने चाहिए; निम्न दरों से होने वाले राजस्व हानि की भरपाई देश में बढ़ते पर्यटकों के आगमन में वृद्धि से अधिक होगी। दीर्घकालिक (दस-वर्ष) बहु-प्रवेशीय वीजा एक नियम होना चाहिए, न कि अपवाद।
- ◇ उभरते एवं संभावित क्षेत्रों में विश्वस्तरीय आर एंड डी सुविधाओं का निर्माण करना। इस क्षेत्र में एफडीआई का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए और शिक्षा संस्थानों/संस्थाओं एवं घरेलू विनिर्माताओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकारों के परिरक्षण हेतु पेटेंट के प्रति एक दृढ़ दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

## तेल एवं कोयला आयात

- कच्चा तेल और कोयला, आयात की शीर्ष दस मदों में शुमार हैं। सौर एवं पवन तथा हाइड्रोपावर की ओर तेजी से कदम बढ़ाकर, इन वस्तुओं का आयात कम करने के लिए संकेद्रित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

## कृषि निर्यात

- कृषि निर्यात<sup>2</sup> पर उच्च स्तरीय समूह (एचएलईजी) ने जोर दिया है कि कृषि निर्यातों को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इनमें मूल्य वर्धन के लिए काफी उच्च घटक हैं। घरेलू मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद, कृषि निर्यातों पर कोई प्रतिबंध/नियंत्रण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह किसान विरोधी नीति होगी।
- भारत की आकांक्षा है कि वह कृषि निर्यातों को 40 मिलियन अमरीकी डॉलर से 100 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाए। यह आकांक्षा वैश्विक खाद्य एवं कृषि प्रवृत्तियों द्वारा

<sup>2</sup> रिपोर्ट वित्त आयोग की वेबसाइट पर है  
फसल-विशिष्ट, राज्य-समर्थित योजनाओं के माध्यम से भारत के बढ़ते कृषि निर्यात।



उपलब्ध कराए गए अवसर का लाभ उठाने के लिए बहुत ही सुसंगत हैं। एचएलईजी का अनुमान है कि इसका घरेलू कृषि बाजारों पर प्रभाव पड़ेगा तथा सार्थक रोजगार सृजन हो सकेगा। एचएलईजी ने गहन परामर्श के बाद अनुशांसा की है कि भारत अपने कृषि निर्यातों को लगभग दुगना कर सकता है, यदि वह निम्नलिखित कदम उठाए:

- ◇ बाइस फसल मूल्य श्रृंखलाओं का संभावित प्रतिस्पर्धा के साथ प्राथमिकीकरण करना और अमरीका, यूरोपीय संघ एवं खाड़ी देशों तथा पश्चिम एशियाई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, सात फसल मूल्य श्रृंखलाओं (धान, झींगा मछली, मसाले, भैंस का मांस, फल एवं सब्जियां, वनस्पति तेल एवं काष्ठ) में प्रकाशस्तम्भ स्थापित करना।
- ◇ राज्य के नेतृत्व वाली फसल मूल्य श्रृंखला समूहों को लागू करना, जो राज्य के भीतर एकल-फसल मूल्य श्रृंखला के लिए समर्पित है। गंतव्य-बाजारों में देश के स्तर पर प्रचार के जरिए इसका डिजाइन उत्पादकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), कृषि-व्यवसाय, वित्तपोषक, कमोडिटी बोर्ड, संघ एवं राज्य सरकारों और एजेंसियों के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में किया जाएगा।
- ◇ उच्च गुणवत्ता वाले, अच्छी तरह से वित्त पोषित राज्य के नेतृत्व वाली मूल्य-श्रृंखला विशिष्ट निर्यात योजनाएं जो सभी हितधारकों को एक साथ लाती हैं, संसाधनों को जोड़ती हैं और इसमें निजी क्षेत्र द्वारा स्थिरता प्रदान की जाती है।
- ◇ उचित अभिशासन कार्यविधि के साथ द्वि-स्तरीय संघ-राज्य संस्थानिक फ्रेमवर्क स्थापित करना ताकि इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जा सके, उनकी ट्रैकिंग और निगरानी की जा सके। राज्य सरकारें क्लस्टर्स की पहचान करेंगी, निजी निवेशकों को आकर्षित करेंगी और योजनाओं को निर्मित एवं कार्यान्वित करेंगी। साथ ही राज्य सरकारें यह भी सुनिश्चित करेंगी कि कृषि निर्यातों से संबंधित संघ सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं में तालमेल हो। राज्य सरकारें इन योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित करेंगी तथा जहां आवश्यक हो, वित्त भी उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों को सहयोग दे सकती है तथा उनके प्रयासों में सहायता कर सकती हैं। उपर्युक्त फ्रेमवर्क निगरानी एवं अंतर-मंत्रालयी समन्वय करते हुए, योजनाओं का मूल्यांकन, अनुमोदन भी करेगा तथा अतिरिक्त वित्त भी उपलब्ध कराएगा।

## अन्य सुधार

- सौर विद्युत पैनलों एवं मॉड्यूलों, लीथियम ऑयन जैसी उभरती पर्यावरणीय वस्तुओं और अन्य उभरती वृहत भंडारण बैटरियों के लिए 'नव-स्थापित उद्योग प्रशुल्क' ('infant industry tariffs') लगाना। एफडीआई नीतियों को सभी उभरते क्षेत्रों में बहुत लोचनीय रखा जाना चाहिए, लेकिन इन क्षेत्रों को मेक इन इंडिया प्रयासों में योगदान देने की दृष्टि से उदार प्रशुल्क लगाकर प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।
- निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना को बंद करना, क्योंकि भारत में पूंजीगत वस्तुओं के आयातों पर निषिद्ध प्रशुल्क अब नहीं है। इससे घरेलू विनिर्माण कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा ओवर-इन्वॉइसिंग की समस्या से बचा जा सकेगा, जैसा कि ईपीसीजी के संबंध में थी।
- निर्यात परिषदों के साथ मिलकर सेक्टर एवं उत्पादन विशिष्ट रणनीतियां बनाना। फार्मास्यूटीकल क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा हितों का उपयोग "mother drugs" के एक्टिव फार्मास्यूटीकल इन्ग्रिडिएंट (एपीआई) के बहुतायत में विनिर्माण के लिए किया जाना चाहिए। भारतीय विनिर्माण के पास टीकों के विनिर्माण में काफी विशेषज्ञता है, जिसका उपयोग भारत को विश्व में टीकों के निर्यात में अग्रणी देश बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

## अध्याय 4

# पेयजल एवं स्वच्छता विभाग


पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीओडीडब्ल्यूएस) दो फलैगशिप कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है: प्रत्येक ग्रामीण परिवार को चालू पारिवारिक नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति (जिसे अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत पुनर्गठित एवं समाहित कर दिया गया है) के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी); और स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)। पेयजल एवं स्वच्छता के विषय संविधान की राज्य सूची के हिस्से हैं।

विभाग ने सभी नागरिकों के लिए स्वच्छता हेतु स्वच्छ जल की उपलब्धता एवं संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करने की सुनिश्चिता हेतु एसडीजी-6 की दिशा में भारत की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। परिवारों के लिए पाइप द्वारा जलापूर्ति हेतु सतही जल पर अत्यधिक निर्भरता, आकांक्षी जिलों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समर्पित निधियां, पाइप द्वारा जल आपूर्ति के प्रावधान के माध्यम से खुले में शौच मुक्त स्थिति को कायम रखना और ओडीएफ प्लस की दिशा में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता विभाग की भावी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।

### विभाग की समग्र प्रोफाइल


1. जलशक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दो फलैगशिप कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है: ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)/जल जीवन मिशन (जेजेएम); और स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम-जी)।
2. वर्ष 2020-21 में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए बजट आबंटन 22,000 करोड़ रुपए है, जो केंद्र सरकार के कुल बजट का 0.71 प्रतिशत और अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (चित्र 1) का 0.1 प्रतिशत है।

चित्र 1: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का व्यय



स्रोत: संघ के बजट एवं सीएसओ

चित्र 2: सीएसएस पर योजना-वार व्यय (% में, 2018-19)



तालिका 1 : सीएसएस पर संघ सरकार के व्यय के % के रूप में विभाग द्वारा  
सीएसएस पर व्यय

वर्ष	प्रतिशत
2015-16	5.4
2016-17	6.8
2017-18	8.4
2018-19	6.2
2019-20 (आरई)	5.8
2020-21 (बीई)	6.3

स्रोत: संघ के बजट

## सीएसएस की मुख्य उपलब्धियां

### स्वच्छता (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण)

- वृहत पैमाने पर संव्यवहारात्मक बदलाव, परिवार-स्वामित्व और सामुदायिक-स्वामित्व वाले शौचालयों का निर्माण, और शौचालय के निर्माण एवं उपयोग के लिए निगरानी तंत्र स्थापित की गई।
- 2 अक्टूबर, 2019 तक, बत्तीस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। 2 अक्टूबर, 2014 को किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं थी।
- 6 अगस्त, 2019 तक, 99.86 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय सुलभ हो गई थी।

### पेयजल (जल जीवन मिशन)

- 29 जुलाई, 2020 तक, 25.17 प्रतिशत परिवारों के पास नल सुविधा चालू थी।

- 19 सितंबर, 2019 तक, 1.1 प्रतिशत ग्रामीणवासों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (lpcd) की जलापूर्ति सुविधा से पूर्णतः कवर कर लिया गया था, और 15.6 प्रतिशत परिवारों को आंशिक रूप से कवर किया गया था।
- 19 सितंबर, 2019 तक, 18.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति सुविधा से कवर कर लिया गया था।

**विकेंद्रीकृत पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की संधारणीयता:** जल एक ऐसा विषय है जो संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है और राज्यों की सक्रिय भागीदारी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संसाधनों एवं प्रणालियों की संधारणीयता (sustainability) को बेहतर बनाने के प्रयोजनार्थ, भारत सरकार ने मांग-आधारित जल सुपुर्दगी एवं स्वच्छता के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को शुरू किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य सिद्धांत हैं:

- स्थानीय शासन एवं समुदाय जलापूर्ति स्कीमों के लिए योजना बनाएंगे, उनका कार्यान्वयन, प्रचालन और प्रबंध करेंगे।
- राज्य सरकार की भूमिका सेवा प्रदाता से बदल कर सुविधा प्रदाता की हो जाएगी।
- ग्राम पंचायतों और प्रयोक्ता समूहों को अधिकार-संपन्न बनाया जाएगा।
- उपभोक्ताओं को सेवा के कुछ न्यूनतम स्तर के लिए ऐसा भुगतान करने हेतु प्रेरित किया जाएगा जिसमें मात्र पूंजीगत लागत का एक हिस्सा और सभी भावी आवर्ती लागतें कवर होंगी।

स्रोत: पेयजल और स्वच्छता विभाग की कार्यनीति योजना, 2011-22

## विभाग द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव

- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता हेतु पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग के अनुदानों का पचास प्रतिशत पेयजल और स्वच्छता विभाग के पास रखा जाना चाहिए ताकि जेजेएम के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके।
- पेयजल सुरक्षा हासिल करने के लिए डीओडीडब्ल्यू एंड एस को 'अवसंरचना विकास के लिए सेक्टर आबंटन के हिस्से के रूप में 82,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

- शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग के अनुदान को परिणाम एवं निष्पादन से संबद्ध किया जाना चाहिए और इसे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास रखा जाना चाहिए।

पंचायती संस्थाओं को अनाबद्ध वित्त आयोग अनुदान के पचास प्रतिशत हिस्से को पंचायती राज मंत्रालय के पास आवश्यकतानुसार अन्य कार्यों के लिए तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर रखा जा सकता है। निधियों के अनुदानों को निष्पादन से संबद्ध किया जाना चाहिए।


### बॉक्स 1: वित्त आयोगों द्वारा अनुदान

अनुदानों का प्रयोजन <sup>1</sup>	राज्य (अनुदानों की राशि, करोड़ रुपए)
बारहवां वित्त आयोग	आंध्र प्रदेश (325), हिमाचल प्रदेश (38), राजस्थान (150), पश्चिम बंगाल (600)
तेरहवां वित्त आयोग	आंध्र प्रदेश (550), गुजरात (200), हरियाणा (400), हिमाचल प्रदेश (150), कर्नाटक (300), मेघालय (50), राजस्थान (500), सिक्किम (20)
चौदहवां वित्त आयोग	सेक्टर-विशिष्ट एवं राज्य-विशिष्ट अनुदान नहीं दिए गए
इसके अलावा, बारहवें एवं चौदहवें वित्त आयोगों ने यह अनुशंसा की थी कि स्थानीय निकायों को, अन्य बातों के अलावा, जलापूर्ति एवं स्वच्छता क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाना चाहिए।	
पंद्रहवां वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2020-21)	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान (60,750 करोड़ रुपए), 50 प्रतिशत मूल और 50 प्रतिशत इन कार्यों: क) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति को कायम रखने के लिए और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनर्चक्रण के लिए आबद्ध हैं।
पंद्रहवां वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2021-26) (वॉल्यूम I, अध्याय 7)	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान (2,36,805 करोड़ रुपए)। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की पूर्ति करने हेतु अपेक्षित संसाधनों हेतु सहायता देने के लिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दो श्रेणियों की सेवाओं: (क) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति को कायम रखना; और (ख) पेय जल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण को सुदृढ़ एवं सहायता के लिए आबद्ध हैं।

<sup>1</sup> केवल पेयजल आपूर्ति योजनाओं (ग्रामीण, शहरी या दोनों) के लिए अनुशंसित विशिष्ट अनुदानों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न वर्णित प्रयोजनों (जहां उनके यथार्थ अंशों को परिकल्पित नहीं किया जा सकता है) के सबसेट के रूप में पेयजल/स्वच्छता के लिए या सिंचाई योजनाओं के लिए भी अनुदानों की अनुशंसा की गई है।

## अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

चित्र 3 क: – पेयजल<sup>2, 3</sup>




<sup>2</sup> डाटा का स्रोत विश्व बैंक है। डाटा वित्त वर्ष 2015 से संबंधित है, जिसके बाद भारत ने मुद्दे का समाधान करने हेतु दो शीर्ष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया।

<sup>3</sup> सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सेवाएं: यह संकेतक पेयजल का उपयोग बेहतर स्रोत से करने वाले लोगों के प्रतिशत को अभिगृहित करता है जिसे स्थलों पर एक्सेस किया जा सकता है, आवश्यकतानुसार सुलभ होता है और मल-मूत्र एवं घातक रसायनिक संदूषण से मुक्त रहता है। बेहतर जल स्रोतों में पाइप के द्वारा जल, बोरहोल या ट्यूबवेल, संरक्षित कुएं, संरक्षित सिप्रिंग एवं पैकैज्ड या उपलब्ध कराया गया जल शामिल है। इसमें दोनों प्रकार के लोग शामिल हैं, यानी जो बुनियादी जल सेवाओं का उपयोग करते हैं, और जो सुरक्षित रूप से प्रबंधित जल सेवाओं का उपयोग करते हैं। बुनियादी पेयजल सेवाओं को किसी बेहतर स्रोत से पेयजल के रूप में वर्णित किया गया है, बशर्ते कि जल का संग्रहण एक राउंड ट्रिप के लिए तीस मिनटों से अधिक समय में न किया गया हो।



चित्र 3 ख: - स्वच्छता<sup>3, 4</sup>



## ‘प्रक्षालन’ पद्धतियों और आर्थिक/स्वास्थ्य परिणामों के बीच संबंध

### आर्थिक प्रभाव

- 2011 में विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार, अपर्याप्त स्वच्छता से भारत को 2006 में सकल घरेलू उत्पाद के समतुल्य 6.4 प्रतिशत की आर्थिक हानि (53.8 बिलियन अमरीकी डॉलर) हुई।
- ऑक्सफोर्ड इकोनोमिक्स द्वारा 2016 में कराए गए अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया था कि स्वच्छता से खराब सुलभता की वजह से भारत को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 5.2 प्रतिशत की हानि हुई।
- 2017 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसंधान अध्ययन में यह दर्शाया गया था कि भारत में सावर्जनिक स्वच्छता बेहतर होने से पारिवारिक एवं शिशु परिचर्या कार्य में महिलाओं द्वारा


<sup>4</sup> सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाएं: यह अन्य परिवारों के साथ साझा नहीं की गई बेहतर स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग करने वाले लोगों के प्रतिशत को अभिग्रहित करता है और जहां मल को सुरक्षित रूप से स्वस्थाने निपटाया जाता है या उसका परिवहन कर ऑफसाइट पर शोधित किया जाता है। बेहतर स्वच्छता सुविधाओं में फ्लश/पोर फ्लश से पाइप द्वारा सीवर प्रणालियां, सेप्टिक टैंक या गड्ढे वाले शौचालय: हवादार बेहतर गड्ढे वाले शौचालय, कम्पोस्टिंग वाले शौचालय या स्लैब के साथ गड्ढे वाले शौचालय शामिल हैं। बुनियादी स्वच्छता सेवाएं: बुनियादी सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत, यानी बेहतर स्वच्छता सुविधाएं, जिन्हें अन्य परिवारों के साथ साझा नहीं किया जाता है। यह संकेतक बुनियादी स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाले तथा सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाले दोनों प्रकार के लोगों को सम्मिलित करता है।

व्यतीत किए जाने वाले समय में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई और उनकी श्रमबल भागीदारी में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

### स्वास्थ्य पर प्रभाव

- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा पांच भारतीय राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए अध्ययन में यह पता चला है कि अतिसार (डायरिया) रोग व्यापकता में उल्लेखनीय कमी आई है और अन्यथा समान प्रकार के गैर-ओडीएफ क्षेत्रों की तुलना में ओडीएफ क्षेत्रों में बच्चों के पोषण में सुधार आया है। इस अध्ययन में यह भी दर्शाया गया है कि ओडीएफ क्षेत्रों में महिलाओं का सामान्य बॉडी मास इंडेक्स गैर-ओडीएफ क्षेत्रों में उनके समकक्षों की तुलना में अधिक है।

चित्र 4: 100% शौचालय उपयोग के वार्षिक लाभ (रु. में)



- मानव मल संदूषक की दृष्टि से, यूनिसेफ ने अनुमान लगाया है कि भारत में गैर-ओडीएफ गांवों में भूमि जल स्रोत औसतन 12.7 गुणा ज्यादा संदूषित है; मृदा 1.1 गुणा संदूषित है, भोजन 2.16 गुणा ज्यादा संदूषित है और घरेलू पेयजल 2.48 गुणा संदूषित है।

- यूनिसेफ के अनुसार, ओडीएफ गांवों में परिवार औसतन रूप से 50,000 रुपए प्रति वर्ष बचाते हैं। इसके अलावा, उन्हें एकबारगी लाभ यह प्राप्त होता है कि उनकी संपत्ति का मूल्य 18,991 रुपए प्रति घर बढ़ जाता है।

## चुनौतियां

- कोविड-19 महामारी ने पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात को उजागर किया है। सभी संक्रामक रोग प्रकोपों के दौरान मानव स्वास्थ्य को संरक्षित करने हेतु पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की उपलब्धता की सुनिश्चितता के लिए काफी जोर दिया गया है। तथापि, अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

## ओडीएफ की संधारणीयता

- शौचालयों के उपयोग के आधार पर, लोगों के संव्यवहार में आए परिवर्तन को कायम रखे जाने की आवश्यकता है। कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि शौचालयों से सुलभता होने के बावजूद, लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं, हालांकि शौचालयों का आंशिक उपयोग अधिक है।
- सावर्जनिक शौचालयों की नियमित साफ-सफाई के साथ शौचालयों में उपयुक्त जलापूर्ति किया जाना एक चुनौती है। सूखे के दौरान जल का काफी अभाव होता है और अब तो उसका निरंतर अभाव देखा जा रहा है। जेजेएम के दौरान सृजित अवसंरचना को अनुरक्षित रखा जाना और उसका उपयोग किया जाना आवश्यक है।

## जल जीवन मिशन की उच्च लागत

- मंत्रालय ने सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जेजेएम के तहत अनुमानित 3.6 लाख करोड़ रुपए (संघ सरकार और राज्य सरकारों दोनों से) की बड़ी बजटीय सहायता दी है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं/कार्यक्रमों को एकीकृत किए जाने से 1.8 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाए जाने की उम्मीद की जाती है।

## जलापूर्ति सेवा स्तर

- बारहवीं पंचवर्षीय अवधि (पूर्ववर्ती नीति आयोग) के लिए गठित घरेलू जल और स्वच्छता पर कार्यसमूह ने, अन्य बातों के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति स्तरों को 40 lpcd से बढ़ाकर 55 lpcd करने की अनुशंसा की थी। इसके अतिरिक्त, यह लक्ष्य रखा गया था कि कम से कम 55 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को 2017 तक 55 lpcd तक जलापूर्ति सुलभ हो। तथापि विभाग ने जेजेएम में इस 55 lpcd लक्ष्य को अभी भी समाहित नहीं किया है।

## एनआरडीडब्ल्यूपी पर व्यय

- यद्यपि एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, किंतु कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधान को 2017-18 में 7,038 करोड़ रुपए से 1/5 घटाकर 2018-19 (आरई) में 5,500 करोड़ रुपए किया गया था। यह 2016-17 में खर्च किए गए वास्तविक व्यय की तुलना में कम है।

## भूमि जल पर अत्यधिक निर्भरता

- 63 प्रतिशत से भी अधिक ग्रामीणवासों को भूमि जल स्रोतों से पाइप के द्वारा जल उपलब्ध कराया जा रहा है। तथापि देश में तेजी से घटते जल स्रोत को ध्यान में रखते हुए इसे कायम नहीं रखा जा सकेगा। जेजेएम की शुरुआत के पश्चात यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जेजेएम का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक परिवार को पाइप के द्वारा जल उपलब्ध कराना है।

## ‘सूखे नलों’ की समस्या

- देश में सभी ग्रामीण परिवारों के लिए पाइप द्वारा जल की आपूर्ति करने हेतु अवसंरचना स्थापित करने के बावजूद, खासतौर पर गर्मी के दिनों में जल की अनुपलब्धता से नल सूखे पड़ जायेंगे।

## खराब गुणवत्ता वाली वास

- देश में मार्च, 2021 तक लगभग 28,000 प्रभावित वास को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संघ सरकार ने आर्सेनिक एवं फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन की शुरुआत की। गुणवत्ता-प्रभावित वासों की संख्या भविष्य में काफी बढ़ सकती है क्योंकि पेयजल स्रोतों के दोहन हेतु काफी गहराई तक ड्रिलिंग करने से भूमि जल में रासायनिक संदूषण उत्पन्न हो सकता है।

## समग्र एवं संपूर्णतावादी दृष्टिकोण

- संधारणीय भूमि जल संसाधन प्रबंधन के लिए भागीदारी भूमि जल प्रबंधन तथा समुदाय स्तर पर संव्यवहारात्मक बदलाव लाने हेतु संस्थागत ढांचे का सुदृढीकरण किए जाने की आवश्यकता है। अतः जलशक्ति मंत्रालय के अंतर्गत दो विभागों - पेयजल और स्वच्छता विभाग तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWRRD&GR) को यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ कार्य करना चाहिए कि पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत जेजेएम प्रत्येक घर को पाइप द्वारा जलापूर्ति सुलभ कराए तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत अटल भूजल योजना (एबीवाई) में उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए जहां भूमि जल काफी कम है। भूमि जल एवं पेयजल से संबंधित सामुदायिक-आधारित सामाजिक क्षेत्र योजनाओं के निष्पादन एवं कार्यान्वयन में इन दोनों विभागों की भूमिका महामारियों के दौरान और भी अधिक बढ़ जाती है। अतः भविष्य के लिए बेहतर तैयारी किया जाना आवश्यक है ताकि मांग और आपूर्ति में संतुलन बिठाया जा सके।

## सूचना का असम्मित प्रसार

- कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी संगठनों - गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - द्वारा अनेक एडवाइजरियां जारी की गई थीं। यह काफी सार्थक होता, यदि इन एडवाइजरियों और दिशानिर्देशों को एक मंच से जारी करने में सभी के साथ एक नोडल विभाग या मंत्रालय समन्वय करता।

## भारत में विभिन्न उपयोगों के लिए जल की उपलब्धता और आवश्यकता का पूर्वानुमान

- राष्ट्रीय जल नीति, जिससे वर्तमान में संशोधित किया जा रहा है, में जल आबंटन की प्राथमिकताओं को मुख्य रूप से निम्नलिखित क्रम में उल्लिखित किया गया है: पेयजल; सिंचाई, हाइड्रो-पावर, नौवहन, औद्योगिक एवं अन्य। अतः, जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, राष्ट्र की वर्तमान एवं भावी जल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक समग्र एवं संपूर्णतावादी दृष्टिकोण की प्रबल आवश्यकता है।

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

### उपयुक्त जल मूल्य-निर्धारण (pricing)

- यह आवश्यक है कि जल के लिए एक ग्रेडेड आधार पर उपयुक्त मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, जहां उच्च खपत के लिए उच्च प्रभार वसूले जाने चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है कि अपर्याप्त जल मूल्य घरेलू क्षेत्र में जल के अति दोहन के मुख्य कारणों में एक है। प्रशुल्कों को आवधिक आधार पर संशोधित नहीं किया जाता है, जिसके कारण जलापूर्ति की लागत और संग्रह किए गए राजस्व के बीच ज्यादा अंतर आ जाता है।

### सतही जल पर अत्यधिक निर्भरता

- देश के अधिकांश भागों में भूमि जल के अति दोहन को ध्यान में रखते हुए, जेजेएम के लिए सतही जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, पेयजल और स्वच्छता विभाग को जल उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु वर्षा जल संचयन संरचना की स्थापना और ग्रे वाटर के पुनःउपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अंततः, वर्षा जल संचयन संरचना की स्थापना के बारे में कानूनों/नियमों को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है।

## 112 आकांक्षी जिलों में प्राथमिकता आधारित कार्यकलाप

- 112 आकांक्षी जिलों के लिए जेजेएम निधियों के एक निश्चित प्रतिशत, संभवतः उनकी आबादी के अनुपात के आधार पर, अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए। इन जिलों में पाइप द्वारा जलापूर्ति कवरेज बहुत ही कम है। 19 सितंबर, 2019 तक यह राष्ट्रीय औसत 18.3 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण परिवारों का मात्र 8.7 प्रतिशत थी। यह महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण परिवारों को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाया जाए।

## ओडीएफ की संधारणीयता

- गांवों की ओडीएफ स्थिति को कायम रखने हेतु ग्रामीण परिवारों में पाइप द्वारा जलापूर्ति का प्रावधान आवश्यक है। यह देखा गया है कि लोग उन क्षेत्रों में शौचालयों का उपयोग नहीं करते हैं जहां जलापूर्ति नहीं होती है। इसलिए, पाइप द्वारा जलापूर्ति की कवरेज को वर्तमान में ग्रामीण परिवारों के 18.3 प्रतिशत के न्यून स्तरों से काफी अधिक बढ़ाया जाना चाहिए।

## ओडीएफ प्लस

- भारत जल्दी ही ओडीएफ की स्थिति प्राप्त कर लेगा। इसके बाद का लक्ष्य ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टिक टैंकों के संबंध में मल अपशिष्ट प्रबंधन, गांवों की समग्र साफ-सफाई आदि को प्रोत्साहित करने का होना चाहिए।
  - ◇ लक्ष्य इस बात को सुनिश्चित करने पर केंद्रित होना चाहिए कि समस्त ठोस अपशिष्ट को आगामी पांच से सात वर्षों के भीतर अलग-अलग करके संग्रहित और शोधित किया जाए।
  - ◇ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवप्रवर्तनशील, समुदाय द्वारा प्रबंधित, विकेंद्रीकृत प्रणालियां अपनाई जानी चाहिए।
  - ◇ स्थानीय लोगों में मालिकाना हक जैसा भाव सृजित कर, इस प्रकार की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की प्रचालन एवं रखरखाव लागतें कम होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण परिवारों की भुगतान करने की क्षमता कम होती है।

## ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान

हम यह मानते हैं कि स्वच्छता क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को हर स्तर पर कायम और सुदृढ़ बनाए रखा जाए। इसके लिए सरकार के तीनों स्तरों को सहकारी संघवाद की मूल भावना में एक साथ कार्य करना होगा। स्थानीय शासन ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को साकार करने के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु, स्थानीय निकायों के संसाधनों के लिए सहायता देने तथा उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित अनुशंसा करते हैं:

- ◇ ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 40 प्रतिशत अनाबद्ध रहेगा जिसका उपयोग उनके द्वारा वेतन एवं अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित उनतीस विषयों के तहत आने वाले कार्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तथापि, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित बाह्य एजेंसियों द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं के लिए आवश्यक व्यय को इस अनुदान से खर्च किया जा सकता है।
- ◇ ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 30 प्रतिशत पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए अलग से निर्धारित किया जाएगा।
- ◇ ग्रामीण स्थानीय निकायों को संवितरित किए जाने वाले कुल अनुदानों का 30 प्रतिशत स्वच्छता एवं ओडीएफ स्थिति को कायम रखने के लिए अलग से निर्धारित किया जाएगा, और इसमें परिवार अपशिष्ट, विशेष रूप से मानव मल एवं मलीय गाद प्रबंधन को शामिल किया जाना चाहिए।

## स्वतंत्र सर्वेक्षण

- यद्यपि गांवों की ओडीएफ स्थिति का सत्यापन संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा प्रभावकारी रूप से कराया जाता है, किंतु एक व्यापक स्वतंत्र सर्वेक्षण कराया जाना वांछनीय है, जो खुले में शौच करने वाले (या नहीं करने वाले) व्यक्तियों के प्रतिशत का एक राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करने वाले अनुमान को प्रस्तुत कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था से एसबीएम-जी की उपलब्धियों को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी।



## एसबीएम (जी) की कवरेज का सार्वभौमिकीकरण

- एसबीएम (ग्रामीण) के अंतर्गत गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रह रहे सभी परिवारों तथा गरीबी रेखा से उपर रह रहे चयनित परिवारों के लिए व्यक्तिगत परिवार आधारित शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। चूंकि बीपीएल परिवारों की पहचान करने में उन्हें कवरेज के तहत लाने या उससे बाहर रखने में त्रुटियां होती हैं, इस योजना की कवरेज का सार्वभौमिकीकरण करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि 100 प्रतिशत ओडीएफ स्थिति प्राप्त की जा सके।

## आधार रेखा सर्वेक्षण 2012 का अद्यतनीकरण

- यह माना जाता है कि एसबीएम (जी) के तहत आधार रेखा सर्वेक्षण (बीएलएस) 2012 द्वारा केवल उन्हीं परिवारों की पहचान की गई थी जिनके पास शौचालय नहीं थे। इस डाटा को अपडेट करने के लिए प्रावधान करने के बावजूद, कई राज्यों ने इस कार्य को नहीं किया, जैसा कि स्थानीय निकायों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक रिपोर्ट और कई अन्य अध्ययनों में पाया गया है। अतः, ओडीएफ स्थिति की वास्तविकता का पता लगाने के लिए बिना शौचालय वाले परिवारों के आधार रेखा डाटा को अपडेट करना बहुत ही आवश्यक है।

## प्राकृतिक आपदा के समय के दौरान विनियामक उपायों की आवश्यकता

- जैसा कि पहले ही बताया गया है, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समन्वित विनियामक उपायों से धरातल पर कार्यरत हितधारकों के बीच सूचना के असमान प्रसार की समस्या को समाप्त करने और विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सीएसएस के परिणाम में सुधार लाने में सहायता मिल सकती है। भारत को इस प्रकार आपातकालीन स्थितियों/आपदाओं से निपटने में और भी अधिक तैयारी करनी होगी जिसके लिए एक समर्पित नीति की आवश्यकता है।

## अध्याय 5

# शिक्षा मंत्रालय

देशभर में शैक्षिक संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और शिक्षा में पहुंच का विस्तार करने का समग्र दायित्व शिक्षा मंत्रालय का है। मंत्रालय महिलाओं सहित आर्थिक एवं सामाजिक रूप से असुविधायुक्त समूहों, अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक नीति के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। मंत्रालय समाज के वंचित वर्गों से सुपात्र छात्रों को छात्रवृत्तियां, ऋण सब्सिडी तथा अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिए मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है, और वह देश में शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों और विश्वविद्यालयों के साथ घनिष्ठता से कार्य करता है।


भारत के पास अभूतपूर्व जनसांख्यिकी का लाभ है क्योंकि उसकी 65 प्रतिशत से अधिक की आबादी कार्यक्षम आयु (*working age*) की है। इस जनसांख्यिकी का लाभ लेने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे देश की विकास प्रक्रिया में योगदान दे सकें। भारत शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत खर्च करता है, जो कि विकसित देशों के औसत से काफी कम है। शिक्षा क्षेत्र में कम निवेश के अलावा शैक्षिक प्रणाली को खराब शिक्षण परिणामों, अध्यापकों को अपर्याप्त प्रशिक्षण, अत्यंत सख्त विनियामक व्यवस्था आदि जैसी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने तथा बेहतर सुशासन से सहायता मिल सकती है।

### मंत्रालय की समग्र प्रोफाइल

1. शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 (बीई) में संघ के बजट से किया गया व्यय अनुमानित रूप से 99,312 करोड़ रुपए है, जिसमें से 97,085 करोड़ रुपए का राजस्व

व्यय और 2,227 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 0.44 प्रतिशत और संघ के कुल बजट का 3.26 प्रतिशत है। संघ के बजट के प्रतिशत के रूप में, शिक्षा पर व्यय 2015-16 में 3.75 प्रतिशत से घटकर 2020-21 (बीई) में 3.26 प्रतिशत था। जीडीपी के आधार पर भी यह समान अवधि में 0.49 प्रतिशत से घटकर 0.44 प्रतिशत हो गया था (चित्र 1)।


चित्र 1: शिक्षा मंत्रालय का व्यय



स्रोत: संघ के बजट एवं सीएसओ

- जैसा कि चित्र 2 में देखा जा सकता है, 2020-21 (बी.ई.) में विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मंत्रालय के आबंटित राजस्व व्यय का लगभग 60 प्रतिशत प्राप्त किया, जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग ने 40 प्रतिशत प्राप्त किया।


**चित्र 2: विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग का राजस्व व्यय (करोड़ रु.)**



स्रोत: संघ के बजट

3. चित्र 3 में मंत्रालय के व्यय के मुख्य शीर्षों को दर्शाया गया है। 2020-21 के बजट अनुमानों में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) – समग्र शिक्षा और स्कूलों में मिड-डे-मील कार्यक्रम पर व्यय का 50 प्रतिशत खर्च किया गया, जिसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे स्वायत्त निकायों (9 प्रतिशत) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों (8 प्रतिशत) को अनुदानों के लिए खर्च किया गया।


**चित्र 3: मंत्रालय के मुख्य व्यय शीर्ष 2020-21 (बीई) (%)**



स्रोत: संघ का बजट 2020-21


4. 2018-19 का डाटा यह दर्शाता है कि शिक्षा पर कुल सार्वजनिक व्यय जीडीपी का 2.64 प्रतिशत है, जिसमें से राज्यों द्वारा किया गया खर्च लगभग 2.22 प्रतिशत और संघ सरकार द्वारा 0.42 प्रतिशत है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में मुख्य अंश (84 प्रतिशत) राज्यों का है और संघ सरकार का अंश केवल 16 प्रतिशत है।

चित्र 4: जीडीपी के % के रूप में शिक्षा पर व्यय



स्रोत: संघ के बजट, राज्य वित्त लेखा और सीएसओ

चित्र 5: शिक्षा पर संघ सरकार (एमओई) और राज्यों द्वारा किए गए व्यय का अंश (%)




## बजट 2020-21 में नीतिगत प्रस्ताव

- शिक्षा के क्षेत्र में वित्त के बढ़ते प्रवाह की सुनिश्चितता हेतु ऐसे उपाए किए जाएंगे जिनसे बाह्य वाणिज्यिक ऋणों के लिए वित्त जुटाए जा सकेंगे और भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ाया जा सकेगा।
- लगभग 150 उच्चतर शिक्षा संस्थान मार्च, 2021 तक शिक्षुता-आधारित (apprenticeship-embedded) डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करेंगे।
- 'भारत में अध्ययन' पहल के भाग के रूप में (जो विदेशी क्षेत्रों को भारतीय उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अध्ययन करने पर केंद्रित है), सरकार एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में Ind-SAT (Indian Scholastic Assessment) परीक्षा आयोजित करेगी।
- समाज के वंचित वर्गों के छात्रों तथा उच्चतर शिक्षा में पहुंच नहीं रखने वाले क्षेत्रों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु, डिग्री-स्तरीय पूर्ण ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव किया जाता है। इन कार्यक्रमों को केवल ऐसे संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष 100 स्थानों में शुमार हों।

## अंतर-राज्य तुलना

शिक्षा निष्पादन में विशाल अंतर-राज्य अंतर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2017-18 में विकसित निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) प्रत्येक राज्य में स्कूल शिक्षा में अंतर दर्शाता है। पीजीआई, सत्रह संकेतकों पर आधारित है जो अन्य बातों के अलावा, शिक्षा से पहुंच, समानता, गुणवत्ता, अवसंरचना, और शासन से संबंधित है। चित्र 6 में पीजीआई का प्रयोग करने वाले राज्यों की ग्रेडिंग को दर्शाया गया है, जहां ग्रेड I उच्चतम स्तर और ग्रेड V न्यूनतम स्तर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय न्यूनतम ग्रेड वाले राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, तथा तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर दूसरे न्यूनतम ग्रेड वाले राज्य हैं।

चित्र 6: स्कूल शिक्षा के लिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक, 2017-18



स्रोत: शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों के लिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) पर सारांश रिपोर्ट

- तालिका 1 यह दर्शाती है कि राज्य के साक्षरता स्तर बिहार में 61.8 प्रतिशत से केरल में 94 प्रतिशत के बीच है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात खराब है। उच्चतर शिक्षा में सकल पंजीकरण दर (जीईआर) बिहार, असम, झारखंड और ओडिशा में न्यूनतम है।

### तालिका 1: राज्यों के शैक्षिक संकेतक

राज्य	साक्षरता दर (जनगणना, 2011)	छात्र-शिक्षक अनुपात (प्राइमरी स्कूल) (विश्लेषणात्मक तालिकाएं, डीआईएसई 2016-17 )	उच्च माध्यम शिक्षा के लिए सकल पंजीकरण अनुपात (नवीनतम आंकड़े, डीआईएसई, 2016-17)
आंध्र प्रदेश	67	22	60.56
अरुणाचल प्रदेश	65.4	12	51.17
असम	72.2	24	39.74
बिहार	61.8	44	28.82
छत्तीसगढ़	70.3	20	54.45
गोवा	88.7	19	78.65
गुजरात	78	22	43.17
हरियाणा	75.6	25	60.78
हिमाचल प्रदेश	82.8	12	91.97
जम्मू और कश्मीर	67.2	10	52.91
झारखंड	66.4	28	37.06
कर्नाटक	75.4	16	41.91
केरल	94	16	79.37
मध्य प्रदेश	69.3	22	47.12
महाराष्ट्र	82.3	24	70.72
मणिपुर	79.2	9	64.36
मेघालय	74.4	19	40.56
मिजोरम	91.3	12	54.6
नागालैंड	79.6	6	36.3
ओडिशा	72.9	18	40.09
पंजाब	75.8	20	72.24
राजस्थान	66.1	20	60.31
सिक्किम	81.4	4	64.22
तमिलनाडु	80.1	20	83.69
तेलंगाना	67	23	50.57
त्रिपुरा	87.2	10	41.89
उत्तर प्रदेश	67.7	33	58.96
उत्तराखंड	78.8	16	77.07
पश्चिम बंगाल	76.3	20	50.89
<b>भारत</b>	<b>73</b>	<b>25</b>	<b>55.4</b>

स्रोत: जनगणना 2011, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई)-2016-17

नोट: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित आंकड़ों को साक्षरता दर के लिए समान रूप में लिया गया है।



- तालिका 2 में राज्यों द्वारा खर्च किए गए औसत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय अंतर को दर्शाया गया है। यह देखा जा सकता है कि पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा औसत से कम खर्च कर रहे हैं। सामान्य राज्यों के संबंध में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल औसत से कम खर्च कर रहे हैं।


### तालिका 2: शिक्षा पर औसत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय से कम खर्च करने वाले राज्य (2018-19)

एनईएच राज्यों के औसत 5,970 रुपए से कम प्रति व्यक्ति खर्च करने वाले पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य	सामान्य राज्यों के औसत 3,267 रुपए से कम प्रति व्यक्ति खर्च करने वाले सामान्य राज्य
असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा	बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

### शिक्षा पर व्यय और परिणाम के बीच संबंध

- चित्र 7 यह दर्शाता है कि शिक्षा पर व्यय और शैक्षिक परिणामों के बीच असंगत संबंध है। उच्च व्यय से तात्पर्य यह नहीं है कि शिक्षण परिणामों में सुधार आएगा। डॉ. कार्तिक मुरलीधरन, टाटा चांसलर्स प्रोफेसर ऑफ इकोनोमिक्स, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सेन डियगो ने अपने प्रस्तुतीकरण में यह उल्लेख किया है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रति विद्यार्थी व्यय 2008-09 और 2014-15 के बीच 6,000 रुपए से बढ़कर 19,000 रुपए हो गया। तथापि, कक्षा 5 के विद्यार्थियों, जो केवल कक्षा 2 स्तर तक की पाठ्यवस्तु पढ़ने में सक्षम थे, का प्रतिशत समान अवधि में वास्तविक रूप से घट गया था।

चित्र 7: शिक्षा पर व्यय और परिणाम के बीच संबंध




स्रोत: शिक्षा मंत्रालय के 2008 से 2018 के आंकड़े; एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई); शिक्षण परिणाम (विगत में एएसईआर प्रवृत्तियां)

## शिक्षा में लैंगिक समानता

- सकल पंजीकरण अनुपात के आधार पर लैंगिक समानता सूचकांक (जीपीआई) यह दर्शाता है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं की प्रतिभागिता में वृद्धि हुई है। चित्र 8 दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा में जीपीआई 2009-10 में 0.74 से बढ़कर 2015-16 में 0.92 हो गया।

चित्र 8: उच्चतर शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक



स्रोत: एक नजर में शिक्षा आंकड़े-2018, शिक्षा मंत्रालय

## अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

- साक्षरता दर और स्कूल जाने के औसत वर्षों के आधार पर, भारत औसतन रूप से अन्य देशों की तुलना में पीछे है। तथापि, जीईआर और छात्र-शिक्षक के अनुपात के आधार पर उसने प्रगति की है।

तालिका 3: प्रमुख शिक्षा संकेतकों की वैश्विक तुलना (2015)

संकेतक	भारत	बांग्लादेश	चीन	रूस	दक्षिण अफ्रीका	यूनाइटेड किंगडम	संयुक्त राज्य अमेरिका
साक्षरता दर (%)	73 <sup>-4</sup>	92.95 <sup>+2</sup>	99.64 <sup>-5</sup>	99.71 <sup>-5</sup>	98.96	-	-
स्कूलिंग की औसत वर्ष	5.30 <sup>-4</sup>	6.06 <sup>+2</sup>	7.33 <sup>-5</sup>	11.47 <sup>-5</sup>	10.13 <sup>-2</sup>	13.16 <sup>-3</sup>	13.41 <sup>+1</sup>
जीईआर-प्राइमरी (I से V) (%)	99.2	120.4	104.1	100.5	99.7 <sup>-2</sup>	108.7	100.2
जीईआर - लोअर सेकेंडरी (VI-VIII) (%)	92.8	83.4	99.1	101.0	97.1 <sup>-3</sup>	112.7 <sup>-1</sup>	102.1
जीईआर - तृतीयक (%)	24.5	13.4 <sup>-1</sup>	43.4	80.4	19.4 <sup>-2</sup>	56.5 <sup>-1</sup>	85.8
छात्र-शिक्षक अनुपात (प्राइमरी) (%)	23	36.1	16.3	19.8 <sup>-1</sup>	33.6 <sup>-1</sup>	17.4 <sup>-1</sup>	15 <sup>-1</sup>
विद्यार्थी - शिक्षक अनुपात (लोअर सेकेंडरी) (%)	17	36.9 <sup>-2</sup>	12.5	--	--	15.3 <sup>-1</sup>	14.8 <sup>-1</sup>


स्रोत: एक नजर में शिक्षा आंकड़े 2018, शिक्षा मंत्रालय, और यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (यूआईएस)

नोट: A<sup>x</sup>: वर्ष 2015 से पूर्व मूल्य 'A' था

A<sup>x</sup>: x वर्ष 2015 से आगे, मूल्य 'A' है

- भारत का सार्वजनिक व्यय, जो कि उसकी जीडीपी का 2.64 है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और साउथ अफ्रीका जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है।

तालिका 9: शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय (जीडीपी का %)



स्रोत: एक नजर में शिक्षा आंकड़े-2018, शिक्षा मंत्रालय

नोट: राज्यों और शिक्षा विभाग के लिए आंकड़ें वित्त लेखाओं, 2018-19 से संयुक्त रूप से लिए गए हैं

## पूर्व वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित अनुदान

- विगत में बारहवें वित्त आयोग और तेरहवें वित्त आयोग ने शिक्षा के लिए अनुदानों की अनुशंसा की थी। बारहवें वित्त आयोग ने असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा,

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शिक्षा के लिए कुल 10,172 करोड़ रुपए के समतुल्य अनुदानों की अनुशंसा की थी। तेरहवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु 24,068 करोड़ रुपए की अनुशंसा की थी।

## पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं

- **शिक्षा के लिए प्रोत्साहन:** यद्यपि जनसांख्यिकी के लाभ के दोहन के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, परंतु स्कूल जाने वाले छात्रों के परिणाम निराशाजनक हैं, वह भी तब जब प्राइमरी स्कूल स्तरों पर 100 प्रतिशत सकल पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हमारे लिए गंभीर चिंता का एक और विषय यह है कि अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्तर में बालिकाओं की संक्रान्ति का अनुपात न्यून है। बालिकाओं की शिक्षा उनकी विवाह की आयु, प्रथम गर्भधारण करने पर आयु, समग्र जनन क्षमता और बाल स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
- इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम कुछ संकेंद्रित संकेतकों (जो शिक्षा मंत्रालय के पीजीआई के सब-सेट के घटक हैं) में वृद्धिकारक बदलावों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्यों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। 2020-21 के दौरान शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारों को इन संकेतकों के आधार पर राज्य-वार लक्ष्य तैयार करने चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वे 2021-22 से प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020

### I. स्कूल शिक्षा

- क. **किशोरावस्था शिक्षा:** 85 प्रतिशत से अधिक बच्चों का संचित बुद्धि विकास छः वर्ष की आयु से पहले होता है, जो इस महत्वपूर्ण बिंदु को परिलक्षित करता है कि बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में उनकी देखभाल उपयुक्त रूप से की जानी चाहिए ताकि उनकी बुद्धि और शारीरिक विकास हृष्ट-पुष्ट हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए एनईपी में यह उल्लेख किया गया है कि

‘गुणवत्तात्मक किशोरावस्था विकास, परिचर्या और शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान’ यथाशीघ्रतापूर्वक, 2030 से पहले हासिल किया जाना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कक्षा 1 में प्रवेश ले रहे विद्यार्थी व बच्चे स्कूल जाने योग्य हो गए हैं। किशोरावस्था परिचर्या और शिक्षा (ईसीसीई) से सार्वभौमिक पहुंच के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्च गुणवत्ता के अवसंरचना, खेल संबंधी उपकरणों तथा सुप्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। इसके अलावा, इस नीति में यह कल्पना की गई है कि पांच वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक शिशु एक ऐसे “प्रिप्रेटरी क्लास” या “बाल वाटिका” (यानी, कक्षा 1 से पहले) में प्रवेश करेगा, जहां ईसीसीई-योग्य शिक्षक हो। प्रिप्रेटरी क्लास में शिक्षण मुख्य रूप से खेल-आधारित होगा, जहां शिशु के संज्ञानात्मक, वास्तविक एवं मनोप्रेरणा सक्षमताओं तथा अक्षरों को जल्दी पढ़ने- लिखने के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना होगा। शिशु के बुद्धि विकास पर कुपोषण का प्रभाव काफी पड़ता है, इसलिए किशोरावस्था शिक्षा में पोषण एवं शिक्षण एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं। अंतः नई एनईपी के तहत मिड-डे मील कार्यक्रम को विस्तारित करते हुए उसमें प्री-प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को पोषण युक्त नाश्ता और मिड-डे मील दोनों उपलब्ध कराए जाएंगे।

- ख. **आधारभूत साक्षरता एवं अंकगणितीय शिक्षा:** कक्षा 1 से 5 तक प्रारंभिक भाषा और गणित पर विशेष ध्यान दिया जाना। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कक्षा 5 और उससे ऊपर की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने 2025 तक आधारभूत साक्षरता और अंकगणितीय शिक्षा प्राप्त की है।
- ग. **पाठ्यचर्या एवं अध्यापन:** बुद्धि विकास और शिक्षण के सिद्धांतों पर स्कूल शिक्षा के लिए विकास की दृष्टि से एक उपयुक्त पाठ्यचर्या एवं अध्यापन (curriculum and pedagogy) संरचना विकसित की गई है, जो 5+3+3+4 डिजाइन पर आधारित है। यह वर्तमान 10+2 मॉडल को प्रतिस्थापित करेगी। इसके अनुसार, व्यावसायिक (vocational) एवं शैक्षिक विषयों के एकीकरण के साथ सभी विषयों – विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, भाषाओं, खेल, गणित – पर समान रूप में जोर दिया जाएगा। पाठ्यचर्या और अध्यापन की कार्यविधि को 2022 तक परिवर्तित किया जाएगा ताकि कौशल-आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके और रट्टामार शिक्षण को न्यूनतम किया जा सके।
- घ. **सार्वभौमिक पहुंच:** इस नीति का उद्देश्य विभिन्न उपायों के माध्यम से 2030 तक समस्त स्कूल शिक्षा के लिए 100 प्रतिशत जीईआर हासिल करना है।

- ड. **शिक्षण परिणाम:** प्रारंभिक शिक्षण परिणामों की उपलब्धि को ट्रैक करने हेतु कक्षा 3, 5 और 8 में प्रमुख चरणों पर जनगणना आकलन (सेन्सस असेसमेंट) प्रारंभ किए जाने चाहिए। यह आकलन रट्टामार शिक्षण के बजाय, महत्वपूर्ण सिद्धांतों एवं ज्ञान, उच्च स्तरीय कौशलों और वास्तविक जीवन में उनका प्रयोग करने के आधार पर किया जाएगा। छात्रों की प्रगति का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा ताकि वे अपने पसंद के करियर विकल्प चुन सकें।

## II. उच्चतर शिक्षा

- क. उच्चतर शिक्षा के लिए एक नए विज्ञान और संरचना की कल्पना की गई है जिसमें बड़े, बेहतर संसाधन वाले, बहु-विषयों वाले उच्च स्तरीय संस्थानों को शामिल किया जाएगा। आईआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थान भी समग्र बहु-विषयक शिक्षा के साथ कला और मानविकी में भी शिक्षा प्रदान करेंगे। कला और मानविकी विषयों की पढ़ाई करने वाले छात्र विज्ञान की भी पढ़ाई करेंगे और सभी छात्र अधिक से अधिक व्यावसायिक विषयों तथा सॉफ्ट-स्किल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
- ख. नीति में यह अनुशंसा की गई है कि 2040 तक सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का लक्ष्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा, प्रत्येक का लक्ष्य 3,000 या उससे अधिक छात्रों को प्रवेश देना होगा। 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके आस-पास कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शैक्षिक संस्थान होना चाहिए। लक्ष्य यह भी होना चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर संस्थान में जीईआर को 2018 में 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत किया जाए।
- ग. उच्चतर शिक्षा की विनियामक प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि विनियमन, प्रत्यायन, वित्तपोषण, और शैक्षिक मानक-निर्धारण से संबंधित अनेक कार्यों को विशेष, स्वतंत्र और शक्तिप्राप्त निकायों द्वारा निष्पादित किया जाएगा। भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के एक शीर्ष संस्थान के भीतर चार स्वतंत्र निकाय (verticles) स्थापित किए जाएंगे : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद (एनएचईआरसी), राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी), उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) और सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी)।

घ. एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) स्थापित किया जाएगा और उसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा।

### **III. शिक्षक शिक्षा:**

शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जटिल होंगे जिन्हें प्रसिद्ध, बहु-विषयक उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में संचालित किया जाएगा। बहु-विषयक संस्थानों में प्रदान की गई चार-वर्षीय एकीकृत चरण-विशिष्ट, विषय-विशिष्ट स्नातक शिक्षा एक शिक्षक बनने के लिए अनिवार्यता होगी।

### **IV व्यावसायिक शिक्षा**

यह समग्र शिक्षा और नीति का आंतरिक भाग होगी, जिसका उद्देश्य 2025 तक सभी छात्रों को कम से कम 50 प्रतिशत व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच उपलब्ध कराना है।

### **V. वयस्क शिक्षा**

नीति का लक्ष्य 2030 तक 100 प्रतिशत युवा एवं वयस्क साक्षरता हासिल करना है।

### **VI. भारतीय भाषाओं का संवर्धन**

एनईपी नीति से सभी भारतीय भाषाओं का परिरक्षण, विकास और संवर्धन सुनिश्चित होगा। कक्षा 5 तक, और अधिमानतः 8वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं तक शिक्षा का माध्यम राज्य भाषा/मातृ भाषा/प्रादेशिक भाषा होगी।

### **मंत्रालय द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग को प्रस्तुत किए गए मुख्य प्रस्ताव**

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा के लिए राज्यों को हस्तांतरित की गई निधियों के कुछ प्रतिशत (लगभग 20 प्रतिशत) को या तो आबद्ध



किया जाए या तेरहवें वित्त आयोग की तरह राज्यों के लिए एक स्पष्ट पंचाट पर विचार किया जाए।

- राज्यों के निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान, पूर्व-विनिर्दिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के आधार पर दिए जाएं, उदाहरण के लिए, पीजीआई का प्रयोग करने के आधार पर।
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक संशोधित ज्ञापन दिया जिसमें उसने पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) के लिए 6.24 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता का उल्लेख किया था। उच्चतर शिक्षा विभाग ने समान अवधि के लिए 4.01 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता का उल्लेख किया था।

## कोविड-19 महामारी के संघात से निपटने के लिए पहले

- मार्च में, देशभर में राज्य सरकारों ने कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने हेतु तत्काल उपायों के रूप में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया था। स्कूलों और कॉलेजों को बंद किए जाने से न केवल छात्रों के शिक्षण की निरंतरता पर अल्पावधिक प्रभाव पड़ा, अपितु इसके दीर्घकालिक आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव भी होंगे। महामारी से निपटने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए।

## प्रौद्योगिकी-आधारित ऑनलाइन शिक्षा

- स्वयं प्रभा (SWAYAM PRABHA) डायरेक्ट टू होम चैनल शुरू किए गए ताकि उन छात्रों तक पहुंचा जा सके और उन्हें सहायता दी जा सके जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है। स्कूल शिक्षा के लिए तीन चैनलों को पहले ही निर्धारित कर दिया गया था और अन्य बारह चैनल जोड़े जाने हैं।
- इन चैनलों पर स्काइप (skype) के जरिए विशेषज्ञों से लाइव इन्ट्रैक्टिव सत्र के प्रसारण की व्यवस्था की गई है।

- शिक्षा मंत्रालय ने स्वयं प्रभा चैनलों पर राज्यों के शिक्षा संबंधी कंटेंट का प्रसारण करने हेतु एयर टाइम साझा करने (प्रति दिन चार घंटे) के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय किया।
- ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई-पाठशाला पोर्टल पर 200 नई पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गईं।

## समानता के साथ प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा

- पीएम ई-विद्या (PM eVIDYA) की शुरुआत की गई, जो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा हेतु मल्टी-मोड एक्सेस प्रदान की जाएगी। इसमें निम्नलिखित शामिल है:
  - ◇ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए दीक्षा (DIKSHA) की शुरुआत की गई जिसमें सभी कक्षाओं के लिए ई-कंटेंट एवं क्यूआर-कोडेड पाठ्य पुस्तकें हैं (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म)।
  - ◇ रेडियो, सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट (podcasts) का व्यापक रूप से प्रयोग किया गया।
  - ◇ दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित (visually and hearing impaired) छात्रों के लिए विशेष ई-कंटेंट।
  - ◇ विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई।

## चुनौतियां

### कोविड-19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियां

- शैक्षिक संस्थान लॉकडाउन लागू करने से पहले ही मार्च, 2020 के दूसरे सप्ताह से बंद कर दिए गए थे। सभी परीक्षाओं और परीक्षा-मूल्यांकनों को स्थगित कर दिया गया था। इससे छात्रों का शिक्षण प्रभावित हुआ, विशेष रूप से जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच नहीं थी।

## खराब शिक्षण परिणाम

- यद्यपि प्राइमरी स्कूल स्तरों पर 100 प्रतिशत सकल पंजीकरण के साथ बुनियादी शिक्षा से एक्सेस प्राप्त की गई है, परंतु शिक्षण परिणाम काफी कम रहे हैं।
- वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट स्थिति (एएसईआर) सर्वेक्षण के अनुसार, कक्षा 3 में केवल 27.3 प्रतिशत छात्र, कक्षा 2 की पाठ्यवस्तु (text) को पढ़ सकते हैं और 28.2 प्रतिशत छात्र गणित में घटाना जानते हैं।
- कम गुणवत्तात्मक स्कूलों और शिक्षकों की उच्च रिक्तियों के साथ-साथ शिक्षकों की स्कूल में गैर-हाजिरी से खराब शिक्षण परिणाम पाए जाते हैं और सरकार अपने प्रयास में कम सफल रहती है। नीति आयोग के 'भारत के तीन वर्षों के कार्य एजेंडा' के अनुसार, लगभग चार लाख स्कूलों में पचास से भी कम छात्र हैं। इसके अलावा, इन स्कूलों में केवल एक या दो शिक्षक हैं और कोई सहायक कर्मचारी नहीं है तथा अवसंरचना भी बहुत ही खराब है।

## शिक्षा क्षेत्र में कम निवेश

- शिक्षा पर विभिन्न समितियों, यानी डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में 1966 में शिक्षा आयोग से शुरु करते हुए, ने यह अनुशंसा की है कि शिक्षा पर व्यय जीडीपी का 6 प्रतिशत होना चाहिए। तथापि 2018-19 तक, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों ने शिक्षा पर जीडीपी का मात्र 2.64 खर्च किया।
- उच्चतर शिक्षा में अधिकतर पंजीकरण, राज्य विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में था। तथापि, इन विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान उनके कार्यों की तुलना में अपर्याप्त थे। डॉ. सत्यनारायण जटिया की अध्यक्षता में मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति, फरवरी 2017 के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बजट का लगभग 65 प्रतिशत केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके महाविद्यालयों द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को केवल शेष 35 प्रतिशत प्राप्त होता है।
- उच्चतर शिक्षा के लिए संसाधन का विस्तार बहुत कम है।

## शिक्षकों का प्रशिक्षण

- राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में कर्मचारियों की संख्या कम है और इनमें पाठ्यवस्तु डिजाइन या मूल्यांकन डिजाइन तथा विश्लेषण जैसे कौशलों का अभाव है।
- प्रमाण यह दर्शाता है कि प्राइमरी स्कूलों में अधिकांश शिक्षकों के पास वांछित कौशल नहीं है।

## स्कूल शिक्षा में विनियामक संबंधी मुद्दे

- शिक्षा क्षेत्र में निजी घटकों के प्रवेश में कठोर विनियमन एक बाधक की तरह है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं:
  - ◇ स्कूलों का पंजीकरण तभी किया जाता है, जब वे न्यूनतम वित्तीय अपेक्षाओं और अवसंरचना की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। इनमें से कुछ शर्तें उचित नहीं हैं क्योंकि कुछ घटक या लोग शिक्षा क्षेत्र में अपनी मनमर्जी चलाते हैं।
  - ◇ भिन्न सार्वजनिक संस्थानों से अनेक अनुमतियां व स्वीकृतियां प्राप्त करनी पड़ती हैं। ये अनुमतियां राज्य-विशिष्ट हैं, और कॉमन नहीं हैं।
  - ◇ अधिकतर राज्य केवल गैर-लाभ अर्जक इकाइयों (non-profit entities) को ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते हैं।
  - ◇ गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के पास स्वयं की शुल्क संरचना निर्धारित करने की स्वयत्तता नहीं है। शुल्क बढ़ाने के लिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है ताकि शुल्क उचित रूप में लिया जा सके, और शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य लाभ अर्जन तथा वाणिज्यिकरण न हो।

## उच्चतर शिक्षा में कम सकल पंजीकरण दर

- भारत में, उच्चतर शिक्षा में जीईआर पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान बढ़कर दुगने से अधिक हुआ है, जो कि 2002-03 में 9 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 24.5 प्रतिशत था। तथापि, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे अन्य देशों की तुलना में यह अब भी बहुत कम है।

### चित्र 4: तृतीयक शिक्षा में जीईआर

(प्रतिशत)

भारत (2015)	यूनाइटेड किंगडम (2015)	संयुक्त राज्य अमेरिका (2015)	बांग्लादेश (2014)	श्रीलंका (2015)	चीन (2015)	जर्मनी (2015)	दक्षिण अफ्रीका (2013)
24.5	56.5	85.8	13.4	19.8	43.4	68.3	19.4

स्रोत: यूनिसेफ

## रोजगारपरक कौशलों का अभाव

- भारत के पास विश्व में सबसे अधिक युवा आबादी है। नीति आयोग के तीन वर्षीय कार्य एजेंडा, 2017-18 से 2019-20 के अनुसार, अनुमानों में यह पाया गया है कि भारत के केवल 2.3 प्रतिशत कार्यबल ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि यह दक्षिण अफ्रीका में 96 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, यूनाइटेड किंगडम में 68 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 52 प्रतिशत है। अतः, कौशलों की मांग और आपूर्ति के बीच बहुत ही बड़ा अंतर है।

## उच्चतर शिक्षा में विनियामक मुद्दे

- वर्तमान में, भारत में विदेशी शैक्षिक संस्थानों को डिग्री कार्यक्रमों के प्रयोजन हेतु स्वतंत्र परिसर स्थापित करने की अनुमति नहीं है। कठोर रूप से विनियमित उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के उदारीकरण की दिशा में, एक कदम के रूप में, संघ सरकार ने 10 सितंबर, 2013 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें उसने विभिन्न हितधारकों को गैर-लाभ अर्जक कंपनियों (घरेलू शैक्षिक संस्थानों के साथ बिना किसी सहयोग के) के रूप में भारत में परिसर स्थापित करने हेतु विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने प्रस्ताव की सूचना दी थी।

तथापि, इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। भारत में विदेशी शैक्षिक संस्थानों के प्रवेश और कार्यों को विनियमित करने हेतु संसद में एक विधेयक 'विदेशी शैक्षिक संस्थान (प्रवेश और कार्यों का विनियमन) विधेयक, 2010' पारित किया गया था। तथापि यह विधेयक 2014 में व्यपगत (lapsed) हो गया था। वर्तमान में विदेशी शैक्षिक संस्थान केवल भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग कर, शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं।

- उच्चतर शिक्षा क्षेत्र अतिव्याप्त अधिदेश – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), विभिन्न व्यावसायिक परिषदों सहित अनेक विनियामक एजेंसियों द्वारा विनियमित है।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों के पास स्वायत्तता नहीं है।

## उच्चतर शिक्षा में शिक्षकों की रिक्तियां

- मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति ने उच्चतर शिक्षा में रिक्तियों के बारे में टिप्पणी की है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों में से प्रोफेसरों की 35 प्रतिशत, सह-प्रोफेसरों की 46 और सहायक प्रोफेसरों की 26 प्रतिशत रिक्तियां हैं।

## शिक्षकों की जबाबदेही और निष्पादन

- वर्तमान में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रोफेसरों की जबाबदेही सुनिश्चित करने की कोई कार्यविधि नहीं है, जबकि विदेशी विश्वविद्यालयों में ऐसा है, जहां महाविद्यालय के संकाय-सदस्य के निष्पादन का मूल्यांकन उनके समकक्षों (पीयर्स) एवं छात्रों द्वारा किया जाता है।

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

### भारत की सार्वजनिक शैक्षिक प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

- कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि डिजिटल एवं वास्तविक कक्षा (physical classes) पाठ्यचर्या का विलय किया जाए। यह सुनिश्चित करने हेतु कि स्कूल बंद किए जाने के कारण छात्र प्रभावित न हों, प्रत्येक स्कूल में एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रयोगशाला और स्मार्ट क्लास रूम होना चाहिए। सुविधावंचित छात्रों को पूर्व-लोडेड डिवाइस (सॉफ्टवेयर) दिए जाने चाहिए।

### शिक्षा में निजी क्षेत्र को एक भागीदार के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक प्रतिस्पर्धी के रूप में

- सरकार अकेले ही शिक्षा में विशाल संसाधन अंतर की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो सकती है। अतः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित निजी निवेश को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित सुधार किए जा सकते हैं:
  - ◇ न्यूनतम अवसंरचना, विशेष रूप से भूमि, अन्य वित्तीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न प्राधिकारियों से अनेक विषयों पर अनुमोदन प्राप्त करने जैसी जटिल आवश्यकताओं को युक्तसंगत बनाया जाना चाहिए।
  - ◇ विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्वतंत्र परिसर संचालित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि इससे उच्चतर शिक्षा के लिए मांग की पूर्ति करने में, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। उनके कार्यों को कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इससे उच्चतर अध्ययनों के लिए विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी आएगी।
  - ◇ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडलों की भी खोज की जानी चाहिए, जहां पर निजी क्षेत्र प्रति-शिशु आधार पर सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित सरकारी स्कूलों को अंगीकृत करता है।

## स्कूलों में शिक्षण परिणामों को बढ़ाने हेतु अपेक्षित सुधार

- सभी बच्चों के लिए मौलिक साक्षरता एवं अंकगणितीय शिक्षा प्राप्त करना राज्य का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।
- राज्य सरकारों को ऐसे फंक्शनल स्कूलों की दिशा में कार्य करना चाहिए जिनके पास न्यूनतम भूमि, पर्याप्त शिक्षक और अवसंरचना है।
- **मौलिक शिक्षण (foundational learning)** पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस संबंध में ऐसे प्रमाण हैं कि जो बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में मौलिक साक्षरता और अंकगणितीय शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। बड़ी कक्षाओं में उनका शिक्षण वक्र/कर्व लगभग समान रहता है, क्योंकि कक्षा में पढ़ाई जा रही पाठ्य सामग्री उनके स्तर से आगे की होती है जिसे वे ग्रहण नहीं कर पाते हैं।
- चूंकि बच्चों के विकास के लिए उनका बाल्यकाल महत्वपूर्ण होता है, इसलिए एक एकीकृत मौलिक पाठ्यचर्या एवं शिक्षण फ्रेमवर्क विकसित और स्थापित किया जाना, और उसके अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।
- शिक्षकों का बड़े पैमाने पर युक्तिकरण किए जाने की आवश्यकता है, अर्थात् जहां शिक्षक अधिशेष में हैं, उन्हें शिक्षकों के अभाव वाले स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, शिक्षकों के जटिल संवर्गों का युक्तिकरण किया जाना चाहिए, और बेहतर नियोजन एवं सख्त प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।

## प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के कौशल और उनकी उपस्थिति/हाजिरी में सुधार

- मंत्रालय को निजी एवं सरकारी स्कूलों के बीच वेतन समानता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
- शिक्षकों की अनुपस्थिति से निपटने हेतु निष्पादन-आधारित वेतन लागू किया जाना चाहिए।
- अध्यापन कराने वाले स्टाफ को संविदा पर नहीं रखा जाना चाहिए।
- शिक्षकों की निगरानी और मूल्यांकन एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) का प्रयोग कर किया जाना चाहिए।



## प्रौद्योगिकी का उपयोग

- सभी राज्यों द्वारा एमआईएस स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें शिक्षकों की उपस्थिति, पंजीकरण डाटा और शिक्षण स्तरों पर सूचना प्रविष्ट की जानी चाहिए। इसमें फीडबैक प्राप्त करने का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है। यह प्रणाली नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक आधार बन सकती है।
- एमआईएस से सूचना प्राप्त करने के आधार पर, एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जहां कुछ पैरामीटरों के आधार पर निचले स्थान पर शुमार स्कूलों की पहचान की जानी चाहिए और तदनुसार संसाधनों का हस्तांतरण किया जाना चाहिए।
- उन सभी छात्रों, जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया है, की डिजिटल रूप में मैपिंग की जानी चाहिए ताकि उन्हें पढ़ाई करने के लिए स्कूल में वापस लाया जा सके। डाटा को एक केंद्रीयकृत डाटाबेस में प्रविष्ट किया जाना चाहिए।

## व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों का सुदृढीकरण

- जनसांख्यिकी लाभ का दोहन करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि युवाओं को शिक्षा प्रदान कर उन्हें नौकरी बाजार के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। उनकी नियोजनीयता व रोजगार प्राप्त करने की योग्यता को बढ़ाने तथा नौकरी बाजार और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के बीच अंतराल को कम करने के लिए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।
- नौकरी बाजार की आवश्यकताओं का वार्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अभिविन्यास (re-oriented) किया जाना चाहिए।
- उन संस्थानों के लिए मानदंडों/मानकों और/या परिणाम-आधारित प्रमाणन किए जाने चाहिए (और उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए), जो रोजगारपरक कौशल एवं व्यवसायों पर विशेष ध्यान देते हैं।
- ऐसे पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिनकी भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र से उच्च मांग की जा सकती है (लोक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, बुनियादी कौशल शिक्षण, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल)।

## स्वायत्त महाविद्यालयों का संवर्धन

- स्वायत्त महाविद्यालय योजना के तहत और अधिक सुस्थापित महाविद्यालयों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें उन विश्वविद्यालयों के केंद्रीयकृत नियंत्रण से बाहर रखा जा सके जिनसे वे संबद्ध हैं। शैक्षिक विषयों में अधिक सुविधा दी जानी चाहिए। ऐसे महाविद्यालयों को उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

## नवप्रवर्तनशील वित्तपोषण कार्यविधियों को बढ़ावा देना

- राज्य विश्वविद्यालयों के लिए निधियां जुटाने हेतु, बंदोबस्तियों (endowments), उद्योग एवं भूतपूर्व छात्रों से योगदान जैसे अन्य साधनों की खोज की जानी चाहिए।

## उच्चतर शिक्षा के लिए एक नए विनियामक निकाय की स्थापना

- उच्चतर शिक्षा में एक पर्यवेक्षी विनियामक निकाय होना चाहिए, जिसमें वर्तमान में अनेक विनियामक निकायों का विलय किया जा सकता है। यह निकाय उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में मानकों की निगरानी करने तथा प्रत्यायन निकायों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। व्यावसायिक परिषदों की भूमिकाओं का युक्तिकरण किया जाना भी महत्वपूर्ण है।

## विदेशी छात्रों के प्रवाह को बढ़ाने पर जोर

- विदेशी छात्रों के प्रवेश को बढ़ाने के लिए ब्रांड-बिल्डिंग, सोशल मीडिया, और डिजिटल मार्किटिंग अभियानों को क्रमिक रूप से अंगीकृत किया जाना चाहिए। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ छात्र आदान-प्रदान वाले कार्यक्रमों को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे न केवल भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्रों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी (जिससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी), बल्कि भारतीय छात्रों को भी देश के भीतर ही अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा (जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी)।

## प्रोफेसरों की रेटिंग/निष्पादन, लेखापरीक्षा के लिए एक डिजिटल प्रणाली की स्थापना

- यह प्रणाली छात्रों और उनके सहयोगियों द्वारा दिए गए फीडबैक पर आधारित होनी चाहिए। अन्य इनपुट, जैसे कि शोधपत्रों (research papers), शिक्षकों द्वारा प्रकाशनों को निष्पादन-लेखापरीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए।

## अनुसंधान/शोध को बढ़ावा देना

- मंत्रालय द्वारा उच्चतर शैक्षिक संस्थानों और शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों के बीच संपर्क-सूत्र स्थापित करने की संभावना की भी खोज कर सकता है, क्योंकि इससे बेहतर गुणवत्ता एवं सहयोगात्मक अनुसंधान परिणाम प्राप्त (collaborative research outputs) होंगे।
- संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के क्षेत्रों में, संकाय सदस्यों और छात्रों के आदान-प्रदान में, संयुक्त डिग्रियों आदि में सकारात्मक शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संकाय सदस्यों द्वारा भारत में अध्यापन एवं शोध के लिए दौरो और उनके दीर्घकालिक आवासन, विश्व में अग्रणी प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण एवं परीक्षण के लिए भारतीय छात्रों के दौरो और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

## कृषि पर एक राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

- मंत्रालय कृषि पर एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रारंभ करने पर विचार कर सकता है। इससे वर्तमान कृषि विश्वविद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

## पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं

- **स्कूल शिक्षा:** शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी चिंता का विषय स्कूल जाने वाले बच्चों का खराब शिक्षण परिणाम है, जबकि प्राइमरी स्कूल स्तर पर 100 प्रतिशत सकल पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा, छात्रों के बीच समानता एवं शिक्षा सुविधाओं से उनकी पहुंच से संबंधित मुद्दे भी हैं। अतः हमने पीजीआई का प्रयोग कर स्कूल शिक्षा के परिणामों में सुधार लाने हेतु राज्यों के लिए 4,800 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन अनुदानों की अनुशंसा की है।
- **उच्चतर शिक्षा:** देशभर में राज्य सरकारों ने कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने हेतु तत्काल उपाय के रूप में, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए थे। स्कूलों और विश्वविद्यालयों को बंद किए जाने से न केवल छात्रों के शिक्षण की निरंतरता पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, अपितु इसके दीर्घकालिक आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव भी होंगे। अतः, डीटीएच चैनलों और ऑनलाइन मॉड्यूलों के माध्यम से शिक्षण को बढ़ावा देने हेतु हमने उच्चतर शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी-संबंधित समाधानों हेतु अनुदान (6,143 करोड़ रुपए) का प्रावधान करने की अनुशंसा की है। प्रादेशिक भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का भी अभाव है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से छात्र आगे की पढ़ाई करने के लिए उच्चतर शिक्षा स्तर पर प्रवेश नहीं लेते हैं। अतः हमने इस प्रयोजन के लिए भी अनुदानों की अनुशंसा की है।

## अध्याय 6

# पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम एवं न्यूनीकरण से संबंधित भारत की पर्यावरण और वन नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए संघ सरकार में एक नोडल एजेंसी है। नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करते हुए, मंत्रालय सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है। मंत्रालय पर्यावरण-संबंधी मुद्दों पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समूहों / संघों के लिए भी एक नोडल एजेंसी है।


वन राष्ट्र में हरियाली के प्रतीक हैं और अनेक प्रकार की पारिस्थितिकीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे स्वच्छ वायु, मृदा कटाव आदि को नियंत्रित कर मृदा-नमी परिवेश को कायम रखना। वन, पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को कायम रखते हैं। विभिन्न किस्मों की वनस्पतियों एवं जीवों (*flora and fauna*) के साथ प्राकृतिक वन, जैव विविधता के हब/केंद्र होते हैं। देश में भूमि कटाव को रोकने के लिए स्वस्थ वन पारितंत्र परिवर्तन अत्यावश्यक है।

राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम से संग्रहित डाटा में यह पाया गया है कि कई स्थानों, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में प्रदूषक पदार्थ अनुमत स्तरों को भी पार कर गए हैं। वायु प्रदूषण की समस्या उसके बहुलता एवं जटिल स्रोतों (उद्योग, ओटोमोबाइल, जनरेटर सेट, घरेलू ईंधन को जलाने, सड़कों की धूल, निर्माण कार्यकलाप आदि) के कारण और भी अधिक बढ़ जाती है। वायु गुणवत्ता का मुद्दा जलवायु परिवर्तन के वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा के एसडीजी 7 तथा एसडीजी 13 से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है। यद्यपि कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश 2014-15 में 6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 10 प्रतिशत हो गया था, फिर भी भारत को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की आवश्यकता है। भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी काफी जोर देना होगा।

## मंत्रालय का समग्र प्रोफाइल

1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) भारत के पर्यावरण और वन संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:
  - वनस्पति, जीवों, वनों और वन्यजीव का संरक्षण और सर्वेक्षण।
  - प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण।
  - अवक्रमित क्षेत्रों में वनीकरण और पुनरूत्थान।
  - पर्यावरण का संरक्षण, और पशुओं के कल्याण की सुनिश्चितता।
2. ये उद्देश्य विधायी एवं विनियामक उपायों के एक सेट से अभिशासित हैं। इसके अलावा, पर्यावरण और विकास पर राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनीति एवं नीति विवरण, 1992, राष्ट्रीय वन नीति, 1988, प्रदूषण के न्यूनीकरण पर नीति विवरण, 1992 और एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 भी मंत्रालय के कार्य में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
3. मंत्रालय को मुख्य रूप से तीन प्रभागों में विभाजित किया गया है – स्थापना, पर्यावरण और वन एवं वन्यजीव।
4. राज्य सीएएमपीए (CAMPA) की निगरानी करने/उसे सहायता देने के लिए मुख्य रूप से दिशानिर्देशों को रूपरेखा देने तथा किसी भी विवादात्मक मुद्दे का समाधान करने के लिए, 2009 में राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) का गठन किया गया था।
5. संघ के 2020-21 के बजट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 3,100 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। यह संघ सरकार के 2020-21 के कुल बजट का 0.1 प्रतिशत और अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.014 प्रतिशत है। मंत्रालय का वर्ष-वार आबंटन चित्र 1 में दिया गया है।


चित्र 1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का व्यय



स्रोत: संघ का बजट तथा सीएसओ

6. केंद्रीय प्रयोजित योजनाओं (सीएसएस) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय के अनुपात में हाल ही के वर्षों में गिरावट आई है। तथापि, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय के अनुपात में एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है।

चित्र 2 : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का शीर्ष-वार व्यय (%)



स्रोत: संघ का बजट

7. संघ के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में, इन योजनाओं पर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर मंत्रालय का व्यय 0.10-0.12 के बीच रहा है। सीएसएस पर संघ के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में, सीएसएस पर व्यय 0.25-0.33 के बीच रहा है।


### 8. तालिका 1: केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई) (आरई)
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर संघ के कुल व्यय के % के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का व्यय	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12
सीएसएस पर संघ के कुल व्यय के % के रूप में सीएसएस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का व्यय	0.28	0.33	0.33	0.33	0.25	0.27

स्रोत : संघ सरकार के बजट

9. मंत्रालय, सीएसएस की केवल एक योजना की निगरानी करता है, जो पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीव से संबंधित है। वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर योजना-वार खर्च (प्रतिशत में) को चित्र 3 में दर्शाया गया है।

### चित्र 3 : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं



### केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन, संघ सरकार ने 23 सितंबर 1974 को केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण बोर्ड का



गठन किया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अधीन मई 1981 से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधिनियमन के बाद सीपीसीबी के कार्यकलापों का विस्तार हुआ है। अधिनियम के अधीन यह अधिनियमन पर्यावरण के संरक्षण कानूनों एवं अनेक नियमों की अधिसूचनाओं के लिए एक समावेशी विधायन है।

- सीपीसीबी अनेक कार्यों में अहम भूमिका निभाता आ रहा है, जैसे कि डाटा सृजित, समेकित और संकलित कर प्रदूषण का न्यूनीकरण एवं नियंत्रण करना, वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों को रूपरेखा देने के लिए तकनीकी इनपुट प्रदान करना, सरकार के विभिन्न स्तरों पर तथा बड़े पैमाने पर जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से मानवशक्ति के विकास एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के तहत, सीपीसीबी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के साथ देशभर में 3,500 निगरानी स्थलों- नदियों पर 1,821, झीलों/तालाबों/टैंकों पर 473, संकरी खाड़ी (creeks)/समुद्री जल/तटवर्ती जलाशयों पर 52, नहरों पर 53, नालों पर 52, सीवेज शोधन संयंत्रों पर 50, जल शोधन संयंत्र में 10 और कुओं पर 989 स्थल-के नेटवर्क के माध्यम से जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता को नियमित रूप से निगरानी करता है।
- **राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम** : इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को सीपीसीबी द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। वर्तमान में उनतीस राज्यों एवं छः संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों/नगरों में इसके 731 प्रचालन केंद्र हैं।

## राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) एक पंच-वर्षीय कार्ययोजना है, जिसका प्रथम वर्ष 2019 है।

- एनसीएपी के तहत 2024 तक  $PM_{2.5}$  और  $PM_{10}$  सघनता (concentration) को 20-30 प्रतिशत तक कम करने का संभावित राष्ट्र स्तरीय लक्ष्य रखा गया है, जबकि सघनता की तुलना के लिए आधार वर्ष 2017 है।
- इस संकल्पना में संबद्ध संघ के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक, बहु-स्तरीय एवं सभी-क्षेत्रों का समन्वय शामिल है।
- स्मार्ट सिटी कार्यक्रम का उपयोग 102 नॉन-अटेन्मेंट शहरों की सूची के अंतर्गत आने वाले तैंतालीस स्मार्ट सिटीज में एनसीएपी की शुरुआत करने के लिए किया जाएगा।
- कार्यक्रम की अन्य विशिष्टताओं में, निगरानी केंद्रों (ग्रामीण निगरानी केंद्रों सहित) की संख्या में वृद्धि करना, प्रौद्योगिकी सहायता, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण पहलें, निगरानी उपकरणों के लिए प्रमाणन एजेंसियों की स्थापना, स्रोत विभाजन (सोर्स अपोर्शन्मेंट) अध्ययन, प्रवर्तन एवं विशिष्ट सेक्टरल कार्यक्रमलापों पर बल देना शामिल है।

## भारत और उसके द्वारा हाल ही में की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं

- भारत, जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन (सीसीएसी) में औपचारिक रूप से शामिल हुआ है, जो इस भागीदारी में शामिल होने वाला पैंसठवां देश है।
- स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छ ऊर्जा, सतत उत्पादन और उपभोग पैटर्न तथा पर्यावरण-हितैषी परिवहन, कृषि, उद्योग और अपशिष्ट प्रबंधन को अंगीकृत करने हेतु भारत सीसीएसी सदस्य देशों के साथ मिलकर कार्य करेगा।
- भारत ने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ (एलाएस) की शुरुआत की, जो सौर ऊर्जा विद्युत का उपयोग कर जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले राष्ट्रों का एक वैश्विक गठबंधन है। इसने अपने वाहन उत्सर्जन मानकों को बीएस-6 स्तर तक बढ़ा दिया है, जो यूरो 6 मानकों के समकक्ष है। संघ सरकार ने 2017 में यह घोषणा की थी कि 2030 तक देश में बेचे गए सभी नए वाहनों को बिजली से चालित किया जाएगा।
- 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी), पेरिस समझौता में ली गई शपथ निम्नवत है:

- ◇ 2030 तक नवीकरणीय संसाधनों से 40 प्रतिशत विद्युत सृजित करना। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत अपने लक्ष्य को पार कर गया है। यह भी सुनिश्चित करने में भारत आगे बढ़ रहा है कि उसकी संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित किया जाएगा।
- ◇ देश में उत्सर्जन को 2005 के स्तरों से 2030 तक 33-35 प्रतिशत कम करना।
- ◇ अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से CO<sub>2</sub> समतुल्य का 2.5-3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन संग्रह सृजित करना।

## भारत के 2020 के उपरांत जलवायु लक्ष्य


- भारत ने यूएनएफसीसीसीसी को 2020-उपरांत की अवधि के लिए राष्ट्रीय रूप से निर्धारित अपने योगदान को 2 अक्टूबर 2015 को प्रस्तुत की, जिसमें भारत ने पेरिस समझौता (Paris Agreement) के तहत जलवायु के संबंध में की जाने वाली कार्रवाइयों को रेखांकित किया था। मुख्य कार्य बिंदु निम्न प्रकार हैं :
  - ◇ पर्यावरण के संरक्षण और आधुनिकीकरण के लिए मानवीय परंपराओं एवं मूल्यों के आधार पर, स्वास्थ्यवर्धक एवं धारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देना और उसका प्रसार करना।
  - ◇ अन्य देशों द्वारा अब तक अपनाए जा रहे मार्ग के बजाय, आर्थिक विकास के सदृश्य स्तर पर एक जलवायु-अनुकूल एवं स्वच्छ पर्यावरण वाले मार्ग को अपनाना।
  - ◇ पेरिस समझौता की प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करना।
  - ◇ अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से से 2030 तक CO<sub>2</sub> के 2.5-3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन संग्रह सृजित करना।
  - ◇ जलवायु परिवर्तन से भेद्यनीय सेक्टरों एवं क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन तथा हिमालयी क्षेत्रों एवं तटवर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में निवेशों को बढ़ाकर, जलवायु परिवर्तन से बेहतर अनुकूलन हासिल करना।

- ◇ उपर्युक्त प्रशमन एवं अनुकूलन कार्यों के कार्यान्वयन हेतु, घरेलू एवं विकसित देशों से नई एवं अतिरिक्त निधियां जुटाना ताकि किसी भी उभरते संसाधन अंतर को कम किया जा सके।
- ◇ क्षमता निर्माण करना, भारत में विशिष्ट जलवायु परिवर्तन प्रौद्योगिकी के त्वरित प्रसार के लिए एक घरेलू फ्रेमवर्क और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सृजित करना और उक्त भावी प्रौद्योगिकियों के लिए सहयोगात्मक आर एंड डी स्थापित करना।

## अंतर-राज्य तुलना

- मिलियन-प्लस शहरों को हाल ही के वर्षों में उच्च प्रदूषण दरों का सामना करना पड़ रहा है। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाली उच्च आबादी के जीवन का जोखिम बढ़ गया है।


चित्र 4 : पीएम<sub>10</sub> स्तरों के आधार पर एनसीएपी मानकों को पार करने वाले शीर्ष 25 मिलियन-प्लस शहर



स्रोत : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा साझा किया गया डाटा – PM 10 स्तर 2015, 2016 और 2017 की औसत को दर्शाते हैं।

- चौदहवें वित्त आयोग और पंद्रहवें वित्त आयोग दोनों ने वन आवरण को अनुदानों के हस्तांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में शामिल किया है। चित्र 5 में, 2019 में वन क्षेत्रफल की वर्तमान स्थिति और 2017 की तुलना में उसमें आनुपातिक वृद्धि को दर्शाया गया है।

चित्र 5: वन क्षेत्रफल की राज्य-वार तुलना




स्रोत: भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2019

## अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

- CO<sub>2</sub> उत्सर्जन सृजन के संबंध में चीन, यूरोपीय देश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत शीर्ष देश हैं, जिनका विश्व उत्सर्जनों में 57 प्रतिशत का योगदान है।

चित्र 6 : CO<sub>2</sub> उत्सर्जन (kt) में दस शीर्ष देश (2014 डाटा)




स्रोत: विश्व विकास संकेतक, विश्व बैंक

नोट: कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन को जलाने से तथा सीमेंट के विनिर्माण से सृजित होते हैं। उनमें ठोस, द्रव्य, और गैस फ्यूल की खपत और गैस के फैलने के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है।

- अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत के CO<sub>2</sub> उत्सर्जन कम हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों से उत्सर्जन की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

चित्र 7 : CO<sub>2</sub> उत्सर्जन - भारत और विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं


(मैट्रिक टन प्रति व्यक्ति)



स्रोत: विश्व विकास संकेतक, विश्व बैंक

- विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत में विश्व वन क्षेत्रफल का केवल 1.77 प्रतिशत क्षेत्रफल है। रूस, ब्राजील, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व वन क्षेत्रफल अनुपात अधिक है।

चित्र 8 : विश्व वन क्षेत्रफल के अनुपात में वन क्षेत्रफल (2016 डेटा)



स्रोत: विश्व विकास संकेतक, विश्व बैंक

नोट: वन क्षेत्रफल से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसमें कम से कम 5 मी. स्व स्थाने (in situ) की दूरी पर फलन और गैर-फलन वाले प्राकृतिक या रोपित वृक्ष हैं, और इसमें से कृषि उत्पादन प्रणालियों (उदाहरण के लिए, फल वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी प्रणालियाँ) में रोपित वृक्ष तथा शहरी पार्कों एवं उद्यानों में रोपित वृक्षों को शामिल नहीं किया गया है।

**बॉक्स 1 : वित्त आयोगों द्वारा अनुदान**

	टिप्पणी	प्रस्तावित अनुदान
बारहवां वित्त आयोग	वन राष्ट्रीय संपत्ति हैं, और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि वह उसका परिरक्षण करे।	वनों के अनुरक्षण के लिए अनुशंसित अनुदान 1,000 रुपए करोड़।
तेरहवां वित्त आयोग	क) वन अनुदानों का मतलब है भारत की पारिस्थितिकी एवं जैव-विविधताओं में योगदान को तथा वनों के तहत क्षेत्रफल शामिल करने के कारण हुई अवसरवादी हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के रूप में रिवाइड देना। ख) विद्युत क्षेत्र में हरितगृह गैसों को कम करने की अपार संभावना है। अतः, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ग) जल संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित कुछ मुख्य चुनौतियां हैं, जैसे जल उपयोग करने वाली विभिन्न श्रेणियों के बीच अंतर-सेक्टर एवं अंतरा-सेक्टर अविवेकपूर्ण जल वितरण, जल संसाधन नियोजन एवं विकास के प्रति अस्पष्ट दृष्टिकोण, जल प्रयोक्ताओं से कम प्रभार लेना और कम वसूली करना।	अनुशंसित अनुदान 15,000 करोड़ रुपए (वनों, ग्रिड-कनेक्टेड नवीकरणीय ऊर्जा और जल क्षेत्र प्रबंधन प्रत्येक के लिए 5,000 करोड़ रुपए)।
चौदहवां वित्त आयोग	विशाल वन आवरण उच्च पारिस्थितिकीय लाभ प्रदान करता है, लेकिन अन्य आर्थिक कार्यकलापों के लिए क्षेत्रफल की अनुपलब्धता के आधार पर इससे एक अवसरवादी लागत का नुकसान होता है और यह राजकोषीय अक्षमता के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में भी कार्य करती है।	क्षैतिज अंतरण फॉर्म्यूला में वन आवरण को 7.5 प्रतिशत का भारांक दिया गया है।

**पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं**

- वैश्विक भलाई की दृष्टि से, वन एक ऐसा संसाधन है जिसे राष्ट्रीय हित के लिए तथा हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लिए अवक्रमित एवं खुले वनों में वनीकरण के माध्यम से परिरक्षित एवं विस्तारित किया जाना आवश्यक है। अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने वन आवरण के लिए क्षैतिज अंतरण फॉर्म्यूला में 10 प्रतिशत का भारांक आबंटित किया था।
- जैसा कि चित्र 4 में उल्लेख किया गया है, मिलियन-प्लस शहरों में वायु गुणवत्ता एक समस्या है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये शहर भावी शहरी विकास के केंद्र हैं, और यह भी कि इन शहरों में जीवन-यापन की गुणवत्ता को बढ़ाए जाने हेतु निवेश प्राप्त करने की आवश्यकता है, हमने अपनी 2020-21 रिपोर्ट में **परिवेशी वायु गुणवत्ता में**



सुधार लाने के प्रयोजन हेतु 2020-21 में मिलियन-प्लस शहरों के लिए 4,400 करोड़ रुपए की अनुशंसा की थी। नोडल मंत्रालय होने के नाते, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य सरकारों के परामर्श से  $PM_{10}$  एवं  $PM_{2.5}$  की वार्षिक औसत सघनताओं के आधार पर परिवेशी वायु गुणवत्ता के संबंध में शहर-वार और वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित करेगा, और वायु गुणवत्ता की निगरानी एवं मूल्यांकन करेगा तथा उक्त शहरों के लिए अनुदानों की अनुशंसा करेगा।

- **क्षैतिज अंतरण फॉर्म्यूला में वन आवरण के लिए निर्धारित किए गए भारांक से राज्यों को कैसे प्रोत्साहित किया?**

- ◇ जैसा कि चित्र 8 में उल्लेख किया गया है, भारत का विश्व कुल वन क्षेत्रफल में योगदान 1.77 प्रतिशत का है और वह पेरिस समझौता तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्राकृतिक संसाधन की समृद्ध विरासत को परिरक्षित, संरक्षित और संवर्धित करने की अत्यावश्यकता है। अतः, चौदहवें आयोग ने क्षैतिज अंतरण फॉर्म्यूला में वन आवरण के लिए 7.5 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया था। हालांकि वन आवरण के कारण राज्यों की राजकोषीय अक्षमताओं को ध्यान में रखते हुए और उन्हें क्षतिपूर्ति देने के लिए यह एक सकारात्मक कदम है, परंतु इसके लिए अलग निधियों के अभाव ने कुछ राज्यों में वनों के संरक्षण को काफी अधिक प्रभावित किया है।
- ◇ अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने वन और पारिस्थितिकी मानदंड के लिए 10 प्रतिशत का उच्च भारांक निर्धारित किया था। भारांक को बढ़ाने के पीछे एक उद्देश्य वैश्विक सार्वजनिक दृष्टि से वनों को ऐसे संसाधनों के रूप में अभिस्वीकृत किया जाना था, जिन्हें राष्ट्रीय हित के लिए तथा हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए परिरक्षित और विस्तारित (अवक्रमित एवं खुले वनों में वनीकरण के माध्यम से) करना आवश्यक है।

## मंत्रालय द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग को दिए गए मुख्य प्रस्ताव

- मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया था कि क्षैतिज अंतरण फॉर्म्यूला में वनों के लिए 7.5 प्रतिशत का भारांक दिया जाए।
- मंत्रालय ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सेक्टर-विशिष्ट अनुदानों का भी प्रस्ताव किया था :


- ◇ प्रदूषण न्यूनीकरण और उस दिशा में किए गए निष्पादन के लिए 1.69 लाख करोड़ रुपए।
- ◇ जलवायु परिवर्तन के एनडीसी के तहत लक्ष्य 5 को पूरा करने के लिए 1.35 लाख करोड़ रुपए।
- ◇ कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट और वन के जीर्णोद्धार के लिए 0.62 लाख करोड़ रुपए।
- मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया था कि राज्यों के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार का मूल्यांकन चार पैरामीटरों पर आधारित होना चाहिए: (क) संस्थागत फ्रेमवर्क का सुदृढीकरण; (ख) वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण; (ग) सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन और कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति; और (घ) वायु गुणवत्ता में सुधार का मापन। इन कारकों के लिए निर्धारित संबद्ध भारांक आगामी समय में परिवर्तित होगा, क्योंकि हमारी पंचाट अवधि के प्रारंभिक वर्षों में संस्थागत और क्षमता निर्माण पर अधिक बल दिया जाएगा और बाद के शेष वर्षों में परिणामों पर दिया जाएगा।

## चुनौतियां

### वायु प्रदूषण

- विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट 'सिस्टेमेटिक कंट्री डाइग्नोस्टिक्स 2018' में यह उल्लेख किया था कि 2016 में दिल्ली विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित मेगासिटी थी। भारत में 1990 और 2013 के दौरान प्रदूषण की स्थिति सभी देशों की तुलना में सबसे अधिक खराब थी।

चित्र 9 : वायु गुणवत्ता के उच्च स्तर और संबद्ध लागतें



- दिल्ली में, सर्दी के महीनों में गहन प्रदूषण वाले दिनों का अंश 2014-15 में एक-तिहाई से बढ़कर 2015-16 में दो-तिहाई हो गया था।
- भारत की 99 प्रतिशत से अधिक की आबादी की श्वासों में PM2.5 स्तरों (जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों से अधिक है) का प्रवेश हुआ, और 70 प्रतिशत आबादी (900 मिलियन से अधिक की आबादी) की श्वासों में प्रदूषित वायु का प्रवेश हुआ, जो परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए भारतीय मानकों के आधार पर अधिक है।

## शहरी शासन

- भारत में शहरी विकास तेजी से हो रहा है, और देशभर में यह असमान रूप से वितरित है।
- यद्यपि भारत के शहरी क्षेत्र वृद्धि और गरीबी में कमी के स्तंभ हैं, लेकिन इनमें अनेक कुप्रभावों ('demons of density') - रोग, अपराध प्रदूषण, भीड़-भाड़ में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है।
- इसका मुख्य कारण चौहतरवें संवैधानिक संशोधन के बावजूद शहरी शासन के लिए एक स्पष्ट फ्रेमवर्क विकसित करने में सीमित या असंतुलित प्रगति है। प्रगति को स्थानीय स्तर के शासनों से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं के साथ शहरी शासन की संरचना के आधार पर मापा जाता है:
  - ◇ संकीर्ण क्षेत्राधिकारिता (भौगोलिक) सीमाएं।

- ◇ शहरों में पर्यावरण के प्रबंधन के अनुरूप फंक्शनल असाइन्मेंटों का अभाव।
- ◇ सीमित राजकोषीय असाइन्मेंट।
- ◇ खराब सार्वजनिक व्यय और राजस्व प्रबंधन प्रणालियों सहित खराब शहर-स्तरीय शासन और शासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में तथा सेवा प्रदान करने की सुविधाओं में कम पारदर्शिता।

## ताप ऊर्जा पर निर्भरता

- यद्यपि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारी बढ़ोतरी हुई है, किंतु जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से कोयला, अभी भी एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। भारत की लगभग 60 प्रतिशत संस्थापित क्षमता ताप विद्युत में है, जिसके अंतर्गत कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का अंश सर्वाधिक है। जैसा कि पहले वर्णन किया गया है, हालांकि CO<sub>2</sub> प्रति व्यक्ति (चित्र 7) के आधार पर अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का योगदान कम है, परंतु भारत का विश्वभर में CO<sub>2</sub> उत्सर्जनों में योगदान काफी अधिक है (चित्र 6)।

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

### एक हाइब्रिड, निष्पादन-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना

- इस प्रकार के दृष्टिकोण से राज्य, प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए पर्यावरण के संरक्षण हेतु वृद्धिकारक सुधार लाने हेतु प्रोत्साहित होंगे, जबकि राज्य सरकार-स्थानीय सरकार संबंधों में सुधार आने में भी सहायता प्राप्त होगी। यह दृष्टिकोण विकेंद्रीकृत शहरी शासन के लिए दीर्घकालिक विज्ञान की तरह कार्य करेगा। इस दृष्टिकोण के प्रमुख आयाम निम्न प्रकार हैं:
  - ◇ राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए विशिष्ट पात्रता (कार्य पूर्व) आवश्यकताएं, और :

- क. राज्य-स्तर पर एक वायु गुणवत्ता समन्वय कार्यविधि की स्थापना और शहर (एअरशेड) स्तरीय डाटा प्रणालियों की स्थापना (वायु गुणवत्ता निगरानी अनुपालक प्रणाली);
- ख. एक कम्पलाएंट पॉल्यूशन सोर्स अपोर्शन्मेंट स्टूडी को पूरा कराया जाना, जिसे कम से कम प्रत्येक तीन वर्षों में अपडेट किया जाना होगा;
- ग. प्रदूषण के मुख्य स्रोत के लिए एक कम्पलाएंट अबेटमेंट एक्शन प्लान को पूरा किया जाना।
- ◇ **इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण और त्वरित अंगीकरण (एफएएमई):**  
एफएएमई दिशानिर्देशों के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधाओं तथा उनके बाजार अंश को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार मात्र 0.06 प्रतिशत है, जबकि यह चीन में 2 प्रतिशत और नॉर्वे में 39 प्रतिशत है। चार्जिंग अवसंरचना के नेटवर्क को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जिसे सभी मिलियन-प्लस शहरों, स्मार्ट सिटीज, राज्यों की राजधानियों और मुख्य शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर संस्थापित किया जाना चाहिए।

## एक व्यापक ऊर्जा नीति बनाना

- व्यापक ऊर्जा नीति बनाते हुए उसमें कोयला और नवीकरणीय ऊर्जाओं, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि वे एक दूसरे से अंतर-निर्भर हैं। भारत विश्व में सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय बिजली मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का अंश क्रमिक रूप से बढ़ता जा रहा है।
- गैसोलीन और डीजल के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के आस-पास हैं, परंतु इनकी तुलना में कोयला, प्राकृतिक गैस और मिट्टी तेल के मूल्य इन अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से काफी कम हैं, जो यह दर्शाते हैं कि चयनित एलपीजी एवं मिट्टी तेल उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडियों का प्रावधान किया गया है। यह एक चुनौती होगी कि पर्यावरण की दृष्टि से इनके मूल्यों को भारत की 2015 पेरिस समझौता में तथा एनडीसी शपथ एवं प्रतिबद्धताओं के अनुरूप निर्धारित किया जाए और संभावित प्रभावित एवं भेद्यनीय परिवारों को सतर्कता के साथ सहायता देने का लक्ष्य रखा जाए।

## पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं

- ◇ अध्याय 6 के खंड I में क्षेत्रीय अंतरण के लिए फॉर्म्यूला में निर्दिष्ट वन और पारिस्थितिकीय मानदंड में उन दोनों पारिस्थितिकीय सेवाओं तथा लागत अक्षमताओं को शामिल किया गया है जिन्हें राज्यों के वन आवरण द्वारा देश को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसे सभी राज्यों के कुल सघन वनों में प्रत्येक राज्य के सघन वन के अंश को परिकल्पित कर प्राप्त किया गया है। हमने वन और पारिस्थितिकीय मानदंड के लिए 10 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया है। भारांक को बढ़ाने के पीछे एक उद्देश्य वैश्विक सार्वजनिक दृष्टि से वनों को ऐसे संसाधनों के रूप में अभिस्वीकृत किया जाना था, जिन्हें राष्ट्रीय हित के लिए तथा हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अवक्रमित एवं खुले वनों में वनरोपण के माध्यम से परिरक्षित और विस्तारित करना आवश्यक है।
- ◇ प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जैसे कि सड़कों पर खुले में कूड़ा-कचरा जलाया जाना, छोटे अनौपचारिक उद्योगों के कार्यकलाप (उदाहरण के लिए, पुराने टायरों को जलाकर चावल के पॉप भूना), कचराभराव स्थलों (landfills) में अचानक दहन यानी आग लग जाना हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया गया है। अपशिष्ट की सड़न और खराब ढंग से प्रबंधित कंपोस्टिंग से भी वायु गुणवत्ता प्रभावित होती है क्योंकि उनसे जहरीली गैस तथा मिथेन वायुमंडल में फैलती है। हमारा मत है कि खुले में कूड़ा-कचरा जलाना बंद कराया जाना, उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और कचराभराव स्थलों में कंपोस्टिंग की व्यवस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अतः हमने खंड I के अध्याय 7 में अनुशंसा की थी कि अनौपचारिक रूप से कूड़ा-कचरा जलाना तथा कचराभराव स्थलों में अचानक आग लग जाने की घटना की निगरानी जिम्मेदारी के साथ की जानी चाहिए। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:
  - (क) एक ऐप विकसित करना, जिसके माध्यम से खुले में कूड़ा-कचरा जलाने की निगरानी और कचराभराव स्थलों में आग से बहने वाले रासायनिक प्रदूषकों की निगरानी की जा सकेगी तथा नागरिकों द्वारा तस्वीरों के साथ प्रदूषण की रिपोर्टिंग की जा सकेगी।

(ख) प्रत्येक शहर में अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों की पड़ताल की जानी चाहिए, जहां अपशिष्ट प्रबंधन में ब्रेकडाउन आता है।

- ◇ अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के बारे में हमने विश्व बैंक और डब्ल्यूआरआई के अन्य विशेषज्ञों की फीडबैक भी प्राप्त की। ऐसा प्रतीत होता है कि खराब वायु गुणवत्ता की जटिल समस्या को कम करने में केवल निरंतर प्रयास ही कारगर हो सकते हैं। इसके अलावा, 2020-21 में परिवेशी वायु गुणवत्ता में जो सुधार आया था, उसका कारण कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न लॉकडाउन है। अतः हम मध्यावधि में स्वच्छ वायु के लक्षित उद्देश्य की दिशा में बढ़ने हेतु अपेक्षित उपकरणों एवं कार्यविधियों को स्थापित करने हेतु एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि (preparatory period) की अनुशंसा करते हैं। अतः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार, वर्ष 2021-22 में वायु गुणवत्ता के बारे में किसी शहर के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए संबद्ध भारांक चार मानदंडों पर आधारित रह सकते हैं: (क) प्रदूषण निगरानी क्रियावधि का सुदृढीकरण; (ख) वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण; (ग) कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन; और (घ) निम्नलिखित तालिका में निर्धारित भारांकों के साथ वायु गुणवत्ता सुधार का मापन।

**तालिका 2 : शहर के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए संबद्ध भारांक**

पैरामीटर	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
प्रदूषण निगरानी क्रियावधि का सुदृढीकरण	10	-	-	-	-
वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण	10	-	-	-	-
कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन	10	-	-	-	-
वायु गुणवत्ता सुधार का मापन	70	100	100	100	100
<b>कुल</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

- ◇ वायु गुणवत्ता में सुधार के मापन के दो भाग हैं, अर्थात् प्रदूषक प्रदार्थ (PM<sub>9.8</sub>) में कमी और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के अनुसार प्रदूषण रहित दिनों की संख्या में वृद्धि। खुले में कूड़ा-कचरा जलाने और कचराभराव

स्थलों में दहन (combustion) के प्रबंध में वायु गुणवत्ता सुधार सूचकांक को अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, जबकि उसके लिए उपरोक्त भारांकों को किसी शहरी बस्तियों में वायु गुणवत्ता के लिए स्रोत-वार कारक विश्लेषण के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। 2021-22 के उपरांत वायु गुणवत्ता में सुधार के मापन के संबंध में, हमारी पंचाट अवधि के शेष चार वर्षों के लिए समग्र भारांक केवल चौथा मानदंड लागू होगा।

- ◇ जबकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन प्रयासों में शहरी स्थानीय निकायों को अपेक्षित सहायता(हैंडहोल्ड) प्रदान करेगा और उनकी निगरानी करेगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय मानदंड (ख), (ग) के कार्यान्वयन के लिए तथा खुले में कूड़ा-कचरा जलाने और कचराभराव स्थलों में दहन के संबंध में संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंध करने की पहल करेगा, लेकिन इससे पहले एक तकनीकी सलाहकार के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2021-22 से 2025-26 तक वायु प्रदूषण के लिए स्रोत-वार विश्लेषण करने और वर्ष-वार कार्य योजनाएं बनाने के लिए अपनी सहमति देनी होगी।



## अध्याय 7

# उर्वरक विभाग

उर्वरक विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए किफायती मूल्यों पर उर्वरकों की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। विभाग के मुख्य कार्यों में उर्वरक उद्योग का विकास, संवर्धन और उसके लिए योजना बनाना, उत्पादन के लिए योजना बनाना और निगरानी करना, उर्वरकों का आयात और वितरण करना तथा स्वदेशी एवं आयातित उर्वरकों के लिए सब्सिडी/रियायत के जरिए वित्तीय सहायता का प्रबंध करना है। विभाग नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी प्रशासित करता है।


विभाग के समक्ष चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, कुछ सुधारों का सुझाव दिया जाता है, जिनमें उर्वरकों के संतुलित उपयोग की आवश्यकता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, मृदा स्वास्थ्य के संतुलन हेतु उसके जीर्णोद्धार के उद्देश्य के साथ आर एंड डी को बढ़ावा देना, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि को अपनाना तथा किसानों के लिए आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना शामिल है।

### विभाग की समग्र रूपरेखा

- विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए किफायती मूल्यों पर उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस दिशा में विभाग उर्वरक उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए तथा उर्वरकों के उत्पादन, आयात एवं वितरण का पर्यवेक्षण करने और सब्सिडी व्यवस्था को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग के अधिकार क्षेत्र के तहत नौ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं।
- संघ के 2020-21 बजट में उर्वरक विभाग के लिए लगभग 71,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जो कि संघ के 2019-20 के बजट के संशोधित अनुमानों (आरई) में आबंटन की तुलना में 10.9 प्रतिशत कम हैं। यह आबंटन संघ सरकार के 2020-21 के कुल बजट


का 2.35 प्रतिशत और अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.32 प्रतिशत है।  
उर्वरक विभाग का वर्ष-वार आबंटन नीचे चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1 : विभाग का कुल व्यय



स्रोत: संघ के बजट एवं सीएसओ

चित्र 2: बजट सहायता और आईईबीआर के माध्यम से विभाग के निवेश वित्तपोषण का विवरण




स्रोत : संघ के बजट

## उर्वरक सब्सिडी

- उर्वरक सब्सिडी पर व्यय खाद्य सब्सिडी के बाद दूसरा उच्चतम सब्सिडी व्यय है। 2020-21 (बीई) में, सब्सिडियों पर कुल व्यय 2.62 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि 2.64 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानित आंकड़े की तुलना में 0.5 प्रतिशत कम है। समग्र सब्सिडियों में उर्वरक सब्सिडी के अंश में 2019-20 (आरई) में 30.4 प्रतिशत से घटकर 27.2 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है।


चित्र 3 : संघ सरकार की मुख्य सब्सिडियां



स्रोत : संघ के बजट

- विगत दो वर्षों में, सब्सिडी पर व्यय बढ़ता जा रहा है। इसका कारण उर्वरक के उपयोग में वृद्धि और यूरिया के लिए प्रति यूनिट सब्सिडी में वृद्धि है। उर्वरकों के आयात मूल्य तथा फीडस्टॉक एवं इंटरमिडियरी के मूल्य उर्वरक के मूल्यों को प्रभावित करते हैं। इसलिए, संघ सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह यूरिया के साथ-साथ फास्फेट (P) और पोटैश (K) उर्वरकों (पोषकतत्व-आधारित सब्सिडी) के लिए सब्सिडी व्यय को कृषि उत्पादकता पर कोई प्रभाव डाले बिना उचित स्तरों तक युक्तिसंगत बनाए।

चित्र 4: उर्वरक सब्सिडी का विवरण




स्रोत : संघ के बजट

- संघ सरकार किसानों का सब्सिडी मूल्यों पर यूरिया और फास्फेट एवं पोटैश के इक्कीस ग्रेड उपलब्ध करवाती है। सब्सिडी, उर्वरक विनिर्माताओं और आयातकों को अदा की जाती है जो उसके बाद किसानों को कम मूल्यों पर उर्वरक बेचते हैं। अप्रैल 2020 से, फास्फेट एवं पोटैश उर्वरकों पर सब्सिडी को पोषकतत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना द्वारा अभिशासित किया जा रहा है। एनबीएस सब्सिडी दरों को वार्षिक रूप से संशोधित किया जाता है। इसके अलावा, किसान-हितैषी दृष्टिकोण के आधार पर, सरकार किसानों को किफायती मूल्य पर फास्फेट एवं पोटैश उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- यद्यपि यूरिया (N) के मूल्यों को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, परंतु फास्फेट एवं पोटैश उर्वरकों के मूल्य बाजार-आधारित हैं। इससे यूरिया के मूल्य कम हो गए हैं जिसके कारण उसका दुरुपयोग हो रहा है, डाइ-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) और पोटैश के म्यूरिएट (एमओपी) के मूल्य भी कम हो गए हैं। यह मृदा पोषकतत्वों के असंतुलित उपयोग के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक है। हालांकि नाइट्रोजन, फास्फेट एवं पोटैश उर्वरकों (N, P and K) के उपयोग का अनुशंसित अनुपात 4:2:1 है, मगर भारत में यह अनुपात 2016-17 में 6.7:2.7:1.34 था। इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक, गौण एवं

सूक्ष्म-पोषक तत्वों के उपयुक्त मूल्यन के माध्यम से उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जाए। चित्र 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम उर्वरकों की खपत के विवरण दिए गए हैं।

चित्र 5: उर्वरकों की खपत (%)



स्रोत: संचलन प्रभाग (Movement Division), उर्वरक विभाग

- भारत प्राकृतिक गैस, रॉक फास्फेट और पोटैशियम जैसी उर्वरक कच्ची सामग्रियों के लिए आयात पर काफी ज्यादा निर्भर है। पोटैशियम की तो संपूर्ण मांग का आयात किया जाता है। फास्फेट (कच्ची सामग्री तथा तैयार उत्पाद) के संबंध में, आयात निर्भरता 90 प्रतिशत है, जबकि प्राकृतिक गैस के संबंध में यह 60 प्रतिशत है। तालिका 1 में 2011-12 से 2017-18 तक उर्वरक के उत्पादन और आयात के विवरणों को दर्शाया गया है।

तालिका 1 : उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन एवं आयात (%)

वर्ष	स्वदेशी यूरिया (%)	स्वदेशी डीएपी (%)	स्वदेशी एनपीके (%)	स्वदेशी एसएसपी (%)	कुल स्वदेशी (%)	यूरिया आयात (%)	डीएपी आयात (%)	एनपीके आयात (%)	एमओपी आयात (%)	कुल आयात (%)
2011-12	37	7	13	7	64	13	12	6	5	36
2012-13	43	7	12	9	70	15	11	1	4	30
2013-14	44	7	13	8	73	14	6	1	6	27
2014-15	40	6	14	8	68	16	7	3	7	32
2015-16	40	6	14	7	68	14	10	3	5	32
2016-17	44	8	14	8	74	10	8	1	7	26
2017-18	43	8	15	7	73	11	8	1	8	27

स्रोत : उर्वरक संबंधी आंकड़े, भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई) और संचलन प्रभाग उर्वरक विभाग


नोट: एपी: डाइ-अमोनियम फास्फेट; एनपीके: नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटैशियम; एसएसपी: सिंगल सुपरफास्फेट; एमओपी: म्यूरिएट ऑफ पोटैशियम।

- सरकार ने अक्टूबर 2016 में उर्वरकों में सब्सिडियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की शुरूआत की थी। उर्वरक विभाग ने सोलह जिलों में प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से शुरू में, संशोधित रूप में, डीबीटी को कार्यान्वित करने हेतु एक कार्यक्रम शुरू किया था। पहले चरण का कार्यान्वयन मार्च 2018 से देशभर में किया गया था और दूसरे चरण (डीबीटी 2.0) की शुरूआत जुलाई 2019 में की गई थी। उर्वरक सब्सिडी में डीबीटी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने की दिशा में एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे छीजन और चोरी (leakages and pilferages) को रोका जा सकेगा, जबकि किसानों को राहत मिलेगी। डीबीटी 2.0 के तहत उठाए गए नए कदमों में, डीबीटी डैशबोर्ड, पीओएस 3.0. सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पीओएस वर्जन तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए उठाए गए कदम, मौसम की शीर्षावधि (peak season) में बिक्रियों और पीओएस यंत्रों/ उपकरणों की विनिर्माण-त्रुटियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कदम शामिल थे।

## वैश्विक/विश्व की तुलना में भारत की उर्वरक खपत


- दक्षिण एशिया (भारत सहित) में उर्वरक खपत तेजी से बढ़ रही है। और यह उपमहाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक खपत वाला क्षेत्र है। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटैश की वैश्विक खपत में भारत का अंश क्रमशः 19.8 प्रतिशत, 18.4 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत है।
- क. नाइट्रोजन की खपत : 2018 में, एशियाई देशों में नाइट्रोजन के लिए विश्व मांग में अधिकतर वृद्धि चीन (18 प्रतिशत) और भारत (17 प्रतिशत) से हुई थी, जिसके बाद इंडोनेशिया (6 प्रतिशत), पाकिस्तान (4 प्रतिशत), बांग्लादेश, वियतनाम (प्रत्येक से 2 प्रतिशत) और मलेशिया तथा थाइलैंड (प्रत्येक से 1 प्रतिशत) से हुई थी।

चित्र 6: नाइट्रोजन उर्वरक खपत में वैश्विक वृद्धि में क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय अंश, 2014-18




ख. फास्फेट की खपत: 2018 में, एशियाई देशों में, फास्फेट की वैश्विक मांग में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि भारत से, 10 प्रतिशत की चीन से, 5 प्रतिशत की इंडोनेशिया से, 3 प्रतिशत की पाकिस्तान से और 2 प्रतिशत की बांग्लादेश से उत्पन्न हुई थी।

चित्र 7: फास्फेट उर्वरक खपत में वैश्विक वृद्धि में क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय अंश, 2014-18



ग. **पोटाश की खपत:** 2018 में, एशियाई देशों में, पोटाश के लिए वैश्विक मांग में 23 प्रतिशत की वृद्धि चीन से, उसके बाद भारत (17 प्रतिशत), इंडोनेशिया (7 प्रतिशत), मलेशिया (2 प्रतिशत) और शेष एशिया (1 प्रतिशत) से हुई थी।

चित्र 8: पोटाश उर्वरक खपत में वैश्विक वृद्धि में क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय अंश, 2014-18



स्रोत: विश्व उर्वरक आउटलुक-2018, एफएओ (चित्र 6 से 8)

## चुनौतियां

### मृदा की सीमांत उत्पादकता में गिरावट

- विगत वर्षों के दौरान, उर्वरकों के बढ़ते उपयोग ने कृषि उत्पादकता को काफी ज्यादा बढ़ाने में सहायता की है। तथापि, कृषि में हाल ही की प्रवृत्तियों में मृदा की सीमांत उत्पादकता में गिरावट आई है। इस न्यून उत्पादकता के लिए उर्वरकों के दक्षतापूर्ण उपयोग में गिरावट भी एक कारक है। एक अन्य कारक है सम्मिश्र (कॉम्प्लेक्स) उर्वरकों (NPKs) (जिन्हें सस्य विज्ञान की दृष्टि से बेहतर माना जाता है) की तुलना में एकाधिक पोषक (स्ट्रेट) उर्वरकों (यूरिया, डीएपी



एवं एमओपी) का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग। गौण एवं सूक्ष्म-पोषकतत्वों का कम या बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाना भी कम उत्पादकता का एक कारण है। एकाधिक पोषक (स्ट्रेट) उर्वरकों के उच्च उपयोग के लिए तथा पोषकतत्वों के भिन्न रूप से उपयोग के लिए उर्वरकों का मूल्य भी जिम्मेदार है।

## आयात पर अत्यधिक निर्भरता

- जैसा कि उपरोक्त में वर्णन किया गया है, भारत के पास उर्वरकों की कच्ची सामग्रियों का अभाव है और वह प्राकृतिक गैस, रॉक फास्फेट एवं पोटाश के लिए आयात पर काफी ज्यादा निर्भर रहता है। वैश्विक स्तर पर, फास्फोरस एवं पोटाश उर्वरकों को मनमाने मूल्यों पर बेचा जाता है, जबकि कुछ देश कच्ची सामग्री, मध्यवर्ती और तैयार उर्वरकों को नियंत्रित करते हैं। अतः, वे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। आयात पर भारत की अत्यधिक निर्भरता इन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को प्रभावित करती है, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव हेतु भेद्यनीय बनाती है तथा उर्वरक सब्सिडियों को भी असंभारणीय बनाती है। जैविक उर्वरक का उपयोग इस आयात निर्भरता को कम करने में सहायता कर सकता है। अतः यह आवश्यक है कि बढ़ती उत्पादकता के लिए तथा राजकोष पर सब्सिडी के बोझ को कम करने हेतु उर्वरकों और मृदा पोषकतत्वों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

## नियोजन और लॉजिस्टिक से संबंधित मुद्दा

- यह आवश्यक है कि देशभर में 600 से अधिक जिलों के लिए अनिवार्य प्रकार के उर्वरकों की आपूर्ति की व्यवस्था सही समय पर की जाए, जिससे मांग का उपयुक्त रूप से आकलन किया जा सके कि किस राज्य/जिले में कौन से फसल मौसम में कौन से उर्वरक की जरूरत है। इससे मांग-आपूर्ति अंतर को कम करने हेतु आयात के स्तरों का आकलन करने में भी सहायता मिल सकती है।

## बढ़ता सब्सिडी व्यय

- सब्सिडी पर व्यय में बढ़ती वृद्धिशील प्रवृत्ति देखी जा रही है। हालांकि यह बढ़ती खपत का सूचक है जिससे उत्पादकता व्यय बढ़ता है, किंतु बढ़ती हुई लागतें और आयात मूल्य भी महत्वपूर्ण कारक हैं। जैसा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (2018 की रिपोर्ट 20) के अनुपालन पर अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है, संघ सरकार ने एक वर्ष में दी जाने वाली उर्वरक सब्सिडियों पर देय भुगतानों को उत्तरोत्तर वर्ष में अग्रेषित किया है। इससे ब्याज के आधार पर, न केवल लागत बढ़ती है, अपितु उर्वरक कंपनियों का नकदी प्रवाह भी प्रभावित होता है जिसके कारण उनके कार्य प्रभावित होते हैं।


## दुरुपयोग एवं छीजन

- सब्सिडीयुक्त उर्वरक की आवश्यकता केवल कृषि के लिए है, लेकिन उसके कुछ भाग, विशेष रूप से यूरिया का उपयोग गैर-कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सेक्टर/क्षेत्र सब्सिडी के लिए हकदार नहीं हैं, वे भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पड़ोसी देशों में उर्वरकों के उच्च मूल्यों के कारण, सब्सिडीयुक्त उर्वरक में अवैध सीमा-पार व्यापार की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिससे अन्य देशों के किसान भी भारतीय किसानों के लिए दी जाने वाली सब्सिडियों का लाभ ले रहे हैं।

## उर्वरक अनुक्रिया अनुपात में गिरावट

- उर्वरक अनुक्रिया अनुपात में घटती प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो उर्वरक प्रयोग के प्रति मृदा की कम अनुक्रिया का सूचक है। उर्वरक विभाग के अनुसार, इसका कारण मांग- आपूर्ति में असंगतता है, जिसके फलस्वरूप उर्वरक उपयोग में असंतुलन बढ़ता है, बहु-पोषकत्व की अल्पता बढ़ जाती है, संतुलित पादप पोषण के बारे में किसानों के बीच कम जागरूकता तथा खराब फसल प्रबंधन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

चित्र 9 : उर्वरक अनुक्रिया अनुपात



Source: Department of Fertilizers.

स्रोत: उर्वरक विभाग

## मृदा स्वास्थ्य मानकों का मापन

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य समय के साथ मृदा स्वास्थ्य में बदलावों का पता लगाना और मृदा स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का आकलन करना था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा स्वास्थ्य संकेतकों और संबद्ध विवरणात्मक शर्तों को परिलक्षित करता है। ये संकेतक मुख्य रूप से स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के बारे में किसानों के व्यावहारिक अनुभव और ज्ञान पर आधारित हैं। तथापि, अपर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव, विद्युत आपूर्ति और इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव के कारण इस योजना का कार्यान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है।

## रुग्ण उर्वरक संयंत्रों का पुनरुत्थान

- पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत में अन्य राज्यों में वर्तमान उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरुद्धार एवं पुनःप्रवर्तन मुख्य चुनौतियों में से एक है, जिसका उर्वरक विभाग द्वारा सामना किया जा रहा है। वर्तमान में, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी यूनिट और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की सिन्दरी, गोरखपुर, रामागुंडम और तलचर यूनिटों की समीक्षा की जा रही है। इन यूनिटों की

प्रगति के आधार पर तथा एचएफसीएल की हल्दिया एवं दुर्गापुर यूनिटों की यूरिया मांग एवं आपूर्ति अंतर के आकलन के आधार पर इन यूनिटों के पुनरुत्थान का निर्णय लिया जाएगा।

## ‘उर्वरक सब्सिडी प्रणाली’ पर स्थायी समिति की दिनांक 17.03.2020 की रिपोर्ट में की गई मुख्य अनुशंसाएं

- ‘उर्वरक सब्सिडी प्रणाली’ विषय पर रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो टिप्पणियां एवं अनुशंसाएं की हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल है:
  - ◇ समिति ने यह टिप्पणी की है कि वर्तमान उर्वरक सब्सिडी नीति में भारी बदलाव किए जाने से देश की खाद्य सुरक्षा पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और इसलिए ऐसा करने से पहले एक विस्तृत अध्ययन और सभी हितधारकों के साथ गहन परामर्श किए जाने चाहिए। समिति ने यह भी अनुशंसा की है कि छोटे और सीमांत किसानों के हितों को भी ध्यान में रखा जाए, श्रेष्ठतम अंतर्राष्ट्रीय विधियों का गहनता से अध्ययन किया जाए तथा उर्वरक के संतुलित प्रयोग पर किसानों की जागरूकता एवं ज्ञान को नीति का अविभाज्य अंग बनाया जाए।
  - ◇ **किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी:** समिति ने यह पाया कि कई उर्वरक विनिर्माण संयंत्र काफी पुरानी प्रौद्योगिकी एवं उपकरणों के साथ कार्य कर रहे हैं, और वे अपनी सर्वोत्तम दक्षता के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं। सरकार उनकी अदक्षता की लागत उच्च सब्सिडी भुगतान के रूप में चुकाती है। समिति ने यह अनुशंसा की है कि कंपनियों को उर्वरकों का विनिर्माण, आपूर्ति और बेचने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। किसानों को यह भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि वे बाजार से अपनी पसंद के उर्वरकों को खरीद सकें, जबकि सब्सिडी सीधे उसके बैंक खाते में दी जानी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था व क्रियाविधि अपनाए जाने से विनिर्माताओं को उर्वरकों का उत्पादन और बिक्री काफी किफायती ढंग से करने में सहायता मिलेगी तथा अक्षम कंपनियों को बाहर किया जा सकेगा।

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

### नई यूरिया नीति, 2015 का प्रभाव मूल्यांकन

- पंद्रहवें वित्त आयोग को दिए गए ज्ञापन में विभाग ने यह उल्लेख किया है कि नई यूरिया नीति 2015 के कार्यान्वयन के कारण देश ने 2015-16 में 24.462 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) का सर्वाधिक उत्पादन किया था। इसके फलस्वरूप यूरिया के आयात में गिरावट आई, जो 2014-15 में 8.750 एमएमटी से घटकर 2016-17 में 5.480 एमएमटी था। 2015 से नीम-कोटेड यूरिया के उपयोग को अनिवार्य किए जाने तथा 1.27 एमएमटी (प्रत्येक) की क्षमता के साथ समीक्षा किए जाने वाले पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संयंत्रों से यूरिया उत्पादन प्रारंभ होने और 1.34 एमएमटी क्षमता वाले दो निजी क्षेत्र के यूरिया संयंत्रों (प्रत्येक) द्वारा उत्पादन प्रारंभ किए जाने के कारण यूरिया के उपयोग में समय के साथ गिरावट आ सकती है। यूरिया का आयात घटकर 2021-22 में शून्य हो सकता है। तथापि, समिति ने यह सुझाव दिया है कि यूरिया को नीम-कोटेड यूरिया से प्रतिस्थापित करने हेतु प्रभाव आकलन (impact assessment) किया जाए।

### कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु संतुलित उर्वरक की आवश्यकता

- भारत सरकार के 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को पूरा करने में रासायनिक उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया (जिसका मूल्य वर्तमान में नियंत्रित किया गया है) के उपयोग में वृद्धि हो सकती है। अतः, यह सुझाव दिया जाता है कि मृदा स्वास्थ्य को कायम रखने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि मृदा की सीमांत उत्पादकता प्रभावित न हो।

### भारत बना सबसे बड़ा जल का दोहन करने वाला देश

- कृषि में उर्वरक के उच्च उपयोग के कारण भारत बहुत अधिक मात्रा में जल का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, 2019-20 में भारत ने 37.72 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया। इसके उत्पादन में उसने 12 ट्रिलियन लीटर जल खर्च किया। यह खपत काफी कम हो सकती थी, यदि कोई प्राकृतिक/जैविक खाद/उर्वरक का उपयोग किया गया होता। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के दौर में, जल एक ऐसा पदार्थ है जिसके अभाव का भारत को सामना

करना पड़ सकता है, इसलिए ऐसे उर्वरकों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है जो कम जल का प्रयोग करते हैं और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।

## उर्वरक में डीबीटी का कार्यान्वयन

- उर्वरक सब्सिडी में डीबीटी का कार्यान्वयन किए जाने से न केवल छीजन को रोकने में, बल्कि आयात बिल को कम करने में भी सहायता मिलेगी। मार्च, 2018 में डीबीटी को पूरे भारतवर्ष में कार्यान्वित किया गया था। डीबीटी के कारण प्राप्त की गई कुल बचतों के प्रभाव का गहन विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता है।

## जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना

- संघ सरकार को विभिन्न मॉडलों, जैसे कि प्राकृतिक खेती, वैदिक खेती, गाय के गोबर के साथ खेती, होमा खेती और शून्य बजट प्राकृतिक खेती के माध्यम से जैविक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना चाहिए। राज्यों को यह लचीलापन दिया जा सकता है कि वे अपने अपनी पसंद की खेती के आधार पर किसी भी कृषि मॉडल को चुन सकें।

## मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से संबंधित समस्याओं का समाधान

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों, जैसे कि प्रशिक्षित स्टाफ की अनुपलब्धता, बिजली आपूर्ति का अभाव, इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा अन्य मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

## किसानों के लिए आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उर्वरक उपयोग दक्षता में सुधार लाया जा सकता है, यदि किसानों को सही उत्पाद, उसकी मात्रा, उपयोग करने के समय एवं विधि के बारे में उचित जानकारी हो। इस दिशा में सुझाए गए कुछ उपायों में, मृदा स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर उर्वरक की इष्टतम मात्रा का प्रयोग करना, नीम-कोटेड यूरिया, सूक्ष्म पोषकतत्वों, जैविक उर्वरकों तथा जल-घुलनशील उर्वरकों को बढ़ावा देना है।

## अध्याय 8

# खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यान्नों के क्रय, भंडारण और वितरण तथा गन्ना क्षेत्र के विनियमन के लिए उत्तरदायी है।

विभाग के समक्ष मुख्य चुनौतियों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन, राशन कार्डों/लाभार्थियों से संबंधित अभिलेखों का डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग के कारण डी-डुप्लीकेशन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तथा उचित दर दुकानों का ऑटोमेशन शामिल है। विभाग के लिए सुझाए गए सुधारों में, भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन, खाद्य सब्सिडी बिल का युक्तिकरण और पोषण संतुलन बरकरार रखना, केंद्रीय निर्गत मूल्य (*central issue price*) में संशोधन, खाद्यान्नों की प्राथमिकता सूची (बास्केट ऑफ चॉइस) में विविधिकरण तथा छीजनों को रोकने हेतु कदम उठाना शामिल है।

### विभाग का समग्र प्रोफाइल

1. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यान्नों के क्रय, भंडारण और वितरण तथा गन्ना क्षेत्र के विनियमन के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है।
2. संघ सरकार के 2020-21 के बजट में, विभाग के लिए 122 हजार करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था, जो संघ सरकार के कुल बजट का 4.0 प्रतिशत और अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.5 प्रतिशत है। विभाग के बजट का वर्ष-वार आबंटन चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1: संघ सरकार के कुल व्यय और जीडीपी के अंश के रूप में व्यय



स्रोत : संघ के बजट


3. खाद्य सब्सिडी पर नकद व्यय में गिरावट देखी जा रही है, जो 2015-16 में 1.39 लाख करोड़ रुपए से घटकर 2016-17 में 1.10 लाख करोड़ रुपए और 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए था। खाद्य सब्सिडी 2018-19 में 1.01 लाख करोड़ रुपए थी। लेकिन ये आंकड़े वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, संघ सरकार ने 2016-17 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। इस राशि को जोड़ने के पश्चात, खाद्य सब्सिडी पर वास्तविक व्यय 2016-17 में 1.80 लाख करोड़ रुपए आता है। इसी प्रकार के कर्ज 2017-18 और 2018-19 में दिए गए, जो क्रमशः 65,000 करोड़ रुपए और 97,000 करोड़ रुपए थे। इन राशियों को चित्र 2 में दर्शाए गए समग्र खाद्य सब्सिडी आंकड़ों में परिलक्षित नहीं किया गया है। 2020-21 के लिए बजट अनुमानों में, विभाग ने खाद्य सब्सिडी के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए आबंटित किए, जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए कुल आवंटन का 95 प्रतिशत है।

4. एफसीआई को सब्सिडी एनएसएसए के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के लिए या राज्यों को खाद्यान्नों के विकेंद्रीकृत क्रय के लिए दी जाती है। एनएसएसए



को 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर करने का अधिदेश दिया गया है। उसने अभी तक 810 मिलियन आबादी को कवर किया है।

चित्र 2: खाद्य सस्सिडी पर व्यय



स्रोत : संघ के बजट

- तालिका 1 में 2010-11 और 2020-21 (बीई) के बीच खाद्य सस्सिडी पर व्यय को दर्शाया गया है। खाद्य सस्सिडी पर व्यय 2010-11 में 63,844 करोड़ रुपए से बढ़कर 2015-16 में 1.39 करोड़ रुपए हो गया था।

तालिका 1: 2010-11 से 2020-21 तक खाद्य सब्सिडी पर व्यय


(करोड़ रु.)

वर्ष	खाद्य सब्सिडी	पिछले वर्ष की तुलना में %वृद्धि	बीई की तुलना में उपयोग किए गए आबंटन का %
2010-11	63844		115
2011-12	72822	14	120
2012-13	85000	17	113
2013-14	92000	8	102
2014-15	117671	28	102
2015-16	139419	18	112
2016-17	110173	- 21	82
2017-18	100282	- 9	69
2018-19	101327	1	60
2019-20 (आरई)	108688	7	59
2020-21 (बीई)	115570	6	-

- खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति ने खाद्य सब्सिडी में वृद्धि के लिए 2016-17 में निम्नलिखित कारणों पर अपनी टिप्पणी दी है: (i) खाद्यान्नों की क्रय लागत में वृद्धि, (ii) केंद्रीय निर्गत मूल्यों (सीआईपी) में 2002 से कोई संशोधन नहीं करना और (iii) सभी राज्यों में एनएफएसए का कार्यान्वयन।
- 2019 में, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने एफसीआई की प्राधिकृत पूंजी को मौजूदा 3,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने का अनुमोदन दिया था। प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के साथ, एफसीआई में संघ बजट के माध्यम से अतिरिक्त इक्विटी पूंजी डाली जा सकती है ताकि एफसीआई द्वारा धारित खाद्यान्नों का वित्तपोषण किया जा सके। इसके फलस्वरूप, एफसीआई द्वारा लिए गए उधार कम हो जाएंगे, इससे ब्याज लागतों में बचत होगी और खाद्य सब्सिडी पर व्यय कम हो जाएगा।
- खाद्यान्नों के क्रय, भंडारण और वितरण के लिए विभाग द्वारा खर्च की गई लागत की प्रतिपूर्ति खाद्य सब्सिडी के रूप में दी जाती है। सब्सिडी राशि खाद्यान्नों की क्रय लागत और लाभार्थियों को वितरित किए गए खाद्यान्नों के मूल्य (सीआईपी) के बीच अंतर है। जैसाकि चित्र 3 में देखा जा सकता है, खाद्य सब्सिडी पर व्यय को तीन शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है: (i) टीपीडीएस के लिए एफसीआई को सब्सिडी, (ii) विकेंद्रीकृत क्रय के लिए राज्य को सब्सिडी और (iii) शर्करा सब्सिडी।

चित्र 3 : खाद्य सस्सिडी का विवरण


(करोड़ रु)



स्रोत : संघ के बजट

9. एफसीआई द्वारा खाद्यान्नों के क्रय, भंडारण और वितरण कार्यों में हुई हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में संघ सरकार खाद्य सस्सिडी देती है। जब एफसीआई को देयों के भुगतान के लिए खाद्य सस्सिडी हेतु बजट पर्याप्त नहीं होता है, तब इन देयों को उत्तरोत्तर वर्ष में अग्रेषित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सस्सिडी देयों पर भुगतान में विलंब के कारण एफसीआई को अपने कार्यों के वित्तपोषण के लिए विभिन्न स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है।
10. **संघ सरकार की मुख्य सस्सिडियां:** संघ सरकार के समग्र सस्सिडी व्यय में खाद्य सस्सिडी का अंश सबसे अधिक है, जिसके बाद उर्वरक एवं पेट्रोलियम का है। यह विभाग के व्यय का भी सबसे बड़ा घटक है जो 2020-21 में आबंटन का 95 प्रतिशत था।

चित्र 4: प्रमुख सब्सिडियां



स्रोत : संघ के बजट



## चुनौतियां

### खाद्य सब्सिडी के लिए बजट

- जैसा कि उपर्युक्त में वर्णन किया गया है, सब्सिडियों पर व्यय के अतिरिक्त विभाग को एफसीआई द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करवानी होती हैं।

### पोषण का संतुलन

- एनएफएसए के अंतर्गत हकदार लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच कि.ग्रा. खाद्यान्न देने की गारंटी दी गई है। अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंतर्गत सबसे गरीब लोग कवर किए गए हैं के लाभार्थी परिवार 35 कि. ग्रा. प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।
- चित्र 5 और चित्र 6 में यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों में पोषण अंतर्ग्रहण के पैटर्न में बदलाव आया है।




स्रोत: भारत में पोषण अंतर्ग्रहण, 2011-12, एनएसएसओ

- यद्यपि अनाजों या खाद्यान्नों में केवल 10 प्रतिशत प्रोटीन होता है, परंतु कुल प्रोटीन अंतर्ग्रहण के प्रतिशत के रूप में उनका अंश ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से भी अधिक है। तथापि, मांस और दलहनों जैसे खाद्यान्नों, जिनमें 20 प्रतिशत से अधिक प्रोटीन होता है, का अंश देश के कुल प्रोटीन अंतर्ग्रहण का केवल 15 प्रतिशत है।
- खाद्य खपत में अनाजों का अंश ग्रामीण क्षेत्रों में 7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5 प्रतिशत तक घटा है, जबकि दूध, अंडा, मछली और मांस में यह बढ़ा है। इससे यह पता चलता है कि लोग गेहूं और चावल को कम पसंद करते हैं और अन्य प्रोटीनयुक्त खाद्यान्नों को अधिक पसंद करते हैं। एनएफएसए में यह उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार और राज्य सरकार को टीपीडीएस के तहत वितरित वस्तुओं व खाद्य पदार्थों का विविधीकरण करने हेतु कदम उठाने चाहिए।

### फार्म-कृषि उत्पादन में असंतुलन

- सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उत्पाद खरीदती है और किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन देती हैं जिनके लिए न्यूनतम सहायता मूल्य दिया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए खाद्यान्नों का क्रय एमएसपी पर किया जाता है। पीडीएस के लिए बफ़र स्टॉक कायम रखने की आवश्यकता के कारण, एमएसपी के तहत अधिकतर गेहूं और धान का क्रय किया जाता है। इससे किसान गेहूं और धान की खेती करने के लिए आकर्षित होते हैं, जबकि दलहनों जैसी अन्य खाद्य सामग्रियों के उत्पादन के लिए किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। चित्र 7 में 2016-17 के दौरान क्रय किए गए फसल उत्पाद के अंश को दर्शाया गया है।



स्रोत: किसानों की आय को दोगुना करने पर समिति 2017, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

## केंद्रीय निर्गत मूल्यों में संशोधन

- एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न सीआईपी पर दिए जाते हैं, जिसे पिछली बार 2002 में संशोधित किया गया था। गेहूं के लिए सीआईपी 2 रुपए प्रति कि.ग्रा. और चावल के लिए 3 रुपए प्रति कि.ग्रा. है (तालिका 2)।
- इसके विपरीत, अगस्त 2020 तक गेहूं के लिए आर्थिक लागत (जिसमें क्रय, भंडारण, वितरण में खर्च की गई लागतें भी शामिल हैं) 26.83 रुपए प्रति कि.ग्रा. और चावल के लिए 37.26 रुपए प्रति कि.ग्रा. है। खाद्य सब्सिडी का परिकलन आर्थिक लागत और सीआईपी के बीच अंतर के अनुसार किया जाता है।

तालिका 2: आर्थिक लागत, केंद्रीय निर्गत मूल्य और सब्सिडी

(रु. प्रति कि.ग्रा.)

कामोडिटी	सीआईपी (एएवाई एवं प्राथमिकता वाले परिवार)	सीआईपी (एपीएल)	आर्थिक लागत (2020-21 (बी.ई))	एएवाई एवं प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए सब्सिडी	एपीएल के लिए सब्सिडी
चावल	3.00	8.30	37.26	34.26	28.96
गेहूं	2.00	6.10	26.83	24.83	20.73


स्रोत : खाद्यान्न बुलेटिन, अगस्त 2020, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नोट: एएवाई – अंत्योदय अन्न योजना, एपीएल – गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोग


- यद्यपि चावल की आर्थिक लागत 2001-02 में 1,098 रुपए प्रति क्विंटल (11 रुपए प्रति कि.ग्रा.) से बढ़कर 2020-21 में 3,727 रुपए प्रति क्विंटल (37 रुपए प्रति

कि.ग्रा.) थी, और गेहूं के संबंध में यह समान अवधि के दौरान 853 रुपए प्रति क्विंटल (9 रुपए प्रति कि.ग्रा.) से बढ़कर 2,684 रुपए प्रति क्विंटल (27 रुपए प्रति कि.ग्रा.) हो गई थी, किंतु सीआईपी को तब से संशोधित नहीं किया गया है। इससे आर्थिक लागत और बढ़ते सीआईपी के बीच अंतर आ गया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सब्सिडी पर व्यय में वृद्धि हुई है। गेहूं और चावल के लिए आर्थिक लागत, सीआईपी और सब्सिडियों में प्रवृत्तियों को चित्र 8 और चित्र 9 में अवलोकित किया जा सकता है।

चित्र 8: एक कि.ग्रा. चावल पर सब्सिडी (रु.)



चित्र 9: एक कि.ग्रा. गेहूं पर सब्सिडी (रु.)



स्रोत: भारतीय खाद्य निगम

- सीआईपी में बढ़ोतरी करना अपेक्षित एवं आबंटित निधियों के बीच अंतर को कम करने के उपायों में से एक हो सकता है।

### वैकल्पिक सब्सिडी प्रणाली

- एनएफएसए में यह उल्लेख किया गया है कि संघ और राज्यों को लाभार्थियों के लिए नकद अंतरण हेतु योजनाएं शुरू करनी चाहिए। विभिन्न विशेषज्ञों और समितियों ने टीपीडीएस को डीबीटी प्रणाली से प्रतिस्थापित करने तथा संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एंड-टू-एंड के कंप्यूटरीकरण पर जोर दिया है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत डीबीटी को दो मॉडलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पहले मॉडल में सब्सिडी राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद रूप में हस्तांतरित की जाती है, जिनके पास बाजार से खाद्यान्न खरीदने का विकल्प होता है। इस मॉडल को चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में और दादर एवं नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे मॉडल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल

(e-POS) उपकरण के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण के लिए उचित दर दुकानों का ऑटोमेशन शामिल है, जो खाद्यान्न के वितरण के समय पर लाभार्थियों का प्रमाणन करता है। यह लाभार्थी परिवार को वितरित किए गए खाद्यान्न की मात्रा को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिग्रहित करता है।

- लाभार्थियों के डाटा का पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण और दोहरीकरण को रोका जाना, डीबीटी को किसी भी मोड में कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक पूर्वापेक्षाएं हैं। इस संबंध में विभाग ने यह कहा है कि एनएफएसए के डिजिटलीकरण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया के दौरान नकली/जाली/डुप्लीकेट/अपात्र लाभार्थियों, प्रवासन और लाभार्थियों की मृत्यु तथा अन्य कारणों के चलते जनवरी, 2013 से 2.75 करोड़ राशन कार्डों को बंद कर दिया गया है। इससे 17,500 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की खाद्य सब्सिडी का वार्षिक लक्ष्यकरण बेहतर हुआ। तथापि, इससे न तो निधियों का आबंटन कम हुआ और न ही बजट व्यय में कोई बचत हुई, क्योंकि राशन कार्डों को बंद किए जाने के बाद एनएफएसए के तहत नए पात्र लाभार्थियों को जोड़कर उन्हें नए राशन कार्ड जारी किए गए थे। अतः राशन कार्ड बंद किए जाने का राजकोषीय संघीय संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

### तालिका 3: टीपीडीएस कंप्यूटरीकरण की उपलब्धियां

योजना घटक	उपलब्धि
राशन कार्डों/ लाभार्थियों से संबंधित डाटा का डिजिटलीकरण	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा किया गया।
खाद्यान्नों का ऑनलाइन आबंटन	चंडीगढ़ और पुदुचेरी, जिन्होंने डीबीटी/नकद अंतरण योजना को लागू किया है, को छोड़कर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा किया गया है।
आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण	25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा किया गया और शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है।
पारदर्शिता पोर्टल	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किया गया।
राज्य में किसी भी एफपीएस से क्रय करने हेतु राशन कार्डों की अंतरा-राज्य पोर्टेबिलिटी	11 राज्यों में प्रचलन में है।
शिकायत निवारण सुविधाएं	सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टॉल-फ्री हेल्पलाइनें/ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

स्रोत : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19



## कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पहल

- कोविड-19 महामारी ने भारत सहित सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को संकट में डाल दिया है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और रेटिंग एजेंसियां जीडीपी वृद्धि के पूर्वानुमानों को संशोधित कर कम का पूर्वानुमान दे रही हैं। इससे खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा के चार स्तंभ हैं: खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न तक पहुंच, खाद्यान्न उपलब्धता में स्थिरता और खाद्यान्न का उपयोग। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न की उपलब्धता एवं उस तक पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- लॉकडाउन और उसके परिणामस्वरूप देशभर में परिवहन नेटवर्कों को बंद किए जाने से कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों और सामग्रियों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। इससे खाद्य आपूर्ति भी बाधित हुई है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण आय कम हो जाने के कारण खाद्यान्न की मांग तथा समग्र आर्थिक वृद्धि काफी ज्यादा प्रभावित होने की उम्मीद है। इन परिस्थितियों में संघ सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए:
  - ◇ 1.70 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के भाग के रूप में, संघ सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को नकद भुगतान तथा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करने की घोषणा की। इस पैकेज के तहत 420 मिलियन से अधिक लोगों ने 65,454 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त की। संघ सरकार ने पीएमजीएवाई को नवंबर, 2020 तक बढ़ा दिया है।
  - ◇ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, भारत सरकार ने एनएफएसए या राज्य-विशिष्ट योजनाओं के तहत शामिल नहीं किए गए लगभग 80 मिलियन प्रवासी श्रमिकों को दो माह, अर्थात् मई और जून 2020 में पांच कि.ग्रा. प्रति माह खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इस योजना के तहत खाद्यान्नों का अखिल भारतीय आबंटन आठ लाख मीट्रिक टन है। संघ सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए लगभग 3,500 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत पूर्ण रूप से वहन करेगी। राज्य सरकारें प्रवासियों की पहचान करने और खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए जिम्मेदार हैं।

- ◇ सरकार की एक अन्य पहल है “एक राष्ट्र एक राशन कार्ड” कार्यक्रम है। इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा प्रवासियों को देश के किसी भी भाग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु मार्च, 2021 तक सक्षम किया जाना है। वर्तमान में, प्रवासी परिवार अपने मूल राज्य से बाहर खाद्यान्नों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस योजना से किसी भी प्रवासी लाभार्थी को देशभर में किसी भी उचित दर दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने में सहायता मिलेगी। अंतरा-राज्य पोर्टेबिलिटी को बीस राज्यों में शुरू किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 83 प्रतिशत लाभार्थियों को कवर करते हुए तेईस राज्यों में 670 मिलियन लाभार्थियों को अगस्त, 2020 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी से कवर किया जाएगा और मार्च, 2021 तक 100 प्रतिशत तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी हासिल कर ली जाएगी। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मार्च, 2021 तक उचित दर दुकानों का पूर्ण ऑटोमेशन कार्य पूरा करने की उम्मीद की गई है।

### सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

#### एफसीआई का पुनर्गठन

- पूर्ण खाद्यान्न प्रबंधन प्रणाली को एमएसपी कार्यों, टीपीडीएस के तहत खाद्यान्नों के क्रय, भंडारण और वितरण में एफसीआई की भूमिका को पुनःसंरक्षित कर और अधिक दक्ष बनाया जाए। यह भारतीय खाद्य निगम की भूमिका की पुनःसंरचना और पुनर्गठन पर उच्चस्तरीय समिति (शांता कुमार समिति) की रिपोर्ट की प्रमुख अनुशंसाओं में से एक थी। हम इस अनुशंसा से सहमत हैं।

#### सीआईपी की दरों में संशोधन

- संघ सरकार को खाद्य सुरक्षा कार्यों की स्थिरता के लिए बढ़ते खाद्य सब्सिडी बिल के मुद्दे का समाधान करना होगा। सीआईपी की दरों को 13 जुलाई 2013 को अधिनियम प्रारंभ होने के बाद एनएफएसए के तहत शुरूआत में तीन वर्षों की अवधि के लिए नियत/निर्धारित किया गया था। तब से इन दरों को संशोधित नहीं किया गया है। अधिनियम के तहत कवरेज को बढ़ाए जाने के साथ-साथ

पूर्व-एनएफएसए व्यवस्था की तुलना में सीआईपी की कम दरों का खाद्य सब्सिडी बिल पर स्पष्ट प्रभाव है।

## सब्सिडी प्रणाली में स्टॉकिंग मानकों के आधार पर क्रय और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दा

- एफसीआई द्वारा बफर स्टॉकिंग मानदंडों से भी कहीं अधिक खाद्यान्नों के ओपन-एंडेड क्रय से खुले बाजार में किसी खास समय पर खाद्यान्नों की कमी हो जाती है। उसके उपरांत, एफसीआई खुले बाजार में बिक्री करता है। 2018-19 में, एफसीआई के गोदामों में स्टॉकिंग मानकों/अपेक्षित बफर स्टॉक मानदंडों से भी तीन गुणा अधिक भंडार था, जिसके बाद उसने खाद्यान्नों को थोक क्रेताओं को बेचने के लिए एक खुला बाजार बिक्री स्कीम (open market sale scheme) शुरू कर दी थी। यह भी देखा गया कि खाद्यान्नों के भंडारण के लिए अपेक्षित अवसंरचना भी आवश्यकता से कम थी। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए भी पर्याप्त प्रयास किए जाने चाहिए।

## जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही

- इनपुट से आउटकम संबंधित श्रृंखला के साथ सरकार की जवाबदेही, दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करना, भारत की आर्थिक नीति की कदाचित्त सबसे बड़ी चुनौती है। खाद्य सब्सिडियों का एक-तिहाई मान पात्र लाभार्थियों को नहीं मिलता है क्योंकि खाद्यान्न या तो बर्बाद हो जाते हैं या उन्हें खुले बाजार में अवैध रूप से बेच दिया जाता है। इसलिए, सरकार को कार्यान्वयन प्रणाली का सुदृढीकरण करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभार्थी बिना कोई छीजन के सब्सिडियां प्राप्त कर पाएं।

## डीबीटी में परिवर्तित होना

- यह अनुशांसा की जाती है कि सभी राज्यों को डीबीटी क्रियाविधि में परिवर्तित होना ही होगा, क्योंकि इससे सरकार के खाद्य सब्सिडी बिल को कम करने में सहायता मिल सकती है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि बायोमैट्रिक और आधार (Aadhaar)

पहचान-पत्र का 100 प्रतिशत रूप में प्रयोग किए जाने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में छीजनों को रोका जा सकता है।

### खाद्यान्नों की बास्केट का विविधीकरण

- पोषण संतुलन को कायम रखने तथा अनाजों से अन्य प्रोटीनयुक्त खाद्यान्नों में खाद्य खपत पैटर्न में बदलाव को ध्यान में रखते हुए, संघ और राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित खाद्य वस्तुओं का विविधीकरण करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

### गन्ना मूल्य का युक्तिकरण

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसाओं की संगतता में, यह सुझाव दिया जाता है कि गन्ना उद्योग की दक्षता में सुधार लाने के लिए गन्ना मूल्य का युक्तिकरण किया जाना काफी महत्वपूर्ण है। उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए और राज्यों द्वारा राज्य-निर्धारित मूल्य (एसएपी) की घोषणा पर पुनःविचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि कोई राज्य सरकार एसएपी को जारी रखने का निर्णय लेती है, तब एसएपी एवं एफआरपी के बीच अंतर का भुगतान सीधे किसानों को किया जाना चाहिए।

### स्थायी योजना और कार्यान्वयन

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपने ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि मध्यावधि में सब्सिडी का युक्तिकरण और बेहतर लक्ष्यकरण से सब्सिडी बिल कम हो सकता है। विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि खाद्यान्नों के क्रय मूल्य, जो आर्थिक लागत का भाग है, को कई कारक प्रभावित करते हैं। सरकार प्रायः न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा सकती है ताकि किसानों को अपने उत्पाद मजबूरी में या बाजार की खराब स्थितियों के कारण कम मूल्य पर न बेचने पड़े। सरकार को इस मुद्दे पर तथा बढ़ते सब्सिडी बिल पर गहनता से दृष्टिपात करना होगा।

## अध्याय-9

# गृह मंत्रालय


गृह मंत्रालय (एमएचए) की विभिन्न जिम्मेदारियां हैं, जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, संघ-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का प्रबंधन और आपदा प्रबंधन जिम्मेदारियां हैं। यद्यपि 'कानून व्यवस्था' एवं 'पुलिस' संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यों की जिम्मेदारियां हैं, किंतु अनुच्छेद 355 के तहत संघ को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह प्रत्येक राज्य को विदेशी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से संरक्षित करे तथा यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य करे। इन बाध्यताओं के अनुसरण में, गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा स्थिति की सतत निगरानी करता है, उपयुक्त परामर्श (एडवाइजरियां) जारी करता है, आसूचना इनपुटों को साझा करता है, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण किए बिना सुरक्षा, शांति एवं सद्भाव को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति एवं वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन एवं विशेषज्ञता प्रदान करता है।

### मंत्रालय की समग्र प्रोफाइल

1. संघ के 2020-21 बजट में गृह मंत्रालय के लिए 1.67 लाख करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे (इसमें पुलिस और संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं)। यह आबंटन संघ सरकार के 2020-21 के कुल बजट का 5.5 प्रतिशत और अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.7 प्रतिशत है। इसमें 2019-20 में 1.39 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त, यह 2019-20 के बजट आबंटन से 41 प्रतिशत अधिक है, जो 1.19 लाख करोड़ रुपए था। इस वृद्धि के बड़े भाग का कारण जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित किए जाने के बाद निधियों का आबंटन 2020-21 में गृह मंत्रालय के माध्यम से किया जाना है।

2. गृह मंत्रालय का आबंटन सभी केंद्रीय मंत्रालयों में चौथा सर्वाधिक आबंटन है। मंत्रालय का वर्ष-वार आबंटन चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1: गृह मंत्रालय पर वर्ष-वार व्यय




स्रोत: संघ के बजट एवं सीएसओ

3. मंत्रालय अपने आबंटन का 60 प्रतिशत केवल स्थापना पर खर्च करता है, और उसके बाद अन्य अनुदान/ ऋणों/ हस्तांतरणों पर खर्च करता है।

चित्र 2: बजट आबंटन की संरचना

(लाख करोड़ रु.)




स्रोत: संघ के बजट

4. 2020-21 के कुल बजट प्रावधान में से, 62.9 प्रतिशत पुलिस के लिए, 31.6 प्रतिशत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए और 1.5 प्रतिशत आपदा प्रबंधन के लिए तथा शेष 4 प्रतिशत विविध मदों के लिए आबंटित किया गया है।


5. संघ राज्य क्षेत्रों पर व्यय 2015-16 में 14.9 प्रतिशत से घटकर 2019-20 (आरई) में 10.8 प्रतिशत था। यह जम्मू एवं कश्मीर के पुनर्गठन के कारण 2020-21 (बीई) में बढ़कर 31.6 प्रतिशत हो गया था। अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने यह कहा था कि चूंकि संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी संघ सरकार की है, इसलिए वे केंद्रीय बजट के दायरे में हैं। कल्पित आकलन (notional estimation) के पश्चात पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य का अंश विभाज्य पूल के लगभग 0.85 प्रतिशत के आस-पास रहेगा। हमारा मानना है कि इसे विभाज्य पूल के 1 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ताकि उपरोक्त दोनों नए संघ राज्य क्षेत्रों की सुरक्षा और अन्य विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चूंकि इस वृद्धि की पूर्ति संघ सरकार के संसाधनों से की जानी है, इसलिए हम अनुशांसा करते हैं कि 2020-21 के लिए संघ के करों में राज्यों का अंश 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत कर दिया जाए।

चित्र 3 : सेक्टर-वार व्यय (%)



स्रोत: संघ के बजट


6. संविधान के अधीन, पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं। तथापि, संघ सरकार उग्रवाद से लड़ने में राज्यों को सहायता प्रदान करती है। संघ सरकार सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और दिल्ली पुलिस के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, वह सीमा प्रबंधन और आसूचना एकत्र करने के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराती है। संघ सरकार की केन्द्र की प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता आदि पर व्यय के लिए भी सहायता देती है।



स्रोत: संघ के बजट

- चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए, यह निर्णय किया गया कि पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सीएसएस को 2015-16 से संघ सरकार से अलग कर दिया जाएगा। तथापि, गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति ने 2015 एवं 2017 में, योजना के सामरिक महत्व और देशभर में राज्य पुलिस बलों के अवसंरचना में सुधार लाने का उल्लेख किया था। मंत्रालय ने इस योजना को जारी रखने का समर्थन किया और राज्यों को केंद्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई।

चित्र 6: राज्य पुलिस बलों और अपराध एवं आपराधिक अन्वेषण नेटवर्क एवं प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई निधियां (करोड़ रु.)




स्रोत: व्यय बजट, संघ सरकार

- मंत्रालय के कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 2015-16 में 86.25 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 91.54 प्रतिशत हो गया तथा पूंजीगत व्यय का अंश समान अवधि की तुलना में 13.75 प्रतिशत से घट कर 8.46 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह अनुमान है कि



2020-21 के बजट अनुमानों में राजस्व व्यय में 0.98 प्रतिशत की कमी आ सकती है और पूंजीगत व्यय में समान अनुपात में वृद्धि हो सकती है।

चित्र 7: राजस्व तथा पूंजीगत व्यय का अनुपात




स्रोत: संघ के बजट

- आपदा प्रबंधन:** गृह मंत्रालय सूखा, जिसका प्रबंधन कृषि मंत्रालय करता है, को छोड़कर सभी प्रकार की आपदाओं के समाधान के लिए नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय क्षमता निर्माण, प्राकृतिक आपदाओं और मानव-जनित आपदाओं के प्रशमन एवं रिस्पोंस सहित आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। वैश्विक स्तर पर नए कोरोना वायरस जनित रोग (कोविड-19) के फैलने के परिणामस्वरूप, यह पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महामारी को 'अधिसूचित आपदा' के रूप में चिह्नित किया गया है। इस कदम से राज्य सरकारों ने महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा रिस्पोंस निधि (एसडीआरएफ) से निधियों के बड़े भाग का खर्च किया। इसके पश्चात, आपदा प्रबंधन अधिनियम को भी पहली बार लागू किया गया है ताकि इस संकट का प्रभावकारी ढंग से प्रबंध किया जा सके। अप्रैल, 2020 में, केंद्र सरकार ने महामारी से लड़ने हेतु एसडीआरएफ के अंतर्गत राज्यों को अग्रिम राशि के रूप में 11,092 करोड़ रुपए की राशि जारी की। चित्र 8 और 9 में आपदा प्रबंधन से संबंधित मद-वार आबंटन को दर्शाया गया है। आपदा प्रबंधन पर व्यय का बड़ा भाग वित्त मंत्रालय द्वारा खर्च किया जाता है, जबकि गृह मंत्रालय के पास खर्च के लिए एक छोटा भाग है।

चित्र 8: वित्त मंत्रालय के बजट से पूरा किया गया आपदा प्रबंधन पर व्यय


(करोड़ रु.)



स्रोत: संघ के बजट

चित्र 9: गृह मंत्रालय के बजट से पूरा किया गया आपदा प्रबंधन पर व्यय

(करोड़ रु.)



स्रोत: संघ के बजट

## चुनौतियां

### अपर्याप्त बजट आबंटन

- हमें दिए गए ज्ञापन में गृह मंत्रालय ने उल्लेख किया है कि बजट आबंटन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय रुक गया है। पुलिस पर व्यय सहित सुरक्षा पर खर्च बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। इससे व्यापार करना सुगम होगा और विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा।

### आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग वित्तपोषण तंत्र की आवश्यकता

- मंत्रालय का प्रस्ताव है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए एक अलग निधि की स्थापना की जाए, जिसका उपयोग संघ और राज्यों के पूंजीगत व्यय को पूरा के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकता है। सीएपीएफ के पूंजीगत शीर्षों के लिए और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए बजटीय पूर्वानुमानों एवं आबंटनों में शॉर्टफाल अलग निधि स्थापित करने हेतु धन का परिणाम आकलित करने के लिए एक संकेतक हो सकता है।
- मंत्रालय ने हमारी पंचाट अवधि के पांच वर्षों में 63,385 करोड़ रुपए की आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेष अनुदान का अनुमान किया था। यह मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सीएपीएफ एवं अन्य संगठनों के साथ-साथ राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए पूंजीगत शीर्षों हेतु बजटीय पूर्वानुमानों एवं आबंटनों के बीच शॉर्टफाल पर आधारित था। इसे अलग निधि के रूप में आबंटित किया जा सकता है, न सुरक्षा के साथ समेकित किया जा सकता है।
- आंतरिक सुरक्षा एवं रक्षा के वित्तपोषण के लिए तंत्र दोनों के लिए अलग-अलग विकसित की जानी चाहिए, क्योंकि राज्यों की आंतरिक सुरक्षा के लिए साझा जिम्मेदारी है, रक्षा के लिए नहीं हैं।

### केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल

- वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति ने सीमाओं की रक्षा करने वाले बलों (सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल एवं असम राइफल्स) की कार्य करने की स्थितियों पर चिंता व्यक्त की थी। समिति ने यह भी टिप्पणी की थी कि सीमाओं की रक्षा करने वाले इन बलों को भी एक जैसे दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किया जाता है और उन्हें मौसम की प्रतिकूल

स्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद उनका दुर्गम क्षेत्र (hard area) भत्ता सशस्त्र बलों की तुलना में बहुत कम था।

- सीएपीएफ से संबंधित कुछ सामान्य मुद्दे निम्न प्रकार हैं:
  - ◇ भारत में 100,000 की आबादी के लिए मात्र 160 कार्मिक के साथ, पुलिस-आबादी अनुपात कम है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रत्येक 100,000 की आबादी के लिए 222 कार्मिकों की अनुशंसा की है, जबकि यह युनाइटेड किंगडम में 307 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 256 है। प्रचालन संबंधी तैयारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सभी बलों में और बटालियनों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इससे पुलिस-आबादी के न्यून अनुपात के मुद्दे का समाधान करने में भी सहायता मिल सकती है।
  - ◇ पुलिस बलों के पास उपकरणों की कमी है, जो और अधिक बटालियन गठित होने पर बढ़ जाएगी।
  - ◇ विभिन्न बलों में गठित समर्पित महिला बटालियनों के संबंध में सेवा एवं सुरक्षा से संबद्ध मुद्दों का समाधान नहीं किया गया है।
  - ◇ भूमि क्रय करने से संबंधित क्रियाविधियों के सरलीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि इसे सुरक्षा बल के आकार के अनुपात में होना चाहिए।
  - ◇ मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और समस्त बलों के सभी श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पारिवारिक आवासों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित मुद्दों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।
  - ◇ सभी बलों में करियर उन्नयन (career advancement) एवं प्रशिक्षण संबंधी संभावनाओं का आकलन किया जाना चाहिए।

## सीमा प्रबंधन एवं अवसंरचना

- कार्यालय और आवासीय भवनों, विशेषकर पारिवारिक आवास के साथ-साथ भूमि के क्रय के लिए निधियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे उनके अधिक तनाव और असंतोष के प्रमुख कारण हैं।

- पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से सटे खुले एवं घुसपैठ की जानी वाली सीमाओं पर अवसंरचना बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सैनिकों की आवाजाही और सीमाओं की रक्षा करने वाले बलों की तैयारी सुनिश्चित की जा सके। बेहतर एकीकृत सीमा चौकियां स्थापित करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- सीमा पर तारों की बाढ़ (border fencing), बारहमासी सड़कें एवं सीमाओं पर बिजली व्यवस्था जैसे अनिवार्य अवसंरचना को बढ़ाया जाना आवश्यक है, क्योंकि इससे परिसरों की सुरक्षा सुदृढ़ करने में सहायता मिल सकती है।
- निगरानी, जीवन रक्षक वाहनों एवं अन्य अनिवार्यताओं के लिए मानव रहित वायुयान (यूएवी) का आवश्यकता आधारित क्रय किया जाना चाहिए।
- संवदेनशील एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनात बलों के लिए आवश्यक सामग्रियों की सुपुर्दगी हेतु आवश्यकता आधारित वायु सेना सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

## आपदा प्रबंधन

- राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉंस बल (एनडीआरएफ) को सतत आधार पर सुदृढ़ किए जाने और उसकी मानवशक्ति को बढ़ाने तथा उन्हें आधुनिक उपकरण एवं प्रशिक्षण अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है और 2020-25 की अवधि के लिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकताओं का आकलन विभिन्न हितधारकों के परामर्श से गहनता से किए जाने की आवश्यकता है।
- पंद्रहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान एसडीआरएफ के लिए आबंटन को 1.50 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि (एनडीएमएफ) स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और आपदा प्रशमन से संबंधित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए।
- राज्यों एवं शहरी स्थानीय निकायों के आबंटनों का कुछ प्रतिशत अग्निशमन सेवाओं के पुनर्निर्माण के लिए अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए।

## बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र

- बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे अपने संसाधन के अंतर को कम कर सकें। इसके लिए उपयुक्त संवैधानिक एवं कार्यपालिका उपबंध कर प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के उपयुक्त प्रत्यायोजन के माध्यम से चरणबद्ध रूप से सहायता दी जानी चाहिए।

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

### सामान्य

- संघ सरकार, राज्य सरकार को जमीनी स्तर पर पुलिस कार्मिकों के बीच कौशल एवं सक्षमता को बढ़ावा देने, पुलिस कार्मिकों में संव्यवहारात्मक बदलाव लाने, लैंगिक जागरूकता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और सामुदायिक पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निदेश दे सकती है।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डाटाबेस को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है

## पुलिस एवं सीएपीएफ

- विभिन्न सीएपीएफ के बीच पारस्परिक प्राथमिकता (inter-se priority) संतुलित करने की आवश्यकता है। विभिन्न बलों के बीच निधियां वितरित करने के लिए एक इष्टतम प्रक्रिया विकसित की जा सकती है।
- पुलिस एवं सीएपीएफ कार्मिकों के लिए आवास की कमियों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आवासीय इकाइयों को निर्मित करने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।
- आवश्यकता आधारित कौशल विकास योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। संगठनात्मक संरचना के सभी स्तरों पर मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की जानी चाहिए।
- सीमा पर बलों और सीएपीएफ की कार्य करने की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए तथा उनके लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता को भी उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

## सुरक्षा

- जैसा कि स्थायी समिति द्वारा सुझाव दिया गया है, गृह मंत्रालय को माइन-रोधी वाहनों के क्रय करने का प्रयास करना चाहिए। इसे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत आयात अथवा घरेलू विनिर्माण के माध्यम से किया जा सकता है। समिति ने यह अनुशंसा इस तथ्य को ध्यान में रखकर की है कि वामपंथी उग्रवाद से लड़ने वाले पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बल भूमिगत बम विस्फोट एवं छिपकर किए गए घातों की वजह से मारे जा रहे हैं।
- स्थायी समिति ने यह नोट किया कि बांग्लादेश एवं पाकिस्तान की सीमाओं पर 509 चौकियों बनाने संबंधी प्रस्ताव को 2016 में कम करके 422 चौकी कर दिया गया था। समिति ने अनुशंसा की कि इस कमी पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि 509 चौकियों से अंतर-चौकी दूरी घटकर 3.5 कि.मी. रह जाएगी, जिससे सुरक्षा सुदृढ़ होगी। हम इस अनुशंसा का समर्थन करते हैं।
- हम स्थायी समिति की इस अनुशंसा का भी समर्थन करते हैं कि गृह मंत्रालय को युवाओं को उग्रवाद की तरफ जाने से रोकने और उग्रवादी समूहों के वित्तपोषण पर रोक लगाने तथा उग्रवाद रोधी अभियान शुरू करने की दृष्टि से बहु-सूत्रीय रणनीति अपनानी चाहिए।

## आपदा प्रबंधन

- अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने आपदा प्रबंधन चक्र के कार्यों की संपूर्ण श्रृंखला का व्यापक रूप से परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया था और उसके संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाएं की थी:
  - ◇ प्रशमन निधियां एनडीएमएफ और राज्य आपदा प्रशमन निधियों (एसडीएमएफ) के रूप में राष्ट्रीय एवं राज्य, दोनों स्तरों पर गठित किए जाएंगे।
  - ◇ आपदा रिस्पॉंस के साथ-साथ आपदा प्रशमन के लिए निधियों का सृजन करना, जिसे सम्मिलित रूप में राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एनडीआरएमएफ) और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) कहा जाएगा।
  - ◇ 2020-21 में एसडीएमआरएफ के लिए राज्यों को आबंटित कुल राशि 28,983 करोड़ रुपए होगी, जिसमें संघ की हिस्सेदारी 22,184 करोड़ रुपए है (जो 2019-20 बजट अनुमानों में एसडीआरएमएफ के लिए उपलब्ध कराए गए 10,344 करोड़ रुपए से 114

प्रतिशत अधिक है)। इस 28,983 करोड़ रुपए की राशि में से, एसडीआरएफ का अंश 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ का अंश 20 प्रतिशत होगा। एसडीआरएफ के 80 प्रतिशत आबंटन के भीतर, तीन उप-आबंटन होंगे : रिस्पॉस एवं राहत (40 प्रतिशत), रिकवरी एवं पुनर्निर्माण (30 प्रतिशत) और तैयारी एवं क्षमता निर्माण (10 प्रतिशत)।

◇ हमने व्यय आधारित क्रियाविधि का प्रयोग कर आपदा प्रबंधन (एनडीआरएमएफ) के लिए 2020-21 में कुल 12,390 करोड़ रुपए के कुल राष्ट्रीयआबंटन की अनुशंसा की थी।

● **आपदा प्रबंधन के संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट में पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाएं**

◇ आपदा प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय आबंटनों के लिए संघ एवं राज्यों के योगदान के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपात को बरकरार रखा जाना चाहिए। अतः, राज्यों को एसडीआरएफ एवं एसडीएमएफ निधियों में 25 प्रतिशत योगदान देना होगा। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों को 10 प्रतिशत का योगदान देना होगा, और शेष योगदान संघ सरकार द्वारा दिया जाएगा।

◇ प्रशमन निधियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य, दोनों स्तरों पर गठित किया जाना चाहिए। प्रशमन निधि का उपयोग उन स्थायी स्तरीय एवं समुदाय आधारित कार्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए जो जोखिम को कम करते हैं और पर्यावरण-हितैषी वासों एवं आजीविका रीतियों को बढ़ावा देते हैं।

◇ एसडीआरएमएफ को आपदा प्रबंधन निधियों का आबंटन चार कारकों के आधार पर किया जाना चाहिए- विगत में किए गए व्यय, क्षेत्र एवं आबादी और आपदा जोखिम सूचकांक (जो राज्यों की क्रमशः संस्थागत क्षमता, जोखिम एक्सपोजर, और खतरा एवं भेद्यनीयता को परिलक्षित करते हैं)। 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए हम 2021-26 की अवधि के लिए आपदा प्रबंधन हेतु राज्यों के लिए 1,60,153 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस की अनुशंसा करते हैं, जिसमें संघ सरकार की हिस्सेदारी 1,22,601 करोड़ रुपए और राज्यों की हिस्सेदारी 37,552 करोड़ रुपए है।



- ◇ एसडीआरएमएफ के लिए राज्यों के कुल आबंटन को वित्तपोषक विंडों में विभाजित किया जाना चाहिए जिसमें पूर्ण आपदा प्रबंधन चक्र सम्मिलित है। अतः, एसडीआरएफ को कुल आबंटन का 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ को 20 प्रतिशत मिलना चाहिए। एसडीआरएफ के 80 प्रतिशत आबंटन को इस प्रकार पुनःवितरित किया जाना चाहिए: रिस्पोंस एवं राहत - 40 प्रतिशत; रिकवरी एवं पुनर्निर्माण - 30 प्रतिशत; और तैयारी एवं क्षमता निर्माण - 10 प्रतिशत। चूंकि एसडीआरएफ और एसडीएमएफ की वित्तपोषण विंडों अंतर परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए एसडीआरएफ के तीन सब-विंडों के भीतर पुनःआबंटन की लोचनीयता हो सकती है।
- ◇ एनडीआरएमएफ के लिए आबंटन पूर्व वर्षों में व्यय पर आधारित होना चाहिए। 05 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि मानते हुए, 2021-26 के लिए आपदा प्रबंधन हेतु कुल राष्ट्रीय आबंटन 68,463 रुपए अनुमानित है।
- ◇ एनडीआरएमएफ के लिए आबंटन को भी वित्तपोषण विंडों में उप-विभाजित किया जाना चाहिए, जैसा कि आपदा प्रबंधन के लिए राज्यों के आबंटन में किया जाना है। अतः, एनडीआरएमएफ को एनडीआरएफ के लिए कुल आबंटन का 80 प्रतिशत, जिसे रिस्पोंस एवं राहत के लिए 40 प्रतिशत में पुनः विभाजित किया जाना है, रिकवरी एवं पुनर्निर्माण के लिए 30 प्रतिशत और तैयारी एवं क्षमता निर्माण के लिए 10 प्रतिशत मिलना चाहिए। एनडीएमएफ को एनडीआरएमएफ के लिए कुल आबंटन का 20 प्रतिशत आबंटित किया जाना चाहिए। यदि अपेक्षित हो, गृह मंत्रालय, एनडीआरएफ के भीतर तीन सब-विंडो शामिल करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता की समीक्षा कर सकता है। जबकि एनडीआरएफ और एनडीएमएफ की वित्तपोषक विंडो को अनुरक्षित रखा जाना चाहिए, वहीं इन सब-विंडों के भीतर पुनःआबंटन की लोचनीयता हो सकती है।

- रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

◇ संघ सरकार रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए पूर्वानुमानित बजटीय आवश्यकताओं एवं बजट आबंटन के बीच अंतर को कम करने हेतु भारत के लोक लेखा, जो कि एक समर्पित गैर-व्यपगत निधि (non-lapsable fund) है, में रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा आधुनिकीकरण निधि (एमएफडीआईएस) स्थापित कर सकती है। इसे *राष्ट्रीय सुरक्षा नैवेद्यम कोष* कहा जा सकता है अथवा कोई अन्य उपयुक्त नाम दिया जा सकता है। इस निधि अथवा कोष में प्राप्त आगमों का उपयोग निम्नलिखित तीन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

(क) रक्षा सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश;

(ख) सीएपीएफ और राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश; जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा पूर्वानुमानित किया गया है; और

(ग) हमारे सैनिकों एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए कल्याण निधि के रूप में एक लघु घटक।

इस निधि के पास अपने प्रशासन, पब्लिक रिपोर्टिंग और नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए मानक अधिसूचित नियम होंगे।

विवरण इस रिपोर्ट के खंड-I के अध्याय 11 (रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा) में दिए गए हैं।

## अध्याय 10

# आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आवासन और शहरी विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां बनाने, कार्यक्रमों का प्रायोजन एवं सहायता देने, विभिन्न संघ मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य नोडल प्राधिकरणों के कार्यक्रमों में समन्वय करने तथा कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। जनगणना 2011 में यह उल्लेख किया गया है कि भारत की शहरी आबादी 377.1 मिलियन थी, जो 2001 में 286 मिलियन थी। मिलियन-प्लस शहरों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और उनके वित्त घटते जा रहे हैं। हाल ही में इन शहरों को बढ़ती आबादी और प्रवासन की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण उनकी अवसंरचना पर दबाव पड़ रहा है, पारिस्थितिकी का अवक्रमण हो रहा है, विशेष रूप से, अन्य बातों के अलावा, बढ़ते वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएं उनके विकास इंजनों के रूप में कार्य करने की क्षमता को सीमित कर रही हैं, और उनकी 'एग्लोमरेशन अर्थव्यवस्थाएं' सृजित करने की क्षमता भी बाधित हो रही है।

इस संबंध में और अधिक कॉम्पेक्ट एवं पर्यावरण-अनुकूल शहर विकसित करके एक एकीकृत एवं संपूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। नगरपालिकाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने हेतु राजस्व जुटाने की कार्यविधियां विकसित करना मंत्रालय की प्रमुख कार्यसूची की मदें होनी चाहिए।


### मंत्रालय का समग्र प्रोफाइल

1. संघ सरकार के 2020-21 के बजट में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए 50,040 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जो कि संघ सरकार के कुल बजट का

1.64 प्रतिशत और अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.22 प्रतिशत है। मंत्रालय का वर्ष-वार आबंटन चित्र 1 में दर्शाया गया है।


- पिछले कुछ वर्षों में, मंत्रालय का लगभग 96-97 प्रतिशत व्यय केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) पर खर्च किया गया था। मंत्रालय का वर्ष-वार एवं शीर्ष-वार व्यय चित्र 2 में दर्शाया गया है। मंत्रालय शहरी नियोजन, अवसंरचना और शहरी परिवहन से संबंधित कुछ सीएसएस शीर्ष योजनाओं का कार्यान्वयन करता है (चित्र 3)।

चित्र 1 : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का व्यय



स्रोत : संघ बजट

चित्र 2 : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का शीर्ष-वार आबंटन




स्रोत : संघ बजट

## तालिका 1 : केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(आरई)	2020-21(बीई)
केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर संघ सरकार के व्यय के % के रूप में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर मंत्रालय का व्यय	2.22	3.21	3.03	2.82	2.85	2.58
सीएसएस पर संघ सरकार के व्यय के % के रूप में सीएसएस पर मंत्रालय का व्यय	3.29	6.89	7.29	7.13	5.92	7.31

चित्र 3 : 2018-19 के लिए सीएसएस पर योजना-वार खर्च

- केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर कुल व्यय में से, लगभग 80 प्रतिशत मेट्रो रेल परियोजनाओं पर खर्च किया गया है।
- 2018-19 के लिए सीएसएस हेतु योजना-वार खर्च (प्रतिशत में) चित्र 3 में दर्शाया गया है।



स्रोत : संघ बजट

## मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही मुख्य योजनाएं

**दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:** डीएवाई-एनयूएलएम का उद्देश्य शहरी गरीब लोगों को स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार अवसर प्रदान कर, आधारभूत स्तरीय संस्थाओं को सशक्त बनाकर, आवासहीन शहरी लोगों को आश्रयालय

12.4 लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए रोजगार सृजित किया गया।

13 लाख से अधिक शहरी गरीब लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3.7 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह स्थापित किए गए

9 लाख फुटपाथ विक्रेताओं से अधिक को आईडी कार्ड दिए गए

प्रदान कर तथा शहरों के फुटपाथ विक्रेताओं (street vendors) को आजीविका प्रदान कर शहरी लोगों की गरीबी एवं भेद्यनीयता को कम करना है।

**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):**

पीएमएवाई-यू का उद्देश्य 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के प्रयोजन से इस योजना का कार्यान्वयन जून, 2015 से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों: मौजूदा झुग्गी निवासियों (slum dwellers) के स्वस्थाने (इन-सीटू) पुनर्वास; ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस); भागीदारी में किफायती आवासन और लाभार्थी-आधारित निर्माण/प्रोत्साहन हेतु केंद्रीय सहायता दी जाती है।

79.77 लाख घरों/आवासों को मंजूरी दी गई

निर्माण के लिए 43.83 लाख घरों को गिराया गया

18.07 लाख घरों का निर्माण पूरा किया गया

ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के तहत 5.07 लाख लाभार्थी जोड़े गए

**स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):**

एसबीएम-यू की शुरुआत पांच वर्षों की अवधि के लिए 2 अक्टूबर, 2014 को की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी शहरी स्थानीय निकायों में 100 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) स्थिति और 100 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

तेईस राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शहरों को ओडीएफ घोषित किया गया

62.7 लाख (94 प्रतिशत) घरों को अलग से शौचालयों और 5.12 लाख (100 प्रतिशत) समुदायिक/सावर्जनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के 52 प्रतिशत को वैज्ञानिक विधि से प्रसंस्कृत किया गया, जो कि 2014 की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।

**अटल शहरी परिवर्तन और पुनरुद्धार मिशन (अमृत) की शुरुआत 25 जून, 2015 को की गई जिसका उद्देश्य सभी को जलापूर्ति उपलब्ध कराना, सिवरेज नेटवर्क में सुधार लाना, बच्चों एवं दिव्यांगों के अनुकूल हरित स्थलों एवं पार्कों को विकसित करना, झंझा जल ड्रेनेज एवं गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन में सुधार लाना और परिवर्तन एजेंडा को कार्यान्वित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है।**

62,704 करोड़ रुपए लागत की 4,758 परियोजनाएं कार्यान्वयन/पूरी की गई हैं।

59 लाख से अधिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों से बदला गया

3,390 करोड़ से अधिक मूल्य के नगरपालिका बॉन्ड आठ शहरों द्वारा जारी किए गए

1,668 शहरी स्थानीय निकायों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली (ओबीएस) कार्यान्वित की गई, जिसमें ग्यारह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी स्थानीय निकाय हैं।

**स्मार्ट सिटी मिशन:** स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून, 2015 को की गई जिसका उद्देश्य स्मार्ट सॉल्यूशन्स का प्रयोग कर शहरी अवसंरचना का सुदृढीकरण करना तथा नागरिकों को बेहतर जीवन-स्तर हेतु सुविधाएं प्रदान करना है।

स्मार्ट सिटी की संख्या : 100

62,704 करोड़ रुपए के मूल्य की 4,758 परियोजनाएं कार्यान्वित/पूरी की गई है।

2.05 लाख करोड़ रुपए मूल्य की 5,151 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई

86,693 करोड़ रुपए के मूल्य की 2,676 परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ किया गया।

14,236 करोड़ रुपए की 823 परियोजनाओं को पूरा किया गया

16 स्मार्ट सिटी केंद्रों को चालू किया गया।

**विरासत शहर का विकास और संवर्धन योजना:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसकी शुरुआत 500 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 21 जनवरी, 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलानकानी और वारंगल में समावेशी रूप से शहरी नियोजन, आर्थिक विकास तथा विरासत को संरक्षण प्रदान करना है।

423 करोड़ रुपए मूल्यों की 77 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया।

196 करोड़ रुपए के मूल्य की 31 परियोजनाओं को पूरा किया गया

## शहरी परिवहन

शहरी परिवहन के लिए उर्जा एवं भूमि को संरक्षित करने, प्रदूषण एवं हरित गृह गैस उत्सर्जनों को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है। शहरी परिवहन व्यवस्था द्वारा ही इसका समाधान किया

400 कि.मी. मेट्रो प्रोजेक्ट को चालू किया गया।

647 कि.मी. मेट्रो रेल को अठारह शहरों में चालू किया गया

880 कि.मी. मेट्रो रेल का कार्य 18 शहरों में चल रहा है।

दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना का 82 कि.मी. तक अनुमोदन किया गया।

जा सकता है। अतः शहरी परिवहन सेवाओं (विशेष रूप से मेट्रो सेवाएं) के नियोजन एवं प्रबंधन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

स्रोत: ई-पुस्तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप 2014-2019

## अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से तुलना

### ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स (जीएलआई) 2018

- इकोनोमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा विकसित जीएलआई सुरक्षा, वहनीयता, शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या, शहरी जीवन शैली तथा अवसंरचना के आधार पर विश्व में 140 शहरों (भारत के मुंबई और नई दिल्ली) को रैंक प्रदान करता है। 2018 के जीएलआई इंडेक्स में नई दिल्ली 112वें स्थान पर और मुंबई 117वें स्थान पर थे।

### वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (जीसीआई) रैंकिंग 2018

- वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा विकसित जीसीआई बारह स्तंभों/बिंदुओं में वगीकृत संकेतकों के आधार पर प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से 140 देशों को रैंक प्रदान करता है। ये बारह स्तंभ हैं: संस्थाएं, अवसंरचना, आईसीटी का अंगीकरण, मैक्रो इकोनोमिक स्थिरता, स्वास्थ्य, कौशल, उत्पाद बाजार, श्रम बाजार, वित्तीय प्रणाली, बाजार आकार, व्यवसाय गतिकी और नवप्रवर्तन सक्षमता।
- अवसंरचना से संबंधित स्तंभ, परिवहन अवसंरचना (सड़क, रेल, जल एवं वायु) और यूटिलिटी अवसंरचना की गुणवत्ता एवं विस्तार को अभिग्रहीत करता है। सुविकसित अवसंरचना की उपलब्धता से परिवहन एवं आदान-प्रदान (ट्रांजेक्शन) लागतें घट जाती हैं और वस्तुओं एवं लोगों की आवाजाही से किसी देश के भीतर तथा सीमा पार सूचना के हस्तांतरण में बेहतर सुविधा प्राप्त होती है। सेवा प्रदान करने के प्रमुख संकेतकों के आधार पर भारत सेवा प्रदान करने में पीछे है, जैसा कि तालिका 2 में दर्शाया गया है।



## तालिका 2: सेवा प्रदान करने के पैरामीटरों पर प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की रैंकिंग

	भारत	ब्राजील	रूस	चीन	दक्षिण अफ्रीका	सिंगापुर	सं. रा. अमेरिका
सड़कों की गुणवत्ता	51	112	104	42	58	1	11
विद्युतीकरण दर (आबादी का %)	105	73	1	1	102	1	1
इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और वितरण हानियां (% आउटपुट)	110	96	64	21	50	1	26
अशुद्ध पेयजल आपूर्ति (आबादी का %)से एक्सपोजर	106	57	54	75	95	25	1
आपूर्ति की विश्वसनीयता	74	78	53	68	93	3	27
अवसंरचना	63	81	51	29	64	1	9

स्रोत : वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, डब्ल्यूईएफ

नोट: रैंकिंग क्रम : आरोही क्रम (सर्वश्रेष्ठ से निकृष्ट)

### संपत्ति संबंधी अधिकार और भूमि प्रशासन की गुणवत्ता

- विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, भारत में अभी भी भूमि प्रशासन व्यवस्था कमजोर है। भूमि राज्य का विषय है, जिसके कारण भूमि-रिकार्डों, मुटेशन और भूमि अधिकारों के रिकार्डों को समय-समय पर (रियल-टाइम) अपेटड करने में डिजिटलीकरण के संबंध में राज्यों के बीच भिन्नताएं पाई गई हैं। जीसीआई 2018 की रैंकिंग के अनुसार, भारत भूमि प्रशासन की गुणवत्ता में पीछे है, उसका स्थान 112वां है, जबकि ब्राजील बयासीवें स्थान पर, रूस पंद्रहवें स्थान पर चीन इक्कावनवें स्थान पर तथा दक्षिण अफ्रीका तिरासीवें स्थान पर है।
- विश्व बैंक की कारोबार सुगमता (इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस) रिपोर्ट 2019 के अनुसार भी, भारत संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण और करारों के निष्पादन में भी पीछे है।

### तालिका 3: संपत्ति संबंधी सुधारों में भारत का रैंक

अर्थव्यवस्था	बिजनेस सुगम बनाने हेतु सुधार										
	ईज ऑफ डुइंग बिजनेस रैंक	नया व्यवसाय शुरू करना	निर्माण अनुमतियां प्राप्त करना	बिजली कनेक्शन प्राप्त करना	संपत्ति का रजिस्ट्रीकरण	ऋण प्राप्त करना	अल्प-संख्यक निवेशकों का संरक्षण	कर अदा करना	विदेशों में व्यापार करना	करारों को अमल में लाना	दिवालिया पन का समाधान करना
जिबूती	99	✓			✓	✓	✓			✓	✓
चीन	46	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
भारत	77	✓	✓	✓		✓		✓	✓		
केन्या	61				✓	✓	✓	✓			✓

स्रोत : डुइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019, विश्व बैंक

### कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निपटने हेतु पहल

- कोविड-19 के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र पॉलिसी ब्रीफ के अनुसार, शहरी क्षेत्र इस महामारी का मुख्य केंद्र रहे हैं, जहां कुल महामारी के अनुमानित 90 प्रतिशत मामले पाए गए हैं। महामारी से पर्यटन, आवासन, स्वास्थ्य परिचर्या जैसे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, शुद्ध पेयजल उपलब्धता में कठिनाई के चलते शहरी क्षेत्र के सामने इस संकट से निपटने की बड़ी चुनौती है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र के लिए अनेक सहायता पैकेज दिए हैं।

### प्रवासी कामगारों/शहरी गरीब लोगों के लिए वहन करने योग्य किराए के आवासीय परिसर

- संघ सरकार ने पीएमएवाई-यू की उप-योजना के रूप में वहन करने योग्य किराए के आवासीय परिसर (एचआरसी) के निर्माण की घोषणा की ताकि शहरी गरीब लोगों और अपने कार्य स्थल के नजदीक रहने वाले प्रवासी श्रमिकों को वहन करने योग्य किराए पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए दो मॉडलों को अपनाया जा सकता है:
  - ◇ **मॉडल 1:** शहरों में वर्तमान सरकारी/वित्तपोषित खाली घरों को सावर्जनिक-निजी-भागीदारी व्यवस्था में रियायत देकर एआरएचसी में परिवर्तित करना।

- ◇ **मॉडल 2:** सार्वजनिक या निजी संगठनों द्वारा अपने स्वयं की खाली भूमि में एआरएचसी का निर्माण, प्रचालन और रखरखाव करना। इनमें सावर्जनिक या निजी संगठनों में व्यापार संघ, विनिर्माण कंपनियां, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थाएं या संस्थान, विकास प्राधिकरण, आवासन बोर्ड, केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो सकते हैं।

**संपदा विनियामक प्राधिकरण (रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी-रेरा) के तहत संपदा परियोजनाओं के पंजीकरण और उन्हें पूरा करने की तारीख में विस्तार करना**

मंत्रालय ने 13 मई, 2020 को एक एडवायजरी जारी करते हुए सभी पंजीकृत अपूर्ण परियोजनाओं के पंजीकरण और उन्हें पूरा करने की तारीख को 25 मार्च, 2020 से छः माह के लिए आगे बढ़ा दिया था।

**प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि**

- संघ सरकार ने पचास लाख शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के हित में 5,000 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा की।

**पंद्रहवें वित्त आयोग की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में मुख्य अनुशंसाएं**

- अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने अनुदानों की पात्रता के लिए यह अनिवार्य शर्त रखी थी कि संपत्ति कर में वृद्धि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिए। इस शर्त को हटा दिया जाए क्योंकि इन दोनों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है। इसके बजाय, शहरी स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे अपने प्रचालनों व रखरखाव की लागत पूर्ति हेतु संपत्ति कर दरों के संग्रह और प्रयोक्ता प्रभारों को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप अधिसूचित करें।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को मिलियन-प्लस शहरों के लिए अनुदान जारी करने हेतु नोडल मंत्रालय बनाया जाए ताकि वह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु साफ-सफाई के लिए यांत्रिक मशीनों के उपयोग, गैर-मोटर चालित परिवहन (पैदल एवं साइकिल) को बढ़ावा देने, सड़कों के किनारों पर जल छिड़काव की सुविधा, आदि जैसे

कदम उठा सके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वायु गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु प्रणालियां संस्थापित करने के लिए अलग से अनुदान दिया जा सकता है।

- अनौपचारिक बस्तियों और कम आय वाली पड़ोसी बस्तियों में जनस्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य परिचर्या निदानशालाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अलग से अनुदान आबंटित किए जा सकते हैं।
- सिटी फाइनेंस पोर्टल के माध्यम से एक सक्रिय म्यूनिसिपल ऋण बाजार स्थापित किया जाए, जो शहरों पर मानकीकृत, समयबद्ध एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना के एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करेगा। इससे अनेक वित्तीय संकेतकों<sup>1</sup> के आधार पर शहरों के बीच बैचमार्किंग, तुलना और पीयर लर्निंग में सुविधा प्राप्त होगी।
- नगरपालिकाओं के संसाधनों के बीच के अंतर को कम करने के लिए अनुदानों में उल्लेखनीय वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है, जिसका 2021-22 से 2025-26 के दौरान 12.27 लाख करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है।
- नगरपालिकाओं को हस्तांतरण में चौदहवें वित्त आयोग के पंचाट की तुलना में कम से कम चार गुणा वृद्धि की जाए (3,48,575 करोड़ रुपए)।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा एक लेखाकरण अनुरक्षण प्रणाली, राष्ट्रीय नगरपालिका लेखाकरण मैनुअल (एनएमएएम) विकसित किया जाना चाहिए, जिसे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने 213 करोड़ रुपए (193 करोड़ रुपए राज्य सरकारों के लिए और 20 करोड़ रुपए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए) की कुल निधि आवश्यकता का सुझाव दिया है।
- मंत्रालय ने नगरपालिका-क्लस्टर्स द्वारा साझा किए जाने वाले सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए की मांग की है।
- मंत्रालय का यह मत था कि मॉडल संपत्ति कर अधिनियम के बजाय, एक ऐसी टूल कीट की आवश्यकता है जिसमें (क) संपत्ति कर के लाइफ साइकिल के प्रत्येक चरण में सभी राज्यों/शहरों की सर्वश्रेष्ठ रीतियां; और (ख) कर प्रशासन को सशक्त बनाने हेतु वर्तमान

<sup>1</sup> <https://cityfinance.in/home>

संपत्ति कर नियमों के भीतर समाहित किए जाने वाले संभावित मॉडल सांविधिक उपबंधों को शामिल किया जाए। हमें बताया गया है कि मंत्रालय द्वारा संपत्ति कर पर हमारी अनुशंसाओं का अवलोकन करने हेतु छः राज्यों (गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) के शहरी विकास मंत्रियों के गठित सलाहकार समूह ने सभी 28 राज्यों के नगरपालिका विधायनों की समीक्षा की है और उनके कानूनों में सर्वोत्तम रीतियों, कार्यविधियों तथा जमीनी स्तर पर कार्यकलापों की पहचान की है।

## पंद्रहवें वित्त आयोग को मंत्रालय द्वारा दिए गए मुख्य प्रस्ताव

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने हमारी 2020-21 की रिपोर्ट जारी होने के उपरांत हमें दिए गए अपने संशोधित ज्ञापन में निम्नलिखित प्रस्ताव दिए हैं:

- अनुदानों की पात्रता के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि के अनुरूप संपत्ति कर में वृद्धि की शर्त को हटा दिया जाए। इसके बजाय, प्रचालनों और रखरखाव की पूर्ति हेतु संपत्ति कर दरों के संग्रह और प्रयोक्ता प्रभारों को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप अधिसूचित करना अनिवार्य बनाया जाए।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को मिलियन-प्लस शहरों के लिए अनुदान जारी करने हेतु नोडल मंत्रालय बनाया जाए ताकि वह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु साफ-सफाई के लिए यांत्रिक मशीनों के उपयोग, गैर-मोटर चालित परिवहन (पैदल एवं साइकिल) को बढ़ावा देने, सड़कों के किनारों पर जल छिड़काव की सुविधा, आदि जैसे कदम उठा सके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वायु गुणवत्ता की निगरानी करने हेतु प्रणालियां संस्थापित करने के लिए अलग से अनुदान दिया जा सकता है।
- अनौपचारिक बस्तियों और कम आय वाली पड़ोसी बस्तियों में जनस्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य परिचर्या निदानशालाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों को अलग से अनुदान आबंटित किए जा सकते हैं।
- **cityfinance.in** पोर्टल के माध्यम से एक सक्रिय म्यूनिसिपल ऋण बाजार स्थापित किया जाए, जो शहरों पर मानकीकृत, समयबद्ध एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचना के एक

राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करेगा। इससे अनेक वित्तीय संकेतकों के आधार पर शहरों के बीच बैचमार्किंग, तुलना और पीयर लर्निंग में सुविधा प्राप्त होगी।

- नगरपालिकाओं के बीच संसाधनों के अंतर को कम करने के लिए अनुदानों में उल्लेखनीय वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है, जिसका 2021-22 से 2025-26 के दौरान 12.27 लाख करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है।
- नगरपालिकाओं को हस्तांतरण में चौदहवें वित्त आयोग के पंचाट की तुलना में कम से कम चार गुणा वृद्धि की जाए (3,48,575 करोड़ रुपए)।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा लेखा महा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा एक लेखाकरण अनुरक्षण प्रणाली, राष्ट्रीय नगरपालिका लेखाकरण मैनुअल (एनएमएम) विकसित किया जाना चाहिए, जिसे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय ने 213 करोड़ रुपए (193 करोड़ रुपए राज्य सरकारों के लिए और 20 करोड़ रुपए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के लिए) की कुल निधि आवश्यकता का सुझाव दिया है।
- मंत्रालय ने नगरपालिका-क्लस्टर्स द्वारा साझा किए जाने वाले सेवा केंद्रों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपए की मांग की है।
- मंत्रालय ने नोट किया है कि छः राज्यों (गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश) से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के साथ शहरी विकास मंत्रियों का एक सलाहकार समूह गठित किया गया है। इस सलाहकार समूह को सहायता प्रदान करने के लिए इन राज्यों के प्रधान सचिवों की एक संचालन समिति (steering committee) गठित की गई है।
- मंत्रालय का यह मत है कि एक मॉडल संपत्ति कर अधिनियम के बजाय, एक ऐसे टूल कीट की आवश्यकता है जिसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:
  - ◇ संपत्ति कर लाइफ साइकिल के प्रत्येक चरण में सभी राज्यों/शहरों की सर्वश्रेष्ठ रीतियां;
  - ◇ कर प्रशासन को सशक्त बनाने हेतु वर्तमान संपत्ति कर नियमों के भीतर समाहित किए जाने वाले संभावित मॉडल सांविधिक उपबंध।

चुनौतियां

## त्वरित शहरीकरण

- भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो 1951 में 17 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31 प्रतिशत हो गया था। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स: दि 2018 रिवीजन के अनुसार, भारत में शहरीकरण का स्तर बढ़कर 2025 में 37-38 प्रतिशत हो जाएगा और शहरी क्षेत्र 2045-46 से ग्रामीण क्षेत्र को पीछे छोड़ देगा।
- कुल आबादी की तुलना में शहरी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2011 की जनगणना में अनुमानित लगभग 377 मिलियन की शहरी आबादी में 2031<sup>2</sup> तक बढ़कर 600 मिलियन की हो सकती है। शहरी क्षेत्रों का जीडीपी<sup>3</sup> में योगदान लगभग 62-63 प्रतिशत है और इसके 2030<sup>4</sup> तक बढ़कर 75 प्रतिशत होने का अनुमान है।

### मिलियन प्लस शहरों की वृद्धि

- यूनाइटेड नेशन अर्बनाइजेशन वर्ल्ड प्रॉस्पेक्ट्स 2018 में भी यह पूर्वानुमान किया गया है कि शहरी आबादी में अधिकतर वृद्धि मिलियन प्लस शहरों में होगी। इन शहरों को आर्थिक शक्ति के केंद्रों के रूप में कार्य करना होगा और निवेशों को आकर्षित करना होगा।

चित्र 4: शहरी बस्ती<sup>5</sup> के आकार के आधार पर शहरों की संख्या

शहरी बस्ती का आकार	1990	2018	2030
3,00,000 से 5,00,000	40	71	94
5,00,000 से 1 मिलियन	30	49	70
1-5 मिलियन	20	52	62
5-10 मिलियन	2	4	2
10 मिलियन या उससे अधिक	2	5	7

<sup>2</sup> पंद्रहवें वित्त आयोग को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण।

<sup>3</sup> योजना आयोग (2008), ग्यारहवीं पंच-वर्षीय योजना (2007-2012)।

<sup>4</sup> शहरी विकास मंत्रालय (2011), शहरी अवसंरचना सेवाओं के लिए निवेश आवश्यकताओं का अनुमान- उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट।

<sup>5</sup> स्रोत : वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2018

## शहरी फैलावों के जोखिम

- शहरों ने प्रवासी एवं अस्थायी आबादी को काफी ज्यादा आकर्षित किया है जिसके कारण शहरी फैलाव यानी 'अर्बन स्प्रेड' (जो कि शहरी विकास की एक विशिष्टता है) के माध्यम से शहरों में क्षैतिज फैलाव हुआ है। इस क्षैतिज फैलाव से हरित गृह उत्सर्जनों, वायु प्रदूषण, सड़क पर जाम तथा किरायायती आवासन के अभाव सहित अनेक चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं।
- शहरों के विकसित होने की प्रकृति से यात्रा करने की दूरी बढ़ने के कारण लोगों की निजी वाहनों पर निर्भरता बढ़ गई है। इसलिए लोग निजी वाहनों पर अधिक निर्भर रहते हैं। परिणामस्वरूप, सड़कों में यातायात का अधिक जाम लगता है, हरित गैस-उत्सर्जन अधिक होते हैं तथा वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति-प्रयोक्ता लागतें भी काफी बढ़ जाती हैं। ये लागत- जल, ऊर्जा, स्वच्छता तथा सार्वजनिक परिवहन के लिए आवश्यक हैं।

## दूषित शहरी पर्यावरण

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अनुसार तथा विगत वर्षों में राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कई स्थानों, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में प्रदूषक पदार्थों (PM10 एवं PM2.5) का स्तर अनुमत स्तरों से काफी अधिक रहा है। वायु प्रदूषक स्रोतों (उदाहरण के लिए उद्योग, ऑटोमोबाइल, जनरेटर सेटों, घरेलू ईंधन उपयोग, सड़कों की धूल, विनिर्माण कार्यकलाप आदि) की जटिलताओं एवं बहुलता के कारण वायु प्रदूषण की समस्या बहुत ही गंभीर हो चुकी है।

## राजस्व का न्यून आधार

- शहरी स्थानीय निकायों का राजस्व आधार संग्रह में बहुत ही संकीर्ण है। अनिश्चितता तथा अपर्याप्त उछालों के साथ नगरपालिकाओं के स्वयं के राजस्व स्रोतों में गिरावट आई है, जो 2007-08 में 56 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 52 प्रतिशत और 2015-16 में 44 प्रतिशत हो गया।<sup>6</sup> विश्व बैंक द्वारा हमारे लिए किए गए अध्ययन के अनुसार, ओईसीडी समूह में संपत्ति करों से औसत संग्रह राष्ट्रीय जीडीपी का लगभग 1.1 प्रतिशत

<sup>6</sup> भारत में नगरपालिका वित्त, डिस्कशन पेपर – सितंबर 10, 2018, यूएन हैबिटेट, इंडिया




है। तथापि, भारत में यह जीडीपी का लगभग 0.2 प्रतिशत है। कुछ ओईसीडी देशों, जैसे कि कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में संपत्ति कर संग्रह स्थानीय निकायों के राजस्व का आधार होते हैं और उनके संग्रह उनकी संबंधित जीडीपी के लगभग तीन प्रतिशत के बराबर होता है।

### प्रवासन का प्रबंधन

- भारत के 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह अनुमान लगाया गया था कि भारत में अंतर-राज्य प्रवास 2011 एवं 2016 के बीच वार्षिक रूप से नौ मिलियन रहेगा।
- चित्र 4 में छब्बीस राज्यों में प्रवास को दर्शाया गया है। घनात्मक संख्याएं प्रवासन (माइग्रेशन) का सूचक है, जबकि ऋणात्मक संख्याएं आउट माइग्रेशन का सूचक हैं। सबसे अधिक प्रवास दिल्ली क्षेत्र में हुआ, जो कि 2015 में देश में कुल प्रवास के आधे से अधिक है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों से कुल आउट माइग्रेशन का आधे से अधिक हुआ। महाराष्ट्र, गोवा, और तमिलनाडु में इन माइग्रेशन बढ़ा, जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश से कुल मिलाकर आउट माइग्रेशन हुआ।
- तथापि, इस प्रकार के ज्यादा प्रवासन को ध्यान में रखते हुए, इस दिशा में एक एकीकृत प्रवासन प्रबंधन नीति लाई जाने की आवश्यकता है। अतः, यह महत्वपूर्ण है कि खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी स्वास्थ्य परिचर्या और प्रवासियों के लिए एक बुनियादी सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क जैसे मुद्दों का समाधान किया जाए।

चित्र 4: समस्त राज्यों में प्रवास



Source: Survey Calculations

स्रोत : भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2017

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

### शहरों को और अधिक सुसंबद्ध (compact) बनाना

एक राष्ट्रीय ट्रांजिट-ओरियंटेड विकास नीति की आवश्यकता

- ट्रांजिट-ओरियंटेड डिवलेपमेंट (टीओडी) ट्रांजिट स्टेशनों से पैदल दूरी (500-800 मीटर) वाले या लगभग 1 कि.मी. की दूरी वाले ट्रांजिट स्टेशनों के कोरिडोर के साथ-साथ इनफ्लुयेंस जोन में उच्च-घन मिश्रित भूमि उपयोग विकास के सृजन पर फोकस करता है।
- एकीकृत भूमि उपयोग और परिवहन नियोजन से शहरी केंद्रों का योजनाबद्ध एवं सतत विकास होगा। टीओडी के लाभों को समझने और एक कार्यान्वयन रणनीति को रूप रेखा देने के लिए समुदाय-आधारित संगठनों, शहरी स्थानीय निकायों/संघ राज्य सरकारों, संघ राज्य मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों को शहरी विकास में सहभागी बनाए जाने की आवश्यकता है।

### शहरों में उर्ध्वधर भवनों की आवश्यकता

- भवनों की ऊंचाई पर प्रतिबंध कॉम्पैक्ट शहर निर्माण में बड़े बाधक है। भारतीय शहरों में तल स्थल सूचकांक यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) 1.5-3 की रेंज में है। इसके विपरीत, अधिकतर एशियाई शहरों में एफएसआई 5 से 15 के बीच और कई पश्चिमी देशों के शहरों में 25 तक भी है।

### तालिका 5: मुख्य शहरों में अनुमत तल क्षेत्र अनुपात (एफएसआई)

अहमदाबाद	1.2 – सेंट्रल लोकेलिटी, 1.8 – बाहरी क्षेत्र
बेंगलूरु	सामान्य रूप से 1.75-3.35 की रेंज में
चेन्नई	1.5 – सामान्य भवन, 2 – हाई राइज, >3 – इनफ्लुयेंस जोन
दिल्ली	सामान्य रेंज 1.2-3.5 और 4 – पुनःविकास परियोजनाएं
गुड़गांव	सामान्य रेंज 1-1.45
कोलकाता	सामान्य रेंज 1.5-2.5
मुंबई	1.33 – इनलैंड सिटी, 2.5 – महाराष्ट्र आवासन और क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Mhada) भवन
नोएडा	0.5-1 – सबअर्ब्स 2.75-3.5 – सेंट्रल लोकेलिटी

- टीओडी के एकीकरण और प्रभाव (इनफ्लुयेंस) क्षेत्रों में लोच वाले एफएसआई मानदंड उच्च आबादी घनत्व को समायोजित (अकोमोडिट) करेंगे और इनफ्लुयेंस क्षेत्रों में या उससे परे क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा नौकरी सृजित करेंगे।
- विभिन्न पैमाने के शहरों के लिए मिश्रित भूमि उपयोग और कॉम्पेक्ट सिटी मानदंड अपनाए जाने की आवश्यकता है।

### सह-आवासन स्थल (Co-living spaces)

- भारतीय शहरों, जैसे कि बेंगलूरु, मुंबई, गुड़गांव एवं पुणे में कार्यरत आबादी और छात्रों के बीच एक नई प्रवृत्ति - सह-आवासन – उभरकर आई है। नेस्टअवे (NestAway), ओयो (OYO) और कोहो (CoHo) कुछ ऐसी निजी कंपनियां हैं जो इस बाजार में कार्य कर रही हैं।
- सह-आवासन से औसत 8-11 प्रतिशत का अधिक किराया प्राप्त हो सकता है, जबकि आवासीय संपत्तियों पर वर्तमान औसत किराया 1-3 प्रतिशत है। अचल संपत्ति (रियल इस्टेट) के बेहतर उपयोग और आर्थिक दृष्टि से सह-आवासन स्थलों से उपभोक्ता की जीवन-यापन औसत लागत 10-15 प्रतिशत तक कम हो सकती है। इसलिए, किफायती आवासन के इस भाग के लिए नीति लाया जाना आवश्यक है।

## हरित भवन

- हरित भवनों के विकास के लिए इंटीग्रेटेड हैबीटेड असेसमेंट (जीआरआईएचए) दिशानिर्देशों के लिए ग्रीन रेटिंग के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए मानदंडों को आवश्यकतानुसार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

## राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम-ईज ऑफ ब्रीदिंग

- राज्य सरकारों और शहर के प्राधिकरणों को PM 2.5 एवं PM 10 के लिए एनसीएपी द्वारा निर्धारित स्थानीय लक्ष्यों को पूरा करने हेतु प्रोत्साहित एवं समर्थ किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ समन्वय में कार्य करना होगा।
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (एफएएमई) संबंधी दिशानिर्देशों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है जिसके लिए सभी मिलियन-प्लस शहरों, स्मार्ट सिटीज, राज्य राजधानियों और मुख्य शहरों को जोड़ने वाले मुख्य राजमार्गों पर चार्जिंग संबंधी अवसंरचना का नेटवर्क संस्थापित किया जाना है।

## राजस्व संग्रहण

### संपत्ति अधिकार

- पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अधिकृत विश्व बैंक अध्ययन के अनुसार, समीक्षा किए गए तीस राज्यों में से केवल बारह राज्यों ने संपत्ति कर बोर्ड गठित किया था, जिनकी अनुशंसा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा की गई थी। मंत्रालय को राज्यों से संपत्ति कर बोर्डों को स्थापित किए जाने का आग्रह किया जाना चाहिए ताकि उनके संपत्ति कर राजस्व के उछाल में वृद्धि हो सके।
- व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और उनके कार्यों का विस्तार करने के लिए, स्पष्ट रूप से पारिभाषित विनियमन और समान संपत्ति अधिकार दिया जाना आवश्यक है। कई देशों ने इस दिशा में सुधार किए हैं, जिसका एक स्नैपशॉट विश्व बैंक की डुइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में उपलब्ध है। भूमि संसाधन विभाग के सहयोग से संपत्ति अधिकारों के संबंध में

सुधार लाया जाना मंत्रालय के प्राथमिकता वाले एजेंडा में होना चाहिए। संपत्ति कर राज्य का विषय है, इसलिए इस मुद्दे का समाधान करने हेतु राज्य स्तर पर सुधार लाए जाने की आवश्यकता है (तालिका 6)।

### नगरपालिका बॉन्ड

- मंत्रालय द्वारा स्थानीय निकायों को अपने वित्त के एक स्रोत के रूप में नगरपालिका बॉन्ड जारी करने की संभावना की खोज करने में निरंतर सहायता दी जानी चाहिए। बड़े नगर निगम बाजारों से सीधे संपर्क साध सकते हैं, जबकि मध्यम एवं लघु नगरपालिकाओं को सहायता देने के लिए एक इंटरमिडियरी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास सीधे बाजार से संपर्क साधने की क्षमता नहीं है।

### शहरी विकास के वित्तपोषण हेतु संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग

भूमि मूल्य कर (लैंड वैल्यू टैक्स) का प्रयोग एक वैल्यू कैप्चर टूल के रूप में किया जाना चाहिए, जो कोई भी मूल्य वर्धन को अभिग्रहीत करने के अलावा संपत्ति मूल्यों को स्थिर करने में सहायता प्रदान करे और स्पेकुलेटिव (सटोरिया) निवेशों को हतोत्साहित करे। इसे सभी वैल्यू कैप्चर मैथड्स में सबसे अधिक कारगर माना जाता है।

## तालिका 6: संपत्ति पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए कुछ पहल

वैशिष्ट्य	अर्थव्यवस्थाएं	कुछ विशेषताएं
अवसंरचना की बढ़ती विश्वसनीयता	क्रोएशिया, जिबूती, पाकिस्तान, श्रीलंका, टोंगा	<p>क्रोएशिया ने पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण किया है, जिसके कारण लैंड रजिस्ट्री तथा केडस्टर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ी है।</p> <p>श्रीलंका ने एक पूर्ण रूप से डिजिटल लैंड राजस्ट्री का कार्यान्वयन कर और सर्वेक्षण विभाग ने प्रमाण-पत्रों को जारी करने के लिए एक सिंगल विंडो काउंटर खोलकर एक भौगोलिक सूचना प्रणाली शुरू की।</p>
सूचना की बढ़ती पारदर्शिता	अजरबैजान, क्रोएशिया, एसवातिनी, गबोन; इंडोनेशिया, इजराइल, मौरिशस, पाकिस्तान, पापुआ न्यू गिनी	<p>गबोन और इजरायल ने कोई भी रजिस्ट्री सर्विस के बारे में जनसाधारण के लिए संगत सूचना को शामिल करनी हेतु अपने आधिकारिक वेबसाइटों को अपग्रेड किया।</p> <p>पाकिस्तान और वेस्ट बैंक तथा गाजा ने ऑनलाइन आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित करना शुरू किया है जिससे अचल संपत्ति रजिस्ट्रीकरण एजेंसी के पास ट्रांजेक्शनों की संख्या का पता लगाया जाता है।</p>
घटे हुए कर या शुल्क	चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिबूती, गिनी, टोंगा	<p>कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने भूमि अधिग्रहण एवं संपत्ति हकदारी की लागत को कम किया। गिनी ने संपत्ति के हस्तांतरण के लिए शुल्क 2 प्रतिशत से घटाकर संपत्ति मूल्य का 1.2 प्रतिशत किया है।</p>

स्रोत : डुइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019, विश्व बैंक

- चूंकि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए इस मुद्दे का समाधान करने के लिए राज्य स्तर पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने राज्य कानूनों के माध्यम से शहरी भूमि को भी कवर करने हेतु इस कार्यविधि की परिधि को विस्तारित किया है। वैश्विक स्तर पर डेनमार्क, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भूमि मूल्य कर का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की अनेक पहल करने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन और सहायता देने की आवश्यकता है।
- विकास प्रभारों (इम्पेक्ट फीस) और बाजार-संबद्ध क्षेत्र-आधारित प्रभारों का राज्यों में भूमि-आधारित राजकोषीय साधन के रूप में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश विकास से संबंधित अनुमतियां प्रदान करते हुए, इम्पेक्ट फीस लागू कर उसकी वसूली करते हैं। यह विशेष रूप से नए विकासशील नगरों में एक महत्वपूर्ण राजस्व-अर्जक टूल के रूप में कार्य कर सकता है।

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास उपलब्ध भूमि पार्सलों को जारी करने के लिए इस मंत्रालय को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के तहत लोक उद्यम विभाग के साथ एक योजना बनानी चाहिए ताकि उपयुक्त भूमि का उपयोग किफायती आवासन परियोजनाओं के लिए किया जा सके।

### पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं

- ◇ स्थानीय निकायों के लिए 2021-26 की अवधि हेतु अनुदान का कुल आकार 4,36,361 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसमें से, 2,36,805 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, 1,21,055 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों के लिए और स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदानों के लिए 70,051 करोड़ रुपए अलग से निर्धारित किए गए हैं। नए शहरों को सहेजने के लिए 8,000 करोड़ रुपए तथा साझा नगरपालिका सेवाओं में सुविधा प्रदान करने के लिए हमने राज्यों हेतु 450 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इन साझा सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए माहौल बनाने (इकोसिस्टम-बिल्डिंग) तथा प्रक्रिया पर ध्यान देने (हैंड-होल्डिंग) दोनों कार्य करेगा।
- ◇ लेखा, लेखापरीक्षा और संपत्ति कराधान के दीर्घकालिक विलंबित मुद्दे का समाधान करने हेतु, हमने यह अनुशंसा की है कि स्थानीय निकायों के लिए अपने अनंतिम एवं लेखापरीक्षित लेखाओं, दोनों को 2021-22 के पश्चात सार्वजनिक पटल पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने की प्रारंभिक शर्त के अलावा, संबंधित राज्य द्वारा संपत्ति कर दरों के लिए न्यूनतम तल (floor) निर्धारित करना शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान प्राप्त करने हेतु एक अतिरिक्त अनिवार्य पूर्व-शर्त होगी। संपत्ति करों के बारे में विशेष अनुशंसाएं खंड I, अध्याय 7 'स्थानीय शासन का सशक्तिकरण' में की गई हैं।
- ◇ आबादी के आधार पर, शहरी स्थानीय निकायों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक के लिए अनुदानों के प्रवाह हेतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के आधार पर, अलग-अलग मानदंडों का उपयोग किया गया है। मिलियन-प्लस शहरों के लिए, अनुदानों का 100 प्रतिशत मिलियन-प्लस सिटीज चैलेंज फंड (एमसीएफ) के माध्यम से निष्पादन-संबद्ध है। बुनियादी अनुदानों का

प्रस्ताव केवल उन शहरों/नगरों के लिए किया गया है जिनकी आबादी एक मिलियन से कम है।

- ◇ श्रेणी I वाले शहरों (एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरी एग्लोमरेशन) को परिवेशी वायु गुणवत्ता और सेवा स्तरीय बैचमार्को के निष्पादन संकेतकों के आधार पर निगरानी करने के लिए एक सिंगल इकाई के रूप में माना जाएगा। परिवेशी वायु गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शहर के कुल एमसीएफ का एक-तिहाई निर्धारित किया गया है। शहर-वार एमसीएफ के शेष दो-तिहाई को पेयजल (वर्षा जल संचयन और पुनर्चक्रण सहित) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता के लिए सेवा स्तरीय बैचमार्को को पूरा करने के लिए अलग से निर्धारित किया गया है। सेवा-स्तरीय बैचमार्को के तहत पेयजल (वर्षा जल संचयन एवं पुनर्चक्रण सहित) और स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मानदंड के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों की पात्रता के निर्धारण के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।
- ◇ मिलियन-प्लस से इतर शहरों के शहरी स्थानीय निकायों के लिए बुनियादी अनुदानों का साठ प्रतिशत (क) स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए; और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन तथा जल पुनर्चक्रण में सहायता एवं सुदृढीकरण के लिए आबद्ध किया जाना चाहिए।
- ◇ मिलियन-प्लस शहरों के अलावा, अन्य शहरों में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के बीच बुनियादी अनुदान के वितरण का निर्णय लेते हुए राज्य सरकारें अनुदानों का आबंटन (केवल बुनियादी अनुदानों के तहत) राज्य के भीतर आने वाले छावनी बोर्डों के लिए प्रति व्यक्ति आधार पर किया जाएगा।



## अध्याय 11

# पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय ने देशभर में पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में अहम भूमिका निभाई है। मंत्रालय द्वारा पंचायत लेखाओं के लिए शुरू किए गए प्रियासॉफ्ट सॉफ्टवेयर ने पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। स्थानीय, राज्य और संघ सरकार के स्तरों पर भिन्न कोडिंग स्ट्रक्चर के कारण लेखाओं के इंटर-ऑपेबिलिटी का अभाव मंत्रालय द्वारा समाधान किए जाने वाले मुख्य मुद्दों में से एक है। शासन के तीनों स्तरों पर लेखा मानकों का एकसमान मानकीकृत किए जाने की आवश्यकता है।


राज्य वित्त आयोगों का सशक्तिकरण, तीसरे स्तर के शासन पर मानव संसाधन सक्षमता को बढ़ाने हेतु ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए निष्पादन आधारित भुगतानों पर समिति की रिपोर्ट (सुमित बोस समिति) की अनुशंसाओं के आधार पर कार्य करना तथा डिजिटल क्रांति को जमीनी स्तर तक पहुंचाना मंत्रालय के प्रमुख कार्य क्षेत्र होने चाहिए।

### मंत्रालय की समग्र प्रोफाइल

1. पंचायती राज मंत्रालय के अधिदेश के अनुसार, उसे संविधान के भाग IX के उपबंधों, अनुच्छेद 243ZD के अनुसार जिला योजना समितियों के बारे में उपबंध और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम (PESA) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। मंत्रालय का मिशन पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना, उन्हें समर्थ और जवाबदेह बनाना है ताकि सामाजिक न्याय और सेवाओं की दक्षतापूर्ण सुपुर्दगी के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। संघ के 2020-21 के बजट में मंत्रालय के लिए 901 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जो कि संघ सरकार के 2020-21 के कुल बजट का 0.03 प्रतिशत और अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद


(जीडीपी) का 0.004 प्रतिशत है। मंत्रालय के लिए वर्ष-वार आबंटन को चित्र 1 में दर्शाया गया है। चित्र 2 में मंत्रालय के शीर्ष-वार व्यय को दर्शाया गया है। हाल ही के वर्षों में, इस व्यय का अधिकतर भाग केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) पर खर्च किया गया था।

चित्र 1 : पंचायती राज मंत्रालय का व्यय



स्रोत : संघ के बजट एवं सीएसओ

चित्र 2 : शीर्ष-वार व्यय (प्रतिशत)



स्रोत : संघ के बजट

2. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में से, तीन मुख्य योजनाएं 2017-18 तक केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं थीं जिन्हें 2018-19 से सीएसएस में परिवर्तित कर दिया गया था। ये तीन मुख्य योजनाएं हैं – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), पंचायतों को प्रोत्साहन देना और ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना।

**तालिका 1 : केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं**

शीर्ष	केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (करोड़ रु.)			सीएसएस (करोड़ रु.)		
	2015-16	2016-2017	2017-2018	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
	कुल व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय
क्षमता निर्माण – पंचायत सशक्तिकरण अभियान (पीएसए)/ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	184.4	592.8	622.4	598	433	791
पंचायतों को प्रोत्साहन		33	34	41	25	47
ई-पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना		16.6	12.8	10.1	7.5	20
अन्य योजनाएं	6.3	12.6	12.3			
<b>कुल</b>	<b>190.7</b>	<b>654.9</b>	<b>681.5</b>	<b>649</b>	<b>465</b>	<b>858</b>

स्रोत : संघ सरकार के बजट

नोट : अन्य योजनाओं में ऐक्शन रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय योगदान, मिडिया एवं प्रचार, पंचायत भवनों में एटीएम सेवाएं शामिल हैं।

## गांवों के मानचित्रण के लिए हाल ही में की गई पहल

**SVAMITVA** (स्वामित्व) योजना से अभिप्राय है ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण करना।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बसी आबादी वाली भूमि का सीमांकन करना और इन क्षेत्रों का डिजिटल रूप में मानचित्र तैयार करना है। योजना के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति वैधीकरण समाधान उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण भारत के नागरिकों द्वारा संपत्ति का एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सहायता करना।
- ग्रामीण नियोजन के लिए यथार्थ भूमि अभिलेखों को सृजित करना।
- संपत्ति कर को निर्धारित करना।

- सर्वेक्षण अवसंरचना और जीआईएस मानचित्र का सृजन करना जिनका लाभ किसी भी विभाग द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए लिया जा सकता है।
- राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से जुड़ी 60,000 ग्राम पंचायतों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पंचायतों में स्थानिक योजनाओं को बढ़ावा देना। ये स्थानिक योजनाएं निम्नलिखित के लिए एक आधार होंगी :
  - ◇ विकास और परिवर्तन के लिए नियोजन करने में, जिनसे व्यवस्थित एवं पूर्वानुमानीय ढंग से विकास कार्य करना।
  - ◇ अवसंरचना और सार्वजनिक सुविधाओं को विकसित और अनुरक्षित करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करना।
  - ◇ स्थानीयता की पहचान का संवर्धन करना और भावी नीति निर्णयों के लिए एक फ्रेमवर्क का सृजन करना।
  - ◇ भूस्वामियों, डेवलपर्स और सरकारी प्राधिकारियों का मार्गदर्शन प्रदान करना।


## अंतर-राज्य तुलना

3. तालिका 2 यह परिलक्षित करती है कि देशभर में लगभग 2.6 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों में लगभग 3.1 मिलियन प्रतिनिधि नियमित रूप से निर्वाचित होते हैं। ये प्रतिनिधि जमीनी स्तर पर मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने में नागरिकों और सरकार के बीच प्राथमिक इंटरफेस होते हैं।

तालिका 2 : पंचायती राज संस्थाओं पर प्राथमिक डाटा

पंचायती राज संस्थाओं की सं.	ग्राम पंचायतों की सं.	ब्लॉकों की सं.	जिला पंचायतों की सं.	पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों की सं.	निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सं.
263028	255549	6825	654	31.00 लाख	13.76 लाख (44%)


4. नीचे दिए गए मानचित्र में प्रति ग्राम पंचायत की औसत आबादी को दर्शाया गया है।



Source: MoPR, Presentation to FC-XV

5. मंत्रालय ने सेवाओं की पहुंच एवं अवसंरचना, सामाजिक विकास एवं सुरक्षा, आर्थिक विकास और आजीविकाओं के विविधीकरण से संबंधित संकेतकों के आधार पर ग्राम पंचायतों के निष्पादन के मापन के लिए प्रत्येक राज्य हेतु एक स्कोर निर्धारित किया है। स्कोर को सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 तथा 2011 की जनगणना के डेटा के आधार पर निर्धारित किया गया है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सूचकांक में अग्रणी राज्य हैं।


चित्र 3 : पंचायतों की राज्य-वार स्कोरिंग



स्रोत : पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग को दिया गया प्रस्तुतीकरण  
 नोट: रैंकिंग क्रम : उच्च स्कोर-न्यून स्कोर : सर्वश्रेष्ठ से सबसे खराब


6. चित्र 4 में संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के उनतीस कार्यों के हस्तांतरण में राज्यों के बीच विचलन को दर्शाया गया है। चित्र 5 में स्कैटर प्लॉट को दर्शाया गया है कि नीति के अनुसार हस्तांतरण और वास्तविक तौर पर हस्तांतरण में राज्य किस प्रकार रैंक प्राप्त करते हैं। दोनों चित्रों से यह अवलोकन किया जा सकता है कि केरल और कर्नाटक ने अपने तीसरे स्तर के शासन को कार्यों का हस्तांतरण नीति के अनुसार वास्तविक तौर पर किया है।

चित्र 4 : राज्यों को 29 विषयों का हस्तांतरण



Source: MoPR and MoRD presentation to FC-XV

चित्र 5 : नीति के अनुसार और वास्तविक तौर पर कार्यों के हस्तांतरण के सूचकांकों के आधार पर राज्यों की तुलना



स्रोत : पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कराई गई रिपोर्ट ऑफ डिवोल्यूशन स्टडी 2015-16,  
<https://www.panchayat.gov.in/web/guest/activities/schemes>  
 नोट: रैंकिंग क्रम : न्यून रैंक से उच्च रैंक : सर्वश्रेष्ठ से सबसे खराब

## बॉक्स 1 : वित्त आयोगों द्वारा प्रस्तावित अनुदान

<p><b>दसवां वित्त आयोग</b></p>	<p>चूंकि दसवें वित्त आयोग का गठन तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों के लागू होने के एक वर्ष पहले सन् 1992 में हुआ था, इसलिए उसके टीओआर में स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों पर विचार करने का उल्लेख नहीं किया गया था। फिर भी, उसने स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की थी, जो ग्रामीण स्थानीय निकाय और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित विभाज्य फूलों के 1.38 के बराबर थे, ताकि आयोग की पंचाट अवधि के दौरान उन्हें सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने में उन्हें सहायता दी जा सके।</p>	<p>आयोग ने अपनी पंचाट अवधि के दौरान 4,381 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की।</p>
<p><b>ग्यारहवां वित्त आयोग</b></p>	<p>ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी पंचाट अवधि के दौरान 8,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की।</p>	<p>ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी पंचाट अवधि के दौरान 8,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की।</p>
<p><b>बारहवां वित्त आयोग</b></p>	<p>ग्यारहवें वित्त आयोग से लेकर चौदहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय में उनसे 'राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों हेतु सहायता देने के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्य की संचित निधि का वर्धन करने हेतु अपेक्षित उपायों"'का आकलन करने की अपेक्षा की गई थी।</p>	<p>बारहवें वित्त आयोग ने अपनी पंचाट अवधि के दौरान 20,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की।</p>
<p><b>तेरहवां वित्त आयोग</b></p>	<p>तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी पंचाट अवधि के दौरान 65,161 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की।</p>	<p>तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी पंचाट अवधि के दौरान 65,161 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की।</p>
<p><b>चौदहवां वित्त आयोग</b></p>	<p>चौदहवें वित्त आयोग ने अपनी पंचाट अवधि के दौरान 2,00,292 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की।</p>	<p>चौदहवें वित्त आयोग ने अपनी पंचाट अवधि के दौरान 2,00,292 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की।</p>

## पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 की अपनी रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं

- अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में हमने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 60,750 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की थी। यद्यपि 50 प्रतिशत अनुदान अनाबद्ध थे, शेष 50 प्रतिशत स्वच्छता और जलापूर्ति (जो कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के समरूप हैं) के लिए आबद्ध अनुदान थे। 2020-21 में अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई शर्तें नहीं लगाई गई थीं।



## पंद्रहवें वित्त आयोग को मंत्रालय द्वारा दिए गए मुख्य प्रस्ताव

- मंत्रालय ने हमें संशोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं को उजागर किया था :
  - ◇ मंत्रालय ने यह सुझाव दिया था कि पंद्रहवां वित्त आयोग अपनी संशोधित पंचाट अवधि 2021-26 के लिए पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान 10 लाख करोड़ रुपए करने पर विचार करे।
  - ◇ आयोग अपनी 2020-21 की रिपोर्ट के प्रावधानों की संगतता में, पंचाट अवधि (2021-25) के प्रारंभिक चार वर्षों के लिए पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदानों के हस्तांतरण को 50 प्रतिशत मूलभूत सेवाओं की सुनिश्चिता के लिए अनाबद्ध रखे और शेष 50 प्रतिशत को पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए आबद्ध रखे। इसके पश्चात, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता में प्रत्याशित क्रमिक ठहराव को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 में 25 प्रतिशत को जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए आबद्ध रखे तथा 75 प्रतिशत को अनाबद्ध रखे। अनाबद्ध अनुदानों में से, पंचायती राज संस्थाओं को आउटसोर्सिंग या संविदा के माध्यम से मूलभूत सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनको यह भी अनुमति होनी चाहिए कि वे विभिन्न राजस्व/आवर्ती व्ययों, जैसे कि प्रचालन, रखरखाव, मजदूरी भुगतान, इंटरनेट एवं टेलीफोन के खर्च, ईंधन खर्च, किराया और आपदाओं के दौरान आकस्मिक व्यय हेतु अनुदान का उपयोग कर सकें।
  - ◇ मंत्रालय ने 2021-26 की पांच-वर्ष की अवधि के लिए 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान का प्रस्ताव किया है ताकि राज्य उन ग्राम पंचायतों में (जिनके पास अभी तक अपना स्वयं का पंचायत भवन नहीं है) समयबद्ध रूप से पंचायत भवनों का निर्माण करा सकें।

## चुनौतियां

### पंचायतों की लेखापरीक्षा और लेखा

- ग्यारहवें वित्त आयोग से लेकर सभी वित्त आयोगों ने इस बात को उठाया है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के संबंध में विश्वसनीय वित्तीय डाटा का अभाव है जिससे उन्हें मुख्य कार्यों को निष्पादित करने के लिए संसाधनों और विकास व्यय की आवश्यकता का यथार्थ रूप में आकलन करने में कठिनाई आई है और उन्होंने पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा लेखापरीक्षा तथा लेखाओं को उचित रूप से कायम रखने की आवश्यकता पर बल दिया है।

### राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) की स्थिति

- संविधान के अनुच्छेद 243-I (1) और 243-Y (1) में राज्य वित्त आयोगों के गठन का अधिदेश दिया गया है। यद्यपि छठवें एसएफसी का गठन 2019-20 तक किया जाना था, मगर केवल चार राज्यों ने ही एसएफसी का गठन किया है। कई राज्यों में अभी भी दूसरे या तीसरे एसएफसी का गठन किया गया है।
- यह भी पाया गया है कि एसएफसी को खराब प्रशासनिक सहायता, अपने सहज कार्यकरण के लिए अपर्याप्त संसाधनों और ऐक्शन टेकन रिपोर्टों (एटीआर) के साथ अपनी रिपोर्टों को राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत करने में बिलंब जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार, एसएफसी के गठन के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में उनके द्वारा लिया गया औसत समय 2½ वर्ष है और औसत बिलंब लगभग सोलह माह है।

## तालिका 3 - एसएफसी के गठन की स्थिति

राज्य	पिछले एसएफसी का गठन
असम, बिहार, पंजाब, राजस्थान	VI
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश	V
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल	IV
छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड और मणिपुर	III
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम	II
पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर एवं तेलंगाना	I

स्रोत : पंद्रहवें वित्त आयोग को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण


## एसएफसी द्वारा अनुशंसित हस्तांतरणों में भिन्नता एवं विचलन

- एनआईपीएफपी अध्ययन में यह उल्लेख किया गया है कि तेरहवें वित्त आयोग (2010-11 से 2014-15) की पंचाट अवधि के दौरान राज्यों के बीच एसएफसी प्रति व्यक्ति अंतरण अनुशंसाओं में काफी विचलन था। औसत प्रति व्यक्ति हस्तांतरण सिक्किम में 48 रुपए से लेकर कर्नाटक में 3,112 रुपए के बीच था। सभी राज्यों की औसत 599 रुपए थी। चौदहवें वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20) की पंचाट अवधि के दौरान, औसत प्रति व्यक्ति एसएफसी हस्तांतरण ओडिशा के संबंध में 147 रुपए से लेकर कर्नाटक के संबंध में 6,090 रुपए था, जबकि सभी राज्यों का औसत प्रति व्यक्ति अंतरण 1,180 रुपए था।
- समग्र रूप से, राज्यों (कर्नाटक को शामिल नहीं करने के बाद<sup>1</sup>) द्वारा एसएफसी पंचाटों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए किए गए प्रति व्यक्ति हस्तांतरण में औसत वृद्धि 2010-11 और 2019-20 की अवधि के दौरान लगभग 62 प्रतिशत थी। यह समान अवधि में प्रति व्यक्ति वित्त आयोग हस्तांतरण में 221 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी कम है। प्रति व्यक्ति एसएफसी हस्तांतरण के अनुशंसित न्यून स्तर और राज्यों के

<sup>1</sup> औसत प्रति व्यक्ति अंतरण में कर्नाटक एक आउटलायर है। 2015-15 से 2019-20 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान, औसत प्रति व्यक्ति अंतरण ओडिशा में 146.78 रुपये से कर्नाटक में 6,090.06 रुपये के बीच है। सभी राज्यों की औसत के परिकलन के लिए राज्य को शामिल करने के पश्चात राज्य-विशिष्ट औसत में विचलन आया है।

बीच व्यापक विचलन को देखते हुए, वित्त आयोगों की भूमिका संविधान में मूल रूप से कल्पित भूमिका की तुलना में काफी महत्वपूर्ण हो गई है।

चित्र 6: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को किया गया प्रति व्यक्ति हस्तांतरण



## स्थानीय निकायों में मानव संसाधन

- ग्राम पंचायतें संघ सरकार द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रमों, जैसे कि मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में एक एजेंसी की तरह कार्य करती हैं। ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची से संबद्ध सेवा सुपुर्दगी के कार्य आते हैं।
- यह पाया गया है कि ग्राम पंचायतें एजेंसी वाले कार्यों पर ज्यादा केंद्रित रहती हैं (क्योंकि ये कार्यक्रम बेहतर वित्तपोषित होते हैं) और अपने स्वयं के कार्यों को नज़रअंदाज करती हैं।
- यह एक सामान्य चिंता का विषय रहा है कि देश में अधिकांश स्थानीय निकाय गुणवत्ता मानव संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कुछ राज्यों को छोड़कर, पंचायती राज संस्थाओं में इस संबंध में सुधार लाने के लिए ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है।

## प्रिया सॉफ्ट - लेखाओं की इंटर-ऑपेबिलिटी का अभाव

- प्रियासॉफ्ट प्रणाली के अंतर्गत लेखाकरण कोड की चार-स्तरीय संरचना है – शीर्ष कोड, लघु कोड, स्कीम कोड और ऑब्जेक्ट कोड। जबकि, संघ और राज्य सरकारों के लिए छः स्तरीय लेखाकरण कोड है। किसी भी शीर्ष (heads) के स्तर पर लेखाकरण कोडों की मैपिंग में कोई संगतता नहीं है। तालिका 4 में मुख्य शीर्ष स्तर पर मुख्य कोडों की मैपिंग में असंगतता के कुछ उदाहरणों का स्नैपशॉट दिया गया है।

तालिका 4 : लेखा वर्गीकरण में भिन्नता का उदाहरण

राज्य और संघ सरकार के लेखाओं के लिए लेखाकरण वर्गीकरण	पंचायतों के लिए लेखाकरण वर्गीकरण (PriyaSoft)
2403 –पशुपालन	2403 –पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट और ईधन एवं चारा
2404 –डेयरी विकास	
2210 –चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2210 –स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
2211- परिवार कल्याण	
0406 –वानिकी एवं वन्यजीव	0406 –वानिकी

स्रोत : प्रियासॉफ्ट मैनुअल

## बाहर रखे गए क्षेत्रों के संदर्भ में

- संविधान के अनुच्छेद 243M और 243ZC यह निर्दिष्ट करते हैं कि तिहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संशोधन अनुसूचित क्षेत्रों, जहां राज्यों ने विधिवत रूप से पंचायतों और नगरपालिकाओं को स्थापित करने के लिए कानून नहीं बनाए/लागू किए हैं (अनुच्छेद 244का खंड 1), जनजातीय क्षेत्रों (अनुच्छेद 244का खंड (2)) तथा 243M के खंड 2 एवं 3 और अनुच्छेद 243ZC के खंड 2 एवं 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर लागू नहीं हैं। वित्त अयोगों ने इन क्षेत्रों के लिए अनुदान करने में भिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं।

<b>बॉक्स 2 : वित्त आयोगों द्वारा दिए गए अनुदान</b>	
ग्यारहवां वित्त आयोग	आयोग ने यह निर्दिष्ट किया कि बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए उसके पंचाट को संबंधित राज्यों के लिए तभी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जब वे उक्त क्षेत्रों के लिए तिरहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों के उपबंधों को लागू करने हेतु संबद्ध विधायी कानूनों का अधिनियमन कर लें।
बारहवां वित्त आयोग	आयोग ने इस बात को ध्यान में रखकर की इन बाहर रखे गए क्षेत्रों पर तिरहत्तरवें और चौहत्तरवें संशोधनों के कतिपय उपबंधों को लागू करने के लिए छठी अनुसूची को संशोधित करने हेतु एक विधेयक उस समय में गृह मंत्रालय के विचाराधीन था, सामान्य और बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए अलग से अनुदान नहीं किए और उनके बीच अनुदानों के वितरण का विषय राज्यों पर छोड़ दिया था।
तेरहवां वित्त आयोग	आयोग ने संविधान के भाग IX और IX-A, अनुच्छेद 244, 280 और 275 को ध्यान में रखते हुए बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए 1,357 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की थी।
चौदहवां वित्त आयोग	आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा नहीं की।
पंद्रहवां वित्त आयोग (2020-21)	पांचवीं और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के लिए अनुदानों की अनुशंसा की।

हितधारकों के साथ परामर्श के दौरान, राज्यों ने यह बात रखी की समान स्थानीय स्तरीय इकाइयों द्वारा मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु उनके संसाधनों का वर्धन करने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों के भीतर तीनों स्तरों तथा बाहर रखे गए क्षेत्रों (पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची) के लिए एक समावेशी एवं समान दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

### लेखा और लेखापरीक्षा- सभी राज्यों में पीयर लर्निंग

- कई राज्य अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा और लेखाओं का सत्यापन स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय (डीएलएफए) के माध्यम से करा रहे हैं। तथापि, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे बाह्य एजेंटों को यह कार्य सौंपे जाने की प्रथा बढ़ रही है। सभी राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

## तालिका 5 : कुछ राज्यों के लेखाओं और लेखापरीक्षाओं की स्थिति

राज्य	स्थिति
छत्तीसगढ़	शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखा तैयार करने और लेखापरीक्षा करने का कार्य चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को सौंपा गया है, और लेखाओं को प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय की आम सभा के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।
मध्य प्रदेश	लेखाओं को स्थानीय निकायों के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा तैयार कर सत्यापित किया जाता है।
राजस्थान	डीएलएफए और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं को सत्यापित करते हैं।
सिक्किम	<ul style="list-style-type: none"> <li>डीएलएफए, स्थानीय लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है और सिक्किम विधानसभा को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।</li> <li>राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लेखाओं को सत्यापित करते हैं।</li> </ul>

स्रोत: सीएजी से प्राप्त इनपुट से संकलित

## एसएफसी का समय पर गठन

- मंत्रालय को एसएफसी के समयबद्ध रूप से गठन की दिशा में राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए, जैसा कि उनके गठन के बारे में संविधान में निर्दिष्ट किया गया है।

## नीति के अनुसार हस्तांतरण बनाम वास्तविक तौर पर हस्तांतरण

- नीति के अनुसार हस्तांतरण की तुलना में वास्तविक तौर पर हस्तांतरण के संदर्भ में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ राज्यों का हस्तांतरण सराहनीय नहीं है। पंचायती राज मंत्रालय इन राज्यों के साथ एक सलाहकार की भूमिका निभाए ताकि जमीनी स्तर पर निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों का वास्तविक एवं प्रभावकारी हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके।

## मूल कार्यों और एजेंसी वाले कार्यों का विभाजन

- यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं के एजेंसी कार्यों के लिए पदाधिकारियों की लागत प्रायोजक एजेंसियों द्वारा वहन की जाएगी, किंतु मूल कार्यों के निष्पादन के लिए लागत पंचायती राज संस्थाओं को राज्यों द्वारा दी गई बजटीय सहायता, स्वयं के आंतरिक राजस्वों, एसएफसी अनुदान और वित्त आयोगों से मूलभूत अनुदान से वहन करनी होगी।

- राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के समन्वय में पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिकों का निरंतर क्षमता निर्माण करें।
- मानव संसाधनों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए बैचमार्को पर निर्णय पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के समन्वय में लिया जाना चाहिए।
- इन दोनों मंत्रालयों को, राज्यों को समस्त पदानुक्रमों (hierarchies) पर सभी स्टाफ सदस्यों के लिए एक पूर्ण सक्षमता फ्रेमवर्क विकसित करने में सहायता देनी होगी।

### पंचायती राज बनाम जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां

- ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के समन्वय और बेहतर प्रबंधन एवं कार्यान्वयन की सुनिश्चितता के लिए प्रशासनिक पुनःगठन की आवश्यकता है जिसके लिए राज्य-स्तरीय पंचायती राज विभाग और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) का विलय एक एकल इकाई (सिंगल एन्टिटी) में किया जाना चाहिए।
- तिहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, डीआरडीए को जिला परिषदों के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत कार्य करना होगा। कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश में डीआरडीए का विलय पहले ही जिला परिषदों में हो चुका है। हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, जिला परिषदों का अध्यक्ष डीआरडीए का भी अध्यक्ष है।

### संघ सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों में स्थायी मानकीकृत लेखाकरण कोड

- स्थानीय निकायों की मूल लेखाकरण प्रणाली का अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है और स्थानीय निकायों के राजस्व एवं व्यय के लेखाओं का सरकारी वित्त सांख्यिकी (जीएफएस) के साथ एकीकरण के दीर्घकालिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए गंभीरता से कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय ने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है जिसे गति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।



## लेखाओं की लेखापरीक्षा और एकीकरण के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहल

- एकीकृत लेखा अनुरक्षण प्रणाली के लिए, मंत्रालय ने लेखाओं के हार्मोनाइजेशन हैड के लिए फरवरी 2020 में एक तकनीकी समिति गठित की, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखाकार, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के प्रतिनिधि शामिल थे।
- लेखापरीक्षकों (या तो राज्य महालेखापरीक्षक या स्थानीय निधि के लेखापरीक्षक) द्वारा पंचायतों के लेखाओं के वित्तीय लेखापरीक्षा में सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने ऑडिट-ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत की है। ऑडिट-ऑनलाइन एप्लीकेशन न केवल लेखाओं की लेखापरीक्षा में सुविधा प्रदान करता है, बल्कि लेखापरीक्षा अभिलेखों को अनुरक्षित रखने में भी सहायता करता है।
- ऑडिट-ऑनलाइन की शुरुआत 15 अप्रैल, 2020 को राज्यों के साथ हुई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जहां पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा को समय पर पूरा करने की सुनिश्चिता के लिए ऑनलाइन ऑडिट शुरू करने की समय-सीमा सहित विभिन्न कार्रवाई योग्य मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्रालय द्वारा एक प्रारूप ऑडिट-मैनुअल भी तैयार किया गया जिसे राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया।
- ऑडिट-ऑनलाइन की सफल शुरुआत के लिए, राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि वे निम्नलिखित कार्यों को एक समयबद्ध प्रक्रिया में पूरा करें:
  - ◇ 2019-20 के लिए लेखा-बही (account books) को प्रियासॉफ्ट में बंद करना।
  - ◇ ऑडिट-ऑनलाइन में लेखापरीक्षकों का पंजीकरण
  - ◇ लेखापरीक्षा योजना तैयार करना
  - ◇ लेखापरीक्षा से जुड़े अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा करना
  - ◇ पंचायत लेखाओं की ऑनलाइन लेखापरीक्षा की पूर्ण प्रक्रिया को पूरा करना

## पंद्रहवें वित्त आयोग की अपनी अंतिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं

- स्थानीय निकायों के लिए 2021-26 की अवधि हेतु अनुदान का कुल आकार 4,36,361 करोड़ रुपए है। इसमें से 2,36,805 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, 1,21,055 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों के लिए और स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदानों हेतु 70,051 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नए शहरों की स्थापना के लिए हमने राज्यों हेतु 8,000 करोड़ रुपए तथा साझा नगर सेवाओं में सुविधा प्रदान करने हेतु 450 करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा की है।
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षित संसाधनों के लिए सहायता देने हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का 60 प्रतिशत (क) स्वच्छता और ओडीएफ स्थिति को कायम रखने: और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के सुदृढीकरण एवं सहायता के लिए आबद्ध है।
- चूंकि प्रति व्यक्ति अनुदान के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक पात्र है, इसलिए अनुदानों का वितरण उन क्षेत्रों को भी किया जाना चाहिए जिनसे पंचायतों की स्थापना करने की अपेक्षा नहीं की गई है (पांचवीं और छठीं अनुसूची वाले क्षेत्र तथा बाहर रखे गए क्षेत्र) ताकि समान स्तर के निकायों द्वारा मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उनके संसाधनों का वर्धन किया जा सके।

## अध्याय 12


# विद्युत मंत्रालय

विद्युत मंत्रालय जुलाई 1992 में स्वतंत्र मंत्रालय बना; इससे पहले यह एक विभाग था जो विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अधीन था। इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी देश में विद्युत ऊर्जा उत्पादन को विकसित करना है। इस दिशा में मंत्रालय भावी योजना, नीति निर्धारण का परियोजना प्रस्तावों की प्रक्रिया, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास और थर्मल, हाइड्रो पावर उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से संबंधित विधायन पारित करने और उसके कार्यान्वयन करने जैसे कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र का विकास व उसकी स्थिति समग्र अर्थव्यवस्था विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि से लेकर सेवाओं तक सभी क्षेत्र इस पर निर्भर हैं। विद्युत मंत्रालय, विद्युत अधिनियम, 2003 और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। विद्युत संविधान की सातवीं अनुसूची के समवर्ती विषय के रूप में उल्लिखित है, जिसका तात्पर्य है कि मंत्रालय को राज्य सरकारों के घनिष्ठ सहयोग में कार्य करना होगा।

### मंत्रालय की समग्र प्रोफाइल

1. केंद्रीय बजट 2020-21 में विद्युत मंत्रालय के लिए लगभग 16,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जो संघ सरकार के 2020-21 के कुल बजट का 0.52 प्रतिशत और अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.07 प्रतिशत है। विद्युत मंत्रालय के बजट का वर्ष-वार आबंटन चित्र 1 में दर्शाया गया है।


चित्र 1: मंत्रालय का कुल व्यय



स्रोत : संघ के बजट

2. कुल व्यय में अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय का अंश वर्ष 2015-16 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2020-21 (बीई) में 21 प्रतिशत हो गया है, जबकि स्थापना व्यय वर्ष 2020-21 में 1.7 प्रतिशत से घटकर 1.3 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर व्यय, जो 2015-16 में 95.1 प्रतिशत था, 2020-21 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 77.7 प्रतिशत हो गया।


चित्र 2: कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मंत्रालय की शीर्ष-वार व्यय



स्रोत : संघ के बजट

3. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना पर व्यय 2016-17 में 34.1 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 (बीई) में 36.5 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर कुल व्यय की तुलना में समेकित विद्युत विकास योजना पर व्यय भी 2017-18 में 30.9 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 (बीई) में 43 प्रतिशत हो गया है। व्यय का पैटर्न उस दिशा के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र इस समय अग्रसर है।


**चित्र 3: केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं/परियोजनाओं पर कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं/परियोजनाओं पर व्यय**



स्रोत : संघ के बजट

4. मंत्रालय द्वारा शासित दो प्रमुख लोक उद्यमों में निवेश 2015-16 और 2020-21 (बीई) के बीच घटा है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) में यह 2015-16 में कुल निवेश के 45.8 प्रतिशत से घटकर 2020-21 (बीई) में 42 प्रतिशत हो गया और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) में यह 2020-21 में इसी के दौरान 40.2 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत हो गया है।


चित्र 4: कुल निवेश के प्रतिशत के रूप में लोक उद्यमों में निवेश का विवरण



स्रोत : संघ के बजट


नोट: निवेश में लोक उद्यमों के लिए आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईवीआर) घटक शामिल है।

चित्र 5: विद्युत में क्षेत्र-वार कुल संस्थापित क्षमता (31 मार्च, 2020 तक)



स्रोत : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)

चित्र 6: विद्युत में ईंधन-वार कुल संस्थापित क्षमता (31 जुलाई, 2020 तक)



स्रोत : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए)

नोट: नवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत (RES) में लघु हाइड्रो परियोजना, बायोमास गैसिफायर, बायोमास पावर, शहरी एव औद्योगिक अपशिष्ट पावर, सोलर एवं पवन ऊर्जा शामिल है।

## कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निपटने हेतु की गई पहलें

- कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से बिजली की खपत में भारी गिरावट आई। अप्रैल-जून, 2020 की अवधि में, बिजली खपत में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 18.3 प्रतिशत की कमी आई। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि औद्योगिक एवं वाणिज्यिक खपत में बहुत तेजी से गिरावट आई है, जो वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए दो प्रमुख राजस्व अर्जक साधन हैं। कोविड से संबंधित मंदी का बिजली खपत पर स्पष्ट रूप से दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है, जिससे बिजली की मांग और उससे प्राप्त होने वाले राजस्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- इस महामारी का संघ सरकार और राज्य सरकारों, दोनों के संसाधनों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकारों के राजस्वों के वर्द्धन के लिए संघ सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2020-21) में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त ऋण सीमा की सहमति प्रदान की। इसमें से 0.25 प्रतिशत को हमने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में की गई अनुशंसा की संगतता में इस वित्तीय वर्ष में विद्युत क्षेत्र में सुधार करने वाले राज्य सरकारों से संबद्ध किया था:

- क. लक्ष्यों के अनुसार किसी राज्य में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (एटी एंड सी) को कम करने के लिए राज्य के जीएसडीपी के 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सीमा की अनुमति दी गई है।
- ख. लक्ष्यों के अनुसार किसी राज्य में औसत आपूर्ति लागत और अर्जित औसत राजस्व (एसीएस-एआरआर अंतर) के बीच अंतर को कम करने के लिए राज्य के जीएसडीपी के 0.05 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सीमा की अनुमति दी गई है।
- ग. किसानों को दी गई निःशुल्क बिजली के बदले में राज्य में सभी किसानों को सब्सिडी राशि देने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को शुरू करने के लिए राज्य के जीएसडीपी के 0.15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त ऋण सीमा की अनुमति दी गई है। इसके लिए पात्र बनने हेतु, राज्य सरकार को (क) डीबीटी योजना को निरूपित करना और (ख) 31 दिसंबर, 2020 तक कम से कम एक जिले में इस योजना को कार्यान्वित करना होगा।
7. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, (पीएफसी) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (आरईसी) के माध्यम से 90,000 करोड़ रुपए की नकदी-तरलता (liquidity) को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। ये ऋण राज्य सरकार की गारंटियों के साथ दो समान किस्तों में दिए जाएंगे और बिजली वितरण कंपनियों द्वारा इस राशि का उपयोग केवल पारेषण (transmission) एवं बिजली उत्पादन कंपनियों की बकाया राशि चुकाने के लिए किया जाएगा। इस पहल के अंतर्गत, आरईसी और पीएफसी बिजली वितरण कंपनियों को संक्रमण काल के दौरान दस वर्ष तक विशेष दीर्घकालिक ऋण प्रदान करेंगे जिनके पास उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत निर्धारित कार्यशील पूंजी सीमाओं के भीतर अनुवर्ती उधार लेने की सुविधा होगी। उन बिजली वितरण कंपनियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। जिसके पास यह सुविधा नहीं है।



## चुनौतियां

### थर्मल पावर उत्पादन

- थर्मल पावर में डीज़ल, गैस और कोयला चालित बिजली उत्पादन शामिल है, जो भारत में कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 62 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में मुख्य चुनौतियां निम्न प्रकार हैं :
  - ◇ विद्युत ऊर्जा खपत और आर्थिक कार्यकलाप स्तर के बीच गहन संबंध है। महामारी की शुरुआत से ही उन औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में विद्युत की मांग में तीव्र गिरावट आई है जो अधिकतर थर्मल पावर संयंत्रों से विद्युत प्राप्त करते हैं।
  - ◇ ईंधन उपलब्ध नहीं होने से थर्मल पावर क्षेत्र तेजी से प्रभावित हो रहा है। गैस उपलब्ध नहीं होने के कारण 20,000 मेगावाट से अधिक की गैस-आधारित क्षमता कार्यशील नहीं है, जबकि कोयले की आपूर्ति कोयला चालित थर्मल संयंत्रों की वास्तविक आवश्यकता का केवल लगभग 65 प्रतिशत है। इससे आयातित कोयले पर निर्भरता बढ़ रही है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है।
  - ◇ विगत में, थर्मल पावर संयंत्रों को कोयला उपलब्ध कराए जाने हेतु किए प्रयास सफल नहीं रहे हैं। यद्यपि निजी क्षेत्रों को इकतालीस नये कोयला खंडों की नीलामी करने की घोषणा हाल ही में की गई है, फिर भी इस मुद्दे का समाधान करने के लिए मूलतः एक नया दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
  - ◇ कतिपय क्षेत्रों में बैंक ऋण सीमा के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र में दबाव से निधियों की उपलब्धता में कमी आई है। इसके अतिरिक्त, थर्मल पावर उत्पादन परियोजनाओं के प्रवर्तकों (promoter) को पूंजी जुटाने और ऋण अदायगी करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
  - ◇ थर्मल क्षेत्र द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं। इसके प्रशमन के उपाय महंगे हैं जैसा कि 2022 तक नए उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने में विद्युत संयंत्रों द्वारा हाल में की गई कार्रवाइयों में परिलक्षित हुआ है। इसके लिए फ्लू गैस डिसल्फुराईजेशन (एसजीडी) प्रणाली संस्थापित किया जाना अनिवार्य है, जिसकी लागत उच्च है।
  - ◇ वर्षों से चली आ रही लोकलुभावन प्रशुल्क योजनाएं, बढ़ती एटी एंड सी हानियां और परिचालनीय अक्षमताओं से राज्य बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे ने केवल मांग में कमी आई है, बल्कि बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बकाया राशि के भुगतान में भी देरी हुई है। इससे अंततः थर्मल पावर संयंत्रों की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है।

- ◇ संयंत्र की न्यून दक्षता से न केवल संयंत्रों में अधिक कोयला जलता है, बल्कि उत्सर्जित कार्बनडाइऑक्साइड गैस की मात्रा में भी वृद्धि होती है। चूंकि थर्मल संयंत्र भारत में विद्युत उत्पादन का मुख्य आधार हैं, इसलिए अक्षम संयंत्रों को आधुनिकीकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिस्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

## बिजली वितरण क्षेत्र

- बिजली वितरण क्षेत्र संपूर्ण विद्युत मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी रहा है और अधिकतर राज्यों में वितरण संबंधित सुधार अधूरे हैं। यह क्षेत्र विभिन्न उपभोक्ता समूहों को लागत से भी कम प्रशुल्क पर एवं मीटर रहित बिजली की आपूर्ति, कृषि को निःशुल्क बिजली, राज्य सरकारों द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को वादा की गई सब्सिडी उपलब्ध नहीं देने, उच्च एंटी एंड सी हानियां एवं खराब विनियामक अभिशासन के कारण दीर्घकाल से वित्तीय स्थायित्व से जुझ रहा है।
- राज्य के वित्त पर उदय योजना का आंशिक प्रभाव रहा है और कुछेक राज्य एसीएस-एआरआर अंतर को समाप्त करने और 2019-20 में एंटी एंड सी हानियों को कम कर 15 प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं। 2018-19 में एसीएस-एआरआर अंतर 72 पैसे प्रति किलोवाट घंटा के उच्च स्तर पर रहा है और राष्ट्रीय एंटी एंड सी हानियां 22.03 प्रतिशत थीं।
- राज्य सरकारें विद्युत क्षेत्र को मुख्य रूप से पारेषण एवं वितरण कंपनियों के पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण करने के साथ-साथ उनके उपार्जित बढ़ती वित्तीय हानियों को कवर करने के लिए ऋण दे रही हैं। सीधे ऋण देने के अतिरिक्त, राज्य सरकारें राज्य बिजली वितरण कंपनियों को अनुदान और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही हैं। राज्य सरकारें बिजली वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने में भी गारंटियां दे रहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकारें गारंटीकर्ता हैं, ये परिणामी आकस्मिक देयताएं बिजली वितरण कंपनियों के बड़े बकाया ऋण और बढ़ती हानियों के कारण राज्यों के वित्त के लिए जोखिम है। सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समग्र हानियां (सब्सिडी प्राप्त आधार पर पीएटी) 2017-18 में 33,594 करोड़ रुपए से बढ़कर

2018-19 में 61,360 करोड़ रुपए हो गई। 31 मार्च, 2019 को बिजली वितरण कंपनियों का कुल ऋण 4,78,452 करोड़ रुपए था, जिसमें राज्य सरकारों से लिए गए ऋण 91,228 करोड़ रुपए का कुल ऋण भी शामिल है।

- इस क्षेत्र में सुधार लाने के प्रयास मुख्य रूप से वितरण की दिशा में - एटी एंड सी हानि के नियंत्रण और प्रशुल्क युक्तिकरण पर केंद्रित रहे हैं। अपस्ट्रीम सेगमेंट कोयला उत्पादन और परिवहन, विद्युत उत्पादन एवं निर्वातन लागत आदि की अक्षमताओं को सुधारने का कोई प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किया गया है। कोयले के पारेषण एवं करों/शुल्कों की बढ़ती लागत से एटी एंड सी हानि नियंत्रित करने से तथा प्रशुल्क युक्तिकरण किए जाने से बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ये अक्षमताएं कोयला उत्पादन, कोयला परिवहन, विद्युत पारेषण आदि जैसे लगभग सभी अपस्ट्रीम क्रियाकलापों में निहित कॉस्ट-प्लस रिजीम के प्रतिफल हैं। यद्यपि, विद्युत उत्पादन क्षेत्र को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है और प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया है, फिर भी इस क्षेत्र में अभी भी सरकारी क्षेत्र के संस्थानों का वर्चस्व बना हुआ है, कॉस्ट-प्लस आधार पर कार्य करते हैं। इन सभी के कारण बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर प्रभावित होती है।
- प्रतिस्पर्धी विद्युत क्षेत्र परिदृश्य में ये विसंगतियां उपभोक्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उत्पादन, पारेषण और कोयला उत्पादन में इस कॉस्ट प्लस रिजीम से इतर अग्रसर होने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में सभी नीतियों एवं विनियम स्वामित्व-निरपेक्ष एवं क्षमता-केंद्रित होने चाहिए।

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

- अपनी मुख्य रिपोर्ट में हमने नोट किया कि महामारी से लड़ने के लिए संघ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से बिजली वितरण क्षेत्र को बेहतर बनाने की दृष्टि से राज्यों को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई है। विद्युत अधिनियम 2003 में प्रस्तावित संशोधन और नई प्रशुल्क नीति के संभावित अनुमोदन के साथ, प्रोत्साहन से सुधार कार्यक्रमों में और तेजी आएगी। इन उपायों को जारी रखे जाने की आवश्यकता है क्योंकि संबंधित संरचनात्मक सुधार अगले चार-पांच वर्षों में पूरे होने की उम्मीद है।
- तदनुसार, हमने खंड I के अध्याय 10 में राज्यों के लिए अपनी पंचाट अवधि के प्रथम चार वर्षों, अर्थात् 2021-22 से 2024-25 में प्रत्येक वर्ष के लिए उनके जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत भाग तक अतिरिक्त वार्षिक उधार सुविधा की अनुशंसा की है।

- प्रवेश-स्तरीय शर्त के रूप में यह अनुशंसा की गई है कि राज्य तभी इस अतिरिक्त उधार सीमा के लिए पात्र होंगे, जब वे यह सुनिश्चित एवं प्रमाणित करें कि राज्य के भीतर सभी वितरण कंपनियों के पास ताजा लेखापरीक्षित लेखा हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष (t) में राज्य की पात्रता निर्धारित करने में, राज्य में सभी वितरण कंपनियों ने सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार वित्तीय वर्ष (t-1) के लिए अपने समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत/फाइल किए हैं।
- इस प्रवेश-स्तरीय शर्त के अतिरिक्त, हमने उन तीन संकेतकों को जारी रखने का प्रस्ताव किया है, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा 2020-21 के लिए अतिरिक्त उधार लेने हेतु किसी राज्य की पात्रता के लिए अधिदेशित किया गया है: (i) एटी एवं सी हानियां कम करने; (ii) एसीएस-एआरआर अंतर को कम करना; (iii) डीबीटी को अपनाकर नकद सब्सिडी के भुगतान को कम करना। इन तीनों संकेतकों को हमने अपनी प्रथम रिपोर्ट में भी चिह्नित किया था। तीसरे संकेतक को विद्युत की बिक्री (बुक की गई प्रशुल्क सब्सिडी सहित) से राजस्व के प्रतिशत के रूप में प्रशुल्क सब्सिडी में कमी को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। इससे राज्य सरकारों द्वारा विद्युत क्षेत्र को दी जाने वाली सब्सिडी के स्तर को मापा जाएगा। हमने एक चौथा संकेतक जोड़ा है, जो मीटरयुक्त आपूर्ति के माध्यम से यूनिटों की प्रति व्यक्ति खपत पर विचार करता है और जो डीबीटी के माध्यम से मांग पक्ष पर सब्सिडीयों सहित और मीटर रहित विद्युत आपूर्ति के लिए राज्य बजट के माध्यम से आपूर्ति पक्ष हस्तांतरणों को छोड़कर वास्तविक राजस्व को दर्शाता है।

## सुधारों के लिए पांच-वर्षीय रोडमैप<sup>1</sup>

### वितरण में सुधार

- हमारे द्वारा चिह्नित तीन निष्पादन संकेतकों से मीटरयुक्त ऊर्जा (जिसके लिए राजस्व को वास्तविक तौर पर संग्रह कर लिया गया है) में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन मिलेगा। मीटर रहित आपूर्ति से बिजली खपत को यथार्थ रूप में मापने में तथा उन आंकड़ों को शामिल करने में समस्या पैदा हो जाती है जो वास्तव में बढ़ती ऊर्जा खरीद को परिलक्षित नहीं करती है, बल्कि केवल टी एंड डी मिश्रित हानियों को दर्शाती है। मीटर के जरिए विद्युत आपूर्ति भी सब्सिडीयां भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के एक महत्वपूर्ण विषयों

<sup>1</sup>आयोग श्री राकेश नाथ, पूर्व-सदस्य, विद्युत अपीलीय अधिकरण एवं पूर्व-अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिए गए मूल्यवान इनपुट्स के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

में से एक है, क्योंकि मीटर के जरिए विद्युत आपूर्ति के आधार पर खपत के लिए सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण स्वतः अभिग्रहित हो जाता है। मीटर के जरिए आपूर्ति की गई ऊर्जा अथवा निःशुल्क आपूर्ति की गई ऊर्जा तब तक सब्सिडी लाभ से बाहर रहती है, जब तक सब्सिडी का अग्रिम रूप से (अप-फ्रंट) भुगतान नहीं किया जाता है। ताजा लेखा परीक्षित लेखाओं की उपलब्धता से इस आवश्यक सूचना को अभिग्रहित/कैप्चर करने में सहायता मिलेगी। यह सूचना तीन निष्पादन संकेतकों की केंद्र बिंदु है।

- मौजूदा बिजली मीटरों को परिचालनीय स्मार्ट-मीटरों के साथ प्रगामी रूप से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। इससे बिजली वितरण कंपनियों को अपने बिजली लोड को बेहतर ढंग से समझने एवं प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, और दूसरी ओर वितरित रूफटॉप सौर ऊर्जा भंडारण में सुविधा मिलने के साथ-साथ मीटरयुक्त आपूर्ति एवं बिलिंग हानियों को कम करने में भी सहायता मिलेगी।
- वितरण कंपनियां महंगे एवं अक्षम थर्मल पावर संयंत्रों के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के कारण भारी हानि उठा रही हैं। इन अक्षम, अत्यधिक प्रदूषक, कालातीत कोयला संयंत्रों को बंद किए जाने की आवश्यकता है। इससे ऐसी परिसंपत्तियों के लिए निर्धारित प्रभार भुगतान प्राप्त करने के फलस्वरूप बहुत बचत होगी और प्रदूषण एवं कार्बन फूटप्रिंट की मात्रा में भी कमी आएगी। बिजली वितरण कंपनियों को उन महंगे, सब्सिडीयुक्त थर्मल संयंत्रों के साथ नए दीर्घकालिक पीपीए करार करने से बचने की आवश्यकता है, जो अभी भी योजना प्रक्रियाधीन हैं या जहां वित्तीय समापन (financial closure) नहीं हुआ है।
- विद्युत अधिनियम 2003 में अधिदेशित है कि प्रशुल्क लागत को परिलक्षित करें। तथापि, अनेक कारकों - कम प्रशुल्क के लिए वोटों के लिए प्रबल राजनीतिक दबाव, सब्सिडी के दावों की यथार्थता पर बिजली वितरण कंपनियों की अक्षमताओं एवं असहमतियों की अवधारणाएं - की वजह से विनियामक समय के सापेक्ष बढ़ती विद्युत आपूर्ति लागतों के मुद्रास्फीति प्रभाव के साथ मूल्यों में वृद्धि करने में सामान्य रूप से विफल रहे हैं। कुछ राज्यों ने विगत कुछ वर्षों में अपने प्रशुल्कों में वृद्धि नहीं की है। राज्य सरकारों द्वारा प्रशुल्कों में समयबद्ध रूप से वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- बिजली वितरण कंपनियों के कन्टेंट (विद्युत आपूर्ति) और ढुलाई (वितरण नेटवर्क) व्यवसाय को शीघ्रतापूर्वक पृथक किए जाने की आवश्यकता है। इससे वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) विद्युत एग्रीगेटर और वितरण नेटवर्क की स्वामी बन जाएंगी। इस प्रकार पृथक्करण से किसी क्षेत्र-विशेष में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को उनकी

पसंद की आपूर्ति उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। सही तरीके से नेटवर्क और आपूर्ति के पृथक्करण से कुछ आपूर्ति जोखिम को अभिग्रहित करने में तथा वाणिज्यिक/औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उच्च-लागत वाले वर्द्धनशील क्रयों को सीमित करने में सहायता मिलेगी।

- वितरण क्षेत्र में कोई भी सुधार लाने का एक अभिन्न अंग होता है ढुलाई हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता (carriage involvement)। वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के स्वीकार्य रूपों में फेंचाइजी मॉडल और वितरण कार्य का निजीकरण है, जहां निजी कंपनी वितरण लाइसेंस प्राप्त करती है। सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को दिल्ली में अपनाया गया, जहां राज्य की 49 प्रतिशत इक्विटी है और निजी कंपनी की 51 प्रतिशत इक्विटी है। यह मॉडल एटी एंड सी हानि को कम करने तथा परिचालनीय निष्पादन में आमूल चूल सुधार लाने में सफल रहा है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विभिन्न रणनीति अपनाई जानी चाहिए। देश में बिजली की अधिकांश खपत एक मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों में है। इन अनेक नगरों में उच्च एटी एस सी हानियां और खराब वितरण नेटवर्क है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे नगरों में निजीकरण अथवा एक फेंचाइजी मॉडल अथवा उप-लाइसेंस मॉडल अपनाने से मौजूदा वितरण कंपनियों एवं राज्य सरकार को वाणिज्यिक लाभ प्राप्त होगा।
- आज अधिकतर वितरण कंपनियों की प्रशुल्क संरचना में जटिल श्रेणियां और स्लैब हैं, जो तर्कसंगत नहीं हैं और मोटे तौर पर सामाजिक एवं राजनीति प्राथमिकताओं द्वारा प्रेरित हैं। इन विभिन्न स्लेबों ने विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियां सृजित की हैं, जिसके कारण एक जटिल संरचना निर्मित हुई है और इससे व्यापक अक्षमताएं सृजित हुई हैं। बहुत संख्या के प्रशुल्क स्लेबों से उपभोक्ताओं की निगरानी करने के लिए उच्च प्रशासनिक लागत खर्च होती है और यह भी संभावना नहीं होती है कि प्रशुल्क स्लैब आपूर्ति की लागत को परिलक्षित करेंगे कि नहीं। सभी के लिए बिजली सब्सिडी के साथ-साथ विविध स्लैब, उपभोक्ता को सब्सिडी लाभ अधिकतम प्राप्त करने की जोड़-तोड़ के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

### **ग्रामीण क्षेत्र वितरण में रणनीति**

- कृषि में बिजली आपूर्ति भारत की कुल बिजली खपत का लगभग 20 प्रतिशत है और यह आपूर्ति या तो निःशुल्क की जाती है अथवा उसके लिए बहुत अधिक सब्सिडी दी जाती है। वित्तीय अंतर को राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से सब्सिडी देकर अथवा खुदरा

आपूर्ति प्रशुल्क के माध्यम से उच्च वर्ग के उपभोक्ताओं को दी गई क्रॉस सब्सिडी से कम किया जाता है। कृषि क्षेत्र की सब्सिडियों में वृद्धि हो रही है और विगत पांच वर्षों में यह दोगुनी हो गई है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई, जिसे नाममात्र दरों पर अदा किया जाता है, में आपूर्ति की वास्तविक लागत भी कवर नहीं होती है।

- कृषि क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति वितरण कंपनियों के उप-केंद्रों के आस-पास अथवा उनके आस-पास खाली अप्रयुक्त भूमियों पर बहुत ही कम लागत पर उद्यमियों द्वारा निर्मित सौर संयंत्र स्थापित कर उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे न केवल बचत होगी, बल्कि टी एंड डी हानियों को कम करने में और वितरण कंपनियों के नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। इससे वितरण कंपनियों की हानियों को कम करने; राज्य सरकार पर सब्सिडी के बोझ को कम करने और औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा कृषि के लिए क्रॉस सब्सिडी देने; आरपीओ बाध्यताओं को पूरा करने तथा हरित गृह गैस उत्सर्जनों को कम करने में भी सहायता मिलेगी।
- यद्यपि सभी गांवों में बिजली कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है, फिर भी ग्रामीण परिवारों एवं ग्रामीण उद्योग के लिए आपूर्ति की निरंतरता एवं गुणवत्ता अभी भी एक मुद्दा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चितता के लिए वितरण कंपनियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली आपूर्ति की लागत 7 रुपए प्रति किलोवाट/घंटा से अधिक है, लेकिन वसूला गया प्रशुल्क बहुत कम है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिजली आपूर्ति की लागत को कम करना महत्वपूर्ण है। उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास 33/66 केवी सब-स्टेशनों से नवीकरणीय ऊर्जा के विकेंद्रीकृत उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक लक्ष्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है कि अगले पांच वर्षों में ग्रामीण ऊर्जा उपभोग (प्रति वर्ष 10 प्रतिशत) को 50 प्रतिशत की आपूर्ति विकेंद्रीकृत उत्पादन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से उत्पादित बिजली से की जा सकती है।

### **वितरण कंपनियों के दबाव को दूर करने के लिए विस्तृत विद्युत बाजार**

- देश में दो विद्युत एक्सचेंज हैं- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जहां मूल्य को दो तरफा (double-sided) नीलामियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इन एक्सचेंजों ने राष्ट्रीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और अपूरित ऊर्जा एवं परिणामी आर्थिक हानियों को कम करने में योगदान दिया है। विगत वर्षों के दौरान, इन एक्सचेंजों में प्राप्त मूल्य दो तरफा संविदाओं/करारों में मूल्यों की तुलना में

कम हैं। तथापि, इन एक्सचेंजों द्वारा ऊर्जा की खरीद एवं उसकी आपूर्ति (ऊर्जा व्यापार) अभी भी उनकी क्षमता से बहुत कम है। बीते पांच वर्षों की अल्पावधि में ऊर्जा व्यापार कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत पर स्थिर रहा है, लेकिन इसी दौरान ऊर्जा व्यापार की मात्रा कुल उत्पादन के 2.9 प्रतिशत से बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गई। विकसित देशों में विद्युत बाजार में कुल मांग के 30-40 प्रतिशत का ऊर्जा व्यापार होता है। देश में अधिकतर ट्रांजेक्शन दीर्घकालिक पीपीए के माध्यम से होता है, जो अप्रयुक्त क्षमता के निर्धारित प्रभारों के साथ वितरण कंपनियों के बोझ को बढ़ाता है। अतएव, अल्पावधि बाजारों और एक्सचेंज में ऊर्जा व्यापार के स्तर को बढ़ाए जाने की प्रबल आवश्यकता है।

### ईंधन बाजारों को विकसित करना

- विद्युत क्रय की लागत वितरण लाइसेंस की कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता का लगभग 65-75 प्रतिशत है। ईंधन की लागत समग्र क्रय लागत का प्रमुख घटक है। कोयले को केवल दीर्घकालिक पीपीए वाली विद्युत बाजार परियोजनाओं से संबद्ध किया गया है। इसलिए ऐसा ईंधन बाजारों को विकसित करने की आवश्यकता है, जिन्हें विद्युत बाजार कार्यों से संबद्ध किया जा सकता हो, जिसके फलस्वरूप उन विद्युत उत्पादन करने वाले केंद्रों को कोयला एवं गैस, यथास्थिति, की आपूर्ति करने में सुविधा मिलगी जो टर्म-अहेड, डे-अहेड एवं इंटर-डे आधार पर अल्पावधिक करारों में प्रवेश लेने के इच्छुक हों। कोयले के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बोली प्लेटफॉर्म पर विचार किया जा सकता है ताकि क्लियरिंग हाउस कार्यों और मार्किट क्लियरिंग मूल्यों के तहत अल्पावधि ट्रेड करने में सहायता मिल सके। एक तत्काल कदम के रूप में, दीर्घकालिक पीपीए के साथ कोयले की संबद्धता को क्रमिक रूप से हटाकर विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि विद्युत बाजार में सहभागिता करने और प्रतिस्पर्धी दरों पर विद्युत आपूर्ति करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है।
- बाजार की गतिकियां यह संकेत देती है कि विद्युत एक्सचेंज के कार्यों में काफी वृद्धि होगी, क्योंकि वितरण कंपनियां अपनी विद्युत क्रय लागत को किफायती बनाएंगी और बाजार के माध्यम से प्राप्त सीमांत उत्पादन लागत से लाभान्वित होंगी। अल्पावधि विद्युत बाजार को ईंधन आपूर्ति से संबद्ध कर, बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन की अनिश्चित प्रकृति से प्रभावित मांग गतिकियों के प्रति, आपूर्ति असंतुलनों तथा समग्र मांग में परिवर्तनों के प्रति रिस्पॉन्ड करने में सहायता मिलेगी।



## प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पारेषण प्रणाली का विकास

- पारेषण में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के प्रयोजनार्थ, एक अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली का विकास प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से हो रहा है। इस प्रणाली में पारेषण प्रणाली शामिल नहीं है, जिसे एक सामरिक महत्ता के रूप में चिन्हित किया गया है और इसे पावरग्रिड से संबद्ध किया गया है। पावर ग्रिड निजी डेवेलपर्स के साथ प्रतिस्पर्धी बोली में भी भाग लेता है। इस अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि राज्य एवं संघ दोनों स्तरों पर सभी परिसंपत्तियां बाजार-आधारित मूल्यों पर सृजित की जा सकें। अंतर-राज्य पारेषण प्रणालियों का विकास सामान्य रूप से राज्य-स्वामित्व वाली पारेषण कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। यह अनुशंसा की जाती है कि राज्यों को भी टीबीसीबी के माध्यम से अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

### विनियामक संबंधी उपाय

- किसी भी विनियामक प्राधिकरण के लिए यह आवश्यक होता है कि वह स्वायत्त, पारदर्शी, दूरदर्शी हो और संस्थागत क्षमता से संबंधित मामलों का समय पर निपटान करने तथा निर्णय का कार्यान्वयन कराने में सक्षम हो। विद्युत अधिनियम के उद्देश्यों में एक उद्देश्य था सरकार से विनियामक दायित्वों को अलग करना। इस संबंध में हितधारकों के बीच यह अवधारणा है कि राज्य विद्युत विनियामक बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों और राज्य वितरण लाइसेंसधारकों के हितों को संतुलित नहीं करते हैं और राज्य सरकार अपने निर्णयों में विनियामकों से प्रभावित होती है। राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा कई वितरण कंपनियों में विशाल विनियामक परिसंपत्तियां सृजित की गई हैं, और उन्होंने प्रशुल्क में वृद्धि से बचने के लिए विधिसम्मत व्यय को स्वीकार करने के बावजूद वितरण कंपनियों को उचित खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क तय करने से मना कर दिया। इसके अलावा, इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की संख्या में वृद्धि से अपीलीय अधिकरण (appellate tribunal) में दाखिल की जा रही है अपीलों में वृद्धि हुई है।
- विद्युत विनियामकों के न्यायनिर्णयन कार्य और और प्रशुल्क निर्धारण भूमिका को अलग कर उसे एक भिन्न विद्युत शिकायत निवारण प्राधिकरण को सौंपे जाने की आवश्यकता है। एसईआरसी के सदस्यों सहित विनियामक आयोगों के सभी सदस्यों की चयन प्रक्रिया को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि उनके चयन में तटस्थता के भाव को शामिल किया

जा सके और विषयपरक पेशेवरों का चयन किया जा सके। विद्युत अधिनियम को संशोधित करने हेतु प्रारूप विधेयक पहले से विचाराधीन है।

## अध्याय 13


# नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का उद्देश्य देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की अनुपूर्ति हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकसित कर उसे उपलब्ध कराना है। मंत्रालय की भूमिका देश की ऊर्जा सुरक्षा की बढ़ती चिंता के कारण हाल ही में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। भारत ने 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर बनने का संकल्प लिया है। भारत ने पवन और सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमताओं में पहले ही विश्व में क्रमशः चौथा एवं पांचवा स्थान प्राप्त कर लिया है और समग्र संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वह विश्व में पांचवें स्थान पर है।

### मंत्रालय की समग्र प्रोफाइल



1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की समग्र जिम्मेदारी है। संघ के 2020-21 के बजट में मंत्रालय के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जो संघ के 2020-21 के कुल बजट का 0.19 प्रतिशत और अनुमानित जीडीपी का 0.1 प्रतिशत है। एमएनआरई का वर्ष-वार बजट आबंटन नीचे चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1: मंत्रालय का कुल व्यय




स्रोत : संघ के बजट

चित्र 2: कुल व्यय (2015-16 और 2020-21) के प्रतिशत के रूप में मंत्रालय का शीर्ष-वार व्यय




स्रोत : संघ के बजट

**चित्र 3: केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं/परियोजनाओं में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं/परियोजनाओं में व्यय**



स्रोत : संघ के बजट

**चित्र 4: केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर संघ के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में एमएनआरई द्वारा केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं/परियोजनाओं में खर्च किया गया व्यय**



स्रोत : संघ के बजट

नोट: यद्यपि संघ के व्यय की तुलना में प्रतिशत-वार व्यय न्यून है, यह उल्लेखनीय है कि इस दिशा में ध्यान 2015-16 से आकृष्ट किया गया है।

## नवीकरणीय विद्युत के लिए प्रतिबद्धता

2. स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि में उछाल के कारण भारत सरकार ने इन्टेंडेड नैशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन (आईएनडीसी) में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन(UNFCCC) को प्रस्तुत किए गए अपने प्रस्ताव में यह उल्लेख किया था कि वह 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा स्रोतों से 40 प्रतिशत संचित

बिजली क्षमता हासिल कर लेगा। इसे प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से तथा हरित जलवायु निधि सहित न्यून-लागत के अंतर्राष्ट्रीय वित्त की सहायता से हासिल किया जाएगा।

### तालिका 1: नवीकरणीय विद्युत - वैश्विक परिप्रेक्ष्य

देश	क्षमता (गिगा वाट)	% अंश
<b>विश्व स्तर पर</b>	<b>1081</b>	
1. चीन	334	30.90
2. संयुक्त राज्य अमेरिका	161	14.90
3. जर्मनी	107	9.90
4. <b>भारत</b>	<b>61</b>	<b>5.64</b>
5. जापान	54	5.00

स्रोत : एमएनआरई

## जल विद्युत (hydro power) की बढ़ती प्रासंगिकता

- मार्च, 2019 तक 25 मेगा वाट क्षमता वाली हाइड्रो परियोजनाओं को ही नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में माना जाता था और वित्तीय सहायता एवं सस्ते ऋण जैसे प्रोत्साहनों के लिए वे पात्र होती थी। मार्च, 2019 में इन प्रोत्साहनों के लिए 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली हाइड्रो परियोजनाएं भी पात्र बन गईं। इससे 74 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा समूह में 45 गिगावाट वाली हाइड्रो पावर क्षमताओं को शामिल करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।
- हाल ही के वर्षों में इस क्षेत्र में जो उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं, उनमें 2008 की हाइड्रो पावर नीति; जिसमें हाइड्रो पावर में निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के साथ फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस मार्किट पर राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति 2016 तथा पीपीए की निश्चितता बढ़ाया है। इन कुछ नीतिगत प्रस्तावों में नए सहायक सेवा बाजार, अलग क्रय बाध्यता लाभ और बेहतर एकीकृत योजना शामिल हैं।
- हाइड्रो पावर क्षेत्र में कुछ प्रमुख चुनौतियों में, परियोजना की उच्च लागत (जो सामान्य रूप से दूर क्षेत्रों में स्थित हैं), संवेदनशील भौगोलिकता के कारण तकनीकी चुनौतियां, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण एवं वनों तथा विस्थापित लोगों के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

6. तालिका 2 में देश में हाइड्रो पावर की बेसिन-वार आकलित संभाव्यता को दर्शाया गया है। इसके अलावा, 94,000 मेगावाट की संभावित संस्थापित क्षमता के साथ छप्पन पम्प स्टोरेज परियोजनाओं की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, लघु, छोटी एवं सूक्ष्म स्कीमों से हाइड्रो संभाव्यता 1,512 स्थलों से 6,782 मेगावाट हाइड्रो पावर उत्पादन अनुमानित किया गया है। कुल मिलाकर, ऊर्जा पर स्थायी समिति 2018-19 की तैतालीसवीं रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 2,50,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर संभाव्यता है।

तालिका 2: बेसिनों/नदियों पर संभावित संस्थापित क्षमता (मेगा वाट) (30-06-2020 को)	
सिंधु (Indus)	33832
गंगा बेसिन	20711
मध्य भारत नदी तंत्र	4152
दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग में बहने वाली नदियां	9430
दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां	14511
बहमपुत्र बेसिन	66065
<b>कुल</b>	<b>148701</b>

स्रोत : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

7. राष्ट्रीय विद्युत योजना (2022-27) के अनुसार, 2027 में बिजली मांग 2,047 BU और शीर्षतम मांग 298.77 GW रहने की उम्मीद है। इसे ध्यान में रखते हुए हाइड्रो पावर की क्षमता को बढ़ाकर 46,420MW करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त क्षमता को बिजली उत्पादन के लोचनीय स्रोतों से प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि शीर्षतम मांग को पूरा किया जा सके और ग्रिड का संतुलन तथा रैम्पिंग की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।
8. जलवायु परिवर्तन के लिए भारत के आईएनडीसी के संकल्प के भाग के रूप में, 40 प्रतिशत कुल उत्पादन 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से किया जाना है। नवीकरणीय ऊर्जा में इस विस्तार के लिए पावर ग्रेड की स्थिरता को संतुलित करना होगा, जिसे हाइड्रो पावर से सुनिश्चित किया जा सकता है।

## चुनौतियां

### राज्य बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) से भुगतान प्राप्तियों में अनावश्यक बिलंब

- राज्य-स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनियों से बिजली का क्रय करने के बाद बिलंब से भुगतान करती हैं। इससे निवेश वातावरण काफी अधिक प्रभावित हुआ है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए ऋण प्रवाह कम हो गया है। यदि इसमें शीघ्र सुधार नहीं किया जाता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में अति महत्वपूर्ण पहलों में से यह एक पहल गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

### नवीकरणीय ऊर्जा क्रय बाध्यताओं का अनुपालन नहीं किया जाना

- समग्र बिजली मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के अंश को बढ़ाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व (आरपीओ) एक मात्र अति महत्वपूर्ण नीति विकल्प/इंस्ट्रूमेंट है। पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि के तहत बाध्यता को पूरा करने के लिए आरपीओ का अनुपालन किया जाना काफी अहम है। विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आरपीओ ट्रेजेक्टरी के लिए वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा की 21 प्रतिशत हिस्सेदारी की आवश्यकता है। तथापि, वर्तमान में यह हिस्सेदारी केवल लगभग 9 प्रतिशत है, जिसका कारण अनेक राज्यों द्वारा आरपीओ का अनुपालन नहीं किया जाना है। आरपीओ अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए, संबंधित एसईआरसी द्वारा दंडात्मक उपबंध लगाए जाने का प्रावधान है। तथापि, इनसे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए गए हैं।

### उत्सर्जन स्तर (पेरिस जलवायु परिवर्तन संधि, 2015)

- भारत ने 2005 और 2014 के बीच अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 21 प्रतिशत कम किया है, जिसके कारण वह प्री-202 स्वैच्छिक लक्ष्य को पूरा कर पाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत को 2030 तक जीडीपी के उत्सर्जन सघनता को 2005 के स्तर से 33 से 35 प्रतिशत तक कम करना है।



## नवीकरणीय ऊर्जा (Intermittency) में निर्बाध आपूर्ति का अभाव

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन, बारंबार बिजली आने-जाने के उतार-चढ़ावों से, संवेदनशील है जिसके कारण ग्रिड ऑपरेटर को परिचालन में कई समायोजन करने पड़ते हैं। इसके लिए लोचनीय रिज़र्व क्षमता की आवश्यकता होती है ताकि ग्रिड की स्थिरता को कायम रखा जा सके।

## सुसंगत नीति की आवश्यकता

- कोई भी उभरता हुआ क्षेत्र जिसके लिए वैश्विक निवेश आकर्षित करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए तदर्थ और अनियमित नीतिगत बदलाव अच्छे नहीं होते हैं। एक उदाहरण सोलर मॉड्यूल विनिर्माण उद्योग का है। पहले आयात शुल्क लगाए गए और उसके बाद हटा दिए गए। वर्तमान में आयातित मॉड्यूलों पर कोई शुल्क नहीं है, लेकिन ऐसा करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

## बिजली वितरण कंपनियों का खराब निष्पादन

- बिजली वितरण कंपनियों में सुधार लाने हेतु हाल ही में किया गया एक प्रयास है उदय योजना, जिससे वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण बिजली वितरण कंपनियां डेवेलपर्स को विलंब से भुगतान करती हैं। नीलामियां निरस्त की जाती हैं और करारों को अमल में नहीं लाया जाता है। इन सभी बातों से निवेशकों का विश्वास डेवेलपर्स के हितों को प्रभावित करता है।
- **रूफटॉप सोलर के लिए प्रोत्साहन का अभाव**
  - रूफटॉप सोलर ने वर्तमान बाजार, जोकि बड़े पैमाने की नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अग्रसर हो रहा है, में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इस संबंध में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संस्थापनाओं को वरीयता दी जाती है, जबकि अपार खपत क्षमता वाले आवासीय उपभोक्ताओं के लिए कुल संस्थापित क्षमता का 20 प्रतिशत से भी कम उपलब्ध है। देश ने 2022 तक 40 गिगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा है, लेकिन दिसंबर, 2018 तक केवल 1,889 मेगावाट ग्रिड-कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

## वितरित ऊर्जा प्राथमिकताओं में कमी

- लोगों के लिए ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई लगभग सभी योजनाएं, जैसे की सौभाग्या (SAUBAGHYA) ग्रिड को बढ़ाने तथा केंद्रीयकृत एवं पारेषण नेटवर्कों से बिजली रहित परिवारों को कनेक्ट करने पर आधारित रही हैं। सीएसई विश्लेषण में यह पाया गया है कि ग्रिड कनेक्टिविटी से बिजली की उपलब्धता या उसकी निरंतर आपूर्ति नहीं होती है। इसलिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रिड-आधारित ऊर्जा आपूर्ति के उद्देश्य पर पुनःविचार किए जाने की आवश्यकता है।

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

### नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बुनियादी ढांचे का सृजन

- राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों और नवीकरणीय विद्युत निकास प्रणालियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के सृजन हेतु सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। चालू हरित ऊर्जा कोरिडोर परियोजनाओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा निकास हेतु ग्रिड अवसंरचना सृजित किया जाना आवश्यक है।

## करार लागू करने की सुनिश्चिता

- अधिकांश राज्य सरकारें सोलर पावर डिवलेपर्स के साथ पीपीए पर पुनःबातचीत कर रहे हैं। इससे निवेश आकर्षित करने के प्रति देश की सक्षमता प्रभावित होती है और कानूनी करारों की वैद्यता की अनिश्चतता का माहौल पैदा होता है। विद्युत क्षेत्र में संविदागत विवादों से निपटने हेतु एक बिजली करार प्रवर्तन प्राधिकरण (ईसीईए) स्थापित किए जाने से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को उक्त प्रकार के मुद्दों को निपटने में सहायता मिलेगी।

## रूफटॉप सोलर प्रणालियों को बढ़ावा देना

- राज्यों को स्वयं के बिजली उत्पादन हेतु नीति की निश्चितता एवं वातावरण सृजित करने हेतु वितरित की गई सोलर रूफटॉप प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे प्रणाली-वार एटी एवं सी हानियों को कम करने तथा बड़े ग्रिड ट्रांसमिशन और वितरण अवसंरचना (जिसे आगामी एक या दो दशकों के दौरान संस्थापित किए जाने की आवश्यकता है, जब बिजली की मांग बढ़कर दोगुना होने लगे) के वित्तपोषण बोझ को कम करने में सहायता मिलेगी। इससे मिनी-ग्रिड स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

## सोलर पम्पों के उपयोग को बढ़ावा

- सरकार को पीएम-कुसुम (प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान) योजना के तहत सोलर पम्पों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे राज्यों को अन्य उच्च-भुगतान करने वाले उपभोक्ता श्रेणियों पर समग्र क्रास सब्सिडी बोझ को घटाकर हानियों को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों द्वारा खरीदी गई बिजली लागत को कम करने में तथा ग्रिड की वितरण क्षमता निर्माण करके पारेषण हानियों को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

## ‘स्मार्ट ग्रिड्स’ को बढ़ावा देना

- इस प्रकार के ग्रिड दक्षतापूर्ण प्रदायगी के लिए संचार अवसंरचना, कंट्रोल सिस्टम और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

## किफायती ऊर्जा-भंडारण क्षमता में निवेश

- स्वदेशी अनुसंधान लागत और निष्पादन दोनों के आधार पर, वर्तमान प्रौद्योगिकी में सुधार ला सकता है। नीतिगत सहायता, बैट्री उद्योग के लिए मांग बढ़ा सकती है। राज्यों में नवीकरणीय स्रोतों में ऊर्जा भंडारण की अवसंरचना में पुनः सुधार किए जाने की आवश्यकता है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा में विचलनशीलता का समाधान किया जा सके। ऊर्जा स्रोतों में नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकाधिक संयोजन से ऊर्जा में कमी को दूर करने

में सहायता मिलेगी। राज्यों को नवीकरणीय विद्युत के साथ-साथ ऊर्जा भंडारण क्षमता स्थापित करने के लिए भंडारण प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी सहायता की आवश्यकता होगी।

## विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों को ऊर्जा परियोजनाओं में परिवर्तित करने हेतु राज्यों के लिए प्रोत्साहन

- 'कचरे से ऊर्जा' परियोजनाओं को लगभग 100 क्लास A शहरों में स्थापित किया जाएगा ताकि अपशिष्ट प्रबंधन तथा ऊर्जा की मांग की पूर्ति की जा सके। संघ सरकार इन शहरों के लिए प्रोत्साहन अनुदान के रूप में सहायता देने पर विचार कर सकती है।

## देश में हाइड्रो पावर संभाव्यता का पुनःआकलन

- हाइड्रो पावर संभाव्यता पर पिछला आकलन 1987 में किया गया था। इस संबंध में अब अपडेटेड हाइड्रोलॉजिकल टोपोग्राफिकल सूचना तथा भूमि उपयोग और जलभराव से संबंधित सूचना पर उत्कृष्ट वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में हाइड्रो पावर उत्पादन की अपार संभावनाएँ हैं जिसके लिए विदेशी सहायता द्वारा वित्तपोषण की आवश्यकता है, जिससे राज्यों के गैर-कर राजस्व को बढ़ाने में तथा राज्य-घाटा अनुदानों के लिए उनकी आवश्यकता को कम करने में सहायता मिल सकती है। सोलर, छोटे हाइड्रो और बायो-एनर्जी से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल संभाव्यता का अनुमान 65,838 मेगावाट किया गया है, जिसका एक बड़ा भाग ग्रिड-कनेक्टेड अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। दिसंबर, 2019 की संस्थापित क्षमता केवल 415 मेगावाट थी।

## अध्याय 14

# ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास से अभिप्राय लोगों का आर्थिक उत्थान करना और समाज में व्यापक रूप से सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ग्रामीण विकास योजनाओं में लोगों की बढ़ती सहभागिता, नियोजन कार्य का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण पहुंच सुविधाओं को अधिक उपलब्ध कराए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी उन्मूलन के सतत विकास लक्ष्य-1 (एसडीजी-1) को पूरा करने, ग्रामीण सड़कों के माध्यम से सड़क संपर्क उपलब्ध कराने में, वरिष्ठ नागरिकों/विधवाओं/दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और प्रियासॉफ्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से पंचायतों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर अहम भूमिका निभाई है।


समावेशी विकास के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु ग्रामीण सड़क नेटवर्क में अंतर-राज्य असमानता को कम करना, ग्रामीण परिसंपत्तियों का रखरखाव, सामाजिक सुरक्षा का मानकीकरण, मानव क्षमताओं को बढ़ाकर पंचायतों का सशक्तीकरण और भूमि अभिलेखों का डिजिटीकरण मंत्रालय के लिए समावेशी विकास की रणनीति होनी चाहिए।

### मंत्रालय की समग्र प्रोफाइल

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के अंतर्गत दो विभाग हैं – ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग। मंत्रालय का उद्देश्य बहुमुखी रणनीति अपनाकर आजीविका अवसरों को बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा संवृद्धि अवसंरचना विकसित करके ग्रामीण भारत का सतत एवं सामाजिक विकास करना है। आशा है कि इससे ग्रामीण भारत के लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा और समाज के अतिर्वंचित वर्गों तक पहुंचने के लक्ष्य की प्रक्रिया में विकास संबंधी असंतुलनों का समाधान करने में सहायता मिल सकती है।

2. संघ के 2020-21 के बजट में मंत्रालय के लिए 1,22,398 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जोकि वित्त वर्ष के लिए पांचवा सर्वाधिक आबंटन है। यह संघ सरकार के कुल बजट का 4 प्रतिशत और अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.54 प्रतिशत है। मंत्रालय का वर्ष-वार आबंटन चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1: ग्रामीण विकास मंत्रालय का व्यय



स्रोत: संघ का बजट

3. एमओआरडी के व्यय में ग्रामीण विकास विभाग का अंश 98 प्रतिशत और भूमि-संसाधन विभाग का मात्र 2 प्रतिशत है। यह स्थिति मोटे तौर पर पिछले पांच वर्षों से भी अधिक समय के दौरान स्थिर रही है। इन दोनों विभागों के व्यय के प्रतिशत के रूप में 95-99 प्रतिशत केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) पर खर्च किया जाता है, जैसाकि तालिका 1 में दर्शाया गया है। सीएसएस पर संघ सरकार के कुल व्यय का लगभग 35-40 प्रतिशत विभाग सीएसएस पर खर्च करता है (तालिका 2)।

तालिका 1: औसत शीर्ष-वार व्यय (2015-16 से 2020-21, बीई)

व्यय शीर्ष (% में)	ग्रामीण विकास विभाग	भूमि संसाधन विभाग
स्थापना व्यय	0.04	0.56
केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं/परियोजनाएं	0.46	4.49
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	99.51	94.96

स्रोत : संघ के बजट


## तालिका 2: केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर ग्रामीण विकास विभाग का व्यय

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर संघ सरकार के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर व्यय	0.09	0.05	0.06	0.10	0.06	0.04
सीएसएस पर संघ सरकार के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सीएसएस पर व्यय	37.75	39.30	37.90	37.55	38.53	35.16

स्रोत : संघ सरकार के बजट


4. भूमि संसाधन विभाग केवल एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, डिजिटल भारत पहल – भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, और एक सीएसएस योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं और सीएसएस का कार्यान्वयन करता है (चित्र 2 एवं 3)।

चित्र 2: ग्रामीण विकास विभाग का केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं पर राज्य-वार व्यय



स्रोत : संघ बजट

चित्र 3: ग्रामीण विकास विभाग का सीएसएस पर योजना-वार व्यय



स्रोत : संघ बजट

## सीएसएस योजनाओं की उपलब्धियां<sup>1</sup>

### महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) को 2.62 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए 691 जिलों और 6,919 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जाता है। 31 मार्च, 2019 तक देशभर में 118.1 मिलियन सक्रिय मनरेगा कार्यकर्ता थे।

तालिका 3: 2014-15 से 2018-19 तक मनरेगा की उपलब्धियां

व्यय शीर्ष (% में)	ग्रामीण विकास विभाग	भूमि संसाधन विभाग
अभी तक सृजित श्रम दिवस (करोड़ में)	166.21	265
पूरे किए गए कार्य (लाख में)	29.44	86.33
ई-एफएमएस <sup>2</sup> के माध्यम से कुल व्यय (%)	77.35	99
15 दिनों के भीतर किए गए भुगतान (%)	26.85	92

<sup>1</sup>स्रोत : राज्य निष्पादन रिपोर्ट 2018-19 और कार्ययोजना 2019-20 – ग्रामीण विकास मंत्रालय

<sup>2</sup>eFMS – इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम



## प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण

6. '2022 तक सभी के लिए घर' के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) की शुरुआत 20 नवंबर, 2019 को की गई।
7. पीएमएवाई-जी के चरण-I के तहत 2016-17 और 2019-20 के बीच एक करोड़ घर निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। 01 मार्च, 2019 तक 71.47 लाख घरों का निर्माण कराया गया। सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश (लक्ष्य का 89 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (86 प्रतिशत), त्रिपुरा (84 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (83 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (81 प्रतिशत) हैं। दो राज्यों, अर्थात् बिहार और ओडिशा में लक्ष्य की तुलना में शॉर्टफॉल क्रमशः 26 और 15 प्रतिशत था। इन राज्यों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपेक्षित कदम उठाने चाहिए।
8. पीएमएवाई-जी के चरण-II के अंतर्गत, संघ सरकार ने 2019-20 और 2021-22 के बीच 1.95 करोड़ मकान निर्माण करने का लक्ष्य रखा है।

## प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक सीएसएस योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 और उससे अधिक (2001 की जनगणना के अनुसार) की आबादी और पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) में 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी, जनजाति या पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों, मरुभूमि वाले क्षेत्रों (जैसा कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम में चिह्नित किया गया है) और चयनित जनजाति और पिछड़े जिलों (जैसाकि गृह मंत्रालय/पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा चिह्नित किया गया है) में सभी पात्र संपर्क विहीन बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने की कल्पना की गई है।
10. पीएमजीएसवाई-II की शुरुआत वर्तमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का समेकन करने के लिए की गई है। इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामीण सड़कों का उन्नयन करना है।

ताकि सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ किया जा सके। सड़क मार्गों का चयन ग्रामीण विकास केंद्रों और अन्य महत्वपूर्ण ग्रामीण हब तथा महत्वपूर्ण स्थानों (अन्य विकास वाले स्थलों, बाजारों, ग्रामीण हब, पर्यटन वाले स्थानों) आदि की पहचान करने के उद्देश्य के साथ किया जाएगा।

11. दिसंबर, 2016 में कैबिनेट ने नौ राज्यों के चवालीस जिलों में पीएमजीएसवाई- वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूई) – के अंतर्गत एक नए वर्टिकल का अनुमोदन किया था। आरसीपीएलडब्ल्यूई के पहले चरण के अंतर्गत 4,313.36 कि.मी. लंबी सड़क के लिए 4,721.62 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित मूल्य पर 216 पुलों के निर्माण के लिए सभी मंजूरियां प्रदान कर दी गई हैं।
12. प्रधानमंत्री के “नया भारत 2022”के सपने को पूरा करने के लिए सड़कसंपर्क की आवश्यकता तथा ऐसी सड़कों को समेकित किए जाने की आवश्यकता है, जो बाजारों को जोड़ें ताकि किसानों को बाजारों की पहुंच मिल सके और वे उनसे लाभ प्राप्त कर सकें। कृषि बाजारों तक चौड़ी और अच्छी गुणवत्ता की सड़कों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण सड़कों की आर्थिक संभावना और ग्रामीण बाजार केंद्रों तथा ग्रामीण हब के विकास में सुविधा प्रदान करने में उनकी भूमिका के आधार पर मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कर ग्रामीण सड़क नेटवर्क का समेकन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। 2022 तक बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने की योजना (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत 1.25 लाख कि.मी. सड़क का उन्नयन करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे कार्यक्रम के चरण-II का सुदृढ़ीकरण होगा, जिसका कार्यान्वयन पहले से ही किया जा रहा है। पीएमजीएसवाई-III अनुमोदन के अंतिम चरण में है।

## दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

13. दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की शुरूआत 2011 में की गई थी, जिसका उद्देश्य 70-80 मिलियन गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार लाना और 2024-25 तक उन्हें गरीबी से बाहर आने में सहायता देना है। इस योजना को आठ से दस वर्षों की अवधि के दौरान 600 जिलों, 6,000 ब्लॉकों, 2,50,000 ग्राम पंचायतों तथा 6,00,000 गांवों में कार्यान्वित

किया जाना है। इस योजना के अनुसार, प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला को स्व-सहायता समूह (एसएचजी) में शामिल कर सभी एसएचजी महिलाओं को प्रशिक्षण देना, उन्हें सूक्ष्म-आजीविका योजनाएं विकसित करने में सहायता देना और वित्तीय संसाधनों एवं बैंकों तथा उधार देने वाली संस्थाओं से ऋण लेने में सुविधा प्रदान किया जाना है।

14. जनवरी, 2019 तक 752 अतिरिक्त ब्लॉकों को 'गहन' कार्यान्वयन रणनीति के तहत कवर किया गया है, जिसके कारण इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए ब्लॉकों की कुल संख्या बढ़कर 5,207 हो गई है।

## राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

15. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, परिवार के लिए रोजी-रोटी कमाने वाले मुखिया की मृत्यु की स्थिति में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रहने वाले परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 की संगतता में है, जो राज्य को यह निदेश देता है कि वह अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास के अनुसार अपने नागरिकों के बेरोजगार होने की स्थिति में, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता तथा अन्य मामलों में गैर-हकदारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराए। इस कार्यक्रम के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता दी जाती है।


### तालिका 4: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60-69 वर्ष आयु के वृद्धजनों के लिए 200 रुपए प्रति माह। 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों के लिए 500 रुपए प्रति माह।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	40-79 वर्ष आयु की विधवाओं के लिए 300 रुपए प्रति माह। 80 वर्ष से अधिक की आयु की विधवाओं के लिए 500 रुपए प्रति माह।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना	बीपीएल 40-79 वर्ष आयु के गंभीर या बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए 300 रुपए प्रति माह और 80 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्तियों के लिए 500 रुपए प्रति माह।
राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना	18-59 वर्ष आयु के परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में 20,000 की एकबारगी सहायता।
अन्नपूर्णा	पात्र परिवारों को प्रति माह 10 कि.ग्रा.निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

## अंतर-राज्य तुलना

16. चित्र 4 में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, 2011 (एसईसीसी-2011) के आधार पर वंचित व उपेक्षित लोगों के राज्य-वार फैलाव को दर्शाया गया है। यह सूचकांक सात वंचन मानदंड (deprivation criteria) के एकीकृत स्कोर के आधार पर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपने तत्वावधान के तहत विभिन्न योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों का आकलन करने हेतु इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है।


चित्र 4: ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित परिवारों का प्रतिशत




स्रोत : सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011

17. चित्र 5 में देश में कुल सड़क नेटवर्क (56,03,293 कि.मी.)के विवरण को दर्शाया गया है। चित्र 6 में पीएमजीएसवाई के तहत बारहमासी सड़कों से जोड़ी गई लक्षित बसावटों का राज्य-वार प्रतिशत दर्शाया गया है।

चित्र 5 : कुल सड़क नेटवर्क



चित्र 6: पीएमजीएसवाई के तहत बारहमासी सड़कों से जोड़ी गई लक्षित बसावटों का प्रतिशत



स्रोत : नीति आयोग एसडीजी सूचकांक 2018

## कोविड-19 महामारी के प्रकोप से निपटने हेतु पहलें

- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों और व्यवसाय प्रतिष्ठानों (businesses) को महामारी और उसके बाद निवारक उपायों का सामना करना पड़ा था। ग्रामीण जनसांख्यिकी की विशेषताएं (जहां उच्च संख्या में वृद्ध आबादी रहती है) और भौगोलिक विशिष्टताओं (जहां स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है) तथा स्वास्थ्य परिचर्या से जुड़े कार्मिकों, स्टाफ एवं सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को महामारी से निपटने में ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समेकित मांग में समग्र

गिरावट के कारण कुछ प्राथमिक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और व्यापार तथा वैश्विक मांग में गिरावट से ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के गंभीर रूप से प्रभावित होने की आशंका है, क्योंकि वे खनन एवं पर्यटन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों पर ज्यादा निर्भर रहती हैं।

19. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भीतर की गई पहलों के भाग के रूप में मनरेगा के लिए 2020-21 में बजट आबंटन को 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। इससे उम्मीद की जाती है कि:

- ◇ लगभग 300 करोड़ श्रम दिवस सृजित होने से रोजगार बढ़ेगा;
- ◇ अपने घर वापस आने वाले प्रवासी कामगारों सहित और अधिक श्रम दिवस सृजित करने की आवश्यकता की पूर्ति होगी;
- ◇ जल संरक्षण सहित संधारणीय एवं आजीविका परिसंपत्तियों का बड़ी संख्या में सृजन होगा; और
- ◇ उच्च उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त होगी।

20. प्रधानमंत्री ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्घाटन किया, जोकि एक रोजगार सृजन एवं ग्रामीण बुनियादी ढांचा सृजन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने घर वापस आने वाले प्रवासी कामगारों को आगामी चार महीनों में उनके मूल स्थान में रोजगार उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के वेबपोर्टल का उद्घाटन 26 जून, 2020 को किया गया था।

## बॉक्स 1: पूर्व वित्त आयोगों द्वारा सड़कों एवं पुलों के लिए अनुशंसित अनुदान

	टिप्पणी	प्रस्तावित अनुदान
बारहवां वित्त आयोग	राज्यों द्वारा सड़कों और भवनों के रखरखाव को उपयुक्त महत्ता नहीं दी गई, अतः इस क्षेत्र के लिए प्राथमिकता के साथ ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।	आयोग ने सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए 15,000 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की थी।
तेरहवां वित्त आयोग	पीएमजीएसवाई सड़कें उच्च प्राथमिकता वाली ग्रामीण सड़कें हैं जहां गुणवत्ता मुख्य बिंदु होता है, अतः इस ओर विशेष ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है।	आयोग ने सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए 19,930 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की थी। आयोग ने गैर-पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए आकलित आवश्यकता के 50 प्रतिशत तक और 2011-12 से शुरूकर चार वर्षों के लिए पीएमजीएसवाई सड़कों हेतु आकलित आवश्यकता के 90 प्रतिशत तक अनुदान सहायता का प्रावधान किया।
चौदहवां वित्त आयोग	आयोग ने अलग से अनुदानों की अनुशंसा नहीं की।	

## पंद्रहवें वित्त आयोग की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं

21. ग्रामीण सड़कों को ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन पहलों के महत्वपूर्ण घटक के लिए बहुत ही अहम माना गया है। पीएमजीएसवाई के तहत 5,50,528 कि.मी. सड़क लंबाई निर्मित की गई है और पात्र बसावटों के 89 प्रतिशत को सड़क संपर्क से जोड़ा गया है। इस विशाल परिसंपत्ति के रखरखाव के लिए एक आवर्ती एवं पूर्वानुमानेय निधि प्रवाह की आवश्यकता होती है। पांच वर्ष के रखरखाव करार के पूरा होने के उपरांत पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए प्रावधान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है।

## पंद्रहवें वित्त आयोग को मंत्रालय द्वारा दिए गए मुख्य प्रस्ताव

- ग्रामीण सड़कें कुल सड़क नेटवर्क का महत्वपूर्ण भाग हैं। भारत में समस्त सड़क लंबाई में सत्तर प्रतिशत ग्रामीण सड़कें हैं और सभी ग्रामीण सड़कों में 18 प्रतिशत पीएमजीएसवाई सड़कें हैं। पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए सेक्टरल अनुदानों का प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

- पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के लिए मैदानी क्षेत्रों की तुलना में 1.2 उच्चतर लागत कारक निर्धारित किये जाने चाहिए।
- राज्यों को ग्राम पंचायतों के लिए क्षमता निर्माण पर सुमित बोस समिति रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) का स्वामित्व और वित्तपोषण राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए।
- मंत्रालय ने निम्नलिखित अनुदानों का प्रस्ताव किया:

**तालिका 5: मंत्रालय का अनुदानों के लिए प्रस्ताव**

मद	निधियों की आवश्यकता (करोड़ रु.)
पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों रखरखाव	76446
ग्राम पंचायतों के लिए मानव संसाधनों का सुदृढीकरण	5000
डीआरडीए	1500
<b>कुल</b>	<b>82946</b>

## चुनौतियां


### अंतिम प्वाइंट तक सड़क संपर्क और पीएमजीएसवाई सड़कों का रखरखाव

- पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें पांच वर्ष के रखरखाव करार से कवर की गई हैं। इसके उपरांत इन परिसंपत्तियों के रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है। इससे अंतर-राज्य विचलन उत्पन्न हुए हैं।
- सड़कों की अवधि से संबंधित प्रोफाइल में यह पाया गया है कि लगभग 64 प्रतिशत पीएमजीएसवाई सड़कें पांच-वर्षीय रखरखाव से बाहर हो गई हैं।



- ग्रामीण सड़कों, जिसमें से 16 प्रतिशत पीएमजीएसवाई सड़कें हैं (यानी 6,32,423 कि.मी.), में पहले की तुलना में काफी ज्यादा यातायात की आवाजाही होती है, जिनके उन्नयन एवं सुदृढीकरण के लिए निवेश की आवश्यकता है।

चित्र 7: पीएमजीएसवाई सड़कों की जीर्णता और बढ़ती आवाजाही



स्रोत : पंद्रहवें वित्त आयोग को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया संशोधित ज्ञापन

## राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- यद्यपि संघ सरकार इस योजना का 100 प्रतिशत वित्तपोषण करती है, किंतु राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। राज्यों की बदलती संसाधन स्थिति के कारण सभी राज्यों में सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में विचलन आया है।

## स्थानीय निकायों में मानव संसाधनों की स्थिति

- ग्राम पंचायतें, मनरेगा, पीएमएवाई और एनएसएपी जैसे कार्यक्रमों में एजेंसी का कार्य करती हैं। ग्राम पंचायतों के मूल कार्यों में संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित उनतीस कार्यों से संबद्ध सेवा प्रदायगी शामिल है। समय के साथ-साथ, यह पाया गया है

कि ग्राम पंचायतें एजेंसी वाले कार्यों के प्रति ज्यादा आकर्षित होती हैं (क्योंकि ये कार्यक्रम बेहतर वित्तपोषित हैं) और अपने स्वयं के मूल कार्यों को नजरअंदाज करती हैं।

- इस संबंध में एक सामान्य चिंता यह रही है कि देश में सभी स्थानीय निकाय पर्याप्त एवं गुणवत्ता परक मानव संसाधनों के अभाव का सामना कर रहे हैं।
- कुछ राज्यों को छोड़कर, सभी पंचायती राज संस्थाओं में इस पहलू में सुधार लाने के लिए कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया है।

## भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

- 86 प्रतिशत से अधिक भूमि-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। तथापि, केवल 47 प्रतिशत मुटेशन अभिलेखों (स्वामित्व के हस्तांतरण की रिकॉर्डिंग) का कंप्यूटरीकरण किया गया है।
- अधिकार के अभिलेख (आरओआर) का रियल-टाइम अपडेशन और मानचित्रण केवल 15 प्रतिशत भूमि अभिलेखों के लिए तैयार किया गया है।

## सुधारों के लिए सुझाए गए क्षेत्र

### पीएमजीएसवाई सड़कों का रखरखाव

- अंतर-राज्य अंतराल कम करना: पीएमजीएसवाई सड़कों के संबंध में अंतर-राज्य असमानता को कम किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय को इस संबंध में राज्य-वार निदेश जारी करने चाहिए।
- करार की शर्तों में संशोधन: सामान्य रूप से पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्रारंभिक पांच वर्षों तक ठेकेदार की है, जिसके उपरांत जैसा कि उपर्युक्त में वर्णन किया गया है, सड़कों की रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। करार की शर्तों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और रखरखाव खंड को पांच वर्षों की अवधि से आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को सड़कों के रखरखाव के लिए समर्पित एवं निरंतर निधि प्रवाह सुनिश्चित करना होगा।

- **केंद्रीय सड़क निधि का उपयोग:** मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है कि पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए एक प्रावधान केंद्रीय सड़क निधि के तहत किया जाना चाहिए।
- **रखरखाव की नवप्रवर्तनशील विधियां:** कई राज्यों ने सड़कों के उन्नयन एवं रखरखाव की समस्या से निपटने हेतु नवप्रवर्तनशील तरीके अपनाए हैं। सभी राज्यों में साथ-साथ सीखना (पीयर लर्निंग) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

### तालिका 6 : कुछ राज्यों द्वारा सड़कों का रखरखाव करने संबंधी नवप्रवर्तक तरीके

राज्य	अंगीकृत मॉडल
छत्तीसगढ़, राजस्थान	ठेकेदार के साथ जोनल रखरखाव करार
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उत्तराखंड	आईएलओ प्रायोगिक परियोजना जहां ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी एसएचजी को दी गई है।
मध्य प्रदेश, पंजाब, और राजस्थान	सड़कों के रखरखाव के वित्तपोषण के लिए मंडी उपकरण का उपयोग

स्रोत : पंद्रहवें वित्त आयोग को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया संशोधित ज्ञापन

## सामाजिक सुरक्षा

- राज्यों को, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के समन्वय में एक न्यूनतम समान मानकीकृत वार्षिक प्रतिव्यक्ति राशि परिकल्पित करनी होगी, जिसे देशभर में सामाजिक सुरक्षा पर खर्च किया जाए। राज्यों को इस प्रयोजनार्थ एक अलग शीर्ष के तहत अपेक्षित बजट व्यवस्थाएं करनी चाहिए।
- राज्य द्वारा इस अतिरिक्त टॉप-अप (राशि) को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थी के खाते में डाल देना चाहिए।
- राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे वर्ष में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा कराएं और लाभार्थियों की सूची का प्रमाणन कर उसको अपडेट करें।

## मूल एवं एजेंसी कार्यों के बीच विभाजन

- यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं के एजेंसी वाले कार्यों के लिए पदाधिकारियों की लागत प्रायोजक एजेंसियों द्वारा वहन की जानी चाहिए, किंतु मूल कार्यों के लिए स्थापना की लागत का वहन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त बजटीय सहायता, आंतरिक सहायता, आंतरिक राजस्वों, राज्य वित्त आयोगों से प्राप्त अनुदानों तथा वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित बुनियादी अनुदानों से किया जाएगा।
- राज्यों को पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के समन्वय में इन कार्मिकों के लिए निरंतर क्षमता निर्माण की योजना बनानी चाहिए और उसको सुनिश्चित करना चाहिए।
- मानव संसाधनों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए बेंचमार्कों पर निर्णय पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से लिया जाना चाहिए।
- दोनों मंत्रालयों को राज्यों द्वारा सभी पदानुक्रमों (hierarchies) के लिए एक व्यापक सक्षमता फ्रेमवर्क विकसित करने में सहायता करनी चाहिए।

## विधायी ढांचा

- राज्यों को क्लस्टर गांवों को विकसित करने के लिए अपने नगर और शहर योजना अधिनियमों के कार्यक्षेत्र को योजना क्षेत्रों से आगे विस्तारित करना चाहिए। कर्नाटक ने अपने नगर और शहर योजना अधिनियम को पूरे राज्य के लिए पहले ही विस्तारित कर लिया है।

## भूमि अभिलेखों का डिजिटीकरण

- जीआईएस, जीपीएस और सेटलाइट इमेजरी जैसी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना भूमि अभिलेखों के उन्नयन, रजिस्ट्रीकरण और रखरखाव आज के समय की आवश्यकता है। कई राज्यों ने इस संबंध में सफल मॉडल विकसित किए हैं। इस दिशा में सभी राज्य सरकारों द्वारा और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

## तालिका 7: कुछ राज्यों द्वारा अंगीकृत मॉडल

राज्य	अंगीकृत मॉडल
कर्नाटक	जीआईएस-आधारित संपत्तिकर प्रणाली के लिए एएसटीएचआई (आस्थी) परियोजना
पुणे नगर निगम	शहर के मानचित्रण के लिए जीआईएस-आधारित प्रणाली और सभी संपत्तियों के लिए विशिष्ट आईडी का सृजन
रायपुर नगर निगम	जीआईएस-आधारित नगर पालिका कर संग्रहण और शुल्क संग्रहण प्रणाली में सुधार

स्रोत : पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा विश्व बैंक से कराया गया संपत्ति कर अध्ययन

नोट: अधिक विवरणों के लिए खंड में स्थानीय शासनों पर अध्याय का अवलोकन करें।

### पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में की गई अनुशंसाएं

- हमारा मानना है कि पांच वर्षों के रखरखाव करार के समाप्त होने के पश्चात पीएमजीएवाई सड़कों के रखरखाव के लिए प्रावधान करना महत्वपूर्ण है। हमने ग्रामीण विकास मंत्रालय से सड़कों के रखरखाव पर पांच वर्षों की अवधि के लिए पूर्वानुमानित व्यय को शामिल किया है और इन सड़कों के लिए अनुदानों की अनुशंसा कर आंशिक रखरखाव लागत को कवर किया है। हमने एनईएच राज्यों के लिए कुल रखरखाव लागत का उच्च अनुपात रखा है, क्योंकि उनके पास इस संबंध में वित्तपोषण के लिए सीमित विकल्प हैं। तदनुसार, हम 2021-26 की अवधि में पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव के लिए 27,539 करोड़ रुपए की अनुशंसा करते हैं।

## अध्याय 15

# आर्थिक संवृद्धि के महत्वपूर्ण घटक

जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है, तेरह मंत्रालयों पर विस्तार से चर्चा करने के अलावा, दस और मंत्रालय हैं जो संवृद्धि को गति प्रदान करने तथा सामाजिक रूप से समावेशी संवृद्धि स्वरूप के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इस अध्याय में हमने इन मंत्रालयों का संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हुए उनसे संबंधित सुधारों पर सुझाव दिया है। इन मंत्रालयों में से चार मंत्रालय, जो आर्थिक संवृद्धि में काफी योगदान देते हैं, को अधिक बजट आबंटित हुआ है, जिनमें रेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, संचार और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय शामिल हैं। अन्य छः मंत्रालयों, जो देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हैं, को भी इस अध्याय में शामिल किया गया है। ये मंत्रालय हैं: महिला एवं बाल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, जनजातीय कार्य, संस्कृति और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता।

### क. रेल मंत्रालय

1. रेल भारत में लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों और माल-दुलाई के लिए परिवहन का प्रमुख साधन है। आयोग ने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि 'रेलवे देश की आर्थिक संवृद्धि और विकास का इंजन है। रेलवे का विस्तार एवं विकास, विशेषकर लागत प्रभावी माल-दुलाई की दृष्टि से, देश की आर्थिक प्रगति में काफी पिछड़ गया है। भारत सरकार ऐसी अवसंरचना सृजित करने की योजना बनाना रही है जो आगामी छः से आठ वर्षों के दौरान माल दुलाई क्षमता को दोगुना करने और यात्री रेलों की संख्या में अनावश्यक वृद्धि किए बिना यात्रियों की मांग की पूर्ति करेगा।'
2. रेलवे लंबी दूरी के परिवहन का एक ऊर्जा-दक्ष और लागत प्रभावी साधन है। भारतीय रेल को अन्य परिवहन साधनों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और मुख्य रूप से इसकी उच्च प्रशुल्क संरचना के कारण माल दुलाई में इसकी हिस्सेदारी घट रही है। भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ नहीं है और उसे उच्च अधिशेष सृजित करने हेतु जूझना पड़ रहा है। पिछले दस वर्षों में उसका परिचालन अनुपात (एक रुपए कमाने के लिए खर्च की गई राशि) लगातार 90 प्रतिशत से अधिक रहा है और 2017-18 में यह

98.4 प्रतिशत को छू गया था। भारतीय रेलवे का सर्वाधिक व्यय (लगभग 41 प्रतिशत) उसके कर्मचारियों, उसके बाद पेंशन निधि (21 प्रतिशत) और ईंधन (17 प्रतिशत) पर खर्च होता है।

3. भारतीय रेलवे की महत्ता को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार ने समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर), उच्च गति की रेल, रोलिंग स्टॉक, अंतिम छोर तक रेल संपर्क और पोर्ट कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। हम मंत्रालय के विचार हेतु कुछ मुख्य सुधारों का सुझाव देते हैं:

i) **मानव संसाधन प्रबंधन:** संगठन के भीतर मानव प्रतिभा पूल के बीच समन्वय की आवश्यकता है। आयोग का सुझाव है कि आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण नीतियां बनाई जाएं और रेलवे के विभिन्न अनुभागों के पूर्ववर्ती साइलो फ्रेमवर्क को समाप्त किया जाना चाहिए।

ii) **पूंजी और विकास कार्य:** संघ के 2020-21 के बजट में, सरकार ने आगामी पांच वर्षों के दौरान अवसंरचना हेतु 100 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है। इसमें रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, मेट्रो एवं रेल परिवहन और लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग पर परियोजनाएं शामिल की जाएंगी। हमारा यह मत है कि वर्तमान रेल मार्गों के आधुनिकीकरण, पुलों, रोलिंग स्टॉक, सिग्नलिंग में सुधार, डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर एवं उच्च-गति यात्री रेल कोरिडोर का विकास और सरकारी-निजी-भागदारी पहल की दिशा में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। नई परियोजनाओं को शुरू करने से पहले काफी समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

iii) **यात्रियों की सुरक्षा:** वर्तमान में, भारतीय रेलवे से संबंधित तीन महत्वपूर्ण कार्य (नियम बनाना, परिचालन और विनियमन) रेलवे बोर्ड को सौंपे गए हैं। हमारे मतानुसार, सुरक्षा विनियमन के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की आवश्यकता है। उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति ने सांविधिक रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी, जिसके पास भारतीय रेलवे के परिचालन प्रणाली में सुरक्षा की निगरानी करने की पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिए। इसके अलावा, पूर्ववर्ती समितियों ने यह कहा था कि अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ), जोकि भारतीय रेलवे का शीर्ष तकनीकी अनुभाग है, अनेक व्यवधानों के साथ कार्य कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, से उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रणाली की क्षमता बाधित हुई है। आयोग की आम सहमति है कि आरडीएसओ को अधिक सशक्त करते हुए उसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि रेलवे अनुसंधान और विकास परिषद (आरआरडीसी) को सीधे संघ सरकार के तहत स्थापित किया जाए। हमने एक उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली (यूरोपीय रेल नियंत्रण प्रणाली की तरह) के अंगीकरण के आवश्यकता को भी महसूस किया

है। सभी लेवल क्रॉसिंग (फाटक सहित और फाटक रहित) को आगामी पांच वर्षों के दौरान समाप्त किया जाना चाहिए।

iv) **रेलवे मार्गों का विद्युतीकरण:** संघ के 2020-21 के बजट में यह घोषणा की गई है कि 'रेलवे की स्वयं की स्वामित्व वाली भूमि पर रेल पटरियों के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी।' भारतीय रेलवे को विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त है। आयोग का मत है कि रेलवे को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को एक राष्ट्र स्तर की कंपनी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इससे बिजली के वितरण, पारेषण प्रणालियों तथा अन्य बिजली प्रणालियों, जिनमें रेलवे एक प्रमुख हितधारक है, से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता आएगी और भारतीय रेलवे एवं राज्य सरकारों के बीच विवाद कम होंगे तथा रेलवे और विद्युत क्षेत्र दोनों की प्रगति होगी। विद्युतीकरण कार्यों के निष्पादन में विलंब को बेहतर परियोजना निगरानी के माध्यम से कम किया जा सकता है। परियोजना टीमों को उचित समय-सीमाओं के भीतर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त किया जाना चाहिए। बोलीदाताओं के निष्पादन के मूल्यांकन में सम्यक तत्परता (due diligence) सुनिश्चित की जानी चाहिए। करारों में प्रोत्साहन शामिल किए जाने चाहिए ताकि परियोजनाओं को समयबद्ध सीमा में पूरा किया जाए। हम अपेक्षा करते हैं कि 2023 से पहले सभी रेल मार्गों का पूर्णतः विद्युतीकरण कर लिया जाएगा।

v) **मुद्रास्फीति-संबद्ध यात्री किराया:** भारतीय रेलवे माल-दुलाई व्यवसाय से प्राप्त लाभों का उपयोग यात्री किराया में हुई हानि की भरपाई के लिए तथा समग्र वित्तों का प्रबंधन करने के लिए करती है। इस प्रकार के क्रॉस-सब्सिडाइजेशन से उच्च माल दुलाई प्रशुल्क निर्धारित करने पड़ते हैं जिसके कारण रेलवे द्वारा की जाने वाली माल दुलाई कम हो जाती है, क्योंकि व्यवसाय प्रतिष्ठान सस्ते परिवहन साधनों का उपयोग करते हैं। उच्च माल दुलाई दरों से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित होती है। भारतीय रेलवे द्वारा एक स्पष्ट रोडमैप बनाया जाना चाहिए, यात्री किराया हेतु क्रॉस-सब्सिडाइजेशन को तीन वर्ष की समय-सीमा के भीतर 10-15 प्रतिशत तक नियत किए जाने की आवश्यकता है।

vi) **अन्य सुझाव**

क. बेहतर पोर्ट कनेक्टिविटी और निजी एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

ख. रेलवे भूमि पर इन-हाउस सौर-पवन (सोलर-विंड) क्षमता त्वरित रूप से इस तरह



विकसित की जानी चाहिए कि भारतीय रेलवे की कम से कम 70-80 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को 4 से 5 वर्षों के भीतर उनके स्वयं के स्रोतों (captive source) से पूरा किया जा सके।

ग. राजस्व अर्जन के लिए और अधिक गैर-किराया स्रोतों का विकल्प चयन किया जाना चाहिए, जिसमें स्टेशनों का पुनः विकास एवं स्टेशनों पर खाली परिसंपत्तियों का व्यावसायिक रूप से उपयोग करना, रेल मार्गों के आस-पास अधिशेष भूमि को पट्टे पर देकर बागवानी एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और विज्ञापनों से राजस्व प्राप्त करना शामिल है। पार्सल डिलीवरी से आमदनी को बढ़ाया जाना चाहिए।

घ. रेलवे की अधिशेष भूमि के मूल्य का आकलन करके इन परिसंपत्तियों का विक्रय/पट्टे पर देने के माध्यम से व्यावसायिकरण किया जाए।

## ख. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

1. यातायात और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था दोनों में योगदान के आधार पर सड़क परिवहन भारत में सबसे अधिक प्रबल परिवहन साधन है। सड़क परिवहन और राजमार्गों से संबंधित सुधारों को परिवहन के एक एकीकृत मल्टी-मॉडल प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। सड़क क्षेत्र जिन बाधाओं का सामना कर रहा है। इनसे बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए निधियों की अनुपलब्धता, भूमि अधिग्रहण और अधिकृत की गई भूमि के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु अपनाई जाने वाली लंबी प्रक्रियाएं, पर्यावरणीय मंजूरियां, परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब एवं बढ़ती लागते, प्रक्रियात्मक विलंब तथा यातायात में अनुमान से कम बढ़ोतरी शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप, परियोजनाओं की जोखिम प्रोफाइल बढ़ जाती है और रखरखाव के लिए निधियां कम पड़ जाती हैं। मंत्रालय को शासन से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनमें परिवहन क्षेत्र के लिए एक एकल विनियामक की आवश्यकता, यात्रियों की सुरक्षा, सड़कों का रखरखाव और अनुसंधान एवं विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं। अंतर-मंत्रालय समन्वय और नीचे सूचीबद्ध अन्य उपाय बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सहायक होंगे

- i) सुदूर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
- ii) बंदरगाहों, विमानपतनों, खनन क्षेत्रों और विद्युत संयंत्रों से कनेक्टिविटी बढ़ाया जाना सड़क परियोजनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु होना चाहिए।

- iii) समर्पित न्यायालयों और माध्यस्थों (arbitrators) को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि विवादग्रस्त मुद्दों तथा सुरक्षा, यातायात, रखरखाव, विवादों आदि का शीघ्रता से समाधान किया जा सके।
- iv) कृषि जिंसें की ढुलाई के लिए दक्ष परिवहन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- v) आटो उद्योग, विशेष रूप से वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के निरंतर उन्नयन की तत्काल आवश्यकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय रीतियों एवं मानकों की संगतता में बेहतर सुविधा, ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।
- vi) राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित मुद्दों पर, आर्थिक रूप से कम लाभप्रद सेक्टरों के लिए निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र से अधिक वित्तपोषण प्राप्त करना भी शामिल है। राजमार्गों पर चुंगी संग्रहण और राजमार्गों का व्यावसायीकरण करने की नीति अपनाए जाने से संसाधनों को सृजित करने में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है जिससे नए राजमार्गों के निर्माण तथा उनके आवधिक रखरखाव दोनों के लिए वित्तपोषण प्राप्त किया जा सकता है। नियंत्रित व अनियंत्रित मल्टी-लेन राजमार्गों की परियोजनाओं में शामिल पुलों, सुरंग, फ्लाइओवर और बाइपास में स्थल सुधार के प्रयोजन से टोल लगाए जाने चाहिए।
- vii) हम परिवहन संबंधी स्थायी समिति (2015 एवं 2016) और सरकारी क्षेत्र उपक्रम संबंधी समिति (2017) की अनुशंसाओं से सहमत हैं कि सड़क परियोजनाओं के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु संघ सरकार के स्तर पर एक समन्वय प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें वित्त मंत्रालय; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय; और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हों। इसी प्रकार की प्रणाली राज्यों में भी स्थापित की जानी चाहिए।
- viii) राष्ट्रीय राजमार्गों के उचित रखरखाव के लिए अलग से निधियां निर्धारित की जानी चाहिए। इन राष्ट्रीय राजमार्गों में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के राजमार्ग भी शामिल हैं, जिनका रखरखाव सहायता की अधिक आवश्यकता होती है।
- ix) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक समर्पित रोड डिजाइन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को सौंपे जाने चाहिए और अपने पास केवल योजना, नीति और बजट संबंधित कार्य रखने चाहिए।

## ग. संचार मंत्रालय

1. संचार मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग हैं: दूरसंचार विभाग ( डीओटी ) और डाक विभाग ( डीओपी )। आज की डिजिटल दुनिया में संचार व्यवसाय प्रतिष्ठानों, सरकारों, समुदायों तथा परिवारों के लिए एक दूसरे से जुड़ने तथा सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए टेलीकम्यूनिकेशन ( दूरसंचार ) काफी महत्वपूर्ण हो गया है, जिससे अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन होता है। संचार क्षेत्र को गंभीर वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की कंपनियां प्रभावित हुई हैं। सरकारी क्षेत्र की स्थिति ज्यादा ही गंभीर है। संचार विभाग विगत 150 से अधिक वर्षों से राष्ट्र के संचार का एक आधार स्तंभ रहा है और उसने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। तथापि, भारतीय डाक विभाग, जिसे किसी समय में देश के डाक नेटवर्क की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता था, की वित्तीय स्थिति बहुत दयनीय है।

### (i) दूरसंचार विभाग

2. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 के अनुसार, उभरती प्रौद्योगिकियों, जैसे कि 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग रोबोटिक्स एवं एम2एम ( मशीन टू मशीन ) का दोहन करने के लिए एक रोडमैप बनाए जाने की आवश्यकता है। दूरसंचार क्षेत्र में राजकोषीय दबाव के चलते, भावी स्पेक्ट्रम नीलामियों से राजस्व अर्जन की आवश्यकता और इस क्षेत्र की वित्तीय लाभप्रदता के बीच उपयुक्त संतुलन बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है, ताकि क्षेत्र की अबाध्य संवृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

3. अधिकांश ग्रामीण वासों में अभी भी मूलभूत मोबाइल फोन कनेक्टिविटी नहीं है और उनमें से अधिकतर वासों वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं। इन संपर्क विहीन गांवों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि ( यूएसओएफ ) में अनुप्रयुक्त निधियों को शीघ्रता से उपलब्ध कराया जा सकता है।

4. हरित संचारों पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की 2011 की अनुशंसाओं के अनुसार, देश के CO<sub>2</sub> उत्सर्जनों में इस क्षेत्र का योगदान 1 प्रतिशत है। संचार टावरों के लिए हरित उर्जा उपलब्ध कराने हेतु दूर संचार कंपनियों को प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।

5. अंतर्राष्ट्रीय संचार यूनियन के आईसीटी विकास सूचकांक 2017 के अनुसार भारत 176 देशों में 134वें स्थान पर था। भारत को आगामी पांच वर्षों के भीतर इस सूचकांक में शीर्ष पच्चीस राष्ट्रों के स्थान पर लाया जाना जरूरी है। इसी प्रकार का एक सूचकांक राज्य स्तर पर विकसित किया जाना चाहिए।

## (ii) डाक विभाग

6. डाक सेवाओं की विभिन्न मूल्य निर्धारण संरचना (price structure) को संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति के अनुसार सरकारी विभाग डाक सेवाओं की पूरी लागत अदा नहीं करते हैं। डाक घरों को किसानों को उपयोग हेतु ट्रेडिंग टर्मिनल उपलब्ध कराते हुए संघ सरकार के eNAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) पहल से एकीकृत किया जा सकता है। वित्तीय उत्पादों, जैसे कि म्युचुअल फंड्स, बीमा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड विक्रय के लिए डाक घरों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि विभाग को राजस्व का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध हो सके। इंडिया पोस्ट बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित रूप से सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को समेकित किया जा सके।

## घ. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

1. वर्तमान में, पेट्रोलियम क्षेत्र का अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग परिवहन तथा ताप (heating) देने और खाना पकाने के लिए किया जाता है। भारत की पेट्रोलियम खपत का 95 प्रतिशत आयात किया जाता है, जबकि 2011-12 में यह 85 प्रतिशत था। मंत्रालय को आगामी दशक में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्यावरण में उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तरों से 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने के संबंध में पेरिस संधि के तहत भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदानों में (एनडीसी) के उद्देश्यों से संबद्ध करना होगा।

2. घरेलू हाइड्रोकार्बन के उत्पादन को बढ़ाने और मौजूदा तेल क्षेत्रों के उत्पादन में सुधार लाने हेतु राजकोषीय प्रोत्साहनों सहित एक सुदृढ़ नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। इस नीति में प्रत्येक तेल क्षेत्र से वर्धित रिकवरी की संभाव्यता का व्यवस्थित रूप से आकलन करने, वर्धित रिकवरी तकनीकों का मूल्यांकन करने और वर्धित रिकवरी युक्त परियोजनाओं की लागत के जोखिम को कम करने तथा उन्हें आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाने के प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।

3. इसके अतिरिक्त, देश की हाइड्रोकार्बन संसाधन संभाव्यता के पुनःआकलन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जानी चाहिए। पूर्वोत्तर में देश के कुल पूर्व-संकेतित (prognosticated) हाइड्रोकार्बन संसाधनों का लगभग 18 प्रतिशत (7634 MMT) है। अभी तक लगभग 2246.6 MMT रिजर्व इन-प्लेस हाइड्रोकार्बन का दोहन (exploration) और उत्पादन कंपनियों द्वारा किए जाने का पता चल पाया है। जिसका अर्थ यह है कि 73 प्रतिशत हाइड्रोकार्बन संसाधन 'अभी तक नहीं खोजे गए' श्रेणी के तहत हैं। अर्थात्, उन्हें ज्ञात करना अभी बाकी है।

4. संघ सरकार द्वारा राज्यों को उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों, जैसे कम्प्रेसिबल प्राकृतिक गैस (सीएनजी), बिजली (वाहनों के लिए), इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) और पाइपलाइन लिक्विड नेचुरल गैस (एलएनजी) को बढ़ावा देने तथा गैर-जीवाश्म ईंधन के अंश को बढ़ाने, बायोमास, स्टबल आदि जैसे अपारंपरिक उर्जा स्रोत के उपयोग को बढ़ाए जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5. पांच विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन ईंधन एवं प्राकृतिक गैस) पर माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा अनुशंसित तारीख से लागू किया जाना है। इन उत्पादों को जीएसटी में शामिल किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि टैक्स क्रेडिट पुरानी एवं नई प्रणालियों के बीच हस्तांतरण योग्य नहीं हैं और कंपनियां दो कर व्यवस्थाओं का अनुपालन करने के लिए विवश होती हैं। जीएसटी में इन उत्पादों को नहीं रखे जाने से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित हुई है।

## ड: महिला और बाल विकास मंत्रालय

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय देश की कुल आबादी (2011 की जनगणना के अनुसार) के 67.7 प्रतिशत महिला एवं बाल आबादी वाली के अधिकारों और हितों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। समाज और देश के समग्र विकास के लिए महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में तथा बच्चों की शारीरिक तथा मानसिक एवं बुद्धिमत्ता तथा पोषण स्थिति में सुधार लाया जाना आवश्यक है। हमने अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में यह टिप्पणी की थी कि:

*‘पोषण, विकास के लिए आवश्यकता और मानदंड दोनों ही हैं। बेहतर पोषण महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सशक्तिकरण की प्रगति में बाधाओं के समाधान तथा गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए अहम रहा है। पंद्रहवें वित्त आयोग की राय है कि इस मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक वर्ष का विलंब भी देश की भावी मानव पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।’*

2. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत संघ सरकार द्वारा आबंटित अनुदानों के अलावा, हमने पोषण हेतु राज्यों के लिए अपनी 2020-21 की रिपोर्ट में 7,735 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदानों की अनुशंसा की थी। हमारी 2020-21 की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन में संघ सरकार ने कहा कि: 'पंद्रहवें वित्त आयोग ने पोषण हेतु राज्यों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 7,735 करोड़ रुपए के अनुदानों की अनुशंसा की है। आयोग ने यह अनुशंसा की है कि पोषण अनुदानों को राज्य की हिस्सेदारी से या संघ की हिस्सेदारी से संबद्ध नहीं किया जाना चाहिए और यह अनुदान अतिरिक्त रूप में है। व्याख्यात्मक ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया था कि "आयोग अपनी मुख्य रिपोर्ट में

टीओआर के अनुसार राज्यों के लिए मापीय निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों के समग्र प्रस्ताव के भाग के रूप में अपनी अनुशंसा की समीक्षा करे।"

3. भारत में पांच वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों का प्रतिशत अधिक है, जो दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में भी कम वजन, कम वृद्धि वाले एवं कमजोर हैं। इन पैरामीटरों के आधार पर बच्चों की पोषण स्थिति के संबंध में अंतर-राज्य व्यापक असमानताएं हैं। सबसे बड़ी चिंता का मुद्दा यह है कि कुछ समृद्ध राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा भी इन कुछ संकेतकों पर अखिल भारतीय औसत से पीछे हैं। इस संबंध में सुधारों के कुछ मुख्य क्षेत्रों का वर्णन नीचे किया जा रहा है:

(i) **एकीकृत बाल विकास योजना में सुधार:** (क) मानव संसाधन विकास में स्थायी समिति की रिपोर्ट में (2018) में यह उल्लेख किया गया है कि बिहार और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू एवं कश्मीर में स्वीकृत और प्रचालनीय आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या के बीच बड़ा अंतर, अर्थात् क्रमशः 20 प्रतिशत और 73 प्रतिशत है। अतः, इस भौतिक अवसंरचना में अंतर को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कम करने की आवश्यकता है। (ख) आईसीडीएस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की कवरेज 100 प्रतिशत सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है, जोकि योजना के सार्वभौमिकीकरण के बावजूद वर्तमान में नहीं देखा जा रहा है, (ग) आंगनवाड़ी केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ताकि सेवाओं को प्रदान करने और प्रत्येक लाभार्थी की प्रगति को रियल-टाइम के आधार पर निगरानी किया जा सके।

(ii) **पोषण अभियान:** 2017-18 में, भारत सरकार ने कम वृद्धि वाले, कुपोषण, रक्त की कमी और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की। तथापि, इस योजना से अभी भी वांछित लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं और यह आवश्यक है कि योजना के विभिन्न घटकों को युद्ध-स्तर पर लागू किया जाए। इस योजना के परिणामों की निगरानी गहनता से की जाए। पोषण परिणाम में सुधार लाने हेतु लक्षित कार्यक्रमलाप निश्चित किया जाए। हम अल्प-पोषण और भूख की लगातार जारी समस्या का समाधान करने हेतु उच्चतर संसाधनों के आबंटन की आवश्यकता पर पुनः बल देते हुए यह अनुशंसा करते हैं कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए।

(iii) **बच्चों के पोषण में सुधार लाने के लिए आकांक्षी जिलों और जनजातीय क्षेत्रों में लक्षित कार्यक्रमलाप:** जनजातीय स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ समिति (2018) द्वारा यह चिह्नित किया गया था कि गैर-जनजातीय बच्चों की तुलना में जनजातीय बच्चों में अधिक कुपोषण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लक्षित कार्यक्रमलाप के लिए जनजातीय क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।



(iv) महिला सशक्तीकरण: महिलाओं के लिए श्रम बाजार परिणामों में सुधार लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए लोचनीय कार्य करने के समय की व्यवस्थाओं, मातृत्व अवकाश और बाल देखभाल की सुविधा, सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना हेतु संसाधन के अधिक आबंटन को भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए बेहतर कार्यकरण की आवश्यकता होती है। मंत्रालय द्वारा राज्यों से गृह मंत्रालय की 4 सितंबर, 2009 की एडवायजरी के अनुरूप पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को तत्परता के साथ कम से कम 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए लगातार बातचीत करनी चाहिए।

### च. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग आर्थिक कार्यकलाप के लगभग प्रत्येक क्षेत्र- अंतरिक्ष अन्वेषण, रक्षा उपकरण, चिकित्सा निदान, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर सिस्टम- में योगदान देता है। सूचना प्रौद्योगिकी से व्यवसाय-प्रतिष्ठानों की समग्र उत्पादकता में आमूलचूल परिवर्तन आता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह परिकल्पना की है कि भारत के ई-डिवेलपमेंट से भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा। इस क्षेत्र के लिए सुझाए गए सुधार निम्नलिखित हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण: सेमिकंडक्टर सुविधाओं और डिस्पले फैब्रिकेशन सुविधाओं सहित इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप-क्षेत्रों में विनिर्माण क्षमताओं को विकसित किया जाना महत्वपूर्ण है। एक सेमिकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी का निर्माण किया जाना सामरिक कारणों से जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण की वृद्धि को बाधित करने वाली समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाना चाहिए ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक भाग बन सके।

(ii) इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए सूचकांक: जैसाकि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति, 2019 में यह उल्लेख किया गया है राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग की स्थिति एवं संवृद्धि को ज्ञात करने के लिए एक सूचकांक सृजित किए जाने की आवश्यकता है। इससे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।

(iii) आईटी/आईटीईएस: नवप्रवर्तन, बेहतर वाणिज्यीकरण, सतत बौद्धिक संपदा अधिकारों, प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप विशेषीकृत कौशल-सेट को बढ़ावा देने के आधार पर यह आवश्यक है कि भारत को एक वैश्विक सॉफ्टवेयर केंद्र (हब) के रूप में विकसित किया जाए।

(iv) **डिजिटल अर्थव्यवस्था:** 'भारत का ट्रिलियन-डॉलर डिजिटल अवसर' पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था से 2017-18 में \$200 की तुलना में 2025 में डिजिटल अर्थव्यवस्था से \$1 ट्रिलियन की आर्थिक मूल्य सृजित कर सकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि हम स्वयं के डिजिटल प्लेटफॉर्म सृजित करें जो हमारी भाषाओं का समर्थन करें, हमारे एल्गोरिथम पर चालित हों और हमारी समस्याओं का समाधान करते हों। इसके लिए संगत विनियमन और नीतियों की आवश्यकता है।

(v) **साइबर सुरक्षा:** देश के विभिन्न क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग के साथ, साइबर स्पेस की अंतर्निहित भेद्यनीयताएं अर्थात् कमजोरियां भी उजागर हुई हैं। अतः साइबर नेटवर्कों को सुदृढ़ बनाया जाना अनिवार्य है।

(vi) **डाटा का स्थानीयकरण:** देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत में संचालित कंपनियों को स्थानीय डाटा को केवल भारतीय सर्वरों पर स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन अपेक्षाओं के कारण कंपनियों पर न तो कोई निषेधात्मक लागत का प्रभाव पड़े, और न ही डिजिटल व्यापार में कोई विशेष बाधाएं उत्पन्न हों।

(vii) **ई-कचरा:** देश में सृजित इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) की भारी मात्रा को अनियमित क्षेत्र में अवांछित प्रक्रिया में रिसाइकिल किया जाता है, जिसके कारण भूमि जल एवं मृदा में प्रदूषण उत्पन्न होता है और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतएव, अनियमित क्षेत्र में ई-वेस्ट रिसाइकिलिंग के दुष्प्रभावों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता उत्पन्न किये जाने तथा इस अनियमित क्षेत्र में रिसाइकिलिंग के लिए ई-वेस्ट को एकत्र करने हेतु तंत्र स्थापित किए जाने आवश्यकता है।

(viii) **ई-अभिशासन:** सरकार से सरकार के बीच, सरकार से नागरिकों के बीच और सरकार से व्यवसाय-प्रतिष्ठानों के बीच सुविधा प्रदान करने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोगों से प्रशासन में बेकार प्रक्रियाओं को समाप्त करने में भी सहायता मिलेगी।



## छ. पर्यटन मंत्रालय

1. पर्यटन उद्योग में रोजगार और समग्र अर्थव्यवस्था की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन मंत्रालय के अनुसार इस क्षेत्र ने 2017 के दौरान रोजगार में 12.38 प्रतिशत का योगदान दिया था। यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला बड़ा क्षेत्र भी है। पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा, उच्च जीएसटी, होटलों को अवसंरचना की सामंजस्यपूर्ण सूची में शामिल नहीं किया जाना और कमजोर अवसंरचना क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं।

2. भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि ई-टूरिस्ट और ई-बिजनेस वीजा धारकों द्वारा भारत में ठहरने की अवधि की सीमा को बढ़ाया जाए। वीजा की अंतर-परिवर्तनीयता को आसान एवं सुगम बनाना चाहिए। ई-मेडिकल वीजा एवं ई-कॉन्फ्रेंस वीजा सहित सभी प्रकार के वीजा के लिए मल्टी-एंट्री सुविधा का विस्तार किया जाना चाहिए। आगमन पर वीजा दिया जाना (वर्तमान में केवल जापानी और दक्षिण कोरिया गणराज्य के नागरिकों के लिए उपलब्ध) को और भी अधिक देशों तक बढ़ाया जाना चाहिए। मंत्रालय ऑफ-सीजन के दौरान वीजा शुल्कों में छूट/कटौती की संभावना की भी खोज कर सकता है। पर्यटन के संबंध में, लक्ष्य यह होना चाहिए कि कम से कम दस-वर्ष की वैधता वाले दीर्घकालिक पर्यटक/बिजनेस वीजा दिए जाएं।

## ज. जनजातीय कार्य मंत्रालय

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1999 में अपनी स्थापना के बाद से देश के जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास और कल्याण के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने हेतु संघ सरकार के अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों को सहायता देना है। मंत्रालय का 2020-21 (बीई) के दौरान का कुल आबंटन लगभग 7,400 करोड़ रुपए है। मंत्रालय के 2015-16 से 2020-21 (बीई) के दौरान व्यय के शीर्ष-वार प्रतिशत आबंटन को नीचे तालिका 1१ में दर्शाया गया है।

## तालिका 1: मंत्रालय के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यय का शीर्ष-वार आबंटन


	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (आरई)	2020-21 (बीई)
स्थापना व्यय	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	2.9	4.2	3.8	5.9	5.9	24.5*
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	65.5	68.9	67.2	63.1	57.1	56.5
अन्य अनुदान/ऋण/हस्तांतरण	31.1	26.3	28.4	30.4	36.3	18.2

\*-एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की पुनःसंरक्षित स्कीम


2. मंत्रालय द्वारा 2018-19 के दौरान कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं एवं केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का योजना-वार अंश तालिका 1 एवं 2 में दिया गया है।

### मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और सीएसएस :

चित्र 1: केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय  
(% में, 2018-19)



चित्र 2: सीएसएस पर व्यय  
(% में, 2018-19)



3. आबादी की अन्य श्रेणियों की तुलना में जनजातीय लोगों को बड़े पैमाने पर उपेक्षित किए जाने के कारण उनके विकास की दिशा में एक संपूर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, मंत्रालय एक पांच-वर्षीय एजेंडा को अंतिम रूप दे जिसमें जनजातीय लोगों के विकास के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हों।

4. इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुसार वनों की एक व्यापक, सुस्पष्ट एवं विधिक रूप से स्थायी परिभाषा निरूपित किए जाने की आवश्यकता है। जनजातीय स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ समिति (2018) की अनुशंसा की संगतता में, हमारा मत है कि एक जनजातीय स्वास्थ्य सूचकांक बनाया जाए और उसमें जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति को कैप्चर किया जाए। इस सूचकांक का उपयोग सभी राज्यों में जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य स्थितियों में अंतर की पहचान कर उनके स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार लाने हेतु सकेन्द्रित कार्यक्रमलाप चलाने के लिए किया जा सकता है।
5. स्वास्थ्य कार्मिक जनजातीय क्षेत्रों में अपनी तैनाती को एक 'दंड' के रूप में मानते हैं और इन क्षेत्रों में चिकित्सकों और विशेषज्ञों तथा अन्य चिकित्सा कार्मिकों के अभाव के पीछे यह अनेक कारकों में से एक है। इस समस्या का समाधान करने हेतु, स्थानीय जनजातीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से डिप्लोमा को मान्यता देने के महाराष्ट्र के मॉडल पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि सुदूर एवं जनजातीय क्षेत्रों में अधिक संख्या में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इन क्षेत्रों में टेली-मेडिसन सुविधाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यद्यपि ये कार्यक्रमलाप मुख्य रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का विषय हैं, किंतु जनजातीय कार्य मंत्रालय इन क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ सहयोग स्थापित कर सकता है।
6. महामारी के दौरान एक उत्कृष्ट प्रापण/क्रय तंत्र स्थापित की गई है। राज्य सरकार की एजेंसियां लघु वन उत्पादों को खरीद सकेंगे। यदि उनकी कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाती हैं तो इसे जारी रखा जाएगा।
7. जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु, जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए जिनमें सूक्ष्म-सिंचाई प्रणालियों, वर्ष जल संचयन को बढ़ावा देने पर खासा बल दिया जाना चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय से सहयोग स्थापित कर सकता है।
8. जनजातीय आबादी को उच्च कौशल प्रदान करने के लिए यह मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के साथ समन्वय कर सकता है।
9. नीति आयोग द्वारा चिह्नित 117 अकांक्षी जिलों, जो जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं या वहां जनजातीय लोगों की बहुलता है को ध्यान में रखते हुए, यदि उक्त जिलों के लिए प्राप्त वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं तो विकास कार्यक्रमों को एक साथ मिलाने के वर्तमान उद्देश्य से आमूलचूल परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

## झ. संस्कृति मंत्रालय

1. संस्कृति हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है और व्यक्ति-विशेषों और समुदायों दोनों का समग्र रूप से कल्याण करती है। भारत की एक दीर्घकालिक, समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विरासत है जो उसकी बहुलतावादी मूल्यों में गहन रूप से समाहित है। संस्कृति की दृष्टि से देश विश्व के सांस्कृतिक मानचित्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह भारत की एक 'सॉफ्ट पावर' का भी परिचायक है।
2. सांस्कृतिक क्षेत्रों के सृजन हेतु अवसर-रचना के विकास के लिए एक सुसंगत नीति की आवश्यकता है, जहां कला, कलाकार तथा सृजनात्मक क्षेत्र में कार्यरत लोग एक दूसरे से संवाद करके और उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। पूरे विश्व में प्रमुख कला एवं सांस्कृतिक मंचों में भारत की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भारतीय कला, संस्कृति और पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके।
3. भारत के विविध सांस्कृतिक परंपराओं की समृद्धता को प्रदर्शित करने के लिए और आजीविका प्रदान करने के लिए भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर एक राष्ट्रीय नेटवर्क केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न आर्थिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक परिसंपत्तियों का मानचित्रण एवं प्रलेखीकरण किया जा सके। सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं पर आधारित इस प्रकार की प्रणाली तैयार करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, संघ सरकार को अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहायता लेनी चाहिए।
4. इसके अतिरिक्त, संघ सरकार को शहर में सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु एक तंत्र स्थापित करनी चाहिए। उसके निष्पादन के आधार पर इन शहरों के लिए केंद्रीय रूप से निगरानी किए जाने वाला सांस्कृतिक सूचकांक विकसित किया जाना चाहिए।
5. इस संबंध में एक बाजार (मार्किट प्लेस) के साथ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जो कलाकारों को प्रशिक्षित करने हेतु एक विचार-मंच (थिंक टैंक) के रूप में कार्य करेगा। भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास (इनटाक) की तर्ज पर एक न्यास स्थापित करने की पहल की जा सकती है। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सहभागिता बढ़ाने तथा नवप्रवर्तनशील सरकारी-निजी भागीदारी मॉडलों की खोज करने की आवश्यकता है। इसमें क्राउड-फंडिंग प्लेटफार्म को सृजित करने जैसे उपायों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि विरासत स्थलों, संस्मारकों और कला दीर्घाओं के संरक्षण के लिए निधियां सृजित की जा सकें।

## ज. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

1. आत्मविश्वास से भरा और सक्षम कार्य बल आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकता है। 'मेक इन इंडिया' को प्रभावकारी बनाने के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क को लागू करने की आवश्यकता है जो युवाओं के समग्र विकास में योगदान दे। विश्व में सर्वाधिक युवा आबादियों में से एक, भारत अपने कार्यबल को 'रोजगारपरक कौशल' में प्रशिक्षण प्रदान करके उसे 'उद्योग में नौकरी के लिए तैयार' कर उनसे जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त कर सकता है।
2. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह कौशल विकास हेतु प्रयासों के लिए संघ सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योगों, शैक्षिक संस्थाओं तथा गैर-लाभ अर्जक क्षेत्र सहित सभी हितधारकों से सहयोग स्थापित करें। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इसलिए सेवा क्षेत्र का विस्तार करने तथा उसे शिक्षता (apprenticeship) के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से संबद्ध किया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और इन क्षेत्रों की विविध मानव शक्ति आवश्यकताओं के लिए समर्पित प्रयास किए जाने की भी जरूरत है।
3. हमारा यह मानना है कि कौशल विकास अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, जब तक उसे रोजगार अर्जन की दिशा में उन्मुख न बनाया जाए। ऐसे उद्योगों जो न केवल पूंजी-प्रधान या प्रौद्योगिकी आधारित है बल्कि श्रम प्रधान भी है, पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। श्रम प्रधान सेवा क्षेत्र के लिए कौशल मानचित्रण एवं प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी।





पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट





# वित्त आयोग - कोविड के दौर में 2021-26 के लिए रिपोर्ट



पंद्रहवां वित्त आयोग

खंड-IV राज्य  
अक्टूबर 2020









# वित्त आयोग - कोविड के दौर में

2021-26 के लिए रिपोर्ट



---

## पन्द्रहवां वित्त आयोग

खंड-IV राज्य  
अक्टूबर 2020



परिचय	i
खंड-4 में शामिल राज्य	v
कार्य पद्धति	vii
राज्यों अध्यायों की संरचना	ix
बॉक्स प्लॉट्स की व्याख्या	xi
1. आंध्र प्रदेश	AP-1 to AP 11
2. अरुणाचल प्रदेश	ArP-1 to ArP-10
3. असम	AS-1 to AS-12
4. बिहार	BH-1 to BH-13
5. छत्तीसगढ़	CH-1 to CH-12
6. गोवा	GO-1 to GO-11
7. गुजरात	GJ-1 to GJ-12
8. हरियाणा	HR-1 to HR-12
9. हिमाचल प्रदेश	HP-1 to HP-10
10. झारखंड	JH-1 to JH-13
11. कर्नाटक	KR-1 to KR-11
12. केरल	KL-1 to KL-13
13. मध्यप्रदेश	MP-1 to MP-12
14. महाराष्ट्र	MH-1 to MH-12
15. मणिपुर	MN-1 to MN-12
16. मेघालय	MG-1 to MG-11
17. मिजोरम	MZ-1 to MZ-11
18. नागालैंड	NG-1 to NG-10
19. ओडिशा	OD-1 to OD-11
20. पंजाब	PB-1 to PB-13
21. राजस्थान	RJ-1 to RJ-12
22. सिक्किम	SK-1 to SK-11

पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य

23. तमिलनाडु	TN-1 to TN-13
24. तेलंगाना	TL-1 to TL-12
25. त्रिपुरा	TR-1 to TR-11
26. उत्तर प्रदेश	UP-1 to UP-12
27. उत्तराखंड	UK-1 to UK-11
28. पश्चिम बंगाल	WB-1 to WB-11

संदर्भ और आंकड़ों के स्रोत

1 to 2

अनुबंध- सामान्य सूचक

GI-1 to GI-8

अनुबंध- वित्तीय सूचक

FI-1 to FI-18



# संक्षिप्तियां और परिवर्णी शब्द

ACS	आपूर्ति का औसत मूल्य
ADC	स्वायत्त जिला परिषद
AG	महालेखाकार
AMC	आइजौल नगर निगम
ARR	प्राप्त औसत राज्य
AT&C Losses	समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि
ATR	की गई कार्रवाई रिपोर्ट
BMI	शरीर का द्रव्यमान
BOOT	निर्माण, अपनाओं, संचालन, स्थानांतरण
BPL	गरीबी रेखा से नीचे
CAG	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
CAGR	चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर
CGST	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर
CHC	सीएचसी-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
DBT	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
DISCOM	वितरण कंपनी
DLFA	स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा निदेशालय
DMF	जिला खनिज प्रतिष्ठान
DT Metering	वितरण परिवर्तक मीटरिंग (ग्रामीण/शहरी)
ELFA	परीक्षक, स्थानीय निधि एवं लेखा
EoDB	व्यापार करने में आसानी
ES	आर्थिक सेवाएं
EWR	पर्यावरण-आध्यात्मिक, स्वास्थ्य एवं धार्मिक हॉटस्पॉट
FC	वित्त आयोग
FC-XII	बारहवां वित्त आयोग
FC-XIII	तेरहवां वित्त आयोग
FC-XIV	चौदहवां वित्त आयोग
FC-XV	पंद्रहवां वित्त आयोग
FD	राजकोषीय घाटा
FDI	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
FRBM	अर्थ है एक वित्तीय वर्ष जो पिछले वर्ष शुरू होकर 31 मार्च, 2020 को एक वर्ष पूरा होने पर समाप्त हो रहा है।
FYXXXX	सरकार द्वारा व्यावसायिक सेवा
G2B	सामान्य राज्य
GS	अनुदान सहायता
GIA	भारत सरकार
GOI	ग्राम पंचायत
GP	सामान्य सेवाएं
GS	

## पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य

GSDP	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
GST	वस्तु एवं सेवाकर
GSVA	सकल राज्य मूल्य वर्धित
GW	गीगा वॉट
IFMS	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
IGST	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
IMFL	भारत निर्मित विदेशी मदिरा
IMR	नवजात मृत्यु दर
IPP	स्वतंत्र बिजली उत्पादक
kWH	किलोवॉट घंटा
LFAD	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग
LFPR	श्रमशक्ति भागीदारी दर
LSG	स्थानीय स्वशासन
LSGI	स्थानीय स्वशासन संस्थान
LWE	वामपंथी उग्रवाद
MFP	लघु वन उपज
MOPR	पंचायती राज मंत्रालय
MoU	समझौता ज्ञापन
MSMEs	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम
MSP	न्यूनतम समर्थन मूल्य
NAMP	राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम
NCA	सामान्य केन्द्रीय सहायता
NEHS	पूर्वात्तर एवं हिमालयी राज्य
NER	पूर्वात्तर क्षेत्र
NFHS	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
NTR	गैर-कर राजस्व
O&M	प्रचालन एवं प्रबंधन
OD	बकाया ऋण
ODF	खुले में शौच मुक्त
ORR	स्व-राजस्व प्राप्ति
OTR	स्व-कर राजस्व
PDS	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PFMS	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
PHC	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PPP	सरकारी निजी भागीदारी
PRIs	पंचायती राज संस्थान
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
PTB	संपत्ति कर बोर्ड

PWS	पाइप से जल आपूर्ति
RBI	भारतीय रिजर्व बैंक
RD	राजस्व घाटा
RDG	राजस्व घाटा अनुदान
RE	राजस्व व्यय
RES	नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां
RLBs	ग्रामीण स्थानीय निकाय
SC	अनुसूचित जाति
SCA	विशेष केन्द्रीय सहायता
SDG	सतत विकास लक्ष्य
SECC	सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना
SERC	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
SFC	राज्य वित्त आयोग
SGST	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
SOTR	राज्य स्व-कर राजस्व
SPA	विशेष योजना सहायता
sq km	वर्ग किलोमीटर
SRS	नमूना पंजीकरण प्रणाली
SS	समाज सेवा
ST	अनुसूचित जनजाति
STSB	राज्य राजकोषीय बचत बैंक
T&D	पारेषण और वितरण हानि
TE	कुल व्यय (राजस्व जमा पूंजी)
TFR	कुल प्रजनन दर
TGR	रुझान वृद्धि दर
TGS	तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन
ToR	संदर्भ की शर्तें
TR	कर राजस्व
TRE	कुल राजस्व व्यय
TRR	कुल राजस्व प्राप्तियां
TSEC	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम
TTAADC	त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद
UA	शहरी समुदाय
UDAY	उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना
ULBs	शहरी स्थानीय निकाय
UT	संघ राज्य क्षेत्र
VC	ग्राम परिषद
VDB	ग्रामीण विकास बोर्ड



## संदर्भ

1. पंद्रहवें वित्त आयोग ने संगत वित्तीय उद्यमों पर गतिशील दृष्टिकोण प्रस्ताव देते हुए प्रत्येक राज्य की आकांक्षाओं को समझते हुए और राज्यों को सलाह देते हुए जैसे वे आगे की योजना बनाते हैं, स्थानीय शासन तृतीय स्तर तक सौंपते हुए राज्यों के लिए राजकोषीय सुधार के महीने पहलुओं पर विशेष बल दिया है।

### संदर्भ की शर्तें (पैरा-6)

सिफारिश करते हुए एफसी-15 निम्नलिखित पर विचार करेगा (अन्य के साथ-साथ):

- ए. राज्य सरकारों के संसाधनों पर मांग विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक विकास और महत्वपूर्ण अवसंरचना आस्ति अनुरक्षण व्यय, संतुलित क्षेत्रीय विकास के वित्तपोषण के कारण और उनकी सार्वजनिक सुविधाओं का ऋण व देयता;
  - बी. 5 वर्षों तक राजस्व की संभावित हानि हेतु क्षतिपूर्ति के भुगतान सहित जीएसटी का प्रभाव और उपकरणों की संख्या में कमी केन्द्र और राज्यों के वित्त पर अन्य बुनियादी सुधारात्मक कार्यक्रम और क्षतिपूर्ति हेतु उनका निर्धारण।
2. मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान जन स्वास्थ्य आपदा के समाधान मानव संसाधन की सुरक्षा और आर्थिक लाभ निर्माण हेतु राजकोषीय स्थान बनाने के लिए व्यय दक्षता अब आर्थिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक सुधार के परिप्रेक्ष्य में व्यय की सतर्कता सहित पुनः प्राथमिकता और निगरानी में समक्ष राज्य पर निर्भर करते हैं। उपर्युक्त उद्देश्यों की खोज में राज्यों के गहराई से विश्लेषण के लिए पंद्रहवां वित्त आयोग एक समर्पित खंड तैयार करने के लिए प्रेरित हुआ।
  3. अतः खंड-4 पूर्णतः राज्यों को समर्पित है। प्रत्येक राज्य की अर्थव्यवस्था का अत्यंत विस्तार से विश्लेषण किया गया ताकि उसकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए तथा उनके अवसरों को लाभ लेने हेतु अलग-अलग तथा विशिष्ट निष्कर्ष और सिफारिशें तैयार की जा सकें। चुनौतियों की विविधता को देखते हुए प्रत्येक राज्य को बतौर एक अलग सत्ता में देखा गया है और इस परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट उपाय सुझाव गए हैं।

## प्रक्रिया

### राज्यों के महालेखाकारों के साथ परामर्श

4. महालेखाकारों ने अपने-अपने राज्यों के लोकवित्त की ताकत और कमजोरियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन उपलब्ध कराया-विशेष रूप से राजकोषीय व वित्तीय स्वास्थ्य, संसाधन जुटाने में दक्षता और व्यय। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के निष्पादन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और इन राज्यों में स्थानीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य की भी जानकारी दी है।

### राज्य सरकारों के साथ परामर्श

5. राज्य सरकारों और राज्यों में अन्य हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया का अनिवार्य और स्थायी भाग है जिसका अनुपालन पिछले सभी वित्त आयोगों द्वारा किया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने सभी 28 राज्यों को शामिल किया और उनमें से प्रत्येक में कम से कम चार बैठकों का आयोजन किया है। मुख्य मंत्री, मंत्रियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करना राज्य दौड़ों का अभिन्न भाग था। पंचायतों और निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं।

### अनुसंधान एवं विश्लेषण

6. इस खंड को तैयार करने में हमने राज्यों के लिए सीएजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, नीति आयोग, विद्युत मंत्रालय (उदय बैरोमीटरों हेतु विशेष रूप से) पंचायती राज मंत्रालय (हस्तांतरण सूचक) और आयोग द्वारा वित्त लेखों से तैयार किए गए राजकोषीय आंकड़ों को शामिल किया है।

## रिपोर्ट की अवसंरचना

7. राज्यों को दो समूहों में बांटा गया था। 18 सामान्य राज्य जीएस और 10 पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्य एनईएचएस रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य को एक अध्याय निर्धारित किया गया है जो कुल मिलाकर 28 अध्याय होते हैं।
  - क. आरंभिक भाग में प्रत्येक राज्य के उसके भौगोलिक जनसांख्यिकीय, व्यापक आर्थिक सामाजिक आर्थिक और राजकोषीय सूचकों के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया था। इसमें प्रत्येक राज्य की स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तृत विश्लेषण शामिल है जो विशेष रूप से महामारी के परिप्रेक्ष्य में उचित है।
  - ख. तृतीय स्तर के शासन-ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के हस्तांतरण और कार्यप्रणाली पर सूचना अगले भाग को बनाती है।
  - ग. उदय बैरोमीटरों के आधार पर ऋण, हानि और निष्पादन के अनुसार महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र का लघु चित्र इसके बाद आता है।
  - घ. अगले भाग में अनुलंब और क्षैतिज हस्तांतरण पर राज्य के प्रस्ताव का सार दिया गया है।
  - ड. मजबूती का विश्लेषण करने वाले भाग का उद्देश्य राज्य को उपलब्ध अवसरों को सुझाव देना है ताकि वे अपने विकास के प्राधिकार और नीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक राजकोषीय स्थान का सृजन कर सकें।
  - च. इसके परिणाम जो आगे आते हैं, विशिष्ट चुनौतियां जिनका वे सामना कर सकते हैं उनकी पहचान करने में राज्य को विभिन्न जोखिमों और दुष्परिणामों पर आगाह करते हैं विशेष रूप से मौजूदा स्वास्थ्य आपात स्थिति के परिप्रेक्ष्य में जिसको राज्यों में असयमित प्रभाव पड़ रहा है।
  - छ. प्रत्येक अध्याय से उत्पन्न निष्कर्षों का विश्लेषण को उपलब्ध राजकोषीय स्थान के साथ-साथ सुधार पहल, जो उसकी प्रगति की मात्रा में महत्वपूर्ण रूप से योगदान कर सकते हैं के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि राजकोषीय न्याय और ऋण स्थिरता को बनाए रखना विश्लेषणात्मक मूल्यांकन का भाग होता है ये डोमेन विशेषज्ञों के साथ गहन विचार विमर्श और राज्यों के व्यापक दौरों पर निर्भर है।

## विशेषताएं

8. हालांकि राज्यों से संबंधित मामले कुछ बिंदुओं पर मिलते हैं, वे अधिकतर विभेदित व विविध रहते हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि सामाजिक सूचकों को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति की गई है, वे अब भी व्यापक विकास के वृहद मापदंडों पर सामान्य राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। तथापि दोनों राज्य अपेक्षाकृत राजकोषीय विवेकपूर्ण रहे हैं। दूसरी ओर केरल जो मानव संसाधन विकास और अन्य सामाजिक सूचकों पर एक आदर्श राज्य है, ढांचागत राजस्व घाट जाखिमों का सामना करता है।
9. सामान्य राज्यों की तुलना में पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों की विशेषता है, केन्द्रीय हस्तांतरणों पर उच्च निर्भरता उच्च ऋण-जीएसडीपी अनुपात और उच्च समर्पित व्यय बनाम राजस्व व्यय अनुपात। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में वे राज्य जो शुद्ध उपभोक्ता हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय ने डीएसटी राजस्व की शर्तों में अच्छा काम किया है जबकि विनिर्माता राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड काफी ढांचागत और संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
10. राज्य आय पर उदय के क्रियान्वयन, वेतन आयोग प्रदान करने और वृहद नैतिक जोखिम निहितार्थों सहित कृषि-ऋण माफी द्वारा बार-बार प्रहार हुआ है।
  - क. विद्युत क्षेत्र में सुधार सामान्य तौर पर एक प्रमुख चिंता और चुनौती बनी हुई है।
  - ख. राज्यों ने अपनी आय पर अंतर प्रभाव सहित जीएसटी क्षतिपूर्ति की गुंजाइश ने उनको परिवर्तन की प्रक्रिया को आसान बनाया है जिसका विस्तृत विवरण जीएसटी परिषद द्वारा वर्तमान में निर्धारित किया जा रहा है।
  - ग. आवधिक कृषि ऋण माफी और छूट की नीति जानबूझकर चूक करने वालों को प्रोत्साहन देकर ईमानदार आधारकर्ता को हतोत्साहित करके जो नियमित रूप से अपने ऋण चुकाते हैं इसके अलावा किसानों को उधार देने में बैंकों की अनिच्छा को बढ़ाते हुए राज्यों को ऋण संस्कृति पर व्यापक निंदनीय प्रभाव के निर्माण का जोखिम लाता है।

## निष्कर्ष के रूप में

11. जहां मौजूदा स्वास्थ्य आपातस्थिति से निपटा जा रहा है और जबकि राजकोषीय स्थान में फेरबदल विषमता से कड़ा किया जा रहा है वहीं आयोग का प्रयास राज्यों की आशाओं और परिस्थितियों को समझना, सिफारिशें करना, सुधारात्मक संकेतचिह्न उपलब्ध कराना और सक्षम मार्गदर्शन सहित उनका सहयोग भी करना है। आयोग आशा करता है कि ये राज्य की आय में वृद्धि करने में अगले पांच वर्षों के दौरान अनिश्चितताओं और चुनौतियों की अधिकता से निपटने और विकास व वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक राजकोषीय स्थान ढूंढने के लिए राज्यों हेतु बतौर प्रकाशस्तंभ कार्य करेंगे। हमारा मानना है कि इनके कार्यान्वयन से वृद्धि के रूझान में सुधार होगा और प्रदान करने की अवधि के दौरान व्यापक गुणात्मक लाभ देगा।

## अभिस्वीकृति

1. खंड-4 की अवधारणा अध्यक्ष, पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा बनाई गई है और इसे आयोग के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।
2. हम डॉ. इंदिरा राजारमण को इसे एकजुट करने में मार्गदर्शन और मूल्यवान सलाह उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। सुदिप्तो पात्रा और लूसिड सोल्यूशंस स्थित उनके दल द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्कृष्ट संपादकीय और प्रकाशन संबंधी सहयोग को स्वीकार करते हैं और धन्यवाद करते हैं।
3. आयोग के सचिवालय एक अत्यधिक पेशेवर व संसक्त दल ने इस खंड में योगदान देने और एकत्रित करने में लगन से और बिना थके कार्य किया है। इसके सदस्य हैं: मनीष देव, संयुक्त निदेशक; श्वेता सत्या, संयुक्त निदेशक हैं; अदिति पाठक, संयुक्त निदेशक; शिखा दहिया, संयुक्त निदेशक; नीतिश सैनी, उपनिदेशक; संदीप कुमार, सहायक निदेशक; और सुशांत कुमार डेटा एंट्री ऑपरेटर इस समग्र प्रयास का समन्वयन मुखमीत भाटिया, अपर सचिव और डॉ. रवि कोटा, संयुक्त सचिव द्वारा किया गया।





# खंड-4 में शामिल राज्य

## सामान्य राज्य (जीएस)

1	AP	आंध्र प्रदेश
2	BH	बिहार
3	CH	छत्तीसगढ़
4	GO	गोवा
5	GJ	गुजरात
6	HR	हरियाणा
7	JH	झारखंड
8	KR	कर्नाटक
9	KL	केरल
10	MP	मध्यप्रदेश
11	MH	महाराष्ट्र
12	OD	ओडिशा
13	PB	पंजाब
14	RJ	राजस्थान
15	TN	तमिलनाडु
16	TL	तेलंगाना
17	UP	उत्तर प्रदेश
18	WB	पश्चिम बंगाल

- 2015-16 से पूर्व राजकोषीय सूचकों की तुलना 16 सामान्य राज्यों ( आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर ) के संदर्भ में की गई है चूंकि अविभाजित आंध्र प्रदेश के जून 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विभाजित होने से पूर्व के ही राजकोषीय आंकड़े उपलब्ध हैं।
- 2015-16 के बाद राजकोषीय सूचकों की तुलना सभी 18 सामान्य राज्यों के संदर्भ में की गई है।
- प्रत्येक राज्य के दस्तावेज आईडी में सामान्य राज्यों में सभी 18 राज्य शामिल हैं क्योंकि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हेतु 2011-12 से अलग-अलग जीएसडीपी जारी की है।

## पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य (एनईएचएस)

1	ArP	अरुणाचल प्रदेश
2	AS	असम
3	HP	हिमाचल प्रदेश
4	MG	मेघालय
5	MN	मणिपुर
6	MZ	मिजोरम
7	NG	नागालैंड
8	SK	सिक्किम
9	TR	त्रिपुरा
10	UK	उत्तराखंड

## विशेष उल्लेख

1	AI	समस्त भारत
2	JK	एनईएमएस सूचकों में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की तुलना में तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल है क्योंकि 2011-12 से 2018-19 तक की अवधि के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है जिस दौरान तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य अस्तित्व में था।
3	PD	पुडुचेरी



## व्यापक आर्थिक संकेतक

जीएसडीपी में क्षेत्रीय	जीएसडीपी में वर्तमान मूल्यों (शुद्ध सब्सिडी) योगदान वर्तमान मूल्य पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों की तुलना
जनसंख्या की दशकीय वृद्धि	दशकीय जनसंख्या वृद्धि का परिकलन जनगणना आंकड़ों (विभिन्न वर्ष से किया गया)
कुल प्रजनन दर	आयु विशेष प्रजनन दरों की मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार यदि उसे, उन्हें प्रसूति वर्षों से गुजरना हो तो प्रति महिला द्वारा जो बच्चे जन्में जाएंगे।

## सामाजिक आर्थिक, शिक्षा और स्वास्थ्य संकेतक

एसडीजी सूचक	<p>एसडीजी भारत सूचक 2.0 (एसडीजी-2 2.0) 17 एसडीजी ढांचे पर आधारित है जिसके लिए 169 संकेतकों की पहचान की गई है। एसडीजी-2 2.0 आंकलन पहले 16 लक्ष्यों हेतु संकेतकों और 17 वें के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है।</p> <p>स्कोर सीमा 0 से 100 के बीच है</p> <p>एसडीजी-1: कोई गरीबी नहीं</p> <p>एसडीजी-2: शून्य भूख</p> <p>एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और कुशल क्षेत्र</p> <p>एसडीजी-4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा</p> <p>एसडीजी-5 : लैंगिक समानता</p> <p>एसडीजी-6: स्वच्छ पानी और स्वच्छता</p> <p>एसडीजी-7 : सस्ती और साफ ऊर्जा</p> <p>एसडीजी-8 : उचित कार्य और आर्थिक प्रगति</p> <p>एसडीजी-9 : उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <p>एसडीजी-10 : असमानता में कमी</p> <p>एसडीजी-11 : सतत शहर और समुदाय</p> <p>एसडीजी-12 सतत उपभोग और उत्पादन</p> <p>एसडीजी-13 जलवायु क्रिया</p> <p>एसडीजी-14 : पानी के नीचे जीवन</p> <p>एसडीजी-15: जमीन पर जीवन</p> <p>एसडीजी-16: शांति न्याय और सशक्त संस्थान</p> <p>एसडीजी-17: लक्ष्यों के लिए भागीदारी</p>
पांच वर्ष से कम वजनी बच्चे (आयु के लिए वजन गणना पर आधारित)	<ul style="list-style-type: none"> <li>आयु के लिए वजन, आयु के लिए लंबाई और लंबाई के लिए वजन हेतु संयुक्त सूचक है।</li> <li>इसमें तीव्र यथा जीर्ण दोनों अल्पपोषण शामिल है।</li> <li>बच्चे जिनका आयु के लिए वजन स्कोर संदर्भ जनसंख्या के माध्यिका से मायनस दो मानक अंतर (-25 दिन) से नीचे है उन्हें कम वजनी वर्गीकृत किया गया है।</li> <li>बच्चे जिनका आयु के लिए वजन स्कोर की माध्यिका से मायनस तीन मानक अंतर (-3 दिन) से कम है उन्हें अतिम कम वजनी माना जाता है।</li> </ul>
नवजात मृत्यु दर	<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्ष के दौरान मृत नवजात की संख्या 1000</li> <li>वर्ष के दौरान जीवित जन्म की संख्या</li> </ul>
पांच वर्ष से कम वजनी बच्चे में बौनापन आयु के लिए लंबाई स्कोर पर आधारित	<ul style="list-style-type: none"> <li>आयु के लिए लंबाई, रैखिक विकास मंदता और संचयी विकास में कमी का माप है।</li> <li>बच्चे जिनकी आयु के लिए लंबाई 2-स्कोर संदर्भ जनसंख्या की माध्यिका से मायनस दो मानक अंतर (-2 वर्ष) से नीचे है उन्हें उनकी आयु के लिए छोटा (बौना) या जीर्ण रूप से कुपोषित माना जाएगा।</li> <li>बच्चे जिनकी आयु के लिए लंबाई 2-स्कोर संदर्भ जनसंख्या की माध्यिका से मायनस तीन मानक और (3 वर्ष) से कम है उन्हें गंभीर रूप से बौना माना जाता है।</li> </ul>
शौचालय सुविधा सहित परिवार(%)	उन्नत शौचालय सुविधाओं में निम्नलिखित प्रकार के गैर-साझा शौचालय शामिल हैं:-फ्लस/पोर फ्लस शौचालय से पाइप सहित सीवर प्रणाली, सैफ्टि टैंक और पिट लेट्रिन, हवादार बेहतर पिट (बीआईपी) बायोगैस लेट्रिन, स्लैब सहित पिट लैट्रिन; और ट्रिवन पिट/ कम्पोस्ट शौचालय

वंचित परिवार (%)	<p>एसईसीसी 2011 ग्रामीण और शहरी परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन है और पूर्व निर्धारित मापदंडों के आधार पर परिवारों की रैंकिंग की अनुमति देता है। वंचित परिवारों को प्रतिशत निम्नलिखित मापदंडों पर सम्मिलित निष्पादन पर आधारित है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ परिवार जिनमें एक या एक से कम कमरा, कच्ची दीवारें और कच्ची छत है।</li> <li>▪ घर का कोई व्यक्ति सदस्य 18-59 वर्षों की आयु में नहीं है</li> <li>▪ महिला मुखिया सहित परिवार जिसमें कोई व्यक्ति पुरुष सदस्य 16-59 वर्ष की आयु का नहीं है।</li> <li>▪ अन्य रूप सक्षम सदस्य सहित परिवार में कोई अन्य सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है।</li> <li>▪ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार</li> <li>▪ परिवार जिनमें कोई 25 वर्ष से आर्थिक आयु का वयस्क सदस्य नहीं है।</li> <li>▪ भूमिहीन परिवार जो शारीरिक श्रम से अपनी आय का प्रमुख भाग अर्जित करता है।</li> </ul>
<b>राजकोषीय संकेतक</b>	
केन्द्रीय हस्तांतरण	कर हस्तांतरण+ सहायता अनुदान ( वित्त आयोग और गैर-वित्त आयोग दोनों अनुदान)
अधिक्य	कर राजस्व में वृद्धि प्रतिशत /जीएसडीपी में वृद्धि प्रतिशत
राजकोषीय/ राजस्व घाटा	सकारात्मक आंकड़ों के मूल्य घाटा दर्शाते हैं और नकारात्मक आंकड़ों के मूल्य अधिशेष दर्शाते हैं।

# राज्य अध्यायों की संरचना

## राज्य अवलोकन और व्यापक आर्थिक संकेतक

1 क- अवलोकन

1 ख-जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान मूल्य पर %)

1 ग- प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान मूल्य पर)

1 घ- वर्तमान जीएसडीपी 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

1 ड-जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान (वर्तमान मूल्य पर %)

## सामाजिक आर्थिक संकेतक

2 क- जनसंख्या में दर्शकीय वृद्धि (%)

2 ख- कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)

2 ग- नीति आयोग का एसडीजी सूचक (2019)

2 घ- महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतक

2 ड- वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% बिंदु)

## स्वास्थ्य आधारभूत संरचना

3 क- व्यक्ति (000) प्रति एलोपैथिक और आयुष डॉक्टर

3 ख- व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ केन्द्रीय स्वास्थ्य केन्द्र

3 ग- व्यक्ति (000) प्रति नर्स/ फार्मासिस्ट

3 घ- व्यक्ति (000) प्रति सरकारी अस्पताल व्यक्ति (लाख) और प्रति बिस्तर

## राजकोषीय संकेतक

4 क- राजस्व घाटा बनाम जीएसडीपी का %

4 ख-राजकोषीय घाटा बनाम जीएसडीपी का %

4 ग- बकाया ऋण बनाम जीएसडीपी का %

4 घ- समर्पित व्यय बनाम राजस्व व्यय का %

4 ड-ओटीआर बनाम जीएसडीपी का %

4 च-एनटीआर बनाम जीएसडीपी का %

4 छ- पूंजीगत व्यय और जीएसडीपी का %

4 ज- महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक-राज्य बनाम सामान्य राज्य/एनईएचएस

4 झ- टीआरई और ओआरआर अंतराल

4- केन्द्रीय हस्तांतरण कर हस्तांतरण और अनुदान सहायता (एफसी और गैर एफसी) बनाम टीआरआर का %

## स्थानीय निकाय

विद्युत क्षेत्र

राज्य से प्रस्ताव


सामर्थ्य और अवसर

जोखिम और चुनौतियां

सुधार रोडमैप




# बॉक्स प्लॉट्स की व्याख्या







## एपी-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
49.6 मिलियन

सभी राज्यों की जनसंख्या का  
4.2%



**क्षेत्रफल**  
1,62,923 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों के क्षेत्र का  
5.0%



**वन आच्छादन**  
29,137 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों के वन क्षेत्र का  
4.1%

राज्य का स्वयं का वन क्षेत्र  
17.9%

2017 से 2019 तक वन आच्छादन में परिवर्तन  
3.5% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
₹ 1,68,083

₹ 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**

6.7%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%



**प्रति महिला बच्चे**


1.8  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**

33.5%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एपी-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एपी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## एपी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹)


वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	3,79,402	77,44,945	4.9
2012-13	4,11,404	88,27,195	4.7
2013-14	4,64,272	1,00,07,392	4.6
2014-15	5,24,976	1,09,93,257	4.8
2015-16	6,04,229	1,21,91,256	5.0
2016-17	6,84,416	1,37,80,737	5.0
2017-18	7,93,186	1,54,20,126	5.1
2018-19	8,62,957	1,72,83,813	5.0

## एपी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


एपी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एपी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



एपी - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एपी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>अ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>ब</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>क</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>द</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>ग</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

एपी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

एपी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एपी -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एपी- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एपी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और प्रति व्यक्ति (000) बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एपी- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एपी- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एपी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एपी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एपी -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एपी - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एपी-4. जी: जीएसडीपी से पूंजीव्यय का अनुपात




एपी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹0 में	1,68,083	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	13.3	13.4
ओटीआर	6.7	6.4
एनटीआर	0.5	1.1
टीई	17.4	16.1
ईएस	2.7	3.1
एसएस	7.5	5.4
जीएस	4.7	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	7.1	5.8
पूँजी व्यय	2.5	2.5
एफडी	4.1	2.5
आरडी	1.6	0.2
ओडी	29.8	25.0

एपी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
आंध्र प्रदेश	9.6	8.7	11.3
जीएस औसत	11.9	11.8	11.1

एपी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान } (एफसी एवं गैर एफसी)



सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूचित में परिकल्पित 29 कार्यों में से 10 आरएलबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से 17 कार्य यूएलबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ आरएलबी और यूएलबी की लेखा परीक्षा 2016-17 तक पूरी कर ली गई है।

संपत्ति कर बोर्ड (पीटीबी)

- ▲ तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश की सरकार ने अपने पीटीबी 2010 में स्थापित कर लिए थे और ये 2011 से कार्य कर रहे हैं।

सभी राज्यों में हस्तांतरित सूचक रैंक

कार्य श्रेणी	पदाधिकारी श्रेणी	वित्त श्रेणी	नीति श्रेणी में कुल अन्तरण
10	10	16	13

भारत सरकार 2016, हस्तांतरण सूचक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

तृतीय एसएफसी

- ▲ तृतीय एसएफसी ने प्रति व्यक्ति अनुदानों और कार्यों के रूप में स्थानीय निकायों को हस्तांतरण की सिफारिश की है। यह 2004-05 हेतु केन्द्रीय करों के अंश सहित राज्य के कुल कर और गैर-कर राजस्वों का 6.77% बनता है।
- ▲ सरकार ने कुल हस्तांतरण संबंधित सिफारिशों स्वीकार कर ली हैं।

चतुर्थ एसएफसी

- ▲ 2015 में गठित चतुर्थ एसएफसी का 2018 में पुनर्गठन किया गया था। तथापि रिपोर्ट अभी जमा नहीं की गई है।
- ▲ राज्य सरकार एसएफसी के गठन और उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

**ऋण और हानि**

- ▲ डिस्कोमस की कुल उधारी 31 मार्च 2019 को 18,023 करोड़ रु. है जिनमें से राज्य सरकार की उधारी 9 करोड़ रु. है।
- ▲ आंध्र प्रदेश ने 2018-19 में न तो उदय एटी और सी हानि के लक्ष्य प्राप्त किए और न ही एसीएस-एआरआर अंतराल के लक्ष्य।


महत्वपूर्ण उदय बैरोमीटर 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी और सी हानि %	25.7	9.0
एसीएस-एआरआर अंतराल प्रति ईकाई रु.	2.7	-0.03

टिप्पणी:- (-) एसीएस-एआरआर अंतराल दर्शाता है कि प्राप्त प्रति इकाई औसत राजस्व आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

- ▲ राज्यों को उदय बैरोमीटर पर अपने निष्पादन को काफी हद तक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में राजकोषीय जोखिम से बचा जा सके।

**एपी-5 ए :- एटी और सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018**



स्रोत:- भारत सरकार 2019 उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**लंबवत हस्तांतरण**

- ▲ आंध्र प्रदेश ने यह प्रस्ताव किया कि विभाज्य पूल में राज्यों का अंश 50 % तक बढ़ाया जाए।

**समस्तरीय हस्तांतरण हेतु सूत्र**

क्र.सं.	मापदंड	अंश (%)
i)	जनसंख्या	5
ii)	क्षेत्र	15
iii)	आय दूरी	40
iv)	जनसंख्या वृद्धि दूरी	25
v)	अक्षय ऊर्जा क्षमता	10
vi)	जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान	5

**नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग 2019**

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2019-20 के अनुसार भारतीय राज्यों में राज्य का तीसरा स्थान (हिमाचल प्रदेश और केरल के पश्चात) रहा।
- ▲ इसके अलावा राज्य ने एसडीजी (अर्थात गरीबी रहित) में 5 वां स्थान प्राप्त किया है। वास्तव में, अविभाजित आंध्र प्रदेश की 2011-12 में गरीबी दर एकल अंक में थी अर्थात 9.2% थी। जो उसी वर्ष अखिल भारतीय गरीबी दर 21.9 % से बहुत कम थी (तेंदुलकर प्रणाली विज्ञान के अनुसार)
- ▲ विडंबना यह है कि राज्य का निष्पादन एसडीजी-2 (अर्थात शून्य भूख में) अच्छा नहीं रहा, जहां सभी राज्यों में उसका 18 वां स्थान रहा।
- ▲ राज्य को सामाजिक परिणामों में सुधार करने के लिए प्रयास करने होंगे।

**मिश्रित जल प्रबंधन सूचकांक**

- ▲ नीति आयोग द्वारा जारी मिश्रित जल प्रबंधन सूचकांक, 2019 के अनुसार, आंध्र प्रदेश 2017-18 में 17जीएस में से जल प्रबंधन में आंध्र प्रदेश का दूसरा स्थान रहा (2016-17 में तीसरे स्थान में सुधार)।
- ▲ आंध्र प्रदेश अन्य राज्यों के लिए अच्छी जल प्रबंधन पद्धतियों का मार्गदर्शक बनने के लिए सही स्थान पर है बशर्ते कि वह अपनी दक्ष जल प्रबंधन पद्धतियों को बनाए रखने और बेहतर बनाना जारी रखें।

**बेरोजगारी दर**

- ▲ 15 वर्ष या अधिक वर्ष के व्यक्तियों में बेरोजगारी (सामान्य मुख्य और अनुषंगी स्थिति) की घटना 2017-18 में आंध्र प्रदेश (जीएस में) में तीसरी सबसे कम थी।
- ▲ आंध्र प्रदेश को अपनी निवेश अनुकूल नीतियों को जारी रखते हुए और अपने लोगों के लिए अधिक रोजगार सृजन करके निम्न बेरोजगारी दर के साथ वर्ष 2019 में व्यापार में सुगमता की स्थिति में शीर्षस्थ स्थिति को मजबूत करना चाहिए।

**महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर**

- ▲ सामान्य राज्यों में, 2017-18 में आंध्र प्रदेश ने 15 वर्षीय श्रमिकों में 42.5% की दूसरी उच्चतम महिला एलएफपीआर (सामान्य प्रमुख और अनुषंगी) स्थिति प्राप्त की है।
- ▲ राज्य सरकार को महिलाओं की सहभागिता में और वृद्धि करने के लिए, विशेष रूप से प्रबंधन स्तर पर नीतियों को अपनाना होगा।

**मिलियन-प्लस शहर**

- ▲ आंध्र प्रदेश में दो मिलियन प्लस शहर हैं- विजयवाड़ा और विशाखापटनम, जो बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे और रसद में निवेश के सही मिलन से आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में कार्य कर सकते हैं।

**दूसरी सबसे लंबी तट रेखा**

- ▲ राज्य में तट के साथ लगे 13 में से 9 जिले सहित 974 किमी तटरेखा है।
- ▲ इसलिए राज्य आसपास के अपतटीय राज्यों के उद्योगों को सेवा देने के लिए बंदरगाह चालित विकास के माध्यम से राजस्व पैदा कर सकता है।



### राजकोषीय व्यवस्था

- ▲ राज्य के एफडी-जीएसडीपी अनुपात में वृद्धि हुई है जैसे 2015-16 में 3.7% से 2016-17 में 4.5(%) तक वृद्धि और 2018-19 में 4.1 %
- ▲ उसी समय ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2015-16 में 28.1% से 2018-19 में 29.8% के उच्च स्तर पर रहा।
- ▲ उपर्युक्त को देखते हुए राज्य को अपने घाटे और ऋण को धारणीय स्तर नीचे लाना होगा।

### एफआरबीएम का अनुपालन

- ▲ राज्य ने अपना एफआरबीएम अधिनियम 2005 में लागू किया और 2011 में इसमें संशोधन किया।
- ▲ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपेक्षित लक्ष्यों की अनुपस्थिति में आंध्र प्रदेश द्वारा 2015-16 से 2017-18 तक एफआरबीएम लक्ष्यों को अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

अनुपात बतौर (%)	2015-16 <sup>a</sup>	2016-17 <sup>a</sup>	2017-18 <sup>a</sup>
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>			
राज्य एफआरबीएम द्वारा नियत अनुसार	N.A.	N.A.	N.A.
वस्तुतः प्राप्त	28.1	28.5	26.6
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>			
राज्य एफआरबीएम द्वारा नियत अनुसार	N.A.	N.A.	N.A.
वस्तुतः प्राप्त	3.7	4.5	4.1

लागू नहीं:- आंध्र प्रदेश सरकार से हुई वार्ता के अनुसार इन वर्षों के लिए कोई एफआरबीएम लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

स्रोत:- आंध्र प्रदेश सरकार

### केन्द्रीय हस्तांतरण पर अधिक निर्भरता

- ▲ राज्य को अपने स्वयं के स्रोतों (कर और गैर-कर दोनों) से अधिक राजस्व जुटाने के कदम उठाते रहने की आवश्यकता है।
- ▲ 2016-2017 में आंध्र प्रदेश के टीआरआर में केन्द्रीय हस्तांतरण का हिस्सा 50% से अधिक था। तथापि 2018-19 में यह 45.6 % तक घट गया।

### कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर उच्च और बढ़ती निर्भरता

- ▲ जीएसबीए (वर्तमान मूल्य पर) में कृषि, वानिकी और मत्स्य क्षेत्रों का अंश विशाल है और बढ़ रहा है-2015-16 में 31 % से 2018-19 में 35 % तक वृद्धि हुई।
- ▲ यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में संभावित ढांचागत रूपांतरण के विपरीत है।
- ▲ इसलिए राज्य को अपना आर्थिक आधार में विविधता लानी होगी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित अन्य क्षेत्रों को मजबूत करना होगा, जिनसे और अधिक कौशल आधारित रोजगार भी सृजित होंगे।

### महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कम प्रति व्यक्ति व्यय 2016-17

- ▲ आंध्र प्रदेश द्वारा राष्ट्र निर्माण हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय सामान्य राज्यों और सभी राज्य औसत दोनों से कम रही है।

## महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति व्यय रु. में

	रोड, पुल और भवन	वानिकी परिस्थितिकी और पर्यावरण	जल आपूर्ति और स्वच्छता
आंध्र प्रदेश	240	53	223
सामान्य राज्य	318	98	253
सभी राज्य	365	114	276

## शिक्षा

- ▲ आंध्र प्रदेश में शैक्षिक परिणाम या तो राष्ट्रीय औसत (जैसे पाठन क्षमता) से कम है या निर्धारित अवधि के दौरान काफी हद तक बिगड़ गए हैं (जैसे अंकगणित क्षमता)

	शिक्षण परिणाम I <sup>a</sup>		शिक्षण परिणाम II <sup>b</sup>	
	2016	2018	2016	2018
आंध्र प्रदेश	22.6	22.6	48.3	38.5
भारत	25.2	27.3	27.7	28.2

ए-कक्षा -3 में प्रतिशत छात्र (सरकारी और निजी स्कूल का) जो कक्षा 2 पाठ पढ़ सकते हैं 2018  
बी-कक्षा 3 में प्रतिशत छात्र (सरकारी और निजी स्कूल का) जो कम से कम घटना जानते हैं 2018  
स्रोत: एएसईआर 2018 शिक्षा का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 एएसईआर केन्द्र

- ▲ आंध्र प्रदेश को शैक्षिक परिणामों में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

## पिछड़ापन

- ▲ आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में से तीन की बतौर उच्चाकांक्षी पहचान की गई है।
- ▲ इनमें से एक जिला देशभर के 35 जिलों में वामपंथी उग्रवाद द्वारा सबसे गंभीर रूप से प्रभावित है जो इनके विकास पथ में गंभीर रुकावट उत्पन्न करता है।
- ▲ राज्य महत्वाकांक्षी जिलों की तर्ज पर निचले 20% ब्लॉकों के बतौर महत्वाकांक्षी ब्लॉक विकास को लक्षित करना चाहेगा।

## विद्युत क्षेत्र

- ▲ एटी एंड सी हानि 2017-18 में 14.26% (9%) के लक्ष्य की तुलना में 2018-19 में 25.7% तक (9.0% के लक्ष्य की तुलना में बढ़ गई है)
- ▲ राज्य को राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए महत्वपूर्ण उदय बैरोमीटरों (स्मार्ट मीटरिंग सहित) पर अपने निष्पादन में काफी सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ यह सुनिश्चित करने के लिए कि पावर सब्सिडी बिना लीकेज के सही लाभार्थियों तक पहुंच मजबूत व्यवस्थित सुधारों की आवश्यकता है।

## स्थानीय निकाय

- ▲ शेष कार्य स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने के लिए उपाय करने होंगे।
- ▲ जैसा संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) और (ग) में प्रतिष्ठापित किया गया है, भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिश करता है। राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करना और मार्च 2024 को या उससे पूर्व राज्य विधानमंडल के समक्ष उस पर की गई कार्रवाई से संबंधित विवरणात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

## सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ राज्य में 64 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जिनमें से 37 पीएसयू ने अक्टूबर 2016 और सितंबर 2017 के बीच अपने खातों (विभिन्न रिपोर्टिंग अवधि को शामिल करते हुए) को अंतिम रूप दिया है। कार्यशील पीएसयू में से 15 ने 1164.2 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया है और 20 पीएसयू ने 3240 करोड़ रु. की हानि उठाई है। एक पीएसयू (आंध्र प्रदेश पावर फाइनेंस

कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना लेखा बिना लाभ बिना हानि आधार पर तैयार किया है और एक अन्य पीएसयू ( भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोर्पोरेशन लिमिटेड ) ने अपना प्रचालन शुरू नहीं किया है।

- ▲ नौ पीएसयू ने 25, 367.9 करोड़ रु. हानि उठाई है-जन स्वास्थ्य अपक्षरण किया है- जो गंभीर चिंता का कारण है।
- ▲ पर्याप्त बजटीय सहयोग को देखते हुए खातों का लेखा परीक्षण नहीं करना गंभीर नकारात्मक जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

### राज्य का सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के प्रयोजन के लिए राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहों में रखा गया है। आंध्र प्रदेश उस समूह का भाग है जिसमें पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल हैं।
- ▲ जून 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य का तेलंगाना और मौजूदा आंध्र प्रदेश में पुनर्गठन (द्विभाजन) किया गया था। अतः अन्य मध्य आय राज्यों से तुलना करने के लिए विभाजित राजस्व और व्यय के आंकड़े 2014 से पूर्व उपलब्ध नहीं थे। यद्यपि 2011-12 से 2018-2019 की संपूर्ण अवधि हेतु संपूर्ण मूल्यांकन किया गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हेतु राजकोषीय आंकड़ों का विश्लेषण 2015-16 के बाद से किया गया था।

### सुधार मार्गसूचक


- ▲ द्विभाजन के पश्चात शेष आंध्र प्रदेश अत्यधिक कृषि आश्रित ( जीएसवीए में 35% अंश ) है।
- ▲ इसका जीएसडीपी दक्षिण भारत में केरल के बाद सबसे कम है।
- ▲ अभिभाजित आंध्र प्रदेश और नए राज्य ( तेलंगाना ) की तुलना में, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राजकोषीय मापदंड निम्न है।
- ▲ आंध्र प्रदेश के अपने ओआरआर/टीआरआर ( 55% ) ( 74% सहित तेलंगाना की तुलना में ) में सुधार की जरूरत है।
- ▲ उत्पाद शुल्क राजस्व खराब प्रदर्शन कर रहा है ( तेलंगाना में 16.45% की तुलना में ओटीआर का 10.75% ) और सुचारू बनाने की जरूरत है।
- ▲ राज्य को लघु अवधि में अपने टीआरई को युक्तिसंगत बनाना होगा चूंकि यह कुल व्यय के लगभग 86% पर देश में सबसे अधिकतम में से एक है ( तेलंगाना 76% की तुलना में )।
- ▲ विगत चार वर्षों में राज्य का राजस्व व्यय ने अपने पूंजीगत व्यय की लागत पर तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया है। किसी नए राज्य के लिए यह अरक्षणीय है। सिंचाई, पेयजल और विद्युत में पूंजीगत निवेश को लागत वसूली के साथ जोड़ना चाहिए।
- ▲ यह गंभीर नकदी प्रवाह मामलों का सामना कर रहा है और बारबर अर्थोपाय अग्रिम सहित यदाकदा ओवर ड्राफ्ट का सहारा लेता है।
- ▲ हालांकि एफडी और ओडी सीमा के अंदर है ऋण पुनःभुगतान चिंता का कारण है क्योंकि इसके ओआरआर कम है।
- ▲ राज्य को उत्पाद शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी और खनिजों की रॉयल्टी से राजस्व प्रवाह में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

### टिप्पणी :-

1. भारत सरकार ( 2019 ), आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
2. पूर्वोक्त
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ( 2018 ), 2018 की रिपोर्ट सं. 3 : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश सरकार।



## एआरपी-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
1.4 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
0.1%



**क्षेत्रफल**  
83,743 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
2.6%



**वन आच्छादन**  
66,668 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
9.5%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
79.6%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.4% ↓



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,52,718

रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
4.3%

सभी राज्यों का औसत  
6.3%



**प्रति महिला बच्चे**  
2.1


सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
22.7%

अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एआरपी-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एआरपी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एआरपी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

वर्ष	राज्य	सभी जीएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	11,063	5,03,182	2.2
2012-13	12,547	5,63,081	2.2
2013-14	14,581	6,37,264	2.3
2014-15	17,959	6,95,474	2.6
2015-16	18,509	7,88,321	2.4
2016-17	19,845	8,67,648	2.3
2017-18	22,432	9,74,240	2.3
2018-19	24,603	10,82,901	2.3


## एआरपी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




एआरपी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एआरपी-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



एआरपी - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एआरपी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>आ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एए</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एए</sup> एसआरएस, 2018

एआरपी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

एआरपी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एआरपी -3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एआरपी- 3. सी: व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एआरपी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एआरपी- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एआरपी- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा






एआरपी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एआरपी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय



नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एआरपी -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में अन्य



एआरपी- 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एआरपी-4. जी: जीएसडीपी से पूंजीव्य का अनुपात




एआरपी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	1,52,718	1,30,427
संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।		
टीआरआर	65.8	23.3
ओटीआर	4.3	5.0
एनटीआर	2.5	2.0
टीई	73.9	26.7
ईएस	16.8	5.0
एसएस	19.3	8.7
जीएस	14.4	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	23.5	14.4
पूँजी व्यय	23.4	4.3
एफडी	8.0	3.4
आरडी	-15.3	-0.9
ओडी	34.9	29.6

एआरपी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
अरूणाचल प्रदेश	16.7	18.4	13.9
एनईएचएस	12.6	12.1	10.7

एआरपी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के परिकल्पित सभी 29 कार्य आरएलबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से 13 को यूएलबी को हस्तांतरित कर दिया गया है।

लेखापरीक्षण स्थिति

- ▲ यूएलबी के खातों का 2017-18 तक और यूएलबी का 2014-15 तक लेखापरीक्षण कर लिया गया है।

संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य सरकार द्वारा अब तक संपत्ति कर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
- ▲ तथापि राज्य में मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर लागू करने का निर्णय लिया है 30 शहरी क्षेत्रों में संपत्ति का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।
- ▲ संपत्ति कर नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया है और संपत्ति कर सर्वेक्षण पूरा होने पर अधिसूचित किया जाएगा।

सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक क्रम

कर्मों का क्रम	पदाधिकारियों का क्रम	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
16	6	16	21

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य वित्त आयोग

- ▲ कोई एसएफसी कार्यान्वयन अधीन नहीं है।
- ▲ पहली एसएफसी रिपोर्ट सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी।
- ▲ दूसरी एसएफसी रिपोर्ट जून 2014 के दौरान जमा की गई थी परंतु उसका एटीआर सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- ▲ संविधान की अनुसूची 280 (3) (ख ख) और (ग) में प्रतिष्ठापित अनुसार भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सिफारिश करता है। राज्य सरकारों को एसएफसी का गठन करना, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करना और मार्च 2024 को अथवा उससे पूर्व राज्य विधानमंडल के समक्ष उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**ऋण और हानि**

- ▲ जबकि प्रचालन दक्षता हेतु उदय करार में राज्य हस्ताक्षरकर्ता है, इसके योजना के तहत किसी डिस्कोम का अधिग्रहण नहीं किया है।
- ▲ एटी एंड सी हानि और एसीएस-एआरआर अंतराल दोनों ही वर्ष 2018-19 हेतु उदय लक्ष्य से कहीं ऊंचे हैं।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	55.5	39.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	4.27	0.0

टिप्पण : (-) एसीएस-एआरआर अंतराल दर्शाता है कि प्रति इकाई प्राप्त औसत राजस्व आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**लंबवत हस्तांतरण**

- ▲ अरूणाचल प्रदेश ने सिफारिश की है कि करों के समग्र विभाज्य पूल में राज्य का अंश 50% तक बढ़ा दिया जाए।
- ▲ उसने यह भी सिफारिश की है कि लंबवत हस्तांतरण सूत्र में पूर्वोत्तर के लिए हस्तांतरित करों का 10% निश्चित किया जाए।

**क्षैतिज हस्तांतरण का सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाए गए अंश (%)
i)	जनसंख्या एवं उसका संयोजन	20
ii)	अवसंरचनात्मक घाटा	5
iii)	मानव विकास में घाटा	10
iv)	आय अंतर (कृषि बिना)	30
v)	वन क्षेत्र	10
vi)	क्षेत्र	20
vii)	जीएसटी, स्वच्छता, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, आदि जैसे मापदंडों के आधार पर निष्पादन	5

**पर्यटन**

- ▲ पर्यटन बढ़ाने (और इससे राज्य हेतु राजस्व जुटाने) के उपाय निम्नलिखित हैं।
  - » पर्यटकों का समय और धन बचाने के लिए हवाई संपर्क और सड़क नेटवर्क में सुधार करना चाहिए।
  - » लीक से हटकर पर्वतीय क्षेत्रों पर हेली-टैक्सी पीपीपी मध्यम से शुरू की जा सकती है।
  - » प्रोत्साहन या पीपीपी माध्यम से पर्यावरणीय पर्यटन और साहसिक खेल को बढ़ावा दिया जाए।
  - » होमस्टे वैयक्तिक साथ-साथ समुदाय आधारित को बढ़ावा दिया जाए। चूंकि होमस्टे प्राथमिक रूप से महिलाओं द्वारा चलाए जाते हैं, वे उनके आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कारगर हैं। राज्य सरकार होमस्टे को ई-कॉमर्स कर्ताओं के साथ जोड़ने के लिए सक्रिय उपाय कर सकती है।

**जलशक्ति**

- ▲ राज्य में 58,160 मेगावॉट जलशक्ति का सामर्थ्य है जिसमें से केवल एक भाग का अब तक दोहन किया गया है।
- ▲ राज्य को क्षमता के दोहन के उपाय ढूँढने चाहिए और राजस्व आय में वृद्धि करनी चाहिए।

**कम एलटीआर और हस्तांतरण पर उच्च निर्भरता**

- ▲ राज्य के ओटीआर ने 2018-19 में केवल 6.6% टीआरआर में योगदान दिया और एनटीआर ने लगभग 3.8% टीआरआर में योगदान किया।
- ▲ केन्द्रीय हस्तांतरण ने इसके टीआरआर में 89.6% योगदान दिया।
- ▲ हालांकि सकारात्मक पहलू यह है कि 2011-12 से 2018-19 तक ओटीआर 19.3% के अच्छे टीजीआर पर वृद्धि कर रहा है (11% की एनईएचएस औसत)। इसका मुख्य कारण राज्य द्वारा अच्छा जीएसजी संग्रहण।
- ▲ अरूणाचल प्रदेश में 2011-12 से 2018-19 तक वैट/जीएसटी का संग्रहण 21.2% के टीजीआर से बढ़ा (एनईएचएस औसत 11%)।
- ▲ राज्य ने स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण से संग्रहण में भी अच्छी प्रगति की है, जहाँ 2011-12 से 2018-19 तक औसतन 6.73% एनईएचएस की तुलना में 22.4% का टीजीआर एकत्रित किया है।
- ▲ तथापि, ओटीआर/जीएसडीपी औसतन एनईएचएस से कम रहा है।
- ▲ अतः राज्य सरकार को राजस्व में वृद्धि करने के लिए और प्रयास करने होंगे और केन्द्रीय सरकार पर निर्भरता कम करनी होगी।

**अरूणाचल प्रदेश की राजस्व प्राप्ति बनावट एनईएचएस**

विवरण	2018-19 में बतौर जीएसडीपी प्रतिशत		2011-12 से 2018-19 तक टीजीआर	
	अरूणाचल प्रदेश	एनईएचएस	अरूणाचल प्रदेश	एनईएचएस
कुल राजस्व प्राप्ति	65.8	23.3	18.4	12.1
अपना कर राजस्व	4.3	5.0	19.3	11.0
वैट/जीएसटी	3.5	3.5	21.2	11.1
स्टाम्प ड्यूटी/ व पंजीकरण	0.0	0.2	22.4	6.7
राज्य उत्पाद शुल्क	0.6	0.7	21.0	14.8
विद्युत ड्यूटी	—	0.1	—	9.9
अन्य कर	0.2	0.5	4.8	8.2
गैर कर राजस्व	2.5	2.0	7.0	10.0
केन्द्रीय करों में अंश	42.4	8.1	55.5	22.8
अनुदान सहायता	16.6	8.2	-4.4	6.7

**उच्च ऋण से जीएसडीपी का अनुपात**

- ▲ अरूणाचल प्रदेश का ऋण - जीएसडीपी अनुपात एनईएचएस के औसत 29.6% की तुलना में 34.9% पर बहुत अधिक है।
- ▲ तथापि 2011-12 से 2018-19 तक राज्य का ऋण तुलनात्मक रूप में 10.1% के धीमे टीजीआर (11% एनईएचएस औसत की तुलना में) बढ़ा है।
- ▲ राज्य को अपने ऋण को नए एफआरबीएम अधिनियम के साथ जोड़ने के लिए और उपाय करने होंगे।
- ▲ राज्य का 2018-19 में असामान्य रूप से 8% का उच्च राजकोषीय घाटा है।
- ▲ यह केन्द्र से 2015-16 से भारी हस्तांतरणों से पैदा होने वाले विशाल राजस्व अधिशेष के बावजूद है। इस सख्ती से रोक लगाने की आवश्यकता है।

**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ 2011-12 और 2018-19 के बीच समग्र प्रतिबद्ध व्यय (जीआईए वेतन सहित) (इसमें ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन शामिल है) 13.8% के टीजीआर से बढ़ा है (एनईएचएस औसत 12.1%)।
- ▲ 2018-19 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय (जीआईए वेतन सहित) राजस्व व्यय का 54.5% रहा।
- ▲ राज्य को अपना व्यय युक्ति संगत बनाने और प्रतिबद्ध व्यय का अपना अंश कम करने की आवश्यकता है ताकि राजकोषीय रिक्ति को विकास व्यय के लिए आसान बनाया जा सके।

**सार्वजनिक व्यय द्वारा चालित अर्थव्यवस्था**

- ▲ 2018-19 में राज्य सरकार का कुल न्यय लगभग जीएसडीपी का 73.88% था- जो दर्शाता है कि इसकी अर्थव्यवस्था लगभग पूर्ण रूप से सरकारी खर्च से चलाई जा रही है।
- ▲ राज्य को कोई एफडीआई नहीं मिलती और नगण्य निजी निवेश प्राप्त होता है।
- ▲ राज्य सरकारको पर्यटन और अन्य सेवाओं के माध्यम से प्रगति में तेजी लाने के लिए उपाय करने होंगे।

**बढ़ती गरीबी**

- ▲ गरीबी पर तेंदुलकर अनुमानों के अनुसार राज्य में 2004-05 में 31.1% से 2011-12 में 34.7% तक गरीबी दर में वृद्धि देखी गई है।
- ▲ इस रूझान को तत्काल पलटने की जरूरत है।

**कम साक्षरता**

- ▲ अरूणाचल प्रदेश सरकार की शैक्षित उपब्धियों में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।
- ▲ अरूणाचल प्रदेश में देश में बिहार के बाद दूसरी सबसे कम साक्षरता दर है (एआरपी-2. छ देखें)।
- ▲ कक्षा III के केवल 18.7% छात्र कक्षा II का पाठ पढ़ सकते हैं (अखिल भारतीय 27.3%)।

**लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा**

- ▲ राज्य की लगभग 1863 किमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अनेक गांव 'तनाव प्रवासन' से पीड़ित हैं।
- ▲ सीमावर्ती गांवों के रहने वाले लोग रोजगार की तलाश में लगातार भीतरी क्षेत्रों की ओर रहते हैं।
- ▲ सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को तेजी भरने रोजगार के स्रोत उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण अपने घरों को न छोड़ें।

**अपर्याप्त बुनियादी ढांचा**

- ▲ राज्य सरकार को अपने जमीनी संपर्क के सुधार करने के लिए एक मध्यावधि केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- ▲ अरूणाचल प्रदेश में सड़कों का जाल अत्यंत कम है।
- ▲ कोई राज्य राजमार्ग नहीं है।
- ▲ राज्य सरकार को सड़क निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी और उनकी देखरेख करनी होगी।
- ▲ अरूणाचल प्रदेश में कोई एयरपोर्ट नहीं है। इससे पर्यटन वृद्धि में रूकावट आ रही है।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

- ▲ पाँच कार्यशील पीएसयू में 1 से 17 वर्ष तक के बकाया सहित बकाया खातों की संख्या 2012-13 में 28 से 2016-17 में 35 तक बढ़ गई है।
- ▲ राज्य सरकार ने 2016-17 में पीएसयू को 4.1 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी है।
- ▲ हालांकि बजटीय सहायता महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

**विद्युत क्षेत्र में उच्च हानि**

- ▲ विद्युत क्षेत्र में एटी एंड सी हानि 55.5% तक अधिक थी (2018-19 में) और एसीएस-एआरआर अंतराल 4.27 रू. प्रति यूनिट था। यह उदय के तहत राज्य को निर्धारित लक्ष्यों से कहीं अधिक है।
- ▲ विगत कुछ वर्षों में विद्युत क्षेत्र में प्राप्ति-व्यय असंतुलन बढ़ गया है।
- ▲ राज्य सरकार में विद्युत क्षेत्र को अभी तक नहीं खोला है।
- ▲ इसे अपने विद्युत क्षेत्र को निगमित करने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि यह सही आर्थिक सिद्धांतों पर चलाया जा सके।
- ▲ राज्य को उपभोक्ताओं की 100% मीटरिंग सहित उदय के प्रचालनात्मक लक्ष्यों का अनुपालन करने की भी आवश्यकता है।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ राज्य को एसएफसी का गठन समय पर करना चाहिए और विधानमंडल में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात इसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए।
- ▲ राज्य में स्थानीय निकायों का अपना कम राजस्व है।
- ▲ राज्य सरकार स्थानीय निकायों को अपने राजस्व में सुधार करने के लिए मार्केट शुल्क, पार्किंग स्थान, आदि का उपयोग करने में मदद कर सकती है।
- ▲ राज्य सरकार को तत्काल एक पीटीबी की स्थापना करनी चाहिए जिसकी सिफारिश एफसी - XIII द्वारा की गई थी।
- ▲ आरसीबी के शेष कार्यों को तत्काल सौंपना चाहिए।


**सुधार मार्ग सूचक**

- ▲ अरूणाचल प्रदेश केन्द्र सरकार पर अत्याधिक निर्भर है चूंकि यह अपने 89.6% तक संसाधन केन्द्र से प्राप्त करता है। एनईएचएस औसत की तुलना में इसका ओटीआर से जीएसडीपी का अनुपात भी बहुत कम है। राज्य को अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए पन बिजली उत्पादन और पर्यटन सहित नवोन्मुख तरीके ढूंढने की जरूरत है।
- ▲ राज्य का राजकोषीय स्थिरता हेतु अपनी ऋण-जीएसडीपी अनुपात और एफडी-जीएसडीपी अनुपात को कम करने की आवश्यकता है।
- ▲ अरूणाचल प्रदेश का बहुत अधिक प्रतिबद्ध व्यय है। राज्य को विकास खर्च हेतु राजकोषीय स्थान उत्पन्न करने के लिए अपना व्यय और पेंशन सहित (वेतन, ब्याज भुगतान) को कम पुनःप्राथमिकता और इसमें सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य को अपने एटी एंड सी हानि और एसीएस-एआरआर अंतराल को कम करते हुए विद्युत क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि करनी होगी।
- ▲ इसे सभी पीएसयू के खातों की समयबद्ध लेखापरीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

**टिप्पणी**

1. एएसईआर (2018), शिक्षा का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2018, एएसईआर केन्द्र।
2. सीएजी (2018), अरूणाचल प्रदेश सरकार के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अरूणाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों पर रिपोर्ट।

## एएस-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
31.2 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.6%



**क्षेत्रफल**  
78,438 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
2.4%



**वन आच्छादन**  
28,327 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
4.0%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
36.1%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.8% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 92,533  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
5.0%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**प्रति महिला बच्चे**  
2.2  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
14.1%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एएस-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एएस-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एएस-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

वर्ष	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	1,43,175	5,03,182	28.5
2012-13	1,56,864	5,63,081	27.9
2013-14	1,77,745	6,37,264	27.9
2014-15	1,95,723	6,95,474	28.1
2015-16	2,27,959	7,88,321	28.9
2016-17	2,54,382	8,67,648	29.3
2017-18	2,83,165	9,74,240	29.1
2018-19	3,15,881	10,82,901	29.2


## एएस-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




एस-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एस-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



एस-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एस-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक



<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>ख</sup> डीआईई एसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>ग</sup> डीआईईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>घ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ङ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>च</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>छ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष




एस-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

एस-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एस-3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एस-3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एस- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एस- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एस- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एस- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण



एस- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एस -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एस - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एस-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




एस-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम एनईएचएस

राजकोषीय संकेतक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	92,533	1,30,427
<i>संकेतक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	20.1	23.3
ओटीआर	5.0	5.0
एनटीआर	2.6	2.0
टीई	21.6	26.7
ईएस	3.2	5.0
एसएस	8.1	8.7
जीएस	6.6	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	12.1	14.4
पूंजी व्यय	3.6	4.3
एफडी	1.5	3.4
आरडी	-2.1	-0.9
ओडी	18.8	29.6

एस- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
असम	12.4	12.8	11.7
जीएस औसत	12.6	12.1	10.7

एस- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



**सौंपे गए कार्य**

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से 7 कार्य पीआरआई को हस्तोंतरित किए गए हैं।
- ▲ राज्य सरकार ने संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार नगर पालिकाओं के कार्यों, कार्यवाहियों और निधियों का अंतरण नहीं किया है।
- ▲ बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से, 13 कार्यों को उनके मौजूदा पारंपरिक कार्यों में शामिल किया गया है इसलिए इन विषयों के लिए कोई अलग गतिविधि मानचित्रण आवश्यक नहीं है। शेष विषयों के लिए कोई गतिविधि मानचित्रण नहीं किया गया है।

**लेखा-परीक्षा की स्थिति**

- ▲ आरएलबी, यूएलबी और एडीसी के खातों की लेखा-परीक्षा 2017-18 तक पूरी की गई है।

**संपत्ति कर बोर्ड**

- ▲ राज्य ने अपने पीटीबी (एफसी- XIII द्वारा अनुशंसित) का मार्च 2011 में गठन किया। यह गोलाघाट, सिलचर, बोंगईगांव, सतपग्राम, लाला, देरगांव, होजाई, और जोरहाट नगर बोर्ड में कार्यात्मक है।
- ▲ यह डेक्कुआखाना और सिलीपाथर नगर बोर्ड में चालू होने जा रहा है।

**सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक क्रम**

कार्यों का क्रम	पदाधिकारियों का क्रम	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
12	17	15	14

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

**पांचवां एसएफसी (2016-17 से 2019-20 तक):**

- ▲ पांचवें एसएफसी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 30 सितंबर 2014 और अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर 2016 को प्रस्तुत की। एटीआर 20 जून 2017 को सदन के पटल पर रखा गया था।
- ▲ यह अनुशांसा की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा लगाए गए और एकत्रित करों और शुल्कों की निवल आय का 14% (6,679.87 करोड़ रुपए) अधिनिर्णय अवधि (2019-20 से 2016-17 तक) के दौरान अनुदान और अनाबद्ध निधियों के रूप में आवंटित किया जाए।

- ▲ इस राशि में से, 4,748.70 करोड़ रुपए सामान्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाएं - निर्धारित अनुदान के रूप में 3,356.8 करोड़ रुपए और अनाबद्ध निधियों के रूप में 1,391.9 करोड़ रुपए।
- ▲ इसके अलावा, 1,931.2 करोड़ रुपए बाहरी क्षेत्रों को आवंटित किए जाएं - 1,880.3 करोड़ रुपए निर्धारित अनुदान के रूप में और 50.9 करोड़ रुपए अनाबद्ध निधियों के रूप में।
- ▲ एसएफसी ने सिफारिश की कि आरएलबी और यूएलबी के बीच वितरण जनसंख्या (भारत 80%) और घनत्व (भारत 20%) पर आधारित होगा।
- ▲ पीआरआई के भीतर आवंटन जनसंख्या का भारत औसत (50%), भौगोलिक क्षेत्र (25%) और प्रतिलोक प्रति व्यक्ति ग्रामीण जिला घरेलू उत्पाद (25%) होना चाहिए।
- ▲ यूएलबी में आवंटन जनसंख्या (50%), क्षेत्र (25%), बुनियादी ढांचा सूचकांक (12.5%), और प्रति व्यक्ति कर संग्रह (12.5%) पर आधारित होना चाहिए।

**ऋण और हानि**


- ▲ असम सरकार ने बिजली क्षेत्र में 1,133 करोड़ रुपए का ऋण लिया है।
- ▲ राज्य एटीएंडसी घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, लेकिन एसीएस-एआरआर अंतर लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम था।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	19.87	16.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	0.02	0.19

टिप्पणी : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि यूनिट औसत राजस्व की प्राप्ति आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**एस - 5. ए: एटी एवं सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का सामाचार-पत्रिका, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उर्ध्वार्धर हस्तांतरण**

- ▲ असम ने प्रस्ताव दिया कि विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 42% से बढ़ाकर 50% की जाए।

**क्षैतिज हस्तांतरण का सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाया गया भार (%)
i)	आय अंतर	50
ii)	वन आच्छादित क्षेत्र	10
iii)	क्षेत्र	5
iv)	जनसंख्या	20
v)	सामाजिक-आर्थिक अवसरचना अंतर	15

**ठोस व्यापक-घाटा संसूचक**

- ▲ राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा मामूली स्तर पर रहा। 2011-12 से 2018-19 तक राजकोषीय घाटा 3% से नीचे रहा, सिवाय 2017-18 को छोड़कर जिसमें यह 3.3% तक पहुंच गया था।

**एफआरबीएम का अनुपालन**

- ▲ राज्य ने 2005 में अपना एफआरबीएम अधिनियम लागू किया और उसे 2005, 2007, 2009, 2011 और 2017 में संशोधित किया।
- ▲ एफआरबीएम अधिनियम के लागू होने के बाद राजकोषीय प्रबंधन में स्पष्ट परिवर्तन देखा गया।
- ▲ जीएसडीपी प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण 2011-12 में 22% से घटकर 2018-19 में 18.8% रह गया।
- ▲ राज्य ने हाल के वर्षों में अपनी एफआरबीएम सीमा का पालन किया है।
- ▲ राज्य को नए एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार ऋण मार्ग का पालन करना जारी रखना चाहिए।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	28.3	28.4	28.4	28.5	28.5	28.5	28.5
वास्तविक रूप में प्राप्त	22.0	19.5	17.9	18.1	17.1	17.3	17.4
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	1.2	1.0	2.1	2.8	-1.3	2.4	3.3

स्रोत:- असम सरकार

**भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) का प्रवेश द्वार**

- ▲ असम की सीमाएँ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, और त्रिपुरा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ 533 किलोमीटर तक फैली हुई हैं।
- ▲ असम के भौतिक बुनियादी ढांचे (विशेषकर सड़क नेटवर्क) का उपयोग पड़ोसी राज्यों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। असम में परिवहन नेटवर्क का रखरखाव न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए और देश के रणनीतिक रक्षा हितों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

- ▲ पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए असम की सड़क, रेल, वायुमार्ग और जलमार्ग कनेक्टिविटी में सुधार और रखरखाव करना महत्वपूर्ण है।

#### प्राकृतिक संसाधन

- ▲ असम में दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र हैं और इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पतझड़ी वन, नदियों के घास के मैदान, बांस के बगीचे और कई आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियां शामिल हैं।
- ▲ इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन हैं - कोयला, पेट्रोलियम; चूना पत्थर और प्राकृतिक गैस।
- ▲ अन्य लघु खनिजों में चुंबकीय क्वार्ट्जाइट, काओलिन, सिलिमेनाइट, लौह अयस्क, मिट्टी और फेल्डस्पार आदि शामिल हैं।
- ▲ यह भारत में सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) दूसरी सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका दुलियाजान, असम में संचालन मुख्यालय है। इन संसाधनों में अधिक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उद्योगों को विकसित करने की क्षमता है।

#### पर्यटन

- ▲ असम में इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का समृद्ध मिश्रण है, जिसे पर्यटन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ▲ पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।
- ▲ विभिन्न त्योहारों और आयोजनों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ पर्यावरण-पर्यटन और साहसिक खेलों को प्रोत्साहन या पीपीपी मोड के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ व्यक्तिगत और साथ ही समुदाय आधारित होमस्टे को स्थानीय लोगों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। राज्य सरकार होमस्टे को ई-वाणिज्यिक कंपनियों से जोड़ने के लिए सक्रिय उपाय कर सकती है।

#### उत्पाद शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण से कम आय संग्रहण

- ▲ जबकि असम का समग्र ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात ( 5.04% ) है एनईएचएस औसत ( 4.95% ) से मामूली बेहतर है, इसका उत्पाद शुल्क संग्रहण ( 0.73% के एनईएचएस औसत की तुलना में 0.44% ) तथा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण आय ( 0.18% के एनईएचएस औसत की तुलना में 0.08% ) तुलनात्मक रूप से कम है।
- ▲ असम सात राज्यों के साथ जुड़ी अपनी छिद्रित सीमाओं की वजह से शराब की उत्पादन शुल्क में कमी होती जा रही है।
- ▲ राज्य के स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क में कमी भू-अभिलेखों सहित कम शहरीकरण दर ( 14% ) के कारण है।

#### उच्च प्रतिबद्ध देयताएं

- ▲ 2018-19 में असम की प्रतिबद्ध देयताएं ( जीआईए वेतन सहित ) टीआरई का 67.8% है जबकि एनईएचएस ( 67.6% ) के बराबर हैं, जो सभी राज्यों के औसत 50.6% की तुलना में खराब है।
- ▲ राज्य सरकार को अपने व्यय को तर्कसंगत बनाने और पुनर्गठन करने की आवश्यकता है।
- ▲ वेतन के बोझ को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि अन्य विकास व्यय के लिए संसाधनों को बचाया जा सके।

#### राज्य सरकार द्वारा कम खर्च

- ▲ एनईएचएस और सभी राज्यों की तुलना में असम का प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और कुल व्यय बहुत कम है। एनईएचएस की तुलना में इसका व्यय ( जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ) भी कम है।

राज्य द्वारा खर्च

2018-19	असम	एनईएचएस	सभी राज्य
<b>राजस्व व्यय</b>			
जीएसडीपी के % के रूप में	18.0	22.4	14.1
प्रति व्यक्ति (रु.)	16,668	29,220	19,842
<b>पूँजीगत व्यय</b>			
जीएसडीपी के % के रूप में	3.6	4.3	2.6
प्रति व्यक्ति (रु.)	3,328	5,610	3,677
<b>कुल व्यय</b>			
जीएसडीपी के % के रूप में	21.6	26.7	16.7
प्रति व्यक्ति (रु.)	19,996	34,830	23,519

- ▲ पूरे असम का प्रति व्यक्ति खर्च सबसे कम है। उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय ( एनईएचएस में दूसरा सबसे कम ) असम का 1.7 गुना है।
- ▲ लंबे समय तक मॉनसून रहने और एक वर्ष में कामकाज के सीमित महीनों के साथ बजट का सही से निर्धारण न करना कम खर्च के मुख्य कारण हैं।

**लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र**

- ▲ मार्च 2018 की महालेखाकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के संबंध में राज्य सरकार का अनुपालन असंतोषजनक था क्योंकि 2001-02 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार के 53 विभागों को दिए गए 17,935.10 करोड़ रुपए के कुल अनुदान के संबंध में 9,370 उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) बकाया के रूप में थे। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने से दुर्विनियोजन के जोखिम की आशंका बनी रहती है।'
- ▲ राज्य को आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने के लिए अपने बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

**कम प्रति व्यक्ति आय से धीमी आर्थिक वृद्धि**

- ▲ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, राज्य में बुनियादी ढांचे की कमी है, कम ऋण उपलब्धता के साथ बैंकिंग नेटवर्क ठीक नहीं है और किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण निजी निवेश का अभाव है।
- ▲ असम की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ( 2018-19 में 92,533 रुपए ) सभी राज्यों के औसत ( 1,40,422 रुपए ) की तुलना में बहुत कम है और एनईएचएस औसत ( 1,30,427 रुपए ) से भी काफी कम है।
- ▲ 31.98% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जबकि भारत का औसत 21% ( तेंदुलकर गरीबी अनुमान ) है।
- ▲ असम का रैंक 2011-12 से एनईएचएस में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार दूसरा सबसे कम है।
- ▲ राज्य के पास कम औद्योगिक और विनिर्माण आधार है और एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन आधार के बावजूद एफडीआई को प्राप्त करना मुश्किल है। द्वितीयक क्षेत्र से राज्य की जीएसडीपी की हिस्सेदारी उत्तराखंड के 44% और हिमाचल प्रदेश के 41% के मुकाबले मात्र 22 % है।
- ▲ व्यापारिक सुगता पर विश्व बैंक की दिनांक सितंबर 2015 की रिपोर्ट में भारत में असम को 22वां स्थान दिया गया है। राज्य सरकार को एकल केंद्रीकृत वेब आधारित अनुप्रयोग के माध्यम से डिजिटल लेनदेन प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के कार्य में तेजी लानी चाहिए।
- ▲ विकास दर को सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में त्वरित निवेश के साथ बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

**अत्यधिक बारिश और बाढ़**

- ▲ लंबे समय तक मॉनसून के कारण असम में 2,297.4 मि.मी. की औसत वार्षिक वर्षा होती है और बाढ़ राज्य के लिए एक बारहमासी समस्या है।
- ▲ ब्रह्मपुत्र, बराक नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ अधिक बाढ़ आने के साथ-साथ फैलने के चरण से बड़े पैमाने पर अपक्षरण का कारण बनती हैं।



- ▲ 1954 से हर वर्ष लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि का क्षय हुआ है।
- ▲ असम में तब से 4.27 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का क्षरण हुआ है, जिसके भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 7.4% भाग ने 9 लाख लोगों को प्रभावित किया है और 1.25 लाख से अधिक परिवारों को विस्थापित हुए हैं।<sup>1</sup>

#### पूँजीगत परिसंपत्तियों की उच्च लागत

- ▲ मानसून की अवधि बढ़ने और बाढ़ आने से 6 महीने के संक्षिप्त कामकाजी मौसम में क्षतिग्रस्त क्षेत्रों की बहाली करना महंगा है।
- ▲ संपत्ति समय से पहले नष्ट हो जाती है और उसे बार-बार बदलने की जरूरत होती है। राज्य को इस पर भारी पूँजी लगानी पड़ती है।
- ▲ पूँजीगत परिसंपत्तियों के रखरखाव के मानदंडों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य सरकार को शेष कार्यों को तुरंत स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए।
- ▲ पीआरआई और यूएलबी के पास अपने निजी संसाधन कम हैं। स्थानीय निकायों को अपना राजस्व पार्किंग शुल्क, संपत्ति में संशोधन, बाजार शुल्क इत्यादि के माध्यम से बढ़ाने की आवश्यकता है।
- ▲ सीएजी की रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, 20 जिला परिषद (जेडपी) में 2011-2017 तक 533.24 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) लंबित थे, जो आरएलबी द्वारा वित्तीय अनुशासन और निगरानी की कमी को दर्शाते हैं।
- ▲ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने से जिला परिषदों को निधियां नहीं दी गईं। स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत किए जाएं।

#### विद्युत क्षेत्र

- ▲ (राज्य को अपनी एटीएंडसी हानि (वर्तमान में निर्धारित उदय लक्ष्यों से अधिक) का समाधान करने की आवश्यकता है।

#### अपर्याप्त बैंकिंग गतिविधियाँ

- ▲ 2016-17 के दौरान, असम में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 39.9% था (राष्ट्रीय औसत के 73.7% की तुलना में)।
- ▲ बैंकिंग नेटवर्क को व्यापक बनाने की आवश्यकता है क्योंकि मार्च 2017 तक असम में प्रति बैंक शाखा द्वारा कवर औसत जनसंख्या 13,710 है, जबकि इसकी तुलना में इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय औसत 8,800 है।<sup>2</sup>

#### खराब सामाजिक और मानव विकास संसूचक

- ▲ असम नीति आयोग (2019) द्वारा एसडीजी रैंकिंग में सभी राज्यों में 23वें स्थान पर है।
- ▲ इसके मानव विकास संकेतक जैसे आईएमआर, साक्षरता दर का अनुपात, संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय औसत से भी बदतर हैं (एएस-2.घ देखें)।
- ▲ स्वास्थ्य (1,245 रुपए) और शिक्षा (4,516 रुपए) पर प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय प्रति वर्ष एनईएचएस औसत (क्रमशः 1,987 रुपए और 5,970 रुपए) से कम है।
- ▲ राज्य को अपने मानव विकास संकेतकों को बेहतर बनाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

#### सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधता

- ▲ 26 अनुसूचित जनजातियों के साथ असम अपनी विशिष्ट जनसांख्यिकी में विशिष्ट है, जो जनसंख्या का 12.44% हैं तथा अनुसूचित जातियों की 22 श्रेणियां जनसंख्या का 7.15% हैं।
- ▲ यह की पर्याप्त जनसंख्या का गढ़ धार्मिक अल्पसंख्यकों - 33 जिलों में से 17 जिलों में 118 विकास खंडों को अल्पसंख्यक ब्लॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ▲ जनसांख्यिकीय विविधताएं विभिन्न प्रकार की विकास चुनौतियां प्रस्तुत करते हुए असंख्य सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम<sup>3</sup>**

- ▲ 30 सितंबर 2018 तक, 30 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 26 के 183 खातों में बकाया राशि की सीमा 25 वर्ष तक की थी।
- ▲ इसके अलावा, 16 गैर-कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 15 में 35 वर्ष तक का बकाया था।
- ▲ असम सरकार को गैर-कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों के परिसमापन में तेजी लाने की आवश्यकता है।
- ▲ पर्याप्त बजटीय समर्थन को देखते हुए लेखों की लेखा-परीक्षा न करना गंभीर नकारात्मक जोखिम पैदा कर सकता है।


**सुधार के संकेतक**

- ▲ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद, राज्य के पास हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम आधार है।
- ▲ राज्य का ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात एनईएचएस औसत से थोड़ा बेहतर है। तथापि, उत्पादक शुल्क, स्टॉप और पंजीकरण से होने वाली इसकी आय अपेक्षाकृत कम है। राज्य को अपने राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने, द्वितीयक क्षेत्र का आधार बढ़ाने और राजस्व आय बढ़ाने के लिए अभिनव तरीके खोजने की आवश्यकता है।
- ▲ जैसा कि पहले देखा गया था, राज्य ने जीएसडीपी के अनुपात के रूप में उच्च प्रतिबद्ध व्यय किया है। राज्य सरकार को अपने खर्च को तर्कसंगत बनाने और पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। प्रतिबद्ध व्यय के बोझ को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि विकास व्यय के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।
- ▲ एनईएचएस की तुलना में राज्य में प्रति व्यक्ति व्यय बहुत कम है। यह राजस्व अधिशेष होने के बावजूद है। राज्य को आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़ाने के लिए अपने बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

**टिप्पणियाँ**

1. असम सरकार का ज्ञापन।
2. वही।
3. सीएजी (2018), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2018 की रिपोर्ट सं.1, असम सरकार।

## बीएच - 1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**104.1** मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**8.7%**



**क्षेत्रफल**  
**94,163** वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**2.9%**



**वन आच्छादन**  
**7,306** वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**1.0%**  
**7.8%**  
2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.1%** ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. **44,652**  
रु. **1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
**5.5%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चे**  
**3.4**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
**11.3%**  
अखिल भारतीय औसत  
**31.1%**

बीएच-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




बीएच-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




बीएच-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	2,47,144	77,44,945	3.2
2012-13	2,82,368	88,27,195	3.2
2013-14	3,17,101	1,00,07,392	3.2
2014-15	3,42,951	1,09,93,257	3.1
2015-16	3,71,602	1,21,91,256	3.0
2016-17	4,21,052	1,37,80,737	3.1
2017-18	4,68,746	1,54,20,126	3.0
2018-19	5,30,363	1,72,83,813	3.1


बीएच-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




बीएच-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




बीएच-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



बीएच - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




बीएच -2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

**बीएच-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)**




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

**बीएच - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर**




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

**बीएच -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी**




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

बीएच- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

बीएच- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


बीएच- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




बीएच- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



बीएच- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




बीएच- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


बीएच-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



बीएच - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



बीएच-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




बीएच-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	44,652	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	24.8	13.4
ओटीआर	5.5	6.4
एनटीआर	0.8	1.1
टीई	27.8	16.1
ईएस	5.3	3.1
एसएस	11.1	5.4
जीएस	7.2	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	8.7	5.8
पूँजी व्यय	4.2	2.5
एफडी	2.6	2.5
आरडी	-1.3	0.2
ओडी	31.9	25.0

## बीएच- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
बिहार	14.6	14.6	11.7
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## बीएच- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से 7 कार्य पीआरआई को हस्तांतरित किए गए थे।
- ▲ तथापि, संविधान (अग्नि शमन सेवाओं को छोड़कर) की बारहवीं अनुसूची के 18 कार्यों में से 17 कार्य यूएलबी को सौंप दिए गए थे।

## लेखा-परीक्षा की स्थिति

- ▲ पीआरआई और यूएलबी दोनों के खातों की 2017-18 तक लेखा-परीक्षा की गई थी।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य ने एफसी- XIII द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार पीटीबी की स्थापना की है।

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक क्रम

कार्यों का क्रम	पदाधिकारियों का क्रम	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
15	15	16	20

स्रोत : भारत सरकार (2016), अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## पांचवा एफसी (2015-16 से 2019-20)

- ▲ राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, बिहार द्वारा राज्य वित्त आयोग रिपोर्टों के अवलोकन के अनुसार, बिहार ने अपने छठे एफसी का गठन कर लिया है।
- ▲ कार्यान्वयन के अंतर्गत पांचवें एफसी की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं-
  - » 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए विभाज्य पूल राज्य के निवल ओटीआर का 8.5% होना चाहिए।
  - » स्थानीय निकाय अनुदान का ग्रामीण-शहरी अनुपात 70:30 होना चाहिए।
  - » पीआरआई को पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, स्मार्ट पंचायत, ई-शासन और पंचायत सरकार भवन पर खर्च करना चाहिए।




**ऋण और हानि**

- ▲ राज्य ने 2016-17 के दौरान उदय के तहत 2,331.79 करोड़ रुपए का बकाया डिस्कोम ऋण लिया है।
- ▲ 31 मार्च 2019 तक, डिस्कोम द्वारा लिया गया कुल उधार 5,052 करोड़ रुपए (सभी राज्यों के कुल डिस्कोम उधार का 1.1%) था जिसमें राज्य सरकार से लिया गया 386 करोड़ रुपए का उधार शामिल है।
- ▲ जबकि राज्य ने एसीएस-एआरआर अंतर का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, 2018-19 में एटीएंडसी हानि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	30.94	21.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	0.39	0.41

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि यूनिट औसत औसत राजस्व की प्राप्ति आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**बीएच- 5. ए: एटी एवं सी हानिया (%) वित्त वर्ष 2018**

स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उध्वाधर अंतरण**

▲ बिहार ने सिफारिश की है कि करों के समग्र विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% की जाए।

**उध्वाधर अंतरण के लिए सूत्र**

क्रम सं.	मापदंड	सुझाव की गई भार (%)
i)	बराबरी के मानदंड के रूप में आय अंतर	50.0
ii)	जनसंख्या (2011)	17.5
iii)	सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से गणना किए गए वंचित परिवार सूचकांक के अनुसार वंचित परिवार	10.0
iv)	जनसंख्या घनत्व (सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे पर दबाव के एक उपाय के रूप में)	10.0
v)	वृद्धिशील हरित क्षेत्र	7.5
vi)	दक्षता के 'व्यापक' सूचकांक पर आधारित राजकोषीय दक्षता	5.0

**राजकोषीय संकेतक**

- ▲ बिहार राज्या में अतिरिक्त राजस्व मौजूद है जिससे पूंजीगत व्यय के लिए उसके राजकोषीय बजट में पर्याप्त संभावनाएं हैं।
- ▲ हालांकि हाल के वर्षों में बिहार के पूंजीगत व्यय में कुल व्यय के प्रतिशत के साथ-साथ जीएसडीपी के रूप में सुधार हुआ है, लेकिन ये अनुपात 2018-19 में बिगड़ गए हैं।
- ▲ तथापि, इसने हाल ही में ऋण-जीएसडीपी अनुपात में 2012-13 के 27.1% की तुलना में 2018-19 में 31.9% तक वृद्धि दर्ज की है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने 2006 में अपना एफआरबीएम अधिनियम लागू किया था, और 2009, 2010 और 2016 में इसमें संशोधन किया था।
- ▲ इसने 2015-16 से एफआरबीएम लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।
- ▲ 2015-16 और 2016-17 में इसने एफडी-जीएसडीपी लक्ष्य का पालन नहीं किया, लेकिन 2017-18 से फिर से पालन करना शुरू कर दिया।
- ▲ एफसी- XV द्वारा निर्धारित ऋण संबंधी निर्देश के अनुसार, राज्य को राष्ट्रीय लक्ष्य का अनुसरण करने के लिए 2025-26 तक उचित ऋण-जीएसडीपी लक्ष्य प्राप्त करना है।
- ▲ इसलिए, राज्य को विश्वसनीय ऋण मार्ग अपनाने और भविष्य में आय के साधनों का सृजन करने के लिए व्यय का सावधानीपूर्वक सुधार करने की आवश्यकता है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	46.4	44.6	43	41.6	अनिर्धारित	अनिर्धारित	अनिर्धारित
वास्तविक रूप में प्राप्त	27.4	27.1	27.4	28.9	31.4	32.9	33.4
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	2.4	2.3	2.6	3.2	3.2	3.9	3.0

स्रोत:- बिहार सरकार

**बालिका शिक्षा**

- ▲ राज्य सरकार ज्ञापन के अनुसार, बिहार ने माध्यमिक शिक्षा जारी रखने के लिए लड़कियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करने की पहल की है।
- ▲ इसने पंचायत स्तर पर और अधिक माध्यमिक विद्यालय खोले हैं।
- ▲ इस पहल के माध्यम से लड़कियों के माध्यमिक स्कूल दाखिले में 30% की वृद्धि हुई है।
- ▲ 2005-06 से 2015-16 के दौरान, कम से कम 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करने वाली महिलाओं का अनुपात एनएफएचएस-3 के अनुसार 13.2% से बढ़कर एनएफएचएस-4 में 22.8% हो गया।

**महिलाओं के लिए आरक्षण**

- ▲ बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 में महिलाओं और पिछड़े समुदायों के लिए 50% ग्राम पंचायत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
- ▲ 2016 में, राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित कीं।

**पर्यटन**

- ▲ भारतीय पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में 2020 के अनुसार, 2019 में विभिन्न भारतीय राज्यों में 3.5% विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में बिहार 9वें स्थान पर रहा।<sup>1</sup>
- ▲ बिहार में भारत के सभी प्रमुख धर्मों - हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, और इस्लाम धर्मों के तीर्थ स्थान हैं।
- ▲ बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत राज्य में जगह-जगह फैले अनगिनत प्राचीन स्मारकों से परिलक्षित होती है।
- ▲ राज्य को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की रक्षा के लिए, उत्कृष्ट कला के इन केंद्रों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनरुद्धार, और विकास करने की आवश्यकता है।

**संसाधनों को बचाने के लिए व्यय की गुणवत्ता में सुधार**

- ▲ राज्य के महालेखापरीक्षक के अनुसार, बिहार को विद्युत जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कार्यप्रणाली में सुधार करके अपने अपव्यय और घाटे पर लगाम लगाने की जरूरत है।
- ▲ इसके अलावा, उदय के प्रमुख मानकों के अनुरूप संतोषजनक निष्पादित न होना भी चिंता का विषय है।
- ▲ यदि राज्य बिजली पर खर्च को कम कर सकता है, तो यह अपने संसाधनों का उपयोग महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों और पूंजीगत परिसंपत्तियों पर कर सकता है।

मापदंड	एमओयू के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य		प्राप्ति (2017-18)	
		एनबीपीडीसीएल <sup>१</sup>	एसबीपीडीसीएल <sup>२</sup>	एनबीपीडीसीएल	एसबीपीडीसीएल
<b>वित्तीय</b>					
सकल ट्रांसमिशन और वाणिज्यिक हानि (%) में कमी (%)	2016-17	<34	<38	32.9 (प्राप्त)	42.8 (अप्राप्त)
	2017-18	<28	<30	34.3 (अप्राप्त)	38.8 (अप्राप्त)
बिलिंग दक्षता (%)	2016-17	>72	>66	70.7 (अप्राप्त)	60.4 (प्राप्त नहीं हुई)
	2017-18	>76	>70	76.0 (अप्राप्त)	71.6 (प्राप्त)
संग्रह करने की दक्षता (%)	2016-17	>92	>94	95.4 (प्राप्त)	88.9 (अप्राप्त)
	2017-18	>95	100	86.5 (अप्राप्त)	86.1 (अप्राप्त)

मापदंड	एमओयू के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य		प्राप्ति (2017-18)	
		एनबीपीडीसीएल <sup>१</sup>	एसबीपीडीसीएल <sup>२</sup>	एनबीपीडीसीएल	एसबीपीडीसीएल
<b>प्रचालन</b>					
फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) (सं.)	30 जून 2016	650	240	310 (अप्राप्त)	332 (प्राप्त)
बिना बिजली कनेक्शन वाले परिवारों को बिजली (सं.)	2019-20	46.66 लाख	39.14 लाख	23.8 लाख (अप्राप्त)	28.1 लाख (अप्राप्त)

<sup>१</sup> नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्री ब्यूअरन कंपनी लिमिटेड | <sup>२</sup> सॉउथ बिहार पॉवर डिस्ट्री ब्यूअरन कंपनी लिमिटेड ।

स्रोत : एजी, बिहार, एफसी- XV को प्रस्तुत।

### सामाजिक संकेतक

- ▲ सभी स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतक राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रतिकूल हैं (देखें बीएच 2. घ)।
- ▲ शिक्षा और स्वास्थ्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति खर्च, प्रति व्यक्ति आय के साथ राज्यों के वर्ग औसत से कम है (नीचे तालिका देखें)।
- ▲ इन क्षेत्रों में और अधिक धनराशि प्रदान करना बेहद जरूरी है।

### 2018-19 में प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय (रु. में)

शिक्षा	स्वास्थ्य	राज्य
बिहार	520	2,267
झारखंड	840	2,093
मध्य प्रदेश	798	3,161
ओडिशा	1,166	3,624
उत्तर प्रदेश	707	2,113

### स्वास्थ्य अवसंरचना

- ▲ राज्य को बुनियादी स्वास्थ्य क्षमताओं में सुधार करने की आवश्यकता है।
- ▲ डॉक्टरों, नर्सों, फार्मासिस्टों, स्वास्थ्य केंद्रों, और अस्पताल के बेड की उपलब्धता सभी औसत से कम है (देखें बीएच-3.क से 3.घ)।

### नीति आयोग (2019) के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग

- ▲ राज्य का एसडीजी सूचकांक मूल्य 50 है (60 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में) है और भारतीय राज्यों में 28वां रैंक (सबसे कम) है।
- ▲ तथापि, इसने एसडीजी-10 (असमानता कम करने) में अच्छी प्रगति दिखाई है और इस गति को बनाए रखने की जरूरत है।
- ▲ इसे एसडीजी-1 कोई गरीबी नहीं, एसडीजी-2 कोई भूखमरी नहीं, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्य, एसडीजी-4 गुणवत्ता शिक्षा, एसडीजी-5 लिंग समानता, एसडीजी-12 सतत खपत और उत्पादन, और एसडीजी-13 जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
- ▲ इसे अपने निवेश पर नए सिरे से ध्यान देने और परिणामों पर बारीकी से नज़र रखने की जरूरत है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम<sup>2</sup>

- ▲ यह खुलकर करने वाला है कि 74 एसपीएसयू में से 65 के खातों में बकाया था, कुछ तो 1977-1978 तक का है।
- ▲ इन सभी की लेखा-परीक्षा करने की एक निश्चित समय-सीमा तय करते हुए इस मुद्दे पर प्राथमिकता पर ध्यान देने की जरूरत है।

- ▲ 31 मार्च 2017 तक राज्य सरकार ने 74 एसपीएसयू के लिए 53,892 करोड़ रुपए का दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराया था।
- ▲ इसमें से, पिछले पांच वर्षों के दौरान 39,492 करोड़ रुपए पाँव एसपीएसयू में निवेश किए गए (2012 में राज्य बिजली बोर्ड को पांच कंपनियों के समूह में बांटने के बाद)।
- ▲ बिहार ने राज्यों के पुनर्गठन के बाद से दो दशकों के बाद भी बिहार और झारखंड के बीच सात एसपीएसयू की परिसंपत्तियों और देनदारियों का विभाजन पूरा नहीं किया है।
- ▲ बकाया देनदारियों, एसपीएसयू को पर्याप्त बजटीय सहायता और खातों में भारी बकाया को देखते हुए, राज्य को आकस्मिक देनदारियों के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो अतिरिक्त राजकोषीय बोझ डाल सकती है।
- ▲ एसपीएसयू के पुनर्गठन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम को उनके निष्पादन में आने वाली प्रमुख बाधा से निपटने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

### भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण

- ▲ डिजिटल भारत भू-अभिलेखों से उपलब्ध सूचना के अनुसार आधुनिकीकरण कार्यक्रम, बिहार को अभी संपत्ति पंजीकरण सहित भू-अभिलेखों का एकीकरण, अधिकार अभिलेख का अद्यतीकरण (आरओआर) और भूकर संबंधी मानचित्रण का कार्य पूरा करना है।
- ▲ भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के बिना राज्य निजी निवेश को आकर्षित नहीं कर सकता है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार, 2011-2016 के दौरान आरएलबी को सौंपी गई और हस्तांतरित कुल निधियां में से 8,175 करोड़ रुपए (38%) का प्रयोग नहीं किया जा सका था।
- ▲ 2011-2016 के दौरान आरएलबी को सौंपी गई और हस्तांतरित कुल निधियों में से 4,637 करोड़ रुपए (38.6%) का प्रयोग नहीं किया जा सका था।
- ▲ बिहार में 28 यूएलबी ने हाल के वर्षों में उपलब्ध निधियों का 40% से कम उपयोग किया। यह संसाधन उपयोग में स्थानीय निकायों की कमजोर प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है।<sup>3</sup>
- ▲ यह स्थानीय निकायों की कमजोर प्रशासनिक क्षमता को इंगित करता है। इसलिए, राज्य को अगले पांच वर्षों में स्थानीय निकायों की मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने में क्षमता में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
- ▲ राज्य को स्थानीय निकायों के उनके प्रभावी सशक्तिकरण के लिए व्यावसायिक कर, भूमि जोतों, पथकर और प्रयोक्ता शुल्क जैसी कराधान शक्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार, पीआरआई जोतों, व्यावसायिक और पथकर और प्रयोक्ता शुल्क लगा सकती हैं। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि पीआरआई को अभी तक न तो इन राजस्वों को जुटाने के लिए अधिकृत किया है और न ही राज्य सरकार ने करों, शुल्क आदि की कोई दर अधिसूचित की है।
- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280(3)(खख) और (ग) में प्रतिष्ठीपित है, भारतीय वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान सिफारिशें करता है। राज्य सरकार को मार्च 2024 तक या उससे पहले एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, तथा उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित विवरणात्मक ज्ञापन को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

### प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ बनाना

- ▲ जबकि बिहार सरकार ने एफसी- XV के साथ अपने कर्मचारियों की सूची साझा नहीं की, श्रम रोजगार पर ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण (2015) पर श्रम ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि बिहार सरकार केरल और तमिलनाडु की तरह प्रति लाख जनसंख्या की तुलना में कम कर्मचारियों को नियुक्त करता है।
- ▲ प्रशासनिक प्रणाली और प्रभावी सेवा सुपुर्दगी को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

## राज्य सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
- ▲ बिहार उस समूह का हिस्सा है जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं।

## सुधार संकेतक

- ▲ बिहार के टीआरई का टीजीआर 2011 से 2019 तक 14.6% था, जबकि इसी अवधि के दौरान यह 11.7% का ओआरआर ओजीआर था। यह स्थिरता आर्थिक रूप से राज्य के लिए स्थिर नहीं है।
- ▲ बिहार राजस्व के अन्य स्रोतों (उत्पाद शुल्क को छोड़कर) जैसे विद्युत शुल्क को जुटाने में सफल नहीं रहा है। दूसरी ओर, ओडिशा ने कैप्टिव पावर प्लांटों पर विशेष बिजली शुल्क लगाकर अपने ओटीआर (2018-19 में) का 10.7% विद्युत क्षेत्र में पूंजी निवेश के रूप में इस प्रकार सृजित राजस्व को खर्च करने की प्रतिबद्धता की है। बिहार सहित ऐसे सभी खनिज उत्पादक राज्यों द्वारा राजस्व अर्जित करने के ऐसे उपायों का पता लगाया जाना चाहिए।
- ▲ बिहार के ओआरआर के विभिन्न घटकों की अन्य राज्यों से तुलना का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:


राज्य	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में (2018-19)					ओटीआर प्रतिशत के रूप में (2018-19)				
	वैट/जीएसटी	स्टाम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य	वैट/जीएसटी	स्टाम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य
बिहार	4.1	0.8	0.0	0.1	0.6	74.4	14.2	0.0	0.9	10.5
झारखण्ड	3.9	0.2	0.4	0.1	0.4	79.1	3.1	7.3	1.4	9.0
मध्य प्रदेश	3.5	0.7	1.2	0.3	0.6	55.9	10.4	18.7	5.1	9.9
उड़ीसा	3.9	0.3	0.8	0.7	0.5	63.5	4.1	12.9	10.7	8.7
उत्तर प्रदेश	4.2	0.9	1.4	0.2	0.5	58.2	13.1	19.9	2.5	6.3
औसत	3.9	0.7	1.0	0.2	0.5	61.6	10.9	15.7	3.8	8.0
सभी राज्य	4.1	0.7	0.8	0.2	0.5	65.8	10.4	12.4	3.5	7.7

- ▲ 2018-19 में बिहार का 74.6व टीआरआर भारत सरकार से प्राप्त हुआ था, अपने संसाधन आधार में सुधार करने और अपने ओआरआर को कई गुना बेहतर बनाने का दायित्व राज्य का है।
- ▲ बिहार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अपने समान अन्य राज्यों की तुलना में भी सामाजिक संकेतकों में पीछे है।
- ▲ इसे अपने सामाजिक क्षेत्र पर अधिक दक्षता के साथ यह सुनिश्चित करते हुए अधिक खर्च करना चाहिए कि कम से कम समय में बेहतरीन परिणाम प्राप्त हों।
- ▲ तदनुसार, राज्य वार्षिक लक्ष्य के साथ एक रूपरेखा तैयार कर सकता है और एफसी-इंडेक्स की पांच वर्ष की अधिनिर्णय अवधि के दौरान वित्तीय आवंटन निर्धारित कर सकता है।
- ▲ इस प्रकार, एफसी-इंडेक्स अनुशांसा करता है कि बिहार व्यापक रूप से वित्तीय सुधारों के साथ-साथ इन मुद्दों पर विचार करे ताकि उन्नत संसाधनों के स्थायी उपाय सुनिश्चित हो सकें।
- ▲ अगले पाँच वर्षों में बिहार के सामाजिक और आर्थिक संकेतकों को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने के लिए, महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में निवेश, स्थिर पूंजी अवसंरचना में निवेश के अनुरूप किया जाना चाहिए।
- ▲ बिहार को बिजली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करके अपव्यय और घाटे पर अंकुश लगाना चाहिए।

**टिप्पणियां**

- 1 सीएजी (2018), 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2018 की रिपोर्ट सं.1, बिहार सरकार।
- 2 भारत सरकार (2020), भारत पर्यटन सांख्यिकी एक नज़र में - 2020, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।
- 3 सीएजी (2017), 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2017 की रिपोर्ट सं.4, बिहार सरकार।

## सीएच-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
25.6 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.2%



**क्षेत्रफल**  
1,35,192 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
4.1%



**वन आच्छादन**  
55,611 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
7.9%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
41.1%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.1% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,05,424  
रु. 1,40,422

(वि.व. 2019)  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
7.1%

(वि.व. 2019)  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%



**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चों  
2.2


(वि.व. 2019)  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
23.2%

(वि.व. 2019)  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## सीएच-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## सीएच-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## सीएच-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (रु. करोड़)

विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	1,58,074	77,44,945	2.0
2012-13	1,77,511	88,27,195	2.0
2013-14	2,06,833	1,00,07,392	2.1
2014-15	2,21,118	1,09,93,257	2.0
2015-16	2,25,163	1,21,91,256	1.9
2016-17	2,50,882	1,37,80,737	1.8
2017-18	2,74,042	1,54,20,126	1.8
2018-19	3,04,063	1,72,83,813	1.8


## सीएच-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)






पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


सीएच-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




सीएच-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



सीएच - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




सीएच-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>आ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>क</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एक</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>आ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

सीएच-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

सीएच - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

सीएच -3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

सीएच- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स/फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

सीएच- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

सीएच- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




सीएच- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



सीएच- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




सीएच- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


सीएच-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



सीएच - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



सीएच-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




सीएच-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	1,05,424	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	21.4	13.4
ओटीआर	7.1	6.4
एनटीआर	2.5	1.1
टीई	24.2	16.1
ईएस	8.2	3.1
एसएस	7.9	5.4
जीएस	4.9	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	8.6	5.8
पूँजी व्यय	3.0	2.5
एफडी	2.7	2.5
आरडी	-0.2	0.2
ओडी	22.0	25.0

## सीएच- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
छत्तीसगढ़	15.7	15.0	9.4
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## सीएच- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 29 कार्य पीआरआई को हस्तांतरित किए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से, 17 कार्य यूएलबी को सौंप दिए गए हैं।

## लेखा-परीक्षा की स्थिति

- ▲ पीआरआई और यूएलबी दोनों के खातों की 2016-17 तक लेखा-परीक्षा की गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ एफसी- XIII द्वारा की गई अनुशंसा के बावजूद राज्य को अभी पीटीबी की स्थापना करनी है।

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक

कार्यों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
16	8	16	16

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## दूसरा एसएफसी (2012-2017)

- ▲ दूसरे एसएफसी ने सिफारिश की थी कि राज्य के निवल कर राजस्व का 8% स्थानीय निकायों को अंतरित किया जाए।
- ▲ विभाज्य पूल में यूएलबी का हिस्सा 6.2% और यूएलबी का 1.9% होने की सिफारिश की गई थी।
- ▲ राज्य सरकार ने अंतरण से संबंधित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

## तीसरा एसएफसी (2017-2022)

- ▲ तीसरे एसएफसी का गठन 2016 में किया गया था जिसने सितम्बर 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तथापि, एटीआर को अभी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है।
- ▲ राज्य सरकार ने वर्तमान में पालन किए जा रहे संसाधन के अंतरण संबंधी मानदंडों की जानकारी साझा नहीं की थी।
- ▲ राज्य सरकार एसएफसी के बारे में प्रासंगिक सांविधिक प्रावधानों और सिफारिशों का समय पर कार्यान्वयन करने के लिए कड़ाई से अनुपालन नहीं कर रही है।


**ऋण और हानि**

- ▲ 31 मार्च, 2019 को डिस्कोम का कुल ऋण 4,167 करोड़ रुपए हैं, जिसमें राज्य सरकार का ऋण 86 करोड़ रुपए है।
- ▲ यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली सब्सिडी बिना किसी बाधा के वांछित लाभार्थी तक पहुंचे, ठोस प्रणालीगत सुधार किए जाने की जरूरत है।
- ▲ राज्य को राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए उदय मानकों के निष्पादन में सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य 2018-19 में न तो एटीएंडसी घाटे और न ही एसीएस-एआरआर अंतराल के उदय लक्ष्य को प्राप्त कर सका।

महत्वपूर्ण उदय बैरोमीटर 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	27.3	15.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	0.4	-0.5

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**सीएच - 5. ए: एटी एवं सी हानिया (%) वित्त वर्ष 2018**

स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**कार्यक्षेत्र हस्तांतरण**

- ▲ छत्तीसगढ़ ने सिफारिश की है कि करों के समग्र विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% की जाए।

**क्षेत्रीय हस्तांतरण के लिए सूत्र**

क्रम सं.	मापदंड	भार (%)
i)	आय अंतर	35
ii)	वंचित परिवार (एसईसीसी 2011 के अनुसार)	15
iii)	क्षेत्र	15
iv)	जनसंख्या	15
v)	वन आच्छादित क्षेत्र	10
vi)	राष्ट्रीय जीएसवीए को खनन का योगदान	10

**राजकोषीय संतुलन**

- ▲ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनाए गए राजकोषीय संतुलन से एफडी-जीएसडीपी अनुपात 2014-15 में 3.6% से घटकर 2018-19 में 2.7% हो गया।
- ▲ छत्तीसगढ़ ने 2015-16 में सबसे कम 16.8% ऋण-जीएसडीपी अनुपात (सभी राज्यों में) हासिल किया, जो 2018-19 में 22.0% था।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने 2005 में एफआरबीएम अधिनियम लागू किया तथा 2011 और 2016 में इसमें संशोधन किया।
- ▲ राज्य ने 2014-15 में एफडी-जीएसडीपी अनुपात को छोड़कर, 2011-15 से 2014-15 के बीच कमोबेश सभी एफआरबीएम लक्ष्यों का पालन किया।
- ▲ तथापि, 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात लक्ष्य से अधिक था।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	22.5	23	23.5	23.9	13.7(*)	15.5(*)	17.1(*)
वास्तविक रूप में प्राप्त	10.8	10.9	12.0	14.0	16.8	17.6	22.0
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5(*)	3.5(*)	3.5(*)
वास्तविक रूप में प्राप्त	0.5	1.5	2.4	3.6	2.4	1.6	2.5

\* राज्य के एफआरबीएम संशोधन अधिनियम, 2016 में उल्लिखित एफसी- XIV की सिफारिशों के आधार पर। राज्य सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित लक्ष्य प्रदान नहीं किए थे।

स्रोत : छत्तीसगढ़ सरकार

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

- ▲ छत्तीसगढ़ की आदर्श पीडीएस के रूप में सराहना की जाती है।
- ▲ इसने जनता को राशन वितरण में रिसाव और अक्षमता को दूर करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इष्टतम उपयोग किया है।
- ▲ पीडीएस की कार्यप्रणाली से प्राप्त लाभ बढ़ाने के लिए उपाए किए जाते रहने चाहिए।

**जिला खनिज फाउंडेशन**

- ▲ छत्तीसगढ़ सरकार ने डीएमएफ के तहत सभी 27 जिलों में 4,246.62 करोड़ रुपए प्राप्त किए ( जून 2019 तक की स्थिति )।
- ▲ इन धनराशि का उपयोग संवितरण के वित्तीय वर्ष के भीतर निर्धारित उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए।
- ▲ यदि ये सावधि जमा में बेकार पड़े हैं तो यह दर्शाता है कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध अप्रत्यक्ष निधियों का कम उपयोग किया गया है।
- ▲ राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान उनका शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

**वन और पर्यटन**

- ▲ छत्तीसगढ़ का लगभग 41% क्षेत्र वन आच्छादित है।
- ▲ राज्य को इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतियां विकसित करनी चाहिए, जिससे इस क्षेत्र से अधिक से अधिक संसाधनों का सृजन हो सके।

**लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना**

- ▲ जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों को सहायता देने के लिए 2013-14 में एमएफपी के लिए एक एमएसपी योजना शुरू की थी।
- ▲ तथापि, अप्रभावी खरीद प्रणाली के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी।
- ▲ इसलिए, राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक मंच और अन्य मौजूदा कार्यक्रमों जैसे ई-एनएएम का उपयोग करना चाहिए ताकि एक ठोस खरीद प्रणाली बनाकर योजना को लागू किया जा सके।

**वित्तीय दबाव बनना**

- ▲ हालांकि 2015-16 में 16.8% ऋण-जीएसडीपी अनुपात सभी राज्यों में सबसे कम था, फिर भी 2011-12 में इसमें 10.8% की वृद्धि हुई थी, जो दबाव के धीरे-धीरे बढ़ने का संकेतक है।
- ▲ 2018-19 में, संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत एफडी-जीएसडीपी अनुपात की 3% की सीमा की तुलना में राज्य ने 0.49% अतिरिक्त उधार लिया।<sup>1</sup>

**कम कृषि उत्पादकता**

- ▲ छत्तीसगढ़ को ‘‘भारत का धान का कटोरा’’ में गणना किए जाने के बावजूद, छत्तीसगढ़ में 2015-16 में धान की उपज केवल 31.88 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी ( 37.90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर राष्ट्रीय औसत की तुलना में )।<sup>2</sup>
- ▲ छत्तीसगढ़ सरकार ने धान किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए धान किसानों को 1,750 रुपए प्रति क्विंटल ( 2018-19 ) के अतिरिक्त 750 रुपए का बोनस दिया। इसे दीर्घावधि में धान की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी की उपलब्ध कराकर सहायता देनी चाहिए।
- ▲ इसके अलावा, राज्य को सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ठोस प्रयास करने की जरूरत है।

**शिक्षा**

- ▲ जनगणना 2011 के अनुसार 70.3% अखिल भारतीय साक्षरता की तुलना में छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर 73% थी।
- ▲ एएसईआर 2018 के अनुसार, सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा III में बच्चों का प्रतिशत 19.3% था ( पूरे भारत में 28.2% की तुलना में )।<sup>3</sup>
- ▲ इसलिए, राज्य को अपने शैक्षिक परिणामों में सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।



**स्वास्थ्य**

- ▲ राज्य को प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए ठोस पहल करने की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है, जैसे कि प्रति 100,000 जीवित जन्म (2016) पर पूरे भारत में 130 मृत्यु दर (अन्य लोगों के लिए, सीएच-2घ देखें) की तुलना में यह 173 है।
- ▲ छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है:<sup>4</sup>
  - » 652 की स्वीकृत संख्या की तुलना में सीएचसी में विशेषज्ञों की 595 रिक्तियां (91.2%),
  - » 793 की स्वीकृत संख्या की तुलना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की 434 रिक्तियां (54.7%)।
- ▲ स्थिति से निपटने के लिए, राज्य दूर-दराज और आदिवासी क्षेत्रों में मांग को पूरा करने के लिए, एमबीबीएस डॉक्टरों को विशेषज्ञों में बदलने के लिए चिकित्सक और सर्जन कॉलेज से डिप्लोमा को मान्यता देने के महाराष्ट्र मॉडल का अनुसरण कर सकता है।
- ▲ इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में कमी को दूर करने के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है।

**नीति आयोग (2019) के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग**

- ▲ राज्य भारतीय राज्यों की तुलना में 21वें रैंक पर है।
- ▲ राज्य एसडीजी-5 लिंग समानता, एसडीजी-6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, एसडीजी-11 स्थायी शहर और समुदाय, और एसडीजी-15 भूमि पर जीवन में अग्रणी है।
- ▲ राज्य को एसडीजी-1 कोई गरीबी नहीं, एसडीजी-2 कोई भुखमरी नहीं, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और आरोग्यता, एसडीजी-7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-8 प्रतिष्ठित कार्य और आर्थिक विकास में सुधार करने की जरूरत है।

**पिछड़ापन**

- ▲ छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से 10 को आकांक्षी जिले माना जाता है।
- ▲ इसके अलावा, राज्य में 2011-12 में सभी राज्यों में उच्चतम गरीबी दर (39.9%) थी (तेंदुलकर पद्धति के अनुसार)।
- ▲ राज्य सरकार को कम आय के चुंगल से बाहर आने और सामाजिक परिणामों में सुधार करने के लिए एक समग्र कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है।
- ▲ इसके अलावा, राज्य नीति आयोग द्वारा निगरानी किए गए आकांक्षी जिलों की तर्ज पर, निचले पायदान पर 20% ब्लॉकों के विकास को आकांक्षी ब्लॉक के रूप में लक्षित कर सकता है।

**वाम विंग चरमपंथी**

- ▲ राज्य के 27 जिलों में से, 14 जिले वाम विंग चरमपंथी से प्रभावित हैं।<sup>5</sup>
- ▲ इसके अलावा, 10 आकांक्षी जिलों में से 8 जिले देश के सबसे बुरी तरह प्रभावित 35 वाम विंग चरमपंथी जिलों में से हैं, जो उनके विकास के मार्ग में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करते हैं।
- ▲ केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों को शामिल करते हुए एक ठोस और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने से इस स्थिति का समाधान हो सकता है।

**पाइप द्वारा जल आपूर्ति**

- ▲ छत्तीसगढ़ के केवल 9% ग्रामीण परिवारों को पीडब्ल्यूएस कनेक्शन उपलब्ध है (18.3% राष्ट्रीय औसत के आधे से कम)।
- ▲ राज्य को वर्षा जल संचयन और पेयजल के शुरु से अंत तक मूल्य श्रृंखला प्रबंधन जैसे किफायती और नवीन दृष्टिकोणों में संसाधनों का निवेश करने की आवश्यकता है।

**व्यापक गरीब जनसंख्या**

- ▲ अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के सामाजिक-आर्थिक संकेतक, भारत की सामान्य जनसंख्या ही नहीं बल्कि कई अन्य गरीब जनसंख्या समूहों की तुलना में भी काफी खराब हैं।

- ▲ छत्तीसगढ़ की 30% से अधिक जनसंख्या (जीएस में सबसे अधिक) अनुसूचित जनजाति है, जो बड़ी विकास कमी को दर्शाता है जिसे राज्य सरकार को दूर करना है।

### विद्युत क्षेत्र

- ▲ डिस्कॉम 2016 और 2019 के बीच एटीएंडसी घाटे में लक्षित कमी प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है। इसलिए, एटीएंडसी हानि को प्राथमिकता के आधार पर कम करने के लिए प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता है।
- ▲ डिस्कॉम को डीटी मीटरिंग (शहरी) (5% प्रगति), डीटी मीटरिंग (ग्रामीण) (7% प्रगति), फीडर पृथक्ता (13% प्रगति), स्मार्ट मीटरिंग (0% प्रगति) और एसीएस-एआरआर अंतर (0% प्रगति) जैसे उदय मापदंडों के आधार पर अपने कार्य-निष्पादन में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।<sup>6</sup>

### स्थानीय निकाय

- ▲ यूएलबी के 18 कार्यों में से शेष 3 कार्यों को हस्तांतरित करने के उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- ▲ 2016 में गठित तीसरे एसएफसी ने अपनी रिपोर्ट सितंबर, 2018 में प्रस्तुत की थी। तथापि, एटीआर को अभी विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना है।
- ▲ एफसी- XIII की सिफारिशों के बावजूद, राज्य को अभी पीटीबी कर गठन करना है।
- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280(3)(खख) और (ग) में निहित होने के कारण, भारतीय वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान सिफारिशें करता है। राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, तथा राज्य विधायिका के समक्ष मार्च 2024 तक या उससे पहले व्याख्यात्मक ज्ञापन और उससे संबंधित की गई कार्रवाई प्रस्तुत करनी चाहिए।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम<sup>7</sup>

- ▲ 31 दिसंबर 2018 तक राज्य में कार्यरत नौ पीएसयू के 15 खातों में 1 से 4 वर्ष तक का बकाया था। इसके अतिरिक्त, एक गैर-कार्यरत पीएसयू के खाते में भी बकाया था।
- ▲ राज्य सरकार ने 10 राज्य पीएसयू में से पांच के लिए 2,597.3 करोड़ रुपए ( अनुदान के रूप में 302.4 करोड़ रुपए और राजसहायता के रूप में 2,294.9 करोड़ रुपए) प्रदान किए हैं, जिनके बही खातों को 31 दिसंबर 2018 तक अंतिम रूप दिया जाना है।
- ▲ वर्ष 2015-16 में 13 कार्यात्मक पीएसयू का 120.8 करोड़ रुपए का मुनाफा 2017-18 में घटकर 93.9 करोड़ रुपए रह गया। इनमें से दस पीएसयू ने कुल 94.3 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था जबकि तीन पीएसयू को घाटा हुआ था। उनमें से आठ ने एकाधिकार लाभ लेते हुए बजटीय सहायता, प्रतिशत, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि से आय सुनिश्चित की तथा 97.4% लाभ (91.8 करोड़ रुपए) कमाया।

### राज्य का सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य के लिए, राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ उस समूह का हिस्सा है जिसमें आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब शामिल हैं।

### सुधार संकेतक


- ▲ राज्य ने राजस्व बढ़ाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में विशेषकर स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और अनुपालन में सुधार के माध्यम से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य सरकार को वि.आ.-XV की अधिनिर्णय अवधि के दौरान भी सुधार और राजस्व सृजन की गति को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।
- ▲ छत्तीसगढ़ बिजली के अलावा सड़क, सिंचाई, और पानी की आपूर्ति तथा स्वच्छता में लगातार निवेश कर रहा है। यह रुझान काफी अच्छा है और दीर्घावधि में इसका सकारात्मक लाभ मिलेगा।
- ▲ अपने वर्ग के राज्यों में, छत्तीसगढ़ (खनिज) और राजस्थान (तेल) को रॉयल्टी से अधिकतम आय प्राप्त हुई। राज्यों को भविष्य में भी इस प्रगति को बनाए रखना चाहिए।

- ▲ एक आदर्श पीडीएस होने के नाते राज्य को पीडीएस में प्राप्त लाभ को सुदृढ़ करना जारी रखना चाहिए।
- ▲ राज्य सरकार को दीर्घावधि आधार पर धान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ▲ इसके अलावा, राज्य को अपने 31.2% सिंचाई क्षेत्र को कम से कम 48.6% के राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए।

#### टिप्पणियाँ

- 1 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2 भारत सरकार (2018), कृषि सांख्यिकी, 2018, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 3 एएसईआर (2018), वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018, एएसईआर केंद्र।
- 4 भारत सरकार (2018), ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 5 फरवरी 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा साझा किए गए अनुसार।
- 6 उदय वेबसाइट पर प्रदर्शित अनुसार 31 मार्च 2019 को स्थिति।
- 7 सीएजी (2020), 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 2020 की रिपोर्ट सं. 01, छत्तीसगढ़ सरकार।

## गो-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**1.5 मिलियन**  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**0.1%**



**क्षेत्रफल**  
**3,702 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**4.1%**



**वन आच्छादन**  
**2,237 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**0.3%**  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**60.4%**  
2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.4%** ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**₹ 4,76,370**  
**₹ 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
**6.7%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**




**टीएफआर**  
**1.7**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
**62.2%**  
अखिल भारत औसत  
**31.1%**

## गो-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## गो-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## गो-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (₹ करोड़)


विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) श्रेयर
2011-12	42,367	77,44,945	0.6
2012-13	38,120	88,27,195	0.4
2013-14	35,921	1,00,07,392	0.4
2014-15	47,814	1,09,93,257	0.4
2015-16	55,054	1,21,91,256	0.5
2016-17	62,976	1,37,80,737	0.5
2017-18	69,352	1,54,20,126	0.5
2018-19	73,170	1,72,83,813	0.4

## गो-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


गो-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




गो-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



गो - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




गो -2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>अ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक साराणियां) | <sup>अ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>अ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>अ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>अ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

गो-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

गो - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

गो -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

गो- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति परिचारिका /फार्मसिस्ट (गोवा के लिए सूचना उपलब्ध नहीं है )




स्रोत : भारत सरकार ( 2019 ), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

गो- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार ( 2019 ), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


गो- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




गो- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



गो- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




गो- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


गो -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



गो - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



गो-4. जी: जीएसडीपी से पूंजीव्यय का अनुपात



गो-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस


राजकोषीय संसूचक(2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	4,76,370	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	15.6	13.4
अन्य	6.7	6.4
एनटीआर	3.9	1.1
टीई	18.1	16.1
ईएस	4.2	3.1
एसएस	5.9	5.4
जीएस	5.0	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	7.4	5.8
पूँजी व्यय	3.0	2.5
एफडी	2.5	2.5
आरडी	-0.5	0.2
ओडी	27.9	25.0



## गो- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
गोवा	10.8	11.6	8.1
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## गो- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## त्रिस्तरीय

- राज्य सरकार के अनुसार गोवा में 191 ग्राम पंचायतों के रूप में पीआरआई का केवल एक स्तर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243 ख(2) में यह प्रावधान है कि यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। 2011 में गोवा की जनसंख्या 14.59 लाख थी।
- तथापि पंद्रहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि बेहतर प्रशासन के लिए गोवा में जिला पंचायतों का गठन किया जाए हालांकि यह एक संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है।

## सौंपे गए कार्य

- संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से 8 को पूरी तरह से और 2 आंशिक रूप से यूएलबी को सौंपे गए हैं।
- राज्य सरकार ने आरएलबी को सौंपे गए कार्यों की सूचना नहीं दी।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- यूएलबी के खातों की लेखापरीक्षा 2017-18 तक और आरएलबी की लेखा परीक्षा 2016-17 तक पूरी हो चुकी है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- एफसी XIII द्वारा अनुशंसित पीटीबी को अभी गोवा में स्थापित किया जाना है।

## सभी राज्यों में अंतरण सूचकांक रैंक

कार्य रैंक	कार्यकर्ता रैंक	वित्तक रैंक	नीति रैंक में कुल अंतरण
16	12	16	17

स्रोत: भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।

## पहला एसएफसी

- पहले एसएफसी का गठन अप्रैल 1999 में हुआ था और एटीआर नवंबर 2001 में प्रस्तुत की गई थी।

## दूसरा एसएफसी

- दूसरे एसएफसी का गठन अगस्त 2005 में हुआ था और रिपोर्ट दिसंबर 2007 में प्रस्तुत की गई थी। यूएलबी को दिया जाने वाला कर राजस्व का कार्य मुख्य रूप से भूमि राजस्व और खानों और खनिजों की रॉयल्टी का प्रतिशत होगा।

- ▲ पीआरआई के लिए निर्धारित अंतरण राज्य के अपने राजस्व का 2% होगा।
- ▲ दूसरे एसएफसी की एटीआर को अभी विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना है।

### तीसरा एसएफसी

- ▲ तीसरा एसएफसी का गठन जनवरी 2017 में किया गया था। तथापि इसकी रिपोर्ट आज तक प्रस्तुत नहीं की गई है। आदर्श रूप से पांचवें एसएफसी को अब तक स्थापित कर दिया जाना चाहिए था।

### अन्य टिप्पणियां


- ▲ एफसी.XV के लिए गोवा सरकार के ज्ञापन के अनुसार पंचायत निदेशालय गोवा सरकार ने दूसरे एसएफसी की विस्तृत रिपोर्ट का अध्ययन करने और तदनुसार तीसरे एसएफसी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित करने की मांग की है। राज्य सरकार ने वर्तमान में स्थानीय निकायों के संसाधनों को अंतरित करने के लिए अपनाए जा रहे मानदंडों की सूचना प्रदान नहीं की है।
- ▲ राज्य सरकार एसएफसी का गठन करने और सिफारिशों को लागू करने में प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं कर रही है।

प्रमुख उदय बैरोमीटर (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटीएंडसी हानि (%)	15.7	15.0
एसीएसएआरआर अंतर (रुपए प्रति यूनिट)	0.4	-0.2

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

### गो- 5. ए: एटी एवं सी हानिया (%), वित्त वर्ष 2018



स्रोत- भारत सरकार (2019) उदय समाचार.पत्रिकाए जनवरी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**लंबवत हस्तांतरण**

- ▲ गोवा ने प्रस्ताव किया है कि करों के समग्र विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% की जाए।

**क्षैतिज हस्तांतरण का फार्मुला**

क्रमांक	मानदंड	भारत (%)
i)	जनसंख्या 2011 और जनसांख्यिकी परिवर्तन (1971 के अर्धधीन)	25.0
ii)	आय अंतर	45.0
iii)	वित्तीय अनुशासन	5.0
iv)	मापनीय निष्पादन	10.0
v)	क्षेत्र	7.5
vi)	वन आच्छादन	7.5

**केंद्रीय हस्तांतरण पर कम निर्भरता**

- ▲ 2018-19 में, केंद्रीय हस्तांतरण गोवा के टीआरआर के 33% (जीएस और सत 44%) से कम था।
- ▲ राज्य ने लगातार 2011-12 से 2016-17 तक सभी राज्यों में से जीएसडीपी अनुपात का उच्चतम गैर-कर राजस्व प्राप्त किया।
- ▲ यह राज्य के स्वयं के संसाधनों पर अधिक निर्भरता दर्शाता है यह ऐसा रुझान है जिसे राज्य को निरंतर बनाए रखना चाहिए।

**उच्चतम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**

- ▲ गोवा 2011-12 से 2018-19 तक लगातार सभी राज्यों में उच्चतम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी प्राप्त करने में सक्षम रहा है। राज्य को ऐसी नीतियों को लागू करना जारी रखना चाहिए जो इस रुझान को बनाए रखें।

**नीति आयोग (2019) के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग**

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड, 2019.20 के अनुसार राज्य भारतीय राज्यों में 7वें स्थान पर है।
- ▲ इसके अलावा राज्य ने 2011-12 में सभी राज्यों में 5.1% की निम्नतम गरीबी दर हासिल की थी जबकि उस वर्ष में भारत की गरीबी दर 21.9% थी (तेंदुलकर पद्धति)
- ▲ राज्य एसडीजी-2 कोई भुखमरी नहीं, एसडीजी-8 प्रतिष्ठित कार्य और आर्थिक विकास में सुधार, एसडीजी-11 स्थायी शहर और समुदाय, एसडीजी-15 भूमि पर जीवन और एसडीजी-16 शांति न्याय और सुदृढ़ संस्थान के क्षेत्र में अग्रणी है।
- ▲ राज्य को ऐसे नीतिगत कार्य करना जारी रखना चाहिए जिनसे ऐसे सामाजिक परिणामों का विस्तार हो।

**समग्र जल प्रबंधन सूचकांक**

- ▲ नीति आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2019 के अनुसार, गोवा को 2017-18 में 17 गैर-हिमालयी राज्यों में चौथा स्थान दिया गया है।
- ▲ 2016-17 में राज्य ने अपनी रैंक में पर्याप्त सुधार करके इसे 11वें स्थान पर पहुंचाया है।
- ▲ इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राज्य अपनी कुशल जल प्रबंधन प्रथाओं को जारी रखे।

**पाइप द्वारा जल आपूर्ति**

- ▲ गोवा ने इस मापदंड पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है क्योंकि यह 78% पीडब्ल्यूएस कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों का तीसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है, जबकि अखिल भारतीय कवरेज केवल 18.3% है।

**पर्यटन प्रोत्साहन**

- ▲ गोवा को देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन-स्थल माना जाता है।
- ▲ फिर भी इस राज्य को एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रयास किये जाने से इसे पर्यटकों के एक सर्वोत्तम स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है और आय और रोजगार में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

**राजकोषीय अनुशासन**

- ▲ गोवा को ऋण-जीएसडीपी अनुपात इस समय अस्थिरता के स्तर पर है, यद्यपि यह 2013-14 के 35.3% से घटकर 2018-19 में 27.9% तक हो गया था।

**एफआरबीएम का अनुपालन**


- ▲ इस राज्य ने 2006 में एफआरबीएम अधिनियम तैयार किया था और इसमें 2014 में संशोधन भी किया था।
- ▲ गोवा 2013-14 और 2015-16 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात के एफआरबीएम लक्ष्य हासिल नहीं कर सका था और 2013-14 में एफडी-जीएसडीपी अनुपात भी हासिल नहीं कर पाया था।
- ▲ इसके अलावा 2016-17 और 2017-18 में ऋण जीएसडीपी अनुपात एमआरबीएम लक्ष्य से मामूली ही कम था।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	30.0	30.0	30.0	30.0	27.0	27.0	27.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	22.6	29.5	35.3	29.0	28.3	26.7	26.8
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	2.1	3.0	3.8	2.0	2.7	1.5	2.3

स्रोत:- गोवा सरकार

**बेरोजगारी की दर**

- ▲ 2017-18 के सामान्य स्तर (प्रधान और सहायक) के अनुसार पिछले 15 और इससे भी अधिक वर्षों में लोगों की बेरोजगारी की दर के मामले में सभी राज्यों में गोवा का दूसरा सबसे बड़ा स्थान रहा है।
- ▲ अतः इस राज्यों में श्रम आधारित क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि और अधिक रोजगार पैदा किये जा सकें।

**जीओ-5 ख:- भारत के प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी की दर सामान्य प्रधान स्तर दृष्टिकोण % में**

स्रोत:- भारत सरकार 2018 अधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

**विद्युत क्षेत्र**

- ▲ राज्य सरकार ने आज की तारीख तक विद्युत विभाग को अलग नहीं किया है। अतः इस सम्बंध में यथोचित कार्रवाई किये जाने की जरूरत है।
- ▲ यद्यपि राज्य को 2016-17 और 2018-19 में लक्षित एटीएण्डसी हानि हुई थी, फिर भी तब तक अर्जित लाभ भी उल्टा हो गया, ऐसा लगता है, 2018-19 में एटीएण्डसी हानि 15.7% तक पहुंच गई थी (जब कि उस वर्ष लक्ष्य 15%) का था।
- ▲ भविष्य में इस राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए इस राज्य की यूडीएवाई के बैरोमीटर्स में पर्याप्त सुधार किये जाने की जरूरत है।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ बाकी कार्य स्थानीय निकायों को सौंपने के लिए उपाय किये जाने की जरूरत है।
- ▲ एसएफसी का गठन नियमित रूप से नहीं किया है। दूसरी एसएफसी जिसका गठन 2005 में किया गया था, की सिफारिशों पर राज्य सरकार अभी भी विचार कर रही है। तीसरी एसएफसी का गठन 2016 में किया गया था ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।
- ▲ राज्य को अभी भी अपने पीटीबी का गठन करना है जबकि एफसी-13 की सिफारिशों को 2014-15 तक लागू कर दिया जाना चाहिए था।
- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) और (ग) के अनुसार एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर ही वित्त आयोग स्थानीय निकायों को अनुदानों की सिफारिश करता है। अतः राज्य सरकार को एसएफसी का गठन अवश्य करना चाहिए और उसकी सिफारिशों का अनुपालन करना चाहिए तथा इस प्रकार की गई कार्रवाई से सम्बंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन को मार्च 2024 तक या उसके पहले राज्य विधान मंडल के समस्त अवश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए।

**सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान<sup>2</sup>**

- ▲ गोवा में कार्यरत 15 सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में से 13 प्रतिष्ठानों का 46 खातों में बकाया रह रहा था (और यह बकाया 1 से लेकर 11 वर्षों तक का था)
- ▲ जिन वर्षों में लेखा पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है उन वर्षों में राज्य सरकार ने 441.90 करोड़ रुपये का बजट समर्थन दिया है।
- ▲ खातों की लेखा परीक्षा न किये जाने से राजकोष पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है और लक्ष्य को न प्राप्त करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है जिसके लिए वित्तीय समर्थन भी देना पड़ा है।

**राज्य का सुधार समूह**

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्यों को उनकी प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर उनके समूहों में बांटा गया है। गोवा जिस समूह में है उसमें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और हरियाणा आते हैं।

**सुधार के संकेतक**

- ▲ 2011 और 2019 के बीच गोवा के टीआरई और टीजीआर 10.8% पर रहे और आरआर और टीजीआर से अधिक हो गया है। जिसे लम्बे समय में वित्तीय दृष्टि से हासिल करना नामुमकिन हो जायेगा। अतः इस राज्य को अपने ओआरआर में पर्याप्त सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ गोवा के पास अपने ओटीआर के प्रतिशत के रूप में अपने राजस्व में सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश है ऐसा विशेषकर उत्पाद शुल्क, पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी और विद्युत शुल्क में किया सकता है।
- ▲ यदि खनन उद्योग को पर्यावरण की दृष्टि से संभव नहीं पाया जाता है तो इस राज्य को राजस्व के वैकल्पिक संसाधनों का पता लगाना पड़ेगा।


**नोट:**

- 1 जीओआई ( 2018 ) एन्यूअल रिपोर्ट ऑफ पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2017-2018 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार।
- 2 सीएजी 2016 अध्याय-3 सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान और सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक क्रिया कलाप 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट, गोवा सरकार द्वारा प्रकाशित।

(



## जीजे -1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**60.4 मिलियन**  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**5.1%**



**क्षेत्रफल**  
**1,96,244 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**6.0%**



**वन आच्छादन**  
**14,857 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**2.1%**  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**7.6%**

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.7%** ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**रु. 2,22,487**  
**रु. 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**जीएसडीपी को कर**  
**5.3%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चों**  
**2.0**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
**42.6%**  
अखिल भारत औसत  
**31.1%**

## जीजे-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)



## जीजे-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## जीजे-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (रु. करोड़)

वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	6,15,606	77,44,945	8.0
2012-13	7,24,495	88,27,195	8.2
2013-14	8,07,623	1,00,07,392	8.1
2014-15	9,21,773	1,09,93,257	8.4
2015-16	10,29,010	1,21,91,256	8.4
2016-17	11,67,156	1,37,80,737	8.5
2017-18	13,29,095	1,54,20,126	8.6
2018-19	15,02,899	1,72,83,813	8.7

## जीजे-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान


(वर्तमान कीमतों पर, %)






पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


जीजे -2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




जीजे -2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



जीजे - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




जीजे -2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>अ</sup> डीआईई एसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>ब</sup> डीआईईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>क</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ड</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>ग</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

जीजे-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

जीजे - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

जीजे -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

जीजे- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

जीजे- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


जीजे 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




जीजे- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



जीजे- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




जीजे- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


जीजे-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



जीजे - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



जीजे-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




जीजे-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	2,22,487	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	9.1	13.4
ओटीआर	5.3	6.4
एनटीआर	0.9	1.1
टीई	10.8	16.1
ईएस	2.1	3.1
एसएस	3.6	5.4
जीएस	3.1	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	3.3	5.8
पूंजी व्यय	2.0	2.5
एफडी	1.8	2.5
आरडी	-0.2	0.2
ओडी	19.0	25.0

## जीजे- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
गुजरात	11.7	11.1	8.6
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## जीजे- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की आठवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से 19 कार्यों को राज्य ने आरएलबी को सौंप दिया है।
- ▲ संविधान की 12वीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों को यूएलबी को सौंप दिया गया है।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ नगर निगमों की लेखा परीक्षा 2013-14 तक की और नगरपालिकाओं की 2016-17 तक की पूरी हो चुकी है।
- ▲ जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों की लेखा परीक्षा 2016-17 तक की और ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा 2015-16 तक की पूरी हो चुकी है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ एफसी-13 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पीटीबी के कार्यों को 2011 में गुजरात म्यूनिसिपल फाइनेंस बोर्ड (जीएमएफबी) गांधी नगर को सौंप दिए गए हैं।
- ▲ बोर्ड यथा अपेक्षित सौंपे गये कार्य को पूरा कर रहा है।

## सभी राज्यों में सौंपे गये कार्य का सूचकांक स्तर

कार्य रैंक	कार्यकारिणी रैंक	वित्तीय रैंक	पॉलिसी रैंक में सकल अंतरण
4	8	12	10

स्रोत: भारत सरकार डिबोल्डिंग इन्डेक्स रिपोर्ट

## द्वितीय एसएफसी 2005-06 से 2009-10

- ▲ सीएजी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार दूसरे एसएफसी की 41 सिफारिशों, जो कि आरएलबी पीआरआई से सम्बंधित थी, मे से 20 (49) को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था और अंततः केवल 7 (17%) को ही लागू किया गया था।
- ▲ दूसरे एसएफसी की 42 सिफारिशों जो कि यूएलबी से सम्बंधित थी, मे से 20 (48%) को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था और अंततः केवल 14 (33%) को ही लागू किया गया था।

## तीसरा एसएफसी (2013-14 से 2019-20)

- ▲ यद्यपि तीसरे एसएफसी ने दिसम्बर 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, फिर भी एटीआर को अभी एसेम्बली के पहल पर रखा जाना है।

## ऋण और हानि


- ▲ 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम की कुल इक्विटी और देयता 673 करोड़ रुपये की थी जिसमें राज्य सरकार पर उधारी 187 करोड़ रुपये की थी।
- ▲ गुजरात ने 2018-19 में यूडीए वाई के अंतर्गत एटी एण्ड सी हानि के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है और एसीएस-ए आरआर के अंतर को कम कर दिया है।

प्रमुख उदय बैरोमीटर	उपलब्धि	लक्ष्य
एटीएण्ड सी हानि (%)	14.0	13.0
एसीएस-एआरआरअंतराल	-0.02	-0.06

नोट:- (-) एसीएस-एआरआर अंतराल यह दर्शाता है कि प्रति ईकाई राजस्व की प्राप्ति आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

## जीजे 5 ए- एटी एण्ड सी हानियां (%)



स्रोत:- भारत सरकार 2019 न्यूज लेटर ऑफ यूडीए वाई ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार

**ऊर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ गुजरात का विचार है कि राज्यों के हिस्से को बढ़ाकर विभाज्य पूल 50 % तक कर दिया जाये

**क्षैतिज अंतरण का सूत्र**

क्र.सं.	मानक	भार
i)	जनसंख्या (2011)	25.0
ii)	शहरीकरण	5.0
iii)	क्षेत्रफल	15.0
iv)	आयगत दूरी	35.0
v)	आय अंतर	12.5
vi)	राजकोषीय विषय	7.5

**राजकोषीय विषय**

- ▲ इतने वर्षों में गुजरात के द्वारा इस राजकोषीय मार्ग का अनुसरण करने से इक्स एफडी-जीएसडीपी अनुपात 2012-13 के 2.3% से घटकर 2018-19 से 1.8 % तक आ गया था।
- ▲ अतः इस राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर्ज का सहारा नहीं लिया है।
- ▲ इस अवधि में इस राज्य का ऋण-जी एसडीपी अनुपात 23% से कम होकर 19.0% हो गया था।
- ▲ जहां एक ओर यह रुख यह दर्शाता है कि वित्तिय गुन्जाइश में बढ़ोत्तरी हुई है, इसी अवधि के दौरान वहीं दूसरी ओर पूंजीगत व्यय-जीएसडीपी अनुपात 3.1% से कम होकर 2.0% तक आ गया था।
- ▲ सरकार के लिये यह बुद्धिमत्ता की बात होगी कि उपलब्ध संसाधनों को लाभपूर्ण ढंग से पूंजीगत व्यय में लगाया जाये जिससे कि भविष्य में राजस्व की धारा प्रवाहित होती रहे।

**एमआरबीएम अनुपालन**

- ▲ इस राज्य ने 2005 में एफआरबीएम एक्ट बनाया था 2011 में इसमें संशोधन भी किया गया था।
- ▲ हालांकि ऋण -जीएसडीपी अनुपात हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि राज्यों के एफआरबीएम एक्ट में केवल पब्लिक ऋण-जीएसडीपी का अनुपात दिया गया होता है और इस लोक लेखा की देयता को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

Ratios as %	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	25.3	22.0	20.6	19.8	18.2	18.2	18.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	24.5	23.0	22.7	21.9	21.5	20.8	19.3
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	2.8	2.8	2.5	2.5	2.5
वास्तविक रूप में प्राप्त	1.8	2.3	2.3	2.0	2.2	1.4	1.6

नोट:- राज्यों के एफआरबीएम एक्ट में केवल पब्लिक ऋण-जी एसडीपी अनुपात का लक्ष्य दिया गया होता है। अतः लोक लेखा को राज्यों के एफआरबीएम एक्ट का लक्ष्य नहीं बनाया जाता है।

स्रोत गुजरात सरकार

### अपने ही कोष पर उच्च निर्भरता

- ▲ गुजरात का ओटीआर 2018-19 के ओआरआर का 85.7% और टीआरआर का 58.9% था जबकि इसी अवधि में सभी राज्यों का (औसत) ओटीआर ओआरआर का 84.3% और टीआरआर का 45.2% था।

### जीएसवीए में गैर प्राथमिक क्षेत्र की उच्च हिस्सेदारी

- ▲ 2015-16 और 2018-19 में, जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः 17.6% और 16.4% थी, जिससे पता चलता है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौशल परक श्रमिकों की अच्छी मौन है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था का 80% होता है।
- ▲ अन्य राज्यों से ढरे सारे श्रमिक लाभप्रद काम की तलाश में गुजरात चले जा रहे हैं।

### पत्तन-परिणामी अर्थ व्यवस्था

- ▲ राज्य को चाहिए कि यह अपने पत्तनों के विकास और उन्नयन पर लगातार ध्यान देता रहे कि आर्थिक विकास की गति बनी रहे।

### नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक 2019 में स्थान

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी इण्डिया इंडेक्स एण्ड डैशबोर्ड के अनुसार भारत के सभी राज्यों में इस राज्य का नौवां स्थान है।
- ▲ एसडीजी-6 क्लीन वाटर एण्ड सैनिटेशन एसडीजी-7 एफोर्डबल एण्ड क्लीन इनर्जी एसडीजी-8 डिसेट वर्क एण्ड इकोनामिक ग्रोथ और एसडीजी-9 इन्डस्ट्री इनोवेशन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में इस राज्य ने अच्छा काम किया है।
- ▲ फिर भी इस राज्य को अभी एसडीजी-1 नो पार्वी, एसडीजी-2 जैसे हैंगर, एसडीजी-3 गुड हेल्थ एण्ड वेलबींग, एसडीजी-5 जेन्डर इक्विटी, एसडीजी-10, रिड्यूएड इनटूक्रीटीज, एसडीजी-11 सस्टेनबल सिटीज एण्ड कम्यूनिटीज और एसडीजी-15 लाइफ आन लैंड के क्षेत्र में अपने कार्य को और बेहतर करने की जरूरत है।
- ▲ गुजरात को ऐसी नीतियों और कार्यों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए जिससे और अधिक विद्युत क्षेत्र, सामाजिक परिणाम प्राप्त हो सके।

### विद्युत क्षेत्र

- ▲ डिस्कॉम्स ने 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में एटीएण्ड सी हानि को कम करने में बहुत ही बढ़िया काम किया है और ऐसा मुख्य रूप से लगातार किये जा रहे क्षमता सुधार उपायों के कारण हुआ है।
- ▲ इस राज्य के चारो डिस्कॉम्स 2010-11 से लगातार लाभ अर्जित कर रहे हैं।
- ▲ 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार यूडीएवाई बैरोमीटर्स के लगभग सभी लक्ष्यों (स्मार्ट मीटरिंग को छोड़कर) में यह राज्य अग्रणी रहा है।
- ▲ मजबूत और सुव्यवस्थित सुधार की जरूरत है ताकि बिना किसी गड़बड़ घोटाला के विद्युत सब्सिडी वांछित लाभानुभोगियों तक पहुंच सके।

### आकांक्षी जिले

- ▲ नर्मदा और दाहोद जिलों को नीति आयोग ने विकास और मानीटरिंग के लिए आकांक्षी जिलों के रूप में अभिज्ञान किया है।

### पाइप जल आपूर्ति:-

- ▲ गुजरात ने इस प्रतिमान में बहुत ही बढ़िया काम किया है जबकि यहां पर जल की कमी भी है।
- ▲ पीडब्ल्यू एस कनेक्शन्स से ग्रामीण घरों में जल की आपूर्ति कने में गुजरात की प्रतिशतता दूसरी सबसे बड़ी है (79%) जबकि अखिल भारतीय औसत केवल 18.3% है।

### प्रतिषेध की नीति

- ▲ गुजरात सरकार ने बताया है कि जो प्रतिषेध नीति के कारण 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हुआ है, अपराध की दर में कमी आने, महिलाओं की सुरक्षा आदि के बढ़ने से उसकी भरपाई हो गयी है और इससे इस राज्य में स्वास्थ्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश पैदा हो गया है।



**ओटीआर में उछाल**

- ▲ 2011-2017 की अवधि के मापन पद ओटीआर में उछाल 0.5.3 था वह 2014-17 जीएसटी के पूर्व समय में 0.20 कम था। इस प्रकार की कमी से जाहिर होता है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था के मद्देनजर कर संसाधनों को पैदा करने में इस राज्य की कमजोरी प्रकट हुई है।

**ओआरआर में गिरावट**

- ▲ 2018-19 में गुजरात का ओआरआर/टीआरआर 68.8% जो कि हरियाणा (76.7%) से पीछे है यद्यपि इन दोनों के प्रति व्यक्ति आय एक जैसी ही है।

**ब्याज का भुगतान**

- ▲ 2011-12 और 2016-17 के बीच गुजरात को आरई के 17%-18% तक का ब्याज अदा करना पड़ा है।
- ▲ ब्याज लागत की दृष्टि से गुजरात का स्थान भारत के शीर्षस्थ तीन राज्यों में आता है।
- ▲ पूंजीगत और सामाजिक क्षेत्रीय निवेश के लिए संसाधनों को मुक्त कराने के लिए ब्याज का भुगतान कम करना पड़े, इसके लिए इस राज्य को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

**परिवहन क्षेत्र**

- ▲ गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ( जीएसआरटीसी ) को 2011-12 से लगातार घाटा हो रहा है, जिससे राज्य सरकार पर भार बढ़ता जा रहा है।
- ▲ जीएसआरटीसी का कुल संचित घाटा 4722 करोड़ रुपये 2014-15 का था
- ▲ 2012-13 से 2014-15 तक के तीन वर्षों में इसका निवल मूल्य ऋणात्मक रहा है।

**स्वास्थ्य**

- ▲ गुजरात कुछ प्रमुख सूचकांकों की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहा है।
  - ▲ उदाहरण के तौर पर एनएफएचएस-4 (2015-16) के अनुसार गुजरात के 26.4% बच्चे बेकार हो जाते हैं जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 21% का है। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिससे यह प्रकट होता है कि अनसूचित जनजाति के बच्चों की स्थिति बहुत ही खराब है।
  - ▲ यद्यपि इस राज्य के टीकाकरण की स्थिति में सुधार आया है जो कि, एनएफएचएस-3 (2005-2006) के 45.2 % से बढ़कर 2015-16 में 50.4 % (राष्ट्रीय औसत 62%) हो गया है। इस प्रकार इस दृष्टि से 28 राज्यों में गुजरात का 26 वां स्थान होता है।
  - ▲ 2016-17 में, स्वास्थ्य पर जीएसडीपी का 0.7% खर्च हुआ है। जबकि जीएस औसत 0.8% का रहा है।

**शिक्षा**

- ▲ गुजरात को अपने शिक्षा सम्बंधी कई मानकों में सुधार किये जाने की जरूरत है।
  - 2016-17 में, द्वितीयक निवल नामांकन अनुपात 47.9 % का (राष्ट्रीय औसत 51.8%) और उच्च द्वितीयक एनईआर 27.1% का (राष्ट्रीय औसत 31.0%) (यूडीआईएसई 2016-17 के अनुसार)
  - यूडीआईएसई, 2016-17 के अनुसार, शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कों की तुलना में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात गुजरात में राष्ट्रीय औसत से कम रहा है (जेन्डर पैरिटी इन्डेक्स के अनुसार)

स्तर	लिंग समानता सूचकांक, गुजरात	लिंग समानता सूचकांक, गुजरात
प्रारंभिक	1.0	1.1
माध्यमिक	0.9	1.0
उच्चतर माध्यमिक	0.9	1.0
स्त्रोत: यूडीआईएसई, 2016-2017	0.9	1.0

- 2016-17 में गुजरात में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत 6.5 था ( जबकि राष्ट्रीय औसत 5.7 था) यहीं स्थिति सेकन्डरी लेवल पर 24.1 (राष्ट्रीय औसत 19.9) और हायर सेकन्डरी लेवल पर 6.56 (राष्ट्रीय औसत 6.0) थी।
- इस राज्य में ग्रेड-3 में ऐसे बच्चों का औसत जो जोड़-घटा के सवाल पर लेते थे 25.7 था जबकि राष्ट्रीय औसत 28.2 था।
- ▲ गुजरात और भारत के शिक्षा सूचकांकों के बीच अंतर को कम करने के लिए इस राज्य को बहुत प्रयास करने की जरूरत है।
- ▲ 2016-17 में शिक्षा पर होने वाले खर्च के मामले में गुजरात जीएसडीपी का प्रतिशत 1.7 था जबकि जीएस औसत 2.6 था।

#### स्थानीय निकाय:-

- ▲ संविधान की आठवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से 10 कार्य को अभी पीआर आई को सौंपा जाना है। इस अंतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उपाय किये जाने की जरूरत है।
- ▲ हर पांच साल बाद एसएफसी का गठन करने के कार्य में गुजरात नियमित नहीं रहा है।
- ▲ तीसरे एसएफसी ने अपने गठन के चार वर्ष बाद 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है एटीआर को अभी विधान सभा के समक्ष रखा जाना है।
- ▲ जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 280(3) (ख ख) और (ग) विनिर्दिष्ट है भारत का वित्त आयोग एसएमसी की सिफारिशों के आधार पर ही स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के बारे में अपनी सिफारिशें देता है। राज्य सरकार एसएफसी का गठन अवश्य करना चाहिये, इसकी सिफारिशों का अनुपालन करना चाहिये और की गई कार्रवाई से सम्बंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन को मार्च 2024 तक था उसके पहले राज्य के विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिये।

#### सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम<sup>3</sup>

- ▲ 2018-19 (नवीनतम वित्तीय विवरण के अनुसार) में कुल सक्रिय 61 एसपी एसयू में से 44 को कुल 2487.28 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था और 15 को 2569.64 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी थी। इन 61 सक्रिय एसपीएसयू में से 39 के वित्तीय एसपीएसयू में से 39 के वित्तीय विवरण 1 से 4 तक बकाया रह रहे थे।
- ▲ 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 10 एसपीएसयू में कुल 1,06, 844.09 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। गुजरात सरकार ने विद्युत क्षेत्र के तीन एसपीएसयू को बजट समर्थन दिया था जो कि 2014-15 से 6,144.63 करोड़ रुपये 2018 में 10,223.10 करोड़ रुपये का बाकी सात एसपीएसयू में कोई कुछ भी धन नहीं लगाया गया था।
- ▲ 2018-19 में विद्युत क्षेत्र की पीएसयू को 10,223.10 करोड़ रुपये को बजट सहायता दी गयी थी जिसमें 2813.37 करोड़ रुपये की इक्रिटी और 7,40973 करोड़ रुपये का अनुदान शामिल है।

#### एनएएमपी के अंतर्गत यथा मानीटर किया गया उच्च प्रदूषण (पीएम 10)

- ▲ गुजरात में चार शहर ऐसे हैं जिनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है, जैसे अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट, जिनको विकास का इंजन कहा जाता है। हालांकि इनके यहां बढ़ते वायु प्रदूषण (जैसा कि एनएएमपी के अंतर्गत मानीटर किया गया था) भविष्य में इनका विकास अवरूद्ध हो सकता है।

#### पीएम 10 माइक्रोग्राम्स प्रति घन मीटर।

शहर	2016	2017	2018	औसत
अहमदाबाद	108	120	236	154.7
राजकोट	92	106	203	133.7
सूरत	92	106	176	124.7
बड़ोदरा	92	108	188	129.3

नोट- एनएएमपी ने प्रति घन मीटर 90 माइक्रो ग्राम का एक पीएम सीमा निर्धारित की है।

## राज्य के सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण की दृष्टि से राज्यों को उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहबद्ध किया गया है। गुजरात जिस समूह में है उसमें गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और हरियाणा भी आते हैं।
- ▲ गुजरात के महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिमानों की तुलना इसके समूह के अन्य राज्यों से की गई है (केवल गोवा को छोड़कर क्योंकि यह एक बहुत ही छोटा राज्य है।)


## सुधार सूचक

- ▲ यद्यपि गुजरात को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है फिर भी इसकी प्रति व्यक्ति आय अपने वर्ग में सबसे कम है।
- ▲ इसकी ओटीआर बायोन्सी:- जो कि 0.53 (2011-12 से 2018-19) है, अपने वर्ग ने सबसे कम है (जिसमें महाराष्ट्र 0.99 पर सबसे अधिक है)
- ▲ इसका ओटीआर, टीजीआर, जो कि 7% (2011-12 से 2018-19) है, अपने वर्ग के औसत 11.5% की तुलना में बहुत ही खराब है।
- ▲ अतः राज्य को अपने ओटीआर का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए और अपनी बायोन्सी को बढ़ाने के लिये रणनीति तैयार करनी चाहिए जिससे कि यह एफसी-15 की, निर्धारित अवधि कम से कम अपने वर्ग के औसत 0.83 तक पहुंच जाये।
- ▲ जहां एक ओर इस राज्य का टीआरई 11.7% (2011-12 से 2018-19) की दर से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी अवधि में ओआरआर टीजीआर के वल 8.6% रहा है जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे वित्तीय दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता है।
- ▲ 2014 और 2018 के बीच टीआरआर में वैट/जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन और उत्पाद शुल्क की हिस्सेदारी घटती रही है। पेट्रोलियम पर लगाये जाने वाले वैट से प्राप्त राजस्व की स्थिति अच्छी रही है जो कि ओटीआर का 25% जबकि पेट्रोलियम पर वैट की वसूली कम होती गई है (अपने वर्ग के महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल की स्थिति के विपरीत जहां खास सुधार की बात कही गई है। कुल बायोन्सी में सुधार लाने के लिए गुजरात सरकार राजस्व के इन स्रोतों की समीक्षा भी कर सकती है।
- ▲ जहां एक ओर गुजरात अपने दम खर्च के बारे में बता रहा है वहां दूसरी ओर इसके बजट और लेखा प्रणाली को लेकर कई विवाद पैदा हो गये हैं। उदाहरण के तौर पर जहां यह बताया गया था कि 2018-19 में वेतन के मद पर -के वल 11,650 करोड़ रुपये खर्च हुए थे वहीं इसी अवधि में सहायता अनुदान की राशि भारी भरकम 58,000 करोड़ रुपये थी। यद्यपि जीआईए वेतन और गैर वेतन घटकों पर अंकुश लग सकता है, लेकिन यह टीआरई का ही एक हिस्सा होता है और इसका लेखा-जोखा रखना पड़ेगा।
- ▲ गुजरात में अतिरिक्त राजस्व पैदा होता है और इसका आरडी-एफडी अनुपात भी अच्छा है। इसके बावजूद इसका पूंजीगत व्यय पिछले कुछ वर्षों में 3.1% (2012-13) से कम होकर 2% (2018-19) हो गया है इसके लिए तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है ताकि भविष्य में राजस्व की प्राप्ति निरंतर बनी रहे।

## नोटः

- 1 सी एजीसीएजी (2017), 2017 की रिपोर्ट नं. 1, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गुजरात, भारत लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, गुजरात सरकार द्वारा प्रकाशित
- 2 एएसईआर (2018), शिक्षा रिपोर्ट का वार्षिक सर्वे 2018 एएसईआर केन्द्र
- 3 सीएजी (2020), लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष पर रिपोर्ट, गोवा सरकार

## एचआर-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
25.4 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.1%



**क्षेत्रफल**  
44,212 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
1.4%



**वन आच्छादन**  
1,602 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
0.2%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
3.6%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.9% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 2,60,286  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
5.8%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%





**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चे  
2.1  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
34.8%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

## एचआर-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %) एचआर-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एचआर-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (रु. करोड़) एचआर-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)


विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शंयर
2011-12	2,97,539	77,44,945	3.8
2012-13	3,47,032	88,27,195	3.9
2013-14	3,99,268	1,00,07,392	4.0
2014-15	4,37,145	1,09,93,257	4.0
2015-16	4,95,504	1,21,91,256	4.1
2016-17	5,61,610	1,37,80,737	4.1
2017-18	6,49,592	1,54,20,126	4.2
2018-19	7,34,163	1,72,83,813	4.2




एचआर-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एचआर-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



एचआर - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एचआर -2. डी : प्रमुख सामाजिक सूचकांक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

एचआर-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

एचआर - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एचआर -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एचआर- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एचआर- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एचआर- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एचआर- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एचआर- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एचआर- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एचआर -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एचआर - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एचआर-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय



एचआर-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस


राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू० में	2,60,286	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	9.0	13.4
ओटीआर	5.8	6.4
एनटीआर	1.1	1.1
टीई	12.7	16.1
ईएस	2.6	3.1
एसएस	4.1	5.4
जीएस	3.8	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	5.6	5.8
पूंजी व्यय	2.2	2.5
एफडी	3.0	2.5
आरडी	1.5	0.2
ओडी	25.1	25.0



## एचआर- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
हरियाणा	14.1	12.1	10.9
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## एचआर- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 29 कार्य पीआरआई को सौंपे गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 148 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं।

## लेखा-परीक्षा स्थिति

- ▲ निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा, हरियाणा ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा संचालित करते हैं।
- ▲ पीआरआई और यूएलबी के लेखे 2016-17 तक लेखा परीक्षित थे।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, हरियाणा सरकार ने अपने संपत्ति कर बोर्ड का गठन सितंबर 2012 में किया।

## सभी राज्यों में हस्तंतरण सूचकांक क्रम

कार्यों का क्रम	पदाधिकारियों का क्रम	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
13	18	11	11

Source: GOI (2016), Devolution Index Report 2015-16, Ministry of Panchayati Raj, Government of India.

## पांचवां एसएफसी (2016-17 से 2020-21)

राष्ट्रीय लोक लेखा और नीति संस्थान द्वारा राज्य वित्त आयोग रिपोर्टों का विहंगावलोकन के अनुसार पांचवें एसएफसी की सिफारिशें हरियाणा सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और फिलहाल कार्यान्वयनाधीन हैं। ये निम्न लिखित हैं।

- ▲ हरियाणा के ओआरआर का 7% (संग्रहण लागत 1.5%) और वैट की निवल राशि, तथा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का 2% शहरी स्थानीय निकायों की ओर से एकत्रित किया जाएगा।
- ▲ पीआरआई और यूएलबी के बीच वितरण अनुपात 55.45 नियत किया गया है।
- ▲ राज्य स्तरीय शहरी साझा सेवा केन्द्र (250 करोड़ रुपये) और स्वर्ण जयंती हरियाणा राजकोष प्रबंधन संस्थान (एसजेएचआईएफएम) (70 करोड़ रुपये) की स्थापना के लिए विशिष्ट अनुदान दिए जाएं।
- ▲ सुदृढ़ डाटाबेस के बारे में आंकड़ों व सूचना का भंडार एसजेएचआईएफएम में स्थापित किया जाए।


**ऋण तथा हानियां**

- ▲ राज्य ने 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान 25,950 ऊ. की राशि पर यूडीवाई के तहत डीआईएससीओएम ऋण को हाथ में लिया है।
- ▲ 31 मार्च 2019 तक डीआईएससीओ एमएस द्वारा कुल उधारियां (राज्य सरकार से 3,294 करोड़ रु. की उधारियों सहित) सभी राज्यों की कुल डीआईएससीओएम उधारियों की 2.7% राशि पवाली 13,020 करोड़ रु. है।
- ▲ राज्य ने अपने एसीएस-एआरआर अंतराल लक्ष्य प्राप्त कर लिया है किन्तु एटी तथा सी हानि लक्ष्य 2018-19 प्राप्त नहीं किया है।
- ▲ राज्य को राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए यूडीवाई बैरोमीटर पर अपने प्रदर्शन में वास्तव में सुधार करने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी तथा सी हानियां (%)	18.08	15.0
एनसीएस-एआरआर (रु. प्रति इकाई)	-0.05	0.12

नोट:- (-) एसीएस-एआरआर अंतराल बताता है कि संपादित किया गया प्रति इकाई औसत राजस्व आपूर्ति की औसत लागत से बड़ा है।

स्रोत: विद्युत मंत्रालय भारत सरकार

**हरियाणा:- 5ए एटी तथा सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018**

स्रोत:- भारत सरकार (2019) यूडीवाई के समाचार पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार।

## उध्वाधर अंतरण

- ▲ हरियाणा ने सिफारिश की है कि करों के सम्पूर्ण विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से को 50% तक बढ़ाया जाए।

## क्षैतिज अंतरण के लिए सूत्र

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझावित भार (%)
i)	वृद्धि समान रूप से निम्न के मध्य विभाजित की गई <ul style="list-style-type: none"> <li>आय अंतराल बाकी राज्यों की प्रति व्यक्ति औसत आय को दुगुना करने के लिए उच्च आय वाले जनपदों की प्रति व्यक्ति आय कम है।</li> <li>पूंजीगत व्यय</li> </ul>	20.0
ii)	राजकोषीय दक्षता तथा अनुशासन, समान रूप से निम्न के मध्य विभाजित किए गए। <ul style="list-style-type: none"> <li>संसाधन जुटाना</li> <li>सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का स्वीकरण</li> </ul>	20.0
iii)	जनसंख्या, समान रूप से निम्न के बीच विभाजित की गई। <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्रामीण-शहरी अनुपात</li> <li>लिंग अनुपात में सुधार</li> <li>कनिष्ठ जनसांख्यिकी प्रोफाइल</li> </ul>	17.5
iv)	क्षेत्र, समान रूप से निम्न के बीच विभाजित किया गया। <ul style="list-style-type: none"> <li>वन्य आच्छादन</li> <li>फसल क्षेत्र</li> <li>सिंचाई क्षेत्र</li> </ul>	15.0
v)	राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में योगदान, समान रूप से निम्न के मध्य विभाजित किया गया <ul style="list-style-type: none"> <li>खाद्य अनाज के केन्द्रीय पूल में अंशदान</li> <li>सैन्य बल</li> <li>खेल</li> </ul>	27.5

## एफआरबीएम अनुकूलता

- ▲ राज्य ने 2005 में कार्यान्वित अपने एफआरबीएम अधिनियम में 2006, 2009, 2010 तथा 2011 में संशोधन किए।
- ▲ राज्य हालिया वर्षों में अपी एफआरबीएम सीमा के मुताबिक चला है।
- ▲ तथापि हालिया वर्षों में यह अपने एफडी-जीएसडीपी लक्ष्य से भटक चुका है।
- ▲ इस प्रकार इसे आय के भविष्य में होने वाले प्रवाह को बनाने के लिए एक विश्वसनीय ऋण पथ तथा सतर्क अंशशोधन की आवश्यकता है।

(%) के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	22.6	22.7	22.8	22.9	25.0	25.0	25.0
वास्तविक उपलब्धि	18.3	18.7	19.1	20.2	24.4	26.1	25.3
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक उपलब्धि	2.4	3.0	2.1	2.9	6.4	4.7	2.9

स्रोत- हरियाणा सरकार

**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**

- ▲ भारत में हरियाणा तथा उ.प्र. के हिस्सा के साथ-साथ दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अथवा एनसीआर स्थापित करते हुए) मौजूदा समय में कुल एफडीआई का 20(%) आकर्षित कर रहा है।
- ▲ उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2017 में जारी की गई व्यापार करने की सहजता (ईओडीबी) श्रेणी में इस राज्य का तीसरा स्थान रहा।
- ▲ तथापि यह राज्य अपने पिछले प्रदर्शन पर वापस आने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए एक यांत्रिकी के आविष्कार की आवश्यकता का संकेत देते हुए 2019 में 16वें स्थान पर आ गया।

**अन्य क्षेत्र**

- ▲ राज्य ने 2004-05 में 24.1% से 2011-12 में 11.2% पर गरीबी कम करते हुए एसडीजी-1 में शानदार प्रगति की है।
- ▲ राज्य के पास जीएस को मिलाकर द्वितीय उच्चतम प्रति व्यक्ति आय है (गोवा के बाद)।
- ▲ आवास आवंटन में ई-नीलामी, अध्यापक स्थानान्तरण नीति, कैरोसीन मुक्त राज्य तथा कर अनुवीक्षण तथा संग्रहण में महत्वपूर्ण सुधार ध्यान देने योग्य है।
- ▲ राज्य में तथा राज्य से बाहर सरकारी भूमि/सम्पत्तियों दोनों के विकास अथवा मुद्रीकरण को बढ़ाने के लिए एक सम्पत्ति प्रबंधन सेल बनाई गई है।
- ▲ हरियाणा सरकार ने सरकार से एंड-यूजर के लिए निधियों के प्रवाह के वास्तविक-अवधि ऑनलाइन अनुवीक्षण के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमए) तथा पीएफएमएस कार्यान्वित करते हुए राजकोष प्रबंधन में भी सम्बंधित प्रगति की है।

**राजकोषीय संकेतक**

- ▲ ब्याज भुगतान हरियाणा के लिए एक बड़ी देयता है।
- ▲ 2011-12 तथा 2018-19 के मध्य, टीआरई के प्रतिशत के रूप में ब्याज 12.5% से 17.6% की सीमा में रह रहे हैं (भारत में उच्चतम)

**सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम**

- ▲ हरियाणा राज्य के पास 28 कार्यकारी पीएसयू (26 कंपनियां तथा दो संवैधानिक निगम) तथा निष्क्रिय कम्पनियां हैं।
- ▲ 31 मार्च 2018 तथा, 32 पीएसयू में सरकारी निवेश (चुकाया गया, उज्ज्वल डीआईसीओएम आन्रसन योजना के अन्तर्गत दीर्घकालिक ऋण) तथा अनुदान/सहायता 30, 683 करोड़ रु. था।
- ▲ राज्य सरकार ने 2017-18 में 14 पीएसयू में इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सहायता में 16.255 करोड़ रु. का अंशदान दिया।
- ▲ 28 कार्यकारी पीएसयू में से 21 पीएसयू खाते बकाया हैं।
- ▲ बकाया देयताओं, एसपीएसयू को पर्याप्त बजटीय सहायता तथा खाते में अधिक बकाया को देखते हुए राज्य को आकस्मिक देयताओं के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है जिनसे अतिरिक्त राजकोषीय भार बढ़ सकता है।
- ▲ एसपीएसयू की पुनः संरचना के समयबद्ध कार्यक्रम को उनके प्रदर्शन में आने वाली मुख्य बाधाओं से निपटने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

**नीति आयोग 2019 की एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग**

- ▲ नीति आयोग की एसडीजी सूची में स्थान (2019)-राज्य का एसडीजी सूची में स्थान 57 (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में) तथा भारत के राज्यों में 18 वां स्थान है।
- ▲ राज्य, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण एसडीजी-4 शिक्षा गुणवत्ता, एसडीजी-6 साफ पानी तथा स्वच्छता, एसडीजी-7 वहनीय तथा स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-8 शानदार कार्य तथा आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-9 उद्योग, नवप्रवर्तन तथा अवसंरचना तथा एसडीजी-16 शांति, न्याय तथा मजबूत संस्थाओं में अग्रणी है।

- ▲ राज्य को, एसडीजी-2 शून्य भुखमरी, एसडीजी-5 लिंग समानता, एसडीजी-11 संधारणीय शहर तथा समुदाय, एसडीजी-12 संधारणीय क्षतिपूर्ति तथा उत्पादन, एसडीजी-13 जलवायु परिवर्तन, तथा एसडीजी-15 भूमि पर जीवन।

### लिंग समानता

- ▲ हरियाणा में लिंग अनुपात (सूचकांक 2001 में 861 तथा सूचकांक 2011 में 879 के बीच) पिछले दशकों में लगातार राष्ट्रीय औसत (सूचकांक 2001 में 933 तथा सूचकांक 20011 में 943 के बीच) के नीचे रहा है। राज्य को इस मामले पर ध्यान देने के लिए निश्चित कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।
- ▲ नीति आयोग की एसडीजी भारत सूची तथा डैशबोर्ड 2019-20 के अनुसार, राज्य 0.32 सम्पूर्ण भारत की तुलना में मात्र 0.21 के श्रम बल भागीदारी बल (एलएफपीआर) के महिला से पुरुष अनुपात की सूचना देता है।

### अवसंरचना

- ▲ दिल्ली से भारी वाणिज्यिक अन्तरराज्यीय ट्रैफिक, हरियाणा की सड़कों तथा वातावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है।
- ▲ हरियाणा, भूमिबद्ध होते हुए, आयात तथा निर्यात के लिए एक बड़ी प्रति इकाई परिवहन लागत वहन करता है।
- ▲ यद्यपि गुरुग्राम सूचना प्रौद्योगिकी तथा शुरू की गई सेवाओं, जटिल क्षेत्रों जैसे विद्युत प्रबंधन मानव संसाधन विकास तथा संपूर्ण जिले तथा शेष हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण विनियामक बाधाओं हेतु उत्कृष्टता केन्द्र है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ एजी, हरियाणा के अनुसार, पीआरआई, पीआरआईए खातों का उचित रूप में अनुरक्षण नहीं कर रही है। उनके पास कई अपूर्ण प्रविष्टियां हैं।
- ▲ यहां गांव से जिले तथा अंततः राज्य स्तर पर पीआरआई खातों के एकीकरण के लिए कोई प्रणाली नहीं है।
- ▲ आंतरिक लेखापरीक्षा यांत्रिकी का अभाव तथा पेशेवर शहरी संवर्ग यूएलबी की सुपुर्दगी क्षमता में गंभीर रूप से रूकावट डाल रहा है।
- ▲ जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) तथा (ग) में प्रतिष्ठापित है, भारतीय वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों पर आधारित स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सिफारिशें करता है। राज्य सरकार को आवश्यक रूप से एफएफसी का गठन करना चाहिए उनकी सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए तथा मार्च 2024 से पहले राज्य विधानसभा के समक्ष की गई कार्रवाई से सम्बंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

### विद्युत क्षेत्र

- ▲ राज्य ने अभी तक अपने एटी तथा सी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है तथा राज्य को मुख्य यूडीएवाई बैरोमीटर पर अपने प्रदर्शन में सुधार की आवश्यकता है।
- ▲ मजबूत सर्वांगी सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है कि बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए बिजली सब्सिडी बिना किसी रहस्योद्घाटन के लाभार्थियों तक पहुंचती है।

### आकांक्षापूर्ण जिले

- ▲ नूह, आकांक्षी जिले के सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार एक नीति आदेश सूचक होना चाहिए।

## राज्य के सुधार दल

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहित किया गया है। हरियाणा उस समूह का हिस्सा जिसमें गुजरात, तमिलनाडू, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक एवं गोवा शामिल है।

## सुधार संकेत


- ▲ भारत के कुल क्षेत्र के 1.35 % हिस्से एवं 2.53 करोड़ व्यक्तियों के साथ हरियाणा एक छोटा राज्य है।
- ▲ पूरे राज्य में केवल 0.2% वनाच्छादित क्षेत्र के साथ वनाच्छादित के अन्तर्गत (राज्य क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में) हरियाणा के पास सबसे कम क्षेत्र है।
- ▲ राज्य में परिवर्तन हो रहे हैं (हालांकि एकतरफा है) जिससे में जीएसडीपी में 60% (1960-1980) से 20% तक (वर्तमान) में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान से आर्थिक संरचना में बदलाव आए है।
- ▲ व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन सेवा (एफडीआई अंतर्वाह के मुख्य स्रोत के रूप में) के वैश्विक केन्द्र के रूप में गुरुग्राम जिले के लाभ के कारण यह हुआ है।
- ▲ इसके अतिरिक्त देश में निर्मित 66% सवारी कार, 50 % टैक्टर और 60 % मोटरसाइकिल का निर्माण हरियाणा में किया जाता है।
- ▲ हरियाणा का आधे से अधिक क्षेत्र (57%) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आता है जो कि एक अवसर एवं चुनौती दोनों है।
- ▲ मुख्य अग्रिम जिला गुरुग्राम (एनसीआर का हिस्सा) और मुख्य पिछड़े हुए नुह जिला के बीच अन्तर राज्जीय असमानताएं लड़खड़ा रही है। गुरुग्राम के समीकरण के बिना हरियाणा की जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से कमी आएगी।
- ▲ 2008-09 तक राजस्व अधिकता वाला राज्य रहा उसके पश्चात से हरियाणा लगातार कमी में रही। अब ऐसा प्रतीत होता है कि अधिक टीजीआर के व्यय (विशेषकर ब्याज भुगतान एवं वेतन में) और ऋण भार (विशेषकर विद्युत क्षेत्र के कारण) यह अपने वर्ग के राजकोषीय स्तर में सबसे खराब है।
  - यूडीएवाई ने 25950 करोड़ रुपये का डिस्कॉम ऋण 2015-17 के दौरान अनुदानों (7785 करोड़ रु.), के रूप में लिया है इसके बाद 2017-18 और 2018-19 में ऋण को इक्विटी के रूप में बदल दिया गया।
  - 2011-12 और 2018-19 के बीच में बकाया ऋण में टीजीआर के 20.2% की वृद्धि हुई।
  - ऋण-जीएसडीपी अनुपात में 18.33% (2011-12) से 25.09% (2018-19) तक वृद्धि हुई है।
  - राज्य की आरडीएफडी अनुपात में समय के साथ वृद्धि हुई और वर्तमान में 51.4% (2018-19) है जो कि यह इंगित करता है कि राज्य की अधिकतर उधारे अपनी आरडी का वित्त पोषण कर रही है।
  - सब्सिडी टीआर का लगभग 12% बनती है (जिसमें से कि विद्युत सब्सिडी 87% का हिस्सा है।
  - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण टीआर का लगभग 10% है जिसमें मुख्य हिस्सा विभिन्न प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों इत्यादि के लिए 25 लाख से अधिक पेंशनधारी का है।
  - अधिक प्रति व्यक्ति आय होने के बावजूद राज्य में लगातार प्रतिकूल लिंगानुपात और रक्ताल्पता के अधिक मामले हैं फिर भी स्वास्थ्य व्यय टीआर का केवल 4.8% है।
  - महामारी के अलावा स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य कर्मी पेशेवर की उपलब्धता राज्य में इसकी नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है।
- ▲ महामारी के अलावा स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य कर्मी पेशेवर की उपलब्धता राज्य में इसकी नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है।
- ▲ इसलिए, हरियाणा को आवश्यकता है।
  - प्राथमिक आधार पर स्वास्थ्य निवेश ऋणों में कमी
  - बकाया ऋण को कम करना।

- संबंधित ब्याज बोझ को पूरा करने के क्रम में विद्युत में निवेश लागत की वसूली के लिए तंत्र स्थापित करना।
- लागत वसूली सिद्धांत सहित महत्वपूर्ण पूंजी व्यय (विद्युत को छोड़कर) पर ध्यान केंद्रित करना।
- अंतर राज्यिक असमानता को कम करने के लिए आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करना।

**टिप्पणी:-**

1. भारत सरकार (2016), अतरण सूची रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत सरकार (2019), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर तथ्य शीट (अप्रैल 200 से मार्च 2019), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
3. सीएजी (2019), 2019 की रिपोर्ट नं. 2 सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा प्रकाशित।

## एचपी -1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
6.9 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
0.6%



**क्षेत्रफल**  
55,673 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
1.7%



**वन आच्छादन**  
15,434 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
2.2%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
27.7%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
2.2% ↑



रु० 2,11,325  
रु० 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
4.9%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
1.9  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**10.0%**  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एचपी-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %) एचपी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




हिमाचल प्रदेश



## एचपी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (रु. करोड़)

वर्ष	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएसमें राज्य का (%) शेयर
2011-12	72,720	5,03,182	14.5
2012-13	82,820	5,63,081	14.7
2013-14	94,764	6,37,264	14.9
2014-15	1,03,772	6,95,474	14.9
2015-16	1,14,239	7,88,321	14.5
2016-17	1,25,634	8,67,648	14.5
2017-18	1,38,351	9,74,240	14.2
2018-19	1,53,845	10,82,901	14.2


## एचपी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)






पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


एचपी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



एचपी-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



एचपी- 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एचपी -2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

एचपी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

एचपी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एचपी -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एचपी- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति परिचारिका /फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एचपी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एचपी- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




एचपी- 4. बी: जीएसडीपी की % के रूप में राजकोषीय घाटा



एचपी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एचपी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एचपी -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एचपी- 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एचपी-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




एचपी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संकेतक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संकेतक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	2,11,325	1,30,427
संकेतक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।		
टीआरआर	20.1	23.3
ओटीआर	4.9	5.0
एनटीआर	1.8	2.0
टीई	22.4	26.7
ईएस	4.2	5.0
एसएस	7.6	8.7
जीएस	7.3	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	13.0	14.4
पूंजी व्यय	3.3	4.3
एफडी	2.3	3.4
आरडी	-1.0	-0.9
ओडी	35.3	29.6

## एचपी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
हिमाचल प्रदेश	11.4	12.5	8.5
जीएस औसत	12.6	12.1	10.7

## एचपी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान के 11वीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से आरएलबी को 26 कार्य सौंपे गए हैं।
- ▲ संविधान के 12वीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से यूएलबी को 17 कार्य सौंपे गए हैं।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ आरएलबी और यूएलबी के लेखों की वर्ष 2017-18 तक लेखापरीक्षा की गई है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य ने 13वीं वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार वर्ष 2011 में पीटीबी की स्थापना की है।

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक

कार्यों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
16	4	14	15

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## पांचवी एसएफसी (2017-18 से 2021-22)

- ▲ पांचवीं एसएफसी की रिपोर्ट दिनांक 19 जनवरी 2018 को प्रस्तुत की गई थी और दिनांक 23 अगस्त 2018 को एटीआर सारणी बनाई गई थी।
- ▲ पांचवीं एसएफसी ने हस्तांतरण के लिए अंतराल पूर्ति दृष्टिकोण को अपनाया जिसमें उनके परिकलन में स्टाफ की वेतन, सदस्यों की मानदेय, कार्यालय व्यय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आदि शामिल हैं।
- ▲ राज्य ने पांच वर्षों की हस्तांतरण के लिए 1705.84 करोड़ रुपये की संस्तुति की है।
- ▲ वर्ष 2016-17 में राज्य द्वारा स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कुल राशि इसके ओआरआर का 2.7% था।


**ऋण और हानियां**

- ▲ राज्य ने वर्ष 2016-17 में उदय के अंतर्गत 2,891 करोड़ रुपए का ने डीआईएससीओएम ऋण लिया था।
- ▲ राज्य वर्ष 2018-19 में एटीआर एंड सी हानियों और ए सी एस-ए आरआर अंतर की लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था

मुख्य उदय बेरोमीटर 2018-19	प्राप्ति	लक्ष्य
एटीएंड सी हानियां (%)	11.39	13.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रु. प्रति इकाई)	-0.07	-0.05

टिप्पणी (-) एसीएस-ए आरआर अंतर यह दर्शाता है कि औसत राजस्व प्राप्ति आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत:-विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**हिमाचल प्रदेश: 5 ए -एटी एंड सी हानियां (%) वि.व 2018**

स्रोत:- भारत सरकार (2019) उदय की समाचार पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार

**ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण**

- ▲ हिमाचल प्रदेश ने यह संस्तुति की है कि कर की कुल विभाज्य पूल में राज्य के शेयर को लगातार 42(%) रखा जाए।

**क्षैतिज हस्तांतरण के लिए सूत्र**

क्रम सं.	मापदंड	सुझावित भार (%)
i)	राजकोषीय क्षमता अंतर (13वें एफसी द्वारा यथाकलित)	47.5
ii)	क्षेत्र (2% क्षेत्र के अधिकतम तल सहित)	15.0
iii)	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या और इसका सम्मिश्रण (जनगणना 2011 की जनसंख्या पर 15% और एससी/एसटी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 5%)	20.0
iv)	वन क्षेत्र	10.0
v)	टीओआर के अनुसार राष्ट्रीय प्राथमिकताओं/ संसूचकों पर राज्य का निष्पादन	7.5

**घटता प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ राज्य का प्रतिबद्ध व्यय जीआईए वेतन सहित वर्ष 2012-2013 में टीआई की 80% से घटकर वर्ष 2018-19 में 72.7 हो गया।
- ▲ हिमाचल प्रदेश में प्रतिबद्ध व्यय की टीआई वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक 9.9% है (एनईएचएस के 12.1% की तुलना में )
- ▲ इसका प्रमुख कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश नियमित कर्मचारियों के स्थान पर संविदात्मक स्टाफों को रखकर वेतन की बोझ को कम कर रहे हैं।
- ▲ वर्ष 2001 में हिमाचल प्रदेश के लगभग 4.5% जनता को राज्य सरकार द्वारा रोजगार दिया था। यह वर्ष 2017 में घटकर 3.7% हो गया। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में कमी आई है इसके अतिरिक्त ब्याज बोझ को कम करने के लिए पुनर्गठन की संस्तुति की गई।

**पर्यटन**

- ▲ राज्य निम्नलिखित उपायों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देते हुए जीएसडीपी और राजस्व आय को बढ़ावा दे सकते हैं।
  - यात्रा की लागत को कम करने के लिए हवाई अनुयोजकता और सड़क मार्गों में सुधार किया जाना चाहिए। गगल और कुल्लु जैसे हवाई अड्डों का विस्तार करने की आवश्यकता है और बड़े आकार वाले हवाई जहाज की लैंडिंग के लिए मंडी में एक हरित क्षेत्र हवाई अड्डा तैयार किया जा सकते हैं।
  - शिमला और मनाली जैसी जनप्रिय पहाड़ी स्टेशन संतुष्ट हो जाने के कारण अवसंरचना और सेवाओं के संबंध में चम्बा और लाहौल स्पीति जैसे नए अनोखे पहाड़ी स्टेशनों को विकसित किए जाने चाहिए।
  - दूर दराज के पहाड़ी स्टेशनों के लिए हेल टैक्सी सेवाएं पीपीपी माध्यम से शुरू की जा सकती हैं।
  - पर्यावरण पर्यटन और साहसिक खेलों को प्रोत्साहन या पीपीपी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - व्यक्तिगत के साथ साथ सामुदायिक आधारित होमस्टे को स्थानीय लोगों के लिए अर्थक्षमता वैकल्पिक आय स्रोत के रूप में संबन्धित किया जा सकता है। चूंकि होमस्टे प्राथमिक रूप से महिलाओं द्वारा चलाई जाती है अतः वे भी अपनी आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक बनती हैं। सरकार होमस्टे को ई वाणिज्य से जोड़ने के लिए सक्रिय उपाय कर सकती है।

**विद्युत क्षेत्र**

- ▲ हिमाचल प्रदेश को लगभग 27 जी.डब्ल्यू जल विद्युत क्षमता मिली है जिसमें से 10.5 जी डब्ल्यू पहले ही दोहन किया जा चुका है।
- ▲ लगभग 22 जी. डब्ल्यू की क्षमता वाली परियोजनाओं को पहले ही आवंटित किया जा चुका है।
- ▲ राज्य को चल रही जल विद्युत परियोजना के निष्पादन को गति देने की जरूरत है ताकि क्षमता का दोहन किया जा सके और राजस्व आय को बढ़ाया जा सके।

**मानव विकास और सामाजिक संकेतक**

- ▲ हिमाचल प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य और जल तथा स्वच्छता से संबंधित संकेतक राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
- ▲ हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा वह राज्य है जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है।
- ▲ नीति आयोग 2019 द्वारा दिया गया एसडीजी रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश का स्थान द्वितीय है।
- ▲ राज्य में निवास करने वाले जनसंख्या में से के वाले 8% जनसंख्या गरीबी सीमा रेखा के नीचे है (जो देश में सबसे कम है)। राज्य का स्वरूप (2,539 रु.) और शिक्षा (7,901 रु.) पर वार्षिक प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय एनईएचएस औसत क्रमशः (1,987 और 5,970 रु.) से काफी अधिक है।

**घटना ओटीआर/जीएसडीपी और कम जीएसटी संग्रहण**

- ▲ राज्य का ओटीआर-जीएसडीपी वर्ष 2012-13 में 5.6% से घटकर वर्ष 2018-19 में 4.9% हो गया।
- ▲ हिमाचल प्रदेश का ओआरआर उछाल वर्ष 2011-12 से 2018-19 (एनईएचएस के लिए 0.9) की अवधि के दौरान 0.8 था।
- ▲ जीएसडीपी से जीएसटी/वैट संग्रहण 2.94 प्रतिशत है जो वर्ष 2018-19 में 3.47% की एनईएचएस औसत की तुलना में बहुत कम है।
- ▲ जीएसटी की शुरुआत से जीएसडीपी की जीएसटी/वैट संग्रहण वर्ष 2016-17 में 3.5% घटकर वर्ष 2017-18 में 3.2% हो गया।
- ▲ हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2018-19 में 2,037 करोड़ रु. का जीएसटी क्षतिपूर्ति मिला था (एनईएचएस में सर्वाधिक)
- ▲ राज्य को जीएसटी से 59.8% ओटीआर प्राप्त हो रहे हैं जबकि एनईएचएस औसत 70% है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ हिमाचल प्रदेश का एफआर बीएम अनुपालन बहुत अधिक है जो वर्ष 2018-19 में जीएसडीपी का 35.3% है।
- ▲ राज्य ने अपने एफआरबीएम अधिनियम को वर्ष 2005 में क्रियान्वित किया था और इसके परिणाम स्वरूप इसमें वर्ष 2005 और 2011 में संशोधन किए गए थे।
- ▲ राज्य हालांकि के वर्ष में अपनी एफआरबीएम सीमा को पूरा नहीं कर पाए थे।
- ▲ राज्य को 15वां वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी लक्ष्य के लिए ऋण पूरा करना है और एफआरबीएम अधिनियम को लागू करना है।
- ▲ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली सरकारी गारंटी ऋण को नियंत्रित करना चाहिए।
- ▲ वेतन के बोझ को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि विकासात्मक व्यय के लिए और अधिक राजकोषीय राशि शेष रह जाए।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	43.7	40.1	38.0	37.6	33.8	32.8	32.9
वास्तविक प्राप्ति	38.8	36.8	35.8	36.8	36.1	37.6	36.9
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा मध्य निर्धारित	2.7	2.9	2.9	5.7	2.9	3.2	3.5
वास्तविक प्राप्ति	2.3	3.6	4.2	4.1	1.9	4.7	2.8

स्रोत:- हिमाचल प्रदेश सरकार

- ▲ वेतन और पेंशन के बोझ को कम करने के बावजूद भी हिमाचल का प्रतिबद्ध व्यय (जीआई का वेतन सहित) अधिक है जो टीआरई का 72.7% है।
- ▲ हिमाचल प्रदेश में जीएसडीपी की ब्याज भुगतान एनईएचएस की औसत 2.1 की तुलना में 2.6% है। राज्य का उच्च ऋण अधिक ब्याज दर का कारण है। टीआरई का 13.7% ब्याज भुगतान एनईएचएस की 9.1 औसत की तुलना में अधिक है।
- ▲ पेंशन योगदान टीआरई की 16.9% है (एनईएचएस का 14.3%)
- ▲ राज्य को प्रतिबद्ध व्यय की बोझ को कम करते हुए अपनी व्यय को पुनर्गठित और युक्तिसंगत बनाने के लिए उपाय करने की जरूरत है।

**सड़क नेटवर्क**

- ▲ एचपी में राष्ट्रीय औसत से कम सड़क घनत्व है।
- ▲ चूंकि पहाड़ी राज्य में रेलवे और अंतर्देशीय जल परिवहन के कार्यक्षेत्र नगण्य है अतः सड़क ही एक मात्र लाइफलाइन है। अपर्याप्त सड़क नेटवर्क के कारण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की लागत बहुत अधिक होती है।
- ▲ एचपी को अभी भी जटिल इलाकों में स्थित 7,628 जनगणना वाले गांवों को जोड़ने की जरूरत है।



- ▲ सड़कों की रखरखाव में भी सुधार किए जा सकते हैं।
- ▲ सड़कों को गहन अन्तःकरण करने के लिए संस्तुति की जाती है।

#### अल्प ऋण-निक्षेप अनुपात

- ▲ आसपड़ोस के राज्य हरियाणा में 59.4 और पंजाब में 63.17 की तुलना में एचपी का ऋण निम्न अनुपात केवल 30.9 है।

#### कृषि

- ▲ राज्य सरकार की ज्ञापन के अनुसार एचपी में प्रति व्यक्ति कृषि जीएसडीपी प्रति किसान 49,000 रु. है जो देश में तृतीय निम्नवत है।
- ▲ राज्य में मसालों, आवश्यक जड़ी-बूटियों, बागवानी और फूलों की खेती जैसी उच्च मूल्य वाले फसलों को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ शीत भंडारण की स्थापना के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ स्थानीय निकाय का अपना कम राजस्व है। वर्ष 2017-18 में कुल व्यय में से ग्राम पंचायत का अपना राजस्व (कम+कम भिन्न) केवल 11.37% था
- ▲ संपत्ति कर दरों में संशोधन और उपयोगकर्ता शुल्क जैसे उपाय शुरू किया जा सकते हैं।
- ▲ आरएलबी और यूएलबी के लिए शेष कार्य को तत्काल विकसित किया जाना चाहिए।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम<sup>2</sup>

- ▲ 1 से 4 वर्षों की लेखा बकाया सहित बकाय लेखों की संख्या वर्ष 2012-13 में 20 से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 27 (30 सितम्बर 2017 की स्थिति के अनुसार) हो गया है।
- ▲ 23 पीएसयू में के 09 लेखों का एक या अधिक वर्षों का लेखा परीक्षा नहीं हुआ है। राज्य सरकार को इन 09 पीएसयू के लेखों को नियमित और समयबद्ध तरीके से लेखा परीक्षा करने के लिए एक कार्य योजना बनाने की जरूरत है।
- ▲ राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 में पीएसयू के बजटीय सहायता को 12,657.73 करोड़ रुपए तक बढ़ाया था (31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार) लेख परीक्षा न किया गया लेखों की इस पर्याप्त बजटीय सहायता में गंभीर गिरावट जोखिम पैदा कर सकता है।


#### दिशा-निर्देश संबंधी सुधार

- ▲ राज्य का जीएसडीपी की अनुपात में अधिक ऋण है। इसे एफआरबीएम अधिनियम और 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियों की तर्ज पर सांकेतिक किए जाने की जरूरत है।
- ▲ राज्य का जीएसटी संग्रहण अच्छा नहीं है इसे ओटीआर और ओएनटीआर दोनों को बढ़ाने के लिए नवान्मेष मार्ग अपनाने की जरूरत है। राज्य को अधिक राजस्व आय की कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए पर्यटन हेतु सतत जल परियोजना और सुधार अवसंरचना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करनी चाहिए।
- ▲ राज्य को प्रतिबद्ध व्यय की बोझ को कम करते हुए अपनी व्यय को पुनर्गठन और युक्तिसंगत बनाने के लिए उपाय किए जाने की जरूरत है।

#### टिप्पणी

1. हिमाचल प्रदेश का ज्ञापन
2. सीइजी 2018, रिपोर्ट संख्या 2018 का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिमाचल प्रदेश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित।

## जेएच-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
33.0 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.8%



**क्षेत्रफल**  
79,716 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
2.4%



**वन आच्छादन**  
23,611 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
3.4%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
29.6%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.3% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**

₹ 79,936

₹ 1,40,422

सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)

**जीएसडीपी में कर**

5.0%

सभी राज्यों का औसत  
6.3%



**प्रति महिला बच्चे**

2.6

सभी राज्यों का औसत  
2.2



**शहरीकरण दर**


24.1%

अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## जेएच-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## जेएच-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## जेएच-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹.)

वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	1,50,918	77,44,945	2.0
2012-13	1,74,724	88,27,195	2.0
2013-14	1,88,567	1,00,07,392	1.9
2014-15	2,18,525	1,09,93,257	2.0
2015-16	2,06,613	1,21,91,256	1.7
2016-17	2,36,250	1,37,80,737	1.7
2017-18	2,69,816	1,54,20,126	1.8
2018-19	2,97,204	1,72,83,813	1.7


## जेएच-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




जेएच-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




जेएच-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



जेएच - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमपी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>डी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>डी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एफ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>डी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

जेएस-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

जेएच - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

जेएच -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

जेएच- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स/फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

जेएच- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


जेएच- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




जेएच- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



जेएच- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




जेएच- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


जेएच -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



जेएच - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



जेएच-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




जेएच-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	79,936	1,41,099
संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।		
टीआरआर	18.9	13.4
ओटीआर	5.0	6.4
एनटीआर	2.8	1.1
टीई	21.1	16.1
ईएस	4.8	3.1
एसएस	6.4	5.4
जीएस	5.9	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	7.7	5.8
पूंजी व्यय	4.1	2.5
एफडी	2.2	2.5
आरडी	-1.9	0.2
ओडी	28.2	25.0

## जेएच- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
झारखण्ड	15.6	15.7	12.3
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## जेएच- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिए किए गए 29 कार्यों में से 18 कार्यों को आरएलबी को सौंपा गया है।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में दिए गए 18 कार्यों में से 16 कार्यों को यूएलबी को सौंपा गया है।

## लख परीक्षा की स्थिति

- ▲ यूएलबी के 2015-2016 तक के खातों की लेखा परीक्षा की गई है और आरएलबी के 2016-17 तक के खातों की लेखा परीक्षा की गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ वित्त आयोग - XIII द्वारा 2011में सिफारिश किए जाने के बावजूद झारखण्ड सरकार ने अभी तक संपत्ति कर बोर्ड स्थापित नहीं की हैं।

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक

कर्मों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
14	14	16	17

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## प्रथम एसएससी (2003-04 से 2008-09)

- ▲ प्रथम एसएससी ने केवल यूएलबी से संबंधित सिफारिशें की।
- ▲ सिफारिशों के अनुसार झारखण्ड सरकार ने।
  - झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 कानून संलग्न
  - एक उपयुक्त नगरपालिका संवर्ग का निर्माण किया, और प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए एक शहरी विकास विभाग स्थापित की।

## द्वितीय एसएससी (2009-10 से 2013-14)

- ▲ 2009 में स्थापित द्वितीय एसएससी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी।

**तीसरी एसएफसी (2014-15 से 2019-20)**


- ▲ 2014 में स्थापित तीसरी एसएफसी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
- ▲ चौथी एसएफसी पहले से ही बाकी है।
- ▲ झारखण्ड सरकार वर्तमान में स्थानीय निकायों को संसाधन आवंटित करने के लिए किसी एसएफसी की सिफारिशों का पालन नहीं कर रही है।
- ▲ झारखण्ड सरकार एसएफसी के गठन एवं सिफारिशों के क्रियान्वयन से संबंधित संबैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं कर रही है।

**ऋण एवं हानि**

- ▲ 31 मार्च, 2019 तक डिस्कॉम्स की कुछ इक्विटी एवं देनदारी 10,149 करोड़ रू. है जिसमें से 9,863 करोड़ रू. राज्य सरकारों का ऋण है।
- ▲ झारखण्ड सरकार को भविष्य में राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए उदय मानदण्डों पर अपने निष्पादन में काफी सुधार करने की आवश्यकता है।
- ▲ झारखण्ड सरकार के एटी एवं सी हानियां तथा एसीएस-एआरआर अंतर दोनों उदय द्वारा 2018-19 के लिए निर्धारित लक्ष्यों से काफी दूर थे।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	28.6	15.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	0.6	0.0

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

**जेएच - 5. ए: एटी एवं सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018**

स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, बिजली मंत्रालय, भारत सरकार



**उर्ध्वाधर हस्तंतरक्ष**

- ▲ झारखण्ड ने प्रास्ताव किया विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 50% तक बढ़ा दिया जाय।

**क्षैतिज हस्तांतरण का सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	भार (%)
i)	आय अंतर	10
ii)	जनसंख्या, 2011	50
iii)	वन क्षेत्र में हिस्सेदारी (सभी प्रकार के वन)	10
iv)	एसटी जनसंख्या में शेयर द्वारा भारित जनसंख्या	10
v)	संशोधित जनगणना क्षेत्र	10
vi)	खदान जीएसवीए में शेयर	10

**जिला खानिज संस्थान**

- ▲ केन्द्रीय खनिज मंत्रालय के अनुसार, झारखण्ड सरकार को जून, 2019 तक सभी 24 जिलों में डीएमएफ के अंतर्गत 4,330.05 करोड़ रुपए मिलें।
- ▲ इन राशियों का उपयोग उस राजकोषीय वर्ष के भीतर निर्धारित उद्देश्य के लिए करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है।
- ▲ यदि वे सावधि जमा के रूप में पड़ी रहती हैं तो झारखण्ड के लिए भारी राजकोषीय भाग को कम उपयोग हो जाएगा, भले ही वे अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध हों।
- ▲ झारखण्ड सरकार को राजकोषीय वर्ष के भीतर उनका शीघ्र उपयोग करने की विधि तैयार करनी चाहिए।

**वन एवं पर्यटन**

- ▲ चूँकि झारखण्ड का 30% हिस्सा वन क्षेत्र में आता है, अतः राजस्व उपार्जन क्षेत्र के रूप में परिस्थितिकी पर्यटन के रूप में बढ़ाने की रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
- ▲ अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासियों की सहायता के लिए 2013-14 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एमएसपी के लिए एक एसएसपी योजना आरंभ किया गया था।
- ▲ यह स्पष्ट है कि यह योजना एक निष्प्रभावी खरीद तंत्र के कारण अन्य बातों के साथ-साथ एक गैर-आरंभक रहा है।
- ▲ अतः इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों और अन्य मौजूदा कार्यक्रमों, जैसेकि ई-नाम का उपयोग करने झारखण्ड सरकार द्वारा एक सुदृढ़ खरीद तंत्र तैयार करनी चाहिए।

**राजकोषीय व्यवस्था**

- ▲ झारखण्ड के ऋण-जीएसडीपी अनुपात में 2013-14 में 19.9% से भारी वृद्धि होकर पिछले तीन वर्षों में 28% से अधिक 28.3% (2016-17), 28.6% (2017-18) और 28.2% (2018-19) वृद्धि हुई है।
- ▲ झारखण्ड का एफडी - जीएसडीपी अनुपात 2013-14 के 1.2 % से बढ़कर 2015-16 में 5.6% और 2016-17 से 4.3% और 2017-18 में 4.4% के उच्चे स्तर तक हो गया और 2018-19 में घटकर 2.2% हो गया।
- ▲ झारखण्ड सरकार को संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत 2017-18 और 2018-19 में 0.25% अतिरिक्त ऋण की सहायता मिली।
- ▲ उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड को वर्तमान अरक्षणीय स्तर से अपने घाटे एवं ऋण को कम करने की आवश्यकता है।
- ▲ इसके अलावा, एफआरबीएम अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2018 में संशोधित को ध्यान में रखते हुए, झारखण्ड को राजकोषीय समेकन पर और अधिक गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ झारखण्ड के 2007 में एफआरबीएम अधिनियम को कानून का रूप दिया और उसमें 2010, 2011, 2012 और 2015 में संशोधन किया।
- ▲ 2015-16 से 2017-18 तक झारखण्ड का ऋण-जीएसडीपी अनुपात तथा एफडी-जीएसडीपी अनुपात एफआरबीएम लक्ष्यों से अधिक थे। हाँलाकि, यह राज्य 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान एफआरबीएम लक्ष्यों का पालन किया।

% के रूप में राशन 2	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	28.5	27.8	27.3	26.9	24.2	25.2	25.8
वास्तविक रूप में प्राप्त	20.3	20.0	19.9	19.9	27.4	28.3	28.6
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.3
वास्तविक रूप में प्राप्त	1.3	1.9	1.2	3.0	5.6	4.3	4.4

स्रोत : भारत सरकार द्वारा मुहैया कराए गए एफआरबीएम अधिनियम के तहत लक्ष्य/इसके अलावा, राज्य सरकार ने उल्लेख किया कि 2015-16 से 2017-18 तक ऋण - जीएसडीपी लक्ष्य वित्त निगम XIV की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित किए गए थे।

**जीएसडीपी**

- ▲ झारखण्ड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है जिसे 2015-16 में आई सुखे ने इसके विकास दर को घटाकर (-) 5.5% कर दिया।
- ▲ इस राज्य के अत्यधिक खनिज वृत्तिदान को ध्यान में रखते हुए, इसे अपनी आर्थिक आधार के विविध उपयोग तथा अन्य क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देना चाहिए।

**स्वास्थ्य**

- ▲ झारखण्ड अनेक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों पर राष्ट्रीय औसत से पिछे है।
- ▲ कुछ सबसे खराब संकेतक उन जनजातीय समुदायों से प्राप्त हुए झारखण्ड की कुछ जनसंख्या के 26% से अधिक हैं (छतीसगढ़ के बाद जीएस में से दूसरा सर्वाधिक)।
- ▲ इस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मियों की भारी कमी है।
- ▲ एक दीर्घकालीन समाधान के लिए, यह एमबीबीएस डॉक्टरों को विशेषज्ञों में बदलने के लिए फिजिशियनों एवं शल्यचिकित्सकों के कॉलेजों के पर्याप्त डॉक्टरों की डॉक्टरों के डिप्लोमा को मान्यता प्रदान करने के महाराष्ट्र मॉडल को अपना सकता है।
- ▲ इसके अलावा, ऐसे क्षेत्रों में आवश्यकता अंतर को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

**शिक्षा**

- ▲ झारखण्ड को अनेक शैक्षणिक मानदण्डों पर अपने निष्पादन को सुधारने की आवश्यकता है (देखें झारखण्ड -2. डी)/कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।
  - » गति दर : माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर में 66% राष्ट्रीय गति दर की तुलना में झारखण्ड की 2016-17 में गति दर केवल 47% रिपोर्ट की बताई गई (यू-डीआईएसई, 2016-17 के अनुसार)। इसके अलावा, यह गति दर लड़कों की 49% गति दर की तुलना में लड़कियों की गति दर 45% है जो कम है (66% राष्ट्रीय औसत की तुलना में) जो विद्यालय शिक्षा के उच्चतर स्तर पर बढ़ते हुए लिंग विषमता का दर्शाता है।

» शिक्षा परिणाम : एएसईआर रिपोर्ट, 2018 के अनुसार, झारखण्ड कक्षा-3 के केवल 19% बच्चे कक्षा - 2 की पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ सकें (27% राष्ट्रीय औसत की तुलना में) और कक्षा -3 के 23% बच्चे कम-से-कम घटाव कर सकते थे (28% राष्ट्रीय औसत की तुलना में)

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक (2019) पर स्थान एसडीजी भारत सूचकांक और नीति आयोग के डैशबोर्ड, 2019 के अनुसार, इस राज्य का भारतीय राज्यों में 27 वाँ स्थान था।
- ▲ झारखण्ड को एसडीजी-1 कोई गरीबी नहीं, एसडीजी -2 शून्य भूखमारी, एसडीजी-3 बेहतर स्वास्थ्य एवं सूख, एसडीजी - 4 बेहतर शिक्षा, एसडीजी-5 लैंगिक समानता, एसडीजी -6 स्वच्छ जल एवं सफाई, एसडीजी- 7 किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी -8 सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास, एसडीजी -10 कम असमानता और एसडीजी - 16 शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं के आधार पर अपने निष्पादन में सुधार लाने की आवश्यकता है।

#### पिछड़ापन

- ▲ झारखण्ड के 24 जिलों में से राँची (राजधानी नगर) सहित 19 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में मान्यता दी गई है (नीति आयोग द्वारा)।
- ▲ इसके अलावा, 2011-12 में छत्तीसगढ़ के बाद झारखण्ड में दूसरी सबसे अधिक गरीबी दर 37% थी (तेंदुलकर विधि के अनुसार)।
- ▲ सबसे नीचे वाले 20% ब्लॉकों को आकांक्षी जिले के नीति आयोग द्वारा उल्लिखित आकांक्षी जिलों की भाँति रूप में विकसित करने के लिए नियोजित करने समय झारखण्ड सरकार को निम्न आय के जाल से बाहर निकलने के लिए निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है।

#### बाम मोर्चे के चरमपंथी

- ▲ झारखण्ड में केवल 6% ग्रामीण घरों में पीडब्ल्यूएस कनेक्शन है, जो 18.3% राष्ट्रीय कनेक्शन के एक तिहाई से कम है।
- ▲ झारखण्ड को अपने संसाधनों का निवेश किफायती एवं अभिनव कार्यों जैसेकि वर्षाजल संचयन तथा पेय जल का शुरु से अंत तक श्रृंखला प्रबंधन पर करने की आवश्यकता है।

#### बिजली क्षेत्र

- ▲ झारखण्ड राज्य का 2016 (34.7%) और 2019 (28.6%) के बीच एटी एण्ड सी हानियां सबसे अधिक रही जो इन वर्षों की लक्षित कमी से काफी दूर थी।
- ▲ जब तक उदय मानदण्डों पर राज्य डिस्कॉम में काफी सुधार नहीं हो जाता है, तब तक 31 मार्च, 2019 के अनुसार फीडर अलगाव (12% प्रगति), स्मार्ट मीटर लगाना (0% प्रगति), आरपीओ (13% प्रगति), भावी राजकोषीय जोखिम की संभावना बनी रहेगी।
- ▲ बिजली की सब्सिडी बिना रिजाव के अभिष्ट लाभार्थियों को पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ शेष कार्यों को आरएलबी एवं यूएलबी को हस्तांतरिक करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
- ▲ झारखण्ड को शीघ्र पीटीबी स्थापित करने की आवश्यकता है।
- ▲ जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (बीबी) और (सी) में प्रावधान किया गया है, भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान देने की सिफारिश करता है।
- ▲ राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों के आधार पर कार्य करना चाहिए और मार्च, 2024 से पहले राज्य विधान मंडल के समाक्ष उनफ की गई कार्रवाई से संबंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन। प्रस्तुत करना चाहिए।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम <sup>2</sup>**

- ▲ झारखण्ड के 21 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से केवल 2 उपक्रमों ने वर्ष 2016-17 के अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया है।
- ▲ 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास 54 लेखाओं का बकाया है जिनमें 1 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक का बकाया है।
- ▲ झारखण्ड ने उस अवधि जिसके दौरान लेखाएँ बकाएँ में थी, के दौरान 12 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 2659.56 करोड़ रूपए का बजटीय सहायता मुहैया कराया था।
- ▲ लेखाओं का लेख परीक्षा नहीं करने से गंभीर नकारात्मक जोखिम हो सकते थे क्योंकि राज्य सरकार बाकी बजटीय सहायता दे रही है।

**एनएएमजी के अंतर्गत की गई निगरानी के अनुसार उच्च प्रदूषण**

- ▲ झारखण्ड में तीन राज्य-धनबाद, जगशेदपुर और-राँची तीन शहरों की जनसंख्या एक मिलियन से अधिक है जो विकास के संवाहक है। तथादि उन शहरों के बढ़ते हुए प्रदूषण को यदि पूरी सक्रियता से न की गई तो उनका विकास भविष्य से बाधित हो सकता है।

**प्रति धनमीटर पीएम 10 माइक्रोग्राम**

शहर	2016	2017	2018	औसत
धनबाद	226	238	264	242.7
जगशेदपुर	136	131	128	131.7
राँची	196	142	122	153.3

नोट : एनएएमजी ने प्रति धन मीटर 90 माइक्रोग्राम की एम 10 सीमा निर्धारित की है।

**राज्य के अनुकूल सुधार**

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहों में बाँट दिया गया है। झारखण्ड उस समूह का हिस्सा है जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं।
- ▲ झारखण्ड के समीक्षात्मक राजकोषीय मानदण्डों की तुलना इन पाँच राज्यों से की गई है।

**सुधार संकेतक**

- ▲ यद्यपि झारखण्ड प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में खनिजों से भरा हुआ राज्य है, फिर भी इसे इसकी श्रेणी में पाँच राज्यों में तीसरे स्थान पर रखा गया है।
- ▲ इसके अलावा, एनएफएचएस 2015-16 के अनुसार, महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतकों, जैसे कि कम वजन वाले बच्चों की अधिकता, बच्चों में बौनापन, अरक्तता, औरतें जिनका बीएमआई सामान्य से कम है, और स्वच्छ पेयजल एवं शौचालय सुविधा से वंचित घर के आधार पर झारखण्ड का प्रदर्शन खराब था।
- ▲ झारखण्ड की गरीबी दर अधिक (37%) है जिसमें साहिबगंज, दुमका, जाकुड़ और पश्चिम सिंहभूम जिलों की गरीबी दर 45% से भी अधिक बताई जाती है।
- ▲ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि झारखण्ड एक राजस्व अधिशेष राज्य है, अतिरिक्त राजस्व का उपयोग अनिवार्य सामाजिक क्षेत्र के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।

▲ झारखण्ड बिजली क्षेत्र से राजस्व जुटाने में अपेक्षाकृत कम (1.4%) सफल रहा है। दूसरी तरफ उड़ीसा इस वचनबद्धता के साथ कैप्टिव पॉवर प्लांट पर एक विशेष बिजली शुल्क लगाकर अपने ओटीआर का 10.7% की मांग करता है कि वह इस प्रकार बिजली क्षेत्र में पूँजी निवेश के रूप में जुटाए गए राजस्व को खर्च करेगा। झारखण्ड सहित सभी खनिज उत्पादक राज्यों द्वारा राजस्व के ऐसे स्रोतों का पता लगाया जाना चाहिए।

▲ ओआरआर श्रेणी में अन्य राज्यों की तुलना में झारखण्ड के ओआरआर के विभिन्न घटकों का चित्र नीचे दर्शाए गए हैं :

समूह के राज्य	जीएसडीपी के % के रूप में					ओटीआर के % के रूप में				
	वैट/जीएसटी	स्टाम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य	वैट/जीएसटी	स्टाम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य
बिहार	4.1	0.8	0	0	0.6	74.4	14.2	0	0.9	10.5
झारखण्ड	3.9	0.1	0.4	0.1	0.4	79.1	3.1	7.3	1.4	9.0
मध्य प्रदेश	3.5	0.7	1.2	0.3	0.6	55.9	10.4	18.7	5.1	9.9
उड़ीसा	3.9	0.3	0.8	0.7	0.5	63.5	4.1	12.9	10.7	8.7
उत्तर प्रदेश	4.2	0.9	1.4	0.2	0.5	58.2	13.1	19.9	2.5	6.3
साथ के राज्यों का औसत	4.0	0.7	1.0	0.2	0.5	61.6	10.9	15.7	3.8	8.0
सभी राज्य	4.2	0.7	0.8	0.2	0.5	66.0	10.4	12.4	3.5	8.0

▲ इसके अलावा, इस श्रेणी का ओआरआर/टीआरआर 41.1% (राष्ट्रीय औसत 53.41%) है जिसका अर्थ है कि ये राज्य अपनी आय के लिए काफी हद तक केन्द्र सरकार द्वारा अंतरिक धनराशि पर निर्भर करते हैं। इस श्रेणी में झारखण्ड केन्द्रीय अंतरण का दूसरा सबसे अधिक प्राप्तकर्ता है। अतः इस दिशा में इस राज्य का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है।

▲ झारखण्ड का 2011-2019 का ओआरआर टीजीआर (12.3%) और प्लवशीलता (1.31) क्रमशः 11.2 और 0.9 के श्रेणी औसत से बेहतर है।

▲ तथापि, राजस्व प्राप्ति (ओटीआर तथा ओआरआर) टीजीआर तथा टीआरई टीजीआर के बीच अत्यधिक अंतर संभावी राजकोषीय अस्थिरता को बदलाता है। अतः ओटीआर एवं ओआरआर सुदृढ़ीकरण एवं प्रक्रिया का सरलीकरण झारखण्ड के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि झारखण्ड का 2018-19 का ओटीआर/ओआरआर 64.1 है (77.8 श्रेणी औसत की तुलना में)।

▲ झारखण्ड वैट कार्यकाल के अंतर्गत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि 2011 और 2016 के बीच टीजीआर 12.81 था (इस श्रेणी में सर्वाधिक)। इसका श्रेय कोयले पर कर को दिया जा सकता है जिसमें जीएसटी कार्यकाल में काफी गिरावट आ गई। साथ ही, एसजीएसटी पर एक समय श्रेणी प्रवृत्ति का विश्लेषण सभी राज्यों के टीजीआर का एक बेहतर चित्र प्रस्तुत कर सकता है।

▲ झारखण्ड राज्य डिस्कॉम का बिजली प्रसारण एवं उत्पादन कम्पनियों का बकाया इस श्रेणी में सबसे अधिक 4.01% है (जून 2020 के अनुसार)। इस राज्य को बढ़ती हुई एटी एण्ड सी हानि तथा बढ़ते हुए एसीएस-एआर अंतर का समाधान करना चाहिए और उदय मानदण्डों पर निष्पादन में सुधार लाना चाहिए।

▲ इसके अलावा, लम्बे समय में त्रितीयक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में एक संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए पूँजीगत व्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

▲ उत्पादन शुल्क से राजस्व बहुत कम है, इस मामले का इस राज्य को शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता है।

▲ प्रशासनिक प्रणाली और प्रभावी सेवा आपूर्ति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है क्योंकि झारखण्ड वैतनिक नौकरी, अपर्याप्त तकनीकी रूप से प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों तथा चिरस्थायी गरीबी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है।


▲ सामाजिक मानदण्डों से सुधार लाने के लिए व्यय का व्यापक पैमाने पर प्राथमिकता निर्धारित करना और आकांक्षी जिले/ब्लॉकों पर केंद्रित चर्चा की आवश्यकता है।

**नोट :**

1. एएसईआर (2018), शिक्षा का वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018, एएसईआर केन्द्र
2. सीएजी (2017) की 2017 की झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से सं. 2, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, झारखण्ड सरकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।



## केआर-1. ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
61.1 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
5.1%



**क्षेत्रफल**  
1,91,791 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
5.9%



**वन आच्छादन**  
38,575 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
5.5%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
20.1%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
2.7% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**

रु. 2,32,874

रु. 1,40,422

सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**

6.3%

सभी राज्यों का औसत

6.3%



**प्रति महिला बच्चे**

1.8

सभी राज्यों का औसत

2.2




**शहरीकरण दर**

38.6%


अखिल भारत औसत

31.1%

## केआर-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## केआर-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## केआर-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)


विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेर
2011-12	6,06,010	77,44,945	7.8
2012-13	6,95,413	88,27,195	7.9
2013-14	8,16,666	1,00,07,392	8.2
2014-15	9,13,923	1,09,93,257	8.3
2015-16	10,45,168	1,21,91,256	8.6
2016-17	12,09,136	1,37,80,737	8.8
2017-18	13,57,579	1,54,20,126	8.8
2018-19	15,44,399	1,72,83,813	8.9

## केआर-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)







केआर-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




केआर-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



केआर - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




केआर-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

केआर-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कमी (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

केआर- 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

केआर -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

केआर- 3. सी: व्यक्ति ('000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

केआर- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


केआर- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




केआर- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



केआर- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




केआर- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


केआर -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में अन्य



केआर - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



केआर-4. जी: जीएसडीपी से पूंजीव्यय का अनुपात




केआर-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संकेतक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	2,32,874	1,41,099
संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।		
टीआरआर	10.7	13.4
ओटीआर	6.3	6.4
एनटीआर	0.4	1.1
टीई	13.2	16.1
ईएस	3.1	3.1
एसएस	4.5	5.4
जीएस	2.7	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	2.8	5.8
पूंजी व्यय	2.5	2.5
एफडी	2.5	2.5
आरडी	-0.04	0.2
ओडी	17.5	25.0

## केआर- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
कर्नाटक	13.9	13.3	10.5
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## केआर- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 29 कार्यों को आरएलबी को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 कार्यों में से 17 कार्यों को यूएलबी को हस्तांतरित कर दिया गया है। अग्रिमन सेवाओं को केवल ग्रेटर बैंगलूरु नगर निगम या बहुत बैंगलूरु महानगर पालिका को हस्तांतरित किया गया है।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ आरएलबी एवं यूएलबी के खातों की लेखा परीक्षा केवल 2015-16 तक पूरी की गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ कर्नाटक सरकार ने पीटीबी स्थापित नहीं की है ( वित्त आयोग 13 द्वारा अनुमोदित )

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक क्रम

कर्मों का क्रम	पदाधिकारियों का क्रम	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
1	9	2	2

स्रोत : भारत सरकार 2016, अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-2016, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार

## चौथा एसएफसी 2018-19 से 2020-23

- ▲ राज्य सरकार वर्तमान में चौथे एसएफसी की सिफारिशों का अनुपालन कर रही है।
- ▲ चौथे एसएफपी ने सिफारिश की थी कि राज्य के गैर-ऋण शुद्ध अपने राजस्व प्राप्तियों का 48% स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाय।
- ▲ चौथे एसएफसी ने सिफारिश की थी कि राज्य के गैर-ऋण शुद्ध अपने राजस्व प्राप्तियों ने 2022-23 तक हस्तांतरण तक क्रमशः 48%

## ऋण एवं हानि

- ▲ 31 मार्च 2019 तक डिस्कॉम्स का कुल ऋण रु. 18021 करोड़ है जिसमें से राज्य सरकार का ऋण 2552 करोड़ है।
- ▲ राज्य ने लक्ष्य एसीएस-एआरआर अंतर को पूरा कर लिया परन्तु 2018-19 में उदय के अंतर्गत लक्ष्य एटीएंडसी हानियों को पूरा नहीं किया।


- ▲ राज्य को भावी राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए इन उदय मानदण्डों पर अपने मानदण्डों में सुधार लाने तक ध्यान देना चाहिए।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	19.8	14.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	-0.7	0.0

नोट:- एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि जारी किया गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

#### केआर- 5. ए: एटी एवं सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018



स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

#### उध्वाधर अंतरण

- ▲ उध्वाधर अंतरण के अंतर्गत वित्त आयोग-15 ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय करों विभाज्य पूरक के शुद्ध आय का 41% वर्ष 2020-21 में राज्यों को हस्तांतरित किया गया।
- ▲ राज्य इस बात से संतुष्ट है कि यह तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर के शेयर के लिए समायोजित वित्त आयोग-14 द्वारा प्रस्तावित शेयर के रूप में कमोबेश बराबर है।

#### क्षैतिज हस्तांतरण का सूत्र

क्र.सं.	मानदण्ड	भार (%)
i)	आय अंतर	15
ii)	जनसंख्या, 2011	15
iii)	वन क्षेत्र में हिस्सेदारी (सभी प्रकार के वन)	10
iv)	एसटी जनसंख्या में शेयर द्वारा भारित जनसंख्या	30
v)	संशोधित जनगणना क्षेत्र	15
vi)	खदान जीएसवीए में शेयर	10
vii)	जीएसडीपी	5

**कर्नाटक सरकार द्वारा दिए गए सुझाव**

- इकट्टी मानदंड (आय अंतर) को दिए गए भार को वर्तमान 45% से कम करके 30% कम किया जाए और उस भार को अन्य मानदण्डों, प्राथमिकता निष्पादन मानदण्डों या तो कर प्रयास या जनसांख्यिकी परिवर्तनों को आवंटित किया जाये।
- दूरी के बदले प्रति व्यक्ति आय के प्रतिलोम का उपयोग किया जाये।
- आय अंतर को 0.25 मानक विचलन तक बढ़ाकर सामान्य किया जाये।

**राजकोषीय व्यवस्था**

- राज्य राजकोषीय व्यवस्था के मार्ग को अपनाकर लगातार 2004-05 से राजस्व आधिक्य बनने में सक्षम हुआ है।
- इसका एफडी-जीएसडीपी अनुपात 2011-12 से 3.1 से नीचे बना हुआ है और राज्य संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अंतर्गत अतिरिक्त ढ़ण का सहारा नहीं लिया है।
- इसके अलावा, ऋण जीएसडीपी अनुपात 2011-12 से 20.1 से कम रहा है।
- कर्नाटक, कर्नाटक राजकोषीय जिम्मेदारी (संशोधन) अधिनियम 2019 के माध्यम से पद कुल देयताओं की परिभाषा में अपने बजट्टेर ऋण में शामिल करके अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- राज्य ने 2002 में एफआरबीएम अधिनियम को कानून बनाया और उसमें 2009, 2011 और 2014 में संशोधन किया।
- राज्य ने 2002 में एफआरबीएम अधिनियम को कानून बनाया और उसमें 2009, 2011-12 और 2017-18 के बीच की अवधि के दौरान एफआरबीएम लक्ष्यों का पालन किया।

**न्यूनतम प्रतिबद्ध व्यय**

- कर्नाटक ने सभी 29 राज्यों में 2011-12 से 2018-19 तक अपना प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन को निम्नवत स्तर पर रखने में दूरदर्शिता दिखाई है।
- बहरहाल, यह प्रतीत होता है कि लेखांकन में कुछ समस्याएं हैं क्योंकि सहायता अनुदान वेतन को वेतन में पूर्णतः प्रदर्शित नहीं किया गया है और इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिबद्ध व्यय को कम बताया गया है।
- यह राज्य एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य एवं सुख, एसडीजी-4 बेहतर शिक्षा, एसडीजी-5 लिंगानुपात, एसडीजी-7 किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा और एसडीजी-9 उद्योग, अभिनव कार्य एवं अवसरंचना के मामले में सबसे आगे है।
- बहरहाल, राज्य को एसडीजी-1, शून्य गरीबी, एसडीजी-2 शून्य भुखमरी, एसडीजी-6 स्वच्छ जल एवं सफाई, एसडीजी-10 कम असमानता, एसडीजी-11 संधारणीय शहर एवं समाज के मामले में इसके निष्पादन में सुधार लाने की आवश्यकता है।
- राज्य को अभिनव नीतियां एवं केन्द्रित कार्रवाई करना जारी रखना चाहिए ताकि राज्य अपनी आर्थिक एवं सामाजिक संकेतकों में सुधार कर सके।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	26.0	25.7	25.4	25.2	25.0	25.0	25.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	17.0	16.8	16.6	17.3	16.8	17.5	17.2
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	2.0	2.1	2.1	2.1	1.8	2.4	2.3

स्रोत : कर्नाटक सरकार

### बंदरगाह संचालित अर्थव्यवस्था

- ▲ एक तटीय राज्य होने के कारण कर्नाटक को बंदरगाहों के विकास एवं उन्नयन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वह अपनी आर्थिक विकास को संभाल सके।

### वन एवं पर्यटन

- ▲ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्नाटक का लगभग पांचवां भाग वन क्षेत्र है, इस राज्य को रोजगार सृजन एवं विकास के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करने की रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।

### बिजली क्षेत्र

- ▲ उदय समझौता ज्ञापन की दिशा में, डिस्कॉम्स 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में एटी एंड सी हानियों में लगभग लक्षित कमी लाने में सक्षम होने वाला था।
- ▲ इसके अलावा, राज्य 31 मार्च 2019 तक लगभग सभी महत्वपूर्ण उदय मानदण्डों को पूरा करने में सक्षम रहा है।
- ▲ पांच डिस्कॉम्स में से दो को 2016-17 में हानि हुई/राज्य को अगले 2-3 वर्षों में सभी पाँच डिस्कॉम्स को लाभप्रद बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- ▲ बिजली पर ही जाने वाली सब्सिडी बिन किसी रिसाव के अभीष्ट लाभार्थियों तक पहुँचे, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली सुधार की आवश्यकता है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ इस राज्य का सभी राज्यों में आर एल बी को संपूर्ण नीति हस्तांतरण में दूसरा स्थान (केरल के बाद) है।
- ▲ राज्य ने जीआईएस आधारित संपत्ति पर प्रणाली के लिए प्रोजेक्ट आस्ति लागू किया है और संपत्ति कर मूल्यांकन को वार्षिक किराया मूल्य निर्धारण से बदलकर पूँजी मूल्य विधि कर दी है।
- ▲ इसके अलावा, कर्नाटक नगरपालिका डाटा सोसायटी (केएमडीएस) नागरिक सेवाओं के लिए नगरपालिका सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अनुप्रयोगों को लागू करता है और नगरपालिका प्रशासन यूएलबी के वेबसाइट्स का प्रबंधन करता है तथा यह नगरपालिका डाटा का संग्राहक है।

### सूखा शमन एवं सिंचाई

- ▲ यद्यपि कर्नाटक में वार्षिक वर्षा राष्ट्रीय औसत के निकट है, परन्तु राज्य के अनेक भाग वार्षिक सूखा का सामना करते हैं।
- ▲ विगत 15 वर्षों में से 13 वर्षों में भिन्न-भिन्न तीव्रता की सूखा के कारण इस राज्य में भारी क्षति हुई है।
- ▲ सूखा शमन के उपायों पर अधिक निवेश करनी चाहिए। इसके अलावा, वित्त आयोग - 15वां द्वारा निर्धारित सूखा शमन के उपायों एवं संसाधनों को राज्य सरकार द्वारा लाभप्रद रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- ▲ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई योग्य भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में एक भरोसेमंद सिंचाई प्रणाली बहुत अधिक सफल हो सकती है।
- ▲ इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य को सिंचाई के तहत सकल क्षेत्र की प्रतिशतता वर्तमान 34.2% से बढ़ाकर कम से कम 48.6% (2014-15 में राष्ट्रीय औसत) करने का प्रयास करनी चाहिए।
- ▲ ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से आधुनिक लघु-सिंचाई तकनीक के क्षेत्र को भी बढ़ाया जा सकता है।



**स्वास्थ्य**

- ▲ यद्यपि कम वजन वाले बच्चों, बच्चों में बौनापन, महिलाओं में रक्त अल्पता, संस्थागत प्रसव की प्रतिशतता, आईएमआर और एमएमआर से संबंधित कर्नाटक के स्वास्थ्य संकेतक सामान्यतः राष्ट्रीय औसत से बेहतर हैं, फिर भी बहुत अधिक अंतर-राज्यीय विषमताएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है।
- ▲ पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए, स्वास्थ्य परिणामों को बनाए रखने एवं उनमें सुधार लाने के लिए, जीएसडीपी की प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य पर खर्चों को 0.6% (2016-17) से बढ़ाकर कम से कम 0.8% (जीएस औसत) किया जाना

**शिक्षा**

- ▲ यद्यपि राज्य शिक्षा परिणामों पर राष्ट्रीय औसत से बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, परन्तु उन जिलों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिनका प्रदर्शन राज्य औसत से बहुत खराब है।
- ▲ अतः पिछड़े जिलों में शैक्षणिक परिणाम को बनाए रखने तथा अधिक सुधार लाने के लिए, शिक्षा पर व्यय (2.5% जीएस औसत की तुलना में 2016-17 में 1.6% जीएसडीपी) बढ़ा देना चाहिए।

**आकांक्षी जिले**

- ▲ विशेष ध्यान देने एवं विकास की निगरानी के लिए नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों की सूची में कर्नाटक के यादगीर एवं रायचूर जिला दर्शाए गए हैं।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ वित्त आयोग - XIII की सिफारिशों के बावजूद राज्य ने पीटीबी की स्थापना नहीं की है।
- ▲ जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) और (ग) में प्रतिष्ठापित है, भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए अनुदान की सिफारिशों करता है। राज्य सरकार की एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, मार्च 2024 को या उससे पहले राज्य विधान मंडल के समक्ष उनपर की गई कार्रवाई से संबंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

- ▲ बकाए खातों की संख्या 2013--14 के 49 से बढ़कर 2017-18 में 79 हो गई है जिनमें 1 से 5 वर्षों तक का बकाया है।
- ▲ जिन वर्षों के दौरान खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, उनमें राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र को दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक में ₹1,931.33 करोड़ रुपए और 60 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 25 में 9,857.73 करोड़ रुपए (बिजली क्षेत्र के अलावा अन्य) का निवेश किया।

**राज्य के सुधार कार्य**

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से, राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कर्नाटक उस वर्ग का भाग है जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाणा, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा और गोवा शामिल हैं।
- ▲ इस वर्ग में कर्नाटक के महत्वपूर्ण राजकोषीय मानदण्डों की तुलना अन्य राज्य के मानदण्डों के से (गोवा, जो बहुत छोटा है, को छोड़कर) की गई है।

**सुधार संकेतक**

- ▲ कर्नाटक भारत का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है जिसका राष्ट्रीय जीडीपी में काफी योगदान है और जिसका सामाजिक संकेतक राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है।


- ▲ बहरहाल, 2013-13 (वित्त आयोग - XIII प्रक्षेपों के लिए प्रयुक्त नवीनतम विश्लेषण वर्ष) से 2018-19 (वित्त आयोग - XIV के लिए उपलब्ध नवीनतम वर्ष) तक का इसका राजकोषीय निष्पादन इसकी श्रेणी के अन्य राज्यों की तुलना में ऋणात्मक दर्शाता है।
- ▲ उदाहरण के लिए, यद्यपि 2011-12 से 2018-19 तक का कर्नाटक की जीएसडीपी टीजीआर 14% श्रेणी औसत की तुलना में 14.8% था, परन्तु 2018-19 में ओटीआर वृद्धि (0.75) श्रेणी औसत (0.83) से कम भी जो महाराष्ट्र के ओटीआर के काफी पीछे है।
- ▲ उसी प्रकार, श्रेणी औसत (67.4%) और तेलंगना (76.9% पर आगे चल रहा है) की तुलना में ओटीआर का टीजीआर 10.6% (श्रेणी औसत 11.5%) और ओरआरआर/टीआरई (63.1%) था।
- ▲ 2011-12 और 2018-19 के बीच 13.9% टीआरई टीजीआर उसी अवधि के ओआरआर टीजीआर से 3.4% अंक अधिक है जो राजकोषीय अस्थिरता का साधन तैयार करता है।
- ▲ जब तक ओआरआर टीजीआर वित्त आयोग - 15वां की पंचाट अवधि के दौरान ओआरई टीजीआर से आगे नहीं बढ़ जाता है तब तक राज्य महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के निवेश बढ़ाने या राजस्व उपार्जन पूँजी आस्तियों के निर्माण में सक्षम नहीं होगा।
- ▲ कर्नाटक जीएसडीपी का लगभग 2.5% पूँजीगत व्यय के लिए आर्बिट्रिट करता है और इसका आरडी-एफडी अनुपात 1.77% या (2018-19)। इसे दीर्घकालिक राजकोषीय समेकन के लिए इस स्तर पर प्रदर्शन करना जारी रखना चाहिए।
- ▲ कर्नाटक 2017-18 में आठ राज्यों का भुगतान किए गए कुल जीएसटी क्षतिपूर्ति में से 40% राशि जीएटी सबसे अधिक प्राप्त करने वाला राज्य था। बहरहाल, यह 2018-19 में गिरकर 31% हो गया जो इस राज्य के कर राजस्व (जीएसटी के बाद) में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना इस श्रेणी के राज्यों का सुधार हुआ है और 2022 के बाद यह कर्नाटक के लिए एक चुनौती खड़ा कर सकता है।
- ▲ यद्यपि कर्नाटक अपनी श्रेणी में सबसे कम प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय की जानकारी दी, परन्तु सहायता अनुदान के अंतर्गत भुगतान किए गए वेतन को पूर्णतः नहीं दर्शाया गया है।
- ▲ कर्नाटक द्वारा शिक्षा पर किया गया व्यय (टीआरई के प्रतिशत के रूप में) तेलंगना (11.6%) के बाद इस श्रेणी में सबसे कम व्यय वाला दूसरा राज्य है। इस श्रेणी का औसत व्यय 16.4% है जिसमें महाराष्ट्र 18.8% के सबसे आगे है। यदि यह राज्य राजस्व स्थिति में सुधार लाता है, तो यह शिक्षा में अपना निवेश बढ़ा सकता है।
- ▲ यद्यपि स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता पर कर्नाटक का खर्च इस श्रेणी के औसत से अधिक है, परन्तु यह पोषण पर व्यय के मामले में पीछे चल रहा है।

#### नोट :

1. भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
2. भारत सरकार (2019), कृषि संबंधी आंकड़, 2018 कृषि, सहयोग एवं कृषि कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा III, V और VIII के लिए 13 नवम्बर, 2017 को संपूर्ण भारत में किए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के परिणामों द्वारा यथा प्रदर्शित
4. कर्नाटक सरकार द्वारा प्रकाशित सीएजी (2019), 2019 की रिपोर्ट सं. 4 कर्नाटक के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।



## केएल-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
33.4 मिलियन  
सभी राज्यों की जनसंख्या का 2.8%



**क्षेत्रफल**  
38,852 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों के क्षेत्रफल का 1.2%



**वन आच्छादन**  
21,144 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं का वन क्षेत्र 54.4%  
2017 से 2019 तक वन आच्छादन में परिवर्तन 4.0% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
₹ 2,25,484  
₹ 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**कर और जीएसडीपी का अनुपात**  
6.5%  
सभी राज्यों का औसत 6.3%




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चों की संख्या**  
1.6  
सभी राज्यों का औसत 2.2




**शहरीकरण दर**  
47.7%  
अखिल भारतीय औसत 31.1%

## केएल-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## केएल-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## केएल-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (₹ करोड़)


वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) श्रेयर
2011-12	3,64,048	77,44,945	4.7
2012-13	4,12,313	88,27,195	4.7
2013-14	4,65,041	1,00,07,392	4.6
2014-15	5,12,564	1,09,93,257	4.7
2015-16	5,61,994	1,21,91,256	4.6
2016-17	6,34,886	1,37,80,737	4.6
2017-18	7,01,577	1,54,20,126	4.5
2018-19	7,81,653	1,72,83,813	4.5

## केएल-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




## पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


## केएल-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



## केएल-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



## केएल - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




## केएल-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>आ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>आ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एए</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>आ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

केएल-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

केएल - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं प्रति आयुष डॉक्टर



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


केएल -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य

केएल- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति परिचारिका /फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

केएल- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


केएल- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




केएल- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



केएल- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




केएल- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


केएल-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



केएल - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



केएल-4. जी: जीएसडीपी और पूंजी व्यय का अनुपात



केएल-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस


राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹0 में	2,25,484	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	11.9	13.4
ओटीआर	6.5	6.4
एनटीआर	1.5	1.1
टीई	15.4	16.1
ईएस	1.6	3.1
एसएस	4.9	5.4
जीएस	6.5	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	8.6	5.8
पूंजी व्यय	1.2	2.5
एफडी	3.4	2.5
आरडी	2.2	0.2
ओडी	30.9	25.0



## केएल- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
केरल	13.4	13.8	11.6
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## केएल- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर अंतरण एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## हस्तांतरित कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 29 कार्यों को पीआरआई को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लेखित 18 कार्यों में से 17 कार्यों को यूएलबी को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- ▲ 2016-17 के दौरान, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के पास उपलब्ध धनराशि का 71% राज्य का अनुदान था। भारत सरकार के अनुदान का हिस्सा 22 % और ऋण सहित राज्य की निधि 7% थी।
- ▲ केरल देश का पहला राज्य है जिसके पास 2000 से केवल एलएसजीआई के लिए लोकपाल है।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ सभी एलएसजीआई में कम्प्यूटर आधारित अभिवृद्धि लेखा प्रणाली (संख्या सॉफ्टवेयर) कार्यान्वित है।
- ▲ यूएलबी के लिए राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली भी कार्यान्वित की जा रही है।
- ▲ आरएलबी और यूएलबी के खातों की 2017-18 तक के लेखा परीक्षा कर दी गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य ने वित्त आयोग 13 द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अपने पीटीबी की स्थापना कर दी है। यह एक कार्यशील निकाय है जो सभी यूएलबी के लिए कार्य योजनाएं तैयार करता है।

## सभी राज्यों का अंतरण सूचकांक रैंक

कार्य रैंक	विभागीय रैंक	आय रैंक	पॉलिसी रैंक में कुल अंतरण
2	1	1	1

स्रोत: भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

### पांचवां एसएफसी (2016-17 से 2020-21)

- ▲ राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा की गई राज्य वित्त आयोगों के रिपोर्ट की समीक्षा के अनुसार केरल सरकार ने पांचवे एसएफसी की सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जिसने सुझाव दिया था कि राज्य के वार्षिक ओटीआर के शुद्ध आय का 20% विकास निधि, अनुरक्षण निधि और सामान्य प्रयोजन निधि के रूप में स्थानीय शासन को अंतरित किया जाए।
- ▲ केरल इस समय चौथे एसएफसी की सिफारिशों को क्रियान्वित कर रहा है।


### ऋण एवं हानि

- ▲ 31 मार्च 2019 के अनुसार, डिस्कॉम द्वारा लिया गया कुल ऋण 18,354 करोड़ ( सभी राज्यों में डिस्कॉम द्वारा लिए गए कुल ऋण का 3.8% ) था।
- ▲ केरल सरकार ने उदय के अंतर्गत कोई वित्तीय देयता नहीं ली है। यह इसे दीर्घकालीन बनाने के लिए केरल राज्य बिजली बोर्ड लि. (केएसईबीएल) की परिचालनिक कुशलता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है
- ▲ ताकि राज्य ने 2018-19 में अपना सही एटी एवं सी हानि (%) लक्ष्य हासिल कर लिया है। परन्तु एसीएस-एआरआर लक्ष्य को हासिल नहीं किया है।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानियां (%)	9.1	11.0
एसीएस एआरआर अंतर (रु. प्रति इकाई)	0.11	-0.06

नोट:- एसीएस-एआरआर अंतर यह दर्शाता है कि वसूल किया गया प्रति इकाई औसत राजस्व आपूर्ति लागत से अधिक है  
 स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

### केएल-5 ए एटी एवं सी हानियां (%) वित्त वर्ष 2018



स्रोत:- भारत सरकार 2019, उदय न्यूजलेटर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उध्वाधर अंतरण**

- ▲ केरल ने सिफारिश की कि कर के संपूर्ण विभाज्य पूल में राज्य हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% कर दिया जाये।

**क्षैतिज अंतरण का सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझावित भार (%)
i)	जनसंख्या 2011	30
ii)	जनसांख्यिकीय उपलब्धि (1971 की जनसंख्या द्वारा प्रति पवित )	30
iii)	आय अंतराल	20
iv)	क्षेत्रफल	10
v)	वन क्षेत्र	10

**नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग**

- ▲ एसडीजी भारत सूचकांक और नीति आयोग के डैशबोर्ड 2019-20 के अनुसार केरल का प्रथम स्थान है।
- ▲ राज्य का 70 एसडीजी सूचकांक मूल्य है (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में)
- ▲ यह राज्य एसडीजी-1 कोई गरीबी नहीं, एसडीजी-2 शून्य भूखमरी, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य एवं सुख एसडीजी-4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एसडीजी-6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, एसडीजी-7 किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-9 उद्योग, अभिन्नता और अवसरचना, एसडीजी-10 घटी हुई असमानता, एसडीजी-15 राज्य में जीवन और एसडीजी-16 शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान में सबसे आगे है।

**सामाजिक संकेतक**

- ▲ मानव विकास मानदण्डों पर केरल की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक स्तर दोनों पर अभिस्वीकृत किया गया है।
- ▲ भारत में केरल में सबसे अधिक साक्षरता, विद्यालयी पंजीकरण और अवधारण है।

**प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण और तीसरा स्तर**

- ▲ राज्य निधियों, कार्यों पदाधिकारियों के हस्तांतरण और एसएसजी के सशक्तिकरण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता रहा है।
- ▲ केरल में विकेन्द्रीकरण जन योजना अभियान के माध्यम से अभियान के रूप में किया गया था।

**स्थानीय निकायों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति पहल**

- ▲ राज्य सरकार के अनुसार, केरल ने केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के क्रियान्वयन के कारण हुई राजस्व क्षति के लिए स्थानीय निकायों की क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व उपाजर्न का वैकल्पिक तंत्र स्थापित किया है।
- ▲ इसने 2017-18 के दौरान मनोरंजन कर की क्षति की प्रतिपूर्ति के रूप 2018-19 के बजट में 133 करोड़ की व्यवस्था की थी। इसे राशि 2015-16 के दौरान प्रत्येक स्थानीय शासन द्वारा संग्रह किए गए मनोरंजन कर के अनुपात में स्थानीय शासनों के बीच विभाजित किया जाना था।

**पर्यटन सामर्थ्य**

- ▲ केरल घरेलू एवं विदेशी पर्यटन दोनों के लिए विशाल एवं अप्रत्युक्त सामर्थ्य प्रदान करता है।
- ▲ केरल के जीएसडीपी में पर्यटन का 10% योगदान है और यह एक बहुत बड़ा रोजगार उत्पादक है।
- ▲ केरल विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला भारत का 7 वां सबसे लोकप्रिय स्थान है और उसने यह 2019 में सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में किए गए पर्यटन का 3.8% पर्यटकों को आकर्षित किया।
- ▲ बहरहाल यह अभी भी घरेलू पर्यटक भ्रमणों के लिए सर्वश्रेष्ठ 10 राज्यों की सूची में दिखाई नहीं देता है और इसे भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

**एफआरबीएम का अनुपालन**

- ▲ केरल एफआरबीएम अधिनियम 2003 में पारित किया गया था और 2011 एवं 2018 में संशोधित किया गया था।
- ▲ यह राज्य हाल के वर्षों में अपने एफआरबीएम सीमा का पालन नहीं कर रहा है।
- ▲ अतः इस राज्य को अपने भावी स्रोतों का सृजन करने के लिए एक विश्वसनीय ऋण मार्ग एवं व्यय का सावधानी पूर्वक जांच की आवश्यकता है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	32.3	31.7	30.7	29.8	25.4	26.8	30.4
वास्तविक रूप में प्राप्त	25.6	26.3	26.7	27.7	28.6	29.9	30.6
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.5	3.5	3.0	3.0	3.1	3.5	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	3.5	3.6	3.6	3.6	3.2	4.2	3.8

नोट:- चूंकि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए वित्त आयोग XIV के लक्ष्यों के अनुसार एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया, अतः यहां उन वर्षों के मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण में दिए गए लक्ष्यों का प्रयोग किया गया है।

स्रोत:- केरल सरकार

**बुजुर्गों की अधिक आबादी**

- ▲ राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार अपने स्वास्थ्य विद्यालय शिक्षा और प्रत्यक्ष जनसांख्यिकी हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, केरल ने 1988 के शुरुआत में ही प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर हासिल कर दिया था।
- ▲ केरल की भारत में जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है पुरुषों के लिए 71.8 वर्ष और महिलाओं के लिए 77.8 वर्ष।
- ▲ इस प्रकार इस राज्य में बुजुर्गों के अनुपात में तीव्र वृद्धि हुई है।
- ▲ 1991 की जनगणना में भारत की वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 12.2 और 2011 की जनगणना में 14.2 था केरल का तदनुसूची अनुपात क्रमशः 14.4 और 19.6 था जो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है।
- ▲ केरल में बुजुर्गों की संख्या देश के शेष भागों से तेजी से बढ़ रही है।
- ▲ इसलिए, इस राज्य को बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रणाली में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ सभी राज्यों में 2018-19 में केरल का टीआरई से पेंशन का सबसे अधिक अनुपात 17.2 था।
- ▲ इस राज्य का जीएस औसत की तुलना में टीआरई के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय भी सबसे अधिक था।

टीआरई के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जीएस की माध्यिका केरल	47	45	44	41	40	43	44
	62	62	59	61	61	67	61

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम <sup>3</sup>

- ▲ इस राज्य में 118 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जिनमें से 30 सितम्बर 2018 तक 107 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 281 खाते बकाए में थे। बकायों की अवधि 1-11 वर्ष है।
- ▲ 2013-14 और 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निवेशित पूंजी पर प्रतिफल 3.03% और 6.8% के बीच था।
- ▲ निवेशित पूंजी पर प्रतिफल 2017-18 में 1% से अधिक बढ़ गया जो मुख्यतः केरल राज्य वित्त उद्यम लि. के ब्याज एवं करपूर्व आय (310 करोड़) में वृद्धि के कारण है।
- ▲ 2013-14 और 2017-18 की अवधि के दौरान, बिजली क्षेत्र के उपक्रमों का निवेशित पूंजी पर प्रतिफल (रोस) 0.67% और 9.6% के बीच था।
- ▲ 2016-17 की तुलना में 2017-18 में निवेशित पूंजी पर प्रतिफल में भारी कमी आई जो केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. के ऋण (₹ 11665 करोड़) और हानि (₹ 366 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

### प्रवासन


- ▲ विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विकास एवं प्रवासन सारपत्र 2017 के अनुसार भारत का आक विप्रेषण 2015 में 68.2 बिलियन से 9% गिरकर 2016 में 62.7 बिलियन हो गया।
- ▲ चूंकि विप्रेषण का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, अन्यथा केरल पर इस गिरावट का निःसंदेह प्रभाव पड़ा होता।
- ▲ चूंकि केरल से लोग विश्व के अनेक देशों में प्रवास करते हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों में जाता है।
- ▲ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट के परिणामस्वरूप केरल में अनेकों बार झटके महसूस किए गए हैं।
- ▲ इसके साथ-साथ केरल में रबर और अन्य नगदी फसलों के मूल्यों में गिरावट के कारण इसका उपयोग व्यय कम हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व कम हो गया है तथा राजकोषीय दबाव बढ़ गया है।
- ▲ अप्रवासन से अर्थव्यवस्था के लिए नए कुशल लोगों का आगमन होता है। केरल उनका सेवा क्षेत्र में समुचित हस्तक्षेप करके इन कौशलों का उपयोग करने की रणनीति बना सकता है।

### बेरोजगारी

- ▲ बड़े भारतीय राज्यों में, केरल में सबसे अधिक बेरोजगारी दर 11.4% (अखिल भारतीय स्तर पर 6% की तुलना में) है।
- ▲ केरल में एक बड़ी युवा जनसंख्या (23%) को उत्पादक रोजगार अवसरों की तलाश है।
- ▲ इस लक्ष्य की दिशा में, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के लिए वर्तमान कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए।

### केरल-5बी: राज्य द्वारा बेरोजगारी (%) सामान्य प्रमुख स्थिति 2017-18

#### स्थानीय निकाय



- ▲ जैसा कि संविधान के अनुच्छेद (3) (ख ख) और (ग) में प्रतिस्थापित है, भारत का वित्त आयोग राजकीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए और मार्च 2024 से पहले विधान मंडल के समक्ष उन पर की गई कार्रवाई से संबंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

## राज्य का सुधार कार्य

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। केरल उस वर्ग का भाग है जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और गोवा है।

## सुधार संकेतक

- ▲ केरल देश के सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संकेतक दर्शाने वाला भारत का सर्वाधिक प्रगतिशील राज्य है।
- ▲ केरल की कुछ विशिष्ट राजकोषीय विशेषताएं हैं।
  - **विप्रेषण:** आरबीआई के अनुसार, केरल को 2017 में भारत के विप्रेषण का 19% अर्थात् 85,092 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इस राशि में से 60% राशि परिवार अनुरक्षण पर खर्च किया गया, 20% बैंक जमा के रूप में रखा गया, 8.3% का निवेश किया गया और 12.6% को अन्य कार्यों पर खर्च किया गया। यह केरल के उपयोग आधारित अर्थव्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति दर्शाता है जो इसके अधिक कर वृद्धि में अंशतः योगदान करता है।
  - **स्थानीय शासन:** केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें राज्य विधान मंडल प्रत्येक वर्ष स्थानीय निकायों के लिए बजट पारित करता है और कार्य, पदाधिकारी और निधि-तीनों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया है। एलएसजीआई का अनुदान, राज्य सहायता अनुदान का 70-75% है। राज्य के बजट में कुल जीआईए इसके टीआईआई का लगभग 17% है। चूंकि एलएसजीआई का जीआईए प्रतिवद्ध व्यय का यह एक हिस्सा है, अतः टीआईआई में इसका हिस्सा इस श्रेणी के राज्यों में केरल में सबसे अधिक होता है।
  - **मसाला कांड:-** भारत की पहली उप-संप्रभु इकाई, केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (के आईआईएफबी) ने 2019 में 9.7% प्रतिवर्ष पर 2,150 करोड़ रुपए के मसाला बांड्स के लाभ को बंद करके अपतटीय ऋण बाजार में पहुंच बनाई। इसके बदले के आईआईएफबी को अन्य वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण प्राप्त करने में मदद मिली। ऐसे उप से प्रम ऋणों का बकाया ऋण से कम होने के कारण राज्य के लिए दीर्घकालीन राजकोषीय हानि होती है।
  - केरल एक मात्र राज्य है जिसे अपने एनटीआर में **राजकीय लॉटरियों** से भारी राजस्व प्राप्त होता है। 2018-19 में लॉटरियों से रु. 9,625 करोड़ (जीएसडीपी) का लगभग 1% की आय हुई। जब उसकी तुलना अन्य राज्यों के टीआईआई और एनटीआर से की गई तो वह आय केरल का बढ़ गया क्योंकि उनके पास ऐसे संसाधन नहीं थे। उदाहरण के लिए 2018-19 में
    - केरल का लॉटरी को छोड़कर टीआईआई-जीएसडीपी अनुपात 10.7% था परन्तु लॉटरी के साथ 11.9%।
    - लॉटरी से होने वाली आय रु. 9,625 करोड़ (92,854 करोड़ के टीआईआई से) थी और लॉटरी पर खर्च 7,819 करोड़ रु. 1,10,316 करोड़ रु. के टीआईआई से था।
  - **स्टेट ट्रेजरी सेविंग बैंक (एसटीएसबी)** राज्य विभागों राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और केरल के स्वायत्तशासी संस्थाएं प्रत्येक वर्ष के अंत में राज्य के समेकित नीधि से खर्च न की गई जमा राशि एसटीएसबी खाते में अंतरित करते रहे हैं। ऐसी राशियों को बढ़ी हुई अवधि तक एसटीएसबी के खाते में रहती है।
    - इससे राज्य के सरकारी खाते में बकाया राशि बढ़ गई है जिसके कारण केरल सरकार की कुल देनदारी में वृद्धि हो गई है।
    - जब टीआईआई का हिसाब किया गया तो एसटीएसबी में धनराशि पड़े रहने के कारण व्यय के आंकड़ों में अंतर आ गया।
    - उदाहरण के लिए 2016-17 में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर किया गया व्यय 22.9% तक बढ़ गया परन्तु 2017-18 में 7812 करोड़ रु. का अधिक भुगतान वसूल किया गया।
- ▲ राज्य कुछ संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं।
  - जमीन की कमी एवं जनसंख्या का अधिक घनत्व।

- अधिक वन क्षेत्र के कारण ईको-संवेदनशीलता
  - वेतन, ब्याज पेंशन और एलएसजीआई के लिए जीआईए पर प्रतिबद्ध व्यय के कारण ऋण दबाव जो टीआई का 80% से लेकर 85% तक है।
  - लगातार नगदी का बेमेल होना और प्रतिकूल आर्थोपाय स्थिति और
  - जीएस में भारत में अधिक बेरोजगारी दर
- ▲ राजस्व के मामले में, इस राज्य ने उत्साहबर्द्धक प्रदर्शन किया है।
- जीएसडीपी से टीआईआर का अनुपात 11.9% (2018-19) है।
  - 6.5% ओटीआई-जीएसडीपी अनुपात (2018-19) इस श्रेणी में तीसरा सबसे बड़ा अनुपात है।
- ▲ अच्छा राजस्व रूझान का कारण संभवतः
- वित्त आयोग-XIV द्वारा अधिक कर अंतरण
  - आवर्धित जीआईए (2015-2018 के दौरान 9,519 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान)
  - सीएसएस का यौक्तिकरण (लेखांकन कार्य में बदलाव जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजस्व में वृद्धि हुई)
  - इसकी अर्थव्यवस्था में उछाल लाने में मदद करने के लिए अधिक विदेशी विप्रेषण और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार घटक का कृषि से सेवा में शिफ्ट हो जाना (जीएसबीए में तृतीयक क्षेत्र का शेयर 2011-12 के 57.5% से बढ़कर 2018-19 में 63.7% होना था)
- ▲ यह राज्य राजकोषीय मामले में दबाव में है।
- इसका 2018-19 में टीआई का 61.9 प्रतिबद्ध व्यय है जो इस श्रेणी में सर्वाधिक है।
  - वेतन का हिस्सा टीआई का 29.4% है, जो इस श्रेणी में दूसरा सर्वाधिक है।
  - 11.5% वेतन टीआई इस श्रेणी में सर्वाधिक था
  - ब्याज भुगतान का टीआई 15.1% था (गुजरात द्वारा सबसे कम दर की तुलना में (इस श्रेणी में 9.3%))
  - टीआई अनुपात का ब्याज भुगतान 2011-12 और 2018-19 के बीच 13%-15% के बीच रहा जो इस श्रेणी में सर्वाधिक है।
  - 2018-19 में पेंशन टीआई 13.9% और टीआई से पेंशन का अनुपात 11.7% श्रेणी औसत की तुलना में 17.2% था।
- ▲ केरल अत्यधिक ऋणग्रस्त है।
- केरल ने इस श्रेणी में 2018-19 में 3.4% का अत्याधिक एफडी-जीएसडीपी अनुपात सूचित किया।
  - इसने 2018-19 में 2.2% का आरडी-जीएसडीपी सूचित किया।
  - इसका 2018-19 में ओडी-जीएसडीपी अनुपात 30.9% था।
  - यह राज्य आरडी-एफ अनुपात के असामान्य स्तर (2018-19) में 65% के साथ अपने एफआरबीएम लक्ष्यों का उल्लंघन करता रहा है। यह निहितार्थ बतलाता है कि राज्य ने क्यों अपने आरडी के वित्त पोषण के लिए उधार लेने का सहारा लिया।
- ▲ केरल का पूंजी व्यय टीआई और साथ ही जीएसडीपी दोनों के प्रतिशत के रूप में इस श्रेणी के राज्यों की तुलना में बहुत कम है।
- ▲ बहरहाल, राज्य स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे अच्छा सामाजिक संकेतक दर्शाता है।
- इन दो क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय इस समूह के औसत से अधिक है।
  - देश में इस राज्य में प्रति जिला मेडिकल कॉलेजों का सबसे अधिक अनुपात तथा प्रति जिला ब्लड बैंको का सबसे अधिक अनुपात है।
  - इस राज्य का न केवल स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय सबसे अधिक है, बल्कि प्रति व्यक्ति फुटकर व्यय भी सबसे अधिक है, जो यह दर्शाता है कि राज्य बड़ी संख्या में सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत अधिक निर्भर है।

- हाल में राज्य अन्य के मुकाबले जल आपूर्ति और स्वच्छता पर प्रति व्यक्ति कम व्यय कर रहा है।


**टिप्पणी:-**

1. भारत सरकार 2016 डिवोल्यूशन रिपोर्ट 2018-19 वेयर लोकल डेमोक्रेसी एण्ड डेवल्यूशन इन इण्डिया आर हैडिंग टुवाइस, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत सरकार (2020), टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लैन्स 2020, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।
3. कैग 2020, 2020 की रिपोर्ट संख्या 1:- 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लोक क्षेत्र उपक्रम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट केरल सरकार द्वारा प्रकाशित।
4. भारत सरकार 2018 पीरियोडिक लेबल फोर्स सर्वे 2012-18 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।





## एमपी-1ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**72.6 मिलियन**  
सभी राज्यों की  
जनसंख्या का  
**6.1%**



**क्षेत्रफल**  
**3,08,252 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों के  
क्षेत्र का  
**9.4%**



**वन आच्छादन**  
**77,482 वर्ग कि.मी.**

सभी राज्यों के  
वन क्षेत्र का  
**11.0%**

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**25.1%**

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.1%↑**



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. **99,025**  
सभी राज्यों का औसत  
रु. **1,40,422**



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**कर और जीएसडीपी का अनुपात**  
**6.3%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चों की संख्या**  
**2.3**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
**27.6%**  
अखिल भारतीय औसत  
**31.1%**

## एमपी-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एसपी-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## एमपी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (₹ करोड़)


वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	3,15,562	77,44,945	4.1
2012-13	3,80,925	88,27,195	4.3
2013-14	4,39,483	1,00,07,392	4.4
2014-15	4,79,939	1,09,93,257	4.4
2015-16	5,41,068	1,21,91,256	4.4
2016-17	6,49,823	1,37,80,737	4.7
2017-18	7,24,729	1,54,20,126	4.7
2018-19	8,09,592	1,72,83,813	4.7

## एमपी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




पंद्रहवां वित्त आयोग खंड - XIV, राज्य


एमपी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एमपी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति बच्चे महिला)



एमपी-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमपी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक



<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष


एमपी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)



गरीबी दर 2011-12 तेन्दुलकर अनुमान


टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

एमपी-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमपी-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमपी-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/औषध विक्रेता




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमपी-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमपी-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एमपी-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एमपी-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया देनदारी




एमपी-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पण : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, और पेंशन


एमपी-4, ई: जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एमपी-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एमपी - 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




एमपी-4. एच : प्रमुख राजकोषीय संसूचक- राज्य बनाम सकल राज्य

राजकीषीय संकेतक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू 0 में	99,025	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	18.6	13.4
आटीआर	6.3	6.4
एनटीआर	1.6	1.1
टीई	21.3	16.1
ईएस	4.7	3.1
एसएस	7.3	5.4
जीएस	4.6	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	6.2	5.8
पूंजी व्यय	3.8	2.5
एफडी	2.7	2.5
आरडी	-1.1	0.2
ओडी	23.9	25.0

**एमपी-4. आई : टीआरई और ओआरआर अंतराल**

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
मध्यप्रदेश	15.9	14.0	8.7
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

एमपी - 4. जे : टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर अंतरण एवं सहायता अनुदान (बिल आयोग और वित्त आयोग से भिन्न)}



**सौंपे गए प्रकार्य**

- ▲ ग्रामीण स्थानीय निकायों को सौंपे गए सभी 29 प्रकार्यों की परिकल्पना संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में की गई है।
- ▲ शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए सभी 18 प्रकार्यों की परिकल्पना संविधान की बारहवीं अनुसूची में की गई है।

**लेखापरीक्षा की स्थिति**

- ▲ ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा 2016-17 तक पूरी कर ली गई है।

**संपत्ति कर बोर्ड (पीटीबी)**

- ▲ तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार ने अपने पीटीबी की स्थापना 2011 में की, जो तब से इसको सौंपे गए प्रकार्यों को निपटा रहा है।

**सभी राज्यों की अंतरण सूचकांक रैंक**

प्रकार्य रैंक	पदाधिकारियों की रैंक	वित्त रैंक नीति	रैंक में कुल अंतरण
13	3	12	12

स्रोत: भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

**चौथा राज्य वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20)**

- ▲ चौथे राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की कि राज्य के निवल ओटीआर के 7.5% का अंतरण स्थानीय निकायों को कर दिया जाए - ग्रामीण स्थानीय निकायों को 5.5% और शहरी स्थानीय निकायों को 2%।
- ▲ राज्य सरकार ने चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया था क्योंकि राज्य को किया गया अंतरण प्रस्तावित माइलस्टोन से पहले से ही कहीं अधिक था।
- ▲ फिलहाल यह स्थानीय निकायों को संसाधनों के आबंटन के लिए तीसरे राज्य वि41 आयोग की सिफारिशों का पालन कर रहा है।

**पांचवां राज्य वित्त आयोग (2020-21 से 2024-25)**

- ▲ मार्च 2017 में गठित पांचवें राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल 2019 को प्रस्तुत की। तथापि, रिपोर्ट की कृत कार्रवाई रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत की जानी अभी बाकी है।


**देनदारी और हानियां**

- ▲ विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की कुल इकट्टी और देयताएं 31 मार्च 2019 की स्थिति तक 46,052 करोड़ रुपये है, जिसमें से राज्य सरकार की उधारी 31,857 करोड़ रुपये की है।
- ▲ राज्य सरकार उदय के अंतर्गत 2016-17 से 2020-21 तक डिस्कॉम की 26,055 करोड़ रुपये मूल्य की देनदारी का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में है।
- ▲ 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा 7,360 करोड़ रुपये मूल्य के बंधपत्र बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित बकाया ऋणों का अधिग्रहण करने के लिए जारी किए गए थे।
- ▲ शेष राशि में राज्य सरकार के स्वयं के ऋण शामिल हैं जो उन्होंने डिस्कॉम को दिए थे जिनके लिए उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं।

प्रमुख उदय मापयंत्र (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानियां (%)	36.0	17.0
एसीएस-एआरआर अंतराल (रु. प्रति यूनिट)	1.4	0.03

टिप्पण: (-) एसीएस-एआरआर अंतराल दर्शाता है कि प्रति यूनिट औसत अर्जित राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।  
 स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

**एमपी - 5. ए: एटी एवं सी हानियां (%), वित्त वर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**ऊर्धाधर अंतरण**

- ▲ मध्यप्रदेश ने प्रस्ताव किया था की विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% कर दी जाए।

**क्षैतिज अंतरण का फार्मूला**

क्र.सं.	मानदंड	महत्व (%)
i)	सम्मिश्र जनसंख्या सूचकांक (क+ख) 2011 की जनसंख्या में हिस्सेदारी एससी/एसटी जनसंख्या में हिस्सेदारी	25.0 12.5 12.5
ii)	प्रति व्यक्ति आय अंतर	50.0
iii)	क्षेत्र	15.0
iv)	वन क्षेत्र	10.0



**कम प्रतिबद्धता वाला व्यय**

- ▲ राज्य सं.अ. के प्रतिशत के रूप में अपने प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन) को अपेक्षाकृत कम (सभी राज्यों के लिए 44.7% के तुलना में 2018-19 में 35.7%) रखने में न्याय संगत रहा है।

**जिला खनिज प्रतिष्ठान**

- ▲ संघ के खान मंत्रालय द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश सरकार ने डीएमएफ के अंतर्गत जून 2019 तक राज्य के सभी 51 जिलों में 2,428.83 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
- ▲ इन निधियों का उपयोग निर्धारित प्रयोजनों के लिए उसी राजकोषीय वर्ष में किए जाने की आवश्यकता है जिसमें यह राशि एकत्रित की गई थी।
- ▲ यदि ये निधियां सावधि जमाओं के रूप में निष्क्रिय पड़ी रहती हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश राज्य के लिए कम प्रयुक्त रह जाएगी।
- ▲ राज्य सरकार को राजकोषीय वर्ष में ही राशि के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही एक तंत्र स्थापित करना होगा।

**वन और पर्यटन**

- ▲ राज्य का एक-चौथाई भौगोलिक क्षेत्र वन आच्छादित है।
- ▲ इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य को चाहिए कि रणनीतियां बनाए ताकि इस सेक्टर से और अधिक संसाधनों का सृजन हो सके।
- ▲ एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों और अन्य वन निवासियों के लिए 2013-14 के दौरान आरंभ की गई थी, जो एमएफपी के संग्रहण और उनको बेचने पर आश्रित हैं। यह स्कीम अपने खराब अधिप्राप्ति तंत्र की वजह से शुरू ही नहीं हो सकी।
- ▲ मध्यप्रदेश सरकार को सुदृढ़ अधिप्राप्ति तंत्र के निर्माण हेतु इलेक्ट्रॉनिक मंचों और अन्य मौजूदा कार्यक्रमों जैसे कि ई-नेम का उपयोग करते हुए इस स्कीम को पुनरुज्जीवित और कार्यान्वित करना चाहिए।

**राजकोषीय अनुशासन**

- ▲ राज्य का राजकोषीय अनुशासन-राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एफडी-जीएसडीपी) अनुपात 2013-14 में 2.3% से बढ़कर 2016-17 में 4.3% हो गया और फिर उसके बाद 2018-19 में गिरकर 2.7% हो गया।
- ▲ इसके अतिरिक्त ऋण- जीएसडीपी अनुपात 2013-14 में 22- से बढ़कर 2016-17 में लगभग 23.7- हो गया और फिर उसके बाद 2018-19 में बढ़कर 23.9% हो गया।
- ▲ राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत 2016-17 (0.49%), 2017-18 (0.21%) और 2018-19 (0.05%) के साथ एफडी-जीएसडीपी अनुपात के 3% से अधिक अतिरिक्त उधार लेने का अवलंब लिया।
- ▲ उपर्युक्त को देखते हुए, राज्य को अपने घाटों और देनदारी के स्तर को काफी कम करने की आवश्यकता है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने एफआरबीएम अधिनियम 2005 में लागू किया और 2012, 2015 और 2017 में संशोधन किया।
- ▲ राज्य 2016-17 में एफडी-जीएसडीपी अनुपात के एफआरबीएम लक्ष्यों पर अडिग नहीं रह सका था।
- ▲ ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2015-16 से 2017-18 तक लक्ष्यों से केवल आंशिक रूप से ही कम रहा था।

Ratios as %	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण- जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	37.6	36.8	36.0	35.3	25.0	25.0	25.0
वास्तव में हासिल	25.9	23.6	22.0	22.7	23.5	23.7	23.8
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5
वास्तव में हासिल	1.8	2.5	2.2	2.4	2.6	4.3	3.1

स्रोत: मध्य प्रदेश सरकार

### कृषि और संबद्ध सेक्टरों पर उच्च और बढ़ती हुई निर्भरता

- ▲ अर्थव्यवस्था के विकास प्रक्षेप से लगाई गई आशाओं के विपरीत, जीएसवीए (वर्तमान कीमतों पर) में कृषि, वानिकी, और मात्स्यिकी सेक्टरों की हिस्सेदारी 2011-12 में 33% से बढ़कर 2018-19 में 40% हो गई है।
- ▲ राज्य को अपने आर्थिक आधार का विविधीकरण करने और अन्य सेक्टरों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे और अधिक कुशल रोजगार भी सृजित हो सकेंगे।

### अधूरी परियोजनाएं

- ▲ 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, राज्य के पास जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 9,557.16 करोड़ रुपये मूल्य की 242 अधूरी परियोजनाएं हैं, जिसमें से 24 परियोजनाओं में 4,800.14 करोड़ रुपये की अधिलागत की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- ▲ राज्य सरकार को नियोजित संसाधनों के लाभदायक उपयोग और लागत नियंत्रण के लिए ऐसी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए।

### स्वास्थ्य

- ▲ मध्य प्रदेश निम्नलिखित स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों की गम्भीर कमी का सामना कर रहा है: 2
- ▲ 1,236 स्वीकृत संस्था की तुलना में सीएचसी में विशेषज्ञों के 988 रिक्त पद (80% कमी); और
- ▲ 1,771 स्वीकृत संस्था की तुलना में पीएचसी में चिकित्सकों के 659 रिक्त पद (37% कमी)।
- ▲ वहनीय समाधान के लिए, राज्य पर्याप्त पूर्ति के लिए काय चिकित्सकों और शल्य चिकित्सकों के महाविद्यालय से प्राप्त डिप्लोमाओं को मान्यता देने के महाराष्ट्र के मॉडल का अनुसरण कर सकता है ताकि एमबीबीएस चिकित्सकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों में परिवर्तित किया जा सके जिससे कि वे दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकें।
- ▲ इसके अतिरिक्त इस क्षेत्रों में आवश्यकता के अंतर को पूरा करने के लिए टेली मेडिसिन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ राज्य को प्रमुख स्वास्थ्य संसूचकों, जो राष्ट्रीय औसत से कम हैं, जैसे की मातृत्व मृत्यु दर जो 173 प्रति 100,000 जीवित जन्म (2016) है जबकि अखिल भारत औसत 130 है (अन्यों के लिए, एमपी-2.डी देखें)।
- ▲ ये सुझाव है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य पर वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय अन्य राज्यों और राष्ट्र औसत के अनुरूप किया जाए। 3

### शिक्षा

- ▲ राज्य को शैक्षणिक परिणामों में सुधार लाने के लिए पर्याप्त प्रयास करने चाहिए, जो वर्तमान में राष्ट्रीय औसत नीचे है।

	कक्षा 3 में बच्चों का % जो कक्षा 2 का पाठ पढ़ सकते हैं		कक्षा 3 में बच्चों का % जो कम से कम गणित में घटा सकते हैं	
	2016	2018	2016	2018
मध्यप्रदेश	16.6	17.6	13.8	13.9
भारत	25.2	27.3	27.7	28.2

स्रोत: एएसईआर (2018), वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट सर्वेक्षण, 2018, एएसईआर केन्द्र; जनगणना, 2011

- ▲ इस दिशा में, मध्य प्रदेश में शिक्षा पर वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय 2,616 रुपये (2016-17) से बढ़ाकर कम से कम सकल राज्य औसत अर्थात् 2,876 रुपये किया जाना चाहिए।

#### नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक पर रैंकिंग (2019)

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2019-20 के अनुसार राज्य भारतीय राज्यों के बीच 15वें स्थान पर है।
- ▲ राज्य को एसडीजी-1 कोई निर्धनता नहीं, एसडीजी-2 शून्य क्षुधा, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, एसडीजी-4 गुणता शिक्षा, एसडीजी-5 लिंग समानता, एसडीजी-6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, एसडीजी-7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-8 उपयुक्त कार्य और आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-9 उद्योग, नवाचार और अवसरंचना, एसडीजी-10 असमानता में कटौती, और एसडीजी-16 शान्ति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान।

#### पिछड़ापन

- ▲ राज्य के 52 जिलों में से, आठ आकांक्षी जिलों के रूप में अभिज्ञात किए गए हैं।
- ▲ इसके अतिरिक्त, 2011-12 में राज्य की निर्धनता दर 31.65% थी (तेंदुलकर कार्यपद्धति) (21.92% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में)। तथापि, 2004-05 और 2011-12 के बीच, मध्य प्रदेश में निर्धनता दर तेजी से कम हो रही है।
- ▲ तदनुसार, न्यून-आय जाल को तोड़ने और बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए राज्य सरकार को निर्णयात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।
- ▲ इसके अतिरिक्त, राज्य चाहे तो नीति आयोग द्वारा निगरानी किए जा रहे आकांक्षी जिलों की तर्ज पर नीचे के 20% ब्लॉकों का विकास 'आकांक्षी' ब्लॉकों के रूप में करने का लक्ष्य रख सकता है।

#### पाइप से जलापूर्ति

- ▲ राज्य में मात्र 11% ग्रामीण परिवारों के पास पाइप से जलापूर्ति होती है, जो 18.3% के अखिल भारत कवरेज के दो-तिहाई से कम है।
- ▲ राज्य को लागत प्रभावी नवोन्मेष कार्यों जैसे कि वर्षा जल संचयन और पेयजल के एण्ड टू एण्ड वैल्यू चेन प्रबंधन में निवेश करने की जरूरत है।

#### विद्युत सेक्टर

- ▲ डिस्कॉम 2016-17, 2017-18, और 2018-19 के दौरान एटी एवं सी हानियों में लक्षित कटौती हासिल नहीं कर पाई है।
- ▲ इसके बजाय, एटी एवं सी हानियां वास्तव में 2016-17 में 25.7% से बढ़कर 2018-19 में 36.01% हो गई हैं।
- ▲ डिस्कॉम के एसीएस और एआरआर के बीच अंतर 2016-17 में 0.81 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 2018-19 में 1.41 रुपये प्रति यूनिट हो गया है।
- ▲ राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए, राज्य को उदय मापयंत्र पर अपने निष्पादन में काफी सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ उद्देशित लाभार्थियों तक बिना किसी रिसाव के विद्युत सब्सिडी पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रणालीगत सुधारों की भी आवश्यकता है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 280(3) (खख) (ग) में दिया गया है, भारत का वित्त आयोग राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की सिफारिश करता है। राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, उनके द्वारा दी गई सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उस पर की गई कार्रवाई से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन मार्च, 2024 अथवा उससे पहले राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करना होगा।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ सार्वजनिक क्षेत्र के 63 उपक्रमों में से, 28 उपक्रमों ने नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा 31 दिसम्बर, 2018 को अथवा उससे पहले लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2017-18 के लिए अपने लेखाओं को प्रस्तुत कर दिया है जबकि 35 उपक्रमों द्वारा अपने लेखाओं को प्रस्तुत किया जाना शेष है।
- ▲ राज्य सरकार ने राज्य के 27 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 11 उपक्रमों को 1,431.94 करोड़ रुपये (इक्रिटी: 10.03 करोड़ रुपये, ऋण: 53.08 करोड़ रुपये, अनुदान: 375.81 करोड़ रुपये और सब्सिडी: 993.02 करोड़ रुपये) प्रदान किए हैं, जिनके लेखाओं को 31 दिसम्बर, 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।
- ▲ राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उपक्रमों (परिसमापनाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रमों को छोड़कर) को बंद करने संबंधी उचित निर्णय लेगी जो पिछले 6 से 28 वर्षों से अकार्यात्मक हैं।
- ▲ इस रिपोर्ट में सम्मिलित राज्य के 38 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को छोड़कर) द्वारा 2015-16 में अर्जित 280.85 करोड़ रुपये का लाभ 2017-18 में बढ़कर 330.40 करोड़ रुपये हो गया। राज्य के इन कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार, 18 उपक्रमों ने 380.01 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया और 8 ने 49.61 करोड़ रुपये की हानि उठाई।
- ▲ लाभ अर्जित करने वाले 18 उपक्रमों में से, 16 ने 98.3% अपना लाभ (373.67 करोड़ रुपये) या तो एकाधिकार की लाभकारी स्थिति अथवा बजटीय सहायता, सेंटेंज, कमीशन, बैंक जमा राशियों पर 4याज आदि से हुई सुनिश्चित आय अर्जित किया। इस प्रकार, लेखापरीक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के ये उपक्रम अपनी स्थिरता के लिए राज्य सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं।

### एनएएमपी के अंतर्गत यथा अनुवीक्षित अधिक प्रदूषण (पीएम 10)

- ▲ राज्य में दस लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों में पीएम 10 (प्रति घन मीटर 90 माइक्रोग्राम से कम) के लिए एनएएमपी सीमा से अधिक प्रदूषण हुआ है।
- ▲ राज्य को अर्थव्यवस्था के केन्द्रों और निवेश हब के रूप में उभरने के साथ-साथ ऐसे नगरों में श्वास लेने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक योजना तैयार करने की जरूरत है।

#### पीएम 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर

नगर	2016	2017	2018	औसत
भोपाल	89	93	135	105.7
ग्वालियर	96	110	134	113.3
इंदौर	95	80	88	87.7
जबलपुर	71	74	119	88.0

**सुधार रूपरेखा****राज्य के सुधार का समूह**

-विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए, राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश उस समूह का भाग है जिसमें बिहार, उ्‍ार प्रदेश, झारखण्ड और ओडिशा शामिल हैं।


**सुधार संबंधी दिशासूचक चिह्न**

- ▲ इसके राजस्व अधिशेष को देखते हुए, अत्यावश्यक सामाजिक से 1टर के खर्चों का प्राथमिकीकरण करने से मध्य प्रदेश अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हुए अपने समूह के राज्यों में शामिल हो सकता है।
- ▲ मध्य प्रदेश के ओटीआर टीजीआर (9.1%) और उछल (0.64) के संदर्भों में सकल राजकोषीय शिथिलता देखी जा सकती है जोकि इसके समूह के ओटीआर टीजीआर (10.9%) और उछल (1.12) की तुलना में कम है। राज्य का ओटीआर/टीआरआर (33.9%) इसके समूह (समूह औसत 32%) दूसरा सबसे अच्छा है। यही नहीं, मध्य प्रदेश का ओटीआर/ओआरआर (79.3%) इसके समूह औसत 77.8% से ऊपर है।
- ▲ टीआरई टीजीआर तथा ओटीआर और ओआरआर के टीजीआर के बीच अंतर के फलस्वरूप राजकोषीय अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। अतः ओटीआर और ओआरआर का सुदृढीकरण और प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना मध्य प्रदेश के लिए उचित मार्ग है।
- ▲ जीएसवीए (वर्तमान कीमतों पर) में कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी से 1टरों की हिस्सेदारी 2011-12 में 33% से बढ़कर 2018-19 में 40% हो गई है। राज्य को अपने आर्थिक आधार का विविधीकरण करने और अन्य सेक्टरों को सुदृढ करने की आवश्यकता है जिससे और अधिक कुशल रोजगार भी सृजित हो सकेंगे।
- ▲ प्रशासनिक प्रणाली और प्रभावी सेवा प्रदायगी को सुदृढ करने की आवश्यकता है। व्यय का व्यापक पुनः प्राथमिकीकरण तथा सामाजिक प्राचलों में सुधार लाने के लिए राज्य के 'आकांक्षी' 4लॉकों और जिलों पर और अधिक संकेन्द्रित दृष्टिकोण आवश्यक है।
- ▲ मध्य प्रदेश नि6नलिखित स्वास्थ्य देखभाल व्यावसायिकों की गम्भीर कमी का सामना कर रहा है। वहनीय समाधान के लिए, राज्य पर्याप्त पूर्ति के लिए काय चिकित्सकों और शल्य चिकित्सकों के महाविद्यालय से प्राप्त डिप्लोमाओं को मान्यता देने के महाराष्ट्र के मॉडल का अनुसरण कर सकता है ताकि एमबीबीएस चिकित्सकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों में परिवर्तित किया जा सके जो फिर दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे सकें। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्रों में आवश्यकता के अंतर को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

**टिप्पणियां**

1. 52वां जिला, निवाड़ी, 2018 में टीकमगढ़ जिले में से बना था।
2. भारत सरकार (2018), ग्रामीण और स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. 15वें वित्त आयोग ने मिलती-जुलती मुख्य विशेषताओं के साथ राज्यों के राजकोष, सामाजिक और सामान्य प्राचलों के आधार पर सभी राज्यों को समूहबद्ध किया है।
4. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (2019), 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार।

## एमएच -1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**112.4** मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**9.4%**



**क्षेत्रफल**  
**3,07,713** वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**9.4%**



सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**7.2%**

**वन आच्छादन**  
**50,778** वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**16.5%**

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.2%** ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**रु. 2,16,376**  
**रु. 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**7.1%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**





**टीएफआर**  
**1.9**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**



**शहरीकरण दर**  
**45.2%**  
अखिल भारत औसत  
**31.1%**

एमएच-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)


एमएच-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




एमएच-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

एमएच-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)


वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	12,80,369	77,44,945	16.5
2012-13	14,59,629	88,27,195	16.5
2013-14	16,49,647	1,00,07,392	16.5
2014-15	17,79,138	1,09,93,257	16.2
2015-16	19,66,225	1,21,91,256	16.1
2016-17	21,98,324	1,37,80,737	16.0
2017-18	23,82,570	1,54,20,126	15.5
2018-19	26,32,792	1,72,83,813	15.2




एमएच -2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एमएच -2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



एमएच - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमएच -2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

एमएच-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

एमएच- 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमएच -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार




एमएच- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमएच- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमएच- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा




एमएच- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एमएच- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एमएच- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एमएच -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एमएच - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एमएच-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




एमएच-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	2,16,376	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	10.6	13.4
ओटीआर	7.1	6.4
एनटीआर	0.6	1.1
टीई	11.5	16.1
ईएस	2.0	3.1
एसएस	4.2	5.4
जीएस	3.2	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	3.2	5.8
पूँजी व्यय	1.4	2.5
एफडी	0.9	2.5
आरडी	-0.5	0.2
ओडी	16.6	25.0

एमएच- 4. आई : टीआई एवं ओआई अंतर

टीआई % 2011-2019	टीआई	टीआई	ओआई
महाराष्ट्र	11.6	12.0	10.6
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

एमएच- 4. जे: टीआई के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 प्रकारों में से 24 प्रकार्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 18 प्रकार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं।

लेखापरीक्षा की स्थिति

- ▲ ग्रामीण स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा 2016-17 और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा 2017-18 तक पूरी कर ली गई थी।

संपत्ति कर बोर्ड (पीटीबी)

- ▲ यद्यपि पीटीबी की स्थापना 2011 (13वें वित्त आयोग द्वारा यथा संस्तुत) में की गई थी, इसने अभी तक प्रभावी रूप से काम करना आरंभ नहीं किया है।

सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक

कार्यों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
5	2	5	3

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

तीसरा राज्य वित्त आयोग (2006-7 से 2010-11)

- ▲ राज्य सरकार फिलहाल तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन कर रही है।

चौथा राज्य वित्त आयोग (2011-12 से 2015-16)

- ▲ राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान द्वारा राज्य वित्त आयोग की रिपोर्टों का विहंगावलोकन के अनुसार, चौथे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में विलंब हुआ था।
- ▲ महाराष्ट्र के चौथे राज्य वित्त आयोग के मामले में विचारार्थ विषयों के अनुसार रिपोर्ट वास्तव में प्रस्तुत करने की तारीख और प्रस्तुत करने की अधिदेशित तारीख के बीच 60 माह का अंतर था।
- ▲ राज्य सरकार ने चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया था।

- ▲ महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया था कि चौथे राज्य वित्त आयोग ने राज्य के संसाधनों के 40% का अंतरण उस राशि का परिकलन किए बगैर सीधे स्थानीय निकायों को करने की सिफारिश की थी जो अपनी वित्तीय संसाधनों की स्थिति और अपनी प्रतिबद्धताओं पर विचार करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी रूप से उपलब्ध कराई जा सकती है।

**पांचवां राज्य वित्त आयोग (2019-20 से 2024-25)**

- ▲ मार्च 2018 में गठित पांचवें राज्य वित्त आयोग (2019-20 से 2024-25) ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट की कृत कार्रवाई रिपोर्ट विधान सभा में प्रस्तुत की जानी अभी बाकी है।


**देनदारी और हानियां**

- ▲ राज्य ने एटी एवं सी हानियों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। तथापि, वर्ष 2018-19 के लिए एसीएस-एआरआर लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।
- ▲ राज्य ने 2016-17 के दौरान उदय के अंतर्गत 4,960 करोड़ रुपये के डिस्कॉम ऋण अधिग्रहण कर लिया है।
- ▲ 31 मार्च, 2019 की स्थिति तक, डिस्कॉम द्वारा कुल 35,196 करोड़ रुपये उधार (राज्य सरकार से 2,004 करोड़ रुपये के उधार सहित) (सभी राज्यों के डिस्कॉम उधारों का 7.4%) लिए गए हैं।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	14.73	14.98
एसीएस-एआरआर अंतर (रू. प्रति इकाई)	-0.16	-0.39

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति यूनिट औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।  
 स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**एमएच- 5. ए: एटी एवं सी हानिया (%) वित्त वर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार (2019), उदय का समाचार पत्र जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**ऊर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ महाराष्ट्र ने प्रस्ताव किया है। की विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% कर दी जाए।

**क्षैतिज अंतरण का फार्मूला**

क्र. सं.	मापदंड	महत्व (%)
i)	जनसंख्या (2011)	35.0
ii)	क्षेत्र	15.0
iii)	आय अंतर	15.0
iv)	वंचन (एसईसीसी ग्रामीण): एसईसीसी आंकड़ों का उपयोग करते हुए सभी राज्यों के कुल वंचित परिवारों के प्रतिशत के रूप में राज्य के कुल वंचित ग्रामीण परिवार	15.0
v)	शहरीकरण	10.0
vi)	राजकोषीय दक्षता (राजकोषीय अनुशासन+कर प्रयास)	7.5
vii)	वन क्षेत्र	2.5

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने अपना एफआरबीएम अधिनियम 2006 में कार्यान्वित किया, 2008 और 2016 में इसमें संशोधन किया। राज्य हालिया कुछ वर्षों से अपनी एफआरबीएम सीमा का पालन कर रहा है।
- ▲ राज्य बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के संदर्भों में तब से अग्रणी है और इसका राजकोषीय घाटा जीएसडीपी की 3% की सीमा से काफी कम बना हुआ है।
- ▲ ऋण-जीएसडीपी अनुपात भी महाराष्ट्र राजवित्तीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियामावली (एमएफआरबीएम, 2011) द्वारा निश्चित की गई सीमा के भीतर है। प्रतीत होता है विगत 10 वर्षों में ऋण सम्मिश्र को उच्च लागत ऋण से कम लागत वाले उधारों पर परिवर्तित करने का सचेत प्रयास किया है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	26.1	25.8	25.5	25.3	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
वास्तविक रूप में प्राप्त	19.2	18.4	17.8	18.0	17.9	18.0	18.1
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	1.6	0.9	1.6	1.8	1.4	1.8	1.0

स्रोत:- महाराष्ट्र सरकार

**विद्युत सेक्टर**

- ▲ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचित 2017 की ऊर्जा सांख्यिकी दर्शाती है। महाराष्ट्र के पास लगभग 64.32 गीगावाट सौर ऊर्जा की संभावना है, जिसमें से 0.39 गीगावाट का दोहन पहले से ही हो रहा है। राज्य को अपनी क्षमता का दोहन करने और राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि के लिए जारी सौर परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लानी चाहिए।

**आकस्मिक देयताएं**

- ▲ ज्यादातर गारंटियां सहकारी संस्थान प्राप्त कर रहे हैं। सहकारी सेक्टर में ही, सबसे अधिक गारंटियां चीनी और कपास सहकारी संस्थानों को दी गई है। राज्य को गारंटियां देने से पहले प्रणालीगत मूल्यांकन अथवा परियोजनाओं की रेटिंग को सुनिश्चित कर लेना चाहिए।

**मिलियन-प्लस शहर**

- ▲ सभी राज्यों में, महाराष्ट्र में मिलियन-प्लस (10 लाख से अधिक आबादी) शहरों (औरंगाबाद, कल्याण-डोम्बिवली, नागपुर, नाशिक, नवी-मुम्बई, पिंपरी-चिंचवाड़, पुणे, ठाणे, बृहन मुम्बई और वसई-विरार शहर) की संख्या अधिकतम है।
- ▲ शहर देश के सामाजिक-आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। राज्य को अवसंरचना और लॉजिस्टिक में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक केन्द्रों के रूप विकसित किया जा सके और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
- ▲ यद्यपि मुम्बई जैसे शहरों के पास पर्याप्त आंतरिक संसाधन हैं, स्थानीय निकायों को बेहतर निवेश माहौल बनाने के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना का सृजन, स्तरोन्नयन और अनुरक्षण करने के लिए स्वयं की कर प्राप्तियों (ओटीआर) में और अधिक वृद्धि करने की जरूरत है। सड़कों, पुलों, रेल, जल निकासी प्रणाली, शहरी बाढ़ प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उन्नयन, झुग्गी-झोपड़ियों, खुली जगहों और पार्कों आदि में सुधार को वहनीय शहर रूपरेखा के माध्यम से व्यापक रूप से देखे जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अनिवार्य है की शहरी स्थानीय निकाय अग्रणी की भूमिका निभाएं।

**नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक पर रैंक (2019)**

- ▲ नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक के अनुसार, 64 एसडीजी अंक (अखिल भारतीय अंक 60) प्राप्त करके सभी राज्यों में से महाराष्ट्र 10वें स्थान पर है। राज्य एसडीजी-4 गुणता शिक्षा, एसडीजी-6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, एसडीजी-7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-8 समुचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-10 असमानता में कमी, एसडीजी-15 भूमि पर जीवन और एसडीजी-16 शान्ति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान में अग्रणी है तथापि, राज्य को एसडीजी-1 कोई निर्धनता नहीं, एसडीजी-2 शून्य क्षुधा, एसडीजी-5 लिंग असमानता और एसडीजी-11 धारणीय नगरों और समुदायों पर सुधार करने की आवश्यकता है।

**कम एनटीआर-जीएसडीपी अनुपात**

- ▲ सकल राज्यों के बीच महाराष्ट्र का एनटीआर-जीएसडीपी अनुपात कम है। राज्य को आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के प्रावधान में से लागत वसूलियों में वृद्धि करने संबंधी उपाय करने की आवश्यकता है।

**एनटीआर-जीएसडीपी अनुपात, 2018-19**

महाराष्ट्र	सकल राज्य	चतुर्थक 1	मध्यरेखा	चतुर्थक 3	सभी राज्य
0.6	1.1	0.8	1.3	1.93	1.2

**पैरास्टेटलों के लिए समुचित लेखांकन**

- ▲ राज्य ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि बड़ी संख्या में पैरास्टेटल जैसे कि मुम्बई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास प्राधिकरण (एमएसआरडीसी), नगर और औद्योगिक विकास निगम (सीआईडीसीओ), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) आदि ने अवसंरचना का सृजन करने के लिए 2.07 लाख करोड़ रुपये से अधिक (2013-14 से 2018-19 तक) का निवेश किया है जो राज्य के बजट में प्रतिबिम्बित नहीं किया है।

- ▲ राज्य को राज्य विधान सभा के प्रति जबावदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया का पालन करने की जरूरत है, अन्यथा दीर्घावधि में राज्य की राजकोषीय क्षमता पर अतिरिक्त बजटीय उधारों का जोखिम बढ़ जाएगा।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य को 3 एफ- फंड्स (निधियों), फंक्शन्स (प्रकारों) और फंक्शनरीज (पदाधिकारियों) का प्रभावी विकेंद्रीकरण करने के लिए उपाय करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल सभी 29 प्रकारों को पीआरआई को अंतरित करने की जरूरत है।
- ▲ चौथे राज्य वित्त आयोग ने प्रशासनिक और तकनीकी पदों में बहुत पहले से पड़ी रिक्तियों का संज्ञान लिया जिसकी वजह से आंकड़ा एकत्रण और विश्लेषण में बाधा उत्पन्न हुई है। सही और अद्यतनीकृत आंकड़ों की कमी आयोग की कार्यात्मकता में एक बड़ी बाधा थी। राज्य को इन मुद्दों का निवारण करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में राज्य वित्त आयोग दक्षतापूर्वक कार्य कर सकें।
- ▲ जैसाकि संविधान के अनुच्छेद 280(3) (ख ख) (ग) में दिया गया है, भारत का वित्त आयोग राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों की सिफारिश करता है। राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, उनके द्वारा दी गई सिफारिशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उस पर की गई कार्रवाई से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन मार्च, 2024 अथवा उससे पहले राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करना होगा।

#### कृषि, जल प्रबंधन और सिंचाई

- ▲ राज्य को जल-बचत प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ जल-विभाजन प्रबंधन कार्यनीतियों का संवर्धन करने की आवश्यकता है।
- ▲ 2014-15 और 2015-16 में लगातार पड़े सूखे के फलस्वरूप कृषि मूल्य वर्धन में ऋणात्मक वृद्धि हुई है। सूखे की वजह से लगातार फसल खराब होने और कम कीमतों के कारण किसान ऋण नहीं चुका सके और किसानों की निराशा और कर्ज में बने रहने का दुष्प्रक्र सतत जारी है।
- ▲ इसके बुवाई वाले क्षेत्र का मात्र 18% सिंचित होने (48.6 राष्ट्रीय औसत की तुलना में) से महाराष्ट्र को सूखा-संभावित राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है।

#### सिंचित बुवाई वाले क्षेत्र का प्रतिशत

महाराष्ट्र	चतुर्थक 1	मध्यरेखा	चतुर्थक 3	सभी राज्यों का औसत
18	18.7	34.2	49.5	48.6

स्रोत: भारत सरकार (2017), कृषि सांख्यिकी 2017, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

- ▲ यद्यपि, 2012- 2017 के दौरान पूंजीगत व्यय का 27% से 33% के बीच मुख्य और लघु सिंचाई पर व्यय हुआ था, लेकिन जितना व्यय होता है उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए थे। सिंचाई की कई सारी फंसी पहलों की वजह से, राज्य 20 वर्षों से अधिक समय से 190 से भी ज्यादा अधूरी परियोजनाओं से परेशान है।

#### तीव्र सामाजिक और आर्थिक विषमता

- ▲ अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर राजकोषीय और मैक्रो संसूचकों के बावजूद, महाराष्ट्र को विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र तथा बाकी राज्य के बीच अत्यधिक विकास विषमता को पूरा करना शेष है। राज्य के 36 जिलों में से, विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में पड़ने वाले 16 जिलों ने जो प्रति व्यक्ति आय सूचित की है वह राज्य और राष्ट्रीय औसत, दोनों की तुलना में कम है। इस विकास अंतर को भरने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक सुदृढ़ और संकेन्द्रित दृष्टिकोण आवश्यक है।

**एनएएमपी के अंतर्गत यथा अनुवीक्षित अधिक प्रदूषण (पीएम 10)**

- राज्य में दस लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों में पीएम 10 (प्रति घन मीटर 90 माइक्रोग्राम से कम) के लिए एनएएमपी सीमा से अधिक प्रदूषण हुआ है। राज्य को अर्थव्यवस्था के केन्द्रों और निवेश हब के रूप में उभरने के साथ-साथ ऐसे नगरों में श्वास लेने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक योजना तैयार करने की जरूरत है।

**पीएम 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर**

नगर	2016	2017	2018	औसत
मुम्बई	119	151	166	145.3
नागपुर	118	102	103	107.7
पुणे	107	102	106	105.0
ठाणे	122	125	108	118.3

**लिंग अनुपात**

- दशकीय जनगणना से प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र में लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या) अच्छा नहीं है और वास्तव में विगत वर्षों के दौरान इस अनुपात में और कमी आई है। ये देखते हुए कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की भांति देश में सबसे से अधिक आबादी वाला राज्य है, गुम हुई महिलाओं की पूर्ण संख्या महत्वपूर्ण है। राज्य को इस समस्या का निवारण करने के लिए एक निश्चित और तत्काल कार्रवाई योजना बनाने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र	1981	1991	2001	2011
लिंग अनुपात	937	934	922	929

**अधिशेष नकद शेष राशि का निवेश**

- राज्य को अपने नकद अधिशेष का उपयोग या तो आय युक्त खजाना हुडियों या फिर पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से करने का उपाय खोजना है।

**विद्युत क्षेत्र**

- राज्य को स्मार्ट मीटरिंग (200 से 500 किलो. वाट घंटा तक), स्मार्ट मीटरिंग (500 किलो. वाट घंटा से अधिक), और डीटी मीटरिंग (शहरी) के उदय मापयंत्रों में अपने निष्पादन को बेहतर करने और उसका स्तरोन्नयन करने की आवश्यकता है।

**राज्य के सुधार का समूहन**

- विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए, राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहबद्ध किया गया है। महाराष्ट्र उस समूह का भाग है जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, हरियाणा और गोवा शामिल हैं।


**सुधार संबंधी दिशासूचक चिह्न**

- महाराष्ट्र के पास अच्छा-खासा नकद शेष है। सीएजी की नवीनतम रिपोर्ट में वित्त वर्ष के अंत में 12%-14% की बजट संबंधी बचतें दर्शाई गई हैं। अतः राज्य स्पष्ट रूप से अंतर क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने और सामाजिक संसूचकों को सुधारने के लिए अपनी पहलों में इस संसाधनों का निवेश कर सकता है।
- महाराष्ट्र अपने वर्ग में अन्य राज्यों की तुलना में पेयजल और स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कम खर्च करता है, जो इसकी आबादी के अपेक्षाकृत खराब स्वास्थ्य संसूचकों को प्रतिबिम्बित करता है। वार्षिक रूप से अत्यधिक नकद शेष होने के बावजूद, आवश्यकताओं की तुलना में सामाजिक क्षेत्र का व्यय, विशेषकर मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे पिछड़े इलाकों में बहुत ही खराब है।



- ▲ कुल राजस्व व्यय (टीआरई) के प्रतिशत के रूप में वर्ग में (आठ राज्यों में से) स्वास्थ्य पर व्यय पिछले वर्षों के दौरान बढ़ा है तथापि, 4.5% पर यह महाराष्ट्र के लिए राष्ट्रीय औसत (5.3%) तथा हरियाणा (4.8%) और कर्नाटक (5.1%) से भी कम है।
- ▲ महाराष्ट्र का ओटीआर 2009-2013 में 19.44% था जो 2014-2017 में 8.16% रह गया। राज्य को अपने ओटीआर की गिरावट को नियंत्रित करने की सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पैरास्टेटलों के जरिए इसने अत्यधिक बजटेतर उधार (ओबीबी) लिए हैं, जिससे औसत आय 7.6% की औसत ब्याज लागत की तुलना में 0.04% (2012-2017) हुई है। आसन्न राजकोषीय झटके से बचने के लिए इसका ध्यानपूर्वक प्रबंधन किया जाना बहुत जरूरी है।
- ▲ इसके अतिरिक्त, राज्य कोविड-19 के दौरान तथा उसके पश्चात आर्थिक कार्यकलापों की निरंतरता के लिए बृहत मुंबई जैसे महानगर में और उसके आस-पास बेहतर सामाजिक अवसंरचना के लिए बृहत मुंबई नगर निगम जैसे पैरास्टेटलों के पास उपलब्ध बड़ी मात्रा में नकद शेष का दोहन भी कर सकता है।
- ▲ 17%-18% के ऋण-जीएसडीपी अनुपात के साथ राज्य के पास उधार लेने की गुंजाइश है। यह अतिरिक्त संसाधनों का नवाचार से नियोजन और राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करके वैश्विक महामारी के कारण श्रमिकों के राज्य से बाहर पलायन को वापस राज्य के भीतर करने और औद्योगिक कार्यकलापों को गतिशील करने के लिए अपनी इस क्षमता उपयोग कर सकता है।

## एमएन-1ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
2.9 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
0.2%



**क्षेत्रफल**  
22,327 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
0.7%



**वन आच्छादन**  
16,847 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
75.5%

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
2.4%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
2.9% ↓



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 82,792  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
3.8%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**प्रति महिला बच्चे**  
टीएफआर  
2.6  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
30.2%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एमएन-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एमएन-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एमएन-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

विव.	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	12,915	5,03,182	2.6
2012-13	13,743	5,63,081	2.4
2013-14	16,182	6,37,264	2.5
2014-15	18,129	6,95,474	2.6
2015-16	19,531	7,88,321	2.5
2016-17	21,294	8,67,648	2.5
2017-18	25,789	9,74,240	2.7
2018-19	27,869	10,82,901	2.6


## एमएन-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




एमएन-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एमएन-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



एमएन-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमएन-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एफ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018

एमएन-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)




टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

एमएन-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर (सूचना उपलब्ध नहीं है मणिपुर के लिए)




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमएन-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमएन-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमएन-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमएन-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एमएन-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एमएन-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया देनदारी




एमएन-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पण : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, और पेंशन

एमएन-4, ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एमएन-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एमएन- 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




एमएन-4. एच : प्रमुख राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम एनईएचएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	82,792	1,30,427
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	37.9	23.3
ओटीआर	3.8	5.0
एनटीआर	0.6	2.0
टीई	41.2	26.7
ईएस	9.1	5.0
एसएस	9.7	8.7
जीएस	14.2	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	20.7	14.4
पूँजी व्यय	6.2	4.3
एफडी	3.3	3.4
आरडी	-2.9	-0.9
ओडी	37.6	29.6

एमएन-4. आई : टीआरई और ओआरआर अंतराल

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
मणिपुर	10.7	8.9	8.4
एनईएचएस	12.6	12.1	10.7

एमएन - 4. जे : टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर अंतरण एवं सहायता अनुदान (बिल आयोग और वित्त आयोग से भिन्न)}



**तीसरा टियर**

- 167 पीआरआई 27 यूएलबी के अतिरिक्त, मणिपुर के पास पर्वतीय क्षेत्रों में मणिपुर (पर्वतीय क्षेत्रीय) जिला परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत स्थापित 6 स्वायत्त जिला परिषदें (एडीसी) हैं।

**सौंपे गए कार्य**

- संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 प्रकार्यों में से 4 प्रकार्य ग्रामीण स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं।
- संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 प्रकार्यों में से 17 प्रकार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए हैं।
- पर्वतीय क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास से मुख्य रूप से संबंधित 24 विभागों की शक्तियां और दायित्व एडीसी को सौंपे गए हैं।

**लेखापरीक्षा की स्थिति**

- सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा 2017-18 तक और एडीसी की 2018-19 तक पूरी कर ली गई है।

**संपत्ति कर बोर्ड (पीटीबी)**

- 2016 में स्थापित पीटीबी ने सितम्बर, 2018 से कार्य करना आरम्भ कर दिया था।

**सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक**

कार्यों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
16	9	10	15

स्रोत: भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

**तीसरा राज्य वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20)**

- तीसरे राज्य वित्त आयोग ने अपने रिपोर्ट दिसम्बर, 2014 में प्रस्तुत की थी।
- कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) सभा के पटल पर 17 दिसम्बर, 2015 को प्रस्तुत की गई थी।
- तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, मणिपुर का स्वयं का 10व और केन्द्रीय करों और शुल्कों में इसके हिस्से को ग्रामीण स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा गया था।

## देनदारी और हानियां


- ▲ तत्काल मणिपुर विद्युत विभाग को बांट दिया गया और 1 फरवरी, 2014 की तिथि से दो राज्य स्वामित्व वाले स्वतंत्र रूप से कार्यशील परवर्ती संस्थाओं में बदला दिया गया।
- ▲ राज्य द्वारा केवल प्रचालनात्मक दक्षता के लिए ही उदय करार पर हस्ताक्षर किया गया।
- ▲ मणिपुर राज्य के ए टी और सी घाटे और ए सी एस - ए आर आर अंतराल लक्ष्यों से उच्च थे।

प्रमुख उदय मापयंत्र 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एंड सी हानियां (%)	29.79	15.0
एसीएस-एआरआर अंतराल (रु. प्रति यूनिट)	0.1	-0.36

टिप्पण : (-) एसीएस-एआरआर अंतराल दर्शाता है कि प्रति यूनिट औसत अर्जित राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

## एम एन-5, ए, एटी और सी घाटे(%), वित्त वर्ष 2018



स्रोत : भारत सरकार (2019), उदय का समाचारपत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

## ऊर्ध्वाधर अंतरण

- ▲ उपकरणों और प्रभारों के बढ़ते अंश के आलोक में मणिपुर राज्य वे राज्यों को दिए जाने वाले उर्ध्वाधर कर को 42% से 50% तक बढ़ाने की अनुशंसा की है।

## क्षैतिज अंतरण का फार्मूला

क्र.सं.	मानदंड	महत्व (%)
i)	जनसंख्या	15
ii)	आय अंतर	55
iii)	क्षेत्र	15
iv)	वन आच्छादित क्षेत्र	15



### अच्छा जी एस टी संग्रहण

- ▲ मणिपुर राज्य ने उपभोक्ता राज्य होने के नाते जी एस टी के प्रारंभ के साथ राजस्वों में सुधार देखा है।
- ▲ मणिपुर अपने ओ टी आर में से 91% ओ टी आर वैट / जी एस टी से प्राप्त कर रहा है (एन ई एच एस के औसत 70% से उलट)।
- ▲ राज्य को शायद ही कोई जी एस टी मुआवजा की जरूरत है।
- ▲ 2016-17 के दौरान वैट / जी एस टी 38% था (एन ई एच एस औसत 12%)।

### पर्यटन

- ▲ मणिपुर में लोकटक झील, कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क, भिन्न-भिन्न प्रकार के वानस्पतिक व जैविक सम्पदा साथ ही साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है जिनका कि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उपयोग किया जा सकता है।
- ▲ राज्य ने संगई उत्सव, शिरूली लिलि आदि जैसे उत्सवों, मेलों और आयोजन पहले ही शुरू कर दिए हैं जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों दोनों को आकर्षित करना है।
- ▲ मणिपुर धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है।
- ▲ ईको- पर्यटन को प्रोत्साहनों अथवा पी पी जी मोड के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ व्यक्ति विशेष साथ ही साथ समुदाय आधारित होमस्टे को स्थानिय लोगों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। राज्य सरकार होम स्टे को ई-कॉमर्स के विशेषज्ञों से जोड़ने हेतु सक्रिय कदम उठा सकती है।

### अंतरराष्ट्रीय सीमा

- ▲ मणिपुर राज्य में दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश मार्ग के रूप में कार्य करने की संभावना है चूंकि ये राज्य म्यांमार के साथ लंबी सीमा साझा करता है। तथापि म्यांमार के साथ व्यापार पिछले कुछ वर्षों में घटा है क्योंकि इण्डो-म्यांमार करार, 1994 के अधीन रियायतें और न्यूनतम विकसित देश (एल डी सी) स्कीम वापस ले ली गई है।
- ▲ एकट ईस्ट नीति की तर्ज पर म्यांमार के साथ व्यापार को बढ़ावा देने हेतु मोरे पर एकीकृत चैक-पौस्ट विकसित करने की जरूरत है।
- ▲ म्यांमार के साथ व्यापार को बढ़ावा देने हेतु ई-वीजा और मनी चेंजर की प्रणाली सहायक हो सकती है।

### प्राकृतिक संसाधन

- ▲ **वन सम्पदा:** मणिपुर इण्डो-वर्मा जैवविविधता हॉट स्पॉट का एक महत्वपूर्ण भाग है और उसका 75.5% क्षेत्र वन आच्छादित है।
- ▲ **पर्याप्त वर्षा:** मणिपुर में वर्षण राष्ट्रीय औसत से कई अधिक है और इसका वर्षा-जल संचयन के माध्यम से दोहन किया जाना चाहिए। भारी वर्षा से होने वाले नुकसान को बेहतर जल निकासी प्रणाली से कम किया जा सकता है।
- ▲ **विविध वन-सम्पदा:-** राज्य को अपने औषधीय पौधों, बांस उत्पादों, एग्रो-उद्यान-विज्ञान उत्पादों, पुष्पोत्पादन और औषध उद्योग को बढ़ावा देने हेतु पहले शुरू करनी चाहिए।

### मानव विकास संकेतक

- ▲ स्वास्थ्य और शिक्षा में उल्लेखनीय प्रगति मणिपुर विकास की विशिष्टता है। (एम एन-2,डी देखें)
- ▲ छोटे राज्यों के बीच, मणिपुर बहुत से संकेतकों पर वार्षिक वृद्धि निष्पादन की दृष्टियों से अग्रिम पंक्ति पर है जैसे कि एच आई वी संक्रमित लोगों की संख्या में कमी, प्रसव पूर्व पहली तिमाही पंजीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की गुणवत्ता, तीन मुख्य राज्य-स्तरीय अधिकारियों की औसत उपलब्धता और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम पर रिपोर्टिंग (आई डी एस पी)।
- ▲ संयुक्त स्वास्थ्य सूचकांक पर छोटे राज्यों के मध्य संपूर्ण निष्पादन की दृष्टियों से ये राज्य दूसरे स्थान पर आता है।<sup>2</sup>

**संघ सरकार पर उच्च निर्भरता**

हाल के वर्षों में अच्छे जी एस टी एकत्रणों के बावजूद मणिपुर का जी एस डी पी अनुपात में स्वामित्व- राजस्व एन ई एच एस औसत से बहुत नीचा है।

- ▲ यह अपने स्वयं के राजस्वों से अपने टी आर आर का मात्र 11.5% ही प्राप्त करता है।
- ▲ राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों का 88.5% संघ सरकार से आ रहा है।

**मणिपुर के राजस्व की तुलना में एन ई एच एस**

क्र.सं.	वर्ष 2018-19 में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में	मणिपुर	एन ई एच एस
ए	कुल राजस्व प्राप्तियां (बी + ई)	37.9	23.3
बी	स्वामित्व वाले राजस्व प्राप्तियां (सी +डी)	4.4	7.0
सी	स्वामित्व वाले कर राजस्व (सी(i) से सी(v))	3.8	5.0
i	वेट/जी0एस0टी0	3.4	3.5
ii	स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीकरण	0.1	0.2
iii	राज्य कर	0.0	0.7
iv	विद्युत ड्यूटी	0.0	0.1
v	अन्य कर	0.3	0.5
डी	गैर कर राजस्व	0.6	2.0
ई	कुल केन्द्रीय अंतरण (ई(i)+ई(ii))	33.6	16.3
i	केन्द्रीय करों में अंश	16.9	8.1
ii	सहायता अनुदान	16.7	8.2

- ▲ मणिपुर महा निषेध अधिनियम 1991 के कारण राज्य कर में सुधार कठिन है।
- ▲ तथापि एन ई एच एस में (मिजोरम और उत्तराखण्ड के बाद) सर्वाधिक शहरी करण दर (30.2%) के साथ मणिपुर स्टॉम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से राजस्वों को बढ़ाने की स्थिति में होना चाहिए।
- ▲ मणिपुर को एन टी आर से राजस्व बढ़ाने हेतु अभिनव तरीके खोजने की जरूरत है। वर्ष 2014-15 में विद्युत क्षेत्र के निगमीकरण के कारण उसका एन टी आर टी जी आर 2011-2019 के दौरान -8.4% था।

**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ एन ई एच एस (67.6%) और सभी राज्यों के औसत (50.6%) की तुलना में मणिपुर में उच्च प्रतिबद्ध देयताएं (टी आर ई का 71%) हैं।
- ▲ एन ई एच एस के औसत 44% की तुलना में वेतन (जी आई ए वेतन सहित) में टी आर ई का 49% शामिल हैं।
- ▲ राज्य सरकार को अपने व्यय को तर्कसंगत बनाने और उसकी पुनर्संरचना करने की जरूरत है।
- ▲ प्रतिबद्ध व्यय के बोझ को कम करने के प्रयासों से अन्य विकास व्यय हेतु संसाधनों में सुगमता रहेगी।

**घटता पूंजीगत व्यय**

- ▲ जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय 2011-12 में 13.1% से 2017-18 में घटकर 5.6% हुआ और 2011-12 में कुल व्यय के 25 % से 2018-19 में घटकर 15% हो गया।
- ▲ राज्य को अपनी प्रतिबद्ध व्यय को तर्कसंगत बनाने और अवसंरचना विकास पर अधिक खर्च करने की जरूरत है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने अपने एफआरबीएम अधिनियम को 2005 में कार्यान्वित किया और उसमें 2006, 2010, 2011 और 2017 में संशोधन किए।
- ▲ राज्य ने हाल के वर्षों में एफआरबीएम लक्ष्य स्थापित नहीं किए हैं।
- ▲ मणिपुर को अत्यधिक उच्च ऋण के बोझ वाले राज्यों में गिना जाता है, इसके ऋण को 15 वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राजकोषीय मार्ग अनुसार समेकित किए जाने की जरूरत है।
- ▲ ऋण और अग्रिम गारंटी पर्याप्त लागत-लाभ विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए और यह अतिरिक्त राजकोषीय भार से बचने के लिए एक उचित निष्पादन मूल्यांकन के बाद होनी चाहिए।
- ▲ राज्य को एक एफआरबीएम अधिनियम और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तर्ज पर अपने ऋण-जीएसडीपी अनुपात को नीचे लाने की आवश्यकता है। अतः राज्य को आय के भावी स्रोतों को पैदा करने हेतु एक विश्वसनीय ऋण मार्ग और व्यय का सजग अंशांकन करने की जरूरत है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा सुझाए अनुसार	62.9	60.1	57.0	54.3	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
वास्तव में प्राप्त	49.4	49.5	43.6	40.6	41.6	41.4	37.1
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा सुझाए अनुसार	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तव में प्राप्त	8.1	0	-1.7	3.3	1.8	2.6	1.3

स्रोत: मणिपुर सरकार

**प्रति व्यक्ति निम्न आय और अत्याधिक गरीबी**

- ▲ वर्ष 2018-19 में एनईएमएस में से मणिपुर का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम था।
- ▲ तेंदुलकर पद्धति अनुसार भारत में (छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद) 36.89% पर गरीबी का अनुपात भारत में तीसरे स्थान पर सबसे उच्च है। राज्य में गरीबी के अनुपात में 2004-05 से 2011-12 तक उतनी कमी नहीं दिखाई दी है।
- ▲ उदारीकरण पश्चात जीएसडीपी में कृषि का अंश निम्न प्राथमिक क्षेत्र उत्पादकता दर्शाते हुए रोजगार में अंश में अनुपातिक घटत के बिना घटा है।

**स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी संकेतक**

- ▲ मणिपुर में 0.26%<sup>3</sup> के राष्ट्रीय प्रसार की तुलना में 1.15% की उच्चतम वयस्क एचआईवी प्रसार है। सतत प्रयास के साथ मणिपुर ने एचआईवी पीड़ित गर्भवती महिलाओं के प्रतिशत को 2006 में 1.3 % से 2017 में 0.47 % तक कम कर दिया। तथापि, इस स्थिति से बचने के लिए और ध्यान केन्द्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- ▲ बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष) में 2001 के 957 से 2011 में 930 तक कमी देखी गई है। राज्य में बालिकाओं की घटती संख्या पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

**बढ़ता बेरोजगार**

- ▲ मणिपुर में ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दोनों ही चरम पर है।
- ▲ राज्य में निजी पंजी को आकर्षित कर और रोजगार-परक आर्थिक बढ़त को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करने की जरूरत है।

**मणिपुर में बेरोजगारी (आम स्थिति):**  
**श्रमिक वर्ग में प्रति 1000 व्यक्तियों पर बेरोजगार व्यक्ति**

वर्ष	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1977-78	9	1	12	27
1999-00	24	25	74	103
2011-12	35	50	58	129

स्रोत:- भारत सरकार (विभिन्न वर्ष) इम्प्लॉयमेंट एण्ड अनइम्प्लॉयमेंट इन इण्डिया, एनएसएसओ राउण्ड 32, 55 एण्ड 68 नेशनल सर्वे ऑफिस, स्टेटिस्टिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्प्लेमेंटेशन, गवर्नमेंट आफ इंडिया।

### स्थानीय निकाय

- ▲ संविधान में परिकल्पित अनुसार स्थानीय निकायों को सभी कार्य सौंपने हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।
- ▲ एडीसी और पीआरआई अत्यन्त न्यून राजस्व की उगाही करते हैं और संसाधनों हेतु वे राज्य और संघ सरकार पर निर्भर हैं।
- ▲ संपत्ति कर दें, उपयोगकर्ता प्रभारे, बाजार शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि के संशोधन जैसे उपायों का पता लगाने की आवश्यकता है।
- ▲ राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के क्षमता विकास पर ध्यान देने की जरूरत है।

### अवसंरचना घाटा

- ▲ राज्य द्वारा जहां आवश्यक हो पीपीपी मोड के माध्यम से अपने भौतिक अवसंरचना को अद्यतन करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है।
- ▲ विद्युत: मात्र 45 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के साथ राज्य को अपनी विद्युत आवश्यकताओं का 90 % खरीदना होता है। 938 के डब्ल्यू एच (2016-17) के अखिल भारतीय औसत की तुलना में राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता केवल 263 के डब्ल्यू एच है। राज्य में धीमें विकास के लिए विद्युत का अभाव मुख्य कारण है।<sup>5</sup>
- ▲ सड़क: राष्ट्रीय औसत से सड़क घनत्व काफी कम है।
- ▲ रेलमार्ग:- रेल संपर्क को अब भी प्रचालनरत करने की जरूरत है।

### विप्लव का भार:-

- ▲ राज्य सरकार के कुल कर्मचारी संख्या के लगभग 40% हिस्सा पुलिसकर्मियों का है।
- ▲ पुलिस पर व्यय राज्य टीआरई के 14% के लगभग है (एनईएचएस औसत 8%)
- ▲ वर्ष 2018-19 में पुलिस पर जो 1,370 करोड़ रु. का व्यय 1,212 करोड़ रु. के ओरआरआर से उच्च था।
- ▲ राज्य में कमी करने हेतु सक्रिय विकास उपाय करने की आवश्यकता है।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:-<sup>6</sup>

- ▲ दिनांक 30 सितम्बर 2018 की स्थिति के अनुसार 10 कार्यशील पीएसयू के 94 खाते एरियर में थे। एरियर की अवधि 2 से 30 वर्षों के बीच थी।
- ▲ राज्य सरकार ने इतने वर्षों में इक्विटी में 2.10 करोड़ रु. लगाए और है पीएसयू में 1,599.43 करोड़ रु.के अनुदान संवितरित किए जिसके लिए उनके खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
- ▲ पीएसयू के खातों की समय-समय पर देखरेख और लेखपरीक्षा सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है।


### सुधार दिशा सूचक

- ▲ हाल के वर्षों में अच्छे जीएसटी एकत्रण के बावजूद मणिपुर के जीएसडीपी अनुपात में स्वामित्व वाले -राजस्व एनईएचएस औसत से कई गुना न्यून है। राज्य अपने स्वयं के राजस्वों से इसके आरआर का मात्र 11.5% ही प्राप्त करता है। अतः उसकी संघ सरकार पर निर्भरता अधिक है। मणिपुर को अपने कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने की और अपने स्वयं के राजस्वों को बढ़ाने के अभिनव तरीके ढूंढने की जरूरत है।
- ▲ मणिपुर में 37.5 % का अत्यधिक ऋण है राज्य को एक एफआरबीएम अधिनियम और 15 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसाओं की तर्ज पर अपने ऋण जीएसडीपी अनुपात तक लाने की आवश्यकता है। राज्य को आय के भावी स्रोत सूजित करने हेतु एक विश्वसनीय ऋण मार्ग और व्यय को सावधानीपूर्वक आशांकन की जरूरत है।
- ▲ राज्य में अत्यधिक उच्च प्रतिबद्ध व्यय है। दूसरी ओर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में उसका पंजी व्यय 2011-12 में 13.1 % से 2017-18 में 5.6 % तक घटा और 2011-12 में कुल व्यय के 25 % से 2018-19 में 15% तक घटा। राज्य को अपने प्रतिबद्ध क्रम को तर्कसंगत बनाने और अवसंचना विकास पर खर्चों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

### टिप्पणियां:-

1. भारत सरकार (2019) हैल्दी स्टेट्स, प्रोग्रेसिव इण्डिया: रिपोर्ट ऑफ दी रैंक्स आफ स्टेट्स एण्ड यूनियन टेरिटरीज, नीति आयोग, दी वर्ल्ड बैंक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2. आईबीआईडी।
3. भारत सरकार (2015) इंडियन एमआईवी एस्टीमेशन्स 2015: टेकनिकल रिपोर्ट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4. भारत सरकार (2017) एचआईवी सेन्टिनल, सर्विलेंस 2016-17, टेकनिकल रिपोर्ट, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मणिपुर सरकार (2017), इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ मणिपुर-2016-17, अर्धशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, मणिपुर सरकार।
6. सीएजी (2019), 2019 की रिपोर्ट सं. 2 सामाजिक, आर्थिक (पीएसयू से इतर) आर्थिक (पीएसयू), राजस्व और सामान्य क्षेत्र भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, मणिपुर सरकार द्वारा प्रकाशित।

## एमजी-1. ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**3.0 मिलियन**  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**0.3%**



**क्षेत्रफल**  
**22,429 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**0.7%**



**वन आच्छादन**  
**17,119 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**2.4%**  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**76.3%**  
2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.2%** ↓



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**रु. 96,016**  
**रु. 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
**5.4%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**




**टीएफआर**  
**3.0**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
**20.1%**  
अखिल भारत औसत  
**31.1%**

## एमजी-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एमजी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एमजी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	19,918	5,03,182	4.0
2012-13	21,872	5,63,081	3.9
2013-14	22,938	6,37,264	3.6
2014-15	23,235	6,95,474	3.3
2015-16	25,117	7,88,321	3.2
2016-17	27,439	8,67,648	3.2
2017-18	29,508	9,74,240	3.0
2018-19	33,481	10,82,901	3.1


## जेएच-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




एमजी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एमजी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



एमजी - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमजी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018

एमजी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

एमजी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमजी -3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार




एमजी- 3. सी: व्यक्ति ('000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमजी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमजी- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एमजी- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एमजी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण



एमजी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय



नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


जेएच -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



जेएच - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एमजी-4. जी: जीएसडीपी और पूंजी व्यय का अनुपात




एमजी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	96,016	1,30,427
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	29.0	23.3
ओटीआर	5.4	5.0
एनटीआर	1.3	2.0
टीई	35.1	26.7
ईएस	7.8	5.0
एसएस	12.9	8.7
जीएस	9.9	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	14.8	14.4
पूँजी व्यय	4.5	4.3
एफडी	6.1	3.4
आरडी	1.6	-0.9
ओडी	31.7	29.6

एमजी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
मेघालय	11.5	11.2	9.0
एनईएचएस	12.6	12.1	10.7

एमजी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



सौंप गए कार्य

- ▲ मेघालय में आरएलबी में तीन स्वायत्त विकास परिषदें ( एडीसी ) गारो, खासी और जैन्तिया शामिल है।
- ▲ मेघालय में जहां तीन मुनिसिपल बोर्ड है, इनके लिए सन् 1972 में राज्य के सृजन के समय से बोर्ड कमिशनर के चुनाव नहीं हुए है।
- ▲ मेघालय को संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधनों से छूट दी गई है और अतः 3 एफ को सौंपने की स्थिति राज्य हेतु एक संबंधित आंकड़ा नहीं है।
- ▲ 10 क्रिया कलाप यू एल बी को सौंप दी गई।

लेखा परीक्षा स्थिति

- ▲ यू एलबी के खातों को 2017-18 तक लेख परिक्षित कर लिया गया है।
- ▲ एडीसी खाते: गारो का लेखा परीक्षण 2011-12 तक खासी का 2016-17 तक, जैन्तिया का 2013-14 तक लेखा परीक्षण किया गया है।

सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ यद्यपि 13 वें वित्त आयोग द्वारा दी गई अनुशंसा अनुसार राज्य ने मार्च 2012 में अपनी पी टी वी स्थापित की है, ये अभी कार्यशाल नहीं है।

एसएफसी

- ▲ संविधान के 73 वें और 74वें संशोधन से छूट प्राप्त मेघालय एक मात्र राज्य है जहां एसएफसी कभी भी संगठित नहीं किया गया।

**ऋण और हानियां**


- ▲ उदय के अधीन, मेघालय सरकार ने अनुदान और इक्रिटी के रूप में 125 करोड़ रु. की राशि के डिस्कॉम ऋण लिए।
- ▲ मेघालय ने वर्ष 2018-19 में ना तो एटी और सी घाटों में अपने लक्ष्य प्राप्त किए और ना ही एसीएस एआरआर अंतराल में लक्ष्य प्राप्त किए।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	35.22	22.0
एसीएस-एआरआर अंतर (रु. प्रति इकाई)	0.85	0.35

टिप्पणी : (-) ए सी एस - ए आर आर अंतराल संकेत देता है कि प्रति इकाई औसत प्राप्त राजस्व आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**एमजी - 5.ए : ए टी और सी घाटे (%), वित्तवर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार (2019), न्यूजलैटर ऑफ उदय, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उध्वाधर अंतरण**

- ▲ मेघालय ने अनुशांसा की है कि उध्वाधर अंतरण को 42% से 48% तक बढ़ाया जा सकता है।

**क्षैतिज हस्तान्तरण हेतु फार्मूला**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाया गया भार (%)
i)	जनसंख्या 2011	17.5
ii)	अनुसूचित जन जाति आबादी	7.5
iii)	आय अंतर <sup>क</sup>	50
iv)	क्षेत्र <sup>ख</sup>	15
v)	वन क्षेत्र	10

<sup>क</sup> मूल्य अक्षमताओं के चलते पवर्तीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को मूल्य अंतरों हेतु समायोजित किया जाना चाहिए।

<sup>ख</sup> छोटे राज्यों हेतु सामान्य सीमा 2% पर निर्धारित होनी चाहिए और 3डी क्षेत्र का उपयोग पवर्तीय राज्यों के लिए किया जाना चाहिए।

**बढ़ता ओ टी आर**

- ▲ ओटीआर/जीएसडीपी 2011-12 में 3.5% से 2018-19 में बढ़कर 5.4% हो गया।
- ▲ वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक ओटीआर टीजीआर 12.75% था (एन ई एच एस से ऊच्च 11%)।
- ▲ ओ टी आर उत्लावकता 1.8 पर (वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक) 0.95 के एन ई एच एस औसत से कहीं अधिक था।
- ▲ समान अवधि पर 14.04% वैट/जीएसटी से एकत्रणों हेतु टी जी आर एन ई एच एस औसत से अन्य भी था।
- ▲ राज्य ने स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्कों से अपने एकत्रणों का बढ़ाने में अच्छा प्रयास किया है यद्यपि जी एस डी पी के 0.08% पर के अब भी एन ई एच एस औसत 0.18% से पीछे ही है।
- ▲ एन टी आर/जी एस डीपी के संबंध में भी मेघालय एन ई एच एस से काफी निम्न स्था पर है। वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक राज्य हेतु एन टी आर टी जी आर ऋणात्मक था।
- ▲ संघ सरकार से प्राप्तियों पर राज्य की निर्भरता टी आर आर के 77.1% पर उच्च ही रहता है।
- ▲ मेघालय को केन्द्र पर निर्भरता कम करने हेतु अपना कर आकार आगे और सुधारने की आवश्यकता है।

**कृषि**

- ▲ राज्य में कृषि उद्योगों हेतु संभाव्यता बहुत अधिक है चावल और मक्के के मुख्य खाद्य फसलों के अलावा राज्य अपने बागवाली से जुड़ी फसलों जैसे कि संतरा, नीबू, अनानास, अमरूद, लीची, केला, कटहल और समशीतोष्ण फलों जैसे कि आलू बुखारा, नाशपाती और आड़ू के लिए भी जाना जाता है। मेघालय ने इन फसलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत से क्षेत्रीय मिशन की भी शुरुआत की है जैसे मिशन लखडोंग, मिशन कटहल, मशरूम मिशन, मुगा मिशन आदि।
- ▲ उसके भू-जलवायु दशाओं के कारण राज्य पुष्प कृषि हेतु एक बेहतर स्थान है (कट-फलोवर उत्पादन)
- ▲ खाद्य प्रसंस्करण, शीत भंडारण और कृषि-मूल्य श्रृंखलाओं से इन उत्पादनों से तुलनात्मक लाभ देने में मदद मिल सकती है।

**खनिज-आधारित उद्योग**

- ▲ मेघालय में कोयला, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, चिकनी, मिट्टी और अन्य खनिजों जैसे खनिज भण्डरों की समझ के साथ अथाह औद्योगिक संभावना है।
- ▲ राज्य को इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु सड़कमार्ग और विद्युत नैटवर्क सहित बेहतर अवसंरचना विकसित करने की जरूरत है।

**जल संसाधन**

- ▲ राज्य विश्व में सबसे आर्द्र क्षेत्रों में आता है। उसके जल संसाधन एव समृद्ध जलीय जैवविविधता के अनुकूल है और पोटैबल और सिंचाई जल उपलब्ध कराता है।
- ▲ कुछ जल निकाय इनलैण्ड फिशरियों और एक्वा- पर्यटन के विकास हेतु संभाव्यता रखते हैं।
- ▲ मेघालय का हाइड्रो और अन्य अक्षय ऊर्जा में संभाव्यता का दोहन करने की जरूरत है।

**पर्यटन**

- ▲ राज्य के भी सड़क नैटवर्क को सुधारने चाहिए।
- ▲ चूंकि राज्य वन सम्पदा में समृद्ध है तो उसे सही सूचना और सेवाओं के माध्यम से पर्यटन अभिरूचि के कम प्रचलित स्थलों को विकसित करना चाहिए।
- ▲ ईको- पर्यटन और साहसिक क्रीड़ाओं को प्रोत्साहनों अथक पी पी पी मोड के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- ▲ होमस्टे चाहे तो व्यक्ति विशेष हेतु हो या साथ ही समुदाय- आधारित हो, इसे आय के व्यवहार्य वैकल्पिक स्रोत के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है। चूंकि होमस्टे प्राथमिक रूप से महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, वो उनकी आर्थिक सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। राज्य सरकारें होमस्टे करे ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के साथ जोड़ने हेतु सक्रिय कदम उठा सकती है।

### लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा

- ▲ मेघालय मुख्यतः कच्चे माल और शीघ्र खराब होने वाले सामान उत्पादित करता है जिन्हे आस-पास के देशों को निर्यातित किया जाता है। राज्य को खनिजों को प्रोसेसिंग और तैयार सामग्रियों के नियति में खर्च करने और साथ ही साथ उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
- ▲ भूमि कस्टम स्टेशनों के चारों ओर अपर्याप्त अवसंरचना (दावकी को छोड़कर) है। राज्य सरकार को स्रोत और डिलीवरी बिन्दुओं को जोड़ने वाली सभी - मौसमों हेतु अनुकूल संपर्क सड़कें बनाने की जरूरत है ताकि बड़े वाहन आसानी से आ सकें।
- ▲ राज्य को चट्टोग्राम बंदरगाह के साथ जोड़ने हेतु सक्रिय उपायों को करने की जरूरत है।

### निम्न विषमता और गरीबी

- ▲ जहां मेघालय की प्रति व्यक्ति जी एस डी पी 96,016 रुपए (2018-19) पर सभी राज्यों के 1,40,422 रु. से काफी कम है वहीं राज्य के गरीबी की दशा 11.87% पर (2011-12 तेंदुलकर पद्यति) 21.9% के राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है। यह दर्शाता है कि राज्य में आय विषमता संपूर्ण देश में व्याप्त विषमता से काफी निम्न है।

### उच्च ऋण

- ▲ वर्ष 2018-19 में 31.7% का ऋण /जी एस डी पी (2011-12 में 25.6% से बढ़ते हुए) 29.6% के एन ई एच एस अनुपात से उच्च है (2018-19)।
- ▲ ऋण को 15वें वित्तीय आयोग द्वारा राजकोषीय मार्ग के अनुसार समेकित किया जाना चाहिए।
- ▲ पर्याप्त लागत-लाभ विश्लेषणों पर आधारित ऋणों और अग्रिमों को अतिरिक्त राजकोषीय भार से बचने के लिए उपयुक्त निष्पादन के बाद ही बढ़ाना चाहिए।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	32.7	32.7	32.7	31.7	27.04	27.3	27.6
वास्तविक रूप में हासिल	25.6	22.7	27.3	29.1	28.5	32.7	32.1
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में हासिल	5.4	1.8	1.7	4.2	2.2	2.6	0.5

स्रोत : मेघालय सरकार

### निम्न और घटता हुआ पूंजीगत व्यय

- ▲ पूंजीगत व्यय 2018-19 में एन ई एच एस के 16% की तुलना में कुछ व्यय का केवल 12.81% है।
- ▲ राज्य में पूंजी व्यय 2011-12 से 2018-19 के दौरान 12.0% के एन ई एच एस औसत की तुलना में केवल 5.4% के टी जी आर तक ही बढ़ा।
- ▲ जी एस डी पी के प्रतिशत के रूप में पूंजी व्यय 2011-12 में 4.6% से 2018-19 में घटकर 4.5% हुआ।
- ▲ टी आर ई के प्रतिशत के रूप में (जी आई ए वेतन सहित) वेतनों का अंश भी 2018-19 में 45.22% पर बहुत उच्च है। इसे विकास गतिविधियों हेतु राजकोषीय स्थान सृजित करने के लिए कम किए जाने की जरूरत है।

**निम्न जी एस डी पी बढ़त दर**

- ▲ मेघालय की जी एस डी पी बढ़त दर (सतत् मूल्यों पर) एण ई एच एस साथ ही राष्ट्रीय औसत दोनों ही से काफी निम्न रही है। मेघालय की जी एस डी पी टी जी आर (2011-2019) सभी एन ई एच एस के बीच सबसे न्यून है (मिजोरम में 16.2 % से हिमाचल प्रदेश में 11% तक)
- ▲ मेघालय सरकार का 15वें वित्तीय आयोग को ज्ञापन यह दर्शाता है कि गत 10 वर्षों के दौरान उसकी साख-जमा अनुपात 35% से 40% तक था (60% के राष्ट्रीय औसत के विपरीत)

**पुराना तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र विकास : कोयला खनन पर प्रतिबंध**

- ▲ वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित प्रधिकरण ने मेघालय में कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया। तदनुसार, 2014-15 में खनन की जी एस डी पी 59% तक घटी और जी एस डी पी 2014-15 में केवल 1.3% तक ही बढ़ी। चूँकि खनन का अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ सुदृढ़ अग्रगामी और पृष्ठगामी संबंध है, मेघालय की जी एस डी पी वास्तव में 2014-15 में घटी। इसका राज्य में रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा।
- ▲ द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 2011-12 में 31% से 2018-19 में लगभग आधा होकर 18% हो गया।
- ▲ खनन पर प्रतिबंध के चलते राज्य सरकार ने राजस्व में उल्लेखनीय घाटा का अनुमान किया है।
- ▲ राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु वैकल्पिक प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, कृषि-आधारित उत्पादों पुष्प कृषि और मत्स्यपालन को दोहन किया जाना चाहिए।
- ▲ कच्ची सामग्री बेचने के अतिरिक्त राज्य सरकार को बेहतर मूल्यों हेतु उत्पाद की प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन देने का प्रयास करना चाहिए।
- ▲ राज्य में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु आगे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ राज्य सरकार को नगरपालिका बोर्डों में वार्ड कमिशनरों के चयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए - 1972 से लंबित।
- ▲ स्थानीय निकायों पर कैंग रिपोर्टों ने खराब वित्तीय रिपोर्टिंग और रिकार्डों के रखरखाव में अनियमितता को मुख्यता से दर्शाया है।
- ▲ जनजातीय परम्पराओं के विकास और संरक्षण के लिए बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य को व्यापक नीतिगत समीक्षा और अपने एडीसी की पुनर्संरचना करने की आवश्यकता है।

**खराब भौतिक और सामाजिक अवसंरचना**

- ▲ मेघालय में अवसंरचना की कमी शेष भारत से कई गुना अधिक है।
- ▲ मेघालय में सड़कों घनत्व राष्ट्रीय औसत से कई गुना कम है।
- ▲ शिलांग शहर में गंभीर सड़क अवरोधक चुनौतियों का सामना किया जा रहा है।
- ▲ परिवारों को पेयजल के उन्नत स्रोत की प्रतिशत उपलब्धता भी राष्ट्रीय औसत (एम जी - 2. डी देखें) से कम है।
- ▲ मेघालय को राज्य में पर्यटन और औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने हेतु अपनी अवसंरचना को पुर्ननिर्मित करने की आवश्यकता है।
- ▲ बहुत से स्वास्थ्य और शिक्षा संकेत राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं (एम जी-2. डी देखें)।
- ▲ सबसे खराब स्वास्थ्य संकेतक को वाले जिलों ब्लॉकों का ध्यान में रखते हुए एक केन्द्रित दृष्टिकोण रखना अच्छा उपाय हो सकता है।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

- ▲ भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग द्वारा 15वें वित्तीय आयोग के लिए संचालित मेघालय के राज्य वित्तों पर अध्ययन के मुख्यबिन्दु निम्नवत है।
- ▲ मेघालय के 15 एस जी एस यू में से केवल वन विकास निगम मेघालय ने 2016-17 के अंत में संचित लाभ प्राप्त किया।
- ▲ मेघालय के विद्युत क्षेत्र एस जी एस ए में 1,836 करोड़ रु. का संचित घाटा जो कि जी एस डी पी का 6.5% है।
- ▲ तथापि - एस पी एस यू (विद्युत क्षेत्र में एक इकाई सहित) ने वर्ष 2016-17 में लाभ दर्शाया है।

- ▲ गत कुछ दशकों में विद्युत की बढ़ती मांग के साथ मेघालय विद्युत - बाहुल्य राज्य से विद्युत आक्रांत राज्य में तब्दील हो गया, परिणामतः अत्यधिक ऋण एकत्रण हुआ।
- ▲ एस पी एस ए की संकटग्रस्त स्थिति (विशेषतः विद्युत में) बढ़ते राजकोषीय देयताओं के साथ मध्यम अवधि ऋण धारणीयता को आकर्षित करती है। राज्य को इन एस पी एस ए को व्यापक निष्पादन मूल्यांकन संचालित करना चाहिए और बढ़ते घाटों को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त कार्रवाई करनी चाहिए।
- ▲ कैग रिपोर्ट 2018 के मुख्य बिन्दु निम्नवत है।
- ▲ 2016-17 में 16 एस पी एस ए के 46 खाते एरियर में थे।
- ▲ राज्य सरकार में वर्षों के दौरान 14 एस पी एस ए को 25% 02 करोड़ रु. के बजटीय सहायता का विस्तार किया है जिसके लिए खाते एरियर में थे।
- ▲ खातों की लेखापरीक्षा न करने से सतत् बजटीय सहायता के चलते एक गंभीर अधोगाभी-जोखिम पैदा हो सकता है।

### सुधार दिशा सूचक


- ▲ राज्य में जी एस डी पी के अनुपात में बहुत अधिक ऋण है जिसे 15वें वित्तीय आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप समेकित किए जाने की जरूरत है।
- ▲ समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए मेघालय राज्य को अपना द्वितीयक क्षेत्राधार विस्तारित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे पर्यटन पर्यटन को आगे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन पहलों से राज्य को राजस्व अर्जनों में मदद मिल सकती है।
- ▲ एक ओर मेघालय में निम्न और घटता पूंजी व्यय है (पिछले कुछ वर्षों में देखा गया)। दूसरी ओर राज्य को भौतिक अवसंरचना में बड़े निवेश की जरूरत है। राज्य में घटते पूंजी व्यय की स्थिति को बदलने चाहिए और बड़े अवसंरचना घाटे के वित्तीयन हेतु अभिनव तरीके ढूंढने चाहिए।
- ▲ एस पी एस ए की संकटग्रस्त स्थिति (विशेष रूप से विद्युत) के चलते बढ़ते राजकोषीय देयताओं के साथ मध्यम अवधि ऋण स्थायित्व जोखिम पैदा होती है। अतः राज्य को इन एस पी एस ए का विस्तृत संवर्धन मूल्यांकन संचालित करना चाहिए और बढ़ते घाटों को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए।

- 1 कैग (2018), रिपोर्ट नं. 3 ऑफ 2018, सोशल, इकॉनॉमिक, जर्नल एण्ड इकॉनॉमिक (पीएस ए) सैक्टर, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट, मेघालय सरकार द्वारा प्रकाशित।





## एमजेड -1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
1.1 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
0.1%



**क्षेत्रफल**  
21,081 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
0.6%



**वन आच्छादन**  
18,006 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
85.4%

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
2.6%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
1.0% ↓



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,64,586  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
3.7%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%





**प्रति महिला बच्चे**  
2.3  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
51.5%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एमजेड-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %) एमजेड-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एमजेड-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹) एमजेड-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान

	राज्य	सभी एनईएस में राज्य	एनईएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	7,259	5,03,182	1.4
2012-13	8,362	5,63,081	1.5
2013-14	10,293	6,37,264	1.6
2014-15	13,509	6,95,474	1.9
2015-16	15,139	7,88,321	1.9
2016-17	17,192	8,67,648	2.0
2017-18	18,740	9,74,240	1.9
2018-19	19,520	10,82,901	1.8




पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


एमजेड-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




एमजेड-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति बच्चे महिला)



एमजेड- 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




एमजेड- 2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018

एमजेड-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कमी दर्शाता है।

एमजेड - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमजेड -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमजेड- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मसिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एमजेड- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एमजेड- 4. ए: जीएसडीपी की % के रूप में राजस्व घाटा



एमजेड- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एमजेड- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण



एमजेड- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एमजेड -4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एमजेड - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एमजेड-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




एमजेड-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम एनईएचएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ₹0 में	1,64,586	1,30,427
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	46.3	23.3
ओटीआर	3.7	5.0
एनटीआर	2.3	2.0
टीई	48.2	26.7
ईएस	9.6	5.0
एसएस	15.3	8.7
जीएस	13.5	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	20.9	14.4
पूंजी व्यय	9.8	4.3
एफडी	1.8	3.4
आरडी	-7.9	-0.9
ओडी	37.5	29.6

## पीबी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
मिजोरम	9.7	13.6	18.9
जीएस औसत	12.6	12.1	10.7

## पीबी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## आरएलबी

- ▲ तीन स्वायत्त विकास परिषद (एडीसी)-लाई, मारा और चकमा और 804 ग्राम परिषद (वी सी) है।
- ▲ एडीसी संविधान की छठी अनुसूची में आता है। वीसी लुशाई पर्वतीय जिला (ग्राम परिषद) अधिनियम 1953 के अनुसार स्थापित किए गए है।
- ▲ मिजोरम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एम (2) के माध्यम से 73 वें संशोधन से बाहर रखा गया है। अतः मिजोरम हेतु 3 एफसी रैकिंग पंचायती राज मंत्रालय की अंतरण सूचकांक रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।

## यूएलबी

- ▲ राज्य में केवल एक मुनिसिपल निकाय है, दि. 1 जुलाई 2000 को मिजोरम मिनिसिपालिटी अधिनियम के अधीन गठित एजॉल मिनिसिपल निगम (एएमसी)
- ▲ एएमसी में पहला चुनाव दि. 3 नवम्बर 2010 को हुआ था।

## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की बारहवी अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से 15 एएमसी को अंतरित किए गए।
- ▲ लुशाई हिल्स जिला (ग्राम परिषद) अधिनियम 1953 बीसी को निश्चित नियम बनाने का अधिकार देता है जैसे कि स्वच्छता, सफाई और अग्नि पर नियंत्रण से संबंधित। वो न्यायालयों के रूप में भी कार्य करते है। भू-राजस्व का संचालन करते है और गांवों में विकास संबंधी कार्यों को देखते हैं।

## लेखा परीक्षा स्थिति

- ▲ पिछली अवधियों हेतु तीन एडीसी के खातों की लेखा परीक्षा की गई है-2017-18 में लाई, 2016-17 तक मारा और 2014-15 तक चकमा।
- ▲ केवल कु छ वीसी ने 2017-18 तक अपने खातों की लेखा परीक्षा पूर्ण की है।
- ▲ एजॉल मुनिसिपल कॉरपोरेश के खातों की लेखा परीक्षा 2018-19 तक पूर्ण कर ली गई है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड (पीटीबी)

- ▲ 15 वे वित्तीय आयोग की अनुशंसा अनुसार, राज्य ने सितम्बर 2011 में पीटीबी स्थापित किया। यह कार्यशील है। पहली एसएफसी (2015-16 से 2019-20 तक)

**प्रथम एसएफसी (2015-2016 से 2019-20)**

- ▲ मिजोरम को एसएफसी की स्थापना से छूट दी गई है। तथापि, पहला एसएफ सी 30 सितम्बर 2011 को गठित किया गया था और 2015-2020 की एवार्ड अविध हेतु दि. 14 दिसम्बर 2015 को तालिकाबद्ध किया गया है।
- ▲ पहली एसएफसी ने स्थानीय निकायों को राज्य के ओटीआर के 15% का अंतरण करने की अनुशंसा की है।

**ऋण और हानियां**

- ▲ मिजोरम सरकार के ज्ञापन अनुसार उसका डिसकॉम सब्सिडी प्राप्त दरों पर विद्युत की बिक्री के कारण बड़े घाटे में चल रहा है।
- ▲ राज्य में विद्युत की मांग और संस्थापित क्षमता में बड़ा अंतर देखा गया है।

वर्ष	विद्युत खरीद पर व्यय करोड़ रुपये	विद्युत बिक्री से प्राप्ति करोड़ रुपये	घाटा करोड़ रु.
2013-14	178.4	109.6	68.8
2014-15	194.8	140.3	54.5
2015-16	210.0	163.8	46.2
2016-17	291.7	199.5	92.2
2017-18	332.7	211.1	121.7

स्रोत: मिजोरम सरकार का ज्ञापन

- ▲ राज्य एटी और सी घाटों हेतु लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम था।

मुख्य उदय बैरोमीटर (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी और सी घाटे (%)	16.2	20.0
एसीएस-एआरआर अंतराल (प्रति इकाई रुपये)	एन.ए.	एन.ए.

नोट:- एसीएस-एआरआर अंतराल संबंधी डाटा राज्य द्वारा उदय पोर्टल पर नहीं डाला गया है।

स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उर्ध्वधर अंतरण**

- ▲ मिजोरम ने राज्य अंश को करों के संपूर्ण विभाज्य पूल में 42% से 50% बढ़ाने की अनुशंसा की है।

**क्षैतिज अंतरण हेतु फार्मूला**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाया वजन (%)
i)	जनसंख्या	25.0
ii)	आय अंतर	40.0
iii)	राजकोषीय अनुशासन	7.5
iv)	क्षेत्र	10.0
v)	वन क्षेत्र	10.0
vi)	ऐतिहासिक अवसंचना अंतराल	7.5



**तेजी से घटता ऋण-जीएसडीपी अनुपात**


- ▲ मिजोरम राज्य ने अपी ऋण जीएसडीपी को 2011-12 में 62.7% से 2018-19 में 37.5% तक तेजी से कम कर दिया। राज्य ने स्वयं द्वारा स्थापित एफआरबीएम लक्ष्यों का भी अनुपालन किया है।
- ▲ राज्य का एफडीजीएसडीपी भी 2011-12 में 6.6% से 2018-19 में 1.8% तक घटा है।
- ▲ राज्य को 15 वे वित्तीय आयोग की अनुसंशाओं और नए एफआरबीएम लक्ष्यों की तर्ज पर ऋण-जीएसडीपी अनुपात में कमी करने का आगे प्रयास करना चाहिए।

% में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएस द्वारा प्रस्तावित अनुसार	85.7	82.9	79.2	74.8	—	—	—
वास्तव में प्राप्त	62.7	61.2	54.5	48.5	42.3	39.1	39.0
<b>एफडी- जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएस द्वारा प्रस्तावित अनुसार	6.4	5.2	4.1	3.0	—	—	—
वास्तव में प्राप्त	6.6	6.9	7.3	7.7	-2.7	-1.5	1.7

स्रोत:- मिजोरम सरकार

**उच्च जीएसडीपी बढ़त**

- ▲ मिजोरम ने हाल के वर्षों में जीएसडीपी की बहुत उच्च विकास दर देखी है। मिजोरम की न्यूनतम जीएसडीपी 2011 से 2019 तक 16.20% के टीजीआर पर बढ़ी जो कि अन्य एनईएचएस से कई अधिक है।
- ▲ तथापि बढ़त दर परिवर्तित होती रही।
- ▲ 2013-14 और 2014-15 में उल्लेखनीय बढ़त वानिकी और लॉगिंग एवं खनन और क्वॉरिंग से आई।
- ▲ राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि बढ़त दर सतत रहे और ये प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण में स्थिरता और उसका त्वरित दोहन की ओर ना ले जाए।
- ▲ राज्य को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आर्थिक बढ़त के लाभ समाज के सभी तबको तक पहुंचें।

**एम जैड-5 ए: जीएसडीपी का टीजीआर 2011 से 2019****अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं**

- ▲ राज्य पर्वतीय और दूरस्थ है, लेकिन इसका दक्षिण एशिया में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही साथ भू राजनैतिक और आर्थिक प्रभाव हेतु सामरिक महत्व है।
- ▲ ये राज्य बंगलादेश और म्यांमार के साथ 722 किमी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांझा करती है। राज्य सरकार को पड़ोसी देशों में निर्यात करने हेतु स्थानीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु अवसरचर्चागत दशाओं में सुधार करने की जरूरत है।
- ▲ कलादन मल्टी-मॉडल नदी परियोजना पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और रोजगार को बढ़ाने में मददगार हो सकती है। इस परियोजना का निर्माण अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया था किन्तु विकास की गति बहुत धीमी रही है। संघ सरकार द्वारा इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु म्यांमार के साथ सहयोग को बढ़ाना होगा जिससे कि समूचा एनईआर म्यांमार में बंदरगाह मार्ग तक पहुंच सके।

**मानव विकास संकेतक**

- ▲ मिजोरम का स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी संकेतक राष्ट्रीय औसत से कई गुना अच्छा है (एम जैड-2 डी देखें)।
- ▲ यह सेवा क्षेत्र कि संवर्धन के माध्यम से आर्थिक विकास हेतु संभावना इंगित करता है।
- ▲ राज्य का स्वास्थ्य और शिक्षा पर राजस्व व्यय एनईएचएस औसत से कई गुना बेहतर है।

**वार्षिक प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय (रुपए में)**

	शिक्षा	स्वास्थ्य
मिजोरम	11,466	4,137
एनईएचएस	5,970	1,987
सभी राज्य	3,438	1,095

**निम्न स्वामित्व वाले राजस्व और संघ सरकार पर उच्च निर्भरता**

- ▲ मिजोरम में ओटीआर/जीएसडीपी 4.95% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 2018-19 में 3.72% ही है।
- ▲ दूसरी ओर 2.0% के एनईएचएस औसत की तुलना में 2.31% पर एनटीआर/जीएसडीपी रही।
- ▲ मिजोरम में विद्युत से राजस्व उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।
- ▲ 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान वैट/जीएसटी, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण और उत्पाद शुल्क से एकत्रणों हेतु राज्य का टीजीआर बहुत अधिक रहा है।
- ▲ संघ सरकार पर राज्य की निर्भरता केन्द्र से आ रही उसकी टीआरआर के 87% के साथ उच्च बनी रही।
- ▲ राज्य को अपने स्वयं के राजस्वों को बढ़ाने हेतु उपायों को करने की जरूरत है।

व्यौरा	टीजीआर ( वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक )	
	मिजोरम	एन ई एच एस
कुल राजस्व प्राप्तियां	13.6	12.1
वैट/जीएसटी	21.8	11.0
स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीकरण	20.9	11.1
राज्य कर	32.0	6.7
विधुत ड्यूटी	83.7	14.8
अन्य कर	—	9.9
गैर कर राजस्व	9.5	8.2
कुल केन्द्रीय अंतरण	15.4	10.0
केन्द्रीय करों में अंश	29.1	22.8
सहायता अनुदान	6.4	6.7

**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ राज्य के पास वर्ष 2018-19 में कुल टीआरई के 64.9% सहित बहुत उच्च प्रतिबद्ध व्यय (जीआईए आय सहित) है।

- ▲ राज्य को और अधिक उत्पादक गतिविधियों पर व्यय को कम करने और उसे तर्कसंगत बनाना चाहिए।

#### जीएसडीपी में विनिर्माण का निम्न अंश

- ▲ राज्य विनिर्माण से अपने जीएसडीपी का मात्र 11% ही प्राप्त करता है।

#### बढ़ती गरीबी

- ▲ तेंदुलकर पद्धति अनुसार राज्य ने 2014-05 में 15.3% से 2011-12 में 20.4% तक गरीबी की दर में बढ़ोत्तरी देखी है। इस रूझान में तुरंत बदलाव लाने की जरूरत है।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ छह कार्यशील एसपीएसयू में से दो एसपीएसयू ने 1 अक्टूबर 2011 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान पिछले वर्षों हेतु दो वार्षिक खातों को अंतिम रूप दिया है। दो कार्यशील कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्रधान महालेखाध्यक्ष को दो लेखापरिष्कृत खाते अग्रेषित किए हैं। छह एसपीएसयू से संबंधित 24 वार्षिक खाते एरियर में थे।
- ▲ मिजोरम सरकार ने छह कार्यशील राज्य पीएसयू में से छह को 29.2 करोड़ रु. उपलब्ध कराए ( 8.49 करोड़ रु. इक्रिटी के रूप में और 20.7 करोड़ रु. अनुदानों के रूप में, जिनके खातों को 30 सितंबर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तावित अनुसार)
- ▲ यद्यपि बजटीय सहायता उल्लेखनीय नहीं है, राज्य सरकार द्वारा खातों का नियमित रखरखाव और लेखा परीक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ स्थानीय निकायों के पास निम्न स्वामित्व प्राप्त राजस्व है। ग्राम परिषदों के पास पशुओं पर कर को छोड़कर जो कि नगण्य है, राजस्व का अन्य कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है।
- ▲ वर्ष 2017-148 में वीसी का स्वामित्व प्राप्त राजस्व कर+गैर कर कुल व्यय का मात्र 3.68% था सम्पत्ति कर और जल प्रभावों जैसे उपायों को नया रूप देना चाहिए।
- ▲ कैग द्वारा प्रस्तावित खातों के संशोधित प्रारूपों को वीसी द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया है। निधियों की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए संशोधित कैग प्रारूपों को अपने और क्रियान्वित किए जाने की जरूरत है।

#### विद्युत क्षेत्र

- ▲ राज्य को विद्युत क्षेत्र को विभाजित करने और उसे निगमित करने हेतु उपाय करने चाहिए और उसे दुरुस्त आर्थिक सिद्धांतों पर चलने देना चाहिये।
- ▲ राज्य में विद्युत की मांग और संस्थापित क्षमता में भारी अंतर है। मिजोरम राज्य में लगाग 4,500 मेगावाट की हाइड्रो-विद्युत संभाव्यता है जिसमें से केवल 0.6% का दोहन किया गया है। राज्य को विद्युत की कमी को पूरा करना चाहिए और राजस्वों के भावी स्रोतों में सुधार करना चाहिए।

#### सड़क नेटवर्क

- ▲ 952.8 (2015 की स्थिति अनुसार) के राष्ट्रीय औसत की तुलना में मिजोरम में प्रति 1000 वर्ग किमी के क्षेत्र पर मात्र 345.2 किमी का सड़क मार्ग है।
- ▲ पवर्तीय राज्यों हेतु सड़के एकमात्र जीवनरेखा है। अपर्याप्त सड़क नेटवर्क से सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
- ▲ राज्यों को अपनी सड़क अवसंरचना सुधारने की जरूरत है।

#### शहरीकरण का बोझ

- ▲ मिजोरम, आईजॉल (उसका एक मात्र शहर) में रह रही 51.5% की उसकी आबादी के साथ भारत के सबसे शहरीकृत राज्यों में से एक है।

- ▲ ये सड़क संकुलन, कठिन भू-भाग, दूरस्थ अवस्थिति और खराब यातायात प्रणाली की चुनौतियों का सामना करता है।
- ▲ आईजॉल में प्लास्टिक और ई-वेस्ट का निपटान एक चुनौती है।
- ▲ आईजॉल को अपनी सड़के और भवन की योजना बनाने की जरूरत है।
- ▲ योजनाबद्ध अवसंरचना को शहर पर बोझ को कम करने हेतु आईजॉल के पास के क्षेत्र में विकसित किए जाने की भी जरूरत है।


- ▲ एनईएचएस औसत की तुलना में राज्य में बहुत निम्न ओटीआर/जीएसडीपी है। राज्य की संघ सरकार पर निर्भरता बहुत अधिक बनी रही जिसमें राज्य का 87% टीआरआर केन्द्र से आत है। तथापि उसका एनटीआर/जीएसडीपी एनईएचएस औसत से उच्च है। साथ ही वैट/जीएसटी स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण और उत्पाद शुल्क से एकत्रण हेतु राज्य का टीजीआर वर्ष 2011-12 से 2018-19 की अवधि के दौरान बहुत उच्च रहा। राज्य को अपने द्वितीयक क्षेत्र को सुदृढ़ करने के और उपाय करने चाहिए। राज्य को अपने राजस्वों को बढ़ाने के उपाय करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य ने गत कुछ वर्षों में जीएसडीपी अनुपात में अपना ऋण घटा दिया है। तथापि में अब भी उच्च ही रहता है। अतः राज्य को न एफआरबीएम अधिनियम और 15 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसाओं की तर्ज पर अपने ऋण को पुनः समेकित करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य के पास बहुत अधिक प्रतिबद्ध व्यय है और अतः इन्हें व्यय को कम करने और अधिक उत्पादक गतिविधियों की ओर ले जाकर तर्कसंगत बनाने का प्रयास करना चाहिए।

#### टिप्पणियां

1. कैग (2019), रिपोर्ट 2 ऑफ 2019:- रिपोर्ट ऑफ दि कंम्ट्रोलर एण्ड ऑडिटर जर्नल ऑफ इण्डिया ऑन सोशल, जर्नल, इकॉनॉमिक एण्ड रेवेन्यू सेक्टर्स फॉर दि इयरएण्डेड 31 मार्च 2018 मिजोरम सरकार।



## एनजी 1:ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
2.0 मिलियन  
सभी राज्यों की  
जनसंख्या का  
0.2%



**क्षेत्रफल**  
16,579 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों के  
क्षेत्र का  
0.5%



**वन आच्छादन**  
12,486 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
75.3%

सभी राज्यों के  
वन क्षेत्र का  
1.8%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0%



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,29,981  
सभी राज्यों का औसत  
रु. 1,40,422



**कर और जीएसडीपी  
का अनुपात**  
3.1%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**प्रति महिला बच्चे  
की संख्या**  
2.7  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
29.0%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## एनजी 1 बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## एनजी 1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## एनजी 1 डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (₹ करोड़)

वर्ष	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	12,177	5,03,182	2.4
2012-13	14,121	5,63,081	2.5
2013-14	16,612	6,37,264	2.6
2014-15	18,401	6,95,474	2.7
2015-16	19,524	7,88,321	2.5
2016-17	21,722	8,67,648	2.5
2017-18	24,492	9,74,240	2.5
2018-19	27,283	10,82,901	2.5


## एनजी 1 ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




एनजी 2 ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



एनजी 2 बी : कुल प्रजनन दर (प्रति बच्चे महिला)



एनजी 2 सी : नीति आयोग का एसडीजी संसूचक (2019)




एनजी 2 डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक

संकेतक	नागालैंड	भारत
<b>EDUCATION</b>		
साक्षरता दर (%) <sup>ए</sup>	79.6	73.0
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात <sup>बी</sup> (प्राथमिक विद्यालय में)	6.0	25.0
सफल भर्ती अनुपात <sup>बी</sup> (उच्चतर माध्यमिक हेतु)	36.3	55.4
<b>WATER &amp; SANITATION</b>		
स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता <sup>बी</sup> (% परिवारों में)	80.6	89.9
शौचालयों की उपलब्धता <sup>बी</sup> (% घरों में)	98.3	61.1
<b>HEALTH</b>		
जीवन प्रत्याशा (वर्ष) <sup>बी</sup>	931	943
लिंग अनुपात (♀ प्रति 1000 ♂ वर्ष) <sup>ए</sup>	16.7	35.8
कम वजन वाले बच्चे (%) <sup>बी</sup>	28.6	38.4
बच्चों में बौनापन (%) <sup>बी</sup>	26.4	58.6
सामान्य बीएआई से कम की महिलाएं (%) <sup>डी, बी</sup>	12.3	22.9
महिलाओं में रक्त अल्पता (%) <sup>बी</sup>	27.9	53.1
नवजात मृत्यु दर <sup>एफ</sup> (मृत्यु प्रति 1000 जीवित जन्मों में से)	4.0	32.0
सांस्थानिक प्रसव (%) <sup>बी</sup>	32.8	78.9
कुल व्यय (वि.व. 2019) के % के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय (राजस्व + पूंजी)	5.0	5.2
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय (वि.व. 2019 रुपये में)	2,968	1,218


<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

**एनजी 3 ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)**




टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

**एनजी3 ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर**



स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


**एनजी 3 बी : व्यक्ति ('000) प्रति उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी**



स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार




एनजी 3 सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/औषध विक्रेता




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

एनजी 3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड



स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एनजी 4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एनजी4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एनजी 4ग: जीएसडीपी के % रूप में बकाया ऋण




एनजी 4घ: राजस्व व्यय के % रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पणी: प्रतिबद्ध व्यय में वेतन ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एनजी 4द: जीएसडीपी के % रूप में ओटीआर



एनजी 4च: जीएसडीपी के % रूप में एनटीआर



एनजी 4छ: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
रू प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	1,29,981	1,30,427
<b>जीएसडीपी की प्रतिशत के रूप में संसूचक</b>		
टीआरआर	41.9	23.3
ओटीआर	3.1	5.0
एनटीआर	0.9	2.0
टीई	45.9	26.7
ईएस	10.1	5.0
एसएस	12.2	8.7
जीएस	17.8	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	26.6	14.4
पूंजी व्यय	5.9	4.3
एफजी	4.0	3.4
आरडी	-1.9	-0.9
ओडी	42.7	29.6

## एनजी 4झ: टीआरई और आरआर अंतर

टीजीआर%, 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओसीआर
नागालैंड	12.6	11.4	12.0
एनईएचएस	12.6	12.1	10.7

## एनजी 4ज: टीआरआर की प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय अंतरण कर विचलन एवं सहायता अनुदान(एफसी और गैर-एफसी)



## तृतीय टियर

- नागालैंड में मान्यता प्राप्त सभी 1,428 गावों को गांव परिषद (बीसी) और गांव विकास बोर्ड (बीडीबी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- बीसी और बीडीबी की गठन और कार्य को नागालैंड गांव एवं क्षेत्र परिषद अधिनियम में परिभाषित किया गया है।
- नागालैंड के यूएलबी में 3 नगर पालिका परिषद, 29 नगर परिषद और 5 शहरी केन्द्र समिति शामिल हैं।
- नागालैंड नगर पालिका परिषद अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत नागालैंड में वर्ष 2004-05 में नगर पालिका सहित किया गया है।

## कार्य

- बीसी और बीडीबी गांव विकास स्कीम तैयार करते हैं और पानी की आपूर्ति सड़क, वन, शिक्षा और अन्य कल्याण संबंधी कार्यकलापों की उचित रख रखाव के लिए पर्यावेक्षण करते हैं।
- संविधान की 12वीं अनुसूची में यथा परिकल्पित 18 कार्य में से यूएलबी में 14 कार्यों का विकास किया गया है।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- आरएलबी और यूएलबी की खातों की लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 तक पूरी हो गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- राज्य सरकार द्वारा अब तक XIII वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत पीटीबी की स्थापना नहीं की गई है।

## द्वितीय कर बोर्ड

- नागालैंड को 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत एसएफसी गठन से छूट प्राप्त है।
- तथापि, राज्य के द्वारा पंचाट अवधि 2015-2020 के लिए दिनांक 01 जून 2013 को एसएफसी गठित की गई थी। परन्तु इस संबंध में अब तक कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

**ऋण और हानियां**

- ▲ राज्य सरकार के केवल संचालन दक्षता के लिए यूडीएवाई करार पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ▲ विद्युत विभाग की प्राप्ति और हानियां नीचे सारणी में दी गई हैं।

मदें (करोड़ ₹)	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
प्राप्ति	74.0	94.3	102.8	88.3	98.9	458.3
व्यय	219.61	292.06	341.78	293.83	340.53	1,487.8
हानि	145.6	197.8	239.0	205.5	241.6	1,029.5

स्रोत: नागालैंड सरकार

- ▲ यूडीएवाई पोर्टल पर दर्शाई गई यूटीएंडसी की हानियां और एसीएस-एआरआर अंतराल संबंधित डाटा राज्य सरकार के प्राप्त नहीं हुई है

**ऊर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ नागालैंड सरकार ने संस्तुति की है कि XIIIवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को आबंटित विशेष श्रेणी के लिए अलग से रखे जाने वाले कुल अंतरण को 11.53 की तुलना में 25 किया जाय।
- ▲ राज्यों को अंतरित 25 में से नागालैंड जैसे उन प्रत्येक राज्यों को 3 प्रतिशत आबंटन किया जाए जिनका राज्य का भू-राजनीतिक महत्व है।

**क्षैतिज अंतरण के लिए सूत्र**

- ▲ नागालैंड सरकार ने क्षैतिज अंतरण के लिए कोई अंतरण सूत्र का प्रस्ताव नहीं किया था।

**टीआरई में सब्सिडी की शेयर**

- ▲ वर्ष 2018-19 में नागालैंड की टीआरई में सब्सिडी की शेयर वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक बहुत कम थी।

**पर्यटन**

- ▲ नागालैंड की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को पर्यटन संवर्धन के लिए प्रभावी किया जा सकता है।
- ▲ इस राज्य ने पहले से ही हार्नबिल, सुक्रेणी और औलियांग जैसी उत्सव और कार्यक्रम कर दी है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करता है।
- ▲ पर्यावरण पर्यटन को प्रोत्साहन और पीपीपी मोड के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- ▲ व्यक्तिगत के साथ-साथ सामुदायिक आधारित होमस्टे को अर्थनीति के वैकल्पिक आय के स्रोत के रूप में संवर्धन किया जा सकता है। राज्य सरकार ई-वाणिज्यिक कंपनियों के साथ होमस्टे को जोड़ने के लिए सक्रिय उपाय कर सकती है।

**सामाजिक संकेतकों का चयन**

- ▲ वर्ष 2018-19 में औसतन एनईएचएस (क्रमशः 5970रू और 1987रू) की तुलना में शिक्षा (8336रू) और स्वास्थ्य (2933रू) पर नागालैंड की वार्षिक प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय अधिक की है।
- ▲ सामाजिक व्यय की यह प्राथमिकता नागालैंड की प्रमुख मानव विकास सूचकांक में दिखाई देता है जो राष्ट्रीय औसत से काफी अच्छा है (संस्थागत वितरण को छोड़कर) (नागालैंड 2 घ देखें)
- ▲ राज्य की जनता की अच्छी स्वस्थ और शिक्षा सेवा क्षेत्र में विकास के क्षेत्र को दर्शाता है।

### ▲ उच्च ऋण

- ▲ देश में अधिकतर ऋण लेने वाले राज्य नागालैंड का दूसरे स्थान पर है
- ▲ यद्यपि ऋण/जीएसडीपी तुलना में यह वर्ष 2011-12 में 55.5 से घटकर वर्ष 2018-19 में 42.7 हुआ है तथापि यह 29.61 की एनईएचएस औसत से काफी अधिक है।
- ▲ ऋण, एफआरबीएम अधिनियम और XVवें वित्त आयोग की संस्तुति के समान समेकित हानी चाहिए।

### उच्च प्रतिबद्ध व्यय और घटती पूंजी व्यय

- ▲ राज्य को अपने व्यय प्राथमिकताओं को पुनः निर्माण और पुनः व्यय गठन करने की आवश्यकता है
- ▲ जबकि वर्ष 2018-19 में नागालैंड की प्रतिबद्ध व्यय ( जीआईए वेतन सहित ) अपने टीआरई की 67.3 थी ( सभी राज्यों का औसत 50.6 )
- ▲ दूसरी ओर वर्ष 2011-12 और 2018-19 में नागालैंड की पूंजी व्यय जीएसडीपी ( 5.9 से 10.3 ) और कुल व्यय( 20.4 से 12.8 ) की प्रतिशत के रूप में घटी थी।
- ▲ विकास व्यय के लिए संसाधन को स्वतंत्र करने के लिए प्रतिबद्ध व्यय की बोझ को कम करने के लिए उपाय किया जाना चाहिये।
- ▲ साथ ही पूंजी व्यय और पीपीपी जैसी वित्तपोषण की वैकल्पिक संसाधनों में वित्तपोषण बढ़ाकर राज्य को अपनी अवसंरचना घाटे को कम करने की जरूरत है।

### केन्द्र सरकार पर अधिक निर्भरता

- ▲ वर्ष 2018-19 में नागालैंड की ओटीआर/जीएसडीपी केवल 3.1 थी ( एनईएचएस औसत 5 )
- ▲ राज्य द्वारा एकत्रित वेट/जीएसटी, स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क और उत्पाद शुल्क एनईएचएस औसत की तुलना में बहुत कम है। तथापि, जीएसटी के कार्यान्वयन के इसके संग्रहण में सुधार हुआ है।
- ▲ एनईएचएस औसत की तुलना में राज्य का एनटीआर केवल 0.94 है।
- ▲ इसका 90 टीआरआर केन्द्र के अंतरित होता है। ( सभी राज्य से सर्वाधिक )
- ▲ राज्यों को अपने राजस्व में सुधार लाने के लिए कर आधार को बृहत करके तथ्य इसके कर प्रशासन को सुदृढ़ करने की जरूरत है।

### क्षेत्रीय विषमता

- ▲ नागालैंड के 11 जिलों में से मोन, ट्वेनचांज, लॉंगलेन और किफिर सुदूर पूर्वी जिला है जिसमें राज्य का 36 क्षेत्र शामिल है और 28% लोग इसमें निवास करते हैं जो अपेक्षाकृत पिछड़ा है।
- ▲ राज्य को इन क्षेत्रों को और इसके भौतिक और डिजिटल संपर्क के साथ-साथ इन क्षेत्र में अन्य भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में सुधार करने के लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत है।



संकेतक	पूर्वी नागालैंड	नागालैंड के शेष भाग
सड़क ( किमी प्रति वर्ग किमी )	71	96
पानी की आपूर्ति कवरेज ( घरेलू न. )	32	41
सरकारी स्कूलों की संख्या	711	1,544
सरकारी महाविद्यालयों की संख्या	4	15
निजी महाविद्यालयों की संख्या	1	46
पुरुष साक्षरता ( % )	69	88
महिला साक्षरता ( % )	61	82
शहरीकरण दर ( % )	16.7	33.8

स्रोत: नागालैंड सरकार का ज्ञापन

### ▲ नीति आयोग की एसडीजी सूची (2019) में रैंकिंग

- ▲ नीति आयोग द्वारा 29 राज्यों की एसडीजी रैंकिंग 2019 में नागालैंड को 19वें स्थान पर रखा गया है।
- ▲ यद्यपि नागालैंड ने कोई गरीबी नहीं एसडीजी 1 पर वापसी की है जबकि नागालैंड के राज्य में दरिद्रता की घटना वर्ष 2004-05 में 9 से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 18.88 हो गई है। इसमें पिछले कुछ वर्षों में समुचित आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई थी।
- ▲ राज्य को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि समाज की सभी वर्गों का आर्थिक विकास का लाभ पहुंचे।

### द्वितीयक क्षेत्र के कम शोयर

- ▲ नागालैंड की जीएसडीपी का केवल 12 द्वितीयक क्षेत्र से आता है।
- ▲ नागालैंड में द्वितीयक क्षेत्र अपनी सुदूर भारत के भू-भाग से संपर्क में कमी और कम ऋण विक्षेप अनुपात के कारण पहले से ही पिछड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त यह उग्रवाद से भी बाधित है।
- ▲ राज्य में तृतीयक क्षेत्र को क्षमता निर्माण कार्यक्रमलाप, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना विकासशील स्वदेशी कौशल पाठ्यक्रम और सभी जिलों में पारंपरिक कौशल संसाधन केन्द्र की स्थापना करके प्रोत्साहित किया जा सकता है।

### विद्युत क्षेत्र

- ▲ राज्य में अपने ज्ञापन में उच्च एटी एंड सी हानियां दर्ज की है।
- ▲ विद्युत क्षेत्र में प्राप्ति व्यय अंतराल भी व्यापक है।
- ▲ विद्युत क्षेत्र निगमीकरण करने और उसे विभाजित करने के लिए प्रस्ताव अभी भी परीक्षाधीन है। राज्य को जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है ताकि इसके विद्युत क्षेत्र ठोस वाणिज्यिक और आर्थिक सिद्धांतों पर कार्य कर सके।
- ▲ हानियों की बोझ कम करने और राजकोषीय जोखिम को सुरक्षित करने के लिए प्रीपेड मीटर स्थापन, स्मार्ट मीटर स्थापन, सहायक एकतीकरण और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान जैसी उपाय तत्काल रूप से करना आवश्यक है।

### स्थानीय निकाय

- ▲ स्वामित्व वाले संसाधनों को कम करना
- ▲ गांव परिषद, नगर पालिका परिषद, नगर परिषदों के पास कम संसाधन हैं।
- ▲ स्थानीय निकायों की संसाधनों में सुधार करने और जल्द से जल्द एफ पीटीबी स्थापन करने के लिए राज्यों को उपयोगकर्ता शुल्क, पार्किंग शुल्क, संपत्ति कर बाजार शुल्क आदि विकल्पों को खोजने की जरूरत है।

### निर्वाचन

- ▲ नगर पालिका का निर्वाचन वर्ष 2004-05 से नहीं हुआ है क्योंकि राज्य में महिलाओं के लिए 33 सीट के आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मुकदमों के अधीन है।
- ▲ राज्य सरकार ने नगरपालिका और नगर परिषद में सीईओ और प्रशासनिक अधिकारी नामित किए हैं।
- ▲ राज्य को आरक्षण के मामले को तत्काल निपटान करने और स्थानीय निकायों को गणतांत्रिक रूप से कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द निर्वाचन आयोजित करने की जरूरत है।

### एसएफसी

- ▲ राज्य को पंचाट अवधि के शुरू होने से पहले एसएफसी की गठन, समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने और एटीआर की सूचीबद्ध सुनिश्चित करना चाहिये।

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ बकाया खातों की संख्या वर्ष 2013-14 में 18 से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 21 हो गई थी। तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में (नागालैंड औद्योगिक विकास निगम, नागालैंड राज्य खनिज विकास निगम और नागालैंड औद्योगिक और उपादान और आपूर्ति निगम लिमिटेड, डिमापुर) ने दिनांक 30 सितम्बर 2018 तक छह खातों को अंतिम रूप दिया है, जबकि शेष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने

किसी भी खाते को अंतिम रूप नहीं दिया था। संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल द्वारा संकलन/अंगीकरण में हुई विलम्ब के कारण इन सार्वजनिक क्षेत्र के खातों को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुई है। उपरोक्त के अतिरिक्त एक गैर कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 16 वर्षों (2002-2018) की खातों का बकाया है।

- ▲ उपरोक्त को देखते हुए यह संस्तुति की जाती है कि सरकार समय-समय पर जारी कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आदेशों और कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुरूप खातों का देखरेख और उनका समय पर अंतिम रूप देना सुनिश्चित करे। खातों का समय पर लेखा परीक्षा भी सुनिश्चित करें।


#### दिशा निर्देश संकेत में सुधार

- ▲ राज्य का 42.7 जीएसडीपी अनुपात ऋण है जो देश में अधिक ऋण लेने वाले राज्यों में से एक है। ऋण को नई एफआरबीएस अधिनियम और XV वें वित्त आयोग के अनुरूप संमकित किया जाना चाहिए।
- ▲ राज्य का सबसे अधिक प्रतिबन्ध व्यय है जबकि पूंजी व्यय वर्षों से घट रहा है। विकास व्यय के बिना संसाधनों को स्वतंत्र करने हेतु वेतन के बोझ को कम करने के बिना उपाय किया जाना चाहिये। साथ ही पूंजी व्यय और पीपीपी जैसी वित्तपोषण के वैकल्पिक संसाधनों में वित्तपोषण बढ़ाकर राज्य को अपनी अवसंरचना घाटे को कम करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य में शेष एचईएसएस की तुलना में जीएसडीपी अनुपात में सबसे कम ओटीआर है, यद्यपि जीवन ही संग्रहण से राज्य की संग्रहण में सुधार हुआ है, इसे अपनी कर आधार को व्यापक बनाने की जरूरत है और आपकी राजस्व में सुधार लाने के लिए अपनी कर प्रशासन को सुदृढ़ करना है।

#### टिप्पणी:

सीएजी(2019), 31 मार्च 2019 के अंत तक सामाजिक आर्थिक राजस्व और सामान्य क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, 2019 कारिपोर्ट 2, नागालैंड सरकार।

## ओडि-1ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
42 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
3.5%



**क्षेत्रफल**  
1,55,707 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
4.8%



**वन आच्छादन**  
51,619 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
33.2%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.5%↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु.1,12,907  
रु.1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
6.2%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चे  
2.1  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
16.7%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

ओडि-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




ओडि-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



ओडि-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)


विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	2,30,987	77,44,945	3.0
2012-13	2,61,700	88,27,195	3.0
2013-14	2,96,475	1,00,07,392	3.0
2014-15	3,14,250	1,09,93,257	2.9
2015-16	3,28,550	1,21,91,256	2.7
2016-17	3,92,708	1,37,80,737	2.9
2017-18	4,40,517	1,54,20,126	2.9
2018-19	4,92,229	1,72,83,813	2.9

ओडि-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान







ओडि-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




ओडि-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



ओडि-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




ओडि-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (पलेश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

ओडि-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)




टिप्पणी : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

ओडि-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ओडि-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ओडि-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/फार्मासिस्ट




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ओडि-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


ओडि-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




ओडि-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



ओडि-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया देनदारी




ओडि-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय



टिप्पण : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, और पेंशन


ओडि-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



ओडि-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



ओडि - 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय



ओडि-4. एच : प्रमुख राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम सकल राज्य


राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	1,12,907	1,41,099
संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।		
टीआरआर	20.2	13.4
ओटीआर	6.2	6.4
एनटीआर	2.9	1.1
टीई	22.4	16.1
ईएस	4.8	3.1
एसएस	7.6	5.4
जीएस	4.7	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	7.3	5.8
पूँजी व्यय	5.0	2.5
एफडी	2.1	2.5
आरडी	-2.9	0.2
ओडी	22.0	25.0

## ओडि-4. आई : टीआरई और ओआरआर अंतराल

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
ओडिशा	13.5	14.1	10.8
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## ओडि - 4. जे : टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण

{कर अंतरण एवं सहायता अनुदान (बिल आयोग और वित्त आयोग से भिन्न)}



## हस्तांतरित कार्य

- ▲ संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची में आरएलबी को यथा परिकल्पित 29 में से ओडिशा को 21 कार्य हस्तांतरित किए गए हैं।
- ▲ संविधान के बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 18 कार्यों में से यूएलबी को 17 कार्य हस्तांतरित किए गए हैं।

## लेखा-परीक्षा की स्थिति

- ▲ आरएलबी और यूएलबी की खातों का लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 तक की तय है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ संपत्ति कर मूल्यांकन के लिए ओडिशा आवास और शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मूल्यांकन संगठन यूएलबी को स्वतंत्र और पारदर्शी कार्यपद्धति स्थापन करने में मदद कर रहा है।

## सभी राज्य का अंतरण सूचक रैंक

कार्य के रैंक	अधिकारियों की रैंक	वित्तीय रैंक	नीति रैंक में कुल अंतरण
13	12	6	8

स्रोत:- भारत सरकार (2016) अंतरण सूचक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## चौथी एसएफसी (2015-16 से 2019-20)

- ▲ राज्य सरकार ने वर्ष 2015-2020 के दौरान स्थानीय निकायों पीआरआई और यूएलबी के बीच 75:25 के अनुपात में वितरण की जाने वाली निवल कर राजस्व के 3% की अंतरण के मिला चौथी एसएफसी के संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है तथा वर्तमान में उनका अनुपालन भी कर रहे हैं।

## पांचवीं एसएफसी (2020-21 से 2024-25)

- ▲ मई, 2018 गठित पांचवी एसएफसी ने दिनांक 02 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- ▲ तथापि एटीआर अभी भी विधान सभा के समक्ष रखी नहीं गई है।

**ऋण और हानियां**

- ▲ दिनांक 31 मार्च, 2019 तक की डीआईएससीओएम की कुल उधार 4,487 करोड़ रुपए हैं जिसमें से राज्य सरकार का उधारी 219 करोड़ रुपया है।
- ▲ चूंकि, ओडिशा में सभी डीआई एस सीओएम को निजीकरण किया गया है अतः राज्य को उदय स्कीम के अंतर्गत लाभ लेने के लिए अर्हत नहीं दी गई है।

प्रमुख उदय मापयंत्र (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एंड सी हानियां (%)	29.2	उपलब्ध नहीं है
एसीएस-एआरआर अंतराल (रु. प्रति यूनिट)	0.6	उपलब्ध नहीं है

टिप्पणी : (-) एसीएस-एआरआर अंतराल दर्शाता है कि प्रति यूनिट औसत अर्जित राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत:- ओडिशा सरकार

**ऊर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ ओडिशा ने यह प्रस्ताव किया है कि विभाज्य मूल में राज्य के हिस्से को 50% तक बढ़ाया जाए

**क्षैतिज अंतरण का फार्मूला**

क्रम सं.	निर्धारक	भार (यदि 1971 के जनसंख्या को अपनाया गया है)	भार (यदि 2011 के जनसंख्या को अपनाया गया है)
i)	संमिश्रित जनसंख्या सूचक (1971)	25	
ii)	संमिश्रित जनसंख्या सूचक (2011)		10
iii)	1971 और 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि की विपर्यय		15
iv)	आय में अंतर	50	50
v)	संमिश्रित क्षेत्र सूचक (समायोजित)	15	15
vi)	वन अच्छादन	10	10

**राजकोषीय अनुशासन**

- ▲ ओडिशा 2005-06 से राजकोषीय रूप में अनुशासित और राजस्व अधिशेष का रखरखाव कर रहा है।
- ▲ वर्ष 2011-12 से इसका एफडी जीएसडीपी अनुपात 3.1 से कम रहा है (यहां तक कि 2011-12 में राजकोषीय अधिशेष प्राप्त किया है)
- ▲ अतः राज्य ने संविधान के धारा 293 (3) के अंतर्गत अतिरिक्त उधार नहीं ली थी।
- ▲ इसके अतिरिक्त 2011-12 और 2016-17 के बीच ऋण जीएसडीपी अनुपात 20% से कम रहा है।
- ▲ तथापि राजकोषीय दबाव ऋण जीएसडीपी अनुपात के रूप में क्रमशः बढ़ रहा है जो 2013-14 में 15.1% से बढ़कर 2018-19 में 22.1% हो गया।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने एफआरबीएम अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया और वर्ष 2006, 2011 और 2016 में इसमें संशोधन किए।
- ▲ राज्य ने वर्ष 2011-12 से 2017-18 की अवधि के दौरान एफआरबीएम लक्ष्यों का अनुसरण किया था।

अनुपात प्रतिशत	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण -जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	30.6	30.2	29.8	29.5	25.0	25.0	25.0
वास्तव में हासिल	18.4	16.6	15.1	16.1	18.2	18.2	22.1
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.5	-3.5
वास्तव में हासिल	-0.3	0.0	1.6	1.7	2.2	2.4	2.1

टिप्पणी:- (-) चिह्न अधिशेष को दर्शाता है और (+) घाटा दर्शाती है।

स्रोत:- ओडिशा सरकार

#### पतन को नेतृत्व करने संबंधी औद्योगिकीकरण

- ▲ यद्यपि ओडिशा में 480 किमी का समुद्री तट है अतः इसमें तीन पतन है-पाराद्वीप (मुख्य पतन), धमारा (छोटा) और गोपालपुर (छोटा)
- ▲ राज्य को औद्योगिकीकरण और आर्थिक वृद्धि के लिये प्रोत्साहित करने के लिए अन्य पतनों को भी जल्द से जल्द विकास करने की जरूरत है।

#### जिला खनिज प्रतिष्ठान

- ▲ केन्द्रीय खनिज मंत्रालय द्वारा सांझा किए गए डाटा के अनुसार ओडिशा सरकार को मई 2019 तक राज्य के सभी 30 जिलों में डीएमएफ (21 राज्यों में सर्वाधिक) के अंतर्गत 7, 496.72 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं।
- ▲ इन निधियों को उन निर्धारित प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष के भीतर उपयोग किए जाने की जरूरत है जिसके लिए यह राशि एकत्रित किया गया था।
- ▲ यदि यह राशि सावधि जमा के रूप में निरुपयोग पड़ा रहता है भले ही वह अप्रत्यक्ष रूप में उपलब्ध हो तथापि राज्य के पर्याप्त राजकोषीय राशि निर्धारित सीमा तक उपयोग होने से शेष रह जाता है।
- ▲ राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के भीतर शीघ्रतापूर्वक अपने उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेंगे।

#### वन और पर्यटन

- ▲ राज्य का 33% भौगोलिक क्षेत्र वन के अंतर्गत आते हैं।
- ▲ राज्य को आर्थिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक चिंतन करने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र से अधिक से अधिक संसाधन सृजन कर सके।
- ▲ एमएफपी की संग्रहण और बिक्री के आधार पर अनुसूचित जनजाति और वन में रहने वाले अन्य लोगों को मदद करने के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा एमएफपी के लिए एक एमएसपी स्कीम शुरू कर दी गई थी। यह स्कीम अपने खराब प्रापण प्रणाली के कारण अभी भी शुरू नहीं हो पाई है।
- ▲ ओडिशा सरकार को मजबूत प्रापण प्रणाली निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग और मौजूदा कार्यक्रम जैसे ई-एनएएम का उपयोग करते हुए इस स्कीम को पुनः जीवित और क्रियान्वित करना चाहिए।

## सिंचाई

- ▲ राज्य में राष्ट्रीय औसत (वर्ष 2017 में 1,127 मीमी) से अधिक वार्षिक बारिश (वर्ष 2017 में 1,344.5 मीमी) हुई है।<sup>1</sup>
- ▲ अतः राज्य को सिंचाई क्षेत्र सकल फसली क्षेत्र की तुलना में सकल सिंचर्यु क्षेत्र का प्रतिशत 28.7% से बढ़ाकर वर्ष 2014-15 (अंतरिम) के न्यूनतम 48.6% तक ले जाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।<sup>2</sup>

## स्वास्थ्य

- ▲ ओडिशा में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर की बहुत अधिक कमी है :<sup>3</sup>
  - » सीएचसी में विशेषज्ञों की 1,276 रिक्तियां 83.5% कमी जहां स्वीकृत कार्यबल 1,529 है ;और पीएचसी में
  - » डाक्टरों की 409 रिक्तियां 30.8 % कमी जहां स्वीकृत कार्यबल 1,326 है।
- ▲ सतत समाधान के लिए यह राज्य पर्याप्त मात्रा में एमबीबीएस डॉक्टरों को विशेषज्ञ के रूप में जो बाद में दूरदराज और जनजातीय क्षेत्र में सेवा दे सकते हैं। रूपांतरित करने के लिए चिकित्सक और सर्जन महाविद्यालय से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा वाले महाराष्ट्र के रूपरेखा को देख सकते हैं।
- ▲ इसके अतिरिक्त इन क्षेत्र में आवश्यक अंतराल को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- ▲ राज्य को प्रमुख स्वास्थ्य सांकेतिकों को सुधार करने के लिए मजबूत पहल करना चाहिए जो राष्ट्रीय औसत से कम है जैसे कि 150 की मातृ मृत्यु दर प्रति 100,000 जीवित जन्म (2016) जो पूरे भारत में 113 के विपरीत है )( अन्य के लिए ओडिशा-2घ देखें )<sup>4</sup>

## शिक्षा

- ▲ शैक्षिक मापदंड जैसे शिक्षण परिणाम (ग्रंड 111 में उन बच्चों का प्रतिशत जो कम से कम घटाव और ग्रेड 11 पाठ पढ़ सके है।)<sup>5</sup> विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और उच्चतर विद्यालय)<sup>6</sup> साक्षरता दर, इत्यादि<sup>7</sup>की दृष्टिकोण से ओडिशा का निष्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक है (राष्ट्रीय औसत की तुलना में)
- ▲ तथापि, ओडिशा में शिक्षा पर वार्षिक प्रति व्यक्ति व्यय को 2,707 रुपए (2016-17) से बढ़ाकर कम से कम 2, 876 रुपए की जीएस औसत किया जाना चाहिए।

## शहरीकरण

- ▲ भारत के 29 राज्यों में से देश के 31.2% की राष्ट्रीय औसत के स्थान पर सबसे कम शहरीकरण दर (16.7 %) में ओडिशा का स्थान चौथा है।
- ▲ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में कोई भी ऐसी शहर नहीं है जिनकी आबादी एक मिलियन से अधिक हो।
- ▲ चूंकि, शहरी क्षेत्र अर्थव्यवस्था की संचालक होती है अतः राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए।

## नीति आयोग एसडीजी सूचक पर रैंकिंग (2019)

- ▲ भारत के राज्यों में ओडिशा 16 वें स्थान पर है।
- ▲ राज्य को कोई गरीबी नहीं एसडीजी-1 शून्य भुखमरी एसडीजी-2 अच्छी स्वास्थ्य और सेहत एसडीजी-3, गुणवत्ता शिक्षा एसडीजी-4, स्वच्छ पानी और स्वच्छता एसडीजी-6, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा एसडीजी-7, प्रतिष्ठित कार्य और आर्थिक वृद्धि एसडीजी-8, उद्योग, नवोन्मेष और अवसंरचना एसडीजी-9 संवहनीय शहर और समुदाय एसडीजी-11 और शांति, न्याय और मजबूत संस्थान एसडीजी-16 पर अपनी निष्पादन में सुधार करने की जरूरत है।

## पिछड़ापन

- ▲ राज्य के 30 जिलों में से 10 जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में मान्यता दी गई है।
- ▲ इसके अतिरिक्त राज्य में वर्ष 2011-12 में 32.6% दरिद्रता दर थी। (तेंदुलकर पद्धति) (21.92% की राष्ट्रीय औसत की तुलना में)।



- ▲ राज्य को निम्न आय परिधि को खत्म करने और सामाजिक परिणाम में सुधार करने के लिए निर्णयात्मक कदम उठाने की जरूरत है।
- ▲ इसके अतिरिक्त, राज्य नीति आयोग द्वारा देखरेख की जाने वाली महत्वाकांक्षापूर्ण जिले की तर्ज पर महत्वाकांक्षापूर्ण ब्लॉक के रूप में नीचे की 20% ब्लॉकों को विकास करने के लिए लक्ष्य बना सकता है।

#### वामपंथी उग्रवाद

- ▲ राज्य के 30 जिलों में से 15 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है।<sup>8</sup>
- ▲ इसके अतिरिक्त 10 महत्वाकांक्षात्मक जिलों में 2 जिले ऐसे हैं, जिनमें देश के 35 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लक्ष्य हैं जो उनके विकास कार्य में गंभीर बाधा उत्पन्न करते हैं।
- ▲ इस स्थिति को हल करने के लिए केन्द्र सरकार और पड़ोस के राज्य द्वारा किए जाने वाले सम्मिलित और समन्वयात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है।

#### पाइप के द्वारा पानी की आपूर्ति

- ▲ राज्य में 4% ग्रामीण गृहस्थी पीडब्ल्यू एस से जुड़ी हुई है, जो 18.3% की अखिल भारतीय कवरेज के एक चौथाई से भी कम है।
- ▲ राज्य को वर्षा जल संचयन और पेयजल की समाप्ति से समाप्ति मूल्य चैन प्रबंधन ऐसी किफायती और नवीन दृष्टिकोण में निवेश करने की जरूरत है।

#### विद्युत क्षेत्र

- ▲ यद्यपि यह राज्य उदय में भागीदारी लेने के लिए समक्ष नहीं है चूंकि विद्युत क्षेत्र निजीकरण कर दिया गया है अतः एटीएंड सी हानियों को 29.2% की उच्च स्तर (2018-19) से कम करने के लिए प्रभावी उपाय करना चाहिए।
- ▲ मजबूत प्रणालीगत सुधार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि बिजली की सब्सिडी बिना किसी रिसाव के दृष्टि लाभार्थियों तक पहुंचे।
- ▲ राज्य को राजकोषीय जोखिम को कम करने के लिए प्रमुख विद्युत क्षेत्र बैरोमीटर की अपनी निष्पादन में सतत रूप से सुधार करने की जरूरत है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ संविधान के अनुसूची 280 (3) (ख)(ख) और (ग) यथा संरक्षित है भारत के वित्त आयोग एसएफसी के सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदानों की संस्तुति करते हैं। राज्य सरकार को उनके सिफारिशों के आधार पर अनिवार्य रूप से एसएफसी का गठन करना चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले की गई कार्यवाई से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम<sup>9</sup>

- ▲ वर्ष 2012-13 में बकाया खातों की संख्या 47 से बढ़कर वर्ष 2016-17 64 हो चुकी थी। इससे यह पता चलता है कि बकाया खातों की समाशोधन में कुछ हद तक सुचारू हुई थी। सितम्बर, 2017 तक 43 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 53 खातों को अंतिम रूप दिया गया था। इनमें से 39 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बकाया 1 वर्ष के 8 वर्ष तक का था।
- ▲ यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इकटि, ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के लिए राज्य के वर्ष कर बजटीय परिव्यय में बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2015-16 के दौरान यह 2, 369.06 करोड़ रु. की सर्वाधिक ऊंचाई को छुआ था जो वर्ष 2016-17 में घटकर 1, 601.17 करोड़ रु. हो गया था।

#### आवर्तक चक्रवात

- ▲ राज्य को आवर्तक चक्रवात से काफी नुकसान हुआ है वर्ष 2013 में चक्रवात तितली और वर्ष 2019 में चक्रवात फोनी के कारण भयानक हुआ था।

- ▲ राज्य को आपदा तत्परता और रोकथाम उपायों में अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए।
- ▲ शमन उपाय और निर्धारित संसाधनों पर 15वीं वित्त आयोग की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा लाभप्रद रूप से विकास करना चाहिए।

### राज्य का सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के प्रयोजन के लिए राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूह में बाटा गया है, ओडिशा ऐसे समूह का हिस्सा है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्यप्रदेश शामिल है।

### दिशा-निर्देश संबंधी सुधार


- ▲ कम वजन बच्चों में बौनापन, रक्ताल्पता, महिला जिनकी बीएमआई सामान्य से कम है और पेजयल और प्रसाधन सुविधा रहित गृहस्थ से संबंधित सामाजिक, आर्थिक सांख्यिकी पर यह अच्छा कार्य कर रहा है।
- ▲ प्रस्तुत है कि ओडिशा एक अधिशेष राज्य है दूसरे राज्य के सांख्यिकी स्तर के समान अपने राज्य को बनाना सुनिश्चित करने के लिए यह सामाजिक क्षेत्र के व्यय को बढ़ा सकता है।
- ▲ कुछ राजकोषीय कमी अभी भी बरकरार है जिसके परिणाम स्वरूप ओटीआर और ओआरआर की तुलना में टीआरई में टीजीआर अधिक हो गई है। यह राजकोषीय अस्थिरता के कारण हो सकता है। अतः राज्य के लिए ओटीआर और ओआरआर की सुदृढकरण और प्रक्रिया को मुख्यधारा में लाना महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओडिशा की ओआरआर की प्रतिशत के रूप में ओटीआर 68 प्रतिशत है। अपने स्तर पर राज्य के लिए 77.8% की औसत की तुलना में।
- ▲ यदि उपयुक्त पूंजी व्यय के माध्यम से ओडिशा के जीएसडीपी संमिश्रण को अंततः तृतीय क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में रूपांतरित किया जाए तो यह आदर्श स्वरूप होगा।
- ▲ वाणिज्यक नीतिगत सिफारिशों के लिए गैर-राजकोषीय उपायों के अंतर्गत इसमें प्रशासनात्मक पद्धति और प्रभावी सेवा वितरण को सुदृढकरण करने की जरूरत है।
- ▲ नीति आयोग द्वारा देखरेख की जाने वाली महत्वाकांक्षी जिलों के तर्ज पर महत्वाकांक्षी ब्लॉक के रूप में ओडिशा के नीचे के 20% ब्लॉक के विकास के लिए व्यय की व्यापक पुनः प्राथमिकता और अधिक दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है।

### टिप्पणी:-

- 1 भारतीय मौसम विज्ञान विभाग।
- 2 भारत सरकार (2018) कृषि सांख्यिकी 2018, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
- 3 भारत सरकार, ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- 4 भारत सरकार (2016, 2017 और 2018), नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण 2016-2018, महापंजीयक और भारतीय जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- 5 एएसईआर 2018, शिक्षा वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2018 एएसईआर केन्द्र।
- 6 एनयूईपीए 2016 भारत में स्कूली शिक्षा, यू-डीआईएसई, 2015-16, राष्ट्रीय शैक्षिक और प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार।
- 7 भारत सरकार 2011, भारत की जनगणना 2011, महापंजीयक और भारतीय जनगणना का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
- 8 फरवरी, 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा सांझा किया जाने के रूप में।
- 9 सीएजी 2018, 31 मार्च, 2017 की समाप्ति के मिला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा परीक्षक की रिपोर्ट, ओडिशा सरकार।



## पीबी-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
27.7 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.3%



**क्षेत्रफल**  
50,362 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
1.5%



**वन आच्छादन**  
1,849 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
3.7%  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
0.3%  
2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.7% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,71,907  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
6.0%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**प्रति महिला बच्चे**  
1.6  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
37.5%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

## पीबी-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## पीबी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## पीबी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)


विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	2,66,628	77,44,945	3.4
2012-13	2,97,734	88,27,195	3.4
2013-14	3,32,147	1,00,07,392	3.3
2014-15	3,55,102	1,09,93,257	3.2
2015-16	3,90,087	1,21,91,256	3.2
2016-17	4,26,988	1,37,80,737	3.1
2017-18	4,70,834	1,54,20,126	3.1
2018-19	5,26,376	1,72,83,813	3.0

## पीबी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




## पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


पीबी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



पीबी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



पीबी - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




पीबी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

पीबी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

पीबी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

पीबी -3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

पीबी- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स/फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

पीबी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


पीबी- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




पीबी- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



पीबी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




पीबी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


पीबी-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



पीबी - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



पीबी-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय



पीबी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस


राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	1,71,907	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	11.8	13.4
ओटीआर	6.0	6.4
एनटीआर	1.4	1.1
टीई	15.0	16.1
ईएस	3.4	3.1
एसएस	3.5	5.4
जीएस	6.9	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	8.9	5.8
पूँजी व्यय	0.7	2.5
एफडी	3.1	2.5
आरडी	2.5	0.2
ओडी	40.3	25.0



## पीबी- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
पंजाब	11.3	12.1	8.5
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## पीबी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान के ग्यारहवीं अनुसूची में आरएलबी को यथा परिकल्पित 29 में से पंजाब को 9 हस्तांतरित किया गया है और संविधान के बारहवीं अनुसूची में आरएलबी को परिकल्पित सभी 18 कार्य इस राज्य को हस्तांतरित किए गए हैं।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय पंजाब ने यह सूचना दी है कि स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा 2017-18 तक की गई है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य ने 13वीं वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार वर्ष 2013 में पीटीबी की स्थापना की है, तथापि यह अब तक कार्यशील नहीं है।

## सभी राज्यों में हस्तांतरण सूचकांक रैंक

कार्यों का रैंक	पदाधिकारियों का रैंक	वित्त रैंक	नीति में कुल हस्तांतरण रैंक
15	15	16	18

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## पांचवीं एसएफसी (2016-17 से 2020-21)

राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान के राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट की विहंगावलोकन के अनुसार पंजाब ने अपनी छठी एसएफसी (2021-22 से 2025-26) का गठन पहले ही कर लिया है और वर्तमान में वहां पांचवीं एसएफसी की संस्तुतियां क्रियान्वयन अधीन है, इसकी प्रमुख संस्तुतियां निम्नानुसार हैं।

- ▲ निवल कुल कर राजस्व (संग्रह की कम लागत) में से स्थानीय निकायों को 4% हस्तांतरित किया जा सकते हैं।
- ▲ 16वीं वित्त आयोग द्वारा की गई ग्राम पंचायत अनुदान के अलावा, पंचायत समिति और जिला परिषदों को सलाना 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा सकता है।
- ▲ पीआरआई 14वीं वित्तीय आयोग द्वारा अनुसंसित निष्पादन अनुदानों का दावा नहीं कर सके (जैसाकि पांचवें एसएफसी द्वारा किया गया था) चूंकि वे अच्छी गुणवत्तपरक डाटा कर एकत्र को रखरखाव नहीं कर सकते थे।

**ऋण एवं हानियां**


- ▲ यद्यपि पंजाब ने एटी और सी हानियों के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है फिर भी वर्ष 2018-19 में एसीएस ए आर आर अंतराल लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए।
- ▲ यह राज्य वर्ष 2015-16 और 2016-2017 के दौरान उदय के अंतर्गत 15,628 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ▲ दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम (राज्य सरकार से लिए गए आधार सहित) द्वारा लिए गए कुल ऋण 30,473 करोड़ रु. है जो सभी राज्यों की कुल डी डिस्कॉम उधारों का 6.4% है।

महत्वपूर्ण उदय मानदण्ड 2018-19	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी एवं सी हानि (%)	11.28	14
एसीएस-एआरआर अंतर (रु. प्रति इकाई)	-0.05	-0.09

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**पीबी - 5. ए: एटी एवं सी हानिया (%), वित्त वर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उध्वाधर हस्तांतरण**

▲ पंजाब ने यह संस्तुति की है कि कर की कुल विभाज्य पूल में राज्य के शेयर को 50(%) तक बढ़ाई जाए।

**क्षेत्रीय हस्तांतरण के लिए सूत्र**

क्रम सं.	मापदंड	सुझाव की गई भार (%)
i)	जनसंख्या (2011) • जनसंख्या 2011 के लिए 20% • अजा/अजजा जनसंख्या को 5%	25
ii)	क्षेत्रफल • कुल क्षेत्रफल को 12.5% • भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पंजाब सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के हिस्से का 2.5(%)	15
iii)	आय अंतर	45
iv)	कुल जीडीपी में जीएसडीपी का शेयर	10
v)	संवहनीय सूचक • वन अच्छादन के 4.1% • कुल आरईएस विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली पंजाब के माध्यम से विद्युत उत्पादन के शेयर का 1 %	5

**गरीबी में कटौती**

- ▲ गरीबी में कमी में पंजाब ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और इसके तहत एसडीजी-1 के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है।
- ▲ इसकी गरीबी दर वर्ष 2004-05 (तेदुलकर पद्धति) में 20.9% से घटकर वर्ष 2011-12 में 8.3 हो गया है।

**नीति आयोग (2019) की एसडीजी सूचक पर रैंकिंग**

- ▲ राज्य का एसडीजी सूचक मूल्य 62 है (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में)
- ▲ यह राज्य एसडीजी 3 अच्छा स्वास्थ्य और सेहत, एसडीजी 4 गुणवत्ता शिक्षण, एसडीजी-6 स्वच्छ पानी और स्वच्छता एसडीजी-7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, एसडीजी-8 उचित कार्य और आर्थिक विकास, एसडीजी-9 उद्योग, नवाचार और अवसररचना और एसडीजी-16 शांति न्याय और मजबूत संस्थान के मामले में अग्रणी है।
- ▲ तथापि राज्य को एसडीजी-5 लिंग समरूपता और एसडीजी-12 संवहनीय खपत और उत्पादन में सुधार करने की आवश्यकता है।

**भौतिक अवसररचना**

- ▲ राज्य सरकार को ज्ञापन के अनुसार पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले गांव में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, सर्वत्रयत्विक सड़कों के माध्यम से गांवों को 100 % जुड़ने, ग्रामीण क्षेत्रों को मंडियों से जुड़ने और गांव में प्रतिदिन प्रति घंटा के अनुसार पानी की आपूर्ति की स्थिति प्राप्त की है।
- ▲ राज्य में 133 प्रति वर्ग किमी के सड़क धनत्व के साथ शत-प्रतिशत सड़के प्रमुख मार्गों से जुड़ी हुई है।
- ▲ राज्य प्रकोष्ठ, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2018 में विभिन्न राज्यों में से साज्येसामान सुगमता पर भारत में पंजाब द्वितीय स्थान पर था।
- ▲ पंजाब में हस्तांतरण और विवरण (टीएंडडी) हानियां वर्ष 2013-14 में 16.95% से घटकर वर्ष 2017-18 में 13.6% हुआ था।

### सीमा क्षेत्र में पशुधन किसानों का कौशल विकास

- ▲ राज्य सरकार की ज्ञापन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ने वाली पंजाब की 553 किमी उच्च दुधारू पशु उपज मिलद रवि भैंस और साहिवाल गाय के लिए विख्यात है
- ▲ अतः पशुधन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सीमा क्षेत्र को सामयिक रूप से विकास करने की जरूरत है।
- ▲ राज्य इन क्षेत्र में पशुपालन, पोषण, स्वास्थ्य और आश्रय प्रबंधन में निवेश कर सकता है।

### राजकोषीय संसूचक

- ▲ यह ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2012-13 में 31% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 40.2 % हो गया था कारण निम्नानुसार है।
  - » केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के लिए दीर्घावधिक अवधि के लिए, खाद्य ऋण पर नकद ऋण सीमा ( सीसीएल ) अंतराल के परिवर्तन के कारण संचयी ऋण की उत्तरदाव 31,000 करोड़ रुपए है।
  - » विद्युत क्षेत्र के हानियों के कारण अतिरिक्त ऋण का बोझ जो उदय ( 15,628 करोड़ रुपए ) के अंतर्गत लिया गया था।
- ▲ प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है जो वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का 75% है।
- ▲ पंजाब का ब्याज भुगतान 26.2% पर 2018-19 में टीआरआर अनुपात सभी राज्यों में उच्च है।
- ▲ राज्य के लिए विकासात्मक कार्य के कुछ कार्यक्षेत्र को छोड़कर पंजाब का सकल धरा उधार मूल और ब्याज भुगतान की अदायगी पर इसके व्यय को पूरा करने में अपर्याप्त है।

### एफआरबीएम का अनुपालन

- ▲ पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2003 में क्रियान्वित किया गया था और इसको वर्ष 2005, 2007, 2011 और 2018 में संशोधित किया गया था।
- ▲ हाल के वर्षों में यह राज्य अपने एफआरबीएम सीमा का पालन नहीं कर रहा है।
- ▲ राज्य को भावी राजस्व शाखाओं के सृजन के लिए पर्याप्त संसाधन सहित विश्वसनीय ऋण मार्ग और सावधानीपूर्वक अंशांकन करने की जरूरत है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	41.8	41.0	39.8	38.7	32.1	31.5	30.9
वास्तविक रूप में प्राप्त	31.2	31.0	30.8	31.6	33.0	42.7	41.4
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	3.2	3.1	2.6	3.1	4.5	12.4	2.7

स्रोत:- पंजाब सरकार

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ पंजाब में 33 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ( 29 कम्पनी और चार संवैधानिक कॉरपोरेशन ) और 20 निष्क्रिय कम्पनी है।
- ▲ कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 27 पीएसयू ने सितम्बर 2018 तक 37 लेख प्रस्तुत की है। इनमें से 13 खातों में 115.6 करोड़ रु. का फायदा हुआ है और 16 खातों में 5,081.5 करोड़ रु. का नुकसान देखा गया है।

- ▲ पंजाब में कार्यरत 33 पीएसयू में से 24 पीएसयू का बकाया (30 सितम्बर, 2018 की स्थिति के अनुसार) है जिनका बकाया 1-4 वर्ष का है।
- ▲ वृहत बजटीय सहायता देकर राज्य की पहले की अनिश्चयता राजकोषीय वाले जोखिम को कम करने के लिए एसपीएसयू खातों का समय पर लेखा परीक्षा करना कठिन है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य को 3 एफ-वित्त, कार्य और अधिकारियों को तीसरे नियम में प्रभावी रूप से हस्तांतरित करने की जरूरत है।
- ▲ परीक्षक, स्थानीय निधि और खाता (ईएलएफए को) पंजाब में आरएलबी और यूएलबी खातों का संवैधानिक लेखापरिक्षक के रूप में अभी भी स्थापित किया जाना है।
- ▲ वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक से आरएलबी और यूएलबी के खातों का बकाया है।
- ▲ पीआरआई खातों को गांव खाते से ब्लॉक और उससे जिला और अंततः राज्य स्तर तक संकलित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है।
- ▲ पीआरआई में मिला आदर्श लेखांकन प्रणाली (एमएस) का अभी भी अनुपालन किया जाना है।
- ▲ 167 यूएलबी में से केवल 17 यूएलबी वर्ष 2017-18 में निष्पादन अनुदान के लिया पात्र थे।
- ▲ संविधान की अनुसूची 280 (3) (ख ख) और (ग) में जैसे कि संरक्षित है कि भारत का वित्त आयोग एसएफसी के सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदानों की संस्तुति करते हैं। राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी अनुशंसाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले की गई कार्रवाई से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन राज्य विधामंडल के समक्ष मार्च 2024 को या उससे पहले प्रस्तुत करना चाहिए।

#### कृषि संकट और भू-जल कमी

- ▲ राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार सिंचाई (71% भूमिजल और 28% सतही जल) के अंतर्गत 99% की अपनी कृषि भूमि क्षेत्र में पंजाब, भारत के सबसे अधिक सिंचाई करने वाला (204%) राज्य है।
- ▲ भारत के 1.5% भौगोलिक क्षेत्र सहित इस राज्य 2015-16 में देश के कुल गेहूँ की 17.4% और चावल का 11.3% उत्पादन किया है और 2016-17 में केन्द्रीय पुल में 29% चावल, 46.4% गेहूँ का अंशदान किया था।
- ▲ राज्य ने 1994-95 में 0.71 से 2005-06 में 0.68 और आगे 2014-15 में 0.66 तक घटते हुए फसल बहुरूपता सूचकांक में घटता रुझान दर्शाया है।
- ▲ पंजाब (जहां किसानों को मुफ्त में बिजली दिया जाता है) वर्ष 2017 में सिंचाई (34.1 बिलियन घन मीटर) के माध्यम से सर्वाधिक भूजल निर्वहन करने वाला द्वितीय राज्य है और भावी सिंचाई हेतु अनुमानित भू-जल की उपलब्धता नकारात्मक है।
- ▲ राज्य को धान और गेहूँ से हटकर बागवानी फसल सहित कम पानी लेने वाले और उच्च मूल्य वाले फसल की और जाने की जरूरत है।

#### विद्युत सब्सिडी द्वारा प्रतिशत सिंचाई मोड

#### पंजाब में भूजल ब्लॉकों की संख्या (2017)

वर्ष	नहर	टयूवेल	टयूवेल की संख्या (लाख)	सुरक्षित	अर्ध महत्वपूर्ण	महत्वपूर्ण	अति दोहित	खाद्य	
1996-97	43	57	7.50	पंजाब	19	2	3	76	0
2017-18	29	71	13.66	भारत	69	10	4	16	1
प्रतिशत बिन्दु में परिवर्तन (1996-2018)	-14	+14		स्रोत: ए जी पंजाब					

स्रोत: ए जी पंजाब

### लिंग असमानता

- ▲ पंजाब में उच्च आर्थिक विकास के बावजूद महिलाओं के लिए कम सामाजिक संकेतक है जो जनगणना 2011 के अनुसार 943 की अखिल भारतीय औसत की तुलना में प्रति 1000 पुरुष के अनुपात में 895 महिला लिंग अनुपात है।

### अधिक प्रदूषण (पीएम 10) जैसा कि एनएएमपी के अंतर्गत देखा गया है: पराली जलाना

- ▲ जब से संयुक्त फसल कटने की मशीन का उपयोग करते हुए यंत्रिकृत कटाई का आगमन हुआ है तब से धान/ गेहूं भूसा प्रबंधन एक चुनौती के रूप में उभर कर आई है।
- ▲ खरीफ फसल की कटाई के पश्चात भूसा जलाने के कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है।
- ▲ यह एनएमपी (90 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम पीएम 10) के बावजूद पंजाब के मिलियन आवादी वाले शहरों में यह न केवल पीएम 10 निलम्बन को बढ़ाता है बल्कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के वायु गुणवत्ता को भी बिगाड़ देता है।
- ▲ यद्यपि राज्य ने कुछ प्रभावी उपायों जैसे कि सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) जैसे कुछ प्रभावी उपाय किए हैं, वायु गुणवत्ता के प्रभावी प्रबंधन हेतु और प्रभावी और सतत प्रयासों की जरूरत है।

#### पीएम 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर

शहर	2016	2017	2018	औसत
अमृतसर	194	168	177	179.7
लुधियाना	139	162	162	154.3

स्रोत :- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार

### अर्थोपाय अग्रिम

- ▲ वित्त लेखा डाटा के अनुसार पंजाब सरकार ने वर्ष 2018-19 में 170 दिनों पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम लेते हुए न्यूनतम संतुलन को बनाए रखा है।
- ▲ अर्थोपाय अग्रिम पर निर्भरता को बढ़ाया गया है।

### राज्य का सुधार संबंधी समूह

- ▲ विश्लेषण के प्रयोजन के लिए राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विभाजित किया गया है। पंजाब एक ऐसी समूह का हिस्सा है जिसमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल है।

### दिशा-निर्देश संबंधी सुधार

- ▲ यह राज्य हाल ही के वर्षों में अरक्षणीय ऋण पैटर्न को प्रदर्शित कर रहा है।
- ▲ राज्य द्वारा सृजन किया जाने वाले राजकोषीय रक्षणीय चुनौतियों में प्राप्तियों से व्यय अधिक हो रहे हैं। पंजाब का 8.5% (2011-2019) की ओआरआर की टीजीआर की तुलना में टीआरई की टीजीआर 11.3% थी।
- ▲ वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार की (वेतन, पेंशन और ब्याज के लिए) प्रतिबद्ध व्यय सिर्फ 62% था जो राज्य की अपनी स्तर में सर्वाधिक था।
- ▲ वर्तमान संसाधन आधार पर पंजाब को या तो 15 वित्त आयोग की पंजाब अवधि के दौरान ओआरआर वृद्धि दर को 12% तक बढ़ाया अथवा टीआरई टीजीआर को 8.1% तक घटाए।
- ▲ पंजाब में अपने स्तर के राज्यों में से इससे कम कर उछाल (2011 और 2019 के बीच 0.7) है इससे राजकोषीय संकुचन होता है।
- ▲ उतपादक शुल्क प्रक्रिया और विनियामक प्रणाली को और अधिक तटस्थ पारदर्शी और दक्ष्य बनाने की जरूरत है (पश्चिम बंगाल के तर्ज पर)

- » असंतुष्ट अनाज प्रापण के लिए कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम
- » किसानों को मुफ्त बिजली की युक्तिकरण और
- » उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रहण को मुख्य धारा में लाय
- ▲ पंजाब को स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और विद्युत शुल्क में व्यापक सुधार करने की जरूरत है। अच्छे राजस्व प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल द्वारा लिए गए कदमों को अनुकरण कर सकते है।
- ▲ अपने स्तरों के राज्य में से पंजाब का टीआरई के प्रतिशत के रूप में अधिकतम सब्सिडी व्यय है।

#### टीआरई की प्रतिशत के रूप में सब्सिडी

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
छत्तीसगढ़	8	7	10	9	17	9	9	13
पंजाब	10	13	12	10	10	11	11	18
राजस्थान	6	9	9	9	10	14	16	13
पश्चिम बंगाल	3	5	4	2	4	7	8	9

टिप्पणी:- आंध्र प्रदेश को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि पूर्व में आंध्र प्रदेश को वर्ष 2015 में आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया था और सभी वर्षों के लिए अलग-अलग डाटा उपलब्ध नहीं है।

- ▲ इतनी बड़ी सब्सिडी बोझ सहित पंजाब का पूंजी व्यय बहुत कम है जो राज्य को आय की नई स्रोत सृजन मार्ग को रोक रहे है।
- ▲ इस तथ्य के बावजूद पंजाब ने अब तक नवीनतम वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है। इसका राजकोषीय स्थिति बहुत ही अनिश्चित है।
- ▲ यद्यपि पंजाब का प्रति व्यक्ति आय अपने स्तर के राज्यों में से सर्वाधिक है, इसका प्रमुख सामाजिक और राजकोषीय मापदंड लगातार बिगड़ रहा है।
- ▲ यद्यपि पिछले दो दशकों में लगभग सभी वित्त आयोग ने पंजाब और कुछ अन्य राज्यों के लिए विभिन्न सुधारात्मक उपायों की संस्तुति की है, पंजाब अपनी राजकोषीय स्थिति को सुधारने में सफल नहीं हुआ है।
- ▲ 15वां वित्त आयोग यह संस्तुति करती है कि राज्य सरकार इन मुद्दों को व्यापक रूप से निम्नलिखित रूपव से संबोधित करें।
  - » राजकोषीय सुधार बंधित राजस्व की सतत धारा को नेतृत्व करती है।
  - » मजबूत पूंजी अवसंरचना में निवेश किया जाए।
  - » जल सारणी और भूमि प्रजनन को सुधार करने के लिए बिजली सब्सिडी मुक्तियुक्त है।
  - » इसके अतिरिक्त, इससे यह प्रतीत होता है कि ऐसा तीन क्षेत्र है जिनका पंजाब दीर्घावधिक वित्त पर गहरा प्रभाव है, वे है (क) एपीएमसी अधिनियम सुधार जो अनाज प्रापण में एजेंटों को और अन्य अवरोध को समाप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा। (ख) कृषि के लिए मुफ्त बिजली को युक्तिमुक्त करना और (ग) उत्पादन शुल्क राजस्व संग्रहण को मुख्य धारा में लाना यदि राज्य इन मुद्दों को शुरू कर सकता है तो यह आगे की राजकोषीय फिसलन से रोकने के लिए अपने आप को मदद कर सकेगा।
  - » सामाजिक क्षेत्र में निवेश, प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार के लिए नेतृत्व करता है।
- ▲ ये कदम पंजाब के राजकोषीय स्थिति को अगले पांच वर्षों के लिए सुधार देगा और तब पंजाब को भारत के उच्च आय वाले राज्यों में गिना जाएगा।


**टिप्पणी**

1. भारत सरकार (2018), विभिन्न राज्यों के बीच साजोसामान सुगमता, राज्य प्रकोष्ठ के आज्ञा से डीमोईटी द्वारा एक अध्ययन आयोजित की गई, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
2. सीएजी (2019), 2019 की रिपोर्ट संख्या 2-31 मार्च, 2018 को समाप्त पीएसयू ( सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र ) पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट।
3. भारत सरकार (2018), आर्थिक समीक्षा 2017-18 भाग-2 कृषि और खाद्य प्रबंधन, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।





## आरजे-1. ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
68.6 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
5.8%



**क्षेत्रफल**  
3,42,239 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
10.5%



**वन आच्छादन**  
16,630 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
4.9%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.3% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,23,343  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
6.1%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
2.4  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
24.9%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

## आरजे-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## आरजे-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## आरजे-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

विव.व.	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	4,34,837	77,44,945	5.6
2012-13	4,93,551	88,27,195	5.6
2013-14	5,51,031	1,00,07,392	5.5
2014-15	6,15,642	1,09,93,257	5.6
2015-16	6,81,482	1,21,91,256	5.6
2016-17	7,60,750	1,37,80,737	5.5
2017-18	8,35,170	1,54,20,126	5.4
2018-19	9,42,586	1,72,83,813	5.5


## आरजे-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




आरजे-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




आरजे-2. बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)



आरजे-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




आरजे-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

आरजे-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)




टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

आरजे-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

आरजे-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

आरजे-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/फार्मासिस्ट




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

आरजे-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


आरजे-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




आरजे-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



आरजे-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया देनदारी



आरजे-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पणी : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, और पेंशन


आरजे-4. ई: जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



आरजे-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



आरजे- 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




आरजे-4. एच : प्रमुख राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम सकल राज्य

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	1,23,343	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	14.6	13.4
ओटीआर	6.1	6.4
एनटीआर	2.0	1.1
टीई	19.9	16.1
ईएस	5.0	3.1
एसएस	7.0	5.4
जीएस	5.8	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	9.7	5.8
पूंजी व्यय	2.2	2.5
एफडी	3.7	2.5
आरडी	3.1	0.2
ओडी	33.0	25.0

आरजे-4. आई : टीआरई तथा ओआरआर अंतराल

टीजीआर %, 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
राजस्थान	17.8	13.5	10.4
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

आरजे-4. जे: टीआरआर के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय स्थानांतरण {कर हस्तांतरण तथा अनुदान मांग (एफसी तथा गैर-एफसी)}



सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 कार्य में से 25 आरएलबीएस/पीआरआईएस को सौंपे गए हैं।
- ▲ निधियां तथा पदाधिकारी इन 23 कार्यों में से 15 को सौंपे गए हैं।
- ▲ संविधान की 12वीं अनुसूची के 18 कार्यों में से 16 यूएलबीएस को सौंपे गए हैं।
- ▲ जल आपूर्ति कार्य आंशिक रूप से सौंपा गया है तथा शहरी योजना अभी यूएलबीएस को सौंपी जानी है।

लेखापरीक्षा स्थिति<sup>1</sup>

- ▲ स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग (डीएलएफएडी) का महानिदेशालय को राजस्थान के आरएलबीएस तथा यूएलबीएस वैधानिक लेखापरीक्षा के साथ सौंपा गया है।
- ▲ राज्य में पीआरआईएस के जबाबदेही यांत्रिकी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग कमजोर बनी हुई है कमजोर लेखा रख-रखाव, पात्र सत्यापन की कमी, निवेश तथा बैंक खातों में वृद्धि आरएलबीएस, पारदर्शिता रखने तथा जबाबदेही के चिंता के मुख्य विषय हैं।
- ▲ राजस्थान में 10,219 आरएलबी खातों में से मात्र 6,802 (66.5%) 2017-18 में डीएफएलईडी द्वारा सत्यापित किए गए थे।
- ▲ 2017-18 में पीआरआईएस के मात्र 20% ने प्रियासॉफ्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए अपनी ईयरबुक्स बंद कर दी हैं।
- ▲ मार्च, 2018 तथा जिला पंचायत निधियों में 1,872 करोड़ रुपए तथा पंचायत समिति निधियों में 1450 करोड़ रुपए अप्रयुक्त क्लोजिंग शेष रहा।
- ▲ 2017-18 में यूएलबी खातों का 68% प्रतिशत सत्यापित किया गया।

संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ एफसी- XIII की सिफारिश के अनुसार राजस्थान सरकार ने पीटीबी स्थापित किया।

समस्त राज्यों की हस्तांतरण सूची रैंक

कार्य रैंक	पदाधिकारी रैंक	वित्त रैंक	नीति रैंक में कुल हस्तांतरण
3	16	16	11

स्रोत : भारत सरकार (2016), हस्तांतरण सूची रिपोर्ट 2015-16 पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार।

**पांचवां एफएफसी (2015-16 से 2019-20)**

- ▲ राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट के अवलोकन के अनुसार, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए दो अंतरिक रिपोर्टें, की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) के साथ सभा में प्रस्तुत की गई थी।
- ▲ पांचवें एफएफसी ने नवम्बर, 018 में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- ▲ राज्य में कार्यान्वयन के तहत मौजूदा पांचवें एफएफसी सिफारिशों के अनुसार; राज्यों के 7.2% निवल ओटीआर स्थानीय निकायों को सौंपे जाने हैं।
- ▲ आरएलबीएस/पीआरआईएस तथा यूएलबीएस के मध्य निधियों का वितरण सेंसस 2011 के अनुसार जनसंख्या पर आधारित 75:25 के अनुपात में किया जाना है।


**ऋण तथा हानियां**

- ▲ 2018-19 में न तो एसीएस-एआरआर अंतराल लक्ष्य और न ही एटी एंड सी हानि लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- ▲ यूडीएवाई के अंतर्गत 2015-16 तथा 2016-17 की अवधि के दौरान राज्य 62,422 रूपए की राशि वाले डीआईएससीओएम ऋण पर हावी रहा।
- ▲ 31 मार्च, 2019 तक डीआईएससीओएमएस द्वारा कुल उधारियां (राज्य सरकार द्वारा 16037 करोड़ रूपए की उधारियां सहित) 54,538 करोड़ रूपए रहीं
- ▲ राज्यों को यूडीएवाई बैरोमीटर पर अपना प्रदर्शन सुधारने की आवश्यकता है। अन्यथा, निकट भविष्य में विद्युत राजकोषीय जोखिम को सामना कर सकती है।

मुख्य यूडीएवाई बैरोमीटर (2018-19)	उपलब्धियां	लक्ष्य
एटी तथा सी हानियां (%)	28.26	15.0
एसीएस-एआरआर अंतराल (रू. प्रति ईकाई)	1.5	-0.12

नोट : (-) एसीएस-एआरआर अंतराल इशारा करता है कि सम्पादित प्रति ईकाई औसत राजस्व, आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।  
 स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

**आरजे-5. ए - एटी तथा सी हानियाँ (%), वित्त वर्ष 2018**



स्रोत : भारत सरकार, यूडीएवाई के सूचना पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।



**उध्वाधर अन्तरण**

- ▲ राजस्थान ने सिफारिश की कि करों के सम्पूर्ण विभाज्य पूल में राज्य का हिस्सा 50% तक बढ़ाया जाये।

**क्षैतिज अन्तरण के लिए सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाव गए भार (%)
i)	जनसंख्या	15.0
ii)	क्षेत्र	20.0
iii)	वन तथा परिस्थितिकी	5.0
iv)	आय का अन्तर	45.0
v)	जनसांख्यिकी प्रदर्शन	12.5
vi)	कर प्रयास	2.5

**राजकोषीय संकेतक**

- ▲ राजस्थान में 2012-1 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 23.9% से 33.0% तक बढ़ गया था, जो अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक है।

**एफआरबीएम अनुकूलता**

- ▲ राज्य ने 2005 में अपना एफआरबीएम अधिनियम कार्यान्वित किया जिसमें 2007, 2009, 2011, 2014 तथा 2016 में संशोधन किया गया था।
- ▲ हालांकि, हाल के वर्षों में राजस्थान अपनी ऋण सीमा के मुताबिक रहा है, इसने अपने एफडी लक्ष्य संगृहीत नहीं किए हैं।
- ▲ इस प्रकार, राज्य को भविष्य में आय बढ़ाने के लिए विश्वसनीय ऋण कार्य प्रणाली तथा व्यय के अंशशोधन की आवश्यकता है।

% में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएस द्वारा निर्धारित	39.3	38.3	37.3	36.5	36.5	36.5	35.5
वास्तविक उपलब्धि	24.5	23.9	23.6	24.0	30.7	33.5	33.7
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएस द्वारा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक उपलब्धि	0.8	1.7	2.8	3.1	9.3	6.1	3.0

स्रोत : राजस्थान सरकार

**राजस्व जुटाने के लिए उठाए गए कदम**

- ▲ 2011-2019 के दौरान राज्य ने 1.0 का ओटीआर उछाल दर्शाया है।
- ▲ 2011-12 से इसने ओटीआर में दो-अकों की वृद्धि भी दर्ज की है (2016-17 को छोड़कर, स्टाम्प तथा वैद्युत शुल्क में इसकी नकारात्मक वृद्धि है)।
- ▲ राज्य में पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पाद-शुल्क स्टाम्प शुल्क तथा खनन शुल्कों में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

- ▲ स्टाम्प शुल्क दर बिक्री के लिए करार तथा अचल सम्पत्ति की बिक्री से सम्बन्धित अटार्नी अधिकार पर कम कर दी गई ताकि इन दस्तावेजों के पंजीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके।
- ▲ स्टाम्प शुल्क की पुरानी देयताओं की बहाली के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान सर्वक्षमा योजनाओं के माध्यम से ब्याज में छूट तथा शास्ति दी गई है।
- ▲ 'डीलर सर्च' भुगतान, पैन, प्रारूप तथा प्रमाण-पत्र और आवेदनों के सभी प्रकारों की स्थिति के बारे में सूचना कहीं भी तथा किसी भी समय डीलरों के पास उपलब्ध है।
- ▲ डीलरों को आगे बढ़ाने के लिए वैट/वैद्युत शुल्क/विलासिता कर अधिनियमों/नियमों में किए गए संशोधनों, अधिसूचित वैट, प्रवेश कर (सामग्री) तथा प्रवेश कर (मोटर वाहन) के लिए सर्वक्षमा योजनाओं ने दीर्घकालिक कर बहाली में सहायता की है।
- ▲ मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए, वाहन नामक ऑनलाइन पंजीकरण की संगठित प्रणाली रखी गई है। वाहन, परिवहन विभाग की, विश्लेषण तथा वाहन पंजीकरण संकेत पूर्वानुमान में सहायता करता है तथा इस प्रकार कर संग्रहण का अनुमान लगाता है।
- ▲ ठेके पर दिए गए खनन से खनिजों का प्रेषण मात्र ई-रावनास के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार, स्टॉक/डीलर साइट से निश्चित खनिजों का प्रेषण भी मात्र ई-ट्रांजिट पास के माध्यम से आवश्यक किया गया है।
- ▲ उत्पाद-शुल्क नीति के तहत विभाग ने देसी शराब तथा भारत द्वारा निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) तथा बीयर की दुकानों के लाइसेंस शुल्क में अन्य विशेषाधिकार राशि में बढ़ोतरी की है।
- ▲ देसी शराब की उत्पाद-शुल्क तथा आईएमएफएल की शराब-भट्टी की कीमत, अनुमति शुल्क, बोतल शुल्क, शराब भट्टी के विभिन्न लाइसेंस पर ब्राण्ड तथा लेबल अनुमोदन शुल्क और बोतल बनाने वाले संयंत्रों के साथ-साथ होटल, बार तथा रेस्त्रां के लाइसेंस शुल्क को भी बढ़ा दिया गया है।

#### गरीबी उपशमन

- ▲ राज्य ने 2004-05 से 2011-12 तक गरीबी (एसडीजी-1) में 19.7% की कटौती दर्शाई है।

#### नवीकरणीय ऊर्जा

- ▲ राज्य सरकार ज्ञापन के अनुसार, राजस्थान की 3,072.43 एमडब्ल्यू की तीसरी उच्च और क्षमता (राज्यों में) है (मार्च 2019 तक)।
- ▲ वर्तमान में, 3,000 एमडब्ल्यू क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।
- ▲ राज्य सरकार सार्वजनिक, निजी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से सौर पार्कों के विकास को बढ़ावा दे रही है जिसके लिए विभिन्न समझौता ज्ञापन तथा उद्यम करार पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।
- ▲ इन समझौता ज्ञापन से भूमि पार्कों में बदलती है, इससे राज्य सरकार को अत्यावश्यक राजकोषीय स्थान मिलता है।

#### पर्यटन

- ▲ राजस्थान के पास विशाल तथा अनन्वेषित पर्यटन सामर्थ्य है - राज्य में सफारी तथा कई किलों तथा स्मारकों का भ्रमण कराने वाला मरूस्थल पर्यटन तथा सांस्कृतिक पर्यटन।
- ▲ टूरिज़्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स 2020 के अनुसार, राजस्थान भारत में विदेशी पर्यटकों द्वारा किए जाने वाले भ्रमण का 5.1% होने के साथ-साथ छठा सबसे लोकप्रिय स्थान (राज्यों में) है।
- ▲ इसी प्रकार, 2019 में सभी घरेलू पर्यटकों के 2.2% के साथ उन्हें आकर्षित करने में यह 10वें स्थान पर राज्यों में है।

#### कच्चे तेल का उत्पादन

- ▲ राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार, बॉम्बे हाई ऑफशोर के बाद राजस्थान भारत में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- ▲ राज्य में तेल के क्षेत्र वर्ष भर में लगभग 80 लाख टन कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है, जो कुल घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन का 22% - 23% है।

- ▲ राजस्थान सरकार 18 अप्रैल 2017 को 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वालो रिफाइनरी सह प्रोटोकैमिकल कॉम्प्लैक्स की संस्थापना के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया ( भारत में यह पहली बार है)। प्रस्ताव रिफाइनरी क्षेत्र में कमजोर उद्योगों तथा सेवाओं को सहारा दे सकती थी।
- ▲ यदि राज्य बढ़े हुए पर्यवेक्षण, राजशुल्क प्रक्रियाओं को समर्थन तथा प्रोत्साहन देता है तो राजकोष में वृद्धि होगी।

#### एफडीआई तथा विदेशी संयुक्त उद्यम

- ▲ राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ( आरआईआईसीओ ) तथा जापान विदेश व्यापार संगठन ( जेईटीआरओ ) ने 2006-2016 के दौरान राजस्थान में जापानियों के व्यापार विस्तार के लिए मिलकर कार्य किया है।
- ▲ राज्य को पता लगाने की जरूरत है कि नीमराना के पास गिलोथ में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के बाद ऐसे निवेश क्यों आगमनशील नहीं थे तथा इस सामर्थ्य को कैसे सिद्ध किया जाए।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य ने पाचवें एसएफसी ( 2015-16 से 2019-20 ) का गठन किया जिसने नवम्बर 2018 में अंतिम रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए 2015-16 तथा 2016-17 में अंतरिम रिपोर्टें प्रस्तुत कीं।
- ▲ यहाँ तक कि चौथे एसएफसी ने इसकी देय तिथि के बाद डेढ़ वर्ष के विलम्ब के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की इस प्रकार, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने संविधान के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है।
- ▲ जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 280 ( 3 ) ( ख ख ) तथा ( ग ) में प्रतिष्ठापित है, भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों पर आधारित स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सिफारिशें करता है। राज्य सरकार को एसएफसी का गठन करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए तथा मार्च 2024 को या उससे पहले राज्य विधानसभा के समक्ष की गई कार्रवाई से सम्बन्धित व्याख्यात्मक ज्ञापन पेश करना चाहिए।
- ▲ राज्य में आरएलबीएस तथा यूएलबीएस की जवाबदेही यात्रिकी तथा वित्तीय रिपोर्टिंग, जैसा कि पहले उल्लिखित है, कमजोर बनी हुई है।

#### नीति आयोग की एसडीजी सूची में रैंकिंग ( 2019 )

- ▲ राज्य के पास 57 का एसडीजी सूची मूल्य है ( राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में )
- ▲ 2019 में, भारतीय राज्यों में इसका 20वां स्थान था जो 2018 में 14वें स्थान पर फिसल गया है।
- ▲ राज्य एसडीजी-1 निर्धनताहीन, एसडीजी-6 साफ पानी तथा स्वच्छता, एसडीजी - 8 शानदार कार्य तथा आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-10 घटती हुई असमानता, एसडीजी-15 भूमि पर जीवन, एसडीजी-16 शांति, न्याय तथा मजबूत संस्थाओं में अग्रणी है।
- ▲ हालांकि, राज्य को एसडीजी-2 शून्य भुखमरी, एसडीजी-5 लिंग समानता, एसडीजी-9 उद्योग, नवोन्मेष तथा अवसंरचना तथा एसडीजी-12 दीर्घकालिक खपत तथा उत्पादन में सुधार की आवश्यकता है।
- ▲ राज्य को एसडीजी में संकेद्रित निवेश करना चाहिए क्योंकि परिणामों की निकट देखरेख में यह पिछड़ रहा है, विशेष रूप से बारन, धौलपुर, जैसलमेर, करौली तथा तथा सिरोही जिलों की आकांक्षा में, जिनके सामाजिक आर्थिक संकेतक अच्छे नहीं हैं।

#### तकनीकी रूप में कुशल जनसंख्या का अभाव

- ▲ नीति आयोग के अनुसार, राज्य में तकनीकी रूप से पात्र कर्मियों का अभाव एक चिंता का विषय रहा है।

- ▲ राज्य सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, कुशल कर्मिकों की उपलब्धता 2.17 लाख तक अनुमानित है, जो आवश्यक आधे अनुमान से भी कम है।
- ▲ आंशिक रूप से कुशल कर्मिकों में लगभग 20 लाख व्यक्तियों की गिरावट है।
- ▲ राजस्थान सरकार को मिशन के रूप में कुशलताएँ स्थापित करने की आवश्यकता है।

#### ताजे पानी की कमी

- ▲ राज्य सरकार के ज्ञापन के अनुसार, राजस्थान भारत की जनसंख्या के अलभग 6% लोगों का निवास स्थान है, जो राष्ट्र के सतही जल का मात्र 1.1% तथा इसके भूमि जल संसाधनों का 2.5% उपयोग करता है।
- ▲ प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता प्रति वर्ष 640 क्यूबिक मीटर है (जहाँ उपलब्धता प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 1,7000 क्यूबिक मीटर से कम है 'जल दबाव' का गठन करती है)।
- ▲ राज्य में भूमि जल की स्थिति काफी खतरनाक है। राज्य में कुछ 295 खण्डों में से, मात्र 52 खण्ड सुरक्षित है, 191 अतिरिक्त शोषित, 11 जटिल तथा आंशिक जटिल, और 3 लवणयुक्त हैं। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 34 खण्डों को अत्यधिक जटिल बनाया है।

#### परिवहन क्षेत्र

- ▲ राज्य को अपने परिवहन क्षेत्र की समीक्षा तथा पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है।
- ▲ राजस्थान राज सड़क तथा परिवहन निगम (आरएसटीआरसी) ने पिछले कुछ वर्षों में हो रही लगातार हानियों के बारे में रिपोर्ट की है। प्रति किलोमीटर नकारात्मक निवल आय प्रति किलोमीटर राजस्व आय से प्रचालन की अधिक लागत पर बकाया है।

#### राज्य का सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य हेतु, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्यों का दल बन गया है। राजस्थान इस दल का हिस्सा है जिसमें पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब शामिल है।

#### सुधार सूचक

- ▲ 2011-12 से 13.5% पर राजस्थान ने टीआरआर के टीजीआर रिपोर्ट की क्योंकि 17.8% की टीआरई वृद्धि विरोधी रही। स्पष्ट रूप से, व्यय राजस्व से अधिक तेजी से वृद्धि कर रहा है। यह दीर्घकाल से अरक्षणिय राजकोषीय मार्ग है।
- ▲ जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, राज्य ने 2011-19 के दौरान 1.0 का एक अच्छा ओटीआर उछाल तथा 2016-17 को छोड़कर ओटीआर (2011-12 से) में दो अंको की वृद्धि दर्शाई है। राज्य ने पिछले पांच वर्षों में उत्पादकता शुल्क स्टाम्प शुल्क तथा खनन में विशेष सुधार प्रारंभ किए।
- ▲ राजस्थान राजशुल्क प्राप्त करता है क्योंकि यह भारत में तेल उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
- ▲ राजस्थान राजकोषीय रूप से काफी स्थिर राज्य रहा जब तक कि हालिया विद्युत क्षेत्र देनदारियों (यूडीएवाई के कार्यान्वयन द्वारा बिगाड़ा गया) ने राज्य में राजकोषीय संरचना को क्षति नहीं पहुंचाई।
- ▲ डीआईसीओएम से विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण कम्पनियों को कुल बकाया भुगतान लगभग 1,19,000 करोड़ रू. है, जिसमें से 35,000 करोड़ रू. की राजस्थान सरकार के ऊपर देनदारी है।
- ▲ राज्य 2018-19 में 84% का आर डी-एफडी अनुपात बनाए हुए है।
- ▲ राज्यों की श्रेणी के बीच, राजस्थान टीआरई के प्रतिशत के रूप में अधिकतम अनुदान व्यय वाले राज्यों में से एक है।

## टीआरई के प्रतिशत के रूप में अनुदान व्यय

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
छत्तीसगढ़	8	7	10	9	17	9	9	13
पंजाब	10	13	12	10	10	11	11	18
राजस्थान	6	9	9	9	10	14	16	13
पश्चिम बंगाल	3	5	4	2	4	7	8	9

नोट : आन्ध्र प्रदेश इसमें शामिल नहीं है क्योंकि पूर्व आन्ध्र प्रदेश को 2015 में आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दो हिस्सों में बांट किया गया तथा सभी वर्षों के भिन्न-भिन्न आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

- ▲ हालांकि राजस्थान स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर इसकी टीआरई का सम्बन्धित बड़ा भाग लगा रहा है, इसके सामाजिक आर्थिक संकेतक अभी भी काफी कमजोर हैं, विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के क्षेत्र में ( राजस्थान-2. डी देखें )।
- ▲ एफसी-एक्सवी सिफारिश करता है कि राजस्थान सरकार ऊपरलिखित मुद्दों का निम्नलिखित रूप में बिस्तार से परिचयन करें :
- ▲ विस्तृत राजस्व की दीर्घकालिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय सुधार
- ▲ स्थायी पूंजीगत अवसंरचना में निवेश
- ▲ सहायता परिमेयकरण


**भूमि तथा सतह जल प्रबंधन, तथा**

- ▲ जटिल सामाजिक क्षेत्रों में संकेद्रित तथा विस्तृत निवेश।
- ▲ यह कदम, आने वाले पांच वर्षों में राजस्थान के सम्पूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक संकेतकों में सुधार करेगा तथा भारत के अधिक आय वाले राज्यों के बीच इसे स्थान दिलाएगा।

**टिप्पणियाँ**

1. राज्य के प्रधान महालेखाकार द्वारा पंद्रहवां वित्त आयोग को प्रस्तुत।
2. भारत सरकार ( 2020 ), टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स, 2020, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।

## सिक्किम 1 ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
0.6 मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
0.1%



**क्षेत्रफल**  
7,096 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
0.2%



**वन आच्छादन**  
3,342 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
0.5%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
47.1%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.1% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 4,35,204  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
3.1%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
प्रति महिला बच्चे  
1.2  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
25.0%  
अखिल भारत औसत  
31.1%

## सिक्किम 1 बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## सिक्किम 1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## सिक्किम 1 डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर	
2011-12	11,165	5,03,182	2.2
2012-13	12,338	5,63,081	2.2
2013-14	13,862	6,37,264	2.2
2014-15	15,407	6,95,474	2.2
2015-16	18,034	7,88,321	2.3
2016-17	20,687	8,67,648	2.4
2017-18	25,971	9,74,240	2.7
2018-19	28,723	10,82,901	2.7


## सिक्किम 1 ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




सिक्किम 2 ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



सिक्किम 2 बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



सिक्किम 2 सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




सिक्किम 2 डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>आ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>एफ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>फ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>आ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

**सिक्किम 2. ई : वित्तवर्ष 2005 और वित्तवर्ष 2012 के बीच गरीबी उन्मूलन (प्रतिशत व्वाइंट)**




नोट:- वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में धनात्मक गरीबी में कटौती को दिखाता है।

**सिक्किम 3 ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर**



स्रोत: भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 14 वां संस्करण, स्वास्थ्य अन्वेषण केन्द्रीय ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार


**सिक्किम-3 बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी**



स्रोत: भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 14 वां संस्करण, स्वास्थ्य अन्वेषण केन्द्रीय ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार




एसके-3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स/फार्मासिस्ट




स्रोत: भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 14 वां संस्करण, स्वास्थ्य अन्वेषण केन्द्रीय ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

एसके -3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


एसके-4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




एसके-4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



एसके- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




एसके- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


एसके-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



एसके - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



एसके-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




एसके-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम एनईएचएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	4,35,204	1,30,427
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	20.6	23.3
ओटीआर	3.1	5.0
एनटीआर	2.3	2.0
टीई	22.9	26.7
ईएस	3.9	5.0
एसएस	7.3	8.7
जीएस	6.7	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	10.8	14.4
पूंजी व्यय	4.7	4.3
एफडी	2.2	3.4
आरडी	-2.4	-0.9
ओडी	22.1	29.6

एसके- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
सिक्किम	6.4	6.1	0.8
एनईएचएस	12.6	12.1	10.7

एसके- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 29 कार्य आरएलबी को सौंपे गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 18 कार्यों में से 6 यूएलबी को सौंपे गए हैं।

लेखापरीक्षण स्थिति

- ▲ आरएलबी तथा यूएलबी के लेखों का लेखापरीक्षण 2016-17 तक पूर्ण कर दिया गया है।

सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ राज्य सरकार द्वारा अभी तक पीटीबी (एफसी-13 द्वारा अनुशासित) की स्थापना नहीं की गई है।

समस्त राज्यों की अन्तरण सूची रैंक

कार्य रैंक	अधिकारिक रैंक	वित्त रैंक	नीति रैंक में सकल अवकृमि
11	7	7	6

स्रोत: भारत सरकार (2016), अन्तरण सूची रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।

चतुर्थ एसएफसी (2015-16 से 2019-20)

- ▲ चतुर्थ एसएफसी ने मई 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
- ▲ पीआरआई तथा यूएलबी को 75:25 के अनुपात में सूचकांक 2011 के अस्थाई ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्यक आंकड़ों के आधार पर करों के आवंटन की सिफारिश की गई थी।
- ▲ आयोग के द्वारा 70:30 के अनुपात में प्राथमिक अनुदान तथा सुधार अनुदान में अनुदानों को विभाजित किया गया था।

**ऋण तथा हानियां**

- ▲ जबकि प्रचालनात्मक क्षमता के लिए यूडीएवाई करार पर राज्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।
- ▲ 2018-19 के लिए एटी तथा सी हानियां और एसीएस-एआरआर अन्तराल दोनों यूडीएवाई लक्ष्यों से अधिक हैं।

मुख्य यूडीएवाई बैरोमीटर	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी तथा सी हानियां (%)	31.83	15.0
एसीएस-एआरआर अन्तराल (रु. प्रति इकाई)	0.02	-0.09

नोट:- (-) एसीएस-एआरआर संकेत देता है कि प्रति इकाई औसत राजस्व आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उर्ध्वाधर अन्तरण**

- ▲ सिक्किम ने रिफारिश की थी की करो के सम्पूर्ण विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से को 50% तक बढ़ाया जाना है।

**क्षैतिज अन्तरण के लिए सूत्र**

क्र. सं.	मानदण्ड	सूचित भार (%)
i)	जनसंख्या (सूचकांक 2011)	20
ii)	क्षेत्र	20
iii)	आय अन्तर	30
iv)	जनसंख्या नियंत्रण	20
v)	वन्य स्थान	10

**राजकोषीय संकेतक**

- ▲ पिछले कुछ वर्षों में सिक्किम का राजकोषीय घाटा 3% से कम बना हुआ है।
- ▲ राज्य ने हालिया राजकोषीय वर्षों में राजस्व की अधिकता की रिपोर्ट भी दी है।
- ▲ 2018-19 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात 22.06% पर सामान्य बना हुआ है। (एनईएचएस औसत 29.6%)
- ▲ राज्य एफआरबीएम के पास निर्धारित लक्ष्यों के साथ-साथ ऋण-जीएसडीपी अनुपात रखने का सामर्थ्य है।

प्रतिशत के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण - जीएसडीपी</b>							
जैसा कि राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित किया गया है।	41.8	29.9	36.2	33.5	23.3	24.5	25.8
वास्तविक उपलब्धि	22.9	22.4	22.1	22.6	22.0	22.6	21.0
<b>एफडी - जीएसडीपी</b>							
जैसा कि एफआरबीएम द्वारा निर्धारित किया गया है	4.8	3.2	3.0	3.6	3.3	3.0	3.5
वास्तविक उपलब्धि	1.6	0.5	0.4	1.8	2.9	-0.4	1.8

स्रोत: सिक्किम सरकार

#### प्रति व्यक्ति आय तथा निर्धनता में गिरावट

- ▲ 4,35, 204 प्रति वर्ष सिक्किम की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2018-19 में 1,30,427 रु. एनईएचएस औसत से काफी अधिक है।
- ▲ सिक्किम में जनसंख्या का मात्र 8.19% भाग राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध है ( तेंदुलकर कार्य प्रणाली, 2011-12 )

#### जीएसडीपी में द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा

- ▲ द्वितीयक क्षेत्र हाइडल पावर तथा औषध उद्योगों द्वारा प्रोत्साहित सिक्किम की जीएसडीपी का लगभग 60% अंशदान करता है।
- ▲ राज्य को सामर्थ्य का पूर्णतः प्रयोग करने तथा राजस्व आय को बढ़ाने के लिए चल रही हाइडल परियोजनाओं के कार्यान्वयन को तीव्र करना चाहिए।

#### पर्यटन

- ▲ पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो मानदण्ड आवश्यक थे, वे निम्नलिखित हैं-
- ▲ राज्य को पर्यटन तथा पर्यटन संचालकों के साथ अनुबंध बढ़ाने के लिए अपने अद्वितीय बोर्ड को विकसित करने की आवश्यकता है।
- ▲ यात्रा की लागत को कम करने के लिए वायु संयोजकता तथा सड़क नेटवर्क में सुधार किया जाना चाहिए।
- ▲ प्रोत्साहनों तथा पीपीपी मोड के माध्यम से ईको-टूरिज्म तथा साहसिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- ▲ समुदाय तथा व्यक्तिगत आधार पर होमस्टे को स्थानीय लोगों के लिए आय के व्यवहार्य वैकल्पिक साधन के रूप में प्रोन्नत किया जा सकता है। जब से होमस्टे को महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है, उन्हें अपने आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक बनाया जा सकता है। राज्य सरकार होमस्टे को ई-कॉमर्स प्लेयरों से जोड़ने के लिए सक्रिय मानदण्ड बना सकती है।
- ▲ सिक्किम सरकार को इसके विविध तथा अद्वितीय वनस्पति तथा पशु-पक्षियों के संरक्षण तथा प्रजनन के लिए कदम उठाने चाहिए।

#### उद्यान तथा जैविक खाद कृषि

- ▲ सिक्किम में अधिक कोल्ड-स्टोरेज बनाकर, कृषि-मूल्य कड़ियां बनाकर तथा खाद्य प्रक्रिया उद्योग को विकसित करके जैविक खाद्य कृषि तथा उद्यान में सामर्थ्य का लाभ उठाया जा सकता है।

#### सामाजिक-आर्थिक संकेतक

- ▲ सिक्किम के पास अधिक संख्या में राष्ट्रीय औसत से बेहतर मानव विकास संकेतक है ( सिक्किम-2 डी देखें)।
- ▲ यह पहला राज्य था जिसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया।
- ▲ सिक्किम का स्वास्थ्य पर 4,792 रु. तथा शिक्षा पर 14 ए 580 रु. प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति व्यय क्रमशः 1, 987 तथा 5, 970 रु. के एनईएचएस औसतों से काफी अधिक है।
- ▲ इसके अलावा प्रति 1, 000 पुरुषों पर 890 महिलाएं, सिक्किम का लिंग अनुपात 943 के राष्ट्रीय औसत से अधिक विपरीत है।

**कम कर राजस्व**

- ▲ जीएसडीपी में द्वितीयक अधिकतम प्रति व्यक्ति आय रखने वाले तथा द्वितीयक क्षेत्र के बड़े हिस्से के बावजूद सिक्किम के पास एनईएचएस में तीसरा सबसे निचला ओटीआर है।
- ▲ सिक्किम का ओटीआर/जीएसडीपी 2018-19 में 4.95% के एनईएचएस औसत के विरुद्ध मात्र 3.1% था। अपने लघु संसाधन के आधार पर यह राज्य केन्द्र सरकार से संसाधनों के स्थानान्तरण पर बहुत हद तक निर्भर होता है। यह संघ सरकार से इसके टीआरआर का 75% प्राप्त करता है।
- ▲ हालांकि, 2011-12 से 2018-19 तक 13.7% पर सिक्किम की ओटीआर की टीजीआर 11% के एनईएचएस औसत से अधिक है।
- ▲ 2018-19 में वैट/ जीएसटी से सिक्किम के लिए 3.5 एनईएचएस औसत के विरुद्ध मात्र 2% का संग्रहण हुआ था।
- ▲ हालांकि 2017-18 में 15% की दर पर (एनईएचएस 7%) तथा 2018-19 में 41% (एनईएचएस 16%) संग्रहण में वृद्धि हुई।
- ▲ राज्य को अधिक संसाधन जुटाकर राजस्व विस्तार के लिए अपने प्रयासों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है।

**गैर राजस्व कर में गिरावट**


- ▲ एनटीआर राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ क्योंकि यह ओआरआर के लगभग 40%-50% की निरंतरता में है। तथापि लॉटरी से राजस्व में गिरावट के कारण 2011-12 से 2018-19 तक एनटीआर के पास (-7.5%) का टीजीआर है।
- ▲ राज्य के पास हाइड्रो-पॉवर क्षेत्र तथा पर्यटन जिसका अन्वेषण किया जाना चाहिए के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने का सामर्थ्य है।

**उच्च प्रतिबद्ध व्यय**

- ▲ 2018-19 में प्रतिबद्ध व्यय (जीआईए वेतन सहित) सिक्किम की टीआरई का 68.3% है जो 67.7% के लगभग एनईएचएस के साथ है। यह इस तथ्य से अलग नहीं है कि यह अत्यधिक उच्च है।
- ▲ प्रतिबद्ध व्यय का टीजीआर (2011-12 से 2018-19) सिक्किम (14.2%) में एनईएचएस औसत (12.1%) से अधिक है।

**उच्च बेरोजगारी दर**

- ▲ एक बड़ा द्वितीयक क्षेत्र होने के बावजूद, सिक्किम में देश की 18.1% द्वितीय उच्चतम बेरोजगारी दर है (चूंकि 5% के सम्पूर्ण भारतीय स्तर के विरुद्ध है)

**सिक्किम-5 बी: भारत के मुख्य राज्यों में बेरोजगारी दर, सामान्य प्रमुख स्थिति दृष्टिकोण, % में।**

स्रोत:- भारत सरकार (2016) रोजगार बेरोजगारी सर्वे 2015-16, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ यूएलबी के अपने राजस्व नगण्य है।
- ▲ सिक्किम में आरएलबी स्वयं से अत्यल्प राजस्व प्राप्त करता है।
- ▲ अपने राजस्व को सुधारने के लिए राज्य सरकार, नवप्रवर्तनशील प्रक्रियाओं जैसे बाजार शुल्क, पार्किंग स्थल इत्यादि के उपयोग में स्थानीय निकायों की सहायता कर सकती है।

- ▲ राज्य सरकार द्वारा अभी तक पीटीबी की स्थापना नहीं की गई है।
- ▲ तात्कालिक रूप से शेष कार्यों को यूएलबी को सौंपने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

#### खराब संयोजकता तथा अवसंरचना

- ▲ यद्यपि सिक्किम में एक छोटा एयरपोर्ट प्रचालनात्मक है, इसकी क्षमता सीमित है।
- ▲ सिक्किम में रेल नेटवर्क का अभाव है।
- ▲ राज्य, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-10 (एनएच-10) (एकल-मार्ग) पर निर्भर है, जो देश के बाकी भाग से जोड़ने वाला एक मात्र मार्ग है।
- ▲ प्राकृतिक आपदाओं के कारण सड़कों के लगातार टूटने से राज्य में आवश्यक सामग्री की कीमतों तथा जीवन-यापन की उच्च लागत में बढ़ोत्तरी होती है।
- ▲ राज्य को पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली अदृश्य जनसंख्या को सेवाएं पहुंचाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- ▲ राज्य सरकार को अवसंरचना विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिससे स्थानीय लोगों की जीवन गुणता तथा पर्यटन को बढ़ाने में सुधार होगा।

#### उच्च विद्युत क्षेत्र हानियां

- ▲ ऊर्जा तथा विद्युत विभाग सिक्किम सरकार राज्य में उत्पादन प्रसारण वितरण तथा विद्युत व्यापार के लिए अकेला जिम्मेदार है।
- ▲ राज्य सरकार बिजली के ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भारी सब्सिडी में विस्तार करती है।
- ▲ इसके साथ ही 31 मार्च 2017 तक 15% उपभोक्ता नहीं मापे गए थे।
- ▲ राज्य को 31.83% की काफी अधिक एटी तथा सी हानियां हुई हैं।
- ▲ राज्य सरकार को विद्युत विभाग को कोर्पोरेटाइज तथा स्वतंत्र करने और वृहद आर्थिक सिद्धांत लागू करने की अनुमति के लिए कदम उठाने चाहिए। राज्य के आकार और उसकी जरूरत को देखते हुए कोई अन्य वैकल्पिक उचित तथा व्यवहार्य उपाय खोजा जा सकता है।

#### प्राकृतिक आपदाएं

- ▲ सिक्किम पहाड़ी तथा भू-विज्ञान की दृष्टि से नवोदित है तथा इस प्रकार इसकी संरचना काफी कमजोर है।
- ▲ यह भूकंप के लिए अतिसंवेदनशील तथा भूकम्प सम्बंधी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है।
- ▲ इसे मानसून (मई-अक्तूबर) के दौरान आने वाली आकस्मिक बाढ़ तथा भू-स्खलन का खतरा है।
- ▲ जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियल झीलों की बाढ़ से सिक्किम हिमालय का व्यापक नुकसान हो सकता है।
- ▲ सिक्किम के पास भारी बारिश होने के कारण अवसंरचना निर्माण तथा अनुरक्षण की उच्च लागत तथा संकुचित कार्यकारी मौसम है।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ 30 सितम्बर 2017 को अंतिम प्रक्रिया के कारण 29 में से 9 कार्यकारी एसपीएसयू लंबित थे। इनमें से सोलह (55%) दो एसपीएसयू से संबंधित थे। इस अवधि के दौरान कार्यकारी एसपीएसयू द्वारा कुछ खातों को अंतिम रूप देने का संकेत देते हुए 2012-13 में कार्यकारी एसपीएसयू के लिए बचतों के साथ खातों की संख्या 18 थी।
- ▲ खातों का गैर-लेखापरीक्षण समान बजटीय सहायता देने वाला एक गंभीर नकारात्मक पहलू का जोखिम दर्शा सकता था।

## सुधार सूचक

- ▲ सिक्किम के पास द्वितीयक क्षेत्र से इसकी उच्च प्रति व्यक्ति जीएसडीपी तथा जीएसडीपी का हिस्सा देने वाला ओटीआर अपेक्षकृत कम है। राज्य को हाइड्रो-पॉवर क्षेत्र तथा पर्यटन के माध्यम से अपने एनटीआर को भी बढ़ाना चाहिए।
- ▲ बेहतर संयोजकता के साथ-साथ बेहतर अवसंरचना सुविधाएं राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने में सहायता कर सकती है।
- ▲ जैसा की पूर्व में देखा गया है कि राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में 2011-12 से 2018-19 तक अपेक्षकृत उच्चतम दर पर वृद्धि हुई है। राज्य को अपने प्रतिबद्ध व्यय में कटौती तथा विकास क्षेत्र में बढ़ोतरी करनी चाहिए।
- ▲ राज्य को अपने एटी तथा सी हानियों ओर एसीएस-एआरआर अंतराल में कटौती करके विद्युत क्षेत्र की कार्यकुशलता को बढ़ाना चाहिए।
- ▲ इसे सभी पीएसयू के खातों की समयबद्ध लेखापरीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।


## टिप्पणियां:-

1. भारत सरकार (2016), पांचवा वार्षिक रोजगार-बेराजगारी सर्वे 2015-16, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।
2. सीएजी (2018), 2018 की रिपोर्ट सं. 1: मार्च अंत 2017 के लिए समाजिक, आर्थिक राजस्व तथा सामान्य क्षेत्रों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, सिक्किम सरकार।





## टीएन 1 ए : विहंगवलोकन



**जनसंख्या**  
72.2 मिलियन

सभी राज्यों की जनसंख्या का  
6.1%



**क्षेत्रफल**  
1,30,060 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों के क्षेत्र का  
4.0%



**वन आच्छादन**  
26,364 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों के वन क्षेत्र का  
3.7%

राज्य का स्वयं का वन क्षेत्र  
20.3%

2017 से 2019 तक वन आच्छादन में परिवर्तन  
0.3% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**

रु. 2,15,784  
सभी राज्यों का औसत  
रु. 1,40,422



**कर और जीएसडीपी का अनुपात**

6.5%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%



**प्रति महिला बच्चे की संख्या**


1.7  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**

48.5%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## टीएन 1 बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## टीएन 1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## टीएन 1 डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹)


वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	7,51,486	77,44,945	9.7
2012-13	8,54,825	88,27,195	9.7
2013-14	9,68,530	1,00,07,392	9.7
2014-15	10,72,678	1,09,93,257	9.8
2015-16	11,76,500	1,21,91,256	9.7
2016-17	13,02,639	1,37,80,737	9.5
2017-18	14,65,051	1,54,20,126	9.5
2018-19	16,30,208	1,72,83,813	9.4

## टीएन 1 ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




## पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


टीएन 2 ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




टीएन 2 बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



टीएन 2 सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




टीएन 2 डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एफ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>बी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

टीएन 3 ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)




टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

टीएन 3 ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

टीएन3 बी : व्यक्ति ('000) प्रति उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

टीएन 3 सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/औषध विक्रेता




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

टीएन 3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


टीएन 4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




टीएन 4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



टीएन 4 सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण



टीएन 4डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पणी: प्रतिबद्ध व्यय में वेतन ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


टीएन 4ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



टीएन 4एफ: जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



टीएन 4जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय



टीएन 4एच: मुख्य राजकोषीय संसूचक


- राज्य बनाम एनईएचएस

राजकोषीय संसूचक	राज्य	जीएस
रू प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	2,15,784	1,41,099
<b>जीएसडीपी की प्रतिशत के रूप में संसूचक</b>		
टीआरआर	10.7	13.4
ओटीआर	6.5	6.4
एनटीआर	0.9	1.1
टीई	14.0	16.1
ईएस	2.4	3.1
एसएस	4.3	5.4
जीएस	4.4	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	6.5	5.8
पूंजी व्यय	1.9	2.5
एफडी	2.9	2.5
आरडी	1.4	0.2
ओडी	22.6	25.0

## टीएन- 4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
तमिलनाडु	12.4	9.7	7.6
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## टीएन- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 कार्यों को आरएलबी/ पीआरआई को सौंपा गया था।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची के सभी 18 कार्यों को यूएलबी को सौंपा गया था।

## लेखापरीक्षण स्थिति

- ▲ तमिलनाडु स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम 2014 के क्रम में, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशालय (डीएलएफए) के राज्य में आरएलबी तथा यूएलबी को वैज्ञानिक लेखा परीक्षा का संचालन करता है।
- ▲ सीएजी, डीएलएफए को तकनीकी मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करता है।
- ▲ 2017-18 तक आरएलबी तथा यूएलबी के खातों की लेखा परीक्षा की गई थी।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ जैसा कि एफसी -13वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी, राज्य वर्ष 2013 में अपना पीटीबी स्थापित करेगा। बोर्ड उचित रूप से कार्य कर रहा है।

## सभी राज्यों में अन्तरण सूची रैंक

कार्य श्रेणी	पदाधिकारी श्रेणी	वित्त श्रेणी	नीति श्रेणी में कुल अन्तरण
7	5	3	4

स्रोत:- भारत सरकार (2016), अन्तरण सूची रिपोर्ट-2015-16 पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## पांचवां एसएफसी (2017-18 से 2021-22)

- ▲ राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा राज्य वित्त आयोग रिपोर्ट के सिंहावलोकन के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने पांचवें एसएफसी की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जो अभी प्रक्रियाधीन है।
  - आयोग ने 2017-18 से शुरू होने वाली दी गई अवधि के दौरान निवल के 10% के अंतरण की सिफारिश की थी।
  - आरएलबी तथा यूएलबी के बीच उर्ध्वाधर हिस्सेदारी अनुपात 56: 44 होना चाहिए।

➤ आरएलबी के अंतर्गत जिला पंचायतों, पंचायत संघों तथा ग्राम पंचायतों के बीच उर्ध्वाधर हिस्सेदारी अनुपात 8:37:55 के रूप में सुनिश्चित किया जा सकता है।

- ▲ पांचवें एसएफसी ने आंकड़ों की गुणवत्ता के संबंध में चिंता व्यक्त की है।
- ▲ उड़ीसा (चतुर्थ एसएफसी) तथा सिक्किम (पांचवा एसएफसी) के अलावा तमिलनाडु ही संबंधित अवधि की शुरुआत से पहले अपनी एसएफसी रिपोर्ट तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला एक मात्र राज्य है।

### ऋण तथा हानियां


- ▲ राज्य ने 2018-19 में न तो एसीएस-एआर अंतराल के लिए लक्ष्य और न ही एटी तथा सी हानि% के लिए लक्ष्य की प्राप्ति की है।
- ▲ राज्य 2016-17 के दौरान यूडीएवाई के अन्तर्गत 22,815 करोड़ रु. पर डीआईएससीओएम ऋण पर हावी रहा है।
- ▲ सरकार 31 मार्च 2019 तक, डीआईएससीओएम द्वारा कुल उधारियां राज्य सरकार से 17101 करोड़ रु. की उधारियों सहित 1,13,438 करोड़ रु. (सभी राज्यों से कुल डीआईएससीओएम का 23.7%) है।
- ▲ सरकार 31 मार्च 2019 तक, डीआईएससीओएम द्वारा कुल उधारियां राज्य सरकार से 17101 करोड़ रु. की उधारियों सहित 1,13,438 करोड़ रु. (सभी राज्यों से कुल डीआईएससीओएम का 23.7%) है।

मुख्य यूडीएवाई बैरोमीटर (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटी तथा सी हानियां %	17.47	13.50
एसीएस-एआर अंतराल (रु. प्रति इकाई)	1.88	-0.07

नोट : (-) एसीएस-एआर अंतर दर्शाता है कि वसूला गया प्रति इकाई औसत राजस्व औसत आपूर्ति लागत से अधिक है।

स्रोत : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

### टीएन- 5. ए: एटी एवं सी हानिया ( % ), वित्त वर्ष 2018



स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार



**उध्वाधर अंतरण**

तमिलनाडु ने सिफारिश की है कि कर तथा उपकरों इसमें शामिल करके करो के सम्पूर्ण विभाज्य पूल को काफी हद तक बढ़ाया जाएगा।

**क्षैतिज अंतरण के लिए सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाए गए भार (%)
i)	जनसंख्या (2011)	25
ii)	1971 से जनसंख्या वृद्धि के विपरीत आधारित जनसंख्या नियंत्रण	25
iii)	उच्च मध्यम आय वाले देशों के न्यूनतम स्तर से मापे गए आय अन्तराल	25
iv)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• केन्द्रीय करों में अंशदान</li> <li>• प्रत्येक राज्य का व्यक्तिगत आय कर संग्रहण में अंशदान</li> <li>• प्रत्येक राज्य को एसजीएसटी तथा आईजीएसटी के संग्रहण का निपटान किया गया।</li> <li>• समान भार के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर अंशदान</li> </ul>	25

**राजकोषीय संकेतक**

- ▲ तमिलनाडु का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2012-13 में 17.2 % से बढ़कर 2018-19 में 22.6% हो गया।

**एफआरबीएम अनुकूलता**

- ▲ राज्य ने 2003 में अपना एफआरबीएम अधिनियम कार्यान्वित किया हाल के वर्षों में अपनी एफआरबीएम सीमा के मुताबिक चला है।
- ▲ आय के भविष्य प्रवाह को बढ़ाने के लिए इसे विश्वसनीय ऋण पथ पर चलने तथा व्यय के सतर्क अंशशोधन की आवश्यकता है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	24.5	24.8	25.0	25.2	25.2	25.0	25.0
वास्तविक उपलब्धि	16.9	17.3	17.2	17.9	18.9	21.8	22.3
<b>एफडी -जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	NA	3.0
वास्तविक उपलब्धि	2.3	1.9	2.1	2.5	2.8	4.3	2.7

लागू नहीं (एनए): लक्ष्य निर्धारित नहीं था क्योंकि तमिलनाडु उत्पादन तथा वितरण निगम के देयताओं को यूडीएवाई के अन्तर्गत संभाला गया था।

स्रोत: तमिलनाडु सरकार

**गरीबी उपशमन**

- ▲ 2004-05 तथा 2011-12 के बीच निर्धनता में 17.6 प्रतिशत बिन्दु की कटौती के साथ, राज्य ने एडीजी-1 में महत्वपूर्ण प्रगति की।

### नीति आयोग की एसडीजी सूची पर रैंकिंग (2019)

- ▲ राज्य के पास 67 का एसडीजी सूची मूल्य है (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में) तथा भारतीय राज्यों में चौथी श्रेणी है।
- ▲ राज्य, एसडीजी-1 शून्य निर्धनता, एसडीजी-3 अच्छे स्वास्थ्य तथा कल्याण, एसडीजी-4 शिक्षा गुणवत्ता, एसडीजी-6 साफ पानी तथा स्वच्छता, एसडीजी-7 वहन करने योग्य तथा पूर्ण ऊर्जा, एसडीजी-8 शानदार कार्य तथा आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-10 असमानता में कमी तथा एसडीजी-15 जीवन तथा भूमि और एसडीजी-16 शांति, न्याय तथा मजबूत संस्थाओं में अग्रणी है।
- ▲ हालांकि राज्य को एसडीजी-2 शून्य भुखमरी, एसडीजी-5 लिंग समानता तथा एसडीजी-13 जलवायु कार्य में सुधार की आवश्यकता है।

### पर्यटन

- ▲ राज्य में घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए विशाल तथा अप्रयुक्त सामर्थ्य मौजूद है।
- ▲ टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स, 2020 के अनुसार, तमिलनाडु 2019 में देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा (2019 में तमिलनाडु में 22% विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ)।
- ▲ 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में सभी राज्यों में यह राज्य द्वितीय श्रेणी पर रहा (2019 में तमिलनाडु में सभी घरेलू पर्यटकों में से 21.3%) का आगमन हुआ।

### ऊर्जा

- ▲ 18 जीडब्ल्यू के सामर्थ्य वाली तमिलनाडु की कुल सौर ऊर्जा का लगभग 1.0 जीडब्ल्यू पहले ही तैयार कर लिया गया है।<sup>1</sup>
- ▲ जबकि नवीकरणीय ऊर्जा, वायु तथा सौर के उत्पादन में टीएन एक प्रवर्तक है, ग्रिड प्रबंधन पर अधिक संकेद्रण की आवश्यकता है।
- ▲ नवीकरणीय ऊर्जा में बेहतर ग्रिड प्रबंधन से भविष्य में काफी अच्छा खासा राजस्व सृजित हो सकता है।

### प्रभावी घरेलू विकाेन्द्रीकरण

- ▲ टीएन, उन कुछ राज्यों में से है जो यूएलबी के प्रोद्भवन आधारित लेखांकन की ओर गतिशील है।
- ▲ इसने सम्पत्ति कर लगाने की शक्ति को भी शहरी स्थानीय निकायों को कर दिया है।

### राजस्व बढ़ाने के लिए मत्स्यपालन की प्रोन्नति

- ▲ लगभग 1,076 किमी की तटरेखा के बावजूद, टीएन में मत्स्यपालन क्षेत्र अपने पड़ोसी राज्य, आन्ध्र प्रदेश से काफी छोटा है।
- ▲ जीडीपी अनुपात को गिरते हुए कर तथा एनटीआर के साधारण तरीके को देखते हुए, मत्स्यपालन टीएन के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व उत्पादक बन सकता है।
- ▲ राज्य के लिए वानिकी तथा पर्यटन भी महत्वपूर्ण सामर्थ्य के क्षेत्र हैं।

### अवसंरचना में एफडीआई

- ▲ एयरपोर्ट्स, सड़कों तथा बंदरगाहों का उद्योगों के लिए आवश्यक दुलाई सम्बंधी सहायता प्रदान करने के लिए विस्तार किया जा सकता है।
- ▲ राज्य को औद्योगिक वृद्धि के लिए उच्च डेटा स्पीड तथा एक डिजिटल ईकोसिस्टम बनाने के लिए बैंड चौड़ाई को बढ़ाने हेतु केवल-लैंडिंग स्टेशन (वाइजैग तथा मुंबई में उनकी तरह) की स्थापना करने की आवश्यकता है।
- ▲ इस प्रकार के उद्देश्य के लिए अधिक एफडीआई आकर्षित करने की ओर तमिलनाडु को कार्य करना चाहिए। भारत में वर्तमान में कुल एफडीआई का 7% तमिलनाडु को जाता है।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ जैसा की संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) तथा (ग) में प्रतिष्ठापित है, भारत का वित्त आयोग एसएफसी की सिफारिशों पर आधारित स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सिफारिशें बनाता है। राज्य सरकार उनकी सिफारिशों पर एफएससी, अधिनियम का गठन करना चाहिए तथा मार्च 2024 तक अथवा उससे पहले राज्य विधानसभा के समक्ष की गई कार्रवाई के सम्बंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

**विद्युत क्षेत्र**

- ▲ राज्य को यूडीएवाई बैरोमीटर्स अर्थात, स्मार्ट मीटरिंग (200-500 के डब्ल्यूएच) स्मार्ट मीटरिंग (500 के डब्ल्यू एच के अधिक) तथा वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग (शहरी) में अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहिए।
- ▲ तमिलनाडु को अपनी विद्युत खरीद लागत की जानकारी रखने की आवश्यकता है, जिसमें पिछले दो वर्षों में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

**सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम<sup>4</sup>**

- ▲ तमिलनाडु के पास 68 कार्यकारी पीएसयू हैं जिनमें से 29 के खाते बचत में हैं।
- ▲ राज्य पीएसयू ने अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार 1,10,850.43 करोड़ रु. के टर्नओवर का पंजीकरण किया। यह टर्नओवर अर्थव्यवस्था में राज्य पीएसयू द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के साथ जीएसडीपी के 8.54% के समान था।
- ▲ पीएसयू ने अपने नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार 78,854.25 करोड़ रु. की हानियां सहन कीं।
- ▲ राज्य की पीएसयू को सम्पूर्ण बजटीय सहायता 2012-13 में 13,918 करोड़ से 2016-17 में 46,127 करोड़ रु. तक बढ़ गई।
- ▲ एसपीएसयू के लिए बकाया देयताओं तथा आवश्यक बजटीय सहायता को देते हुए राज्य के लिए आवश्यक बजटीय सहायता को देखते हुए राज्य के लिए आवश्यक है कि राज्य के अतिरिक्त राजकोषीय भार को अधिरोपित करते हुए आकस्मिक देयताओं से बचने के लिए ध्यान से उनकी निगरानी करे।
- ▲ एसपीएसयू के पुनः संरचना का समयबद्ध कार्यक्रम, उनके प्रदर्शन में मुख्य बाधाओं को दूर करने के लिए जल्द ही अपनाया जाना चाहिए।

**गिरती हुई औद्योगिक वृद्धि**

- ▲ एफसी-15 के लिए मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स द्वारा शुरू किए गए राज्य वित्त पर अध्ययन के अनुसार, विनिर्माण तथा निर्माण गतिविधियों के कम होने से उद्योग में वृद्धि 10.9% (2005-2011) से 4.6% (2011-2017) तक धीमी पड़ गई।
- ▲ यह एक मुख्य चिंता का विषय है क्योंकि दोनों क्षेत्र रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

**खराब अध्ययन परिणाम<sup>5</sup>**

- ▲ राज्य दो मुख्य अध्ययन परिणामों पर सम्पूर्ण भारतीय औसत से नीचे है।

	अध्ययन परिणाम I <sup>a</sup>	अध्ययन परिणाम II <sup>b</sup>
तमिलनाडु	10.2	25.9
भारत	27.3	28.2

<sup>a</sup> श्रेणी 3 में बच्चों का प्रतिशत (सरकारी तथा निजी विद्यालयों का) जो श्रेणी 2 का पाठ पढ़ सकते हैं (2018)

<sup>b</sup> श्रेणी 3 में बच्चों का प्रतिशत (सरकारी तथा निजी विद्यालयों का) जो कम व्यवकलन कर सकते हैं (2018)

**जनसांख्यिकी सम्बंधी चुनौतियां**

- ▲ सूचकांक 2011 के अनुसार, 48.5% पर भारत के सभी राज्यों में से तमिलनाडु की शहरीकरण दर उच्चतम है। अतः इसे शहरी निर्धनता, अवसंरचना कमी तथा जनसंख्या सम्बंधी चुनौती का सामना करना पड़ता है।

- ▲ लगभग 14 लाख व्यक्ति 201-2011 में अन्य राज्यों से तमिलनाडु जाकर बस गए हैं। तमिलनाडु की विकास रणनीति का उद्देश्य होना चाहिए कि इसकी प्रवासी जनसंख्या एक जिम्मेदारी की अपेक्षा परिसम्पत्ति बनी रहे।
- ▲ इसकी 60 से ऊपर की आयु की जनसंख्या 10.4% के साथ, राज्य के तौर पर केरल (12.6%) तथा गोवा (12.2%) के बाद तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है।

### 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर

- ▲ तमिलनाडु में चेन्नई के शहरी संकुलन, कोयम्बटूर, मदुरै तथा तिरुचिरापल्ली सहित दस लाख अधिक आबादी वाले शहर हैं।
- ▲ इन शहरों की बेहतर अवसंरचना तथा संचारिकी से निवेश माहौल में सुधार हो सकता है तथा नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है, तथा इस प्रकार उन्हें आर्थिक केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है।
- ▲ यद्यपि चेन्नई जैसे शहरों के पास बेहतर निवेश माहौल के लिए सृजन, नवीनीकरण तथा जटिल अवसंरचना के अनुरक्षण हेतु अधिक, ओन टैक्स रिसीट्स (ओटीआर) बढ़ाने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन, स्थानीय निकाय हैं। सड़कों, पुलों, रेल तथा सीवरेज प्रणालियों का नवीनीकरण, शहरी बाढ़ प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, कच्ची बस्तियों में सुगार खुली जगह तथा पार्क इत्यादि को दीर्घकालिक शहर रूपरेखा के माध्यम से विस्तार पूर्वक सीमा के आवश्यकता है। इससे यूपलबी को प्राथमिकता मिलेगी।

### ताजे पानी की कमी

- ▲ तमिलनाडु में भारत की आबादी के लगभग 6% लोग बसते हैं जो राष्ट्र के ताजी पानी संसाधनों के मात्र 3% भाग पर जीवन यापन करते हैं।
- ▲ तमिलनाडु में औसत वार्षिक वर्षा मात्र 921 मिमि है (1,200 मिमि के राष्ट्रीय औसत की तुलना में)।
- ▲ प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता प्रति वर्ष 750 क्यूबिक है। जहां प्रति व्यक्ति वर्ष 1700 क्यूबिक से नीचे की उपलब्धता (जल संकट) का संकेत देती है।
- ▲ कृषि उत्पादन में अनिश्चितता में जल संकट तथा ऋतु आधारित उतार-चढ़ाव परिणाम।
- ▲ राज्य के पास 2.84 मिलियन हेक्टेयर एचए 2016-17 का निवल सिंचाई क्षेत्र है। राष्ट्रीय औसत की तुलना में इसकी सिंचाई अधिकता कम है।
- ▲ 1970-71 में 61.7 लाख हेक्टेयर (कुल क्षेत्र का 47.4%) से निवल बुवाई क्षेत्र में शहरीकरण तथा अकाल के कारण 2016-17 में 43.5 लाख हेक्टेयर (कुल क्षेत्र का 38.9%) गिरावट हुई।
- ▲ राज्य को जटिल संसाधन के रूप में ताजा पानी के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए एक दीर्घकालिक रूपरेखा की आवश्यकता है।

### राज्यों का सुधार समूह

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर राज्या को दल बन गए। तमिलनाडु इस दल का एक हिस्सा है जिसमें गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, हरियाणा तथा गोवा शामिल हैं।

### सुधार सूचक

- ▲ यद्यपि राष्ट्रीय जीडीपी में दीर्घकालिक अंशदान करने वाला तथा अच्छे सामाजिक देने वाला, तमिलनाडु, भारत के राज्यों में सबसे प्रगतिशील राज्य है, इसकी श्रेणी में कुछ अन्य राज्यों से इसकी खराब तुलना की जाती है।
- ▲ राज्यों के राजकोषीय संकेतक 2012-13 (एफसी-) प्रक्षेपण के लिए विश्लेषण के हालिया वर्ष में 2018-19 एफसी-15 के लिए उपलब्ध हालिया वर्ष तक बुरी तरह से विकृत हो चुके हैं।
- ▲ तमिलनाडु ने राजस्व अधिशेष से राजस्व घाटा राज्य पोस्ट 2012-13 तक गति की है।

- ▲ 2014-2016 के दौरान फिजूलखर्ची (मई 2016 में चुनावों में ऊपर उठने में) ने शायद राज्यों के राजकोषीय संकेतकों पर अर्थपूर्ण प्रभाव डाला है।
- ▲ 2011-2019 के मध्य पूंजीगत व्यय-जीएसडीपी अनुपात में गिरावट हुई है (2016-17 के यूडीएवाई वर्ष को छोड़कर)
- ▲ राजस्व घाटा-राजकोषीय घाटा (आरडीएफडी) अनुपात हालिया वर्षों में 50% तक पहुंच गया है यह सूचित करते हुए कि अधिकतर उधारियों का वित्तीय राजस्व घाटे के लिए उपयोग किया जा रहा था।
- ▲ 2014-2016 की अवधि के दौरान राज्य ने राजस्व के मुख्य साधनों (वैट/ जीएसटी, स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण तथा राज्य उत्पाद शुल्क) में कम वृद्धि का अनुभव किया।

#### राजस्व में कम वृद्धि के कारण

2012-13	वैद्युत शुल्क अत्यल्प राशि है: अतः इसकी कटौती ने वृद्धि को प्रभावित नहीं किया।
2013-14	2012-13 के दौरान, उत्पादन-शुल्क ने ओटीआर के 17% का गठन किया। राज्य वेंड शुल्क तथा विशेष सुविधा शुल्क को समाप्त कर दिया तथा वार्षिक सुविधा शुल्क में कटौती की। उठाये गए इन कदमों ने उत्पाद-शुल्क में शराब पर बढ़े हुए वैट के बावजूद लगभग 60% तक उत्पादन-शुल्क को कम किया तथा अन्य करों ने ओटीआर वृद्धि को बाधित किया।
2015-16	राज्य बजट 2015-16 की घोषणा मई 2016 में चुनाव से पहले की गई थी, वैट में कई रियायतें तथा छूट दी गईं। खराब वैट वृद्धि का यह मुख्य कारण था।
2016-17	2015-16 के दौरान स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क ने 11% ओटीआर का गठन किया। 2016-17 के दौरान अनुमोदन रहित रिहायशी प्लॉटों की बिक्री पर मद्रास उच्च न्यायालय की पाबंदी ने ओटीआर वृद्धि को नीचे करते हुए स्टाम्प-शुल्क संग्रहण तथा पंजीकरण शुल्क में कटौती की।
2017-18	2017-18 राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी राज्य उत्पादन शुल्क को एक झटका देते हुए 1,000 आऊटप्लेट्स के समापन में बदल गई।


- ▲ 2017-18 के पश्चात तमिलनाडु ने अपने ओटीआर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
  - तमिलनाडु सरकार ने उत्पाद-शुल्क को बढ़ाया तथा शराब पर विशेष शुल्क लगाया है।
  - मार्च 2017 में पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट / जीएसटी बढ़ाए गए।
  - एक दशक के बाद, तमिलनाडु ने टैरिफ संरचना में वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 10% पर तथा घरेलू के लिए 5% पर एक वार्षिक बढ़ोतरी करते हुए पानी के टैरिफ (2017 में) तथा सीवरेज प्रभावों (2018 में) में बढ़ोतरी की।
  - लगभग 20 वर्ष बाद तमिलनाडु ने 2008 में चेन्नई में इस शर्त पर सम्पत्ति कर बढ़ाए कि सम्पत्ति कर का सामान्य परिशोधन, रिहायशी भवनों के लिए 50% तथा गैर रिहायशी भवनों के लिए 100% से अधिक नहीं होगा। **करने की आवश्यकता है।**
- ▲ 2017-18 तथा 2018-19 में उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप तमिलनाडु ने 2018-19 में ओटीआर में 13% वृद्धि तथा ओआरआर में 15% वृद्धि प्राप्त की।
- ▲ राज्य इस अतिरिक्त क्षमता को महामारी के परिशोधन श्रम के पलायन के लिए उपयोग कर सकता तथा ऐसे अतिरिक्त संसाधनों का उन्नतशील विस्तार करते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहित कर सकता है।
- ▲ राज्य को अपने पूर्व 2014 आरडीएफडी अनुपात को वापस लाने तथा पूंजीगत व्यय में सम्पूर्ण उधारियों को निवेश करने की आवश्यकता है।
- ▲ इसे आगे ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात में सुधार करने की भी आवश्यकता है।

**टिप्पणियां**

- 1 भारत सरकार (2017) ऊर्जा सांख्यिकी 2017, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2 भारत सरकार (2019) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर तथ्य शीट (अप्रैल 2000 से मार्च 2019) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
- 3 भारत सरकार (2019), उदय समाचार पत्र जनवरी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।
- 4 सीएजी (2017) 5वीं रिपोर्ट 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।
- 5 एएसईआर (2019), शिक्षा रिपोर्ट 2018 की वार्षिक प्रास्थिति एएसईआर केन्द्र।
- 6 पंद्रहवें वित्त आयोग को तमिलनाडु सरकार का ज्ञापन।



## टीएल-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
35.0 मिलियन

सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
2.9%



**क्षेत्रफल**  
1,12,112 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
3.4%



**वन आच्छादन**  
20,582 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
2.9%

राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
18.4%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0.8% ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 2,25,047  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
7.5%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**प्रति महिला बच्चे**  
1.8  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
उपलब्ध नहीं  
अखिल भारत औसत  
31.1%

टीएल: 1 बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




टीएल:1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



टीएल:1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (₹ करोड़)


	State	All GS	Share (%) of State in GS
2011-12	3,59,434	77,44,945	4.6
2012-13	4,01,594	88,27,195	4.6
2013-14	4,51,580	1,00,07,392	4.5
2014-15	5,05,849	1,09,93,257	4.6
2015-16	5,77,902	1,21,91,256	4.7
2016-17	6,58,325	1,37,80,737	4.8
2017-18	7,53,127	1,54,20,126	4.9
2018-19	8,61,031	1,72,83,813	5.0

टीएल: 1 ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)







टीएल: 2 ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)



टीएल:2 बी : कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)




टीएल: 2 सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




टिप्पणी : आंध्र प्रदेश के लिए एनएफएचएस - 2 और एनएफएचएस-3 आंकड़े पूर्व के अविभाजित राज्य से संबंधित हैं।

टीएल: 2 डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशामन (प्रतिशत बिन्दु) तेलंगाना टीएल 25 तुलनात्मक अवधि में मौजूद नहीं था। तथापि आंध्रप्रदेश अच्छा सादृश पेश करता है।




टिप्पणी:- वाय अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को टीएल-3 कः व्यक्ति (000) प्रति एलोपैथिक और आयुष चिकित्सकों पर

टीएल - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत:- भारत सरकार (2019) राष्ट्रीय प्रोफाइल 2019ए 14 वा संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

टीएल -3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत:- भारत सरकार (2019) राष्ट्रीय प्रोफाइल 2019ए 14 वा संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

टीएल 3 सी:- व्यक्ति (000) प्रति वर्ष/ फार्मासिट




स्रोत:- भारत सरकार (2019) राष्ट्रीय प्रोफाइल 2019ए 14 वा संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

टीएल - 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत:- भारत सरकार (2019) राष्ट्रीय प्रोफाइल 2019ए 14 वा संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।


टीएल- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




टीएल- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



टीएल- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




टीएल- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पणी:- प्रतिबद्ध व्यय के वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


टीएल-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



टीएल- 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



टीएल-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




टीएल-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	2,25,047	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	11.8	13.4
ओटीआर	7.5	6.4
एनटीआर	1.2	1.1
टीई	14.9	16.1
ईएस	2.7	3.1
एसएस	4.6	5.4
जीएस	4.0	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	5.1	5.8
पूँजी व्यय	3.6	2.5
एफडी	3.1	2.5
आरडी	-0.5	0.2
ओडी	22.9	25.0

## टीएल- 4. आई : टीआई एवं ओआई अंतर

टीआई %, 2015-2019	टीआई	टीआईआई	ओआईआई
तेलंगाणा	8.2	9.8	11.1
जीएस औसत	11.9	11.8	11.1

## टीएल- 4. जे: टीआईआई के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण (कर वियलन एवं सहायता अनुदान) एफसी और गौर एफसी हस्तांतरित प्रकार्य



## हस्तांतरित प्रकार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवी अनुसूची में कल्पित 29 प्रकार्यों के 10 प्रकार्य आरएसबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवी अनुसूची के कल्पित 18 प्रकार्यों के 17 प्रकार्य सूएसलबी को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

## लेखापरीक्षा स्थिति

- ▲ आरएसलबी और यूएलसी के लेखाओं की लेखा परीक्षा 2017-18 तक पूरी हो गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- ▲ पंद्रहवे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पीटीबी तेलंगाणा सरकार ने स्थापित नहीं की है।

## सभी राज्यों में अंतरण सूचकांक पायदान

प्रकार्य पायदान	प्रकार्यात्मक पायदान	वित्त पायदान	नीति पायदान में सफल हस्तांतरण
6	12	4	5

स्रोत:- भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16 पंजायती राज मंत्रालय, भारत सरकार प्रथम रावि (2020-21 से 2024-25 तक)

## प्रथम राविआ (2020-21 से 2024-25 तक)

- ▲ नए राज्य के सृजन के पश्चात, पहला राविआ 2015 में गठित किया गया था। बहरहाल, इसकी रिपोर्ट अभी भी प्रस्तुत की जाती है।

## अन्य अवलोकन


- ▲ राज्य सरकार स्थानीय निकायो को संसाधन अंतरण के वर्तमान मानदण्ड पर सूचना प्रदान नहीं की थी।
- ▲ राज्य सरकार राविआ गठित करने और उनकी अनुसंसाओं का समयबद्ध कार्यान्वयनके संवैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन नहीं कर रही है।

**ऋण और हानियां**

- ▲ 31 मार्च 2019 तक डिस्काम की कुल उधारियां 17ए 121 करोड़ रू है जिसमें से राज्य सरकार की उधारियां 11 करोड़ रू है।
- ▲ उदय के तहत राज्य सरकार ने ब्रांड के निगमन के जरिए 2016-17 में 8,923 करोड़ रू के डिस्काम के बकाया ऋण को ले लिया है।

प्रमुख उदय बैरोमीटर 2018-19	उपलब्धियां	लक्ष्य
एटीएवसी	20.0	10.0
एसीएस-एआरआर अंतराल (रू प्रति यूनिट)	1.5	0

टिप्पणी:- एसएसआरआर अंतराल संकेत करता है कि प्रति यूनिट औरसत राजस्व उगाहा हुआ आपूर्ति की औरसत लागत से अधिक है  
स्रोत:-विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**टीएल - 5 ए : एटीएस सी हानियां (%) वर्ष 2015**

स्रोत भा.स (2019) उदय का समाचार पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार

**उर्ध्वधर अंतरण**

- ▲ तेलंगाना ने प्रस्ताव किया कि विभाज्य मूल में राज्य का हिस्सा 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।

**क्षैतिज अंतरण के लिए सूत्र**

क्रम सं.	मापदंड	भार (%)
i)	जनसंख्या (2011)	20.0
ii)	क्षेत्र	20.0
iii)	आय अंतर	30.0
iv)	राजकोषीय आत्मनिर्भरता	10.0
v)	सरकारी व्यय की गुणवत्ता	7.5
vi)	जनसांख्यिकी निष्पादन	12.5

**केन्द्रीय अंतरण पर कम निर्भरता**

- ▲ 2018-19 में, केन्द्रीय अंतरण राज्य सरकार के टीआरआर के 2790 से कम था जो यह इंगित कर रहा है कि अधिकतर अन्य राज्यों से स्वयं संसाधनों पर अधिक आत्मनिर्भरता है।
- ▲ राज्य ने भी उसी वर्ष में 7.5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत उच्च ओटीआर-जीएसडीपी हासिल की थी।
- ▲ राज्य को कर और कर भिन्न दोनों अपने स्वयं के संसाधन से उच्चतर राजस्व बनाये रखने के अपने स्वयं के संसाधन से उच्च राजस्व बनाये रखने के अपने प्रयास लगातार करते रहने चाहिए।

**स्वास्थ्य संकेतक**

- ▲ तेलंगाना प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में से अधिकतर में राष्ट्रीय औसत से आगे है। कुछ नीचे सूचीबद्ध है।
- ▲ एसआरएस 2018 के अनुसार 5 के नीचे (0 से 4 वर्ष तक) प्रति 1000 जीवित जन्म पर मृत्यु : 30 (राष्ट्रीय औसत, 36)
- ▲ आधारभूत टीकाकरण द्वारा कवर किए गए बच्चों का प्रतिशत (12-23 महीने) : 68 (राष्ट्रीय औसत, 62)
- ▲ व्यर्थ बच्चे प्रतिशत : 18.1 (राष्ट्रीय औसत, 21.0)
- ▲ मानव मृत्यु प्रत 10,000 प्रसव (एसआरएस, 2016-18: 63) (राष्ट्रीय औसत, 113) नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)
- ▲ तेलंगाना एडीसी सूचकांक 2019 पर भारतीय राज्यों के बीच 5वें पायदान पर है।
- ▲ राज्य अच्छा स्वास्थ्य और स्वास्थ्यता एसडीजी-3एसडीजी-8 उत्तम कार्य और आर्थिक वृद्धि और एसडीजी-10 कम हुई असमानता पर अग्रणी है।
- ▲ बहरहाल, इसे एसडीजी- गरीबी नहीं, एसडीजी-2 जीरो हंगर, एसडीजी-6 स्वच्छ जल और स्वच्छता एसडीजी-9 उद्योग नवोन्मेष और अवसंरचना और एसीजी 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान पर अपने निष्पादन को सुधारने की आवश्यकता है।

**कारोबार करने की सुगमता**

- ▲ राज्य सरकार ने बहुत सी निवेशक अनुकूल नीतियों जैसे कि टीएस-आई-पास (एकल खिड़की स्वीकृति हेतु) टी हब (स्टार्टअप प्रोत्साहित करने के लिए) इत्यादि कार्यान्वित की है।
- ▲ ये और अन्य ऐसी ही प्रेक्षक पहलो ने तेलंगाना को 2019 में सभी राज्यों की ईआडीबी रैंकिंग में तीसरे स्थान लाया था।
- ▲ औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य को ऐसे कदम उठाने चाहिए।

**अद्यतित भूमि रिकॉर्ड**

- ▲ महाराष्ट्र के अलावा, तेलंगाना ही केवल अन्य राज्य है जिसने अपने भू-रिकॉर्ड आंकड़े को 99 प्रतिशत से अधिक कंप्यूटरीकृत किया है।
- ▲ संशोधित और अद्यतित भूमि रिकॉर्ड सूचना पर बड़े उपायों में निर्भर स्टीक और दस प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- ▲ ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड की सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना वस्तुतः भूमि लेनदेन के दौरान धोखाधड़ी और कपट के जोखिम को कम करता है।

**राजकोषीय अनुशासन**

- ▲ राज्य का एफडी-जी एसडीपी अनुपात 2016-16 में 3.3 % से 2016-17 में 5.4 % तक बढ़ गया था और इसके पश्चात 2018-19 में 3.1% तक गिर गया था।
- ▲ इसके अतिरिक्त, ऋण जीएसडीपी अनुपात 2015-16 और 2018-19 के बीच 17 % से 22.9% तक बढ़ गया था।
- ▲ कुल मिलाकर 3 % एफडीजीएसडीपी अनुपात, राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत अतिरिक्त उधारियों 2016-17 (0.50%), 2017-18 (0.50%) और 2018-19 (0.25%) की सहायता ली थी।
- ▲ अतः राज्य को इसके धारे और ऋण को सतत स्तर पर लाने की आवश्यकता है।

**एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ एफआरबीएम अधिनियम, 2005 पूर्ववर्ती अविभाजित आंध्र प्रदेश द्वारा अधिनियमित किया गया था जो कि तेलंगाना में राज्य के सृजन 2 जून 2014 से लागू है और यह राज्य सरकार द्वारा 2016-17 में संशोधित किया गया था।
- ▲ राज्य 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान एफडी-जीएसडीपी अनुपात के एक एफआरबीएम लक्ष्य के मुताबिक नहीं चला था।
- ▲ बहरहाल, ऋण-जीएसडीपी अनुपात इसी अवधि के दौरान लक्ष्य के भीतर नहीं रहा।

% के रूप में अनुपात	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>			
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	25.0	25.0	25.0
वास्तविक रूप से हासिल हुआ	17.0	20.5	22.0
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>			
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.5	3.5
वास्तविक रूप से हासिल हुआ	3.3	5.4	3.6

स्रोत:- तेलंगाना सरकार

**महालेखा परीक्षक, तेलंगाना द्वारा अवलोकन**

- ▲ यदि 2016-17 में राज्य की बजट इतर उधारियां राशि 29, 965 करोड़ रुपये के कारण उसी वर्ष में ऋण जीएसडीपी अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाएगा।
- ▲ राज्य ने 2016-17 के दौरान 1386 करोड़ रु. का राजस्व आधिक्य दर्ज किया था। राजस्व आधिक्य अनियमित लेखा के कारण 6,778 करोड़ रु. बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था।
- ▲ इस तरह, राज्य का वास्तव में 2016-17 में 5392 करोड़ रु. का राजस्व घाटा था।
- ▲ राजस्व घाटा (35,281 करोड़ रु.) राजस्व प्राप्तियों के रूप में उधार ली गई निधियों के ऋण देने के कारण 2500 करोड़ रु. कम बताया गया था।
- ▲ सिंचाई में किया गया बड़ निवेश ने अभी तक फसल उत्पादन सुधार के संबंध में आनुपातिक प्रतिफल देने में परिणत नहीं हुआ था।
- ▲ राज्य के राजकोषीय स्थिति पर नकारात्मक जोखिम प्रमुख चुनौती रहा है।

**कालेश्वरम परियोजना की उच्च लागत**

- ▲ 80,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर कालेश्वरम उत्थान (लिफ्ट) परियोजना (तेलंगाना सरकार की प्रमुख कार्यक्रम) का उद्देश्य कृषि के 18 लाख एकड़ से अधिक की सेवा करना है।
- ▲ लिफ्ट सिंचाई परियोजना से भारी बिजली बिल बढ़ता है, जिससे प्रश्न उठता है, परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता गारंटीशुदा राजस्व के अभाव में



- ▲ राज्य को परियोजना के प्रचालन और रखरखाव लागत को कम से कम समाहित करने के लिए पर्याप्त राजस्व (प्रयोक्ता प्रभार के जरिए) सृजित करने का प्रयास करना चाहिए।

#### अंतर्राज्य विकास विषमता

- ▲ तेलंगाना के 33 जिलों में से केवल 4 जिले-रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेदचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी ही जीएसडीपी में 52 % योगदान देते हैं।
- ▲ सभी द्वितीय और तृतीय गतिविधियां इन जिलों में केन्द्रित हैं।
- ▲ तेलंगाना को सभी जिलों में समावेशी और संतुलित विकास में अन्य शहरी केन्द्रों के विकास में निवेश करना चाहिए।

#### बेरोजगारी दर

- ▲ बेरोजगारी के गिरने का ढंग तेलंगाना में 15 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के बीच 2017-18 में 5वां उच्चतम था।
- ▲ इस तरह श्रम साध्य क्षेत्र अधिक रोजगार सृजन करने के लिए राज्य में प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

#### शिक्षा

- ▲ तेलंगाना का शिक्षा परिणाम राष्ट्रीय औसत में नीचे है (जैसे की पठन क्षमता) या समयावधि में वस्तुतः खराब हो गई (जैसे कि अंकगणितीय योग्यता) जोड़ घटाव कर सकते हैं।

	तीसरी कक्षा में बच्चों का % जो दूसरी कक्षा की पुस्तक पढ़ सकते हैं।		तीसरी कक्षा में बच्चों का % जो दूसरी कक्षा के जोड़ घटाव कर सकते हैं।	
	2016	2018	2016	2018
तेलंगाना	18.6	18.1	42.2	34.5
भारत	25.2	27.3	27.7	28.2

स्रोत एएसई (2015), शिक्षा वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018, एएसईआर केन्द्र

- ▲ 2016-17 में शिक्षा पर व्यय (सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और शिक्षा खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय) जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 2.6 % के जीएस औसत के खिलाफ 1.8% है।

#### पिछड़ापन

- ▲ तेलंगाना के 33 जिलों में से तीन को आकांक्षी जिलों के रूप में चिह्नित किया गया है।
- ▲ इनमें से, देश में वामपंथी उग्रवाद द्वारा सबसे बुरी तरह प्रभावित 35 जिलों में से एक जिला आता है।
- ▲ राज्य आकांक्षी ब्लाक के रूप में आकांक्षी जिलों की तर्ज पर 20% निचले विकास का लक्ष्य रख सकता है।

#### विद्युत क्षेत्र

- ▲ राजकोषीय जोखिम से बचने के लिए राज्य का स्मार्ट मीटरिंग और फीडर सांगरेशन के साथ इन दो प्रमुख उदय बैरोमीटर पर इसके निष्पादन को वस्तुतः सुधारना आवश्यक है।
- ▲ मजबूत क्षेत्र सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है कि विद्युत सब्सिडी बिना कमियों के लाभार्थियों तक पहुंच रही है।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ स्थानीय निकाय को बचे कार्यों के लिए अंतरण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- ▲ प्रथम एसएफसी 2015 में गठित की गई थी जिसने चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

- ▲ राज्य को पीटीबी का गठन करने की आवश्यकता है।
- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280 (ख ख) और (ग) में यथा प्रतिष्ठापित भारतीय वित्त आयोग एसएफसी की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुशंसाएं प्रदान करवाती है। राज्य सरकार को एसएफसी गठित करना चाहिए, उनकी अनुशंसाओं पर कार्य करना चाहिए और राज्य विधानसभा के समक्ष मार्च 2024 को या उससे पहले उन पर की गई कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन रखना चाहिए।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- ▲ 47 कार्यशील पीएसयू में से (15 पीएसयू केवल राज्य के, राज्य के विभाजन के कारण बने 28 पीएसयू और अलग करने के तहत 4 पीएसयू), 102 के 42 में बकाया था (30 दिसंबर 2017 की स्थिति तक) 1 से 9 वर्ष बकाया की मॉजूदगी से।
- ▲ 31 मार्च 2017 तक राज्य सरकार ने 43 कार्यरत पीएसयू में 58, 746.19 करोड़ रु (2016-17 में जीएसडीपी का 8.9%) निवेश किया था।
- ▲ यदि पीएसयू के लेखे की समय पर लेखा परीक्षा नहीं की जाती है तो यह बहुत जरूरी बजटीय सहायता को देखते हुए राज्य सरकार को गंभीर नकारात्मक जोखिम प्रस्तुत कर सकता है।

#### राज्य के दल में सुधार

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से, राज्यों का प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर समूह बनाया गया है। तेलंगाना उस समूह का हिस्सा है जिसमें गुजरात, तमिलनाडू, महाराष्ट्र केरल, कर्नाटक, हरियाणा और गोवा शामिल हैं।
- ▲ तेलंगाना के प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड अन्य की तुलना में अपने वर्ग में है (गोवा को छोड़कर जो कि बहुत छोटा है)

#### सुधार सूचक


- ▲ यद्यपि तेलंगाना भारत के विकसित राज्यों में है, प्रतिव्यक्ति आय के संबंध में यह अपने वर्ग में 5 वे स्थान पर है।
- ▲ एनएफएचएस (2015-16) के अनुसार, तेलंगाना अपने वर्ग में एक मात्र राज्य है जो कि राष्ट्रीय औसत (89.9%) से सुरक्षित पेयजल (77.9%) की पहुंच से घरे के निम्नतम प्रतिशत को दर्ज किया है।
- ▲ तेलंगाना ने ओटीआर की दूसरी सबसे बड़ी उछाल अपने दल में (वित्त वर्ष 2018-19 में 1.22) दर्ज की थी।
- ▲ इस वर्ग में राज्यों के बीच ओआरआर अनुपात (2018-19)
- ▲ हरियाणा का सबसे अधिक है जिसके बाद तेलंगाना का है (69.5 के वर्ग औसत की तुलना में)
- ▲ ओआरआर/टीआई तेलंगाना के लिए सबसे अधिक होना अवलोकन किया गया है जिसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात है।
- ▲ 2015 और 2019 के बीच तेलंगाना ने टीआई की तुलना में उच्च ओआरआर का उच्च डीजीआर का अच्छा संकते दर्ज किया था।
- ▲ तेलंगाना के लिए ओ आरआर का 86.6 % ओटीआर से आता है जो कि अधिकतर पूर्व में हैदराबाद केन्द्रित उच्च वृद्धि वाले जिलों से आते हैं।
- ▲ स्टाम्प ड्यूटी से राजस्व बहुत कम है महाराष्ट्र में 15% की तुलना में ओटीआर का 8 % यह व्यापक सुधार हेतु कार्य क्षेत्र प्रस्तुत करता है।
- ▲ ऋण देनदारी भुगतान का वर्तमान स्तर भी चिंता का कारण है जिसे तुरंत सुलझाए जाने की आवश्यकता है।
- ▲ 2018-19 में टीआई के 13% का ब्याज भुगतान वर्ग औसत और तीव्र वृद्धि से अधिक है।

- ▲ राज्य ने पेजल और सिंचाई जैसी प्रमुख सिंचाई अवसंरचना के लिए उधारियों की सहायता ली थी। ऐसी बड़ी बजटत्तर उधारियों के लिए बढ़ रहा व्याज भुगतान (लागत वसूली के लिए प्रावधान के बिना) बहुत जल्दी राजकोषीय चुनौतियां सृजित करने के लिए अनुमानित है।
- ▲ अंततः संभाव्य राजकोषीय झटकों से बचने के लिए पैरास्टेटेल्स के माध्यम से बजटत्तर उधारियों के लिए जिम्मेदार होने की आवश्यकता है।

#### टिप्पणी

1. भारत सरकार (2018) *समयावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18*, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
2. सीएजी (2017) *2017 की रिपोर्ट सं. 2 सरकारी क्षेत्र उपक्रम तेलंगाणा*, भारत के महा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, तेलंगाणा सरकार द्वारा प्रकाशित।

## टीआर -1ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
3.7 मिलियन  
सभी राज्यों की  
जनसंख्या का  
0.3%



**क्षेत्रफल**  
10,486 वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों के  
क्षेत्र का  
0.3%



**वन आच्छादन**  
7,726 वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
73.7%

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
0%



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 1,25,461  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**कर और जीएसडीपी का अनुपात**  
3.5%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चों की संख्या**  
1.7  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
26.2%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## टीआर-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## टीआर-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## टीआर-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹)


वर्ष	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	19,208	5,03,182	3.8
2012-13	21,663	5,63,081	3.9
2013-14	25,593	6,37,264	4.0
2014-15	29,533	6,95,474	4.3
2015-16	35,938	7,88,321	4.6
2016-17	39,479	8,67,648	4.6
2017-18	43,716	9,74,240	4.5
2018-19	49,845	10,82,901	4.6

## टीआर-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




## पंद्रहवां वित्त आयोग खंड - XIV, राज्य


टीआर-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




टीआर-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



टीआर-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




टीआर-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआई एसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018

टीआर-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी उपशमन (प्रतिशत बिंदु)




टिप्पण : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वि.व. 2005 की तुलना में वि.व. 2012 में गरीबी में आई कमी को दर्शाता है।

टीआर-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

टीआर-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

टीआर-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/औषध विक्रेता




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


टीआर-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल तथा व्यक्ति ('000) प्रति बेड




टीआर-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा



टीआर-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



टीआर-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया देनदारी




टीआर-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




टिप्पण : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, और पेंशन


टीआर-4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



टीआर-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



टीआर- 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय



टीआर-4. एच : प्रमुख राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम एनईएचएस


राजकोषीय संकेतक (2018-19)	राज्य	एनईएचएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू० में	1,25,461	1,30,427
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	24.1	23.3
ओटीआर	3.5	5.0
एनटीआर	0.8	2.0
टीई	26.8	26.7
ईएस	3.1	5.0
एसएस	10.5	8.7
जीएस	9.8	8.5
प्रतिबद्ध व्यय	17.0	14.4
पूंजी व्यय	3.0	4.3
एफडी	2.7	3.4
आरडी	-0.3	-0.9
ओडी	29.7	29.6



## टीआर-4 आई: टीआरआई और ओआरआर अंतराल

टीजीआर	%, 2011-2019	टीआरआई	टीआरआर	ओआरआर
त्रिपुरा		14.0	8.5	10.0
एनईएचएस		12.6	12.1	10.7

टीआर-4 जे : टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण [ (कर अंतरण और सहायता अनुदान) वि.आ और गैर वि.आ ]



## त्रिस्तरीय

- 634 पीआरआई और 20 यूएलबी के अलावा, राज्य के पास भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत एक एडीसी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद या टीटीएडीसी है।

## अंतरित प्रकार्य

- संविधान की ग्यारहवी अनुसूची के तहत 29 प्रकार्यों के 5 प्रकार्य पीआरआई को अंतरित कर दिए गए हैं।
- संविधान की बारहवां अनुसूची में यथा कल्पित 18 प्रकार्यों के 13 प्रकार्यों को यूएलबी को अंतरित कर दिया गया है।

## लेखा परीक्षा स्थिति

- आरएलबी खातों की 2017-18 तक लेखा परीक्षा कर दी गई है।
- टीटीएडीसी के खातों की 2017-18 तक लेखा परीक्षा की गई है।
- यूएलबी खातों के लेखा परीक्षा पर सूचना उपलब्ध नहीं है।

## संपत्ति कर बोर्ड

- पीटीबी राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है।
- सभी राज्यों में अंतरण सूचकांक रैंक

कार्य श्रेणी	पदाधिकारी श्रेणी	वित्त श्रेणी	नीति श्रेणी में कुल अन्तरण
8	13	13	9

स्रोत: भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

## तृतीय एसएफसी (2009-10 से 2014-15 तक)

- तृतीय एसएफसी ने राज्य के ओटीआर और एनटीआर से स्थानीय निकायों के लिए कोई भी विशिष्ट अंतरण प्रतिशत की अनुशंसा नहीं की थी।
- इसके बजाय इसने आरएलबी की स्थापना, रख-रखाव और विकास के लिए अपेक्षित खर्च मूल्यांकन करने के द्वारा अंतरण-पूर्व अंतराल परिकल्पित किया था।

- ▲ तब, त्रिपुरा के अनुमानित ओटीआर और एनटीआर और इनके व्यय अंतराल के आधार पर यह अनुशंसा की गई थी कि 2010-11 से 2014-15 के दौरान पूर्व अंतरण अंतराल पाटने के प्रति एक विशिष्ट राशि प्रति वर्ष अंतरित की जाएगी।

#### चौथा एसएफसी (2015-16 से 2019-20)

- ▲ चौथे एसएफसी की रिपोर्ट फिलहाल त्रिपुरा सरकार द्वारा जांची जा रही है।
- ▲ जबकि चौथे एसएफसी की पंचाट अवधि पूर्ण हो गई है, एटीआर अभी तक पटल पर नहीं रखा गया है।

#### ऋण और हानियां


- ▲ त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसी) विद्युत विभाग, त्रिपुरा सरकार का उत्तराधिकारी, राज्य में विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण के प्रभार में पूर्व राज्य स्वामित्व निकाय है।
- ▲ यद्यपि राज्य टीईसी की प्रचालन दक्षता के लिए उदय करार पर हस्ताक्षर करता है इसने योजना के तहत कोई ऋण नहीं लिया था।
- ▲ 31 मार्च 2019 तक टीएसईसी की कुल उधारियां 465 करोड़ रु. है जिसमें से राज्य सरकार की उधारियां है।
- ▲ यद्यपि त्रिपुरा ने 2018-19 में उदय एसीएस-एआरआर अंतराल लक्ष्य हासिल किया था। यह एटीएवं सी हानियों के बहुत पीछे रह गया था।

प्रमुख उदय बेरोमीटर 2018-19	उपलब्धियां	लक्ष्य
एटी एवं सी हानियां %	35.48	20.0
एसीएस-ए आर आर अंतराल (प्रति यूनिट रु.)	-0.06	0.03

टिप्पणी:- ए सी एस-ए आर आर अंतराल संकेत करता है कि प्रति यूनिट औसत प्राप्त राजस्व आपूर्ति की लागत औसत से अधिक है।

स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

#### टीआर 5 ए: एटी एवं सी हानियां (%) विवि 2018



स्रोत:- भारत सरकार 2019 उदय का समाचार पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार।

**उध्वाधर अंतरण**

- ▲ त्रिपुरा ने सिफारिश की है कि राज्यों को उध्वाधर कर अंतरण और अधिक प्रभार के बढ़ते हिस्से और सामान्य, विशेष और विशेष योजना सहायता जैसी केन्द्रीय अनुदान को समाप्त करने के आलोक में 42% से 50 % किया जाना चाहिए।
- ▲ त्रिपुरा ने यह भी अनुशांसा की है कि राज्यों को कर अंतरण का कम से कम का 10 % उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों ( एनईएचएस ) के लिए चिह्नित किया जाए।

**क्षैतिज अंतरण हेतु सूत्र**

क्रसं	मापदण्ड	सुझावित भार
i)	जनसंख्या	10
ii)	जनसांख्यिकी बदलाव	10
iii)	आय अंतर	50
iv)	क्षेत्र	5
v)	वनाच्छादन	10
vi)	पहुंच और अवसंरचना की उपलब्धता	5
vii)	अंतर्राष्ट्रीय सीमा	10

**जीएसडीपी वृद्धि**

- ▲ राज्य का 2011-12 से 2018-19 तक 14.9% का जीएसडीपी टीजीआर था ( सभी राज्य औसत 11.9% )
- ▲ तथापि, वृद्धि 2016-17 में 9.9% तक गिरने से पहले 2015-16 में 2014-15 में 15.4 % से 2015-16 में 21.7% तक बढ़ने हुए काफी अस्थिर रही है। 2015-16 में अधिकतम थी क्योंकि 2013-14 और 2014-15 में दो गैस आधारित 726 मेगावाट विद्युत संयंत्र शुरू किए गए थे। ये बढ़ी हुई जीएसडीपी खनन और खनिज और विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं के अंतर्गत है।

**वास्तविक और डिजिटल संपर्कता**

- ▲ त्रिपुरा के पास उत्तर पूर्व में आईटी विकसित करने की संभावना है क्योंकि उसके पास अच्छी इंटरनेट संपर्कता है।
- ▲ इसके पास 952.8 किमी वर्ग किमी के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 1815 किमी प्रति हजार किमी की संपूर्ण विमान तल और सड़क सघनता है।
- ▲ हालांकि शेष भारत से सड़क सम्पर्कता को सुधारा जा सकता है।
- ▲ वायु संपर्कता के अलावा, यदि त्रिपुरा बांग्लादेश के जरिए समुद्री स्थापित कर सके तो यह भारत और उत्तर पूर्व एशियाई देशों के संगठन की उत्तर पूर्व से जोड़ने के लिए व्यापार द्वारा बन सकता है।

**मानव विकास संकेतक**

- ▲ 17 एसडीजी में से त्रिपुरा नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट 2018 के द्वारा एसडीजी-1 गरीबी उपशमन, एसडीजी-10 असमानता कम करने, एसडीजी 15 भूमि पर जीवन और एसडीजी-16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थान में अग्रणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ▲ त्रिपुरा ने अपनी जनसंख्या के 14% तक ( सभी राज्यों में कमी की उच्चतर दर ) 2014-2005 से 2011-12 के बीच 26.6% गरीबी की कमी की थी।

- ▲ अन्य मानवीय विकास संकेतक भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
- ▲ अच्छी सम्पर्कता और शैक्षणिक संकेतकों के साथ इसकी राजधानी अगरतला के पास जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों और चिकित्सा पर्यटन विकसित करने के लिए संभावना है।

#### पर्यटन

- ▲ त्रिपुरा में उत्तर पूर्व के 10 ऐतिहासिक स्मारकों में से 8 राज्य के पास है, राज्य के पास पर्यटन विकसित करने के लिए प्रचुर कार्यक्षेत्र है।
- ▲ त्रिपुरा सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से राज्य में कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है।
- ▲ उत्तर पूर्व को व्यापार और पर्यटन द्वारा बनने की आकांक्षा से राज्य सरकार सीधी दिल्ली-अगरतला उड़ान शुरू करने के लिए उपाय खोज रहा है।
- ▲ यद्यपि त्रिपुरा में होटलों की संख्या कम है, ई-कॉमर्स मंच के जरिए त्रिपुरा में होमस्टे प्रचालनरत है, इन्हें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

#### प्राकृतिक संसाधन

- ▲ त्रिपुरा पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों के साथ एक विद्युत अधिशेष राज्य है, जिसे राजस्व प्रवाहो को सृजित करने के लिए पड़ोसी राज्यों को बिक्री के लिए काम में लाया जा सकता है।
- ▲ त्रिपुरा रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है परंतु रबड़ संसाधित करने वाली ईकाईयां राज्य में विकसित नहीं की गई हैं।
- ▲ राज्य बांस, रबड़, तम्बाकू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के आधार पर उद्योग विकसित किए जा सकते हैं।
- ▲ बांस प्रसंस्करण सब्सिडी को परेशानी मुक्त सुविधा बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए।

#### राजकोषीय अनुशासन

- ▲ यद्यपि, त्रिपुरा का 2013-14 में राजकोषीय अधिशेष था, इसका एफडी-जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 2.69% तक कम होने से पहले 2015-2017 में बढ़ गया था।
- ▲ त्रिपुरा का 2018-19 में बहुत अधिक ऋण जीएसडीपी अनुपात था।
- ▲ इसे पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसरण में कम करने की आवश्यकता है।

प्रतिशत में अनुपात	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>						
त्रिपुरा	-0.2	3.6	4.6	6.4	4.7	2.7
एनईएचएस	2.8	3.5	2.1	3.1	2.9	3.4
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>						
त्रिपुरा	34.0	31.6	27.5	28.5	29.5	29.7
एनईएचएस	28.7	29.2	28.5	29.2	29.0	29.6

स्रोत:- वित्त लेखा

#### केन्द्रीय सरकार पर अधिक निर्भरता

- ▲ केन्द्र सरकार से राज्य टीआरआर का 82.23% आता है।
- ▲ त्रिपुरा के पास एनईएचएस और सभी राज्यों के औसत (7.5%) की तुलना में बहुत निम्न ओआरआर/जीएसडीपी अनुपात (4.3%) है।

विवरण (2018-19 %)	त्रिपुरा	एनईएचएस	सभी राज्य
ओटीआर/ जीएसडीपी	3.5	5.0	6.3
एनटीआर/जीएसडीपी	0.7	2.0	1.2
ओआरआर/जीएसडीपी	4.3	7.0	7.5

- ▲ 2011-12 से 2018-19 तक ओटीआर का उछाल सिर्फ 0.95 के एनईएचएस औसत की तुलना में 0.63 था।
- ▲ जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वैट/जीएसटी स्टाम्प ड्यूटी और उत्पाद से राज्य द्वारा संग्रहण एनईएचएस औसत से कम है।
- ▲ राज्य को राजस्व के नवोन्मेषी साधन विकसित करते हुए इन साधनों से राजस्व बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

राज्य	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में				
	वैट /जीएसटी	स्टाम्प ड्यूटी	उत्पाद शुल्क	विद्युत शुल्क	अन्य
त्रिपुरा	2.7	0.1	0.4	0	0.3
एनईएचएस	3.5	0.2	0.7	0.1	0.5
सभी राज्य	4.2	0.7	0.8	0.2	0.5

#### उच्च प्रतिबद्ध व्यय

- ▲ त्रिपुरा ने 2011-12 और 2018-19 के बीच (एनईएचएस 12.1) 14% के टीजीआर के साथ (2018-19 में 67.6% के एनईएचएस औसत की तुलना में टीआरई के 71.5% के (जीआईए वेतन सहित) प्रतिबद्ध व्यय है।
- ▲ राज्य को प्रतिबद्ध व्यय कम करने की और अपने व्यय को फिर से प्राथमिकता देने और पुनर्सुधार करने की आवश्यकता है ताकि विकास करने हेतु व्यय की अधिक गुंजाइश रहे।

#### द्वितीयक क्षेत्र का कम हिस्सा

- ▲ द्वितीयक क्षेत्र त्रिपुरा की जीएसडीपी का 13.0% है। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान केवल 3.43% है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और असम जैसे अन्य एनईएचएस से असंतोषजनक तुलना करते हैं।

#### स्थानीय निकाय

- ▲ राज्य को एसएफ सी के समयबद्ध रूप से गठन को सुनिश्चित करना चाहिए और उनकी अनुसंशाओं पर कार्य करना चाहिए।
- ▲ राज्य सरकार द्वारा संपत्ति कर दर विशिष्ट निर्देश की जाती है और स्थानीय निकाय को इसे बदलने की आज्ञा नहीं होती है।
- ▲ पीआरआई को संविधान में यथा निर्धारित सभी प्रकार्य अंतरित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

#### सरकारी क्षेत्र उपक्रम<sup>1</sup>


- ▲ 13 कार्यशील एसपीएसयू में से केवल 2 ने 30 सितंबर 2017 तक अपने अद्यतित खाते तैयार किए थे।
- ▲ शेष 11 के 1 से 3 वर्ष तक अवधि के लिए 20 खातों का बैकलाग था।
- ▲ राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान नौ एसपीएसयू में 237.23 करोड़ रु. निवेश किया था जिसके लिए इन पीएसयू ने अपने खातों को अंतिम रूप दे दिया था।
- ▲ खाते को अंतिम रूप देने और लेखा परीक्षा किए बिना क्या किए हुए निवेश और व्यय को उचित ढंग से लेखाबद्ध किया गया और क्या उनके उद्देश्य हासिल हुए, यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है।

- ▲ 30 सितम्बर 2017 की स्थिति के अनुसार 13 कार्यशील एसपीएसयू की प्रदत्त पूंजी 1,324.59 करोड़ रु. थी और संचयी हानि 773.39 करोड़ रु. थी।
- ▲ इन पर एसयू द्वारा बड़ी हानियों का संचय हुआ जिससे सरकारी धन कम हुआ है।
- ▲ लेखा की लेखा परीक्षा न होने से संतोषजनक बजटीय सहायता को देखते हुए गंभीर नकारात्मक जोखिम प्रस्तुत कर सकता है।
- ▲ टीईएससी उम्रदराज उत्पादन स्टेशनों में अक्षमता के कारण 12 ईकाईयों में 152 मेगावाट की स्थापित क्षमता में से 115 मेगावाट क्षमता के साथ केवल सात उत्पादन ईकाईयां प्रचालित कर सकती है।
- ▲ कंपनी ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तय उत्पादन लक्ष्य को हासिल न कर पाने के कारण 2012-13 से 2016-17 के दौरान 79.38 करोड़ रु. के निवल संभाव्य बिक्री राजस्व की हानि हुई थी।

### उच्च बेरोजगारी दर

- ▲ -त्रिपुरा में देश की 19.7% उच्च बेरोजगारी दर थी (5% के अखिल भारतीय स्तर की तुलना में)<sup>2</sup>

### टीआर-5 बी भारत में प्रमुख राज्यों में बेरोजगारी दर, व्यावहारिक प्रमुख प्रास्थिति उपागम, % में



स्रोत:- भारत सरकार (2016) पांचवी वार्षिक रोजगार, बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015-16 श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

### सुधार सूचक


- ▲ त्रिपुरा का 2018-19 में बहुत अधिक ऋण-जीएसडीपी अनुपात 29.7% था। इसे पंद्रहवे वित्त आयोग की अनुशंसा की तर्ज पर कम किए जाने की आवश्यकता है।
- ▲ त्रिपुरा का एनईएचएस औसत की तुलना में बहुत कम ओआरआर जीएसडीपी अनुपात है। इसकी केन्द्रीय सरकार पर निर्भरता बहुत अधिक है चूंकि इसके टीआरआर का 82.33% केन्द्र से आता है। वेट, स्टाम्प ड्यूटी और उत्पाद शुल्क से राज्य द्वारा संग्रह जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में एनईएचएस औसत से कम है। चूंकि राज्य के पास प्राकृतिक संसाधन है इसे अनुकूल नीतियों से इसके द्वितीयक क्षेत्र को प्रोत्साहित और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह राज्य की अपने संसाधन बढ़ाने में मदद भी करेंगे।

### टिप्पणी:-

1. सीएजी (2018) 2018 की रिपोर्ट सं. 1- सरकारी क्षेत्र उपक्रम, त्रिपुरा, सरकार द्वारा प्रकाशित भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट।
2. भारत सरकार (2016) पांचवी वार्षिक रोजगार, बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015-16, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार



## यूपी-1ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**199.8 मिलियन**  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**16.8%**



**क्षेत्रफल**  
**2,40,928 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**7.4%**



**वन आच्छादन**  
**14,806 वर्ग कि.मी.**  
सभी राज्यों में  
वन क्षेत्र का  
**2.1%**  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**6.1%**

2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.9%↑**



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**रु. 74,402**  
**रु. 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
**7.2%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**




**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चे**  
**2.7**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**




**शहरीकरण दर**  
**22.3%**  
अखिल भारतीय औसत  
**31.1%**

## यूपी-1. बी: जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## यूपी-1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## यूपी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ रु.)

राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेर	
2011-12	7,24,050	77,44,945	9.3
2012-13	8,22,393	88,27,195	9.3
2013-14	9,40,356	1,00,07,392	9.4
2014-15	10,11,790	1,09,93,257	9.2
2015-16	11,37,808	1,21,91,256	9.3
2016-17	12,90,289	1,37,80,737	9.4
2017-18	14,60,443	1,54,20,126	9.5
2018-19	16,68,229	1,72,83,813	9.7


## यूपी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)






पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


यूपी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




यूपी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



यूपी-2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




यूपी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक



<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>सी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फ्लैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 |


<sup>ई</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>जी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

**यूपी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)**




नोट : वाई अक्षर पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

**यूपी-3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक तथा आयुष चिकित्सकों पर**




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

**यूपी-3. बी : व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी**




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

यूपी-3. सी : व्यक्ति ('000) प्रति नर्स/फार्मसिस्ट




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

यूपी-3. डी : व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और प्रति व्यक्ति (000) बैड




स्रोत: भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


यूपी-4. ए : जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




यूपी-4. बी : जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



यूपी-4. सी : जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




यूपी-4. डी : राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


यूपी-4. ई: जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



यूपी-4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



यूपी - 4. जी : जीएसडीपी के अनुपात में पूंजी व्यय




यूपी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रु. में	74,402	1,41,099
<b>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</b>		
टीआरआर	19.8	13.4
ओटीआर	7.2	6.4
एनटीआर	1.8	1.1
टीई	22.2	16.1
ईएस	4.0	3.1
एसएस	5.5	5.4
जीएस	7.8	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	7.6	5.8
पूंजी व्यय	4.1	2.5
एफडी	2.1	2.5
आरडी	-1.7	0.2
ओडी	31.1	25.0

## यूपी-4. आई : टीआरई एवं ओआरआर अंतर

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
उत्तर प्रदेश	13.8	14.2	12.2
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## यूपी - 4. जे : टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर कटौती एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## हस्तांतरित कार्य

- ▲ भारत की जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.88 करोड़ है, जिसमें 77.22 % ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
- ▲ भारत में 2.41 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में से 24.48% (0.59 लाख) लाख उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।
- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में परिकल्पित 29 कार्यों में से एक, 26 कार्य उत्तर प्रदेश में आरएलबी/पीआरआई को सौंप दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूचित में परिकल्पित 18 कार्यों में से 12 कार्य यूएलबी को सौंप दिए गए हैं।

## लेखा-परीक्षा की स्थिति

- ▲ मुख्य लेखा-परीक्षा और लेखा अधिकारी सहाकारी समिति और पंचायत, लखनऊ को उत्तर प्रदेश के पीआरआई लेखाओं की लेखा परीक्षा का कार्य सौंपा गया है। पीआरआई के लेखाओं के लेखाओं को 2016-17 तक लेखा-परीक्षित किया गया है।
- ▲ निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा यूएलबी के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। यूएलबी के लेखाओं की 2016 तक लेखा-परीक्षा की गई है।

## संपत्ति कर बोर्ड

एफसी-13 द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने 2011 में अपने पीटीबी की स्थापना की।

## सभी राज्यों में अंतरण सूचकांक रैंक

कार्य रैंक	कार्यकर्ता रैंक	वित्त रैंकनीति	रैंक में कुल अंतरण
13	6	16	17

स्रोत: भारत सरकार (2016), अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार

**चौथा एसएफसी (2011-12 से 2015-216 तक)**

- ▲ चौथे एसएफसी ने सिफरिश की है कि उत्तर प्रदेश के 15% कर और गैर-कर राजस्व (एकत्र का निवल) का अंतरण किया जाए।

**पांचवा एसएफसी (2016-17 से 2019-20 तक)**

- ▲ स्थानीय निकायों को वितरित किया जाने वाला निवल कर राजस्व 12.5% है। यह यूपलबी के लिए 7.5% (12.5% का 60%) और पीआरआई के लिए 5% (12.5% का 40%) बैठता है।


**ऋण और हानियां**

- ▲ उत्तर प्रदेश ने न तो एटीएंडसी हानि के लक्ष्य को और न ही वर्ष 2018-19 में एसीएस-एआरआर अंतर के लिए लक्ष्य पूरा किया है।
- ▲ राज्य ने 2015-2017 के दौरान उदय के तहत 39,134 करोड़ रुपये का हिडस्कोम ऋण लिया है।
- ▲ 31 मार्च 2019 तक, डिस्कोम द्वारा लिया गया कुल ऋण (राज्य सरकार के लिए गए 2,780 करोड़ रुपये के ऋण सहित) 59,212 करोड़ रुपये (सभी राज्यों के कुल डिस्कोम ऋण का 12.4%) है।

प्रमुख उदय बैरोमीटर (2018-19)	उपलब्धि	लक्ष्य
एटीएंडसी	33.15	19.36
एसीएस-एआरआर अंतर (प्रति रुपए प्रति यूनिट)	0.60	0.22

टिप्पणी:- (-) एसीएस-एआरआर अंतर दर्शाता है कि प्रति यूनिट और राजस्व की प्राप्ति आपूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**यूपी-5 के एटीएंडसी हानि (%), वित्त वर्ष 2018**

स्रोत : भारत सरकार (2019) उदय का न्यूजलेटर, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

**उध्वाधर अंतरण**

- ▲ उत्तर प्रदेश ने अनुशांसा की है कि कर के संपूर्ण विभाज्य पूल में राज्य हिस्से को 50 % तक बढ़ाया जाए।

**क्षैतिज अंतरण के लिए सूत्र**

क्र.सं.	मानदण्ड	सुझाव दिया भार (%)
i)	जनसंख्या	30
ii)	आय अंतर	50
iii)	क्षेत्र	5
iv)	राजकोषीय अनुशासन	15

**एसडीजी-1 शून्य निर्धनता पर उपलब्धि**

- ▲ राज्य ने 2004-05 में 40.9% से 2011-12 में 29.4% तक गरीबी गिरावट के साथ एसडीजी-1 में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाया है। (तेंदुलकर प्राविधिकी के अनुसार)

**पर्यटन और संबद्ध क्षेत्र**

- ▲ पर्यटन (तीर्थ यात्रा और धरोहर) राज्य अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख है क्योंकि ये हथकरघा, हस्तशिल्प, शिक्षा, आतिशय इत्यादि से संबंधित क्षेत्र है और विकास और रोजगार दोनों सृजित कर रहे है।
- ▲ टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लॉस 2020 के अनुसार भारत को सभी विदेशी दौरों के 15.1% के साथ यूपी को भी की जा रही है, यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन (2019) के संबंध में सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है।
- ▲ इसी तरह, यूपी को की गई सभी घरेलू दौरों के 23.1% के साथ यह घरेलू पर्यटन 2019 के संबंध में सभी राज्यों में प्रथम था।

**बढ़ता हुआ कर जीएसडीपी अनुपात**

- ▲ यूपी का कर जीएसडीपी अनुपात 2018-19 में 7.20% (जीएस में सबसे अधिक है), राज्य उच्च उछाल के इस मार्ग का अनुसरण निरंतर करता रहेगा।
- ▲ उच्च ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात कर प्रयास को दर्शाता है।

**सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम**

- ▲ एमएसएमई मंत्रालय के अनुसार अखिल भारतीय एमएसएमई का 14.2% (सभी राज्यों में सबसे बड़ी संख्या) यूपी में स्थित है।
- ▲ राज्य को उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए और आजिविका अवसर और बदलने आर्थिक परिदृश्य में अपनी प्रतियोगात्मकता बढ़ाने के लिए एमएसएमई के लिए ऋण, प्रोद्योगिकी, कच्चा माल और विपणन अवसर को पहुंच सुगम

**एफआरजीएम अनुपालन**

- ▲ राज्य ने 2004 में अपने एफआरबीएम अधिनियम को कार्यान्वित किया था और इसे 2011 (दुबारा) और 2016 में इसे संशोधित किया था।
- ▲ उत्तर प्रदेश ने हाल ही में वर्षों के अपनी ऋण सीमा के मुताबिक नहीं चला है।
- ▲ इसे आय के भावी प्रवाह सृजन करने के लिए विश्वसनीय ऋण मार्ग और व्यय को ध्यानपूर्वक मिलाने की आवश्यकता है।
- ▲ राज्य को राजकोषीय गिरावट से बचने के लिए समय से कार्रवाई करने के लिए इस मामले को ध्यान देने की और मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	46.9	45.1	43.4	41.9	31.0	31.0	30.5
वास्तविक उपलब्धि	33.6	31.6	30.0	30.4	32.3	32.8	32.0
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक उपलब्धि	2.1	2.3	2.5	3.2	5.1	4.3	1.9

स्रोत:- उत्तर प्रदेश सरकार का ज्ञापन

### सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम<sup>3</sup>

- ▲ 31 मार्च 2018 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 107 राज्य पीएसयू (6 वैधानिक निगम और 101 राज्य के स्वामित्व की कम्पनियां, जिसमें 46 गैर-कार्यात्मक वाले थे।)
- ▲ 31 मार्च 2018 तक, 107 पीएसयू में कुल निवेश (पूंजी एवं दीर्घावधि ऋण) 199807.67 करोड़ रुपये का 85.6% 2015-16 से 2017-18 प्राप्त हुआ।
- ▲ विद्युत क्षेत्र में कुल निवेश 69554.02 करोड़ रुपये का 85.6% 2015-16 से 2017-18 में प्राप्त हुआ।
- ▲ 61 कार्यात्मक पीएसयू में से 30 सितम्बर 2018 तक 54 के खाते में बकाया आया है।
- ▲ 2015-16 में विद्युत क्षेत्र पीएसयू द्वारा 18127.40 करोड़ रुपये संपूर्ण हानि दर्ज की गई है जो कि 2017-18 में बढ़कर 18535 करोड़ रुपये हो गई।
- ▲ दिए गए बकाया दायित्वों में एसपीएसयू को पर्याप्त बजटीय समर्थन है और खातों में बड़ी मात्रा में बकाया है, राज्य को आकस्मिक दायित्वों के बारे में भी सावधान रहने की आवश्यकता है।
- ▲ पीएसयू के पुर्नगठन में समयबद्ध कार्यक्रम को उनके निष्पादन में मुख्य बाधाओं से निपटारा करना है।

### विद्युत क्षेत्र

- ▲ राज्य विद्युत का उच्च उपभोगी है और इसके एटीएण्ड सी घाटे लक्ष्य से कहीं अधिक है।
- ▲ यूडीएवाई के बैरोमीटर में राज्य का प्रदर्शन खराब है और इसमें सुधार के लिए अच्छे कदम उठाने की आवश्यकता है। (नीचे सारणी में देखें)

पैरामीटर	एमओयू के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य	(31 मार्च 2018 तक उपलब्धि)
<b>वित्तीय निष्पादन</b>			
बिलिंग दक्षता (%)	2015-16	76.4	78.3 (प्राप्तियां)
	2016-17	78.3	78.9 (प्राप्तियां)
	2017-18	80.8	79.2 (आंशिक प्राप्तियां)
संकलन दक्षता (%)	2015-16	88.5	78.6 (गैर उपलब्धि)
	2016-17	91.6	88.4 (आंशिक प्राप्तियां)
	2017-18	94.5	91.4 (आंशिक प्राप्तियां)



पैरामीटर	एमओयू के अनुसार लक्षित अवधि	लक्ष्य	(31 मार्च 2018 तक उपलब्धि)
समय में टैरिफ संशोधन	2015-16	नवम्बर 2014	नवम्बर 2014
	2016-17	नवम्बर 2015	दिसम्बर 2015
	2017-18	नवम्बर 2016	जून 2017
<b>परिचालन प्रदर्शन</b>			
वितरण ट्रांसफार्मर पैमाइश (संख्या में)	30 सितम्बर 2017 तक 100 %	3.8 लाख	2 लाख (गैर उपलब्धि)
फीडर पैमाइश (संख्या में)	30 सितम्बर 2016 तक 100 %	16,072	16,072 (उपलब्धि)
फीडर अलगाव (संख्या में)	2016-17	1,660 (30%)	0 (गैर उपलब्धि)
	2017-18	3,597 (65%)	374 (गैर उपलब्धि)
ग्रामीण फीडर लेखा, 11 के वी (संख्या में)	2016-17	847 (10%)	2,515 (उपलब्धि)
	2017-18	2,542 (30%)	6,505 (उपलब्धि)
स्मार्ट मीटरिंग, 200 किलोवाट 500 किलोवाट (संख्या में)	2017-18	1.6 लाख	0 (गैर उपलब्धि)
<b>डीसकॉम के द्वारा यूडीएवाई का क्रियान्वयन</b>			
500 किलो वाट या उससे अधिक स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	2016-17	1.1 लाख	0 (गैर उपलब्धि)
	2017-18	1.1 लाख	0 (गैर उपलब्धि)
असंयोजित घरों में विद्युत की पहुंच (संख्या में)	2019-20	143.5	कार्यान्वयन के तहत
उजाला योजना के अन्तर्गत एलइडी का वितरण (संख्या में)	2016-17	50 लाख	148.3 लाख (हासिल)
	2017-18	80 लाख	82.3 लाख (हासिल)

स्रोत:- सीएजी 2018, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार

#### नीति आयोग 2019 की एसडीजी सूचकांक में रैंकिंग

- ▲ एसडीजी सूचकांक में 55 कीमत है (राष्ट्रीय औसत 60 की तुलना में) और भारतीय राज्यों में 24 वां स्थान है।
- ▲ उत्तर प्रदेश को एसडीजी-2 जीरो भुखमरी, एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, एसडीजी-5 लिंग समानता एसीडीजी-10 असमानता में कमी और एसडीजी-13 जलवायु कार्यवाही में सुधार की आवश्यकता है।

#### सामाजिक सूचकांक

- ▲ हालांकि राज्य ने स्वास्थ्य और शिक्षा में एनएफएचएस-4 में (एनएफएचएस-3 की तुलना में) विशिष्ट सुधार देखा है, राज्य सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है। (देखें यूपी 2 डी)

#### एचएएमपी के अन्तर्गत देखा गया उच्च प्रदूषण (पीएम 10)

- ▲ लाखों की जनसंख्या वाले शहरों ने पीएम10 के लिए एनएएमपी सीमा को पार कर लिया है। 90 माइक्रो प्रति क्यूबिक मीटर से कम)

- ▲ राज्यों को ऐसे शहरों में जो आर्थिक केन्द्रों एवं निवेश हब के रूप में उभरने वाले हैं के लिए सांस लेने में सुगमता को बढ़ाने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है।


#### पीएम 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर

शहर	2016	2017	2018	औसत
आगरा	198	185	209	197.3
इलाहाबाद (प्रयागराज)	196	140	231	189.0
गाजियाबाद	235	280	245	253.3
कानपुर	217	224	218	219.7
लखनऊ	214	246	217	225.7
मेरठ	157	153	177	162.3
वाराणसी	256	244	189	229.7

#### बेरोजगारी

- ▲ मुख्य भारतीय राज्यों में यूपी में उच्च बेरोजगारी की दर 6.2 % है (अखिल भारतीय स्तर के 6 % की तुलना में)
- ▲ उत्तर प्रदेश में पर्याप्त युवा जनसंख्या है ना केवल शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में परन्तु नौकरी के अवसरों में।
- ▲ इस उद्देश्य की तरफ, कौशल विकास एवं रोजगार सृजन के लिए सतत कार्यक्रमों प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना चाहिए।

#### यूपी-5. बी: प्रचलित स्थिति (मुख्य एवं वैकल्पिक बेरोजगारी (%)) राज्यों द्वारा 2017-18)



स्रोत:- भारत सरकार 2019, आवधिक मजदूर बल सर्वे की वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत

#### स्थानीय निकाय

- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख)(ग) में शामिल, भारत का वित्त आयोग स्थानीय निकायों को एसएफसी सिफारिशों के आधार सिफारिशें प्रदान करता है। राज्य सरकारों को एसएफसी की स्थापना करनी चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले राज्य विधानसभा के समक्ष की गई कार्यवाही पर विस्तृत ज्ञापन देना चाहिए।

**राज्यों के सुधार समूह**

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्यों को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूह में किया गया है। यूपी समूह का हिस्सा है जिसमें बिहार, झारखंड, एमपी एवं ओडिशा शामिल है।

**सुधार सूचक**

- ▲ इस वर्ग के पांच राज्यों में 2011-2016 में वीएटी के वृद्धि दर के प्रचलन से संबंधित बिहार एवं यूपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।
- ▲ स्टैम्प शुल्क और उत्पादन शुल्क के संग्रहण के संबंध में यूपी का प्रदर्शन अपने वर्ग के अन्य राज्यों से बेहतर रहा है हालांकि राज्य को अपने वीएटी/ जीएसटी संग्रहण में सुधार की आवश्यकता है।


राज्यों का वर्ग	जीएसटीपी के % के रूप में					ओटीआर के % के रूप में				
	वैट/ जीएसटी	स्टैम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य	वैट/ जीएसटी	स्टैम्प शुल्क	उत्पादन	बिजली शुल्क	अन्य
2018-19										
बिहार	4.1	0.8	0	0.1	0.6	74.4	14.2	0	0.9	10.5
झारखंड	3.9	0.2	0.4	0.1	0.4	79.1	3.1	7.3	1.4	9.0
मध्य प्रदेश	3.5	0.7	1.2	0.3	0.6	55.9	10.4	18.7	5.1	9.9
ओडिशा	3.9	0.3	0.8	0.7	0.5	63.5	4.1	12.9	10.7	8.7
उत्तर प्रदेश	4.2	0.9	1.4	0.2	0.5	58.2	13.1	19.9	2.5	6.3
वर्ग का औसत	3.9	0.7	1.0	0.2	0.5	61.6	10.9	15.7	3.8	8.0
सभी राज्य	4.1	0.7	0.8	0.2	0.5	65.8	10.4	12.4	3.5	7.7

- ▲ सामाजिक सूचकांक में यूपी न केवल राष्ट्रीय औसत से बल्कि निम्न आय राज्यों द्वारा निर्दिष्ट सूचकांको से खराब तुलना में है। इसको व्यय एवं संभवतः अल्पावधि में अच्छे परिणाम को सुनिश्चित करने की दक्षता में भी सुधार की आवश्यकता है। तदनुसार, राज्यों को वार्षिक लक्ष्यों एवं पंद्रहवें वित्त आयोग के पांच वर्षीय अवधि के दौरान मुख्य वित्तीय आबंटन के अनुसार एक रोडमैप बनाने की आवश्यकता है।
- ▲ इसलिए पंद्रहवें वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि यूपी को अगले पांच वर्षों में राजकोषीय सुधार एवं सामाजिक क्षेत्र में विनिवेश के साथ-साथ विस्तार से इन मुद्दों पर सामाजिक आर्थिक एवं राष्ट्रीय औसत के बीच की खाई को भरने के लिए कार्य करना होगा।

**नोट:-**

- 1 सीएजी 2015 पंचायती राज संस्था एवं शहरी स्थानीय निकाय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सूचित, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित।
- 2 भारत सरकार 2020, पर्यटन सांख्यिकी एक नजर में 2020, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार।
- 3 सीएजी 2020, 2020 की रिपोर्ट नं. 01, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार।
- 4 भारत सरकार 2019, आवधिक मजदूर बल सर्वे 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकी एवम् कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

## यूके 1 : ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
10.1 मिलियन

सभी राज्यों की जनसंख्या का  
**0.9%**



**क्षेत्रफल**  
53,483 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों के क्षेत्र का  
**1.6%**



**वन आच्छादन**  
24,303 वर्ग कि.मी.

सभी राज्यों के वन क्षेत्र का  
**3.5%**

राज्य का स्वयं का वन क्षेत्र  
**45.4%**

2017 से 2019 तक वन आच्छादन में परिवर्तन  
**0%**



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
रु. 2,20,257  
रु. 1,40,422  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में टैक्स**  
(वि.व. 2019)  
**कर और जीएसडीपी का अनुपात**  
5.0%  
सभी राज्यों का औसत  
6.3%




**डीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चे की संख्या**  
2.1  
सभी राज्यों का औसत  
2.2




**शहरीकरण दर**  
30.6%  
अखिल भारतीय औसत  
31.1%

## यूके 1 बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %)




## यूके 1 सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)




## यूके 1 डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹)

वर्ष	राज्य	सभी एनईएचएस	एनईएचएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	1,15,328	5,03,182	22.9
2012-13	1,31,613	5,63,081	23.4
2013-14	1,49,074	6,37,264	23.4
2014-15	1,61,439	6,95,474	23.2
2015-16	1,77,163	7,88,321	22.5
2016-17	1,95,125	8,67,648	22.5
2017-18	2,22,836	9,74,240	22.9
2018-19	2,45,895	10,82,901	22.7


## यूके 1 ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)




यूके 2 ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




यूके 2 बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



यूके 2 सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




यूके 2 डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक




<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>बी</sup> डीआई एसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>बी</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>डी</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 | <sup>एफ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>बी</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

यूके 2: वित्तवर्ष 2005 और वित्तवर्ष 2012 के बीच गरीबी उन्मूलन (प्रतिशत अंक)




नोट:- वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में धनात्मक गरीबी में कमी को दिखाता है।

यूके - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर




स्रोत: भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 14 वां संस्करण, स्वास्थ्य अन्वेषण केन्द्रीय ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

यूके-3. बी: व्यक्ति ('000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत: भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019 14 वां संस्करण, स्वास्थ्य अन्वेषण केन्द्रीय ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

यूके- 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स/फार्मसिस्ट



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

यूके- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वां संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

यूके- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




यूके- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा




यूकेडा वित्तवर्ष 2017 के बीच गरीबी उन्मूलन (प्रतिशत व्वाइंट)

यूके 4 सी:- जीएसडीपी के बकाया ऋण (%)



यूके 4 डी:- राजस्व व्यय का मुख्य व्यय (%)




नोट:- प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज देयता और पेंशन शामिल है।


यूके 4 ई:- जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



यूके 4 एफ:- जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



यूके 4 जी:- जीएसडीपी और पूंजी व्यय का अनुपात



यूके-4 एच:- मुख्य राजकोषीय सूचना -राज्य बनाम एनएचएस


राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	एनएचएस
रू प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	2,20,257	1,30,427
<b>जीएसडीपी की प्रतिशत के रूप में संसूचक</b>		
टीआरआर	12.7	23.3
ओटीआर	5.0	5.0
एनटीआर	1.4	2.0
टीई	15.7	26.7
ईएस	2.0	5.0
एसएस	5.2	8.7
जीएस	5.3	8.5
मुख्य व्यय	8.7	14.4
पूंजी व्यय	2.6	4.3
एम डी	3.0	3.4
आरडी	0.4	-0.9
ओडी	23.6	29.6



## यूके 4 आई:- टीआरई और ओआरआर गैप

टीजीआर (%) 2015-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
उत्तराखंड	14.6	12.1	11.2
एनड्एचएच	12.6	12.1	10.7

## यूके-4 जे : केन्द्रीय अंतरण (कर डिवोल्यूशन एवं अनुदान) (एफसीएवं गैर एफसी ) टीआरआर का (%)



## सौंपें गए कार्य

- ▲ संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित 29 कार्यों में से कोई भी आरएलबी को नहीं सौंपा गया
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित 6 कार्यों में से 6 पूर्ण रूप से यूएलबी को तथा 5 आंशिक रूप से सौंपे गए।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ 2017-18 तक आरएलबी तथा यूएलबी के लेखों का लेखापरीक्षण पूर्ण किया गया है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ मार्च 2013 में राज्य ने पीटीबी की स्थापना की है।

## सभी राज्यों में अवकृमिit सूचकांक रैंक

कार्य रैंक	अधिकारिक रैंक	वित्त रैंक	निति रैंक में सकल अवकृमिit
16	11	9	12

स्रोत:- भारत सरकार 2016 , अवकृमिit सूचकांक रिपोर्ट 2016, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार

## चौथा एसएफसी (2016-17 से 2020-21 तक)

- ▲ चाथे आयोग ने सिफारिश की राज्य के ओटीआर का 11% एवं पीआरआई का 45% हिस्सा स्थानीय निकायों को सौंपा जाए।
- ▲ राज्यों को एसएफसी का गठन करना चाहिए,
- ▲ उनकी सिफारिशों पर कार्य करे और व्याख्यात्मक ज्ञापन को राज्य विधानमंडल के समक्ष मार्च 2024 से पहले प्रस्तुत करने कि क्या कार्यवाही की गई।

**ऋण एवं घाटे**


- ▲ उत्तराखंड ने यूडीएवाई एमओयू को केवल परिचालन पैरामीटर के लिए हस्ताक्षर किए हैं, किसी ऋण अधिग्रहण की प्रतिबद्धता के बिना।
- ▲ राज्य ने न तो 2018-19 में एटीए तथा सी घाटे लक्ष्य को और न ही एसीएस-एआरआर अंतराल लक्ष्य को प्राप्त किया है।

यूडीएवाई बैरोमीटर मुख्य 2018-2019	प्राप्तियां	लक्ष्य
एटी तथा सी घाटे (%)	16.20	15.0
एआरआर अंतराल (रु. प्रति व्यक्ति)	0.38	-0.03

नोट:- एसीएस-एआरआर गैप यह सूचित करना है कि प्रति यूनिट औसत राजस्व पूर्ति की औसत लागत से अधिक है।

स्रोत:- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

- ▲ राज्य को यूडीएवाई बैरोमीटर में अपने प्रदर्शन को भविष्य के राजकोषीय जोखिमों से बचने के लिए सुधारने की आवश्यकता है।

**यूके 5 ए:- एटीतथा सी घाटे (%) वित्त वर्ष 2018**

स्रोत- भारत सरकार (2019)(यूडीएवाई समाचार पत्र, जनवरी, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

**उर्ध्वाधर अंतरण**

- ▲ उत्तराखंड ने यह सिफारिश की है कि उर्ध्वाधर अंतरण में 42% से 50% कर की प्रक्रिया में निवल बढ़ोत्तरी हो।

**क्षैतिज विचलन के लिए सूत्र**

क्रं संख्या	मानदंड	उप भार (%)	कुल भार
i)	1. आर्थिक विचार		40
	क:- आय दूरी	25	
	ख:- निकासी-जमा अनुपात	15	
ii)	2:- जनसंख्या		25
	क:- जनसंख्या 2011	15	
	ख:- प्रतिस्थापन दर प्राप्तियां	10	
iii)	3:-परिस्थितिक तंत्र सेवा एवं पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण		15
iv)	4:-पहाड़ी क्षेत्र के हिस्से द्वारा क्षेत्र को नापना		20

**निम्न ऋण -जीएसडीपी अनुपात और एफआरबीएम अनुपालन**

- ▲ उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों ( एनईएचएस ) की तुलना में राज्य क निम्न ऋण-जीएसडीपी अनुपात है।
- ▲ इसने अपने एफआर बीएम अधिनियम के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम ऋण -जीएसडीपी अनुपात को बनाए रखा है।
- ▲ हाल ही के वर्षों में ऋण में मामूली सी वृद्धि हुई है।
- ▲ नये एफआरबीएम अधिनियम की तर्ज पर राज्य के सतत ऋण और एफडी से जीएसडीपी अनुपात को बनाए रखना चाहिए।

% के रूप में अनुपात	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	41.1	40.0	38.5	37.5	—	—	—
वास्तविक रूप में प्राप्त	20.5	19.4	19.3	20.7	22.1	22.8	23.3
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा यथा निर्धारित	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तविक रूप में प्राप्त	1.5	1.2	1.8	3.6	3.5	2.8	3.6

स्रोत:- उत्तराखंड सरकार

**जीएसडीपी में द्वितीय श्रेत्र की उच्च हिस्सेदारी**

- ▲ राज्य के पास अच्छी तरह से स्थापित औद्योगिक क्षेत्र है। यह जीएसडीपी का 43.51% हिस्सा द्वितीय क्षेत्र से प्राप्त करता है। ( एनईएचएस में सिक्किम के पश्चात दूसरा )
- ▲ 2018-19 में जीएसडीपी में विनिर्माण क्षेत्र से काफी उच्च 33.36% हिस्सा है।
- ▲ राज्य में सभी एनईएचएस में दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है। ( सिक्किम के पश्चात )

**पर्यटन**

- ▲ राज्य में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए और पलायन समस्या को समाप्त करने के लिए पर्यटन में सभावनाएं हैं। कुछ उपाय जिससे पर्यटन प्रोत्साहन आए, नीचे दिए गए हैं।
- ▲ खराब कनेक्टिविटी राज्य में पर्यटन के विकास में मुख्य रुकावट रही है। पड़ोसी क्षेत्रों से सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी उत्तराखण्ड में तुरंत सुधार की आवश्यकता है। अन्तरराज्यीय सड़क नेटवर्क एवं सहायक अवसंरचना विकास को आखिरी सड़क तक जोड़ने के लिए अत्यन्त आवश्यक है।
- ▲ पीपीपी मोड पर पहाड़ी क्षेत्रों पर लीक से हटकर हैली-टैक्सी सेवा को शुरू किया जा सकता है।
- ▲ उत्तराखंड में विभिन्न इको अध्यात्मिक, कल्याण एवं धार्मिक ( इ डब्लुआर ) हॉटस्पॉट है। कसौनी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बगेश्वर, पिथौरागढ़ और चम्पावट में अनुभवों का सही मिश्रण है और उनको इ डब्लुआर हॉटस्पॉट में विकसित करना चाहिए।
- ▲ राज्यों के गंतव्यों को साहसिक कार्यों की थीम पर बदला जाना चाहिए जैसे हर की दन ट्रेक, वैली ऑफ फ्लावर, चन्द्रशीला ट्रेक इत्यादि। पीपीपी मोड या प्रोत्साहन के माध्यम से एकीकृत साहसिक सर्किट के विकास एवं औपचारिकता को बढ़ाना चाहिए।
- ▲ ग्रामीण पर्यटन के साथ इको-पर्यटन को भी गंतव्य स्थान पर रूकने में वृद्धि की दृष्टि से सुनिश्चित करना चाहिए। होमस्टे, व्यक्तिगत साथ ही साथ समुदाय पर आधारित लोगों के लिए आय के स्रोत का व्यवहार्य विकल्प के रूप में प्रोत्साहित होना चाहिए। जैसा कि होमस्टे मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है जिससे कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण में मुख्य भूमिका होगी। इ-कॉमर्स के व्यापारियों के साथ होमस्टे को जोड़ने के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

**विद्युत क्षेत्र**

- ▲ उत्तराखण्ड को ऊर्जा क्षेत्र या ऊर्जा प्रदेश इसके समृद्ध जलवैज्ञानिक संसाधनों के कारण कहा जाता है जिसका व्यवसायिक रूप से दोहन किया जा सकता है यह अनुमानित जल विद्युत से सम्पन्न है जिसकी क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट है जिसमें से सभी तक 3987

मेगावाट ही अभी तक प्रयोग हुई है और केन्द्रीय विद्युत पीएसयू, राज्य के स्वामित्व वाली उपयोगिताओं और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के द्वारा 2578 मेगावाट क्रियान्वयन के अन्तर्गत है।

- ▲ संपूर्ण 33 जलविद्युत परियोजनाओं जिसकी कुल क्षमता लगभग 4084 मेगावाट है और परियोजना की लागत 22607 करोड़ रुपये है को पर्यावरण की चिंता के कारण स्थापित किया गया है।
- ▲ राजस्व आय को बढ़ाने और क्षमता था पूर्ण उपयोग करने के लिए राज्यों को सतत जल विज्ञान परियोजना के कार्यान्वयन को तेज करना चाहिए।

### जीएसटी से गिरता हुआ राजस्व

- ▲ राज्य ने 2018-19 में ओटीआर-जीएसडीपी अनुपात को 4.9% दर्ज किया है ( एनईएचएस औसत 4.95%
- ▲ इसकी स्टैम्प शुल्क, उत्पाद और विद्युत शुल्क एनईएचएस औसत से अधिक बने हुए है।

राज्य	( जीएसडीपी के % के रूप में ( 2018-2019 )				
	वैट/जीएसटी	स्टाम्प शुल्क	उत्पाद शुल्क	विद्युत शुल्क	अन्य
उत्तराखंड	2.7	0.4	1.2	0.2	0.5
एनईएचएस	3.5	0.2	0.7	0.1	0.5
सभी राज्य	4.2	0.7	0.8	0.2	0.5

- ▲ हालांकि, जीएसटी या वैट के संकलन में राज्य ने 2016-17 में 3.67% जीएसडीपी से 2017-18 में 2.55% की तेज गिरावट देखी है। 2017-18 में संकलन 20.68% तक कम हुआ है।
- ▲ इसने 2017-18 में 1283 करोड़ रुपये, 2018-19 में 2037 करोड़ रुपये और 2019-20 में 2477 करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्क प्राप्त की है।

### प्रतिबद्ध व्यय

- ▲ राज्य का प्रतिबद्ध व्यय उच्च है ( जिसमें सहायता अनुदान वेतन शामिल है ) इसका वेतन, पेंशन और ब्याज पर कुल व्यय 2018-19 में टीआरई का 71.16% का हिसाब लगाया गया। एनईएचएस औसत 67.62% सभी राज्य औसत 50.6%।

राज्य	( टीआरई के % के रूप में ( 2018-2019 )			
	आई पी	पेंशन	वेतन	प्रतिबद्ध
उत्तराखंड	13.9	16.8	40.5	71.2
एनईएचएस	9.0	14.3	44.3	67.6
सभी राज्य	12.2	12.1	26.3	50.6

- ▲ प्रतिबद्ध व्यय के भार को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि विकास के लिए अधिक जगह बन सके।

### निम्न प्रति व्यक्ति व्यय

- ▲ 2018-19 में 28839 रु. से उत्तराखंड में सभी एनईएचएस में असम के पश्चात दूसरा सबसे कम निम्न प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय है। औसत प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय 29220 रुपये है।
- ▲ 2018-19 में इसका स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय भी ( 1710 रु. ) एनईएचएस की तुलना में कम था। ( 1987 रु. )
- ▲ राज्य को अपने राजकोषीय वित्त को समझदारी से इस्तेमाल करते हुए सामाजिक क्षेत्र व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि विकास में वृद्धि की जा सके।

**प्रचालन**

- ▲ पहाड़ी राज्यों में आर्थिक विकास में कमी के परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में बाहर प्रवासन हो रहा है। उत्तराखण्ड में 1048 'भूत गांवों' को राज्य सरकार ने दर्ज किया है। इससे सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा समस्या है।
- ▲ उत्तराखण्ड से पलायन कुछ आकांशापूर्ण है जो कि मुख्य रूप से खराब रोजगार अवसरों से शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि के कारण होने वाले तनाव से है।
- ▲ अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र के ग्रामीण प्रवासियों को अकुशल निम्न वेतन का कार्य जैसे घरेलू नौकर, सुरक्षा गार्ड, कार्यालय सहायक इत्यादि तरह की नौकरियां पठारी क्षेत्रों में मिलती है। गरीब घरों की जीविका के लिए प्रेषण अति आवश्यक है और उसका बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के उपभोग पर खर्च होता है। गांव की अर्थव्यवस्था में शायद ही गुणक का प्रभाव पड़ता है।
- ▲ राज्य को रोजगार अवसर बढ़ाने तथा पलायन को रोकने कलिए सक्रिय रूप से बागवानी, पुष्पोत्पादक, हाइड्रोपावर, पर्यटन तथा कल्याण सेवाओंको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

**असमानता**

- ▲ बड़े स्तर पर अंतर-जिला एवं अंतः जिला असमानता देखी गई है। जिलों की प्रति व्यक्ति आय पठारों से आती है जैसे हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर की आय उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग पहाड़ी जिलों से काफी अधिक है।
- ▲ भौतिक अवसंरचना में जैसे जिलों के अन्तर्गत सड़कों, इलाकों के आधार पर और अवस्थिति जैसी कमियों में भी असमानता देखी गई है।
- ▲ गांवों की खराब संयोजकता पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विस्तार इत्यादि की कमी से संबंधित है और सरकारी कर्मचारियों की वह कार्य करने की इच्छा नहीं है।
- ▲ सतत प्रयास और भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना में विनिवेश की आवश्यकता है ताकि अंतः राज्य विकास में असमानता को कम किया जा सके।

**पेयजल**

- ▲ पहाड़ी क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति एक चुनौती है। यह समस्या पर्यटक के अतिव्यस्त समय के दौरान और बढ़ जाती है जब 5-6 करोड़ की जनसंख्या राज्य के संसाधन पर निर्भर हो जाती है।
- ▲ उत्तराखंड में औसतन वार्षिक 1600 एमएम वर्षा होती है और रुफ टॉप हार्वेस्टिंग परियोजना की आवश्यकता है जिससे पानी को रोक जा सके और उपयोग बनाया जा सके।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ शेष कार्यों को स्थानीय निकायों से विकसित कराया जाए जैसा कि संविधान में परिकल्पित है।

**प्राकृतिक आपदाएं**

- ▲ उत्तराखंड को इसकी भू-रचना स्थापना, प्राकृतिक भू-गोल- संबंधी स्थिति और अत्यन्त मौसमी बदलाव के कारण यह अनेक आपदाओं जैसे भूकम्प, भूस्खलन, अचानक आई बाढ़, बादलों का फटना एवं सूखे की चपेट में आता है।
- ▲ नदियों का बढ़ता जल स्तर और गलेशियर के पिघलने से मुख्य नदियों के किनारों के निवासियों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है और वर्षों तक अधिक वर्षा होने से अनेक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचता है।
- ▲ राज्य को सक्रिय संयोजन एवं कमी के प्रभाव को अपनाना होगा विशेषकर पर्यावरण परिवर्तन के खतरे को लेकर।
- ▲ जोखिम बीमा उपकरण को दृढ़ा जाए जो कि समुदाय को सहायता प्रदान करे और स्टेकहोल्डरों के बीच जोखिमों के विस्तार एवं उसका खतरा से निपटें।

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

- ▲ 22 कार्यकारी राज्यों के पीएसयू में 2016-17 में 19 के खातों में बकाया था।
- ▲ राज्य सरकार ने 127.1 करोड़ रुपये का निवेश शेयर पूंजी, ऋण और अनुदानों के रूप में किया जो कि 6 पीएसयू के लिए थे जिसमें खातों पर अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
- ▲ बिना लेखा परीक्षा के खातों में आवश्यक बजटीय सहायता देने के पश्चात भी गंभीर नकारात्मक जोखिम हो सकते हैं।

**सूचक उपाय**

जीएसडीपी अनुपात से उत्तराखण्ड में संयमी ऋण है हालांकि पिछले वर्षों में ऋण में वृद्धि हुई है। इस प्रवृत्ति को बदलना होगा।

उत्तराखण्ड में विशाल औद्योगिक बुनियाद है और इसे द्वितीय क्षेत्र से अपने जीएसडीपी में उच्च हिस्सा मिलता है। हालांकि हाल ही के वर्षों में राज्य ने अच्छा जीएसटी संकलन नहीं किया है। राज्य को अपने ओटीआर को आगे बढ़ाने के लिए नवप्रवर्तक तरीके ढूंढने की आवश्यकता है।


राज्यों के पास उच्च प्रतिबद्धता वाले व्यय है प्रतिबद्ध व्यय के भार को कम करने के लिए उपाय करने चाहिए ताकि विकासशील खर्चों के लिए अधिक राजकोषीय स्पेस बचे।

**नोट:-**

1. सीएजी (2018), 2018 की रिपोर्ट नं. 1:- 31 मार्च 2017 में समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट।



## डब्लूबी-1.ए : विहंगावलोकन



**जनसंख्या**  
**91.3** मिलियन  
सभी राज्यों में  
जनसंख्या का  
**7.7%**



**क्षेत्रफल**  
**88,752** वर्ग कि.मी.  
सभी राज्यों में  
क्षेत्र का  
**2.7%**



**वन आच्छादन**  
**16,902** वर्ग कि.मी.  
राज्य का स्वयं  
का वन क्षेत्र  
**19.0%**  
2017 से 2019 तक वन  
आच्छादन में परिवर्तन  
**0.3%** ↑



**प्रति व्यक्ति जीएसडीपी**  
**₹. 1,10,728**  
**₹. 1,40,422**  
सभी राज्यों का औसत



**जीएसडीपी में कर**  
**5.6%**  
सभी राज्यों का औसत  
**6.3%**





**टीएफआर**  
**प्रति महिला बच्चे**  
**1.8**  
सभी राज्यों का औसत  
**2.2**



**शहरीकरण दर**  
**31.9%**  
अखिल भारत औसत  
**31.1%**


## डब्लूबी-1. बी : जीएसडीपी की वृद्धि दर (वर्तमान कीमतों पर, %) डब्लूबी-1. सी : प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (वर्तमान कीमतों पर)



## डब्लूबी-1. डी : जीएसडीपी वर्तमान, 2011-12 श्रृंखला (करोड़ ₹.)

वर्ष	राज्य	सभी जीएस	जीएस में राज्य का (%) शेयर
2011-12	5,20,845	77,44,945	6.7
2012-13	5,91,464	88,27,195	6.7
2013-14	6,76,848	1,00,07,392	6.8
2014-15	7,18,082	1,09,93,257	6.5
2015-16	7,97,300	1,21,91,256	6.5
2016-17	8,72,527	1,37,80,737	6.3
2017-18	9,74,700	1,54,20,126	6.3
2018-19	10,89,898	1,72,83,813	6.3


## डब्लूबी-1. ई : जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान (वर्तमान कीमतों पर, %)






## पंद्रहवां वित्त आयोग, खंड - IV, राज्य


डब्लूबी-2. ए : जनसंख्या में दशकीय वृद्धि (%)




डब्लूबी-2. बी : कुल प्रजनन दर (प्रति महिला बच्चे)



डब्लूबी - 2. सी : नीति आयोग का एसडीजी सूचकांक (2019)




डब्लूबी-2. डी : प्रमुख सामाजिक संसूचक



<sup>ए</sup> जनगणना, 2011 | <sup>अ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (विश्लेषणात्मक सारणियां) | <sup>अ</sup> डीआईएसई, 2016-17 (फलैश सांख्यिकी) | <sup>अ</sup> एनएफएचएस-4, 2015-16 |


<sup>अ</sup> काय द्रव्यमान सूचकांक | <sup>एफ</sup> एसआरएस, 2018 | <sup>अ</sup> एसआरएस, 2013-2017 | ♀ : महिला, ♂ : पुरुष

डब्लूबी-2. ई : वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 2012 के बीच गरीबी में कटौती (% अंक)




नोट : वाई अक्ष पर धनात्मक मूल्य वित्त वर्ष 2005 की तुलना में वित्त वर्ष 2012 में गरीबी में कटौती दर्शाता है।

डब्लूबी - 3. ए : व्यक्ति ('000) प्रति एलोपैथिक एवं आयुष डॉक्टर



स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

डब्लूबी -3. बी: व्यक्ति (000) प्रति उपकेन्द्र/पीएचसी/सीएचसी




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल, 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

डब्लूबी - 3. सी: व्यक्ति (000) प्रति नर्स /फार्मासिस्ट




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

डब्लूबी- 3. डी: व्यक्ति (लाख) प्रति सरकारी अस्पताल और व्यक्ति (000) प्रति बेड




स्रोत : भारत सरकार (2019), राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, 14वाँ संस्करण, केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार


डब्लूबी- 4. ए: जीएसडीपी के % के रूप में राजस्व घाटा




डब्लूबी- 4. बी: जीएसडीपी के % के रूप में राजकोषीय घाटा



डब्लूबी- 4. सी: जीएसडीपी के % के रूप में बकाया ऋण




डब्लूबी- 4. डी: राजस्व व्यय के % के रूप में प्रतिबद्ध व्यय




नोट : प्रतिबद्ध व्यय में वेतन, ब्याज भुगतान और पेंशन शामिल है।


डब्लूबी - 4. ई : जीएसडीपी के % के रूप में ओटीआर



डब्लूबी - 4. एफ : जीएसडीपी के % के रूप में एनटीआर



डब्लूबी-4. जी: जीएसडीपी के अनुपात में पूंजीव्यय




डब्लूबी-4. एच : मुख्य राजकोषीय संसूचक - राज्य बनाम जीएस

राजकोषीय संसूचक (2018-19)	राज्य	जीएस
प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति जीएसडीपी रू. में	1,10,728	1,41,099
<i>संसूचक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में है।</i>		
टीआरआर	13.4	13.4
ओटीआर	5.6	6.4
एनटीआर	0.3	1.1
टीई	16.6	16.1
ईएस	2.8	3.1
एसएस	6.4	5.4
जीएस	5.2	4.7
प्रतिबद्ध व्यय	5.5	5.8
पूँजी व्यय	2.3	2.5
एफडी	3.1	2.5
आरडी	1.0	0.2
ओडी	36.1	25.0

## डब्ल्यू बी-4 आई : टीआरई एवं ओआरआर गैप

टीजीआर % 2011-2019	टीआरई	टीआरआर	ओआरआर
पश्चिम बंगाल	11.7	14.4	11.9
जीएस औसत	13.6	13.1	10.3

## डब्ल्यू बी- 4. जे: टीआरआर के % के रूप में केन्द्रीय अंतरण {कर अंतरण एवं सहायता अनुदान (एफसी एवं गैर एफसी)}



## सौंपे गए कार्य

- ▲ भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के 29 कार्य में परिकल्पित में से 28 कार्य आरएलबी/पीआरआई को दिए गए हैं।
- ▲ संविधान की बारहवीं अनुसूची के 18 कार्य में परिकल्पित में से 17 कार्य यूएलबी को दिए गए हैं।

## लेखा परीक्षा की स्थिति

- ▲ पीआरआई खातों को राज्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार नियमित किया है।
- ▲ स्थानीय लेखापरीक्षक वार्षिक खातों के लेखा को पश्चिम बंगाल निगम अधिनियम 1993 के अन्तर्गत निर्धारित करते हैं।
- ▲ 2017-18 तक पीआरआई और यूएलबी के खातों की लेखा परीक्षा हो गई है।

## सम्पत्ति कर बोर्ड

- ▲ पश्चिम बंगाल मूल्यांकन बोर्ड 1978 से कार्य कर रहा है राज्य पीटीबी की तरह क्रियान्वित है।

## सभी राज्यों में अंतरण रैंक सूचकांक

कार्य रैंक	कार्यकर्ता रैंक	वित्त रैंक	नीति रैंक में सकल अंतरण
9	13	8	7

स्रोत:- भारत सरकार (2016) अंतरण सूचकांक रिपोर्ट 2015-16, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार

## चौथा एसएफसी (2015-16 से 2019-20)

- ▲ सार्वजनिक वित्त के राष्ट्रीय संस्था द्वारा राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट का विहंगावलोकन के अनुसार चौथे एसएफसी की सिफारिशों वर्तमान में राज्यों के क्रियान्वयन के अर्न्तगत है।
  - राज्यों के स्वामित्व वाले कर राजस्व से 2016-17 के लिए 900 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों को दिए गए जिसमें 2017-18 से 2018-19 तक 3% वार्षिक वृद्धि होगी।

- ▲ आरएलबी एवं यूएलबी को दिए वित्त में से 60% पूंजी व्यय के लिए संचित है और बचे हुए 40% को आस्तियों की निगरानी विद्युत के बिल भुगतान, ओर एण्डएम जलआपूर्ति योजना इत्यादि के लिए है।

### ऋण एवं हानियां

- ▲ पश्चिम बंगाल यूडीएवाई के अन्तर्गत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- ▲ 31 मार्च 2019 तक पश्चिम बंगाल में डिस्कॉम द्वारा कुल उधारियां 12803 करोड़ रुपये है (जिसमें राज्य सरकार के 271 करोड़ रुपये की उधारियां शामिल है) जो कि सभी राज्यों के लिए डिस्कॉम द्वारा कुल उधारियों को 2.7% है।
- ▲ पश्चिम बंगाल के एजी के अनुसार, पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड एटीएण्ड सी घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है जो कि पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित है। (डब्ल्यू बीईआरसी)

एटीएण्ड सी घाटे (%)	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
डब्ल्यू बीईआरसी द्वारा स्वीकार्य	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5
डब्ल्यू बीएसइबी द्वारा प्राप्त	31.6	30.5	30.0	29.8	29.0

स्रोत, ए जी पश्चिम बंगाल सरकार

### उर्ध्वाधर अंतरण

- ▲ पश्चिम बंगाल ने यह सिफारिश की है कि करों के पूल के विभाजन में संपूर्ण राज्य का हिस्सा 50% तक बढ़ा दिया जाए।

### उर्ध्वाधर अंतरण के लिए सूत्र

क्रम सं.	मापदंड	सुझाव की गई भार (%)
i)	अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के लिए जनसंख्या समायोजित	27.5
ii)	स्थानीय जटिलताओं द्वारा समायोजित	7.5
iii)	आय दूरी (1971 की जनसंख्या पर मापा)	50.0
iv)	राजकोषीय अनुशासन	7.5
v)	सामाजिक प्रगति के लिए सूचकांक से दूरी	7.5

### विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- ▲ राज्य को अधिक एफडीआई को आकर्षित करने की आवश्यकता है विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन सीख के अन्तर्गत। राजधानी कोलकत्ता अन्य महानगरों की तुलना में विनिवेश में काफी पीछे है।
- ▲ भारत की कुल एफडीआई का केवल 1% ही वर्तमान में कलकत्ता के पास है।

### व्यापार करने की सुगमता

- ▲ इओडीबी के संबंध में 2019 में पश्चिम बंगाल 9वीं रैंक पर है (36 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश में से) जो कि 2015 में 11वीं रैंक पर था (32 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में से)।
- ▲ पश्चिम बंगाल एकल खिड़की प्रणाली (प्रबंधन नियंत्रण एवं विविध प्रावधान) अधिनियम 2017 को इओडी के प्रोत्साहन के लिए बनाया गया था।

- ▲ विभिन्न जी 2 बी सेवाओं और ऐपलीकेशन के लिए एकल खिड़की पोर्टल (सिलपा साथी) की शुरूआत की गई है।

#### कर आधार को मजबूत कारने के लिए प्रयास

- ▲ पश्चिम बंगाल के एजी के अनुसार राज्य ने कर रिटर्न को सल बनाने के लिए इ-गवर्नेन्स के कार्यान्वयन उपाय के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये है।
- ▲ राज्य ने पूरे देश में जीएसटी- नये पंजीकरण के अन्तर्गत सबसे अधिकतम वृद्धि को प्राप्त किया है।

#### पर्यटन की संभावनाएं

- ▲ राज्य के पास विशाल एवं अप्रयुक्त पर्यटन संभावनाएं हैं (घरेलू एवं विदेशी दोनों पर्यटकों के लिए), जिसको रोजगार अवसरों के विस्तार एवं आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- ▲ पर्यटन सांख्यिकीय एक नजर 2020 के अनुसार 2019 में भारत के कुल विदेशी पर्यटकों का 5.3% हिस्सा पश्चिम बंगाल में आया था।
- ▲ सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य ने छठा स्थान 2019 प्राप्त किया। सभी भारतीय पर्यटकों के 4% हिस्से के कारण घरेलू पर्यटन में

#### राजकोषीय सूचक

- ▲ पश्चिम बंगाल सरकार का विशाल दायित्व ब्याज की अदायगी है। 2012-13 से 2018-19 के दौरान टीआरई के प्रतिशत के रूप में ब्याज की अदायगी 18%-23% के रेंज में रही है यह राज्य पंजाब के साथ-साथ अधिक ब्याज के भार वालों में से एक है।

#### एफआरबीएम का अनुपालन

- ▲ राज्य ने एफआरबीएम अधिनियम को 2010 में क्रियान्वित किया और हालांकि के वर्षों में एलआरबीएम सीमा ऋण-जीएसडीपी अनुपात का पालन नहीं कर रही है। हालांकि, एफडी-जीएसडीपी अनुपात 2016-17 और 2017-18 के लक्षित सीमा के अन्तर्गत रहा है, इसलिए (सी) भविष्य की आय की धाराओं का सृजन करने के लिए राज्य को विश्वसनीय ऋण पथ एवं व्यय के सावधान अंशाकन की आवश्यकता है।

अनुपात %	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
<b>ऋण-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	40.6	39.1	37.7	35.9	34.3	25.0	25.0
वास्तव में प्राप्त	39.9	38.8	37.2	38.7	38.4	38.7	37.0
<b>एफडी-जीएसडीपी</b>							
राज्य एफआरबीएम द्वारा निर्धारित	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
वास्तव में प्राप्त	3.4	3.2	3.7	3.8	2.6	2.9	3.0

स्रोत:- पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन

#### निम्न एनटीआर-जीएसडीपी अनुपात

- ▲ जीएस की तुलना में राज्य का एनटीआर-जीएसडीपी अनुपात निम्न है। आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के प्रावधानों से लागत वसूलियों को बढ़ाने के उपाय राज्य को करने की आवश्यकता है।

#### एनटीआर जीएसडीपी अनुपात 2018-19

पश्चिम बंगाल	जीएस	चतुर्थ 1	मध्यिका	चतुर्थ 1	सभी राज्य
0.3	1.1	0.8	1.3	1.93	1.2

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम <sup>5</sup>**

- ▲ 31 मार्च 2017 तक, पश्चिम बंगाल में 92 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे। इनमें 73 कार्यकारी पीएसयू (जिसमें 9 वैधानिक निगम शामिल है) और 19 गैर-कार्यकारी पीएसयू (जिसमें 1 वैधानिक निगम शामिल है) इन कार्यकारी पीएसयू का कुल टर्नओवर, 39443.4 करोड़ रुपये के कुल निवेश का 89.4% था। इन इकाइयों की इक्रिटी पर रिटर्न- 1.77% है।
- ▲ पश्चिम बंगाल में 73 कार्यकारी पीएसयू में से 1 से 9 वर्ष की अवधि तक के लिए 40 खातों में बकाया था। 19 गैर कार्यकारी पीएसयू में से 13 के पास 1 से 11 वर्ष के बकाया है।
- ▲ 31 मार्च 2017 तक, 92 पीएसयू में सरकार का कुल निवेश 40611.43 करोड़ रुपये था। 2016-17 में विद्युत क्षेत्र में कुल विनिवेश का 72.40% था। 2016-17 के दौरान राज्य सरकार ने इक्रिटी, ऋणों और अनुदान सहायता के लिए 3894.34 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पीएसयू को प्रदान की थी।
- ▲ लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष सही समय प्रस्तुत नहीं की गई थी। 2011-12 और 2012-13 से संबंधित लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को एक साथ जुलाई 2014 में प्रस्तुत किया था। यह पैटर्न बताता है कि राज्य सरकार ने लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करना कम करके एक द्विवार्षिक कार्य बना लिया है। यह राज्यों के संविधान एवं वैधानिक राज्यों के दायित्वों का उल्लंघन है।
- ▲ एसपीएसयू को बकाया दायित्वों एवं ठोस बजटीय सहायता को देखते हुए राज्यों के ऊपर अतिरिक्त राजकोषीय भार कम करने के लिए राज्य को इनकी सावधानी से निगरानी करने की आवश्यकता है।

**स्थानीय निकाय**

- ▲ संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (ख ख) और (ग) में प्रतिष्ठापित, भारत का वित्त आयोग एसफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान की सिफारिश करता है। राज्य सरकार को एसफसी का गठन अवश्य करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले राज्य विधानसभा के समक्ष की गई कार्यवाही के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहिए।

**स्थानीय जटिलताएं**

- ▲ राज्य सरकार ज्ञापन के द्वारा प्रकाशित, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है और झारखंड, बिहार, ओडिशा, सिक्किम और असम के साथ इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। राज्य 2509 किमी की संवेदनशीलता अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश भूटान और नेपाल के साथ साझा करता है।
- ▲ राज्य में विविध स्थलाकृति जिसमें उच्चतर पहाड़, झीले, सुन्दरबन, दुर्गम पहाड़ी एस जंगली क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और पठार शामिल हैं।
- ▲ पश्चिम बंगाल की सीमा अत्याधिक झरझरी और इस पर निगरानी का अतिरिक्त बोझ रहता है।

**नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक पर रैंक (2019)**

- ▲ एसडीजी सूचकांक के 60 पर राष्ट्रीय औसत के समान, पश्चिम बंगाल 28 भारतीय राज्यों में 14 वें स्थान पर है।
- ▲ राज्य एसडीजी-3 अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली में आगे है, एसडीजी-6 साफ पानी एवं स्वच्छता एसडीजी 8- अच्छा कार्य और आर्थिक वृद्धि, एसडीजी-9 उद्योग, नवाचार आटर अवसंरचना, एसडीजी-10 असमानता में कमी, एसडीजी-15 पृथ्वी पर जीवन और एसडीजी-16 शांति, न्याय और मजबूत संस्था। हालांकि, राज्य को एसडीजी-2 शून्य भुखमरी, एसडीजी-5 लैंगिक समानता, एसडीजी-11 धारणीय शहर एवं समुदायों एसडीजी-13 जलवायु कार्यवाही और एसडीजी-14 जल के नीचे जीवन में सुधार की आवश्यकता है।



**अत्यधिक प्रदूषण**

- ▲ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों ने पीएम 10 (प्रति घन मीटर 90 माइक्रोग्राम से कम) के एन ए एम पी रास्ते को भी पार कर लिया है। राज्य को इन शहरों में सांस लेने की सुगमता को बढ़ाने के लिए योजना तैयार करनी होगी ताकि वे आर्थिक केन्द्र एवम विनिवेश केन्द्र बनकर उभर सकें।

**माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर (पीएम10)**

शहर	2016	2017	2018	औसत
आसनसोल	211	163	146	173.3
कोलकाता	113	120	148	127.0

**स्वच्छता अभियान**

- ▲ आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार पश्चिम बंगाल देश की खराब प्रदर्शन करने वाली 25 शहरों में से 18 शहर था।
- ▲ कुल भारतीय स्कोर द्वारा 28वें रैंक के साथ (संयुक्त भारत स्कोर दोनों के लिए >1 लाख और < 1 लाख जनसंख्या यूएलबी) 2018 में सर्वोच्च 30 शहरों के बीच (28 राज्य + राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू एवं काश्मीर), पश्चिम बंगाल ने बाद में हुए सर्वेक्षण में भागीदारी नहीं की थी।

**राज्य का सुधार समूह**

- ▲ विश्लेषण के उद्देश्य से राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर समूहबद्ध किया गया है। पश्चिम बंगाल उस समूह का हिस्सा है जिसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब आते हैं।

**सुधार सूचक**

- ▲ यद्यपि पिछले दो दशकों के सभी वित्त आयोग ने राज्य में विभिन्न राजकोषीय उपायों की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल ने अपने राजकोषीय स्थिति में कोई सुधार नहीं किया है।
- ▲ पश्चिम बंगाल में पूंजी व्यय काफी कम है। 2011 में पश्चिम बंगाल का पूंजी व्यय जीएसडीपी का 0.6% जो कि समूह औसत 1.3% से देश में सबसे कम था। हालांकि पिछले वर्षों में राज्य ने महत्वपूर्ण सुधार दिखाए हैं।
- ▲ राज्य ने उद्देश्य, पारदर्शी एवं कुशल प्रणाली को कर संग्रहण एवं राजस्व के प्रसार में लगाया है।
  - ई नाथीकरण:- दिसंबर 2014 से केन्द्रीय वेब-आधारित पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत की है, स्टैडअलीन कम्प्यूटरीकृत दस्तावेज के पंजीकरण (सीओआरडी) के स्थान पर। बूट के अन्तर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड से राज्य में ई-नाथीकरण सभी पंजीकरण कार्यालयों में चल रहा है। राज्य ने ऑनलाइन पंजीकरण का एकीकरण और भूमि अभिलेखा विभाग, कलकत्ता नगर निगम और पश्चिम बंगाल मूल्यांकन बोर्ड का क्रियान्वयन किया है।
  - वित्तीय निहितार्थ:- स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से 2018-19 में 5620 करोड़ रुपये तक बढ़ गया।
  - राष्ट्रीय भावना में सुधार:- प्रशासनिक कीमत नियंत्रक एवं अन्य विशेषाधिकार क्षेत्र अनुदानों की प्रणाली में इसकी समाप्ति कर दी गई थी। यह राष्ट्रीय भावना को उपभोग में महत्वपूर्ण वृद्धि को बनाता है।
  - इसलिए पन्द्रवी वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य व्यापक रूप से इसे और संबंधित मुद्दों को (राजकोषीय उपाय को शामिल करते हुए) मजबूत पूंजी अवसंरचना में निवेश करके संसाधनों के सुधरे एवं सतत श्रृंखला को सुनिश्चित करता है। नाजुक सामाजिक क्षेत्र में मिलान विनिवेश पहल से राष्ट्रीय औसत के पास अगले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल की सामाजिक-आर्थिक सूचकांक में सुधार कर सकते हैं।
- ▲ इसलिए पन्द्रवी वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि राज्य व्यापक रूप से इसे और संबंधित मुद्दों को (राजकोषीय उपाय को शामिल करते हुए) मजबूत पूंजी अवसंरचना में निवेश करके संसाधनों के सुधरे एवं सतत श्रृंखला को सुनिश्चित करता है। नाजुक सामाजिक क्षेत्र में मिलान विनिवेश पहल से राष्ट्रीय औसत के पास अगले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल की सामाजिक-आर्थिक सूचकांक में सुधार कर सकते हैं।

## नोट:-

1. सीएजी 2015, पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकाय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित।
2. भारत सरकार 2019 प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश पर तथ्य शीट, (अप्रैल 2000 से मार्च 2019 तक) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार  
भारत सरकार 2020 पर्यटक सांख्यिकीय एक नजर में 2020 पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार
4. आईबीआईडी
5. सीएजी 2018, 2020 की रिपोर्ट नं 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार।



# संदर्भ तथा आंकड़ों का स्रोत

सूचकांक	संदर्भ का छोटा स्रोत	विस्तृत उद्धरण
<b>बृहद आर्थिक संसूचक</b>		
जीएसडीपी	एमओएस पीआई	जीएसडीपी श्रृंखला, आधार 2011-12, 31 जुलाई 2020 तक राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार www.mospi.gov.in
सफल राज्य मूल्य वाधित (जीएसवीए) और निवल राज्य मूल्य वाधित (एनएसवीए) द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप द्वारा मापित जीएसडीपी में क्षेत्रीय अंशदान द्वारा मापित प्रति व्यक्ति जीएसडीपी	एमओएस पीआई	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार www.mospi.gov.in
जनसंख्या	जनगणना 2011	भारत सरकार (2011), भारत की जनगणना 2011, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
कुल प्रजनन दर	एमओएस पीआई एनएफएचएस 2-3-4	एमओएसपीआई अनुमान (2011-12 से 2018-19) एनएफएचएस-2 भारत सरकार (2000) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 1998-99 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्रपिठित भारत सरकार एनएफएचएस-3 भारत सरकार (2007) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2005-06, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्रपिठित, भारत सरकार एनएफएचएस-4 भारत सरकार (2017), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2015-16 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अग्रपिठित, भारत सरकार

## सामाजिक आर्थिक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सूचकांक

एसडीजी सूचकांक	एसडीजी सूचकांक	भारत सरकार (2019) एसडीजी भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2019-20, नीति आयोग भारत सरकार
साक्षरता दर	जनगणना 2011	भारत सरकार (2011), भारत की जनगणना (2011) महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
जीवन प्रत्याशा	एनआरएस 2013-2017	भारत सरकार (2013-2017) नमूना पंजीकरण प्रणाली, बुलेटिन, महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार
शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात (प्राथमिक)	डीआईएसई 2016-2017	एनआईईपीएक (2017), भारत में प्राथमिक शिक्षा, हम कहां खड़े हैं, राज्य की रिपोर्ट कार्ड (2016-2017), राष्ट्रीय शिक्षा योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
कम वजन वाले बच्चे (%)	एनएफएचएस-4	भारत सरकार (2017), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16)
बच्चों में बौनापन	एनएफएचएस-4	वही
बच्चों में रक्त अल्पता	एनएफएचएस-4	वही
कम वजन वाले महिला (%)	एनएफएचएस-4	वही
महिलाओं में रक्त अल्पता	एनएफएचएस-4	वही
शिशु मृत्युदर (मृत्यु प्रति 1000 जीवित बच्चे)	एसआरएस 2018	भारत सरकार 2018, नमूना पंजीकरण प्रणाली, सांख्यिकी रिपोर्ट 2019, भारत के महा पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

सूचकांक	संदर्भ का छोटा स्रोत	विस्तृत उद्धरण
पेय जल का अच्छा स्रोत: घरेलू (%)	एनएफएचएच-4	भारत सरकार (2017), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16)
प्रसाधन सुविधाओं से लैस घर (%)	एनएफएचएच-4	वही
वंचित घर (%)	एसईसीसी 2011	भारत सरकार 2011, सामाजिक-आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
गरीबी की घटनाएं (गरीबी रेखा से नीचे घरों का प्रतिशत)	तेंदुलकर कार्य प्रणाली अनुमान	तेंदुलकर अनुमान, योजना आयोग
स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय (राजस्व+पूंजी) कुल व्यय का प्रतिशत	ससीएजी राज्य सरकार	वित्त लेखा राज्य बजट दस्तावेज
प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय (रुपये)	ससीएजी राज्य सरकार	वित्त लेखा राज्य बजट दस्तावेज

#### राजकोषीय संसूचक

सभी राजकोषीय सूचकों को राज्य वित्त लेख और बजट दस्तावेजों से संकलित किया गया है।

#### स्वास्थ्य अवसंरचना संसूचक

स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता	सीबीएचआई	भारत सरकार 2019, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2019, संस्करण, केंद्रीय स्वास्थ्य अन्वेषण ब्यूरो, महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
--	----------	---

# अनुबंध - सामान्य संकेतक (जीआई)

अनुबंध-जीआई 1: जनगणना 2011 और एफएसआई 2019 के अनुसार क्षेत्र, वनक्षेत्र, जनसंख्या, लिंग अनुपात, शहरीकरण की दर और साक्षरता दर

क्रसं	राज्य का नाम	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या (लाख में)	लिंग (महिला प्रति 1000 पुरुष)	शहरीकरण (%)	साक्षरता (%)	वनक्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	आंध्र प्रदेश	162.923	49.577	993	33.5	67.0	29137
2	अरुणाचल प्रदेश	83.743	1.384	938	22.7	65.4	66688
3	असम	78.438	31.206	958	14.1	72.2	28327
4	बिहार	94.163	104.099	918	11.3	61.8	7306
5	छत्तीसगढ़	135.192	25.545	991	23.2	70.3	55611
6	गोवा	3.702	1.459	973	62.2	88.7	2237
7	गुजरात	196.244	60.440	919	42.6	78.0	14857
8	हरियाणा	44.212	25.351	879	34.8	75.6	1602
9	हिमाचल प्रदेश	55.673	6.865	972	10.0	82.8	15434
10	जम्मू और कश्मीर	222.236	12.541	889	27.2	67.2	23612
11	झारखंड	79.716	32.988	949	24.1	66.4	23611
12	कर्नाटक	191.791	61.095	973	38.6	75.4	38575
13	केरल	38.852	33.406	1084	47.7	94.0	21144
14	मध्य प्रदेश	308.252	72.627	931	27.6	69.3	77482
15	महाराष्ट्र	307.713	112.374	929	45.2	82.3	50778
16	मणिपुर	22.327	2.856	985	30.2	79.2	16847
17	मेघालय	22.429	2.967	989	20.1	74.4	17119
18	मिजोरम	21.081	1.097	976	51.5	91.3	18006
19	नागालैंड	16.579	1.979	931	29.0	79.6	12486
20	ओडिशा	155.707	41.974	979	16.7	72.9	51619
21	पंजाब	50.362	27.743	895	37.5	75.8	1849
22	राजस्थान	342.239	68.548	928	24.9	66.1	16630
23	सिक्किम	7.096	0.611	890	25.0	81.4	3342
24	तमिलनाडु	130.060	72.147	996	48.5	80.1	26364
25	तेलंगाना	112.122	35.004	0	0.0	एनए	20582
26	त्रिपुरा	10.486	3.674	960	26.2	87.2	7726
27	उत्तर प्रदेश	240.928	199.812	912	22.3	67.7	14806
28	उत्तराखंड	53.483	10.086	963	30.6	78.8	24303
29	पश्चिम बंगाल	88.752	91.276	950	31.9	76.3	16902
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>3276.501</b>	<b>1190.732</b>	<b>943</b>	<b>31.1</b>	<b>73.0</b>	<b>704982</b>

**अनुबंध जीआई 2: एचएफएचएस 2015-16 के अनुसार स्वास्थ्य और सामाजिक संकेतक**

क्रसं	राज्य का नाम	सामान्य से कम वजन के बच्चे	बच्चों का विकास कम होना	सामान्य से कम बीएमआई वाली महिलाओं का प्रतिशत	महिलाओं में अनीमिया	अस्पतालों में प्रसव	पेयजल के उन्नत स्रोत वाले परिवारों का प्रतिशत	शौचालय सुविधा वाले परिवारों का प्रतिशत	आईएमआर (एसआरएस)
1	आंध्र प्रदेश	31.9	31.4	17.6	60.0	91.5	72.7	61.3	29.0
2	अरुणाचल प्रदेश	19.4	29.4	8.5	43.2	52.2	87.5	90.8	37.0
3	असम	29.8	36.4	25.7	46.0	70.6	83.8	88.9	41.0
4	बिहार	43.9	48.3	30.4	60.3	63.8	98.2	33.5	32.0
5	छत्तीसगढ़	37.7	37.6	26.7	47.0	70.2	91.1	41.3	41.0
6	गोवा	23.8	20.1	14.7	31.3	96.9	96.3	89.1	7.0
7	गुजरात	39.3	38.5	27.2	54.9	88.5	90.9	71.0	28.0
8	हरियाणा	29.4	34.0	15.8	62.7	80.4	91.6	89.8	30.0
9	हिमाचल प्रदेश	21.2	26.3	16.2	53.5	76.4	94.9	85.7	19.0
10	जम्मू और कश्मीर	16.6	27.4	12.1	49.4	85.6	89.2	79.3	22.0
11	झारखंड	47.8	45.3	31.5	65.2	61.9	77.7	30.0	30.0
12	कर्नाटक	35.2	36.2	20.7	44.8	94.0	89.3	65.8	23.0
13	केरल	16.1	19.7	9.7	34.3	99.8	94.3	99.2	7.0
14	मध्य प्रदेश	42.8	42.0	28.4	52.5	80.8	84.7	42.8	48.0
15	महाराष्ट्र	36.0	34.4	23.5	48.0	90.3	91.5	71.2	19.0
16	मणिपुर	13.8	28.9	8.8	26.4	69.1	41.6	98.7	11.0
17	मेघालय	28.9	43.8	12.1	56.2	51.4	67.9	92.4	33.0
18	मिजोरम	12.0	28.1	8.4	24.8	79.7	91.4	99.1	5.0
19	नागालैंड	16.7	28.6	12.3	27.9	32.8	80.6	98.3	4.0
20	ओडिशा	34.4	34.1	26.5	51.0	85.3	88.8	35.0	40.0
21	पंजाब	21.6	25.7	11.7	53.5	90.5	99.1	92.9	20.0
22	राजस्थान	36.7	39.1	27.0	46.8	84.0	85.5	54.0	37.0
23	सिक्किम	14.2	29.6	6.4	34.9	94.7	97.6	99.7	7.0
24	तमिलनाडु	23.8	27.1	14.6	55.0	98.9	90.6	61.7	15.0
25	तेलंगाना	28.4	28.0	22.9	56.6	91.5	77.9	69.0	27.0
26	त्रिपुरा	24.1	24.3	18.9	54.5	79.9	87.3	97.9	27.0
27	उत्तर प्रदेश	39.5	46.3	25.3	52.4	67.8	96.4	45.8	43.0
28	उत्तराखंड	26.6	33.5	18.4	45.2	68.6	92.9	82.9	31.0
29	पश्चिम बंगाल	31.6	32.5	21.3	62.5	75.2	94.6	74.9	22.0
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>35.8</b>	<b>38.4</b>	<b>22.9</b>	<b>53.1</b>	<b>78.9</b>	<b>89.9</b>	<b>61.1</b>	<b>32.0</b>

अनुबंध-जीआई 3: कुल जन्म दर

क्रसं	राज्य का नाम	एनएफएचएस-2	एनएफएचएस-3	एनएफएचएस-4
1	आंध्र प्रदेश	2.3	1.8	1.8
2	अरूणाचल प्रदेश	2.5	3.0	2.1
3	असम	2.3	2.4	2.2
4	बिहार	3.7	4.0	3.4
5	छत्तीसगढ़	2.8	2.6	2.2
6	गोवा	1.8	1.8	1.7
7	गुजरात	2.7	2.4	2.0
8	हरियाणा	2.9	2.7	2.1
9	हिमाचल प्रदेश	2.1	1.9	1.9
10	जम्मू और कश्मीर	2.7	2.4	2.0
11	झारखंड	2.8	3.3	2.6
12	कर्नाटक	2.1	2.1	1.8
13	केरल	2.0	1.9	1.6
14	मध्य प्रदेश	3.3	3.1	2.3
15	महाराष्ट्र	2.5	2.1	1.9
16	मणिपुर	3.0	2.8	2.6
17	मेघालय	4.6	3.8	3.0
18	मिजोरम	2.9	2.9	2.3
19	नागालैंड	3.8	3.7	2.7
20	ओडिशा	2.5	2.4	2.1
21	पंजाब	2.2	2.0	1.6
22	राजस्थान	3.8	3.2	2.4
23	सिक्किम	2.8	2.2	1.2
24	तमिलनाडु	2.2	1.8	1.7
25	तेलंगाना	एनए	एनए	1.8
26	त्रिपुरा	1.9	2.2	1.7
27	उत्तर प्रदेश	4.1	3.8	2.7
28	उत्तराखंड	2.6	2.6	2.1
29	पश्चिम बंगाल	2.3	2.3	1.8
	सभी राज्य/भारत	2.9	2.7	2.2



अनुबंध जीआई 4 छात्र शिक्षक अनुपात (प्राथमिक) और सकल नामांकन (उच्चतर माध्यमिक)

क्रसं	राज्य का नाम	छात्र शिक्षक अनुपात (प्राथमिक विद्यालय)	सकल नामांकन अनुपात (उच्च माध्यमिक)
1	आंध्र प्रदेश	22.0	60.6
2	अरूणाचल प्रदेश	12.0	51.2
3	असम	24.0	39.7
4	बिहार	44.0	28.8
5	छत्तीसगढ़	20.0	54.5
6	गोवा	19.0	78.7
7	गुजरात	22.0	43.2
8	हरियाणा	25.0	60.8
9	हिमाचल प्रदेश	12.0	92.0
10	जम्मू और कश्मीर	10.0	52.9
11	झारखंड	28.0	37.1
12	कर्नाटक	16.0	41.9
13	केरल	16.0	79.4
14	मध्य प्रदेश	22.0	47.1
15	महाराष्ट्र	24.0	70.7
16	मणिपुर	9.0	64.4
17	मेघालय	19.0	40.6
18	मिजोरम	12.0	54.6
19	नागालैंड	6.0	36.3
20	ओडिशा	18.0	40.1
21	पंजाब	20.0	72.2
22	राजस्थान	20.0	60.3
23	सिक्किम	4.0	64.2
24	तमिलनाडु	20.0	83.7
25	तेलंगाना	23.0	50.6
26	त्रिपुरा	10.0	41.9
27	उत्तर प्रदेश	33.0	59.0
28	उत्तराखंड	16.0	77.1
29	पश्चिम बंगाल	20.0	50.9
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>25.0</b>	<b>55.4</b>

अनुबंध जीआई.5: गरीबी अनुपात दर(%)

क्रसं	राज्य का नाम	2004-05	2011-12
1	आंध्र प्रदेश	29.9	9.2
2	अरूणाचल प्रदेश	31.1	34.7
3	असम	34.4	32.0
4	बिहार	54.4	33.7
5	छत्तीसगढ़	49.4	39.9
6	गोवा	25.0	5.1
7	गुजरात	31.8	16.6
8	हरियाणा	24.1	11.2
9	हिमाचल प्रदेश	22.9	8.1
10	जम्मू और कश्मीर	13.2	10.3
11	झारखंड	45.3	37.0
12	कर्नाटक	33.4	20.9
13	केरल	19.7	7.1
14	मध्य प्रदेश	48.6	31.6
15	महाराष्ट्र	38.1	17.4
16	मणिपुर	38.0	36.9
17	मेघालय	16.1	11.9
18	मिजोरम	15.3	20.4
19	नागालैंड	9.0	18.9
20	ओडिशा	57.2	32.6
21	पंजाब	20.9	8.3
22	राजस्थान	34.4	14.7
23	सिक्किम	31.1	8.2
24	तमिलनाडु	28.9	11.3
25	तेलंगाना	एनए	0.0
26	त्रिपुरा	40.6	14.0
27	उत्तर प्रदेश	40.9	29.4
28	उत्तराखंड	32.7	11.3
29	पश्चिम बंगाल	34.3	20.0
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>37.2</b>	<b>21.9</b>

**अनुबंध-सा.सं.6: राज्यवार एटीएंडसी हानियां और एसीएस-एआरआर अंतराल  
(विनियामक आय तथा उदय अनुदानों के अतिरिक्त उपलब्धि आंकड़े)**

क्रसं	राज्य का नाम	एटीएंडसी हानियां 2018-19		एसीएस-एआरआर अंतराल 2018-2019	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	8.95	25.67	-0.03	2.69
2	अरुणाचल प्रदेश	39.00	55.50	0.00	4.27
3	असम	16.10	19.87	0.19	0.02
4	बिहार	21.00	30.94	0.41	0.39
5	छत्तीसगढ़	15.00	27.33	-0.52	0.35
6	गोवा	15.00	15.69	-0.15	0.39
7	गुजरात	13.00	13.98	-0.06	-0.02
8	हरियाणा	15.00	18.08	0.12	-0.05
9	हिमाचल प्रदेश	12.75	11.39	-0.05	-0.07
10	जम्मू और कश्मीर	25.00	49.94	0.49	1.72
11	झारखंड	15.00	28.60	0.00	0.58
12	कर्नाटक	14.02	19.82	0.00	0.68
13	केरल	11.00	9.10	-0.06	0.11
14	मध्य प्रदेश	17.00	36.01	0.03	1.41
15	महाराष्ट्र	14.98	14.73	-0.39	-0.16
16	मणिपुर	15.00	29.79	-0.36	0.10
17	मेघालय	21.50	35.22	0.35	0.85
18	मिजोरम	20.30	16.20	0.00	1.18
19	नागालैंड	32.00	40.06	2.11	4.09
20	ओडिशा	एनए	29.17	एनए	0.60
21	पंजाब	14.00	11.28	-0.09	-0.05
22	राजस्थान	15.00	28.26	-0.12	1.50
23	सिक्किम	15.00	31.83	-0.09	0.02
24	तमिलनाडु	13.50	17.47	-0.07	1.88
25	तेलंगाना	10.00	19.99	0.00	1.45
26	त्रिपुरा	20.00	35.48	0.03	-0.06
27	उत्तर प्रदेश	19.36	33.15	0.22	0.60
28	उत्तराखंड	14.50	16.20	-0.03	0.38
29	पश्चिम बंगाल	एनए	23.00	एनए	0.30
<b>राष्ट्रीय औसत</b>			<b>22.03</b>		<b>0.72</b>

\*यूडीएवाई के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य भागीदार नहीं है,

एनए: उपलब्ध नहीं

स्रोत: विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

अनुबंध-सा.से.7 स्वास्थ्य (प्रति व्यक्ति)

क्रसं	राज्य का नाम	एलोपैथिक चिकित्सक	आयुष डॉक्टर	नर्स	फार्मसिस्ट	उप केंद्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
1	आंध्र प्रदेश	0.5	2.2	0.1	1.0	6.6	43.1	255.9
2	अरुणाचल प्रदेश	1.4	3.5	0.7	5.0	4.4	9.7	22.0
3	असम	1.3	14.3	0.6	2.0	6.7	33.0	181.4
4	बिहार	2.6	0.8	5.6	4.3	10.5	54.8	694.0
5	छत्तीसगढ़	2.9	4.6	0.9	2.6	4.9	32.2	151.2
6	गोवा	0.4	1.1	एनए	0.4	6.8	58.4	364.8
7	गुजरात	0.9	1.2	0.4	0.9	6.6	41.0	166.5
8	हरियाणा	4.4	1.8	0.5	0.8	9.8	68.9	224.3
9	हिमाचल प्रदेश	2.2	0.6	0.2	0.7	3.3	11.9	75.4
10	जम्मू और कश्मीर	0.8	2.0	एनए	एनए	4.2	19.7	149.3
11	झारखंड	5.7	40.7	4.0	14.1	8.6	110.7	192.9
12	कर्नाटक	0.5	1.3	0.2	1.1	6.5	25.9	296.6
13	केरल	0.6	0.8	0.1	0.5	6.2	39.3	147.2
14	मध्य प्रदेश	1.9	1.1	0.5	1.3	6.5	62.0	235.0
15	महाराष्ट्र	0.6	0.7	0.6	0.5	10.6	61.6	311.3
16	मणिपुर	2.3	एनए	0.2	2.0	6.0	28.2	111.7
17	मेघालय	5.1	8.1	0.4	3.3	6.7	27.5	106.0
18	मिजोरम	14.8	एनए	0.2	0.8	3.0	19.2	121.9
19	नागालैंड	17.1	13.8	एनए	1.3	5.0	15.7	94.2
20	ओडिशा	1.9	2.9	0.3	1.3	6.3	32.6	111.3
21	पंजाब	0.6	1.7	0.3	0.6	9.4	64.2	183.7
22	राजस्थान	1.6	3.6	0.2	1.3	4.8	33.0	116.6
23	सिक्किम	0.4	एनए	1.9	2.2	4.2	25.5	305.5
24	तमिलनाडु	0.5	3.8	0.2	1.0	8.3	50.8	187.4
25	तेलंगाना	7.1	1.7	एनए	एनए	7.4	54.7	386.7
26	त्रिपुरा	2.1	8.2	0.6	0.8	3.6	34.0	167.0
27	उत्तर प्रदेश	2.6	2.3	1.5	2.4	9.7	55.2	243.1
28	उत्तराखंड	1.2	2.5	2.0	0.6	5.5	39.2	150.5
29	पश्चिम बंगाल	1.3	1.9	0.7	1.0	8.8	100.0	262.3
	<b>सभी राज्य/भारत</b>	<b>1.0</b>	<b>1.5</b>	<b>0.4</b>	<b>1.2</b>	<b>7.5</b>	<b>46.4</b>	<b>212.2</b>

2019 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल से स्वास्थ्य आंकड़े  
 एलोपैथिक डॉक्टर वर्ष 2010 से 2018 तक राज्य चिकित्सा परिषद/मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत डॉक्टर हैं  
 (संबंधित वर्ष के 31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार)  
 नागालैंड 2015 से पंजीकरण अभिग्रहण  
 मिजोरम 2014 से पंजीकरण अभिग्रहण  
 त्रिपुरा 2013 से पंजीकरण अभिग्रहण  
 तेलंगाना 2015 से पंजीकरण अभिग्रहण  
 हरियाणा 2011 तक पंजीकरण अभिग्रहण  
 2018 तक अन्य सभी राज्यों का पंजीकरण अभिग्रहण

**अनुबंध-सा.सं.8 : प्रमुख राज्यों में जनसंख्या की जीवन प्रत्याशा (वर्ष)**

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2012-16			2013-17		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
आंध्र प्रदेश	68.0	71.4	69.6	68.3	71.2	69.7
असम	64.4	66.8	65.5	65.4	67.3	66.2
बिहार	68.9	68.5	68.7	69.2	68.6	68.9
छत्तीसगढ़	63.6	66.8	65.2	63.8	66.6	65.2
दिल्ली	72.7	75.9	74.2	73.3	76.3	74.7
गुजरात	67.4	71.8	69.5	67.6	72.0	69.7
हरियाणा	67.2	72.0	69.4	67.6	72.3	69.7
हिमाचल प्रदेश	69.4	75.5	72.3	69.8	75.6	72.6
जम्मू और कश्मीर	71.6	76.2	73.5	72.1	76.7	74.1
झारखंड	67.8	68.0	67.9	68.8	68.4	68.6
कर्नाटक	67.6	70.7	69.1	67.7	70.8	69.2
केरल	72.2	77.9	75.1	72.5	77.8	75.2
मध्य प्रदेश	63.7	67.2	65.4	64.2	67.9	66.0
महाराष्ट्र	70.8	73.7	72.2	71.2	73.9	72.5
ओडिशा	66.2	69.1	67.6	67.1	69.9	68.4
पंजाब	71.0	74.2	72.5	71.0	74.0	72.4
राजस्थान	66.1	70.7	68.3	66.3	70.9	68.5
तमिलनाडु	69.5	73.4	71.4	69.9	73.7	71.7
उत्तर प्रदेश	63.9	65.6	64.8	64.3	65.6	65.0
उत्तराखंड	68.5	74.8	71.5	68.8	74.2	71.0
पश्चिम बंगाल	69.8	71.9	70.8	70.4	72.2	71.2
<b>कुल भारत</b>	<b>67.4</b>	<b>70.9</b>	<b>68.7</b>	<b>67.8</b>	<b>70.4</b>	<b>69.0</b>

\*पंचवर्षीय समीक्षा

स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली, बुलेटिन, गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार

# अनुबंध वित्तीय संकेतक (एफआई)

## अनुबंध एफआई.1: जीएसडीपी (करोड़ रूपए में)

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	379402	411404	464272	524976	604229	684416	793186	862957
2	अरुणाचल प्रदेश	11063	12547	14581	17959	18509	19845	22432	24603
3	असम	143175	156864	177745	195723	227959	254382	283165	315881
4	बिहार	247144	282368	317101	342951	371602	421052	468746	530363
5	छत्तीसगढ़	158074	177511	206833	221118	225163	250882	274042	304063
6	गोवा	42367	38120	35921	47814	55054	62976	69352	73170
7	गुजरात	615606	724495	807623	921773	1029010	1167156	1329095	1502899
8	हरियाणा	297539	347032	399268	437145	495504	561610	649592	734163
9	हिमाचल प्रदेश	72720	82820	94764	103772	114239	125634	138351	153845
10	जम्मू और कश्मीर	78256	87138	95619	98367	117168	124848	139240	155956
11	झारखंड	150918	174724	188567	218525	206613	236250	269816	297204
12	कर्नाटक	606010	695413	816666	913923	1045168	1209136	1357579	1544399
13	केरल	364048	412313	465041	512564	561994	634886	701577	781653
14	मध्य प्रदेश	315562	380925	439483	479939	541068	649823	724729	809592
15	महाराष्ट्र	1280369	1459629	1649647	1779138	1966225	2198324	2382570	2632792
16	मणिपुर	12915	13743	16182	18129	19531	21294	25789	27869
17	मेघालय	19918	21872	22938	23235	25117	27439	29508	33481
18	मिजोरम	7259	8362	10293	13509	15139	17192	18740	19520
19	नागालैंड	12177	14121	16612	18401	19524	21722	24492	27283
20	ओडिशा	230987	261700	296475	314250	328550	392708	440517	492229
21	पंजाब	266628	297734	332147	355102	390087	426988	470834	526376
22	राजस्थान	434837	493551	551031	615642	681482	760750	835170	942586
23	सिक्किम	11165	12338	13862	15407	18034	20687	25971	28723
24	तमिलनाडु	751486	854825	968530	1072678	1176500	1302639	1465051	1630208
25	तेलंगाना	359434	401593	451580	505848	577902	658325	753127	861031
26	त्रिपुरा	19208	21663	25593	29533	35938	39479	43716	49845
27	उत्तर प्रदेश	724050	822393	940356	1011790	1137808	1290289	1460443	1668229
28	उत्तराखंड	115328	131613	149074	161439	177163	195125	222836	245895
29	पश्चिम बंगाल	520485	591464	676848	718082	797300	872527	974700	1089898
	<b>सभी राज्य</b>	<b>8248127</b>	<b>9390276</b>	<b>10644655</b>	<b>11688732</b>	<b>12979577</b>	<b>14648384</b>	<b>16394367</b>	<b>18366714</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>7744945</b>	<b>8827195</b>	<b>10007392</b>	<b>10993257</b>	<b>12191256</b>	<b>13780737</b>	<b>15420126</b>	<b>17283813</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>503182</b>	<b>563081</b>	<b>637264</b>	<b>695474</b>	<b>788321</b>	<b>867648</b>	<b>974240</b>	<b>1082901</b>

अनुबंध-एफआई.2 : जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर का प्रतिशत

क्रसं	राज्य का नाम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	8.4	12.9	13.1	15.1	13.3	15.9	8.8
2	अरूणाचल प्रदेश	13.4	16.2	23.2	3.1	7.2	13.0	9.7
3	असम	9.6	13.3	10.1	16.5	11.6	11.3	11.6
4	बिहार	14.3	12.3	8.2	8.4	13.3	11.3	13.1
5	छत्तीसगढ़	12.3	16.5	6.9	1.8	11.4	9.2	11.0
6	गोवा	-10.0	-5.8	33.1	15.1	14.4	10.1	5.5
7	गुजरात	17.7	11.5	14.1	11.6	13.4	13.9	13.1
8	हरियाणा	16.6	15.1	9.5	13.4	13.3	15.7	13.0
9	हिमाचल प्रदेश	13.9	14.4	9.5	10.1	10.0	10.1	11.2
10	जम्मू और कश्मीर	11.4	9.7	2.9	19.1	6.6	11.5	12.0
11	झारखंड	15.8	7.9	15.9	-5.5	14.3	14.2	10.2
12	कर्नाटक	14.8	17.4	11.9	14.4	15.7	12.3	13.8
13	केरल	13.3	12.8	10.2	9.6	13.0	10.5	11.4
14	मध्य प्रदेश	20.7	15.4	9.2	12.7	20.1	11.5	11.7
15	महाराष्ट्र	14.0	13.0	7.8	10.5	11.8	8.4	10.5
16	मणिपुर	6.4	17.7	12.0	7.7	9.0	21.1	8.1
17	मेघालय	9.8	4.9	1.3	8.1	9.2	7.5	13.5
18	मिजोरम	15.2	23.1	31.2	12.1	13.6	9.0	4.2
19	नागालैंड	16.0	17.6	10.8	6.1	11.3	12.7	11.4
20	ओडिशा	13.3	13.3	6.0	4.6	19.5	12.2	11.7
21	पंजाब	11.7	11.6	6.9	9.9	9.5	10.3	11.8
22	राजस्थान	13.5	11.6	11.7	10.7	11.6	9.8	12.9
23	सिक्किम	10.5	12.3	11.1	17.1	14.7	25.5	10.6
24	तमिलनाडु	13.8	13.3	10.8	9.7	10.7	12.5	11.3
25	तेलंगाना	11.7	12.4	12.0	14.2	13.9	14.4	14.3
26	त्रिपुरा	12.8	18.1	15.4	21.7	9.9	10.7	14.0
27	उत्तर प्रदेश	13.6	14.3	7.6	12.5	13.4	13.2	14.2
28	उत्तराखंड	14.1	13.3	8.3	9.7	10.1	14.2	10.3
29	पश्चिम बंगाल	13.6	14.4	6.1	11.0	9.4	11.7	11.8
	<b>सभी राज्य</b>	<b>13.8</b>	<b>13.4</b>	<b>9.8</b>	<b>11.0</b>	<b>12.9</b>	<b>11.9</b>	<b>12.0</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>14.0</b>	<b>13.4</b>	<b>9.9</b>	<b>10.9</b>	<b>13.0</b>	<b>11.9</b>	<b>12.1</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>11.9</b>	<b>13.2</b>	<b>9.1</b>	<b>13.4</b>	<b>10.1</b>	<b>12.3</b>	<b>11.2</b>

अनुबंध-एफआई.3 प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (रूपये)

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	76997	83001	93121	104679	119777	134879	155402	168083
2	अरुणाचल प्रदेश	79019	87861	100076	120776	122092	128283	142068	152718
3	असम	45538	49254	55098	59894	68868	75869	83871	92533
4	बिहार	23525	26459	29251	31142	33218	37052	40065	44652
5	छत्तीसगढ़	61305	67750	77687	81735	81907	89816	96548	105424
6	गोवा	289192	258441	241893	319827	365806	415411	454172	476370
7	गुजरात	101075	117398	129158	145484	160284	179427	199492	222487
8	हरियाणा	116408	133875	151871	163958	183249	204795	233574	260286
9	हिमाचल प्रदेश	105376	118960	134934	146488	159842	174249	191278	211325
10	जम्मू और कश्मीर	61852	67838	73322	74301	87172	91491	100505	110890
11	झारखंड	45318	51620	54813	62496	58139	65405	73628	79936
12	कर्नाटक	98567	111891	129986	143902	162796	186308	206929	232874
13	केरल	108666	122471	137515	150824	164554	184979	203396	225484
14	मध्य प्रदेश	43023	51073	57965	62285	69110	81768	89901	99025
15	महाराष्ट्र	113192	127606	142634	152158	166351	184125	197666	216376
16	मणिपुर	44649	46491	53565	58721	61906	66050	78284	82792
17	मेघालय	66304	71268	73168	72563	76788	82127	86459	96016
18	मिजोरम	65347	73708	88843	115366	127004	141614	159491	164586
19	नागालैंड	61159	70185	81670	89541	94001	104586	117919	129981
20	ओडिशा	54855	61809	69644	73421	76350	90833	101467	112907
21	पंजाब	95379	105129	115765	122165	132467	143124	155781	171907
22	राजस्थान	62907	70385	77464	85315	93094	102444	110864	123343
23	सिक्किम	181842	198686	221083	243392	281780	319740	397107	435204
24	तमिलनाडु	103743	1117204	131893	145094	158072	174054	194834	215784
25	तेलंगाना	100733	111430	124057	137586	155626	175530	198814	225047
26	त्रिपुरा	51999	58016	67814	77434	93248	101385	111151	125461
27	उत्तर प्रदेश	35917	40180	45250	47953	53113	59322	66132	74402
28	उत्तराखंड	113456	127755	142778	152560	165202	179524	202284	220257
29	पश्चिम बंगाल	56693	63786	72272	75916	83456	90426	100014	110728
	<b>सभी राज्य</b>	<b>68771</b>	<b>77330</b>	<b>86585</b>	<b>93914</b>	<b>103008</b>	<b>114855</b>	<b>126832</b>	<b>140422</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>68936</b>	<b>77609</b>	<b>86914</b>	<b>94315</b>	<b>103322</b>	<b>115399</b>	<b>127374</b>	<b>141099</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>66326</b>	<b>73212</b>	<b>81730</b>	<b>87999</b>	<b>98395</b>	<b>106856</b>	<b>118824</b>	<b>130427</b>



अनुबंध-एफआई 4:जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वामित्व कर राजस्व

क्र.सं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	7.2	7.4	7.0	7.0	6.6	6.5	6.2	6.7
2	अरुणाचल प्रदेश	2.9	2.5	3.0	2.6	2.9	3.6	3.6	4.3
3	असम	5.3	5.3	5.1	4.8	4.4	4.7	4.7	5.0
4	बिहार	5.1	5.8	6.3	6.1	6.8	5.6	4.9	5.5
5	छत्तीसगढ़	6.8	7.3	6.9	7.1	7.6	7.6	7.3	7.0
6	गोवा	6.0	7.7	10.0	8.1	7.2	6.8	6.8	6.7
7	गुजरात	7.2	7.4	7.0	6.7	6.1	5.5	5.4	5.3
8	हरियाणा	6.9	6.8	6.4	6.3	6.2	6.1	6.3	5.8
9	हिमाचल प्रदेश	5.6	5.6	5.4	5.7	5.9	5.6	5.1	4.9
10	जम्मू और कश्मीर	6.1	6.7	6.6	6.4	6.3	6.3	6.8	6.3
11	झारखंड	4.6	4.7	5.0	4.7	5.6	5.6	4.6	5.0
12	कर्नाटक	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2	6.9	6.4	6.3
13	केरल	7.1	7.3	6.9	6.9	6.9	6.6	6.6	6.5
14	मध्य प्रदेश	8.5	8.0	7.6	7.6	7.4	6.8	6.2	6.3
15	महाराष्ट्र	6.8	7.1	6.6	6.5	6.4	6.2	7.0	7.1
16	मणिपुर	2.9	2.4	2.9	2.9	2.8	2.8	3.1	3.8
17	मेघालय	3.5	3.9	4.1	4.0	4.2	4.3	4.9	5.4
18	मिजोरम	2.5	2.7	2.2	2.0	2.4	2.6	2.9	3.7
19	नागालैंड	2.5	2.4	2.0	2.1	2.2	2.4	2.6	3.1
20	ओडिशा	5.8	5.7	5.7	6.3	6.9	5.8	6.3	6.2
21	पंजाब	7.1	7.6	7.2	7.2	6.8	6.5	6.5	6.0
22	राजस्थान	5.8	6.2	6.1	6.3	6.3	5.8	6.1	6.1
23	सिक्किम	2.6	3.5	3.8	3.4	3.1	3.2	2.7	3.1
24	तमिलनाडु	7.9	8.3	7.6	7.3	6.8	6.6	6.4	6.5
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	6.9	7.4	7.5	7.5
26	त्रिपुरा	4.5	4.6	4.2	4.0	3.7	3.6	3.3	3.5
27	उत्तर प्रदेश	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	6.7	6.7	7.2
28	उत्तराखंड	4.9	4.9	4.9	5.2	5.3	5.6	4.6	5.0
29	पश्चिम बंगाल	4.8	5.5	5.3	5.5	5.3	5.2	5.4	5.6
	<b>सभी राज्य</b>	<b>6.8</b>	<b>7.0</b>	<b>6.7</b>	<b>6.7</b>	<b>6.5</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.3</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>6.9</b>	<b>7.1</b>	<b>6.8</b>	<b>6.8</b>	<b>6.6</b>	<b>6.3</b>	<b>6.3</b>	<b>6.4</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>5.0</b>	<b>5.1</b>	<b>5.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4.9</b>	<b>5.0</b>	<b>4.8</b>	<b>5.0</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई5: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में गैर-कर राजस्व

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	1.6	2.0	1.7	1.7	0.8	0.8	0.5	0.5
2	अरुणाचल प्रदेश	3.3	2.3	2.8	2.5	2.1	2.7	1.6	2.5
3	असम	2.0	1.6	1.5	1.2	1.2	1.7	1.4	2.6
4	बिहार	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8
5	छत्तीसगढ़	2.6	2.6	2.5	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5
6	गोवा	5.5	4.8	4.6	4.9	4.4	4.3	4.4	3.9
7	गुजरात	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9
8	हरियाणा	1.6	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.4	1.1
9	हिमाचल प्रदेश	2.6	1.7	1.9	2.0	1.6	1.4	1.7	1.8
10	जम्मू और कश्मीर	2.6	2.5	3.0	2.0	3.3	3.3	3.1	2.8
11	झारखंड	2.0	2.0	2.0	2.0	2.8	2.3	2.9	2.8
12	कर्नाटक	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
13	केरल	0.7	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.6	1.5
14	मध्य प्रदेश	2.4	1.8	1.8	2.2	1.6	1.4	1.3	1.6
15	महाराष्ट्र	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6
16	मणिपुर	2.4	1.7	1.6	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6
17	मेघालय	1.8	2.2	2.6	1.5	0.9	2.5	1.2	1.3
18	मिजोरम	2.3	2.5	1.9	1.8	2.0	2.1	2.1	2.3
19	नागालैंड	1.9	1.5	1.3	1.5	1.3	1.6	1.6	0.9
20	ओडिशा	2.8	3.1	2.8	2.6	2.7	2.0	1.9	2.9
21	पंजाब	0.5	0.9	1.0	0.8	0.7	1.4	0.9	1.4
22	राजस्थान	2.1	2.5	2.5	2.1	1.6	1.5	1.9	2.0
23	सिक्किम	9.4	6.5	5.7	4.5	2.3	2.2	2.5	2.3
24	तमिलनाडु	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	2.5	1.5	1.0	1.2
26	त्रिपुरा	1.1	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	1.1	0.7
27	उत्तर प्रदेश	1.4	1.6	1.7	2.0	2.0	2.2	1.4	1.8
28	उत्तराखंड	1.0	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	1.3
29	पश्चिम बंगाल	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	<b>सभी राज्य</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.2</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>2.1</b>	<b>1.8</b>	<b>1.8</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	<b>2.0</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

**अनुबंध-एफआई6: कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय अंतरण**

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	30.5	26.9	28.1	37.0	49.4	50.1	49.3	45.6
2	अरुणाचल प्रदेश	87.7	89.6	85.6	89.9	91.2	89.4	91.4	89.6
3	असम	61.7	65.1	63.7	68.9	69.7	66.6	68.1	62.0
4	बिहार	73.7	70.8	68.8	71.6	71.3	75.2	77.3	74.6
5	छत्तीसगढ़	42.9	40.3	39.3	45.7	51.6	54.2	56.0	55.2
6	गोवा	15.8	18.4	18.7	19.1	25.1	27.1	29.8	32.3
7	गुजरात	21.3	20.4	20.7	22.9	25.3	29.2	29.7	31.2
8	हरियाणा	17.8	16.1	19.7	21.0	25.0	23.4	19.9	23.3
9	हिमाचल प्रदेश	58.6	61.5	56.0	55.0	63.6	66.7	65.4	66.4
10	जम्मू और कश्मीर	72.8	69.5	66.3	71.3	68.6	71.7	71.3	72.3
11	झारखंड	55.4	52.5	49.8	53.5	57.4	60.4	61.7	59.0
12	कर्नाटक	27.6	26.2	25.6	28.1	31.9	33.4	36.3	37.2
13	केरल	25.5	22.3	23.6	26.6	31.3	31.4	30.5	32.8
14	मध्य प्रदेश	45.0	46.6	45.5	47.0	53.8	56.8	60.1	57.3
15	महाराष्ट्र	21.0	20.6	19.9	22.8	24.3	27.0	24.2	27.1
16	मणिपुर	88.0	91.7	89.9	91.2	91.5	91.8	90.7	88.5
17	मेघालय	77.1	75.9	75.3	80.0	81.7	79.1	80.4	77.1
18	मिजोरम	90.9	90.4	91.1	90.8	90.2	89.1	89.1	87.0
19	नागालैंड	90.4	91.2	91.5	91.4	91.5	90.9	90.7	90.4
20	ओडिशा	50.6	47.4	48.4	51.1	54.7	58.4	57.4	55.2
21	पंजाब	22.9	21.3	22.3	27.1	29.3	30.0	34.5	37.1
22	राजस्थान	39.4	36.3	36.8	43.2	46.5	48.6	47.9	44.9
23	सिक्किम	63.6	67.2	69.5	72.5	74.1	76.0	74.2	73.8
24	तमिलनाडु	23.5	21.3	23.1	28.9	30.7	31.6	28.6	31.1
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	28.6	29.7	27.6	26.4
26	त्रिपुरा	83.4	83.2	82.7	85.2	83.1	83.0	81.0	82.2
27	उत्तर प्रदेश	52.0	51.3	50.6	51.3	54.1	55.3	58.0	54.5
28	उत्तराखंड	50.7	49.1	49.9	53.3	50.1	50.8	56.0	50.4
29	पश्चिम बंगाल	55.3	49.2	48.1	52.6	59.6	58.9	57.5	55.9
	<b>सभी राज्य</b>	<b>40.2</b>	<b>38.4</b>	<b>38.3</b>	<b>42.0</b>	<b>45.4</b>	<b>47.1</b>	<b>47.2</b>	<b>46.4</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>36.8</b>	<b>34.8</b>	<b>35.0</b>	<b>38.8</b>	<b>42.6</b>	<b>44.4</b>	<b>44.4</b>	<b>43.8</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>69.1</b>	<b>69.8</b>	<b>68.0</b>	<b>71.5</b>	<b>71.7</b>	<b>71.7</b>	<b>72.6</b>	<b>70.1</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफ आई 7: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियां

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	12.7	12.8	12.1	13.7	14.7	14.5	13.2	13.3
2	अरुणाचल प्रदेश	49.7	45.9	39.9	50.9	57.0	59.4	61.4	65.8
3	असम	19.2	19.6	18.1	19.5	18.6	19.3	19.1	20.1
4	बिहार	20.8	21.1	21.7	22.9	25.9	25.1	25.1	24.8
5	छत्तीसगढ़	16.4	16.7	15.5	17.2	20.5	21.4	21.8	21.4
6	गोवा	13.6	15.3	18.0	16.1	15.5	15.2	15.9	15.6
7	गुजरात	10.2	10.4	9.9	10.0	9.5	9.4	9.3	9.0
8	हरियाणा	10.3	9.7	9.5	9.3	9.6	9.3	9.7	9.0
9	हिमाचल प्रदेश	20.0	18.8	16.6	17.2	20.5	20.9	19.8	20.1
10	जम्मू और कश्मीर	31.7	30.1	28.4	29.4	30.5	33.6	34.8	32.8
11	झारखंड	14.9	14.2	13.9	14.4	19.7	19.9	19.6	18.9
12	कर्नाटक	11.5	11.2	11.0	11.4	11.4	11.0	10.8	10.7
13	केरल	10.4	10.7	10.6	11.3	12.3	11.9	11.8	11.9
14	मध्य प्रदेश	19.8	18.5	17.2	18.5	19.5	19.0	18.6	18.6
15	महाराष्ट्र	9.5	9.8	9.1	9.3	9.4	9.3	10.2	10.6
16	मणिपुर	43.8	49.6	45.0	44.1	42.4	42.9	40.2	37.9
17	मेघालय	23.4	25.3	27.3	27.7	28.0	32.6	31.4	29.0
18	मिजोरम	52.7	54.3	46.3	40.8	44.1	43.0	45.8	46.3
19	नागालैंड	45.9	43.9	39.1	41.6	41.2	43.5	45.0	41.9
20	ओडिशा	17.4	16.8	16.5	18.1	21.0	18.9	19.3	20.2
21	पंजाब	9.8	10.8	10.6	11.0	10.6	11.2	11.3	11.8
22	राजस्थान	13.1	13.6	13.5	14.8	14.7	14.3	15.2	14.6
23	सिक्किम	32.9	30.7	31.2	29.0	21.0	22.3	20.1	20.6
24	तमिलनाडु	11.3	11.6	11.2	11.4	11.0	10.8	10.0	10.7
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	13.2	12.6	11.8	11.8
26	त्रिपुरा	33.7	32.5	29.9	31.3	26.2	24.4	23.0	24.1
27	उत्तर प्रदेश	18.1	17.7	17.9	19.1	20.0	19.9	19.1	19.8
28	उत्तराखंड	11.9	12.0	11.6	12.5	12.0	12.8	12.2	12.7
29	पश्चिम बंगाल	11.3	11.5	10.8	12.0	13.8	13.5	13.5	13.4
	<b>सभी राज्य</b>	13.3	13.3	12.9	13.6	14.1	14.0	13.9	14.0
	<b>सामान्य राज्य</b>	12.7	12.7	12.3	13.1	13.6	13.4	13.3	13.4
	<b>एनई एंड एचएस</b>	23.0	22.7	21.2	22.4	22.4	23.4	23.1	23.3

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

**अनुबंध-एफआई8: राजस्व व्यय: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सामान्य सेवाएं**

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	4.0	4.0	4.0	4.1	4.7	4.8	4.9	4.7
2	अरुणाचल प्रदेश	10.5	10.4	11.2	10.6	12.7	12.8	14.4	14.4
3	असम	6.6	6.6	6.0	6.4	5.5	6.6	7.7	6.6
4	बिहार	7.1	6.5	6.8	7.6	7.4	7.2	7.0	7.2
5	छत्तीसगढ़	3.6	3.6	3.7	4.0	4.5	4.5	4.6	4.9
6	गोवा	3.7	4.7	5.6	4.8	4.5	4.4	4.9	5.0
7	गुजरात	3.5	3.3	3.3	3.2	3.2	3.0	3.1	3.1
8	हरियाणा	3.4	3.4	3.4	3.8	3.7	3.8	4.1	3.8
9	हिमाचल प्रदेश	7.5	7.8	7.2	7.1	7.5	7.5	7.7	7.3
10	जम्मू और कश्मीर	12.0	11.7	11.4	11.9	11.3	11.7	11.8	14.2
11	झारखंड	5.1	4.9	5.2	4.8	5.8	5.5	6.1	5.9
12	कर्नाटक	2.6	2.8	3.0	3.0	2.9	2.5	2.5	2.7
13	केरल	5.5	5.5	5.7	6.1	6.4	6.5	6.5	6.5
14	मध्य प्रदेश	5.0	4.6	4.6	4.6	4.7	4.2	4.4	4.6
15	महाराष्ट्र	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2
16	मणिपुर	16.2	16.3	14.9	15.0	14.9	15.9	14.0	14.2
17	मेघालय	6.8	6.6	7.4	8.0	8.4	8.4	9.0	9.9
18	मिजोरम	16.4	16.4	15.9	12.5	12.4	11.9	11.7	13.5
19	नागालैंड	18.4	17.5	15.9	16.5	17.9	17.3	17.0	17.8
20	ओडिशा	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.0	4.4	4.7
21	पंजाब	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.6	7.2	6.9
22	राजस्थान	4.3	4.1	4.2	4.5	4.5	5.1	5.2	5.8
23	सिक्किम	13.8	11.0	10.3	10.2	6.8	6.7	5.8	6.7
24	तमिलनाडु	3.8	3.7	3.7	3.9	3.8	3.9	4.1	4.4
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	4.0	3.8	4.1	4.0
26	त्रिपुरा	10.2	9.9	8.9	8.9	8.2	8.4	9.6	9.8
27	उत्तर प्रदेश	7.2	7.2	6.5	6.3	6.3	6.8	7.1	7.8
28	उत्तराखंड	3.7	3.9	3.9	4.4	4.5	4.9	5.4	5.3
29	पश्चिम बंगाल	6.1	5.9	6.0	5.9	5.7	5.7	5.3	5.2
	<b>सभी राज्य</b>	<b>4.7</b>	<b>4.6</b>	<b>4.5</b>	<b>4.6</b>	<b>4.6</b>	<b>4.7</b>	<b>4.8</b>	<b>4.9</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>4.5</b>	<b>4.4</b>	<b>4.3</b>	<b>4.4</b>	<b>4.4</b>	<b>4.4</b>	<b>4.6</b>	<b>4.7</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>8.0</b>	<b>7.9</b>	<b>7.5</b>	<b>7.8</b>	<b>7.5</b>	<b>8.0</b>	<b>8.5</b>	<b>8.5</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई9: राजस्व व्यय: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक सेवाएं

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	5.2	5.2	4.9	6.0	7.7	7.4	7.5	7.5
2	अरुणाचल प्रदेश	13.7	13.0	13.2	14.0	14.8	16.5	18.8	19.3
3	असम	8.2	8.2	8.5	9.4	7.8	9.0	7.6	8.1
4	बिहार	7.7	8.3	8.4	9.4	9.8	9.8	9.9	11.1
5	छत्तीसगढ़	6.8	6.6	7.0	7.1	7.4	8.6	9.0	7.9
6	गोवा	4.8	6.0	7.6	6.1	5.9	5.5	6.2	5.9
7	गुजरात	4.0	4.1	4.0	4.0	4.1	3.9	3.7	3.6
8	हरियाणा	4.3	4.3	3.9	4.4	4.4	4.6	4.3	4.1
9	हिमाचल प्रदेश	7.4	7.6	7.4	7.4	7.2	7.9	7.7	7.6
10	जम्मू और कश्मीर	8.5	8.4	8.7	9.0	10.0	9.7	9.8	12.0
11	झारखंड	4.9	4.8	4.4	5.5	7.2	7.9	7.3	6.4
12	कर्नाटक	4.2	4.5	4.1	4.4	4.5	4.6	4.4	4.5
13	केरल	4.5	4.6	4.5	4.7	4.9	5.3	5.1	4.9
14	मध्य प्रदेश	6.5	6.5	6.4	6.8	8.0	7.4	8.1	7.3
15	महाराष्ट्र	4.3	4.3	4.4	4.4	4.2	4.2	4.0	4.2
16	मणिपुर	11.4	11.4	10.1	11.4	10.3	9.8	10.2	9.7
17	मेघालय	9.4	8.6	9.2	10.9	10.2	11.9	11.3	12.9
18	मिजोरम	19.1	20.3	18.2	16.5	14.9	13.7	14.2	15.3
19	नागालैंड	10.1	10.9	10.8	10.6	11.4	11.2	11.1	12.2
20	ओडिशा	6.5	6.0	6.6	6.9	7.8	7.3	6.9	7.6
21	पंजाब	3.6	3.9	3.5	4.0	3.9	3.8	3.4	3.5
22	राजस्थान	5.1	5.1	5.7	6.1	6.4	6.5	6.4	7.0
23	सिक्किम	9.4	7.9	9.5	8.5	7.0	6.6	6.0	7.3
24	तमिलनाडु	4.5	4.6	4.7	4.7	4.7	4.3	4.1	4.3
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	5.3	5.4	5.0	4.6
26	त्रिपुरा	10.4	9.6	9.7	11.0	9.5	9.8	10.2	10.5
27	उत्तर प्रदेश	6.7	6.6	6.5	6.1	7.3	7.2	5.9	5.5
28	उत्तराखंड	5.4	4.9	5.1	5.9	5.8	5.6	5.1	5.2
29	पश्चिम बंगाल	6.2	5.9	5.7	5.7	6.0	6.6	6.2	6.4
	<b>सभी राज्य</b>	<b>5.3</b>	<b>5.3</b>	<b>5.3</b>	<b>5.5</b>	<b>5.8</b>	<b>5.8</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>5.1</b>	<b>5.1</b>	<b>5.1</b>	<b>5.3</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>	<b>5.3</b>	<b>5.4</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>8.1</b>	<b>7.9</b>	<b>8.0</b>	<b>8.7</b>	<b>8.2</b>	<b>8.6</b>	<b>8.1</b>	<b>8.7</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

**अनुबंध-एफआई 10: राजस्व व्यय: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में आर्थिक सेवाएं**

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	3.0	3.4	3.1	6.0	3.4	4.8	2.9	2.7
2	अरुणाचल प्रदेश	15.8	14.8	15.0	15.2	17.8	18.0	15.4	16.8
3	असम	3.3	3.3	3.3	3.6	2.7	3.5	4.2	3.2
4	बिहार	4.1	4.5	4.4	4.2	5.3	5.6	5.0	5.3
5	छत्तीसगढ़	3.5	4.5	4.7	6.4	7.1	5.7	6.4	8.1
6	गोवा	4.5	5.2	5.8	4.7	4.9	4.2	4.1	4.2
7	गुजरात	2.2	2.2	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0	2.1
8	हरियाणा	3.0	3.3	3.2	3.0	3.8	3.7	2.8	2.6
9	हिमाचल प्रदेश	4.2	4.1	3.8	4.6	4.8	4.8	4.1	4.2
10	जम्मू और कश्मीर	8.5	8.7	8.1	8.9	9.7	10.5	7.8	9.8
11	झारखंड	3.9	3.7	2.8	4.2	4.7	5.7	5.5	4.8
12	कर्नाटक	3.2	3.1	3.3	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1
13	केरल	1.7	1.9	1.7	2.0	2.0	1.7	1.6	1.6
14	मध्य प्रदेश	4.1	4.4	3.9	4.9	4.7	5.7	4.5	4.7
15	महाराष्ट्र	1.9	1.9	1.7	2.1	1.9	2.0	2.3	2.0
16	मणिपुर	9.7	9.6	8.3	11.1	10.8	11.0	9.7	9.1
17	मेघालय	8.1	7.7	7.6	8.0	6.8	10.0	8.3	7.8
18	मिजोरम	15.4	17.2	13.7	12.9	9.5	10.7	10.9	9.6
19	नागालैंड	11.5	11.3	7.9	9.6	9.6	11.3	13.5	10.1
20	ओडिशा	3.8	3.9	4.2	4.7	5.5	5.0	4.7	4.8
21	पंजाब	2.3	3.1	2.9	2.6	2.5	2.4	2.4	3.4
22	राजस्थान	2.9	3.5	3.7	4.7	4.7	5.1	5.9	5.0
23	सिक्किम	5.5	5.3	4.9	5.3	6.2	4.7	4.0	3.9
24	तमिलनाडु	1.9	2.1	2.0	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	3.8	3.2	2.3	2.7
26	त्रिपुरा	3.9	4.1	4.1	4.7	3.7	3.7	3.4	3.1
27	उत्तर प्रदेश	2.5	2.6	2.7	3.4	4.2	3.6	4.4	4.0
28	उत्तराखंड	1.8	1.5	1.4	2.4	2.2	2.0	1.9	2.0
29	पश्चिम बंगाल	1.7	2.0	1.8	2.8	3.1	3.0	2.9	2.8
	<b>सभी राज्य</b>	<b>2.7</b>	<b>2.9</b>	<b>2.8</b>	<b>3.5</b>	<b>3.4</b>	<b>3.4</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>2.6</b>	<b>2.8</b>	<b>2.7</b>	<b>3.4</b>	<b>3.3</b>	<b>3.3</b>	<b>3.2</b>	<b>3.1</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>5.0</b>	<b>4.9</b>	<b>4.5</b>	<b>5.3</b>	<b>5.1</b>	<b>5.5</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 11: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	2.5	2.3	2.1	2.2	2.5	2.3	2.1	2.5
2	अरुणाचल प्रदेश	18.8	9.6	11.6	8.3	10.8	7.8	14.2	23.4
3	असम	1.8	2.0	2.3	2.3	1.3	2.4	2.8	3.6
4	बिहार	4.4	4.1	4.7	5.4	6.6	6.5	6.2	4.2
5	छत्तीसगढ़	3.4	3.8	2.8	3.0	3.6	3.9	3.8	3.0
6	गोवा	2.8	2.5	2.8	2.6	3.0	2.6	3.1	3.0
7	गुजरात	2.3	3.1	2.9	2.7	2.4	2.0	2.0	2.0
8	हरियाणा	2.0	1.8	1.2	1.0	4.1	2.0	2.3	2.2
9	हिमाचल प्रदेश	3.2	2.9	2.5	2.8	2.9	5.4	3.1	3.3
10	जम्मू और कश्मीर	7.6	6.1	4.8	5.3	6.3	6.7	7.5	5.4
11	झारखंड	2.2	2.8	2.6	2.9	7.6	5.2	5.1	4.1
12	कर्नाटक	2.9	2.4	2.2	2.2	2.0	2.5	2.6	2.5
13	केरल	1.3	1.4	1.2	1.0	1.5	1.8	1.5	1.2
14	मध्य प्रदेश	7.9	4.4	3.6	5.1	3.7	5.0	4.5	3.8
15	महाराष्ट्र	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4
16	मणिपुर	13.1	10.9	8.0	7.4	6.3	7.0	5.6	6.2
17	मेघालय	4.6	4.4	4.9	5.1	5.1	4.8	3.4	4.5
18	मिजोरम	8.7	7.6	6.1	6.9	4.7	5.5	10.9	9.8
19	नागालैंड	10.3	8.9	7.3	5.6	5.4	5.0	5.2	5.9
20	ओडिशा	2.2	2.2	2.8	3.6	5.3	4.8	5.2	5.0
21	पंजाब	0.7	0.7	0.7	1.0	2.3	10.7	0.7	0.7
22	राजस्थान	1.9	2.7	2.6	2.7	8.6	3.9	2.6	2.2
23	सिक्किम	6.0	6.9	6.7	6.5	3.7	3.6	5.9	4.7
24	तमिलनाडु	2.9	2.3	2.0	2.1	1.8	3.6	1.8	1.9
25	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.6	4.0	3.6
26	त्रिपुरा	7.3	6.9	6.5	9.6	8.9	8.4	4.1	3.0
27	उत्तर प्रदेश	3.1	3.0	3.7	5.5	6.5	5.9	2.8	4.1
28	उत्तराखंड	2.2	2.9	2.7	3.2	2.4	2.6	2.7	2.6
29	पश्चिम बंगाल	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	1.4	2.0	2.3
	<b>सभी राज्य</b>	<b>2.5</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>	<b>2.6</b>	<b>3.3</b>	<b>3.5</b>	<b>2.6</b>	<b>2.6</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>2.4</b>	<b>2.3</b>	<b>2.2</b>	<b>2.5</b>	<b>3.2</b>	<b>3.4</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>4.4</b>	<b>4.0</b>	<b>3.7</b>	<b>4.0</b>	<b>3.6</b>	<b>4.2</b>	<b>4.2</b>	<b>4.3</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।



**अनुबंध-एफआई 12: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय (राजस्व और पूंजी)**

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	14.8	15.0	14.1	18.2	18.4	19.3	17.3	17.4
2	अरुणाचल प्रदेश	58.7	47.8	51.0	48.1	56.0	55.2	62.8	73.9
3	असम	20.3	20.5	20.3	22.3	17.5	21.8	22.4	21.6
4	बिहार	23.2	23.4	24.4	26.6	29.1	29.0	28.1	27.8
5	छत्तीसगढ़	17.7	19.0	18.7	20.9	23.0	23.1	24.3	24.2
6	गोवा	15.8	18.4	21.8	18.1	18.2	16.7	18.3	18.1
7	गुजरात	12.0	12.7	12.2	12.1	11.7	10.9	10.9	10.8
8	हरियाणा	12.8	12.8	11.7	12.3	16.0	14.2	13.6	12.7
9	हिमाचल प्रदेश	22.3	22.5	20.8	21.9	22.4	25.6	22.6	22.4
10	जम्मू और कश्मीर	36.6	34.9	33.1	35.1	37.4	38.6	36.8	41.4
11	झारखंड	16.1	16.2	15.1	17.5	25.3	24.2	24.0	21.1
12	कर्नाटक	13.6	13.4	13.1	13.5	13.2	13.4	13.1	13.2
13	केरल	14.0	14.4	14.2	15.0	15.5	16.1	15.7	15.4
14	मध्य प्रदेश	24.6	21.0	19.5	22.2	22.1	23.4	22.5	21.3
15	महाराष्ट्र	11.1	10.8	10.7	11.1	10.9	11.1	11.3	11.5
16	मणिपुर	51.9	49.6	43.3	47.4	44.1	45.5	41.5	41.2
17	मेघालय	28.8	27.2	29.1	32.0	30.3	35.2	32.0	35.1
18	मिजोरम	59.7	61.5	53.9	48.7	41.5	41.7	47.6	48.2
19	नागालैंड	50.3	48.6	41.9	42.3	44.3	44.8	46.8	45.9
20	ओडिशा	17.2	16.8	18.2	19.9	23.2	21.3	21.5	22.3
21	पंजाब	13.1	14.0	13.2	14.1	15.2	23.7	13.9	15.0
22	राजस्थान	14.2	15.5	16.3	18.1	24.2	20.6	20.1	19.9
23	सिक्किम	34.9	31.3	31.6	30.8	23.9	21.9	21.9	22.9
24	तमिलनाडु	14.1	13.6	13.3	14.1	13.8	15.3	13.3	14.0
25	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	18.0	15.4	14.9
26	त्रिपुरा	32.4	31.0	29.7	34.8	30.8	30.8	27.8	26.8
27	उत्तर प्रदेश	20.2	20.1	20.5	22.4	25.2	24.3	21.0	22.2
28	उत्तराखंड	13.5	13.5	13.6	16.3	15.5	15.6	15.7	15.7
29	पश्चिम बंगाल	14.7	14.8	14.7	15.9	16.6	16.8	16.5	16.6
	<b>सभी राज्य</b>	<b>15.6</b>	<b>15.5</b>	<b>15.3</b>	<b>16.6</b>	<b>17.4</b>	<b>17.7</b>	<b>16.6</b>	<b>16.7</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>14.9</b>	<b>14.9</b>	<b>14.7</b>	<b>16.0</b>	<b>17.0</b>	<b>17.2</b>	<b>16.0</b>	<b>16.1</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>25.6</b>	<b>24.9</b>	<b>24.0</b>	<b>26.1</b>	<b>24.6</b>	<b>26.5</b>	<b>26.0</b>	<b>26.7</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 13: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज, पेंशन और वेतन)

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	6.0	6.0	5.9	6.2	7.4	7.5	7.3	7.1
2	अरुणाचल प्रदेश	21.7	21.6	22.4	20.5	22.0	23.2	26.0	23.5
3	असम	11.8	12.2	12.4	12.9	11.9	11.3	13.2	12.1
4	बिहार	9.8	9.3	9.1	9.3	9.1	8.7	8.8	8.7
5	छत्तीसगढ़	6.9	6.0	6.1	6.5	7.2	6.9	7.2	8.6
6	गोवा	5.7	7.1	8.4	7.2	6.8	6.5	7.5	7.4
7	गुजरात	3.8	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.3	3.3
8	हरियाणा	5.7	5.7	5.3	5.8	5.7	5.8	5.9	5.6
9	हिमाचल प्रदेश	14.3	14.7	13.4	13.5	13.1	13.4	13.7	13.0
10	जम्मू और कश्मीर	19.9	19.2	18.9	19.2	19.1	19.1	18.8	23.6
11	झारखंड	7.2	6.7	6.9	6.3	7.5	7.3	8.1	7.7
12	कर्नाटक	2.9	3.1	3.1	3.1	3.0	2.7	2.7	2.8
13	केरल	8.5	8.1	8.1	8.3	8.5	8.7	9.5	8.6
14	मध्य प्रदेश	7.2	6.7	6.7	6.8	6.5	5.8	5.9	6.2
15	महाराष्ट्र	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	3.2	3.3	3.2
16	मणिपुर	25.4	26.5	23.4	22.7	22.4	22.6	21.0	20.7
17	मेघालय	11.4	10.5	11.4	12.5	12.7	12.4	13.4	14.8
18	मिजोरम	27.9	28.5	26.4	21.5	21.1	19.9	19.1	20.9
19	नागालैंड	27.0	26.4	24.9	25.7	27.2	25.2	24.9	26.6
20	ओडिशा	7.0	6.8	6.6	6.9	7.2	6.6	7.1	7.3
21	पंजाब	9.1	9.0	8.6	9.1	8.9	8.9	9.5	8.9
22	राजस्थान	6.7	6.6	6.7	7.0	7.1	7.8	8.5	9.7
23	सिक्किम	11.1	11.3	11.3	11.7	11.2	10.6	9.0	10.8
24	तमिलनाडु	6.1	5.8	6.0	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5
25	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	5.6	5.6	5.1
26	त्रिपुरा	17.4	16.3	15.4	15.7	15.0	15.0	17.1	17.0
27	उत्तर प्रदेश	7.5	7.7	7.1	7.3	7.0	7.2	7.7	7.6
28	उत्तराखंड	7.1	7.0	7.1	7.5	7.6	8.0	8.8	8.7
29	पश्चिम बंगाल	7.1	6.8	6.5	6.3	6.0	6.0	5.8	5.5
	<b>सभी राज्य</b>	<b>6.4</b>	<b>6.2</b>	<b>6.1</b>	<b>6.2</b>	<b>6.2</b>	<b>6.1</b>	<b>6.3</b>	<b>6.3</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>5.9</b>	<b>5.7</b>	<b>5.6</b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>	<b>5.7</b>	<b>5.9</b>	<b>5.8</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>13.7</b>	<b>13.7</b>	<b>13.4</b>	<b>13.6</b>	<b>13.4</b>	<b>13.2</b>	<b>14.0</b>	<b>14.4</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 14: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (+)/अधिशेष (-)

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	-0.4	-0.1	0.0	2.3	1.2	2.5	2.0	1.6
2	अरुणाचल प्रदेश	-9.8	-7.8	-0.6	-11.0	-11.8	-12.0	-12.8	-15.3
3	असम	-0.6	-1.0	-0.1	0.5	-2.4	0.1	0.5	-2.1
4	बिहार	-2.0	-1.8	-2.0	-1.7	-3.4	-2.6	-3.2	-1.3
5	छत्तीसगढ़	-2.0	-1.5	0.4	0.7	-1.1	-2.2	-1.2	-0.2
6	गोवा	-0.7	0.6	1.0	-0.6	-0.2	-1.1	-0.7	-0.5
7	गुजरात	-0.5	-0.8	-0.6	-0.6	-0.2	-0.5	-0.4	-0.2
8	हरियाणा	0.5	1.3	1.0	1.9	2.4	2.8	1.6	1.5
9	हिमाचल प्रदेश	-0.9	0.7	1.7	1.9	-1.0	-0.7	-0.2	-1.0
10	जम्मू और कश्मीर	-2.7	-1.3	-0.1	0.4	0.5	-1.7	-5.5	3.1
11	झारखंड	-0.9	-0.8	-1.4	0.1	-2.0	-0.8	-0.7	-1.9
12	कर्नाटक	-0.8	-0.3	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.3	0.0
13	केरल	2.2	2.3	2.4	2.7	1.7	2.4	2.4	2.2
14	मध्य प्रदेश	-3.1	-2.0	-1.3	-1.3	-1.1	-0.6	-0.6	-1.1
15	महाराष्ट्र	0.2	-0.3	0.3	0.7	0.3	0.4	-0.1	-0.5
16	मणिपुर	-5.0	-10.9	-9.7	-4.0	-4.6	-4.4	-4.2	-2.9
17	मेघालय	0.9	-2.5	-3.1	-0.8	-2.8	-2.2	-2.9	1.6
18	मिजोरम	-1.8	-0.3	1.5	1.0	-7.3	-6.8	-9.1	-7.9
19	नागालैंड	-5.8	-4.3	-4.5	-4.8	-2.4	-3.6	-3.4	-1.9
20	ओडिशा	-2.4	-2.2	-1.1	-1.9	-3.1	-2.4	-3.0	-2.9
21	पंजाब	2.6	2.5	2.0	2.1	2.2	1.7	2.0	2.5
22	राजस्थान	-0.8	-0.7	0.2	0.5	0.9	2.4	2.2	3.1
23	सिक्किम	-4.0	-6.3	-6.3	-4.7	-0.8	-4.0	-4.1	-2.4
24	तमिलनाडु	-0.2	-0.2	0.2	0.6	1.0	1.0	1.5	1.4
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	0.0	-0.2	-0.5	-0.5
26	त्रिपुरा	-8.7	-8.5	-6.6	-6.1	-4.3	-2.0	0.7	-0.3
27	उत्तर प्रदेश	-1.0	-0.6	-1.1	-2.2	-1.3	-1.6	-0.9	-1.7
28	उत्तराखंड	-0.6	-1.4	-0.7	0.6	1.0	0.2	0.9	0.4
29	पश्चिम बंगाल	2.8	2.3	2.8	2.4	1.1	1.8	1.0	1.0
	<b>सभी राज्य</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.2</b>	<b>0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.3</b>	<b>0.1</b>	<b>0.1</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>-0.2</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.4</b>	<b>0.1</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>-1.8</b>	<b>-1.8</b>	<b>-0.8</b>	<b>-0.3</b>	<b>-1.4</b>	<b>-1.2</b>	<b>-1.3</b>	<b>-0.8</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 15: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (+)/अधिशेष (-)

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	2.1	2.2	2.0	4.0	3.7	4.5	4.1	4.1
2	अरुणाचल प्रदेश	9.0	1.8	11.0	-2.9	-1.0	-4.2	1.4	8.0
3	असम	1.1	1.0	2.1	2.8	-1.3	2.4	3.3	1.5
4	बिहार	2.4	2.3	2.6	3.3	3.2	3.9	3.1	2.6
5	छत्तीसगढ़	0.5	1.5	2.4	3.6	2.4	1.6	2.5	2.7
6	गोवा	2.1	3.0	3.8	2.0	2.7	1.5	2.3	2.5
7	गुजरात	1.8	2.3	2.3	2.0	2.2	1.4	1.6	1.8
8	हरियाणा	2.4	3.0	2.1	2.9	6.4	4.7	2.9	3.0
9	हिमाचल प्रदेश	2.2	3.6	4.2	4.0	1.9	4.6	2.8	2.3
10	जम्मू और कश्मीर	4.7	4.8	4.8	5.7	6.9	4.9	2.0	8.6
11	झारखंड	1.3	1.9	1.2	3.0	5.6	4.3	4.4	2.2
12	कर्नाटक	2.0	2.1	2.1	2.1	1.8	2.4	2.3	2.5
13	केरल	3.5	3.6	3.6	3.6	3.2	4.2	3.8	3.4
14	मध्य प्रदेश	1.8	2.5	2.2	2.4	2.6	4.3	3.1	2.7
15	महाराष्ट्र	1.6	0.9	1.6	1.8	1.4	1.8	1.0	0.9
16	मणिपुर	8.1	0.0	-1.7	3.3	1.7	2.6	1.3	3.3
17	मेघालय	5.3	1.8	1.7	4.2	2.2	2.5	0.5	6.1
18	मिजोरम	6.6	6.9	7.3	7.7	-2.7	-1.5	1.7	1.8
19	नागालैंड	4.4	4.6	2.8	0.7	3.1	1.3	1.8	4.0
20	ओडिशा	-0.3	0.0	1.6	1.7	2.1	2.4	2.1	2.1
21	पंजाब	3.2	3.1	2.6	3.1	4.5	12.4	2.7	3.1
22	राजस्थान	0.8	1.7	2.8	3.1	9.3	6.1	3.0	3.7
23	सिक्किम	1.6	0.5	0.4	1.8	2.9	-0.4	1.8	2.2
24	तमिलनाडु	2.3	1.9	2.1	2.5	2.8	4.3	2.7	2.9
25	तेलंगाना	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.4	3.5	3.1
26	त्रिपुरा	-1.3	-1.6	-0.2	3.6	4.6	6.4	4.7	2.7
27	उत्तर प्रदेश	2.1	2.3	2.5	3.2	5.1	4.3	1.9	2.1
28	उत्तराखंड	1.5	1.2	1.8	3.6	3.5	2.8	3.6	3.0
29	पश्चिम बंगाल	3.4	3.2	3.7	3.8	2.6	2.9	3.0	3.1
	<b>सभी राज्य</b>	<b>2.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>	<b>2.8</b>	<b>3.2</b>	<b>3.6</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>2.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.3</b>	<b>2.8</b>	<b>3.3</b>	<b>3.7</b>	<b>2.5</b>	<b>2.5</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>2.5</b>	<b>2.1</b>	<b>2.8</b>	<b>3.5</b>	<b>2.1</b>	<b>3.1</b>	<b>2.9</b>	<b>3.4</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 16: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया ऋण

क्रसं	राज्य का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	20.4	20.8	20.7	22.2	28.0	28.5	26.6	29.8
2	अरुणाचल प्रदेश	36.5	35.4	33.8	34.1	31.8	28.3	32.1	34.9
3	असम	22.0	19.5	17.9	18.1	17.1	17.3	17.4	18.8
4	बिहार	27.4	27.1	27.4	28.9	31.4	32.9	33.4	31.9
5	छत्तीसगढ़	10.8	10.9	12.0	14.0	16.8	17.6	19.3	22.0
6	गोवा	22.6	29.5	35.3	29.0	28.3	26.7	26.8	27.9
7	गुजरात	24.5	23.0	22.7	21.9	21.5	20.8	19.3	19.0
8	हरियाणा	18.3	18.7	19.1	20.2	24.4	26.1	25.3	25.1
9	हिमाचल प्रदेश	38.8	36.8	35.8	36.8	36.1	37.6	36.9	35.3
10	जम्मू और कश्मीर	46.3	46.2	46.7	49.1	47.2	49.8	49.0	50.7
11	झारखंड	20.3	20.0	19.9	19.9	27.4	28.3	28.6	28.2
12	कर्नाटक	17.0	16.8	16.6	17.3	16.8	17.5	17.2	17.5
13	केरल	25.6	26.3	26.7	27.7	28.6	29.9	30.6	30.9
14	मध्य प्रदेश	25.9	23.6	22.0	22.6	23.5	23.7	23.8	23.9
15	महाराष्ट्र	19.2	18.4	17.8	18.0	17.9	18.0	18.1	16.6
16	मणिपुर	49.4	49.5	43.6	40.6	41.6	41.4	37.1	37.5
17	मेघालय	25.6	22.7	27.3	29.1	28.5	32.7	32.1	31.7
18	मिजोरम	62.7	61.2	54.5	48.5	42.3	39.1	39.0	37.5
19	नागालैंड	55.5	52.8	50.3	43.2	45.7	44.0	42.5	42.7
20	ओडिशा	18.4	16.6	15.1	16.1	18.2	18.2	22.1	22.0
21	पंजाब	31.2	31.0	30.8	31.6	33.0	42.7	41.4	40.3
22	राजस्थान	24.5	23.9	23.6	24.0	30.7	33.5	33.7	33.0
23	सिक्किम	22.9	22.4	22.1	22.6	22.0	22.6	21.0	22.1
24	तमिलनाडु	16.9	17.2	17.2	17.9	19.0	21.8	22.3	22.6
25	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए	एनए	17.0	20.5	22.0	22.9
26	त्रिपुरा	35.7	35.4	34.0	31.6	27.5	28.5	29.5	29.7
27	उत्तर प्रदेश	33.6	31.6	30.0	30.4	32.3	32.8	32.0	31.1
28	उत्तराखंड	20.5	19.4	19.3	20.7	22.1	22.8	23.3	23.6
29	पश्चिम बंगाल	39.9	38.8	37.2	38.7	38.4	38.7	37.0	36.1
	<b>सभी राज्य</b>	<b>23.9</b>	<b>23.2</b>	<b>22.7</b>	<b>23.3</b>	<b>24.4</b>	<b>25.6</b>	<b>25.4</b>	<b>25.3</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>23.4</b>	<b>22.8</b>	<b>22.4</b>	<b>23.0</b>	<b>24.2</b>	<b>25.3</b>	<b>25.2</b>	<b>25.0</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>31.0</b>	<b>29.5</b>	<b>28.7</b>	<b>29.2</b>	<b>28.5</b>	<b>29.2</b>	<b>29.0</b>	<b>29.6</b>

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश के संबंध में, 2014-15 तक के आंकड़े अविभाजित राज्य के लिए हैं।

अनुबंध-एफआई 17: स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय (राजस्व+पूँजी): 2018-19

क्रसं	राज्य का नाम	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय	प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य व्यय (रु)
1	आंध्र प्रदेश	4.9	1441
2	अरुणाचल प्रदेश	6.1	6937
3	असम	6.8	1360
4	बिहार	5.0	616
5	छत्तीसगढ़	5.1	1303
6	गोवा	7.2	6207
7	गुजरात	6.1	1478
8	हरियाणा	4.3	1422
9	हिमाचल प्रदेश	6.5	3074
10	जम्मू और कश्मीर	6.9	3145
11	झारखंड	5.4	913
12	कर्नाटक	4.7	1429
13	केरल	5.9	2048
14	मध्य प्रदेश	4.5	947
15	महाराष्ट्र	4.3	1069
16	मणिपुर	5.3	1813
17	मेघालय	9.1	3055
18	मिजोरम	6.2	4907
19	नागालैंड	5.0	2968
20	ओडिशा	5.2	1308
21	पंजाब	4.1	1059
22	राजस्थान	6.3	1552
23	सिक्किम	6.2	6165
24	तमिलनाडु	5.5	1653
25	तेलंगाना	4.2	1405
26	त्रिपुरा	7.0	2340
27	उत्तर प्रदेश	4.9	807
28	उत्तराखंड	5.4	1878
29	पश्चिम बंगाल	5.3	983
	<b>सभी राज्य</b>	<b>5.2</b>	<b>1218</b>
	<b>सामान्य राज्य</b>	<b>5.0</b>	<b>1148</b>
	<b>एनई एंड एचएस</b>	<b>6.5</b>	<b>2256</b>

**अनुबंध-एफआई 18: जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकारों का सांकेतिक ऋण पथ**

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	35.0	34.1	34.0	33.4	32.7	32.1
अरुणाचल प्रदेश	40.0	38.4	38.0	36.9	35.8	34.8
असम	27.1	27.7	29.1	29.7	30.2	30.4
बिहार	41.2	40.2	40.8	40.4	39.9	39.3
छत्तीसगढ़	28.1	28.8	30.2	30.8	31.3	31.6
गोवा	33.3	32.5	32.5	31.9	31.2	30.6
गुजरात	30.6	30.0	30.9	30.6	30.3	29.8
हरियाणा	31.9	31.2	31.4	30.9	30.4	29.9
हिमाचल प्रदेश	39.8	38.3	37.8	36.8	35.7	34.7
झारखंड	37.2	36.7	37.5	37.4	37.1	36.8
कर्नाटक	26.1	26.1	27.1	27.2	27.2	27.1
केरल	35.9	34.7	34.5	33.7	32.8	32.0
मध्य प्रदेश	31.3	31.7	32.9	33.3	33.6	33.7
महाराष्ट्र	25.7	26.0	27.5	28.1	28.5	28.5
मणिपुर	42.8	41.5	41.8	41.2	40.4	39.6
मेघालय	40.5	39.9	40.3	39.8	39.1	38.4
मिजोरम	37.0	35.8	35.6	34.8	34.0	33.2
नागालैंड	45.2	43.0	42.1	40.6	39.1	37.7
ओडिशा	29.4	30.0	31.3	31.8	32.2	32.5
पंजाब	46.3	45.2	45.4	44.9	44.2	43.4
राजस्थान	41.1	39.9	40.2	39.6	38.9	38.2
सिक्किम	27.4	27.5	28.1	28.1	28.0	27.9
तमिलनाडु	28.9	28.7	29.3	29.1	28.9	28.7
तेलंगाना	29.5	29.3	29.7	29.5	29.3	29.0
त्रिपुरा	36.3	34.9	35.1	34.5	33.7	32.8
उत्तर प्रदेश	40.9	40.0	40.5	40.2	39.7	39.1
उत्तराखंड	33.2	33.1	33.9	34.0	33.9	33.7
पश्चिम बंगाल	42.9	42.1	42.6	42.2	41.7	41.2
<b>सभी राज्य</b>	<b>33.1</b>	<b>32.6</b>	<b>33.3</b>	<b>33.1</b>	<b>32.8</b>	<b>32.5</b>





पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट